

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

अर्थशास्त्र के सिद्धान्त

(Principles of Economics)

लेखक:-

विजयेन्द्र पाल सिंह

एम० ए०, एल-एल० बी०,

अर्थशास्त्र विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर ।

PRINCIPLES OF ECONOMICS




नवयुग साहित्य सदन,
लोहामन्डी, आगरा-२

RESERVED BOOKS

अर्थशास्त्र के विद्वांस

११०६ - प्रथम संस्करण—१९५६

एकादशम् सशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण—१९७०



मूल्य : १७ रुपये मात्र

आगरा तथा सागर के वी० ए०, तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय
के वी० कॉम०, एवं राजस्थान, पंजाब, उदयपुर, नागपुर, विश्व-
विद्यालयों के वी० ए, तथा वी० कॉम० के विद्यार्थियों हेतु

प्रस्तुत पुस्तक 'अर्थशास्त्र के सिद्धान्त' का ग्यारहवाँ संस्करण प्रस्तुत करते हुए लेखक अत्यन्त हर्ष अनुभव करता है। इसका पहला संस्करण सन् १९५६ से प्रकाशित हुआ था। इस प्रकार एक अल्प अवधि में ही पुस्तक के इतने संस्करण बिकना इस बात का साक्षी है कि वह विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त उपयोगी प्रमाणित हुई।

पिछले संस्करण में महत्वपूर्ण संशोधन किये गये थे। प्रस्तुत संस्करण के संशोधन भी महत्वपूर्ण और विस्तृत हैं। विषय सामग्री में नये विकासों को दृष्टिगत रखते हुए अनेक सुधार किये गये हैं। अभी हाल में विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में कुछ असाधारण परिवर्तन किये गये हैं। संशोधन करने में इन परिवर्तनों का भी समुचित ध्यान रखा गया है।

सम्पूर्ण पुस्तक को भाषा की दृष्टि से अधिक रोचक और सरल बनाने की चेष्टा की गई है। आशा है कि पुस्तक अब अधिक उपयोगी प्रमाणित होगी।

लेखक उन अध्यापकों और विद्यार्थियों के प्रति धाभारी है जिन्होंने इस पुस्तक को अधिक उपयोगी बनाने हेतु विभिन्न सुझाव दिये हैं।

अनुक्रमिका

[पहला भाग] विषय-परिचय

अध्याय	पृष्ठ-संख्या
१. अर्थशास्त्र की परिभाषा	१—२८
२. अर्थशास्त्र का क्षेत्र	२९—४५
३. प्राथमिक नियमों की प्रकृति	४६—५६
४. अर्थशास्त्र के प्रक्षयन की रीतियाँ	५७—६६
५. धन एवं वृद्ध अर्थशास्त्र	६७—७७
६. स्थानिक और प्राथमिक अर्थशास्त्र	७७—७९
७. साम्य अथवा सन्तुलन	८०—८७
८. स्वतन्त्रवादी अर्थशास्त्र	८८—९२

[दूसरा भाग] उपभोग

९. उपभोग, इसका महत्व एवं उपभोक्ता की सार्वभौमिकता	३—१४
१०. आवश्यकताएँ	१५—३०
११. उपयोगिता, सीमान्त उपयोगिता एवं सीमान्त विश्लेषण	३१—३८
१२. उपयोगिता ह्रास नियम	३९—४९
१३. सीमा-सीमान्त उपयोगिता नियम	५०—६३
१४. उपभोक्ता की वृद्धि	६४—७६
१५. प्रांग का नियम	७७—९४
१६. प्रांग की लोच	९५—११३
१७. प्रति, प्रति का नियम और प्रति की लोच	११४—१२१
१८. उदासीनता वक्र अथवा तटस्थता वक्र	१२२—१४२
१९. जीवन-स्तर	१४३—१४२

[तीसरा भाग] उत्पत्ति

१. उत्पत्ति और उत्पत्ति के साधन	३—११
२. उत्पत्ति के नियम	१२—३३
३. भूमि	३४—४०
४. धन	४१—५४
५. धन-मस्या और उसके सिद्धान्त	५५—७३
६. पूँजी	७४—८६
७. मजदूर और माह्रम	८७—९२
८. उत्पत्ति का पैमाना	९३—१०१
९. धन-विभाजन	१०२—१०८
१०. उत्पत्ति में मशीनों का उपयोग	१०९—११४
११. उद्योग-धन्धों का स्थानीयकरण	११५—१२२
१२. व्यावसायिक मजदूरन के रूप	१२३—१३५
१३. एकाधिकार एवं औद्योगिक संयोजन	१३६—१४४
१४. उद्योगों का विवेकीकरण	१४५—१५०

अध्याय

१५. रोजगार का सिद्धान्त
१६. आर्थिक प्रणालियाँ
१७. आर्थिक नियोजन

पृष्ठ-क्रम
१५१-१६६
१६७-२०२
२०३-२१५

[चौथा भाग]
विनिमय

१. विनिमय और उसका महत्त्व
२. बाजार अथवा मण्डी ✓
३. बाजार स्थितियाँ अथवा बाजार सम्बन्ध ✓
४. मूल्य के प्राचीन सिद्धान्त
५. मूल्य का सामान्य सिद्धान्त ✓
६. मूल्य-निर्धारण में समय-तत्त्व ✓
७. प्रतिनिधि फर्म
८. विनिमय सिद्धान्त सम्बन्धी कुछ आधारभूत विचा-
९. पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत मूल्य
१०. एकाधिकार के अन्तर्गत मूल्य
११. अपूर्ण प्रतियोगिता का मूल्य
१२. परस्पर सम्बन्धित मूल्यों की समस्या
१३. परिवर्तन, सट्टा या फाटका

३-७
८-१५
१६-२६
२७-३४
३५-४८
५०-५३
६४-७१
७२-८४
८५-९६
९७-११६
११७-१२७
१२८-१३५
१३६-१४४

[पाँचवाँ भाग]
वितरण

१. वितरण और इसकी समस्याएँ
२. लगान और इसके सिद्धान्त ✓
३. मजदूरी और मजदूरी के सिद्धान्त ✓
४. श्रम समस्याएँ ✓
५. ध्याज और इसके सिद्धान्त ✓
६. लाभ और उसके सिद्धान्त ✓
७. राष्ट्रीय लाभ ✓

३-१३
१४-३२
३३-४६
५७-६६
६७-८२
८३-१०८
१०९-१३०

[छठवाँ भाग]
राजस्व

१. आर्थिक क्षेत्र में राज्य की भूमिका
२. राजस्व की परिभाषा एवं इसका महत्त्व
३. लोक व्यय
४. लोक आगम
५. करारोपण
६. करदान क्षमता तथा कर-भार
७. करारोपण का उत्पत्ति और वितरण पर प्रभाव
८. मृत्यु-कर
९. लोक ऋण
१०. वित्तीय सामन
११. भारतीय धर्म प्रबन्ध की वर्तमान स्थिति
१२. भारत में राष्ट्रीय धर्म-प्रबन्ध की मुख्य प्रवृत्तियाँ
१३. केन्द्रीय सरकार का बजट (१९७०-७१)
१४. भारत में राज्य वित्त-प्रबन्ध
१५. भारत में स्थानीय वित्त परिशिष्ट

१-५
६-१४
१५-२३
२४-२६
२७-३६
३७-४३
४४-४८
४९-५३
५४-५८
५९-६३
६४-७९
८०
८१
१११
१२२
१२३

अर्थशास्त्र की परिभाषा

(Definition of Economics)

प्रारम्भिक—परिभाषा की समस्या

किसी भी वस्तु को परिभाषा के बन्धन में बाधना कठिन होता है। उन शब्दों की परिभाषा तो और भी कठिन होती है जिनसे हम अपने दैनिक जीवन में सबसे अधिक परिचित होते हैं। किन्तु फिर भी परिभाषा की आवश्यकता तो होनी ही है किसी भी विषय अथवा शास्त्र का अध्ययन आरम्भ करने से पहले उसकी परिभाषा दी जाती है। परिभाषा का प्रमुख लाभ यह होता है कि हम आरम्भ में ही यह जान लेते हैं कि जिस विषय का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, वह यथार्थ में क्या है। अर्थशास्त्र का अध्ययन भी हम इसकी परिभाषा से ही आरम्भ करते हैं। किन्तु अर्थशास्त्र की परिभाषा के सम्बन्ध में निम्नलिखित तीन कठिनाइयाँ हैं :—

(१) क्या अर्थशास्त्र की परिभाषा देना आवश्यक है ? अर्थशास्त्रियों के एक वर्ग की सम्मति में अर्थशास्त्र की परिभाषा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। रिचार्ड जोन्स एव फाम्प्टे और आधुनिक विद्वान जैकब वीनर, मोरिस डोब वॉन माइजेस एव गुनार मिड्स ऐसे ही अर्थशास्त्री हैं। इनका कहना है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निरन्तर विस्तार होता जा रहा है, जिस कारण आज जो परिभाषा दी जाती है वह बल प्रनुपयुक्त हो जाती है। पुनः अन्य शास्त्रों से भी अर्थशास्त्र का घनिष्ठ सम्बन्ध है, अतः अर्थशास्त्र की एक निश्चित परिभाषा देना कठिन है। जब ऐसा है तो परिभाषा देने का प्रयास बेकार है। जैकब वीनर (Jacob Viner) ने तो यहाँ तक कह दिया है कि "अर्थशास्त्री जो करें वही अर्थशास्त्र है।" हमारी सम्मति में परिभाषा देना आवश्यक है, क्योंकि इसमें अध्ययन का क्षेत्र स्पष्ट हो जाता है।

(२) पहले परिभाषा की जाय या विषय की विवेचना ? प्राचीन अर्थशास्त्री विषय की विवेचना पहले करते थे और परिभाषा बाद में। इसके पीछे सम्भवतः यह तर्क छिपा था कि जब हमें यही ज्ञान नहीं है कि अर्थशास्त्र का विषय क्या है, तो हम उसकी परिभाषा को कैसे समझेंगे ? इसके विपरीत, आधुनिक अर्थशास्त्री पहले परिभाषा करते हैं और विषय की विवेचना बाद में, जिसका कारण उन्होंने यह बताया है कि परिभाषा अध्ययन के क्षेत्र को सीमित कर देती है और जिज्ञामु टधर-उधर भटकने नहीं पाता है।

(३) कौन-सी परिभाषा को मानें ? कालान्तर में अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के निर्माण का कार्य बराबर होता चला आया है और अभी तक भी नई परिभाषायें बनाने और दूसरों की परिभाषाओं की आलोचना करने का प्रयत्न बन्द नहीं हुआ है। आज भी हम यह नहीं कह सकते कि भविष्य में अर्थशास्त्र की और नई परिभाषायें नहीं होंगी। अर्थशास्त्र की इतनी परिभाषाएँ हुई हैं कि डॉ० कोस को यह कहना पटा कि इन शास्त्र ने परिभाषाओं ने अपना

१०. _____
 ११. उद्य
 १२. *Economics is what economists do* — Jacob Viner.
 १३. *Economics is an unfinished science.* — F. Zuethen : *Economic Theory and*
 १४. *Method*, p. 3.

गला घोट लिया है।¹ बारबरा ऊटन के इस व्यंग्य में भी कटु सत्य छिपा हुआ है कि जब कभी भी छ. अर्थशास्त्री एकत्रित होते हैं तो मत सात होते हैं।² परिभाषाओं की इस अधिकता के कारण विद्यार्थी को इस विषय के समझने में बहुधा कठिनाई होती है। वैसे भी इन विभिन्न परिभाषाओं में आपस में इतने अधिक अन्तर हैं कि किसी का भी उलझन में पड़ जाना स्वाभाविक ही है। इस उत्तर के निम्नलिखित तीन मुख्य कारण हैं :—

(अ) प्रायः प्रत्येक प्राचीन लेखक ने अर्थशास्त्र के विषय की विवेचना पहले की और परिभाषा बाद में दी। इसी का परिणाम यह था कि प्रत्येक लेखक ने जो परिभाषा दी उसकी रचना में उसने उन सभी समस्याओं को, जिनकी वह विवेचना कर चुका था, सम्मिलित करने का यत्न किया। अन्य शब्दों में, आर्थिक समस्याओं पर विचार पहले किया गया, अर्थशास्त्र पर बाद में। चूँकि किन्हीं दो लेखकों की चुनी हुई आर्थिक समस्याएँ एक जैसी न थीं, इसलिये विभिन्न लेखकों द्वारा दी गई परिभाषाएँ भी भिन्न प्रकार की थीं।

(ब) बहुधा अर्थशास्त्र के लेखकों ने इस शास्त्र की परिभाषा तथा इसके विषय के सम्बन्ध में एक न एक कारणवश (जैसे—रसकिन और बारलसल जैसे विद्वानों की मालोचना के फलस्वरूप) उत्पन्न-फेर करने का प्रयत्न किया। इस प्रकार, बार-बार परिभाषाओं के बदलने के कारण अर्थशास्त्र की अनेक और विभिन्न परिभाषाएँ जमा हो गईं।

(स) अर्थशास्त्र का सम्बन्ध मनुष्य और उसकी क्रियाओं से है। एन और तो स्वयं मनुष्य ही एक परिवर्तनशील प्राणी है और दूसरी ओर, जीवन की भौतिक दशाओं भी बदलती रही हैं। फलतः अर्थशास्त्र भी निरन्तर उन्नति कर रहा है और इसलिए इसकी परिभाषाएँ बार-बार बदली गयी हैं।

सोभाग्यवश अर्थशास्त्र के विषय में अन्धकार अब बहुत कुछ दूर हो गया है, क्योंकि (i) आजकल अर्थशास्त्र के पण्डितों को उन सभी भाषों का सामना नहीं करना पड़ता जो कि उनके पूर्वजों को भुगतने पड़े थे। (ii) अर्थशास्त्र के महत्त्व को भी समार ने अब समझ लिया है। (iii) वर्तमान काल में अर्थशास्त्रीय लेखकों को काम करने में सुविधा भी हो गई है। (iv) अर्थशास्त्र का विषय और इसका क्षेत्र एक बड़े अंश तक निश्चित हो चुके हैं। अतः अब इसकी परिभाषा तर्कशास्त्र (Logic) के नियमों के आधार पर बनाना सम्भव हो गया है। सच पूछिये तो परिभाषा देने के पश्चात् अर्थशास्त्र के विषय की विवेचना करने का श्रेय आधुनिक अर्थशास्त्रियों को ही है।

अर्थशास्त्र की परिभाषाओं का इतिहास

विवेचन का अभाव—सदेह नहीं कि प्राचीन काल में भी आर्थिक समस्याएँ थीं और इन समस्याओं पर विचार भी किया गया था, परन्तु प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन वर्तमान समय की भाँति संपर्कमय न था, जनसंख्या थोड़ी थी और मनुष्य की आवश्यकताओं का विकास नहीं हुआ था। मानवी आवश्यकताओं की सरया भी वर्तमान की तुलना में बहुत कम थी। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता थी और प्रकृति की शृणुता अपने वर्तमान रूप में विद्यमान नहीं थी। यही कारण है कि लगभग सभी प्राचीन सभ्यताओं में साहित्य, लिखित कलाओं और दर्शन-शास्त्र का तो विकास दृष्टिगोचर होता है, परन्तु अर्थशास्त्र की विवेचना कम दिनाई पड़ती है।

1 "Political Economy is said to have strangled itself with definitions."
—Dr. J M Keynes *Scope and Methods of Political Economy*, p. 153.

2 "Whenever six economists are gathered there are seven opinions."
—Barbara Wootten . *Lament for Economics*, p. 14.

संकुचित विवेचना—ऐतिहासिक खोज से पता चलता है कि एक आर्थिक तथ्य के 'मेघन की विवेचना १५वीं और १६वीं शताब्दी में आरम्भ हुई। इस काल में पहले जिन लोगों ने आर्थिक विषयों की विवेचना की थी वे शायद आर्थिक समस्याओं की वास्तविक प्रकृति परिलक्षित न थे। ये समस्याएँ वास्तविक रूप में उनके सामने आती भी न थीं। आरम्भ में इन विद्वानों ने अर्थशास्त्र की 'घरघार के प्रबन्ध की कला' के रूप में समझा था। अर्थ चल-अर्थशास्त्र के क्षेत्र में थोड़ा विस्तार हुआ और इसे 'राज्य के प्रबन्ध की कला' कहा गया। यह मूलानुवादी विद्वान प्लेटो (Plato) और अरस्तू (Aristotle) ने अपने अध्ययन को घर के प्रबन्ध, जंग की आय (State Revenues) तथा व्यवसायों के नियन्त्रण तक ही सीमित रखा। इसी तरह, वाणिज्यवादी अर्थशास्त्रियों (Mercantilists) ने भी अर्थशास्त्र को राज्य द्वारा बहुमूल्य सुधु वटोरने के माध्यम के रूप में ही ग्रहण किया। इन सभी विद्वानों का दृष्टिकोण संकुचित था। बाद में प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों (Physiocrats) ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र का थोड़ा विस्तार र दिया है।

पृथक अध्ययन का आरम्भ—वास्तविक अर्थ में अर्थशास्त्र का अध्ययन एडम स्मिथ से आरम्भ होता है, जिन्हें 'अर्थशास्त्र के पिता' की परची दी गई है। तब अर्थशास्त्र को पृथक शास्त्र रूप में अध्ययन करने की प्रथा बराबर चली आ रही है और सभी अर्थशास्त्र की परिभाषाएँ देने का क्रम भी सन्धे अर्थ में आरम्भ हुआ है।

यहाँ अर्थशास्त्र के नाम के सम्बन्ध में एक बात ध्यान देने योग्य है जो यह कि जन्म के समय (१७७६) में इस शास्त्र का नाम 'राज्य-अर्थ-व्यवस्था' (Political Economy) था। किन्तु १८६० में, जब मार्शल ने अपनी अर्थशास्त्र विषयक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम (Principles of Economics) रखा, इसका नाम 'राज्य-अर्थ-व्यवस्था' के बजाय 'अर्थशास्त्र' हो गया। कारण उस समय तक अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत विकसित हो गया था, जिस कारण राज्य-अर्थ-व्यवस्था नामा सही नाम अनुपयुक्त प्रतीत हुआ। मार्शल एक नये नाम 'आर्थिक विश्लेषण' (Economic Analysis) का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, उदाहरण के लिए, प्रो० बोल्डिंग ने अपनी अर्थशास्त्र सम्बन्धी पुस्तक का नाम 'आर्थिक विश्लेषण' रखा है।

परिभाषाओं का वर्गीकरण

(Classification of Various Definitions)

यद्यपि अर्थशास्त्र की अनेक परिभाषाएँ की गई हैं, परन्तु कुछ सामूहिक विशेषताओं के आधार पर इन परिभाषाओं को साधारणतया चार वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :

(I) धन-परिभाषाएँ—(Wealth Definitions) ऐसी परिभाषाओं में अर्थशास्त्र को 'धान्य, चाहर, वनास्पृष्ट, पेट्रोल, किम्व, वे, वेकर, मार्शल, कि, फूँ, तार, के, क्यम, यमी, अर्थशास्त्रियों, ने यह दृष्टिकोण अपनाया। इन परिभाषाओं में मनुष्य की प्रवृत्ति धन को अधिक महत्त्व दिया गया, जो एक संकुचित दृष्टिकोण है।

(II) कल्याण परिभाषाएँ (Welfare Definitions)—ये परिभाषाएँ धन की प्रवृत्ति मनुष्य पर अधिक बल देती हैं। इनमें अर्थशास्त्र को मनुष्य के भौतिक कल्याण का शास्त्र बताया जाता है। इस प्रकार की परिभाषाओं में मुख्यतः मार्शल (Marshall) से आरम्भ होती है। अधिकांश आधुनिक लेखकों का दृष्टिकोण यही है।

(III) दुर्लभता परिभाषाएँ (Scarcity Definitions)—इन परिभाषाओं में अर्थशास्त्र को सीमित साधनों का अध्ययन बताया गया है। कहा जाता है कि आर्थिक समस्या उत्पन्न ही इस कारण होती है कि हमारे पास हमारी आवश्यकता की तुलना में साधन सीमित होते हैं।

यह दृष्टिकोण प्रो० रोबिन्स (Robbins) ने प्रस्तुत किया है और इसे 'नया दृष्टिकोण' कहा जाता है।

(IV) अन्य परिभाषाएँ (Other Definitions)—चौथे वर्ग में उन सभी परिभाषाओं को सम्मिलित किया जाता है जो ऊपर के तीन वर्गों में से किसी में भी सम्मिलित नहीं की जा सकती है। ऐसी परिभाषाओं को हम 'अन्य परिभाषाएँ' कह सकते हैं। इनमें समाजवादी एवं अन्य परिभाषाएँ सम्मिलित हैं।

(I) धन परिभाषाएँ (Wealth Definitions)

अर्थशास्त्र का प्राचीन नाम 'राजनीतिक शास्त्र' (Political Economy) था। लगभग सभी प्राचीन लेखकों ने राजनीतिक अर्थशास्त्र को ऐसा अध्ययन बताया है कि जिसका सम्बन्ध धन से है। जैसा कि नाम से ही सिद्ध होता है, राजनीतिक अर्थशास्त्र का उद्देश्य राज्यों के लिए धन या साधन जुटाना था। प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को 'राज्य के कर लगाने और इन्हें एकत्रित करने की कला' के रूप में समझा था। यही कारण है कि इस शास्त्र को 'धन का शास्त्र' (Science of Wealth) कहा गया। इस सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ दी जा रही हैं—

(१) अंग्रेज विद्वान एडम स्मिथ—इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "वैश्वीय राष्ट्रों का धन" (Wealth of Nations) का नाम ही इस प्रकार रखा कि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र स्पष्ट हो जाय। स्मिथ के अनुसार, अर्थशास्त्र "राष्ट्रों के धन के स्वरूप और कारणों की जाँच" करने वाला शास्त्र है।¹

(२) फ्रांसीसी लेखक जे० बी० से—"अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है।"²

(३) अमेरिकन अर्थशास्त्री वाकर (Walker)—"अर्थशास्त्र ज्ञान का वह सग्रह है जो धन से सम्बन्धित है।"³

(४) भारतीय विद्वान चारणबसु—"धर्म अथवा सदाचार (Virtue) और आनन्द (Enjoyment) धन से ही मिलते हैं।"

(५) शुक्र—"मनुष्यों को पवित्रता" सन्तोष और मुक्ति धन से ही प्राप्त होते हैं।
मुख्य विशेषताएँ—

(१) मनुष्य के अध्ययन की उद्देश्यता—उक्त परिभाषाओं को देखने से पता चलता है कि प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने विशेष महत्त्व धन और इसके अध्ययन को दिया, मनुष्य को नहीं, यद्यपि इस सम्बन्ध में भारतीय विद्वान दूसरों से फिर भी आगे बढ गये थे।

(२) आर्थिक मनुष्य की कल्पना—एडम स्मिथ ने तो अर्थशास्त्र में आर्थिक मनुष्य (Economic Man) के विचार को उत्पन्न करके और भी कठिनाई उत्पन्न कर दी। स्मिथ का विचार था कि आर्थिक मनुष्य केवल अपने स्वार्थ को ही ध्यान में रखकर कार्य करता है और उसी को प्राप्ति बढ़ाने का प्रयत्न करता है।

1 "An Enquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations."

—Adam Smith.

2 "Economics is the science which treats of wealth."—J. B. Say.

3 "Economic is that body of knowledge which relates to wealth"—Francis A. Walker : *Political Economy*, (1883).

प्रमुख आलोचनायें—

(१) 'धन' को मनुष्य से अधिक महत्त्व देना—उपरोक्त सभी परिभाषाओं में धन को, जो यथार्थ में मानव मृत्यु का एक साधन मात्र है, मनुष्य से भी ऊँचा स्थान दिया गया, जिस कारण ऐसा आभास हुआ कि मनुष्य के जीवन में धन ही सब कुछ है। परिणामतः यूरोप के वृज्जीवितियों ने उचित और अनुचित रीति से धन का जुटाना ही जीवन का लक्ष्य बना लिया। निःसन्देह इससे धन की तो बहुत वृद्धि हुई, परन्तु मानव समाज के हितों की उन्नति न हो सकी। इन परिस्थितियों ने यह स्वाभाविक था कि अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्री दोनों की ही विन्दा की जाये। १९वीं शताब्दी में कार्लायल (Carlyle), विलियम मोरिस (William Morris), रतकिन (John Ruskin) और दूसरे विद्वानों ने अर्थशास्त्र की कड़ी आलोचनायें कीं। उन्होंने इस शास्त्र को "कुबेर की विद्या" (Gospel of Mammon), "रोटी व बाल का शास्त्र" (Bread and Butter Science) तथा इस प्रकार के अन्य पृथिवी नामों से सम्बोधित किया। इन लेखकों ने कुछ इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न कर दिया कि सभी ने अर्थशास्त्र को एक तुच्छ, निरुद्ध तथा नीचा शास्त्र समझना आरम्भ कर दिया। इस दृष्टिकोण ने अर्थशास्त्र के विकास में बहुत बाधा डाली।

(२) मानव जीवन का उद्देश्य संकुचित होना—इन अर्थशास्त्रियों ने धन को जमा करना ही मानव जीवन का उद्देश्य बना दिया और आर्पित मनुष्य के विचार को उत्पन्न करके मनुष्य को स्वार्थी बनाने और अपने ही हित की ओर देखने का परामर्श दिया। यह परामर्श इस मान्यता पर दिया गया था कि व्यक्तिगत और सामूहिक हितों में किसी प्रकार का विरोध न था और दोनों एक ही साथ उत्पन्न होते थे। वास्तव में यह मान्यता ही गलत थी। अनुभव बताता है कि विभिन्न व्यक्तियों के हितों के बीच संपर्क सम्भव है और फिर व्यक्तिगत तथा सामूहिक हितों का एक ही साथ पूरा होना तो और भी कठिन है, क्योंकि व्यावहारिक जीवन में दोनों बहुधा एक दूसरे के विरोधी होते हैं।

(३) 'धन' शब्द का उपयोग जो कि असुष्ठ है—शैक्षणिक दृष्टिकोण से इन परिभाषाओं के विषय यह भी कहा जा सकता है कि इनमें 'धन' शब्द का उपयोग किया गया है, जो स्वयं एक असुष्ठ शब्द है और इसलिए अर्थशास्त्र की परिभाषा में असुष्ठता उत्पन्न कर देता है। [अभी भी अर्थशास्त्रियों ने इसके अर्थ के विषय में गर्वण नहीं हो सका है और अलग-अलग लेखकों ने इसके अलग-अलग अर्थ किये हैं।]

सबसे अधिक लोकप्रिय परिभाषा टॉजिंग (Tauszig) की है। उनका विचार है कि कोई भी ऐसी वस्तु, जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरी करे तथा सीमित मात्रा में हो, अर्थात्, जिसका मूल्य हो और जो हस्तांतरणीय (Transferable) हो, "धन" है। इस परिभाषा के अनुसार ससार की प्रत्येक वस्तु धन होगी, क्योंकि ऊपर दिए हुए चीजों गुण प्रत्येक वस्तु में पाये जाते हैं। अणत सम्पत्ति (जैसे—मकान, गेठ इत्यादि) का भी स्वामित्व (Ownership) बदला जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि धन शब्द की परिभाषा करना ही अर्थ है, क्योंकि सभी वस्तुएँ धन हैं।

परन्तु हमें यह स्मरण रहे कि बहुधा अर्थशास्त्र में धन की भी भौतिकता से सम्बन्धित किया गया है अर्थात् केवल भौतिक वस्तुओं को ही धन बताया गया है। यदि ऐसा है तो भौतिक और अभौतिक के भेद की भावना सम्पन्न हो जाती है, जिसे ऐसा कि हम अपने पासकर देखें, मृत-माना सरल नहीं है। इसके प्रतिरक्त, टॉजिंग (Tauszig) की इस परिभाषा में एक महत्व-अन्तर-विरोध (Contradiction) भी है। इस परिभाषा के अनुसार जितनी ही किसी मनुष्य या देश के पास हस्तांतरणीय 'उपयोगी वस्तुएँ' भौतिक होती उतनी ही वह अधिक धनवान् होगा। यह विचार धन के विषय में साधारण विचार के विरुद्ध विपरीत है। धन से सम्बन्धित

मतभेद (Controversy) से बचने के लिए सभवतः यह आवश्यक है कि इस शब्द का उपयोग हो न किया जाय ।

(II) कल्याण-परिभाषाये
(Welfare Definitions)

दृष्टिकोण के परिवर्तन का प्रथम चरण—

अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र बता कर अर्थशास्त्रियों ने जो कठिनाई उत्पन्न कर दी थी उससे बचने के लिए अर्थशास्त्रियों ने अपने दृष्टिकोण को बदला । उदाहरणार्थ, मिल (J. S. Mill) ने, जो स्वयं प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों (Classical Economists) में से थे और एडम स्मिथ के अनुयायी थे, इस बात पर जोर दिया कि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय मनुष्य है, धन नहीं । रोशे (Roscher) ने कहा कि, "हमारे विज्ञान का प्रारम्भिक बिन्दु और लक्ष्य मनुष्य है ।"¹ इस प्रकार धन के स्थान पर मनुष्य को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा । प्रो० कारवर ने इसी बात को और भी स्पष्ट किया और बताया कि, "हमारे विज्ञान की विषय सामग्री आर्थिक वस्तुएँ नहीं हैं, बल्कि आर्थिक क्रियाएँ हैं ।"²

धीरे-धीरे यह विचारधारा बल पकड़ती गई और सभी अर्थशास्त्रियों ने मनुष्य को अर्थशास्त्र का विषय बताना आरम्भ कर दिया, यद्यपि प्रायः सदा ही इस बात पर जोर दिया जाना था कि अर्थशास्त्र का विषय मनुष्य का केवल धन से सम्बन्धित व्यवहार था । आरम्भ में मार्शल ने भी अर्थशास्त्र की परिभाषा इसी दृष्टिकोण से की थी, यथा . "राजनैतिक अर्थशास्त्र अथवा अर्थशास्त्र साधारण जीवन व्यवसाय में मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन है, यह इस बात का पता लगाता है कि वह (मनुष्य किस प्रकार आय प्राप्त करता है और किस प्रकार उसका उपयोग करता है ।.....इस प्रकार, एक ओर तो यह धन का अध्ययन है एवं दूसरी ओर तथा अधिक महत्त्वपूर्ण दिशा में मनुष्य के अध्ययन का एक अङ्ग है ।"³

प्रो० ऐसी० ने भी लिखा है कि, "अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो उन सामाजिक घटनाओं का, जो मनुष्य की धन बचाने और धन का उपयोग करने की क्रियाओं से उत्पन्न होती हैं, अध्ययन करता है ।"⁴

फिशर (Fisher) के अनुसार, "आरम्भ में ही इस बात पर बल देना चाहिए कि अर्थशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य धन का मानव जीवन और मानव कल्याण से सम्बन्ध बताना है, किन्तु मानव जीवन और कल्याण के सभी पक्षों का अध्ययन करना अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं आता, बल्कि केवल ऐसे ही पक्षों का अध्ययन आता है जो कि प्रत्यक्ष रूप में धन से सम्बन्धित होते हैं ।"⁵

1 "The starting point and goal of our science is man."—Roscher.

2 "Economic activities rather than economic goods form the subject-matter of the Science."—Carver *The Distribution of Wealth*.

3 "Political Economy or Economics is a study of man's actions in the ordinary business of life; it enquires how he gets his income and how he uses it.....Thus it is, on the one side, a study of wealth, and on the other and more important side, a part of the study of man."

—Marshall : *Economics of Industry*, p. 1.

4 Economics is the science which treats of those phenomena that are due to the wealth-getting and wealth-using activities of man."—Ely.

5 (Footnote see on next page)

ने धन्य के उत्पादन और व्यय दोनों से सम्बन्धित मानव क्रियाओं को अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया है। (२) कैनन और वैविरिज के दृष्टिकोण में भी अन्तर है। कैनन का विचार है कि अर्थशास्त्र उन "कारणों की खोज" करता है जिन पर मनुष्य का भौतिक सुख निर्भर होता है, जबकि वैविरिज के अनुसार यह उन "विधियों का अध्ययन" करता है जिनके द्वारा मनुष्य मिल-जुल कर अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। (३) मार्शल और कुछ अन्य विद्वानों ने मनुष्य की "व्यक्तिगत" तथा "सामाजिक" दोनों ही प्रकार की क्रियाओं को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित किया है, परन्तु सभी लेखकों ने स्पष्टतापूर्वक ऐसा नहीं कहा है। सीजर ने तो इसे एकदम सामाजिक विज्ञान (Social Science) ही कह दिया है। (४) पीगू का दृष्टिकोण अन्य अर्थशास्त्रियों से थोड़ा भिन्न है। पीगू के अनुसार अर्थशास्त्र "भौतिक कल्याण" के स्वान पर "आर्थिक कल्याण" का अध्ययन करता है और आर्थिक कल्याण से उनका अभिप्राय सामाजिक कल्याण के उस भाग में है जिसकी मुद्रा में माप की जा सकती है। नि.सन्देश पीगू का दृष्टिकोण अन्य अर्थशास्त्रियों की तुलना में अधिक सफुल्लित है।

परन्तु उपर्युक्त अन्तरों के रहते हुए भी विभिन्न परिभाषाओं में कोई मौलिक भेद दृष्टिकोण में नहीं होता है।

कल्याण-परिभाषाओं की श्रालोचनायें—

(1) 'भौतिक' और 'अभौतिक' वर्गीकरण की कठिनाइयाँ—प्रत्येक विद्वान ने मनुष्य की आवश्यकताओं को दो प्रकार का माना है 'भौतिक' और 'अभौतिक' (Material and Non-material) और यह बताया है कि अर्थशास्त्र केवल भौतिक आवश्यकतायें की पूर्ति का अध्ययन करता है, अभौतिक आवश्यकताओं तथा उनकी पूर्ति से अर्थशास्त्र का कोई सम्बन्ध नहीं है। इन प्रकार गायक, देशभक्त या राजनीतिज्ञ इत्यादि की क्रियायें अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बाहर पड़ती हैं। किन्तु खाना, कपड़ा, तथा मकान इत्यादि की आवश्यकतायें एवं उनकी पूर्ति अर्थशास्त्र के अध्ययन का एक अंग है। सब पूछिये तो लगभग सभी प्राचीन लेखकों ने इसी दृष्टिकोण को अपनाया था और एक बड़े अंश तक भारत के कुछ आर्थिक लेखकों में तो यह विचारधारा अब भी प्रचलित है। 'भौतिक' एवं 'अभौतिक' का वर्गीकरण अपनाने से निम्नांकित कठिनाइयाँ सामने आती हैं :—

(१) भौतिक और अभौतिक क्रियाओं के बीच जो अन्तर है उसे स्पष्ट करना कठिन है, अर्थात् इन दोनों को अलग-अलग भागों में बाँटने वाली रेखा खींचना सम्भव नहीं है। पुनः आवश्यकता-पूर्ति में एक गायक का कार्य उतना ही महत्व रखता है जितना कि बहई का और दोनों ही कार्यों से मनुष्य के सुख में वृद्धि की जा सकती है, अतः अर्थशास्त्र में दोनों का अध्ययन होना आवश्यक है।

कैनन (Canon) ने मनुष्य की भौतिक और अभौतिक क्रियाओं के अन्तर को स्पष्ट करने हेतु रोबिन्सन क्रूसो का दृष्टान्त दिया है। रोबिन्सन क्रूसो उस अकेले द्वीप में, जहाँ जहाज के टूटने के कारण वह जा फँसा था, दो प्रकार के कार्य करता था—एक तो वे जिनका सम्बन्ध उसकी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति से था (जैसे—खाने के लिए फल तथा जड़े इत्यादि एकत्रित करना) और दूसरा वह जिनका सम्बन्ध इस प्रकार की आवश्यकताओं से नहीं था (जैसे—तोते के साथ बात करना)। इन दोनों क्रियाओं में वे दूसरी 'अभौतिक' है। इस प्रकार, कैनन ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि मनुष्य की भौतिक और अभौतिक क्रियाओं में भेद किया जा सकता है तथा भौतिक क्रियाओं को अर्थशास्त्र में अध्ययन के लिए छाँटा जा सकता है।

(२) यदि यह मान भी लिया कि इस प्रकार का भेद सम्भव है तथा सही है, तो

भी एक वही कठिनाई का सामना करना पड़ता है जो यह कि इस प्रकार विभाजित की हुई भौतिक और अमौक्तिक क्रियाओं का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध देखने में आता है कि एक को दूसरे से पृथक् करना ठीक होगा। यह निश्चय है कि रोबिन्सन क्रूसो के पास समय और शक्ति सीमित होंगे, जिस कारण यदि वह तीते से बात करने में अधिक समय लगा दे, तो उसकी दूसरी क्रियाओं में बाधा पड़ जायेगी। इसी प्रकार, पहले की क्रियाओं पर अधिक समय लगाने का अर्थ यह होगा कि दूसरे प्रकार की क्रियाओं के लिए समय का अभाव हो जाय। स्पष्टतः भौतिक और अमौक्तिक क्रियाएँ एक दूसरे पर निर्भर (Dependent) हैं तथा किसी एक के स्वभाव और महत्त्व को जानने के लिये दूसरे का अध्ययन करना आवश्यक है।

(३) दोनों में भेद करने से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती, वरन् भौतिक और अमौक्तिक क्रियाओं के बीच निर्णय अथवा चुनाव (Choice) की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। मनुष्य की क्रियाओं का उनकी आवश्यकता-पूर्ति तथा सुख पर प्रभाव जानने के लिए दोनों ही प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन करना आवश्यक है। इसके बिना अर्थशास्त्र अधूरा रहेगा और आवश्यकता की पूर्ति के सभी पहलुओं तथा उनकी "समस्तता" (totality) को समझना कठिन होगा। अतः यह आवश्यक है कि इस प्रकार के भेद पर ध्यान न दिया जाय, क्योंकि इस भेद के बिना भी अर्थशास्त्र का अध्ययन अधिक सच्चा एवं अधिक लाभदायक होगा।

(४) प्रो० रोबिन्सन का विचार है कि आर्थिक सिद्धान्तों के अध्ययन में भौतिक और अमौक्तिक दोनों का मिश्रण है, 'मजदूरी का कोई भी ऐसा सिद्धान्त, जो उन सभी भुगतानों पर ध्यान नहीं देता है, जो अमौक्तिक सेवाओं के लिये दिये जाते हैं अथवा अमौक्तिक उद्देश्यों पर व्यय किये जाते हैं, सहनीय नहीं हो सकता है।'¹ इसी प्रकार के उन्होंने और भी अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। अन्त में वे यहाँ तक कहते हैं, "अर्थशास्त्र का सम्बन्ध किसी भी चीज से हो सकता है, किन्तु इतना निश्चय है कि इसका सम्बन्ध 'केवल' भौतिक कल्याण के कारणों से नहीं है।"²

(II) अर्थशास्त्र का कल्याण से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए—रोबिन्सन ने केवल भौतिक शब्द पर ही आक्षेप नहीं किया, वरन् वे तो ऐसा समझते हैं कि अर्थशास्त्र का कल्याण (Welfare) से भी कोई सम्बन्ध नहीं रहना चाहिए। कल्याण के दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र का अध्ययन करने में कुछ विशेष कठिनाइयाँ उत्पन्न होनी हैं। उदाहरणस्वरूप—

(१) चूँकि मादक पदार्थ माँग की तुलना में दुर्लभ हैं, इसलिए उनका भी मूल्य होता है और इस नाते उनका भी अर्थशास्त्र में अध्ययन होना चाहिये, परन्तु उनका कल्याण से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(२) साथ ही स्वयं कल्याण का विचार भी कोई 'निश्चित' विचार नहीं है। ममय, व्यक्ति, देश और परिस्थितियों के अनुसार कल्याण सम्बन्धी विचारों में अन्तर होता रहता है। उसे परिमाणात्मक रूप से (Quantitatively) मापा नहीं जा सकता है (द्रव्यरूपी पमाने द्वारा भी नहीं)। कल्याण का विचार इतना अस्पष्ट और अनिश्चित है कि उसे लेकर किसी विज्ञान का निर्माण नहीं किया जा सकता है।

¹ "A theory of wages which ignored all those sums which were paid for immaterial services or were spent on immaterial ends would be intolerable."—Robbins : *An Essay on the Nature and Significance of Economic Science*, p. 6.

² "Whatever Economics is concerned with, it is not concerned with the causes of material welfare as such."—*Ibid.*, p. 7.

(३) यदि हम आर्थिक कल्याण को अर्थशास्त्र का विषय समझते हैं, तो हमें यह भी निर्णय करना पड़ेगा कि मानव कल्याण किन-किन बातों से उत्पन्न होता है और किन-किन बातों से नहीं। दूसरे शब्दों में, हमें नैतिकता के आधार पर निर्णय देना होगा, जबकि वास्तव में अर्थशास्त्र तो एक "तटस्थ विज्ञान" (Ethically Neutral Science) है, जो अच्छे और बुरे का निर्णय नहीं करता है।

(III) आर्थिक और अनाथिक क्रियाओं में जो भेद किया है वह भी मान्य नहीं हो सकता—कारण : प्रथमतः, किसी भी कार्य को सदा के लिए आर्थिक अथवा अनाथिक नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिये जब एक व्यक्ति अपने मनोरंजन के लिए गाना गाता है, तो यह 'अनाथिक क्रिया' है, और जब यही गाना पैसे कमाने के लिए गाता है, तो यह 'आर्थिक कार्य' होगा। द्वितीय, यदि हम इस प्रकार की क्रियाओं में भेद भी कर लेते हैं, तो मनुष्य के पास समय और शक्ति सीमित होने के कारण दोनों प्रकार की क्रियाएँ एक दूसरे पर निर्भर रहेंगी। ऐसी दशा में एक को दूसरी से अलग करके अध्ययन करने से कोई लाभ न होगा।

मार्शल की परिभाषा का विशेष अध्ययन—

कुछ अज्ञात कारणों से हमारे देश में मार्शल (Marshall) का विशेष महत्त्व है और उसकी परिभाषा सबसे अधिक पसन्द की गई है। अतः इस परिभाषा के विषय में दो-चार शब्द कह देना आवश्यक प्रतीत होता है। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि मार्शल अर्थशास्त्र के उच्च कोटि के विद्वान थे और उनके विचारों से इस शास्त्र की उन्नति तथा स्पष्टीकरण में बड़ी सहायता मिली है, परन्तु तर्क की कसौटी पर मार्शल के विचार सही नहीं उतरते। परिभाषा के विषय में मार्शल ने पहले दी गई परिभाषाओं पर कोई विशेष सुधार नहीं किया है। उनकी परिभाषा का मुख्य गुण यह है कि यह बहुत साधारण है और सरलता से समझ में आ जाती है। परन्तु केवल इन गुणों से ही कोई परिभाषा अच्छी नहीं बन जाती; परिभाषा की सच्ची कसौटी 'तर्क' है। मार्शल की परिभाषा के सम्बन्ध में निम्न बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :—

(१) धन के स्थान पर मनुष्य को अधिक महत्त्व—उनके विचार में अर्थशास्त्र का विषय मनुष्य है तथा अर्थशास्त्र एक सामाजिक शास्त्र है। इस सम्बन्ध में मार्शल के विचारों से कोई मतभेद सम्भव नहीं है। इस दिशा में उनका कार्य सराहनीय है, क्योंकि उन्होंने अन्य प्राचीन लेखकों के विपरीत 'धन' के स्थान पर 'मनुष्य' को अधिक महत्त्व दिया है।

(२) साधारण और असाधारण क्रियाओं का भेद स्पष्ट—उनका कथन है कि यह शास्त्र मनुष्य के साधारण जीवन व्यापार सम्बन्धी क्रियाओं का अध्ययन करता है। इस पर आपत्ति हो सकती है। प्रश्न यह है कि क्या मनुष्य की कुछ असाधारण जीवन व्यापार सम्बन्धी क्रियाएँ भी हैं ? यदि है तो कौन-सी ? और फिर साधारण तथा असाधारण क्रियाओं में भेद करने की रीति क्या है ? मार्शल ने स्वयं कोई उत्तर इस सम्बन्ध में नहीं दिया है और न उन्होंने यही बताया है कि असाधारण क्रियाओं को अर्थशास्त्र में सम्मिलित क्यों नहीं करना चाहिए।

(३) भौतिकता से नाता—मार्शल भी दूसरे लेखकों की भाँति अर्थशास्त्र का नाता "भौतिकता" से जोड़ते हैं। किन्तु, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, ऐसा करना न तो आवश्यक ही है और भावनायक ही।

(४) 'सुख के भौतिक साधनों' और 'धन' में विशेष अन्तर नहीं—इतना कहने से काम नहीं चल सकता कि अर्थशास्त्र का विषय मनुष्य है। सामाजिक शास्त्रों का विषय मनुष्य है तो फिर उनमें और अर्थशास्त्र में क्या अन्तर है ? क्या ये सब असाधारण क्रियाओं का अध्ययन करते हैं जो अर्थशास्त्र से छूट जाती हैं ? सच बात तो यह है कि मार्शल के 'सुख के भौतिक

साधनों' (Material Requisites of well-being) और धन (Wealth) में कोई विशेष अन्तर नहीं है तथा धन से सम्बन्धित सभी आपत्तियाँ यहाँ भी उठ सकती हैं :

पीगू की परिभाषा का विशेष अध्ययन—

यहाँ पीगू की परिभाषा पर विश्लेषण भी असंगत न होगा। पीगू वर्तमान युग के महात्त्वपूर्ण अर्थशास्त्री है। उनकी विद्वता पर किसी भी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता। उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा के प्रति जो दृष्टिकोण अपनाया है वह बहुत ही व्यावहारिक है। यथाथं मे, वे ऐसे किमी भी सिद्धान्त के निर्माण में विश्वास नहीं करते, जो कि व्यावहारिक जीवन में लागू न किया जा सके। उन्होंने सामाजिक कल्याण के उस भाग को अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय बताया है जिसको मुद्रा में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में माप की जा सकती है। इस प्रकार पीगू के अनुसार, अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय केवल आर्थिक कल्याण तक सीमित है और हम मनुष्य की केवल उन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं जिनका मूल्य मुद्रा में माँका जा सकता है। पीगू की परिभाषा की झालोचनाएँ निम्नलिखित दो आधारों पर हुई हैं :—

(१) आर्थिक एवं अनार्थिक दोनों ही प्रकार की क्रियायें सामाजिक कल्याण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण—अर्थशास्त्र में मनुष्य की केवल उन्हीं क्रियाओं का अध्ययन क्यों किया जाय जिनका मूल्य मुद्रा में मापा जा सकता है और ऐसी क्रियाओं को क्यों छोड़ दिया जाय जिनका मूल्य इस प्रकार नहीं माँका जा सकता, जबकि दोनों ही सामाजिक कल्याण की दृष्टि से समान रूप में महत्त्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त, मनुष्य की एक ही क्रिया कुछ परिस्थितियों में मुद्रा के माप-दण्ड से सम्बन्धित की जा सकती है, किन्तु अन्य परिस्थितियों में उसी की मौद्रिक माप सम्भव नहीं होती है।

पीगू स्वयं इस कठिनाई से परिचित थे। उन्होंने इस सम्बन्ध में दो उदाहरण देकर यह बताया कि एक ही व्यक्ति की एन-सी ही सेवाएँ केवल परिस्थितियों के परिवर्तन के कारण कभी तो अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में सम्मिलित की जायेंगी और कभी नहीं। उदाहरण-स्वरूप, एक गायक जब किसी ऐसी सभा में कोई गाना गाता है जो परोपकार हेतु है और जहाँ से उसे कोई पारितोषण नहीं मिलता है, तो उसकी सेवाओं को अर्थशास्त्र के अध्ययन में सम्मिलित नहीं किया जायगा; किन्तु वही गायक जब उक्त गाना किसी ऐसी सभा में गाता है जहाँ से उसे पारितोषण मिलता है तो उसकी यह सेवा अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में आ जाती है।

इस प्रकार केवल परिस्थितियों के परिवर्तन से अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र भी बदल जाता है, जिसे किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता है। पीगू ने स्वीकार किया है कि उनकी परिभाषा में ऐसी कठिनाइयाँ हैं, परन्तु उनका कहना है कि आर्थिक अध्ययन में निश्चित और व्यावहारिकता लाने हेतु उनके द्वारा अर्थशास्त्र के लिए दो हुई परिभाषा ही उपयुक्त है। वैसे भी वास्तविक जीवन में इस प्रकार की कठिनाइयाँ कम ही आती हैं।

(२) अर्थशास्त्रप्रद वस्तुओं का भी आर्थिक महत्त्व—पीगू ने अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय सामाजिक कल्याण बताया है। इस पर भी आपत्ति हो सकती है, क्योंकि इससे एक ओर तो अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान (Normative Science) बन जाता है, और दूसरी ओर स्वयं यह भी सन्देहपूर्ण है कि क्या कल्याण (Welfare) को अर्थशास्त्र का उद्देश्य बनाना उचित है। जैसा कि रोबिन्सन ने भी बताया है, भादक पदार्थों को सभी ने धन (Wealth) कहा है, परन्तु यह तो सभी जानते हैं कि वे किसी भी प्रकार का मानव कल्याण को उन्नत नहीं करते हैं। इतन पर भी अर्थशास्त्र में उनका अध्ययन होना है, क्योंकि माँग की तुलना में सीमित होने के कारण उनका आर्थिक महत्त्व है।

(III) 'दुर्लभता' परिभाषाय (Scarcity Definitions)

प्रो० रोबिन्स ने, जो लन्दन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स से सम्बन्धित है, सन् १९३२ में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'An Essay on the Nature and Significance of Economic Science' प्रकाशित करके अर्थशास्त्र की परिभाषा के क्षेत्र में एक क्रान्ति उत्पन्न कर दी है। उन्होंने सभी प्रचलित परिभाषाओं का सण्डन किया और एक नये आधार पर अर्थ-विज्ञान की रचना की। उनकी परिभाषा ने एक नया दृष्टिकोण उपस्थित किया है।

[स्मरण रहे कि यद्यपि रोबिन्स ने अर्थशास्त्र की परिभाषा के क्षेत्र में एक नया दृष्टिकोण उपस्थित किया, तथापि उनके विचार बिल्कुल ही मौलिक विचार नहीं थे। उनसे भी पूर्व भ्रज्जे अर्थशास्त्री विकस्टीड (Wicksteed) ने दुर्लभता दृष्टिकोण का संकेत किया था, जिसे बाद में रोबिन्स ने अपनी परिभाषा का आधार बनाया। विकस्टीड के अनुसार, "अर्थशास्त्र प्रशासन की व्यवस्था और वैकल्पिक प्रयोगों में चुनाव करने के सिद्धान्तों का अध्ययन है।"¹ हाँ, यह स्वीकार करना होगा कि विकस्टीड की अपेक्षा रोबिन्स की परिभाषा अधिक स्पष्ट, वैज्ञानिक और पूर्ण है।]

तब से अब तक रोबिन्स के प्रशंसक और आलोचक दोनों बराबर व्यस्त रहे हैं, परन्तु अधिकांश अर्थशास्त्रियों ने रोबिन्स के दृष्टिकोण को स्वीकार किया है और समर्थकों की संख्या बराबर बढ़ती ही जा रही है, यद्यपि आलोचकों की संख्या भी बहुत है।

रोबिन्स की परिभाषा के मुख्य आधार—

रोबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र को भली-भाँति समझने के लिए हमें मनुष्य और इसके व्यवहारों, प्रेरणाओं तथा क्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए।

(१) प्रत्येक मनुष्य की विविध आवश्यकताएँ—जब हम अपने चारों ओर दृष्टि डालते हैं, तो हमें प्रत्येक मनुष्य कोई न कोई कार्य करता हुआ दृष्टिगोचर होता है। उदाहरणार्थ, एक किसान दिन भर खेत में कार्य करता है, एक श्रमिक दिन भर हथोड़ा चलाता है और एक दफ्तर का बाबू प्रातः से संध्या तक अपने कागजों को पलटता है। मनुष्य के जीवन में यह एक ऐसी बात है जो हर समय तथा हर देश में घटित होती रहती है। अतः हमारे मस्तिष्क में यह प्रश्न उठाना स्वाभाविक ही है कि मनुष्य कार्य क्यों करता है? क्या कार्य करना उसके लिए आवश्यक है? कुछ थोड़ी-सी वस्तुओं को छोड़कर कार्य करना हमें अच्छा तो नहीं लगता, फिर भी हम कार्य में क्यों लगे रहते हैं? इन प्रश्नों का उत्तर जाने बिना हमारे लिए मनुष्य के व्यवहारों और उनकी क्रियाओं को समझना कठिन होगा। परन्तु सीमाव्य से, इन प्रश्नों का उत्तर बड़ा ही सरल है।

मनुष्य कार्य इसलिए करता है कि उसकी कुछ आवश्यकताएँ (Wants) होती हैं, जिन्हें पूरा करना या तो उसके लिए आवश्यक है या उनकी पूरा करने से उसे सुख एवं तृप्ति प्राप्त होती है और ये आवश्यकताएँ बिना कार्य या प्रयत्न किये पूरी नहीं हो सकती हैं। इन आवश्यकताओं में बिल्कुल प्राचीन साधारण आवश्यकताओं से लेकर वर्तमान सभ्यता में उले हुए आधुनिक जीवन की नाना भाँति की जटिल आवश्यकताएँ सम्मिलित हैं। उदाहरणार्थ, हम देखते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएँ—भोजन की आवश्यकता से लेकर हवाई जहाज में बैठकर

¹ "Economics...a study of the principles of administration of resources and selection between alternatives."—Wicksteed : *The Common sense of Political Economy*, Vol. I, p. 17.

सँर करने तक की होती हैं। इन्ही आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे कार्य करना पड़ता है। यदि हमें किसी भी आवश्यकता को पूरी करने की जरूरत न हो, तो शायद हम कुछ भी न करें और तब हमारी दशा टीनीसन (Tennyson) के लोटस ईटर्स (Lotus Eaters) जैसी हो जाय। अस्तु आवश्यकतायें ही हमारी सारी क्रियाओं और प्रेरणाओं की जन्मदाता हैं। यदि हम मनुष्य के व्यवहारों को, जो क्रियाओं के रूप में प्रकट होते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें उसकी आवश्यकताएँ, इनके रूप तथा गुण अच्छी प्रकार समझने पड़ेंगे। मनुष्य की क्रियाओं का प्रेरणा स्रोत उसकी आवश्यकताओं में सन्निहित है।

(२) आवश्यकताएँ अनन्त हैं सीमित नहीं—जब मानवीय आवश्यकताओं की विवेचना करते हैं, तो उनमें हमें दो मुख्य गुण दिखाई पड़ते हैं। प्रथमतः, आवश्यकताएँ अनन्त हैं। किसी भी मनुष्य या मनुष्य-समुदाय के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह अपनी समस्त आवश्यकताओं को पूरा कर सके या किसी अमुक समय पर यह कह सके कि अब उसकी कोई भी आवश्यकता शेष श्रववा अतृप्त नहीं बची है। दूसरे, कोई भी आवश्यकता व्यक्तिगत रूप में पूरी की जा सकती है, अर्थात् इन असीमित आवश्यकताओं में से यदि कोई भी एक आवश्यकता छूट ली जाय और फिर इसे पूरा करने के लिए सकल्प कर लिया जाय, तो वह आवश्यकता पूरी की जा सकती है। तात्पर्य यह है कि सामूहिक रूप में आवश्यकताओं का पूरा करना असम्भव है, परन्तु व्यक्तिगत रूप से किसी भी आवश्यकता का पूरा कर लेना सम्भव है। जिस प्रकार कच्चे सूत के घागो को एक-एक करके तोड़ा जा सकता है, परन्तु सबको मिलाकर एक साथ तोड़ना सम्भव नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार आवश्यकताओं को व्यक्तिगत रूप में पूरा करना तो सम्भव होता है, परन्तु सामूहिक रूप में नहीं।

(३) आवश्यकता-पूर्ति के साधनों का सीमित होना एवं उनके बकल्पिक उपयोग—आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विभिन्न वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, जैसे—भूख मिटाने के लिए भोजन, शरीर ढँकने के लिए कपड़े तथा नदी पार करने के लिए नाव। इन सभी वस्तुओं को, जिनसे मनुष्य की आवश्यकतायें पूरी होती हैं, “साधन” (Means or Resources) कहते हैं। आवश्यकताओं की भाँति साधनों में भी निम्न दो मुख्य गुण हैं :—

(अ) साधन सीमित हैं, आवश्यकताओं की तरह असीमित नहीं—किसी भी मनुष्य के पास एक समय इतने साधन नहीं होते हैं कि वह उनसे अपनी उस समय की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। यदि मनुष्य की सभी आवश्यकतायें पूरी हो सकती और उसे किसी भी वस्तु की इच्छा न रहती, तो फिर आर्थिक समस्यायें मनुष्य के मस्तिष्क में कभी भी हलचल न मचाती और न फिर अर्थशास्त्र के विद्वानों को ऐसी समस्यायें सुलझाने हेतु अर्थशास्त्र जैसे विज्ञान की ही कोई आवश्यकता थी।

(ब) प्रत्येक साधन एक से अधिक उपयोग में लाया जा सकता है—ऐसा नहीं है कि एक साधन विशेष केवल एक ही आवश्यकता को पूरा करे। वह दूसरी आवश्यकता को पूरा करने में भी काम आ सकता है। उदाहरणार्थ, एक विद्यार्थी अपने जेब के पैसे को जरूरत की किताबें खरीदने पर भी व्यय कर सकता है अथवा सिनेमा देखने पर भी। इसी प्रकार, विद्यार्थी चाहे तो अपना समय किसी पुस्तक के पढ़ने में लगा सकता है अथवा किसी अन्य कार्य में। इस प्रकार, भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के लिए और भिन्न-भिन्न कालों में साधनों के अलग-अलग उपयोग अधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं।

(४) आर्थिक समस्या का रूप—ऊपर दी गई विवेचना में पना चलता है कि सारी आवश्यकतायें पूरी नहीं हो सकती हैं, केवल कुछ ही पूरी होती हैं और साधनों में से प्रत्येक साधन के एक से अधिक उपयोग हो सकते हैं। अतः मनुष्य के जीवन में सदैव एक गम्भीर समस्या

उठती है और यह समस्या निर्णय करने की समस्या है और अर्थशास्त्र में इसी समस्या का अध्ययन किया जाता है। प्रथम तो यह निर्णय करना पड़ता है कि कौन-सी आवश्यकता को पूरा किया जाय एवं द्वितीय यह है कि किस साधन को किस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्य में लाया जाये। इस प्रकार, मनुष्य की समस्या "निर्णय करने (Choice Making) की समस्या है। यदि सभी आवश्यकताएँ पूरी हो सकें, तो आवश्यकताओं के चुनने का प्रश्न ही न उठता। इसी प्रकार, यदि एक साधन का केवल एक ही उपयोग सम्भव होता, तो भी चुनने का प्रश्न न था।

रोबिन्स की नवीन परिभाषा—

प्रो० रोबिन्स (Robbins) का मत है कि "अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मनुष्य के व्यवहार का, वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों तथा लक्ष्यों के सम्बन्ध के रूप में अध्ययन करता है।"¹ दूसरे शब्दों में, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मनुष्य के व्यवहार का इस दृष्टिकोण से अध्ययन करता है कि वह अपने सीमित साधनों द्वारा, जिनमें से प्रत्येक के एक से अधिक उपयोग हो सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न किस प्रकार करता है। इस सम्बन्ध में हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि उसके पास जो कुछ भी है उसका उपयोग करके वह अधिक से अधिक सन्तोष प्राप्त करे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही यह निर्णय किया जाता है कि कौन-कौन सी आवश्यकताएँ पूरी की जायें और किस साधन को किस आवश्यकता की सन्तुष्टि के लिए उपयोग किया जाये। इस प्रकार, मनुष्य की निर्णय करने की समस्या उसकी अधिकतम सन्तोष प्राप्त करने की इच्छा पर निर्भर होती है।

रोबिन्स की परिभाषा की विशेषताएँ—

ऊपर दी हुई परिभाषा से सिद्ध होता है कि अर्थशास्त्र का सम्बन्ध मनुष्य के व्यवहार के उस पहलू (Aspect) से है जो निर्णय करने (Choice Making) से सम्बन्धित है। इस परिभाषा की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं, जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है :—

(१) भौतिक और अभौतिक आवश्यकताओं में कोई अन्तर नहीं—अर्थशास्त्र में, जैसा कि पहले भी लिखा जा चुका है, एक परम्परा (Tradition) सी चली आ रही थी कि इस शास्त्र का सम्बन्ध भौतिकता से है। परन्तु प्रोफेसर रोबिन्स ने इस बात पर जोर दिया है कि अर्थशास्त्र के विषय में ऐसी मान्यता ठीक नहीं है।

(२) केवल विज्ञान—प्रो० रोबिन्स ने अर्थशास्त्र को केवल विज्ञान ही माना है। इस पर कुछ विद्वानों को आपत्ति हो सकती है, क्योंकि अभी तक इस विषय में मतभेद चल रहा है कि क्या अर्थशास्त्र केवल विज्ञान (Science) है, अथवा, कला (Art) और विज्ञान दोनों ही हैं।

(३) विवेचित विषय-मनुष्य का व्यवहार—अर्थशास्त्र का विवेचित विषय (Subject-matter) मनुष्य का व्यवहार बताया गया है, धन या अन्य वस्तु नहीं। अर्थात् अर्थशास्त्र केवल मनुष्य की क्रियाओं तथा प्रेरणाओं से सम्बन्धित है, अन्य वस्तुओं से नहीं।

(४) मानव व्यवहार के एक विशेष पहलू का ही अध्ययन—रोबिन्स ने यह मान लिया है कि मनुष्य के व्यवहार के बहुत सारे पहलू अथवा पक्ष होते हैं और इन सब पक्षों को हम अर्थशास्त्र में नहीं पढ़ते बल्कि इस व्यवहार के केवल एक पक्ष का ही अध्ययन करते हैं। यह बात स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र अन्य अनेक विज्ञानों की भाँति एक सामाजिक शास्त्र ही है। इन शास्त्रों में से प्रत्येक का विषय मनुष्य का व्यवहार है। किन्तु केवल इतना अन्तर है कि

¹ "Economics is a science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses."—Robbins : *An Essay on the Nature and Significance of Economic Science*, p. 16.

प्रत्येक इस व्यवहार के एक विशेष पक्ष का अध्ययन करता है। उदाहरणार्थ, जबकि इतिहास "उन्नति-विधायक" (Progress-making) पक्ष को लेता है, तब राजनीतिक शास्त्र 'संघ विधायक' (Association-making) पक्ष को तथा मनोविज्ञान 'मानसिक' (Mental) पक्ष को लेता है। ठीक, इसी प्रकार, अर्थशास्त्र का सम्बन्ध केवल 'निर्याय करने' (Choice Making) के पक्ष से है। इस प्रकार का भेद कर देने से सामाजिक शास्त्रों की सीमाएँ अलग-अलग निश्चित हो जाती हैं।

(५) तर्क सम्मत—इसके साथ-साथ यह परिभाषा तर्क-शास्त्र (Logic) के नियमों के अनुकूल है और इस दृष्टि से भी इसकी उपयुक्तता पर सन्देह नहीं किया जा सकता है।

रोबिन्स की परिभाषा का विश्लेषण—

रोबिन्स की परिभाषा की विवेचना करने से हमें उसमें तीन महत्वपूर्ण बातें साफ-साफ दिखाई पड़ती हैं। विशेषतः इस परिभाषा में तीन ऐसे वाक्य हैं जिनको ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है :—

(१) लक्ष्य (Ends) 'लक्ष्य' से रोबिन्स का अभिप्राय मानवीय आवश्यकताओं की सन्तुष्टि (Satisfaction) से है। आवश्यकताएँ ही हमें कार्यशील करती हैं और चूँकि हमारी आवश्यकताएँ असीमित हैं इसलिए हमें इन आवश्यकताओं के बीच निर्याय अथवा चुनाव करना पड़ना है। अर्थशास्त्र में मानवीय आवश्यकताओं और इनकी सन्तुष्टि के महत्त्व को स्पष्ट करने का श्रेय रोबिन्स को ही है।

(२) सीमित साधन (Scarce Means)—रोबिन्स ने 'सीमितता' शब्द को एक विशेष अर्थ में उपयोग किया है। सीमितता का अर्थ आवश्यकता अथवा माँग की तुलना में सीमितता है। एक वस्तु थोड़ी मात्रा में होते हुए भी असीमित हो सकती है, यदि उसकी किमी को भी आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार, एक वस्तु का विशाल सग्रह होते हुए भी वह सीमित हो सकती है, यदि माँग की तुलना में उसकी पूर्ति कम है। अतः स्पष्ट है कि किसी वस्तु की सीमितता केवल उसकी मात्रा के द्वारा ही नहीं बल्कि, उसकी माँग के द्वारा भी निश्चित होती है।

(३) वैकल्पिक उपयोग (Alternative uses)—सीमित साधनों में से प्रत्येक के एक से अधिक उपयोग हो सकते हैं। यदि किसी वस्तु का केवल एक ही उपयोग सम्भव है, तो उसके विषय में कोई भी आर्थिक समस्या उत्पन्न न होगी। उसके उपयोग को चुनने का तो प्रश्न ही नहीं उठेगा। वास्तविक जीवन में प्रत्येक वस्तु के वैकल्पिक उपयोग होते हैं, जिसके कारण किसी भी वस्तु के उपयोग को चुनने में आर्थिक समस्या निरन्तर हमारे सामने रहती है। इनके अनिश्चित इन वैकल्पिक उपयोगों में से प्रत्येक का महत्त्व अलग-अलग होता है जिसमें चुनाव का महत्त्व और भी बढ़ जाता है।

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि रोबिन्स ने अर्थशास्त्र की परिभाषाओं का पुराना ढाँचा तोड़ डाला है और इसके स्थान में आवश्यकताओं की असीमितता और साधनों की सीमितता के आधार पर एक नया ढाँचा तैयार किया है। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के लिए यह आवश्यक है कि ऊपर की तीन बातें पूरी हों। इन में से किसी एक के रहने से ही आर्थिक समस्या उत्पन्न नहीं होती है। रोबिन्स ने ठीक ही कहा है कि :—“जब लक्ष्य को पूरा करने के लिए समय और साधन सीमित होते हैं, उनके वैकल्पिक उपयोग हो सकते हैं तथा महत्त्व के आधार पर विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों के बीच भेद किया जा सकता है, तो व्यवहार निर्याय का रूप धारण कर लेता है, अर्थात् इसके आर्थिक पक्ष (Economic Aspect) का उदय होता है।”¹

¹ "But, when time and means for achieving ends are limited and capable
(Contd. on next page.)

स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र 'चुनाव का विज्ञान' है। चुनाव के साथ ही साथ मूल्यंकन (Valuation) को भी समस्या उठती है। किसी भी वस्तु का मूल्य इसी कारण होता है कि वह अपनी माँग की तुलना में सीमित होती है।

रोबिन्स की परिभाषा की आलोचनाएँ—

कहा जा सकता है कि रोबिन्स का विचार सबसे अधिक सही है, क्योंकि उनकी परिभाषा पर पहले बताये हुए आक्षेप नहीं उठाये जा सकते और साथ ही उन्होंने अर्थशास्त्र के क्षेत्र तथा इसके विषय को ठीक रूप से निश्चित कर दिया है। किन्तु आलोचकों ने रोबिन्स की परिभाषा को भी निर्दोष नहीं बताया है। इसकी विभिन्न आलोचनाएँ निम्न प्रकार से वर्णित की जा सकती हैं :—

(I) सुधारात्मक आलोचनाएँ—

कुछ लोगों का विचार है कि इस परिभाषा में कुछ और सुधार हो सकता है। उदाहरणस्वरूप :—

(१) 'सीमित' शब्द का अनावश्यक प्रयोग—यह कहा जाता है कि रोबिन्स की परिभाषा में साधनों के साथ जो 'सीमित' शब्द जुड़ा हुआ है उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साधनों का सीमित होना एक स्वभाविक गुण है, एक स्वाभाविक गुण है। अतः यदि सीमित शब्द साधनों के साथ न लगाया जाय, तो कोई हानि न होगी। [हमारी सम्मति है कि उपरोक्त कथन बिल्कुल सत्य है और सीमित शब्द के प्रयोग करने की आवश्यकता भी नहीं है, फिर भी इस शब्द का बना रहना बुरा नहीं है, क्योंकि इसके रहने से हमारा ध्यान साधनों के इस गुण पर विशेष रूप से जम जाता है।]

(२) संकल्पितता पर बल देना अनावश्यक—यह वाक्य 'जिनमें से प्रत्येक को एक से अधिक काम में लाया जा सकता है' भी अनावश्यक है, क्योंकि यह भी एक ऐसी साधारण बात है, जिसे सभी जानते हैं और साधनों का स्वाभाविक गुण है। [हमारी सम्मति में यह डर है कि कहीं अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय हम इस साधारण, किन्तु आवश्यक बात को भूल न जाएँ। अतः इस वाक्य का बना रहना भी आवश्यक है।]

(II) विचार-भेद सम्बन्धी आलोचनाएँ—

कुछ आलोचक ऐसे भी हैं जिनके मतानुसार रोबिन्स का विचार सही नहीं है। इस विषय में उन्होंने निम्नांकित तर्क प्रस्तुत किये हैं :—

(१) अर्थशास्त्र को केवल 'विज्ञान' कहना एक भूल—आलोचकों का कहना है कि अर्थशास्त्र को केवल विज्ञान कहना भूल है, क्योंकि अर्थशास्त्र कला भी है, जिसका दैनिक जीवन से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। [विज्ञान और कला के विषय में विस्तारपूर्वक विवेचना आगे दी जायेगी। यहाँ पर केवल इतना कह देना पर्याप्त होगा कि अर्थशास्त्र के कला होने में सन्देह नहीं है और न इससे किसी को इन्कार है। बात केवल इतनी है कि जिस अर्थशास्त्र का हम अध्ययन करते हैं वह केवल विज्ञान है, क्योंकि इसका सम्बन्ध जानने से है, करने से नहीं। अर्थशास्त्र कला के रूप में वाणिज्यशास्त्र (Commerce) बनकर हमारे सामने आता है। अर्थशास्त्र और वाणिज्यशास्त्र के बीच भेद करने के लिए अर्थशास्त्र को विज्ञान मानना आवश्यक है।]

of alternative application, and the ends are capable of being distinguished in order of importance, then behaviour necessarily assumes the form of choice, i. e., it has an economic aspect"—Robbins : *An Essay on the Nature and Significance of Economic Science*, p. 6.

(२) अर्थशास्त्र के क्षेत्र को संकुचित बना देना—यह भी कहा जाता है कि, यदि रोबिन्स के मत को मान लिया जाय तो सारा अर्थशास्त्र सिमट कर अर्थशास्त्र के एक नियम के भीतर आ जाना है, जिसका नाम है अधिकतम् सन्तोष नियम (Law of Maximum Satisfaction) । इस प्रकार, अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत सीमित हो जाता है । [ऐसे आलोचकों से केवल इतना ही कहा जा सकता है कि बिना सन्देह यह नियम ही अर्थशास्त्र का आधार है । किन्तु ऐसा होते हुए भी इसका क्षेत्र सीमित हो जाने का डर निर्मूल है, क्योंकि अर्थशास्त्र का विषय बहुत विस्तृत है ।]

(III) अन्य महत्त्वपूर्ण आलोचनायें—

रोबिन्स के विचारों का सबसे अधिक महत्त्व यह है कि उन्होंने अर्थशास्त्र को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है और वर्गीकरण प्रणाली (Classificatory Method) के स्थान पर विवेचनात्मक प्रणाली (Analytical Method) का उपयोग किया, है । इन गुणों के होते हुए भी रोबिन्स की परिभाषा की महत्त्वपूर्ण आलोचनायें की जा सकती हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं :—

(१) कोरा सिद्धान्तिक विश्लेषण मात्र—रोबिन्स लक्ष्यों के चुनने में पूर्णतया तटस्थ हैं । उन्होंने अर्थशास्त्र की विवेचना एक वैज्ञानिक की भाँति की है । उनके दृष्टिकोण में न तो मानवता का अर्थ है और न नैतिकता का और न वे मानव कल्याण को ही कोई महत्त्व देते हैं । ऐसे दृष्टिकोण में व्यावहारिकता नहीं हो सकती है । यह तो कोरा सिद्धान्तिक विश्लेषण मात्र है । इसका अर्थ यह निकलता है कि रोबिन्स अर्थशास्त्र को फिर उस अव्यावहारिकता की ओर ले जाने हैं, जिससे मार्शल ने उस निवारण का प्रयास किया था । पीगू भी इस मत से कभी भी सहमत नहीं हैं । वास्तव में ऐसे अर्थशास्त्र के अध्ययन से लाभ ही क्या है जो वास्तविक जीवन में हमारे किसी काम न आ सके । अधिकांश अर्थशास्त्रियों का यह निश्चित मत है कि अर्थशास्त्री को केवल 'सिद्धान्त बनाने वाला' ही नहीं होना चाहिये बल्कि 'सिद्धान्तों का प्रयोग करने वाला' भी होना चाहिए । बारबार ऊटन ने कहा है कि, "अर्थशास्त्रियों के लिये यह बहुत ही कठिन है कि वे अपनी विवेचना में नैतिकता की पुट विल्कुल भी न रहने दें ।"¹ फरेजर ने भी लिखा है कि, "अर्थशास्त्र केवल मूल्य का सिद्धान्त अथवा सन्तुलन की विवेचना मात्र नहीं है ।"² रोबिन्स का विचार कितना ही वैज्ञानिक क्यों न हो, वह रसहीन और अत्यन्त-व्यक्तिगत (Impersonal) है ।

[रोबिन्स ने एक अन्य पुस्तक (Economic Planning and International Order) भी लिखी है, जिसके अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वयं रोबिन्स भी अप्रत्यक्ष रूप से अर्थशास्त्र में कला-युक्त होना मानते हैं ।]

(२) लक्ष्य और साधन का अस्पष्ट भेद—रोबिन्स ने लक्ष्य और साधन का जो भेद किया है वह भी स्पष्ट नहीं है । मन तो यह है कि लक्ष्यों और साधनों के बीच कोई स्पष्ट भेद सम्भव भी नहीं है । रोबिन्स ने सन्तोष को अधिकतम् बनाना ही लक्ष्य समझा है, परन्तु वास्तव में यह भी प्रसन्नता (Happiness) प्राप्त करने का एक साधन मात्र है (और प्रो० मेहता के अनु-सार तो इस रीति से प्रसन्नता मिलेगी ही नहीं) । लक्ष्य तो केवल एक ही है, अर्थात् प्रसन्नता को प्राप्त करना, यद्यपि इस लक्ष्य को पूरा करने के अनेक साधन हो सकते हैं । यदि लक्ष्य एक ही है तो रोबिन्स की बताई हुई आर्थिक समस्या उत्पन्न न होगी । प्रो० मेयर (Meyer) ने कहा है

1 "It is very difficult for economists to divest their discussions completely of all normative significance."—Barbara Wootton

2 "Economics is more than a value theory or equilibrium analysis"—Fraser.

है कि, "जब लक्ष एक होता है और साधन अनेक, तो रीति (Technique) की समस्या उठती है किन्तु प्राथिक समस्या तब उठती है, जबकि लक्ष और साधन दोनों ही बहु-मापा में हों।"¹ ऐसी दशा में रोबिन्स का यह कहना कि प्राथिक समस्या सदा ही हमारे सामने बनी रहती है, सारहीन प्रतीत होता है।

(३) अर्थशास्त्र के क्षेत्र का अत्यधिक विस्तार—कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि रोबिन्स ने अर्थशास्त्र का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत बना दिया है। पीयू ने प्राथिक विवेचन में निश्चितता और व्यावहारिकता लाने हेतु मुद्रा के माप-वण्ड का उपयोग किया है, परन्तु रोबिन्स ने ऐसी किसी विधि का उपयोग नहीं किया है। यह निश्चित है कि मुद्रा की माप की सोमा के बिना अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र शायद इतना विस्तृत हो जाय कि इस विज्ञान की सही विवेचना में कठिनाई हो।

(४) प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार विवेकशील नहीं—रोबिन्स ने मनुष्य के व्यवहार को बहुत ही विवेकशील (Rationalised) माना है, यद्यपि वे ऐसा समझते हैं कि प्रत्येक मनुष्य सदा ही अपनी क्रियाओं को इस प्रकार निर्देशित करता है कि अधिकतम सन्तोष प्राप्त करने का लक्ष्य पूरा हो जाय। परन्तु वास्तविक जीवन में ऐसा बहुधा कम ही होता है। अधिकांश मानवीय आवश्यकतायें या तो आदत पर निर्भर होती हैं या कृत्रिम। कोई व्यक्ति उपभोग के लिये व्यय करते समय क्वचित ही इस बात की चिन्ता करता हो कि उसके व्यय के फलस्वरूप उसे अधिकतम सन्तोष मिलता है या नहीं। अधिकांश दशाओं में हमारा व्यय बहुत सोच-समझ के बिना ही हो जाता है।

(५) आगमन प्रणाली की उपेक्षा—रोबिन्स की परिभाषा से पता लगता है कि उन्होंने प्राथिक विधियों पर पहुँचने के लिए निगमन प्रणाली (Deductive Method) का उपयोग किया है। किन्तु जैसा कि हम एक आगे के अध्याय में देखेंगे, केवल निगमन प्रणाली से ही हमारा काम नहीं चल सकता। वास्तविकता लाने हेतु आगमन प्रणाली (Inductive Method) का उपयोग भी आवश्यक है।

(६) नियमों के स्वभाव के प्रति भ्रूटि—रोबिन्स ने अर्थशास्त्रके नियमों को उतना ही घटल, निश्चित और सही मान लिया है जितना कि भौतिक विज्ञानों (Physical Sciences) के नियम हुआ करते हैं। किन्तु हमें यह याद रखना चाहिए कि अर्थशास्त्र के नियम मनुष्य के नियम में हैं और मनुष्य की प्रकृति को देखते हुए इन नियमों में कुछ न कुछ अनिश्चितता अवश्य रहेगी।

(७) मानवी क्रियाओं का उद्देश्य समझने में गलती—ऐसा प्रतीत होता है कि रोबिन्स ने मनुष्य की क्रियाओं के उद्देश्य को ही गलत समझा है। प्राथिक क्रियायें स्वयं प्रपना उद्देश्य नहीं होती हैं। उनका उद्देश्य मानव कल्याण (Human welfare) को बढ़ाना है। परोक्ष रूप में स्वयं रोबिन्स ने भी इस बात को स्वीकार किया है। ऐसी दशा में अर्थशास्त्र की मानव कल्याण का शास्त्र कहने में क्या आपत्ति हो सकती है ?

(८) अनेक समस्यायें प्राथिक न होते हुए भी विषय-क्षेत्र में सम्मिलित हो जाती हैं—बहुत-सी समस्यायें ऐसी भी हैं जिन्हें किसी भी प्रकार प्राथिक समस्यायें नहीं कहा जा सकता, परन्तु रोबिन्स की परिभाषा के आधार पर उन्हें भी अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र में सम्मिलित करना होगा। उदाहरणार्थ, जब एक व्यक्ति अपने समय को काम और आराम में विभाजित

¹ "The problem of technique arises when there is one end and a multiplicity of means, the problem of economy when both the ends and the means are multiple"—Meyer.

करता है, तो आर्थिक समस्या उठती है; परन्तु जब आराम के समय को पढ़ने, सोने, संर करने आदि में बाँटा जाता है तो आर्थिक समस्या नहीं उठती, यद्यपि यहाँ भी एक सीमित साधन का वैकल्पिक उपयोगों में वितरण किया जाता है।

(६) प्रचुरता की समस्याओं का समावेश—अर्थशास्त्र में कुछ ऐसी समस्याओं को भी सम्मिलित किया जाता है, जो प्रचुरता की समस्याएँ होती हैं, सीमितता की नहीं। उदाहरण के लिए, बेरोजगारी की समस्या। किन्तु रोबिन्स की परिभाषा इसे स्वीकार नहीं करती है।

(१०) विनिमय होने देश के लिए उनका अर्थशास्त्र निरर्थक होगा—रोबिन्स की परिभाषा केवल ऐसी अर्थ-व्यवस्था (Economy) से सम्बन्धित है जहाँ विनिमय प्रणाली वा प्रचलन होता है। परन्तु ऐसा समाज भी सम्भव है जहाँ विनिमय वजित हो। उस समाज में रोबिन्स का अर्थशास्त्र अर्थहीन हो जायेगा क्योंकि, वहाँ दुर्लभता (Scarcity) और निर्यात की समस्याएँ नहीं होंगी।

रोबिन्स और मार्शल की परिभाषाओं में तुलना—

समानताएँ—रोबिन्स ने मार्शल तथा अन्य पुराने अर्थशास्त्रियों की बहुत ही कड़ी आलोचना की है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि दोनों के विचारों में भिन्नता है। केवल दो दिशाओं में इनकी परिभाषाओं में समानता है :—(१) दोनों ही ने अर्थशास्त्र को मनुष्य और उनकी क्रियाओं का अध्ययन बताया है। प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने धन को महत्त्व दिया था, परन्तु मार्शल और रोबिन्स दोनों ही मनुष्य पर जोर देते हैं। (२) बहुत से अर्थशास्त्रियों का विचार है कि रोबिन्स और मार्शल ने दृष्टिकोण के सम्बन्ध में कोई भेद नहीं है। मार्शल अपनी परिभाषा में "सुख के भौतिक साधन" (Material requisites of well-being) शब्द का उपयोग किया है, पुराने अर्थशास्त्रियों ने 'धन' शब्द का उपयोग किया था और रोबिन्स ने 'सीमित साधन' वाक्य का उपयोग किया है। ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि ये तीनों यद्यपि में एक ही वस्तु के अलग-अलग नाम हैं। 'धन' से सम्बन्धित कार्यों का अर्थ सीमित साधनों के मितव्ययिता-पूर्ण उपयोग से लिखा जा सकता है। वास्तव में रोबिन्स की परिभाषा का आशय भी यही है। मार्शल और रोबिन्स दोनों का उद्देश्य एक ही है, अर्थात् मानव सुख को अधिकतम करना। अन्तर केवल इतना है कि मार्शल ने आवश्यकता पूर्ति के साधनों की 'प्राप्ति और उपयोग' पर जोर दिया है, जबकि रोबिन्स ने इन साधनों की 'सीमितता' अथवा 'दुर्लभता' (Scarcity) पर। केवल इतने माद से ही दोनों के दृष्टिकोण एक से बिल्कुल अलग नहीं हो जाते।

दोनों में अन्तर—उपरोक्त समानताओं के आधार पर यह समझ लेना भूल होगी कि रोबिन्स और मार्शल की परिभाषाओं में कोई अन्तर नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जो आधारभूत हैं। ये बुनियादी अन्तर निम्नलिखित हैं :—

(१) सब या कुछ क्रियाएँ—मार्शल का विचार है कि अर्थशास्त्र में मनुष्य की केवल उन्ही क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनका धन से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि उन्हीने मनुष्य की क्रियाओं को दो बिल्कुल अलग भागों में बाँट दिया है और अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन को सम्मिलित किया है। इसके विपरीत, रोबिन्स के अनुसार, अर्थशास्त्र से मनुष्य की सभी क्रियाओं का अध्ययन होता है, यद्यपि वे इन क्रियाओं के केवल आर्थिक पक्ष को लेते हैं। अन्य शब्दों में, रोबिन्स मनुष्य की सभी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, किन्तु एक विशेष दृष्टिकोण से। ऐसा प्रतीत होता है कि अर्थशास्त्र में निश्चितता लाने के लिए मार्शल ने अनार्थिक क्रियाओं के अध्ययन को छोड़ दिया था और पीगू ने मनुष्य की केवल उन्ही क्रियाओं के अध्ययन को अर्थशास्त्र में सम्मिलित किया जिनको मुद्रा में नापा जा सकता है।

इसके विपरीत, रोबिन्स का विचार है कि अब हमारे अध्ययन की रीतियों की इतनी उन्नति हो चुकी है कि इस प्रकार की सीमितता नहीं रह गई है।

(२) भौतिक एवं अभौतिक—मार्शल की परिभाषा भौतिकता पर आधारित है। उन्होंने केवल भौतिक क्रियाओं और वस्तुओं को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित किया है। इसके विपरीत रोबिन्स ने भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार की क्रियाओं और वस्तुओं तथा सेवाओं के अध्ययन को अर्थशास्त्र में सम्मिलित किया है।

(३) उद्देश्य—मार्शल ने मानवीय क्रियाओं का अध्ययन इस उद्देश्य से किया है कि मानव कल्याण को उन्नत किया जा सके। इसके विपरीत, रोबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र का कल्याण के अध्ययन से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। उनका दृष्टिकोण यथार्थवादी (Positive) है, आदर्शवादी (Normative) नहीं। इस कारण रोबिन्स के अर्थशास्त्र का क्षेत्र मार्शल के अर्थशास्त्र के क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। रोबिन्स के विचार में अर्थशास्त्र को निर्णय देने की आवश्यकता नहीं है। उसे तो एक सच्चे वैज्ञानिक की भाँति केवल विवेचना करनी चाहिये।

(४) सामाजिक विज्ञान या मानव विज्ञान—मार्शल ने साधारण (Normal), वास्तविक (Real) और समाज में रहने वाले (Social) मनुष्यों की क्रियाओं के अध्ययन को ही अर्थशास्त्र में सम्मिलित किया है। समाज से दूर रहने वाले व्यक्तियों और पागलो आदि का अध्ययन इस शास्त्र के क्षेत्र से बाहर है। इसके विपरीत, रोबिन्स ने सभी मनुष्यों की क्रियाओं के अध्ययन को भी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित किया है। उनके अनुसार मावू, महात्माओं और पागलो की क्रियाओं का भी आधिक महत्त्व होता है। रोबिन्स ने कहा है कि जहाँ कहीं सीमितता है वहाँ आर्थिक समस्या भी विद्यमान है। इस प्रकार मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र केवल एक सामाजिक शास्त्र है, परन्तु रोबिन्स के अनुसार यह इससे भी अधिक अर्थात् एक "मानव विज्ञान" (Science of man) है।

(IV) अन्य परिभाषाएँ (Other Definitions)

अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के इस वर्ग में हम उन परिभाषाओं को सम्मिलित करते हैं जिन्हें उपर्युक्त तीनों वर्गों में नहीं रखा जा सकता है।

(१) "अर्थशास्त्र मूल्य निर्धारण का विज्ञान है"—

कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र केवल मूल्य निर्धारण का एक स्पष्टीकरण मात्र है (Economics is simply an explanation of price)। इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र में केवल निर्धारण की समस्या का अध्ययन होता है। आर्थिक जगत की सबसे महत्वपूर्ण समस्या मूल्य-निर्धारण की ही है। और अन्य सभी समस्याएँ अन्तिम अवस्था में इसी समस्या पर आकर केन्द्रित हो जाती हैं। निःसन्देह आज के सार में, विशेषकर पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में, आर्थिक जीवन की प्रत्येक घटना कीमत-यन्त्र (Price Mechanism) और इसके व्यवहार पर निर्भर होती हैं। सभी प्रकार के आर्थिक निर्णय कीमत को ध्यान में रखकर ही किये जाते हैं। हमारे चुनाव या निर्णय करने (Choice Making) की समस्या भी इस यन्त्र के व्यवहार पर निर्भर होती है। कीमत को ध्यान में रखकर ही यह निर्णय किया जाता है कि किस वस्तु का उपभोग करना है, कौन-सी आवश्यकता पूरी करनी है, किस वस्तु की उत्पत्ति करनी है अथवा किस वस्तु का और उसका कितनी मात्रा में विनिमय करना है ?

आलोचना—यह परिभाषा भी बहुत कुछ रोबिन्स की परिभाषा से ही मिलती-जुलती है। वास्तव में मूल्य निर्धारण की समस्या उठती ही इसलिए है कि माँग की तुलना में साधनों की मात्रा सीमित है। इस पर भी, अर्थशास्त्र की यह परिभाषा सही प्रतीत नहीं होती, क्योंकि

इस परिभाषा में आर्थिक विषयों में विचारयुक्त निर्णय के महत्त्व को भुला दिया है। वर्तमान युग 'आर्थिक नियोजन का युग' है, जिसमें कीमत-यन्त्र पर निर्भर रहने के बजाय सभी आर्थिक घटनाओं के सम्बन्ध में विचार-युक्त निर्णय किये जाते हैं। वैसे भी समाजवादी विचारों वाले व्यक्ति इस परिभाषा से सहमत हो सकेगे।

(२) "अर्थशास्त्र आर्थिक परिमाणों का वैज्ञानिक अध्ययन है"—

बोल्डिंग (Boulding) का कहना है कि किसी शास्त्र की सीमाएँ बहुत कम स्पष्ट होती हैं क्योंकि जो बाने प्राज इसके अन्तर्गत अध्ययन की जा रही हैं वे परिस्थितियों में परिवर्तन होते रहने से बल उसके बाहर हो सकती हैं। अर्थशास्त्र के बारे में भी ऐसा ही है। अतः अर्थशास्त्र की कोई निश्चित परिभाषा देना कठिन है और बीनर का यह कहना सही प्रतीत होता है कि 'अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करते हैं'। बोल्डिंग की धारणा है कि, "अर्थशास्त्र को मनुष्य जाति के साधारण जीवन व्यवसाय का अध्ययन बताना निश्चय ही बहुत व्यापक है। इस भौतिक धन का अध्ययन बताना बहुत ही संकुचित है। इसे मानवीय मूल्यांकन और चुनाव का अध्ययन बताना भी सम्भवतः पुनः बहुत व्यापक है और मुद्रा के पैमाने से मापी जाने वाली मानवीय तथा वा अध्ययन बताना पुनः बहुत ही संकुचित।"¹

बोल्डिंग ने आगे लिखा है : "अर्थशास्त्री केवल इतना ही आलस्यपूर्वक नहीं देखते कि उत्पादन, उपभोग और विनिमय किया जा रहा है वरन् वे इस पर भी ध्यान देते हैं कि कितनी मात्राओं का उत्पादन, उपभोग एवं विनियोग हो रहा है। उदाहरणार्थ, गेहूँ की उत्पत्ति, उपभोग एवं एकतिन स्टॉक, मकखन की कीमत, राज-मजदूरों की मजदूरियाँ, भवनों के किराये, वैद्य ऋणों पर व्याज, तम्बाकू पर कर, वस्त्रों पर टैरिफ आदि परिणाम या मात्राएँ अर्थशास्त्री के आकर्षण का केन्द्र हैं।" इस प्रकार, बोल्डिंग के अनुसार, अर्थशास्त्र में मनुष्य के सामान्यतः तीन कार्यों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात् उपभोग, उत्पादन और विनिमय हैं। इनके अध्ययन हेतु कुछ परिमाणों (जैसे—उत्पादन की मात्रा, संचित स्टॉक की मात्रा, आदि) की जाँच करना आवश्यक होता है। इन्हें उसने 'आर्थिक परिमाण' (Economic quantities) की संज्ञा दी है और कहा है कि आर्थिक परिमाणों से सम्बन्धित आंकड़े एकत्रित करने का कार्य 'आर्थिक मापिकी' और 'आर्थिक इतिहास' का है किन्तु इनके विश्लेषण का कार्य 'आर्थिक विश्लेषण' का। अतः, उनके अनुसार, अर्थशास्त्र आर्थिक परिमाणों का वैज्ञानिक अध्ययन है।

[हमारी सम्मति में बोल्डिंग ने जो कुछ कहा है वह अर्थशास्त्र के विषय की व्याख्या है, परिभाषा नहीं।]

(३) "अर्थशास्त्र आवश्यकताओं के लोप का अध्ययन है"—

परम उद्देश्य—प्रो० जे० के० मेहता एक पूर्णतया नया विचार प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है कि मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य परम आनन्द की प्राप्ति है। इस उद्देश्य को समझने के लिए उन्होंने सुख (Pleasure), दुःख (Pain) और परम आनन्द (Happiness) के बीच भेद किया है। उनका कहना है कि "मानव मस्तिष्क असन्तुलन को नापसन्द करता है और इसलिए असन्तुलन की व्यवस्था प्राप्त करने का प्रयत्न करता है।"..... "असन्तुलन की दिशा की अनुभूति दुःख कहलाती है, जबकि इस बात की अनुभूति कि असन्तुलन घट रहा है अथवा असन्तुलन स्थापित हो रहा है, सुख कहलाती है। इस प्रकार सुख केवल दुःख का निवारण है।" 'आवश्यकता और दुःख दोनों का सह अस्तित्व है। जब तक कोई अपूर्ण आवश्यकता उपस्थित रहती, है दुःख बना रहता है और इसके परिणाम या इसकी सन्तुष्टि की प्रक्रिया

¹ K E Boulding : *Economic Analysis*, p 3

सुख प्रदान करती है। जैसे ही कोई आवश्यकता पूर्णतया सन्तुष्ट हो जाती है या उसे छोड़ दिया जाता है, दुःख समाप्त हो जाता है, और साथ ही अधिक सुख प्राप्त करने की सम्भावना भी इस दिशा में नस्तिष्क साम्यावस्था में होता है, जिसमें न तो दुःख है और न सुख, बल्कि आनन्द होता है।¹

परम उद्देश्य की पूर्ति का साधन—आवश्यकतायें घटाना—उपरोक्त विवेचन से यह पता चलता है कि परम आनन्द की प्राप्ति का उद्देश्य आवश्यकताओं को बढ़ाने और उन्हें सन्तुष्ट करने से पूरा नहीं होता जैसा कि अर्थशास्त्री कालान्तर से समझते आये हैं। ऐसा करके तो हम केवल दुःख को बढ़ाते हैं और इसका निवारण करके सुख प्राप्त करते हैं। यह एक ऐसा चक्र है जिसका कभी भी अन्त न होगा और सुख तथा दुःख के चक्कर में पड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी परम आनन्द प्राप्त नहीं कर पायेगा। केवल सुख-दुःख के चक्र को काटकर ही वास्तविक आनन्द प्राप्त किया जा सकता है। यह आवश्यकतायें घटाने से होगा बढ़ाने से नहीं। परम आनन्द की स्थिति वह होगी जिसमें आवश्यकतायें पूर्णतया समाप्त हो जायें, क्योंकि वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के जो प्रयत्न किये जाते हैं उनसे तो और नई आवश्यकतायें उत्पन्न हो जाती हैं।

परिभाषा—“इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन एक ऐसे साधन के रूप में करता है जिससे आवश्यकताओं के पूर्ण परित्याग का उद्देश्य पूरा हो जाय।”² आवश्यकताओं की समाप्ति धीरे-धीरे मन और शरीर पर नियन्त्रण रखकर की जा सकती है। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, प्रो० मेहता के अनुसार आवश्यकताओं से मुक्ति पाने की समस्या को भी एक आर्थिक समस्या कहा जा सकता है।³

मेहता और रोबिन्स के विचारों की तुलना—यहाँ मेहता तथा रोबिन्स के विचारों की तुलना करना बहुत ही रोचक है—(अ) रोबिन्स के अनुसार साधन और लक्ष्य दोनों बहुमात्रा में हैं और आर्थिक समस्या इस कारण उत्पन्न होती है कि दुर्लभ साधनों की प्रतियोगी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है। इसके विपरीत, मेहता का विश्वास है कि लक्ष्य केवल एक है, यर्थात् परम आनन्द की प्राप्ति और इसी प्रकार साधन भी एक ही है, यर्थात् आवश्यकताओं का परित्याग। (आ) जबकि रोबिन्स अर्थशास्त्र को एक वास्तविक विज्ञान मानते हैं,

¹ “It is the law of human mind that it dislikes disequilibrium and strives therefore to attain the state of equilibrium,.....The consciousness of the state of disequilibrium is called pain, while the consciousness of the fact that disequilibrium is being reduced or that equilibrium is being approached is called pleasure thus, pleasure is merely the removal of painThe presence of want and that of pain are concurrent phenomena. So long as a want remains unsatisfied there is pain and the process of its removal or satisfaction yields pleasure. When the want is entirely removed there is no further pain left to be got rid of and consequently there is no possibility of getting any further pleasure. The state of mind in such a situation is one of equilibrium. There is no pain, no pleasure, but happiness.”—J. K. Mehta. *Advanced Economic Theory*, pp. 1-2.

² “The conclusion then to which we reach is that Economics is a science that studies human behaviour as a means to the end of wantlessness”
—*Ibid.* p. 11.

³ *Ibid.*, p. 14.

मेहता केवल आदर्श विज्ञान ।¹ (इ) मेहता की दृष्टि में अर्थशास्त्र का क्षेत्र अधिक विस्तृत है । (ई) वे रॉबिन्स की भाँति यह विश्वास नहीं करते कि लक्ष्य पूर्व निश्चित होते हैं । उनके अनुसार लक्ष्य सोच-विचार कर निश्चित किये जाते हैं दोनों दृष्टिकोणों के बीच सन्तोष (Satisfaction) के अर्थ के सम्बन्ध में भी मतभेद है ।

मेहता के विचारों की आलोचना—मेहता के अर्थशास्त्र की 'आवश्यकताविहीन अर्थ-शास्त्र' कहा जा सकता है । इसमें अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा दर्शनशास्त्र का समावेश है । इसका आधारभूत विचार निर्वाण के बौद्ध दर्शन से लिया गया प्रतीत होता है । आलोचकों ने इस दृष्टिकोण को काल्पनिक तथा अव्यावहारिक कहा है परन्तु भारतीय परम्पराओं को देखते हुए यह कहना गलत होगा कि आवश्यकताओं का परित्याग अव्यावहारिक है । कुछ आलोचकों का कहना है कि इस दृष्टिकोण को ग्रहण करके अर्थशास्त्र स्वयं अपने आपको मिटा लेगा । कारण, जब आवश्यकताएँ ही समाप्त हो जायेंगी तो निर्णय करने की समस्या स्वयं ही मिट जाएगी । किन्तु प्रश्न यह है कि जब परम आनन्द प्राप्त हो जाय, तब भी क्या हमें अर्थशास्त्र की मृत्यु पर आँसू बहाने चाहिए ? मेहता के विरुद्ध सबसे बड़ा तर्क यह है कि उन्होंने अर्थशास्त्र नीतिशास्त्र तथा धर्मशास्त्र को मिला दिया है । अर्थशास्त्र की यह विवेचना ऐसा आभास देती है मानो नीतिशास्त्र अथवा धर्मशास्त्र का विवेचन हो रहा है । इसी प्रकार, अर्थशास्त्र को केवल आदर्श विज्ञान कहना भी उचित प्रतीत नहीं होना । मेहता का दृष्टिकोण केवल आदर्शवादी है ।

(४) "अर्थशास्त्र व्यावसायिक कार्यकलापों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है"—

प्रो० हिक्स के अनुसार, "मानवीय व्यवहार के जिस विशेष पहलू का अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है वह व्यवसाय से सम्बन्धित मानव-व्यवहार है और अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो व्यावसायिक कार्यकलापों का अध्ययन करता है ।"² इस परिभाषा को भली प्रकार से समझने हेतु इसमें प्रयोग किये गये 'व्यवसाय' (Business) शब्द का अर्थ जान लेना बहुत ही आवश्यक है ।

व्यवसाय शब्द का अर्थ—हिक्स ने 'व्यवसाय' शब्द का प्रयोग विस्तृत अर्थ में किया है । इससे उनका अग्रगण्य उपभोग, उत्पत्ति, विनिमय, वितरण और राजस्व सम्बन्धी क्रियाओं का है । उदाहरणार्थ, एक गृहस्वामिनी किसी दूकान से दूध खरीदने जाती है । दूकानदार की दृष्टि से एक 'व्यावसायिक क्रिया' है और इसलिये अर्थशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में आ जाती है । किन्तु, एक साधारण व्यक्ति, दूध खरीदने की क्रिया को 'व्यावसायिक क्रिया' नहीं कहेगा ; किन्तु एक अर्थशास्त्री गृहस्वामिनी के क्रय करने की क्रिया पर भी उतना ही ध्यान देगा, जितना कि दूकानदार के बेचने की क्रिया पर । अन्य शब्दों में, दूध के क्रय की क्रिया उसी प्रकार से एक आर्थिक प्रश्न है जिस प्रकार से कि इसे बेचने की क्रिया है । एक अन्य उदाहरण लीजिये—साभ पर टैक्स देना स्पष्ट रूप से एक आर्थिक प्रश्न है । किन्तु इस पर अर्थशास्त्र केवल उन व्यक्तियों और समस्याओं की दृष्टि से ही विचार नहीं करेगा जो कि टैक्स देते हैं, वरन् सरकार, जिसे टैक्स मिलता है, और उन व्यक्तियों की दृष्टि से भी, जिनको सरकार, टैक्स के घन में से वेतन आदि देती है,

¹ It is interesting to note here that Mehta argued that even Robbins makes economics a normative science by making maximum satisfaction as its goal.

² "We may say that the particular aspect of human behaviour which is dealt with by economics is the behaviour of human beings in business. Economics is the science which deals with business affairs"—Hicks.

विचार करता है। संक्षेप में, अर्थशास्त्र उपभोग, उत्पत्ति, विनिमय, वितरण और राजस्व सम्बन्धी व्यावसायिक क्रियाओं का अध्ययन है।

गुण—हिक्स की परिभाषा (मार्शल की परिभाषा के समान) सरल और व्यावहारिक है और सामाजिक मनुष्यों के व्यवसायिक कार्यकलापों को अर्थशास्त्र के अध्ययन की परिधि में रखती है। किन्तु इसकी एक विशेषता यह है कि इसमें 'साधारण' शब्द को निकाल दिया गया (अर्थात् मार्शल की परिभाषा में इसको रखा गया है)। इसी प्रकार, इसमें 'आर्थिक क्रियाओं' या 'भौतिक मुक्त साधनों की प्राप्ति' जैसे वाक्यांशों को भी प्रयोग नहीं किया गया है, जिस कारण उस पर श्रेणी-विभाजक (Classificatory) होने का दोषारोपण नहीं किया जा सकता।

दोष—उपर्युक्त गुणों के साथ-साथ हिक्स की परिभाषा में कुछ दोष भी बताये गये हैं। प्रथमतः, वह अर्थशास्त्र के स्वभाव को स्पष्ट नहीं करती, अर्थात् यह नहीं बताती कि अर्थशास्त्र केवल एक वास्तविक विज्ञान है या इसका एक आदर्शात्मक पहलू भी है और कि वह कला भी है अथवा नहीं। दूसरे, मार्शल की भाँति हिक्स की परिभाषा के अनुसार भी मानवीय व्यवहार के व्यावहारिक पहलू का अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। अन्य शब्दों में, वह भी (मार्शल के समान) अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान के साथ-साथ उसके आदर्शात्मक और कलापक्ष को मानती है। ऐसी वृत्ता में इस पर भी बड़ी सब दोष लगाये जा सकते हैं जो कि रोबिन्स ने मार्शल की परिभाषा के विरुद्ध लगाये थे।

(५) अर्थशास्त्र के प्रति समाजवादियों का दृष्टिकोण—

“अर्थशास्त्र इस बात की व्याख्या करता है कि मनुष्य अपनी जीविका कैसे उपार्जित करते हैं। वह उत्पादन और वितरण का अध्ययन करता है और यह जानने का प्रयत्न करता है कि मानव समाज में जीवन की भौतिक आवश्यकताओं (जैसे भोजन, वस्त्र, मकान, परिचहन आदि) की प्राप्ति कैसे होती है ? इसका उत्पादन के तकनीकी पक्ष से कम से कम प्रत्यक्ष रूप में कोई सम्बन्ध नहीं है, किन्तु वह उन सम्बन्धों का अध्ययन करता है जो उत्पादन और विनिमय की क्रियाओं में मनुष्य के बीच स्थापित होते हैं।”¹ उत्पादन की क्रिया, जो वास्तव में श्रम द्वारा सम्पन्न होती है, प्रकृति द्वारा दिये हुए पदार्थों को घन में परिवर्तित कर देती है और इस प्रकार प्राकृतिक पदार्थ मनुष्यों की आवश्यकतायें पूरा करने के योग्य बन जाते हैं। मार्क्स (Marx) का कहना है कि “यह (श्रम) मानवीय अस्तित्व के लिये एक स्थायी और प्रकृति द्वारा शोषी गर्द आवश्यकता है और इसलिये सामाजिक विकास की प्रत्येक अवस्था में श्रम आवश्यक होता है।” अतः मनुष्यों के उत्पादन विषयक सम्बन्धों में समय-समय पर जो परिवर्तन होते रहते हैं उनका अध्ययन करना ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। लेनिन के शब्दों में अर्थशास्त्र, “सामाजिक

¹ “Political Economy explains how men get their living; it deals with the production, and distribution, within human societies, of the material needs of life—food clothing shelter, transport, etc. It is not—directly at least—concerned with the technical side of production, but with the relations between men in the process of production and exchange.”

—John Eaton : *Political Economy*, p. 1.

उत्पादन के ऐतिहासिक क्रम के विकास का अध्ययन है।¹ इसके विपरीत मार्क्स ने अर्थशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य आधुनिक समाज की प्रगति के नियमों की खोज करना बताया है।²

अन्तिम निरुक्ति (Conclusion):—

अर्थशास्त्र की अनेक प्रकार की परिभाषाओं की गई हैं और इन परिभाषाओं में दृष्टिकोण के विशाल अन्तर हैं। यह निरुक्ति वास्तव में कठिन है कि अर्थशास्त्र की कौन-सी परिभाषा को ग्रहण किया जाय। अधिकांश आधुनिक अर्थशास्त्री रोबिन्स की परिभाषा को अधिक पसन्द करते हैं और यही आजकल की सबसे महत्त्वपूर्ण परिभाषा है। व्यावहारिकता के दृष्टिकोण से पीगू की परिभाषा अधिक उपयुक्त है और साथ ही समाजवादी दृष्टिकोण के अधिक अनुकूल भी।

परीक्षा प्रश्न :

१. अर्थशास्त्र की परिभाषा 'घन के विज्ञान' के रूप में दी गई है। क्या आप इस परिभाषा को पर्याप्त समझते हैं ?

[सहायक संकेत :—सर्व प्रथम 'घन परिभाषाओं' दीजिये, उनकी व्याख्या करिये एवं आलोचना देते हुए उनकी मकीर्णता व त्रुटियों पर प्रकाश डालिये तत्पश्चात् मार्शल और रोबिन्स की परिभाषाओं में अल्प विवेचन सहित दीजिये और फिर अन्त में मार्शल की परिभाषा को उचित ठहराइये।]

२. "अर्थशास्त्र रोटी-मकलन का स्वार्थपूर्ण विज्ञान है।" अर्थशास्त्र की आधुनिक धारणा के सन्दर्भ में इस कथन का विवेचन करिये।

[सहायक संकेत—इस प्रश्न में दिये गये कथन का संकेत 'घन परिभाषाओं' से है। इसका उत्तर भी प्रश्न १ के अनुसार होगा।]

३. "अर्थशास्त्र मनुष्य के सामान्य व्यावसायिक जीवन से सम्बन्धित कार्यों का अध्ययन करता है।" इस कथन को समझाइये और बताइये कि राजगिरि की निर्जन गुफा में रहने वाले शायु के कार्यों का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में क्यों नहीं करते हैं ?

अथवा

"अर्थशास्त्र मनुष्य का सामान्य जीवन व्यवसाय के सम्बन्ध में अध्ययन है।" अर्थशास्त्र की इस परिभाषा की आलोचनात्मक व्याख्या दीजिये।

[सहायक संकेत :—सर्व प्रथम मार्शल की परिभाषा, इसकी विशेषताएँ एवं आलोचना देनी चाहिए। आलोचना देते समय एकान्तवासी शायु के विषय में रोबिन्स एवं अन्य अर्थशास्त्रियों के मत दीजिये कि उसके समक्ष भी आर्थिक समस्या उपस्थित है। बाद में, रोबिन्स की परिभाषा का विवेचन कीजिये और अन्त में निष्कर्ष निकालिये।]

४. समय-समय पर अर्थशास्त्र की परिभाषाओं दी गई हैं उनकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये। आपके विचार में, कौन-सी परिभाषा श्रेष्ठ है और क्यों ?

¹ "... ..the science dealing with the development of historical system of production."—Lenin.

² ".....our object is to find out the law of motion of human society."

—Karl Marx Capital, Vol. I, p. XIX.

अर्थवा

आप अर्थशास्त्र की परिभाषा कैसे करेंगे ? तबिस्तार समझाइये ।

[सहायक सकेत :—यहाँ 'घन', 'कल्याण' एवं 'दुर्लभता' तीनों ही प्रकार की परिभाषाओं की संक्षिप्त आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये और अन्त में निष्कर्ष दीजिये ।]

५. "अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्मी और वैकल्पिक प्रयोग करने वाले दुर्लभ साधनों से सम्बन्धित मानव व्यवहार का अध्ययन करता है ।" (रोबिन्स) विवेचन कीजिए ।

अर्थवा

रोबिन्स ने अर्थशास्त्र की जो परिभाषा दी है उसका पूर्ण विवेचन करिये ।

[सहायक सकेत :—यहाँ रोबिन्स की परिभाषा, इसके आधार, इसकी विशेषतायें, इसका विश्लेषण एवं इसकी आलोचनायें देनी चाहिये ।]

६. प्रो० रोबिन्स की अर्थशास्त्र की परिभाषा की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये । क्या कल्याणवादी अर्थशास्त्र का अध्ययन उनकी परिभाषा के अन्तर्गत सम्मिलित है ?

[सहायक सकेत :—सर्वप्रथम रोबिन्स की परिभाषा को पूर्ण रूप से समझाइये तत्पश्चात् आलोचना देते हुए बताइये कि रोबिन्स अपनी परिभाषा में कल्याणवादी अर्थशास्त्र को सम्मिलित नहीं करते हैं । अन्त में, कुछ आलोचकों के इस कथन को समझाइये कि रोबिन्स के न चाहने पर भी कल्याण का विचार उनकी परिभाषा में धोर-द्वार से प्रवेश कर गया है ।]

७. मूल आर्थिक समस्या क्या है ? रोबिन्स की परिभाषा इससे किस प्रकार सम्बन्धित है ?

अर्थवा

"मूल आर्थिक समस्या चुनाव की समस्या है"—विवेचन कीजिये ।

अर्थवा

चुनाव की समस्या क्यों उदय होती है ? यह अर्थशास्त्र की मौलिक समस्या क्यों बताई गई है ?

[सहायक सकेत :—मानवीय आवश्यकतायें अनन्त और इनकी पूर्ति के साधन सीमित एवं वैकल्पिक प्रयोग वाले हैं, जिस कारण अर्थशास्त्र की दुनियादी समस्या चुनाव या निर्णय की समस्या है । रोबिन्स ने अपनी परिभाषा में इसी समस्या पर ध्यान दिया है । अतः यहाँ रोबिन्स की परिभाषा का पूर्ण विवेचन करना चाहिये ।]

८. "अर्थशास्त्र वैकल्पिक प्रयोगों में दुर्लभ साधनों के वितरण का अध्ययन करता है ।" और "अर्थशास्त्र मनुष्य जाति का साधारण जीवन व्यवसाय के सम्बन्ध में अध्ययन है । वह व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्य के उस भाग की व्याख्या करता है, जो कि भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति एवं इनके प्रयोग से परिणित रूप में सम्बन्धित है ।" इन दोनों परिभाषाओं में से विले प्राप श्रेष्ठ समझते हैं और क्यों ?

अर्थवा

रोबिन्स की परिभाषाओं की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये । यह पूर्व परिभाषाओं से कैसे भिन्न है ?

अर्थवा

मार्शल और रोबिन्स द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषाओं का मूल्यांकन कीजिये । इनमें से कितने आप पसन्द करते हैं और क्यों ?

अर्थवा

अर्थशास्त्र की मार्शल की परिभाषा की तुलना रोबिन्स की परिभाषा से कीजिये ।

अथवा

क्या रोबिन्स द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा मार्शल की परिभाषा पर सुधार है ? पूर्ण रूप से समझाइये ।

[सहायक-संकेत :—पहले मार्शल की परिभाषा की संक्षिप्त व्याख्या और आलोचना दीजिये तत्पश्चात् रोबिन्स की परिभाषा को भी संक्षिप्त व्याख्या और आलोचना सहित दीजिए । फिर यह बताइये कि दोनों परिभाषाओं के अपने-अपने गुण-दोष हैं, कोई भी परिभाषा पूर्ण नहीं है, वस्तुतः ये परस्पर पूरक हैं । जबकि मार्शल की परिभाषा सुगम और व्यावहारिक है, रोबिन्स की परिभाषा अधिक वैज्ञानिक और सैद्धान्तिक है । इस प्रकार, यह कहना कठिन है कि रोबिन्स की परिभाषा सभी दृष्टियों से मार्शल की परिभाषा के ऊपर सुधार है ।]

९. मार्शल की परिभाषा का सावधानी के साथ विवेचन करिये । प्रो० रोबिन्स ने अपनी अर्थशास्त्र की परिभाषा के द्वारा जो परिवर्तन प्रचलित किये हैं उनकी समीक्षा कीजिये ।

[सहायक-संकेत :—सर्वप्रथम मार्शल की परिभाषा की व्याख्या और आलोचना कीजिए । तत्पश्चात् रोबिन्स की परिभाषा की संक्षिप्त व्याख्या देते हुए मार्शल की परिभाषा से उसकी तुलना करिये और यह बताइये कि इसने क्या नये परिवर्तन किये हैं ? अन्त में यह निष्कर्ष निकालिये कि दोनों परिभाषाओं के अपने-अपने गुण-दोष हैं और वस्तुतः वे परस्पर पूरक हैं ।]

१०. “अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें मानवीय आचरण का आवश्यकता रहित अवस्था को प्राप्त करने के साधन के रूप में अध्ययन किया जाता है ।” विवेचन कीजिये ।

[सहायक-संकेत :—यहाँ प्रो० मेहता की परिभाषा की आलोचनात्मक व्याख्या करनी चाहिए ।]

११. “हम यह कह सकते हैं कि मानवीय व्यवहार का वह विशेष पहलू, जिसका अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, मनुष्य का व्यवसाय सम्बन्धी व्यवहार है । अर्थशास्त्र व्यवसाय सम्बन्धी कार्यकलापों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है ।” (हिक्स) इस कथन का सावधानी के साथ विवेचन करिये और ‘व्यवसाय’ शब्द के अर्थ को स्पष्ट कीजिये ।

[सहायक-संकेत :—यहाँ प्रो० हिक्स की परिभाषा का पूर्ण विवेचन करना चाहिए ।]

१२. निम्न की समीक्षा कीजिए :—(अ) “अर्थशास्त्र उत्पादन की ऐतिहासिक प्रणाली के विकास का अध्ययन है,” (ब) “अर्थशास्त्र आर्थिक परिणामों का वैज्ञानिक अध्ययन है,” एवं (स) “अर्थशास्त्र व्यावसायिक कार्यकलापों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है ।”

[सहायक-संकेत :—इस प्रश्नोत्तर के आधीन क्रमशः लेनिन, बोल्डिग और हिक्स की परिभाषाओं का विवेचन कीजिये ।]

१३. रोबिन्स और जे० के० मेहता द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषाओं की तुलना कीजिये । आप इनमें से किसे अधिक पसन्द करते हैं और क्यों ?

अर्थशास्त्र का क्षेत्र

(The Scope of Economics)

प्रारम्भिक—

परिभाषा के सम्बन्ध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों के बीच भारी मतभेद है, इसलिए वे अर्थशास्त्र के क्षेत्र के सम्बन्ध में भी सहमत नहीं हैं। केन्ज (Dr. J. M. Keynes) ने कहा है कि किसी अध्ययन के क्षेत्र में दो बातें सम्मिलित होती हैं—प्रथम, उस वस्तु की प्रमुख विशेषताएँ, जिसका इसमें अध्ययन किया जाता है और दूसरे, अध्ययन-विशेष और अन्य विषयों का पारस्परिक सम्बन्ध। अतः इन बातों को ध्यान में रखकर ही हमें अर्थशास्त्र को निश्चित करना चाहिये। अन्य विषयों से अर्थशास्त्र के विषय का सम्बन्ध तो एक अगले अध्याय में देखा जायेगा, प्रस्तुत अध्याय में हम अर्थशास्त्र के विषय पर विचार करेंगे। इस सम्बन्ध में हमें मुख्यतया निम्न तीन प्रश्नों का उत्तर देना चाहिये :—(I) अर्थशास्त्र की विषय सामग्री (Subject matter) क्या है ? (II) अर्थशास्त्र का स्वभाव (Nature) अर्थात् यह (अ) कला है या विज्ञान ? (ब) यदि वह विज्ञान है, तो वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान ? (III) अर्थशास्त्र एक व्यक्तिगत शास्त्र है अथवा सामाजिक शास्त्र ?

(I) अर्थशास्त्र की विषय सामग्री (Subject Matter of Economics)

आर्थिक अध्ययन का विषय—मनुष्य एवं उसका व्यवहार

एडम स्मिथ और अन्य पुराने अर्थशास्त्रियों ने 'धन' को अर्थशास्त्र का विषय बताया था। प्राये चलकर मनुष्य की उन क्रियाओं को अर्थशास्त्र का विषय बताया गया जिनका सम्बन्ध धन से है। तत्पश्चात् इसमें भी सुधार किया गया और अर्थशास्त्र का विषय मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति से सम्बन्धित (है) बताया गई। मार्शल और उनके शिष्यों ने यही दृष्टिकोण अपनाया था। उन्होंने मानवीय क्रिया को दो भागों में बाँटा भौतिक और अभौतिक तथा केवल भौतिक क्रियाओं को ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री बनाया।

मनुष्य की सभी क्रियाओं का अध्ययन एक निश्चित दृष्टि से—

इस प्रकार, यह तो निश्चित हो गया है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय मनुष्य और उसका व्यवहार है। मतभेद केवल इस दिशा में रह जाता है कि क्या सभी मानव क्रियाओं और सभी मनुष्यों की क्रियाओं का अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है अथवा इनमें से कुछ को छोड़ दिया जाता है।

(१) मार्शल और उनके शिष्यों के अनुसार, साधारण और सामाजिक मनुष्यों की केवल भौतिक क्रियाओं का ही अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। इस सम्बन्ध में मार्शल के दृष्टिकोण के शिष्यों का विरुद्ध अध्ययन पिछले अध्याय में किया जा चुका है। भौतिक और

अभौतिक क्रियाओं का भेद लगभग असम्भव है और यदि इस प्रकार का भेद किया भी जाता है, तो उससे कोई लाभदायक परिणाम नहीं निकल सकता।

(२) पीगू का मत है कि मनुष्यों की केवल उन्हीं क्रियाओं का अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है जो मुद्रा में नापी जा सकती हैं। जहाँ तक पीगू के दृष्टिकोण का सम्बन्ध है, यह इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि इससे अर्थशास्त्र में निश्चिन्ता और व्यावहारिकता आ जाती है परन्तु पीगू के दृष्टिकोण को अपनाने से भी निम्नलिखित तीन कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं :—(i) पीगू ने आर्थिक कल्याण को अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय माना है; किन्तु उस कल्याण को, जो आर्थिक है और उस कल्याण को, जो आर्थिक नहीं है, एक दूसरे से पूर्णतया अलग करना सम्भव नहीं है। दोनों में परस्पर निर्भरता का सम्बन्ध है। (ii) यदि केवल उन्हीं क्रियाओं को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाय, जो कि मुद्रा में नापी जा सकती हैं, तो विभिन्न परिस्थितियों में एक ही क्रिया आर्थिक अथवा अनार्थिक (Non-economic) हो जायगी। उदाहरण के लिए, एक कलाकार जब दान हेतु अपनी कला का प्रदर्शन करता है तो उसकी यही क्रिया अनार्थिक होगी; परन्तु वही कलाकार जब पैसे कमाने के लिए ऐसा करता है, तो उसकी यही क्रिया आर्थिक हो जायगी। (iii) रोबिन्स का विचार है (और यह सही भी है) कि पीगू का दृष्टिकोण भी भौतिकवादी (Materialistic) ही है।

(३) रोबिन्स के अनुसार, मनुष्य की सभी क्रियाएँ अर्थशास्त्र के विषय में सम्मिलित हैं, क्योंकि मानव क्रियाओं का आर्थिक एवं अनार्थिक क्रियाओं में अथवा भौतिक एवं अभौतिक क्रियाओं में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता।

सब कुछ देखते हुए रोबिन्स का विचार ही अधिक सही प्रतीत होता है। हमारे अध्ययन का विषय मनुष्य है और मनुष्य की सभी क्रियाएँ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आ जाती हैं, चाहे उनका सम्बन्ध भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में हो, या अभौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में। स्मरण रहे कि यद्यपि मनुष्य की सभी क्रियाएँ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आ जाती हैं, किन्तु इन क्रियाओं के केवल निर्णय विधायक पक्ष (Choice making aspect) का ही अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। मानव व्यवहार के अन्य पक्षों का अध्ययन राजनीति, इतिहास, मनोविज्ञान आदि दूसरे सामाजिक विज्ञानों के अन्तर्गत किया जाता है।

अब चूँकि मनुष्य समाज का अंग है, इसलिए उसकी क्रियाओं और विचारों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अतएव मनुष्य के व्यवहार के साथ-साथ इन व्यवहार का सामाजिक जीवन पर प्रभाव भी अर्थशास्त्र के विषय में आ जाता है। आजकल के युग में मनुष्य और समाज को एक दूसरे में अलग करके अध्ययन करना सम्भव नहीं है, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं।

इस प्रकार, अर्थशास्त्र का क्षेत्र मनुष्य की सभी क्रियाओं तक फैला हुआ है, किन्तु इन क्रियाओं के केवल एक रूप का अध्ययन किया जाता है। मच बात तो यह है कि इसी आधार पर अर्थशास्त्र तथा दूसरे सामाजिक शास्त्रों में भेद किया जा सकता है।

सभी मनुष्यों की क्रियाओं का अध्ययन—

शुद्ध अर्थशास्त्री भिन्न-भिन्न प्रकार के मनुष्यों में जो भेद करने हैं, वह भी ठीक नहीं है। सारे मनुष्यों का व्यवहार, चाहे वे समाज के सदस्य हों या न हों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आता है। जगण, आर्थिक समस्या (निर्णय करने की समस्या) सभी मनुष्यों के लिए रहती है और सभी की क्रियाओं का आर्थिक महत्त्व होता है। पुत्र, जैसा कि रोबिन्स ने बताया है, विनिमय, विवरण और राजस्व सम्बन्धी बाध्य नियम तो अवश्य एक समाज में ही रह कर सम्भव हैं किन्तु उपभोग और उत्पत्ति के नियम समाज में न रहने चाते (अर्थात् एकान्त से ही साधु-

संघाती आदि) पर भी लागू होते हैं। हाँ, पागल अथवा इस प्रकार के दूसरे मनुष्य इस शास्त्र से छूट जाते हैं, क्योंकि उनके विषय में सामान्य नियम नहीं बनाये जा सकते हैं।

(II) अर्थशास्त्र का स्वभाव (Nature of Economics)

अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान, यह जानने हेतु कला और विज्ञान का अर्थ समझ लेना आवश्यक है। अधिकतर महाविद्यालयों (Colleges) में कला और विज्ञान (Art and Science) दोनों ही की शिक्षा दी जाती है तथा पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जाता है कि कुछ विषयों की शिक्षा कला विभाग में तथा कुछ की विज्ञान विभाग में दी जाती है। अर्थशास्त्र बहुधा कला के विभाग का एक विषय है, परन्तु इस शास्त्र की शिक्षा विभाग में भी होती है। विदेश के कुछ विश्वविद्यालयों में, विशेष रूप से पेरिस में यह विषय कानून (Law) विभाग में पढ़ाया जाता है। अतः विद्यार्थियों को बहुधा यह निर्णय करने में कठिनाई होती है कि अर्थशास्त्र को कला माना जाय या विज्ञान अथवा कुछ और ही। किन्तु यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि शिक्षा-संस्थाओं में कला और विज्ञान का जो अर्थ होता है, अर्थशास्त्र में उनका अर्थ उससे बिल्कुल भिन्न है। अतः यदि कोई विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र को कला के पाठ्यक्रम में रखता है, तो इसमें यह सिद्ध नहीं होता है कि अर्थशास्त्र केवल कला है विज्ञान नहीं।

विज्ञान का अर्थ—

विज्ञान से हमारा अभिप्राय है 'जानने' से और कला से आशय है 'करने' से। इस प्रकार, विज्ञान 'ज्ञान' या 'जानकारी' (Knowledge) है और कला 'क्रिया' (Action) है। किन्तु केवल तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर लेना ही विज्ञान नहीं है। उसमें एक गुण यह भी होना चाहिए, ऐसी जानकारी समबद्ध (Systematic) हो। जैसा कि पौइन्कारे (Poincare) ने कहा है : "विज्ञान तथ्यों से उसी प्रकार निर्मित होता है, जिस प्रकार एक मकान पत्थरों से बनता है; किन्तु तथ्यों को संग्रह करना मात्र ही उसी प्रकार से विज्ञान नहीं है जिस प्रकार कि पत्थरों का ढेर मकान नहीं कहा जा सकता।"¹ दूसरे शब्दों में, समबद्ध ज्ञान या जानकारी के संग्रह को विज्ञान कहते हैं। यह संग्रह ज्ञान की किसी भी शाखा के बारे में हो सकता है और इसमें उस शाखा से सम्बन्धित नियमों का वर्णन और विश्लेषण रहता है।

अर्थशास्त्र को विज्ञान मानने के पक्ष में तर्क—

विज्ञान की उपर्युक्त परिभाषा के सन्दर्भ में यह कहना ठीक है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, क्योंकि :—(अ) वह आर्थिक बातों के कारण और परिणाम के बीच व्यवस्थित रूप से सम्बन्ध स्थापित करता है; (आ) इसमें आर्थिक आंकड़ों और सूचनाओं का व्यवस्थित तरीके से संग्रह, वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है; (इ) इसके पास आर्थिक तत्त्वों को मानने के लिए मुद्रा का मापदण्ड भी है, जो बहुत सीमा तक निश्चलता ला देता है।

अर्थशास्त्र को विज्ञान मानने के विरोध में तर्क—

किन्तु कुछ अर्थशास्त्रियों के मतानुसार अर्थशास्त्र को विज्ञान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि (अ) अर्थशास्त्री आपस में एक मत नहीं रहते; (आ) मानव व्यवहार के बारे में ठीक-ठीक भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है और न कोई निश्चित नियम ही बनाये जा सकते हैं;

¹ "Science is built up of facts as a house is built up of stones; but an accumulation of facts is no more a science than a heap of stones is a house."—Poincare : *Science and Hypothesis*, p. 41. Quoted by Pigou : *Economics of Welfare*, p. 7.

(इ) अर्थशास्त्री जो सूचियाँ धीरे तालिकायें बनाते हैं वे सभी अवास्तविक होती हैं। अतः इनके आधार पर जो नियम बनाये जाते हैं वे ऐतिहासिक होते हैं स्थायी नहीं; एवं (ई) आर्थिक नियम परिमाणात्मक (Quantitative) नहीं होते।

अर्थशास्त्र एक 'विज्ञान' है—

यदि हम अर्थशास्त्र को विज्ञान मानने के विरोध में दिये गये तर्कों का सावधानी से विश्लेषण करें, तो इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि ये तर्क मोथे हैं। उदाहरणार्थ, अर्थशास्त्र विज्ञान की परिभाषा के गुणों को पूरा करना है, जिस कारण मत-भिन्नता होने पर भी उसे विज्ञान ही कहा जायेगा। पुनः मत-भिन्नता विज्ञान के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक है। साथ ही यह स्वाभाविक है कि अर्थशास्त्रियों में मत-भिन्नता हो, क्योंकि इस शास्त्र का विकास पूरा नहीं हुआ है और वह निरन्तर बढ़ रहा है।

इसी प्रकार, मानव व्यवहार की अनिश्चितता का तर्क भी जितना गम्भीर दिखाई देता है वास्तव में उतना नहीं है; क्योंकि (i) प्रायः सभी मनुष्यों में कुछ बुनियादी प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, जो उनके व्यवहार को शासित करती हैं। अतः समान परिस्थितियों में मनुष्य बुनियादी प्रवृत्तियों के शासन के अधीन समान आचरण करते हैं; जिससे मानवीय व्यवहार का पूर्वानुमान बहुत सीमा तक सही लगाया जा सकता है; (ii) अर्थशास्त्र में मनुष्य के व्यवहार का चुनाव-पहलू से ही अध्ययन किया जाता है और यह कल्पना की जाती है कि मनुष्य एक विवेक-शील होता है, जिस कारण दिये हुए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वह अपने साधनों को किस प्रकार प्रयोग में लायेगा इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है, (iii) निस्सन्देह, आर्थिक सस्थाओं में परिवर्तन होते रहते हैं, जिस कारण आर्थिक तालिकायें व सूचियाँ अवास्तविक बन जाती हैं। किन्तु मनुष्य का बुनियादी व्यवहार सन्तोष को अधिकतम करना, साधनों की सीमितता आदि प्रत्येक आर्थिक स्थिति में समान रहते हैं। अतः इन पर आधारित नियमों के द्वारा बदलती हुई परिस्थितियों को न्युनतापूर्वक समझाया जा सकता है; एवं (iv) यद्यपि आर्थिक नियम गणितात्मक रूप से निश्चित सम्बन्ध तो नहीं दर्शाते तथापि द्रव्य के रूप में उनके पास एक काम चलाऊ माप तो है। अतः अर्थशास्त्र एक विज्ञान है।

अर्थशास्त्र कैसा विज्ञान है—वास्तविक या आदर्शात्मक ?

अब प्रश्न उठता है कि अर्थशास्त्र कैसा विज्ञान है ? विज्ञान दो प्रकार के होते हैं—वास्तविक विज्ञान एवं आदर्शात्मक विज्ञान। वास्तविक विज्ञान (Positive Science) अपने आपको वास्तविकता तक ही सीमित रखता है। वह किसी भी विषय का अध्ययन उसके वास्तविक रूप या दशा में करता है, अर्थात् जैसी बात वास्तव में है वैसी ही उल्लेख करता है। उसकी अच्चाई-बुराई से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है और वह हम विषय में बताता है कि उसे कैसा होना चाहिए। इसके विपरीत, आदर्शात्मक विज्ञान (Normative Science) कोई उद्देश्य लेकर चलता है। जो नियम बनाये जाते हैं या जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाये जाते हैं। ऐसा विज्ञान आदेश देता है और 'कैसा है' के विपरीत 'कैसा होना चाहिए' का बोध कराता है। इस प्रकार, वास्तविक विज्ञान यह बताता है कि 'कैसा है' और आदर्शात्मक विज्ञान यह बताता है कि 'कैसा होना चाहिए'।

[विज्ञान की परिभाषा देते समय यह बताया गया था कि जमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान है और वह कारण एवं परिणाम के मध्य सम्बन्ध स्थापित करता है। यही परिभाषा वास्तविक विज्ञान की भी है, जिसमें प्रगट होना है कि विज्ञान और वास्तविक विज्ञान एक ही हैं। जब ऐसा है, तो विज्ञान को वास्तविक और आदर्शात्मक इन दो भागों में कैसे बाँटा जा सकता है ? अथवा, यदि यह विभाजन सम्भव नहीं है, तो आदर्श विज्ञान का क्या अर्थ है ? यथार्थ में, आदर्श

विज्ञान कोई पृथक विज्ञान नहीं है। यह तो वास्तविक विज्ञान के एक पहलू को सूचित करता है। जब हम वास्तविक विज्ञान (या विज्ञान) के अध्ययन को एक निश्चित आदर्श से सम्बन्धित कर देते हैं, तो उसका पहलू आदर्शात्मक हो जाता है। अतः आदर्श विज्ञान वास्तविक विज्ञान का ही एक पहलू है। हमारे विचार का विषय भी यह होना चाहिए कि अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है अथवा इसका एक आदर्शात्मक पहलू (Normative aspect) भी है।]

वास्तविक विज्ञान होना निर्विवाद किन्तु आदर्शवादी पहलू होने पर विवाद—

प्रायः सभी अर्थशास्त्री यह स्वीकार करते हैं कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। किन्तु विवाद बहुधा इस प्रश्न को लेकर चलता है कि क्या अर्थशास्त्र का एक आदर्शात्मक पहलू भी है। एक ओर ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान मानते हैं। इनके नेता हैं आधुनिक अर्थशास्त्री प्रो० रोबिन्स। दूसरी ओर, वे अर्थशास्त्री हैं जो अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानने के साथ-साथ इसके आदर्शात्मक पहलू को भी स्वीकार करते हैं। इस वर्ग के नेता हैं पीगू और मार्शल।

रोबिन्स का दृष्टिकोण—रोबिन्स का विचार है कि अर्थशास्त्र केवल एक वास्तविक विज्ञान है और उमङ्गा आदर्शवादी पहलू नहीं है। आदर्शवादी पहलू तब ही हो सकता है जबकि अर्थशास्त्र नीतिशास्त्र से सहयोग ले; किन्तु “दुर्भाग्यवश इन दोनों अध्ययनों को किसी तर्क-सम्पन्न ढङ्ग से संयुक्त करना सम्भव प्रतीत नहीं होता। अधिक से अधिक इन्हें समीप ही रखा जा सकता है। जबकि अर्थशास्त्र जांचने योग्य तथ्यों पर अध्ययन करता है, नीतिशास्त्र मूल्यों पर और आचारों का। ये दोनों अध्ययन दार्तालाप के समान स्तर पर नहीं हैं।”¹ रोबिन्स मूल्य सिद्धान्त को ही अर्थशास्त्र मानते हैं और मूल्य सिद्धान्त का कोई आदर्शात्मक पहलू नहीं होता।² अर्थशास्त्र के केवल वास्तविक विज्ञान होने के पक्ष में रोबिन्स और उनके समर्थकों ने जो तर्क दिए हैं वे निम्न प्रकार हैं :—

(१) अर्थशास्त्र एक विज्ञान है और विज्ञान होने के कारण वह भी अन्य विज्ञानों की भाँति ‘तर्क’ पर आधारित है। तर्क के आधार पर ‘कारण’ और ‘परिणाम’ के मध्य सम्बन्ध तो स्थापित किया जा सकता है और यह भी बताया जा सकता है कि अमुक कार्य का अमुक परिणाम होगा परन्तु यह नहीं बताया जा सकता कि क्या होना चाहिए और क्या न होना चाहिए। आदर्शवादी दृष्टिकोण तर्क पर नहीं, बरन् ‘भावना’ पर आधारित है। अतः इसे अर्थशास्त्र से, जिसका आधार तर्क है, पृथक ही रखना चाहिए।

(२) अर्थशास्त्रियों को सारे कार्य स्वयं ही नहीं करने चाहिए, क्योंकि यह सब कार्य को कुशलतापूर्वक नहीं कर सकता है। अतः धर्म विभाजन के सिद्धान्त के अनुसार, उसे किसी विषय के वास्तविक स्वरूप पर ही अपना सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित करना चाहिए तथा विषय की अन्धआई-बुराई बताने और सुभाव देने का कार्य राजनीतिज्ञों और आचार-शास्त्रियों पर छोड़ देना चाहिए।

1 “Unfortunately it does not seem logically possible to associate these two studies in any form but mere just a position. Economics deals with ascertainable facts, ethics with valuation and obligations. The two fields of enquiry are not on the same plane of discourse.”—Robbins : *An Essay on the Nature and Significance of Economics*, p. 148

2 “There is no penumbra of approbation around the theory of value. Equilibrium is just an equilibrium.”—Robbins.

(३) 'क्या है' के अध्ययन को 'क्या होना चाहिए' के अध्ययन से मिला देने पर भ्रम पैदा होने का भय है। जिससे आर्थिक विषयो के विकास में कठिनाई होगी।

(४) आदर्शात्मक पहलू मानने से अर्थशास्त्र की प्रगति में बड़ी बाधा प्रस्तुत हो जायेगी, क्योंकि 'क्या होना चाहिए' की खोज बहुत वाद-विवाद को जन्म देगी, किन्तु यह बात 'क्या है' की खोज के विषय में नहीं है।

(५) यदि अर्थशास्त्र के वास्तविक पहलू के साथ आदर्शात्मक पहलू को मिलाया गया, तो इससे अर्थशास्त्री पर कामभार बढ जायेगा, क्योंकि 'क्या है' के साथ-साथ उसे 'क्या होना चाहिए' का विवेचन करना पड़ेगा, और यदि वह केवल 'क्या है' का विवेचन करता है 'क्या होना चाहिए' के विषय में शान्त रहता है तो लोग उसको गलत समझ सकते हैं। वे सोचेंगे कि अर्थशास्त्री एक अनुभव अन्वेषण से सहमत है जबकि उसका सहमत होना जरूरी नहीं है। अतः अर्थशास्त्री को गलत समझने की सम्भावना के निवारणार्थ आदर्शवादी पहलू को अलग ही रचना चाहिए।

पीगू का दृष्टिकोण—अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान मानने का पीगू ने कडा विरोध किया है। उनका कहना है कि इस प्रकार का अर्थशास्त्र मनुष्य के लिए बेकार होगा, क्योंकि अर्थशास्त्र के द्वारा हमें जीवन की विभिन्न समस्याओं को हल करना होता है और यह निर्णय करना पड़ता है कि हम क्या करना चाहिए। उसके विचार में अर्थशास्त्र प्रकाश डालने वाला (Light bearing) विज्ञान न होकर फलदायक (Fruit bearing) विज्ञान है और इसी कारण यह शास्त्र बड़ा लाभदायक और महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र का आदर्शात्मक पहलू होने के पक्ष में पीगू और उसके साथियों के निम्नलिखित विचार महत्वपूर्ण हैं —

(१) अर्थशास्त्र को उद्देश्यों के प्रति तटस्थ नहीं होना चाहिये। उसे उद्देश्यों को जान-बूझकर निर्धारित करना चाहिए। यदि उद्देश्य को दिया हुआ माना गया, तो सीमित साधनों का सदुपयोग नहीं हो सकेगा। अन्य शब्दों में, सीमित साधनों के सदुपयोग की दृष्टि से उद्देश्यों को जानबूझकर निश्चित करना चाहिए।

(२) मनुष्य तार्किक (logical) होने के साथ-साथ भावुक (sentimental) भी है, जिस कारण यह आवश्यक है कि अर्थशास्त्र में मानव व्यवहार का दोनों वास्तविक एवं आदर्शात्मक दृष्टिकोणों से अध्ययन किया जाय। एक के बिना दूसरा अध्ययन बेकार है।

(३) किसी विषय के अध्ययन द्वारा 'कारण और परिणाम' में सम्बन्ध स्थापित करने का कार्य अर्थशास्त्री करें, और निर्णय देने का कार्य राजनीतिज्ञ या नीतिशास्त्र वेत्ता करें, ऐसा भ्रम विभाजन गलत है और समय व शक्ति का मितव्ययितापूर्वक प्रयोग नहीं है। यह उसी प्रकार से अयोग्य और विचित्र है जिस प्रकार दो व्यक्तियों के मध्य इस प्रकार का भ्रम विभाजन कि उनमें एक व्यक्ति खाना खाये और दूसरा केवल पानी पीये।

(४) रोबिन्स का यह तर्क भी ठीक नहीं है कि साम्य केवल साम्य है। भारतीय गाँव में व्याज की ऊँची दर प्रचलित है, जो निस्संदेह माँग पूर्ण की शक्तियों के स्तम्भ का परिणाम है। किन्तु, साम्य केवल साम्य है ऐसा समझने हुए हम अनुचित रूप से ऊँची दर को घटाने हेतु सरकार को कोई उपाय नहीं करना चाहिए? यदि सरकार निष्क्रिय रहे, तो यह एक गलत नीति होगी। इस प्रकार, अर्थशास्त्र के आदर्शवादी पहलू को छोटा नहीं जा सकता।

(५) हमारे इच्छा करने पर भी यह सम्भव नहीं है कि अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान मानते हुए तदनुसृत आचरण कर सकें। अर्थशास्त्री एक मन-मान का आदमी है, जिसके अलग दृष्टिकोण एवं भाव होते हैं। जब वह आर्थिक समस्याओं का अन्वेषण करता है, तो उसकी भावनाओं और दृष्टिकोण का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता।

(६) यदि अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान ही माना जाय, तो उसका अद्ययन फीका और अर्धचक्र प्रतीत होगा। किन्तु कुछ उद्देश्यों और आदर्शों को सामने रखकर अद्ययन करने से वह रुचिप्रद ही जायेगा।

(७) अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। यदि इसे समाज के उत्थान के लिये एक इंजन का कार्य करना है, तो नीति शास्त्र से सम्बन्ध रखना ही पड़ेगा। किसी समस्या पर विचार-विमर्श करते समय यह हो सकता है कि उद्देश्यों को पूर्व निश्चित मान लें किन्तु बाद में इन पूर्व निश्चित उद्देश्यों के कल्याण सम्बन्धी अर्थों पर भी विचार-विमर्श करना आवश्यक है।

(८) आर्थिक नियोजन की लोक प्रियता आजकल बहुत बढ़ गई है। इसमें उद्देश्य जानबूझ कर निर्धारित किये जाते हैं। अतः अर्थशास्त्र का आदर्शात्मक पहलू अपरिहार्य हो गया है।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान ही नहीं है, वरन् उसका आदर्शात्मक पहलू भी है। अतः अर्थशास्त्री का कार्य केवल व्याख्या और खोज करना ही नहीं है वरन् अच्छाई और बुराई को भी बताना है। इस सम्बन्ध में यह जानना बड़ा सहायक होगा कि यद्यपि रोबिन्स अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान मानते हैं, किन्तु अपने सभी आर्थिक लेखों में वे इस विचार को नहीं निभा पाये हैं। उदाहरणार्थ, जब वे युद्ध अर्थ-व्यवस्था के विषय में लिखते हैं तो वास्तविक विज्ञान की सीमा को पार करके सलाह देने लगते हैं। इस प्रकार पीगू का मत है कि अर्थशास्त्र केवल आदर्श विज्ञान है, परन्तु जब वे मुद्रा-प्रसार (Inflation) अथवा राष्ट्रीय आय (National Income) के विषय में लिखते हैं तो एक सच्चे वैज्ञानिक की भाँति विषय की विवेचना करके रुक जाते हैं और वास्तविकता की सीमा के बाहर पैर नहीं रखते हैं।

क्या अर्थशास्त्र कला है ?

अब हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि क्या अर्थशास्त्र कला है, अर्थात्, क्या वह व्यावहारिक समस्याओं को सुलझाने में सहायता दे सकता है ?

'कला' का अर्थ—जबकि विज्ञान तथ्यों की खोज करता है और उनकी व्याख्या करता है, कला निर्देशन करती है, व्यावहारिकता की ओर ले जाती है अथवा नियम प्रस्तुत करती है। अन्य शब्दों में, कला केवल तथ्यों का वर्णन ही नहीं करती है, वरन् समस्याओं को हल करने के उपाय भी बताती है। कोस के अनुसार, "विज्ञान का सम्बन्ध जानने से है किन्तु कला का सम्बन्ध करने से है।" केम्ब्रिज के शब्दों में, "कला एक विधि हुये लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नियमों की एक प्रणाली है।" इस प्रकार, कला और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं।¹ जीवन के सभी क्षेत्रों में विज्ञान और कला दोनों हो सकते हैं, जैसे—चित्रकला के बारे में सम्बन्ध ज्ञान 'विज्ञान' है तथा इन नियमों के अनुसार चित्र खींचना 'कला' है। इसी प्रकार, भौतिक शास्त्र के नियमों का ज्ञान 'विज्ञान' है और इन नियमों को प्रयोग करना 'कला' है।

एडम स्मिथ रिकार्डो, वेन्ज, मिल, मार्शल, पीगू इत्यादि अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को कला मानते हैं किन्तु सीनियर, बालरस, नूरनो, शुम्पोटर इत्यादि ऐसा नहीं मानते। आधुनिक अर्थशास्त्रियों में रोबिन्स ने भी प्रभावशाली शब्दों में मत प्रकट किया है कि अर्थशास्त्र केवल एक वास्तविक विज्ञान है और इसका व्यावहारिक नीतियों के निर्धारण से कोई सम्बन्ध नहीं है।

¹ "An art is a system of rules for the attainment of a given end."—Keynes : *Scope and Method of political Economy*, p 46.

² "Science requires art, art requires science, each being complementary to the other."—Cossa.

अर्थशास्त्र के कला होने के विरोध में तर्क—अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के कला होने के विरोध में निम्न तर्क दिये हैं :—(i) यदि अर्थशास्त्र नीति के निर्माण में सहयोग देना है, तो वह अपने वैज्ञानिक स्वभाव से वंचित हो जायेगा। अतः उसे विभिन्न कार्यों की विशेषतायें बताने में एक विशेषज्ञ की भाँति कार्य करना चाहिए, निर्णय देने वाले जुरी की भाँति नहीं। (ii) अधिकांश समस्यायें केवल आर्थिक ही नहीं होती हैं, वरन् उनके राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक पहलू भी होते हैं, जिस कारण नीति के निर्माण का कार्य अनेक अर्थशास्त्री नहीं कर सकता। (iii) अर्थशास्त्र हमें कुछ बने बनावे नुस्खे प्रदान नहीं करता, जिन्हें कि व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए एक नीति के रूप में तत्काल ही लागू किया जा सके।

अर्थशास्त्र के कला होने के पक्ष में तर्क—यद्यपि उपरोक्त तर्कों में सत्यता का अंश है तथापि इसके आधार पर ही अर्थशास्त्र को कला न मानना अनुचित है। अर्थशास्त्र के कला होने के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिये जाते हैं :—

(१) यह तो सच है कि अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक स्वरूप को बनाये रखना एक आवश्यक बात है किन्तु अर्थशास्त्र के कला होने में इसमें कोई बाधा नहीं पड़ती है। दूररी और वैज्ञानिक स्वरूप पर अति कठोरता से अमल करने से विषय की व्यापकता कम हो जाती है। प्रायः सभी अर्थशास्त्रियों ने— रोडरिक्स सहित—अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक स्वरूप को लायते हुए उद्देश्यों पर वाद-विवाद किया है। पुनः अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, जिस कारण इसका उपयोगिता इन बातों में है कि आर्थिक समस्याओं के समाधान में योग दे।

(२) जहाँ कुछ समस्यायें मिश्रित स्वभाव की हैं वहाँ अनेक समस्यायें विशुद्ध आर्थिक स्वभाव की हैं, यथा—निमित्त दर, मुद्रा व साल आदि समस्यायें, जिनका हल अर्थशास्त्री ही बना सकता है, अन्य कोई नहीं। मिश्रित स्वभाव की समस्याओं के सम्बन्ध में भी अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता है और अर्थशास्त्री जो सम्मति दे वह एक सुझाव के रूप में ग्रहण की जा सकती है।

(३) निस्सन्देह अर्थशास्त्र बने-बनाये नुस्खे (Ready-made-solutions) प्रदान नहीं करता, किन्तु इससे यह अर्थ तो नहीं लिया जा सकता कि अर्थशास्त्र कला स्वभाव का नहीं। कारण, जैसे कि केन्ज ने स्वयं ही आगे बताया है, अर्थशास्त्र एक रीति, मस्तिष्क का एक यन्त्र एवं सोचने की एक टेक्नीक है, जो अपने अधिकारी को निष्कर्ष निकालने में सहायता देती है।

(४) आधुनिक युग में व्यावहारिक अर्थशास्त्र का महत्त्व व्यावहारिक अर्थशास्त्र की तुलना में बहुत बढ़ गया है। स्टिगलर (Stigler) के अनुसार, जो अर्थशास्त्री अपना आधे से अधिक समय आर्थिक सिद्धान्तों के निर्माण में लगाता है वह विशुद्ध या सैद्धांतिक अर्थशास्त्री है। किन्तु देखने में आया है कि लगभग ६०% अर्थशास्त्री अपना आधे से अधिक समय व्यावहारिक अर्थशास्त्र के अध्ययन पर खर्च करते हैं। यदि अर्थशास्त्री व्यावहारिक समस्याओं को हल करने में सफलता न पाता, तो व्यावहारिक अर्थशास्त्र की महत्ता इनकी न बढ़ी होती।

(५) आर्थिक नियोजन हमारी समस्त आर्थिक बुराइयों की रामबाण दवा माना जाने लगा है। इसके अन्तर्गत उद्देश्य पहले से निश्चित किये जाते हैं तथा इनकी प्राप्ति के लिए अर्थशास्त्री व्यावहारिक नीति बनाते हैं।

अर्थशास्त्र विज्ञान होने के साथ-साथ कला भी है—

अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि अर्थशास्त्र एक कला भी है और वह व्यावहारिक नीतियों को बनाने में पूरा सहयोग देता है। केन्ज (Keynes) अर्थशास्त्री के व्यावहारिक सम-
 ५. के समाधान में सहयोग देने के विषय में सहानुभूति रखते हैं। हाँ उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि अर्थशास्त्री को एक सकीर्ण 'विशेषज्ञ' के रूप में कार्य नहीं करना चाहिये, वरन्

उसे अर्थ सामाजिक विद्वानों का भी अध्ययन करना चाहिये जिससे इनका काम चलाऊ ज्ञान हो जाय। रोबिन्स की यह शिकायत उचित है कि अर्थशास्त्र की सीमा पर बहुत से नीम-हकीम सिलवाड करते हैं। किन्तु, जब ऐसा है तो उन्हें दूर भगाने का काम अर्थशास्त्री के प्रतिरिक्त अन्य कौन ठीक-ठीक कर सकता है? अर्थशास्त्री ही यह काम ठीक-ठीक कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास समुचित वैज्ञानिक दक्षता होती है। पीगू ने ठीक ही कहा है कि, "हमारी मनोवृत्ति एक दार्शनिक जैसी नहीं होती, अर्थात् हम ज्ञान के लिए ज्ञान की खोज नहीं करते, बरन् हमारी मनोदशा एक डाक्टर जैसी होती है अर्थात् हम ज्ञान इसलिए प्राप्त करते हैं कि प्राप्त ज्ञान की सहायता से स्वास्थ्य-उपचार कर सकें।"¹

जिस रूप में हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं उसमें वह केवल विज्ञान है—

अर्थशास्त्र के जिस रूप का प्रस्तुत अध्ययन से सम्बद्ध है वह केवल विज्ञान ही है। हम केवल मनुष्य-व्यवहार के निर्णय-विधायक पक्ष के विषय में नियमों, सिद्धांतों, और तथ्यों, का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र की कला से हमारे वित्त मन्त्रियों, उद्योगपतियों और व्यापारियों को काम पड़ता है। अतः यह कहना ग़लत न होगा कि हमारे लिए अर्थशास्त्र केवल विज्ञान है। मार्शल अर्थशास्त्र को कला के स्थान पर 'कला का आधार' कहते हैं।² अर्थशास्त्र के आधार पर जो कला विनसित होती है उसे 'वाणिज्यशास्त्र' (Commerce) कहा जाने लगा है। इससे अर्थशास्त्र के कला या विज्ञान होने के विषय में बहुत सारी उलझन समाप्त हो जाती है। पीगू के निम्न प्रबन्धों के उल्लेख बिना अर्थशास्त्र के कला स्वभाव का विवेचन अधूरा ही रहेगा "यद्यपि अर्थशास्त्री के लिए सामाजिक उत्पत्ति के लक्ष्य को सदा दृष्टिगत रखना आवश्यक है तथापि उसका अपना मुख्य कार्य आक्रमण की सीमा के सामने खड़े होने का नहीं, बरन् धैर्यपूर्वक उस सीमा के पीछे खड़े होकर ज्ञान की युद्ध सामग्री तैयार करना है।"

(III) अर्थशास्त्र एक सामाजिक शास्त्र है या व्यक्तिगत शास्त्र ?

यह तो अब सभी स्वीकार करते हैं कि अर्थशास्त्र में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। परन्तु इस विषय में, कि अर्थशास्त्र मनुष्य का अध्ययन केवल समाज के सदस्य के रूप में करता है अथवा यह आवश्यक नहीं है कि मनुष्य समाज का सदस्य हो ही, अभी भी एक मत नहीं है।

मार्शल और उनके समर्थकों ने अर्थशास्त्र के सामाजिक पक्ष पर बल दिया है, क्योंकि उनका विचार है कि समाज से अलग रहने वाले मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन मानव जीवन की व्यावहारिक समस्याओं को सुलभाने में किसी प्रकार सहायक नहीं है। पीगू अर्थशास्त्र को आर्थिक बह्याण का अध्ययन मानते हैं और वे भी अर्थशास्त्र को एक सामाजिक शास्त्र ही मानते हैं।

इसके विपरीत रोबिन्स का मत है कि अर्थशास्त्र में समाज के भीतर और बाहर रहने

1 ".....Our impulse is not the philosophers impulse, knowledge for the sake of knowledge, but rather the physiologist's knowledge for the healing that knowledge may help to bring."—Pigou : *The Economics of Welfare*, p. 5.

2 "The type of science that the economist will endeavour to develop must be one adopted to form the basis of an art. It is a science pure and applied, rather than a science and an art."—Marshall : *Principles of Economics*. p. 43.

वाले दोनों ही प्रकार के मनुष्यों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और अर्थशास्त्र का सम्बन्ध केवल समाज में रहने वाले व्यक्तियों के अध्ययन से ही नहीं है, जिस कारण अर्थशास्त्र को केवल सामाजिक शास्त्र कहना ठीक न होगा। रोबिन्स और उनके समर्थकों ने निम्न तर्क प्रस्तुत किए हैं :—(i) उनका कहना है कि समाज के भीतर अथवा समाज के बाहर रहने वाले मनुष्य के व्यवहार में कोई आधारभूत अन्तर नहीं है। दोनों ही दशाओं में मानव व्यवहार पर परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है और जिस प्रकार समाज से बाहर रहने वाले विभिन्न व्यक्तियों की परिस्थितियों में अन्तर होते हैं ठीक उसी प्रकार समाज में रहने वाले विभिन्न व्यक्तियों की भी परिस्थितियाँ अलग-अलग होती हैं। (ii) रोबिन्स का कहना है कि निर्णय की समस्या समाज के भीतर अथवा बाहर रहने वाले व्यक्तियों के सम्मुख इस एक ही रूप में रहती है कि वे अपने सीमित तथा वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों को अपनी अनन्त आवश्यकताएँ पूरी करने में किस प्रकार लगायें। (iii) कुछ अर्थशास्त्री तो यहाँ तक कहते हैं कि समाज में रहने वाले मनुष्य की जटिल समस्याओं को समझने के लिए समाज के बाहर रहने वाले मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि वहाँ जटिलता नहीं होती है।

निस्सन्देह, सामाजिक मनुष्यों में जिस प्रकार से परिस्थिति भेद है उसी प्रकार से अ-सामाजिक मनुष्यों के मध्य है। किन्तु हमारा विचार है कि एक सामाजिक मनुष्य और एक अ-सामाजिक मनुष्य की परिस्थिति एक दूसरे से बहुत भिन्न है। जिससे उनका व्यवहार एक दूसरे से बहुत अलग हो जाता है।

सच तो यह है कि समाज से पूर्णतया अलग रहने वाले व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं है। यह तो इतना ही कल्पित है जितना कि 'आर्थिक मनुष्य'। यदि हम समाज से बाहर रहने वाले व्यक्तियों का अध्ययन करते भी हैं तो उद्देश्य केवल यही होना है कि मनुष्य के सामाजिक व्यवहार को और अधिक स्पष्टता से समझ सकें। इस कारण अर्थशास्त्र को एक सामाजिक शास्त्र कहना ही अधिक उचित होगा। सोमबर्ट (Sombart) ने ठीक ही कहा है कि "शुद्ध और सामाजिक आर्थिक वर्गों के बीच भेद करना असम्भव है। सभी आर्थिक वर्ग सामाजिक ही होते हैं। एकाकी मनुष्य के अध्ययन का केवल यही उपयोग हो सकता है कि हम मनुष्य के सामाजिक व्यवहार को और भी भली-भाँति समझ सकें। इस कारण अर्थशास्त्र के सामाजिक पक्ष पर बल देना ही अधिक उचित है।"

आर्थिक अध्ययन का सामाजिक दृष्टिकोण वर्तमान सत्तार में तो एक दम स्पष्ट दीख पड़ता है। सभी आर्थिक घटनाएँ साथ-साथ सामाजिक घटनाएँ भी होती हैं। अम-विभाजन, बड़े पैमाने का उत्पादन, मूल्य नियन्त्रण, एकाधिकार नियन्त्रण, आर्थिक नियोजन आदि घटनाएँ सामाजिक दृष्टिकोण ही रखती हैं। अतः अर्थशास्त्र को सामाजिक शास्त्र कहना ही अधिक उचित होगा।

अर्थशास्त्र की सीमाएँ (Limitations of Economics)

अर्थशास्त्र के क्षेत्र का वर्णन इसकी सीमाओं का उल्लेख बिना अधूरा ही रह जावेगा। ये सीमाएँ, जिनसे अर्थशास्त्र का अध्ययन सीमित है, निम्नलिखित हैं :—(१) मार्शल एवं उनके समर्थकों के अनुसार अर्थशास्त्र में अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता। रोबिन्स मनुष्य की सभी क्रियाओं को अर्थशास्त्र के अध्ययन में सम्मिलित करते हैं, किन्तु इन क्रियाओं के निर्णय-पक्ष के अनिश्चित अन्य पक्ष को आर्थिक अध्ययन से बाहर ही रखते हैं। (२) मार्शल आदि के अनुसार अर्थशास्त्र में समाज से बाहर रहने वाले व्यक्तियों की क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता। रोबिन्स समाज में और समाज से बाहर लेने वाले दोनों प्रकार के व्यक्तियों की

प्रियायो को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में गिनते हैं। (३) रोबिन्स आदि के अनुसार अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है, वे इसके भावदर्शात्मक पहलू और कला-स्वभाव को नहीं मानते। किन्तु मार्शल और अधिकांश आधुनिक अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को एक पूर्ण विज्ञान मानते हैं और इसके कला-स्वभाव को भी स्वीकार करते हैं।

अर्थशास्त्र के विभाग (Departments of Economics)

अर्थ-विज्ञान के विकास के साथ विभिन्न विभागों का जन्म—

प्राचीन-काल के आर्थिक लेखकों ने केवल आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया था। उस समय अर्थ-विज्ञान का विकास नहीं हुआ था। बहुधा प्राचीन लेखकों के विचार फुटकर आर्थिक विषयों पर टिप्पणी मात्र ही थे। आरम्भ में न्यायोचित मूल्य (Just price), व्यापार और उचित व्याज पर अधिक बल दिया गया था। उस समय तक आर्थिक जीवन की समस्याएँ इतनी जटिल न थीं जितनी कि वे आधुनिक काल में बन गई हैं, अतः उन दिनों उत्पादन तथा वितरण की समस्याएँ बहुत महत्वपूर्ण न थीं।

औद्योगिक क्रान्ति (Industrial Revolution) के पश्चात् संसार के आर्थिक संगठनों का ढाँचा बिल्कुल बदल गया है और आर्थिक सम्बन्धों की, विशेष रूप से मजदूरों और मिल-मालिकों के बीच की समस्याओं की, गम्भीरता बढ़ गई। उत्पादन और वितरण ने विशेष महत्व प्राप्त किया, क्योंकि इस क्रान्ति ने मनुष्य की प्रकृति पर विजय पाने की शक्ति को बहुत बढ़ा दिया था तथा उत्पादन की बहुत-सी नई और आश्चर्यजनक रीतियों का पता लगा लिया था। इसी काल में एक बड़ा सामाजिक सर्प भी उत्पन्न हो गया। उत्पत्ति में पूँजी का स्थान बहुत ऊँचा हो गया तथा उत्पत्ति और रोजगार के साधनों पर एक विशेष वर्ग का अधिकार हो गया। समाज का एक बहुत बड़ा अंग ऐसा बन गया जिसे अपने जीवन निर्वाह तथा रोजगार के लिए पूँजीपतियों पर निर्भर रहना पड़ता था। मजदूर और पूँजीपतियों के दो अलग-अलग और प्रति-विरोधी दल बन गये। उत्पादन का अधिकतर भाग समाज के थोड़े से व्यक्तियों के पास जाने लगा, जिसके कारण जन-संख्या की वृद्धि को रोकने का प्रश्न उठ खड़ा हुआ। इस काल के आर्थिक लेखक इन परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना न रह सके और इसलिए उन्होंने उत्पादन तथा वितरण की समस्याओं के अध्ययन को अधिक महत्व दिया।

आगे चलकर, जैसे-जैसे आर्थिक जीवन की कठिनाइयाँ बढ़ती गईं तथा अर्थशास्त्र का अध्ययन आर्थिक विषयों के रूप में न होकर अर्थ-विज्ञान के रूप में आरम्भ हुआ, अन्य अनेक प्रकार की समस्याओं का भी इस विज्ञान के अन्तर्गत अध्ययन होने लगा।

अर्थशास्त्र के चार विभाग—

अध्ययन की सुविधा के लिए अर्थशास्त्रियों ने इस विज्ञान के विषय को चार भागों में विभाजित कर लिया है—उपभोग (Consumption), उत्पात्ति (Production), विनिमय (Exchange), और वितरण (Distribution) है और इन विभागों से सम्बन्धित नियमों का अलग-अलग अध्ययन किया जाता है। किन्तु इस विभाजन का अर्थ यह नहीं कि इनका एक दूसरे से कोई सम्बन्ध ही न हो। अर्थशास्त्र के विषय की एकता को तो सभी स्वीकार करते हैं। एक विभाग को दूसरे से पूर्णतया अलग नहीं किया जा सकता। अतः जो विभाजन किया गया वह इस प्रकार है कि एक-जैसी कुछ समस्याओं का अध्ययन एक साथ कर लिया जाय। दूसरे शब्दों में आर्थिक ज्ञान को समबद्ध (Systematic) बनाने के लिए ऐसा करना आवश्यक था।

कुछ विद्वानों ने अर्थशास्त्र का एक पाँचवाँ विभाग भी बताया है, जिसे राजस्व (Public Finance) का नाम दिया गया है। स्मरण रहे कि राजस्व अर्थ विज्ञान का एक

आवश्यक अङ्ग है, किन्तु यह उसी प्रकार का एक अङ्ग है जैसा कि बैंक प्रथा तथा मुद्रा का अध्ययन अर्थशास्त्र का अङ्ग है। आधुनिक जगत में राजस्व का अध्ययन एक पृथक-शास्त्र के रूप में किया जाता है।

विभाजन की परिपाटी नई है, बहुत पुरानी नहीं—

अर्थशास्त्र के विषय का विभाजन करने की प्रथा अर्थशास्त्र में बहुत पुरानी नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि से इसका प्रयास, सर्वप्रथम फ्रांस के प्रसिद्ध आर्थिक लेखक जे० बी० से० (J. B. Say) ने किया था। उन्होंने अर्थशास्त्र को तीन विभागों में बाँटा था—उत्पत्ति, विनिमय तथा वितरण। इससे सिद्ध होता है कि उपभोग के अध्ययन का महत्त्व उस समय तक नहीं समझा गया था। उपभोग को छोड़े रखने की प्रथा बहुत समय तक चलती रही। सर्वप्रथम इटली के एक अर्थशास्त्री कौन्डिलैक (Condillac) ने उपयोगिता के विचार का अर्थशास्त्र से परिचय कराया। इसके पश्चात् आस्ट्रियन सम्प्रदाय के लेखकों ने उपभोग का सही रूप में अध्ययन प्रारम्भ किया। आधुनिक काल के अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक रूप पर अधिक बल दिया है, जिसके कारण उपभोग का अध्ययन विशेष रूप में महत्त्वपूर्ण हो गया है प्रोफेसर रोबिन्स द्वारा दी हुई अर्थशास्त्र की परिभाषा में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार अर्थशास्त्र का आधार उपभोग ही है तथा सारा अर्थ-विज्ञान उपभोग के एक नियम पर अवलम्बित है। अतः इस विभाजन में उपभोग को सर्वप्रथम स्थान मिलना चाहिये।

उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं राजस्व की परिभाषायें—

उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व के अर्थों की विस्तारपूर्वक व्याख्या प्रागे चलकर की जायेगी। इस स्थान पर केवल इतना बताना देना पर्याप्त होगा कि ये यथार्थ में हैं क्या ?

‘उपभोग’ आवश्यकता पूर्ति हेतु किसी वस्तु की उपयोगिता को कम करने की क्रिया का नाम है। उपयोगिता में यह कमी विभिन्न रीतियों से हो सकती है। उदाहरणार्थ, कपड़े का उपभोग पहनने के रूप में होता है, भोजन का खाने के रूप में तथा गाने का सुनने के रूप में।

‘उत्पादन’ से हमारा अभिप्राय मानव आवश्यकता की पूर्ति हेतु किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करने के कार्य से है। यह भी विभिन्न रीतियों से किया जा सकता है, जैसे—वस्तु का रूप, स्थान, उपभोग का समय, इत्यादि बदल कर। एक दूकानदार उसी प्रकार उत्पादक है जैसे कि एक किसान।

‘विनिमय’ का अर्थ वस्तुओं की इस प्रकार की बदला-बदली से है, जो स्वतन्त्र, ऐच्छिक एवं वैध हो। जब दो मनुष्य अपनी इच्छा से एक वस्तु दूसरी वस्तु से बदलते हैं, तो उनका यह कार्य विनिमय का कार्य होता है।

‘वितरण’ में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न साधनों के सहयोग से जो उत्पत्ति हुई है उसमें से किस साधन को किस प्रकार तथा कितना हिस्सा मिलना है।

‘राजस्व’ का अध्ययन वृद्धा एक पृथक विज्ञान के रूप में किया जाता है। राजस्व वह विज्ञान है जिसमें राज्यों की आय और व्यय का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तियों और राज्यों द्वारा आय प्राप्त करने के सम्बन्ध में कुछ ऐसे आधारभूत अन्तर होते हैं जिनके कारण राजस्व का एक पृथक विधान के रूप में अध्ययन करना ही अधिक उपयुक्त होता है।

जैसा कि ऊपर संकेत किया जा चुका है, अर्थशास्त्र के ये विभाग एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। विभाजन केवल अध्ययन की सुविधा के लिए ही किया गया है। उपभोग उत्पत्ति पर निर्भर होता है और उत्पत्ति उपभोग पर निर्भर होती है। ठीक इसी प्रकार विनिमय, उपभोग

और उत्पत्ति दोनों पर आश्रित हैं और स्वयं भी उपभोग और उत्पत्ति का रूप निश्चित करता है। इसी प्रकार बितरण और दूसरे विभाग भी एक दूसरे पर निर्भर हैं। वास्तविकता यह है कि अर्थशास्त्र के विभिन्न विभागों के बीच परस्पर निर्भरता (Inter-dependence) का सम्बन्ध है। राजस्व का भी अर्थशास्त्र के दूसरे विभागों से पूर्णतया अलग कर देना सम्भव नहीं है।

अर्थशास्त्र का महत्त्व (The Significance of Economics)

ज्ञानवर्धक एवं फलदायक अध्ययन—

जब किसी विषय का अध्ययन किया जाता है तो उस विषय की जाँच या नो सैद्धान्तिक होनी है या व्यावहारिक, अर्थात्, यह अध्ययन या तो केवल ज्ञान-वृद्धि के लिए किया जाता है या उद्देश्य प्राप्त किये हुए ज्ञान से व्यावहारिक जीवन की समस्याओं को सुलझाना होना है। शोभाय से अर्थशास्त्र का अध्ययन इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इसके नियम हमें मानव जीवन के नये नये तथा आश्चर्यजनक तथ्यों का पता देते हैं और साथ ही हमारे दैनिक जीवन में सहायक भी होते हैं। प्राधुनिक युग समाजवाद का युग है और समाजवाद का एक मूल सिद्धान्त यह है कि मानव जीवन, समाज तथा सस्थाओं के आधार आश्रित है। ऐसे युग में अर्थविज्ञान के महत्त्व की महिमा गाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है।

अर्थशास्त्र पर लगाया जाने वाला आक्षेप—

अर्थशास्त्र तीन चौथाई साधारण ज्ञान एवं एक चौथाई व्यर्थ ज्ञान—किन्तु कभी-कभी आश्रित अध्ययन पर एक बड़ा हास्यजनक और अनूठा आक्षेप लगाया जाता है। कहा जाता है कि अर्थशास्त्र-तीन-चौथाई साधारण ज्ञान (Commonsense) है और एक चौथाई व्यर्थ ज्ञान (Nonsense), अर्थात् अर्थशास्त्र का तीन-चौथाई ज्ञान जीवन के व्यावहारिक तथ्यों से सम्बन्धित है, जो प्रत्येक साधारण बुद्धि का व्यक्ति अर्थशास्त्र का अध्ययन किये बिना ही प्राप्त कर सकता है और एक-चौथाई भाग ऐसा है जो सैद्धान्तिक मात्र है, एक प्रकार से केवल मस्तिष्क का व्यायाम है, उसका वास्तविक जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है एवं इसलिए उसका अध्ययन बेकार है।

आक्षेप का उत्तर—(१) उपर्युक्त कथन सही है यह तो इन्हीं बातों से मिद्ध हो जाता है कि प्राधुनिक युग की अर्थ-समस्याओं को हल करने में बितरण बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है साधारण बुद्धि की नहीं, और सैद्धान्तिक आधार पर ही व्यावहारिक जीवन का सुत्रपात होता है। (२) परन्तु, यदि यह मान भी लिया जाय कि यह आरोप सही है, तब भी आश्रित अध्ययन का महत्त्व कम नहीं होता है। संसार में कितने मनुष्य ऐसे हैं जो 'साधारण ज्ञान' रखने का दावा कर सकते हैं। इस संसार की सबसे बड़ी कमी यही है कि लोगो में 'साधारण ज्ञान' की कमी है। यदि अधिकांश मनुष्य साधारण ज्ञान से अनभिज्ञ न होते तो मानव जीवन और विश्व शांति की बहुत-सी समस्याएँ उठती ही नहीं। अतः जो कोई भी विज्ञान साधारण ज्ञान की शिक्षा देना है वह मानव जीवन की वास्तविक सेवा करता है। (३) शक्य रही सैद्धान्तिक भाग की बात तो यह निश्चित है कि सैद्धान्तिक आधार पर ही व्यावहारिक नियम बनाये जाते हैं। (४) इसके अतिरिक्त सैद्धान्तिक ज्ञान हमें ठीक और तही सोचने की शिक्षा देता है। किसी भी विषय की सही दृष्टिकोण से देखने के लिए एक प्रकार की मानसिक शिक्षा आवश्यक है। अर्थशास्त्र का सैद्धान्तिक भाग यही कार्य करता है।

“अर्थशास्त्र बने-बनाये निष्कर्ष प्रदान नहीं करता वरन् इन्हें
निकालने में सहायता करता है”

बेन्ज ने लिखा है कि “अर्थशास्त्र हमें कोई ऐसे बने-बनाये (या तैयार) निष्कर्ष प्रदान

नहीं करता, जिन्हे नीति के लिए तत्काल ही लागू किया जा सके। यह कोई सिद्धान्त नहीं, बल्कि एक रीति है, मस्तिष्क का एक यन्त्र और सोचने की एक तकनीक है, जो इसके अधिकारी को सही निष्कर्ष निकालने में सहायता देती है।¹

केन्ज के कथन की व्याख्या—

सभी अर्थशास्त्री यह तो मानते हैं कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है किन्तु अर्थशास्त्र के आदर्शात्मक पहलू और उसके कला होने के विषय में वे एक मत नहीं हैं। रोबिन्स और कुछ दूसरे अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र के आदर्शात्मक पहलू और इसके कला स्वभाव को मान्यता नहीं देते। किन्तु आजकल सभी देशों में आर्थिक विकास के लिए नियोजन की टेक्नीक न्यूनतम सीमा तक अपनाई जा रही है, जिसके अनुसार विकास के उद्देश्य पूर्व-निश्चित होते हैं। उद्देश्यों के चुनाव के पूर्व सरकार के आर्थिक सलाहकार विभिन्न आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करके इनके औचित्य एवं इनकी प्राथमिकता का निश्चय करते हैं और फिर इन्हें प्राप्त करने हेतु व्यावहारिक नीति बनाते हैं। इस प्रकार, अर्थशास्त्र के आदर्शात्मक पहलू और इसके कला-स्वभाव को सर्वत्र स्वीकृत प्रियता मिल रही है। केन्ज के कथन से भी यह पता चलता है कि वे अर्थशास्त्र के आदर्शात्मक पहलू और इसके कला-स्वभाव को मानते हैं, अन्यथा वे यह सकेन न बरने कि आर्थिक समस्याओं को हल करने में अर्थशास्त्र एक सीमा तक ही सफल सहयोग दे सकता है किन्तु सीमा होने का अर्थ यह नहीं लेना चाहिए कि अर्थशास्त्री व्यावहारिक समस्याओं से अलग रहे। इसके विपरीत, केन्ज ने अर्थशास्त्री के व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में भाग लेने का समर्थन किया है। हाँ, उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए कोई पेटेंट या तैयार नुस्खे प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि मनुष्य को सोचने की एक यान्त्रिक व्यवस्था प्रदान करता है, जिसकी सहायता से अर्थशास्त्री जो भी समस्या जब उपस्थित हो उसके लिए उसी समय उचित निष्कर्ष या समाधान ढूँढ ले। केन्ज से मिलते-जुलते विचार मार्शल² और ब्राउन³ ने भी प्रस्तुत किये हैं।

किन्तु, अर्थशास्त्री व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में सहयोग दे सके इस हेतु यह आवश्यक है कि यह एक 'सकीरा' विशेषज्ञ मात्र न हो। अन्य शब्दों में, उसे अन्य विज्ञानों का भी पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। केन्ज के शब्दों में : "उसे विभिन्न दिशाओं में योग्यता का एक ऊँचा स्तर प्राप्त होना चाहिये और उसके पास विभिन्न योग्यताओं का एक अपूर्व मिश्रण होना चाहिये, जो प्रायः अन्य मनुष्यों के पास नहीं पाया जाता।" फ्रेजर (Fraser) ने भी कहा है कि "यह अर्थशास्त्री जो केवल अर्थशास्त्री है एक सोचनीय मुन्दर मच्छली के समान है।" इसका यह अर्थ नहीं है कि अर्थशास्त्री सभी सामाजिक विज्ञानों का विशेषज्ञ हो। ऐसा होना सम्भव और व्याव-

1 "The Theory of Economics does not furnish a body of settled conclusions immediately applicable to policy. It is a method rather than a doctrine an apparatus of the mind, a technique of thinking, which helps its possessor to draw correct conclusions."—Keynes. *Introduction to Cambridge Economics*.

2 ".....(Economics) is not a body concrete truth, but an engine for the discovery of concrete truth, similar to say, the theory of mechanics"
—Marshall : Quoted by Pigou in *Memorials of Alfred Marshall*.

3 "Economic Theory does not itself provide answers to practical problems but is an equipment for use in the inquiry into them."—Brown : *A Course in Applied Economics*.

हारिक भी नहीं है। हाँ, अर्थशास्त्र का विशिष्ट ज्ञान रखते हुए उसे अन्य सामाजिक शास्त्र का काम चलाऊ ज्ञान होना आवश्यक है।

अर्थशास्त्र बने-बनाये निष्कर्ष (नुस्खे) प्रदान क्यों नहीं करता ?

अनेक आर्थिक समस्याएँ (जैसे—बेकारी, जनाधिक्य) इतनी तारिखिक होती हैं कि यह आकांक्षा की जाती है कि यदि अर्थशास्त्र इनके समाधान के लिये बने-बनाये नुस्खे (Ready-made solutions) दे सकता तो अच्छा होता, क्योंकि इन्हे नीति के रूप में तत्काल ही लागू करके सम्बद्ध समस्या का निवारण किया जा सकता था। किन्तु हम कितना भी चाहें, अर्थशास्त्र ऐसे नुस्खे प्रदान करने में असमर्थ है, जिसके कारण निम्न प्रकार हैं :—

- (i) अर्थशास्त्र में जड़ पदार्थों का नहीं, बरन् मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, जो कि चेतन, विवेकशील एवं स्वतन्त्र इच्छा रखने वाला है, जिस कारण उसकी क्रियाओं के बारे में कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है।
- (ii) अर्थशास्त्र में भी सामाजिक व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न सामाजिक, वारिष्क एवं राजनैतिक कारणों से उनकी परिस्थितियों में बहुत अन्तर होता है, जिससे कोई सर्वव्यापी नियम बनाना सम्भव नहीं है।
- (iii) आर्थिक घटक भी समयानुसार बदलते रहे हैं। मनुष्य का स्वभाव आदि भी बदलता रहता है, जिससे आर्थिक नियम कम निश्चित होते हैं।

बहुत सीमा तक सही निष्कर्ष निकालने में सहायक—

उपर्युक्त कारणों से अर्थशास्त्र बने बनाये निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं करता। किन्तु वह ऐसी रीति, यन्त्रो और टेक्नीक प्रदान करता है, जिसके प्रयोग द्वारा सही निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। सर्वप्रथम, आर्थिक तत्वों (Data) पर निर्गमन अथवा आगमन या दोनों प्रणालियों के प्रयोग द्वारा, सूक्ष्म या व्यापक या दोनों ही दृष्टियों से, विचार किया जाता है और तत्पश्चात् निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जो यदि पूर्णतः नहीं तो एक पर्याप्त सीमा तक सही होंगे। उदाहरणार्थ, प्रतिस्थापन का नियम एक उपभोक्ता को यह बताता है कि वह अपनी सीमित आय को किस प्रकार खर्च करे कि उसे अधिकतम सन्तुष्टि मिले।

उपर्युक्त विवेचन से यह निश्चय होता है कि केन्ज का कथन पूर्णतः सत्य है। अर्थशास्त्र बने-बनाये नुस्खे तो नहीं दे सकता, किन्तु इससे उसका व्यावहारिक महत्त्व घटता नहीं है, क्योंकि वह अर्थशास्त्री को बहुत सीमा तक सही निष्कर्ष निकालने में सहायक होता है।

परीक्षा प्रश्न :

१. "अर्थशास्त्र का अध्ययन ज्ञान प्राप्ति हेतु और व्यावहारिक जीवन विशेषतः सामाजिक जीवन में मार्ग दर्शन हेतु होता है।" (मार्शल)। इस कथन के सन्दर्भ में अर्थशास्त्र के क्षेत्र का विवेचन करिये।

प्रत्यवा

अर्थशास्त्र की विषय सामग्री और इसके क्षेत्र का विवेचन करिये।

[सहायक संकेत :—अर्थशास्त्र के क्षेत्र से सम्बन्धित चार बातें हैं—(अ) विषय सामग्री, (ब) स्वभाव (कला, विज्ञान या दोनों), (स) व्यक्तिगत शास्त्र या सामाजिक शास्त्र एवं (द) सीमाएँ। इन सभी बातों का विवेचन मार्शल और रोबिन्स के विचारों के सन्दर्भ में कीजिये।]

२. अर्थशास्त्र के क्षेत्र का विवेचन करिये । यह एक विज्ञान है या कला ?
[सहायक संकेत :—विद्यार्थियों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र से सम्बन्धित चारोंवालों पर संक्षेप में प्रकाश डालना चाहिये । इन्हीं में एक बात 'अर्थशास्त्र का स्वभाव' अर्थात् इस बात का विवेचन करना है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है या कला अथवा दोनों है । अन्तः अर्थशास्त्र का विवेचन करने से ही प्रश्न के द्वितीय भाग का उत्तर भी मिल जाता है ।]
३. एक विज्ञान ऋत्नाने के अर्थशास्त्र के दावों का विवेचन करिये । "अर्थशास्त्र को विज्ञान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अर्थशास्त्रियों में बहुत मतभेद पाया जाता है ।" क्या आप इस कथन से सहमत हैं ?
[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम 'विज्ञान' शब्द का अर्थ बताइये । तत्पश्चात् अर्थशास्त्र के विज्ञान होने के पक्ष-विपक्ष में तर्क दीजिये । अन्त में, यह बताते हुए कि अर्थशास्त्रियों में मत भिन्नता होने पर भी उसका विज्ञान का स्वरूप समाप्त नहीं होता, निष्कर्ष दीजिये कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान ही है ।]
४. "अर्थशास्त्र की भूमिका को एक ऐसे विशेषज्ञ की भूमिका के सदृश समझा जाने लगा है, जो यह कह सकता है कि यदि अमुक कार्य किया जाय, तो इसके अमुक परिणाम होंगे, परन्तु वह उस कार्य की वादनीयता पर, एक अर्थशास्त्री के रूप में, कोई निर्णय नहीं दे सकता ।" विवेचन कीजिये ।

अथवा

"अर्थशास्त्री एक साक्षी देने वाला विशेषज्ञ है, निर्णय देने वाला घूरी नहीं ।" इस कथन को स्पष्ट कीजिये ।

अथवा

"प्रतिभोगी सामाजिक योजनाओं के मध्य अर्थशास्त्र उसी प्रकार से तटस्थ है जिस प्रकार कि रेल निर्माण की वैकल्पिक योजनाओं के मध्य अर्थशास्त्र ।" विवेचन कीजिए ।

अथवा

"अर्थशास्त्री का कार्य गवेषण एवं स्पष्ट करना है, पुष्टि अथवा भ्रंशना करना नहीं ।" विवेचना कीजिये ।

अथवा

"अर्थशास्त्र साधनों का अध्ययन करता है, उद्देश्यों का अध्ययन इसके क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है ।" इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये ।

अथवा

"अर्थशास्त्र जांचने योग्य तथ्यों का अध्ययन करता है किन्तु नीतिशास्त्र मूल्य-निरूपण का । खोज के ये दोनों क्षेत्र विचार विमर्श के समाप्त स्तर पर नहीं हैं ।" इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं ।

[सहायक संकेत :—इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही है । अर्थशास्त्र के वास्तविक विज्ञान और आदर्शात्मक विज्ञान होने के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क दीजिये और अन्त में यह निष्कर्ष निकालिये कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान मात्र नहीं है बल्कि इसका एक आदर्शात्मक पहलु भी है ।]

५. "मूल्य सिद्धान्त के आस-पास स्वीकृति का कोई क्षेत्र नहीं है । साम्य तो केवल साम्य ही है ।" (रोबिन्स) । इस कथन की समीक्षा कीजिये और आधिक विश्लेषण में साम्य के अध्ययन का महत्त्व बताइये ।

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम अर्थशास्त्र के वास्तविक विज्ञान और आदर्शात्मक विज्ञान

होने के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क दीजिए । तत्पश्चात् यह निष्कर्ष दीजिए कि अर्थशास्त्र वास्तविक मान नहीं है बल्कि इसका एक आदर्शात्मक पहलू भी है । अन्त में, अध्याय ६ की सहायता से, अर्थशास्त्र में साम्य के अध्ययन का महत्त्व बताइये ।]

६. "अर्थशास्त्र का सम्बन्ध चाहे जिससे हो, वह भौतिक कल्याण के कारणों से कदापि नहीं है ।" विवेचन कीजिये ।

[सहायक संकेत :—मूलप्रथम अर्थशास्त्र के वास्तविक विज्ञान और आदर्शात्मक विज्ञान होने के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क दीजिये । तत्पश्चात् यह निष्कर्ष दीजिये कि अर्थशास्त्र का भौतिक कल्याण के कारणों से सम्बन्ध है अर्थात् उसका एक आदर्शात्मक पक्ष भी होता है ।]

७. "आर्थिक विश्लेषण का उद्देश्य न केवल सत्य की खोज करना बल्कि ठोस समस्याओं को सुलझाने में सहयोग देना भी है ।" इस कथन की समीक्षा करिये ।

अथवा

"अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान, आदर्शात्मक विज्ञान और कई कलाओं का एक संयोग है ।" स्पष्ट कीजिये ।

अथवा

विवेचन कीजिये कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है या कला या दोनों ही हैं ।

अथवा

"हमारी मनोदशा एक दार्शनिक जैसी नहीं होती है अर्थात् हम ज्ञान की खोज केवल ज्ञान के लिये नहीं करते, बल्कि हमारी मनोदशा एक डाक्टर के सदृश होती है, जो कि ज्ञान को इसलिये प्राप्त करता है कि इसके प्रयोग द्वारा स्वास्थ्य-उपचार कर सके ।" (पीयू) । इस कथन का विवेचन कीजिये ।

[सहायक संकेत :—इन प्रश्नों के उत्तर के हेतु यह दिखाइये कि अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान ही नहीं है, बल्कि एक आदर्शात्मक विज्ञान भी है । वह कला भी है अर्थात् समस्याओं को सुलझाने में मदद देता है ।]

८. "अर्थशास्त्र कोई ऐसे निश्चित या तैयार निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं करता, जिन्हें नीति के लिए तुरन्त ही प्रयोग किया जा सके । यह एक रीति है न कि एक सिद्धान्त, मस्तिष्क का एक गन्ध और सोचने की एक कला है, जो अपने स्वामी को सही निष्कर्षों पर पहुँचाने में सहायता करती है ।" (केज) । विवेचन कीजिये ।

[सहायक संकेत :—देखिये इस अध्याय में इसी शीर्षक के विवेचन को ।]



आर्थिक नियमों की प्रकृति

(The Nature of Economic Laws)

प्रारम्भिक—'नियम' शब्द का अर्थ

साधारण बोलचाल में 'नियम' शब्द का अर्थ व्यवहार के नियम से होता है किन्तु व्यवहार में नियम का अर्थ भी पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। अलग-अलग सम्बन्धों में इसके अलग-अलग अर्थ लगाये जा सकते हैं। मार्शल का कहना है कि, "नियम शब्द का आशय केवल सामान्य सत्य अथवा प्रवृत्तियों के कथन से है जो लगभग निश्चित और सही होती हैं।"¹ टगवेल (Tugwell) के शब्दों में, "एक नियम देखे गये सम्बन्धों का सारांश है, अनुभव का संक्षिप्त विवरण है, एक संक्षिप्त चिन्ह है, जो अनेक संबंध घटनाओं को समझने में सहायता देता है।"²

नियमों के प्रकार

(Kinds of Laws)

नियमों का होना बहुत ही आवश्यक है, इसके बिना किसी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। संस्थाओं का कार्यचालन नियमानुसूल होने पर ही सफल रहता है। इसी से प्रत्येक संस्था, सरकार, धर्म, आचरण, खेल और प्रत्येक ज्ञान के धरने अपने-अपने नियम होते हैं। अर्थशास्त्र के भी कुछ नियम हैं। विभिन्न नियमों को निम्न ढङ्ग से श्रेणी-बद्ध किया जा सकता है :—

(१) सामाजिक नियम—ये नियम वे हैं जो समाज की पुरानी प्रथाओं और रीति-रिवाजों द्वारा निर्धारित होते हैं। इन्हें 'प्रथामूलक नियम' (Customary laws) भी कहते हैं। उदाहरणार्थ, विवाह, जन्म, मृत्यु आदि अवसरों पर किस तरह व्यवहार करना चाहिए इसे बताने वाले नियम 'सामाजिक' या 'प्रथामूलक' नियम हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले को समाज अनादर की दृष्टि से देखता है। आर्थिक नियम सामाजिक नियमों की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि वे प्रथामूलक नहीं हैं।

(२) नैतिक नियम—इस प्रकार के नियमों का उल्लेख नीति और धर्म सम्बन्धी पुस्तकों में मिलता है। ये नियम लोगों को यह बताते हैं कि इन्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए। ऐसे नियमों का धार्मिक विश्वास और जनमत के भय से पालन किया जाता है। आर्थिक नियमों में नीति या आदर्शों का तत्त्व रहता है, क्योंकि अर्थ-विज्ञान का आदर्शात्मक पहलू है किन्तु वे इस दृष्टि से नैतिक नियम नहीं होते कि यदि इनका पालन न किया गया, तो कोई दण्ड देगा।

¹ "The term 'Law' means, then, nothing more than the general proposition or statements of tendencies, more or less certain, more or less definite."

—Marshall : *Principles of Economics*, p 21.

² "A law is a summary of observed relations, a brief resume of experience, a shorthand symbol which assists in the understanding of a number of related phenomena."—Tugwell : *The Trend of Economics*, p 42

(३) संस्थागत नियम—ये नियम किसी कार्य के संचालन का तरीका बताते हैं, जैसे—प्रत्येक सभा और समिति के नियम होते हैं, जिनके द्वारा इन सभामों के सदस्य सभा का कार्य चलाते हैं। इसी प्रकार, प्रत्येक खेल के नियम होते हैं, जिनके द्वारा वह खेल खेला जाता है, जैसे—फुटबाल के नियम यह बताते हैं कि वह किस प्रकार खेला जायगा।

(४) सरकारी कानून—सरकारी कानून वे हैं जो देश के शासन को चलाने तथा शान्ति आदि की व्यवस्था बनाये रखने के लिए बनाये जाते हैं। इनका पालन करना बहुधा अनिवार्य होता है तथा इनका उल्लंघन करने पर दण्ड मिलता है। ऐसे नियम प्रायः देश की ससद (Parliament) द्वारा बनाये जाते हैं और सरकार द्वारा इनका पालन कराया जाता है, जैसे—श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम, कम्पनी अधिनियम, आदि। धार्मिक नियम सरकारी नियमों से भिन्न होते हैं क्योंकि वे आदेनमूलक नहीं हैं।

(५) वैज्ञानिक नियम—कुछ नियम ऐसे होते हैं जो 'कारण' (Cause) और 'परिणाम' (Effect) के पारस्परिक सम्बन्ध को बताते हैं। वे उस सम्बन्ध का उल्लेख करते हैं जो दो परिस्थितियों या घटनाओं के बीच का कारण परिणाम के आधार पर उत्पन्न होता है। भौतिक-शास्त्र, रसायनशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, इत्यादिके नियम इसी प्रकार के होते हैं। उदाहरणार्थ रसायनशास्त्र का यह नियम है कि यदि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण दो और एक के अनुपात में किया जाय, तो पानी बन जाता है। यह नियम दोनों गैसों का मिश्रण (कारण) और पानी (परिणाम) के पारस्परिक सम्बन्ध पर प्रकाश डालता है। अर्थशास्त्र के नियम वैज्ञानिक नियमों की ही श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वे भी 'कारण' और 'परिणाम' का सम्बन्ध बताते हैं, जैसे—यह कथन कि किसी वस्तु के दाम गिरने से उसके ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है अर्थशास्त्र का एक नियम है। इस प्रकार अर्थशास्त्र के नियमों और प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों में अन्तर नहीं है। किन्तु प्रायः देखने में आता है कि अर्थशास्त्र के नियम उतने विशिष्ट नहीं होते जितने कि 'भौतिक-शास्त्र, रसायनशास्त्र, इत्यादि प्राकृतिक विज्ञानों के नियम होते हैं। किन्तु जैसा कि हम आगे बतायेंगे, अर्थशास्त्र और प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों की तुलना करना उचित नहीं है।

धार्मिक नियम की परिभाषा

धार्मिक नियमों का सम्बन्ध मनुष्य के व्यवहार से है। वे इस बात को व्यक्त करते हैं कि दी हुई परिस्थितियों में एक धार्मिक वर्ग के सदस्यों के व्यवहार की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है। नीचे धार्मिक नियमों की प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषायें प्रस्तुत की जाती हैं।

(१) मार्शल—"धार्मिक नियम अथवा धार्मिक प्रवृत्तियों के कथन वे सामाजिक नियम हैं जो कि व्यवहार की उन शाखाओं से सम्बन्धित हैं जिनमें उद्देश्यों के बल को मुद्रा में नापा जा सकता है।"¹

(२) रोबिन्स—"धार्मिक नियम उन समानताओं के कथन हैं, जो सीमित साधनों द्वारा असंमित आवश्यकताओं को पूरा करने से सम्बन्धित मानव व्यवहार को शासित करते हैं।"²

1 "Economic laws, or statement of economic tendencies are those social laws which relate to those branches of conduct in which the strength of the motives chiefly concerned can be measured by money price."

—Marshall.

2 Economic laws are "statement of uniformities about human behaviour concerning the disposal of scarce means with alternative uses for the achievement of ends that are limited,"—Robbins.

उपर्युक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से निम्न बातें पता चलती हैं :—(i) आर्थिक नियम आर्थिक प्रवृत्तियों, सम्भावनाओं या आशाओं के सूचक होते हैं; वे किसी अटल, निश्चित या अनिवार्य परिणाम को व्यक्त नहीं करते। (ii) आर्थिक नियम सामाजिक नियमों की श्रृंखला हैं, और अन्य सामाजिक नियमों से इस बात में भिन्न हैं कि उनका सम्बन्ध मानव व्यवहार के उस भाग से होता है जो कि मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है किन्तु अन्य सामाजिक नियमों का सम्बन्ध मानव व्यवहार के ऐसे भाग से है जोकि मुद्रा द्वारा नहीं मापा जा सकता।

आर्थिक नियमों की विशेषताएँ अथवा इनका स्वभाव (Characteristics of the Nature of Economic Laws)

आर्थिक नियमों के स्वभाव को इनकी शालोचनाओं के सन्दर्भ में भली-भाँति समझा जा सकता है। कुछ विद्वानों ने अर्थशास्त्र तथा उसके नियमों की कड़ी शालोचना की है और अर्थशास्त्र के अध्ययन पर गम्भीर आक्षेप लगाये हैं, जोकि इस प्रकार हैं :—(i) अर्थशास्त्र के नियम अनिश्चित हैं और इसी कारण गलत हैं। वे प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों की भाँति प्रत्येक समय, प्रत्येक स्थान तथा प्रत्येक परिस्थिति में लागू नहीं होते हैं। (ii) इन नियमों की सत्यता अन्य बातों के यथास्थित होने पर निर्भर है और इसलिए ये काल्पित (Hypothetical) भी हैं। (iii) इन नियमों का अध्ययन व्यर्थ है, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन की किसी भी व्यवहारिक समस्या को हल नहीं कर सकते। ऐसे विज्ञान और उसके नियमों के अध्ययन से क्या लाभ जिनकी सत्यता पर कोई विश्वास न किया जा सके तथा जिनसे मनुष्य के जीवन की किसी भी समस्या का हल न हो सके। ये आरोप बहुत गम्भीर हैं। अतः इनके ध्यानपूर्वक अध्ययन की आवश्यकता है। यदि अर्थशास्त्र के नियम अनिश्चित, कल्पित एवं अनुपयोगी हैं, तो नि सन्देह इनके अध्ययन पर समय और शक्ति का व्यय बेकार होगा।

(1) क्या अर्थशास्त्र के नियम कल्पित हैं ?—

यह सच है कि अर्थशास्त्र के लगभग सभी नियमों के साथ यह वाक्य "यदि अन्य बातें यथास्थित रहे" जुड़ा रहता है। इसी आधार पर सैलिगमैन ने यह स्वीकार किया है कि, "नि सन्देह ही अर्थशास्त्र के नियम कल्पित (Hypothetical) हैं।"¹ हमें पता इस बात का लगाना है कि क्या यह वाक्य अर्थशास्त्र के नियमों से ही सम्बन्धित है अथवा अन्य विज्ञानों के नियमों से भी इसका कोई सम्बन्ध है।

ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि यह केवल अर्थशास्त्र के नियमों की ही विशेषता नहीं है, बरन् सभी विज्ञानों के नियमों में ऐसी बात है। अन्तर केवल इतना है कि अर्थशास्त्र में इस महत्वपूर्ण सत्य का उल्लेख कर दिया जाता है, जबकि अन्य विज्ञानों में ऐसा नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए, रसायनशास्त्र के ही इस नियम को स्वीकार किया जा सकता है कि हाइड्रोजन की १ और २ के अनुपात में मिला देने से पानी बन जाता है। इस नियम की सत्यता सन्देह से परे बनाई जाती है, परन्तु अधिकांश व्यक्ति यह भूल जाते हैं कि इस मिश्रण से पानी एक निश्चित तापमान तथा एक निश्चित दबाव पर ही बनेगा। नियम की सत्यता तापमान, दबाव, इत्यादि महत्वपूर्ण दशाओं के यथास्थित होने पर निर्भर है। इसी प्रकार, भौतिकशास्त्र के प्रसिद्ध भू-आकर्षण नियम (Law of Gravitation) को देखने से पता चलता है कि इसकी सत्यता भी कुछ मान्यताओं (Assumptions) पर निर्भर है। पृथ्वी का किसी वस्तु को अपनी ओर खींचना इन बातों पर निर्भर है कि वह वस्तु पृथ्वी से एक निश्चित दूरी से अधिक न हो, कोई अन्य शक्ति किसी ओर दिशा में खींचने वाली न हो, वायु का कोई प्रभाव न हो, इत्यादि।

¹ "Economic laws are essentially hypothetical"—Seligman · *Principles of Economics*, p. 32.

इन बातों से पता चलता है कि भौतिकशास्त्र तथा रसायनशास्त्र के नियमों का कल्पित होने से उतना ही सम्बन्ध है जितना कि ग्रहशास्त्र के नियमों का। हाँ, कल्पना के अर्थ में अन्तर हो सकता है। अतः, यदि कल्पित होना दोष है, तो यह दोष केवल ग्रहशास्त्र के नियमों में ही नहीं है, बल्कि सभी विज्ञानों के नियमों में है। इसलिए इस दोष के कारण भाषिक नियमों की आलोचना करना ठीक नहीं है। दोष देना ही है तो सभी विज्ञानों के नियमों को देना चाहिए।¹

यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ भाषिक नियम प्राकृतिक नियमों के समान सही और ठीक होते हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम एक ऐसा ही नियम है। यह नियम मनुष्य से बाह्य घटकों पर आधारित है। कृषि में वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग द्वारा इस नियम को कुछ समय तक प्रियाशील होने से रोका जा सकता है लेकिन अन्ततः यह अवश्य लागू होता है। इसी प्रकार प्राकृतिक नियमों के समान कुछ भाषिक नियम स्वयं सिद्ध हैं। जैसे—बुल धाय में से व्यय के बाद हुई बचत से पूँजी उदय होती है। यह एक ऐसा भाषिक सत्य है जिसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है।

(II) क्या ग्रहशास्त्र के नियम अनिश्चित हैं ?

B-10/4

निःसन्देह ग्रहशास्त्र के सभी नियम अनिश्चित नहीं हैं तथा कल्पित होना केवल भाषिक नियमों की ही विशेषता नहीं है। इस पर भी यह मानना पड़ेगा कि प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों की अपेक्षा ग्रहशास्त्र के नियम अधिक अनिश्चित हैं और उनके गलत होने की सम्भावना भी अधिक है। वारण, प्राकृतिक विज्ञानों का विषय जड़ पदार्थ है, जो बेजान है अथवा जिसमें स्वयं अपनी प्रकृति में परिवर्तन कर लेने की शक्ति नहीं है। स्पष्ट है कि ऐसे पदार्थों के सम्बन्ध में जो नियम बनाये जायेंगे उनकी सत्यता में सन्देह नहीं होगा, क्योंकि इन पदार्थों की प्रकृति तथा गुण अपरिवर्तनशील रहेंगे। इसके विपरीत, ग्रहशास्त्र का विषय मनुष्य है, जो एक जीता-जागता प्राणी ही नहीं है बल्कि सोचने-समझने और तर्क करने की शक्ति भी रखता है। मनुष्य के भीतर यह गुण है कि वह एक बड़े अणु तक अपने स्वभाव, प्रकृति तथा व्यवहार को स्वयं बदल सकता है। अतः मनुष्य के व्यवहार के सम्बन्ध में जो नियम बनाये जायेंगे वे घटल तथा अपरिवर्तनशील न होंगे। समय और परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य की प्रकृति तथा व्यवहार में परिवर्तन हो जाने के कारण हो सकता है कि वे नियम सही न रहे।

42800

एक छोटे से उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी। मान लीजिये कि यदि लोहे के बारे में यह नियम बनाया जाता है कि पानी और हवा से उसमें मोरचा (Rust) लग जाता है तो बड़े विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि यह नियम सदैव सही होगा। कहीं भी और किसी भी समय प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सकता है कि नियम सही है। किन्तु इसी प्रकार का नियम यदि मनुष्य के सम्बन्ध में बनाया जाय कि पानी तथा वायु में रहने से उसे जुकाम हो जायगा, तो इस नियम का उतने अर्थ तक सही होना सम्भव नहीं है। यह नियम मनुष्य के विषय में केवल साधारणतः सही हो सकता है, अभी मनुष्यों के लिये सभी स्वानों और अत्यधिक समय इसका सही होना आवश्यक नहीं है। कारण, लोहे के भीतर परिस्थितियों पर विजय पा लेने का गुण नहीं है। वह हवा और पानी से अपनी रक्षा नहीं कर सकता है और न इनसे प्रभावित होने वाली प्रकृति को ही बदल सकता है। दूसरी ओर, मनुष्य पानी और हवा से अपनी रक्षा कर सकता

¹ "In this sense (if the data that the laws postulate are given than the consequences they predict necessary follows) they are on the same footing as other scientific laws, and as little capable of suspension"—Robbins.

है तथा इनसे प्रभावित होने वाली अपनी प्रकृति को भी बदल सकता है। यह जान लेना कठिन नहीं है कि मनुष्य किसी श्रौषधि आदि के सेवन के पश्चात् हुवा घोर पानी के प्रभाव से विमुख हो सकता है। इसके अनिश्चित बार-बार पानी घोर वायु के प्रभाव को सहन करके वह इनसे प्रभावित होने वाली अपनी प्रकृति व स्वभाव को बदल भी सकता है।

ऊपर दी हुई बातों से सिद्ध होता है कि यदि अर्थशास्त्र के नियमों में अनिश्चितता है तो दोष अर्थशास्त्र का नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्र का विषय ही ऐसा है, जिसके सम्बन्ध में निश्चित नियम नहीं बनाये जा सकते हैं। विषयों की इतनी बड़ी भिन्नता के कारण अर्थशास्त्र तथा उसके नियमों की तुलना प्राकृतिक विज्ञानों और उनके नियमों से करना अनुचित है। मनुष्य के व्यवहार सम्बन्धी जितने भी नियम होंगे, चाहे वे राजनीति शास्त्र के हों, इतिहास के हों, मनोविज्ञान के हों अथवा अर्थशास्त्र के हों, अनिश्चित ही रहेंगे और उन्हें ऐसा रहना भी चाहिये, क्योंकि मनुष्य समस्त सत्ता में सबसे अधिक परिवर्तनशील एवं प्रगतिशील है।

(III) क्या हमारे नियम बेकार हैं ?

अब यह देखना है कि क्या अनिश्चितता के कारण ये नियम व्यर्थ हो जाते हैं ? क्या इनसे हमारे व्यावहारिक जीवन में कोई लाभ नहीं है ? इस सम्बन्ध में यह बात महत्त्वपूर्ण है कि अनिश्चितता होना एक बात है और बेकार होना दूसरी। दोनों के मध्य कोई गहरा या अदृष्ट सम्बन्ध नहीं है। निश्चित न होते हुये भी कोई बात लाभदायक हो सकती है तथा मनुष्य के दैनिक जीवन में सहायक हो सकती है।

उदाहरण के लिये, सभी जानते हैं कि ज्वार-भाटे का नियम बड़ा अनिश्चित है। इस बात का केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है कि एक ज्वार के पश्चात् दूसरा कब आयेगा। साधारणतया इनमें २५ घण्टे का समय लगता है, किन्तु समुद्र में उठने वाले तूफानों तथा समुद्र पर चलने वाली श्रौषधियों के कारण यह समय बदलता रहता है। यदि वायु अनुकूल है तो समय से पहले ज्वार आ सकता है और यदि वायु प्रतिकूल है तो इसमें विलम्ब हो सकता है और यह भी सम्भव है कि ज्वार आये ही नहीं। परन्तु किसी बन्दरगाह के निकट समुद्र के किनारे पर खड़े हुये जहाजों को देखकर कोई भी अनुमान लगा सकता है, कि ज्वार का निम्न व्यावसायिक जीवन में बेकार नहीं है, क्योंकि वे जहाज इसी प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब ज्वार आये, ताकि वे बन्दरगाह के भीतर जा सकें। आर्थिक नियमों के विषय में भी यही बात कही जा सकती है क्योंकि अर्थशास्त्र के नियम हमारे प्रतिदिन के कार्य में न केवल सहायक ही होते हैं, बरन् लाभ भी पहुँचाते हैं।

अर्थशास्त्र के नियमों पर लगाये गये आरोपों का उत्तर दिया जा चुका है। इन नियमों का उतना ही महत्त्व है जितना और किसी भी विज्ञान के नियमों का हो सकता है। अनिश्चित या कल्पित होने से इस महत्त्व में कोई कमी नहीं पड़ती। आर्थिक नियमों का शब्दयन करते समय मार्शल का यह कथन कि अर्थशास्त्र के नियमों की तुलना भू-आकर्षण के सोधे तथा निश्चित नियम के स्थान पर ज्वार-भाटे के नियमों से करनी चाहिए, सदैव याद रखना चाहिये।¹ इसके साथ-साथ यह भी समझ लेना चाहिये कि आर्थिक नियम मनुष्य के व्यवहार की केवल साधारण प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हैं। रोबिन्स के अनुसार वे उन प्रवृत्तियों की बताते हैं जो सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने में मनुष्य के व्यवहार को निश्चित करती हैं।

¹ "The laws of economic are to be compared with the laws of tides rather than with the simple and exact law of gravitation."—Marshall.

(IV) क्या अर्थशास्त्र के नियम प्रयोग-सिद्ध (Empirical) हैं ?—

अर्थशास्त्र में हमें दो प्रकार के नियम देखने को मिलते हैं :—(i) वे नियम जो सभी दशाओं में सही होते हैं और (ii) वे नियम जो सापेक्षिक (Relative) हैं। साधारणतया उपभोग और माँग तथा पूर्ति से सम्बन्धित नियम सर्वव्यापी (Universal) और सभी मनुष्यों के व्यवहार पर लागू होने हैं, परन्तु चलन (Currency) और बैंकिंग तथा व्यापार में सम्बन्धित नियम सापेक्षिक होते हैं। अर्थशास्त्र के अधिकांश नियम अन्तिम श्रेणी के हैं और वे कुछ विशेष व्यक्तियों पर अथवा कुछ विशेष परिस्थितियों में ही लागू होते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि अर्थशास्त्र के अधिकांश नियम व्यापत्तिमूलक अथवा अनुभव प्रणाली (Inductive method) की सहायता से बनाये जाते हैं और बहुधा अनुभव तथा प्रयोगों पर आधारित होते हैं, जिस कारण उनका सभी पर लागू होना आवश्यक नहीं है। किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि अर्थशास्त्र के नियम हमारे लिए बेकार हैं। हाँ, उनके उपयोग में अधिक सावधानी आवश्यक होती है।

प्राकृतिक नियमों से धार्मिक नियमों की भिन्नता

प्राकृतिक नियमों और धार्मिक नियमों में भिन्नता यह है कि धार्मिक नियम प्राकृतिक नियमों की अपेक्षा कम निश्चित होते हैं। धार्मिक नियमों की अपेक्षाकृत कम निश्चित होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं :—

(१) जड़ पदार्थों के बजाय चेतन मनुष्य का अध्ययन—जब कि प्राकृतिक विज्ञानों में जड़ पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, जिनकी कोई इच्छा नहीं होती, तब अर्थशास्त्र में चेतन मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, जो विवेक और स्वतन्त्र इच्छा रखता है।¹ अतः इसके व्यवहार का क्या स्वरूप होगा, इस बारे में कोई निश्चित बात बहना कठिन है, क्योंकि समान परिस्थितियों में स्वभाव, रचि आदि की भिन्नता के कारण विभिन्न मनुष्य और एक ही मनुष्य विभिन्न आचरण दिखलाते हैं।

(२) प्रयोग की सुविधा का अभाव—प्राकृतिक विज्ञानों में जड़ पदार्थों पर प्रयोग-शाला के अन्दर कृत्रिम परिस्थितियाँ बनाकर अध्ययन किया जा सकता है लेकिन मनुष्य को इस प्रकार से प्रयोगशाला की परिस्थितियों में बाँधकर प्रयोग करना सम्भव नहीं है।

(३) मुद्रा रूपी शेषयुक्त पैमाना—एक वैज्ञानिक के पास ताप तोल के लिये एक विश्वसनीय तराजू होनी है अर्थशास्त्रियों के पास भी ताप के लिये मुद्रा का पैमाना है तो किन्तु वह अपूर्ण और अविश्वसनीय होता है, क्योंकि :—प्रथमतः, अर्थशास्त्रियों का पैमाना स्वयं अस्थिर है, अर्थात्, मुद्रा का मूल्य घटता-बढ़ता रहता है। दूसरे, मुद्रा की उपयोगिता एक धनी व्यक्ति के लिये कम और एक निर्धन व्यक्ति के लिये अधिक होती है, जिनसे यह मानवीय आवश्यकताओं की तीव्रता की ठीक-ठीक नहीं माप सकता है। तीसरे, मनुष्य पर मुद्रा-अर्जन की भावना के प्रतिरिक्त देश प्रेम इत्यादि का भी प्रभाव पड़ता है।

(४) भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों का प्रभाव—मनुष्य के व्यवहार पर केवल धार्मिक परिस्थितियों का ही नहीं, बल्कि सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है, जिससे धार्मिक नियमों का व्यवहार में लागू होना कठिन हो जाता है। उदाहरणार्थ, अर्थशास्त्र की यह मान्यता है कि थमिक वही पर काम करेगा, जहाँ उसे अधिक मजदूरी मिलेगी। लेकिन वास्तविक कारण और कभी-कभी राजनैतिक प्रतिबन्ध उसकी गति-

¹ "The matter with which the chemist deals is the same always; but Economics like biology, deals with a matter, of which the inner nature and constitution, as well as the outer form, are constantly changing."—Marshall.

शीलता में बाधक हो जाते हैं तथा वह कम मजदूरी पर ही कार्य करने के लिये विवश हो जाता है ।

(५) प्रभाव डालने वाली प्रवृत्तियों का स्वयं भी परिवर्तनशील होना—कारणों को अपना परिणाम पैदा करने में कुछ समय लगता है किन्तु इस बीच न केवल कारण द्वारा प्रभावित तत्त्व बदल सकते हैं, बल्कि ये कारण स्वयं भी बदल सकते हैं जिससे आशानुबूल परिणाम प्राप्त न हो सकेगा. या प्रांशिक ही प्राप्त हो सकेगा । अतः मानव व्यवहार के बारे में कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है । उदाहरणार्थ उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार, जैसे-जैसे व्यक्ति के पास किसी वस्तु का स्टॉक बढ़ता जाता है उसकी उपयोगिता उसके लिये कम होती जाती है । मान लीजिये कि एक व्यक्ति गेहूँ की रोटियाँ खा रहा है । प्रत्येक अगली रोटी के साथ उसकी उपयोगिता घटती जा रही है लेकिन पाँचवीं रोटी, जो बाजरे की बनी थी, देने पर इसकी उपयोगिता उपभोक्ता के लिये बढ़ जायेगी, घटेगी नहीं ।

(६) अज्ञात घटकों का प्रभाव—बहुत बार अज्ञात घटक भी प्रभाव दिखाते हैं, जिससे ज्ञात घटकों के बारे में की गई भविष्यवाणी गलत सिद्ध हो सकती है ।

क्या अर्थशास्त्र को एक-विज्ञान कहना ठीक है ?

(Is it Correct to call Economics a Science ?)

आर्थिक नियमों के स्वभाव का विवेचन करते हुए हमने यह देखा था कि आर्थिक नियम अधिक काल्पनिक, निश्चित और सार्वभौमिक नहीं होते, क्योंकि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री प्राकृतिक, विज्ञानों की भाँति जड़ पदार्थ नहीं है बरन् चेतन, विवेकशील और स्वतन्त्र इच्छा रखने वाला मनुष्य है । इस पर भी अर्थशास्त्र को एक विज्ञान कहना उचित होगा । इस सम्बन्ध में हम निम्नांकित तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं :—

(१) कुछ नियम ऐसे हैं जो मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छा से प्रभावित नहीं होते । उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति भोजन करता ही चला जाय और यह इच्छा करे कि तृप्ति न हो, तो ऐसा होना अगम्य है ।

(२) कुछ आर्थिक नियम बाह्य प्रकृति पर आधारित होते हैं, जिस पर मनुष्य का काबू नहीं है । जैसे—त्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम ।

(३) मानव-व्यवहार को भाषने के लिए अर्थशास्त्र के पास मुद्रा के रूप में पैमाना प्राप्त है, जिसने इसे अन्य सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा अधिक निश्चिन बना दिया है भले ही वह उसे प्राकृतिक विज्ञान की भाँति निश्चित न बना सका हो ।¹

(४) सामूहिक व्यवहार की भविष्यवाणी गणित शास्त्र के सम्भावना-सिद्धान्त के आधार पर की जा सकती है, चाहे व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति का व्यवहार भविष्यवाणी के अनुसार न निबले ।

(५) अर्थशास्त्र जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान की भाँति उपयोगी है । यह सत्य है कि अर्थशास्त्र निश्चित और अटल भविष्यवाणियाँ करने में असमर्थ है, क्योंकि उसके नियमों में काल्पनिकता का अंश अधिक होता है किन्तु इसका यह धर्म नहीं लगाना चाहिये कि अर्थशास्त्र के नियम अवैज्ञानिक हैं, क्योंकि (1) हम सही आर्थिक कारणों से परिचित नहीं होते,

¹ "Just as the chemist's fine balance has made chemistry more exact than most of the other physical sciences, so this economist's balance (money), rough and imperfect as it is, has made economics more exact than any other branch of social sciences."—Marshall.

जिससे भविष्यवाणी गलत हो जाती है। किन्तु जीव विज्ञान और मौसम विज्ञान की भविष्य-वाणियों भी कभी-कभी, वाद की घटनाओं के आधार पर गलत हो जाती है। (ii) भ्रंशशास्त्र माने वाली व्यापारिक मन्दी का समय जितना पहले बता सकता है उतना पहले भौगम विज्ञान नूतन के आगमन के बारे में नहीं बता सकता। (iii) वैज्ञानिकों की भाँति भ्रंशशास्त्री भी अपने नियमों को अधिक निश्चित बनाने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। मतः निश्चित भविष्यवाणी करने की शक्ति के कम होने के आधार पर हम भ्रंशशास्त्र को इसके विज्ञान कहलाने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं।

साथिक विश्लेषण की मान्यतायें (Assumptions of Economic Analysis)

भ्रंशशास्त्र में मनुष्य के व्यवहार का चुनाव करने के पहलू से अध्ययन किया जाता है। किन्तु मनुष्य एक चेतन, तर्क एव भावना-प्रभावित और अत्यन्त परिवर्तनशील स्वभाव का व्यक्ति है, जिससे उसके व्यवहार का अध्ययन करना बहुत ही कठिन है जब तक कि कुछ मान्यतायें लेकर न चले। मान्यतायें लेकर चलने से अध्ययन सुगम हो जाता है। उदाहरण के लिये, मूल्य के परिवर्तनों का माँग पर क्या प्रभाव होता है, इसका अध्ययन करने हेतु भ्रंशशास्त्री यह मान कर चलते हैं कि मनुष्य एक विवेकपूर्ण ढङ्ग से कार्य करता है, उसकी हवि, प्राप आदि में अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, इत्यादि। विभिन्न मान्यताओं को सूचित करने के लिये भ्रंशशास्त्री "अन्य बातें समान रहें" वाक्यांश का प्रयोग करते हैं। किसी विशेष साथिक समस्या के सम्बन्ध में क्या मान्यतायें लेकर चला जायेगा यह तो उस समस्या के स्वभाव पर निर्भर होगा, किन्तु फिर भी कुछ सामान्य मान्यतायें निम्नांकित हैं।

(१) सन्तोष को अधिकतम करने की मान्यता—प्रत्येक व्यक्ति अपने सन्तोष को अधिकतम करने के लिये प्रयत्न करता है।

(२) मनुष्य की विवेकशीलता की मान्यता—प्राचीन तथा प्रतिष्ठित भ्रंशशास्त्रियों का विचार था कि विवेकशीलता (Rationality) स्वार्थ के आधार पर काम करने में थी। यही कारण है कि विवेकशील उपभोक्ता को प्रतिष्ठित भ्रंशशास्त्रियों ने 'साथिक मनुष्य' का नाम दिया। प्रतिष्ठित दृष्टिकोण रिकार्डों और मिल की भाषा में प्रस्तुत किया जा सकता है। रिकार्डों का निम्न रूपन में अधिकतम करने का सिद्धान्त साफ-साफ दिखाई पड़ता है, "यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूँजी का इच्छानुसार वही भी उपयोग कर सकता है तथापि स्वाभाविक रूप में वह उसे वही लगाना चाहेगा जहाँ लाभ सबसे अधिक होगा। यदि वह अपनी पूँजी को वही छोड़ लगाकर पन्द्रह प्रतिशत लाभ बना सकता है तो उसे दस प्रतिशत लाभ से कभी सन्तोष न होगा।"¹ इससे भी अधिक सरल भाषा में मिल ने कहा है, ".....मनुष्य स्वभाव से ही ऐसा प्राणी है कि वह सभी दशाओं में कम लाभ की स्थिति की तुलना में अधिक लाभ की स्थिति को पसन्द करता है....."² इस प्रकार, भ्रंशशास्त्र इस मान्यता को

¹ Whilst every man is free to employ his capital where he pleases, he will naturally seek for it that employment which is most advantageous; he will naturally be dissatisfied with a profit of 10% if by removing his capital, he can obtain a profit of 15%."—David Ricardo : *Principles of Political Economy and Taxation*.

² Man is a being who is determined by the necessity of his nature to prefer a greater portion of wealth to smaller in all cases....."—Mill : *Essay on Some Unsettled Questions*.

लेकर चलता है कि प्रत्येक उपभोक्ता अपने सन्तोष अथवा अपनी उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है और प्रत्येक उत्पादक अपने लाभों को अधिकतम करना चाहता है। विवेकशीलता की मान्यता का अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम त्याग और प्रयत्न द्वारा अधिक से अधिक प्राप्ति का इच्छुक सम्पन्ना जाय इसी बात को श्रीमती रोबिन्सन ने इस प्रकार कहा है, "आर्थिक विवेचन की आधारभूत मान्यता यही है कि प्रत्येक व्यक्ति विवेकपूर्ण ढङ्ग से कार्य करता है और विवेकपूर्ण ढङ्ग से कार्य करने का अर्थ है कि वह सामान्य व्यय और सीमान्त लाभ में समानता लाये".....विवेकपूर्ण आचरण के द्वारा मौद्रिक लाभ अधिकतम होता है।"¹

अब हम एक व्यक्ति के सम्बन्ध में विवेकशीलता का अध्ययन कुछ अधिक विस्तार के साथ करेंगे। विवेकशीलता का अभिप्राय यह नहीं है कि कोई व्यक्ति शिक्षित अथवा बुद्धिमान है वरन् इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति समझदार है और उपयुक्त परिस्थितियों के अन्तर्गत उसमें दूरदर्शिता का गुण है। यहाँ पर यह बात देना आवश्यक है कि पूर्ण प्रतियोगिता की भाँति पूर्ण विवेकशीलता भी एक खोरी नल्पना है। व्यक्तियों के चुनाव पर दो कारणों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ये दो कारण आदतें और रीति-रिवाज हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज का आदी हो जाता है, तो वह उसे आसानी से नहीं छोड़ सकता, भले ही वह यह जानता हो कि उमका छोड़ना ही अच्छा है। आदत का इतना अधिक प्रभाव पड़ता है कि एक व्यक्ति समझदारी छोड़कर भी उस वस्तु को चाहता है जिसकी उसे आदत पड़ गई है। रीति रिवाजों का भी इसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है। वे चुनने की स्वतन्त्रता समाप्त कर देते हैं, जैसे कि भारत में जाति प्रथा। इस प्रकार, आदतें और रीति-रिवाज मानव व्यवहार की विवेकशीलता को सीमित कर देने हैं।

(३) औसत या साधारण मनुष्य की मान्यता—“अर्थशास्त्री मनुष्य का अध्ययन उसी रूप में करते हैं जिसमें कि वह वास्तव में है, न कि किसी अमूर्त अथवा आर्थिक मनुष्य का; अध्ययन जीते-जागते मनुष्य का किया जाता है ऐसे मनुष्य का जो अहकारी भावनाओं से बड़े अंश तक प्रेरित होता है। वह मनुष्य मानवीय दुर्बलताओं से परे नहीं होता और न ही वह मनुष्य किसी कार्य को इस कारण करता है कि इसके करने से उसे प्रसन्नता मिलती है, बल्कि वह सभी प्रकार की मानवीय अच्छाइयों और बुराइयों वाला मनुष्य होता है। वह अपने परिवार, अपने पड़ोसियों अथवा अपने देश के प्रेम के लिए भी कार्य करता है।” विष्णुद अर्थ वाला विवेकशीलता पैटर्न कुछ अंश तक एक सामान्य, औसत तथा वास्तविक मनुष्य की दशा में सशोधित रहे जाता है।

(४) साम्य की मान्यता—साम्य का अभिप्राय सन्तुलन स्थापित करने तथा उसे बनाये रखने के प्रयत्न से होता है। साम्य की स्थिति उस दशा में प्राप्त होती है जबकि परस्पर विरोधी शक्तियाँ एक दूसरे के प्रभाव को इस प्रकार नष्ट कर देती हैं कि दोनों के फलस्वरूप किसी भी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है। रोबिन्सन के शब्दों में, “हम यह मानकर चलते

¹ “The fundamental assumption of economic analysis is that every individual acts in a sensible manner and it is sensible for the individual to balance marginal cost and marginal gain.....sensible conduct leads to maximization of money gains”—John Robinson : *Economics of Imperfect Competition*, p. 241.

है कि किसी धार्मिक प्रणाली में ऐसी शक्तियाँ कार्यशील हैं जो निश्चित समय अवधि में उम प्रणाली के विभिन्न भागों के बीच सन्तुलन स्थापित कर देती हैं।¹

उपरोक्त विवेचन यह स्पष्ट कर देना है कि धार्मिक सिद्धान्तों का अध्ययन कुछ मान्य-ताओं के आधार पर ही किया जाता है। धर्मशास्त्र के किसी भी विद्यार्थी के लिए इन मान्य-ताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है क्योंकि, यदि इन्हें भुला दिया जाता है तो धार्मिक सिद्धान्तों को वास्तविक जीवन में लागू करना कठिन हो जायेगा। मान्यतायें ही वे आधार हैं जिन पर वास्तविक और कल्पित परिस्थितियों के बीच भेद किया जाता है।

निष्कर्ष—

सभी बातों को देखने के पश्चात् अन्त में हम निम्न महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर पहुँचते हैं :—(अ) मनुष्य के व्यवहार से सम्बन्धित होने के कारण धर्मशास्त्र के नियमों में कुछ अनिश्चितता अवश्य रहती है। (ब) ये नियम एक अज्ञ तक कल्पित भी हैं, परन्तु इन नियमों के अध्ययन के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है। (स) प्राकृतिक नियमों की तुलना में धर्मशास्त्र के नियम कुछ नीचे दिखाई पड़ते हैं, परन्तु प्राकृतिक नियमों से इनकी तुलना करना ठीक नहीं है। हमें देखना तो यह चाहिए कि अन्य सामाजिक शास्त्रों के नियमों की तुलना में धर्मशास्त्र के नियम कैसे हैं। (द) निःसन्देह इनकी तुलना में धार्मिक नियम अधिक निश्चित और स्पष्ट हैं। कारण, धर्मशास्त्र में सभी बातों और घटनाओं को नापने के लिए मुद्रा को माप-दण्ड रहना है, जिससे निश्चितता और व्यावहारिक दोनों प्राप्त हो जाती हैं, परन्तु अन्य सामाजिक विज्ञानों के पास ऐसा कोई माप दण्ड नहीं है।

परोक्ष प्रश्न:

1. धार्मिक नियम क्या है ? उनमें तथा अन्य प्रकार के नियमों में अन्तर समझाइये।
[सहायक संकेत—सर्वप्रथम धार्मिक नियमों का धर्म बताइये, तत्पश्चात् इनकी विशेषतायें प्रति गर्भ में दीजिए और फिर इनके वैज्ञानिक नियमों की अपेक्षा कम निश्चित होने पर प्रकाश डालते हुए अन्य नियमों से इनकी भिन्नता समझाइये।]
2. “धर्मशास्त्र के नियमों की तुलना गुरुत्वाकर्षण जैसे ठीक नियमों की अपेक्षा ग्यार-भाटा के नियमों से करनी चाहिए।” (मार्शल) इस कथन की व्याख्या कीजिये।
[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम, धार्मिक नियम क्या होने हैं इन्हें बताइये, तत्पश्चात् इनकी विशेषताओं का विवेचन करिये और संक्षेप में यह बताइये कि धार्मिक नियम कम निश्चित क्यों होते हैं। अन्त में यह निष्कर्ष निकालिये कि ये गुरुत्वाकर्षण जैसे सरल और गही नियमों की अपेक्षा ग्यार-भाटा के नियमों से तुलना के अधिक योग्य हैं।]
3. धार्मिक नियमों के स्वभाव की खर्चा कीजिये। धार्मिक नियम विल्कुल सही क्यों नहीं होते ?

1 “We assume that there are operative in different parts of the system certain tendencies which make for the restoration of an equilibrium in respect of certain limited points of reference.”—Rebbins : *An Essay on the Nature and Significance of Economic Science*, p. 102.

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम, आर्थिक नियमों का अर्थ और उनकी विशेषतायें बताइये, तत्पश्चात् उनके कम निश्चित होने के कारण दीजिये और अन्त में निष्कर्ष निकालिये कि वे प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों की अपेक्षा कम निश्चित किन्तु अन्य सामाजिक विज्ञानों के नियमों की अपेक्षा अधिक निश्चित होते हैं ।]

४. आर्थिक नियमों के स्वभाव की व्याख्या कीजिये तथा उन रीतियों को भी बताइये जिनके द्वारा इनको निकाला जाता है ।

अथवा

आर्थिक नियमों की विशेषताओं का विवेचन करिये । क्या ये नियम उसी प्रकार प्राप्त किये जाते हैं जिस प्रकार कि प्राकृतिक विज्ञानों के नियम ?

अथवा

आर्थिक नियमों के स्वभाव की व्याख्या कीजिये और यह बताइये कि निगमन और आगमन रीतियों का प्रयोग इन नियमों को बनाने में किस प्रकार किया जाता है ?

[सहायक संकेत :—सर्व प्रथम आर्थिक नियमों के अर्थ और उनकी विशेषताओं को बताइये । तत्पश्चात् यह बताते हुए कि आर्थिक नियम वैज्ञानिक या प्राकृतिक नियमों की श्रेणी में आते हैं, और इसलिए लगभग उसी तरह से निकाले जाते हैं जिस तरह से कि प्राकृतिक नियम, इन नियमों को निकालने की आगमन एवं निगमन रीतियों का संक्षिप्त विवेचन कीजिये ।]

५. "यदि आर्थिक नियम काल्पनिक हैं, तो अर्थशास्त्र का अध्ययन करने से कोई लाभ नहीं है ।" क्या आप इस विचार से सहमत हैं ?

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम आर्थिक नियमों का अर्थ और इनकी विशेषतायें समझाइये । तत्पश्चात् यह बताइये कि आर्थिक नियमों के स्वभाव के सम्बन्ध में अर्थशास्त्र के अध्ययन को व्यर्थ मानना ठीक नहीं है अर्थात् आर्थिक नियमों के सम्बन्ध में अर्थशास्त्र को विज्ञान बनाने के कारण दीजिये । अन्त में, आर्थिक नियमों के कम निश्चित होने के कारण दीजिये ।]

६. आर्थिक नियमों के स्वभाव का विवेचन कीजिये । इस विवेचन के सम्बन्ध में यह बताइये कि अर्थशास्त्र को एक विज्ञान कहना कहीं तक उचित है ?

अथवा

आर्थिक नियमों की व्याख्या कीजिये । ये किस अर्थ में काल्पनिक होते हैं ? अर्थशास्त्र के विज्ञान होने के दावे को बताइये ।

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम आर्थिक नियमों के अर्थ और उनकी विशेषताओं को बताइये । तत्पश्चात् उनकी काल्पनिकता पर प्रकाश डालिये और अन्त में, आर्थिक नियमों की विशेषताओं के सम्बन्ध में, अर्थशास्त्र के विज्ञान होने के दावे की पुष्टि कीजिये ।]

अर्थशास्त्र के अध्ययन की रीतियाँ

(The Methods of Economic Science)

प्रारम्भिक—

प्रत्येक विज्ञान के अध्ययन के दो मुख्य उद्देश्य होने हैं। सबसे पहले तो कारण और परिणाम के पारस्परिक सम्बन्ध का अध्ययन किया जाता है, इसके पश्चात् इस अध्ययन की महायत्ना से कुछ नियम बनाये जाते हैं प्रथम कुछ निष्कर्ष (Conclusion) निकाले जाते हैं। यही निष्कर्ष हमें उस विज्ञान के मूल तथ्यों का ज्ञान दिलाने हैं। उस रीति या प्रणाली को, जिसके द्वारा किसी विज्ञान में किसी निष्कर्ष पर सत्य पर पहुँचा जाता है, उसे विज्ञान के 'अध्ययन की रीति' कहते हैं। अल्प विज्ञानों की भाँति अर्थशास्त्र के अध्ययन की भी रीतियाँ होती हैं, पर्यान् इस शास्त्र के विद्वानों ने भी कुछ विधियों को अपनाया है, जिनके द्वारा आधिक तथ्यों की खोज की गयी है। अर्थशास्त्र के अध्ययन की रीतियों से हमारा अभिप्राय उन रीतियों तथा प्रणालियों से है जिनकी सहायता से आधिक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इन रीतियों के उपयोग की आवश्यकता इसलिये पड़ती है कि हम इस बात का प्रयत्न करते हैं कि जो अनुमान लगाये जायें सत्यता जो निष्कर्ष निकाले जायें वे ठीक हो और तर्क की दृष्टि से सही हों। जब हम अर्थशास्त्र के अध्ययन की रीतियों का विवेचन करते हैं, तो हमें यह देखना पड़ता है कि अर्थशास्त्रियों ने इनमें से कौन-सी रीतियाँ अपनाई हैं और हमारे आर्थिक तथ्यों की खोज में कौन-सी रीति सबसे अच्छी है। इन रीतियों पर नीचे प्रकाश डाला गया है।

समता प्रणाली (Method of Analogy)

समता प्रणाली क्या है ?

सबसे पहले समता प्रणाली को लीजिए। यह ऊपर दी हुई तीन प्रणालियों में से अधिक सरल है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी कठिनाई से इनका उपयोग कर सकता है। समता प्रणाली में समानता (Similarity) के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जैसे—यदि हम एक पत्र को देखें, जिसका रंग हरा है और उसके विषय में हमें यह ज्ञान हो कि वह अच्छा है तो हम आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई दूसरा फल भी, जिसका रंग हरा है, अच्छा होगा। अथवा, यदि हम बाजार में किसी एक ग्राहक का ऐसा व्यवहार देखें कि वह सबसे कम दाम मँगने वाले दूकानदार से माल खरीदता है, तो इसमें किसी दूसरे ग्राहक के भी विषय में यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वह भी सबसे सस्ता बेचने वाले दूकानदार से माल खरीदेगा। ये निष्कर्ष समानता के आधार पर हैं। किन्तु निष्कर्ष निकालने के लिए हमें समानता के आधार का ठीक तरह अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि यदि समानता का आधार ही गलत हुआ, तो निष्कर्ष भी गलतता पर विश्वास नहीं किया जा सकता।

समता प्रणाली के गुण-दोष—

गुण—जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, समता प्रणाली में एक बहुत बड़ा गुण यह है कि वह सरल है और इसे थोड़ी सावधानी के साथ काम में लाने से सही निष्कर्ष निकाल लेना सम्भव है।

दोष—किन्तु देखने में आता है कि समानता के आधार पर बनाये हुए निष्कर्ष बहुत गलत होते हैं। कारण, ऐसे निष्कर्ष अधिकतर एक ही गुण (या प्रवृत्ति) की समानता पर आधारित होते हैं, जिस कारण यह सम्भव है कि एक दिशा की समानता दूसरी दिशा की असमानता के कारण अर्थहीन हो जाये और इसलिए असमानता को देखे बिना जो निर्णय किया जायगा उसका सही होना आवश्यक नहीं है। इस त्रुटि के कारण इस प्रणाली का उपयोग बड़ा सीमित रहा है।

समता प्रणाली का आर्थिक अध्ययन में प्रयोग—

अर्थशास्त्र में इस प्रणाली को काम में ही न लाया गया हो ऐसी बात नहीं है। इसका उपयोग हुआ है परन्तु कम। जहाँ कहीं भी निष्कर्ष की सत्यता महत्त्व रखती है, इसका उपयोग कम ही रहेगा। अर्थशास्त्र में इसका उपयोग इतना कम हुआ है कि हम इसकी गणना आर्थिक अध्ययन की रीतियों में नहीं करते हैं।

निगमन प्रणाली (Deductive Method)

निगमन प्रणाली से आशय—

इस प्रणाली में हम सामान्य (General) सत्य के आधार पर विशिष्ट (Particular) सत्य का पता लगाते हैं। इस प्रकार तर्क का मार्ग सामान्यता से विशिष्टता की ओर है। यदि हमें कोई सामान्य सत्य ज्ञात हो, तो हम किसी विशेष सत्य के विषय में निश्चित कर सकते हैं। कभी-कभी सामान्य सत्य स्वयं-सिद्ध के रूप में होता है तथा उसकी सचाई स्वयं ही प्रत्यक्ष होती है और कभी-कभी वह अनुभव पर आधारित होता है। निगमन प्रणाली द्वारा दिये हुए आधार पर नये सत्य की खोज कर ली जाती है।

जैसा कि बौल्डिंग (Boulding) ने बताया है, वास्तविक विश्व बहुत ही जटिल और गुंथा हुआ है, जिस कारण इसका प्रत्यक्ष और वास्तविक रूप में अध्ययन नहीं किया जा सकता। अतः पहले सरल और कम वास्तविक दशाओं व मान्यताओं को लेकर चला जाता है एवं बाद में अन्य जटिल मान्यतायें सम्मिलित कर ली जाती हैं, जिससे नि वास्तविकता के निकटतम पहुँच सकें।

उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण—अनुभव से हमें यह ज्ञात है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। अब यदि हमें यह भी ज्ञात हो कि श्याम एक मनुष्य है, तो हम सुगमता से कहेंगे कि श्याम भी मरणशील है, या, यदि यह ज्ञात हो कि सभी मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं, तो यह कहने में कठिनाई न होगी कि अमुक ५० आदमी भी सामाजिक प्राणी हैं। इसी प्रकार, यदि हमारा अनुभव हमें यह बताता है कि सभी मनुष्य अधिकतम तृप्ति की खोज में लगे रहते हैं, तो यह कहने में देर न लगेगी कि राम भी, जो एक मनुष्य है, अधिकतम तृप्ति की खोज में लगा होगा। इस प्रकार की तर्क प्रणाली को 'निगमन प्रणाली' कहते हैं। किसी समय अर्थशास्त्र के अध्ययन में इस प्रणाली का बहुत प्रचलन था और आज भी इसका महत्त्व अधिक है।

निगमन प्रणाली को 'काल्पनिक रीति' (Hypothetical Method) भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आर्थिक नियम कुछ कल्पनाओं या मूल सिद्धान्तों के आधार पर बनाये जाते हैं। इसे 'अमूर्त' रीति (Abstract Method) इसलिये कहा जाता है कि इसमें जिन बातों को आधार

माना जाता है उनका सार निकाल कर नियम बनाये जाते हैं। चूँकि इस पद्धति में समस्या पर इसके भिन्न-भिन्न घटकों को पलक धरकर विचार किया जाता है, इसलिए इसे विश्लेषणात्मक रीति (Analytical Method) भी कहते हैं।

निगमन प्रणाली के गुण—

इस प्रणाली में कुछ विशेष गुण हैं, जिनके कारण अर्थशास्त्र में इसका उपयोग बहुत अधिक हुआ है :—

(१) निष्कर्ष तर्कशास्त्र के सिद्धान्तों के अधिक अनुकूल—इस प्रणाली द्वारा निकाले हुए निष्कर्ष तर्कशास्त्र के सिद्धान्तों के अधिक अनुकूल होते हैं। उनमें त्रुटियाँ (Fallacies) कम होती हैं तथा जो भी त्रुटियाँ होती हैं उनका तर्कशास्त्र के नियमों के अनुसार पता लगाया जा सकता है और समाधान किया जा सकता है। धन: निष्कर्षों की सत्यता के विश्वसनीय होने के कारण यह प्रणाली बड़ी महत्वपूर्ण और लाभदायक है। पहले ही हम देख चुके हैं कि अर्थशास्त्र को बहुत से व्यक्ति एक अनिश्चित विज्ञान बताते हैं, इसलिये किसी भी ऐसी प्रणाली का, जिनके द्वारा निकाले गये निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय हों, अर्थशास्त्र में बड़ा ऊँचा स्थान रहेगा। कैरीज का विचार है कि, “यदि अनुचित सावधानी में काम लिया जाता है, तो निगमन प्रणाली प्रतुल्य है, मनुष्य की वृद्धि के लिए यह खोज का सबसे शक्तिशाली यन्त्र है।”

(२) सर्व साधारण के लिए बहुत उपयोगी—यह प्रणाली सर्व-साधारण के लिए बड़ी उपयोगी है। प्रत्येक मनुष्य के पास इतनी शक्ति, साधन तथा बुद्धि नहीं होती कि वह स्वयं मनुष्य के व्यवहार का निरीक्षण कर सके तथा इन निरीक्षणों द्वारा प्राप्त की गई सूचना के आधार पर अपने व्यापक निष्कर्ष बना सके। कुछ छोटे से मनुष्यों की छोड़ दीजिये, अधिराज मनुष्य किसी ऐसी प्रणाली को अपनाते हैं प्रसमर्प रहेगे जिनमें निरीक्षण, प्रयोग तथा बहुत-सा भाग्यिक और मानसिक परिश्रम करके सूचना प्राप्त की जाय और फिर इस सूचना के आधार पर निष्कर्ष निकाले जायें। निगमन प्रणाली में इस प्रकार सूचना एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ स्वयं सिद्धियों तथा मोटे-मोटे अनुभवों के आधार पर घर में बैठकर निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इस प्रणाली का यही गुण यथार्थ में इसकी लोकप्रियता का कारण है।

(३) भविष्यवाणी करने के लिए उपयुक्त—चूँकि इस प्रणाली में निकाले गये निष्कर्ष निश्चय होते हैं, इसलिए यह अनुमान लगाने और भविष्यवाणी (Forecasting) करने के लिये भी बहुत उपयुक्त है।

(४) निष्पक्षता—इस प्रणाली में निष्कर्ष सामान्य सत्य के आधार पर तर्क द्वारा निकाले जाते हैं, जिस कारण प्रत्येक उन्हें अपने दृष्टिकोण में प्रभावित नहीं कर सकता।

(५) व्यापक विषयों के अध्ययन के लिये विशेष उपयोगी—यह पद्धति अर्थशास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के लिए बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि मानव व्यवहार के ऊपर प्रयोग करना कठिन होता है।

(६) सर्व-स्थापकता—इस पद्धति में निकाले गये निष्कर्ष प्रायः मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति पर आधारित होते हैं, जिस कारण वे हर समय तथा प्रत्येक देश में लागू होते हैं। उदाहरणार्थ, सामान्य उपयोगिता का नियम इसी प्रकार का नियम है।

(७) आगमन रीति की पूरक—इस पद्धति की सहायता से आगमन रीति द्वारा निकाले गये सिद्धान्तों को परमा जा सकता है।

1 “The method of Deduction is incomparable when conducted under proper checks, the most powerful instrument of discovery ever wielded by human intelligence”—Cairnes.

निगमन प्रणाली के दोष—

(१) सामान्य सत्य की यथार्थता जाँचना सम्भव नहीं—इस प्रणाली में दिये हुए सामान्य सत्य की वास्तविकता या यथार्थता को जाँचने का कोई उपाय नहीं है अर्थात् यह पता लगाना कठिन है कि जिस सत्य के आधार पर हम चल रहे हैं वह स्वयं कहीं तक विश्वसनीय है। यह निश्चय है कि यदि सामान्य वाक्य ही असत्य है, तो फिर निष्कर्ष की सत्यता का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिये, इस प्रणाली द्वारा निर्धारित निष्कर्ष की सत्यता पूर्णरूप से सन्देह मुक्त नहीं हो सकती है। यह तो ठीक है कि दी हुई सामान्यता के आधार पर निष्कर्ष सही हैं, पर उस सामान्यता का ही क्या ठिकाना है ?

(२) वास्तविकता से परे—दूसरा दोष, जो अर्थशास्त्र के लिए इस प्रणाली के महत्त्व को बड़े अंश तक नष्ट कर देता है, यह है कि इन प्रणाली का वास्तविकता (Reality) से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस प्रणाली में निरीक्षण अथवा प्रयोगों के आधार पर सूचनार्थे एकत्रित नहीं की जाती हैं, जिस कारण यह हो सकता है कि सामान्य सत्य तथा उससे उत्पन्न होने वाले निष्कर्ष वास्तविकता से दूर हों। सम्भव है कि जो निष्कर्ष हमने निकाले हैं वे तर्क की कसौटी पर सच्चे उतरें, पर क्या वे व्यावहारिक जगत में सत्य होंगे, इसकी कोई गारण्टी नहीं है। अर्थशास्त्र को मनुष्य के दैनिक जीवन की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलभाना पड़ता है, अर्थात् उनका जीवन के व्यावहारिक पक्ष से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। अब यदि इस प्रणाली द्वारा प्राप्त निष्कर्ष व्यावहारिक जीवन में काम नहीं आ सकते, तो अर्थशास्त्र के लिए उनकी उपयोगिता बहुत कम रह जायगी। यदि हम यह चाहते हैं कि अर्थशास्त्र एक कृत्रिम तथा अनुमानजनक (Formal and Abstract) विज्ञान न बनकर मनुष्य के जीवन में सहायक बने और उसके जीवन की दिन प्रति दिन की समस्याओं को सुलभाये, तो केवल निगमन प्रणाली से हमारा कार्य नहीं चलेगा।

(३) स्थैतिक दृष्टिकोण—निगमन प्रणाली में तथ्य विशेष का अध्ययन अन्य तथ्यों से पृथक् रूप में किया जाता है, अर्थात् अन्य तथ्यों को स्थिर मान लिया जाता है। इस प्रकार इस प्रणाली का दृष्टिकोण स्थैतिक (Static) है, जो हमारे वास्तविक परिवर्तनशील मसाले में तथ्यों के सही-सही अध्ययन के लिये अनुपयुक्त है।

(४) अर्थात्परतम—केवल इसी पद्धति के सहारे अर्थशास्त्र के सभी अङ्गों का अध्ययन सम्भव नहीं है, जिससे अर्थशास्त्र का पूर्ण विकास नहीं हो सकता।

यहाँ पर यह बताना असङ्गत न होगा कि उपर्युक्त दोष वास्तव में इस प्रणाली के दोष नहीं हैं, बल्कि इसके उपयोग करने की रीति के दोष हैं। कठिनाई तभी होती है जबकि इस प्रणाली को गलत रीति से उपयोग किया जाता है। प्रो० गैड (Gide) ने ठीक कहा है कि, “प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की गलती यह नहीं थी कि उन्होंने निगमन रीति का उपयोग करके अर्थशास्त्र (Abstract) निष्कर्ष निकाले थे, बल्कि यह थी कि उन्होंने अर्थशास्त्र को ही वास्तविकता (Reality) समझ लिया था।”¹ निगमन प्रणाली के उपयोग में सावधानी का सुभाव देते

¹ “The mistake of the classical school did not consist in too frequent use of the deductive method, but in having too often mistaken the abstraction for the reality.”—Gide.

दृष्ट प्रो० निक्सन ने कहा है, "निगमन प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि कोई भी सत्यता की परत करने का अहविकर कार्य नहीं करना चाहता।" यह निश्चय है कि यदि साराधानों में काम लिया जाय और सत्यता की पग-पग पर जांच कर ली जाय, तो निष्कर्ष तभी भी होगा और वास्तविक (Real) भी।

व्याप्ति मूलक, अनुभव अथवा आगमन प्रणाली (Inductive Method)

अनुभव प्रणाली से आशय—

व्याप्ति मूलक प्रणाली में तर्क की विधि निगमन प्रणाली की विपरीत होती है, अर्थात् हम सामान्यता से विशिष्टता की ओर न जाकर विशिष्टता से सामान्यता की ओर चलते हैं। हमारी तर्क विधि यह होती है कि व्यक्तिगत निरीक्षणों तथा प्रयोगों के आधार पर हम सर्वव्यापी या सामान्य नियम बना लेते हैं। इस प्रणाली के अनुसार जिन प्रकार से तर्क चलता है वह नीचे दिए हुए उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा। मान लीजिए, हम लोहा, ताँबा, सीसा इत्यादि धातुओं की पानी में डालते हैं और उनके व्यवहार को इस प्रकार पाते हैं:—

पानी में डालने पर लोहा डूब जाता है।

ताँबा भी डूब जाता है।

सीसा भी डूब जाता है।

गोला भी डूब जाता है।

आदि भी डूब जाती है।

और हम यह जानते हैं कि लोहा, ताँबा, सीसा, गोला और आदी ये सब धातुएँ हैं। अब हम इन निष्कर्षों पर पहुँचे कि सभी धातुएँ पानी में डालने पर डूब जाती हैं। यहाँ हमने तर्क की जिस रीति को अपनाया है वह व्याप्ति-मूलक प्रणाली है, क्योंकि हमने व्यक्तिगत निरीक्षणों के आधार पर सामान्य नियम बनाया है।

इसी प्रकार, बाजार में दाम गिर जाने पर, २० साहकों को किसी वस्तु की अधिक मात्रा में खरीद करके देकर यदि हम वह निष्कर्ष निकालें कि दाम पट जाने से कितनी वस्तु की माँग बढ़ जाती है, तो यह निर्णय भी हम इसी प्रणाली द्वारा करते हैं। प्राकृतिक विज्ञानों के नियम बहुधा इसी नियम से बनाए जाते हैं, क्योंकि इन शास्त्रों में प्रयोग और निरीक्षण की पर्याप्त सुविधा रहती है। धर्मशास्त्र में इन प्रणाली से बहुत काम लिया गया है और इनके आधार पर अनेक नियम बनाये गये हैं।

इस प्रणाली का एक दूसरा नाम ऐतिहासिक पद्धति (Historical Method) भी है, क्योंकि अनेक विशिष्ट सत्तों का पता लगाने हेतु प्रयोग करना सर्वत्र सम्भव नहीं होना, जिन कारण इन प्रणाली में प्रायः ऐतिहासिक सत्तों की सहायता ली जाती है। इसे सांख्यिकी प्रणाली (Statistical Method) भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सामान्य निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए अनेक सत्तों और घाटों का प्रयोग किया जाता है। यह प्रणाली 'प्रयोगिक प्रणाली' (Experimental Method) इसलिए कही जाती है कि इसमें सामान्य निष्कर्षों को प्रयोग द्वारा जांचने का प्रयास किया जाता है। इसे 'वास्तविक प्रणाली' (Realistic Method) भी कहते हैं, क्योंकि वास्तविक निरीक्षणों की सहायता लेने के कारण यह वास्तविकता के बहुत निकट होती है। कभी-कभी इसे आगमन प्रणाली अथवा अनुभव प्रणाली भी कहा जाता है।

अनुभव प्रणाली के गुण—

निगमन पद्धति की भाँति इस प्रणाली में भी कुछ विशेष गुण हैं, जिनके कारण धर्मशास्त्र ने इन पद्धतियों को अपनाया है। कुछ धर्मशास्त्रियों ने तो यहाँ तक कहा है कि धर्म-

1 "The great danger of Deductive Method lies in the natural aversion to the labour of verification"—Nicholson : *Principles of Political Economy*, Vol. I.

शास्त्र को केवल इसी प्रणाली के द्वारा निष्कर्ष निकालने चाहिए। इसके निम्नलिखित तीन गुण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :—

(१) निष्कर्ष वास्तविकता के अनुकूल—इस पद्धति के अपनाने से हमारा तर्क हमारे निष्कर्ष वास्तविकता से अलग नहीं होने पाते हैं। हमारा तर्क जीवन की वास्तविक घटनाओं और सत्यो के सहारे आगे बढ़ना है, इसलिए जो निष्कर्ष हम निकालते हैं उनके वास्तविक जीवन में सही होने की सम्भावना रहती है। अतः व्यावहारिक समस्याओं को हल करने हेतु यह पद्धति बड़ी उपयोगी है।

(२) निष्कर्षों की जाँच प्रयोगों द्वारा सम्भव—इस प्रणाली की किसी भी मान्यता या किसी भी निष्कर्ष को वास्तविक प्रयोगों द्वारा साँका जा सकता है। अतः किसी भी बात की सत्यता के विषय में शकित रहने की आवश्यकता नहीं रहती। सन्देह को मिटाने के पर्याप्त उपाय रहते हैं।

(३) निगमन प्रणाली की पूरक होना—निगमन प्रणाली की सहायक के रूप में इस प्रणाली का बहुत महत्व है, क्योंकि इसकी सहायता से किसी भी निष्कर्ष की सत्यता (Truth) और वास्तविकता की जाँच की जा सकती है।

(४) प्राथमिक दृष्टिकोण—इस पद्धति ने इतिहास की अनेक बातों को स्पष्ट करके हमारे ज्ञान में वृद्धि की है और यह बताता है कि आर्थिक तथ्य परिवर्तनशील होते हैं, जिस बात को आर्थिक सिद्धान्त बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार, इस पद्धति का दृष्टिकोण प्राथमिक (Dynamic) है।

(५) कठिनाताओं पर ध्यान—यह पद्धति आर्थिक समस्याओं की कठिनाता पर समुचित ध्यान देती है और यह स्पष्ट करती है कि सर्वव्यापक सिद्धान्तों का निर्माण करना कठिन है अर्थात् एक सामान्य सिद्धान्त दो हुई दशाओं के अधीन ही सही उतरता है।

अनुभव प्रणाली के दोष—

फिर भी अन्य प्रणालियों की भाँति ही इस पद्धति में भी कुछ दोष हैं :—

(१) सीमित निरीक्षण पर आधारित शोधपूर्ण निष्कर्ष—थोड़े से निरीक्षणों और प्रयोगों के आधार पर सामान्य नियम बना लेने में इस बात का भय रहता है कि हमारे निरीक्षणों और प्रयोगों के सीमित होने के कारण सामान्य नियम गलत न हो जायें। जितना ही हमारा निरीक्षण विस्तृत होगा उतना ही निष्कर्षों के अधिक सही होने की सम्भावना बढ़ जायगी किन्तु खोज और निरीक्षण के साधनों की कमी के कारण हमारी खोज का क्षेत्र प्रायः सीमित रहता है और इसीलिए बहुधा बहुत थोड़े आँकड़ों के आधार पर सामान्यताएँ बना ली जाती हैं, जिनकी सत्यता सन्देहजनक रहती है।

(२) सर्वसाधारण के लिए कठिन—यह प्रणाली सर्वसाधारण के उपयोग में नहीं आ सकती है क्योंकि आँकड़ों और सूचनायें पर्याप्त मात्रा में सच्य करना हर किसी के बश की बात नहीं है। फिर इन आँकड़ों और सूचनाओं की व्याख्या तथा विवेचना करना तो और भी कठिन है। साहसिकों के समुचित ज्ञान के बिना उपयोगी और अनुपयोगी आँकड़ों में भेद करना कठिन है तथा फिर इन आँकड़ों से सही अर्थ निकालना तो और भी कठिन है। इससे सिद्ध होना है कि इस प्रणाली के उपयोग के लिए निपुणता तथा विशेषज्ञता की आवश्यकता पड़ती है और प्रत्येक मनुष्य ऐसा नहीं हो सकता है।

(३) प्रयोग की कठिनाताएँ—अर्थशास्त्र में तो इसका उपयोग और भी कठिन है, क्योंकि मनुष्यों पर प्रयोग (Experiment) करना कठिन है। जैसे भी मानव जाति की स्वतन्त्रता इसकी आज्ञा नहीं देती है।

(५) अर्थशास्त्र—केवल अनुभव प्रणाली ही अर्थशास्त्र के विकास के लिए अर्थशास्त्र है । जैसा कि जेम्स ने कहा है, “निस्सन्देह अवलोकन एवं अनुभव प्रकृति सम्बन्धी सभी निश्चित शास्त्रों का आधार है किन्तु केवल इनके ही प्रयोग से आधुनिक विज्ञान के निष्कर्षों का प्राप्त करना सम्भव नहीं था ।”¹

(५) पक्षपात—इस प्रणाली में इस बात की प्राणिका है कि इसके द्वारा निकाले गये निष्कर्ष निष्पन्न न होंगे, क्योंकि उन पर अन्वेषक के अपने निष्कर्षों के दृष्टिकोण की छाप हो सकती है । तब ही तो कहा गया है, “आंकड़ों द्वारा कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है ।”²

अर्थशास्त्र में विभिन्न पद्धतियों का प्रयोग

तीनों अध्ययन प्रणालियों के गुण और दोषों का अध्ययन करने के पश्चात् अब हमें यह देखना है कि अर्थशास्त्र में कौन-सी प्रणाली अधिक प्रचलित है तथा कौन-सी प्रणाली अधिक उपयोगी हो सकती है । समानता प्रणाली का अर्थशास्त्र में कम उपयोग रहा है । नियमन पद्धति और व्याप्तिसूत्रक प्रणाली ही अधिक प्रचलित रही है । इस विषय में कि कौन-सी पद्धति अधिक अच्छी है, बड़ा भेद रहा है । आजकल भी यह विवाद चलता ही रहता है, किन्तु वर्तमान अर्थशास्त्रियों ने एक सन्तोषजनक हल निकाल लिया है और दोनों पद्धतियों के बीच समझौता कर लिया है, जिसके कारण इस बात पर बल दिया जाता है कि दोनों प्रणालियों को एक ही साथ काम में लाना चाहिए । एक दूसरे की विरोधी न होकर वे एक दूसरे की पूरक का कार्य करती हैं प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा नियमन प्रणाली पर बल—

प्राचीन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों (Classical Economics) ने पूरे अर्थशास्त्र के अध्ययन में केवल नियमन प्रणाली का ही उपयोग किया था । अर्थ-विज्ञान के सभी नियम उन्होंने मनुष्यों के उद्देश्यों और आदतों सम्बन्धी कुछ विशेषताओं द्वारा निश्चित किये थे । उन्होंने अपना अध्ययन मनुष्य की प्रकृति की कुछ सर्वमान्य बातों को लेकर किया । उनका विचार था कि मनुष्य के उद्देश्य तथा उसकी प्रकृति सभी स्थानों पर तथा सभी कालों में एक-सी होती है । इस मान्यता के पश्चात् उन्होंने यह निश्चय किया कि मनुष्य के कार्यों का स्वरूप क्या होगा तथा वे किन नियमों के अनुसार घटित होंगे । रिकार्डों (Ricardo) इस पद्धति के विशेष पक्षपाती थे और उनके सभी अनुशासकों ने उनका अनुकरण किया है । इस पद्धति के अर्थशास्त्रियों के निम्नलिखित कारण थे :—(i) प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र और तर्क एवं दर्शनशास्त्र के बीच बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध बनाये रखा था । उन्होंने अर्थशास्त्र को एक वैज्ञानिक दृष्टि से देखा और धारणा में क्या होना है, इस और ध्यान कम दिया । (ii) कुछ समय पहले आंकड़े आदि एकत्रित करने का कार्य बहुत कम किया जाता था, सांख्यिकी (Statistics) की उन्नति नहीं हो पाई थी और जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि आंकड़ों और सूचनाओं के जमा करने का काम हर किताब के बन्ध की बात नहीं थी । (iii) अर्थशास्त्र का अर्थशास्त्र का किया गया कि अर्थशास्त्र के निष्कर्षों में अधिक निश्चितता लाई जाय, जो इस प्रणाली द्वारा सम्भव थी । (iv) यह एक परम्परा-सी बन गई कि मनुष्य की प्रकृति और उसके स्वभाव को यथास्थित मान लिया जाय । इस परम्परा को निभाने के लिए भी नियमन प्रणाली उपयुक्त थी ।

इस प्रणाली के अर्थशास्त्रियों का परिणाम यह हुआ कि अर्थशास्त्र धीरे-धीरे एक कृत्रिम

1 “Though observation and induction must ever be the ground of all, certain knowledge of nature, their unaided employment could never have led to the results of modern science.”

2 Statistics can prove anything.

(Formal) तथा अनुमानजनक विज्ञान बन गया, जिसके नियमों का वास्तविकता से सम्बन्ध टूट गया और इस प्रकार मानव जीवन के लिए इस शास्त्र की उपयोगिता कम हो गई।

अनुभव प्रणाली का उपयोग बढ़ना—

एक समय ऐसा भी आया जबकि निगमन प्रणाली के विरुद्ध एक विद्रोह सा खड़ा हो गया। यह विद्रोह जर्मनी में ऐतिहासिक सम्प्रदाय (Historical School) के समर्थकों ने उठाया था, यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि ऐतिहासिक सम्प्रदाय के जन्म से पहले भी व्यापक मूलक पद्धति का उपयोग हो चुका था। एडम स्मिथ (Adam Smith) ने इस प्रणाली को कई स्थानों पर अपनाया है। जन-संख्या के सिद्धान्त के प्रसिद्ध लेखक माल्थस (Malthus) ने अपना जन-संख्या का सिद्धान्त इसी पद्धति पर आधारित किया है, किन्तु इस प्रणाली को महत्व देने तथा अनेक उन्नी के उपयोग का श्रेय ऐतिहासिक सम्प्रदाय के अर्थशास्त्रियों को ही है। इन अर्थशास्त्रियों ने निगमन प्रणाली की कड़ी आलोचना की और यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि इस पद्धति के अपनाने से अर्थशास्त्र का अध्ययन सर्वथा व्यर्थ हो जायगा। दो बातों ने व्यापक-मूलक पद्धति को विशेष प्रोत्साहन दिया—(i) सांख्यिकी का विवास और (ii) व्यावहारिक प्रश्नों को हल करने की आवश्यकता, जो वर्तमान काल में बहुत महत्व धारण कर चुकी है। आधुनिक युग में आर्थिक समस्याओं की सरपा बहुत बढ़ गई है। सरकार के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करने के सिद्धान्त को मान लेने के बाद तो यह समस्या और भी कठिन तथा गम्भीर बन गई है।

निगमन प्रणाली का पुनरोद्धार—

अर्थशास्त्र के इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि कुछ समय के लिए निगमन प्रणाली का उपयोग लगभग लोप-सा हो गया था, किन्तु आधुनिक काल में इस पद्धति को अपनाने पर एक बार फिर बल दिया गया है। एक नवीन सम्प्रदाय ने, जिसको गणित सम्प्रदाय (Mathematical School) का नाम दिया जाता है, फिर से इस प्रणाली का उपयोग किया है। इस सम्प्रदाय के जन्मदाता प्रोफेसर जेवन्स (Jevons) का विचार है कि अर्थशास्त्र का स्वभाव गणित के समान है, क्योंकि गणित की भाँति यह भी परिमाणवाचक सम्बन्धों (Quantitative Relations) का अध्ययन करता है। इस शास्त्र में कुछ ऐसे तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, जिनके परिमाणवाचक स्वरूप का विशेष महत्व है। ऐसे तथ्यों के अध्ययन में निगमन प्रणाली अधिक लाभदायक होती है। इस मत के अनुयायियों का विचार है कि गणित वा अर्थशास्त्र में अधिक से अधिक उपयोग होना चाहिए, क्योंकि गणित के परिणाम सबसे अधिक निश्चित होते हैं। गणित का समावेश कर देने से अर्थशास्त्र की निश्चितता (Precision) बढ़ जायेगी।

आधुनिक अर्थशास्त्र में गणित का उपयोग निरन्तर बढ़ रहा है। यहाँ तक कि कभी-कभी इस बात की भी शका की जाती है कि भविष्य में अर्थशास्त्र इतना गणित जटिल न हो जाय कि साधारण मनुष्य उसे समझ ही न सके। इस समय भी गणित अर्थशास्त्र (Mathematical Economics) अधिकांश अर्थशास्त्रियों की सभक से बाहर की बात है, किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने ऐतिहासिक पद्धति का पूर्णतया परित्याग कर दिया है। वास्तविकता यह है कि यह प्रणाली भी उतना ही महत्व रखती है जितना कि निगमन प्रणाली।

दोनों पद्धतियाँ एक दूसरे को सहयोगी और पूरक हैं—

इन प्रकार हम देखते हैं कि दोनों ही पद्धतियाँ अर्थशास्त्र में उपयोग में लाई गई हैं तथा लाई जा रही हैं। यह बात दूसरी है कि किसी विशेष समय में या किसी विशेष सम्प्रदाय में एक प्रणाली का अधिक चलन रहा। अब यह प्रश्न उठता है कि इन दोनों में से कौन-सी

अधिक अच्छी और उपयोगी है। यह प्रश्न सच पूछा जाय तो उठाया ही नहीं जाना चाहिए। दोनों पद्धतियों के गुणों और दोषों तथा उपयोगों को देखने से पता चलता है कि दोनों सहयोगी प्रतियोगी नहीं। अर्थशास्त्र का ध्येय अधिक एकताओं की खोजना है और जिस प्रणाली से भी हम उद्देश्य की पूर्ति होती हो उसी का उपयोग करना चाहिए। बात ऐसी है कि एक प्रणाली दूसरे के दोषों का नाश करती है। एक के गुण दूसरे के अवनुगुण है।

प्रश्न: दोनों प्रणालियों को एक साथ कार्य में लाया जाय तो अधिक अच्छा होगा। उदाहरणस्वरूप, यदि सामान्य मतों की जाँच व्याप्ति-मूलक प्रणाली द्वारा कर ली जाय, तो गलती की आशंका बड़ी सीमा तक मिट जाती है। परन्तु साथ ही निगमन प्रणाली भी आवश्यक है क्योंकि, जैसा कि डार्विन (Darwin) ने कहा है, "आंकड़ों स्वयं कुछ नहीं बोलते। यह केवल विश्लेषण, तुलना, कल्पना और भविष्यवाणी के द्वारा ही सम्भव है कि वे कुछ बोल सकते हैं।"¹ अतः अर्थशास्त्र में दोनों प्रणालियों का समान महत्त्व है और दोनों का ही उपयोग किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में कुछ विद्वानों के मत नीचे दिये गये हैं :—

(१) शमोलर (Schmoller)—“जिस प्रकार चलने के लिए दाहिने और बाएँ दोनों पैरों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अर्थ-विज्ञान के अध्ययन के लिए अनुमान और अनुभव दोनों पद्धतियों की आवश्यकता है।”²

(२) मार्शल (Marshall)—“सोच की कोई भी एक रीति ऐसी नहीं है जिसे हम अर्थशास्त्र की रीति कह सकें, बल्कि समुचित स्थान पर व्यक्तिगत रूप में अथवा दूसरी रीतियों के साथ मिलाकर प्रत्येक रीति का उपयोग होना चाहिये।”³

(३) वॉगनर (Wagner)—“निगमन और अगमन प्रणालियों में से किसे चुना जाय, इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर यही हो सकता है कि दोनों को ग्रहण किया जाय।”⁴

जिन उद्देश्यों के लिए और जिन परिस्थितियों में जो प्रणाली अधिक उपयोगी हो उसी का उपयोग करना चाहिए, अतः ‘निगमन प्रणाली या व्याप्ति-मूलक प्रणाली’ स्थान पर ‘निगमन प्रणाली और व्याप्ति-मूलक प्रणालियाँ’ कहना अधिक उपयुक्त है। आजकल अर्थशास्त्री दोनों के मिश्रित तरीके का प्रयोग करते हैं, जिसे उन्होंने ‘वैज्ञानिक तरीका’ (Scientific Method) कहा है। इनके आशयित मिश्रण वाग्नर शब्दमालिन हैं—अवलोकन, तर्क और परख। विभिन्न प्रणालियों को कितना अनुमान में मिलाया जाय यह सोच के स्वभाव, प्राप्त सामग्री आदि

¹ “Facts do not speak for themselves. It is only by analysis, comparison, hypothesis and prophecy that they can be made to speak at all”

—Darwin.

² “Induction and Deduction are both needed for scientific thought as the right and left foot are both needed for working” —Quoted by Walker.

³ “There is not any one method of investigation which can properly be called, the Method of Economics; but every method must be made serviceable in its proper place either singly or in combination with others”

—Marshall : *Principle of Economics*, p. 24

⁴ “The true solution of the contest about methods is not to be found in the selection of deduction or induction, but in the acceptance of both deduction and induction.” —Wagner.

पर निर्भर है। उदाहरणार्थ, उपभोग, मूल्य सिद्धान्त इत्यादि में निगमन प्रणाली का प्रयोग ठीक होता है किन्तु व्यापार चक्र, उत्पत्ति और राजस्व में आगमन रीति अधिक उपयुक्त है, क्योंकि वहाँ प्रयोग की सम्भावना है। विनिमय और वितरण की समस्याओं के अध्ययन हेतु कहीं आगमन प्रणाली का तो कहीं निगमन प्रणाली का अधिक प्रयोग किया जाता है।

परीक्षा प्रश्न :

१. अर्थशास्त्र के अध्ययन में निगमन या आगमन कौन-सी प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिये ? विवेचन कीजिये।
२. आर्थिक नियमों को निकालने का रीतियाँ बताइये। क्या ये एक दूसरे की सहायक होती हैं ?
३. पूर्ण रूप से समझाइये कि अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिये निगमन एवं आगमन रीतियाँ दोनों क्यों और कैसे आवश्यक होती हैं ?
४. आर्थिक खोज के लिये प्रायः उपयोग में आने वाली प्रणालियों की संक्षेप में चर्चा कीजिये।

[सहायक संकेत — उपर्युक्त सभी प्रश्नों के उत्तर में सर्वप्रथम निगमन एवं आगमन प्रणालियों के अर्थ को बताइये और इनके गुण-दोषों पर प्रकाश डालिये। तत्पश्चात् इनके मनमोद को दस-पन्द्रह लाइनों में दीजिये और अन्त में निष्कर्ष के रूप में बताइये कि दोनों प्रणालियाँ परस्पर पूरक हैं, प्रतिस्पर्धी नहीं।]

अणु एवं बृहत् अर्थशास्त्र

(Micro and Macro Economics)

प्रारम्भिक—अणु एवं बृहत् दृष्टिकोण

अर्थशास्त्र में हम दो प्रकार की आर्थिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं—प्रथमतः वे किसी व्यक्ति विशेष या व्यवसाय विशेष से सम्बन्धित होती हैं, और, द्वितीय वे जो मगस्त अर्थ-व्यवस्था से सम्बन्ध रखती हैं। उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति की माँग, एक व्यक्ति की आय, एक फर्म का उत्पादन ये सभी प्रथम वर्ग की घटनाओं में सम्मिलित हैं। इनके विपरीत, कुल आय, कुल उत्पादन, कुल रोजगार आदि दूसरे वर्ग के अन्तर्गत आती हैं। किसी आर्थिक घटना (जैसे आय) का अध्ययन जब एक विशेष व्यक्ति, फर्म या उद्योग की दृष्टि से किया जाता है, तो इसे अणु दृष्टिकोण (Micro-approach) और जब सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से किया जाता है, तो बृहत् दृष्टिकोण (Macro-approach) कहेंगे। आर्थिक घटनाओं के अध्ययन की इन पद्धतियों के अनुसार ही अर्थशास्त्र को भी दो भागों में बाँटा जाने लगा है : (अ) अणु, सूक्ष्म, व्यष्टि या व्यक्तिगत अर्थशास्त्र और (ब) बृहत्, व्यापक समष्टि या सामूहिक अर्थशास्त्र।

अणु, सूक्ष्म, व्यष्टि या व्यक्तिगत अर्थशास्त्र (Micro Economics)

परिभाषा—किसी देश की आर्थिक प्रणाली का अध्ययन करते समय हमें विभिन्न प्रकार की इकाइयों का अध्ययन करना पड़ता है। देश में व्यक्तिगत उपभोक्ता, व्यक्तिगत उद्योग, व्यक्तिगत फर्म तथा व्यक्तिगत वस्तुएँ होती हैं। इन व्यक्तिगत इकाइयों से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन व्यक्तिगत अर्थशास्त्र के अन्तर्गत होता है। इस प्रकार के अध्ययन में उन सभी कारणी, घटनाओं तथा तथ्यों का विवेचन सम्मिलित होता है जिन पर किसी विशेष फर्म अथवा उद्योग का उत्पादन व्यय, उत्पादन क्षमता, सन्तुलन आदि निर्भर होने हैं। इसी प्रकार, किसी वस्तु विशेष की कीमत का निर्धारण तथा किसी विशेष श्रमिक वर्ग की मजदूरी का अध्ययन भी व्यक्तिगत अर्थशास्त्र की विषय-सामग्री है। बौलडिंग (Boulding) के शब्दों में, “व्यक्तिगत अर्थशास्त्र विशिष्ट आर्थिक संघटनाओं तथा उनकी पारस्परिक प्रतिक्रिया का अध्ययन है और इसमें विशिष्ट दार्शनिक मान्यताएँ तथा उनका निर्धारण भी सम्मिलित हैं।”¹

इतिहास—व्यक्तिगत अर्थशास्त्र का आरम्भ एडम स्मिथ से होता है, यद्यपि वे पूर्णतया इसी दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं थे। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की आगे की पीढ़ियों ने, मुख्यतया मार्शल तथा उनके समर्थकों ने इस दृष्टिकोण को अधिक स्पष्ट रूप में ग्रहण किया था। इन

¹ “Micro economics is the study of particular economic organisms and their interaction, and of particular economic quantities and their determination.”—K. E. Boulding : *A Reconstruction of Economics*, p. 3.

समय एक बार फिर इस प्रकार के अध्ययन को कम महत्त्व दिया जा रहा है, यद्यपि उपयोग इसका भी अक्षय होता है।

वृहत्, व्यापक, समिष्ट या सामूहिक अर्थशास्त्र (Macro Economics)

परिभाषा—व्यक्तिक अर्थशास्त्र में हमारा अध्ययन व्यक्तिगत समस्याओं के अध्ययन से सम्बन्धित होता है। परन्तु जब हम सामूहिक अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो इसमें देश से सम्बन्धित सामूहिक समस्याओं का अवलोकन किया जाता है। यहाँ पर हम सामान्य कीमत-स्तर सामूहिक माँग, कुल वस्तुओं का सामूहिक उत्पादन, कुल आय, कुल बचत, कुल रोजगार आदि समस्याओं का अध्ययन करते हैं, अर्थात्, हम समूहों का स्पष्टीकरण करते हैं, उनके पारस्परिक सम्बन्धों को समझने की चेष्टा करते हैं और उनके एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने का प्रयत्न करते हैं। जैसा कि बोल्टिङ ने कहा है, “सामूहिक अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता, बरन् इन मात्राओं के समूहों का अध्ययन होता है, इसका सम्बन्ध व्यक्तिगत आय से नहीं होता बल्कि राष्ट्रीय आय से होता है, व्यक्तिगत कीमतों से नहीं होता बल्कि कीमत-स्तर से होता है, और व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं होता बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन से होता है।”¹

इतिहास—इस प्रकार के अध्ययन के आरम्भ का श्रेय माल्थस (Malthus) को दिया जा सकता है, परन्तु वह सन् १६२६ के महान अवसाद (Great Depression) के पश्चात् अधिक लोकप्रिय हुआ है। इसके वर्तमान महत्त्व का प्रमुख श्रेय केन्ज (Keynes) को है। वालरस, विवर्मैल, फ़िजर आदि अर्थशास्त्रियों ने भी वृहत् अर्थशास्त्र के विकास में बहुत योग दिया है।

व्यक्तिक तथा सामूहिक अर्थशास्त्र का अन्तर

यदि हम व्यक्तिक तथा सामूहिक अर्थशास्त्र सम्बन्धित सन्तुलन-यन्त्र (Equilibrium Mechanism) का अध्ययन करें, तो व्यक्तिक और सामूहिक अर्थशास्त्र में निम्न अन्तर मिलेंगे:—
(१) जबकि व्यक्तिक अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें किस प्रकार निश्चित होती हैं, सामूहिक अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि रोजगार, कुल उत्पादन तथा उत्पत्ति के साधनों के हिस्से कैसे निश्चित होते हैं। (२) जबकि व्यक्तिक अर्थशास्त्र यह बताता है कि किसी एक वस्तु की कीमत, उसके उत्पादन तथा उपयोग में किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, सामूहिक अर्थशास्त्र यह बताता है कि रोजगार, कुल उत्पादन तथा विभिन्न वर्गों के उत्पादकों की आय में किस प्रकार परिवर्तन होते हैं। (३) जबकि व्यक्तिक अर्थशास्त्र व्यक्तिगत उद्योगों के उतार-चढ़ाव को दर्शाता है, सामूहिक अर्थशास्त्र कुल अर्थ-व्यवस्था के उतार-चढ़ाव को।

अणु अर्थशास्त्र तथा वृहत् अर्थशास्त्र में भेद करते हुए बोल्टिङ ने लिखा है:—
‘अणु अर्थशास्त्र विशेष फर्मों, विशेष परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आय, व्यक्तिगत उद्योगों और व्यक्तिगत वस्तुओं का अध्ययन है। विषय के इस भाग में माँग और पूर्ति विश्लेषण, सीमान्त विवेचन और व्यक्तिगत फर्म और उद्योग के नियम विशेषतया लाभदायक होते हैं। किन्तु अनेक आर्थिक समस्याएँ और नीतियाँ व्यक्तिगत कीमतों, वस्तुओं और फर्मों के स्थान पर समूहों (Aggregates) से सम्बन्धित होती हैं।.....इस प्रकार वृहत् अर्थशास्त्र विषय का

¹ “Macro economics deals not with individual quantities as such but with aggregates of these quantities—not with individual incomes but with national income, not with individual prices but with price-level, not with individual out put but with national output,”—*Ibid*, p 3.

यह भाग है जिसमें किसी प्रणाली के मद्दावू समूहों और शीतानों का अध्ययन होना है व्यक्तिगत, मर्दों का नहीं। यह अर्थशास्त्र इन समूहों की इस प्रकार से व्याख्या करता है कि यह पता लग जाय कि वे एक दूसरे से किस प्रकार सम्बन्धित और निर्धारित होते हैं।"

व्यक्तिक एवं सामूहिक अर्थशास्त्र के क्रमिक उपयोगिता-क्षेत्र

व्यक्तिगत अर्थशास्त्र मुख्यतः उपभोग पर विस्तृत है। सीमान्त विश्लेषण (Marginal Analysis) इसका एक विशेष उपकरण है। उपभोग के विभिन्न नियम इसी पर आधारित हैं। उत्पादन के क्षेत्र में व्याक्तिक कर्म, व्याक्तिक उद्योग आदि और वितरण के क्षेत्र में राष्ट्रीय आय का व्याक्तिक वितरण भी व्यक्तिक या अणु अर्थशास्त्र के अधीन है। किन्तु राजस्व, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनिमय, बैंकिंग इत्यादि इसके क्षेत्र से बाहर हैं।

इसके विपरीत, सामूहिक या बृहत् अर्थशास्त्र अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, राजस्व, विदेशी विनिमय, बैंकिंग, व्यापार चक्र, राष्ट्रीय आय और रोजगार विषयक सिद्धान्त, आर्थिक विकास के सिद्धान्त इत्यादि पर विस्तृत है।

अणु अर्थशास्त्र का महत्त्व

प्रयोग या साधन—अणु अर्थशास्त्र के लाभ मुख्यतः इस तथ्य से उदय होते हैं कि बृहत् अर्थ-शास्त्र की कुछ ऐसी कठिनाइयाँ और कमियाँ हैं, जिनसे बचना अच्छा होगा। विभिन्न नाम इन प्रकार हैं :—(१) वैयक्तिक इकाइयों का अध्ययन करने सम्पूर्ण अर्थ व्यवस्था को समझना सुगम हो जाता है क्योंकि व्याक्तिक इकाइयाँ मिलकर सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था का निर्माण करती हैं। (२) अणु अर्थशास्त्र व्यक्तियों, परिवारों, फर्मों इत्यादि को अपने-अपने आर्थिक व्यवहार के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। (३) वह व्यक्तिक व्ययों, उपभोग, विनियोग, बचत, एवं आय के ग्यों और इनके स्वभावों पर विश्लेषणात्मक प्रकाश डालता है। (४) वह इस बात को भी समझता है कि एक वस्तु विशेष का मूल्य कैसे निर्धारित होता है तथा एक साधन विशेष का पारितोषण कैसे नियत किया जाता है ? (५) वह व्यक्तिक इकाइयों की कार्य क्षमता और अन्य समस्याओं का अध्ययन करता है तथा इनका समाधान प्रस्तुत करता है।

उपयुक्त लाभों को दृष्टि में रखते हुए केम्प ने लिखा है कि "यह (अणु अर्थशास्त्र) मनुष्यों के वैचारिक यन्त्र का एक मुख्य अङ्ग है।"

सीमायें—अपने सीमित क्षेत्र में अणु विवेचन लाभदायक है, किन्तु इसकी कुछ गम्भीर परिसीमाएँ (Limitations) भी हैं निम्नलिखित सीमायें मुख्यतया उल्लेखनीय हैं :—(१) अणु अर्थ शास्त्र समस्त अर्थ व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है। यह विवेचन अर्थ-व्यवस्था के पृथक पृथक भागों के विवेचन में इतना व्यस्त रहता है कि वह समस्त चित्र पर दृष्टिकोण नहीं कर पाता। इसमें विषय भाग के अध्ययन के लिए कुल का अध्ययन छोड़ दिया जाता है। (२) व्यक्तिक विश्लेषण के निष्कर्ष सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के लिए भी ठीक होना जरूरी नहीं है। बैंक-तो भागों का अध्ययन स्वयं अपने में लाभदायक हो सकता है, परन्तु विनिष्ट भागों में जो प्रवृत्ति पाई जाती है उसका सामान्य अर्थ व्यवस्था में मिलना आवश्यक नहीं है। नीति निर्माण के सम्बन्ध में तो यह कठिनाई बड़ी अड़चन उत्पन्न कर देती है, क्योंकि एक भाग से सम्बन्धित नीति को कुल अर्थ व्यवस्था पर लागू नहीं किया जा सकता है। (३) अणु अर्थशास्त्रीय विवेचन पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। अनुभव से पता चलता है कि पूर्ण रोजगार एक अणुवाद है, अर्थ-व्यवस्था का एक सामान्य दशा नहीं। केम्प ने ठीक ही कहा है कि अर्थ-व्यवस्था में पूर्ण रोजगार मानकर हम अपनी कठिनाइयों से मुँह मोड़ लेते हैं। लाभदायक फल प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि अर्थशास्त्र में से वे सभी मान्यताएँ निजात दी जाएँ जो अवास्तविक

है। (४) कुछ आर्थिक समस्याओं का अध्ययन सम्भव नहीं है, जैसे—राजस्व, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनिमय आदि की समस्याएँ।

वृहत् या सामूहिक अर्थशास्त्र का महत्त्व

प्रयोग या लाभ—वृहत् दृष्टिकोण इसलिए आवश्यक हो गया है कि अणु दृष्टिकोण की कुछ गम्भीर सीमायें हैं। साथ ही इसके अपने विशेष लाभ भी हैं। वृहत् अर्थशास्त्र के प्रमुख लाभ वा प्रयोग निम्न प्रकार हैं—(१) अर्थ-व्यवस्था के जटिल सामूहिक संचालन को समझने में सहायक—वर्तमान अर्थ-व्यवस्था बड़ी जटिल है। इसमें आर्थिक तत्त्व एक दूसरे पर घनिष्ठता से निर्भर करते हैं, जिस कारण इनका एक साथ अध्ययन करने से ही सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के सगठन और संचालन की सही जानकारी मिल सकती है। (२) नीति के निर्माण में सहायक—आर्थिक नीति की दृष्टि से वृहत् अर्थशास्त्र का महान् महत्त्व है। कारण, किसी भी सरकार के आर्थिक नीति सम्बन्धी निर्णय विशेष व्यक्तियों को देखकर नहीं बल्कि व्यक्तियों के समूह को दृष्टिगत रखकर किये जाते हैं। (३) महत्त्वपूर्ण आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में सहायता—सामूहिक या वृहत् अर्थशास्त्र अर्थशास्त्रियों को राष्ट्रीय आय, रोजगार, उत्पादन इत्यादि से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में सहायता देता है। (४) अणु अर्थशास्त्र के विकास में सहायक—अणु सूक्ष्म या व्यक्तिगत अर्थशास्त्र विभिन्न नियमों और सिद्धान्तों को प्रस्तुत करने में व्यापक, वृहत् या सामूहिक अर्थशास्त्र की सहायता लेता है, जैसे—एक फर्म का सिद्धान्त अनेक फर्मों के व्यवहार का सामूहिक रूप में अध्ययन करने के बाद ही बन सकता है। (५) विरोधाभासों को उपस्थिति—कुछ कारणों से एक व्यक्ति के लिए तो सही है किन्तु जब इनका प्रयोग सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था हेतु किया जाता है, तो वे गलत बैठती हैं। उदाहरणार्थ, बचत एक व्यक्ति की दृष्टि से लाभदायक है किन्तु समाज की दृष्टि से नहीं। जैसा कि बोल्टिज ने बताया है, इन विरोधाभासों के कारण ही सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था के पृथक अध्ययन की आवश्यकता है।

वृहत् अर्थशास्त्र की सीमायें या खतरे—

किन्तु वृहत् अर्थशास्त्र की कुछ कठिनाइयाँ या सीमायें भी हैं। जोकि इस प्रकार हैं—

(१) अनेक बातें व्यक्तियों और छोटे समूहों के सम्बन्ध में तो सही हैं, परन्तु सारी अर्थ व्यवस्था के सम्बन्ध में गलत होती हैं। बोल्टिज के अनुसार, “अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर सामान्य निष्कर्ष थना लेना एक ऐसी आदत है जिससे छुटकारा कठिन है। परन्तु यही आदत सामाजिक विचार की दृष्टि से गलती वा सबसे बड़ा खतरा होती है।”¹

(२) जैसा कि बोल्टिज ने कहा है, गलती यह भी होती है कि समूहों के सम्बन्ध में विचार करते समय हम यह भूल जाते हैं कि वे सदा अनुकूल (Homogeneous) नहीं होते हैं और उनकी आन्तरिक बनावट में महत्त्वपूर्ण अन्तर हुआ करते हैं। समूह अनेक मधों से मिलकर बनते हैं और इन मधों में भी बनावट और कलेवर की दृष्टि से विशाल अन्तर हो सकते हैं।

(३) समूह विवेचन में यह दोष रहता है कि समूह की सभी मधें महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। एक समूह में बहुत-सी ऐसी भी मधें हो सकती हैं जिनका कोई विशेष महत्त्व न हो। ऐसी दशा में हमारे सम्मुख यह कठिन समस्या उठ जाती है कि कौन-कौन-सी मधों को चुना जाय और किस आधार पर। जिसे एक मात्र कर्तव्य के चुनाव के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं वह फलनात्मक (Functionally) होती है, क्योंकि अनेक दशाओं में समूह की रचना स्वयं समूह की अपेक्षा

¹ “Generalisation from our own experience is such a common habit that we constantly fall into it; it is, however, one of the greatest sources of error in social thinking.”—*Ibid*

अधिक महत्वपूर्ण है। अतः ऐसी दशाओं में, 'कुल' को इसके 'भागों' में विभाजित करना चाहिए, जो एक कठिन कार्य है। समूह के आधार पर जब कमी भी नविष्यवाणी की जाती है तो यह आवश्यक हो जाता है कि उन मद्दों को ध्यान में रखें जिनसे वह समूह बना।

(४) सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि बहुत बार किसी भी समूह की परिभाषावाचक माप कठिन होती है। एक समूह में अलग-अलग प्रकार की अनेक मद्दें होती हैं और उन सबको परिभाषावाचक माप को किसी एक सामूहिक आधार पर खाना कठिन होता है। उदाहरणार्थ राष्ट्रीय आयान तथा मोघनाशेष को मूल्यों की माप में यह कठिनाई माफ-साफ दिखाई पड़ती है। कुछ अंश तक यह कठिनाई मुद्रा को माप का पैमाना बनाकर दूर की जा सकती है, परन्तु मुद्रा सभी वस्तुओं का शुद्ध और सही माप नहीं दे पाती है।

अणु एवं वृहत् अर्थशास्त्र की पारस्परिक निर्भरता

यह सोचना गलत होगा कि आर्थिक विवेचन की उभयुक्त रीतियाँ एक दूसरे से पूर्णतः स्वतन्त्र हैं। थोटा-सा ही ध्यान देने से पता चल जायेगा कि दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। आर्थिक समस्याओं के पूर्ण विश्लेषण के लिए आर्थिक जीवन के प्रति अणु एवं वृहत् दोनों ही प्रकार के दृष्टिकोणों का उपयोग आवश्यक है। यदि आप एक को समझने हैं दूसरे को नहीं, तो आप केवल अर्द्ध-शिक्षित हैं। दोनों रीतियों की परस्पर-निर्भरता निम्नांकित विवरण से स्पष्ट हो जायेगी :—

वृहत् विश्लेषण में अणु विश्लेषण की सहायता—

निम्नलिखित उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अणुशास्त्रीय अध्ययन वृहत् अर्थशास्त्रीय अध्ययन में बड़ी सहायता देता है :— (१) यदि कुल माँग में वृद्धि हुई है, तो यह सम्भव है कि कुछ वस्तुओं के लिए माँग स्थिर रहे या कम हो जाय। अतः कुल माँग में वृद्धि होने का अर्थ यह नहीं है कि सभी उद्योगों का विस्तार हो रहा है। (२) यदि कुल माँग में वृद्धि हो जाय, तो यह आवश्यक नहीं है कि बड़ी हुई माँग से सम्बन्धित उद्योग की सभी फर्म अपना उत्पादन बढ़ायें, क्योंकि जो फर्म उत्पादन ह्रास नियम के अन्तर्गत प्रियागोल हैं वे उत्पादन को बढ़ाने में कठिनाई अनुभव करेंगे। (३) यदि हम यह जानना चाहते हैं कि सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था कैसे कार्य कर रही है, तो इसकी संघटक इकाइयों (व्यक्तियों, परिवारों, फर्मों और उद्योगों) पर पृथक-पृथक ध्यान देना होगा। (४) यदि लोगों की आय बढ़ जाय, तो इसके प्रभावों को समझने हेतु यह देखना होगा कि लोग इसका कौन-सा भाग किस वस्तु पर व्यय करते हैं। यदि लोग साइकिलों की अपेक्षा स्कूटरों पर अधिक व्यय करने लगें, तो स्कूटर बनाने वाले उद्योग का अर्थ-शास्त्र अधिक विकास होगा।

अणु विश्लेषण में वृहत् विश्लेषण की सहायता—

अणु अर्थशास्त्रीय समस्याओं को समझने के लिए वृहत् अर्थशास्त्र का भी अध्ययन लाभदायक है। पूरे समूह के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त किये बिना उस समूह के किसी एक सदस्य के व्यवहार के कारणों एवं प्रभावों को समझना कठिन होता है, क्योंकि व्यक्तिगत निर्णय एकान्त में नहीं किये जाते हैं। यह बात निम्नलिखित उदाहरणों से स्पष्ट हो जायेगी :— (१) एक व्यक्तिगत दूकानदार अपने स्टॉक में उसी समय वृद्धि करता है जब वह सामूहिक रोजगार, माँग और कीमतों को बढ़ने हुए देखता है। (२) एक फर्म या उद्योग उत्पादन-साधनों के लिए क्या कीमत देगा यह केवल उस फर्म या उद्योग की स्वयं की माँग पर निर्भर नहीं है बल्कि साधनों के लिए सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था की माँग पर भी निर्भर है। (३) कोई फर्म कितना माल देच सकती है यह केवल उस फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमतों पर ही नहीं बरन् समाज में कुल क्रय शक्ति

कितनी है इस पर भी निर्भर है। (४) एक वस्तु विशेष का मूल्य केवल उसकी निजी मांग पूर्ति सम्बन्धी दशाओं पर ही निर्भर नहीं है वरन् अन्य वस्तुओं की कीमतों पर भी निर्भर होता है।

उपसंहार—

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अणु एवं बृहत् दोनों विश्लेषण रीतियाँ एक दूसरे पर निर्भर हैं किन्तु परम्पर-निर्भरता के बावजूद दोनों में एक महत्त्वपूर्ण अन्तर है। जैसा कि हमने पहले भी बताया है, अणु अर्थशास्त्र व्यक्तियों का अध्ययन करता है, परन्तु बृहत् अर्थशास्त्र समुदाय अथवा समाज का अध्ययन करता है। प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि एक व्यक्ति तो मरणशील है परन्तु समाज अविनाशी और अमर। यद्यपि यह कहना तो गलत है कि समाज अमर है (न्यायिक इतिहास साक्षी है कि कितने ही पुराने समाज पूर्णतया लुप्त हो गये हैं) तथापि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि एक व्यक्ति की तुलना में समाज की जीवन-अवधि बहुत लम्बी होती है, अतः एक ही विश्लेषण व्यक्ति और समाज दोनों पर लागू नहीं हो सकता। यह इसलिए और भी है कि व्यक्ति की तुलना में समाज का विनाश और उसका ह्रास बहुत धीमी गति से होता है।

परीक्षा प्रश्न :

1. व्यक्तिगत अर्थशास्त्र और सामूहिक अर्थशास्त्र में अन्तर स्पष्ट कीजिए। आर्थिक विश्लेषण में बृहत् या सामूहिक दृष्टिकोण की आवश्यकता बताइये।
[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम दोनों प्रकार के अर्थशास्त्र के आशयों को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, दोनों के अन्तर को समझाते हुए बृहत् आर्थिक विश्लेषण के लाभ दीजिए और अन्त में इसकी सीमामें इङ्कित कीजिए।]
2. "अर्थशास्त्री को आर्थिक व्यक्तिगत भाव (Micro-economic) और आर्थिक समष्टि भाव (Macro-economic) दोनों प्रकार की समस्याओं का अध्ययन करना पड़ता है। ये दोनों अध्ययन एक दूसरे के विकल्प नहीं हैं वरन् पूरक हैं।" विवेचन कीजिए।

अथवा

"यथार्थ में अणु एवं बृहत् अर्थशास्त्र में कोई विरोध नहीं है। दोनों अत्यन्त आवश्यक हैं। यदि आप एक को जानते हों दूसरे को नहीं, तो आप केवल अर्द्ध-शिक्षित हैं।" विवेचन करिये।

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम अणु एवं बृहत् अर्थशास्त्र की परिभाषायें उदाहरण सहित दीजिए। तत्पश्चात् दोनों के महत्त्व को बताइये और अन्त में यह दिखाइये कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं।]

स्थैतिक और प्रावैगिक अर्थशास्त्र

(Static and Dynamic Economics)

प्रारम्भिक—

प्रत्येक विज्ञान भविष्य का अनुमान लगाना चाहता है। किन्तु सही भविष्यवाणी करने के लिए न केवल वर्तमान स्थिति का बल्कि इस बात का भी पूरा ज्ञान होना आवश्यक है कि वर्तमान का भूतकाल में से किस प्रकार विकास हुआ है। चूंकि प्रकृति में प्रनुरूपता है और घटनाओं के बीच के सम्बन्ध को कारण-परिणाम सिद्धान्त (Principle of Causation) लागू होता है, इसलिए यह मानकर चलना बहुत गलत न होगा कि भविष्य में एक आर्थिक घटना में इसी प्रकार के परिवर्तन की प्रवृत्ति होगी जो कि भूतकाल में होता रहा है। वर्तमान स्थिति के विकास का इतिहास भावी विकास की प्रवृत्ति का एक अच्छा सूचक हो सकता है। इस कारण यह आवश्यक हो जाता है कि आर्थिक अध्ययन प्रावैगिक दृष्टि से किया जाय। आधुनिक अर्थशास्त्री अपना ध्यान विस्थापित मान्यताओं अथवा तथ्यों पर आधारित नहीं कर सकते। उन्हें चाहिए कि वे प्राथमिक गतिपथों के संचालन का वास्तविक जीवन के सन्दर्भ में अध्ययन करें। आजकल आर्थिक समस्याओं का अध्ययन स्थैतिक या प्रावैगिक दशाओं के अधीन किया जाने लगा है, अतः स्थैतिक और प्रावैगिक दोनों ही विचार आर्थिक विश्लेषण में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन दोनों में अन्तर विश्लेषण के तरीके का है। बहुधा अर्थशास्त्र को दो भागों में बाँटा जाने लगा है— स्थैतिक एवं प्रावैगिक।

स्थैतिक अर्थशास्त्र (Static Economics)

'स्थैतिक दशा' से आशय—

अर्थशास्त्र में स्थैतिक और प्रावैगिक शब्द भौतिक शास्त्र से लिये गये हैं, किन्तु यहाँ पर इनके अर्थ दूसरे ही हैं। भौतिक शास्त्र में स्थैतिक दशा वह होती है, जिसमें कोई गति (Movement) न हो। इनके विपरीत, अर्थशास्त्र में स्थैतिक दशा वह है जिसमें गति तो हो परन्तु गति की दर में कोई परिवर्तन न हो। यह गति निश्चित एवं नियमित रूप से होती है। इसमें अनिश्चितता और भ्रष्ट के नहीं होते। प्रो० हेरोड (Harrod) के अनुसार, "इस प्रकार, स्थैतिक साम्य का अर्थ विधायन की अवस्था बदापि नहीं है। वह तो ऐसी अवस्था को सूचन करता है, जिसमें दिन प्रतिदिन और वर्ष प्रतिवर्ष कार्य, बिना घटे-बढ़े, निरन्तर हो रहा है.....अर्थात् इसी सचय किन्तु अपरिवर्तनशील प्रक्रिया को स्थैतिक अर्थशास्त्र का नाम देना चाहिए।"¹

¹ "Thus a static equilibrium by no means implies a state of idleness, but one in which work is steadily going forward day by day and year by year, but without increase or diminution....that it is to this active but unchanging process that the expression Static Economics should be applied."

—Harrod : *Towards a Dynamic Economics*, p. 3-4

'स्थैतिक' शब्द के अर्थ के बारे में अर्थशास्त्रियों में मतभेद है, जिसे निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है.—

(१) प्रो० हिक्स (Hicks) ने स्थैतिक और प्राद्वैगिक का सम्बन्ध तिथिकरण (dating) से जोड़ा है और आर्थिक सिद्धान्तों के उन भागों को स्थैतिक अर्थशास्त्र कहा है जिनमें तिथिकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है।¹ किन्तु हैरोड उनके इस विचार को ठीक नहीं समझते। वे कहते हैं कि स्थैतिक और प्राद्वैगिक को तिथिकरण से सम्बन्धित करना गलत है।

(२) कुछ लेखकों ने (जैसे टिनबर्जन, मेकफी, स्टिगलर) स्थिर (Stationary) और स्थैतिक (Static) दोनों का एक ही अर्थ में प्रयोग किया है। टिनबर्जन का विचार है कि स्थिर अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में बनाया हुआ आर्थिक सिद्धान्त 'आर्थिक स्थैतिक' होता है। स्टिगलर ने उस अर्थव्यवस्था को 'स्थिर' माना है जिसमें शक्ति, साधनों और टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन न हो। प्रो० ब्लांक ने स्थिर अर्थ व्यवस्था के लिए जनसंख्या, पूँजी, उत्पादन की रीतियों, वैयक्तिक संस्थाओं के संगठन के रूप और मानवीय आवश्यकताओं को स्थिर ग्रहण समान माना है। किन्तु हैरोड का कहना है कि स्थैतिक अर्थशास्त्र को एक ऐसी स्थिर अर्थव्यवस्था का, जिसमें कि परिवर्तनों की पूर्ण अनुपस्थिति मानी जाती है, अध्ययन समझना ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ प्रकार के परिवर्तन (जैसे—एक वारसी परिवर्तन, मौसमों और फसलों के परिवर्तन) स्थैतिक अर्थशास्त्र में सम्मिलित होते हैं बशर्ते कि वे सन्तुलन के स्थापित होने की प्रवृत्ति को नष्ट न करें।

स्थैतिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र—

निश्चितता और ज्ञान की पूर्णता ये दोनों एक स्थिर दशा के स्वाभाविक लक्षण होते हैं। निश्चितता के कारण लोगों का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी दशा में कीमत सीमान्त लागत और औसत सीमान्त लागत के बराबर होती है। उपर्युक्त घटकों की स्थिरता का यह भी अर्थ होगा कि कुल उत्पादन की एक ऐसी मात्रा और किस्म होंगी जिस पर साम्य स्थापित हो जायगा। ऐसे साम्य का स्थान बहू होगा जहाँ, दिये हुए ज्ञान के आधार पर, दिये हुए (Given) साधनों का लोगों की माँग से समायोजन हो जाये। असाम्य की दशा में, जो कि इस कारण उत्पन्न है कि साधनों के वितरण का लोगों की आवश्यकताओं से समायोजन नहीं हुआ है, समायोजन की दिशा में कोई प्रवृत्ति नहीं होगी। पर समायोजन के एक बिन्दु पर साधनों का जो वितरण प्राप्त होता है उसी का बार बार पुनर्वातन होगा रहेगा। कभी-कभी प्राकृतिक साधनों से (जैसे—अधिक वर्षा, प्राकृतिक विपत्तियाँ आदि) विघ्न उत्पन्न होंगे, परन्तु विघ्न की प्रत्येक दशा में समायोजन की दशा में कार्य आरम्भ हो जायेगा। इस प्रकार, स्थैतिक विवेचन साम्य और इसके आस-पास की गतिविधियाँ दोनों पर समान रूप से लागू होता है।

सुलनात्मक स्थैतिक (Comparative Statics)—

स्थैतिक दशा की मान्यता यह थी कि आधारभूत दशाओं में परिवर्तन नहीं होगा। परन्तु, यदि उत्पत्ति-साधनों का उत्पादन सम्बन्धी आवश्यकताओं के साथ समायोजन नहीं हुआ है, तो साधनों की गति समायोजन की दिशा में होगी। इस प्रकार की गति का अध्ययन तो स्थैतिक अर्थशास्त्र में ही हो जायगा। परन्तु गतिपरिवर्तन एक अन्य प्रकार का भी हो सकता है, जो यह कि आधारभूत दशाएँ ही बदल जायें। ऐसी दशा में सभी सूचनार्य ही बदल जायेंगी। अब साम्य की एक अलग ही स्थिति होगी और उत्पादन की मात्रा तथा कीमत-स्तर भी पहले से पृथक् होंगे। इस प्रकार हमारे सम्मुख साम्य की दो दशाएँ होंगी—एक, जो पहली दशा पर आधारित थी और दूसरी, वह जो आधारभूत दशानों के परिवर्तन के पश्चात् उत्पन्न हुई है। इन

¹ Hicks : *Value and Capital*, p. 115.

दोनों दशाओं की तुलना करना बहुत लाभदायक हो सकता है। इन दो परिस्थितियों की तुलना के लिए भी हम स्थैतिक अध्ययन प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। परन्तु इस प्रकार का अध्ययन "तुलनात्मक स्थैतिक अर्थशास्त्र" नहलायेगा।

स्थैतिक अर्थशास्त्र की सीमायें—

स्थैतिक अर्थशास्त्र कुछ घटकों की अरिपवर्तनशीलता के सन्दर्भ में अतिरिक्त समस्याओं का अध्ययन करता है, जबकि वास्तविक जगत परिवर्तनशील है। अतः स्थैतिक रीति के प्रयोग की कुछ सीमायें होना स्वाभाविक है जोकि, इस प्रकार हैं :—(१) यह कुछ अवास्तविक मांग्यताओं पर आधारित है, जैसे—पूर्ण गतिशीलता, पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण ज्ञान। किन्तु व्यावहारिक जीवन में गतिशीलता, प्रतियोगिता एवं ज्ञान तीनों ही अपूर्ण पाये जाते हैं। (२) यह प्रायिक व्यवहार के निर्धारक घटकों (रुचि, साधनों, टेक्नॉलॉजी) को अपरिवर्तन मान लेती है, किन्तु व्यावहारिक जीवन में इनमें निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं।

उपयुक्त दुर्बलताओं के सन्दर्भ में ही हिक्स ने कहा है कि स्थिर अवस्था अन्त में केवल कुछ नहीं, केवल वास्तविकता से दूर भागता है।

स्थैतिक विवेचन की उपयोगिता

जैसा कि हैरोड ने कहा है, कुछ लोगों में प्राचीन अर्थशास्त्रियों के कार्य को 'नीचा' दिखाने की प्रवृत्ति है, जिसके पक्षीभूत होकर ये स्थैतिक क्षेत्र को भी आवश्यकता से अधिक सीमित दिखाने की चेष्टा करते हैं। किन्तु इस प्रवृत्ति के होने हुए भी स्थैतिक कुल अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण भाग रहेगा। स्थैतिक विवेचन की उपयोगिता निम्नान्वित विवरण से स्पष्ट है :—

(१) वास्तविक अर्थव्यवस्था का कार्यचालन बहुत उलझा हुआ है, क्योंकि उसके विभिन्न तत्त्वों में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। अतः परिवर्तनशील अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना कठिन होता है, जिस कारण हमें स्थैतिक रीति का प्रयोग करना पड़ता है। इसके अनुसार, प्रावैगिक अवस्थाओं को छोटी-छोटी स्थैतिक अवस्थाओं में तोड़ लिया जाता है ताकि अध्ययन में सुविधा हो जाय। इस दृष्टि से हम स्थैतिक को प्रावैगिक की ही एक दशा मान सकते हैं। प्रो० मेहता के शब्दों में, "प्रावैगिक अर्थशास्त्र की स्थैतिक अर्थशास्त्र पर एक लगाकर टीका (Running Commentary) समझना चाहिये। अतः स्थैतिक अर्थशास्त्र के नियम प्रावैगिक में भी लागू होंगे।"¹

(२) जिस प्रकार एक उड़ते हुए वायुयान के कार्यचालन को ठीक-ठीक समझने हेतु उसकी मशीनों आदि का स्थिर अवस्था में अध्ययन किया जाता है उसी प्रकार अर्थव्यवस्था के कार्य-करण को वैज्ञानिक ढंग से समझने के लिए स्थैतिक की सहायक आवश्यकता होती है।

(३) कुछ विषयों (जैसे—स्वतन्त्रता व्यापार, मूल्य-निर्धारण, उत्पत्ति साधनों के पारितोषण का निर्धारण, विदेशी व्यापार का सिद्धान्त इत्यादि) का अध्ययन स्थैतिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में है। व्यापार चक्र के सिद्धान्त की स्थैतिक और प्रावैगिक की मध्य-सीमा पर स्थित बनाया जाता है। केन्ड का सिद्धान्त भी मुख्यतः स्थैतिक है। इसी प्रकार, रोबिन्स की परिभाषा का कुछ सम्बन्ध प्रावैगिक से है किन्तु इसकी परिभाषा का केन्द्रीय भाग स्थैतिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अन्तर्गत हो जाता है।

प्रावैगिक अर्थशास्त्र (Dynamic Economics)

प्रावैगिक अर्थशास्त्र की परिभाषा—

प्रावैगिक अर्थशास्त्र निरन्तर परिवर्तनों, इन परिवर्तनों को प्रभावित करने-वाले तत्त्वों

¹ Mehta : *Lectures on Modern Economic Theory*, p. 149.

या परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। आर्थिक प्रावैगिक रीति आर्थिक तत्त्वों को स्थिर नहीं मानती, जिस कारण यह वास्तविकता के अधिक निकट, किन्तु साथी ही साथ अधिक कठिन होती है। नीचे प्रावैगिक अर्थशास्त्र की कुछ परिभाषायें दी गई हैं :—

(१) स्टिगलर के अनुसार—“प्रावैगिक अर्थशास्त्र के एक ऐसे पथ का अध्ययन है, जिससे होकर आर्थिक मात्राओं का एक क्रम (अर्थात् कीमतें और मात्राएँ), एक निश्चित स्थैतिक कलेवर के अन्तर्गत, साम्य की स्थिति प्राप्त करता है।”

(२) रैगनर फ्रिश् (Ragner Frisch) के अनुसार—“कोई प्रणाली तब प्रावैगिक होगी जबकि एक समयावधि में उसका व्यवहार उसे समीकरणों पर आधारित हो, जिनमें कि विभिन्न समय-विन्दुओं पर परिवर्तनशीलताएँ आवश्यक रूप में सम्मिलित हो।”¹

(३) प्रो० मेहता का विचार है कि—“अर्थ-व्यवस्था को उस दशा में प्रावैगिक प्रणाली कहा जायगा जबकि उसकी विभिन्न परिवर्तनशीलताओं (Variables), जैसे—उत्पादन, माँग, कीमतों इत्यादि का किसी एक समय का मूल्य उनसे किसी अन्य समय के मूल्य पर निर्भर हो।”²

(४) हिक्स (Hicks) के अनुसार—“स्थैतिक अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धान्त का वह भाग है जिसका सम्पर्क से सम्बन्ध स्थापित करना आवश्यक नहीं होता। किन्तु प्रावैगिक अर्थशास्त्र वह भाग है, जिसकी प्रत्येक मात्रा को समय से सम्बन्धित करना आवश्यक है।

उपर्युक्त परिभाषाओं का सावधानी से मनन करने पर पता चलेगा कि इनमें कुछ भिन्नता है। हिक्स की परिभाषा प्रावैगिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र को बहुत विस्तृत कर देती है। हॅरोड ने निरन्तर परिवर्तनों (Continuous changes) पर बल दिया है, किन्तु रैगनर फ्रिश् ने परिवर्तन की प्रक्रिया (Process of change) को महत्त्वपूर्ण बताया है।

स्थैतिक और प्रावैगिक दशाओं का अन्तर—

परिभाषाओं के आधार पर स्थैतिक और प्रावैगिक दशाओं का अन्तर निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है।

(१) स्थैतिक आर्थिक सिद्धान्त मुरयतया विग्राम (Rest) की शक्तियों का अध्ययन करता है और प्रावैगिक आर्थिक सिद्धान्त विघ्न (Disturbance) अथवा परिवर्तन की शक्तियों का। इसका अर्थ यह नहीं है कि स्थैतिक अर्थशास्त्र में किसी भी प्रकार के विघ्न अथवा परिवर्तन का अध्ययन नहीं किया जाता है। यदि विघ्न केवल “आकस्मिक” (Casual) या “अस्थायी” है, जिसे कि विघ्न के पश्चात् कुछ समय पीछे अर्थ-व्यवस्था अपना सन्तुलन फिर से प्राप्त कर लेती है, तो यह एक स्थैतिक अध्ययन की दशा होगी; किन्तु जब विघ्न “चिरस्थायी” हो, तो यह प्रावैगिक अध्ययन की दशा होगी।

(२) स्थैतिक, तुलनात्मक स्थैतिक (Comparative Statics) तथा प्रावैगिक दशाओं के बीच अधिक स्पष्ट भेद निम्न प्रकार किया जा सकता है —स्थैतिक दशा की एकमात्र विशेषता यह है कि जो भी परिवर्तन होता है उसकी दर यथास्थित रहती है। यदि अर्थ-

¹ “A system is dynamical if its behaviour over time is determined by functional equations in which variables at different points of time are involved in an essential way.”—Ragner Frisch

² “.....an economy can be said to be a dynamical system when the various variables in it, such as output, demand, price, etc. have values at any time dependent on their values at some other time.”—J. K. Mehta.

ध्ववस्था में कोई तुलनात्मक परिवर्तन होता है, तो तुलनात्मक स्थैतिक दशा होगी और यदि परिवर्तन विरह्यायी ध्यवा निरन्तर है तो प्रावैगिक दशा ।

(३) एक धन्य रीति से हम इस प्रकार कह सकते हैं कि स्थैतिक साम्य वह साम्य है जो एक निश्चित समय-ध्रवधि (Period of time) के पश्चात् भी बना रहे, प्रावैगिक साम्य वह है जो केवल एक निश्चित समय-ध्रवधि में ही बना रहता है परन्तु उस समय ध्रवधि के बाहर बदल जाता है । इस प्रकार प्रावैगिक साम्य का सम्बन्ध केवल एक समय-बिन्दु (Point of time) से होता है ।

स्थैतिक तथा प्रावैगिक विवेचन की प्रमुख विशेषतायें—

प्रो० क्लार्क (Clark) ने प्रावैगिक अर्थव्यवस्था के निम्न पाँच लक्षण बताये हैं :—

(१) जन-संख्या बढ रही है । (२) पूँजी बढ रही है । (३) उत्पादन विधियों में मुधार हो रहा है । (४) औद्योगिक इवाइयों के रूप बदल रहे हैं । अनुशल फर्मे बाजार से हट रही हैं और कुशल फर्मे बाजार में बनी रहती हैं । (५) उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की संख्या बराबर बढ रही है । क्लार्क के अनुसार स्थैतिक दशा में उपरोक्त सभी प्रकार के परिवर्तन नहीं हो पायेंगे ।

प्रो० मेहता के अनुसार स्थैतिक दशा के प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार हैं :—(१) लाभ नहीं रहेगा और कीमत सीमान्त लागत तथा औसत लागत दोनों के बराबर होगी । (२) उत्पादन की इवाइ का विस्तार ध्यवा अनुचन नहीं होता है । (३) साम्य एक निश्चित समय ध्रवधि से ध्रागे तक बना रहना है । (४) साधनों में किसी उद्योग विशेष में ध्राणे ध्रवधा उनसे बाहर जाने की प्रवृत्ति नहीं होनी है । (५) ध्रायिक प्रणाली में दोनों ही विकास ध्रवधा हास की प्रवृत्तियों का पूर्ण धभाव होता है ।

प्रावैगिक का क्षेत्र—

प्रावैगिक विवेचन (या प्रावैगिक अर्थशास्त्र) का सम्बन्ध उन समस्याओं से है जो निरन्तर होने वाले परिवर्तनों से उदय होती हैं । वास्तविक जीवन में स्थिर दशा सम्बन्धी मान्यताएँ सदैव लागू नहीं होती हैं । जन-संख्या, रुचियाँ, पूँजी ध्रादि बदलते रहते हैं । इसी प्रकार भौतिक औद्योगिक विषयों में भी मुधार और नये-नये ध्राविष्कार होते रहते हैं । इन सभी के परिवर्तनों का उत्पादन की पाधा, कीमत और ध्राय पर प्रभाव पड़ता है ध्रवात् इनमें भी परिवर्तन होते रहते हैं । ये परिवर्तन इन विभिन्न घटकों को किम प्रकार से प्रभावित करते हैं इस ध्रात का अध्ययन प्रावैगिक अर्थशास्त्र में किया जाता है किन्तु जिन परिवर्तनों का अध्ययन हम यहाँ कर रहे हैं वे केवल एक बार होने वाले परिवर्तन (Once-over changes) नहीं हैं बल्कि ऐसे परिवर्तन हैं जो निरन्तर होते रहते हैं । ध्रायिक प्रावैगिक भौतिक घटकों में परिवर्तनों की विभिन्न दरों और दिशाओं के कारण उत्पन्न होने वाले प्रभावों का अध्ययन करता है ।

दो एक उदाहरणों से यह स्थिति भली-भांति समझाई जा सकती है । भारम्भ में हम बचत की समस्या को लेते हैं जो एक प्रावैगिक कारक है । मान लीजिए कि बचत बढ रही है । बचन के बढ़ने में विनियोग बढ़ेगा जिससे उत्पादन और रोजगार में वृद्धि होगी । इन दोनों की वृद्धि से लोगों की ध्राय बढ जायेगी और ध्राय बढ़ने से बचत बढ़ेगी । इस प्रकार बचन एक ऐसी क्रिया की धारम्भ कर देगी जो कि ध्रावश्यक रूप से प्रावैगिक स्वभाव की है । अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं । हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि ध्रायिक प्रगति का धन के विनरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा । मान लीजिये कि जन-संख्या और पूँजी में वृद्धि होनी है । इनके कारण लाभ घटेंगे और सयान बढ़ेंगे । धन में, एक ऐसी स्थिति ध्रा जायेगी जबकि लाभ पूर्णतया

समाप्त हो जायेंगे और मजदूरियाँ स्थिर हो जायेंगी। इससे नई पूँजी और जन-संख्या में नई वृद्धि दोनों एक जायेंगे और हम एक स्थिर अवस्था में पहुँच जायेंगे।

उपरोक्त विवेचन से पता चलता है कि बहुत-सी समस्याएँ ऐसी हैं जो स्थैतिक विवेचन द्वारा नहीं सुलझाई जा सकती हैं। इन सबमें प्रावैगिक विवेचन की आवश्यकता पड़ेगी। उदाहरणस्वरूप, निरन्तर, परिवर्तनों की अथवा आंशिक साम्य की समस्याएँ केवल प्रावैगिक विवेचन द्वारा ही सुलझाई जा सकती हैं। साम्य की एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक का परिवर्तन स्थैतिक अर्थशास्त्र नहीं समझ सकता। उन शक्तियों का अध्ययन जो इस संक्रान्तिकाल में लागू होती हैं अथवा जो साम्य की स्थापना में सहायक होती हैं प्रावैगिक दृष्टिकोण से ही किया जा सकता है। इसी प्रकार, वे सब समस्याएँ, जिनमें लोगों की मनोवृत्ति का भारी महत्व होता है, (जैसे—चक्रकार परिवर्तनों की समस्याएँ) प्रावैगिक अध्ययन के लिए ही उपयुक्त हैं। इसके अतिरिक्त, प्रावैगिक अध्ययन में लोच बहुत होती है और इसकी सहायता से हम दी हुई स्थितियों के अनेक मॉडल बना सकते हैं।

टिनबर्जन ने व्यावहारिक आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में स्थैतिक अध्ययन की अपेक्षा प्रावैगिक अध्ययन को अधिक महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने कहा है “स्थैतिक अर्थशास्त्र यह कह सकता है कि यदि किसी वस्तु के उत्पादन में हानि होती है तो दीर्घकालीन में उत्पादन न होगा। किन्तु अल्पकाल में हानि होते हुए भी उत्पादन हो सकता है और चूँकि प्रावैगिक अर्थशास्त्र इस बात को ध्यान में रखता है, इसलिये वह अधिक यथार्थिक होता है।”

प्रावैगिक विवेचन की उपयोगिता—

प्रावैगिक विवेचन की आवश्यकता, उपयोगिता एवं इसका महत्व निम्नांकित विवरण से भली-भाँति स्पष्ट हो जायेगा :—

(१) स्थैतिक विवेचन कई अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। साथ ही वह आर्थिक व्यवहार के निर्धारकों को अरिर्वर्तनशील मान लेता है। इन अवास्तविकताओं के कारण प्रावैगिक की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यह स्वयं वास्तविकता के बहुत निकट है।

(२) कितनी ही समस्याएँ ऐसी हैं जिनका अध्ययन प्रावैगिक अर्थशास्त्र की सहायता से ही हो सकता है, जैसे—(अ) निरन्तर परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएँ, (ब) एक साम्य से दूसरे साम्य में परिवर्तन की समस्याएँ, एवं (स) वे समस्याएँ जो मनोवैज्ञानिक कारणों पर आधारित हैं यथा व्यापार चक्र।

(३) प्रावैगिक अध्ययन में लोच बहुत होती है, जिस कारण इसके द्वारा किसी एक आर्थिक स्थिति के अनेक मॉडल (Model) बनाये जा सकते हैं और इस प्रकार सभी सम्भावनाओं की खोज की जा सकती है। विकासोन्मुख एवं कल्याणकारी अर्थशास्त्र की समस्याओं और नियोजन की भी समस्याओं के विश्लेषण के लिए प्रावैगिक विवेचन अपने लोच सम्बन्धी गुण के कारण विशेष रूप से उपयोगी है।

(४) प्रो० रोबिन्स का विचार है कि प्रावैगिक के चार महत्वपूर्ण कार्य हैं और इनसे सम्बन्धित दशाओं में इनका उपयोग होना चाहिए। ये कार्य निम्न हैं :—(i) यह अनेक आर्थिक सिद्धान्तों की सचाई और क्रियाशीलता की जाँच करता है; (ii) स्थैतिक विवेचन की मान्यताओं को झुठलाते हुए अधिक वास्तविक मान्यताएँ प्रस्तुत करता है, (iii) नये तत्त्वों पर प्रकाश डालता है, जिससे भविष्यवाणी के अधिक सही होने में मदद मिलती है, एवं (iv) यह स्थैतिक विवेचन में सुधार के लिये सुझाव देता है।

(५) प्रावैगिक विवेचन को निम्न विषयों में प्रयोग किया गया है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है :—व्यापार चक्र का मकड़ी के जाले का सिद्धान्त, जनसंख्या के

विचार का सिद्धान्त, बचत और बिनियोग सिद्धान्त, लाभ का सिद्धान्त, मूल्य सिद्धान्त में समय तत्त्व की भूमिका का स्पष्टीकरण इत्यादि ।

प्रारंभिक विवेचन की सीमाएँ—

बहुत आवश्यक, उपयोगी और महत्त्वपूर्ण होने के साथ-साथ प्रारंभिक की कुछ सीमाएँ भी हैं, जैसे—जब परिवर्तन की गति बहुत तेज हो, तो समस्या का अध्ययन केवल प्रारंभिक दृष्टि से करना कठिन है और उसे कई स्थैतिक टुकड़ों में बाँट कर ही अध्ययन करना पड़ता है । पुनः प्रारंभिक विवेचन के लिये इकोनोमेट्रिक्स की सहायता लेनी पड़ती है, जिससे यह रीति जटिल हो जाती है । यही नहीं, एक और कारण से भी इसका प्रयोग कठिन है, जो यह कि अभी तक भी प्रारंभिक अर्थशास्त्र के पूर्णतया विकसित सिद्धान्त का निर्माण नहीं हो पाया है । अधिकांश देशों में जहाँ अर्थशास्त्रियों ने अपने अध्ययन को प्रारंभिक बताया है वे वास्तव में तुलनात्मक स्थैतिक से भागे नहीं बढ़ पाये हैं । मार्शल जैसे ही अर्थशास्त्रियों में से एक हैं । किन्तु पिगत वर्षों में कुछ अर्थशास्त्रियों ने विशुद्ध प्रारंभिक सिद्धान्तों के निर्माण का प्रयत्न किया । ऐसे लेखकों में बलेकी (Kalecki), टिनबर्जन और प्रीमती जोन रोबिन्सन के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । इतने पर भी प्रारंभिक अर्थशास्त्र अभी शिशु अवस्था ही है ।

स्थैतिक एवं प्रारंभिक विवेचनों की परस्पर निर्भरता

अध्ययन की निगमन और भागमन प्रणालियों की भाँति अर्थशास्त्र में स्थैतिक और प्रारंभिक दोनों प्रणालियों का उपयोग आवश्यक है । कितनी ही समस्याएँ ऐसी हैं जिनका अध्ययन केवल प्रारंभिक अर्थशास्त्र की सहायता से ही सकता है (उदाहरणस्वरूप, वे समस्याएँ जो मनोवैज्ञानिक कारणों पर निर्भर रहती हैं) । इसके विपरीत, बहुत-सी समस्याएँ ऐसी भी हैं जिनका अधिक उपयुक्त अध्ययन स्थैतिक अर्थशास्त्र द्वारा ही सम्भव है (जैसे—स्वतन्त्र व्यापार, सीमान्त ब्यय तथा उत्पादन कला की समस्याएँ) । साथ ही साथ, कुछ समस्याएँ ऐसी भी हैं जिन्हें किसी भी एक की सहायता से नहीं सुलभया जा सकता, बल्कि जिनमें दोनों ही की आवश्यकता पड़ती है । यही कारण है कि अध्ययन को इन दोनों विधियों को भी वैकल्पिक रूप में न लेकर पूरक रूप में लेना ही अधिक उचित है । बात यह है कि अध्ययन की प्रत्येक रीति की अपनी उपयुक्तता है और अपनी सीमा है । दोनों रीतियों के उपयोग के लाभदायक क्षेत्र अलग-अलग होते हुए भी एक से दूसरी को बल मिल जाता है ।

परीक्षा प्रश्न :

1. स्थैतिक और प्रारंभिक विचारों की व्याख्या कीजिये । भाविक विश्लेषण में इनकी क्या उपयोगिता है ?

अथवा

“स्थैतिक और प्रारंभिक दोनों अर्थशास्त्र में वैज्ञानिक विश्लेषण के लिये आवश्यक है”—
विवेचन कीजिये ।

[सहायक संकेत :—स्थैतिक और प्रारंभिक के अर्थों को अन्तर सहित स्पष्ट कीजिये तत्पश्चात् दोनों की आवश्यकता, उपयोग और सीमाओं को लिखिये । अन्त में यह निष्कर्ष निकालिये कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं ।]

2. स्थैतिक और प्रारंभिक अर्थशास्त्र के बीच अन्तर बताइये और प्रारंभिक अर्थशास्त्र की आवश्यकता की भावोचनान्तरक व्याख्या कीजिये ।

साम्य अथवा सन्तुलन

(Equilibrium)

साम्य का अर्थ

साम्य अकर्मण्यता की स्थिति नहीं है—

“साम्य का आशय उस दशा से है जिसमें सभी कार्यवाहक शक्तियों का परिणाम शून्य मिलाकर शून्य के बराबर होता है। इस दशा में स्थिति वही बनी रहती है जहाँ वह पहले थी वशतः किसी नये कारण के आ जाने अथवा किसी पुराने कारण के मिट जाने से इसमें विधन न पड़े।” साम्य की यह सरल परिभाषा स्वीकार कर लेना ही प्रारम्भ में उचित रहेगा। अर्थशास्त्र में ‘साम्य’ शब्द भौतिक शास्त्र से लिया गया है जहाँ इसका अर्थ समान सन्तुलन (Equal balance) से होना है। इस प्रकार, यदि एक कण (Particle) पर विभिन्न शक्तियाँ कार्यशील हैं और इनमें से प्रत्येक उसे अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करती है; परन्तु, ये शक्तियाँ एक दूसरे के बल को इस प्रकार समाप्त (Neutralise) कर देती हैं कि कण का स्थान नहीं बदलता है, तो हम कह सकते हैं कि शक्तियों में साम्य स्थापित हो गया है। साम्य को कण की विध्राम-स्थिति द्वारा सूचित किया जाता है। स्टिगलर के शब्दों में, “साम्य वह स्थिति है जिस पर से हटने की प्रवृत्ति नहीं है। प्रवृत्ति के स्थान पर ‘शुद्ध प्रवृत्ति’ कहना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि साम्य यावस्मिक अकर्मण्यता (Sudden inertia) की स्थिति नहीं है, बल्कि क्रियाशील शक्तियों का बल निष्प्रभावित हो जाने की स्थिति का सूचक है।”¹ इस प्रकार, निष्क्रियता साम्य की विशेषता नहीं है, बल्कि विशेषता यह है कि क्रियाओं के बीच सन्तुलन स्थापित हो जाता है। “आर्थिक साम्य एक सक्रिय साम्य की दशा है, यह क्रियाओं के अभाव की दशा नहीं है। यह ऐसी दशा नहीं है जिसमें सभी शक्तियों का कार्यवाहन रुक गया हो बल्कि, इसके विपरीत ऐसी दशा है जिसमें विभिन्न कार्यवाहक शक्तियाँ एक दूसरे को सन्तुलन में रखती हैं।”²

साम्य को बाजार की स्थिति तक सीमित रखना ठीक नहीं—

कुछ अर्थशास्त्रियों ने साम्य को बाजार की वह स्थिति बताया है जिसमें माँग की मात्रा विक्रेताओं द्वारा बेचने के लिए प्रस्तुत की हुई मात्रा के बराबर होती है। परन्तु इस

¹ Equilibrium is “a position from which there is no tendency to move, We say ‘net’ tendency to emphasise the fact that it is not necessarily a state of sudden inertia, but may instead represent the cancellation of powerful forces”—Stigler : *The Theory of Price* (1954), pp 14-15

² “Economic equilibrium is a state of active equilibrium, not an inert state. It is not a state in which all forces have ceased to operate, on the other hand it is the state in which operative forces hold each other in balance”

—J D Khatri : *Modern Economic Theory*, p 181.

माया की दो कारणों से मात्तोचना की जा सकती है : प्रथम, माँग की मात्रा का उत मात्रा के बराबर होना जो बिजरी के लिए प्रस्तुत की जाती है साम्य की आवश्यक शर्त नहीं है। यह सम्भव है कि किसी एक दो हुई कीमत पर विनिता उससे अधिक बेचने के लिए तैयार हो जिनका कि वे वास्तव में बेचते हैं परन्तु वे कम बेचते हैं, क्योंकि उस कीमत पर ग्राहक बिक्री के लिए प्रस्तुत की गई मात्रा से कम खरीदने के लिए तैयार होते हैं। कम बिजरी करके भी विनिता सन्तुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उस कीमत पर कम बिजरी भी उनके कुल लाभ को अधिकतम बनानी है। दूसरे, दम परित्याग ने साम्य के कार्यवाहन को बाजार तक सीमित कर दिया गया है, जबकि पर्याय में साम्य के कार्यवाहन का क्षेत्र इससे कहीं अधिक व्यापक है। उदाहरणस्वरूप, यदि एक उद्योगी अपने व्यय को एक शीर्षक से दूसरे शीर्षक पर विवर्तित करने के लिए तैयार नहीं है तो उनका व्यय साम्य में होगा। इसी प्रकार, एक उत्पादक उस दशा में साम्य प्राप्त कर लेता है जबकि प्रत्येक उत्पत्ति के साधन पर किया गया सीमान्त व्यय उसे समान उपज प्रदान करे प्रथवा एक प्रसिद्ध उस दशा में साम्य प्राप्त कर लेगा जबकि उसकी आय-प्राप्ति की सीमान्त उपयोगिता (Marginal utility of income) उसके कार्य की सीमान्त अनुपयोगिता (Marginal disutility of work) के बराबर हो जाय।

साम्य का सम्बन्ध एक निश्चित कीमत से—

अर्थशास्त्र में साम्य के विचार का उपयोग करते समय यह सदा ध्यान रखना चाहिए कि साम्य सदा ही किसी निश्चित कीमत पर प्राप्त किया जाता है। जब एक दो हुई कीमत पर किसी वस्तु के लिए माँग और उम्की पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाए तो साम्य स्थापित हो जाता है। माँग और पूर्ति का अर्थ केवल एक विशेष कीमत के सन्दर्भ में ही लगाया जा सकता है। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि इत सम्बन्ध में हम केवल एक ही शीर्षक को लें, हम पूरे समूह को भी ले सकते हैं। उदाहरणस्वरूप, राष्ट्रीय आय के एक विशेष स्तर पर बचत और विनियोग के बीच साम्य स्थापित हो सकता है। निम्न समीकरण एक सामूहिक स्थिति (Aggregate Situation) के साम्य को दिखाता है :— $Y=C+S$; यहाँ पर Y मुद्रा के रूप में राष्ट्रीय आय को दिखाता है, C मौद्रिक आय का वह भाग है जिसका उपयोग होना है और S वह मौद्रिक आय है जिसको बचत की गई है। इसी प्रकार, समीकरण $S=I$ भी, जिसमें बचत को विनियोग के बराबर दिखाया गया है, साम्य के सामूहिक रूप को प्रस्तुत करता है।

साम्य की कल्पना सदा ही एक समयवधि के सन्दर्भ में—

साम्य की कल्पना सदा ही एक समयवधि सन्दर्भ में की जाती है मेल्लर के शब्दों में, "एक उत्पादन इकाई तब ही साम्य की अवस्था में कहायैगी जबकि विचाराधीन समय-अवधि के भीतर उसमें विस्तार और सन्कुचन की प्रवृत्ति न हो। समय अवधि की ओर संकेत बिन्दु बिना हम साम्य की बात नहीं कर सकते। कुछ विशेष दशा में यह समय अवधि केवल एक समय बिन्दु (A point of time) हो सकती है प्रथवा अपरिमितता (Eternity) तक भी फैल सकती है।" सम्भव है कि वही साम्य एक समय अवधि के बाद भी बना रहे, परन्तु प्रत्येक बहुत-सी दशाओं

1 "A production unit is said to be in equilibrium when it shows no tendency to expansion or contraction within a period of time under consideration. We cannot talk of equilibrium without referring our case to a period of time. This period may, in limiting contract cases, to a point of time or extend to eternity."—J. K. Mehta : *Advanced Economic Theory*, p. 103.

साम्य केवल एक समय बिन्दु तक ही सीमित रहता है और परिस्थितियाँ बदलने पर नया साम्य उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार चाहे हम स्वैतिक साम्य का अध्ययन करें अथवा प्रावैगिक साम्य का, प्रत्येक दशा में समय-तत्त्व (Element of Time) का महत्त्व रहता ही है।

क्या साम्य व्यावहारिक जगत में सम्भव है ?

बहुत से लोगो ने साम्य विवेचन की इस कारण भ्रालोचना की है कि वास्तविक जगत में साम्य कहीं भी देखने को नहीं मिलता। अतः उनका तर्क है कि साम्यावस्था (जो कभी भी प्राप्त होने वाली नहीं है) में क्या होगा इससे सम्बन्धित अध्ययन विशुद्ध सिद्धान्तिव एव अवास्तविक है। यह बात निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट हो जायेगी :—

(१) सन्देह नहीं कि एक विये हुए काल में वास्तविक जगत की दशाओं के सदृश्य नहीं होती हैं, परन्तु आर्थिक घटनाओं के साम्य की ओर जाने की स्पष्ट प्रवृत्ति होती है और हम यह निःसकोच तर्क दे सकते हैं कि यदि आर्थिक तथ्यों में एक लम्बी अवधि तक कोई परिवर्तन हो, तो साम्य स्थापित भी हो सकता है। किन्तु साम्य स्थापित हो या न हो इससे कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ता। कारण, जब तक प्रवृत्ति साम्य की ओर बढ़ने की रहे, तब तक साम्य विश्लेषण लाभदायक ही होता है।

(२) कभी-कभी वास्तविक जीवन में इस अर्थ में साम्य स्थापित भी हो जाता है कि कुल पूति एक सीमात विशेष पर कुल माँग के बराबर हो जाती है। किन्तु इस प्रकार का साम्य क्षणिक होता है और दिखाई नहीं देता क्योंकि वह शीघ्र ही आर्थिक शक्तियों की जटिलता के कारण टूट जाता करता है। परन्तु टूटने के बाद शीघ्र ही यह फिर बार बार स्थापित होता रहता है। इस प्रकार, एक समय-बिन्दु पर साम्य यथार्थता (A reality) है और एक द्रम (Series) के रूप में भी इसका अध्ययन किया जा सकता है।

(३) साम्य का विचार अर्थशास्त्र के क्षेत्र के विचार में भी अधिक विस्तृत है। साम्य उस प्रकार से आदर्श दशाओं का वर्णन करता है जिस प्रकार से कि पूर्ण सत्य, पूर्ण मुन्दरता अथवा पूर्ण ईमानदारी आदर्श दशाओं को दिखाते हैं। ये सभी आदर्श दशाएँ हैं जिनके वास्तविक जगत में केवल चिह्न ही देखने को मिलते हैं। ऐसा होते हुए भी इन दिचारों का वास्तविक जीवन में महत्त्व है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि साम्य के विचार की भी वास्तविक जीवन में उतनी ही उपयोगिता क्यों न होनी चाहिए।

साम्य का महत्त्व

इस प्रकार, साम्य का अध्ययन केवल इसी कारण महत्त्वहीन या अनुपयोगी नहीं हो जाता कि यह वास्तविक जीवन में दिखाई नहीं देता है। यदि साम्य की ओर प्रवृत्ति बनी रहे, तो साम्य विश्लेषण निश्चय ही लाभदायक होगा। प्रथमतः, यह एक लक्ष्य अथवा उद्देश्य को बताता है जिसे प्राप्त करने हेतु आर्थिक क्रियाएँ निरन्तर प्रयत्नशील रहती हैं। दूसरे, यह आर्थिक परिवर्तनों की दिशा बताता है, जिस कारण इसे “अर्थशास्त्री का मुचुबनुमा” (Economist's Compass) कहा जा सकता है। परन्तु साम्य के अध्ययन का नैतिकता से कोई सम्बन्ध नहीं है। साम्य वास्तव में स्थापित होता है या नहीं, इसे उचित या अनुचित या विचित्र नहीं कहा जा सकता। आर्थिक विवेचन का उद्देश्य केवल कारण और परिणाम के सम्बन्ध का पता लगाना होता है, इस सम्बन्ध की अच्छाई-बुराई पर विचार करना नहीं। जैसा कि रोबिन्स ने कहा है, “साम्य के सिद्धान्त में ऐसा करो या न करो प्रश्न ही नहीं उठता है, साम्य तो केवल साम्य ही है।”¹

¹ “There is no penumbra of approbation around the theory of equilibrium equilibrium is just equilibrium.”— Robbins

(II) अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन साम्य—

अल्पकालीन साम्य (Short period equilibrium) वह है जो अपनी स्थिति को केवल एक समय-बिन्दु पर ही बनाये रख सकता है अर्थात् इसका सम्बन्ध केवल एक क्षण (Moment) से होता है और इसके पश्चात् यह खण्डित हो जाता है। किन्तु दीर्घकालीन साम्य (long period equilibrium) एक समय-अवधि पर फैला रहता है अर्थात् अल्पकालो के एक क्रम तक विस्तृत होता है। अल्पकालीन साम्य का अध्ययन अल्पकालीन कीमतों के अध्ययन के लिए उपयोगी है किन्तु दीर्घकालीन साम्य का सामान्य-कीमत के निर्धारण में। वास्तव में ये दोनों प्रकार के साम्य एक दूसरे के पूरक होते हैं।

(III) एकाकी और बहुमात्रायुक्त साम्य—

यदि साम्य की दशाएँ कीमतों और उपजों की केवल एक ही सूची (Single set of price and output) से सन्तुष्ट हो जाती हैं, तो यह साम्य एकाकी (unique or single equilibrium) कहालायगा। बोर्डिंग के शब्दों में "एकाकी साम्य का अभिप्राय सम्बन्धों की उस प्रणाली से है, जिन्हे एक ऐसी समीकरण सूची द्वारा व्यक्त किया जा सके जो कि विभिन्न परिवर्तनशीलताओं (Variables) के केवल एक ही मूल्य (अथवा कुछ थोड़े से मूल्यों) द्वारा सन्तुष्ट हो सकते हैं।"¹

इसके विपरीत, बहुमात्रायुक्त साम्य (Multiple equilibrium) में एक से अधिक कीमत और उपज-सूचियाँ साम्य की शर्तों को सन्तुष्ट करती हैं। बोर्डिंग का कहना है कि, "वर्तमान परिवर्तनशीलताओं का मूल्य किन्हीं निश्चित तरीकों में इन एवं अन्य भूतकालीन परिवर्तनशीलताओं से जुड़ा रहता है जो स्वयं भी किन्हीं अधिक दूरस्थ भूतकालीन परिवर्तनशीलताओं से सम्बन्धित होती हैं और इस प्रकार का क्रम अपरिमितता तक (Infinite regression) चलता रहता है।"²

वास्तविक जीवन में एकाकी साम्य के तो अनेक उदाहरण मिल जाते हैं परन्तु बहुमात्रायुक्त साम्य कठिनाई से मिलता है। श्रीमती जॉन रोबिन्सन ने एक ऐसी दशा का वर्णन किया है जिसमें इस प्रकार का साम्य प्रचलित है। यदि किसी बाजार में अलग-अलग मात्राओं में प्रायः बाले उपभोक्ताओं के अनेक वर्ग हैं तो ऐसी दशा में बाजार में माँग रेखा कभी तो बहुत लोचदार होगी और कभी पूर्णतया बेजोब। ऐसी माँग-रेखा से सम्बन्धित सीमान्त प्रायम रेखा कभी नीची गिरेगी कभी ऊपर उठेगी और फिर नीचे गिर जायगी और एकाधिकारी साम्य के अनेक बिन्दु होंगे।"³

(IV) स्थैतिक और प्रायोगिक साम्य—

प्रो० मेहता के अनुसार, "स्थैतिक साम्य (Static equilibrium) वह है जो अपने आपकी निश्चित समय अवधि के बाहर भी बनाए रखता है।"⁴ वह उद्योग, जो किसी विशेष

¹ ".....the system of relationships can be expressed as a set of equations or identities which can only be satisfied by one (or at most a limited number) of values various variables which the equations relate."—Boulding, *Economic Analysis*, p. 287.

² *Ibid*, p. 287.

³ Joan Robinson : *Economics of Imperfect Competition*, pp. 57-58.

⁴ For a detailed study refer also to chapter 7 of this book.

⁵ "Static equilibrium is that equilibrium which maintains itself outside the period of time under consideration."—J. K. Mehta. *Advanced Economic Theory (1950)*, p. 104.

दिन पर साम्य की अवस्था में है एक स्थैतिक साम्य का उदाहरण उस दशा में होगा जबकि वह इस साम्य को भविष्य में भी बनाए रखे। इस प्रकार के साम्य को हम केवल एक समय अवधि के सन्दर्भ में समझ सकते हैं। यदि साम्य निश्चित समय अवधि के बाहर बना नहीं रहता है, तो यह प्रावैगिक साम्य (Dynamic equilibrium) होगा। भंग होने के पश्चात् ही इस प्रकार का साम्य तुरन्त स्थापित हो जाता है। प्रावैगिक साम्य आवश्यक रूप से क्षणिक (Momentary) होता है। इस साम्य का विकास अभी भी शिशु अवस्था में है। बौलिंग के शब्दों में:—

“यदि एक समय-अवधि से सम्बन्धित प्रक्रिया के आवश्यक चलो (Variables) के परिवर्तन की दरें स्थिर रहें तो ऐसी प्रक्रिया को प्रावैगिक साम्य में कहा जायेगा। इस प्रकार, जब जन-संख्या स्थिर दर पर घट या बढ़ रही है अर्थात् जब जन्म और मृत्यु की प्रतिशत प्रति वर्ष दरें स्थिर रहती हैं (यह आवश्यक नहीं कि दोनों एक दूसरे के बराबर हों), तो वह (जन संख्या) साम्य की स्थिति में होगी। जनसंख्या में आयु अनुसार वितरण (अर्थात् प्रत्येक आयु वर्ग में व्यक्तियों का अनुपात) भी स्थिर होना चाहिये चाहे व्यक्तियों की कुल संख्या में परिवर्तन हो जाय। ठीक इसी प्रकार, एक आर्थिक प्रणाली को प्रावैगिक साम्य की अवस्था में तब कहा जायेगा जब कि उसका कुल स्टॉक (जिसमें वस्तुएं और मनुष्य दोनों शामिल होंगे) स्थिर दरों (प्रतिवर्ष प्रति वर्ष) पर बदलता हो और इस स्टॉक की दरों के उत्पादन और उपभोग की दरें भी उसी दर से बढ़ती हों। यहाँ सन्देह किया जा सकता है कि क्या प्रावैगिक साम्य का विचार आर्थिक परिवर्तनों को समझने में सहायक हो सकता है? ऐसे सन्देह का कारण यह है कि समाज में ऐसे परिवर्तनों के प्रति स्वयं को अनुकूल बनाने के लिये कोई प्राकृतिक प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है।”¹

(V) आधित और स्वतन्त्र साम्य—

आर्थिक प्रणाली एक निश्चित पथ से चलकर साम्य प्राप्त करती है। इस पथ का अध्ययन बहुत लाभदायक है क्योंकि इससे पता चलता है कि साम्य किस प्रकार प्राप्त हुआ। परन्तु इस पथ का अध्ययन बड़ा कठिन है क्योंकि इसके लिए अनेक शक्तियों और कारणों तथा उनके पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। ‘आधित साम्य’ (Dependent equilibrium) साम्य की स्थिति का इसके पथ के साथ-साथ अध्ययन करता है किन्तु स्वतन्त्र साम्य में केवल साम्य का अध्ययन किया जाता है, उस पथ का नहीं, जिससे वह स्थापित होता है। हमारा अधिकांश अध्ययन स्वतन्त्र साम्य का अध्ययन है।

(VI) आंशिक अवस्था विशिष्ट तथा सामान्य साम्य—

आंशिक अवस्था विशिष्ट साम्य (Partial of particular equilibrium) वह है जो एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग अवस्था उद्योगों के एक समूह से सम्बन्धित होता है। इस प्रकार के साम्य का अध्ययन मार्शल तथा केम्ब्रिज सम्प्रदाय के अर्थशास्त्रियों ने किया है। इस विवेचन में हम यह अध्ययन करते हैं कि, एक अकेला व्यक्ति अथवा एक अकेली फर्म दिये हुए तथ्यों के आधार पर साम्य की ओर किस प्रकार बढ़ती है। यदि आर्थिक तथ्यों में परिवर्तन होता है, तो आर्थिक इकाई के निर्णयों में भी परिवर्तन हो जाता है, और इसके फलस्वरूप जैसे ही पुराने साम्य की स्थिति बदलती है, आर्थिक इकाई अपने निर्णयों को बदल देती है और निर्णयों के इस प्रकार बदलने से साम्य की गति (Movement) नई स्थिति की ओर होने लगती है। स्टिगलर के अनुसार, “विशिष्ट साम्य विवेचन (Particular equilibrium analysis) सीमित तथ्यों पर आधारित होना है। इसका एक अच्छा उदाहरण एक अकेली वस्तु की कीमत

¹ Boulding : *Economic Analysis*; pp. 711-712.

है, जिसका विवेचन करते समय यह मान लिया जाता है कि अन्य सभी वस्तुओं की कीमतें यथास्थिर रहती हैं।¹

वास्तविक जीवन में बाजार में विभिन्न वस्तुओं की कीमतें एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। किसी एक कीमत में परिवर्तन होने से सभी वस्तुओं की कीमतें बदल सकती हैं। उदाहरणस्वरूप मान लीजिए कि बाजार में चावल की कीमत बढ़ती है। इसके फलस्वरूप लोग चावल के स्थान पर अन्य धनाजों का उपयोग करने लगेंगे जिससे उनकी मांगें बढ़ेंगी और फलस्वरूप उनकी कीमतें बढ़ जायेंगी। इसके अतिरिक्त, चावल की कीमत में हुआ परिवर्तन चावल के उत्पादकों की आय में भी परिवर्तन ला देगा और इससे उनका व्यय का रूप भी बदल जायगा। यही नहीं, चावल के कीमत-परिवर्तन अर्थिकों तथा अन्य लोगों के जीवन-निर्वाह व्यय को भी प्रभावित करेंगे जिससे अन्य वस्तुओं के लिए उनकी मांग बदल जायेगी और उनकी कीमतों में भी परिवर्तन हो जायेगा। इस प्रकार, विभिन्न वस्तुओं की कीमतें, इनकी मांग और पूर्तियाँ एक दूसरे को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करते हैं। ऐसी दशा में चावल की कीमत का अध्ययन करने की दो रीतियाँ हो सकती हैं, प्रथम, हम अन्य वस्तुओं की कीमतें, उनकी मांग अथवा उनकी पूर्तियों को यथास्थिति (Constant) मान लें, जिस दशा में हमारा अध्ययन आंशिक साम्य का अध्ययन होगा। दूसरे, हम विभिन्न वस्तुओं की कीमतों, उनकी मांग तथा उनकी पूर्तियों के पारस्परिक परिवर्तनों का एक साथ अध्ययन करें, विभिन्न वस्तुओं के लिए मांग एवं इनकी पूर्ति के मध्य समानता वाले अनेक समीकरण बनायें, और उनको एक-माथे (Simultaneously) हल करने का प्रयास करें। इस दशा में हमारा विवेचन सामान्य साम्य का अध्ययन होगा।

स्टीगलर के शब्दों में, "सामान्य साम्य का सिद्धान्त अर्थ-व्यवस्था के सभी भागों के पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन है। अर्थात् अर्थशास्त्रियों के द्वारा सभी कीमतें एक दूसरे से सम्बन्धित होकर एक एकीकृत प्रणाली का निर्माण कर लेती हैं। इनमें से बहुत से पारस्परिक सम्बन्ध नगण्य होते हैं (जैसे—हम अण्डों और डीजल इन्जनों की कीमतों के बीच कोई सम्बन्ध पता नहीं लगा सकते; इसी प्रकार लौह एन्जिल्स में अभिनेताओं के वेतन तथा न्यूयार्क में बीमा कम्पनी में रोजगार का सम्बन्ध में अमहत्वपूर्ण है)। सच यह है कि किसी विशेष मण्डी अथवा उद्योग पर ही ध्यान केन्द्रित करने का औचित्य इस दान में सन्निहित है कि ऐसे विशेष वस्तुओं की कीमतों और उपजों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण पारस्परिक सम्बन्ध योडे से ही होते हैं।²

सामान्य बनाम विशिष्ट साम्य

सामान्य साम्य की कठिनाइयाँ (अर्थात् आंशिक साम्य के लाभ) —

सामान्य साम्य विवेचन कठिन और जटिल है क्योंकि इससे एक ही साथ बहुत सारे समीकरणों को सुलभाना पड़ता है। विशेष समस्याओं का अध्ययन करने के लिए आंशिक साम्य प्रणाली अधिक अच्छी है। इस रीति में एक समय में एक ही चीज का अध्ययन किया जाता है। हम अन्य सभी बातों को यथास्थित मानकर केवल एक के परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। निःसन्देह यह प्रणाली यथाधिक नहीं है क्योंकि हम अनेक परस्पर सम्बन्धित तथ्यों के प्रभाव पर ध्यान नहीं देते हैं। परन्तु इस उपेक्षा के कारण जो हानि होती है वह वास्तव में उतनी अधिक नहीं है जितनी कि इस प्रणाली के कुछ भ्रूलोचकों ने बताया है। अन्य कीमतों और मात्राओं का प्रभाव पड़ता तो है किन्तु यह प्रभाव प्रत्यक्ष नहीं होना और अधिकांश दशाओं में इतना कम महत्वपूर्ण होता है कि इसे छोड़ा जा सकता है। कारण यद्यपि इस रीति में पूरी अर्थ-व्यवस्था का

¹ G. J. Stigler : *The Theory of Price*, p. 27.

² *Ibid.*, p. 287.

सम्पूर्ण चित्र तो प्राप्त नहीं होता, तथापि इसकी सहायता से व्यावहारिक समस्यायें सुलझाई जा सकती हैं।

आंशिक साम्य की कठिनाइयाँ (या सामान्य साम्य के लाभ) —

उपरोक्त बचन से यह नहीं समझना चाहिए कि सामान्य साम्य के अध्ययन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इस विवेचन में सम्पूर्ण प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। "सामान्य साम्य का विचार इस बात पर बल देता है कि सभी आर्थिक इकाइयों में पारस्परिक निर्भरता और अर्थ-व्यवस्था के सभी भाग एक दूसरे पर आश्रित हैं।" सभी जानते हैं कि हमारे सारे शरीर का साम्य शरीर के विभिन्न भागों पर निर्भर होता है और स्वयं विभिन्न भागों का साम्य सारे शरीर के साम्य पर निर्भर होता है। इस कारण आंशिक और सामान्य साम्य विधियाँ केवल एक दूसरे की पूरक हो सकती हैं।

दोनों की परस्पर निर्भरता —

लैण्डविच (Littwich) ने दोनों प्रकार के साम्य की पारस्परिक निर्भरता पर बल दिया है। उन्होंने कहा है, "जब कभी कोई आर्थिक विघ्न इतना विशाल हो कि उसका प्रभाव अधिकांश अर्थ-व्यवस्था पर पड़ता है, तो सामान्य साम्य द्वारा इसके अन्तिम परिणामों का अधिक सच्चा अनुमान प्रस्तुत किया जाता है। विशिष्ट साम्य विवेचन में हम केवल विन्द की (Splash) का अध्ययन करते हैं परन्तु यह मान लेते हैं कि लहरे तथा पानी का छोटा-बड़ा उतार-चढ़ाव एक दूसरे को तथा छोटों के दौंन को प्रभावित नहीं करते हैं। छोटी-छोटी लहरे आगे बढ़कर दूर-दूर तक फैलती जाती हैं, यहाँ तक कि अन्त में वे पूर्णतया मिट जाती हैं। अतः समायोजनों की पूरी शृंखला के अध्ययन के लिए सामान्य साम्य विवेचन सम्बन्धी उपकरणों की आवश्यकता है।"

परीक्षा प्रश्न :

१. साम्य का क्या अर्थ है ? क्या व्यावहारिक जीवन में इसका अध्ययन उपयोगी है ?

[सहायक सञ्ज्ञेयः—सर्वप्रथम साम्य की परिभाषा दीजिये और यह दिखाइये कि साम्य सर्वत्र एक निश्चित कीमत और एक निश्चित समयावधि के सन्दर्भ में होता है। तत्पश्चात् लोगों की इस आलोचना का उत्तर दीजिये कि यह वास्तविक जीवन में प्राप्त नहीं किया जा सकता। अन्त में, निष्कर्ष निकालिये कि अप्राप्त होते हुए भी इसका अध्ययन उपयोगी है।]

२. साम्य से क्या आशय है ? आंशिक और साधारण साम्य की धारणाओं की व्याख्या कीजिये तथा आर्थिक विश्लेषण में इनके अध्ययन का महत्त्व बताइये।

अथवा

साम्य से आप क्या समझते हैं ? आंशिक और सामान्य साम्य के विचारों की व्याख्या कीजिये। कारण देते हुए यह बताइये कि सामान्य साम्य की लगातार स्थिति वांछनीय है या नहीं।

[सहायक सञ्ज्ञेयः—सर्वप्रथम साम्य का अर्थ स्पष्ट कीजिये, तत्पश्चात् आंशिक एवं सामान्य साम्यो के विचारों को समझाइये। अन्त में, सामान्य साम्य की कठिनाइयों पर प्रकाश डालते हुए यह निष्कर्ष निकालिये कि दोनों प्रकार के साम्य परस्पर पूरक हैं।]

1. "The concept of general equilibrium stresses the inter-dependence of all economic unit and of all segment of the economy on each other."

—R. W. Leftwich : *The Price System and Resources Allocation*, p. 853.

2. *Ibid.*, p. 854.

कल्याणवादी अर्थशास्त्र

(Welfare Economics)

प्रारम्भिक—कल्याणवादी अर्थशास्त्र का विकास

'कल्याणवादी अर्थशास्त्र' अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा है। प्राचीन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री इसका प्रयोग वास्तविक अर्थशास्त्र के साथ मिश्रित रूप में करते थे। एक पृथक शाखा के रूप में इसका विकास नया ही है। प्रसिद्ध उपयोगितावादी विचारक बेंथम (Bentham) को 'कल्याणवादी अर्थशास्त्र' का जन्मदाता कहा जा सकता है। 'अधिकतम संख्या को अधिकतम सुख' के रूप में जो सिद्धान्त वाक्य उन्होंने दिया वही कल्याणवादी अर्थशास्त्र का आधार है। इनके बाद होबसन (Hobson) ने अपनी पुस्तक *Work and Wealth* (१९१४) में अर्थशास्त्र को सामाजिक सुधार का माध्यम बनाने पर जोर दिया। इन्हीं के समय के अर्थशास्त्री हेनरी क्ले (Henry Clay) ने भी कल्याणवादी विचारधारा का समर्थन किया।

सन् १९२० में पीगू (Pigou) की पुस्तक *Economics of Welfare* के प्रकाशन से कल्याणवादी अर्थशास्त्र के विकास में एक सुन्दर मोड़ ले लिया, क्योंकि अब इसका प्राथमिक विश्लेषण की एक पृथक शाखा के रूप में अध्ययन होने लगा। अभी तक अर्थशास्त्र 'घनानन्द अर्थशास्त्र' (Happiness-Economics) था, इससे पूर्व वह 'घन अर्थशास्त्र' (Wealth Economics) था किन्तु अब उसे 'कल्याणवादी अर्थशास्त्र' (Welfare Economics) की पदवी मिली। इस प्रकार कल्याणवादी अर्थशास्त्र को सही अर्थों में पीगू से ही प्रारम्भ हुआ समझना चाहिए।^१ मार्शल, पीगू आदि नवपरम्परावादियों ने 'कल्याण' को एक मनोवैज्ञानिक धारणा बताया। उनके अनुसार कल्याण को अधिकतम करने के लिए उपयोगिता को अधिकतम करना चाहिए।

प्राधुनिक युग में प्रो० रोबिंस (Robbins) और उनके अनुयायियों ने अर्थशास्त्र का कल्याण से सम्बन्ध जोड़ने का विरोध किया है। किन्तु, इसके विपरीत, हिवस, फालेडोर, साइट-बोस्की, लिटिल, वर्गसन, सेम्पूरलसन इत्यादि ने कल्याणवादी अर्थशास्त्र का जोरदार समर्थन दिया है। कुछ भी हो, कल्याणवादी अर्थशास्त्र अब प्राथमिक विश्लेषण की महत्वपूर्ण शाखा बन चुका है।

कल्याणवादी अर्थशास्त्र का अर्थ

कल्याणवादी अर्थशास्त्र प्राथमिक घटनाओं का अध्ययन तटस्थ रूप में नहीं करता, बल्कि किसी विशेष आदर्श या उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए करता है। इसका एक प्रधान आदर्श है, व्यक्ति और समाज के कल्याण को अधिकतम करना। इस आदर्श के ही संदर्भ में वह प्राथमिक संगठन की कुशलता को परखता है तथा प्राथमिक नीतियों का प्रतिपादन करता है।

कल्याणवादी अर्थशास्त्र के उद्देश्य

कल्याणवादी अर्थशास्त्र के निम्नलिखित उद्देश्य बताये जाते हैं :—(१) वह प्राथमिक कल्याण को अधिकतम करने के उपायों और साधनों का अध्ययन करता है। यहाँ प्राथमिक

१ I. M. D. Little : *A Critique of Welfare Economics*, p. 19.

कल्याण का प्रथिभ्राय उभ सन्तुष्टि से है जो समाज के सदस्यों को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से प्राप्त होती है । (२) यह उन चिन्हों को बताता है जिनके आधार पर यह कह सकें कि अमुक वातावरण में व्यक्ति अधिक सन्तुष्ट वा असन्तुष्ट है । (३) यह सम्पूर्ण समाज का अधिक कल्याण किसने अधिक या कम वा इसे मालूम करने की दशायें भी बताता है ।

वह अधिक कल्याण को अधिकतम् बनाने वाले वैज्ञानिक सिद्धान्तों का निर्माण करता है । जबकि रडोमिस्लर (Radomysler) के अनुसार कल्याणवादी अर्थशास्त्र वास्तविक है 'आदर्शात्मक' नहीं है, अर्थात् नैतिक निर्णयों से मुक्त है, तब लिटिल (Little) के अनुसार कल्याणवादी अर्थशास्त्र आदर्शात्मक है, वास्तविक नहीं, अर्थात् उसके नैतिक निर्णयों से सम्बन्ध है ।

वास्तविक और कल्याणवादी अर्थशास्त्र की तुलना

वास्तविक अर्थशास्त्र (अथवा मूल्य अर्थशास्त्र) में अधिक सिद्धान्तों का अध्ययन तटस्थ रूप में किया जाता है । घटना का विश्लेषण नैतिकता की दृष्टि से नहीं किया जाता बरन् वास्तविकता का दृष्टि से किया जाता है । यह स्थिति का उसके वास्तविक रूप में अध्ययन करता है, अर्थात्-युराई से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । यह सामाजिक कल्याण को अधिकतम् करने की दशाओं को भी नहीं बताता, क्योंकि इसमें मूल्यांकन (Valuation) की समस्या उठती है जो कि इस क्षेत्र में नहीं आती है । वास्तविक और कल्याणवादी अर्थशास्त्र के निम्नांकित भिन्नताएँ हैं :-

(१) जबकि वास्तविक अर्थशास्त्र कारण-परिणाम के वास्तविक सम्बन्ध का अध्ययन करता है, इसकी अर्थात्-युराई से कोई सम्बन्ध नहीं रखता और अधिकतम् सामाजिक कल्याण की प्राप्ति के लिये कोई कसोटियाँ निर्धारित नहीं करता, तब कल्याणवादी अर्थशास्त्र घटनाओं की अर्थात्-युराई को बताता है, कल्याण को अधिकतम् करने की दशायें या कसोटियाँ निर्धारित करता है ।

(२) जबकि वास्तविक अर्थशास्त्र, वृहत् एव अल्प दोनों ही विश्लेषण रीतियों का प्रयोग कर सकता है तब कल्याणवादी अर्थशास्त्र में अल्प विश्लेषण की अपेक्षा वृहत् विश्लेषण अधिक महत्वपूर्ण है ।

(३) वास्तविक अर्थशास्त्र में किसी सिद्धान्त को परखने के लिए इसके निष्कर्षों को जाँचना पड़ता है किन्तु कल्याणवादी अर्थशास्त्र के कथन को परखने हेतु इसकी मान्यताओं को जाँचने की आवश्यकता है ।

प्राचीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र (Old Welfare Economics)

व्याख्या एवं मान्यतायें—

एडम स्मिथ, रिकार्डो आदि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विचार था कि सामाजिक कल्याण धन पर निर्भर था । उनके अनुसार कल्याण को अधिकतम् करने का उपाय यही था कि धन और उत्पत्ति को अधिकतम् किया जाये । इस कारण उन्होंने यह सुझाव दिया कि कल्याण को अधिकतम् करने हेतु वर्तमान साधनों का, समाज के लिए अधिकतम् धन के उत्पादन में, प्रयोग करना चाहिए ।

यह प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मार्शल और पीगू ने अधिकतम् कल्याण की प्राप्ति हेतु वर्तमान साधनों के उपयोग और वितरण में कुशलतम् उपयोग करने पर बल दिया । कुशलतम् या सर्वोत्तम उपयोग केवल तब ही सम्भव है जबकि उपयोगिताओं को मापा जा सके और उनकी विभिन्न व्यक्तियों के बीच तुलना की जा सके । इस प्रकार कल्याण को अधिकतम् करने हेतु पूर्ण उपयोगिता की दशा सबसे उपयुक्त है । मार्शल और पीगू द्वारा निर्मित प्राचीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र निम्न मान्यताओं पर आधारित है :- (१) उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है और इस प्रकार वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता ज्ञात की जा सकती है । (२) एक व्यक्ति विशेष को एक वस्तु विशेष से प्राप्त होने वाली उपयोगिता पर अन्य व्यक्तियों के धन उपलब्ध उस वस्तु या अन्य वस्तुओं की मात्रा का असर नहीं पड़ता । (३) वस्तु विशेष से विभिन्न व्यक्तियों को मिलने वाली उपयोगिताओं की तुलना की जा सकती है और

ऐसी तुलना के द्वारा यह मासूम करना सम्भव है कि निर्धन व्यक्ति के लिए आय की सीमान्त उपयोगिता धनवान व्यक्ति की अपेक्षा अधिक होती है, कि प्रत्येक व्यक्ति की एक निश्चित आय के द्वारा उपयोगिता प्राप्त करने की क्षमता सीमित है और कि धनी व्यक्तियों की आय के कुछ भाग का निर्धनों के पक्ष में हस्तांतरण करके कुल उपयोगिता (या कुल सन्तोष) में वृद्धि की जा सकती है। (४) किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयाँ अथ्य करते समय उपभोक्ता के लिए मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता अपरिवर्तित रहती है।

यह कहना तो कठिन है कि व्यक्ति या सरकार की श्रियाओं से सामाजिक कल्याण में वृद्धि होगी या कमो किन्तु मोटे रूप से यह कह सकते हैं कि कोई भी आर्थिक परिवर्तन, जो धनी व्यक्तियों की आय के कुछ भाग को निर्धनों के पास हस्तांतरित करे, आय के वितरण की समानता को बढ़ाकर सामाजिक कल्याण में वृद्धि सम्भव बनाता है। इसके विपरीत स्थिति में, सामाजिक कल्याण में कमी हो जायेगी।

आलोचनाएँ—

(१) आधुनिक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, जिस कारण सीमान्त उपयोगिता और कुल उपयोगिता के परिवर्तनों का (और इसलिये वैयक्तिक या सामाजिक कल्याण की कमी या वृद्धि का) पता लगाना सम्भव नहीं है। (२) धन के वितरण पर बहुत अधिक बल दिया गया है और यह भुला दिया गया है कि समान वितरण की नीति को प्रमोदना देने से 'उत्पादन की इच्छा' पर कुप्रभाव पड़ेगा। वास्तव में, उत्पादन की कुशलता एवं धन का समान वितरण दोनों ही आर्थिक कल्याण की वृद्धि के लिये आवश्यक है। अतः दोनों पर ही बल देना चाहिये था।

उपयोगिता की माप सम्बन्धी कठिनाई के निवारण तथा प्राचीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र पर सुधार हेतु २० वीं शताब्दी के तीसरे दशक के लगभग कल्याणवादी अर्थशास्त्र में दो नई विचारधाराओं का उदय हुआ :—(i) नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र, जिसके मूल जन्मदाता पेरिटो (Pareto) हैं और विकासकर्ता हिक्स (Hicks), कालडोर (Kaldor) इत्यादि अर्थशास्त्री हैं एवं (ii) सामाजिक कल्याण फलन, जिसका विकास नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र की कुछ आलोचनाओं को दूर करने हेतु हुआ है।

नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र
(New Welfare Economics)

व्याख्या—

नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र इस दृष्टि से 'नवीन' है कि यह विभिन्न व्यक्तियों की उपयोगिताओं को जोड़े बिना ही उत्पादन और विनिमय के लिए अनुकूलतम दशा में निर्धारित करने का दावा करता है।¹ उपयोगिताओं को जोड़ने की कठिनाई से बचने हेतु इसने उदासीनता वक्र टेक्नीक का उपयोग किया है। इस टेक्नीक के द्वारा यह जमा जा सकता है कि एक व्यक्ति एक प्रकार के वस्तु-संयोग को दूसरे प्रकार के वस्तु-संयोग की अपेक्षा अधिक पसन्द करता है या कम या वह इनके मध्य उदासीन (Indifferent) है। (वह इस बात को बताने का यत्न नहीं करती है कि एक वस्तु संयोग को दूसरे की अपेक्षा "कितना" कम या अधिक पसन्द किया जाता है, क्योंकि इसके लिए उपयोगिता के माप की आवश्यकता पड़ती है।) ऊँची उदासीनता रेखाएँ नीची उदासीनता रेखाओं की अपेक्षा अधिक सन्तुष्टि सूचित करती हैं। अतः कल्याण के अधिकतम करने हेतु व्यक्ति को चाहिए कि वह नीची रेखाओं से ऊँची रेखाओं पर जाने का प्रयास करे।

पेरिटो ने यह मान्यता की थी कि कुछ लोगों के कल्याण में अन्य लोगों का कल्याण घटे बिना ही, वृद्धि करना सम्भव है। किन्तु यह मान्यता यथाव्यंता के विपक्ष है, क्योंकि सम्भव है कि कुछ लोगों का कल्याण बढ़ने के माय-साथ अन्य लोगों के कल्याण में कमी आ जाय। इस कठिनाई को प्रो० हिक्स ने अपना हानि-पूर्ति सिद्धान्त (Compensation Principle) प्रस्तुत करके दूर किया है। इस सिद्धान्त का सारांश यह है कि अर्थ-व्यवस्था के पुनर्गठन द्वारा आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो सकती है, वरतों जिन व्यक्तियों को ऐसे पुनर्गठन के फलस्वरूप लाभ

¹ Little : *A Critique of Welfare Economics*, p. 84

द्वारा है वे अपने लाभ वा कुछ भाग उन व्यक्तियों की हानिपूर्ति में लगा दें जिन्हें पुनर्गठन से हानि उठानी पड़ी है। ऐसी हानिपूर्ति लाभो पर करारोपण के द्वारा की जाती है। करों से प्राप्त धन को हानि उठाने वाली के लाभार्थ व्यय किया जाता है। इस आर्थिक सहायता का प्रयोग एक वैज्ञानिक उपकरण के रूप में यह पता लगाने हेतु किया जाता है कि कल्याण में वृद्धि हुई या नहीं। इसका न्यायपूर्ण वितरण से कोई सम्बन्ध नहीं है (किन्तु प्रारम्भिक अर्थशास्त्री ऐसा सम्बन्ध मानते थे) अर्थात् इसका प्रयोग एक नैतिक उपाय के रूप में नहीं किया जाता है।

श्रालोचना—

नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र की प्रमुख श्रालोचनायें इस प्रकार हैं :—(अ) यदि नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की दृष्टि यह थी कि उन्होंने उत्पादन की कुशलता के बजाय न्यायपूर्ण वितरण के प्रश्न पर अधिक जोर दिया, तब हिव्स-कालडोर के विवेचन की दृष्टि यह है कि उन्होंने न्यायपूर्ण वितरण के प्रश्न को राजनीतियों के लिए छोड़ दिया और स्वयं केवल कुशलता के प्रश्न पर ध्यान देते रहे। (ब) जैसा कि प्रो० लिटिल ने कहा है, स्वतन्त्र उपक्रम व्यवस्था पर आघातित अर्थ-व्यवस्था में कुशलता प्रभावों को आय-वितरण-प्रभावों से अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात्, उत्पादन-कुशलता में परिवर्तन होने पर आय में कुछ पुनर्वितरण स्वयं ही हो जाता है और आर्थिक कल्याण को प्रभावित कर देता है। यही कारण है कि केवल कुशलता की दृष्टि से आर्थिक कल्याण में वृद्धि अथवा कमी का ठीक-ठीक पता नहीं लगाया जा सकता।

सामाजिक कल्याण फलन

(The Social Welfare Function)

व्याख्या—

इस विचारधारा के प्रतिपादक बर्गसन (Bergson), सेम्युएलसन (Samuelson) इत्यादि हैं। यह विचारधारा कल्याण के अध्ययन में कुशलता और न्यायपूर्ण वितरण दोनों ही प्रश्नों पर ध्यान देती है। इसके अनुसार, सामाजिक कल्याण या तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण पर अथवा समाज के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई वस्तुओं और प्रस्तुत की गई सेवाओं की मात्राओं पर निर्भर होता है। जबकि प्रत्येक व्यक्ति पहले की अपेक्षा अधिक सन्तुष्टि प्राप्त करे या कुछ व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के सन्तोष में कमी आये बिना ही अधिक सन्तुष्टि प्राप्त कर ले, तो यह आवश्यक नहीं है कि कल्याण में वृद्धि हो जाय, क्योंकि कल्याण को प्रभावित करने वाली आय अनेक बातें भी हैं, जैसे—आय वितरण का ढङ्ग, विभिन्न व्यक्तियों के कल्याण की परस्पर-निर्भरता, आदि। कल्याण को सूचित करने हेतु बर्गसन ने निम्न सूत्र दिया है : $W = F(a, b, c, \dots)$, जिसमें W कल्याण को सूचित करता है, जो विभिन्न घटकों (a, b, c, ...) का फलन (F) है।

सामाजिक कल्याण सम्प्रदाय (The Social Welfare School) के अर्थशास्त्री बर्गसन, सेम्युएलसन इत्यादि उपयोगिता की मापनीयता और अन्तर-व्यक्तीय तुलना में विश्वास नहीं करते। वे कल्याणवादी अर्थशास्त्र के लिए नैतिक निर्णय होना आवश्यक मानते हैं किन्तु उनका कहना है कि ऐसे निर्णय राजनीतिज्ञों, समाज-सुधारकों आदि को लेने चाहिए और इनसे फिर अर्थशास्त्री ग्रहण कर सकता है।

श्रालोचनायें—

(१) यह विचारधारा प्रत्येक मनुष्य की समान महत्त्व देती है, जो स्वयं में एक नैतिक प्रश्न है और इस कारण वैज्ञानिक विश्लेषण का सूचक नहीं है। यदि असमान महत्त्व दें, तो भी यह प्रतीत होगा कि हम अपने मूल्यांकनों को दूसरों पर थोप रहे हैं। (२) यह विचारधारा समस्या को एक गणितीय रूप में प्रस्तुत करती है, उसका समाधान नहीं है।

कल्याणवादी अर्थशास्त्र का मूल्यांकन

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि कल्याणवादी अर्थशास्त्र अभी भी विकास की भवस्था में है और इसकी स्थिति को पूर्णतः सन्तोषजनक नहीं माना जा सकता है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं :—

(१) मार्शल, पीगू इत्यादि ने आर्थिक कल्याण के सन्दर्भ में धन के वितरण पर बहुत बल दिया। वे उपयोगिता की मापनीयता एवं अन्तर-व्यक्तीय तुलना में विश्वास करते थे।

रोबिन्स इत्यादि अर्थशास्त्रियों ने बताया कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जिसका ठीक-ठीक माप सम्भव नहीं है।

(२) हिवत, कालडोर इत्यादि ने उपयोगिता के माप की कठिनाई को दूर करने हेतु उदासीनता वक्र टेक्नीक का आविष्कार किया और उत्पादन की कुशलता पर अधिक बल दिया। इनकी आलोचना इस आधार पर की गई कि उदासीनता वक्र रेखाओं द्वारा बताई जाने वाली व्यक्तिगत प्राथमिकताओं की रूपरेखा अनेक अज्ञातस्विक मान्यताओं पर आधारित है। इसमें उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं की प्राय और मूल्य सम्बन्धी परिवर्तनों से अ-प्रभावित मान लिया गया है किन्तु यथार्थ में ऐसा नहीं है। (इन आलोचनाओं के उत्तर में कहा गया है कि प्राय और मूल्य सम्बन्धी परिवर्तनों के प्रभावों को व्यक्त करने हेतु यदि नये-नये वक्र खींचे गये तो उदासीनता मान-चित्र गड़बड़ हो जायगा। अतः यह मान लेना पड़ा कि प्राय और मूल्य के परिवर्तन उपभोक्ताओं की प्राथमिकता सूची को प्रभावित नहीं करते। इस उत्तर से आलोचक सन्तुष्ट नहीं हैं।)

(३) ब्रांसन, सेम्बुग्लसन इत्यादि ने नवीन कल्याणवादी विचारधारा के दोषों को दूर करने हेतु सामाजिक कल्याण फलन का प्रतिपादन किया है, जो उत्पादन की कुशलता और न्यायपूर्ण वितरण दोनों ही प्रश्नों पर बल देती है। किन्तु, इसने नैतिक निर्णय (Value judgements) लेने का काम अन्य लोगों पर डाल दिया, जिस कारण इसे वृत्तिपूर्ण माना गया है। आलोचकों का कहना है कि नैतिक निर्णयों के काम को राजनीतिज्ञ इत्यादि पर छोड़कर सामाजिक कल्याण के सम्प्रदाय ने 'कल्याणवादी अर्थशास्त्र' को 'वास्तविक अर्थशास्त्र' (Positive Economics) के निकट ला दिया है। रोबिन्स भी तो यही कहते हैं कि नैतिक निर्णय लेने का कार्य अर्थशास्त्रियों का नहीं है।

(४) रोबिन्स इत्यादि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि कल्याणवादी अर्थशास्त्र का सम्बन्ध नैतिकता से होता है, जिस कारण इसे नीतिशास्त्र में स्थान मिलना चाहिए, अर्थशास्त्र में नहीं। किन्तु इसके उत्तर में रेडोमिस्लर ने बनाया है कि कल्याणवादी अर्थशास्त्र कल्याण को बढ़ाने वाले कारणों (Causes) पर प्रकाश डालना है, वह 'क्या होना चाहिए' का अध्ययन नहीं करता; अतः उसका नैतिकता से सम्बन्ध नहीं है। अन्य कल्याणवादी अर्थशास्त्री (जैसे-लिटिल इत्यादि) रेडोमिस्लर से असहमत प्रकट करते हुए कल्याणवादी अर्थशास्त्र को नैतिकता से सम्बन्धित रखना आवश्यक बताते हैं। पुन स्वयं रोबिन्स भी अपने अर्थशास्त्र के वास्तविकतावादी दृष्टिकोण के प्रति मन्द्द रहते हैं। तब ही तो अपनी पुस्तक (The Nature and Significance of Economic Science) में एक स्थान पर यह लिखते हैं कि, "इस सबके कहने का आशय यह नहीं है कि अर्थशास्त्री नैतिक समस्याओं पर अपने कोई विचार न रखें"।¹

इस प्रकार, कल्याणवादी अर्थशास्त्र का अभी भी पूर्ण विकास नहीं हो सका है। हमारी सम्मति में मार्शल ठीक ही लिखते हैं कि "यदि अर्थशास्त्र में आर्थिक कल्याण को बढ़ाने वाले कारणों का अध्ययन न किया जाय तो वह नीरस और व्यर्थ रहेगा।"

परीक्षा प्रश्न :

१. 'कल्याणवादी अर्थशास्त्र' से क्या आशय है? यथार्थवादी और कल्याणवादी अर्थशास्त्र की मान्यताओं में क्या महत्वपूर्ण भेद है?

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम कल्याणवादी अर्थशास्त्र के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, इसके उद्देश्य भी समझाइए और अन्त में दोनों प्रकार के अर्थशास्त्र की तुलना कीजिये।]

२. 'कल्याणवादी अर्थशास्त्र' की धारणा की आलोचना कीजिये।

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम कल्याणवादी अर्थशास्त्र के अर्थ को स्पष्ट कीजिये। तदनन्तर प्राचीन एवं नवीन विचारधाराओं की व्याख्या व आलोचना कीजिये और अन्त में यह निष्कर्ष निकालिये कि कल्याणवादी अर्थशास्त्र का अभी पूर्ण विकास नहीं हो पाया है।]

¹ Robbins : *The Nature and Significance of Economic Science*, p 149-150.

दूसरा भाग
उपभोग
[CONSUMPTION]

उपभोग, इसका महत्त्व एवं उपभोक्ता की सार्वभौमिकता

(Consumption, its Importance and Consumer's Sovereignty)

प्रारम्भिक—

मनुष्य के जीवन में आवश्यकताओं का महत्त्व है। मानव जीवन की उथल-पुथल और मनुष्य की उधेड़-बुन की आवश्यकताओं पर ही आधारित है। प्रायः सभी काम किसी न किसी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये ही किये जाते हैं। मनुष्य की क्रियाओं का प्रारम्भ आवश्यकताओं से ही होता है। पहले कोई आवश्यकता उत्पन्न होती है और फिर उसकी पूर्ति के लिए मनुष्य प्रयत्नशील होता है। अन्त में उस आवश्यकता की पूर्ति करके मनुष्य सन्तुष्टि या सन्तोष अनुभव करता है। इस प्रकार प्रारम्भ से अन्त तक मानव व्यवहार अथवा मानव क्रियाओं पर आवश्यकताओं की छाप बनी रहती है। उपभोग में हम मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का ही अध्ययन करते हैं।

उपभोग का अर्थ

मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति का व्यवहार कुछ नियमों के अनुसार होता है। यह सभी नियम तथा उनसे सम्बन्धित दूसरी बातें उपभोग के अध्ययन-क्रम में आ जाती हैं। अतः यह कहते हैं, कि उपभोग मनुष्य की आवश्यकता-पूर्ति की क्रिया का नाम है।¹ नीचे कुछ प्रमुख विद्वानों की परिभाषायें प्रस्तुत की गई हैं :—

(१) प्रो० ऐली—“विस्तृत अर्थ में, उपभोग का आशय आर्थिक वस्तुओं और व्यक्तिगत सेवाओं का, मनुष्य की आवश्यकताओं के सन्तुष्ट करने के लिये उपभोग करने से है।”²

(२) मेयर—“स्वतन्त्र मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वस्तुओं अथवा सेवाओं के प्रत्यक्ष और अन्तिम उपयोग को उपभोग कहते हैं।”³ [इस परिभाषा में मनुष्यों के साथ “स्वतन्त्र” शब्द व्यर्थ में ही जोड़ा गया है, परन्तु ‘प्रत्यक्ष’ और ‘अन्तिम’ शब्द सार्थक हैं। मेयर का अभिप्राय यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग उत्पत्ति के लिए ही हो सकता है और उपभोग के लिये भी, परन्तु उत्पत्ति के लिये जो उपभोग होता है वह परोक्ष (Indirect) होता है और इसका उद्देश्य किसी ऐसी वस्तु का उत्पादन करना होता है जिसका अन्त में उपभोग किया जा सके।]

1 “Consumption is the process of the satisfaction of human wants.”

2 “Consumption, in its broadest sense, means the use of economic goods and personal services in the satisfaction of human wants.”—Ely.

3 Consumption is the direct and final use of goods or services in satisfying the wants of free human beings.”—Meyer.

उपभोग एवं विनाश

“उपभोग और विनाश में अन्तर है”—पहला मत

अर्थशास्त्र के विद्वान बहुधा उपभोग (Consumption) तथा विनाश (Destruction) में भेद करते हैं तथा यह बतलाने का प्रयत्न करते हैं कि उपभोग और विनाश दोनों में बड़ा अन्तर है। साधारणतया जब हम किसी वस्तु को आवश्यकता-पूर्ति के लिए काम में लाते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमने उस वस्तु का विनाश कर दिया। उदाहरणार्थ, जब हम भूख मिटाने के लिए भोजन करते हैं, तो भोजन की एक निश्चित मात्रा नष्ट हो जाती है। इससे कुछ लोग अनुमान लगा लेते हैं कि आवश्यकता-पूर्ति की क्रिया में साधन नष्ट हो जाता है, और, इस प्रकार, उपभोग और विनाश दोनों एक जैसे दिखाई पड़ते हैं।

परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। भौतिकशास्त्र (Physics) हमें यह बताता है कि पदार्थ (Matter) का कभी विनाश नहीं होता। हम केवल इतना कर सकते हैं कि किसी वस्तु के रूप, स्थान अथवा गुणों को बदल दें। वह भोजन, जो हम खाते हैं, सर्वथा नष्ट हो जाता है, वरन् उसका रूप बदल जाता है। हमारे खा लेने के पश्चात् वह शक्ति, रक्त, मांस इत्यादि में परिवर्तित हो जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह एक दूसरे रूप में अब भी बना रहता है। ठीक, इसी प्रकार, किसी अन्य वस्तु को भी हम मिटा नहीं सकते, केवल उसमें परिवर्तन ही कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, विनाश हमारे लिए सम्भव ही नहीं है और इसीलिए “उपभोग” को “विनाश” कहना भूल होगी। यह तो परिवर्तन-क्रिया मात्र है, क्योंकि हमारे उपभोग के उपरान्त भी वह वस्तु बनी रहती है, केवल उसके रूप, गुण इत्यादि बदल जाते हैं।

“उपभोग एक विशेष प्रकार का विनाश है”—दूसरा मत

इसके विपरीत, कुछ दूसरे अर्थशास्त्रियों का विचार है कि उपभोग एक विशेष प्रकार का विनाश है। प्रत्येक वस्तु में अनुष्य की आवश्यकता पूर्ति का गुण होता है। अर्थशास्त्र में इस गुण को हम उस वस्तु की “उपयोगिता” (Utility) कहते हैं। किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी करने की क्षमता इसी गुण पर निर्भर होती है। जितनी अधिक किसी वस्तु की हमारे लिए उपयोगिता होती है उतनी ही अधिक उसके उपभोग से हमें तृप्ति अथवा सन्तुष्टि मिलती है। उपभोग के अन्तर्गत भले ही हम वस्तु विशेष का विनाश न करते हों, किन्तु हम उसकी आवश्यकता-पूर्ति की शक्ति को अवश्य नष्ट कर देते हैं। दूसरे शब्दों में, उपभोग वस्तु का विनाश तो नहीं होता, किन्तु उपयोगिता का विनाश हो जाता है। इस प्रकार, उपभोग वास्तव में एक विशेष प्रकार का विनाश (अर्थात् उपयोगिता का विनाश) है और मूलतया उपभोग और विनाश में कोई अन्तर नहीं है। इसी आधार पर मार्शल ने उपभोग को ‘ऋणात्मक उत्पादन’ (Negative Production) कहा है जबकि उत्पादन से उनका अभिप्राय किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन करने से है। टामस (Thomas) ने उपयोग को ‘मूल्य का विनाश’ (Destruction of Value) कहा है, क्योंकि मूल्य उपयोगिता द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है।

उपयोगिता को कम करना ही उपभोग है—

उपरोक्त कथन में एक भारी भूल है। उपभोग की क्रिया में उपयोगिता का महत्व सभी जानते हैं, परन्तु शायद यह कहना ठीक नहीं है कि उपभोग के अन्तर्गत उपयोगिता का विनाश हो जाता है।

(१) उपभोग में उपयोगिता का पूर्ण विनाश नहीं—जिस प्रकार हम पदार्थ (Matter) का विनाश नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार उपयोगिता का भी पूर्णतया विनाश सम्भव नहीं है। उपभोग की क्रिया में केवल इतना होता है कि वस्तु विशेष की उपयोगिता

हमारे लिए कम हो जाती है। यह पूर्ण रूप से उपयोगिता नष्ट नहीं होती, केवल कम हो जाती है।

(२) उपभोग से अन्य व्यक्तियों के लिए उपयोगिता बढ़ सकती है—यह भी सम्भव है कि उपभोग किये जाने के कारण जिस वस्तु की उपयोगिता किसी एक व्यक्ति के लिए कम हो गई है, उसकी उपयोगिता किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भ्रषवा किसी दूसरी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बढ़ जाय। उदाहरणस्वरूप, जब हम एक कमीज को पहनते हैं या दूसरे शब्दों में उपभोग करते हैं, तो इस क्रिया के उपरान्त इस कमीज की उपयोगिता हमारे लिये कम हो जाती है, किन्तु स्मरण रहे कि एक पटे कपडे बटोरने वाले व्यक्ति (Rag picker) के लिए हमारी फटी हुई कमीज की उपयोगिता बढ़ जाती है। संसार की कोई भी वस्तु उपयोगिता रहित नहीं होती। हमारी फटी हुई कमीज की भी कुछ न कुछ उपयोगिता हमारे लिए भ्रषव्य रहती है, परन्तु यह उतनी अधिक नहीं होती जितनी कि नई कमीज की थी। इसी प्रकार हम यह देना सकते हैं कि अन्य वस्तुओं की भी उपभोग के पश्चात् हमारे लिए उपयोगिता कम हो जाती है। एक मशीन तथा मोटर उपभोग के बाद कुछ समय पीछे हमारे लिये इतनी उपयोगी नहीं रहती जितनी कि यह पहले थी।

(३) उपयोगिता कम करने की प्रत्येक क्रिया उपभोग नहीं—यह तो ठीक है कि उपभोग द्वारा प्रत्येक वस्तु की उपयोगिता कम हो जाती है, किन्तु उपयोगिता कम हो जाने का अर्थ तदैव यह नहीं होता कि उपभोग हुआ है। यदि हमारी नई कमीज गूँथी या धोमक द्वारा राख कर दी गई है, जिससे उसकी उपयोगिता हमारे लिये कम हो गई है, तो यह उपभोग नहीं हुआ। यदि आवश्यकता पूर्ति के काम के अन्तर्गत उपयोगिता कम होती है, तो उसी दशा में उपभोग होता है।

निष्कर्ष—उपभोग केवल आवश्यकता पूर्ति की क्रिया—उपभोग केवल आवश्यकता पूर्ति की क्रिया है। उपयोगिता में कमी हो जाना उसका परिणाम है। यह स्वयं उपभोग नहीं है। फिर भी साधारणतया उपयोगिता की कमी करने को "उपभोग" कहा जा सकता है।

उपभोग के अध्ययन का प्रारम्भ

(I) जे० बी० से—उपभोग के अध्ययन की उपेक्षा—फ्रांस के प्रमुखा आर्थिक लेखक जे० बी० से (J. B. Say) सबसे पहले अर्थशास्त्रो में, जिन्होंने अपनी राजनीतिक अर्थशास्त्र की पुस्तक को तीन भागों में—उत्पत्ति, वितरण तथा विनिमय में, विभाजित किया था। उपभोग के विषय की उन्होंने प्रलग विवेचन नहीं की थी, परन्तु उसे उत्पत्ति का ही एक भाग माना था। से (Say) के बाद के लेखकों ने अर्थशास्त्र के विषय के विभाजन की प्रथा को बनाये रखा और सभी तक भी यह प्रथा चली आ रही है। सब बात तो यह है कि प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने उपभोग के अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं समझी थी और इसी कारण इसके नियमों की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया था।

(II) बेंनथम—उपयोगिता विवेचन का महत्त्व—से (Say) के बाद के अर्थशास्त्रियों पर बेंनथम (Bentham) नामक एक राजनीतिक लेखक के विचारों का अधिक प्रभाव पड़ा। अर्थशास्त्र में "उपयोगिता" शब्द उन्हीं की देन है। बेंनथम के अनुसार किसी भी प्रणाली (System) भ्रषवा क्रिया की अच्छाई या बुराई उसकी "उपयोगिता" से सम्बन्धित होनी चाहिये। कोई वस्तु जितनी ही अधिक समाज के लिये उपयोगी होगी वह उतनी ही अधिक वांछनीय या हितकर होगी। इस विचारधारा का आर्थिक विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा और आर्थिक प्रयोजनों तथा नियमों के अध्ययन में उपयोगिता-विवेचना (Utility Analysis) का उपयोग बढ़ता ही गया।

(III) कौनडीलैक्म—मूल्य सिद्धान्त में उपयोगिता का प्रयोग—धीरे-धीरे उपयोगिता के आधार पर आर्थिक नियमों और निष्कर्षों का निर्माण अर्थशास्त्र का एक आवश्यक अङ्ग बन गया। इस सम्बन्ध में इटली के प्राचीन आर्थिक लेखक कौनडीलैक्म (Condillacs) का कार्य विशेष रूप से सराहनीय है। उन्होंने सबसे पहले अपने मूल्य के सिद्धान्त को उपयोगिता पर आधारित किया और इस नियम का निर्माण किया कि किसी वस्तु का मूल्य उसकी दुर्लभता (Scarcity) तथा उपयोगिता (Utility) पर निर्भर होता है। साथ-साथ उन्होंने यह भी बताया कि उपयोगिता का परिमाणात्मक माप (Quantitative Measurement) सम्भव है। इस प्रकार, कौनडीलैक्म का कार्य उनके युग को देखते हुए बहुत मौलिक तथा बहुत उच्च कीटि वा था।

(IV) उपभोग के नियमित अध्ययन का श्रेय आस्ट्रियन अर्थशास्त्रियों को—उपयोगिता शब्द तो अर्थशास्त्र में एक महत्त्वपूर्ण स्थान पा गया, किन्तु उपभोग का नियमिततापूर्वक अध्ययन इतना शीघ्र आरम्भ नहीं हुआ। एक लम्बे समय तक उपभोग का अध्ययन नहीं किया गया। इस अध्ययन को आरम्भ करने का श्रेय आस्ट्रियन सम्प्रदाय के लेखकों को है। उन्होंने न केवल उपभोग के अध्ययन को ही अपनाया वरन् इस अध्ययन को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया। उन्होंने आर्थिक विज्ञान की विषयविवेचना उपभोग से आरम्भ की और इस बात पर बल दिया कि इस विज्ञान का आधार उपभोग ही है। इस सम्बन्ध में वीजर (Wieser), मॅंजर (Meoer), वालरस (Walras), जेवन्स (Jevons) तथा बोहम-बावर्क (Bohm-Bawerk) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस सम्प्रदाय के लेखकों ने उपभोग और उसके नियमों की भली-भाँति विवेचना की और इस कार्य में उपयोगिता-विवेदन को विशेष महत्त्व दिया तथा उसका विशेष उपयोग किया। इसके अनिर्दिष्ट इन लोगों ने मूल्य और वितरण के सिद्धान्तों में भी उपयोगिता विवेचना प्रणाली को ही अपनाया।

(V) आधुनिक अर्थशास्त्र में उपभोग—आधुनिक अर्थशास्त्र में उपभोग का महत्त्व बहुत ही बढ़ गया है, क्योंकि उपभोग को ही अर्थशास्त्र का आधार मानकर इस विज्ञान की रचना की गई है। आधुनिक अर्थशास्त्र को बहुधा तीन युगों में बाँटा जाता है :—

(१) गोसन का युग—पहला युग गोसन (Gossen) से आरम्भ होता है। गोसन के मानव वाणिज्य (अर्थशास्त्र) की तीन महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ हैं :—इह उपयोगितावाद (Utilitarianism), उपभोग-रट्टकोण और गणित प्रणाली का उपयोग। गोसन अपनी पुस्तक इस वाक्य से आरम्भ करते हैं कि "समस्त मानव व्यवहार का उद्देश्य सन्तोष अथवा सुख को अधिक से अधिक करना होता है।" इसी एक मन्थता (Assumption) के आधार पर समस्त अर्थ-विज्ञान की रचना होनी है। इसके उपरान्त गोसन उपयोग के उन दोनों नियमों की विवेचना करते हैं जिनके पालन करने से इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। उनका अभिप्राय यह है कि अर्थशास्त्र उपभोग पर ही आधारित है और इस शास्त्र को समझने के लिए सर्वप्रथम उपभोग और उसके नियमों का ही अध्ययन करना चाहिए।

(२) मार्शल का युग—आधुनिक अर्थशास्त्र के दूसरे युग में मार्शल का स्थान बहुत ऊँचा है। उनके हाथों द्वारा उपभोग के अध्ययन पर विशेष प्रकाश पड़ा है। मार्शल की विशेषता यह है कि उन्होंने बड़े सरल तथा रोचक ढङ्ग से उपभोग के नियमों की व्याख्या की है और उपभोगों की वचन वा एक नया तथा मौलिक विचार अर्थशास्त्र को दिया है।

(३) हिव्स, रोबिन्स आदि—तीसरे युग के नवीन कालीन लेखकों का नम्बर आता है, जिनमें रोबिन्स, रोजीनी जॉन रोबिन्सन (Joan Robinson) तथा जे० हिव्स (J. R. Hicks) के नाम अधिक प्रसिद्ध हैं। यह कहना व्यर्थ न होगा कि आधुनिक अर्थशास्त्र के ये सभी नवीन लेखक उपभोग को ही अर्थशास्त्र का आधार तथा सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण अङ्ग मानते हैं।

रोबिन्स द्वारा की गई अर्थशास्त्र की परिभाषा पहले ही दी जा चुकी है। उसके अध्ययन के पश्चात् यह संदेह रह जाना सम्भव नहीं है कि अर्थशास्त्र में उपभोग का स्थान बहुत ऊँचा है।

उपभोग का महत्त्व

आधुनिक अर्थशास्त्र में उपभोग के महत्त्व की निम्न बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :—

उपभोग मानवीय क्रियाओं का आदि और अन्त दोनों :—

आधारभूत बात यह है कि प्रत्येक मानवीय क्रिया का जन्म आवश्यकता से होता है। यदि हमारी आवश्यकताएँ न हों तो हम कोई कार्य भी नहीं करेंगे। वस्तुओं और सेवाओं को उत्पन्न करने की इच्छा हम इसलिए करते हैं कि हमारी आवश्यकताएँ ऐसी करने लिए बाध्य करती हैं। आवश्यकताओं की उपस्थिति कष्टदायक होती है और कष्ट से हम छुटकारा पाना चाहते हैं। इस प्रकार सभी मानवीय क्रियाओं का प्रेरणा-केन्द्र उपभोग ही है। उपभोग को मानवीय क्रियाओं का आदि और अन्त दोनों ही कहा जा सकता है।

अन्य आर्थिक क्रियाओं पर इसका प्रभाव—

अर्थशास्त्र के चार विभाग हैं, जिनका परस्पर बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है, परन्तु उत्पत्ति, विनिमय और वितरण का रूप उपभोग द्वारा निश्चित होता है।

(१) उत्पत्ति पर प्रभाव—(i) यह तो स्पष्ट ही है कि उत्पत्ति का ध्येय आवश्यकताओं की पूर्ति होता है। उन्हीं वस्तुओं की उत्पत्ति की जाती है जिनका कि उपभोग होता है। ऐसी किसी वस्तु की उत्पत्ति करना, जो उपभोग में न लाई जा सके, व्यर्थ होगा। (ii) गुणात्मक दृष्टि से भी उत्पत्ति का रूप उपभोग पर आधारित है—जैसे-जैसे हमारी आवश्यकताओं का लेप बदलता जाता है, उत्पत्ति का रूप भी बदलता है। कुछ समय पहले जिन वस्तुओं की उत्पत्ति की जाती थी या जिन वस्तुओं की उत्पत्ति महत्त्वपूर्ण समझी जाती थी, आजकल-या तो उनकी उत्पत्ति होती ही नहीं है या उनका महत्त्व पट गया है। इसका मुख्य कारण यही है कि इन वस्तुओं का उपभोग अब इतना महत्त्वपूर्ण नहीं रह गया है जितना कि पहले था। (iii) उत्पत्ति की नई-नई रीतियाँ तथा नये-नये आविष्कार भी उपभोग पर ही आधारित हैं। एक साधारण-सी कहावत है कि 'आवश्यकता आविष्कार की जननी है' अभिप्राय यह है कि उत्पत्ति सम्बन्धी नई-नई बातों की खोज हम इसी कारण करते हैं कि हम अपनी आवश्यकताओं की अधिक से अधिक पूर्ति कर सकें।

(२) विनिमय पर प्रभाव—विनिमय का उद्देश्य भी अधिकतम पूर्ति की प्राप्ति होता है। विनिमय का एक साधारण सत्य यह है कि विनिमय से विनिमय करने वाले दोनों पक्षों का लाभ होता है। विनिमय हम केवल उसी दशा में करते हैं जबकि बदले में मिलने वाली वस्तु से हमें अधिक उपयोगिता की आशा होती है। बात यह है कि अपनी आय के सीमित साधनों को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करने का प्रयत्न करते हैं कि हमें प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता अधिक से अधिक हो जाये।

(३) वितरण पर प्रभाव—वितरण की समस्या भी उपभोग से सम्बन्धित है :— (i) उत्पत्ति के सभी साधन, जो उत्पत्ति में सहायक होते हैं, आवश्यकताओं के कारण से ही कार्य के लिए प्रेरित होते हैं और कुल उत्पादन में से इसलिए हिस्सा बँटाते हैं कि उनके स्वामी अपनी उपभोग सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। (ii) यदि किसी उत्पत्ति के साधनों को उपभोग के लिए पर्याप्त हिस्सा नहीं मिलेगा, तो वह उत्पत्ति में कोई भी रुचि नहीं लेगा। (iii) इसके साथ-साथ धर्म इत्यादि उत्पत्ति के साधनों की कार्यक्षमता उपयोग द्वारा निश्चित होती है। कार्यक्षमता एक बड़े प्रश्न तक जीवन-स्तर (Standard of Living) पर निर्भर होती है और जीवन-स्तर उपभोग द्वारा निश्चित होता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जीवन में उपभोग का बड़ा महत्त्व है। अर्थशास्त्र के कुछ शालोचक, जिनके विचार में सारा अर्थशास्त्र, उपभोग के महत्त्वपूर्ण नियम, अर्थात् अधिकतम वृष्टि नियम पर आधारित है, एक बड़े सत्य का उल्लेख करते हैं। यथार्थ में उपभोग से प्रत्यक्ष करके अर्थशास्त्र को समझना भी कठिन होगा।

उपभोक्ता की सार्वभौमिकता (Consumer's Sovereignty)

उपभोक्ता की सार्वभौमिकता से आशय—

स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था में किस चीज का उत्पादन होगा यह इस बात पर निर्भर है कि उपभोक्ता अपनी आय अथवा उस धन को, जो उनके पास है, किस प्रकार व्यय करते हैं। प्रत्येक उत्पादक का अन्तिम उद्देश्य यही होना है कि उपभोग के लिए वस्तुओं का उत्पादन करे। इसी प्रकार, प्रत्येक उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है परन्तु उसके लाभ का अधिकतम होना एक बहुत बड़े प्रश्न तक उपभोक्ताओं के अनुराग (Preference) पर निर्भर है जो कि उनकी वस्तुओं के लिये माँग की मात्रा और इसके स्वरूप को निश्चित करता है। अतः, नया उत्पादन होना है और किस प्रकार उत्पन्न होना है यह इस बात पर निर्भर होगा कि उपभोक्ता अपना अनुराग कैसे व्यक्त करते हैं। पूँजीवाद के अन्तर्गत उपभोक्ता ही सत्ता है। यदि सभी वस्तुएँ आदेश (Order) के आधार पर उत्पन्न की जायें, तो आर्थिक क्रियाओं की दिशा उपभोक्ताओं द्वारा दिये हुये आदेशों पर निर्भर होगी। “फुटकर व्यापारी इन आदेशों को थोक व्यापारियों तक पहुँचायेंगे, थोक व्यापारी उत्पादकों तक और उत्पादक अर्द्ध-निर्मित वस्तुओं के उत्पादकों तक और इस प्रकार यह क्रम आगे चलता रहेगा। यथार्थ में, अधिकतम वस्तुएँ उपभोक्ताओं की माँग के अनुमान के आधार पर उत्पन्न की जाती हैं। अधिकतम उत्पत्ति के साधनों को साहसी द्वारा उनकी कीमत उनकी उपजों के बिकने से पहले ही दे दी जाती है। साहसी उपभोक्ताओं की माँग का अनुमान लगाकर अपना कार्य आरम्भ कर देते हैं। यदि उनका अनुमान सही है तो उन्हें स्वयं को उससे अधिक लाभ प्राप्त होता है जो कि अनुमान गलत होने की दशा में नहीं होता। यदि साहसी का अनुमान गलत है, तो वह अपनी, उत्पादन-योजना को बदल देगा जिससे कि वह उपभोक्ताओं की माँग के अनुकूल हो जायें।”¹ एक व्यवसायी की दृष्टि से साधारण कथावन यही है कि “उपभोक्ता मेरा स्वामी है” (Consumer is my master)।

उदाहरणों द्वारा स्पष्टीकरण—

एक समाज में उत्पादक क्रियाएँ किस प्रकार उपभोक्ताओं की इच्छाओं के अनुसार बदल जाती हैं, इस सम्बन्ध में कुछ उदाहरण देना अनुपयुक्त न होगा।

(१) सर्वप्रथम हम एक ऐसी दशा को लेते हैं जिसमें उपभोक्ताओं की रुचि गेहूँ से हटकर चावल की ओर जा रही है। ऐसी दशा में गेहूँ के दाम घटेंगे, क्योंकि अब उपभोक्ता गेहूँ की माँग कम करेंगे। फलतः भूमि तथा उत्पत्ति के साधन भी गेहूँ के उत्पादन से हटने लगेंगे। दूसरी ओर चूँकि चावल की माँग बढ़ गई है, इसलिये इसके दाम चढ़ जायेंगे। ऐसी दशा में, चावल के उत्पादन में अधिक भूमि और उत्पत्ति के अधिक साधन लगाये जायेंगे। इस प्रकार, कीमत यन्त्र, जो उपभोक्ताओं के चुनाव द्वारा संचालित है, उत्पत्ति के साधनों का उपभोक्ताओं की रुचियों के अनुसार पुनर्वितरण कर देगा।

(२) मान लीजिए कि नई मौद्रिक पूँजी उपलब्ध है और विनियोग के नये रास्ते खोज रही है। उपभोक्ताओं का चुनाव ही यह निश्चित करेगा कि यह नई पूँजी कहाँ लगाई

जाये। वह इस प्रकार कि पूँजी का प्रत्येक स्वामी इस बात का प्रयत्न करेगा कि उसे अपनी पूँजी से अधिकतम मोद्रिक लाभ प्राप्त हो। ऐसी दशा में प्रत्येक उत्पादक एक ओर तो यह देखेगा कि उत्पादन बढ़ाने की सम्भावनाएँ किन-किन उद्योगों में शेष हैं परन्तु दूसरी ओर यह भी देखेगा कि किन वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाकर अधिक प्रच्छा मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। इस दिशा में भावी माँग का अनुमान अथवा उपभोक्ताओं का अनुसारा उनका पथ-प्रदर्शन करेगा।

(२) मान लीजिये कि उपभोक्ता अधिक बचत करना चाहते हैं जिससे कि वे वर्तमान उपभोग में तो कमी कर दें परन्तु भविष्य में अपना उपभोग बड़ा सकें। अधिक बचत के फलस्वरूप उपभोग की वस्तुओं पर व्यय घटेगा। ऐसी वस्तुओं की माँग कम हो जायेगी और उत्पत्ति के साधन उपभोग्य-वस्तु-उद्योगों से हटने लगेंगे। दूसरी ओर, बचतों के बढ़ने का फल यह हो सकता है कि विनियोग बड़ा जायँ। यदि ऐसा हुआ, तो पूँजीगत माल उत्पादन करने वाले उद्योगों में उत्पादन और रोजगार दोनों बढ़ेंगे। इस प्रकार, अर्थ-व्यवस्था के स्वरूप में आधा-भूत परिवर्तन हो जायेगा।

ऊपर के तीनों उदाहरण साधारण दशाओं को दिखाते हैं किन्तु वास्तविक जीवन में दशाएँ जटिल हो सकती हैं। जैसा कि बेनहाम (Benham) ने लिखा है, "वास्तविक जीवन में, माँग का एक परिवर्तन पूरे उत्पादन-यन्त्र में परिवर्तन कर सकता है। कुछ भूमि छोड़ दी जायेगी; कुछ सामान फेंक दिया जायेगा; कुछ थमिक देश के दूसरे भाग को चले जायेंगे और इस प्रकार विभिन्न उद्योगों के बीच साधनों का बँटवारा एक पर्याप्त अथवा तक बदल जायेगा। किन्तु उत्पत्ति-साधन दूसरी उत्पादन शालाओं में तभी जायेंगे जबकि इनके स्वामी यहाँ अधिक आय की प्राप्ता करने अर्थात् केवल उसी दशा में जबकि ऐसा अनुभव किया जायेगा कि उत्पादन की नई शालाओं में उपभोक्ता पुरानी शालाओं की तुलना में इन साधनों का अधिक मूल्य देने को तैयार होंगे।"¹

उपभोक्ता के चुनाव का महत्व—

इस प्रकार, एक स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था में कोई औद्योगिक इनाई केवल तभी मफल हो सकती है जबकि वह उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और उनके आदेशों के अनुसार चले। किकहोफर (Kichhofer) ने उपभोक्ताओं के चुनाव का महत्व निम्न शब्दों में व्यक्त किया है, "सार्वजनिक उपभोग सार्वजनिक मनदान की भाँति है; यह नियन्त्रण का एक प्रजातन्त्रीय साधन है। उपभोक्ता में केवल एक ही योग्यता की आशा की जाती है कि उनके पास आवश्यक वस्तुएँ पगरी देने के लिए आय हों। आर्थिक चुनाव में एक उपभोक्ता उनमें ही मन दे सकता है जिनमें उनके पास व्यय करने के लिए डालर है। यदि आर्थिक मनदाना अपनी आय को आवश्यक के स्थान पर अनावश्यक, प्रसली के स्थान पर नकली तथा मुन्दर के स्थान पर समुन्दर वस्तुओं पर व्यय करने का निर्णय करता है, तो फिर ऐसी ही वस्तुओं का उत्पादन होने लगेगा। उपभोक्ता का चुनाव चाहे वह बुद्धिमत्ता से हो अथवा भ्रमना से हमारी आर्थिक प्रणाली का प्रत्येक दशा में पथ-प्रदर्शन करता है। यह चुनाव, एक विजली के बटन की भाँति है जिसके दवाने ही मारा उत्पादन यन्त्र त्रिशाशील हो जाता है।"²

उपरोक्त विवेचन यह स्पष्ट कर देता है कि एक स्वतन्त्र अथवा अनियोजित अर्थ-व्यवस्था में निर्देशन कार्य कीमत-यन्त्र (Price Mechanism) द्वारा किया जाता है। उत्पादक उपभोक्ता के चुनाव का ज्ञान कीमत यन्त्र द्वारा ही प्राप्त करता है। इसी प्रकार, उत्पत्ति के विभिन्न

¹ *Ibid.*, p. 160.

² W. H. Kichhofer : *Economic Principles, Problems and Policies*, p. 652

साधनों का विभिन्न उपयोगों और उद्योगों में वितरण भी मूल्य यन्त्र ही करता है। इस मूल्य यन्त्र को 'स्वचालित' कहा जाता है, क्योंकि इसके समायोजनों में बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। परन्तु उपभोक्ता के चुनाव पर दो परिस्तीमाएँ लगती हैं:—प्रथम, मूल्य यन्त्र सदा ही उपभोक्ताओं के चुनाव का पूर्णतया सही सूचक नहीं होता। दूसरे, पूँजीवाद में उपभोक्ता इतना स्वतन्त्र नहीं होता जितना कि उसे बताया गया है। अधिकांश वाममार्गी लेखक ऐसा समझते हैं कि पूँजीवाद में चुनाव की स्वतन्त्रता कोरी बल्पना है। "यह मान्यता, कि उपभोक्ता इस बात का चुनाव करने में स्वतन्त्र है कि उन्हें क्या और कितना चाहिए, एक नोरी श्राधिक गल्प है" एकाधिकार के इस युग में सभी जानते हैं कि उत्पादक उपभोग पर नियन्त्रण रख सकता है। इसके अतिरिक्त, विज्ञापन आदि रीतियों से भी उपभोक्ता की माँग का स्वरूप बदला जा सकता है। [विस्तृत विवरण आगे देखिये।]

उपभोक्ता के चुनाव का सिद्धान्त—

उपभोक्ता का चुनाव बातावरण और दीर्घकालीन सोच-विचार का परिणाम है—कुछ लोगों का यह गलत विश्वास रहा है कि उपभोक्ता का चुनाव आकस्मिक तथा अर्थ प्रेरणाओं पर आधारित होता है। अब हम यह भ्रमो-भ्रंति जानते हैं कि व्यवहार अनेक बाहरी कारणों (External stimuli) पर निर्भर होता है। बातावरण सम्बन्धी परिस्थितियाँ तो मनुष्यों की आधारभूत रचियों और प्रवृत्तियों को भी बदल सकती हैं। चुनाव का प्रगटीकरण आन्तरिक नहीं होता, बरद् अनेक दशाओं में दीर्घकालीन सोच-विचार का परिणाम होता है जिसमें सभी प्रकार की ऊँच-नीच पर विचार किया जाता है। यह भी देखने को मिलता है कि उपभोक्ता एक प्रकार की परिस्थितियों में एक रूप में अपने चुनाव को व्यक्त करता है परन्तु वही उपभोक्ता अन्य परिस्थितियों में अपने चुनाव को किसी दूसरे रूप में व्यक्त करता है।

आदत्तें, रीति-रिवाज और रुढ़ियों का प्रभाव—अधिकांश दशाओं में चुनाव आदतों रीति-रिवाजों और रुढ़ियों से दिशा बद्ध हो जाता है। मनुष्य दूसरे व्यक्तियों के निर्णय का अनुकरण करने का भी प्रयत्न करता है। इनमें तो सन्देह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के चुनाव में कुछ अथ तक उसकी व्यक्तिगत विशेषता भलवती है परन्तु एक बड़े अंश बाहरी कारण और दबाव भी उसके चुनाव को प्रभावित करते हैं। मनुष्य केवल व्यक्ति ही नहीं है वह एक सामाजिक प्राणी भी है।

आदत्तें, रीति-रिवाज और आग्र का आहार ये तीनों अर्थ कारणों के साथ मिलकर एक उपभोक्ता के उपभोग का स्वरूप निश्चित कर देने हैं। उपभोग के इस नियत-स्वरूप को ही 'जीवन-स्तर' कहा जाता है। किसी अर्थ व्यवस्था में विभिन्न सामाजिक वर्ग अपने अनुसूचियों को किस प्रकार व्यक्त करने हैं इसका अनुमान उनके जीवन-स्तर से लगाया जा सकता है। एक समाज की सम्पन्नता के सामान्य स्तर (General level) को उम अनुसूचियों के विभिन्न सामाजिक वर्गों के आग्र स्तरों से जाना जा सकता है। भौतिक दृष्टि में, जीवन स्तर का अधिप्राय आवश्यक, आराम-दायक और विलास की वस्तुओं की उम मात्रा से हीना है जिसके उपभोग का वह समाज अर्थस्वरूप हो जाता है। अतः समाज में लोगों का जीवन-स्तर इस बात का अच्छा अनुमान प्रदान कर देता है कि उपभोक्ता अपने चुनाव को किस प्रकार व्यक्त करते हैं।

जीवन-स्तर में एक विभिन्न प्रकार का टिकाऊपन होना है। यह देखने में आता है कि एक व्यक्ति अथवा एक सामाजिक वर्ग उन मर्दों को आसानी से बदलने के लिये तैयार नहीं होता है जो उसके जीवन स्तर का अङ्ग बन चुकी हैं। विभिन्न व्यक्तियों के जीवन-स्तर में जीवन निर्वाह आवश्यकताओं (Bare necessities of life) के लिए तो प्रायः समान व्यवस्था रहती है और सभी व्यक्ति इन्हीं आवश्यकताओं को सर्वप्रथम पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। किन्तु

कृत्रिम आवश्यकताओं, आरामदायक आवश्यकताओं और विलास आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था विभिन्न व्यक्तियों और वर्गों द्वारा अलग-अलग प्रकार से की जाती है । किन्तु एक ही सामाजिक वर्ग के सदस्यों के उपभोग में उपरोक्त आवश्यकताओं की व्यवस्था भी लगभग एक-सी ही होगी, अन्तर केवल विलास की व्यवस्था के सम्बन्ध में हो सकता है । यदि उपभोक्ताओं के पास विलास पर व्यय करने के लिए कुछ बच रहता है, तो प्रत्येक व्यक्ति यह व्यय अपनी इच्छानुसार अलग-अलग करेगा ।

स्पष्ट उपभोग का प्रभाव—उपभोक्ता का चुनाव एक अन्य कारण पर भी निर्भर होता है जिसे वेब्लेन (Veblen) ने 'स्पष्ट उपभोग' (Conspicuous Consumption) का नाम दिया है । पीगू ने ठीक ही कहा है कि "संसार में कोई भी व्यक्ति धनी नहीं होना चाहता परन्तु प्रत्येक व्यक्ति दूसरों की तुलना में अधिक धनवान होना चाहता है ।" यह मनुष्य की एक बड़ी भारी कमजोरी है कि वह अपनी रीढ़ डालना चाहता है । हम ऐसी किसी वस्तु के स्वामी बनना चाहते हैं जो अपने प्रकार की अकेली हो और, यदि हो सके तो, ऐसी वस्तु हमारे नगर, देश अथवा संसार में किसी के पास न हो । यह प्रवृत्ति इस कारण उत्पन्न होती है कि हम में से प्रत्येक दूसरों से प्रशंसा चाहता है और दूसरों का नेता बनना चाहता है । यह मनोवृत्ति केवल धनी आवृत्तियों की ही नहीं है परन्तु कुछ सीमाओं के भीतर धनी व्यक्तिओं में भी मिलती है ।

चुनाव की स्वतन्त्रता का अस्तित्व एकाकी नहीं—जब हम एक व्यक्ति की चुनाव की स्वतन्त्रता पर विचार करते हैं तो यह जानना आवश्यक है कि इस प्रकार की स्वतन्त्रता का एकाकी रूप से (In isolation) अस्तित्व नहीं है । व्यक्ति की भाँति अथवा उसके चुनाव को अनेक बातें निर्धारित करती हैं, जैसे—समाज द्वारा किया हुआ उत्पादन, व्यक्तियों की भाँति, आदतें और रीति-रिवाज, राज्य के नियम, सामाजिक रूढ़ियों और सम्मान की इच्छा इत्यादि । इन सभी प्रकार के प्रभावों के अन्तर्गत कार्य करते हुए उपभोक्ता संग्रह को अधिकतम करने के उद्देश्य से अपने चुनाव के अधिकार का प्रयोग करता है ।

भाय की परिवर्तनशीलता एवं इससे उत्पन्न विशेष समस्याएँ—चूँकि उपभोक्ता की अधिकतम भाय उन्हें उत्पत्ति के साधनों के रूप में प्राप्त होगी है, इसलिए उन्हें अपने चुनाव को व्यवस्थित करने में कुछ विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इसके फलस्वरूप उनके चुनाव का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव भी कुछ जटिल हो जाता है । अभी तक हम यह मानकर चल रहे थे कि उपभोक्ताओं की भाय यथास्थिर रहती है, परन्तु, उपरोक्त बातों के आधार पर, अब हम इस मान्यता को स्वीकार नहीं कर सकते । उदाहरणस्वरूप, यदि कृषि-उपज की भाँति बढ़ गई है तो कृषि-भूमि की भाय बढ़ेगी और इस प्रकार भूमि के स्वामी उपभोक्ताओं के रूप में कीमत-वृद्धि पर अधिक प्रभाव डाल सकेंगे । इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि उपभोक्ताओं की भाय कभी भी यथास्थिर नहीं रहती है । प्रत्येक आर्थिक परिवर्तन उत्पत्ति के विभिन्न साधनों की भाय में तुलनात्मक परिवर्तन कर देता है जिसके फलस्वरूप विभिन्न व्यक्तियों की भाय में भी तुलनात्मक परिवर्तन हो जाते हैं ।

इस सन्दर्भ को दृष्टिगत रखते हुए भायद हमें उपभोक्ता की सार्वभौमिकता सम्बन्धी अपने पूर्व विचारों को बदलना पड़ेगा । जैसा कि बेनहाम (Benham) का विचार है, अपारभूत स्थिति में कोई परिषद नहीं होता है । "अब भी हमारा कथन है कि उपभोक्ता ही सघाट है सही रहता है । साथ ही साथ यह बात भी उतनी ही सही है कि जब तक उपभोक्ता कुछ साधनों द्वारा की गई सेवाओं या अधिक मूल्य देने को तैयार हैं तब तक ऐसे साधन उत्पत्ति की उन भाँगाओं से, जिनमें उन्हें कम मूल्य प्राप्त होता है, हटकर ऐसी भाँगाओं में जायेंगे, जहाँ अधिक मूल्य मिलता है ।"

उपभोक्ता के चुनाव की परिसीमाएँ—

साधारण दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि एक स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था (Free-economy) में उपभोक्ताओं के चुनाव पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होता। किन्तु उपभोक्ता किस अर्थ तक उत्पादन का रूप निश्चित कर सकते हैं इसकी कुछ परिसीमाएँ (Limitations) होती हैं। ये परिसीमाएँ स्वयं स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था में ही निहित हैं। इनमें से कुछ परिसीमाएँ निम्न प्रकार हैं :—

(१) उत्पत्ति-साधनों की उपलब्धता तथा औद्योगिक ज्ञान की दशाओं से उत्पन्न भौतिक सम्भावनाएँ उपभोक्ताओं के चुनाव की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाती हैं। यद्यपि विविध प्रकार की वस्तुएँ उत्पन्न करना सम्भव होता है, परन्तु कुल उत्पादन को एक सीमा से अधिक बढ़ाना सम्भव नहीं होता। इस सीमा के पहुँचने पर उपभोक्ताओं के लिए केवल यह मार्ग ही बचता है कि वे कुछ चीजें अधिक मात्रा में प्राप्त करने हेतु कुछ अन्य का परित्याग कर दें।

(२) राज्य द्वारा भी कुछ परिसीमाएँ निश्चित की जाती हैं। राज्य कुछ प्रकार की वस्तुओं (जैसे हानिकारक दवाइयों, अथवा शराब) की विप्री बजित कर सकता है। कुछ अन्य वस्तुओं (जैसे तम्बाकू) की विप्री पर प्रतिबन्ध लगा सकता है और कुछ वस्तुओं (जैसे अफीम) का निषेध कर सकता है। अपनी करारोपण नीति द्वारा भी राज्य कुछ प्रकार के उपभोगों को प्रोत्साहित अथवा हतोत्साहित कर सकता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि कृषि प्रजातन्त्रीय राज्य में सरकार अधिकांश नागरिकों की इच्छानुसार चलती है, इसलिए उपभोक्ताओं के चुनाव पर सरकार जो परिसीमाएँ लगाती है वे दिखावटी होती हैं वास्तविक नहीं। फिर भी यह मानना ही पड़ेगा कि सरकारी हस्तक्षेप उपभोक्ताओं के चुनाव करने के अधिनार को सीमित कर देता है और इस प्रकार ऐसा हस्तक्षेप उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता पर एक परिसीमा के सदृश्य है।

(३) उपभोक्ताओं की चुनाव स्वतन्त्रता पर एकाधिकार की उपस्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। यद्यपि यह तो सम्भव है कि यदि एकाधिकार वाली वस्तु की माँग बड़े तो एकाधिकारी वस्तु की पूर्ति को बढ़ा कर अधिक लाभ कमा सकता है तथापि एकाधिकारी का पूर्ति पर इतना अधिक नियन्त्रण होता है कि वह उपभोक्ताओं को ठीक वही वस्तुएँ प्राप्त करने का अवसर नहीं देता जिन्हें वे सबसे अधिक पसन्द करते हैं। दो और रीतियों से भी एकाधिकारी उपभोक्ताओं की चुनाव स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगा सकता है : प्रथम, एकाधिकारी ऐसे उद्योगों में अथवा ऐसे उद्योग से उत्पत्ति के साधनों को जाने नहीं देता है जिस पर उसका अधिकार है, जिसका परिणाम यह होता है कि उत्पत्ति के साधनों की गतिशीलता उपभोक्ताओं की इच्छानुसार नहीं होने पाती है। दूसरे, एकाधिकार अर्द्ध-निमित्त वस्तुओं तथा अम-सवों के माध्यम से अम-सवों को तब विस्तृत हो सकता है। इन दोनों ही कारणों से एकाधिकार के कारण उपभोक्ताओं की चुनाव स्वतन्त्रता सीमित हो जाती है।

(४) कभी-कभी यह कहा जाता है कि विज्ञापन और विक्रय-कलाएँ भी उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता पर प्रतिबन्ध लगा देती हैं, क्योंकि ये उपभोक्ताओं को स्वतन्त्र चुनाव व्यक्त करने का अवसर नहीं देती हैं, बल्कि उन्हें ऐसी वस्तुएँ खरीदने के लिए बहकाती और घुमलाती हैं जिन्हें विज्ञापनकर्ता एवं विक्रेता चाहते हैं कि वे खरीदें।" विज्ञापन आधुनिक जगत में ग्राहकों को आकर्षित करने का महत्वपूर्ण उपाय है। वास्तविक जगत में अपूर्ण प्रतिधोमिता प्रचलित है जिसके कारण विज्ञापन और प्रचार विप्री के महत्वपूर्ण उपाय बन जाते हैं, और उनके द्वारा उपभोक्ताओं के खरीदने के फैसले बदले जा सकते हैं। फिर भी, यह मानना पड़ेगा कि इस तर्क में बहुत सार नहीं है। ऐसी भी अनेक वस्तुओं की विप्री होती है जिनका विज्ञापन नहीं होता

घोर प्रतियोगी वस्तुओं का उत्पादन एक दूसरे की धाकपेंग शक्ति को बहुत कुछ मिटा देता है। जैसा कि बेनहाम ने कहा है "एक तस्मैत सत्ताहृ ले सकता है और उसे कुछ कार्यों के लिए कुछ मंग तक बहुलाया-पुमलाया भी जा सकता है परन्तु फिर भी तस्मैत ही रहता है।"

(५) उपभोक्तार्थों के चुनाव पर एक अन्य प्रतिबन्ध अधिक मात्रा के उत्पादन (Mass production) द्वारा लगाया जाता है, जिसमें साधारणतया प्रमाणीकृत (Standardised) वस्तुओं का उत्पादन होता है। अप्रमाणीकृत वस्तुयें साधारणतया महँगी होती हैं। अतः उपभोक्ता को सस्ती प्रमाणीकृत वस्तुओं तथा महँगी अप्रमाणीकृत वस्तुओं के बीच चुनाव होता है। इससे उपभोक्ता की चुनाव स्वतन्त्रता पूर्णतया तो समाप्त नहीं होती है परन्तु सीमित अवश्य हो जाती है।

(६) एक अन्य प्रतिबन्ध भाव की कमी के कारण उत्पन्न होता है। अधिकांश उपभोक्ता इतने गरीब होते हैं कि उन्हें सस्ती वस्तुयें खरीदने पर बाध्य होना पड़ता है। कम भाव के साथ-साथ भाव का असमान वितरण भी उपभोक्तार्थों की चुनाव स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगा देता है।

(७) चुनाव स्वतन्त्रता तभी सम्भव है जबकि उपभोक्ता पूर्णतया विवेकशील हो। साधारणतया यह मान लेना ठीक होगा कि अपने स्वार्थ को अग्रे बढ़ाने के लिए तथा अपने मनोप को अधिकतम करने के लिए उपभोक्ता स्वयं ही विवेकशील हो जायेगा। किन्तु क्या उपभोक्ता सदा ही विवेकशील होता है? क्या हम अपना सभी प्रकार का व्यय सोच-विचार कर ही करते हैं? थोड़ा-सा भी ध्यान देने से पता चलेगा कि मानवीय व्यवहार किसी निश्चित प्रमाणानुसार नहीं होता है। हमारा अधिकांश व्यय आकारिमक होता है और बहुधा विचारहीन भी। दो अलग-अलग वस्तुओं से प्राप्त होने वाले मनोप की तुलना करना एक कठिन कार्य है और एक साधारण उपभोक्ता के पास ऐसी तुलना करने के लिए समय, सामर्थ्य तथा मंत्र तीनों का अभाव होता है।

(८) फैशन, रुढ़ियाँ, रीति-रिवाज और व्यक्तिगत विश्वास भी चुनाव की स्वतन्त्रता को सीमित करते हैं। यदि समाज में कोई फैशन प्रचलित हो जाता है तो अधिकांश लोग अंध बंद कर उसका अनुकरण करने लगते हैं। इसी प्रकार, धर्म और जाति सम्बन्धी दृष्टिकोण भी हमें तर्कों के अनुसार चुनाव करने से रोकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा, रीति-रिवाज और रुढ़ियाँ भी हमारे चुनाव की स्वतन्त्रता को पड़ा देती हैं।

(९) बहुत बड़े राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रथमा वस्तुओं के वितरण में अधिक समानता लाने के लिए उपभोग पर गुणात्मक तथा परिमाणवाचक प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं।

उपभोक्ता की सार्वभौमिकता का अर्थ—

जैसे तो यह प्रश्न कि उपभोक्ता की सार्वभौमिकता, उचित है या अनुचित अर्थशास्त्र के क्षेत्र से बाहर की चीज है, किन्तु सामाजिक दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ लोग उपभोक्ता को चुनाव के मामले में पूरी स्वतन्त्रता देने के पक्ष में हैं। उनका कहना है कि उपभोक्ता गलती कर सकता है परन्तु जो गलती नहीं करता है वह गरीबी भी क्या करेगा। इसके विपरीत, अन्य विद्वानों का कहना है कि यदि उपभोक्ता को पूर्णतया स्वतन्त्र छोड़ दिया जाये, तो वह अपनी रुचियों को गिरा लेगा और अस्वीकार्य गुण्डर वस्तुओं के स्थान पर अस्वीकार्य घोर हानिकारक वस्तुओं को चुनेगा, जैसे—यदि लोग अमर पुरी तरह स्वतन्त्र होंगे तो अम्लीय माहिस्य, गन्धे गाने, पाराब और टिगावटी वस्तुओं को चुनेंगे मने ही इसके लिए रोटी-कपड़े में भी कमी करनी पड़े। ऐसी दशा में यह अधिक अस्वीकार्य है कि उपभोक्तार्थों को बड़ी दिया जाये जो उनके विषे साभशासक है न कि वह त्रिसे वे पसन्द करते हैं।

इस प्रश्न के दोनों पहलुओं पर बहुत कुछ कहा जा सकता है और आधुनिक विचार-धारा यह है कि पूर्णतया नियन्त्रित उपभोग उतना ही बुरा है जितना कि पूर्णतया अनियन्त्रित

उपभोग । सभी आधुनिक समाज उपभोग पर किसी न किसी प्रकार के प्रतिबन्ध रखने के पक्ष में है यद्यपि वे उपभोक्ता की स्वतन्त्रता के लिये भी जागरूक हैं । इस सम्बन्ध में यह जानना भी आवश्यक है कि उत्पादन उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं से उस अंश तक प्रभावित नहीं होता, जितना कि उनकी संप्रभाषिक मार्ग से प्रभावित होता है । उत्पादन पर सबसे अधिक प्रभाव इस बात का पड़ता है कि उपभोक्ता कितना धन व्यय करते हैं अथवा उनके द्वारा कितना धन व्यय करने की सम्भावना है ।

परीक्षा प्रश्न :

१. उपभोग के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझाइये । “उपभोग ही अर्थशास्त्र का आदि और अन्त है”—विवेचन करिये ।

अथवा

उपभोग और विनाश में भेद कीजिये और अर्थशास्त्र में उपभोग के अध्ययन का महत्त्व बताइये ।

[सहायक संकेत :—सर्व-प्रथम उपभोक्ता का अर्थ बताइये । इस हेतु “उपभोग” और “विनाश” के विषय में विभिन्न मतों की चर्चा करते हुये निष्कर्ष निकालिये कि उपभोग उपयोगिता की वह कमी है जो कि मानवीय आवश्यकता की पूर्ति में वस्तु का प्रयोग करने से होती है । तत्पश्चात् यह दिखाइये कि उपभोग के अध्ययन को प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने अधिक महत्त्व नहीं दिया था किन्तु आधुनिक अर्थशास्त्री इसे बहुत महत्त्व देते हैं, क्योंकि यह आर्थिक क्रियाओं का आदि और अन्त है तथा इसका अन्य प्रकार की क्रियाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है ।]

२. “उपभोक्ता इतना निरंकुश सम्राट नहीं होता, जितना कि वह समझा जाता है । अधिक से अधिक वह एक संवैधानिक सम्राट है जो राज्य करता है, शासन नहीं ।” इस कथन का विवेचन कीजिये ।

अथवा

क्या उपभोक्ता पूँजीवाद अर्थव्यवस्था में एक सम्राट होता है ? उसकी प्रभुता की सीमाओं का विवेचन करिये ।

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम ‘उपभोक्ता की प्रभुता’ या ‘उपभोक्ता के सम्राट होने का अर्थ बताइये । इसे उदाहरणों से स्पष्ट कीजिये । तत्पश्चात् इसकी प्रभुता के महत्त्व को बताइये और अन्त में इसके चुनाव की परिसीमायें बताते हुए यह निष्कर्ष दीजिये कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की प्रभुता बहुत सीमित है ।]

आवश्यकताएँ

(Wants)

प्रारम्भिक—

प्रारम्भ में ही यह देखा चुके हैं कि मनुष्य की क्रियाओं की जन्मदाता आवश्यकताएँ ही हैं। मनुष्य साधारणतया इसीलिए कार्यशील रहता है कि उसे कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है। इस कारण आवश्यकताओं के अध्ययन का अर्थशास्त्र में बहुत महत्त्व है। प्रस्तुत अध्याय में इसके स्वरूप एवं स्वभाव का विवेचन किया गया है।

आवश्यकता की परिभाषा

इच्छा, आवश्यकता और माँग में भेद—

बहुधा ऐसा देखने में आता है कि साधारण बोल-चाल में लोग इच्छा, आवश्यकता और माँग इन तीनों शब्दों को एक ही अर्थ में उपयोग करते हैं। यद्यपि वे ये तीनों शब्द अलग-अलग हैं। अर्थशास्त्र के विद्यार्थी को इनके बीच का भेद समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि इस शास्त्र में ये तीनों शब्द भिन्न-भिन्न अर्थों में उपयोग किये जाते हैं।

इच्छा (Desire)—तीनों शब्दों में से सबसे विस्तृत क्षेत्र 'इच्छा' (Desire) शब्द का है। किसी कार्य को करने के लिये प्रयत्न किसी चीज को पाने के लिये मनुष्य के मस्तिष्क में उठने वाली कोई भी कामना (Craving) इच्छा कहलाती है।¹ इस प्रकार इच्छा केवल एक विचार है, जितना तृप्ति प्रयत्न गुप्त से कोई सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं है। इच्छा किसी भी प्रकार की हो सकती है। एक भिक्षारी के मन में राजा बनने का जो विचार उठता है वह एक इच्छा ही है। इसी प्रकार देश की सेवा करने, ताना पाने तथा हवा में उड़ने की भी इच्छायें हो सकती हैं। इच्छाओं के विषय में इतना जान लेना आवश्यक है कि उनकी पूर्ति सदा ही सम्भव नहीं होती है। प्रत्येक इच्छा को हम पूरा नहीं कर सकते। कुछ इच्छायें तो स्वभाव से ही ऐसी होती हैं कि उनका पूरा करना असम्भव होता है, क्योंकि वे केवल बोरी बरूपनायें होती हैं। उदाहरणार्थ, एक बच्चे की बिड़ियो की भाँति हवा में उड़ने की लालसा इसी प्रकार की इच्छा है।

आवश्यकता (Want)—कुछ इच्छायें ऐसी भी होती हैं जिनको पूरा करना सम्भव है। साधारणतया, किसी भी इच्छा के साथ यदि निम्न दो बातें प्रस्तुत हों तो वह पूरी की जा सकती है। इच्छा-पूर्ति की सामर्थ्य (Capacity) और इच्छा पूर्ति के लिए तत्परता (Willingness)। यदि इच्छा के पास अपनी इच्छा की पूर्ति के साधन उपलब्ध हों और वह उन साधनों का उपयोग करने के लिए भी तैयार हो, तो उसकी वह इच्छा आवश्यकता कहलायेगी। अतः आवश्यकता वह इच्छा है जिसके साथ सामर्थ्य तथा तत्परता भी मौजूद हो—वसत

¹ Any craving of the mind to do something or to possess something.

(Penson) के शब्दों में, "आवश्यकता किसी वस्तु के लिए सप्रभावि च्छा है, जो स्वयं को उस वस्तु के प्राप्त करने के प्रयत्न अथवा त्याग के रूप में व्यक्त करती है।"¹

उदाहरणस्वरूप, यदि एक मनुष्य की इच्छा एक कार खरीद लेने की है, उसके पास ऐसा करने के लिये पर्याप्त धन है तथा वह इस धन को इस काम में व्यय करने के लिये भी तैयार है, तो उसकी कार खरीदने की इच्छा 'आवश्यकता' बन जायगी। किन्तु स्मरण रहे कि साधन और तत्परता के होने से यह सिद्ध नहीं होता कि वह मनुष्य कार खरीद लेता है, बल्कि केवल इतना ही सिद्ध होता है कि वह कार खरीद सकता है। इस प्रकार, हम देखते हैं कि आवश्यकता वह इच्छा है जो पूरी की जा सके।²

मांग (Demand)—जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है साधनों के होते हुए भी यह आवश्यक नहीं है कि कोई आवश्यकता विशेष पूरी की जाय। मनुष्य की आवश्यकतायें अनन्त हैं। सामूहिक रूप से वे सब कभी भी पूरी नहीं हो सकती हैं, यद्यपि व्यक्तिगत रूप से उनमें से प्रत्येक पूरी की जा सकती है। अर्थशास्त्रियों में, कुछ ही आवश्यकताओं की वास्तव में पूर्ति होती है, सब की नहीं। उन आवश्यकताओं को, जिनकी पूर्ति की जाती है, हम मांग (Demand) कहते हैं।³ इस प्रकार मांग वह आवश्यकता है जिसको पूरा किया गया हो। इस सम्बन्ध में टामस ने मांग की जो परिभाषा दी है वह मान्य नहीं है। टामस का कहना है कि "उत्पादक-कार्यों की दिशा पर नियन्त्रण रखने के लिए एक ऐसी आवश्यकता होनी चाहिए जिसे खरीदने के लिए शक्ति और तत्परता भी मौजूद हो और इसे हम मांग कहते हैं।"⁴ स्मरण रहे कि टामस की उपरोक्त परिभाषा केवल आवश्यकता की परिभाषा ही सचती है, मांग की नहीं। आवश्यकता के "मांग" बनने के लिये तो उसका पूरा होना आवश्यक है।

एक उदाहरण से इच्छा, आवश्यकता तथा मांग का भेद और भी स्पष्ट हो जायगा। जब एक बालक किसी मिठाई की दूकान के सामने से निकलता है, तो उसके मन में लालसा उठती है कि दूकान में रखी हुई सारी मिठाइयों को वह पा जाये। किन्तु यह केवल एक इच्छा है, क्योंकि बालक के पास मिठाई खरीदने की कुछ भी नहीं है। इस प्रकार दूकान में रखी हुई सारी मिठाई बालक की मिठाई प्राप्त की 'इच्छा' को बताती है। अब, यदि यह बालक घर जाकर अपनी माँ से मिठाई खरीदने के लिये ५० पैसे पा जाता है और उन ५० पैसे को लेकर मिठाई खरीदने चल देता है, तो उसकी 'आवश्यकता' का माप ५० पैसे की मिठाई के बराबर है। अब यदि बालक बुद्धिमान है और दूकान पर पहुँच कर मिठाई का भाव पूछ कर केवल पच्चीस पैसे की मिठाई खरीदता है और यह अनुभव करता है कि उसकी मिठाई खाने की इच्छा पूरी हो गई, तो पच्चीस पैसे की मिठाई बालक की 'मांग' कहलायेगी। स्मरण रहे कि मांग सदैव किसी वस्तु के दाम (Price) से सम्बन्धित होती है।

इस प्रकार "किसी वस्तु की मांग उन विभिन्न मात्राओं द्वारा सूचित होती है जो

1 "Want is effective desire for particular things which expresses itself in the effort or sacrifice necessary to obtain them"—Penson : *Economics of Everyday Life*, p 14.

2 A desire that can be satisfied.

3 What that is actually satisfied.

4 "In order to control the direction of productive effort therefore, there must be the presence of a want supported by ability and willingness and this we call demand."—Thomas *Elements of Economics*, p 42

ग्राहकों द्वारा विभिन्न कीमतों पर खरीदी जाती है।¹ मिल (Mill) के शब्दों में, "माँग से हमारा अभिप्राय खरीद की मात्रा से है। यह कोई निश्चित मात्रा नहीं होती, बल्कि साधारणतया मूल्य के अनुसार बदलती रहती है।"²

चित्र द्वारा स्पष्टीकरण—

ऊपर दी हुई विवेचना से पता चलता है कि मनुष्य की इच्छामो वा श्रेष्ठ बहुत विस्तृत है, भावश्यकताओं का उनसे कम विस्तृत और माँग का क्षेत्र और भी छोटा होता है।



सारी इच्छायें भावश्यकताये नहीं होती हैं किन्तु सारी भावश्यकताये इच्छाएँ होती हैं। इसी प्रकार, सभी भावश्यकताएँ नहीं होती, किन्तु प्रत्येक माँग भावश्यकता होती है। यह बात दिये हुए रेखा-चित्र से स्पष्ट हो जायगी। इस चित्र में सबसे बड़ा गोला, 'इच्छामो' को दिखाता है; उसके भीतर का दूसरा छोटा गोला 'भावश्यकताओं' को और

सबसे छोटा गोला 'माँग' को दिखाता है।

भावश्यकताओं को निर्धारित करने वाले घटक (Factors Determining Wants)

विभिन्न व्यक्तियों की भावश्यकताओं में भिन्नता क्यों है? इसका कारण यह है कि भावश्यकताओं को अनेक तत्त्व प्रभावित करते हैं और ये प्रत्येक व्यक्ति की दशा में समान नहीं होते। भावश्यकताओं को प्रभावित या निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्त्व निम्नलिखित हैं:—

(१) भौगोलिक घटक—जिस देश में व्यक्ति का निवास है वहाँ की भौगोलिक स्थिति और जलवायु उसकी भावश्यकताओं को प्रभावित करती है, जैसे—इङ्ग्लैण्ड में ऊनी वस्त्रों का बरत महोने आवश्यक है किन्तु भारत में इनकी आवश्यकता २-३ महोने ही रहती है।

(२) शारीरिक घटक—व्यक्ति विशेष का स्वास्थ्य उसकी शरीर रचना और आयु भी भावश्यकताओं पर प्रभाव डालता है। उदाहरणार्थ, एक १० वर्ष की आयु की भावश्यकताएँ एक ३० वर्ष की आयु के व्यक्ति से भिन्न होंगी। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए हल्के भोजन की आवश्यकता है किन्तु एक दुबले-पगले व्यक्ति के लिए घी-दूध-म्रण्डा इत्यादि पोषिक पदार्थों की आवश्यकता होती है।

(३) धार्मिक तत्त्व—व्यक्ति की आय का भी उसकी भावश्यकताओं पर प्रभाव

1 "The demand for a commodity will consist of a number of different amounts which buyers will purchase at different prices."—H P Shearman : *Practical Economics*, p. 127.

2 "We must mean by the word demand the quantity demanded, and remember that this is not a fixed quantity but in general, varies according to value."—J. S Mill.

पड़ता है। उदाहरणार्थ, एक निर्धन व्यक्ति की आवश्यकतायें अनिवार्यताओं तक सीमित होती हैं किन्तु एक धनवान की आवश्यकताओं में विलासितायें भी सम्मिलित हैं।

(४) सामाजिक घटक—व्यक्ति के सामाजिक रीति-रिवाज भी उसकी आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं। उदाहरणार्थ, एक हिन्दू के अन्तिम संस्कार के लिये लकड़ियों की और एक मुस्लिम के लिये ३-४ मोटर भूमि की आवश्यकता पड़ती है।

(५) नैतिक एवं धार्मिक घटक—एक जैती के लिये मांस इत्यादि से परहेज है किन्तु क्षत्रियों में ऐसी बात नहीं है। सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखने वाले व्यक्ति की आवश्यकतायें अल्प और साधारण होती हैं किन्तु खाओ पीओ मोज करो की आस्था वाले व्यक्ति की आवश्यकतायें अधिक और असाधारण होती हैं।

(६) स्वभाव, फेशन इत्यादि—बदलते हुए फेशन से व्यक्तियों की आवश्यकतायें प्रभावित होती हैं। जैसे—कुछ वर्ष पूर्व धोती-कुर्ते का बहुत रिवाज था और अब बुशसर्ट, टाई, टेरीलीन की पैन्ट का रिवाज बढ रहा है। इसी प्रकार, सिग्रेट की आदत वाले व्यक्ति के लिये सिग्रेट आवश्यक वस्तु है किन्तु अन्य व्यक्तियों के लिये यह आवश्यक नहीं है।

(७) आय में परिवर्तन—जैसे-जैसे आय बढ़ती जाती है, व्यक्ति की आवश्यकतायें बढ़ती जाती हैं और जब आय में कमी होती है तो आवश्यकतायें भी घटानी पड़ती हैं।

आवश्यकताओं के लक्षण (Characteristics of Wants)

मनुष्य की आवश्यकतायें असंख्य हैं तथा वे अनेक प्रकार की होती हैं किन्तु ध्यानपूर्वक देखने से इन आवश्यकताओं में कुछ सामान्य लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। निम्नलिखित लक्षण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं—

(१) अनन्त एवं असंमित होना—मनुष्य की आवश्यकतायें अनन्त अथवा असंमित हैं। उनका चक्र कभी भी समाप्त नहीं होता। एक आवश्यकता पूरी नहीं होती कि दूसरी उठ खड़ी होती है। इस प्रकार किसी भी मनुष्य के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। यदि बहुत सारे मनुष्य मिल कर भी यह प्रयत्न करें कि सामूहिक रूप से सबकी आवश्यकतायें पूरी कर लें तो यह भी सम्भव नहीं है। आवश्यकताओं का यह गुण मनुष्य के लिए विशेष महत्त्वपूर्ण है इसी के कारण मनुष्य को सदा कार्यशील रहना पड़ता है, क्योंकि हर समय कोई न कोई आवश्यकता उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करनी ही रहती है। इस प्रकार यह गुण मानव उन्नति का प्रतीक है। यदि समस्त मानव आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाय, तो किंचित् मानव-जीवन निस्वाद तथा अरोचक हो जाय और सत्कार के सारे कार्य रुक जायें। आवश्यकताओं के इसी लक्षण पर अर्थशास्त्र का 'प्रगति का नियम' (Law of Progress) आधारित है।

(२) व्यक्तिगत सन्तुष्टि की सम्भावना—यद्यपि समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति सम्भव नहीं है, किन्तु एक आवश्यकता-विशेष की पूर्ति हो सकती है। अर्थात्, सामूहिक रूप से आवश्यकताओं की पूर्ति असंभव होते हुए भी व्यक्तिगत रूप से यह सम्भव है। जिस प्रकार कच्चे सूत के हजारों धागों को मिलाकर तो तोडा नहीं जा सकता है, परन्तु उनमें से प्रत्येक को एक-एक करके तोड़ना सम्भव होता है उसी प्रकार व्यक्तिगत रूप में कोई भी आवश्यकता पूरी की जा सकती है। आवश्यकता की परिभाषा से ही यह सिद्ध हो जाता है कि पूर्ति की क्षमता के बिना इच्छा आवश्यकता नहीं बन सकती है। इसी लक्षण पर अर्थशास्त्र का 'उपयोगिता ह्रास नियम' (Law of Diminishing Utility) आधारित है। आवश्यकताओं के ऊपर दिये हुए दोनों लक्षण आवश्यकताओं के मौलिक गुण (Basic Characteristics) कहलाते हैं।

(३) प्रतियोगिता करना—प्रावश्यकतायें आपस में प्रतियोगिता-मूलक होती हैं (Wants are Competitive) अर्थात्, प्रत्येक प्रावश्यकता अपनी ही पूर्ति सबसे पहले करने के लिये मनुष्य को प्रेरित करती है। अतः मनुष्य को बहुधा यह निश्चित करने में पठिनाई होती है कि वह पहले कौन-सी प्रावश्यकता को पूरी करे। साधारणतया ऐसी प्रावश्यकता, जिसकी तीव्रता अधिक होती है, अथवा जिसके पूरा न होने पर मनुष्य अधिक कष्ट का अनुभव करता है, पहले पूरी की जाती है और कम तीव्र प्रावश्यकतायें बाद में। प्रावश्यकतायों के इस लक्षण पर सम-सीमांत उपयोगिता नियम (Law of Equi-marginal Utility) आधारित है।

(४) पूरक स्वभाव—कुछ प्रावश्यकतायें पूरक (Complementary) होती हैं, अर्थात् उनको एकले में पूरा नहीं किया जा सकता, वरन् उनकी पूर्ति कुछ अन्य प्रावश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही की जा सकती है। जैसे तो एक प्रावश्यकता स्वयं ही दूसरी प्रावश्यकता की जन्म देती है और इस प्रकार प्रावश्यकताओं का चक्र चलता रहता है, किन्तु कुछ प्रावश्यकतायें विशेष रूप से ऐसी होती हैं कि उनकी पूर्ति अन्य प्रावश्यकताओं की पूर्ति के बिना हो ही नहीं सकती है। उदाहरणस्वरूप, कार की प्रावश्यकता और पेट्रोल की प्रावश्यकता दोनों एक साथ ही पूरी करनी पड़ती है। इस प्रकार, कपड़े और धोबी की प्रावश्यकताएँ एक दूसरे की भी पूरक हैं। प्रावश्यकतायों के इस लक्षण पर संयुक्त माँग का सिद्धान्त (Theory of Joint Demand) पर आधारित है।

(५) वर्तमान प्रावश्यकतायें अधिक महत्त्वपूर्ण—साधारणतया मनुष्य वर्तमान प्रावश्यकताओं की पूर्ति को भावी प्रावश्यकताओं की पूर्ति से अधिक महत्त्व देता है। कारण, वर्तमान प्रावश्यकताओं की तीव्रता भविष्य की प्रावश्यकता से अधिक होती है। अतः भविष्य की वर्तमान की प्रावश्यकता पूर्ति में वर्तमान का पलड़ा भारी रहता है। इसी विशेषता के सम्बन्ध में 'फिसर ने धरना 'अज्ञान सम्बन्धी समय प्राथमिकता सिद्धान्त' (Time Preference Theory of Interest) बनाया था।

(६) धीरे-धीरे घात बन जाना—प्रावश्यकतायें धीरे-धीरे मनुष्य के मन में घट कर लेती हैं। अन्य शब्दों में, उनकी प्रवृत्ति (Tendency) इस प्रकार की होती है कि वह मनुष्य की घात बनती जाती है। जिन प्रावश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य एक बार कर लेता है, उनकी दूसरी बार पूर्ति न होने पर वह पहले से अधिक कष्ट अनुभव करता है। उदाहरणस्वरूप, जो मनुष्य साफ कपड़े पहनने लगता है, बाद में साफ कपड़ों के न होने से उसे विशेष कष्ट अनुभव होता है और उसकी शायंशमता में कमी आ जाती है। प्रावश्यकताओं के लक्षण के आधार पर कुछ पर्यवर्तितियों ने 'मजदूरी के जीवन-स्तर सिद्धान्त' का प्रतिपादन किया था।

(७) रीति-रिवाज से प्रभावित होना—प्रावश्यकतायें रीति-रिवाज पर निर्भर होती हैं। किसी समाज अपना धर्म में किस प्रकार के रीति-रिवाज और फंजन होते हैं उन्हीं के अनुसार वहाँ की प्रावश्यकतायें भी होती हैं। उदाहरण के लिए, ग्राम-वासियों की बहू-सी प्रावश्यकतायें नगर-वासियों में भिन्न होती हैं। सम्पत्तियों की प्रावश्यकतायें असम्पत्तियों से भिन्न होती हैं।

(८) ज्ञान के साथ वृद्धि—वृद्धि और विज्ञान के विकास के साथ-साथ प्रावश्यकतायें बढ़ती जाती हैं, जैसे-जैसे नई-नई वस्तुओं का आविष्कार होता जाता है, उनके लिये प्रावश्यकतायें भी उत्पन्न होती जाती हैं।

(९) प्रावश्यकताओं की बारम्बारता—प्रावश्यकतायें बार-बार उत्पन्न होती रहती हैं (Wants are recurrent)। यदि हम प्रावश्यकता को एक बार पूरा कर लेते हैं, तो उनमें हमें मरदा के लिए छुट्टी नहीं मिल जाती है, क्योंकि कुछ समय पश्चात् वह फिर उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, भोजन की प्रावश्यकता बार-बार उत्पन्न होती रहती है।

(१०) आवश्यकताओं का कुचक्र—एक आवश्यकता दूसरी आवश्यकताओं को जन्म देती है। इस प्रकार आवश्यकताओं का चक्र चलता ही रहता है। भोजन के उपरान्त आराम करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए पलङ्ग और बिस्तर चाहिए और इस प्रकार यह चक्र चलता ही रहेगा।

(११) कुछ आवश्यकतायें वैकल्पिक होना—आवश्यकतायें वैकल्पिक होती हैं (Wants are alternative) एक आवश्यकता को पूरा करने के अनेक उपाय अथवा साधन होते हैं। उदाहरणस्वरूप, मनोरंजन की आवश्यकता नाटक, सिनेमा अथवा गायन सम्मेलन से पूरी हो सकती है। आवश्यकताओं के इस लक्षण के आधार पर मिश्रित पूर्ति (Composite supply) अथवा वैकल्पिक माँग (Alternative Demand) के विचार प्रस्तुत किये गये हैं।

(१२) आविष्कार की जन्मदाता—आवश्यकतायें आविष्कार की जननी हैं। मानव की प्रगति ही आवश्यकताओं पर निर्भर है। जैसे-जैसे आवश्यकतायें उत्पन्न होती हैं, उनकी सन्तुष्टि के लिए नई-नई खोज और नये-नये आविष्कार किये जाते हैं। उदाहरणार्थ, जनसंख्या की वृद्धि की रोकने की आवश्यकता ने विभिन्न प्रकार के निरोधकों के आविष्कार को प्रोत्साहन दिया है।

(१३) तीव्रता में भिन्नता—व्यक्ति की कुछ आवश्यकतायें अन्य आवश्यकताओं से अधिक तीव्र होती हैं। इनके इसी लक्षण के आधार पर अर्थशास्त्र में आवश्यकताओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

आवश्यकताओं के सामान्य लक्षणों के अपवाद—

प्र० मोर्सेड ने आवश्यकताओं के उपर्युक्त सामान्य लक्षणों के कुछ अपवाद बताये हैं किन्तु ये वास्तविक नहीं हैं, दिखावटी हैं। ये अपवाद निम्नलिखित हैं :—

(१) विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति सदा सम्भव नहीं है, उदाहरणार्थ, दिखावे या प्रदर्शन की आवश्यकता, शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता, एक कपडूँस की घन एकर करने की आवश्यकता एवं द्रव्य की आवश्यकता। [किन्तु ये अपवाद वास्तविक नहीं हैं। उदाहरणार्थ, दिखावे के लिए लोग सदैव म्यूनतम वस्तुओं पर धन को व्यय करते हैं किन्तु कभी सन्तुष्ट नहीं हो पाते। यथार्थ में दिखावे की आवश्यकता कोई एक आवश्यकता नहीं है, बरन् अनेक आवश्यकताओं का समूह है।]

(२) आवश्यकतायें सीमित होना—आवश्यकताओं का एक सामान्य लक्षण यह है कि ये अनन्त होती हैं। किन्तु साधु-संन्यासियों की आवश्यकताओं पर यह लक्षण नहीं घटता, क्योंकि उनकी आवश्यकतायें सीमित होती हैं। [किन्तु यह अपवाद दिखावटी है, कारण, अर्थशास्त्र में साधारण व्यक्तियों के आर्थिक कार्यक्रमों का अध्ययन किया जाता है; जबकि साधु-संन्यासी साधारण व्यक्ति नहीं हैं।]

आवश्यकताओं का वर्गीकरण (Classification of Wants)

कार्यक्षमता के आधार पर आवश्यकताओं के तीन वर्ग—

भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं की तीव्रता (Intensity) अलग-अलग होती है। कुछ आवश्यकतायें अधिक महत्त्वपूर्ण (Urgent) होती हैं, और कुछ कम। दूसरे शब्दों में, कुछ आवश्यकतायें ऐसी होती हैं जिनके रहने से मनुष्य अधिक कष्ट का अनुभव करता है और उनकी सन्तुष्टि से मनुष्य को अधिक सुख का अनुभव होता है। इसके विपरीत, कुछ ऐसी भी आवश्यकतायें हैं, जिनके पूरा न होने से उतना दुख नहीं होता और न उनकी तृप्ति ही उनका सुख देती है। आवश्यकता पूर्ति से प्राप्त होने वाली तृप्ति की मात्रा पर ही कार्यक्षमता (Efficiency) एक बड़े अंश तक निर्भर रहती है। साधारणतया जिन आवश्यकताओं की पूर्ति से अधिक तृप्ति मिलती

है प्रयत्न जिनकी पूर्ति न होने से अधिक कष्ट अनुभव होता है, उनका कार्यक्षमता पर अधिक गहरा प्रभाव पड़ता है। आग्रह-पूर्णता (Urgency) प्रयत्न कार्यक्षमता पर प्रभाव के अनुसार आवश्यकताओं को निर्मांकित तीन प्रकार का माना गया है :—

(I) आवश्यक आवश्यकतायें—

‘आवश्यक आवश्यकतायें’ वे हैं जिनकी पूर्ति से मनुष्य की कार्यक्षमता बढ़ती है तथा जिनकी सन्तुष्टि न होने से कार्यक्षमता, प्रयत्न कार्य-शक्ति कम हो जाती है। उदाहरणस्वरूप, भोजन की आवश्यकता, अर्थात् भूख एक ऐसी ही आवश्यकता है। खाना खा लेने से साधारण-तया मनुष्य की कार्य-शक्ति बढ़ जाती है तथा खाना न मिलने से वह कम हो जाती है। यह सम्भव है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा न होना हो, किन्तु अधिकांश दशाओं में ऐसा ही होता है। इसी प्रकार जाड़े के दिनों में पर्याप्त वस्त्रों की आवश्यकता-पूर्ति काम करने की शक्ति को बढ़ाती है और उनका अभाव काम करने की शक्ति को कम कर देता है। उन सभी वस्तुओं की जो किसी मनुष्य की आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, हम ‘आवश्यक वस्तुयें’ (Articles of Necessity or Necessaries) कहते हैं।

तीन प्रकार की आवश्यक आवश्यकतायें—कुछ विद्वानों ने आवश्यक आवश्यकताओं को भी तीन प्रकार का बताया है :—

(१) जीवन रक्षक आवश्यकतायें (Necessaries for Existence), जिनका पूरा करना जीवित रहने के लिये आवश्यक होता है, जैसे—खाने या भोजन की आवश्यकता।

(२) कार्यक्षमता रक्षक आवश्यकतायें (Necessaries for Efficiency), जिनकी सन्तुष्टि मनुष्य की कार्यक्षमता बनाये रखने के लिए आवश्यक होती है। उनकी पूर्ति मनुष्य को उसका काम करने योग्य बनाती है। पोटिक भोजन तथा पर्याप्त कपड़े की आवश्यकताएँ इसी प्रकार की आवश्यकताएँ हैं।

(३) प्रतिष्ठा रक्षक आवश्यकतायें (Conventional Necessaries), ये आवश्यकताएँ वे हैं जिनका पूरा करना जीवन रक्षा तथा कार्यक्षमता के दृष्टिकोण से आवश्यक नहीं है, किन्तु कुछ कारणों से मनुष्य जीवन-रक्षक और कार्यक्षमता-रक्षक आवश्यकताओं को छोड़कर भी इन्हें पूरा करता है, क्योंकि इनकी पूर्ति के बिना वह विशेष कष्ट का अनुभव करता है।

अन्तिम प्रकार की आवश्यक आवश्यकतायें या तो धातु पर निर्भर होती हैं, (जैसे—धरातल, चाय, या तम्बाकू की आवश्यकतायें) अथवा वे मान, प्रतिष्ठा, रीति-रिवाज या फेशन से सम्बन्धित होती हैं। अच्छे कपड़े, गहने इत्यादि की आवश्यकतायें, इसी प्रकार की हैं। इन्हें बहुत बार ‘कृत्रिम’ प्रयत्न ‘अनावृत्ति आवश्यकतायें’ भी कहा जाता है।

(II) धाराम सम्बन्धी आवश्यकतायें—

धाराम सम्बन्धी आवश्यकतायें (Comforts) वे हैं जिनकी पूर्ति से तो कार्य-शक्ति बढ़ती है, लेकिन पूर्ति न होने से कार्य-शक्ति घटती नहीं है। अर्थात् ये आवश्यकतायें ऐसी हैं कि इनके पूरा किये बिना भी हमारी काम करने की शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहती है। निश्चय है कि इन आवश्यकताओं का कार्य-शक्ति पर प्रभाव तो पड़ता है पर यह प्रभाव उतना गहरा नहीं होता है, जितना कि आवश्यक आवश्यकताओं का होता है। दो-तीन घण्टे के पढ़ने के पश्चात् यदि एक विद्यार्थी एक प्याला चाय पीता है, तो अल्प ही उसकी अल्प शक्ति बढ़ जाती है, क्योंकि मानसिक थकावट कुछ कम हो जाती है; किन्तु चाय न पीने से उसकी शक्ति में कोई कमी न आयेगी। हाँ, यदि वह विद्यार्थी चाय पीने का आदी है, तब बात दूसरी होगी। उस दशा में चाय न पीने से उसकी कार्य-शक्ति में कमी पड़ सकती है अतः बहुधा ऐसे विद्यार्थी के लिए, जिसे

चाय पीने की आदत नहीं है, अध्ययन कार्य के अन्तर्गत चाय पीना आराम देता है और इस प्रकार चाय उसकी आराम की आवश्यकता को पूरी करती है।

(III) विलास की आवश्यकतायें—

विलास की आवश्यकताओं का कार्यक्षमता पर प्रभाव और भी कम होता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति से कार्य क्षमता में प्रायः कोई भी वृद्धि नहीं होती, वरन् कुछ दशाओं में कार्यक्षमता उल्टी कम हो जाती है। इसके विपरीत, पूर्ति न होने से कार्यक्षमता में कोई भी कमी नहीं पड़ती। विलास की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तुएँ, जिन्हें 'विलास की वस्तुएँ' (Luxuries) कहते हैं, दो प्रकार की होती हैं :—(1) हानिरहित और हानिकारक। हानिरहित विलास की वस्तुओं का कार्यक्षमता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इनके सेवन करने से उसमें वृद्धि नहीं होती तथा सेवन न करने से कमी नहीं पड़ती। हानिकारक विलास की वस्तुओं के सेवन से कार्य-शक्ति उल्टी कम हो जाती है और सेवन न करने से वह यथास्थित रहती है। शानदार महल, विश्व-विख्यात चित्रकारों के चित्र, इत्र इत्यादि हानिरहित विलास की वस्तुएँ हैं, जिनका कार्य-शक्ति से कोई महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध नहीं है। शराब, भाँग, अफीम इत्यादि हानिकारक विलास की वस्तुएँ हैं, जिनका सेवन करने से कार्यक्षमता उल्टी घट जाती है तथा जिनका सेवन न करने से कार्य-शक्ति में कमी नहीं आती है। प्रो० जाइड (Gide) ने इन्हें अनावश्यक आवश्यकतायें (Superfluous Wants) कहा है और प्रो० एली ने (Ely) अत्यधिक वैयक्तिक उपभोग' (Excessive Personal Consumption) कहा है। चंपमन के अनुसार, "विलास की वस्तुएँ वे वस्तुएँ हैं जिनका उपभोग कार्यक्षमता में कोई महत्त्वपूर्ण वृद्धि नहीं करता है, बल्कि कभी-कभी एक व्यक्ति की कार्य-क्षमता को घटा देता है।"¹

आवश्यकताओं के भेद का तालिका द्वारा स्पष्टीकरण—

नीचे दी हुई तालिका से आवश्यक, आराम और विलास की आवश्यकताओं का भेद और भी स्पष्ट हो जायगा। निम्न तालिका में इन आवश्यकताओं की पूर्ति और अपूर्ति का कार्य-क्षमता पर प्रभाव दिखाया गया है :—

तालिका

आवश्यकता	कार्यक्षमता पर प्रभाव	
	पूर्ति से	अपूर्ति से
आवश्यक आवश्यकताएँ	कार्यक्षमता बढ़ जाती है	कार्यक्षमता घट जाती है
आराम सम्बन्धी आवश्यकताएँ	कार्यक्षमता बढ़ती है	कार्यक्षमता घटती नहीं है
विलास की आवश्यकताएँ	कार्यक्षमता बढ़ता नहीं है वरन् कुछ दशाओं में कम हो जाती है	कार्यक्षमता घटती नहीं है

इस प्रकार हम देखते हैं कि आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति और अपूर्ति दोनों का

¹ "Luxuries are things which when consumed do not appreciably add to and may even detract from a person's efficiency."—Chapman *Outlines of Political Economy*, p. 60.

व्ययधमता पर प्रभाव पड़ता है। आराम की आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रभाव तो पड़ता है, किन्तु क्षुब्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हानि रहित विलास की आवश्यकताओं का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि हानिकारक विलास की आवश्यकताओं की पूर्ति व्ययधमता को उल्टा पड़ा देती है।

वर्गीकरण का महत्त्व—

स्मरण रहे कि आवश्यक आवश्यकताओं का उपरोक्त वर्गीकरण हमारे लिये कोई नई समस्या उपस्थित नहीं करता। इस वर्गीकरण का महत्त्व केवल इतना है कि इससे हमारे आवश्यकता सम्बन्धी ज्ञान में बड़ी और वृद्धि हो जाती है तथा आवश्यकता-पूर्ति का जम अधिक स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति उनकी व्यक्तिगत तीव्रता की प्रभिवता के अनुसार ही होती है।

उपरोक्त वर्गीकरण सापेक्षिक है—

प्रावश्यक, आरामदायक और विलास की वस्तुओं में जो भेद ऊपर दिया गया है वह ऐसा नहीं है कि हम किसी भी वस्तु के विषय के निश्चय में साथ यह कह सकें कि वह केवल विलास की ही वस्तु है अथवा केवल आरामदायक या आवश्यक ही है। सत्य बात तो यह है कि भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में कोई एक वस्तु इन तीनों में से किसी भी प्रकार की हो सकती है। निश्चय के साथ हम निर्णय तभी कर सकते हैं जबकि हमें परिस्थिति विशेष का ज्ञान हो, क्योंकि समय, स्थान और व्यक्ति विशेष के अनुसार प्रत्येक वस्तु के गुण बदलते रहते हैं। जो वस्तु एक समय में आवश्यक है उसका किसी दूसरे समय में ऐसा होना आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार एक स्थान पर जो वस्तु आरामदायक है वह दूसरे स्थान पर विलास की वस्तु बन सकती है। ठीक इसी भाँति जिस वस्तु को एक व्यक्ति आवश्यक समझता है, दूसरा उसको आरामदायक समझ सकता है और तीसरा विलास की वस्तु।¹ आवश्यकताओं के वर्गीकरण को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन तीन शीर्षकों के अधीन किया जा सकता है, जोकि निम्न प्रकार हैं :—

(I) वातावरण से सम्बन्ध रखने वाले तत्व—इस शीर्षक के अधीन निम्न तत्व आते हैं :—(१) समय, (२) स्थान, (३) आर्थिक प्रगति का स्तर।

(१) समय—हम यह देखेंगे कि एक ही वस्तु अलग-अलग समय पर किस प्रकार आवश्यक, आरामदायक अथवा विलास की वस्तु हो सकती है। उदाहरण के लिए, गरम कौट की लीजिये। प्रागरा शहर में दिसम्बर और जनवरी के महीने में गरम कौट आवश्यक है, क्योंकि जाड़ा इतना होता है कि हम गरम कौट पहनें तो हम ठीक तरह से काम नहीं कर सकते हैं, अर्थात् हमारी कार्य-शक्ति गट जाती है और यदि हम गरम कौट पहन लेते हैं, तो अधिक अच्छी तरह काम कर सकते हैं। फलतः इन दिनों में गरम कौट एक आवश्यक वस्तु है। यही कौट फरवरी और नवम्बर में आरामदायक बन जाता है। इन महीनों में जाड़ा इतना नहीं पड़ता कि बिना कौट के काम करने में बर्ज़ाई हो, किन्तु यदि कौट पहन दिया जाय तो काम करने में अधिक आसानी हो जाती है और हम आराम का अनुभव करते हैं। इससे पता चलता है कि इन दिनों में गरम कौट पहनने में कार्य-शक्ति बढ़ती है, किन्तु कौट न पहनने से उसमें कमी नहीं आती है। अर्थात् और मई के महीने में यही कौट एक हानिकारक विलास की वस्तु बन जाता है, क्योंकि

¹ "The terms necessary and luxury are, however, relative terms. An article that was regarded as a luxury hundred years ago may, a result of the raising of the standard of life, now be deemed at necessary."—Dr. Richard : *Groundwork of Economics*, p. 129.

इसके पहन लेने से कार्यक्षमता बढ़ने के स्थान पर उल्टी घट जाती है तथा उसके न पहनने से कार्यक्षमता में कोई कमी नहीं आती। इस प्रकार अलग-अलग समय पर गरम-ब्रोट आवश्यक, आरामदायक अथवा विलास की वस्तु हो सकती है।

(२) स्थान का वर्गीकरण पर प्रभाव—अलग-अलग स्थानों पर भी इसी प्रकार एक वस्तु विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। अन्य शब्दों में, यह सम्भव है कि एक वस्तु एक स्थान पर आवश्यक हो, दूसरे स्थान पर आरामदायक और तीसरे स्थान पर विलासपूर्ण हो। उदाहरणस्वरूप, घोवर कोट मसूरी में जहाँ जाड़ा बहुत पड़ता है, आवश्यक है। इसके उपयोग से हमारी कार्यशक्ति बढ़ती है तथा उपयोग न करने से घट जाती है। इसके विपरीत, अधिक जाड़े के दिनों में घोवरकोट मेरठ अथवा भागरे में, जहाँ उतनी अधिक सर्दों नहीं पड़ती है, आरामदायक है। बम्बई तथा मद्रास में यही बोट एक विकास की वस्तु है, क्योंकि इसके पहनने से कार्यक्षमता में कोई वृद्धि नहीं होती और न ही कार्यक्षमता में कमी पड़ती है। वह केवल मान अथवा प्रतिष्ठा के लिये पहना जाता है।

(३) आर्थिक प्रगति का स्तर—जैसे-जैसे आर्थिक विकास होता जाता है, वैसे-वैसे विलासिता सम्पत्ती जाने वाली वस्तुएँ देश में आवश्यक या आरामदायक वस्तुएँ मानी जाने लगती हैं, जैसे—भारत में बिजली अब अनिवार्य है जबकि कुछ समय पहले यह विलासिता थी।

(II) व्यक्ति से सम्बन्ध रखने वाले तत्त्व—ठीक इसी प्रकार जो वस्तु एक मनुष्य के लिए आवश्यक है, वह दूसरे के लिए आरामदायक तथा तीसरे के लिये विलासिता मात्र हो सकती है। व्यक्ति से सम्बन्धित निम्न दशाएँ आवश्यकताओं के वर्गीकरण को प्रभावित करती हैं :—

(१) व्यक्ति विशेष का व्यवसाय—एक डाक्टर या इन्जीनियर के लिये बार आवश्यक है किन्तु एक प्रोफेसर के लिये आरामदायक और एव क्लक के लिये वह विलासिता की वस्तु है। (२) व्यक्ति विशेष की आय—एक धनवान के लिये रेफ्रीजरेटर अनिवार्य या आरामदायक होना है किन्तु एक अल्प आय वाले के लिये विलासिता है। (३) व्यक्ति की आदतें—जिस व्यक्ति को चाय पीने की आदत है उसके लिए चाय एक आवश्यक वस्तु है किन्तु उस व्यक्ति के जो चाय पीने का आदी नहीं है, जाड़ों में चाय आरामदायक और गर्मियों में विलासिता है। (४) सामाजिक स्तर—देश के प्रेसीडेण्ट के लिए महल या बड़ा और सुन्दर आवास आवश्यक है, किन्तु एक प्रोफेसर के लिए उतना बड़ा आवास विलासिता की वस्तु है। (५) धार्मिक भावनाएँ—एक धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के लिये सादा मदान, सादे वस्त्र एव सादाभोजन आवश्यक है किन्तु अन्य व्यक्ति पर्याप्त सुखिपूर्ण भोजन आदि को आवश्यक मान सकते हैं जबकि धार्मिक व्यक्ति इसे विलासिता समझेगा।

(III) वस्तु से सम्बन्धित तत्त्व—वस्तु से सम्बन्धित दो तत्त्व आवश्यकताओं के वर्गीकरण को बहुत प्रभावित करते हैं :—मूल्य और मात्रा या इकाइयाँ।

(१) वस्तु का मूल्य—प्रायः ऊँचे मूल्य वाली वस्तुएँ विलासिता, निम्न मूल्य वाली वस्तुएँ आवश्यक और मध्यम मूल्य वाली वस्तुएँ आरामदायक होती हैं।

(२) वस्तु की मात्रा या इकाइयाँ—जैसे-जैसे किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है वह अनिवार्य से आरामदायक और अन्त में विलासिता बन जाती है। उदाहरण के लिए पहली बार एक डाक्टर के लिए अनिवार्य, दूसरी आरामदायक और तीसरी बार उसके लिये विलासिता होगी।

डा० वसु का यह कहना बिल्कुल ही उचित है कि अनिवार्यताओं, आरामदायक वस्तुओं और विलासिताओं की श्रेणियों में किसी वस्तु का वर्गीकरण चार परिवर्तनशील तत्वों द्वारा निर्धारित होता है—व्यक्तिगत उपभोक्ता, वस्तु की इकाई, समय व स्थान। अतः किसी भी वस्तु

विषय के विषय में ऐसा कह देना सम्भव नहीं है कि वह किस प्रकार की प्रावश्यकता को पूरा करती है, जब तक कि हमें सारी परिस्थितियों का पता न हो। इसी से हम यह कहते हैं कि प्रावश्यक, पारामर्शायक तथा विनाम निरपेक्ष (Absolute) शब्द नहीं है बल्कि सापेक्षिक (Relative) या तुलनात्मक शब्द है।

प्रावश्यकताओं के वर्गीकरण के आधार (Bases of Classification of Wants)

अर्थशास्त्रियों ने प्रावश्यकताओं का वर्गीकरण तीन आधारों पर किया है, जो ये हैं:—(१) कार्यक्षमता का आधार, (२) गुण-दुःख का आधार, एवं (३) मूल्य और माँग का आधार।

(१) कार्यक्षमता का आधार—इस आधार पर प्रावश्यकताओं के वर्गीकरण को पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। यहाँ केवल उसका सारांश ही देंगे। जिस वस्तु के प्रयोग से व्यक्ति की कार्यक्षमता की रक्षा या उसमें वृद्धि होती है और प्रयोग न करने से कार्यक्षमता में कमी आती है उसे 'अनिवार्य वस्तुओं' की श्रेणी में रखते हैं। इसके विपरीत, जिस वस्तु के प्रयोग से कार्यक्षमता में थोड़ी वृद्धि होती है और प्रयोग न करने से उसमें कुछ कमी हो जाती है, उसे 'पारामर्शायक वस्तुओं' के वर्ग में रखा जाता है। किन्तु जो वस्तुयें उपभोग करने पर कार्यक्षमता में वृद्धि नहीं करती हैं और उपभोग न करने पर कार्यक्षमता में कमी भी नहीं आती हैं उन्हें 'हानिरहित विनाशितायें' कहते हैं। जो वस्तुयें उपभोग करने पर कार्यक्षमता में कमी आती हैं किन्तु उपभोग न करने पर इसमें कोई कमी नहीं आती है वे 'हानिप्रद विनाशितायें' नहीं आती हैं।

(२) गुण-दुःख का आधार—वस्तुओं के प्रयोग करने या न करने से व्यक्ति विशेष के गुण-दुःख पर जो प्रभाव पड़ता है उसके अनुसार वस्तुओं को निम्न प्रकार से श्रेणीबद्ध किया जा सकता है : (अ) अनिवार्य वस्तुएँ—उपभोग से थोड़ा गुण किन्तु उपभोग न करने पर बहुत दुःख; (ब) पारामर्शायक वस्तुएँ—उपभोग में अधिक गुण किन्तु उपभोग न करने से थोड़ा ही गुण एवं (ग) विनाशितायें—(१) हानिरहित, उपभोग में बहुत अधिक गुण और बचिद रहने से दुःख नहीं। (जब तक कि व्यक्ति धादी न हो); (२) हानिप्रद, उपभोग में सम्पाद्यी गुण किन्तु बचिद रहने में बहुत दुःख या कष्ट (क्योंकि व्यक्ति इनका धादी हो जाता है)।

(३) मूल्य और माँग का आधार—मूल्य में वृद्धि (या कमी) होने पर वस्तु की माँग, (अ) यदि पहले जैसी ही रहे, तो उस वस्तु को 'अनिवार्य', (ब) यदि भानुपातिक रूप से घट (या बढ़) जाये, तो 'पारामर्शायक' और (ग) यदि अनुपात में अधिक मात्रा में घट (या बढ़) जाये, तो 'विनाशितायें' की श्रेणी में रखा जाता है।

यदि विनामपूर्ण वस्तुओं का उपयोग उचित है ?

हानिकारक विनाश की वस्तुओं का उपभोग अनुचित—

हम ऊपर देगे चुके हैं कि विनाश की वस्तुएँ दो प्रकार की होती हैं:—हानिकारक और हानिरहित। जहाँ तक हानिकारक विनाश की वस्तुओं का सम्बन्ध है उनके विषय में हमें यह कहने में देर न लगेगी कि उनका उपभोग उचित नहीं है। उनके उपभोग के बिना ही हम धम्पे हैं, क्योंकि उनके उपभोग न करने से हमारी कार्य-शक्ति में कोई कमी नहीं पड़ती। इसके विपरीत उनके उपभोग में उन्हीं हमारी कार्यक्षमता घट जाती है। ऐसे पदार्थों के उपभोग से हमें लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। यदि इनका उपभोग समाज द्वारा रजित कर दिया जाय

तो कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐसा करने से समाज की कार्य-शक्ति क्षीण न होने पावेगी और उत्पात्ति बढ़ जायेगी।

हानिरहित विलास की वस्तुओं के उपभोग पर मतभेद—

किन्तु हानिरहित विलास की वस्तुओं के विषय में हम एकदम ऐसा नहीं कह सकते। यह तो निश्चय है कि उनका उपभोग प्रत्यक्ष रूप में हमारे जीवन में सहायक नहीं है, क्योंकि इससे हमारी कार्य-शक्ति बढ़ती नहीं है और न उनका उपभोग न करने से हमारी कार्य-शक्ति कम ही होती है। इससे सिद्ध होता है कि उनका उपभोग हमारी कार्यक्षमता के लिये लेशमात्र भी महत्त्वपूर्ण नहीं है। तो क्या उनका उपभोग बेकार है? क्या समाज को उनका उपभोग भी वर्जित कर देना चाहिये? क्या ऐसा करने से समाज को कोई विशेष हानि होगी? क्या यह उचित है?

हानिरहित विलास की वस्तुओं के पक्ष एवं विपक्ष में—

अनेक विद्वानों ने कुछ कारणों से हानिरहित विलास की वस्तुओं का उपभोग उचित बनाया है, किन्तु जैसा कि हम अभी देखेंगे, उनके उपभोग के पक्ष में बहुत सारी बातें इस प्रकार की कही गई हैं जो मर्याद में उनके उपभोग के महत्त्व को सिद्ध नहीं करती हैं :—

(१) बेरोजगारी का निवारण—कुछ विद्वानों का विचार है कि इस प्रकार की वस्तुओं का उपभोग इसलिए उचित है कि उससे समाज में बेरोजगारी की समस्या एक अग्र दक निवृत्त जाती है। निश्चय है कि यदि ऐसी वस्तुओं का उपभोग बन्द कर दिया जायेगा, तो उसकी उत्पात्ति भी नहीं का जायेगी और उससे रोजगार (Employment) में कमी पड़ जायेगी।

[किन्तु इस कथन में शायद इस बात को मान लिया गया है कि विलास की वस्तुओं के स्थान पर दूसरे प्रकार की वस्तुओं की उत्पात्ति नहीं की जायेगी। यदि विलास की वस्तुओं के स्थान पर अधिक आवश्यक तथा आरामदायक वस्तुओं की उत्पात्ति की जाय तो रोजगार में कमी पड़ने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। इस कारण इस तर्क में अधिक सार दिवाई नहीं देना है।]

(२) कला की प्रोत्साहन—कुछ लोगों का मत है कि विलास की वस्तुएँ कला की प्रोत्साहन देती हैं। अभिप्राय यह है कि अधिकतर विलास की वस्तुएँ कला के नमूने होती हैं। सुन्दर चित्र, लकड़ी या पत्थर के अद्भुत काम इसी प्रकार की वस्तुएँ हैं। अब यदि इन चीजों की उत्पात्ति नहीं की जायेगी तो कला की उन्नति नहीं हो पायेगी।

[इस विषय में केवल इतना कहना पर्याप्त होगा कि (i) सभी विलास-वस्तुएँ कला की प्रोत्साहन नहीं देती हैं और (ii) यदि यह ठीक भी है कि वे वस्तुएँ कला की उन्नति करती हैं तो इससे भी इनके उपभोग का औचित्य सिद्ध नहीं हो जाता है। कोई भी कला, जो मानव जीवन की अधिक सुखी नहीं बना सकती, मनुष्य के लिए बेकार है। स्वयं कला का उचित होना इस ध्यान पर निर्भर है कि वह मानव जीवन में कहां तक सहायक है। अतः यदि विलास की वस्तुएँ हमारे जीवन में सहायक नहीं हैं तो उनके उपभोग को उचित सिद्ध करना कठिन है। वे केवल हमारी अनावश्यक आवश्यकताओं को ही पूरा करती हैं।]

(३) कार्य-उत्साह में वृद्धि—इन वस्तुओं का उपभोग केवल एक ही दृष्टिकोण से उचित बताया जा सकता है और वह यह है कि ये मनुष्य के कार्य-उत्साह (Incentive to work) को बढ़ाने और बनाये रखने में महत्त्वपूर्ण काम करती हैं। दूसरे शब्दों में, ये मनुष्य को अधिक कार्य करने तथा अपनी मानसिक और शारीरिक शक्तियों का अधिक उपयोग करने तथा अधिक सावधानी और जिम्मेदारी के साथ काम करने की ओर प्रेरित करती हैं। यह तो सभी जानते हैं कि विलास की वस्तुओं के उपभोग की सम्भावना मनुष्य को अधिक अद्भुत कार्यकर्ता और

अधिक सावधान उत्पादक बना देनी है। यदि किसी मनुष्य को यह आशा हो कि अधिक शारीरिक और मानसिक परिश्रम के फलस्वरूप उसे अच्युत मकान, सुन्दर वस्त्र तथा बहुत-सी और विलास की वस्तुयें प्राप्त होंगी तो निश्चय ही वह अधिक परिश्रम करेगा। इसी प्रकार और केवल इसी अर्थ में विलास की वस्तुयें हमारे जीवन में सहायक हैं।

(४) सामाजिक उन्नति में सहायक—विलासिताओं का जीवन अप्रत्यक्ष रूप में समाज की उन्नति करता है। जो वस्तुएँ प्रबन्ध से १०० वर्ष पहले विलासिताएँ थीं वे आज अनिवार्य और आरामदायक बन गई हैं। इससे स्पष्ट है कि विलासिताओं के उपभोग से अनिवार्य और आरामदायक आवश्यकताओं में वृद्धि और विविधता होती जाती है। इनकी पूर्ति के लिए विशेष प्रयास (जैसे—आविष्कार) किये जाते हैं और इस प्रकार सामाजिक उन्नति होती है।

[किन्तु इस तर्क के उत्तर में यह कहा जा सकता है कि विलासिताओं का प्रयोग इन्दिग्ने नहीं व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, निर्धन व्यक्ति उनसे वंचित ही रहते हैं। इस प्रकार विभिन्न वर्गों के मध्य असमानता, असन्तोष एवं संघर्ष की वृद्धि होती है।]

निरूपण—

उत्साह बनाये रखने के लिए साम्यवाद ने भी समाज के भिन्न भिन्न सदस्यों की आय के बीच अन्तर बनाये रखने के महत्त्व को मान लिया है। यदि आय में अन्तर न रहे, तो काम करने के उत्साह में बहुत कमी आ जायेगी और समाज की आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति शिथिल हो जायेगी। आय के अन्तर का महत्त्व विशेष रूप से इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि इससे अधिक आय वाले लोग विलास की वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। अतः विलास की वस्तुओं का भी मानव उपभोग में महत्त्व है और इस उपभोग को पूर्णतया वंचित कर देना उचित नहीं है किन्तु समाज को कोई न कोई ऐसी नीति अवश्य अपनानी चाहिए, जिसके अन्तर्गत पहले इसके कि कोई विलास की वस्तुओं का उपभोग करे, सबकी आवश्यक और आरामदायक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जानी चाहिए। ऐसी अवस्था, जिसमें कुछ लोग विलासपूर्ण जीवन बिताते हैं, जब कि अधिकांश लोग आवश्यक और आरामदायक वस्तुओं से भी वंचित रहते हैं, न तो उचित ही है और न समाज के लिए हितकर ही है। समाजवाद इसी बात का प्रयत्न करता है कि विलास की वस्तुओं के उपभोग को बन्द न करे, किन्तु ऐसे उपभोग के पहले समाज के सभी सदस्यों की आवश्यक और आरामदायक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जानी चाहिये। यदि सबके लिए इस प्रकार की व्यवस्था हो जाती है तो इसके उपरान्त विलास की वस्तुओं का उपभोग उचित ही होगा।

आवश्यकताओं का संख्या-वर्द्धन (Multiplication of Wants)

कभी-कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्या आवश्यकता का संख्या-वर्द्धन वांछनीय (Desirable) है, अर्थात् क्या हमें अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाना चाहिये अथवा उनकी कम करना अधिक उचित है? यह विषय विवाद-बस्त (Controversial) है। कुछ लोगों का विचार है कि हमें अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, क्योंकि इसी से मानव-सुख में वृद्धि होगी। इसके विपरीत दूसरे मन के समर्थक यह कहते हैं कि वास्तविक सुख आवश्यकता-पूर्ति में नहीं है, बल्कि आवश्यकता के अभाव में है।

आवश्यकतायें बढ़ाने के पक्ष में—

आवश्यकताओं की संख्या-वर्द्धन के समर्थकों का मत है कि :—

(१) मानव-सन्तुष्टि में वृद्धि—प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति से हमें कुछ न कुछ सन्तुष्टि अथवा तृप्ति (Satisfaction) मिलती है और मनुष्य का ध्येय होता है अधिकतम तृप्ति

की प्राप्ति, अतः जितनी भी अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जायेगी उतनी ही कुल शुद्ध सन्तुष्टि (Total Net-satisfaction) अधिक होगी। अब, क्योंकि सन्तुष्टि पर ही मानव-सुख निर्भर है, इसीलिए ऐसा करने से मानव-सुख बढ़ जायेगा।

(२) सम्पत्ता की उन्नति—यह सर्वविदित है कि सम्पत्ता और उन्नति का आवश्यकताओं की संख्या-वर्द्धन से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। जब तक आवश्यकताएँ नहीं बढ़नी हैं, तब तक मनुष्य उन्नति की ओर अग्रसर नहीं होता है। प्राथुनिक युग में सम्भव असम्भव जातियों में जो भेद है वह मुख्यतया आवश्यकताओं की संख्या पर ही निर्भर है। मानव-सम्पत्ता का विकास इसी में है कि प्रवृत्ति पर विजय पाकर अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाये।

(३) कर्मठता को प्रोत्साहन—आवश्यकताएँ ही मनुष्य की श्रियाओं को जन्म देती हैं। उनके कम हो जाने से मनुष्य आलसी हो जाता है और धीरे-धीरे अशक्त बन जाता है। उसकी कार्यक्षमता घटती चली जाती है।

(४) जीवन-स्तर पर सुप्रभाव—यह तो सभी मानते हैं कि मनुष्य का जीवन-स्तर (Standard of Living) उसके समस्त उपभोग पर जिसमें आवश्यक, आरामदायक तथा विलास-पूर्ण तीनों ही प्रकार की वस्तुएँ सम्मिलित हैं, निर्भर होता है। यह भी निश्चय है कि जीवन-स्तर का हमारी कार्य कुशलता (Efficiency) पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक निश्चित बिन्दु के नीचा जीवन-स्तर कार्य-कुशलता के लिए घातक होना है और उसे बहुत नम कर देता है। इससे सिद्ध होता है कि आवश्यकताओं को कम करके हम अच्छे उत्पादक नहीं रह पायेंगे।

(५) राजनैतिक दृढ़ता—कोई देश राजनैतिक दृष्टि से तब ही शक्तिशाली बन सकता है जबकि वह आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो। किन्तु आर्थिक सम्पन्नता तब सम्भव होती है जब कि लोगों की आवश्यकताएँ अधिक हो और इन्हें पूरा करने हेतु वे पूर्ण परिश्रम करें।

आवश्यकताएँ बढ़ाने के विरोध में—

ऊपर दी हुई व्याख्या से पता चलता है कि आवश्यकता-वर्द्धन एक आवश्यक कार्य है, किन्तु इसके विपक्ष में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। भारतवर्ष में मनुष्य के जीवन का घ्येय आध्यात्मिक माना गया है। भारतीय सस्कृति का आधार भी यही है। यहाँ सर्व से ही आवश्यकताओं को कम करने पर बल दिया गया है।

(१) अतृप्त आवश्यकताओं से दुःख—हाल में प्रोफेसर जे० के० मेहता ने आवश्यकता-शून्यता (Wantlessness) का प्रचार करने का प्रयत्न किया है।¹ उन्होंने सुख (Pleasure) दुःख (Pain) और आनन्द (Happiness) में भेद किया है। आवश्यकता-पूर्ति से केवल सुख मिलता है। आवश्यकता के अतृप्त रहने से दुःख होता है। दूसरे शब्दों में, दुःख वह मानसिक स्थिति है जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति से उत्पन्न होती है। आवश्यकता-पूर्ति के उपरान्त की मानसिक दशा सुख है। सुख और दुःख का चक्र चलता रहता है। जब आवश्यकता उत्पन्न होती है, तो दुःख होता है और उसकी पूर्ति में सुख मिलता है। एक आवश्यकता की पूर्ति दूसरी आवश्यकता को जन्म दे देती है और इसी प्रकार यह चक्र चलता रहता है।

(२) आनन्द एक मानसिक दशा है—सुख और दुःख एक के बाद दूसरे क्रमशः चलते रहते हैं और इनका कभी भी अन्त नहीं होता है। सुख और आनन्द दोनों एक नहीं होते हैं। यदि सुख दुःख को जन्म देता है तो फिर आनन्द कहाँ मिल सकेगा? आनन्द तो वह मानसिक दशा है जिसमें दुःख और सुख का चक्र ही न रहे अर्थात् न सुख ही और न दुःख। यह दिशा

¹ J. K. Mehta : *Advanced Economic Theory*.

केवल आवश्यकता-शून्यता द्वारा ही सम्भव है। यतः आनन्द अथवा वास्तविक सुख की प्राप्ति के लिए आवश्यकता-रहित होना आवश्यक है। सुख और दुःख का चक्र केवल उसी दशा में समाप्त हो सकता है जबकि आवश्यकता ही न रहे।

(३) वर्ग-संघर्ष में वृद्धि—आवश्यकतायें बढ़ने पर मनुष्य उनकी पूर्ति के लिए अधिक धन कमाने का प्रयास करता है और इसके लिए दूसरों का शोषण करने में भी सकोच नहीं करता। इस प्रकार, धनवान और निर्धन व्यक्तियों के मध्य संघर्ष की वृद्धि होती है।

(४) सकुचित दृष्टिकोण—बढ़ी हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक धन कमाने में मनुष्य इतना स्वकेन्द्रित हो जाता है कि दूसरों के सुख-दुःख की उपेक्षा कर देता है।

(५) आध्यात्मिक विकास में बाधा—आवश्यकतायें बढ़ने पर मनुष्य हर समय इनको पूरा करने के लिए धन कमाने में लगा रहता है। वह प्रति-भौतिकवादी बन जाता है। इस लोक की चिन्ता करते-करते परलोक की चिन्ता नहीं करता, जिससे आध्यात्मिक विकास रुक जाता है।

निष्कर्ष—अब हमें यह भी जानना चाहिए कि समस्त आवश्यकताओं को समाप्त कर देना अधिकांश मनुष्यों के लिए सम्भव नहीं है। किन्तु कुछ आवश्यकताओं को निश्चय ही घटाया जा सकता है। जितना ही हम अपनी आवश्यकताओं को कम करेंगे उतनी ही आनन्द की प्राप्ति हमारे लिए अधिक सम्भव होती चली जायगी। यतः हमारा ध्येय आवश्यकताओं को अपनी आय की सीमा तक कम करने का होना चाहिए।

परीक्षा प्रश्न :

१. आवश्यकता और माँग के अन्तर को समझाइये। आवश्यकताओं के प्रमुख लक्षणों 'दीर्घ' और 'आय सम्बन्धी परिवर्तन' हमारी आवश्यकताओं को किस प्रकार प्रभावित करते हैं ?

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम 'आवश्यकता' का अर्थ बताइये और उदाहरण देकर माँग से इसका भेद स्पष्ट कीजिये। तत्पश्चात् आवश्यकताओं के प्रमुख लक्षणों का विवेचन करिये और अन्त में बताइये कि आय की वृद्धि आवश्यकताओं में वृद्धि और आय की कमी इनमें कमी लाती है।]

२. "मनुष्य की आवश्यकताओं के अनेक सामान्य लक्षण हैं, जिनमें से प्रत्येक का बड़ा महत्व है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक पर कोई न कोई बड़ा आर्थिक नियम निर्भर है।" इस कथन को स्पष्ट कीजिये।

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम आवश्यकता के अर्थ को बताइये, तत्पश्चात् आवश्यकताओं के लक्षण दीजिये। प्रत्येक लक्षण का विवेचन करते समय उस पर निर्भर करने वाले आर्थिक नियम को भी बताइये।]

३. अनिवार्यताओं, धारामदायक वस्तुओं और विलासिताओं के बीच अन्तर स्पष्ट कीजिये। क्या विलासिताओं का सेवन समाज के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक है ?

[सहायक संकेत :—संक्षेप में आवश्यकता का अर्थ बताइये। इसके बाद विभिन्न श्रेणियों की आवश्यकताओं के अर्थ उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिये। साथ ही यह स्पष्ट कीजिये कि वर्गीकरणात्मक है। अन्त में विलासिताओं के गुण-दोषों की चर्चा करते हुए यह निष्कर्ष निकालिये कि इनका सेवन तब ही उचित है जबकि अन्य प्रकार की आवश्यकतायें पहले पूरी कर ली जायें।]

४. "साधारण व्यक्ति मोटर कार को विलास की सामग्री, साइकिल को आराम की वस्तु और गेहूँ को आवश्यक वस्तु कहता है।" क्या आप उससे सहमत हैं ? कारण सहित समझाइये ।

अथवा

आवश्यकताओं को अनिवार्य, आरामदायक एवं विलासिता की वस्तुओं में किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है ?

अथवा

अनिवार्य, आरामदायक और विलासिता की वस्तुओं के अन्तर को स्पष्ट कीजिये । यह वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है ?

[सहायक संकेत .—सर्वप्रथम अनिवार्यताओं, आरामदायक वस्तुओं और विलासिताओं के अर्थ को स्पष्ट कीजिये । तत्पश्चात् इसकी सापेक्षिकता को उदाहरण देकर समझाइये । अन्त में वर्गीकरण के आधार को बताइये ।]

उपयोगिता, सीमान्त उपयोगिता

एवं सीमान्त विश्लेषण

(Utility, Marginal Utility and Marginal Analysis)

उपयोगिता का अर्थ

साधारण बोलचाल में उपयोगिता का अर्थ 'लाभदायकता' से लगाया जाता है और इसे प्रायः वस्तु विशेष का गुण समझा जाता है। किन्तु अर्थशास्त्र में 'उपयोगिता' का अर्थ साधारण बोलचाल वाले अर्थ से भिन्न है। उपयोगिता के अर्थशास्त्रीय अर्थ को समझने हेतु निम्नांकित बातों का ध्यान रखना चाहिए :—

(१) आवश्यकता-पूर्ति की क्षमता—जिस शक्ति या गुण के कारण कोई वस्तु किसी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है, उसे 'उपयोगिता' कहते हैं। संक्षेप में, उपयोगिता किसी वस्तु की 'आवश्यकता-पूर्ति की क्षमता' है।

(२) अनुमानित सन्तुष्टि और वास्तविक सन्तुष्टि में भेद—जबकि सन्तुष्टि प्रदान करने की क्षमता का सम्बन्ध 'आशा की गई सन्तुष्टि' अथवा 'अनुमानित सन्तुष्टि' (Expected-satisfaction) से है, वस्तु के प्रयोग के बाद प्राप्त होने वाली सन्तुष्टि का सम्बन्ध 'वास्तविक सन्तुष्टि' (Realised satisfaction) या सन्तोषजनकता (Satisfyingness) से है। यह आवश्यक नहीं है कि 'वास्तविक सन्तुष्टि' 'अनुमानित सन्तुष्टि' के बराबर ही हो, वह इससे कम या अधिक भी हो सकती है, अतः यहाँ प्रश्न उठता है कि इनमें से किसे उपयोगिता की परिभाषा में लिये ? आधुनिक अर्थशास्त्रियों के मतानुसार 'उपयोगिता' की धारणा 'अनुमानित सन्तुष्टि' से सम्बन्ध रखती है। 'अनुमानित सन्तुष्टि' वस्तु के लिए इच्छा की तीव्रता पर निर्भर है अर्थात् यदि इच्छा अधिक तीव्र है, तो वस्तु से अधिक सन्तुष्टि मिलने की आशा होगी और यदि इच्छा कम तीव्र है, तो कम सन्तुष्टि मिलने की आशा की जायेगी। अतः 'अनुमानित सन्तुष्टि' के स्थान में 'इच्छा की तीव्रता' (Intensity of desire) या 'इच्छा करना' (Desiredness) शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं। इसी सन्दर्भ में फ्रेजर (Fraser) ने कहा है कि, "उपयोगिता का अर्थ 'इच्छा करने' से लिया जाता है न कि 'सन्तोषजनकता' से।"¹

(३) लाभदायकता और नैतिक विचारों से सम्बन्ध न होना—वस्तु की आवश्यकता-पूर्ति की क्षमता ही उपयोगिता है, चाहे वस्तु लाभदायक हो या हानिकारक, नैतिक दृष्टिकोण से वाञ्छनीय हो या अवाञ्छनीय। अतः दूध और शराब दोनों ही उपयोगी हैं यद्यपि दूध एक 'लाभदायक' और शराब एक 'हानिकारक' वस्तु है। कारण, इन दोनों ही वस्तुओं में एक

¹ ".....in recent years, the wider definition is preferred and utility is identified with 'desiredness' rather than with 'satisfyingness.'—Fraser.

व्यक्ति विशेष की आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता होती है, जिसके लिए उसकी इच्छा की जाती है और इच्छा का होना ही उस वस्तु को उपयोगिता से विभूषित करने के लिए पर्याप्त है।

(४) केवल वस्तुगन न होना—उपयोगिता किसी वस्तु का निजी गुण नहीं है बल्कि वह मनुष्य की आवश्यकता से उत्पन्न होता है। अन्य शब्दों में उपयोगिता का सम्बन्ध वस्तु से न होकर मनुष्य की मनोवृत्ति (Psychology) में है। उदाहरण के लिए, एक प्यासे व्यक्ति के लिये तो पानी की उपयोगिता है, उस व्यक्ति के लिए नहीं, जो कि प्यासा नहीं है। यदि पानी के अन्दर उपयोगिता का निवास होता अर्थात् यदि उपयोगिता पानी का आन्तरिक गुण होती, तो न केवल प्यासे व्यक्ति के लिए बल्कि अ-प्यासे व्यक्ति के लिए भी पानी उपयोगी होता।

(५) व्यक्तिगत एवं सापेक्षिक होना—उपयोगिता व्यक्ति विशेष की इच्छा की तीव्रता, फँसना, रुचि, स्वभाव तथा अन्य परिस्थितियों पर निर्भर होती है। उदाहरण के लिए, एक शराबी के लिए शराब उपयोगी है। किन्तु, यदि वह शराब पीना छोड़ दे, तो यह उसके लिये उपयोगी नहीं रहेगी, अतः व्यक्तिगत और सापेक्षिक होने के कारण उपयोगिता व्यक्ति-व्यक्ति के साथ परिवर्तित होती रहती है। यहाँ तक कि एक ही व्यक्ति के लिए वस्तु की उपयोगिता सदा समान नहीं रहती है।

उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर उपयोगिता की एक सही परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है—“उपयोगिता किसी वस्तु के लिए इच्छा की तीव्रता को बनानी है, लाभ-दायकता या तृप्ति को नहीं।”

क्या उपयोगिता की माप सम्भव है ?

उपयोगिता को परोक्ष रूप से मापा जा सकता है—

उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। यह व्यक्ति-व्यक्ति के साथ-साथ बदलती रहती है, जिस कारण इसे प्रत्यक्ष रूप में नहीं मापा जा सकता। किन्तु मार्शल के अनुसार उपयोगिता को परोक्ष रूप से, द्रव्य रूपी पैमाने द्वारा, मापा जा सकता है। उपयोगिता की माप उतनी मुद्रा के बराबर होनी है जितना कि एक मनुष्य किसी वस्तु को प्राप्त करने हेतु व्यय करने को तैयार होना है। यदि हम एक किताब के लिए १० रुपये देने को तैयार हैं, तो हमारे लिए उस पुस्तक की उपयोगिता की माप १० रुपये के बराबर होगी।

उपयोगिता की माप सम्भव नहीं है—

कुछ अर्थशास्त्रियों (जैसे—परिटो, हिकम टत्यादि) के अनुसार उपयोगिता की परिमाणात्मक माप सम्भव नहीं है। इसके लिए उन्होंने निम्न कारण दिये हैं :—(i) उपयोगिता एक अपूर्ण (Abstract) गुण है और मानसिक दशा मात्र है, जिसे किसी वस्तुगत पैमाने (Objective Standard) से नहीं मापा जा सकता। उपयोग की किसी वस्तु से यथार्थ में जितनी उपयोगिता प्राप्त होनी है, यह ठीक-ठीक उपभोक्ता को भी ज्ञात नहीं हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति के लिए तो इसका पता लगाना और भी कठिन होता है। (ii) अलग-अलग मनुष्यों की रुचियाँ, स्वभाव, मनोवृत्तियाँ तथा मवेदनशीलतायें अलग-अलग होनी हैं, जिसके कारण एक ही वस्तु के उपयोग में अलग-अलग व्यक्तियों को उपयोगिता की विभिन्न मात्रायें प्राप्त होनी हैं। (iii) किसी एक मनुष्य की आर्थिक परिस्थिति, अर्थात् उसके निर्धन या धनवान होने का भी उसके उपयोग द्वारा उपयोगिता प्राप्त करने की शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। (iv) कुछ वस्तुयें ऐसी होती हैं कि जितना निर्धनता की अवस्था में हमारे उपयोग में कुछ भी महत्त्व नहीं होता है, परन्तु धनवान बन जाने पर वे महत्त्वपूर्ण बन जाती हैं, उदाहरणस्वरूप, मोटर-कार। (v) समाज द्वारा प्राप्त की हुई उपयोगिता की माप और भी कठिन है। (vi) उपयोगिता की मापने के लिए जिन पैमानों का अर्थशास्त्र में प्रयोग किया जाता है वह अनिश्चित और अस्थिर हैं।

उपर्युक्त कठिनाइयों के कारण ही यह कहा जाता है कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है, अतः 'उपयोगिता-विश्लेषण' के स्थान में 'उदासीनता वक्र विश्लेषण' की रीति निकाली गई है। इस रीति के आधीन उपयोगिता को मापने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

जो अर्थशास्त्री द्रव्य रूपी पैमाने से उपयोगिता का माप सम्भव बताते हैं, उन्हें 'गणनावाचक अर्थशास्त्री' (Cardinalists) कहा जाता है। किन्तु अन्य अर्थशास्त्री (जैसे—एलन और द्विक्स), जो यह समझते हैं कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, केवल यह बताया जा सकता है कि दो परिस्थितियों (या क्रमों) में उपयोगिता किस में अधिक है एवं किस में कम, 'क्रमवाचक अर्थशास्त्री' (Ordinalists) कहलाते हैं। दोनों ही समुदायों का माप सम्बन्धी विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है।

सीमान्त उपयोगिता और कुल उपयोगिता

सीमान्त उपयोगिता से आशय—

जब कोई मनुष्य किसी वस्तु की एक इकाई के बाद दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, इत्यादि निरन्तर उपभोग करता है तो उपभोग की अन्तिम इकाई को उपभोग की "सीमान्त इकाई" (Marginal Unit) कहते हैं। इस इकाई से जो कुछ भी उपयोगिता मिले उसे "सीमान्त उपयोगिता" (Marginal Utility) कहा जाता है। जैसे—यदि एक मनुष्य एक के बाद दूसरा करके पाँच सन्तरे खाता है, तो पाँचवाँ सन्तरा उपभोग की अन्तिम या सीमान्त इकाई हुआ और इससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता "सीमान्त उपयोगिता" होगी।

एक अन्य प्रकार से भी सीमान्त उपयोगिता की परिभाषा की जा सकती है—सीमान्त उपयोगिता वह वृद्धि है जो कि कुल उपयोगिता में, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के प्रयोग के परिणामस्वरूप, होती है। यदि ५ सन्तरो के उपभोग से मिलने वाली उपयोगिताओं का जोड़ ५० है तथा छठे सन्तरा खाने से कुल उपयोगिता ५५ हो जाती है, तो ऐसी दशा में छठे सन्तरे के उपभोग के परिणामस्वरूप कुल उपयोगिता में ५ की वृद्धि हुई। यही सीमान्त उपयोगिता है। बौलडिंग (Boulding) के शब्दों में, "वस्तु की किसी मात्रा की सीमान्त उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह वृद्धि है जो उपभोग में एक और इकाई के बढ़ने से उत्पन्न होती है।"¹

कुल उपयोगिता एवं औसत उपयोगिता से आशय—

मेयर्स के अनुसार, "किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों के उपभोग से प्राप्त सीमान्त उपयोगिताओं का योग कुल उपयोगिता है।"² अर्थात् किसी वस्तु की जितनी इकाइयों का उपभोग किया जाता है उन सबसे मिलकर जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम पूर्ण या कुल उपयोगिता कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में सन्तरो की पाँचो इकाइयों की उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता (Total Utility) होगा। कुछ लेखकों ने एक तीसरे प्रकार की भी उपयोगिता बताई है, जिसे हम "औसत उपयोगिता" (Average Utility) कहते हैं। कुल उपयोगिता को इकाइयों की सहायता से भाग देने पर औसत निकल आती है। यदि पाँच सन्तरों से ५० के बराबर उपयोगिता मिले, तो औसत उपयोगिता $50 \div 5 = 10$ होगी।

1 "The marginal utility of any quantity of commodity is the increase in total utility which results from a unit increase in consumption."—Boulding.


2 ".....total utility is the sum of the marginal utilities associated with the consumption of the successive units."—A. L Meyers

सीमान्त उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता का परस्पर सम्बन्ध—

निम्न तालिका में सन्तरो से प्राप्त होने वाली सीमान्त और कुल उपयोगिता को दिखाया गया है। हमने यह मान लिया है कि सभी सन्तरों से समान उपयोगिता नहीं मिलती है :—

सन्तरे	सीमान्त उपयोगिता	कुल उपयोगिता
१	१२	१२
२	१०	२२
३	८	३०
४	६	३६
५	४	४०
६	०	४०—पूर्ण तृप्ति बिन्दु
७	-३	३७
८	-५	३२

उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि (अ) सीमान्त उपयोगिता ५ इकाइयों तक घनात्मक है और घटती हुई है। छठी इकाई के प्रयोग से सीमान्त उपयोगिता शून्य हो जाती है। यहाँ कुल उपयोगिता का बढ़ना बन्द हो जाता है और वह अधिकतम होती है। इस स्थिति को 'पूर्ण तृप्ति का बिन्दु' (Point of Satety) कहते हैं।



चित्र—सीमान्त एवं कुल उपयोगिता रेखाएँ

पूर्ण तृप्ति का बिन्दु पढ़ने के उपरान्त भी यदि उपभोग को जारी रखा जाय, तो अनुपयोगिता होने लगती है अर्थात् सीमान्त उपयोगिता ऋणात्मक (Negative) होने लगती है। (देखिये उपर्युक्त चित्र में MU रेखा को) बिन्दु व्यवहार में उपभोक्ता तृप्ति बिन्दु के आगे सन्तरों का उपभोग नहीं करेगा।

कुल उपयोगिता के बारे में हम यह देखेंगे कि जैसे-जैसे सन्तरों की उत्तरोत्तर इकाइयों का प्रयोग किया जाता है वह पूर्ण तृप्ति का बिन्दु पढ़ने से पूर्व बढ़ती जाती है किन्तु घटती हुई

दर से। उदाहरणार्थ, दो सन्तरो का प्रयोग करने पर वह १० से, ३ का प्रयोग करने पर ८ से, ४ का प्रयोग करने पर ६ से बढ़ी। ६ सन्तरो का प्रयोग करने से कुल उपयोगिता की वृद्धि एक जाती है और उपभोक्ता को अधिकतम् कुल उपयोगिता मिलती है, जिस कारण इसे पूर्ण 'सन्तुष्टि का बिन्दु' कहते हैं। इसके बाद यदि और सन्तरो का प्रयोग किया जाय, तो अतिरिक्त सन्तरो से ऋणात्मक उपयोगिता मिलने के कारण कुल उपयोगिता घटने लगती है (दक्षिण चित्र में कुल उपयोगिता रेखा को)।

उपर्युक्त विवरण के सन्दर्भ में कुल उपयोगिता और सीमान्त उपयोगिता के सम्बन्ध को निम्न प्रकार बताया जा सकता है :—(i) पूर्ण तृप्ति बिन्दु तक सीमान्त उपयोगिता घनात्मक रहती है और घटती जाती है किन्तु कुल उपयोगिता में घटती हुई दर से वृद्धि होती है। (ii) पूर्ण तृप्ति के बिन्दु पर सीमान्त उपयोगिता शून्य हो जाती है किन्तु कुल उपयोगिता अधिकतम् होती है यद्यपि उसका बढ़ना बन्द हो जाता है। (iii) पूर्ण सन्तुष्टि बिन्दु के बाद सीमान्त उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है और इस कारण कुल उपयोगिता भी घटने लगती है।

सीमान्त सम्बन्धी धारणा का महत्त्व

अर्थशास्त्र में सीमान्त-धारणा एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसा कि प्रो० मेहता ने कहा है, लगभग समस्त आर्थिक ढांचा सीमान्त उपयोगिता के विचार पर आधारित है। अर्थशास्त्र के विभिन्न विभागों में सीमान्त-विश्लेषण की जो महत्ता है उस पर निम्न प्रकाश डाला गया है :—

(I) उपभोग के क्षेत्र में—

विभिन्न उपभोग सम्बन्धी नियम एवं सिद्धान्त सीमान्त उपयोगिता के विचार पर ही आधारित हैं, जैसे—

(१) सीमान्त उपयोगिता की धारणा यह है कि ज्यों-ज्यों सीमान्त प्राप्ति बढ़ता जाता है, उपयोगिता घटती जाती है। इसी सन्दर्भ में उपयोगिता ह्रास नियम की रचना हुई है।

(२) अपने व्यय से अधिकतम् सन्तुष्टि प्राप्त करने हेतु व्यक्ति सीमान्त उपयोगिता के विचार का सहारा लेता है। वह अपनी सीमित आय को विभिन्न मर्दों पर इस प्रकार से व्यय करता है कि प्रत्येक दशा में व्यय की गई मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता बराबर हो। इस प्रकार, सीमान्त-धारणा अर्थशास्त्र के सम-सीमान्त उपयोगिता नियम का भी आधार है।

(३) सीमान्त इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता इसके लिये दी गई कीमत के बराबर होती है। किन्तु सीमान्त इकाई से पहले की इकाइयों पर उपयोगिता अधिक मिलती है, जिस कारण प्रारम्भिक इकाइयों पर उपभोक्ता को बचत प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार, उपभोक्ता की बचत का सिद्धान्त सीमान्त सम्बन्धी धारणा पर आधारित है।

(४) माँग का नियम उपयोगिता ह्रास नियम के आधार पर बना है, जो कि स्वयं सीमान्त की धारणा पर निर्भर है।

(II) विनिमय के क्षेत्र में—

(१) एक क्रोता किसी वस्तु के लिए कितनी कीमत देगा यह उसकी सीमान्त उपयोगिता पर निर्भर है। किसी वस्तु को तब तक खरीदा जायेगा, जब तक कि इसकी सीमान्त उपयोगिता घटते हुये इसके लिये दी जाने वाली कीमत के अनुसार न हो जाय। इस प्रकार, कुल उपयोगिता नहीं, बरन् कुल उपयोगिता में एक अतिरिक्त इकाई या एक कम इकाई के कारण होने वाली वृद्धि या कमी (अर्थात् सीमान्त उपयोगिता) वस्तु की कीमत को प्रभावित करती है। इस प्रकार, कुल उपयोगिता की अपेक्षा सीमान्त उपयोगिता का महत्त्व अधिक है। कोई भी क्रोता

वस्तु के लिये सीमान्त उपयोगिता से अधिक कीमत न देना चाहेगा; अतः सीमान्त उपयोगिता उसकी खरीद की सीमा को निर्धारित करती है।

(२) जबकि 'सीमान्त उपयोगिता' क्रेता की ओर से वस्तु की अधिकतम कीमत और क्रय की सीमा निर्धारित करती है, सीमान्त उत्पादन व्यय विक्रेता की ओर से वस्तु की न्यूनतम कीमत और विक्रय की सीमा निर्धारित करते हैं। ये 'सीमान्त उत्पादन व्यय' वास्तव में उत्पत्ति-साधनों की सीमान्त उपयोगिताओं (या सीमान्त उत्पादकताओं) द्वारा ही निर्धारित होते हैं।

(३) साम्य विन्दु पर सीमान्त उपयोगिता और सीमान्त उत्पादन व्यय बराबर होते हैं और इस साम्यता के अनुसार ही कीमत निर्धारित होती है। अर्थात्, सीमान्त प्रयोग और सीमान्त व्यय कीमत को निर्धारित करते हैं।

इस विषय में मार्शल का मत ध्यान देने योग्य है। उनका मत है कि सीमान्त उपयोग और सीमान्त व्यय मूल्य को निश्चित नहीं करते, बल्कि वे दोनों स्वयं ही मूल्य के साथ-साथ माँग और पूर्ति के सामान्य पारस्परिक सम्बन्ध द्वारा निश्चित होते हैं।¹ अभिप्राय यह है कि स्वयं सीमान्त उपयोगिता और सीमान्त लागत माँग और पूर्ति पर निर्भर होते हैं। माँग और पूर्ति के घटने-बढ़ने से उनमें परिवर्तन हो जाते हैं। दूसरी ओर, जिस प्रकार मूल्य के परिवर्तन माँग और पूर्ति में परिवर्तन कर देते हैं, उसी प्रकार वे सीमान्त उपयोगिता और सीमान्त व्यय को भी घटा-बढ़ा देते हैं। मार्शल का विचार है कि मूल्य का निर्धारण समस्त माँग तथा समस्त पूर्ति द्वारा होता है। माँग अथवा पूर्ति अथवा दोनों में कमी या वृद्धि होने की दशा में साम्य मूल्य में परिवर्तन हो जाता है और इस परिवर्तन के अनुसार सीमान्त उपयोगिता तथा सीमान्त उत्पादन-व्यय में भी भिन्नता आ जाती है। निश्चय ही माँग के अधिक हो जाने से सीमान्त उपयोगिता बढ़ जाती है, और ठीक इसी प्रकार पूर्ति के बढ़ने से सीमान्त उत्पादन-व्यय में परिवर्तन हो जाता है, अतः मूल्य के साथ-साथ सीमान्त उपयोगिता तथा सीमान्त व्यय का भी निर्धारण माँग और पूर्ति द्वारा होता है।

इसमें सन्देह नहीं है कि मूल्य के घटने-बढ़ने से माँग और पूर्ति में जो परिवर्तन होते हैं, वे सीमान्त ग्राहक तथा सीमान्त उत्पादक द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं और सीमान्त ग्राहक तथा उत्पादक का व्यवहार मूल्य पर निर्भर रहना है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं होता कि मूल्य को सीमान्त ग्राहक और उत्पादक निश्चित करते हैं। सीमान्त उपयोगिता तथा सीमान्त व्यय की समानता मूल्य को केवल सूचित ही करती है, निर्धारित नहीं करती है। मूल्य तो समस्त ग्राहकों द्वारा, जिनमें सीमान्त ग्राहक भी सम्मिलित होता है, तथा समस्त विक्रेताओं द्वारा, जिनमें सीमान्त उत्पादक भी होता है, निश्चित होता है। इस प्रकार कुल माँग तथा कुल पूर्ति ही मूल्य को निश्चित करते हैं।

निःसन्देह मार्शल का उपरोक्त मत सही है, किन्तु फिर भी सीमा के विचार का अर्थशास्त्र में बड़ा महत्त्व है। बेनहाम ने ठीक ही कहा है, "वे सभी परिवर्तन, जिनके द्वारा माँग और पूर्ति में बदले हुए सम्बन्ध दिखाई पड़ते हैं, सदा सीमा पर ही होते हैं।"² सीमान्त उत्पादन-व्यय को दृष्टि में रखकर ही पुराने उत्पादक उद्योग विशेष में बने रहने या उसको छोड़ देने की सोचते हैं तथा नये उत्पादक उद्योग विशेष में प्रवेश करने का निर्णय करते हैं। ठीक इसी

¹ "Marginal uses and costs do not govern value but are governed together with value by the general relations of supply and demand."—Marshall : *Principles of Economics*, p. 410.

² Benham : *Economics*, 1943, p. 234.

प्रकार, उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के सीमान्त व्यय को देख कर ही एक साधन के स्थान पर दूसरे साधन के उपयोग की बात सोची जाती है। उत्पत्ति कितनी करनी है तथा उत्पत्ति का पैमाना किनना बड़ा रखा जायेगा, इसका निर्णय भी सीमान्त व्यय के अध्ययन के पश्चात् ही किया जाता है।¹

इस विषय में सीमान्त ग्राहक का महत्त्व इतना अधिक नहीं है। प्रतियोगिता की दशा में खरीदने वालों की मर्यादा बहुत अधिक होती है, इसलिए किसी भी एक ग्राहक का बहुत महत्त्व नहीं होता। सभी का महत्त्व समान ही होता है। सब ग्राहकों की समुक्त माँग तथा सभी उत्पादकों द्वारा उपस्थित की गई कुल पूर्ति द्वारा ही मूल्य निश्चित होता है। सीमान्त उपयोगिता केवल माँग की मात्रा को सूचित करती है। यह माँग को निश्चित नहीं करती और इसी प्रकार सीमान्त व्यय पूर्ति (अथवा उत्पत्ति) की मात्रा को दिखाता है, इसका निर्धारण नहीं करता।

(III) उत्पादन के क्षेत्र में—

उत्पादक विभिन्न उत्पत्ति-साधनों को इस प्रकार से प्रयोग में लाता है कि प्रत्येक साधन की सीमान्त उत्पादकता बराबर हो। यदि किसी साधन की सीमान्त उत्पादकता उस पर होने वाले व्यय से कम हो, तो वह उसके स्थान में अन्य साधनों का प्रयोग करेगा जब तक कि सब साधनों से प्राप्त सीमान्त उत्पादकताएँ बराबर न हो जायें।

(IV) वितरण के क्षेत्र में—

सीमान्त का विचार उत्पत्ति-साधनों को दिये जाने वाले पुरस्कार के निर्धारण में सहायक है। सीमान्त उत्पादकता का सिद्धान्त यह बताता है कि प्रत्येक साधन को उसकी सीमान्त उत्पादकता के बराबर ही पुरस्कार दिया जायेगा।

(V) राजस्व के क्षेत्र में—

एक व्यक्ति के ही समान सरकार भी अपनी सीमित आय को इस प्रकार व्यय करती है कि समाज को अधिकतम लाभ हो। वह उद्देश्य तब ही पूरा हो सकता है जब कि वह विभिन्न दिशाओं में अपने व्यय को इस प्रकार से नियमित करे कि प्रत्येक दिशा में एक ही बराबर सीमान्त उपयोगिता मिले। यही नहीं, कर के लगाने में भी सीमान्त उपयोगिता के विचार का ध्यान रखा जाता है। सीमान्त उपयोगिता धनिकों के लिए कम और निर्धनों के लिए अधिक होती है, जिस कारण वह निर्धनों पर टेक्स कम और धनिकों पर अधिक लगाती है।

सीमान्त विवेचन की मान्यताएँ—

सीमान्त विवेचन निम्न मान्यताओं पर आधारित है किन्तु वे मान्यताएँ सदा सही नहीं उतरती हैं :—(अ) कि कीमतों के मामूली से भी परिवर्तन के उत्तर में माँग व पूर्ति में निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। (आ) कि वस्तु की सभी इकाइयों का रूप एक है। (इ) कि मनुष्य सदा विवेकपूर्ण ढङ्ग से कार्य करता है। (ई) कि मनुष्य की आवश्यकताएँ अपरिवर्तित रहती हैं। (उ) कि व्यय करने हेतु मनुष्य के पास एक निश्चित व स्थिर आय है। (ऊ) कि विचाराधीन व्यक्ति अनेक क्रोताओं और अनेक विक्रेताओं में वेंसी स्थिति रखता है जैसी कि बूंद को सागर में होती है।

सीमान्त विवेचन का मूल्योक्त—

उपरोक्त मान्यताएँ प्रायः अभावहारिक हैं, जिस कारण सीमान्त विवेचन की बहुत प्रशंसा हुई है। उदाहरणार्थ, यह मान्यता ठीक नहीं है कि कीमतों के सूक्ष्म से ही परिवर्तन के

¹ Wicksteed : *Commonsense of Political Economy*.

उत्तर में माँग और पूर्ति सदा ही परिवर्तित हो जायेंगी। रेडियो, पंखा इत्यादि टिकाऊ वस्तुओं को एक पूर्ण इकाई के रूप में ही खरीदा जा सकता है, कीमतों में किञ्चित् परिवर्तन होने से इनको टुकड़े-टुकड़े करके क्रय नहीं किया जाता। इसी प्रकार, व्यावहारिक जीवन में एक वस्तु की सभी इकाइयाँ एक समान (Homogeneous) नहीं होती हैं, वरन् इनमें अन्तर पाया जाता है। पुनः व्यक्ति सदा ही विवेकपूर्ण ढङ्ग से कार्य नहीं करता। उसके रीति-रिवाज आदि कभी-कभी उसे विवेक का मार्ग छोड़ने के लिए विवश कर देते हैं। इसके अतिरिक्त, आय को स्थिर मान लेना और आवश्यकतायें अपरिवर्तित समझना भी व्यावहारिक जीवन से असम्मत है।

सीमान्त विवेचन की एक अन्य प्रकार की आलोचना यह की गई है कि सीमान्त उपयोगिता का ठीक-ठीक परिमाणात्मक माप सम्भव नहीं है।

अन्त में, सीमान्त विवेचन ऋण दृष्टिकोण पर आधारित है, जिस कारण वह वृहत् अर्थशास्त्र में सीमित हो जाता है।

इन आलोचनाओं के होते हुए भी हमें यह स्वीकार करना होगा कि सीमान्त विवेचन आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में बहुत उपयोगी भूमिका रखता है। आजकल 'कुल' के व्यवहार को समझने हेतु 'इकाई' के व्यवहार को समझना आवश्यक माना जाने लगा है। इससे भी यह स्पष्ट है कि सीमान्त विवेचन सामूहिक विवेचन के पूरक के रूप में बहुत महत्त्वपूर्ण है।

परीक्षा प्रश्न :

१. सीमान्त उपयोगिता और कुल उपयोगिता के भेद को बताइये। यह दिखाइये कि जब सीमान्त उपयोगिता शून्य हो, तो कुल उपयोगिता अधिकतम वैसे हो जाती है ?

[सहायक सकेत :—उपयोगिता का अर्थ संक्षेप में देने के बाद उदाहरणों और रेखाचित्र की सहायता से सीमान्त उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता के अर्थ को स्पष्टतापूर्वक समझाइये। तत्पश्चात् सीमान्त उपयोगिता और कुल उपयोगिता के पारस्परिक सम्बन्ध पर प्रकाश डालते हुए यह बताइये कि जहाँ सीमान्त उपयोगिता शून्य है वहाँ कुल उपयोगिता अधिकतम होती है।]

२. सीमान्त और कुल उपयोगिता विवेचन के महत्त्व को समझाइये। क्या उपयोगिता को मापा जा सकता है ?

[सहायक सकेत :—सर्वप्रथम अर्थशास्त्र के विभिन्न विभागों में सीमान्त के विचार का महत्त्व बताइये। तत्पश्चात् इसकी अव्यावहारिक मान्यताओं को बताते हुए यह निष्कर्ष दीजिये कि सीमान्त विवेचन सामूहिक विवेचन के पूरक का कार्य करता है। अन्त में, उपयोगिता की माप से सम्बन्धित वाद-विवाद का उल्लेख कीजिये।]

उपयोगिता ह्रास नियम

(Law of Diminishing Utility)

प्रारम्भिक—उपयोगिता ह्रास नियम का मनोवैज्ञानिक आधार

किसी वस्तु से जो उपयोगिता प्राप्त होती है वह एक महत्त्वपूर्ण नियम का विषय है, जो हमारे प्रतिदिन के जीवन में लागू होता है। मनोविज्ञान का एक नियम है, जिसका नाम इसके रचयिता के नाम पर वेबर-फैचनर नियम (Weber-Fechner Law) रखा गया है। यह नियम प्रयोग (Experiment) पर आधारित है। यदि कोई बहुत तेज रोशनी हमारी आँखों के सामने से गुजरती जाय, तो एकदम हमारी आँखें चकाचींध हो उठती हैं। किन्तु, यदि उतनी ही तेज रोशनी बार-बार हमारी आँखों के सामने से गुजरे, तो धीरे-धीरे उस रोशनी का चमकीलापन हमें कम ज्ञात होने लगता है। अभिप्राय यह है कि मनुष्य की चेतना या अनुभव (Sensation) पर ह्रास नियम लागू होता है, अर्थात् बार-बार दोहराने पर उस अनुभव की तीव्रता कम होती हुई प्रतीत होती है।

नियम की क्रियाशीलता का कारण

[घटती हुई तीव्रता]

इसी नियम के आधार पर अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता ह्रास नियम का निर्माण किया है। ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि हमारे पास किसी वस्तु की मात्रा जितनी ही बढ़ती जाती है, उतनी ही उसकी अगली इकाइयों के लिए हमारी आवश्यकता की तीव्रता या आग्रहपूर्णता (Urgency) कमशः कम होती जाती है। दूसरे शब्दों में, अगली इकाइयों की उपयोगिता धीरे-धीरे घटती जाती है। यह विचार साधारण अनुभव पर आधारित है। कोई भी मनुष्य अपने प्रतिदिन के जीवन में इस नियम को लागू होते हुए देख सकता है। उदाहरणस्वरूप, जब हमें बहुत प्यास लगी होती है तो पानी के पहले गिलास से हमें बड़ी सन्तुष्टि मिलती है, अर्थात् उसकी उपयोगिता हमारे लिये बहुत अधिक होती है। दूसरे गिलास से हमें कम सन्तुष्टि प्राप्त होती है और तीसरे से और भी कम। इस प्रकार हर अगले गिलास की उपयोगिता धीरे-धीरे घटती जाती है, और, यदि पानी का उपभोग बराबर चालू रहे, तो यह भी सम्भव है कि कुछ समय बाद हमें पानी के गिलास से कुछ भी सन्तुष्टि न मिले।

नियम का प्रकथन

यह प्रवृत्ति (Tendency) सर्वव्यापी है और साधारणतया प्रत्येक वस्तु के उपभोग पर लागू होती है। इसी प्रवृत्ति को अर्थशास्त्र में एक नियम का नाम दे दिया गया है, जिसको कि हम "उपयोगिता ह्रास नियम" कहते हैं। नीचे कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा इस नियम की परिभाषायें दी गई हैं :—

(१) मार्शल—“किसी वस्तु की मात्रा में एक दी हुई वृद्धि होने से किसी मनुष्य को जो अधिक लाभ प्राप्त होता है वह, अन्य वस्तुओं के यथास्थित रहने पर, उस वस्तु की मात्रा

की प्रत्येक वृद्धि के साथ-साथ घटता जाता है।¹ एक अन्य स्थान पर उपयोगिता की मुद्रा में माप करते हुए मार्शल ने इसी विचार को इस प्रकार व्यक्त किया है, "जितनी ही किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा अधिक होती है, अन्य बातों के यथास्थिर रहते हुए, वह उसे थोड़ी-सी और अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए नीची कीमत देने को तैयार रहेगा।"²

(२) प्रो० चैपमैन—“जितनी ही कोई वस्तु हमारे पास अधिक मात्रा में होती है उतनी ही हम उसकी अतिरिक्त वृद्धियाँ कम चाहते हैं अथवा उतना ही अधिक हम उनकी अतिरिक्त वृद्धियाँ नहीं चाहते हैं।”³

(३) टामस—“किसी वस्तु की अतिरिक्त अ-पूर्तियों की उपयोगिता उस वस्तु के उपलब्ध स्टॉक में प्रत्येक वृद्धि के साथ घटती जाती है। इसके अतिरिक्त, कुल उपयोगिता बढ़ती है, किन्तु एक घटते हुए अनुपात में। यहाँ तक कि अन्त में वस्तु की मात्रा में अतिरिक्त वृद्धियों के कारण उल्टी अनुपयोगिता उत्पन्न हो सकती है।”⁴

उपर्युक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से यह प्रकट होगा कि उपयोगिता ह्रास नियम को कुल उपयोगिता या सीमान्त उपयोगिता के सन्दर्भ में परिभाषित किया जा सकता है, जैसे कि मार्शल और चैपमैन ने सीमान्त उपयोगिता के सन्दर्भ में टामस ने कुल उपयोगिता के सन्दर्भ में किया है। साधारण भाषा में उक्त नियम की परिभाषा निम्न प्रकार से की जा सकती है.—“यदि अन्य बातें यथास्थिर रहें (Other things remaining the same), तो किसी भी वस्तु की प्रत्येक अग्रणी इकाई अपने से पहले वाली इकाई से कम उपयोगिता देती है।”

उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण—

उदाहरणस्वरूप; हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि किसी मनुष्य को सन्तरे की पहली इकाई से १० के बराबर उपयोगिता मिले, तो दूसरे सन्तरे से १० से कम अर्थात् ६, तीसरे से ८, चौथे से ७, इत्यादि घटती हुई मात्रा में उपयोगिता प्राप्त होगी। इस प्रकार उपयोगिता प्राप्ति का क्रम निम्न प्रकार होगा —


सन्तरे की इकाइयाँ	उपयोगिता
पहली	१०
दूसरी	६
तीसरी	८
चौथी	७
इत्यादि	

1 “The additional benefit which a person derives from a given increase of a stock of a thing diminishes, other things being equal, with every increase in the stock that he already has”—Marshall : *Principles of Economics*.


2 “The larger the amount of a thing that a person has, the less, other things being, equal, will be the price which he will pay for a little more of it.”—*Ibid*.

3 “The more we have of a thing, the less we want additional increments of it, or the more we want not to have additional increments of it”
—Chapman.

4 “.....the utility of additional supplies of a commodity diminishes with every increase in the available stock of it, more-over, total utility increases but at a diminishing rate, until eventually, any further increments of the commodity may even have disutility.”—Thomas : *Elements of Economics*, p 43.



इसी बात को रेखा-चित्र द्वारा भी अभिकित किया जा सकता है। ऊपर के चित्र में प्रत्येक आयत (Rectangle) एक-एक सन्तरे से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को दिखाता है। इस नियम की वक्र रेखा भी नीचे के चित्र में दिखाई गई है।



इन दोनों चित्रों के देखने से पता चलता है कि सन्तारों की इकाइयों की वृद्धि के साथ-साथ प्रत्येक अगली इकाई की उपयोगिता घटती चली जाती है।

हास केवल सीमान्त उपयोगिता पर ही लागू—

इस नियम के विषय में यह बात ध्यान देने योग्य है कि हास केवल सीमान्त उपयोगिता पर ही लागू होता है। उपभोग की अगली इकाइयों की उपयोगिता कम होने का अर्थ होता है कि सीमान्त उपयोगिता (Marginal Utility) क्रमशः कम होती जाती है। कुल उपयोगिता (Total Utility) का कम होना आवश्यक नहीं है।

यह बात ऊपर दिये हुए उदाहरण में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब केवल एक ही सन्तरे का उपभोग किया जाता है, तो पहले सन्तरे से प्राप्त होने वाली उपयोगिता ही सीमान्त उपयोगिता होगी, क्योंकि पहला सन्तरे ही उपभोग की अभिन्तम इकाई है। जब दूसरे सन्तरे का भी उपभोग किया जाता है, तो दूसरे सन्तरे से मिलने वाली उपयोगिता सीमान्त उपयोगिता हो जाएगी, जो कि पहले सन्तरे की उपयोगिता से कम है। इस दशा में सीमान्त

उपयोगिता १० से घटकर ६ हो जाती है, जबकि कुल उपयोगिता $१० + ६ = १६$ होती है। इसी प्रकार, तीसरे सन्तरे की उपयोगिता केवल ८ है और उसके उपभोग से सीमान्त उपयोगिता और भी कम हो जाती है, जबकि इसके विपरीत, कुल उपयोगिता बढ़कर $१० + ६ + ८ = २७$ हो जाती है, अतः, उपयोगिता ह्रास नियम का अधिक सही नाम सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम (Law of Diminishing Marginal Utility) होना चाहिए।

बुद्ध विशेष परिस्थितियों में यह भी सम्भव हो सकता है कि सीमान्त उपयोगिता और कुल उपयोगिता दोनों साथ-साथ कम हो जायें। यदि किसी वस्तु का उपभोग बराबर जारी रखा जाये, तो एक समय ऐसा भी आ सकता है जबकि उस वस्तु के लिए हमारी आवश्यकता पूर्णतया सन्तुष्ट हो जायगी, अर्थात् हम पूर्ण सन्तोष-स्तर (Satiety Level) तक पहुँच जायेंगे। इस स्थान पर सीमान्त उपयोगिता घट कर शून्य (Zero) हो जाती है, जिसका अर्थ यह होता है कि यहाँ पर उस वस्तु के उपभोग की अन्तिम इकाई में से कुछ भी उपयोगिता नहीं मिलती है। ऐसा हो जाने के पश्चात् भी यदि उपभोग चालू रहता है, तो अगली इकाइयों से 'ऋणात्मक उपयोगिता' (Negative Utility) या 'अनुपयोगिता' (Disutility) प्राप्त होगी। ऐसी दशा में अधिक इकाइयों का उपभोग करने से सीमान्त और कुल उपयोगिता दोनों साथ-साथ घटेंगी, किन्तु पूर्ण सन्तोष बिन्दु (Satiety Point) से पहले ऐसा नहीं होगा।

उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएँ (Assumptions)

उपयोगिता ह्रास नियम की परिभाषा करते समय यह बात स्पष्ट कर दी गई थी कि यह नियम उसी दशा में लागू होता है, जबकि अन्य बातें यथास्थिर रहे, अर्थात् उनमें परिवर्तन न हो। अतः हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि वे 'अन्य बातें' क्या हैं? सच तो यह है कि इस नियम की सत्यता कुछ विशेष मान्यताओं (Assumptions) पर निर्भर है। ये मान्यतायें निम्न प्रकार हैं :—

(१) उपभोग का क्रम निरन्तर चालू रहना चाहिये—यदि उपभोग क्रमशः नहीं होता रहेगा, तो यह आवश्यक नहीं है कि यह नियम लागू हो। आवश्यकताओं के लक्षण में ही यह बताया जा चुका है कि आवश्यकताएँ बार-बार उत्पन्न होती रहती हैं। यदि एक आवश्यकता एक बार पूर्णरूप से सन्तुष्ट कर दी गई है तो, इसका यह अर्थ नहीं होता कि उसे फिर दूसरी बार सन्तुष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भोजन की आवश्यकता हम प्रतिदिन ही दिन में दो-तीन बार पूरी कर लेते हैं, किन्तु फिर भी यह आवश्यकता वनी ही रहती है। अतः, यदि उपभोग का क्रम टूट जाय, तो पहली आवश्यकता दूसरी बार फिर पहले जैसी तीव्रता के साथ हमारे सम्मुख आ खड़ी हो सकती है। उस दशा में उपभोग की अगली इकाइयों कम उपयोगिता प्रदान नहीं करेंगी। अर्थात् यदि उपभोग बराबर चलता रहे, तो अगली इकाइयों से कम उपयोगिता मिलेगी, क्योंकि प्रत्येक आवश्यकता की तीव्रता उपभोग के साथ-साथ धीरे-धीरे कम होती चली जाती है। इस प्रकार, उपभोग के क्रम का न टूटना इस नियम की कार्यक्षमता की आवश्यक दशा है।

(२) उपभोक्ताओं की मानसिक तथा आर्थिक दशा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये—यह नियम एक साधारण तथा स्वच्छ मस्तिष्क के मनुष्य पर ही लागू होता है। यदि बाराह इत्यादि नशे के प्रभाव से या किसी अन्य कारण से कोई मनुष्य साधारण (Normal) दशा में नहीं है, तो उसके व्यवहार पर किसी भी सामान्य (General) नियम का लागू होना आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार, आर्थिक परिस्थितियों में अकस्मात् परिवर्तन हो जाने पर भी यह नियम लागू नहीं होगा। यदि एक मनुष्य के पास चार कुर्तियाँ हैं और वह अकस्मात् ही

घमीर हो जाता है, तो उस दशा में पाँचवीं कुर्सी की उपयोगिता उसके लिए चौथी कुर्सी की उपयोगिता से कम नहीं होगी, वरन् अधिक हो सकती है ।

(३) उपभोग को सभी इकाइयों गुण और परिमाण में समान होनी चाहिए—जिस वस्तु का उपभोग किया जा रहा है उसकी प्रत्येक इकाई पहले इकाई के सभी प्रकार समान होनी चाहिए, तभी यह नियम लागू होगा । यदि कोई मनुष्य सन्तरे खा रहा है और दूसरा सन्तरा पहले से अधिक मीठा है, तो यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे सन्तरे से पहले की अपेक्षा कम उपयोगिता मिले । इसी प्रकार, यदि दूसरा सन्तरा पहले से मीकाकार में बड़ा है, तब भी ऐसा आवश्यक नहीं है । अतः ह्रास नियम केवल उपभोग की समान इकाइयों से ही सम्बन्धित है ।

(४) वस्तु और उसके स्थानापन्न (Substitutes) की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए—यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होते हैं, तो इसके फलस्वरूप उसकी माँग में भी परिवर्तन हो जायेगा और हो सकता है कि उपभोक्ता उसे पहले से अधिक मात्रा में खरीदना अधिक पसन्द करने लगे । इसी प्रकार, यदि कोई वस्तु ऐसी है कि उसके स्थानापन्न मौजूद है, प्रयात्, कुछ दूसरी वस्तुएँ इस वस्तु के स्थान पर उपयोग की जा सकती हैं, तो इन स्थानापन्न की कीमत में भी परिवर्तन नहीं होने चाहिए । यदि स्थानापन्न की कीमत घट जाती है, तो मुख्य वस्तु के स्थान पर उनका उपभोग बढ़ जायगा, और, यदि स्थानापन्न की कीमत बढ़ जाती है, तो इनके स्थान पर मुख्य वस्तु का उपयोग होने लगेगा । दोनों ही दशाओं में उपयोगिता ह्रास नियम लागू न होगा ।

(५) यदि वस्तु विशेष का उपभोग सभ्ये समय तक होता है, तो इस काल में उपभोक्ता की आय, उसके स्वभाव, उसकी आदतों और समाज में प्रचलित फेशन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए—इन सभी बातों के परिवर्तनों से माँग में भी परिवर्तन हो जायेगा और उपभोक्ता के स्वभाव में परिवर्तन हो जाने के कारण उसके उपयोगिता अथवा सन्तोष प्राप्त करने के सामर्थ्य में भी परिवर्तन हो जायगा । ऐसी दशा में उपयोगिता ह्रास नियम का लागू होना आवश्यक नहीं है ।

(६) वस्तु के उपभोग की इकाइयाँ समुचित (Proper) होनी चाहिए—वे बहुत ही बड़ी अथवा बहुत ही छोटी नहीं होनी चाहिए । यदि एक प्यासे आदमी को एक-एक चम्मच करके पानी पिलाया जाता है, तो प्रत्येक अगले चम्मच पानी की उपयोगिता का पहले से कम होना आवश्यक नहीं है । इसी प्रकार, यदि रोटी के छोटे-छोटे टुकड़ों को उपयोग की इकाई मान लिया जाय, तो भी यह नियम लागू नहीं होगा ।

(७) आवश्यकता एक ही होना—यदि भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं को एक ही सामूहिक नाम से पुकारें (जैसे—*दिल्लखा या शान-शीरूज सम्बन्धी आवश्यकता*) और फिर नियम को इस सामूहिक नाम वाली आवश्यकता के सम्बन्ध में परते, तो यह लागू नहीं होगा । कारण, दिलावे की आवश्यकता अनेक भिन्न-भिन्न आवश्यकताओं का एक समूह है, जबकि नियम केवल एक आवश्यकता के सम्बन्ध में ही लागू होगा ।

नियम के अपवाद (Exceptions or Limitations)

सामान्त उपयोगिता के घटने का नियम सर्वव्यापी (Universal) नियम है । यदि अन्य वस्तुएँ यथास्थित रहें, प्रयात्, यदि ऊपर दी हुई मान्यतायें ध्यान में रखी जाएँ, तो इस नियम के अपवाद बताना कठिन होगा । फिर भी इस नियम के कुछ अपवाद बताये जाते हैं । इनमें से कुछ अपवाद वास्तविक हैं और अधिकांश दिसावटी । विभिन्न अपवादों का विवेचन आगे किया गया है ।

(1) दिखावटी अपवाद—

इस श्रेणी में हम उन दशाओं को सम्मिलित करते हैं जो कि मान्यताओं को ठीक प्रकार से न समझ पाने के कारण अपवाद प्रतीत होती हैं लेकिन वास्तव में नहीं हैं। ये दिखावटी अपवाद (Apparent Exceptions) निम्नांकित हैं—

(१) व्यक्तियों की विशेष रुचियाँ या शौक—कहा जाता है कि कुछ वस्तुओं के विषय में यह नियम लागू नहीं होता। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को भिन्न-भिन्न देशों के टिकट जमा करने का शौक है। यदि उस व्यक्ति के पास पचास देशों के टिकट जमा हो गये हैं, तो इक्यावनवें देश के टिकट की उपयोगिता उसके लिए कम न होगी। ऐसी दशा में जितनी भी अधिक टिकटों के स्टॉकों में वृद्धि होगी, वह व्यक्ति उननी ही अधिक सन्तुष्टि अनुभव करेगा। इसी कारण यह कहा जाता है कि शौक (Hobby) पर यह नियम लागू नहीं होता।

[स्मरण रहे कि इस अपवाद में हास नियम की एक महत्वपूर्ण मान्यता पर ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ पर उपभोग की इकाइयाँ गुण और परिमाण में समान नहीं हैं, क्योंकि सभी टिकट एक जैसे नहीं हैं। जब दो टिकट दो अलग-अलग देशों के हैं, तो नियम के लागू होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हाँ, यदि एक ही देश का दूसरा टिकट मिले, तो उसकी उपयोगिता पहले से कम होगी।]

(२) उपभोग की छोटी इकाइयाँ—यदि उपभोग की इकाइयाँ बहुत ही छोटी हों, तब भी कदाचित्त यह नियम लागू न होगा। प्रोफेसर चैपमैन (Chapman) ने इस सम्बन्ध में एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण लिया है जिसे चाय बनाने के लिए कोयले की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति को यदि बहुत थोड़ी-थोटी मात्राओं में कोयला मिलता है, जिसकी पहली इकाइयाँ इतनी छोटी हैं कि उसका काम नहीं चल सकता, तो जैसे-जैसे उसके पास कोयले का स्टॉक बढ़ता चला जायगा, वैसे-वैसे प्रत्येक अगली इकाई की उपयोगिता, जब तक कि कोयले की कुल मात्रा, समुचित माना अथवा उपयोग के लिए आवश्यक मात्रा के समीप न पहुँचा जाय, बढ़ती चली जायगी।

[इस उदाहरण के ठीक होने में संन्देह नहीं है, किन्तु प्रोफेसर चैपमैन इस बात को भूल गये हैं कि इस उदाहरण में उपभोग की इकाइयाँ समुचित नहीं हैं।]

(३) शराबी के लिए उपयोगिता—बुद्धिजीवियों का कथन है कि एक शराबी की शराब के प्रत्येक अगले प्याले से पहले की अपेक्षा अधिक उपयोगिता मिलती है।

[इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि शराब पी लेने के पश्चात् शराबी एक माधारण या श्रमंत (Normal) व्यक्ति नहीं रह जाता है। उसकी मानसिक अवस्था बदल जाती है और इसी से उसके व्यवहार पर यह नियम लागू नहीं होता है। ठीक ऐसी ही बात दूसरी नशीली वस्तुओं के उपभोग के विषय में कही जा सकती है।]

(४) सेवा का प्रयोग—कहा जाता है कि टेलीफोन सेवा का प्रयोग करने वालों की संख्या के बढ़ने पर उसकी (टेलीफोन सेवा की) उपयोगिता घटने के बजाय बढ़ती है।

[किन्तु यह अपवाद वास्तविक नहीं है, क्योंकि नियम के आचरण को एक व्यक्ति के पास टेलीफोन की संख्या के सम्बन्ध में देखना चाहिए, न कि समस्त टेलीफोन कनेक्शनों के सम्बन्ध में। जहाँ तक एक ही व्यक्ति का सम्बन्ध है, यदि उसके पास एक से अधिक टेलीफोन हैं, तो प्रत्येक नया टेलीफोन लगने पर इसकी उपयोगिता कम हो जायेगी।]

(५) फँसान की वस्तुयें—दिखावटी सामानों, फँसान की वस्तुयों, शक्ति तथा धन के मोह आदि पर यह नियम लागू नहीं होता है। कहा जाता है कि इस प्रकार का मोह कभी


सन्तुष्ट होने में नहीं आता, जिससे सम्बद्ध वस्तु की प्रत्येक अग्रणी इकाई से अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है।

[किन्तु ऐसा मोह रखने वाले मनुष्य असाधारण तथा बिरले ही होते हैं। अर्थशास्त्र के अधिकांश नियम सभी मनुष्यों तथा सभी परिस्थितियों में लागू नहीं होते, वरन् वे साधारण-तया ही सत्य होते हैं।]

(६) दुर्लभ वस्तुयें—दुर्लभ (Rare) वस्तुओं पर भी यह नियम लागू नहीं होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में अग्रणी इकाई से पहली इकाइयों की अपेक्षा अधिक उपयोगिता मिलती है। यदि किसी शहर में दस व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास दो-दो कारें हैं, और यदि इनमें से एक के पास तीसरी कार भी हों जाय, तो इस तीसरी कार की उपयोगिता उसके लिए और भी अधिक हो जायेगी, क्योंकि यह उसके लिए श्रेष्ठता (Distinction) की वस्तु होगी।

[इस विषय में भी इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि यह भी कोई सामान्य दशा (General Case) नहीं है, वरन् एक विशिष्ट परिस्थिति है।]

(७) मुद्रा की उपयोगिता—मुद्रा अथवा धन पर यह नियम एक विशेष प्रकार से लागू होता है। कोई मनुष्य कितना ही अमीर क्यों न हो जाय, फिर भी उसके लिए धन की अन्तिम इकाई की कुछ न कुछ उपयोगिता अवश्य रहती है। धन की आवश्यकता पूर्ण रूप से कभी भी सन्तुष्ट नहीं होती, इसलिए धन की सीमान्त उपयोगिता कभी शून्य के बराबर नहीं होती है। निम्न चित्र में धन की सीमान्त उपयोगिता का वक्र दिखाया गया है।



अ र धन का सीमान्त उपयोगिता का वक्र है। इसमें विशेषता यह है कि यह कभी भी अ क रेखा से स्पर्श नहीं करता। यह वक्र धीरे-धीरे नीचे की ओर गिरता है, जिसका अर्थ यह है कि धन की सीमान्त उपयोगिता बहुत धीरे-धीरे घटती है।

[किन्तु इस नियम की भी आलोचना सम्भव है, क्योंकि मुद्रा को हम साधन के रूप में लेते हैं, जिसके द्वारा उपयोग की वस्तुएँ और सेवाएँ खरीदी जा सकती हैं। वास्तविक जीवन में मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता भी उसकी मात्रा की वृद्धि के साथ-साथ घटती जाती है।]

वास्तविक अर्थवाद—

निम्नांकित दशायें उपयोगिता ह्रास नियम का वास्तविक अर्थवाद हैं :—

(१) अच्छी वस्तुएँ—प्रोफेसर टॉसिग (Tausig) का मत है कि किसी अच्छी पुस्तक को दुबारा पढ़ने से अथवा किसी कविता या गाने को दुबारा सुनने पर पहली बार की अपेक्षा अधिक उपयोगिता मिलती है।¹

[इस कथन के सत्य होने में सन्देह नहीं है, किन्तु यह दशा थोड़े समय तक ही रहती है। दीर्घकाल में यहाँ भी उपयोगिता का क्रमशः ह्रास होने लगता है।]

(२) दूसरे के स्टॉक का प्रभाव—पीगू का कहना है कि कभी-कभी एक वस्तु से हमें मिलने वाली उपयोगिता इस बात पर निर्भर है कि उस वस्तु की मात्रा दूसरे व्यक्तियों के पास कितनी है। यदि प्रोफेसर कोलोनी में प्रत्येक कॉलेज प्रोफेसर के पास दो-दो कारें हों और केवल एक प्रोफेसर ऐसा हो कि उसके पास एक कार हो, तो एक कार वाला प्रोफेसर अपने को दुखी अनुभव करेगा। इस दशा में यदि उसके पास दूसरी कार आ जावे, तो इससे उसे पहली कार की अपेक्षा अधिक उपयोगिता मिलेगी। अर्थात् नियम लागू नहीं होगा।

[यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि दूसरी कार के बाद कारों की संख्या बढ़ने पर उपयोगिता घटाय ही घटेगी।]

निष्कर्ष— इस प्रकार, हम यह देखते हैं कि उपर्युक्त अपवाद महत्वपूर्ण नहीं है। तब ही तो प्रो० टॉजिंग ने कहा है कि, “यह प्रवृत्ति (उपयोगिता ह्रास नियम) इतने विस्तृत रूप में और इतने कम अपवादों के साथ प्रकट होती है कि इसे सर्वव्यापी कहने में कोई त्रुटि न होगी।”¹ पुनः यदि हम दुःखमय और सुखमय दशाओं के उपभोग में भेद को ध्यान में रखें, तो नियम के आचरण से कोई शिकायत न रहेगी। जब तक दुःखमय दशा चलती है, तब तक उपयोगिता ह्रास-नियम लागू नहीं होता; वरन् उपयोगिता वृद्धि नियम लागू होता है, अर्थात् उपभोग की प्रत्येक अगली इकाई से उस पहली की अपेक्षा अधिक उपयोगिता मिलती है। “दुःखमय दशा” से हमारा अभिप्राय उस दशा से है जबकि आवश्यकता की आग्रहपूर्ण या उसनी तीव्रता इतनी अधिक होती है कि आवश्यकता की पूर्ति न होने के कारण मनुष्य दुःख का अनुभव करता है। यदि एक मनुष्य बहुत भूखा है और वह भूख मिटाने के साधनों के अभाव के कारण पीड़ित है, तो उस समय का उसका भूख मिटाने से सम्बन्धित उपभोग दुःखमय आर्थिक दशा का उपभोग होगा। ऐसे किसी मनुष्य को यदि एक रोटी खाने को दी जाय, तो इसे खा कर उसकी भूख और भी प्रचण्ड हो जायगी, जिसका परिणाम यह होगा कि वह दूसरी रोटी खा कर पहली रोटी से भी अधिक अन्न तक दुःख का निवारण अनुभव करेगा, अर्थात् दूसरी रोटी से उसे पहली रोटी की अपेक्षा और भी अधिक उपयोगिता मिलेगी।

यह दशा उस समय तक चली रहेगी जब तक कि निश्चित सीमा तक भूख नहीं मिट जायेगी। जब भूख की तीव्रता इतनी कम हो जायेगी कि उसकी उपस्थिति किसी विशेष कष्ट का कारण न रहेगी, तो प्रत्येक अगली रोटी से पहली की अपेक्षा कम उपयोगिता मिलेगी। यहाँ में सुखमय आर्थिक दशा आरम्भ होती है। इस दशा में, जैसे-जैसे रोटी का और अधिक उपभोग किया जाता है, वैसे-वैसे प्रत्येक अगली इकाई से पहली से कम उपयोगिता मिलेगी। अतः उपयोगिता ह्रास नियम केवल सुखमय दशा (Pleasure Economy) का नियम है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने नियम की परिभाषा को संशोधित किया है और संशोधित परिभाषा में वे ‘एक बिन्दु के बाद’ अथवा ‘एक सीमा के बाद’ या ‘अन्ततः’ वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं।² ऐसी परिभाषा के सन्दर्भ में तो इस नियम का कौंसा भी अपवाद नहीं रह जाता तथा नियम सार्वभौमिक हो जाता है।

¹ “The tendency shows itself so widely and with so few exceptions that there is no significant inaccuracy in speaking of it as universal.”

—Taussig : *Principles of Economics*, Vol 1, Chapter 9.

² (Footnote see on next page.)

उपयोगिता ह्रास नियम का महत्त्व (Importance of the Law of Diminishing Utility)

अर्थशास्त्र के दूसरे नियमों की भाँति उपयोगिता ह्रास नियम का अध्ययन भी अर्थशास्त्र का एक महत्त्वपूर्ण विषय है। इस नियम का सैद्धान्तिक (Theoretical) और व्यावहारिक (Practical) दोनों ही प्रकार का महत्त्व है।

नियम का सैद्धान्तिक महत्त्व—

सैद्धान्तिक दृष्टि से इसका उपयोग मूल्य के सिद्धान्त में होता है। माँग के नियम का अध्ययन हम पीछे कर चुके हैं। ध्यानपूर्वक देखने से पता चलेगा कि उपयोगिता ह्रास नियम और माँग के नियम की वक्र रेखाएँ रूप और गुण से एक जैसी ही होती हैं। माँग का नियम यथार्थ में उपयोगिता ह्रास नियम पर ही आधारित है। किसी भी वस्तु की माँग-कीमत (Demand price) उस वस्तु की सीमान्त उपयोगिता द्वारा निश्चित की जाती है। यदि उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाइयों प्रयोग करता है, तो उसके लिए वस्तु की उपयोगिता घटती जाती है, जिस कारण वह वस्तु की अगली इकाइयों के लिए कम कीमत देने को तैयार होता है। यही कारण है कि वस्तु की कम कीमत पर उसकी अधिक मात्रा का प्रयोग किया जाता है और अधिक कीमत पर कम मात्रा का प्रयोग किया जाता है। अर्थात् ऊँची कीमत पर वस्तु के लिए माँग कम और नीची कीमत पर वस्तु के लिए अधिक माँग की जाती है। यही माँग का नियम है जो कि उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है।

नियम का व्यावहारिक महत्त्व—

व्यावहारिक (Practical) दृष्टि से भी इस नियम का बहुत महत्त्व है। प्रमुख लाभ निम्न प्रकार है :—

(१) विविधता उत्पादन का कारण—प्रो० टॉजिंग ने कहा है कि, “उत्पादन में बढ़ती हुई विविधता और उपभोग व उत्पादन सम्बन्धी जटिलताओं का रहस्य उपयोगिता ह्रास नियम में दिया है।”¹ जब एक वस्तु की पूति अधिक हो जाती है, तो उपभोक्ताओं के लिए उसकी उपयोगिता घटने लगती है और इसलिए उत्पादक को भी कम कीमत (एव कम लाभ) मिलती है। अतः अपने लाभ के लिये वह उत्पादक के साधनों को पुराने प्रयोगों से हटा कर नये प्रयोगों में लगाता रहता है और इसके परिणामस्वरूप उत्पादन एव उपभोग दोनों विविधतापूर्ण एव जटिल होते जाते हैं।

(२) कर प्रणाली का आधार—आधुनिक प्रवृत्ति प्रगामी दरों (Progressive Rates) पर कर लगाने की है, जिसके अनुसार धनी व्यक्तियों को कम धनी व्यक्तियों की तुलना में अपनी आय का अधिक बड़ा भाग कर के रूप में देना पड़ता है। ऐसा ही आधार पर उचित होता है कि एक धनी व्यक्ति की आय अधिक होने के कारण उसके लिए मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता निर्धन व्यक्ति की तुलना में कम होती है। अपनी आय का अधिक बड़ा भाग कर के रूप में देकर ही वह निर्धन व्यक्ति के बराबर त्याग करता है। न्यायशीलता इसी में है कि सभी करदाता कर चुकाने

“As a consumer increases the consumption of any one commodity, keeping constant the consumption of all other commodities, the marginal utility of the variable commodity must eventually decline.”—Boulding.

¹ “It is this fact of Diminishing Utility that explains the growing variety in the articles produced and the growing complexity of consumption and production.”—Taussig.

में समान त्याग करें। अतएव उपयोगिता ह्रास नियम को ध्यान में रखते हुए भ्रमियों पर गरीबों की अपेक्षा अधिक ऊँची दर पर कर लगाना ही उचित होगा।

(३) कार्यक्षमता पर प्रभाव—यह नियम हमें यह समझाता है कि जीवन-स्तर (Standard of Living) को एक निश्चित सीमा पर से जाने से कार्यक्षमता की वृद्धि की राशि घीमी बंधी हो जाती है। वान यह है कि उपभोग की अगली इकाइयों से पहली इकाइयों की तुलना में कम उपयोगिता प्राप्त होती है।

(४) सम-सीमान्त उपयोगिता नियम का आधार—अधिकतम सन्तोष प्राप्त करने के उद्देश्य से व्यक्ति सबसे प्रथम उस वस्तु पर व्यय करता है, जिससे उसे सबसे अधिक उपयोगिता मिले। तत्पश्चात् यदि वह उसी वस्तु पर व्यय जारी रखे, तो क्रमागत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण उसे घटती हुई उपयोगिता प्राप्त होती है। अतः उसे यह आवश्यकता अनुभव होती है कि वह अब किसी दूसरी वस्तु पर व्यय करे जिससे उसे पहली वस्तु की घटती हुई उपयोगिता से अधिक उपयोगिता मिले। वह इसी प्रकार एक वस्तु के स्थान में दूसरी वस्तु वा, दूसरी के स्थान में तीसरी वस्तु का प्रयोग बदलता चला जाता है, जिस कारण उसे अधिकतम उपयोगिता मिलना सम्भव हो जाता है। ऐसी दशा में यह देखा गया है कि प्रत्येक वस्तु के प्रयोग से अन्ततः प्राप्त उपयोगिता समान या लगभग समान होती है।

(५) उपभोक्ता की बचत का भी आधार—जब उपभोक्ता किसी वस्तु को प्रयोग के लिए खरीदता है तो उसे प्रारम्भिक इकाइयों पर दी जाने वाली कीमत की अपेक्षा अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। बाद में खरीदी जाने वाली इकाइयों की उपयोगिता क्रमशः घटती हुई अन्ततः कीमत के बराबर रह जाती है। इसी समानता के बिन्दु पर वह खरीद बन्द कर देता है। यदि अब तक खरीदी हुई इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता की तुलना उनके लिए दी गई कीमत (उपयोगिता के त्याग) से की जाय तो देखेंगे कि उपभोक्ता को अतिरिक्त उपयोगिता मिली है। यह अतिरिक्त उपयोगिता या उपभोक्ता की बचत उपयोगिता ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण सम्भव होती है।

(६) विनिमय मूल्य और प्रयोग मूल्य का भेद—उपयोगिता ह्रास नियम विनिमय मूल्य (Value-in-exchange) और प्रयोग मूल्य (Value-in-use) के अन्तर के कारण को भी समझाना है। इसके अनुसार किसी वस्तु (जैसे—हवा) की प्रति इतनी अधिक होगी, उसकी सीमान्त उपयोगिता उतनी ही कम होगी और इसलिए उसका विनिमय-मूल्य (अर्थात् कीमत) कम अथवा शून्य होगा भले ही उसका प्रयोग-मूल्य (उपयोगिता) अधिक हो।

परीक्षा प्रश्न :

- उपयोगिता ह्रास नियम की परिभाषा दीजिये और इसे पूरी तरह से समझाइये। क्या यह सब जगह लागू होता है ?

अथवा

उपयोगिता ह्रास नियम को बताइये और इसकी सीमाओं सहित व्याख्या कीजिये।

अथवा

उपयोगिता ह्रास नियम को बताइये। “अन्य बातें समान रहे” वाक्यांश का महत्त्व बताइये। ये अन्य बातें क्या हैं ? क्या विनिमय के कोई वास्तविक या दिखानेवादी अर्थवाद हैं ?

अपवाद

‘घटनी हुई सीमान्त उपयोगिता की प्रवृत्ति स्वयं को इतने व्यापक रूप में और इतने कम अपवादों के साथ दिखाई देती है कि इसे सर्व-व्यापक करने में कोई विशेष मशुद्धता न होगी।’ टॉजिम इसके कथन का विवेचन करिये।

[सहायक संकेत :—सभी प्रश्नों के अन्तर्गत सर्वप्रथम नियम की परिभाषा दीजिये एवं उदाहरण और चित्र द्वारा उसकी व्याख्या कीजिये। तत्पश्चात् नियम के लागू होने के कारणों, इसकी सीमाओं और अपवादों को बताइये और अन्त में निष्कर्ष निकालिए कि नियम को सर्व-व्यापक करने में कोई महत्वपूर्ण भुटि नहीं है। विशेषतः इसकी परिभाषा में ‘एक सीमा के बाद’ या ‘अन्ततः’ शब्द का प्रयोग करे तो इसके कोई अपवाद नहीं रह जायेंगे।]

२. किन दशाओं में उपभोग के लिये प्राप्त वस्तु की मात्रा के बढ़ने पर भी सीमान्त उपयोगिता नहीं घटेगी, और क्यों ?

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम नियम की परिभाषा दीजिये और इसकी मान्यताओं का उल्लेख कीजिये। तत्पश्चात् इसके वास्तविक और दिखावटी अपवादों का पूर्ण विवेचन करिये और अन्त में टॉजिम और प्रो० बोल्डिंग के कथनों के सम्बन्ध में निष्कर्ष दीजिए।]

३. उपयोगिता ह्यास नियम को बताइये और यह समझाइये कि इससे माँग का नियम किस प्रकार निकाला जाता है ?

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम उपयोगिता ह्यास नियम का कथन दीजिये और इसके लागू होने के कारणों को संक्षेप में बताइये, तत्पश्चात् उदाहरण और चित्र की सहायता से नियम की व्याख्या कीजिए। अन्त में बताइये कि माँग का नियम उपयोगिता ह्यास नियम पर किस प्रकार आधारित है ?]

४. उपयोगिता ह्यास नियम की शालोचनापूर्ण व्याख्या कीजिये। क्या इससे आप लोगों के व्यय के मार्गदर्शन के लिए कोई नियम निकाल सकते हैं ?

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम उपयोगिता ह्यास नियम का कथन दीजिये। इसे उदाहरण और चित्र द्वारा समझाइये, तत्पश्चात् अति सूक्ष्म में नियम की मान्यताओं और अपवादों को बताइये। अन्त में, समसीमान्त उपयोगिता नियम को बताइये जो कि व्यक्तियों के मार्गदर्शन हेतु निकाला जा सकता है।]

सम-सीमान्त उपयोगिता नियम

(The Law of Equi-marginal Utility)

प्रारम्भिक—

सम-सीमान्त उपयोगिता नियम उपभोग के क्षेत्र से सम्बन्धित है किन्तु इससे मिलती-जुलती प्रवृत्तियाँ उत्पादन प्रादि क्षेत्रों में भी देखने में आती हैं। अतः सम-सीमान्त उपयोगिता नियम को एक सामान्य रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। इस सामान्य रूप में इसे 'प्रतिस्थापन नियम' (Law of Substitution) कहते हैं। जिस प्रकार किसी वस्तु की अन्तिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को उस वस्तु की 'सीमान्त उपयोगिता' कहते हैं। उसी प्रकार किसी भी उत्पाद के साधन (Factor of Production) की अन्तिम इकाई के उपयोग से कुल उपज (Total Product) में जो वृद्धि होती है उसे हम उस साधन की 'सीमान्त उपज' (Marginal Product) कहते हैं। उपभोग में हम कम सीमान्त उपयोगिता वाली वस्तु के स्थान पर अधिक सीमान्त उपयोगिता वाली वस्तु का उपयोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार उत्पाद में उस उत्पाद के साधन के स्थान पर, जिससे कि कम सीमान्त उपज मिलती है, हम ऐसे साधन को चुनते हैं, जिसकी सीमान्त उपज अधिक होती है। उपभोग में ऐसा करने से हमारा कुल सन्तोष अधिकतम हो जाता है और उत्पाद में हमारी कुल उपज। इस कारण हमारे व्यावहारिक जीवन में इस नियम का बहुत महत्त्व है।

प्रतिस्थापन नियम (Law of Substitution)

सामान्य कथन—

प्रतिस्थापन के नियम के अनुसार, एक कम उपयोगी वस्तु या महीने उत्पाद-साधन के स्थान पर अधिक उपयोगी वस्तु या सस्ते उत्पाद-साधन को प्रतिस्थापन किया जाता है, जिससे कि सन्तोष, उपयोगिता अथवा लाभ अधिकतम हो जाये। इस नियम की व्याख्या, सीमायें एवं अपवाद सम-सीमान्त उपयोगिता नियम के समान है।

जुद्ध लेखकों का मत है कि समस्त अर्थशास्त्र केवल इसी एक नियम का विस्तृत रूप है। अतः यह नियम अर्थ विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ सिद्धान्त है। इस नियम के अनुसार चलकर हम अपने जीवन को अधिक सुखमय बना सकते हैं और सामाजिक व मानवीय सुख को अधिकतम कर सकते हैं। यह निश्चय हमें सीमित साधनों को सबसे उपयुक्त रीति से उपयोग करने की शिक्षा देता है।

सम-सीमान्त उपयोगिता नियम (Law of Equi-marginal Utility)

सम-सीमान्त उपयोगिता नियम उपभोग का एक महत्त्वपूर्ण नियम है। इसे 'उपभोग में प्रतिस्थापन का सिद्धान्त' (Law of Substitution in Consumption) अथवा 'सम-सीमान्त उपयोगिता नियम' के अतिरिक्त निम्नांकित नामों से भी पुकारा जाता है :—(1) अधिकतम

सन्तुष्टि का नियम (Law of Maximum Satisfaction), क्योंकि इस नियम का पालन करने में उपभोक्ता को अधिकतम सन्तुष्टि मिलती है। (ii) तटस्थता का नियम (Law of Indifference), क्योंकि विभिन्न प्रयोगों में समान-परामर् उपयोगिता मिलने के कारण उपभोक्ता उनके प्रति तटस्थ हो जाता है। (iii) उपभोग का नियम (Law of Consumption), क्योंकि यह व्यक्ति को बताता है कि अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्ति करने के लिये उपभोग किस प्रकार करना चाहिये। (iv) मितव्ययिता का नियम (Law of Economy), क्योंकि यह व्यक्तियों को उपदेश देता है कि यदि वे अपने सीमित साधनों का मितव्ययिता के साथ स्तेयता करेंगे, तब ही उन्हें अधिकतम सन्तोष मिलेगा। (v) गौतम का दूसरा नियम (Second Law of Gossen), क्योंकि इसे सर्वप्रथम गौतम द्वारा, यद्यपि सन्तुष्टि रूप में, प्रस्तुत किया गया था। (vi) नियम 'आनुपातिकता का नियम' (Law of Proportionality) भी कहा जाता है, क्योंकि एक वस्तु की कीमत और उपयोगिता का 'अनुपात दूसरी वस्तु की कीमत और उपयोगिता के बराबर होता है।' नियम का अर्थ—

सम-सीमान्त उपयोगिता नियम चाय के अनुकूलनम् विवरण (Ideal Allocation of Income) को अथवा उपभोक्ता के सन्तुष्टन (Equilibrium of Consumer) को बताता है। जब प्रत्येक दिशा में समान उपयोगिता प्राप्त हो गई तो उपभोक्ता को अधिकतम सन्तोष होता है। ऐसी स्थिति में यह अर्थोपेक्ष के विवरण को बदलने की चेष्टा नहीं करेगा, क्योंकि अधिकतम सन्तोष प्राप्त करने के कारण यह अनुकूलनम् स्थिति में है। नियम को इसके प्रतिपादक गौतम के शब्दों में निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, "वृत्तियों की अधिकतम मात्रा प्राप्ति करने के लिये एक व्यक्ति, जो कई वृत्तियों के बीच चुनाव कर सकता है, परन्तु जिसके पास सभी को पूर्ण रूप में प्राप्त करने के लिये पर्याप्त समय नहीं है, इन भाग पर साध्य होता है कि सभी प्रकार की वृत्तियों को, चाहे इनकी निरपेक्ष मात्रा एक दूसरे में बहुत भिन्न हो, सीमित रूप में प्राप्त करे। इनके बीच पारस्परिक सम्बन्ध इस प्रकार होता चाहिए कि जब उनका उभोग बन्द कर दिया जाय, तो सभी वृत्तियों की मात्राएँ समान हों।"¹ गौतम ने इस नियम को जिस रूप में किया है वह बहुत शुद्ध नहीं है परन्तु फिर भी इससे हम नियम की कुछ आवश्यक-भूत बातों का पता चल जाता है। उन्होंने कहा है कि यद्यपि यह तो सम्भव नहीं है कि सभी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया जाय परन्तु प्रत्येक आवश्यकता की सीमाओं को समान रखकर अधिकतम सन्तोष अथवा प्राप्ति विद्या जा सकता है।

इसी नियम की सामंजस्य में अधिक सीधी-गदी भाषा में इस प्रकार बताया है, "यदि किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी वस्तु है जिसके अनेक उपयोग हो सकते हैं तो यह हम वस्तु को विभिन्न उपयोगों में इस प्रकार बाँटता कि सभी दिशाओं में उसे समान सीमान्त उपयोगिता प्राप्त हो। कारण, यदि एक उपयोग में वस्तु की सीमान्त उपयोगिता अधिक है, तो उसके लिए यह लाभदायक होगा कि वह इसे किसी अन्य उपयोग में हटाकर इस उपयोग में लगा दे।"²

¹ "In order to obtain the maximum sum of enjoyment, an individual who has a choice between a number of enjoyments, but insufficient time to procure all completely, is obliged—however much the absolute amount of individual enjoyments may differ—to procure all partially, even before he has completed the greatest of them. The relation between them must be such that at the moment when they are discontinued, the amounts of all enjoyments are equal."—Gossen

² (Footnote see on next page.)

प्रो० मेहता ने इस नियम को धीरे भी अधिक निश्चित भाषा में व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। उनका कहना है कि, "यदि एक दी हुई समयावधि में एक वस्तु अनेक आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, तो इसकी एक दी हुई मात्रा से अधिकतम संतोष प्राप्त करने के लिए, इसकी मात्रा को विभिन्न आवश्यकताओं के बीच इस प्रकार बँटना चाहिये कि इसकी सीमान्त उपयोगिता उस दी हुई समयावधि के सन्दर्भ में सभी दशाओं में लगभग समान हो जाये।"¹ प्रो० मेहता की परिभाषा में एक निश्चित काल (a given period of time) पर बल दिया गया है। यह सम्भव है कि एक वस्तु किसी काल के आरम्भ में अधिक मात्रा में उपयोग की जाये और उस काल के अन्तिम भाग में, वा मात्रा में, परन्तु कुल मिलाकर उसका उपयोग पूरी समय अवधि पर इस प्रकार बँटना चाहिये कि प्रत्येक उपयोग में उसकी सीमान्त उपयोगिता समान ही रहे।

यद्यपि मार्शल और जे० के० मेहता की परिभाषायें एक वस्तु के सन्दर्भ में की गई हैं तथापि इनमें वस्तु के स्थान पर द्रव्य का प्रयोग करके इस नियम को द्रव्य या आय के सम्बन्ध में भी लागू किया जा सकता है। ऐसी दशा में नियम को निम्न प्रकार से पढ़ा जायेगा—“एक व्यक्ति अपनी सीमित आय (या द्रव्य) से अधिकतम मनुष्य प्राप्त करने हेतु द्रव्य को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करेगा कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय किये गये द्रव्य की अन्तिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता (अर्थात् सीमान्त उपयोगिता) समान हो।”

जहाँ तक उपयोगिता के पूर्णतः समान (Complete equalization) होने का प्रश्न है, सैद्धान्तिक दृष्टि से यह सम्भव है परन्तु व्यवहार में इसे प्राप्त कर लेना कठिन है। हम समानता के 'समीप' तो पहुँच सकते हैं परन्तु उसे शायद कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

नियम की मान्यतायें—

सीमान्त उपयोगिता ह्यम नियम की भाँति नम-सीमान्त उपयोगिता नियम की भी कुछ मान्यतायें हैं, जो इस प्रकार हैं:—

(१) उपयोगिता ह्यम नियम की मान्यतायें—यह निम्न भी (i) मुक्तमय आधिक्य दशा (Pleasure Economy) से ही सम्बन्धित है, (ii) साधारण (Normal) व्यक्ति के ही व्यवहार पर लागू होता है, (iii) इसकी सत्यता के लिए भी यह आवश्यक है कि एक वस्तु की सभी इकाइयों पर परिणाम धीरे धीरे समान ही हों, और (iv) उपरोक्त की रुचि, प्राय आदि एक समयावधि में समान रहते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता।

(२) उपयोगिता को द्रव्य रूपी पैमाने से मापा जा सकता है।

(३) धन या द्रव्य की उपयोगिता यथास्थित रहनी चाहिये। किसी भी वस्तु की एक इकाई को प्राप्त करने में हम जो खपया व्यय करते हैं उसकी प्रत्येक इकाई की भी हमारे

“If a person has a thing which he can put to several uses, he will distribute it among these uses in such a way that it has the same marginal utility in all. For if it had a greater marginal utility in one use than another, he would gain by taking away some of it from the second use and applying it to the first.”—Marshall *Principles of Economics*, p. 98.

¹ “If a commodity can satisfy many wants within a given period of time, then, in order to get the greatest satisfaction from a given quantity of it, its amount should be so distributed between various wants as to make its marginal utility, with reference to given period of time, as nearly equal in all cases as possible.”—J. K. Mehta: *Foundations of Economics*, pp. 56-57.

लिए उपयोगिता होती है। साधारणतया उपयोगिता ह्रास नियम सभी वस्तुओं पर लागू होता है। मुद्रा भ्रमण धन इसका भ्रमण नहीं है, यद्यपि जैसा कि पहले देख चुके हैं, मुद्रा की उपयोगिता प्रायः कभी भी शून्य के बराबर नहीं होती है। जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं तो मुद्रा के रूप में कुछ उपयोगिता हमारे पास से निकल जाती है। जैसे-जैसे हम वस्तुओं की इकाइयों और अधिक खरीदते जाते हैं, हमारे पास रुपये का स्टॉक कम होता चला जाता है। इस दशा में उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार रुपये की प्रत्येक अगली इकाई की उपयोगिता बढ़ती चली जायेगी। एक और तो रुपये की अगली इकाइयों की उपयोगिता बढ़ती जाती है और दूसरी ओर खरीदी जाने वाली वस्तुओं की अगली इकाइयों की उपयोगिता घटती जाती है। सम्भव है कि शीघ्र ही ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाय कि रुपये के रूप में दी जाने वाली उपयोगिता वस्तु के रूप में प्राप्त होने वाली उपयोगिता के समान हो जाय। ऐसी दशा में रुपये का व्यय प्राप्ति नहीं बढ़ेगा। अतः इस नियम की सत्यता के लिए यह आवश्यक है कि मुद्रा की उपयोगिता पर ह्रास नियम लागू न हो।

(४) उपभोक्ता को विवेकीय होना चाहिए, अर्थात् उसमें निर्णय करने या परखने का गुण होना चाहिये। यदि उपभोक्ता समझ से काम नहीं ले या कुछ ऐसी बातों से प्रभावित हो जाय, जिनसे उनकी रचि या भावना में परिवर्तन हो जाता है, तो उसका व्यवहार इस नियम के अनुसार नहीं होगा। इस नियम की सत्यता के लिये यह आवश्यक है कि उपभोक्ता अपनी धन्य की बिना सोच-समझे व्यय न करे। वह व्यय करते समय यह भली-भाँति देख ले कि व्यय केवल उसी वस्तु पर किया जाय, जिससे सबसे अधिक उपयोगिता मिलने की प्राप्ति है।

(५) उपभोक्ता अपने द्रव्य को बहुत छोटी-छोटी मात्रा में व्यय करता है।

नियम की व्याख्या—

प्रत्येक व्यक्ति स्वभावतः इस बात का प्रयत्न करता है कि वह अपने सीमित साधनों से अधिक से अधिक लाभ उठाये। इसी कारण प्रत्येक उपभोक्ता अपनी धन्य का विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार वितरण करेगा कि उसे प्रत्येक वस्तु पर व्यय किये गये प्रतिफल रुपये से यथासम्भव समान उपयोगिता प्राप्त हो। कारण, इसी प्रकार व्यय करने से अधिकतम सन्तोष अथवा उपयोगिता प्राप्त की जा सकती है। जब धन्य विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर इस प्रकार व्यय की जाती है कि प्रत्येक से समान सीमान्त उपयोगिता प्राप्त हो, तो अधिकतम उपयोगिता प्राप्त नहीं हो सकेगी और ऐसी दशा में यदि व्यय में ऐसा परिवर्तन कर दिया जाय कि सीमान्त उपयोगिता में समान हो जायें, तो कुल उपयोगिता में वृद्धि हो जायेगी और धन्य का अधिक लाभदायक व्यय दृष्टिगोचर होगा। इसी से यह नियम सम-सीमान्त उपयोगिता नियम कहलाता है। इस नियम को प्रतिस्थापन नियम इसलिए कहा जाता है कि जिस वस्तु के उपभोग से कम उपयोगिता प्राप्त होने की सम्भावना होती है उसके स्थान पर हम ऐसी वस्तु का उपभोग करते हैं जिससे अधिक उपयोगिता मिलने की प्राप्ति है।

उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण—

एक छोटे उदाहरण से यह नियम और भी स्पष्ट हो जायगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास महीने के धारण में १७ रुपये हैं, जिन्हें वह गेहूँ, कपड़ा, चावल और चीनी चार वस्तुओं पर व्यय करना चाहता है। नीचे की दी हुई तालिका में यह दिखाया गया है कि गेहूँ, कपड़ा, चावल और चीनी पर रुपये की इकाइयों व्यय करने से किस प्रकार उपयोगिता मिलती है। इन चारों वस्तुओं की इकाइयाँ इस प्रकार चुनी गई हैं कि प्रत्येक की १ इकाई १ रुपये में प्राप्त की जा सकती है।

तालिका

व्यय किये हुए धन की इकाइयाँ—	वस्तुओं से मिलने वाली सीमान्त उपयोगिता का क्रम			
	गेहूँ	कपडा	चावल	चीनी
पहला रुपया १००	६०	८०	६०	६०
दूसरा " ८०	७०	६०	६०	४०
तीसरा " ६०	५०	४०	४०	३०
चौथा " ५०	३०	३०	३०	२०
पाँचवाँ " ४०	२०	१५	१५	१५
छठवाँ " ३०	१५	१०	१०	१०
सातवाँ " २०	१०	५	५	५
आठवाँ " १०	५	०	०	२
नवाँ " ०	०	—५	—५	०


अब, यदि वह व्यक्ति अपने रुपयों के व्यय से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है, तो वह प्रत्येक रुपये को उस वस्तु की इकाई खरीदने पर व्यय करेगा, जिससे कि उसे सबसे अधिक उपयोगिता मिलती है। निश्चय है कि सबसे पहला रुपया गेहूँ की प्रथम इकाई खरीदने पर व्यय किया जायेगा, क्योंकि इससे उसे १०० उपयोगिता मिलती है। व्यय का क्रम इस प्रकार होगा :—

गेहूँ	कपडा	चावल	चीनी
१०० ^१	६० ^२	८० ^३	६० ^४
८० ^४	७० ^५	६० ^६	
६० ^५	५० ^७	४० ^८	४० ^९
५० ^{१०}	३० ^{११}	३० ^{१२}	
४० ^{१३}			३० ^{१४} नोट—तालिका
३० ^{१५}	२०	१५	२० मे उपयोगिता
२०	१५	१०	के ऊपर लिखी
१०	१०	५	हुई छोटी संख्या
	५	०	५ रुपयों के व्यय
०	०	—५	२ धन को सूचित
			० करती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पूरे १७ रुपयों खर्च हो जाने पर प्रत्येक वस्तु से ३० के बराबर सीमान्त उपयोगिता मिलती है। यह जानने में कठिनाई न होगी कि यदि किसी दूसरी रीति से रुपयों का व्यय किया जाय, तो कुल प्राप्त उपयोगिता अधिकतम नहीं होगी। उदाहरण-स्वरूप, यदि १७वाँ रुपया गेहूँ पर व्यय न किया जाकर कपडे या चीनी पर व्यय किया जाय तो ३० के स्थान पर केवल २० ही उपयोगिता मिलेगी, जिससे १० इकाई उपयोगिता की हानि होगी और इसलिए कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा।

रेखा-चित्र द्वारा स्पष्टीकरण—

इसी नियम को रेखा-चित्र में भी दिखाया जा सकता है। निम्न चित्र इसे दिखाता है:—



चित्र—सम-सीमान्त उपयोगिता नियम

इस चित्र में प्रत्येक प्रायत एक रुपये के बढ़ने में मिलने वाली उपयोगिता को दिखाता है। प्रायतों के ऊपर लिखे हुए प्रमुख यह बताते हैं कि ६० की जीन-सी इकाई वस्तु की इकाई विशेष पर व्यय की गई है। विन्दुदार रेखा समान सीमान्त उपयोगिताओं को दिखाती है।


इस नियम को एक दूसरी प्रकार के रेखाचित्र द्वारा भी दिखाया जा सकता है। मान लीजिये कि एक व्यक्ति अपनी आय को चाय और कॉफी इन दो वस्तुओं पर व्यय करता है। चाय और कॉफी की माँग को अनुसूचियाँ भ्रमया सारणियाँ उनके लिए निम्न प्रकार हैं:—

चाय की माँग की सारणी

कॉफी की माँग की सारणी

व्यय की गई मुद्रा की इकाइयाँ	प्रत्येक मुद्रा इकाई से प्राप्त उपयोगिता	कुल प्राप्त उपयोगिता	व्यय की गई मुद्रा की इकाइयाँ	प्रत्येक मुद्रा इकाई से प्राप्त उपयोगिता	कुल प्राप्त उपयोगिता
प्रथम	४०	४०	प्रथम	३०	३०
दूसरी	३५	७५	दूसरी	२५	५५
तीसरी	३०	१०५	तीसरी	२०	७५
चौथी	२५	१३०	चौथी	१५	९०
पाँचवी	२०	१५०	पाँचवी	१०	१००

मान लीजिए कि उपभोक्ता के पास छः रुपये हैं और मुद्रा का प्रत्येक एक रुपया उपरोक्त उदाहरण में मुद्रा की एक इकाई है। ऊपर दी गई सारणियों के आधार पर निम्न रेखा-चित्र खीना जा सकता है:—



चित्र में चाय और कॉफी की सीमान्त उपयोगिता रेखाएँ एक दूसरे को प बिन्दु पर काटती हैं और प बिन्दु से अ अक्ष पर प म सम्बन्ध है। यह स्पष्ट है कि उपभोक्ता ६ रुपयों में से ४ चाय पर और २ कॉफी पर व्यय करेगा, क्योंकि इसी दशा में उमका सन्तोष अधिकतम होता है।

नियम की नई व्याख्या—अनुपातिकता का नियम

आधुनिक अर्थशास्त्री सम-सीमान्त उपयोगिता को एक अन्य ढंग से भी प्रस्तुत करते हैं, जिसके अनुसार जब एक वस्तु की उपयोगिता और कीमत अन्य वस्तु या वस्तुओं की उपयोगिता और कीमत की भ्रमानुराती हो, तो अधिकतम सन्तोष प्राप्त होगा।

उदाहरण—मान लीजिये कि एक व्यक्ति के पास चाय की ३ इकाइयाँ हैं और इस दशा में उसे ५ ६० के बराबर सीमान्त उपयोगिता प्राप्त होती है। यदि चाय की कीमत ५ ६० से कम हो, तो उसके लिए चाय की प्रतिरिक्त इकाइयाँ खरीदना लाभप्रद होगा, क्योंकि ऐसी दशा में उसे कीमत की तुलना में उपयोगिता अधिक मिलती है। वह चाय की प्रतिरिक्त इकाइयाँ तब तक खरीदता जायगा जब तक कि चाय से मिलने वाली उपयोगिता इसकी कीमत के बराबर न हो जाय, अर्थात् सीमान्त उपयोगिता और कीमत का अनुपात 'इकाई' के बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार, उपभोक्ता दूसरी और तीसरी वस्तुओं के सम्बन्ध में भी व्यवहार करेगा। फलतः अधिकतम सन्तोष की स्थिति तब प्राप्त होगी। जबकि व्यक्ति अपने व्यय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार बाँटे कि प्रत्येक दशा में वस्तु की सीमान्त उपयोगिता को उसकी कीमत से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान फल प्राप्त हो। अतः,

$$\frac{\text{क वस्तु की सीमान्त उपयोगिता}}{\text{क वस्तु की कीमत}} = \frac{\text{ख वस्तु की सीमान्त उपयोगिता}}{\text{ख वस्तु की कीमत}}$$

$$\frac{\text{ग वस्तु की सीमान्त उपयोगिता}}{\text{ग वस्तु की कीमत}} = \text{इत्यादि}$$

यहाँ पर प्रत्येक वस्तु की सीमान्त उपयोगिता उस वस्तु की कीमत के अनुपात में है। यही वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिताओं की तुलना करने का सही उपाय है, क्योंकि वस्तुओं की भौतिक इकाइयाँ तो केवल अनुमानजनक होती हैं। मान लीजिए कि वस्तु क की कीमत बढ़ती है, तो ऐसी दशा में वह कम मात्रा में खरीदी जायेगी और उसके स्थान पर ख, ग आदि वस्तुओं की अधिक मात्राएँ खरीदी जायेंगी और इस प्रकार अनुपात फिर से प्राप्त कर लिया जायेगा।

प्रतिस्थापन नियम की कार्यशीलता का क्षेत्र—

प्रतिस्थापन नियम अधिक खोज की प्रत्येक शाखा पर लागू होता है।

(१) उपभोग—प्रत्येक व्यक्ति की आय सीमित होती है। उसके पास समय और शक्ति भी सीमित होते हैं। उसका यह प्रयत्न रहता है कि वह अपने इन सीमित साधनों से अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। वह अपनी आय, अपने समय और अपनी शक्ति को विभिन्न क्रियाओं में इस प्रकार बाँटता है कि प्रत्येक दशा में उसे समान सीमान्त उपयोगिता मिले। इस प्रकार के बँटवारे की आवश्यकता केवल वर्तमान आवश्यकताओं के सम्बन्ध में ही नहीं होती है बल्कि वर्तमान और भावी आवश्यकताओं के बीच भी उपस्थित होती है। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि हम कम से कम धन, समय और शक्ति का उपयोग करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। निस्सन्देह उपभोग क्षेत्र में इस नियम का महत्त्व बहुत अधिक है।

(२) उत्पत्ति में—जिस प्रकार एक उपभोक्ता के पास साधन सीमित होते हैं और वह उनका इस प्रकार उपयोग करने का प्रयत्न करता है कि उसे उनके उपयोग से अधिकतम

लाभ प्राप्त हो, ठीक इसी प्रकार एक उत्पादक के पास भी उत्पात्ति के साधन (पूँजी, कच्चे माल आदि) सीमित मात्रा में ही होते हैं और उसका हित इसी में होता है कि यह इन साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके अधिक से अधिक लाभ कमाये और उत्पादन व्यय (Cost of Production) को न्यूनतम रखे। इस सम्बन्ध में उत्पादक के सामने यह समस्या रहती है कि उत्पात्ति के विभिन्न साधनों के पारस्परिक अनुपात को किस प्रकार निर्धारित करे ?

ध्यावहारिक अनुभव बताता है कि यदि उत्पात्ति के विभिन्न साधनों का उपयोग एक निश्चित अनुपात में किया जाय, तो उत्पादन व्यय न्यूनतम होता है और उत्पादन में अधिकतम कुशलता (Maximum Efficiency) रहती है। इस अनुपात को प्राप्त करने के लिए उत्पादक उत्पात्ति के विभिन्न साधनों के बीच प्रतिस्थापन करता रहता है, अर्थात् वह महँगे साधन प्रयत्न कम कुशल साधन के स्थान पर सस्ते साधन प्रयत्न अधिक कुशल साधन का उपयोग करता रहता है और अन्त में साधनों के अनुकूलन अनुपात (Ideal Ratio) का पता लगा लेते हैं। इस प्रकार, प्रतिस्थापन नियम उत्पादक के लिए उपयोगी होता है।

उदाहरणस्वरूप, यदि कोई उत्पादक उत्पात्ति के पैमाने का विस्तार करना चाहता है तो उसके लिए दो स्पष्ट सम्भावनाएँ रहती हैं—प्रथम, अधिक श्रमिकों को काम पर लगाये तथा दूसरे मशीनों को सँगम बढ़ाये। श्रमिकों और मशीनों के बीच प्रतिस्थापन सम्भव होता है, इसलिए साधन की उपयोगिता देख कर ही उत्पादक यह निश्चय करता है कि श्रमिक और मशीन इन दोनों में किसकी चुने। उत्पादक का यह कार्य प्रतिस्थापन नियम के ही अनुसार होता है। उत्पात्ति में इस नियम को अर्थात् "सम-सीमान्त प्रत्याय नियम" (Law of Equi-marginal Return) के नाम से पुकारा जाता है।

(३) विनिमय में—विनिमय (Exchange) में भी यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है। विनिमय का कार्य वस्तुओं में एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु के प्रतिस्थापन का ही कार्य होता है। हम अपने पास फालतू वस्तु को किसी ऐसी वस्तु अथवा सेवा में बदल लेते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है और जो किसी दूसरे व्यक्ति के पास फालतू है। विनिमय का आधार ही यह होता है कि हम कम उपयोगिता रखने वाली वस्तु को अधिक उपयोगिता वाली वस्तु में बदल लें। इस ढंग से विनिमय हमें अपने सन्तोष को अधिकतम करने में सहायता देता है। विनिमय करने वाले लोगों परों की लाभ होना है, क्योंकि विनिमय द्वारा प्रत्येक पक्ष कम उपयोगी वस्तु के बदले में अधिक उपयोगी वस्तु प्राप्त करता है। विनिमय में प्रतिस्थापन नियम की कार्यशीलता वस्तु विनिमय (Barter) में, अर्थात् जब एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु ली जाती है, साफ-साफ दिखाई पड़ती है। मुद्रा-विनिमय (Money Exchange) का भी, जिसमें पहले किसी वस्तु को मुद्रा में बदला जाता है और फिर इस मुद्रा के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त की जाती है, आधार विस्तृत नहीं होता है।

यह नियम एक अन्य दृष्टि से भी विनिमय में महत्वपूर्ण है। यह दृष्टिकोण है मूल्य निर्धारण का अर्थात् प्रतिस्थापन नियम मूल्य के निर्धारण में भी उपयोगी होता है। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, तो हम उस वस्तु के स्थान पर किसी दूसरी ऐसी वस्तु का उपयोग करने लगते हैं जो दूनी महँगी नहीं है। परिणाम यह होता है कि महँगी वस्तु की माँग में कमी हो जाने के कारण उसकी कीमत नीचे आ जाती है।

(४) वितरण में—वितरण में भी इस नियम का लाभदायक उपयोग होता है। वितरकों द्वारा उत्पात्ति होती है यह संयुक्त उपज (Joint Product) होती है, क्योंकि यह उत्पात्ति के सभी साधनों के सामूहिक प्रयत्न का फल होती है। इस मुक्त उपज में से उत्पात्ति के विभिन्न

साधनों के अलग-अलग हिस्से बाँटे जाते हैं। वितरण का एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त यह है कि उत्पत्ति के प्रत्येक साधन का हिस्सा उसकी सीमान्त उत्पादकता (Marginal Productivity) द्वारा निश्चित किया जाता है। दीर्घकाल में उत्पत्ति के प्रत्येक साधन को उसकी सीमान्त उपज (Marginal Product) की कीमत के ही बराबर हिस्सा मिलता है, उससे कम या अधिक नहीं। उत्पत्ति के किसी साधन की सीमान्त उत्पादकता कुल उपज में उस साधन की अन्तिम अथवा सीमान्त इकाई की देन होती है। सीमान्त उपज कुल उपज के उस भाग को सूचित करती है जो उत्पत्ति के अन्य साधनों के यथास्थिर रहने की दशा में एक साधन की एक अधिक इकाई द्वारा उत्पन्न की जाती है। यदि किसी साधन को इससे अधिक हिस्सा देना पड़े, तो फिर उसका स्थान पर अन्य साधनों को प्रयोग किया जायेगा। इसी प्रकार, यदि किसी साधन को इससे कम पारितोषण देना पड़े, तो फिर इस साधन को ही अन्य साधनों के स्थान में प्रयोग किया जायेगा। स्पष्टतः दोनों ही दशाओं में प्रतिस्थापन की समस्या उपस्थित रहती है।

(५) राजस्व में—प्रतिस्थापन नियम राजस्व विज्ञान में भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। राजस्व का उद्देश्य अधिकतम सामाजिक लाभ (Maximum Social Advantage) प्राप्त करना होता है। जिस प्रकार अधिकतम सन्तोष अथवा अधिकतम उपज प्राप्त करने के लिए इस नियम की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार सामाजिक लाभ को अधिकतम करने के लिए भी इस नियम का अनुकरण लाभदायक है। सरकार अनेक सूत्रों से आय प्राप्त करती है। विभिन्न सूत्रों से आय प्राप्त करने के अलग-अलग परिणाम होते हैं। सरकार का यह कर्त्तव्य है कि आय प्राप्ति के ऐसे सूत्रों को चुने जिनमें समाज को कम से कम त्याग करना पड़े। यही कारण है कि आय के विभिन्न शीर्षकों के बीच प्रतिस्थापन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक इसी प्रकार, सरकारी व्यय के विभिन्न शीर्षक होते हैं। कुछ शीर्षकों से समाज को बहुत लाभ पहुँचता है और कुछ से लाभ के स्थान पर उल्टी हानि होती है। यहाँ पर भी आवश्यकता इस बात की रहती है कि व्यय के विभिन्न शीर्षकों के बीच इस प्रकार प्रतिस्थापन किया जाय कि अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त हो सके।

इस प्रकार यह नियम लगभग सर्वव्यापी है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने तो इसे “अर्थशास्त्र का नियम” (The Law of Economics) कहा है, क्योंकि अर्थशास्त्र के दूसरे सभी नियम इसी में से निकलते हैं। रोबिन्सन ने इसे “अर्थशास्त्र का आधार” (Basis of Economics) कहा है, क्योंकि वह सीमित साधनों के उपयोग की रीति बताता है। मार्शल का भी कहना है कि, “यह नियम आर्थिक खोज के लगभग सभी क्षेत्रों में लागू होता है।”¹

नियम की सीमाये एवं आलोचनायें

इस नियम के विरुद्ध, विशेषतः इसकी त्रुटिपूर्ण मान्यताओं के कारण, कुछ आलोचनायें की गई हैं, जो कि निम्न प्रकार हैं :—

(१) उपयोगिता की ठीक-ठीक माप सम्भव न होना—उपयोगिता अथवा सन्तोष (Satisfaction) मानसिक दशायें हैं, जिनकी कोई मूल (Concrete) माप सम्भव नहीं है। ऐसी माप केवल अनुमानजनक (Arbitrary) ही होती है, जिसके कारण यह नियम भी अनुमानजनक रहता है। आधुनिक अर्थशास्त्र में उदासीनता वक्रों (Indifference Curves) की सहायता ने इस अपवाद को निर्मूलन कर दिया है। उसमें उदासीनता वक्र की प्रणाली अपनाई गई है जिसमें कि उपयोगिता को नापने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है।

¹ The application of the principle of substitution extend over almost every field of economic enquiry.”—Marshall.

(२) मुद्रा की उपयोगिता घटाहित न रहना—हमारा प्रतिदिन का अनुभव हमें बताना है कि दूसरी वस्तुओं की भांति मुद्रा पर भी उपयोगिता ह्रास नियम प्रवश्य लागू होता है । जब हमारे पास मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है, तो हम रुपये की प्रगती इत्यादि को उतना महत्त्व नहीं देते हैं जितना बिपहली दशाद्यों को देते थे । साधारण अनुभव यही बताता है कि एक पनी व्यक्ति के लिए रुपये का महत्त्व इतना नहीं होता जितना कि एक निर्धन व्यक्ति के लिए होता है । इस प्रकार, मुद्रा के स्टाक में वृद्धि होने से उनकी भी सीमान्त उपयोगिता घटती चली जाती है । हमें पता चलता है कि यह नियम एक गलत और प्राकृतिक मान्यता पर आधारित है ।

(३) व्यय सदा ही विवेकपूर्ण ढंग में नहीं किया जाता—यह नियम इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक उपभोक्ता सोच-विचार कर व्यय करता है । व्यय करने से पहले ही वह आवश्यकपूर्वक इस बात की तुलना कर लेता है कि मुद्रा को उपयोग करने से उसे अलग-अलग दशाओं में कितना लाभ होगा । परन्तु, वास्तव में, हम अपने व्यय के सम्बन्ध में इतनी सावधानी में काम नहीं लेते हैं । कारण—(i) हमारे व्यय का एक बड़ा भाग बहुत-सी दशाओं में प्राकृतिक, विचारहीन प्रवृत्तियों की देन-रेण पर आधारित होता है । (ii) हमारा बहुत-सा व्यय हमारे घादनों तथा उन सामाजिक परिस्थितियों द्वारा निश्चित होता है जिनमें हम रह रहे हैं और ऐसी दशाओं में पूरी तरह सोच-विचार कर व्यय करने का प्रयत्न ही नहीं उठता । हाँ, इतना प्रवृत्त कर जा सकता है कि जब कोई बड़ा व्यय करना होता है तब हम सोच-विचार प्रवृत्त करते हैं ।

(४) उपभोक्ताओं का अज्ञान—बहुत-सी दशाओं में उपभोक्ताओं का अज्ञान इस नियम की परिमीमा बन जाता है । कितनी ही बार उपभोक्ता यह जानता भी नहीं है कि उसके सम्मुख कितनी सम्भावनाएँ (Alternatives) मौजूद हैं ? इस प्रकार, यह नियम कीमती और विभिन्न वस्तुओं की तुलनात्मक उपयोगिताओं के सम्बन्ध में उपभोक्ता के ज्ञान को पूर्ण मान कर चलता है ।

(५) वस्तुओं की कीमती में परिवर्तन—बाजार में वस्तु-कीमती और इसलिये उनकी उपयोगिता में भी प्रायः घटती-बढ़ती रहती हैं, जिस कारण वस्तुओं के अर्थ के सम्बन्ध में, एक विशेष उपयोगिता-तुलना-चार्ट के आधार पर बनाई गई योजना अस्त-व्यस्त हो जाती है और बाजार में प्रवृत्त कर उपभोक्ता को अनसोचे ढङ्ग में व्यय करना पड़ जाता है ।

(६) कुछ वस्तुएँ उपलब्ध न होना—उपयोगिताओं की तुलना के आधार पर निश्चित किए गये क्रम-क्रम को लागू करना इसलिये भी कठिन हो जाता है कि हमारी योजना की कोई-कोई वस्तु उस समय, जबकि हम बाजार में शॉपिंग के लिए जाते हैं, अनुपलब्ध होती है । फलतः हमें कोई-किसी वस्तु मरीदनी पड़ती है, जिससे हम अपनी सन्तुष्टि को अधिकतम करने में असमर्थ रहते हैं ।

(७) अधिकतम कुल उपयोगिता एवं अधिकतम सन्तुष्टि में भेद—जैसा कि हम पहले ही संकेत कर चुके हैं कि उपयोगिता द्रष्टा की तीव्रता का माप है अर्थात् अनुमानित सन्तुष्टि है किन्तु सन्तुष्टि यह है जो वस्तु के उपभोग के बाद वास्तव में मिलती है, अतः अनुमानित सन्तुष्टि वास्तविक सन्तुष्टि से कम या अधिक भी हो सकती है । ऐसी परिस्थिति में यह कहा जा सकता है कि राम-सीमान्त उपयोगिता नियम के अनुसार आधारण करने से यदि हम कुल उपयोगिता को अधिकतम करने में सफल हुए हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम अधिकतम सन्तुष्टि भी प्राप्त करें ।

(८) वस्तुओं की अविभाज्यता—नियम के लागू होने के लिये एक मान्यता यह है कि व्यय सम्बन्धी विभिन्न वस्तुओं की छोटी-छोटी इकाइयों में प्रयोग करना सम्भव है ।

लेकिन, जैसा कि बोल्ट्जम ने बताया है, अनेक व्यय सम्बन्धी वस्तुयें (उदाहरणार्थ, रेडियो, कार, पखा) छोटी-छोटी इकाइयों में विभाजित नहीं की जा सकती हैं, जिस कारण इनकी तुलना अन्य वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिताओं से करना सम्भव नहीं है, जैसे—कारों की सीमान्त उपयोगिता की तुलना सन्तरो की सीमान्त उपयोगिता से नहीं की जा सकती है।

(६) आदत, रीति-रिवाज और फैशन में परिवर्तन—व्यवहार में उपभोक्ता प्रायः आदत, रीति-रिवाज और फैशन से प्रभावित होता है, जिस कारण वह सदैव अधिक उपयोगी वस्तु पर ही व्यय नहीं करता। पुनः रीति-रिवाज, फैशन और स्वभाव बदलते भी रहते हैं।

(१०) टिकाऊ वस्तुयें—जैसा कि बोल्ट्जम ने बताया है, सम-सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम एक निश्चित बजट अवधि में ही लागू होता है, जो प्रायः एक वर्ष होती है। जब उपभोक्ता यह विचार करता है कि वह आय के कितने भाग को किस वस्तु पर व्यय करे, तो प्रायः 'बजट अवधि' को ध्यान में रखता है, अर्थात् एक बजट अवधि की आय से उसी बजट अवधि की आय में अपने सन्तोष को अधिकतम करने के लिये प्रयत्नशील रहा है। लेकिन कार, पखा आदि अनेक वस्तुयें ऐसी हैं जो कि दूसरी बजट अवधियों में भी काम आती रहती हैं। इनको खरीदते समय हम इनकी उपयोगिताओं की तुलना हेतु इस एक वर्ष के लिये ही नहीं वरन् आगामी कई वर्षों के लिये प्रायः उपयोगिताओं को भी ध्यान में रखते हैं। फलतः ऐसी दशा में नियम लागू नहीं होता। हाँ, यदि बजट अवधि को इतने वर्षों तक बढ़ा दें कि टिकाऊ वस्तु का सम्पूर्ण उपयोगी जीवन उसमें आ जाय, तो बात दूसरी है।

(११) पूरक वस्तुयें—जो वस्तुयें एक दूसरे की पूरक होने के कारण साथ-साथ एक निश्चित अनुपात में प्रयोग की जाती हैं (जैसे—दूध-चीनी-चाय), वे एक-दूसरे के स्थान में प्रयोग नहीं की जा सकती हैं और इस कारण उनके सम्बन्ध में यह नियम लागू नहीं होता है।

उपर्युक्त आलोचना के बावजूद सम-सीमान्त उपयोगिता नियम का महत्व खत्म नहीं होता। निरसन्देह द्रव्य रूपी पैमाने से उपयोगिता को बिल्कुल सही रूप से मापना तो सम्भव नहीं है किन्तु एक मोटा अनुमान तो लगाया ही जा सकता है। उपयोगिता और सन्तुष्टि एक बात न होते हुए भी दोनों में अति घनिष्ठ सम्बन्ध है, जिस कारण इन्हें मोटे रूप से एक ही माना जा सकता है। इसी प्रकार, अधिकशय व्यक्ति विवेकशील होते हैं और विचार करके ही व्यय करते हैं। पुनः जैसा कि चैपमैन के निम्न शब्दों से प्रकट होता है, प्रत्येक व्यक्ति जाने-अजाने इस नियम का पालन करने का प्रयास करता है —

प्र० चैपमैन के मतानुसार उपरोक्त आलोचना ठीक नहीं है। उन्होंने लिखा है, "हमें कोई इस नियम के अनुसार व्यय करने के लिये बाध्य नहीं करता है परन्तु जिस प्रकार एक पर्यटक, जो अकाश में फँका गया है, पृथ्वी पर गिरने के लिए बाध्य होता है, उसी प्रकार, क्योंकि हम विवेकशील हैं, हम इस नियम के अनुसार चलने के लिये बाध्य हैं।" अतः, निष्कर्ष के रूप में, नियम के बारे में केवल इतना ही कह सकते हैं कि एक बुद्धिमान तथा विवेकशील व्यक्ति इसी नियम के अनुसार व्यय करने को प्रवृत्ति रखता है।

सम-सीमान्त उपयोगिता नियम एवं उपयोगिता ह्रास नियम

सम-सीमान्त उपयोगिता नियम 'सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम' पर आधारित है। प्रत्येक उपभोक्ता को बहुमात्रा में वस्तुयें और सेवाएँ खरीदनी पड़ती हैं। किसी वस्तु को वह जितनी ही अधिक मात्रा में खरीदता है उतनी ही उसकी सीमान्त उपयोगिता घटती जाती है। किसी एक अवस्था पर उपभोक्ता के लिये यह लाभदायक हो सकता है कि वह उस वस्तु के स्थान पर किसी दूसरी ऐसी वस्तु को खरीदे जो या तो उसके पास बहुत थोड़ी मात्रा में है जिस कारण उसकी सीमान्त उपयोगिता बहुत ऊँची है। चूँकि अधिक मात्रा में खरीदने से प्रत्येक

वस्तु की सीमान्त उपयोगिता घटती जाती है, इसलिए किसी भी उपभोक्ता को कोई एक वस्तु बहुत अधिक मात्रा में नहीं खरीदना चाहिये।

प्रतिस्थापन नियम एवं उत्पत्ति ह्रास नियम

प्रतिस्थापन नियम एवं उत्पत्ति ह्रास नियम में घनिष्ठ सम्बन्ध है। यथार्थ में, उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता के कारण ही उत्पादन के क्षेत्र में प्रतिस्थापन नियम लागू होता है। यदि उत्पादक एक उत्पत्ति साधन को स्थिर रखते हुए दूसरे साधन की इकाइयाँ उत्तरोत्तर लगाता जाता है, तो उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता के फलस्वरूप उसे घटती हुई उपज प्राप्त होती है किन्तु परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ उसी सीमा तक बढ़ाई जायेगी जहाँ पर उसकी सीमान्त उपज घटते हुए अन्त में उसके लिये दिये जाने वाले मूल्य के बराबर ही जाय। तदोपरान्त उसके स्थान पर अन्य साधन का प्रयोग किया जाने लगेगा, जिससे कि

$$\frac{\text{क साधन की सीमान्त उपज}}{\text{क की कीमत}} = \frac{\text{ख साधन की सीमान्त उपज}}{\text{ख की कीमत}}$$

$$\frac{\text{ग साधन की सीमान्त उपज}}{\text{ग की कीमत}}$$

परीक्षा प्रश्न :

- सम-सीमान्त उपयोगिता नियम की व्याख्या कीजिये। क्या इसका प्रयोग अर्थशास्त्र की अन्य शाखाओं में किया जा सकता है ?

अथवा

सम-सीमान्त उपयोगिता नियम की व्याख्या कीजिये। अर्थशास्त्र में इसका क्या महत्त्व है ?

अथवा

सम-सीमान्त उपयोगिता नियम को स्पष्ट रूप से समझाइये और दैनिक व्यवहार में इसकी उपयोगिता को बताइये।

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम सम-सीमान्त उपयोगिता नियम की उदाहरण और रेखाचित्र की सहायता से व्याख्या कीजिये। तत्पश्चात् आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रयोग को बताइये और अन्त में निष्कर्ष निकालिये कि दैनिक व्यवहार में भेद-भेद के रूप से प्रत्येक व्यक्ति इस नियम का पालन करता है।]

- एक व्यक्ति को, जिसने अभी हाल में १०० रु० कई वस्तुओं पर व्यय किये हैं, यह पता चलता है कि सभी वस्तुओं की सीमान्त इकाइयों से उसकी उपयोगिता लगभग समान है। इसे कौन-सा आर्थिक सिद्धान्त स्पष्ट करता है ? इसकी प्रमुख मान्यतायें कौन-सी हैं ? यदि उसकी खरीदों पर फेशन, रीति-रिवाज और धारत का प्रभाव पड़ता, तो उसके सन्तोष में क्या परिवर्तन हो जाता ? समझाइये।

अथवा

सम-सीमान्त उपयोगिता नियम की व्याख्या कीजिये। यह बताइये कि जीवन में यह नियम रीति-रिवाज या फेशन से किस प्रकार संशोधित हो जाता है ?

सहायक संकेत :—सर्वप्रथम नियम का कथन एवं इसकी मान्यतायें दीजिये। तत्पश्चात्

उदाहरण और रेखा-चित्र की सहायता से व्याख्या कीजिये । अन्त में यह स्पष्ट कीजिये कि रीति-रिवाज, फैशन और आदत का नियम के कार्यकरण पर क्या असर पड़ता है ?]

३. प्रतिस्थापन के नियम की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये । इसके व्यावहारिक महत्त्व को बताइये ।

अथवा

“प्रतिस्थापन के सिद्धान्त का प्रयोग आर्थिक खोज के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में होता है ।” स्पष्ट कीजिए ।

[सहायक सकेत :—सर्वप्रथम प्रतिस्थापन नियम का कथन दीजिये और (यह बताइये कि उपभोग के क्षेत्र में इसे सम-सीमान्त उपयोगिता नियम कहते हैं । तत्पश्चात् सम-सीमान्त उपयोगिता नियम की उदाहरण और रेखा-चित्र द्वारा व्याख्या कीजिये । अन्त में, उत्पत्ति, विनिमय, वितरण और राजस्व में इस नियम के प्रयोग को बताइये ।]

४. प्रतिस्थापन के नियम की आलोचनात्मक विवेचना कीजिये । इस नियम की आलोचनार्थों और सीमार्यों क्या हैं ?


[सहायक सकेत :—सर्वप्रथम प्रतिस्थापन के नियम का सामान्य कथन दीजिये । तत्पश्चात् उदाहरण और रेखा-चित्र द्वारा सम-सीमान्त उपयोगिता नियम की व्याख्या कीजिये । अन्त में, नियम की मान्यताओं और आलोचनार्थों दीजिये ।]

५. उपभोग के क्षेत्र में आनुपातिकता के नियम को पूरी तरह से स्पष्ट कीजिये ।

[सहायक सकेत :—सर्वप्रथम यह बताइये कि सम-सीमान्त उपयोगिता नियम की आधुनिक व्याख्या को ही आनुपातिकता का नियम कहा जाता है । इसलिए, सम-सीमान्त उपयोगिता नियम का कथन दीजिये और उदाहरण व चित्र द्वारा उसकी व्याख्या कीजिये । अन्त में, इसकी आधुनिक व्याख्या दीजिए ।]

६. सम-सीमान्त उपयोगिता नियम की विवेचना कीजिये तथा एक रेखा-चित्र की सहायता से सिद्ध कीजिये कि एक उपभोक्ता यदि इस नियम के अनुसार कार्य करे, तो उसे अधिकतम सन्तोष प्राप्त होता है ।

[सहायक सकेत :—सम-सीमान्त उपयोगिता नियम का सामान्य कथन दीजिये और इसे उदाहरण व चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिये । चित्र द्वारा दिखाइये कि केवल नियम के अनुसार चलने से ही उपभोक्ता को अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त हो सकती है । हम यह मान कर चलते हैं कि दो वस्तुयें हैं—चाय और चीनी । चाय पर मुद्रा की OM मात्रा व्यय की जाती है और चीनी पर मुद्रा की OM' मात्रा जिससे कि मुद्रा का कुल व्यय $OM + OM'$ के बराबर होता । चित्र में A चाय की उपयोगिता रेखा (Utility curve) है और B चीनी की उपयोगिता रेखा । यदि चाय पर मुद्रा की OM मात्रा व्यय की जाती है और चीनी पर मुद्रा की OM' तो ऐसी दशा में चाय और चीनी की सीमान्त उप-



चित्र—सम-सीमान्त उपयोगिता नियम

योगितायें अथवा उन पर व्यय की हुई मुद्रा की सीमान्त उपयोगितायें क्रमशः PM तथा $P'M'$ हैं और, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, $PM = P'M'$ । सम-सीमान्त उपयोगिता नियम यह बताता है कि जब मुद्रा को चित्र में दिखाये गये उद्गम के अनुसार व्यय किया गया है, तो कुल उपयोगिता (अर्थात् $OMPA + OMP'B$) अधिकतम होती है। यदि हम ऐसा दिखा सकें कि इस रीति के अतिरिक्त किसी अन्य रीति से मुद्रा को व्यय करने पर इससे कम कुल उपयोगिता मिलती है तो हम सरलता से यह कह सकेंगे कि उपरोक्त नियम के अनुसार व्यय करने से ही अधिकतम सन्तोष प्राप्त हो सकता है अन्यथा नहीं। मान लीजिये कि उपभोक्ता चाय पर OM के बजाय कुछ अधिक अर्थात् Omm मुद्रा और चीनी पर OM' के बजाय कुछ कम अर्थात् Omm' मुद्रा व्यय करता है। ऐसी दशा में कुल उपयोगिता $= OmpA + Om'p'B$ है। यहाँ चाय की उपयोगिता में हुई वृद्धि $PMmp$ क्षेत्र द्वारा सूचित होती है जबकि चीनी की उपयोगिता में हुई कमी $P'M'm'p'$ क्षेत्र द्वारा। चूँकि $P'M'm'p' < PMmp$ इसलिए नये तरीके से व्यय करने में कुल उपयोगिता कम हो गई है जिससे यह सिद्ध होता है कि केवल ऐसे ही तरीके से व्यय करने में कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। जिसमें कि सीमान्त उपयोगितायें विभिन्न वस्तुओं के लिये समान हो।]

उपभोक्ता की बचत

(Consumer's Surplus)

प्रारम्भिक—

उपभोक्ता की बचत केवल एक विचार (Concept) है, सिद्धान्त (Doctrine) नहीं, जैसा कि लोग गलती से कह देते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से उपभोक्ता की बचत के विचार को प्रनिष्ठित अर्थशास्त्रियों की पुस्तकों में ढूँढा जा सकता है। वे किसी न किसी प्रकार इसकी उपस्थिति से परिचित थे। इस विचार को उपयोगिता सम्प्रदाय (Utility School) के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जेबन्स ने निश्चितता प्रदान की। किन्तु इस विचार का वैज्ञानिक विश्लेषण फ्रेंच अर्थशास्त्री ड्युपुट (Dupuit) की पुस्तक *Arnales des Ponts et Chaussees* में मिलता है जो सन् १८४४ में प्रकाशित हुई थी। ड्युपुट की पुस्तक बहुत समय तक अज्ञात रही और अन्त में यह सन् १९३३ में फ्रेंच अर्थशास्त्री M. de Bernadis द्वारा *del' utility et desa mesure* नाम से फिर से छपाई गई। इस विचार को रेखाचित्र द्वारा भी सर्वप्रथम ड्युपुट ने ही चित्रित किया था।

वाद में चलकर मार्शल ने इस विचार का स्वतन्त्र रूप में विकास किया। सर्वप्रथम यह विचार मार्शल के एक लेख में, जो सन् १८७६ में *Pure Theory of Domestic Values* के शीर्षक में छपा, मिलता है। यह निश्चय है कि उस समय मार्शल ड्युपुट की पुस्तक से परिचित न थे। इस लेख में मार्शल ने इस विचार को "उपभोक्ता के लगान" (Consumer's Rent) का नाम दिया है। आगे चलकर मार्शल ने इस विचार को *Principles of Economics* में और भी अधिक परिपूर्णता प्रदान की और इसे इसके अन्तिम रूप में प्रस्तुत किया। यही उन्होंने इसे 'उपभोक्ता की बचत' का नाम दिया।

अनेक आधुनिक अर्थशास्त्री बचत के विचार को अर्थशास्त्र में और भी आगे ले गये हैं। कुछ आधुनिक अर्थशास्त्री उपभोक्ता की बचत के स्थान पर 'क्रेता की बचत' (Buyers Surplus) का उपयोग करते हैं। प्रो० ए० के० दास गुप्ता ने अपनी पुस्तक *A Conception of Surplus in Theoretical Economics* में इस क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है।

उपभोक्ता की बचत और उपयोगिता ह्रास नियम

उपभोक्ता की बचत का विचार उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार, जब किसी वस्तु की इकाइयों का क्रमशः प्रयोग किया जाता है, तो वाद की इकाइयों की उपयोगिता पहले की इकाइयों की अपेक्षा घटती जाती है। जब ऐसा है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उपभोक्ता वस्तु विशेष की प्रारम्भिक इकाइयों के लिए वाद की इकाइयों की अपेक्षा अधिक कीमत चुकाने को तैयार रहे, क्योंकि उसे अधिक उपयोगिता मिलती है। किन्तु बाजार में उपभोक्ता को वस्तु की विभिन्न इकाइयों के लिए एक-सी कीमत देनी पड़ती है, भिन्न-भिन्न नहीं। वह वस्तु की इकाइयों को क्रमशः उस सीमा तक खरीदता है जिस तक उसे प्राप्त उपयोगिता उनके लिए दी जाने वाली कीमत से कम न हो। जैसे ही प्राप्त उपयोगिता कीमत के रूप में दी जाने वाली उपयोगिता के बराबर हो जाती है, वह खरीद बन्द कर देता है।

स्पष्ट है कि सीमान्त इकाई के प्रयोग से उपभोक्ता को कोई वचन प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि जितनी उपयोगिता उसे प्राप्त हुई है उतनी ही उसने दी है। परन्तु सीमान्त इकाई में पिछली इकाइयों में से प्रत्येक की उपयोगिता नीमन से अधिक होती है, जिस कारण इन सब पर उपभोक्ता को वचत का अनुभव होता है। इस प्रकार, उपभोक्ता की वचत और उपयोगिता ह्रास नियम में महारा सम्बन्ध है।

उपभोक्ता की वचत क्या है ?

मार्शल इस विचार से विवेचना आरम्भ करते हैं कि किसी वस्तु के लिए हम जो कीमत में वास्तव में चुकाते हैं वह उस वस्तु को रखने से प्राप्त लाभ को सूचित नहीं करती है। यथार्थ में, एक व्यक्ति किसी वस्तु के लिए जो कीमत चुकाता है वह उससे अधिक नहीं हो सकती जितनी कि वह उस वस्तु से वंचित रहने की अपेक्षा उसके लिए देने को तैयार हो जायेगा। इस प्रकार, जो कीमत वास्तव में चुकाई जाती है वह उससे कम होती है जो उपभोक्ता वस्तु के वंचित रहने की अपेक्षा देने को तैयार हो जाता है। यही कारण है कि वस्तु को प्राप्त करते समय एक व्यक्ति जितना सन्तोष प्राप्त करता है वह उस सन्तोष से अधिक होता है जो वह उसकी कीमत के रूप में दे डालता है और इस प्रकार वह व्यक्ति वस्तु को खरीदकर अतिरिक्त सन्तोष प्राप्त करता है।

एक उदाहरण द्वारा यह अधिक स्पष्ट हो जायेगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जयपुर में रहता है और उसका सड़का इलाहाबाद पड़ना है जिसे वह प्रत्येक सप्ताह एक पत्र लिखता है। इसके लिए वह एक दस पैसे का पोस्टकार्ड काम में ला सकता है। अपने पुत्र के समाचार पाने की इस व्यक्ति की इच्छा इतनी तीव्र है कि यदि उसे दस पैसे का पोस्टकार्ड नहीं मिलता है तो वह टेलीफोन करने पर दो रुपये खर्च कर देगा। किन्तु उसे उस कार्य के लिए जिस पर वह आवश्यकता पड़ने पर दो रुपये तक व्यय करने को तैयार है, केवल दस पैसे ही व्यय करने पड़ते हैं। इस प्रकार, पोस्टकार्ड खरीदकर वह व्यक्ति अतिरिक्त सन्तोष प्राप्त करता है। किसी उपभोक्ता की वस्तु खरीदने पर जो अतिरिक्त सन्तोष प्राप्त होता है उसे ही उपभोक्ता की वचत कहा जाता है। मार्शल के शब्दों में, "इस अतिरिक्त सन्तोष की आर्थिक माप कीमत के उस अन्तर द्वारा की जाती है जो वस्तु से वंचित रहने की तुलना में उपभोक्ता देने को तैयार है और जितनी कि वह वास्तव में देता है। इसे हम उपभोक्ता की वचत कह सकते हैं।"¹

मार्शल की परिभाषा के निहित विचार को प्रो० जे० के० मेहता ने निम्न शब्दों में प्रगट किया है :—“एक व्यक्ति को वस्तु विशेष से प्राप्त होने वाली उपभोक्ता की वचत उस सन्तोष के, जो वह उस वस्तु से प्राप्त करता है, तथा उस सन्तोष के जो वह उसे प्राप्त करने के लिए खर्च करता है, अन्तर के बराबर होता है।”²

1 "The excess of price which he would be willing to pay rather than go without the thing, over that which he actually does pay, is the economic measure of this surplus satisfaction. It may be called *Consumer's Surplus* "

—Marshall : *Principles of Economics*, p. 103

2 "Consumer's Surplus obtained by a person from a commodity is the difference between the satisfaction which he derives from it and that which he foregoes in order to procure that commodity or secure its enjoyment."

—J. K. Mehta : *Foundations of Economics*, p. 74.

प्र० पेन्सन के अनुसार, "जो कुछ हम देने को तैयार हैं और जो कुछ हमको देना पड़ता है, इन दोनों के अन्तर को ही 'उपभोक्ता की बचत' कहते हैं।"³

प्र० सेन के शब्दों में, "उपभोक्ता को उसकी खरीददारी से प्राप्त होने वाला अतिरिक्त सन्तोष उपभोक्ता की बचत कहलाता है।"⁴

इन सभी परिभाषाओं से अन्त में यही निष्कर्ष निकलना है कि एक उपभोक्ता जब किसी वस्तु को खरीदता है, तो दो बातें एक ही साथ होनी हैं:—ओ वस्तु खरीदी गई है उसके रूप में उपभोक्ता की उपयोगिता अथवा सन्तोष प्राप्त होता है, परन्तु वस्तु को खरीदने के लिए जो कीमत दी गई है उसके रूप में उपभोक्ता को त्याग करना पड़ना है। साधारणतया प्राप्त उपयोगिता किये हुए त्याग या लागत से अधिक होती है। लागत पर उपयोगिता का आधिक्य ही 'उपभोक्ता की बचत' है। इस बचत को हम अधिकतर मुद्रा में नापते हैं, क्योंकि हमारे लिए प्राप्त सन्तोष और दिये हुए त्याग दोनों को मुद्रा में नाप लेना सम्भव होता है। वास्तविकता यह है कि अर्थशास्त्र में लगभग सभी तथ्यों को हम मुद्रा में ही नापने का प्रयत्न करते हैं।

उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता की बचत को तीन प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है—

(i) प्राप्त उपयोगिता तथा लागत के अन्तर के रूप में, (ii) कुल उपयोगिता तथा सीमान्त उपयोगिता और इकाइयों की संख्या के गुणनफल के अन्तर के रूप में और (iii) उस अन्तर के रूप में जो उन दो कीमतों के बीच है जो उपभोक्ता वस्तु से वंचित रहने की अपेक्षा देने को तैयार है तथा जो वह वास्तव में देता है। हम यह देखेंगे कि इन तीनों में कोई अन्तर नहीं है।

बुद्ध लेखकों का कहना है कि उपभोक्ता की बचत वह अतिरिक्त सन्तोष है जो द्वि-मय के किसी कार्य से प्राप्त होता है। यह उपभोक्ता की बचत भी है और उत्पादक की बचत भी। क्रेता और विक्रेता अलग-अलग प्रकार के व्यक्ति नहीं होते। एक वस्तु का क्रेता मुद्रा का विक्रेता होता है, और, इसी प्रकार, वस्तु का विक्रेता मुद्रा का क्रेता होता है। शायद उपभोक्ता के बचत के स्थान पर 'क्रेता की बचत' अधिक अर्थपूर्ण है, क्योंकि किसी वस्तु विशेष के सम्बन्ध में एक क्रेता को तो विक्रेता से सुगमतापूर्वक अलग किया जा सकता है जबकि उपभोक्ता और उत्पादक के बीच इस प्रकार का भेद कठिन होता है।

उपभोक्ता की बचत की माप—उदाहरण

जैसा कि हम आरम्भ में ही बता चुके हैं, उपभोक्ता की बचत का सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम से बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। उपभोग की पहली इकाइयों से अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है और जैसे-जैसे उपभोग की इकाइयाँ बढ़ती जाती हैं, सीमान्त उपयोगिता शून्य घटती जाती है। किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम उससे प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिता के अनुसार ध्यान करने को तैयार होते हैं। किसी भी वस्तु की कीमत उसकी सीमान्त उपयोगिता की अनुपाती (Proportional) होती है, अर्थात्, किसी वस्तु के लिए हम वही कीमत देने को तैयार होते हैं जो कि उपयोगिता वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिता के बराबर होती है। उदाहरणस्वरूप, मान लीजिए कि एक पैसे की उपयोगिता १ के बराबर है। फिर मान

³ "The difference between what we would pay and what we have to pay is called the Consumer's Surplus."—Penson : *Economics of Everyday Life*, p. 27.

⁴ "The surplus satisfaction of the consumer from his purchase is called consumer's surplus."—Sen : *Outlines of Economics*, p. 172.


लीजिए कि कोई व्यक्ति, सन्तरे खरीदना चाहता है, जिनकी कि सीमान्त उपयोगितामें निम्न प्रकार हैं :—

सन्तरे	सीमान्त उपयोगिताये
१	१०
२	६
३	५
४	७
५	६
६	५
७	४
८	३
९	२
१०	१


ऐसी दशा में पहले सन्तरे को पाने के लिए वह व्यक्ति १० पैसे तक व्यय करने को तैयार होगा, क्योंकि एक सन्तरे की उपयोगिता १० पैसे की उपयोगिता के बराबर है, परन्तु दूसरा सन्तरा वह उसी दशा में खरीदेगा जबकि सन्तरो के दाम घटकर ६ पैसे प्रति सन्तरा हो जायेंगे, क्योंकि दूसरे सन्तरे से केवल ६ के बराबर उपयोगिता मिलती है। इसी प्रकार, तीसरा केवल उस दशा में खरीदा जायगा, जबकि सन्तरे की कीमत प्राठ पैसे हो। अब, यदि वह मनुष्य ६ सन्तरे खरीदना चाहता है जिसका अर्थ यह है कि सन्तरे के दाम ५ पैसे प्रति सन्तरा है, तो यह कुल मिलाकर $५ \times ६ = ३०$ पैसे व्यय करेगा, अर्थात् ३० के बराबर उपयोगिता मुद्रा के रूप में उसके पास से निकल जायगी, जबकि उसे कुल मिलाकर ६ सन्तरों से $१० + ६ + ५ + ७ + ६ + ५ = ४९$ के बराबर उपयोगिता मिलेगी। इस दशा में प्रतिरिक्त उपयोगिता $४९ - ३० = १९$ होगी। यदि हम मुद्रा में नापना चाहें, तो यह १९ पैसे के बराबर होगी। यही उपभोक्ता की बचत है।

चित्र द्वारा स्पष्टीकरण—

इस विचार को हम एक रेखा-चित्र द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। निम्न चित्र में अक्षरेखा पर सन्तरो की इकाइयां नापी गई हैं और अक्षरेखा पर उपयोगितायें। प्रत्येक आयत एक सन्तरे से प्राप्त होने वाली उपयोगिता या सन्तोप को सूचित करता है। चित्र में रंगीन भाग उपभोक्ता की बचत को दिखाता है।



यदि हम श्रायतो के स्थान पर धन रेखा का उपयोग करें तो उपभोक्ता की वचत का चित्रण निम्न प्रकार किया जा सकता है :—



उपभोक्ता की वचत एवं आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियाँ

मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की वचत हमारे चारों ओर की परिस्थितियों पर निर्भर होती है। यह हमारे सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक वातावरण का परिणाम है। किसी भी सम्य देश में सस्ते समाचार-पत्रों, टेलीफोन, आदि की अनेक सुविधाएँ होनी हैं जिनसे लोगों को अधिक मात्रा में उपभोक्ता की वचत प्राप्त होती है। किन्तु पछड़े हुए देशों में अधिकांश व्यक्ति इन सुविधाओं से वंचित रहते हैं और इस कारण उन्हें उपभोक्ता की वचत प्राप्त नहीं होती है। मार्शल के शब्दों में, "यह लाभ जो कि वह उन वस्तुओं को, जिनसे वंचित रहने की अपेक्षा वह ऊँची कीमतें देने को तैयार हो जाता, नीची कीमतों पर खरीद कर प्राप्त करता है, ऐसा लाभ है जो व्यक्ति अपने अवसरों अथवा वातावरण से प्राप्त करता है।"¹

यदि हम स्वयं अपने व्यवहार को ध्यानपूर्वक देखें, तो उपभोक्ता की वचत की उपस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। हम में से लगभग सभी का यह एक साधारण अनुभव है कि जब हम बाजार में कोई वस्तु खरीदने जाते हैं और विक्रेता से उसके दाम पूछते हैं तो वह उल्टे हैं : 'अरे, यह तो बहुत सस्ती है,' अरे, यह तो बहुत महँगी है'। प्रश्न यह है कि हम ऐसा क्यों कह उल्टे हैं ? कारण यह है कि पहले से हमारे मस्तिष्क में वस्तु की कीमत का कोई न कोई अनुमान होता है जो उसकी उपयोगिता के अनुमान पर आधारित है। यदि विक्रेता द्वारा माँगी हुई कीमत हमारे अपने अनुमान से कम है, तो वह वस्तु हमें सस्ती लगती है, और, यदि ऐसी कीमत हमारे अनुमान से अधिक है, तो वह वस्तु हमें महँगी लगती है। जब वस्तु हमें सस्ती प्रतीत होती है, तो हमें अतिरिक्त सन्तोष मिलाई पड़ता है और यह हमारे सुख की प्रसन्नता से स्पष्ट हो जाता है।

¹ "This benefit which he gets from purchasing at low price things for which he would rather pay high price than go without them, may be called the benefit which he derives from his opportunities or from environment; or to recur to a word that was in common use a few generations ago, from his conjecture."—Marshall.

ऋता की वचत एवं विक्रेता की वचत

बोल्डिग यह अनुभव करते हैं कि चूँकि उपभोक्ता की वचत सदा उपयोगिता के आधार पर नापी जाती है, इसलिए सन्तोप के आधार पर नापी हुई वचत को 'ऋता की वचत' कहना अधिक उचित है। ऋता और विक्रेता की वचतों की परिभाषा करते हुए बोल्डिग ने लिखा है, "इस प्रकार, हम ऋता की वचत की परिभाषा उस अन्तर के रूप में कर सकते हैं जो कि मुद्रा की कुल राशि, जो वस्तु खरीदते समय व्यक्ति विशेष से पूर्ण-मूल्य-विभेद की दशा में ली जाती है, तथा, उस राशि के बीच होता है जो कि वह पूर्ण बाजार में देता है। इसी प्रकार, विक्रेता की वचत वह अन्तर है जो उस मुद्रा राशि के, जिसे वस्तु की एक दी हुई मात्रा विक्रेता से प्राप्त करने हेतु पूर्ण मूल्य-विभेद की दशा में चुकाया जाता है और उस मुद्रा-राशि के, जिसे विक्रेता वस्तु को उसी मात्रा को सप्लाई करने हेतु एक पूर्ण बाजार की दशा में लेना स्वीकार करे, इन दोनों के मध्य विद्यमान होता है।"¹


मार्शल के उपभोक्ता की वचत के विचार की मान्यताएँ

मार्शल ने अपने उपभोक्ता की वचत के विचार को अनेक मान्यताओं पर आधारित किया है। अतः इस विचार को भली-भाँति समझने हेतु इन बुनियादी मान्यताओं को जान लेना चाहिए। ये मान्यताएँ निम्न प्रकार हैं :—

(१) मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता यथास्थिर रहना—मार्शल मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता को विनियम के पूरे कार्य में यथास्थिर मान लेता है। मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता को यथास्थिर (Constant) मानकर ही हम उन दोनों उपयोगिताओं की तुलना कर सकते हैं जो कि उपभोक्ता ने प्रमगः प्राप्त की हैं तथा वस्तु को प्राप्त करते समय खोई हैं। यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु विशेष पर अपनी आय के एक छोटे से भाग का ही व्यय करता है (जैसा कि व्यवहार में बहुधा होता है), तो यह मान्यता ठीक ही है। किन्तु, वास्तव में, इस मान्यता की आवश्यकता नहीं है। यदि व्यक्ति के पास मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने के साथ-साथ मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता में भी परिवर्तन होते हैं, तो सैद्धान्तिक दृष्टि से निम्न दो सम्भावनाएँ रहती हैं—प्रथम, जैसे-जैसे मुद्रा का स्टॉक घटता है मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता बढ़ती जाती है, और दूसरे, जैसे-जैसे अधिक व्यय करने से व्यक्ति के पास मुद्रा का स्टॉक घटता है, मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता घट सकती है। आगे के रेखा चित्र यह दिखायेंगे कि इन दोनों दशाओं में भी उपभोक्ता की वचत घनी रहती है। होता केवल इतना है कि प्रथम दशा में यह उस वचत से कम रह जाती है जितनी कि उसे मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता समान होने की दशा में रहती है। दूसरी दशा में यह उससे अधिक हो जाती है। व्यावहारिक जगत में पहला परिणाम अधिक सही है, क्योंकि ह्रास नियम के अनुसार मुद्रा की मात्रा में कमी होने से उसकी खपती इकाइयों की सीमान्त उपयोगिता बढ़ती जावेगी। दूसरी दशा केवल सैद्धान्तिक (Theoretical) है, जिसका वास्तविक जीवन में कोई सम्बन्ध नहीं है। चित्र १ में मुद्रा की


¹ "The buyer's surplus may than be defined as the difference between the total sum which would be extracted from him in the purchase of a given commodity by perfect price discrimination and the sum which he would pay for the same amount in a perfect (one price) market. Similarly, The seller's surplus is the difference between the sum which will extract a given quantity of commodity from the seller under perfect price discrimination, and the sum which will persuade him to supply the same quantity a perfect market."—Boulding : *Economic Analysis*, p. 820.

सीमान्त उपयोगिता उसकी मात्रा के घटने के साथ-साथ बढ़ती हुई दिखाई गई है और मुद्रा पहली दशा



चित्र १

दूसरी दशा



चित्र—२

की सीमान्त उपयोगिता का वक्र R ऊपर की ओर जाना हुआ दिखाया गया है। इस दशा में उपभोगिता की वृद्धि की मात्रा कम हो जाती है। चित्र २ में, इसके विपरीत, मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता बढ़ने पर घटती जाती है, अर्थात् उस पर उपयोगिता वृद्धि नियम लागू होता है। यहाँ R रेखा ऊपर में नीचे की ओर जाती है, जिसके कारण उपभोगिता की वृद्धि की मात्रा बढ़ गई है।

(२) वस्तु का स्वतन्त्र स्वभाव—मार्शल यह मान लेते हैं कि प्रत्येक वस्तु पूर्णतया स्वतन्त्र है और किसी भी प्रकार अन्य वस्तुओं पर निर्भर नहीं है जिस कारण किसी भी वस्तु की उपयोगिता केवल उसकी अपनी कीमत पर ही निर्भर होगी है। किन्तु यह मान्यता प्रत्येक दशा में सही नहीं होती है, जैसे—पूरक और प्रतियोगी वस्तुओं की पूर्ति एक दूसरे की कीमत पर अवश्य प्रभाव डालती है।

(३) स्थानापन्नों का अभाव—यह मान लिया गया है कि वस्तु विशेष के कोई स्थानापन्न उपलब्ध नहीं हैं। किसी वस्तु के लिए मांग-यत्नसूची अथवा मांग-वक्र बनाने का कोई अन्य उपाय नहीं है। यदि किसी वस्तु के स्थानापन्न हैं, तो वे पूर्ण स्थानापन्न नहीं होने चाहिए ताकि उन्हें मुख्य वस्तु के साथ इस प्रकार मिला दिया जाय कि उसका पृथक् अस्तित्व ही न रहे।

(४) रचियों, फंशन आदि के अन्दर निष्प्रभावित होना—पूरे बाजार के लिए उपभोक्ता की वचत निकालते समय मार्शल यह मान लेते हैं कि विभिन्न उपभोक्ताओं की रचियों, आदतों, फंशन, आय आदि के अन्तर एक दूसरे से निष्प्रभावित हो जाते हैं।

उपभोक्ता की वचत के विचार की आलोचना

जैसा कि हिब्स ने कहा है, उपभोक्ता की वचत के विचार ने अत्यधिक सिद्धान्तों में लम्बे-चौड़े वाद-विवाद को उत्पन्न किया है और इसकी कठु आलोचना हुई है। इस विचार की अनेक आलोचनाओं को हम निम्न तीन भागों में बाँट सकते हैं—(I) यह विचार एक कोरी कल्पना है और सैद्धान्तिक दृष्टि से भी सही नहीं है, (II) उपभोक्ता की वचत को कभी भी ठीक-ठीक नापा नहीं जा सकता है जिस कारण सारा विचार ही अनुमान-जनक हो जाता है और (III) यदि नाप भी लें, तो इस विचार के अध्ययन का कुछ भी व्यावहारिक महत्त्व न होगा। विचार के प्रमुख आलोचकों में निकोलसन, टॉजिंग, कैनन तथा अलसी गोबी (Ulisse Gobbi) के नाम उल्लेखनीय हैं।

(I) उपभोक्ता की वचत की सैद्धान्तिक सत्यता—

(१) अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित—कहा जाता है कि यह विचार अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है जिस कारण इसकी सैद्धान्तिक शुद्धता सन्देहपूर्ण है। विचार की मान्यताओं को हम एक बार फिर गिना देते हैं। वे इस प्रकार हैं :—(i) मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता यथास्थिर है, (ii) प्रत्येक वस्तु एक स्वतन्त्र वस्तु है, (iii) वस्तु के स्थानापन्न नहीं हैं, और (iv) आय, रचि आदि के अन्तर बाजार में समाप्त हो जाते हैं।

इनमें से प्रथम मान्यता के विषय में हम जानते हैं कि वह तो वास्तव में गलत है, क्योंकि फामागत सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम मुद्रा पर भी ठीक उसी प्रकार लागू होता है जिस प्रकार से अन्य वस्तुओं पर। जैसे-जैसे किसी व्यक्ति का मुद्रा का स्टॉक घटता जाता है, उसके लिए मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता बढ़ती जाती है। यह उपयोगिता कभी भी यथास्थिर नहीं रहती है। [इस आलोचना का उत्तर मार्शल ने इस प्रकार दिया है कि किसी एक वस्तु पर उपभोक्ता अपनी आय का बहुत छोटा सामान व्यय करता है और आय के इस छोटे से भाग की सीमान्त उपयोगिता को यथास्थिर मान लेने में कोई कठिनाई नहीं होगी। किन्तु, जैसा कि हम पहले ही दिखा चुके हैं, ऐसी मान्यता करना आवश्यक नहीं है और मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता में परिवर्तन होने पर भी उपभोक्ता की वचत बनी रहनी है।

दूसरी और तीसरी मान्यताएँ भी गलत हैं। शायद ही कोई ऐसी वस्तु होगी जो अन्य वस्तुओं के प्रभाव से पूर्णतया विमुक्त होगी, वे वस्तुएँ भी, जिनमें प्रतियोगिता अथवा अनु-पूरकता नहीं है, एक दूसरी से पूर्णरूप में स्वतन्त्र नहीं होंगी हैं। इसी प्रकार, यह मान्यता भी, कि वस्तु के स्थानापन्न नहीं हैं; अवास्तविक है। [मार्शल ने इस कठिनाई से बचने के लिए ऐसी सभी वस्तुओं को, जो स्वतन्त्र वस्तुएँ नहीं हैं, इकट्ठा मिलाकर एक वस्तु मान लिया है। परन्तु इससे कठिनाई दूर नहीं हो जाती है। कारण, जो वस्तुएँ एक दूसरी का पूर्ण रूप में स्थानापन्न करती हैं (यद्यपि वास्तविक जगत में ऐसी दशा नहीं पाई जाती है) उन्हें तो जोड़ देना ठीक होगा परन्तु शेष के विषय में ऐसा नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, एक अन्य कठिनाई यह

भी है कि प्रतियोगी वस्तुओं के विषय में देखा जाता है कि इन सब वस्तुओं से प्राप्त अलग-अलग उपयोगिताओं का जोड़ उन कुल उपयोगिता से कम होता है जोकि इन सब के सामूहिक उपयोग से मिलती है ।]

अन्तिम मान्यता भी कि रुचियो, आय आदि के अन्तर बाजार में समाप्त हो जाते हैं, बहुत सही नहीं है । हाँ, मार्शल का यह कहना बहुत गलत नहीं है कि किसी बाजार में उपभोक्ता की वचत को मालूम करने के लिए हम उपभोक्ताओं की एक विशाल सख्या के औसत को विचार में लेते हैं, जिस कारण उनके पारस्परिक अन्तर समाप्त हो जाते हैं ।

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि मान्यताओं की अवास्तविकता के आधार पर उपभोक्ता की वचत का सैद्धान्तिक महत्व समाप्त नहीं होता । ये मान्यतायें तो हमारा ध्यान केवल इस बात की ओर आकर्षित करती हैं कि जब हम दो वस्तुओं से प्राप्त 'उपभोक्ता की वचतों' अथवा दो व्यक्तियों को प्राप्त होने वाली 'उपभोक्ता की वचतों' की तुलना करते हैं तो इसमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

(२) तुलना करने का कोई महत्त्व नहीं—प्रो० निकलसन ने लिखा है, "इस बात के कहने से बड़ा लाभ है कि सौ पीण्ड की एक वार्षिक आय की उपयोगिता हजार पीण्ड की आय के बराबर है ।" इसका उत्तर मार्शल ने बहुत ही सुन्दर दिया है । उन्होंने कहा है कि इस बात को कहने का महत्त्व यह है कि इङ्ग्लैण्ड में एक व्यक्ति सौ पीण्ड की आय से भी उतना सन्तोष प्राप्त कर सकता है जितना कि वह अफ्रीका में एक हजार पीण्ड की आय से प्राप्त करता, क्योंकि अफ्रीका में अधिक उपभोक्ता की वचत प्रदान करने वाली वस्तुओं का अभाव है ।

(३) आवश्यक आवश्यकताओं पर लागू नहीं—टाउजिग के मतानुसार उपभोक्ता की वचत के विचार की एक महत्त्वपूर्ण परितीका यह है कि वह आवश्यक आवश्यकताओं (Necessaries) पर लागू नहीं होता । उदाहरणार्थ, भूखों मरने की अपेक्षा एक व्यक्ति भोजन की थोड़ी-सी मात्रा के लिए अपनी सम्पूर्ण आय देने को तैयार हो जाएगा । अतः "केवल उसी दशा में उपभोक्ता को कुछ अतिरिक्त सन्तोष मिल सकता है जबकि उसकी आवश्यकता एक अश तक पहले ही पूरी हो अथवा व्यय की दिशा में चुनाव की स्वतन्त्रता रहने लगी हो ।" टाउजिग का कहना है कि इस विचार को कृत्रिम आवश्यकताओं तथा ऐसी मूल्यवान वस्तुओं (जैसे—हीरे, जवाहरात आदि) पर भी, जिनका सम्मान की दृष्टि से महत्त्व है, लागू नहीं किया जा सकता है । निःसन्देह यह कथन सही है परन्तु इसमें विचित्रता कुछ भी नहीं है, क्योंकि उपभोग के अधिकार नियमों की भाँति यह विचार भी 'सुखमय आर्थिक अवस्था' (Pleasure economy) से सम्बन्धित है, सुखमय आर्थिक अवस्था से नहीं ।

(४) माँग कीमतों और माँग रेखाओं को दुबारा खींचने की आवश्यकता—कहा जाता है कि वस्तु की खरीदी गई मात्रा में वृद्धि माँग कीमतों और माँग रेखाओं को फिर से खींचना आवश्यक बना देती है । मान लीजिये कि एक व्यक्ति चाय के एक पीण्ड के लिए ६ रुपये देने को तैयार है । ऐसी दशा में एक पीण्ड के लिए उसकी माँग-कीमत (Demand price) ६ रुपये है । अब मान लीजिए कि वह चाय के दूसरे पीण्ड के लिए ५ रुपये देने को तैयार है (यहाँ दूसरे पीण्ड की सीमान्त उपयोगिता ५ रु० हुई) । ऐसी दशा में चाय के दोनों पीण्ड में से प्रत्येक पीण्ड के लिए माँग-कीमत ५ रुपये होगी । ठीक इसी प्रकार, यदि वह तीसरे पीण्ड के लिए ४ रुपये देने को तैयार है, तो तीनों पीण्ड में से प्रत्येक पीण्ड के लिए माँग कीमत ४ रु० होगी । (यहाँ तीसरे पीण्ड की सीमान्त उपयोगिता ४ रु० के बराबर है ।) इस दशा में औसत

उपयोगिता = $\frac{६+५+४}{३} = \frac{१५}{३} = ५$ रुपया है जो चाय के दूसरे पीण्ड की सीमान्त उपयोगिता

के बराबर है। इससे पता चलता है कि जब व्यक्ति अपनी खरीद को बढ़ाता है और तीसरा पीछे खरीदता है, तो दूसरे पीछे की सीमान्त उपयोगिता (और इसलिए उनकी मांग कीमत) अपरिवर्तित रहती है और इन प्रकार खरीद बढ़ने पर मांग-कीमतों को द्वारा खींचना आवश्यक नहीं है। धन: सत्य है कि उपर्युक्त आपत्ति तब ही उचित होती जबकि चाय के प्रत्येक पीछे के लिए नियत मांग कीमत घोमन उपयोगिता को सूचित करे, सीमान्त उपयोगिता को नहीं।

(५) उपभोक्ता-वचन का अर्थ: शून्य होना—अरस्तो गोबी (Ulisse Gobbi) का कथन है कि यदि उपभोक्ता की वचन वास्तविक और सम्भावित कीमत का अन्तर है तो वह अन्त में शून्य के बराबर होगा। कुल खरीद के सम्बन्ध में, वास्तव में दी हुई कीमत तथा सम्भावित कीमत बराबर होगी। यदि हम उपभोग की वृद्धि के साथ-साथ कीमत से घटने को भी लेते हैं, तो जितना एक व्यक्ति देने को तैयार है और जितना वह वास्तव में देना है इन दोनों का अन्तर शून्य के बराबर होगा। एक व्यक्ति प्रति इकाई जो कीमत चुकाना है वह उनकी खरीद में सम्मिलित सब इकाइयों की उपयोगिताओं को दिखाना है और इस कारण उस व्यक्ति को मिलने वाली कुल उपयोगिता सीमान्त उपयोगिता और इकाइयों की सख्या के गुणनफल के बराबर होती है।

(६) मांग-कीमतों की सूची अपूर्ण होना—कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मांग-कीमतों की सूची प्रायः अपूर्ण होती है। हमारे लिए यह अनुमान लगाना कठिन होता है कि प्रचलित कीमतों से भिन्न कीमतों पर लोग किसी वस्तु को कितनी-कितनी मात्राएँ खरीदेंगे। इसी प्रकार, यह जानना भी कठिन होता है कि परम्परागत मात्राओं के अनिश्चित खरीद की अन्य मात्राओं के लिए मांग-कीमतें क्या होती हैं? परिणामतः प्रचलित कीमतों के साम-यान की कीमतों को छोड़ कर शेष मांग-कीमतें कोरा अनुमान होती हैं। [मार्शल का कहना है कि यह कठिनाई महत्त्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उपभोक्ता की वचन का विचार प्रचलित कीमतों के साम-यान की कीमतों से ही सम्बन्धित है।]

(II) उपभोक्ता की वचन की माप से सम्बन्धित आलोचनाएँ—

(१) हथियों आदि में भिन्नताएँ होने से उत्पन्न कठिनाई—आलोचकों का कहना है कि उपभोक्ता की वचन को मुख्यतया किसी बाजार में ठीक-ठीक मापना सम्भव होता है। मार्शल ने कहा है कि किसी बाजार में एक वस्तु विशेष के विषय से प्राप्त होने वाली उपभोक्ता की वचन की माप उन राशियों के जोड़ (Aggregate of Sums) द्वारा की जाती है, जिनसे कि बाजार में वस्तु के लिए एक पूर्ण मांग-कीमत-सूची में दिखाई गई कीमतें वस्तु की विक्रय-कीमत में अधिक (Exceed) होती हैं। इस प्रकार की माप के विरुद्ध यह कहा जाता है कि इसमें विभिन्न लोगों की हथि और सम्पत्त सम्बन्धी विभिन्नताओं को भुलाना पड़ता है जबकि वह एक साधारण सा तथ्य है कि बाजार में मुद्रा की एक ही मात्रा अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग सन्तोष तथा उपभोक्ता की वचन दिखाएंगी। [इस सम्बन्ध में मार्शल के विश्वास दिलाने वाले इस उत्तर को हम पहले ही देख चुके हैं कि चूँकि हमारा सम्बन्ध व्यक्तियों की एक बहूत विज्ञान सख्या के घोमत से होता है इसलिए यह माना जा सकता है कि उक्त विभिन्नताएँ वास्तव में नियत भाविन (Cancel) हो जाती हैं।]

(२) मांग सूची की अनिश्चितता एवं अपूर्णता—अन्य कठिनाइयाँ इस कारण उत्पन्न होती हैं कि मांग की सूची अनिश्चित होती है और यह गरीब सूची ज्ञान नहीं होती। इसी प्रकार स्थानापन्न की उपस्थिति के कारण भी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। किन्तु वचन को मापने

से सम्बन्धित कठिनाईयाँ ऐसी नहीं हैं कि उन्हें दूर नहीं किया जा सकता हो। उदासीनता वक्रों की सहायता से न केवल उपभोक्ता की वचत को बरन् इसमें होने वाले उन परिवर्तनों को भी नाप सकते हैं जो कीमत अथवा ध्राय के परिवर्तनों ने उत्पन्न किये हैं।

उपरोक्त सभी बातों से पता चलता है कि वचत को नापने की कठिनाईयाँ वास्तव में इतनी गम्भीर नहीं हैं जितनी कि आलोचकों ने बताई हैं।

(III) विचार का व्यावहारिक महत्त्व—

उपभोक्ता की वचत सैद्धान्तिक (Theoretical) और व्यावहारिक (Practical) दोनों ही दृष्टिकोणों से महत्त्वपूर्ण है। सैद्धान्तिक महत्त्व तो यह है कि वह उपयोग मूल्य (Value in use) और विनिमय मूल्य (Value in exchange) के अन्तर को स्पष्ट करता है। अर्थात् यह विचार हमारे ध्यान को इस महत्त्वपूर्ण सत्य की ओर आकर्षित करता है कि किसी वस्तु से प्राप्त होने वाले सन्तोष की माप उस वस्तु के मूल्य के बराबर नहीं होती है। मूल्य बहुत कम होते हुए भी सन्तोष बहुत अधिक हो सकता है और इस दशा में उपभोक्ता की वचत बहुत अधिक होती है। अच्छे भोजन, पर्याप्त वस्तु, मकान तथा मनोरंजन से जो सन्तोष मिलता है उसकी अपेक्षा जो कीमत हम उनके लिए देते हैं वह बहुत कम होती है। इन सैद्धान्तिक लाभ के अतिरिक्त यह विचार हमारे व्यावहारिक जीवन में भी बड़ा लाभ पहुँचाता है। व्यावहारिक जीवन में इसके निम्नलिखित लाभ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं—

(१) परिस्थितियों के लाभ को अर्जने का अवसर—उपभोक्ता की वचत का विचार हमें यह ज्ञान प्रदान करता है कि किसी वस्तु के लिये जो कीमत हम चुकाते हैं वह सदा ही उससे प्राप्त सन्तोष की माप नहीं होनी है। यह सम्भव है कि कीमत बहुत नीची हो, परन्तु प्राप्त सन्तोष बहुत अधिक। साधारणतया दैनिक उपयोग की वस्तुएँ अपनी कीमतों की तुलना में बहुत अधिक सन्तोष प्रदान करती हैं। इस प्रकार, यह विचार एक व्यक्ति को उसकी परिस्थितियों का लाभ अर्जने का अवसर देता है। यह विचार सभ्य समाज में रहने का महत्त्व स्पष्ट कर देता है।

(२) विभिन्न कालों में विभिन्न देशों की सम्पन्नता की तुलना—व्यावहारिक दृष्टि से उपभोक्ता की वचत का विचार दो विभिन्न कालों अथवा विभिन्न देशों की आर्थिक सम्पन्नता की तुलना के लिए उपयोग किया जा सकता है। मान लीजिए हम यह जानना चाहते हैं कि आर्थिक दृष्टि से श्रमिकों की स्थिति एक काल में दूसरे काल से अथवा एक देश से दूसरे देश में कितनी अच्छी है। दोनों परिस्थितियों में उपभोक्ता की वचत की तुलना करके यह बात आसानी से जानी जा सकती है।

(३) उपभोक्ता के हितों पर अधिक ध्यान दिलाना—उपभोक्ता की वचत का विचार हमें उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों को एक दूसरे से अलग करने में सहायक है और अन्तिम वर्ग की ओर हमारे ध्यान को विशेष रूप से आकर्षित करता है। यह जानना सरल है कि उत्पत्ति की दशाओं में परिवर्तन हाने का अथवा उत्पादन पर कर अथवा अन्य प्रविण्ण लगाने का उत्पादकों के हितों पर क्या प्रभाव पड़ता है। परन्तु इन सबका उपभोक्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है इसे जानना थोड़ा कठिन होता है। इस प्रकार के प्रभाव को जानने के लिए हमें उन परिवर्तनों का अध्ययन करना पड़ेगा जो उपभोक्ता की वचत में होते हैं। उदाहरणस्वरूप हम यह कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर कर लगाया जाता है तो इससे राज्य को प्राप्त होने वाली आय की तुलना में उपभोक्ता की वचत अधिक तेजी के साथ घटती है। इन दोनों के बीच का अन्तर क्या होगा यह इस बात पर निर्भर होता है कि उत्पत्ति पर वृद्धि, स्थिरता अथवा ह्रास नियमों में से कौन सा नियम कार्यशील है। इतना जान लेने के पश्चात् हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि किसी कर अथवा किसी औद्योगिक सहायता योजना का लोगों के आर्थिक



मल्याण पर क्या प्रभाव पड़ता है ? ऐसा कर, जो राज्य की आय को करदाताओं को होने वाली हानि की तुलना में अधिक तेजी के साथ बढ़ाये, एक प्रकार का बरदान होगा ।

(४) करों के प्रभाव का अध्ययन करने में सहायक—उपभोक्ता की बचत के परिवर्तनों द्वारा, हम यह भी दिखा सकते हैं कि वस्तु पर लगाया हुआ कर उपभोक्ताओं पर आय-कर की तुलना में अधिक भार डालता है । उपरोक्त रीति से हम उद्योग की दी हुई सहायता का उपभोक्ता की बचत पर पड़ने वाला प्रभाव भी ज्ञात कर सकते हैं । आर्थिक सहायता राज्य की हानि पहुँचानी है । परन्तु कीमत घटने के कारण उपभोक्ताओं को लाभ होता है । अतः आर्थिक सहायता उन्नी दशा में उचिन्त होगी जबकि उपभोक्ताओं को होने वाला लाभ सरकार को होने वाली हानि की तुलना में अधिक हो । वैसे तो अधिक सहायता का प्रभाव भी कर के प्रभाव की भाँति देखा जा सकता है, परन्तु कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी आवश्यक होती हैं । कर वस्तु की कीमत को बढ़ाता है परन्तु आर्थिक सहायता कीमत को घटाती है । इसी प्रकार, कर से राज्य को लाभ होना है और उपभोक्ताओं को हानि, परन्तु आर्थिक सहायता से उपभोक्ताओं को लाभ होता है, किन्तु राज्य को हानि ।

(५) एकाधिकारी—कीमत के निर्धारण में सहायता—घरनी वस्तुओं की कीमतें निश्चित करते समय एकाधिकारी उपभोक्ता की बचत को ध्यान में रखता है । वह कीमत निश्चित करते समय यह देखता है कि उस कीमत का उपभोक्ता की बचत पर क्या प्रभाव पड़ता है । जब एकाधिकार मूल्य-विभेद पर आधारित है तो विभेद की विभिन्न दशाओं में एकाधिकारी सारी की सारी उपभोक्ता की बचत अथवा उसका एक भाग उपभोक्ताओं से छीन लेता है ।

(६) विनियम के लाभ को सूचित करना—उपभोक्ता की बचत का विचार विनियम के लाभों को भी स्पष्ट करता है । यदि हमें एक कलम ३५ रुपये में मिलती है और इससे सन्तोष भी ३५ रु० के बराबर मिलता है, तो हो सकता है कि हम कलम खरीदें ही नहीं और पैसा ही अपने पास रख लें । जब एक व्यक्ति कलम इसलिए खरीदता है कि उसकी सीमान्त उपयोगिता ३५ रु० है, तो इसका अर्थ यह होता है कि इस कलम से हमें उसकी कीमत से अधिक सन्तोष मिलता है । दूसरे शब्दों में, विनियम के अन्तर्गत श्रेता और विक्रेता दोनों ही अतिरिक्त सन्तोष प्राप्त करते हैं और इसी कारण विनियम अधिक लाभदायक होता है ।

इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में सैद्धान्तिक और व्यावहारिक दोनों ही दृष्टियों से उपभोक्ताओं की बचत का विचार महत्वपूर्ण है । जैसा कि हिक्स ने बताया है, "उपभोक्ता की बचत पर विचार करने की सबसे अच्छी रीति यह है कि इसे आय की उस वृद्धि के रूप में दिखाया जाय जो उपभोक्ता को वस्तु की कीमत घटने के कारण प्राप्त हुई है ।" जब हम उपभोक्ता की बचत को इस दृष्टि से देखते हैं तो उसकी व्यावहारिक लाभदायकता में कोई संदेह नहीं रह जाता ।

हिक्स द्वारा उपभोक्ता की बचत के विचार का पुनर्निर्माण

मार्शल ने उपभोक्ता की बचत के विचार को कुछ मान्यताओं के माध्यम प्रस्तुत किया था । इन मान्यताओं को हम पहले ही देख चुके हैं कि वे अवास्तविक हैं । अवास्तविक मान्यताओं से जुड़ा होने के कारण ही उपभोक्ता की बचत के विचार को बहुत धालोचना भी हुई है । अतः हिक्स ने तटस्थता वक्र विशेषण के द्वारा उपभोक्ता की बचत के विचार का पुनर्निर्माण किया है, जिससे इसकी अवास्तविक मान्यताएँ दूर हो गई हैं । तटस्थता वक्र विशेषण उपयोगिता के परिमाण-आत्मक माप को अनावश्यक बना देना है, मुद्रा की सीमान्त उपयोगिता में होने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखता है तथा स्वनापन्न और पूरक वस्तुओं के प्रभाव की भी उपेक्षा नहीं करता ।

हिक्स ने उपभोक्ता की वचत की परिभाषा एक नये ढङ्ग से की है। उनका कहना है कि जब किसी वस्तु की कीमत घट जाती है, तो इसके दो प्रभाव होते हैं :—(अ) उपभोक्ता वस्तु को कुछ अधिक मात्रा में खरीद सकता है अथवा (ब) उसे वस्तु पर पहले की अपेक्षा कम मात्रा में व्यय करना पड़ता है। दोनों ही दशाओं में उसकी आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा अच्छी हो जाती है। अथवा यो कहे कि उसकी वास्तविक आय बढ़ जाती है। इस सन्दर्भ में, हिक्स लिखते हैं, कि उपभोक्ता की वचत को किसी वस्तु की कीमत में होने के परिणामस्वरूप मौद्रिक आय में लाभ के समान समझना चाहिए।

परीक्षा प्रश्न :

1. उपभोक्ता की वचत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए और इसे मापने की कठिनाइयों पर प्रकाश डालिए।

अथवा

उपभोक्ता की वचत के आशय को पूर्ण रूप से समझाइये। इसे मुद्रा के रूप में कहां तक मापा जा सकता है? अपने उत्तर को तालिकाओं और चित्रों से स्पष्ट कीजिए।

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम उपभोक्ता की वचत को परिभाषित कीजिए। तत्पश्चात् इसके अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने हेतु उदाहरण और रेखाचित्र दीजिये। अन्त में, इसके माप की रीति को बताइये और सम्बन्धित कठिनाइयों को समझाइए।]

2. उपभोक्ता के वचत के सिद्धान्त को स्पष्ट रूप से समझाइए और इसकी सीमाओं का उल्लेख करिये।

अथवा

उपभोक्ता की वचत के सिद्धान्त के विरुद्ध लगाई गई आपत्तियों के औचित्य को परखिये।

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम उपभोक्ता के विचार को उदाहरण और चित्र देकर व्याख्या कीजिये। तत्पश्चात् इसकी आलोचना दीजिये और अन्त में यह निष्कर्ष निकालिये कि यह विचार बेकार नहीं है।]

3. उपभोक्ता की वचत की व्याख्या कीजिए और आर्थिक विश्लेषण में इसके व्यावहारिक महत्त्व को बताइये।

अथवा

उपभोक्ता की वचत के विचार पर एक आलोचनात्मक नोट लिखिये। अर्थशास्त्र के अध्ययन में इसका सिद्धान्तिक एवं व्यावहारिक महत्त्व क्या है?

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम उपभोक्ता की वचत की परिभाषा एवं चित्र व उदाहरण देकर इसकी व्याख्या कीजिये। तत्पश्चात् मध्ये में इसकी आलोचनायें दीजिये और अन्त में इस विचार के महत्त्व और प्रयोगों को समझाइये।]

4. उपभोक्ता की वचत के विचार की व्याख्या कीजिये। उपभोक्ता की वचत को मापने का हिक्स का तरीका कहां तक मार्शल के तरीके पर सुधार है?

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम उपभोक्ता की वचत की परिभाषा दीजिये, चित्र व उदाहरण देकर इसकी व्याख्या कीजिये और इसके माप की कठिनाइयों को बताइये। अन्त में यह बताइये कि हिक्स ने इन कठिनाइयों को किस प्रकार दूर करने का यत्न किया है।]

मांग का नियम

(The Law of Demand)

मांग से आशय

अर्थशास्त्र के दूसरे शब्दों की भाँति अर्थशास्त्र में 'मांग' शब्द के भी अलग-अलग अर्थ लगाये गए हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस शब्द को उसके मनोवैज्ञानिक अर्थ में लिया है और कुछ ने भौतिक अर्थ में।

मांग का मनोवैज्ञानिक अर्थ—

मनोवैज्ञानिक अर्थ में पेन्सन (Penson) ने बताया है, कि "मांग केवल एक सप्रभाविक इच्छा है।इसमें तीन बातें सम्मिलित होती हैं:—(i) किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, (ii) उस वस्तु को खरीदने की शक्ति, और (iii) खरीदने के लिए इस शक्ति के उपयोग की तत्परता।"¹ इस मनोवैज्ञानिक अर्थ में मांग और आवश्यकता एक ही हैं। किन्तु हम पहले ही देख चुके हैं कि यह ठीक नहीं है, क्योंकि केवल उसी आवश्यकता को मांग कहते हैं जो पूरी की जाती है।

मांग का भौतिक अर्थ—

भौतिक अर्थ में मिल (Mill) का कहना है कि, "मांग का अभिप्राय उस मात्रा से जो कि मांगी जाय और यह कोई निश्चित मात्रा नहीं है वरन् सामान्यतः कीमत के अनुसार घटती-बढ़ती रहती है।"² किसी वस्तु की मांग इतनी है ऐसा कहने का लगभग कुछ भी अर्थ नहीं होता, जब तक कि हम यह न कह दें कि इतनी मांग किस कीमत पर है और वह किस समय से सम्बन्धित है।

कैरनो (Cairnes) के शब्दों में, "कोयले की मांग का अर्थ कोयले की उस मात्रा से नहीं होता जिसकी लोगों की आवश्यकता है भयवा जिसे वे लेना चाहेंगे; यह तो सप्रभाविक मांग होती है और उस मात्रा द्वारा सूचित होती है जिसे लोग एक दी हुई कीमत पर खरीदने को तैयार हैं।"³

¹ "Demand is effective desire.....Demand implies three things—(i) desire to possess a thing, (ii) means of purchasing it and (iii) willingness to use these means for purchasing it."—Penson : *Economics of Everyday Life*, p. 107.

² "We must mean by the world demand the quantity demanded, and remember that this is not a fixed quantity but, in general, varies according to value."—J. S. Mill : *Principles of Economy* Vol. III. p. 4.

³ "Demand for coal does not mean the amount of coal which people need or would like to have but the effective demand the amount which people are willing to buy at some specified price."—Cairnes : *Introduction to Economics*, p. 151.

बेनहम (Benham) ने माँग की परिभाषा अधिक स्पष्टतापूर्वक दी है। इनके अनुसार माँग का सम्बन्ध कीमत और समय दोनों से होता है। वे लिखते हैं कि "एक निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की माँग उसकी वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित काल में खरीदी जाती है।"¹ स्मरण रहे कि जिस निश्चित कीमत पर कोई ग्राहक किसी वस्तु विशेष की एक निश्चित मात्रा खरीदने के लिए तैयार रहता है वह उसकी "माँग कीमत" (Demand price) कहलाती है।

ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि इन दोनों प्रकार की परिभाषाओं का अन्तर केवल दृष्टिकोण का है। जब माँग की केवल मानसिक विचार की दृष्टि से देखा जाता है, तो वह मनोवैज्ञानिक रूप में हमारे सामने आती है। इसके विपरीत, व्यावहारिक जीवन में माँग का भौतिक अर्थ ही अधिक सही है।

मूल्य माँग, आय माँग एवं आड़ी माँग


किसी वस्तु की माँग की मात्रा पर निम्न तीन बातों का प्रभाव पड़ता है—उस वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन, उपभोक्ताओं की माँग में परिवर्तन और अन्य वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन। इस आधार पर हम माँग को तीन प्रकार की कह सकते हैं—(१) मूल्य-माँग (Price demand), (२) आय-माँग (Income demand) और (३) पारस्परिक या आड़ी माँग (Cross demand)।

(१) मूल्य-माँग—'मूल्य-माँग' किसी वस्तु की उन मात्राओं को दिखाती है जो कि एक उपभोक्ता किसी निश्चित समय में, यदि अन्य बातें समान रहे तो, विभिन्न कल्पित मूल्यों पर खरीदने को तैयार है। यहाँ अन्य बातों के समान रहने का आशय उपभोक्ता की आय, रुचि, सम्बन्धित वस्तुओं की कीमतों आदि में कोई परिवर्तन न होने से है। चित्र १ में, मूल्य माँग-रेखा बायें से नीचे की ओर गिर रही है अर्थात् इसका ऋणात्मक ढाल (Negative slope) है, जिसका अर्थ यह हुआ कि मूल्य और माँग में उल्टा सम्बन्ध है। यदि मूल्य बढ़ता है तो माँग घटती है और यदि मूल्य घटता है तो माँग बढ़ती है।

(२) आय-माँग—आय-माँग यह दिखाती है कि आय के विभिन्न स्तरों पर उप-

भोक्ता अन्य बातें यथास्थिर रहते हुए कितनी-कितनी मात्राओं में वस्तु की माँग करता है। आय का परिवर्तन विभिन्न वस्तुओं की माँग को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करेगा। इस उद्देश्य से हम वस्तुओं को दो भागों में बाँट सकते हैं—
(अ) उत्तम वस्तुयें और (ब) हीन वस्तुयें।

विलास की वस्तुयें तथा उच्च-कोटि की आरामदायक वस्तुयें उत्तम वस्तुओं (Superior goods) की श्रेणी में रखी जा सकती हैं। यदि आय बढ़ती है, तो साधारणतया ऐसी वस्तुएँ अधिक मात्रा में खरीदी जाती हैं। हीन वस्तुयें (Inferior goods) वे हैं जिन्हें उपभोक्ता नीची दृष्टि से देखते हैं, जैसे—मोटा कपड़ा, जौ, वनस्पति की आदि। उपभोक्ता की आय बढ़ जाने



चित्र—मूल्य-माँग

¹ "The demand for anything at a given price is the amount of it which will be bought per unit of time at that price."—Benham 'Economics', p 36

उपरोक्त इन वस्तुओं की माँग घटा देते हैं। दोनों प्रकार की वस्तुओं से सम्बन्धित आय-माँग की वक्र-रेखाएँ नीचे चित्र (अ) और चित्र (ब) में दिखाई गई हैं—

INCOME DEMAND



(अ) उत्तम वस्तु माँग-वक्र



(ब) निम्न वस्तु माँग-वक्र

चित्र—आय-माँग

ऊपर के दोनों चित्रों में से पहला चित्र उत्तम वस्तु की माँग-आय को दिखाता है। जैसे ही आय PM से बढ़ कर $P'M'$ हो जाती है, माँग की मात्रा OM से बढ़ कर OM' हो जाती है। इसी प्रकार, दूसरा चित्र हीन वस्तु की आय-माँग को दिखाता है। इस चित्र में, जैसे ही आय बढ़कर PM से $P'M'$ होनी है, माँग की मात्रा घट कर OM से OM' रह जाती है।

(३) पारस्परिक या घाड़ी माँग—पारस्परिक माँग से हमारा अभिप्राय वस्तु विशेष के लिए माँग की उन मात्राओं से है जो उस समय खरीदी जाती हैं जबकि उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन न होकर जिन्हीं अन्य वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होते हैं। अनेक बार ऐसा होता है कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाने से दूसरी वस्तु की माँग घट-बढ़ जाती है। एक वस्तु की कीमतों के परिवर्तन का दूसरी वस्तु की माँग पर जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन तीन शीर्षकों के अन्तर्गत निम्न प्रकार से किया जा सकता है :—


(अ) प्रतिपयोगी या स्वानापन्न वस्तुओं (Rival or Substitutes) के सम्बन्ध में ऐसा होता है कि एक वस्तु की कीमत की वृद्धि से दूसरी वस्तु की माँग घट जाती है। उदाहरणार्थ, यदि चाय की कीमत बढ़ जाय और कॉफी की कीमत में कोई परिवर्तन न हो, तो कॉफी की माँग बढ़ जायेगी, क्योंकि अब कुछ लोग चाय के स्थान पर कॉफी खरीदने लगते हैं।

(ब) पूरक वस्तुओं (Complementary goods) में ऐसा होता है कि एक की कीमत बढ़ जाने से दूसरी की माँग घट जाती है। यदि चाय की कीमत बढ़ती है, जिस कारण लोग उसे पहले की तुलना में कम मात्रा में खरीदते हैं, तो इससे चीनी की माँग भी घट जायेगी, क्योंकि चाय के उपयोग की कमी चीनी के उपयोग को भी घटा देती है।

(स) जहाँ तक स्वतन्त्र वस्तुओं (Independent goods) का सम्बन्ध है उनमें एक वस्तु की कीमतों के परिवर्तनों का दूसरी की माँग पर लगभग कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरणार्थ, यदि चाय की कीमत बढ़ती है, तो इसका नमक की माँग पर लगभग कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।


नीचे पारस्परिक माँग के दो चित्र दिये गये हैं। इनमें से चित्र (अ) प्रतियोगी वस्तुओं की पारस्परिक माँग को दिखाता है और चित्र (ब) पूरक वस्तुओं की पारस्परिक माँग को।

CROSS DEMAND



AMOUNT DEMANDED OF COFFEE

(अ) प्रतियोगी वस्तुयें



QUANTITY DEMANDED OF SUGAR

(ब) पूरक वस्तुयें

चित्र—पारस्परिक माँग

चित्र (अ) में चाय की कीमत और कॉफी का सम्बन्ध दिखाया गया है। कॉफी और चाय प्रतियोगी वस्तुयें हैं, क्योंकि यदि चाय की कीमत बढ़ती है, तो लोग चाय के स्थान पर कॉफी खरीदने लगते हैं। इसी कारण चाय की माँग बढ़ जाने से कॉफी की माँग बढ़ती है। इस चित्र में दिखाया गया है कि जब चाय की कीमत RM है, तो कॉफी की माँग OM है। किन्तु, जब चाय की माँग बढ़ कर $R'M'$ हो जाती है, तो कॉफी की माँग OM' हो जाती है।

चित्र (ब) में चाय की कीमत और चीनी की माँग का सम्बन्ध दिखाया गया है। ये दोनों पूरक वस्तुयें हैं, क्योंकि यदि लोग कम चाय पीते हैं, तो वे चीनी का उपयोग भी कम करेंगे। जब चाय की कीमत RM है, तो चीनी की माँग OM होती है। किन्तु, जब चाय की कीमत बढ़ कर $R'M'$ हो जाता है, तो चीनी की माँग घट कर OM' रह जाती है।

उपर्युक्त विवेचना यह स्पष्ट कर देती है कि किसी वस्तु के लिए माँग उसकी अपनी कीमत पर ही निर्भर नहीं होती है, बल्कि उपभोक्ताओं की प्राय और अन्य वस्तुओं की कीमतों पर भी निर्भर होती है। वैसे तो अर्थशास्त्र में उपरोक्त तीनों प्रकार की माँगों का अध्ययन होना चाहिए किन्तु सबसे अधिक प्रचलन 'मूल्य माँग' के अध्ययन का है, जिसमें हम यह देखते हैं कि उसकी अपनी कीमत में परिवर्तन होने से उसकी माँग में किस प्रकार परिवर्तन होते हैं। इसे ही हम 'मूल्य माँग' अथवा 'मूल्य-मात्रा-माँग' (Price-quantity-demand) कहते हैं। इसी का दूसरा नाम 'साधारण माँग' (conventional demand) है और आगे के अध्ययन में हम 'साधारण माँग वक्र' (Conventional demand curve) का ही विशेष रूप से ध्यान रखेंगे।

सयुक्त माँग, व्युत्पन्न माँग एवं सामूहिक माँग

एक अन्य दृष्टिकोण से माँग 'सयुक्त', 'व्युत्पन्न' अथवा 'सामूहिक' हो सकती है। 'सयुक्त माँग' (Joint Demand) का अर्थ है उस माँग से है जो दो या अधिक वस्तुओं के सम्बन्ध में किसी एक सयुक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु की जाती है, जैसे—मोटर और पेट्रोल की माँग। किन्तु जब एक वस्तु की माँग इसलिए की जाती है कि उसकी सहायता से किसी अन्य वस्तु का उत्पा-

एक त्रिया जाय, तो ऐसी माँग को 'अनुत्पन्न माँग' (Derived Demand) कहते हैं, जैसे—मकान बनाने के लिए ईंट और चूने की माँग। 'सामूहिक माँग' (Composite Demand) से प्रामाण्य ऐसी वस्तु की माँग का है, जिसे प्रत्येक प्रयोगों में लाया जाता है, जैसे—कोयले की माँग क्योंकि कोयला कई प्रयोगों में स्तैमाल किया जाता है।

माँग अनुसूची या तालिका (Demand Schedule)

माँग-अनुसूची का प्राशय—

हम ऊपर देख चुके हैं कि माँग कीमत से सम्बन्धित होती है। किसी निश्चित समय पर किसी वस्तु की कितनी मात्रा की माँग होगी यह हम मान पर निर्भर है कि उस समय वस्तु की कीमत क्या है? इस प्रकार, अलग-अलग कीमतों पर एक ही समय में एक वस्तु के लिये विभिन्न मात्राओं में माँग होगी। यदि हम एक ऐसी सूची बना लें, जिसमें यह दिखाया जाये कि किसी समय विशेष पर बाजार में विभिन्न कीमतों पर कितनी-कितनी मात्राओं में माँग होगी, तो ऐसी सूची माँग 'अनुसूची' (Demand Schedule) कहलायेगी। सरल शब्दों में, माँग-अनुसूची विभिन्न कीमतों पर माँगी गई मात्राओं की एक सूची होती है। बेनहाम के अनुसार, "किसी बाजार में एक निश्चित समय पर दी हुई कीमतों पर कितनी कितनी होगी यदि उसे एक तालिका के रूप में प्रस्तुत किया जाये तो वह माँग की अनुसूची कहलाती है। ऐसी तालिका माँग की सम्पूर्ण स्थिति को प्रकट या बताने के लिये कि माँग की दशा को दिखाने की है।" इस प्रकार माँग-अनुसूची कीमत और माँग (की मात्रा) के फलनात्मक सम्बन्ध (Functional Relationship) को दिखाने की है।

किसी वस्तु की माँग पर अनेक बातों का प्रभाव पड़ता है। उदाहरणस्वरूप उपभोग-वस्तुओं के लिए माँग, बाजार में उपभोक्तार्थों की संख्या, उनकी मौद्रिक आय, उनकी रुचियों और सामाजिक रूढ़ियों, ऐसी वस्तुओं की कीमतों जो इस वस्तु के स्थान पर उपयोग की जा सकती हैं और अन्त में स्वयं वस्तु विशेष की कीमत पर निर्भर होती है। माँग की अनुसूची बनाते समय हम यह मान लेते हैं कि माँग को प्रभावित करने वाले इन घटकों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, माँग-अनुसूची के द्वारा हम इस बात का प्रकट करते हैं कि किस वस्तु की माँग पर केवल उस वस्तु की कीमतों के प्रभाव का अन्वेषण करें। वास्तव में यदि हम किसी की मात्रा का वस्तु की कीमत से घनिष्ठ सम्बन्ध दिखाना चाहते हैं तो ऐसा करना आवश्यक नहीं होगा।

व्यक्तिगत एवं बाजार-माँग तालिकाएँ—

माँग की अनुसूची एक व्यक्ति विशेष के लिए भी बनाई जा सकती है तथा सम्पूर्ण बाजार के लिए भी। व्यक्ति की माँग-अनुसूची यह दिखायेगी कि एक निश्चित समय पर व्यक्ति अलग-अलग दामों पर वस्तु विशेष की कितनी-कितनी मात्राएँ खरीदेगा। दूसरी ओर, जब सम्पूर्ण बाजार के लिये माँग-अनुसूची बनाई जाती है तो यह दिखाया जाता है कि विभिन्न

1 "A full account of the demand, or perhaps we can say, the state of demand, for any goods in a given market at a given time should state what the (weekly) volume of sales would be at each of a series of prices. Such an account, taking the form of a tabular statement, as known as a demand schedule."—Beaham : *Economics*, pp. 36-37.

कीमतों पर किसी निश्चित काल में उस बाजार में वस्तु कितनी-कितनी कुल मात्राओं में बेची जाती है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि एक व्यक्ति के लिये माँग-अनुसूची बनाना बहुत सरल है। नीचे व्यक्ति क के लिए एक निश्चित समय पर चीनी की माँग-अनुसूची दी गई है।

व्यक्ति-माँग-तालिका

कीमत प्रति किलोग्राम (रुपयों में)	माँगी गई मात्रा (किलोग्राम में)
२.००	५
१.७५	८
१.५०	१२
१.२५	१६
१.००	२४
०.७५	३२

किन्तु सम्पूर्ण बाजार के लिए माँग-अनुसूची बनाना कठिन है। साधारण रीति से, बाजार की माँग-अनुसूची विभिन्न ग्राहकों द्वारा खरीदी हुई मात्राओं को जोड़ कर बनाई जा सकती है। इसमें यह दिखाया जाता है कि अलग-अलग कीमतों पर किसी निश्चित समय में सब ग्राहक मिल कर वस्तु की कुल कितनी-कितनी मात्राये खरीदते हैं। हम बल्पना करते हैं और बाजार में बाजार की एक ऐसी कल्पित दशा को मान लेते हैं जिसमें केवल क, ख, ग, घ, ङ और च ही ग्राहक हैं। बाजार की माँग-अनुसूची यह दिखायेगी कि ये ६ ग्राहक मिलकर विभिन्न कीमतों पर चीनी की कुल कितनी-कितनी मात्राये खरीदते हैं, (देखिये निम्न तालिका)।

बाजार-माँग-तालिका

कीमत प्रति किलोग्राम (रुपयों में)	माँग की मात्रा किलोग्राम में						कुल
	क	ख	ग	घ	ङ	च	
२.००	५	४	३	२	१	०	१५
१.७५	८	६	५	४	३	१	२७
१.५०	१२	१०	८	७	६	२	४५
१.२५	१६	१४	१२	११	१०	४	६७
१.००	२४	२०	१७	१६	१४	७	९८
०.७५	३२	२६	२३	२१	१८	१०	१३०

चूंकि विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों द्वारा एक बाजार का निर्माण होता है, इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों की माँग-तालिकाओं का योग ही बाजार-माँग-तालिका का निर्माण करता है। लेकिन यह कथन एक मोटे तौर पर ही सही है, पूर्ण और निश्चित रूप में नहीं। कारण, एक व्यक्ति का प्राचरण न्यूनधिक रूप में बाजार के व्यवहार (Market behaviour) से प्रभावित होता है। अतः एक व्यक्तिगत-माँग-रेखा का रूप तब ही मालूम हो सकता है जबकि हम बाजार-माँग-रेखा का रूप ज्ञात हो। यही कारण है कि व्यक्तिगत-माँग-तालिका और बाजार-माँग-तालिका एक-दूसरे पर निर्भर रहती है तथा एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं।

एक अन्य ढङ्ग से भी बाजार-तालिका को बनाना सम्भव है, जो इस प्रकार है कि हम क्रेताओं में से एक प्रतिनिधि क्रेता (Representative buyer) की माँग-तालिका मान्य कर देंगे फिर क्रेताओं की संख्या से गुणा करके बाजार-माँग-तालिका बनाई जा सकती है। किन्तु इस विधि से बाजार-माँग-तालिका का निर्माण करने में एक कठिनाई यह है कि समस्त क्रेताओं

का एक प्रतिनिधि क्रेता चुनना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि विभिन्न क्रेताओं की भाव, रसि भादि में बहुत अन्तर होते हैं । हाँ, यदि यह बलना कर लें कि ये अन्तर एक-दूसरे को नष्ट कर देते हैं, तो प्रतिनिधि क्रेता चुना जा सकता है ।

मार्शल का कहना है कि एक व्यक्ति विशेष तो अनियमित रूप से व्यवहार कर सकता है, जिस कारण व्यक्तिगत-माँग-तालिका भङ्ग और असमतल होती है, किन्तु सम्पूर्ण रूप में बाजार का आचरण अधिक नियमित होता है, जिस कारण बाजार-माँग-तालिका प्रभङ्ग और असमतल होती है ।

यह भी स्मरणीय है कि दोनों प्रकार की तालिकाओं में समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है । यदि कीमत-परिवर्तन के साथ समायोजन के लिए माँग को अधिक समय दिया जाता है, तो माँग 'लौचदा' (Elastic) और यदि कम समय दिया जाता है, तो माँग 'देलौच' (Inelastic) हो जायेगी । यही नहीं, विचाराधीन अवधि जितनी बड़ी होगी, भविष्य में अनुमानित कीमतों का प्रभाव भी उतना ही अधिक पड़ेगा ।

बाजार-माँग-तालिका की काल्पनिकता—

इस तालिका में अन्तिम पाना कुल माँग को दिखाता है । यदि पहले और अन्तिम कीमतों को एक साथ रख दिया जाये तो बाजार-माँग-अनुसूची प्राप्त हो जाती है । किन्तु यह अनुसूची केवल कल्पित होगी, जिसके निम्न कारण हैं :—(१) सुविधा के लिए हमने मान लिया है कि बाजार में केवल ६ ग्राहक हैं । किन्तु वास्तव में बाजार में ग्राहकों की महत्ता अधिक होती है और कभी-कभी तो यह असीमित हो सकती है । (२) हमने यह मान लिया है कि बाजार में केवल एक ही प्रकार की चीनी है । यह मान्यता भी गलत है क्योंकि बाजार में एक ही साथ कई प्रकार की चीनी विकती है । (३) हमने यह भी मान लिया है कि बाजार पूर्ण है, जिसका अर्थ यह होता है कि सभी विक्रेताओं द्वारा माँगी हुई कीमतों सभी ग्राहकों को प्राप्त होती हैं और पूरे बाजार में वस्तु की केवल एक ही किस्म बेची जाती है । किन्तु वास्तविक जीवन में अपूर्ण प्रतियोगिता देखी जाती है, पूर्ण प्रतियोगिता नहीं । (४) इसके साथ ही साथ हमने यह भी माना है कि पाठ्यालय पर भी किसी प्रकार का व्यय नहीं होना, जो स्पष्टतः गृहितपूर्ण है । (५) और भी बहुत-सी मान्यताएँ हैं जो हमने यहाँ स्वीकार की हैं । जैसे—जनसंख्या, आय और रकियों तथा प्रतियोगी वस्तुओं की कीमतों में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं होते ।

इतनी सारी मान्यताओं के होते हुए भी हम केवल माँग की अनुसूची का एक भाग ही दिखाने में सक्षम हैं, क्योंकि माँग की पूरी अनुसूची, जिसमें शून्य से प्रारम्भ होती हुई कीमतों से लेकर उन कीमतों तक, जिन पर माँगी हुई मात्रा शून्य रह जाती है, माँग की मात्राएँ दिखाई गई हों, प्राप्त करने में नहीं बनाई जा सकती हैं । किन्तु यहाँ पर यह बताना होगा कि अनुसूची पर यह बताना होगा कि यदि भविष्य में कीमतों में बहुत परिवर्तन होने की सम्भावना नहीं है और यदि माँग को प्रभावित करने वाले घटक यथास्थिर रहने हैं, तो माँग की अनुसूची का बड़ी भाग यथार्थ में लाभदायक होगा जो प्रचलित कीमतों के पास-पड़ोस से सम्बन्धित है ।


किन्तु इस पर भी तात्पर्य बनाने का लाभ है । क्योंकि कीमत-परिवर्तनों के फलस्वरूप माँगी गई मात्राओं में होने वाले परिवर्तनों का एक मोटा अनुमान तो लगाया ही जा सकता है । हमने विश्व मन्त्री का कर लगाने में, उपभोक्ता को बजट बनाने में और एकाधिकारी को अपना लाभ अधिकतम करने में सुविधा हो जाती है ।

माँग-वक्र (Demand Curve)

माँग-रेखा का अर्थ—

माँग-तालिका को एक रेखाचित्र द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। ऐसी रेखा या वक्र को माँग-रेखा या माँग-वक्र (Demand Curve) कहते हैं। माँग-रेखा विभिन्न कीमतों पर वस्तु विशेष की एक निश्चित समय में खरीदी जाने वाली मात्राओं को सूचित करती है। माँग-तालिका के ही समान माँग-रेखा भी दो प्रकार की हो सकती है—व्यक्तिगत-माँग-रेखा (Individual demand curve) जो व्यक्तिगत-माँग-तालिका पर आधारित होती है, और बाजार-माँग-रेखा (Market demand curve) जो बाजार-माँग-तालिका पर आधारित है।

ऊपर दी हुई माँग-अनुसूची से हम यह देख सकते हैं कि बाजार में कीमत के ६ विवरण हैं, अर्थात् ६ अलग-अलग कीमतों पर माँग की मात्राएँ दिखाई गई हैं। इनमें से प्रत्येक विवरण (Statement) को रेखा-चित्र पर बिन्दु के रूप में (By a point in a system of rectangular co-ordinates) दिखाया जा सकता है और इस विधि से जो कुछ बिन्दु हमें प्राप्त हों उन्हें मिला कर एक वक्र-रेखा का निर्माण किया जा सकता है। यही माँग-वक्र होगा। निम्नांकित रेखा-चित्र में चीनी की माँग की मात्राएँ OX रेखा पर नापी गई हैं और कीमतें OY रेखा पर एवं DD माँग-वक्र-रेखा दिखाई गई है।



चित्र—माँग-वक्र

उपर्युक्त चित्र में DD माँग की रेखा है। चित्र में ६ गुणा के निशान उन छ बिन्दुओं को दिखाते हैं जो ६ विवरणों को व्यक्त करते हैं। DD रेखा का प्रत्येक बिन्दु यह दिखाता है कि एक निश्चित कीमत पर माँग की मात्रा कितनी है।

माँग-रेखा के पीछे मान्यताएँ—

माँग-तालिका कुछ मान्यताओं के आधार पर बनाई जाती है, जिस कारण माँग-रेखा का निर्माण भी मान्यता-युक्त होता है। माँग-रेखा के पीछे अज्ञात मान्यताएँ होती हैं :—(१) कि कुछ कीमतें दी हुई और स्थिर हैं। (इस प्रकार, माँग-रेखा एक स्थैतिक दशा को सूचित करती है।) (२) कि उपभोक्ता के स्वभाव और उसकी रुचि में परिवर्तन नहीं होता है। (३) कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय भी स्थिर रहती है। (४) कि उन वस्तुओं की कीमतों में भी, जिनमें उपभोक्ता रुचि रखता है, परिवर्तन नहीं होते हैं। (५) कि कीमत में होने वाले प्रत्येक सूक्ष्म

परिवर्तन का माँग पर प्रभाव पड़ता है। [व्यवहार में कीमत में एक निश्चित मात्रा में परिवर्तन होने पर ही माँग में परिवर्तन होता है, जिस कारण माँग-रेखा में बहुत से बल (Kinks) या कोने (Angularities) पाये जाते हैं, यह समतल और अमञ्ज नहीं होती है।] (६) कि वस्तु की अत्यन्त छोटी-छोटी इकाइयाँ मौजूद हैं।

उपर्युक्त मान्यतायें व्यावहारिक जगत में सत्य नहीं उतरती हैं, जिस कारण माँग-तालिका की भाँति माँग-वक्र भी न्यूनाधिक अनुमानजनक होता है।

माँग का नियम

(Law of Demand)

जँहा कि हम आरम्भ में ही बता चुके हैं, माँग का सम्बन्ध सदैव कीमत और समय से होता है। किसी बाजार में किसी समय विशेष में किसी वस्तु की कितनी माँग होगी, यह उसके दामों पर निर्भर होता है। बहुत ही देखा गया है कि जब किसी वस्तु के दाम गिर जाते हैं, तो लोग उसे अधिक मात्रा में खरीदने लगते हैं। इसी प्रकार, यदि किसी वस्तु के दाम बढ़ जाते हैं, अर्थात् वह पहले से अधिक महँगी हो जाती है, तो उसे कम मात्रा में खरीदा जाता है। किसी भी दूकानदार से इस सत्य की पुष्टि की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, हम यह कह सकते हैं कि दाम के गिरने पर वस्तु के लिये माँग बढ़ जाती है तथा दाम बढ़ने पर माँग कम हो जाती है। यह कथन साधारण अनुभव पर निर्भर है।


सम्भव है कि ऐसा कुछ दशाओं में न होता हो। कभी-कभी ऐसा भी देखने में आता है कि दाम बढ़ने पर माँग भी बढ़ जाती है। उदाहरणस्वरूप, यदि भविष्य में किसी वस्तु के दाम अधिक बढ़ जाने की आशा है, तो इस समय उसके दाम बढ़ जाने पर भी लोग उसे पहले से अधिक मात्रा में खरीदेंगे। इसी प्रकार, कुछ वस्तुओं के विषय में यह भी सम्भव है कि दाम गिर जाने की दशा में भी उसकी माँग घट जाये। यदि कोई नई निकासी हुई औपधि रोग नाश के लिये निष्फल सिद्ध होती है, तो दाम घट जाने पर भी उसकी माँग कम हो जायगी। इस प्रकार, हम देखते हैं कि सब दशाओं में ऐसा नहीं होता कि दाम गिरने पर माँग बढ़े, और न सब दशाओं में दाम बढ़ने पर माँग में कमी आती है। किन्तु अधिकांश वस्तुओं के विषय में तथा अधिकांश परिस्थितियों में उपरोक्त कथन सत्य होता है।

माँग के नियम का कथन—

साधारणतया माँग का घटना-बढ़ना दामों के घटने-बढ़ने की विपरीत दिशा में होता है। माँग की प्रवृत्ति अथवा प्रवृत्ति इस प्रकार की है कि उसमें कीमत की विपरीत दिशाओं में परिवर्तन होते हैं।¹ माँग की प्रवृत्ति की अर्थशास्त्रियों ने माँग के नियम का नाम दिया है। अर्थशास्त्र के और बहुत से नियमों की भाँति यह नियम भी साधारणतया ही सही होता है। इसका हर घटा में सही होना आवश्यक नहीं है।

¹ 'Changes in demand are in the opposite direction to the changes in price.'

नीचे दिये हुए रेखा-चित्र में माँग के नियम का चित्रण किया गया है। प म रेखा माँग की वक्र रेखा है। अ ख रेखा पर कीमत की इकाइयाँ नापी गई हैं और अ क रेखा पर माँग की



चित्र—माँग का नियम

मात्राये। इस चित्र के देखने से पता चलता है कि र भ दाम पर माँग की मात्रा अ भ है तथा न च दाम पर यह मात्रा बढ़कर अ च के बराबर हो जाती है। अतः सिद्ध होता है कि दाम के घटने के साथ-साथ माँग की मात्रा बढ़ जाती है। इसके विपरीत, हम यह भी कह सकते हैं कि दाम के बढ़ने से माँग कम हो जाती है। इस प्रकार, दाम के परिवर्तनों के साथ-साथ माँग में भी परिवर्तन होता है। किन्तु इन परिवर्तनों की दिशा दाम की प्रतिविरोधी (Opposite) होती है।

यहाँ पर माँग के नियम की कुछ परिभाषायें दे देना आवश्यक प्रतीत होता है :—

(१) मार्शल—“बिक्री के लिये वस्तु की मात्रा जितनी अधिक होगी, ग्राहकों को प्रान्वित करने के लिये कीमत भी उतनी ही नीची होनी चाहिए, ताकि पर्याप्त ग्राहक मिल सकें। दूसरे शब्दों में, कीमत के गिरने से माँग बढ़ती है और कीमत के ऊपर उठने से माँग घटती है।”¹

(२) टामस—“एक निश्चित समय पर प्रचलित कीमत पर वस्तु अथवा सेवा के लिये माँग उससे अधिक होगी जितनी कि उससे ऊँची कीमत पर होती है और उससे कम होगी जो उससे नीची कीमत पर होती है।”²

¹ “The greater the amount to be sold, the smaller must be the price at which it is offered in order that it may find purchasers or in other words the amount demanded increases with a fall in price and diminishes with a rise in price”—Marshall : *Principles of Economics*, p. 99

² “At any given time, the demand for a commodity or service at the prevailing price is greater than it would be at a higher price and less than it would be at a lower price”—S. E. Thomas *Elements of Economics*, pp 52-53

(३) ड्यूबेट—“यदि माँग की दशाएँ अपरिवर्तित रहें, तो कीमत में वृद्धि के साथ-साथ वस्तु के लिये माँग घटती है और कीमत में कमी के साथ-साथ माँग बढ़ती है।”¹

(४) बेनहाम—“माँग की मात्रा कीमत से सम्बन्धित होती है।”²

संक्षेप में, माँग का नियम बताता है कि वस्तु की अधिक इकाइयाँ कम कीमत पर और कम इकाइयाँ ऊँची कीमत पर बिकेगी। स्मरण रहे कि माँग का नियम एक गुणवाचक (Qualitative) कथन है, परिमाणवाचक (Quantitative) नहीं। अर्थात् यह केवल माँग के परिवर्तन की 'दिशा' को बताता है परिवर्तन के 'परिमाण' को नहीं। अन्य शब्दों में, माँग और कीमतों के परिवर्तन विपरीत दिशाई होते हैं आनुपातिक नहीं।

नियम की मान्यताएँ—

इत परिभाषाओं में यह स्वीकार किया गया है कि कीमतों की घटत-बढ़त के साथ माँग के बढ़ने-घटने की प्रवृत्ति तभी दृष्टिगोचर होती है जबकि अन्य बातें यथास्थिर रहें। कुछ परिभाषाओं में तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख भी कर दिया गया है। प्रो० मेयर्स (Meyers) के अनुसार, माँग के नियम की कार्यशीलता के लिये निम्नलिखित दशाएँ या मान्यताएँ पूरी होनी चाहिये :—(i) व्यक्तियों की आय रागान रहना; (ii) उनकी स्वभाव और र्वि अपरिवर्तित रहना; (iii) आय तथा अन्य वस्तुओं की कीमतें समान रहना; (iv) नई स्थानापन्न वस्तुओं की खोज न होना; (v) वस्तु की कीमत में और अधिक परिवर्तनों की आशा न होना; एव (vi) वस्तु विशेष प्रतिष्कारक वस्तुओं की श्रेणी की नहीं होनी चाहिए।

माँग के नियम की व्याख्या—

माँग-रेखाएँ बायें को नीचे की ओर क्यों झुकती हैं—यैसा कि माँग के नियम के रेखाचित्र में दिखाया गया है (और माँग की सारणी से भी स्पष्ट होता है), माँग-रेखा ऊपर से नीचे की ओर जाती है। बात यह है कि किसी वस्तु की कीमत के गिरने से उसकी अधिक बिक्री होने लगती है और कीमत के बढ़ने से बिक्री घट जाती है। इसी से माँग-रेखा बायें को नीचे की ओर झुकती है। परन्तु प्रश्न यह है कि ऐसा होता क्यों है ? इस सम्बन्ध में निम्नांकित कारण प्रस्तुत किये गये हैं :—

(१) उपयोगिता ह्रास नियम की क्रियाशीलता—जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु अथवा सेवा को खरीदता है, तो इससे उसे कुछ उपयोगिता की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार, जो दाम वह इस वस्तु अथवा सेवा के बदले में देता है उसके रूप में कुछ उपयोगिता उसके पास से निकल जाती है। जब किसी वस्तु के दाम गिर जाते हैं, तो इसका अर्थ यह होता है कि किसी निश्चित कीमत पर उस वस्तु को पहले से अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है अथवा इस प्रकार समझिये कि उस वस्तु विशेष की प्रत्येक इकाई (Unit) के बदले में पहले से कम कीमत देनी पड़ती है, अर्थात् पहले से कम उपयोगिता देकर हम पहले से अधिक मात्रा में उपयोगिता प्राप्त कर लेते हैं। यही कारण है कि हम उस वस्तु की अधिक इकाइयाँ खरीदने का प्रयत्न करते हैं।

¹ “A rise in the price of a commodity or service is followed by reduction in demand and a fall in price is followed by an increase in demand if conditions of demand remain constant.”—K. K. Dewett: *Modern Economic Theory*, p. 66.

² “.....amount sold is the function of the price of the goods.”—Benham : *Economics*, p. 47.

इसके विपरीत, कीमत बढ़ जाने पर हम उसी वस्तु की प्रत्येक इकाई के लिए पहले से अधिक दाम देते हैं, अर्थात् प्रत्येक इकाई की प्राप्ति में पहले से अधिक उपयोगिता मुद्रा के रूप में हमारे पास से निकल जाती है, और इसीलिए हम उस वस्तु को पहले से कम मात्रा में खरीदने लगते हैं। यह तो सभी जानते हैं कि साधारणतया मनुष्य के पास धन सीमित मात्रा में होता है और इस धन का व्यय बहुत सारी वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने पर किया जाता है। किसी वस्तु विशेष की कीमत बढ़ जाने से मुद्रा की प्रत्येक इकाई के बदले में दूसरी वस्तुओं तथा सेवाओं की अपेक्षा उसकी कम मात्रा मिलती है। अतः हम उस वस्तु विशेष पर व्यय कम करके दूसरी वस्तुओं पर अधिक व्यय करने लगते हैं और इस प्रकार उस वस्तु के लिये हमारी माँग कम हो जाती है।

(२) प्रतिस्थापन प्रभाव—जब अन्य वस्तुओं की कीमतें अपरिवर्तित रहते हुए वस्तु विशेष की कीमत गिरती है, तो यह वस्तु अन्य वस्तुओं की अपेक्षा सस्ती प्रतीत होने लगती है अथवा यो कहें कि अन्य वस्तुओं इस वस्तु की अपेक्षा महँगी प्रतीत होने लगती हैं। अतः लोग वस्तु विशेष का अन्य वस्तुओं के स्थान में प्रतिस्थापन करने लगते हैं। यही 'प्रतिस्थापन प्रभाव' है। वस्तु की कीमत गिरने से इसके बढ़ते हुए उपयोग को निम्न उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है—मान लीजिये कि एक ऐसे खाद्य पदार्थ की कीमत घट गई है जिसका बहुत अधिक उपयोग होता है। (जैसे गेहूँ), परन्तु, साथ ही साथ, अन्य वस्तुओं की कीमतें नहीं घटी हैं। ऐसा दशा में उपभोक्ता कम व्यय पर ही अपने पुराने जीवन-स्तर को बनाये रखने हेतु अन्य वस्तुओं के स्थान पर गेहूँ का उपभोग आरम्भ कर देगा। यद्यार्थ में दस दशा में उपभोक्ता बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे कि एक व्यवसायी उत्पत्ति के एक साधन के सस्ता होने की दशा में चलता है। एक व्यवसायी अन्य उत्पत्ति के साधनों के स्थान पर उस साधन का उपयोग करने का प्रयत्न करना है जो सस्ता हो गया है ताकि वह कुल लागत को नीची करके भी समान उपज प्राप्त कर सके। ठीक इसी प्रकार, एक उपभोक्ता भी महँगी वस्तु के स्थान पर सस्ती का उपयोग करेगा, जिससे कम व्यय करके भी उसे समान सन्तोष मिल सके।

इसी प्रकार, यह दिखाया जा सकता है कि यदि अन्य वस्तुओं की कीमतें अपरिवर्तित रहते हुए वस्तु विशेष की कीमत बढ़ जाय, तो लोग इस वस्तु के स्थान पर अन्य वस्तुओं का प्रयोग करने लगेंगे, जिस कारण वस्तु विशेष की माँग कम हो जायेगी।

अतः स्पष्ट है कि प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण भी वस्तु की कीमत गिरने पर माँग बढ़ती है और कीमत बढ़ने पर माँग घटती है। इसी कारण माँग रेखा बायें से दाहिने की ओर जाती है।

(३) आय-प्रभाव—किसी वस्तु की कीमत में कमी होना यद्यार्थ में उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि होने के सदृश्य है। ऊँची वास्तविक आय एक व्यक्ति को इस योग्य बना देती है कि वह इस वस्तु को या अन्य वस्तुओं को अधिक मात्रा में खरीद सके। इसी प्रकार, वस्तु की कीमत में वृद्धि उपभोक्ता की वास्तविक आय में कमी होने के समान है और नीची वास्तविक आय व्यक्ति को वस्तु विशेष की या अन्य वस्तुओं की खरीद घटाने की प्रेरणा देती है। अतः स्पष्ट है कि आय-प्रभाव बताता है कि माँग-रेखा बायें से दाहिने की ओर क्यों झुकती है। मार्शल ने वस्तु के नियम की व्याख्या करते समय आय-प्रभाव को मुला दिया यद्यपि कीमत-प्रभाव को विचार में लिया था।

(४) नये क्रेताओं का आगमन या पुराने क्रेताओं का बहिर्गमन—वस्तु विशेष की कीमत गिरने पर कुछ नये क्रेता, जो कि पहले समय नहीं थे अब वस्तु को खरीदने लगते हैं, जिस कारण कुल माँग में वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत, वस्तु विशेष की कीमत बढ़ने पर

कुछ पुराने क्रेता वस्तु को खरीदने में असमर्थ हो जाते हैं और इसलिए कुल माँग में कमी हो जाती है। यह भी एक कारण है कि माँग-रेखा वयो वाये से धीमे की नीचे की ओर झुकती है।

माँग के नियम के अपवाद (माँग-रेखा के अन्य रूप)

पिछले सभी विवेचन में हमने यही देखा है कि अधिकांश माँग-रेखाएँ बाईं से दाहिनी ओर की नीचे की दिशा में मुड़ती हैं; परन्तु यह माँग-रेखा का सामान्य रूप (General shape) है। विशेष दशाओं (exceptional cases) में माँग-रेखा के अन्य रूप भी हो सकते हैं। कुछ माँग-रेखाएँ ऊपर की ओर मुड़ती हैं, जो यह दिखाती हैं कि ऊँची कीमतों पर वह वस्तु अधिक मात्रा में खरीदी जायेगी। अर्थात् जैसे-जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी, उस पर व्यय किये हुए धन की मात्रा भी बढ़ेगी। निम्न अधिकांश दशाएँ ऐसी नहीं होतीं और केवल कभी-कभी ही ऐसी दशा हमारे सामने आती है। ऐसी दशाओं का अध्ययन सर रॉबर्ट ग्रिफिन (Sir Robert Griffen) ने किया है और इन्हें प्रथमशास्त्र में उनके नाम पर 'ग्रिफिन का विरोधाभास' (Griffen's paradox) कहते हैं जो इस प्रकार है कि, "कीमत के बढ़ने से माँग हटती है और कीमत के घटने से माँग कमजोर होती है।"¹ बेनहाम ने इस प्रकार की असाधारण माँग के निम्नलिखित मुख्य कारण बताये हैं :—

(१) भविष्य में कीमतों में घटा-बढ़ी होने की आशा—जब लोग यह अनुभव करते हैं कि वस्तु विशेष की कीमत भविष्य में और भी अधिक बढ़ जाने की सम्भावना है, तो वे उसे अब भी (जबकि कीमते बढ़ गई है) पहले से अधिक मात्रा में खरीदने लगेंगे। सट्टा बाजार में इस प्रकार का दृश्य सदा ही प्रस्तुत होता है, क्योंकि भविष्य में कीमत चढ़ जाने की सम्भावना के आधार पर सटोरिये अभी से प्रतिभूतियों को अधिक मात्रा में खरीदने लगते हैं। यथार्थ में, जैसा कि बेनहाम ने कहा है, यह दशा लोगों की भविष्य सम्बन्धी आशाओं में परिवर्तन के कारण माँग की दशा में परिवर्तन होने की सूचक है।

[यदि यह ध्यान रखें कि माँग के नियम की एक मान्यता यह थी कि वस्तु की कीमत भविष्य में और अधिक बढ़ने की सम्भावना नहीं होनी चाहिये तो उक्त परिस्थिति को नियम का अपवाद नहीं कहा जा सकता। पुनः उक्त परिस्थिति केवल अल्पकाल में ही देखी जाती है।]

(२) प्रतिष्ठासूचक वस्तुएँ—कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं कि उनका पास होना प्रतिष्ठा अथवा सम्मान का सूचक होता है। ऐसी वस्तुओं की कीमत जितनी अधिक होगी उतनी ही उनकी प्रतिष्ठा व महत्त्व अधिक होगा, उदाहरणस्वरूप हीरे-जवाहरात का। जब ऐसी वस्तुओं की कीमते बढ़ती है, तो धनी लोग अपने धन का प्रदर्शन करने के लिये इन्हें पहले से भी अधिक मात्रा में खरीदने लगते हैं।

[नियम की एक मान्यता यह भी थी कि वस्तु विशेष प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली न हो। इस दृष्टि से उपर्युक्त परिस्थिति को नियम का अपवाद नहीं कहा जा सकता।]

(३) अज्ञानता या भ्रम—कभी-कभी उपभोक्ता भी अज्ञानता से प्रभावित होकर कार्य करते हैं। वे समझते हैं कि प्रत्येक सस्ती वस्तु 'निम्न कोटि' की और प्रत्येक महँगी वस्तु 'ऊँची कोटि' की होती है। अतः यह सम्भव है कि यदि एक चित्र के दाम नीचे रखे जाएँ, तो लोग उसकी माँग कम करें और दामों को बढ़ाने से उसकी माँग बढ़ सकती है।

¹ "Demand is strengthened with a rise or weakened with a fall in price."


(४) अति आवश्यक वस्तुएँ—यदि किसी अति आवश्यक वस्तु (जैसे गेहूँ) की कीमत बढ़ती है, तो उपभोक्ता को अपने समस्त व्यय में फिर से समापोजन करना होगा। ऐसी दशा में यह सम्भव है कि उपभोक्ता कम पोष्टिक पदार्थों पर अपना व्यय घटाकर गेहूँ पर अपना व्यय बढ़ाये, अतः कीमत बढ़ने पर भी गेहूँ की माँग बढ़ सकती है।

(५) फँसत एवं प्रिय वस्तुएँ—यदि वस्तु विशेष का फँसत इतना बढ़ जाय कि उसके न होने से लोग हीनता का अनुभव करने लगते हैं, तो ऐसी दशा में यह सम्भव है कि उस वस्तु की कीमत बढ़ने पर भी लोग उसे पहले से अधिक मात्रा में खरीदने लगे। इसी प्रकार, यदि किसी वस्तु ने लोगों के दिल में ऐसा घर कर लिया है कि वह उन्हें निरन्तर और अधिक मात्रा में चाहिये, तो कीमत बढ़ने पर भी उनकी माँग बढ़ेगी भले ही उपभोक्तियों को अपना व्यय अन्य वस्तुओं पर घटाना पड़े।

माँग-रेखा के ऊपर जाने का सबसे अच्छा उदाहरण हीन-वस्तुओं (Inferior goods) द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। हीन वस्तु वह है—(i) जिसका उपभोग आय के नीचे स्तरों पर ही होता है, (ii) जिस पर निर्धन व्यक्ति की आय का अधिक विशाल भाग व्यय होता है; और (iii) जिस वस्तु के निकट स्थानापन्न उपलब्ध नहीं होते हैं। हमारे देश में जो और ज्वार इसके अच्छे उदाहरण हैं। वस्तु की कीमत में कमी होने पर उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा भाग दबा लेता है और इस प्रकार पहले की तुलना में धनी हो जाता है। अब क्योंकि ऐसी वस्तुओं को नीचे आय-स्तर पर ही खरीदा जाना है इसलिए धनी होते ही उपभोक्ता इसका उपभोग तेजी से घटाना है और इनके स्थान पर उत्तम वस्तुएँ (जो के स्थान पर गेहूँ) खरीदने लगता है। अतः कीमत घटने पर हीन-वस्तु की माँग बढ़ने के स्थान पर उल्टी घट जाती है विशेषतया कीमत के एक निश्चित सीमा से अधिक घट जाने की दशा में। ऐसी वस्तुओं की माँग की रेखा साधारणतया निम्न रेखा-चित्र के अनुसार होती है :—

इस चित्र में पहले तो ऐसा होता है कि कीमत र ल से घट कर प म रह जाने से माँग की मात्रा अ ल से बढ़ कर अ म हो जाती है, परन्तु बाद में जब कीमत प म से घट कर च ब होती है तो माँग बढ़ने के स्थान पर अ म से घट कर केवल अ ब के बराबर रह जाती है।

रमरण रहे कि उपरोक्त अपवाद कुछ थोड़ी दशाओं में सम्भूल आते हैं। साधारण परिस्थितियों में माँग का नियम सही होता है और माँग की मात्रा के परिवर्तन कीमतों की विपरीत दिशाओं में होते हैं।



चित्र—हीन वस्तुओं की माँग-रेखा

माँग में परिवर्तन (अर्थात् माँग में वृद्धि या कमी) और

माँगी गई मात्रा में परिवर्तन (अर्थात् माँग में विस्तार या संकुचन)


साधारण बोलचाल में 'माँग में परिवर्तन' (Change in Demand) और 'माँगी हुई मात्रा में परिवर्तन' (Change in Amount Demanded) दोनों वाक्यांश एक ही अर्थ में

प्रयोग किये जाते हैं लेकिन धर्मशास्त्र में ये कुछ भिन्न अर्थ रखते हैं। 'माँग में वृद्धि' (या कमी का आशय) 'माँग के विस्तार' (या संकुचन) से भिन्न होता है। इस भिन्नता को नीचे समझाया गया है।

माँग में विस्तार या संकुचन—

माँग में विस्तार या संकुचन (Expansion or Contraction of Demand) केवल कीमत में परिवर्तन के परिणामस्वरूप होते हैं और इस प्रकार एक ही माँग-रेखा पर होने वाली गतिविधि के रूप में प्रदर्शित किये जाते हैं—नीचे की ओर गति कीमत में कमी होने के फलस्वरूप माँग के विस्तार को तथा ऊपर की ओर गति कीमत में वृद्धि होने के फलस्वरूप माँग के संकुचन को बताती है।

साथ के चित्र में म म माँग-रेखा है। जब कीमत च न है, तो माँगी हुई मात्रा म न है। यदि इसी रेखा पर चलते हुए नीचे च^२ बिन्दु पर पहुँच जाती है तो कीमत में कमी होकर माँगी हुई मात्रा म न^१ हो जाती है। इसे 'माँग का विस्तार' कहेंगे। यदि म म पर चलते हुए ऊपर च^१ बिन्दु पर पहुँच जाती है तो कीमत में वृद्धि होकर माँगी हुई मात्रा म न^१ रह जाती है। यही 'माँग का संकुचन' है।



ऊपर हमने देखा कि कीमत में परिवर्तन होने पर माँगी हुई मात्रा में भी परिवर्तन होता है किन्तु माँग-रेखा पूर्ववत् रहती है। इसका यह आशय हुआ कि कीमत-परिवर्तन 'माँगी हुई मात्रा' में तो परिवर्तन लाता है किन्तु 'माँग' में नहीं। इस परिस्थिति में उपभोक्ता एक निष्क्रिय भूमिका निभाता है अर्थात् वह कीमत द्वारा निर्देशित होता है। उसकी माँग-तालिका (और इसलिए माँग-रेखा) वही रहती है और वह कीमत के निर्देशन में उसी रेखा पर ऊपर-नीचे चलता रहता है।

चित्र—माँग में विस्तार या संकुचन

है। इसका यह आशय हुआ कि कीमत-परिवर्तन 'माँगी हुई मात्रा' में तो परिवर्तन लाता है किन्तु 'माँग' में नहीं। इस परिस्थिति में उपभोक्ता एक निष्क्रिय भूमिका निभाता है अर्थात् वह कीमत द्वारा निर्देशित होता है। उसकी माँग-तालिका (और इसलिए माँग-रेखा) वही रहती है और वह कीमत के निर्देशन में उसी रेखा पर ऊपर-नीचे चलता रहता है।


माँग में वृद्धि या कमी—

माँग की कीमत को छोड़कर अन्य निर्धारक तत्वों में से किसी के भी परिवर्तन के फलस्वरूप माँग पर जो प्रभाव पड़ता है उसे 'माँग में परिवर्तन' कहा जाता है। अन्य निर्धारक तत्व निम्न हैं—उपभोक्ता की आय, एचि व पसन्द, जनसंख्या, स्थानावर्तन वस्तुओं की उपलब्धता इत्यादि। 'माँग में परिवर्तन' की दशा में माँग-रेखा या तो दायें को हट जाती है [जिस परिस्थिति में 'माँग में वृद्धि' (Increase in Demand) कही जाती है] या बायें को [जिस दशा में यह कहेंगे कि 'माँग में कमी' (Decrease in Demand) हुई है।]

इस प्रकार, माँग में परिवर्तन का आशय यह होता है कि उपभोक्ता की माँग-तालिका बदल गई है। यहाँ उपभोक्ता एक सक्रिय भूमिका निभाता है अर्थात् कीमत द्वारा निर्देशित नहीं हाता बरन् अपनी आय, प्रादि बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी माँग को कम या अधिक, स्वयं ही निश्चित करता है।

स्मरण रहे कि माँग के बढ़ने के दो अर्थ हो सकते हैं—(i) पहले की बराबर कीमत पर ही वस्तु को पहले से अधिक मात्रा खरीदी जाय और (ii) पहले से ऊँची कीमत पर भी वस्तु को पहले के बराबर ही मात्रा खरीदी जाय। इसी प्रकार, माँग के घटने के भी दो अर्थ हो सकते हैं—(i) पुरानी कीमत पर वस्तु की पहले से कम मात्रा खरीदी जाय, और (ii) पहले

से नीची कीमत पर वस्तु की पहले के बराबर ही मात्रा खरीदी जाय। निम्न रेखा-चित्र में चाय की माँग की वृद्धि और कमी को दिखाया गया है—



चित्र—माँग की वृद्धि और कमी

इस रेखा-चित्र में म न माँग की आरम्भिक रेखा है। च न कीमत पर माँग की मात्रा अ न के बराबर है। र र रेखा माँग की वृद्धि को दिखाती है, क्योंकि त थ कीमत पर (त थ भी च न के बराबर है) माँग की मात्रा अ थ के बराबर हो जाती है, जो अ न से अधिक है जिससे पता चलता है कि माँग बढ़ गई है। ल ल रेखा माँग के घटने को दिखाती है। स ब कीमत पर (स ब = च न) माँग की मात्रा घट कर केवल अ ब के बराबर रह जाती है, जो अ न से बहुत कम है, अतः माँग घट गई है।

स्मरण रहे कि माँग के निर्धारक-घटक (कीमत को छोड़कर) दीर्घकाल में ही बदल जाते हैं, स्थिर नहीं रहते। अतः 'माँग में परिवर्तन' का महत्त्व दीर्घकाल में है। इसके विपरीत, अन्य निर्धारक घटक अल्पकाल में स्थिर रहते हैं, केवल कीमत में ही परिवर्तन होते रहते हैं, जिस कारण 'माँगों हुई मात्रा में परिवर्तन' का महत्त्व अल्पकालीन है।

माँग के निर्धारक तत्त्व अथवा माँग को प्रभावित करने वाले तत्त्व

दैनिक जीवन में माँग पर अनेक परिवर्तनशील तत्त्वों का प्रभाव पड़ता है, जो कि निम्न प्रकार हैं :—

(१) आय—कोई व्यक्ति कितनी वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करेगा यह उसकी आय पर निर्भर होता है। अधिक आय का अर्थ है अधिक उच्च शक्ति और कम आय का अर्थ है कम उच्च शक्ति। अतः आय के बढ़ने पर वस्तु विशेष के लिए माँग अधिक होगी और आय के घटने पर उसके लिए माँग कम होगी। आय के प्रभाव के सम्बन्ध में तीन बातें स्मरणीय हैं :— (अ) आवश्यक वस्तुओं पर आय के परिवर्तन का आरामदायक और विलास की वस्तुओं की अपेक्षा कम प्रभाव पड़ता है; (ब) आय के परिवर्तन का प्रभाव माँग पर तत्काल ही पड़ सकता है या कुछ समय के बाद भी, और भूतकालीन राजस्व आय भी वर्तमान माँग को प्रभावित कर सकती है; (स) आय के परिवर्तन का माँग पर कितना प्रभाव पड़ेगा यह उपभोक्ताओं की वयस्क-प्रवृत्ति पर भी निर्भर है। जैसे—यदि बचत-प्रवृत्ति तीव्र है, तो बड़ी हुई आय में से वे अधिक बचावेंगे और कम ही व्यय करेंगे, जिस कारण माँग में अधिक वृद्धि नहीं होगी।

(२) धन का वितरण—यदि धन का असमान वितरण है (अर्थात् धन इतने-गिने

व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित हो गया है), तो विलास की वस्तुओं के लिए माँग बढ़ेगी। इसके विपरीत, यदि धन का समान वितरण है (या धनी व्यक्तियों पर कर लगा कर प्राप्त धन निर्धनों के लाभार्थ व्यय किया जा रहा है), तो विलास की वस्तुओं के लिए माँग में कमी होगी, किन्तु अनिवार्य और प्रारामदायक वस्तुओं के लिए माँग बढ़ जायेगी।

(३) उपभोक्ताओं का अनुराग—जिस वस्तु के प्रति उपभोक्ताओं का अनुराग (Preference) बढ़ेगा उसकी माँग भी बढ़ जायेगी और जिस वस्तु के प्रति उनका अनुराग घटेगा उसकी माँग कम हो जायेगी। उदाहरणार्थ, फॅशन में परिवर्तन होने से धोती-कुर्ते के प्रति उपभोक्ताओं का अनुराग कम होकर पैट-बुशर्ट के प्रति बढ़ रहा है, जिस कारण माँग में भी तदनुसार घटा-बढी हो गई है।

(४) जलवायु और मौसम—गर्मी में ठण्डे पेय पदार्थों की माँग बढ़ जाती है किन्तु सर्दी में घट जाती है।

(५) जनसंख्या—जनसंख्या में वृद्धि होने पर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए माँग बढ़ जाती है।

(६) वस्तु विशेष की कीमत—कीमत के घटने पर माँग में कमी और कीमत के बढ़ने पर माँग में वृद्धि हो जाती है।

(७) भविष्य के कीमत-अनुमान—यदि भविष्य में वस्तु की कीमत और अधिक बढ़ने की आशा की जाती है, तो वर्तमान में उसके लिए माँग बढ़ेगी। इसके विपरीत, यदि भविष्य में कीमत के घटने की आशा हो, तो उसके लिए माँग घटेगी।

(८) सम्बद्ध वस्तुओं की कीमते—सम्बद्ध वस्तुओं या तो स्थानापन्न होती हैं अथवा पूरक। स्थानापन्न वस्तुओं की कीमते बढ़ने पर वस्तु विशेष के लिए माँग बढ़ जायेगी और कीमते घटने पर वस्तु विशेष के लिए माँग घट जायेगी। पूरक वस्तुओं के कीमत परिवर्तनों का वस्तु विशेष की माँग पर विपरीत दिशाई प्रभाव होता है। जैसे—स्याही महँगी होने पर स्याही के लिए माँग कम हो जायेगी और चूँकि स्याही का प्रयोग फाउन्टेनपैन के साथ होता है इसलिए फाउन्टेनपैन की माँग भी कम हो जायेगी।

(९) द्रव्य की मात्रा—मुद्रा का प्रसार होने पर लोगों की ऋण-शक्ति बढ़ जाती है तथा वस्तुओं के लिए माँग में भी वृद्धि हो जाती है। किन्तु मुद्रा का संकुचन होने पर लोगों की ऋणशक्ति घट जाती है, जिस कारण वस्तुओं के लिए माँग में भी कमी हो जाती है।

(१०) व्यापार की वशा—यदि व्यापारिक प्रतिबन्ध हटा लिये जाये, तो वस्तु की माँग में वृद्धि होती है, और यदि प्रतिबन्ध लगा दिये जाये, तो वस्तु की माँग घट जाती है। इसी प्रकार, व्यावसायिक तेजी के काल में वस्तुओं के लिए माँग बढ़ती है, किन्तु व्यावसायिक मन्दी के काल में वह घटती है।

परीक्षा प्रश्न :

१. 'माँग के नियम' से क्या आशय है ? इसे बिन्ने और तालिकाओं की सहायता से पुरस्त. समझाइये।

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम माँग के नियम का कथन दीजिये और इसकी क्रियाशीलता के बुनियादी कारण देकर व्याख्या कीजिए। तत्पश्चात् उदाहरण, चित्र और तालिकाएँ देकर नियम को समझाइये और अन्त में नियम के अपवाद संक्षिप्त में दीजिए।]

२. माँग के नियम को बताइये । उपयोगिता ह्रास नियम और माँग के नियम में सम्बन्ध का विवेचन कीजिए ।
[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम माँग के नियम का कथन दीजिए और उदाहरण, चित्र व तालिका देकर इसकी व्याख्या कीजिए । तत्पश्चात् इसकी त्रियाशीलता के बुनियादी कारणों को दीजिए किन्तु इनमें से उपयोगिता ह्रास नियम वाला कारण सबसे अन्त में दीजिए, जिससे कि माँग के नियम के साथ इसके सम्बन्ध को प्रमुखता मिल जाय ।]
३. माँग के नियम को समझाइये और प्रिफिन के विरोधाभास की व्याख्या कीजिये ।
[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम माँग के नियम का कथन दीजिये और इसकी त्रियाशीलता के कारणों को बताइये । तत्पश्चात् प्रिफिन के विरोधाभास अर्थात् माँग के नियम के अपवादों का विवेचन करिये ।]
४. प्रायः माँग रेखाएँ दायें को नीचे की ओर क्यों झुकती हैं ? इसके अपवाद बताइये ।
[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम माँग-रेखा के अर्थ को बताइये । तत्पश्चात् यह बताइये कि माँग-रेखाएँ दायें को नीचे की ओर क्यों झुकती हैं अर्थात् माँग के नियम की कार्यशीलता के कारणों को बताइये । अन्त में, यह स्पष्ट कीजिए कि माँग-रेखा के अन्य रूप भी हो सकते हैं अर्थात् माँग के नियम के अपवाद दीजिए ।]
५. "माँग में वृद्धि" और "माँग में विस्तार" के बीच अन्तर को स्पष्ट कीजिए । क्या तट-स्थता वक्र रेखाओं से माँग-रेखा निकाली जा सकती है ?
[सहायक संकेत —सर्वप्रथम माँग में वृद्धि और माँग में विस्तार के अर्थों को बताइये और रेखाचित्र देकर इसके अन्तर को स्पष्ट कीजिये । अन्त में तटस्थता वक्र रेखाओं की सहायता से माँग-रेखा निकालिये ।]
६. 'माँग में वृद्धि और माँग में विस्तार' तथा 'माँग में कमी और माँग में सकुचन' का अन्तर बताइये । किन परिस्थितियों में मूल्यों में वृद्धि के साथ-साथ माँग में वृद्धि होती है ?
[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम 'माँग में वृद्धि' और 'माँग में विस्तार' के अन्तर को स्पष्ट कीजिए । तत्पश्चात् 'माँग में कमी' और 'माँग में सकुचन' के अन्तर को समझाइये । साथ में प्रत्येक के लिए रेखाचित्र दीजिये । अन्त में, माँग के नियम के अपवाद (हीन वस्तुओं के प्रतिरिक्त) लिखिये ।]

माँग की लोच

(Elasticity of Demand)

प्रारम्भिक—

किसी वस्तु के लिए माँग की मात्रा अनेक बातों पर निर्भर होती है, मुख्यतया (i) वस्तु की कीमत, (ii) लोगों की आय, (iii) सम्बन्धित वस्तुओं की कीमतों और (iv) उपभोक्ताओं की रुचियों और आदतों पर। यदि इन चारों में से किसी भी एक कारक में परिवर्तन होता है, तो वस्तु की माँग की मात्रा में भी परिवर्तन हो जाते हैं। परन्तु हम यह देखेंगे कि इन कारकों के परिवर्तन के फलस्वरूप सभी वस्तुओं की माँग की मात्रा में समान रूप में परिवर्तन नहीं होते। कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं कि किसी भी एक कारक में थोड़ा-सा भी परिवर्तन हो जाने से उनकी माँग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। दूसरी ओर, कुछ वस्तुएँ ऐसी भी हैं जिनकी माँग पर इन कारकों के बहुत परिवर्तन का लगभग कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। विभिन्न कारकों के परिवर्तन के फलस्वरूप माँग के बदलने की प्रवृत्ति को माँग की लोच कहा जाता है।

माँग की लोच का अर्थ

उल्लेखनीय है कि लोच को समझने के लिये माँग-परिवर्तनों को प्रायः वस्तु की कीमत के परिवर्तनों से सम्बन्धित किया जाता है। मार्शल का अनुकरण करते हुये अनेक अर्थशास्त्रियों ने माँग की लोच को उन परिवर्तनों से सम्बन्धित किया है जो कीमत के घटने-बढ़ने से माँग की मात्रा में उत्पन्न होते हैं। वास्तविकता यह है कि इस प्रकार की लोच केवल एक विशेष प्रकार की लोच होती है जिसे अर्थशास्त्र में माँग की कीमत लोच (Price Elasticity of Demand) का नाम दिया जाता है। मार्शल के अनुसार, “माँग की लोच (अथवा माँग की संवेदनशीलता) किसी बाजार में इसके अनुसार कम या अधिक होती है कि कीमत में एक दी हुई घटत के फलस्वरूप माँग की मात्रा में कम या अधिक वृद्धि होती है और कि कीमत में एक दी हुई वृद्धि के फलस्वरूप माँग की मात्रा में कम या अधिक कमी होती है।”¹ इसी विचार को बिग्न और जॉर्डन ने कुछ बदली हुई भाषा में इस प्रकार रखा है, “कीमत में अल्प परिवर्तनों तथा इनके फलस्वरूप माँग की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों का पारस्परिक सम्बन्ध ही माँग की लोच कहलाता है। अधिक औपचारिक भाषा में, माँग की लोच, माँग की मात्रा के प्रतिशत परिवर्तनों और कीमत के प्रतिशत

¹ “The elasticity (or responsiveness of demand) in a market is great or small according to the amount demanded increases much or little for a given fall in price, and diminishes much or little for a given rise in price.”

—Marshall : Principles of Economics, p. 87.

परिवर्तनों का अनुपात है।¹ और भी अधिक स्पष्ट भाषा में कैरनकास इस प्रकार बताते हैं, "किसी वस्तु के लिए माँग की लोच वह दर है जिस पर, कीमत के बदलने के फलस्वरूप, यदि अन्य बातें यथास्थिर रहें, तो उसकी माँग की मात्रा बदलती है।"² इसी प्रकार, बेनहाम (Benham) का कहना है कि, "यह विचार कीमत के एक छोटे से परिवर्तन के माँग की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव से सम्बन्धित है।"³ इस प्रकार, माँग की लोच केवल किसी वस्तु की माँग के परिवर्तन के वेग अथवा उसकी गति को सूचित करती है। अर्थात् यह बताती है कि कीमत के घटने-बढ़ने से माँग कितनी तेजी से बढ़ती-घटती है। अथवा यो कहें कि कीमत और माँग के परिवर्तन की पारस्परिक घनिष्ठता का आभास कराती है।

माँग की लोच की गणितात्मक परिभाषायें भी दी गई हैं, यथा—(१) प्रो० बौल्डिंग (Boulding) "किसी वस्तु की कीमत में एक प्रतिशत परिवर्तन होने के फलस्वरूप उम वस्तु की माँग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसे माँग की लोच कहते हैं।"⁴ (२) श्रीमती रोबिन्सन (Robinson) "एक विशेष कीमत या उपज की मात्रा पर माँग की लोच पर, कीमत में एक छोटे से परिवर्तन के परिणामस्वरूप खरीदी गई मात्रा के अनुपातिक परिवर्तन को कीमत के अनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है।"⁵

स्मरण रहे कि माँग की लोच के अन्तर्गत हम माँग के उस परिवर्तन पर ही विचार करते हैं जो कि कीमत के अल्प परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, कीमत के अधिक परिवर्तन के फलस्वरूप माँग में होने वाले परिवर्तनों पर नहीं, क्योंकि उसमें सटोरियों का प्रभाव अधिक रहता है। साथ ही, यह भी आवश्यक है कि माँग के उस परिवर्तन को ही विचार में लाया जाय जोकि अल्प समय के लिये हो, क्योंकि दीर्घकाल में जो परिवर्तन दिखाई देता है उस पर मूल्य के परिवर्तन का ही नहीं, बल्कि बदलती हुई इच्छाओं रीति-रिवाजों आदि का भी प्रभाव पड़ता है।

माँग की लोच के भेद

यदि हम रचियों, आदतों और फैशनों के प्रभाव पर विचार न करें (और न करना उचित ही होगा क्योंकि इन सबके परिवर्तन उपभोक्ता के अनुराग को पूर्णतया बदल देते हैं, जिससे कि वह एक पूर्णतया नया उपभोक्ता बन जाता है), तो हम शेष तीनों कारणों के परिवर्तनों

1 "The relationship between small changes in price and consequent changes in the amounts of demand is known as elasticity of demand. More formally, demand elasticity is defined as the ratio between the percentage changes in the quantity demanded and the percentage change in price"

—Briggs and Jordan : *Textbook of Economics*, p 43.

2 "The Elasticity of Demand for a commodity is the rate at which the quantity bought changes as the price changes"—A Cairncross : *Introduction to Economics*, p 156.

3 "This concept relates to the effect of a small change in the price upon the amount demanded"—Benham *Economics*, p 48

4 "The elasticity of demand may be defined as the percentage change in the quantity demanded which would result from one percent change in price."—Boulding.

5 "The elasticity of demand, at any price or at any output, is the proportional change of amount purchased in response to a small change in price, divided by the proportional change of price."—Mrs Joan Robinson

का माँग पर पड़ने वाला प्रभाव अलग-अलग करके अध्ययन कर सकते हैं। इनके फलस्वरूप माँग की लोच के तीन प्रकार हो जाते हैं जिनके नाम निम्न प्रकार हैं :—

(१) माँग की कीमत लोच (Price elasticity)—

इस लोच की कुछ परिभाषाएँ हम पहले ही दे चुके हैं। यह लोच उस दर अथवा गति को दिखाती है जिस पर, वस्तु की कीमतों के परिवर्तनों के फलस्वरूप, माँग की मात्रा में परिवर्तन होते हैं। गणित की सरल भाषा में इसे हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं :—

$$e_p = \frac{\% \text{ Change in the quantity demanded}}{\% \text{ Change in the Price}}$$

वस्तु की माँग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन
वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन

निम्नी वस्तु की माँग कीमत के एक दिये हुए अल्प परिवर्तन के फलस्वरूप कितनी तेजी के साथ घटती-बढ़ती है उसकी दर अलग-अलग वस्तुओं के लिये अलग-अलग होती है। इस दर में अलग-अलग व्यक्तियों तथा अलग-अलग कालों की दृष्टियों से भी अन्तर होगी। इस प्रकार, अलग-अलग परिस्थितियों में माँग की लोच अलग-अलग होती है। अर्थशास्त्रियों ने माँग की लोच के ५ अंग बताये हैं और इस आधार पर माँग को ५ प्रकार का बताया है—

(१) पूर्ण लोचदार माँग—उस दशा में माँग पूर्णतया लोचदार होती है जबकि कीमत की थोड़ी-सी कमी से ही माँग की मात्रा में अपरिमित वृद्धि हो जाती है तथा कीमत के थोड़ा-सा बढ़ने पर ही माँग घटकर शून्य पर पहुँच जाती है। रेखाचित्र में ऐसी माँग को एक ऐसी रेखा द्वारा दिखाया जाता है जो कि X-axis के समानांतर हो। वास्तविक जीवन में ऐसी माँग काल्पनिक (Hypothetical) है। चूँकि ऐसी दशा में कीमत में शून्य परिवर्तन के होने पर माँग में अनन्त (infinity) परिवर्तन हो जाते हैं इसलिए इसे गणित की भाषा में $e = \infty$ द्वारा प्रकट करते हैं।

(२) पूर्णतया बेलोच माँग—माँग उस दशा में पूर्णतया बेलोच होती है जबकि कीमत के थोड़ा-बहुत घटने-बढ़ने का माँग की मात्रा पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। गणित की भाषा में, जब कीमत में अपरिमित परिवर्तन होता है तो माँग की मात्रा का परिवर्तन शून्य के बराबर होता है। इस प्रकार की माँग को एक ऐसी रेखा द्वारा दिखाया जाता है जो Y-axis के समानांतर होती है। गणित की भाषा में इसे $e = 0$ द्वारा व्यक्त करते हैं। यह दिव्य भी काल्पनिक है।


(३) अधिक लोचदार माँग—माँग उस दशा में अधिक लोचदार होती है जबकि कीमत के एक निश्चित परिवर्तन के फलस्वरूप माँग की मात्रा में अनुपात से अधिक परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे—यदि कीमत में १० प्रतिशत का परिवर्तन होता है, तो माँग की मात्रा में १० प्रतिशत से अधिक का परिवर्तन होता है। ऐसे माँग की रेखा Y-axis के साथ 45° से अधिक (परन्तु 90° से कम) का कोण बनाती है। ऐसी वस्तु की माँग की लोच की गणित की भाषा में $e > 1$ द्वारा सूचित करते हैं। प्रायः विलास की वस्तुओं (जैसे—टाई, मोटरकार) की माँग में अत्यधिक लोच पाई जाती है।

(४) कम लोचदार माँग—उस दशा में माँग कम लोचदार होती है अथवा बेलोच होती है जबकि कीमत के एक निश्चित परिवर्तन के फलस्वरूप माँग की मात्रा में अनुपात से कम परिवर्तन होते हैं, जैसे—यदि कीमत में १०% का परिवर्तन होता है, तो माँग की मात्रा में १०% से कम का परिवर्तन होता है। ऐसी माँग एक ऐसी रेखा द्वारा दिखाई जाती है जो नीचे

को गिरता है और Y-axis के साथ एक ऐसा कोण बनाती है जिसका भ्रूय 0° से अधिक परन्तु 45° से कम हो। ऐसी वस्तु की माँग की लोच को गणित की भाषा में $e < 1$ द्वारा सूचित करते हैं। प्रायः अनिवार्य वस्तुओं (जैसे—नमक, अनाज) की माँग कम लोचदार हुआ करती है।

(५) श्रौस्त लोचदार माँग—श्रौस्त लोचदार माँग उस दशा में होती है जबकि माँग की मात्रा में कीमत के परिवर्तनों के अनुपात में परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे—यदि कीमत में 10% का परिवर्तन होता है तो माँग की मात्रा में भी 10% का ही परिवर्तन होगा। ऐसी माँग उस रेखा द्वारा दिखाई जायेगी जो ऊपर से नीचे जाते हुए Y-axis के साथ 45° का कोण बनाती है। ऐसी वस्तु की माँग की लोच को गणित की भाषा में $e = 1$ द्वारा सूचित किया जाता है। प्रायः आरामदायक वस्तुओं (जैसे—घड़ी, साइकिल, इलेक्ट्रिक फैन) की माँग श्रौस्त लोचदार होती है। नीचे के चित्र में यह पाँचों प्रकार की माँग दिखाई गई हैं:—

VARIATIONS IN PRICE ELASTICITY OF DEMAND



चित्र—माँग की कीमत-लोच के उप-भेद

ऊपर के पाँचों चित्रों में से D माँग की रेखा है, PM आरम्भिक कीमत है और OM इस कीमत पर माँग की मात्रा है। प्रथम चित्र में, कीमत PM से घटकर P_1M_1 हो जाती है, (कीमत की घटत शून्य के बराबर है), परन्तु माँग की मात्रा OM से बढ़कर OM_1 हो जाती है। दूसरे चित्र में, जब कीमत PM से घटकर P_2M रह जाती है, तो भी माँग की मात्रा OM ही रहती है (पूर्णतया बेलोच माँग)। तीसरे चित्र में, जबकि कीमत PM से घटकर P_1M_1 हो जाती है तो माँग की मात्रा OM से बढ़कर OM_1 हो जाती है। यह चित्र साफ दिखाता है कि कीमत के घटने के अनुपात में माँग की वृद्धि अधिक है। चौथे चित्र में, जब कीमत PM से घटकर P_1M_1 हो जाती है तो माँग में वृद्धि तो अवश्य होती है। परन्तु कीमत के अनुपात में कम तेजी के साथ। पाँचवें चित्र में, जब कीमत PM से घटकर P_1M_1 होती है तो माँग की मात्रा भी ठीक इसी अनुपात में बढ़ जाती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इनमें से प्रथम दो प्रकार की माँग सीमान्त अथवा सैद्धान्तिक दशाओं को दिखाती हैं। शेष तीनों प्रकार की माँगों वास्तविक जीवन में देखी जा सकती हैं।

उपरोक्त दशाओं में हमने माँग की लोच की समस्या को बहुत ही सरल बना दिया है, क्योंकि हमने माँग की रेखाओं को ऐसी सरल रेखाएँ बनाया है जो एक नियमित गति से ढलती हैं। पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया बेलोच तथा साधारण लोचदार माँग की रेखाएँ सरल रेखाएँ होती भी हैं, परन्तु अन्य दो प्रकार की रेखाएँ वक्रों के रूप में हो सकती हैं और यह आवश्यक नहीं है कि इन वक्रों का प्रत्येक बिन्दु माँग की लोच के समान अंश को दिखाये। माँग की रेखाएँ ऐसी भी हो सकती हैं जो कुछ दूर तक X-axis के समानान्तर हों, कुछ दूर तक Y-axis के, कहीं पर Y-axis से 45° का कोण बनायें और कहीं पर इससे कम या अधिक अंश का।

(२) माँग की आय-लोच (Income Elasticity)—

माँग की आय-लोच वह दर अथवा गति है जिस पर उपभोक्ता अथवा श्रैता की आय के परिवर्तनों के कारण माँग की मात्रा में परिवर्तन होते हैं। सामान्य सिद्धान्त यह है कि, यदि

अन्य बातें यथास्थिर रहें तो क्रेता की आय में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तु की माँग बढ़ जायगी और आय के घटने से वस्तु की माँग घट जायगी। गणित के सूत्र के रूप में :—

$$e_1 = \frac{\% \text{ change in the quantity demanded}}{\% \text{ change in income}}$$

$$= \frac{\text{माँग की मात्रा में \% परिवर्तन}}{\text{आय में \% परिवर्तन}}$$

बोल्डिंग के अनुसार—“माँग की आय-लोच की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि यह माँग की मात्रा का वह प्रतिशत परिवर्तन है जो मौद्रिक आय के १% परिवर्तन से यदि अन्य मात्राएँ और कीमतें यथास्थिर रहें, उत्पन्न होता है।”¹ आय के एक निश्चित प्रतिशत से माँग की मात्रा जिस अंश तक प्रभावित होती है उसे ही माँग की आय-लोच कहते हैं। दूसरे शब्दों में, माँग की आय-लोच माँग की मात्रा के अनुपाती परिवर्तन में आय के अनुपाती परिवर्तनों से भाग देकर प्राप्त किया जा सकता है। एक सामान्य नियम के रूप में हम पहले ही बता चुके हैं कि माँग की मात्रा के परिवर्तन ठीक उसी दिशा में होते हैं जिस दिशा में कि आय के परिवर्तन। हीन वस्तुओं की माँग इसका अपवाद है जहाँ आय के बढ़ने पर माँग घटती है। इसी कारण आय-लोच साधारणतया घनात्मक होती है परन्तु कुछ विशेष दशाओं में वह ऋणात्मक भी हो सकती है।

(३) माँग की पारस्परिक, आड़ो अथवा प्रतिस्थापन लोच (Cross Elasticity)—

किसी वस्तु विशेष के लिये माँग की पारस्परिक लोच वह दर है जिस पर कि उस वस्तु की माँग की मात्रा में किसी अन्य सम्बन्धित वस्तु (Related goods) की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप घट-बढ़ होती है। उदाहरणस्वरूप, वस्तु A के लिए माँग की प्रतिस्थापन लोच किसी सम्बन्धित वस्तु B के सम्बन्ध में, वस्तु A की माँगों गई मात्रा में हुए प्रतिशत परिवर्तन में, B की कीमत के प्रतिशत परिवर्तन से भाग देकर, निकाली जाती है। गणित के अनुसार :—

$$e_c = \frac{\% \text{ change in the quantity demanded of A}}{\% \text{ change in the price of commodity B}}$$

$$= \frac{\text{वस्तु A की माँग की मात्रा में \% परिवर्तन}}{\text{वस्तु B की कीमत में \% परिवर्तन}}$$

ऋणात्मक एवं घनात्मक प्रतिस्थापन लोच—वस्तुएँ एक दूसरे से तीन प्रकार सम्बन्धित हो सकती हैं :—(अ) वे किसी एक ही क्रिया की सम्मिलित उपज हो सकती हैं, जैसे—विनीला और रुई, (ब) दो वस्तुएँ एक-दूसरे की पूरक हो सकती हैं जिस दशा में किसी एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए दोनों की एक साथ आवश्यकता पड़ती है, जैसे—फलम और रपाही, तथा वार और पेट्रोल, और (स) दो वस्तुएँ एक-दूसरे की स्थानापन्न हो सकती हैं जिस दशा में एक को दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है, जैसे—चाय और कॉफी। प्रतिस्थापन की लोच की दृष्टि से इनमें से प्रथम प्रकार का सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण नहीं है परन्तु शेष दो दशाओं में इस लोच की समस्या उठी है।

¹ “.....the income elasticity of demand may be defined as the percentage change in the quantity demanded which would result from a 1 percent change in money income, other quantities, prices and the like being held constant.”—Boulding : *Economic Analysis*, p 136.

यदि दो वस्तुयें एक-दूसरे की पूरक हैं, तो उनमें से एक की कीमत बढ़ जाने पर दूसरी भी कम मात्रा में खरीदी जायेगी। इसके विपरीत, यदि दो वस्तुयें एक-दूसरे की स्थानापन्न हैं, तो एक की कीमत बढ़ जाने पर साधारणतया दूसरी अधिक मात्रा में खरीदी जाती है। अतः साधारणतया पूरक वस्तुओं में एक वस्तु की माँग में दूसरी वस्तु की कीमत की विरोधी दशा में परिवर्तन होते हैं। यही कारण है कि प्रतिस्थापन लोच पूरक वस्तुओं के लिये ऋणात्मक (Negative) होती है। इसके विपरीत, एक प्रतियोगी वस्तु की माँग में उच्च उसी दिशा में परिवर्तन होते हैं, जिस दिशा में उसके स्थानापन्न की कीमत में परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार स्थानापन्नो के बीच माँग की प्रतिस्थापन लोच धनात्मक (Positive) होती है।

उदाहरण—मान लीजिए कि चाय की कीमत में १०% वृद्धि हो गई है, जिस कारण कॉफी की माँग की मात्रा में ५% वृद्धि होती है। ऐसी दशा में माँग की प्रतिस्थापन लोच $\frac{5}{10}$ अथवा ०.५ होगी। अब हम पूरक वस्तुओं का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिये कि कलम की कीमत में १५ प्रतिशत की वृद्धि होती है और इसके फलस्वरूप स्याही की माँग की मात्रा में ५ प्रतिशत की कमी आ जाती है, तो माँग की प्रतिस्थापन लोच $(-\frac{5}{15})$ अथवा $(-\frac{1}{3})$ अथवा ०.३३३।

बोल्डिंग के शब्दों में, ".....B वस्तु के सन्दर्भ में A वस्तु के लिए माँग प्रतिस्थापन लोच A वस्तु की माँग में गई मात्रा में वह वृद्धि है जो B वस्तु की कीमत में १ प्रतिशत परिवर्तन से, अन्य सभी बातें यथास्थिर रहते हुए, उत्पन्न होती है।"¹

माँग की लोच को मापने की रीतियाँ

'दृढ़त अधिक', 'धोसत दर्जे की', तथा 'बहुत कम' केवल अनुमानजनक शब्द हैं। इनमें निश्चितता नहीं है, इसीलिए ऊपर दी हुई रीति से हम केवल माँग की लोच का अनुमान ही लगा सकते हैं। अर्थात् हम केवल यह पता लगा सकते हैं कि अनुकूल वस्तु की माँग किस प्रकार की लोचदार है। किन्तु निश्चय के साथ यह नहीं कह सकते हैं कि उस वस्तु की माँग की लोच कितनी है। दूसरे शब्दों में, हम यह तो जान सकते हैं कि माँग लोचदार है या नहीं, किन्तु यह पता नहीं लगा सकते कि माँग की लोच का अंश (Degree) क्या है।

(1) कुल व्यय-रीति—

इस अनिश्चितता को दूर करने तथा यह दिखाने के लिए कि लोच का अर्थ क्या है, मार्शल ने लोच के मापने में एक विशेष रीति अपनाई है। उन्होंने बताया है कि माँग की लोच को अधिक सही माप करने के लिए अलग-अलग कीमतों पर उस वस्तु पर व्यय किए गए कुल धन की मात्रा का अध्ययन करना चाहिए। इस प्रकार के धन की मात्रा माँग की कीमत से गुणा करने पर ज्ञात हो जाती है।

(१) माँग की लोच 'सम' के बराबर—उनका मन है कि कीमत के घटने-बढ़ने पर भी यदि इस प्रकार का गुणनफल एक-सा ही रहे तो माँग की लोच को "सम" (Unity) मान लेना चाहिए।² इसका अर्थ यह होता है कि दाम या कीमत में चाहे जो परिवर्तन हुआ हो, परन्तु

1 ".....the cross elasticity of demand for commodity A with reference to commodity B is the percentage change in the quantity of A demanded which would result from 1 percent change in the price of B, all other factors being held constant."—*Ibid*

2 "Elasticity of demand is unity when the amount demanded at a price multiplied by the price remains constant."—*Marshall*

वस्तु पर व्यय की गई कुल धन राशि यथास्थिर ही रहती है। नीचे के उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायेगी।

मान लीजिए कि किसी बाजार में चाय की कीमत ५ रुपया प्रति किलोग्राम है और माँग ४०० किलोग्राम है तो इस दशा में चाय पर व्यय की हुई कुल राशि = ४०० × ५ = २,००० रुपये होगी। यदि चाय की कीमत घटकर ४ रुपया किलो हो जाती है, माँग ५०० किलोग्राम होती है। इस दशा में चाय पर व्यय की हुई कुल राशि = ५०० × ४ = २,००० रुपये होगी।

इससे यह ज्ञात होता है कि कीमत के ५ रुपया किलो से घटकर ४ रुपया किलो हो जाने से चाय की माँग तो अवश्य बढ़ी, क्योंकि वह ४०० किलो के स्थान पर ५०० किलो हो गई, किन्तु चाय पर व्यय की गई कुल राशि में कोई अन्तर नहीं हुआ। इस दशा में चाय की माँग की लोच को सम (Unity) या १ के बराबर कहा जायेगा। माँग की लोच का अंश नीचे की कुल राशि को ऊपर की कुल राशि से भाग देने पर प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर यह

$$\frac{२,०००}{२,०००} = १ \text{ है।}$$

(२) माँग की लोच 'सम' से अधिक—अब हम एक दूसरे उदाहरण द्वारा यह देखेंगे कि लोचदार माँग कैसी होती है। यह निश्चय है कि यदि माँग की लोच का अंश १ से अधिक हो, तो माँग लोचदार होगी, क्योंकि श्रैष्ठ्य दर्जे की लोचदार माँग की मात्रा को हम सम (Unity) के बराबर मानते हैं। अब यदि कोई वस्तु ऐसी है कि—

जब इसके दाम ५ रुपया प्रति इकाई है, तो माँग है ४०० इकाई, अतः उस पर कुल व्यय = २,००० रुपया है।

जब उसके दाम ४ रुपये प्रति इकाई है तो माँग है ६०० इकाई, अतः उस पर कुल व्यय = २,४०० रुपया है।

यहाँ कीमत के घटने से केवल माँग की मात्रा ही नहीं बढ़ती, बल्कि उस वस्तु पर व्यय की गई कुल राशि भी बढ़ जाती है। इस दिशा में माँग की लोच का अंश अधिक होगा।^१

इस उदाहरण में माँग की लोच = $\frac{२,४००}{२,०००} = १.२$ है।

इस प्रकार यह १ से अधिक है अर्थात् माँग अधिक लोचदार है।

(३) माँग की लोच 'सम' से कम—माँग की लोच का अंश १ से कम भी हो सकता है। इस प्रकार की माँग "वेलोच माँग" कहलाती है। इसका उदाहरण नीचे दिया जा रहा है। मान लीजिए कि कोई वस्तु ऐसी है कि—

जब उसकी कीमत ५ रुपया प्रति इकाई है, तो उसकी माँग है ४०० इकाई अतः उस पर व्यय की गई कुल राशि = २,००० रुपया।


जब उसकी कीमत ४ रुपया प्रति इकाई है, तो माँग है ४२५ इकाई, अतः उस पर व्यय की गई कुल राशि = १,७०० रुपया।

इस दिशा में हम देखते हैं कि यद्यपि कीमत के गिरने से इस वस्तु की माँग में वृद्धि

^१ "The Elasticity of Demand will be greater than unity when a small fall in price will lead to a large increase in demand so that the total sum spent on the commodity increases and *vice versa*"—Marshall.

तो हुई, किन्तु यह वृद्धि इतनी कम है कि व्यय की गई कुल राशि उल्टी घट गई है। ऐसी माँग बेलोबदार होती है। यहाँ माँग की लोच की माप $= \frac{1,000}{2,000} = .5$ है। दूसरे शब्दों में, माँग की लोच का अर्थ १ से कम है।¹

TOTAL OUTLAY METHOD OF MEASURING
ELASTICITY OF DEMAND



चित्र—माँग की लोच के माप की कुल व्यय रीति

उपर्युक्त प्रत्येक चित्र में D माँग की रेखा, PM आरम्भिक कीमत और OM उस कीमत पर माँग की मात्रा है, और, इस प्रकार, कुल व्यय $OM \times PM = ROMP$ है। जब कीमत घटकर P_1M_1 हो जाती है, तो माँग बढ़कर OM_1 हो जाती है और कुल व्यय $R_1OM_1P_1$ है। हम यह देखेंगे कि चित्र अ में $R_1OM_1P_1 > ROMP$, चित्र ब में $R_1OM_1P_1 = ROMP$ और चित्र ग में $R_1OM_1P_1 < ROMP$ ।

माँग की लोच को नापने की माथल-पद्धति से हमें यह पता चल जाता है कि माँग किस अंश तक लोचदार है। इस रीति में यह गुण सर्वप्रधान है कि यह बहुत सरल है और इसमें गणित के विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कीमत के बढ़ने का उदाहरण लेकर भी माँग की लोच इसी रीति से नापी जा सकती है। अन्तर केवल इतना होता है कि दाम के घटने की दशा में नीचे की कुल राशि के ऊपर की कुल व्यय की राशि से भाग देकर लोच का अर्थ निकलता है, जबकि कीमत बढ़ने की दशा में इसके विपरीत ऊपर के कुल व्यय की राशि को नीचे की कुल व्यय की राशि से भाग देना पड़ता है।

संक्षेप में, माथल की रीति का आशय यह है कि यदि माँग में परिवर्तन दाम के परिवर्तन के अनुपातिक (Proportionate) हो, तो माँग की लोच सम होगी, यदि अनुपात से अधिक हो, तो माँग की लोच सम से अधिक होगी, और, यदि अनुपात से कम हो, तो माँग की लोच की माप १ से कम होगी, अर्थात् माँग बेलोब होगी।

(II) आनुपातिक या प्रतिशत रीति —

इस रीति² के अनुसार हम कीमत के आनुपातिक परिवर्तन की माँग के आनुपातिक

¹“The Elasticity of Demand is less than unity when a small fall in price will lead to such a small increase in demand so that the total sum spent on the commodity decreases and vice versa”—Marshall

² “If the price rises by 50% and the demand decreases by 50% E is unity. If it decreases by more than 50, it is greater than unity, if it increases by less than 50% it is less than unity.”—K. K. Dewett · *Modern Economic Theory*, p. 82.

परिवर्तन से तुलना करते हैं। यदि किसी वस्तु के दाम २५% बढ़ते हैं और इससे उसकी माँग २५% कम हो जाती है तो इस दशा में माँग की लोच सम के बराबर होगी। किन्तु, यदि माँग २५% से अधिक घट जाती है, तो लोच सम से अधिक होती है। इसी प्रकार, यदि माँग २५% से कम घटती है, तो लोच सम से कम होगी। इस बात को हम निम्नलिखित रीति से स्पष्ट कर सकते हैं :—

$$c = \frac{\text{माँग में आनुवातिक परिवर्तन}}{\text{कीमत में आनुवातिक परिवर्तन}} \\ = \frac{\text{माँग में परिवर्तन}}{\text{माँग की पूर्व मात्रा}} \\ = \frac{\text{कीमत में परिवर्तन}}{\text{पूर्व कीमत}} \\ = \frac{\Delta q}{q} \\ = \frac{\Delta p}{p}$$

जिसमें

- Δ (डेल्टा) = सूक्ष्म परिवर्तन
- Δq = माँग में सूक्ष्म परिवर्तन
- q = माँग की पूर्व मात्रा
- Δp = कीमत में सूक्ष्म परिवर्तन
- p = पूर्व कीमत

उदाहरण—मान लीजिए कि हम एक तालिका द्वारा तीन प्रकार की दशाओं को दिखाते हैं जिनमें कीमत के समान परिवर्तन का अलग-अलग प्रभाव पड़ता है। तालिका निम्न प्रकार हो सकती है :—

चाय की माँग के परिवर्तन

चाय की कीमत प्रति किलोग्राम	चाय की माँग किलोग्राम में
५	६००
दशा १ ४	७००
दशा २ ४	७२०
दशा ३ ४	६००

प्रथम दशा में कीमत में १ रुपया की कमी हुई है जिससे माँग में १०० किलोग्राम की वृद्धि हो गई है।

$$c = \frac{\Delta q}{q} \\ = \frac{\Delta p}{p}$$

$$= \frac{१००}{६००} \cdot \frac{१}{५} = \frac{१०० \times १}{६०० \times ५} = \frac{१००}{३०००} = \frac{१}{३०} = ०.०३३$$


इसी सूत्र के आधार पर दशा दो में

$$\text{माँग की लोच} = \frac{१२०}{६००} \div \frac{१}{५} = \frac{१२० \times ५}{६०० \times १} = \frac{१}{१} = १$$

$$\text{दशा ३ में माँग की लोच} = \frac{३००}{६००} \div \frac{१}{२} = \frac{३०० \times २}{६०० \times १} = \frac{२}{२} = २$$

प्रथम दशा में माँग वेलोच है, दूसरी में साधारण लोचदार है और तीसरी में माँग लोचदार है। इसी बात को निम्न रेखाचित्र द्वारा भी दिखाया जा सकता है :-

इस रेखा-चित्र में ट' ट माँग की रेखा है। प म आधारभूत कीमत है जिस पर माँग



की मात्रा अ म है। मान लीजिए कि कीमत घट कर र ल हो जाती है, जिस दशा में माँग बढ़कर अ ल हो जाती है, चित्र के अनुसार माँग का परिवर्तन (अ ल—अ म अर्थात्) म ल है। ठीक इसी प्रकार कीमत का परिवर्तन प म—र ल अर्थात् प म—स म (क्योंकि स म बराबर है र ल के) अर्थात् प स। इसी परिवर्तन को हम ख अ—ब अ अथवा ख ब भी कह सकते हैं।

रेखा-चित्र के अनुसार माँग की लोच =

$$\frac{\text{माँग की मात्रा में अनुपाती परिवर्तन}}{\text{कीमत में अनुपाती परिवर्तन}} = \frac{\text{म ल}}{\text{अ म}} \div \frac{\text{प स}}{\text{प म}} = \frac{\text{स र}}{\text{अ म}} \div \frac{\text{प स}}{\text{प म}} \text{ (क्योंकि स र, म ल के बराबर है)} = \frac{\text{स र}}{\text{अ म}} \times \frac{\text{प म}}{\text{प स}} = \frac{\text{स र}}{\text{प म}} \times \frac{\text{प म}}{\text{अ म}}$$

अब क्योंकि त्रिभुज प स र और प म ट सभी प्रकार समान हैं, इसलिए $\frac{\text{स र}}{\text{प स}}$ के स्थान पर

$$\frac{\text{म ट}}{\text{प म}} \text{ को रखा जा सकता है, जिस आधार पर माँग की लोच} = \frac{\text{म ट}}{\text{प म}} \times \frac{\text{प म}}{\text{अ म}} = \frac{\text{म ट}}{\text{अ म}}$$

यही लोच का अर्थ निकालने की सरल रीति है यदि माँग की रेखा अ क को काटती हो।

इस सूत्र द्वारा माँग की लोच की मापने में एक कठिनाई है, जो इस कारण उदय होती है कि माँग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन माँग की पूर्ण मात्रा पर अथवा नई मात्रा पर निकाला जा सकता है। इसी प्रकार, कीमत की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन पूर्ण कीमत पर अथवा नई कीमत पर निकाला जा सकता है। दोनों दशाओं में अलग अलग परिणाम प्राप्त होंगे। कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस कठिनाई का हल यह निकाला है कि वे अनुपातिक परिवर्तन पूर्ण और नई दोनों मात्राओं (या कीमतों) के औसत के आधार पर मालूम करते हैं। इस दशा में सूत्र इस प्रकार हो जायेगा :-

$$c_p = \frac{\text{माँग की मात्रा में परिवर्तन}}{\text{(पूर्व मात्रा + नई मात्रा)/२}} \div \frac{\text{कीमत में परिवर्तन}}{\text{(पूर्व कीमत + नई कीमत)/२}}$$

$$= \frac{\frac{q - q_1}{q + q_1}}{2} \div \frac{\frac{p - p_1}{p + p_1}}{2}$$

$$= \frac{q - q_1}{q + q_1} \div \frac{p - p_1}{p + p_1}$$


जिसमें

p_1 नई कीमत और q_1 नई मात्रा है।

(III) बिन्दु रीति या रेखागणित रीति—

जब माँग की रेखा सरल रेखा (Straight line) न होकर वक्र होती है, तो उस रेखा के भिन्न-भिन्न बिन्दुओं पर लोच भी भिन्न भिन्न होती है। उस बशा में किसी विशेष बिन्दु, जैसे— T पर माँग की लोच उस बिन्दु को छूने वाली स्पर्श रेखा (Tangent) द्वारा, जोकि X axis को J पर और Y -axis को F पर काटती है, सूचित की जाती है।¹ इस रीति के अनुसार माँग की लोच को मापने का सूत्र निम्न प्रकार है :—

$$c_p = \frac{\text{नीचे का भाग (Lower sector)}}{\text{ऊपर का भाग (Upper sector)}}$$




इस चित्र में T बिन्दु पर F T J एक स्पर्श रेखा है जो F को F पर और J को J पर काटती है। अतः T बिन्दु पर माँग की लोच उपर्युक्त सूत्र के अनुसार निम्न होगी :—

$$c_p = \frac{FT}{TJ}$$

यहाँ माँग की लोच माप के लिए उच्च श्रेणी के गणित-ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। इस रीति से माँग की लोच निकाल कर एक निश्चित बिन्दु से सम्बन्धित माँग की लोच के प्रश्न को किसी दूसरे बिन्दु से सम्बन्धित माँग की लोच के प्रश्न से तुलना की जा सकती है। उदाहरणस्वरूप निम्न रेखाचित्र में T और R बिन्दुओं पर माँग की लोच का प्रश्न प्रलग-प्रलग है :—

¹ For detailed study see Benham : *Economics*, pp 48-51.

ट बिन्दु पर माँग की लोच का अंश $\frac{P}{M}$ के बराबर है, जबकि र बिन्दु पर यह



$\frac{P}{R}$ के बराबर है। यह स्पष्ट है कि र बिन्दु पर माँग की लोच अधिक है, क्योंकि $\frac{P}{R}$

का मूल्य $\frac{P}{M}$ से अधिक है।

बिन्दु लोच और चाप लोच

यदि माँग-रेखा के एक बिन्दु पर माँग की लोच मासूम की जाये, तो इसे 'माँग की बिन्दु लोच' (Point Elasticity of Demand) कहते हैं। बिन्दु लोच को ज्ञात करने हेतु हमें कीमतों और मात्राओं के बहुत सूक्ष्म परिवर्तनों को ध्यान में रखना पड़ता है। अब तक हमने जो अध्ययन किया है वह बिन्दु लोच से ही सम्बन्धित था। किन्तु यह स्थिति वास्तविक जीवन में सदा ही उपलब्ध नहीं होती है। जो माँग-रेखाएँ हमें प्राप्त होती हैं, वे बहुधा कीमत-परिवर्तनों और माँग की मात्रा के परिवर्तनों दोनों के ही सम्बन्ध में लम्बे-चौड़े अन्तर छोड़ देती हैं। उदाहरणस्वरूप, जब हम यह कहते हैं कि ४ रुपया प्रति किलोग्राम से घट कर कीमत ३ रुपया प्रति किलोग्राम हो जाने पर माँग की मात्रा १०० किलोग्राम से बढ़कर १५० किलोग्राम हो गई है, तो इसका मतलब यह होता है कि कीमत में २५% कमी और माँग में ५०% वृद्धि हुई है। ऐसी दशा में, किसी एक बिन्दु पर माँग की लोच का अनुमान लगाना कठिन होता है। अच्छा उपाय यह है कि कीमत और माँग की मात्रा दोनों के सम्बन्ध में मध्य बिन्दु चुने जाये और माँग की लोच इन मध्य बिन्दुओं पर नापी जाय। इस प्रकार के माप को 'माँग की चाप लोच' (Arc Elasticity of Demand) कहते हैं। एक चाप (arc) दो बिन्दुओं के बीच माँग-रेखा का एक हिस्सा होती है। लोच निम्न सूत्र की सहायता से नापी जा सकती है —

$$e_p = \frac{\text{माँग की मात्रा में परिवर्तन}}{\text{आरम्भिक मात्रा + परिवर्तन के पश्चात् मात्रा}} \div \frac{\text{कीमत में परिवर्तन}}{\text{आरम्भिक कीमत + परिवर्तन के पश्चात् कीमत}}$$

मान लीजिए कि Q और Q_1 परिवर्तन के पूर्व और परिवर्तन के पश्चात् माँगी गई मात्राओं को दिखाते हैं तथा P और P_1 परिवर्तन से पूर्व और परिवर्तन के पश्चात् कीमतों को दिखाते हैं। ऐसी दशा में $e_p = \frac{Q - Q_1}{Q + Q_1} \div \frac{P - P_1}{P + P_1}$ । अब हम ऊपर दिये हुए उदाहरण के

अनुसार वक्र-भाग लोच का पता लगायेंगे। इस उदाहरण में Q_1 , १०० किलोग्राम, Q_2 , १५० किलोग्राम, P_1 ४ रुपया और P_2 ३ रुपया है। अतः माँग की वक्र-भाग लोच = $\frac{100 - 150}{100 + 150}$

$$\div \frac{4 - 3}{4 + 3}। \text{ यदि हम 'ऋण' } (-) \text{ के चिन्ह को हटा दें, तो } c_p = \frac{50}{250} \div \frac{1}{3} = \frac{50}{250}$$

$$\times \frac{3}{1} = \frac{3}{5} = 1.5।$$

वक्र-भाग लोच के सम्बन्ध में दो बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है—प्रथम, इस प्रकार की लोच सदा श्रोत लोच होती है, और दूसरे, इस लोच का विचार उतना शुद्ध नहीं है जितना कि बिन्दु से सम्बन्धित लोच का।

माँग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक

माँग की लोच कुछ कारणों, परिस्थितियों अथवा वस्तु विशेष के कुछ गुणों पर निर्भर होती है। कुछ परिस्थितियों में माँग अधिक लोचदार हो जाती है और इसके विपरीत कुछ दूसरी दशाओं में माँग की लोच कम हो जाती है। मुख्यतया यह निम्न बातों पर निर्भर होती है :—

(१) वस्तु विशेष के गुण (Nature of the commodity)—साधारणतया माँग विलास की वस्तुओं के लिये लोचदार, आरामदायक वस्तुओं के लिये श्रोत दर्जे की लोचदार और आवश्यक वस्तुओं के लिए बेलोच होती है।

(२) आवश्यक वस्तुओं पर व्यय की राशि बहुधा निश्चित होती है। कीमत चाहे जो भी हो, वे वस्तुयें हमें खरीदना ही पड़ती हैं। इन वस्तुओं में से कुछ तो ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन की रक्षा करती हैं तथा कुछ ऐसी जो हमारी कार्यक्षमता को बनाये रखती हैं। इनका उपभोग न करने से हमारी कार्य-शक्ति घट जाती है और हम अच्छे उत्पादक नहीं रहते हैं। इनकी कीमत के बढ़ने पर भी हम इन्हें लगभग पहले जितनी मात्रा में ही खरीदते हैं। कीमत घट जाने पर भी हमारे उपयोग में इनका महत्त्व पहले के बराबर ही रहता है।

(३) आरामदायक वस्तुओं का उपभोग, जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, हमारी कार्यक्षमता को बढ़ाता है, किन्तु उनके उपभोग न करने पर भी हमारी कार्य-शक्ति में कमी नहीं पड़ती, इसलिए उनकी माँग आवश्यक वस्तुओं की तुलना में अधिक लोचदार होती है, किन्तु बहुत अधिक लोचदार नहीं। इनकी कीमत के घटने-बढ़ने से माँग की मात्रा में अन्तर तो पड़ जाता है, किन्तु लोच प्रायः श्रोत दर्जे की रहती है।

(४) विलास की वस्तुयें न तो हमारी कार्य-शक्ति को ही बढ़ाती हैं और न उनके उपभोग न करने से हमारी कार्य-शक्ति घटती है। वे प्रायः अतिरिक्त (Surplus) आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। यही कारण है कि इनकी कीमत में थोड़ा-सा परिवर्तन भी इनकी माँग को बहुत बदल देता है और इसी कारण ऐसी वस्तुओं की माँग अधिक लोचदार होती है।

इस सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि आवश्यक, आरामदायक तथा विलास सापेक्ष (Relative) अथवा तुलनात्मक शब्द है। कोई भी वस्तु सभी के लिए आवश्यक नहीं होती। किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के लिए जो विलास की वस्तु है वह दूसरों के लिए आवश्यक हो सकती है, इसलिए प्रत्येक वस्तु की माँग की लोच समाज के लिए विभिन्न प्रकार की हो सकती है।

(५) स्थानापन्न की सम्भावना (Possibilities of substitutes)—यदि कोई वस्तु ऐसी है कि उसके बदले में अन्य वस्तुओं का उपयोग हो सकता है अथवा उसके स्थानापन्न (Sub-

titutes) उपलब्ध हैं, तो वस्तु के लिए माँग अधिक लोचदार होगी। कीमत के बढ़ जाने से अन्य स्थानापन्न वस्तुओं का उपयोग बढ़ जायेगा और वस्तु की माँग कम हो जायेगी। इसके विपरीत, यदि ऐसी वस्तु की कीमत घट जाय, तो अन्य वस्तुओं की अपेक्षा इसके सस्ता हो जाने के कारण, उन वस्तुओं के स्थान पर भी इसका उपयोग होने लगेगा और इसी कारण इसकी माँग बढ़ जायेगी।

उदाहरण के लिए चीनी और गुड़ बहुधा एक-दूसरे के स्थान पर काम में लाये जा सकते हैं। चीनी के दामों के बढ़ने से गुड़ का उपयोग बढ़ जायेगा और चीनी की माँग में कमी हो जायेगी। मोटर सवारी के किरायों में कमी हो जाने पर रेल में सफर करने वालों की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि लोग मोटर में सफर करना अधिक पसन्द करने लगते हैं।

(३) विभिन्न उपयोगों का होना (Several uses)—जिस वस्तु के बहुत से उपयोग हो सकते हैं, उसकी माँग अधिक लोचदार होती है।¹ यदि कोई वस्तु कई कामों में आ सकती है तो बहुधा उसके सारे उपयोग समान रूप में महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। कुछ उपयोग अधिक महत्व रखते हैं और कुछ कम। जब ऐसी किसी वस्तु के दाम बढ़ जाते हैं, तो उसके कम महत्वपूर्ण उपयोग छूट जाते हैं और इस प्रकार उसकी माँग में कमी हो जाती है। इसके विपरीत, दाम घट जाने पर उपयोगों की संख्या में वृद्धि हो जाती है और माँग तेजी के साथ बढ़ जाती है।

उदाहरणस्वरूप बिजली बहुत से कामों में लाई जा सकती है। इससे हम अपने कमरों में रोशनी करते हैं, अगीठी जलाते हैं, पंखे चलाते हैं, कमरों को गर्म रखते हैं तथा रेफ्रिजरेटर में खाने की चीजों को ठण्डा करते हैं। इसी प्रकार के बिजली के और भी बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं। यदि बिजली की प्रति इकाई कीमत ऊँची होती है, तो बिजली का उपयोग मुख्यतया रोशनी के लिए ही होता है किन्तु कीमत के घट जाने पर दूसरे उपयोग बढ़ जाते हैं और माँग भी बहुत बढ़ जाती है।

(४) कीमत की ऊँचाई (Height of the prices)—जब किसी वस्तु की कीमत बहुत ऊँची होती है, तो उसके लिए माँग अधिक लोचदार होती है। अतः द्रव्यों की कीमत पर माँग साधारण होती है और जब किसी वस्तु की कीमत बहुत नीची होती है, तो उसकी माँग प्रायः बेलाच होती है।² अधिक ऊँची कीमत पर किसी वस्तु को प्रायः धनी वर्ग के लोग ही खरीदते हैं। कीमत में थोड़ी कमी हो जाने पर लोग पहले से बहुत अधिक मात्रा में उस वस्तु को खरीदेंगे। अतः द्रव्यों के दामों पर धनी तथा मध्यम वर्ग के लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं। दामों के थोड़ा कम हो जाने पर ये लोग कुछ अधिक मात्रा में खरीदने लगते हैं तथा कीमत के थोड़ा बढ़ने पर माँग की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है। जब किसी वस्तु के दाम पहले से ही बहुत कम होते हैं, तो गरीब-अमीर सभी लोग उसे सुगमता से खरीद लेते हैं और दामों के थोड़ा-बहुत घटने-बढ़ने का माँग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है।

(५) ग्राहकों का वर्ग (Type of customers)—किसी वस्तु के लिए माँग की लोच

1 "Generally speaking those things have the most elastic demand which are capable of being applied to many different uses"—Marshall.

2 "The elasticity of demand is great at high prices and great or at least considerable for medium prices, but it declines as the price falls, and gradually fades away if the fall goes so fast that satiety level is reached."

इस बात पर भी निर्भर होती है कि उसके अधिकांश ग्राहक किस वर्ग अथवा श्रेणी के हैं। जो वस्तुएँ साधारणतः केवल धनी वर्ग के लोगों के उपयोग में आती हैं उनको माँग बेलोच होती है, क्योंकि कीमत का थोड़ा-बहुत अन्तर इसके लिए कुछ भी महत्त्व नहीं रखता है। इसके विपरीत, उन सब वस्तुओं को माँग लोचदार होती है जिन्हें प्रायः गरीब लोग खरीदते हैं, क्योंकि कीमत का थोड़ा घटना-बढ़ना भी उन लोगों के लिए बड़ा महत्त्वपूर्ण होता है।

(६) उपभोग के स्थगन की सम्भावना (Possibility of postponing consumption)—कुछ वस्तुएँ इस प्रकार की होती हैं कि उनकी माँग कुछ समय के लिए टाली जा सकती है। वे ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं जो भविष्य के लिए उठाकर रखी जा सकती हैं। अतः, यदि कीमत बढ़ जाती है, तो हम इस दशा में कि प्रायद भविष्य में काम गिर जायँ अथवा इस कारण से कि इसी समय इस आवश्यकता को पूरा करना आवश्यक नहीं है, अपनी माँग को बहुत कम कर देते हैं।

उदाहरणार्थ, यदि ऊनी बपड़ा बहुत महँगा है, तो हम सोच लेते हैं कि इस साल कोट नहीं बनवायेंगे, वरन् पुराने कोट से काम चला लेंगे। जिन वस्तुओं की माँग इस प्रकार टाली नहीं जा सकती उनकी माँग बहुधा बेलोच होती है।

(७) व्यय की मात्रा (Amount of Expenditure)—जिन वस्तुओं पर हमारी आय का बहुत थोड़ा भाग व्यय होता है उनकी माँग हमारे लिए बेलोच होती है। इसी प्रकार, यदि किसी वस्तु पर हमारी आय का बहुत बड़ा भाग व्यय होता है, तो उसकी माँग हमारे लिए बहुत लोचदार होगी।

(८) समुक्त माँग की दशा (Condition of Joint Demand)—कुछ वस्तुओं की माँग समुक्त माँग (Joint Demand) होती है, अर्थात् उनकी माँग किसी दूसरी वस्तु की माँग से सम्बन्धित होती है। उदाहरणस्वरूप, स्याही की माँग कलम की माँग से सम्बन्धित है। ऐसी दशा में वस्तु विशेष की माँग की लोच दूसरी वस्तु की माँग पर निर्भर होती है। यदि कलम की माँग बढ़ती है, तो स्याही की माँग अपने आप ही बढ़ जायगी, लगभग उतनी ही तेजी के साथ जितनी तेजी के साथ कलम की माँग बढ़ी है।

(९) समय का प्रभाव (Influence of Time)—किसी वस्तु की माँग पर समय का भी प्रभाव पड़ता है। अल्पकाल में कीमतों के परिवर्तनों का वस्तु की माँग पर लगभग कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, परन्तु यदि वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाता है तो दीर्घकाल में उसके प्रतिस्थापन (Substitution) की सम्भावना बढ़ जाती है। ऐसी दशा में माँग में तेजी के साथ परिवर्तन हो सकते हैं।

(१०) सरकारी नियन्त्रण (Government Control)—बहुत बार सरकार आधिक्य मामलों में हस्तक्षेप करती है। मूल्य नियन्त्रण और विशेषकर राशनियन (Rationing) के अन्तर्गत माँग के परिवर्तनों को रोकना जा सकता है। यह सम्भव है कि उपभोक्ताओं को एक निश्चिन्त मात्रा से अधिक खरीदने का अधिकार ही न दिया जाय। ऐसी दशा में बहुधा माँग बेलोच रहती है।

(११) कीमतों का भावी अनुमान (Future Estimate of Prices)—माँग की लोच भविष्य में कीमत के बढ़ने या घटने की सम्भावना पर भी निर्भर होती है। यदि भविष्य में किसी वस्तु की कीमतों के घटने की आशा है, अथवा यदि अनुमान यह है कि भविष्य में वस्तु की पूर्ति घट जायगी, तो कीमत की थोड़ी-सी भी कमी वस्तु की माँग को बड़ी तेजी के साथ बढ़ा देगी। इसके विपरीत, यदि भावी अनुमान निराशाजनक है, तो कीमत के घटने-बढ़ने का माँग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

माँग की लोच के अध्ययन का महत्त्व

माँग की लोच के विचार का व्यावहारिक महत्त्व बहुत है ।

(१) कीमत निर्धारण में सहायक—एक पिछले अध्याय में हम बता चुके हैं कि स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था में उत्पादन की प्रवृत्ति और उसकी मात्रा उपभोक्ताओं की माँग द्वारा निर्धारित की जाती है । उपभोक्ता की माँग वस्तु की माँग को प्रत्यक्ष रूप में तो प्रभावित करती ही है; साथ ही साथ, वह उसे उत्पत्ति के साधनों की माँग द्वारा, परोक्ष रूप में भी, प्रभावित करती है । अतः अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि जब कभी भी उत्पादक वस्तु की कीमत में परिवर्तन करना चाहे, वह वस्तु की माँग की लोच का अनुमान लगा ले । एकाधिकारी उत्पादक के लिए तो माँग की लोच का ज्ञान और भी अधिक महत्त्वपूर्ण है । यदि एकाधिकारी उत्पादक की वस्तु की माँग वेलोच है, तो उसके लिए ऊँची कीमत निश्चित करना लाभदायक होगा यद्यपि इससे उसकी वित्री कुछ घट जायेगी । यदि माँग लोचदार है, तो एकाधिकारी के लिए नीची कीमत निश्चित करना लाभदायक होगा । ऐसी दशा में यद्यपि उसके लाभ की प्रति इकाई दर तो घट जायेगी, तथापि वित्री बढ जाने से कुछ लाभ अधिकतम हो जायेगा । पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में प्रत्येक वस्तु की माँग अत्यधिक लोचदार होती है, जिससे कोई भी विक्रेता अपनी ओर से कीमत निश्चित नहीं कर सकता है ।

(२) औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव—औद्योगिक उत्पादन पर भी वस्तु की माँग की लोच का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है । साधारणतया व्यक्ति की माँग तो वेलोच होती है परन्तु बाजार की माँग लोचदार होती है । उदाहरणार्थ, यदि कीमत घटती है तो कोई व्यक्ति समाचार-पत्र की दूसरी प्रति नहीं खरीदेगा, परन्तु पूरे बाजार में समाचार-पत्र की वित्री अत्यधिक बढ जायेगी । उत्पादक को अपने अनुभव से इस बात का पता होना है कि पूरे बाजार में कीमत के घटाने से वित्री अत्यधिक बढाई जा सकती है ।

(३) सम्मिलित पूति की वस्तुओं—किसी ऐसे उत्पादक के लिए जो सम्मिलित पूति की वस्तुएँ उत्पन्न करता है, लोच का अध्ययन और भी महत्त्वपूर्ण है । सम्मिलित उपजों में से प्रत्येक के उत्पादन-व्यय की अलग-अलग नहीं जाना जा सकता है । यही कारण है कि ऐसी वस्तुओं की कीमतें उनकी माँग की लोचों के आधार पर निश्चित की जाती हैं । यानायात उद्योग में इस सिद्धान्त को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाना है . "यानायात किन्ना बोझ उठायेगा" (What the traffic will bear) ।

(४) उत्पादन वृद्धि नियम—इसी प्रकार, वह उत्पादक, जिसके उत्पादन पर उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू है, माँग की लोच पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि वह कीमत को घटाकर वस्तु के बाजार का विकास कर सकता है ।

(५) कीमत-विभेद—एक एकाधिकारी अपने लाभों को अधिकतम करना चाहता है । इसने लिए वह बहुधा अलग-अलग ग्राहकों से अथवा अलग-अलग बाजारों में वस्तु की अलग-अलग कीमते लेता है । इस प्रकार का मूल्य-विभेद केवल तभी सम्भव हो सकता है जबकि अलग-अलग बाजारों में अथवा अलग-अलग व्यक्तियों के लिए माँग की लोच अलग-अलग हो । अतः माँग की लोच के समुचित ज्ञान के बिना मूल्य-विभेद मफल नहीं हो सकता है ।

(६) प्रचुरता के मध्य निर्धनता—माँग की लोच का विचार यह सम्झने में भी हमारी सहायता करता है कि उत्पादन के बहुत अधिक बढ जाने पर भी लोगों में निर्धनता क्यों हो सकती है । यदि किसी वस्तु की माँग वेलोच है, तो उसके उत्पादन की अत्यधिक वृद्धि आशीर्वाद के स्थान पर अभिशाप बन जायेगी । कारण, उत्पादन की अत्यधिक वृद्धि कीमत को घटाकर अनाविक्र स्तर पर ला सकती है, मुग्नतया यदि वस्तु विशेष शीघ्र नाशवान वस्तु है, जिससे उसे सचय करके नहीं

रखा जा सकता है। यही कारण है कि सरकार कृषि-उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होने की दशा में कृषकों को विशेष सुरक्षा प्रदान करती है। वह जो उपाय करती है वे माँग की लोच का अध्ययन करने के पश्चात् निश्चित निये जाते हैं।

(७) **आर्थिक नीति का निर्माण**—किसी देश की आर्थिक नीति के निर्माण में भी माँग की लोच का अध्ययन लाभदायक होता है। उदाहरणस्वरूप, व्यापार-चक्रों का नियन्त्रण, मुद्रा-प्रसार अथवा मुद्रा-मंकुचन विरोधी नीतियाँ तथा आर्थिक नियोजन सम्बन्धी नीति माँग की लोच के समुचित अध्ययन पर ही आधारित होती हैं। आर्थिक नियोजन तो माँग की भावी प्रवृत्तियों के अनुमान पर आधारित होता है, इसलिए इसमें माँग की लोच का अध्ययन विशेष रूप से उपयोगी होता है।

(८) **साधनों का पारितोषण**—उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का पारितोषण निश्चित करने में भी माँग की लोच का अध्ययन लाभदायक होता है। यदि किसी उत्पत्ति-साधन की माँग वेलोच है, तो उसे ऊँची कीमत प्राप्त हो सकती है। यह उल्लेखनीय है कि यदि देश में श्रम की माँग बहुत लोचदार है, तो श्रम-सङ्घ श्रमिकों के लिये ऊँची मजदूरियाँ प्राप्त करने में असफल रहेंगे।

(९) **कर-नीतियाँ**—सरकार की करारोपण नीतियों में भी इस अध्ययन का अधिक महत्व है। देश का वित्त मन्त्री ऐसी वस्तुओं पर, जिनकी माँग वेलोच है, कर लगाकर अधिक आय प्राप्त कर सकता है, क्योंकि करारोपण के कारण कीमत बढ़ जाने से भी उनकी माँग में कोई विशेष कमी नहीं आती है। परन्तु इस प्रकार की वस्तुएँ साधारणतया आवश्यक वस्तुएँ होती हैं और जन-साधारण को बचो से बचाने के लिए सरकार साधारणतया इन पर कर नहीं लगाती है। ठीक इसी प्रकार, माँग की लोच के अध्ययन द्वारा ही सरकार समाज पर कर-भार का व्यापोजित वितरण भी कर सकती है।

(१०) **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार**—इस विचार का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में अधिक महत्व है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों का अनुमान केवल माँग की पारस्परिक लोच द्वारा ही लगाया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार, इस ज्ञान के बिना व्यापार-नीति भी निश्चित नहीं की जा सकती है। विनियम दरो के निर्धारण में भी माँग की लोच का अध्ययन लाभदायक होता है।

माँग की लोच और उपयोगिता ह्रास नियम

उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार किसी वस्तु की पूर्ति में वृद्धि के साथ सीमान्त उपयोगिता घटती जाती है और पूर्ति में कमी के साथ वह बढ़ता है। किन्तु सीमान्त उपयोगिता के घटने या बढ़ने की गति विभिन्न वस्तुओं के लिए समान नहीं है। जैसे—नमक इत्यादि के प्रयोग से हमें शीघ्र ही संतुष्टि प्राप्त हो जाती है अर्थात् सीमान्त उपयोगिता शीघ्र गिर जाती है। यही कारण है कि ऐसी वस्तुओं के मूल्य में बहुत कमी होने पर भी इनकी माँग में वृद्धि नहीं होती। अतः इनकी माँग वेलोच होती है। दूसरी ओर, कुछ वस्तुएँ जैसे आराम और विलास की वस्तुएँ ऐसी होती हैं कि उनकी सीमान्त उपयोगिता धीरे-धीरे घटती है, जिस कारण इनके मूल्य में थोड़ी कमी होने पर इनकी माँग अधिक बढ़ जाती है। अतः ऐसी वस्तुओं की माँग लोचदार होती है। इस प्रकार, स्पष्ट है कि माँग की लोच का विचार उपयोगिता ह्रास नियम से अनिच्छे रूप में सम्बन्धित है।

माँग की लोच एवं उपभोक्ता की बचत

'माँग की लोच' का विचार उपभोक्ता की बचत के विचार से भी सम्बन्धित है। जैसा कि हमने पहले बताया है, अनिवार्य वस्तुओं के लिये माँग वेलोच होती है, जिस कारण इन्हें उपभोक्ता ऊँचे से ऊँचे मूल्य पर भी खरीदने को तैयार हो जाता है किन्तु व्यवहार में उसे ये

वस्तुमें अपेक्षाकृत कम कीमत पर ही मिल जाती हैं। इस प्रकार, इन पर उपभोक्ता की बचत की मात्रा बहुत होती है। किन्तु, विलासिता और आरामदायक वस्तुओं के लिये माँग लोचदार होती है, जिसका अर्थ यह हुआ कि उपभोक्ता इनके लिए अधिक मूल्य देने को तत्पर नहीं होंगे। यदि मूल्य बढ़ गया, तो माँग में भी तुरन्त पर्याप्त कमी हो जायेगी। यही कारण है कि ऐसी वस्तुओं के सम्बन्ध में उपभोक्ता जो कीमत देने को तैयार होता है और जो कीमत वह वास्तव में देता है उनका अन्तर अधिक नहीं होता। अन्य शब्दों में, उपभोक्ता की बचत कम रहती है। इस प्रकार, वेलोच माँग वाली वस्तुओं पर उपभोक्ता की बचत अधिक और लोचदार माँग वाली वस्तुओं पर वह कम होती है।

परीक्षा प्रश्न :

१. "किन्ती वस्तु की माँग की लोच बाजार में, कीमत में एक दी हुई कमी के प्रत्युत्तर में माँग के अधिक या कम बढ़ने के अनुसार, अधिक या कम होती है।" (माथॉल) इस कथन को चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिये।

प्रश्न

लोचदार एवं वेलोच माँग-वक्रों की सहायता से भेद कीजिये।

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम माँग के अर्थ को बताइये एवं गणितात्मक परिभाषाएँ दीजिये। तत्पश्चात् अधिक लोचदार और कम लोचदार माँग को अर्थात् माँग की लोच की श्रेणियों को रेखाचित्रों द्वारा समझाइये।]

२. आप माँग की लोच को किस प्रकार मापेंगे ?

[सहायक संकेत—सर्वप्रथम माँग की लोच को परिभाषित कीजिये। तत्पश्चात् अति सक्षेप में माँग की लोच की श्रेणियों को भी बताइये। अन्त में, माँग की लोच को मापने की तीनों रीतियाँ दीजिये।]

३. माँग की लोच से क्या आशय है ? यह किन तत्त्वों पर निर्भर है ?

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम माँग की लोच के अर्थ को बताइये। तत्पश्चात् सक्षेप में इसकी विभिन्न श्रेणियों को रेखाचित्रों द्वारा समझाइये और अन्त में उन तत्त्वों की विवेचना कीजिये, जो कि माँग की लोच को प्रभावित करते हैं।]

४. माँग की लोच क्या है ? इसे आप कैसे मापेंगे ? विभिन्न आयों पर माँग की लोच जिस प्रकार से प्रभावित होती है उसे समझाइये।

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम माँग की लोच की परिभाषा दीजिये। तत्पश्चात् इसके माप की तीनों रीतियों को बताइये। अन्त में इस पर आय-स्तर के प्रभाव को समझाइये।]

५. दिखाइये कि माँग की लोच को कैसे मापा जा सकता है और आर्थिक विश्लेषण एवं नीति के लिए इस विचार की उपयोगिता भी बताइये।

[सहायक संकेत :—सबसे पहले माँग की लोच के अर्थ दो-तीन परिभाषायें देते हुये स्पष्ट कीजिये। तत्पश्चात् इसे मापने की तीनों रीतियों का विवेचन करिये और अन्त में यह दिखाइये कि इस विचार का आर्थिक विश्लेषण एवं नीति में क्या महत्त्व है।]

६. माँग की लोच से क्या आशय है ? इसका उपयोगिता ह्रास नियम से क्या सम्बन्ध है ?

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम दो-तीन परिभाषायें देते हुये माँग की लोच के अर्थ को स्पष्ट कीजिये । तत्पश्चात् यह दिखाइये कि लोच का विचार उपयोगिता ह्रास नियम पर किस प्रकार आधारित है ।]

७. माँग की लोच की परिभाषा दीजिए । घी की प्रति किलो ५ रु०, ६ रु० और ८ रु० कीमत पर एक परिवार की घी सम्बन्धी मासिक माँग क्रमशः ६ किलो, ५ किलो और ३ किलो है । ऐसी दशा में यदि घी की कीमत ५ रु० से बढ़कर ६ रु० प्रति किलो हो जाय, तो घी की माँग की लोच क्या होगी ?

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम दो-तीन परिभाषायें देने हुए माँग की लोच के अर्थ को स्पष्ट कीजिए । तत्पश्चात् माँग की लोच को मापने की आनुमातिक रीति का विवेचन कीजिये और अन्त में निम्न सूत्र के प्रयोग द्वारा प्रश्न का उत्तर निकालिए :

$$c = \left(\frac{q - q_1}{q + q_1} \right) \div \left(\frac{p - p_1}{p + p_1} \right)$$

८. निम्न में भेद कीजिए :

(अ) बिन्दु लोच और चाप लोच

(ब) कीमत लोच एवं आय लोच

पूर्ति, पूर्ति का नियम और पूर्ति की लोच

(Supply, Law of Supply and Elasticity of Supply)

प्रारम्भिक—पूर्ति का अर्थ

माँग के सम्बन्ध में हम यह देन चुके हैं कि किसी कीमत पर एक वस्तु की जितनी इकाइयाँ खरीदी जाती हैं वे उस वस्तु की माँग को दिखाती हैं। ठीक इसी प्रकार, एक निश्चिन कीमत पर किसी वस्तु की जितनी इकाइयाँ बेची जाती हैं वे उस वस्तु की पूर्ति को दिखाती हैं। माँग की भाँति पूर्ति भी कीमत से सम्बन्धित होती है और इसका भी बिना कीमत के कोई अर्थ नहीं होता है। हम सदैव यही कहते हैं कि अमुक कीमत पर पूर्ति इतनी है।

यहाँ पर पूर्ति (Supply) और स्टॉक (Stock) के अन्तर को समझना आवश्यक है। 'स्टॉक' वस्तु विशेष की कुल मात्रा को बताता है जो किसी निश्चित समय पर बाजार में मौजूद है। किन्तु पूर्ति 'स्टॉक' का वह भाग है जो कि विक्रेता एक निश्चित समय और एक निश्चित कीमत पर बेचने के लिये तैयार है।

पूर्ति-तालिका (Supply Schedule)

बाजार में भिन्न-भिन्न कीमतों पर पूर्ति की मात्रायें कितनी-कितनी होती हैं, इसकी यदि हम एक सूची बना लें, तो इस सूची को पूर्ति-तालिका (अनुसूची) कहा जाता है। इस प्रकार पूर्ति-तालिका 'मूल्य' और 'बेची जाने वाली मात्रा' के फलमात्सव सम्बन्ध (Functional relationship) को दिखाती है।

माँग-तालिका की भाँति पूर्ति-तालिका भी दो तरह की होती है : (अ) व्यक्तिगत पूर्ति-तालिका (Individual supply schedule), जो यह दिखाती है कि एक निश्चिन समय में एक विक्रेता वस्तु विशेष की कितनी-कितनी मात्रायें विभिन्न कीमतों पर बेचने को तैयार होता है। (ब) बाजार पूर्ति-तालिका (Market supply schedule), जो एक निश्चिन समय में विभिन्न कीमतों पर सभी विक्रेताओं की कुल पूर्ति को दिखाती है। स्पष्ट है कि वस्तु की बाजार पूर्ति-तालिका व्यक्तिगत पूर्ति-तालिकाओं को जोड़ कर निकाली जा सकती है। किन्तु स्मरण रहे कि विभिन्न कीमतों, जिनका कि पूर्ति-तालिकाओं में उल्लेख होता है, बाजार में वास्तव में प्रचलित नहीं होती हैं वरन् भूतकाल में विक्रेता (या विक्रेताओं) की प्रतिनियामों की जानकारी के आधार पर पूर्ति की मात्राओं का विभिन्न कीमतों पर अनुमान लगाया जाता है। पूर्ति-तालिका के बारे में अन्य स्मरण रखने योग्य बातें निम्नलिखित हैं—

(१) बाजार-पूर्ति-तालिका को इस माध्यता के आधार पर बनाया जाता है कि पूर्ति की दशायें (अर्थात् उत्पत्ति-साधनों की कीमतें, अन्य वस्तुओं की कीमतें, टेक्नीकल ज्ञान, उत्पादकों की रुचि इत्यादि) अपरिवर्तित रहती हैं और केवल वस्तु विशेष की कीमत में ही परिवर्तन होते हैं।

(२) एक कार्त्वनिक पूर्ति-तालिका बनाना तो सुगम है किन्तु वास्तविक तालिका बनाना

अति कठिन, क्योंकि प्रमुख-प्रमुख कीमतों पर वस्तु विषय की निम्नी-तिनी मात्राये देनी जायेगी इसका अनुमान लगाना कठिन होता है और फिर पूँति की दशाये भी स्थिर नहीं रहती है ।

(३) बाजार-पूँति-तालिका एक व्यक्तिगत पूँति-तालिका की अपेक्षा अधिक नियमित और समतल होती है, क्योंकि एक विक्रेता अनियमित रूप में व्यवहार कर सकता है, जिस कारण पूँति-तालिका अनियमित और असमतल हो जाती है, किन्तु बाजार-पूँति-तालिका में विक्रेताओं के अन्तर एक-दूसरे की निष्प्रभावित कर देते है, जिस कारण वह एक समतल चित्र प्रस्तुत करती है ।

(४) दोनों प्रकार की पूँति-तालिकाओं पर समय तत्त्व का गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विचाराधीन अवधि त्रितनी मन्वी होगी, उत्पादन या विक्रेतागण पूँति का उननी ही शुभमता से माँग के परिवर्तनों के अनुसार समाधोजित कर सकेंगे और भविष्य में अनुमानित कीमतों से पूँति उतनी ही अपिच प्रभावित होगी ।

(५) यद्यपि पूँति-तालिका बनाना कठिन है तथापि इससे कीमतों में परिवर्तन होने के फलस्वरूप देनी जाने वाली मात्राओं में जो परिवर्तन हो सकते हैं उनका मोटा अनुमान तो लगाया ही जा सकता है ।

पूँति-रेखा (Supply Curve)

माँग-तालिका की ही भाँति पूँति-तालिका को भी एक रेखाचित्र द्वारा प्रकट किया जाता है । ऐसी रेखा को, जो कि विभिन्न कीमतों पर वस्तु विषय की देनी जाने वाली मात्राये दिमाती है, 'पूँति-रेखा' कहते हैं । व्यक्तिगत पूँति-तालिका के आधार पर बनाई गई पूँति-रेखा को 'व्यक्तिगत पूँति रेखा' (Individual supply curve) और बाजार-पूँति-तालिका के आधार पर बनाई गई पूँति-रेखा को 'बाजार-पूँति-रेखा' (Market supply curve) कहा जाता है । चूँकि पूँति-रेखा पूँति-तालिका को व्यक्त करती है इसलिए इसके पीछे भी वही मान्यताये होती हैं जो कि पूँति-तालिका के पीछे हैं, जैसे :—(१) पूँति-रेखा कुछ कीमतों को दिया हुआ और स्थिर मान कर चलती है किन्तु वास्तविकता में ये कीमते नहीं पाई जाती हैं । (२) क्रेताओं और विक्रेताओं की मंचि की अपरिवर्तित मान लिया जाता है । (३) उनकी माय भी अपरिवर्तित मान ली जाती है । (४) उत्पत्ति-साधनों की कीमते स्थिर मान ली जाती हैं । (५) तरनीकी जान को यथा-स्थिर मान लिया जाता है । (६) कीमत और पूँति के पारस्परिक सम्बन्ध के बारे में परिवर्तनों में निरन्तरता या प्रति मूहम परिवर्तनों का होना मान लिया जाता है किन्तु वास्तविक जीवन में ऐसा होना जरूरी नहीं है । अर्थात् यह सम्भव है कि प्रायः कीमतों में थोड़े परिवर्तनों के होने का पूँति पर कोई अमर न पड़े और पूँति में तभी परिवर्तन हो जबकि कीमत में एक निश्चित मात्रा में परिवर्तन हो जाय । इस प्रकार, व्यवहार में पूँति-रेखा समतल और अमज्ज होने के बजाय बलदार (Kinked) या कोनेदार (Angular) होती है । (७) एक अमज्ज (Continuous) पूँति-रेखा यह मान लेती है कि वस्तु बिनाश्व है तथा उसकी प्रत्यत छोटी-छोटी दबावों मौजूद है । किन्तु व्यवहार में ऐसी मान्यता सदा ठीक नहीं उतरती है ।

पूँति के भेद

बाजार-पूँति, अल्पकालीन पूँति एवं दीर्घकालीन पूँति—

वस्तु की पूँति को कीमत और माँग के परिवर्तनों के अग्रुहण समाधोजित होने में कुछ समय लगता है, जिसके आधार पर पूँति के निम्न तीन प्रकार किये गये हैं :—(अ) बाजार पूँति (Market Supply), जिसमें विक्रेताओं की माँग में परिवर्तन के अनुसार पूँति का समाधोजन करने के लिए लगभग 'नहीं' के बराबर समय मिलता है । फलतः यदि माँग दी हुई है, तो वस्तु की

कीमत विक्रेता की (अपने स्टॉक या इसके एक भाग को बेचने के लिए) इच्छा की तीव्रता पर निर्भर करेगी। (ब) अल्पकालीन पूति, जिसमें विक्रेता एवं उत्पादक वस्तु की पूति को केवल विद्यमान उत्पत्ति-साधनों की सहायता से ही बढ़ा सकता और उन्हें इतना समय नहीं मिलता कि वे माँग की आवश्यकतानुसार नये उत्पत्ति साधनों के प्रयोग द्वारा उत्पत्ति को बढ़ा सकें या कुछ पुराने उत्पत्ति-साधनों को अन्य उद्योगों में स्थानान्तरित करके वस्तु विशेष की उत्पत्ति को घटा सकें। एव (स) दीर्घकालीन पूति (Long Period Price), जिसमें पूति को घटाने-बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। न केवल पुराने उत्पत्ति साधनों के द्वारा वरन् नये उत्पत्ति साधनों की सहायता लेकर भी उत्पत्ति को माँग के समकक्ष बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, उत्पत्ति-साधनों को अन्य उद्योगों में भेजकर वस्तु विशेष का उत्पादन घटाया भी जा सकता है।

संयुक्त पूति एवं सामूहिक पूति—

जब दो अथवा दो से अधिक वस्तुएँ एक साथ एक स्रोत से (जैसे—सरसो का तेल और खली दोनों ही तिलहन से) प्राप्त होती हैं, तो वे 'संयुक्त पूति' (Joint Supply) वाली वस्तुएँ कहलाती हैं। कुछ वस्तुएँ (जैसे—सरसो का तेल और खली) की संयुक्त पूति एक निश्चित अनुपात में होती है किन्तु अन्य वस्तुएँ (जैसे—भेड़ से ऊन और गीरत) की परिवर्तनशील अनुपात में।

जब वस्तु विशेष की पूति विभिन्न स्थानापन्न अथवा प्रतियोगी स्रोतों से प्राप्त होती है, तो इसे 'सामूहिक पूति' (Composite Supply) कहते हैं, जैसे—ताप की पूति बिजली, कोयला इत्यादि साधनों से।

पूति का नियम


देखने में आता है कि जब किसी वस्तु या सेवा की कीमत ऊँची चढ़ जाती है, तो बेचने वाले उसे पहले से अधिक मात्रा में बेचने का प्रयत्न करते हैं। इसके विपरीत, जब दाम गिर जाते हैं, तो कम इकाइयाँ बेचने के लिए प्रस्तुत की जाती हैं। कारण, ऊँचे दामों पर विक्रेताओं तथा उत्पादकों को अधिक लाभ होता है, जबकि नीची कीमतों पर बेचने से या तो लाभ कम होता है या होता ही नहीं। एक ही वस्तु के सभी उत्पादकों का उत्पादन-व्यय समान नहीं होता। कुछ उत्पादक अधिक कुशल होते हैं और कम लागत पर उत्पत्ति कर सकते हैं। ऐसे उत्पादक नीची कीमत पर बेच कर भी लाभ कमा लेते हैं, परन्तु जो उत्पादक इतने कुशल नहीं होते, उन्हें नीची कीमतों पर बेचने में हानि होती है। इसी कारण नीची कीमतों पर कम मात्रा में बेची जाती है और ऊँची कीमतों पर अधिक मात्रा में विक्री के लिए आती है। दूसरे शब्दों में, ऊँची कीमत पर पूति अधिक होती है और नीची कीमत पर कम। पूति में कीमतों के साथ-साथ बदलने की जो प्रवृत्ति है, उसी को अर्थशास्त्रियों ने पूति के नियम (Law of Supply) का नाम दे दिया है।

उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण—

कीमतों में परिवर्तन होने पर पूति में जो परिवर्तन होते हैं उनकी दिशा कीमत के परिवर्तन के अनुकूल होती है। यदि कीमत बढ़ती है, तो पूति भी बढ़ती है, और इसी प्रकार, यदि कीमत घटती है, तो पूति भी घट जाती है। किसी मण्डी अथवा बाजार में भिन्न-भिन्न कीमतों पर पूति की मात्राएँ कितनी होती हैं, इसकी यदि हम एक सूची बना लें तो इस सूची को 'पूति की अनुसूची' (Supply Schedule) कहा जाता है। इस सूची को देखने से पूति का नियम स्पष्ट हो जायेगा। आगामी तालिका में चाय की पूति की कल्पित अनुसूची दिखाई गई है।

पूति-तालिका

कीमत प्रति किलोग्राम (रुपयो मे)	पूति की मात्रा (किलोग्राम मे)
२	४००
३	५००
४	६००
५	८००
७	१,०००



चित्र—पूति वक्र रेखा

उक्त अनुसूची के अनुसार पूति के नियम की वक्र रेखा जिस प्रकार होगी वह साथ के चित्र में दिखाई गई है। इस रेखा की प्रकृति बायीं ओर से बाहिनी ओर नीचे से ऊपर की ओर जाने की होती है, जिससे कीमत और पूति दोनों का एक साथ बढ़ना सिद्ध होता है।

नियम की मान्यतायें—

पूति का नियम 'अन्य बातें समान रहने पर' लागू होता है। अर्थात् इस नियम के लागू होने के लिए निम्न दशायें या मान्यतायें पूरी होनी चाहिए :—(i) क्रेताओं और विक्रेताओं की भाव, हवि अथवा पसन्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा चाहिए; (ii) उत्पादित साधनों की कीमतें स्थिर रहे; (iii) उत्पादन सम्बन्धी तकनीकी ज्ञान अपरिवर्तित रहे; (iv) कीमत में अति छोटे परिवर्तन से भी पूति में घटा-बढ़ी होनी चाहिए; एवं (v) वस्तु की कीमत में और अधिक परिवर्तनों की आशंका न हो।

पूति के नियम का स्पष्टीकरण या इसकी क्रियाशीलता के कारण—

जैसा कि हमने ऊपर बताया है, पूति का नियम कीमत और बेची जाने वाली मात्रा के बीच सीधे सम्बन्ध को बताता है। अतः पूति रेखा दायें की ओर बढ़ती हुई होती है अर्थात् कीमत में वृद्धि के साथ-साथ पूति बढ़ती जाती है और कीमत में कमी के साथ वह घटती जाती है। ऐसा क्यों है? यह बात निम्नांकित विवेचन से स्पष्ट हो जायेगी :—

(१) जब कीमत बढ़ती है, तो विक्रेताओं के लाभ बढ़ते हैं और अधिक लाभ की प्राप्ति उन्हें वस्तु की पूति को बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। किन्तु 'अति अल्पकाल' में वे स्टॉक में रखे हुए माल से अधिक पूति को नहीं बढ़ा सकते हैं। 'मत्तकाल' में केवल विश्राम साधनों के द्वारा ही पूति को बढ़ा सकते हैं और 'दीर्घकाल' में तो नये साधनों की सहायता भी ले सकते हैं।

(२) कीमत में कमी होने से उत्पादकों और विक्रेताओं के लाभ कम हो जाने हैं अथवा उन्हें नुकसान होने लगता है, जिस कारण वे वस्तु की पूति को घटाने लगते हैं। अति अल्पकाल में यदि वस्तु नाशवान नहीं है तो बाजार में से वस्तु की कुछ मात्रा खींच कर स्टॉक

में रख लेंगे, अल्पकाल में कुछ उत्पादक उत्पादन को कम कर देंगे और दीर्घकाल में कुछ उत्पादक बिल्कुल ही निष्क्रिय हो जायेंगे या अन्य उद्योगों में चले जायेंगे।

इस प्रकार, कीमत के परिवर्तन उत्पादकों व विक्रेताओं के लाभ-हानि को प्रभावित करके पूँति को परिवर्तित करते हैं।

नियम के अर्थवाद—

माँग के नियम के सहज पूँति के नियम के भी कुछ अर्थवाद हैं और इस प्रकार हैं :—

(i) भविष्य में कीमत में अधिक वृद्धि या कमी की आशंका होने की दशा में पूँति का नियम लागू नहीं होता; (ii) कुछ दशाओं में (मानमूल की असफलता, वाढ का प्रकोप) कृषि-उत्पादित वस्तुओं पर भी पूँति का नियम लागू नहीं होता, (iii) कुछ कनात्मक वस्तुओं (जैसे—एक विख्यात कलाकार के चित्र) के सम्बन्ध में भी पूँति का नियम लागू नहीं होता; (iv) नीलाम की वस्तुओं की पूँति एवं (v) अविकसित और पिछड़े देशों में अर्थ की पूँति। यथार्थ में पूँति के नियम के अर्थवाद छोटे ही हैं और यह प्रायः सर्वत्र नियाशील देखा जाता है।

‘पूँति में परिवर्तन’ और ‘पूँति की मात्रा में परिवर्तन’

‘पूँति में परिवर्तन’ और ‘पूँति की मात्रा में परिवर्तन’ वाक्यांश साधारण बोलचाल में समान अर्थ में प्रयोग किये जाते हैं किन्तु अर्थशास्त्र में इनमें भेद है। ‘पूँति में वृद्धि’ का अर्थ ‘पूँति की मात्रा में वृद्धि’ (जिस दशा में ‘पूँति का विस्तार’ कहा जाता है) से भिन्न है और ‘पूँति में कमी’ का अर्थ ‘पूँति की मात्रा में कमी’ (जिस दशा में यह पूँति का संकुचन कहा जाता है) से भिन्न है।

पूँति में विस्तार और संकुचन—

पूँति को कई तत्त्व प्रभावित करते हैं जिनमें से कीमत एक है। पूँति में विस्तार और संकुचन केवल कीमत-परिवर्तनों के परिणामस्वरूप होते हैं। वे एक ही पूँति-रेखा पर चलन को बताते हैं—नीचे की ओर चलन कीमत में कमी और पूँति में संकुचन (Contraction of Supply) को बताता है तथा ऊपर की ओर चलन कीमत में वृद्धि और पूँति में विस्तार (Expansion of Supply) को। अन्य शब्दों में, कीमत-परिवर्तन पूँति को गई माना को परिवर्तित करता है परन्तु पूँति को नहीं। यहाँ उत्पादक अथवा विक्रेता एक निष्क्रिय भूमिका ही निभाता है अर्थात् कीमत द्वारा निर्देशित होता है। उसकी पूँति-तालिका (और इसलिए पूँति-रेखा भी) पूर्ववत् रहती है किन्तु कीमत के निर्देशन में वह उस पर ऊपर या नीचे चलना रहता है।

पूँति में वृद्धि या कमी—

वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य घटकों (जैसे—प्रायः, उत्पादन-नवनीक, उत्पत्ति के साधनों की कीमत) के परिवर्तन के परिणामस्वरूप पूँति पर जो प्रभाव होता है उसे ‘पूँति में परिवर्तन’ कहते हैं। ऐसी दशा में विक्रेता या उत्पादक पहली वाली पूँति-तालिका (और इसलिए पहली वाली पूँति-रेखा) पर स्थिर नहीं रहता बरन् नई पूँति-तालिका और नई पूँति-रेखा पर चला जाता है। पूँति में परिवर्तन अर्थात् पूँति में वृद्धि (Increase in supply) का अर्थ स्वयं पूँति-रेखा के दाएँ को और पूँति में कमी (Decrease in demand) का अर्थ पूँति-रेखा के बाएँ को हटने से है। यहाँ विक्रेता या उत्पादक सधिय भूमिका निभाता है अर्थात् कीमत द्वारा निर्देशित नहीं होना बरन् पूँति की दशाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी पूँति कम या अधिक तय करता है।

पूँति को प्रभावित करने वाले घटक

जैसा कि हमने ऊपर संकेत किया है, पूँति पर केवल वस्तु विशेष की कीमत का ही नहीं बरन् अन्य बातों का भी प्रभाव पड़ता है। ये माने निर्मांकित हैं :—

(१) अग्न्य वस्तुओं की कीमतें—वस्तु विशेष की कीमत स्थिर रहने पर भी यदि अग्न्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ जायें, तो वस्तु विशेष में लाभ कम प्रतीत होने में उसके प्रति माग्णंण घट जायेगा और इस प्रकार उसका उत्पादन घटा दिया जायेगा । किन्तु अग्न्य वस्तुओं की कीमतें घटने पर वस्तु विशेष का उत्पादन (और इसविष् उसकी पूति) बढ़ जायेगा ।

(२) उत्पत्ति-साधनों की कीमतें—यदि उत्पत्ति-साधनों की कीमतें बढ़ जायें, तो वस्तु के उत्पादन की लागत बढ़ जायेगी, उसका उत्पादन कम किया जायेगा और इस प्रकार पूति घट जायेगी । इसके विपरीत, उत्पत्ति-साधनों की कीमतें घटने पर वस्तु की पूति बढ़ जायेगी ।

(३) तकनीकी ज्ञान—तकनीकी ज्ञान बढ़ने पर वस्तु के उत्पादन में कुशल विधि का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण उसकी पूति बढ़ जाती है ।

(४) उत्पादकों की रचि—वस्तु विशेष के प्रति उत्पादकों की रचि (बाह्ये लाभ पूर्ववत् ही रहे) बढ़ने पर उसकी पूति बढ़ जायेगी और रचि घटने पर पूति घट जायेगी ।

(५) प्राकृतिक तत्व—अनुकूल प्राकृतिक दशायें मिलने पर कृषि-उत्पादन बढ़ जाता है, किन्तु विपरीत दशायें में घट जाता है ।

अग्न्य महत्त्वपूर्ण घटक है—यातायात के साधनों का विकास, राजनैतिक दशायें, उत्पादकों में सहयोग एवं सरकार की कर नीति ।

पूति की लोच

माग के नियम के ही समान पूति का नियम भी एक गुणात्मक कथन है अर्थात् वह पूति में होने वाले परिवर्तन की 'दिशा' को ही बताता है, 'मात्रा' (Quantity) को नहीं । मूल्य में परिवर्तन होने के फलस्वरूप वस्तु विशेष की पूति में 'कितना' परिवर्तन हुआ है अर्थात् परिवर्तन की मात्रा को मापन करने हेतु अर्थशास्त्रियों ने 'पूति की लोच' (Elasticity of Supply) का विचार प्रस्तुत किया है ।

पूति की लोच से आशय—

पूति की लोच का विचार यह बताता है कि कीमत में कमी अथवा वृद्धि से पूति की मात्रा में कितनी (या किस प्रति से) कमी या वृद्धि होती है । गणित की भाषा में, पूति की लोच (e_s) कीमत में छोटे से परिवर्तन के फलस्वरूप पूति की कई मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन को कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है । इस प्रकार :—

$$e_s = \frac{\text{पूति में आनुपातिक परिवर्तन}}{\text{कीमत में आनुपातिक परिवर्तन}}$$

स्मरण रहे कि पूति की लोच के अन्तर्गत हम पूति में उस परिवर्तन पर विचार करते हैं जो कि कीमत में छोटे से परिवर्तन के परिणामस्वरूप होता हो (कारण, कीमत के अधिक उतार-चढ़ाव के परिणामस्वरूप पूति में जो परिवर्तन होता है उसमें अटोरियों का असर अधिक रहता है) और जो अल्पकाल के लिए हो (कारण, पूति के दीर्घकालीन परिवर्तन केवल कीमत-परिवर्तन का ही परिणाम नहीं होते बल्कि अग्न्य अनेक कारणों को प्रभावित करती हैं ।)

पूति की लोच की श्रेणियाँ—

माग के ही समकक्ष पूति की लोच की भी तीन श्रेणियाँ निम्न प्रकार होती हैं —

(१) पूर्णतः लोचदार पूति ($e_s = \infty$), (२) अत्यधिक लोचदार पूति ($e_s > 1$), (३) लोचदार पूति या शीतल द्रवों की लोचदार पूति ($e_s = 1$), (४) बेलोच पूति ($e_s < 1$), एवं (५) पूर्णतः बेलोचदार पूति ($e_s = 0$) । इनमें से पूर्णतः लोचदार एवं पूर्णतः बेलोचदार पूति की दशायें व्यावहारिक जीवन में नहीं पाई जाती हैं । जब किसी वस्तु की पूति में परिवर्तन उनी अनुपात में, उसमें

अधिक या उनमें कम अनुपात में हो जिसमें कि उसकी कीमत में परिवर्तन हुआ है, तो पूँति की लोच क्रमशः 'इकाई लोच' या 'लोचदार', 'इकाई से अधिक' या अत्यधिक लोचदार, अथवा 'इकाई से कम' या 'बेलोचदार' कहलाती है।

पूँति की लोच को मापने की रीतियाँ—

पूँति की लोच को अनुपातिक रीति (Proportional Method) या बिन्दु रीति (Point Method) किसी के भी द्वारा मापा जा सकता है।

(१) अनुपातिक रीति या प्रतिशत रीति के अन्तर्गत पूँति में अनुपातिक (या प्रतिशत) परिवर्तन को कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से माप दिया जाता है। इस प्रकार :—

$$e_p = \frac{\text{पूँति में अनुपातिक परिवर्तन}}{\text{कीमत में अनुपातिक परिवर्तन}}$$

$$= \frac{\frac{\text{पूँति में परिवर्तन}}{\text{पूँति की पूर्व मात्रा}}}{\frac{\text{कीमत में परिवर्तन}}{\text{पूर्व कीमत}}}$$

$$= \frac{\frac{\Delta q}{q}}{\frac{\Delta p}{p}} = \frac{\Delta q}{q} \times \frac{p}{\Delta p}$$

$$= \frac{\Delta q}{\Delta p} = \frac{p}{q}$$

जिसमें Δ का संकेत सूक्ष्म परिवर्तन का है। इस सूत्र का संशोधित रूप निम्न प्रकार है :—

$$e_p = \frac{\frac{\text{पूँति की मात्रा में परिवर्तन}}{(\text{पूर्व मात्रा} + \text{नई मात्रा})/2}}{\frac{\text{कीमत में परिवर्तन}}{(\text{पूर्व कीमत} + \text{नई कीमत})/2}}$$

$$= \frac{\frac{q - q_1}{(q + q_1)/2}}{\frac{p - p_1}{(p + p_1)/2}} = \frac{q - q_1}{q + q_1} \div \frac{p - p_1}{p + p_1}$$


जिसमें, q = पूँति की पूर्व मात्रा; p = पूर्व कीमत
 q_1 = पूँति की नई मात्रा; p_1 = नई कीमत

(२) बिन्दु रीति या रेखागणित रीति के द्वारा पूँति की लोच पूँति-रेखा के किसी बिन्दु पर मापने की जाती है। मान लीजिये कि साप के चित्र में SS पूँति-रेखा के P बिन्दु पर पूँति की लोच मापने करना है। इस हेतु पूँति-रेखा SS को नीचे की ओर बढ़ाया जाता है जिससे

कि वह अ क अक्ष को ट बिन्दु पर मिलती है और बिन्दु म से अ क अक्ष पर एक लम्ब (Perpendicular) डाला जाता है, जो अ क अक्ष को न पर मिलता है। पूति की लोच को निम्न सूत्र द्वारा माप्युम किया जा सकेगा। सूत्र—

$$c_b = \frac{\tau n}{\alpha n}$$

मे दी हुई स्थिति मे $\tau n < \alpha n$, जिस कारण $c_b < 1$ ।



चित्र—पूति की लोच

पूति की लोच के निर्धारक-घटक—

पूति की लोच को प्रभावित करने वाले प्रमुख-प्रमुख घटक इस प्रकार हैं :—(अ) वस्तु का स्वभाव—नाशवान वस्तुओं की पूति वेलोच होती है, क्योंकि कीमत के बढ़ने अथवा पटने पर इनकी पूति को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। किन्तु टिकाऊ वस्तु की पूति लोचदार होती है, क्योंकि इसे कीमत-परिवर्तनों के प्रत्युत्तर में घटाया-बढ़ाया जा सकता है। (ब) उत्पादन-तकनीक—सरल उत्पादन विधि अथवा कम पूँजी की आवश्यकता वाली विधि के अन्तर्गत वस्तु की पूति लोचदार होती है किन्तु जटिल उत्पादन विधि अथवा अधिक पूँजी की आवश्यकता वाली विधि के अन्तर्गत वस्तु की पूति वेलोचदार होती है। (स) उत्पादन लागत—यदि वस्तु विशेष को उत्पत्ति वृद्धि नियम के अन्तर्गत उत्पन्न किया जा रहा है, तो उसकी पूति वेलोच होती है (क्योंकि कीमत के बढ़ने पर उसकी पूति को बढ़ाना कठिन होता है) और यदि वस्तु विशेष को उत्पत्ति वृद्धि नियम के अन्तर्गत उत्पन्न किया जा रहा है, तो उसकी पूति लोचदार होती है (क्योंकि कीमत के बढ़ने पर पूति को बढ़ाना सुगम होता है)। (द) समय—अल्पकाल में पूति वेलोच और दीर्घकाल में लोचदार होती है।

परीक्षा प्रश्न :

- पूति की परिभाषा दीजिये और निम्न में अन्तर बताइये : (अ) 'पूति में वृद्धि' और 'पूति में विस्तार' एवं (ब) 'पूति में कमी' और 'पूति में संकुचन'।
- पूति के नियम का कथन दीजिये और इसकी व्याख्या कीजिए। किसी वस्तु की पूति को प्रभावित करने वाले घटक कौन-कौन से हैं ?
- पूति की लोच से क्या आशय है और इसे कैसे मापा जाता है ?

उदासीनता वक्र अथवा तटस्थता वक्र

(The Indifference Curves)

प्रारम्भिक—

उपयोगिता की माप सम्बन्धी कठिनाई से बचने के लिए कुछ विद्वानों ने यह सुझाव दिया है कि किसी वस्तु को पाने के लिए कोई मनुष्य जितना व्यय करने के लिये तैयार हो जाता है उसी को उस वस्तु की उपयोगिता की माप मान लेना चाहिए। उनके विचार में एक मानसिक विचार की ठोस माप केवल इसी प्रकार हो सकती है। किन्तु यह विचार सही नहीं है। जैसा कि प्रो० पीगू का कथन है, मुद्रा में हम केवल इच्छा की तीव्रता को नाप सकते हैं, उपयोगिता को नहीं।¹ इस प्रकार, मुद्रा उपयोगिता की सही माप नहीं है। वह केवल हमारे अनुराग (Preference) की सूचक होती है। इस कठिनाई से बचने के लिए आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र में उपयोगिता का प्रयोग करना छोड़ दिया है और अधिब वैज्ञानिक विवेचना के लिए एक नई उदासीनता वक्रों (Indifference Curves) की रीति अपनाई है।

उदासीनता वक्र का ऐतिहासिक विकास

अर्थशास्त्र में सबसे पहले पेरिटो (Pareto) नामक एक इटैलियन आर्थिक लेखक ने इस बात पर बल दिया था कि उपयोगिता की माप नहीं हो सकती है।² उनके विचार में उपयोगिता केवल एक तुलनात्मक शब्द है, जिसकी निरपेक्ष (Absolute) माप नहीं हो सकती है। इस आधार पर उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उपयोगिता के विचार के स्थान पर हमें 'अनुराग के पैमाने' (Scale of Preferences) का उपयोग करना चाहिए। एक व्यक्ति यह बताने में तो असमर्थ रह सकता है कि किसी वस्तु से उसे कितनी उपयोगिता मिली है, परन्तु वह इस बात को सुगमतापूर्वक बता देगा कि दी हुई दो वस्तुओं में से किस के लिए उसका अनुराग अधिक है। अतः हमें चाहिए कि उपयोगिता की विवेचना पर अपना समय व्यय न करके अनुरागों का प्राथमिकता क्रम बताने का प्रयत्न करें।

पेरिटो के पश्चात् प्रो० वीजर (Wieser), एडवर्ड चैम्बरलैन (Edward Chamberlain), ऐलन (Allen), प्रो० बाउले (Bowley) और प्रो० हिक्स (Hicks) ने इस विषय में और आगे काम किया है। हिक्स और ऐलन का विचार है कि सीमान्त उपयोगिता की सही माप न हो सकने के कारण मूल्य-सिद्धान्त की उपयोगिता द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता है, किन्तु उसे "स्थानापन्न-अर्थ" (Rate of Substitution) द्वारा समझाया जा सकता है। उनके विचार में सीमान्त उपयोगिता का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, परन्तु स्थानापन्न अर्थ के विषय में ऐसी बात

¹ A. C. Pigou "Some Remarks on Utility", *Economic Journal* 1909.

² Pareto : *Manuel d'Economie Politique*.

नहीं है।^१ इन सब विद्वानों ने इस सम्बन्ध में एक जटिल गणित प्रणाली का उपयोग किया है, जिसे 'उदासीनता-वक्र-प्रणाली' कहा जाता है।

उदासीनता-वक्र की परिभाषा

मेयर्स (Meyers) के अनुसार, उदासीनता-वक्र एक ऐसा वक्र है जिसके ऊपर प्रत्येक बिन्दु किन्हीं दो उपभोग-वस्तुओं की मात्राएँ सूचित करता है, जबकि पूरा वक्र इन दोनों वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को दिखाता है। इस वक्र का प्रत्येक बिन्दु दो से वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों (Combinations) को दिखाता है जिनमें से प्रत्येक संयोग से समान कुल सन्तोष प्राप्त होता है। चूंकि संयोग से मिलने वाला सन्तोष बराबर होता है, इसलिए उपरोक्त इस विषय में पूर्णतः उदासीन या तटस्थ (Indifferent) रहता है कि इन संयोगों में से कौन से संयोग चुने। ईश्वर के शब्दों में, "यह मात्राओं के उन जोड़ों को प्रदर्शित करने वाले बिन्दुओं का मार्ग-पथ (Locus) होता है जिनके बीच व्यक्ति तटस्थ भ्रमवा उदासीन रहना है, इसीलिए इसे तटस्थता वक्र भ्रमवा उदासीनता-वक्र कहते हैं।"^२ तटस्थता रेखा के प्रत्येक बिन्दु द्वारा समान सन्तुष्टि सूचित होने के कारण उसे 'समान सन्तुष्टि रेखा' (Iso-utility curve) भी कहते हैं।

उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण—

यदि र और म दो वस्तुएँ हैं, तो उदासीनता-वक्र र और म के ऐसे संयोग दिखायेगा, जिनमें प्राप्त होने वाले सन्तोष का योग हर दशा में समान है। यदि र की ६ इकाइयों + म की १० इकाइयों के संयोग से मिलने वाला कुल सन्तोष उतना ही है जितना कि र की १५ इकाइयों और म की ४ इकाइयों से तो ६ र + १० म और १५ र + ४ म ये दोनों ही संयोग एक ही उदासीनता-वक्र पर स्थित दो बिन्दुओं द्वारा दिखाये जायेंगे। निम्न तालिका में समान विभिन्न सन्तोष प्राप्त करने वाली दो वस्तुओं के संयोग दिखाये गये हैं :—

म वस्तु की संख्या	र वस्तु की संख्या	उपयोगिता	बिनिमय में दी जाने वाली म वस्तु की संख्या	बदले में ली जाने वाली वस्तु की संख्या
५०	०	×
४०	१	×	१२	१
३१	२	×	११	१
२२	३	×	१०	२
१६	४	×	७	३
१०	५	×	४	४
५	६	×	२	८
१	७	×	१	१२

उक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि म और र वस्तुओं के ऐसे अनेक संयोग (Combinations) हो सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक से उपरोक्त की समान ही सन्तोष प्राप्त हो। यह उल्लेखनीय है कि जैसे-जैसे किसी संयोग में म वस्तु की मात्रा घटती जायगी, र की मात्रा बढ़ती जायगी। समान सन्तोष देने वाले विभिन्न संयोगों में से किसे चुना जाय इस सम्बन्ध में उपरोक्त

^१ J. R. Hicks : *Value and Capital*.

^२ "It is the locus of the points representing pairs of quantities between which the individual is indifferent, so it is termed as Indifference Curve"


—J. K. Eastham : *An Introduction to Economic Analysis*, p. 50

तटस्थ या उदासीन रहता है। इन सयोगों से ही इस बात का पता चलता है कि म वस्तु की इकाइयों की एक निश्चित मात्रा के बदले में र वस्तु की कितनी मात्रा मिलेगी।

रेखा-चित्र द्वारा स्पष्टीकरण—

उपरोक्त तालिका के आधार पर ही एक रेखाचित्र भी खींचा जा सकता है, जो इस प्रकार होगा :—

यह वक्र दो अक्ष-रेखाओं (Axis) पर खींचा गया है। अक्ष रेखा पर म वस्तु की इकाइयाँ और अक्ष रेखा पर र वस्तु की इकाइयाँ नापी गई हैं। ग वक्र पर प और फ बिन्दु, र और म के दो अलग-अलग सयोग दिखाते हैं। प बिन्दु पर र की माप अ ट के बराबर है और म की माप अ ह के बराबर है, दोनों से प्राप्त होने वाला सन्तोप यहाँ पर अ-ह-प-ट आयत द्वारा सूचित होता है। फ बिन्दु पर र की माप अ च के बराबर है और म की माप अ न के बराबर है। दोनों से प्राप्त होने वाला सन्तोप अ-न-फ-च आयत द्वारा दिखाया जाता है। इनकी विशेषता यह है कि दोनों दशाओं में प्राप्त सन्तोप बराबर है। यह इस बात से सिद्ध होता है कि अ ह प ट आयत का क्षेत्रफल अ न फ च के क्षेत्रफल के बराबर है।



इस वक्र के द्वारा हमें यह पता नहीं चलता कि र और म वस्तुओं से कितनी-कितनी उपयोगिता या सन्तोप यथार्थ में मिलता है। केवल इतना ही पता चलता है कि इन दो वस्तुओं से सम्बन्धित उपयोग के कौन-कौन से संयोग हैं, जिनसे समान सन्तोप मिलता है। उपयोगिता कितनी भी हो, इससे कोई तात्पर्य नहीं है। ग वक्र उन सब सयोगों को दिखाता है जिनमें से प्रत्येक समान सन्तोप देता है तथा जिनके चुनने में उपभोक्ता उदासीन रहता है। यही कारण है कि ग वक्र उदासीनता वक्र कहलाता है। 'उदासीनता वक्र' के स्थान पर इसे 'उपभोग-उदासीनता-वक्र' कहना बढाचित् और भी अधिक उपयुक्त होगा।

उदासीनता-वक्र की विशेषताएँ

उदासीनता-वक्र को खींचना और समझना इतना सरल नहीं है जितना कि उपरोक्त उदाहरण से प्रतीत होता है। प्रो० हिक्स (Hicks) ने इस बात पर बल दिया है कि उदासीनता वक्र की ठीक आकृति (Figure) केवल "तीन परिमाणिक आकृति" (Three Dimensional Figure) द्वारा ही खींची जा सकती है। उनका विचार है कि ऐसी आकृति के लिए 'उपयोगिता वक्र' वाक्यांग ठीक शब्द नहीं है, अधिक उपयुक्त वाक्यांश है 'उपयोगिता-स्तल' (Utility Surface)। किन्तु उपयोगिता-स्तल को वक्र का रूप देकर "दो परिमाणिक आकृति" (Two Dimensional Figure) में परिवर्तित किया जा सकता है,¹ और अन्त में आकृति की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है कि साधारण गणित ज्ञान से भी हम इसे समझ लें। अगले पृष्ठ पर उदासीनता वक्र की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है :—

¹ J. R. Hicks : *Value and Capital*, Chapter 1.

(१) उदासीनता वक्र का आकार प्र बिन्दु से उन्नतोदर (Convex) होता है। कारण, जैसे-जैसे हम इस वक्र पर नीचे की ओर बढ़ते हैं, प्र अक्ष (Axis) की लम्बाई बढ़ती चली जाती है। पीछे दिने हुए उदासीनता वक्र में प्र बिन्दु से क बिन्दु तक घाने में प्र अक्ष के माप नापी जाने वाली लम्बाई अ ट से बढ़ कर अ ब के बराबर हो जाती है। इसके विपरीत, नीचे से ऊपर जाने में प्र अक्ष के साथ नापी जाने वाली लम्बाई बढ़ती चली जाती है।

अब हमें यह देखना है कि प्र से क पर उतरने में अ क अक्ष पर नापी जाने वाली लम्बाई के बढ़ने का क्या अर्थ होता है? यह इस बात को सिद्ध करना है कि यदि उपभोक्ता क वस्तु की इकाइयों के उपभोग को कम करे, तो उसे क वस्तु के उपभोग को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि क का उपभोग कम करने से क की उपयोगिता कम होनी पत्ती जाती है, जिसकी पूर्ति करने के लिए क की बढ़ती हुई इकाइयों का उपभोग आवश्यक होता है। केवल ऐसा करने से ही उसे प्राप्त होने वाला कुल सन्तोष यथास्थिर रह सकता है। यह एक साधारण-सी बात है कि जब हम एक वस्तु के उपभोग को कम करते हैं, तो इससे कुल सन्तोष में जो नमी आये, उसे पूरा करने के लिए हमें दूसरी वस्तु का अधिक उपभोग करना पड़ता है। जब एक वस्तु के उपयोग की मात्राएँ बहुत कम रह जाती हैं तो उसका उपभोग न करने से सन्तोष की अधिक हानि होती है और इसलिए दूसरी वस्तु के उपभोग की मात्रा में बहुत वृद्धि करनी पड़ती है। तब कही पहले जितने सन्तोष की प्राप्ति सम्भव होती है।

इसके विपरीत, जब किसी वस्तु के उपभोग की मात्राएँ बहुत अधिक हो जाती हैं, तो उतनी भगली इकाई से साधारणतया बहुत कम सन्तोष मिलता है। अब यदि हम पहली वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु के उपयोग द्वारा सन्तोष की हानि को पूरा करना चाहते हैं, तो पहली वस्तु की प्रत्येक इकाई के बदले में दूसरी वस्तु की बढ़ती हुई इकाइयों का उपभोग करना पड़ेगा। यह बात साधारणतया सभी वस्तुओं के विषय में सत्य है। किन्तु दो वस्तुएँ यदि ऐसी हैं जिनमें से एक की उपयोगिता दूसरी की उपयोगिता पर आधारित है, तो सम्भव है कि ऐसा न हो। यह इस कारण होता है कि साधारणतया प्रत्येक वस्तु के स्टॉक में वृद्धि होने से उगकी सीमान्त उपयोगिता घटती है और कमी होने पर उसकी सीमान्त उपयोगिता बढ़ती है। इसी कारण हमें इस बात को आवश्यकता है कि दो वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन करे।


दूसरे शब्दों में, हम यह कह सकते हैं कि जैसे-जैसे हम एक वस्तु के स्थान पर दूसरी का उपभोग बढ़ाते जाते हैं, स्थानापन्न-मार्ग (Rate of Substitution) क्रमशः बढ़ता जाता है। दूसरे शब्दों में, सीमान्त स्थानापन्न-मार्ग (Marginal rate of Substitution) बढ़ता चला जाता है। उदात्तोदर वक्र इसी बात को सूचित करता है।

(२) दो उदासीनता वक्र एक-दूसरे को कभी नहीं काटते। इसका कारण यह है कि दो भलग-भलग वस्तुओं की मात्राओं से सम्बन्धित उदासीन वक्र भलग-भलग होते हैं। कुछ दशाओं में उदासीनता वक्र का आकार गोलाकार भी होता है। यह आकार प्रायः उन वस्तुओं से सम्बन्धित उदासीनता वक्र का होता है जिनके उपभोग से एक निश्चित मात्रा के पश्चात् शून्यात्मक उपयोगिता (Negative Utility) मिलने लगती है। घनिष्ठ दशा में लम्बे काल के उपभोग के पश्चात् प्रत्येक वस्तु इसी प्रकार की हो जाती है और इसलिए अधिकतर वस्तुओं के उदासीनता वक्र प्रायः गोलाकार हो जाते हैं।

(३) कोई भी उदासीनता वक्र प्र क अक्ष (Axis of X) प्रथवा अ अक्ष (Axis of Y) को स्पर्श नहीं करता। कारण, उदासीनता वक्र सीधा ही इस आधार पर जाना है कि एक व्यक्ति दो भलग-भलग वस्तुओं के विभिन्न संयोगों का उपयोग करता है। यदि कोई उदासीनता वक्र अ अक्ष की अ बिन्दु पर स्पर्श करता है, तो इसका अर्थ यह होगा कि व्यक्ति विशेष एक

वस्तु की अथ छ इकाइयों तथा दूसरी की शून्य इकाइयों से सन्तुष्ट हो जाता है। किन्तु यह हमारी आधारभूत मान्यता के विरुद्ध है। हम यह मानकर चले थे कि व्यक्ति विशेष दोनों ही वस्तुओं का उपभोग करता है, यद्यपि एक के उपभोग की मात्रा कम और दूसरे की अधिक हो सकती है।


[केवल एक ही दशा में उदासीनता वक्र किसी अर्थ को स्पष्ट कर सकता है। यदि दो वस्तुओं में से एक मुद्रा (Money) है, जिसे (मान लीजिए कि) हम अथ अर्थ पर मान रहे हैं, तो इस विशेष दशा में यह हो सकता है कि उदासीनता वक्र अथ से छ बिन्दु पर स्पर्श करे। ऐसी दशा का तात्पर्य (जैसा कि चित्र में दिखाया गया है) यह है कि व्यक्ति विशेष या तो मुद्रा की अथ छ इकाइयाँ लेना चाहेगा अथवा वह छ वस्तु की कुछ इकाइयाँ तथा मुद्रा की कुछ मात्रा लेना चाहेगा। इस चित्र में ल बिन्दु पर व्यक्ति विशेष वस्तु की अथ र इकाइयों तथा मुद्रा की अथ प इकाइयों का उपभोग करेगा और इस दशा में उसे उतना ही सन्तोष मिलेगा जितना कि मुद्रा की अथ छ इकाइयों से।]



(४) सभी उदासीनता वक्र साधारणतया बाईं ओर से दाहिनी ओर की नीचे की ओर जाते हैं। बात यह है कि सन्तोष को समान स्तर पर बनाये रखने के लिए यह आवश्यक होता है कि जैसे-जैसे हम एक वस्तु को अधिक मात्रा में लें, दूसरी वस्तु कम मात्रा में लेनी चाहिये। ऊपर की ओर (अथवा घनात्मक) ढाल वाला उदासीनता वक्र असम्भव है, क्योंकि ऐसा वक्र यह दिखायेगा कि ऐसे दो संयोगों से, जिनमें से एक में दोनों वस्तुयें कम मात्रा में हैं और दूसरे में दोनों वस्तुयें अधिक मात्रा में हैं, प्राप्त होने वाला सन्तोष बराबर है, जो स्पष्टतः असम्भव होगा। यही कारण है कि उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, अर्थात्, वह ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई वक्र रेखा होती है।

(५) आवश्यक नहीं है कि उदासीनता वक्र एक-दूसरे के समानान्तर हों। उनके दो कारण हैं—प्रथमतः, उदासीनता वक्र गुणात्मक माप प्रणाली पर आधारित न होकर परिमाण-वाचक माप प्रणाली पर आधारित होते हैं। दूसरे, सभी उदासीनता सारणियों में दो वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन-दर का समान होना आवश्यक नहीं है। इसका अर्थ यह होता है कि उदासीनता वक्र किसी भी प्रकार खींचे जा सकते हैं। वे एक-दूसरे के समानान्तर भी हो सकते हैं और नहीं भी।

(६) किसी भी उपभोक्ता के लिये उदासीनता वक्रों का एक क्रम (Series) होता है, केवल एक ही उदासीनता वक्र नहीं। एक वक्र सन्तोष के एक स्तर को दिखाता है, और उसकी दाईं ओर ऊपर का प्रत्येक वक्र अधिक सन्तोष को दिखाता है। साथ के रेखाचित्र में उदासीनता वक्रों का ऐसा ही क्रम दिखाया गया है। उ_१ सबसे नीचे का वक्र है और सन्तोष के सबसे नीचे स्तर को दिखाता है। उ_२, उ_३, उ_४, उ_५ क्रमशः ऊँचे तथा और ऊँचे सन्तोष-स्तरों को दिखाते हैं किन्तु यह नहीं बताते कि उपभोगिता (या सन्तोष) पहले की अपेक्षा मात्रा 'कितनी' अधिक मिलने लगी है।




चित्र—उदासीनता वक्र

जब अनेक तटस्थता वक्रों को, जो कि उपभोक्ता विशेष के लिये सन्तोष के विभिन्न स्तरों को सूचित करते हैं, एक ही बिन्दु के द्वारा दिखाया जाता है, तो ऐसे बिन्दु को 'तटस्थता मानचित्र' (Indifference map) कहते हैं। इस बिन्दु को तुलना एक 'भौगोलिक परिधि रेखा मानचित्र' (Geographical contour map) से की जा सकती है। जिस प्रकार एक परिधि रेखा (Contour) समान ऊँचाई के स्थानों को दिखाती है, उसी प्रकार एक तटस्थता रेखा समान सन्तुष्टि वाले संयोगों को बताती है, और, जिस प्रकार विभिन्न परिधि रेखाएँ विभिन्न ऊँचाइयों इंगित करती हैं उसी प्रकार विभिन्न तटस्थता रेखाएँ विभिन्न सन्तुष्टि-स्तरों को बताती हैं।

(७) बहुत से उदासीनता वक्र गोलाकार (Circular Indifference Curves) होते हैं किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक उदासीनता वक्र गोलाकार ही हो। किसी भी उदासीनता वक्र का रूप इस बात पर निर्भर होता है कि सन्तोष को समान स्तर पर बनाये रखने के लिए एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु का किस दर पर प्रतिस्थापन होता है। निम्न चित्र में दो उदासीनता वक्र दिखाये गये हैं, जिनमें से एक गोलाकार है और दूसरा अण्डाकार (Elliptical) है।

उ₁ वक्र गोलाकार है और उ₂ अण्डाकार।

इन वक्रों द्वारा क और ख वस्तुओं के उदासीनता संयोग दिखाये गये हैं। मान लीजिए प उदासीनता वक्र उ₁ पर एक बिन्दु है और म उदासीनता वक्र उ₂ पर एक ऐसा बिन्दु है कि दोनों बिन्दुओं द्वारा क और ख के जो संयोग दिखाये गये हैं उनमें ख की मात्रा (म भू) बराबर है। परन्तु उ₁ वक्र के सम्बन्ध में व बिन्दु द्वारा दिखाये हुए संयोग में क की मात्रा घ ड है और म बिन्दु द्वारा दिखाये हुए संयोग में अर्थात् उ₂ वक्र पर क की मात्रा घ ए है। अब मान लीजिए कि ख वस्तु की मात्रा म भू से घटाकर घ भू कर दी जाती है। ख वस्तु की मात्रा की इस कमी की पूर्ति के लिए उ₁ तथा उ₂ दोनों में क की मात्रा बढ़ानी होगी। उ₁ में क की मात्रा में ड ई की वृद्धि ही सन्तोष को यथास्थित रखने के लिये पर्याप्त है परन्तु उ₂ में इसके लिये क की मात्रा में ए ऐ अर्थात् अधिक मात्रा में वृद्धि आवश्यक होगी। यही कारण है कि उ₁ तथा उ₂ के रूप अलग-अलग हैं। जब एक वस्तु की कमी को पूरा करने के लिये दूसरी वस्तु की मात्रा को थोड़ा-सा ही बढ़ा देने से सन्तोष यथास्थित रखा जा सकता है, तो उदासीनता वक्र के गोलाकार बन जाने की सम्भावना रहती है।



उपरोक्त विवेचन से एक और बात का पता चलता है कि उदासीनता वक्र एक घिरा हुआ चित्र (Closed figure) होता है जो गोलाकार अथवा अण्डाकार हो सकता है। ऊपर के चित्र में यदि दोनों वक्रों को पूरा-पूरा खींच दिया जाये तो वे घिरे हुए चित्र बनायेंगे।

सीमान्त स्थानापन्न अर्थ
(Marginal Rate of Substitution)

उदासीनता वक्र के अध्ययन में सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन 'सीमान्त स्थानापन्न अर्थ' का है। एक वस्तु की निश्चित मात्रा के बदले में दूसरी वस्तु की कितनी मात्रा मिलेगी अथवा एक वस्तु का दूसरी से प्रतिस्थापन हम किस दर पर करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हमें सीमान्त स्थानापन्न अर्थ (Marginal Rate of Substitution) से मिलता है। सीमान्त प्रतिस्थानापन्न दर का विचार अर्थशास्त्र की हितस और ऐनन की देन है।

मान लीजिये कि क के पास चीनी है और ख के पास दूध, और दोनों व्यक्ति विनिमय करना चाहते हैं। विनिमय दर यह बतायेगी कि चीनी की एक निश्चित मात्रा के बदले में कितना दूध दिया जाता है। परन्तु विनिमय केवल उसी दशा में सम्भव हो सकेगा जबकि चीनी और दूध की सीमान्त उपयोगिताओं का अनुपात (Ratio) क और ख दोनों के लिए अलग-अलग है। इसी अनुपात को 'सीमान्त स्थानापन्न अर्थ' कहा जाता है। हिक्स (Hicks) के शब्दों में, "हम क के स्थान में ख के प्रतिस्थापन की सीमान्त अर्थ ख की उस मात्रा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो क की सीमान्त इकाई देने से उपभोक्ता को पहुँचने वाली हानि की क्षतिपूर्ति मात्र कर दे।"¹

वास्तव में यह ख में क की सीमान्त उपयोगिता मात्र है। इस अध्ययन की सहायता से हम उपयोगिता की माप किये बिना ही प्रतिस्थापन नियम (Law of Substitution), अधिकतम संतोष नियम (Law of Maximum Satisfaction) और उपभोक्ता की वचन आदि की व्याख्या कर सकते हैं। इस अध्ययन से हमें यह पता तो नहीं चलता है कि हमें कितना अधिकतम कुल संतोष मिला है, परन्तु यह पता अवश्य चल जाता है कि दो हुई परिस्थितियों में हमारा संतोष "अधिकतम" हुआ या नहीं।

गणित वर्ग के अर्थशास्त्रियों ने एक और भी नया विचार प्रस्तुत किया है, जिसको प्रतिस्थापन की लोच (Elasticity of Substitution) कहा जाता है। यह विचार माँग की लोच से मिलता-जुलता ही है। इस विचार की सहायता से उस दर (Rate) का पता लगाया जाता है जिससे सीमान्त पर (At the Margin) दो वस्तुओं के बीच प्रतिस्थापन होता है। यह निश्चय है कि "एक व्यक्ति, किसी समय विशेष में प्रचलित कीमतों को ध्यान में रखते हुए, केवल तब ही साम्य-अवस्था में हो सकता है, जबकि किन्हीं दो वस्तुओं की कीमतों का अनुपात, इन दोनों वस्तुओं के बीच उसकी सीमान्त प्रतिस्थापन-अर्थ के बराबर हो, अन्यथा उस बाजार-भाव पर उस व्यक्ति के लिए यह लाभदायक होगा कि वह एक वस्तु के एक भाग के स्थान में समान कीमत की अन्य वस्तु के एक भाग का उपयोग करे।"²

जैसा कि हमने पहले भी बताया है, हिक्स के अनुसार x वस्तु का सीमान्त प्रतिस्थापन अर्थ y वस्तु की उस मात्रा के बराबर होती है जो उपभोक्ता के x वस्तु के उपभोग न करने के त्याग का निवारण मात्र करेगी। अर्थ तात्विक में सीमान्त प्रतिस्थापन अर्थ दिखाई गई है:—

¹ "We may define the marginal rate of substitution of X for Y as the quantity of Y which would just compensate the consumer for the loss of marginal unit of X ."—Hicks : *Value and Capital*, Chap 1, p. 6.

² Briggs and Jordan : *A Text Book of Economics*, p. 94.

म वस्तु की संख्या	प वस्तु की संख्या	उपयोगिता	त्रिनिमय में दो जाने वाली प वस्तु की संख्या	बदले में मिलने वाली प वस्तु की संख्या	म की प में सीमान्त प्रतिस्थापन प्रपंच	प की म में सीमान्त प्रतिस्थापन प्रपंच
१	२	३	४	५	६	७
५०	०	X
४०	१०	X	१२	१	१२	१
३१	२०	X	११	१	११	१
२३	३०	X	१०	१	१०	१
१६	४०	X	७	३	७	१
१०	५०	X	४	४	७	१
५	६०	X	३	५	७	१
१	७०	X	१	१२	७	१

उदासीनता वक्रों द्वारा माँग की विवेचना
(Demand Analysis Through Indifference Curves)


माँग का विवेचन उपयोगिता प्रथयन के आधार पर किया जा सकता है, परन्तु इसमें उपयोगिता की परिमाणवाचक माप की आवश्यकता पड़ती है, जो एक कठिन कार्य है। किन्तु उदासीनता वक्र विवेचन में उपयोगिता की इस प्रकार की माप आवश्यक नहीं होती है, इसलिए विवेचन सरल हो जाता है। इस सम्बन्ध में हम सबसे पहले अपना अध्ययन 'उपभोक्ता के सन्तुलन' प्रथया 'उपभोक्ता की स्थिति' में आरम्भ करते हैं।

उपभोक्ता का सन्तुलन (Equilibrium of the Consumer) —


जब केवल दो ही वस्तुओं का अध्ययन करना है, तो उपभोक्ता के सन्तुलन की स्थिति जानने के लिए हम दो बातों की आवश्यकता पड़ती है—(i) उपभोक्ता का उदासीनता चित्र (Indifference Map) तथा (ii) कीमत रेखा (Price Line)।

(१) उदासीनता चित्र—उदासीनता वक्र वह विधि है जिसके द्वारा दो वस्तुओं के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति का अनुराग एक ग्राफ (Graph) की सहायता में दिखाया जाता है। उपभोक्ता की किसी निश्चित आय में सम्बन्धित इन दो वस्तुओं के अनुराग का उसका कोई एक उदासीनता वक्र होता है। परन्तु आय के प्रत्येक परिवर्तन के साथ-साथ इस प्रकार का उदासीनता वक्र बदल जाता है। इस प्रकार, आय के विभिन्न स्तरों से सम्बन्धित घनेर उदासीनता वक्र होते हैं। ऐसे उदासीनता वक्रों के क्रम (Series) को 'उदासीनता चित्र' का नाम दिया जाता है। (चित्र-गृष्ठ १२१) यह स्पष्ट है कि उदासीनता चित्र एक व्यक्ति के अनुराग पर निर्भर होगा और जब तक उस व्यक्ति की रूचियों में कोई परिवर्तन न होगा, वह ज्यों का त्यों बना रहेगा। परन्तु रूचियों के बदलने ही पुराना उदासीनता चित्र बेकार हो जाता है और नया चित्र आवश्यक होता है।

(२) कीमत रेखा—अब हमें यह देखना है कि कीमत रेखा किस प्रकार खींची जाती है। मान लीजिए कि ग और घ दो वस्तुयें हैं, जिनमें से ग व्यक्ति विशेष की आय को सूचित करती है और घ कोई ऐसी वस्तु है जिस पर इस आय को व्यय किया जाता है। मान लीजिए कि आय की अ ग मात्रा से घ वस्तु की अ घ मात्रा खरीदी जा सकती है। ऐसी दशा में निम्न चित्र में ग घ रेखा 'आय-विनिमय', 'आय कीमत' अथवा 'कीमत रेखा' होगी। यह रेखा उन सब बिन्दुओं का बिन्दु-पथ (Locus) होगी जो ग और घ के ऐसे संयोग दिखाते हैं जिन्हें वह व्यक्ति लेगा। यह सम्भव है कि व्यक्ति विशेष ग की अ ग मात्रा ले और घ बिल्कुल न ले अथवा घ की अ घ मात्रा ले ग बिल्कुल न ले अथवा ग की अ ग मात्रा ले तथा घ की अ घ मात्रा। प्रत्येक दशा में उसको प्राप्त होने वाला सन्तोष समान होगा। जब तक व्यक्ति विशेष की आय तथा ग और घ के बीच विनिमय दर समान रहे उपरोक्त संयोगों में से प्रत्येक संयोग समान रूप से सन्तोषदायक होगा। परन्तु आय अथवा विनिमय दर इन दोनों में से किसी भी एक से परिवर्तित होते से यह स्थिति बदल जायगी।



चित्र—कीमत रेखा




चित्र—आय एवं विनिमय अनुपात के परिवर्तन

यदि आय में परिवर्तन हो जाता है, तो कीमत रेखा बदल जाती है, और, ठीक इसी प्रकार, यदि घ वस्तु की कीमत अथवा ग और घ के बीच का विनिमय अनुपात बदल जाता है तो कीमत रेखा बदल जाती है। चित्र १ में आय के परिवर्तन को दिखाया गया है। जब आय अ ग है तो कीमत रेखा ग घ है। यदि आय घटकर अ ग_१ हो जाय परन्तु ग और घ की विनिमय दर यथास्थित रहे, तो कीमत रेखा ग_१ घ_१ हो जाती है जो घ के समानान्तर है और इस बात का सूचक है कि घ वस्तु की कीमत अथवा ग और घ वस्तुओं के बीच का अनुपात यथास्थित रहता है।

चित्र २ में आय यथास्थित है (अर्थात् अ ग के बराबर), परन्तु ग और घ के बीच का विनिमय अनुपात बदल जाता है। कीमत रेखा ग घ के स्थान पर ग घ_१ हो जाती है, जो इस बात को दिखाती है कि अब ग वस्तु की अ ग मात्रा के बशले में घ वस्तु की अ घ मात्रा के स्थान पर केवल अ घ_१ मात्रा ही मिलती है।

(३) उपभोक्ता का समुत्पन्न—उपभोक्ता दो वस्तुओं के किस संयोग को लेगा, यह प्रश्न

महत्वपूर्ण है। यदि उपभोक्ता की रचियाँ, उसकी भाय तथा दोनों वस्तुओं के बीच का अनुपात यथास्थित रहें, तो उपभोक्ता दो वस्तुओं के उभय संयोग को लेगा जहाँ पर सम्बन्धित कीमत रेखा किसी उदासीनता वक्र को स्पर्श करती है, जैसा कि साथ के रेखा-चित्र में दिखाया गया है। इस चित्र में P बिन्दु पर उपभोक्ता का सन्तुलन प्राप्त होता है, क्योंकि OP कीमत रेखा इस बिन्दु पर उदासीनता वक्र २ को स्पर्श करती है। P के ऊपर प्रथवा नीचे के किसी उदासीनता वक्र पर स्थित कोई भी संयोग उपभोक्ता पसन्द नहीं करेगा, क्योंकि उसमें अधिक प्रथवा कम सम्पन्न प्राप्त होगा।




चित्र—उपभोक्ता का सन्तुलन

प्राय एवं प्रतिस्थापन प्रभाव (Income and Substitution Effects)—

उपरोक्त विवेचन हमने यह मान कर किया है कि उपभोक्ता की रचियाँ, भाय तथा दोनों वस्तुओं के बीच विनिमय दर, ये तीनों कारक यथास्थित रहते हैं। अब हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि इन तीनों में परिवर्तन हो जाने का उपभोक्ता के सन्तुलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इनमें से रचि के बारे में यह उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता की रचियाँ बदल जाने से उपभोक्ता का उदासीनता चित्र ही बदल जाता है, जिससे पूर्णतया नये आधार पर उदासीनता चित्र खींचना पड़ेगा। अतः रचियों का परिवर्तन तो हमारे विवेचन को ही बदल देगा। फलतः हम अन्य दो कारकों के परिवर्तन के प्रभाव को ही देखने का प्रयत्न करेंगे।

(१) प्राय प्रभाव (Income Effect)— प्राय के परिवर्तन का प्रभाव इस प्रकार होगा कि जबकि उदासीनता चित्र तो यथास्थित रहेगा तब कीमत रेखा पुरानी कीमत रेखा के समानान्तर रहने हुए कोई नया स्थान प्राप्त कर लेगी। ऐसी दशा में जैसा कि निम्न चित्र दिखाता है। नई कीमत रेखाओं से सम्बन्धित उपभोक्ता सन्तुलन की नई स्थितियाँ P_1, P_2, P_3, P_4 तथा P_5 बिन्दुओं द्वारा दिखाई जायेंगी।

इस चित्र में OP_3 आरम्भिक कीमत रेखा है, जबकि प्राय OP_5 के बराबर है। P_3 इस प्राय में सम्बन्धित उपभोक्ता सन्तुलन बिन्दु है, क्योंकि P_3 बिन्दु पर OP_3 की उदासीनता वक्र २ को स्पर्श करती है। प्राय के घटने की दशा में कीमत रेखाएँ OP_2, OP_4 तथा OP_1 बन जाती हैं और ये रेखाएँ उदासीनता वक्र ४ और १ को P_2 तथा P_1 बिन्दुओं पर स्पर्श करती हैं, जो OP_2 तथा OP_1 कीमत रेखाओं से सम्बन्धित उपभोक्ता सन्तुलन बिन्दु हैं। ठीक इसी प्रकार यदि प्राय बढ कर OP_4 तथा OP_5 हो जाती है, तो कीमत रेखाएँ OP_4 तथा OP_5 हो जाती हैं नये उपभोक्ता सन्तुलन बिन्दु क्रमशः P_4 और P_5 हो जाते हैं, जहाँ ये कीमत रेखाएँ उदासीनता वक्र ४ और ५ को स्पर्श करती हैं। इस प्रकार, प्रत्येक वक्र, जब उपभोक्ता की प्राय में परिवर्तन होते हैं तो, उसके सन्तुलन की स्थिति बदल जाती है। इस चित्र में P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 रेखा जो बिन्दुद्वारा दिखाई गई है, 'प्राय-उपभोग वक्र' (Income Consumption Curve) है।



चित्र—प्राय प्रभाव (प्राय-उपभोग-वक्र)

प वस्तु की कीमत

$$\frac{अ ग}{अ घ_1} \text{ (अर्थात् } K_1)$$

$$\frac{अ ग}{अ घ_2} \text{ (अर्थात् } K_2)$$

$$\frac{अ ग}{अ घ_3} \text{ (अर्थात् } K_3)$$

$$\frac{अ ग}{अ घ_4} \text{ (अर्थात् } K_4)$$

$$\frac{अ ग}{अ घ_5} \text{ (अर्थात् } K_5)$$

प वस्तु की खरीदी हुई मात्रा


अ च₁

अ च₂

अ च₃

अ च₄

अ च₅



यदि हम उपरोक्त परिमाणों की भौतिक माप दे सकें, तो माँग की यह अनुसूची माँग की परम्परागत अनुसूची से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है। इन बिन्दुओं को ग्राफ पेपर पर स्थिर करने से माँग की रेखा प्राप्त हो जायगी जो बायीं ओर से दाहिनी ओर नीचे को जायगी और यह सूचित करेगी कि प्रत्येक अगली नीची कीमत पर माँग की मात्रा बढ़ेगी।


निम्न रेखाचित्र में माँग की रेखा का निर्माण दिखाया गया है। इस चित्र में भी पिछले चित्र की भाँति ग घ₁, ग घ₂, ग घ₃, ग घ₄ तथा ग घ₅ कीमत रेखायें हैं, जो तटस्थता वक्र १, २, ३, ४, और ५ को क्रमशः ट₁, ट₂, ट₃, ट₄ और ट₅ बिन्दुओं पर स्पर्श करती हैं। इन पाँचों बिन्दुओं को मिलाकर आय उपभोग रेखा प्राप्त की जा सकती है। हम जानते हैं कि

$\frac{अ ग}{अ घ_1}$, $\frac{अ ग}{अ घ_2}$, $\frac{अ ग}{अ घ_3}$, $\frac{अ ग}{अ घ_4}$, तथा $\frac{अ ग}{अ घ_5}$ कीमतों पर माँग की मात्राएँ क्रमशः

अ च₁, अ च₂, अ च₃, अ च₄ तथा अ च₅ हैं। अत्र कीमत $\frac{अ ग}{अ घ_1}$ के सम्बन्ध में, जिस पर माँग

की मात्रा अ च₁ है, हम वस्तु क की एक और इकाई को लेते हैं जो मान लीजिए अ₁ त₁ है।

अब t_1 बिन्दु से हम t_1 p_1 रेखा ग $घ_1$ के समानान्तर खींचते हैं जो $द_1$ $च_1$ रेखा को $प_1$ बिन्दु पर काटती है। चूँकि $प_1$ t_1 रेखा ग $घ_1$ के समानान्तर है इसलिए यह वही कीमत दिखाती है



जो ग $घ_1$ रेखा दिखाती है। अर्थात्, $प$ $म_1$ कीमत पर $क$ वस्तु की $घ$ $च_1$ मात्रा खरीदी जायगी। जिस प्रकार हमने t_1 बिन्दु को लिया था उसी प्रकार हम t_2 , t_3 , t_4 और t_5 बिन्दुओं को भी लेते हैं और इन बिन्दुओं से क्रमशः, $म_2$ t_2 , $म_3$ t_3 , $म_4$ t_4 , तथा $म_5$ t_5 रेखाएँ $द_2$ $च_2$, $द_3$ $च_3$, $द_4$ $च_4$, $द_5$ $च_5$ को क्रमशः t_2 , t_3 , t_4 , तथा t_5 , बिन्दुओं पर काटती हुई ग $घ_2$, ग $घ_3$, ग $घ_4$, तथा ग $घ_5$ के समानान्तर खींचते हैं जो क्रमशः ग $घ_2$, ग $घ_3$, ग $घ_4$ तथा ग $घ_5$ के बराबर कीमतें दिखायेंगी। अब हम जानते हैं कि $प_2$ $च_2$, $प_3$ $च_3$, $प_4$ $च_4$, तथा $प_5$ $च_5$ कीमतों पर माँग की मापये क्रमशः $प$ $च_2$, $प$ $च_3$, $प$ $च_4$, तथा $प$ $च_5$ होगी। अतः $प_1$, $प_2$, $प_3$, $प_4$ तथा $प_5$ बिन्दुओं को मिलाने से जिस रेखा का निर्माण होगा वही माँग की परम्परागत रेखा होगी।

उदासीनता वक्र विधि और उपयोगिता विवेचन की तुलना

उदासीनता वक्र विधि की श्रेष्ठता—

उदासीनता वक्र विधि के उपयोग का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसका उपयोग अनेक बायों के लिए किया गया है। अब सभी अर्थशास्त्री निम्न कारणों से उपयोगिता विवेचन पर इसकी श्रेष्ठता स्वीकार करते हैं—(१) यह विधि अधिक यथार्थिक (More realistic) है। परम्परागत माँग के अध्ययन में हम केवल एक वस्तु में ही माँग का अध्ययन करते हैं जो बहुत ठीक नहीं है। इस नई विधि में हम माँग की समस्या दो, तीन या अधिक वस्तुओं के सम्बन्ध में कर सकते हैं। (२) इस प्रणाली में उपयोगिता अथवा सन्तोष के परिमाण को मापने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह हम पहले देख चुके हैं कि उपयोगिता की परिमाणवाचक माप अनुमानजनक (Arbitrary) होती है। नई विधि में केवल इतना आवश्यक है कि एक सन्तोष स्तर की दूसरे से तुलना कर ले, भले दोनों का परिमाण सम्बन्धी अन्तर कितना ही क्यों न हो। यह नई विधि परिमाणवाचक माप (Cardinal system) के स्थान पर गुणात्मक माप (Ordinal system) पर आधारित है। (३) परम्परागत माँग-विवेचन अथवा प्रतिस्थापन-प्रभावों को, जो कि वस्तु के कीमत-परिवर्तनों के कारण उसकी माँग की मात्रा पर पड़ते हैं, व्यक्त करने में असमर्थ है, किन्तु उदासीनता वक्र विवेचन इन प्रभावों को पूर्णतया दिखा देता है।

उदासीनता वक्र विधि की श्रेष्ठता कोरा भ्रम है—

फिर भी, ऐसे बहुत से अर्थशास्त्री हैं जो यह नहीं मानते कि नई विधि किसी प्रकार पुरानी विधि से पृथक है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं :—

(१) केवल शब्दावली का अन्तर—कहा गया है कि दोनों विधि के बीच का अन्तर केवल शब्दावली का अन्तर है। कारण, आधारभूत दृष्टि से दोनों में कोई अन्तर नहीं है। हमने नई विधि में उपयोगिता शब्द के स्थान पर 'अनुराग' का, सीमान्त उपयोगिता के स्थान पर 'सीमान्त प्रतिस्थापन दर' का और सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम के स्थान पर 'सीमान्त प्रतिस्थापन दर ह्रास नियम' का उपयोग किया है किन्तु इससे क्या अन्तर पड़ सकता है ? ठीक इसी प्रकार, यदि हम परिमाणवाचक गणना प्रणाली (Cardinal system) के एक, दो तीन के स्थान पर गुणात्मक गणना प्रणाली (Ordinal system) का पहला, दूसरा, तीसरा का उपयोग करते हैं तो क्या अन्तर आता है ? इसी प्रकार, यदि यह कहने के स्थान पर कि 'उपभोक्ता का सन्तुलन वहाँ स्थापित होता है, जहाँ एक वस्तु की सीमान्त उपयोगिता और इसकी कीमत का अनुपात दूसरी वस्तु की सीमान्त उपयोगिता और इसकी कीमतों के अनुपात के बराबर हो', हम यह कहते हैं कि "दो वस्तुओं के बीच की प्रतिस्थापित दर उनकी कीमतों के अनुपात के बराबर होनी चाहिए", तो हमने कौन-सी नई बात कह दी है ? यह तो नई बातों में पुरानी शराब ही है।

(२) दोनों विधियों का आधार अवास्तविक मान्यतायें—दोनों विधियों की तुलना और भी आगे की जा सकती है। उपयोगिता विवेचन में हम यह मानकर चलते हैं कि उपभोक्ता विवेकशील है और प्रत्येक व्यय सोच-विचार कर करता है। उदासीनता वक्र विवेचन भी ऐसा ही मान्यता पर आधारित है। यहाँ मान्यता यह है कि सभी उपभोक्ता अपनी अनुराग अनुसूचियों से परिचित हैं। हमने यह मान लिया कि यह मान्यता सही नहीं है कि एक व्यक्ति सदा विवेकशील होता है परन्तु क्या यह मान्यता भी उतनी ही अवास्तविक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अनुराग अनुसूचियों को पूर्ण रूप में जानता है ? हो सकता है कि उपभोक्ता को दो वस्तुओं के एक-दो संयोगों के विषय में कुछ मोटा-मोटा ज्ञान हो, परन्तु उससे यह आशा करना गलत होगा कि वह असंख्य संयोगों के विषय में पूरा-पूरा ज्ञान रखता होगा। इस दृष्टि से दोनों विधियाँ समान रूप में दोष पूर्ण हैं।

(३) उदासीनता वक्र विधि की सीमायें—सच तो यह है कि उदासीनता वक्र विधि की भी सीमाएँ हैं। जब हम केवल दो वस्तुओं से सम्बन्धित उपभोक्ता के चुनाव और उसके व्यय का अध्ययन कर रहे हैं तो यह विधि सरल और लाभदायक है। परन्तु, ऐसी साधारण स्थितियाँ वास्तविक जीवन में बहुत कम होती हैं। यह तो सही है कि जब वस्तुओं की संख्या दो से अधिक है तब भी इस प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है परन्तु यह इतनी जटिल और गणित-जटिल बन जाती है कि साधारण व्यक्तियों की पहुँच से बाहर चली जाती है।

क्या उदासीनता वक्र विवेचन उपयोगिता विवेचन का ही दूसरा रूप है ?

नई विधि पुरानी विधि का केवल रूपांतरण मात्र नहीं, बरन् कुछ अधिक है—(१) कम सामग्री के आधार पर समान निष्कर्ष—इस प्रकार हिब्स के शब्दों में, "सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त को उदासीनता वक्रों में रूपान्तरित किया जा सकता है, किन्तु ऐसा कर लेने के पश्चात्, हमने रूपांतरण मात्र से कुछ अधिक काम कर लिया है। कारण रूपांतरण इस क्रिया में हमने बहुत-सी आरम्भिक सामग्री पीछे छोड़ दी है किन्तु फिर भी हम उन्हीं निष्कर्षों पर पहुँच गये

है।¹ यदि हम इस प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं कि एक दी हुई कीमत पर एक व्यक्ति किसी वस्तु की कितनी मात्राएँ खरीदेगा, तो उपयोगिता विवेचन में हमें उस व्यक्ति के उपयोगिता स्तर (Utility Surface) का ज्ञान होना चाहिए किन्तु उपयोगिता वक्र विवेचन में केवल उदासीनता चित्र का ज्ञान ही पर्याप्त है, जो उपयोगिता स्तर की तुलना में कम सूचना प्रदान करता है।]

(२) 'सीमान्त उपयोगिता ह्रास' और 'घटती हुई सीमान्त प्रतिस्थापन दर' समान बातें नहीं—इसी प्रकार, यद्यपि उदासीनता वक्र विवेचन में हम 'सीमान्त उपयोगिता ह्रास' के स्थान पर घटती हुई 'सीमान्त प्रतिस्थापन दर' का उपयोग करते हैं, किन्तु ये दोनों एक नहीं हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हिक्स ने कहा है, "मह (उपयोगिता विवेचन के स्थान में उदासीनता वक्रों का उपयोग), केवल रूपान्तरण मात्र नहीं है; यह तो सिद्धान्त के आधार में ही महत्त्वपूर्ण परिवर्तन है और इसके लिए पर्याप्त प्रौढिय दिखाना आवश्यक है..... प्रौढिय इस प्रकार है.....जब तक साम्य के विन्दु पर सीमान्त प्रतिस्थापन दर घटती रहती है, साम्य स्थायी नहीं हो सकता.....यदि सीमान्त प्रतिस्थापन दर बढ़ रही है, तो वस्तु की अधिक मात्रा की प्राप्ति सदा लाभदायक होगी।"²

उपयोगिता विवेचन से बहुत दूर नहीं—अब देखना यह है कि वास्तविक स्थिति क्या है? क्या वास्तव में हम उदासीनता वक्रों की इस प्रणाली में उपयोगिता विवेचन से दूर निकल गये हैं।

सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त इस कारण अस्पष्ट कहा जाता है कि सन्तोष प्रथवा उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक घटना मात्र है। सच्ची बात यह है कि सीमान्त प्रतिस्थापन दर का सिद्धान्त भी सन्तोष के ही विचार से उत्पन्न होता है, इस कारण इसे स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। दोनों ही विधियों में अस्पष्टता का अंश लगभग समान ही है। सीमान्त प्रतिस्थापन दर उपभोक्ता के व्यवहार पर प्राथित है और यह व्यवहार स्वयं सम्भावित सन्तोष प्रथवा उपयोगिता पर निर्भर है। इस प्रकार, हम सीमान्त उपयोगिता विवेचन ग्रहण करें, चाहे सीमान्त प्रतिस्थापन दर दृष्टिकोण, दोनों ही में वास्तविक शक्ति सन्तोष की रहती है और इस कारण दोनों दृष्टिकोण अस्पष्ट (Vague) तथा अनिर्धारक (Indeterminate) बन जाते हैं। चूंकि सीमान्त प्रतिस्थापन दर सन्तोष की परिवर्तनशील मात्राओं को व्यक्त करने की एक केवल सांख्यिकीय विधि (Statistical exposition) मात्र है, इस कारण इसमें भी एक प्रकार से उपयोगिता की माप आवश्यक हो जाती है। यदि बात को थोड़ा और आगे बढ़ा दिया जाय, तो यह दिखाया जा सकता है कि हिक्स के द्वारा प्रस्तुत किये गये विवेचन में भी सन्तोष की परिमाणवाचक माप की आवश्यकता पड़ती है। दो उदासीनता वक्रों के बीच के फासले का उस समय तक कोई अर्थ नहीं होता जब तक हम इस फासले पर उपयोगिता की परिमाणवाचक माप की दृष्टि से विचार नहीं करते हैं। इसी प्रकार, जब तक हम उपयोगिता के परिमाणवाचक माप की सहायता नहीं लेंगे, तब तक किसी वैज्ञानिक आधार पर कीमत-उपभोग-वक्र रेखाएँ खींचना सम्भव न होगा क्योंकि ये वक्र ऊँचे और नीचे विन्दुओं को मिलाते हैं तथा विभिन्न उदासीन वक्रों के बीच के फासले के माप पर आधारित होते हैं।

¹ Hicks : *Value and Capital*, p. 17.

² *Ibid*, p. 21

उदासीनता वक्रों के उपयोग अथवा इनका महत्त्व

आधुनिक अर्थशास्त्र में गणित पद्धति (Mathematical Method) के उपयोग की प्रथा बराबर बढ़ती जा रही है। गणित के उपयोग द्वारा आर्थिक सिद्धान्तों और निष्कर्षों की प्रतिश्चितता का दोष दूर करने का प्रयत्न निरन्तर किया जा रहा है। किन्तु बहुधा आर्थिक सिद्धान्त इतने गणितजडित होते जा रहे हैं कि गणित के अध्येतृजान बिना अर्थशास्त्र को समझ लेना कठिन हो जाता है। पीगू (Pigou), हिक्स, चेम्बरलेन, ऐलन इत्यादि की अर्थशास्त्र के उच्चतम सिद्धान्तों की व्याख्या गणित से अनभिज्ञ अर्थशास्त्री की समझ से बाहर की बात है। गणित अर्थशास्त्रीय लेखक एक लम्बे काल के उदासीनता वक्रों का विस्तृत उपयोग करते आये हैं, किन्तु इनकी लोकप्रियता हिक्स और ऐलन ने विशेष रूप से बढ़ाई है। उन्होंने अर्थशास्त्र के अध्ययन की पुरानी रीतियों की कड़ी आलोचना की है, क्योंकि ये रीतियाँ उपयोगिता की माप पर आधारित हैं।

(१) प्रतिस्थापना नियम—यथार्थ में अर्थशास्त्र में उपयोगिता को नापना आवश्यक नहीं है, क्योंकि अधिकतम आर्थिक समस्याएँ उपयोगिता को मापे बिना भी सुलझाई जा सकती हैं, हमें केवल इतना जानने की आवश्यकता है कि विभिन्न वस्तुओं अथवा सेवाओं और मुद्रा के किन-किन संयोगों से समान कुल सन्तोष प्राप्त होता है और किन-किन संयोगों से कम या अधिक सन्तोष प्राप्त होता है। इतना ही ज्ञान अधिकतम कुल सन्तोष की प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। अन्य शब्दों में, प्रतिस्थापना नियम तथा अधिकतम सन्तोष नियम की व्याख्या करने के लिए उपयोगिता को नापने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल सीमान्त-स्थानापन्न-प्रमर्ष (Marginal Rate of substitution) को नाप लेने से समस्या हल हो जाती है। निःसन्देह, हमें यह तो पता नहीं चलेगा कि उपभोग के अमुक संयोग में हमें कुल कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई, किन्तु अधिकतम सन्तोष के प्राप्त होने का स्थान अवश्य पता चल जायेगा।


(२) उपभोक्ता की बचत—उपभोक्ता की बचत का महत्त्व मुख्यतः इस कारण है कि इस विचार को सुलझा हेतु किया जाता है। हमें यह जान लेने में अधिक रुचि नहीं होती कि उपभोक्ता की कुल बचत कितनी है। या तो हमारा यह उद्देश्य होता है कि हम यह जाने कि उपभोक्ता की बचत कम है या अधिक या फिर हम यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि आर्थिक घटनाओं के परिवर्तन के साथ-साथ उपभोक्ता की बचत में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ये दोनों कार्य उदासीनता वक्र की सहायता से सुगमतापूर्वक सम्पन्न हो जाते हैं और उपयोगिता को नापने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती।

(३) अन्य उपयोग—स्टिग्लर (Stigler) ने उदासीनता वक्र के तीन उपयोग बताये हैं :—(i) वस्तु-विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का विनिमय अनुपात तो निर्धारित नहीं हो सकता है, परन्तु वे सीमाएँ निर्धारित हो सकती हैं, जिनके भीतर विनिमय होता है। (ii) इनके उपयोग से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति का जीवन-स्तर नीचे गिर गया है या ऊपर उठ गया है। (iii) यदि कोई कर, वस्तु के स्थान पर व्यक्ति की आय पर लगाया जाना है तो वह व्यक्ति ऊँचे उदासीनता वक्र की ओर चला जाता है।

(४) दो विकल्पों के बीच चुनाव—उदासीनता वक्र के उपयोग के विषय में बेनहाम (Benham) ने कहा है कि, “उदासीनता वक्रों का उपयोग दो विकल्पों (Alternatives) के बीच (यदि वे केवल दो ही हों) किसी व्यक्ति के अनुराग-प्रधिमान (Scale of Preferences) को सुलझाने हेतु किया जा सकता है। जैसे—वे आय और विश्राम के बीच उसके अनुराग प्रधिमान को सुलझा सकते हैं, अर्थात् यह दिखायेंगे कि वह व्यक्ति अपने प्रत्येक दिन के २४ घण्टों को विश्राम और सपारिथमिक कार्य पर, जबकि यह पारिथमिक एक निश्चित दर पर है, किस प्रकार बाँटेगा।


इसी प्रकार इनका उपयोग वर्तमान और भावी उपयोग तथा तरल और घटती तटस्थता वक्रों से सम्बन्धित अनुपात अधिमान निश्चित करने के लिए भी किया जा सकता है।¹

(५) राशनिय का उपभोक्ता की संतुष्टि पर प्रभाव—तटस्थता वक्रों के द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि यदि राशनिय कर दिया जाय, तो इसका उपभोक्ता की संतुष्टि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ के चित्र में BC वक्र पर मुद्रा और AC वक्र पर वस्तु की माता सूचित की गई है। T_1 कीमत रेखा है। मान लीजिये एक उपभोक्ता राशनिय के पूर्व BC वक्र पर Q_1 मात्रा खरीदता था। और AC वक्र पर मुद्रा खपने पर R मात्रा था यह संयोग Q_1 बिन्दु द्वारा दिखाया गया है। राशनिय शुरू होने के बाद उपभोक्ता वस्तु की केवल Q_2 मात्रा ही पाता है और उसके पास मुद्रा की पहले से अधिक मात्रा ($=BC$ पर Q_2) बच जाती है। यह संयोग Q_2 बिन्दु द्वारा सूचित है। Q_2 बिन्दु AC की अपेक्षा नीचे तटस्थता वक्र पर है। इससे प्रकट होता है कि राशनिय के फलस्वरूप उपभोक्ता की संतुष्टि कम हो गई है यद्यपि उसके पास मुद्रा की अधिक मात्रा बची है, जिसे वह अन्य वस्तुओं पर खर्च कर सकता है।



चित्र—राशनिय और उपभोक्ता की संतुष्टि

(६) उत्पादन के क्षेत्र में—उत्पादन के क्षेत्र में भी उदासीनता वक्रों का प्रयोग किया गया है। यहाँ ये सम-उत्पन्न-वक्र (Iso-product curves) कहलाते हैं। सम-उत्पन्न वक्र पर प्रत्येक बिन्दु श्रम और पूँजी (यह मानते हुये कि उत्पादन के ये ही दो साधन हैं) का ऐसा संयोग सूचित करता है जो समान उपज प्रदान करते हैं। एक ही हुई मात्रा में उपज प्राप्त करने हेतु उत्पादक विभिन्न संयोगों में से किसी को भी चुन सकता है और जब एक को चुन लेता है तो शेष के बारे में तटस्थ हो जाता है। साथ के चित्र में विभिन्न मात्राओं की उपज (जैसे—५०० इकाइयाँ, १,००० इकाइयाँ) से सम्बन्धित अलग-अलग सम उत्पादन वक्र दिखाये गये हैं। प्रत्येक तटस्थता वक्र वस्तु की एक विशेष मात्रा उत्पन्न कर सकने वाले श्रम और पूँजी के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है। उदाहरणार्थ तटस्थता वक्र १ श्रम और पूँजी के उन विभिन्न संयोगों को दिखाता है, जो वस्तु की ५०० इकाइयाँ उत्पन्न करते हैं। तटस्थता वक्र २ उन संयोगों को दिखाता है। जिनमें से प्रत्येक के द्वारा १००० इकाइयाँ उत्पन्न की जा सकती हैं।




चित्र (प्र)—सम उत्पादन मान चित्र


¹ Benham : Economics, pp. 96-97.

प्रत्येक उत्पादक अधिकतम् उपज प्राप्त करना चाहेगा। सम उत्पादक बच के सम्बन्ध में हम यह कह सकते हैं कि वह ऊँचे से ऊँचे सम-उत्पाद-बच पर जाना चाहेगा। किन्तु यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि अधिकतम् उत्पत्ति प्राप्त करने हेतु श्रम और पूँजी का सर्वोत्तम सयोग कौन-सा है? इसका उत्तर हम तब ही दे सकते हैं जबकि हमें यह मालूम हो कि इन दो साधनों पर व्यय के लिए कितना धन उपलब्ध है और साधनों की कीमतें क्या हैं। मान लीजिये उत्पादक दोनो साधनों पर कुल १००० रु० व्यय कर सकता है और साधनों की प्रति इकाई कीमतें इस प्रकार हैं— मशीन १०० रु० और श्रमिक १ रु०। ऐसी दशा में उत्पादक के समक्ष तीन विकल्प हैं :— (i) केवल १० मशीनें खरीदना; (ii) केवल १,००० श्रमिक रखना, अथवा (iii) कुछ मशीनें रखना और कुछ श्रमिक। इन विभिन्न सम्भावनाओं को एक ग्राफ पेपर पर दिखाया जाय तो हमें लागत-व्यय रेखा या साधन कीमत रेखा प्राप्त हो जावेगी।

साथ के चित्र में स₁ साधन कीमत रेखा है। उत्पादन इस रेखा पर किसी भी बिन्दु को चुन सकता है किन्तु इसके बाहर नहीं। अब यदि चित्र अ और ब को मिला दिया जाय, तो हम अधिकतम् उत्पत्ति करने वाला सर्वोत्तम सयोग मालूम कर सकते हैं। साथ के चित्र में साधन कीमत रेखा स₁ तटस्थता वक्र २ की प पर स्पर्श करता है। यह बिन्दु श्रम और पूँजी की वह मात्रा दिखाता है जिसे उत्पादक अपनी उपलब्ध धन राशि (=१,००० रु०) से खरीद सकता है। प बिन्दु यह भी बताता है कि श्रम और पूँजी का न्यूनतम् लागत सयोग अ म पूँजी और अ छ श्रम का है। यदि उत्पादक इस सयोग को चुने तो वह न्यूनतम् लागत 'अर अधिकतम् उत्पत्ति कर सकेगा। इस बिन्दु पर उत्पादक को 'संतुलन की दशा' में कहा जाता है।



चित्र (ब)—साधन कीमत रेखा



चित्र (स)—साधनों का सर्वोत्तम सयोग

निष्कर्ष-स्थानापन्न नहीं बरन् पूरक—इस प्रकार, यह सोचना गलत होगा कि उदासीनता वक्र विवेचन उपयोगिता विवेचन से अधिक अच्छा है। यथार्थ में यह विवेचन उपयोगिता विवेचन का प्रतिस्थापन नहीं करता बल्कि इसका पूरक है। यह विवेचन अर्थशास्त्र को अध्ययन की एक नयी रीति प्रदान करता है। हाँ, कुछ कारणों से विगत वर्षों में इसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गयी है।

परीक्षा प्रश्न :

१. उदासीनता वक्र क्या है ? इसकी विशेषताओं को समझाइये।
[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम तटस्थता वक्रों का अर्थ बताइये और इसे रेखा-चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिये। तत्पश्चात् तटस्थता वक्रों की विशेषतायें चित्रों के साथ समझाइये।]
२. चित्रों की सहायता से तटस्थता वक्रों के विचार की व्याख्या कीजिये। वह उपयोगिता के विचार पर कहाँ तक सुधार है ?
[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम तटस्थता वक्रों के अर्थ को बताइये और फिर उदाहरण व रेखा-चित्र द्वारा इस विचार की व्याख्या कीजिए। अन्त में यह बताइये कि तटस्थता विश्लेषण उपयोगिता विश्लेषण की तुलना में कहाँ तक उन्नत है ?]
३. तटस्थता विश्लेषण की सहायता से यह बताइये कि कीमत और आय के परिवर्तन किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की माँग को किस प्रकार प्रभावित करते हैं ?
[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम तटस्थता वक्रों के अर्थ को समझाइये। तत्पश्चात् आय प्रभाव की और अन्त में कीमत प्रभाव की चित्रों सहित पूर्ण व्याख्या कीजिये।]
४. तटस्थता वक्र रेखायें मूल बिन्दु (Origin) की और उन्नतोदर (Convex) क्यों होती हैं ? इसकी सहायता से कीमतों में परिवर्तनों का उपभोक्ता की माँग पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।
[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम तटस्थता वक्र रेखा के अर्थ को संक्षेप में बताइये। तत्पश्चात् चित्र की सहायता से रेखा के मूल बिन्दु के प्रति उन्नतोदर होने की विशेषता को समझाइये और यह स्पष्ट कीजिये कि तटस्थता रेखा की उन्नतोदर आकृति 'घटती हुई सीमान्त स्थानापन्न अर्थ' को सूचित करती है। अन्त में कीमत प्रभाव का विश्लेषण कीजिए।]
५. तटस्थता वक्रों और कीमत रेखा की सहायता से बताइये कि सन्तुलन बिन्दु पर किन्हीं दो वस्तुओं के बीच सीमान्त-स्थानापन्न-अर्थ इनकी कीमतों के अनुपात के बराबर होती है।

अथवा

तटस्थता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता के सन्तुलन की व्याख्या कीजिये।

[सहायक संकेत :—तटस्थता वक्र विश्लेषण की सहायता से उपभोक्ता के सन्तुलन की पूर्ण व्याख्या कीजिए।]

६. तटस्थता वक्र रेखाओं के स्वभाव को समझाइये। क्या ये उपयोगिता या सन्तुष्टि के मापने से सम्बन्धित कठिनाइयों की पूरी तरह से दूर कर देता है ?

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम तटस्थता वक्र के अर्थ को उदाहरण और रेखा चित्र की सहा-

यता से स्पष्ट कीजिये । इसके बाद इसकी विशेषताओं को चित्र देते हुए बताइये और अन्त में आलोचनात्मक रूप से यह दिखाइये कि तटस्थता वक्र विश्लेषण के माप से सम्बन्धित कठिनाइयों को कहीं तक दूर करता है ।]

७. घटती हुई सीमान्त-प्रतिस्थापन दर के नियम को बताइये और समझाइये । क्या यह घटती हुई सीमान्त उपयोगिता के नियम का रूपान्तरण मात्र है ?

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम 'घटती हुई सीमान्त प्रतिस्थापन दर' के नियम का कथन दीजिये और रेखा-चित्र व उदाहरण देकर उसकी व्याख्या कीजिये एवं अपवादों को बताइये । तत्पश्चात् यह दिखाइये कि नियम उपयोगिता हास नियम से किस प्रकार भिन्न है ।]

८. तटस्थता वक्र रेखाओं से प्राप्त क्या समझते हैं ? इनकी सहायता से माँग वक्र को निकालिये ।

अथवा

तटस्थता वक्र रेखाओं की सहायता से एक उपभोक्ता की कीमत-उपभोग रेखा किस प्रकार खींची जा सकती है ? कीमत उपभोग रेखा से परम्परागत कीमत-मात्रा-बाजार-माँग-रेखा कैसे निकाली जा सकती है ?

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम तटस्थता वक्र के अर्थ को उदाहरण और रेखा-चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए । तत्पश्चात् मूल्य-उपभोग-रेखा अर्थात् मूल्य प्रमाण की पूर्ण व्याख्या कीजिए और अन्त में एक चित्र देते हुए यह स्पष्ट कीजिये कि मूल्य-उपभोग रेखा से माँग-रेखा को कैसे निकाला जाता है ?]

जीवन-स्तर

(Standard of Living)

प्रारम्भिक—

मनुष्य की कार्य-शक्ति एक बड़े अंश तक उनके जीवन-स्तर या रहन-सहन के दर्जे पर निर्भर रहती है और मनुष्य का जीवन-स्तर उसके कुल उपभोग या सन्तोष से सम्बन्धित होता है। इस प्रकार हमारे उपभोग का हमारी कार्य-शक्ति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जीवन-स्तर का अध्ययन प्रायः निम्न कारणों से किया जाता है :—(१) हम यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि उपभोग और उत्पादन शक्ति में परस्पर क्या सम्बन्ध है ? (२) जीवन-स्तर पर ही किसी देश की आर्थिक उन्नति निर्भर होती है। पूँजी (Capital) की वृद्धि तथा उत्पन्न की हुई वस्तुओं की माँग, दोनों जीवन-स्तर द्वारा निश्चित होते हैं। (३) जीवन-स्तर के अध्ययन से किसी समाज या देश की आर्थिक दशा का अनुमान लगाया जा सकता है। साधारणतया किसी जाति के जीवन-स्तर का ज्ञान होता उसकी आर्थिक उन्नति को सूचित करता है। (४) जीवन-स्तर में परिवर्तन करके मनुष्य के जीवन की अधिक सुखमय बना देने की सम्भावना रहती है। जैसे तो यह कहा जाता है कि मनुष्य स्वभाव से ही अधिकतम सन्तोष नियम (Law of Maximum Satisfaction) के अनुसार आचरण करता है, परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से देखने पर पता चलता है, कि मनुष्य सदैव इतनी बुद्धिमानी से काम नहीं लेता जितनी कि इस नियम में मान ली गई है। (५) जीवन स्तर का अध्ययन करते समय बहुधा पारिवारिक आय-व्यय (Family Budget) का अध्ययन किया जाता है। ये बजट हमें यह बताते हैं कि विभिन्न परिवार किस प्रकार आय को उपभोग के घनग-घलग शीर्षको पर व्यय करते हैं। इस प्रकार के व्यय में परिवर्तन कर देने पर बहुत-सी दशाओं में आय का अधिक लाभपूर्ण व्यय हो सकता है, अर्थात् अधिकतम सन्तोष प्राप्त किया जा सकता है।

जीवन-स्तर की परिभाषा

जीवन-स्तर शब्द दो अर्थों में उपयोग किया जाता है, जिनमें से एक वास्तविक है और दूसरा आदर्शनीय।

वास्तविकता की दृष्टि से परिभाषा—

समाज के किसी वर्ग का जीवन-स्तर उस वर्ग के औसत परिवार द्वारा उपभोग की हुई वस्तुओं के गुण और परिमाण द्वारा जाना जाता है। जीवन-स्तर की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है, 'उन सब वस्तुओं और सेवाओं के समूह द्वारा जिनके उपयोग का समाज के किसी वर्ग को अन्वेषण पड़ गया हो, जीवन-स्तर निश्चित होता है।'¹ इस प्रकार जीवन-स्तर में आवश्यक, आरामदायक तथा विलासपूर्ण तीनों ही प्रकार की वस्तुयें सम्मिलित की जाती हैं।

¹ Worker's Standard of Living I. L. O.

यह समस्त उपभोग द्वारा निश्चित होता है। उल्लेखनीय है कि एक व्यक्ति का जीवन-स्तर साधारणतः निश्चित रहता है, क्योंकि वह व्यक्ति की आदती पर निर्भर करता है और आदतें सरलता और शीघ्रता से नहीं बदलती हैं।

आदर्श की दृष्टि से परिभाषा—

जो लोग 'जीवन-स्तर' शब्द को आदर्शनीय अर्थ में लेते हैं उनके विचार में जीवन-स्तर वास्तविक उपभोग से निश्चित नहीं होता, वरन् इस प्रकार का अनुमान लगाया जाता है कि किसी वर्ग विशेष का कितना और कैसा उपभोग होना चाहिये? सब वानों को देखते हुये समाज के इस वर्ग को किननी आवश्यक, आरामदायक तथा विलासिता की वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए? दोनों दृष्टिकोणों में अन्तर केवल इतना ही है कि एक वास्तविकता पर आधारित है, जबकि दूसरा आदर्श दर्शाता है।

जीवन-स्तर—एक तुलनात्मक विचार

'जीवन-स्तर' एक तुलनात्मक विचार (Relative concept) है। इसका उपयोग हम बहुधा विभिन्न कालों से सम्बन्धित किसी वर्ग के कल्याण (Well-being) की तुलना के उद्देश्य से करते हैं। इसी प्रकार, एक ही स्थान पर रहने वाले दो अलग-अलग वर्गों के जीवन-स्तर की भी तुलना की जा सकती है और एक ही वर्ग के व्यक्तियों के बीच अलग-अलग स्थानों पर आर्थिक सम्पन्नता के भेद को जाना जा सकता है। जीवन-स्तर स्वभाव, परिस्थिति, शिक्षा आदि के अनुसार बदलता रहता है। समाज के अलग-अलग वर्गों के उपभोग में भिन्नता होने के कारण प्रत्येक को अलग-अलग वस्तुओं से प्राप्ति होने वाले सन्तोष में अन्तर होता है, और इसी कारण तुलना करने की आवश्यकता होती है।

जीवन प्रमाण—

माशुल ने जीवन-स्तर (Standard of living) के साथ 'जीवन प्रमाण' (Standard of life) वाक्यांश भी प्रयोग किया। इनमें जीवन-स्तर का अर्थ तो हम ऊपर ही देख चुके हैं। जीवन प्रमाण इसकी अपेक्षा अधिक विस्तृत है। यह जीवन के ऊँचे आदर्शों को इंगित करता है और ईमानदारी, अच्छा चरित्र आदि अधौनिक वस्तुयें भी इसमें शामिल होती हैं। एक व्यक्ति का जीवन-स्तर ऊँचा है किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि उसका जीवन प्रमाण भी ऊँचा हो। जैसे—एक महात्मा का जीवन-स्तर सेठ की अपेक्षा नीचा होते हुये भी उसका जीवन प्रमाण सेठ की तुलना में ऊँचा हो सकता है। देशवासियों को अपना जीवन-स्तर ही नहीं, वरन् जीवन प्रमाण भी ऊँचा करना चाहिये।

व्यक्ति के जीवन स्तर पर प्रभाव डालने वाली बातें

जीवन स्तर व्यक्ति-व्यक्ति, वर्ग-वर्ग, देश-देश और काल-काल में बदलता रहता है। सामान्यतः जीवन स्तर को प्रभावित करने वाली दो प्रधान शक्तियाँ हैं। इन पर नीचे प्रकाश डाला गया है—

(I) वातावरण और जीवन स्तर—

(१) समय—समय के साथ-साथ जीवन-स्तर में भी परिवर्तन हो जाता है। उदाहरणार्थ आज से ५० वर्ष पूर्व का जीवन स्तर अब से बहुत भिन्न था। तब रेडियो, पते, कार, केबल बटन धनधान व्यक्ति ही प्रयोग में लाते थे किन्तु आजकल उद्योग-धन्धों की उन्नति से ये वस्तुयें सस्ती हो गई हैं तथा इनका प्रयोग मध्यम वर्ग के लोग भी कर सकते हैं।

(२) आय—जीवन-स्तर के निर्धारित करने में सबसे अधिक महत्व आय का है। हम सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना आवश्यक है :—

(घ) वस्तुयें और सेवायें खरीदने की शक्ति प्रायः द्वारा सीमित—एक साधारण-सी कहावत है “उतने पाव पसारिये जितनी चादर होय ।” सच है कि किसी व्यक्ति या परिवार की वस्तुओं और सेवाओं के खरीदने की शक्ति उनकी आय द्वारा सीमित होती है । साधारणतया जितनी ही किसी की आय अधिक होगी उतनी ही उतनी वस्तुयें और सेवायें खरीदने की शक्ति भी अधिक होगी । ऐसी दशा में अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है और इसीलिए जीवन-स्तर ऊँचा हो जाता है । जब आय बहुत कम होती है, तो उपभोग कुछ मरि आवश्यक वस्तुओं तक ही सीमित हो जाता है, और, इसलिये, जीवन-स्तर नीचा ही रहता है ।

(घा) उपभोग वस्तुओं पर आय का व्यय होना—आय को दो प्रकार से व्यय किया जा सकता है—या तो उससे उत्पादक वस्तुयें (Producers's Goods) खरीदी जा सकती हैं या उपभोग-वस्तुयें (Consumer's Goods) । जीवन-स्तर आय के केवल उन भाग पर निर्भर होता है जिसका व्यय उपभोग सम्बन्धी वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया हो । उत्पादक वस्तुयें प्राये घन की उत्पत्ति करने में तो सहायक होती हैं, परन्तु उनसे हमारे उपभोग का सम्बन्ध बड़ा परोक्ष और दूर का है ।

(ङ) मौद्रिक आय की अपेक्षा वास्तविक आय का महत्व—मौद्रिक आय से वस्तुओं और सेवाओं का जितना संचय प्राप्त किया जा सकता है, उसी को हम वास्तविक आय कहते हैं । जबकि मौद्रिक आय की माप मुद्रा में की जा सकती है, तब वास्तविक आय वस्तुओं और सेवाओं में मापी जाती है । अर्थात् जीवन-स्तर वास्तविक आय पर निर्भर होता है । जब हम कहते हैं कि ऊँची आय के साथ-साथ अधिकतर जीवन-स्तर भी ऊँचा होता है, तो हमारा आशय वास्तविक आय से ही होता है ।

(ई) मुद्रा की क्रय-शक्ति—वस्तुओं के दाम घटने, क्रय-शक्ति का भी जीवन-स्तर पर अधिक प्रभाव पड़ता है । वस्तुओं के दाम घटने पर थोड़ी आय से भी बहुत सारी सुविधाजनक वस्तुयें और सेवायें प्राप्त की जा सकती हैं । ऐसी दशा में मुद्रा की क्रय-शक्ति बहुत अधिक होती है । इसके विपरीत, जब वस्तुओं के दाम चढ़ जाते हैं, अर्थात् मुद्रा की क्रय-शक्ति कम हो जाती है, तो अपनी निश्चित आय से हमें बहुत थोड़ी वस्तुयें प्राप्त होती हैं । बहुधा विभिन्न स्थानों में अथवा विभिन्न कालों में मनुष्य के जीवन-स्तर की तुलना करते समय हम मौद्रिक आय को ही तुलना का आधार बनाते हैं । ऐसी दशा में यह आवश्यक है कि हम मुद्रा की क्रय-शक्ति पर ही ध्यान दे, अन्यथा हमारे निष्कर्ष सही न होंगे ।

(उ) देश की सामाजिक और आर्थिक दशा—किसी समय विशेष में देश और समाज की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक दशा का भी जीवन-स्तर पर प्रभाव पड़ता है । कुछ शासन-व्यवस्थाओं में सामाजिक सुरक्षा (Social Security) का उच्चतम प्रबन्ध होता है । शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि आवश्यक सेवायें बहुत सस्ती होती हैं और इस बात का भय नहीं रहता कि किसी दुर्घटना के कारण भविष्य में कठिनाई हो सकती है । ऐसे देश में जीवन-स्तर अधिक ऊँचा होता है, क्योंकि भविष्य के लिये बहुत कुछ बचाकर रखने की आवश्यकता कम होती है । प्रायः सभी सम्म देशों में लोक-उपयोगी सेवाओं (Public Utility Services) की व्यवस्था करना सरकार का अनिवार्य कार्य होता है । ऐसे समाज में आय के कम रहने पर भी व्यक्तियों का जीवन-स्तर ऊँचा हो जाता है ।

(ऊ) वर्ग—घन के वितरण की दृष्टि से समाज में प्रायः तीन वर्ग पाये जाते हैं—उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग । उच्च वर्ग का जीवन स्तर सबसे ऊँचा एवं निम्न वर्ग का

स्तर सबसे नीचा होता है। भारत में जाति-न्यवस्था के कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ग पाये जाते हैं। इनके जीवन स्तरों में बहुत भिन्नता देखने में आती है।

(II) व्यक्तित्व—

(१) व्यय करने का ढंग—यह पहले ही बताया जा चुका है कि आय के केवल उस भाग का, जो उपभोग की वस्तुओं पर व्यय किया गया हो, जीवन-स्तर पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। ऐसी दशा में कम व्यय होने पर जीवन स्तर नीचा ही जायेगा। यह भी हमें ज्ञात है कि एक विशेष रीति से अर्थात् सम-सीमान्त उपयोगिता नियम के अनुसार आय का व्यय करने से अधिकतम सन्तोष प्राप्त होता है। साधारण अनुभव बताता है कि बहुत बार दो परिवारों की आय तथा अन्य परिस्थितियों के समान होते हुए भी उनके जीवन-स्तर में विषाल अन्तर होते हैं, जिसका प्रमुख कारण यही होता है कि किसी एक परिवार की व्यय-व्यवस्था अधिक योग्य प्रबंधक के हाथों में होती है। इसी सम्बन्ध में यह भी ध्यान देने योग्य है कि जो मनुष्य आवश्यकता-पूर्ति के समय कायक्षमता पर अधिक ध्यान देता है, उसका जीवन-स्तर भविष्य में ऊँचा हो जाता है, क्योंकि उसकी उत्पादन-शक्ति बढ़ जाती है।

(२) मनोवृत्ति—एक निश्चित आय से हमें कुल कितना सन्तोष मिलता है, यह केवल हमारी आय की मात्रा और व्यय की रीति पर ही निर्भर नहीं होता, बल्कि इस बात पर भी निर्भर होता है कि हमें सन्तोष प्राप्ति की कितनी क्षमता है। कुछ मनुष्य स्वभाव से ही ऐसे होते हैं कि सत्कार की किसी वस्तु से उन्हें कोई विशेष प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। इसी प्रकार, कुछ जातियों में सन्तोष अथवा प्रसन्नता प्राप्त करने की शक्ति दूसरी जातियों की अपेक्षा अधिक होती है। उदासीन मनोवृत्ति का मनुष्य ऊँचा जीवन-स्तर नहीं बना सकता है। इसी प्रकार, जातीय मनोवृत्ति (National Psychology) के अनुसार, समान परिस्थितियों के होते हुए भी, एक देश के लोगों का जीवन-स्तर दूसरे देश के लोगों के जीवन-स्तर से ऊँचा अथवा नीचा हो सकता है।

(३) परिवारगत प्रभाव—व्यक्ति के जीवन-स्तर पर उसके माता-पिता तथा परिचार के जीवन-स्तर का बहुत प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि एक डाक्टर या एक प्रोफेसर का लड़का अपने परिवार के जीवन-स्तर को बनाये रखने की पूरी चेष्टा करता है।

(४) शिक्षा एवं रुचि—शिक्षा एक और आय अर्जन क्षमता को बढ़ाती है और दूसरी ओर वह व्यक्ति के दृष्टिकोण एवं उसकी रुचि को व्यापक एवं गिष्ट बनाती है। दोनों ही तरह से जीवन-स्तर प्रभावित होता है।

(५) विदेशी सम्पर्क—विदेशियों के सम्पर्क में आने से भी मनुष्य का आचार विचार, उपभोग व रहन-सहन बदलता है।

किसी देश के जीवन-स्तर को प्रभावित करने वाले तत्त्व

किसी समाज का जीवन-स्तर मुख्यतया निम्न बातों पर निर्भर होता है :—

(१) देश के भीतर आर्थिक साधनों की उपलब्धता—किसी भी देश में उत्पत्ति की मात्रा और इसका स्वरूप देश में उपलब्ध साधनों पर निर्भर होता है। देश में प्राकृतिक साधन (Natural Resources), जैसे—अच्छी भूमि, खनिज पदार्थ आदि, मानव साधन (Human Resources) तथा अन्य उत्पत्ति-साधन जितने ही अधिक होंगे, उतना ही वहाँ उत्पत्ति बढ़ाने और उसमें विविधता लाने की सम्भावना भी अधिक होगी। दीर्घकालीन दृष्टि से उत्पत्ति-साधनों की प्रचुरता ही ऊँचे जीवन-स्तर की एक मात्र गारंटी होती है।

(२) देश में उत्पत्ति के साधनों का उपयोग—यदि बहुत से साधन बेकार पड़े रहते हैं और देश के निवासी परिश्रमी नहीं हैं, तो साधनों की प्रचुरता होते हुए भी देश निर्धन

रह सकता है। भारत में जीवन-स्तर के नीचा होने का एक कारण यह भी है कि पदार्थ यहाँ साधनों का अभाव नहीं है, परन्तु अधिक मात्रा में साधन बेकार पड़े हुए हैं। इसी कारण यह कहा जाता था कि भारत में “प्रचुरता के बीच निर्धनता है” (There is poverty in the midst of plenty)।

(३) “उत्पादक” और “उपभोग-वस्तुओं” के उत्पादन का अनुपात—उत्पादन उन वस्तुओं का भी हो सकता है जो पूँजीगत वस्तुएँ (Capital Goods) हैं, अर्थात् जिनका उपयोग उपभोग के लिये नहीं किया जाता है, बल्कि और आगे उत्पत्ति करने के लिए किया जाता है, तथा, उन वस्तुओं का भी हो सकता है जिनका प्रत्यक्ष उपभोग किया जाता है। जिस देश में अधिकतर उत्पादन केवल पूँजीगत माल का ही होता है वहाँ अधिक लम्बे समय तक जीवन-स्तर नीचा ही रहता है। हाँ, दीर्घकाल में इसके ऊपर उठने की सम्भावना रहती है।

(४) उत्पादित आय का वितरण—प्रायः एक ऐसी समुचित रीति से होना चाहिए कि न्यूनतम राष्ट्रीय आय से समाज को अधिकतम सन्तोष प्राप्त हो सके। प्रायः के वितरण की घोर असमानताएँ आर्थिक कल्याण को घटाती हैं और जीवन-स्तर को नीचे गिराने की प्रवृत्ति रखती हैं।

(५) काम और आराम का सन्तुलन—विभिन्न वर्ग अथवा समाज का जीवन-स्तर इस बात पर भी निर्भर होता है कि ‘काम’ (Work) और ‘आराम’ (Leisure) के बीच सन्तुलन किस प्रकार किया जाता है। यदि उत्पादन अधिक होता है, परन्तु इसके लिए जन-संख्या को अत्यधिक परिश्रम करना पड़ता है, जिससे आराम का अवसर नहीं मिलता है, तो अधिक उत्पादन और ऊँची आय के रहते हुए भी जीवन-स्तर ऊँचा न रह सकेगा।

(६) कार्यशील (Working) पूँजी और कार्यशील जनसंख्या—जीवन-स्तर इस बात पर भी निर्भर होता है कि कुल पूँजी का कौन-सा भाग उत्पादन कार्य में लगाया जाता है और कुल जनसंख्या का कौन-सा भाग उत्पादन-कार्य में संलग्न है।

जीवन-स्तर का निर्धारण (पारिवारिक बजट)

निर्धारण की विधि—

समाज के किसी वर्ग के जीवन-स्तर का अनुमान लगाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि—(i) हम उस वर्ग के कुछ प्रतिनिधि परिवारों की आय व्ययकों (Family Budgets) का संग्रह करें। यह हस्तारे लिए असम्भव होता है कि उस वर्ग के सभी परिवारों के प्राय और व्यय का पूरा व्योरा एकत्रित कर सकें, इसलिये कुछ ऐसे परिवारों को चुन लिया जाता है जिन्हें हम प्रतिनिधि स्वरूप मान सकें। (ii) इस चुनाव में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। चुनाव की दो रीतियाँ हैं :—इच्छानुसार ढङ्ग से (Deliberately) कुछ परिवारों को चुन लें और उनके प्राय-व्ययको का अध्ययन करे अथवा ‘आकस्मिक निदर्शन’ (Random Sampling) से काम ले। इस प्रणाली में अन्वेषक (Investigator) अर्थात् खोज करने वाला व्यक्ति अपनी स्वेच्छा का उपयोग नहीं करता, परन्तु सब परिवारों की एक सूची बनाकर उनमें प्रकृत्मात् ढङ्ग से (जैसे कि प्रत्येक १०वाँ, १५वाँ, २५वाँ इत्यादि) कुछ परिवारों को चुन लेता है और केवल इन्हीं चुने हुए परिवारों की प्राय-व्ययको का अध्ययन करता है। इन प्रकार के चुनाव द्वारा समस्त वर्ग के विषय में जो नियम बनाये जाते हैं अथवा जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उनके ठीक होने की सम्भावना अधिक होती है। (iii) इसी प्रकार, कुछ और गावपानियाँ भी आवश्यक होती हैं। खोज करने वाले के लिए यह भी आवश्यक है कि वह परिवार के प्रबन्धकर्ता का पूर्ण रूप से विश्वास प्राप्त

कर ले और व्यय के प्रत्येक छोटे और बड़े शीर्षक का ठीक-ठीक हिसाब रखे। इसके अतिरिक्त, जो भी माध्य (Average) उपयोग में लाया जाय और खोज के उद्देश्य के अनुसार उपयुक्त होना चाहिये।

पारिवारिक बजटों का देश के लिये बहुत महत्व है। एक गृह-स्वामी अपने परिवार का बजट बनाकर अपनी आय को विवेकपूर्ण ढङ्ग से व्यय करने में समर्थ होता है और इस प्रकार अधिकतम सन्तुष्टि पाने में सफल होता है। अर्थशास्त्री भी बजटों की सहायता से रहन-सहन की लागत का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और तदनुसार मजदूरी निर्धारित करने के लिए परामर्श देते हैं। पारिवारिक बजटों के आधार बनाये गये सूचक अंकों की सहायता से किसी समय पर किन्हीं दो देशों के जीवन-स्तर की तुलना कर सकते हैं। समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण की योजना बना सकते हैं, धन के वितरण की विपत्तियों को मालूम कर उसे दूर कराने के लिये प्रयत्नशील होते हैं, एवं अपव्ययों को समाप्त कराने हेतु कदम उठाते हैं। सरकार को पारिवारिक बजटों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर अपनी आर्थिक नीति निश्चित करने में सरलता हो जाती है और वह समय-समय पर उचित निश्चय बनाती रहती है।

एन्जिल्स का नियम

(Engels' Law)

उपभोग सम्बन्धी आंकड़ों के एकत्रित करने का काम प्रायः सभी देशों में किया गया है, परन्तु इस विषय में जर्मन अर्थशास्त्री एन्जिल्स (Engels) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने अनेक पारिवारिक आय भ्रमणों का संग्रह किया था और इस संग्रह द्वारा उपभोग सम्बन्धी सामान्य नियम बनाये थे। नीचे की तालिका में जर्मनी के सैक्सनी (Saxony) नामक क्षेत्र में पारिवारिक बजटों द्वारा एन्जिल्स के अनुभव दिये गये हैं। इस तालिका में तीन प्रकार के परिवारों (अर्थात् श्रमिक परिवार, मध्य श्रेणी के परिवार तथा सम्पन्न परिवार) का अध्ययन किया गया है।

तालिका

व्यय के शीर्षक	श्रमिक परिवार	मध्यम श्रेणी का परिवार	सम्पन्न परिवार
जीवन रक्षा	६२	५५	५०
कपड़ा	१६	१८	१८
मकान किराया	१२	१२	१२
ईंधन और प्रकाश	५	५	५
शिक्षा		३.५	५.५
कर	१	२	३
स्वास्थ्य	१	२	३
व्यक्तिगत सेवायें	१	२.५	३.५
	१००	१००	१००

इस तालिका में प्रत्येक व्यय के शीर्षक पर कुल व्यय का प्रतिशत दिखाया गया है। एन्जिल्स ने इस तालिका के अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले थे :—(१) जितनी आय होगी उतनी ही जीवन रक्षा, अर्थात् भोजन इत्यादि पर व्यय का प्रतिशत अधिक होगा। (२)

घ्राय चाहे कितनी भी हो, कपड़ों पर व्यय की प्रतिशत प्रायः समान ही रहती है। (३) मकान के किराये तथा रोगनी घोर ईंधन पर भी व्यय का प्रतिशत घ्राय की विभिन्नताये होते हुए भी लगभग समान ही रहता है। (४) जितनी ही घ्राय अधिक होनी है उतना ही शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत सेवाओं पर अधिक व्यय होता है।

एंग्लिस का नियम यूरोप के देशों, विशेष रूप से जर्मनी के अनुभव पर निर्भर है। दूसरे देशों में जो खोज की गई है, वहाँ व्यय का व्योरा ठीक उसी प्रकार का नहीं मिला है जैसा कि एंग्लिस ने पाया था। विशेष रूप से एशियाई देशों में एंग्लिस की खोज सर्वदा लागू नहीं की जा सकती है। कपड़ा, खाना और मकान का किराया इन शीपों पर व्यय के प्रतिशत में अलग-अलग देशों में विशाल अंतर पाये जाते हैं, किन्तु एंग्लिस द्वारा निश्चित किये हुए दो नियमों की प्रायः सभी देशों में पुष्टि हुई है। ये दो नियम दस प्रकार हैं :—(१) जितनी ही घ्राय कम होती है उतना ही भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर घ्राय का अधिक बड़ा भाग व्यय किया जाता है, अर्थात् भोजन, कपड़ा, रोगनी और ईंधन पर व्यय का अनुपात अधिक होता है। (२) अधिक घ्राय वाले व्यक्ति निर्धन व्यक्तियों की अपेक्षा खाने और कपड़े पर घ्राय का छोटा भाग और शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर अधिक भाग व्यय करते हैं।

ऊँचा एवं नीचा स्तर

नीचा जीवन-स्तर कार्य-कुशलता को घटाता है—

नीचा जीवन-स्तर अवनति वा सूचक होता है। पिछड़े हुए देशों और वर्गों का जीवन-स्तर नीचा होता है। बहुधा देखने में आता है कि जिन वर्गों का जीवन-स्तर बहुत नीचा होता है उनकी उत्पादन-शक्ति भी कम होती है। मजदूरों अथवा श्रम-जीवियों की कार्यक्षमता या कार्य-कुशलता एक बड़े अंश तक उनके जीवन-स्तर पर निर्भर होती है। साधारणतया एक भारतीय मजदूर यूरोपियन मजदूर की अपेक्षा कम कार्य-कुशल होता है। इसका मुख्य कारण यही है कि भारतीय मजदूर का जीवन-स्तर बहुत नीचा है। मजदूरों के जीवन-स्तर को सुधारने के सम्बन्ध में जो प्रयोग (Experiments) किये गये हैं, उनमें से अधिकतर कार्य-कुशलता में वृद्धि करने में सफल रहे हैं, जिससे सिद्ध होता है कि जीवन-स्तर को ऊँचा कर देने से श्रम की कार्य-कुशलता बढ़ जाती है और देश की उत्पादन-शक्ति अधिक हो जाती है।

परन्तु इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह सम्झना भूल होगी कि जितना ही जीवन-स्तर ऊँचा उठाया जायगा उतनी ही कार्य-कुशलता और उत्पादन-शक्ति बढ़नी चली जायगी। बहुत नीचे जीवन-स्तर के साथ-साथ कार्य-कुशलता बहुत ही कम होगी, यह तो सत्य है, किन्तु हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बहुत ऊँचे जीवन-स्तर के साथ-साथ कार्य-कुशलता भी बहुत अधिक होगी। उपयोगिता ह्रास नियम हमें बताता है कि जैसे-जैसे किसी वस्तु का स्टॉक हमारे पास बढ़ता जाता है, इस बढ़ते हुए स्टॉक की प्रत्येक अणु इकाई से हमें प्रमत्त कम उपयोगिता प्राप्त होती है। अतः उपयोग की वस्तुओं में वृद्धि होने से सम्बन्ध बढ़ना तो है, परन्तु इसके बढ़ने की दर धीरे-धीरे घटती चली जाती है। जीवन-स्तर में एक निश्चित अंश तक सुधार करने पर कार्य-कुशलता बढ़ती है, किन्तु उसके पश्चात् जीवन-स्तर के सुधार की अपेक्षा कार्य-शक्ति में बहुत कम उन्नति होती है।

यदि जीवन-स्तर बहुत ही ऊँचा हो जाय, तो यह भी सम्भव है कि इसके और ऊँचा उठाने का कार्य-कुशलता पर कुछ भी प्रभाव न पड़े। यह तो सभी जानते हैं कि लॉर्ड लुई माउन्टबेटन (Lord Luis Mountbatten) का जीवन-स्तर महारत्ना गांधी की अपेक्षा बहुत ही ऊँचा था, परन्तु क्या उनकी कार्य-कुशलता अथवा उत्पादन-शक्ति गांधीजी से अधिक थी? इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है ही है। चाहे जाँच का कोई भी मान हम उपयोग में लायें, महारत्ना गांधी

अधिक अच्छे उत्पादक और अधिक कार्य-कुशल प्रतीत होंगे। कारण, जबकि लाई माउन्टबेटन का जीवन-स्तर इतना ऊँचा था कि उसका उनकी कार्य-क्षमता पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ता था, तब महात्मा गांधी का जीवन-स्तर इतना नीचा नहीं था कि उनकी कार्यक्षमता को कोई नुकसान पहुँचे।

भारतवासियों का जीवन-स्तर अन्य देशों की अपेक्षा नीचा है, जिसके कारण निम्न है :—(i) यहाँ उत्पादन और उत्पादकता बहुत कम है; (ii) वृष्टि में अत्यधिक सींग सतन है विन्तु उद्योग अभी पर्याप्त विकसित नहीं हुए हैं; (iii) प्राकृतिक साधनों का समुचित शोषण नहीं किया गया था, (iv) बुद्ध नमय पहले तक बैजिंग और विनियोग की सुविधायें भी कम थी; (v) यातायात के साधनों का अपर्याप्त विकास हुआ है; (vi) धन के वितरण में असमानता पाई जाती है; (vii) भारतीय श्रमिकों की कुशलता कम है; (viii) सामाजिक सुरक्षा के लिए व्यवस्था कम है; (ix) नादा जीवन उच्च विचार का आदर्श लोकप्रिय है और सामाजिक अन्याय प्रचलित है; (x) यहाँ जनसंख्या की वृद्धि के साथ बेरोजगारी बढ़ती जाती है; एवं (xi) अशिक्षा का जोर रहा है।

जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने की रीतियाँ—

समाज के अधिकांश मनुष्यों का जीवन स्तर नीचा ही होता है। लाई माउन्टबेटन और महात्मा गांधी का जो उदाहरण हमने लिया था वह कोई सामान्य दशा का उदाहरण नहीं था। इस प्रकार के व्यक्ति बहुत ही कम होते हैं। साधारणतया जीवन-स्तर को ऊँचा उठा देने से कार्य-क्षमता और उत्पादन-शक्ति बढ़ती है, इसलिए जीवन-स्तर को ऊँचा करने की बड़ी आवश्यकता है। अब हम यह देखेंगे कि किन-किन रीतियों से जीवन-स्तर ऊँचा किया जा सकता है। ये निम्न प्रकार हैं—

(१) धन की वृद्धि—हम पहले ही देख चुके हैं कि जीवन-स्तर पर सबसे अधिक प्रभाव धन का पड़ता है। अधिकांश दशाओं में धन के बढ़ जाने पर जीवन-स्तर भी ऊँचा हो जाता है। अतः, जिन सब रीतियों से राष्ट्रीय धन में वृद्धि की जा सकती है उन्हीं सब रीतियों से जीवन-स्तर को भी ऊँचा उठाया जा सकता है :—(i) प्राकृतिक काल में राष्ट्रीय धन की बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि देश में स्थित प्राकृतिक साधनों का अधिक से अधिक उपयोग किया जाय और इस प्रकार के आविष्कार किये जायें जिनकी सहायता से देकार पड़े हुये साधनों का भी सदुपयोग हो सके। (ii) इसके साथ-साथ इन साधनों का इस प्रकार उपयोग करना चाहिए कि वे सम्बन्धित फल प्रदान करते रहें। (iii) आर्थिक नियोजन (Economic Planning) द्वारा धर्म-व्यवस्था को इस प्रकार सङ्गठित किया जा सकता है कि राष्ट्रीय धन में वृद्धि हो जाय। यह वृद्धि दो प्रकार से की जा सकती है—(अ) किसी देश के कुल उत्पादन को बढ़ा देने से स्वयं ही उत्पत्ति के साधनों को प्राप्त होने वाले हिस्से बढ़ जायेंगे और राष्ट्रीय धन अधिक हो जायगी। (ब) रोजगार के बढ़ जाने से भी राष्ट्रीय धन बढ़ती है। जिनसे ही कम मनुष्य बेरोजगार (Unemployed) होंगे उतनी ही कुल राष्ट्रीय धन अधिक होगी। आर्थिक योजनाओं से उत्पत्ति और रोजगार दोनों ही बढ़ाये जा सकते हैं। धन-जीवन स्तर को ऊँचा करने में आर्थिक नियोजन बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है।

(२) धन के वितरण में न्यायपूर्णता—समाज के किसी वर्ग या जाति पर देश के भीतर राष्ट्रीय धन के वितरण का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय धन के अधिक होने हुये भी यह सम्भव है कि समाज का जीवन-स्तर ऊँचा न रहे। यदि धन का वितरण न्यायपूर्ण (Equitable) नहीं है, जिसके फलस्वरूप इस धन का अधिकांश भाग थोड़े से व्यक्तियों को मिल जाता है, तो इससे समाज का जीवन-स्तर ऊँचा नहीं उठ सकता है। यह ध्यान आवश्यक है कि विभिन्न परिवारों और व्यक्तियों की आय में विशाल अन्तर न हो।

(३) शिक्षा का विकास—शिक्षा में उन्नति हो जाने से भी जीवन-स्तर ऊँचा हो जाता है :—(i) शिक्षा द्वारा नये-नये प्रकार की आवश्यकतायें उत्पन्न की जा सकती हैं। (ii) मनुष्य दूसरे देशों, जानियों, नये आविष्कारों तथा आवश्यकता पूर्ति के नये-नये साधनों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। (iii) इसके अतिरिक्त एक शिक्षित मनुष्य अपने उत्तरदायित्व को सम्झने लगता है तथा हिन और अनहित में भेद करने लगता है। (iv) वह एक मर्यादा उपभोक्ता और मर्यादा उत्पादक बन जाता है। एक ओर तो उसकी उत्पादन शक्ति बढ़ जाती है और दूसरी ओर वह बेकार श्रम तथा निपुणता नाशक वस्तुओं के उपयोग पर श्राव का व्यय नहीं करता है। (v) उसका उपभोग अधिकतम सन्तोष नियम के अधिक अनुकूल होता है। यूरोपीय देशों में जीवन-स्तर के ऊँचा होने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण शिक्षा की उन्नति ही है। इसके विपरीत, भारत जैसे देश में शिक्षा के अभाव के कारण आधुनिक युग की बहुत सारी आवश्यकतायों और उनकी पूर्ति के साधनों का पता भी नहीं है। हमारे देश की अधिकांश ग्रामीण जनता अमीतक रेडियो, टेलीफोन, इत्यादि के विषय में कुछ भी नहीं जानती है।

(४) परिवार नियोजन (Family Planning)—जीवन-स्तर को ऊँचा रखने के लिए पारिवारिक विस्तार पर नियन्त्रण लगाना बहुत आवश्यक है। जिन देशों में इस प्रकार का नियन्त्रण नहीं होता, वहाँ जन-संख्या बराबर बढ़ती चली जाती है और जीवन-स्तर नीचे गिरता चला जाता है। यद्यपि यह कहना ठीक है कि ऊँचा जीवन-स्तर स्वयं ही जन-संख्या की वृद्धि में बाधक होता है, किन्तु इसमें भी सन्देह नहीं है कि जन-संख्या के बढ़ने पर रोज लपाने से जीवन-स्तर ऊँचा हो जाता है। योरप के किसी परिवार के सम्मुख जब कोई इस प्रकार की समस्या उपस्थित होती है कि परिवार में एक बच्चे अथवा एक बच्चे की वृद्धि की जाय तो निर्णय अधिकतर कार ही के पक्ष में होता है। इसके विपरीत, भारत में जन-संख्या बराबर बढ़ रही है, और जीवन-स्तर उठाने के प्रयत्न असफल से हो रहे हैं।

(५) यातायात साधनों की उन्नति—(i) जिन देशों में यातायात के साधन अधिक प्रचुर तथा मजबूत होते हैं, वहाँ निवासियों के आचारों और विचारों में बहुत परिवर्तन हो जाता है। (ii) यातायात के साधन समाज और जातियों के विभिन्न वर्गों के पारस्परिक सम्बन्ध बढ़ा देते हैं, जिनमें विचारों, रीति-रिवाजों, शौक इत्यादि का आदान-प्रदान हो जाता है। (iii) मनुष्य समार और उसकी बातों को जान जाता है। एक प्रकार से ये साधन शिक्षा का काम करते हैं। (iv) नई-नई वस्तुएँ उपभोक्तार्यों के सम्मुख आती हैं। (v) उपभोक्तार्यों का एकाकीपन (Isolation) दूर हो जाता है, जिससे जीवन-स्तर के ऊँचा उठाने में बड़ी सहायता मिलती है।

(६) दृष्टियों और मनोवृत्तियों में परिवर्तन—आधुनिक युग में विज्ञापन और प्रचार (Propaganda) का महत्त्व सभी जानते हैं। प्रचार द्वारा हम बात की शिक्षा दी जा सकती है कि लोग अपनी श्राव का अधिक उपयोग व्यय करें और व्यर्थ श्रमका हानिकारक व्यय न करें। किसी निश्चित श्राव से हमें किताबें सन्तोष मिलना है, यह इस बात पर भी निर्भर होता है कि हमारी मानसिक प्रवृत्तियाँ किस प्रकार की हैं। इन प्रवृत्तियों में परिवर्तन कर देने से हम अधिक मजबूत उपभोक्ता बन जाते हैं और हमारा जीवन-स्तर ऊँचा उठ सकता है।

जीवन-स्तर के अध्ययन का महत्त्व

जीवन-स्तर का अध्ययन अर्थशास्त्र का एक आवश्यक घटक है। आधुनिक युग में इस अध्ययन का महत्त्व और भी बढ़ गया है। इस अध्ययन के लाभ निम्न प्रकार हैं :—

(१) श्राव के विषय में लाभदायक ज्ञान मिलना—यह अध्ययन श्राव के व्यय के विषय में लाभदायक सामान्य ज्ञान प्रदान करता है। यह ज्ञान इसलिए आवश्यक है कि समाज

की फुरीतियों को दूर किया जा सके और समाज की उत्पादन शक्ति को बढ़ाया जा सके। परिवार बजटों का अध्ययन इस विषय में विशेष रूप से उपयोगी है।

(२) कार्यक्षमता को सुधारने की उत्सुकता—जीवन-स्तर के परिवर्तनों के साथ-साथ कार्यक्षमता में भी परिवर्तन हो जाता है। जीवन-स्तर का अध्ययन हमें यह बताता है कि कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए किस प्रकार और किस अंश तक जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना चाहिये।

(३) श्रम मन्त्री को मजदूरी निर्धारण में सुविधा—एक श्रम मन्त्री के लिए इस अध्ययन का महत्व और भी अधिक है। बहुत से देशों में अथवा कुछ उद्योगों में श्रमजीवियों की मजदूरी को जीवन-स्तर से जोड़ दिया जाता है। प्रयत्न यह किया जाता है कि यह स्तर एक निश्चित मान (Standard) से नीचे न गिरे। यदि देश में वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं तो श्रमिकों की वास्तविक आय कम हो जाती है और जीवन-स्तर नीचे गिरने लगता है। ऐसी दशा में मजदूरी का कीमतों के अनुपात में बढ़ाना आवश्यक हो जाता है।

(४) जाति या देश की आर्थिक दशा का अनुमान—जीवन-स्तर द्वारा किसी देश, जानि अथवा वर्ग विशेष की आर्थिक दशा का अनुमान लगाया जा सकता है। नीचा जीवन-स्तर कम उत्पन्न होने का प्रतीक होना है और ऊँचे जीवन-स्तर से आर्थिक सम्पन्नता जानी जाती है। विभिन्न कालों, स्थानों और वर्गों की आर्थिक उत्पत्ति की तुलना इस अध्ययन द्वारा की जा सकती है।

वर्तमान युग में सभी देशों में जीवन-स्तर का अध्ययन किया जाता है और इस अध्ययन के आधार पर नियम बनाये जाते हैं। श्रम-सम्बन्धी अधिबतलर नियमों पर इस अध्ययन की छाप रहनी है। देश की उत्पादन-शक्ति को बनाये रखने के लिए जीवन-स्तर की रक्षा आवश्यक है और इस स्तर को ऊँचा करने से समाज की उत्पादन शक्ति अधिक हो जाती है। पहले महा-युद्ध के पश्चात् एक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सङ्घ (International Labour Organisation) बनाया गया था। इस सङ्घ में सत्सलर के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं और श्रम-सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करते हैं। इस संघ में श्रम-सम्बन्धी बहुत से सुझाव दिये हैं। संघ का एक महत्वपूर्ण काम यह भी है कि सदस्य देशों में श्रम के जीवन-स्तर का अध्ययन किया जाये और आवश्यकता के अनुसार सुधारों की सम्मति दी जाय। संघ का प्रधान कार्यालय जेनेवा (Geneva) में है और इसकी शाखायें सदस्य देशों में फैली हुई हैं। संघ का कार्य सदस्य देशों के सहयोग द्वारा ही चलता है।

परीक्षा प्रश्न :

१. 'जीवन-स्तर' से आप क्या समझते हैं ? यह किन तत्वों पर निर्भर करता है ?

अथवा

जीवन-स्तर दो शक्तियों का परिणाम है। (अ) वातावरण, जिसके अन्तर्गत समय, आय, वर्ग आते हैं, तथा (ब) व्यक्तित्व। इस कथन की पूर्ण विवेचना कीजिए।

[सहायक सकेत :—सबसे पहले जीवन-स्तर का अर्थ बताइये। तत्पश्चात् ऊँचे और नीचे जीवन-स्तर का भेद बताइये और अन्त में जीवन-स्तर को प्रभावित करने वाले तत्वों का विवेचन कीजिये।]

२. पारिवारिक बजट क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है ? एन्जिल्स के नियम की व्याख्या कीजिये।

तीसरा भाग
उत्पत्ति
(PRODUCTION)

उत्पत्ति और उत्पादित के साधन

(Production and Factors of Production)

उत्पत्ति का अर्थ

“उत्पादन” को नई वस्तु का सृजन कहना ठीक नहीं—

अर्थशास्त्र का दूसरा विभाग “उत्पत्ति” है। उत्पादन का अर्थ उत्पन्न करना या जन्म देना होता है। परन्तु बहुधा ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य किसी भी वस्तु को उत्पन्न नहीं कर सकता। जिस प्रकार उपभोग के अध्ययन में हमने देखा था कि मनुष्य किसी भी वस्तु का विनाश नहीं कर सकता है उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य वस्तु का सृजन भी नहीं कर सकता है। सृजन और विनाश ये दोनों प्रकृति (Nature) के कार्य हैं, मनुष्य के नहीं। अतः यह कहना भूल है कि मनुष्य किसी दुर्योग्या नई वस्तु को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए एब्रम स्मिथ और अन्य प्राचीन अर्थशास्त्रियों का यह विचार कि भौतिक वस्तुओं का सृजन करना ही उत्पादन है गलत था।

उपयोगिता का सृजन करना भी उत्पादन नहीं—

कुछ आधुनिक अर्थशास्त्रियों का विचार है कि हम वस्तु का सृजन तो नहीं कर सकते परन्तु उपयोगिता (Utility) का सृजन अवश्य कर सकते हैं। उनके अनुसार उपयोगिता का सृजन करने की क्रिया को ही उत्पत्ति कहा जाता है। किन्तु अन्य आधुनिक अर्थशास्त्री इस परिभाषा को वैज्ञानिक दृष्टि से सही नहीं बताते।

उपयोगिता के साथ मूल्य भी आवश्यक है—

उत्पत्ति कहना है कि अर्थशास्त्र का सम्बन्ध केवल उपयोगिता और इसके सृजन में नहीं है। इसका सम्बन्ध तो ऐसा दुर्लभ वस्तुओं से है जिनमें उपयोगिता होती है। उदाहरणस्वरूप, पथक वायु की हमारे लिए बहुत ही अधिक उपयोगिता है, परन्तु क्योंकि उसकी माँग की तुलना में उसकी पूर्ति सीमित नहीं है, इसलिए उसके सम्बन्ध में कोई भी आर्थिक समस्या उत्पन्न नहीं होती है। अतः किञ्चित् यह कहना अनुचित न होगा कि किसी ऐसी वस्तु का उत्पन्न करना, जिसमें उपयोगिता तो हो, परन्तु मूल्य न हो, उत्पत्ति नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार, जैसा कि प्रो० थोमस (Thomas) ने बताया है, मूल्य के निर्माण (Creation of Value) को ही उत्पत्ति कहना उचित होगा। मनुष्य प्रथम में, शायद यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि उत्पत्ति का परिभाषा आर्थिक वस्तुओं (Economic Goods) और ऐसी सेवाओं को उत्पन्न करना है जिनका कि मूल्य होता है। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि उत्पत्ति का सम्बन्ध उत्पन्न करने की कला (Technique) से नहीं है, बल्कि उत्पन्न करने के आर्थिक पथ से है।

नये सिरे से उपयोगिता या मूल्य का निर्माण सम्भव नहीं—

एक दूसरे दृष्टिकोण से, उपयोगिता अथवा मूल्य का सृजन करना भी उत्पत्ति नहीं हो सकता है। मनुष्य का कार्य तो केवल उपयोगिता अथवा मूल्य में वृद्धि करने तक ही सीमित

होता है। नये सिरे से उपयोगिता या मूल्य का उत्पन्न करना मनुष्य का कार्य नहीं है, इस कारण उपयोगिता अथवा मूल्य का सृजन करना उत्पत्ति नहीं है, बल्कि केवल उपयोगिता या मूल्य में वृद्धि करना उत्पत्ति है। इस सम्बन्ध में प्रमुख विद्वानों के मत निम्नलिखित हैं :—

(१) पेंसन—“अनेक रीतियों से मनुष्य किसी वस्तु की मानव आवश्यकताओं को पूरा करने वाली शक्ति को बढ़ा देता है और उसकी इन सब क्रियाओं के फलस्वरूप धन का उत्पादन होता है।”¹

(२) टोमस—“केवल ऐसी उपयोगिता वृद्धि को उत्पत्ति कहा जा सकता है जिसके फलस्वरूप किसी वस्तु में मूल्य की वृद्धि या विनिमय साध्यता की वृद्धि हो जाय, अर्थात् उस वस्तु के बदले में पहले से अधिक वस्तुएं मिल सकें।”

(३) मार्शल—“इस भौतिक सत्ता में मनुष्य अधिक से अधिक इतना कर सकता है कि पदार्थ की पुनर्व्यवस्था कर दे, जिससे कि वह पहले से अधिक उपयोगी हो जाय……”²

सरल शब्दों में, उत्पत्ति का अर्थ मनुष्य द्वारा उपयोगिता अथवा मूल्य में वृद्धि करना होता है। इस सम्बन्ध में दो बातों का ध्यान रखना आवश्यक है :—(i) उत्पादन केवल मनुष्य द्वारा किया जा सकता है, और, (ii) कोई भी कार्य वस्तु की उपयोगिता अथवा उसके मूल्य में वृद्धि करने हेतु किया जाय, “उत्पत्ति-कार्य” कहलायेगा। यह आवश्यक नहीं है कि उस कार्य के फलस्वरूप भौतिक अर्थ में उपयोगिता की वृद्धि हो ही। यदि उद्देश्य इस प्रकार की वृद्धि करना था तो वह कार्य उत्पादन का कार्य होगा, चाहे वास्तव में उपयोगिता में वृद्धि होती है या नहीं, जैसे—कुआर खोदना, जो बनते समय बह जाय।

उपयोगिता वृद्धि की रीतियाँ (Methods of Adding Utility)

किसी वस्तु में उपयोगिता की वृद्धि अनेक ढङ्गों से की जा सकती है। विशेषतः निम्नलिखित रीतियाँ उल्लेखनीय हैं :—

(१) रूप उपयोगिता (Form Utility)—अधिकार उत्पत्ति किसी वस्तु का रूप बदल कर ही की जाती है। हम किसी वस्तु के रूप को बदल कर उसकी उपयोगिता को बढ़ा सकते हैं। एक लकड़ी जब भेज और कुर्सी के रूप में बदल दी जाती है तो इस रूप में निस्सन्देह उसकी उपयोगिता अधिक हो जाती है।

(२) स्थान उपयोगिता (Place Utility)—किसी वस्तु या सेवा का स्थान बदल कर भी उसकी उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है। जब किसी वस्तु को एक ऐसे स्थान से, जहाँ यह प्रचुर मात्रा में है अथवा जहाँ उसकी माँग नहीं है, किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर वह दुर्लभ है, ले जाया जाता है, तो इससे वस्तु विशेष की उपयोगिता बढ़ जाती है। उदाहरणार्थ, जङ्गल

1 “Practically, man does nothing but pull, press, carry or otherwise mechanically force things into new forms or new places. He pushes a spade into the ground, pulls a root out of it, lifts a load of firewood and carries it to the fire, the presses on the branch of a tree and breaks it, so on and so forth. All these activities result in the production of wealth.”—Penson.

2 “All that man can do in the physical world is either to re-adjust matter so as to make it more useful, as when he makes a log of wood into a table, or to put it in the way of being made more useful by nature, as when he puts seed where the forces of nature will make it burst into life.”

में लकड़ी की उपयोगिता बहुत कम होती है, परन्तु जब यह लकड़ी शहर में लायी जाती है, तो इसकी उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है। ऐसी उपयोगिता की वृद्धि का यानायात के साधनों के विकास से गहरा सम्बन्ध है।

(३) समय उपयोगिता (Time Utility)—संघर्ष द्वारा भी उपयोगिता अथवा मूल्य में वृद्धि की जा सकती है। बहुत-सी वस्तुएँ ऐसी होती हैं कि वे किसी विशेष समय या मौसम में ही पैदा होती हैं। उम्र काल में इनकी प्रचुरता रहती है; परन्तु इनकी माँग बराबर बने रहने के कारण दूसरे मौसम में ये माँग की तुलना में दुर्लभ हो जाती हैं ऐसी वस्तुओं का संचय करने से उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है। जुलाई के महीने में घास की उपयोगिता उतनी नहीं होती है जितनी कि जनवरी के महीने में। मई और जून में गेहूँ मसला होता है, परन्तु जनवरी-फरवरी में महँगा हो जाता है। इससे पता चलता है कि संचय भी मूल्य-वृद्धि का कारण होता है।

(४) अधिकार-हस्तान्तरण-उपयोगिता (Possession Utility)—विभिन्न व्यक्तियों के लिए एक ही वस्तु की उपयोगिता भ्रम-भ्रम होती है। एक पुस्तक का जब किसी रही वैचने वाले से किसी विद्यार्थी के पास हस्तान्तरण होता है, तो उसकी उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है। इस प्रकार की उपयोगिता वृद्धि को कभी-कभी "हस्तान्तरण उपयोगिता" (Transfer Utility) भी कहा जाता है।

(५) सेवा उपयोगिता (Service Utility)—सेवा उपयोगिता का अभिप्राय उस उपयोगिता से है जो मनुष्य की सेवा के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। एक गायक तबले और मितार का उपयोग करके इन दोनों की उपयोगिता को बढ़ा देता है। ठीक इसी प्रकार एक छाक्टर भी अपने मोटारों की उपयोगिता को बढ़ा सकता है। यहाँ पर यह बतना देना असंभव न होगा कि कुछ अर्थशास्त्रियों ने मूल्य वस्तुओं के निर्माण को ही उत्पत्ति कहा है। उनके अनुसार सेवा द्वारा उपयोगिता में वृद्धि नहीं हो सकती है। किन्तु यह विचार ठीक नहीं है। मूल्य और अपूर्ण दोनों प्रकार की वस्तुओं का निर्माण उत्पत्ति में सम्मिलित किया जाता है। वास्तविकता यह है कि उपयोगिता की प्रत्येक वृद्धि अपूर्ण (Intangible) ही होती है।

(६) ज्ञान उपयोगिता (Knowledge Utility)—आधुनिक युग में विज्ञान द्वारा उपभोक्ताओं को वस्तु के गुण और लाभ बता कर इनके उपयोगिता-प्राप्ति के ज्ञान में वृद्धि की जा सकती है। इसका परिणाम यह होगा है कि उनके लिए वस्तु विशेष की उपयोगिता बढ़ जाती है।

इस प्रकार, उत्पत्ति अथवा उपयोगिता वृद्धि में निम्नलिखित की सम्मिलित विद्या जाता है :—(i) भूमि, समुद्र अथवा खानों में वस्तुएँ प्राप्त करना। उदाहरणस्वरूप, वृत्ति द्वारा, मछली पकड़ कर और खाने छोड़ कर। (ii) वस्तुओं का निर्माण (Manufacture), जैसे—कपड़ा बुनना, मकान बनाना इत्यादि। (iii) रेलों, मोटारों, जहाजों आदि द्वारा वस्तुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान को लाना और ले जाना। (iv) व्यापार, अर्थात् उत्पादित वस्तुओं का वितरण और (v) उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष सेवाएँ उपलब्ध करना, जैसे—गाना, नाचना, पढ़ना सिगाना इत्यादि।

संक्षेप में, प्राकृतिक साधनों में मानसिक और शारीरिक शक्ति लगाकर उपयोगिता की वृद्धि करना उत्पत्ति कहलाता है।

उत्पत्ति का महत्त्व

(The Importance of Production)

व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन दोनों में ही उत्पत्ति का अधिक महत्त्व है। उत्पत्ति के महत्त्वपूर्ण होने के कारण निम्नलिखित हैं :—

(१) आवश्यकताओं की पूर्ति उत्पादन पर निर्भर होती है। यह एक साधारण-सी बात है कि उत्पत्ति के बिना उपभोग ही नहीं सकता है। यह सम्भव है कि प्रत्येकाल में कोई व्यक्ति अथवा समाज अपने उत्पादन से अधिक उपभोग करे, परन्तु दीर्घकाल में वह ऐसा नहीं कर सकता। अन्तिम दशा में उपभोग उत्पत्ति की मात्रा पर ही निर्भर रहता है। यदि उत्पत्ति कम होती है, तो समाज के लोगों को अपनी दिन-प्रति-दिन की आवश्यकताएँ पूरी करने में कष्ट होता है।

(२) किसी व्यक्ति अथवा समाज का जीवन-स्तर भी उसकी उत्पत्ति पर निर्भर होता है। जिस देश में उत्पादन अधिक होता है वहाँ के लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा होता है और ऊँचा जीवन-स्तर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का उद्यत करता है, जिससे कार्यकुशलता और उत्पादन शक्ति बढ़ती है। ऊँचा-जीवन-स्तर, नैतिक-स्तर और शिक्षा-स्तर को भी ऊँचा उठाता है। वही देश की आर्थिक सम्पन्नता का प्रतीक होता है। उत्पत्ति के बिना अधिक ऊँचे जीवन-स्तर की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उत्पत्ति के लिए सबसे पहली आवश्यकता उत्पत्ति बढ़ाने की होती है। भारत की आर्थिक दरिद्रता का प्रमुख कारण उत्पादन की कमी ही है।

(३) देश में व्यापार और वाणिज्य की उन्नति भी उत्पत्ति पर निर्भर होती है। जब उत्पत्ति ही कम होगी, तो विनिमय व्यापार भी उन्नति नहीं कर सकेगा। अन्य शब्दों में, अधिक माल का क्रय-विक्रय तभी हो सकता है जब माल अधिक हो।

(४) सरकार की करों और अन्य शोषकों से प्राप्त होने वाली आय भी उत्पत्ति पर निर्भर होती है, क्योंकि कर प्रायः उत्पत्ति में से ही चुकाये जाते हैं। राजस्व में समाज की कर-दान क्षमता (Taxable Capacity) का अध्ययन किया जाता है, अर्थात् हम यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि एक देश के निवासियों से अधिक से अधिक कितना कर वसूल किया जा सकता है। अन्तिम दशा में करदान क्षमता देश में उत्पादन की मात्रा पर ही निर्भर होती है।

उत्पत्ति की मात्रा को प्रभावित करने वाली बातें

(Factors Determining the Volume of Production)

उत्पत्ति के महत्त्व की भली-भाँति समझने के लिए हमें उन बातों का भी पता लगाना चाहिए जो किसी देश में उत्पत्ति की मात्रा को निर्धारित करती हैं। ये बातें निम्न प्रकार हैं :—

(१) प्रत्येक देश में उत्पत्ति की मात्रा देश में उपलब्ध उत्पत्ति के साधनों के गुण और मात्रा पर निर्भर होती है। यदि देश में प्राकृतिक साधन अच्छे हैं, पूँजी पर्याप्त है और देश के निवासी परिश्रमी हैं, तो उत्पत्ति की मात्रा अधिक होगी।

(२) उत्पत्ति की मात्रा इस बात पर भी निर्भर होती है कि देश में उत्पादन कलाओं और विज्ञान की उन्नति किस अंश तक हुई है तथा इनका कृषि और उद्योगों में किस अंश तक उपयोग किया गया है। यदि वैज्ञानिक रीतियों का उपयोग नहीं हुआ है, तो सब कुछ हाँते हुए भी उत्पत्ति की मात्रा कम ही रहेगी। भारत में उत्पत्ति की मात्रा के कम रहने का एक महत्त्वपूर्ण कारण यह भी है।

(३) आर्थिक उन्नति के लिए यातायात और सम्वादवाहन का विकास भी बड़ा महत्त्वपूर्ण है। इनके विकास से मण्डियों का विस्तार होता है और कच्चा माल उत्तरग करने में आसानी को औद्योगिक क्षेत्रों से मिला देना सम्भव होता है। इसके अतिरिक्त, उत्पत्ति के साधनों की गतिशीलता (Mobility), बढ़ जाती है, तथा उपभोक्त्याओं और उत्पादकों के बीच पार-परिक सम्बन्ध स्थानित हो जाता है। परिणामस्वरूप उत्पत्ति की मात्रा बढ़ती है।

(४) 'वित्त' (Finance) की प्रायुक्तिक उत्पादन प्रणालियों का सेल बड़ा जाता है,

जिसके बिना यह मशीन भस्मी-भस्ति नहीं चल सकती है। वर्तमान उद्योगों की भारी मात्रा में उधार पूँजी की आवश्यकता पड़ती है। बंकिंग और सात संस्थाओं के समुचित विकास के बिना उत्पत्ति के पैमाने का विस्तार सम्भव न होगा।

(५) उत्पत्ति की मात्रा इस बात पर भी निर्भर होती है कि देश में शान्ति और सुरक्षा की व्यवस्था बँती है, सरकार आर्थिक मामलों में कितना हस्तक्षेप करती है और आर्थिक जीवन की उत्पत्ति के लिए क्या-क्या प्रयत्न करती है। प्राथमिक युग में सरकार द्वारा संचालित आर्थिक नियोजन (Economic Planning) के महत्त्व को हम सभी जानते हैं। इस की प्रारम्भिक प्रवृत्तियों का कारण सरकारी प्रयत्न ही है। भारत सरकार भी इस समय आर्थिक नियोजन द्वारा उत्पत्ति को बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है।

(६) घन्ट में, देश में उत्पत्ति की मात्रा वहाँ के प्राकृतिक साधनों की मात्रा और उनके गुण पर निर्भर होती है। जलवायु, भूमि, पानी, पहाड़ और नदियाँ ये सब प्रकृति की देन हैं। उत्पत्ति में इनके महत्त्व से सभी परिचित हैं। इसी प्रकार, प्रकृति की विनाशकारी शक्तियों (जैसे—बाढ़, भूचाल आदि) का भी उत्पत्ति की मात्रा पर बहुत प्रभाव पड़ता है।

उत्पत्ति के साधन (Factors of Production)

उत्पत्ति कई साधनों के सामूहिक प्रयत्नों का परिणाम होती है। उत्पत्ति के साधनों से हमारा अभिप्राय उन सेवाओं और पदार्थों से होता है जिनका धन के उत्पादन के लिए उपयोग आवश्यक होता है।

उत्पत्ति-साधनों की संख्या के विषय में मतभेद—

उत्पत्ति के ५ साधन हैं। इन्हीं साधनों के मिल कर काम करने के फलस्वरूप उत्पत्ति सम्भव होती है। उत्पत्ति के साधनों, उनकी प्रकृति और उनके महत्त्व का अध्ययन भर्षमाह्न में बहुत लम्बे बाल से होता चला आ रहा है।

(१) प्रतिष्ठित धर्मशास्त्रियों (Classical Economists) ने उत्पत्ति के तीन साधन बताये थे—भूमि, धन और पूँजी। उनका विचार था कि भूमि उत्पत्ति का "प्रारम्भिक" (Primary) अथवा आधारभूत (Basic) साधन है जिसके बिना किसी भी प्रकार की उत्पत्ति सम्भव नहीं है। उत्पत्ति के कम से कम दो साधनों का सहयोग आवश्यक है। भूमि और धन के बिना किसी भी प्रकार की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। प्रतिष्ठित धर्मशास्त्रियों का विचार था कि कुल उत्पत्ति के तीन भाग होते हैं :—सबसे पहले भूमि को हिस्सा मिलता है, इसके पश्चात् धन को और घन्ट में पूँजी को। इन धर्मशास्त्रियों ने भूमि को निष्क्रिय (Passive) साधन माना और धन को सक्रिय (Active) साधन बताया।

(२) प्रागे चलकर मांगों में उत्पत्ति के चार साधन बताये—भूमि, धन, पूँजी तथा सङ्गठन (Land, Labour, Capital and Organisation)। सङ्गठन को उन्होंने दो और भागों में विभाजित किया है—प्रबन्ध (Management) और साहस (Enterprise)।

(३) कुछ धर्मशास्त्रियों ने साहस को उत्पत्ति का एक पृथक् साधन मान कर उत्पत्ति साधनों की संख्या ५ कर दी है।

(४) कुछ धर्मशास्त्रियों ने उत्पत्ति के साधनों को घटा कर दो कर देने का प्रयत्न किया है—मनुष्य और प्रकृति, अथवा, धन और भूमि। बताया गया है कि उत्पत्ति के प्रारम्भिक साधन यही हैं। पूँजी के विषय में कहा जाता है कि वह केवल धन और भूमि के प्रयत्नों का फल है। इसका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार, सङ्गठन एक प्रकार का धन है,

जो शारीरिक और मानसिक परिश्रम का मिश्रण है, इसलिए वास्तविक साधन भूमि और श्रम ही रह जाते हैं।

[एक अन्य दृष्टिकोण से भी उत्पत्ति-साधनों को दो वर्गों में बाँटा जाता है जैसा कि आस्ट्रियन अर्थशास्त्री बीजर ने बाँटा है :—विशिष्ट एवं अविशिष्ट। विशिष्ट साधन (Specific factors) वे हैं, जो एक समय केवल एक ही कार्य में प्रयोग किये जा सकते हैं अर्थात् जो एक समयावधि में अग्रतिशील होते हैं। अविशिष्ट साधन (Non-specific factors) वे हैं जो वैकल्पिक प्रयोग वाले होते हैं अर्थात् जो एक समयावधि में गतिशील होने हैं। यह वर्गीकरण सापेक्षिक है अर्थात् जो साधन आज विशिष्ट है वह कुछ समय के बाद अविशिष्ट हो सकता है। दूसरे, यह वर्गीकरण अल्पकालीन है, क्योंकि दीर्घकाल में सभी साधन अविशिष्ट होते हैं।]

(५) कुछ अर्थशास्त्री तो इससे और भी आगे बढ़ जाते हैं। उनके विचार में भूमि उत्पत्ति का साधन है ही नहीं, पूँजी एक प्रकार का श्रम है और चूँकि आयोजित अर्थ-व्यवस्था (Planned Economy) में जोखिम होती ही नहीं है, इसलिए "श्रम" ही उत्पत्ति का एकमात्र साधन होता है।

(६) बेनहाम (Benham) के अनुसार, जो भी सेवा या वस्तु उत्पादन-कार्य में सहायता दे वही उत्पादन का साधन है। साथ ही, भूमि, श्रम, पूँजी, सज्जटन और साहस इनमें से प्रत्येक की सैकड़ों-हजारों किस्में हैं, कुछ कम कुशल हैं तो कुछ अधिक। अतः इनमें से प्रत्येक की किस्म को एक पृथक् और स्वतन्त्र साधन मानना चाहिये। इस प्रकार, उनका कहना है कि उत्पत्ति के अनगिनत साधन हैं।

निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं, अधिकांश आधुनिक अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि उत्पत्ति-साधन ५ है। विशिष्ट और अविशिष्ट साधनों का वर्गीकरण अर्बनानिक है, क्योंकि यह केवल अल्पकाल में ही पाया जाता है दीर्घकाल में नहीं। उत्पत्ति-साधनों को अनगिनत या दो मानने से विवेकन में जटिलता और अस्पष्टता आने की आशंका है। भूमि, श्रम, पूँजी, सज्जटन एवं साहस को पृथक्-पृथक् साधन मान लेना ही ठीक होगा। यह स्वीकार करने में तो आपत्ति नहीं हो सकती है कि उत्पत्ति के आधारभूत साधन मनुष्य और प्रकृति ही हो सकते हैं, यद्यपि इन दोनों में भी मनुष्य का ही महत्व अधिक है। मार्शल (Marshall) ने ठीक ही कहा है, "प्रत्येक दृष्टिकोण से, मनुष्य ही उत्पत्ति और उपभोग दोनों की समस्याओं का केन्द्र है।"¹

विभिन्न उत्पत्ति-साधन और उनका अर्थ—

अब हम यह देखने का यत्न करेंगे कि ये उत्पत्ति साधन क्या हैं ?

(१) भूमि (Land)—प्राचीन अर्थशास्त्रियों के अनुसार, भूमि प्रकृति का स्वतन्त्र उपहार है।² इस परिभाषा के अनुसार ये सब वस्तुएँ, जो मनुष्य को प्रकृति की ओर से बिना किसी मूल्य के मिल जाती हैं, भूमि कहलाती हैं। इस प्रकार, भूमि में मनुष्य और मनुष्यकृत वस्तुओं को छोड़ कर वे सारी वस्तुएँ सम्मिलित होती हैं, जो प्रकृति के उपहारस्वरूप हैं। वायु, वर्षा, प्राकृतिक जल, खानें आदि इसी प्रकार की वस्तुएँ हैं।

आगे चलकर कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस परिभाषा पर आपत्ति की और यह बताया कि प्रकृति मनुष्य को बिना मूल्य के कुछ नहीं देती है। किसी भी वस्तु का उपयोग करने के लिए मनुष्य को उसका मूल्य चुकाना होता है। उन्होंने बताया कि यद्यपि मनुष्य को कोई वस्तु बिना

¹ "From every point of view, man is the centre of the problem of production as well as that of consumption."—Marshall

² "Land is a free gift of nature."—Ricardo.

मूल्य के नहीं मिलती, किन्तु संसार में कुछ ऐसी वस्तुएँ श्रमण हैं, जो मनुष्य के परिश्रम के बिना ही विद्यमान हैं। घाएँ भूमि की परिभाषा इस प्रकार की गई कि भूमि में वे सब वस्तुएँ सम्मिलित हैं जो बिना मनुष्य के परिश्रम के ही इस संसार में विद्यमान हैं। दूसरे शब्दों में, जिन वस्तुओं के इस संसार में होने के लिए मनुष्य किसी प्रकार भी उत्तरदायी नहीं है, वे भूमि हैं।¹ इस परिभाषा के अनुसार प्राकृतिक पहाड़, प्राकृतिक वन और प्राकृतिक परिष्कृत भूमि हैं, परन्तु नहरें, मनुष्य द्वारा उगाये हुए वन आदि भूमि नहीं हैं।

कुछ आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने भूमि की इस परिभाषा की भी आलोचना की है। उनका विचार है कि इस अर्थ में भूमि उत्पत्ति का साधन नहीं हो सकती है।² प्रो० मेहता (Mehta) के अनुसार, भूमि कोई भी वह वस्तु है जो परिमाणिक (Specific) है अर्थात् जिसका समय विशेष में केवल एक ही उपयोग सम्भव है। यह संप्रतिष्ठित है कि अल्पकाल (Short Period) में उत्पत्ति के निती भी साधन के उपयोग को बदला नहीं जा सकता। अतः अल्पकाल में उत्पत्ति के प्रत्येक साधन में परिमाणिकता (Specificity) होती है। इस दृष्टि से यह कह सकते हैं कि अल्पकाल में उत्पत्ति का प्रत्येक साधन भूमि ही होती है, परन्तु, दीर्घकाल में, उत्पत्ति के श्रमण सभी साधनों के उपयोग को बदला जा सकता है, इसलिए दीर्घकाल में भूमि नाम का कोई साधन नहीं रहता (इस परिभाषा का निरवृत्त अध्ययन समाज के अध्याय में किया जायगा)। प्रो० मेहता की परिभाषा के अनुसार कुछ दशाओं में स्वयं मनुष्य भी भूमि हो सकता है।³

(२) श्रम (Labour)—उत्पत्ति का दूसरा साधन श्रम है। अर्थशास्त्र में इस शब्द को संकुचित अर्थ में उपयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र में केवल मनुष्य के परिश्रम को श्रम कहा जाता है। श्रम की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं :—श्रम मनुष्य का वह शारीरिक श्रमण मानसिक परिश्रम है जो उत्पत्ति करने के उद्देश्य से किया गया हो।⁴ इस प्रकार श्रम की तीन विशेषताएँ होती हैं :—(i) यह केवल मनुष्य का परिश्रम होता है, (ii) शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार का परिश्रम श्रम में सम्मिलित किया जाता है और (iii) केवल उस परिश्रम को श्रम में सम्मिलित किया जाता है जो उत्पत्ति करने के उद्देश्य से किया गया हो। यह आवश्यक नहीं है कि श्रम के फलस्वरूप उत्पत्ति हो ही, परन्तु यह आवश्यक है कि उद्देश्य उत्पत्ति करना हो। यदि हम परिश्रम करने के लिए उत्पत्ति करने में असमर्थ रहते हैं, यद्यपि हम उत्पत्ति करना चाहते थे, तो हमारा यह परिश्रम ही होगा।

(३) पूँजी (Capital)—उत्पत्ति का तीसरा साधन पूँजी है। पूँजी शब्द मनुष्यद्वारा उत्पन्न होता है। पूँजी की परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते हैं कि यह मनुष्य के पिछले श्रम के फल का वह भाग है जो और घाएँ उत्पत्ति करने के लिए उपयोग किया जाता है।⁵ कुछ अर्थ-

¹ "Land is anything above the surface of the earth, below the surface of the earth and including the surface of the earth which exists independently of man effort."

² See J. K. Mehta : *Advanced Economic Theory* and Mrs. Joan Robinson : *Economics of Imperfect Competition* the Chapter 'A Digression on Rent'.

³ "See J. K. Mehta : *Advanced Economic Theory* and Mrs. Joan Robinson *Economics of Imperfect Competition* the Chapter 'A Digression on Rent'.

⁴ "Labour is any human exertion, either of the body or of the mind performed with a view to production."

⁵ "Capital is that part of the result of man's past labour which is used for further production."

शास्त्रियों ने पूँजी को "संचित श्रम" (Stored-up Labour) कहा है। इस प्रकार पूँजी सदा ही मनुष्य के परिश्रम का ही फल होनी है, परन्तु किसी वस्तु के लिए पूँजी बनना तभी सम्भव होता है जबकि उसका उपयोग और आगे उत्पत्ति करने के लिए किया जाय।

(४) संगठन एवं साहस—मार्शल ने सङ्गठन (Organisation) को उत्पत्ति का चौथा साधन बताया है। संगठन के दो भाग होते हैं :—(i) प्रवन्ध, जिसका कार्य उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को जुटाना तथा इनके मिलकर काम करने की व्यवस्था करना होता है, और (ii) साहस, जिसका कार्य उत्पत्ति सम्बन्धी जोखिम (Risk) अथवा अनिश्चितता (Uncertainty) को सहन करना होता है। आधुनिक अर्थशास्त्री प्रवन्ध को उत्पत्ति का पृथक् साधन नहीं मानते हैं। प्रवन्धक के कार्य को श्रम में सम्मिलित किया जाता है और यह उचित भी है। इसके विपरीत, साहस को उत्पत्ति का एक पृथक् साधन माना जाता है। उत्पत्तिके प्रत्येक कार्य में किसी न किसी प्रकार की जोखिम रहती है, जिसे उठाये बिना उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। उदाहरणस्वरूप, एक किसान जब पसल बोता है तो बाढ़, सूखा, इत्यादि अनेक जोखिमों को उठाता है। इसी प्रकार, एक कारखाने का स्वामी भी हानि की सम्भावना की जोखिम को उठाता है। चूँकि जोखिम उठाना एक आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए साहस को उत्पत्ति का एक पृथक् साधन मान लेना उचित ही है।

उत्पत्ति साधनों का सापेक्षिक महत्त्व

प्रायः यह विवाद किया जाता है कि उत्पत्ति का कौन-सा साधन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस विवाद पर ध्यान देना इसलिये आवश्यक है कि प्रत्येक साधन अपने पक्ष को बढ़ा-चढ़ा कर बताता और राष्ट्रीय आय में एक बड़े हिस्से के लिये माँग करता है।

भूमि के बिना कोई उत्पादन कार्य सम्भव नहीं है। अतः इसका महत्त्व स्पष्ट है। किन्तु देखा गया है कि प्रचुर भूमि (प्राकृतिक उपहार) होने हुए भी देश निर्धन रहा और कम भूमि रखने वाला देश धनी हो गया। इस विषमता का कारण श्रम-साधन है। जहाँ श्रम-साधन कुशल है वहाँ प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग हुआ है और देश धनी हो गया है। इस दृष्टि से श्रम के महत्त्व को भी कम करके बताना सम्भव नहीं है। आजकल पूँजी भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि श्रम-साधन पूँजी के प्रयोग द्वारा अधिक प्रभावशाली कार्य कर सकता है। वर्तमान युग में औद्योगिक व्यवस्था इतनी जटिल हो गई है कि इसके सुचारु रूप से संचालन हेतु कुशल प्रबन्धको की बहुत आवश्यकता है। अतः प्रवन्ध की महत्ता स्पष्ट है। अन्त में आधुनिक उत्पादन भावी माँग के अनुमान के आधार पर किया जाता है, जिस कारण इसमें बहुत जोखिम रहने लगी है और जब तक इसे उठाने को साहसी प्राणे न आयेंगे, उत्पादन कार्य या तो शुरू नहीं किया जायगा अथवा छोटे पैमाने पर किया जायगा।

इस प्रकार, उत्पत्ति के पाँचों ही साधन महत्वपूर्ण हैं। किसी एक या दो को अन्य की अपेक्षा महत्वपूर्ण नहीं बताया जा सकता। इनके समन्वित एवं कुशल उपयोग पर ही उत्पादन की मात्रा निर्भर है। हाँ, विभिन्न दशाओं या आर्थिक विकास की विभिन्न परिस्थितियों में कुछ साधन अन्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जैसे—हस्तकला अवस्थामें श्रम का महत्त्व पूँजी की अपेक्षा अधिक था किन्तु औद्योगिक युग में पूँजी का महत्त्व अधिक हो गया है।

उत्पादन और उपभोग की परिधि में सभी

आर्थिक क्रियायें सम्मिलित

आर्थिक क्रियाओं को प्रायः चार विभागों में बाँटा जाता है—उपभोग, उत्पादन, विनिमय और वितरण। राजस्व की हमने इस विवेचन में छोड़ दिया है क्योंकि इसमें उक्त चारों से ही सम्बन्धित सरकारी क्रियायें आती हैं।

वितरण से प्राण्य उत्पादन धन को विभिन्न उत्पादन साधनों में बाँटने का है। यह स्थान उपयोगिता का मूजन ही तो है। जिस प्रकार धन को कम उपयोगी वस्तुओं को दगर में ले जाने का परिणाम स्थान उपयोगिता में वृद्धि होता है, उसी प्रकार वितरण की क्रिया उत्पादन धन को व्यक्तिगत उत्पादन-साधनों के हाथों में पहुँचा कर उसे अधिक उपयोगी बना देती है। धन: वितरण को उत्पादन के अन्तर्गत गिना जा सकता है।

जहाँ तक विनिमय का प्रश्न है, विनिमय-क्रिया तब ही की जाती है जबकि इसके दोनों पक्ष यह अनुभव करे कि उनमें से प्रत्येक के लिये दूसरे की वस्तु अपनी वस्तु की अपेक्षा अधिक उपयोगी है। धन: जब वे वस्तुएँ बदल-बदल लेते हैं तो दोनों के लिये उपयोगिता बढ़ जाती है। यहाँ उपयोगिता की वृद्धि अधिकतर परिवर्तन के द्वारा सम्भव हुई। यह 'अधिकतर उपयोगिता' है। इस प्रकार, विनिमय भी उत्पादन के अधीन आ जाता है।

उपभोग समस्त आर्थिक क्रियाओं का आदि और अन्त है। धन: वितरण व विनिमय उपभोग के अन्तर्गत गिने जा सकते हैं।

धन: प्रत्येक व्यक्ति उत्पादक और उपभोक्ता दोनों होता है, जिस कारण प्रत्येक आर्थिक क्रिया उत्पादन या उपभोग से सम्बन्धित होती है। इस दृष्टि में भी सारी आर्थिक क्रियाएँ उत्पादन और उपभोग के अन्तर्गत मानी जा सकती हैं।

उत्पत्ति के साधनों की कुशलता

उत्पत्ति के साधन की कुशलता से हवारा अधिनाय किसी साधन की कम से कम लागत और कम से कम परिश्रम द्वारा अधिक और अच्छा कार्य करने की योग्यता से होता है। सभी जानते हैं कि सभी भूमि समान रूप से उपजाऊ नहीं होनी, विभिन्न श्रमिकों की निपुणता और कार्यक्षमता में अन्तर होता है और सभी प्रबन्धक समान रूप में कुशल नहीं होते हैं। जो साधन न्यूनतम लागत पर अधिक और अच्छा काम करता है, वही अधिक कुशल माना जाता है। उत्पत्ति के किसी साधन की कुशलता जिन बातों पर निर्भर होती है, उन्हें हम दो भागों में बाँट सकते हैं :—(I) आन्तरिक दशाएँ और (II) बाहरी दशाएँ।

(I) आन्तरिक दशाओं में निम्न दो चीनों को सम्मिलित किया जाता है :—(i) प्रत्येक साधन को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिलना चाहिए। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक साधन को उसकी निपुणता, योग्यता और क्षमता के अनुसार ही काम करने का अवसर देना चाहिए। निपुण साधन को अनिपुण काम देने से कुशलता नहीं रहेगी। (ii) साधनों को ठीक-ठीक अनुपात में मिलाकर काम में लगाना चाहिए। उत्पत्ति की कुशलता इस बात पर भी निर्भर होनी है कि किसी साधन का भी प्रबन्धन न होने पाये।

(II) बाहरी दशाएँ, जिनका कि उत्पत्ति के साधन की कुशलता पर प्रभाव पड़ता है, धन: है। इनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं :—(i) यातायात और संचारवाहन के साधनों का विकास (Development of the means of transport and communications), (ii) कीमत का ऊँचा होना, (iii) उद्योग-धर्मों का स्थानीयकरण (Localisation of industries), (iv) प्रति-योगिता (Competition), (v) र्वक आदि का विकास, (vi) वैज्ञानिक और गिन्य शिक्षा (Scientific and Technical Education), (vii) राजनैतिक शांति और सुरक्षा, (viii) सरकार की आर्थिक और कर नीति और (ix) अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति।

परीक्षा प्रश्न :

1. उत्पादन क्या है ? किसी देश में समय विशेष पर उत्पादन की मात्रा को निर्धारित करने वाले घटक कौन-कौन से हैं ?
2. "श्रम सम्पत्ति का पिना और सचिय गिद्वान्त है, भूमि उसकी जननी"—उत्पादन कार्य में भूमि और श्रम को भूमिका को दणति हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिये।
3. "उपयोगिताओं का मूजन करना ही उत्पादन है।" आलोचना कीजिये।
4. उपयोगिता के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित लोग किस प्रकार की उपयोगिता उत्पन्न करते हैं —(क) कक्षा में प्राणके प्रोकेगण, (ख) विद्दु होस्टल में वावर्ची, एवं (ग) सब्जी के बाग में पत्त धेचने वाला।

उत्पत्ति के नियम

(The Laws of Production)

प्रारम्भिक—

आधुनिक उत्पत्ति प्रणाली में, जहाँ उत्पत्ति अधिकतर परोक्ष रीति से होती है, बहुधा उत्पत्ति के सभी साधनों का एक साथ उपयोग आवश्यक होता है। अतः हम यह सकते हैं कि उत्पत्ति विभिन्न साधनों के सहयोग के फलस्वरूप होती है। साधनों के इस सहयोग को हम दो विभिन्न दृष्टिकोणों से देख सकते हैं :—

(१) उत्पत्ति के साधनों में सहयोग—देखने में आता है कि विभिन्न साधनों की सामूहिक उपज अर्थात् प्रतिफल (Return) पर कुछ विशेष नियम लागू होते हैं, जिन्हें अर्थशास्त्रियों ने उत्पत्ति के नियमों का नाम दे दिया है।

(२) साधनों का प्रतिस्थापन—यह देखा जाता है कि एक से ही साधनों का अलग-अलग अनुपात में उपयोग करने पर भी बहुत बार उपज उतनी ही रहती है। यही कारण है कि उत्पत्ति के साधनों के बीच प्रतिस्थापन की सम्भावना रहती है और एक उत्पादक एक निश्चित फल की प्राप्ति के लिए साधनों के सर्वोत्तम अनुपात की खोज में एक साधन के स्थान पर दूसरे का उपयोग करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार उत्पत्ति के सिद्धान्तों में हमारे लिए उत्पत्ति के प्रतिस्थापन नियम (Law of Substitution in Production) का भी अध्ययन करना आवश्यक है।

उत्पत्ति ह्रास नियम अथवा परिवर्तनशील अनुपातों का नियम

प्रत्येक उत्पादन-क्रिया में, यदि वह लम्बे काल तक चलती रहे तो, अलग-अलग प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। यदि कम से कम एक साधन को यथास्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्राओं में वृद्धि की जाय, तो निम्न तीन प्रकार की सम्भावनाएँ हो सकती हैं।—(i) साधनों की वृद्धि से भी अधिक अनुपात में उत्पत्ति बढ़े, (ii) साधनों की वृद्धि के अनुपात में ही उत्पत्ति बढ़े और (iii) साधनों की वृद्धि से भी कम अनुपात में उत्पत्ति बढ़े। यह सर्वविदित है कि उत्पादक उसी दशा में साधनों में वृद्धि करेगा जबकि इस वृद्धि से उत्पत्ति भी बढ़े। यदि ऐसा न हो, तो साधनों के बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम दशा में वृद्धि नियम, दूसरी दशा में उत्पत्ति स्थिरता नियम और तीसरी दशा में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि उत्पादन ह्रास नियम ही उत्पत्ति का एक मात्र मूल नियम है। कारण, उत्पत्ति वृद्धि या उत्पत्ति स्थिरता नियम तो छोड़े समय के लिए ही लागू होते हैं किन्तु अन्ततः उत्पत्ति ह्रास नियम ही लागू होता है। अन्य शब्दों में, उत्पत्ति वृद्धि नियम एवं उत्पत्ति स्थिरता नियम उत्पत्ति ह्रास नियम की अस्थायी अवस्थाएँ हैं।

उत्पत्ति ह्रास नियम के विषय में मार्शल का कहना था कि यह केवल कृषि अथवा भूमि पर ही क्रियाशील होता है। उन्होंने केवल भूमि को स्थिर माना और अन्य साधनों को परि-

वर्तनशील रखा। किन्तु आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत है कि उत्पत्ति ह्रास नियम उत्पत्ति के सभी क्षेत्रों में देर-सदेर अवश्य लागू होता है और यदि किसी भी साधन को (चाहे भूमि या पूँजी अथवा अन्य कोई) स्थिर रखकर अन्य साधनों को बढ़ावें, तो उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होगा। इस व्यापक क्रियाशीलता के आधार पर ही आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उत्पत्ति ह्रास नियम को 'परिवर्तनशील अनुपातों का नियम' (Law of Variable Proportions) कहा है।

[कुछ आधुनिक अर्थशास्त्री 'उत्पत्ति ह्रास नियम' का प्रयोग केवल भूमि के सम्बन्ध में करते हैं अर्थात् तब प्रयोग करते हैं जबकि भूमि को स्थिर और अन्य साधनों को परिवर्तनशील रखा जाय। किन्तु उस स्थिति में, जबकि भूमि को ही नहीं बरख़ कितनी भी साधन को स्थिर माना जा सकता है, 'परिवर्तनशील अनुपातों के नियम' का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार कुछ अर्थशास्त्रियों के मतानुसार उत्पत्ति ह्रास नियम 'परिवर्तनशील अनुपातों के नियम' की एक अवस्था है। किन्तु अधिकांश आधुनिक अर्थशास्त्री इस प्रकार का भेद नहीं करते और वे उत्पत्ति ह्रास नियम को व्यापक रूप में परिभाषित करते हुए उसे 'परिवर्तनशील अनुपात का नियम' कहते हैं।]

नियम की व्याख्या एवं स्पष्टीकरण—

जब उत्पत्ति की मात्रा साधनों की वृद्धि से कम अनुपात में बढ़ती है, तो उत्पत्ति की यह प्रवृत्ति क्रमगतः उत्पत्ति ह्रास नियम कहलाती है।¹ नीचे के उदाहरण से यह प्रवृत्ति स्पष्ट हो जायगी। मान लीजिए कि उत्पत्ति के एक साधन, अर्थात् पूँजी को अस्थिर रखा जाता है और अन्य साधनों को बढ़ाया जाता है, जिससे उत्पत्ति में निम्न प्रकार वृद्धि होती है :—

पूँजी + १०	भूमि + १०	श्रम + १०	प्रबन्ध + १०	साहस = १,०००	इकाई उत्पत्ति
” + ११	” + ११	” + ११	” + ११	” = १,०५०	” ”
” + १२	” + १२	” + १२	” + १२	” = १,१५०	” ”
” + १३	” + १३	” + १३	” + १३	” = १,२१०	” ”

इस दशा में हम देखते हैं कि जब साधनों में वृद्धि १०% के अनुपात में की जाती है तो पहली बार कुल उपज ५%, दूसरी बार ७%, और तीसरी बार केवल ६% के अनुपात में बढ़ती है। इनसे सिद्ध होता है कि उत्पत्ति की वृद्धि-प्रचंड गिर रही है और वह साधनों की वृद्धि से कम अनुपात में बढ़ रही है। यही उत्पत्ति ह्रास नियम का रूप है।


निश्चय है कि उत्पत्ति ह्रास नियम साधनों के सर्वोत्तम अनुपात को भंग कर देने के पश्चात् लागू होता है। इस नियम को हम "सोमान्त उत्पादन व्यय वृद्धि नियम" भी कह सकते हैं, क्योंकि इस नियम के अन्तर्गत उत्पत्ति की प्रत्येक अगली इकाई का उत्पादन-व्यय बढ़ना चला जाता है।

रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण—


उत्पत्ति के इन तीनों नियमों को रेखाचित्र द्वारा भी अंकित किया जा सकता है। धारण के चित्र में तीनों नियमों का चित्रण किया गया है। मान लीजिए कि भूमि अविभाज्य साधन है और श्रम तथा पूँजी की मात्राएँ बढ़ाई जाती हैं—

¹ When the output increases less than proportionately to the increase in the amount of factors of production, the amount of at least one factor being kept constant, the tendency is known as the Law of Diminishing Returns.

इस चित्र के देखने से ज्ञात होता है कि श्रम और पूँजी की दूसरी मात्रा (Dose) के उपयोग से पहली मात्रा की अपेक्षा उत्पत्ति अधिक होती है। तीसरी मात्रा के उपयोग से उत्पत्ति की वृद्धि दूसरी मात्रा के उपयोग द्वारा की हुई वृद्धि से भी अधिक होती है। अर्थात्, यहाँ तक उत्पत्ति वृद्धि नियम कार्यशील है। श्रम और पूँजी की चौथी मात्रा से ठीक उतनी ही उपज प्राप्त होती है जितनी कि तीसरी मात्रा से, जो उत्पत्ति स्थिरता नियम को सूचित करती है। परन्तु पाँचवीं मात्रा के उपयोग से चौथी की अपेक्षा कम उपज मिलती है और छठी मात्रा के उपयोग से पाँचवीं से भी कम। इस प्रकार श्रम और पूँजी के और अधिक उपयोग से घटते हुए अनुपात में उत्पत्ति की वृद्धि होती है, अर्थात् यहाँ से आगे उत्पत्ति ह्रास नियम कार्यशील है।



सीमान्त उत्पादन व्यय के सन्दर्भ में उक्त नियम—



जब उत्पत्ति के नियमों का उल्लेख सीमान्त उत्पादन व्यय के अनुसार किया जाता है, तो चित्र का रूप भिन्न होता है। सीमान्त उत्पादन व्यय की वक्र रेखा श्रम और पूँजी की मात्राओं की प्रत्येक वृद्धि के साथ आरम्भ में गिरती है, परन्तु तत्पश्चात् उठती जाती है। यह चित्र दिखाता है कि श्रम और पूँजी की तीसरी मात्रा के उपयोग तक सीमान्त उत्पादन व्यय घटता जाता है, जो उत्पत्ति वृद्धि नियम के अनुरूप होता है। चौथी मात्रा के उपयोग पर सीमान्त उत्पादन-व्यय ठीक उतना ही होता है जितना कि तीसरी मात्रा के उपयोग से, जो क्रमगत उत्पत्ति स्थिरता नियम की कार्यशीलता को सूचित करता है। परन्तु चौथी मात्रा के पश्चात् श्रम और पूँजी की मात्रा की प्रत्येक वृद्धि के साथ-साथ सीमान्त उत्पादन-व्यय भी बढ़ता जाता है, जो उत्पत्ति ह्रास नियम को दिखाता है। इस प्रकार अन्त में प्रवृत्ति ह्रास नियम की ओर ही होती है।¹

¹ आचार्य रघुबीर ने उत्पत्ति के नियमों को वर्धी प्रत्याय नियम (Law of Increasing Returns), स्थिर प्रत्याय-नियम (Law of Constant Returns) और आह्लासी प्रत्याय-नियम (Law of Diminishing Returns) के नाम दिये हैं, परन्तु लेखक द्वारा उपयोग किये हुए नाम ही अर्थशास्त्र में अधिक प्रचलित हैं।

ह्रास नियम का ऐतिहासिक विवेचन—

ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थशास्त्र में उत्पत्ति ह्रास नियम का अद्ययन बहुत समय से होता आया है। एडम स्मिथ सबसे पहले अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने इस नियम पर ध्यान दिया था। यद्यपि उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र (Wealth of Nations) से इस बात का पता चलता है कि वे इस नियम के रूप और गुणों को समझते थे, फिर भी उन्होंने इस नियम की कोई विस्तृत विवेचना नहीं की है।

सबसे पहले माल्थस (Malthus) ने अपनी पुस्तिका 'लगान' (On Rent) में इस नियम की विस्तारपूर्वक व्याख्या की है। माल्थस का विचार था कि लगान का मुख्य कारण अमरगतः उत्पत्ति ह्रास नियम का कार्यशील होना ही है। वास्तविकता तो यह है कि माल्थस का जनसंख्या सिद्धान्त भी इसी नियम पर आधारित है। किसी देश में खाद्य-उत्पादन के जन-संख्या के अनुपात में न बढ़ने का प्रमुख कारण माल्थस के विचार में कृषि-उत्पत्ति पर इस नियम का लागू होना ही है। माल्थस का विचार था कि जन-संख्या की वृद्धि तो निरन्तर होती रहती है, परन्तु खाद्य-उत्पत्ति पर ह्रास-नियम लागू हो जाने के कारण उसकी वृद्धि की गति मन्दी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप कुछ समय पश्चात् खाद्य-उत्पत्ति जन-संख्या के लिए पर्याप्त नहीं रह पाती और जन-संख्या आवश्यकता से अधिक प्रतीत होने लगती है।

माल्थस के पश्चात् रिकार्डो (Ricardo) ने तो अपने लगान के सिद्धान्त को पूर्णतया इसी नियम पर आधारित किया। लगान के उत्पन्न होने का एक प्रमुख कारण उनके विचार में यही है कि गहन खेती (Intensive Cultivation) में धर्म और पूँजी की प्रत्येक अग्रणी मात्रा (Dose) से पहले की अपेक्षा कम उपज प्राप्त होती है। रिकार्डो का "लगान सिद्धान्त" इतना सर्वप्रिय हुआ कि अग्रे के लगभग सभी अर्थशास्त्रियों ने इसका अनुकरण किया और इस प्रकार उत्पत्ति ह्रास नियम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र (Classical Economics) का एक महत्वपूर्ण नियम बन गया। समय के साथ-साथ इस नियम का महत्त्व बढ़ता ही गया है और आज भी यह अर्थ-विज्ञान का एक प्रमुख नियम है।

उत्पत्ति ह्रास नियम के सम्बन्ध में मार्शल का दृष्टिकोण—

मार्शल द्वारा नियम का कथन—प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री परम्परा को विभाते हुए मार्शल ने इस नियम की परिभाषा इस प्रकार की है, "खेती में साधारणतया धर्म और पूँजी की किसी एक वृद्धि के फलस्वरूप, यदि यह खेती करने की रीति में सुधार करने के साथ-साथ न हो, तो उपज में अनुपात से कम वृद्धि होती है।"¹

व्याख्या—स्पष्ट है कि मार्शल ने उत्पत्ति ह्रास नियम की चर्चा कृषि के सन्दर्भ में की। उनका कहना है कि यदि खेती करने की रीतियों में सुधार न किया जाये, तो साधारणतया कृषि की उपज उतनी अधिक तेजी से नहीं बढ़ती है जितनी तेजी से धर्म और पूँजी की मात्राएँ बढ़ाई जाती हैं।

मार्शल की इस परिभाषा में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं:—(1) उनका विचार है कि उत्पत्ति ह्रास नियम "साधारणतया" लागू होता है, जिसका अर्थ यह होता है कि सभी दशाओं में इस नियम का लागू होना आवश्यक नहीं है। (यह हम पहले ही देख चुके हैं कि कुछ

¹ "An increase in the amount of capital and labour employed in the cultivation of land causes, in general, a less than proportionate increase in the amount of produce raised unless it happens to coincide with an improvement in the art of agriculture."—Marshall : *Principles of Economics*, p. 189.

दशाओं में उत्पत्ति वृद्धि तथा स्थिरता नियम लागू होते हैं) एवं (ii) यह नियम केवल उसी दशा में लागू होता है, जबकि खेती करने की रीतियों में सुधार न हो, अर्थात् जबकि खेती में ठीक उसी प्रकार के औजारों, यन्त्रों और कृषि ज्ञान का उपयोग किया जाये जैसा कि पहले हो रहा था। यदि पहले खेती देशी हथौड़े और बैलों की सहायता से की जाती है, परन्तु बाद में प्राधुनिक ट्रैक्टरों द्वारा, तो इस नियम का लागू होना आवश्यक नहीं है।

मार्शल की चिन्ता—स्मरण रहे कि मार्शल के अपने ही कथन के अनुसार उनकी यह परिभाषा अपूर्ण है, अन्तिम नहीं। इस परिभाषा में मौलिक सत्य तो अवश्य है, परन्तु कभी यह है कि अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की भाँति मार्शल ने भी इस नियम को एक कृषि सम्बन्धी नियम ही बताया है। कुछ ऐसी परम्परा-सी चली आ रही है कि इस नियम को केवल भूमि से ही सम्बन्धित किया जाता रहा है, जिससे कभी-कभी यह भ्रम होता है कि कदाचित् यह नियम अन्य उद्योगों में लागू नहीं होता। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। यह नियम तो सभी उत्पादन-क्रियाओं पर लागू होता है। मार्शल ने तो यथार्थ में इस नियम के क्षेत्र को और भी सङ्चित कर दिया है, क्योंकि उनकी परिभाषा के अनुसार यह नियम केवल गहन खेती पर ही लागू होता है। स्मरण रहे कि कृषि की उपज विस्तृत खेती के द्वारा भी, जिसमें थम और पूँजी के स्थान पर भूमि की मात्राएँ बढ़ाई जाती हैं, बढ़ाई जा सकती है। मार्शल की परिभाषा में भूमि की मात्रा की यथास्थिर रखकर थम और पूँजी की मात्राएँ बढ़ाई गई हैं। यह दशा गहन खेती की है।

जॉन रोबिन्सन की परिभाषा—

मार्शल की परिभाषा की त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए श्रीमती जॉन रोबिन्सन (Mrs Joan Robinson) ने इस नियम की एक नई परिभाषा दी है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अधिक सही है। उनके विचार में इस नियम की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है, “क्रमगतः उत्पत्ति ह्रास नियम, जैसा कि साधारणतया कहा जाता है, यह बनाता है कि किसी एक साधन की मात्राओं के निश्चित होने की दशा में एक निश्चित बिन्दु के पश्चात् अन्य साधनों की प्रत्येक अगली वृद्धि से उत्पत्ति की घटती हुई वृद्धि (Increment) प्राप्त होगी।”¹ उत्पादन-व्यय के दृष्टिकोण से यह कह सकते हैं कि यदि एक साधन की मात्रा निश्चित है, इसके साथ अन्य साधनों की बढ़ती हुई मात्राओं का उपयोग किया जाता है तथा यदि न तो कार्यक्षमता में सुधार होता है और न इन साधनों के अधिक मात्रा में उपयोग होने से इनके मूल्य में ही परिवर्तन होता है, तो एक निश्चित बिन्दु के उपरान्त प्रति इकाई उत्पादन-व्यय बढ़ जायगा।”²

इसी सम्बन्ध में उनकी क्रमगत उत्पत्ति वृद्धि नियम की परिभाषा को दे देना भी

1 “The Law of Diminishing Returns, as it is usually formulated, states that, with a fixed amount of any one factor of production, successive increases in the amount of other factors will, after a point, yield a diminishing increment of output.”—Joan Robinson : *Economics of Imperfect Competition*

2 “Looking at the matter from the point of view of cost of production, if one factor is fixed in amount and increased amounts of other factors are used with it, and if no improvement in the efficiency and reduction in the price of these other factors is introduced by the increase in the amount used, after a point, the cost of production per unit of output will rise.”—*Ibid*

अनुपयुक्त न होगा। वृद्धि नियम की परिभाषा उन्होंने इस प्रकार की है, “कभी-कभी ऐसा देखने में आता है कि जब किसी एक उत्पात्ति के साधन की अधिक मात्राओं की उपयोग में लाया जाता है, तो प्रबन्ध में इस प्रकार के सुधार सम्भव हो जाते हैं, जिससे कि साधन (मनुष्य, एकट्ट प्रयत्न द्रव्य, पूँजी) की प्राकृतिक इकाइयों की क्षमता बढ़ जाती है। फलतः उपज बढ़ाने के लिए साधनों की भौतिक मात्राओं को उतनी अनुपात में बढ़ाना आवश्यक नहीं होता है।”

इस परिभाषा की विशेषता यह है कि श्रीमती रोबिन्सन ने इस नियम के क्षेत्र को कृपि तक ही सीमित नहीं रखा है। उन्होंने नियम का सही-सही स्पष्टीकरण भी किया है। यह नियम प्रत्येक उत्पादन क्रिया पर, परन्तु एक निश्चित बिन्दु के पश्चात्, जितना सही स्थान जाना जा सकता है, लागू होता है। यह बिन्दु वहाँ होता है जहाँ स्थिर साधन का पूर्ण उपयोग (Full Utilization) हो जाता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस नियम को उत्पादन व्यय के दृष्टिकोण से भी समझाने का प्रयत्न किया है।

बेनहाम का दृष्टिकोण—

बेनहाम ने उत्पत्ति ह्रास नियम के सम्बन्ध में एक दूसरा ही दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने भी मार्शल की इस सम्बन्ध में आलोचना की है कि मार्शल ने इस नियम को बेकार ही इतना मान्यता-अटिल बना दिया है और इसके क्षेत्र को केवल कृपि तक सीमित कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि, “उत्पत्ति ह्रास नियम केवल यह बताता है कि यदि समग्र-विशेष पर उत्पत्ति के साधनों के अनुपात में परिवर्तन किया जाय, तो उत्पत्ति की मात्रा में किस प्रकार परिवर्तन होते हैं और इसका आधार यह होता है कि इस काल में ज्ञान (Knowledge) में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं हो सकते हैं।.....” वह उत्पत्ति की सभी शालाओं पर लागू होता है। केवल कृपि पर ही नहीं।¹ हमारी आधारभूत समस्या विभिन्न साधनों के अनुपात में परिवर्तन की समस्या है। बात ऐसी है कि यदि उत्पत्ति के केवल एक साधन की मात्रा में १०% की वृद्धि की जाती है जबकि अन्य साधन यथास्थिर रहे, तो हमें कुल उपज में १०% से कम वृद्धि की आशा करनी चाहिए। यदि ऐसा न होता तो किञ्चित् हम सारे संसार की आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्याप्त धन एक ही क्षेत्र से उपजा सकते थे।

बेनहाम ने उत्पत्ति ह्रास नियम को उत्पत्ति के साधन की सीमान्त उपज के दृष्टिकोण से समझाने का प्रयत्न किया है। किसी साधन की सीमान्त उपज से हमारा अभिप्राय कुल उपज की उस वृद्धि से होता है जो साधन विशेष की एक और इकाई के उपयोग के फलस्वरूप मिलती है। निम्न तालिका बेनहाम के दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है।


तालिका

धन की इकाइयाँ	कुल उपज (Total Product)	औसत उपज (Average Product)	सीमान्त उपज (Marginal Product)
१	१००	१००	१००
२	२५०	१२५	१५०
३	४५०	१५०	२००

¹ “The Law of Diminishing Returns states how output would vary if the proportions of the factors were altered at a given moment and this rules out any changes in knowledge.....it applies to all branches of production and not only to agriculture.”—Benham : *Economics*, pp. 122-23.

४	६००	१५०	१५०
५	७२५	१४५	१२५
६	८२५	१३७.५	१००
७	९००	१२८.६	७५
८	९५०	११८.७५	५०
९	९७५	१२८.८	२५
१०	९८५	९०.८५	१०

इस तालिका से पता चलता है कि जैसे-जैसे ध्रम की मात्रा बढ़ाई जाती है (धूम की मात्रा यथास्थिर रखते हुए), वैसे-वैसे ध्रम की तीसरी इकाई के पश्चात् सीमान्त उपज घटने लगती है। ध्रम की चौथी इकाई के पश्चात् औसत उपज भी घटने लगती है। इसके पश्चात् धीरे-धीरे सीमान्त और औसत-उपज दोनों घटती ही चली जाती है। यहाँ तक कि १०वें ध्रमिक पर सीमान्त उपज केवल १० रह जाती है। इस स्थिति को निम्न रेखा-चित्र द्वारा दिखाया जा सकता है :—



प बिन्दु पर सीमान्त उपज और औसत उपज की रेखायें एक दूसरे को काटती हैं। यहाँ से प्राये दोनों ही रेखायें नीचे की ओर गिरने लगती हैं। प बिन्दु से ही, वेनहाम के अनुसार, उत्पत्ति ह्रास नियम की कार्यशीलता आरम्भ होती है। वेनहाम के अनुसार उत्पत्ति ह्रास नियम की परिभाषा इस प्रकार है :—“जैसे-जैसे उत्पत्ति के साधनों के संयोग में किसी एक साधन का अनुपात बढ़ाया जाता है, एक बिन्दु के पश्चात् उस साधन की सीमान्त और औसत उपज घटने लगेगी।”¹

मार्शल, रोबिन्सन और वेनहाम के दृष्टिकोण की तुलना—

मार्शल, रोबिन्सन और वेनहाम इन तीनों के दृष्टिकोण ऊपर से एक दूसरे के प्रति-विरोधी प्रतीत होते हैं, परन्तु ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि तीनों में कोई आधारभूत अन्तर नहीं है, जैसे—(१) तीनों का ही विश्वास है उत्पत्ति की कुछ ऐसी दशायें होती हैं जिनमें ह्रास नियम लागू नहीं होता। (२) तीनों ही का यह भी विश्वास है कि इस नियम के कुछ अपवाद (Exceptions) होते हैं, यद्यपि साधारणतया यह नियम लागू होता है। अर्थात्, उत्पादन की प्रत्येक क्रिया वृद्धि, स्थिरता और ह्रास नियम से होकर गुजरती है, किन्तु अन्तिम प्रवृत्ति

¹ “As the proportion of one factor in a combination of factors is increased, after a point, the marginal and average product of that factor will diminish.”—Benham : *Economics*, p. 128.

ह्रास नियम की ही होती है। (३) मार्शल और रोबिन्सन दोनों ने पटनी हुई सीमान्त वृद्धि की धोर भी सकेत किया है, यद्यपि उन्होंने इसका स्पष्टीकरण नहीं किया है, परन्तु वेनहाम ने स्पष्ट शब्दों में इसका उल्लेख किया है।

इस सम्बन्ध में मार्शल और रोबिन्सन के विचारों में अधिक समानता है। दोनों का विचार है कि यदि एक साधन (मार्शल के अनुसार भूमि) को वयास्थिर रखा जाय और अन्य साधनों की मात्राओं में क्रमशः वृद्धि की जाय, तो उत्पादन की सीमान्त वृद्धि घटती जाती है। इस सम्बन्ध में वेनहाम ने एक दूसरी ही रीति अपनाई है। ये अन्य सभी साधनों की मात्रा को वयास्थिर रखकर केवल एक साधन की सीमान्त उपज का पता लगाने हैं। परन्तु यह अन्तर भी केवल प्राप्यन की रीति का ही अन्तर है। अन्तिम परिणाम में कोई अन्तर नहीं पड़ता। क्रमशः उत्पत्ति ह्रास नियम का आधार यही है कि एक या अधिक साधनों की मात्रा वयास्थिर रखकर यदि अन्य साधनों की मात्राएँ बढ़ाई जायें, तो कुल उपज घटते हुए अनुपात में बढ़ती है।

शाब्द अन्तर केवल इतना है कि वेनहाम के अनुसार ह्रास नियम तब लागू होता है जबकि सीमान्त औसत उपज दोनों घटने लगती हैं, किन्तु दूसरे दोनों अर्थशास्त्री ऐसा नहीं समझते। जीते ही सीमान्त उपज घटने लगती है, ह्रास नियम की कार्यशीलता प्रारम्भ हो जाती है और यही ठीक भी है। किन्तु वास्तविक जगत् में इन दोनों दृष्टिकोणों का अन्तर भी इतना सूक्ष्म है कि उसे बहुत महत्व देना उचित न होगा।

घोटे परिभाषा—

यदि हमे मार्शल, रोबिन्सन और वेनहाम की परिभाषाओं के बीच भुत्ताव करना हो, तो शाब्द रोबिन्सन की परिभाषा सबसे अच्छी रहेगी। यह परिभाषा निश्चित, स्पष्ट और सरलता से समझ में आने वाली है। इसमें गलती की सम्भावना बहुत कम है। इसके अनिश्चित, इसमें ह्रास नियम को उत्पादन व्यव के अनुसार भी समझाया गया है।

यहाँ पर स्टिगलर (Stigler) के दृष्टिकोण को व्यक्त करना भी उचित होगा, क्योंकि उन्होंने श्रीमती रोबिन्सन तथा वेनहाम दोनों के दृष्टिकोण का समन्वय करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने लिखा है, "जैसे-जैसे किसी एक साधन की मात्राएँ समान अंश तक बढ़ाई जाती हैं, जब कि अन्य साधनों की उत्पादन सेवाएँ वयास्थित रखी जाती हैं, तो एक निश्चित बिन्दु के पश्चात् उत्पादन की मात्रा में वृद्धि का अंश घट जायेगा, अर्थात् सीमान्त उत्पादन घट जायेगा।" यह परिभाषा बहुत सीमा तक सही है, क्योंकि एक ओर तो इसका श्रीमती रोबिन्सन की परिभाषा से किसी प्रकार का विरोध नहीं है, और दूसरी ओर इससे साधनों की मात्रा की वृद्धि के सम्बन्ध में वेनहाम का दृष्टिकोण भी सन्तुष्ट हो जाता है।

उत्पत्ति ह्रास नियम की कार्यशीलता का मूल कारण—

आदर्श अनुपात को बनाये रखना कठिन है—हम पहले बना चुके हैं कि उत्पत्ति ह्रास नियम का मूल कारण साधनों के सर्वोत्तम अनुपात का भंग हो जाना है। परन्तु प्रश्न तो यह है कि सर्वोत्तम अनुपात भङ्ग क्यों होगा? क्या यह सम्भव नहीं है कि यह अनुपात बना ही रहे? उत्तर में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि सर्वोत्तम अनुपात को बनाये रखना थोड़े ही

1 "As equal increments of one input are added, the inputs of other productive services being held constant beyond a certain point, the resulting increments of product will decrease, i. e. the marginal product will diminish."—Stigler : *The Theory of Price*, p. 124.

समय के लिए सम्भव होता है। इस अनुपात को लम्बे काल तक बनाये रखना मनुष्य की शक्ति के बाहर होता है, क्योंकि साधनों की मात्राओं पर पूर्णतया मनुष्य का ही अधिकार नहीं है।

सबसे बड़ी बाधा स्वयं प्रकृति है—इस दिशा में मनुष्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा प्रकृति के द्वारा उपस्थित की जाती है। सीमित होना प्रकृति का प्रमुख लक्षण है। वैसे तो समार में कोई भी वस्तु असीमित माना में नहीं है, परन्तु जिन वस्तुओं की पूर्ति पर मनुष्य की अपेक्षा प्रकृति का अधिकार अधिक है, उनकी मात्राएँ अधिक सीमित होती हैं। निश्चित है कि भूमि पर पूँजी की अपेक्षा प्रकृति का प्रभुत्व अधिक है, यद्यपि श्रम, पूँजी, साहस आदि सभी साधनों की मात्राएँ अन्तिम दशा में प्रकृति द्वारा ही निश्चित होती हैं। लम्बे काल में प्रत्येक साधन की मात्रा सीमित होती है और यही कारण है कि श्रमगत, उत्पत्ति-ह्रास नियम साधारणतया एक दीर्घकालीन प्रवृत्ति है, यद्यपि जिन उद्योगों में प्रकृति शीघ्र ही कुछ साधनों की मात्राएँ सीमित कर देती है, जैसे कृषि में, वहाँ यह नियम अल्पकाल या आरम्भ में ही लागू हो जाता है।

मान लीजिए कि उत्पत्ति सर्वोत्तम अनुपात के बिन्दु पर पहुँच गई है। इस स्थान पर उत्पत्ति अधिकतम लाभप्रद होगी और उत्पादन व्यय न्यूनतम होगा। मनुष्य इस सर्वोत्तम अनुपात को बनाये रखने का प्रयत्न करेगा, परन्तु इस अनुपात को बनाये रखते हुये उत्पत्ति बढ़ाने के लिए उत्पत्ति के समस्त साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाना आवश्यक होता है। क्या ऐसा करना हमारे लिए सम्भव है? मान लीजिए कि प्राकृतिक कारणों से भूमि की या श्रम की मात्रा सीमित हो जाती है। ऐसी दशा में भूमि या श्रम तो यथास्थिर हो जाता है और अन्य साधनों की मात्राएँ बढ़ाकर ही उत्पत्ति में वृद्धि की जायेगी, किन्तु क्योंकि साधनों के बीच पूर्ण प्रतिस्थापन (Substitution) नहीं हो सक्ता है, इसलिए सर्वोत्तम अनुपात प्रबन्ध भङ्ग हो जायगा, जिसके कारण तुरन्त ही उत्पत्ति ह्रास नियम कार्यशील हो जायगा।

प्रकृति एवं मनुष्य का प्रयत्न विपरीत दशाओं में—मार्शल का यह कथन है कि, “हम साधारणतया यह कह सकते हैं कि उत्पादन क्रिया में प्रकृति उत्पत्ति ह्रास नियम की अनुसूच दशा में काम करती है, जबकि मनुष्य का प्रयत्न उत्पत्ति वृद्धि नियम प्राप्त करने की दिशा में होता है।”¹ यथायं में ठीक ही है। अनुभव हमें बताता है कि कृषि, अच्छा माल उत्पन्न करने वाले उद्योगों और रनिज पदार्थों के उत्पादन में, जहाँ प्रकृति का कार्य अधिक महत्वपूर्ण है, ह्रास नियम शीघ्र ही लागू हो जाता है, जबकि निर्माण उद्योगों (Manufacturing Industries) में, जहाँ मानव कार्य प्रधान है, उत्पत्ति वृद्धि नियम की सम्भावना अधिक रहती है। दीर्घकाल में निर्माण उद्योगों में भी ह्रास नियम इसलिए कार्यशील होता है कि प्रकृति द्वारा व्यवसायी की शारीरिक और मानसिक शक्ति सीमित हो जाती है, और, जब उत्पत्ति का पैमाना एक सीमा से घाटे बढ़ जाता है, तो व्यवसायी या प्रबन्धक की शक्ति के बाहर हो जाने के कारण कार्यक्षमता में कमी आ जाती है, जिससे ह्रास नियम लागू होने लगता है।

साधनों की अविभाज्यता—सीमित होने के साथ-साथ कुछ साधन स्वभाव से ही अविभाज्य होते हैं। वे साधन सर्वोत्तम उत्पादन बिन्दु तक तो अन्य साधनों की वृद्धि होने पर उपयोगी परिणाम देते रहते हैं, परन्तु इस बिन्दु के पश्चात् इनका और अधिक उपयोग उतना अधिक लाभप्रद नहीं रहता। इनकी मात्रा में थोड़ी-थोड़ी वृद्धि सम्भव नहीं होती। साधन की

¹ “We say broadly that while the part which nature plays in production conforms to the Law of Diminishing Returns, the part which man plays conforms, to the Law of Increasing Returns.”—Marshall : *Principles of Economics*, p. 195.

एक और इकार्ड का उपयोग करके ही वृद्धि की जा सकती है। इस एक साधन के इतना बड़ाने पर व्यय अधिक हो जाता है और सर्वोत्तम अनुपात भी भंग हो जाता है।

उत्पत्ति ह्रास नियम का महत्त्व

(१) उत्पत्ति ह्रास नियम सर्वव्यापी है—उपरोक्त विवेचना इस बात की पुष्टि करती है कि केवल वृष्टि ही इस नियम का विशेष कार्यक्षेत्र नहीं है। यह नियम तो सर्व व्यापी है और सभी उद्योगों पर लागू होता है। मानव व्यवहार के प्रत्येक अंग में इस विषय की कार्य-शील देखा जा सकता है। विक्सटोड के शब्दों में—“यह नियम इतना ही सर्वव्यापी है जितना कि स्वयं जीवन का नियम।”¹ एक साधारण विद्यार्थी का भी यही अनुभव होता है कि दो-तीन घण्टे पढ़ लेने के पश्चात् उसके अध्ययन की गति मन्द हो जाती है और आगे प्रत्येक घण्टे में वह पहले की अपेक्षा कम और कम पढ़ सकता है तथा गाढ़ रग सकता है। यह भी उत्पत्ति ह्रास नियम का ही एक रूप है और इसका कारण विद्यार्थी की मानसिक शक्ति का सीमित होना है।

(२) जनसंख्या का आवास-प्रवास—यदि उत्पत्ति ह्रास नियम लागू न होता, तो क्याचित् हम एक ही भेद से तथा एक ही कारखाने से ससार की सारी उत्पत्ति कर लेते और ऐसा होने पर जनसंख्या के एक स्थान या देश से दूसरे स्थान या देश को प्रवास की आवश्यकता न पड़ती।

(३) माल्यस का जनसंख्या सिद्धान्त—यह सिद्धान्त, जिसके अनुसार जन-संख्या याद्याओं की अपेक्षा अधिक तेज गति से बढ़ती है और इसलिए प्रति-जनमत्वा की विन्त ममस्या उत्पन्न होती है, उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित है। इसी नियम की श्रियाशीलता के कारण याद्याओं का उत्पादन धीमी गति से बढ़ता है।

(४) रिकार्डों का लगान सिद्धान्त—लगान उत्पत्ति ह्रास नियम की श्रियाशीलता के कारण ही प्राप्त होता है। विस्तृत लेनी में जो बचत अधि-सीमान्त भूमियों को सीमान्त भूमि के ऊपर प्राप्त होती है उसे रिकार्डों ने लगान कहा है किन्तु सीमान्त भूमि को प्रयोग में लाने का कारण उत्पत्ति ह्रास नियम की श्रियाशीलता ही है।

(५) जीवन-स्तर पर प्रभाव—यदि देश विशेष में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू है, तो लोगों का जीवन-स्तर नीचा हो जायेगा और यदि उत्पत्ति वृद्धि नियम (जो यथार्थ में उत्पत्ति ह्रास नियम की ही एक अवस्था है) लागू है, तो जीवन-स्तर ऊँचा हो जायेगा।

(६) आविष्कारों के लिए प्रेरणा—अनेक आविष्कार और नई उत्पादन शक्तियों की खोज उत्पत्ति ह्रास नियम की श्रियाशीलता की रोकने के लिए ही हुई है।

नियम का क्षेत्र

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, ह्रास नियम का कार्यक्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। यह नियम सभी उद्योगों पर लागू होता है, परन्तु शर्त यह है कि उत्पादन श्रिया लम्बे काल तक चलती रहे।

(१) वृष्टि में—सबसे पहले वृष्टि उद्योग को ही लीजिए। वृष्टि में यह नियम बहुत ही शीघ्र तथा बड़े पैमाने से लागू होता है, क्योंकि वृष्टि में प्रकृति का कार्य प्रधान होता है। वृष्टि दो प्रकार की होती है, विस्तृत और गहन (Extensive and Intensive)। विस्तृत वृष्टि में भूमि

¹ “This law is as universal as the law of life itself.”—Wicksteed : *Common-sense of Political Economy*, p. 47.

की मात्रा बढ़ाकर अधिक उत्पत्ति प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। परन्तु अधिक उपजाऊ भूमि की मात्रा प्रकृति द्वारा सीमित है। अतः थोड़े ही समय पश्चात् कम उपजाऊ भूमि पर खेती करना आवश्यक हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि समान श्रम और पूँजी लगाने पर भी उत्पत्ति पहले की अपेक्षा कम बढ़ती है और इस प्रकार उत्पादन व्यय बढ़ता चला जाता है। जैसे-जैसे कृषि की सीमा (Margin) को बढ़ाया जाता है, क्रमशः कम और कम उपजाऊ भूमि पर खेती होने लगती है और सीमान्त उत्पादन व्यय बढ़ता चला जाता है।

ठीक, इसी प्रकार, गहन खेती पर भी यह नियम लागू होता है। गहन खेती में भूमि की मात्रा को यथास्थिर रखकर श्रम और पूँजी की मात्राएँ बढ़ा कर उत्पत्ति में वृद्धि की जाती है। जैसे-जैसे एक ही भूमि पर अधिक श्रम और पूँजी लगाई जाती है वैसे-वैसे भूमि की उर्वरता या उपजाऊर्जन (Fertility) के सीमित होने के कारण कुछ समय पश्चात् श्रम और पूँजी की प्रत्येक अगली मात्रा क्रमशः कम और कम उपज प्रदान करती है।

(२) खनिज उद्योग (Mining)—कृषि की भाँति यह नियम खान खोदने के उद्योग पर भी लागू होता है। खानों की उपज बढ़ाने की भी दो रीतियाँ हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, पहले उन खानों पर खुदाई की जाती है जो आवादी के समीप होती हैं या जहाँ तक सुगमता से पहुँचा जा सकता है या जिन पर सरलतापूर्वक खुदाई हो सकती है। परन्तु धीरे-धीरे ऐसी खानें समाप्त हो जाती हैं और खुदाई का काम दूर की खानों पर अथवा ऐसी खानों पर आरम्भ किया जाता है, जिनकी खुदाई सरलता से नहीं हो सकती है।

खानों की उपज बढ़ाने का दूसरा उपाय यह है कि नई खानों के स्थान पर पुरानी खानों की ही और गहरी खुदाई की जाय। इन दोनों ही दशाओं में श्रम और पूँजी की अगली मात्राओं से कम उपज प्राप्त होती है, अर्थात् ह्रास नियम लागू होता है। दूर की खानों तक पहुँचने तथा वहाँ से खनिज पदार्थ को मण्डी तक लाने में अधिक व्यय होता है, जिससे उत्पादन व्यय बढ़ता चला जाता है। इसके अतिरिक्त नई खानों से खनिज पदार्थ निकालने में आरम्भ में व्यय अधिक होता है, क्योंकि ऊपर की मिट्टी हटाने, रास्ते बनाने आदि में काफी व्यय हो जाता है और उत्पादन व्यय बढ़ जाता है।

इसी प्रकार, जब पुरानी खानों की गहरी खुदाई की जाती है, तो भीतर रोगनीय करने, पृथ्वी के भीतर के पानी को निकालने तथा खनिज पदार्थ को बाहर निकालने में अधिक व्यय करना पड़ता है और उत्पादन व्यय बढ़ जाता है। अतः स्पष्ट है कि खान के उद्योग में भी कृषि की भाँति उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है।

(३) मछली उद्योग (Fishing)—मछली पकड़ने के उद्योग में भी यह नियम कार्य-शील होता है। मछली उद्योग को दो भागों में बाँटा जा सकता है :—मछलियाँ या तो नदियों और झीलों में से पकड़ी जा सकती हैं या समुद्र में से। नदियों और झीलों में मछली की मात्रा सीमित होती है। थोड़े ही समय के पश्चात् मछलियों की संख्या इतनी कम हो जाती है कि पहले के बराबर परिश्रम करने पर कम मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जा सकती हैं। दूसरे शब्दों में, श्रम और पूँजी की अगली मात्राएँ कम उपज प्रदान करती हैं और सीमान्त व्यय क्रमशः बढ़ता चला जाता है।

समुद्र से मछलियाँ पकड़ने के विषय में यह कहा जाता है कि वहाँ ह्रास नियम लागू नहीं होता, क्योंकि समुद्र में मछलियों का स्टॉक अक्षय होता है। मछलियों के विषय में यह प्रसिद्ध है कि जितनी तेजी से वे पकड़ी जाती हैं, इससे भी अधिक वेग से उनका संख्या-वर्द्धन होता रहता है। इस प्रकार, समुद्र से मछली पकड़ने के उद्योग में ह्रास नियम लागू नहीं होता है।

परन्तु ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि यथार्थ में ऐसा नहीं है। समुद्र में भी मछलियों की मात्रा अक्षय नहीं होती है। यह निश्चय है कि उत्पत्ति में वृद्धि और स्थिरता नियम समुद्र से मछली पकड़ने में बहुत अधिक समय तक चालू रहते हैं, किन्तु यहाँ भी पूर्णतया स्थायी नहीं हो सकते। जब बड़े पैमाने पर मछलियाँ पकड़ने का काम किया जाता है, तो मछलियाँ किनारे से अधिक दूर की जाने लगती हैं और उनको पकड़ने के लिए पहले से अधिक व्यय करना पड़ता है। इस प्रकार, कुछ समय पश्चात् ह्रास नियम यहाँ भी, परन्तु एक लम्बे काल के पश्चात् लागू होने लगता है।

(४) मकान बनाने का उद्योग (House Building)—मकान बनाने के उद्योग में भी हम इस नियम को कार्यशील देख सकते हैं। मकान उद्योग में भी दो रीतियाँ अपनाई जा सकती हैं—या तो अधिक भूमि पर मनात बनाये जाएँ या पहले से बनाए हुए मकानों पर और मजिलें (Storeys) बनाई जाएँ।

पहली दशा में धीरे-धीरे मण्डी से दूर की भूमि पर मकान बनने लगते हैं, जिससे उत्पादन व्यय बढ़ता है और ह्रास नियम लागू हो जाता है।

दूसरी दशा में पहली मजिल की अपेक्षा दूसरी मजिल पर व्यय कम होता है, क्योंकि नीचे डालने और मोटी दीवार बनाने पर व्यय नहीं करना पड़ता, परन्तु और अधिक मजिलों का बनाना अधिक धनुविघाजनक होता चला जाता है। सामान को ऊपर भजाने आदि के कारण व्यय बढ़ने लगता है और ह्रास नियम का प्रारम्भ हो जाता है।

(५) निर्माण उद्योग (Manufacturing Industries)—अब हम यह देखना है कि निर्माण उद्योगों पर यह नियम क्यों और किस प्रकार लागू होना है? कुछ लोगों का विचार है कि निर्माण उद्योगों (Manufacturing Industries) पर यह नियम लागू नहीं होता है। डॉ० चैपमैन के अनुसार, निर्माण उद्योग का विस्तार, यदि उत्पत्ति के उपयुक्त साधनों की कमी न हो, उत्पत्ति वृद्धि नियम के अन्तर्गत होता है।¹ साथ ही साथ, निर्माण उद्योगों में मनुष्य का कार्य प्रधान होता है। एक बड़े अंश तक मनुष्य उत्पत्ति के साधनों को यथेष्ट मात्रा में घटा-बड़ा सकता है और इस प्रकार सर्वोत्तम अनुपात को बनाये रखने में सफल हो सकता है। यही नहीं, बल्कि जैसे-जैसे उत्पत्ति के पैमाने का विस्तार होता जाता है, बाह्य और आन्तरिक बचत (Internal and External Economies) अधिकाधिक प्राप्त की जा सकती है और इस प्रकार उत्पादन व्यय घटता चला जाता है।

परन्तु इन दोनों प्रकार की बचतों की भी सीमा होती है। उत्पत्ति का पैमाना किसी भी सीमा तक नहीं बढ़ाया जा सकता है। प्रबन्धक की कार्य-क्षमता की सीमाये होती है और प्रबन्धक तथा मशीन जैसे अविभाज्य साधनों का एक सीमा तक ही लाभप्रद उपयोग हो सकता है। इस सीमा के पश्चात् ह्रास नियम अवश्य लागू होता है। अन्तर नैवल इतना है कि दूसरे उद्योगों की अपेक्षा निर्माण उद्योगों में ह्रास नियम की कार्यशीलता को अधिक समय तक रोकें रखा जा सकता है।

व्रमगत उत्पत्ति वृद्धि नियम (Law of Increasing Returns)

लगभग सभी उद्योगों में, परन्तु कुछ उद्योगों में विशेष रूप से, यह देखने में आता है कि साधारणतया प्रारम्भ में कम से कम उत्पत्ति के एक साधन को यथास्थिर रखते हुए जब अन्य साधनों के उपयोग की मात्राएँ बढ़ाई जाती हैं, तो उत्पत्ति वेग से बढ़ने लगती है। जिस

¹ Chapman : *Outlines of Political Economy*, p. 102.

अनुपात या प्रविष्टत से इन साधनों को बढ़ाया जाता है, उत्पत्ति उससे भी अधिक वेग से बढ़ती है। उत्पत्ति की वृद्धि की इस प्रवृत्ति को अर्थशास्त्र में "अमग्न उत्पत्ति वृद्धि नियम" कहने हैं।

नियम का कथन—

मार्शल के अनुसार, "श्रम और पूंजी में वृद्धि सामान्यतः संगठन को सुधारती है, जिसके परिणामस्वरूप श्रम और पूंजी की कार्य-कुशलता बढ़ जाती है (और इसलिए उत्पादन में अनुपात से अधिक वृद्धि होती है)।"¹

अधिक मार्शल के अनुसार उत्पत्ति वृद्धि नियम केवल निर्माण उद्योगों में ही लागू होता है, आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार यह वृत्ति, उद्योग इत्यादि सभी क्षेत्रों में लागू होता है। श्रीमती जॉन रोबिन्सन के अनुसार, "जब किसी उत्पत्ति-मापन की बढ़ी हुई मात्रा को प्रयोग विशेष में लाया जाता है, तो प्रायः संगठन में कुछ सुधार प्रचलित करना सम्भव होता है, जिनके परिणामस्वरूप साधनों की प्राकृतिक इकाइयों (मनुष्य, एकड़, या मुद्रा-पूंजी) अधिक कुशल बन जाती हैं और इस प्रकार उत्पादन को बढ़ाने के लिए साधनों की भौतिक मात्राओं में आनुपातिक वृद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती है।"² उन्होंने आगे लिखा है कि उत्पत्ति वृद्धि नियम उत्पत्ति ह्रास नियम के ही समान सभी उत्पत्ति साधनों के सम्बन्ध में समान रूप से लागू हो सकता है किन्तु उत्पत्ति ह्रास नियम के अममान वह प्रत्येक वृत्ति में लागू नहीं होता। साधनों की वृद्धि से कभी तो कुशलता में सुधार होगा और कभी नहीं होगा।

अधिक सरल शब्दों में, हम इस नियम की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं :—जब संगठन की कुशलता बढ़ जाने के कारण उत्पत्ति की मात्रा साधनों की मात्रा को वृद्धि की तुलना में अधिक तेजी के साथ बढ़ती है, तो उत्पत्ति की यह प्रवृत्ति अमग्न उत्पत्ति वृद्धि नियम कह-सकती है।

उत्पत्ति वृद्धि नियम की व्याख्या—

उत्पत्ति वृद्धि नियम के अमग्न सीमान्त उत्पादन बढ़ना है अर्थात् कुल उत्पादन बढ़नी हुई गति में बढ़ना है और अमग्न उत्पादन में भी वृद्धि होती है। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिये कि एक उत्पादक पूंजी इत्यादि साधनों को स्थिर रखते हुए श्रम की इकाइयाँ बढ़ाता है, जिससे सङ्गठन में सुधार होकर उत्पादन की वृद्धि अक्रांत तालिका में दिखाये अनुसार होती है :—

¹ "An increase of labour and capital leads generally to improved organisation, which increases the efficiency of the work of labour and capital."


—Marshall : *Principles of Economics*, p. 265.

² "When an increased amount of any factor of production is devoted to a certain use, it is often the case that improvements in organisation can be introduced which will make natural units of the factors (men, acres or money capital) more efficient, so that an increase in output does not require a proportionate increase in the physical amount of the factors"

—Joan Robinson : *Economics of Imperfect Competition*

परिवर्तनशील साधन (धम) की इकाइयाँ	कुल उत्पादन (T P)	सीमान्त उत्पादन (M P)	भौतिक उत्पादन (A P)
१	२०	२०	२०
२	५०	३०	२५
३	६४	४४	३१-३
४	१५४	६०	३८-५
५	२२४	७२	४४-२

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि धम की इकाइयाँ बढ़ाने पर सीमान्त उत्पादन बढ़ती हुई गति से बढ़ता है और भौतिक उत्पादन भी बढ़ रहा है, यद्यपि इसके बढ़ने की गति अपेक्षाकृत कम है। यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि वृद्धि कुल उपज तथा सीमान्त उपज दोनों में ही होती है, परन्तु इस नियम के लिए सीमान्त उपज अर्थात् धम की प्रथम इकाई द्वारा उत्पन्न उपज की वृद्धि ही अधिक महत्वपूर्ण है।



चित्र अ—उत्पत्ति वृद्धि नियम (भौतिक उपज)


चित्र अ में उत्पत्ति वृद्धि नियम की क्रियाशीलता को भौतिक उपज के संदर्भ में दिखाया गया है। सी० उ० रेखा श्री० उ० रेखा के ऊपर है जिससे पता चलता है कि भौतिक उत्पादन में वृद्धि सीमान्त उत्पादन की अपेक्षा धीमी गति से होती है।

चित्र ब में उत्पत्ति वृद्धि नियम की क्रियाशीलता को लागत वृद्धि नियम के संदर्भ में दिखाया गया है परिवर्तनशील साधन की बढ़ाने पर अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, जिस कारण सीमान्त लागत और औसत लागत घटती हैं। इन लागतों के घटने के कारण ही नियम को लागत ह्रास नियम भी कहते हैं।

नियम की सीमायें—

उत्पत्ति वृद्धि नियम प्रत्येक दशा में लागू नहीं होता है। वह तब ही लागू होता है जबकि परिवर्तनशील साधन की इकाई स्थिर साधन की अपेक्षा छोटी हो। यदि वह बड़ी है तो प्रारम्भ से

ऊपर दी हुई तालिका के दूसरे कालम में धम की सीमान्त उपज पहले तो २० से बढ़कर ३० हो जाती है और फिर ३० से बढ़कर ४४, जो इस नियम की कार्यशीलता का सूचक है। इसी कारण कभी-कभी इस नियम की परिभाषा इस प्रकार भी की जाती है कि जब अन्य साधनों को यथास्थिर रखते हुए एक साधन के बढ़ाने से उसकी सीमान्त उपज में वृद्धि होती है, तो हम कहते हैं कि प्रथम उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू है।



चित्र ब—उत्पत्ति वृद्धि नियम (लागत)

ही उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो जायेगा। दूसरे, उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होने के बाद अनिश्चित काल तक क्रियाशील नहीं रहता। जब तक अनुकूलतम् स्थिति नहीं पहुँच जाती है, तब तक यह नियम लागू रहेगा, किन्तु इस स्थिति के पहुँचने पर लागू नहीं रहेगा।

नियम की क्रियाशीलता के कारण—

नियम के लागू होने की दशाये या कारण निर्म्नांकित हैं :—

(१) साधनों की अविभाज्यता (Indivisibility of Factors)—उत्पत्ति में बहुत बार कुछ अविभाज्य (Indivisible) साधनों का उपयोग किया जाता है—जैसे मशीनें, जिनका आरम्भ में पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाता है। परन्तु जैसे-जैसे दूसरे साधनों की मात्राएं बढ़ाई जाती हैं, इस साधन का अधिक अंश उपयोग होने लगता है। यही कारण है कि जब ऐसे किसी साधन को यथास्थिर रखकर अन्य साधनों की मात्रा को बढ़ाया जाता है, तो कुल उपज साधनों की वृद्धि की अपेक्षा और भी अधिक तेजी से बढ़ती है। आरम्भ में ऐसे साधन का अधिकार क्षयपूर्ण (Wasteful) उपयोग होता है परन्तु अन्य साधनों की मात्रा में वृद्धि के साथ-साथ इसका उपयोग अधिक 'आर्थिक' (Economic) होता जाता है, और, अन्त में, एक समय ऐसा भी आ जाता है जबकि उसका उपयोग सर्वोत्तम होता है। इस अवधि में उत्पत्ति की मात्रा साधनों की वृद्धि की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है, अर्थात् 'उत्पत्ति वृद्धि नियम' लागू होता है।

(२) साधनों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि—यदि सभी आवश्यक साधन सुगमता से और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, जिस कारण प्रत्येक साधन के अनुपात में कमी या वृद्धि की जा सकती है, तो एक सीमा तक अनुपात से अधिक उत्पादन बढ़ेगा या लागत घटेगी।

(३) बड़े पैमाने की उत्पत्ति की वृद्धि—बुद्ध उद्योगों में उत्पत्ति साधनों की बढ़ाने से बड़े पैमाने की बाहरी और आन्तरिक बचतें प्राप्त होती हैं, जिस कारण एक सीमा तक उत्पादन अनुपात से अधिक बढ़ता है या लागत गिरती है।

नियम का क्षेत्र—

जैसा कि हम पहले भी सकेत कर चुके हैं, मार्शल के अनुसार यह नियम केवल निर्माणी उद्योगों में ही लागू होता है। इसका कारण यह बताया गया कि उद्योगों में प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य की भूमिका अधिक महत्व रखती है। किन्तु यह धारणा सही नहीं है। उत्पत्ति वृद्धि नियम की क्रियाशीलता का कारण प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होना नहीं है बरन् साधनों की अविभाज्यता इत्यादि है। अतः यह नियम केवल उद्योगों में ही नहीं बरन् कृषि आदि क्षेत्रों में लागू होता है यद्यपि प्रत्येक दशा में और सदा के लिए नहीं। चूँकि कृषि में भूमि साधन सीमित है किन्तु उद्योग में सभी साधनों को सुगमनापूर्वक बढ़ाया जा सकता है, अतः विभाजन और बड़े पैमाने की बचतें प्राप्त होती हैं तथा अनुसन्धान व परीक्षण की सुविधा रहती है इसलिए नियम कृषि की अपेक्षा उद्योगों में 'विशेष रूप से' लागू होता है।

उत्पत्ति वृद्धि नियम एवं उत्पत्ति ह्रास नियम का सम्बन्ध—

जबकि उत्पत्ति वृद्धि नियम साधनों की कुशलता के बढ़ने, साधनों के अधिक सुधरे अनुपातों में मिलने और अनुकूलतम् की ओर बढ़ने का सकेत मिलता है तब उत्पत्ति ह्रास नियम साधनों की कुशलता में कमी होने, साधनों के गलत अनुपातों में मिलने और अनुकूलतम् से हटने का सूचक है। इस प्रकार, उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम विभिन्न प्रकार के तत्त्वों से सम्बन्धित होते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में लागू होते हैं। इतने पर भी यह स्वीकार करना होगा कि इन दोनों में अनिष्ट सम्बन्ध है, क्योंकि प्रारम्भिक अवस्था में एक सीमा तक प्रायः उत्पत्ति वृद्धि नियम, अनुकूलतम् अवस्था में उत्पत्ति स्थिरता नियम एवं तत्पश्चात् उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है।

उत्पत्ति वृद्धि नियम और पूर्ण प्रतियोगिता—

बढ़ती हुई उपज और पूर्ण प्रतियोगिता एक दूसरे में मगनि नहीं रखने, क्योंकि बढ़ती हुई उपज त्रिघातीय रहने से पूर्ण प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है और उसका स्थान एकाधिकार, मर्यादाधिकार या किसी अन्य प्रकार की अपूर्ण प्रतियोगिता ले लेती है। कारण, किसी उद्योग में सभी फर्मों को बढ़ते हुए प्रतिकूल एक साथ प्राप्त नहीं होने हैं। केवल कुछ फर्म ही बढ़ती हुई उपज प्राप्त करने में सफल होती है। ये विनाशमान फर्म अन्य फर्मों की प्रतियोगिता में डटने नहीं देनी, जिस कारण फर्मों की संख्या कम होनी जाती है। इस प्रकार, पूर्ण प्रतियोगिता के साथ बढ़ती हुई उपज का सह-अस्तित्व सम्भव नहीं है।

नियम का अन्य नाम—

उत्पत्ति वृद्धि नियम को कभी-कभी 'सीमान्त उत्पादन व्यय ह्रास नियम' (Law of Diminishing Marginal Cost) भी कहा जाता है। यह निश्चय है कि जब सीमान्त उपज (Marginal Produce) साधनों की वृद्धि की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती जाती है, तो सीमान्त उत्पादन व्यय (Marginal Cost of Production), यानि उत्पत्ति की अन्तिम इकाई का उत्पादन व्यय, प्रथमः घटता जाता है। यह दो कारणों से होता है :—प्रथम, अतिभाज्य साधन का मूल्य या व्यय उत्पत्ति की अधिक इकाइयों पर फैलता जाता है, और, दूसरे, जिन साधनों को बढ़ाया जा रहा है उनको प्रत्येक अगली इकाई पर पहले के बराबर ही व्यय करके अधिक उपज प्राप्त कर ली जाती है। अतः, जैसे-जैसे उत्पत्ति बढ़ती जाती है, उत्पत्ति की प्रत्येक अगली इकाई पहले से कम व्यय पर उत्पन्न हो जाती है, और इस प्रकार, सीमान्त उत्पादन व्यय प्रथमः घटता चला जाता है।

असमतः उत्पत्ति स्थिरता नियम (The Law of Constant Returns)

उत्पत्ति को बराबर बढ़ाते रहने के प्रयत्न की दशा में असमतः उत्पत्ति वृद्धि नियम के पश्चात् बहूधा उत्पत्ति स्थिर नियम लागू होता है। यदि हम ऐसा कहें कि असमतः उत्पत्ति वृद्धि नियम की अन्तिम सीमा पर यही नियम आरम्भ होता है, तो कदाचित् या अनुचित न होगा।

नियम का कथन एवं उसकी व्याख्या—

जब उत्पत्ति के एक या कुछ साधनों को अपास्तित रखकर अन्य साधनों की मात्राओं में वृद्धि की जाती है, तो आरम्भ में बढ़ती हुई उपज प्राप्त होती है। यदि कुछ साधनों के प्रयोग में वृद्धि जारी रहे, तो एक ऐसी दशा आती है जबकि बड़े पैमाने की उत्पत्ति की मितव्ययितायें समाप्त हो जाती हैं और वस्तु न्यूनतम प्रति इकाई लागत पर उत्पन्न की जाती है। इस दशा में कहा जायेगा कि उत्पादन अनुकूलतम स्तर पर हो रहा है। इस स्थिति में विभिन्न साधनों का एक अनुकूलनम् मयोग स्थापित हो जाता है। जब तक यह मयोग बना रहेगा, उत्पत्ति भी स्थिर नागत पर होती रहेगी। उदाहरणार्थ, २० श्रमिक और १ मशीन की सहायता से एक वस्तु की १०० इकाइयाँ उत्पन्न की जाती हैं। प्रति इकाई लागत १० रु० हुई, जो कि न्यूनतम है। जब तक न्यूनतम लागत पर उत्पादन चलता रहेगा, उत्पत्ति स्थिरता नियम लागू कहा जायेगा।

परन्तु बहुत बार सर्वोत्तम अनुपात को बनाये रखना सम्भव नहीं होता है। अधिक उत्पत्ति करने के लिये इस अनुपात को तोड़ना पड़ता है, क्योंकि कीर्द-कीर्द साधन पमाव के कारण पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। यही पर हम नियम की कार्यक्षमता का अन्त हो जाता है।

नियम के अन्य नाम—

क्रमगतः उत्पत्ति स्थिरता नियम का ही दूसरा नाम 'सीमान्त व्यय स्थिरता नियम' या 'समान सीमान्त व्यय नियम' (Law of Constant Cost) भी है। स्पष्टतः, जब उत्पत्ति साधनों की वृद्धि के अनुपात में ही बढ़ती है, तो उत्पादन की प्रत्येक अगली इकाई की लागत पूर्ववत् रहेगी अर्थात् न घटेगी, न बढ़ेगी वरन् स्थिर रहेगी। यह समझने में देर लगेगी कि जब साधनों की वृद्धि के अनुपात में ही उत्पत्ति बढ़ती है, तो प्रत्येक उत्पादन की अगली इकाई का व्यय समान ही रहेगा।

यह उल्लेखनीय है कि उत्पत्ति के नियमों में प्रायः एक साधन को परिवर्तनशील रखकर अन्य सभी साधनों को स्थिर रखा जाता है। लेकिन हम यदि 'अनुकूलतम स्तर पर', समान लागत से, अधिक उत्पादन करना चाहें, तो सभी उत्पत्ति साधनों की समान अनुपात में बढ़ाना होगा। इस दृष्टि से, उत्पत्ति स्थिरता नियम की परिभाषा एक अन्य ढङ्ग से की जाती है जो स्टिग्लर (Stigler) के शब्दों में निम्न है : "जब सभी उत्पादन सेवाओं को एक दिए हुए अनुपात में बढ़ाया जाता है, तो उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ता है।"¹

उदाहरणार्थ, यदि हम ४० श्रमिकों और २ मशीनों का, अथवा ८० श्रमिकों और ३ मशीनों का, प्रयोग करें, तो कुल उत्पादन पहले की अपेक्षा अर्धश. पूना और तिगुना हो जायेगा किन्तु प्रति इकाई लागत वही १० रु० रहेगी। साथ के चित्र में दिखाया गया है कि सभी उत्पत्ति साधनों की मात्रा को समान अनुपात में बढ़ाने पर उत्पादन की वृद्धि स्थिर लागतों पर प्राप्त होती है। तब ही तो लागत रेखा अक्ष के समानांतर चलती है।



चित्र—स्थिर लागत नियम या पैमाने का स्थिर उत्पादन नियम

स्टिग्लर की परिभाषा की यह विशेषता स्मरणीय है कि इसमें किसी भी साधन को स्थिर नहीं रखा गया है वरन् सभी साधनों को समानुपात में बढ़ाकर अधिक उत्पादन प्राप्त किया गया है और यह अधिक उत्पादन पहले के समान लागत पर ही सम्भव होता है। ऐसी दशा को 'पैमाने का स्थिर उत्पादन नियम (Law of Constant Returns to Scale) कहा जाता है।

इस प्रकार, अनुकूलतम बिन्दु पर उत्पादन दोनों—'स्थिर उत्पादन' और 'पैमाने का स्थिर उत्पादन'—के आधीन होता है। [किन्तु कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि कोई उत्पत्ति स्थिरता नियम नहीं होता केवल पैमाने का स्थिर उत्पादन नियम होता है]

उत्पत्ति का प्रतिस्थापन नियम

(The Law of Substitution in Production)

उत्पत्ति का यह नियम उपभोग के प्रतिस्थापन नियम के ही समान होता है। अन्तर केवल इतना होता है कि उपभोग में आय को उपभोग के विभिन्न शीर्षकों पर इस प्रकार बाँटा जाता है कि अधिकतम सन्तोष प्राप्त किया जा सके। इसके विपरीत, उत्पत्ति में कम से कम लागत

¹ "When all the productive services are increased in a given proportions, the product is increased in the same proportion."—Stigler : *The Theory of Price*, p. 129.

पर उत्पत्ति करने के उद्देश्य से साधनों का सर्वोत्तम पारस्परिक अनुपात निश्चित किया जाता है। कम से कम लागत पर उत्पादन करने के उद्देश्य से उत्पादक के लिए बहुत बार यह आवश्यक होता है कि वह एक साधन के स्थान पर दूसरे साधन का उपयोग करे। यदि थम का मूल्य पूँजी की अपेक्षा अधिक है, तो थम के स्थान पर मशीन के रूप में पूँजी का उपयोग किया जायगा। इसी प्रकार, बहुत-सी दशाओं में, मशीन के स्थान पर थम का उपयोग अधिक लाभदायक होता है। बहुत बार एक प्रकार की मशीन के स्थान पर दूसरी प्रकार की मशीन तथा एक प्रकार के कच्चे माल के स्थान पर दूसरे प्रकार के कच्चे माल का उपयोग लाभप्रद होता है। लागत को कम करने के लिए इस प्रकार एक साधन के स्थान पर दूसरे का उपयोग आवश्यक ही जाता है। प्रतिस्थापन क्यों सम्भव होता है ?

यद्यपि हमें यह देखना है कि प्रतिस्थापन अर्थात् एक साधन के स्थान पर दूसरे का उपयोग क्यों और किस प्रकार किया जाता है। प्रतिस्थापन इस कारण सम्भव हो जाता है कि उत्पत्ति एक से अधिक साधनों का प्रतिफल होती है और इन साधनों के विभिन्न संयोगों से एक-सा ही फल प्राप्त किया जा सकता है। आरम्भ में ही हम यह बता चुके हैं कि बहुत बार थम और पूँजी को ५० और ३ के अनुपात में उपयोग करने पर भी उतनी ही उपज मिल सकती है जितनी २० और ४ के अनुपात में उपयोग करने से मिलती है। प्रतिस्थापन का एक आवश्यक कारण यह होता है कि कुछ साधनों का मूल्य उनकी सीमान्त उपज के मूल्य से अधिक होता है, अर्थात् जितना इन साधनों पर व्यय किया जाता है, इसके उपयोग से उत्पत्ति में उससे भी कम वृद्धि होती है। ऐसे साधनों के उपयोग को कम कर देने से लाभ की सम्भावना अधिक हो जाती है।

प्रतिस्थापन सम्भव करने वाली दशाएँ—

परन्तु सभी दशाओं में प्रतिस्थापन सम्भव नहीं होता। उत्पत्ति की दो दशाएँ होती हैं :—प्रथम, जबकि उत्पत्ति के पारिभाषिक गुणक (Technical Coefficients of Production) परिवर्तनीय (Variable) होते हैं, और, दूसरी, जबकि ये गुणक अपरिवर्तनीय (Fixed) होते हैं। स्मरण रहे कि केवल पहली दशा में प्रतिस्थापन सम्भव होता है। दूसरी दशा में एक साधन का दूसरे स्थान पर उपयोग करना लाभदायक नहीं हो सकता।

उदाहरणस्वरूप, यदि हम तीन टाइपराइटर, तीन टाइपिस्ट, कामज और अन्य वस्तुओं को लें और देखें कि घाठ घण्टे में १०० पृष्ठों की प्रतिलिपिगी निकलती है। अब, यदि हम टाइपराइटरों की मात्रा को अस्थायित रख कर अन्य साधनों को बढ़ाएँ, अर्थात्, तीन के स्थान पर चार टाइपिस्ट लें, तो क्या नकल निये हुए पृष्ठों की मात्रा में वृद्धि होगी? द्रव्यमान उत्तर 'नहीं' में ही, होगा क्योंकि टाइपिस्ट को टाइपराइटर के स्थान पर उपयोग नहीं किया जा सकता है। चौथे टाइपिस्ट को बेकार ही रहना पड़ेगा। इस दशा में उत्पत्ति के पारिभाषिक गुणक अपरिवर्तनीय हैं। परन्तु, यदि चौथा टाइपिस्ट हाथ से नकल करता है, तो एक अंग तक वह टाइपराइटर के स्थान पर काम करेगा। उस दशा में प्रतिस्थापन सम्भव है।

अतः प्रतिस्थापन नियम के कार्यशील होने के लिए उत्पत्ति के पारिभाषिक गुणकों का परिवर्तनीय होना आवश्यक है। कठिनाई यह है कि सभी दशाओं में उत्पत्ति के पारिभाषिक गुणक परिवर्तनीय नहीं होते। इसका अर्थ उदाहरण हमारे देश के सूती कपड़े के उद्योग में मिलता है। हमारे कारखाने लम्बे रेशे की रई से काटा बुनते हैं, जिनकी कीमत इस समय बहुत ऊँची है। साथ ही साथ यह प्रचुर मात्रा में भी नहीं मिलती है। छोटे रेशे की रई के सस्ता रेशे हुए तथा वर्णित मात्रा में मिलते हुए भी हमारे कारखाने उसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी मशीनें ऐसी रई के सूत नहीं कात सकती हैं।

प्रतिस्थापन किस प्रकार होता है ?

यद्यपि प्रत्येक दशा में प्रतिस्थापन सम्भव नहीं होता फिर भी उत्पत्ति में प्रतिस्थापन प्रवृत्ति बड़ी प्रबल होती है और प्रत्येक उत्पादक अवसर मिलते ही कम लाभदायक साधन के स्थान पर अधिक लाभदायक साधन का उपयोग करने का प्रयत्न करता है। प्रत्येक उत्पादक का उद्देश्य उत्पादन व्यय को कम करना होता है और ऐसा करने के लिए वह प्रत्येक साधन की सीमान्त उपज की उसके मूल्य से तुलना करता है। जिस साधन का मूल्य उसकी सीमान्त उपज के मूल्य से अधिक हो उसके स्थान पर किसी ऐसे साधन का उपयोग करने से लाभ होता है जिसका मूल्य उसकी सीमान्त उपज के मूल्य से कम है। इस कारण कम उत्पादक साधन की माँग कम हो जाती है, जिससे उसका मूल्य गिर जाता है और अधिक उत्पादक साधन की माँग बढ़ जाती है, जिससे उसका मूल्य भी बढ़ जाता है। कम उत्पादन साधन के स्थान पर अधिक उत्पादक साधन का उपयोग उस समय तक होता रहेगा जब तक दोनों साधनों की सीमान्त उत्पादकता (Marginal Productivity) उनके मूल्यों के बराबर नहीं हो जायेगी।


अतः, हम इस प्रकार कह सकते हैं कि, प्रतिस्थापन नियम हमें यह बताता है कि कम से कम लागत पर उत्पत्ति करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न साधन को ऐसे अनुपात में उपयोग किया जाय कि प्रत्येक की सीमान्त उत्पादकता उसके मूल्य के बराबर हो। दूसरे शब्दों में, प्रतिस्थापन नियम निम्न प्रकार होता है :—

$$\frac{\text{साधन अ की सीमान्त उत्पादकता}}{\text{अ का मूल्य}} = \frac{\text{साधन ब की सीमान्त उत्पादकता}}{\text{ब का मूल्य}}$$

रेखा-चित्र द्वारा स्पष्टीकरण—

इस दशा को साथ के रेखा-चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

इस चित्र में अ ब व अ समान उपज की रेखा है। इस वक्र रेखा का प्रत्येक बिन्दु अ और ब साधनों के एक ऐसे संयोगों (Combinations) को दिखाता है जिनमें से प्रत्येक समान उपज प्रदान करता है। इस प्रकार अ ब वक्र रेखा इस सम्बन्ध को दिखाती है।—



साधन ब की सीमान्त उत्पादकता

साधन अ की सीमान्त उत्पादकता

इसी प्रकार, ट क रेखा $\frac{\text{साधन ब का मूल्य}}{\text{साधन अ का मूल्य}}$ को दिखाती है। ल बिन्दु, जहाँ पर अ ब

वक्र तथा ट क रेखा मिलते हैं निम्न दशा को सूचित करता है —

$$\frac{\text{साधन अ की सीमान्त उत्पादकता}}{\text{साधन अ का मूल्य}} = \frac{\text{साधन ब की सीमान्त उत्पादकता}}{\text{साधन ब का मूल्य}}$$

एक उदाहरण द्वारा इन बातों को स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए कि अ और ब साधनों की सीमान्त उपज का मूल्य तथा साधनों का अपना मूल्य अज्ञात प्रकार से है।—

साधन	सीमान्त उपज का मूल्य	साधन का मूल्य
घ	३० रुपये	२० रुपये
ब	२० रुपये	४० रुपये

यह सम्बोधनक दशा नहीं है इसलिए उत्पादक ब के उपयोग को कम करके घ का अधिक उपयोग करेगा। ऐसा करने से ब की सीमान्त उत्पादकता घटनी चली जायगी और ब की बढ़ती चली जायगी। प्रतिस्थापन उम समय तक चलता रहेगा जब तक कि आगामी दशा उत्पन्न नहीं हो जायगी :—

साधन	सीमान्त उपज का मूल्य	साधन का मूल्य
घ	२० रुपये	२० रुपये
ब	४० रुपये	४० रुपये

केवल इसी दशा में प्रत्येक साधन का मूल्य उमकी सीमान्त उत्पादकता के बराबर होता है।

उदासीनता वक्र की सहायता से निरूपण अथवा


उत्पादन का समतुलन

(Law Explained with Indifference Curve Technique or Equilibrium of Production)

उत्पत्ति के प्रतिस्थापन नियम को उदासीनता वक्रों की सहायता से भी समझाया जा सकता है। इस दशा में उदासीनता वक्र समान उपज वक्र (Equal Product Curve) बन जाता है, तो उत्पत्ति के बिन्ही दो साधनों (मान लीजिए थ्रम और पूँजी) के ऐसे विभिन्न संयोगों को दिखाता है जिनसे समान मात्रा में उपज प्राप्त होती है। साधनों के ऐसे संयोगों के सम्बन्ध में उत्पादक पूर्णतया तटस्थ प्रयत्न उदासीन होता है कि एव निश्चित मात्रा में उपज प्राप्त करने के लिए वह कौन से संयोग को चुने। उत्पादक वास्तव में कौन से संयोग को चुनेगा, यह हम बात पर निर्भर होता है कि दोनो साधनों की तुलनात्मक कीमत (Relative Price) किस प्रकार है। यदि पूँजी में थ्रम की कीमत ग घ द्वारा दी जाती है, जैसा कि निम्न चित्र में दिखाया गया है, तो उत्पादक का समतुलन प बिन्दु पर प्राप्त होगा और वह पूँजी की प म तथा थ्रम की घ म इकाइयों का उपयोग करेगा। इन निश्चित कीमतों पर उत्पादक के लिए थ्रम और पूँजी का सही सर्वोत्तम संयोग होगा।

परन्तु यदि पूँजी में थ्रम की कीमत घटती है, जैसा कि कीमत रेखा व छ द्वारा दिखाया गया है, तो उत्पादक का समतुलन क बिन्दु पर प्राप्त होगा और वह पूँजी और थ्रम की क्रमशः क ल तथा घ ल मात्राओं को चुनेगा। ऐसी दशा में पूँजी और थ्रम का यही संयोग सर्वोत्तम होगा।

प्रत्येक दशा में यह जानना आवश्यक है कि 'समतुलन बिन्दु' वह बिन्दु है जहाँ पर कीमत रेखा समान उपज रेखा को स्पर्श करती है यह स्पष्ट है कि पूँजी में थ्रम की कीमत के बदलते ही समतुलन स्थिति बदल जाती है। दूसरी दशा में पूँजी की कम मात्रा के साथ थ्रम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है। चारण, अब पूँजी की तुलना में



श्रम सस्ता हो गया है। अतः उत्पादक की दृष्टि से यह अधिक लाभदायक होगा कि पूँजी के स्थान पर श्रम का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाये अर्थात् समान उपज प्राप्त करने के लिए पूँजी का श्रम द्वारा प्रतिस्थापन किया जाय।

सीमान्त उत्पादकता का अर्थ

प्रतिस्थापन नियम के सम्बन्ध में हमने अनेक बार सीमान्त उत्पादकता शब्द का उपयोग किया है, इसलिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उत्पत्ति के साधन की सीमान्त उत्पादकता का अर्थ स्पष्ट कर दिया जाय। अन्य साधनों को यथास्थिर रखकर किसी एक साधन की मात्रा में एक इकाई की वृद्धि करने से कुल उपज में जितनी वृद्धि होती है वह उस साधन की सीमान्त उत्पादकता कहलाती है। उदाहरणार्थ, यदि अन्य साधनों के साथ १०० श्रमिकों का उपयोग किया जा रहा है और बाद में एक श्रमिक बढ़ा देने से कुल उपज में तीन इकाइयों की वृद्धि होती है, तो श्रम की सीमान्त उत्पादकता उपज की तीन इकाइयों के बराबर होगी। दूसरे शब्दों में, सीमान्त उत्पादकता साधन की सीमान्त या प्रतिरिक्त (जो अन्तिम भी हो सकती है) इकाई द्वारा उत्पन्न की हुई उपज से सूचित होती है। प्रोफेसर हिक्स (Hicks) के अनुसार सीमान्त उपज "उस वृद्धि को कहते हैं जो साम्य की दशा में किसी फर्म द्वारा उपयोग किए हुए साधनों की मात्रा में एक छोटी सी इकाई जोड़ने से प्राप्त हो।"¹

परिक्षा प्रश्न :

- परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या कीजिये और उसके लागू होने की दशाओं को स्पष्ट कीजिये।

अथवा

असमान अनुपातीय प्रतिफल के नियम (या प्रतिफल के नियम या अन्ततः घटती हुई सीमान्त भौतिक उत्पादकता के नियम) का बयान दीजिये और उसकी व्याख्या कीजिए।

[सहायक संकेत—उपयुक्त प्रश्नों में परिवर्तनशील अनुपातों के विभिन्न नामों का प्रयोग हुआ है। स्मरण रखिये कि अधिकांश आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उत्पन्न ह्रास नियम को, इसकी व्यापक क्रियाशीलता के आधार पर, 'परिवर्तनशील अनुपातों के नियम' की संज्ञा दी है। अतः इस नियम का रोबिन्सन एवं वेनहम के शब्दों में बयान दीजिये। तत्परचात् उदाहरण और चित्र द्वारा व्याख्या कीजिए और अन्त में इसके लागू होने की दशाओं या कारणों को बताइये।]

- उत्पत्ति ह्रास नियम को समझाइये और इसकी सीमायें स्पष्ट कीजिये।

[सहायक संकेत—सर्वप्रथम उत्पत्ति ह्रास नियम का बयान दीजिये, उदाहरण व रेखा-चित्र द्वारा उसकी व्याख्या कीजिये। (यहाँ मार्शल, रोबिन्सन और वेनहम तीनों के मत देने चाहिए।) तत्परचात् नियम को लागत के सदर्भ में व्यक्त कीजिये और अन्त में उत्पत्ति ह्रास नियम की सीमायें या मापदण्डों दीजिये।]

- उत्पत्ति ह्रास नियम की विवेचना कीजिये और एक चित्र के द्वारा यह बताइये कि प्रत्येक प्रकार की आर्थिक क्रिया में किस प्रकार लागू होता है ?

¹ J. R. Hicks : *Value and Capital*, Chapter VI.

प्रथमा

निर्मात्रित मे ह्यासी प्रथम नियम किस प्रकार लागू होना है—मवन निर्माण स्थल, सदान और मछली पकड़ने का स्थान ?

[सहायक संकेत—सर्वप्रथम चित्र और उदाहरण द्वारा नियम की, इसके लागू होने के कारणों सहित, विवेचना कीजिये। प्राधुनिक मत देना अच्छा होगा। तत्परवान् नियम का क्षेत्र बताइये। मवन-निर्माण स्थल, सदान और मछली पकड़ने के स्थान की चर्चा सबसे धन में करनी चाहिये।]

४. उत्पत्ति ह्यास नियम की व्याख्या कीजिये। क्या यह नियम कृषि और उद्योग दोनों में ही दीर्घकाल में प्रवश्य लागू होगा ?

[सहायक संकेत—सर्वप्रथम उदाहरण और रेखाचित्र द्वारा नियम की पूर्ण विवेचना कीजिये। (प्राधुनिक मत देना अच्छा होगा)। तत्परवान् नियम के लागू होने के कारण बताइये और धन में, यह स्पष्ट कीजिये कि दीर्घकाल में नियम कृषि और उद्योग दोनों में त्रिवाचीव होगा।]

५. प्रमाणन उत्पत्ति ह्यास नियम की परीक्षा कीजिये और यह दिखाइये कि मात्स्य के जन-संख्या सिद्धान्त और लगान के सिद्धान्त से यह किस प्रकार सम्बन्धित है ?

६. उत्पत्ति ह्यास नियम की परीक्षा कीजिये तथा मात्स्य के जन-संख्या सिद्धान्त पर इसके प्रभाव को दर्शाइये। क्या यह भूमि के अतिरिक्त किन्हीं अन्य साधनों को भी लागू होना है ? [सहायक संकेत—सर्वप्रथम उत्पत्ति ह्यास नियम का कथन एवं उदाहरण व रेखाचित्र द्वारा उसकी सशिष्ट व्याख्या दीजिये। तत्परवान् नियम के महत्त्व की चर्चा करते हुए मात्स्य के जन-संख्या सिद्धान्त पर इसका प्रभाव बताइये। धन में, स्पष्ट कीजिये कि प्राधुनिक ग्रंथशास्त्रियों के मतानुसार यह नियम उत्पत्तिके सभी साधनों पर लागू होना है।]

७. "वृद्धि और स्थिरता नियम उत्पत्ति ह्यास नियम की अस्थायी दशायें मात्र हैं।" इस कथन का विश्लेषण कीजिये।

[सहायक संकेत—सर्वप्रथम उत्पत्ति ह्यास नियम की उदाहरण और चित्र द्वारा व्याख्या कीजिये। (प्राधुनिक मत देना अधिक ठीक होगा)। तत्परवान् उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति स्थिरता नियम की सशिष्ट व्याख्या कीजिये और धन में निष्कर्ष निकालिये कि ये दोनों नियम उत्पत्ति ह्यास नियम के अस्थायी रूप हैं।]

८. "उत्पादन में प्रक्रिया की भूमिका घटते हुए प्रतिकल की और मनुष्य की भूमिका बढ़ते हुए प्रतिकल की प्रवृत्ति को दर्शानी है।" विवेचन कीजिये।

[सहायक संकेत—सर्वप्रथम दोनों नियमों की परिभाषायें एवं उदाहरण और रेखाचित्र द्वारा व्याख्या (प्राधुनिक मत के संदर्भ में) दीजिये। तत्परवान् दोनों नियमों की त्रिवाचीवता के कारणों को बताइये और धन में मार्गल के इस धम का निवारण कीजिये कि प्रवृत्ति की प्रधानता के कारण उत्पत्ति ह्यास नियम और मनुष्य की प्रधानता के कारण उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होना है।]

भूमि (Land)

प्रारम्भिक—

अर्थशास्त्र के दूसरे शब्दों की भाँति भूमि की परिभाषा के सम्बन्ध में भी भारी मतभेद है। एक पिछले अध्याय में यही बताया जा चुका है कि कालान्तर में भूमि की परिभाषा बदलती गई है।

भूमि का अर्थ

(१) प्राचीन दृष्टिकोण—सबसे पहले निर्वाधावादी अर्थशास्त्रियों ने इस शब्द का उपयोग किया है। उनके अनुसार पृथ्वी की ऊपरी सतह, खनिज पदार्थ और इस प्रकार की दूसरी प्राकृतिक वस्तुएँ “भूमि” शब्द में सम्मिलित होती हैं। इन अर्थशास्त्रियों का विचार था कि प्रकृति की मनुष्य पर विशेष कृपा है। कृषि और खनिज उद्योग में मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर काम करता है और प्रकृति की उदारता के कारण उसे अपने परिश्रम से अधिक पारितोषण मिल जाता है। इस प्रकार, “भूमि” प्रकृति के वे उपहार हैं जो प्रकृति की उदारता के कारण मनुष्य को मिलते हैं।

(२) रिकार्डों का दृष्टिकोण—बाद के अर्थशास्त्रियों ने भूमि की इस परिभाषा को कुछ समोधन के साथ स्वीकार किया है। रिकार्डों का विचार है कि प्रकृति में “उदारता” नहीं है, बल्कि “सीमितता” अथवा “सकीर्णता” (Niggardliness) है, परन्तु फिर भी रिकार्डों ने भूमि को प्रकृति का “स्वतन्त्र उपहार” (Free gift of Nature) कहा है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है। इस परिभाषा के विरुद्ध आपत्ति की जा सकती है, क्योंकि मानव उपभोग की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसे बिना मूल्य के प्राप्त किया जा सकता हो। यही कारण है कि भूमि की परिभाषा को बदला गया।

(३) मार्शल का दृष्टिकोण—मार्शल ने भूमि की परिभाषा इन प्रकार से दी है, “भूमि से हमारा अभिप्राय केवल पृथ्वी की ऊपरी सतह से नहीं होता, बल्कि उन सब पदार्थों और शक्तियों से है जो प्रकृति मनुष्य को जल और पृथ्वी, वायु और प्रकाश एवं ताप में बिना मूल्य, उसकी सहायता के लिए देती है।”¹

भूमि या इस प्रकार की कोई वस्तु मनुष्य को बिना मूल्य के तो नहीं मिलती है, परन्तु इस सत्तार में ऐसी अनेक वस्तुएँ हैं जिन्हें मनुष्य ने अपने परिश्रम से नहीं उपजाया है।

¹ ‘By land is meant, not only land in the strict sense of the word, but whole of the materials and the forces which nature gives freely for man’s aid, in land and water, in air and light and heat.’—Marshall : *Economics of Industry*, p. 35.

ऐसी ही वस्तुओं को “भूमि” कहा जा सकता है। अनएव भूमि में उन सब वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है जिनके इस मंसार में होने के लिए मनुष्य किसी प्रकार भी उत्तरदायी नहीं है, जैसे—भूमि की सतह, खाने, जगली वृक्ष, जगली पशु-पक्षी, वादल, श्रृप, गर्मा इत्यादि।

(४) मेहता का दृष्टिकोण—प्रो० मेहता का विचार है कि उपरोक्त अर्थ में भूमि को उत्पत्ति का साधन नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने वीजर (Wieser) नामक आस्ट्रियन अर्थशास्त्री के दृष्टिकोण को ग्रहण किया है। वीजर ने उत्पत्ति के साधनों को दो भागों में बाँटा है—(i) परि-माणिक (Specific) एव (ii) अपरिमाणिक (Non-specific)। पहली प्रकार के साधन वे हैं जिनका केवल एक ही उपयोग सम्भव होता है। दूसरी प्रकार के साधन बहु-उपयोगी हुये करते हैं। प्रो० मेहता केवल परिमाणिक साधनों को ही “भूमि” मानते हैं, यद्यपि यह निश्चय है कि परिमाणिकता (Specificity) उत्पत्ति के सभी साधनों में हो सकती है। अल्पकाल (Short period) में उत्पत्ति के किसी भी साधन के उपयोग को बदलना सम्भव नहीं होता, जबकि दीर्घ-काल (Long period) में प्रत्येक साधन का उपयोग बदला जा सकता है। इस अर्थ में “भूमि” की विद्यमानता केवल अल्पकाल में ही हो सकती है। प्रो० मेहता का विचार है कि उत्पत्ति के प्रत्येक साधन में भूमि पक्ष (Land Aspect) हो सकता है। इस प्रकार का साधन जब उत्पत्ति के लिए अपनी सेवाएँ उप-स्थित करता है, तो उसे किसी प्रकार का त्याग नहीं करना पड़ता। इस प्रकार “कोई उत्पत्ति-साधन भूमि के रूप में तभी दृष्टिगोचर होता है, जबकि यह माना जाय कि वह अपनी सेवाएँ बिना किसी त्याग अथवा व्यय के उपस्थित कर रहा है।”¹

उत्पादन में भूमि का महत्त्व

आदिकाल से ही मनुष्य भूमि अर्थात् प्रकृति का बहुत ऋणी है, क्योंकि विकास की विभिन्न अवस्थाओं में प्रकृति ने उसे भोजन-व्यवस्था, औद्योगिककरण और सम्यता के विकास में बहुत सहयोग दिया है। आज भी किसी देश का आर्थिक विकास वहाँ उपलब्ध प्राकृतिक उपहारों पर निर्भर है। जितनी अधिक मात्रा में विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक उपहार देश में पाये जायेंगे, उतना ही वह देश समृद्धिशीली होगा वहाँ मानवीय प्रयत्न द्वारा इनका समुचित शोषण किया जाय। अच्छी उर्वरा भूमि, अनुमूल जलवायु, सजिज पदार्थ, वन एव वन-उपज, फल, दूध इत्यादि कृषि एवं औद्योगिक विकास को बहुत सीमा तक प्रभावित करते हैं। भूमि की रचना यातायात और सवादावाहन के साधनों के विकास को प्रभावित करती है और इन साधनों का समुचित विकास होना औद्योगिककरण के लिये एक पूर्व शर्त है। सैद्धान्तिक दृष्टि से भी भूमि का महत्त्व है। उदाहरणार्थ, लगान का आधुनिक सिद्धान्त भूमि पर आधारित है। भूमि का अर्थ भूमि तत्त्व अथवा विनिष्ठता से है।

भूमि के लक्षण

(Characteristics of Land)

भूमि में कुछ ऐसी विशेषताएँ होती हैं जो उत्पत्ति के अन्य साधनों में नहीं मिलती हैं। रिकार्डो (Ricardo) का विचार था कि भूमि की कुछ मूल और अविनाशी (Original and Indestructible) शक्तियाँ होती हैं, जो उसे उत्पत्ति के दूसरे साधनों से पृथक् कर देती हैं। पुरानी विचारधारा के अनुसार भूमि की विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं :—

(१) भूमि सीमित है—भूमि का सबसे प्रमुख लक्षण उसकी सीमितता बताया जाता

¹ “A factor of production, therefore, appears in its land aspect when it is considered as rendering its service without any sacrifice or cost”—J K Mehta : *Advanced Economic Theory*, p. 224.

है। भूमि की जितनी मात्रा विद्यमान है उसमें हम कमी या वृद्धि नहीं कर सकते। निस्संदेह भूमि कटाव, बाढ़ घाटि के द्वारा भूमि की मात्रा कम हो सकती है और समुद्र या नदी के पानी को सुखाकर (जैसा कि हालेण्ड में किया गया था) भूमि की मात्रा को बड़ा सकते हैं किन्तु ऐसी कमी या वृद्धि बहुत ही अल्प सीमा तक सम्भव है और साथ ही खर्चीली भी। अतः यह स्वीकार करना होगा कि भूमि की मात्रा सीमित है और उसे घटाना-बढ़ाना सम्भव नहीं है।

किन्तु भूमि की प्रभावपूर्ण पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। ऐसा तब होता है जब हम गहरी खेती अपनाते हैं या भूमि के एक ही प्लॉट पर कई मजिलो वाली इमारत बनाते हैं।

(२) भूमि का उत्पादन व्यय नहीं है—भूमि विना मूल्य का उपहार है। उसके लिए कोई उत्पादन-व्यय नहीं होता है। वास्तविकता यह है कि भूमि की परिभाषा ही इस प्रकार की गई है कि उसका कोई उत्पादन-व्यय नहीं होता। भूमि का यह लक्षण लगभग सभी अर्थशास्त्रियों ने स्वीकार किया है। परन्तु इस सम्बन्ध में कठिनाई यह है कि उत्पत्ति के कार्य के लिए उपयोग करने में मनुष्य को प्रत्येक वस्तु के लिए व्यय करना पड़ता है। उत्पत्ति का कोई भी साधन निशुल्क नहीं होता और यदि कोई वस्तु विना मूल्य प्राप्त होती है, तो वह उत्पत्ति का साधन नहीं हो सकेगी।

(३) अक्षयता (Indestructibility)—भूमि को अमर, अविनाशी और अनन्त कहा जाता है। विचारों विशेष रूप से भूमि के इस गुण को महत्त्वपूर्ण समझते थे। किन्तु भली-भाँति देखने से पता चलता है कि यह गुण भी वास्तव में केवल भूमि का ही गुण नहीं है। ससार में लगभग किसी भी वस्तु का विनाश नहीं किया जा सकता केवल उसका रूप बदला जा सकता है और अन्य वस्तु की भाँति भूमि के रूप और गुणों में भी परिवर्तन करना सम्भव होता है।

(४) विविधता (Variability)—कहा जाता है कि समस्त भूमि एक जैसी नहीं होती है। अलग-अलग भूमि अलग-अलग कामों के लिये उपयुक्त होती है। सभी देशों के प्राकृतिक साधन भी एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे—वही खाने होती है, तो वही उपजाऊ भूमि और इसी प्रकार अलग-अलग देश अलग-अलग वस्तुओं के उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। किन्तु भूमि का यह गुण भी बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। विविधता का गुण ससार की सभी वस्तुओं में पाया जाता है। अतः इस आधार पर भूमि और उत्पत्ति के दूसरे साधनों के बीच कोई भेद नहीं किया जा सकता है।

(५) स्थिरता (Stability)—भूमि स्थिर है। भूमि नाम की वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता है। हमारी नदियाँ और पहाड़ अपने-अपने स्थान पर टूट है। एक स्थान की जलवायु को दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता और ठीक इसी प्रकार एक देश की खाने दूसरे देश में नहीं जा सकती है। स्मरण रहे कि जब किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, तो वह भूमि नहीं रहती क्योंकि उसमें मनुष्य का परिश्रम सम्मिलित हो जाता है। प्रो० मेहता की परिभाषा के अनुसार भूमि का उपयोग भी स्थिर होता है। उपयोग के बदलते ही एक वस्तु भूमि नहीं रह पाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भूमि में परिमाणिकता का गुण है।

(६) निष्क्रियता (Passiveness)—उत्पत्ति के दो प्रमुख साधन होने हैं, भूमि और श्रम। इन दोनों में से केवल श्रम ही सक्रिय (Active) होता है। भूमि अपने प्रायः उत्पत्ति के कार्य में भाग नहीं ले सकती है, उसका उपयोग दूसरों की सहायता से ही किया जा सकता है।

(७) भूमि के महत्त्व पर इसकी स्थिति का प्रभाव—भूमि का मूल्य कितना होगा, यह अधिकतर इस बात पर निर्भर होता है कि वह भूमि कहीं स्थिर है? एक-सी ही भूमि, एक-सी खाने अथवा एक से ही जङ्गलों का मूल्य उनकी स्थिति के अनुसार अलग-अलग होता है।

भूमि की उत्पादकता (The Productivity of Land)

भूमि की उत्पादकता का कुल उत्पत्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उत्पादकता के दो अर्थ लगाये जा सकते हैं—निरपेक्ष अर्थ (Absolute Sense) और सापेक्षिक अर्थ (Relative Sense)। उत्पादकता शब्द को अधिकतर सापेक्षिक अर्थ में ही उपयोग किया जाता है। इस अर्थ में हम यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि भूमि के एक टुकड़े की उत्पादकता दूसरे टुकड़े की तुलना में किस प्रकार है। जो टुकड़ा उपयोग करने वाले को अधिक लाभ पहुँचाता है वह अधिक 'उत्पादक' कहलाता है। इसके विपरीत कम उत्पत्ति प्रदान करने वाली भूमि की उत्पादकता कम होती है।

भूमि की उत्पादकता साधारणतया चार बातों पर निर्भर होती है—(१) भूमि के गुण, अर्थात् इस बात पर कि भूमि उपजाऊ है या नहीं, उत्तम प्रकार की है या नीची किस्म की और उसकी वनावट कौसी है। (२) भूमि की क्षय प्रति प्रमाणात् सुधार की दशा, प्रमाणात् इस बात पर कि भूमि पर किस अंश तक सुधार किया गया है। अच्छे खाद, अच्छे बीज और अच्छी सिंचाई के द्वारा कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। (३) भूमि की स्थिति जितनी ही अनुकूल होगी उतनी ही उत्पादकता भी अधिक होगी। (४) भूमि का उपयोग, अर्थात् भूमि किस काम में लाई जा रही है। कुछ उपयोगों में उत्पादकता अधिक होती है और कुछ में कम। (५) भूमि की उत्पादकता उसे अन्य उत्पत्ति साधनों के साथ मिलाये जाने के अनुपात पर भी निर्भर होती है। यदि उसे अनुकूलनम् अनुपात में मिलाया गया है, तो उत्पादकता अधिक होगी, अन्यथा कम, और अनुकूलनम् अनुपात की प्राप्ति एक कुशल सगठनकर्ता के द्वारा ही सम्भव है।

विस्तृत और गहन कृषि (Extensive and Intensive Cultivation)

कृषि की उपज को बढ़ाने की दो रीतियाँ होती हैं :—(i) कृषि की जाने वाली भूमि की मात्रा बढ़ा कर अधिक उपज प्राप्त करना या (ii) वर्तमान रीति पर अच्छे खादों, अच्छे बीजों और इस प्रकार के दूसरे सुधार करके उपज बढ़ाना। पहले प्रकार की रीति को 'विस्तृत रीति' कहा जाता है। दूसरे प्रकार की रीति 'गहन रीति' होती है। संसार में दोनों ही प्रकार की रीति पाई जाती है, परन्तु जनसंख्या के बढ़ते रहने के कारण अब गहन रीति का महत्व बराबर बढ़ना जा रहा है। जब भूमि अधिक मात्रा में होती है और जनसंख्या घटती होती है, तो विस्तृत रीति अपनाई जाती है। विस्तृत रीति के चार लक्षण हैं—नये देशों में प्रचलन, कृषि जोनों का बड़ा आकार, पूँजी और श्रम का अल्प प्रयोग, प्रयोग में अग्निशक्ति का अल्प प्रयोग, गहन रीति के निम्न लक्षण हैं :—पुराने देशों में प्रचलन, कृषि जोनों का छोटा आकार, श्रम और पूँजी का अधिक प्रयोग, वैज्ञानिक उद्गम से प्रयोग। आरम्भ में अमेरिका और आस्ट्रेलिया के उपनिवेशों में विस्तृत रीति का ही बोलबाला था। यूरोप के अधिकांश देशों में, जहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक है, गहन रीति का अधिक प्रचलन है।

यह कहना कठिन है कि किस प्रकार की रीति अधिक अच्छी है। अधिकांश देशों में दोनों प्रकार की रीतियाँ एक ही साथ चलती रहती हैं। कुछ दिनों तक तो दोनों का महत्व बराबर ही रहता है, परन्तु आगे चलकर गहन रीति का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि घनत्व में कृषि-योग्य भूमि की कमी अनुभव होने लगती है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने विस्तृत रीति की बड़ी निन्दा की है। उनका विचार है कि ऐसी रीति अपव्ययी होती है क्योंकि उसमें भूमि का दुरुपयोग होता है। गहन रीति भूमि के उपयोग में मितव्ययिता लाती है। गहन रीति अधिकतर दो बातों पर निर्भर होती है—(i) जनसंख्या की अधिकता और (ii) गिन्य ज्ञान का विकास। जैसे-जैसे ये दोनों

बढ़ती जाती हैं, गहन खेती अधिक लोकप्रिय होती चली जाती है। यूरोप के देशों में इसकी लोक-प्रियता का मुख्य कारण यही है। भारत में भी धीरे-धीरे गहन खेती का प्रचलन बढ़ रहा है।

उल्लेखनीय है कि विस्तृत खेती के अधीन जोत की इकाई बड़ी हो सकती है किन्तु उन पर गहरी खेती की रीति (अर्थात् अधिक श्रम व पूंजी और वैज्ञानिक कृषि पद्धति) का प्रयोग भी किया जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू, अमेरिका और कनाडा में गहरी खेती के साथ बड़े-बड़े फार्म देखने में आते हैं। किन्तु भारत में विस्तृत खेतों के साथ छोटे-छोटे फार्म देखने में आते हैं अर्थात् यहाँ छोटे-छोटे खेतों पर वैज्ञानिक पद्धति से खेती नहीं की जा रही है और श्रम व पूंजी का भी कम प्रयोग होता है।

क्या भूमि उत्पत्ति का एक साधन है ?

प्रकृतिवादी तथा प्रतिष्ठित विचारधारा—भूमि को अधिक महत्त्व

आधुनिक अर्थशास्त्र में यह विषय विवाद-ग्रस्त (Controversial) है कि क्या भूमि को उत्पत्ति का एक स्वतन्त्र साधन माना जाये। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, प्रकृतिवादी (Physiocrats) और इनके बाद के प्रतिष्ठित (Classical) अर्थशास्त्रियों ने भूमि को बहुत महत्त्व दिया। प्रकृतिवादियों के अनुसार केवल भूमि पर खेती करना ही उत्पादक कार्य था। एडम स्मिथ तथा इनके बाद के आर्थिक लेखकों ने यद्यपि केवल कृषि सम्बन्धी कार्यों को उत्पादक नहीं माना, परन्तु फिर भी भूमि को उत्पादन कार्य में विशेष स्थान दिया है। कुछ छोटे से अर्थशास्त्रियों को छोड़कर मार्शल के समय तक लगभग सभी की इसी प्रकार की विचारधारा रही। मार्शल ने स्वयं भी प्रतिष्ठित परम्परा ही का अनुकरण किया, यद्यपि एक दिन तक उन्होंने इस परम्परा को तोड़ने का भी प्रयत्न किया। मार्शल का अर्थशास्त्र में विशेष महत्त्व इसलिए है कि वे प्रतिष्ठित और आधुनिक अर्थशास्त्र के बीच सम्बन्ध स्थापित करने का कार्य करते हैं। विगत काल में भूमि शब्द की परिभाषा तथा भूमि को उत्पत्ति का एक साधन मानने के विषय में अर्थिक विवाद रहा है। श्रीमती जोन रोबिन्सन (Mrs. Joan Robinson), प्रोफेसर मेहला तथा आधुनिक युग के अनेक अर्थशास्त्रियों का मत है कि भूमि के विषय में अधिकांश पुराने विचार ठीक नहीं हैं।¹

वदलता हुआ दृष्टिकोण—

लगभग सभी पुराने लेखकों ने भूमि को "प्रकृति का बिना मूल्य उपहार" (Free gift of nature) माना है और इसी के अनुसार उसके गुण और महत्त्व की व्याख्या की है। जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, रिकार्डो (Ricardo) के लगान सिद्धान्त (Theory of Rent) का भी यही आधार है। रिकार्डो का विचार है कि भूमि में कुछ मूल और अविनाशी गुण हैं, जिनके कारण वह उत्पत्ति के दूसरे साधनों से भिन्न है। परन्तु उन्होंने अपने मूल्य के सिद्धान्त में भूमि को कोई महत्त्व नहीं दिया। वे मूल्य के श्रम सिद्धान्त (Labour Theory of Value) के अनुयायी थे, जिसके अनुसार प्रत्येक वस्तु का मूल्य उसकी उत्पत्ति पर व्यय किये हुए श्रम द्वारा निश्चित किया जाता है। इस प्रकार मूल्य के निर्धारण में भूमि का कुछ भी हाथ नहीं होता। प्रसिद्ध साम्यवादी लेखक कार्ल मार्क्स (Karl Marx) तथा लगभग सभी समाजवादी लेखकों ने भी इसी दृष्टिकोण को अपनाया है। इस प्रकार भूमि के स्थान पर श्रम की उत्पत्ति का मुख्य साधन मानने की प्रथा बढ़ती ही चली आई है और साथ-साथ भूमि की परिभाषा का स्पष्टी-

¹ Mrs. Joan Robinson . *Economics of Imperfect Competition*, pp. 102-103 and J. K. Mehta : *Advanced Economic Theory*, p. 224.

करण भी बराबर होना चला आया है। जब मार्शल ने इस प्रकार पूँजी और भूमि में भेद किया कि, "वे मौलिक वस्तुएँ, जिनकी उपयोगिता (Usefulness) मानव परिश्रम से उत्पन्न हुई है, पूँजी कहलानी चाहिए तथा वे जिनकी उपयोगिता का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है, भूमि हैं,"¹ तो, इस प्रकार वे प्राधुनिक विचार के बहुत समीप पहुँच गये थे। परन्तु पुरानी परम्परा को निभाने के नाते मार्शल ने भूमि के लक्षण वही लक्षण बताये जो प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने बताये थे।

प्राधुनिक विचारधारा—भूमि का अल्पकाल में महत्व

प्राधुनिक युग में भूमि सम्बन्धी इस पुराने विचार को, कि वह प्रकृति की बिना मूल्य की देन है, कड़ी आलोचना की गई है। कहा जाता है कि कोई भी वस्तु मनुष्य को बिना मूल्य के नहीं मिलती। यदि किसी वस्तु के प्राप्त करने में द्रव्य व्यय (Money Cost) नहीं भी होता, तो अवसर-व्यय (Opportunity Cost) अवश्य होता है। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी जङ्गल में कोई सुन्दर झरना है, जो प्रकृति की देन है, तो क्या इस झरने द्वारा आवश्यकता की सन्तुष्टि बिना व्यय के हो जाती है? झरने तक पहुँचने के लिए व्यय करना पड़ता है और, इसके अतिरिक्त, जितना समय झरने का उपभोग करने पर व्यय किया जाता है, इसका भी मूल्य होता है, क्योंकि उतने समय में कोई दूसरा कार्य किया जा सकता है। इस प्रकार झरने का आनन्द प्राप्त करने में अवसर व्यय होता है। ठीक इसी प्रकार, यद्यपि नदियाँ, झील, इत्यादि मनुष्य के परिश्रम बिना इस ससार में विद्यमान हैं, पर क्या वह मनुष्य को बिना व्यय के प्राप्त हो जाती है। बनावटी भीलों पर भले ही अधिक व्यय होता हो, परन्तु प्राकृतिक भीलों के उपभोग पर भी कुछ न कुछ व्यय अवश्य करना पड़ता है। अतः गता नला नि' बिना मूल्य की प्राकृतिक वस्तु कोई भी नहीं है और इस अर्थ में भूमि का अस्तित्व ही नहीं। इसलिए भूमि की इस प्रकार परिभाषा करना उचित न होगा।

इस विषय में यह भी कहा जा सकता है कि यदि यह मान भी लिया जाय कि मनुष्य को बिना व्यय के कोई भी वस्तु नहीं मिलती तो इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता कि ससार में ऐसी वस्तुएँ नहीं हैं, जिनके निर्माण में मनुष्य का कुछ भी हाथ न हो। जंगल में उगने वाले पेड़ों और प्राकृतिक भीलों में मनुष्य का परिश्रम किसी प्रकार भी नहीं लगा है। क्या उनको भूमि कहना ठीक नहीं होगा? इस प्रश्न के उत्तर में केवल इतना कह देना पर्याप्त होगा कि इन वस्तुओं को भूमि मान लेने से कोई विशेष लाभ नहीं होता है। अपनी प्राकृतिक दत्ता में जङ्गली पेड़ और भीलों उत्पादन कार्य में तनिक भी सहायक नहीं है, अतः उन्हें उत्पत्ति के साधन नहीं माना जा सकता है।

जैसा कि हमने पहिले भी बताया था, प्रसिद्ध आस्ट्रियन अर्थशास्त्री वीज़र (Wieser) ने उत्पत्ति के साधनों को दो भागों में विभाजित किया है—परिमाणिक (Specific) तथा अपरिमाणिक (Non-specific)। पहली प्रकार के उत्पत्ति के साधन वे हैं जिनका केवल एक ही उपयोग सम्भव है। दूसरी प्रकार के साधनों के एक से अधिक उपयोग हो सकते हैं। साधारणतया ऐसी कोई भी वस्तु इस ससार में नहीं है जिसका केवल एक ही उपयोग होता हो। परन्तु, यदि समय या काल का ध्यान रखा जाय, जैसा कि लगान के सिद्धान्त की विवेचना में बताया जायगा, तो अल्पकाल (Short period) में लगभग सभी साधन परिमाणिक होते हैं और कुछ साधन तो प्राभास दीर्घ-काल (Quasi-long period) में भी इसी प्रकार के होते हैं। श्रेयस्ती जोन रोडिन्सन

¹ Marshall : Principles of Economics, p. 114.

ने प्रोफेसर मेहता का अनुकरण करते हुए बताया है कि केवल परिमार्णिक साधन ही भूमि कहलाते हैं और इस प्रकार के साधन अल्प तथा आभास दीर्घकाल में ही विद्यमान रहते हैं, अर्ध-काल में नहीं। ऐसे साधन भी निःसन्देह उत्पत्ति में सहायक होते हैं और उन्हें उत्पत्ति के साधन कहना उचित ही है।¹ ऐसे साधनों को भूमि कहा जा सकता है।

परीक्षा प्रश्न :

१. भूमि की उत्पत्ति बढ़ाने के विविध उपायों की व्याख्या कीजिए। नया यह उपाय प्रत्येक स्थान तथा प्रत्येक समय पर प्रयुक्त किये जा सकते हैं? कारण सहित उत्तर दीजिए।
२. अर्थशास्त्र में "भूमि" किसे कहते हैं? कृषि-भूमि की उत्पादन क्षमता किन-किन बातों पर निर्भर होती है?
३. "भूमि" की विशेषतायें स्पष्ट कीजिए। भूमि की उत्पादकता कौन से कारणों पर निर्भर रहती है?
४. भूमि की परिभाषा दीजिए और उसकी मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।
५. अर्थशास्त्र में उत्पादन से नया अराण्य है? एक उत्पत्ति साधन के रूप में भूमि के लक्षण और उसकी महत्ता बताइये।

¹ Joan Robison : *Economics of Imperfect Competition*, The Chapter 'A Disgression on Rent', Also see J. K. Mehta : *Advanced Economic Theory*, p. 224.

श्रम

(Labour)

श्रम की परिभाषा

“श्रम” शब्द से साधारण बोलचाल में सभी परिचित हैं। हाथ से कार्य करने वाले अनिपुण श्रमिकों के परिश्रम को साधारणतया श्रम कहा जाता है, परन्तु यह श्रम का बड़ा ही सबुद्धित अर्थ है। प्रथमशास्त्र में यह शब्द अधिक व्यापक अर्थ में उपयोग किया जाता है। यहाँ उस सभी मानव परिश्रम को (चाहे वह शारीरिक हो अथवा मानसिक) जो उत्पत्ति करने के उद्देश्य से किया गया है, श्रम कहा जाता है। इसमें निपुण और अनिपुण, भौद्योगिक और कृषक, शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार के परिश्रम को सम्मिलित किया जाता है। कुछ प्रमुख परिभाषायें निम्नलिखित हैं :—

(१) टोमस—“सभी प्रकार का मानव श्रम, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, किन्तु किसी परिश्रम की आशा पर किया गया है, श्रम कहलाता है।”¹

इस परिभाषा में स्पष्ट होता है कि सभी प्रकार का मानव परिश्रम श्रम में सम्मिलित होना है। परन्तु यह ध्यावश्यक है कि यह परिश्रम उत्पत्ति करने के उद्देश्य से अथवा किसी लाभ की आशा से किया गया हो। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी आर्थिक लाभ की आशा के ही काम करता है, तो उसके परिश्रम को श्रम नहीं कहा जायगा। जो कार्य केवल इस हेतु किया जाता है कि कार्य करना स्वयं आनन्द देता है, उसे श्रम में सम्मिलित नहीं किया जाना है।

(२) जेवंस—“श्रम मस्तिष्क अथवा शरीर वा वह परिश्रम है जो पूर्णतया अथवा आंशिक रूप में उस आनन्द के उद्देश्य के अनिश्चित, जो कि काम से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होता है, किसी दूसरे ही उद्देश्य से किया जाता है।”²

इस प्रकार श्रम में समाज के ऊँचे से ऊँचे अथवा प्रतिष्ठित व्यक्ति से लेकर नीचे से नीचे व्यक्ति, सभी के परिश्रम को सम्मिलित किया जाता है। एक व्यावसायिक या कार्य उसी प्रकार श्रम है जैसे कि मेज़तार का कार्य।

(३) प्रो० निकलसन—“श्रम शब्द में हमें प्रत्येक प्रकार की ऊँची से ऊँची व्यावसायिक निपुणता तथा अनिपुण श्रमिकों तथा कारीगरों के परिश्रम को सम्मिलित करना पड़ता है। अब हमें न केवल उन व्यक्तियों के परिश्रम को सम्मिलित करना चाहिये जो व्यव-

1 “Labour connotes all human effort, of body or mind, which is undertaken in the expectation of reward.”—Thomas.

2 “... any exertion of mind or body undertaken partly or wholly with a view to some good other than the pleasure derived directly from the work.”—Jevons quoted by Marshall : *Principles of Economics*, p. 65

साथों में लगे हुए हैं, बल्कि उन व्यक्तियों के परिश्रम को भी सम्मिलित करना चाहिये जो शिक्षा, ललित कलाओं, साहित्य, विज्ञान, न्याय, शासन और अनेक प्रकार की सरकारी सेवाओं में लगे हैं और साथ ही न केवल उस परिश्रम को, जिसके फलस्वरूप कोई स्थायी उत्पत्ति होती है, बल्कि उस परिश्रम को भी, जो कि उत्पत्ति-कार्य करते हुए ही विनष्ट हो जाती है, सम्मिलित करना चाहिए।”

इन परिभाषाओं से श्रम की निम्न महत्त्वपूर्ण विशेषताओं का पता चलता है, (i) श्रम में केवल मनुष्य के परिश्रम ही को सम्मिलित किया जाता है। पशु और मशिनों भी परिश्रम करते हैं, परन्तु उसे अर्थशास्त्र में श्रम नहीं कहा जाता है। (ii) सभी प्रकार के मानव परिश्रम को श्रम कहा जाता है, चाहे उसका सम्बन्ध शरीर से हो या मस्तिष्क से और चाहे उसके फलस्वरूप किसी मूर्त वस्तु का निर्माण हो अथवा अमूर्त सेवा का। (iii) सभी प्रकार का मानवीय परिश्रम श्रम नहीं कहलाता। यह आवश्यक है कि इस परिश्रम का उद्देश्य आर्थिक अथवा लाभ की आशा हो।

उक्त आधार पर हम श्रम को वह मानव परिश्रम कह सकते हैं जो उत्पत्ति करने के उद्देश्य से किया गया हो। इस विषय में यह जानना आवश्यक है कि वास्तव में उत्पत्ति का होना भी आवश्यक नहीं है। इतना ही पर्याप्त है कि उद्देश्य उत्पत्ति करना होना चाहिए। बहुत बार हमारा परिश्रम निष्फल जाता है, यद्यपि हम उसे सफल बनाना चाहते थे। ऐसा परिश्रम भी आर्थिक अर्थ में श्रम ही होगा। एक वैज्ञानिक किसी नये आविष्कार के लिए वर्षों प्रयत्न करने पर भी असफल रह सकता है। उसका परिश्रम भी, यद्यपि वह अनुत्पादक है, श्रम ही कहा जायगा।

उत्पादक और अनुत्पादक श्रम

(Productive and Unproductive Labour)

‘उत्पादक’ शब्द के विषय में मतभेद—

लम्बे काल से अर्थशास्त्री उत्पादक और अनुत्पादक श्रम में भेद करते आये हैं। आरम्भ में ‘उत्पादक’ शब्द के संकुचित अर्थ लगाये गये थे।

(१) प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों (Physiocrats) का विचार था कि केवल, वही श्रम उत्पादक है जो उन उत्पादक कार्यों में लगा हुआ है जहाँ प्रकृति मनुष्य के कार्य में सहायक है। उनके विचार में केवल कृषि और खनिज उद्योग ही उत्पादक कार्य थे। व्यापार और निर्माण उद्योगों में मनुष्य प्रकृति से अलग रहना है, इसलिए कृषि, खान उद्योग तथा मछली उद्योग के अनिश्चित अन्य उद्योगों में लगा हुआ श्रम अनुत्पादक है। बात यह थी कि प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार कृषि आदि उद्योगों में प्रकृति की सहायता और दयालुता के कारण मानव प्रयत्न से अधिक उत्पत्ति होती थी, जबकि अन्य उद्योगों में ऐसी बात नहीं थी।

(२) एडम स्मिथ ने इस विचार में थोड़ा संशोधन किया। उनके विचार में कृषि और निर्माण उद्योग दोनों में लगे हुए श्रमिक उत्पादक थे। स्मिथ का विचार था कि वह श्रम जिसके द्वारा किसी मूर्त (Tangible) वस्तु का निर्माण होता है, उत्पादक श्रम है, और जिस श्रम के फलस्वरूप अमूर्त वस्तुयें (Immaterial Commodities) उत्पन्न होती हैं, वह ‘अनुत्पादक’। इस प्रकार अन्न, वस्त्र, भोज इत्यादि उत्पन्न करने वाले श्रमिकों का श्रम उत्पादक होगा, परन्तु एक वकील, डाक्टर अथवा अध्यापक का श्रम अनुत्पादक, क्योंकि उसके फलस्वरूप अमूर्त वस्तुयें उत्पन्न होती हैं।

(३) आधुनिक अर्थशास्त्री प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों और एडम स्मिथ के विचारों से सहमत नहीं हैं। उत्पत्ति का अर्थ किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करने से होता है। यह उपयोगिता की वृद्धि किसी मूर्त वस्तु में भी हो सकती है और अमूर्त वस्तु में भी। दोनों ही

दशाओं में यह उत्पत्ति बहुलायेगी और जिस श्रम के फलस्वरूप यह सम्पन्न हुई है उसे उत्पादक श्रम ही कहा जायगा। अनुत्पादक श्रम तो वह श्रम होगा जो उपयोगिता में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं कर सकता है, अर्थात् जो नष्ट हो जाता है। उदाहरणस्वरूप, यदि एक व्यक्ति लोगों के परिश्रम से एक मशीन बनाता है, जो चलते ही टूट जाती है तो उसका श्रम अनुत्पादक ही कहा जायेगा। टॉजिंग ने ठीक ही कहा है कि, "क्योंकि उत्पत्ति की प्रमुख विशेषता यही है कि उससे सन्तोष और उपयोगिता प्राप्त होती है, इसीलिए कोई भी श्रम, जिसके फलस्वरूप उपयोगिता प्राप्त होती है, उत्पादक श्रम होगा।" इस प्रकार टॉजिंग के अनुसार, किसान, उद्योग-पति, बकीस, डाक्टर, व्यापारी और गावक सभी का श्रम उत्पादक है; किन्तु चोर, ठग तथा समाज-शोषक (Parasites), जो स्वयं कुछ नहीं करते, बल्कि दूसरों के परिश्रम पर निर्भर रहते हैं, "अनुत्पादक श्रमिक" हैं।

(४) मार्शल का भी यही विचार है। उनके विचार में सभी प्रकार का श्रम उत्पादक है, केवल वह श्रम उत्पादक नहीं होगा जो उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाता है, जिसके लिए वह किया गया था, अर्थात् जो उपयोगिता की वृद्धि करने में असमर्थ रहता है। इस प्रकार केवल वह श्रम अनुत्पादक है जो उत्पत्ति करने के उद्देश्य से तो किया गया था, परन्तु जिसके फलस्वरूप उत्पत्ति नहीं हो पाती है।

(५) प्रो० टोमस 'उपयोगिता सृजन' के वजाय मूल्य-सृजन का प्रयोग श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार अनेक वस्तुओं में उपयोगिता तो बढ़त हो सकती है, लेकिन मूल्य का अभाव होता है। अतः यही श्रम उत्पादक है जो कि मूल्य का सृजन करता है। स्मरण रहे यदि श्रम का उद्देश्य मूल्य का सृजन करना है किन्तु वह ऐसा न कर सके, तो ऐसा श्रम, प्रो० टोमस के अनुसार, तब ही उत्पादक बहुलायेगा जबकि इसके लिए पुरस्कार मिले। उदाहरणार्थ, जब पनामा नहर पहली बार बनाई गई, तो पनामा नहर ठीक न बन सकी थी और उसे दुबारा बनाना पडा था। यहाँ श्रम का उद्देश्य असफल हुआ किन्तु क्योंकि श्रमिकों को श्रम से फायदा प्राप्त हुई थी इसलिए ऐसे श्रम को 'उत्पादक' कहेगे।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार विभिन्न प्रकार की सेवायें जिनके द्वारा मनुष्य फायदा प्राप्त करता है, उत्पादक श्रम के अन्तर्गत आती हैं।

श्रम की विशेषताएँ

(Peculiarities of Labour)

एक वस्तु के रूप में श्रम की कुछ ऐसी विशेषतायें हैं, जो उसे उत्पत्तिके अन्य साधनों से पृथक् कर देती हैं। श्रम की इन विशेषताओं का श्रम के पारितोषण (Remuneration) अथवा मजदूरी पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। प्रमुख विशेषतायें निम्न प्रकार हैं :—

(१) श्रम को श्रमिक से पृथक् नहीं किया जा सकता है। श्रम और श्रमिक दोनों साथ-साथ चलते हैं। श्रम को खरीदने वाला इसे अपनी इच्छा के अनुसार मनमाने स्थान पर नहीं ले जा सकता। कारण, श्रम के साथ-साथ श्रमिक भी जाता है। यही कारण है कि श्रमिक पर कार्य की प्रवृत्ति, स्वामी के व्यवहार और कार्य से मिलने वाले पारितोषण का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसी विशेषता के कारण श्रम की गतिशीलता भी घट जाती है। सम्भव है कि किसी स्थान पर मजदूरी अधिक होती हुए भी श्रमिक वहाँ न जाय।

(२) श्रम एक शीघ्र नाशवान सेवा है। श्रम का संचय करके रखना सम्भव नहीं है। मसाल में लगभग सभी वस्तुओं की कुछ न कुछ समय तक संचय करके रखा जा सकता है, परन्तु श्रम इनकी जल्दी नष्ट हो जाता है कि उसके संचय करने का प्रयत्न ही नहीं उठता। यदि हम एक दिन काम न करें, तो एक दिन का हमारा श्रम सदा के लिये नष्ट हो जाता है। इसी

विशेषता का यह परिणाम होता है कि श्रमिक अपना श्रम बेचने के लिये उत्सुक रहता है। उसके लिये प्रतीक्षा करना सम्भव नहीं होता। वह जिस कीमत पर हो सके, अपने श्रम को बेचने का प्रयत्न करेगा। सेवायोजक श्रम की इस विशेषता का लाभ उठाता है और श्रमिक को कम मजदूरी देने का प्रयत्न करता है। इसका श्रमिक के जीवन-स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ता है और श्रमिक को सेवायोजक से सौदा करने की शक्ति कम रहती है।

(३) श्रम की पूंति धीरे-धीरे बढ़ती है। श्रम की पूंति दो बातों पर निर्भर होती है। मात्रा की दृष्टि से तो यह जन-संख्या के आकार पर निर्भर होती है और गुणात्मक दृष्टि से यह श्रम की कार्य-कुशलता पर निर्भर होती है। जन-संख्या में परिवर्तन धीरे-धीरे होते हैं और ठीक इसी प्रकार कार्य-कुशलता भी धीरे-धीरे ही घटती-बढ़ती है। अतः साधारणतया श्रम की पूंति को बहुत वेग के साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। यदि पूंति को तेजी के साथ बढ़ाने की आवश्यकता पड़े, तो इसके दो ही उपाय होते हैं—या तो कार्यशील जन-संख्या को संख्या बढ़ाई जाये, अर्थात् कुल जन-संख्या के अधिक बड़े भाग को काम पर लगाया जाय, अथवा, प्रशिक्षण (Training) की सहायता से श्रमिकों की कार्य-कुशलता तेजी के साथ बढ़ाई जाय। श्रम की पूंति को एक दम कम कर देना भी सम्भव नहीं होता है। जन-संख्या केवल धीरे-धीरे ही घटाई जा सकती है और ठीक इसी प्रकार श्रमिकों की कार्य-कुशलता भी धीरे-धीरे घटती-बढ़ती है। पूंति में तेजी के साथ परिवर्तन न होने का एक कारण यह भी है कि श्रमिक की गतिशीलता कम होती है।

(४) श्रमिक अपना श्रम अथवा अपनी सेवा बेचता है, परन्तु स्वयं अपने गुणों का स्वामी बना रहता है। अन्य वस्तुओं की भांति श्रम के उत्पन्न करने की लागत एकदम वसूल नहीं हो जाती है, वह धीरे-धीरे प्राप्त होती है। परिणाम यह होता है कि श्रमिक की शिक्षा और उसके प्रशिक्षण पर जो कुछ व्यय किया जाता है वह सदा के लिये उसमें लग जाता है और व्यय करने वाले को इसका फल कम ही मात्रा में प्राप्त होता है। पुराने काल में, जबकि दासता की प्रथा थी, और श्रम और श्रमिक दोनों पर मालिक का अधिकार रहता था, तब शायद यह सम्भव था, परन्तु अब तो स्वामी को यह भय बना रहता है कि अधिक निपुण हो जाने पर श्रमिक अधिक मजदूरी माँगेगा अथवा काम छोड़कर दूसरे स्थान पर चला जायगा। इस विशेषता का परिणाम यह होता है कि सेवायोजक श्रमिकों की कार्य-कुशलता को बढ़ाने की ओर कम ध्यान देता है।

(५) श्रमिक को सौदा करने की शक्ति सेवायोजक की तुलना में कम होती है। इसका एक कारण यह है कि श्रम एक अति शीघ्र नाशवान वस्तु है, जिससे श्रमिकों को अपना श्रम तुरन्त बेचने पर बाध्य होना पड़ता है और वह श्रम का सचय करके उसकी पूंति को नहीं घटा सकता है। दूसरे, सेवायोजक की तुलना में श्रमिक की आर्थिक स्थिति अधिक बलहीन होती है, जिसका प्रमुख कारण श्रमिक की निर्धनता होती है। तीसरे, सङ्गठन की कमी, अशिक्षितता आदि के कारण श्रमिक का पक्ष निर्बल होता है। अतः, रोजगार पर सेवायोजक का अधिकार रहता है। वह उसे घटा-बढ़ाकर श्रमिकों की माँग और मजदूरियों में परिवर्तन कर सकता है।

(६) श्रम उत्पत्ति का सन्धिय साधन है। भूमि, पूँजी और साहस सभी निष्क्रिय साधन होते हैं। वे स्वयं काम को आरम्भ नहीं कर सकते। सभी साधनों को श्रम द्वारा काम पर लगाया जाता है। श्रम के बिना किसी भी प्रकार की उत्पत्ति सम्भव नहीं होती है। अपनी सन्धियता के कारण यह साधन दूसरे साधनों का उपयोग करके उत्पत्ति करने की अनुकूल दशाएँ उत्पन्न कर देता है। इस दृष्टि से श्रम उत्पत्ति का सबसे महत्त्वपूर्ण साधन है।

(७) श्रमिक एक ही साथ उत्पादक और उपभोक्ता दोनों होता है। यह विशेषता वास्तव में श्रम की विशेषता नहीं है, बल्कि श्रमिक की विशेषता है। किन्तु, क्योंकि श्रम को श्रमिक से भ्रमल करना सम्भव नहीं होता, इसलिए श्रम का उपयोग करते समय श्रमिक को उपभोक्ता के रूप

में भी ध्यान में रखा जाता है । अधिकान्श उत्पत्ति का अन्तिम उद्देश्य थमिकों के लिए उपयोग की वस्तुओं की व्यवस्था करना ही होता है ।

(८) थम भूमि और सङ्गठन की तुलना में अधिकगतिशील होता है । इसमें तो सन्देह नहीं है कि पूँजी और साहस की तुलना में थम की गतिशीलता कम है, परन्तु उत्पत्ति के अन्य साधनों की तुलना में वह अधिक होती है ।

(९) थम का पुरस्कार उसकी पूँति को साधारण ढङ्ग में प्रभावित नहीं करता । साधारणतः वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूँति बढ़ जाती है किन्तु मजदूरी बढ़ने पर थम की पूँति बढ़ना अनिवार्य नहीं है क्योंकि एक सीमा से अधिक पुरस्कार मिलने की दशा में थमिक धाराम की अधिकपसन्द करेंगे, काम (थम) को कम । इसके विपरीत, एक सीमा से नीचे मजदूरी घटने पर थमिकों के लिये अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करना कठिन हो जाता है, जिस कारण वे अधिक थम करने के लिए प्रेरित होते हैं । इस प्रकार, जबकि वस्तु की कीमत घटने पर उसकी पूँति घट जाती है, थम की कीमत (मजदूरी) घटने पर थम की पूँति घटना अनिवार्य नहीं है और वह प्रायः बढ़ जाती है ।

(१०) थम एक साधारण वस्तु की भाँति लगातार सेवा प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि थमिक एक सजीव प्राणी है, जिसे बीच-बीच में मनोरंजन, धाराम, भोजन इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है ।

(११) थम में बुद्धि और तर्क व निर्याय शक्ति होती है, क्योंकि थमिक मनुष्य होता है और किसी भी कार्य में उसके लिए बुद्धि या निर्यायशक्ति प्रयोग करना स्वाभाविक है । यद्यार्थ में इन्हीं लक्षणों के आधार पर थम को अन्य उत्पत्ति साधनों से पृथक् किया जा सकता है ।

क्या थम की विशेषतायें मौलिक हैं ?

ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि थम की जो विशेषतायें ऊपर बताई गई हैं वे मौलिक नहीं हैं, बल्कि उन्हें वास्तव में बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया है । कारण :—(i) वास्तविकता यह है कि उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के बीच प्रतिस्थापन हो सकता है । एक अंश तक एक साधन के स्थान पर दूसरे का उपयोग सम्भव होता है । (ii) प्रत्येक साधन का स्वामी भी अन्तिम दशा में कोई न कोई मनुष्य ही होता है और इस प्रकार साधन को मनुष्य (उसके स्वामी) से अलग करना कठिन होता है । (iii) उत्पत्ति के अन्य साधनों में भी गतिशीलता पाई जाती है, अन्तर केवल अंश का होना है, अर्थात् किसी साधन की गतिशीलता किसी निश्चित दाल में कम होती है और किसी की अधिक । (iv) ठीक यही बात अन्य विशेषताओं के विषय में भी कही जा सकती है । किंचित् थम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसका शीघ्र नाशवान होने का गुण ही है । आर्थिक सिद्धान्त में थम की विशेषताओं का महत्त्व—

थम की विशेषताओं का आर्थिक सिद्धान्त में बहुत महत्त्व है, जिसका अनुमान निम्न विवरण से लगाया जा सकता है :—(अ) जबकि एक वस्तु के लिए माँग उसकी प्रत्यक्ष उपयोगिता के कारण की जाती है, थम के लिए माँग उसकी उत्पादकता के कारण होती है । (ब) थम की पूँति को शीघ्रता से घटाना-बढ़ाना सम्भव नहीं है और थम अत्यन्त नाशवान व दुर्बल होता है, जिसका परिणाम यह होता है कि मालिक या उद्योगपति थमिकों का शोषण करते हैं । इससे बचने के लिए थमिक अपने आपको थमिक सङ्घों में संगठित करते हैं और इनकी सहायता से अच्छी शर्तें प्राप्त करने में सफल भी होते हैं । चूँकि थम की पूँति को शीघ्रता से घटाया-बढ़ाया नहीं जा सकता इसलिए उनकी मजदूरी के निर्धारण पर माँग का प्रभाव अधिक पड़ता है । (ग) थम एक जीव है, जिस कारण उसके साथ निर्जीव वस्तुओं की भाँति व्यवहार नहीं किया जा सकता । उसके कल्याण आदि के लिए सरकार को नियम व व्यवस्थायें बनानी पड़नी

हैं। (द) चूँकि श्रम को श्रमिक से पृथक् नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे कार्य, आराम, मनोरंजन आदि की सुविधाये देना आवश्यक है। (य) श्रम में मानवीय तत्व की उपस्थिति के कारण ही मजदूरी ऊँची हो जाने पर भी श्रम कभी-कभी कम घण्टे कार्य करना पसन्द करता है जिससे वह सुखी जीवन बिता सके। श्रम की विशेषताओं के प्रभावों को दृष्टिगत रखते हुये यह आवश्यक हो गया है कि इनके लिए अलग सिद्धान्त बनाये।

नया श्रम के साथ एक वस्तु की भाँति व्यवहार कर सकते हैं ?

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने श्रम को एक वस्तु की भाँति माना था और तद्नुसार वे उसका मूल्य भी माँग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा नियंत्रित करने पर बल देते थे। लेकिन उनही यह धारणा ठीक नहीं है अर्थात् श्रम के साथ एक वस्तु की भाँति व्यवहार नहीं किया जा सकता, जिसके निम्नांकित कारण हैं—(१) वस्तु निर्जीव होती है किन्तु श्रम जीव होता है। श्रम वस्तु विभेदा अपनी वस्तु को देखने के बाद यह चिन्ता नहीं करता कि उसकी वस्तु का क्या होगा। किन्तु एक श्रमिक को अपने श्रम के सदुपयोग की चिन्ता रहती है क्योंकि इसके साथ सम्बन्ध उपस्थित रहता है। (२) जबकि वस्तु की पूर्ति को बढ़ाया-घटाया जा सकता है, तब श्रम की पूर्ति को बढ़ाना-घटाना सहज नहीं होता और उसमें लम्बा समय लगता है। (३) कुछ वस्तुओं को दूसरी वस्तुओं से प्रतिस्थापित किया जा सकता है किन्तु श्रमिकों को अन्य वस्तुओं या मशीनों से सहज ही या अल्पकाल में प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। यदि श्रमिकों को मशीन से प्रतिस्थापित करना है, तो इसके लिए पहले बेरोजगार होने वाले श्रमिकों के लिए नये रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। (४) वस्तु में अपनी कोई भावना नहीं होती है किन्तु श्रम में होती है, जिस कारण वह अपना जीवन-स्तर उठाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। (५) वस्तुओं में श्रम की अपेक्षा अधिक गतिशीलता होती है। (६) वस्तुओं को दीर्घकाल तक सवय कर सकते हैं किन्तु श्रम को नहीं, क्योंकि यह नाशवान है।

इस प्रकार, श्रम से एक वस्तु की भाँति व्यवहार नहीं किया जा सकता है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि श्रम के मूल्य निर्धारण के लिए कोई पृथक् सिद्धान्त बनाना होगा। यद्यपि, श्रम की विशेषताये मजदूरी के निर्धारण में सरकार के हस्तक्षेप को आवश्यक बनाती हैं।

श्रम की कार्य-कुशलता (The Efficiency of Labour)

श्रम की कार्यकुशलता से आशय—

कार्य-कुशलता का अर्थ काम करने की शक्ति अथवा उत्पादन-क्षमता से होता है। कार्य-कुशलता के दो पक्ष होते हैं :—(i) परिमाणवाचक पक्ष (Quantitative Aspect) और (ii) गुणात्मक पक्ष (Qualitative Aspect)। इस सम्बन्ध में यह जानना आवश्यक है कि कार्य-कुशलता सदैव तुलनात्मक होती है। दो व्यक्तियों की कार्य-शक्ति की तुलना करते ही हम यह कह सकते हैं कि उनमें से कौन अधिक कुशल है और कौन कम कुशल। यदि अन्य बातें समान रहते हुए एक श्रमिक एक निश्चित समय में दूसरे श्रमिक से अधिक काम करता है, तो वह अधिक कुशल होगा। इसी प्रकार, यदि दो श्रमिकों का काम मात्रा में बराबर है, परन्तु एक का काम दूसरे से उत्तम है, तो अच्छा काम करने वाला श्रमिक अधिक कुशल होगा। इस प्रकार, दो व्यक्तियों की कार्य-कुशलता की तुलना करते समय हमें तीन बातों को ध्यान में रखना चाहिए—(i) कार्य की दशाएँ, सुविधाएँ और समय-अवधि, (ii) काम करने की मात्रा और (iii) काम की उत्तमता।

कार्य-कुशलता की तुलना एक अन्य प्रकार से भी की जा सकती है। उपरोक्त विवेचन

में हमने कार्य के आधार पर कुशलता की तुलना की थी। परन्तु अर्थशास्त्र में सभी तथ्यों को मुद्रा में नापा जाता है, अतएव कार्य-कुशलता की तुलना भी मुद्रा की माप के आधार पर करना अधिक अच्छा होगा। एव सेवायोजक की दृष्टि में यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि श्रमिक कितना और किस विस्म का काम करता है। उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण यह देखना होगा कि एक श्रमिक को काम पर लगाने का उसके उत्पादन ध्यम (Cost of Production) पर क्या प्रभाव पड़ता है। अधिक सरल शब्दों में, हम यह कह सकते हैं कि एक सेवायोजक का हित केवल इसे देखने में है कि सब बातों को ध्यान में रखते हुए कौनसा श्रमिक महंगा है और कौनसा श्रमिक सस्ता।

एक उदाहरण द्वारा यह बात स्पष्ट की जा सकती है। मान लीजिए कि एक व्यवसायी दो कारीगरों को काम पर रखता है, जिनमें से एक दो जोड़ी जूते रोजाना बनाना है और दूसरा तीन जोड़ी जूते। यह निश्चय है कि दूसरे श्रमिक को अधिक कुशल कहा जायगा, क्योंकि वह अधिक काम करता है। परन्तु यदि पहले श्रमिक को दो रुपये प्रति दिन मजदूरी दी जाती है और दूसरे को ३ रुपये ३० पैसे, तो प्रति जोड़ा जूता उत्पादन-व्यय पहले का केवल १ ६० होगा और दूसरे का १ रुपये १५ पैसे। इस दशा में मालिक की दृष्टि से पहला श्रमिक अधिक कुशल होगा, यद्यपि उसका उत्पादन कम है। अतएव कुशलता को मुद्रा में नापना अधिक उपयुक्त हो सकता है। एक सेवायोजक की दृष्टि से कार्य-कुशलता की सही माप यही है।

श्रमिक की कार्यकुशलता को प्रभावित करने वाली बातें—

पेंसन के अनुसार, "श्रम की कार्य-कुशलता प्रांशिक रूप में सेवायोजक पर और प्रांशिक रूप में श्रमिक पर, कुछ भ्रम तक संगठन पर और कुछ भ्रम तक व्यक्तिगत प्रयत्न पर, कुछ भ्रम तक उन शोजारों और मशीनों पर जिनसे श्रमिक काम करते हैं और कुछ भ्रम तक श्रमिक की अपनी निपुणता और उसके अपने परिश्रम पर निर्भर होती है।" उद्योग की भीतरी और बाहरी दोनों ही प्रकार की दशाओं का श्रमिक की कुशलता पर प्रभाव पड़ता है। सुविधा के लिए कार्य-कुशलता पर प्रभाव डालने वाली बातों का निम्न प्रकार वर्गीकरण किया जा सकता है :—

(1) श्रमिक का जीवन-स्तर—श्रमिक की कार्य-कुशलता एक बड़े भ्रम तक उसके जीवन-स्तर पर निर्भर होती है। श्रमिक को आवश्यक, प्रारामदायक और विलास की वस्तुएँ कितनी मात्रा में मिलती हैं, इस बात का उसकी काम करने की शक्ति और काम करने की इच्छा दोनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यदि श्रमिक की पर्याप्त और पीठिक भोजन मिलता है, अच्छे कपड़े प्राप्त होते हैं और अच्छा मनान उपलब्ध है तो उसकी कार्य-कुशलता ऊँची होगी। इसी प्रकार, विलास-वस्तुओं का उपयोग हमारे कार्य-उत्साह को बढ़ाना है। यदि श्रमिक को भर-पेट भोजन नहीं मिले तथा उसे गन्दे और अस्वस्थ मकानों में रहना पड़े, तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जायगा और उसकी कार्य-कुशलता घट जायगी।

किन्तु स्वयं जीवन-स्तर अनेक बातों पर निर्भर होता है। मुख्यतया वह मजदूरी की दर, मजदूरी के रूप, व्यय करने की रीति और कीमत-स्तर (Price level) पर निर्भर होता है। साधारणतया मजदूरी की वृद्धि जीवन-स्तर को ऊँचा उठा देती है। श्रमिकों के जीवन-स्तर को ऊँचा करके उनकी कार्य-कुशलता को बढ़ाने की सबसे उपयुक्त रीति मजदूरियों में वृद्धि करना ही है।

निस्संदेह मजदूरी और जीवन-स्तर की उन्नति कार्य-कुशलता को साधारणतया बढ़ा देती है, परन्तु यह समझना भूल होगी कि जीवन-स्तर को जितना ही ऊँचा उठाया जायगा

उतनी ही कार्य-कुशलता भी बराबर बढ़ती जायगी। हास नियम यहाँ पर भी लागू होता है। बढन ही नीचे जीवन-स्तर को ऊपर उठाने की दशा में कार्य-कुशलता बहुत तेजी के साथ बढ़ सकती है। परन्तु जब जीवन-स्तर एक निश्चित बिन्दु तक पहुँच जाता है, तो कार्य-कुशलता जीवन-स्तर की उन्नति की तुलना में कम तेजी से बढ़ने लगती है। अन्त में यह भी सम्भव है कि यदि जीवन-स्तर बढन ही ऊँचा चला जाता है, तो जीवन इतना विलासपूर्ण हो सकता है कि कार्य-कुशलता उल्टी घट जाय। किन्तु समाज के अधिकांश व्यक्तियों का जीवन-स्तर इस बिन्दु तक नहीं पहुँच पाता है, इसलिए जीवन-स्तर को ऊँचा उठाकर कार्य-कुशलता में वृद्धि करने की सम्भावना साधारणतया शेष ही रहती है।

भारतीय श्रमिकों की नीची कार्य-कुशलता का प्रमुख कारण नीची मजदूरी और नीचा जीवन-स्तर ही है। हमारे देश के मजदूर अस्वस्थ मकानों और गन्दे वस्तियों में रहते हैं। उन्हें विश्राम, थकावट को दूर करने और पीष्टिक भोजन प्राप्त करने का अवसर कम मिलता है। ऐसे श्रमिकों से ऊँची कार्य-कुशलता की आशा निर्मूल होती। बढन चार कुछ मिल-मालिकों की ओर से यह नर्क रखा जाता है कि भारतीय मजदूरों को ऊँची मजदूरी देना इसलिए सम्भव नहीं है कि उनकी कार्य-कुशलता कम है और उन्हें ऊँची मजदूरी देने का परिणाम यह होगा कि मालिक को घाटा होगा, जिससे उत्पत्ति का संकुचन होगा और अन्त में रोजगार घटेगा। इस सम्बन्ध में यह कहना कठिन है कि नीची मजदूरी नीची कार्य-कुशलता का कारण है या नीची कार्य-कुशलता के कारण ही मजदूरी नीची रहती है। इतना हम अवश्य कह सकते हैं कि अधिकांश दशाओं में, जहाँ मजदूरियाँ बढ़ाई गई हैं, श्रमिकों की कार्य-कुशलता भी बढ़ी है।

(11) कार्य की दशाएँ—इस शीर्षक में हम अनेक बातों को सम्मिलित करते हैं, जैसे—कार्य करने के घण्टे (Hours of work), कार्य-स्थान की दशा, मालिक का व्यवहार, श्रमिक की स्वतन्त्रता तथा फैक्ट्री के भीतर की सामान्य दशाएँ। इनका विस्तृत अध्ययन निम्न प्रकार है—

(१) कार्य के घण्टे—बहुत से मिल-मालिक ऐसा समझते हैं कि श्रमिकों से प्रति-दिन जितने ही अधिक समय तक काम लिया जायगा, उतना ही काम अधिक होगा। यह धारणा बहुत सही नहीं है। प्रत्येक मनुष्य की शारीरिक और मानसिक शक्ति सीमित होती है। अधिक समय तक काम करने से थकावट आती है जिससे न केवल काम में गिरिलता आ जाती है, बल्कि काम भी अच्छा नहीं हो पाता है। दीर्घकाल में लम्बे समय तक काम करने के फलस्वरूप स्वास्थ्य और कार्य-कुशलता दोनों चौपट हो जाते हैं। धाराम करने से थकावट दूर ही जाती है और खोई हुई कार्य-शक्ति फिर से लौट आती है। पश्चिम के उन्नतिशील देशों की प्रवृत्ति काम के घण्टों को बराबर घटाने और विश्राम की अवधि को बढ़ाने की ओर रही।

(२) कार्य-स्थान की दशा—श्रमिक जिस स्थान पर काम करना है, उसकी दशा का भी उसकी कार्य-कुशलता पर अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि कार्य-स्थान स्वच्छ, स्वस्थ और हवादार है तथा उममें गर्मी और सर्दी से बचने का अच्छा प्रबन्ध है, तो श्रमिक की कुशलता घट जायगी। बारखाते के भीतर का वगतावरण जितना ही अनुकूल और रबिकर होगा उतनी ही कार्य-कुशलता अधिक होगी। भारत में बहुत से कारखानों में श्रमिकों को खुले में काम करना पड़ता है, अथवा टीन के छपर डाल दिये जाते हैं। गर्मी और सर्दी के विरुद्ध किसी प्रकार की रोक नहीं की जाती है और सर्काई का भी कोई अच्छा प्रबन्ध नहीं होता है। इससे एक ओर तो व्यावसायिक बीमारियाँ फैलती हैं और दूसरी ओर श्रमिकों की कुशलता घट जाती है।

(३) मालिक का व्यवहार—यदि मालिक सहानुभूति के साथ व्यवहार करे और श्रमिकों के कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करे, तो इससे काम करने वाले अधिक प्रसन्न, सन्तुष्ट

और उत्तरदायी रहेंगे। यदि मालिक का व्यवहार बुरा है, तो उसे श्रमिकों का सहयोग प्राप्त न हो सकेगा। इसी प्रकार, यदि मालिक श्रमिकों के साथ बान-बात पर विगड़ता है और छोटी-छोटी बातों पर मजदूरी काट लेने या श्रमिक का रोजगार छीन लेने की धमकी देता है, तो श्रमिक प्रवृत्त काम न करेंगे। मालिक और श्रमिक के अच्छे सम्बन्ध ही औद्योगिक शांति (Industrial Peace) की एनमात्र गारन्टी होते हैं।

(४) श्रमिक की स्वतन्त्रता—कार्य-कुशलता शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार के कारकों पर निर्भर होती है। यदि श्रमिक की स्वतन्त्रता नहीं है, तो उसे कार्य के प्रति उत्साह ही जायगी। वह मन से कार्य नहीं करेगा, जिसका उसकी कुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। दासता के अन्तर्गत श्रमिक से कुशलता की प्रतीक्षा निर्भ्रं है। इसी प्रकार, जब श्रमिक को कार्य करने पर मजबूर किया जाता है, तो वह कुशल कार्यकर्ता नहीं रह पाता। कुशलता की वृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि उसकी रुचि और स्वतन्त्रता का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाय।¹

(५) फैक्टरी के भीतर की सामान्य बातें—कुशलता इस बात पर भी निर्भर होती है कि फैक्टरी के भीतर का सामान्य वातावरण कैसा है, किस प्रकार की मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, श्रम-विभाजन (Division of Labour) किना और किस प्रकार का है तथा श्रमिक और मालिक के सम्बन्ध कैसे हैं? यदि नशीन प्रकार की गुरुत्वात्मक मशीनों का उपयोग किया जाता है, श्रम-विभाजन द्वारा प्रत्येक श्रमिक को उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार काम दिया जाता है तथा मजदूर और मालिक के सम्बन्ध अच्छे हैं, तो कार्य-कुशलता बढ़ी होगी।

(II) शिक्षा और प्रशिक्षण—श्रमिकों की कार्य-कुशलता उनकी शिक्षा और उनके प्रशिक्षण पर भी निर्भर होती है। शिक्षा दो प्रकार की होती है—(१) सामान्य (General) और (२) व्यावसायिक (Professional)। दोनों ही प्रकार की शिक्षा की वृद्धि श्रमिक की कार्य-कुशलता को बढ़ाती है।

सामान्य शिक्षा से श्रमिक के ज्ञान में वृद्धि होती है, जिससे उसके लिए किसी काम को सीखा लेना सरल हो जाता है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा मनुष्य में नैतिकता, उत्तरदायित्व और सोच-समझ कर काम करने के गुण उत्पन्न करती है। योग्य और चतुर हो जाने के बाद श्रमिक अधिक मात्रा में तथा अधिक उत्तरदायित्व के साथ काम करने लगता है।² व्यावसायिक शिक्षा ध्येय प्रशिक्षण प्रत्यक्ष रूप में श्रमिक की कुशलता को बढ़ाता है, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा श्रमिक को उसके काम में अधिक दक्षता और निपुणता प्रदान कर देती है।

शिक्षा का प्रभाव एक दूसरी रीति से भी पड़ता है। एक शिक्षित श्रमिक ऊँचे जीवन स्तर के महत्त्व को समझो लगता है। वह धरने जीवन स्तर को ऊँचा करने के लिए

¹ "Give a man secure possession of a bleak rock and he will turn it into a garden."—Arthur Young.

² "The intelligent labourer is more useful than the unintelligent labourer (a) because he requires a far shorter apprenticeship (he can learn his trade in a half, a third or a quarter the time which the other requires), (b) because he can do his work with little or no superintendence; (c) because he is less wasteful of materials; and (d) because he readily learns to use machinery however delicate and intricate."—Walker.

अधिक परिश्रम करता है और जीवन-स्तर को ऊँचा करके अपनी कार्य-कुशलता को भी बढ़ा लेता है।

आधुनिक युग में, जहाँ उत्पत्ति में मशीनों का विस्तृत उपयोग होता है, व्यावसायिक शिक्षा और शिल्प शिक्षा (Technical Education) का महत्त्व और भी बढ़ गया है। श्रमिक को थोड़े-थोड़े समय के पश्चात् नई-नई मशीनों और उनके उपयोग के बारे में सीखना पड़ता है। सब बात तो यह है कि आधुनिक जगत में औद्योगिक कार्यों को इतना वैज्ञानिक बना दिया गया है कि व्यावसायिक शिक्षा लगभग आवश्यक हो गई है। भारतीय मिल-मालिकों ने भी धीरे-धीरे शिक्षा के महत्त्व को समझ लिया है तथा वे भी श्रमिकों की सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा की ओर ध्यान देने लगे हैं। वर्तमान युग में श्रमिकों की शिक्षा का प्रबन्ध औद्योगिक नीति का एक आवश्यक अङ्ग माना जाता है।

(IV) जातीय और वंशगत गुण—श्रमिक की कुशलता पर उसकी जाति (Race) और उसके वंश का भी प्रभाव पड़ता है। ससार में कुछ जातियाँ ऐसी हैं कि उनके सदस्य अधिक स्वस्थ और परिश्रमी होते हैं। कुछ जातियों में शारीरिक श्रम या मानसिक परिश्रम की परम्परा भी अधिक होती है। उदाहरणस्वरूप, हमारे देश में पहाड़ी लोग अधिक हृष्ट-पुष्ट और परिश्रमी होते हैं। इसी प्रकार पंजाबी लोग बंगाली लोगों की तुलना में अधिक स्वस्थ और परिश्रमी होते हैं और कुछ जातियाँ बुद्धि में अधिक तेज हैं।

वंश का भी कार्य-कुशलता पर प्रभाव पड़ता है। हम जिस वातावरण में पलते हैं, जैसे लोगों के साथ रहते हैं और आरम्भ में जैसा दूसरों को करते हुए देखते हैं, वैसे ही गुण स्वयं हम में भी उत्पन्न होने लगते हैं। परिश्रमी माँ-बाप के बच्चे आरम्भ से ही परिश्रम के महत्त्व को समझने लगते हैं। इसके अतिरिक्त, जातिगत रीति-रिवाजों, परम्पराओं और सामाजिक जीवन का भी कार्य-कुशलता पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। ससार में विभिन्न भागों में एक ही व्यवसाय में श्रमिकों की उत्पादन शक्ति के विशाल अन्तरों का कारण जातिगत और वंशगत गुणों का अन्तर भी है।

इस सम्बन्ध में इतना जान लेना आवश्यक है कि यद्यपि जाति और वंश का प्रभाव भी कार्य-कुशलता पर पड़ता है। परन्तु इसको अधिक महत्त्व देना उचित न होगा। यह आवश्यक नहीं है कि एक जाति में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति किसी एक काम को दूसरी जाति में उत्पन्न होने वाले श्रमिक की तुलना में अधिक कुशलता श्रम या योग्यता के साथ करे। इसमें तो सन्देह नहीं कि वातावरण का महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, परन्तु वातावरण में परिवर्तन किये जा सकते हैं। रूस का अनुभव भी यही है।

(V) जलवायु—जलवायु का भी मनुष्य के जीवन और उसकी कार्य-शक्ति पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है, जो निम्न प्रकार है—(i) जलवायु ही यह निश्चित करती है कि मनुष्य का आहार क्या होगा और क्षेत्र विशेष में किस वस्तु की उत्पत्ति होगी। (ii) जलवायु ही यह निश्चित करती है कि काम करने से कितनी बकावट होगी। जिन देशों की जलवायु अधिक उष्ण होती है, वहाँ शारीरिक और मानसिक थकान शीघ्र आ जाती है।¹ हमारा अनुभव भी हमें

¹ "Upto the present time a tropical climate has been fatal to the best energies of races, however vigorous. It has not indeed extinguished either the subtlety of their thinkers or the physical strength which the workers can exert for short periods; but it has been hostile to the power of undergoing severe continuous strain of mind and body."—Marshall. *Industry and Trade*, p. 61.

द्वाना है कि गर्मी को चुनना में द्रम जाटो में अधिक समय तक कार्य कर सकते हैं। (iii) जाडों की ऋतु में भूरा भी अच्छी लगती है और खाना भी भली-भाँति पच जाता है। इससे शरीर में स्फूर्ति रहती है और कार्य-कुशलता बढ़ती है। (iv) इगबे अतिरिक्त गर्म देशों में थोड़ी सी ही मेहनत से जीवन की आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न की जा सकती हैं। इसका कारण यह है कि एक और तो आवश्यकता ही कम होनी है और दूसरे प्रकृति अधिक उदार होती है। परिणामतः दीर्घकाल में मनुष्य आरामी हो जाता है। (v) गर्म देशों में गन्तान-उत्पत्ति भी अधिक होती है, जिसका अर्थों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उनकी कार्य-कुशलता घट जाती है। (vi) कुछ उद्योगों में तो जलवायु का महत्त्व बहुत ही अधिक है। सूनी बपटा उद्योग के लिए नम (Damp) जलवायु आवश्यक होती है। सूनी जलवायु में सूत्र के धागे टूटते रहते हैं और कार्य-कुशलता कम हो जाती है।

भारतीय धर्मियों के विषय में बहुत ही यह कहा जाता है कि उसकी कार्य-कुशलता के कम होने का एक कारण देश की जलवायु भी है। यह कथन केवल प्रांतिक रूप में ही सही है। बहुत ही ऐसा देखने में आता है कि एक युरोपियन अथवा भारत में भी भारतीय मजदूर में अधिक काम करता है। इसका कारण शायद यह है कि युरोपियन पहले में ही अधिक परिश्रम करने का अभ्यस्त होना है और उसका जीवन-स्तर भी ऊँचा होता है। अतः यद्यपि जलवायु का अर्थिक की कार्य-कुशलता पर प्रभाव पड़ता है, परन्तु यह प्रभाव अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं होता।

(VI) नैतिक गुण—अर्थिक की कार्य-कुशलता उसके चरित्र पर भी निर्भर होती है।

(i) यदि अर्थिक चरित्रवान, शिक्षित और धार्मिक विश्वासी है, उसमें निर्भयता, परिश्रमियों से न परगने का गुण है और वह अपने उत्तरदायित्व को समझता है, तो उसकी कार्य-कुशलता अधिक होगी। (ii) ऐसे अर्थिक के लिए देख-रेख की आवश्यकता नहीं रहती है। (iii) अर्थिक शोखार और माल का अधिक सावधानीपूर्वक उपयोग करता है तथा इस बात का प्रयत्न करता है कि मालिक के कार्य में कमी न होने दे। (iv) ऐसा अर्थिक कार्य से जी नहीं चुराता है। चरित्र मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है।

साधारणतया शिक्षा, सनुपदेश आदि द्वारा चरित्र को ऊँचा किया जा सकता है। परन्तु सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि अर्थिक की मजदूरी अच्छी हो, न्योक्ति निर्धनता चरित्र के विकास में बाधक होती है। भारतीय अर्थिक अशिक्षित है और साथ ही साथ निर्धन भी है। उससे उस समय तक नैतिक गुणों की प्राप्ति करना निश्चय होगा, जब तक कि शिक्षा तथा प्रगतिशील धर्म-नीति द्वारा उनकी नैतिकता का स्तर ऊँचा न किया जाय। मजदूर को सम्बुद्ध करने और उसके अनैतिक कार्य करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिये यह भी आवश्यक है कि मजदूरी पर्याप्त हो।

(VII) सामाजिक दायें—देश की सामाजिक दशाओं का भी अर्थिकों की कार्य-कुशलता पर प्रभाव पड़ता है। जाति प्रथा का प्रभाव यह होता है कि जन्म से ही वास्तव में वर्गगत काम की सीमा तैयार है न्योक्ति उस काम की सभी ऊँच-नीच उसे वर्गगत अनुभव के आधार पर जान होती है। इससे कुशलता के बढ़ने की सम्भावना होती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जाति-प्रथा सदा ही अच्छी होती है। इस प्रथा का बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ता है। कारण, जाति प्रथा एक व्यक्ति के लिए व्यवहार के चुनाव की स्वतन्त्रता को सीमित कर देती है। एक चर्म (Carpenter) के बच्चे को वही काम करना पड़ता है, चाहे वह काम अपनी योग्यता और निपुणता के अनुकूल हो या नहीं। इससे अधिक उत्पत्ति करने और कार्य-कुशलता बढ़ाने का उस्ताह समाप्त हो जाता है।

(VIII) धार्मिक कारण—धार्मिक कारणों का भी कार्य-कुशलता पर प्रभाव पड़ता

है। धार्मिक विचारधारा बहुत दूर व्यवसाय चुनने की स्वतन्त्रता को सीमित कर देती है। एक धर्म के अनुयायियों के लिए कुछ प्रकार के कार्य बर्जित हो सकते हैं। कुछ धर्मों के अनुसार तो यन्तान होना और जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना पाप होते हैं। हमारे देश में अन्य कारणों के साथ मिलकर धार्मिक भावनाओं ने भी कार्य-कुशलता को घटाया है।

(IX) राजनैतिक दशाएँ—श्रमिक की कार्य-कुशलता देश की राजनैतिक दशा पर भी निर्भर होती है। पराधीन देशों में श्रमिकों का कार्य-उत्साह मारा जाता है। वे निराशावादी हो जाते हैं, उनका नैतिक पतन होता है और वे अपना आत्म-विश्वास खो बैठते हैं। इसी प्रकार, यदि राजनैतिक वातावरण अमान्य है, तो राजनैतिक कारणों से हृदयार्थ होनी रहेंगी और श्रम की कुशलता घट जायगी। जब श्रमिक देश की सरकार को अपनी ही सरकार समझते हैं, तो वे अधिक उत्साह और परिश्रम के साथ कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त राजनीतिक अमान्य कार्य करने की उपयुक्त दशाएँ उत्पन्न नहीं होने देती हैं। अनिश्चितता प्रत्येक कार्य को नीरस बना देती है।

(X) उन्नति की आशा—श्रमिक की कुशलता इस बात पर भी निर्भर होती है कि मजदूरी में उसकी उन्नति के लिए कौसी आशा है। यदि हम ऐसा समझते हैं कि अच्छा काम करने से हमारी उन्नति हो जायगी, तो हमारा कार्य-उत्साह बढ़ जाता है और हम अधिक परिश्रम करने लगते हैं तथा अपना काम अधिक मन लगाकर करते हैं। जब अच्छे काम का कोई भी फल नहीं मिलता है, तो श्रमिक का कार्य-उत्साह मारा जाता है। इसी उद्देश्य से आधुनिक औद्योगिक जगत में श्रमिकों को लाभों में से हिस्से दिये जाते हैं और कुशलता अधिस्वामी (Efficiency Bonus) भाँटि दिये जाते हैं।

(XI) कार्य की प्रकृति—श्रमिक की कार्य-कुशलता उसके काम की प्रकृति पर भी निर्भर होती है। कुछ कार्य स्वभाव से नीरस अथवा अरुचिकर होते हैं, कुछ कार्य खतरनाक होते हैं और कुछ कार्यों में व्यक्तिगत उत्साह के लिए बहुत ही कम अवकाश रहता है। इसी प्रकार, यदि एक श्रमिक को सदा एक ही काम करना पड़ता है, तो काम धीरे-धीरे नीरस हो जाता है। इसके लिए कार्य की विभिन्नता का बना रहना आवश्यक हो जाता है।

(XII) प्रबन्धक की कुशलता—श्रमिक की कुशलता एक बड़े अंश तक इस बात पर भी निर्भर होती है कि किस प्रबन्धक के नीचे वह काम कर रहा है उसकी कुशलता कितनी है। उत्पत्ति की कुशलता के लिए यह आवश्यक है कि उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का सर्वोत्तम अनुपात में उपयोग किया जाय। किसी साधन का आवश्यकता से अधिक या कम उपयोग होने से उसकी कुशलता कम हो जाती है। साधारणतया एक अच्छा प्रबन्धक अकुशल श्रमिकों को भी कुशल बना देता है। श्रम-विभाजन बँसे किया जाय, जिस व्यक्ति को कौन-सा काम दिया जाय और फिर श्रमिकों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाय, ये सब निर्णय महत्वपूर्ण होते हैं। एक कुशल प्रबन्धक इन सब दिशाओं में सुधार करके श्रमिकों की कुशलता बढ़ा सकता है। इस प्रकार जितना ही प्रबन्ध योग्य, प्रगतिशील और सहानुभूतिपूर्ण होगा, उतनी ही श्रमिकों की कुशलता भी बढ़ जायगी। हमारे देश में विपुल और योग्य प्रबन्धकों की अधिक कमी है, इस लिए श्रमिकों की कुशलता कम रहती है।

(XIII) श्रम-संगठन अथवा श्रम-संघ प्राग्दोलन—श्रमिकों के संगठन का भी उसकी कार्य कुशलता पर प्रभाव पड़ता है। श्रम संघों (Trade Unions) के दो प्रमुख कार्य होते हैं :— (i) श्रम-संघ श्रमिकों के लिए अच्छी मजदूरी और कार्य की अच्छी दशाएँ प्राप्त करने के लिये निरन्तर सघर्ष करते रहते हैं। इन क्रियाओं का यह परिणाम होता है कि श्रमिकों की कार्य-कुशलता में वृद्धि होती है। (ii) श्रम-संघ श्रमिकों के लिये श्रम-बल्याण सेवामों (Labour

Welfare Service) चानू करते हैं। वे श्रमिकों की शिक्षा, उनके मनोरंजन और उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास की व्यवस्था करते हैं। इससे भौद्योगिक धनान घटती है और कार्य-कुशलता में वृद्धि हो जाती है।

(XIV) सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था—कार्य-कुशलता इस बात पर भी निर्भर होती है कि मजदूर को कितनी सामाजिक सुरक्षा प्राप्त है। दूसरे शब्दों में, हम यह देखना पड़ता है कि श्रमिक को बेरोजगारी, बीमारी और दुर्घटना के विरुद्ध क्या और कितना लाभ प्राप्त होता है। ऐसे लाभों के प्राप्त होने की दशा में श्रमिक निश्चित रहना है और उसके समुष्ट रहने के कारण उनकी कुशलता बढ़ जाती है।

(XV) श्रमिक की प्रादेशिक और व्यावसायिक गतिशीलता—श्रमिक की कार्य-कुशलता इस बात पर भी निर्भर होती है कि वह किस ढंग तक गतिशील है। यदि श्रमिक बार-बार अपना व्यवसाय प्रथवा कार्य-स्थान बदलता रहता है, तो उसकी कुशलता घट जाती है।

श्रम की गतिशीलता

(The Mobility of Labour)

गतिशीलता से अभिप्राय एवं इसके भेद—

गतिशीलता का अभिप्राय उत्पत्ति के एक साधन का एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाने प्रथवा एक व्यवसाय या एक उपयोग से दूसरे व्यवसाय या उपयोग में चले जाने से होता है। इस प्रकार, गतिशीलता दो प्रकार की होती है :—प्रादेशिक अथवा भौतिक (Territorial or Physical) और व्यावसायिक प्रथवा उपयोग-परिवर्तन (Occupational or Use Mobility)। प्रथम दशा में उत्पत्ति का एक साधन एक स्थान से दूसरे स्थान को चला जाता है, जबकि दूसरी दशाओं में साधन अपने वर्तमान व्यवसाय प्रथवा उपयोग को बदल देता है। ऐसी दशा में यह ध्यावश्यक नहीं है कि उत्पत्ति का साधन कार्य-स्थान का भी परिवर्तन करे। बहुत-सी दशाओं में तो उसके लिए वर्तमान उत्पादन इकाई का छोड़ना भी ध्यावश्यक नहीं होता। प्रादेशिक गतिशीलता में केवल कार्य-स्थान का परिवर्तन होता है और व्यावसायिक गतिशीलता में केवल उपयोग का, यद्यपि यह सम्भव है कि एक साधन एक ही साथ प्रादेशिक और व्यावसायिक दोनों प्रकार की गतिशीलता प्राप्त कर ले। उदाहरणस्वरूप, जब एक कॉलेज का प्रोफेसर मेरठ से भागुरा आकर नौकरी करता है, तो यह उसकी प्रादेशिक गतिशीलता रही। जब एक कॉलेज का प्रोफेसर उसी नगर में सरकारी नौकरी में चला जाता है, तो यह व्यावसायिक गतिशीलता होगी और यदि सरकारी नौकरी किसी दूसरे नगर में मिलती है, तो यह एक ही साथ प्रादेशिक और व्यावसायिक गतिशीलता होगी।

श्रम की गतिशीलता से आशय एवं इसके भेद—

श्रम की गतिशीलता से हमारा अभिप्राय श्रमिक द्वारा कार्य स्थान प्रथवा वर्तमान कार्य को बदल लेने से होता है।

(१) श्रम की प्रादेशिक गतिशीलता—बहुधा यह देखने में आता है कि श्रमिक अधिक मजदूरी प्रथवा अन्य कारणों से प्रेरित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान को चला जाता है। कुछ श्रमिक तो स्थायी रूप से दूसरे स्थानों को चले जाते हैं और कुछ केवल कुछ समय के लिए। स्थान परिवर्तन के मार्ग में अनेक बाधाएँ होती हैं। विभिन्न स्थानों पर भाषा, आहार, रीति-रिवाज और जाति-प्राति के भारी अन्तर होते हैं। इसके अतिरिक्त, श्रमिक को बहुधा अपना कुटुम्ब और घर छोड़कर जाना पड़ता है, परन्तु फिर भी श्रमिक स्थान-परिवर्तन करते रहते हैं। इस प्रकार का परिवर्तन “भौतिक परिवर्तन” प्रथवा “प्रादेशिक गतिशीलता” कहलाता है।

(२) श्रम की व्यावसायिक गतिशीलता—इस प्रकार की गतिशीलता में मशीनों के

विस्तृत उपयोग और श्रम-विभाजन ने विशेष महत्ता दी है। विभिन्न प्रकार की मशीनों में भारी अन्तर नहीं होते और फिर श्रम-विभाजन कामों को इतना सरल बना देता है कि श्रमिक को अपना व्यवसाय बदलने में अधिक कठिनाई नहीं होती है। इस सम्बन्ध में यह कठिनाई अवश्य है कि कुछ प्रकार के श्रमिक विशिष्ट प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। उनके लिए व्यवसाय का परिवर्तन कठिन होता है।

(३) शीर्ष गतिशीलता (Vertical Mobility)—शीर्ष गतिशीलता का अभिप्राय एक ही व्यवसाय में नीचे के काम से ऊँचे काम में जाने में होता है। उदाहरणस्वरूप, एक प्राध्यापक प्रधान अध्यापक बन सकता है अथवा एक खपरासी दफ्तरी बन सकता है। इस सम्बन्ध में यह जानना आवश्यक है कि विभिन्न व्यवसायों में अलग-अलग प्रकार की नियुक्तियाँ, योग्यता और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति एक लम्बे समय तक एक काम कर चुका है, उसके लिए किसी दूसरे काम को करने में थोड़ी-बहुत कठिनाई अवश्य रहती है। जब एक व्यक्ति किसी व्यवसाय में नया ही तथा आता है, तो उसके किसी दूसरे व्यवसाय में जाने की सम्भावना अधिक रहती है परन्तु पुराना पद जाने की दशा में गतिशीलता घट जाती है।

श्रम की गतिशीलता के कारण—

श्रम की गतिशीलता के कारण अथवा श्रम की गतिशीलता को प्रोत्साहित करने वाले तत्त्व निम्नांकित हैं —

(१) भौगोलिक गतिशीलता के कारण—(i) आर्थिक लाभ, आर्थिक उन्नति या नौकरी की प्राप्ति के लिए श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना पसन्द करते हैं। (ii) कुछ व्यक्ति राजनैतिक प्रगति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। (iii) सामाजिक कारण (जैसे जानि विरादरी के प्रतिबन्ध) भी श्रमिकों को एक स्थान में दूसरे स्थान को जाने के लिए प्रेरित करने में हैं।

(२) व्यावसायिक गतिशीलता के कारण—(i) ऊँचा वेतन, (ii) कार्य की सुरक्षा, (iii) अच्छी कार्य-दशाएँ, एवं (iv) भावी उन्नति की आशा भी श्रमिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान को और लीचनी है।

(३) वर्गीय गतिशीलता के कारण—जब श्रमिक की योग्यता में ट्रेनिंग, अनुभव आदि के कारण वृद्धि हो जाती है या जब अन्य ऊँचे वर्ग में रिक्त स्थान उपलब्ध है अथवा मालिक द्वारा नरकरी देने पर वह एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जा सकता है।

श्रम की गतिशीलता में बाधा डालने वाले तत्त्व—

निम्न कारण श्रमिकों की गतिशीलता को हतोत्साहित करते हैं :—(१) अपने गाँव, घर और परिवार से स्नेह के कारण श्रमिक प्रायः एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना पसन्द नहीं करते चाहे दूसरे स्थान में उन्हें आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक प्रगति के लिए अधिक अवसर मिलें। (२) विभिन्न स्थानों में खान-पान, रीति-रिवाज, भावा, रहन-सहन इत्यादि की भिन्नताएँ भी श्रमिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने से रोकती हैं। (३) जाति प्रथा और संयुक्त परिवार प्रणाली जैसी सामाजिक बातें भी श्रम की गतिशीलता में बाधक रही हैं किन्तु अब इनके बन्धन मिथिल होने जा रहे हैं। (४) सामान्य शिक्षा, तकनीकी ज्ञान एवं नौकरी की दशाओं के विषय में आवश्यक जानकारी के अभाव के कारण भी श्रमिक एक स्थान में दूसरे स्थान को या एक व्यवसाय में दूसरे व्यवसाय को अथवा एक ही व्यवसाय में नीचे वर्ग से ऊँचे वर्ग में जाने नहीं पाते। (५) यातायात एवं सवादावाहन के साधनों का अपर्याप्त विकास भी श्रमिकों की गतिशीलता में बाधक होता है। (६) श्रमिकों की निर्धनता भी उन्हें खाने-पान में रोकती है। (७) कुछ श्रमिकों में उच्चशिक्षा की कमी होती है जिस कारण वे वर्तमान नौकरी से ही मन्तुष्ट रहते हैं।

परीक्षा प्रश्न :

१. श्रम की विशेषताएँ क्या हैं ? इनका आर्थिक सिद्धान्त में महत्त्व बताइये।
२. आधुनिक उद्योग में श्रमिक की कार्य-क्षमता को निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्त्वों की विवेचना भारतीय उदाहरणों सहित कीजिये।
३. 'श्रम की गतिशीलता' में आप क्या समझते हैं ? इसे प्रोत्साहित करने वाले कारणों का विवेचन करिये।

जन-संख्या और उसके सिद्धान्त

(Population and The Theories of Population)

प्रारंभिक—

(१) सति प्राचीन दृष्टिकोण—यह तो सभी जानते हैं कि माना ही दृष्टि से किसी देश में श्रम की पूर्ण जन-संख्या पर निर्भर होती है। परन्तु भूतकाल में जन-संख्या के अध्ययन को महत्त्वपूर्ण नहीं समझा गया था। अपनी सेनाओं को बढ़ाने के लिए अधिकारि सभ्राट जन-संख्या का बढ़ाना ही अधिक प्रयत्न समझते थे। उस काल में जीविका के साधन भी सुलभ थे। जन-संख्या कम होने के कारण पृथ्वी पर मानव दबाव कम था। वैदिक साहित्य में प्रत्यक्ष रूप से जन-संख्या की विवेचना तो नहीं मिलती है, परन्तु ऐसी प्रार्थनाएँ प्रचलित मिलती हैं, जिनमें देवताओं से अधिक सन्तान माँगी जाती थी। यूनानी साहित्य में अरस्तू (Aristotle) ने जन-संख्या नियोजन का सुझाव दिया था, ताकि स्वस्थ, बुद्धिमान तथा वीर मनुष्य उत्पन्न हों। गांधारशासक भूतकाल में जन-संख्या का बढ़ाना ही प्रयत्न समझा जाता था।

(२) वाणिज्यवादी दृष्टिकोण—वाणिज्यवादी प्रबंधवादी (Mercantilists) भी जन-संख्या को बढ़ाने के पक्ष में थे। इन लोगों का विचार था कि किसी देश की आर्थिक सम्पन्नता और राजनीतिक शक्ति इसी बात पर निर्भर होती है कि उसके पास सोना-चाँदी और बहुमूल्य धातुओं का अतिरिक्त सप्लाई है। उन देशों के लिए जिनके पास सोने और चाँदी की खानें नहीं थी, इन धातुओं को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय यही था कि निर्यात (Exports) को बढ़ाकर अर्थात् देश में विदेशों को अधिक माल भेजकर, विदेशों से इन धातुओं को प्राप्त करें। निर्यातों को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक था कि देश में उद्योगों की उत्पत्ति की जाय और मानव को नौवो कामों पर रखा जाय। उत्पादन-व्यय का एक बड़ा भाग मजदूरी के रूप में होता है, इसलिए जब तक मजदूरियाँ नहीं पढ़ेंगी, तब तक सस्ते दामों पर उत्पादन नहीं हो सकेगा। इन अर्थ-साहित्यियों का विचार था कि जब तक श्रमिकों की पूर्ति (जन-संख्या) नहीं बढ़ेगी, मजदूरी ऊँची ही रहेगी, इसलिए इन अर्थ-साहित्यियों ने जन-संख्या को बढ़ाने के प्रस्ताव रखे।

(३) प्रकृतिवादियों का दृष्टिकोण—प्रकृतिवादी अर्थशास्त्री (Physiocrats) प्राकृतिक व्यवस्था (Natural Order) में विश्वास रखते थे। उनका विचार था कि राज्य को देश के प्राकृतिक और सामाजिक जीवन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इन लोगों ने जन-संख्या के बढ़ाने या घटाने का सुझाव नहीं दिया। वे अर्थशास्त्री ऐसा समझते थे कि प्राकृतिक रूप में न तो जन-संख्या का बढ़ना ही बुरा है और न उतारना घटना ही। उनके विचारों से इतना निष्कर्ष प्रचलित निकलता है कि वे जन-संख्या की वृद्धि के विरुद्ध न थे, क्योंकि प्राकृतिक व्यवस्था के अन्तर्गत जो कुछ भी होता है, उसे वे ठीक ही समझते थे। एडम स्मिथ भी लगभग इसी विचार के समर्थक थे, यद्यपि उनकी पुस्तक में कुछ ऐसा आभास प्रकट होता है कि वे जन-संख्या की वृद्धि के विषय में विनिश्चित भी थे।

(४) माल्थस का दृष्टिकोण—जन-संख्या का गहन अध्ययन वास्तव में माल्थस से ही आरम्भ होता है। इससे पहले जन-संख्या के विषय में थोड़ा-बहुत कहा तो अवश्य गया था, परन्तु किसी सिद्धान्त का निर्माण नहीं हुआ था। माल्थस के पश्चात् जन-संख्या के विषय में जो कुछ भी लिखा गया है उस सब पर माल्थस का प्रभाव साफ-साफ दिखाई पड़ता है। माल्थस इसके विपरीत, आरम्भ से ही निराशावादी थे। सन् १७९८ में माल्थस की प्रसिद्ध पुस्तक *Essay on the Principle of Population as it Affects the Future Improvement of Society* प्रकाशित हुई। सन् १८०३ में पुस्तक का दूसरा संस्करण निकला, जिसमें पुस्तक का नाम बदलकर *Essay on the Principle of Population, or A View of its Past and Present Effects on Human Happiness* रखा गया। इस पुस्तक में माल्थस ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि जन-संख्या आवश्यकता में अधिक तेजी के साथ बढ़ रही थी, जो मानव समाज की सम्पन्नता और उन्नति के लिए घातक थी। इसलिए माल्थस ने कृत्रिम उपायों से जन-संख्या की वृद्धि को रोकने का सुझाव दिया।

(५) माल्थस के सिद्धान्त की आलोचनाओं के कारण कुछ अर्थशास्त्रियों ने अन्य सिद्धान्त प्रस्तुत किये हैं, जैसे—अनुकूलतम् जन-संख्या का सिद्धान्त, जन-संख्या का जैविकीय सिद्धान्त, शुद्ध पुनरुत्पादन सिद्धान्त एवं जनक्रिकी परिवर्तन का सिद्धान्त।

माल्थस का जन-संख्या सिद्धान्त (Malthusian Theory of Population)

माल्थस के विचारों पर प्रभाव डालने वाले कारण—

माल्थस के विचारों पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख कारण निम्नलिखित थे :—

(१) माल्थस का काल औद्योगिक क्रान्ति के तुरन्त बाद का काल था। अभी-अभी उत्पत्ति की फैक्ट्री प्रणाली का आरम्भ हुआ था। समाज दो प्रति-विरोधी (Antagonistic) वर्गों में विभाजित होता हुआ दिखाई पड़ता था। एक ओर तो पूँजीपति थे, जिनका उत्पत्ति के साधनों और रोजगार पर अधिकार था। दूसरी ओर श्रमिक थे, जिन्हें अपना श्रम बेचना पड़ता था। पहला वर्ग अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता था और इसके लिए मजदूरों का शोषण करने में संकोच नहीं करता था। दूसरा वर्ग पहले वर्ग पर आश्रित था और बराबर अधिक दरिद्र होता चला जा रहा था।

(२) माल्थस को अपने चारों ओर दरिद्रता और असन्तोष ही दिखाई दिया था। इङ्ग्लैण्ड में जन-संख्या के लिए भोजन की कमी थी। फ्रांस और यूरोप के दूसरे देशों की दशा भी बहुत चिन्ताजनक थी। माल्थस ने अपने निरीक्षण और भ्रमण से पता लगाया था कि इन देशों में जन-संख्या के पोषण के लिए पर्याप्त भोजन की उत्पत्ति नहीं हो रही थी।

(३) माल्थस की पुस्तक के प्रकाशित होने का तुरन्त कारण गौडविन (Godwin) की पुस्तक *Political Justice* का प्रकाशन था। गौडविन का विचार था कि मानव समाज का भविष्य बड़ा ही उज्ज्वल है। वे तो यहाँ तक विश्वास रखते थे कि, “इसमें तो सन्देह नहीं है कि मनुष्य कभी भी अमर नहीं हो पायगा, किन्तु मानव जीवन को अपरिमित सीमा तक लम्बा किया जा सकता है।”¹

यह विचार माल्थस के अपने विचारों के लिए एक चुनौती थी, इसलिए उन्होंने जन-

¹ “Man doubtless will never become immortal, but it is possible that the span of human life may be, indefinitely prolonged”—Charles Godwin : *Political Justice*.

संख्या पर अपने विचार प्रकट करना ही उचित समझा। चूंकि माल्थस ने अपनी पुस्तक गौडविन के उत्तर में लिखी थी इसलिए पुस्तक की भाषा कठोर और प्रभावशाली रखी गई थी।

माल्थस के जन-संख्या सम्बन्धी सिद्धान्त ने आर्थिक विचारों में अन्तिम उत्पन्न की है। गाइड (Gide) ने ठीक ही कहा है—“एक शताब्दी के बीत जाने पर भी उस वाद-विवाद की प्रतिध्वनि अभी तक समाप्त नहीं हुई है, जो इस सिद्धान्त ने उत्पन्न की है।” माल्थस की पुस्तक एडम स्मिथ की पुस्तक का एक प्रयुक्त है।¹ माल्थस ने आर्थिक विवेचना के क्षेत्र का विस्तार किया है और अर्थशास्त्र में समाजशास्त्र (Sociology) के अध्ययन के प्रवेश की घोषणा की है।

नियम का कथन एवं इसकी व्याख्या—

माल्थस के जन-संख्या सम्बन्धी नियम को निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है :—
“उत्पादन कलाओं ने एक दी हुई स्थिति के अन्तर्गत जन-संख्या जीवन निर्वाह के साधनों से अधिक तीव्रगति से बढ़ने की प्रवृत्ति दिखलाती है।”

माल्थस के सिद्धान्त को समझने के लिए पहले उन दो माध्यताओं को समझ लेना आवश्यक है, जिनके आधार पर यह सिद्धान्त बनाया गया है। माल्थस का विश्वास है कि (i) मनुष्यों की कामवासना यथास्थिर है। सन्तान-उत्पादन की इच्छा की तीव्रता पर विज्ञान, सम्पत्ता इत्यादि की उत्पत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। (ii) आर्थिक सम्पन्नता और सन्तान-उत्पादन के बीच बड़ा ही प्रत्यक्ष और घनिष्ठ सम्बन्ध है। जीवन-निर्वाह की वस्तुओं की मात्रा की प्रत्येक वृद्धि जन-संख्या को बढ़ाने की प्रवृत्ति रखती है। आर्थिक सम्पन्नता की प्रत्येक वृद्धि सन्तान-उत्पादन तथा जन-संख्या की वृद्धि को प्रोत्साहित करती है। इस प्रकार माल्थस ने जन-संख्या की प्रवृत्ति का अध्ययन करने के पश्चात् निम्न निष्कर्ष बनाये है :—

(१) किसी स्थान पर केवल उतने ही मनुष्य रह सकते हैं, जितनों को वहाँ जीवन-निर्वाह के साधन मिल सकते हैं। इस प्रकार जन-संख्या की वृद्धि जीवन-निर्वाह के साधनों (Means of Subsistence) की उपलब्धता पर निर्भर होती है।

(२) प्रत्येक देश की जन-संख्या खाद्य-पदार्थों की वृद्धि की तुलना में अधिक तेजी के साथ बढ़ने की प्रवृत्ति रखती है। यदि किसी प्रकार की रुकावट न हो, तो जन-संख्या गुणोत्तर प्रौढ़ी (Geometrical Progression) में बढ़ती है और खाद्य-उत्पादन माध्य प्रौढ़ी (Arithmetical Progression) में। अतः यदि किसी प्रकार जन-संख्या की वृद्धि नहीं रोकी जाती है, तो खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति की तुलना में जन-संख्या बहुत अधिक हो जाती है।² जन-संख्या और खाद्य-उत्पादन की वृद्धि निम्न प्रकार होती है :—

जन-संख्या	१	२	४	८	१६	३२	६४	१२८	२५६
खाद्य-उत्पादन	१	२	३	४	५	६	७	८	९

1 “Even after the lapse of a century, the echo of the controversy which it aroused has not altogether faded away....The essay might be considered as a reply to Adam Smith.”—Gide.


2 “Population when unchecked, increases in geometrical progression and the food supply increases only in arithmetical progression, i. e., population will tend to increase much faster than the food supply of the country can be increased unless the forces which tend to increase the population are contracted by other forces.”—Malthus : *Essay on Population*.

इस प्रकार थोड़े ही समय पीछे जन-संख्या खाद्य-उत्पादन से बहुत आगे निकल जाती है। इस सम्बन्ध में इतना बताना आवश्यक है कि पुस्तक के दूसरे संस्करण में माल्थस ने यह स्वीकार किया है कि उपरोक्त दृष्टान्त केवल उदाहरणार्थ है। वास्तविक जीवन में केवल इतना ही कहना पर्याप्त है कि जन-संख्या खाद्य-उत्पादन की तुलना में अधिक तेजी के साथ बढ़ती है।

(३) प्रत्येक २५ वर्ष पीछे देश की जन-संख्या दूनी हो जाती है। १ से २ पर अथवा २ से ४ पर पहुँचने में साधारणतया २५ वर्ष लगते हैं। इस सम्बन्ध में भी माल्थस ने स्पष्ट किया है कि यह भी उदाहरणार्थ है। वास्तव में जन-संख्या इससे कम या अधिक समय में दूनी हो सकती है।

(४) भूतकाल में जन-संख्या खाद्य-उत्पादन की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ी है और भविष्य में भी ऐसी ही सम्भावना है, किन्तु इस तेजी से बढ़ी हुई जन-संख्या पर नैसर्गिक प्रतिबन्ध (Positive or Natural Checks) लागू होते हैं, जो इसकी वृद्धि की गति शिथिल कर देते हैं। ये प्रतिबन्ध (Nature) द्वारा लगाये जाते हैं और दुर्भिक्ष, महामारी, भुखमरी, बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपत्तियों के रूप में होते हैं। माल्थस ने इन्हें "कष्ट" (Miseries) का नाम दिया है।

नैसर्गिक प्रतिबन्धों के द्वारा मृत्यु-दर में वृद्धि होकर जन-संख्या में कमी होती है और इससे खाद्यान्न के साथ जन-संख्या का सन्तुलन स्थापित हो जाता है। किन्तु यह सन्तुलन अल्पकालीन होता है, क्योंकि मनुष्य की बढ़ने की स्वाभाविक इच्छा शीघ्र कार्य करने लगती है। परिणामतः जन-संख्या फिर से बढ़कर खाद्यान्न की पूर्ति से अधिक हो जाती है और प्राकृतिक प्रतिबन्ध पुनः क्रियाशील हो जाते हैं। इन घटनाओं का एक कुचक्र बन जाता है, जिसमें फँस कर जन-संख्या कष्ट पाती रहती है।



चित्र—माल्थसियन चक्र

(५) माल्थस का विश्वास है कि नैसर्गिक प्रतिबन्ध जन-संख्या के लिए अधिक कष्टदायक होते हैं, परन्तु यदि निवारक प्रतिबन्धों द्वारा जन-संख्या की वृद्धि को रोका नहीं जाता है तो ये प्राकृतिक प्रतिबन्ध अवश्य लागू होंगे। ब्रह्मचर्य, सयम, दूरदर्शिता, सन्तान निरोधक विधियाँ (Birth control devices), आदि निवारक प्रतिबन्ध (Preventive Checks) हैं। माल्थस के शब्दों में, 'एक देश अथवा विभिन्न देशों में जन-संख्या पर जो प्रतिबन्ध लागू होते हुए देखे गये हैं, उन्हें सयम (Moral Restraint), पाप (Vice) और कष्ट (Miseries) में विभाजित किया जा सकता है और यदि हमें इन्हीं में से किसी एक को चुनना है, तो शायद हमें यह निश्चय करने में देर नहीं लगेगी कि हमारे लिए इनमें से कौन सबसे अच्छा है।' माल्थस ने इस बात पर बल दिया है कि मानव समाज के कष्टों को दूर करने के लिए जन-संख्या की वृद्धि पर निवारक प्रतिबन्ध लगाये जायें।¹

¹ "As from the laws of nature it appeared that some check to population must exist, it was better that this check should arise from a foresight of the difficulties attending a family and the fear of dependent poverty, than from actual presence of want and sickness."—Malthus: *Essay on the Principle of Population*, 2nd edition.

माल्थस का यह दास है कि किसी देश में नैसर्गिक प्रतिबन्धों की कार्यशीलता इस बात का प्रमाण होती है कि वहाँ जन-संख्या आवश्यकता से अधिक (Over Population) है। ऐसी दशा में निष्कर्ष यही है कि प्राकृतिक शक्तियाँ जन-संख्या को तेजी के साथ बढ़ने से रोक रही हैं। माल्थस के सिद्धान्त की आलोचना—

माल्थस के जन-संख्या के सिद्धान्त की बहुत कड़ी आलोचनायें हुई हैं, यद्यपि माल्थस के मस्यौदों का भी प्रभाव कम नहीं है। कुछ लेखकों ने तो यहाँ तक कहा है कि माल्थस ने मानव-जीवन की सभी अप्रत्याशयों का सत्यानाश करके हमें मनुष्यों के स्तर पर ले जाने का प्रयत्न किया है। माल्थस के विचार प्रचलित धार्मिक और सामाजिक विचारों के पूर्णतया विरोधी थे—“जिस प्रकार शार्विन (Darwin) ने प्राचीन धार्मिक विचारों को तोड़ डाला था, ठीक, इसी प्रकार माल्थस ने मानव-जाति के भावी स्वरूप का अनुमान पूर्णतया बदल दिया।”¹ वास्तविकता यह है कि माल्थस न तो कोई राक्षस या और न मानव-जाति का शत्रु। जाइड और रिस्ट (Gide and Rist) का विचार है कि माल्थस ने ठीक इसी प्रकार की सलाह दी है, जैसी कि एक हिन्दू परन्तु स्पष्टभाषी चाचा अपने भतीजों और भतीजियों को देता है। उन्होंने केवल कामवासना को सीमित रखने की सफारिश की है। माल्थस के सिद्धान्त की प्रमुख आलोचनायें निम्न प्रकार हैं :—

(१) माल्थस के सिद्धान्त की दोनों मान्यतायें गलत हैं। यह समझना भूल होगी कि मनुष्य में काम-वासना स्थिर है। जीव-विज्ञान (Biology) के विद्वानों का विचार है कि जैसे जैसे जीवन का विकास होता जाता है, पुनरुत्पादन की प्रिया अधिक घुमावदार होनी चली जाती है और सन्तानोत्पादन प्रथं घटती जाती है। प्रनुभव भी यही बताता है कि अधिक सम्पत्तियों में जन्म-दर नीची होती है और परिवार का आकार छोटा होता है। जहाँ तक जन्म-दर और आर्थिक सम्पन्नता के सम्बन्ध का प्रश्न है, हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि आर्थिक सम्पन्नता की वृद्धि के साथ-साथ जन्म-दर घटती है, बढ़ती नहीं है। वास्तव में माल्थस यह भूल गये कि काम-वासना और सन्तान-उत्पादन दोनों एक नहीं हैं। काम-वासना एक भन्तः प्रेरणा है परन्तु सन्तान-उत्पादन का आधार सामाजिक है।

(२) माल्थस ने जन-संख्या के सिद्धान्त के निर्माण में ब्याप्तिसूत्रक प्रणाली (Inductive Method) का उपयोग किया है। उन्होंने विभिन्न देशों के निरीक्षण के आधार पर ही जन-संख्या का सामान्य सिद्धान्त बनाया था। इस सम्बन्ध में कठिनाई यह है कि, माल्थस का अध्ययन यूरोप के कुछ थोड़े से देशों और एक निश्चित काल तक ही सीमित था। जो बात कुछ देशों के विषय में सत्य हो सकती है, उसका सभी देशों के विषय में सत्य होना आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार, जो बात एक काल में सही हो उसका सभी कालों में सही होना आवश्यक नहीं है। शायद यही कारण है कि अनुभव ने माल्थस के सिद्धान्त की पुष्टि नहीं की है।

(३) माल्थस ने केवल जन-संख्या और खाद्य-उत्पादन के बीच सम्बन्ध स्थापित किया, जब कि जन-संख्या और देश के सभी प्रकार के कुल उत्पादन के बीच सम्बन्ध स्थापित करना चाहिए था। यदि कोई देश (जैसे—इंग्लैंड) खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त दूसरी वस्तुओं का अधिक मात्रा में उत्पादन करता है, तो वह खाद्य पदार्थों की विदेशों से भी भेगा करता है। खाद्य-उत्पादन के सम्बन्ध में भी माल्थस ने श्रमागत उत्पत्ति द्वारा नियम के समझने में भूल की है। उन्होंने

¹ “Just as Darwin shocked traditional theology regarding the origin, so Malthus offend it in respect of the continuance of human species”

यह नहीं समझा था कि इस नियम की कार्यशीलता को कृषि की कला में सुधार करके, निर्माण उद्योगों का विस्तार करके तथा विदेशों से खाद्य पदार्थों को मंगा कर पर्याप्त समय तक रोका जा सकता है।

(४) माल्थस की भविष्यवाणियाँ गलत रही हैं। जाइड एव रिस्ट के अनुसार, "इतिहास ने उनके भय की निश्चय ही पुष्टि नहीं की है। किसी भी देश में अति जन-संख्या के लक्षण दिखाई नहीं पड़े हैं। कुछ देशों में विशेषतया फ्रांस में जन-संख्या धीरे-धीरे ही बढ़ी है। अन्य देशों में जन-संख्या की वृद्धि पर्याप्त तेजी के साथ हुई है, परन्तु किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ है कि जन-संख्या घन-उत्पादन की वृद्धि को पार कर गई हो।"¹

(५) माल्थस ने जीव-विज्ञान को गलत समझा था। जिस कारण वे जन-संख्या की वृद्धि से इतने भयभीत थे। यह समझ लेना भूल थी कि काम-वासना और सन्तान-उत्पादन की इच्छा दोनों एक ही हैं। काम-वासना एक पशु प्रकृति है, जबकि सन्तानोत्पादन की प्रकृति का आरम्भ सामाजिक। सामाजिक तथा आर्थिक जीवन के परिवर्तनों के कारण उसमें कमी आती रहती है। काम-वासना की प्रकृति स्थिर रहने का यह अर्थ नहीं होता कि सन्तानोत्पादन की प्रकृति भी यथास्थिर होगी।

(६) नैनन का विचार है कि माल्थस ने यह समझने में भूल की है कि जो भी बच्चा इस सत्तार में पैदा होता है, वह केवल खाने के लिए मुँह लेकर ही आता है। वास्तविकता यह है कि वह काम करने के लिए दो हाथ भी साथ लाता है। जन-संख्या की वृद्धि का केवल यही अर्थ नहीं है कि खाने वालों की संख्या बढ़ गई है, बल्कि यह भी अर्थ है कि काम करने वालों की संख्या बढ़ी है। जन-संख्या की वृद्धि के साथ-साथ उत्पत्ति के प्रथम साधनों का विदोहन और भी बली प्रकार हो सकता है, इसलिए उत्पत्ति को घटाने की सम्भावना अधिक बढ़ जाती है। इस सम्बन्ध में नैनन का विचार है कि माल्थस ने उद्योगिक प्रौद्योगिक और गणित प्रौद्योगिकी जो दात बनी है, वह उदाहरणार्थ नहीं है, बल्कि माल्थस उन्हें वास्तविकता समझने थे।²

(७) माल्थस का यह विचार भी गलत है कि किसी देश में नैसर्गिक प्रतिबन्धों की कार्यशीलता अति जन-संख्या (Over-Population) का सूचक होती है। नैसर्गिक प्रतिबन्ध उत्पादन की अकुशलता, उत्पादित धन के असमान वितरण और जन-संख्या की आलस्यमय प्रवृत्ति के कारण भी लागू हो सकते हैं। भारत में प्रचुरता के बीच इसी कारण दरिद्रता है। सैलिंगमैन ने ठीक ही कहा है, "अनुकूल परिस्थितियों में खाद्य-उत्पादन अधिक तेजी के साथ बढ़ सकता है और जन-संख्या धीरे-धीरे। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम यही कह सकते हैं कि जन-संख्या की समस्या केवल आकार (Size) की समस्या नहीं है, बल्कि कुशल उत्पादन और न्यायशील वितरण की भी समस्या है। दूसरे शब्दों में, यह केवल, संख्या की समस्या नहीं है, बल्कि धन की भी समस्या है।"³

1 "Malthus was a Cambridge Wrangler. This explains his fondness for mathematical formulas. He attached great importance to his geometrical and arithmetical ratios, though some of his apologists have maintained the contrary."—Cannan : *Production and Distribution*, Chap. V.

2 "Under favourable conditions population may increase gradually and wealth rapidly. The problem of population as a whole is, not mere size, but of efficient production and equitable distribution. That is, it is a problem not of numbers alone but of wealth."—Seligman.

(८) माल्थस का सिद्धान्त एक बीषकालीन सिद्धान्त ही है और उन्होंने संकुचित राष्ट्रीय दृष्टिकोण को ग्रहणया है । अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से जन-संख्या अन्तिम अवस्था में भोजन के उत्पादन पर ही निर्भर होती है । अल्पकाल में भी जन-संख्या की समस्या गम्भीर हो सकती है । इसके अतिरिक्त माल्थस ने स्थैतिक (Static) अवस्था का अध्ययन किया है, जबकि यह संसार प्रत्येक दृष्टि से प्रवैगिक (Dynamic) है । शायद यही कारण है कि वास्तविक जीवन में माल्थस का सिद्धान्त ठीक नहीं रहा है ।

(९) माल्थस ने संयम के लिए जो सिकारिया की है यह भी सन्तोषजनक नहीं है । केवल सामंजस्य अथवा चेतावनी देने से लोग सन्तानोत्पादन कम नहीं कर देंगे । जन-संख्या की समस्या इससे बहुत गम्भीर समस्या है और उसके नियन्त्रण के लिए अधिक बड़ी व्यावहारिक उपायों की आवश्यकता पड़ती है ।

माल्थस के सिद्धान्त में सत्यता का अंश—

(१) माल्थस के सिद्धान्त का प्राधार यह है कि जन-संख्या खाद्य-उत्पादन की तुलना में अधिक तेजी के साथ बढ़ती है और जन-संख्या का प्राधार देश का खाद्य-उत्पादन ही है, न कि उत्पादन । किसी देश विशेष के सम्बन्ध में तो यह कथन गलत हो सकता है, परन्तु सारे संसार के सम्बन्ध में यह विस्तृत ठीक ही है । पिछले २०० वर्षों का इतिहास यही बताता है कि संसार में जन-संख्या खाद्य-उत्पादन की तुलना में अधिक तेजी के साथ बढ़ी है और भावी प्रवृत्ति भी ऐसी ही है । सन् १७५० में सारे संसार की जन-संख्या का अनुमान ७३ करोड़ का लगाया था । सन् १९५० में यह बढ़कर २४० करोड़ हो गई थी । सन् २००० तक इसके ३२५ करोड़ हो जाने की आशा है और सन् २,१०० तक ४०० करोड़ । किन्तु खाद्य-उत्पादन इतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ पाया है । साथ ही, इसमें तो सन्देह नहीं है कि यूरोप के देशों में जन के उत्पादन की वृद्धि जन-संख्या की वृद्धि से अधिक रही है, परन्तु इसका मूल कारण इन देशों में निवारक प्रतिबन्धों द्वारा जन-संख्या की वृद्धि को रोकना ही रहा है । इसके लिए माल्थस के सिद्धान्त का महत्त्व भुलाया नहीं जा सकता ।

(२) कम उन्नत अथवा विद्युत् हृष्ट देशों में तो माल्थस के सिद्धान्त की सत्यता और भी अधिक प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ती है । इन देशों में तो जन-संख्या की वृद्धि की तुलना में खाद्य-उत्पादन की वृद्धि कम हो रही है । यह भी देखने में आता है कि आर्थिक सम्पन्नता की प्रत्येक वृद्धि जन-संख्या की वृद्धि को प्रोत्साहन देती रहती है ।

वाकर का विचार है कि माल्थस का सिद्धान्त सभी जातियों और सभी देशों में सही सिद्ध हुआ है, "वाद-विवाद के बीच में भी माल्थस का सिद्धान्त सही और अविनाशी ही रहा है ।" माथॉल, टाउसिग (Tausig), ऐली (Ely), पैटन (Patten) और विक्सल (Wickse) ने भी माल्थस के सिद्धान्त का समर्थन किया है ।

नव माल्थसवाद—विगत वर्षों में एक नई विचारधारा उन्पन्न हुई है, जो धर्मशास्त्र में 'नव माल्थसवाद' (Neo-Malthusianism) के नाम से प्रसिद्ध हुई है । इस विचारधारा के अन्तर्गत सन्तान-निरोधक विधियों (Birth-control devices) का उपयोग बहुत बढ़ा है । इन्ग्लैंड में मेरी स्टोपस् (Mrs. Mary Stopes) और संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्गरेट सेंगर (Mrs. Margaret Sanger) ने इस विचारधारा का बहुत प्रचार किया है । ऐसा प्रतीत होता है कि संसार में परोक्ष रूप में माल्थस के सिद्धान्त को ग्रहण कर लिया है ।

१ "Malthusianism has stood unshattered and impregnable amidst all the controversy that has raged around it."—Walker

भारत और माल्थस का सिद्धान्त—

भारत में ऐसे साक्ष्य उपलब्ध हैं जिनके आधार पर यह कह सकते हैं कि यहाँ माल्थस का जन-संख्या सिद्धान्त त्रियाशील हो रहा है। प्रमुख साक्ष्य निम्न प्रकार हैं :—(अ) यहाँ जन-संख्या २.५% वार्षिक दर से बढ़ रही है किन्तु खाद्यान्नों की पूर्ति धीमी गति से बढ़ी है, जिसका यह स्वाभाविक परिणाम हुआ है कि हम अपनी उदर-पूर्ति के लिए विदेशी आयातों पर निर्भर हो गये हैं। (आ) यहाँ जन्म-दर ऊँची है और कुछ समय पहले तक मृत्यु-दर भी ऊँची थी। (इ) कृषि पुराने ढंग से की जा रही है और इस पर उत्पत्ति ह्रास नियम त्रियाशील हो रहा है। (ई) यहाँ लगभग ३३% जनता ही साक्षर है। ३५ करोड़ व्यक्ति अभी भी निरक्षर हैं। अतः उन्हें कृत्रिम साधनों के प्रयोग की जानकारी नहीं है। (उ) देशवासियों का जीवन-स्तर नीचा है, उद्योग-धन्धे अभी भी कम विकसित हैं तथा बीमारियाँ, अकाल, बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रतिबन्ध त्रियाशील हैं।

इस सम्बन्ध में हमें निम्न दो बातों को ध्यान में रखना चाहिए—(i) खाद्य उत्पादन पर प्रमाण-उत्पत्ति-ह्रास-नियम उतनी बढोरता के साथ लागू नहीं होता है, जिसका कि माल्थस ने मनुष्यता पर और (ii) जन-संख्या का घटना सदा ही अच्छा नहीं होता। यूरोप के देशों में जन-संख्या की वृद्धि के रफ जाने का एक परिणाम यह हुआ कि सर्वोत्तम वर्गों में वृद्धि धीमी पड़ गई है।¹

आदर्श, अनुकूलतम या सर्वोत्तम जन-संख्या का सिद्धान्त (The Optimum Theory of Population)

माल्थस ने देश की जन-संख्या की तुलना वहाँ के खाद्यान्नों के उत्पादन से की और जन-संख्या की प्रत्येक वृद्धि को सामान्यतः हानिकारक बताया। इस प्रकार, उसने जन-संख्या की समस्या को केवल आकार (Size) की समस्या माना। किन्तु जन-संख्या की समस्या केवल आकार या संख्या की ही नहीं है बल्कि वह कुशल उत्पादन एवं उचित विवरण की भी समस्या है। अर्थात्, जन-संख्या की वृद्धि अथवा कमी को (अर्थात् जन-संख्या के आकार को) देश के कुल उत्पादन और धन के उचित वितरण के सर्भ में देखना चाहिए। कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसी दृष्टिकोण से जन-संख्या का एक नया सिद्धान्त बनाया है जिसे अनुकूलतम जन-संख्या सिद्धान्त कहते हैं। इसके प्रतिपादकों में केनन, कार-सोन्डर्स, डार्ल्टन, रोबिन्स आदि के नाम मुख्य हैं।

सिद्धान्त का उद्देश्य—

अनुकूलतम जन-संख्या सिद्धान्त का उद्देश्य यह बनाना है कि एक देश विशेष के लिए जन-संख्या का कौनसा आकार आर्थिक दृष्टि से अनुकूलतम, आदर्श या सर्वोत्तम है। प्रत्येक देश की जन-संख्या में निरन्तर परिवर्तन होते रहते हैं। आदर्श जन-संख्या का सिद्धान्त इन परिवर्तनों को ध्यान में रखकर यह बताने का प्रयत्न करता है कि इनका क्या प्रभाव पड़ता है।

अनुकूलतम के विचार का प्रयोग—

अनुकूलतम जन-संख्या का सिद्धान्त यह नहीं बताता कि जन-संख्या में क्यों और किस प्रकार से वृद्धि होती है। धनः इसे एक 'सिद्धान्त' का विशेषण देना अनुपयुक्त है। यह तो जन-संख्या के क्षेत्र में 'अनुकूलतम के विचार' का प्रयोग मात्र करता है। दूसरे शब्दों में, वह उत्पत्ति-साधनों के मिलाने के अनुकूलतम अनुपात के विचार की सहायता लेता है। जिस प्रकार एक उत्पादन विभिन्न उत्पत्ति-साधनों को एक अनुकूलतम अनुपात में मिलाना है जिससे कि अधिकतम उत्पादन सम्भव हो सके, उसी प्रकार देश के अन्य उत्पत्ति-साधनों के साथ जन-संख्या (अर्थात्

¹ "What is regrettable at present is not the decline of the birth-rate in itself, but the fact that the decline is the greatest in the best elements of the population....."—Bertrand Russel

श्रम-साधन) का एक ऐसा अनुकूलतम् सयोग होना चाहिए जिससे कि देश का उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय अधिकतम् हो जाय। देश की जन-संख्या इस स्तर से न तो कम होनी चाहिए और न अधिक। हमारे लिए एक ऐसे बिन्दु का पता लगा लेना सम्भव होता है, जिस पर जन-संख्या के घा जाने से उत्पत्ति और उपभोग दोनों की दृष्टि से सर्वोत्तम फल प्राप्त होते हैं। देश के साधनों की निश्चित मात्रा को देखते हुए हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी जन-संख्या होती है, जिस पर "वास्तविक प्रति व्यक्ति आय" (Real per capita Income) अधिकतम् होती है, यही "आदर्श जनसंख्या" है। आदर्श जन-संख्या का सिद्धान्त उसी बिन्दु का पता लगाने का प्रयत्न करता है, जिस पर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अधिकतम् होती है।

सिद्धान्त की परिभाषा—

कार सांडरस का विचार है कि—“आदर्श जन-संख्या वह जन-संख्या है, जो अधिकतम् आर्थिक कल्याण उत्पन्न करती है। यह तो नहीं कहा जा सकता है कि अधिकतम् आर्थिक कल्याण और अधिकतम् प्रति व्यक्ति वास्तविक आय दोनों एक ही होते हैं, परन्तु व्यावहारिक जीवन में दोनों को एक ही माना जा सकता है।”¹

यही कारण है कि बहुधा जन-संख्या और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय के बीच सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। यदि जन-संख्या की वृद्धि के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बढ़े, तो जन-संख्या की यह वृद्धि लाभदायक होगी। इसके विपरीत, जन-संख्या के बढ़ने से यदि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय घटे, तो जन-संख्या की यह वृद्धि आर्थिक कल्याण की दृष्टि से अनुपयुक्त होगी। इसी प्रकार, यदि जन-संख्या के घटने से प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बढ़े, तो अच्छा है, और, यदि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय घटे, तो जन-संख्या का घटना हितकारी न होगा। आदर्श जन-संख्या वह है, जिस पर किसी देश की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अधिकतम् होती है। इसी बिन्दु पर जन-संख्या को बनाये रखने का प्रयत्न करना चाहिए।

आदर्श जन-संख्या निश्चित या स्थिर नहीं—

यह भी बताना यहाँ आवश्यक है कि आदर्श जन-संख्या कोई निश्चित अथवा स्थिर (Fixed) जन-संख्या नहीं है। किसी देश में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय इस बात पर निर्भर होती है कि देश के उपलब्ध साधनों का किस अंश तक उपयोग किया गया है। साधनों के उपयोग का अंश बढ़ सकता है और इस परिवर्तन के साथ-साथ आदर्श जन-संख्या भी बदल जायगी। दूसरे शब्दों में, शिल्प ज्ञान का प्रत्येक परिवर्तन, उत्पत्ति की रीतियों के परिवर्तन और सभी प्रकार के आविष्कार आदर्श जन-संख्या में भी परिवर्तन कर देते हैं। ऐसी दशा में, जबकि आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन होते रहते हैं, आदर्श जन-संख्या स्थिर नहीं रह सकती, वह भी परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ-साथ बदलती रहनी है।

आदर्श जन-संख्या और अन्तर्गत उत्पत्ति ह्रास नियम—

आदर्श जन-संख्या का सिद्धान्त अन्तर्गत उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि किसी व्यक्तिगत उत्पादक के लिए सबसे लाभदायक उत्पादन तब होता है, जबकि उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को एक निश्चित अनुपात में, जिसे आदर्श अनुपात (Ideal Ratio) कहा जाता है, उपयोग किया जाय। जब तक यह आदर्श अनुपात स्थापित

¹ “.....the optimum population is that population which produces maximum economic welfare....Maximum economic welfare is not necessarily the same as maximum real income per head but for practical purposes they may be taken as equivalent.”—Carr Saunders : *World Population*, p 330

नहीं होता, परन्तु इस अनुपात को स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है, तब तक जमागत उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है, अर्थात् सीमान्त उत्पादन-व्यय क्रमशः घटता जाता है। जब यह अनुपात स्थापित हो जाता है और इसे बनाये रखा जाता है, तो उत्पत्ति स्थिरता नियम लागू होना है, अर्थात् सीमान्त उत्पादन की कुशलता अधिकतम होती है और उत्पादन-व्यय न्यूनतम होता है। यदि इस अनुपात को तोड़ा जाता है, तो ह्रास नियम लागू होने लगता है और सीमान्त उत्पादन-व्यय क्रमशः बढ़ता जाता है।

किसी देश में भी उत्पत्ति के विभिन्न साधन प्राकृतिक साधनों, जन-संख्या, पूँजी के सन्ध तथा साहसियों के रूप में दृष्टा करते हैं। समस्त देश के लिए कुशलतम् उत्पादन की स्थिति प्राप्त करने के लिए जन-संख्या इतनी होनी चाहिए कि उसका दूसरे साधनों के साथ सर्वोत्तम अथवा आदर्श अनुपात हो सके। केवल ऐसी ही दशा में प्रति व्यक्ति उत्पादन (Per Capita Production) अथवा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय (Per Capita Real Income) अधिकतम होगी। इस प्रकार, यदि जन-संख्या की वृद्धि के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बढ़े, तो इसका अर्थ यह होगा कि देश में उत्पत्ति के विभिन्न साधनों की तुलना में जन संख्या कम है और उसके बढ़ने से विभिन्न साधनों के बीच सर्वोत्तम अनुपात की सम्भावना बढ़ रही है। ऐसी दशा में जन-संख्या का बढ़ना लाभदायक होगा। इसके विपरीत, यदि जन-संख्या की वृद्धि के फलस्वरूप प्रति व्यक्ति वास्तविक आय घटे, तो इसका अर्थ यह होगा कि दूसरे साधनों की तुलना में जन-संख्या अधिक है। ऐसी दशा में जन-संख्या की वृद्धि हानिकारक होगी। आदर्श जन-संख्या वही है, जिस पर विभिन्न साधनों के बीच सर्वोत्तम अनुपात स्थापित होता है और प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अधिकतम होती है।

तालिका एवं रेखा-चित्र द्वारा स्पष्टीकरण—


निम्न तालिका से स्थिति स्पष्ट हो जायगी :—

तालिका

कुल जन-संख्या (करोड़ में)	कुल वास्तविक आय (करोड़ इकाइयों में)	औसत वास्तविक आय (करोड़ इकाइयों)	सीमान्त वास्तविक आय (करोड़ इकाइयों)
३०	१,५००	५०	—
३१	१,६७४	५४	१७४
३२	१,८२४	५७	१५०
३३	१,९७४	५९	१२३
३४	२,०७४	६१	१२७
३५	२,१७०	६२	९६
३६	२,१९७	६१	२७
३७	२,२२०	६०	२३
३८	२,२४२	५९	२२
३९	२,२६२	५८	२०
४०	२,२८०	५७	१८

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि जन-संख्या के बढ़ने के साथ-साथ कुल वास्तविक आय भी बराबर बढ़ती जाती है। यहाँ तक कि जब जन-संख्या बढ़ते-बढ़ते ३० करोड़ से ४० करोड़ हो जाती है, तो कुल वास्तविक आय २,२८० करोड़ इकाई तक पहुँच जाती है।

परन्तु धारम्भ में औसत आय भी कुल आय के साथ-साथ बढ़ती जाती है और ३५ करोड़ जनसंख्या पर यह बढ़कर ६२ करोड़ इकाई तक पहुँच जाती है। इसके पश्चात् जनसंख्या की वृद्धि के साथ-साथ कुल आय तो बढ़ती है, परन्तु औसत आय घटने लगती है। इस प्रकार, ३५ करोड़ जनसंख्या ही ऐसी जनसंख्या है, जिस पर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अधिकतम है। यही सर्वोत्तम जनसंख्या है। इसी को हम निम्नांकित रेखा-चित्र द्वारा भी दिखा सकते हैं :—



इस चित्र में M आदर्श अथवा सर्वोत्तम जनसंख्या है। इस जनसंख्या पर प्रति व्यक्ति वास्तविक आय P M के बराबर होती है, जो अधिकतम है। यह निश्चय है कि M से कम या अधिक जनसंख्या पर प्रति व्यक्ति आय P M से कम रहती है।

अति जनसंख्या और न्यून जनसंख्या—

सर्वोत्तम जनसंख्या के सिद्धान्त के आधार पर अति जनसंख्या और न्यून जनसंख्या का सरलता के साथ पता लगाया जा सकता है। यदि किसी देश की जनसंख्या आदर्श जनसंख्या से कम है, तो वहाँ की समस्या न्यून-जनसंख्या (Under-Population) की समस्या है, और, यदि वास्तविक जनसंख्या आदर्श से अधिक है तो वहाँ अति-जनसंख्या (Over-Population) की समस्या होगी।

पहली दशा में यह सिद्ध होता है कि जनसंख्या की सूचना में देश के राष्ट्र अधिक विश्वास है, जबकि दूसरी दशा में यह पता चलता है कि साधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक है। दूसरे शब्दों में, हम यह कह सकते हैं कि यदि जनसंख्या के बढ़ने के साथ-साथ प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बढ़े, तो देश में न्यून-जनसंख्या है और, यदि जनसंख्या के बढ़ने से प्रति व्यक्ति वास्तविक आय घटे, तो अति-जनसंख्या का आभास होता है। इसके विपरीत, यदि जनसंख्या के घटने से प्रति व्यक्ति वास्तविक आय बढ़े, तो अति-जनसंख्या है, और, यदि औसत वास्तविक आय घटे, तो न्यून-जनसंख्या की समस्या है। अति-जनसंख्या की दशा में जनसंख्या का घटना लाभदायक होगा और न्यून-जनसंख्या की दशा में उसका बढ़ना उपयुक्त होगा। दोनों ही दशाओं में जनसंख्या के ये परिवर्तन प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को अधिकतम करने की प्रवृत्ति रखते हैं। स्मरण रहे कि मातृत्व में प्राकृतिक प्रतिबंधों की कार्यशीलता को ही अति-जनसंख्या का लक्षण माना जा सकता है।

अति जनसंख्या तथा न्यून जनसंख्या को नापने की विधि—

आदर्श जनसंख्या सिद्धान्त के अनुसार यदि किसी देश की जनसंख्या आदर्श जनसंख्या से कम हो तो उसे न्यून जनसंख्या माना जा सकता है।

संख्या से कम है तो वहाँ न्यून-जन-संख्या की समस्या होगी, और, यदि वास्तविक जन-संख्या आदर्श जन-संख्या से अधिक है, तो अति-जन-संख्या की समस्या है। इस सम्बन्ध में अति और न्यून-जन-संख्या को नापने के लिए डाल्टन (Dalton) ने एक सूत्र (Formula) का निर्माण किया किया है। उनके अनुसार अति अथवा न्यून जन-संख्या का अंश (Degree) इस प्रकार जाना जाता है :—

$$m = \frac{A - O}{O} \text{ अथवा } M = \frac{A - O}{O}$$

इस सूत्र में m (M) समायोजन के अभाव (Mal-adjustment) के अंश को दिखाता है, A (A) वास्तविक जन-संख्या और O (O) आदर्श जन-संख्या है। यदि m धनात्मक है, तो देश में अति-जन-संख्या है, और, यदि m ऋणात्मक है, तो न्यून-जन-संख्या। यदि वास्तविक जन-संख्या आदर्श जन-संख्या के बराबर है, तो m शून्य (Zero) के बराबर होगा। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी देश की वास्तविक जन-संख्या ३० करोड़ है और आदर्श जन-संख्या २७ करोड़ होती है, तो

$$m = \frac{30 - 27}{27} = \frac{3}{27} = \frac{1}{9} = 11 \text{ होगा। इसका अर्थ यह कि देश में चौड़ी-सी अति जन-संख्या है किन्तु}$$

व्यावहारिक जीवन में इस सूत्र का कोई विशेष लाभ नहीं, क्योंकि A का अनुमान लगाना अत्यन्त कठिन कार्य है। यह स्थैतिक (Static) नहीं, बल्कि प्रवर्गिक (Dynamic) है और बहुधा बदलता रहता है।

कार साँडर्स के अनुसार, "यदि वास्तविक जन-संख्या आदर्श जन-संख्या से अधिक है तो अति जन-संख्या है और कम है तो न्यून-जन-संख्या है। दोनों ही दशाओं में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय उससे कम होगी, जितनी कि आदर्श जन-संख्या होने की दशा में होगी। दूसरे, किसी देश में आदर्श जन-संख्या कई बातों पर निर्भर होती है—(i) क्षेत्र के प्राकृतिक साधन, (ii) लोगों की प्राकृतिक अथवा प्राप्त आदतें, ज्ञान और निपुणता तथा (iii) आर्थिक क्रियाओं के लिए देश के भीतर और बाहर अवसर।"¹

आदर्श जन-संख्या सिद्धान्त की मान्यतायें—

जन-संख्या का यह सिद्धान्त दो मान्यताओं पर आधारित है :—(i) इस सिद्धान्त में यह मान लिया गया है कि कार्यवाहक जन-संख्या (Working Population) के प्रत्येक सदस्य द्वारा किया जाने वाला प्रति घण्टा काम तथा उसके काम करने के घण्टे यथास्थिर रहते हैं। यदि इन दोनों में परिवर्तन होता है, तो उसका वही परिणाम होगा जो जन-संख्या के परिवर्तनों का होता है। (ii) कुल जन-संख्या में कार्यवाहक जन-संख्या का अनुपात यथास्थिर रहना चाहिए। इसमें परिवर्तन होने का भी विलम्बित वही परिणाम होता है, जो जन-संख्या के परिवर्तन का होता है।

आदर्श-जन-संख्या सिद्धान्त माल्थस के सिद्धान्त पर एक सुधार—

इन दोनों मान्यताओं को ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि इनके कारण इस सिद्धान्त को वास्तविक जीवन में लागू करना कठिन हो जाता है। किन्तु इससे इस सिद्धान्त का आधार गलत सिद्ध नहीं होता। यह सिद्धान्त माल्थस के सिद्धान्त पर महत्वपूर्ण सुधार है : क्योंकि (i) वह हमें बताता है कि जन-संख्या की प्रत्येक वृद्धि बुरी नहीं होती। (ii) जन-संख्या के आधार का सम्बन्ध देश के सभी प्रकार के कुल उत्पादन से होता चाहिए, न कि केवल साख उत्पादन

¹ Carr-Saunders : *World Population*, pp. 330-31.

से । (iii) वह हमारे लिए ऐसी व्यावहारिक रीति उपलब्ध करने का प्रयत्न करता है, जिसके आधार पर हम जन-संख्या के परिवर्तनों पर प्रतिबन्ध लगा सकते हैं । (iv) वह हमारा ध्यान इस सत्य की ओर भी आकर्षित करता है कि साधनों, उनके उपयोग के अर्थ, आविष्कारों और शिल्प ज्ञान की वृद्धि द्वारा देश से सम्बन्धित आदर्श जन-संख्या में वृद्धि की जा सकती है । इस प्रकार, प्रति और न्यून जन-संख्या के विचार केवल तुलनात्मक हैं, जिनका सम्बन्ध कुछ विशेष परिस्थितियों से होता है । इन परिस्थितियों के परिवर्तन से ये स्थितियाँ बदली जा सकती हैं ।

आदर्श जन-संख्या सिद्धान्त के दोष—

इस सिद्धान्त के कुछ दोष भी हैं । सिद्धान्त की प्रमुख आलोचनायें निम्न प्रकार हैं :-

(१) राष्ट्रीय वास्तविक आय के वितरण पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया है :- यदि प्रोसत वास्तविक आय बढ़नी है, तो जन-संख्या की वृद्धि उपयुक्त होगी, परन्तु इस बात की क्या गारण्टी है कि यह बढ़ी हुई वास्तविक आय समाज के कुछ घोर से ही व्यक्तियों के पास रह कर निर्धन व्यक्तियों को पहुँचेगी ? यदि उत्पादित धन का न्यायपूर्ण वितरण नहीं होता है, तो जन-संख्या और वास्तविक आय की वृद्धि सामाजिक कल्याण को नहीं बढ़ावेगी और माल्यस के नैसर्गिक प्रतिबन्ध कायंशील होने लगेंगे । यह सन्देहपूर्ण है कि ऐसी दशा में जन-संख्या की वृद्धि को नहीं तब उचित कहा जा सकेगा ।

(२) देश की सामाजिक नीति का बहुत ही सकुचित उद्देश्य बनाया गया है—केवल प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को ही अधिकतम कर देने से कोई देश उन्नति नहीं करेगा । देश में स्वस्थ, बुद्धिमान, शिक्षित और चरित्रवाग् जनसंख्या के होने का भी बहुत महत्त्व है । यदि कोई जनसंख्या सम्बन्धी नीति इस उद्देश्य पर ध्यान नहीं देती है तो वह सफल और उचित नहीं हो सकती है ।

(३) इसका व्यावहारिक महत्त्व भी सन्देहपूर्ण है ।


जन-संख्या का जैवकीय सिद्धान्त

(The Biological Theory of Population)

इस सिद्धान्त का निर्माण अमेरिका के जीव-विज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान प्रो रेण्ड पर्स (Raymond Pearl) ने किया था और यह सर्वप्रथम उनकी पुस्तक *Biology of Population Growth* (1925) में प्रस्तुत किया गया था । इस सिद्धान्त को कभी-कभी लॉजिस्टिक वक्र सिद्धान्त (Logistic Curve Theory) भी कहा जाता है, क्योंकि इसका चित्र एक ऐसे वक्र द्वारा प्रदर्शित होता है जो अक्षरे के S अक्षर से मिलता-जुलता है ।

सिद्धान्त का कथन—

यह सिद्धान्त बताता है कि जनसंख्या के तेजी और धीरे-धीरे बढ़ने के काल होते हैं जो लगभग एक क्रम में घटित होते हैं । कोई-कोई काल ऐसा भी हो सकता है जिसमें जन-संख्या वास्तव में घटने लगे, परन्तु कुल मिलाकर जन-संख्या की सामान्य प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ते रहने की ही होती है । घटने के परभाव भी जन संख्या इतनी नीचे नहीं होती है कि उस स्तर पर पहुँच जाये जिससे उसने बढ़ना प्रारम्भ किया था । वह घब भी उससे ऊँची रहती है ।



एक प्रकार यह सिद्धान्त भी एक दूसरी रीति से माल्यस के निष्कर्षों की ही पुष्टि करता है ।

चित्र—जन-संख्या का घटना-बढ़ना

यह सिद्धान्त उन प्रयोगों के आधार पर बनाया गया है जो पल्ल ने फल की मक्खियों (Fruit Fly) पर किये थे। पल्ल के प्रयोगों ने बताया था कि इन मक्खियों की संख्या पहले बहुत तेजी के साथ बढ़ती है परन्तु कुछ समय पश्चात् वृद्धि की दर घटती जाती है। यह भी सम्भव है कि कुछ समय पश्चात् जन-संख्या उल्टी घटने लगे क्योंकि कुछ प्रकार के प्रतिबन्ध कार्यशील होने लगते हैं। घटने के कारण संख्या कुछ कम अवश्य हो जाती है, परन्तु घटने के पश्चात् भी वह उस विन्दु से ऊँची ही रहती है जिससे इसने आरम्भ में बढ़ना शुरू किया था। एक निम्नतम विन्दु पर पहुँचने के पश्चात् संख्या फिर बढ़ने लगती है—पहले तेजी के साथ, फिर धीरे धीरे और फिर घटने लगती है और यह श्रम बराबर चलता रहता है। इस प्रकार यदि जन-संख्या के इस व्यवहार का रेखा चित्र खींचा जाये तो वह अंग्रेजी के S अक्षर जैसा होगा जैसा कि उक्त चित्र में दिखाया गया है।

सिद्धान्त की व्याख्या—

पल्ल ने अपने अध्ययन का आरम्भ तो फल की मक्खियों से किया था, परन्तु बाद में उन्होंने पशु और वनस्पति का भी अध्ययन किया। पल्ल का विचार है कि मानव समाज भी इसी प्रकार की प्रवृत्तियाँ दिखाता है। पल्ल ने फ्रांस, जर्मनी तथा संयुक्त-राज्य-अमेरिका को जनसंख्याओं का भी अध्ययन किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सभी अध्ययन उनके सिद्धान्त की पुष्टि करते थे। पल्ल ने अपने निष्कर्षों को एक गणितीय सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया है जो सैजिस्टिक चक्र पर आधारित है।

आर्थिक विवेचन की दृष्टि से शायद हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जन-संख्या वृद्धि चक्र का निचला भाग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन (Geometrical Progression) में जन-संख्या की वृद्धि को दिखाता है परन्तु चक्र का ऊपर का भाग यह दिखाता है कि जन-संख्या की वृद्धि की दर काफी घट गई है इसका एक मात्र यही कारण हो सकता है कि आरम्भ में जन-संख्या पर किसी प्रकार की रोक अथवा कोई प्रतिबन्ध (Check) नहीं होता परन्तु बाद में प्रतिबन्ध दृष्टिगोचर होने लगते हैं, जिस कारण जन-संख्या की वृद्धि दर घट जाती है। जैवकीय सिद्धान्त का प्रमुख निष्कर्ष हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं—“जनसंख्या घटती-बढ़ती है, ऊपर नीचे जाती है, तेजी से बढ़ती है, धीरे-धीरे बढ़ती है अथवा नीचे गिरती है, परन्तु बुल मिला कर यह सदा बढ़ती ही रहती है।”

इस सिद्धान्त की आलोचना—

माल्थस के समर्थकों ने जैवकीय सिद्धान्त का उपयोग माल्थस के सिद्धान्त की पुष्टि करने के लिए किया है। कहा जाता है कि यह सिद्धान्त प्रयोगों तथा निरीक्षणों की सहायता से माल्थस के निष्कर्षों तक पहुँचने का प्रयत्न करता है और इसके निष्कर्ष माल्थस के निष्कर्षों से मिलते हैं। एक सच्चा वैज्ञानिक होने के कारण पल्ल ऐसी कोई बात नहीं कहते कि जन-संख्या की यह वृद्धि समाज के लिए अच्छी है या बुरी। अन्य व्यक्ति उनके द्वारा उपलब्ध सूचना का क्या उपयोग करते हैं इसका निर्णय वे दूसरों पर ही छोड़ देते हैं।

पल्ल का सिद्धान्त कहीं तक सही है इस विषय में कुछ कहना सम्भव नहीं है। सच तो यह है कि इस सिद्धान्त की जाँच अर्थशास्त्र के क्षेत्र से बाहर पड़ती है। इस सम्बन्ध में एक सन्देह यह है कि नीची थेंपों के प्रयोगों और पौधों पर किये गये प्रयोग भले ही पल्ल के कथन की पुष्टि करते हों परन्तु यह कहना कठिन है कि वह सिद्धान्त मनुष्य पर भी लागू होता है।

परन्तु पल्ल के सिद्धान्त के पक्ष में इतना अवश्य कहा जा सकता है कि सत्तार में जन-संख्या की वृद्धि इस सिद्धान्त की पुष्टि करती है। सन् १७५० से अब तक सारे सत्तार की जन-संख्या की वृद्धि का अध्ययन यह स्पष्ट कर देता है कि यद्यपि किसी काल में जनसंख्या अधिक

तेजी के साथ बढ़ी है और किसी काल में कम तेजी के साथ; परन्तु कुल मिलाकर संसार की जन-संख्या निरन्तर बढ़ती ही गई है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय संसार उम्र अवस्था में गुजर रहा है जिनमें जनसंख्या अधिक तेजी के साथ बढ़ रही है, परन्तु यह अवस्था लगभग सन् २००० के आस-पास समाप्त हो जायेगी। इसके पश्चात् जन-संख्या की वृद्धि दर काफी घट जायेगी।

शुद्ध पुनरुत्पादन अर्ध का सिद्धान्त (Theory of Net Reproduction Rate)

जन-संख्या की वृद्धि की दर का पता लगाने के लिए हम बहुधा किसी देश की जन्म और मृत्यु दरों के अन्तर का पता लगाते हैं। यदि १,००० व्यक्तियों के पीछे जन्म दर २५० है और मृत्यु दर २०० है, तो जन-संख्या की वृद्धि अर्ध ५० प्रति हजार होगी। इस प्रकार की दर वास्तविक वृद्धि को नहीं दिखाती है। इंग्लैंड और फ्रांस में सन् १९४० में इस प्रकार की वृद्धि अर्ध क्रमशः ५ और २ प्रति हजार थी, जिससे ऐसा पता लगता था कि जन-संख्या बढ़ रही थी, जबकि वास्तव में दोनों देशों की जन-संख्या घट रही थी।

शुद्ध पुनरुत्पादन अर्ध के सिद्धान्त का कथन—

कुज्यन्स्की (Kuczynski) का विचार है किसी देश में जन-संख्या की वृद्धि वास्तव में स्त्री जनसंख्या की वृद्धि अर्ध पर निर्भर होती है, इसलिए जन-संख्या की वास्तविक वृद्धि का पता लगाने के लिए हमें स्त्री जन-संख्या की वृद्धि का अर्ध मातृम करना चाहिए। जिस दर पर स्त्री जन-संख्या का प्रतिस्थापन (Replacement) होता है उसे ही "शुद्ध पुनरुत्पादन अर्ध" कहते हैं।¹ सिद्धान्त को व्याख्या (अर्ध निकालने की विधि)—

शुद्ध पुनरुत्पादन अर्ध को निकालने के लिये सबसे पहले तो हमें देश की मृत्यु अर्ध का पता लगाना होता है इसके पश्चात् हम यह पता लगाने का प्रयत्न करते हैं कि स्त्रियों के सन्तान-उत्पादन-काल (Reproductive Period) में प्रति वर्ष कितने बच्चे पैदा होते हैं। इस प्रकार के बच्चों में केवल लड़कियों की संख्या सम्मिलित की जाती है और लड़कों की संख्या निकाल दी जाती है। इसका कारण यह है कि केवल स्त्रियाँ ही सन्तानोत्पादन कर सकती हैं। दूसरे शब्दों में, हम यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि स्त्री जन-संख्या का अर्धना प्रतिस्थापन किस प्रकार करती है। निम्न तालिका में शुद्ध पुनरुत्पादन अर्ध निकालने की विधि दिखाई गई है :—

आयु वर्ग	प्रत्येक आयु-वर्ग में १,००० स्त्रियों के पैदा होने वाली लड़कियों की संख्या	पैदा होने वाली १,००० लड़कियों में से जीवित रहने वाली लड़कियों की संख्या	प्रत्येक आयु-वर्ग में जीवित रहने वाली लड़कियों का प्रतिशत	जीवित रहने वाली स्त्रियों की संख्या, जो कि स्त्री जन-संख्या का प्रतिस्थापन करती है
१५-२०	१००	६००	६०	६०
२०-२५	४००	८००	८०	३२०
२५-३०	२००	७००	७०	१४०
३०-३५	१५०	६००	६०	९०
३५-४०	१००	५००	५०	५०
४०-४५	५०	४००	४०	२०
	१,०००			७१०

इस तालिका में सन्तान उत्पादन की आयु १५ और ४५ वर्ष के बीच मानी गई है। यह निश्चय है कि यदि स्त्री जन-संख्या में मृत्यु नहीं होती है, तो १,००० स्त्रियाँ १,००० लड़कियाँ

¹ Kuczynski : Balance of Births and Deaths, p. 44.

उत्पन्न करके अपना प्रतिस्थापन कर लेंगे। परन्तु उपरोक्त तालिका में १,००० स्त्रियों का प्रतिस्थापन केवल ७१० स्त्रियों द्वारा होता है। इस आधार पर शुद्ध पुनरुत्पादन अर्ध $\frac{710}{1000}$ अथवा ७१ होगी, जो जन-संख्या के घटने को सूचित करती है। यह अर्ध हमें यह दिखाती है कि स्त्री जन-संख्या कितनी तेजी के साथ सन्तान उत्पादक आयु-वर्ग की स्त्रियों का प्रतिस्थापन करती है। यदि शुद्ध पुनरुत्पादन अर्ध १ है, तो जन-संख्या स्थिर रहेगी, अर्थात्, वह न तो घटेगी और न बढ़ेगी। १ से अधिक दर जन-संख्या की वृद्धि को सूचित करती है और १ से कम अर्ध जन-संख्या के घटने को।

सिद्धान्त का मूल्याङ्कन—

(१) शुद्ध पुनरुत्पादन सिद्धान्त इस बात का ध्यान दिखाता है कि सन्तान-उत्पादन-शक्ति और प्रजनन-उर्वरता दोनों में भेद है, क्योंकि प्रकृति ने तो मनुष्य को सन्तान उत्पादन शक्ति बहुत प्रदान की है लेकिन लड़कियों की मृत्यु, वैधव्य, कृत्रिम जन्म-निरोधक साधनों का प्रयोग इत्यादि के फलस्वरूप यह शक्ति व्यवहार में बहुत कम हो जाती है। अन्य शब्दों में, वास्तविक सन्तान-उत्पादन-शक्ति (या प्रजनन उर्वरता) प्रकृति-दत्त सन्तान शक्ति से कहीं कम होती है। मात्स्य ने इस अन्तर की उपेक्षा कर दी थी।

(२) कुछ यूरोपीय देशों में शुद्ध पुनरुत्पादन दर इकाई से कम है (जैसे कि इङ्लैंड, फ्रांस, जर्मनी), जो मात्स्य के इस दावे को रद्द करती है कि जनसंख्या सदैव बढ़ती है।

(३) यह सिद्धान्त जन-संख्या के विकास को मापने के लिए एक विवेकशील आधार प्रदान करता है।

किन्तु, स्मरण रहे कि शुद्ध पुनरुत्पादन सिद्धान्त को भी जनसंख्या का एक पूर्ण सिद्धान्त नहीं कहा जा सकता। कारण, यह जन-संख्या के विकास को मापने की रीति मात्र ही प्रस्तुत करता है और इसके अन्य पहलुओं के बारे में शान्त है।

जन-संख्या और आर्थिक विकास

जनसंख्या का विकास देश विशेष के आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करता है यह वर्तमान युग में एक ज्वलन्त प्रश्न बना हुआ है, जिस पर हम दो शोर्पको के अन्तर्गत विचार करेंगे—न्यून जनसंख्या और आर्थिक विकास एवं अति जन-संख्या और आर्थिक विकास।

न्यून जन-संख्या और आर्थिक विकास—

प्रो० हिक्स के अनुसार, न्यून जन संख्या देश विशेष के आर्थिक विकास में दो प्रकार से बाधाएँ डालती हैं —(अ) जन-संख्या (एव इसलिए श्रम) की कमी के कारण रेलों, पुलों, सड़कों इत्यादि के निर्माण कार्य, जिनमें प्रायः बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता पड़ती है, या तो सम्भव नहीं होंगे अथवा धीमी गति से चलेंगे और इस प्रकार इन बुनियादी तत्वों के अभाव में देश में उत्पादन कम होगा और उसका आर्थिक विकास रुक जायेगा। (ब) जन-संख्या (और इसलिये श्रम) की कमी के कारण विधिहीनता उचित सीमा तक नहीं किया जा सकेगा, बड़े पैमाने के उद्योगों को स्थापना में बाधा पड़ेगी, देश में औद्योगिक वस्तुओं के लिए बाजार सकुचिन रह जायेगा, औद्योगिकरण अप्रोत्साहित होगा एवं कृषि भी पिछड़ी रह जायेगी, क्योंकि इसके लिए, मशीनों, ट्रैक्टर, उर्वरक इत्यादि का अभाव रहेगा। सर्वोप में, देश, बड़े पैमाने की दृष्टि से वंचित रहेगा और उसके आर्थिक विकास में बाधा पड़ेगी। निःसंदेह, विदेशी व्यापार के द्वारा उपयुक्त हानियों को कम किया जा सकता है किन्तु यह कमी एक सीमा तक सम्भव होगी। अतः, निष्कर्ष के रूप में यह कह सकते हैं कि यदि अर्थात् जन-संख्या वाले देश में जन-संख्या की वृद्धि हो तो यह एक लाभदायक बात होगी, क्योंकि ऐसी रचना में प्राकृतिक साधनों का अधिक अन्वेषण किया जा सकेगा तथा देश की आर्थिक प्रगति होगी।

अति-जनसंख्या एवं आर्थिक विकास—

किन्तु अनुकूलतम बिन्दु पर पहुँचने के बाद जन-संख्या का बढ़ना रुक जाना ही अच्छा होगा। यदि इस बिन्दु के बाद भी जन-संख्या में वृद्धि जारी रहे, तो अति-जन-संख्या हो जायेगी जो आर्थिक विकास में निम्न तीन तरह से बाधक होती है :—(अ) देश में भ्रम उत्पत्ति के अन्य साधनों की अपेक्षा बहुत अधिक हो जाता है, जिस कारण उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने लगता है। (ब) आवश्यक वस्तुओं के लिये माँग में तेजी से वृद्धि होती है किन्तु वास्तविक उत्पादन उतनी तेजी से नहीं बढ़ता (क्योंकि उत्पत्ति ह्रास नियम त्रिपाशील रहता है), जिससे जीवन-स्तर गिरने लगता है। (स) आर्थिक विकास के लिए अधिक विनियोग की और अधिक विनियोग के लिए अधिक बचत की आवश्यकता होती है, किन्तु अति-जन-संख्या बचतों को कम करती है।

यह उल्लेखनीय है कि विकसित देशों की परिस्थितियाँ अविश्वसित देशों से भिन्न होती हैं। एक विकसित या घनवान देश में अपने ही साधनों से पूँजी लग्न को तेज गति से बढ़ा सकता है, जिस कारण वहाँ अति-जन-संख्या का भय क्षीण हो जाता है। यदि वहाँ जनसंख्या बढ़े, तो बड़े पैमाने की बचतें प्राप्त होंगी, विनियोग बढ़ेगा, बेकारी घटेगी और रोजगार स्तर को ऊँचा रखना सुगम हो जायेगा।

अति-जन-संख्या को रोकने के उपाय

अति-जन-संख्या के दुष्परिणाम बहुत ही गम्भीर हैं, क्योंकि यह आर्थिक विकास की गति को कुप्रभावित करते हैं। अतः यह परमावश्यक है कि अति-जनसंख्या को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें, जोकि मुख्यतः निम्न प्रकार हैं :—(१) कृषि उत्पादन की आधुनिक विधियों (कमलों का बैंगानिक हेर-फेर, भूमि पुनरुद्धार, भूमि कटाव से रक्षा, गहन कृषि) के प्रयोग द्वारा कृषि उपज को बहुत बढ़ाया जाय। (२) तीव्र गति से औद्योगीकरण किया जाय, जिससे भूमि पर भार हलका हो, बेरोजगारी का निवारण हो और जीवन-स्तर ऊँचा उठे। (३) परिवार नियोजन पर ध्यान दिया जाय और इसके साधनों का व्यापक प्रचार किया जाय। (४) जन-संख्या से सम्बन्धित पदाब्ज एर विश्वसनीय आँकड़े एकत्र किये जायें। इस हेतु एक कुशल और दक्ष जनगणना विभाग होना अति आवश्यक है। (५) चट्टानों के आर्थिक विकास के लिए योजनाबद्ध प्रयास किये जायें। (६) शिक्षा विस्तार किया जाय और सामाजिक कुरीतियों (बहु विवाह, घलन आदि) को समाप्त किया जाय। (७) निरन्तर बीमार रहने वाले और दिमागी सर्राबी वाले लोगों को विवाह करने से रोका जाय।

परीक्षा प्रश्न :

1. आधुनिक दशाओं की पृष्ठभूमि में माल्थस के जन-संख्या सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।

अथवा

माल्थस के जनसंख्या सिद्धान्त को समझाइये। आप उसके विचारों में कहाँ तक सहमत हैं ? [सहायक संकेत :—सर्वप्रथम माल्थस के जन-संख्या सिद्धान्त का बयान दीजिये और इसकी व्याख्या कीजिये। तत्पश्चात् इसकी आलोचना और अन्त में इसकी सत्यता पर प्रकाश डालते हुये निष्कर्ष दीजिये।]

२. इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या [कीजिये कि जनसंख्या में जीवन निर्वाह के साधनों की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है।]
[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम माल्थस के जनसंख्या नियम का कथन दीजिये और इसकी व्याख्या कीजिये। तत्पश्चात् इसकी आलोचना दीजिये और सिद्धान्त की सत्यता को दर्शाने वाले दो तीन उदाहरण दीजिये। अन्त में निष्कर्ष निकालिये।]
३. “वर्तमान समाज के लिये माल्थस के जनसंख्या सिद्धान्त का डर समाप्त हो गया है।” क्या आप इस दृष्टिकोण से सहमत हैं? उत्तर दीजिये।
[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम माल्थस के जनसंख्या-नियम का कथन और इसकी व्याख्या दीजिये। तत्पश्चात् इसकी आलोचना दीजिये और यह बताइये कि इन आलोचनाओं के सम्बन्ध में कुछ लोगो का यह मत है कि आधुनिक समाज के लिए माल्थस के सिद्धान्त का भय नहीं रहा गया है। किन्तु इसकी सत्यता के दो चार उदाहरण देने के बाद यह निष्कर्ष निकालिये कि कथन पूर्णतया सही नहीं है।]
४. ‘अनुकूलतम के विचार’ को समझाइये। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त का विवेचन कीजिये।
[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम ‘अनुकूलतम का विचार’ क्या है इसे समझाइये और यह बताइये कि अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धान्त इस प्रसिद्ध आर्थिक विचार का ही प्रयोग है। तत्पश्चात् अनुकूलतम जनसंख्या की परिभाषा दीजिए, रेखाचित्र देकर इसकी व्याख्या कीजिये एवं डाल्टन का सूत्र दीजिये। अन्त में इस विचार की आलोचना दीजिये और यह निष्कर्ष निकालिये कि माल्थस के सिद्धान्त की भाँति अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त भी अपूर्ण है।]
५. ‘अति जनसंख्या’ से आप क्या समझते हैं? अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त की व्याख्या दीजिये।
[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम अति जनसंख्या को समझाइये। तत्पश्चात् अनुकूलतम जनसंख्या की परिभाषा, रेखाचित्र द्वारा इसकी व्याख्या और डाल्टन का सूत्र दीजिये। अन्त में आलोचना मक्षेप में दीजिये और निष्कर्ष निकालिये।]
६. “जनसंख्या की समस्या केवल आकार की समस्या नहीं है वरन् यह तो कुशल उत्पादन और न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है।” इस कथन की व्याख्या कीजिये।
[सहायक संकेत :—माल्थस के सिद्धान्त के अनुसार, जनसंख्या की प्रत्येक वृद्धि हानिकारक है क्योंकि यह सर्वे खाद्यान्नों की वृद्धि से प्राप्ते निकल जाती है, इस प्रकार, यह सिद्धान्त जनसंख्या की समस्या को केवल आकार की समस्या को केवल आकार या संख्या की समस्या मानता है। किन्तु अनुकूलतम सिद्धान्त के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि के साथ यदि प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है तो वह लाभदायक होगी। जनसंख्या की वृद्धि हानिकारक तब ही होती है जबकि वह अनुकूलतम बिन्दु को पार कर जाय अर्थात् जबकि प्रति व्यक्ति आय घटने लगे। इस प्रकार, इस सिद्धान्त के अनुसार जनसंख्या की समस्या केवल आकार की समस्या नहीं है वरन् कुशल उत्पादन और और न्यायपूर्ण वितरण की भी है। इस प्रारम्भिक स्पष्टीकरण के बाद अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धान्त की चित्र द्वारा व्याख्या, डाल्टन का सूत्र और मक्षेप में आलोचना भी दीजिये तथा अन्त में निष्कर्ष निकालिये।]
७. “माल्थस का जनसंख्या सिद्धान्त निराशावादी है और अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धान्त आशावादी है किन्तु इनमें से कोई भी एक पूर्ण जनसंख्या सिद्धान्त नहीं है।” विवेचन कीजिये।

धयवा

माल्यस के जन-संख्या के सिद्धान्त को समझाइये । अनुकूलतम सिद्धान्त किस सीमा तक माल्यस के सिद्धान्त पर सुधार है ?

[सहायक संकेतः—सर्वप्रथम माल्यस के जन-संख्या के नियम का बयन दीजिये एवं उसकी व्याख्या कीजिए । तत्पश्चात् अनुकूलतम जन-संख्या की परिभाषा और चित्र व सूत्र की सहायता से संक्षेप में उसकी व्याख्या कीजिए । अन्त में दोनों सिद्धान्तों की तुलना करते हुए यह निष्कर्ष निकालिये कि माल्यस का सिद्धान्त निराशावादी है किन्तु अनुकूलतम सिद्धान्त आशावादी परन्तु दोनों ही अपूर्ण हैं ।]

५ अनुकूलतम और माल्यस के जन-संख्या सिद्धान्तों का विवेचन करिये ।

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम माल्यस के जन-संख्या के नियम का बयन दीजिए और संक्षेप में इसकी व्याख्या कीजिये व आलोचना लिखिये । तत्पश्चात् अनुकूलतम जन-संख्या के सिद्धान्त का उद्देश्य, उसकी परिभाषा, चित्र सहित व्याख्या कीजिए एवं संक्षेप में आलोचना दीजिए । अन्त में यह निष्कर्ष निकालिये कि इनमें से एक सिद्धान्त यदि निराशावादी है तो दूसरा आशावादी परन्तु कोई भी पूर्ण सिद्धान्त नहीं है ।]

पूँजी

(Capital)

प्रारम्भिक—

पूँजी का अर्थ एक विद्युले अर्घ्याय मे स्पष्ट किया जा चुका है। अर्थशास्त्र मे पूँजी का अर्थ बोलचाल के अर्थ से भिन्न होता है। आर्थिक अर्थ मे पूँजी मनुष्य की पहली कमाई का वह भाग होती है जो और आगे उत्पत्ति करने के काम मे लाई जाती है।

पूँजी की परिभाषा

पूँजी के अर्थ को भली-भाँति समझने हेतु निम्न परिभाषाओं का अध्ययन करना चाहिए :—

(१) सैपमेन के शब्दों मे, “पूँजी वह धन है, जो आय प्रदान करता है, अथवा आय के उत्पादन मे सहायक होता है, अथवा जिसके इस प्रकार उपयोग करने की इच्छा होती है।”¹ इस प्रकार, पूँजी मे रेल, जहाज, नहर, कारखाने, सभी प्रकार की मशीनें, औजार इत्यादि सम्मिलित होते हैं।

(२) पीगू ने पूँजी की तुलना एक ऐसी झील या जलयान से की है, जिसमें बहुत सी वस्तुएँ, जो बचत का फल हैं, निरन्तर डाली जाती हैं। सभी वस्तुएँ, जो इस झील में डाली जाती हैं, अन्त मे फिर इससे बाहर निकलती रहती हैं।²

(३) बोम बेबर्क के अनुसार, पूँजी का आशय उत्पादित उत्पत्ति-साधनों से है, अर्थात् पूँजी मे औजार, मशीन, भवन इत्यादि सम्मिलित हैं, क्योंकि वे श्रम द्वारा उत्पन्न किये गये हैं। किन्तु भूमि और प्राकृतिक ध्वषहार पूँजी मे नहीं गिने जायेंगे, क्योंकि वे श्रम द्वारा उत्पादित नहीं होते। स्पष्टतः यह परिभाषा अपूर्ण है, क्योंकि इसमे केवल उत्पादक वस्तुओं को पूँजी मे सम्मिलित किया है, किन्तु उत्पादक और उपभोग वस्तुओं मे कोई स्पष्ट भेद नहीं किया जा सकता। कोई भी वस्तु (जैसे कि वार) जब वह प्रत्यक्ष रूप से किसी आवश्यकता को पूरा करने (जैसे—भूमने) के लिए उपयोग की जाती है, तो उपभोग-वस्तु और जब आय प्राप्त करने या आगे और उत्पत्ति करने (जैसे—मरीचों को देखने) के लिए उपयोग की जाय, तो उत्पादक-वस्तु कहलायेगी। इस प्रकार, उपभोग और उत्पादक वस्तुओं के मध्य अन्तर करना कठिन होता है। पुनः केवल औजार, मशीन, इत्यादि ही नहीं, वरन् व्यापारी लोग द्रव्य, वाण्ड्स, प्रतिभूतियों आदि को भी पूँजी मे सम्मिलित करते हैं।

1 “Capital is wealth which yields an income or aids the production of an income or is intended to do so”—Chapman . *Outlines of Political Economy*, p 73.

2 “.....a lake into which a great variety of things, which are the fruit of saving, are continuously being projected. All things that enter the lake eventually pass out of it again”—Pigou : *Economics of Welfare*, p. 43.

किन्तु दूसरे अर्थशास्त्रियों ने भूमि और पूँजी में निम्न कारणों से भेद किया है :—

(१) भूमि प्रकृति की देन है, जबकि पूँजी मनुष्यकृत है, इसलिए पूँजी मरणाशुल है, जबकि भूमि अमर, अविनाशी और स्थायी (Permanent)। (२) पूँजी गतिशील (Mobile) है, परन्तु भूमि स्थिर। (३) पूँजी की मात्रा मनुष्य द्वारा घटाई-बढ़ाई जा सकती है, परन्तु भूमि की मात्रा नहीं। (४) पूँजी से प्राप्त आय बहुधा निश्चित होती है, जबकि भूमि के स्वामि में पर्याप्त परिवर्तन होते रहते हैं। (५) व्यक्तिगत दृष्टि से भूमि आय का साधन है, सामाजिक दृष्टि से नहीं किन्तु पूँजी व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोण से आय का साधन होती है। इस कारण कुछ अर्थशास्त्रियों ने भूमि को व्यक्तिगत पूँजी कहा है।

वास्तव में इस विवेचन में भूमि और पूँजी के अन्तर को बहुत बड़ा-चड़ाकर दिया गया है, क्योंकि कोई वस्तु भूमि है या पूँजी, यह उसके उपयोग पर निर्भर होता है। फिर भी हम इतना कह सकते हैं कि भूमि और पूँजी दोनों एक ही नहीं होते हैं।

पूँजी और आय

पूँजी और आय में भी अन्तर होता है। आय पूँजी के उपयोग द्वारा उत्पन्न हो सकती है और उत्पत्ति के अन्य कार्यों द्वारा भी। पूँजी को हम अधिक से अधिक आय का साधन अथवा आय का स्रोत कह सकते हैं क्योंकि स्वयं पूँजी आय नहीं होती है।

प्रो० फिशर ने दोनों के अन्तर का बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है। वे लिखते हैं, “पूँजी एक संचित कोष है और आय एक धारा।” पूँजी में धन सम्मिलित है और आय में लाभ। “.....किसी दिए हुए समय-बिन्दु (Point of time) पर विद्यमान धन के कोष अथवा भण्डार को पूँजी कहते हैं, परन्तु एक समयावधि (Period of time) के भीतर धन से लाभों की धारा को आय कहा जाता है।”¹

स्मरण रहे कि फिशर ने पूँजी की बड़ी विस्तृत परिभाषा की है। उनके विचार में किसी देश की वारतबिक पूँजी वहाँ की भूमि, रेलों, कारखानों, मकानों आदि से मिलकर बनती है और इस विस्तृत अर्थ में देश के निवासी भी पूँजी होते हैं।²

पूँजी और द्रव्य

सभी द्रव्य पूँजी नहीं होता, क्योंकि द्रव्य का वही भाग पूँजी कहला सकता है जो कि अधिक उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाय। इसी प्रकार सभी पूँजी द्रव्य नहीं होती है, क्योंकि यह अशत. द्रव्य में और अशत: भवन, मशीन आदि के रूप में भी होती है।

पूँजी और धन

धन का केवल वह भाग जो और अधिक धन उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है, पूँजी कहलाता है। अतः समस्त धन पूँजी नहीं है किन्तु समस्त पूँजी धन है।

क्या व्यक्तिगत गुणों को पूँजी कहा जा सकता है ?

यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि व्यक्तिगत गुणों को पूँजी कहना कहाँ तक

¹ “Capital is a stock and income a flow....capital consists of wealth while income consists of benefits...A stock of wealth existing at a given instant of time is called capital, a flow of benefits from wealth through a period of time is income.”—Fisher : *Elementary Principles of Economics*.

² “The only true capital of a society as a whole is its capital wealth—its lands, railways, factories, dwellings and in its broader sense, its inhabitants.”—*Ibid*.

उपयुक्त है ? किसी व्यक्ति की बुद्धि, उसकी ध्यावसायिक योग्यता, निपुणता, आदि ऐसे गुण हैं, जो प्राप्त किये जाते हैं और जिनके उपयोग से धन भी प्राप्त होनी है। इस सम्बन्ध में हम इनका कह सकते हैं कि इन गुणों का हस्तांतरण सम्भव नहीं होता इसलिए इन्हें हम पूँजी नहीं कह सकते। अमेरिकन लेखक इन्हें व्यक्तिगत पूँजी कहते हैं, परन्तु चैपमैन ने इन्हें 'प्रति की देन' कहा है जिसके आधार पर ये पूँजी नहीं हो सकते हैं।¹

पूँजी का महत्त्व और उसके कार्य

इसमें सन्देह नहीं कि पूँजी की सहायता के बिना भी उत्पत्ति हो सकती है, परन्तु इस तरह जो उत्पत्ति होती है, वह पूँजी की सहायता से की जाने वाली उत्पत्ति की तुलना में बहुत कम होती है। हजारों वर्ष पूर्व के मनुष्य ने भी इस बात को भली-भाँति समझ लिया था। यही कारण है कि धारम्भ से ही मनुष्य उत्पत्ति में किसी न किसी प्रकार के औजारों की सहायता लेना चला आया है। वर्तमान काल में तो बिना पूँजी के किसी प्रकार के उत्पादन की बात सोची भी नहीं जा सकती है। आजकल के सभी कारखाने, मातायात के साधन और लगभग वे सभी वस्तुएँ जिन पर हमारा जीवन निर्भर है, पूँजी का ही फल है। पूँजी का महत्त्व निम्न दृष्टिकोणों से ज्ञातनीय है :—

(१) पूँजी की सहायता के बिना बड़े पैमाने की उत्पत्ति सम्भव नहीं है। यद्यपि पूँजी उत्पत्ति का केवल निष्पत्ति साधन है, परन्तु फिर भी इसके बिना मनुष्य की उत्पादन शक्ति बहुत ही कम रहती है।

(२) पूँजी के बिना लगभग किसी भी प्रकार का उद्योग-धन्धा चलाना कठिन होता है। इसके बिना न मशीनें चलायी जा सकती हैं, न कारखानों का विस्तार किया जा सकता है, न मशीनें रखी जा सकती हैं और न मातायात के साधनों का ही विकास हो सकता है। इसके बिना प्राचुरिक काल के औद्योगिक-जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है।

(३) किसी देश की आर्थिक उत्पत्ति और वहाँ के निवासियों का जीवन-स्तर बड़े अंश तक उस देश में उपलब्ध पूँजी के साधनों पर निर्भर होता है। व्यापार, वाणिज्य और जीवन-स्तर की उत्पत्ति पूँजी की पूर्ति एवं वृद्धि पर ही निर्भर होती है।

(४) सैनिक शक्ति को हड़ बताने के लिए भी अधिक मात्रा में पूँजी की आवश्यकता पड़ती है। सशस्त्र सेनाएँ अधिक मात्रा में पूँजी व्यय किये बिना तैयार नहीं की जा सकती हैं।

(५) राजनैतिक क्षेत्र में भी पूँजी किसी देश को गौरव और सम्मान प्रदान करती है।

पूँजी का वर्गीकरण (Types of Capital)

पूँजी के निम्न वर्गीकरण अधिक महत्त्वपूर्ण हैं :—

(१) अचल एवं चल पूँजी—

जो पूँजी अपने वर्तमान रूप में उत्पादन कार्य में बार-बार काम में लाई जा सकती है, उसे हम "अचल पूँजी" अथवा "स्थिर पूँजी" (Fixed Capital) कहते हैं, जैसे—मशीनें, औजार, मकान, आदि। इसके विपरीत, जो पूँजी अपने वर्तमान रूप में उत्पादन के कार्य में केवल एक ही बार उपयोग की जा सकती है, उसे हम "चल पूँजी" (Circulating Capital)

¹ "Natural endowments of capacity should hardly be reckoned as capital if external agents are not so reckoned.....As I spend wealth in making a type-writing machine so may spend wealth in training myself, to be a typist. If the type-writing machine is capital, is not my acquired type writing dexterity capital ?.....let us agree to entitle it personal capital."—Chapman.

बहते हैं, जैसे—कच्चा माल, रई, छूट आदि । एक ही बार उपयोग करने के पश्चात् चल पूँजी का रूप बदल जाता है ।

इस सम्बन्ध में यह जानना आवश्यक है कि इन दोनों प्रकार की पूँजी का भेद केवल सापेक्ष (Relative) है, क्योंकि एक ही वस्तु विभिन्न परिस्थितियों में चल अथवा अचल पूँजी हो सकती है । उदाहरणार्थ, रई का उपयोग जब हम मूल कान कर कपड़ा बुनने के लिए करते हैं, तो रई का रूप एक ही उपयोग से बदल जाता है । ऐसी दशा में रई चल पूँजी होगी । किन्तु इसी रई का उपयोग जब निहाक में भर कर किया जाता है, तो वह उसी रूप में कई वर्ष तक उपयोग की जा सकती है । इस दशा में उसे अचल पूँजी कहा जा सकता है ।

(२) उत्पत्ति तथा उपभोग पूँजी—

“उत्पत्ति की पूँजी” (Production Capital) वह पूँजी है जो उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से सहायक होती है, जैसे—मशीन, औजार आदि । ऐसी पूँजी को उत्पादन कार्य में प्रत्यक्ष रूप में उपयोग किया जाता है । इसके विपरीत, “उपभोग की पूँजी” (Consumption Capital) वह है जो उत्पादन में केवल परोक्ष रूप में ही सहायक होती है । ऐसी पूँजी का उपभोग उपयोग करने वाले द्वारा किया जाता है, जिससे उसकी कार्यक्षमता बढ़ती है और, इस प्रकार, अन्त में, उत्पादन बढ़ जाता है ।

इस सम्बन्ध में उपभोग-पूँजी और उपभोग-सम्पत्ति का भेद समझ लेना आवश्यक है । उपभोग पूँजी श्रमिकों को स्वस्थ, शिक्षित तथा अधिक कुशल बनाने के काम आती है, जबकि सम्पत्ति का उपयोग मनोरंजन अथवा आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने के लिए किया जाता है ।

(३) भौतिक और अभौतिक अथवा धर्मव्यक्तिक पूँजी—

“भौतिक पूँजी” (Material Capital) वह पूँजी होती है, जो स्थूल रूप में विद्यमान होती है, जैसे—मशीन, मकान, इत्यादि । ऐसी पूँजी “अव्यक्तिक” (Impersonal) होती है, अर्थात्, वह अपने स्वामी से मृद्यु होती है । इसके विपरीत, “अभौतिक” अथवा “व्यक्तिक पूँजी” (Non-material or Personal Capital) मनुष्य के भीतर विद्यमान होती है और बढ़ाया गुणों के रूप में होती है, जैसे—किसी वकील अथवा डाक्टर की योग्यता, किसी श्रमिक की निपुणता अथवा किसी व्यवसायी की कुशलता । ऐसी पूँजी को इसके स्वामी से अलग नहीं किया जा सकता । इसका हस्तान्तरण भी सम्भव नहीं होता और इसी आधार पर कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसे पूँजी स्वीकार करने से इनकार किया है । परन्तु कुछ अर्थशास्त्री इन गुणों को भी पूँजी कहते हैं ।¹

(४) वेतनीय और सहायक पूँजी—

उत्पत्ति के कार्य में लगे हुए श्रमिकों को उनकी मजदूरी अथवा उनके वेतन के रूप में जो पूँजी दी जाती है, उसे “वेतनीय पूँजी” कहा जाता है । सभी प्रकार की मोटिक मजदूरी ऐसी ही पूँजी होती है । जो पूँजी श्रमिकों द्वारा घन का उत्पादन करने में सहायक होती है उसे “सहायक पूँजी” कहा जाता है, जैसे—औजार, मशीन आदि ।

(५) एक-अर्थी और बहु-अर्थी पूँजी—

ऐसी पूँजी को, जो किसी एक ही उपयोग में लगी रहे और जिसका यह उपयोग बढ़ना न जा सकता हो, “एक-अर्थी पूँजी” (Sunk Capital) कहा जाता है । ऐसी पूँजी की राशि को वापस लेना सम्भव नहीं होता है । मटक, रेल आदि में लगी हुई पूँजी ऐसी ही होती

¹ “The improved dexterity of a workman may be considered in the same light as a machine or an instrument of trade which facilitates and abridges labour and repays the expenditure with profit.”—Adam Smith.

साधनों की अपेक्षा अधिक होती है। (७) पूँजी प्रायः प्रदान करने वाली है, जिस कारण लोग बचत करके इसकी पूर्ति उपलब्ध करने को तत्पर रहते हैं। (८) वह प्रस्थाई होती है, जिस कारण इसे समय-समय पर पुनरुत्पादित और पुनरापूर्ति करना पड़ता है।

पूँजी और पूँजीवाद (Capital and Capitalism)

पूँजी से हमारा अभिप्राय संचित धन के उस भाग से होता है जिसका और धाने उत्पत्ति करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसके विपरीत, पूँजीवाद से हमारा आशय ऐसी आर्थिक प्रणाली (Economic System) से होना है जिसमें पूँजी के साधनों पर धोड़े से ही व्यक्तियों का अधिकार होता है और वे उसे व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग करते हैं। पूँजीवाद बहुधा घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि यह सामाजिक शोषण को जन्म देता है, परन्तु पूँजी का बहुधा आदर ही किया जाता है। समाजवादी देशों में भी उनकी इतनी आश्चर्य-जनक उन्नति का प्रमुख कारण पूँजी का भारी संचय ही है।

वास्तव में पूँजी के संचय और पूँजीवाद में कोई सम्बन्ध नहीं है। पूँजी तो उत्पन्न है और उनका उपयोग समाज का कल्याण करने के लिए भी किया जा सकता है और समाज का शोषण करने के लिए भी। पूँजीवाद में देश की सारी पूँजी पर केवल धोड़े से ही व्यक्तियों का अधिकार होता है, जो उसे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को उत्पन्न करने और अपने लाभों के बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। पूँजीपति बहुधा यह भूल जाते हैं कि पूँजी मनुष्य के लिए है, मनुष्य पूँजी के लिए नहीं है। पूँजीपति और श्रमिकों के हित बहुधा एक-दूसरे के प्रतिद्वन्द्वी होते हैं, अतः दोनों के बीच सघर्ष चला रहता है, जिसे हम वर्ग-सघर्ष (Class-Conflict) कहते हैं।

पूँजी का निर्माण

पूँजी-निर्माण से आशय—

पूँजी का निर्माण अथवा पूँजी का संचय धीरे-धीरे होता है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें सभी सदस्य न्यूनतम हिससा लेते हैं। इस प्रक्रिया की तीन अवस्थायें हैं :—
(अ) वास्तविक बचत का निर्माण—सर्वप्रथम साधनों को उपयोग वस्तुओं पर कम व्यय करने से वास्तविक बचत का निर्माण होता है। इस हेतु लोगों में बचत करने की शक्ति (Power to save) और बचत करने की इच्छा (Will to save) दोनों ही बातें होना जरूरी है। इसके साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि बचत को अनुत्पादक प्रयोजनों (जैसे—जेवर खरीदना) पर बर्बाद न किया जाय। (ब) बचतों का एकत्रीकरण—अनेक लोगों की बचत को बैंकों, बीमा कम्पनियों आदि के द्वारा एकत्र किया जाता है, जिससे कि उन्हें विनियोजकों तक पहुँचाने में सुविधा रहे। (स) वास्तविक पूँजीगत सम्पत्तियों में बदलना—जनता से एकत्रित बचतों को साहसियों को उधार दिया जाता है। ये लोग आर्थिक बचतों को लेकर उत्पादक कार्यों में विनियोग करते हैं, जिससे नई पूँजीगत सम्पत्तियों का निर्माण होता है।

इस प्रकार, पूँजी निर्माण से आशय जनता द्वारा बचत करने, वित्तीय सस्यामों द्वारा इन बचतों को एकत्र करने एवं साहसियों द्वारा आर्थिक बचतों को नई पूँजीगत वस्तुओं में बदलने का है। पूँजी-निर्माण के अर्थ को भली प्रकार समझने हेतु हमें 'पूँजी-निर्माण' और 'पूँजी की पूर्ति' के अन्तर को समझ लेना चाहिए, जो यह है कि पूँजी-निर्माण देश के अन्दर होता है, किन्तु पूँजी-पूर्ति एक सीमा तक देश के बाहर से प्राप्त की जा सकती है। बाहर से पूँजी की पूर्ति देश के पूँजी-निर्माण के लिए एक शक्तिशाली प्रेरक का काम कर सकती है। यदि देश को उन्नति करनी है, तो उसे बाहर से पूँजी की पूर्ति की अपेक्षा आन्तरिक साधनों से पूँजी की पूर्ति (अर्थात् पूँजी-निर्माण) पर अधिक निर्भर रहना चाहिए।

होता है और उत्पादन की मात्रा ही अन्तिम अवस्था में राष्ट्रीय आय को निर्धारित करती है। अन्य शब्दों में, प्राकृतिक साधनों के विकास के द्वारा, उत्पत्ति के साधनों की कुशलता बढ़ाकर तथा एक उपयुक्त कर-प्रणाली का निर्माण करके राष्ट्रीय आय की मात्रा बढ़ाई जा सकती है।

(२) समाज का जीवन-स्तर—समाज का व्यव समाज के जीवन-स्तर पर निर्भर होता है। ऊँचा जीवन-स्तर हो जाने से व्यय बढ़ता है, अतः यदि दो देशों में राष्ट्रीय आय समान है, परन्तु एक में लोगों का जीवन-स्तर दूसरे से नीचा है, तो नीचे जीवन-स्तर वाले देश में लोगों की बचत करने की क्षमता अधिक होगी। इस आधार पर यह कहना तो अनुचित होगा कि बचत को बढ़ाने के लिए जीवन-स्तर को नीचे गिरा देना अच्छा होगा। हम केवल यही कह सकते हैं कि बचत को बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय राष्ट्रीय आय को बढ़ाना ही हो सकता है।

भारत के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि यहाँ समाज की बचत करने की क्षमता कम है। अधिकांश भारतवासी निर्धन हैं और सप्ताह के उन्नतिशील देशों की तुलना में हमारी राष्ट्रीय आय बहुत ही कम है। किन्तु दो कारणों से भारत में आय कम होती हुए भी बचत हो जाती है—प्रथम, देश में बहुत निर्धनता है और लोगों का जीवन-स्तर बहुत नीचा है; दूसरे, महँगाई के कारण जीवन-निर्वाह व्यय बढ़ गये हैं, तीसरे, जन-संख्या की तीव्र वृद्धि के कारण आर्थिक प्रगति के बावजूद प्रति व्यक्ति बचत कम है, और, चौथे, आय के वितरण की असमानतायें बहुत ही विशाल हैं, जिससे उत्पादित आय का अधिकांश भाग कुछ थोड़े से ही व्यक्तियों के पास केन्द्रित रहता है।

(II) बचत करने की इच्छा (Willingness to Save)—

बचत तभी हो सकती है जबकि कोई बचन करना चाहता हो। हम कितनी बचत करेंगे, यह इस बात पर भी निर्भर है कि हमारी बचत करने की इच्छा कितनी तीव्र है। अनेक प्रकार के उद्देश्यों से प्रेरित होकर एक व्यक्ति बचत करता है। एक निर्धन व्यक्ति भी इन इच्छाओं से प्रेरित होकर कुछ न कुछ बचत कर लेता है, परन्तु इच्छा के अभाव की दशा में एक धनी व्यक्ति भी बचत करने में असमर्थ रहेगा। बचत करने की इच्छा पर भी कई बातों का प्रभाव पड़ता है :—

(१) दूरदर्शिता—कुछ लोग स्वभाव से ही दूर की बात सोचने वाले होते हैं। वे जानते हैं कि भविष्य सदा अनिश्चित होता है, भविष्य में कोई आपत्ति आ सकती है अथवा कोई अकस्मात् आवश्यकता पड़ सकती है। यदि पहले से ही इनके लिए व्यवस्था नहीं की जाती है तो बहुत कठिनाई होगी। दूरदर्शी मनुष्य इसी उद्देश्य से बचत करता है कि भविष्य की अनिश्चितता के विरुद्ध उपचार कर सके। यह निश्चय है कि कोई व्यक्ति जितना ही अधिक दूरदर्शी होगा, उतना ही उसमें भविष्य के लिए बचाकर रखने की प्रवृत्ति भी अधिक बलवान होगी। मानव-जीवन के इतिहास में भविष्य के लिए व्यवस्था करने की आदत धीरे-धीरे बढ़ती गई है, यद्यपि अर्न्ततः तक भी यह आदत सभी मनुष्यों में नहीं आ पाई है।

(२) पारिवारिक प्रेम—बचत करने की इच्छा को एक व्यक्ति का पारिवारिक प्रेम भी प्रोत्साहन देता है। मनुष्य अपने परिवार अथवा अपने आश्रितों के लिए पर्याप्त व्यवस्था करना चाहता है, ताकि उसकी मृत्यु के उपरान्त भी वे सुखमय जीवन बिता सकें। इस उद्देश्य को लेकर एक व्यक्ति कभी-कभी अपने आय को कष्ट देकर भी बचत करता है। इसी प्रकार अपने परिवार को समाज में अधिक सम्मान प्रदान करने के लिए भी एक व्यक्ति बचत कर सकता है।

(३) शक्ति और सम्मान की इच्छा—बहुत से व्यक्ति आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने और समाज में अपने को सम्मानित करने के लिए भी बचत करते हैं।

व्यवहार, ये सभी बचत के मार्ग में बाधा डाल देते हैं। जिन देशों की सरकार बचत को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न करती है वहाँ बचत भी अधिक होती है। समाजवादी देशों में व्यक्तिगत बचत और सचय की अर्च्छा नहीं समझा जाता है। ऐसे देशों में व्यक्तिगत बचत कम होती है। अधिकांश बचत स्वयं सरकार द्वारा की जाती है।

(३) मुद्रा का उपयोग—किसी देश में बचत की मात्रा इस बात पर भी निर्भर होती है कि वहाँ मुद्रा का उपयोग किस अंश तक होता है। असम्भ्य जातियों में, जहाँ मुद्रा का चलन कम है, सचय वस्तुओं के रूप में किया जाता है। वस्तुओं में न तो टिकाऊपन का गुण होता है और न उनकी कीमती में स्थिरता ही रहती है। इस कारण ऐसा सचय बहुधा छोटा होता है और उसे थोड़े ही काल के लिए रखा जाता है। किन्तु इसके विपरीत, मुद्रा न तो शीघ्र नाशवान वस्तु है और न उसकी कीमत ही बहुत तेजी के साथ घटती-बढ़ती है। इसके अतिरिक्त मुद्रा में तो सेवाओं की कीमत का भी सचय हो जाता है। यही कारण है कि जैसे-जैसे समाज में मुद्रा का उपयोग बढ़ता गया है, सचय की प्रवृत्ति भी बढ़ती गई है।

(४) लाभदायक तथा सुरक्षित विनियोग की सुविधा—यदि देश में सुरक्षित विनियोग (Investments) की सुविधा नहीं है और लोग अपनी बचतों को अपने घर में ही जमा करके रखते हैं, तो बचत कम होगी। इसका एक कारण तो यह है कि ऐसी दशा में बचत का लाभदायक उपयोग नहीं होगा। दूसरा कारण यह है कि इस बचत का भाग, चोरी अथवा टर्कती से नष्ट हो जान का भय रहेगा। इसलिए, जितनी ही किसी देश में उद्योग, व्यापार और व्यवसायों की उन्नति होगी, उतनी ही वहाँ बचत भी अधिक होगी। बचत को प्रोत्साहन देने में सबसे अधिक महत्व बैंकिंग प्रणाली के विकास का होता है। बैंक छोटी-छोटी बचत को भी जमा कर लेती है और प्रत्येक बचत करने वाले को बचत को सुरक्षित और लाभपूण उपयोग का अवसर देती है। इसके अतिरिक्त, बीमा कम्पनियों और सहकारी समितियाँ भी बचत को अधिक प्रोत्साहन देती हैं।

स्वतन्त्रता के पूर्व भारत में बचत की सुविधायें बहुत ही कम थीं किन्तु स्वतन्त्रता के बाद इनमें यथेष्ट विस्तार हुआ है। टाकपर देश क गाँव-गाँव में खुल गये हैं, जीवन बीमा निगम छोटी रकमों की जीवन बीमा पालिसियाँ जारी कर रहा है, यूनिट ट्रस्ट अथवा सहाय्यें स्थापित हुई हैं, स्टेट बैंक ने छोटे-छोटे स्थानों तक में अपनी शाखायें स्थापित कर दी है। अन्य बैंक ने भी अपनी शाखायें बढ़ाई है। देश में नियोजित आर्थिक विकास की नीति अपनाई गई है, जिसके अन्तर्गत सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में अनेक छोटे-बड़े कारखाने खुल रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार के फलस्वरूप 'उद्योग के कप्तानों' की ट्रेनिंग सम्भव हो गई है।

(व) आसचन की प्रवृत्ति को प्रभावित करने वाली बातें

समाज की आसचन प्रवृत्ति निम्न बातों पर निर्भर होती है :—

(१) विनियोग की सुविधायें—यदि देश में विनियोग की सुविधायें अपर्याप्त हैं और विनियोग सुरक्षित तथा लाभदायक नहीं है, तो जो कुछ भी बचत की जायगी, वह बेकार के आसचित कोषों में लुप्त हो जायगी और पूँजी के निमोण में सहायक न हो सकेगी।

(२) बैंक प्रथा—यदि किसी देश में बैंकिंग का समुचित विकास नहीं हुआ है और बैंक प्रथा के प्रचलन के अभाव के कारण अधिकांश भुगतान नवदी में होते हैं, तो आसचन प्रवृत्ति अधिक बलवान होगी।

(३) लोगों का स्वभाव—बचत का कौन-सा भाग आसचित कोषों में जायगा और कौन सा भाग पूँजी के रूप में उपयोग किया जायगा, यह इस बात पर भी निर्भर होता है कि लोग

किस ग्रंथ तक जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। हमारे देश में धन को गाढ़कर रखने और छुपाने की प्रवृत्ति अधिक बलवान है, इसलिए घासचन अधिक होता है।

आधुनिक काल में दो परस्पर-बिरोधी प्रवृत्तियाँ एक ही साथ दृष्टिगोचर होती हैं—एक घोर तो लगभग सभी देशों में राष्ट्रीय आय, आर्थिक विकास और बैंकिंग तथा विनियोगों की उन्नति हो रही है, जिसके कारण वचत करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और घासचन की घात घटती जा रही है, घोर, दूसरी घोर सामाजिक सुरक्षा (Social Security) प्रणाली का विकास हो रहा है, जिसके अंतर्गत भविष्य की अनिश्चितता एक बड़े अंश तक दूर हो जाती है एवं आश्रितों के लिए भी चिन्ता कम हो जाती है। इससे वचत करने की इच्छा और आवश्यकता दोनों घट जाती हैं। किंचित् भविष्य में व्यक्तिगत वचन में अधिक कमी हो जाय, परन्तु सौभाग्य से अब राज्यों ने वचत और पूर्जी-निर्माण का कार्य अपने हाथों में ले लिया है, इसलिए व्यक्तिगत वचत का प्रभाव लोक अथवा सार्वजनिक वचत (Public Savings) द्वारा पूरा हो जाने की आशा है। भविष्य के विषय में हम यही कह सकते हैं कि पूर्जी के निर्माण की गति (Rate of Capital formation) तेजी के साथ बढ़ेगी। समाजवादी देशों में तो लगभग सारी की सारी राष्ट्रीय पूर्जी सरकार द्वारा ही उपलब्ध की जाती है। आर्थिक नियोजन द्वारा राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकास की जो सम्भावना उत्पन्न हो गई है, उसने राज्य द्वारा पूर्जी निर्माण प्रवृत्ति को घोर भी बढ़ा दिया है।

(स) सरकार की भूमिका

पूर्जी के निर्माण के कार्य में सरकार निम्न प्रकार से योग दे सकती है :—(अ) विकसित और उन्नतिशील देशों में सरकार विशेषतः व्यापारिक मन्दी के समय में सहायता देती है, क्योंकि साधारणतः ऐसे देशों में वचतों की कोई कमी नहीं होती है। व्यापारिक मन्दी के समय में देश में बेकारी छा जाती है, लोगों की आय घट जाती है और पूर्जी के निर्माण की दर में कमी हो जाती है। सरकार सार्वजनिक निर्माण कार्य चलाती है, जिनसे रोजगार मिलता है, लोगों की आय और इसलिए प्रभावपूर्ण माँग बढ़ती है, उद्योग और व्यापार का विस्तार होता है। इस प्रकार, पूर्जी-निर्माण की दर सरकार के प्रयत्नों के सुपरिणामस्वरूप बढ़ने लगती है। (ब) समाजवादी देशों में तो सरकार पूर्जी-निर्माण के लिए पूर्णतः दायी होती है, क्योंकि उसी का समस्त साधनो पर स्वामित्व और नियंत्रण होता है। वह उत्पत्ति-साधनो का विभिन्न प्रयोगों में वितरण करती है और कर नीति, राजन इत्यादि के द्वारा उपभोग को कम करके वचनों को पूर्जीगत वस्तुओं के उत्पादन में लगाती है। (स) अल्पविकसित देशों में सरकार पूर्जी के निर्माण के लिए एक बड़ी सीमा तक दायी होती है। वह निम्न प्रकार से पूर्जी के निर्माण को प्रोत्साहित करती है—प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर लगाकर जो धन प्राप्त हो उसे पूर्जीगत वस्तुओं के निर्माण में व्यय करना, नये उद्योगों पर करों में रियायत करना या उन्हें आर्थिक सहायता देना, अनिवार्य वचत योजना लागू करना, छोटे-छोटे शहरों और गाँवों में बैंक की शाखाएँ खुलवाना, विशेष वित्तीय संस्थाएँ जैसे विनियोग ट्रस्ट प्रादि स्थापित करना, सामाजिक पूर्जी (जैसे—सड़क, पुल, रेल इत्यादि) में विनियोग करके निजी पूर्जी-निर्माण को प्रोत्साहित करना, स्वयं अपने उद्योग स्थापित करना, घाटे की अर्थ-व्यवस्था करना, विदेशों से सहायता लेना, राष्ट्रीय स्तर पर उचित जन-संख्या नीति बनाना, बेकार श्रम-शक्ति का सड़क-निर्माण आदि कार्यों में सहायता देना, सामान्य शिक्षा को अधिक सुविधायें उपलब्ध करना।

भारत जैसे अल्पविकसित देशों में पूर्जी-निर्माण की गति धीमी क्यों ?

भारत जैसे अल्पविकसित देशों में अर्थ-साधन की बाहुल्यता और पूर्जी-साधन की

कमी होती है। वहाँ निम्न कारणों से पूँजी के निर्माण की गति धीमी होती है :—(i) अधिकांश जनता की आय (और इसलिये जीवन-स्तर) बहुत ही नीची होती है, जिस कारण उनकी बचत-शक्ति नगण्य होगी है। बचत की सुविधाएँ भी प्रायः कम ही हैं। (ii) छोटी-बहुत बचत धन-दान व्यक्तियों द्वारा की जाती है, किन्तु यह बचत प्रायः अनुत्पादक कार्यों (जैसे—जेवरों, मकानों, भूमियों इत्यादि) में फँसी रहती है। (iii) जनसंख्या की तेज वृद्धि के कारण अधिकांश बचत बढ़ती हुई जनसंख्या के भरण-पोषण पर ही व्यय हो जाती है और पूँजी-निर्माण के कार्यों में उसका प्रयोग नहीं होने पाता। (iv) अल्प विकसित देश कई प्रकार के दुष्त्वों में फँसे होते हैं, जैसे—(अ) “अविकसित सामन, पिछड़े लोग, पूँजी की कमी,” (ब) “न्यून उत्पादकता, कम घास्तविक आय, कम माँग, कम विनियोग, पूँजी की कमी,” एवं (स) अविकसित साधनों के कारण पिछड़े व्यक्ति रहते हैं और पिछड़े व्यक्तियों के कारण अविकसित साधन रहते हैं। इन परिस्थितियों में पूँजी की निर्माण-दर को तेज करने में सरकार एक प्रमुख भूमिका रखती है, जिस पर हम ऊपर प्रकाश डाल चुके हैं।

परीक्षा प्रश्न :

१. पूँजी का अर्थ बताइए। पूँजी का विकास किन घटकों पर निर्भर है ?

प्रथवा

किसी देश में पूँजी के निर्माण में सहायक कारणों की व्याख्या कीजिये और बताइये कि ये किस सीमा तक भारत में त्रियाशील हैं ?

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम पूँजी की परिभाषा (प्राधुनिक दृष्टिकोण सहित) दीजिये। तत्पश्चात् पूँजी-निर्माण (या पूँजी-संचय या पूँजी-विकास) को प्रोत्साहित (या प्रभावित) करने वाले तत्त्वों को बताइये। अन्त में (प्रथम सामान्य विवेचन के साथ-साथ) भारतीय उदाहरण देकर भारत में इन तत्त्वों की त्रियाशीलता को दर्शाइये।]

२. पूँजी की परिभाषा दीजिये और प्राधुनिक उत्पादन में यह जो भूमिका निभाती है उसका विवेचन करिये।

[सहायक संकेत :—प्राधुनिक मत के सन्दर्भ में पूँजी की परिभाषा दीजिये और फिर उत्पादन एवं आर्थिक विकास में पूँजी के महत्त्व को दर्शाइये।]

३. पूँजी की परिभाषा दीजिये और उत्पादन में इसके कार्यों का विवेचन करिये।

[सहायक संकेत :—प्राधुनिक दृष्टिकोण के सन्दर्भ में पूँजी की परिभाषा दीजिये और फिर पूँजी के कार्यों को बताइये।]

४. किसी देश में पूँजी का संचय किस प्रकार होता है ? पूँजी निर्माण की दर और आर्थिक उन्नति में सम्बन्ध को बताइये।

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम पूँजी के निर्माण के अर्थ को स्पष्ट कीजिये और इस हेतु पूँजी निर्माण की विभिन्न अवस्थायें बताइये। तत्पश्चात् पूँजी निर्माण और आर्थिक विकास के मध्य निर्भरता को दिखाइये।]

५. किसी देश में पूँजी के निर्माण को कौन-कौन से घटक प्रभावित करते हैं ? भारत में पूँजी के निर्माण की गति धीमी क्यों है ?

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम पूँजी के निर्माण को प्रभावित करने वाले तत्त्वों को बताइये। तत्पश्चात् यह बताइये कि भारत एक अल्प विकसित देश है जिस कारण अल्प विकसित देशों में जो कारण पूँजी के निर्माण में बाधक होते हैं वे ही भारत में भी पूँजी के निर्माण की धीमी गति के लिए दायी हैं। अतः उन्हें संक्षेप में (भारतीय सन्दर्भ के साथ) दीजिए।]

संगठन और साहस

(Organisation and Enterprise)

संगठन अथवा प्रबन्धक

प्रबन्धक से आशय—

उत्पत्ति के सभी साधनों के मिल कर काम करने से ही उत्पादन होता है, परन्तु किस-किस साधन को कितनी-कितनी मात्रा में और किस प्रकार काम में लाया जाय, यह प्रश्न बहुधा महत्वपूर्ण होता है और इसके समाधान के लिये प्रबन्ध की आवश्यकता पड़ती है। संगठन अथवा प्रबन्धक वह व्यक्ति होता है, जो उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को एकत्र करता है, उनको अनु-कूलतम् अनुपात में मिलाये और उनसे उनकी योग्यता के अनुसार काम ले।

प्रबन्ध और साहस में भेद—

उत्पत्ति में कुशलता प्राप्त करने के लिए बहुधा श्रम-विभाजन की भी आवश्यकता पड़ती है। काम में लगाने के पश्चात् उत्पत्ति-साधनों की देख-भाल की आवश्यकता होती है। ये सभी काम प्रबन्धक अथवा व्यवस्थापक द्वारा ही किए जाते हैं किन्तु, साहसी का काम इससे विस्तृत भिन्न होता है। साहसी उत्पत्ति सम्बन्धी जोखिम (Risk) को उठाता है, क्योंकि जोखिम उठाये बिना किसी भी प्रकार की उत्पत्ति सम्भव नहीं होती है। एक समुक्त स्क्वैड कम्पनी में अंशधारी जोखिम उठाते हैं इसलिये उन्हें साहसी कह सकते हैं किन्तु प्रबन्ध सचिव या मैनेजर उत्पत्ति-साधनों को एकत्र करके अनुकूलतम् अनुपात में मिलाता है। अतः उसे प्रबन्धक कहा जाता है। पुनः जबकि साहसी का पुरस्कार लाभ कहलाता है, प्रबन्धकर्ता का पुरस्कार वेतन।

प्रबन्ध एवं साधारण श्रम में भेद—

शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार के मानव-परिश्रम को अर्थशास्त्र में श्रम कहा जाता है। प्रबन्धक का कार्य शारीरिक और मानसिक प्रयत्न का मिश्रण होता है, इसलिये उसे भी एक प्रकार का श्रम कहना ही उचित होगा। अधिक से अधिक इसे हम एक विशेष प्रकार का श्रम कह सकते हैं। फिर भी साधारण श्रमिक और प्रबन्धक के कार्यों में थोड़ा अन्तर अवश्य होता है, जो यह है कि एक प्रबन्धक का अधिकांश कार्य मानसिक होता है किन्तु एक श्रमिक वा शारीरिक। दूसरे, प्रबन्धक प्रायः दूसरों से कार्य लेता है किन्तु एक श्रमिक प्रबन्धक द्वारा निर्धारित कार्य ही करता है। तीसरे, प्रबन्धकर्ता के लिये उच्च कोटि के ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता पड़ती है किन्तु एक श्रमिक का कार्य अपेक्षित सरल होता है और इतने ज्ञान व अनुभव की आवश्यकता नहीं होती।

संगठन का महत्व—

प्राधुनिक युग में उत्पादन बड़े पैमाने पर, अनेकों श्रमिक और मशीनों की सहायता से किया जाता है। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण भी एक बड़ी सीमा तक लागू किया है। इन सब प्रगतिशील के कारण उत्पादन-व्यवस्था बहुत जटिल हो गई है और यह आवश्यक हो गया है

कि उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को अनुकूलतम अनुपात में मिलाकर, उनमें प्रभावपूर्ण सहयोग रखते हुए, कार्य कराया जाय। अतः उत्पादन-कुशलता इस बात पर निर्भर है कि सङ्गठनकर्त्ता एक योग्य और कृशाल व्यक्ति हो, एक कुशल एवं योग्य सङ्गठनकर्त्ता ही विभिन्न साधनों से समुचित कार्य ले सकता है। यह एक ऐसा साधन है जो कि सभी प्रकार की आर्थिक प्रणालियों में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका रखता है।

सङ्गठन के कार्य—

एक सङ्गठन या प्रबन्धक के मुख्य कार्य निम्न हैं :—(i) वह उत्पादन की योजना बनाता है और यह निर्णय करता है कि किस वस्तु का और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाय। (ii) वह विभिन्न साधनों को पर्याप्त मात्रा में जुटाता है, उन्हें अनुकूलतम अनुपात में मिलाता है। (iii) धन का विभाजन करता है, कार्य-दशाओं को ठीक बनाये रखता है और औद्योगिक शान्ति भङ्ग न हो इसका प्रयत्न करता है। (iv) वस्तु का मूल्य नियत करता है, उसके विज्ञापन की व्यवस्था करता है एवं बेचने के लिये एजेंटों आदि की नियुक्ति करता है। (v) वह अनुसन्धान कार्य पर भी ध्यान देता है। एवं (vi) उत्पत्ति के साधनों में पुरस्कार के वितरण की व्यवस्था करता है।

साहसी

साहसी से आशय—

अन्येक व्यवसाय में कुछ न कुछ जोखिम होनी है, विशेषतः आधुनिक-युग में, जबकि उत्पादन भावी माँग के अनुमानानुसार किया जाता है, जोखिम अनिवार्य है।

एक साहसी और प्रबन्धक के अन्तर का पहला ही उल्लेख किया जा चुका है। साहसी और पूँजीपति में भी अन्तर है। साहसी व्यवसाय की जोखिम उठाता है और इसके पुरस्कार को लाभ कहते हैं, किन्तु पूँजीपति का जोखिम उठाने से कोई सम्बन्ध नहीं है, वह तो व्यवसाय को ऋण देने वाला मात्र है और उसके पुरस्कार को व्याज कहा जाता है। छोटे-छोटे व्यवसायों में पूँजीपति और साहसी प्रायः एक ही व्यक्ति होता है किन्तु बड़े व्यवसायों में वे भिन्न व्यक्ति होते हैं। साहसी वह है जो उत्पत्ति से सम्बन्धित जोखिमों को उठाता है।

साहसी का महत्त्व—

व्यवसाय में जोखिम होना स्वाभाविक है और जब तक कोई साहसी इसे उठाने को आगे न बढ़े वह आरम्भ नहीं किया जा सकता। आधुनिक युग में जोखिम की मात्रा बहुत बढ़ गई है, क्योंकि उत्पादन विधियों में जटिलता आ गई है एवं उपभोक्ताओं की रुचि आदि में परिवर्तन होते रहते हैं। अतः आजकल पहले की अपेक्षा साहसी का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। सब तो यह है कि अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी आदि देशों में जो आज आर्थिक प्रगति की है उसका रहस्य वहाँ अनेकों कुशल साहसियों की उपलब्धि है। भारत में ऐसे व्यक्तियों का अभाव रहा है, जिस कारण यहाँ उद्योग-धन्धों की अधिक उन्नति नहीं हो सकी है।

साहसी के कार्य—

कुछ लेखकों ने साहसी के कार्यों को तीन भागों में विभाजित किया है—

(1) प्रशासनात्मक कार्य— (1) साहसी सर्वप्रथम उद्योग का चुनाव करता है। इस हेतु वह विभिन्न उद्योगों की लाभ की सम्भावनाओं का अध्ययन और विश्लेषण करता है तथा अन्त में यह निर्णय करता है कि किस उद्योग को शुरू करने में उसे अधिकतम लाभ मिलेगा।

(2) तत्पश्चात् साहसी यह निर्णय करता है कि उद्योग में किस प्रकार की वस्तु का उत्पादन किया जाय, क्योंकि आजकल उत्पादन में बहुत विविधताएँ हो गयी हैं और कोई भी फर्म उद्योग में सम्बन्धित सभी वस्तुओं का उत्पादन करने में असमर्थ-सी होती है।

(३) साहसी यह भी निर्णय करता है कि उत्पादन का पैमाना क्या हो अर्थात् बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाय या छोटे पैमाने पर ।

(४) उसे उत्पादन के लिए अनुकूल स्थान का चुनाव करना पड़ता है । ऐसा करते समय वह शक्ति, कच्चे माल, श्रमिक आदि की उपलब्धि, बाजार से समीपता, सरकारी प्रतिवन्धी आदि का ध्यान रखता है ।

(५) आरम्भ में साहसी को कुछ ऐसे प्रशासनात्मक कार्य भी करने पड़ते हैं जो कि प्रबन्धक के क्षेत्र में पड़ते हैं । उसे विभिन्न साधन जुटाने पड़ते हैं एवं प्रतिस्थापन निधि के अनुसार उन्हें एक अनुकूल अनुपात में मिलाना पड़ता है । वह बिथी व विज्ञापन के कार्य में प्रबन्धक को सहयोग देता है । वह प्रबन्धक को व्यवसाय पर सामान्य नियन्त्रण रखने में सहायता देता है ।

(६) साहसी यह भी निश्चय करता है कि प्रतिस्पर्धियों के सम्बन्ध में कम्पनी की क्या नीति होगी । इस नीति का निश्चय भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पर बहुधा व्यवसाय की सफलता तथा विफलता निर्भर रहती है ।

(७) कम्पनी का सम्बन्ध, उपभोक्ता, बैंक, धीमा कम्पनी, कच्चा माल तैयार करने वाले आदि से हो नहीं होता है, बल्कि उसे पग-पग पर देश की सरकार के सम्पर्क में धराना पड़ता है । साथ ही साथ, देश की जनता को भी अपने साथ रखना पड़ता है । इस प्रकार साहसी को यह भी निर्णय करना पड़ता है कि कम्पनी सरकार तथा जनता के प्रति कैसी नीति रखेगी ।

(II) वितरणात्मक कार्य—साहसी का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य भूमि, श्रम और पूँजी को उनका पारिश्रमिक देना है । यह पारिश्रमिक व्यवसाय की आय में से दिया जाता है । व्यवसाय में हानि हो अथवा लाभ, उत्पत्ति के अन्य साधनों को पारिश्रमिक अथवा पारितोषण तो देना ही होता है ।

(III) अनिश्चितता का सहन करना—जोसिम उठाना साहसी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है । यह कार्य ऐसा नहीं है जो किसी दूसरेव्यक्ति को सौंपा जा सके । व्यवसाय की सफलता अथवा विफलता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व साहसी के ही ऊपर होता है । प्राकृतिक उत्पत्ति प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन करने वालों के लिए नहीं की जाती है, बरद मण्डी के लिए की जाती है । साहसी की सम्पूर्ण उत्पत्ति योजना मण्डी के माँग सम्बन्धी अनुमान के आधार पर बनाई जाती है । यह अनुमान गलत भी हो सकता है । ऐसी दशा में साहसी को हानि होनी है । इसके विपरीत, यदि अनुमान ठीक सिद्ध होता है, तो साहसी को लाभ होता है । इस प्रकार, प्राचुरिक उत्पादन प्रणाली के अनुसार प्रत्येक व्यवसाय में एक प्रकार अनिश्चितता रहती है, जो भापी नहीं जा सकती है । इस अनिश्चितता का सहन करना साहसी ही का काम है । यह उसका एक विशेष उत्तरदायित्व है और इसी के कारण पूँजीवाद के अन्तर्गत साहसी उत्पादन प्रणाली का एक प्रमुख स्तम्भ है ।¹

साहसी के कार्यों का हस्तान्तरण

(Delegation of the Entrepreneurial Functions)

विगत वर्षों में व्यावसायिक जगत में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और धीरे-धीरे साहसी अपने कार्यों का हस्तान्तरण करता गया है । प्राचीन व्यावसायिक रीति यह थी कि नियन्त्रण और जोसिम दोनों एक ही व्यक्ति का उत्तरदायित्व थे । धीरे-धीरे यह स्थिति बदल गई । अब साहसी

¹ Benham : Economics, p. 175-76.

का कार्य तीन अलग-अलग भागों में बँट गया है—(i) जोखिम सम्मिलित पूँजी कम्पनी (Joint-stock Company) के साधारण अंशधारियों (Shareholders) उठाते हैं, (ii) व्यवसाय का संगठन साहसी द्वारा किया जाता है और (iii) प्रबन्ध वेतनभोगी कर्मचारियों के हाथ में रहता है।

बीमा कम्पनियों के विकास ने साहसी द्वारा जोखिम उठाने की समस्या भी सरल बना दी है। कर्मचारियों के गवने (Embezzlement), फँसट्टी में आग लग जाने और माल के खराब प्रयोजन नष्ट हो जाने की जोखिम से भी यह बीमा कराकर बच जाता है। साहसी स्ट्रेट-जाजो के साथ ब्रँध-रक्षण ठेके (Hedging Contracts) करके कच्चे माल की कीमतों के परिवर्तन की जोखिम से भी बच सकता है। बहुत बार तो व्यावसायिक हानि का एक भाग साहसी के श्रमिकों पर भी पड़ता है। इस प्रकार वित्तीय जोखिम तो अंशधारियों उठाते हैं और अन्य प्रकार की जोखिम बीमा कम्पनियाँ, स्ट्रेट-जाजो तथा दूसरे व्यक्ति उठा लेते हैं और प्रबन्ध का काम वेतनभोगी कर्मचारी करते हैं।

किन्तु इतना सब कुछ हो जाने के पश्चात् भी साहसी के बहुत से कार्य बच रहे हैं :—(i) साहसी बहुधा अपने पास से कुछ न कुछ पूँजी लगाना है और उससे सम्बन्धित जोखिम उसी के सिर रहती है।¹ (ii) बीमा कम्पनियाँ और दूसरे व्यक्ति व्यवसाय से सम्बन्धित जोखिम नहीं उठाते हैं, वह तो फिर भी साहसी को ही उठानी पड़ती है। (iii) जिस प्रकार साहसी अपनी सभी प्रकार की जोखिम स्ट्रेट-जाजो के ऊपर नहीं डाल सकता है, उसी प्रकार पट्टपि जोखिम का एक प्रश्न श्रमिकों पर भी पड़ता है, परन्तु वास्तविक जोखिम तो साहसी ही उठाता है।

प्रबन्धक की निजी कुशलता

वही प्रबन्धक कुशल समझा जाता है, जो या तो एक निश्चित मात्रा का माल कम से कम लागत पर उत्पन्न कर सके, या एक निश्चित उत्पादन व्यय में अधिक से अधिक माल तैयार कर सके। प्रबन्धक की कुशलता की यही दो कसौटियाँ हैं। प्रबन्धक की कुशलता दो बातों पर निर्भर रहती है—पहली, उत्पत्ति में काम आने वाले साधनों की कुशलता और दूसरी, उसकी निजी कुशलता। उत्पत्ति के साधनों की कुशलता के सम्बन्ध में तो पहले ही लिखा जा चुका है। प्रबन्धक की निजी कार्यक्षमता के लिए उसमें निम्नलिखित गुण होने आवश्यक हैं—

(१) दूरदर्शिता, विचार करने की शक्ति तथा विस्तृत ज्ञान—यह ऊपर लिखा जा चुका है कि प्रबन्धक की सफलता बहुत कुछ उसकी बाजार की स्थिति का ठीक-ठीक अनुमान लगाने की योग्यता पर निर्भर रहती है। उसमें वस्तु की माँग का ठीक अनुमान लगाने की योग्यता होनी चाहिए। साथ ही, उसमें इसका भी अनुमान लगाने की क्षमता होनी चाहिए कि वह उस माँग से भाग की पूर्ति कर सकता है। यह कोई सरल कार्य नहीं है। आधुनिक उत्पत्ति प्रणाली के अन्तर्गत प्रबन्धक को वस्तु के बाजार में आने से यहीना पहले अपनी उत्पत्ति योजना को तैयार करना पड़ता है। ऐसा करने के लिए उसे देश की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दशा का अध्ययन करना पड़ता है। उसे इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि उसके प्रतिद्वन्द्वी उस वस्तु को किस मूल्य में बाजार में बेच रहे हैं। इन सब बातों के लिए यह आवश्यक है कि प्रबन्धक में दूरदर्शिता ही और साथ ही साथ विस्तृत ज्ञान तथा विचार शक्ति भी हो।

(२) सङ्गठन की योग्यता—भूमि और श्रम उत्पत्ति के मूल साधन हैं, इनमें श्रम ही सक्रिय है। आजकल, जबकि मिलों और कारखानों में हजारों श्रमिक कार्य करते हैं, यह आवश्यक

¹ "The function of risk-taking cannot be turned over to an employee working for a salary. It is essentially the function of a businessman himself"—Carver : *The Distribution of Wealth*, Chap. VII.

है कि प्रबन्धक में श्रमिकों में उचित व्यवहार करने की योग्यता हो। इस हेतु (i) उसे मानव प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए, तभी वह श्रमिकों से अधिक से अधिक कार्य ले सकता है। (ii) श्रमिकों के प्रति सफल हो जाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रबन्धक को यह ज्ञान हो कि किस वर्ग के श्रमिकों से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? (iii) उसको न तो बहुत कठोर होना चाहिए और न बहुत नम्र हो। (iv) उसका श्रमिकों के प्रति ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि श्रमिक यह भली-भांति समझ लें कि वे मनमानी नहीं कर सकते हैं, और यदि वे कार्य प्रच्छा करेंगे, तो उन्हें लाभ होगा (v) उसमें ऐसी शक्ति और योग्यता होनी चाहिए कि वह श्रमिकों को उनकी कार्यक्षमता के अनुसार कार्य दे सके। यद्यपि यह सर्वथा सम्भव नहीं हो सकता है, तथापि जहाँ तक सम्भव हो ऐसा होना चाहिए। (vi) ठीक-ठीक श्रम-विभाजन पर भी उत्पत्ति की कुशलता, श्रमिकों की कार्यक्षमता और प्रबन्धक की सफलता पर निर्भर रहती है।

दूसरे शब्दों में, श्रमिकों से ठीक-ठीक काम लेने के लिए यह आवश्यक है कि प्रबन्धक में एक नेता के गुण हों। राजकल उद्योग-धर्मों और वाणिज्य में 'नेतृत्व' (Leadership) का यही महत्त्व है, जैसा कि युद्ध में। प्राचीन काल में युद्ध में हार-जीत सैनिक की वीरता, शूरता और चातुर्य पर उतनी ही निर्भर थी, जितनी कि एक सेनापति की कुशलता पर। जिसकी सेना में जितने ही अधिक श्रेष्ठ सेनापति होते थे, उतनी ही अधिक उस सेना की विजय की आशा होती थी। परन्तु राजकल हार-जीत का निर्णय एक ऐसे व्यक्ति पर निर्भर है, जो लड़ाई के मैदान से बहुत दूर, टेलीफोन के तारों के जमघट के बीच बंठा है जिसके सामने सम्भवतः कुछ कागज फैले हों, जो यह निर्णय करता है कि युद्ध किस प्रकार होगा, जिससे शत्रु को अधिक से अधिक मोर्चों पर हार खानी पड़े और उसकी पराजय हो जाय। इसी प्रकार, आधुनिक उद्योग-धर्मों और वाणिज्य में भी सफलता अधिकतर प्रबन्धक की संचालन शक्ति पर ही निर्भर होती है।

(३) प्रबन्धक के गुण—प्रबन्धक की कुशलता केवल इस बात में नहीं है कि वह इस बात का ठीक-ठीक अनुमान लगा ले कि कौन-सी वस्तु किस मात्रा में तैयार की जाय, बल्कि उसे इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि कौन-सी नई-नई वस्तुएँ हैं, जिनकी माँग है और वे कौन-सी पुरानी वस्तुएँ हैं, जिनकी माँग अधिक है। इसके प्रतिरिक्त, उसे उत्पत्ति की नई-नई विधियों तथा उपयोग में आने वाली नई-नई मशीनों के सम्बन्ध में जानकारी होना भी अत्यन्त आवश्यक है।

(४) विशिष्ट ज्ञान (Special Knowledge)—प्रबन्धक को उसके व्यवसाय में काम आने वाले कच्चे माल के सम्बन्ध में भी पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, उसे कच्चा माल बहुत प्रच्छा मिलता है, मशीन आदि की बनायट, परिचालन आदि का भी पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए।

(५) आत्मविश्वास और विश्वास दिलाने वाली योग्यता—प्रबन्धक को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। इसके प्रतिरिक्त, उसमें इतनी योग्यता होनी चाहिए कि अन्य व्यक्तियों को अपने तथा अपने व्यवसाय के सम्बन्ध में विश्वास दिला सके। विश्वास दिलाने की योग्यता राजकल विशेषतया महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि आधुनिक व्यवसाय अधिकतर उपार ली हुई पूँजी से चलाये जाते हैं। पूँजीपति उपार तब दे सकता है, जब उसे इस बात का विश्वास हो कि उसका रुपया हूँवेगा नहीं। इसके लिए यह आवश्यक है कि पूँजीपति को प्रबन्धक की योग्यता में विश्वास हो। यही नहीं प्रबन्धक के नीचे के कर्मचारी भी काम तभी ठीक-ठीक कर सकते हैं, जब उनको प्रबन्धक और उसकी कुशलता में विश्वास हो।

बहुधा देखा जाता है कि बहुत से सफल प्रबन्धक अपना काम स्वामाधिक प्रपचा सहज प्रवृत्ति से करते हैं, न कि किसी विशेष विचार के कारण। वे यह तो जानते हैं कि किसी दया विशेष में उन्हें क्या करना चाहिए या क्या करना ठीक है, परन्तु ऐसा करने का वे कारण

प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। एक आदर्श प्रवन्धक में जो गुण होने चाहिए, वे इतनी उच्च कोटि के होते हैं कि वास्तविक जीवन में कम ही मिलते हैं। कुछ व्यक्तियों में कुछ गुण होते हैं और कुछ में दूसरे। कुछ प्रवन्धक तो अपने गुणों के ही कारण सफल होते हैं, परन्तु कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी सफलता का मुख्य कारण उनकी चालाकी है। इसी प्रकार, कुछ प्रवन्धक अपने अनुशासन के कारण सफल होते हैं। तात्पर्य यह है कि अच्छे से अच्छे प्रवन्धक भी आदर्श से बहुत नीचे होते हैं। इसीलिए वेब्लन (Veblen) का कथन है कि प्रवन्धक का मुख्य उद्देश्य अधिकतम उत्पात्ति नहीं है, बल्कि अधिकतम लाभ है।

साहसी के गुण

एक अच्छे साहसी के लिये भी कुछ गुण होना अनिवार्य है। वह दूरदर्शी होना चाहिए तब ही वह व्यवसाय की भावी प्रवृत्तियों का अनुमान लगा सकता है। वह शिक्षित एवं तेज बुद्धि वाला होना चाहिए अन्यथा व्यवसाय की जटिलताओं को समझने और सुलभाने में समर्थ नहीं होगा उसमें शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि विलम्ब व्यवसाय के लिये घातक हो सकता है। उसे धानवीध प्रकृति का अच्छा ज्ञान होना चाहिये, तब ही वह व्यवसाय के लिए योग्य कार्यकर्ताओं का चुनाव कर सकेगा। उसे ईमानदार, गम्भीर, धैर्यवान एवं दृढ़ निश्चयी होना चाहिए।

परीक्षा प्रश्न :

1. 'संज्ञक' के महत्त्व की व्याख्या कीजिए, जो उत्पादन का एक साधन है। उत्पादन में साहसी (Entrepreneur) का क्या महत्त्व है ?
2. साहस (Enterprise) की परिभाषा लिखिए। धातुनिक आर्थिक जीवन में उसके महत्त्व को समझा कर लिखिए।
3. "व्यापारी एक ओर कच्चे माल के उत्पादन और निर्माता के मध्य तथा दूसरी ओर निर्माता और उपभोक्ता के मध्य एक पुल का काम करता है।" विवेचन कीजिये।
4. "यह व्यापारी है न कि निर्माता जो कीमत मिकेनिज्म से निर्देशित आधुनिक आर्थिक प्रणाली की धुरी बना हुआ है।" विवेचन कीजिए।

उत्पत्ति का पैमाना (The Scale of Production)

प्रारम्भिक—

प्रत्येक साहसी को यह निश्चित करना पड़ता है कि उसकी कर्म प्रयत्न उत्पादन इकाई का प्रकार कितना बड़ा रहेगा। कारण यह है कि किसी वस्तु की उत्पत्ति के लिए उत्पादन इकाई का एक निश्चित प्रकार ही सबसे अधिक लाभप्रद होता है। इस सम्बन्ध में हम दो प्रकार की उत्पत्ति में भेद करते हैं :—(I) बड़-मात्रा प्रयत्न बड़े पैमाने की उत्पत्ति (Large Scale Production), और (II) लघु-मात्रा प्रयत्न छोटे पैमाने की उत्पत्ति (Small Scale Production)।

बड़े एवं छोटे पैमाने की उत्पत्ति से आशय

यह पता लगाने के लिए कि किसी देश में किसी एक वस्तु का उत्पाद छोटे पैमाने पर हो रहा है प्रयत्न बड़े पैमाने पर, हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि देश में उस उद्योग द्वारा कुल मिलाकर कितनी उत्पत्ति की जानी है, बल्कि यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि देश में प्रति उत्पादन इकाई उत्पत्ति की मात्रा कितनी होती है। यदि प्रति उत्पादन-इकाई उत्पत्ति की मात्रा अधिक है तो उत्पत्ति का पैमाना बड़ा और, यदि उत्पत्ति की मात्रा थोड़ी है, तो उत्पत्ति का पैमाना छोटा होगा।

दोनों प्रकार की उत्पत्ति में भेद करने की हम एक अन्य रीति अपना सकते हैं। यदि किसी कर्मचारी प्रयत्न कारखाने में कर्मचारियों की संख्या इतनी है कि व्यवस्थापक प्रत्येक कर्मचारी से प्रत्यक्ष व्यक्तिगत सम्पर्क बनाये रख सकता है, तो उत्पत्ति का पैमाना छोटा होगा। इसके विपरीत, यदि कर्मचारियों की संख्या इतनी अधिक है कि व्यवस्थापक के लिए सभी कर्मचारियों से प्रत्यक्ष व्यक्तिगत सम्पर्क बनाये रखना सम्भव नहीं है, तो उत्पत्ति का पैमाना बड़ा होगा। भ्रम-भ्रम उद्योगों में उनकी प्रवृत्ति के अनुसार व्यवस्थापक की कर्मचारियों के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क रखने की क्षमता भ्रम-भ्रम हो सकती है। कुछ उद्योगों में प्रति उत्पादन इकाई उत्पत्ति की मात्रा के अधिक होने हुए भी उत्पत्ति का पैमाना छोटा हो सकता है, क्योंकि उद्योग की प्रवृत्ति ही ऐसी हो सकती है कि व्यवस्थापक प्रत्येक श्रमिक को व्यक्तिगत रूप से जाने।

इस प्रकार, छोटे और बड़े पैमाने की उत्पत्ति का प्रकार सभी उद्योगों में समान नहीं होता। साधारणतया निर्माण उद्योगों में बड़े पैमाने की उत्पत्ति के धन्यगत प्रति इकाई उत्पादन की मात्रा कृषि उद्योग की तुलना में अधिक होती है। भूतकाल में अधिकांश उत्पत्ति प्रायः छोटे पैमाने पर ही होती थी। कृषि में भी उत्पत्ति का पैमाना छोटा था और अधिकांश औद्योगिक उत्पादन कुटीर उद्योगों द्वारा किया जाता था। कलाकार में उत्पत्ति का पैमाना बढ़ता गया है। आधुनिक युग बड़े पैमाने का ही युग है और यह भागा की जानी है कि भविष्य में उद्योगों की उत्पत्ति के पैमाने का और भी अधिक विस्तार होगा।

‘बड़े पैमाने की उत्पत्ति’ और ‘बड़ी मात्रा में उत्पत्ति’—

यहाँ पर हमें ‘बड़े पैमाने की उत्पत्ति’ (Large Scale Production) और ‘बड़ी मात्रा में उत्पत्ति’ (Mass Production) के भेद को मली प्रकार समझ लेना चाहिए। इन दोनों की विशेषताओं में इतना अधिक सादृश्य है कि लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं किन्तु यथार्थ में दोनों में अन्तर है। ‘बड़े पैमाने के उत्पादन’ का आशय बड़ी इकाइयों द्वारा उत्पादन से है (चाहे ये एक ही स्थान में स्थापित हों या अलग-अलग स्थानों में), जैसे—एक एयरक्राफ्ट फैक्ट्री वर्ष में इन्हें-गिने जहाज ही बनाती है किन्तु चूँकि उसमें साधनों का प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है इसलिए उसे ‘बड़े पैमाने का उद्योग’ कहेंगे। ऐसे उद्योगों को आन्तरिक एवं बाह्य दोनों ही प्रकार की बचतें प्राप्त होती हैं। इसके बितरित, बड़ी मात्रा को उत्पत्ति का सम्बन्ध उन उद्योगों से है जो चाहे छोटे कारखानों के रूप में हों, किन्तु जिनमें प्रमाणित वस्तुओं का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। (प्रमाणित वस्तु की सब इकाइयाँ समरूप होती हैं और इनके Component parts विनिमय साध्य होते हैं) घड़ी बनाने का कारखाना छोटा होता है, किन्तु उसमें प्रति वर्ष बड़ी संख्या में घड़ियाँ बनती हैं। अतः यह बड़ी मात्रा की उत्पत्ति का उदाहरण है। ऐसे उद्योगों को केवल आन्तरिक बचतें ही प्राप्त होती हैं, बाह्य बचतें प्राप्त होना जरूरी नहीं।

बड़े पैमाने की उत्पत्ति में बचत (Economies of Large Scale Production)

बड़े पैमाने पर उत्पत्ति करने की प्रवृत्ति बराबर बढ़ती जा रही है। मशीनों के आविष्कार और बैकिंग के विकास में इस प्रवृत्ति को और भी अधिक प्रोत्साहन दिया है। परन्तु बड़े पैमाने की उत्पत्ति की लोकप्रियता के प्रमुख कारण आर्थिक हैं। ऐसे पैमाने की उत्पत्ति को विधेय प्रकार की बचतें प्राप्त होती हैं, जिनके कारण इनमें लाभ होता है। ये बचतें (Economies) दो प्रकार की होती हैं—

(1) उत्पादन-शक्ति की बचत (Economies of Productive Power)—

“उत्पादन शक्ति की बचत” का अधिप्राय यह होता है कि बड़े पैमाने की उत्पत्ति के अन्तर्गत फर्म विशेष की उत्पादन शक्ति बढ़ जाती है, जिसमें वह लागत पर अधिक मात्रा में और अधिक माल तैयार करती है। उत्पादन-क्षमता की बचतों को हम निम्न दो भागों में बाँट सकते हैं—

(१) बाह्य बचत (External Economies)—इस प्रकार की बचत में हम उन बचतों को सम्मिलित करने हैं, जो एक उत्पादक को उत्पादन इकाई के बाहर से प्राप्त होती हैं। इस प्रकार की बचतों का फर्म के भीतरी मज्जठन से लगभग कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता है, वे उन कारणों से उत्पन्न होती हैं, जो फर्म के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने हैं। ऐसी बचत का सम्बन्ध किसी विशेष फर्म से नहीं होता, बल्कि सारे उद्योग में होता है। सभी फर्म या कारखाने, जो उद्योग विशेष में भाग लेते हैं, इन बचतों को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी बचतों की मात्रा सारे उद्योग के विकास की स्थिति पर निर्भर होती है।

उदाहरणस्वरूप, जब माल अधिक मात्रा में खरीदा जाता है, तो वह कुछ सस्ता मिल जाता है और अधिक माल होने के लिए यातायात कम्पनियाँ भाड़े की दर नीची कर देती हैं। “बाह्य बचतों” में स्थानीयकरण (Localisation) के लाभ, यातायात और सम्वादवाहन के साधनों के विकास के लाभ, बाजार और बैकिंग के विकास के लाभ आदि भी सम्मिलित होते हैं। ऐसे लाभों की मात्रा बहुधा देश के सामान्य आर्थिक विकास पर निर्भर होती है। उन्नत देशों में कम-उन्नत देशों की तुलना में इस प्रकार की बचत अधिक होती है।

(२) अन्तर्गतिक बचत भीतरी बचत (Internal Economies)—इस प्रकार की बचत का सम्बन्ध कारखाने की भीतरी व्यवस्था से होता है। इसमें उन सब सुविधाओं की सम्मिलित किया जाता है, जो कारखाने के भीतरी संगठन की दशाओं में सुधार के कारण उत्पन्न होती हैं। ऐसी सुविधाओं का सम्बन्ध फर्म विशेष से होता है, सारे उद्योग से नहीं। एक बड़े धर्म तक इस प्रकार की सुविधायें प्रबन्धक की व्यक्तिगत कुशलता और योग्यता पर भी निर्भर होती हैं। एक अनुर धोर अनुभवी प्रबन्धक अपने कारखाने में उत्पादन की नई और वैज्ञानिक रीतियों का उपयोग करके उत्पत्ति की कुशलता को बढ़ा सकता है। वह उत्पत्ति के साधनों के उपयोग की नई और अधिक मितव्ययी रीतियाँ निवाल सकता है। सबसे बड़ा लाभ श्रम-विभाजन (Division of Labour) से वैज्ञानिक धोर सूक्ष्म विकास के कारण होता है।

इस सम्बन्ध में किञ्चित् यह बहना असङ्गत न होगा कि वर्तमान युग में शिक्षा, विज्ञान तथा शिल्प ज्ञान के विकास के कारण बाह्य बचत अन्तर्गतिक बचतों की तुलना में अधिक तेजी के साथ बढ़ रही है; मद्यपि श्रम विभाजन की उत्पत्ति में अन्तर्गतिक बचत की भी प्रोत्साहित किया है। आधुनिक युग की महत्वपूर्ण बात यह है कि विशिष्ट ज्ञान और औद्योगिक रहस्य धीरे-धीरे सभी उत्पादकों को प्राप्त होते जा रहे हैं।

(II) उपयोगी शक्ति की बचत (Economies of Competitive Power)—

इन बचतों में हम उन लाभों की सम्मिलित करते हैं जो एक बड़ी फर्म को छोटी फर्मों के साथ प्रतियोगिता करने में प्राप्त होने हैं। इस सम्बन्ध में यह जानना आवश्यक है कि उत्पादन शक्ति की बचत फर्म तथा समाज दोनों को होती है, परन्तु प्रतियोगिता शक्ति की बचत केवल बड़ी-बड़ी और शक्तिशाली फर्मों की ही प्राप्त होती है। ऐसी बचत भी दो प्रकार की हो सकती है :—

(१) एक बड़ी फर्म बहूधा छोटी-छोटी फर्मों का व्यवसाय छीन लेने में सफल हो सकती है। ऐसा करने के लिए यह विस्तृत विज्ञान कर सकती है। विन्नी की तुलना में उसका विज्ञान व्यय भी नीचा होता है, क्योंकि एक ही मात्र बहूत-सी उपजों का विज्ञान किया जाता है। पत्र और पत्रिकाएँ इसके विज्ञानियों के लिए कम मूल्य लेती हैं और विन्नी की मात्रा की तुलना में इसे एजेंट और विन्नी डिपो कम सख्या में रखने की आवश्यकता होती है।

(२) एक बड़ी फर्म के लिए मजदूरियों को बुद्ध नीचे रखना और उपभोक्तार्यों से ऊँची कीमतें वसूल करना भी बहूधा सम्भव होता है। इससे बड़े उत्पादक को नो लाभ होता है, परन्तु समाज को हानि होती है। इसके प्रतिरिक्त बड़ी फर्म को सरती सात की विस्तृत सुविधायें प्राप्त होती हैं, जिसके कारण छोटी फर्मों के लिए उसकी प्रतियोगिता में खना कठिन हो जाता है।

बड़े पैमाने की उत्पत्ति के लाभ (Advantages of Large-scale Production)

बड़े पैमाने की उत्पत्ति के अधिकार लाभ उन बचतों के कारण पैदा होते हैं, जो बड़े उत्पादक को प्राप्त होने हैं। ऐसे लाभों की गविस्कार विवेचना निम्न प्रकार की जा सकती है :—

(I) उत्पादकों को लाभ—

(१) श्रम तथा मशीन के उपयोग में बचत—ऐसी उत्पत्ति में श्रम और मशीन दोनों का अधिक विशिष्ट उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अथवा मशीन का सबसे अधिक लाभदायक उपयोग हो सकता है। श्रम-विभाजन की उसकी चरम सीमा तक ले जाकर प्रत्येक श्रमिक को उसकी योग्यतानुसार काम दिया जा सकता है। इससे उत्पादन की क्षमता बढ़ती है और उत्पादन व्यय घटता है।

(२) निपुण और योग्य कर्मचारियों का उपयोग—एक बड़े उत्पादक के लिए निपुण और योग्य कर्मचारियों का रखना भी सम्भव होता है। कुछ उद्योगों में विशिष्ट प्रकार के श्रम का उपयोग महत्त्वपूर्ण होता है। ऐसे कारखानों में साहसी कारखाने की सामान्य समस्याएँ अपने प्रबन्धक, फोरमैन (Foreman) आदि को सौंप कर स्वयं नीति निर्माण के कार्य को कर सकता है। एक छोटे पैमाने के उत्पादक को सभी काम स्वयं ही करने पड़ते हैं। मही कारण है कि बड़े पैमाने की उत्पत्ति में उत्पादक की कुशलता अधिक होती है।

(३) विशिष्ट यन्त्रों का उपयोग—बड़े पैमाने के कारखाने में विशिष्ट मशीनों और यन्त्रों का भी उपयोग हो सकता है। अधिकतर ऐसी मशीनें अधिक महँगी होती हैं और छोटा उत्पादक या तो धनाभाव के कारण उनका उपयोग नहीं कर सकता है या उसके लिए उनका उपयोग लाभदायक नहीं होता है।

(४) नये यन्त्रों का उपयोग—बड़े पैमाने का उत्पादक नई से नई मशीनों और यन्त्रों का उपयोग कर सकता है। उसके लिए नये आविष्कारों और उत्पत्ति सम्बन्धी नये अनुसंधानों (Researches) का उपयोग सम्भव हो सकता है, क्योंकि उसके पास अधिक धन होता है। इसी प्रकार बड़ा उत्पादक मरम्मत के लिए भी अपने निजी कारखाने खोल सकता है।

(५) आविष्कार और अनुसंधान—एक बड़े पैमाने का उत्पादक अपने कारखाने के लिये आविष्कार और अनुसंधान का भी प्रबन्ध कर सकता है। वह ऐसे वैज्ञानिकों और शिल्प विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त कर सकता है, जो उत्पादन की नई रीतियों द्वारा उसके उत्पादन की क्षमता को बढ़ा सके।

(६) अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग—बड़े पैमाने की उत्पत्ति में अवशिष्ट पदार्थों (By-products) को भी फेंक देने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्येक उत्पादन कार्य में किसी न किसी प्रकार की अवशिष्ट उपज श्रयवा बेकार सामान अवश्य निकलता है। छोटे-छोटे कारखाने ऐसी उपज का कोई उपयोग नहीं कर पाते किन्तु बड़े-बड़े कारखाने इसका भी उपयोग कर लेते हैं। एक वटा सूती कपड़े का कारखाना टूटे-फूटे सूत के धागों को दरियाँ बनाने के काम में ला सकता है, क्योंकि उसके पास यह टूट-फूट अधिक मात्रा में निकलती है।

(७) शक्ति के उपयोग में बचत—बड़ा उत्पादक शक्ति के उपयोग में भी बचत कर सकता है, क्योंकि वह बड़ी तथा नवीन प्रकार की मशीनों का प्रयोग करता है, जिनमें प्रति उत्पादन इकाई कम शक्ति का व्यय होता है।

(८) माल खरीदने और बेचने में बचत—बड़े कारखानेदार को माल के खरीदने और बेचने में भी बचत होती है, क्योंकि विभिन्न उत्पादक माल बेचने और उसे अपना ग्राहक बनाने के लिए इच्छुक रहते हैं। इससे माल अच्छा मिल जाता है और कम दाम पर भी मिलता है। इसके विपरीत, बड़ी फर्म के पास विस्तृत बाजार होता है। वह तुरन्त और निश्चित रूप में माल सप्लाई कर सकती है। उसके लिए ग्राहकों के आदेशों को जल्द तथा कम व्यय पर पूरा करना सम्भव होता है। यही नहीं, एक बड़ी फर्म योग्य विक्रेताओं, एजेंटों और विनी विशेषज्ञों की भी सेवाएँ प्राप्त कर सकती है। इससे बाजार की स्थिति का सही ज्ञान मिलता रहता है और बिक्री व्यय कम होता है।

(९) विशाल साधन—बड़ी फर्म के साधन विशाल होते हैं। फलतः सकट के क्षण में भी ऐसी फर्म के लिए छोटे उत्पादकों की तुलना में अपने पैरों पर खड़े रहना अधिक सरल होता है।

(१०) विज्ञापन लाभ—बड़ी फर्म विज्ञापन तथा बिक्री सगठन पर अधिक व्यय कर सकती है। इससे बिक्री बढ़ती है और लाभ अधिक हो जाते हैं।

(११) पूँजी के उपयोग में बचन—बड़े पैमाने के उत्पादक की पूँजी के उपयोग में भी बचन होती है, क्योंकि ऐसे उत्पादक की मांग ऊँची होती है, जिसमें उमें कम ब्याज पर घोर अधिक मात्रा में ऋण मिल जाता है ।

(१२) नीचा यातायात व्यय—यातायात सम्पत्तियाँ अधिक मात्रा में मंगाने वाली घोर मेजने वालों को बाड़े की दर में छूट दे देती हैं । अन्य लोग भी अधिक मात्रा की सप्लाई घोर निरामी के लिए नीची दरें रखते हैं ।

(१३) ऊपरी व्यय में कमी—बड़े कारखानों में उत्पत्ति की प्रति इकाई के पीछे अनु-पूरक व्यय (Supplementary costs) प्रथम ऊपरी व्यय (Overhead charges) कम प्राप्ते हैं । ऐसे व्यय में हम उद्योग के प्रचालन सम्बन्धी व्यय, जैसे—प्रत्यक्ष तथा कार्यालय का व्यय, भूमि या फ़ैक्टरी का लगान, विज्ञापन-व्यय आदि को सम्मिलित करते हैं । ये व्यय साधारणतया निश्चित प्रथम स्थिर होते हैं । पूँजी उत्पात्ति के पैमाने के विस्तार के साथ-साथ वे उत्पत्ति की अधिक इकाइयों पर फैलने जाते हैं, इसलिए प्रति इकाई उत्पादन-व्यय नीचा रहता है । उत्पत्ति में कुछ अविभाज्य मापनों का भी उपयोग होता है जिनका व्यय न्यूनतम उगी उष्मा में होता है, जबकि उत्पत्ति का पैमाना बड़ा रखा जाय ।

(१४) नीचा पैकिंग व्यय—पैकिंग (Packing) के सम्बन्ध में भी बड़े पैमाने के उत्पादक को लाभ होता है । पैकिंग का काम मशीनों की सहायता में शीघ्रतापूर्वक, कम व्यय पर तथा जल्दी हो जाता है । इसमें उभोक्ताओं प्रथम प्राइकी को भी मात्र कम दाम पर मिल जाता है ।

(II) जन-साधारण को लाभ—

बड़े पैमाने की उत्पत्ति सम्बन्धी उपरोक्त लाभ उत्पादक को होते हैं, परन्तु ऐसी उत्पत्ति ने श्रमिकों, उपभोक्ताओं जन-साधारण को भी लाभ होता है :—(i) बड़े पैमाने में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन-व्यय कम होता है, जिससे वे सस्ती विक्रती हैं । (ii) इससे उपभोक्ताओं को लाभ होता है और सारे समाज का जीवन स्तर ऊँचा उठ जाता है । (iii) बड़े कारखाने के श्रमिकों को भी प्रत्येक सुविधायें मिल जाती हैं, जैसे—ऊँचे वेतन, अच्छे भोजन, चिबिरमा की सुविधा आदि । (iv) श्रम-विभाजन की सुविधा के बढ़ जाने के कारण, श्रमिक को उसकी योग्यता और निपुणता के अनुसार काम मिल जाता है । (v) मशीनों के उपयोग के कारण श्रमिकों की गतिशीलता बढ़ जाती है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की मशीनों में कोई विशेष धन्यता नहीं होने है । (vi) बहुत से श्रमिकों के एक साथ रहने के कारण श्रमियों का भी बिभाग होता है, जो श्रमिकों के कल्याण को बढ़ाने में सहायक होते हैं ।

बड़े पैमाने के उत्पादन की सीमायें (Limits to Large-scale Production)

उपरोक्त लाभों के कारण एक कम घटना विस्तार करनी जाती है । जैसे-जैसे उत्पत्ति का पैमाना बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे प्राचरित्व घोर बाह्य बचनें कम विभेय को घोर अधिक मात्रा में प्राप्त होती जाती है । अब प्रश्न यह उठता है कि उत्पत्ति के पैमाने का यह विस्तार कहाँ रुकेगा ? यह जानना आवश्यक है कि इन बचनों की भी एक सीमा होती है, जिसके घाटे इन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता है । बड़े पैमाने की उत्पत्ति की निम्न दी सीमायें होती हैं :—(i) साहसी की योग्यता और शक्ति तथा (ii) बाजार की प्रवृत्ति । कभी-कभी बढ़ते-बढ़ते व्यवसाय इतना बड़ा हो जाता है कि वह मेवायोजक (Employer) की शक्ति से बाहर हो जाता है और फिर प्रबन्ध सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण पैमाने का विस्तार रुक जाता है । इसी प्रकार, किमी कम के विस्तार की सीमा हम मान पर भी निर्भर होती है कि उत्पत्ति की मांग की क्या स्थिति

है। साधारणतया बाजार जितना ही अधिक विस्तृत होगा और वस्तु की माँग जितनी ही स्थायी होगी, उतना ही उत्पात्ति के पैमाने के विस्तार की सम्भावना भी अधिक होगी। प्रो० चंपमैन ने किसी फर्म के विस्तार की अन्तिम सीमायें निम्न प्रकार बताई हैं :—(i) व्यवस्था की भीतरी जटिलता। (ii) उपज की विरम का महत्त्व। (iii) मशीनों की महंगाई। (iv) बाहरी सम्बन्ध, जो बाजारों की प्रकृति पर निर्भर होते हैं। (v) वस्तु की माँग का स्थायित्व। (vi) उत्पादन-विधि की तुलना में उद्योग की स्थिरता। (vii) बड़े पैमाने के उत्पादन की बचतें।

बड़े पैमाने की उत्पात्ति के सामाजिक दुष्परिणाम

बड़े पैमाने के उत्पादन के दोष भी महत्त्वपूर्ण हैं। प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं :—

(१) छोटे उत्पादकों से बट्ट प्रतिযোগिता—बड़े उत्पादक के पास विशाल साधन होते हैं। वह छोटे उत्पादकों के साथ सफलतापूर्वक प्रतियोगिता करके धीरे-धीरे उन्हें समाप्त कर देता है। धन और उत्पात्ति के साधन थोड़े से व्यक्तियों के पास एकत्रित हो जाते हैं। इससे अन्त में एकाधिकार (Monopoly) स्थापित हो जाता है, उपभोक्ता और जनसाधारण का शोषण होने लगता है और सारे समाज को हानि होती है। एकाधिकारी राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं, क्योंकि उनके पास विशाल आर्थिक शक्ति होती है, जिसका वे दुरुपयोग करते हैं।

(२) धर्मिकों से व्यक्तिगत सम्पर्क का अभाव—बड़े पैमाने का उत्पादन सभी धर्मिकों से व्यक्तिगत सम्पर्क नहीं रख सकता। इसका परिणाम यह होता है कि मालिक और कर्मचारियों के बीच मन-मुटाव बढ़ने लगता है। दोनों ही एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ रहते हैं, जिससे औद्योगिक विवाद (Industrial Disputes) बढ़ते हैं, जो हड़ताली और लासावन्दी के रूप में प्रकट होते हैं तथा देश को आर्थिक और सामाजिक जीवन की शान्ति भङ्ग कर देते हैं।

(३) वितरित रचि के उद्योगों में विफलता—वहूल-सी वस्तुमें ऐसी होती है, जिनका उत्पादन बड़े पैमाने पर सफल नहीं होता है। जिन वस्तुओं में व्यक्तिगत रचि को पूरा करने का गुण आवश्यक होता है, उनका प्रमापीकरण (Standardisation) नहीं हो सकता। इसी प्रकार जिन सेवाओं का उत्पादक द्वारा सम्पन्न करना आवश्यक होता है उनका उत्पादन भी बड़े पैमाने पर सफल नहीं हो सकता है।

(४) वितरण में असमानतायें—बड़े पैमाने का उत्पादन सं देश के भीतर उत्पादित धन के वितरण में असमानतायें आ जाती है। इससे एक और तो देश में आर्थिक कल्याण घट जाता है और दूसरी ओर समाज में असन्तोष फैलता है।

(५) माँग के अनुमान में भ्रष्टि—बड़े पैमाने का उत्पादक बहुधा माँग का सही अनुमान नहीं लगा पाता है। इसका परिणाम यह होता है कि देश का उत्पादन सप्रभाधिक माँग (Effective Demand) से कम या अधिक हो सकता है। इससे "अति-उत्पादन" (Over-production) और "न्यून-उत्पादन" (Under-production) की समस्यायें उत्पन्न होती हैं और आर्थिक जीवन में सङ्कट (Crisis) आते हैं।

(६) पूँजीवाद के दोषों को बढ़ावा—बड़े पैमाने का उत्पादन पूँजीवाद और उसकी चुराइयों को प्रोत्साहन देता है। वह उत्पादक की समाज का शोषण करने की शक्ति को बढ़ा देता है।

यहाँ पर यह जानना अत्यन्त न होगा कि बड़े पैमाने के उत्पादन के अधिकतम दोष यथार्थ में पूँजीवादी उत्पादन-प्रणाली के उपयोग के दोष हैं। वास्तव में स्वयं बड़े पैमाने के उत्पादन में कोई गम्भीर दोष नहीं है। यदि ऐसे उद्योगों के लाभ व्यक्तियों को न मिलकर सारे समाज

अधिक न्यायपूर्ण तथा समान वितरण होता है। इससे एक ओर तो सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है और दूसरी ओर सन्तोष और सहयोग को प्रोत्साहन मिलता है, जिसका देश के राजनीतिक जीवन में अधिक महत्त्व होता है।

(७) स्वतन्त्रता एवं उत्साह—छोटे पैमाने के उत्पादन में श्रमिकों की स्वतन्त्रता और उनका उत्साह बना रहता है। अत्यधिक श्रम-विभाजन के दोष यहाँ नहीं रहते हैं और न काम नीरस ही रहता है।

(८) मशीनों की आवश्यकता नहीं होती—ऐसे उत्पादन में मशीनों के अत्यधिक उपयोग से सम्बन्धित दोष भी नहीं रहते हैं। श्रमिक मशीनों का दास बन कर बेकार नहीं हो जाता है। छोटी मात्रा की उत्पात्ति से हानियाँ—

(१) प्रति इकाई अधिक उत्पादन-व्यय—बड़ी उत्पात्ति वालों को जो भिन्न प्रकार की वचते प्राप्त हैं, वे छोटी उत्पात्ति वालों को उपलब्ध नहीं होती हैं। फलतः छोटी उत्पात्ति वालों का प्रति इकाई उत्पादन-व्यय अधिक होता है। उदाहरणार्थ, नवीनतम मशीनों के उपयोग से वचत, अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग, सूक्ष्म श्रम-विभाजन से वचत, कार्यालय में वचत, पैकिंग विभाग से वचत, मरम्मत की दुकानों से वचत, कच्चा माल स्वयं तैयार करने से वचत, शक्ति के साधनों के स्वयं स्वामी होने से वचत, अपने ही यातायात के साधनों से वचत, प्रादि सुविधायें केवल बड़ी उत्पात्ति वालों को ही उपलब्ध हो सकती हैं।

(२) कम प्रतियोगिता शक्ति—प्रति इकाई उत्पादन व्यय अधिक होने से छोटी उत्पात्ति वालों की प्रतियोगिता शक्ति अपेक्षित कम होती है।

(३) बहुत अधिक पूँजी वाले उद्योगों में अनुपयुक्त—बहुत से व्यवसाय ऐसे हैं जिनमें बहुत अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है। ऐसे व्यवसाय केवल बड़ी पूँजी वाले ही कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यातायात उद्योग, खानों की खुदाई, थोक व्यापार और बहुत से निर्माण सम्बन्धी उद्योग छोटी पूँजी वालों के लिए असम्भव ही हैं।

परीक्षा प्रश्न :

१. बड़े पैमाने के उत्पादन से आप क्या समझते हैं ? इससे क्या लाभ है ? ऐसा क्यों है कि भारत में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ?

[सहायक संकेतः—सर्वप्रथम बड़े पैमाने के उत्पादन का अर्थ बताइये। तत्पश्चात् आन्तरिक और बाह्य वचतों को समझाइये और अन्त में यह बताइये कि निम्न कारणों से भारत में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है—पूँजी की कमी किन्तु श्रमिकों का बाहुल्य, धन के वितरण में सुधार एवं सतुलित आर्थिक विकास।]

२. मशीनों के प्रयोग और बड़ी मात्रा की उत्पात्ति से कौन-कौन सी वचतें प्राप्त होती हैं ? छोटे पैमाने के उद्योगों का बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ अस्तित्व क्यों बना हुआ है, समझाइये।

[सहायक संकेत —सर्वप्रथम बड़े पैमाने की उत्पात्ति से मिलने वाली आन्तरिक और बाह्य वचतें बताइये। तत्पश्चात् बड़े पैमाने के उत्पादन की सीमाओं और छोटे उत्पादन के कुछ लाभों को बताइये, क्योंकि वे ही वे परिस्थितियाँ हैं जिनके अन्तर्गत छोटे पैमाने की इकाइयों के साथ सफलतापूर्वक प्रतियोगिता कर सकती हैं और इसलिए वे आज भी जीवित हैं।]

३. व्यावसायिक इकाई के आधार को निर्धारित करने वाले घटकों का विवेचन कीजिये ।
 दिखाइये कि प्रबन्ध सम्बन्धी समस्या किस प्रकार एक यापक तत्व है ?
 [सहायक संकेत :—यहाँ बड़े पैमाने की उत्पत्ति की सीमायें बताइये, क्योंकि ये सीमायें ही वे तत्व हैं जो कि उत्पत्ति के पैमाने को बढ़ाने में बाधक होती हैं अथवा यों कहें कि व्यावसायिक इकाइयों के आधार को निर्धारित करती हैं। प्रबन्ध सम्बन्धी कठिनाइयाँ या सीमाओं को कुछ विस्तारपूर्वक बिन्तु अन्य सीमाओं के बाद में बताइये । इसमें प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर भी पूर्ण हो जायेगा ।]
४. धातुनिर्गम उद्योग बड़े पैमाने पर क्यों संगठित किये जाते हैं ? बड़े पैमाने के उत्पादन की सीमायें बताइये ।
 [सहायक संकेत :—सर्वप्रथम यह बताइये कि बड़े पैमाने के उत्पादन से कुछ मात्रिक और बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं जिनके गुणरिखामस्वरूप प्रति इकाई लागत कम होती है । घनः इन बचतों को प्राप्त करने हेतु ही धातुनिक उद्योग प्रायः बड़े पैमाने पर संगठित किये जाते हैं । तत्पश्चात् इन बचतों को बताइये और घन में बड़े पैमाने के उत्पादन की सीमाओं पर प्रकाश डालिए ।]
५. 'बड़े पैमाने के उत्पादन' और 'बड़ी मात्रा में उत्पादन' में भेद कीजिये । बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ और हानियाँ बताइये ।
 [सहायक संकेत :—सर्वप्रथम 'बड़े पैमाने का उत्पादन' का अर्थ बताइये और 'बड़ी मात्रा में उत्पादन' से इसका भेद उदाहरण देकर समझाइये । तत्पश्चात् संक्षेप में बड़े पैमाने के उत्पादन के लाभ और हानियाँ बताइये । निष्कर्ष के रूप में इसकी सीमाओं का संकेत कीजिए ।]
६. बड़े पैमाने के उत्पादन की आन्तरिक और बाह्य बचतों में भेद कीजिये । ये मिनट्यदिनाये उत्पादन को सस्ता कैसे बना देती हैं ?
 [सहायक संकेत :—सर्वप्रथम दोनों प्रकार की बचतों का अर्थ बताइये । तत्पश्चात् इनके सम्बन्ध पर प्रकाश डालने हुए उदाहरणों की सहायता से यह बताइये कि इनके मध्य घनत्व की कोई निश्चित और स्पष्ट रेखा खींचना कठिन है । घनत्व में, विभिन्न प्रकार की आन्तरिक और बाह्य बचतों का विवरण दीजिये, क्योंकि इससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि ये बचतें उत्पादन को किस प्रकार सस्ता बना देती हैं ?]
७. आन्तरिक और बाह्य बचतों में भेद कीजिये । यह दिखाइये कि उत्पादन के पैमाने का विस्तार इन दोनों प्रकार की बचतों को कैसे प्राप्त करता है ?
 [सहायक संकेत :—सर्वप्रथम आन्तरिक और बाह्य बचतों में भेद कीजिये । तत्पश्चात् आन्तरिक बचतें प्राप्त होने के कारणों (प्रविभाग्यता और विनिष्ठीकरण) को बताइये और घनत्व में बाह्य बचतों के कारणों (स्वामीयकरण एवं विनिष्ठीकरण) को समझाइये ।]

श्रम-विभाजन

(Division of Labour)

प्रारम्भिक—श्रम-विभाजन का अर्थ—

मानव-जीवन की प्रारम्भिक अवस्था में श्रम-विभाजन नहीं था। पारिवारिक जीवन के विकास के साथ-साथ कुछ अंश तक श्रम-विभाजन होने लगा, किन्तु फिर भी श्रम-विभाजन अपनी विस्तृत प्रारम्भिक अवस्था में ही रहा। प्रत्येक मनुष्य को अपनी आवश्यकता-पूर्ति से सम्बन्धित सभी प्रकार के कार्य करने पड़ने थे। एक व्यक्ति एक ही साथ किसान, शिकारी, जुलाहा और मिस्री सभी कुछ होता था।

आर्थिक जीवन और मानव-आवश्यकताओं के विकास के साथ-साथ इसमें कठिनाई अनुभव होने लगी और मनुष्यों ने विभिन्न कार्यों को आपस में बाँटना प्रारम्भ कर दिया। कोई किसान का काम करने लगा, कोई लुहार का और कोई जुलाहे का। इस प्रकार श्रम विभाजन का प्रारम्भ हुआ। कार्य का बँटवारा जहाँ जहाँ बढ़ना गया तथा एक-एक कार्य को और छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटा गया, यहाँ तक कि आज के औद्योगिक युग में प्रत्येक कार्य को बहुत ही छोटी-छोटी सरल क्रियाओं (Processes) में बाँट दिया जाता है।

काम का इस प्रकार बँटवारा ही आर्थिक भाषा में श्रम-विभाजन कहलाता है। प्रत्येक मनुष्य का निर्माण छोटी-छोटी क्रियाओं में बाँट दिया जाता है और प्रत्येक क्रिया अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा सम्पन्न की जाती है, यही श्रम-विभाजन है।

यहाँ पर श्रम-विभाजन और विशिष्टीकरण के भेद को अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए क्योंकि प्रायः गलती से इन दोनों को समान अर्थ में प्रयोग कर दिया जाता है। विशिष्टीकरण एक विस्तृत शब्द है और श्रम-विभाजन इसकी एक विस्म माय है। जबकि श्रम-विभाजन वाच्यता का प्रयोग केवल श्रम के ही सम्बन्ध में होता है, विशिष्टीकरण का प्रयोग श्रम, क्षेत्रों, पूँजी आदि के बारे में किया जाता है। यथार्थ में श्रम के विशिष्टीकरण को ही श्रम-विभाजन कहा जाता है।

श्रम-विभाजन के प्रकार—

(१) श्रम-विभाजन साधारण होता है, जबकि एक क्रिया को बहुत से व्यक्ति मिलकर करते हैं और यह कहना कठिन होता है कि प्रत्येक ने कितना काम किया है। टोमस के अनुसार, “श्रम-विभाजन उस दशा में साधारण कहलाता है जबकि दो या अधिक व्यक्ति एक ही तरीके से काम करने हुए, ऐसे कार्य को मिलकर पूरा करें जो उनमें से केशल एक के लिए बहुत बड़ा, कठिन या भारी हो।” उदाहरणार्थ, दो व्यक्ति मिलकर किसी भारी सामान को उठावें, तो यह साधारण श्रम-विभाजन हुआ।

(२) श्रम-विभाजन जटिल भी हो सकता है, जबकि एक व्यक्ति केवल एक छोटे से काम को ही करता है और सब व्यक्तियों का काम अलग-अलग होता है। प्रो० टोमस के

मर्दानों में, "जटिल श्रम-विभाजन वह है जिसके अधीन प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्ति समूह कोई ऐसा विशेष कार्य करता है जो कि अन्तिम उत्पादन में महत्वपूर्ण मान है।" जैसे—एक व्यक्ति द्वारा कई कानना, दूमरे व्यक्ति द्वारा कपड़ा बुनना और तीसरे व्यक्ति द्वारा पहिने में बस्त्र बनाना करना जटिल श्रम-विभाजन है। जटिल श्रम-विभाजन स्वयं भी दो तरह का होता है—पूर्ण विधि एवं अपूर्ण विधि।

पूर्ण विधि श्रम-विभाजन वह है जिसके अन्तर्गत उद्योग का उत्पादन कार्य (जैसे—कपड़े के उत्पादन का कार्य) कई विधियों (जैसे कताई, बुनाई, रगटाई आदि) में बाँट दिया जाता है और प्रत्येक विधि को एक पृथक् व्यक्ति-समूह से कराया जाता है। इसमें एक समूह की उपर दूमरे समूह के लिए कच्चे माल का कार्य करती है। स्मरण रहे कि प्रत्येक विधि स्वयं में पूर्ण होती है किन्तु यदि किसी समूह का कार्य बन्द हो जाय, तो गमरन उत्पादन रुक जायेगा। अतः विभिन्न श्रमिक-समूहों में सहयोग की आवश्यकता पड़ती है।

अपूर्ण विधि श्रम-विभाजन वह है जिसके अन्तर्गत उत्पादन-कार्य की पूर्ण विधियों को अनेक अपूर्ण उप-विधियों में बाँटा जाता है और प्रत्येक उपविधि एक पृथक् श्रमिक समूह से कराई जाती है। ऐसी दशा में प्रत्येक समूह के कार्य का कोई स्वतन्त्र मूल्य नहीं होता। हाँ, उभरते सामूहिक उत्पादन में सहायता आवश्यक मिलती है।

(३) श्रम-विभाजन व्यावसायिक (Occupational Division of Labour) भी होता है, जबकि कुछ व्यक्ति एक व्यवसाय को करते हैं और कुछ किसी दूमरे व्यवसाय को।

(४) श्रम-विभाजन प्रादेशिक भी हो सकता है, जिसमें अलग-अलग क्षेत्रों या स्थानों में अलग-अलग काम या व्यवसाय ग्रहण किये जाते हैं।

श्रम-विभाजन की दशाएँ (Conditions of Division of Labour)

श्रम-विभाजन से उत्पत्ति सम्बन्धी बचनें कुछ विशेष दशाओं में ही प्राप्त होती हैं। इन दशाओं का वर्णन हम इस प्रकार कर सकते हैं—

(१) बाजार का विस्तार—श्रम-विभाजन उभी दशा में सम्भव होता है, जबकि उत्पत्ति का पैमाना बड़ा हो और बड़ी संख्या में श्रमिकों को काम पर लगाया जाना हो। यह निश्चय है कि बड़ी मात्रा में उत्पत्ति करने के लिए विस्तृत बाजार की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि श्रम-विभाजन की संकल्पना के लिए विस्तृत बाजार आवश्यक होता है।

(२) उत्पादन की निरन्तरता—यदि काम लगातार नहीं होता, जिस कारण श्रमिक को बीच-बीच में और काम थुंके परते हैं, तो यह करने को एक ही काम तक सीमित नहीं रहेगा। यही कारण है कि निर्माण उद्योगों में कृषि उद्योग की अपेक्षा श्रम-विभाजन के विस्तार की सम्भावना अधिक होती है।

(३) श्रमिकों की अधिक संख्या—घोड़े से श्रमिकों के बीच मूठम श्रम-विभाजन सम्भव नहीं हो सकता है। जब बहुत से श्रमिक होते हैं, तो प्रत्येक की अपनी योग्यता और विनियुक्तता के अनुसार काम दिया जा सकता है।

(४) विनिमय—जिम समाज में प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से स्वायत्तगर्भी होता है, वहाँ श्रम-विभाजन का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः, जितना ही किसी देश में विनिमय अधिक महत्त्वपूर्ण होगा, उतनी ही वहाँ श्रम-विभाजन की सम्भावना भी अधिक रहेगी।

श्रम-विभाजन के गुण-दोष

श्रम-विभाजन के लाभ—

श्रम-विभाजन के आरम्भ का कारण उसके लाभ ही है। अनुभव बताता है कि श्रम-विभाजन ने मनुष्य के प्राथमिक जीवन की उन्नति और उसके विकास में बहुत सहायता दी है। श्रम विभाजन के प्रमुख लाभ निम्न प्रकार हैं —

(१) यन्त्रों के उपयोग में बचत—श्रम-विभाजन में कम मात्रा में यन्त्रों और मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। काम को छोटे-छोटे टुकड़ों में इस प्रकार बाँट दिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग-अलग औजारों का उपयोग करता है। इससे एन आदमी के लिए सभी औजारों की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

(२) मशीनों के उपयोग में वृद्धि—श्रम-विभाजन मशीनों और क्लो के उपयोग को प्रोत्साहन देता है। इससे मशीनों के उपयोग के सभी लाभ, जैसे—प्रमाणीकृत उत्पादन, शीघ्र और सस्ता उत्पादन आदि, प्राप्त हो जाते हैं।

(३) श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि—श्रम-विभाजन के अन्तर्गत प्रत्येक श्रमिक को उसकी रुचि, योग्यता और निपुणता के अनुसार काम मिल जाता है। प्रत्येक श्रमिक वही कार्य करता है, जिसके लिए वह सबसे योग्य है। इससे श्रमिकों की कुशलता बढ़ती है, उत्पादन व्यय घट जाता है तथा स्वयं श्रमिक के लिए भी कार्य का उत्साह बना रहता है।

(४) विशेष ज्ञान की प्राप्ति—जब एक व्यक्ति निरन्तर एक ही काम करता रहता है, तो उसमें उस काम को करने की विशेष क्षमता आ जाती है। उदाहरणार्थ, एक अत्यन्त कुशल चपनी कागजों को मोड़ने का काम साधारण लोगों की तुलना में अधिक जल्दी और अधिक अच्छी तरह कर सकता है।

(५) समय की बचत—जब एक आदमी एक से अधिक काम करता है, तो समय की हानि होती है, क्योंकि एक काम को छोड़कर दूसरे को आरम्भ करने में कुछ समय अवश्य नष्ट हो जाता है। इसके अनिश्चित, दूसरे काम को सीखने में भी समय का व्यय होता है। किन्तु श्रम-विभाजन से समय की ये दोनों ही प्रकार की हानियाँ बच जाती हैं।

(६) शारीरिक परिश्रम में बचत—प्राधुनिक कारखानों में उत्पादन-क्रियाओं को सूक्ष्म विभागों में बाँट दिया जाता है और प्रत्येक श्रमिक एक छोटा-सा काम ही करता है। इसका परिणाम यह होता है कि प्रत्येक श्रमिक को कम शारीरिक परिश्रम करना पड़ता है। मानसिक परिश्रम की आवश्यकता भी श्रम-विभाजन के अन्तर्गत कम होती है।

(७) आविष्कार को प्रोत्साहन—यह निश्चय है कि जब एक व्यक्ति बराबर एक ही काम करता है, तो वह उस काम से सम्बन्धित सारी बातों से भरी-भरि परिचित हो जाता है। वह उत्पादन की नई रीतियों, कच्चे माल के अधिक मितव्ययी उपयोग और नये आविष्कारों को खोज निकालता है जिससे उद्योग और समाज दोनों ही को लाभ होता है।

(८) पूँजी के उपयोग में मितव्ययिता—श्रम-विभाजन पूँजी के उपयोग में भी बचत करता है। जिनका ही श्रम-विभाजन का अधिक विकास होता है, उतना ही विशिष्ट प्रकार की मशीनों का उपयोग बढ़ता है। निरन्तर ऐसी मशीनों का उपयोग होता है, जिनमें प्रति इन्वार्ड पूँजी-व्यय कम होता है।

(९) रोजगार के दृष्टिकोण से धर्मों के भेद को मिटाना—प्राधुनिक श्रम-विभाजन में मशीनों का उपयोग अधिक होता है। इन मशीनों की यन्त्र-रचना में अधिक अन्तर नहीं

होता। जैसी मशीन का बूट के कारखाने में उपयोग होता है, समझ में ही मशीन का नाम बुनने के कारखानों में भी काम घानी है। इस प्रकार, धम-विभाजन द्वारा भिन्न-भिन्न धर्मों का भेद मिट जाता है।

(१०) धम की गतिशीलता में वृद्धि—जब धर्मों का भेद मिट जाता है, तो धर्मिक एक धर्म में दूसरे धर्म में सरलता में जा सकते हैं। इस प्रकार गतिशीलता में वृद्धि होने से धर्मिक को अधिक मजदूरी, काम की सरलता तथा धर्म्य सुविधाएँ प्राप्त हो जाती हैं।

(११) सभ्यता का विकास—धम विभाजन के कारण भिन्न-भिन्न प्रकार के धर्मियों की माँग होती है। एक ही कारखाने में गहरी व्यक्ति काम करते हैं, जो भिन्न-भिन्न प्रान्तों और देशों में जाते हैं। उनके रीति-रिवाज, ध्यान-बनन, रहन-सहन, आचार-विचार, बोल-चाल, आदि में भी अन्तर होता है। जब इस प्रकार के लोग एक साथ काम करते हैं, तो यह स्वाभाविक ही है कि वे एक-दूसरे में वृद्ध न कुछ सीखें। उनमें परस्पर आचार-विचारों का आदान-प्रदान होता है, मदभावना और सहयोग की भावना जाग्रत होती है और एकता की नींव पड़ जाती है।

(१२) नई-नई वस्तुओं की उत्पत्ति—धम-विभाजन आविष्कारों को प्रोत्साहन देता है। नये-नये आविष्कारों में नई-नई वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं। विचारों के आदान-प्रदान से बहाना-नक्ति भी बनती है जो नई-नई वस्तुओं की जननी है। इसके अनिश्चित, धम-विभाजन में एक व्यक्ति कहीं वस्तु तैयार करता है, त्रिगुणें वह निपुण होता है। इस कारण से भी हज़ारों नई-नई वस्तुएँ तैयार होती हैं।

(१३) उत्पादन की वृद्धि तथा ऊँचा जीवन स्तर—धम-विभाजन द्वारा उत्पत्ति में वृद्धि होती है। हम देखते हैं कि एक मनुष्य मशीन द्वारा एक दिन में चार हज़ार घाट सो पिन बना सकता है। धम-विभाजन की मशीन एक घण्टे में बीस मील लम्बा धम-विभाजन घाट बनाती है। मिगरेट बनाने की मशीन एक मिनट में दो सार्स पचास हज़ार मिगरेट बनाती है, इत्यादि। जब एक देश में उत्पत्ति इतने तीव्र वेग से होती है, तो स्पष्ट है कि प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है और जीवन-स्तर भी ऊँचा हो जाता है।

(१४) बेकारी की समस्या सुलभ होती है—धम-विभाजन में सभी प्रकार के काम होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं, जिनके लिए बतबान व्यक्तिओं की आवश्यकता होती है। धर्म ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें स्त्री, बच्चे और अशक्त व्यक्ति भी कर सकते हैं। इस प्रकार कुछ न कुछ कार्य, प्रत्येक व्यक्ति को मिल जाता है और बेकारी कम हो जाती है।

(१५) व्यावसायिक प्रगति और पूँजी की वृद्धि—धम-विभाजन में विशिष्टीकरण (Specialisation) को प्रोत्साहन मिलता है। विशिष्टीकरण के भौतिक प्रगति में वृद्धि होती है। इन दोनों (विशिष्टीकरण और भौतिक प्रगति) में उत्पत्ति की कुशलता बढ़ती है, धर्मिक, वस्तुएँ अधिक मात्रा में बनती हैं। परोपत्ति में वृद्धि होने से पूँजी में भी वृद्धि होती है।

धम-विभाजन की हानियाँ—

धम-विभाजन के साथ बहुत महत्वपूर्ण है, और अधिकांश मामलों में इन मामलों का परिणाम यह होता है कि समाज की उत्पादनता (Productivity) बढ़ जाती है। यहाँ पर यह आदना आवश्यक है कि केवल समाज की उत्पादनता बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य नहीं होता। सही उद्देश्य तो मनुष्य की साम्य पट्टीबाना होना चाहिए। हमें देखना यह है कि धम-विभाजन का मनुष्य और उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस दृष्टि में धम-विभाजन की धर्मिक हानियाँ हैं। प्रमुख हानियाँ निम्न प्रकार हैं :—

(१) नीरसता—श्रम-विभाजन मनुष्य के कार्य को नीरस बना देता है । यदि श्रमिक को लगातार एक ही छोटा-सा काम प्रत्येक दिन करना पड़े, तो उस काम के प्रति हमारी अरुचि हो जाती है । इसके उत्तर में यह कह सकते हैं कि यद्यपि श्रम विभाजन नीरसता उत्पन्न करता है, तथापि वह समय भी बचाता है और मनुष्य के लिए विश्राम और मनोरंजन के लिए अधिक समय देकर उसकी नीरसता को कुछ अंश तक दूर कर देता है ।

(२) उत्तरदायित्व में कमी—श्रम-विभाजन में श्रमिक एक काम को प्रारम्भ से अन्त तक नहीं करता, बल्कि उसके केवल एक छोटे से ही भाग को पूरा करता है । वह इस बात के लिये बहुत चिन्तित नहीं रहता कि वस्तु अच्छी बनती है या खराब, क्योंकि वस्तु अन्त में कौसी बनती है, यह किसी एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं होती है ।

(३) आनन्द का अभाव—जब एक व्यक्ति किसी वस्तु को तैयार करता है, तो तैयार वस्तु को देखकर उसे विशेष आनन्द मिलता है । जब हम अपने सम्पूर्ण कार्य को पूरा होने हुए देखते हैं, तो हमें विशेष प्रसन्नता होती है । श्रम-विभाजन के अन्तर्गत ऐसी सम्भावनायें उत्पन्न नहीं होती हैं क्योंकि जो उपज तैयार होती है, वह किसी भी एक श्रमिक द्वारा तैयार नहीं की जाती है ।

(४) कार्यक्षमता में कमी—श्रम-विभाजन के अन्तर्गत श्रमिक प्रतिदिन एक छोटे से काम को करता है । वह कार्य उसके लिए एक प्रकार का बंधन कार्य हो जाता है, श्रमिक को सुधार करने अथवा कार्य की नई विधियाँ सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है । इससे अन्त में श्रमिक की कुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ता है । इसके अतिरिक्त, श्रम-विभाजन मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास में भी शिथिलता लाता है क्योंकि उसकी शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ एक ही दिशा में कार्य करती हैं ।¹

(५) मनुष्य का पतन—श्रम-विभाजन में मनुष्य का सारा उत्तरदायित्व और उसकी सारी स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है । मशीन उसकी दास नहीं रहती है, बल्कि वह स्वयं मशीन का दास हो जाता है । इससे मनुष्य का पतन होता है ।

(६) श्रम की गतिशीलता में कमी—श्रम-विभाजन में एक श्रमिक किसी एक काम के एक छोटे से भाग में ही क्षमता प्राप्त करता है । उसे न तो पूरा काम ही आता है और न कोई दूसरा काम ही । उसे अपना व्यवसाय बदलने में भारी कठिनाई होती है । इसका उसकी प्रगतिशीलता पर बुरा प्रभाव पड़ता है । गतिशीलता की कमी श्रमिक को सोदा करने की शक्ति को घटाती है और मजदूरी की वृद्धि में बाधक होती है ।

(७) निपुणता की हानि—श्रम-विभाजन के अन्तर्गत निपुण से निपुण श्रमिक भी अपनी निपुणता खो देता है । उसे केवल एक छोटा-सा ही काम आता है, जिसमें उसे निपुणता को बढ़ाने का अवसर बहुत ही कम मिल पाता है ।

(८) बेरोजगारी का भय—एक काम का एक ही भाग श्रमिक जानता है, इसीलिए इस बात का भय सदा ही बना रहता है कि श्रमिक अपना रोजगार खो बैठे । एक बार रोजगार छूट जाने पर श्रमिक को काम कठिनाई से मिलता है, क्योंकि कोई दूसरा काम वह जानता ही नहीं है ।

¹ "The man whose whole life is spent in performing a few simple operations.....has no occasion to exert his understanding.....He generally becomes as stupid and ignorant as is possible for a human creature to become."—Adam Smith.

(६) स्त्री और बालक श्रम का शोषण—श्रम-विभाजन कार्यों को इतना सरल बना देना है कि स्त्री और बच्चे भी उन्हें करने लगते हैं। इससे दो हानियाँ होती हैं :—एक और तो पारिवारिक जीवन द्विप्र-भिन्न हो जाता है तथा दूसरी और स्त्री और बच्चों के काम करने से देश के मानवीय साधनों का अगव्ययी और हानिकारक उपयोग होता है। स्त्री और बालक श्रम का शोषण भी होता है, क्योंकि उन्हें मजदूरी कम दी जाती है।¹

(१०) मशीनों के उपयोग के दोष—श्रम-विभाजन तभी सम्भव होता है, जबकि उत्पत्ति बड़े पैमाने पर होती है और मशीनों का अधिक उपयोग होता है। इस कारण बड़े पैमाने को उत्पत्ति और यन्त्रीकरण (Mechanisation) के सभी दोष श्रम-विभाजन में पाये जाते हैं। इस प्रणाली में उत्पादन की फैक्ट्री प्रणाली के भी सभी दोष पाये जाते हैं।

श्रम-विभाजन के दोषों के उपचार—

श्रम-विभाजन की अधिकांश हानियों को दूर करना सम्भव है। इस हेतु निम्न उपाय करने आवश्यक है :—(अ) कार्य-दशाओं में सुधार द्वारा (जैसे—बीच-बीच में श्रमिकों को आराम का समय देकर) कार्य की नीरसता और थकावट को दूर किया जा सकता है। (ब) कार्य के घण्टों में कमी की जाय, जिससे कि श्रमिकों को आराम और मनोरंजन के लिए अधिक समय मिल सके। (ग) श्रमिकों को सामान्य एवं तकनीकी शिक्षा दी जाय, जिससे कि वे आवश्यकता पड़ने पर नया काम सुगमता से सीख सकें या नया रोजगार ग्रहण कर सकें। (द) श्रमियों के हितों की रक्षा के लिये सरकार विभिन्न प्रकार के कानून (जैसे—कारखाना सन्निवम, सामाजिक बीमा, कल्याण कार्य, आवास, औद्योगिक संघर्ष अधिनियम) बनाये और उनका कड़ाई से पालन कराये। (य) उपयुक्त मौद्रिक एवं प्रशुलक नीतियों के प्रयोग द्वारा आर्थिक संकटों को रोके।

श्रम-विभाजन की सीमायें

(Limits of the Division of Labour)

श्रम-विभाजन सभी दशाओं में सम्भव नहीं होता है। कुछ ऐसी बातें होती हैं, जिन पर श्रम-विभाजन का विस्तार निर्भर होता है। ये बातें निम्न प्रकार हैं :—

(१) बाजार का विस्तार—बहुत पहले ही एडम स्मिथ ने कहा था कि श्रम-विभाजन बाजार के विस्तार द्वारा सीमित होता है।² जिस वस्तु का बाजार सकुचित होता है, उसकी उत्पत्ति भी कम मात्रा में होती है, क्योंकि उसमें मशीनों के उपयोग की सम्भावना कम रहती है और श्रमिकों को भी थोड़ी संख्या में लगाया जाता है। जब माँग थोड़ी होती है और तदनुसार उत्पत्ति की मात्रा भी कम रहती है, तो श्रम-विभाजन को बहुत आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।

स्मरण रहे कि बाजार के विस्तार का अर्थ केवल भौगोलिक क्षेत्र के कम या अधिक होने से नहीं है बरन् वस्तु की माँग की मात्रा से है। किसी वस्तु का बाजार भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा (अन्तर्राष्ट्रीय) होते हुए माँग की दृष्टि से इतना सकुचित हो सकता है (अर्थात् वस्तु की माँग इतनी कम हो सकती है) कि श्रम-विभाजन न हो सके। इसके विपरीत, भौगोलिक दृष्टि से छोटा होते हुए भी माँग की दृष्टि से बाजार इतना बड़ा हो सकता है कि पर्याप्त सीमा तक श्रम का विभाजन हो जाय। साथ ही, हमें यह भी न भुलाना चाहिये कि जहाँ बाजार

¹ "Division of labour in the workshop of the capitalist leads to the exploitation of women and children."—Karl Marx.

² "Division of Labour is limited by the extent of the market."

का विस्तार अम-विभाजन पर प्रभाव डालता है वहाँ अम-विभाजन स्वयं भी बाजार के विस्तार को प्रभावित करता है। उदाहरणार्थ, अम-विभाजन के प्रभाव में (या इसकी उपस्थिति में) वस्तु के उत्पादन की लागत बहुत अधिक (या कम) हो सकती है, जिस कारण उसके लिए माँग (या बाजार का विस्तार) कम (या अधिक) हो सकती है।

(२) व्यवसाय अथवा उद्योग की प्रकृति—अम-विभाजन का अंश व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर होता है। जिन व्यवसायों में ग्राहक की दृष्टि, व्यक्तिगत सम्पर्क अथवा अत्यधिक निपुणता की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ उत्पत्ति का पैमाना ही छोटा रहता है और अम-विभाजन भी बहुत दूर तक नहीं जा सकता है।

(३) माँग की स्थिरता और उत्पादन की नियमितता—जिन उद्योगों की उपज की माँग में सामयिक (Seasonal) अथवा अन्य प्रकार के परिवर्तन अधिक होने हैं, वहाँ न तो उत्पत्ति के पैमाने का ही विस्तार किया जा सकता है और न अम-विभाजन ही आगे बढ़ सकता है। इसी प्रकार, यदि उत्पादन में नियमितता नहीं है और वह एक-एककर होता है, तो अम-विभाजन के लिए कम अवकाश रहेगा।

(४) व्यापार सम्बन्धी सुविधाएँ—ऐसी सुविधाओं में यातायात और सम्वादवाहन के साधनों का विकास, बैंकिंग की उन्नति तथा व्यापारिक सूचनाओं का आयोजन सम्मिलित होते हैं। इन सबका विकास बाजार का विस्तार करके अम-विभाजन को प्रोत्साहन देता है और इनका अभाव अम-विभाजन में बाधक होता है।

परीक्षा प्रश्न :

१. अम-विभाजन के मुख्य लक्षण बताइये। अम-विभाजन उत्पादन कुशलता में किस प्रकार वृद्धि करता है ?

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम अम-विभाजन का अर्थ, विनिष्टीकरण से इसका भेद और इसके लिए आवश्यक दशाएँ बताइये। इन आवश्यक दशाओं की उपस्थिति ही अम-विभाजन के मुख्य लक्षण हैं। तत्पश्चात् अम-विभाजन के लाभ बताइये और अन्त में यह निष्कर्ष निकालिये कि इन विभिन्न प्रकार के लाभों के कारण उत्पादन-कुशलता में बहुत वृद्धि हो जाती है।]

२. दिखाइये कि अम-विभाजन बाजार के विस्तार से किस प्रकार सीमित होता है ?

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम अम-विभाजन का अर्थ बताइये और फिर विस्तार से यह स्पष्ट कीजिये कि अम-विभाजन बाजार के विस्तार से सीमित होता है। बाजार के विस्तार से आशय केवल भौगोलिक क्षेत्र के कम या अधिक होने से नहीं है बल्कि इसका अर्थ माँग की मात्रा से होता है। अन्त में बताइये कि अम-विभाजन स्वयं भी बाजार को प्रभावित करता है।]

३. अम-विभाजन के अर्थ को पूर्णतया समझाइये। क्या यह एक अमिश्रित बरदान है ? इससे उत्पादन-कुशलता में कैसे वृद्धि होती है ?

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम अम-विभाजन का अर्थ दीजिये। तत्पश्चात् अम-विभाजन की हानियों को बताइये। इन हानियों के विवेचन से यह सिद्ध हो जाता है कि अम-विभाजन एक अमिश्रित बरदान है। अन्त में अम-विभाजन के लाभों पर प्रकाश डालते हुए यह निष्कर्ष निकालिये कि इन्हीं लाभों के फलस्वरूप उत्पादन-कुशलता में बहुत वृद्धि हो जाती है।]

उत्पत्ति में मशीनों का उपयोग

(Use of Machinery in Production)

प्रारम्भिक—प्राथमिक युग 'कल-युग' है

प्राथमिक युग यन्त्रीकरण (Mechanisation) का युग है। उत्पत्ति में मशीनों का उपयोग निरन्तर बढ़ रहा है। नई-नई और विशालकाय मशीनों का आविष्कार होता जा रहा है। प्राथमिक प्रवृत्ति बराबर यही है कि और अधिक बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाय और यथासम्भव मानव-श्रम के स्थान पर मशीनों को काम में लाया जाये। शिल्प-विज्ञान (Technology) का विकास भी हमें इसी दिशा में प्रेरित करता है।

मशीनों के गुण-दोष

मशीनों में स्वयं कोई दोष नहीं—

अधिकारण विद्वानों का विचार है कि यान्त्रिक शक्ति का विकास निस्सन्देह ही मानव-जीवन की अधिकांश समस्याओं को सुलझा देगा और मानव-जीवन को अधिक सुखी, सम्पन्न और सार्थक बना देगा। परन्तु मशीनों के उपयोग के आलोचकों की भी कमी नहीं है। बहुधा ऐसा कहा जाता है कि यत्नमान औद्योगिक काल की अधिकांश बुराइयाँ मशीनों के उपयोग द्वारा ही उत्पन्न हुई हैं। उनके विचार में मशीनों का उपयोग हमें बराबर पतन की ओर ले जा रहा है।

इस सम्बन्ध में हम केवल इतना कह सकते हैं कि स्वयं मशीनों में कोई दोष नहीं है। वे तो एक प्रकार की प्राथमिक शक्ति को सूचिन करती हैं, जिसका अर्च्छा और बुरा दोनों प्रकार का उपयोग सम्भव होता है। बठिनाई यह है कि पूंजीवाद के अन्तर्गत यह विशाल प्राथमिक शक्ति कुछ थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में होती है, जो इसका दुस्प्रयोग करते हैं और इसे समाज के शोषण का साधन बना लेते हैं। यदि पूंजी पर तारे समाज का अधिकार ही और मशीनों का उपयोग सामाजिक शोषण के स्थान पर सामाजिक कल्याण के लिए किया जाय, तो मानव-जाति को पर्याप्त लाभ मिल सकता है। समाजवादी देशों में मशीनों के उपयोग ने मनुष्य को ऊँचा जीवन-स्तर, अधिक अर्थशास्त्र तथा अधिक सम्पन्नता एक ही साथ प्रदान की है। पूंजीवादी देशों में मशीनों के उपयोग के लाभ पूंजीपति के ही पास रहने के कारण समाज का भला कम भग तक ही हो पाता है।

मशीनों के आर्थिक लाभ—

मशीनों के उपयोग ने उत्पादन-प्रणाली में एक प्रकार की आन्ति उत्पन्न कर दी है। इसने उत्पादन की क्रिया को सरल, सुगम और शीघ्रगामी बना दिया है। मशीनों के प्रमुख लाभ निम्न प्रकार है :—

(१) मशीन भारी और कठिन कार्य को भी सरल तथा सीधा बना देती है—कुछ कार्य इतने भारी तथा अधिक परिश्रम चाहते वाले होते हैं कि श्रमिकों के लिए उसका सम्पन्न करना बहुत ही कठिन होता है, जैसे—एक क्रेन (Crane) की सहायता से हजारों मन वजन एक दम बड़े भातानी के साथ उठाया जा सकता है, एक बुल डोजर (Bull dozer) मिट्टी में हजारों

मन मट्टी खोद कर फेंक देता है। एक छापेखाने की मशीन हजारों लिखने वालों का कार्य एक ही साथ करती रहती है।

(२) चालक शक्ति का उपयोग—मशीन हमें इस योग्य बनाती है कि हम प्राकृतिक साधनों का समुचित, उपयुक्त और लाभदायक उपयोग कर सकें। मशीनों को चलाने में हवा, पानी, भाप, पेट्रोल, बिजली और कोयला जैसी प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग किया जाता है।

(३) उत्पादन-शक्ति और कार्यक्षमता में वृद्धि—मशीनों की सहायता से उत्पत्ति तेजी के साथ तथा अधिक मात्रा में की जा सकती है। मनुष्य जिस कार्य को हाथ से महीनों में कर सकता है, वह मशीन की सहायता से घण्टों में हो जाता है। इसके परिणाम यह हुआ कि मनुष्य की उत्पादन-शक्ति बढ़ गई है। साथ ही, मशीनों ने कार्य को सरल बना दिया है। नीरस, अरचिकर और कठिन कार्य मशीनों की सहायता से किये जा सकते हैं। इससे श्रमिक की कार्य-कुशलता और उत्पादन-शक्ति बढ़ी है। मशीनों की सहायता से वारिक और अन्यधिक निपुणता चाहने वाले कार्य भी बड़ी आसानी के साथ हो जाते हैं और मनुष्य को थोड़े से फल के लिए लम्बे काल तक घोर प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

(४) प्रमापीकृत, अनुसूच्य तथा उत्तम वस्तुओं का उत्पादन—एक श्रमिक हाथ से कार्य करके, अन्यधिक सावधानी और निपुणता रखते हुए भी, विलुल एक जैसी वस्तुएँ तैयार नहीं कर सकता है। हाथ की वनी वस्तुओं में प्रमापीकरण (Standardisation) का प्रभाव होता है। मशीन की सहायता से विलुल एक नमूने की (Uniform) वस्तुएँ बनाई जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त बहुधा मशीनों की सहायता से अधिक साफ और उत्तम वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है।

(५) मशीनों द्वारा गन्दे, खतरनाक और अति नीरस कार्य भी किये जा सकते हैं—बुद्ध कार्य गन्दे होते हैं, जैसे मेहतर का कार्य। कुछ कार्य खतरनाक होने हैं और कुछ कार्य बहुत ही नीरस होते हैं। उन कार्यों को, जिन्हें करने में मनुष्य को विशेष कष्ट और अरुचि होती है, मशीनों की सहायता से सरलता के साथ किया जा सकता है और मानव कष्ट को बचाया जा सकता है।

(६) बड़े पैमाने के उत्पादन और श्रम-विभाजन—मशीन द्वारा किये जाने वाले उत्पादन में उत्पत्ति का पैमाना बढ़ाया जा सकता है और सूदम से सूदम श्रम-विभाजन को लागू किया जा सकता है। इन दोनों से सम्बन्धित लाभ मशीन के उत्पादन में पाये जाते हैं।

(७) श्रम की गतिशीलता में वृद्धि—मशीनों का उपयोग श्रमिकों की गतिशीलता को बढ़ा देता है। विभिन्न कारखानों में उपयोग की जाने वाली मशीनों में कोई आधारभूत अन्तर नहीं होता है। जो श्रमिक एक प्रकार की मशीन पर कार्य कर चुकता है, उसके लिए दूसरे प्रकार की मशीन पर कार्य करना बहुत कठिन नहीं होता है। मशीनों के उपयोग में विभिन्न उद्योगों की भिन्नता धीरे-धीरे पर्याप्त अंश तक दूर कर दी है। इससे श्रमिक आसानी के साथ अपने वर्तमान व्यवसाय का परिवर्तन कर लेता है। गतिशीलता की वृद्धि उसे उसकी मजदूरी बढ़ाने और अच्छे कार्य की दशाएँ प्राप्त करने में सहायता देती है।

(८) सस्ती वस्तुओं का उत्पादन—मशीनों का उपयोग उद्योग के लिए बाह्य और अन्तर्गतिक बचत प्राप्त करता है। इससे वस्तुओं के दाम घटने हैं। दामों को यह कमी उत्पादक और समाज दोनों के लिए लाभदायक होती है, क्योंकि उत्पादक के लिए माँग बढ़ जाती है जिसमें उसे अधिक उत्पत्ति करके अधिक लाभ कमाने का अवसर मिल जाता है और समाज के लिए सभी वस्तुएँ सस्ती हो जाती हैं, जिससे उसका जीवन-स्तर ऊपर उठता है।

(९) समय और दूरी की समस्या का समाधान—मशीनों के उपयोग ने मानव-जीवन

में समय और दूरी की समस्या को हल कर दिया है। इनकी सहायता से उत्पादन शीघ्रतापूर्वक हो जाता है और बहुमूल्य समय की बचत होती है। आवश्यकता पड़ने पर पूंति की मात्रा बढ़ाने में अधिक समय नहीं लगता है। इसी प्रकार मशीनों की सहायता ने यातायात और सम्वादवाहन को सरल, शीघ्रगामी तथा सरल बना दिया है। धीरे-धीरे दूरी समाप्त होती जा रही है। इससे अधिक क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य का विस्तार हुआ है। ग्रन्थ क्षेत्रों में दसने राजनीतिक मंत्री और सांस्कृतिक विकास में सहायता दी है।

(१०) ज्ञान और निपुणता की वृद्धि—मशीनों के उपयोग से श्रमिकों में बुद्धि का विकास हुआ है। मशीन पर कार्य करने वाला श्रमिक अधिक समुद्र, बुद्धिमान तथा निपुण हो जाता है।

(११) नीरसता का अन्त—कुछ लेखकों का विचार है कि मशीनों का उपयोग बड़े प्रश तक मानव-जीवन की नीरसता को भी समाप्त कर देता है। मनुष्य के लिए गन्दे, खतरनाक और अस्वस्थकर कार्य मशीन कर देती है। इसके अतिरिक्त मशीनों का उपयोग कार्य करने की क्षमता को घटाकर मनुष्य को अधिक अवकाश प्रदान करता है।

(१२) प्राकृतिक साधनों का समुपयोग—मशीनों के द्वारा देश के अग्रम्य और विस्तृत प्रसाधनों (जैसे—जल ससाधन, खनिज, वन आदि) का पूर्णरूपेण शोषण किया जा सकता है और इससे राष्ट्रीय आय बढ़ती है।

(१३) मानव जीवन में नियमितता—मशीन मनुष्य में निश्चितता, नियमितता और धर्म जैसे महत्वपूर्ण गुण उत्पन्न करती है।¹

(१४) सरकार को लाभ—उत्पादन बढ़ने और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से सरकार को उत्पादन कर, विनी कर और आय कर के रूप में अधिक आय होने लगती है, जिसे वह राष्ट्र के वर्द्धमूल्य विकास के लिए प्रयोग कर सकती है।

मशीन के उपयोग की हानियाँ—

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि मशीनों के लाभ महत्वपूर्ण हैं, परन्तु लाभों के साथ-साथ उनकी हानियाँ भी उतनी ही गम्भीर हैं। प्रमुख हानियाँ निम्न प्रकार हैं :—

(१) बेरोजगारी का भय—मशीनों के उपयोग से बेरोजगारी फैलने का भय रहता है। एक मशीन हजारों श्रमिकों का कार्य कर सकती है। प्रतिस्थापन नियम के अन्तर्गत जैसे ही उत्पादक श्रमिकों के स्थान पर मशीनों का उपयोग करता है, जिससे बहुत से श्रमिक बेकार हो जाते हैं। इस प्रकार मशीनों का उपयोग रोजगार को घटाता है और श्रमिकों के लिए अज्ञानक स्थिति उत्पन्न कर देता है। काल-भावसं का विचार है कि मशीनों कारीगरी के कार्य को समाप्त कर देती हैं।² अम सघ (Trade Unions) बहुधा इसी आधार पर उद्योग-घट्टों के आधुनिकीकरण (Modernisation) का विरोध करते हैं।

इस सम्बन्ध में यह जानना आवश्यक है कि (i) मशीनों के उपयोग का रोजगार पर सदा ही बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। मशीनें अधिक उत्पादन द्वारा माँग को बढ़ाकर अधिक विनी कराने में सफल हो सकती हैं। इससे प्राकृतिक साधनों का अधिक प्रश तक विरोध होता है

¹ "Machinery like everything else can only teach what it practises—order, exactness, persistence, conformity to unbending laws—these are the lessons which must emanate from the machine."—Hobson.

² "It is they that sweep away the handicraftsman's work as the regulating principle of social production."—Karl Marx.

और रोजगार बढ़ता है। (ii) स्वयं मशीनों का उत्पादन करने के लिए भी अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। (iii) मशीनों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमत नीची होती है, जिससे समाज की श्रम-शक्ति बढ़ती है और उसके लिए उत्पादन और सम्बन्धित रोजगार को भी बढ़ाया जा सकता है। (iv) मशीनों के द्वारा बेरोजगारी की वृद्धि उसी दशा में होती है, जबकि यन्त्रीकरण के साथ-साथ कार्य करने के घण्टों में कमी करके श्रमिकों के लिए विश्राम की अवधि नहीं बढ़ाई जाती है। समाजवादी देशों में, यदि बेरोजगारी का भय उत्पन्न होता है, तो कार्य के घण्टों में कमी करके उसे दूर कर दिया जाता है।

सब कुछ देखते हुए हमें इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि पूँजीवादी उत्पादन-प्रणाली में मशीनों के उपयोग से बेरोजगारी के बढ़ने का भय अवश्य रहता है। सामान्य अनुभव बताता है कि मशीन उत्पादन ने कुटीर उद्योगों और छोटे उत्पादकों को समाप्त करके लाखों कारीगरों और श्रमिकों के रोजगार का अन्त कर दिया है। पूँजीवाद में यन्त्रीकरण की प्रगति की तुलना में कार्य करने के घण्टों की कमी बहुत ही कम अंश तक हुई है। श्रमिकों को किसी भी प्रकार यह विश्वास नहीं होता कि मशीनों के उपयोग ने उनकी बेरोजगारी में वृद्धि नहीं की है।

(२) मशीनें मजदूरियों को कम करती हैं—मशीनों के पक्ष में बहुधा यह कहा जाता है कि उन्होंने श्रमिकों की कार्य-कुशलता और उत्पादन शक्ति में वृद्धि की है। इसका मजदूरियों पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। विभिन्न उद्योगों में मजदूरियों का अध्ययन बहुधा यही दिखाता है कि जैसे-जैसे यन्त्रीकरण की उन्नति हुई है मजदूरियाँ भी बराबर बढ़ी हैं। परन्तु मजदूरियों की वृद्धि यन्त्रीकरण की तुलना में पीछे ही रही है। यह निश्चय है कि मशीन से उत्पादन के अघिकांश लाभ श्रमिकों को प्राप्त नहीं हुए हैं, बल्कि इसके विपरीत पूँजीपतियों को प्राप्त हुए हैं। मशीन प्रवीण श्रमिक की निपुणता को घटाती है और उसे नीची मजदूरी स्वीकार करने पर बाध्य करती है। यह दोष श्रमिक, उसके परिवार और समाज के लिए दुःखदायी है।¹

(३) मशीनों ने औद्योगिक नगरों के जीवन को दूषित किया है—कुछ लोग मशीनों के उपयोग को इस कारण बुरी दृष्टि से देखते हैं कि मशीनों के उपयोग का परिणाम यह होता है कि नगरों में बहु-संख्या में श्रमिक एकत्रित हो जाते हैं, जिसका उनके स्वास्थ्य और नैतिक स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसमें तो सन्देह नहीं है कि इन दशाओं में सुधार हो सकता है और पूँजीवादी देशों में भी नगर नियोजन योजनाओं द्वारा इन्हें सुधारने का प्रयत्न किया जा रहा है परन्तु यह सन्देहपूर्ण है कि ऐसे उपाय पूँजीवाद में किसी अधिक अंश तक सफल हो सकेंगे।

(४) शिल्पकला की हानि—मशीन उत्पादन का अभिप्राय यह होता है कि सस्ती और प्रमाणीकृत वस्तुओं का निर्माण हो। ऐसी वस्तुएँ मजबूत हो सकती हैं परन्तु इनमें कारीगर के ध्येयजन शिल्प-ज्ञान और उसकी योग्यता की झलक नहीं मिलेगी। अनुभव बताता है कि मशीनों की प्रतियोगिता के कारण कलाकारों को अपना कार्य बन्द करना पड़ा है और कारखानों में नौकरी करके जीवन-निर्वाह करना पड़ा है। भारत के कितने ही उच्च कोटि के धर्म्ये इसके कारण ठप्प हो गये हैं। ससार के सभी देशों में मशीन उत्पादन ने हस्तकला का अन्त कर दिया है।

इस सम्बन्ध में इतना अवश्य कहा जा सकता है कि शिल्प ज्ञान और निपुणता की

¹ "Let us return to the increasing tendency of machinery to supplant the skilled hand, which is greatly increasing man's power over nature and his material wealth, though it is not an unmixed benefit from the social point of view."—Marshall.

आवश्यकता मशीन उत्पादन में भी उतनी ही है जितनी कि हस्त-कला में। अन्तर केवल इतना होगा है कि मशीन उत्पादन में दूबरी प्रकार की निपुणता की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ भी माँग के परिवर्तनों की दिशा में वस्तुओं के रूप और डिजाइन को बदलने की आवश्यकता पड़ती है।

(५) अति-उत्पादन का भय—मशीनों के उपयोग का अभिप्राय यह होना है कि बड़ी मात्रा में उत्पत्ति की जाय। ऐसी उत्पत्ति भावी माँग के अनुमान पर ही की जाती है। परन्तु इस प्रकार का अनुमान बढ़घा गलत भी होना है। भय यह रहना है कि कहीं आवश्यकता से अधिक उत्पादन न हो जाय। पूँजीवाद में निरन्तर अति-उत्पादन के कारण आर्थिक संकट आते हैं। इन संकटों के लिए मशीनों का उपयोग भी एक बड़े प्रश्न तक उत्तरदायी है।

इसके अन्तर में हम यह कह सकते हैं कि अति-उत्पादन व्यवस्थापक की भूल से उत्पन्न होना है, न कि मशीनों के उपयोग से। समाजवादी देशों में जहाँ उत्पत्ति एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार होती है, अति-उत्पादन की सम्भावना ही नहीं होती है।

(६) धन का केन्द्रीकरण और सामाजिक समर्थ—मशीन द्वारा उत्पादन पूँजीवाद में पूँजीपति की आर्थिक शक्ति को और भी बढ़ा देता है। धन निरन्तर छोटे हाथों में केन्द्रित होना चना जाता है और छोटे से व्यक्ति सारे समाज का शोषण करते हैं। इसका परिणाम यह होना है कि धनी लोग और अधिक धनी होने लगे जाते हैं तथा निर्धन लोग और भी निर्धन। इससे सामाजिक कल्याण घट जाता है और समाज को प्रति-विरोधी दलों में बँट जाता है। इस सम्बन्ध में हम केवल यह कह सकते हैं कि यह दोष पूँजीपति से सम्बन्धित है, न कि मशीनों के उपयोग से।

(७) कार्य की नीरसता—मशीनों का कार्य नीरस होना है। अधिक को धरने व्यक्तित्व गुणों को दिखाने, अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन करने और अपनी शिन्ध-योग्यता का उपयोग करने का अवसर बहुत कम मिलता है। धीरे-धीरे उसका कार्य-उत्साह मारा जाता है और कार्य उसके लिए अत्यधिक नीरस और फीका हो जाता है। उसे मानसिक और शारीरिक परावट अधिक अनुभव होती है। इसके सम्बन्ध में भी हम यही कह सकते हैं कि इस नीरसता का प्रमुख कारण पूँजीवाद है, जिसके अन्तर्गत कार्य के पक्षों को कम करके नीरसता को दूर करने का प्रयत्न नहीं किया जाता है।

(८) राजनीतिक भ्रष्ट—मशीन के उपयोग ने विभिन्न देशों के पारस्परिक सहयोग पर आघात किया है। प्रत्येक देश कई मशीनों का उपयोग करके अपनी उन्नति को सन्ने दार्शों पर बेचना चाहता है और दूसरे देशों को बाजार से निराल देने का प्रयत्न करता है। इससे अन्तर्राष्ट्रीय द्वेष और पारस्परिक मन-मुटाव बढ़ता है तथा विभिन्न देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक झगड़े प्रारम्भ हो जाते हैं। नैतिक सेवाओं में मशीनों के उपयोग ने युद्ध की सम्भावना को भी बढ़ा दिया है।

(९) स्त्री और बालक धर्म का शोषण—मशीनों का उपयोग और धर्म-विभाजन विचारों को इनका मरल बना देते हैं कि स्त्री और बच्चे भी उन कार्यों को करते लगते हैं जो माघारणता व्यवस्थापक श्रमियों द्वारा किये जाते थे। पूँजीपति के लिए यह मुनहुरा अवसर होता है। वह नौकी मजदूरियों पर स्त्रियों और बालकों को काम पर लगाता है। इससे इन लोगों का शोषण तो होना है, परन्तु साथ ही साथ धर्म की पोटियों के स्वास्थ पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। यह एक आशाजनक मान है कि अब सभी प्रगतिशील देश इस प्रवृत्ति को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं।

(१०) श्रमिक मशीन का दास बन जाता है—मशीन पर कार्य करने वाला श्रमिक मशीन की भाँति स्वयं भी एक निर्जीव यन्त्र बन जाता है। मशीन को अपना दास बनाने के स्थान पर वह स्वयं मशीन का दास बन जाता है। वैसे भी मशीन श्रमिक की कुशलता का स्थान स्वयं ग्रहण कर लेती है।

निष्कर्ष—

इस प्रकार, मशीनों के उपयोग के लाभ और हानियाँ दोनों ही गम्भीर हैं, परन्तु इसमें सन्देह नहीं है कि हानियों की तुलना में लाभों की सूची अधिक सख्ती है। इसके अतिरिक्त, यह भी कहा जा सकता है कि स्वयं मशीन के भीतर कोई दोष नहीं है। यदि मशीनों पर व्यक्तियों का अधिकार न होकर सारे समाज का अधिकार हो, तो मशीनों के अधिकांश दोष समाप्त हो जायेंगे। दोषों के कारण मशीनों के उपयोग को छोड़ देने की सलाह नहीं दी जा सकती है। हम केवल यही कह सकते हैं कि यदि विशाल आर्थिक शक्ति का यह साधन सामाजिक हित में काम करे, तो अच्छा है।

परीक्षा प्रश्न :

१. मशीनों के प्रयोग के आर्थिक प्रभावों का विवेचन करिये। क्या मशीनें बेकारी उत्पन्न करती हैं ?

[सहायक संकेत.—सर्वप्रथम मशीनों के लाभ और उनकी हानियाँ बताइये। तत्पश्चात् यह समझाइये कि मशीनें अल्पकाल में बेकारी उत्पन्न कर सकती हैं, दीर्घकाल में नहीं।]

२. मशीनों के प्रयोग में उत्पादन, रोजगार, मजदूरियों और श्रमिकों के कल्याण को किस प्रकार से प्रभावित किया है ?

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम उत्पादन के क्षेत्र में मशीनों के प्रयोग के लाभ बताइये। तत्पश्चात् अल्पकाल और दीर्घकाल के सन्दर्भ में रोजगार पर उनके प्रभाव दर्शाइये और अन्त में श्रमिकों के लिए मशीनों के लाभ व हानियाँ बताइये।]

३. क्या मशीनों के प्रयोग से बेकारी उत्पन्न होती है ? भारतीय दशाओं के सन्दर्भ में समझाइये।

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम यह बताइये कि अल्पकाल में बेकारी उत्पन्न होगी किन्तु दीर्घकाल में वह समाप्त हो जायेगी। तत्पश्चात् भारत में बेकारी के कारणों (जैसे—बढ़ती हुई जन-संख्या, औद्योगिक पिछड़ापन, मान्यून निर्भर वृषि आदि) पर प्रकाश डालिये और यह दिखाइये कि मशीनों के प्रयोग से भारत के औद्योगीकरण में किस प्रकार सहायता मिलेगी। अन्त में यह निष्कर्ष निकालिये कि भारत में मशीनों से अल्पकाल में बेकारी उत्पन्न हो सकती है लेकिन दीर्घकाल में वह समाप्त हो जायेगी। साथ ही मशीनों का प्रयोग सोच-समझ कर और धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिये।]

उद्योग-धन्धों का स्थानीयकरण

(The Localisation of Industries)

प्रारम्भिक—स्थिति चयन की समस्या

एक उत्पादक की दृष्टि में यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि कारखाना कहाँ खोला जाय क्योंकि प्रत्येक स्थान में स्थिति के फलस्वरूप समान लाभ प्राप्त नहीं होने हैं। वही जलवायु उपयुक्त होती है, तो वही पर वाजार समीप होता है। इसी प्रकार कहीं कच्चा माल पाम में होता है, तो वही शक्ति के साधन। एत्र उद्योगवति बड़े सोच-विचार के पश्चात् यह निर्णय करना है कि वह अपने कारखाने को किस स्थान पर खोलगा। बहुधा ऐसा भी होता है कि जब एक कारखाना किसी कारण से एक स्थान में खुल जाता है, तो उस जैमे और भी बहुत से कारखाने वहाँ खुल जाते हैं और धीरे-धीरे उद्योग का वही स्थानीयकरण हो जाता है।

स्थानीयकरण का अर्थ

स्थानीयकरण का अर्थ प्रायः उद्योग-धन्धों के किसी एक स्थान में केन्द्रित प्रयत्न एकत्रित हो जाने में होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि उद्योग एक ही स्थान में, या वर केन्द्रित हो जाता है। अर्थात्, उस उद्योग की समस्त उत्पादन-इकाइयाँ एक ही स्थान पर एकत्रित हो जाती हैं। उद्योगों के इस प्रकार एक स्थान पर केन्द्रित हो जाने को हम केन्द्रीयकरण (Centralisation) अथवा स्थानीयकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए, लगभग सारा का सारा जूट उद्योग पश्चिमी यन्तान में केन्द्रित है। इसी प्रकार, चीनी उद्योग उत्तर-प्रदेश और बिहार में तथा सूती कपड़ा उद्योग महाराष्ट्र में केन्द्रित हो गया है। इन सभी उद्योगों का स्थानीयकरण हो गया है। अतः, यदि एक उद्योग की बहुत-सी फर्मों एक ही स्थान अथवा क्षेत्र में स्थित हों, तो उस उद्योग का वहाँ पर स्थानीयकरण हो जाता है, जैसे—इंजिनैड के सूती कपड़ा उद्योग का लखनऊ में और लोहे के छोटे-छोटे कारखानों के उद्योग का शेफील्ड में स्थानीयकरण हो गया है।

प्राचीन काल में स्थानीयकरण के उदाहरण बहुत ही कम मिलते हैं। किन्तु औद्योगिक विकास की प्रत्येक उन्नति के साथ स्थानीयकरण की प्रवृत्ति भी अधिक बलवान होती हुई दिखाई देती है। औद्योगिक विकास अथ, पूँजी और स्थान के विशिष्टीकरण पर निर्भर होता है। जब किसी देश की औद्योगिक प्रणाली पूर्णतया मगटिन नहीं होती है, जैसे कि भारत में, तो वहाँ स्थानीयकरण भी अपूर्ण ही होता है। इस सम्बन्ध में हाबसन का विचार है कि साधारणतया भावस्वयन्ताओं को पूरा करने बानी वस्तुओं के उत्पादन का स्थानीयकरण बहुत ही कम होता है। ऐसे उद्योग प्रायः सारे देश में फैले रहते हैं।¹ पूँजी प्राचीन काल में अधिकांश उद्योग जीवन

¹ "The staple industries, tillage, stock raising and those connected with the supply of common articles of clothing, furniture, fuel and other necessaries were spread over the whole country."—Hobson.

की प्रारम्भिक आवश्यकताओं को ही पूरा करते थे, इसलिए स्थानीयकरण के उदाहरण बहुत ही कम थे। परन्तु, जैसे-जैसे विशिष्ट प्रकार का उत्पादन बढ़ना गया, उद्योगों के स्थानीयकरण की प्रवृत्ति और अधिक बलवान् होती गई है।

स्थानीयकरण के कारण

(Factors Influencing Localization)

उद्योग-वन्धों का स्थानीयकरण अनेक बातों पर निर्भर होता है। प्रमुख कारणों को हम निम्न प्रकार से पाँच भागों में बाँट सकते हैं—

(I) प्राकृतिक कारण

इन कारणों से हमारा अभिप्राय स्थिति, जलवायु तथा अन्य ऐसे कारणों से है, जोकि प्रकृति पर निर्भर होते हैं। क्षेत्र की भौगोलिक दशाओं, भूमि की वनावट, सजिज पदार्थ, शक्ति के साधन आदि उद्योग की स्थिति को निर्धारित करते हैं।

(१) जलवायु सम्बन्धी दशाएँ—बहुत से उद्योगों के स्थानीयकरण पर क्षेत्र विशेष की जलवायु का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, सूती कपड़ा उद्योग को नम जलवायु की आवश्यकता होती है। सूती जलवायु में सूत के धागे जल्दी-जल्दी टूटते रहते हैं। ऐसी जलवायु में कारखाने के भीतर नमी रखने की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि सूती कपड़ा उद्योग भारत में बम्बई के आस-पास और इङ्ग्लैंड में लकाशायर में केन्द्रित है।

(२) कच्चे माल का पास में मिलना—बहुत से उद्योगों के स्थानीयकरण पर इस बात का प्रभाव पड़ता है कि कच्चा माल पास में ही मिलता है। कुछ उद्योगों में ऐसे कच्चे माल का उपयोग किया जाता है जो तैयार माल की तुलना में बहुत अधिक बोझ वाला होता है। उदाहरणार्थ, रग्ने में से १०-१२% ही चीनी निकलती है। ऐसे उद्योगों को उन स्थानों पर स्थापित करना लाभदायक होता है, जहाँ कच्चा माल पास में मिल जाता है। इसी प्रकार, जिन उद्योगों को नियमित रूप से अधिक मात्रा में कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती रहती है, उन्हें भी कच्चा माल उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में स्थापित करना लाभदायक होता है। भारत में चीनी उद्योग और छूट उद्योग ऐसे स्थानीयकरण के अच्छे उदाहरण हैं।

(३) शक्ति के साधनों की समीपता—कुछ उद्योगों का स्थानीयकरण शक्ति के साधनों की समीपता द्वारा निश्चित होता है। जिन उद्योगों में शक्ति का उपयोग अधिक होता है, उन्हें कोयले की खानों अथवा विद्युत-घरों के पास ही खोलना लाभदायक है। भारत में टाटानगर में लोहे और इस्पात का कारखाना खुलने का एक महत्वपूर्ण कारण कोयले का पास ही में बहुत मात्रा में मिलना है। बङ्गाल में हवाई जहाज के कारखाने का स्थानीयकरण सस्ती जल-विद्युत शक्ति की प्राप्ति से प्रभावित हुआ है।

(II) आर्थिक कारण—

आर्थिक कारणों में हम उन कारणों को सम्मिलित करते हैं, जिन पर किसी उद्योग की मितव्ययिता निर्भर होती है। प्रत्येक उद्योग ऐसे स्थान पर केन्द्रित होने का प्रयत्न करता है, जहाँ पर उसका उत्पादन-व्यय न्यूनतम होता है। प्रमुख आर्थिक कारण निम्न प्रकार हैं :—

(१) बाजार की निकटता—बहुत से उद्योगों में बाजार के निकट स्थापित होने की प्रवृत्ति होती है। जिन उद्योगों में कच्चे माल और तैयार माल के बोझ का अन्तर बहुत ही कम होता है, अथवा, तैयार माल को दूर के स्थानों पर भेजने में टूट-फूट द्वारा हानि का भय होता है, वे बाजार के पास ही खोले जाते हैं। जैसे—काँच का समान बनाने का उद्योग। इसी प्रकार,

जिस वस्तु की माँग में तेजी के साथ परिवर्तन होते रहते हैं, उसे भी बाजार के पास ही स्थापित करना लाभदायक होता है, ताकि माँग की प्रवृत्तियों का सही ज्ञान तुरन्त ही प्राप्त हो सके।

(२) श्रम की प्राप्ति की सुविधा—कुछ उद्योगों में विशिष्ट श्रमवा प्रति-कुशल श्रम की आवश्यकता पड़ती है। अतः ऐसे उद्योग उन्हीं स्थानों पर खोले जाते हैं, जहाँ उपयुक्त श्रम सस्ता और पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। बनारस का जरी का काम इसका अच्छा उदाहरण है। इसी प्रकार, यदि किसी उद्योग में उत्पादन-व्यय का अधिक बड़ा भाग मजदूरी के रूप में होना है, तो उसे उन क्षेत्रों में, जहाँ सस्ते और पर्याप्त श्रमिक मिलें, स्थापित करके उत्पादन-व्यय को कम किया जा सकता है।

(३) पूँजी की सुविधा—बहुत से उद्योगों का स्थानीयकरण पूँजी की उपलब्धता पर निर्भर होता है। बम्बई और कानपुर में अनेक उद्योगों के जमा हो जाने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि बैंकों और दूसरी सुविधाओं के कारण वहाँ सस्ते व्याज पर और अधिक मात्रा में ऋण मिल जाते हैं। आधुनिक उद्योगों को अधिक मात्रा में पूँजी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ऐसे स्थानों पर, जहाँ पूँजी की सुविधाएँ प्राप्त न हों, उद्योग के खोलने का प्रयत्न कम ही उठता है।

(४) यातायात और संचार की सुविधाएँ—उद्योगों के स्थानीयकरण पर यातायात और सम्वादवाहन का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि सस्ते, शीघ्रगामी और पर्याप्त यातायात और सम्वादवाहन के साधन उपलब्ध हैं, तो बाजार की निकटता, बच्चे माल की समीपता और शक्ति के साधनों के पास में होने की विशेष चिन्ता नहीं की जायगी। पुराने काल में भी यातायात और सम्वादवाहन के साधनों के केन्द्र उद्योग के स्थानीयकरण के उपयुक्त स्थान समझे जाते थे।

(III) राजनीतिक एवं सैनिक कारण—

कुछ उद्योगों के स्थानीयकरण पर राजनैतिक और सैनिक कारणों का भी प्रभाव पड़ता है :—

(१) सैनिक कारण—कुछ उद्योगों का सैनिक महत्व होता है। इन्हें ऐसे स्थानों पर खोला जाता है, जहाँ उन्हें युद्ध की दशा में शत्रु के आक्रमणों से सुरक्षित और उनके कार्य-वाहन को सुगम रखा जा सके। हमारे देश में गोला और बारूद के कारखाने देहात के छोटे-छोटे कस्बों में ऐसे स्थानों पर खोले गये हैं जहाँ उनकी रक्षा के लिए पास में कोई हवाई जहाज प्रहारी शक्ति केन्द्र है।

(२) राजनैतिक कारण—राजनैतिक कारणों में सरकार का संरक्षण आदि भी सम्मिलित होते हैं। प्राचीन काल में बहुत से उद्योगों को राजा श्रमवा दरबार का संरक्षण प्राप्त होता था और अधिकतर उद्योग-धर्म राजधानी में खोले जाते थे। स्वतन्त्रता से पूर्व भारत में अधिकांश उद्योग-धर्मों में ब्रिटिश भारत के स्थान पर देशी राज्यों में खोलने की प्रवृत्ति पैदा हो गई थी, क्योंकि इन राज्यों में फैक्टरी नियम नहीं थे, मजदूरी भी दरो और कार्य की दशाओं में सम्बन्धित किसी प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं थे और देशी राज्य उद्योगों को विशेष सुविधाएँ देकर प्रोत्साहन देने थे।

(IV) सामाजिक एवं धार्मिक कारण—

बहुत से उद्योगों का स्थानीयकरण सामाजिक और धार्मिक कारणों पर भी निर्भर होता है। अनेक उद्योग-धर्म ऐसे स्थानों पर खुलते हैं, जो तीर्थ-स्थान होने हैं श्रमवा किसी सामाजिक विषय के केन्द्र होने हैं। हरिद्वार और मथुरा में मूत्रि और मानाएँ बनाने के उद्योगों का स्थानीयकरण इसी कारण हुआ है। आगरे में खिलौने बनाने और पथर का काम इसलिए होता है कि प्रति दिन लोग दूर-दूर से ताज को देखने के लिए आते रहते हैं।

(V) अन्य कारण—

उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त उद्योग-धर्मों का स्थानीयकरण और भी बहुत-सी बातों पर निर्भर होता है ।

(१) शीघ्र आरम्भ का आवेग—बहुत बार ऐसा होता है कि आरम्भ में कोई उद्योग किसी कारण से किसी स्थान में स्थापित हो जाता है । तत्पश्चात् वह उस स्थान पर स्थायि प्राप्त कर लेता है और अपनी व्यावसायिक साख (Goodwill) बना लेता है । इस स्थायि और साख का लाभ उठाने के लिए बाद में जो कारखाने खोले जाते हैं, वे भी उसी स्थान पर खोले जाते हैं । अलीगढ़ का ताला बनाने का उद्योग इसका अच्छा उदाहरण है । इसके अतिरिक्त आरम्भ में कोई उद्योग जिस स्थान पर खुल जाता है, वहाँ धीरे-धीरे श्रम और पूँजी तथा याता यात और सम्वादवाहन की सुविधाओं के लाभ प्राप्त हो जाते हैं । बाद को और उद्योगों का वहाँ पर खोलना लाभदायक होता है ।

(२) नियमों की सुविधा—बहुत बार उद्योगों के स्थानीयकरण पर इस बात का भी प्रभाव पड़ता है कि क्षेत्र विशेष के नियम कैसे हैं । यदि उद्योगपति को सुविधायी उपलब्ध हैं तो वह कारखाना खोलना पसन्द करेगा । यदि उसके मार्ग में अनेक कठिनाइयाँ हैं तो वह उद्योग को वहाँ और ले जायगा ।

(३) सरकारी नीति—सरकारी नीति का भी उद्योगों के स्थानीयकरण पर प्रभाव पड़ता है । बहुत बार सरकार किसी उद्योग को किसी विशेष स्थान पर स्थायिन करना चाहती है । व्यापार, प्रशुल्क (Tariff) और करारोपण नीति का उद्योगों के स्थानीयकरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है । आर्थिक नियोजन के अन्तर्गत स्थानीयकरण सोच-समझ कर निश्चित किया जाता है ।

स्थानीयकरण की लाभ-हानियाँ

स्थानीयकरण से लाभ—

जब एक उद्योग किसी स्थान में केन्द्रित हो जाता है, तो फिर सरलता से वहाँ से हटना नहीं है । इसका मुख्य कारण वे सब सुविधायी और लाभ हैं, जो उस उद्योग को स्थानीयकरण से प्राप्त होते हैं । ये लाभ निम्नलिखित हैं :—

(१) स्थान की प्रसिद्धि (Fame)—वह स्थान जहाँ कोई उद्योग केन्द्रित हो जाता है उस उद्योग के लिए प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ की वस्तुयें सरलता से बिक जाती हैं । मुरादाबाद के बर्तन, लखनऊ की तम्बाकू, बरौज का इत्र, सूरत की जरी का काम, आगरा के सगमरमर के खिलौने, आदि इसी कारणवश सरलता से बिक जाते हैं ।

(२) धर्मिकों की कार्य-कुशलता में वृद्धि—जब किसी उद्योग का किसी स्थान में बड़े पैमाने पर स्थानीयकरण हो जाता है, तो वहाँ के धर्मिकों को उस उद्योग से सम्बन्धित कार्यों का विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाता है । यहाँ नहीं, उनकी सन्तान को भी वह कार्य सीखने में सुविधा रहती है और यह कम इस प्रकार बहुत पीढ़ियों तक चलता रहता है । इससे निर्माणकर्ताओं और धर्मिकों दोनों को लाभ होता है । जो निर्माणकर्ता, उस वस्तु के उत्पादन के लिए नये कारखाने खोलना चाहते हैं, वे इसी स्थान में खोलेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसे स्थान में उनको उस वस्तु की उत्पत्ति से जानकारी रखने वाला श्रम सरलता से मिल सकता है । धर्मिक भी ऐसे स्थान पर दूर-दूर से आते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वहाँ भिन्न-भिन्न प्रकार के श्रम की आवश्यकता होती है और इसीलिए उनको कार्य सरलता से मिल सकता है ।

(३) पूँजी मिलने की सुविधा—यदि किसी स्थान में किसी वस्तु विशेष के उत्पादन

में सम्बन्ध रखने वाले बहुत से कारखाने खुल जाते हैं, तो उनको बँकों आदि की सुविधा के कारण कम व्याज पर पर्याप्त पूँजी सरलता से प्राप्त हो जाती है।

(५) विशिष्ट धर्मों और मशीनों का उपयोग—एक उद्योग के एक स्थान में केन्द्रित हो जाने में उत्पन्न बड़े पैमाने पर होने लगती है और इसके फलस्वरूप श्रम-विभाजन उच्च सीमा पर पहुँच जाता है। इसके अनिश्चित, विभिन्न निर्माणकर्त्तृओं में भी कभी-कभी तो सहयोग और कुछ धर्मों में स्पर्धा होने लगती है। फिर उस उद्योग में लगा हुआ धर्म भी अपने काम में पूर्णतया दक्ष हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उनमें मशीनों और धर्मों में उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती है। इन सबका फल यह होता है कि विशिष्ट धर्मों और मशीनों का प्रयोग बढ़ना है और नई-नई मशीनों का आविष्कार होना है। एक अन्य ढंग से भी नवीनतम धर्मों और मशीनों के उपयोग को प्रोत्साहन मिलता है—प्रमुख उद्योग के माध्य-माध्य बहुत से पूरक उद्योग भी खुल जाते हैं। यदि एक पूरक उद्योग बहुत से कारखानों की सहायता करता है, तो यह स्पष्ट है। कि इस पूरक उद्योग में भी काम बड़े पैमाने पर होगा और विशिष्ट से विशिष्ट मशीनों के उपयोग से लागत मूल्य में कमी होगी।

(५) गोएँ और पूरक उद्योग-धर्मों की स्थापना—स्थानीयकरण से एक लाभ यह भी होना है कि प्रमुख उद्योग के साथ बहुत से गोएँ और पूरक धर्मों की भी स्थापना हो जाती है। गोएँ उद्योग प्रमुख उद्योग को नई प्रकार सहायता करते हैं, जैसे—उद्योग को कच्चा मास देना, इत्यादि। इसी प्रकार, पूरक धर्मों भी प्रमुख उद्योगों की सहायता करते हैं, यद्यपि यह सहायता परोक्ष रूप से होती है। उदाहरण के लिए, लोहे के कारखानों के पाम बपडे बुनने की मिनो खुल जाती है, जिनमें स्प्रिंगो और बच्चो की भी मौजूदगी मिल जाती है। इसके फलस्वरूप श्रमिक की कुल धाम में वृद्धि हो जाती है और निर्माणकर्त्ता की यह लाभ होता है कि उने श्रम सस्ती मजदूरी पर मिल जाता है।

(६) औद्योगिक सङ्गठन और धर्मों तथा मशीनों के सम्बन्ध के नये विचार—जब कोई उद्योग किसी स्थान पर केन्द्रित हो जाता है, तो उसमें सम्बन्धित कारखानों के निर्माणकर्त्ता, इन्जीनियर तथा अन्य कर्मचारी समय-समय पर आपस में मिलने रहते हैं और एक दूसरे की कठिनाइयों का अध्ययन करने उन्हें सुलझाने का प्रयत्न करते हैं, जिससे सम्पूर्ण उद्योग की सामूहिक रूप में उत्पन्न होती है। वे यह प्रयत्न करते हैं कि वस्तु के निर्माण-व्यय कम हों। इस प्रकार, प्रत्यक्ष लाभ के अनिश्चित प्रबन्धन तथा माहसियों में आपस में सहयोग और एकरा के भाव भी आपस होते हैं। साथ ही, औद्योगिक तथा शैक्षणिक अनुसन्धान को भी प्रोत्साहन मिलता है।

(७) अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग—स्थानीयकरण से अवशिष्ट पदार्थों (Waste matters) का भी उचित उपयोग होता है। बहुत्या प्रत्येक उद्योग में कुछ न कुछ अवशिष्ट पदार्थ निकलता है, जिसका उचित उपयोग नभी हो सकता है, जब यह पदार्थ पर्याप्त मात्रा में हो। पर्याप्त मात्रा में यह तभी हो सकता है, जब कि ऐसी वस्तु के निर्माण के बहुत से कारखाने एक स्थान पर हो।

(८) व्यापारिक सुविधाएँ—जब कोई स्थान किसी उद्योग का केन्द्र बन जाता है, तो उद्योग के लिए उपयुक्त वातावरण तथा मर्यादाकाहन के माधनों का विकास होता है और ऐसी तरकाएँ भी खुल जाती हैं जो व्यापार में पूँजी लगा सकें।

(९) विज्ञान और धर्म सम्बन्धी पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन—ऐसे स्थान से विज्ञान सम्बन्धी पत्र और पत्रिकाएँ भी निकलती हैं, जिनसे इन्जीनियर आदि को अपने काम में सहायता मिलती है और वे उत्पत्ति की क्रिया तथा मशीनों और धर्मों में नये-नये सुधार करने रहते हैं।

(१०) मरम्मत करने के कारखानों की सुविधा—केन्द्रीयकृत उद्योगों के लिए इस प्रकार की सुविधायें आसानी के साथ तथा अधिक मात्रा में उत्पन्न हो जाती हैं।

स्थानीयकरण की हानियाँ

जहाँ स्थानीयकरण के इतने लाभ हैं, वहाँ कुछ हानियाँ भी हैं। ये हानियाँ निम्न प्रकार हैं :—

(१) श्रमिक की कार्यक्षमता की कमी—उद्योग के स्थानीयकरण से उस उद्योग में काम करने वाले श्रमिक उस उद्योग में तो पूर्णतया दक्ष भ्रवश्य हो जाते हैं, परन्तु उनका ज्ञान केवल एक ही उद्योग तक सीमित रहता है। इससे उनकी कार्यक्षमता सन्बुचित हो जाती है। दूसरे शब्दों में, विशिष्टीकरण की समस्त हानियाँ उद्योगों के स्थानीयकरण में पाई जाती हैं।

(२) आर्थिक संकट का भय—स्थानीयकरण में एक प्रदेश अथवा स्थान एक ही उद्योग पर निर्भर रहता है। यदि किसी प्रकार दुर्भाग्यवश इस व्यवसाय में मन्दी आ जाती है, तो उन सब व्यक्तियों को जो इस व्यवसाय पर निर्भर रहते हैं, महान् आर्थिक संकट उठाना पड़ता है। कारखाने बन्द हो जाते हैं, बेकारी फैलती है और सम्पूर्ण वातावरण अत्यन्त ही निराशाजनक हो जाता है।

(३) श्रम महंगा पड़ता है—यदि किसी केन्द्रित उद्योग में काम ऐसा है, जिसे केवल विशेष प्रकार का ही श्रमिक कर सकता है, तो ऐसी दशा में निर्माणकर्ताओं को मजदूरी अधिक देनी पड़ेगी। उदाहरणार्थ, लोह के कारखानों में काम अधिकतर चलवान् मनुष्य ही कर सकते हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि किसी पूरक उद्योग जहाँ स्त्रियों और बच्चों का भी काम मिल सकता है, के अभाव में, श्रमिक अधिक मजदूरी की माँग करेंगे। इसके अनिश्चित, यद्यपि निर्माणकर्ताओं को तो मजदूरी पर अधिक ध्यान देना पड़ेगा, तथापि मजदूरी को इतनी मजदूरी नहीं मिलेगी कि उनके परिवार का काम भली-भाँति चल सके।

(४) श्रम की गतिशीलता में कमी—स्थानीयकरण से निरपुत्र श्रम की गतिशीलता में कमी आ जाती है, क्योंकि वे एक ही उद्योग के कार्य में विशेषता रखते हैं और उन्हें अन्य उद्योगों का सामान्य ज्ञान भी नहीं होता है।

(५) देश का असन्तुलित आर्थिक विकास—स्थानीयकरण के फलस्वरूप देश के कुछ भागों में बहुत से उद्योग स्थापित हो जाते हैं किन्तु अन्य भाग इमसे पिछड़े हुए रह जाते हैं। इससे आर्थिक विकास में असन्तुलन उत्पन्न हो जाता है, धन का क्षेत्रीय वितरण असमान हो जाता है, विभिन्न क्षेत्रों के निवासियों में ईर्ष्या-भावना पनपती है तथा देश की अखण्डता को ठेस पहुँचती है।

(६) सामाजिक दृष्टि से अवाञ्छनीय—मुरझा की दृष्टि से कुछ स्थानों में उद्योगों का अत्यधिक जमाव होना हानिकारक है, क्योंकि लड़ाई छिटने पर औद्योगिक केन्द्रों को ही शत्रु अपनी बमबारी का निशाना बनाता है।

(७) औद्योगिक केन्द्रों के दोष—स्थानीयकरण के फलस्वरूप विनाश औद्योगिक केन्द्र बन जाते हैं, जिनमें लावा श्रमिक काम करते हैं। ऐसी दशा में मकानों की समस्या, सफाई की समस्या, भीड़-भाड़ एवं चरित्र-पतन की समस्या और स्वास्थ्य की समस्या उत्पन्न हो जाती हैं।

(८) रहन-सहन के व्यय बढ़ना—औद्योगिक केन्द्रों में मकानों के किराये ऊँचे होते हैं। अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्य भी अधिक होते हैं तथा शुद्ध और दूधिया चीजें (जैसे—दूध, घी) मिलना कठिन हो जाता है।

economies) से लेती हैं। जैसे—यातायात के साधन क्षेत्र की आवश्यकताओं से कम पड़ने लगते हैं और इसलिए भाटे बढ जाने हैं। भूमि का अभाव अनुभव होने से उनके किराये भी बढ जाने हैं, इत्यादि।

स्थानीयकरण की हानियों को दूर करने का उपाय—

स्थानीयकरण की हानियों को उद्योगों के विकेंद्रीयकरण द्वारा दूर किया जा सकता है। यदि उद्योगों को एक व्यापकतम और सुनिश्चित योजना के अनुसार देश के विभिन्न स्थानों और क्षेत्रों में फैला दिया जाय, तो भीड़-भाड़, गन्दगी, मकानों के अभाव की समस्याएँ मुलतः जायेंगी, अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, आर्थिक सभट से बचाव होगा, युद्ध के समय उद्योग सुरक्षित रहेंगे, उत्पादन लागतों में कमी होगी, देश का समुचित आर्थिक विकास होगा एवं भावनात्मक एका बढेगी। पुराने औद्योगिक केन्द्रों में स्वच्छ बहिनियों की स्थापना, कारखाना नियमों का निर्माण एवं परिपालन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण योजनाओं के विस्तार द्वारा औद्योगिक केन्द्रीयकरण के दोष बहुत सीमा तक दूर हो सकते हैं।

उद्योगों का केन्द्रीयकरण

(De-localisation or De-centralization of Industries)

विकेंद्रीयकरण का अर्थ एवं इसके कारण—

विगत वर्षों में औद्योगिक जगत में एक दूसरी प्रकार की प्रवृत्ति भी दृष्टिगोचर होनी है। उद्योग-धर्मों के केन्द्रीयकरण होने के स्थान पर उनका विकेंद्रीयकरण हो रहा है। उद्योगों के विकेंद्रीयकरण का अर्थ है, उद्योगों का एक स्थान पर एकत्रित होने के स्थान पर उल्टे उनका फैलने जाना अर्थात् देश में दूर-दूर तक और पूर्व-पृथक् स्थानों में स्थापित होना। बहुत से उद्योग अपने पुराने स्थानों को छोड़ कर नये-नये स्थानों को जा रहे हैं। क्षेत्रवर्ती आर्थिक नियोजन (Regional Planning) के विचार के सम्बन्ध में तो इस प्रवृत्ति को और भी अधिक प्रोत्साहन दिया है। इस प्रवृत्ति के प्रमुख कारण निम्न हैं :—

(१) समुचित विकास का विचार—आधुनिक आर्थिक विचारधारा इस प्रकार की है कि नगर और ग्रामीण क्षेत्रों तथा औद्योगिक और गैर-औद्योगिक क्षेत्रों (Industrial and Non-industrial regions) के भेद को मिटाया जा रहा है। इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि नये कारणों से ऐसे स्थानों में स्थापित किये जायें, जहाँ पहले से औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है। बहुत से पुराने कारखानों को भी उठाकर ऐसे स्थानों पर ले जाया जा रहा है।

(२) विद्युत शक्ति का विकास—विद्युत शक्ति दूर-दूर तक जा सकती है, इसलिए उद्योग अधिक सुविधाजनक स्थानों पर स्थापित होने लगे हैं। जब कोयला ही शक्ति का प्रमुख साधन था, तब उद्योग-धर्मों के लिए कोयले की खानों के पास स्थापित होना आवश्यक था। परन्तु अब यह बात नहीं है, इसलिए अब बहुत से उद्योगों का विकेंद्रीयकरण हो गया है।

(३) यातायात तथा सम्बाधबाहन के साधनों में उन्नति—रेल और जलपान याता-यात में उन्नति के कारण भारी मशीन आदि ऐसे दूर के स्थानों पर सरलतापूर्वक ले जाई जा सकती हैं, जहाँ विशेष उद्योगों के लिए अधिक सुविधा हो। उदाहरण के लिए, भारत में इन्डिय, बाटा, रैले साइकिल, आदि के कारखाने माने जा सही कारण हैं।

(४) आधुनिक औद्योगिक नगरों में घनी आबादी, अधिक मकान का किराया आदि के दोष—बहुत से नगरों में, जहाँ बहुत पहले से कारखाने आदि खुले हुए हैं, आबादी बहुत घनी हो गई है, जिसके कारण मकानों के किराये बढ गये हैं, भूमि का मूल्य बढ गया है और म्युनि-

पैलिटियो के करो मे भी वृद्धि हो गई है। यही नही, नगरो मे मिलो के घुये और गन्दगी भादि से स्वास्थ्य को भी हानि पहुँचती है। इसके अनिर्दिष्ट, औद्योगिक नगरो की अन्य बुराइयाँ भी यहाँ पाई जाती है। इन सब कारणो से भी इन नगरो के उद्योग दूसरे स्थान को चले जाते हैं।

(५) सैनिक कारण—बहुत से उद्योगो का केन्द्रीयकरण सैनिक कारणो से भी हो रहा है। कुछ उद्योगो को हटाकर ऐसे स्थानों पर ले जाया जा रहा है, जहाँ वे अधिक सुरक्षित समझे जाते हैं। इसके अनिर्दिष्ट, यह भी आवश्यक समझा जाता है कि कम से कम आवश्यक उद्योगो को देश भर मे इस प्रकार फैला दिया जाय कि युद्ध की दशा मे यदि एक भाग पर शत्रु का अधिकार हो भी जाता है, तो राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था टूटने न पाये।

(६) आर्थिक संकटों से बचाव—ऐसा समझा जाता है कि उद्योग-धन्धो का विवेकीकरण आर्थिक सङ्कटो के विरुद्ध अधिक अच्छी रोक-थाम करता है। कोई एक उद्योग पूर्णतया चौपट नही हो पाता है और जनता के कष्ट और बेरोजगारी को पर्याप्त अंश तक कम किया जा सकता है।

(७) मशीनो का बढ़ता हुआ उपयोग—ज्यो-ज्यो मशीनो का प्रयोग बढ रहा है, कुशल श्रमिको पर कई उद्योगो की निर्भरता बहुत ही कम हो गई, जिससे उनके लिए यह आवश्यक नहीं रहा है कि वे श्रमिको की पूर्ति के केन्द्रो के निकट ही स्थापित हों।

परीक्षा प्रश्न :

१. उद्योग-धन्धो के विवेकीकरण के पक्ष मे तर्क दीजिए और बताइये कि इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए ?
२. उद्योगो के स्थानीयकरण की परिभाषा लिखिये। उद्योगो के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारणो की संक्षेप मे व्याख्या कीजिये।
३. उद्योगो के स्थानीयकरण के कारणो की विवेचना कीजिए। ऐसे उद्योगो को कौन-कौन से लाभ और हानियाँ हैं ?

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम स्थानीयकरण का अर्थ बताइये। तत्पश्चात् इसके कारण दीजिए और अन्त मे इसके गुण-दोषो का विवरण दीजिए।]

४. उद्योगों के विवेकीकरण से आप क्या समझते हैं ? वर्तमान युग मे विवेकीकरण की दिशा मे प्रवृत्ति क्यों बढ रही है ? इसमे स्थानीयकरण के दोष कहीं तक दूर हो सकेंगे ?

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम विवेकीकरण का अर्थ बताइये। तत्पश्चात् इसके कारण दीजिये और अन्त मे यह दिखाइये कि विवेकीकरण के द्वारा स्थानीयकरण के दोषो को किस प्रकार दूर किया जा सकता है।]

जा सकता है। (४) धर्मिकों से अछे सम्बन्ध रहते हैं। मालिक सभी धर्मिकों की समस्याओं, आदतों और योग्यताओं को समझता है। प्रायसी मन-मुटाव बातचीत द्वारा ही दूर हो जाना है। (५) ऐसी उत्पादन-प्रणाली में व्यवसायी के लिए काम शीघ्रता के साथ होना है और कार्य-कुशलता अधिक होती है। (६) उत्पादक प्रथवा व्यवसायी के लिए रहस्यों का गुप्त रखना सम्भव होता है। (७) बाहर के लोगों को भी ऐसी फर्म से व्यवसाय करने में सुविधा होती है, क्योंकि उन्हें केवल एक ही व्यक्ति से काम पड़ता है, जिसके विषय में सब बातों का शीघ्र और विश्वसनीय पता लगाया जा सकता है। (८) इसे स्थापित करने में कोई वैधानिक औपचारिकताएँ पूरी नहीं करनी पड़ती हैं और न समाप्त करने में ही कोई विशेष रीति धरनी पड़ती है। संक्षेप में, इसकी स्थापना एवं समाप्ति सरल है। (९) एकाकी व्यवसाय-पद्धति के अधीन प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार उन्नति करने का अवसर मिलता है, धन के वितरण में समानता बढ़ती है तथा व्यक्तियों में दूरदर्शिता, पहल-भावना आदि गुणों का विकास होता है जो समाज के लिए लाभ की बात है।

एकाकी स्वामित्व के दोष—

ऐसी व्यावसायिक प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण दोष भी हैं :—(१) प्रायः एक अकेले आदमी के पास पूँजी के साधन सीमित होते हैं। धन पूँजी की कमी के कारण ऐसे व्यवसाय का पैमाना साधारणतया छोटा होता है। (२) असीमित उत्तरदायित्व के कारण जोखिम का अंश अधिक होता है। एकाकी स्वामी की व्यक्तिगत सम्पत्ति भी व्यवसाय की हानि में समाप्त हो सकती है। (३) एक व्यक्ति की संचालन और प्रबन्ध की योग्यताएँ भी सीमित होती हैं। कोई भी व्यक्ति सभी कामों में एक ही साथ निपुण नहीं हो सकता। (४) ऐसे उत्पादन में विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। प्रबन्ध साधारणतया पुष्पैनी होता है, जिसमें कुशलता और मितव्ययिता कम रहती है। (५) एकाकी स्वामी को निर्णय लेने में अन्य व्यक्तियों से परामर्श की सुविधा नहीं होती है, जिस कारण गलत निर्णय लिये जाने की आशंका रहती है। (६) यदि बीमारी या किसी जरूरी काम से एकाकी स्वामी को व्यावसायिक स्थान से अनुपस्थित रहना पड़े, तो प्रबन्ध का भार कर्मचारियों पर पड़ता है। देखा गया है कि वे मालिक की अनुपस्थिति में शिथिल ढंग से कार्य करते हैं। (७) एकाकी व्यवसाय आवश्यक रूप में छोटे पैमाने पर होता है, जिस कारण उसकी प्रतिযোগिता शक्ति सीमित होती है। (८) जैसा कि प्रो० हूने ने बताया है, प्रायः उत्तराधिकारियों में आशय्यक गुणों की कमी होती है, जिस कारण व्यवसाय दूसरी या तीसरी पीढ़ी में दुर्बल हाथों में चला जाना है और इस प्रकार उमके जल्दी बन्द होने की सम्भावना रहती है।

साझेदारी (Partnership)

साझेदारी का अर्थ एवं इसकी विशेषताएँ—

एकाकी स्वामित्व प्रणाली उस काल के लिए तो ठीक थी, जबकि उत्पात का पैमाना छोटा था और माँग अधिकतर स्थानीय ही होती थी, परन्तु वर्तमान युग में विशालकाय कारखाने और व्यापार गृह होते हैं, जिनमें पूँजी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। इसी कारण अकेले-अकेले व्यवसाय न करके कुछ लोगों ने मिलकर व्यवसाय आरम्भ किया, ताकि पूँजी अधिक मात्रा में प्राप्त हो सके और विभाजित उत्तरदायित्व के आधार पर व्यवसाय की देखभाल भी बली प्रकार हो सके।

भारतीय साझेदारी अधिनियम १९३२ के अनुसार, "साझेदारी उन व्यक्तियों के

या मर्क के द्वारा नवाया जाता हो, लाभों को बाँटने का ठहराव किया हो।" साभेदारी की परिभाषा का विश्लेषण करने में निम्न विशेषतायें पता चलती हैं :—(१) साभेदारी अधिनियम के अन्तर्गत साधारण साभेदारी कर्म में कम से कम दो और अधिक से अधिक २० साभेदार हो सकते हैं। वैयक्तिक कर्म में साभेदारी की अधिकतम संख्या १० रखी गई है। (२) प्रत्येक साभेदार का दायित्व अपरिमित होता है। साहूकार अपनी सारी की सारी लेन-दिया भी एक साभेदार से वसूल कर सकता है, यद्यपि यह साभेदार इसे अन्य साभेदारों से वसूल करने का अधिकारी होता है। साभेदार की व्यक्तिगत सम्पत्ति से भी कर्म के ऋण वसूल किये जा सकते हैं। [अमेरिका में परिमित उत्तरदायित्व साभेदारी प्रणाली भी प्रचलित है, जिसमें प्रत्येक साभेदार की देन उसके साभे के अंश तक सीमित होती है।] (३) व्यवसाय का संचालन सभी साभेदारों द्वारा या उनमें से एक के द्वारा सबकी छोर से किया जाता है। (४) साभेदारी का उद्देश्य व्यवसाय के लाभों को एक निश्चित अनुपात में बाँटना है। (५) यह आवश्यक नहीं है कि सभी साभेदार पूंजी लगावें। कुछ साभेदार पूंजी लगाते हैं, तो कुछ अपनी योग्यता का लाभ कर्म को प्रदान करते हैं। कुछ साभेदार कर्म को अपने 'नाम' का लाभ देते हैं।

साभेदारी के लाभ—

इस प्रकार की प्रणाली एकाकी स्वामित्व प्रणाली पर एक सुधार है। इसके प्रमुख लाभ निम्न प्रकार हैं :—(१) एकाकी प्रणाली की तुलना में अधिक पूंजी प्राप्त हो सकती है, जिससे उन्नति के पैमाने का विस्तार सरल हो जाता है। (२) जोखिम का वितरण हो जाता है। बहुत से व्यक्तियों को व्यवसाय के भाग में रुचि होती है और सभी मिलकर उसकी सफलता के लिए प्रयत्न करते हैं। (३) व्यवसाय को अनेक व्यक्तियों के अनुभव, कुशलता, व्यक्तिगत गुण और योग्यता का लाभ प्राप्त हो जाता है। (४) साभेदारी में विभिन्न साभेदार कार्य का बँटवारा करने अथ-विभाजन और व्यावसायिक कुशलता के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। (५) उत्पादन का विसिद्धीकरण हो जाता है। (६) अधिक जटिल व्यावसायिक प्रणालियों (जैसे—मिश्रित पूंजी कम्पनियों) की तुलना में इस प्रणाली में सरलता, व्यक्तिगत सम्पर्क तथा कुशलता के गुण अधिक पाये जाते हैं। (७) एकाकी स्वामित्व प्रणाली की तुलना में ऐसा व्यावसायिक सङ्गठन अधिक स्थायी होता है। (८) साभेदारी व्यवसाय में नीतियों, कार्यविधियों और भेदों को सुष्ट रखा जा सकता है। हाँ, यदि साभेदारों में कूट पट जाय, तो बात दूरगयी है। (९) कर्म या संचालन प्रजातन्त्रीय आधार पर अर्थात् सभी साभेदारों की सम्मति से किया जाता है।

साभेदारी के दोष—

किन्तु यह प्रणाली भी दोषों से विमुक्त नहीं है। प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं :—(१) साभेदारी सभी एक सफलतापूर्वक चल सकती है, जब तक साभेदारों में परस्पर सहयोग रहता है। सहयोग के अभाव में साभेदारी टूट जाती है। (२) पूर्ण दृग्-पद्धति में देनदारी अपरिमित होती है, इसलिए एक साधारण भूत से भी व्यवसाय को भारी हानि पहुँच सकती है। (३) यह प्रणाली बहुत बड़े व्यवसायों के लिए उपयुक्त नहीं है। बहुत से व्यक्ति प्रबन्ध और साह्य में भाग न लेकर केवल पूंजी लगाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिये साभेदारी अनुपयुक्त है। (४) यहाँ नाम बहुत से व्यक्तियों की राय में होता है, अस्तु महत्वपूर्ण निर्णय करने में देर लगती है, जिससे व्यवसाय को हानि होती है। (५) यह कहना कठिन होता है कि साभेदारी कब तक चलती है। यदि एक साभेदार न रुँटे (मर जाय या पतन हो जाय), तो साभेदारी टूट जाती है। (६) इस प्रणाली से आधुनिक उद्योग की आवश्यकतायें पूरी नहीं हो सकती हैं।

साभेदारी के गुण-दोषों के उचित विवेचन से यह स्पष्ट है कि ऐसा संगठन-रूप

तब अधिक उपयुक्त रहता है जबकि व्यवसाय का पैमाना बहुत बड़ा न हो और साम्प्रदायिक से सहयोग हो। किन्तु एक आधुनिक व्यवसाय व बड़े पैमाने के उत्पादन के लिए साम्प्रदायिक अनुपयुक्त है।

संयुक्त पूँजी कम्पनियाँ (Joint-stock Companies)

मिश्रित पूँजी कम्पनियों से आशय—

आधुनिक प्रकार के कारखानों और मशीनों में अधिक मात्रा में पूँजी लगती है। इतनी पूँजी कोई एक व्यक्ति या कुछ थोड़े से व्यक्ति मिलकर उपलब्ध नहीं कर सकते। अतः अधिक पूँजी प्राप्त करने के लिए आजकल मिश्रित अथवा संयुक्त पूँजी कम्पनियाँ खोली जाती हैं।

प्रो० हैने के अनुसार, "एक संयुक्त स्वरूप कम्पनी लाभ कमाने के लिए व्यक्तियों द्वारा निर्मित एक ऐच्छिक सङ्घ है जिसकी पूँजी हस्तान्तरण-योग्य अथवा विभाजित होती है और इनका स्वामित्व सदस्यता के लिये आवश्यक शर्त है।" भारतीय नियमों के अनुसार कोई भी मात्र या सात से अधिक व्यक्ति मिलकर संयुक्त पूँजी कम्पनी का निर्माण कर सकते हैं। राज्य की ओर से एक संयुक्त पूँजी कम्पनी रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है, जिसके यहाँ कम्पनी का पंजीयन (Registration) कराया जाता है।

मिश्रित पूँजी कम्पनियों की विशेषताएँ—

एक मिश्रित पूँजी कम्पनी व्यक्तियों का ऐच्छिक सङ्घ है। यह लाभ कमाने के लिए बनाई जाती है। जो लाभ प्राप्त होता है उसे कुछ निश्चित नियमों के अनुसार इसके स्वामियों (अर्थात् अग्राधारियों) में बाँट दिया जाता है। उसे इसके स्वामियों से एक पृथक् वैधानिक अस्तित्व प्राप्त है, जिस कारण यह अपने नाम से अन्य पक्षों पर मुकद्दमा चला सकता है और अन्य पक्ष भी उस पर मुकद्दमा चला सकता है। यद्यपि ये कम्पनी कानून का उत्पाद है। अतः इसे कृत्रिम व्यक्ति या वैधानिक व्यक्ति कहते हैं। कम्पनी के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा लिये गये अंशों के मूल्य तक सीमित होता है। इसकी एक महत्त्वपूर्ण विशेषता निरन्तर उत्तराधिकार है अर्थात् कुछ सदस्यों के वृत्तिगमन या इनकी मृत्यु द्वारा अथवा नये सदस्यों के प्रवेश से कम्पनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह शाश्वत है। चूँकि कम्पनी एक कृत्रिम व्यक्ति है इसलिये वह स्वयं अपने कार्य नहीं कर सकती है बल्कि प्रतिनिधियों के द्वारा करती है जिन्हें सचिव कहते हैं। कम्पनी की एक सार्वभूमि होती है जो उसके अधिष्ठित हस्ताक्षरों का काम करती है। कम्पनी का जन्म कानून द्वारा होता है और कानून द्वारा ही उसका अन्त होता है।

मिश्रित पूँजी कम्पनी का निर्माण—

एक कम्पनी का निर्माण जिम तरह होता है उसके अध्ययन के लिए हम इसकी निम्न चार अवस्थाओं में विभक्त कर सकते हैं प्रवर्तन की अवस्था, समामेलन की अवस्था, पूँजी प्राप्त करने की अवस्था और व्यवसाय प्रारम्भ करने की अवस्था।

(१) प्रवर्तन की अवस्था—सर्वप्रथम एक या कई व्यक्ति व्यवसाय के लाभदायक अवसरों को खोज करते हैं और जब कोई उपयुक्त अवसर उनकी दृष्टि में आता है तो उनमें लाभ उठाने के लिए व्यवसाय की योजना बनाते हैं। यदि आवश्यक हो, तो योजना बनाने में विशेषज्ञों की भी सहायता लेते हैं। इस सब कार्य को व्यवसाय का 'प्रवर्तन' (Promotion) और प्रवर्तन करने वाले व्यक्ति को 'प्रवर्तक' (Promoter) कहते हैं।

(२) समामेलन की अवस्था—व्यवसाय की योजना बना लेने के बाद उसे अस्तित्व

मे लाने हेतु कानूनी कार्यवाही करनी पड़ती है। इसे 'सामेलन की अवस्था' कहते हैं। जब कानूनी कार्यवाही पूर्ण हो जाती है तो कम्पनियों का रजिस्ट्रार कम्पनी के वैधानिक अस्तित्व में आने का प्रमाण-पत्र जारी करता है, जिसे 'सामेलन का प्रमाण-पत्र' (Certificate of Incorporation) कहते हैं। ऐसा प्रमाण-पत्र पाने के लिए प्रवर्तकों को निम्न प्रलेख रजिस्ट्रार के पास, निर्धारित शुल्क सहित, फाइल करने पड़ते हैं:—(अ) पार्यट सोमानियम (Memorandum of Association), जिसमें कम्पनी का नाम, मुख्य कार्यालय का स्थान, अधिकृत शेयर पूँजी, कम्पनी के उद्देश्य इत्यादि का विवरण होता है। यह कम्पनी के अधिकारों की सीमा निश्चित करता है। कम्पनी ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती है, जो पार्यट सोमानियम द्वारा निर्धारित अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। यह बाह्य पक्षों के साथ कम्पनी के सम्बन्धों को निश्चित करता है। (आ) पार्यट अर्तनियम (Articles of Association), जिसमें कम्पनी के आन्तरिक प्रबन्ध के लिए बनाये गये नियमों का उल्लेख होता है। (इ) सञ्चालकों की सूची (List of Directors), जिसमें सञ्चालकों के नाम, पते और उनके द्वारा लिये जाने वाले शेयरों की सख्या इत्यादि दी जाती है। पार्यट-सोमानियम पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति ही प्रायः कम्पनी के प्रथम सञ्चालक होते हैं। (ई) प्रविवरण (Prospectus), जिसके द्वारा कम्पनी जनता को खरीदने के लिए शेयर प्रस्तुत करती है। (उ) लाइसेन्स (Licence), जो उद्योग विकास एवं नियमन अधिनियम १९५१ के अधीन लेना आवश्यक है। इसके बिना देश में कुछ उद्योग स्थापित करने का निषेध है।

(३) पूँजी प्राप्त करने की अवस्था—कम्पनी आवश्यक पूँजी न केवल अंशों के विक्रय द्वारा बल्कि ऋण-पत्र बेचकर भी प्राप्त करती है। इसके विषय में हमने आगे प्रकाश डाला है।

(४) व्यापार आरम्भ करने की अवस्था—जब उपर्युक्त कार्यवाही पूरी हो जाय और कम्पनी अंशों के निर्गमन द्वारा न्यूनतम कार्यशील पूँजी प्राप्त कर ले तो रजिस्ट्रार उसे 'व्यापार शुरू करने का प्रमाण-पत्र' (Certificate of Commencement of Business) दे देता है। ऐसा प्रमाण-पत्र मिलने के बाद कम्पनी अपना व्यवसाय चालू कर सकती है।

मिश्रित पूँजी कम्पनी के साधन—

समुक्त पूँजी कम्पनी की पूँजी कई प्रकार की होती है:—

(१) अधिकृत पूँजी (Authorised Capital)—यह एक अधिक से अधिक पूँजी होती है, जो कम्पनी अपने विधान के अनुसार किसी भी समय रख सकती है। कम्पनी को इस पूँजी से अधिक सीमा के अंग बेचने का अधिकार नहीं होता है।

(२) निर्गमित पूँजी (Issued Capital)—एक कम्पनी अपनी समस्त अधिकृत पूँजी को बहुधा आरम्भ में ही निर्गमित नहीं कर देती बल्कि थोड़ा-थोड़ा करके आवश्यकतानुसार निर्गमित करती है। निर्गमित पूँजी अधिकृत पूँजी का वह भाग है, जिसे कम्पनी वास्तव में जनता से इकट्ठा करना चाहती है।

(३) प्रापित पूँजी (Subscribed Capital)—यह आवश्यक नहीं है कि जनता कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी अंशों को लेने को तैयार हो जाय। निर्गमित पूँजी का वह भाग, जिसे जनता लेने की इच्छा प्रकट करती और प्राथना-पत्र भेजती है, प्रापित पूँजी कहा जाता है।

(४) मांगे हुई पूँजी (Called-up Capital)—जितनी कीमत के अंश होते हैं, उतनी पूरी की पूरी रकम एक दम कम्पनी वसूल नहीं करती है, बल्कि अंश की कीमत का थोड़ा-थोड़ा भाग धीरे-धीरे मांगा जाता है। यह मांगा हुआ भाग "मांगे हुई पूँजी" कहा जाता है।

(५) **परिदत्त पूँजी (Paid-up Capital)**—यह पूँजी की उस मात्रा को सूचित करती है, जो अंशों को बेचकर वास्तव में प्राप्त होती है। अर्थात्, यह मार्गी हुई पूँजी का वह भाग होती है, जिसे अंशधारी वास्तव में चुका देते हैं।

मिश्रित अथवा संयुक्त पूँजी कम्पनी के पूँजी प्राप्त होने के कई साधन होते हैं :—
 पूँजी अंश (Shares) को बेचकर प्राप्त की जा सकती है। (ii) कम्पनी ऋण-पत्रों (Debentures) की निकासी (Issue) करती है। ये ऋण-पत्र अंशों की भाँति ही बेचे जाते हैं। इनके खरीदने वाले कम्पनी के साहूकार (Creditors) होते हैं, जिन्हें एक निश्चित दर पर व्याज मिलता है। (iii) अपने लाभों का एक भाग तो अंशधारियों को लाभांश (Dividend) के रूप में बाँट देती है, और दूसरा भाग एक सुरक्षित कोष (Reserve Fund) में जमा कर देती है, जिसे बाद को पूँजी के रूप में उपयोग किया जा सकता है। (iv) आवश्यकता पड़ने पर कम्पनी सरकार, बैंक अथवा दूसरी संस्थाओं से ऋण भी ले सकती है।

कम्पनियों के अंश (Shares)—

मिश्रित पूँजी कम्पनी के अंश उसकी पूँजी के सबसे प्रमुख साधन होते हैं। कम्पनी के अंशधारी ही व्यवसाय की जोखिम को उठाते हैं। अंश भी कई प्रकार के होते हैं। वैसे भी सभी अंशों का समान कीमत का होना आवश्यक नहीं होता है। अंशों के प्रमुख भेद निम्न प्रकार हैं :—

(१) **पूर्वाधिकार अंश (Preference Shares)**—ऐसे अंशों पर एक निश्चित दर पर लाभांश बाँटा जाता है, जिसकी प्रकृति व्याज जैसी ही होती है। ऐसे अंशधारियों को कम्पनी के लाभ और हानि का बहुत भय नहीं होता है। लाभों पर इनका अधिकार सर्वप्रथम होता है। कम्पनी के निस्तारण (Liquidation) पर भी इन अंशधारियों का हक सबसे पहले भुगतान लेने का होता है। ऐसे अंश भी दो प्रकार के होते हैं—प्रथम, **संचयी पूर्वाधिकार अंश (Cumulative Preference Shares)**, जिस पर लाभ के वर्ष में उन पिछले वर्षों के लिए भी निश्चित दर पर लाभ मिलता है, जिनमें लाभ नहीं हुआ था। दूसरे, **असंचयी पूर्वाधिकार अंश (Non-Cumulative Preference Shares)**, जिन पर उन वर्षों का लाभ का हिस्सा बाद को नहीं दिया जाता है, जिनमें कि लाभ नहीं होता है।

(२) **साधारण अंश (Ordinary Shares)**—ऐसे अंशों पर लाभ की कोई दर निश्चित नहीं होती है। इनके अंशधारियों को कम्पनी के भाग्य के अनुसार लाभ अथवा हानि हीनी है। कुल प्राप्त लाभों में से सर्वप्रथम पूर्वाधिकार अंशधारियों को हिस्सा दे देने के बाद शेष में से साधारण अंशधारियों को हिस्सा दिया जाता है।

(३) **ऋण-पत्र (Debentures)**—ये प्रकृति में अंशों की भाँति होते हैं, परन्तु उन पर केवल निश्चित दर पर व्याज ही दिया जाता है। कम्पनी को लाभ हो या हानि, परन्तु ऋण-पत्रधारियों को निश्चित दर पर व्याज अवश्य मिलेगा। बहुधा ऋण-पत्रों को अंशों की ही श्रेणी में ही रखा जाता है। निश्चित दर पर व्याज न मिलने की दशा में ऋण-पत्रधारी कम्पनी की सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। कम्पनी के निस्तारण की दशा में इनको पूँजी और व्याज का भुगतान सर्वप्रथम होता है।

साझेदारी और संयुक्त पूँजी कम्पनी में अन्तर—

(१) **देनदारी**—संयुक्त पूँजी कम्पनी में अंशधारी की देनदारी परिमित होती है, परन्तु साझेदारी में अपरिमित होती है।

(२) **कार्य का पैमाना**—साझेदारी में व्यवसाय का पैमाना छोटा होता है, परन्तु मिश्रित पूँजी कम्पनियों में व्यवसाय का पैमाना बड़ा होता है।

(३) प्रबन्ध-व्यवस्था—साभेदारी में प्रबन्ध के लिए कोई वेतनभोगी प्रबन्धक नहीं रखा जाता है, परन्तु मिश्रित पूँजी कम्पनियों में ऐसा प्रबन्धक रखा जाता है ।

(४) रजिस्ट्रेशन—साभेदारी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह रजिस्टर्ड हो, परन्तु मिश्रित पूँजी कम्पनी बिना रजिस्टर्ड हुए बनाई ही नहीं जा सकती है ।

(५) कानूनी हैसियत—साभेदारी की कोई पूँजी कानूनी स्थिति (हैसियत) नहीं होती, न यह अभियोग चला सकती है और न इस पर अभियोग चल सकता है, परन्तु मिश्रित पूँजी कम्पनियों की अंशधारियों से पूँजी स्थिति होती है । इस पर अभियोग चलाया जा सकता है और यह स्वयं भी अभियोग चला सकती है । इसी कारण एक अंशधारी के मरने से कम्पनी का अस्त नहीं होता । इसके विपरीत, साभेदारी का, किसी साभेदार के मर जाने या पागल हो जाने पर अस्त हो जाता है ।

(६) संख्या—साभेदारी में साभेदारों की संख्या २० से अधिक नहीं हो सकती है और बैंकिंग व्यवसाय (Banking Business) में यह सीमा केवल १० है, परन्तु एक प्राइवेट कम्पनी में, जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, अंशधारियों की न्यूनतम संख्या २ है और पब्लिक कम्पनियों में ७ है । पब्लिक कम्पनियों में अंशधारियों की कोई निश्चित अधिकतम सीमा नहीं है, परन्तु प्राइवेट कम्पनी में एक निश्चित सीमा है ।

(७) स्वामित्व—साभेदारी में प्रत्येक साभेदार व्यवसाय का वास्तविक स्वामी होता है और प्रबन्ध में भाग ले सकता है, परन्तु एक कम्पनी में अंशधारी केवल नाममात्र के स्वामी होने हैं ।^१ वास्तव में सारा काम सचालक (Directors) करते हैं ।

मिश्रित पूँजी कम्पनी का प्रबन्ध—

मिश्रित पूँजी कम्पनी के सारे अंशधारी एक ही साथ कम्पनी का प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं । प्रबन्ध के लिए सारे अंशधारी मिलकर संचालक-मण्डल (Board of Directors) का निर्वाचन करते हैं । यही मण्डल व्यवसाय की देख-रेख और प्रबन्ध-कार्य करता है । संचालक-मण्डल अपने में से किसी एक सदस्य को प्रबन्ध संचालक (Managing Director) चुन लेता है । दिन-प्रति-दिन के कार्य का संचालन यही सदस्य करता है । काम की वास्तविक देख-भाल के लिए कोई वेतनभोगी प्रबन्धक (Salaried Manager) रखा जाता है । अंशधारियों का परोक्ष रूप में व्यवसाय के संचालन पर पूरा नियन्त्रण होता है, क्योंकि उन्हें निर्वाचन और छालोचना का अधिकार प्राप्त होता है, परन्तु वास्तव में अंशधारियों की बैठक साल में केवल एक बार ही होती है ।

मिश्रित पूँजी कम्पनियों साधारणतया दो प्रकार की होती हैं—प्रथम, वे जिनमें अंशधारियों का उत्तरदायित्व सीमित होता है । इन्हें हम सीमित उत्तरदायित्व कम्पनियों (Limited Liability Companies) कहते हैं । ऐसी कम्पनियों के नाम के भागे साधारणतया लिमिटेड (Ltd.) शब्द लिखा रहता है । इसका अर्थ यह होता है कि एक अंशधारी ने जितने अंश खरीदे हैं, कम्पनी के ऋणों के सम्बन्ध में उसकी जिम्मेदारी उन्ही अंशों की पूरी कीमत तक ही सीमित होती है । दूसरे प्रकार की मिश्रित पूँजी कम्पनियाँ वे होती हैं, जिनमें अंशधारियों का उत्तरदायित्व असिमित होता है । प्रत्येक अंशधारी की जिम्मेदारी अंशों की कीमत के परे उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति तक विस्तृत होती है । इन्हें 'असिमित दायित्व कम्पनियाँ' कहा जाता है ।

^१ "In form, therefore...the Joint Stock Company is in the most instances a close oligarchy: the monetary support of the public is wanted but not their direction."—Hobson: *Evolution of Modern Capitalism*.

संयुक्त पूँजी कम्पनियों के लाभ—

ऐसी कम्पनियों के अनेक लाभ होते हैं। प्रमुख लाभ निम्न प्रकार हैं :—(१) कम्पनी साझेदारी और एकाकी स्वामित्व प्रणाली की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है, क्योंकि इसकी अपनी कानूनी स्थिति होती है। (२) परिमित देनदारी होने के कारण पूँजी की कोई कठिनाई नहीं होती है। (३) राष्ट्रीय बचत का सदुपयोग होता है। कम्पनी के अग छोटे मूल्य के होते हैं, इससे सभी वर्ग के लोग अपनी बचत उद्योग एवं व्यवसाय में लगा सकते हैं। (४) परिमित देनदारी के कारण कम्पनी नये-नये औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य प्रारम्भ कर सकती है। इस प्रकार देश का औद्योगिक विकास एवं आर्थिक उन्नति होती है। (५) व्यवसाय के अर्थ सरलता से बेचे जा सकते हैं, इसलिए प्रत्येक अगधारी को यह स्वतन्त्रता होती है कि वह जब तक चाहे व्यवसाय में रह सकता है। (६) सीमित देनदारी व्यवसाय में पूँजी लगाने की सुविधा एवं हस्तान्तरण के कारण देश में बचत करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे देश की पूँजी में वृद्धि होती है। (७) कम्पनी का व्यवसाय अधिकतर बड़े पैमाने पर होता है, जिससे श्रम-विभाजन, विशिष्टीकरण एवं मशीनों के उपयोग को प्रोत्साहन तो मिलता ही है, साथ ही साथ विशेषज्ञों की सेवाएँ भी सरलता से प्राप्त हो जाती हैं, जिसके कारण प्रबन्ध में कुशलता आती है। इसके अतिरिक्त संचालक समिति के रूप में कम्पनी को ऐसे योग्य व्यक्ति मिल जाते हैं, जो व्यवसाय को सुचारु रूप से चला सकते हैं। (८) यद्यपि अगधारी अधिकतर कम्पनी के काम में अधिक रुचि नहीं लेते हैं, तथापि भ्रवसर पड़ने पर उनको यह अधिकार होना है कि अकुशल संचालकों और प्रबन्धकों को निकाल दें। बहुत से बड़े व्यवसाय, जैसे—रेल, जहाज बनाना आदि केवल मिश्रित पूँजी कम्पनियों द्वारा ही सरलतापूर्वक बनाये जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे व्यवसायों में इतनी अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है, जो एक मिश्रित पूँजी कम्पनी ही एकत्रित कर सकती है। (९) चूंकि व्यवसाय बड़े पैमाने पर होता है, इसलिए बड़े पैमाने की उत्पत्ति के सम्पूर्ण लाभ कम्पनी को उपलब्ध होते हैं। (१०) इस प्रणाली के आ जाने से पूँजीपति और साहसी अलग-अलग हो गये हैं, जिससे उत्पादन की कुशलता में वृद्धि हो गई है।

कम्पनी व्यवसाय की हानियाँ—

(१) परिमित देनदारी के फलस्वरूप ऐसी गलत योजनाएँ अपना ली जाती हैं, जिनमें लाभ की अपेक्षा हानि होने की अधिक सम्भावना रहनी है। (२) हस्तान्तरण की सरलता के कारण जब कभी कोई अगधारी यह देखता है कि कम्पनी की दशा ठीक नहीं है तो अन्य अगधारियों की सहायता से कम्पनी की दशा को ठीक करने के स्थान पर, वह बाजार में अपने अग बेच देता है। अतः इस पद्धति में अगधारियों के परस्पर सहयोग को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। (३) कानूनी औपचारिकता के कारण कम्पनी खोलने में कठिनाई होती है। (४) इसमें कार्य उतनी शीघ्रता से नहीं होता है, जितना एकाकी स्वामित्व अथवा साझेदारी में होता है, क्योंकि मालिकों के अधिक सत्या में होने से व्यवसाय की समस्याओं के सम्बन्ध में निरर्थक देर में होता है। (५) व्यावसायिक भेद गुप्त नहीं रखे जा सकते हैं, क्योंकि भेद बहुत से व्यक्तियों को मालूम हो जाते हैं। (६) अगधों की सरल हस्तान्तरित के कारण कम्पनी के संचालक भी बहुधा बेईमानी करते हैं। इन्हें व्यवसाय की स्थिति का ठीक-ठीक ज्ञान रहता है और इस ज्ञान से वे समुचित लाभ उठाते हैं। यदि व्यवसाय की दशा शोचनीय होती है तो वे अपने अग यह कह कर बेच देते हैं कि व्यवसाय बड़ी अच्छी दशा में है, और, यदि पर्याप्त लाभ की आशा रहती है, तो अन्य अगधारियों के अग खरीद लेते हैं। (७) कम्पनी का संचालन एवं प्रबन्ध अगधारियों, संचालकों तथा वेतनभोगी प्रबन्धकों में बँटा रहता है, इस कारण उत्तरदायित्व भी इन सभी में विभाजित रहता है। यदि प्रबन्ध में कुछ गड़बड़ होती है, तो सब अपनी

सम्मिलित व्यवसाय हेतु बनाया हुआ सघ है, जो निर्धन व्यक्तियों द्वारा बनाया जाता है और सदा निःस्वार्थ भावना से कार्य करता है, शर्त यह होती है कि समिति के सभी सदस्य उसके लाभों में से उसी अनुपात में भाग प्राप्त करते हैं जिसमें कि वे समिति की सेवा का उपयोग करते हैं।¹ ऐसी उत्पादन-प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह होती है कि काम करने वाले स्वयं ही व्यवसाय के मालिक भी होते हैं। इस पद्धति में लाभ कमाने वाले पूंजीपति का अन्त हो जाता है।

इस प्रकार की उत्पत्ति संगठन का सुभाव सबसे पहले रोबर्ट ओविन (Robert Owen) ने दिया था। अथ ससार के सभी देशों में इसका प्रचलन बढ़ रहा है। कृषि उद्योग में तो सहकारी उत्पादन प्रणाली को अधिक लोकप्रियता प्राप्त हो गई है। यद्यपि अन्य क्षेत्रों में इसकी सफलता कम ही रही है।

सहकारी-व्यवसाय के लाभ—

ऐसी उत्पादन-प्रणाली के अनेक लाभ हैं :—(१) श्रमिकों और मिल-मालिकों के झगड़ों का सदा के लिए अन्त हो जाता है। जब पूंजीपति का अन्त हो जाता है, तो सारे के सारे लाभ श्रमिकों के ही पास रह जाते हैं। (२) स्वतन्त्रता में वृद्धि होती है, क्योंकि वे स्वयं अपने आप को व्यवसाय का मालिक समझते हैं। फलतः व्यवसाय को व्यक्तिगत रुचि, श्रमिकों की जिम्मेदारी और श्रमिकों द्वारा पूरे उत्साह के साथ काम करने के लाभ प्राप्त होते हैं। (३) श्रमिकों की व्यक्तिगत रुचि और स्वतन्त्रता उनकी कार्य-कुशलता को बढ़ा देती है तथा उन्हें उत्पादन-विधियों में सुधार करने और नये-नये आविष्कार करने के लिए प्रेरित करती है। (४) मजदूरियों और कार्य की दशाओं में उन्नति होती है। (५) शोषण का अन्त हो जाता है, श्रमिकों के सन्तोष में वृद्धि होने लगती है और सामाजिक शान्ति तथा कल्याण में वृद्धि होती है। (६) श्रमिकों में आत्म-सम्मान और आत्म-विश्वास के गुण उत्पन्न होते हैं। वे आपस में मिल-जुलकर काम करने के सिद्धान्त को समझ लेते हैं। इससे उनका नैतिक उद्धार होता है।

सहकारी व्यवसाय की कठिनाइयाँ—

साधारणतया सहकारी उत्पादन बहुत सफल नहीं हो पाया है। इसके कारणों को समझ लेना कठिन नहीं है। (१) लाभ अधिकतर साहसी की योग्यता, निपुणता और कुशलता का परिणाम होते हैं। श्रमिकों में इन गुणों का होना कठिन होता है। श्रमिक ऊँचे वेतन वाले प्रबन्धक भी नहीं रख सकते हैं। परिणाम यह होता है कि प्रबन्ध और सङ्गठन में अकुशलता या ढील-बोल आ जाती है। (२) निर्वाचित प्रबन्धक अनुशासन स्थापित नहीं कर पाते हैं। जब जिम्मेदारी का विभाजन हो जाता है, तो जिम्मेदारी का ही अन्त हो जाता है। (३) श्रमिकों में आपसी मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। यदि लाभ हुआ, तो अधिक परेशानी नहीं होती है, परन्तु हानि होते ही आपसी भगड़े धारम्भ हो जाते हैं। (४) पूँजी के अभाव के कारण उत्पत्ति का पैमाना छोटा ही रहता है। (५) बड़े-बड़े उत्पादकों की प्रतियोगिता सहकारी उत्पादन को पनपने नहीं देती है। (६) नीची साल के कारण श्रमिकों को बाहर से ऋण भी बहुत ही कम मिल पाते हैं।

1 "An association for the purpose of joint trading, originating among the weak and conducted always in an unselfish spirit, on such terms that all who are prepared to assume the duties of membership share in its rewards in proportion to the degree in which they make use of their association."

उपभोक्ताओं का सहकार (Consumer's Co-operation)—

कुछ दिशाओं में सहकारिता को अधिक सफलता मिली है। उपभोक्ताओं का सहकार इसी प्रकार का है। इसके अन्तर्गत किसी एक स्थान के उपभोक्ता मिलकर ग्रंथों के रूप में थोड़ी-थोड़ी पूँजी जमा करते हैं और एक सहकारी भण्डार खोल लेते हैं। वे अपने भण्डार के लिए थोक दरों पर माल खरीदते हैं और सदस्यों को बाजार भाव पर उसे बेच देते हैं। लोगों को भण्डार के सदस्यों या अंशधारियों में बाँट दिया जाता है, जिसका आधार या तो सदस्य द्वारा खरीदे हुए माल की कीमत होती है या सदस्य द्वारा दी हुई अंश पूँजी। साधारणतया सभी सदस्य समान कीमत के अंश खरीदते हैं और इस कारण लाभ भी बराबर-बराबर बाँट दिये जाते हैं।

व्यावसायिक प्रबन्ध के लिए मिश्रित पूँजी कम्पनी की भाँति संचालक-मण्डल (Board of Directors) तथा प्रबन्ध-संचालक का निर्वाचन किया जाता है। प्रबन्ध प्रजातन्त्रीय होता है, क्योंकि सभी अंशधारियों को मतदान का अधिकार होता है। ऐसे भण्डारों में सदस्यों को उचित कीमत पर अच्छा माल मिल जाता है और व्यापार में मध्यमों का अन्त हो जाता है। कुछ दिशाओं में उपभोक्ता सहकारी भण्डार माल की बिक्री के साथ-साथ सहकारी उत्पादन समितियाँ भी खोलते हैं।

आजकल बड़-मुड़ी सहकारी समितियों के खोलने पर अधिक बल दिया जाता है, जिसमें एक ही सहकारी समिति उत्पादन, बिक्री, ऋण देने आदि अनेक प्रकार के काम एक ही साथ करती है। उपभोक्ता सहकार का ही एक रूप सहकारी साख समिति (Co-operative Credit Society) होती है, जिसका उद्देश्य सदस्यों के लिये उचित ध्याज पर ऋणों की व्यवस्था करना होता है। भारत में अधिकांश सहकारी समितियाँ इसी प्रकार की हैं।

सरकारी उपक्रम (State Enterprises)

वर्तमान युग में सरकार द्वारा उत्पादन करने की प्रथा निरन्तर बढ़ रही है। लगभग सभी देशों में कुछ प्रकार के उत्पादन-कार्य केन्द्रीय, राज्य अथवा स्थानीय सरकारों द्वारा किये जाते हैं। हमारे देश में ऐसे केन्द्रीय सरकार का उपक्रम है। उत्तर-प्रदेश की राज्य सरकार मोटर-गाड़ियाँ चलाती है और लगभग सभी नगरों में पानी की सप्लाई नगरपालिकाओं द्वारा चलाई जाती है। कुछ ऐसी प्रवृत्ति बनती जा रही है कि राज्य अपने वाणिज्य-व्यवसायों के क्षेत्रों का विस्तार कर रहे हैं। लोक-उपयोगी-सेवाओं (Public Utility Service) का संचालन लगभग सभी देशों में राज्य द्वारा किया जा रहा है।

सरकारी उपक्रम का अर्थ एवं इसके रूप—सरकारी उपक्रम वे हैं जिनका स्वामित्व सरकार का होता है अथवा जिनका स्वामित्व और प्रबन्ध दोनों ही सरकार के अधिकार में होने हैं। एक सरकारी उपक्रम के कई रूप हो सकते हैं, यथा :—(i) वह एक सरकारी विभाग के रूप में हो सकता है (जैसे कि डाक व तार विभाग), (ii) वह एक संयुक्त पूँजी कम्पनी के रूप में हो सकता है (जैसे कि सिदरी खाद कारखाना, एव (iii) वह एक वैधानिक निगम के रूप में हो सकता है (जैसे कि दामोदर घाटी निगम), जिसकी स्थापना के लिए संसद एक विशेष अधिनियम बनानी है। एक सरकारी उपक्रम के कुछ अन्य रूप भी हो सकते हैं, जैसे—वह सरकार और प्राइवेट व्यक्तियों के संयुक्त स्वामित्व एव प्रबन्ध में हो या उस पर स्वामित्व तो सरकार का हो किन्तु प्रबन्ध एक प्राइवेट एजेंसी के हाथ में हो।

सरकारी उपक्रमों का संगठन भी ठीक उसी प्रकार किया जाता है जैसे कि व्यक्तिगत उपक्रमों का। इनमें भी वेतनभोगी प्रबन्धक और कर्मचारी रये जाते हैं। काम करने की रीति

भी व्यावसायिक आधार पर ही निश्चित की जाती है और व्यवसाय के संचालन का आधार भी साधारणतया वाणिज्यिक ही होता है। अन्तर यह होता है कि सभी कर्मचारी सरकारी नौकर होते हैं। पूँजी राज्य द्वारा उपलब्ध की जाती है, जो कि करदाताओं की जेबों से आती है। लाभ सरकार को प्राप्त होते हैं और सरकारी आय में जोड़ दिये जाते हैं।

इस प्रकार की उत्पादन-प्रणाली का २०वीं शताब्दी में पर्याप्त विस्तार हुआ है। यह समाजवाद और पूँजीवाद के बीच का मार्ग है। यह भी कहा जाता है कि आर्थिक सङ्कटों (Economic Crisis) की क्रूरता दूर करने के लिए सरकारी उपक्रमों का विस्तार आवश्यक है। आर्थिक नियोजन के विकास ने सरकारी उत्पादन को और भी अधिक प्रोत्साहन दिया है।

सरकारी उपक्रमों के लाभ—

इस प्रणाली के प्रमुख लाभ निम्न प्रकार हैं :—(१) व्यक्तियों अथवा व्यक्तिगत फर्मों की तुलना में राज्य की सख्त सदा ही बहुत ऊँची होती है। यही कारण है कि राज्य को उचित स्तर पर पर्याप्त मात्रा में आसानी के साथ पूँजी मिल जाती है। (२) अपने विशाल साधनों के कारण ऊँचे वेतन देकर सरकार योग्य से योग्य कर्मचारी रख सकती है। सरकारी नौकरी का लोभ ही ऐसा होता है कि अच्छे से अच्छे लोग चले आते हैं। परिणामतः सरकारी उपक्रमों में योग्यता, निपुणता और कुशलता का स्तर प्रायः ऊँचा ही रहता है। (३) सरकारी उपक्रम की प्रकृति साधारणतया एकाधिकारी होती है। प्राइवेटों को हूँडने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विज्ञापन पर भी अधिक व्यय नहीं होता है। कम खर्च पर भी अच्छी सेवाएँ उपलब्ध की जा सकती हैं। (४) सरकारी उपक्रम में भ्रष्टाचार और कार्य की दशाएँ अधिक अच्छी होती हैं। इसका श्रमिकों के सन्तोष और उनकी कार्य-कुशलता पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। (५) सरकारी उपक्रमों के लाभ सरकारी खजाने में जाते हैं। उसका उपयोग जन-साधारण के लाभ के लिए किया जाता है। (६) सरकारी उपक्रम एकाधिकार के सहज होते हैं परन्तु प्राइवेट एकाधिकार में असमान वेतनता को कम कीमत पर उत्तम सेवा प्रदान करते हैं। (७) सरकारी उपक्रम लोहा व स्पात उद्योग, रासायनिक उद्योग, विद्युत् उत्पादन आदि बुनियादी उद्योगों के विकास के लिए संगठन का सबसे उपयुक्त रूप होते हैं, क्योंकि इनमें पूँजी तो अधिक लगती है और लाभ थोड़ा व देर से मिलता है, जिस कारण प्राइवेट उद्योगपति इनमें प्राकर्षण अनुभव नहीं करते।

सरकारी उपक्रम की हानियाँ—

लाभों के साथ-साथ सरकारी उपक्रमों में कुछ महत्वपूर्ण दोष भी होते हैं :—

(१) अधिकांश अर्थशास्त्री इस विषय में सहमत हैं कि व्यवसाय के संचालन में सरकारी प्रबन्ध व्यक्तिगत प्रबन्ध की कुशलता और मितव्ययिता प्राप्त नहीं कर सकता है। (२) सरकारी प्रबन्धकों में व्यक्तिगत रुचि का अभाव होता है। वेतनभोगी प्रबन्धक कभी भी मालिक का स्थान नहीं ले सकते। उसमें उत्साह, व्यक्तिगत रुचि, आदि के महत्वपूर्ण गुण नहीं पाये जाते हैं। (३) सरकारी नौकरी निश्चित होती है, परन्तु यदि एक व्यक्तिगत फर्म का प्रबन्धक अकुशल है तो उसे तुरन्त ही निकाल दिया जाता है। (४) सरकारी कर्मचारी अपने ऊपर के अधिकारों की आशाओं का आसानी के साथ उल्लंघन कर सकता है, यदि वह ऊपर उठने की अभिलाषा नहीं रखता है। इससे काम की कुशलता में गड़बड़ आ जाती है। प्रत्येक श्रमिक अपने प्राय को किसी व्यक्ति का नौकर नहीं समझता, इसलिए वह बहुधा मनमानी कर सकता है। व्यक्तिगत फर्मों में यह बात नहीं होती है। (५) सरकारी उपक्रमों में राजनीतिक घटक प्रभाव डालते रहते हैं। कर्मचारियों की नियुक्ति एवं ट्रान्सफर आदि में राजनीतिक दलबन्दी का जोर होता है। (६) सरकारी उपक्रमों में हानि होने पर इसका बोझ सामान्य करदाता पर पड़ता है और हानि की पूर्ति अधिक करों के द्वारा पूरी की जाती है।

एकाधिकार (Monopolies)

एकाधिकार से आशय—

हम वहुधा ऐसा देखते हैं कि एक या षोड़ी-सी कम्पनियाँ मिलकर बाजार पर अपना प्रभुत्व इस प्रकार जमा लेती हैं कि किसी वस्तु विशेष की बिजली पर उनका पूरा अधिकार हो जाता है। इसी को अर्थशास्त्र में 'एकाधिकार' कहते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि ऐसी एक फर्म अथवा संगठन को किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ता है। यह सम्भव है कि वस्तु विशेष के उत्पादन में अन्य किसी फर्म अथवा सङ्गठन का हाथ न हो, परन्तु बहुत-सी ऐसी वस्तुएँ होती हैं कि जिनके स्थानापन्न हो सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप में एकाधिकार में प्रतियोगिता का अभाव हो सकता है, परन्तु परोक्ष रूप में एकाधिकारी को कुछ न कुछ प्रतिस्पर्धा का सामना ही करना पड़ता है। एकाधिकार अधिकतर संयुक्त पूँजी कम्पनियों अथवा ऐसी कम्पनियों की सघ-बन्दियों को प्राप्त होता है। अमेरिका के ट्रस्ट और जर्मनी के कार्टेल्स ऐसी सघ-बन्दियों अथवा संयोजनों के ज्वलन्त उदाहरण हैं।

परीक्षा प्रश्न :

१. मिश्रित पूँजी कम्पनियों के मुख्य लक्षण क्या हैं ? इनके लाभ व हानि बताइये।
२. सरकारी उपक्रमों का क्षेत्र बढ़ने के कारण बताइये। उद्योगों के सरकारी स्वामित्व के गुण-दोषों का विवेचन कीजिये।
३. साम्प्रदायी और संयुक्त पूँजी कम्पनी में अन्तर बताइये। दोनों में अाप कितने उत्तम समझते हैं और क्यों ?
४. सांस्कृतिक संगठनों के प्रमुख रूप क्या है ? इनके गुण-दोषों की संक्षेप में व्याख्या कीजिये।

एकाधिकार एवं अद्योगिक संयोजन

(Monopoly and Industrial Combinations)

एकाधिकार (Monopoly)

एकाधिकार का अर्थ—

जब एक ही व्यवसाय से सम्बन्ध रखने वाले एक या एक से अधिक व्यक्ति मिल-जुल कर कार्य करते हैं, जिसके फलस्वरूप उनका वस्तु के मूल्य पर और कुछ सीमा तक वस्तु की पूर्ति पर भी पूर्ण नियन्त्रण स्थापित हो जाता है, तो ऐसी अवस्था को एकाधिकार कहते हैं। इसमें प्रवन्ध, उत्पत्ति एवं व्रय-विप्रेय का नियन्त्रण भी समाविष्ट है।¹

एकाधिकार का आधार—

बेनहाम के अनुसार एकाधिकार की सफलता की कुंजी उत्पत्ति का सीमित रखना है। उत्पत्ति के सीमित रखने से ही वस्तु का मूल्य सीमान्त उत्पादन-व्यय (Marginal Cost) से अधिक हो सकता है। अतः एकाधिकारी सदा यह प्रयत्न करता है कि अन्य व्यवसायियों को उस व्यवसाय में न आने दे। इस प्रकार वे दशायें, जिनमें अन्य व्यवसायियों को व्यवसाय विशेष प्रदानाने में कठिनाई होती है, एकाधिकार का आधार कहलाती हैं।² ये आधार निम्नलिखित हैं :—

(१) कानूनी अधिकार—कभी-कभी लोगो को कानून द्वारा एकाधिकार मिल जाते हैं, जैसे—किसी पुस्तक का कॉपीराइट अथवा किसी आविष्कार की पेटेन्टराइट, लोक उपयोगिता सेवा एकाधिकार (Public Utility Monopolies), इत्यादि।

(२) किसी परमावश्यक वस्तु पर अधिकार—“यह भी सम्भव है कि किसी व्यक्ति अथवा कम्पनी को किसी वस्तु पर अधिकार प्राप्त हो, जो उत्पत्ति के लिये नितान्त आवश्यक है।” ऐसी अवस्था में भी एकाधिकार स्थापित हो सकता है। उदाहरण के लिये, डी० डी० अम कम्पनी के पास दक्षिणी अफ्रीका की समस्त हीरे की खानें हैं, अस्तु इस व्यवसाय में इस कम्पनी का एकाधिकार स्थापित होना स्वाभाविक है।

(३) बहुत अधिक पूँजी की आवश्यकता—जिन व्यवसायों में बहुत अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है, उनमें भी नये व्यवसायी तनिक कठिनाई से आते हैं। उदाहरणार्थ, लोहे, हवाई जहाज या पानी के जहाज के कारखाने स्थापित करना हर किसी व्यवसायी के बश की बात नहीं है।

(४) पुरानी प्रतिष्ठा—कुछ कम्पनियाँ पुरानी तथा प्रतिष्ठित होती हैं। वे विज्ञान

¹ “Broadly speaking, the word is used to cover any effective price control, whether of supply or of demand of services or of goods; narrowly, it is said to mean combination of manufacturers or merchants to control the supply prices of commodities or services.” Thomas : *Elements of Economics*, p. 215.

भादि द्वारा अपनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्धि प्राप्त कर लेती है जिससे गये लोग उस व्यवसाय में आते हुए हितकिसाते हैं ।

एकाधिकारों का वर्गीकरण (Classification of Monopolies)—

एकाधिकारों के अनेक प्रकार के वर्गीकरण प्रचलित हैं :—

(I) इन्हें बहुधा प्राकृतिक (Natural) सामाजिक (Social), वैधानिक (Legal) और ऐच्छिक (Voluntary) एकाधिकारों से विभाजित किया जाता है :—

(१) प्राकृतिक एकाधिकार प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होते हैं । उदाहरण के लिए, दहिणी अफ्रीका के पास हीरे की उत्पत्ति का एकाधिकार है । भारत में बगाल को बूट के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है ।

(२) सामाजिक एकाधिकारों को कभी-कभी लोक उपयोगी सेवा एकाधिकार (Public Utility Monopolies) भी कहा जाता है । ये एकाधिकार ऐसे होते हैं कि इनकी स्थापना समाज के लिये लाभदायक होती है । रेलों और बिजली कम्पनियों के एकाधिकार इसी प्रकार के होते हैं । यह निश्चय है कि यदि एकाधिकार नहीं रखा जाता है, तो रेलों की लाइनों और बिजली के तारों का इतना जमपट हो जायगा कि समाज को अनुविधा होगी और राष्ट्र के साधनों का अनावश्यक मपव्य होगा ।

(३) वैधानिक एकाधिकार कानून द्वारा स्थापित किये जाते हैं । कॉपीराइट (Copyright) पेटेंट, (Patent) आदि इसी प्रकार के एकाधिकार हैं । इनकी स्थापना लोगों के उत्साह को बनाये रखने तथा आविष्कार और खोज को प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक होती है ।

(४) ऐच्छिक एकाधिकार व्यवसायी अपने निजी स्वार्थ से स्थापित करता है, जिसका उद्देश्य बहुधा दूसरों का शोषण करके अपने लाभों को अधिकतम करना होता है ।

(II) स्थान के दृष्टिकोण से एकाधिकारों का निम्नलिखित वर्गीकरण भी प्रचलित है :—

(१) स्थानीय एकाधिकार (Local Monopoly)—ऐसे एकाधिकार का अधिकार एक छोटा-सा ही होता है, जैसे—कोई व्यक्ति घायरा नगर में दूध की सप्लाई का अधिकार प्राप्त कर ले । नगर की बिजली सप्लाई कम्पनी स्थानीय एकाधिकार का एक अच्छा उदाहरण होती है ।

(२) राष्ट्रीय एकाधिकार (National Monopoly)—ऐसे एकाधिकार का क्षेत्र सारे देश तक विस्तृत होता है । देश के भीतर एकाधिकारी का कोई भी प्रतिद्वंद्वी नहीं होता है, परन्तु देश के बाहर प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं । भारत में सरकार के पास रेलों का एकाधिकार है ।

(३) अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकार (International Monopoly)—ऐसे एकाधिकार का अधिकार-क्षेत्र सारा भू-भाग भर में फैला रहता है । अनेक देश ऐसे एकाधिकार को मान लेते हैं । एक कॉपीराइट (Copyright), जिसे सतार के बहुत से देश मानते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय एकाधिकार कहलायेगा । इस सम्बन्ध में हमें यह याद रखना चाहिये कि किसी एकाधिकार का अधिकार दोन जितना ही अधिक विस्तृत होगा, उतनी ही एकाधिकारी की शक्ति भी अधिक होगी ।

(III) स्वामित्व की दृष्टि से एकाधिकार निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं :—

(१) सार्वजनिक, लोक प्रयोज्य सरकारी एकाधिकार (Public or State Monopolies)—ऐसे एकाधिकार का प्रयोज्य किसी सार्वजनिक सत्ता के हाथ में होना है और इसके लाभों का उपयोग भी सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है । सभी प्रकार के राष्ट्रीयकृत

(Nationalised) उद्योग तथा राज्य और स्थानीय सरकारों के उपक्रम इसी प्रकार के एकाधिकार होते हैं।

(२) **व्यक्तिगत एकाधिकार (Private Monopolies)**—इन पर व्यक्तियों का अधिकार होता है। इनके लाभों का उपयोग व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। ऐसी दशा में बहुधा कीमतों को ऊपर उठाकर जन-साधारण का शोषण किया जाता है। इस प्रकार के एकाधिकार देश और समाज के लिए बहुधा हानिकारक होते हैं, यद्यपि कभी-कभी इनसे समाज को कुछ परोक्ष लाभ भी हो जाते हैं।

(३) **अर्द्ध-सरकारी एकाधिकार (Quasi-public Monopolies)**—ऐसा एकाधिकार उपरोक्त दो प्रकार के एकाधिकारों का मिश्रण होता है। इसमें स्वामित्व तो सार्वजनिक अथवा सरकारी होता है, परन्तु प्रबन्ध व्यक्तिगत होता है। व्यावहारिक जीवन में बहुत बार सरकार किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर लेने पर भी उसके पुराने निजी सम्बन्ध को भी बना रहने दे सकती है। ऐसी दशा में अर्द्ध-सरकारी एकाधिकार स्थापित हो जायगा।

एकाधिकार अथवा एकाधिकारी संयोगों का निर्माण क्यों ?

ऐसा कम ही होता है कि कोई एक फर्म ऐसी विविष्ट स्थिति रखे कि वह एकाधिकार जमा सके। प्रायः वस्तु बनाने वाली कई फर्म मिलकर एकाधिकार जमाने का प्रयास करती हैं। एकाधिकार या एकाधिकारी संयोग की दिशा में बढ़ने की प्रेरणा देने वाले विभिन्न उद्देश्य या कारण निम्न हैं—(१) बड़े पैमाने की बचतें प्राप्त करना, जिससे कम लागत पर उत्पादन किया जा सके; (२) अत्यधिक लाभ कमाना; (३) प्रतियोगिता की जोखिमों से बचना; (४) विदेशी प्रतियोगिता से रक्षा करना; (५) सार्वजनिक हित की अधिकतम प्राप्ति करना; एवं (६) अधिक से अधिक शक्ति और प्रतिष्ठा अर्जित करना।

एकाधिकार के आर्थिक परिणाम—

एकाधिकारों की स्थापना से जहाँ अनेक लाभ हैं वहाँ कुछ हानियाँ भी होती हैं :—
लाभ—(i) चूँकि उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, इसलिये बड़े पैमाने के उत्पादन की मितव्ययितायें प्राप्त होती हैं। (ii) विज्ञापन आदि व्यय बचने से विक्रय लागतें घट जाती हैं। (iii) विद्यालय आर्थिक प्रसाधनों के बल पर एकाधिकारी संकटों पर सहज ही काबू पा लेता है। (iv) अनुसंधानों को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि उन पर व्यय के लिए अधिक धन उपलब्ध होता है। (v) रेल, बिजली, पानी जैसी सार्वजनिक सेवाओं के लिए आवश्यक है, क्योंकि इनमें प्रतियोगिता हानिप्रद होती है।

हानियाँ—(i) इसमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है, क्योंकि अधिकतम लाभ कमाने के लिये एकाधिकारी वस्तु की प्रायः ऊँची कीमत रखता है किस्म में गिरावट कर देना है, मूल्य-विभेद अपनाना है, और पूर्ति को सीमित रखने के लिये यत्न करता है। (ii) अकेला उत्पादक होने के कारण वह श्रमिकों को कम भजदूरी लेने के लिये विवश कर सकता है। (iii) प्रतियोगिता की अनुपस्थिति में उसे तकनीकी प्रगति के लिए उत्साह नहीं रहता। (iv) वे उत्पादन के क्षेत्र में नई पूँजी और उपक्रम के प्रवेश में बाधा डालते हैं, ताकि उसका एकाधिकार सुरक्षित रहे। (v) उसे कुशलता बढ़ाने की भी चिन्ता नहीं होती, क्योंकि वह अपनी एकाधिकारिक शक्ति के कारण स्वयं को सुरक्षित समझता है। (vi) एकाधिकारी प्रायः पनी व्यक्ति होते हैं तथा वे अधिक धनी बनते जाते हैं और इस प्रकार उनके हाथों में आर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण हो जाता है। (vii) भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि वे रिश्वत देकर अफसरों से अपना काम निकलवाते हैं।

औद्योगिक संघबन्दी (Industrial Combinations)

प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति को बढ़ाने के लिये फर्म अपना विस्तार करती है। ऐसे विस्तार की दो रीतियाँ हैं—या तो फर्म अपने प्लान्ट का विस्तार करे या नया संघ फर्मों के साथ मिलकर संयोजन बनाये। ऐसे औद्योगिक संघों या संघबन्धियों द्वारा व्यवसाय के नियन्त्रण एवं प्रबन्ध का केन्द्रीयकरण होकर उत्पादन की क्षमता में वृद्धि होती है तथा व्यवसाय का विस्तार बढ़ जाता है। यह संयुक्तीकरण निम्नांकित दो प्रकार का होता है :—

(I) खड़ा मिलान (Vertical Combination)—

इसको 'उद्योगों का सम्मिलन' या 'विलय' (Integration of Industries) भी कहते हैं। जब किसी व्यवसाय के विभिन्न कार्य एक ही प्रबन्ध के अन्तर्गत होते हैं, तो इसे "खड़ा मिलान" कहते हैं। उदाहरण के लिये, टाटा स्टील वर्क्स की कंपनी ही लोहे और कोयले की खानें हैं, जहाँ से गट्ट कंपनी स्वयं ही लोहा और कोयला खोदती है और कच्चे माल से लोहा तथा स्पात (Steel) बनाती है। इसी प्रकार, युनाइटेड स्टेट्स स्टील कॉरपोरेशन है, जिसकी कंपनी लोहे और कोयले की खानें हैं। अपने ही यातायात के साधन (रेल और जहाज) हैं तथा माल तैयार करने के अपने ही कारखाने हैं। ऐसे संगठन से बहुत से लाभ हैं, जो निम्न प्रकार हैं—(१) इसमें अल्पव्यय पर अधिकतम उत्पादन होती है। (२) उपभोक्ता को कम कीमत पर वस्तु उपलब्ध हो जाती है। (३) भिन्न-भिन्न कंपनियों को जो लाभ होता है, वह एक ही कंपनी को मिल जाता है। (४) वस्तु के विश्वी सम्बन्धी व्यय में कमी हो जाती है। (५) कच्चा माल सरलता से उपलब्ध हो जाता है। (६) हानिकारक प्रतिस्पर्धा से जो हानियाँ होती हैं, वे नहीं होने पाती हैं।

खड़े मिलान की वृत्तिपय कठिनाइयाँ भी हैं, यथा :—(i) इसके लिये अधिक मात्रा में पूँजी की आवश्यकता पड़ती है, जो सहज ही उपलब्ध नहीं होती है। (ii) विभिन्न उत्पादन व्यवस्थाओं में विभिन्न तकनीकें प्रयुक्त होती हैं, जिनकी पूरी जानकारी के अभाव में फर्मों के लिये खड़े मिलान को अपनाना कठिन होता है। चूँकि खड़े मिलान के मार्ग में ये कठिनाइयाँ हैं इसलिए फर्मों की प्रवृत्ति क्षैतिज एकीकरण की ओर अधिक देखी जाती है।

(II) पड़ा मिलान या क्षैतिज एकीकरण (Horizontal Combination)—

जब किसी व्यवसाय विशेष सम्बन्धी एक ही कार्य के करने वाली बहुत-सी कंपनियों का मिलान हो जाता है, तो इसे "पड़ा मिलान" कहते हैं। खड़े मिलान में एक व्यवसाय विशेष के भिन्न-भिन्न कार्यों में सम्बन्ध रखने वाली बहुत-सी कंपनियों का संयुक्तीकरण होता है, परन्तु पड़े मिलान में एक व्यवसाय के एक ही कार्य में सम्बन्ध रखने वाली भिन्न-भिन्न कंपनियों की संघबन्दी होती है, जैसे—किसी वस्तु के दो या दो से अधिक कारखानों का मिल जाना। इन संघबन्धियों का पैमाना बहुत अधिक बड़ा हो सकता है। कभी-कभी इनका विस्तार राष्ट्र की भौगोलिक सीमाओं को पार करके अन्य देशों में भी फैल जाता है। उस प्रकार की संघबन्धियों का उद्देश्य सामान्यतया वही होता है जो अन्य प्रकार की संघबन्धियों का होता है, अर्थात् न्यूनतम व्यय पर अधिकतम लाभ कमाना। पड़ी संघबन्धियों की भाँति यहाँ भी प्रबन्ध की क्षमता बढ़ती है एवं हानिकारक प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है।

क्षैतिज या पड़ा मिलान के विभिन्न रूप—

क्षैतिज मिलान के अनेक रूप संसार में दृष्टिगोचर हुए हैं। प्रमुख रूप अग्र-निमित्त हैं :—

(१) भले आदमियों का समझौता अथवा सज्जन करार (Gentleman's Agreement)—इस प्रकार का समझौता व्यावसायिक संघबन्दी का सबसे प्रारम्भिक रूप होता है। एक ही वस्तु अथवा सेवा के विक्रेता मिलकर अथवा एक दूसरे के हितों को देखते हुये एक आपसी समझौता कर लेते हैं, जिसमें वस्तु अथवा सेवा को एक निश्चित कीमत पर बेचने का निश्चय किया जाता है। यह समझौता मौखिक ही होता है। कभी-कभी तो कोई समझौता भी नहीं होता है, बल्कि एक प्रकार की समझदारी (Understanding) हो जाती है। सभी विक्रेता एक ही कीमत पर विनियम करते हैं परन्तु समझौते से नीची कीमत माँगने वाले को समझाया ही जा सकता है, कोई अन्य कार्यवाही सम्भव नहीं होती है।

(२) उत्पादक सङ्घ या पूल (Pool)—इस प्रकार की सङ्घबन्दी भले आदमियों के समझौते से अधिक व्यापक होती है। इसमें विभिन्न उत्पादक मिलकर कीमत, बाजार और लाभ के बारे में आपसी समझौता कर लेते हैं। समझौते के अनुसार एक निश्चित कीमत पर माल बेचा जाना है, लाभ की एक निश्चित दर रखी जाती है और प्रत्येक उत्पादक बहुधा अलग-अलग बाजार निश्चित कर लेता है। यह मिलान बहुत लचीला (Flexible) होता है। इस प्रकार के समझौते में एक कोष की स्थापना की जाती है। प्रत्येक सदस्य अपने लाभ का एक भाग इस कोष में जमा करता है। कोष में जमा रकम एक निश्चित रीति पर सङ्घबन्दी की फर्मों में बाँट दी जाती है।

ऐसे सङ्घ आसानी से बनाये जाते हैं और जल्दी ही टूट जाते हैं। इसी प्रकार की सङ्घबन्दी कभी-कभी रिंग (Ring) अथवा कांफ्रेंस (Conference) भी कहलाती है। जहाजी कम्पनियों ने रिंग स्थापित करने के अनेक प्रयत्न किये हैं। बाजार में जहाजी सेवाओं की कीमत में वृद्धि करने और सेवाओं को पूर्ण सीमित करने के लिए स्थायी सङ्घटन बनाये जाते हैं जैसे—विभिन्न बन्दरगाहों के बीच भाड़ा तय करना।

(३) कार्टेल (Kartel)—कार्टेल का प्रकार जर्मनी में है। इस प्रकार की सङ्घबन्दी ट्रस्ट से निर्वल होती है। इनमें सम्मिलित कम्पनियों के पृथक् अस्तित्व का अन्त नहीं होता। वे अपने स्वयं के प्रयत्न के अन्तर्गत कार्य करती रहती हैं, केवल अपने माल बिक्री के लिए सम्मिलित सङ्घटन को दे देती हैं। दूसरे शब्दों में, इनका समझौता केवल मूल्य और वितरण तक सीमित रहता है।

इस प्रकार, ट्रस्ट कार्टेल की अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली सङ्घटन है। ट्रस्ट में सम्मिलित कम्पनियों के पृथक् अस्तित्व का अन्त हो जाता है। उनका पृथक् अस्तित्व नई कम्पनी (Trust) में विलीन हो जाता है, परन्तु कार्टेल में सम्मिलित कम्पनियों का पृथक् अस्तित्व बना रहता है। ट्रस्ट में उत्पादन एवं वितरण दोनों ही पर केन्द्रीय नियन्त्रण रहता है, किन्तु कार्टेल में नियन्त्रण केवल वितरण पर होता है। इसके अतिरिक्त कार्टेल (जिसे सिन्डिकेट भी कहते हैं) एक अस्थाई सङ्घटन मानें। माल की जितनी भी माँग आती है वह सब कार्टेल अथवा सिन्डिकेट (Syndicate) के पास आती है।

(४) कॉर्नर (Corner)—कॉर्नर भी एक प्रकार का ढीला सङ्घटन है, जिसका उद्देश्य बाजार में मूल्य पर इस प्रकार नियन्त्रण रखना होता है कि वस्तुओं का अधिक मूल्य लिया जा सके। उदाहरण के लिए, भारत में यदि व्यापारियों का एक समूह एक साल में जितना भी गेहूँ पैदा हुआ है, सब खरीद ले और फिर इसे मण्डियों में मनमानी कीमत पर बेचे, तो इस प्रयत्न को कॉर्नर कहेंगे। परन्तु आधुनिक युग में यातायात के साधन इतनी उन्नति कर गये हैं, इस प्रकार के प्रयत्न सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि माल बाहर से मँगाया जा सकता है।

(५) प्रयत्नक कम्पनी (Holding Company)—ट्रस्ट के विपरीत सरकारी कानून से

बचने के लिए प्रबन्धक कम्पनी का जन्म हुआ। ट्रस्ट में तो सम्मिलित कम्पनियों के ग्रंथ बोर्ड प्रांफ ट्रस्टीज को दे दिये जाते हैं। परन्तु यहाँ बोर्ड प्रांफ ट्रस्टीज के स्थान में एक नवीन कम्पनी स्थापित की जाती है, जो बहुत-सी प्रतिद्वन्द्वी कम्पनियों के ग्रंथ खरीद लेगी है। जिन कम्पनियों के ग्रंथ खरीदे जाते हैं, उन्हें "सहायक" (Subsidiary) कम्पनी कहते हैं। इसमें सम्मिलित कम्पनियों के पृथक् अस्तित्व का अन्त नहीं होता है। ऐसी कम्पनी के अनेक लाभ होते हैं। प्रमुख लाभ निम्न प्रकार है :—(अ) गौण कम्पनियों को योग्य एवं प्रवीण कर्मचारियों से सहायता मिल जाती है। (ब) सामान के खरीदने में बचत हो जाती है, क्योंकि सब सदस्य कम्पनियों का भाग एक ही साथ खरीदा जाता है। (स) प्रबन्ध का एकीकरण होने से मितव्ययिता भा जाती है। (द) साधनों के एकत्रित हो जाने के कारण सारे उद्योग की प्रतियोगिता शक्ति बढ जाती है। (य) बीमती के गिरने घबरा अति-उत्पादन का भय नहीं रहता है।

(६) विलयन अथवा एकीकरण (Merger)—यह स्वाभाविक सम्बन्धी वा बहुत ही व्यापक रूप है, इसमें सपन्नदी करने वाली दो या अधिक कम्पनियाँ एक दूसरे से पूर्णतया मिल जाती हैं। दोनों का व्यक्तिगत अस्तित्व विलकुल मिट जाता है और दोनों के मिलने से एक नई ही कम्पनी का निर्माण होता है। हमारे देश में एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी (Associated Cement Company) ऐसी सङ्घबन्दी का प्रच्छा उदाहरण है। लोहा निर्माण उद्योगों में भी इस प्रकार का मिलान हुआ है। यह मिलान बड़ा ही व्यापक होता है।

(७) ट्रस्ट (Trust)—अमेरिका में किसी भी बड़े औद्योगिक मिलान को ट्रस्ट का नाम दिया जाता है, परन्तु साधारणतया ट्रस्ट विलय (Merger) का ही एक रूप होता है। दो या अधिक कम्पनियाँ अपना-अपना व्यक्तिगत मिटाकर एक नई कम्पनी का निर्माण करती हैं, जैसे—अमेरिका का स्टील ट्रस्ट।

ट्रस्ट और कार्टेल में तुलना—दोनों का उद्देश्य ऊँची कीमतें रखकर लाभ को अधिकतम करना है। इस पर भी दोनों में कई अंतरांतराएँ हैं, जैसे—(i) कार्टेल में कुशलता का स्तर ट्रस्ट की अपेक्षा नीचा रहता है, क्योंकि उसे केवल विपणन सम्बन्धी बचने ही प्राप्त होती है, किन्तु ट्रस्ट में उत्पादन और विपणन दोनों की। (ii) कार्टेलों में फर्मों का समीग अस्थायी है, क्योंकि उनका पूर्ण विलयन तो होता नहीं, लेकिन ट्रस्ट में समीग स्थायी है क्योंकि इसमें फर्मों का के लिए अपने अस्तित्व को विलीन कर देती है। (iii) कार्टेल में उद्योग की प्रायः सभी फर्म सम्मिलित हो जाती हैं, लेकिन ट्रस्ट में ऐसा नहीं है। (iv) ट्रस्ट का निर्माण कार्टेल की अपेक्षा महँगा होता है।

लाभ—ऐसी सङ्घबन्दी के प्रमुख लाभ निम्न प्रकार हैं :—(१) इस सङ्घबन्दी के बहुत बड़े पैमाने पर होने से इसमें प्रबन्ध, अर्थ-विभाजन, मशीनों के अधिगमन उपयोग, विशिष्टीकरण, अनुसन्धान एवं आविष्कार के फलस्वरूप बहुत अधिक बचत होती है। (२) इनमें लगातार उत्पादन अधिक निश्चित है। (३) यह मन्दी की कठिनाइयों का सरलता से सामना कर सकते हैं, जबकि ऐसी दशा में आमुली व्यवसायों की नीचे तन हिल जाती है। (४) मिश्रित पूँजी कम्पनी होने से इनको ऐसी कम्पनियों के समस्त लाभ उपलब्ध है। (५) इनके पास अवरिमित पूँजी होती है, स्थिर विशालकाय सङ्घठन होता है और इसके प्रमुख स्वामी 'स्थिर व्यवसाय' का महत्त्व समझते हैं। इन सब कारणों से इनके उत्पादन एवं मूल्यों में भी स्थिरता पा जाती है। (६) एसाधारणी होने से इन्हें जय विजय में भी बचत हो जाती है। इसके अतिरिक्त ये अपनी वस्तुओं का अधिक मूल्य भी प्राप्त कर सकते हैं। (७) प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी व्यय, जैसे—विज्ञान और एजेंटों पर व्यय कम हो जाता है। (८) अधिक पूँजी होने के कारण ये प्रतिद्वन्द्वी व्यवसायों का

अन्त करके विदेशी मण्डियों पर अधिकार कर सकते हैं। (६) ये विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ उत्पन्न करके उपभोक्ताओं की विभिन्न रुचियों की सन्तुष्ट करते हैं।

हानियाँ—इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि उचित दशायें या ठीक नियन्त्रण हो तो ट्रस्ट से समाज तथा देश को अनेक लाभ हो सकते हैं, परन्तु वास्तविक जीवन में न ऐसी दशायें ही पाई जाती हैं और न उचित नियन्त्रण ही हो पाते हैं। इनसे मुख्य हानियाँ निम्न प्रकार हैं—(१) ट्रस्ट प्रतिद्वन्दी व्यवसाय का अन्त कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप समाज को सम्भावित लाभ नहीं होने पाते हैं। इसके अतिरिक्त, वस्तु उत्पादन में उपभोक्ता की रुचि का ध्यान नहीं रखा जाता है, दृष्टि केवल लाभ पर होती है। (२) ट्रस्ट बूकानदारों पर अनुचित दबाव डालते हैं और उनको इस शर्त पर अपनी वस्तुयें बेचना अधिकार देते हैं कि वे प्रथम किसी कारखाने की वस्तुएँ न बेचें। (३) अमेरिका में ये रेलवे कम्पनियों द्वारा माल भेजने के भाड़े में रियायत करा लेते हैं। इस प्रकार प्रतिद्वन्दी कम्पनियों की अपेक्षा इनमें अधिक प्रतिस्पर्धा शक्ति आ जाती है। (४) इनके महान साधनों के कारण नये व्यवसायों को स्थापित करने में नहीं आ पाते हैं। इन प्रकार आर्थिक विकास में बाधा पड़ती है। (५) ये धर्मिक धर्म का शोषण करते हैं और उनकी मजदूरी कम करने के लिए उनको बेकारी का भी भय दिखाते हैं। ये उपभोक्ता का भी शोषण करते हैं और उन्हें अधिक मूल्य दे देने पर विवश करते हैं। अमेरिका में यह भी देखा गया है कि न्यायाधीशों और पारा समा के सदस्यों से अपने रुपये के बल पर मंगानी करा लेते हैं। (६) जब बहुत-सी प्रतिद्वन्दी कम्पनियाँ उत्पादन करती हैं, तो उत्पत्ति के साधनों की माँग अधिक होती है और इस कारण उनका पारिश्रमिक भी अधिक हो जाता है, परन्तु एकाधिकार स्थापित होने पर बहुत-सी प्रतिद्वन्दी कम्पनियों का अन्त हो जाता है। वस्तु उत्पत्ति के साधनों की माँग कम होने के साथ-साथ उनके पारिश्रमिक में भी कमी हो जाती है। (७) उत्पादन पर नियन्त्रण होने के कारण उत्पत्ति के साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता। (८) कुशल तथा प्रगतिशील कम्पनियाँ ट्रस्ट में सम्मिलित निर्दल कम्पनियों को जीवित रखने के लिए अपनी शक्ति से कम उत्पादन करती हैं। इस प्रकार उनके अविभाज्य साधनों का उपयोग नहीं हो पाता है।

एकाधिकार एवं औद्योगिक संघबन्दी पर नियन्त्रण (Control on Monopolies & Combinations)

औद्योगिक और व्यावसायिक संघबन्दी पूँजीवाद का सबसे उच्च रूप है। ऐसी संघबन्दी में एकाधिकार के सभी दोष पाये जाते हैं। इन सभी अथवा एकाधिकारों का उद्देश्य पारस्परिक प्रतियोगिता को गिराकर शक्तियों और उपभोक्ताओं का शोषण करने अथवा लाभ कमाना होता है। ये बहुधा देश में उत्पादन की मात्रा को सीमित कर देने हैं और नये उद्योगों तथा व्यवसायों की स्थापना और विकास में भारी बाधा डालने हैं। बहुत बार तो इनके राजनैतिक भ्रष्टाचार भी फैलता है। एकाधिकारी अपनी विशाल आर्थिक शक्ति के कारण राजनीतिक दलों पर अपना प्रभाव डाल सकता है। एकाधिकार देश के भीतर धन के वितरण में भी असमानता उत्पन्न करते हैं। उनसे धनी व्यक्ति और अधिक धनवान हो जाते हैं और निर्धन व्यक्तियों की निर्धनता बढ़ती जाती है। इन्हीं कारणों से लगभग सभी देशों में एकाधिकार और संघबन्दी पर कुछ न कुछ प्रतिबन्ध अवश्य लगाये जाते हैं।

इस सम्बन्ध में यह जानना आवश्यक है कि सभी प्रकार के एकाधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं। कुछ प्रकार के एकाधिकार तो स्वयं सरकार ही उत्पन्न करती है, जिन्हें हम "लोक एकाधिकार" (Public Monopolies) कहते हैं। इन पर प्रतिबन्ध लगाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। इसी प्रकार वैधानिक एकाधिकारों, (जैसे—कॉपोराटिड आदि) की सरकार रक्षा करती है और उन्हें प्रोत्साहन देती है। लोक उपयोगी सेवाओं (Public Utility Services) में

भी एकाधिकार की स्थापना लाभदायक समझी जाती है, किन्तु घब्रिक्कांशन: निजी एकाधिकारों तथा सघबन्धियों को रोकने और मिटाने का प्रयत्न किया जाता है। एकाधिकार सम्बन्धी सभी प्रकार के प्रतिबन्ध ऐसे ही एकाधिकारों से सम्बन्धित होते हैं।

सङ्घबन्धों को रोकने की रीतियाँ—

एकाधिकार और सघबन्धों पर लागू प्रतिबन्ध बहुधा तीन प्रकार के होते हैं—

(i) वे प्रतिबन्ध जिनका उद्देश्य केवल एकाधिकारों की शोषण-शक्ति को कम करना या मिटाना होता है, (ii) वे प्रतिबन्ध जिनका उद्देश्य एकाधिकारों के प्रतियोगी उत्पन्न करना होता है, और (iii) वे प्रतिबन्ध जिनका उद्देश्य एकाधिकार को समाप्त करना होता है। इस प्रकार की रीतियाँ तीन भागों में बाँटी जा सकती हैं, जो निम्न प्रकार हैं :—

(१) अनुचित प्रतियोगिता बन्द करना—एकाधिकार अथवा सघबन्धी बहुधा इसलिए की जाती है कि उत्पादक प्रतिस्पर्धी की अनुचित और अनाधिक प्रतियोगिता से बचना चाहता है। जब बड़े-बड़े और शक्तिशाली उद्योगपति छोटे-छोटे उद्योगपतियों से स्पर्धा करने लगते हैं, तो उनके पास जीवित रहने का एकमात्र उपाय सघबन्धी ही होता है। इसी प्रकार, राजिपातन (Dumping) का मामला भी सघबन्धी द्वारा ही किया जा सकता है। सरकार ऐसी अनुचित और अनाधिक प्रतियोगिता को बन्द कर सघबन्धी करने के उद्देश्य को ही समाप्त कर सकती है।

(२) सघबन्धी विरोधी कानून (Anti-trust Laws)—सरकार सघबन्धी के विरुद्ध कानून बना सकती है और सघबन्धी को अर्थहीन घोषित कर सकती है। अमेरिका में इस प्रकार के अनेक नियम बने हैं, यद्यपि इनकी सफलता अन्वेषणपूर्ण ही रही है। प्रत्येक नियम में कुछ न कुछ कमी ढूँढ ली जाती है, और, यदि एक प्रकार की सघबन्धी शर्ष घोषित कर दी जाती है, तो दूसरे प्रकार की सघबन्धी बर ली जाती है।

(३) राष्ट्रीयकरण (Nationalisation)—यह सघबन्धी को रोकने की सबसे सप्रभाविक रीति है जो उद्योग स्वभाव से ही एकाधिकारी प्रवृत्ति है या जिनमें एकाधिकार स्थापित होने का भय है, उन्हें सरकार स्वयं लेकर सरकारी उपक्रमों के रूप में चला सकती है, जिससे वे व्यक्तिगत एकाधिकार न रहकर लोक एकाधिकार बन जायेंगे।

एकाधिकारों की शक्ति को कम करने के उपाय

एकाधिकारों की शक्ति अनेक रीतियों से कम की जा सकती है। प्रमुख रीतियाँ पाँच प्रकार की हो सकती हैं :—

(१) एकाधिकारों पर कर लगाना—इस प्रकार के कर चार प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक का प्रभाव अलग-अलग होता है। (क) बोर कर—इसमें एकाधिकारों पर कर की एक निश्चित मात्रा नियत कर दी जाती है। एकाधिकारों में चाहे दाग ले सकता है, केवल उसे एक निश्चित रकम सरकार को कर के रूप में देनी पड़ती है। इस कर में दो बड़े गुण होते हैं—प्रथम, तो एकाधिकारों इस कर की रकम को स्वयं देता है। वह उपभोक्तियों से उँचे दामों के रूप में इसे बमूल नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से उसके कुल लाभ में कमी आ जाती है। दूसरे, इसमें सरकार को कुछ घाय हो जाती है, जो जनता के हित के लिए व्यय की जा सकती है। परन्तु इसमें सबसे बड़ा दोष यह होता है कि इसमें उपभोक्तियों को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता है और न ही उनके बट में कमी आती है। (ख) लाभ का प्रतिशत कर—मैक्रो-निक दृष्टि में ऐसा कर लाभदायक होता है, क्योंकि यह भी एकाधिकारों को देना पड़ता है, परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से लाभ की गहरी माप सरकार के लिए लगभग असम्भव ही रहती है। साथ ही, यदि एकाधिकारों की उपज की माँग की लोक बहुत ही कम है, तो इस प्रकार के कर का शोभक कुछ दमाओं में जनता पर भी डाला जा सकता है। (ग) प्रति उत्पादन इकाई कर—

यह कर उत्पादन-कर (Excise Duties) के समान होता है और इसमें बरोश कर के सभी गुण और दोष होते हैं। ऐसे करों से उत्पत्ति बढ़ने के स्थान पर बहुधा घट जाती है और जनता की कठिनाई बढ़ जाती है। (घ) दाम या मूल्य का प्रतिशत कर—इसमें दामों के अनुसार कर लगाया जाता है। उद्देश्य दाम बढ़ा कर एकाधिकार की माँग को कम करना होता है, परन्तु यह कर उन्हीं दशाओं में सफल होते हैं, जबकि माँग बहुत लोचदार होनी है और इनका सारा बोझ उपभोक्ताओं पर ही पड़ता है।

(२) दामों पर नियन्त्रण (Price Control)—इसका उद्देश्य दामों का इस प्रकार नियत करना होता है कि उपभोक्ताओं का अनहिन न हो सके। व्यावहारिक जीवन में यह भी बड़ा बटिन होता है। बीगू के अनुसार, इसकी सफलता अनेक बातों पर निर्भर होती है, जिनमें व्यय का अध्ययन विशेष महत्त्व रखता है।

(३) उत्पत्ति पर नियन्त्रण—प्रयत्न इस बात का किया जाता है कि एकाधिकारी को इस प्रकार बाध किया जाय कि उत्पत्ति की मात्रा उतनी ही हो, जितनी कि प्रतियोगिता की दशा में होती।

(४) सरकारी सहायता (Bounties)—आर्थिक सहायता देकर सरकार कम उन्नत उद्योगों की प्रतियोगिता शक्ति को इस प्रकार बढ़ा सकती है कि वे एकाधिकारी से टक्कर ले सकें। इसी प्रकार आर्थिक सहायता देकर पूर्ण-नया नये उद्योग भी उत्पन्न किये जा सकते हैं।

(५) सरकारी उत्पादन—सरकार द्वारा स्वयं ऐसी वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है, जो एकाधिकारी द्वारा उत्पन्न की जाती है।

उद्योगों का विवेकीकरण

(Rationalisation of Industries)

विवेकीकरण का अर्थ

उद्योगों के विवेकीकरण का शाब्दिक अर्थ है उद्योगों में तर्क दायका युक्ति का प्रयोग करना। अर्थात्, उद्योगों को ऐसे वैज्ञानिक ढङ्ग से चलाया जाता है, जैसा कि कोई भी बुद्धिमान दायका सर्वशोभ व्यवस्था उपयोग करेगा। इस प्रकार, विवेकीकरण को हम सुधार तथा समन्वय (Co-ordination) की वैज्ञानिक युक्ति कह सकते हैं। इस दृष्टिकोण से विवेकीकरण औद्योगिक प्रवृत्ति का ही एक रूप होता है। वर्तमान उद्योगों को समय के परिवर्तनों के अनुसार अपनी उत्पादन मात्राओं और विद्याओं में भी परिवर्तन करना पड़ता है। ये परिवर्तन विवेकीकरण द्वारा ही किये जाते हैं। यदि कोई उद्योग इस प्रवैज्ञानिक और परिवर्तनशील जगत में जीवित रहना चाहता है और अपनी प्रतिस्पर्धी शक्ति को बनाये रखना चाहता है, तो उसके लिए विवेकीकरण प्रावश्यक होता है।

विवेकीकरण की प्रमुख परिभाषाएँ—

जहाँ तक परिभाषाओं का सम्बन्ध है, विवेकीकरण की भी अनेक प्रकार की परिभाषाएँ की गई हैं। कुछ लेखकों ने इस शब्द के विस्तृत अर्थ लगाये हैं और कुछ ने संकुचित अर्थ।

(१) विश्व आर्थिक सम्मेलन (१९२७)—“यह उत्पादन विधि और प्रवृत्ति की वह प्रणाली है, जिसमें मानव-श्रम और साधनों का न्यूनतम व्यय होना है। इसमें सामानों और उपजों का प्रभावी वितरण, धन का वैज्ञानिक संगठन, यातायात और विप्री प्रणालियों में सुधार और उत्पादन-विद्याओं का सरल चलावा सम्मिलित होते हैं।”¹

(२) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सङ्गठन (I. L. O.)—“विवेकीकरण में परम्परागत विद्याओं, बंधे हुए मार्ग-विद्याओं, धर्मज्ञानिक भावों और रीतियों के स्थान पर ऐसी रीतियों का उपयोग किया जाता है, जो वैज्ञानिक अध्ययन का फल होती हैं, उद्योगों में उन्हें श्रम और साधनों के बीच प्रविष्टतम् समायोग करती हैं और इस प्रकार यह सम्भव बनती है कि प्रत्येक प्रयत्न के फलस्वरूप अधिकतम लाभपूर्णा फल प्राप्त हो सकें।”²

¹ “The method of technique and organisation designed to secure the minimum of waste either of efforts or of materials. It includes standardisation of materials and products, scientific organisation of labour, improvement in the systems of transport and marketing and simplification of processes”
—World Economic Conference, 1921.

² “...instead of traditional processes, established routines, empirical rules and improvisations, use is made of methods that are the fruit of patient scientific study and aim at the optimum adjustment of means to ends, thus securing that every effort produces the maximum useful results.”
—I. L. O.

(३) बालफोर (Balfour)—“प्राचीन काल में हम उत्पादन में साधारण ज्ञान का उपयोग करते थे और मेरा विचार है कि यही बात अब भी होती है । परन्तु, क्योंकि विवेकीकरण एक नया शब्द है, इसलिये इसकी परिभाषा की आवश्यकता है । यह यथार्थ में उत्पादन-विधि और संगठन की ऐसी प्रणाली है, जिसमें प्रयत्न और सामान का न्यूनतम अपव्यय प्राप्त किया जाता है, श्रम का वैज्ञानिक संगठन किया जाता है, वस्तुओं और सामानों का प्रमाणीकरण किया जाता है उत्पादन-क्रियाओं में सरलता लाई जाती है और यातायात तथा विक्री-प्रणालियों में भौतिक सुधार किये जाते हैं ।”

(४) बोई (Bowie)—“नये विवेकीकरण में नियोजन, पुनर्व्यवस्था तथा विकास की तीन अवस्थाएँ सम्मिलित होती हैं ।”¹

(५) प्रो० जेवेन्स—“नई औद्योगिक क्रान्ति का सार निश्चित ज्ञान की खोज तथा क्रियाओं का नियोजन है । यह हस्त-क्रियाओं से लेकर विशालकाय प्लांट (Plant) के ही नहीं बल्कि देश के सम्पूर्ण उद्योग के नियोजन तक फैला रहता है ।”

(६) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-सङ्गठन—“सकृच्चिन्तित अर्थ में, विवेकीकरण उद्योग, शासन अथवा सेवा का कोई भी ऐसा सुधार है, चाहे यह एक सांख्यिक सत्ता द्वारा किया जाये अथवा व्यक्ति द्वारा, जिसमें पुरानी और घिसी हुई रीतियों के स्थान पर ऐसी विधियों का उपयोग किया जाता है जो सम्बद्ध तर्कों पर आधारित हों । विस्तृत अर्थ में, विवेकीकरण एक ऐसा सुधार है जो कई व्यवसायों को एक इकाई के रूप में लेता है और उनसे सम्बन्धित उस शक्ति और अपव्यय को, जो निवांघ प्रतियोगिता के कारण उत्पन्न होते हैं, सम्बद्ध तर्कपूर्ण रीतियों द्वारा दूर करने की प्रवृत्ति रखता है । सबसे विस्तृत अर्थ में, विवेकीकरण कोई भी ऐसा सुधार है जिसमें सम्बद्ध तर्क पर आधारित साधनों और रीतियों को बड़े आर्थिक और सामाजिक वर्गों की सामूहिक क्रियाओं पर लागू करने का प्रयत्न किया जाता है ।”

सरल शब्दों में, हम इस प्रकार कह सकते हैं कि विवेकीकरण में उद्योग अथवा व्यवसाय में ऐसी नई-नई उत्पादन और व्यावसायिक विधियों का उपयोग किया जाता है जो तर्कों पर आधारित हों, अपव्यय और हानियों को घटाती हों और सामान्य रूप में व्यवसाय की कुशलता और प्रतिधोमी शक्ति को बढ़ाती हों ।

विवेकीकरण की आवश्यकता (उद्देश्य)

प्रत्येक उद्योगपति अपने व्यवसाय से अधिकतम लाभ कमाने का प्रयत्न करता है । वह माँग और औद्योगिक विधियों के परिवर्तनों को बराबर ध्यान में रखता है । समय-समय पर उत्पादन-रीतियों में आवश्यक परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है और इसके लिए विवेकीकरण ही सबसे उपयुक्त रीति है । विवेकीकरण की आवश्यकता निम्न कारणों से उत्पन्न होती है :—(१) विवेकीकरण औद्योगिक पुनर्संज्ञान का एक शक्तिशाली साधन है । इसके द्वारा श्रम और माल के उपयोग की नई विधियों को बरकरार रखना है, उद्योग की उपज की माँग का दृष्टियों के परिवर्तनों के साथ समायोजन किया जा सकता है और व्यवसाय के पुनर्वाहन (Rehabilitation), पुनर्निर्माण (Reconstruction) और पुनर्संज्ञान की समस्याओं को एक ही साथ सुलभया जा सकता है । (२) विवेकीकरण की आवश्यकता अनेक प्रकार के अध्ययन को दूर करने के लिए भी उत्पन्न होती है । इसके लिये कच्चे माल का अधिक वैज्ञानिक उपयोग किया जाता है, अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग किया जाता है, श्रम-विभाजन की उन्नति

की जाती है, निरीक्षण की कुशलता बढ़ाई जाती है और उत्पादन की प्रियाओं को मरल बनाया जाता है। इन सब बातों का यह परिणाम होता है कि उत्पादन-उपय में कमी आ जाती है। (३) विवेकीकरण का उपयोग उद्योग प्रथवा व्यवसाय की प्रतियोगिता-शक्ति बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है, और अपनी रक्षा के लिए भी यह मांग धरनाया जा सकता है। व्यावसायिक मन्दी के वक्त के उद्योग का जीवन ही टग पर निर्भर होता है। (४) औद्योगिक उत्पादन में प्रथमिक दृष्टिकोण भी विवेकीकरण की आवश्यकता उत्पन्न करता है। प्राचुरिक मत्तार में विद्युत् रचना धन में त्रुट का कारण बनता है। (५) नये आविष्कारों और नई उत्पादन कलाओं की खोज के कारण भी नई उत्पादन-विधियाँ आवश्यक हो सकती हैं। (६) विशेष परिस्थितियों, जैसे—युद्ध का सामना करने के लिये भी विवेकीकरण आवश्यक हो सकता है। युद्ध छिड़ जाने की दशा में औद्योगिक इकाइयों का युद्ध के सफल संचालन हेतु समायोजन आवश्यक होता है।

मेधावीजकों की ओर से बहुधा यह तर्क रखा जाता है कि सभी देशों में औद्योगिक कुशलता की बढ़ाने के लिए विवेकीकरण एक सर्वव्यापी प्रवृत्ति बन गया है। इसके बिना उद्योग की प्रतियोगिता-शक्ति घट जायगी। इसके अनिर्दिष्ट विवेकीकरण कीमतों में कमी कर देना है, क्योंकि उत्पादन व्यय में कमी हो जाती है। विवेकीकरण उद्योगों को वैज्ञानिक अनुसन्धान, बड़े पैमाने के उत्पादन, विशिष्टीकरण, सुधार और शिल्पज्ञान के लाभ प्रदान करता है। उत्पादकों में सहकार की भावना उत्पन्न हो जाती है और औद्योगिक विकास की अनुकूल दशाएँ उत्पन्न हो जाती हैं।

विवेकीकरण के सिद्धान्त और प्रणालियाँ (Principles and Methods of Rationalisation)

विवेकीकरण की विशेषतायें—

प्रो० जेवन्स (Jevons) ने विवेकीकरण की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है :—

(१) कम्पनियों का विलय प्रथम एकाकी निष्पन्न और कमजोर उत्पादन इकाइयों का समाप्त करना, जिसमें एकाधिकारी लाभ प्राप्त हो सके और अधिक मात्रा में पूँजी मिल सके। (२) प्लाण्ट और उपयुक्त सम्बन्धित बातों का विशिष्टीकरण, जिससे कि बड़े पैमाने के उत्पादन और गण्टन की बचने प्राप्त हो सकें और ऐसे प्लाण्टों की स्थापना, जिससे कि उत्पादन में अधिक बचन मिल सकें। (३) विशिष्ट मशीनों और यन्त्रों की सहायता से प्रत्येक प्लाण्ट का इन प्रकार नियोजन करना कि लगातार उत्पादन हो सकें। (४) प्रवन्ध का सुधार, जिससे कि खरीदने, बेचने, प्रमाणीकरण करने और बच्चे भातों के मिलाकर उपयोग करने की निष्पत्ति प्राप्त हो सकें। (५) समय और त्रिवा (Time and motion) अध्ययन के आधार पर हस्त-त्रियाओं का नियोजन करना और यंत्रों को आवश्यक प्रशिक्षण देना।

विवेकीकरण की रीतियाँ—

उपरोक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए अलग-अलग उद्योगों में अलग-अलग रीतियाँ अपनाई जाती हैं, क्योंकि प्रत्येक की आवश्यकता अलग-अलग हो सकती है। विवेकीकरण के लिए त्रि रीतियों का उपयोग किया जाता है, उन्हें हम तीन वर्गों में बाँट सकते हैं :—

(१) पुनर्गठन—तीनों रीतियों में पुनर्गठन सबसे सरल है। इसमें औद्योगिक इकाई में इस प्रकार के गठन सम्बन्धी सुधार और परिवर्तन किये जाते हैं कि कुशलता अधिकतम हो जाय। इसके लिए सधबन्दी प्रथम उत्पादन-विधियों के परिवर्तन द्वारा प्रतियोगिता को समाप्त किया जा सकता है। कार्य की दोवारगी (Duplication) को समाप्त किया जा सकता है, अणुयुक्त को दूर किया जा सकता है और बड़े पैमाने के उत्पादन की बचन प्राप्त की जा सकती है। उद्योग के वित्तीय आधार को दृढ़ किया जा सकता है और सपबन्दी द्वारा

मन्दी के सङ्कट को कम किया जा सकता है। पुनर्मज्जुटन में उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के बीच अच्छा समायोजन किया जाता है, उत्पादन की विभिन्न क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है और उत्पादन को निश्चित योजना-क्रम के अनुसार चलाया जाता है।

(२) आधुनिकीकरण—आधुनिकीकरण का अर्थ है वर्तमान प्लाण्ट में परिवर्तन करने, नवीनतम मशीनों का उपयोग करने और श्रमिकों के स्थान पर मशीनों का उपयोग करने से होता है। यह कार्य धीरे-धीरे ही हो पाता है और इसमें अधिक मात्रा में पूँजी की आवश्यकता पड़ती है। बहुत बार यह भी देखने में आता है कि कुछ उद्योगों में श्रमिकों के स्थान पर मशीनों का उपयोग करने से उत्पादन की कुशलता नहीं बढ़ती है। माध्यमता या पुनर्मज्जुटन के पश्चात् ही आधुनिकीकरण का कार्य किया जाता है, परन्तु बड़ी-बड़ी औद्योगिक इकाइयों में पुनर्मज्जुटन से पहले भी आधुनिकीकरण किया जा सकता है।

(३) वैज्ञानिक प्रबन्ध—वैज्ञानिक प्रबन्ध का विचार टेलर (F. W. Taylor) नामक एक अमेरिकन इंजीनियर की देन है। इसमें समय, श्रम और धन के अन्वयन के तीन सिद्धान्त सम्मिलित होते हैं। इस रीति द्वारा उत्पादन-क्रियाओं का समय, छोटी और भीषणगामी बनाने का प्रयत्न किया जाता है, जिसके लिए श्रम-विभाजन की उत्पत्ति की जाती है और यंत्रों का अधिक वैज्ञानिक उपयोग किया जाता है और उत्पादन-क्रियाओं का इस प्रकार प्रमाणीकरण कर दिया जाता है कि यह मानना सम्भव हो जाता है कि कोई श्रमिक औसत से कम काम कर रहा है अथवा अधिक। मजदूरी चुकाने की भी ऐसी रीति का उपयोग किया जाता है कि श्रमिक का कार्य-उत्साह बना रहे। इसके अन्तर्गत यह भी आवश्यक होता है कि औद्योगिक इकाई में नियोजन और अनुसन्धान (Planning and Research) के विभाग हो।

इस प्रकार, विवेकीकरण में औद्योगिक कुशलता की समस्या को भीतरी और बाहरी दोनों ही दिशाओं में हल करने का प्रयत्न किया जाता है। एक ही साथ श्रम और प्रबन्ध की कुशलता बढ़ाने का भी प्रयत्न किया जाता है और वित्तीय प्रश्नों तथा अनुसन्धान की समस्याओं का मुनभाया जाता है। विवेकीकरण तभी पूरा होता है, जबकि अति-पूँजीय (Over-capitalisation) और अल्प-पूँजीय (Under-capitalisation) की समस्याएँ भी मुलमा दी जाती हैं, उपज की मात्रा और पुनर्निवेश के बीच समायोजन कर दिया जाता है और उद्योग के आर्थिक आधार को मजबूत बना दिया जाता है।

विवेकीकरण के लाभ

विवेकीकरण की लोकप्रियता बहुत बढ़ रही है, क्योंकि इसके अनेक लाभ हैं। विभिन्न लाभों को हम निम्न चार शीर्षकों के अन्तर्गत बाँट सकते हैं —

(1) उत्पादकों के लाभ—उत्पादकों को विवेकीकरण की यात्रना के लागू करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं—(१) आधुनिक मशीनों, नवीनतम प्रक्रियाओं, विजिप्टीकरण और प्रमाणीकरण के प्रयोग तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के फलस्वरूप उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है और उत्पादन-व्यय घट जाते हैं। (२) दोषपूर्ण मज्जुटन मुक्त प्रतियोगिता, दोषपूर्ण उत्पादन-विधियों और साधनों के दोषपूर्ण समन्वय से उत्पादन होने वाले अपव्यय दूर होते हैं तथा इसीसे उत्पादन-लागत में कमी होती है। (३) पूँजी की व्यवस्था उद्योग की आवश्यकतानुसार की जाती है, जिस कारण अति पूँजीकरण और ग्लूब पूँजीकरण नहीं होने पाता। (४) विवेकीकरण व्यापारिक अस्थिरता के विरुद्ध बीम का कार्य करता है। (५) विवेकीकरण ने मजदूरी की दरों और कार्य की दशाओं में सुधार करके श्रमिकों और उद्योगपतियों के सम्बन्धों को अच्छा बना दिया है। इस प्रकार यह औद्योगिक शान्ति स्थापित करने में सहायक रहा है। (६) विवेकीकरण अनुसन्धान, वैज्ञानिक प्रबन्ध और आधुनिकीकरण के लाभों को प्रदान करके उद्योगों की

(IV) श्रमिकों के लिये खतरे—निम्न दोषों के आघार पर श्रमिक भी विवेकीकरण सम्बन्धी योजनाओं का विरोध करते हैं :—(१) अच्छी कार्य-दशायें, नवीनतम मशीनों इत्यादि के प्रचलन बिना ही सेवायोजक श्रमिकों के कार्य-भार को बढ़ा देते हैं। (२) विवेकीकरण के परिणामस्वरूप उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसका उचित भाग श्रमिकों को बड़ी हुई मजदूरी के रूप में प्राप्त नहीं होता। (३) विवेकीकरण बहुधा बेरोजगारी को बढ़ाता है। श्रम-सघ इमका इसी कारण विरोध करते हैं कि यह श्रमिकों के स्थान पर मशीनों का उपयोग बढ़ाकर रोजगार को संकुचन करता है। यही नहीं, प्रत्येक श्रमिक से अधिक उपज भी प्राप्त की जाती है, जिससे भी अन्त में बेरोजगारी बढ़ती है। उद्योगपति बहुधा ऐसा समझते हैं कि यह तर्क गलत है, क्योंकि विवेकीकरण माँग को बढ़ाकर अधिक उत्पादन की आवश्यकता पैदा करता है, जिससे रोजगार घटने के स्थान पर उल्टा बढ़ जाता है। (४) विवेकीकरण पूँजीवाद की जड़ों को हड़ कर देता है। उद्योग का व्यक्तिगत लाभों को बढ़ाने के लिए ही उपयोग होता है, न कि समाज के कल्याण की उन्नति करने के लिए।

निष्कर्ष—विवेकीकरण के अनेक लाभ हैं किन्तु साथ ही कुछ खतरे भी, जिस कारण यह आवश्यक हो जाता है कि विवेकीकरण की योजना को क्रियान्वित करते समय समुचित सावधानी रखी जाय। भारत को अल्प आर्थिक विकास के लिए तथा विश्व के राष्ट्रों की श्रेणी में उचित स्थान प्राप्त करने हेतु विवेकीकरण की योजनायें लागू करना नितान्त आवश्यक है। किन्तु उसे यह सावधानी रखनी चाहिए कि बेकारी कम से कम फैले और बेरोजगार होने वाले व्यक्तियों के लिये नये कार्यों की व्यवस्था की जाय। ऐसा तब ही किया जा सकता है जबकि विवेकीकरण की योजनायें सहज लागू की जावें।

परीक्षा प्रश्न :

१. उद्योगों के मुक्तिसंगत पुनर्संरुद्धन से आप क्या समझते हैं ? उसके गुण तथा दोष कौन-कौन से हैं ?

[सहायक संकेत.—सर्वप्रथम विवेकीकरण के अर्थ को बताइये। तत्पश्चात् उत्पादकों, श्रमिकों, उपभोक्ताओं एवं समाज की दृष्टि से इसके गुण-दोषों को बताइये और अन्त में निष्कर्ष निकालिये कि विवेकीकरण की योजनाओं को भारत के आर्थिक विकास के हित में स्थगित नहीं किया जा सकता है।]

२. वैज्ञानिक प्रवन्ध क्या है ? इसका व्यवसाय के आकार एवं श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

रोजगार का सिद्धान्त

(The Theory of Employment)

रोजगार का अर्थ

रोजगार शब्द के प्रत्येक अर्थ लगाये गये हैं, यथा—

(१) विस्तृत परिभाषा—विस्तृत अर्थ में प्रत्येक व्यक्ति के पास सदा ही कुछ न कुछ रोजगार होता है, क्योंकि वह सदा ही कुछ न कुछ करता ही रहता है और वह कार्य शारीरिक अथवा मानसिक हो सकता है। इस अर्थ में रोजगार उचित हो सकता है अथवा अनुचित, अच्छा हो सकता है अथवा बुरा, सरल हो सकता है अथवा कठिन और लाभदायक हो सकता है अथवा लाभहीन, परन्तु प्रत्येक दशा में यह रोजगार ही होगा। इस प्रकार चाहे कोई व्यक्ति उपभोग के कार्य में लगा हो, चाहे उत्पादन के कार्य में, प्रत्येक दशा में उसके पास रोजगार होता है।

(२) संकुचित अर्थ—थोड़े संकुचित अर्थ में, रोजगार की परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति उत्पादन कार्य में लगा हुआ है, तो उसके पास रोजगार है। उत्पादन-कार्य में लगे रहने का अर्थ यह नहीं है कि कोई व्यक्ति दूसरों के हो लिए काम करे। वह स्वयं अपने लिए भी काम कर सकता है। इस अर्थ में रोजगार का अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति उत्पादन से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के कार्य में लगा हुआ है, तो उसके पास रोजगार होगा। किन्तु इस अर्थ में रोजगार शब्द का कमाई से कोई सम्बन्ध नहीं होता, कमाई चाहे कम हो या अधिक, मुद्रा के रूप में हो अथवा वस्तुओं के रूप में और म्बव व्यक्ति विशेष द्वारा उत्पन्न की गई हो अथवा दूसरों के द्वारा दी गई हो।

इस अर्थ में, एक व्यक्ति का रोजगार चार प्रकार का होता है :—(i) एक व्यक्ति जब शरीर से कार्य करता है तो वह श्रमिक होता है, (ii) मस्तिष्क में कार्य करना है तो प्रबन्धक होता है, (iii) प्रतीक्षा द्वारा उपभोग को स्थगित करता है तो पूँजीपति होता है, और (iv) उत्पादन सम्बन्धी जोखिम उठाता है तो ग्राहनी होता है। किन्तु इन चारों दशाओं में रोजगार केवल मनुष्य को ही प्राप्त होता है। [वास्तव में रोजगार भौतिक पदार्थों को भी प्राप्त हो सकता है। जब कोई भौतिक पदार्थ उत्पादक उपयोग में लगा होगा है, तो उसे रोजगार प्राप्त होता है। साधारणतया रोजगार शब्द का उपयोग मनुष्यों के सम्बन्ध में ही किया जाता है। मनुष्यों के सम्बन्ध में भी रोजगार शब्द का उपयोग प्रायः श्रमिकों के लिए किया जाता है।]

'रोजगार' शब्द की संकुचित परिभाषा देना ही ठीक है। एक श्रमिक को उस समय तक रोजगार में लगा हुआ माना जाता है जब तक कि प्रचलित मजदूरी दरों पर उसके पास काम होता है। यदि बाजार में प्रचलित मजदूरी दरों पर उसे कार्य नहीं मिल पाता है, तो वह बेरोजगार कहा जायेगा।

रोजगार की इस परिभाषा के सम्बन्ध में दो कठिनाइयाँ हैं :—प्रथम, यदि किसी श्रमिक को प्रचलित मजदूरी से नीची दर पर रोजगार मिलता है, तो उसे बेरोजगार कहा

जायेगा, परन्तु व्यवहार में किसी दिये हुए बाजार में मजदूरी की दर समान ही रहती है। दूसरे, प्रचलित मजदूरी दरों का स्पष्ट अर्थ जानना आवश्यक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक उद्योग से दूसरे उद्योग में मजदूरी की दरों में अन्तर होते हैं। यदि यह मान भी लिया जाय कि एक बाजार में अन्तर मिट जाते हैं, तो भी विभिन्न उद्योगों में मजदूरी की दरों में अन्तर अवश्य रहेंगे। इस कारण व्यावहारिक दृष्टि से रोजगार की परिभाषा देना कठिन है।

पूर्ण वृत्ति अथवा पूर्ण रोजगार (Full Employment)

पूर्ण रोजगार की स्थिति वह है जिसमें ऐसे सभी व्यक्ति, जो प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने को तैयार हैं, रोजगार पा जाते हैं। स्पष्ट है कि रोजगार-प्राप्ति की दृष्टि से हम केवल उन्हीं व्यक्तियों के सम्बन्ध में विचार करते हैं जो प्रचलित मजदूरी दरों पर कार्य करने को तैयार हैं। यदि कोई व्यक्ति इस कारण बेरोजगार है कि वह प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने के लिए तैयार नहीं तो उसे बेरोजगार नहीं कहा जायेगा। केवल वही व्यक्ति बेरोजगार होगा जो अनिच्छा से बेरोजगार है, अर्थात् जबकि वह प्रचलित दरों पर कार्य करने को तैयार तो है, परन्तु उसे कार्य मिलता नहीं है। इस सम्बन्ध में भी कुछ अर्थ कठिनाइयाँ आ सकती हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी विशेष स्थान, उद्योग, व्यवसाय अथवा किसी विशेष अवधि में ही कार्य करना चाहता है और उसे वही कार्य नहीं मिलता है, तो क्या वह बेरोजगार कहा जायेगा? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बराजगारी के प्रकारों को जानना आवश्यक होगा।

बेरोजगारी के प्रकार—

बेरोजगारी के अनेक कारण एव इसके अनेक प्रकार होते हैं :—

(१) संक्रान्तिकालीन बेरोजगारी—आर्थिक जीवन प्रवर्धित होता है। कुछ उद्योगों की उपज के लिये माँग बढ़ती जाती है और कुछ के लिये घटती जाती है। जब माँग के इन परिवर्तनों के कारण अर्थिक एव उद्योग से दूसरे में जाने हैं, तो रोजगार बदलने में कुछ समय लगता है और इस बीच में अर्थिक बेकार हो सकते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी को “संक्रान्तिकालीन बेरोजगारी” (Frictional Unemployment) कहा जाता है।

(२) क्रियात्मक बेरोजगारी—यह सम्भव है कि किसी उद्योग में माँग घट रही हो और उस उद्योग के अर्थिक अर्थ उद्योगों में न जा सकते हों, क्योंकि या तो उनमें मजदूरियाँ नीची हैं या विशेष प्रशिक्षण आवश्यक है या अर्थिकों की प्राणा है कि भविष्य में उद्योग की उपज के लिये माँग बढ़ जायगी। इस प्रकार की बेरोजगारी का “क्रियात्मक बेरोजगारी” (Structural Unemployment) कहा जाता है।

(३) ऐच्छिक बेरोजगारी—एव अर्थिक अपनी इच्छा से बेरोजगार हो सकता है, क्योंकि वह प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार नहीं है। ऐसी बेरोजगारी ऐच्छिक बेरोजगारी (Voluntary Unemployment) होती है।

(४) छुपी हुई बेरोजगारी—बेरोजगारी छुपी हुई (Disguised) हो सकती है। छुपी हुई बेरोजगारी उस समय होती है जबकि अर्थिक की सीमांत उत्पादकता शून्य अथवा ऋणात्मक होती है। इसका अर्थ यह है कि उद्योग में रोजगार घटा देने से भी उद्योग की कुल उपज घटती नहीं है। ऐसी दशा में वे अर्थिक जो इस कारण काम से हटाये गये हैं उस समय भी बेरोजगार समझे जायेंगे जबकि वे काम पर लगे हुए थे।

पूर्ण रोजगार का अर्थ—

अब हम पूर्ण रोजगार के विचार पर फिर लौट आते हैं। पूर्ण रोजगार का अर्थ यह नहीं होता कि सभी प्रकार की बेरोजगारी पूर्णतया अनुपस्थित हो, क्योंकि प्रत्येक प्रकार का

धर्म-व्यवस्था में कुछ प्रकार की बेरोजगारी के लिए व्यवसर अवश्य रहेगा। प्रथमतः कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो किसी न किसी कारण बेरोजगार रहेंगे और उन्हें किसी भी प्रकार काम करने के लिए राजी नहीं किया जा सकेगा, चाहे जो भी प्रलोभन दिया जाये। दूसरे, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो एक काम को छोड़ कर दूसरे की तलाश में रहते हैं और इस बीच बेरोजगार हो जाते हैं प्रथवा कुछ समय तक तथा काम सीखने के कारण या कम मजदूरी पर काम करने के कारण बेरोजगार हो जाते हैं। ३ से ५ प्रतिशत तक व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं। इस प्रकार, यदि ६५ से ६७% तक लोगों को रोजगार प्राप्त है तो यह पूर्ण रोजगार की स्थिति ही होगी। प्रो० मेहता का विचार है कि पूर्ण रोजगार के स्थान पर "अनुकूलनम् रोजगार" (Optimum employment) शब्द अधिक उपयुक्त है और अनुकूलनम् रोजगार वह स्थिति है जिसमें सामाजिक उपज अधिकतम होती है।

रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धान्त (Classical Theory of Employment)

प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने भी रोजगार की समस्या का अध्ययन किया था। इस सम्बन्ध में से (Say), रिकार्डो (Ricardo) और मिल (Mill) के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धान्त क्या है ?

ये ने रोजगार का जो सिद्धान्त बनाया था उसे "से का बाजार नियम" (Say's Law of Market) कहा जाता है। से का विचार है कि सामान्य प्रति-उत्पादन प्रथमम्ब है। कारण, सभी वस्तुओं का बाजार इसके उत्पादन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। प्रत्येक उत्पादक अपनी उपज को उन वस्तुओं के बदले में बेचता है जिनकी उसे आवश्यकता होती है। यही कारण है कि "पूर्ति" ही "माँग" को उत्पन्न करती है। पूर्ण प्रति-उत्पादन अथवा प्रति पूर्ण सम्भव नहीं है, इसलिए सामान्य बेरोजगारी भी अमम्बर है।

मिल ने इस नियम का बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया है। इनके अनुसार माँग निम्न दो कारणों से पूर्ति की अपेक्षा कम रह सकती है :—(i) लोगों के पास पर्याप्त श्रम शक्ति न होना, और (ii) श्रम शक्ति का उपयोग करने की इच्छा न होना; किन्तु उनका विचार है कि ये दोनों ही सम्भावनायें कम हैं, जिससे सामान्य प्रति-उत्पादन का प्रश्न ही नहीं उठता, यद्यपि यह सम्भव है कि कुछ दशाओं में उत्पादन कुछ अधिक हो जाय और कुछ में कम रह जाये। यह कहा जा सकता है कि कुछ लोग उदात्ति करके उपज का संघ कर सकते हैं, परन्तु ऐसे व्यक्ति अपनी बचत उत्पादक कार्यों में लगायेंगे और इस प्रकार अपने पास की प्रतिष्ठित श्रम शक्ति श्रमिकों को हस्तान्तरित कर देंगे। श्रमिक या तो इस प्रकार की श्रम शक्ति को व्यय करेंगे, या (बशर्त कि उनकी मजदूरियाँ बढ गई हैं) यह कम कार्य करेंगे, जिससे उत्पादन घट जायगा।

मिल का विचार है कि व्यावसायिक संकट के काल में यह सम्भव है कि सभी वस्तुओं की पूर्ति उनकी मोद्रिक माँग से अधिक हो जाय। ऐसी दशा में बेचना तो हर कोई चाहता है परन्तु खरीदने वाले बहुत कम होते हैं। किन्तु (मिल का कथन है कि) इस प्रकार के संकट का कारण अत्यधिक उत्पादन नहीं होता, बल्कि सट्टे की अधिकता है। इसका उपचार भी पूर्ति को घटाकर नहीं बल्कि जन-विश्वास को फिर से स्थापित करके ही किया जा सकता है। इस प्रकार मिल के अनुसार सामान्य प्रति-उत्पादन सम्भव है यद्यपि प्राणिक प्रति-उत्पादन हो सकता है, जिसे प्राणिक शक्तियाँ बालान्तर में स्वयं ही समाप्त कर देंगी। अतः प्रतिष्ठित विचारधारा के अनुसार सामान्य स्थिति पूर्ण रोजगार की ही स्थिति है और सामाजिक स्थिति इसी के चारों ओर घूमनी रहनी है।

इस प्रकार, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार बेरोजगारी का कारण अति-उत्पादन न होकर अन्य बाधाएँ ही सकती हैं। उदाहरणस्वरूप, (i) श्रमिक एक काम छोड़कर दूसरा करने को तैयार न हो। अथवा ऊँची मजदूरी के लोभ में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए तैयार न हो। (ii) उत्पादक ऊँचे लाभों की सम्भावना पर भी अपने वर्तमान व्यवसाय के स्थान पर अन्य काम आरम्भ करने को तैयार न हो। (iii) एकाधिकारी वस्तु की पूर्ति पर इस प्रकार नियन्त्रण रखता हो कि बाजार में उसकी पूर्ति सीमित हो जाये। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री इन सभी बाधाओं को अनुचित समझते हैं। बेरोजगारी को दूर करने के लिए इन बाधाओं को हटाना आवश्यक है और इस दिशा में राज्य का विशेष कर्तव्य है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने बेरोजगारी का उपचार यह बताया कि कीमतों के घटने और बेरोजगारी बढ़ने की दशा में मजदूर अपनी मजदूरियों में कमी स्वीकार कर ले।

प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धान्त की आलोचना—

माल्थस और कार्ल-मावर्स दोनों ने 'से के नियम' की बड़ी आलोचना की है। उनका विचार है कि सामान्य अति-उत्पादन तथा बेरोजगारी दोनों सम्भव हैं। निःसन्देह यदि माँग और पूर्ति के समायोजन पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न हो, तो विनियोग और माँग में पूर्ण समन्वय होगा और सामान्य अति-उत्पादन कभी भी नहीं होगा। परन्तु कठिनाई तो यह है कि इस प्रकार के समायोजन की माँगता ही अवास्तविक है, पूर्ण रोजगार की माँगता ही गलत है और इसके आधार पर बनाया गया यह सिद्धान्त भी गलत है।

सच बात यह है कि से और मित के विचार उस काल से सम्बन्धित हैं जिसमें श्रमिक साधारणतया स्वयं अपने लिए काम करते थे और श्रम के स्थान पर अपने श्रम की उपजें बेचते थे। अन्तिम दृष्टि से इस प्रकार की उपजें अन्य उपजों के बदले में भी बेची जाती थी और इस प्रकार यह कहना ठीक ही था कि पूर्ति स्वयं अपनी माँग उत्पन्न करती है। उस दशा में रोजगार का अर्थ यही था कि श्रमिकों को अपनी उपज के लिए बाजार प्राप्त हो। आधुनिक युग में यह स्थिति पूर्णतया बदल चुकी है। आज रोजगार-प्राप्ति का अर्थ है कि मजदूरी के बदले में दूसरों के लिए काम करने का अवसर मिलना, अतः से का सिद्धान्त श्रम-बाजार पर लागू नहीं होता।

पीगू द्वारा प्रतिष्ठित सिद्धान्त का दृष्टीकरण—

पीगू ने प्रतिष्ठित सिद्धान्त को एक नया रूप देने का प्रयत्न किया है, ताकि वह वर्तमान जगत के श्रम-बाजार पर लागू किया जा सके। उनका विचार है कि यदि श्रम की माँग सम्बन्धी दशाएँ दी हुई हैं, तो मजदूरियाँ एक ऐसे स्तर पर आकर रुक जाएँगी, जहाँ सभी श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो जाये। पीगू का कथन है कि जो कुछ भी बेरोजगारी दीख पड़ती है वह या तो माँग की दशाओं में परिवर्तन के कारण होती है अथवा श्रम-बाजार की अपूर्णता के कारण। जहाँ तक पूर्ण रोजगार का प्रश्न है वह तो स्व-समायोजन का परिणाम होता है। यदि किसी देश की सरकार श्रम की माँग की दशाओं में सुधार करती है, तो इससे बेरोजगारी का उपचार नहीं होता है। राज्य अगर कुछ भी न करे तब भी, जैसे ही माँग की दशाओं में होने वाले परिवर्तन रुक जायेंगे, पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त हो जायेगी। पीगू का विचार है कि माँग की दशाओं का बेरोजगारी से सम्बन्ध नहीं है। बेरोजगारी तो माँग के परिवर्तनों के कारण

1 See Theory of Employment.

उत्पन्न होती है। इस प्रकार, पीगू के अनुसार अर्नेच्छक बेरोजगारी का प्रश्न ही नहीं उठता। सभी प्रकार की बेरोजगारी अस्थायी (Frictional) होती है।

गणित की भाषा में पीगू ने कहा है : $N = \frac{qY}{W}$ जिसमें N काम में लगे हुए श्रमिकों की संख्या को दिखाता है, Y राष्ट्रीय आय है, q राष्ट्रीय आय का वह भाग है जो श्रमिकों को मजदूरी के रूप में दिया जाता है और W मजदूरी की दर है। इस समीकरण के अनुसार, W (अर्थात् मजदूरी की दर) में कमी करने से N (काम में लगे हुए श्रमिकों की संख्या) को बढ़ाया जा सकता है। यह यह है कि W में इस प्रकार के समायोजन होंगे कि N श्रमिकों की कुल सरप्ला के बराबर हो जाये।

प्रतिष्ठित सिद्धान्त के सम्बन्ध में केन्ज का मत—

केन्ज का मत है कि रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धान्त तीन ऐसी मान्यताओं पर आधारित है जो तीनों एक साथ ही गृहीत अथवा गनत होगी। ये तीनों मान्यताएँ हैं—(i) वास्तविक मजदूरी रोजगार की सीमागत अनुपयोगिता के बराबर होती है, (ii) अर्नेच्छक बेरोजगारी सम्भव है और (iii) पूर्ण स्वयं अपनी माँग उत्पन्न करती है।

ये तीनों मान्यताएँ वास्तव में गलत हैं। पहली मान्यता दो कारणों में गलत है :— प्रथम, यह सम्भ्रमा हीन नहीं है कि श्रमिक अपनी मजदूरी का सोदा वास्तविक मजदूरी के रूप में करते हैं और दूसरे, यह मान्यता बनानी है कि वास्तविक मजदूरी के घटने से श्रम की पूर्ति भी घट जायेगी। वास्तविक अनुभव इन दोनों के विरुद्ध है। कम से कम प्रस्ताव के काल में ऐसी स्थिति अवश्य घा जाती है कि अनेक श्रमिकों को प्रचलित मजदूरी दरों पर काम नहीं मिलता। ठीक इसी प्रकार, पूर्ण अपनी माँग उसी समय उत्पन्न करेगी जबकि सामूहिक पूर्ति कीमत सामूहिक माँग की कीमत के बराबर हो, परन्तु वास्तविक जीवन में ऐसा भी नहीं होता है।

केन्ज द्वारा प्रतिपादित रोजगार का आधुनिक सिद्धान्त (Keynesian Employment Theory)

केन्ज का रोजगार सिद्धान्त संक्षेप में—

बहुत पहले केन्ज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक *General Theory of Employment, Interest and Money* में रोजगार के आधुनिक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धान्त पर लम्बे काल तक वाद-विवाद चलता रहा है जो अब बड़े भ्रम तक शान्त हो चुका है। केन्ज का मत है कि किसी देश में रोजगार का स्तर सामूहिक माँग (Aggregate Demand) और सामूहिक पूर्ति (Aggregate Supply) की दशाओं पर निर्भर होता है।

(1) सामूहिक माँग—

सामूहिक माँग वह है, जो सम्भावित विभिन्न राशियों की उपज की विभिन्न मात्राओं से सम्बन्धित करता है, किन्तु केन्ज हमें एक ऐसा ब्रह्म बताते हैं जो रोजगार की विभिन्न मात्राओं का सम्बन्ध विक्री की उन राशियों से जोड़ता है जो रोजगार द्वारा उत्पन्न की गई उपजों से सम्बन्धित हैं। इसे केन्ज ने तीन कारणों से उचित बनाया है :—(i) केन्ज उन कारणों की खोज करना चाहते हैं जो रोजगार को निश्चिन्त करते हैं, न कि उन कारणों की, जो उपज को निश्चिन्त करते हैं। (ii) प्रत्यक्षता में, जबकि उत्पादन-विधियाँ तथा साधन यथास्थित रहते हैं, उपज तथा रोजगार दोनों की मात्राओं में समान दिशाओं में बदलने की प्रवृत्ति होती है। (iii) ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसकी भौतिक दशाओं के मद्दमें में अन्य सभी वस्तुओं की मात्राओं को सूचित किया जा सके। अतः श्रम की मात्रा को उपज के प्रकार का प्रतीक माना जा सकता है।

अब देखना यह है कि सामूहिक-माँग रेखा का क्या रूप होगा। जब हम किसी वस्तु की माँग-रेखा को खींचते हैं, तो हम अक्ष पर प्रति इकाई कीमत दिखाते हैं और अक्ष पर माँग की मात्रा को। परन्तु सामूहिक-माँग-रेखा का रूप दो दिशाओं में पृथक् होता है।—प्रथम, अक्ष पर प्रति इकाई कीमत के स्थान पर हम कुल सामूहिक उपज की कुल कीमत दिखाते हैं, और अक्ष पर उपज की मात्रा के स्थान पर हम रोजगार की उस मात्रा को दिखाते हैं जो उस उपज द्वारा उत्पन्न किया जाता है। रोजगार की विभिन्न मात्राओं पर वह विन्नी-प्राय, जिसकी उस रोजगार से सम्बन्धित उपज को वेचकर आशा की जाती है, अलग-अलग होती है। यदि रोजगार की मात्रा शून्य है, तो सम्भावित विन्नी-प्राय भी शून्य होगी। जैसे-जैसे अधिक श्रमिकों को काम पर लगाया जाता है, उत्पत्ति अधिक मात्रा में होती है और विन्नी-प्राय भी अधिक मात्रा में होती है। इसका अर्थ यह निकलता है कि यदि विन्नी-प्राय अधिक है, तो रोजगार का अर्थ ऊँचा होगा और यदि विन्नी-प्राय नीची है, तो रोजगार का अर्थ भी नीचा होगा। इस प्रकार सामूहिक माँग की रेखा अ विन्दु से आरम्भ होगी और दाहिनी ओर ऊपर की जायेगी।

(II) सामूहिक पूर्ति—

हम उत्पादन की एक निश्चित मात्रा लेते हैं। इस मात्रा से सम्बन्धित एक न्यूनतम विन्नी-प्राय अथवा विन्नी-राशि होती है जिसका सभी सेवायोजकों को सामूहिक रूप में प्राप्त होना आवश्यक होता है। इसे हम उस उपज की "पूर्ति-कीमत" (Supply Price) कह सकते हैं। उपज की अलग-अलग मात्राओं के लिए पूर्ति-कीमत अलग-अलग होगी। साधारण दशा में सामूहिक पूर्ति-रेखा को विभिन्न पूर्ति-कीमतों और उपज-मात्राओं का सम्बन्ध दिखाना चाहिए। परन्तु सामूहिक माँग की रेखा के आधार पर यह कहना उचित होगा कि सामूहिक पूर्ति-रेखा विभिन्न उपज-मात्राओं वा रोजगार की उन मात्राओं से सम्बन्ध दिखाती है जो इन विभिन्न उपजों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। इस प्रकार, यहाँ भी अक्ष पर पूर्ति-कीमतों और अक्ष पर रोजगार की मात्राएँ दिखाई जायेंगी।

पूर्ति-कीमत वह न्यूनतम कीमत है जो उस उपज को उत्पन्न करने के लिए उत्पादकों का अवश्य मिलनी चाहिए और यह उपज के उत्पादन-व्यय के बराबर होती है। परन्तु यहाँ पर भासावधानी आवश्यक है—एक व्यक्तिगत उत्पादक अपने उत्पादन-व्यय में चार प्रकार के व्यय सम्मिलित करता है—उत्पत्ति-साधनों का व्यय, कच्चे मालों का व्यय, उपयोग किये हुए आदेयों की बिसावट का व्यय (अथवा उपयोग-व्यय) तथा अपने साहस का एक न्यूनतम प्रतिफल। जहाँ तक सामूहिक व्यय का प्रश्न है उसमें आदेयों की बिसावट का व्यय सम्मिलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह व्यय परोक्ष रूप में अन्य प्रकार के व्ययों में जुड़ा रहता है।


अब हमें विन्नी-प्राय और रोजगार के सम्बन्ध को एक बार फिर देखना है। यदि विन्नी प्राय शून्य है, तो रोजगार भी शून्य होगा। अधिक मात्रा में तभी उत्पादन किया जायेगा जबकि विन्नी-प्राय अधिक होगी अथवा रोजगार अधिक होगा। इसका अर्थ यह होता है कि सामूहिक माँग-रेखा की भाँति सामूहिक पूर्ति-रेखा भी अ से आरम्भ होती है और दाहिनी ओर ऊपर की जाती है।

(III) सप्रभावि माँग का विचार (Concept of Effective Demand)—

रोजगार का निर्धारण सप्रभावि माँग द्वारा किया जाता है। जिस विन्दु पर सामूहिक माँग-रेखा सामूहिक पूर्ति-रेखा को काटती है उसे "सप्रभावि माँग का विन्दु" कहा जाता है। यह हम ऊपर बता चुके हैं कि रोजगार की मात्रा सप्रभावि माँग द्वारा निश्चित की जाती है, परन्तु सप्रभावि माँग आवश्यक रूप में उसी विन्दु पर नहीं होती है जहाँ पर पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त होती है। स्पष्ट है कि किसी समय विशेष में रोजगार का केवल एक ही स्तर

ऐसा होता है जिस पर सन्तुलन घषवा साम्य प्राप्त होता है अर्थात् जिस पर सामूहिक-माँग-कीमत सामूहिक-पूर्ति-कीमत के बराबर होती है ।

निम्न चित्र में सप्रभाविक माँग की स्थिति दिखाई गई है । अ क रेखा पर रोजगार को दिखाया गया है और अ ख रेखा पर विक्री-प्राय को । चित्र में अ म रेखा सामूहिक-माँग रेखा है और अ प सामूहिक-पूर्ति-रेखा है । सामूहिक-माँग-रेखा विक्री-माँग की उन विभिन्न मात्राओं को दिखाती है जो रोजगार के विभिन्न स्तरों से सम्बन्धित हैं जबकि सामूहिक-पूर्ति-रेखा विक्री-प्राय को उन मात्राओं को दिखाती है जो रोजगार की विभिन्न मात्राओं उत्पन्न करने के लिए आवश्यक हैं ।



सामूहिक-माँग और सामूहिक-पूर्ति-रेखाएँ एक-दूसरे को ल बिन्दु पर काटती हैं । यही 'साम्य का बिन्दु' है । इसका अर्थ यह है कि साम्य-स्थिति में रोजगार की मात्रा अ र के बराबर होगी । इस बिन्दु पर साहसी को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा । रोजगार का घन्य कोई भी स्तर साहसी के लाभों को घटा देगा । उदाहरणस्वरूप, यदि रोजगार की मात्रा अ र से अधिक है अर्थात् अ ब है तो इस दशा में सम्भावित विक्री-प्राय पूर्ति-कीमत से नीचे

रह जायेगी । ऐसी दशा में लाभ सामान्य लाभ (Normal Profits) से नीचे होंगे और हो सकता है कि ऋणात्मक हो जायें । इसके विपरीत, यदि रोजगार की मात्रा अ र से कम है, अर्थात्, यदि वह अ म है, तो सम्भावित विक्री-प्राय पूर्ति-कीमत से ऊँची हो जाती है । इससे सेवायोजक घषवा उत्पादक अधिक श्रमिकों को रोजगार देने की दिशा में प्रेरित होंगे । इस प्रकार स्पष्ट है कि जब तक रोजगार की मात्रा अ र के बराबर न हो, साम्य स्थापित नहीं हो सकता है ।

केन्ज के सिद्धान्त का स्पष्टीकरण—


सामूहिक पूर्ति-रेखा मुख्यतया पूर्ति की भौतिक दशाओं पर और पूर्ति की भौतिक दशाएँ प्राप्त उत्पत्ति-साधनों की विस्म तथा मात्रा और ज्ञान तथा उत्पादन-विधि की दशा पर निर्भर होती हैं । केन्ज का विचार है कि ये सब बातें इस अंश तक सर्वविदित हैं कि इनका और आगे विवेचन आवश्यक नहीं है । फलतः वे सामूहिक पूर्ति-रेखा को दिया हुआ मान कर चलते हैं और सामूहिक माँग का सविस्तार विवेचन करने लगते हैं । जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सामूहिक माँग-रेखा सम्भावित विक्री-प्राय का रोजगार से सम्बन्ध दिखाती है और सम्भावित विक्री-प्राय को हम दो भागों में बाँट सकते हैं :—(i) उपभोग-वस्तुओं से प्राप्त विक्री-प्राय तथा (ii) नई विनियोग-वस्तुओं से प्राप्त विक्री-प्राय । मान लीजिए कि D सामूहिक माँग है, D_1 उपभोग-वस्तुओं की माँग और D_2 विनियोग-वस्तुओं की माँग है । इस दशा में $D = D_1 + D_2$ ।

अब, क्योंकि कुल रोजगार उपभोग की वस्तुओं तथा विनियोग की वस्तुओं दोनों की माँग से उत्पन्न होता है इसलिए, रोजगार की वृद्धि या तो उपभोग-वस्तुओं पर ध्यान बढ़ने से उत्पन्न हो सकती है अथवा विनियोग (Investment) बढ़ने से । सामूहिक माँग-सारणी, उपभोग माँग-सारणी तथा विनियोग-माँग-सारणी का योग होती है ।

यह हम पहले ही देख चुके हैं कि किसी निश्चित रोजगार-स्तर पर कुल सामूहिक माँग कुल सामूहिक पूर्ति के बराबर होती है । यदि सामूहिक पूर्ति Z है, तो $D = Z$ ही साम्य की दशा होगी, और, क्योंकि $D = D_1 + D_2$ इसलिए, $Z = D_1 + D_2$ ।

अब हम D_1 तथा D_2 के विषय में जानने का प्रयत्न करेंगे। D_1 भाग पर निर्भर होता है क्योंकि उपभोग-वस्तुओं पर व्यय की गई राशि भाग पर निर्भर होती है। जैसे ही रोजगार बढ़ता है, भाग भी बढ़ती है, और, जैसे ही भाग बढ़ती है, उपभोग-व्यय भी बढ़ता है। परन्तु उपभोग पर खिंचे गये व्यय की वृद्धि इतनी नहीं होती है जितनी कि भाग में वृद्धि, क्योंकि भाग का एक भाग विनियोग पर व्यय किया जाता है। अब, रोजगार की वृद्धि सामूहिक पूर्ति-कीमत्त को भी बढ़ा देती है। रोजगार का नया स्तर केवल उसी दशा में बनाये रखा जा सकता है जबकि नये भाग-स्तर अथवा सामूहिक पूर्ति-कीमत्त तथा उपभोग-व्यय के नये स्तर का अन्तर विनियोग द्वारा पूरा किया जाये; दूसरे शब्दों में, जबकि $D_2 = Z - D_1$ । यदि विनियोग इससे कम होता है, तो सङ्ग्रहियों को हानि होती है, क्योंकि ऐसी दशा में सामूहिक माँग-कीमत्त सामूहिक पूर्ति-कीमत्त से नीची रह जायगी, और, इस कारण, रोजगार घटेगा। इसके विपरीत, यदि विनियोग इससे अधिक है, तो इससे माँग, भाग और रोजगार तीनों में ही वृद्धि होगी।

यदि नये विनियोग की दर दी हुई है और कुल सामूहिक उपभोग-व्यय वा कुल भाग से अनुमान भी दिया हुआ है, तो रोजगार का केवल एक ही स्तर ऐसा होगा, जिस पर सन्तुलन अथवा साम्य स्थापित हो सकेगा। यह आवश्यक नहीं है कि यह स्तर पूर्ण रोजगार-स्तर हो, यद्यपि संयोग से ऐसा भी हो सकता है। कारण, पूर्ण रोजगार केवल उस दशा में प्राप्त होगा जबकि विनियोग पूर्ण रोजगार से उन्नत होने वाली उपज की सामूहिक पूर्ति कीमत्त तथा इसमें से उपभोग पर व्यय की हुई राशि के अन्तर के बराबर हो।



इस बात को रेखाचित्र द्वारा भी दिखाया जा सकता है। साथ के चित्र में सामूहिक भाग को 45° पर दिखाया गया है और सामूहिक उपज को M पर। चूँकि सभी स्तरों पर सामूहिक भाग तथा सामूहिक उपज के मूल्य बराबर होंगे, इसलिए 45° रेखा, जो दोनों के बीच सम्बन्ध स्थापित करती है, एक ऐसी सरल रेखा होगी, जो प्रत्येक अक्ष (Axis) के साथ 45° का कोण बनावेगी। चित्र में U वह वक्र रेखा है, जो भाग के विभिन्न स्तरों

से सम्बन्धित उपभोग-व्यय दिखाती है। यदि भाग r से कम है, तो उपभोग-व्यय भाग से अधिक होगा। जब भाग r है, तो वह सारी की सारी उपभोग पर व्यय कर दी जाती है। किन्तु, जैसे-जैसे भाग r में अधिक होती जाती है, भाग और उपभोग व्यय का अन्तर बढ़ता जाता है।

समभाविक माँग का बिन्दु 45° रेखा पर कहीं होगा। यह उस स्थान पर होगा जहाँ विनियोग और उपभोग व्यय के अन्तर के बराबर हो। उदाहरणस्वरूप, यदि विनियोग M है, तो आय y के बराबर होगी और उपभोग U के बराबर होगा और रोजगार भाग के y स्तर पर आधारित होगा। यदि पूर्ण रोजगार से सम्बन्धित आय v है, तो पूर्ण रोजगार उस अवस्था में प्राप्त होगा जबकि विनियोग U तथा M के अन्तर के बराबर अर्थात् v के बराबर हो।

सामाजिक आय तथा उपज (Social Income and Output)—

अर्थ व्यवस्था को भली-भाँति समझने के लिये राष्ट्रीय आय अथवा उत्पादन (Output) को समझ लेना आवश्यक है और राष्ट्रीय आय ही सामाजिक आय है। सामाजिक आय किसी

हमारे द्वारा आय प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि कोई हमारी सेवाओं अथवा हमारे द्वारा उत्पादित वस्तुओं को खरीदे। हम जो भी कार्य करें अथवा जो भी उत्पादन करें, बेचे जाने की सम्भावना पर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, हम आय केवल उसी दशा में उत्पन्न कर सकते हैं जबकि हम सामाजिक उपज के स्टॉक में वृद्धि करते हैं और सामाजिक उपज के स्टॉक की वृद्धि के लिये नया पूँजी-निर्माण अथवा विनियोग आवश्यक होता है। आय के उत्पादन का आधारभूत तथ्य यही है कि कोई व्यक्ति सामाजिक उपज के स्टॉक में वृद्धि करता है और उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को भुगतान देता है। जब कोई व्यक्ति सामाजिक उपज में वृद्धि करता है तो आय की धारा उत्पन्न होती है, जिसका मूल्य उस भुगतान के बराबर होता है जो उत्पत्ति के साधनों को किया जाता है। दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ यह होता है कि सामाजिक उपज की वृद्धि के साथ-साथ साधन के भुगतानों की मात्रा भी बढ़नी चाहिए।

परन्तु उत्पत्ति-साधनों को जो भुगतान किया जाता है वह वही पर नहीं रह जाता। प्रत्येक श्रमिक मजदूरी प्राप्त करने के पश्चात् उसे व्यय करता है। वह अपनी आय ऐसे अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरित कर देता है जिसे वह अपनी आवश्यक वस्तुएँ खरीदता है और आयों के हस्तान्तरण का यह क्रम इसी प्रकार आगे बढ़ता रहता है। परन्तु ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रत्येक बार, जब आय का आगे को हस्तान्तरण होता है, आय की मात्रा घटती जाती है। क्योंकि एक व्यक्ति अपनी समस्त आय का व्यय नहीं करता, बरन् उसने एक भाग को भावी उपभोग के हेतु बचा लेता है। आय और व्यय का यह क्रम निम्न प्रकार दिखाया जा सकता है:—


मान लीजिये कि एक व्यक्ति १,००० रुपये की आय प्राप्त करता है और वह इसका १०% बचत में रखकर शेष को व्यय कर देता है। हिसाब इस प्रकार होगा:—१,००० रुपये आय = ६०० रुपये उपभोग + १०० रुपये बचत। यदि यह ६०० रुपये एक दूसरे व्यक्ति (मान लीजिये कि विक्रेता) को प्राप्त होते हैं और वह भी १०% बचाकर शेष व्यय करके किसी अन्य विक्रेता को दे देता है, तो उसका हिसाब इस प्रकार होगा:—६०० रुपये आय = ५२० रुपये उपभोग + ६० रुपये बचत। अब ५२० रुपये और आगे की ओर जाते हैं और किसी अन्य विक्रेता को प्राप्त होते हैं जो उनका इसी प्रकार उपभोग करता है। इसी प्रकार प्रत्येक अगली बार होता रहता है। जिस कारण हिसाब का क्रम इस प्रकार चलता है:—५२० रुपये आय = ७२६ रुपये उपभोग + ५२ रुपये बचत, ७२६ रुपये आय = ६५६ रुपये उपभोग + ७२ रुपये बचत, ६५६ रुपये आय = ५६० रुपये उपभोग + ६५ रुपये बचत, इत्यादि। व्यय की मात्रा प्रत्येक अगले क्रम में घटती जाती है।

मान लीजिये कि यह क्रम १० बार चलता है। इसका अर्थ यह होता है कि छारे क्रम का योग १,००० रुपये की आरम्भिक व्यय का १० गुना अर्थात् १०,००० रुपये होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, इसका अर्थ यह होना है कि १,००० रुपये का आरम्भिक व्यय अन्त में १०,००० रुपये के समूहिक व्यय को उत्पन्न करता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आरम्भिक आय तथा नई उत्पादित आय के बीच ठीक वही अनुपात रहता है जो बचत और आय के बीच रहता है। जितनी बार आरम्भिक पूँजी-व्यय का विस्तार होगा (उदाहरण में १० बार) उसे "विनियोग गुणक" (Investment Multiplier) कहा जाता है। यह गुणक हमें यह बताने में सहायक होता है कि विनियोग की किसी नई क्रिया के फलस्वरूप कितनी नई आय उत्पन्न हुई है।

रोजगार निश्चित करने वाले कारक (Determinants of Employment)—

उपरोक्त विवेचन से पता चलता है कि रोजगार वास्तव में उपभोग द्वारा अथवा उपभोग की इच्छा द्वारा निश्चित किया जाता है। किन्तु आधुनिक जगत में उपभोग आय पर निर्भर होना है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप में अपने उत्पादन का उप-

योग करे। हम में से अधिकांश लोग अपनी उपज को बेचकर धाय प्राप्त करते हैं और फिर हम धाय से वे वस्तुएँ खरीदते हैं जिन्हें हम उपभोग करना चाहते हैं। इस कारण हमारी वर्तमान धायित प्रणाली में उपभोग का उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ता है बल्कि धाय के माध्यम से परोक्ष प्रभाव पड़ता है। चूंकि धाय का उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि रोजगार का निर्धारण धाय करती है। धन: रोजगार निश्चित करने वाले कारकों को जानने के लिए उन कारकों को जानना आवश्यक है जो धाय को निश्चित करते हैं। धाय के निर्धारण का कम निम्न प्रकार है :—



धाय को निर्धारित करने वाले तीन महत्वपूर्ण कारक हैं :—(१) उपभोग-सम्भावना, (२) ब्याज की दर, और (३) पूँजी की सीमान्त कुशलता। अब हम इन तीनों को छोटे विस्तार में जानने का प्रयत्न करेंगे।

(१) उपभोग-सम्भावना (Propensity to Consume)—धाय और उपभोग-व्यय के सम्बन्ध को 'उपभोग-सम्भावना' कहा जाता है। इस प्रकार उपभोग-सम्भावना एक ऐसी सारणी होती है जो धाय के विभिन्न स्तरों से सम्बन्धित उपभोग पर किये जाने वाले व्यय दिखाती है। निम्न तालिका इसे स्पष्ट कर देती है :—

धाय	उपभोग पर व्यय
१००	६५
११०	१०३
१२०	११०
१३०	११५

स्पष्ट है कि यदि उपभोग-सम्भावना बढ़ती है, तो धाय भी बढ़ जाती है, किन्तु उपभोग-सम्भावना लोगों की आयों पर निर्भर होती है और आयों से नहीं बढ़ती जा सकती है। परन्तु एक दूसरी बात ध्यान देने योग्य है—किसी भी व्यक्ति की उपभोग-सम्भावना उसकी धाय पर निर्भर होती है जितनी ही धाय कम होगी उपभोग-सम्भावना उतनी ही अधिक होगी। इसका अर्थ यह होता है कि यदि धाय का पनी व्यक्तियों से निर्धन व्यक्तियों को हस्तान्तरण किया जाय, तो समाज की उपभोग-सम्भावना बढ़ जाती है। इसके अनेक उपाय हो सकते हैं,

जैसे—सरकार द्वारा घनी व्यक्तियों पर कर लगाना और इस प्रकार प्राप्त आय को गरीबों पर व्यय करना तथा गरीबों को आर्थिक सहायता देना ।

(२) पूँजी की सीमान्त कुशलता (Marginal Efficiency of Capital)—पूँजी की सीमान्त कुशलता का अर्थ यह है कि पूँजी के सीमान्त उपयोग से कितनी आय प्राप्त होती है । यह कुशलता भावी आशाओं पर निर्भर होती है । लोग भविष्य को जितना ही अधिक उज्ज्वल समझे उतनी ही पूँजी की सीमान्त कुशलता अधिक होगी । सरकार अपनी नीतियों द्वारा भावी आशाओं को बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है । विवेकहीन कर साधारणतया लोगों को निराशावादी बना देता है और इससे पूँजी की सीमान्त कुशलता पट जाती है ।

(३) व्याज की दर—व्याज की दर विनियोगों में महत्वपूर्ण योग देती है । अक्सर के काल में विनियोगों को बढ़ाने के लिए एक अच्छा उपाय यह होना है कि जनता के पास मुद्रा की मात्रा को बढ़ा दिया जाये जिससे कि व्याज की दरें नीचे गिर जायें और विनियोग लाभदायक हो जायें । किन्तु सामान्य अनुभव यह है कि अक्सर के काल में, जब रोजगार बहुत गिर जाता है तो, व्याज-दर के परिवर्तनों का विनियोगों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता ।

रोजगार की वृद्धि में सरकारों का योग—

रोजगार में वृद्धि करने का एक उत्तम उपाय यह है कि सरकारी व्यय बढ़ा दिया जाय । सरकारी व्यय की वृद्धि से उपभोग और विनियोग दोनों में वृद्धि की जा सकती है और विनियोग के सम्बन्ध में सरकार के लिए इस बात की चिन्ता करना भी आवश्यक नहीं है कि विनियोग पर कितना लाभ प्राप्त होता है । सरकार अपना व्यय इस प्रकार कर सकती है कि गुणक प्रभाव (Multiplier Effect) अधिकतम हो । बेरोजगारों को आर्थिक सहायता तथा रोजगार देकर सरकार समाज के उन वर्गों के हाथ में नये शक्ति पहुँचा सकती है जिनकी उपभोग-सम्भावना बहुत ही अधिक हो । सरकार विनियोगों को भी प्रोत्साहन दे सकती है । सावधानी केवल उम सम्बन्ध में आवश्यक होती है कि सरकारी विनियोग व्यक्तियुक्त विनियोगों से स्वयं बरके उन्हें न घटाने पायें अन्यथा सामूहिक विनियोग में वृद्धि नहीं हो पायेगी ।

रोजगार या तो उपभोग बढ़ा कर बढ़ाया जा सकता है या विनियोग बढ़ा कर । प्रो० हॉबसन (Hobson) का मत है कि अक्सर का कारण यह होता है कि आय में से उपभोग की वस्तुओं पर कम व्यय हो पाता है । इस प्रकार अक्सर का कारण "अनुपभोग" (Under-Consumption) है और इस कारण रोजगार बढ़ाने के लिए एकमात्र उपाय उपभोग को बढ़ाना है । केन्ज इस विचार से सहमत नहीं हैं । केन्ज का विचार है कि उम समस्या पर उपभोग तथा विनियोग दोनों ही की दिशाओं से आज़मण होना चाहिये और ऐसा करना असम्भव नहीं है । जब विनियोग को बढ़ाया जा रहा है तो साथ ही साथ उपभोग-सम्भावना को भी बढ़ाना चाहिये । केन्ज तो यहाँ तक जाते हैं कि पूँजी के स्टांक को उम समय तक बग़बन बढ़ाना चाहिये जब तक कि उसकी दुर्लभता दूर न हो जाये । इससे महत्वपूर्ण सामाजिक लाभ होगा ।

केन्ज के रोजगार सिद्धान्त का आलोचनात्मक विवेचन

आधुनिक आर्थिक विचारधारा पर प्रहण-प्रभाव—

आधुनिक विचारधारा तथा आर्थिक नीतियों पर केन्ज का प्रभाव अत्यधिक है । हैन्सन (Hansen) ने ठीक ही कहा है कि "केन्ज का प्रभाव उन सभी औपचारिक अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों में स्पष्ट दिखाई पड़ता है जो आर्थिक समस्याओं का हल ढूँढ़ने के लिये बुलाई जाती हैं"।¹ प्रो० नाइट के अनुसार, इस अत्यधिक प्रभाव का कारण यह है कि आर्थिक सिद्धान्त का वास्तविक

¹ A. H. Hansen : *New Economics*, p. 143.

गृहत्व सामाजिक क्षेत्र में ही है।¹ संयुक्त राष्ट्र सङ्घ ने अनेक संस्थाओं का निर्माण किया है। इनमें से अधिकांश संस्थाएँ प्राथमिक जीवन की विविध समस्याओं को केन्ज के सिद्धान्त पर सुलभाने का प्रयत्न करती हैं। इस सम्बन्ध में एक अन्य लेखक का मत है कि "केन्ज का सामान्य सिद्धान्त महान् अवसर की उपज है। कारण, महान् अवसर ने ही पूँजीवादी देशों के समस्त बेरोजगारी की समस्या उन्नत रूप में प्रस्तुत की जबकि समाजवाद के अन्तर्गत प्रचलित दवायें पूर्णतया भ्रष्ट थीं। खूँति सामान्य सिद्धान्त ने एक ऐसे सिद्धान्त का निर्माण किया, जो समाजवाद का विकल्प प्रस्तुत करता था, इसलिए सत्तार के लोगों ने इसे बड़ी उत्पुरुता के साथ स्वीकार कर लिया।"²

पुराने सिद्धान्तों की भाँति यह भी एक साम्य सिद्धान्त परन्तु दो विचित्रताओं के साथ—

केन्ज के सिद्धान्त के विषय में हम यह कह सकते हैं कि पुराने सिद्धान्तों की भाँति यह भी एक साम्य-सिद्धान्त है परन्तु इसमें दो विचित्रताएँ हैं—प्रथम, यह सिद्धान्त इस मान का बताना है कि 'साम्य' रोजगार के किसी भी स्तर पर स्थापित हो सकता है और 'रोजगार का स्तर' सप्रभाविता माँग पर निर्भर होता है, और दूसरे, इस सिद्धान्त में व्याज को मूल्यनया एक मौद्रिक घटना कहा गया है। अपनी पुस्तक के अन्त में केन्ज ने स्वयं स्वीकार किया है कि उनका सिद्धान्त 'पर्याप्त अथवा रुढ़िवादी' (Moderately conservative) है। यद्यपि केन्ज विनियोगों के समाजीकरण (Socialisation of investments) की सचाँ करते हैं, तथापि वे तुरन्त ही यह भी कहने लगते हैं कि उनके सिद्धान्त से "राज्य समाजवाद की जिसका कार्य-क्षेत्र सामाजिक जीवन के अधिकांश भाग पर विस्तृत होता है, बाह्यनीयता सिद्ध नहीं होती है।"³ इस प्रकार, केन्ज समाजवाद के समर्थक नहीं है। वास्तविकता यह है, और, जैसा कि प्रो० हैरिस (Harris) ने भी कहा है, "केन्ज तो यह प्रयत्न करना चाहते हैं कि पूँजीवाद को, इसमें से परोपजीवी तत्वों (Parasitic elements) को निवारण कर जीवन रसायन, अर्थात्, अत्यधिक बचतों, ऊँची व्याज-दरों, उत्तराधिकारी-अधिशारों तथा वर्तमान की तुलना में भविष्य के प्रति अनुप्राण आदि तत्वों को।⁴ तीन, इसी प्रकार, डोब (Dobb) का विचार है कि केन्ज का उद्देश्य यह था कि "पूँजीवाद के परोपजीवी तत्वों को पूँजीवाद से अलग कर दे, जिससे कि इस प्रणाली का जीवन नष्ट होने में बच जाये।"⁵

पूँजीवाद के अन्तरिक विरोधों पर ध्यान नहीं—

उपरोक्त विवेचना हमें समस्या के मुख्य भाग तक पहुँचाती है। क्या पूँजीवाद के अन्तर्गत पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करना सम्भव है? केन्ज ने पूँजीवाद के आधारभूत अन्तरिक विरोधों पर ध्यान नहीं दिया है। ये अन्तर्विरोध निम्न प्रकार हैं—

(i) पहला अन्तर्विरोध यह है कि बड़ी हुई उत्पादन-शक्ति तथा लाभदायकता के बीच तत्पर्य होता है। (ii) पूँजीवाद के अन्तर्गत पूर्ण रोजगार-स्तर केवल एक अस्थायी स्थिति ही होती है। कारण, किसी भी मोर से थोड़ा सा भी दबाव पड़ जाने पर या तो मुद्रा-प्रसार ही जायेगा या मुद्रा-संकुचन। (iii) पूँजीवाद के अन्तर्गत एकाधिकारों पर नियन्त्रण रचना लगभग

¹ F. H. Knight : *Realism and Relevance in the Theory of Demand*, Journal of Political Economy, Vol. 24, No. 4 (1944), p. 311.

² V. B. Singh : *Keynesian Economics*, pp. 178-79.

³ Keynes : *General Theory*, p. 378.

⁴ Harris : *The New Economics*, p. 544.

⁵ Article in *Modern Quarterly*, (1950), Vol. V. No. 2, p. 129.

प्रसम्भव होता है। एकाधिकारी अपने लाभों को बढ़ाने के लिए उपज को घटाने तथा कीमतों को उठाने की नीति ग्रहण करते हैं। इसके फलस्वरूप उत्पादन के विस्तार पर कृत्रिम प्रतिबन्ध लग जाता है। (iv) बिबरीज (Beveridge) ऐसा अनुभव करते हैं कि पूँजीवाद में पूर्ण रोजगार की स्थिति में भी लाखों व्यक्ति बेरोजगार रहते हैं। उनका कहना है कि प्रजातन्त्रीय देशों में अभी तक बेरोजगारी की अपेक्षा दवा केवल युद्ध के रूप में ही देखी गई है। (v) पीगू का विचार है कि केन्ज के सामान्य सिद्धान्त में रोजगार के केवल अल्पकालीन उच्चावचनों पर विचार किया गया है। यह सिद्धान्त अन्तिम साम्य की स्थिति का पता नहीं लगाता है। इस सम्बन्ध में बिबरीज का भी विचार है कि "इस प्रगतिशील सप्ताह में केन्ज द्वारा बताई गई अल्पकालीन साम्य-स्थितियाँ वास्तविक जीवन में क्विचित् ही कभी प्राप्त हो सकें।"¹ (vi) केन्ज का सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि राज्य न केवल पूँजीपतियों और श्रमिकों के परस्पर विरोधी हितों सम्बन्धी संघर्ष में तटस्थ है बल्कि यह सारे समाज के हित को देखकर ही कार्य करता है। यह स्पष्ट है कि वास्तविक दशाएँ ऐसी नहीं होती।

अविकसित देशों के लिए सिद्धान्त की अनुपयुक्तता—

सप्ताह के उन देशों में भी, जहाँ औद्योगिकरण पर्याप्त उन्नति कर चुका है, केन्जवाद को विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई है। कम उन्नत देशों में तो केन्ज के सिद्धान्त को कार्य-प्राधार बनाना और भी कठिन है क्योंकि ऐसे देशों की समस्याएँ कृषि और पशुपालन व्यवसायों की प्रधानता, भारी उद्योगों के अभाव, विदेशी पूँजी के प्रभुत्व, अत्यधिक करारोपण तथा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष राजनैतिक दासता के कारण और भी अधिक जटिल होती हैं। वैभवकाल में भी केन्जवाद इन देशों के लिए पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करने में असमर्थ रहता है। कम उन्नत देशों में विनियोग गुणक (Investment multiplier) का प्रभाव केन्ज द्वारा बताया हुए प्रभाव से पूर्णतया भिन्न होता है। "वास्तव में कम विकसित देशों में केन्जवाद के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं पाया जाता है। यहाँ अर्नच्छिद्र बेरोजगारी के स्थान पर छुपी बेरोजगारी होती है, खाद्य उद्योग नहीं बरद जीवन-निर्वाह कृषि होती है, पर्याप्त औद्योगिक पूँजी नहीं होती बरद विदेशी शोषक पूँजी की बहुलता होती है।"

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन ने बेरोजगारी पर जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें बताया गया है कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए इन देशों को "अपने आर्थिक क्लेवर में परिवर्तन करना होगा, अपनी उत्पादन-विधियों में आन्वितकारी परिवर्तन करने होंगे और उससे भी अधिक पूँजी निर्माण की शीघ्र पूर्ण वृद्धि के लिए और बढ़ती हुई जनसंख्या के निरन्तराहक प्रभाव को दूर करने के लिए पूँजी-निर्माण की गति को बढ़ाना होगा।"²

श्रीमती जोन रोबिन्सन का विचार है कि कम विकसित देशों में छुपी बेरोजगारी के कारण केन्ज का सामान्य सिद्धान्त उन देशों पर लागू नहीं हो सकता है। कारण, इन देशों में यदि विनियोग की दर बढ़ाई जाती है, तो उसके फलस्वरूप बचत के स्थान पर उपभोग ही प्रोत्साहित होता है।³

¹ Sir William Beveridge : *Full Employment in a Free Society*, (1944), p. 128.

² "... to remove unemployment the countries have to alter their economic structure, to revolutionize their technique of production and above all to achieve a sufficiently rapid increase in capital accumulation to counteract the depressing effect of a rapidly growing population."—The I L O Report on *Action Against Unemployment*, (1950), p. 128.

³ Joan Robinson : *Essays in the Theory of Employment*, p. 86.

इस प्रकार, केन्ज का सिद्धान्त कम विकसित देशों पर लागू नहीं होता है। इस सम्बन्ध में डा० राव ने स्पष्ट कहा है कि "मेरा निष्कर्ष यही है कि कम विकसित देशों में बेरोजगारी तथा उपज की वृद्धि पर गुणवत् सिद्धान्त लागू नहीं होता है क्योंकि यदि इन देशों में विनियोग की वृद्धि हीनार्थ-प्रबन्ध द्वारा की जाती है, तो इसके फलस्वरूप उपज और रोजगार के स्थान पर भीमती की स्त्रीनिवृत्ति ही प्रोत्साहित होती है।"¹

अन्य आलोचनाएँ—

केन्ज की पूर्ण रोजगार नीति के विरुद्ध निम्न और भी आलोचनाएँ की जा सकती हैं—

(१) केन्ज ने बेरोजगारी के विरुद्ध यह उपचार बताया है कि सरकारी व्यय को बढ़ाया जाये। कुछ लोगों का विचार है कि इससे अप्रत्यक्ष प्रोत्साहित होगा।

(२) रौस्टो (Rostow) का विचार है कि केन्ज ने बेरोजगारी का जो निवारण बताया है वह व्यक्तिगत प्रारम्भ-प्रेरणा (Private initiative) पर इस अंग तक निर्भर है कि अपर्याप्त हो जाता है। ".....युद्धोत्तर काल में रोजगार के सम्बन्ध में जो समस्याएँ उपस्थित हैं उन्होंने उसकी तुलना में, जिसका केन्ज ने मुभाव दिया है, सरकारी हस्तक्षेप की बहुत अधिक आवश्यकता उत्पन्न की है। इस प्रकार, ऐसी क्रियात्मक बेरोजगारी (Structural unemployment), जो हटने का नाम नहीं लेती है, केवल सप्रभातिक माँग के स्तर में सामान्य वृद्धि करके ही दूर नहीं की जा सकती है।".....निवारण हेतु यह आवश्यक है कि न केवल सप्रभातिक माँग का स्तर बल्कि सप्रभातिक माँग की प्रकृति को भी बदला जाये।"² कम विकसित देशों के सम्बन्ध में रौस्टो का कहना है कि "जब आवश्यक निपुणताएँ उपलब्ध नहीं होती हैं, जब श्रम की गतिशीलता कम होती है, तो सप्रभातिक माँग बढ़ाने के लिए जो उपाय विचे जाते हैं वे यदि हानिकारक न भी हों तब भी उनका केवल सीमित उपयोग ही किया जा सकता है।"

(३) केन्ज का सिद्धान्त इस भाव्यता पर आधारित है कि एकाधिकारों पर, चाहे वे व्यवसायों से सम्बन्धित हों अथवा श्रमिकों से, नियन्त्रण करने की दृष्टि से राज्य पर्याप्त रूप में शक्तिशाली होता है।

(४) केन्ज प्रशुन नीति में इतने उलझ गये हैं कि उन्होंने मौद्रिक नीति के, जिसका उपयोग चक्रिक बेरोजगारी (Cyclical unemployment) का सामना करने के लिए भ्रष्टी-भ्रष्टी किया जा सकता है, अध्ययन को लगभग भुला दिया है।

पूर्ण रोजगार की स्थापना के हेतु आवश्यक नीति

बुनियादी नीतियों का वर्गीकरण—हैसन ने उन आधारभूत नीतियों को, जिनके द्वारा पूर्ण रोजगार प्राप्त किया जा सकता है, निम्न प्रकार वर्गीत किया है³ :—(अ) एक सावधानीपूर्वक धनी हुई कर-नीति, जिसका उपयोग व्यक्तिगत विनियोगों को बढ़ाने हेतु रियायतें देने के लिए किया जा सकता है। (आ) सुलभ मुद्रा नीति, जिसे केन्द्रीय बैंक विनियोगों की वृद्धि में सहायता देने हेतु अपनाये। (इ) उपभोग के स्तरों में सुधार, जिसके लिए ऐसे उपाय अपनाये जा

¹ "My conclusion, therefore, is that the multiplier principle does not operate in regard to the problem of unemployment and increasing output in an under-developed economy, an increment of investment based on deficit financing tending to lead more to an inflationary rise in prices than to an increase in output and employment."—Dr. V. K. R. V. Rao : *Keynesian Economics, A Symposium*, p. 175.

² W. W. Rostow : *American Economic Review*, Vol. XIII, No. 2, p. 127.

³ *Ide Hansen's : Economic Policy and Full Employment.*

सकते हैं जैसे कि ध्राय वितरण की विपमताओं में कमी आदि। (ई) व्यक्तिगत विनियोगों को प्रोत्साहन देना। (ज) ऐसी मजदूरी नीति का अनुकरण, जिससे मौद्रिक मजदूरी के स्तरों में स्थिरता बनी रहे। (झ) हीनार्थ-प्रबन्धन द्वारा सार्वजनिक विनियोजन की नीति, जिससे देश में कुल व्यय को इनके ऊँचे स्तरों पर रखा जा सके जो कि पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक है। हीनार्थ-प्रबन्धन के कारण मुद्रा-प्रसार उत्पन्न होना अनिवार्य नहीं है। केवल उसी दशा में इससे मुद्रा-प्रसार उत्पन्न होगा जबकि इसकी मात्रा इतनी अधिक हो कि सप्रभाविक मांग के बढ़ने से ध्रम और वस्तुओं की सामान्य कमी उत्पन्न हो जाय।

पिछड़े हुए देशों के लिये पहला कदम—जहाँ तक पिछड़ी हुई व्यवस्थाओं का सम्बन्ध है, इन देशों में आवश्यक सामानों और पूंजीगत माल की कमी होती है। वहाँ इन कमियों को दूर करना आवश्यक है, जिससे सामानों की पूर्ति इतनी प्रयाप्त हो जाय कि समस्त उपलब्ध ध्रम-शक्ति का उपयोग हो सके। ऐसे देशों में पूर्ण रोजगार हेतु पूंजीगत माल की वृद्धि आवश्यक है। इन देशों के लिये आरम्भ में औद्योगीकरण तथा पुनर्निर्माण की नीति उपयुक्त होगी, जिससे विद्यमान सामानों की मात्रा में वेगपूर्ण वृद्धि की जा सके।

सार्वजनिक विनियोगों के लिये वित्त की व्यवस्था कैसे हो? सार्वजनिक विनियोग व्याज-रहित ध्रय-प्रबन्धन पर आधारित हो सकता है, जिसके लिये नई मुद्रा के निर्माण द्वारा व्यवस्था की जा सकती है। बैंक और लनर दोनों ने नई मुद्रा के निर्माण द्वारा हीनार्थ-प्रबन्धन का सुभाव दिया है। परन्तु हैन्सन इसे उपयुक्त नहीं समझते हैं, क्योंकि उनके विचार में इससे मुद्रा-प्रसार का भय उत्पन्न होता है। हैन्सन का विचार है कि सार्वजनिक ध्यय-नीति, जिसे उन्होंने 'क्षतिपूरक प्रशुल्क नीति' (Compensatory fiscal policy) कहा है, केवल एक ही उद्देश्य को लेकर नहीं चलती है। यदि इस नीति को भली-भाँति नियन्त्रित रखा जाये, तो इससे मुद्रा-प्रसार और मुद्रा-सकुचन दोनों को रोका जा सकता है।

विवरोज के सुभाव—विवरोज में पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए निम्न तीन उपाय बताये हैं—(i) सार्वजनिक ध्यय की वृद्धि, जिसमें, यदि करो की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है तो, हीनार्थ-प्रबन्धन होगा; (ii) अधिक ध्यय तथा अधिक कर, जिसके फलस्वरूप सरकारी बजट सन्तुलित हो जाते हैं और (iii) सार्वजनिक ध्यय को यथास्थिर रखना तथा करो को घटाना।

क्रियात्मक वित्त—लनर ने पूर्ण रोजगार सम्बन्धी प्रशुल्क नीति को 'क्रियात्मक वित्त' (Functional Finance) का नाम दिया है। इस सम्बन्ध में उन्होंने देश की ध्रय-व्यवस्था के निर्देशन के लिए निम्न तीन नियम सुभाये हैं—“(i) सरकार सदा ही ध्रय-व्यवस्था में कुल ध्यय का एक पर्याप्त ऊँचा स्तर कायम रखे। (ii) सरकार व्याज-दर को उस स्तर पर बनाने रखे जो देश में अनुकूलतम दर से विनियोजन को प्रोत्साहन दे। (iii) सहकारी मुद्रालय इन नियमों का लागू करने के लिए आवश्यक मात्रा में कागज के नोट छापने के लिये तैयार रहे।”



१६

आर्थिक प्रणालियाँ

(Economic Systems)

प्रारम्भिक—आर्थिक प्रणाली से आरम्भ

आर्थिक प्रणाली से आरम्भ उस वैधानिक एवं सव्यगत ढाँचे का है, जिसके अन्तर्गत आर्थिक क्रियायें (अर्थात् उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण से सम्बन्धित मानवीय क्रियायें) संचालित होनी हैं। प्रत्येक देश में सरकार आर्थिक क्रियाओं में कुछ न कुछ सीमा तक हस्तक्षेप करती है और कुछ सामाजिक नियम भी होते हैं। अतः आर्थिक प्रणाली का स्वरूप इनसे भी प्रभावित होता है।

आर्थिक प्रणाली के तीन कार्य हैं :—प्रथमतः, यह निर्दिष्ट करती है कि किन वस्तुओं का, कितनी मात्राओं में उत्पादन किया जायेगा। दूसरे, वस्तुप्रेषण प्रणार (अर्थात् वित्तके द्वारा, किन माध्यमों से और किन तकनीकों के प्रयोग द्वारा) उत्पन्न की जायेगी। तीसरे, वित्तके लिये वस्तुप्रेषण उत्पादन की जायेंगी अर्थात् वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन का लाभ किन लोगों को मिलेगा। ये तीनों कार्य प्रत्येक आर्थिक प्रणाली के लिए बुनियादी होते हैं, केवल इनकी पूर्ति का तरीका विभिन्न आर्थिक प्रणालियों में विभिन्न होता है।

संसार में इस समय दो प्रणार की आर्थिक प्रणालियाँ प्रचलित हैं :—पूँजीवाद (Capitalism) और समाजवाद (Socialism)। समाजवाद के अनेक रूप देखने में आते हैं और ठीक इसी प्रकार पूँजीवाद के भी। वर्तमान संसार का राजनीतिक इतिहास वास्तव में पूँजीवादी और समाजवादी विचारधाराओं के ही संघर्ष का इतिहास है। अधिकांश विद्वानों का मन है कि ये दोनों प्रणार की आर्थिक प्रणालियाँ एक ही साध संसार में जन्म नहीं रह सकती हैं, यद्यपि समाजवादी नेताओं ने अनेक वर्षों में यह विश्वास प्रकट किया है कि दोनों प्रणालियाँ अन्तिम समय रीति में एक साथ प्रचलित रह सकती हैं, अर्थात्, "सह-अस्तित्व" सम्भव है। कुछ विद्वानों का मन है कि पूँजीवाद की अथ प्रौढ अवस्था है और वह धीरे-धीरे विलीन होना जा रहा है किन्तु समाजवाद शिशु अवस्था को पार करके युवा अवस्था की ओर अग्रसर है। साधारण अनुभव हमें विपरीत यह बताता है कि कुछ देशों को छोड़कर अधिकांश देशों में पूँजीवाद के विकास का काल अभी तक चालू है। आजकल एकदलीय आर्थिक प्रणाली का उदय हुआ है, जो पूँजीवाद और समाजवाद दोनों के गुणों का मिश्रण है। इसे 'मिश्रित अर्थ व्यवस्था' (Mixed Economy) कहते हैं।

पूँजीवाद
(Capitalism)

पूँजीवाद से आरम्भ—

पूँजीवाद वह आर्थिक प्रणाली है, जिसमें उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार होता है। यह प्रणाली व्यक्तिगत सम्पत्ति की स्वीकार करती है और उसकी रक्षा भी करती है। इस प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह है कि कुछ सामाजिक महत्त्व के प्रतिबन्धों को छोड़कर

व्यक्तिगत सम्पत्ति के उपयोग के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता है। वह अपनी सम्पत्ति का मनचाहा उपयोग कर सकता है। पूँजीवाद की प्रमुख परिभाषायें निम्न प्रकार हैं :—

(१) पीगू—“एक पूँजीवादी उद्योग वह है जिसमें उत्पात्ति के भौतिक साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है अथवा इन्हें वह भाड़े पर रखते हैं। इन (साधनों) का उपयोग इन्हीं व्यक्तियों के आदेशानुसार होता है और उद्देश्य यह होता है कि इनकी सहायता से जो वस्तुयें अथवा सेवायें उत्पन्न हो उन्हें लाभ पर बेचा जाय। ‘पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था’ अथवा ‘पूँजीवादी प्रणाली’ वह है जिसके उत्पादक साधनों का प्रमुख भाग पूँजीवादी उद्योगों में लगा हुआ है।”¹ ऐसी दशा में एक व्यक्ति स्वभाव से ही अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करता है।

(२) वेनहाम—“पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था आर्थिक तानाशाही की प्रति-विरोधी है। उत्पादन का कोई केन्द्रीय नियोजन नहीं होता।.....राज्य द्वारा लगाये हुए प्रतिबन्धों को छोड़कर प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए लगभग स्वतन्त्र होता है। समाज की आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों एवं व्यक्ति-समूहों के समन्वय-रहित-निर्णयों द्वारा होता है, क्योंकि प्रत्येक उत्पात्ति के साधन का स्वामी (जिसे दास प्रथा के न हाने के कारण श्रमिक भी सम्मिलित होता है) उस साधन को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है और अपनी श्रम को मनचाही रीति से व्यय कर सकता है।”²

(३) वेब (Webb)—“पूँजीवाद, पूँजीवादी प्रणाली अथवा (यदि हम कहना चाहें तो) पूँजीवादी सम्यता का अभिप्राय औद्योगिक और वैधानिक संस्थाओं के विकास की उस प्रवृत्ति से है, जिसमें अधिकांश कामगार अपने प्रापको उत्पात्ति के साधनों के स्वामित्व से इस प्रकार वंचित पाते हैं कि उनकी स्थिति ऐसे मजदूरों की हो जाती है जिनका जीवन-निर्वाह, जिनकी सुरक्षा और जिनकी वैयक्तिक स्वतन्त्रता राष्ट्र के एक छोटे से ही जनसमूह की इच्छा पर निर्भर होती है, अर्थात्, उन लोगों पर, जो अपने वैधानिक स्वामित्व द्वारा भूमि, मशीनरी और

1 “A capitalist industry is one in which the material instruments of production are owned or hired by private persons and are operated at their orders with a view to selling at a profit the goods and services that they help to produce. A capitalist economy, or capitalist system, is one the main part of whose productive resources is engaged in capitalist industry”—A. C. Pigou · *Socialism Versus Capitalism*

2 “A capitalist economy is the antithesis of an economic dictatorship. There is no central planning of production as a whole.....Subject to the limitation imposed by the State, everybody is more or less free to do what he likes. The economic activities of the community are determined by the apparently uncoordinated decisions of a multitude of different persons, since each owner of a factor of production (including workers—who in the absence of a slavery—own their own labour) is free to use it as he pleases, and to dispose of its earnings as he wishes.”—Benham : *Economics*, p 155.

समाज की श्रम शक्ति के मालिक होते हैं और उनके सङ्गठन पर नियन्त्रण रखते हैं तथा ऐसा करने में उनका उद्देश्य निजी तथा व्यक्तिगत लाभ बचाना होता है।¹

दोनों बंध और बेनहम की परिभाषाओं से पता चलता है कि पूंजीवाद में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत पूंजी और इससे प्राप्त आय को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग करने की स्वतन्त्रता होती है। इस स्वतन्त्रता से सम्बन्धित पूंजीवाद की निम्नांकित तीन विशेषताएँ होती हैं :—

(१) व्यक्तिगत सम्पत्ति—व्यक्तिगत सम्पत्ति (Personal property) का अर्थ यह होता है कि सम्पत्ति-स्वामी, राज्य के नियमों का पालन करते हुए सम्पत्ति को किसी भी प्रकार उपयोग कर सकता है अथवा दूसरों को उपयोग करने के लिए किराये पर दे सकता है। यही नहीं, उसे एक प्रकार की सम्पत्ति को किसी दूसरे प्रकार की सम्पत्ति में बदल देने की भी स्वतन्त्रता होती है।

(२) व्यावसायिक स्वतन्त्रता—व्यावसायिक स्वतन्त्रता (Freedom of enterprise) का अर्थ प्रायः यह होता है कि राज्य के नियमों का उल्लंघन न करते हुए एक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी व्यवसाय चुनने के लिये पूर्णतः स्वतन्त्र है। वह अपने वर्तमान व्यवसाय को बन्द करके नया व्यवसाय खोल सकता है, अपनी सेवायें किसी भी सेवायोजक को दे सकता है और यदि चाहे तो बेकार भी रह सकता है। इसमें तो सन्देह नहीं है कि ऐसी स्वतन्त्रता अनेक कारणों से सीमित होती है। पूंजी की बमी, निपुणता, योग्यता और व्यवसाय में रोजगार की स्थिति भी व्यावसायिक स्वतन्त्रता की सीमाएँ निश्चित करती हैं, परन्तु इन सीमाओं के भीतर प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण व्यावसायिक स्वतन्त्रता होती है।

(३) उपभोक्ता के लिए चुनाव की स्वतन्त्रता—उपभोक्ता की चुनाव की स्वतन्त्रता (Freedom of choice) से अर्थ प्रायः यह है कि व्यक्ति को, राज्य के नियमों का पालन करते हुए, अपनी आय किसी भी प्रकार से व्यय करने की स्वतन्त्रता होती है। उसे यह भी स्वतन्त्रता होती है कि आय के भाग को बचा ले तथा उसका विनियोग अधिक प्राप्त करने के लिए करे। परन्तु यहाँ भी आय की मात्रा उपभोक्ता के चुनाव को सीमित कर देती है यद्यपि ऐसी सीमाओं के भीतर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध नहीं होते हैं।

पूँजीवाद की आधारभूत धार्मिक विशेषताएँ—

पूँजीवाद की परिभाषा से ही उसकी कुछ विशेषताओं का पता चल जाता है। प्रमुख विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं :—

1 "By the term capitalism or the capitalist system or as we prefer the 'capitalist civilization' we mean the particular stage in the development of industry and legal institutions in which the bulk of the workers find themselves divorced from the ownership of the instruments of production in such a way as to pass in to the position of wage earners whose subsistence security and personal freedom seem dependent on the will of a relatively small proportion of the nation, namely those who own and through their legal ownership, control the organisation of the land, the machinery and the labour force of community and do so with the object of making for themselves individual and private gains."—Sidney and Beatrice Webb

(१) **व्यक्तिगत सम्पत्ति (Private Property)**—पूँजीवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता व्यक्तिगत सम्पत्ति और उत्तराधिकारी प्रणाली है। प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत सम्पत्ति जमा करने तथा अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग करने की स्वतन्त्रता होती है। वह इस सम्पत्ति को और आगे उत्पत्तिकरने और अधिक आय प्राप्त करने का साधन बना सकता है, जिस कारण व्यक्तिगत सम्पत्ति स्वयं अपने विस्तार में सहायक होती है। यह व्यक्तिगत सम्पत्ति एक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् उसके उत्तराधिकारी को पहुँच जाती है जो इसे और बढ़ा सकता है। इस प्रणाली का परिणाम यह होता है कि देश में आय अथवा धन के वितरण में धीरे-धीरे असमानताएँ उत्पन्न हो जाती हैं। पूँजीवादी प्रणाली की प्रवृत्ति अमीरों को और अमीर तथा गरीबों को और भी गरीब बनाने की है।

(२) **स्वार्थी नीति (Self-interest)**—व्यक्तिगत सम्पत्ति प्रणाली का ही एक परिणाम यह होता है कि उत्पत्ति के साधन व्यक्तिगत स्वामियों के अधिकार में होते हैं, जो उन्हें अपने लाभ के लिए ही उपयोग करते हैं। भूमि और पूँजी व्यक्तिगत लोगों के हाथों में होती है, जो समाज के हितों पर ध्यान दिये बिना केवल अपने स्वार्थों को ध्यान में रखकर उत्पादन कार्यों को चलाते हैं और कुल उत्पादन का अधिकांश भाग अपने लिए ही रख लेते हैं। इस प्रकार, जन-साधारण (विशेषतया श्रमिक) को उत्पत्ति में से उचित हिस्सा नहीं मिल पाता और उनका शोषण होता है। पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली व्यक्तिगत उत्पादकों (पूँजीपतियों) के लाभ के लिए चलती है, सार्वजनिक लाभ के लिए नहीं। यह समाज और श्रमिकों का तो अहित करती है।

(३) **वर्ग संघर्ष (Class Conflict)**—पूँजीवादी प्रणाली की तीसरी विशेषता वर्ग संघर्ष है, जो इसलिए पूँजीपति और श्रमिक अथवा जन-साधारण के हितों में अनुत्पत्ता न होने के कारण उत्पन्न होती है। दोनों के हित साधारणतया एक-दूसरे के प्रति-विरोधी होते हैं। इस प्रणाली में समाज दो स्पष्ट भागों में विभाजित हो जाता है—(i) पूँजीपति और (ii) श्रमिक। पूँजीपति के पास उत्पत्ति के साधन होते हैं और वह राजस्वर पर अधिकार रखता है। श्रमिक को अपना श्रम बेचने पर बाध्य होना पड़ता है। पूँजीपति का हित इसमें है कि वह श्रमिक का अधिक से अधिक शोषण करके अपने लाभों को बढ़ाये, जबकि श्रमिक का हित इसमें होता है कि पूँजीपति द्वारा दिये हुए शोषण को कम करके अपनी मजदूरी बढ़वाये और अच्छी कार्य-दशाएँ प्राप्त करे। दोनों वर्गों के बीच निरन्तर संघर्ष चलता रहता है। यह संघर्ष बहुधा शारीरिक विवादों तथा हड़तालों और तासावन्दियों के रूप में दृष्टिगोचर होता है।

(४) **आर्थिक स्वतन्त्रता (Economic Freedom)**—आर्थिक स्वतन्त्रता में तीन प्रकार की स्वतन्त्रताएँ सम्मिलित हैं—(अ) व्यावसायिक स्वतन्त्रता (Freedom of Enterprise) (ब) प्रसविदा करने की स्वतन्त्रता (Freedom of Contract), और (स) चुनाव की स्वतन्त्रता (Freedom of Choice)। इन तीनों प्रकार की स्वतन्त्रताओं का विश्लेषण पूँजीवाद की परिभाषा के सम्बन्ध में किया जा चुका है। इन स्वतन्त्रताओं पर कुछ प्रकार के प्रतिबन्ध होते हैं, परन्तु इन प्रतिबन्धों के भीतर सभी व्यक्तियों को व्यवसाय चुनने, दूसरों से आर्थिक सम्बन्ध स्थापित करने और अपनी आय को इच्छानुसार व्यय करने का पूरा अधिकार होता है।

विगत वर्षों में राज्य द्वारा इस सम्बन्ध में अनेक प्रतिबन्ध लगाये गये हैं, परन्तु फिर भी पूँजीवाद की सामान्य प्रवृत्ति इन स्वतन्त्रताओं को बनाये रखना ही होनी है। नैदानिक दृष्टि से तो इस प्रकार की स्वतन्त्रता सभी को होती है, परन्तु व्यावहारिक जीवन में स्वतन्त्रता केवल पूँजीपति को ही होनी है। श्रमिक और जन-साधारण के पास साधन सीमित हो जाने हैं और उन्हीं के अनुपात में उनकी स्वतन्त्रता भी सीमित होती है।

(५) **लाभ उद्देश्य (Profit Motive)**—पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली लाभ उद्देश्य

योगिता मिलती है। यह प्रतियोगिता उत्पादकों अथवा विप्रेताओं के बीच पाई जाती है और ग्राहकों अथवा उपभोक्ताओं के बीच भी। साथ ही साथ संपन्नदी द्वारा प्रतियोगिता को कम करने का भी प्रयत्न किया जाता है। बिक्रेता आपस में संपन्नदी बरके प्रतियोगिता को सीमित करने का प्रयत्न करते हैं। श्रम संधों की स्थापना बरके श्रमिक भी आपसी प्रतियोगिता को कम करने की चेष्टा करते हैं। इस प्रकार पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में संपन्नदी और प्रतियोगिता दोनों साथ-साथ चलती रहती है।

(६) नाशवान प्रकृति (Destructive Nature)—पूँजीवादी अर्थिक प्रणाली स्वयं ही अपने विनाश की दशा में उत्पन्न करती है। इस प्रणाली में ऐसा दुर्गुण है जिसके फलस्वरूप यह अन्त में स्वयं अपनी जड़े खोदती है। जैसे-जैसे पूँजीवाद का विकास होता जाता है, छोटे छोटे उत्पादक बड़े उत्पादकों की प्रतियोगिता के कारण बाजार से भागते जाते हैं। इस प्रकार पूँजीपतियों की संख्या घटती जाती है किन्तु श्रमिकों की संख्या बराबर बढ़ती जाती है। अधिक आवश्यकता और पूँजीपति का शोषण भी श्रमिकों को संगठित करने के लिए बाध्य करते हैं। वैसे भी इस उत्पादन प्रणाली में भारी संख्या में श्रमिक घोटोगिक केन्द्रों पर एकत्रित हो जाते हैं और धीरे-धीरे पूँजीपतियों की तुलना में श्रमिकों की संगठित शक्ति बढ़ती जाती है। अन्त में वर्ग-संघर्ष (Class Struggle) में श्रमिकों की विजय होती है। इस दृष्टिकोण से पूँजीवाद का अन्त निश्चय है। समाजवादियों का नाश कि "सत्तार के श्रमिकों-आपस में मिल जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिये अपनी दासता के अनिर्दिष्ट कुछ भी नहीं है," वास्तव में सार्वक है।

पूँजीवाद के गुण या इसकी सफलतायें—

सम्बन्धित काल से पूँजीवाद ने सत्तार की सेवा की है और सत्तार के अधिकांश देशों में यह आर्थिक प्रणाली अभी तक भी लाभदायक कार्य कर रही है। पूँजीवाद की सफलता की सूची लम्बी है और पूँजीवाद के बड़े आलोचकों ने भी इसकी महत्त्व देन की स्वीकार किया है। इसकी प्रमुख सफलतायें निम्न प्रकार हैं —

(१) उत्पादन में वृद्धि—पूँजीवाद के समयको का बहना है कि इस प्रणाली ने वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति में गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों ही दृष्टिकोणों से वृद्धि की है। लाभ के लोभ में पूँजीपति ने अनेक प्रकार की जोखिम उठाई है और उत्पादन के नये-नये क्षेत्रों की खोज की है। वर्तमान युग में बरतुषों और सेवाओं की विविधता और प्रचुरता का प्रमुख श्रेय पूँजीवाद को ही है। इस प्रणाली ने समाज के जीवन-स्तर और समतोल स्तर को भी निरन्तर ऊपर उठाया है और मानव जीवन की सम्पन्नता बढ़ाई है।

[इस सम्बन्ध में हम केवल इतना कह सकते हैं कि पूँजीवाद के कारण से कोई इन्कार नहीं है; परन्तु किंचित यदि पूँजीवाद के स्थान पर समाजवाद होता, तो मानव जीवन की सम्पन्नता और अधिक हो जाती। पूँजीवाद में तो धन के वितरण में असमानता लाकर जीवन-स्तर की सामान्य उत्थिति में बाधा डाली है।]

(२) साधनों का मितव्ययी उपयोग—कहा जाता है कि पूँजीवाद उत्पादन के साधनों का मितव्ययी मितव्ययितापूर्ण उपयोग करता है और सभी प्रकार के अपव्यय को समाप्त कर देता है। लाभ की अधिकतम बरने के लिए पूँजीपति प्रत्येक साधन का सबसे उपयुक्त रीति से उपयोग करता है। इससे उत्पादन, समाज और राष्ट्र को लाभ होता है।

[इस सम्बन्ध में भी हम ऐसा कह सकते हैं कि अर्थ में पूँजीवाद में राष्ट्रीय साधनों का पर्याप्त अपव्यय होता है। व्यक्तिगत उत्पादक अपने लाभ के लोभ में सामाजिक अथवा

¹ "Workers of the world unite; you have nothing to lose but your chains."

राष्ट्रीय हितों पर ध्यान नहीं देता। कुछ साधनों का तो केवल इसी कारण उपयोग नहीं हो पाता है कि उनके उपयोग से उत्पादक को यथेष्ट लाभ नहीं मिलता।]

(३) योग्यता के विषय—पूँजीवाद योग्यता के अभाव के सिद्धान्त पर चलता है। अधिकांश परिचित सभ्यताओं में, सबसे अधिक जीवित उद्योगों वाले तथा सबसे अधिक परिश्रमी साहसी को ही मिलता है। व्यावसायिकता इसी में है कि सबसे योग्य व्यक्ति को ही अधिक से अधिक लाभ हो।

[इस सम्बन्ध में भी हम यह कह सकते हैं कि व्यक्तिगत सम्पत्ति और उत्तमविकार प्रणाली के फलस्वरूप पूँजीवाद योग्य लोगों को आगे बढ़ने का अवसर नहीं देता, बल्कि वही लोग आगे बढ़ते हैं, जिनके पास पहले से ही विनाश सांख्यिक साधन मौजूद होते हैं।]

(४) सांख्यिक स्वतन्त्रता—पूँजीवाद का सबसे बड़ा महत्त्वपूर्ण गुण यह है कि इसमें सांख्यिक स्वतन्त्रता अधिक रहती है। इसमें उपभोक्ता को खर्च तो सर्वशक्तिमान है, यही यह निश्चित करता है कि उत्पादन वैसा होगा। इसी प्रकार, उपभोक्ता अपनी इच्छा के अनुसार उपभोग करता है और पूँजीपति उत्पादक को उपभोक्ता की माँग के अनुसार ही उत्पादन करना पड़ता है। सभी व्यक्तियों को व्यवसाय चुनने की भी पूरी-पूरी स्वतन्त्रता होती है।

[यद्यपि यहाँ यह है कि पूँजीवाद में स्वतन्त्रता उतनी अधिक नहीं होती जितनी कि इसके प्रशासक समझते हैं। प्रभावशाली विभाजन द्वारा पूँजीपति माँग को बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकता है। एकाधिकार रखने वाले पूँजीपति के सम्मुख तो उपभोक्ता साधारण होते हैं। व्यावसायिक स्वतन्त्रता भी केवल सैद्धान्तिक है, क्योंकि व्यवसायों और रोजगारों का निर्माण पूँजीपति अपने लाभ को ध्यान में रख कर करता है।]

(५) व्यक्तिगत हित—पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली को व्यक्तिगत हित, उत्तरदायित्व और हित के साथ प्राप्त होते हैं। व्यवसाय पर साहसी का नियन्त्रण होने के कारण उसका संचालन बड़ी बुद्धिमानता और बड़ी जिम्मेदारी के साथ होता है, जिससे उतनी कुशलता बढ़ती है।

[यह निस्सन्देह इस उत्पादन प्रणाली का महत्त्वपूर्ण गुण है, परन्तु समाजवादी देशों का अनुभव हमें बताता है कि यहाँ भी कुशलता का भय कम नहीं होता।]

(६) लोभ का गुण—पूँजीवाद में परिस्तिथियों का सामना करने और उनके अनुसार अपनी उत्पादन विधियों, प्रयत्न और कार्य प्रणाली बदलने का भारी गुण होता है। हमने भारी सफ्टो का सामना किया है, परन्तु सम्भवतः सदा ही यह विजयी रहा है। सांख्यिकता यह है कि अपनी इस प्रगतिशील प्रवृत्ति के कारण ही पूँजीवाद जीवित रहने और बराबर उन्नति करने में सफल रहा है।

[परन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि प्रत्येक सफ्टो ने पूँजीवाद की गहरा तोड़ी है। राज्य द्वारा सांख्यिक जीवन में हस्तक्षेप बराबर बढ़ने जा रहे हैं, जिससे यही पता चलता है, कि पूँजीवाद बिना बाहरी रक्षा के जीवित रहने योग्य नहीं है।]

पूँजीवाद के दोष—

पूँजीवाद के दोष भी गम्भीर हैं। इसकी स्थापना के बाद से लेकर अब तक बराबर ही पूँजीवाद की आलोचनाएँ हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि पूँजीवाद के विकास के साथ-साथ उसके दोष अधिक स्पष्ट और अधिक गम्भीर रूप धारण करते चले जा रहे हैं। समाजवादी लेखक चार्ल्स बेन्सले के अनुसार वे मानते हैं कि समय के साथ-साथ पूँजीवाद के दोष बढ़ते ही जायेंगे। वर्तमान युग में सांख्यिक सफ्टो ने बड़ा ही गम्भीर, व्यापक और गूर रूप धारण

कर लिया है। व्यापारिक तेजी और मन्दी तथा उनसे सम्बन्धित चोटों से आज का ममार मली-भानि परिचिन है। इस प्रणाली न सामाजिक और आर्थिक कतह उत्पन्न करके विश्व युद्धों को उत्पन्न किया है। जनसाधारण के चष्ट और उनकी दरिद्रता इनकी बह गई है कि पूँजीवाद के विरुद्ध एक आन्दोलन सा खटा हो गया है। प्रणाली के आनीबकी की मग्ग वकूनी जा रही है और कुछ देशों में तो आग्नि द्वारा उसे समाप्त भी कर दिया गया है। आज का ममार तेजी के साथ समाजवाद की ओर जा रहा है। इसके प्रमुख दोष निम्न प्रकार है—

(१) आर्थिक संकट—पूँजीवाद आर्थिक संकटों को जन्म देता है। उद्य प्रणाली में राष्ट्रीय उत्पादन और राष्ट्रीय आवश्यकता के बीच बिभी भी प्रकार का ममायोजन नहीं होता। उत्पत्ति लाभ को ध्यान में रखकर की जाती है, न कि राष्ट्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखकर। परिणाम यह होता है कि राष्ट्रीय आवश्यकता से उत्पत्ति कम भी हो सकती है और अधिक भी। अति-उत्पादन और न्यून-उत्पादन के कारण व्यापार-चक्र और उनमें सम्बन्धित आर्थिक संकट उत्पन्न होते हैं। और आर्थिक जीवन चटमय होना जाता है। जैसे-जैसे पूँजीवाद की प्रगति बढ़ती जाती है, व्यापार चक्रों की चूरता बढ़ती जाती है। लगभग सभी पूँजीवादी देश इनसे व्याकुल हैं और प्रयत्न करने पर भी इनको दूर करने में सफल नहीं हो पाये हैं। आर्थिक संकट पूँजीवाद की प्रकृति में सम्मिलित है। लार्ड केन्स (Lord Keynes) ने भी स्वीकार किया है कि अत्यधिक प्रयत्न के द्वारा भी पूँजीवाद में व्यापार चक्रों की चूरता केवल कम की जा सकती है, समाप्त नहीं।

(२) वर्ग-संघर्ष—पूँजीवाद वर्ग संघर्ष को उत्पन्न करता है और जैसे-जैसे पूँजीवाद का विकास होता जाता है, वर्ग-युद्ध (Class-war) का भी विकास होता जाता है। यह प्रणाली ममाज को दो प्रति-विरोधी वर्गों में बाँट देती है—पूँजीपति और श्रमिक, अथवा धनवान और निर्धन (Haves and havenots)। इनमें सामाजिक और आर्थिक जीवन दूषित हो जाता है। धनी लोग बराबर और अधिक धनवान होने जाते हैं अथवा निर्धन और भी अधिक निर्धन।

(३) अपव्यय प्रकृति—पूँजीवाद का भारी दोष अपव्यय है। प्रतियोगिता जो कि पूँजीवाद की एक प्रमुख विशेषता है, भारी अपव्यय का कारण होती है। प्रत्येक उत्पादक को विज्ञापन तथा विनी व्यय के रूप में अधिक व्यय करना पड़ता है। जिसका उद्देश्य प्रतिद्वन्द्वियों को बाजार में समाप्त करना होता है। इस प्रकार का सारा व्यय अपव्यय ही होता है। यही नहीं, अनकब प्रतियोगियों का लगाया हुआ धन, और शक्ति साधन बेकार हो जाते हैं। राष्ट्रीय साधनों का भी अपव्यय होता है।

(४) वास्तविक स्वतन्त्रता का अभाव—पूँजीवाद में आर्थिक स्वतन्त्रता केवल मर्यादित है और ममाज एवं उत्पादकों के हितों की अनुकूलता भी केवल कीरी कल्पना होती है। पूर्ण प्रतियोगिता का अभाव, उत्पादकों द्वारा विज्ञापन और उनकी घोषणाओं तथा उप-भोक्ताओं की अज्ञानता व शक्तिहीनता सभी मिलकर उपभोक्ता को पूँजीपति या दास बना देते हैं। व्यावसायिक स्वतन्त्रता केवल दिखावटी होती है। रोजगार का रूप पूँजीपति ही निश्चिन करता है। पूँजीवाद में तो व्यक्ति की केवल भुला या विना शोधि के मरन अथवा बेकार रहने की स्वतन्त्रता रहती है।

(५) शोषण पर आधारित—पूँजीवाद श्रमिकों और उपभोक्ताओं के शोषण पर आधारित है। श्रमिकों के लिए, जो धन के वास्तविक उत्पादक होते हैं, किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं होती। उनको रोजगार छूटने का भय बराबर बना रहता है। लगभग सभी पूँजीवादी देशों में राज्य प्रेरणा द्वारा सुचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ इस धान का स्पष्ट प्रमाण हैं कि पूँजीवाद में सामाजिक सुरक्षा का भारी अभाव रहता है।

(६) कुशलता कल्पित होती है—पूँजीवाद में उत्पादन सम्बन्धी कुशलता भी भ्रमात्मक होती है। सन्देह नहीं कि व्यक्तिगत उत्पादन इकाइयों में उत्पादन व्यय-स्तर साधारणतया नीचा होता है, परन्तु नीचे उत्पादन व्यय का कारण पूँजीवाद की कुशलता नहीं है, बल्कि समाज विभेदन धर्मिकों का शोषण होता है। पूँजीवाद उत्पादन प्रणाली में मजदूरी और नार्म की दशायें समाजवादी उत्पादन प्रणाली से बहुत नीची होती हैं। इसके प्रतिरिक्त, पूँजीवाद में मोट्रिक उत्पादन व्यय तो नीचा हो सकता है, परन्तु सामाजिक व्यय (Social Cost) बहुत ऊँचा होता है। समाज अथवा राज्य को स्वास्थ्य, मनोरंजन, सामाजिक सुरक्षा और नैतिक तथा सांस्कृतिक उत्थान के लिए बहुत व्यय करना पड़ना है। शायद हम यह कह सकते हैं कि सभी प्रकार के व्यय को जोड़कर समाजवादी उत्पादन-व्यय पूँजीवाद से नीचा ही रहता है।

(७) व्यक्तिगत सम्पत्ति का दोष—पूँजीवाद व्यक्तिगत सम्पत्ति और उत्तराधिकारी अधिकारों की रक्ष करता है। प्रोबो (Proudon) ने ठीक ही कहा है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति एक प्रकार की चोरी है, जो समाज को धोखा देकर अथवा उसका शोषण करके उत्पन्न की जाती है। व्यक्तिगत सम्पत्ति और उत्तराधिकारी नियमों ने योग्यतम् जीवन के सिद्धान्त को तोड़ दिया है। इन प्रणाली में मनुष्य को केवल एक वस्तु की भाँति समझा जाता है उसे उसकी वास्तविक स्थिति के अनुसार आदर नहीं मिल पाता है।

(८) धन के वितरण की असमानतायें—पूँजीवाद धन और श्रम के वितरण की असमानताओं का बढाता है। इन प्रणाली में धनिकों का धन और निधनों की दरिद्रता दोनों बराबर बढ़ते रहते हैं। अर्थात् साम्प्रति और उत्तराधिकार सम्बन्धी नियम धन के वितरण की इस असमानता को और बढा भी देते हैं। श्रम के वितरण की इस असमानता के सम्भार सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिणाम होते हैं। इसके फलस्वरूप आर्थिक बल्वाण में कमी आती है, सामाजिक जीवन में कलह पैदा होती है और राजनैतिक जीवन में भ्रष्टाचार फैलता है।

(९) सामाजिक विषाद—पूँजीवाद में सामाजिक जीवन विषाद और विरोधी से भरा रहता है। इसमें प्रचुरता और दरिद्रता, विलास और भुखमरी, शासन और दासता, दुर्लभता और बेकारी साथ ही साथ देखने को मिलते हैं।

(१०) तापनों की बेकारी—पूँजीवाद में देश के तापनों का विकास उचित दिशाओं तथा उचित प्रशंसा नहीं हो पाता है। भले ही कुछ उद्योग सामाजिक दृष्टि से बहुत ही आवश्यक हों, यदि उनमें लाभ पर्याप्त नहीं है, तो उनका कभी भी विकास नहीं हो पायेगा।

(११) स्त्रियों और बालकों का शोषण—पूँजीवाद में स्त्री और बच्चों का शोषण होता है, वृद्ध, बीमार और बेरोजगार की ओर ध्यान नहीं दिया जाता और मनुष्य केवल मनुष्यत्व का उद्देश्य बना कर कार्य करता है।

पूँजीवाद का भविष्य—

वर्तमान काल में पूँजीवाद के दोष इतने बढ गये हैं कि कई देशों से तो इसका अन्त हो चुका है। यहाँ तक हुआ कि पूँजीवाद के प्रबल गढ़ अमेरिका में भी इसमें अनेक परिवर्तन हो गये हैं। आज विशुद्ध रूप में पूँजीवाद किसी भी देश में देखने को नहीं मिलता। प्रायः यह प्रश्न कि पूँजीवाद का भावपूर्ण क्या है ठीक नहीं है। विशुद्ध रूप में पूँजीवाद का कोई भविष्य नहीं है। इसमें अनेक देशों में बुनियादी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया है स्वयंसेवक वाजार व्यवस्था को सरकार द्वारा नियमित किया जाने लगा है धन और श्रम के वितरण की विषमताओं को प्रमत्तियों द्वारा दूर किया जा रहा है, एकाधिकारों पर नियंत्रण के लिए कानून बनाये गये हैं, व्यापार नगों के निवारणार्थ प्रगुल और मोट्रिक नीति का प्रयोग किया जाता है एवं धर्मिकों के विरोध को कम करने हेतु साम-भागिना, बोनस योजना, प्रबन्ध में साभेदारी

आदि स्कीमे प्रचलित की गई है। संक्षेप में, पूँजीवाद मिश्रित धर्मव्यवस्था के बहुत निकट पहुँच गया है और इस रूप में उसका भविष्य उज्ज्वल है।

समाजवाद (Socialism)

वास्तविक जीवन में समाजवाद के नाम से वर्तमान युग में सभी परिचित हैं। हम सभी, बिना यह जाने के समाजवाद क्या है, समाजवादी बनने का दावा करते रहते हैं। कठिनाई यह है कि समाजवाद के अनेक रूप हैं, इन रूपों में भारी अन्तर हैं और कुछ के दृष्टिकोण तो एक-दूसरे के प्रति विरोधी प्रतीत होते हैं। जोड (Joad) के इस वाक्य में पर्याप्त सरयता है कि "समाजवाद एक ऐसी टोपी है, जिसका रूप इसीलिये बिगड़ गया है कि सभी ने उसे पहनना आरम्भ कर दिया है।"¹ थम संघवाद (Trade Unionism) से लेकर साम्यवाद तक समाजवाद के अनेक रूप दृष्टिगोचर होते हैं। कुछ लोग तो ऐसा भी समझते हैं कि समाजवाद केवल एक भावना है, जो प्रत्येक हृदय में आवश्यक रूप में उत्पन्न होती है और अन्त में आयु के बढ़ने और समझ आ जाने के पश्चात् समाप्त हो जाती है।²

समाजवाद की परिभाषा सम्बन्धी कठिनाई—

समाजवाद के निश्चित धर्म से सम्बन्धित कठिनाई के विषय में शाडवेल (Shadwell) ने कहा है—“यह (समाजवाद) गैदान्तरिक और रचनात्मक, भौतिक और अभौतिक, विचारारम्भ, प्रति प्राचीन और बहुत ही प्राधुनिक दोनों एक ही साथ है। इसका विस्तार एक कोरी भावना से लेकर एक ठोस रचनात्मक कार्यक्रम तक है। इसके विभिन्न समर्थक इसे एक जीवन दर्शन, एक प्रकार का धर्म, एक नैतिक नियम, एक धार्मिक प्रणाली, एक ऐतिहासिक पद्धति और एक वैज्ञानिक सिद्धान्त के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह एक लोकप्रिय आन्दोलन तथा एक वैज्ञानिक विवेचन है। यह भूतकाल की एक टिप्पणी और भविष्य का एक दिग्दर्शन है। यह युद्ध का नारा है और युद्ध को रोकना चाहना है। यह एक हितात्मक नान्ति है तथा रक्तहीन नान्ति भी। यह प्रेम और सत्यता का महा-अन्य और घृणा तथा लालच के विरुद्ध आन्दोलन है। यह मनुष्य की भावी आशा है और सत्यता का अन्त भी, यह एक प्रति प्रावर्धक भविष्य का आरम्भ है और भयपूर्ण सङ्कट की चेतावनी भी।”³

1 “Socialism, in short is a hat which has lost its shape because everybody wears it.”—C E M Joad : *Modern Political Theory* (1953), p 40.

2 “If one is not a socialist upto the age of twenty five, it shows that he has no heart, but if one continues to be a socialist after the age of 25 it shows that he has no head”—Remark of a Swedish King quoted by E. K. Dewett in *Modern Economic Theory* p 611

3 “It is both abstract and concrete, theoretical and practical, idealist and materialist, very old and entirely modern, it ranges from a mere sentiment to a precise programme of action, different advocates present it as a philosophy of life, a sort of religion, an ethical code, an economic system, a historical category, a juridical principle, it is a popular movement and a scientific analysis, an interpretation of the past, a vision of the future, a war cry and a negation of war, a violent revolution and a gentle revolution, a gospel of love and altruism and a campaign of hate and greed, the hope of mankind and the end of civilization, the dawn of the millennium and a rightful catastrophe”—Shadwell.

धारम्भ में इतना ही जान लेना पर्याप्त होगा कि समाजवाद एक ऐसी धार्मिक प्रणाली है, जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व और नियन्त्रण के बजाय सारे समाज का स्वामित्व और नियन्त्रण होता है।¹ साधारणतया यह सामाजिक स्वामित्व और नियन्त्रण राज्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार समाजवाद में उत्पत्ति के साधनों पर राज्य का सामूहिक रूप में अधिकार होता है और राज्य उनसे पूरे समाज के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। परिणाम यह होता है कि "मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण" नहीं होने पाना है।

कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषायें—

(१) डा० तुगन बारानोवस्की (Tugan Baranowsky)—“समाजवाद का सार यह है कि इसके अन्तर्गत समाज के किसी व्यक्ति का शोषण नहीं हो सकता। वर्तमान धार्मिक व्यवस्था लाभ की प्रेरणा के आधार पर चल रही है, परन्तु समाजवाद के अन्तर्गत धार्मिक व्यवस्था का उद्देश्य अधिकतम कल्याण प्राप्त करना है।.....इसमें वस्तुओं का उत्पादन समाज के लिए इनकी उपयोगिता के आधार पर होता है।”²

(२) वेब्स (Webbs) ने एक समाजवादी उद्योग की परिभाषा इस प्रकार की है—“एक समाजवादी उद्योग (Socialised Industry) वह है जिसमें उत्पत्ति के राष्ट्रीय साधनों पर सार्वजनिक सत्ता अथवा ऐच्छिक संघों का स्वामित्व होता है और जिसका संचालन दूसरे व्यक्तियों को उपज बेचकर लाभ कमाने के लिए नहीं होता, बल्कि उन व्यक्तियों की प्रत्यक्ष सेवा के लिए होता है जिनका प्रतिनिधित्व उस सत्ता अथवा संघों द्वारा किया जाता है।”³ समाजवाद की यह परिभाषा बहुत समय तक लोकप्रिय रही, परन्तु आधुनिक विचार के अनुकूल नहीं है क्योंकि एक ओर तो वह बहुत विस्तृत है और सहकारी उपभोक्ता भण्डार भी इसके भीतर आ जाते हैं और दूसरी ओर यह धार्मिक नियोजन का मकन नहीं करती है, जो वर्तमान समाजवाद का एक आवश्यक लक्षण है।

(३) इकिनसन की परिभाषा इससे अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। उनके अनुसार, “समाजवाद समाज का ऐसा धार्मिक संगठन है, जिसमें उत्पत्ति के भौतिक साधनों पर सारे समाज का स्वामित्व होता है और उनका संचालन ऐसी संस्थाओं द्वारा एक निश्चित योजना-क्रम के अनुसार किया जाता है, जोकि सारे समाज का प्रतिनिधित्व करती है और सारे

1 “The only essential feature in socialisation is that industries and services with the instruments of production which they require should not be owned by individuals and that industrial and social administration should not be organised for the purpose of obtaining private profit”—Webbs

2 “The essence of socialism lies in the absence of exploitation of any individual in the society. The present economic system is based on the profit motive. But under socialism it aims at the maximum welfare of allThe production of commodities is on the basis of their utility to the community.”—Tugan Baranowsky.

3 “A socialised industry is one in which the national instruments of production are owned by public authority or voluntary associations and operated not with a view to profiting by sale to other people, but for the direct service of those whom the authority or association represents”

—Webbs

समाज के प्रति उत्तरदायी होती है। समाज के सभी सदस्य समान अधिकारों के आधार पर ऐसे समाजीकृत आयोजित उत्पादन के सुफल में भाग पाने के अधिकारी होते हैं।¹

(४) इससे भी अच्युत परिभाषा लुउकस् और हूट (Louks and Hoot) ने की है, क्योंकि उनकी परिभाषा में समाजवाद की सभी विशेषतायें स्पष्ट रूप में दिखलाई गई हैं। इन विद्वानों के अनुसार, "समाजवाद वह आन्दोलन है, जिसका उद्देश्य सभी प्रकार की प्राकृतिक और मनुष्यकृत उत्पादक वस्तुओं का, जो कि बड़े पैमाने के उत्पादन में उपयोग की जाती हैं, स्वामित्व और प्रबंध व्यक्तियों को नहीं, बल्कि सारे समाज के हाथ में देना होता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक उत्साह, उनकी आर्थिक स्वतन्त्रता तथा उपभोग के चुनाव में कोई विशेष हानि हुए बिना ही, बड़ी हुई राष्ट्रीय आय अधिक समानतापूर्वक वितरित हो सके।"²

(५) मोरिस (Morris) के अनुसार, समाजवाद की प्रमुख विशेषतायें ये हैं कि "सभी बड़े उद्योगों और सभी भूमियों पर सार्वजनिक अथवा सामूहिक स्वामित्व होना चाहिए और उनका उपयोग व्यक्तिगत लाभ के बजाय सार्वजनिक हित में होना चाहिए।"³

इस प्रकार समाजवाद के रूपों में भी विभिन्नता है और उसकी परिभाषाओं में भी। परन्तु उपरोक्त परिभाषाओं से समाजवाद की कुछ आधारभूत विशेषताओं का पता चलता है, जो कि निम्न हैं :—(i) समाजवाद में उत्पत्ति के साधनों पर सामूहिक अथवा सामाजिक अधिकार होता है। (ii) राष्ट्र के उत्पादित धन की समानता के आधार पर बाँटने का प्रयत्न किया जाता है। (iii) एक व्यक्ति द्वारा दूसरे का शोषण नहीं होने दिया जाता है। (iv) यह प्रणाली लाभ की प्रेरणा पर आधारित नहीं होती है। (v) आर्थिक संगठन का संचालन सार्वजनिक वक्ष्याण की वृद्धि के लिये किया जाता है। (vi) साधारणतया जन-साधारण के प्रतिनिधि के रूप में आर्थिक जीवन का संचालन राज्य (State) द्वारा किया जाता है यद्यपि कुछ प्रकार के समाजवाद ऐसे भी हैं, जिनमें राज्य को भी समाप्त करने पर दल दिया गया है क्योंकि राज्य को भी अत्याचार का ही कारण समझा गया है।

समाजवाद के प्रकार—

सामान्य दृष्टिकोण से समाजवाद को हम दो भागों में बाँट सकते हैं :—(1) विकास-

¹ "Socialism is an economic organisation of society in which the material means of production are owned by the community and operated by organs representative of and responsible to the community according to a general plan, all members of the community being entitled to benefits from the result of such socialised planned production on the basis of equal rights."

—H D Dickenson : *Economics of Socialism*, p. 11.

² "Socialism refers to that movement which aims at vesting in society as a whole rather than in individuals, the ownership and management of all nature-made and man-made producer's goods used in large scale production, to the end that an increased national income may be more equally distributed without materially destroying the individual's economic motivations or his freedoms of occupational and consumption choices"—Louks and Hoot.

³ "The important essentials of Socialism are that all the great industries and the land should be publicly or collectively owned, and that they should be conducted for the public good instead of for private profit."

—Morris.

वादी समाजवाद (Evolutionary Socialism) और (II) क्रान्तिवादी समाजवाद (Revolutionary Socialism) । प्रथम प्रकार का समाजवाद दूसरी प्रकार के समाजवाद से भिन्न होता है । उद्देश्य तो दोनों दशाओं में एक ही होता है, परन्तु इसे पूरा करने की रीतियों में अन्तर होता है, जो इस प्रकार है :—

(१) विकासवादी समाजवाद धीरे-धीरे शान्तिमय अथवा वैधानिक रीति से समाजवाद स्थापित करना चाहता है । इसकी कार्य-विधि यह है कि वैधानिक रीति से देन की धारा-गभा में बहुत प्राप्त किया जाय और फिर वल्पाणकारी राज्य की स्थापना करके धीरे-धीरे समाजवादी व्यवस्था स्थापित की जाय । इसके विपरीत क्रान्तिकारी समाजवाद में समाजवाद की स्थापना क्रान्ति द्वारा की जाती है । यह तो आवश्यक नहीं है कि इसके लिए हिंसात्मक उपायों का ही उपयोग किया जाय, परन्तु ऐसे उपायों के उपयोग की सुरा नहीं समझा जाता है ।

(२) विकासवादी समाजवादी राज्य को बनाये रखने के पक्ष में है और इस समाजवाद में राज्य को और अधिक शक्तिशाली बनाया जाता है । सामाजिक हितों का रक्षण तथा समाजवाद की स्थापना का प्रमुख साधन राज्य ही होता है । धीरे-धीरे उद्योगों और व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है और राज्य के आर्थिक और सामाजिक कार्य-क्षेत्र को अत्यन्त समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है । क्रान्तिकारी समाजवाद राज्य को भी शीघ्र और अतःकाल का ही एक साधन मानता है और अन्त में उसे समाप्त करने के पक्ष में होता है । इस समाजवाद के समर्थकों के अनुसार अन्त में राज्य भी मुरझाकर मूख जायगा । (State will wither away.)

समाजवाद के दो प्रमुख भाग यही हैं । अलग-अलग प्रकार के समाजवाद इनमें से किसी न किसी एक प्रकार के प्रवर्धन होते हैं । ब्रिटेन की फेबियन सोसायटी (Fabian Society) और लेबर पार्टी (Labour Party) विकासवादी समाजवाद के पक्ष में हैं, जबकि रूस तथा पूर्वी यूरोप के देशों में क्रान्तिवादी समाजवाद का ही बोलबाला है । समाजवाद के निम्न रूप महत्वपूर्ण हैं :—

(I) वैज्ञानिक समाजवाद अथवा मार्क्सवाद—

समाजवादी विचारकों और लेखकों ने समाजवादी दृष्टिकोण बहुत समय पहले ही प्रस्तुत किया था, परन्तु अधिकांश विचारधारार्थे अत्यधिक आदर्शवादी थी, जिन्हें व्यावहारिक जीवन में उपयोग करना सम्भव न था । इस प्रकार के समाजवाद को बहुधा वल्पनात्मक समाजवाद (Utopian Socialism) कहा जाता है । इसका प्रारम्भ मुख्यतया सर टोमस मोर (Sir Thomas More) से होता है । मार्क्स ने इस समाजवाद की उसकी व्यावहारिकता और भावनात्मक प्रवृत्ति के कारण बड़ी आलोचना की है । इसके स्थान पर उसने वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धान्तों और व्यवहारों का निर्माण किया है । सच तो यह है कि वैज्ञानिक समाजवाद के पिता कार्ल मार्क्स ही थे । वही सभी प्रकार के समाजवादियों का उदाहरण-रेन्द्र हैं । वैज्ञानिक समाजवाद के दो प्रमुख आधार हैं :—

(१) इतिहास का भौतिक मूलधारक—मार्क्स का विचार है कि इतिहास की प्रत्येक घटना को समझने के लिए उसकी आर्थिक वृष्ट-भूमि को समझना पड़ता है । इतिहास का निर्माण आर्थिक कारणों द्वारा होता है । मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक विवेचना (Economic Interpretation) की है । सत्ता के सभी युद्ध, उपद्रव, राजनैतिक आन्दोलन आदि आर्थिक कारणों से उत्पन्न होते हैं । किसी विशेष काल में शासन-प्रणाली कैसी होगी, यह भी उस समय की आर्थिक अवस्था और सगठन के रूप पर ही निर्भर होता है । आर्थिक कारणों का प्रत्येक परिवर्तन राजनैतिक क्षेत्र में भी परिवर्तन उत्पन्न कर देता है । सत्ता में साम्राज्यवाद (Imperia-

lism) तथा उपनिवेशवाद (Colonialism) के विकास को समझने के लिए भी आर्थिक कारणों की ही विवेचना आवश्यक होगी। पूँजीवाद में शासन प्रणाली ऐसी होगी कि व्यक्तिगत पूँजी सम्बन्धी अधिकारों की रक्षा की जाय और व्यक्तिगत सम्पत्ति के आधार को दृढ़ बनाया जाय। इसके विपरीत समाजवाद में शासन प्रणाली पूर्णतया भिन्न होगी।

कार्ल मार्क्स का विचार है कि पूँजीवाद में ऐसे विरोध विद्यमान हैं, जिनके कारण पूँजीवाद का अन्त अवश्य होकर रहेगा। पूँजीवाद स्वयं ही ऐसी दशाएँ और प्रवृत्तियाँ उत्पन्न करता है, जो उसके विनाश का कारण बनती हैं और समाजवाद की स्थापना को आवश्यक बनाती हैं।—(i) जैसे-जैसे पूँजीवाद का विकास होगा, एकाधिकारी प्रवृत्तियाँ बलवान होगी चली जायेंगी। बड़ी-बड़ी मछलियाँ छोटी-छोटी मछलियों को निगल जाती हैं। इसी प्रकार, बड़े-बड़े पूँजीपति छोटे-छोटे पूँजीपतियों को समाप्त करके स्वयं अपनी सत्ता और शक्ति को पटा देंगे। (ii) विभिन्न देशों के पूँजीपति एकाधिकारी आधार पर विदेशों में बाजारों की खोज करेंगे। इसके लिए साम्राज्यवादी युद्ध होंगे, जो एक के बाद दूसरे निरन्तर ही होते रहेंगे। प्रत्येक अगला युद्ध पहले से अधिक भीषण होगा और यह जम उस समय तक चलता रहेगा, जब तक कि स्वयं पूँजीवाद समाप्त होकर उसके स्थान पर श्रमिकों की तानाशाही स्थापित नहीं हो जायेगी। (iii) पूँजीवाद में आर्थिक सङ्कट आते रहेंगे और प्रत्येक सङ्कट से पूँजीवाद पहले से अधिक बलहीन होकर निकलेगा। (iv) पूँजीवाद श्रमिकों की सत्ता को बढ़ाता है, उन्हें एक ही स्थान पर एकत्रित करता है, आर्थिक कठिनाइयों द्वारा उनके संगठन को प्रोत्साहित करता है, और अन्त में श्रमिक सङ्गठित रूप में पूँजीपति और पूँजीवाद को समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार पूँजीवाद का अन्त और समाजवाद की विजय निश्चित है।

(२) अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त—मार्क्स का समाजवाद “मूल्य के श्रम सिद्धान्त” तथा “अतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्त” पर आधारित है। मार्क्स का विचार है कि मूल्य का आदि कारण श्रम है। प्रत्येक वस्तु का मूल्य इसके उत्पादन में लगे हुए श्रम की मात्रा द्वारा निश्चित होता है। इस सिद्धान्त को स्पष्ट बनाने के लिये मार्क्स ने “सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम” (Socially Necessary Labour) का विचार प्रस्तुत किया है। “सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम” को समय अवधि की इकाइयों में नापा जाता है। इसकी परिभाषा मार्क्स ने इस प्रकार की है कि यह श्रम-अवधि वह है “जो किसी वस्तु को, उत्पत्ति की सामान्य दशाओं के अन्तर्गत उत्पन्न करने के लिए प्रचलित निपुणता और परिश्रम के साधारण अंश के अनुसार, आवश्यक होती है।”¹

मार्क्स का विचार है कि पूँजीपति श्रमिकों को श्रम की सारी कीमत नहीं चुकाता। वह वस्तु को बेचकर उससे अधिक, जो उसने श्रमिकों को दिया है, प्राप्त करता है। यथार्थ में, क्योंकि सारा का सारा मूल्य श्रम द्वारा उत्पन्न होता है, वह सारा का सारा श्रमिकों को ही मिलना चाहिए। परन्तु पूँजीपति सारा मूल्य श्रमिकों को नहीं देता और इसके एक भाग को अपने पास रख लेता है। इस प्रकार श्रमिक कुछ समय तक तो अपने लिये कार्य करता है, अर्थात् उस मूल्य का निर्माण करता है जो मजदूरी के रूप में उसे पूँजीपति से मिल जायगा, परन्तु बाद को वह ऐसे मूल्य का निर्माण करता है, जो पूँजीपति अपने पास रख लेगा। इस प्रकार श्रम “अतिरिक्त मूल्य” (Surplus Value) उत्पन्न करता है, जो वास्तव में उस शोषण को

¹ “Labour time required to produce an article under the normal condition of production, and with the average degree of skill and intensity prevalent at the time.”—Marx.

दिलाता है जो पूँजीपति करता है। अतिरिक्त मूल्य पूँजी-पति को हड़प है और श्रमिक का शोषण, क्योंकि वास्तव में इसे श्रमिक ने उत्पन्न किया है और यह उसी को मिलना चाहिए था।

यही अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त है और वैज्ञानिक समाजवाद इसी अतिरिक्त मूल्य को समाप्त करके उसे श्रमिकों को दिलाना चाहता है। वैसे वैज्ञानिक समाजवाद के अनेक प्रयत्न नगारे गये हैं।

(II) सामूहिकवाद अथवा राज्य समाजवाद—¹

राज्य समाजवाद के जन्मदाता रोडबर्टस (Rodbertus) हैं। ऐसे समाजवादी वैधानिक प्रजातन्त्रवाद में विश्वास रखते हैं। उनका उद्देश्य उत्पत्ति के साधनों का राष्ट्रीयकरण करना है।

कार्यविधि यह होती है कि राज्य के शासन यन्त्र पर अधिकार स्थापित करके शासन शक्ति को मजबूत किया जाय और उसे समाजवादी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाय। इस प्रकार, सामूहिकवाद के अन्तर्गत राज्य की ही उत्पत्ति बढ़ाने तथा उत्पादित पूंज का अधिक समान और अधिक न्यायपूर्ण वितरण करने के लिए उपयोग किया जाता है।

इस प्रणाली में राज्य की अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न किया जाता है और जैसे ही समाजवादियों का राज्य पर अधिकार हो जाता है, उनके लिए लक्ष्य तक पहुँचने का मार्ग मुल जाता है। धीरे-धीरे व्यक्तिगत सम्पत्ति समाप्त कर दी जाती है (जिसके लिए बहुधा सरकार मुद्राबन्धा देती है) और व्यक्तिगत उपकरणों का राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है। राष्ट्रीयकृत उद्योगों का संचालन सरकार के वेतनभोगी अधिकारी और कर्मचारी करते हैं और सारा लाभ सरकारी खजाने में जाता है, जहाँ से उसका उपयोग सारे समाज के कल्याण के लिए होता है। सरकारी उपकरणों की प्रकृति एकाधिकार की होती है और सभी प्रकार की अनाधिक और हानिकारक प्रतियोगिता समाप्त कर दी जाती है।

गुण—यह प्रणाली पूँजीवाद पर थोड़ा-सा ही मुगार है। इसके प्रालोचकों ने इसे राज्य समाजवाद के स्थान पर "राज्य पूँजीवाद" (State Capitalism) कहा है। इसमें और व्यक्तिगत पूँजीवाद में केवल इतना ही अन्तर होता है कि पूँजीपति और साहसी का स्थान राज्य ग्रहण कर लेता है, जिससे उत्पत्ति-साधनों का उपयोग सारे समाज के लाभार्थ करने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है, राष्ट्रीय आवश्यकताओं और राष्ट्रीय उत्पादन के बीच अधिक अच्छा समायोजन हो जाता है और अर्थ-व्यवस्था का विकास साधारणतया एक निश्चित योजनाक्रम के अनुसार किया जाता है।

दोष—इसमें राज्य के इतना शक्तिशाली बन जाने का डर है कि आर्थिक तानाशाही (Economic Dictatorship) स्थापित हो जाय।

राष्ट्रीय समाजवाद—"राज्य समाजवाद" का ही विंगडा हुआ रूप "राष्ट्रीय समाजवाद" (National Socialism) भी है, जिसने नतसोवाद (Nazism) तथा फासिज्म (Fascism) के रूप में सत्तार का बहुत अहित किया है। फिर भी इस प्रणाली में पूँजीवाद के अधिकार दोषों को दूर करने और समाजवाद के बहुत से लाभों को प्राप्त करने की सम्भावना शेष रहनी है, क्योंकि इसमें उत्पत्ति के साधनों पर व्यक्तियों के स्थान पर राज्य का अधिकार होता है, राष्ट्रीय पूंज का न्यायपूर्ण पुनर्वितरण होता है, आर्थिक नियोजन का मार्ग अपनाया जाता है और आर्थिक प्रणाली का शान्तिमय तथा प्रजातन्त्रीय आधार पर विकास किया जाता है।

¹ Democratic Socialism (Europe and Asia) Indian Brand of Socialism
—P. S. P., S. S. P., Congress.

(III) श्रमिक संघवाद (Syndicalism)—

आशय—इस प्रान्तिकारी आन्दोलन का प्रचार फ्रांस में अधिक हुआ है। यह समाजवाद (Socialism) तथा श्रम संघवाद (Trade Unionism) का मिश्रण होता है। इस विचारधारा के अनुसार उद्योगों पर राज्य के स्वामित्व और अधिकार के स्थान पर मजदूर संघों (Syndicates of Trade Unions) का नियन्त्रण और प्रबन्ध अधिकार स्थापित होना चाहिये।

इस विचारधारा में यह मान लिया गया है कि राज्य समाजवाद स्थापित करने का अच्छा साधन नहीं है क्योंकि राज्य के अधिकारियों में पूँजीवादी और तानाशाही मनोवृत्ति होती है, जिस कारण वह जनता के सच्चे सेवक और हितैषी नहीं हो सकते। राज्य की शक्तिशाली बनाने का अर्थ तो यही हो सकता है कि अनेक अत्याचारी पैदा कर दिये जायें और वास्तविक प्रजातन्त्रवाद समाप्त हो जाय। अतः उत्तम मार्ग यह होगा कि श्रम शक्तों का विस्तार करके और इन शक्तों की उद्योगों का सत्त्वात्मक सौंप कर नये सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक संगठन का निर्माण किया जाय। इस प्रकार, स्थानीय उद्योगों पर स्थानीय श्रम शक्तों का अधिकार होगा और इन्हीं स्थानीय व स्वतन्त्र श्रम-संघों का एक महा संघ (Federation) होगा। इससे स्थानीय, विवेन्द्रित तथा वास्तविक प्रजातन्त्रवाद की स्थापना हो सकेगी।

व्यावहारिक नीति—जहाँ तक व्यावहारिक नीति का सम्बन्ध है, श्रमिक संघवाद शान्तिपूर्ण तथा वैधानिक उपायों में विश्वास नहीं करता। ऐसी रीतियों के उपयोग से लाभ न होगा, क्योंकि शक्तिशाली सरकारी अभिचारी प्रत्येक प्रजातन्त्रवादी आन्दोलन को कुचन देगे। उन्हें केवल प्रवर्ध और प्रान्तिकारी कार्यवाही से ही पूरा हो सकता है। पूँजीवाद तथा सरकार के अत्याचार को समाप्त करने का सबसे महत्त्वपूर्ण अस्त्र हड़ताल होगी। संगठित रूप में की गई हड़तालों की सफलता बहुत कुछ निश्चिन्ता-सी होती है। यदि हड़ताल अयफल भी होती है तब भी श्रमिकों में आर्थिक लड़ाई लड़ने, आपस में मिलकर काम करने और अपने वर्ग हितों (Class Interests) को समझने के महत्त्वपूर्ण गुण उत्पन्न हो जाते हैं। मजदूर संघवादियों का विचार है कि हड़तालों बराबर होनी रहनी चाहिए, जिससे कि श्रमिकों का वर्ग-मुक्त सम्बन्धी जोश टण्डा न होने पाये। अन्तिम उद्देश्य यह है कि अन्त में एक सामान्य हड़ताल (General Strike) की जाय, जिससे देश का राजनैतिक शासन अन्त अस्त-व्यस्त हो जाय और श्रमिक राजनैतिक शक्ति छीन ले।

बोव—यह विचारधारा बहुत परिज्ञानिक है। मजदूर संघवादी वर्तमान आर्थिक कलेवर का तोड़ना चाहते हैं और उसके स्थान पर एक नई प्रान्तिकारी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। भावी आर्थिक व्यवस्था साधारणतया अस्पष्ट, किन्तु आकर्षक रखी जानी है। वर्तमान मशीनों की तोड़-फोड़ भी उनके कार्यक्रमों के अन्तर्गत आती है। शॉ (Bernard Shaw) ने इन सम्बन्ध में ठीक ठीक कहा है, "श्रम-संघवाद श्रमिकों का पूँजीवाद है समाजवाद नहीं।"¹

(IV) कारीगर संघवाद (Guild Socialism)—

आशय एवं विशेषताएँ—कारीगर संघवाद और मजदूर संघवाद दोनों में पर्याप्त समानता है। यह भी राज्य की घृणा और उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। इसका विचार है कि राज्य उत्पादन प्रणाली की कुशलतापूर्वक कामी नहीं चला सकता। इस विचारधारा के अन्तर्गत

¹ "Trade unionism is not socialism, it is the capitalism of the proletariat."
—George Bernard Shaw : *Intelligent Women's Guide to Socialism, Communism, etc.*

सबसे पहला कार्य तो पूँजीपति को समाप्त करना है। उसके बाद उत्पादन इकाइयाँ श्रमिक सङ्घों या कारीगरों के सङ्घों को सौंपी जायेंगी, जो निश्चय ही संचालन और प्रबन्ध में दक्ष और कुशल होंगे। इस प्रकार, उद्योगों में प्रजातन्त्रीय शासन स्थापित हो जायगा। राज्य भी बना रहेगा, परन्तु उसका कार्य केवल निरीक्षण का रहेगा। वह उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर बीमताओं के निर्धारण और उत्पादित वस्तुओं की किस्मों के निश्चित करने का काम करेगा। इस प्रणाली की विशेषता यह है कि इसमें राज्य समाजवाद और मजदूर सङ्घवाद का मिश्रण है। उत्पत्ति के साधन, उद्योग और ध्वंससाधो का स्वामित्व तो राज्य के पास रहेगा, परन्तु इनका संचालन स्वयं श्रमिकों के सङ्घ करेंगे। राज्य का कर्तव्य मुद्दपनमा यह रहेगा कि उपभोक्ताओं का शोषण न होने दे।

उद्देश्य एवं महत्त्व—इस प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक प्रबन्ध के केन्द्रीय-करण की रोकना और औद्योगिक प्रजातन्त्रवाद (Industrial Democracy) स्थापित करना है। इसका विचार है कि इस प्रकार सङ्गठित उद्योगों में प्रजातन्त्रवाद और कुशलता दोनों रहेंगे। इस प्रणाली का प्रमुख दोष यही है कि श्रमिकों और श्रम सङ्घों को उच्चतम प्रबन्ध के योग्य मान लिया गया है।

(V) साम्यवाद (Communism)—

साम्यवाद के जन्मदाता कालं मार्क्स हैं। उन्होंने इसे वैज्ञानिक समाजवाद (Scientific Socialism) का नाम दिया है। मार्क्स ने पहली समाजवादी विचारधाराओं की कड़ी आलोचना की है। उनका विचार है कि अधिकतर समाजवादी विचारधाराएँ कल्पना मात्र हैं। तर्कों के आधार पर केवल साम्यवाद ही वैज्ञानिक समाजवाद हो सकता है। मार्क्स और एन्जलम् (Engels) का विचार है कि साम्यवाद का पहला काम श्रमिकों को संगठन द्वारा ऊपर उठाकर उन्हें शासकों में परिवर्तित करना है, जिसमें कि वे प्रजातन्त्रवाद के युद्ध को जीत सकें। साम्यवादी घोषणा-पत्र (Communist Manifesto) में उन्होंने साम्यवाद की स्थापना की निम्न विधि बताई है^१ :—

(१) भूमि में व्यक्तिगत सम्पत्ति का उन्मूलन और भूमि के सभी लगानों को सार्व-जनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करना।

(२) एक बहुत ही प्रगतिशील (Progressive) अथवा ऊपर उठता दृष्टा प्राय कर।

(३) सभी प्रकार के उत्तराधिकारों को समाप्त करना।

(४) देश को छोड़ जाने वाले सभी व्यक्तियों तथा विद्रोहियों की सम्पत्ति जप्त कर लेना।

(५) साख का राज्य के हाथों में केन्द्रीयकरण। इसके लिए एक राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की जाय और फिर इसे साख के सम्बन्ध में एकाधिकार दिया जाय।

(६) यानायात और सम्वादवाहन के साधनों का राज्य के हाथों में केन्द्रीयकरण।

(७) राज्य के स्वामित्व में फैक्ट्रियों और उत्पत्ति के साधनों का प्रसार (Extension) करना, बंजर भूमि को खेती के योग्य बनाना और एक निश्चित सामूहिक योजना के अनुसार भूमि सम्बन्धी सुधार करना।

^१ Karl Marx and Frederick Engels: *Manifesto of the Communist Party*, Marx Engels—*Selected Works*, Vol 1, pp. 50-51.

(८) सभी प्रकार के श्रम का समान उत्तरदायित्व और मुख्यतः कृषि के लिए एक श्रम सेना की स्थापना ।

(९) कृषि और निर्माण उद्योगों के मध्य समन्वय लाना, धीरे-धीरे नगर और देहात के भेद को मिटाना और देहातों में जन-संख्या का अधिक समानता से वितरण करना ।

(१०) सभी वर्गों को सार्वजनिक स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा देना, बालकों के फौजदारी श्रम को समाप्त करना, शिक्षा का औद्योगिक उत्पादन से मिलान करना ।

आगे चल कर उन्होने लिखा है, “जब विकास के अन्तर्गत वर्ग भेद समाप्त हो जायेंगे और सारा उत्पादन राष्ट्र के एक विशाल सङ्घ के हाथ में केन्द्रित हो जायगा, तो सार्वजनिक शक्ति की राजनैतिक प्रवृत्ति का अन्त हो जायेगा । राजनैतिक शक्ति वास्तव में एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का दमन करने की सङ्गठित शक्ति होती है । यदि श्रमिक सङ्गठित रूप में वर्ग-युद्ध में भाग लेते हैं और विजयी होकर उत्पत्ति की पुरानी दशाओं को समाप्त कर देते हैं, तो वे वर्ग-विरोध की दशाओं को भी समाप्त कर देंगे और इस प्रकार एक वर्ग के रूप में स्वयं अपने प्रभुत्व को भी समाप्त कर देंगे ।”

इस प्रकार साम्यवाद का अन्तिम उद्देश्य वर्ग राषर्ष को समाप्त करने के बाद राज्य के राजनीतिक आधार को भी समाप्त कर देना है ।

साम्यवादियों की कार्य-विधि—साम्यवादियों की कार्य-विधि इस प्रकार है कि देश भर में साम्यवादी सङ्गठन का एक जाल-सा बिछा दिया जाय । जब साम्यवादी सङ्गठन शक्तिशाली हो जायगा, तो पूँजीपतियों को समाप्त करके शासन के अधिकार को छीना जायगा और इस प्रकार श्रमजीवियों (Proletariat) का राज्य स्थापित किया जायगा । आरम्भ में श्रमिकों की तानाशाही (Dictatorship of the Proletariat) स्थापित होगी और इस तानाशाही का उद्देश्य सभी विरोधियों और पूँजीपतियों को समाप्त करना होगा । अन्त में, एक वर्गहीन समाज (Classless Society) का निर्माण किया जायगा, जिसमें ऊँच-नीच तथा धनवान और निर्धन का भेद नहीं रहेगा । इसके पश्चात् राज्य की आवश्यकता नहीं रहेगी और राज्य स्वयं समाप्त हो जायगा ।

साम्यवाद का आधार—साम्यवाद का आधार अन्तर्राष्ट्रीय है । तभी यह जाति, धर्म, रंग और राष्ट्रीयता के भेदों को स्वीकार नहीं करता है । “उद्देश्य सामान्य रूप में सम्पत्ति को समाप्त करना नहीं है, बल्कि पूँजीपति की सम्पत्ति को समाप्त करना है…… जो कि वर्ग विरोध पर आधारित है और कुछ लोगों को अधिकांश लोगों के शोषण का अवसर देती है ।”¹ “साम्यवाद किसी भी व्यक्ति के समाज की उत्पत्ति का उपयोग करने के अधिकार को छीनना नहीं चाहता । वह केवल ऐसा उपयोग करने के दौरान कुछ व्यक्तियों द्वारा दूसरे लोगों के श्रम का शोषण करने के अधिकार को छीनना चाहता है ।”² जहाँ तक साम्यवाद को स्थापित करने के उपायों का प्रश्न है, साम्यवाद यह स्वीकार करता है कि परिस्थितियों के अनुसार उपाय भी

“The distinguishing feature of communism is not the abolition property, generally, but the abolition of bourgeois property……that is based on class antagonism, on the exploitation of the many by the few.”—*Ibid*, p 45.

² “Communism deprives no man of the power to appropriate the products of society, all that it does is to deprive him of the power to subjugate the labour of others by means of such appropriation.”—*Ibid*, p. 47.

अलग-अलग रहेंगे। इसमें हिंसात्मक अथवा ज़ान्तिकारी और अहिंसात्मक अथवा वैधानिक सभी प्रकार के उपायों को उचित बनाया जाना है।

साम्यवाद का अन्तिम परिणाम—ऐन्द्रित्वु के अनुगार अन्तिम परिणाम यह होता है कि धार्मिक राज्य पर अधिकार करके पूँजी को सार्वजनिक सम्पत्ति में परिवर्तित कर देते हैं, "इसमें पश्चान् समाजीकृत उत्पादन के एक पूर्व निश्चित योजना के अनुगार होने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है। ऐसी उत्पत्ति का विकास समाज के विभिन्न वर्गों के भेद को स्वयं मिटा देगा। जैसे-जैसे उत्पादन में सामाजिक विरोध समाप्त होता जाता है, राज्य की राजनीतिक सत्ता मिटती जाती है। मनुष्य अन्त में सामाजिक गल्लड़न के रू का स्वामी बनकर प्रकृति का भी स्वामी बन जाता है—वह स्वयं अपना स्वामी होता है—मर्क-स्वतन्त्र।"¹

साम्यवाद द्वारा निश्चित समाज को हथपेला—साम्यवाद किम प्रकार के समाज का निर्माण करेगा, इसमें सम्बन्ध में कुछ नैदानिक अस्वच्छता का आशय कुछ लोगों ने किया है। व्यावहारिक दृष्टि से यह अस्वच्छता अब समाप्त-भी हो गई है। साम्यवाद को इसके आलोचकों ने एक विशाल खूनी राक्षस के रूप में चित्रित किया है। वास्तव में ऐसी कोई बात दिखाई नहीं पड़ती है। साम्यवाद सभी प्रकार की सम्पत्ति और स्वतन्त्रता को समाप्त नहीं करता। वह केवल दूसरों के शोषण को सम्भव नहीं होने देना है। अन्तिम उद्देश्य यह है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुगार काम लिया जाय और उसे उसकी आवश्यकता के अनुगार उत्पत्ति में से हिस्सा दिया जाय। साम्यवाद श्राय की समानता की ओर प्रयत्न नहीं करता, परन्तु वह श्राय के अन्तरी की कम से कम रखने का प्रयत्न करता है। कार्य-उत्साह को बनाये रखने के लिए श्राय की अक्षमता आवश्यक ही है। साम्यवाद प्रत्येक को समान अवसर (Equality of Opportunity) देने की गारंटी देना है। किसी के भी विकास के मार्ग में किसी दूसरे की तुलना में कोई बाधा नहीं रखी जाती है। इस धार्मिक प्रणाली के अन्तर्गत, भोक्षण, मनान, रोजगार और विस्तार की राज्य की ओर से गारंटी होती है, परन्तु बिना उचित कारण के कोई भी व्यक्ति बिना काम किये नहीं रह सकता है।

साम्यवाद की आलोचना—साम्यवाद के प्रशंसकों और आलोचकों की कमी नहीं है :—(i) आलोचकों का विचार है कि यह मनुष्य की सारी स्वतन्त्रताओं को कुचल देना है और उससे एक महीन अथवा पशु की भाँति व्यवहार करता है। (ii) साम्यवाद में तानाशाही (Dictatorship) और संगीकरण (Regimentation) के सभी दोष बताये जाते हैं और कहा जाता है कि यह मानव-जीवन के सभी उच्चतम मूल्यों को समाप्त कर देना है।

पूँजीपतियों और उनके पैसों पर चलने वाले राजनीतिकों ने साम्यवाद को कनफ़िट करने में कोई कमी नहीं रखी है। धार्मिक लेखकों ने श्राय साम्यवादी प्रयोगों को पढ़े बिना और वास्तविक स्थिति का पता लगाये बिना ही पूँजीपतियों की आलोचनाओं को दोहराया है। वास्तव

¹ "Socialised production upon a predetermined plan henceforth becomes possible. The development of production makes the existence of different classes of society henceforth an anarchy. In proportion as social anarchy in production vanishes, the political authority of the state dies out. Man is at last the master of his own form of social organisation, becomes, at the same time the lord over nature, his own master free."—Frederick Engels: *Socialism Utopian and Scientific*, Marx Engels-Selected Works, Vol. II, p. 142.

में ऐसी कोई बात दृष्टिगोचर नहीं होती है। साम्यवाद के लगभग सभी सिद्धान्तों को परोक्ष रूप में पूँजीवादी देशों ने भी स्वीकार कर लिया है। साम्यवाद पारिवारिक जीवन, उपयुक्त स्वतन्त्रता, मुद्रा का उपयोग तथा अन्य सभी बातों की आज्ञा देता है। केवल दूसरों के शोषण पर जीवित रहने की स्वतन्त्रता को समाप्त कर देता है।

(VI) रूसी साम्यवाद अथवा बोलशोविज्म (Bolshovism)—

सन् १९१७ में रूस में साम्यवादी क्रान्ति की विजय हुई और साम्यवादियों के हाथों में शासन सत्ता आ गई। सबसे पहला कार्य भूमि का राष्ट्रीयकरण था। किसानों की भूमि उन्हीं के पास रहने दी गई थी। शर्त केवल यह थी कि उन्हें अपनी अतिरिक्त उपज सरकार को बेचनी पड़ती थी। सन् १९१९ तक खानों, कारखानों, बैंक, यातायात सेवाओं और विदेशी वारिष्ठ्य का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आरम्भ में अनुभवहीनता और पूँजीवादी देशों की विरोधी नीति के कारण राज्य को बहुत कठिनाइयाँ हुईं। भूमि के राष्ट्रीयकरण ने कृषि उत्पादन को घटा दिया। उद्योगों में भी कार्य-उत्साह के अभाव में शोचनीय दशा उत्पन्न कर दी, अतः एक नई आर्थिक नीति ग्रहण की गई। सन् १९२० तक यह नीति रही कि किसान अपनी अतिरिक्त उपज स्वयं बेच सकते थे और उद्योगों में भी मिश्रित पूँजी कंपनियों को रियायत कर दी गई थी।

सन् १९२० में नीति में फिर महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। आर्थिक नियोजन का प्रथम आरम्भ हुआ तथा कृषि और उद्योगों के विकास की लम्बी-चौड़ी योजनाएँ बनाई गईं। सन् १९२९ में कृषि में सामूहिक खेती (Collective Farming) की नीति अपनाई गई। साथ ही साथ, कृषि का यन्त्रीकरण (Mechanisation) भी विद्या गया। सन् १९२९ में दूसरा पंचवर्षीय आयोजन लागू किया गया। इस बार उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयत्न किया गया। सन् १९३५ में राशनिंग व्यवस्था समाप्त कर दी गई। इस प्रणाली के अन्तर्गत उत्पादन का अधिक विकास हुआ।

रूसी साम्यवादी ऐसा समझते हैं कि अभी वे पूर्ण रूप में समाजवाद स्थापित नहीं कर पाये हैं। अभी तो सन्नान्ति काल (Transition Period) ही चल रहा है, जो धमिकों की तानाशाही का युग है।

(VII) अराजकतावाद (Anarchism)—

इस आर्थिक प्रणाली का विचार साम्यवाद से ही उत्पन्न हुआ है। इसके जन्मदाता प्रिन्स रोपोटकिन (Prince Kropotkin) हैं। “अराजकतावाद” का साधारण अर्थ “व्यवस्थाहीनता” (Disorder) अथवा “सत्ताहीनता” (Lack of Authority) होना है, परन्तु आर्थिक दर्शन के रूप में यह एक विस्तृत अलग ही दर्शन है। वह समाजवाद में केवल राज्य अथवा शासन के अभाव को सूचित करता है। जब साम्यवाद के द्वारा पूँजीवाद से सम्बन्धित स्वार्थ, लोभ, शोषण, धोखा आदि बुराइयों का अन्त हो जायगा, तो मनुष्य का दृष्टिकोण दूसरों से कुछ लेने के स्थान पर दूसरों को कुछ देने का हो जायगा। उस समय पुलिस, सेना, न्यायालय और राज्य सभी अनावश्यक हो जायेंगे। आर्थिक और सामाजिक जीवन का संगठन स्वस्थ शासन-प्रणाली के आधार पर पारस्परिक समझौते और सहयोग के आधार पर होगा। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के अधिकारों का सम्मान करेगा, इसलिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई न होगी। राज्य का उद्देश्य अगर कोई हो सकता है तो यह कि शोषण न होने दे और लोगों के अधिकारों की रक्षा करे। इन सब बातों की आवश्यकता उसी समय तक रहती है जब तक कि पूर्ण रूप में समाजवाद स्थापित नहीं हो जाता। समाजवाद की स्थापना पर राज्य की आवश्यकता समाप्त होती जाती है।

रीपोटकिन ने एक बड़े अच्छे उदाहरण द्वारा अपने दृष्टिकोण का विचार किया है। यदि हम पत्थर के टुकड़ों को किसी सन्दूक में रखकर हिला दें, तो वे इनकी अच्छी तरह धुने जायेंगे कि मनुष्य का हाथ कभी भी ऐंसा नहीं कर पायेगा। ठीक उसी प्रकार भ्रान्ति मानव-समाज का भी सङ्कटन कर देगी।

(VIII) फंविपन समाजवाद (Fabian Socialism)—

यह समाजवाद एक प्रकार से राज्य समाजवाद ही है। इसका विनाम इङ्गलैंड में हुआ है। इसके समर्थकों में वेब्स (Sydney Webb and Beatrice Webb), बर्नार्ड शॉ (G. B. Shaw) एवं कोल (J. D. H. Cole) आदि हैं। इन लोगों का विचार है कि समाजवाद का लोगो में प्रचार किया जा सकता है और प्रजातन्त्रीय धारा-सभा व्यवस्था के अन्तर्गत भ्रान्तिमय और बंधानिक उपायों से समाजवाद की स्थापना की जा सकती है। समाजवाद की स्थापना की कार्य-विधि उद्योग और व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण ही होगी। इङ्गलैंड की लेबर पार्टी इसी प्रकार की समाजवादी व्यवस्था की स्थापना का प्रयत्न कर रही है।

(IX) राष्ट्रीय समाजवाद (National Socialism)—

इस प्रकार के समाजवाद के मुख्यतया दो रूप देखने में आये हैं :—(1) जर्मनी का नात्सीवाद (Nazism) और इटली का फासिज्म (Facism) इनमें भी परस्पर सूक्ष्म अन्तर है। समाजवाद का दृष्टिकोण संकुचित होता है। राज्य की सर्वशक्तिशाली बनाया जाता है और उसका तानाशाही शासन आधार पर सङ्कटन किया जाता है। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता समाप्त कर दी जाती है और सभी कुछ राज्य के लिए किया जाता है। यह समाजवाद जाति-श्रेष्ठता (Race Superiority) को आधार बना कर घाये रहता है।

समाजवाद की प्रमुख विशेषतायें—

समाजवाद के विभिन्न रूपों का अध्ययन कर लेने के पश्चात् प्रायः हमारे लिए समाजवादी व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का पता लगाना सरल होगा। ये विशेषतायें निम्न प्रकार हैं :—

(१) व्यक्तिगत सम्पत्ति का उन्मूलन—सभी समाजवादी उन्नति के साधनों में व्यक्तिगत सम्पत्ति के उन्मूलन के समर्थन हैं। इनका स्वाधित्व राज्य के पास रहना चाहिए। उन्पादन सम्बन्धी लाभ राज्य के पास रहने चाहिए, जो उनका उपयोग सार्वजनिक हितों की उत्पत्ति के लिए करेगा। स्मरण रहे कि कुछ समाजवादियों को छोड़कर लगभग सभी मजान, पर्वोत्तर, परेसू मामान, आदि में व्यक्तिगत सम्पत्ति की भाषा देते हैं।

(२) अनुपाजित प्राय की समाप्ति—समाजवाद अनुपाजित प्राय (Unearned Income) की भाषा नहीं देता। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को काम करना चाहिए। किन्तु सबका पारितोषण भी समान नहीं होगा। योग्यता और निपुणता तथा कार्य की प्रवृत्ति के अनुसार पारितोषण अलग-अलग रहेगा। हाँ, सभी व्यक्तियों को उन्नति, विकास, रोजगार आदि का समान अवसर दिया जायगा।

(३) राज्य का महत्त्व—समाजवादी कार्य-व्यवस्था में राज्य का भारी महत्त्व है। राज्य उत्पादन और वितरण दोनों पर ही प्राधिपत्य रखता है। साम्यवाद और धराजन्तवादाद में भी कम से कम सञ्चालित बात में राज्य ही सारी प्राधिक्रिया का केन्द्र होता है। उत्पादन सम्बन्धी सभी लाभ व्यक्तिगत जेबों में न जाकर सार्वकारी मजानों में जाते हैं, जहाँ में उनका उपयोग जन-साधारण, धर्यान् सारे समाजवाद के लाभ के लिए किया जाता है। उद्योग और व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण समाजवाद का आधारभूत सिद्धान्त होता है।

(४) प्राधिक्रिय नियोजन—समाजवाद सदा ही प्राधिक्रिय नियोजन का कार्य धर्यानाता

है। आर्थिक जीवन का संचालन एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार केन्द्रीय सत्ता द्वारा किया जाता है।

(५) आधारभूत गारण्टी—समाजवाद कुछ प्रकार की आधारभूत गारण्टी देता है। देश के प्रत्येक नागरिक को अभाव से स्वतन्त्रता (Freedom from Want) का आश्वासन दिलाया जाता है। सामाजिक सुरक्षा की उन्नति की जाती है और सबको उन्नति के समान अवसर दिये जाते हैं।

(६) असमानताओं की कमी—समाजवाद आय के वितरण की असमानताओं को कम करने और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को रोकने को एक आवश्यक नीति समझता है।

(७) सामाजिक कल्याण उद्देश्य—समाजवाद का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक कल्याण (Social Welfare) है। मानव जीवन के सभी अंगों की उन्नति की जाती है और राज्य एक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) होता है।

(८) नवीन व्यवस्था—समाजवाद एक ऐसी नई सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था स्थापित करना चाहता है, जिसमें मानव जाति के सम्मान और उसके अधिकतम विकास की दशाएँ विद्यमान हों।

समाजवाद के दोष—

समाजवाद के विरुद्ध अधिकांश आलोचनाएँ बहुत सही नहीं हैं। ये आलोचनाएँ पूँजीपतियों अथवा उनके सिखाये हुए अर्थशास्त्रियों ने की हैं। विगत वर्षों में समाजवाद को समझने और उससे सम्बन्धित सही कठिनाइयों को समझने का भी प्रयत्न किया गया है। हम सम्भव में प्रमुख कठिनाइयाँ निम्न प्रकार हैं :—

(१) तानाशाही और गैर-जिम्मेदार औद्योगिक शासन—कहा जाता है कि समाजवाद में उद्योग चन्धों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। सारे के सारे उद्योग-चन्धों और व्यवसायों का संचालन सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता है। सरकारी अधिकारियों की मनोवृत्ति मनमानी करने और बेकार की धोखे डालने की होती है। वैसे भी ये बेतनभोगी अधिकारी व्यक्तिगत उत्साह, स्वार्थ और जिम्मेदारी के आधार पर काम नहीं कर पाते, जिससे प्रकुशलता बढ़ती है, अनावश्यक विलम्ब होते हैं और औद्योगिक प्रजातन्त्रवाद समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि राष्ट्रीयकृत उद्योगों में उत्पादन व्यय प्रायः ऊँचा ही रहता है।

(२) शीघ्र निर्णय तथा बलवान निर्णय का अभाव—यह भी कहा जाता है कि सरकारी उत्पादन केवल उन्हीं व्यवसायों में सफल हो सकता है जहाँ काम नैतिक स्वभाव (Routine Type) का होता है। जहाँ शीघ्र अथवा दृढ़ निर्णय लेने आवश्यक हो वहाँ सरकारी उत्पादन बहुत कठिन से ही सफल हो पाता है।

(३) समाजवाद में उपभोक्ता की स्वतन्त्रता का अभाव—समाजवाद में उपभोक्ता की स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है। सारी उत्पादन प्रणाली एक निश्चित योजना तम के अनुसार चलाई जाती है। उपभोक्ताओं को वही खरीदने और उपयोग करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, जो उनके लिए उत्पन्न किया गया है। मूल्य नियन्त्रण और राजनिग भी बहुधा समाजवाद के साथ-साथ चलते हैं। प्रारम्भिक अवस्थाओं में तो ऐसा लगभग आवश्यक ही होता है।

(४) कार्य उत्साह का अभाव—कुछ विद्वानों का मत है कि जब स्वार्थ तथा व्यक्तिगत लाभ की आशा ही समाप्त हो जायगी, तो अधिक काम करने तथा अपने में सुधार करने का उत्साह भी समाप्त हो जायगा। प्रत्येक व्यक्ति उत्पत्ति में अपना अधिक में अधिक योगदान नहीं देगा। सरकारी कामों में नियमितता तो रहेगी, परन्तु नई खोज का उत्साह नहीं रहेगा।

(५) व्यावसायिक स्वतन्त्रता का लोप—समाजवाद में सरकार ही यह निश्चित करती है कि कौन-सी वस्तु कितनी मात्रा में बच, वहाँ और किस किस की उत्पन्न की जायगी।

ऐसी दशा में व्यावसायिक स्वतन्त्रता का प्रश्न ही नहीं उठता । [इस सम्बन्ध में हमें यह विचारना चाहिए कि क्या व्यावसायिक स्वतन्त्रता सदा ही उचित होती है ?]

(६) अनुभव अच्युत नहीं है—बुद्ध लोग समाजवाद की निन्दा इस कारण करते हैं कि रुम के अनुभव से ऐसा बुद्ध भी सिद्ध नहीं होता है कि प्राय के वितरण में समानता प्राई है, अथवा, वास्तविक अर्थ में समाज का बर्त्याण हुआ है । [ऐसे प्रालोचकों से यही कहा जा सकता है कि प्रायद उन्हें रुम की प्रगति का अनुमान नहीं है ।]

समाजवाद के गुण—

वर्तमान ससार को समाजवाद के लाभों को समझाने की शायद आवश्यकता नहीं है । पूँजीवाद ने ऐसी प्राथमिक और सामाजिक दशाएँ उत्पन्न कर दी हैं कि अब उसका अन्त ही हो जाय तो अच्युत होगा । पूँजीवाद ने ससार को प्राथमिक सफटों में पँसा दिया है, जिससे नियमित रूप में अभिवृद्धि (Boom or Prosperity) और मन्दी अथवा अवसाद (Slump or Depression) के काल घाते रहते हैं, जिन्होंने मानव समाज को घोर कष्टों में डाला है । पूँजीवाद प्राथमिक स्थिरता स्थापित नहीं कर पाया है । इसमें देश के साधनों का केवल व्यक्तिगत हितों को उप्रत करने में उपयोग किया जाता है । इसमें स्त्री और बच्चों का शोषण होता है । निर्धन व्यक्तियों को दिन-रात परिश्रम करने के पक्वान् भी भरपेट भोजन नहीं मिलता तथा अमीर लोग निश्चय और निटल्ले रह कर भी प्राराम से रहते हैं । श्रमिकों और दूरारे निर्धन लोगों की दशा मानवता के पतन का दिग्दर्शन कराती है । ऐसा मान्य पड़ता है कि पूँजीवाद में निर्धन मनुष्य शायद 'मनुष्य' रहता ही नहीं है ।

इसके विपरीत, समाजवाद इन सभी गुरादियों को दूर कर देता है और मनुष्य की मानवता का आदर करता है । वहाँ व्यापार चक्रों का घातक नहीं होता, घनवान और निर्धन की समस्या नहीं होती, दूमरों का शोषण अल्पभव होता है, और निरुम्भो और निटल्ले का आदर नहीं होता । किन्तु समाजवाद का आधार केवल यही नहीं है कि वह पूँजीवाद के दोषों को दूर कर देना है, बल्कि वह समाजवाद के घनात्मक लाभ और भी महत्वपूर्ण हैं । यहाँ उत्पादन का विस्तार होता है, प्राथमिक बर्त्याण का स्तर ऊँचा उठता है, बेरोजगारी का प्रश्न ही नहीं उठता और मनुष्य को मनुष्य का सम्मान मिलता है । शोषण की सम्भावना न रहने के कारण सहयोग और सहभावना बढ़ती है । ऐसी दशा में समाज सम्भवतः शीघ्र ही एक अन्तर्राष्ट्रीय समाज की स्थापना कर सकेगा । समाजवाद के पक्ष में निम्न तर्क दिये जा सकते हैं :—

(१) समाजवाद पूँजीवाद के दोषों को समाप्त कर देता है ।

(२) आर्थिक प्रगति का द्युत्तियन प्रगति की सुलभा में अनुकूल होता आवश्यक नहीं है ।

(३) पूँजीवाद में उपभोक्ता की स्वतन्त्रता केवल एक भ्रम है, क्योंकि एकाधिकारी उसका शोषण करते हैं और भूटे विज्ञापन द्वारा उसे धोखे में आन देते हैं । किन्तु समाजवाद में केवल उन्हीं बस्तुओं का उत्पादन होता है जो लाभदायक हैं, द्युत्तियन प्रगति में उपभोक्ता को लाभ होता है ।

(४) समाजवाद में उत्पत्ति के साधनों का विभिन्न उपयोगों में अधिक उपयुक्त वितरण होता है, क्योंकि यह वितरण लाभ पर आधारित न होकर उपयोगिता पर आधारित होता है ।

(५) समाजवाद में उपयुक्त प्रचार, पारितोषण तथा मनोवैज्ञानिक उपायों द्वारा श्रमिकों के कार्य-उत्साह को बनाये रखना सम्भव होता है ।

(६) समाजवाद जवता की कार्य का अधिकार और न्यूनतम जीवन-स्तर प्रदान करके

आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान करता है। श्रमिक की निर्धनता तथा सौदा करने की बलहीन शक्ति के कारण पूँजीवाद में व्यावसायिक स्वतन्त्रता केवल सैद्धान्तिक ही होती है।

शुम्पीटर (Schumpeter) का विचार है कि निम्न चार कारणों से समाजवादी प्रणाली पूँजीवादी प्रणाली से उत्तम है :—(क) अधिक आर्थिक कुशलता, (ख) अधिक कल्याण, (ग) एकाधिकारी व्यवहारों का अभाव, और (घ) व्यापार चक्रों की अनुपस्थिति।

समाजवाद एवं पूँजीवाद का मिश्रण

[मिश्रित अर्थ-व्यवस्था]

(Mixed Economy)

पूँजीवादी देशों में समाजवादी तत्त्वों की उपस्थिति—

आज के युग में शुद्ध समाजवाद अथवा शुद्ध पूँजीवाद कहीं भी देखने को नहीं मिलता। समाजवाद और पूँजीवाद के बीच मूलभूत अन्तर सम्पत्ति और उत्पत्ति के स्वामित्व के सम्बन्ध में है। पूँजीवाद में यह स्वामित्व व्यक्तियों के पास होता है, परन्तु समाजवाद में समाज अथवा राज्य के पास। व्यवहार में लगभग प्रत्येक देश में किसी न किसी अंश तक पूँजीवाद और समाजवाद का मिश्रण पाया जाता है। यद्यपि यह सम्भव है कि एक देश में तो पूँजीवादी तत्त्व अधिक बलवान हों और दूसरे में समाजवादी तत्त्व। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन जैसे पूँजीवादी देशों में भी आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तियों पर अनेक प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। उदाहरणस्वरूप, ब्रिटेन में मृत व्यक्तियों की सारी सम्पत्ति उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त नहीं होनी बल्कि उसका एक भाग राज्य द्वारा ले लिया जाता है। राज्य व्यक्ति को यह अधिकार नहीं देता कि वह अपनी इच्छानुसार अपनी सम्पत्ति किसी को भी दे सके। सम्पत्ति कुछ विशेष प्रकार के सम्बन्धियों को ही दी जा सकती है, जिसका उद्देश्य यह होना है कि अपरिचिन लोगों को वास्तविक उत्तराधिकारी से ऊँचा स्थान न मिल सके। इसी प्रकार, व्यक्तियों को यह भी अधिकार नहीं होता है कि वे अपने धन का अपनी इच्छानुसार कोई भी उपयोग कर सकें। ठीक, इसी प्रकार, बहुत सी दशाओं में विक्रेताओं को भी यह अधिकार नहीं होता कि वह अपने माल को किसी भी दाम पर बेच सकें अथवा उसका आसवन कर सकें। अधिकांश पूँजीवादी देश अपने आयातों और निर्यातों पर कड़े प्रतिबन्ध लगाते हैं। इस प्रकार, पूँजीवादी देशों में भी सरकार व्यक्तियों की आर्थिक स्वतन्त्रता पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगाती है। ऐसा हम कारण होता है कि पूँजीवाद में समाजवाद का कुछ न कुछ पुट अवश्य रहता है।

समाजवादी देशों में पूँजीवादी तत्त्वों की उपस्थिति—

ठीक, इसी प्रकार, यह भी दिखाया जा सकता है कि समाजवादी देशों में भी कुछ न कुछ पूँजीवादी तत्त्व समाविष्ट रहते हैं। ऐसे देशों में बहुत बार सीमित अंश तक व्यक्तिगत सम्पत्ति और एकाधिकार की आज्ञा दी जाती है। सोवियत रूस में भी कुछ अंश तक निहित पूँजीवादी तत्त्व अवश्य देखने को मिलते हैं। अधिक से अधिक हम इतना कह सकते हैं कि जिन देशों को 'समाजवादी देश' कहा जाता है उनमें समाजवादी तत्त्व अधिक तथा पूँजीवादी तत्त्व कम हैं और जिन देशों को हम 'पूँजीवादी देश' कहते हैं उनमें पूँजीवादी तत्त्व अधिक हैं और समाजवादी तत्त्व कम। "सच्ची बात यह कि ससार में, जिनमें कोई भी चीज विशुद्ध रूप में नहीं पाई जाती है, शुद्ध प्रकार की प्रणालियाँ पाना कठिन है। प्रत्येक स्थान पर हमें सत्य तथा प्रतिमत्य का मिश्रण मिलता है। सत्य तथा प्रतिमत्य ही शुद्ध प्रकार हैं अर्थात् आदर्श हैं। आदर्श अच्छे अथवा बुरे हो सकते हैं परन्तु वे इस अर्थ में आदर्श होते हैं कि उन्हें प्राप्त करना

बटिन होता है। इस प्रकार, इस सत्तार में हमें समाजवाद और पूँजीवाद परस्पर विभिन्न अनुभूतियों में मिले हुए दिखाई देते हैं।¹

समाजवाद और पूँजीवाद का मिश्रण क्यों आवश्यक है ?

दोनों प्रणालियों के मिश्रण का मौखिक प्रो० मेहता की भाषा में निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है :—“स्वभाव में ही हम ऐसा अनुभव करते हैं कि जो वस्तु शुद्ध है वह उत्तम भी भवम्भ होगी। यदि यह विचार सत्य हो, तो अपने शुद्ध रूप में पूँजीवाद और समाजवाद दोनों ही ‘मिश्रण’ से अच्छे होंगे। वास्तविक व्यावहारिक अनुभव ऐसा है कि एक विगुण प्रकार हमारे उद्देश्य की उतनी अच्छी पूर्ति नहीं करता जितना कि एक मिश्रण, और इसका कारण नापद यह है कि जिसे हम ‘शुद्ध’ कहते हैं वह वास्तव में ‘गुण्ड’ नहीं होता। उदाहरणस्वरूप, विगुण मूल्यना की मूल्यता और बुद्धिमत्ता के मिश्रण से अच्छा नहीं कहा जा सकता। किन्तु, इनके विपरीत, विगुण बुद्धिमत्ता मूल्यना और बुद्धिमत्ता के मिश्रण से अच्छी होती है। परन्तु प्रश्न यह है कि शुद्ध अर्थ क्या है। नापद शुद्ध अर्थ स्वयं भी कुछ चीजों का मिश्रण है।² और हमने मिश्रण की अच्छा क्यों पाया है ? पूँजीवाद और समाजवाद दोनों ही हमसे अधिक नैतिकता की माँग करते हैं। यदि पूँजीवाद से अच्छे पलों की प्राप्ति है, तो इसके लिए लोगों को बहुत ईमानदार, बहुत बुद्धिमान और हृष्टियों से बहुत चरित्रवान होना चाहिए। यही बात समाजवाद के विषय में भी कही जा सकती है। समाजवाद तभी सफल होता है जब लोगों में उच्चकोटि की नागरिक भावना होती है।³ यदि राज्य है तथा सरकार है, तो एकता अर्थ यह है कि कुछ उद्देश्यों के लिए लोग आपस में मिल गये हैं।⁴ इसका अर्थ यह हुआ कि धार्मिक प्रणाली में कुछ समाजवादी तत्व हैं। इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि मनुष्य सदा ही एक-दूसरे की सेवा करने की आवश्यकता अनुभव करते हैं, अर्थात् वे जानते हैं कि अपने वास्तविकता का एक पल तक सम्पूर्ण बिना उनका नाम नहीं चल सकता है।⁵”

यह आवश्यक है कि कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिये लोग आपस में मिलकर कार्य करें। इसके बिना काम नहीं चलेगा। अपनी रक्षा के लिये, कुछ प्रकार के धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तथा सामाजिक-व्यवस्था को बनाये रखने के लिये उनका आपस में मिल जाना आवश्यक होता है। न मिलने की दशा में व्यवस्था चलने का भय है। मनुष्य सदा ही किसी ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है जो उसे केवल अस्पष्ट रूप में ही दिखाई पड़ता है। वह विभिन्न प्रकार की सामाजिक और राजनैतिक प्रणालियों में प्रयोग करता रहता है, क्योंकि उसे यह नहीं पता कि उगकी अन्तिम दृष्टि क्या है ? ठीक, इसी प्रकार, समाजवाद और पूँजीवाद का मिश्रण भी आवश्यक है। यद्यपि दृग मिश्रण में कहीं समाजवादी तत्व अधिक बलवान होगा और कहीं पूँजीवादी तत्व। काले मार्क्स ने जब यह कहा कि पूँजीवाद के बाद समाजवाद का घाना आवश्यक-व्यवस्था है, तो उन्होंने ठीक कहा था, परन्तु दूसरे व्यक्ति यदि यह कहे कि समाजवाद के बाद पूँजीवाद आवेगा, तो वे भी गलत नहीं हैं। “फिर क्यों ? इसलिए कि हम अन्तिम मनुष्य हैं। यदि हममें एक बार नैतिकता अथवा पूर्ण नैतिकता आ जाये, तो हमें किसी भी राजनैतिक प्रणाली की आवश्यकता न रहेगी। फिर न कोई सरकार होगी न कोई राज्य। फिर वह अवस्था आ जायेगी जिसे राजनैतिक विचारकों ने अराजकतावाद (Anarchism) का नाम दिया है, अथवा जिसे महात्मा गांधी ने राज्य का धीरे-धीरे मुरझाना कहा है।⁶”

¹ J. K. Mehta : *Foundations of Economics*, Vol I, p 270.

² *Ibid*, pp. 970-71.

³ *Ibid*, p 271.

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था क्या है ?

मिश्रित अर्थ-व्यवस्था विशुद्ध निर्वाधावाद तथा उत्पत्ति के साधनों के सामाजिकरण के बीच एक समझौता है। इसे इस कारण उचित बताया जाता है कि इसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के गुण प्राप्त किये जा सकते हैं जबकि दोनों के दोषों से यह प्रणाली बची रहेगी। भारत में समाजवादी ढंग की व्यवस्था का जो लक्ष्य निश्चित किया गया है वह वास्तव में मिश्रित व्यवस्था के विचार पर आधारित है। ऐसी व्यवस्था में उत्पादन, वितरण, उपभोग तथा विनियोग, सक्षेप में आर्थिक और सामाजिक सम्बन्धों के विषय में सभी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय ऐसी संस्थाओं द्वारा किये जाते हैं जो सामाजिक हितों को प्रधानता देती हैं।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के लेखकों ने कहा है कि "विकास के लिये आवश्यक दशाघे उत्पन्न करने के लिए यह आवश्यक है कि राज्य पूरे समाज की ओर से एक प्रमुख संस्था के रूप में भारी उत्तरदायित्व लें। सार्वजनिक क्षेत्र का शीघ्रगामी विकास होना चाहिए। इसके लिए केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि उन राज्य विकासग्रामों को प्रारम्भ करे जिनके प्रारम्भ करने के लिए व्यक्तिगत क्षेत्र या तो अयोग्य है या तैयार नहीं है बल्कि यह भी आवश्यक है कि वह अर्थ-व्यवस्था में विनियोगों का समस्त रूप निश्चित करने में महत्त्वपूर्ण कार्य करे, चाहे वे विनियोग स्वयं इसके द्वारा किये जायें अथवा निजी क्षेत्र द्वारा। निजी क्षेत्र को उस परिधि के भीतर, जो समाज के व्यापक नियोजन द्वारा निश्चित की जाती है, काम करना होगा। विनियोग के साधन वास्तव में अन्तिम रूप में सामाजिक विचारों द्वारा ही उपलब्ध किये जाते हैं। व्यक्तिगत उपक्रम, स्वतन्त्र कीमत निर्धारण तथा व्यक्तिगत प्रबन्ध में सबको सब ऐसी विधियाँ हैं जिनका उद्देश्य सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करना है, अतः इनका प्रौचित्य केवल समाज को होने वाले लाभों पर ही निर्भर होना है।.....जिन क्षेत्रों में प्राबंधिक कारणों से शक्ति तथा धन के केन्द्रीयकरण का भय है, उनमें पूर्ण अथवा आंशिक रूप में सार्वजनिक स्वामित्व तथा सार्वजनिक नियन्त्रण और प्रबन्ध में सार्वजनिक साभेदारी विशेषतया आवश्यक है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें सरकारी सहायता के बिना व्यक्तिगत उपक्रम किसी प्रकार प्रगति नहीं कर सकता। ऐसी दशाओं में इनके लिये जो साधन जुटाये जाते हैं उनकी सार्वजनिक अथवा अर्द्ध-सार्वजनिक प्रवृत्ति को जान लेना आवश्यक है। शेष अर्थ-व्यवस्था में ऐसी दशाघे उत्पन्न की जानी चाहिए, जिनमें व्यक्तिगत प्रेरणा तथा उपक्रम के लिए (चाहे वे व्यक्तिगत आधार पर हो अथवा सहकारी आधार पर) पूर्ण अवसर रहे। एक विकासशील अर्थ-व्यवस्था में, जिसमें निरन्तर बढ़ते हुए अर्थ में विविधीकरण होता रहता है, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत क्षेत्रों के एक ही साथ विकसित होने के लिए पर्याप्त अवकाश रहता है.....।"

स्पष्ट है कि मिश्रित अर्थ व्यवस्था में समाजवादी और पूंजीवादी तर्कों का, देश की आर्थिक और ऐतिहासिक आवश्यकताओं के अनुसार, सम्मिश्रण रहता है। अर्थ-व्यवस्था के कुछ ऐसे भाग निश्चित कर दिये जाते हैं, जिनमें व्यक्तिगत उपक्रम को विकास का पूरा अवसर दिया जाता है यद्यपि इस पर सामान्य रूप में सामाजिक हितों की रक्षा के लिए नियन्त्रण रखा जा सकता है। व्यक्तिगत उपक्रम के जीवित रहने तथा उन्नति करने की गारन्टी इसी आशवासन पर दी जाती है कि वह व्यक्तिगत उद्देश्यों के स्थान पर सामाजिक हितों को उन्नत करेगा। लाभ-उद्देश्य तो बना रहता है परन्तु इसका अधिक अंश तक नियन्त्रण तथा नियमन कर दिया जाता है, जिससे इसके दोष वृद्धि अथवा लक्ष्य दूर हो जाते हैं। अर्थ-व्यवस्था के कुछ भागों को सार्वजनिक उपक्रमों के लिए सुरक्षित कर लिया जाता है।

मिश्रित धर्म-व्यवस्था के लक्षण—

इस प्रकार, मिश्रित धर्म-व्यवस्था का लक्षण यह है कि इसमें एक ही साधु साव्यजनिक धर्म व्यक्तिगत क्षेत्र का सरकार द्वारा समुचित नियमन कर दिया जाता है।

मिश्रित धर्म-व्यवस्था का ऐतिहासिक विकास तथा उसका धींचित्य—

निर्वाधावाद का समर्थन एक गलत मान्यता के आधार पर हुआ—मिश्रित धर्म-व्यवस्था का विचार थोड़े ही काल से आया है यद्यपि व्यवहार में इतिहास के भारत-काल से ही इस प्रकार की धर्म-व्यवस्था गमर में बनी रही है। एषम हिमय तथा उनके समर्थक निर्वाध रूप में निर्वाधावादी नीति के पुजारी थे। किन्तु बुद्ध धर्मों में (जैसे सार्वजनिक कार्य धर्म गिरा में) स्मिथ ने सरकारी कार्य की आवश्यकता स्वीकार की है। मिल की दृष्टि में निर्वाधावाद ही सर्वोत्तम विधान था। यह परम्परा भारत के काल तक चली आती है। यह विचार इस गलत मान्यता पर आधारित था कि व्यक्तिगत धर्म सामाजिक हितों में किसी प्रकार का विरोध नहीं होता है और जब एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए करता है तो वह यदि प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष रूप में सामाजिक हित को भी धामे बढ़ाता है।

बेन्ज द्वारा गलत मान्यता का भ्रष्टाफोड़—बेन्ज की प्रसिद्ध पुस्तक *The End Of Laissez-Faire* के प्रकाशन के पश्चात् सन् १९२६ के बाद यह परम्परागत विचारधारा पूर्णतया बदल गई। बेन्ज ने बताया कि "इस गमर का ऊपर से इस प्रकार निर्देशन नहीं होना कि गदा व्यक्तिगत धर्म सामाजिक हितों में धनुरूपता रहे। नीचे से भी इसका प्रबन्ध इस प्रकार नहीं होता है कि व्यवहार में दोनों धनुरूप रहे ही। धार्मिक सिद्धान्तों से इस प्रकार का सही निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि विवेकपूर्ण स्वार्थ मर्यादा ही सार्वजनिक हित को उत्पन्न करता है। यह भी साधारणतया गरीबी नहीं होता कि व्यक्तिगत स्वार्थ विवेकपूर्ण हो। बहुत बार जब व्यक्ति अलग-अलग अपने हितों को उत्पन्न करने के लिए कार्य करते हैं तो वे अपने स्वार्थों को प्राप्त करने के लिए भी बहुत धनुरूप तथा बुद्धिहीन होते हैं। धनुरूप से यह सिद्ध नहीं होता कि जब व्यक्ति मिल कर एक सामाजिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं तो वे अपने स्वार्थों नहीं होने जितने उम दना में जब उनमें से प्रत्येक अलग-अलग काम करता है।"

बेन्ज का कहना है कि पूँजीवाद को पूर्णतया हटा देने से समाज के धार्मिक कष्ट दूर न होंगे। यह समझना भूल है कि समाजवाद भली-भाँति कार्य करने में असमर्थ है। स्वयं पूँजीवाद का रूप बदल रहा है। पुराना 'वित्तीय पूँजीवाद' (Financial capitalism) अब 'धोद्योगिक पूँजीवाद' (Industrial capitalism) में बदल रहा है। यह नये प्रकार का पूँजीवाद समुचित रूप में चले सक्ता है वगैरें सरकार समय-समय पर उपयुक्त कार्यवाही करती रहे और नये आवश्यक निदान-प्रण तथा सहायता में अल देनी रहे। वास्तविक व्यवहार सरकारी हस्तक्षेप ही है। इससे न केवल धार्मिक प्रणाली के वर्तमान दोष दूर होंगे बल्कि व्यक्तिगत प्रेरणा के गहन विकास के लिए उपयुक्त दनामें उत्पन्न हो जायेंगे। सरकार ही सन्तुलन कार्य का कार्य कर सकती है। बेन्ज तो यहाँ तक कहते हैं कि कुछ दनाओं में पूँजीवाद समाजवाद से अक्षय है।

महान् मन्त्री की शिक्षा—धामे चलकर महान् मन्त्रालय ने निर्वाधावादी चरित्रा पूर्णतया नष्ट कर दी और सरकारी हस्तक्षेप तथा नियोजन की आवश्यकता को प्रकट में ला दिया। पूँजीवाद के महान् समर्थक पीपू ने भी यह स्वीकार किया है कि "यदि प्रभावगामी दग में समतन करना सम्भव हो, तो समाजवादी केन्द्रीय नियोजन हमारी वर्तमान पूँजीवादी प्रणाली में अक्षय रहेगा।"

द्वितीय महायुद्ध के बाद की परिस्थितियाँ—देखा कि पहले बताया जा चुका है,

स्थापित किया जा सके। हमने अपने देश में आर्थिक नियोजन का मार्ग ग्रहण किया है। यहाँ व्यक्तिगत क्षेत्र बना रहेगा परन्तु इस पर सामाजिक आवश्यकता का आधिपत्य रहेगा जिससे कि यह सार्वजनिक कार्य का पूरक बन सके।

इस प्रकार, मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के समर्थकों का कहना है कि यह प्रणाली व्यक्तिगत और सामाजिक हितों के समायोजन पर आधारित है। तर्क यह है कि सरकारी नियन्त्रण और नियमन द्वारा व्यक्तिगत और सामाजिक हितों में मेल कराया जा सकता है और इस प्रकार पूँजीवाद और समाजवाद दोनों के लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, व्यक्तिगत प्रारम्भ और प्रेरणा तथा सार्वजनिक हित दोनों ही एक साथ प्राप्त हो सकते हैं। किन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब पूँजीवाद और समाजवाद का इस प्रकार मिश्रण किया जाता है तो यह भी सम्भव है कि दोनों के दोष आ जायँ और दोनों में से किसी को भी लाभ प्राप्त न हो। शुद्धतावादी इसे छूना भी पसन्द नहीं करेंगे। यह न तो समाजवाद है और न पूँजीवाद बरन् दो प्रतिविरोधी विचारों तथा क्रियाओं का विचित्र मिश्रण है।

गाँधीवाद (Gandhism)

भारत में आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विचारधाराओं पर महात्मा गाँधी के विचारों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। गाँधीजी एक प्रकार आधुनिक भारत के निर्माता हैं। गाँधीजी ने पश्चिम के प्रगतिशील भौतिकवाद और भारत के परम्परागत आदर्शवाद के साथ एक अच्छा सुमिश्रण किया है। यद्यपि गाँधीजी ने स्वयं कभी किसी अलग विचार-प्रणाली के निर्माण का दावा नहीं किया है परन्तु उनके चेले और समर्थकों ने उनके विचारों को लेकर आर्थिक और सामाजिक विचारों की एक ऐसी प्रणाली का आविष्कार किया है जिसे गाँधीवाद के नाम से पुकारा जाता है।

इस सम्बन्ध में यह बताना आवश्यक है कि गाँधीजी स्वभाव से ही आदर्शवादी थे, परन्तु वे इस आदर्शवाद को व्यावहारिक जीवन में कार्यरूप देने के पक्ष में थे और स्वयं अपने उदाहरण से आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयत्न करते थे। इसके साथ ही साथ गाँधीजी पर भारत की परम्परागत धार्मिक विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा था और उन्होंने भारत की समस्याओं और संवेदनशीलताओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया था। गाँधीजी का विचार था कि भारत की समस्याओं को सुलझाने का सबसे अच्छा उपाय ग्रामीण पुनर्निर्माण था और इसके लिए यह आवश्यक था कि ग्रामवासियों को अपनी सहायता स्वयं करने का महामन्त्र तिलावा जाय। यही कारण है कि अपने रचनात्मक कार्यक्रम में गाँधीजी ने ग्रामीण उत्पादन तथा कुटीर उद्योगों के विकास को सबसे ऊँचा स्थान दिया है।

गाँधीजी के आर्थिक विचारों की प्रकृति—

गाँधीजी का विचार था कि अर्थशास्त्र को नीतिशास्त्र अथवा धर्म में अलग नहीं किया जा सकता है। उनके विचार में अर्थशास्त्र नीतिशास्त्र का दास ही है। गाँधीजी के अनुसार अर्थशास्त्र एक नैतिक तथा व्यावहारिक शास्त्र है जो हमें बताता है कि नैतिक आदर्शों को बनाये रखने हुए व्यक्ति तथा समाज के कल्याण को किस प्रकार अधिकतम किया जा सकता है। गाँधीजी पश्चिमी विचारधारा की उस प्रवृत्ति के विरुद्ध हैं जिसमें अर्थशास्त्र में भौतिक सुख पर ही बल दिया गया है और अर्थशास्त्र को नैतिकता से अलग कर दिया गया है। किन्तु गाँधीजी के विचार एक बड़े प्रश्न तक कल्याणकारी अर्थशास्त्रियों के विचारों से मेल खाते हैं।

गाँधीवाद के आधारभूत तथ्य—

गाँधीवाद के आधारभूत तथ्य निम्न प्रकार हैं :—

(१) मानवता का महत्त्व—गाँधीजी अर्थशास्त्र की इस परम्परागत विचारधारा के

विद्वद् है कि मनुष्यों के पारस्परिक सम्बन्ध मुद्रा और धन पर आधारित हैं। उनका विचार है कि समाज की सर्वांगीण सुराक्षों का कारण मानवता को समुचित महत्त्व न देना और लोगो द्वारा दूसरों का मूल्योन्नत केवल मुद्रा में करना है। उनके अनुसार मनुष्यों के आपसी सम्बन्धों का आधार मुद्रा और प्रतियोगिता न होकर सत्य, प्रेम तथा सहयोग है। यही कारण है कि गांधीजी ने सभी भाषिक संस्थाओं और भाषिक व्यवहारों के लिए नैतिक एवं अध्यात्मिक आधार को स्वीकार किया।

(२) अहिंसा—गांधीजी के विचार में जीवन के सर्वोत्तम सिद्धान्त अहिंसा तथा समाज दोनों ही के लिए सत्य और अहिंसा है। उनका कहना है कि साधनों और उद्देश्यों को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। केवल इतना ही पर्याप्त न होगा कि उद्देश्य या लक्ष्य सज्जन हो बल्कि उसे प्राप्त करने के उपाय तथा साधन भी सज्जन होने चाहिए अर्थात् समाज के सभी सदस्यों का स्वार्थी हल अस्मभय होगा। अहिंसात्मक तथा सत्य साधनों से जो भाषिक परिवर्तन लाये जाते हैं वे सदा के लिए बने रहते हैं और निरन्वयी होते हैं, क्योंकि इतने विरोधियों का हृदय-परिवर्तन हो जाता है।

(३) सरलता—गांधीजी का विचार है कि जीवनयापन की जटिलता जो पश्चिमीय भौतिकवाद की प्रभुता विरोधना है कोई अच्छी बात नहीं है। गांधीजी साधारण जीवन तथा ऊँचे आदर्शों के पक्षपाती हैं, जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं में कम तथा सरल होगी। भौतिक आवश्यकताओं को बढ़ाने तथा उनकी पूर्ति के लिए अधिक से अधिक साधन जुटाने से भी जीवन-स्तर ऊँचा नहीं उठता है, बल्कि ऊँचा जीवन-स्तर सादगी और सन्तोष पर निर्भर होता है। यही कारण है कि गांधीजी ने जटिल मशीनों और जटिल औद्योगिककरण का विरोध किया है, ताकि मानव जीवन की जटिलता न बढ़े।

(४) विकेन्द्रीकरण—गांधीजी का विचार है कि भाषिक शक्ति का अत्यधिक केन्द्रीकरण किसी न किसी प्रकार की भाषिक दासता को उत्पन्न करता है और मानव अस्तित्व का विकास भली भाँति सभी हो सकता है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी आधारभूत आवश्यकताएँ अपने आपका अपने पड़ोसियों के प्रयत्न से पूरा करे। यही कारण है कि वे भाषिक प्रणाली के ऐसे विकेन्द्रीकरण का गुभाय देते हैं जिसमें स्थानीय इकाइयों को एक बड़े अथवा स्वतन्त्रता प्राप्त हो। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इन इकाइयों में किसी प्रकार का सहयोग नहीं होना चाहिए। उद्देश्य केवल इतना ही है कि अर्ध-अवस्था का समाप्त विकेन्द्रीकृत आधार पर होना चाहिए।

(५) संरक्षकता—गांधीजी का विचार है कि समाज के विभिन्न वर्गों अथवा धनवानों और निर्धनों के बीच किसी प्रकार के सम्पर्क का होना आवश्यक नहीं है। साधारण अर्थ में निजी सम्पत्ति का कोई अर्थ नहीं है। सभी प्रकार की सम्पत्ति चाहे वह किसी के भी पास है, एक प्रकार से "ट्रस्ट" सम्पत्ति है, जिसे हम दूसरों की ओर से उन्हीं के लक्षार्थ लिए हुए हैं। यह सभी की सम्पत्ति है और इसके उपयोग के लाभ सभी को मिलने चाहिए। पूर्णतः, सामाजिक सम्पत्ति के संरक्षक (Trustee) के अनिरिक्त और मुक्त नहीं हो सकता है। धीरे-धीरे सम्भार कर तथा हृदय-परिवर्तन द्वारा समाज में इसी विचारधारा को लागू करना चाहिए, और, जब ऐसा हो जायेगा तो वर्ग-सम्पर्क समाप्त हो जायेगा, क्योंकि स्वयं पूर्णतः अर्थिक श्रमिकों के वर्याण को प्राथमिकता देगे।

संक्षेप में, मशीनी अर्थिक है क्योंकि यह मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है तथा मानवता को नष्ट करती है, किन्तु निरन्तर आवश्यकताओं को बढ़ाने और जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने की इच्छा भी उचित नहीं है, क्योंकि यह स्वयं, सम्पर्क तथा शोषण को जन्म देती है।

अच्छा यह है कि मनुष्य स्वेच्छा से धीरे-धीरे अपनी आवश्यकताओं को घटाये, क्योंकि इससे आवश्यकताओं को निरन्तर बढ़ाते रहने की तुलना में अधिक प्रगतिशीलता है। जीवन में सघर्ष की तुलना में सहयोग अधिक लाभदायक और उत्पादक है। शारीरिक परिश्रम बहुत महत्त्व, सज्जन और पवित्र है। वे सभी मशीनों जो श्रम की वचन करती हैं, मनुष्य को पतन की ओर ले जाती हैं। प्रत्येक मनुष्य में स्वविकास की बहुत बड़ी क्षमता है और उसे इस दिशा में बढ़ने का अत्यधिक अवसर मिलना चाहिए। राज्य के अत्यधिक हस्तक्षेप से तथा व्यक्ति के राज्य पर अधिक निर्भर रहने से मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है और उसकी प्रगति में बाधा आती है। आर्थिक प्रजातन्त्रवाद के लिए भी अर्थ-व्यवस्था का सङ्गठन विकेन्द्रीयकृत होना आवश्यक है।

गांधीवाद का रचनात्मक कार्यक्रम—

उपरोक्त आदर्शों के आधार पर गांधीजी ने एक १४ सूचों के रचनात्मक कार्यक्रम का निर्माण किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक सुधार तथा पुनर्निर्माण और इनका आधारभूत बल ग्रामीण पुनरोत्थान था। यह मान कर चला गया था कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था में गांधी ही आधारभूत इकाई है और गरीबी तथा आर्थिक दासता के विरुद्ध युद्ध का आरम्भ गाँव से होना चाहिए।

गांधीजी ने ग्रामवासियों को सलाह दी कि वे राज्य अथवा बाहरी दान और महापना पर निर्भर न रहे, बल्कि स्वयं अपनी सहायता करें। इस सम्बन्ध में खादी और उद्योगों के विकास पर विशेष बल दिया गया है। गांधीजी का विचार था कि ग्रामवासियों के लिए गौण रोजगार की बहुत आवश्यकता थी और ग्रामवासियों को स्वावलम्बी बनाने के लिए भी अल्प रोजगार की व्यवस्था आवश्यक थी। अतः उन्होंने ग्रामोद्योग के विकास पर बल दिया। परन्तु वे ग्रामीण उद्योगों को कुटीर उद्योगों के आधार पर सङ्गठित करने के पक्ष में थे। ऐसे उद्योगों के लिए कच्चा माल, श्रम, पूँजी और व्यवस्था सभी स्थानीय रूप में प्राप्त किये जा सकते हैं। गांधीजी का विचार था कि आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योग जो अपना कच्चा माल और अपने श्रमिक गाँव से ही लेते हैं अन्त में ग्रामीण सम्पदा से ही लाभ कमाते हैं और गाँव में छोटे-छोटे उद्योग खोलने से यह धन गाँव में ही रह जायेगा। गाँव की शक्तिशाली बनाने के लिए उसकी स्वावलम्बिता प्राप्त करने के लिए इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं कि गाँव में अनेक प्रकार के कुटीर-उद्योग खोले जाएँ।

गांधीजी ने चर्खों की बहुत महिमा बताई है। इससे न केवल रोजगार और आय बढ़ेगी बल्कि ग्रामवासी का नैतिक और अध्यात्मिक उत्थान भी होगा। इसलिए उन्होंने चर्खा कातना सभी के लिए आवश्यक बताया है। गांधीजी ने अखिल भारतीय चर्खा सङ्घ तथा अखिल भारतीय ग्रामोद्योग सङ्घ की स्थापना की, जिससे कि सूत कातने वालों तथा ग्राम्य उद्योगों के कारीगरों को आवश्यक तकनीकी और सङ्गठनीय सहायता मिल सके। गांधीजी ने कार्रगस के सदस्यों के लिए सूत कातना और खादी पहिनना आवश्यक बताया, जिससे ग्रामीण उद्योगों के माल की खपत हो सके। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि लोग यथासम्भव हाथ की बनी वस्तुएँ ही उपयोग करें।

अन्य उद्योगों में गांधीजी ने गुड़ बनाने, चमड़ा कमाने, चटाई बनाने, धानी का तेल निकालने आदि पर भी बल दिया। ग्रामोत्थान के अन्य कार्यक्रमों में उन्होंने ग्रामीण सफाई, पंचायती के विकास, गौ रक्षा, निरक्षरता-उन्मूलन तथा हरिजन-उत्थान पर भी बल दिया।

गांधीवाद और समाजवाद—

गांधीजी के अपने कथन के अनुसार वे स्वयं समाजवादी थे और उनका सर्वोदय कार्य-

त्रम भारतीय समाजवाद या । परन्तु क्या वास्तव में गांधीवाद समाजवाद है ? गांधीजी व्यक्ति-गन सम्पत्ति के समर्थक हैं और पूँजीपतियों को सार्वजनिक सम्पत्ति के संरक्षक बना कर रखना चाहते हैं । वे तो पूँजीपतियों के हृदय-परिवर्तन द्वारा जागरण लाने के पक्ष में हैं, जिससे कि वे श्रमिकों के कल्याण पर अधिकतम ध्यान दें ।

माधमवादी दृष्टि से गांधीवाद प्रतिक्रियावाद है । गांधीजी वर्ग-सर्घर्ष की स्वीकार नहीं करते और यह भी नहीं मानते कि इतिहास एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर प्राये बढा है और हम प्रकार वर्तमान पूँजीवादी अवस्था से समाजवाद की ओर जायेगा । गांधीवाद पूँजी-वाद की बुराइयों को दूर करने के लिए शौतिक प्रगति तथा टेक्नीकल आविष्कारों को स्थगित करके समाज को आर्थिक संगठन की विकेन्द्रीयकृत तथा सरल प्रणाली की ओर ले जाना चाहता है । मानसवादियों का विचार है कि गांधीवाद तो वास्तव में पूँजीवाद तथा सामन्तवाद के प्रसार को प्रोत्साहन देता है ।

निन्तु भारतीय समाजवादियों जैसे डा० राममनोहर लोहिया, श्री जयप्रकाश नारायण आदि ने गांधीवाद को भारतीय समाजवाद का प्रतीक मान लिया है । उनका विचार है कि भारतीय समाजवाद एक निर्धन कृषि-प्रधान देश का समाजवाद है, जिसका आधार अहिंसा तथा विकेन्द्रीयकरण ही हो सकते हैं । इसी प्रकार, श्री कुमारप्पा तथा पं० मुन्दरलाल का विचार है कि गांधीवाद तथा माधमवाद में थोड़ा सा ही अन्तर है । मार्क्स ने से हिंसा निकाल दी जाय तो वह गांधीवाद ही रह जाता है ।

सर्वोदय (Sarvodaya)

सर्वोदय का अर्थ एवं इसकी विशेषतायें—

सर्वोदय कार्यक्रम जो भारत को महात्मा गांधी की देन है । यह गांधीवाद का दीर्घ-कालीन कार्यक्रम है, जिसके आधार पर भारत के भावी सङ्गठन का रूप निश्चित किया जायेगा । गांधीजी ने जो अल्पकालीन आर्थिक कार्यक्रम निश्चित किया है उससे दीर्घकाल में सर्वोदय समाज का ही निर्माण होगा । इस सम्बन्ध में गांधीजी देश के लिए बड़े पैमाने के केन्द्रीयकरण के पक्ष में नहीं हैं । उनके सर्वोदय कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं :—(१) स्थानीय उद्योगों का अधिकतम विकास होना चाहिए और उनके विनाश का आधार स्वावलम्बता होनी चाहिए । (२) यदि तकनीकी आवश्यकताओं के कारण कुछ उद्योगों को बड़े पैमाने पर खोलना आवश्यक हो तो ऐसे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, जिससे कि उन पर सभी देशवासियों का सामूहिक नियन्त्रण रहे । (३) मशीनों का उपयोग कम से कम रहना चाहिए और इसी प्रकार बड़े पैमाने के उत्पादन का क्षेत्र भी बहुत सीमित रहना चाहिए । (४) देश में उत्पादित धन का समाज के सदस्यों में अधिक ग्यापोचित वितरण होना चाहिए, ताकि असमानताएँ समाप्त हो । (५) आर्थिक शक्तियों तथा उदारता के साधनों का भी विकेन्द्रीयकरण होना चाहिए, जिससे कि उनका एकाधिकार कुछ शोटे से व्यक्तियों के हाथ में न रहे ।

सर्वोदय का अर्थ है सबका कल्याण । गांधीजी ने यह नाम रस्किन (Ruskin) की पुस्तक *Unto This Last* के गुजराती अनुवाद के लिए रखा था । रस्किन की पुस्तक पढ़कर गांधीजी ने निम्न निष्कर्ष निकाले थे :—धर्म का जीवन वास्तविक जीवन है, एक व्यक्ति की भलाई समाज की ही भलाई में निहित है और सभी व्यक्तियों को अपनी जीविका-उपायजनक का समान अधिकार है । गांधीजी के अनुसार सर्वोदय सच्चा प्रजातन्त्रवाद है, जहाँ पवित्रता और बुद्धिमानी साथ-साथ रहते हैं, जीवन का सिद्धान्त स्वदेशी होगा और मनुष्य के सभी कार्य सरल पर आधारित होंगे । अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए गांधीजी ने सुझाव दिया कि लोग

मदिरापान तथा मांस-भक्षण छोट दें, जिससे कि वे त्याग और बलिदान की भावना बना सकें। गांधीजी ने अहिंसा पर भी बल दिया, जिसे उन्होंने सामाजिक पुण्य माना है। उन्होंने सभी धर्मों के आदर और छूआ-छूत को दूर करने की सलाह दी, जिससे आपसी सहयोग बढ़ सके। सर्वोदय दर्शन के अनुसार मनुष्य ही वास्तविक धन है न कि सोना चाँदी। सभी के लिए न्याय होना आवश्यक है और इसके लिए मजदूरी न्यायोचित होनी चाहिए, ताकि देश में सभी सम्पन्न हों और कोई भी अधिक मात्रा में धन न जोड़ सके। सर्वोदय योजना में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और जीविका-उपाजन में ममान अवसर की व्यवस्था है। सर्वोदय योजना औद्योगीकरण द्वारा पूरी नहीं होगी, बल्कि ग्राम्य उद्योगों के विकास द्वारा पूरी होगी। वास्तव में अत्यधिक औद्योगीकरण तो एक अभिशाप है।

सर्वोदय योजना का प्रमुख आधार ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को शक्ति प्रदान करना है। गांधीजी का कथन है कि “बड़े पैमाने का औद्योगीकरण आवश्यक रूप में ग्रामवासियों के सक्रिय अथवा निष्क्रिय शोषण को जन्म देगा, क्योंकि इनमें प्रतिस्पर्धा तथा विघ्नी की समस्याएँ उत्पन्न होंगी। इस प्रकार हमें गाँव को स्वावलम्बी बनाने पर बल देना है ताकि वे मुख्यतया अपने ही उपयोग के लिए उत्पादन करें।”¹

सर्वोदय समाज के लिए अनेक सामाजिक परिवर्तन आवश्यक बनाये गये हैं। गांधीजी स्त्रियों को अहिंसा (अपरिमित प्रेम) की मूर्ति मानते हैं और उन्हें पुरुषों के समान अधिकार देने के पक्ष में हैं। वे गो-रक्षा के पक्ष में हैं और पशु-हत्या का विरोध करते हैं। सर्वव्यापी भाई-चारे के पक्ष में हैं और सभी प्रकार के आपसी अन्तर मिटाना चाहते हैं।

सर्वोदय समाज कैसे स्थापित हो ?

गांधीजी का कथन है कि मनुष्यों के बाहरी रूपों में अन्तर हो सकते हैं, परन्तु उनके आन्तरिक रूप समान होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने बाहरी रूप से अपने अन्तर की पुकार को न दबाये, बल्कि अन्तर की पुकार से शक्ति प्राप्त करे। सर्वोदय समाज में धोमारी के लिए बहुत कम स्थान है, इसमें निर्धनता और भीक्षता नहीं होगी और निरक्षरता मिट जायेगी। यही वास्तविक स्वराज्य अथवा राम-राज्य होगा। भारतीय शासक प्रत्येक नये से अलग रहने वाला व्यक्ति होगा। वह एक ऐसी झोपड़ी में रहे जिस तक सड़की पहुँच हो। उन्हें चर्खा कानता होगा और अछूतता को छँटना होगा। सर्वोदय राज्य किसी धर्म पर आधारित न होगा। उसमें सभी धर्मों के लिए सम्मान होगा। यह दूमरे राष्ट्रीय में मंत्री और सद्भावना रहेगा और शक्ति के बल पर आपसी समस्याएँ नहीं सुलझायेगी। इसमें पूँजी और श्रम के बीच मधुर सम्बन्ध होंगे और प्रत्येक प्रकार की बुराई समाप्त की जायेगी।

ऐसे समाज के निर्माण के लिए सर्वोदय कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है जो अपना जीवन समाज-सेवा के लिए अर्पित कर दें। सर्वोदय-कार्यकर्ता स्वतन्त्रतापूर्वक सभी से मिलें और समाज के निर्धन वर्गों के माथ घुन-मिल कर उनके आधिपत्य और सामाजिक जीवन को ऊँचा उठायें।

सर्वोदय का कार्यक्रम—

म० गांधी ने सर्वोदय कार्यक्रम निश्चित किया था, जिसमें डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद,

¹ “Industrialisation on a mass scale will necessarily lead to passive or active exploitation of the villagers as the problems of competition and marketing come in. Therefore, we have to concentrate on village being self-contained, manufacturing mainly for use.”—M. K. Gandhi : *Sarvodaya*, (1954), p. 43.

प्राचार्य विनोबा भावे तथा श्री जयप्रकाश नारायण (आदि ने स्पष्टीकरण किया है। इस कार्यक्रम के अनुसार जन-माधारण के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए किसानों और श्रमिकों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

इन दृष्टि से आवश्यक पहली बात यह है कि जमींदार और भूजीपति कृषकों और श्रमिकों का शोषण न करने पाये। इनके लिए किसान सभाओं और श्रमिक सभों का संगठन आवश्यक है। सभी बचकों तथा पाठशाला जाने योग्य बच्चों के लिए शिक्षा सुविधा होनी चाहिए। बच्चों को सामान्य शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा राजि स्कूलों में मिलनी चाहिए और बच्चों की वैमिक शिक्षा मिलनी चाहिये। ग्राम्य कार्यक्रमों में सबसे अधिक ध्यान ग्राम्य उद्योग के विकास, मर्फार्ड तथा बीमारी से बचने के उपायों पर दिया जाना चाहिए। प्रत्येक गाँव को पनायतों की सहायता से पूर्ण रूप से ग्राम प्रजातन्त्र बना देना चाहिए। हाथ से सूत कातने के उद्योग का विशेष विकास होना चाहिए। इनसे सभी ग्रामवासियों को लाभ होगा, सर्वोदय कार्यक्रम में ऐसी दायें उद्वन करना भी सम्मिलित किया गया है कि प्राथमिक समानता प्राप्त की जा सके और साम्प्रदायिक मेल-जोल बना रहे।

प्राचार्य विनोबा भावे तथा श्री जयप्रकाश नारायण इस कार्यक्रम के महत्त्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं, यद्यपि स्वतन्त्र भारत वास्तव में इन आदर्शों को ग्रहण नहीं कर पाया है।

परीक्षा प्रश्न :

1. पूँजीवाद की बुनियादी प्राथमिक विशेषतायें क्या हैं? किन बातों में समाजवाद इससे बेहतर है?

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम पूँजीवाद की परिभाषा दीजिये और मुख्य प्राथमिक विशेषताओं को बताकर इसके अर्थ को स्पष्ट कीजिये। तत्पश्चात् समाजवाद के गुणों का वर्णन करते हुए पूँजीवाद की तुलना में उसकी श्रेष्ठता को दिखाइये। अन्त में समाजवाद के दोषों को संक्षेप में बनाइये और यह निष्कर्ष निकालिये कि लौकतान्त्रिक समाजवाद या मिश्रित अर्थ-व्यवस्था अधिक उपयुक्त है।]

2. पूँजीवाद की मुख्य विशेषतायें क्या हैं? समाजवाद उन्हें किस प्रकार से बदलना चाहता है?

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम पूँजीवाद की परिभाषा और इसकी प्रमुख विशेषतायें दीजिये। तत्पश्चात् समाजवाद की परिभाषा और इसकी प्रमुख विशेषतायें बनाइये। समाजवाद की विशेषताओं के उल्लेख से ही यह स्पष्ट हो जायेगा कि पूँजीवाद की विशेषताओं को समाजवाद किस प्रकार बदलना चाहता है?]

3. क्या समाजवाद किसी समाज में पूँजीवाद की अपेक्षा अधिक प्राथमिक सम्पन्नता लाता है? कारण दीजिये।

सहायक संकेत —सर्वप्रथम पूँजीवाद और समाजवाद के अर्थों को समझाइये। तत्पश्चात् समाजवाद के गुणों पर प्रकाश डालिये, किन्तु ऐसा करते समय प्रत्येक गुण की तुलना पूँजीवाद से करते जाइये। अन्त में, निष्कर्ष दीजिये कि कृष्.दृष्टियों से समाजवाद पूँजी-

वाद की तुलना में बहतर है, किन्तु इसमें भी दोष है। यथार्थ में लोकतांत्रिक समाजवाद अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें दोनों के गुणों का समावेश है।]

४. पूँजीवाद और समाजवाद के अन्तर को स्पष्ट कीजिये। क्या आप यह समझते हैं कि पूँजीवाद के स्वभाव में परिवर्तन हो रहे हैं ?

[सहायक सकेत :—सर्वप्रथम पूँजीवाद और समाजवाद के अन्तर को इनकी परिभाषायें और विशेषतायें देते हुये स्पष्ट कीजिये। तत्पश्चात् पूँजीवाद के दोषों की चर्चा कीजिये। अन्त में यह बताइये कि पूँजीवाद में परिवर्तन हो रहा है। इस सम्बन्ध में पूँजीवादी देशों में पूँजीवाद के दोषों को दूर करने हेतु जो कदम उठाये गये हैं, उनको बताइये और यह निष्कर्ष निकालिये कि पूँजीवाद का रूप मिश्रित अर्थ व्यवस्था जैसा हो गया है और यह सशोधित रूप ही पूँजीवाद का भविष्य है।]

५. मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की परिभाषा दीजिये और इसकी विशेषताओं का विवेचन करिये। क्या मिश्रित अर्थ-व्यवस्था और लोकतांत्रिक समाजवाद में कोई अन्तर है ?
६. असमानताओं को दूर करने में पूँजीवाद पर समाजवादी अर्थव्यवस्था को क्या लाभ प्राप्त हैं ?

१७

आर्थिक नियोजन

(Economic Planning)

प्रारम्भिक—आर्थिक नियोजन की नीति का प्रभुत्व

शांजकल समार भर ने राज्य की निर्वाधावादी नीति का परित्याग कर दिया है। उन्नीसवीं शताब्दी में जब इङ्ग्लैंड समार की 'गिल्पागाला' था तो उसके लिए यही लाभप्रद था कि वह आर्थिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाये और दूसरों को भी इसी प्रकार कार्य करने की सलाह दे। समार भर के देशों का घन इङ्ग्लैंड में लिवा चला आ रहा था और व्यवसायी तथा श्रमिक दोनों ही सन्तुष्ट दिखाई पड़ते थे। बाद की, जैसे-जैसे दूसरे पूँजीवादी देशों की प्रतियोगिता प्रथम कारणों से बाजार सङ्कुचित होते गये, पिछड़े हुए देशों का शोषण होना गया और आर्थिक राष्ट्रियवाद (Economic Nationalism) की भावना जोर पकड़नी गई, जैसे-जैसे आर्थिक मामलों में पुरानी विशारपारा भी बदलती गई। स्वतन्त्र साहज व्यवस्था (Free Enterprise) मानव-पलाज की तीन मूल समस्याओं—आवापार चक्र (Trade Cycle), बिना इच्छा की देहारी (Involuntary Unemployment) तथा निरन्तर वर्ष-सघर्ष को सुलभाने में असमर्थ रही थी।

इन सब दोषों को दूर करने का एक ही उपाय था। वह था योजनावाद प्रथम-श्रवस्था, जिसमें सरकार को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करने के अनिर्दिष्ट स्वयं आर्थिक उन्नति का पथ-प्रदर्शक बनना पड़ना है। फिर भी इससे यही नहीं समझना चाहिए कि आर्थिक नियोजन नीति का विकास बिना किसी बाधा प्रथम इकावट के होना चला गया। सवोग की बात है कि सर्वप्रथम रूप की साम्यवादी प्रथम-श्रवस्था में आर्थिक नियोजन की नीति अपनाई गई थी, इसीनिम्न पूँजीवादी देशों में यहाँ के उद्योगतियों ने यह सिद्ध करने का निरन्तर प्रयत्न किया कि इसका समाजवाद से कुछ सम्बन्ध था और इसलिए इसमें डरना चाहिए।

सम्ये समय तक पूँजीवादी देश असमंजस में पड़े रहे, परन्तु सन् १९२९-१९३३ के आर्थिक सङ्कट ने इन देशों की आँखें खोल दी और उन्हें यह सोचने पर बाध्य कर दिया कि ऐसे सङ्कटों से बचने का आर्थिक योजनाओं को तार्किक बनाने के अनिर्दिष्ट दूसरा उपाय न था। क्या नार्ल मार्क्स की यह भविष्यवाणी कि पूँजीवाद में अन्ततः आर्थिक सङ्कट आयेंगे, सच नहीं हो रही थी? अब तो सभी देशों ने सरकारी-रीर पर भी यह मान लिया कि निर्वाधावादी नीति का अन्त हो चुका था। राज्य द्वारा हस्तक्षेप तथा आर्थिक जीवन का योजनावाद विकास आर्थिक-नीति के सर्वमान्य निवृत्त बन गये। रूप में योजनावाद प्रथम-श्रवस्था की सफलता का सभी देशों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। रोबिन्सन ने ठीक ही कहा है—“अभी हम सब मने ही समाजवादी न हैं, परन्तु निश्चय ही हम लगभग सभी नियोजन के समर्थक हैं।”

सन् १९२९ के महाद आर्थिक सङ्कट (Great Depression) के पश्चात्, जिसमें समार को यह असुधारण तथा आश्चर्यजनक अनुभव हुआ है कि प्रचुरता के होने पर भी

भुक्तमरी और बेकारी हो सकती है, इसने आर्थिक योजनाओं को विशेष प्रोत्साहन दिया। अमेरिका में 'न्यू डील' (New Deal) नीति की सफलता ने जिसके द्वारा रूजवेल्ट ने देश की सकट से मुक्ति कराई तथा फ्रांस में 'ब्लूम प्रयोग' (Blum Experiment) की सफलता ने नियोजित अर्थ-व्यवस्था के महत्त्व को भली-भाँति प्रकट कर दिया। इसी प्रकार की व्यवस्था ने रूस को सप्ताह का महान् औद्योगिक देश बना दिया था। जर्मनी में पूँजीवाद के होते हुये भी इसके द्वारा बेरोजगारी का अन्त असम्भव हो गया, मजदूरियों में वृद्धि हुई और कृषि-उद्योग का भारी विकास हुआ।

वर्तमान समय में अर्थ-व्यवस्था को माँग और पूर्ति की शक्तियों के अनुसार स्वच्छन्द रूप से चालू रखना लगभग कोई भी अर्थशास्त्री समाज के लिए हितकर नहीं समझता है। यदि कोई भी हस्तक्षेप न किया जाय, तो ये शक्तियाँ आर्थिक साधनों के सर्वोत्तम वितरण करने में असफल हो सकती हैं। सर विलियम बीवरिज (Sir William Beveridge) ने कहा है कि, "बहुत सारे अलग-अलग काम करने वाले छोटे-छोटे व्यवसायों से यह आशा करना कि वे अधिकतम कुशल उद्योग की स्थापना कर सकते हैं, उतना ही असंगत है जितना कि असह्य छोटे-छोटे मालिकों की मकान बनाने वालों की अव्यवस्थिति तथा अनियन्त्रित क्रियाओं से एक ऐसे योजनाबद्ध नगर की आशा करना, जिसमें अनावश्यक कोने, दोहरी सड़कें तथा यातायात के जमघट न रहे।"

“आर्थिक नियोजन” में आशय

आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं ?

आर्थिक नियोजन के अर्थ के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों के विचार बड़े अस्पष्ट हैं :—

(१) रोबिन्स के अनुसार, “योजना बनाने का अर्थ है उद्देश्य बनाकर काम करना, चुनाव या निर्णय करना और निर्णय सभी आर्थिक क्रियाओं का निचोड़ है।”¹ परन्तु नियोजन (Planning) शब्द अधिकतर इस अर्थ में उपयोग नहीं किया जाता है। इसी प्रकार, कुछ लोग औद्योगिक अभिनवीकरण, वैज्ञानिक प्रबन्ध तथा पुनर्व्यवस्था को भी नियोजन का नाम देते हैं; परन्तु वास्तव में, ये आर्थिक नियोजन के रूप नहीं हैं, यद्यपि इनमें आर्थिक योजना के कुछ आवश्यक गुण मौजूद होते हैं।

(२) नियोजन की व्यापक परिभाषा प्रोफेसर लोरविन ने इस प्रकार की है :— “नियोजित अर्थ-व्यवस्था आर्थिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें सब व्यक्तिगत और पृथक्-पृथक् स्थिर-यन्त्र (Plants), उपक्रम (Enterprise) तथा उद्योग, एक निश्चित समय के भीतर जनता की आवश्यकता की अधिकतम पूर्ति करने के लिए समस्त उपलब्ध साधनों का उपयोग करने के उद्देश्य से, एक ही कुल (Whole) की एक दूसरे से सम्बन्धित इकाइयों समझे जाते हैं। प्रत्येक उत्पादक-इकाई का पूरी प्रणाली पर निर्भर रहना, उत्पात्ति और उपभोग का एक-दूसरे के बराबर होना और किसी ऐसे मिलान कराने वाले केन्द्र का होना, जो जान-बूझकर इस आर्थिक प्रणाली का उद्देश्य निश्चित करे और इसके अलग तथा भिन्न-भिन्न अंशों का ठीक-ठीक उपयोग करे, इसकी आवश्यक विशेषतायें हैं।”² इस प्रकार नियोजन के तीन ध्येय होते

1 “To plan is to act with a purpose to choose, and choice is the essence of economic activity”—L Robbins : *Economic Planning and International Order*, p. 4.

2 Lewis Lorwin : *Report of the Amsterdam Conference on World Social Planning* p. 714.

हैं :—प्रथम, समस्त उपलब्ध साधनों का उपयोग करना; दूसरे, उत्पत्ति और उपभोग के बीच समायोजन (Adjustment) करना; और तीसरे, लोगों की आवश्यकताओं की अधिकतम सन्तुष्टि करना। यह सब कुछ प्राथमिक क्रियाओं को एक समन्वय कराने वाले केन्द्र के नीचे समन्वित करके पूरा किया जाता है।

(३) प्रोफेसर सुब्बा राव के अनुसार, "नई प्रणाली तथा नई नत्ता से जो कुछ प्राप्त करने के प्रयत्न किये जाते हैं वे उत्पत्ति की कुशलता, प्राथमिक जीवन की स्थिरता और वितरण की न्यायशीलता (Equity) हैं।"¹

(४) डिकिन्सन ने प्राथमिक नियोजन की परिभाषा इस प्रकार की है, "प्राथमिक नियोजन बड़े प्राथमिक निर्णयों का करना है—ज्या और कितना उत्पन्न करना चाहिए तथा किनमें इसका वितरण होना चाहिए। ये निर्णय बहुत सोच-समझ कर ही एक निर्णायक सत्ता द्वारा, पूरे प्राथमिक ढाँचे की व्यापक पड़ताल के आधार पर किये जाते हैं।"²

इस प्रकार, प्राथमिक नियोजन में केन्द्रीय नियन्त्रण होता है और किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सोच-समझकर राष्ट्रीय साधनों के उपयोग तथा उपयोगों के रूप निश्चित किये जाते हैं। सभी प्राथमिक क्रियाओं के बीच इस प्रकार समन्वय तथा सम्बन्ध स्थापित कर दिया जाता है कि सभी प्रकार की दोहराव (Duplication) मिट जाती है और सारहीन प्रतियोगिता समाप्त हो जाती है।

प्राथमिक नियोजन की विशेषताएँ—

यहाँ पर नियोजन की प्रमुख विशेषताओं को फिर से गिनाना शायद असंगत न होगा। ये निम्न प्रकार हैं :—(१) इसका एक निश्चित उद्देश्य होता है। (२) यह सोच-विचार कर किया जाता है और ऐच्छिक होता है। (३) नियोजन, व्यापक अर्थात् पूरे प्राथमिक कलेक्टर का होता है यद्यपि कुछ अर्थात् ऐसी नहीं समझते हैं। उनके विचार में यह खण्डबान (Piecemeal) भी हो सकता है। (४) इसमें एक ही अविभाजित सत्ता (Authority) होनी चाहिये, जो योजना बनाने तथा विभिन्न प्राथमिक कार्यों में सम्पर्क बनाये रखने के लिए उत्तरदायी हो। यह अलग मान है कि वह अपने कुछ कार्य दूसरों को सौंप दे। (५) प्राप्त साधनों का इस प्रकार वैज्ञानिक तथा न्यायपूर्ण रीति से वितरण होना चाहिए कि केवल सामान्य हित का उद्देश्य ही पूरा हो सके। अर्थात्, नियोजन किसी विशेष वर्ग या समुदाय के लिए नहीं होना चाहिए।

योजनारहित तथा नियोजित अर्थ-व्यवस्था का भेद

नियोजित तथा योजनारहित अर्थ-व्यवस्था में कुछ मौलिक भेद होते हैं। थीमती ऊटन (Wotton) के अनुसार, "योजनारहित अर्थ-व्यवस्था" (Unplanned economy) की विशेषताएँ निम्न प्रकार होती हैं³ :—

¹ "All that is attempted out of the new system and the new technique is efficiency of production, stability of economy and equity of distribution."
—N. S. Subba Rao : *Some Aspects of Planning*, p. 5.

² "Economic planning is the making of major economic decisions—what and how much is to be produced and to whom it is to be allocated, by the conscious decision of a determinate authority on the basis of comprehensive survey of the economic system as a whole."
—H. D. Dickenson : *Economics of Socialists*, p. 1.

³ Barbara Wootton : *Plan or No Plan*, pp. 10-55.

(१) प्रमुख निर्णय कीमत-संयन्त्र द्वारा—एक योजनारहित अर्थ-व्यवस्था में इन निर्णयों का करना कि कितनी जोड़ी जूते और कितने टन कोयले का उत्पादन किया जाय, विभिन्न व्यक्तियों की मजदूरियाँ क्या होनी चाहिए, नये कारखाने खोले जायें या नहीं और यदि खोले जायें, तो किस स्थान पर, इत्यादि किसी भी व्यक्ति का कार्य नहीं होता। ये निर्णय यथार्थ में वहाँ कीमत-संयन्त्र द्वारा किये जाते हैं, किन्तु योजनाबद्ध व्यवस्था में इन बातों का निर्णय योजना कमीशन करता है।

(२) सीमित पूति का समभाजित वितरण—कीमतों के परिवर्तनों (Price Movement) का प्रथम कार्य यह होता है कि वे सीमित पूति का समभाजित (Rationed) वितरण कर दें। ऐसा करना इसलिए आवश्यक होता है कि सत्तार में अच्छी वस्तुएँ इतनी मात्रा में नहीं हैं कि प्रत्येक मनुष्य को उसकी इच्छा के अनुसार लेने दी जा सकें, अतः कितना किसको मिलना है, यह कीमतों से सम्बन्धित होना है। अरानी सीमित प्राय के अनुसार कीमतों की स्थिति को देखते हुए एक व्यक्ति यह निर्णय करता है कि वह अमुक वस्तु की कितनी मात्रा खरीदेगा। कीमतों का ऊपर चढ़ना उपभोग को हतोत्साहित करता है, क्योंकि जो कोई भी ऊँची कीमत देने की क्षमता नहीं रखता है, उसे वस्तु विशेष के उपयोग से वंचित रहना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार, कीमत गिरने पर वस्तु के नये उपभोक्ता उत्पन्न हो जाते हैं।

(३) उत्पत्ति की जाने वाली वस्तुओं और इनकी मात्रा का निर्णय—किसी वस्तु का उपयोग किस उद्देश्य की पूति के लिए किया जाये, यह भी कीमत यन्त्र (Price Mechanism) द्वारा ही निश्चित होता है। नगर में एक रिक्त-स्थान सिनेमाघर बनाने, रहने के लिए मकान बनाने अथवा फैक्ट्री बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है, परन्तु वास्तव में, यदि सिनेमा खोलने वाला ही इसकी कीमत दे सकता है, तो फिर उपयोग निश्चित होते हुये देर नहीं सगनी है। दूसरे शब्दों में, कीमत यन्त्र का द्वारा कार्य इस निर्णय का करना है कि क्या उत्पन्न किया जायेगा? कीमतों के परिवर्तन वस्तु विशेष के उत्पादन की एक उत्पादक के लिये कम या अधिक लाभदायक बना देते हैं और उसे यह निश्चित करने पर बाध्य करते हैं कि उत्पादन वहाँ रोक दे जहाँ और अधिक लाभ की सम्भावना सम्पत्त हा जाती है। इसी प्रकार, किस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होगा, यह भी कीमतों के परिवर्तन द्वारा ही निश्चित होता है।

(४) व्यवसायों का निर्णय—यह निर्णय करने के पश्चात् कि कौन वस्तु उत्पन्न होगी और कितनी मात्रा में, कीमत-यन्त्र यह भी निश्चित करना है कि हम कौन-सा व्यवसाय प्रारंभ करें। कितने लोग दूकानदारी करेंगे और कितने वकालत, यह इस बात पर निर्भर होगा कि दामों के यन्त्र के द्वारा इन दोनों व्यवसायों की कितनी माँग होती है, “क्योंकि इसी माँग के अनुसार व्यवसाय का शुल्क नियत होगा। इस प्रकार कीमतों के परिवर्तन ही विभिन्न उपयोगों में धन का वितरण करते हैं।

(५) उपभोग और विनियोग सम्बन्धी निर्णय—प्रायः का कौन-सा भाग उपभोग में लाया जायेगा और कौन-सा जोड़ा जायेगा तथा उपभोग की वस्तुओं तथा पूँजी की वस्तुओं के उत्पादन के बीच क्या अनुपात होगा, यह भी कीमत-यन्त्र द्वारा ही निर्धारित होता है। जिस दिशा में कौमन लाभप्रद होती है, उधर ही प्रत्यक्ष रूप से या उत्पादित वस्तुओं की माँग के द्वारा परोक्ष रूप से, सब साधन आकर्षित हो जाते हैं और तदनुसार उपभोग और विनियोग के बीच अनुपात स्थापित हो जाता है।

योजनारहित अर्थ-व्यवस्था के दोष

योजनाहीन अर्थ-व्यवस्था की उपरोक्त विशेषताओं के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम होने हैं, जिनके कारण ऐसी व्यवस्था नियोजित व्यवस्था से पूर्णतया भिन्न हो जाती है। पूँजीवाद के

ध्यान दिया ही नहीं जाता। यही नहीं, देश के बहुत से साधन इसलिये बेकार पड़े रहने दिये जाते हैं कि व्यक्तिगत दृष्टि से उनका उपयोग लाभप्रद नहीं होता है।

नियोजित अर्थ-व्यवस्था के गुण

नियोजित अर्थ-व्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का संचालन एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार होता है। देश की आवश्यकताओं और देश के साधनों को ध्यान में रखकर पहले ही उत्पादन और उसके वितरण की योजना बना ली जाती है। विभिन्न उद्योगों और व्यवसायों को इसी पूर्व निश्चित योजना के अनुसार उत्पत्ति के साधन दिये जाते हैं और प्रत्येक के लिए उत्पत्ति सम्बन्धी लक्ष्य निश्चिन कर दिये जाते हैं। साधारणतया उपजों का भी प्रमाणीकरण कर दिया जाता है ताकि उत्पादन की मात्रा का गुणात्मक नियंत्रण भी सम्भव हो सके। सारी उत्पादन योजनाओं का एक-दूसरे के साथ समायोजन भी किया जाता है। आर्थिक जीवन का कोई भी भाग व्यक्तिगत निर्णयों पर नहीं छोड़ा जाता है। इस प्रकार की नियोजित अर्थ-व्यवस्था के प्रमुख गुण निम्न प्रकार होते हैं :—

(१) ऐसी अर्थ-व्यवस्था में अत्युत्पादन तथा बेरोजगारी का भय नहीं रहता—कारण यह है कि उत्पत्ति उपभोग की दृष्टि में रखकर की जाती है। कोई वस्तु या सेवा केवल इसलिये उत्पन्न नहीं की जाती है कि ऐसा करना उत्पादन के लिए लाभप्रद है, बल्कि इसीलिए और इतनी मात्रा में उत्पन्न की जाती है, जो उसके उपभोग द्वारा निश्चित होती है। यही कारण है कि ऐसी अर्थ-व्यवस्था में आर्थिक सङ्कट कभी उत्पन्न नहीं होते हैं। इसकी अर्थ-व्यवस्था इसका जीता-जागता उदाहरण है।

(२) ऐसी अर्थ-व्यवस्था में न तो किसी साधन का अपव्यय होता है और न कोई साधन बेकार ही रहता है—सामान्य तथा राष्ट्र का हित प्रधान होता है और व्यक्तिगत हित उसके अधीन होते हैं। मितव्ययिता तथा वैज्ञानिक रीतियों और दीर्घकालीन दृष्टिकोण को सामने रखते हुए साधनों के सर्वोत्तम उपयोग की रीति निकाल ली जाती है। यदि इसमें कभी इस प्रकार की समस्या घटने लगती है कि बेकारी बढ़ने लगे और उपज के बेचने में कठिनाई अनुभव हो (जैसा कि सन् १९२२-२४ के विन्नी-सङ्कट के समय देखने में आया था), तो इसे उत्पन्न करने वाले कारण के अनुसार इसका दो प्रकार निवारण हो सकता है :—(१) यदि यह इस कारण से उत्पन्न होता है कि नई उत्पादन रीतियों के उपयोग के कारण श्रम की उत्पादकता बढ़ गई है, तो कुल कीमती सामान्य रूप से कमी करने का आदेश दे दिया जायगा। "यदि मजदूरी के रूप में दिये गये प्रत्येक १०० रूबल के फलस्वरूप उपज की १०० इकाइयों के स्थान पर ६०० इकाइयाँ प्राप्त हो जाती हैं, तो स्पष्ट है कि इस दशा में वे विन्नी के मूल्य को पहले का है करने भी पहले की भाँति सुखी रहेंगे जबकि दामों का गिरना, श्रमिकों को उनकी मजदूरी के बढ़ने में अधिक खरीदने की शक्ति प्रदान करके, सभी और जीवन-स्तर को ऊँचा उठा देगा।"¹ (१) यदि वह उपज जिसके बेचने में कठिनाई अनुभव होती है, उन नये श्रमिकों के श्रम के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है जो जन-संख्या के बढ़ने के कारण औद्योगिक क्षेत्र में आये हैं, तो इस दशा में सामान्य कीमती तथा मजदूरियों में अनुपातन कमी कर दी जायगी। परिणाम यह होगा कि श्रमिकों की वास्तविक आय में कमी किये बिना ही, पहले के मजदूरी बोध में से ही, पहले से अधिक श्रमिकों को मजदूरी मिल जायगी।

(३) यह व्यवस्था लाभ की प्रेरणा (Motive) पर आधारित नहीं है, इसलिये वे उत्पत्ति के साधन भी जिनका व्यक्तिगत दृष्टि से लाभप्रद उपयोग नहीं हो सकता, बेकार नहीं पड़

¹ Barbara Wootton : *Plan or No Plan*, p. 196.

रहते हैं। एक उद्योग की हानि दूसरे उद्योग के लाभ से पूरी कर दी जाती है, और यदि कुछ साधनों के उपयोग का सामाजिक महत्व है, तो उन्हें अवश्य ही उपयोग किया जाता है, भले ही इनके उपयोग से लाभ के स्थान पर हानि होती हो।

(४) ऐसी व्यवस्था में धन का अधिक श्वावपूर्ण तथा समान वितरण होता है। समाजवादी नियोजन तो आर्थिक समानता के सिद्धान्त को एक प्रकार का आधार ही मानता है।

(५) आर्थिक संकुचन की कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि प्रलग-प्रलग हितों का पारस्परिक तथा पूर्ण संकुचन के साथ समायोजन हो सकता है।

आर्थिक नियोजन के उद्देश्य (The Objects of Planning)

आर्थिक नियोजन मानव समाज के इतिहास में कोई पूर्णतया नई बात नहीं है। प्रत्येक युग में किसी न किसी प्रकार का नियोजन अवश्य दृष्टिगोचर होता है, परन्तु वर्तमान काल में आर्थिक नियोजन को जो अधिक लोकप्रियता मिली है, उसे उस अव्यवस्था ने प्रोत्साहित किया है जो दोनो महायुद्धों के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् तो यह धारणा की जाती थी कि युद्ध के कारण चिगड़ी हुई वसा सुधारी जा सकती है। परन्तु, जब इस दिशा में लगभग सभी प्रयत्न असफल रहे, तो विचारकों को यह सोचने पर बाध्य होना पड़ा कि नये युग के लिए कोई नई ही आर्थिक नीति होनी चाहिए। उस समय नियोजन ने ही अन्धेरे में दीरक का काम किया। इस सम्बन्ध में एक बड़ी कठिनाई यह रही है कि इस बात का निर्णय करना कठिन हो गया है कि आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या होना चाहिए।

व्यापक उद्देश्य—

मोटे शब्दों में, यह कहा जा सकता है कि, "नियोजन का उद्देश्य मानव-जीवन में उसके भौतिक आधार को विस्तृत करके गुणात्मक उत्थान करना चाहिए और यह विज्ञान तथा प्रकृति की उदारता को मिला कर ही पर्याप्त मात्रा में सम्भव है। मानव-जीवन के भौतिक आधार को विस्तृत करने का अर्थ है अधिकतम उत्पत्ति, आर्थिक प्रगति की ज्ञानयुक्त स्थिरता और धाय की अधिक समानता।"¹ इस प्रकार आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य मानव-समाज के आर्थिक विकास के स्तर को ऊँचा करना है और ऐसा करने के लिए उत्पत्ति की व्यापकता और कुशलता को बढ़ाना, आर्थिक जीवन में स्थायित्व लाना तथा धाय के वितरण की असमानता में कमी करना आवश्यक है।

अन्य सीमित उद्देश्य—

नियोजन का उपरोक्त उद्देश्य तो व्यापक है, परन्तु इसके निम्नांकित सीमित उद्देश्य भी हैं :—

(१) अवसाद से उत्पन्न दशाओं को सुधारना—अर्थ-अवस्था का नियोजन इस उद्देश्य से भी किया जा सकता है कि अवसाद (Depression) से उत्पन्न हुई वसा को सुधारा जा सके। इसमें सन्देह नहीं है कि ऐसे नियोजन से भी अन्त में नियोजन के व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, परन्तु नियोजन का वर्तमान अर्थ केवल पुनरोत्थान (Recovery) के सम्बन्धित होगा है। काम का 'बलम प्रयोग' तथा प्रमेरिका की 'न्यू डील' ऐसे नियोजन के मुख्य उदाहरण हैं।

फ्रांस ने सन् १९३६ में काम करने के घण्टों को घटा कर ४० प्रति सप्ताह कर दिया था और प्रति घण्टा मजदूरी को ढर भी ऊँची कर दी थी, ताकि ग्रामिकों की भौतिक धाय में

¹ N. S. Subba Rao : *Some Aspects of Economic Planning*, pp. 14-15.

कमी न हो सके और साथ ही, वित्तहीन श्रमिकों को भी रोजगार मिल सके। इसके साथ-साथ सार्वजनिक कार्यों पर सरकारी व्यय हीनार्थ-प्रबन्धन (Deficit Financing) की नीति अपनाकर बड़ा दिया गया था, जिससे कि रोजगार की सुविधाओं का और भी विस्तार हो सके।

अमरीका में आर्थिक कार्यों पर मौद्रिक व्यय बढ़ाने के लिए पर्याप्त मात्रा में "सस्ती मुद्रा" (Cheap money) उपलब्ध की गई थी, सहायता तथा पुनर्वासन पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाया गया था और इन कामों के लिए अधिक मात्रा में सार्वजनिक ऋणों की नीति अपनाई गई थी। 'ग्लू डील' का उद्देश्य निरन्तर मजदूरी बढ़ाना और काम करने के घण्टों में कमी करके वृत्तिहीनता को घटाना था।

(२) आन्तरिक बेकारी और गरीबी को दूर करके देश को युद्ध के लिए तैयार करना—जर्मनी में नियोजन का उद्देश्य और भी अधिक व्यापक था। महान् भ्रवसाद से जर्मन अर्थ-व्यवस्था को गहरा आघात पहुँचा था। हिटलर और राष्ट्रीय समाजवादियों (National Socialist) ने संस्फीतिक (Reflationary) नीति को ग्रहण करके सार्वजनिक कार्यों (जैसे—सड़कें बनाने, राष्ट्र को सशस्त्र करने तथा लड़ाई से सम्बन्धित उद्योगों) की उन्नति के लिए अधिक सार्वजनिक व्यय किया था। इस व्यय के लिए एक उपयुक्त अधिकोपण नीति अपनाकर मुद्रा की मात्रा में अल्पधिक वृद्धि की गई। इस नियोजन का मुख्य उद्देश्य आन्तरिक बेकारी और गरीबी को दूर करके देश को युद्ध के लिए तैयार करना था।

(३) नियोजन का उद्देश्य वृत्तिहीनता का अन्त करना—देश में उपलब्ध उन साधनों का उपयोग करना जो बेकार पड़े हुए हैं अथवा साधनों के उपयोग में मितव्ययिता लाना भी हो सकता है। बहुत से पिछड़े हुए देश अधिक उत्पादन के लिए भी नियोजन की शरण ले सकते हैं।

क्या नियोजन खण्डवान भी हो सकता है ?

यह विषय विवादप्रस्त है कि क्या नियोजन पूरे आर्थिक कलेवर का न होकर उसके विशिष्ट भागों का भी हो सकता है ? नियोजन के मोटे-मोटे सिद्धान्तों को ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि योजनाबद्ध अर्थ-व्यवस्था में विभिन्न उद्योगों तथा आर्थिक जीवन के विभिन्न अंगों के बीच घनिष्ठ पारस्परिक सम्बन्ध होता है। एक विभाग का दूसरे से सम्पर्क स्थापित करके ही आर्थिक विकास सम्पन्न किया जाता है, क्योंकि किसी भी एक दिशा में उन्नति करने के लिए उससे सम्बन्धित सभी दिशाओं में परिवर्तन करने पड़ते हैं। आधुनिक आर्थिक कलेवर में विभिन्न अंगों की परस्पर-निर्भरता इतनी अधिक होती है कि एक अंग का सुधार दूसरी में समान नीति अपनाने बिना हो ही नहीं सकता है।

उदाहरणस्वरूप, यदि हम सूती कपड़े के उत्पादन को चार गुना करना चाहते हैं तो इन्जीनियरिंग उद्योग, कपास के उत्पादन तथा उसके फलस्वरूप अन्य कृषि उपज पर पड़ने वाले प्रभाव, कोयला उद्योग, रसायन उद्योग, इत्यादि में भी आवश्यक वृद्धि करनी पड़ेगी। एक उद्योग के विकास का दूसरो की स्थिति पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे भी ध्यान में रखना पड़ेगा और मुद्रा तथा व्यापार सम्बन्धी नीति में आवश्यक परिवर्तन करने पड़ेंगे, जिसके परिणाम व्यापक होंगे। इसी कारण बहुधा कहा जाता है कि खण्डवान नियोजन वास्तव में नियोजन होता ही नहीं है। इस दिशा में जो भी प्रयत्न किये जाते हैं, उनमें असफलता ही मिलती है।

पूँजीवाद और आर्थिक नियोजन

आरम्भ में नियोजन को समाजवाद से सम्बन्धित किया गया था। परन्तु जैसा कि हम देख चुके हैं, सन् १९२९ के महान् भ्रवसाद के पश्चात् बहुत से पूँजीवादी देशों ने भी इस प्रणाली को अपना लिया है। फिर भी प्रायः यह प्रश्न उठाया जाता है कि क्या पूँजीवाद में आर्थिक नियोजन सम्भव तथा सफल हो सकता है ?

कुछ धर्मशास्त्रियों का विचार है कि नियोजन की सफलता की कुछ ऐसी दशाएँ हैं, जो पूँजीवाद में सम्भव ही नहीं है। पूँजीवाद निजी सम्पत्ति प्रणाली तथा स्वतन्त्र साहस नीति पर आधारित है, परन्तु नियोजन की सफलता इस बात पर निर्भर होती है कि केन्द्रीय समन्वय सत्ता का प्राथमिक जीवन के विभिन्न धर्मों पर कितना प्राथमिक है और साथ ही स्वतन्त्र माहसियों का कितना सहयोग इस सत्ता को प्राप्त है। यदि योजना कमिशन को सर्वव्यापी प्राधिकार प्राप्त है, तो ऐसी धर्म-व्यवस्था को पूँजीवादी बहना भूल होगी। साथ ही, अनुभव बताता है कि स्वतन्त्र साहसी का ऐच्छिक सहयोग एक प्रकार असम्भव ही है। अतः पूँजीवादी देशों में नियोजन के प्रयत्न प्रायः सफल होते हैं और इनका कोई सीमित लक्ष्य ही होता है। ऐसे प्रयत्नों को प्राथमिकीकरण तथा वैज्ञानिक प्रवन्ध के विस्तृत रूप ही कहना अधिक उचित होगा। वे वास्तविक धर्म में नियोजन के कार्य नहीं होंगे।

परन्तु अमेरिका, फ्रांस तथा यूरोप के अन्य देशों में नियोजन के प्रयोग किये गये हैं तथा भारत और दूसरे देशों में इस दिशा में जो कुछ किया जा रहा है उसे देखकर यह कहना कठिन प्रतीत होता है कि पूँजीवाद और प्राथमिक नियोजन में कोई भी विरोध है। भले ही यह नियोजन उतना व्यापक न हो, जितना कि रूस, जर्मनी और चीन में, परन्तु इसे नियोजन के अनिश्चित और कुछ भी तो नहीं कहा जा सकता है। प्राथमिक जीवन में राज्य हस्तक्षेप का सिद्धांत अथवा प्राथमिक देशों में मान लिया है और यह हस्तक्षेप कभी-कभी बड़ा विस्तृत और व्यापक होता है।

नियोजन किसके लिए हो ?

फिर भी पूँजीवादी नियोजन में एक बड़ा दोष रहता है। प्रश्न यह है कि नियोजन किसके लिए किया जाता है ? कहते तो सभी यही हैं कि इसके साथ जन-साधारण, विशेष रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए होने चाहिए। यदि नियोजन के फलस्वरूप उत्पादन बढ़ता है, परन्तु इस वृद्धि का प्राथमिक भाग कुछ विशेष शक्तियों को ही प्राप्त होता है, तो फिर ऐसे नियोजन का क्या लाभ ? प्राथमिक उत्पादन की ऐसी योजना, जो उत्पादित धन के वितरण में समानता लाकर सार्वजनिक जीवन-स्तर को ऊँचा नहीं करती है, अपने वास्तविक उद्देश्य में असफल ही रहती है। पूँजीवादी नियोजन में वितरण की असमानता कम करना बड़ा कठिन होता है जिस कारण नियोजन के लाभों का व्यापक वितरण नहीं हो पाता है। पूँजीवादी नियोजन का यह दोष उसके महत्व को बहुत कम कर देता है।

प्राथमिक नियोजन में स्वतन्त्र उपक्रम का स्थान (Place of Free Enterprise in Planning)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह सम्झना भूल होगी कि प्राथमिक नियोजन में व्यक्तिगत व्यवसाय स्वतन्त्र उपक्रम के लिए कोई भी स्थान नहीं है। प्राथमिक नियोजन व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा उपक्रम को पूर्णतया समाप्त नहीं करता, केवल उसे नियोजन के अधीन बना देता है। प्राथमिक देशों में व्यक्तिगत उपक्रम को समाप्त करने के स्थान पर उल्टा यह प्रश्न किया जाता है कि नियोजन की सफलता के लिए व्यक्तिगत साहस का सहयोग प्राप्त कर लिया जाय। भारत तथा अमेरिका में तो प्राथमिक नियोजन की सफलता में व्यक्तिगत उपक्रम का योग आवश्यक है ही, परन्तु सोवियत रूस जैसे समाजवादी देश में भी प्राथमिक नियोजन के अन्तर्गत, व्यक्ति की प्राथमिक स्वतन्त्रता के लिए कुछ न कुछ ध्वस्त करना पड़ता है।

नियोजन की सफलता की दशाएँ

नियोजन की सफलता के लिए निम्न दशाओं का होना आवश्यक है :—

(१) किसी भी योजना की सफलता ज्ञान (Knowledge) तथा इस ज्ञान का उप-

योग करने की योग्यता पर निर्भर होती है। नियोजन के लिए वर्तमान उत्पत्ति, व्यापार, देश के भीतर माय के वितरण, उद्योग में शिल्प विज्ञान के उपयोग की दशा, भौगोलिक परिस्थितियाँ, जन-संख्या आदि के विषय में विस्तारपूर्वक सूचना का होना आवश्यक होता है। साथ ही, इसके लिए उच्च कोटि की शासन सम्बन्धी योग्यता तथा निरपक्षता आवश्यक है।

(२) कोई ऐसी सत्ता या अधिकरण (Authority) होनी चाहिए, जो योजना बताये भी और फिर इसके पूरा होने के कार्य को देख-भाल भी करे। "रूस के योजना-कमीशन की भाँति ग़ोसप्लान (Gosplan) जैसी किसी ऐसी समिति का होना आवश्यक है, जिसका प्राधिकृत्य सम्पूर्ण राष्ट्र पर हो और जिसे प्रत्येक क्षेत्र में तथा प्रत्येक औद्योगिक इकाई में स्थानीय शाखाओं (Organs) का सहयोग प्राप्त हो।"¹ अच्छा हो कि इस समिति में योग्य प्राथिक विद्वानों तथा शासन में निपुण व्यक्तियों को नियुक्त किया जाय। इस बात का प्रयत्न किया जाये कि यह समिति स्थायी रूप से कार्यशील रहे। नियोजन में प्रजातन्त्रीय रूप को बनाये रखने के लिए इस समिति के निर्णयों की प्रालोचना करने तथा उसको कार्यशील करने की स्वीकृति देने का अधिकार जनता के प्रतिनिधियों को होना चाहिए।

(३) नियोजन की सफलता बढ़े अथवा कम इस बात पर भी निर्भर रहती है कि योजना कमीशन की जनता का कितना सहयोग प्राप्त है? एक छोटी-सी कहावत है कि "बिना आँसुओं के नियोजन असम्भव है।" (Planning without tears is an impossibility.) माशय यह है कि नियोजन की कार्यशीलता के अन्तर्गत पग-पग पर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को कुचलना पड़ता है। प्राथिक जीवन की विभिन्न शाखाओं के बीच समन्वय लाने के लिए व्यक्तिगत उद्योगों तथा व्यापारों को मनमानी करने से रोकना पड़ता है। यही नहीं, बहुत बार उपभोग और उरदादत की वस्तुओं की उत्पत्ति के अनुपात को बदलना पड़ता है, जिसके लिए कुछ वस्तुओं के वितरण पर राजनिग व्यवस्था लगानी पड़ती है, जो जनता को अक्षुब्ध करती है। इसी प्रकार, माय के वितरण का परिवर्तन भी असन्तोष उत्पन्न कर सकता है।

(४) नियोजन का उद्देश्य, उसकी कार्यशीलता की विभिन्न अवस्थाएँ तथा प्रत्येक पर किया जाने वाला व्यय ये सभी बातें स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए। जनता के सहयोग को प्राप्त करने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि जनता को योजना और उसकी कार्यवाहीन अवस्थाओं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अस्पष्टता विश्वास को नष्ट कर देती है।

(५) संसार में सफलता ही सफलता की वास्तविक कुंजी है। अभिप्राय यह है कि योजना जो भी लक्ष्य निश्चित करे उसे ठीक समय पर पूरा करना चाहिए, अन्यथा सहयोग और विश्वास प्राप्त न होंगे।

राष्ट्रीय योजना अथवा अन्तर्राष्ट्रीय योजना

प्रायः कहा जाता है कि किसी एक देश का प्राथिक जीवन देश से बाहर के प्रभावों से पर्याप्त अथवा तक प्रभावित होता है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना प्राथिक नियोजन की सफलता सम्भवेपूर्ण रहती है। राष्ट्रीय योजनाओं के विषय में सेलिगमन (Seligman) ने कहा है "ये सभी योजनाएँ उस समय तक बेकार ही रहेंगी जब तक कि वे अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण

1 "There must be somebody corresponding to the Russian Planning Commission and, like Gosplan, enjoying nation-wide authority as well as the support of local organs in every area, in every industrial unit."—Barbara Wootton : *Plan or No Plan*, p. 307.

पर्याप्त राष्ट्रीय नियोजन के स्थान पर अन्तर्राष्ट्रीय नियोजन को स्वीकार नहीं कर लेंगी।¹ थॉमस (A. Thomas) ने तो राष्ट्रीय नियोजन की ओर भी बड़े शब्दों में विन्दा की है। वे कहते हैं, "यदि वे विभिन्न देशों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना धातु की जाती है, तो इस प्रकार की योजना इकाइयों पारस्परिक प्रतियोगिता के कारण बहुत हानिकारक मिथ हो सकती है।"²

परन्तु इस सम्बन्ध में यह निष्कर्ष कहा जा सकता है कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के कारण योजना की सफलता की सम्भावना तो अवश्य बढ़ जाती है, परन्तु यह नहीं ममभना चाहिए कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना नियोजन सफल ही न हो सकेगा। हम में प्राथमिक नियोजन की सफलता इस मत की पुष्टि करती है। आधुनिक काल में अन्तर्राष्ट्रीय प्राथमिक सहयोग की माशा बड़े भंग तक खोरी बरहना ही है। यथार्थ में, राष्ट्रीय योजना की सफलता के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग अनिवार्य नहीं है। इसमें तो सन्देह नहीं है कि किसी ऐसे देश के लिए, जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर बड़े धन तक निर्भर है, राष्ट्रीय प्राथमिक योजना बनाना कठिन है, परन्तु फिर भी ऐसी योजना का बनाना असम्भव नहीं है।

नैदानिक तथा व्यावहारिक दोनों ही दृष्टिकोणों से नियोजित अर्थ-व्यवस्था का स्वावलम्बी होना आवश्यक नहीं है, परन्तु ऐसी व्यवस्था को कुछ ऐसे नियमों का पालन अवश्य करना पड़ेगा, जो स्वयं इतने न बनाये हों, ताकि हमका उन देशों से भी, जो बीमत्त यन्त्र द्वारा प्राथमिक व्यवस्था बनाते हैं व्यापारिक सम्बन्ध बना रहे।

नियोजन और स्वतन्त्रता (Planning and Freedom)

नियोजन के आलोचक अधिकतर इस बात पर विशेष धन देते हैं कि नियोजित अर्थ-व्यवस्था में बड़े धन तक प्राथमिक, सामाजिक तथा राजनैतिक स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है। जैसा कि नियोजन की प्रकृति से ही स्पष्ट होता है, ऐसी व्यवस्था में प्राथमिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ जाता है। व्यक्तिगत साहसों और व्यवसायी की स्वतन्त्रता में ही कमी नहीं आती, अतिसु जन-साधारण की प्राथमिक स्वतन्त्रता भी स्थान ली जाती है। हमें क्या उल्लेख करना है और विनयता उपभोग करना है, बीन-ना व्यवसाय गुनना है और किस प्रकार का जीवन अर्थात् करना है, इनका निर्णय हम स्वयं नहीं कर सकते, वरन् हमारे लिए सरकार करती है। यदि यह मान भी लिया जाय कि भविष्य में हमके परिणामस्वरूप हमारा व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन अधिक सुखी हो जायगा (और यह धामा नशा ही 'कलीभूत नहीं होनी है), तो मावी गुण की माशा में हमसे प्राथमिक स्वतन्त्रता को स्थान कर बहुत ऊँची कीमत मांगी जाती है। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते को वेवार है कि "स्वतन्त्रता की एक रोटी, दागला के भर पेट पाने में प्राथमिक अक्षयी है।" समाजवादी देशों में, जहाँ नियोजन ही नियम है, प्राथमिक स्वतन्त्रता के दान भी कठिन है। वहाँ तो प्राथमिक तानाशाही का ही बोलबाला है, अतः यदि नियोजन के लाभ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सोकर प्राप्त होने हैं, तो माभो का न मिसना ही अक्षय है।

इस सम्बन्ध में इतना कह देना पर्याप्त होगा कि (i) समाजवाद और प्राथमिक नियोजन को एक ममभना भूय होगी। इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि समाजवादी नियोजन को पानी प्राथमिक नीति का एक आवश्यक मिश्रण समझने है, परन्तु दसने यह मिथ नहीं हो जाना

¹ *Proceedings of the American Academy of Political Science*, XV, p. 4

² Annual 1952, from the Foreword to *National and World Planning* by Dr. Patterso.

कि समाजवादी अर्थ-व्यवस्था के सब प्रवृत्तियों का ही उत्तर नहीं होते हैं। (ii) जहाँ तक पूँजीवादी देशों का सम्बन्ध है, आधुनिक युग में सरकारी हस्तक्षेप को वांछनीय बताने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। मतभेद केवल इस दिशा में ही सकता है कि हस्तक्षेप की सीमा क्या हो। यहाँ भी यह कहना पर्याप्त होगा कि हस्तक्षेप का अंश परिस्थितियों पर निर्भर होना है और उसका सामान्य मान नहीं बनाया जा सकता है। (iii) यह समझ लेना भी भूल है कि योजनाहीन अर्थ-व्यवस्था में आर्थिक स्वतन्त्रता रहती है। ऐसी [अर्थ-व्यवस्था में भी आर्थिक निर्णय व्यक्तियों द्वारा नहीं, अपितु कीमत-यन्त्र की अनिश्चित तथा अन्धी शक्ति द्वारा किये जाते हैं। इसके विपरीत, नियोजित व्यवस्था में ये निर्णय विचारयुक्त योजना कमीशन द्वारा किये जाते हैं। व्यक्तिगत दृष्टि से दोनों दशाओं की स्थिति में कोई विशेष अन्तर नहीं होता है।

नियोजित अर्थ-व्यवस्था में स्वतन्त्रता का अभाव विभिन्न कारणों से बनाया जाता है :—(i) आर्थिक कलेक्टर का रूप एक कमीशन द्वारा निश्चित किया जाता है और वही इस रूप को प्राप्त करने वाली व्यावहारिक नीति का संचालन भी करता है, अतः आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण हो जाता है। (ii) यदि स्वतन्त्र साहस-व्यवस्था को किसी अंश तक बना भी रहने दिया जाता है, तो आर्थिक जीवन के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के नाम पर उनकी स्वतन्त्रता कम कर दी जाती है। (iii) श्रमिकों से हड़ताल करने का अधिकार छीन लिया जाता है और व्यवसायियों को व्यवसाय बन्द करने का अधिकार नहीं रहता। (iv) पूँजी उपभोग तथा उत्पादन की वस्तुओं की उत्पत्ति के बीच एक अनुपात निश्चित कर दिया जाता है, इसलिए उपभोग पर नियन्त्रण लगा दिये जाते हैं। राशनिंग व्यवस्था आर्थिक नियोजन का एक महत्वपूर्ण अंग होती है।

यदि यह मान लिया जाय कि नियोजित अर्थ-व्यवस्था स्वतन्त्रता को घटा देती है, तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यह सदा बुरा ही होता है। स्वतन्त्रता का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है। कोई स्वतन्त्रता वास्तविक होनी है और कोई कल्पित। उदाहरण के लिए स्वतन्त्र साहस अर्थ-व्यवस्था में व्यवसाय को चुनने की स्वतन्त्रता कल्पित ही होती है क्योंकि क्या प्रत्येक मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी व्यवस्था को अपना सकता है? यदि इस प्रकार की कल्पित स्वतन्त्रता समाप्त हो जाती है, तो कोई भी हानि नहीं होती। इसी प्रकार, स्वतन्त्रता उचित अथवा अनुचित भी हो सकती है। उदाहरणस्वरूप, यदि हमें दूसरों का शोषण करने अथवा चोरी करने की स्वतन्त्रता है, तो वह सामाजिक दृष्टि से अनुचित ही है और यदि इसका अन्त हो जाय, तो समाज का अन्त ही होगा। जब हम यह कहते हैं कि नियोजन में आर्थिक अथवा सामाजिक स्वतन्त्रता नष्ट हो जाती है, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि विनाश यथार्थ में किस प्रकार की स्वतन्त्रता का होता है। साथ ही यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि सामूहिक अथवा सामाजिक दृष्टि से इस व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का छिन जाना उचित है या नहीं।

आधुनिक युग जीवन के प्रत्येक विभाग में नियन्त्रणों का आदी हो गया है, परन्तु फिर भी मानव मनोवृत्ति ही ऐसी है कि हम हर प्रकार के नियन्त्रणों को बुरा समझते हैं। जब चीराहे पर खड़ा हुन्ना पुलिस का सिपाही हमारी तेजी से आती हुई साइकिल हाथ के इशारे से रोक देता है, तो हमें अवश्य ही बुरा लगता है, परन्तु क्या हम कभी यह सोचते हैं कि यातायात की सुविधा तथा सुरक्षा के लिए यह प्रति आवश्यक है और हमारा हित भी इसी में है। नियोजित अर्थ-व्यवस्था के अधिकांश नियन्त्रण ऐसे ही होते हैं।

परीक्षा प्रश्न :

१. धार्मिक नियोजन से क्या आशय है ? नियोजन के क्या उद्देश्य हैं ?
[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम धार्मिक नियोजन की दो-तीन परिभाषायें दीजिये और नियोजन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करिये जिससे नियोजन का अर्थ स्पष्ट हो जाय । तत्पश्चात् नियोजन के उद्देश्य दीजिये ।]
२. धार्मिक नियोजन क्या है ? एक नियोजित अर्थ-व्यवस्था के लिये बुनियादी बातें क्या हैं ?
[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम धार्मिक नियोजन के अर्थ को (दो-तीन परिभाषायें एवं विशेषतायें देकर) स्पष्ट कीजिये और तत्पश्चात् नियोजन की सफलता की दशायें बताइये ।]
३. स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था और नियोजित अर्थ-व्यवस्था में भेद कीजिए । उत्पादक प्रशासकों के बेहतर उपयोग की दृष्टि से आप इनमें से किसे चुनेंगे ? कारण सहित बताइये ।
अथवा
हस्तक्षेपरहित अर्थ-व्यवस्था और नियोजित अर्थ-व्यवस्था के भेद को स्पष्ट कीजिये । क्या हस्तक्षेपरहित अर्थ-व्यवस्था के स्थान में नियोजित अर्थ-व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए ?
[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम नियोजित एवं अनियोजित (या हस्तक्षेपरहित अथवा स्वतन्त्र) अर्थ-व्यवस्थाओं के अर्थों को स्पष्ट कीजिये । तत्पश्चात् अनियोजित अर्थ-व्यवस्था के दोषों को बताइये और नियोजित अर्थ-व्यवस्था के गुणों पर प्रकाश डालिये ; अन्त में यह निष्कर्ष निवासिये कि स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था के स्थान में नियोजित अर्थ-व्यवस्था की प्रवृत्ति करना बेहतर है ।]
४. स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था के क्या दोष हैं ? क्या नियोजित अर्थ-व्यवस्था उन्हें दूर कर सकती है ?
[सहायक संकेत :—स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था के अर्थों को स्पष्ट कीजिये । तत्पश्चात् इसके दोष बताइये और अन्त में यह बताइये कि नियोजित पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था इन दोषों का निवारण कर सकती है अर्थात् नियोजित अर्थ-व्यवस्था के गुणों पर प्रकाश डालिये ।]
५. कीमत अर्थ-व्यवस्था, नियोजित एवं मिश्रित अर्थ-व्यवस्थाओं में क्या अन्तर है ? सोदाहरण स्पष्ट कीजिये ।
[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम कीमत अर्थ-व्यवस्था अर्थात् पूँजीवाद के अर्थों को बताइये । तत्पश्चात् नियोजित और अन्त में मिश्रित अर्थ-व्यवस्थाओं के अर्थों दीजिये । प्रत्येक के अर्थ में स्पष्टीकरण हेतु साथ में उनकी विशेषतायें देना भी आवश्यक है ।]

चौथा भाग
विनिमय
(EXCHANGE)

विनिमय और उसका महत्व

(Exchange and its Importance)

प्रारम्भिक—विनिमय का धर्म—

साधारण बोल-चाल में तो एक वस्तु धरवा सेवा के बदले में किसी दूसरी वस्तु धरवा सेवा से प्राप्त करने की क्रिया को "विनिमय" का नाम दिया जाता है। परन्तु धर्मशास्त्र में विनिमय शब्द थोड़ी गायधानी के गाय काम में साया जाता है और दम धदना-वदनी के कार्य के साथ कुछ शर्तों (Attribute) जुडी रहनी हैं। इन शर्तों पर नीचे सविस्तार प्रकाश डाला गया है :—

(१) वैधानिकता—दम सम्बन्ध में इतना कहना पर्याप्त होगा कि किसी कार्य का सामाजिक होना एक बात है और वैधानिक होना दूसरी बात। वैधानिकता का मान या प्रादर सामान्य नहीं है। यह समय, स्थान तथा दूसरी परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। वैधानिकता का निर्णय न्यायाधीशों का कार्य है, जिम पर साधारण व्यक्ति के लिए धरना मत देना उचित नहीं है। कठारोचित मान को धोरी में धराने वाले धोर बाहर भेजने वाले शक्ति (सम्भर व्यापारी) प्रतिदिन ही वस्तुओं धोर सेवाओं का परस्पर धादान-प्रदान करते रहते हैं। दम धादान-प्रदान में विनिमय के सभी गुण होने हैं और विनिमय से सम्बन्धन सभी नियम भी दम पर लागू होने हैं। इस प्रकार के विनिमय का सामाजिक और धारिक महत्व भी है, परन्तु सभी जानते हैं कि यह सर्वैध है। किन्तु इसके सर्वैध होने पर भी कोई भी धर्मशास्त्री इसके धर्ययन को नहीं छोड़ सकता। इममें यह सिद्ध होता है कि विनिमय के साथ वैधानिकता को धरने लगाना उचित नहीं है।

(२) ऐच्छिकता—'ऐच्छिक' से हमारा धरण ऐंसे कार्य में है, जो जान-बूझकर किया गया हो, धरवा जो विचारयुक्त हो, धरमान् धरवा धरानका न हो। मान मीत्रिए कि कोई विद्यार्थी कुछ किताने लिये दृष्ट कॉनिक धर रहा है। रास्ते में कोई धादमी उमरी किताने दीनकर धाग जाता है, किन्तु धागने में उमका धदुषा विद्यार्थी के सम्भुग गिर जाता है, जिममें इतने धेमें है कि उन किताने का पूरा मूल्य मिल जाता है। दम दमा में किताने का पूरा मूल्य विद्यार्थी को मिल जाता है, परन्तु किताने को धदुने में वदन लेने की यह क्रिया धारिक धर्य में विनिमय नहीं है, क्योंकि यह "ऐच्छिक" नहीं है।

(३) इकान्प्रता—स्वल्प कार्य बह होता है जो स्वैच्छा में किया गया हो। ऐंसा कार्य किसी दबाव धरवा किसी विवकता के कारण नहीं किया जाता। यदि किसी मनुष्य को धदना करने के लिए धार्य किया जाय तब भी बदलने की क्रिया विनिमय नहीं होगी। जमींदारों को मुषावजा देकर विभिन्न राज्य सरकारों ने जमींदारियों को से लिया है, परन्तु यह भी धारिक धर्य में विनिमय नहीं है, क्योंकि इममें एष पदाकारी की स्वैच्छा प्राप्त नहीं थी। विनिमय केवल उनी पारस्परिक विनिमय को कहते हैं, जो दोनों पक्षों ने सम्मन्-सोचकर स्वैच्छा में किया हो। जब दम धरनी किसी वस्तु को दूगरे की वस्तु से बदलने है, धरवा धरनी किसी सेवा को मुद्रा में धेचने है, तो हमारा कार्य विनिमय कार्य होता है।

उपाय यही है कि वह विदेशी विनिमय तथा व्यापार को बढ़ाये, दूसरे देशों को अपने यहाँ उत्पन्न किया हुआ माल भेजे और उसके बदले में सोना और चाँदी वहाँ से ले। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अनेक उपायों का सुझाव दिया था।

वाणिज्यवादी अर्थशास्त्रियों के बाद विनिमय का अध्ययन अर्थशास्त्र में बराबर होता रहा और प्रत्येक आर्थिक लेखक ने इस सम्बन्ध में अपने विचार रखे। विशेष रूप से एडम स्मिथ और रिकार्डों ने विनिमय के नियमों की विवेचना की और मूल्य के सिद्धान्त का निर्माण किया। जे० बी० से (J. B. Say) सबसे पहले आर्थिक लेखक थे, जिन्होंने विनिमय को अर्थशास्त्र का एक विभाग बताया, परन्तु उन्होंने विनिमय को उत्पत्ति से मिला दिया। यह तो हम पहले ही देख चुके हैं कि विनिमय की प्रत्येक क्रिया, उत्पादन क्रिया होती है। यही कारण था कि से ने विनिमय को उत्पत्ति का ही रूप मान लिया। इसके उपरान्त भी धीरे-धीरे विनिमय का महत्त्व बढ़ता ही गया। उपयोगिता विवेचना प्रणाली के उपयोग से तो इस अध्ययन का रूप और भी विस्तृत हो गया। इस दिशा में आस्ट्रियन अर्थशास्त्रियों का कार्य बहुत सराहनीय है।

प्राधुनिक अर्थशास्त्र में तो विनिमय को बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त है। नवीन मन के अनुसार वितरण विनिमय की ही एक विशेष दशा है। मूल्य के सिद्धान्त द्वारा हम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का निर्धारण करते हैं, जबकि वितरण सिद्धान्त में उत्पत्ति के साधनों के मूल्य को निर्धारित किया जाता है। यथार्थ में वस्तुओं, सेवाओं और उत्पत्ति के माधनों में कोई भी अन्तर नहीं है, जिस कारण मूल्य का सिद्धान्त ही वितरण पर भी लागू होता है। वस्तुओं और सेवाओं जब उपयोग के स्थान पर उत्पादन कार्य में प्रयोग होती हैं, तो उत्पत्ति के साधन बन जाती हैं। साथ ही साथ, प्राधुनिक काल में कुछ ऐसे भी अर्थशास्त्री हैं जो अर्थशास्त्र को मूल्य के सिद्धान्त का ही एक विस्तृत रूप मानते हैं। उसके विचार में विनिमय आर्थिक अध्ययन का ही एक दूसरा नाम है। बीवरिज (Sir William Beveridge) ऐसा ही समझते हैं।

विनिमय का वर्गीकरण

विनिमय के दो प्रधान रूप माने गये हैं :—(i) बदला-बदली अथवा वस्तु-विनिमय अथवा वस्तु-विनिमय और (ii) त्रय-विश्रय अथवा मुद्रा-विनिमय।

जब किसी वस्तु या सेवा का विनिमय किसी अन्य वस्तु या सेवा के साथ किया जाना है तो इसे 'वस्तु-विनिमय' (Barter) कहते हैं। यह विनिमय प्रत्यक्ष होता है और इसमें किमी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरणार्थ, जब एक किसान गेहूँ के बदले कपड़ा लेता है, तो उसकी यह क्रिया वस्तु-विनिमय होगी।

जब विनिमय परोक्ष रीति से किया जाता है और मुद्रा को मध्यस्थ के रूप में उपयोग किया जाता है, तो विनिमय की क्रिया क्रय-विक्रय (Purchase and Sale) अथवा मुद्रा-विनिमय (Money exchange) कहलाती है। यदि वह किसान गेहूँ के बदले में सीधे कपड़ा न लेकर पहले गेहूँ को रुपयों में बेचता है और फिर उन रुपयों से कपड़ा खरीदता है तथा इस प्रकार गेहूँ का बदला कपड़े में करता है, तो यह त्रय-विश्रय विनिमय होगा। ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि क्रय-विक्रय विनिमय यथार्थ में दो अलग-अलग विनिमय क्रियाओं का योग होता है। विशेषता यह होती है कि इन दोनों क्रियाओं में विनिमय की एक वस्तु "मुद्रा" होती है, जो दोनों में सम्मिलित होती है और मध्यस्थ का कार्य करती है।

विनिमय का महत्त्व

(१) विनिमय से दोनों पक्षों को लाभ—यह हम पहले देख चुके हैं कि किस प्रकार विनिमय क्रिया के पश्चात् विनिमयकर्ताओं के पास कुल उपयोगिता बढ़ जाती है। यह निश्चय है कि विनिमय न करने की दशा में जो कुल उपयोगिता मिलती है, वह उस कुल उपयोगिता से

कम होती है जो विनिमय करने के उपरान्त मिलती है। विनिमय भी एक उत्पादन कार्य है, जिसके द्वारा उपयोगिता में वृद्धि की जा सकती है। इससे पता चलता है कि विनिमय द्वारा मानव व्यवहार अधिकतम सन्तोष नियम के अनुकूल हो जाता है।

(२) विनिमय द्वारा अम-विभाजन और विशेषीकरण सम्भव होता—प्रत्येक व्यक्ति अथवा राष्ट्र बहू कार्य करता है, जिसमें उसे अत्यधिक योग्यता अथवा क्षमता प्राप्त होती है। इससे मानव तथा राष्ट्रीय शक्तियों का सर्वोत्तम उपयोग होता है और उत्पादन-शक्ति तथा उत्पत्ति मात्रा दोनों बढ़ जाती हैं।

(३) विनिमय द्वारा हमारी आवश्यकता पूर्ति का क्षेत्र अधिक विस्तृत होना—इसके द्वारा बहुत सारी ऐसी वस्तुओं का उपयोग सम्भव हो जाता है जिन्हें एक व्यक्ति अपने स्वयं के परिश्रम द्वारा प्राप्त करने की कभी आशा भी नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त विनिमय द्वारा सस्ती और अच्छी वस्तुएँ मिल जाती हैं।

(४) आधुनिक उत्पादन प्रणाली विनिमय पर ही आधारित—इसकी उत्पत्ति मुख्यतया बाजार के लिए की जाती है। विस्तृत विनिमय क्षेत्र के बिना बड़े पैमाने की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है।

परीक्षा प्रश्न :

१. एक उदाहरण देकर यह सिद्ध कीजिए कि विनिमय के दोनों पक्ष उपयोगिता का लाभ प्राप्त करते हैं और आदान-प्रदान उस समय समाप्त हो जाता है जिस समय कि किसी एक पक्ष को उपयोगिता की हानि होने लगती है।
२. अर्थशास्त्र में विनिमय का क्या अर्थ है ? यह क्यों आवश्यक है ?

बाजार अथवा मण्डी

(Markets)

प्रारम्भिक—

आर्थिक सिद्धान्तों के अध्ययन में 'बाजार' के विचार का बड़ा महत्त्व है। विनिमय सिद्धान्तों में तो इसका विशेष महत्त्व है, क्योंकि :—(i) विनिमय सिद्धान्त में इस विचार से सम्बन्धित कई शब्दों का उपयोग होता है, जैसे—बाजार मूल्य, पूर्ण बाजार, अपूर्ण बाजार, विस्तृत बाजार, बाजार-माँग, बाजार-पूर्ति इत्यादि। (ii) विनिमय के सभी कार्य प्रारम्भ से ही बाजारों या बिक्री के केंद्रों में होने आये हैं। (iii) औद्योगीकरण की उन्नति उनी दशा में हो सकती है, जबकि बाजारों का अधिक विनाश हो चुका है। (iv) एडम-स्मिथ ने श्रम-विभाजन की एक महत्त्वपूर्ण परिसीमा का उल्लेख किया है। उनका विचार है कि श्रम-विभाजन का विस्तार बाजार के विकास में सीमित होता है।¹ अतः मूल्य सिद्धान्त के अध्ययन से पहले बाजार के विषय में विशेष ज्ञान प्राप्त कर लेना प्रति आवश्यक है।

'बाजार' का अर्थ

साधारण बोल-चाल में बाजार से अभिप्राय उम स्थान अथवा केन्द्र से है, जहाँ पर किसी वस्तु अथवा वस्तुओं के ग्राहक और विक्रेता एकत्रित होते हैं और खरीदने तथा बेचने का कार्य करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण गाँव की पेट अथवा हाट में मिलता है। सप्ताह में एक निश्चित दिन एक निश्चित स्थान पर विक्रेता और ग्राहक एकत्रित हो जाते हैं और बेचने-खरीदने का काम चलता रहता है।

'बाजार' शब्द का अर्थशास्त्रीय अर्थ—

अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का अर्थ साधारण अर्थ से थोड़ा भिन्न होता है। यहाँ पर एक कठिनाई है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इस शब्द की अलग-अलग परिभाषायें की हैं और इन परिभाषाओं में परस्पर अधिक विरोध पाया जाता है। अतः इस शब्द का अर्थ करते समय दो मुख्य दृष्टिकोणों की सन्तुष्टि करना आवश्यक है :—(i) जो भी परिभाषा की जाए वह इस प्रकार की हो कि बाजार सम्बन्धी दूसरे विचारों से इसका विरोध न हो। विशेष रूप से, वह मूल्य सिद्धान्त के ती अनुकूल ही होनी चाहिए और (ii) परिभाषा ऐसी होनी चाहिए जोकि इस विचार की प्रात्मिक आवश्यकता की पूर्णतया सन्तुष्टि करे। मिग्न-मिग्न लेलको ने बाजार की परिभाषायें इस प्रकार की हैं :—

(१) सिड्जिक (Sidgwick)—“बाजार मनुष्यों के उस समूह या समुदाय को सूचित करना है, जिनमें परस्पर इस प्रकार वाणिज्य-सम्बन्ध हों कि प्रत्येक को सुगमतापूर्वक यह

¹ Division of labour is limited by the extent of the market. —Adam Smith.

पता चल जाय कि अन्य व्यक्ति समय-समय पर कुछ वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किन मूल्यों पर करते हैं।¹

(२) कूरनो (Cournot)—“बाजार कोई ऐसा विशेष स्थान नहीं है कि जहाँ पर वस्तुएँ बेची और खरीदी जायें, वरन् ऐसा कुन क्षेत्र है जिसमें विक्रेताओं और ग्राहकों के मध्य इस प्रकार का सम्पर्क हो कि एक वस्तु की कीमत सुगमता तथा शीघ्रता से सर्वत्र ही समान हो जाय।”²

(३) जेवन्स (Jevons)—“बाजार” शब्द के सामान्य अर्थ किये गये हैं जिससे इसका अभिप्राय मनुष्यों के किसी ऐसे समुदाय से होता है, जिसके बीच घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध हो और जो किसी वस्तु में विस्तृत व्यवसाय करते हों।³

(४) ऐली (Ely)—“बाजार वह साधारण क्षेत्र है, जिसके भीतर किसी वस्तु विशेष की कीमतों का निर्धारण करने वाली शक्तियाँ कार्यशील होती हैं।”⁴

(५) प्रो० चैम्बर्स—“यह आवश्यक नहीं है कि बाजार शब्द सदा किसी स्थान की ओर संकेत करे, परन्तु यह सदा वस्तु अथवा वस्तुओं और उनके ग्राहकों और विक्रेताओं की ओर संकेत करता है, जोकि एक-दूसरे से प्रत्यक्ष प्रतियोगिता करते हैं।”⁵

मार्शल ने बाजार की परिभाषा ही नहीं दी है। पीगू (Pigou) ने जेवन्स के दृष्टिकोण को घपनाया है। उनके विचार में बाजार में प्रतियोगिता का होना आवश्यक नहीं है, केवल माँग और पूर्ति का ज्ञान ही पर्याप्त है। एकाधिकारी भी बाजार में ही होता है, क्योंकि सभी प्रकार का व्यापार बाजार में किया जाता है।

श्रालोचना—

ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि ऊपर दी हुई बाजार की परिभाषाओं में परस्पर महान् भ्रंतर है। सिडग्विक (Sidgwick) के अनुसार, बाजार का अर्थ विक्रेताओं से है, जिनके

1 “.....a body of persons in such commercial relations that each can easily acquaint himself with the rates at which certain kinds of exchanges of goods or services are from time to time made by others”—Quoted by J. K. Mehta : *Advanced Economic Theory* p 87.

2 Economists understand by the term market, not any particular market place in which things are bought and sold, but the whole of any region in which buyers and sellers are in such free intercourse with one another that the prices of the same goods tend to equality; easily and quickly.”
—Quoted by Marshall : *Principles of Economics*, p 324.

3 “Originally, a market was a public place in a town where provisions and other objects were exposed for sale but word has been generalised so as to mean any body of persons who are in intimate business relations and carry on extensive transactions in any commodity”—Jevons : *Theory of Political Economy*, pp 84-85.

4 “We mean by market the general field within which the forces determining the price of a particular commodity operate.”—Ely.

5 “The term refers not necessarily to a place but always to a commodity or commodities and the buyers and sellers of the same who are in direct competition with one another.”—Chapman.

मध्य प्रतियोगिता का होना आवश्यक नहीं है, केवल पूर्ण ज्ञान (Perfect knowledge) ही पर्याप्त है। कूरनो के विचार में बाजार एक प्रदेश (Region) को सूचित करता है, जहाँ पूर्ण प्रतियोगिता होनी चाहिए। जेब्स का अभिप्राय उन विक्रेताओं से है, जिनके बीच प्रतियोगिता सम्भव हो। ऐली का बाजार क्षेत्र को सूचित करता है, जहाँ प्रतियोगिता का होना आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार पीगू (Pigou) के विचार में बाजार और एकाधिकार दोनों एक साथ स्थित हो सकते हैं। ये अन्तर इतने विशाल हैं कि इन पर विचार न करना भूल होगी। इन परिभाषाओं में छः शब्दों का विशेष रूप से उपयोग किया गया है, जो इस प्रकार हैं :—(१) स्थान या क्षेत्र, (२) ग्राहक और विक्रेता, (३) वस्तु, (४) प्रतियोगिता या स्पर्धा, (५) पूर्ण ज्ञान और (६) एक दाम। अब हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि इन सब शब्दों में से कौन-कौन से शब्द किस अर्थ तथा किस प्रकार बाजार सम्बन्धी विचार से सम्बन्धित हैं।

(१) सबसे प्रथम स्थान या क्षेत्र को ही लीजिए। यह बाजार का एक आवश्यक अंग नहीं है, यद्यपि साधारण बोल-चाल में बाजार से अभिप्राय स्थान से ही होता है। आजकल ग्राहकों और विक्रेताओं का किसी स्थान पर एकत्रित होना आवश्यक नहीं है। यातायात और सम्वादवाहन के साधन अब इतने बढ़ गये हैं तथा त्रमबन्धन (Grading) और निदर्शन (Sampling) के क्षेत्र में इतनी उन्नति हुई है कि विक्रेताओं और ग्राहकों के व्यक्तिगत सम्पर्क की कुछ भी आवश्यकता नहीं रही है। एक व्यापारी अपने देश से बाहर जाये बिना भी करोड़ों रुपये का माल विदेशों से खरीद सकता है।

(२) ग्राहकों और विक्रेताओं के बिना बाजार नहीं चल सकता। बाजार की आवश्यकता विनिमय कार्य के लिए होती है और विनिमय के लिए सदैव दो पक्ष होते हैं विक्रेता और ग्राहक। विन्तु बेचने वालों और खरीदने वालों का किसी निश्चित सत्या में होना आवश्यक नहीं है और न ही इस बात की आवश्यकता है कि वे किसी विशेष स्थान पर स्थित हों। जहाँ कहीं भी ग्राहक और विक्रेता होंगे, बाजार बन जायगा।

(३) यह विषय विवादप्रस्त है कि एक बाजार में एक ही वस्तु होनी चाहिए या उस वस्तु के स्थानापन्नों को भी उसी बाजार में सम्मिलित करना चाहिए। इस विषय में वेनडन का विचार अधिक ठीक जाना जाता है। उनका कहना है कि उन वस्तुओं को छोड़कर जो एक दूसरी का पूर्णरूप से प्रतिस्थापन कर सकती हैं, प्रत्येक वस्तु का बाजार पृथक् होगा।¹

(४) प्रतियोगिता का होना भी बाजार के लिए आवश्यक नहीं है। पीगू का यह विचार कि एकाधिकारी बाजार में ही होता है, अधिक ठीक है। प्रतियोगिता शून्य से लेकर अपरिमित हो सकती है, अर्थात् यह सम्भव है कि प्रतियोगिता विल्कुल भी न हो और यह भी सम्भव है कि पूर्ण प्रतियोगिता हो।

(५) बाजार सम्बन्धी पूर्ण ज्ञान का भी होना आवश्यक नहीं है। बाजार के वर्गीकरण में हम देखेंगे कि ऐसे भी बाजार होते हैं कि जिनके विषय में विक्रेता और ग्राहक दोनों का ज्ञान अपूर्ण होता है। प्रवैगिक दशा में तो पूर्ण ज्ञान का होना असम्भव है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं होता कि उस दशा में बाजार भी नहीं होता।

(६) एक बाजार में एक कीमत होना भी आवश्यक है। अधिक या कम कीमत के होने पर मांग और पूर्ति में इस प्रकार परिवर्तन हो जाते हैं कि कीमत का परिवर्तन

¹ "Each variety is really a separate commodity for which there is a distinct demand....two units do not really belong to the same commodity unless they are perfect substitutes."—Benham : *Economics*, p 24.

बहुत समय तक स्थिर नहीं रह सकता। धामे चलकर हम देखेंगे कि यद्यपि एकाधिकारी के लिए मूल्य विभेद (Price Discrimination) सम्भव होता है, परन्तु वह भी एक बाजार में एक ही कीमत रख सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि—**प्राथमिक अर्थशास्त्र में बाजार शब्द किसी ऐसी वस्तु को सूचित करता है जिसके विक्रेताओं और ग्राहकों के बीच इतने प्रकार की प्रतियोगिता है उस वस्तु की कीमत सभी स्थानों पर समान हो जाने की प्रवृत्ति में हो।¹**

प्रोफेसर मेहता का विचार—

बाजार के सम्बन्ध में प्रोफेसर मेहता ने एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उनका कथन है कि, "बाजार शब्द का अभिप्राय उन स्थानों से है जिनमें एक वस्तु की माँग उन स्थानों पर है, जहाँ कि यह बेचने के लिए प्रस्तुत की जाती है।"² इस प्रकार, जब केवल एक ही ग्राहक और एक ही बेचने वाला हो, तब भी, यदि ग्राहक के लिए बेचने वाले से खरीदना सम्भव हो, बाजार होता है। परन्तु विचार 'बाजार' शब्द के साधारण अर्थ के भी अनुसूच है, क्योंकि बाजार शब्द बताने वाली वस्तु को ही सूचित करता है। यहाँ पर पीछे और मेहता के विचारों में अधिक समानता है। इस परिभाषा की विशेषता यह है कि इसमें बाजार के साथ क्षेत्र और प्रतियोगिता के विशेषण नहीं जोड़े गये हैं। प्रो. मेहता का कहना है कि विस्तृत और सजीले बाजारों का विचार ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे बाजारों का सम्बन्ध क्षेत्र से प्रतीत होता है। इसी प्रकार, पूर्ण और अर्ध बाजार में प्रतियोगिता का होना आवश्यक नहीं है।

बाजार का वर्गीकरण (Classification of Markets)

प्राथमिक अर्थशास्त्रियों के विचारानुसार बाजार का विभिन्न रीतियों से वर्गीकरण करना ठीक नहीं है, परन्तु अर्थशास्त्र में बाजार के वर्गीकरण की एक प्रथा-सी चली आ रही है। यह वर्गीकरण निम्न रीतियों से किया जाता है :—

(1) समय के अनुसार—

समय के अनुसार वर्गीकरण करने में हम यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि बाजार कितने समय तक रहता है। इस दृष्टि से बाजार को निम्नांकित दो प्रकार का बताया जाता है :—

(१) **अल्पकालीन बाजार**—यदि कीमत के समान रहने की प्रवृत्ति बहुत छोटे समय तक रहे, तो बाजार अल्पकालीन होता है। कुछ वस्तुएँ इस प्रकार होती हैं कि उनकी माँग बहुत जल्दी-जल्दी बदलती रहती है, जिससे उनकी कीमत में स्थिरता नहीं रहती। इसके अतिरिक्त, कुछ वस्तुएँ बहुत शीघ्र खराब होने वाली होती हैं और उनका मूल्य कुछ समय बाद तेजी से गिरने लगता है, क्योंकि उनसे बेचने वाले को यह भय रहता है कि यदि बिक्री न हुई, तो भारी हानि होगी। दूध, ताजे फल, साग-सब्जी, अण्डे आदि इसी प्रकार की वस्तुएँ हैं। ऐसी वस्तुओं के बाजार बहुधा अल्पकालीन होते हैं।

(२) **दीर्घकालीन बाजार**—जिन वस्तुओं की माँग और पूर्ति में स्थिरता रहती है उनकी कीमत में भी अधिक लम्बे समय तक परिवर्तन नहीं होते। इसी प्रकार, जो वस्तुएँ बहुत दिनों तक संचित करने रखी जा सकती हैं (भर्वात् जो टिकाऊ होती हैं), उनकी कीमत के समान

¹ "The term market refers to a commodity, the buyers and sellers of which are in such competition that its price tends to be the same everywhere"

² The word market signifies a state in which a commodity has a demand at a place where it is offered for sale"—J. K. Mehta : *Advanced Economic Theory*, p. 90, Second Edition

रहने की प्रवृत्ति भी अधिक काल तक बनी रहती है। ऐसी वस्तुओं के बाजार भी दीर्घकालीन होने हैं। यहाँ पर अल्प और दीर्घकाल प्रदों का उपयोग उनके सच्चे आर्थिक अर्थों में किया जाता है। अल्पकाल में वस्तुओं की पूर्ति और माँग में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, किन्तु इनमें पूर्ण सन्तुलन सम्भव नहीं है। दीर्घकाल में माँग और पूर्ति को सन्तुलन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है।

(II) स्थान के अनुसार—

स्थान के अनुसार बाजार तीन प्रकार के होते हैं, यथा —

(१) स्थानीय बाजार—कुछ वस्तुओं के बाजार की सीमा बहुत नकीर्ण होती है तथा कुछ वस्तुओं के बाजार बहुत विस्तृत होते हैं। जिन वस्तुओं की माँग स्थानीय होती है या जिनके ग्राहकों और विक्रेताओं के बीच की स्पर्धा छोटे से क्षेत्र तक सीमित होती है, उनके बाजार 'स्थानीय बाजार' कहलाते हैं।

(२) राष्ट्रीय बाजार—कुछ वस्तुओं की माँग सम्पूर्ण देश या राष्ट्र में होती है। ये वस्तुएँ ऐसी होती हैं कि देश विशेष के लोग ही इनका उपयोग करते हैं, अर्थात् इनमें प्रतियोगिता का क्षेत्र देश या राष्ट्र तक ही सीमित होता है। ऐसी वस्तुओं का बाजार राष्ट्रीय बाजार कहलाता है। उदाहरणस्वरूप, साठियों और धोनियों का बाजार भारत का राष्ट्रीय बाजार है।

(३) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार—जिन वस्तुओं की माँग मसाले के प्रायः सभी देशों में होती है, उनका बाजार अन्तर्राष्ट्रीय होता है। सोना, चाँदी और गेहूँ इसी प्रकार की वस्तुएँ हैं। यह जानने के लिए कि बाजार का विस्तार कितना है, हमें यह देखना पड़ता है कि वस्तु विशेष की कीमत की समानता का क्षेत्र कितना विस्तृत है। जब यह क्षेत्र मसाले भर में फैला होता है, तो प्रायः सभी देशों में उस वस्तु की कीमत समान ही रहती है। ऐसी दशा में वस्तु का बाजार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार होता है।

(III) प्रतियोगिता के अनुसार—

प्रतियोगिता के अर्थ के अनुसार वर्गीकरण निम्न प्रकार है —

(१) एकाधिकारी बाजार—जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, स्पर्धा का अर्थ शून्य से लेकर अपरिमित तक होता है। जब किसी वस्तु के विक्रेताओं के बीच प्रतियोगिता विस्तृत नहीं होती, तो उस दशा को एकाधिकार कहते हैं।

(२) पूर्ण बाजार—जब ग्राहकों और विक्रेताओं के मध्य प्रतियोगिता अपरिमित (अर्थात् पूर्ण) होती है, तो इस दशा में वस्तु का बाजार पूर्ण (Perfect) कहलाता है, बेनहम (Benham) का विचार है, "बोर्ड बाजार 'पूर्ण' उस दशा में कहलाता है, जबकि सभी समाख्य ग्राहकों और विक्रेताओं को उन कीमतों का, जिन पर सोदा हो रहा है, तुरन्त ही पता चल जाता है। प्रत्येक ग्राहक और विक्रेता को दूसरों के द्वारा दी जाने वाली अथवा माँगी हुई कीमतें ज्ञात होनी हैं। ऐसी दशा में वस्तु की कीमत, यातायात-अव्यय और आयात-करो को निकास कर, सारे बाजार में समान ही रहेंगी।"¹

¹ "A market is said to be perfect when all the potential sellers and buyers are promptly aware of the prices at which transactions take place and all the offers made by other sellers and buyers, and when any buyer can purchase from any seller and conversely. Under such conditions the price of a commodity will tend to be the same (after allowing for all costs of transport including import duties) all over the market."—Benham: *Economics*, p. 25.

(३) अपूर्ण बाजार—पूर्ण प्रतियोगिता एक कल्पना मात्र है। वह केवल सैद्धांतिक जगत की वस्तु है। व्यावहारिक जीवन में न तो पूर्ण एकाधिकार ही होता है और न पूर्ण प्रतियोगिता ही। हमारे चारों ओर के सप्ताह में अपूर्ण प्रतियोगिता ही होती है। बेनहम के अनुसार, “बाजार अपूर्ण उस दशा में होता है, जबकि कुछ ग्राहकों अथवा विक्रेताओं अथवा दोनों को दूसरों के द्वारा मांगी मयवा दी हुई कीमतों का ज्ञान नहीं होता।” उन सब वस्तुओं का बाजार भी, जिनके ग्राहकों और विक्रेताओं के बीच स्पर्धा होती है, अपूर्ण बाजार (Imperfect Market) होता है। अधिकांश बाजार इसी प्रकार के होते हैं।

(IV) व्यवहृत वस्तु के अनुसार—

देची जाने वाली वस्तु के स्वभाव के अनुसार बाजार निम्न प्रकार के होते हैं :—
प्रोड्यूस एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज आदि। प्रोड्यूस एक्सचेंज वह बाजार है जहाँ कृषि-उपज (जैसे—गेहूँ, कपास आदि) का क्रय-विक्रय किया जाता है। इसके विपरीत, स्टॉक एक्सचेंज वह बाजार है जहाँ कम्पनियों के प्रभो, ऋण-पत्रों आदि का क्रय-विक्रय होता है। दोनों ही प्रकार के बाजारों में अनुबन्ध तात्कालिक या आगामी मुपुदंगी के लिए किये जाते हैं।

(V) कार्य के अनुसार—

कार्य के आधार (on the basis of function) पर भी बाजारों का वर्गीकरण किया गया है, जो निम्न प्रकार हैं :—(१) सामान्य या मिश्रित बाजार, जिसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ खरीदी या बेची जाती हैं। (२) विशिष्ट बाजार, जिसमें एक विशेष वस्तुओं का ही क्रय-विक्रय होता है। (३) प्रेषण द्वारा विशिष्ट वाले बाजार, जैसे—बहुत से देशों में गेहूँ को कई ब्रँडों (श्रेणियों) में बाँट दिया जाता है और ब्रँड को बताने से सोदा तय हो जाता है, एवं (४) नमूनों द्वारा विशिष्ट वाले बाजार, जैसे—ऊनी मिलें संप्ल बुक्स बनाती हैं और ऊनी कपड़ों का बोक तय-विक्रय इसमें दिये गये नमूनों के आधार पर होता है।

बाजार का विस्तार (Extent of Market)

आधुनिक युग में बाजारों का विस्तृत बनना एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। धर्म-विभाजन विस्तृत बाजारों के बिना उपरति नहीं कर सकता और औद्योगिक शक्ति की सफलता में विस्तृत बाजारों का बहुत अधिक हाथ रहा है, किन्तु औद्योगिक शक्ति ने स्वयं भी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी हैं कि बाजारों का विस्तार होना जा रहा है। रेल, तार आदि की उपरति से औद्योगिक शक्ति और बाजारों के विकास दोनों को ही सहायता मिली है। बाजारों का विस्तार निम्न बातों पर निर्भर होता है :—

(I) देश में पाई जाने वाली बातें—

यदि देश में अनुकूल परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, तो बाजारों के विस्तृत होने को प्रोत्साहन मिलता है। ‘अनुकूल परिस्थितियों में निम्न बातें सम्मिलित की जाती हैं :—

(१) वातायत और सन्वाश्याहन के साधन—जब तक माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की सस्ती एवं पर्याप्त सुविधाएँ नहीं होंगी, बाजार छोटे ही रहेंगे। यही कारण है कि रेल और डाक आदि साधनों के अभाव में दूर के स्थानों में वस्तुएँ बेचने का प्रश्न ही नहीं उठता।

1 “A market is imperfect when some buyers, or sellers, or both are not aware of the offers made by others.”—*Ibid*, p. 26.

(२) देश में सुरक्षा व शान्ति—यदि देश की शासन-व्यवस्था ठीक नहीं है (अर्थात् सुरक्षा और शान्ति का प्रबन्ध ठीक नहीं है), तो माल के लाने और ले जाने में बड़ी कठिनाई होगी और बाजार का विस्तार नहीं हो सकेगा। प्राचीन काल में भारतवर्ष की व्यापारिक, औद्योगिक और आर्थिक उन्नति में एक बड़ी बाधा यही थी कि सुरक्षा और शान्ति के लिए समुचित व्यवस्था न थी। व्यापारियों को माल या धन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सदा यह भय बना रहता था कि वे कहीं रास्ते में ही न चूट लिये जायें।

(३) मुद्रा और साल प्रणाली—बाजार के विस्तार के लिए प्रायः यह आवश्यक होता है कि देश में वैदिक और साल सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध हों। एक स्थान से दूसरे स्थान को धन भेजने के लिए भी रास्ते और गुराधिन सुविधाओं के विकास ने बाजार के सामान्य विकास में बहुत योग दिया है।

(४) सरकार की कर-नीति—वर्तमान युग में राज्य द्वारा आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करने की उपयुक्तता को लगभग सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। किन्तु सरकारी नीति के फल-स्वरूप बाजार का विस्तार भी हो सकता है और इसका संकुचन भी। यदि ऊँचे आयात-कर प्रथमा निर्यात-कर लगाये जाते हैं, तो बाजारों का संकुचन होगा। ठीक इसी प्रकार, सभी प्रकार के 'व्यापार-प्रतिबन्ध' बाजार के संकुचन की प्रवृत्ति रखते हैं। इसके विपरीत, यदि सरकारी नीति उदार है, तो बाजारों का विस्तार होगा।

(५) श्रम-विभाजन की सीमा—एक पिछले अध्याय में हम यह देख चुके हैं कि श्रम-विभाजन का प्रकार बाजार के विस्तार पर निर्भर होता है, परन्तु इसके विपरीत, यह भी सत्य है कि बाजार के विस्तार पर भी श्रम-विभाजन की सीमा का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। जितना ही श्रम-विभाजन अधिक होगा, उतना ही उत्पादन बढ़ेगा और वस्तुओं की कीमतें घटेंगी। ऐसी दशा में, बाजार के विस्तार की सम्भावना स्वयं ही बढ़ जाती है।

(II) वस्तु सम्बन्धी विशेष दशाएँ—

बाह्य वातावरण के प्रतिरिक्त बाजार के विस्तार पर वस्तु सम्बन्धी गुणों का भी प्रभाव पड़ता है। यदि ये गुण अनुकूल हों, तो वस्तु का बाजार विस्तृत होगा, और यदि प्रतिकूल हों, तो बाजार संकुचित होगा। विस्तृत बाजार होने के लिए वस्तु में निम्न अनुकूल गुण होने चाहिए :—

(१) सर्वव्यापी माँग—केवल उसी वस्तु का बाजार विस्तृत हो सकता है, जिसकी सभी स्थानों पर तथा सभी मौसमों में माँग हो। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार उन्हीं वस्तुओं का हो सकता है, जिनका उपयोग सभी देशों में होता हो। मर्यादी धोतियों का उपयोग भारत के बाहर के देशों में लगभग न होने के बराबर है, इसलिए उनका बाजार अधिक से अधिक इन्हीं देशों में हो सकता है, परन्तु गेहूँ, सोना, चाँदी इत्यादि वस्तुएँ ऐसी हैं कि प्रायः सभी देशों में उनकी माँग होती है, इसलिए इन वस्तुओं के बाजार बहुत विस्तृत या अन्तर्राष्ट्रीय होते हैं। इसी प्रकार, यदि किसी वस्तु की माँग वर्ष में केवल एक महीने में ही होती है, तो बाजार के विस्तार की सम्भावना कम होगी। इसके विपरीत, जिन वस्तुओं की माँग वर्ष भर बराबर बनी रहती है, उनका बाजार अधिक विस्तृत होता है। अभिप्राय यह है कि वस्तु विशेष की माँग का क्षेत्र जितना ही अधिक विशाल होगा और उसकी माँग का काल जितना ही अधिक लम्बा होगा उनका बाजार भी उतना ही अधिक विस्तृत होगा।

(२) सहनीयता—यदि कोई वस्तु ऐसी है कि उसे सरलता से तथा कम व्यय पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, तो उसका बाजार विस्तृत हो जायगा। सहनीयता दो बातों पर निर्भर होती है :—(i) सधु-गारता, अर्थात् थोड़े बोझ में अधिक मूल्य

का होना और (ii) प्रविनाशिता या टिकाऊपन । सर्वव्यापी माँग होते हुए भी यदि वस्तु में बहु-नीयता का गुण नहीं है, तो उसका बाजार-विस्तृत नहीं हो सकता है । उदाहरणार्थ, कोयले की माँग ममार के सभी देशों में है, परन्तु कोयले का बाजार विश्वव्यापी नहीं है, क्योंकि कोयले की एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कोयले के मूल्य की तुलना में व्यय इतना अधिक हो जाता है कि इसकी चेचकर बहुत लाभ की आशा नहीं रहती । यही बात ईंट, चूना, लकड़ी आदि के विषय में भी कही जा सकती है । इसी प्रकार, दूध, मक्खन, प्रण्डा आदि वस्तुओं का भी बाजार सीमित होता है, क्योंकि ये वस्तुएँ इतनी जल्दी खराब हो जाती हैं कि इनको दूर के स्थानों पर ले जाने में लाभ के स्थान पर हानि होगी है । इसके विपरीत, सोना और चाँदी में थोड़े भार में अधिक मूल्य रहता है और साथ ही ये वस्तुएँ जल्दी खराब होकर मूल्यहीन भी नहीं होती हैं, अतः उनका बाजार बहुत विस्तृत होता है ।

(३) नमूने भेजने की सुविधा—जब व्यापारी किसी दूर के स्थान से माल मँगाना चाहता है, तो उसे यह जानने की इच्छा होती है कि जो माल वह मँगाना चाहता है वह क्या ठीक प्रवृत्तियों में है तथा क्या ठीक उर्मा प्रकार का है जैसी कि उसे आवश्यकता है ? इसे जानने का एक उपाय तो यह है कि वह या तो स्वयं जाकर माल देखकर आदेश (Order) दे या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर ऐसा करे, परन्तु इसमें व्यय बहुत अधिक हो सकता है, किन्तु जब वह माल ऐसा है कि इसके नमूने (Sample) भेजे जा सकते हैं, तो माल की दशा, गुण और प्रकृति का अनुमान नमूने द्वारा ही लगाया जा सकता है और माल का स्वयं निरीक्षण करने का बर्त और व्यय बनाया जा सकता है, अतः ऐसी वस्तुओं की मण्डो विस्तृत होना स्वाभाविक है ।

(४) वर्गीकरण की सुविधा—बानगी अथवा नमूनों द्वारा वस्तु के विषय में प्रकृति अनुमान लगाया जा सकता है, परन्तु इस कार्य में भी कुछ व्यय होना है और फिर माल सदा नमूने के अनुसार ही नहीं मिलता । यदि कोई वस्तु ऐसी है कि उसका वर्गीकरण (Grading) हो सकता है, तो उसके खरीदने में और भी अधिक आसानी होती है । यदि वर्गीकरण किसी विश्वमनीय अधिकारी द्वारा किया गया है, तो ग्राहक केवल वर्ग का नाम लिखकर ही माल मँग सकता है । उदाहरण के लिए, हमारे देश में सरकार द्वारा नियुक्त कोयला वर्गीकरण समिति (Coal Grading Board) कोयले की, इसकी किस्म के अनुसार, सौफ्ट-कोक (Soft coke), हार्ड-कोक (Hard-coke), स्टीम-कोक (Steam-coke) आदि वर्गों में विभाजित कर देती है और यह व्यवस्था करती है कि कोयले के उत्पादक इसी वर्गीकरण के अनुसार माल रने । अतः कोयले या ग्राहक केवल वर्ग का नाम देकर आवश्यकतानुसार कोयला मँग सकता है । वर्गीकरण द्वारा निरीक्षण व्यय भी बच जाता है और वस्तु के गुण और किस्म के बारे में भी विश्वास किया जा सकता है । अतः जिन वस्तुओं का वर्गीकरण हो सकता है उनका बाजार अधिक विस्तृत होता है ।

(५) पर्याप्त पूर्ति—वस्तु का बाजार विस्तृत होने के लिए यह भी आवश्यक है कि उसकी पूर्ति अधिक मात्रा में हो । यदि ऐसा नहीं है, तो उपभोक्तियों को निराश होकर अन्य वस्तुओं का सेवन करना पड़ेगा । यही नहीं, कुछ समय पश्चात् उन वस्तु की माँग कम होने लगती और इस सीमा तक उसका बाजार संकुचित हो जायगा । उदाहरण के लिए, एक कलाकार के चित्रों की माँग का क्षेत्र प्रायः संकुचित होता है, क्योंकि उनकी पूर्ति अल्प मात्रा में होती है ।

परीक्षा प्रश्न :

1. क्षेत्र के आधार पर बाजारों का वर्गीकरण कीजिये तथा बलताइये कि ईंटों, हरी तरकारियों तथा बहुमूल्य धातुओं के बाजारों का क्या क्षेत्र होगा ? सकारण उत्तर दीजिए ।
2. बाजार (विपणन Market) की परिभाषा दीजिये । साधुनिक युग में बाजारों के विस्तृत होने के क्या कारण हैं ?
3. पूर्ण-प्रतिबोधिता बाजार की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं ? क्या ऐसे बाजार में कोई बिन्दुता अपने व्यक्तिगत धारण से बाजार-मूल्य की प्रभावित कर सकता है ?

वाजार स्थितियाँ अथवा वाजार सम्बन्ध

(Market Situations or Market Relationship)

प्रारम्भिक—क्रेताओं और विक्रेताओं का प्रभाव एवं इसके कारण

वाजार पर सबसे अधिक प्रभाव क्रेताओं और विक्रेताओं का ही पड़ता है। इस कारण वाजार स्थिति का अध्ययन करने के लिए हम सर्वप्रथम इसी प्रभाव से आरम्भ करते हैं। क्रेताओं और विक्रेताओं का वस्तु की उपज पर जो प्रभाव पड़ता है वह निम्न कारणों पर आधारित होता है :—

(१) वस्तु का स्वभाव—कोई फर्म किसी वस्तु की कीमत निश्चित करने में किस अंश तक स्वतन्त्र होगी यह वस्तु के स्वभाव पर निर्भर होता है। जब उपजे सभी दृष्टियों से समान होनी हैं, तो कोई भी फर्म अन्य फर्मों से स्वतन्त्र रूप में कीमत निश्चित नहीं कर सकती है क्योंकि ऐसी दशा में क्रेता एक ही वस्तु के लिए एक ही बाल में अलग-अलग कीमतें देने को तैयार न होंगे। इसके विपरीत, यदि विभिन्न फर्मों की उपजों में वास्तविक अथवा कल्पित अन्तर है, अथवा, यदि विभिन्न फर्मों की उपजें एक दूसरी की पूर्ण स्थानापन्न नहीं हैं जिससे कि ग्राहक कुछ उपजों के लिए स्पष्ट तथा निश्चित अनुराग रखते हैं, तो विभिन्न फर्मों को अपनी उपजों की कीमतें निश्चित करने में अधिक स्वतन्त्रता होगी। जितने उपजों के बीच के अन्तर अधिक विशाल होंगे उतनी ही विक्रेताओं द्वारा अन्य फर्मों से स्वतन्त्र रूप में कीमत निश्चित करने की स्वतन्त्रता अधिक होगी।

(२) विक्रेताओं की संख्या—वस्तु की उपज की मात्रा निरस्तदेह ग्राहकों की संख्या पर निर्भर रहेगी। साधारणतया, यदि ग्राहकों की संख्या विशाल होगी, तो माँग की मात्रा अधिक होगी और, साथ ही ग्राहकों द्वारा सब बनाने और मिलकर काम करने तथा अन्य ग्राहकों की प्रतिरिया जान करने की सम्भावना कम रहेगी। ऐसी दशा में साधारणतया विक्रेता के लिए अपनी उपज की कीमत और मात्रा निश्चित करने की स्वतन्त्रता अधिक होगी।

(३) विक्रेताओं की संख्या—वाजार में विक्रेताओं की संख्या यह निर्धारित करती है कि उपज की कितनी मात्रा विक्री के लिए प्रस्तुत की जायेगी, वाजार में प्रतियोगिता का अंश क्या होगा, विक्रेताओं के बीच सहयोग की सम्भावना कितनी होगी तथा कीमत निश्चित करने में एक विक्रेता दूसरों पर किस अंश तक आश्रित है। यदि वाजार में वस्तु का केवल एक ही विक्रेता है, तो उसे एकाधिकार प्राप्त होगा। कोई भी उसका प्रतियोगी न होगा और माँग की लोच के प्रतिबन्धों की सीमाओं के भीतर उसे अपनी उपज की कीमत निश्चित करने की पूरी स्वतन्त्रता होगी। यदि वाजार में विक्रेताओं की संख्या थोड़ी-सी है, तो उनके आपस में मिल जाने की सम्भावना अधिक होगी और वे अर्ध एकाधिकारी की स्थिति प्राप्त कर सकेंगे। अतः यदि वाजार में विक्रेताओं की संख्या बहुत विशाल है, तो किसी एक विक्रेता के लिए उपज की कीमत तथा मात्रा निश्चित करने की सम्भावना बहुत ही कम होगी।

(४) विक्रेताओं के बीच तथा श्रेताओं के बीच पारस्परिक सहयोग की सम्भावना— यह सम्भव है कि प्रतियोगिता के अग्र को घटाने तथा एक विक्रेता द्वारा दूसरे से नीची कीमत पर बेचने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए विक्रेता आपस में मिल जायें। किन्तु स्थिति यह है कि जितनी ही विक्रेताओं की संख्या कम होगी उतनी ही उनके पारस्परिक सहयोग की सम्भावना अधिक होगी, और जितनी ही उनकी संख्या अधिक होगी उतनी ही सहयोग की सम्भावना कम होगी। ठीक यही वस्तु श्रेताओं के सम्बन्ध में भी नहीं जा सकती है। जितनी ही श्रेतों की संख्या अधिक होगी उतनी ही पारस्परिक सहयोग की सम्भावना कम होगी।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम विभिन्न बाजार स्थितियों के बीच भेद कर सकते हैं। एक छोर पर तो एकाधिकार होगा, जिसमें प्रतियोगिता का पूर्ण अभाव होता है, और दूसरे छोर पर पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होगी, जिस दशा में सारे बाजार में एक ही कीमत प्रचलित होती है। इन दोनों स्थितियों के बीच अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती है जिसमें कुछ अग्र तक श्रेताओं तथा विक्रेताओं दोनों ही का कीमत पर नियन्त्रण रहता है। परन्तु बाजार स्थितियों के कुछ अन्य रूप भी हो सकते हैं। इन सब पर नीचे प्रकाश डाला गया है।

पूर्ण प्रतियोगिता (Perfect Competition)

पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ एवं इसके आवश्यक लक्षण—

श्रीमती जोन रोबिन्सन ने पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा निम्न प्रकार से दी है—
“पूर्ण प्रतियोगिता उम दशा में होती है जबकि प्रत्येक उत्पादक के उत्पादन के लिए माँग पूर्णतः लोच्यार हो। इसका अर्थ है कि प्रथमतः, विक्रेताओं की संख्या विशाल होती है, जिससे किसी एक विक्रेता का उत्पादन वस्तु के कुल उत्पादन का एक बहुत ही छोटा-सा भाग होता है, और, दूसरे, सभी श्राहक, प्रतियोगी विक्रेताओं के मध्य चुनाव करने की दृष्टि से, समान होते हैं, जिससे बाजार पूर्ण होता है।”¹ इस प्रकार, पूर्ण प्रतियोगिता के लिए निम्न शर्तें होनी आवश्यक हैं :—

(१) विक्रेताओं और श्रेताओं की विशाल संख्या—बाजार में विक्रेताओं और श्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होनी है। कुल पूति में प्रत्येक विक्रेता का भाग इतना अल्प होता है कि वह अपने उत्पादन को घटा-बढ़ा कर व्यक्तिगत रूप से बाजार मूल्य को घटा-बढ़ा नहीं सकता। यही बात श्रेताओं के लिए भी है। प्रत्येक श्रेता कुल पूति का बहुत ही मामूली भाग खरीदता है, जिससे यदि वह इसमें घटा-बढ़ी कर दे तो भी बाजार मूल्य को प्रभावित करने में असमर्थ रहेगा। यद्यपि विक्रेता (अथवा श्रेता) व्यक्तिगत रूप में अपना उत्पादन घटा बढ़ाकर बाजार के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता तथापि वे सामूहिक रूप में ऐसा कर सकते हैं।

उदाहरणार्थ, मान लीजिए कि किसी बाजार में १०,००० विक्रेताओं (या उत्पादक) हैं, जिनकी कुल पूति १,००,००० लाख इकाइयाँ है। प्रत्येक विक्रेता का योगदान १०-१५ इकाइयाँ

“Perfect Competition prevails when the demand for the output of each producer is perfectly elastic. This entails, first, that the number of sellers is large so that output of any one seller is a negligibly small proportion of the total output of the commodity, and second, that buyers are all alike in respect of their choice between rival sellers so that the market is perfect.”—Mrs. Joan Robinson : *The Economics of Imperfect Competition*, p. 18.

के मध्य है। अब यदि कोई उत्पादक या विक्रेता पहले की अपेक्षा दूना करने लगे (जैसे—१० के बजाय २० इकाइयाँ उत्पन्न करे), तो मूल्य अप्रभावित रहेगा। किन्तु सभी विक्रेता यदि अपनी-अपना उत्पादन १० इकाइयों से बढ़ा दें, तो कुल उत्पादन में १,००,००० की वृद्धि हो जायेगी और ऐसी दशा में मूल्य अवश्य प्रभावित होगा। अन्य शब्दों में, मूल्य एक विक्रेता या उत्पादक के लिए निश्चित रहता है। वह अपने उत्पादन अथवा पूर्ति को कितना भी घटा-बढ़ा ले, बाजार मूल्य वही रहेगा जो पहले था। इसी प्रकार, एक क्रेता अपनी खरीद की मात्रा को चाहे बड़ी गुना करदे चाहे बहुत ही घटा दे, बाजार मूल्य अपरिवर्तित रहेगा। बाजार मूल्य पर तो प्रभाव तब पड़ेगा जबकि सभी क्रेता या विक्रेता सामूहिक कार्यवाही करें।

(२) क्रेताओं और विक्रेताओं का स्वतन्त्र आचरण—विक्रेताओं में आपस में कोई गुप्त ठहराव या समझौता नहीं होता। प्रत्येक अपनी स्वेच्छा के अनुसार कार्य करता है। क्रेताओं में भी कोई प्रगत अथवा गुप्त सन्धि नहीं होती। उनमें से प्रत्येक अन्य से स्वतन्त्र रूप में कार्य करता है। चूँकि वे स्वतन्त्र रूप से आचरण करते हैं, इसलिए बाजार में प्रचलित मूल्य को प्रभावित करने में असमर्थ रहते हैं। जो मूल्य है उसी पर विक्रेता चाहे जितनी मात्रा बेच सकते हैं और क्रेता चाहे जितनी मात्रा खरीद सकते हैं।

(३) वस्तु विभेद का नितान्त अभाव—प्रत्येक उत्पादक या विक्रेता जो वस्तु उत्पादन करता या बेचता है वह हर दृष्टि से एक रूप होनी चाहिए। अन्य शब्दों में, प्रमापित वस्तु का ही त्रय-विक्रय किया जाना चाहिये। जब ऐसा होता है, तो वस्तु की सभी इकाइयाँ, चाहे वे किसी भी उत्पादक द्वारा उत्पन्न की जायें अथवा किसी भी विक्रेता द्वारा बेची जायें, एक-दूतारे की पूर्ण स्थानापन्न होती हैं। इस दशा में कोई भी उत्पादक या विक्रेता बाजार में प्रचलित कीमत से अधिक नहीं ले सकता। यदि उसने इसका प्रयत्न किया, तो उसके ग्राहक टूट कर दूसरों के पास चले जायेंगे।

प्रमापित वस्तुओं के उत्पादन की दशा में गैर-कीमत प्रतियोगिता के लिए कोई अवसर नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि वस्तु के गुण व विज्ञापन के आधार पर कोई प्रतियोगिता नहीं होती है। इसी बात को यों भी कह सकते हैं कि विज्ञापन और प्रसार-व्यय (अर्थात् विनय लागतें) नहीं किये जाते। प्रत्येक विक्रेता जानता है कि वह कितना भी विज्ञापन करे, ग्राहक को अपनी वस्तु के प्रति विशेष रूप से आकर्षित नहीं कर सकेगा।

(४) विक्रेताओं का प्रमापीकरण—पूर्ण प्रतियोगिता के लिए यह भी आवश्यक है कि विक्रेता-विक्रेता में किसी भी प्रकार का (जैसे—व्यक्तित्व, रयानि, विषय स्थान आदि की दृष्टि से) भेद नहीं होना चाहिये। जब ऐसा होता है, तो ग्राहक किस विक्रेता से वस्तु खरीदें इस बारे में तटस्थ होते हैं। वे किसी भी विक्रेता को अन्य विक्रेताओं पर प्राथमिकता नहीं देते और किसी से भी वस्तु खरीद सकते हैं बशर्ते यह उन्हें प्रचलित मूल्य पर मिले।

(५) फर्मों को प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतन्त्रता—पूर्ण प्रतियोगिता की एक आवश्यक शर्त यह है कि उत्पादन या विपणन करने वाली फर्मों को उद्योग में प्रवेश करने अथवा उसे छोड़ने की पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिये। ऐसी स्वतन्त्रता के परिणामस्वरूप कोई फर्म उद्योग में एकाधिकार स्थापित नहीं कर सकती है और फर्मों को केवल सामान्य लाभ (Normal profit) ही होता है। यदि सामान्य से अधिक लाभ हो रहा है, तो नई फर्म उद्योग में प्रवेश करेंगी, जिससे पूर्ति बढ़ जायेगी और कीमत घट जायेगी, और इस प्रकार 'अधिक' लाभ मिलना रुक जायेगा। इसके विपरीत, यदि सामान्य से कम लाभ हो रहा है, तो कुछ फर्म उद्योग को छोड़ जायेंगी, जिससे पूर्ति घट जायेगी और कीमत बढ़ जायेगी, और इस प्रकार लाभ की न्यूनता भर जायेगी। (उल्लेखनीय है कि सामान्य लाभ में उत्पादन लागत और केवल इतना ही लाभ सम्मिलित होता

है जो कि फर्म को उत्पादन-पायें जारी रखने में सहायक हो)। स्पष्टतः दीर्घकाल में फर्मों को सामान्य लाभ ही मिलता है।

(६) बाजार के विषय में पूर्ण जानकारी होना—क्रेताओं और विक्रेताओं में घनिष्ठ सम्पर्क होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक क्रेता को यह मालूम हो कि कौन विक्रेता किमी कीमत पर विपन्न कर रहा है। इसी प्रकार, प्रत्येक विक्रेता यह जानना हो कि कौन क्रेता किस कीमत पर खय करने को तैयार है। क्रेता-क्रेता (और विक्रेता-विक्रेता) भी एक-दूसरे के प्रय (या विपन्न) के बारे में जानकारी रखते हैं। जब ऐसी जानकारी होती है, तो कोई भी क्रेता (या विक्रेता) प्रचलित कीमत में विचलित न होना और मारे बाजार में एक ही कीमत प्रचलित रहेगी।

(७) सभी प्रकार के प्रतिस्पर्धियों में क्रेताओं और विक्रेताओं का स्वतन्त्र होना—ऐसी स्वतन्त्रता का अर्थ यह है कि क्रेताओं में पूर्ण गतिशीलता हो अर्थात् उनमें एक दूसरे के प्रति कोई लगाव या स्नेह नहीं होना चाहिए। उनकी दृष्टि में कीमत ही सब कुछ है। इस दशा में यह देखा जायेगा कि क्रेताओं की प्रवृत्ति सरभे कम कीमत पर बेचने वाली फर्म से खरीदने की और विक्रेताओं की प्रवृत्ति सरभे अधिक कीमत पर खरीदने वाले क्रेता को बेचने की होगी और इस प्रकार वस्तु की एक ही कीमत बाजार में रहेगी।

(८) उत्पत्ति साधनों की पूर्ण गतिशीलता—पूर्ण प्रतियोगिता होने के लिये उत्पत्ति साधनों का पूर्ण गतिशील होना आवश्यक है। वे सहज ही एक प्रयोग में दूसरे प्रयोग में आ-जा सकते हैं और सरभार की ओर से कोई प्रतिस्पर्ध नहीं होता।

(९) सभी उत्पादकों का एक-दूसरे से पर्याप्त निकट होना—सैद्धान्तिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि परिवहन लागतें न हों (नाकि सम्पूर्ण बाजार में वस्तु की एक ही कीमत प्रचलित रहे) और ऐसा तत्र ही सम्भव है जबकि सभी उत्पादक एक-दूसरे के पर्याप्त समीप हों। मार्शल ने व्यावहारिक दृष्टि में यह बताया है कि यदि वस्तु की कीमत में परिवहन लागतों के सरभार तक अन्तर रहने पर भी बाजार पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार कहा जायेगा।

जब किसी बाजार में उपर्युक्त दशाएँ विद्यमान होती हैं, तो पूर्ण प्रतियोगिता है और कोई भी क्रेता या विक्रेता क्रेता ही अरने कार्य द्वारा कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। यह प्रचलित कीमत को दिया हुआ मान लेना है और इसी के अनुसार अरने कार्य (खरीदने या बेचने का कार्य) समायोजित करना रहना है। अन्य शब्दों में उमकी अरनी कोई मूल्य नीति नहीं होती। वह प्रचलित मूल्य को ही ग्रहण कर लेता है। तथ्यकी भावा में यह कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में एन व्यक्तिगत विक्रेता के लिए उसकी वस्तु की माँग पूर्णतः अनिश्चित होती है।

पूर्ण प्रतियोगिता एवं विशुद्ध प्रतियोगिता—

प्रो० चैम्बरलिन (Chamberlin) ने विशुद्ध प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता में भेद किया है। उनके विचार में 'विशुद्ध प्रतियोगिता' वह है जिसमें एकाधिकारी तरंगों का समावेश नहीं होता। यह पूर्ण प्रतियोगिता की अपेक्षा अधिक सरल और कम विस्तृत विचार है। कारण, उसके लिए इसकी अधिक बातों में पूर्णता की आवश्यकता नहीं पड़ती जितनी कि पूर्ण प्रतियोगिता के लिए पड़ती है। विशुद्ध प्रतियोगिता के लिए केवल निम्न तीन दशाएँ होना आवश्यक है :—(i) वस्तु का प्रमाणिकरण (Standardisation) हो, जिसमें इसकी सभी इकाइयाँ प्रत्येक विक्रेता और अरने के लिए पूर्ण रूप से समान हों और (इसलिये) तनिक दाम के परिवर्तन होते ही अरने दूसरे बेचने वालों की ओर भुन पड़े। (ii) वस्तु के बेचने वालों और खरीदने वालों की संख्या इतनी अधिक होनी चाहिए कि उनमें से किसी एक के व्यवहार का

कीमत पर कोई भी प्रभाव न पड़े। (iii) वस्तु की किस्म अथवा गुण और कीमतों के सम्बन्ध में देखने वाले में कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

किन्तु, प्रो० चेम्बरलिन के अनुसार, पूर्ण प्रतियोगिता के लिए उपर्युक्त तीन गुणों के अतिरिक्त निम्न बातों का होना भी आवश्यक है :—(i) विक्रेता और ग्राहक दोनों को वस्तु तथा उसकी माँग और पूर्ति के विषय में पूर्ण ज्ञान। (ii) एक ऐसा सञ्जटित बाजार जिसमें वर्तमान तथा भविष्य की माँग और पूर्ति के आधार पर तुरन्त ही कीमतों में परिवर्तन हो जायें। (iii) विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक हो। (iv) सब ग्राहक तथा विक्रेताओं को बाजार में आने की पूर्ण स्वतन्त्रता हो तथा पूँजी के स्थान अथवा उपयोग परिवर्तन पर कोई रुकावट न हो। (v) प्रत्येक विक्रेता को बाजार छोड़ने की पूरी स्वतन्त्रता हो और जो फर्म अथवा व्यवसायी टिके रहने में असमर्थ हो उसे अपने को दिवालिया घोषित करने का पूर्ण अधिकार हो। दूसरे शब्दों में, पूर्ण प्रतियोगिता में “शुद्ध प्रतियोगिता” के साथ-साथ उत्पत्ति के साधनों की पूर्ण गतिशीलता (Mobility) भी होनी चाहिए।

उल्लेखनीय है कि पूर्ण प्रतियोगिता और विशुद्ध प्रतियोगिता (जिसे कुछ अर्थशास्त्री परमाणुवादी प्रतियोगिता कहते हैं) में कोई सुनिपादी भिन्नता नहीं है। अन्तर केवल ‘अंश’ (Degree) का है, गुण (Kind) का नहीं। दोनों में ही प्रत्येक क्रेता और विक्रेता कीमत को दिया हुआ मान लेता है अर्थात् वे कीमत को ग्रहण करने वाले हैं, निर्धारित करने वाले नहीं। क्रेता अपने प्रय और विक्रेता अपने विप्रय (अथवा उत्पादक अपने उत्पादन) की मात्रा को प्रचलित मूल्य के अनुसार समायोजित करते रहते हैं। अतः पूर्ण प्रतियोगिता के समान विशुद्ध प्रतियोगिता में भी एक व्यक्तिगत उत्पादक की वस्तु के लिए माँग पूर्णतः लोचदार होती है। अंग्रेज अर्थशास्त्री ‘पूर्ण प्रतियोगिता’ शब्द प्रयोग करते हैं किन्तु अमेरिकन अर्थशास्त्री ‘विशुद्ध प्रतियोगिता’ शब्द का, क्योंकि इसके साथ कम मान्यतायें जुड़ी हुई हैं। यथार्थ में, पूर्ण प्रतियोगिता और विशुद्ध प्रतियोगिता दोनों ही काल्पनिक विचार हैं तथा वास्तविक जीवन में नहीं देखे जाते।

पूर्ण प्रतियोगिता के विचार का अध्ययन क्यों ?

व्यावहारिक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता का उदाहरण मिलना कठिन ही है, क्योंकि (i) प्रत्येक ग्राहक को प्रत्येक विक्रेता के दाम ज्ञात नहीं होते और (ii) इसी प्रकार वस्तुओं का प्रमाणीकरण भी नहीं होता, जिस कारण एक ही वस्तु की विभिन्न इकाइयों में थोड़ा-बहुत अन्तर अवश्य रहता है। इस प्रकार, पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक है किन्तु काल्पनिक होने पर भी उसका अध्ययन करना लाभप्रद है, जैसा कि निम्नांकित विवेचन से स्पष्ट हो जायेगा :—(१) वास्तविक जगत में अपूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, जिसमें अनेक जटिल स्थितियों का समावेश होता है। इन्हें समझने के लिए हम पूर्ण प्रतियोगिता के विवेचन से शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें सरल स्थितियाँ होती हैं। बाद में, क्रमशः नये तत्वों और अधिक जटिल स्थितियों को विवेचन में सम्मिलित करके अपूर्ण प्रतियोगिता को समझा जा सकता है। (२) अनेक अर्थशास्त्रियों के मतानुसार पूर्ण प्रतियोगिता मॉडल एक आदर्श स्थिति को इङ्गित करता है, जिसके सन्दर्भ में वास्तविक अर्थव्यवस्था के कार्यकरण का मूल्यांकन किया जा सकता है। (३) पूर्ण प्रतियोगिता के विवेचन से यह पता चलता है कि वास्तविक जगत में प्रतियोगिता क्यों अपूर्ण होती है। जैसा कि हमने ऊपर बताया है, पूर्ण प्रतियोगिता में व्यापारियों का केवल सामान्य लाभ ही मिल पाता है। अतः अधिक लाभ पाने के लिए वे प्रतियोगिता को कम से कम रखने का प्रयास करते हैं। (४) पूर्ण प्रतियोगिता मॉडल से सुझना द्वारा यह मालूम किया जा सकता है कि व्यावहारिक जगत में विभिन्न स्थितियों में प्रतियोगिता कितनी अपूर्ण है। (५) वास्तविक जगत में अपूर्ण

प्रतियोगिता अथवा एकाधिकारी प्रतियोगिता देखी जाती है, जिसमें कुछ तत्त्व प्रतियोगिता के घोर कुछ एकाधिकार के सम्मिलित होते हैं। अतः वास्तविक स्थिति को समझने के लिये पूर्ण प्रतियोगिता मॉडल को समझना आवश्यक है, क्योंकि विश्लेषण यन्त्र पूर्ण प्रतियोगिता के सम्बन्ध में प्रयोग किये जाते हैं लगभग वही एकाधिकारी प्रतियोगिता के सम्बन्ध में प्रयुक्त होते हैं।

एकाधिकार (Monopoly)

एकाधिकार में प्रतियोगिता शून्य होती है और एक ही फर्म का वस्तु की समस्त पूर्ण पर नियन्त्रण होता है। एकाधिकार के लिए निम्न शर्तें पूरी होनी चाहिए :—(अ) वस्तु का एक ही विक्रेता या उत्पादक हो; (ब) वस्तु के कोई अल्पे अथवा निकट स्थानापन्न न हों। तकनीकी भाषा में वस्तु के लिए माँग की घाड़ी लोच शून्य हो; एवं (स) उद्योग में नये उत्पादकों के प्रवेश पर प्रभावशाली रक्षाबट्टे हों। जब ये तीनों दशाएँ होती हैं, तो एकाधिकार उपस्थित होता है और वस्तु की पूर्ण पर एकाधिकारी का पूर्ण नियन्त्रण होता है। पूर्ण के पूर्ण नियन्त्रण के कारण ही वह मूल्य पर प्रभाव डाल सकता है। यह नहीं समझना चाहिए कि एकाधिकार में एक ही उत्पादक होता है। कई उत्पादक भी हो सकते हैं किन्तु वे मिलकर यदि वस्तु की पूर्ण पर नियन्त्रण रखते हैं, तो यह एकाधिकार की ही स्थिति होगी। इस प्रकार, एकाधिकार का सार बाजार (या पूर्ण) नियन्त्रण है।

उल्लेखनीय है कि एकाधिकार में, विज्ञापन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रतिद्वन्द्वी विक्रेता अथवा उत्पादक नहीं होते और यदि कुछ विज्ञापन किया जाता है, तो वह जन सम्पर्क के उद्देश्य से। दूसरे, जहाँ एकाधिकारी प्रत्यक्ष प्रतियोगिता से मुक्त होता है (क्योंकि उद्योग में अन्य उत्पादक नहीं हैं), वहाँ उसे 'अ-प्रत्यक्ष' और 'सम्भावित' प्रतियोगिताओं का सामना करना पड़ता है, जो कभी-कभी बहुत तीव्र हो सकती हैं। उदाहरणार्थ, एक विजनी कम्पनी को अपने क्षेत्र में किसी दूसरी विजनी कम्पनी की प्रतियोगिता का डर नहीं होता, क्योंकि सरकार के प्रतिबन्ध के कारण एक ही क्षेत्र में दो कम्पनियाँ नहीं हो सकती हैं। किन्तु मूल्य बढ़ाने पर उसे मिट्टी के तेल विक्रेताओं से प्रतियोगिता करनी पड़ सकती है। मिट्टी का तेल विजनी का अल्पे अथवा निकट स्थानापन्न नहीं है। इस पर भी वह उसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से प्रतियोगी है। इसी प्रकार, एक ऐसे उद्योग में, जिसमें वर्तमान में अधिक लाभ नहीं है, एकाधिकारी प्रत्यक्ष प्रतियोगिता से मुक्त होता है। अतः यदि जतने अधिक लाभ होने लगे, तो अन्य उत्पादक भी प्रवेश कर सकते हैं (अर्थात् सरकारी प्रतिबन्ध न हो) और इस प्रकार एकाधिकारी को सम्भावित प्रतियोगिता होती है।

व्यवहार में शुद्ध एकाधिकार देखने को नहीं मिलता। यह उसी प्रकार वास्तविक विचार है जिस प्रकार कि पूर्ण प्रतियोगिता का विचार, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई स्थानापन्न अवश्य होता है जिससे एकाधिकारी को अप्रत्यक्ष प्रतियोगिता रहती है और साथ ही प्रत्यक्ष सम्भावित प्रतियोगिता भी है।

अपूर्ण प्रतियोगिता (Imperfect Competition)

वास्तविक जगत् में न तो पूर्ण प्रतियोगिता होती है और न पूर्ण एकाधिकार वरन् इन दोनों के बीच की स्थितियाँ होती हैं जिन्हें श्रीमती जॉन रोबिन्सन ने अपूर्ण प्रतियोगिता कहा है। प्रो० बेन्बरनरिन ने इन्हें 'एकाधिकारी प्रतियोगिता' की संज्ञा दी है। अपूर्ण प्रतियोगिता तब उपस्थित होती है जबकि पूर्ण प्रतियोगिता के सदृशों में कोई अपूर्णता या अपूर्णताएँ हों,

जैसे—बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक न होना, या वस्तु विभेद होना आदि । तकनीकी भाषा में यह कह सकते हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता वह है जिसमें एक व्यक्तिगत फर्म की वस्तु के लिये माँग पूर्णतः लोचदार नहीं है, अथवा, जैसा कि प्रो० लॉरेंस ने बताया है, माँग रेखा गिरती हुई है ।

प्रतियोगिता में माँग रेखा विभिन्न दरों से नीचे की ओर गिर सकती है, जिस कारण अपूर्ण प्रतियोगिता की कई स्थितियाँ देखने में आती हैं, जैसे—एकाधिकारी प्रतियोगिता (Monopolistic competition), अल्पाधिकार (Oligopoly) और द्वाधिकार (Duopoly) । एकाधिकारी प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता की मुख्य स्थिति है । इसी से इसे हीले रूप में प्रायः 'अपूर्ण प्रतियोगिता' के स्थान में प्रयोग कर दिया जाता है ।

प्रो० मेहता के अनुसार—“विनिमय की प्रत्येक दशा अपूर्ण एकाधिकार की दशा है और अपूर्ण एकाधिकार हमारे दृष्टिकोण से अपूर्ण प्रतियोगिता ही है । ऐसी प्रत्येक दशा में प्रतियोगिता तथा एकाधिकार के तत्वों का मिश्रण होता है ।”¹

अपूर्ण प्रतियोगिता के कारण—

जैसा कि ऊपर की विवेचना से स्पष्ट होता है, अपूर्ण प्रतियोगिता निम्न कारणों से उत्पन्न होती है —

(१) विक्रेताओं की सीमित संख्या—वेचने वालों की संख्या बहुत ही अधिक न हो, जिसके कारण किसी भी एक विक्रेता द्वारा प्रस्तुत की हुई पूर्ण का कुल पूति पर प्रभाव पड़े बिना न रह सके ।

(२) असंगठित बाजार—यदि वस्तु का बाजार संगठित न हो, वस्तु को विभिन्न स्थानों पर लाने-ले जाने में ऊँचा यातायात व्यय होता है अथवा मुन्नी या लापरवाही के कारण ग्राहक कम कीमत पर बेचने वाले विक्रेताओं के पास नहीं जाते, तो बाजार अपूर्ण रहेगा और वस्तु की कई कीमते प्रचलित हो सकती हैं ।

(३) मुख्य सम्बन्धी ज्ञान का अभाव—जबकि यह पता ही नहीं है कि वस्तु विशेष किस दाम पर किस दूकानदार के पास है, तो पूर्ण प्रतियोगिता हो ही नहीं सकती है ।

(४) वस्तु की इकाइयों के अन्तर—जबकि वस्तु के प्रकार तथा गुण में वास्तविक अथवा कल्पित अन्तर हो, अर्थात् यदि सभी दूकानदार बिल्कुल एक जैसी ही वस्तु नहीं बेचते हैं अथवा ग्राहकों को यह भ्रम हो गया है कि विभिन्न विक्रेताओं द्वारा बेची हुई वस्तुएँ सब प्रकार समान नहीं हैं, तो प्रतियोगिता अपूर्ण ही होगी । जान-बूझकर या अनजान में ही प्रत्येक विक्रेता अपनी विक्री की वस्तुओं में कुछ अन्तर्व्यय रख देता है । विभिन्न पैकटों तथा विभिन्न नामों से एक ही वस्तु को बेचकर बहूधा ग्राहकों की इस धारणा को प्रोत्साहन दे दिया जाता है कि वस्तु की विभिन्न इकाइयों में अन्तर है ।

(५) कुछ ग्राहकों का विशेष विक्रेताओं की पसन्द करना—कुछ ग्राहक कुछ विशेष विक्रेताओं के लिये विशेष अनुराग रख सकते हैं अथवा वस्तुओं के कुछ विशेष सौंदर्य या किसी का खरीदना पसन्द कर सकते हैं । उदाहरणस्वरूप कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं, जो प्रत्येक कारणों से

1 "It has since been fully realised that every case of exchange is a case of what may be called partial monopoly. And partial monopoly is, looked at from the other side, a case of imperfect competition. There is a blending of both, competition element and monopoly element in each situation."

कुछ बंधो हुई दूकानों से खरीदना ही पसन्द करने हैं अथवा किसी विशेष उत्पादक का माल ही लेना चाहते हैं।

अपूर्ण प्रतियोगिता की उपस्थिति के चिन्ह—

निम्न लक्षणों की उपस्थिति के आधार पर अपूर्ण प्रतियोगिता का होना माना जा सकता है :—(i) विक्रेताओं अथवा उत्पादकों द्वारा विज्ञापन, (ii) विभिन्न प्रकार के ट्रेड मार्कों (Trade Marks), लेबिलों (Labels) आदि का होना, (iii) विक्रेताओं द्वारा कीमतों की सूचियाँ निकालना, और (iv) एक ही बाजार में एक ही काल में विभिन्न कीमतों का होना।

अपूर्ण प्रतियोगिता के परिणाम—

अपूर्ण प्रतियोगिता की उपस्थिति कुछ विशेष दशाएँ उत्पन्न करती है :—(i) चूंकि विक्रेताओं की संख्या कम होती है; इसलिए किसी एक विक्रेता द्वारा उपज की मात्रा के घटाने-बढ़ाने का विक्रेताओं की कीमत अथवा माँग पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। (ii) बाधाओं के कारण उत्पत्ति के साधनों में पूर्ण गतिशीलता नहीं होती है, जिससे दर साधनों की सीमान्त उत्पादनता सभी उद्योगों और स्थानों में समान नहीं रहती। (iii) विज्ञापन एक ऐसा लाभ फेंका देना है कि क्रेता की दृष्टि से वस्तु की विरम तथा उसकी कीमत दोनों रहस्यमय हो जाते हैं। (iv) अपूर्ण प्रतियोगिता में कोई विक्रेता कीमत में घोड़ी-सी कमी करके अपने प्रतिद्वन्द्वियों के आँटकों को नहीं तोड़ सकता है। (v) ग्राहकों को साधारणतया वस्तु की विरम के आधार पर अथवा विज्ञापन द्वारा ही आकर्षित किया जा सकता है।

एकाधिकारी प्रतियोगिता—

जैसा कि हमने ऊपर बताया है, एकाधिकारी प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता की एक प्रमुख विरम है। इसका विचार प्रो० चेम्बरलिन ने प्रस्तुत किया है।

परिभाषा—एकाधिकारी प्रतियोगिता से आशय बाजार के उस रूप का है, जिसमें अनेक छोटी कर्म होती हैं और इनमें से प्रत्येक मिलती-जुलती थोड़ी भिन्नता वाली वस्तुएँ बनती हैं। वस्तु विभेद के कारण 'एकाधिकारी तत्त्व' उत्पन्न होता है, अर्थात्, क्योंकि वस्तुओं में भिन्नता होती है इसलिए प्रत्येक उत्पादक एक लघु एकाधिकारी की भाँति होता है और एक सीमा तक अपनी वस्तु के मूल्य को प्रभावित कर सकता है। किन्तु साथ ही वस्तुएँ परस्पर मिलती-जुलती भी होती हैं, अर्थात्, एक दूसरे का निरवयव या अच्युत स्थानापन्न होती हैं (परन्तु प्रतियोगिता के समान पूर्णरूपेण स्थानापन्न नहीं होती)। इस कारण उत्पादकों में प्रतियोगिता होती है और एक उत्पादक के कीमत-उत्पादन-निर्णय अन्य उत्पादकों के इसी प्रकार के निर्णयों पर प्रभाव डालने हैं। ऐसी स्थिति को चेम्बरलिन ने 'एकाधिकारी प्रतियोगिता' कहा है, क्योंकि हममें प्रतियोगिता और एकाधिकार दोनों के तत्त्व मिश्रित होते हैं।

विशेषताएँ—एकाधिकारी प्रतियोगिता के निम्न लक्षण हैं :—(१) पूर्ण प्रतियोगिता के ही समान एकाधिकारी प्रतियोगिता में भी विक्रेताओं (अथवा उत्पादकों) की अधिक संख्या होती है। प्रत्येक उत्पादक कुल उत्पादन का एक मामूली भाग ही प्रस्तुत करता है।

(२) वे स्वतन्त्र रूप से कार्य करते हैं अर्थात् उनमें कोई गुप्त संधि या टकराव नहीं होता।

(३) जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु पूर्ण स्थानापन्न या एकरूप होती है, एकाधिकारी प्रतियोगिता में विभिन्न उत्पादकों की वस्तुएँ एक रूप नहीं होती हैं यद्यपि मिलती-जुलती (अर्थात् निरवयव या अच्युत स्थानापन्न) होती हैं। यदि एकाधिकारी प्रतियोगिता में वे वस्तु-विभेद के कारण को निवास दिया जाय, तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति या जायेगी। अतः वस्तु-विभेद एकाधिकारी प्रतियोगिता का सबसे बुनियादी लक्षण है। वस्तु-विभेद उत्पन्न होने के

कई कारण हैं, यथा वस्तु की भौतिक विशेषताओं (जैसे—गुण, ट्रेडमार्क, रंग) में अन्तर होना, वस्तु के विषय की दिशाओं (जैसे—उधार सुविधा, नग्न आचरण) में अन्तर होना, एवं विज्ञापन एवं प्रचार के द्वारा क्रेताओं में वस्तु की श्रेष्ठता के विषय में विश्वास उत्पन्न करना ।

(४) नई फर्म उद्योग में प्रवेश करने के लिए स्वतन्त्र हैं यद्यपि उतनी नहीं जितनी कि व पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में होनी है । इस अर्धशाकृत कम स्वतन्त्रता का कारण यह है कि नई फर्म में वर्तमान फर्मों के ग्राहकों को तोड़ सकने की क्षमता होनी चाहिये और इस कार्य में उन्हें बहुत विज्ञापन करना पड़ता है, जिसके लिये बहुत पूँजी चाहिए । चूँकि नई फर्मों को प्रवेश की स्वतन्त्रता होनी है, इसलिये एकाधिकारी प्रतियोगिता में भी दीर्घकाल में प्रायः केवल सामान्य लाभ ही मिलता है ।

(५) चूँकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में वस्तुएँ पूर्णतः एक रूप नहीं होती हैं, इसलिये फर्मों में उच्च कीमत प्रतियोगिता होती है अर्थात् न केवल कीमत के आधार पर बरन् वस्तु के गुण, विषय की दशाओं और विज्ञान के आधार पर भी प्रतियोगिता होती है । उल्लेखनीय है कि गुण-प्रतियोगिता वस्तु के सम्बन्ध में हेरा-फेरी (Manipulation) करती है किन्तु विज्ञापन और विषय संबंधन उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त विशेषताओं से स्पष्ट है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता का न्यूनतम अपूर्ण रूप (The least imperfect form) है अर्थात् पूर्ण प्रतियोगिता के अधिक निकट है । एकाधिकार को, जो कि पूर्ण प्रतियोगिता से बहुत दूर होता है, अपूर्ण प्रतियोगिता का अधिकतम अपूर्ण रूप (The most imperfect form) है ।

अल्पाधिकार (Oligopoly)—

अल्पाधिकार को अर्थशास्त्री एकाधिकारी कम निश्चित रूप से परिभाषित करते हैं, क्योंकि प्रथमतः इसमें बाजार ढाँचों का एक बहुत विस्तृत क्षेत्र सम्मिलित होता है और दूसरे अल्पाधिकारी उद्योग के व्यवहार के विषय में निश्चित रूप से भविष्य बाणी नहीं की जा सकती है । अल्पाधिकार वह बाजार-स्थिति है जिसमें छोटे विक्रेताओं के मध्य प्रतियोगिता होती है । इस प्रकार, यह एकाधिकार से भिन्न है क्योंकि इसमें केवल एक ही विक्रेता या समूह होता है, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारी प्रतियोगिता से भी भिन्न है, क्योंकि इन दोनों में ही विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है ।

विशेषतायें—(१) विक्रेताओं का थोड़ा होना, जिसके तीन अभिप्राय हैं—प्रथमतः, थोड़े विक्रेता होने के कारण प्रत्येक विक्रेता कुल पूँति का एक बड़ा भाग प्रस्तुत करता है और चूँकि उसका पूँति के एक बड़े भाग पर नियन्त्रण होता है इसलिये वह वस्तु की कीमत को प्रभावित कर सकता है । दूसरे, विभिन्न विक्रेताओं के निर्णयों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, जिस कारण उनमें पारस्परिक निर्भरता होती है । ऐसी निर्भरता पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में नहीं पाई जाती है । प्रत्येक फर्म को निर्णय लेते समय अन्य फर्मों की प्रतिक्रिया को भी ध्यान में रखना पड़ता है । तीसरे, अन्य विक्रेताओं की प्रतिक्रियाओं के सम्बन्ध में विभिन्न मान्यतायें की जा सकती हैं, जिनका साधारणीकरण (Generalisation) करना एक दुष्कर कार्य है । अतः अल्पाधिकारी उद्योग का आचरण कैसा होगा इस विषय में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता ।

(२) लगभग एक रूप वस्तु या भेदित वस्तु होना, अर्थात्, अल्पाधिकारी या तो लगभग एक रूप वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं, जिस दशा में उनकी विशुद्ध अल्पाधिकारी (Pure oligopoly) कहा जाता है, अथवा भेदित वस्तु का उत्पादन करते हैं, जिस दशा में उनकी

भेदित अल्पाधिकारी (Differentiated oligopoly) कहते हैं। उल्लेखनीय है कि भेदित अल्पाधिकार एकाधिकारी प्रतियोगिता की ही एक विशेष स्थिति होनी है। अन्तर केवल इतना है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या अधिक होने से उन्हें इकट्ठे रूप में देखा जा सकता है किन्तु भेदित अल्पाधिकार में इनकी संख्या कम होने से उनकी-प्रतिप्रियाओं-को-मुगमना-पूर्वक समझा जा सकता है और वे अधिक महत्त्व भी रखती हैं।

(३) सीमित मूल्य नियन्त्रण, अर्थात् पारस्परिक निर्भरता के कारण अल्पाधिकारी का वस्तु के मूल्य पर नियन्त्रण सीमित होता है। उदाहरण के लिए, यदि अन्य कोई अल्पाधिकारी अपनी कीमत को घटा दे, तो प्रतियोगी फर्मों के याहक वहाँ से हटकर इसके पास आ जायेंगे, जिससे इसकी बिक्री बढ़ जायेगी। अतः बदले की कार्यवाही के रूप में प्रतियोगी फर्म अपनी कीमतों को पहली फर्म की अपेक्षा अधिक घटा देंगी। इस प्रकार, एक कीमत-युद्ध साधित जायेगा, जो सभी फर्मों के लिए हानिप्रद है। यही कारण है कि विभिन्न अल्पाधिकारी फर्में शान्ति बनाये रखने का यत्न करती हैं, जिसके लिए विभिन्न तरीके अपनाये जा सकते हैं और इन तरीकों के आधार पर विभिन्न प्रकार के अल्पाधिकारी संगठन बन जाते हैं। जब सब फर्में मिलकर कार्य करती हैं (अर्थात् पारस्परिक समझौते के आधार पर एक ही साथ कीमते घटानी या बढ़ानी हैं), तो लगभग एकाधिकारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

(४) फर्मों के प्रवेश और अहिर्गमन में बाधा होना, नई फर्मों के लिये प्रवेश अल्पाधिकार की दशा की भाँति असम्भव तो नहीं है परन्तु कठिन अवश्य होता है, क्योंकि उन्हें प्रारम्भ से ही अपनी स्थापना के लिये विशाल पूँजी विनियोग की आवश्यकता पड़ती है। कारण, अल्पाधिकारी फर्में संख्या में कम होने से प्रायः बड़ी होती हैं। फर्मों के लिये उद्योग को छोड़ना भी असह्य नहीं होना, क्योंकि उनकी काफी पूँजी उद्योग में फस चुकी होती है और जब तक शान्ति बनाये रखने के सभी तरीके समाप्त नहीं हो जाते वे उद्योग में ही बनी रहेंगी।

(५) अल्पाधिकारियों (विशेषतः भेदित अल्पाधिकारियों) द्वारा विभाजन और विक्रय सम्बन्धन पर बहुत धन व्यय किया जाता—जिस कारण सम्भावित प्रतियोगियों के प्रवेश को एक बड़ी सीमा तक रोका जा सकता है।

द्वि-अल्पाधिकार (Duopoly) —

द्वि-अल्पाधिकार अथवा द्व्यधिकार वह बाजार स्थिति है जिसमें दो विक्रेता होते हैं और दोनों एक ही वस्तु का विपणन करते हैं। वस्तु प्रायः एक रूप होती है, जिस कारण दोनों विक्रेताओं की वस्तुओं की एक ही कीमत होगी। एक-एक-वस्तुओं के दो विक्रेताओं वाली स्थिति को शुद्ध 'अल्पाधिकार' (Pure Duopoly) कहते हैं। यदि वस्तुओं में थोड़ा अन्तर है, तो कीमत में भी थोड़ा अन्तर हो सकता है। विशुद्ध द्वि-अल्पाधिकार भी, शुद्ध अल्पाधिकार के समान, कम ही पाया जाता है। उल्लेखनीय है कि द्व्यधिकार अल्पाधिकार का सरल संज्ञक है। इसमें हम उन समस्याओं की भाँती कर सकते हैं जो कि विनाद रूप में अल्पाधिकार में पाई जाती हैं। अल्पाधिकार के समान द्व्यधिकार में भी दोनों विक्रेताओं के मध्य पारस्परिक निर्भरता होती है। अतः द्वि-अल्पाधिकारी का मूल्य पर सीमित नियन्त्रण होता है और प्रायः समझौते की सम्भावना रहती है, जिसमें कीमत-स्थायित्व की प्रवृत्ति देखी जाती है। समझौते द्वारा वे वस्तु का मूल्य ऊँचा रखते हैं, बाजार को घायल में बाँट लेते हैं तथा अल्पिण लाभ कमाते हैं। कुछ वस्तु विभेद वाले द्व्यधिकार में अत्यधिक द्वि-अल्पाधिकारी का अपना बाजार होता है जिसमें उनकी स्थिति एकाधिकारी के सदृश होती है।

क्रेताओं की दृष्टि से बाजार-स्थितियाँ

ऊपर जिन बाजार स्थितियों का उल्लेख किया गया है वे सब विक्रेताओं से सम्बन्धित

हैं परन्तु बाजार-स्थितियों को क्रोताओं से भी सम्बन्धित किया जा सकता है, जैसे—जब क्रोताओं की संख्या पर्याप्त होती है, तो ऐसी दशा को क्रोता एकाधिकारी प्रतियोगिता (Monopsonistic Competition), जब क्रोताओं की संख्या बहुत अधिक हो, तो पूर्ण प्रतियोगिता (Perfect Competition), जब केवल एक क्रोता (और अनेक विक्रेता) होता है, तो क्रोता एकाधिकार (Monopsony), जब थोड़े क्रोता होते हैं, तो क्रोता अल्पाधिकार (Oligopsony) और जब केवल दो क्रोता होते हैं, तो द्वि-क्रोता अल्पाधिकार (Duopsony) कहते हैं।

पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता का अन्तर

पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता के मध्य निम्नांकित अन्तर है :—(१) पूर्ण प्रतियोगिता में क्रोताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, किन्तु अपूर्ण प्रतियोगिता में क्रोताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम (एकाधिकारी प्रतियोगिता) थोड़ी (अल्पाधिकार) अथवा केवल दो (द्वि अल्पाधिकार) होती है। (२) पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु एक रूप होती है किन्तु अपूर्ण प्रतियोगिता में सामान्यतः भेदित एकाधिकारी प्रतियोगिता में तो सदा भेदित किन्तु अल्पाधिकार एक रूप हो सकती है या भेदित। (३) पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक विक्रेता कीमत को ग्रहण करने वाला (Price Taker) होता है, कीमत निर्धारित करने वाला (Price Maker) नहीं। अपूर्ण प्रतियोगिता में वह एक सीमा तक मूल्य को प्रभावित कर सकता है। अल्पाधिकार में पारस्परिक निर्भरता के कारण मूल्य को प्रभावित करने की शक्ति सीमित होती है। हाँ, समझना होने की दशा में यह शक्ति बढ़ जाती है। (४) नई फर्मों का प्रवेश या पुरानी फर्मों का बहिर्गमन पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत ही सुगम होता है किन्तु एकाधिकारी प्रतियोगिता में सुगम होता है यद्यपि बहुत सुगम नहीं और अल्पाधिकार में कठिन होता है यद्यपि एकाधिकार की भाँति असम्भव नहीं। (५) क्रोताओं और विक्रेताओं को बाजार-दशाओं का पूर्ण प्रतियोगिता में पूरा ज्ञान होता है किन्तु अपूर्ण प्रतियोगिता में नहीं। (६) उत्पत्ति साधन पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत पूर्णतः गतिशील होते हैं (और इस कारण प्रत्येक साधन को सीमान्त उपज के बराबर पारितोषण मिलना है) लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता में बाधाएँ होती हैं। (७) जबकि पूर्ण प्रतियोगिता के अधीन प्रत्येक फर्म अनुभूततम आकार प्राप्त करने की चेष्टा करती है, अपूर्ण प्रतियोगिता में ऐसा नहीं करती, क्योंकि अनुभूततम आकार की प्राप्ति विस्तार द्वारा ही सकती है और विस्तार होने पर उपज बढ़ती है जिसे फिर कम कीमत पर बेचना पड़ेगा। (८) पूर्ण प्रतियोगिता में गैर-कीमत प्रतियोगिता के लिये कोई स्थान नहीं है लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता में है। (९) पूर्ण प्रतियोगिता कालनिक है किन्तु अपूर्ण प्रतियोगिता व्यावहारिक। (१०) जैसा कि हम अगले अध्यायों में दिखायेंगे, पूर्ण प्रतियोगिता में $AR=MR$ के होता है, किन्तु अपूर्ण प्रतियोगिता में $MR < AR$ ।

परीक्षा प्रश्न :

1. विभिन्न बाजार परिस्थितियों का वर्गीकरण कीजिये और प्रत्येक की विशेषताएँ संक्षेप में बताइये।
2. पूर्ण प्रतियोगिता एवं अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या अन्तर है? दोनों की तुलना कीजिये।
3. उन घटकों को उचित कीजिये जो कि एक बाजार में स्वतन्त्र प्रतियोगिता के कार्यवाहन में बाधा डालते हैं।

[सहायक संकेत — सबसे पहिले तो पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ बताइये और फिर उन कारणों को बताइये जिनसे अपूर्ण प्रतियोगिता उत्पन्न होती है।]

मूल्य के प्राचीन सिद्धान्त

(Older Theories of Value)

प्रारम्भिक—मूल्य अध्ययन का विकास

मूल्य का विचार मानव इतिहास में बहुत पुराना है। निश्चय है कि विनिमय के साथ-साथ मूल्य के विचार तथा मूल्य सम्बन्धी समस्याओं का भी अस्तित्व हुआ, किन्तु लगभग किसी भी प्राचीन लेखक ने मूल्य का समबद्ध तथा निश्चयपूर्वक अध्ययन नहीं किया है किन्तु एडम स्मिथ ने प्रथम बार मूल्य के निश्चय होने के विषय में अपने विचार रखे। स्मिथ के बाद प्रत्येक लेखक ने इस विषय में अपने विचार रखे जिससे हमारा मूल्य सम्बन्धी ज्ञान बढ़ा ही गया। मूल्य के तीन सिद्धान्त विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए—(I) श्रम सिद्धान्त (Labour Theory of Value), (II) उत्पादन व्यय सिद्धान्त (Cost of Production Theory), तथा (III) उपयोगिता सिद्धान्त (Utility Theory of Value)।

(I) मूल्य का श्रम-सिद्धान्त

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, श्रम-सिद्धान्त का प्रारम्भ स्मिथ से होता है, किन्तु इस सिद्धान्त की विस्तृत विवेचना तथा लोकप्रियता का श्रेय रिकार्डों को है और एक प्रकार से यह सिद्धान्त उन्हीं के नाम से सम्बन्धित किया जाना है। आगे चलकर प्रसिद्ध साम्प्रदायी लेखक काल मार्क्स तथा उनके अनुयायियों ने इस सिद्धान्त में कुछ सुधार करके एक बड़े मश तर्क इतका कर हों बदल दिया। यहाँ पर पहले हम मण्ड स्मिथ तथा रिकार्डों के विचारों का अध्ययन करेंगे। मार्क्स मार्क्स के विचारों को बाद में देखेंगे।

एडमस्मिथ का विचार—

एडम स्मिथ के मूल्य सम्बन्धी विचार निम्नलिखित हैं :—

(१) उपयोगीमूल्य एवं विनिमय मूल्य में भेद—एडम स्मिथ प्रारम्भ में उपयोगी मूल्य (Value-in-Use) तथा विनिमय मूल्य (Value in-Exchange) में भेद करते हैं। उपयोग मूल्य में उनका अन्तर्गत उद्योगिक वस्तु में है, जिसे प्राथमिक अर्थशास्त्र में हम उपयोगिता का नाम देते हैं। विनिमय मूल्य "वस्तु की दूसरी वस्तुओं को खरीदने की शक्ति" को कहते हैं। यह मूल्य उपयोगी मूल्य से केवल भिन्न ही नहीं होता, बल्कि उससे सम्बन्धित भी नहीं होता है।

(२) दो प्रकार की कीमतें—बाजार मूल्य एवं प्राकृतिक मूल्य—आगे चलकर स्मिथ ने कीमत का अध्ययन किया है। उन्होंने कीमत को दो प्रकार का बताया है :—प्रथम, वह कीमत जो साधारण व्यावसायिक जीवन को चलाने के लिए बाजार में खरीददारों तथा विक्रेताओं की मीटिंग्स द्वारा निश्चित होती है और बहुत तेजी से बदलती रहती है। इसका नाम स्मिथ ने "बाजार मूल्य" रखा। स्मरण रहे कि प्राथमिक बाजार मूल्य का विचार स्मिथ के विचार में बहुत कुछ भिन्न-जुगता है। किन्तु स्मिथ का विचार है कि बाजार मूल्य के अतिरिक्त एक और

प्रकार का मूल्य भी दृष्टिगोचर होता है, जिसे स्मिथ ने वास्तविक (Real) अथवा प्राकृतिक (Natural) कीमत का नाम दिया है। यह वास्तव में दीर्घकालीन मूल्य है।

(३) अथ ही वास्तविक मूल्य का कारण—स्मिथ का कथन है कि, “प्रत्येक वस्तु की वास्तविक कीमत उस व्यय के बराबर होती है, जो उस मनुष्य को करना पड़ता है, जो वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, यह वस्तु को प्राप्त करने का प्रयत्न तथा कष्ट है।”¹ स्पष्टीकरण के उद्देश्य से स्मिथ आगे लिखते हैं कि प्रत्येक वस्तु का प्रारम्भिक मूल्य अथम के रूप में दिया जाता है। “केवल अथम द्वारा ही सत्तार का समस्त धन आरम्भ में खरीदा जाता है।”² इस प्रकार वास्तविक मूल्य का कारण अथम है और इसकी माप वस्तु के उत्पन्न करने के अथम-व्यय के बराबर होती है। “अथम ही सभी वस्तुओं के विनिमय मूल्य की वास्तविक माप है।”³

रिकाडों का विचार—

रिकाडों का कहना है कि दीर्घकाल में किसी वस्तु का मूल्य उसमें लगे हुए अथम की मात्रा द्वारा निर्धारित होता है।⁴ अलग-अलग वस्तुओं को उत्पन्न करने में अथम की विभिन्न मात्राएँ लगानी पड़ती हैं और इसी के अनुसार उनके मूल्यों में अन्तर होता है। वस्तु का उपयोगी होना तो आवश्यक है, क्योंकि बिना उपयोगिता के न तो वस्तु की माँग होगी और न मूल्य ही, परन्तु उपयोगिता मूल्य का न तो कारण है और न उसकी माप ही। सत्तार में बहुत सारी वस्तुएँ ऐसी होती हैं, जिनकी उपयोगिता बहुत ही अधिक होती है, जैसे—पानी, हवा, भोजन इत्यादि। किन्तु इन वस्तुओं का विनिमय मूल्य बहुत कम होता है, क्योंकि इनके उपजाने में बहुत ही कम अथम का व्यय होता है। अतः रिकाडों का विचार है कि केवल अथम ही मूल्य का कारण है, अर्थात् किसी वस्तु में मूल्य इसी कारण होता है कि उसके उत्पन्न करने में अथमिक व्यय होता है और किसी वस्तु में स्थित मूल्य की माप उसे उत्पन्न करने में व्यय किये हुए अथम के बराबर होनी है। जिन वस्तुओं के उत्पादन में अधिक अथम अथवा कुशल अथम की आवश्यकता होती है, उनका मूल्य भी अधिक होता है। कई कारणों से रिकाडों का विचार सन्तोषजनक नहीं है :—

(१) रिकाडों इस बात को स्पष्ट नहीं करते कि अथम से उनका अभिप्राय किस प्रकार के अथम से है। साधारण अनुभव बताता है कि अथम में अनेक प्रकार की विभिन्नताएँ होती हैं :—जैसे, कुशल और अनुकुशल अथम में अन्तर होता है। प्रत्येक अथमिक एक निश्चित समय में समान अथवा एक जैसा ही काम नहीं करता। काम में मात्रा तथा गुण दोनों ही की दृष्टि से अन्तर होता है। अतः जब तक यह नहीं बताया जायगा कि कौन से अथमिक के अथम द्वारा मूल्य की माप होती है, तब तक अथम का सिद्धान्त अपूरा और अस्पष्ट ही रहेगा।

(२) उत्पत्ति में अथम के अतिरिक्त मृत्ति, पूँजी, साहस आदि भी सहायक होते हैं। यदि मूल्य अथम द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है, तो फिर इन साधनों का उत्पत्ति से क्या सम्बन्ध है ? सम्भवतः यदि ये साधन मूल्य को उत्पन्न नहीं करते, तो इनका अथम भी मूल्य नहीं होना चाहिए।

(३) कुछ वस्तुएँ ऐसी भी हैं, जिनके उत्पादन में बहुत अधिक अथम नहीं लगता,

1 Adam Smith *Wealth of Nations*.

2 *Ibid*.

3 “Labour, therefore, is the real measure of the exchange value of all commodities.”—*Ibid*, Book 1, Chapter V.

4 “This (labour) is really the foundation of the exchangeable value of all things”—Ricardo. *Principles of Political Economy and Taxation*, Chapter 1.

किन्तु फिर भी उनका मूल्य बहुत अधिक होता है, उदाहरणार्थ हीरे की कीमत का इसके उत्पादन पर व्यय किये हुए श्रम की मात्रा से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध नहीं होता ।

माक्स के मूल्य सम्बन्धी विचार—

सुप्रसिद्ध साम्यवादी लेखक तथा वैज्ञानिक समाजवाद (Scientific Socialism) के जन्मदाता काले माक्स मूल्य के श्रम सिद्धान्त के ही समर्थक हैं । सच तो यह है कि समाजवाद का आधार ही मूल्य का श्रम सिद्धान्त है । माक्स का विचार है कि केवल श्रम ही मूल्य का जन्मदाता है, इसलिए श्रमिक ही कुल उत्पाद किये हुए मूल्य का अधिकारी है । परन्तु पूँजीवाद में पूँजी पर, जो उत्पत्ति का एक प्रमुख साधन बन जाता है, श्रमिक का अधिकार नहीं होता है । श्रमिक को अपनी श्रम देने के लिए बाध्य होना पड़ता है और इसी कारण वह अपने श्रम द्वारा उत्पाद किये हुए कुल मूल्य को प्राप्त नहीं कर पाता है । मूल्य का एक महत्वपूर्ण भाग पूँजीपति की जेब में चला जाता है और इस प्रकार श्रमिक का शोषण होना है, क्योंकि उसे अपने श्रम का पूरा फल नहीं मिल पाता ।

अपनी पुस्तक कैपिटल (Das Capital) में माक्स लिखते हैं—“वस्तुओं के विनिम्न मूल्य को एक चीज के सन्दर्भ में व्यक्त करना सम्भव होना चाहिए जो कि उन सब में स्थित हो..... । एक उपयोगी वस्तु का मूल्य केवल इसलिए होता है कि प्रसूत मानव श्रम उसमें विद्यमान होता है । तब फिर इस मूल्य के परिमाण को किस प्रकार नापा जा सकता है ? स्पष्ट है कि वह मूल्य उत्पाद करने वाली चीज (अर्थात् श्रम) की मात्रा के अनुसार जोकि वस्तु में विद्यमान मापा जा सकता है । परन्तु श्रम की मात्रा की माप अवधि में होती है और श्रम-अवधि के मान सप्ताह, दिन और घण्टे होते हैं ।”¹ इस सम्बन्ध में माक्स 'सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम, वा विचार उपस्थित करते हैं । 'सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम' एक प्रोसत प्रकार का श्रम है, जोकि एक अनुश्रम अथवा साधारण श्रमिक द्वारा सम्पन्न किया जाता है । 'अधिक कुशल श्रमिकों' अथवा 'बहुत ही प्रकुशल श्रमिकों के श्रम' को 'समाज के लिए आवश्यक श्रम' में परिवर्तित किया जा सकता है । उदाहरणस्वरूप, यदि एक कुशल श्रमिक अपने ही समय में प्रकुशल श्रमिकों में ६ गुना काम करता है तो उसका श्रम समाज के लिए आवश्यक श्रम को ६ इकाइयों के बराबर होगा ।²

ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि माक्स का स्पष्टीकरण रिकार्डों और एडम स्मिथ से बहुत भ्रष्टा है । उनका कथन है कि “मूल्य केवल वस्तु के भीतर छिपी हुई श्रम-अवधि (Labour-time) को सूचित करता है । किसी भी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन में लगे

¹ “The exchange value of commodities must be capable of being expressed in something common to them all.....A useful article has value only because human labour in the abstract has been embodied or materialised in it. How, then, is the magnitude of this value to be measured ? Plainly, by the quantity of the value creating substance, the labour contained in the article. The quantity of labour, however, if measured by duration, and labour-time, in its turn, finds its standard in weeks, days and hours”
—Karl Marx : *Das Capital*, Volume III, p. 773.

² “We see then that which determines the magnitude of the value of any commodity is the amount of labour-time socially necessary for its production.”—*Ibid.*, Vol. I, Chapter I.

हुए श्रम की मात्रा और उसकी उत्पादकता पर निर्भर होता है।¹ कार्ल मार्क्स इस बात से इन्कार नहीं करते कि वस्तु के उत्पादन में श्रम के अतिरिक्त उत्पत्ति के अन्य साधन भी काम में आते हैं, परन्तु इस विषय में उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कहीं हैं, जिनसे उनकी विद्वता तथा तीक्ष्ण वृद्धि का पता चलता है :—

(१) उनका कहना है कि उत्पत्ति के साधनों का मूल्य उत्पन्न की हुई वस्तु के मूल्य में सम्मिलित हो जाता है, किन्तु उत्पत्ति के साधन उपज को केवल उतना ही मूल्य प्रदान करते हैं, जितना कि वे उत्पादन क्रिया में व्यय कर देते हैं।²

(२) कच्चे माल, ईंधन इत्यादि का मूल्य उनके उत्पन्न करने के श्रम के रूप में प्रत्यक्ष रूप से उपज में चला जाता है, जबकि मशीनों तथा अन्य इसी प्रकार के साधन अपनी घिसावट या अवक्षयणता (Depreciation) के बराबर मूल्य उपज में परिवर्तित करते हैं।

(३) परन्तु भूमि के अतिरिक्त अन्य सभी साधनों का मूल्य उनको उत्पन्न करने में लगाई हुई श्रम-प्रवधि के बराबर होता है³ और इस प्रकार इनके द्वारा प्रदान किया हुआ मूल्य भी श्रम में ही नापा जा सकता है। आधुनिक अर्थशास्त्र में भी कम से कम पूँजी को तो मूल-कालीन श्रम का सचित रूप ही माना गया है और इस प्रकार श्रम और पूँजी में केवल इतना अन्तर रह जाता है कि एक वर्तमान श्रम है और दूसरा भूतकालीन। इस प्रकार, भूमि के अतिरिक्त उत्पत्ति के अन्य साधन मूल्य के श्रम-सिद्धान्त में कोई विशेष वाधा उपस्थित नहीं करते। उन सबका मूल्य श्रम में नापा जा सकता है।

(४) भूमि के विषय में मार्क्स का मत महत्वपूर्ण है। भूमि से मार्क्स का अभिप्राय उन सब उत्पत्ति के साधनों से है जो प्रकृति मनुष्य की महायत्ना के बिना ही प्रदान करती है :— पृथ्वी, हवा, पानी, पृथ्वी के भीतर के खनिज पदार्थ, जंगलों में मिलने वाली लकड़ी इत्यादि। ऐसी वस्तुएँ उपज को कुछ भी मूल्य प्रदान नहीं करती हैं।⁴ इस प्रकार कुल मूल्य श्रम द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है।

मार्क्स और आधुनिक विचार—धीमती जोन रोबिन्सन का कथन है, "आधुनिक अर्थशास्त्री मार्क्स पर बिना ध्यान दिये ही बहुत सी दिशाओं में उन्ही निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, जो मार्क्स ने बहुत पहले ही खोज निकाले थे।"⁵ इस बात को हम यों स्पष्ट कर सकते हैं—आधुनिक अर्थशास्त्र में भूमि को उत्पत्ति का साधन नहीं माना जाता है और इस प्रकार भूमि द्वारा उपज को कोई भी मूल्य प्रदान नहीं किया जाता। साथ ही, इसमें भी कोई सन्देह नहीं है कि श्रम और पूँजी में केवल समय का ही अन्तर है, जिसे हम मौलिक नहीं कह सकते हैं। साहस को भी बहुत से लेखक एक विशेष प्रकार का मानसिक प्रयत्न ही कहते हैं और इस प्रकार जिन तीन साधनों द्वारा उपज को मूल्य प्रदान किया जाना है, अर्थात् श्रम, पूँजी और साहस, वे सब किसी न किसी रूप में श्रम ही हैं। चौथा साधन, जिसे भूमि कहते हैं, यद्यप्य वे उत्पादन में सहायक नहीं होना और इस प्रकार आधुनिक अर्थशास्त्र एक दूसरी रीति से मार्क्स की पुष्टि ही करना है, उसका विरोध नहीं करता।

मार्क्स के सिद्धान्त की आलोचना—आधुनिक अर्थशास्त्र की दृष्टि से मार्क्स के सिद्धान्त में घमिम त्रुटियाँ हैं :—

¹ Karl Marx : *Capital*, Vol I, Chapter I

² *Ibid* Volume I, p 180

³ *Ibid*, p 185-86.

⁴ *Ibid*, Volume I, p. 185-86

⁵ Juan Robinson : *An Essay on Marxian Economics*, p 5

(१) भावसं का सिद्धान्त माँग और पूर्ति दोनों के महत्त्व का उल्लेख नहीं करता—
वे उपयोगिता को कुछ भी महत्त्व नहीं देते हैं, जिसके कारण माँग और उमके नियमों की विवे-
चना न होने से मूल्य का सिद्धान्त अधूरा रह जाता है ।

(२) मूल्य के निर्धारण की विधि के बारे में अस्पष्ट—भावसं के विषय में एक बात
बहुधा भुला दी जाती है । भावसं केवल यह बतलाते हैं कि मूल्य कितना होना चाहिए, वे यह
नहीं बताते कि मूल्य किस प्रकार निर्धारित होना है । आलोचकों का विचार है कि एक सच्चे
वैज्ञानिक की भाँति भावसं को यह बताना चाहिए था कि मूल्य वषार्थ में किस प्रकार निर्धारित
होता है ।

(३) निदर्श्यों की प्रारम्भ में ही मान कर चलना—भावसं अपने मूल्य के सिद्धान्त में
ठीक उसी बात को मान लेते हैं, जिसे वे बाद में सिद्ध करना चाहते हैं, अर्थात्, मूल्य के सिद्धान्त
में पहले ही परोक्ष रूप से इस बात को मान लिया गया है कि भूमि और पूँजी में निजी सम्पत्ति
का अन्त होना चाहिए । किन्तु इस विषय में इनका कहना पर्याप्त होगा कि अर्थशास्त्र तथा उमके
नियमों की विवेचना करने में भावसं का उद्देश्य सिद्धान्तिक नहीं था, उनका समस्त भुवाव व्याव-
हारिकता की ओर था ।

(II) उत्पादन-व्यय का मूल्य-सिद्धान्त

सिद्धान्त का कथन संक्षेप में—

कुछ लेखकों का मत है कि विनिमय का मूल्य वस्तु के उत्पादन-व्यय द्वारा निर्धारित
रिया जाता है । इस प्रकार व्यय में श्रम की लागत, कच्चे माल का दाम, पूँजी का ब्याज और
घिसावट का व्यय तथा सामान्य लाभ सम्मिलित होते हैं । इन लोगों का कथन है कि यदि एक
वस्तु का उत्पादन-व्यय दूसरी से दो गुना है, तो उसका मूल्य भी दूसरी वस्तु के मूल्य से दुगुना
होना आवश्यक है, अन्यथा इस वस्तु के उत्पन्न करने में कुछ भी लाभ नहीं होगा । अर्थात् वस्तु
का मूल्य उसके उत्पादन-व्यय का अनुपाती होता है ।

यदि किसी वस्तु का मूल्य उत्पादन-व्यय से अधिक है, तो उसका उत्पादन विवेक
रूप से लाभदायक होगा और ऐसी दशा में प्रतिद्वन्द्वी उत्पादकों की प्रतियोगिता के कारण वस्तु
के दाम नीचे गिरेंगे । वस्तु की अधिक मात्रा में उत्पात्ति की जायगी, जिससे पूर्ति बहुत अधिक हो
जाने के कारण मूल्य कम हो जायगा । इसके विपरीत, यदि मूल्य उत्पादन-व्यय में कम है, तो
वस्तु का उत्पन्न करना लाभदायक न होगा, इसलिए पूर्ति की मात्रा कम हो जायगी, जिसके
फलस्वरूप वस्तु का मूल्य ऊपर उठेगा और अन्त में वह उत्पादन-व्यय के बराबर हो जायगा ।
इस प्रकार, दीर्घकालीन मूल्य में उत्पादन-व्यय के बराबर हो जाने की प्रवृत्ति होती है ।

ऐतिहासिक विवेचन—

(१) इस सिद्धान्त का उल्लेख सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने रिया था, परन्तु एडम
स्मिथ के विचार में मुख्यतया श्रम और कच्चे माल की लागत ही उत्पादन-व्यय में सम्मिलित
होती है । (२) प्रायः अन्तर सीनियर (Senior) ने एक और प्रकार की लागत को इस व्यय
में जोड़ दिया । सीनियर का विचार था कि त्याग (Abstinence) भी उत्पात्ति का एक माध्यम
है, बिना इसके पूँजी का संचय नहीं हो सकता । भाग्य ही, त्याग का मूल्य भी होता है, जिसे हम
ब्याज का नाम देते हैं । इस प्रकार, उत्पात्ति का तीसरा साधन पूँजी की लागत भी उत्पादन व्यय
में सम्मिलित हो जाती है । (३) बाद में मिस न जागिस को भी उत्पात्ति का एक माध्यम मान
रिया और उमके सम्मिलित लागत को उत्पादन-व्यय में जोड़ दिया । इस प्रकार उत्पादन व्यय
में उत्पात्ति के चारों माध्यमों का लागत को सम्मिलित रिया जाता है । प्रायः विचारों के
इतिहास में बहुत दिनों तक मिन का नाम बहुत ऊँचा रहा है । स्वयं मिन का विचार था कि

मूल्य के सिद्धान्त को उन्होंने उसकी अन्तिम सीमा तक पहुँचा दिया था। वे लिखते हैं—“सौभाग्य से अब मूल्य के नियमों में ऐसी कोई भी बात शेष नहीं रह गई है, जिसकी वर्तमान अवस्था भविष्य में लेखकों की स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता पड़े, इस विषय का सिद्धान्त पूर्णतया सम्पूर्ण है।”¹

उत्पादन-व्यय सिद्धान्त की विशेषताएँ—

(१) ध्यानपूर्वक देखने से पता चला है कि यह सिद्धान्त मूल्य के अन्तः सिद्धान्त पर सुधार है, क्योंकि मूल्य को भूमि, अथवा, पूँजी तथा साहस चारों साधनों की संयुक्त लागत के बराबर बनाया गया है।

(२) प्रारम्भ में इस सिद्धान्त में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि किस प्रकार का उत्पादन-व्यय तथा कौन-सी फर्म का उत्पादन-व्यय मूल्य को निश्चित करता है। लगभग सभी प्राचीन लेखक पूर्ण प्रतियोगिता की दशा का अध्ययन करते हैं, जिससे किसी उद्योग विशेष में अनेक फर्म होती हैं और उनमें से प्रत्येक के उत्पादन-व्यय भिन्न-भिन्न होते हैं। साथ ही, किसी भी फर्म का उत्पादन-व्यय तीन प्रकार का हो सकता है, अर्थात् कुल, औसत और सीमान्त। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि मूल्य-निर्धारण में केवल सीमान्त व्यय ही महत्वपूर्ण होता है। प्रतिनिधि फर्म के विचार द्वारा इस बात का भी निर्णय हो जाता है कि मूल्य किस फर्म के उत्पादन-व्यय द्वारा निर्धारित होता है।

(३) अमेरिकन अर्थशास्त्री कैरे (Carcy) तथा इटली के प्रसिद्ध लेखक फेरारा (Ferrara) ने यह बात भी स्पष्ट कर दी है कि किसी समय विशेष में किसी वस्तु का मूल्य उसके प्रारम्भिक उत्पादन-व्यय द्वारा नियत नहीं होता, बल्कि उसके विश्वी के समय पुनरुत्पादन व्यय (Cost of reproduction) द्वारा निश्चित होता है। पुनरुत्पादन विधि तथा उत्पत्ति के साधनों के मूल्य में समय के अनुसार महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं, जिससे भविष्य का उत्पादन-व्यय बदलना रहता है। अतः भविष्य के मूल्य में, उत्पादन-व्यय के इस प्रकार बदलने के कारण कमी या वृद्धि होती रहती है।

आलोचनाएँ—

(१) केवल पूँति पक्ष पर ही बल देना—मूल्य का यह सिद्धान्त अपूर्ण है, क्योंकि यह हमें मूल्य सिद्धान्त की केवल एक ही दशा का ज्ञान देता है। मूल्य पर माँग और पूँति दोनों का समान अधिपतित्व होता है और उत्पादन व्यय केवल पूँति को ही प्रभावित करता है, माँग पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। वास्तव में उत्पादन-व्यय प्रकेले ही किसी व्यक्ति को मूल्य प्रदान नहीं कर सकता। मूल्य होने के लिए उपयोगिता का होना भी आवश्यक है। उदाहरण-स्वरूप, यदि एक विशाल मशीन चार लाख रुपये की लागत पर उत्पन्न की जाती है, किन्तु इसकी उपयोगिता कुछ भी नहीं है, तो इसका विनिमय का मूल्य भी कुछ नहीं होगा। क्ले (Clay) के अनुसार, “जिस देश में सदा उत्पादन-व्यय के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य निश्चित होगा, वह देश उद्योगपतियों के लिए स्वर्ग हो जायगा, क्योंकि उन्हे अपनी मलतियों के लिए कभी भी दण्ड नहीं मिलेगा। यदि हम उपयोगिता पर विचार नहीं करते हैं, तो हम अपनी समस्या को अधूरी छोड़ देते हैं।”²

¹ “Happily, there is nothing in the law of value which remains for the present or any future writer to clear up; the theory of the subject is complete”—J. S Mill

² Clay : *Economics for the General Reader*, p 268.

(२) अल्पकालीन मूल्य-निर्धारण के लिए बेकार—जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, अल्पकाल में पूँति तथा उत्पादन-व्यय मूल्य-निर्धारण में बहुत ही कम महत्त्व रखते हैं, अतः यह सिद्धान्त अल्पकालीन मूल्य के निर्धारण के लिए बेकार है ।

(३) उत्पादन-व्यय और मूल्य की पारस्परिक निर्भरता—उत्पादन-व्यय तथा मूल्य का सम्बन्ध, 'कारण' तथा 'परिणाम' का सम्बन्ध नहीं है, वरन् दोनों में परस्पर-निर्भरता का सम्बन्ध है । जिस प्रकार मूल्य पर उत्पादन-व्यय के घटने-बढ़ने का प्रभाव पड़ता है, ठीक उसी प्रकार मूल्य के घटने-बढ़ने से भी उत्पादन-व्यय कम या अधिक हो जाता है । यदि माँग बढ़ जाने के कारण मूल्य बढ़ जाय तो दीर्घकाल में पूँति भी बढ़ जायगी और पूँति के बढ़ जाने से उन्नति ह्रास नियम के कार्यशील होने के कारण उत्पादन-व्यय भी बढ़ जायगा ।

(४) पुनरुत्पादन-व्यय महत्त्वपूर्ण नहीं—पुनरुत्पादन-व्यय का मूल्य पर प्रत्यक्ष रूप से बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है । केवल उसी दशा में जबकि वस्तु के ग्राहक बिना किसी विशेष कष्ट के नई पूँति की प्रतीक्षा कर सकते हैं, पुनरुत्पादन-व्यय का मूल्य पर प्रभाव पड़ता है । मार्शल का निम्न कथन कितना सही है—“दुश्मनो द्वारा घेरे हुए शहर में खाने की वस्तुओं की कीमत तथा उनके पुनरुत्पादन-व्यय में कुछ भी सम्बन्ध नहीं हो सकता है, इसी प्रकार एक दुखार-ग्रस्त शीप में कुनीन का भी हाल होगा……”¹

(III) मूल्य का उपयोगिता-सिद्धान्त

मूल्य-सिद्धान्त संक्षेप में—

इस सिद्धान्त के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता ही उसके मूल्य को निश्चित करती है । सिद्धान्त का मुख्य आधार यह है कि उपयोगिता ही मूल्य को जन्म देती है, क्योंकि मूल्य केवल उसी वस्तुओं का होता है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं । जो वस्तुएं हमारी किसी भी आवश्यकता को पूरा नहीं करती हैं, उनका हम मूल्य देने की भी तैयार नहीं होते । साथ ही, जैसे ही किसी वस्तु की उपयोगिता कम या अधिक होती है वैसे ही हम उनके लिए कम या अधिक मूल्य देने के लिए तैयार हो जाते हैं । इस सिद्धान्त के अनुसार अधिक उपयोगी वस्तुओं का मूल्य भी अधिक होता है । इस प्रकार यह सिद्धान्त हमें यह बताता है कि उपयोगिता मूल्य का कारण तथा उसकी माप दोनों है ।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण—

उपयोगिता का विचार अर्थशास्त्र में बहुत पुराना है, परन्तु इस दिशा में इटैलियन अर्थशास्त्री कान्टोलिस्स (Condillacs) ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया था । उपयोगिता सिद्धान्त में प्रसिद्ध दार्शनिक मेन्जर बेन्थम (Bentham) का प्रभाव विशेष रूप से स्पष्ट है, परन्तु उपयोगिता सम्बन्धी अध्ययन में ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्रियों (Austrian Economists) का कार्य विशेष रूप से सराहनीय है । गोसन (Gossen), मेन्जर (Karl Mengor) वीजर (Wieser) तथा बोहम-बावर्क (Bohm Bawerk) ने उपयोगिता को ही अपनी आर्थिक विवेचना का आधार बनाया । इङ्ग्लैंड में जेवन्स (Jevons) तथा अमेरिका में क्लार्क (J. B. Clark) और पेट्टेन (Petten) ने भी इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है ।

जब हम यह कहते हैं कि मूल्य की माप उपयोगिता में होती है, तो हमारे कथन में एक प्रकार की मरुतटता रहती है, क्योंकि उपयोगिता कुन, अतीत भयवा सीमान्त हो सकती है । इस सम्बन्ध में गोसन तथा जेवन्स का विचार है कि मूल्य उपयोगिता के अन्तिम अणु

¹ Marshall : Principles of Economics, Book V, Chapter VII.

(Final Degree of Utility) द्वारा निश्चित किया जाता है। स्मरण रहे कि उपयोगिता के अन्तिम अंश से इन लोगों का वही अभिप्राय है, जो सीमान्त उपयोगिता से होता है और सीमान्त उपयोगिता उपभोग की अन्तिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को सूचित करती है। उपभोक्ता वस्तु का मूल्य उससे मिलने वाली सीमान्त उपयोगिता के अनुसार ही देने का प्रयत्न करता है और इस प्रकार कीमत सीमान्त उपयोगिता की अनुपाती होती है।

आलोचनायें—

मूल्य का यह सिद्धान्त भी उत्पादन-व्यय के सिद्धान्त की भांति अशुद्ध है। इसकी प्रमुख आलोचनायें निम्न प्रकार हैं :—

(१) मूल्य माँग तथा पूर्ति दोनों के द्वारा निश्चित होता है। उपयोगिता केवल माँग को ही प्रभावित करती है और माँग की मात्रा माघारणतया सीमान्त उपयोगिता द्वारा निश्चित होती है। किन्तु केवल उपयोगिता के होने से ही किसी वस्तु को मूल्य प्राप्त नहीं हो जाता। उसकी पूर्ति की मात्रा सीमित होना आवश्यक है। बहुत उपयोगी वस्तु भी यदि असीमित मात्रा में उपलब्ध है, तो उसका कुछ भी मूल्य न होगा। इस सिद्धान्त में सबसे बड़ा दोष यह है कि यह केवल माँग की विवेचना करता है और पूर्ति की समस्या पर कुछ भी ध्यान नहीं देता।

(२) अनुभव हमें बताता है कि मूल्य बहुधा उपयोगिता का अनुपाती नहीं होता। पानी, हवा इत्यादि वस्तुओं की उपयोगिता हीरे, सोने आदि से बहुत अधिक होती है परन्तु इनका मूल्य बहुत ही कम होता है, क्योंकि इनकी पूर्ति की मात्रा अधिक है।

(३) उपयोगिता तथा मूल्य में पारस्परिक निर्भरता—इस विषय में एक कठिनाई यह है कि जिस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि मूल्य सीमान्त उपयोगिता पर निर्भर होता है ठीक उसी प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि स्वयं सीमान्त उपयोगिता भी मूल्य के द्वारा निश्चित होती है। मूल्य के घटने से वस्तु का उपयोग बढ जाना है, जिसके कारण उससे मिलने वाली सीमान्त उपयोगिता भी घट जाती है। इस प्रकार, उपयोगिता को मूल्य का कारण कहा जाय या मूल्य को उपयोगिता का, इसका निर्णय कठिन होता है।

(४) एक ही वस्तु की उपयोगिता एक ही समय पर विभिन्न मनुष्यों के लिए तथा विभिन्न समयों पर एक ही मनुष्य के लिए अलग-अलग होती है। इस प्रकार यह कहना कठिन होता है कि किस मनुष्य को प्राप्त होने वाली तथा किस समय की उपयोगिता मूल्य की माप होती है।

(५) जैसा कि उपभोग स्वयं में देल चुके हैं, उपयोगिता की कोई निश्चित माप सम्भव नहीं है और इसलिए यदि मूल्य को उपयोगिता में मापते हैं, तो मूल्य भी अनिश्चित ही रहेगा।

परोक्षा प्रश्न :

१. "रिकाडों और उसके अनुयायियों के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य उत्पादन लागत द्वारा निर्धारित होता है किन्तु जेवन्स और उसके मनानुयायियों के अनुसार सीमान्त उपयोगिता के द्वारा।" इसमें से कौन-सा मत सही है ?

अथवा

किसी वस्तु के मूल्य-निर्धारण पर उपयोगिता और उत्पादन-व्यय के प्रभाव की विवेचना कीजिये।

[सहायक सूक्त :—सर्वप्रथम रिकाडों के इस दृष्टिकोण की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिये कि मूल्य उत्पादन-लागत द्वारा निर्धारित होता है। तत्पश्चात् जेवन्स के सीमान्त-उपयोगिता-दृष्टिकोण की आलोचना सहित व्याख्या करनी चाहिए। अन्त में मार्शल के दृष्टिकोण को बताते हुए यह निष्कर्ष निकालिये कि वस्तु का मूल्य उपयोगिता (अर्थात् माँग) और उत्पादन व्यय (अर्थात् पूर्ति) दोनों के द्वारा निर्धारित होता है।]

२. मूल्य-निर्धारण के विभिन्न सिद्धान्तों को जाँचिये और यह बताइये कि इनमें से कौन-सा सिद्धान्त स्वीकार करने योग्य है ?

मूल्य का सामान्य सिद्धान्त

(General Theory of Value)

प्रारम्भिक—

प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक विवेचन के लिए कुछ अवास्तविक एवं असाधारणिक कल्पनायें की हुई थीं, जिनमें से पूर्ण प्रतियोगिता की विद्यमानता एक है। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य कैसे निर्धारित होता है इस विषय में उनमें बहुत मतभेद था। मुख्यतः दो विचारधारायें प्रचलित थी—एडम स्मिथ-रिकाडो दृष्टिकोण, जिसके अनुसार वस्तु का मूल्य उसकी उत्पादन-लागत पर निर्भर होता है, और जेक्स-मालरस दृष्टिकोण, जिसके अनुसार वस्तु का मूल्य उसकी उपयोगिता पर निर्भर करता है, उत्पादन-लागत पर नहीं। इस मतभेद को प्रो० मार्शल ने समझाया किया, उन्होंने कहा कि दोनों विचारधारायें एक-पक्षीय हैं, क्योंकि वस्तु का मूल्य उत्पादन लागत (अर्थात् पूर्ति) और उपयोगिता (अर्थात् माँग) दोनों के द्वारा, समुक्त रूप में निर्धारित होता है, इनमें से किसी एक ही के द्वारा नहीं। किन्तु स्मरण रहे कि प्रतियोगिता की दृष्टि से बाजार कई प्रकार का होता है—पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार एवं एनाधिकार वाला बाजार। अलग-अलग बाजारों में मूल्य के निर्धारण की रीतियों की कुछ विशेषताएँ हैं। प्रस्तुत अध्याय में मूल्य-निर्धारण के सामान्य सिद्धान्त पर प्रकाश डाला गया है।

मूल्य-निर्धारण का माँग-पूर्ति का सिद्धान्त

वस्तु विशेष की कीमत उस बिन्दु पर निश्चित होगी जहाँ पर कि उसकी माँग और पूर्ति दोनों बराबर या समन्वित हो जायें। इस प्रकार से निश्चित हुई कीमत को समन्वित या साम्य कीमत (Equilibrium Price) कहते हैं। अन्य शब्दों में, समन्वित कीमत वह है जिस पर कि वस्तु की मात्रा जो कि विक्रेता बेचने को इच्छुक है उस मात्रा के बराबर है जो कि क्रेता खरीदना चाहते हैं। यह वह मूल्य है जोकि बाजार को साफ कर देता है। नीचे हम यह विस्तारपूर्वक कि माँग और पूर्ति की शक्तियाँ किस प्रकार प्रभावशील होकर कीमत को निर्धारित करती हैं।

माँग की शक्ति (माँग-कीमत)—

बाजार में प्रत्येक वस्तु का मूल्य उस वस्तु की माँग और पूर्ति द्वारा निश्चित होता है। एक और तो वस्तुओं के खरीदने वाले होते हैं, जो अपनी आवश्यकता, श्रम-शक्ति, रक्षिणादि के अनुसार वस्तु को खरीदते हैं एवं दूसरी ओर वस्तु के बेचने वाले, जो अपनी लागत के अनुसार वस्तु की भिन्न-भिन्न मात्राएँ बेचने के लिए प्रस्तुत करते हैं। यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि माँग सदा कीमत से सम्बन्धित होता है। माँग की अनुसूची (Demand Schedule) के देखने से हमें पता चल सकता है कि बाजार में किस कीमत पर कितनी माँग होगी। दूसरे शब्दों में, हमें यह पता चल जाता है कि किसी निश्चित मात्रा में वस्तु किस दामो पर खरीदी जाती है। माँग का नियम बताता है कि साधारणतया खरीदने वालों की संख्या ऊँचे दामो पर कम होती है और नीचे दामो पर अधिक। अधिक इकाइयाँ बेचने के लिए बहुधा यह आवश्यक होता

है कि दामों को कम किया जाय। एक निश्चित माँग जिस कीमत पर होती है उस कीमत को हम "माँग कीमत" (Demand Price) कहते हैं। माँग की मात्रा बढ़ने के साथ-साथ माँग-कीमत साधारणतः घटती जाती है। कुछ वस्तुओं में इसके घटने की गति अधिक होती है और कुछ में कम। वास्तव में, माँग की कीमत के घटने का वेग वस्तु की माँग की लोच पर निर्भर होता है। अधिक लोच की दशा में माँग की कीमत में अधिक तेजी के साथ परिवर्तन होते हैं।

पूति की शक्ति—(पूति-कीमत)

ठीक इसी प्रकार प्रत्येक इकाई के लिए एक "पूति-कीमत" भी होती है। किसी वस्तु की पूति-कीमत उस कीमत के बराबर होती है जिस पर बेचने वाला उस इकाई को बेचने के लिए तैयार होता है। निश्चय है कि प्रत्येक बेचने वाले का उत्पादन-व्यय समान नहीं होता, इसलिए वस्तु की भिन्न-भिन्न मात्राओं की पूति-कीमत में अन्तर होता है। पूति का नियम हमें बताना है कि ऊँचे दामों पर पूति की मात्रा अधिक होती है और दामों के गिरने के साथ-साथ पूति की मात्रा कम होनी जाती है। इसी बात को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि पूति की मात्रा घटने के साथ-साथ पूति-मूल्य घटता जाता है। पूति की अनुपूरुषि पर दृष्टि टाँपने से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है। अधिक पूति के साथ-साथ कीमत किस तेजी से घटती है अथवा कम पूति के साथ-साथ पूति-मूल्य में किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, यह पूति की लोच (Elasticity of Supply) पर निर्भर है। जिन वस्तुओं की पूति अधिक लोचदार होती है, उनके पूति-मूल्य में छोटी तथा अधिक वेग से परिवर्तन होते हैं और इसके विपरीत, जिन वस्तुओं की पूति बेलोच होती है उनके पूति-मूल्य में कम परिवर्तन होते हैं।

मूल्य-निर्धारण माँग और पूति के मन्तुलन द्वारा—(साम्य कीमत)

प्रत्येक ग्राहक साधारणतया इस बात का प्रयत्न करता है कि कम से कम कीमत पर वस्तु को खरीद ले। दूसरी ओर, प्रत्येक विक्रेता अपनी वस्तु की अधिक से अधिक कीमत प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार, खरीदने वालों और बेचने वालों में एक प्रकार की खीचातानी होती है। इस खीचातानी में एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। ग्राहक खाली हाथ लौटना नहीं चाहता और विक्रेता यथासम्भव वस्तु को बेचना चाहता है। वस्तु की कीमत ग्राहकों और विक्रेताओं की इस खीचातानी द्वारा निर्धारित होती है। मक्षेप में, एक ओर तो माँग की शक्ति होती है और दूसरी ओर पूति की। ये दोनों शक्तियाँ मूल्य को विपरीत दिशाओं में खींचती हैं और अन्त में मूल्य एक निश्चित बिन्दु पर घटि टिकता है।

यह दशा, जिनमें माँग और पूति की शक्तियाँ एक-दूसरे के बल को इस प्रकार दण्ट कर देती हैं कि स्थिर या स्थैतिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, 'साम्य की दशा' कहलाती है। साम्य की दशा में माँग और पूति की मात्राएँ बराबर हो जाती हैं, अर्थात् जितनी किसी वस्तु की माँग होनी है उतनी ही उतनी पूति भी होनी है। यह उभी दशा में सम्भव है, जबकि माँग और पूति की कीमतेँ समान हों। ऐसी दशा में उस माँग की कीमत वाला कोई भी ग्राहक निराश नहीं लौटेगा और न ही उस पूति के मूल्य पर बेचने वाले किसी विक्रेता के पास माल बिना बिके रहेगा।

उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण—

उदाहरण द्वारा यह बात भली प्रकार समझ में आ जायेगी। मान लीजिये कि विनि-

मय की जाने वाली वस्तु कपडा है, जिसकी माँग और पूर्ति की अनुसूचियाँ (अथवा सारणियाँ) निम्न प्रकार हैं—¹

माँग एवं पूर्ति-अनुसूचियाँ

माँग की अनुसूचि		पूर्ति की अनुसूचि	
कीमत प्रति मीटर (रुपये में)	माँग की मात्रा (मीटर में)	कीमत प्रति मीटर (रुपये में)	पूर्ति की मात्रा (मीटर में)
०.७५	१५,०००	२.५०	१६,०००
१.००	१४,०००	२.२५	१५,०००
१.२५	१२,०००	२.००	१३,०००
१.५०	१०,०००	१.७५	१२,०००
१.७५	७,०००	१.५०	१०,०००
२.००	४,०००	१.२६	७,०००
०.२५	३,०००	१.००	५,०००
२.५०	१,०००	०.७५	२,०००

इन दोनों सारणियों को देखने से यह ज्ञात होता है कि साम्य की दशा में मूल्य या कीमत १.५० रुपया प्रति मीटर होगी। इस मूल्य पर ही माँग की मात्रा पूर्ति की मात्रा के बराबर होती है। याहक इस कीमत पर १०,००० मीटर कपडा खरीदना चाहते हैं और विक्रेता भी १०,००० मीटर कपडा ही बेचना चाहते हैं, जिसका अभिप्राय यह है कि इस कीमत पर खरीदने वाला कोई भी याहक निराश नहीं लौटेगा और इसी प्रकार इस कीमत पर बेचने वाले किसी भी विक्रेता का माल बिना बिके नहीं रहेगा, अर्थात्, बाजार 'साफ' हो जायेगा।

यदि मूल्य १.५० रुपये प्रति मीटर से अधिक होता है, अर्थात् मान लीजिए कि वह १.७५ रुपये प्रति मीटर है, तो ऐसी दशा में १२,००० मीटर कपडा बेचने के लिए प्रस्तुत किया जायेगा, परन्तु ग्राहक केवल ७,००० मीटर कपडा ही खरीदने को तैयार होंगे। अतः दूकानदारों के पास ५,००० मीटर कपडा बिना बिके रह जायेगा, जो वे नहीं बेच पायेंगे। अतः बेचने की उन्मुक्तता में वह कम दाम लेने को तैयार हो जायेंगे, जिससे कीमते गिरेंगी और मूल्य स्थिर नहीं रहेगा।

इसके विपरीत, यदि कीमत १.५० रुपया प्रति मीटर से कम अर्थात् १.२५ रुपया प्रति मीटर है, तो इस कीमत पर माँग १२,००० मीटर कपडे की होगी, जबकि केवल ७,००० मीटर कपडा बिकने को चायेगा। ऐसी दशा में कुछ ग्राहकों को निराश लौटाना पड़ेगा, जो कपडे को प्राप्त करने के लिए अधिक दाम देने को तैयार हो जायेंगे। इस प्रकार दामों के बढ़ने की सम्भावना रहेगी और यह मूल्य भी स्थिर नहीं रहेगा। स्थिर मूल्य केवल १.५० रुपया प्रति मीटर ही होगा, क्योंकि इसी मूल्य पर माँग और पूर्ति की मात्राएँ बराबर होती हैं। इसी मूल्य को साम्य कीमत (Equilibrium Price) और माँग और पूर्ति की मात्राओं को 'साम्य की मात्राएँ' (Equilibrium Amounts) कहते हैं।

रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण—

उक्त सिद्धान्त को एक रेखाचित्र द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। माँग और पूर्ति की अनुसूचियों के आधार पर माँग और पूर्ति की वक्र रेखाएँ खींची जा सकती हैं। अब, जिस स्थान पर ये दोनों रेखाएँ एक-दूसरे को काटती हैं, उसी स्थान पर "साम्य-कीमत" का निर्धारण होगा, क्योंकि उसी स्थान पर वस्तु की माँग और पूर्ति बराबर होती है।

¹ यहाँ 'बाजार-माँग अनुसूचि' और 'बाजार पूर्ति-अनुसूचि' दी गई हैं, जो क्रमशः व्यक्तिगत माँग-अनुसूचियों और व्यक्तिगत पूर्ति-अनुसूचियों को जोड़ने से प्राप्त होती हैं।

निम्न रेखा-चित्र में मूल्य के सिद्धान्त का चित्रण किया गया है। अक्ष रेखा पर वस्तु की इकाइयाँ नापी गई हैं और अक्ष पर कीमतें।

इस चित्र में माँग और पूर्ति की रेखाएँ एक बिन्दु पर एक दूसरी को काटती हैं, अर्थात् साम्य की दशा में कपड़े की कीमत परम के बराबर होगी। इस कीमत पर कपड़े की अक्ष इकाइयों की माँग होगी है, जबकि पूर्ति भी ठीक इतनी ही है।


अब प्रश्न यह उठता है कि क्या माँग और पूर्ति की रेखाओं का एक-दूसरे को काटना आवश्यक है। यदि हम माँग और पूर्ति की रेखाओं की प्रकृति और गुणों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, तो इस प्रश्न का उत्तर सरल है।

जैसा कि पिछले अध्याय में भी बताया जा चुका है, माँग की रेखा (Demand Curve) बायीं ओर से दाहिनी ओर, ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई रेखा होती है, क्योंकि माँग का नियम हमें बताता है कि कीमत के गिरने के साथ-साथ माँग की मात्रा बढ़ती जाती है। ऊपर के चित्र से साफ-साफ दिखाई पड़ता है कि ट क रेखा पर ट से क की ओर चलते समय जैसे-जैसे कीमत कम होती जाती है, माँग की मात्रा बढ़ती जाती है। इसके विपरीत, पूर्ति की रेखा (Supply Curve) की दिशा में माँग की रेखा के विरुद्ध उल्टी होती है। पूर्ति की रेखा बायीं ओर से दाहिनी ओर नीचे से ऊपर की ओर जाती है। पूर्ति का नियम है कि कीमत के बढ़ने के साथ-साथ पूर्ति की मात्रा बढ़ती चली जाती है। ल र रेखा इस बात की पुष्टि करती है। इस रेखा पर यदि हम ल से र की ओर जाएँ, तो कीमत की प्रत्येक वृद्धि के साथ-साथ पूर्ति की मात्रा भी बढ़ती जाती है। इस प्रकार, हम देखते हैं कि माँग और पूर्ति की रेखाओं की दिशा एक-दूसरे के विपरीत होती है। ऐसी रेखाएँ, जबकि वे एक ही सम (Plane) पर खींची जाती हैं, एक-दूसरे को अवश्य काटती हैं और जिस बिन्दु पर ये रेखाएँ एक-दूसरे को काटती हैं वही साम्य-कीमत निर्धारित करता है।

ऊपर की हुई विवेचना से पता चलता है कि मूल्य का निर्धारण करने में माँग और पूर्ति की शक्तियों का बड़ा महत्त्व है। इन शक्तियों की परस्पर खींच-तान से ही मूल्य का निर्धारण होता है और फिर यह मूल्य स्थिर उस दशा में होता है, जबकि ये दोनों शक्तियाँ एक दूसरे के बल को पूर्णतया नष्ट करके साम्य की दशा उपस्थित करती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कीमत 'माँग' और 'पूर्ति' द्वारा निर्धारित होती है और साम्य की दशा में यह उस बिन्दु पर निर्धारित होती है, जहाँ कि वस्तु की माँग और पूर्ति की मात्राएँ बराबर हैं। यही संक्षेप में मूल्य का सिद्धान्त है। इसी सिद्धान्त को "मूल्य का माँग और पूर्ति का सिद्धान्त" कहा जाता है।

साम्य कीमत में परिवर्तन

हम सम्भवतः यह भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि 'साम्य कीमत' भी बदल सकती है। प्रत्येक वस्तु की माँग और पूर्ति में परिवर्तन होने रहते हैं। माँग अनेक कारणों से घटती-बढ़ती है और ठीक इसी प्रकार पूर्ति भी सदैव स्थिर नहीं रहती है। फलतः माँग और पूर्ति की रेखाओं के गुण और स्थान बदलते रहते हैं। उन परिवर्तनों के साथ ही साथ साम्य-कीमतों में भी परिवर्तन होने रहते हैं। साम्य का मूल्य सदा स्थिर नहीं रहता। सच तो यह है कि बहुधा



चित्र—मूल्य का निर्धारण साम्य कीमत द्वारा

पुराना साम्य भङ्ग होकर नया साम्य स्थापित रहता है। उल्लेखनीय है कि वास्तविक जीवन में प्रतियोगिता अपूर्ण होती है इसलिए 'पूर्ण सन्तुलन' की प्राप्ति नहीं हो पाती है; किन्तु जब कभी प्रतियोगिता यथेष्ट होती है, तो बाजार कीमत साम्य कीमत के निकट होगी।

कीमत में कितना परिवर्तन होगा, यह माँग और पूर्ति के तुलनात्मक परिवर्तन (Relative Change) के वेग पर निर्भर रहता है तथा माँग और पूर्ति के बदलने का वेग उनकी 'लोच' पर आधारित होता है। यदि माँग और पूर्ति की लोच समान है, तो दोनों परिवर्तन होने पर भी मूल्य स्थिर रह सकता है। किन्तु, यदि माँग और पूर्ति की लोच में अन्तर है, जिस कारण दोनों में असमान परिवर्तन होने हैं, तो ऐसी दशा में निश्चय ही कीमत में भी परिवर्तन हो जायेगा। उदाहरणस्वरूप, यदि माँग बढ़ती है और पूर्ति वेलोच है, तो वस्तु के दाम बढ़ जायेंगे, क्योंकि ऐसी दशा में माँग की रेखा ऊपर की ओर खिसक जायेगी जबकि पूर्ति की रेखा अपने स्थान पर बनी रहेगी। ठीक इसी प्रकार, जब पूर्ति के परिवर्तन की गति माँग के परिवर्तनों के वेग की अपेक्षा कम होती है, तो माँग बढ़ जाने पर कीमत बढ़ जाती है। इसके विपरीत, माँग के घटने की दशा में कीमत भी घट जाती है।¹

माँग, पूर्ति और मूल्य का परस्पर सम्बन्ध

ऊपर के विवेचन से पता चलता है कि माँग और पूर्ति की आकर्षण-शक्तियों के परिवर्तन के फलस्वरूप मूल्य में भी परिवर्तन होता रहता है। परन्तु यह कह देना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि स्वयं मूल्य का परिवर्तन भी माँग और पूर्ति पर अपना प्रभाव डालता है।

माँग और पूर्ति के नियमों को ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि मूल्य के बदलने के कारण माँग और पूर्ति दोनों ही बदला करते हैं। यदि किसी कारण कीमत बढ़ जाती है, तो माँग साधारणतया कम हो जाती है और इसके विपरीत, पूर्ति में बढ़ जाने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। अतः इस बात का निर्णय करना कठिन होता है कि कीमत में जो परिवर्तन होते हैं, उनका कारण माँग और पूर्ति के परिवर्तन होते हैं, अथवा स्वयं माँग और पूर्ति के परिवर्तन मूल्य-परिवर्तन पर निर्भर होते हैं। कौन-सा कारण है तथा कौन-सा परिणाम, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता।

माँग, पूर्ति और कीमत तीनों में निकटतम सम्बन्ध है। एक की दूसरे पर निर्भरता स्पष्ट है। अधिक से अधिक हम इतना कह सकते हैं कि ये तीनों परस्पर सम्बन्धित हैं। इस सम्बन्ध को ध्यान में रखना आवश्यक है। इनमें से साधारणतया किसी भी एक का महत्व दूसरे से अधिक नहीं होगा यद्यपि परिस्थिति-विशेष में किसी एक का प्रभाव बढ़ सकता है।


साम्य कीमत (अर्थात् कीमत) पर माँग और पूर्ति के परिवर्तनों का प्रभाव

माँग में परिवर्तनों का मूल्य पर प्रभाव—


सैरसूने माँग के प्रभावों का अध्ययन इस प्रकार किया है:—“यदि अन्य बातें यथास्थित रहें, तो माँग की वृद्धि विनिमय की जाने वाली वस्तु की कीमत तथा मात्रा दोनों को बढ़ाने की प्रवृत्ति रखती है और माँग की घटती विनिमय की कीमत और मात्रा दोनों को घटा देती है। माँग में एक निश्चित परिवर्तन होने की दशा में पूर्ति जितनी अधिक लोचदार होगी,

¹ “The price may be tossed hither and thither like a shuttle-cock as one side or the other side gets the better in the higgling and bargaining of the market.”—Marshall

अनुपाती परिवर्तन कीमत में उतना ही कम और विनिमय मात्रा में उतना ही अधिक होगा। पूर्ति जितनी ही कम बेलोच होगी, कीमत का अनुपाती परिवर्तन उतना ही अधिक होगा। विनिमय मात्रा का अनुपाती परिवर्तन उतना ही कम होगा।¹ इससे स्पष्ट है कि यदि पूर्ति पूर्णतया लोचदार है, तो ऐसी दशा में माँग के बढ़ने पर कीमत में वृद्धि नहीं होगी, केवल विनिमय की मात्रा बढ़ जायेगी। इसके विपरीत, यदि पूर्ति पूर्णतया बेलोच है, तो माँग के बढ़ने पर कीमत भी बढ़ जायेगी, किन्तु विनिमय की मात्रा यथास्थित रहेगी। इन दोनों बातों को मेयरम् ने दो रेखा-चित्रों द्वारा स्पष्ट किया है, जो कि निम्न प्रकार है :—



चित्र १—माँग के परिवर्तन
(अधिक लोच वाली पूर्ति)



चित्र २—माँग के परिवर्तन
(कम लोच वाली पूर्ति)


दोनों चित्रों में स-प पूर्ति की रेखा है। म-म माँग की आरम्भिक रेखा है और म' म' बढ़ जाने की दशा में माँग की रेखा है। दोनों ही दशाओं में माँग में समान परिवर्तन दिखाया गया है, परन्तु वस्तु की पूर्ति की लोच में अन्तर है। दोनों में कीमत का परिवर्तन स-र से स' र' है और विनिमय की मात्रा का परिवर्तन अ-र अ-र'। निश्चय है कि पहले चित्र में दूसरे चित्र की अपेक्षा कीमत का परिवर्तन कम है और मात्रा का परिवर्तन अधिक है।

पूर्ति के परिवर्तनों का मूल्य पर प्रभाव—


इसी प्रकार, मेयरम् ने पूर्ति के परिवर्तनों के प्रभाव का भी अध्ययन किया है। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि “यदि अन्य बातें यथास्थित रहें, तो पूर्ति की एक दी हुई वृद्धि कीमत को घटाने और विनिमय की मात्रा को बढ़ाने की प्रवृत्ति रखेगी। इसके विपरीत पूर्ति की कमी कीमत को बढ़ाने तथा विनिमय की मात्रा को घटाने की प्रवृत्ति रखेगी। पूर्ति के एक निश्चिन परिवर्तन के फलस्वरूप, जितनी ही माँग अधिक लोचदार होगी उतना ही कीमत का अनुपाती परिवर्तन कम होगा तथा विनिमय-मात्रा का अनुपाती परिवर्तन अधिक होगा। इसके विपरीत, माँग जितनी ही कम लोचदार होगी, कीमत का अनुपाती परिवर्तन उतना ही अधिक होगा तथा विनिमय-मात्रा

1 “Other conditions remaining unchanged an increase in demand has the tendency to increase both price and quantity exchanged. With a given change in demand, the more elastic the supply, the less will be the proportionate change in price and greater the proportionate change in quantity exchanged. The less elastic the supply, the greater will be the proportionate change in price and less the proportionate change in quantity exchanged.”—Albert Meyers : *Elements of Modern Economics*, p. 130.

का अनुपाती परिवर्तन उनना ही कम होगा।¹ यदि माँग पूर्णतया लोचदार हो और पूति बढ़ जाय, तो इससे कीमत नहीं गिरेगी, बल्कि विनिमय की मात्रा बढ़ जायेगी। इसके विपरीत, यदि माँग पूर्णतया बेलोच है, तो पूति की वृद्धि के फलस्वरूप कीमत तो घट जायेगी, परन्तु विनिमय की मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा। निम्न दोनों रेखाचित्र इन स्थिति को स्पष्ट करते हैं :—



चित्र १—पूति के परिवर्तन (लोचदार माँग)



चित्र २—पूति के परिवर्तन (बेलोच माँग)

चित्र नं० १ में लोचदार माँग की दशा में पूति की वृद्धि का प्रभाव दिखाया गया है और चित्र नं० २ में पूति की उतनी ही वृद्धि का प्रभाव बेलोच माँग के सम्बन्ध में दिखाया गया है। निश्चय है कि पहले चित्र में दूसरे चित्र की अपेक्षा मूल्य (विनिमय की मात्रा) की वृद्धि अधिक होती है और कीमत में, जो मूल्य में घट कर रह सकती है कम घट तक परिवर्तन होता है।

(३) उपरोक्त विवेचन के आधार पर मेयरस् ने माँग और पूति दोनों के परिवर्तनों के सम्बन्ध में निम्न सिद्धान्त निश्चित किये हैं^२ :—(i) यदि माँग और पूति दोनों में एक ही दिशा में परिवर्तन होते हैं, तो दोनों एक-दूसरे के प्रभाव को इस प्रकार नष्ट कर देंगे कि कीमत पर कोई प्रभाव न पड़े, परन्तु विनिमय की मात्रा पर अधिक प्रभाव पड़े। (ii) यदि माँग और पूति दोनों में एक ही दिशा में परिवर्तन होने हैं, और एक में दूसरे से अधिक परिवर्तन होने हैं तो जिसमें अधिक परिवर्तन होते हैं उसका प्रभाव भी अधिक पड़ेगा, परन्तु यहाँ भी कीमत पर प्रभाव कम रहेगा और विनिमय की मात्रा पर प्रभाव अधिक पड़ेगा। (iii) यदि माँग और पूति में प्रतिविरोधी दशाओं में परिवर्तन होते हैं, तो परिणाम यह होगा कि दोनों एक-दूसरे के कीमत

¹ Other conditions remaining unchanged, an increase in supply will have a tendency to decrease price and to increase quantity exchanged; a decrease in supply will have a tendency to increase price and to decrease quantity exchanged. Which a given change in supply, the more elastic the demand, the less will be the proportionate change in price; and the greater the proportionate change in the quantity exchanged. The less elastic the demand, the greater will be the proportionate change in price and the less will be the proportionate change in the quantity exchanged—*Ibid*, p. 133.

² Albert Meyers : *Elements of Modern Economics*, pp. 133-35

पर पढ़ने वाले प्रभाव को बढ़ा देंगे और विनिमय की मात्रा पर पढ़ने वाले प्रभाव को घटा देंगे । (iv) यदि माँग और पूर्ति दोनों में विपरीत दिशाओं में परिवर्तन होते हैं, परन्तु एक में दूसरे से अधिक अथवा एक परिवर्तन होता है, तो जिसमें अधिक अथवा कम तक परिवर्तन होता है उसी का प्रभाव भी अधिक पड़ेगा । किन्तु इस दशा में, कीमत पर अधिक प्रभाव पड़ेगा और विनिमय की मात्रा पर कम ।

माँग को प्रभावित करने वाले कारक

यह तो हम पहले ही देख चुके हैं कि मूल्य के निर्धारित करने में माँग और पूर्ति दोनों का ही हाथ रहता है । अब हम देखेंगे कि माँग और पूर्ति स्वयं किन बातों पर निर्भर रहती है ।

उपयोगिता (सीमान्त) का प्रभाव—

माँग पर वस्तु की उपयोगिता का प्रभाव पड़ता है । माँग उन्हीं वस्तुओं की होती है जो उपयोगी होती हैं, अर्थात् जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं । माय ही, जितनी ही किसी वस्तु की उपयोगिता अधिक होती है, उतनी ही साधारणतया उसकी माँग भी अधिक होती है । दूसरी ओर, यह कहना भी अनुपयुक्त न होगा कि किसी वस्तु का मूल्य हम उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता के अनुसार ही देने को तैयार होते हैं । जिस वस्तु के उपयोग से हमें कम संतोष मिलने की आशा होती है अथवा जिस वस्तु के लिए हमारी आवश्यकता बहुत तीव्र नहीं होती है, उसके लिए हमारी माँग भी अधिक आग्रहपूर्ण नहीं होती और न ही ऐसी वस्तु के लिए हम बहुत ऊँची कीमत देने को तैयार होते हैं । इसलिए कुछ लोगों का कथन है कि कीमत सदा उपयोगिता के अनुपाती होगी है ।

परन्तु स्मरण रहे कि उपयोगिता तीन प्रकार की होती है—कुल, औसत और सीमान्त । कीमत पर उपयोगिता का जो प्रभाव पड़ता है, वह बस सीमान्त उपयोगिता द्वारा ही उपस्थित किया जाता है । यह उपयोगिता उपभोग की अन्तिम इकाई द्वारा प्राप्त होती है । इसी का कीमत के निर्धारण में महत्त्व है । जब हम इस बात का निर्णय करते हैं कि वस्तु विशेष की आठवीं इकाई को खरीदें या नहीं, तो निश्चय ही हम आठवीं इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता से ही प्रभावित होते हैं और यह भी निश्चय है कि इस दशा में आठवीं इकाई ही उपभोग की अन्तिम इकाई होगी । इससे पता चलता है कि कीमत पर सीमान्त उपयोगिता का ही प्रभाव पड़ता है और वस्तु की प्रत्येक इकाई की कीमत उसकी सीमान्त उपयोगिता की अनुपाती होगी है । आठक एक और इकाई द्वारा प्राप्त उपयोगिता तथा मुद्रा के रूप में दी गई उपयोगिता की तुलना करता है और वस्तु को उन्ही मात्रा तक खरीदना है, जहाँ वस्तु से प्राप्त उपयोगिता बदले में दी जाने वाली मुद्रा की उपयोगिता के बराबर है । सीमान्त उपयोगिता में अधिक मूल्य देने की दशा में आठक की उपयोगिता की हानि होती है । इस प्रकार, सीमान्त उपयोगिता कीमत को उच्चतम सीमा निर्दिष्ट करती है ।

माँग-रेखा के स्थान में उपयोगिता-रेखा का प्रयोग—

इसी आधार पर “माँग-वक्र रेखा” (Demand Curve) के स्थान पर “उपयोगिता-वक्र रेखा” (Utility Curve) का उपयोग किया जाता है । यथार्थ में “माँग-रेखा” तथा “उपयोगिता रेखा” के गुण, रूप तथा दिशा एक ही होने हैं । परन्तु इस सम्बन्ध में एक बड़ी कठिनाई यह है कि उपयोगिता की सही माप सम्भव नहीं है । उपयोगिता तो एक मानसिक विचार मात्र है, जिसकी मुद्रा में माप नहीं हो सकती है । हम यह तो अनुमान लगा सकते हैं कि उपयोगिता कम मिली या अधिक, किन्तु यह अनुमान लगाना कठिन है कि उपयोगिता वास्तव में

कितनी है। उपयोगिता के उपयोग से कीमत के विवेचन में अनिश्चितता भा जाने का भय रहता है।

सोभाग्य में हम कठिनाई का एक हल सम्भव है। यह तो सत्य है कि सीधी रीति से हम उपयोगिता को नहीं माप सकते हैं, परन्तु परोक्ष रीति से उसकी माप सम्भव है। एक उप-भोक्ता वस्तु की किसी इकाई के लिए जितना मूल्य देने को तैयार हो जाता है, वही मूल्य उस इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का सूचक होता है। किसी इकाई के उपयोग से जितनी उपयोगिता प्राप्त होने की आशा होती है, उसी के अनुसार उसकी कीमत दी जाती है। इस कारण उपयोगिता की माप कीमत में की जा सकती है।

उपयोगिता-रेखाओं के स्थान में माँग-कीमत रेखाओं का प्रयोग—

निश्चय है कि प्रलग-प्रलग कीमतों पर एक वस्तु की इकाइयों की प्रलग-प्रलग मात्राएँ खरीदी जाती हैं। जिस कीमत पर ग्राहक वस्तु की कोई विशेष इकाई खरीदने के लिए तैयार रहता है, उस कीमत को उस इकाई की "माँग-कीमत" कहते हैं। यह "माँग-कीमत" उपयोगिता की भाँति घिसत या सीमान्त हो सकती है। तब की प्रन्तिम इकाई की माँग-कीमत "सीमान्त माँग-कीमत" (Marginal Demand Price) कहलानी है। जितनी कुल इकाइयाँ खरीदी जाती हैं, उन सबके लिए दिये हुए कुल मूल्य को खरीदी हुई इकाइयों की संख्या से भाग देने पर "औसत-माँग-कीमत" (Average Demand Price) निकल आती है। इस प्रकार, हम "औसत उपयोगिता" और "सीमान्त उपयोगिता-वक्र रेखाओं" के स्थान पर "औसत माँग-कीमत" तथा "सीमान्त माँग-कीमत की रेखाओं" का उपयोग कर सकते हैं और हमारी उपयोगिता की माप सम्बन्धी कठिनाई दूर हो जाती है। निम्न तालिका में ये दोनों प्रकार की "माँग-कीमतें" दिखाई गई हैं :—

माँग-कीमत तालिका

वस्तु की इकाई	कीमत जो ग्राहक देने को तैयार होता है	औसत माँग-कीमत	सीमान्त माँग-कीमत
	₹०	₹०	₹०
१	२०	२०	२०
२	१८	१६	१८
३	१६	१८	१६
४	१४	१७	१४
५	१०	१६	१२

माँग-कीमत और आगम (या बित्री कीमत) का सम्बन्ध—

इस सम्बन्ध में एक और बात का ज्ञान लेना भी आवश्यक है। पाठक की दृष्टि से जो माँग-कीमत होती है, बित्रीता की दृष्टि से वह बित्री कीमत हो जाती है। एक ही कीमत को जब हम ग्राहक से सम्बन्धित करते हैं, तो वह "माँग-कीमत" (Demand Price) प्रतीत होता है और उसी को विक्रेता से सम्बन्धित करके "बित्री-कीमत" (Supply Price) का नाम दिया जा सकता है। प्रत्येक विक्रेता अनुभव में यह जानता है कि किसी भी वस्तु की अधिक इकाइयाँ बेचने के लिए उसे कीमत को कम करना पड़ता है, अर्थात् प्रत्येक घणनी इकाई की बित्री-कीमत घटनी की अपेक्षा कम होती है। जिस प्रकार ग्राहक की माँग की सीमान्त-कीमत घटनी जाती है, उसी प्रकार "सीमान्त बित्री-कीमत" (Marginal Supply Price) भी घटती जाती है। अब, क्योंकि बित्री कीमत तथा आगम (Revenue) दोनों एक ही विचार के दो भिन्न-भिन्न नाम हैं

इसलिए हम यह कह सकते हैं कि विक्री की मात्रा के बढ़ने के साथ-साथ सीमान्त प्रागम (Marginal Revenue or MR) घटती चली जाती है।

उपयोगिता (या माँग कीमत) वक्र के स्थान में सीमान्त प्रागम वक्र का प्रयोग—

उक्त तालिका में दी हुई "औसत माँग कीमत" "औसत प्रागम" (Average Revenue or AR) को भी सूचित करती है। यह प्रागम विक्री से प्राप्त होने वाली कुल कीमत को विक्री की मात्रा की इकाइयों की संख्या में भाग देने से प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार, सीमान्त-माँग-कीमत "सीमान्त-प्रागम" (MR) का ही दूसरा नाम है। ऐसी दशा में उपयोगिता (या माँग-कीमत) की वक्र रेखाओं के स्थान पर औसत तथा सीमान्त प्रागम की वक्र रेखाओं का उपयोग स्वतन्त्रतापूर्वक किया जा सकता है। आधुनिक अर्थशास्त्र में मूल्य के सिद्धान्त में हम ऐसा करते भी हैं।

पूति को प्रभावित करने वाले कारक

पूति पर उत्पादन-व्यय का प्रभाव—

माँग-कीमत की भांति पूति-कीमत भी होती है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, "पूति-कीमत" उस कीमत को सूचित करती है, जिस पर एक दिव्यता वस्तु की इकाई विशेष को बेचने के लिये तैयार होता है। यह बात पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है कि पूति के नियम के अनुसार अधिक दामों (अर्थात् ऊँची कीमत) पर पूति की मात्रा अधिक होती है। दूसरे शब्दों में, अगली इकाइयों को बेचने के लिए दिव्यता अधिक कीमत की माँग करता है। कारण, जैसे-जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है, प्रमाणित उत्पत्ति प्राप्त नियम लागू होने लगता है, जिससे उत्पादन-व्यय बढ़ने लगता है। उत्पादन-व्यय के बढ़ जाने के कारण उत्पादक या विक्रेता अगली इकाइयों के लिए ऊँचा कीमत माँगता है। इससे स्पष्ट होता है कि पूति की मात्रा पर उत्पादन-व्यय का अधिक प्रभाव पड़ता है। साधारणतया जितना ही उत्पादन व्यय अधिक होता है उतनी ही पूति की मात्रा कम रहने की सम्भावना रहती है। पूति सदा ही उत्पादन व्यय पर निर्भर रहती है।

सीमान्त उत्पादन-व्यय का विशेष प्रभाव—

उत्पादन-व्यय तीन प्रकार का होता है—कुल व्यय, औसत व्यय तथा सीमान्त व्यय। जहाँ तक पूति का सम्बन्ध है, वह सीमान्त उत्पादन-व्यय से ही प्रभावित होती है, क्योंकि वह व्यय उत्पत्ति की अन्तिम इकाई का उत्पादन-व्यय होता है और उत्पादक अधिक उत्पत्ति करने का निर्णय इसी पर दृष्टि डालने के उपरान्त करता है।

पूति (या उत्पादन-व्यय) रेखाओं के स्थान में औसत तथा सीमान्त व्यय रेखाओं का प्रयोग—

उत्पादन-व्यय की वक्र रेखाओं के रूप और गुण तथा पूति की रेखा के रूप और गुण एक जैसे ही होते हैं। इस कारण पूति की रेखा के स्थान पर उत्पादन-व्यय की रेखाओं का उपयोग किया जा सकता है। मूल्य के सिद्धान्त की भाँति की विवेचना में ऐसा ही किया गया है और जिस प्रकार औसत और सीमान्त प्रागम की वक्र की रेखाएँ खींची जाती हैं, ठीक उसी प्रकार औसत उत्पादन-व्यय तथा सीमान्त उत्पादन-व्यय की भी वक्र रेखाएँ खींची जा सकती हैं, जो पूति की रेखा का स्थान ले लेती हैं।

मूल्य के सिद्धान्त का नया रूप

ऊपर की गई माँग और पूति की विवेचना के पश्चात् हमारे लिए यह सम्भव हो जाता है कि हम मूल्य का सिद्धान्त एक नये दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर सकें। इस नये दृष्टिकोण के अनुसार माँग के स्थान पर हम "प्रागम-वक्र रेखाओं" (Revenue curves) का और पूति के स्थान पर "उत्पादन व्यय-वक्र रेखाओं" (Cost curves) का उपयोग करेंगे। दूसरे शब्दों में,

मूल्य या कीमत के निर्धारित करने में आगम और उत्पादन-व्यय की दो शक्तियाँ विपरीत दिशाओं में घपना प्रभाव डालती हैं। सीमान्त आगम (MR) की प्रवृत्ति घटने की ओर होती है, जबकि सीमान्त उत्पादन-व्यय (MC) की प्रवृत्ति बढ़ने की ओर। जहाँ पर ये दोनों शक्तियाँ एक-दूसरे के बल को नष्ट कर देती हैं, वहाँ पर साम्य की दशा में कीमत का निर्धारण होता है।

तालिकाओं द्वारा स्पष्टीकरण—

पहले हमें यह देखना है कि आगम और उत्पादन-व्यय की शक्तियों के सन्तुलन का क्या अर्थ होता है। औसत तथा सीमान्त आगम के अनुसार हम माँग की अनुसूची का निर्माण कर सकते हैं और ठीक इसी प्रकार औसत और सीमान्त उत्पादन-व्यय के अनुसार पूर्ति की अनुसूची (Supply Schedule) को बनाया जा सकता है। इन दोनों अनुसूचियों से हमें आगम और उत्पादन-व्यय के परिवर्तनों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी और हम उस बिन्दु को खोज निकालेंगे, जहाँ पर दोनों की शक्तियों में सन्तुलन स्थापित होता है।

तालिका १
माँग की अनुसूची

वस्तु की इकाइयाँ	कुल आगम (₹०)	औसत आगम (₹०)	सीमान्त आगम (₹०)
१	४०	४०	४०
२	७८	३६	३८
३	११४	३८	३६
४	१४८	३७	३४
५	१८०	३६	३२

तालिका २
पूर्ति की अनुसूची


वस्तु की इकाइयाँ	कुल व्यय (₹०)	औसत व्यय (₹०)	सीमान्त व्यय (₹०)
१	३०	३०	३०
२	६४	३२	३४
३	१००	३३½	३६
४	१४०	३५	४०
५	१८५	३७	४५

सीमान्त आगम और सीमान्त उत्पादन-व्यय की समानता—

ऊपर की दोनों तालिकाओं को ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि तीसरी इकाई को बेचने से विक्रेता को उतने ही दाम मिलने हैं, जितना कि उसके उत्पादन पर व्यय होता है। इसी बात को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि तीसरी इकाई की सीमान्त आगम उतनी ही है जितना कि उसका सीमान्त उत्पादन-व्यय है। साम्य की दशा में मूल्य का निर्धारण उसी बिन्दु द्वारा किया जाता है, जहाँ सीमान्त आगम तथा सीमान्त उत्पादन-व्यय बराबर होते हैं।

चित्र द्वारा स्पष्टीकरण—

निम्न रेखाचित्र में मागम और उत्पादन-व्यय की रेखाओं की सहायता से इस बात को स्पष्ट किया गया है :—




ऊपर के चित्र में सीमान्त मागम और सीमान्त उत्पादन-व्यय की रेखायें ट बिन्दु पर एक-दूसरे को काटती हैं, जिसका अन्तिमप्रय यह है कि ट बिन्दु पर सीमान्त मागम और सीमान्त उत्पादन-व्यय बराबर हैं। मूल्य का निर्धारण ट बिन्दु द्वारा ही होता है। इस दशा में प म वस्तु की कीमत होगी^१ और जैसा कि स्पष्ट ही है, प म रेखा ट बिन्दु से होकर गुजरती है। जब प म मात्रा की विन्ती होती है, तो अन्तिम इकाई से प्राप्त होने वाली कीमत उस इकाई के उत्पादन-व्यय के बराबर होती है। इस प्रकार प म ही साम्य का मूल्य है, क्योंकि केवल इसी मूल्य में स्थिरता आ सकती है।

बहुत समय तक न तो कीमत इससे अधिक ही रह सकती है और न इससे कम ही। यदि कीमत इससे अधिक होती है तो उत्पत्ति की अन्तिम इकाई पर विक्रेता को लाभ होता है। अपने फुल लाभ को और अधिक करने के लिए वह विन्ती की मात्रा को बढा देता है। पूति के इस प्रकार बढ जाने से कीमत नीचे गिर जाती है। इसके विपरीत, यदि कीमत प म से कम होती है, तो उत्पत्ति की अन्तिम इकाई पर घाटा होता है और घाटे को कम करने के लिए विक्रेता उत्पत्ति की मात्रा को कम करने लगेगा। पूति की मात्रा में इस प्रकार कमी होने से कीमत ऊपर षट जाती है। इस प्रकार, प म से अधिक या कम मूल्य स्थिर नहीं रह सकता है। केवल प म मूल्य ही स्थिर हो सकता है, क्योंकि इस मूल्य पर अन्तिम इकाई को बेचने से न तो लाभ ही होता है और न हानि ही।

^१ यद्यार्थ में कीमत सदैव औसत प्रकार की होती है (देखिये, 'कुल, औसत तथा सीमान्त मागम' अध्याय २)।

नीचे के चित्र से पता चलता है कि जब कीमत प म से अधिक अर्थात् स र के बराबर होती है, तो उत्पत्ति की अन्तिम इकाई को बेचने पर म र के बराबर आय या भाग्य प्राप्त



होती है, जबकि अन्तिम इकाई का उत्पादन-व्यय फ र के बराबर होता है। अतः अन्तिम इकाई पर म क के बराबर लाभ होता है, जिस कारण उत्पादक द्वारा उत्पत्ति को बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। इसके विपरीत, जब दाम प म से कम (अर्थात् क छ के बराबर) होते हैं, तो अन्तिम इकाई से क छ के बराबर आगम मिलती है, जबकि म छ के बराबर उत्पादन-व्यय होता है। इससे पता चलता है कि इस इकाई पर न क के बराबर हानि होती है जिससे बचने के लिए उत्पत्ति की मात्रा को कम किया जाता है और इस प्रकार की कीमत अन्त में प म पर ही आकर रुकती है।

मूल्यों का विरोधाभास (The Paradox of Value)

पानी और हीरे का उदाहरण—

प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता-विचार के द्वारा कीमतों की व्याख्या की थी। किन्तु ऐसा करते समय उन्हें एक परेशानी अनुभव हुई—जबकि अनेक वस्तुओं के सम्बन्ध में यह देखा गया कि उनकी कीमतें उपयोगिता के सापेक्षक मात्राओं के अनुसार हैं, कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में ऐसा नहीं था। उदाहरण के लिये, हीरा मनुष्य-जीवन के लिए पानी की अपेक्षा कम उपयोगी होने हुए भी उसकी अपेक्षा बहुत अधिक कीमत रखता है। यह विरोधाभास प्राचीन अर्थशास्त्रियों की समझ में नहीं आया। किन्तु आधुनिक उपयोगिता सिद्धान्त (जिसका प्रतिपादन जेवन्स, मेन्जर और बालरम ने १८७० में किया) इस विरोधाभास को सुगमतापूर्वक हल कर देता है—पानी की पूर्ति और माँग-रेखाएँ इस प्रकार की होती हैं कि वे बहुत नीची कीमत पर बाटती हैं, किन्तु हीरे की पूर्ति और माँग-रेखाएँ इस प्रकार की हैं कि वे ऊँची कीमत पर बाटती हैं। इस समाधान की दो मुख्य बातें हैं—पूर्ति पक्ष और माँग-पक्ष।

(१) पूर्ति-पक्ष—हीरे अति दुर्लभ (Scarce) होते हैं। इनकी अनिश्चित इकाइयाँ पाने में बहुत लागत-व्यय होता है। इसी कारण हीरों की कीमत ऊँची होती है। किन्तु, पानी की प्रचुरता होती है और इसकी अनिश्चित इकाइयाँ पाने में लागत-व्यय कम होता है, जिस कारण उसकी कीमत बहुत नीची होती है।

(२) माँग-पक्ष—प्राचीन अर्थशास्त्रियों के अर्थ का एक कारण यह था कि वे कुछ उपयोगिता और सीमान्त उपयोगिता को पृथक् नहीं कर सके थे, अर्थात् वह नहीं समझ सके कि मूल्य केवल उपयोगिता के द्वारा नहीं बल्कि सीमान्त उपयोगिता के द्वारा निर्धारित होता है।

हीरे सीमित होते हैं, जिस कारण उनकी सीमान्त उपयोगिता (अर्थात् कुछ प्रतिरिक्त इकाइयों की उपयोगिता) अधिक होती है और उनका मूल्य भी ऊँचा होता है किन्तु पानी की प्रचुरता होती है, जिस कारण उसकी सीमान्त उपयोगिता बहुत कम होती है और उसका मूल्य भी नीचा होता है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि माँग-पूर्ति रेखायें पानी की दशा में बहुत नीची कीमत पर और हीरो की दशा में बहुत ऊँची कीमत पर वक्रों काटती हैं। अब यदि परिस्थितियाँ असाधारण हों (जैसे—यदि एक रेगिस्तान में हीरो के एक प्यासे मालिक को पानी की थोड़ी मात्रा रखने वाले व्यक्ति से सौदा करना पड़े), तो पानी की सीमान्त उपयोगिता सामान्य परिस्थितियों की अपेक्षा कहीं अधिक होती है और इसलिए उसकी कीमत हीरो से कहीं अधिक होगी। सामान्य परिस्थितियों में पानी की बहुलता और हीरो की दुर्लभता होनी है। अतः, यद्यपि पानी की कुल उपयोगिता हीरो की कुल उपयोगिता से बहुत अधिक हो सकती है तथापि पानी की प्रचुरता के कारण उसकी सीमान्त उपयोगिता बहुत कम होती है, किन्तु सीमितता के कारण हीरो की सीमान्त उपयोगिता बहुत कम होती है। चूँकि मूल्य सीमान्त उपयोगिता के द्वारा निर्धारित होता है। इसलिये अधिक सीमान्त उपयोगिता रखने वाले हीरे की कीमत कम सीमान्त उपयोगिता वाले पानी की कीमत की अपेक्षा बहुत अधिक होती है।

परीक्षा प्रश्न :

१. सन्तुलन-मूल्य से आप क्या समझते हैं ? पूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशाओं में यह कैसे निर्धारित होता है ?

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम यह बताइये कि प्राचीन अर्थशास्त्रियों (रिकाडों और जेवन्स) में मूल्य-निर्धारण के विषय में मतभेद था, जिसे मार्शल ने समाप्त किया और बताया कि वस्तु का मूल्य सीमान्त उपयोगिता (अर्थात् माँग) और उत्पादन-लागत (अर्थात् पूर्ति) दोनों के द्वारा तय होता है। तत्पश्चात् सन्तुलन-मूल्य का अर्थ बताया और अन्त में माँग-शक्ति और पूर्ति-शक्ति दोनों की पूरी व्याख्या करते हुये चित्रों की सहायता से सन्तुलन-मूल्य के निर्धारण को स्पष्ट कीजिये।]

२. "सीमान्त वह वेन्द्र बिन्दु है जहाँ मूल्य को निर्धारित करने वाली शक्तियों के प्रभाव को जानने के लिए हमें जानना पड़ता है।" इस कथन को समझाइये।
३. "मूल्य एक महाराज के पत्थर के समान दो किनारों के मध्य लटका होता है जिनकी एक भुजा माँग होती है और दूसरी पूर्ति।" व्याख्या कीजिये।
४. सन्तुलन-मूल्य का अर्थ बताइये। माँग और पूर्ति में परिवर्तन किस प्रकार सन्तुलन-मूल्य को प्रभावित करते हैं ?

अथवा

पूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशाओं के अन्तर्गत किसी वस्तु की कीमत पर माँग और पूर्ति के परिवर्तनों का जो प्रभाव पड़ता है उसका विवेचन कीजिये।

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम सन्तुलन-मूल्य का अर्थ बताइये। तत्पश्चात् (अ) माँग में परिवर्तनों का, (ब) पूर्ति में परिवर्तनों का, और (स) माँग और पूर्ति में साथ-साथ परिवर्तनों का, सन्तुलन-मूल्य पर प्रभाव को रेखाचित्रों द्वारा दर्शाइये।]

३. "यह सिद्धान्त कि सीमान्त उपयोगिता न कि कुल उपयोगिता वस्तु के मूल्य का अध्ययन करने में आवश्यक है मूल्यों के विरोधाभास को व्याख्या सरता है ।" स्पष्ट कीजिए ।

अथवा

"पानी की पूर्ति और माँग-रेखाएँ इस प्रकार की होती हैं कि वे बहुत नीची कीमत पर काटती हैं किन्तु हीरों की पूर्ति और माँग-रेखाएँ इस प्रकार की होती हैं कि वे ऊँची कीमतों पर काटती हैं ।" व्याख्या कीजिए ।

[सहायक संकेत :—यहाँ पानी और हीरे के उदाहरण द्वारा मूल्य के विरोधाभास को स्पष्ट कीजिए अर्थात् यह बताइये कि हीरे की सीमान्त उपयोगिता अधिक होती है, इसलिए उसका मूल्य ऊँचा होता है किन्तु पानी की सीमान्त उपयोगिता नीची होती है इसलिए उसका मूल्य नीचा होता है । रेखाचित्र भी दीजिये ।]



मूल्य निर्धारण में समय-तत्त्व

(बाजार मूल्य एवं सामान्य मूल्य)

(Time Element in the Determination of Value)

प्रारम्भिक—

जैसा कि हमने विगत अध्यायन में बताया था, मूल्य वस्तु विशेष की माँग और पूर्ति की तुलनात्मक परिस्थितियों के द्वारा निर्धारित होता है, अतः माँग और पूर्ति के परिवर्तनों के कारण मूल्य में भी परिवर्तन होने स्वाभाविक है। परन्तु माँग और पूर्ति में परिवर्तनों का रूप समय के अनुसार अलग-अलग होता है।

समय तत्त्व का अर्थ


साधारणतः समय को हम अल्पकाल और दीर्घकाल में विभाजित करते हैं। मार्शल ने समय को चार भागों में बाटा था—अति-अल्पकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल एवं अति-दीर्घकाल। आधुनिक अर्थशास्त्री इनमें से केवल प्रथम तीन समयों को मान्यता देते हैं, क्योंकि अति-दीर्घकाल का मूल्य निर्धारण की दृष्टि से कोई विशेष महत्त्व नहीं है। किन्तु स्मरण रहे कि यह समय विभाजन किन्हीं निश्चित अवधियों (जैसे ३ हफ्ते, ४ महीने या २ वर्ष) को नहीं चलाया चरन् उस समयावधि को बताता है जो कि उत्पादन यन्त्र को माँग के परिवर्तनों की अनु-मतिता में बदलने के लिए आवश्यक है। सरल शब्दों में, समय का विभाजन घड़ों के समय (Clock-time) या क्लेण्डर समय (Calendar-time) पर आधारित नहीं है बल्कि क्रियात्मक समय (Operational time) पर आधारित होता है। यह भी स्मरणयोग्य है कि एक स्थिति में अल्पकाल दूसरी स्थिति के दीर्घकाल से अधिक हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि फलों के लिए माँग बढ़ जाय, तो नये वाग लगा कर पूर्ति को बढ़ाने का यत्न किया जायेगा, जिसमें ८-१० वर्ष का समय लग जायेगा। इस बीच फलों की पूर्ति स्थिर रहेगी या अति सीमित मात्रा में ही बढ़ सकेगी। अतः फलों के उत्पादन की दृष्टि से ८-१० वर्ष की समयावधि अल्पकाल है, किन्तु कारों के उत्पादन की दृष्टि से २ वर्ष की समयावधि अल्पकाल होगी, क्योंकि इतने समय में ही नये यन्त्र लगाकर कारों का उत्पादन बढ़ाकर माँग के अनुरूप किया जा सकता है।

अति-अल्पकाल में मूल्य—

अति-अल्पकाल या तात्कालिक समय वह अवधि है जिसमें कि कुल पूर्ति लगभग स्थिर रहती है, अर्थात् जिसमें कि वस्तु का पहले से उत्पादन हो जाता है और समयान्तर इतना कम होता है, कि उत्पादन की दर को नहीं बदला जा सकता है। अतः ऐसी परिस्थिति में, यदि वस्तु की माँग बढ़े, तो गोदामों में पहले से रखे स्टॉक में से निकाल कर ही वस्तु की पूर्ति को बहुत ही सीमित मात्रा में बढ़ाया जा सकेगा, और यदि वस्तु की पूर्ति घटे, तो वस्तु की कुछ पूर्ति को पुनः स्टॉक में वापस किया जा सकेगा। इस प्रकार, अति-अल्पकाल में पूर्ति विद्यमान स्टॉक तक सीमित होती है।

मूल्य निर्धारण में समय-तन्त्र


अति अल्पकाल में पूति के स्थिर रहने के कारण मूल्य पर माँग का पूरा असर पड़ता है। माघ के चित्र में पूति को गड़ी देखा पू पू₁ के द्वारा दिखाया गया है। माँग देखा म म पूति-देखा पू पू₁ को मू बिन्दु पर काटती है। अतः मूल्य मू पू₁ होगा। यदि माँग बढ़कर म₁ म₁ हो जाय, तो मूल्य बढ़ कर मू₁ पू₁ हो जायगा और माँग घट कर म₂ म₂ रह जाय, तो मूल्य भी घटकर मू₂ पू₁ के बराबर रह जायेगा। अति अल्पकाल के मूल्य को मागसं ने बाजार-मूल्य कहा है। यह माँग-पूति के सम्याई साम्य द्वारा निश्चित होता है तथा माँग के परिवर्तन के अनुसार एक ही दिन में कई बार बदल सकता है।



चित्र—अति-अल्पकाल में मूल्य
विशेष—अति-अल्पकाल में मूल्य

अल्पकाल में मूल्य—

अल्पकाल वह समय-वधि है जिसमें वस्तु की उत्पादन मात्रा को घटाया-बढ़ाया जा सकता है, किन्तु स्थिर उत्पादकी क्षमता की नहीं। इसमें विद्यमान उत्पादकी परिवर्तनशील माधनों जैसे बच्चे मालों, थम इत्यादि का अधिक प्रयोग कम गहराई के माघ स्तरीय करके वस्तु का उत्पादन बढ़ाया घटाया जा सकता है। किन्तु उत्पादकी क्षमता में वृद्धि घटकाव बमो करना सम्भव नहीं है और न नई कर्मों की उपयोग में प्रवेश कर सकती है। पूँकि अल्पकाल में पूति उत्पादकी क्षमता से सीमित रहती है, इसलिए ऐसी समय-वधि को 'स्थिर उत्पादकी समय-वधि' कहते हैं। इस काल के मूल्य को 'अल्पकालीन मूल्य' या 'अल्पकालीन सामान्य मूल्य' कहते हैं। इनके निर्धारण में भी माँग का प्रभाव ही मुख्य होता है, क्योंकि पूति की विद्यमान उत्पादकी का अधिक गहराई से प्रयोग करके एक सीमित मात्रा में ही बढ़ाया जा सकता है और उसे पूरी तरह से माँग के समकक्ष नहीं किया जा सकता। इस मूल्य पर पूति का प्रभाव अति अल्पकालीन मूल्य की अपेक्षा कुछ अधिक होता है।




चित्र—अल्पकाल में मूल्य निर्धारण

उपरोक्त चित्र में अति-अल्पकाल पूति को अ० घ० पू० देखा द्वारा और अल्पकालीन पूति को अ० घ० पू० देखा द्वारा दिखाया गया है। पूँकि अति-अल्पकालीन पूति स्थिर होती है इसलिए अ० घ० पू० एक गड़ी देखा है और पूँकि अल्पकाल में पूति को परिवर्तनशील माधनों के कम या अधिक गहरे प्रयोग द्वारा उत्पादकी क्षमता तब घटाया-बढ़ाया जा सकता है, इसलिए अ० घ० पू० एक उठती हुई देखा है। अ० घ० पू० देखा मूल्य-माँग-देखा म म को मू बिन्दु पर काटती है, इसलिए बाजार मूल्य मू पू₁ होगा। पूँकि अ० घ० पू० देखा भी म म को मू बिन्दु पर काटती है, इसलिए अल्पकालीन मूल्य भी मू पू₁ ही है। इस मूल्य स्थिति में जब माँग के बढ़ने पर नई माँग-देखा म₁ म₁ है जो अ० घ० पू० देखा को मू₁ और अ० घ० पू० देखा को मू₂ पर काटती है, जिस कारण नया बाजार मूल्य मू₁ पू₁ और नया अल्पकालीन मूल्य मू₂ पू₂ के बराबर है। स्पष्ट है कि अल्पकालीन मूल्य मू₁ पू₂ नये बाजार मूल्य मू₁ पू₁ की अपेक्षा नीचा है, कारण, अल्पकाल में पूति को घोटा बढ़ाया जा सकता है, किन्तु अति-अल्पकाल में पूति लगभग स्थिर रहती है।

दीर्घकाल में मूल्य—

दीर्घकाल वह अवधि है जिसमें पूति को विद्यमान प्लाण्टों की क्षमताओं को बढ़ा कर अथवा नई फर्मों के प्रवेश द्वारा बढ़ाया जा सकता है अथवा उसे विद्यमान प्लाण्ट-क्षमताओं में कमी करके अथवा कुछ फर्मों के बहिर्गमन द्वारा घटाया जा सकता है। इस प्रकार, दीर्घकाल में पूति की मांग के समकक्ष होने के लिए पर्याप्त अथवा अतिरिक्त मिल जाता है। दीर्घकाल को 'परिवर्तन-शील प्लाण्ट समय-अवधि' और ऐसी अवधि के मूल्य को 'दीर्घकालीन मूल्य' या 'दीर्घकालीन सामान्य मूल्य' या केवल 'सामान्य मूल्य' कहते हैं। सामान्य मूल्य पर मांग का प्रभाव मुख्य नहीं रहता बल्कि उस पर पूति का भी पूरा-पूरा प्रभाव पड़ने लगता है।

निम्न चित्र में म म म मूल-मांग रेखा है। अ० अ० पू०, अ० पू० और द० पू० क्रमशः अति-अल्पकालीन, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पूति रेखाएँ हैं। द० पू० रेखा अ० पू० रेखा के नीचे है, जिसका कारण यह था कि दीर्घकाल में लागनें तुलनात्मक रूप से नीची होती हैं। प्रारम्भिक स्थिति में जबकि मांग म म है, अति-अल्पकालीन, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन तीनों ही मूल्य समान अर्थात् $m_1 = p_1$ के बराबर है, क्योंकि मांग-रेखा तीनों प्रकार की पूति रेखाओं को एक ही बिन्दु म पर काटती है। किन्तु जब मांग बढ़ कर $m_2 = m_1$ हो जाती है तो दीर्घकालीन मूल्य $m_3 = p_3$ के बराबर हो जायेगा। यह मूल्य नये अल्पकालीन मूल्य $m_2 = p_2$ और नये बाजार-



मूल्य $m_1 = p_1$ की अपेक्षा कम है। मांगी जाने वाली और पूति की जाने वाली सन्तुलन-मात्रा (Equilibrium output) दीर्घकाल में अ० पू० के बराबर है जो अल्पकाल की अ० पू० मात्राओं से अधिक है। मार्शल का कहना है कि बाजार मूल्य में सदा ही दीर्घकालीन मूल्य के बराबर होने की प्रवृत्ति रहती है।

अति दीर्घकाल में मूल्य—

अति दीर्घकाल, चिरकाल या ऐतिहासिक दीर्घकाल बहुत ही लम्बा समय होता है। इसमें मांग और पूति दोनों में ही बुनियादी परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे—मांग पक्ष की ओर जन-संख्या का घातक, लोगों की आदतों, स्वभाव इत्यादि और पूति पक्ष की ओर पूँजीगत बस्तुओं की लागतों, कच्चे माल की पूति, उत्पादन की रीतियों इत्यादि में फेर-बदल हो जाते हैं। इन विस्तृत परिवर्तनों के कारण मूल्य में जो परिवर्तन होता है उसे मार्शल ने 'मूल्य में चिरकालीन परिवर्तन' (Secular changes in value) कहा है। अति दीर्घकाल के मूल्य की अध्ययन करना सम्भव नहीं है और न ही वह आवश्यक है, क्योंकि जैसा कि कीन्स ने कहा है, दीर्घकाल में तो हम सब मर जाते हैं।

बाजार-मूल्य
(Market Price)

बाजार-मूल्य किसे कहते हैं ?

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, समय के अनुसार मांग और पूति के पारस्परिक समायोजन में अन्तर होता है। अति-अल्पकाल में तो यह समायोजन सम्भव ही नहीं है, क्योंकि पूति की मात्रा में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं किये जा सकते। यदि मांग बढ़ती है, तो इसके अनुसार पूति नहीं बढ़ सकती है और यदि मांग घटती है, तो पूति घटाई भी नहीं जा सकती।

पूति की मात्रा लगभग यथास्थिर बनी रहती है। अति-अल्पज्ञासोन मूल्य को ही हम अर्थशास्त्र में 'बाजार-मूल्य' कहते हैं। जैसा कि स्पष्ट है, यह मूल्य माँग पर विशेष रूप से निर्भर रहता है और क्योंकि माँग में बड़ी मोघना तथा बड़ी तेजी से परिवर्तन होते रहते हैं, अतएव यह मूल्य भी स्थिर नहीं रह पाता, बरन् जल्दी-जल्दी बदलता रहता है। यदि माँग थोड़ी अधिक हो जाती है, तो मूल्य बढ़ जाता है, और इसके विपरीत, यदि माँग में थोड़ी कमी आ जाती है तो मूल्य नीचे गिर जाता है, किन्तु पूति का प्रभाव केवल निष्प्रिय होना है।


बाजार-मूल्य का निर्धारण—

इस प्रकार, हम देखते हैं कि बाजार मूल्य माँग और पूति के अस्वादि साम्य के फल-स्वरूप निश्चिद्य होता है। 'अस्वाधी साम्य' से हमारा अभिप्राय उस साम्य या सन्तुलन से है, जो बहुत देर तक स्थिर नहीं रह सकता, बरन् थोड़े ही समय के पश्चात् भङ्ग हो जाता है और फिर माँग और पूति का नया साम्य स्थापित होता है। इसी कारण बाजार मूल्य भी थोड़े-थोड़े समय में बदलता रहता है। कुछ दिशाओं में तो यह कुछ घण्टों तक भी स्थिर नहीं रह पाता, यद्यपि कभी कभी यह कुछ दिनों अथवा सप्ताहों के पश्चात् बदलता है। वस्तुओं के निम्न प्रकार की होनी हैं :—(अ) पुनरुत्पादनीय वस्तुओं (Reproducible commodities), जो शीघ्र नाशवान (Perishable) या शीघ्र नाश न होने वाली या टिकाऊ (Non-perishable or Durable) हैं (ब) निरुत्पादनीय वस्तुओं (Non-reproducible goods), जैसे—क्यात्मक तस्वीरों या पुरानी पाण्डुलिपियाँ इत्यादि। बाजार मूल्य के अध्ययन के लिए शीघ्र नाशवान वस्तुओं (जैम—ताजा फल घण्टे, ताजी सब्जियाँ इत्यादि) एवं निरुत्पादनीय वस्तुओं को एक साथ रखा जा सकता है, क्योंकि इन दोनों की ही पूति स्थिर रहती है। ऐसी वस्तुओं के लिए पूति की रखा एक लकी रखा होती है।

(1) नाशवान एवं निरुत्पादनीय वस्तुओं के बाजार-मूल्य का निर्धारण—

ये सब वस्तुओं ऐसी हैं कि इन की माँग में तो अस्मान् ही परिवर्तन हो सकते हैं, परन्तु पूति को अस्मान् बढ़ाया नहीं जा सकता है। साथ ही साथ, इन वस्तुओं को, माँग की कमी की दशा में, भविष्य के लिए बचाकर भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि ये शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं। यदि किसी दिन एका छोटे नगर में कई घराने आ जाती हैं या कोई बड़ा नेता आ जाता है, जिसे देखने के लिए दूर-दूर के लोग आते हैं, तो एकदम दूध की माँग बढ़ जायेगी, परन्तु दूध की मात्रा उतनी ही रहेगी, जितनी कि साधारणतया रहती थी। ऐसी दशा में, घर-घाटों की दूध नहीं मिल पायेगी, दूध के दाम ऊपर चढ़ जायेंगे और केवल उन्हीं श्रेताओं की दूध मिल सकेगी, जो ऊँचे दाम देने को तैयार होंगे। एक-दो दिन के बाद जब घरानों आदि या और कम हो जायगा, तो दाम फिर नीचे उतर आयेगे। ठीक इसी प्रकार, नगर में कई घरानों के आने जाने या नगर में हटना ही आने के कारण माँग में अस्मान् कमी हो सकती है और मूल्य नीचे गिर सकता है।

निम्न बिन्दु में विरहादनीय और नाशवान वस्तुओं की पूर्ति को एक खरीदे देना पृ सु



चित्र—निम्नतम मूल्य एवं नाशवान वस्तुओं का बाजार-मूल्य


प द्वारा दिखाया गया है। माँग रेखा म म इसे मू पर काटती है। अतः साम्य मूल्य मू प (या म म) के बराबर होगा और इस मूल्य पर बाजार ताफ हो जायेगा। अब यदि माँग बढ़कर m_1 m_2 हो जाय, तो बाजार-मूल्य बढ़कर m_1 प (या त म) हो जायेगा, और इस मूल्य पर समस्त पूर्ति विक्रि जायेगी। दूसरी ओर, यदि माँग घट कर m_2 m_1 रह जाय, तो बाजार मूल्य भी घटेगा तथा मू प (या म म) के बराबर रह जायेगा। इस मूल्य पर भी समस्त बाजार-पूर्ति विक्रि जायेगी। अब यदि माँग और नीचे गिरे, तो मूल्य भी और नीचे गिरेगा। किन्तु जैसा कि चित्र से

प्रगट है, एक सुरक्षित या निम्नतम मूल्य (Reserve or minimum price) होता है, जिससे कम पर उत्पादक या विक्रेता अपनी वस्तु को बेचने से मना कर देंगे। यह मूल्य बिन्दु में मु प (या म म) द्वारा सूचित किया गया है [यहाँ कल्पना कर ली गई है कि सभी विक्रेताओं के लिए एक ही सुरक्षित मूल्य है जबकि व्यवहार में अलग-अलग सुरक्षित मूल्य होते हैं।] जब माँग घटते हुए m_2 m_1 रह जायेगी, तो मूल्य म म के बराबर होना ही जोरि सुरक्षित मूल्य म म से कम है। अतः दग पर विक्रेता अपनी वस्तु को नहीं बेचेंगे। यही कारण है कि मु के नीचे पूर्ति देना पृ मु प को हटा हुआ दिखाया गया है, जिससे यह सूचित होता है कि सुरक्षित मूल्य से कम मूल्य पर वस्तु की बेची जाने वाली मात्रा 'शून्य' होगी। सुरक्षित मूल्य नकदी के लिए विक्रेताओं की आप्रतपूर्णा, मूल्यों के सम्बन्ध में भाषी प्राप्ता, भविष्य की लागतों और वस्तुओं के टिकाऊपन पर निर्भर होता है।

(II) टिकाऊ वस्तुओं के बाजार-मूल्य का निर्धारण—

टिकाऊ वस्तुओं की पूर्ति को कुछ परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परि-माण विद्यमान स्टॉक तक ही सम्भव है। अतः इन वस्तुओं के मूल्य-निर्धारण में भी माँग का ही प्रभाव मुख्य होता है। पूर्ति अथवा लागत का प्रभाव बहुत ही कम रहता है। यहाँ पर भी एक निम्नतम मूल्य होता है, जिससे कम पर विक्रेता वस्तु को नहीं बेचेंगे और एक अधिकतम मूल्य होता है, जिसके मिलने पर वे अपनी समस्त स्टॉक को बेच देंगे। अतः निम्नतम और अधिकतम मूल्यों के बीच पूर्ति रेखा वाम से दायें ऊपर की ओर बढ़ती हुई होगी और अधिकतम मूल्य के ऊपर एक खड़ी रेखा ही जायेगी, क्योंकि पूर्ति को विद्यमान स्टॉक की अपेक्षा अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है चाहे मूल्य कितना भी ऊँचा हो जाय।

विभिन्न बिन्दु में पूर्ति की विभिन्न अवस्थाओं को पू उ पू द्वारा दिखाया गया है। माँग-



रेखा म म इमें मू बिन्दु पर काटती है। अतः साम्य कीमत मू प (या द घ) के बराबर है, त्रिम पर विभेता कुल पूर्ति म प₁ में से बाजार में घ प मात्रा को ही देखेंगे और प प₁ को स्टॉक में रंग रहेंगे। यदि माँग बढ़कर म₁ म₂ हो जाय, तो मूल्य उ प₁ (या घ घ) के बराबर होगा तथा इस पर पूरा स्टॉक घ प₁ बिक जायेगा। यदि माँग घ₂ घ₂ हो जाय, तो मूल्य बढ़कर त घ के बराबर हो जायेगा, विन्दु देखी जाने वाली मात्रा घ प₁ ही रहेंगी, क्योंकि प्रति-अल्पकाल में अधिक वृद्धि सम्भव नहीं है। यदि माँग घटकर म₃ म₃ रह जाय, तो मूल्य घ घ के बराबर होगा और इस पर पूरा स्टॉक

बिन्दु—टिकाऊ या शीघ्र नाग न होने

वाली वस्तुओं का बाजार-मूल्य

नहीं देखा जायेगा। केवल घ प₂ मात्रा ही बेची जायेगी। प₂ प₁ मात्रा को स्टॉक में रोक दिया जायेगा। यदि कीमत पू घ या इमें नीचे गिर जाय, तो विभेता कोई विक्री नहीं करने, अतः पू घ गुराधार या निम्नतम मूल्य है।

स्वाभाविक या सामान्य मूल्य
(Natural or Normal Price)

सामान्य मूल्य दीर्घकालीन मूल्य होता है।—

अल्पकाल में तो पूर्ति की मात्रा को घटाना या बढ़ाना सम्भव नहीं होता, परन्तु दीर्घकाल में उत्पात्ति का प्रत्येक साधन प्र-परिमाणिक होता है और साधनों के उपयोग बढ़ने जा सकते हैं, त्रिमके फलस्वरूप माँग बढ़ने की दशा में वस्तु की पूर्ति भी बढ़ा दी जाती है और उत्पात्ति के अधिक साधन उम वस्तु के उत्पादन में लगा दिये जाते हैं। दीर्घकाल में माँग और पूर्ति के बीच पूर्ण समायोजन हो जाता है और पूर्ति भी माँग के घटने-बढ़ने के अनुसार घट-बढ़ जाती है। इस प्रकार, दीर्घकाल में साम्य बदल जाता है, परन्तु जो नया साम्य स्थापित होता है वह भी स्थायी होता है, अस्थायी नहीं। दीर्घकाल में जो मूल्य प्रचलित होता है उसे दीर्घकालीन मूल्य, दीर्घकालीन सामान्य मूल्य या केवल सामान्य मूल्य कहते हैं। [स्मरण रहे कि अल्पकाल में प्रचलित मूल्य को अल्पकालीन अथवा अल्पकालीन सामान्य मूल्य कहते हैं।]

स्मरण रहे कि दीर्घकालीन मूल्य काल्पनिक और अमूर्त होता है अर्थात् यह वास्तव में किसी विशेष समय पर प्रचलित नहीं होता या प्राप्त नहीं किया जा सकता। दीर्घकाल काल के गट्टय कभी नहीं आता है, अर्थात् प्रावैगिक समाज में विघ्नकारक घटक क्यो मूल्य समायोजन में लगातार बाधा डालते रहते हैं, जिन कारण सामान्य मूल्य कभी विद्यमान नहीं होने पाता है। जब तक इतना समय मिल पाये कि दीर्घकालीन साम्य (और इस तरह दीर्घकालीन मूल्य) स्थापित हो सके, उमसे पहले ही प्रायः आधारभूत दशाओं में कुछ परिवर्तन हो जायेगा और


1 "Normal or natural value of a commodity is that which economic forces would tend to bring about in the long run. It is the average value which economic forces would bring about if the general conditions of life were stationary for a run of time long enough to enable them all to work out their full effects"—Marshall.

पहला सम्भावित सामान्य मूल्य एक गतिशील लक्ष्य (Moving target) है जिसकी धीरे धीरे मूल्य निरन्तर जाने को प्रवृत्ति रखता है, किन्तु यथार्थ में कभी पहुँचने नहीं पाता है।

दीर्घकालीन मूल्य का निर्धारण—

बाजार-मूल्य के सम्बन्ध में हमने देखा था कि अचरमात दूध की माँग बढ़ जाने पर पूँज में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था। किन्तु, यह बढ़ी हुई माँग लम्बे काल तक चलती रहे (जैसे—मान लीजिये उस नगर में बाहर से आकर बहुत से लोग बस जाते हैं या किसी स्वास्थ्य शान्दोलन के फलस्वरूप लोग अधिक दूध पीने लगते हैं), तो ऐसी दशा में निश्चय ही कुछ समय बाद दूध की पूँज भी माँग के अनुसार ही बढ़ जायगी। लोग अधिक तथा अच्छे पशु पालने लगेंगे अथवा आस-पास के गाँव से अधिक दूध माँगने लगेंगे। दूध के नये-नये व्यवसायी उत्पन्न हो जायेंगे और दूध की पूँज द्रुतनी बढ़ जायगी कि बड़ी हुई माँग से उसका पूर्ण समाधान हो जाय। इस प्रकार, माँग धीरे पूँज में एक नया स्थायी साम्य स्थापित हो जायगा, जिसमें माँग और पूँज दोनों की मात्राएँ पहले से अधिक होंगी। ठीक इसी प्रकार, यदि कुछ कारणों से दूध की माँग स्थायी रूप से कम हो जाती है, तो दूध की पूँज की मात्रा में भी कमी हो जायगी। दूध के व्यवसायी तथा दूध देने वाले पशुओं की सख्या में कमी हो जायगी और पूँज की मात्रा घट कर घटी हुई माँग के बराबर हो जायगी। इस प्रकार, फिर माँग धीरे पूँज का नया स्थायी साम्य स्थापित हो जायगा। इससे सिद्ध होता है कि सामान्य मूल्य के परिवर्तनों पर माँग और पूँज दोनों का समान प्रभाव पड़ता है और मूल्य भी अधिक स्थायी होने है। इसमें परिवर्तन भी धीरे-धीरे तथा तेजी के साथ नहीं होते हैं, बल्कि धीरे-धीरे ही होते हैं।

माँग के बिना दीर्घकालीन माँग-रेखा म म और अल्पकालीन पूँज-रेखा म म एक



चित्र—दीर्घकालीन या सामान्य मूल्य का निर्धारण

निर्धारित होता है, अर्थात् मूल्य = सीमान्त लागत = (MC) = सीमान्त उपयोगिता (MU)।

पूर्व प्रयोगिता के अर्धदीर्घकाल में मूल्य की प्रवृत्ति सामान्य मूल्य तक पहुँचने और वहाँ पर स्थिर रहने की होती है। जैसे—यदि मूल्य P_1 है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि मूल्य वस्तु की सीमान्त लागत M से अधिक है। ऐसी दशा में विक्रेता वस्तु की अनिश्चित इकाइयों का उत्पादन करके अपने लाभ को बढ़ा सकेंगे। जब उत्पादन (अर्थात् पूँज) को P_1 से अधिक बढ़ाया जायेगा, तो मूल्य गिरने लगेगा और अन्ततः M के बराबर हो जायेगा। इसके विपरीत, जब मूल्य P_1 है, तो यह सीमान्त लागत M से कम है, जिस कारण विक्रेताओं को हानि होगी और वे पूँज को घटावेंगे, ताकि उनकी हानि कम हो जाय। जैसे-जैसे पूँज को घटाया जायेगा, मूल्य बढ़ेगा और अन्ततः वह M के बराबर हो जायेगा। इस प्रकार, सामान्य


दूसरे को मू बिन्दु पर काटती है। अतः दीर्घकालीन साम्य मूल्य या सामान्य मूल्य मू प के बराबर है तथा माँग व पूँज की साम्य-मात्राएँ (दोनों) म प के बराबर हैं। चूँकि मू बिन्दु माँग-रेखा म म पर है, इसलिए मू प सीमान्त उपयोगिता को सूचित करता है। इसी प्रकार, सीमान्त लागत भी मू प के द्वारा सूचित होती है, क्योंकि मू बिन्दु पूँज रेखा म म पर भी है। इस प्रकार, सामान्य मूल्य सीमान्त लागत और सामान्य उपयोगिता की समता के द्वारा

मूल्य की दशा यह है कि एक ओर तो वह सीमान्त उपयोगिता के और दूसरी ओर सीमान्त लागत के बराबर होता है ।

सामान्य मूल्य की दूसरी दशा यह है कि इसमें औसत लागत के बराबर रहने की भी प्रवृत्ति होती है । यदि वह औसत लागत से अधिक है, तो उत्पादको को अताधारण लाभ होगा, जिससे प्रेरित होकर नई फर्म उद्योग में प्रवेश करेंगी और इस तरह उत्पादन बढ़ने से मूल्य घट कर औसत लागत के बराबर हो जायेगा । इसके विपरीत, यदि सामान्य मूल्य औसत लागत से कम है तो उत्पादको को हानि होगी, जिस कारण कुछ उत्पादक उद्योग से निकल जायेंगे और इस प्रकार उत्पादन अथवा पूर्ति के कम होने पर मूल्य बढ़ कर औसत लागत के बराबर हो जायेगा (स्मरण रहे कि औसत लागत में सामान्य लाभ सम्मिलित होता है) । इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकालीन मूल्य की दो दशाये निम्न प्रकार हैं :—(अ) $Price=MC=MU$ एवं (ब) $Price=AC$ ।

दीर्घकालीन मूल्य और उत्पत्ति नियम—


सामान्य मूल्य लागत से प्रभावित होता है (अर्थात् लागत के बराबर होता है) और लागत पर उत्पत्ति-नियमो का प्रभाव पड़ता है । नीचे विभिन्न उत्पत्ति के नियमो की दशा में सामान्य मूल्य का निर्धारण दिखाया गया है :—



चित्र—सामान्य मूल्य
(लागत वृद्धि नियम)


(अ) उत्पत्ति ह्रास नियम (या लागत वृद्धि नियम)—साथ के चित्र में पूर्ति रेखा $P_1 P_2$ बायें से दायें की ऊपर की ओर बढ़ रही है, जिससे उत्पत्ति ह्रास नियम की क्रियाशीलता सूचित होती है । माँग-रेखा $M_1 M_2$ पूर्ति-रेखा को M बिन्दु पर काटती है । अतः M मूल्य निर्धारित होगा । यदि माँग बढ़ कर $M_1 M_1$ हो जाय तो मूल्य बढ़ कर $M_1 P_1$ हो जायेगा और यदि माँग घट कर $M_2 M_2$ रह जाय, तो मूल्य भी घट कर $M_2 P_2$ रह जायेगा ।

(ब) उत्पत्ति वृद्धि नियम (या लागत ह्रास नियम)—इस दशा में पूर्ति-रेखा $P_1 P_2$ बायें से दायें की नीचे गिरती हुई रेखा होती है । जैसा कि साथ के चित्र में दिखाया गया है, माँग-रेखा M में इसे M बिन्दु पर काटती है, जिससे M मूल्य निर्धारित होगा । यदि माँग बढ़कर $M_1 M_1$ हो जाय, तो मूल्य बढ़ने के बजाय घटता है और $M_1 P_1$ के बराबर निर्धारित होता है । यदि माँग घटकर $M_2 M_2$ रह जाय, तो मूल्य घटेगा नहीं वरन् बढ़ेगा और $M_2 P_2$ निर्धारित होगा ।



चित्र—सामान्य मूल्य (लागत ह्रास नियम)

(सं) उत्पत्ति स्थिरता नियम (या लागत स्थिरता नियम)—इस दशा में पूर्ति-रेखा



चित्र—सामान्य मूल्य (लागत स्थिरता नियम)

पू पू म क प्रक्ष के समानान्तर चलती है, जिसका भाष्य है कि अतिरिक्त उत्पादन स्थिर लागतों पर किया जा रहा है। जैसा कि साध के चित्र में दिखाया गया है, माँग-रेखा म म पूर्ति-रेखा पू पू को मू विन्दु पर काटती है। अतः मू प मूल्य निर्धारित होगा। अब यदि माँग बढ़ कर m_1 m_1 हो जाय, तो मूल्य बढ़ता नहीं बरन् स्थिर (अर्थात् m_1 p_1 या मू प के बराबर) रहता है। इसके विपरीत, यदि माँग घट कर m_2 m_2 रह जाय, तब मूल्य घटता नहीं बरन् मू प के ही बराबर (अर्थात् स्थिर) रहता है।


बाजार मूल्य के लक्षण

ऊपर की गई विवेचना से बाजार मूल्य के निम्न लक्षण स्पष्ट होते हैं :—(१) यह केवल अल्पकालीन मूल्य होता है। (२) यह मूल्य अस्थायी साम्य के फलस्वरूप निश्चित होता है और, चूँकि यह साम्य थोड़ी शीघ्रतापूर्वक बदलता रहता है, इसलिये मूल्य कभी स्थिर नहीं रह पाता बरन् घटता-बढ़ता रहता है और इसमें परिवर्तन तीव्रता से होते हैं। (३) इस मूल्य के निश्चित करने में माँग का कार्य प्रधान होता है। मूल्य के परिवर्तनों पर माँग का ही अधिपतित्व होता है और इन परिवर्तनों की दिशा भी माँग के परिवर्तनों के अनुसार होती है। पूर्ति का कार्य अस्थायी साम्य को स्थापित करने में केवल निष्क्रिय (Passive) ही होता है। (४) यद्यपि इस मूल्य में शीघ्रतापूर्वक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी इन परिवर्तनों का क्रम निश्चित होता है। मूल्य कभी बढ़ता है और कभी घटता है, परन्तु बाजार-मूल्य की यह प्रवृत्ति विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है कि यह मूल्य बार-बार लोट कर सामान्य मूल्य के बराबर हो जाता है। यदि कुछ समय के लिये बाजार-मूल्य सामान्य मूल्य से अधिक हो जाता है, तो कुछ देर के बाद यह फिर सामान्य मूल्य के बराबर हो जाता है। इसी प्रकार, नीचे गिर कर भी वह मूल्य फिर ऊपर चढ़ जाता है और सामान्य मूल्य के बराबर हो जाता है।

निम्न चित्र में बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य के इस पारस्परिक सम्बन्ध को दिखाया गया है :—

इस चित्र में टेढ़ी-मेढ़ी रेखा बाजार-मूल्य की प्रवृत्ति को दिखाती है। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, यह रेखा अनेक रूप बदल कर भी सामान्य मूल्य की रेखा से बार-बार आकर मिलती है।

अब प्रश्न यह उठता है कि बाजार-मूल्य में इस प्रकार की प्रवृत्ति क्यों होती है? इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए अल्प तथा दीर्घकाल के आपसी सम्बन्ध को समझ लेना आवश्यक है। स्मरण रहे कि दीर्घकाल यथार्थ में बहुत से अल्पकालों का ही समूह



चित्र—बाजार मूल्य और वास्तविक मूल्य का सम्बन्ध

होता है। जिस प्रकार मिनट-मिनट जोड़ कर घण्टा बन जाता है अथवा दिन-दिन जोड़ कर महीना हो जाता है, ठीक उसी प्रकार कई अल्पकाल मिलकर एक दीर्घकाल बनाते हैं। दूसरी बात यह है कि समय की जो इकाई एक दृष्टिकोण से अल्पकाल को सूचित करती है, दूसरे दृष्टिकोण से दीर्घकाल को भी सूचित करती है। उदाहरण के लिए, यदि अल्पकाल की अवधि एक घण्टा है और दीर्घकाल की ४ घण्टे तो ६ बजे का समय ५ बजे के सम्बन्ध में अल्पकाल होगा, किन्तु २ बजे के सम्बन्ध में यही दीर्घकाल हो जायगा। निश्चय ही ५ बजे से सम्बन्धित अल्पकालीन मूल्य २ बजे से सम्बन्धित दीर्घकालीन अथवा सामान्य मूल्य के बराबर होगा। इस प्रकार बाजार-मूल्य बारम्बार सामान्य मूल्य के बराबर हांता रहता है।

सामान्य मूल्य के लक्षण

ये निम्न प्रकार हैं :—(१) यह दीर्घकालीन मूल्य होता है। (२) यह मूल्य स्थायी या साम्य के फलस्वरूप निश्चित होता है। चूँकि इस साम्य में शीघ्रतापूर्वक परिवर्तन नहीं होते, इसलिए सामान्य मूल्य में स्थिरता रहती है। यह मूल्य कम या अधिक तो हो जाता है, परन्तु इसके परिवर्तनों की गति धीमी तथा अकर्मण्य होती है। इस मूल्य में अकस्माती झटके (Sudden jerks) या प्रबन्ध उच्चावचन (Violent Fluctuation) नहीं होते। (३) इस मूल्य के निश्चित करने में माँग और पूर्ति दोनों ही समान रूप में महत्त्वपूर्ण होते हैं। पूर्ति का कार्य उतना ही सक्रिय होता है, जितना कि माँग का। किसी एक को अधिक महत्त्व नहीं दिया जा सकता। मूल्य में जा भी परिवर्तन होते हैं वे माँग और पूर्ति दोनों के परिवर्तनों के फलस्वरूप होते हैं। (४) इस मूल्य के उत्पादन-व्यय (सीमान्त और औसत दोनों) के बराबर रहने की प्रवृत्ति होती है। अधिक समय तक यह उत्पादन-व्यय से कम या अधिक नहीं रह सकता है। (५) सामान्य मूल्य की रेखा बाजार मूल्य की रेखा का बिन्दु पथ (Locus) होती है। अभिप्राय यह है कि बाजार-मूल्य सामान्य मूल्य के ऊपर-नीचे घूमता रहता है और बार-बार लौटकर इनके बराबर होता रहता है।

बाजार-मूल्य के निर्धारण में पूर्णतया माँग का ही हाथ नहीं होता

यह तो हम देख चुके हैं कि बाजार-मूल्य में जो परिवर्तन होते हैं, वे केवल माँग के ही घटने-बढ़ने से होते हैं। अल्पकाल में पूर्ति तो यथास्थिर ही रहती है, परन्तु क्या इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि बाजार मूल्य के निर्धारण में पूर्ति का कुछ भी हाथ नहीं होता? क्या यह मूल्य केवल माँग द्वारा ही निश्चित होता है?

इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि बाजार-मूल्य के निश्चित करने में माँग तो सक्रिय होती है, परन्तु पूर्ति लगभग पूर्णतया निष्क्रिय रहती है। इसी सत्य को लेकर कुछ विद्वानों का विचार है कि यह मूल्य केवल माँग द्वारा ही निर्धारित होता है, किन्तु ऐसा कहना केवल एक भूल ही है। निष्क्रिय होते हुए भी पूर्ति के महत्त्व को नहीं भुलाया जा सकता। भूमि उत्पत्ति वा एक निष्क्रिय साधन ही है, परन्तु साथ ही साथ यह उत्पत्ति का महत्त्वपूर्ण ही नहीं, वरन् मौलिक साधन है। ठीक इसी प्रकार, यद्यपि अल्पकाल में पूर्ति निष्क्रिय होती है, परन्तु उसके बिना मूल्य का निर्धारण नहीं हो सकता।

मार्शल ने एक बड़े सुन्दर उदाहरण के द्वारा पूर्ति के महत्त्व की समझाया है। उन्होंने कहा है कि माँग और पूर्ति की तुलना कैंची के दोनों फलों से की जा सकती है। कैंची के एक फल को यदि हम इस प्रकार पकड़ लें कि वह हिल न सके और दूसरे फल को पलाते रहे, तो इस दशा में जो कपड़ा कटेगा, उसके विषय में यह कहना भूल हीगी कि वह केवल एक ही फल के द्वारा कटा है। निश्चय है कि कपड़ा दोनों फलों की सामूहिक क्रिया से कटा है, यद्यपि इनमें से

एक फल सक्रिय या घोर दूसरा निष्क्रिय । ठीक इसी प्रकार, मूल्य माँग और पूर्ति दोनों ही के द्वारा निश्चित होता है, यद्यपि दोनों की क्रिया भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है ।¹

बाजार-मूल्य तथा सामान्य मूल्य का सम्बन्ध

बाजार-मूल्य पर अस्थायी तथा असाधारण कारणों का बड़ा प्रभाव पड़ता है । वह अस्थायी साम्य द्वारा निश्चित होता है । परन्तु, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, बाजार कीमत सामान्यतः स्वाभाविक या सामान्य कीमत के घास-पास ही रहती है, भाकस्मिक और अस्थायी कारणों का प्रभाव धीरे-धीरे लोप हो जाता है और अन्त में केवल स्थाई कारणों का प्रभाव ही शेष रहता है । जिस प्रकार घड़ी का पेन्डुलम धूमता रहता है, किन्तु उसके उठरने का एक केन्द्रीय स्थान होता है, उसी प्रकार बाजार मूल्य का केन्द्र स्वाभाविक मूल्य ही होता है । भाकस्मिक कारण इसे इसके पथ से विचलित भवश्य कर देते हैं, परन्तु इसकी प्रवृत्ति सदा स्वाभाविक मूल्य पर लौट आने की ओर ही होती है ।

परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं हो जाता कि स्वाभाविक मूल्य बाजार मूल्य का औसत (Average) है । जैसा कि पहले बताया जा चुका है, स्वाभाविक मूल्य कुछ दीर्घकालीन निश्चित कारणों द्वारा, स्थिर साम्य की दशा में, निश्चित होता है । इसके विपरीत बाजार मूल्य पूर्णतया भाकस्मिक तथा अस्थायी कारणों द्वारा निश्चित होता है और चूंकि इस प्रकार के कारण बहुत लम्बे समय तक कार्यशील नहीं रह सकते एवं साधारण तथा असाधारण परिस्थितियों का अन्तर केवल समय से ही सम्बन्धित होता है (जिससे आज की असाधारण परिस्थिति कल साधारण बन सकती है), इसलिए अस्थायी तथा स्थायी साम्य के मूल्य में समानता आ सकती है ।

मूल्य के सिद्धान्त में समय का महत्त्व

(Importance of Time Element in Theory of Value)

मूल्य-निर्धारण उत्पादन-व्यय द्वारा या उपयोगिता द्वारा—

मूल्य-निर्धारण के विषय में अनेक मत हैं :—

(१) एडम रिचार्डो (Ricardo) जैसे विद्वानों का मत है कि मूल्य उत्पादन-व्यय के द्वारा निश्चित होता है । इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे मूल्य के निर्धारण में माँग का कुछ भी महत्त्व नहीं समझते । उनका विचार है कि उपयोगिता ही मूल्य को जन्म देती है । यदि किसी वस्तु में मनुष्य की आवश्यकता पूरी करने का गुण नहीं है, तो उसका मूल्य भी नहीं होगा; परन्तु उनका विचार था कि उपयोगिता मूल्य का कारण तो होती है किन्तु उसकी माप नहीं होती है ।

(२) इसके विपरीत, जेवन्स (Jevons) तथा आस्ट्रियन मत पक्ष (Austrian School of Thought) के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि उपयोगिता मूल्य का कारण तथा उसकी माप दोनों ही हैं ।

समय के सम्बन्ध में दोनों ही मत ठीक —

इन दोनों विचारधाराओं में परस्पर इतना अन्तर है कि दोनों एक दूसरी की विरोधी प्रतीत होती हैं, परन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है । यदि हम मूल्य के सिद्धान्त में समय के महत्त्व

1 "We might as reasonably dispute whether it is the upper or the under blade of a pair of scissors that cuts a piece of paper as whether value is determined by utility or cost of production."—Marshall.

2 इन मतों के विस्तृत अध्ययन के लिए कृपया अध्याय ४ पढ़िये ।

को समझ लें, तो हमें यह ज्ञान लेने में कठिनाई न होगी कि ये दोनों विचार सही हैं, यद्यपि दोनों पूर्ण सत्य को नहीं बताते हैं। बात केवल इतनी ही है कि एडम स्मिथ और रिकार्डों दीर्घकालीन दृष्टि से मूल्य-निर्धारण का अध्ययन करते हैं, जबकि जेवन्स तथा उनके अनुयायी अल्पकालीन मूल्य का विवेचन करते हैं। जैसा कि पहले हम बता चुके हैं, दीर्घकाल में उत्पादन-व्यय का अधिक महत्त्व होता है, जबकि अल्पकाल में माँग अथवा उपयोगिता का, यद्यपि मूल्य माँग और पूर्ति दोनों ही के द्वारा निश्चित होता है, किसी एक के द्वारा नहीं।

मार्शल का समय-विश्लेषण—

मूल्य माँग और पूर्ति में साम्य या सन्तुलन स्थापित हो जाने पर निश्चित होता है, परन्तु यह साम्य घुस्त ही स्थापित नहीं हो जाता, वरन् इसमें समय लगता है। आरम्भ में केवल अस्थायी अथवा अपूर्ण साम्य ही स्थापित होता है। जैसे-जैसे समय बीतता जाता है, साम्य धीरे-धीरे स्थायी या पूर्ण होता जाता है। जिससे सिद्ध होता है कि साम्य का रूप तथा उसकी दशा समय पर निर्भर हैं। इसी कारण मार्शल ने मूल्य के सिद्धान्त में समय के अध्ययन को विशेष महत्त्व दिया है। उनका कथन है कि मूल्य पर माँग और पूर्ति को शक्तियों का जो प्रभाव पड़ता है, उसमें समय के अनुसार अंतर होता है। साधारणतया समय जितना ही कम होता है, उतना ही हमें मूल्य निर्धारण में माँग के प्रभाव पर अधिक ध्यान देना होता है और जितना ही समय अधिक होता जाता है, उतना ही उत्पादन-व्यय का महत्त्व बढ़ता जाता है।¹ किसी समय विशेष का मूल्य, जिसे हम बाजार-मूल्य का नाम देते हैं (अर्थात् बहुत ही छोटे अल्पकाल का मूल्य), ऐसे कारणों से प्रभावित होता है जो आकस्मिक, अस्थायी तथा अल्पकालीन होते हैं और जो इङ्कतापूर्वक नहीं चलते रहते। परन्तु जैसे-जैसे अधिक समय बीतता जाता है, इन कारणों में निश्चितता आती जाती है, इनका अस्थायीपन दूर हो जाता है और एक कारण दूसरे की परिवर्तनशीलता को धीरे-धीरे कम करता जाता है, जिसके फलस्वरूप लम्बे काल में पूर्ति इङ्क तथा स्थायी कारणों से ही प्रभावित होती है।

परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि दृढ़ और स्थायी कारण कभी बदलते ही न हो। बहुत लम्बे समय में उत्पादन विधि, उत्पत्ति के पैमाने तथा उत्पादन व्यय में भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो जाते हैं; जिससे स्थायी कारण भी बदल जाते हैं। बहुत लम्बे काल में माँग में भी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। माँग-प्राप्तियों, रीति-रिवाजों आर्थिक परिस्थितियों तथा फैशन पर निर्भर होनी हैं, जो बहुत लम्बे काल में स्वयं ही बदल जाते हैं। इस प्रकार बहुत लम्बे दीर्घकाल में माँग और पूर्ति दोनों ही बड़े अंश तक बदल जाते हैं, जिससे स्थायी साम्य भी बदल जाता है।

मूल्य के सिद्धान्त में समय के अध्ययन का एक और भी महत्त्व है। एक उत्पादक के कुल व्यय को हम दो भागों में बाँट सकते हैं :—प्रधान व्यय तथा अनुपूरक व्यय। इन दोनों के विषय में पहले ही विस्तारपूर्वक लिखा जा चुका है। अल्पकाल में एक उत्पादक के लिए यह बहुधा सम्भव नहीं होता कि वह कुल उत्पादन व्यय को वसूल कर सके। ऐसी दशा में वह केवल प्रधान व्यय तथा अनुपूरक व्यय के अंश को पा लेने पर ही सन्तोष कर लेता है। परन्तु दीर्घकाल

¹ "As a general rule, the shorter the period which we are considering, the greater must be the share of our attention which is given to the influence of demand on value; and the longer the period, the more important will be the influence of cost of production on value."—Marshall : *Principles of Economics*, pp. 349-50.

में उत्पत्ति के कुल व्यय का वसूल ही जाना आवश्यक होता है, अन्यथा उत्पादन में घाटा होता है और लम्बे समय तक हानि होने में व्यवसाय को बन्द कर देना ही अधिक उचित होता है। दीर्घकाल में प्रधान तथा अनुपूरक व्यय के बर्गीकरण में भी अन्तर हो सकता है। अल्पकालीन अनुपूरक व्यय दीर्घकाल में प्रधान व्यय बन सकता है।

परीक्षा प्रश्न :

१. "साधारणतः विधाराधीन काल जितना ही छोटा होगा, मूल्य पर पड़ने वाले माँग के प्रभाव पर हमें उतना ही अधिक ध्यान देना पड़ेगा, और यह काल जितना ही लम्बा होगा, मूल्य पर उतना ही अधिक प्रभाव उत्पादन लागत का होगा"—मार्शल कीमत निर्धारण में समय तत्त्व का महत्त्व दिखलाते हुये उपर्युक्त कथन की विवेचना कीजिए।

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम मार्शल के समय-विभाजन को बताइये, जो घड़ी के समय पर नहीं बरन् क्रियात्मक समय पर आधारित है। तत्पश्चात् अति-अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल में मूल्य निर्धारण पर समय के प्रभाव की रेखा-चित्रों की सहायता से व्याख्या कीजिए। अन्त में मार्शल के कथन में सहमति दिखलाइये।]

२. मूल्य-निर्धारण में समय के महत्त्व की विवेचना करिये। क्या दीर्घकाल और अल्पकाल के मध्य कोई सुनिश्चित विभाजन-रेखा खींची जा सकती है ?

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम अति-अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल में मूल्य निर्धारण पर समय के प्रभाव की रेखा-चित्रों की सहायता से विवेचना कीजिए। तत्पश्चात् यह बताइये कि मार्शल का यह कहना ठीक ही है कि समय जितना लम्बा होगा मूल्य पर पूर्ण का प्रभाव उतना अधिक होगा। अन्त में यह बताइये कि अति-अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल के मध्य कोई सुनिश्चित विभाजन-रेखा खींचना सम्भव नहीं है, क्योंकि यह विभाजन क्रियात्मक समय पर आधारित है, घड़ी के समय पर नहीं, जिससे एक स्थिति में अल्पकाल दूसरी स्थिति के दीर्घकाल से अधिक लम्बा हो सकता है।]

३. निम्न की समीक्षा कीजिये—(अ) मूल्य के निर्धारण में समय तत्त्व एक महत्त्वपूर्ण भूमिका रखता है। (ब) सीमान्त वह बिन्दु है जिस पर न कि जिसके द्वारा मूल्य निर्धारित होता है।

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम मूल्य-निर्धारण पर समय-तत्त्व के प्रभाव की रेखा-चित्रों की सहायता से संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। तत्पश्चात् मूल्य-निर्धारण में सीमा के महत्त्व की व्याख्या कीजिये।]

४. यदि किसी वस्तु के लिए माँग में स्थायी रूप से वृद्धि हो जाती है, तो उसके मूल्य पर अति-अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल में क्या प्रभाव पड़ेगा ?

[सहायक संकेत :—माँग की वृद्धि के फलस्वरूप मूल्य में वृद्धि दीर्घकाल की अपेक्षा अति-अल्पकाल और अल्पकाल में अधिक होगी, क्योंकि दीर्घकाल में पूर्ण को माँग के अनुरूप समायोजित होनेके लिए पूर्ण अवसर मिल जाता है। मूल्य पर माँग की स्थायी वृद्धि के प्रभाव की रेखाचित्र देकर स्पष्ट कीजिये। दीर्घकाल के मूल्य पर माँग की वृद्धि के प्रभाव का विवेचन उत्पत्ति नियमों के सन्दर्भ में करना चाहिए।]

५. पूर्ण प्रतिस्पर्धा में मूल्य का निर्धारण किस प्रकार होता है ? इसमें समय का महत्त्व बताइये ।

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम रेखा-चित्र और उदाहरण द्वारा पूर्ण प्रतियोगिता के अधीन मूल्य-निर्धारण को बताइये अर्थात् यह बताइये कि मूल्य उस बिन्दु पर निर्धारित होगा जहाँ कि मांग और पूर्ति-रेखाएँ एक दूसरे को काटती हैं । तत्पश्चात् मूल्य निर्धारण में समय तत्त्व के प्रभाव को संक्षेप में किन्तु उपयुक्त रेखाचित्रों की सहायता से समझाइये ।]

६. बाजार-मूल्य और सामान्य मूल्य की परिभाषा कीजिये । इनके भेद को बताइये और यह दिखाइये कि प्रत्येक कैसे निर्धारित होता है ?

प्रथवा

बाजार-मूल्य और सामान्य मूल्य के अन्तर को बताइये । इनको निर्धारित करने वाले प्रमुख प्रभावों को इंगित कीजिए ।

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम बाजार-मूल्य और सामान्य मूल्य के अर्थों को बताइये और संक्षेप में इनकी तुलना कीजिये । तत्पश्चात् रेखा-चित्रों की सहायता से बाजार मूल्य के निर्धारण को और अन्त में सामान्य मूल्य के निर्धारण को अति सक्षेप में समझाइये ।]

७. सामान्य और बाजार-मूल्य के अन्तर को स्पष्ट कीजिये । क्या यह कथन सत्य है कि सामान्य मूल्य वह मूल्य है जिसके इर्द-गिर्द बाजार-मूल्य चक्कर लगाता है ?

प्रथवा

“बाजार-मूल्य समुद्र के उस सतह की भाँति है जो हवाओं और भूकम्पों के कारण स्थिर नहीं रहने पाता है ।” इस कथन की व्याख्या कीजिये ।

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम बाजार-मूल्य और सामान्य मूल्य के अर्थों को बताइये । तत्पश्चात् दोनों के अन्तरों को इंगित करते हुए तुलना कीजिये । अन्त में चित्र की सहायता से यह स्पष्ट कीजिये कि बाजार-मूल्य सामान्य मूल्य में आरों और चक्कर लगाता है अथवा बाजार मूल्य की प्रवृत्ति सदा सामान्य मूल्य की ओर लौटने की होती है ।]

प्रतिनिधि फर्म

(Representative Firm)

प्रारम्भिक—प्रतिनिधि फर्म की पृष्ठ-भूमि

पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में अनेक उत्पादक अथवा विक्रेता होते हैं और साथ ही साथ इन सबका उत्पादन-व्यय भी समान नहीं होता। अब, जब हम यह कहते हैं कि मूल्य का निर्धारण औसत और सीमान्त भागम और व्यय के समानता बिन्दु पर होता है, तो प्रश्न यह उठता है कि हम किस फर्म के उत्पादन व्यय तथा भागम की ओर सकेत कर रहे हैं, क्योंकि अनेक फर्म हैं। स्थैतिक साम्य की दशा में आशय सीमान्त फर्म से होगा किन्तु प्रबैंगिक दशा (Dynamic State) में उत्तर देना कठिन है। प्रबैंगिक दशा में फर्म भिन्न-भिन्न पैमाने की होती हैं और नई तथा पुरानी सभी प्रकार की फर्म देखने में आती हैं। अलग-अलग फर्म की आर्थिक विकास की स्थिति भी अलग-अलग होती है। कुछ फर्मों का विकास होता रहता है और कुछ का संकुचन। कुछ फर्म लाभ कमाती हैं और कुछ हानि उठाती हैं। ऐसी दशा में तीन सम्भावनाएँ होती हैं : (i) कीमत या तो सीमान्त फर्म के उत्पादन व्यय के बराबर हो, (ii) या सबसे कुशल फर्म के, और (iii) या औसत फर्म के व्यय के, किन्तु इन तीनों में से कोई भी सम्भव नहीं हो सकता। कारण, यदि कीमत सीमान्त फर्म के उत्पादन व्यय के बराबर होगी, तो इसके स्पष्ट अर्थ यही होंगे कि अन्य प्रत्येक फर्म को लाभ होना होगा। इसी प्रकार, मूल्य सबसे कुशल फर्म के उत्पादन व्यय के बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी दशा में अन्य सभी फर्मों को हानि होगी। साथ ही, चूँकि प्रबैंगिक दशा में निरन्तर परिवर्तन होने रहते हैं, इसलिए किसी औसत फर्म और उसके उत्पादन व्यय का पता नहीं लगाया जा सकता। तब फिर बौन-से फर्म के उत्पादन-व्यय द्वारा कीमत निर्धारित होती है ?

मार्शल का प्रतिनिधि फर्म का विचार

मार्शल ने प्रश्न का उत्तर पूर्ण स्पष्टतापूर्वक दिया है। उनका कहना है कि कीमत प्रतिनिधि फर्म (Representative Firm) के उत्पादन व्यय के बराबर होती है।

प्रतिनिधि फर्म से आशय—

मार्शल के शब्दों में, “प्रतिनिधि फर्म एक ऐसी फर्म होती है, जो पर्याप्त समय से उत्पादन कर रही है और जिसे यथेष्ट सफलता मिल चुकी है, जिसका प्रबन्ध एक सामान्य योग्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है और जिसे सामूहिक उत्पत्ति की आभ्यान्तरिक तथा बाह्य दत्त सामान्य रूप से प्राप्त है। साथ ही उत्पादित वस्तुओं की विस्म, उनके बिन्नी के लिए प्रस्तुत करने की दशा तथा आर्थिक बातावरण को भी ध्यान में रखा जाता है।”¹ अन्य फर्मों का

¹ “....One which has had a fairly long life and fair success, which is managed by a person with fair ability, and which has normal access to the

(Contd.)

विस्तार हो या सकुचन, प्रतिनिधि फर्म न तो अपनी उत्पत्ति बढ़ायेगी और न घटायेगी। इस प्रकार की फर्म का प्रवृत्त न तो बहुत ही योग्यता से होता है और न बहुत ही अयोग्यता से। यह न तो बहुत पुरानी होती है और न बिल्कुल नई। इसको बड़े पैमाने की उत्पत्ति की साधारण बचन प्राप्त होती है। यह उद्योग विशेष का प्रतिनिधित्व करती है और एक प्रकार से उद्योग विशेष की एक सादृशभूत (Typical) फर्म होती है।

‘प्रतिनिधि फर्म’ के लक्षण—

इस सम्बन्ध में मार्शल ने जङ्गली वृक्षों के साधारण पर अपने विचार की पुष्टि की है। किसी समय विशेष में जङ्गल में सभी प्रकार के वृक्ष होते हैं—कुछ तो ऐसे होते हैं, जो अभी-अभी उगं हो रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पुराने होकर सूखने लगने हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें न तो हम बिल्कुल बच्चे ही कह सकते हैं और न पूर्णतया बूढ़े ही। ठीक इसी प्रकार, प्रत्येक उद्योग में तीन प्रकार की फर्म होती हैं :—(i) कुछ तो ऐसी होती हैं जो अभी शिशु अवस्था में होती हैं और धीरे-धीरे बढ़ कर अधिक बचन प्राप्त करती रहती हैं। (ii) कुछ इनकी पुरानी होती हैं कि अपनी कार्यक्षमता को खो चुकी होती हैं और (iii) कुछ बीच की दशा में होंगे हैं, जिन्हें सामान्य बचन तथा सामान्य कुशलता प्राप्त होती है। ऐसी फर्मों का अनुसर प्राप्त हो जाता है और वे अपनी रणनीति स्थापित कर लेती हैं। तीसरे वर्ग में बहुत-सी फर्म हो सकती हैं, किन्तु वे सभी प्रतिनिधि फर्म नहीं होंगी। मार्शल के अनुसार, “प्रतिनिधि फर्म एक ऐसी फर्म है, जो सभी दृष्टिकोणों से एक सामान्य या औसत फर्म होगी।” ऐसी फर्म के लक्षण निम्न प्रकार होते हैं :—(१) यह एक ऐसी औसत फर्म होती है, जो इस बात को सूचित करती है कि उद्योग विशेष की बड़े पैमाने की उत्पादन की बचते प्राप्त हैं। (२) इसका न विकास होता है और न सकुचन। (३) इसे न लग्न होना है और न हानि। (४) यह न बहुत नई होती है और न बहुत पुरानी। (५) ऐसी फर्म एक से अधिक हो सकती हैं।

प्रतिनिधि फर्म के विचार की आलोचना—

मार्शल की फर्म की अनेक आलोचनाएँ हुई हैं :—

(१) अधिकांश आधुनिक अर्थशास्त्रियों का विचार है कि मार्शल का प्रतिनिधि फर्म का विचार एक कोरी कल्पना है। जिस प्रकार रिवाजों और एडम स्मिथ का ‘आर्थिक मनुष्य’ (Economic Man) का विचार एक अपूर्त तथा कृत्रिम विचार था, उसी प्रकार प्रतिनिधि फर्म का भी व्यावहारिक जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसी कोई फर्म खोजी तो जा सकती है, परन्तु देखी नहीं जा सकती है।

(२) यह विचार केवल स्थिर दशा (Static State) से ही सम्बन्धित है, जबकि व्यवर्ध में सतत सदा प्रवर्धक दशा में ही रहता है, क्योंकि सतत में प्रत्येक दशा में परिवर्तन होते ही रहते हैं।

(३) वास्तविक जीवन में प्रतिनिधि फर्म का किसी भी उद्योग में पना लगाना असम्भव होता है।

(४) रोबिन्स के विचार में प्रतिनिधि फर्म के विचार की आवश्यकता ही नहीं है।

economies external and internal, which belong to that aggregate volume of production, account being taken of the class of goods produced, the conditions of marketing them and the economic environments.....”

—Marshall . Principles of Economics, p 311.

उनका कथन है, "हमारे लिए प्रतिनिधि फर्म या प्रतिनिधि उत्पादक की मान्यता की उतनी ही कम आवश्यकता है, जितनी किसी प्रतिनिधि भू-भाग, प्रतिनिधि मशीन अथवा प्रतिनिधि श्रमिक की।"¹

(५) रोबिन्स का विचार है कि दीर्घकाल में उत्पत्ति के सभी साधनों को सामान्य लाभ प्राप्त होना चाहिए अथवा साम्य में स्थिरता नहीं आवेगी और इसलिए, दीर्घकाल में प्रत्येक फर्म मार्शल की प्रतिनिधि फर्म ही होती है। जब दीर्घकाल में सभी फर्म प्रतिनिधि फर्म के समान होगी तब तक किसी एक फर्म को प्रतिनिधि का पद देने की आवश्यकता कहां ?

(६) कुछ आलोचकों का यह भी विचार है कि दीर्घकाल में प्रतियोगिता की दशा में प्रत्येक फर्म को उद्योग विशेष में बने रहने के लिए अपने जीवन के लिए सधर्य करना पड़ता है, जिसके कारण उसे अपनी नीति तथा अपनी व्यवस्था का इस प्रकार संचालन करना पड़ता है कि उत्पादन व्यय कम से कम हो। स्पष्ट है कि ऐसी दशा में कोई भी फर्म दूसरी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है।

(७) कुछ लेखकों ने यह आलोचना भी की है कि मार्शल का प्रतिनिधि फर्म का विचार अपूर्ण तथा अस्पष्ट है। उदाहरणार्थ, रॉबर्टसन का विचार है कि मार्शल ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि प्रतिनिधि फर्म उद्योग के विस्तार का प्रतिनिधित्व करती है या व्यय का। मार्शल की अपनी विवेचना में वही तो विस्तार को अधिक महत्व दिया गया है और वही लागत को। परन्तु ध्यानपूर्वक देखने के पश्चात् रॉबर्टसन इस निष्पत्ति पर पहुँचते हैं कि मार्शल की प्रतिनिधि फर्म केवल उद्योग की सामान्य लागत का द्योतक है।² ठीक इसी प्रकार का विचार कालडोर (Kaldor) का भी है। उनका कहना है कि यह विचार हमें दीर्घकालीन पूंति की रक्षा के वास्तविक रूप का ज्ञान दिलाता है और इस प्रकार यह विचार उत्पादन-व्यय से सम्बन्धित है।³

पीगू का साम्य फर्म

पीगू मार्शल के ही शिष्य है। उन्होंने मार्शल के प्रतिनिधि फर्म की आलोचना की है। साधारणतया उनका विचार मार्शल से मिलता-जुलता है, परन्तु उन्होंने मार्शल के विचार में इस प्रकार का परिशोधन करने का प्रयत्न किया है कि उसमें अधिक स्पष्टता आ जाय और इस प्रकार फर्म का पता भी लगाया जा सके। प्रतिनिधि फर्म के स्थान पर पीगू ने साम्य फर्म (Equilibrium Firm) का विचार रखा है।

साम्य फर्म से आशय—

पीगू का कथन है कि जब पूरा उद्योग साम्य की दशा में है तब यह सम्भव है कि उसके अन्तर्गत सभी फर्म साम्य की दशा में न हों, अर्थात् जबकि उद्योग विशेष में न तो विस्तार ही होता है और न संकुचन ही, तब भी व्यक्तिगत रूप से कुछ फर्मों का विस्तार हो सकता है और कुछ का संकुचन। यह भी सम्भव है कि कोई लाभ फर्म साम्य की दशा में हो, अर्थात् उसका

1 "There is no more need for us to assume a Representative Firm or a Representative Producer than there is for us to assume a representative piece of land, a representative machine or a representative worker"
—Lionel Robinson : Article on 'Representative Firm' in the Economic Journal, Sept. 1928, p. 393.

2 Robertson : Article on 'Increasing Returns and Representative Firm', Economic Journal, March 1930, p. 89

3 Kaldor : Article on 'The Equilibrium of the Firm', Economic Journal, March 1934, p. 73

न विचार होता हो और न सकुचन। ऐसी फर्म को साम्य फर्म कहते हैं। अन्य शब्दों में, "साम्य फर्म यह फर्म हो सकती है जो उस समय जबकि पूरा उद्योग साम्य की दशा में है (अर्थात् जबकि यह एक सामान्य कीमत g के अन्तर्गत एक निश्चित पूर्ति को मात्रा k का उत्पादन करता है) व्यक्तिगत रूप से स्वयं भी साम्य में हो और एक निश्चित g का उत्पादन करती हो।"¹

उदाहरण—पीगू का विचार है कि ऐसी फर्म सैद्धान्तिक भी हो सकती है और व्यावहारिक भी। साथ ही, ऐसी फर्म एक से अधिक भी हो सकती हैं। निम्न तालिका में ऐसी फर्म का उदाहरण दिया गया है :—

साम्य फर्म दिखाने वाली तालिका

फर्म का नाम	१९५३ में कुल उत्पत्ति	१९६४ में कुल उत्पत्ति
क	५०० इकाइयाँ	४०० इकाइयाँ
ख	५०० "	३०० "
ग	५० "	१५० "
घ	४०० "	४०० "
ङ	१५० "	१०० "
च	३०० "	५०० "
छ	२०० "	२५० "
कुल योग	२,१०० "	२,१०० "

इस तालिका को देखने से पता चलता है कि पूरा उद्योग साम्य की दशा में है, क्योंकि कुल उत्पत्ति यथास्थिर रहती है, किन्तु प्रत्येक फर्म साम्य की दशा में नहीं है, ख, ग तथा छ फर्मों का विकास हो रहा है, जबकि क, ङ तथा च का सकुचन, परन्तु घ फर्म इस दशा में भी साम्य की अवस्था में ही है। यही साम्य फर्म है।

साम्य फर्म की आलोचना—

मार्शल और पीगू के विचारों की तुलना करने से पता चलता है कि दोनों में कोई विशेष भ्रंतर नहीं है। पीगू स्वयं भी इस बात को मानते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि उनका उद्देश्य मार्शल के विचार का स्पष्टीकरण करना ही है। लगभग वही सब आलोचनाएँ, जो प्रतिनिधि फर्म के विषय में की जा सकती हैं; साम्य फर्म पर भी हो सकती हैं। साम्य फर्म का भी वास्तविक जीवन में उतना ही महत्त्व है, जितना कि प्रतिनिधि फर्म का। पीगू स्वयं ही इस बात को मानते हैं, कि साम्य फर्म केवल कल्पित हो सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि जब पूरा उद्योग साम्य की अवस्था में है, तो कोई विशेष फर्म भी इस अवस्था में ही हो। साथ ही, यह भी सम्भव है कि इस प्रकार की एक से अधिक फर्म हो।² इस प्रकार साम्य फर्म का विचार प्रतिनिधि फर्म पर कोई विशेष सुधार नहीं है।


¹ "It means that when there can be a firm which when the whole industry is in equilibrium, i. e. when at a general supply price g it produces a fixed quantity k , is itself in equilibrium producing a fixed quantity a "—A. C. Pigou : *Economics of Welfare*, 4th edition, p 790.

² Thus, even when the conditions of demand are constant and output of an industry as a whole is correspondingly constant, the output of many
(Conid on next page)

अनुकूलतम फर्म अथवा आदर्श फर्म

अनुकूलतम फर्म से आशय एवं इसकी विशेषतायें—

एक साहजिकी के दृष्टिकोण से अनुकूलतम फर्म वह होती है, जिसका उत्पादन-व्यय लघुतम होता है। उत्पत्ति के नियमों के अध्याय में हम यह देख चुके हैं कि जब उत्पत्ति के साधनों की आदर्श अनुपात में उपयोग किया जाता है, तो उत्पादन व्यय न्यूनतम होता है। इसमें अधिकाधिक कुशलता प्राप्त की जाती है और उत्पादन के पैमाने को थोड़ा या छोटा कर देने से प्रति इकाई उत्पादन व्यय में वृद्धि हो जाती है। प्रतियोगिता की दशा में प्रत्येक फर्म अनुकूलतम आकार (Optimum Size) प्राप्त करने का प्रयत्न करती है, परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं होता कि प्रत्येक फर्म इसमें सफल हो जा सकती है। कोई फर्म इस उद्देश्य को पूरा कर सकेगी या नहीं, यह उसकी दक्षता तथा व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर होता है। अनुकूलतम उपज तभी उपलब्ध की जा सकती है, जबकि उत्पत्ति केवल उस बिन्दु तक की जाय जहाँ पर सीमान्त व्यय कीमत के बराबर हो। परन्तु जैसा कि हम उत्पत्ति के नियमों के सम्बन्ध में देख चुके हैं, विभिन्न कारणों से यह सदा सम्भव नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त अनुकूलतम उपज यथास्थिर नहीं होती। उत्पादन विधि, आर्थिक साधनों तथा अन्य कारणों के अनुसार इसमें परिवर्तन होते रहते हैं।



ऊपर के चित्र में फर्म m की उत्पादन रेखा दिखाई गई है। इस फर्म के लिए अनुकूलतम उपज $अ$ होगी, क्योंकि यही पर औसत उत्पादन-व्यय लघुतम होगा और प्रतियोगिता में यही सीमान्त उत्पादन व्यय के बराबर होगा।

प्रो० बार्ड के अनुसार, "अनुकूलतम फर्म से आशय उस व्यावसायिक समूह का है जो कि टेक्नॉलॉजी और उपज के लिए बाजार की दी हुई दशाओं में, दीर्घकाल में, न्यूनतम औसत लागत पर वस्तु उत्पन्न कर सके।"¹

individual firms will not be constant. The industry as a whole will be in a state of equilibrium, the tendency to expand or contract on the part of the individual firm will cancel out, but it is certain that many individual firms will not themselves be in equilibrium and possibly that none will be."

—Pigou : *Economics of Welfare*, Appendix III

- 1 Optimum firm may be defined as "that organisation of business enterprise which, in given circumstances of technology and the market for its product, can produce its goods at the lowest average unit costs in the long run.—Prof. Bay.

अनुकूलतम् आकार को प्रभावित करने वाले घटक—

अनुकूलतम् फर्म का आकार कितना बड़ा होगा, यह निम्नान्वित घटकों पर निर्भर है :—(१) उन उद्योगों में आकार बड़ा होगा जिनमें विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन के लिए अधिक अवसर हों, महँगी मशीनें प्रयोग की जाती हों, अविशिष्ट पदार्थों का प्रयोग किया जाता हो किन्तु विपरीत दिशाओं में छोटा होगा। (२) प्रथम-कुशलता का स्तर जिन उद्योगों में ऊँचा है उनमें अनुकूलतम् आकार बड़ा और जिन उद्योगों में नीचा है उनमें छोटा होगा। (३) विस्तृत बाजार वाली वस्तु से सम्बन्धित उद्योग में आकार बड़ा और संकुचित बाजार वाली वस्तु से सम्बन्धित उद्योग में छोटा होगा। (४) अच्छी वित्त-मुविधाओं वाले उद्योगों में आकार बड़ा और अन्य में छोटा होता है।

इस प्रकार, अनुकूलतम् आकार उद्योग-उद्योग में वहाँ प्रचलित परिस्थितियों के अनुसार होता है। एक ही उद्योग में भी विभिन्न समयों पर बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलतम् आकार परिवर्तित होता रहता है।

एक उद्योग में सभी फर्मों अनुकूलतम् आकार की क्यों नहीं ?

एक ही उद्योग में सभी फर्मों अनुकूलतम् आकार की नहीं होती है। इसके निम्न कारण हैं :—(i) सभी दशाओं में अनुकूलतम् पैमाना सबसे लाभदायक होता आवश्यक नहीं है। उदाहरणार्थ, यदि बाजार बड़ा नहीं है, तो फर्म छोटे प्लान्ट का (जिसकी मोसत लागत अनुकूलतम् आकार की अपेक्षा अधिक होगी) प्रयोग करेगी और तभी अधिक लाभ कमा सकेगी। (ii) कुछ फर्म उद्योग में प्रभुत्व जमाने के लिये अनुकूलतम् से कहीं अधिक बड़ा आकार प्राप्त करती हैं। (iii) कुछ फर्म औद्योगिक साम्राज्य बनाने की दृष्टि से अनुकूलतम् से बड़ा आकार रखती हैं। नई-नई परिस्थितियाँ जब तब उत्पन्न होती रहती हैं और इनके साथ समायोजित होने में फर्मों को कुछ समय लगता है, जिस बीच वे अनुकूलतम् आकार से छोटी रह जाती हैं।

अनुकूलतम् फर्म की व्यावहारिकता—

कुछ लेखकों का विचार है कि अनुकूलतम् फर्म का उदाहरण व्यावहारिक जीवन में मिल जाता है और यही प्रतिनिधि फर्म का कार्य करती है, क्योंकि इसी फर्म पर दृष्टि डालकर उद्योग विशेष की पूर्ण स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है।¹ इसमें तो कोई सन्देह नहीं है कि पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में अपने जीवित रहने के लिए प्रत्येक फर्म उत्पादन व्यय को कम करके अनुकूलतम् उपज उत्पन्न करने का प्रयत्न करती है। परन्तु इसमें दो कठिनाइयाँ हैं :—(i) अनुकूलतम् उपज का पता लगाना कठिन होता है। (ii) यदि यह सम्भव हो सके, तो इस पर जमे रहना कठिन होता है, इसलिए ऐसी फर्म का महत्त्व भी गुलपतया सैद्धान्तिक है।

यद्य प्रतिनिधि फर्म का कोई व्यावहारिक महत्त्व है ?

प्रतिनिधि फर्म की बड़ी-बड़ी आलोचनायें की गई हैं। अधिकांश आधुनिक ग्रंथशास्त्री यह मानते हैं कि इस विचार का कुछ भी व्यावहारिक महत्त्व नहीं है। किन्तु हाल ही में प्रोफेसर मेहता ने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि प्रवैगिक अवस्था में इस विचार का न केवल व्यावहारिक महत्त्व ही है, बल्कि इस प्रकार की फर्म का वास्तव में पता भी लगाया जा सकता है।

ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि अधिकांश आलोचनायें स्थैतिक अवस्था से

¹ "The optimum firm, on the other hand, is a concrete possibility. It is the unit of size which conscious direction and the forces of competition compel all firms to approach who wish to survive in the struggle for existence."—Briggs & Jordan : *Text book of Economics*, p. 221.

सम्बन्धित हैं। प्रवैगिक अवस्था में पूरे उद्योग में विस्तार या संकुचन हो सकता है। यदि विस्तार की प्रवृत्ति अधिक प्रबल है, तो इसका अभिप्राय यह हो सकता है कि वे शक्तियाँ, जो फर्मों को उद्योग विशेष में खींचती हैं, उन शक्तियों की अपेक्षा अधिक बलवान हैं, जो फर्मों को उद्योग विशेष से निकल जाने के लिए प्रेरित करती हैं। निश्चय है कि प्रवैगिक दशा में बहुत-सी नई फर्म उद्योग में प्रविष्ट होती रहती हैं और बहुत-सी पुरानी फर्म उद्योग को छोड़ती रहती हैं। साथ ही, कुछ फर्म अपना विस्तार करती रहती हैं और कुछ संकुचन। अब यदि उद्योग का विस्तार होना है, तो उद्योग में कोई ऐसी भी फर्म हो सकती है, जिसका स्वयं भी विस्तार हो रहा हो। इसी प्रकार, यदि उद्योग का संकुचन हो रहा है, तो कोई फर्म ऐसी भी हो सकती है, जिसका साथ-साथ संकुचन हो रहा हो। ऐसी फर्म को, जो उद्योग की सामान्य प्रवृत्ति का चोतक है, हम प्रतिनिधि फर्म कह सकते हैं।¹

जब इस प्रकार की प्रतिनिधि फर्म अपना विस्तार करती हुई होती है, तो नई फर्म उद्योग में प्रवेश करती हैं और जब प्रतिनिधि फर्म का संकुचन होता है, तो नई फर्म उस उद्योग विशेष में नहीं आती हैं, वरन् हो सकता है कि कुछ फर्म उद्योग को छोड़ दें। नई फर्मों के आने से उत्पात्ति बढ़नी जाती है और पूँति के बढ़ जाने के कारण मूल्य गिरता है, जिससे अन्त में उद्योग के विस्तार की गति कम होते-होते रुक जाती है। प्रतिनिधि फर्म में विस्तार की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है और मूल्य प्रतिनिधि फर्म के औसत व्यय के बराबर हो जाता है।

व्यपरीत दशा में, जब उद्योग में संकुचन होना है, तो पूँति घट जाने के कारण कीमत बढ़ जाती है, प्रतिनिधि फर्म की संकुचन-गति में शिथिलता आ जाती है, अन्त में यह संकुचन रुक जाता है और फिर मूल्य प्रतिनिधि फर्म के औसत व्यय के बराबर हो जाता है। इस प्रकार, परिवर्तनों के होते हुए भी मूल्य प्रतिनिधि फर्म के औसत व्यय के बराबर रहता है, यद्यपि स्वयं प्रतिनिधि फर्म के उत्पादन व्यय में परिवर्तन होते रह सकते हैं।²

प्रोफेसर मेहता के विचार से यह सिद्ध होता है कि सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों ही दृष्टिकोणों से प्रतिनिधि फर्म का महत्त्व है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, प्रतिनिधि फर्म के उत्पादन व्यय द्वारा ही मूल्य निर्धारित होता है, किन्तु साथ ही नई फर्म प्रतिनिधि फर्म को ध्यान में रखकर ही उद्योग विशेष में प्रवेश करने या न करने का और पुरानी फर्म उद्योग को छोड़ने या न छोड़ने का निश्चय करती हैं। व्यावहारिक जीवन में, जिन फर्म को देखकर उद्योग में आने अथवा उसे छोड़ने का फैसला होता है वही प्रतिनिधि फर्म होती है।

मार्शल, पीगू और मेहता के विचारों की समानता

प्रोफेसर मेहता और मार्शल के विचार में बड़ी समानता है। मार्शल का कथन है कि प्रतिनिधि फर्म का वास्तविक अस्तित्व है और ऐसी फर्म को बाहरी और भीतरी औद्योगिक बचनों का सामान्य भाग प्राप्त होता है। ऐसी फर्म को हम अक्षमत् ही नहीं बूझ सकते, वरन् इसके लिए समस्त उद्योग की भली-भाँति जाँच करनी पड़ती है।³ ठीक इसी प्रकार का विचार पीगू का भी है। किन्तु मार्शल का प्रतिनिधि फर्म का विचार उत्कृष्ट साध्य फर्म के विचार से थोड़ा

¹ ... We understand by such a firm one that shows tendency to expand or contract with the industry in the same manner.....—J K Mehta : *Advanced Economic Theory*, p 163

² "It is therefore, possible to say that the average cost of the representative firm determines the price."—*Ibid*, p. 162.

³ Marshall : *Principles of Economics*, 8th edition, p. 318.

विस्तृत है, क्योंकि प्रतिनिधि फर्म सब प्रकार से एक औसत फर्म है। यह उस प्रकार की एक आदर्श फर्म है, जैसा कि प्रत्येक फर्म बनने की चेष्टा किया करती है।¹

मार्शल का विचार व्यावहारिक जीवन में कहीं तक सत्य है, इसका प्रमाण सर सिडनी चैपमैन (Sir Sydney Chapman) और मिस्टर ऐशटन (Ashton) द्वारा किये गये वास्तविक व्यावसायिक विस्तार सम्बन्धी अध्ययन में मिलता है। इनका कहना है—साधारणतया बड़े उद्योगों अथवा उनकी शाखाओं में, कुछ निश्चित परिस्थितियों में, आदर्श अथवा प्रतिनिधि व्यावसायिक विस्तार का अभ्यास होता है..... जिस प्रकार एक मनुष्य का सामान्य विस्तार तथा रूप होता है, उसी प्रकार, किन्तु कम प्रत्यक्ष रूप में, व्यवसाय के भी सामान्य विस्तार तथा रूप होते हैं।²

परीक्षा प्रश्न :

१. मार्शल की प्रतिनिधि फर्म का रूप व्यक्त कीजिये। प्रतिनिधि फर्म उत्पादन-लागत किस प्रकार मूल्य निर्धारित करती है ?
२. अनुकूलतम् सार्थ (Optimum Firm) क्या है ? विभिन्न उद्योगों में सार्थ की अनुकूलतम् परिमिति किन परिस्थितियों से निर्णीत होती है ?

¹ Pigou : *Economics of Welfare*, 4th edition, p. 790

² "Generally speaking, there would seem to exist in industry or branches of industry of adequate size, under given set of conditions, a typical or representative magnitude to which businesses tend to grow...As there is a normal size and form for a man, so but less markedly, are there normal sizes and firms of business"—*Statistical Journal*, 1914, p 512 Quoted by Pigou : *Economics of Welfare*, p 790.

विनिमय सिद्धान्त सम्बन्धी कुछ आधारभूत विचार

(Some Fundamental Concepts in the Theory of Exchange)

मूल्य एवं कीमत (Value and Price)

उपयोग मूल्य एवं विनिमय मूल्य—जैसा कि हमने अध्याय ४ में बताया था, प्राचीन लेखक मूल्य के दो भेद करते थे :—(i) उपयोग मूल्य (Value-in-use) और (ii) विनिमय मूल्य (Value-in-exchange)। उपयोग मूल्य किसी वस्तु की आवश्यकता पूर्ति की शक्ति पर निर्भर होता है। जितनी ईंधन की वस्तु मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति का अधिक सामर्थ्य रखती है, उतना ही उसका उपयोग-मूल्य अधिक माना जाता है। दूसरे शब्दों में, 'उपयोग-मूल्य' का वही अर्थ होता है, जो 'उपयोगिता' शब्द का है। इसके विपरीत, विनिमय-मूल्य वस्तुओं और सेवाओं की उस मात्रा को सूचित करता है जो एक वस्तु विशेष के बदले में विनिमय द्वारा प्राप्त की जा सकती है, अर्थात् वह किसी वस्तु अथवा सेवा की विनिमय-शक्ति का माप होगा है। उदाहरणार्थ, यदि एक मीटर कपड़े के बदले में तीन किलो गेहूँ मिल सकता है, तो एक मीटर कपड़े का मूल्य ३ किलो गेहूँ होगा।

विनिमय मूल्य और कीमत—व्यावहारिक जीवन में लगभग सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मुद्रा में नापा जाता है। अब यदि एक मीटर कपड़े का मूल्य एक रुपया है (जिसका अर्थ यह होता है कि एक मीटर कपड़े के बदले में एक रुपया विनिमय द्वारा प्राप्त होता है), तो मुद्रा में एक मीटर कपड़े के मूल्य की माप एक रुपये के बराबर होगी। जब मूल्य मुद्रा में नापा जाता है, तो उसे 'कीमत' अथवा 'दाम' (Price) कहते हैं। इससे ज्ञात होता है कि मूल्य और कीमत में कोई आधारभूत अन्तर नहीं है। मूल्य और कीमत दोनों शब्द प्रायः एक ही अर्थ में उपयोग किये जाते हैं। विनिमय के सिद्धान्त तथा विनिमय के नियमों की विवेचना में भी हम दोनों के बीच भेद नहीं करते और एक शब्द को दूसरे के स्थान पर स्वतन्त्रतापूर्वक काम में लाते हैं। यथार्थ में ऐसा करने से कोई हानि भी नहीं है। किन्तु ध्यान रहे कि (i) विनिमय मूल्य पर उपयोगिता का पर्याप्त प्रभाव होगा, क्योंकि विनिमय उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का किया जाता है जो उपयोगी होती हैं, और (ii) विनिमय मूल्य किसी मण्डी अथवा बाजार से सम्बन्धित होता है, क्योंकि मण्डी से अलग इसका कोई अर्थ नहीं होता है।

उत्पादन व्यय (Cost of Production)

अर्थशास्त्र में व्यय (Cost) शब्द का अर्थ कुछ विस्तृत होता है और बहुधा व्यय और लागत में भेद किया जाता है जो यह कि लागत की माप करते समय हम उद्योग के स्वामी का प्रदान पारितोषण (Remuneration) नहीं जोड़ते, किन्तु व्यय में जोड़ दिया जाता है।

उत्पादन व्यय एवं निर्माण व्यय में भेद—

उत्पादन व्यय और निर्माण व्यय (Cost of Manufacture) में भी अन्तर होता है।

‘निर्माण’ द्वारा केवल रू-उपयोगिता का निर्माण किया जाता है, अर्थात् वस्तु के रूप में परिवर्तन करके उसकी उपयोगिता बढ़ा दी जाती है। किन्तु उत्पादन उपयोगिता की वृद्धि की क्रिया का नाम है, चाहे यह वृद्धि किसी भी प्रकार की गई हो। यह पहले बनाया जा चुका है कि विनिमय द्वारा भी उपयोगिता में वृद्धि की जा सकती है, किन्तु इसे हम ‘निर्माण’ नहीं कह सकते। उत्पादन-व्यय में निर्माण व्यय के अतिरिक्त अन्य खर्च भी सम्मिलित होते हैं, जैसे—विशेषण व्यय, इत्यादि। इस प्रकार ‘उत्पादन-व्यय’ में उत्पादन की सारी लागत सम्मिलित होती है।

उत्पादन-व्ययों का वर्गीकरण—

उत्पादन-व्ययों का वर्गीकरण कई रीतियों से किया जाता है, जोकि निम्नलिखित हैं :—

(I) भौतिक एवं वास्तविक व्यय—

मार्शल ने भौतिक व्यय (Money Cost) एवं वास्तविक व्यय (Real Cost) में भेद किया है।¹

(१) भौतिक व्यय—भौतिक व्यय से अभिप्राय मुद्रा की उस कुल मात्रा से होता है, जो किसी वस्तु के उत्पादन करने में व्यय की जाती है। इस व्यय में निम्न प्रकार की लागत सम्मिलित होती है :—(i) कच्चे माल के खरीदने पर व्यय किया हुआ धन, (ii) श्रमिकों की मजदूरी, (iii) पूँजी पर दिया हुआ व्याज, (iv) व्यवस्थापक का पारिपोषण, (v) जोखिम उठाने का बदला, (vi) मरम्मत सम्बन्धी व्यय तथा ह्रास (Depreciation) सम्बन्धी खर्च, (vii) बीमे का खर्च, और (viii) सरकारी कर। दूसरे शब्दों में, यह उत्पादन पर व्यय किये समस्त व्यय की मुद्रा में माप है।

(२) वास्तविक व्यय—वास्तविक व्यय एक प्रकार का सामाजिक व्यय (Social-Cost) है। यह उस कुल त्याग, अनुपयोगिता तथा कष्ट की माप है जो समाज को उत्पादन करने के अंतर्गत सहन करने पड़ते हैं। इस व्यय में निम्न प्रकार के खर्च सम्मिलित होते हैं :—

(i) विभिन्न प्रकार के उन श्रमजीवियों का श्रम, जो कि प्रत्यक्ष प्रयत्न परोज रू में उत्पादन क्रिया में भाग लेते हैं, और (ii) पूँजी का संचय करने से उत्पन्न होने वाला कष्ट प्रवृत्ति प्रतीक्षा। यह तो सभी जानते हैं कि कुछ काम अधिक कठिन प्रवृत्ति अधिक दुःखदायी होते हैं, जबकि कुछ कामों के करने में उतने कष्ट का अनुभव नहीं होता। कुछ उत्पादन क्रियाएँ स्वभाव से ही ऐसी होती हैं कि उनके करने में अर्धक अधिक होती हैं और विशेष प्रयत्न करने पर ही कार्य के उत्पाद को स्थिर रखा जा सकता है। इसी प्रकार, कुछ कार्यों के करने का श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बहुत प्रभाव पड़ता है और भविष्य के लिए उनकी कार्य-शक्ति प्रयत्न कुशलता कम हो जाती है। ऐसी दशाओं में सामाजिक प्रयत्न वास्तविक व्यय अधिक होता है। इसके विपरीत, जिन कार्यों के करने में आनन्द मिलता है तथा स्वास्थ्य और प्रवृत्ति हो जाना है, उनमें सामाजिक व्यय बहुत कम होता है। सामाजिक प्रयत्न वास्तविक व्यय समाज को भुगतना पड़ता है और मुद्रा में इसकी माप करना कठिन होता है।

(३) अवसर व्यय (Opportunity Cost)—प्राधुनिक प्रयत्नशास्त्र में एक और व्यय का उल्लेख किया जाता है, जिसे अवसर व्यय कहते हैं। कुछ प्रयत्नशास्त्रियों ने इस व्यय को “हस्तांतरण आय” (Transfer earnings) का नाम भी दिया है।² अवसर व्यय मुद्रा की उस मात्रा द्वारा सूचित

¹ Marshall : Principles of Economics, p. 334.

² Mrs Robinson : Economics of Imperfect Competition, p.132.

किया जाता है, जिसका एक व्यक्ति को, किसी कार्य को करते समय, परित्याग करना पड़ता है। निश्चय है कि प्रत्येक मनुष्य अपने समय और शक्ति को एक से अधिक कार्य में व्यय कर सकता है। एक कॉलिज का प्रोफेसर २ घण्टे समय गण्य मारने में बिता सकता है अथवा इन दो घण्टों में एक लेख भी लिख सकता है, जिसका मूल्य २० रुपये के बराबर है। अब यदि वह प्रोफेसर गण्य लगाने में इस समय का उपयोग करता है, तो गण्य लगाने का धवसर व्यय एक लेख लिखने अथवा २० रुपये के बराबर हुआ।

(II) कुल व्यय, औसत व्यय और सीमान्त व्यय—

(१) कुल व्यय—कुल उत्पत्ति में जो समस्त धन व्यय होता है, उसी को 'कुल व्यय' कहते हैं। मौद्रिक व्यय में दिये हुए सभी प्रकार के खर्चों कुल उत्पादन-व्यय में सम्मिलित कर लिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, उत्पत्ति की सारी इकाइयों के सब खर्चों का जोड़ कुल व्यय के बराबर होता है। जैसे-जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है, कुल व्यय भी बढ़ता चला जाता है।

(२) औसत व्यय—कुल उत्पादन-व्यय को उत्पत्ति की इकाइयों से भाग देने पर 'औसत व्यय' (Average cost) निकल आता है। मान लीजिए कि १,००० जोड़ी जूतों का उत्पादन किया जाता है और इस कार्य में सब प्रकार के खर्चों को जोड़ कर ५,००० रुपये व्यय होना है। अन्य शब्दों में, १,००० जोड़ी जूतों का कुल उत्पादन-व्यय ५,००० रुपये है। ऐसी दशा में एक जोड़ी जूतों का औसत व्यय $५,००० \div १,००० = ५$ रुपया हुआ।

स्मरण रहे कि उत्पादक के लिए उत्पत्ति की प्रत्येक इकाई पर होने वाला व्यय समान नहीं होता। कुछ समय तक उत्पत्ति में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है, जिसके अनुसार उत्पत्ति की प्रत्येक अगली इकाई के उत्पादन पर पहली इकाई की अपेक्षा कम व्यय होता है। फिर बढ़ता कुछ समय तक स्थिर उत्पत्ति नियम दृष्टिगोचर होता है और अधिक उत्पत्ति करने पर भी अगली इकाई का उत्पादन-व्यय समान ही रहता है। अन्त में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है और प्रत्येक अगली इकाई का उत्पादन व्यय बढ़ता जाता है। उत्पत्ति की प्रत्येक मात्रा से सम्बन्धित औसत व्यय निकाला जा सकता है। जब कुल व्यय उत्पत्ति की मात्रा की अपेक्षा अधिक वेग से बढ़ता है, तो औसत व्यय भी बढ़ने लगता है, क्योंकि ऐसी दशा में प्रत्येक अगली इकाई के उत्पादन पर पहली इकाई से अधिक व्यय होता है।

(३) सीमान्त व्यय—विनिमय सिद्धान्त की दृष्टि से सबसे अधिक महत्त्व सीमान्त व्यय का है। उपज की अन्तिम इकाई को सीमान्त उपज कहते हैं। इस उपज के उत्पादन पर जो व्यय होता है, उसे हम 'सीमान्त व्यय' (Marginal cost) कहते हैं। इस प्रकार सीमान्त व्यय उपज की अन्तिम इकाई के उत्पादन का व्यय होता है। दूसरी रीति से सीमान्त व्यय की परिभाषा इस प्रकार भी की जा सकती है कि यह एक अधिक या कम इकाई के उत्पादन की लागत है। जब हम मुद्रा में सीमा-व्यय की माप करते हैं तो इसी रीति को अपनाते हैं।

मान लीजिए कि उत्पत्ति की १,००० इकाइयों का कुल व्यय ५,००० रुपया है। अब यदि १,००० से एक कम इकाई की उत्पत्ति की जाय, तो कुल व्यय ४,६६६ रुपया होता है। इससे पता चलता है कि एक इकाई कम के उत्पादन से कुल व्यय में ४ रुपये की कमी पड़ती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि १,०००वीं इकाई का व्यय ४ रुपया है। यही सीमान्त व्यय है। इसी प्रकार, एक हजार से एक अधिक इकाई के उत्पादन से कुल व्यय में जो वृद्धि होगी, वह भी सीमान्त व्यय की माप कहालायेगी।

जब उत्पत्ति पर क्रमशः वृद्धि या ह्रास नियम लागू होते हैं, तो हम यह देखते हैं कि इनमें से पहली दशा में उत्पादन व्यय क्रमशः घटता चला जाता है, जबकि दूसरी दशा में बराबर बढ़ता जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह कमी अथवा वृद्धि सीमान्त व्यय में ही

होती है, किमी अन्य प्रकार के व्यय में इसका होना आवश्यक नहीं है। अधिक उत्पादन के साथ-साथ कुल व्यय तो निरन्तर बढ़ता ही रहता है।


उदाहरण द्वारा स्वट्टीकरण—

निम्न तालिका में कुल व्यय, मध्यम क्षयवा क्षीतत व्यय और सीमान्त व्यय के भेद को और अधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है :—

तालिका १
उत्पत्ति ह्रास नियम

उत्पादन की इकाइयाँ	सीमान्त व्यय (रुपयों में)	क्षीतत व्यय (रुपयों में)	कुल व्यय (रुपयों में)
१	११	१०	१०
२	१२	११	२२
३	१४	१२	३६
४	१६	१३	५२
५	१८	१४	७०

इस तालिका में उत्पत्ति ह्रास-नियम का उदाहरण दिया गया है। जैसे-जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है, प्रत्येक अगली इकाई के उत्पादन पर उसके पहली इकाई की अपेक्षा अधिक व्यय होता है। कुल व्यय बराबर बढ़ता चला जाता है। सीमान्त व्यय और क्षीतत व्यय भी बराबर बढ़ने जाते हैं, परन्तु सीमान्त व्यय क्षीतत व्यय की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ता है।




चित्र—उत्पादन-व्यय वक्र (उत्पादन ह्रास-नियम)

तालिका २
उत्पत्ति वृद्धि नियम

उत्पादन की इकाइयाँ	सीमान्त व्यय (रुपयों में)	क्षीतत व्यय (रुपयों में)	कुल व्यय (रुपयों में)
१	१०	१०	१०
२	६	६.५	१६
३	८	६	२६
४	७	८.५	३४
५	६	८	४०

जब उत्पत्ति वृद्धि-नियम लागू होता है, तो सीमान्त व्यय घटता चला जाता है, औसत व्यय भी घटता जाता है, परन्तु कम वेग से, कुल व्यय बढ़ता ही जाता है। उक्त तालिका में ये तीनों प्रकार के व्यय उत्पत्ति वृद्धि नियम के अनुसार दिखाए गए हैं।



(III) प्रधान व्यय तथा अनुपूरक व्यय—

एक उत्पादक अथवा उपक्रमी या साहसी (Entrepreneur) की दृष्टि से व्यय का वर्गीकरण प्रधान और अनुपूरक व्यय में भी किया जा सकता है। इन व्ययों को हम क्रमशः “अस्थिर” अथवा परिवर्तनशील तथा “स्थिर” (Variable and Fixed) व्यय या “चल” एवं “अचल” (Circulating and Fixed) व्यय भी कहते हैं।

(१) प्रधान व्यय (Prime Cost)—कुछ व्यय इस प्रकार के होते हैं कि वे उत्पत्ति की मात्रा के साथ-साथ घटते-बढ़ते रहते हैं और उनमें इस प्रकार जो परिवर्तन होता है, वह लगभग उत्पत्ति की मात्रा का अनुपाती होता है, जबकि कुछ प्रकार के व्यय ऐसे होते हैं कि वे स्थिर रहते हैं और उत्पादन की मात्राओं के परिवर्तन का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनमें से पहले प्रकार का व्यय प्रधान व्यय (Prime Cost) कहलाता है।


उदाहरण के लिए, एक चीनी बनाने के कारखाने को लीजिए। चीनी बनाने के लिए गन्ने की आवश्यकता पड़ती है। इसके अतिरिक्त गन्ने के रस को पकाने के लिए कोयले या किसी दूसरे ईंधन की आवश्यकता होती है, नैले को साफ करने के लिए कुछ रासायनिक पदार्थ उपयोग में लाये जाते हैं और साथ ही साथ रस निबालने, पकाने इत्यादि को मजदूर चाहिए। इन सभी कार्यों पर जो व्यय होता है, वह चीनी के उत्पादन की मात्रा के साथ-साथ बढ़ता जाता है। अधिक चीनी बनाने के लिए अधिक गन्ने, अधिक ईंधन, अधिक मजदूर इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। इन सब वस्तुओं के व्यय को प्रधान व्यय कहते हैं। गणित की भाषा में, प्रधान व्यय वह व्यय है, जिसकी माप उस दशा में, जबकि उत्पादन की मात्रा शून्य के बराबर हो, शून्य (Zero) के बराबर होती है। इस व्यय के परिवर्तन उत्पादन की मात्रा के अनुकूल होते हैं, यद्यपि इनका अनुपाती होना आवश्यक नहीं है।

(२) अनुपूरक व्यय (Supplementary Cost)—ये व्यय वे हैं जो कि उत्पादन की मात्रा के साथ-साथ घटते-बढ़ते नहीं हैं, बरन् स्थिर रहते हैं। उत्पादन को बढ़ा देने पर भी इस व्यय में परिवर्तन नहीं होते। एक कारखाने के मालिक को कच्चे माल और श्रमिकों के अतिरिक्त मशीनों, औजारों, कारखानों की निर्दिष्ट व्यवस्थापक के खर्च और मुनीम इत्यादि के रखने पर भी व्यय करना पड़ता है। इन सभी व्ययों की राशि निश्चित होती है, चाहे कम उत्पत्ति की जाय और चाहे अधिक। ये सभी व्यय अनुपूरक व्यय में सम्मिलित किए जाते हैं। गणित की भाषा में अनुपूरक व्यय वही व्यय है जिसकी माप इस दशा में भी घनात्मक होती है,

जबकि उत्पत्ति की मात्रा शून्य के बराबर हो। निर्माण उद्योगों में अनुपूरक व्यय बहुधा अधिक होता है, जिससे आरम्भ में उनका उत्पादन व्यय अधिक होता है। किन्तु जैसे-जैसे उत्पत्ति की मात्रा बढ़ती जाती है, अनुपूरक व्यय उत्पत्ति की अधिक इकाइयों पर फैलता जाता है। यही कारण है कि प्रारम्भिक अवस्था में उद्योग में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होना देखा जाता है।

निम्न चित्र में उत्पादन-व्यय की वक्र-रेखा को ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि यह वक्र कभी भी प्र बिन्दु से आरम्भ नहीं होता, वरन् प्र क्ष रेखा पर प्र से थोड़े ऊपर से आरम्भ होता है। ऐसा इस कारण होता है कि जब उत्पादन शून्य के बराबर होता है तब भी अनुपूरक व्यय उपस्थित रहते हैं।

चित्रों में औसत व्यय तथा सीमान्त व्यय दोनों ही वक्र रेखाएँ प्र बिन्दु से आरम्भ होती हैं, जो इस बात को सूचित करती है कि जब उत्पत्ति की मात्रा शून्य (Zero) है तब भी प्र क्ष के बराबर व्यय होता है। साधारण ज्ञान से यह समझना कठिन होता है कि उत्पत्ति के न होते हुए भी व्यय कैसे हो जाता है, परन्तु अनुपूरक व्यय का ज्ञान होने पर इस प्रकार का भ्रम नहीं रहता, क्योंकि इस प्रकार का व्यय उत्पादन के आरम्भ से पहले ही करना पड़ता है। प्र क्ष ही अनुपूरक व्यय की माप है।



कुल, औसत तथा सीमान्त आगम
(Total, Average and Marginal Revenue)

(१) कुल आगम—

किसी वस्तु की कुल इकाइयों को बेचकर जो आय अथवा आगम (Revenue) प्राप्त होती है, उसे ही मुद्रा में माप को हम कुल आगम (Total Revenue) कहते हैं। मान लीजिए कि एक दूकानदार कपड़े के ५०० धान बेचता है और इन धानों के मूल्यस्वरूप उसे १०,००० रुपये मिलता है, तो कपड़े की कुल आगम उस दूकानदार के लिए १०,००० रुपये होगी। इस प्रकार, कुल विक्री मूल्य तथा कुल आगम का एक अर्थ होता है।

(२) औसत आगम—

जिस प्रकार कुल व्यय में उत्पत्ति की इकाइयों से भाग देने पर माध्य या औसत व्यय निकल आता है, उसी प्रकार कुल आगम को बिन्धी की इकाइयों से भाग देने पर औसत आगम निकल आती है। ऊपर के उदाहरण में धान की औसत आगम $१०,००० \div ५०० = २०$ रुपये है। यद्यपि में, औसत आगम और दाम या कीमत दोनों बराबर होते हैं। मुद्रा में मूल्य की माप "कीमत" कहलाती है। जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम दस रुपये देने को तैयार हैं, उसके मूल्य की मोट्रिक माप दस रुपये होगी और यही उस वस्तु की कीमत होगी। स्मरण रहे कि कीमत सर्वत्र औसत प्रकार की होती है, अतः औसत आगम और कीमत दोनों बराबर होते हैं।

(३) सीमान्त आगम—

किसी वस्तु की एक अधिक या एक कम इकाई बेचने पर कुल आगम में जो वृद्धि (अथवा कमी) हो, उसे सीमान्त आगम (Marginal Revenue) कहते हैं। सीमान्त आगम वस्तु

की अन्तिम इकाई से प्राप्त होने वाली कीमत के बराबर होती है। अनुभव बताता है कि अधिक इकाई को बेचने के लिए वस्तु के दामों को घटाना आवश्यक होता है। प्रत्येक अगली इकाई से पहली की अपेक्षा कम कीमतें अथवा आगम मिलती है। जिस इकाई पर आकर विक्रेता विक्री बन्द कर देता है, उसकी विक्री के फलस्वरूप प्राप्त मूल्य सीमान्त आगम कहलाता है। यदि कोई विक्रेता किसी वस्तु की २० इकाइयाँ बेचना है और २०वीं इकाई १० रुपये में विक्री है, तो इस दशा में सीमान्त आगम १० रुपये होगी।


निम्न तालिका कुल, श्रौसत तथा सीमान्त आगम का सम्बन्ध दिखाती है :—

कुल, श्रौसत और सीमान्त आगम (रुपयों में)

विक्री की इकाइयाँ	कुल आगम	सीमान्त आगम	श्रौसत आगम
१	२०	२०	२०
२	३८	१८	१६
३	५४	१६	१८
४	६८	१४	१७
५	८०	१२	१६
६	९०	१०	१५

यह तालिका स्पष्ट करती है कि (i) जैसे-जैसे विक्री की मात्रा बढ़ती जाती है कुल आगम बढ़ती जाती है। परन्तु, क्योंकि अधिक विक्री करने के लिये कीमत को घटाना आवश्यक है इस कारण कुल आगम में घटती हुई दर पर वृद्धि होती है। (ii) अधिक विक्री के साथ-साथ सीमान्त आगम घटती जाती है, क्योंकि प्रत्येक अगली इकाई उससे पहली इकाई से कम कीमत पर बेची जाती है। (iii) श्रौसत आगम भी विक्री बढ़ने के साथ-साथ घटती जाती है, परन्तु ध्यान देने योग्य बात यह है कि श्रौसत आगम सीमान्त आगम की तुलना में कम तैजी के साथ घटती है।

उपरोक्त तालिका से हमें निम्न बातों का पता चलता है :—प्रथम, श्रौसत और सीमान्त आगम की रेखाएँ साधारणतया ऊपर से नीचे की ओर जाती हुई रेखाएँ होती हैं, अर्थात् उनका रूप सीमान्त माँग की रेखा के सदृश होता है। दूसरे, साधारणतया सीमान्त आगम रेखा श्रौसत आगम की रेखा में नीचे रहती है। तीसरे, दोनों ही रेखाएँ एक ही बिन्दु से आरम्भ होती हैं, क्योंकि प्रथम इकाई से प्राप्त श्रौसत तथा सीमान्त आगम समान होती है। चूँकि सीमान्त आगम श्रौसत आगम की तुलना में अधिक तेजी के साथ घटती है इसलिए सीमान्त आगम की रेखा का ढाल श्रौसत आगम की रेखा की तुलना में अधिक होता है और वह श्रौसत आगम की रेखा के नीचे रहती है। ऊपर का रेखाचित्र जो उपरोक्त तालिका के आधार पर खींचा गया है इन दोनों बातों को स्पष्ट करता है।



पूर्ति तथा इसका नियम
(Supply and the Law of Supply)

पूर्ति से आशय—

विनिमय की क्रिया दो पक्षों के मध्य होती है। एक पक्ष किसी वस्तु या सेवा को सहीदना है तथा दूसरा पक्ष उसे बेचता है। विनिमय उन्ही दशा में सम्भव होता है, जबकि

बेचने वालों और खरीदने वालों में सम्पर्क बना रहे। किसी कीमत पर एक वस्तु की जितनी इकाइयाँ खरीदी जाती हैं, वे उम वस्तु की माँग को दिखाती हैं। माँग के नियम में हम देख चुके हैं कि वस्तु की कीमतों के परिवर्तन के साथ-साथ माँग की मात्राएँ भी बदलती रहती हैं। ठीक इसी प्रकार, एक निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की जितनी इकाइयाँ बेची जाती हैं, वे उम वस्तु की पूर्ति को दिखाती हैं। माँग की भाँति पूर्ति भी कीमत से सम्बन्धित होती है और इसका भी बिना कीमत के कोई अर्थ नहीं होता है। हम सदैव यही कहते हैं कि अमुक कीमत पर पूर्ति इतनी है।

पूर्ति का नियम—


ऐसा देखने में आता है कि जब किसी वस्तु या सेवा की कीमत ऊँची घट जाती है, तो बेचने वाले उसे पहले से अधिक मात्रा में बेचने का प्रयत्न करते हैं। इसके विपरीत, जब दाम गिर जाते हैं, तो कम इकाइयाँ बेचने के लिए प्रस्तुत की जाती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि ऊँचे दामों पर विक्रेताओं तथा उत्पादकों को अधिक लाभ होता है, जबकि नीचे कीमतों पर बेचने से या तो लाभ कम होता है या होता ही नहीं है। एक ही वस्तु के सभी उत्पादकों का उत्पादन व्यय समान नहीं होता। कुछ उत्पादक अधिक कुशल होते हैं और कम लागत पर उत्पादन कर सकते हैं। ऐसे उत्पादक नीचे कीमत पर बेच कर लाभ कमा लेते हैं, परन्तु जो उत्पादक इतने कुशल नहीं होते उन्हे नीचे कीमतों पर बेचने में हानि होती है। इसी कारण नीचे कीमतों पर कम मात्राएँ बेची जाती हैं और ऊँची कीमतों पर अधिक मात्राएँ बेचने के लिए आती हैं। इसी बात को हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार कह सकते हैं कि ऊँची कीमत पर पूर्ति अधिक होती है और नीचे कीमत पर कम। पूर्ति में कीमतों के परिवर्तनों के साथ-साथ बदलने की जो प्रवृत्ति है, उसी को अर्थशास्त्रियों ने पूर्ति के नियम (Law of Supply) का नाम दे दिया है।

उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण—

कीमतों में परिवर्तन होने पर पूर्ति में जो परिवर्तन होते हैं उनकी दिशा कीमत के परिवर्तन के अनुकूल होती है। यदि कीमत बढ़ती है, तो पूर्ति भी बढ़ती है और इसी प्रकार, यदि कीमत घटती है तो पूर्ति भी घट जाती है। किसी मण्डी प्रयत्न बाजार में भिन्न-भिन्न कीमतों पर पूर्ति की मात्राएँ जितनी होती हैं, इसकी यदि हम एक सूची बना लें तो इस सूची को "पूर्ति की अनुसूची" (Supply Schedule) कहा जाता है। इस सूची को देखने से पूर्ति का नियम स्पष्ट हो जावेगा। निम्न तालिका में चाय की पूर्ति की कल्पित अनुसूची दिखाई गई है।—

पूर्ति तालिका

कीमत प्रति किलोग्राम (रुपयों में)	पूर्ति की मात्रा (किलोग्राम में)
२	४००
३	५००
४	६००
५	८००
७	१,०००



अल्प तथा दीर्घकाल
(Short and Long Periods)

इस अनुसूचि के अनुसार पूर्ति के नियम की वक्र-रेखा जिस प्रकार होगी वह साथ के चित्र में दिखाई गई है। इस रेखा की प्रकृति बायीं ओर से दाहिनी ओर नीचे से ऊपर की ओर जाने की होती है, जिससे कीमत और पूर्ति दोनों का एक साथ बढ़ना सिद्ध होता है।

अल्प एवं दीर्घकाल से आशय—

दाम अथवा कीमत में परिवर्तन होने से माँग और पूर्ति दोनों में ही परिवर्तन होते हैं। साधारणतया माँग पर कीमत के परिवर्तन का प्रभाव शीघ्र ही दृष्टिगोचर होने लगता है। किन्तु इसका पूर्ति पर जो प्रभाव पड़ता है; उसका अनुभव अपेक्षाकृत देर में होता है। जब भी माँग में परिवर्तन होते हैं, तब ही पूर्ति को माँग के अनुसार बदलना पड़ता है, जिसमें समय लगता है। इस प्रकार माँग और पूर्ति का समायोजन (Adjustment) समय लेता है। पूर्ति अथवा प्रदाय के माँग के अनुसार बदलने में जो समय लगता है, उसे ध्यान में रखते हुए अर्थशास्त्रियों ने समय को दो भागों में बाँटा है, जिनको अल्प और दीर्घकाल (Short and Long Period) कहते हैं :—


(१) अल्पकाल से हमारा अभिप्राय इतने कम समय से होता है, जिसमें पूर्ति या प्रदाय में लेशमात्र भी परिवर्तन कर देना सम्भव नहीं होता है। अल्पकाल में माँग में तो परिवर्तन हो सकते हैं, परन्तु पूर्ति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन सम्भव नहीं होता है।

(२) दीर्घकाल उस समय-अवधि को कहते हैं जिसमें पूर्ति पूर्णतया माँग के अनुसार बदली जा सकती है। यदि माँग कम हो जाती है, तो पूर्ति भी घटा दी जायगी और यदि माँग बढ़ जाती है, तो पूर्ति भी बढ़ाई जा सकती है।


कुछ लेखकों ने एक तीसरे प्रकार का काल भी बताया है, जिसको आभास-दीर्घकाल (Quasi-Long Period) अथवा मध्यकाल (Intermediate Period) कहा जाता है। इस काल की परिभाषा इस प्रकार की जाती है कि यह उस समय अवधि को सूचित करता है, जिसमें माँग में परिवर्तन होने के साथ-साथ पूर्ति में परिवर्तन तो हो सकते हैं, किन्तु ये परिवर्तन माँग के परिवर्तन के आनुवातिक नहीं होते, वरन् पूर्ति का परिवर्तन-अर्ध माँग के परिवर्तन-अर्ध से कम होता है। इससे माँग और पूर्ति में केवल अपूर्ण अथवा आंशिक समायोजन ही हो पाता है।

उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण—

एक छोटे से उदाहरण द्वारा हम इसे



कीमत के घटने पर पूति की मात्रा में परिवर्तन तो अवश्य होगा, परन्तु ऐसा परिवर्तन नहीं होगा कि पूति की मात्रा भी ५०० किलोग्राम के बराबर हो जाय। किन्तु दीर्घकाल में पूति अवश्य ही ५०० किलोग्राम अर्थात् माँग के बराबर हो जायेगी। इन चित्रों में अल्प, दीर्घ और धामास दीर्घकाल में पूति का रूप दिखाया गया है। तीनों दशाओं में माँग बढ़नी है और माँग का वक्र ऊपर को खिसक जाता है। D T माँग का प्रारम्भिक वक्र है, जो माँग बढ़ने के पश्चात् D' T' का रूप धारण कर लेता है। S S' पूति का वक्र




अल्पकाल में उत्पादन-व्यय की रेखायें
(Cost Curves in Short Period)

(I) कुल व्यय, कुल स्थिर व्यय तथा कुल परिवर्तनशील व्यय—

अल्पकाल में किसी भी फर्म का "कुल व्यय" उसके "कुल अनुपूर्व व्यय" तथा 'कुल

अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि बाजार में चाय की कीमत ५ रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर ४ रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है और इस दशा में चाय की माँग ३०० किलोग्राम के स्थान पर ५०० किलोग्राम हो जाती है। अल्पकाल में कीमत परिवर्तन का चाय की पूति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह जितनी पहले थी, उतनी ही बनी रहेगी। किन्तु दीर्घकाल में पूति में इस प्रकार परिवर्तन हो जायेगा कि पूति का माँग से पूर्णतया समायोजन हो जाय, अर्थात् वह माँग के बराबर हो जाय। आभास दीर्घकाल में इसी प्रकार

धामास दीर्घकाल




है, जो माँग परिवर्तन हो जाने के उपरान्त बिन्दुदार रेखा S S' का रूप धारण कर लेता है।

प्रधान व्यय" का योग होता है। जहाँ तक "कुल अनुपूरक व्यय" का प्रश्न है वह तो उत्पादन की प्रत्येक मात्रा पर समान ही होता है, परन्तु "कुल प्रधान व्यय" जिसे "परिवर्तनशील व्यय" भी कहा जाता है, उत्पादन के बढ़ने के साथ-साथ बढ़ता है। यही कारण है कि उत्पादन के साथ-साथ कुल व्यय भी बढ़ता जाता है।

जहाँ तक परिवर्तनशील व्यय का प्रश्न है इसके बढ़ने की दर बदलती रहती है।

आरम्भ में, साधारणतया उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है, इसलिए कुल परिवर्तनशील व्यय कम तेजी के साथ बढ़ता है। किन्तु अन्त में, उत्पत्ति ह्रास नियम की कार्यशीलता के कारण यह तेजी के साथ बढ़ने लगता है। इसका अर्थ यह होता है कि कुछ दूरी तक कुल परिवर्तनशील व्यय की रेखा आरम्भिक विन्दु (Origin) की ओर मुड़ी रहती है (Concave) और बाद में जाकर उल्टी ओर (Convex) मुड़ जाती है।



एक अन्य बात भी ध्यान देने योग्य है।

प्रत्येक विन्दु पर कुल व्यय तथा कुल परिवर्तनशील व्यय का अन्तर कुल स्थिर व्यय अथवा कुल अनुपूरक व्यय के बराबर होता है। ऊपर के चित्र में कुल व्यय, कुल स्थिर व्यय तथा कुल परिवर्तनशील व्यय का सम्बन्ध दिखाया गया है।

(II) कुल औसत व्यय, कुल औसत परिवर्तनशील व्यय एवं कुल औसत स्थिर व्यय—

जहाँ तक 'कुल औसत व्यय' का प्रश्न है, किमी निश्चिन उपज में सम्बन्धित 'कुल औसत व्यय' 'कुल औसत स्थिर व्यय' तथा 'कुल औसत परिवर्तनशील व्यय' का योग होता है। चूँकि उपज की प्रत्येक मात्रा पर स्थिर व्यय समान ही होता है, इसलिये जैसे-जैसे उपज बढ़ती है वैसे-वैसे औसत स्थिर व्यय घटता जाता है, परन्तु यह घटते-घटते कभी भी शून्य पर नहीं पहुँचता है। इसका अर्थ यह होता है कि औसत उत्पादन-व्यय की रेखा दाहिनी ओर नीचे की जाती है, परन्तु यह कभी भी अक्ष को नहीं काटेगी। निम्न तालिका में विभिन्न प्रकार के औसत व्ययों का सम्बन्ध दिखाया गया है :—

औसत व्यय

उपज की मात्रा	कुल स्थिर व्यय (रुपयों में)	कुल परिवर्तनशील व्यय (रुपयों में)	कुल व्यय (रुपयों में)	औसत स्थिर व्यय (रुपयों में)	औसत परिवर्तनशील व्यय (रुपयों में)	औसत कुल व्यय (रुपयों में)
१	२००	५०	२५०	२००	५०	२५०
२	२००	८०	२८०	१००	४०	१४०
३	२००	१००	३००	६६ ६	३३ ३	१००
४	२००	११०	३१०	५०	२७ ५	७७ ५
५	२००	११५	३१५	४०	२३	६३
६	२००	१२५	३२५	३३ ३	२१	५४ ३
७	२००	१४०	३४०	२८ ५	२०	४८ ५
८	२००	१८४	३८४	२५	२३	४८
९	२००	२७०	४७०	२२ २	३०	५२ २
१०	२००	३५०	५५०	२० ०	३५	५५

उपरोक्त तालिका स्पष्ट करती है कि माघारणनया प्रोसत परिवर्तनशील व्यय की रेखा प्रॉपेजी U घाटत जैसी होती है। प्रारम्भ में यह रेखा दाहिनी ओर नीचे की जाती है, जब तक कि प्रोसत परिवर्तनशील व्यय का निम्नतम बिन्दु नहीं घा जाता है। इस बिन्दु के बाद यह रेखा ऊपर की ओर जाने लगती है।


ठीक ऐसा ही रूप कुल प्रोसत व्यय की रेखा का भी होता है। क्योंकि प्रोसत स्थिर व्यय तथा प्रोसत परिवर्तनशील व्यय प्रारम्भ में दोनों ही गिरते हैं, जिसके कारण प्रोसत कुल व्यय भी गिरता है, परन्तु क्योंकि बाद में प्रोसत परिवर्तनशील व्यय बढ़ने लगता है इसलिए प्रोसत कुल व्यय की रेखा भी ऊपर की जाने लगती है। यद्यपि प्रोसत कुल व्यय की रेखा प्रोसत परिवर्तनशील व्यय के न्यूनतम हो जाने के कुछ समय पश्चात् ही ऊपर की जाने प्रारम्भ करती है।

(III) सीमान्त व्यय—

जब एक प्रोसत इकाई का उत्पादन किया जाता है, तो केवल परिवर्तनशील व्यय में ही वृद्धि होती है। इस कारण किसी भी उपज की मात्रा से सम्बन्धित सीमान्त अल्पकालीन व्यय स्थिर व्यय के प्रभाव से विमुक्त होता है। परिवर्तनशील व्यय पर निर्भर होने के कारण सीमान्त व्यय की रेखा का रूप भी प्रॉपेजी के U घाटत के समान होता है जिनका यह अर्थ होता है कि कुछ दूरी तक सीमान्त व्यय गिरता है परन्तु फिर बढ़ने लगता है।

अल्पकाल में विभिन्न प्रकार के व्यय का सम्बन्ध—

यह हमारे लिए यह सम्भव है कि अल्पकाल में विभिन्न प्रकार के उत्पादन-व्यय का सम्बन्ध दिया मके। निम्न चित्र इस सम्बन्ध को दिखाता है :—



प्रोसत स्थिर व्यय रेखा निरन्तर दाहिनी ओर नीचे की गिरती हुई रेखा है। प्रोसत कुल व्यय, प्रोसत परिवर्तनशील व्यय तथा सीमान्त व्यय तीनों की रेखाएँ U के आकार की हैं। सीमान्त व्यय की रेखा कुल प्रोसत तथा परिवर्तनशील प्रोसत व्यय दोनों ही के लिए सीमान्त रेखा है और दोनों को उनके सबसे नीचे बिन्दुओं पर काटती है। जब तक प्रोसत परि-

वर्तनशील व्यय घट रहा है, तब तक सीमान्त व्यय की रेखा प्रोसत परिवर्तनशील व्यय की रेखा के नीचे रहती है, परन्तु जैसे ही प्रोसत परिवर्तनशील व्यय बढ़ने लगता है, वैसे ही सीमान्त व्यय की रेखा ऊपर चली जाती है। ठीक इसी प्रकार, जब तक कुल प्रोसत व्यय घटता है, तब तक सीमान्त व्यय की रेखा प्रोसत व्यय की रेखा से नीचे रहती है, परन्तु जैसे ही प्रोसत व्यय बढ़ने लगता है, वैसे ही ऊपर चली जाती है।

दीर्घकाल में उत्पादन-व्यय की रेखाएँ


(Cost Curves in Long Period)

दीर्घकाल में समय पर्याप्त होता है जिन कारण उत्पादन-क्षमता का माँग से ममा-योजन किया जा सकता है और नये प्लाण्ट लगाये जा सकते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर कुछ पुराने प्लाण्ट (Plants) हटाये जा सकते हैं। इस काल में स्थिर प्रोसत परिवर्तनशील व्यय का अन्तर समाप्त हो जाता है और केवल दो प्रकार के उत्पादन-व्यय की रेखाएँ रह जाती हैं, अर्थात् प्रोसत व्यय तथा सीमान्त व्यय।

श्रीमत्त व्यय की रेखा—

अल्पकाल में प्लाण्ट का आकार निश्चित होता है और उसे न घटाया जा सकता है और न बढ़ाया जा सकता है। दीर्घकाल में न केवल उत्पादन को घटाना-बढ़ाना ही सम्भव होता है, परन्तु स्वयं प्लाण्ट में भी परिवर्तन किये जा सकते हैं। एक निश्चित उपज प्राप्त करने के लिए उत्पादक विभिन्न प्लाण्टों में चुनाव करता है और उस प्लाण्ट को चुनता है जो उस उपज को न्यूनतम व्यय पर उत्पन्न करता है। उत्पादन के एक दिये हुए आकार की दृष्टि से अलग-अलग प्लाण्ट अधिक उपयुक्त होते हैं। यदि हम अलग-अलग प्लाण्टों की उत्पादन-व्यय रेखाएँ खींचें, तो इन उत्पादन व्यय रेखाओं के वे भाग, जो नीचे उत्पादन-व्यय को दिखाते हैं, दीर्घकालीन उत्पादन-व्यय की रेखा का निर्माण करते हैं। निम्न रेखाचित्र इसे स्पष्ट करता है :—

मान लीजिये कि तीन प्लाण्टों को लेते हैं जिनके श्रीमत्त उत्पादन-व्यय की रेखाएँ




AC_1, AC_2 और AC_3 है। इन रेखाओं के वे भाग, जो बिन्दुदार नहीं हैं, उत्पत्ति की एक आकार सीमा (Range) की दृष्टि से न्यूनतम उत्पादन-व्यय को दिखाते हैं। ये सब भाग मिलकर एक वक्र का निर्माण करते हैं, जिसे उत्पादन-व्यय का दीर्घकालीन वक्र कहा जा सकता है। साथ के चिह्न में वह सारा वक्र जो बिन्दुदार नहीं है, (L C) उत्पादन-व्यय का दीर्घकालीन (श्रीमत्त) वक्र है।

यदि हम चाहे तो इस वक्र को इस प्रकार भी खींच सकते हैं कि यह ऊपर-नीचे जाने के स्थान पर एक नियमित रूप में (Smooth) चलता है। उम दशा में इस वक्र का रूप भी अंग्रेजी भाषा के U अक्षर जैसा होगा।

सीमान्त व्यय की रेखा—

दीर्घकालीन सीमान्त व्यय की रेखा अल्पकालीन सीमान्त व्यय की रेखा जैसी ही होगी है। अन्तर केवल यह होता है कि अल्पकाल में सीमान्त-व्यय कुल परिवर्तनशील व्यय के परिवर्तन को कुल उपज के परिवर्तन से भाग देकर प्राप्त होता है। दीर्घकाल में स्थिर और परिवर्तनशील व्यय का अन्तर समाप्त हो जाता है। अतः दीर्घकाल में सीमान्त व्यय में बहुपरिवर्तन होता है जो उपज की मात्रा में एक इकाई की वृद्धि करने से कुल उत्पादन-व्यय में होता है। दीर्घकालीन श्रीमत्त



व्यय की रेखा की भाँति दीर्घकालीन सीमान्त व्यय की रेखा का रूप भी U अक्षर जैसा होता है। यदि दीर्घकालीन श्रीमत्त व्यय घट रहा है तो सीमान्त व्यय की रेखा श्रीमत्त व्यय की रेखा के नीचे होगी। परन्तु जैसे ही दीर्घकालीन व्यय बढ़ने लगता है, वैसे ही सीमान्त व्यय की रेखा श्रीमत्त व्यय की रेखा के ऊपर चली जाती है। इस प्रकार, सीमान्त व्यय की दीर्घकालीन रेखा भी दीर्घकालीन श्रीमत्त व्यय की रेखा को उस बिन्दु पर

काटती है, जिस पर श्रीमत्त व्यय न्यूनतम होता है (अर्थात् श्रीमत्त व्यय की रेखा के सबसे नीचे बिन्दु पर)।

पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत मूल्य

(Value Under Perfect Competition)

पूर्ण प्रतियोगिता—एक कल्पना

यदि हम उन माग्यताओं को ध्यानपूर्वक देखें जो कि पूर्ण प्रतियोगिता के लिये आवश्यक हैं, तो हमारा निष्कर्ष यही होगा कि वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता का होना सम्भव नहीं है। यह तो एक कोरी कल्पना मात्र है, क्योंकि—(१) वास्तविक जीवन में प्रायः ऐसा देखने में आता है कि एक अकेला ग्राहक अथवा एक अकेला विक्रेता वस्तु की कीमत को बड़े अंश तक प्रभावित कर सकता है। सेवाओं के बाजार में तो यह बात बड़ी ही स्पष्टता के साथ दृष्टि-गोचर होती है। एक अकेला सेवायोजक (Employer) अपनी शर्तें रखने में बड़े अंश तक सकल हो जाता है। इसी प्रकार, बहुमूल्य वस्तुओं के उत्पादक अथवा विक्रेता की स्थिति भी एकाधिकारी सदृश्य होती है। (२) वस्तु की विभिन्न इकाइयों के बीच भी अन्तर रहते हैं। बहुत बार तो ये अन्तर वास्तविक होते हैं, परन्तु कभी-कभी कल्पित भी हो सकते हैं। विक्रेता प्रचार तथा विज्ञापन, किस्म के सूक्ष्म अन्तर, पैकिंग डिजाइन आदि द्वारा भी विभिन्न इकाइयों में अन्तर उत्पन्न कर देता है। (३) ग्राहकों की मनोवृत्ति को प्रभावित किया जा सकता है। (४) ग्राहकों और विक्रेताओं की कीमत के विषय में भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता और न ही वे बाजार की दशाओं से पूर्णतया परिचित होते हैं। बहुत बार तो वे झालस्य के कारण भी इन बातों से अपरिचित रहते हैं। परिणाम यह होता है कि कभी-कभी पूर्णतया एक जैसी वस्तुओं की भी कीमतें अलग-अलग रहती हैं। (५) उपभोक्ताओं तथा विक्रेताओं के सघ पूर्ण प्रतियोगिता को असम्भव बना देते हैं। (६) स्वयं राज्य भी आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप करता है। विशेष परिस्थितियों में, जैसे युद्धकाल तथा सङ्कट काल में, सरकारी हस्तक्षेप बहुत व्यापक हो सकता है। (७) अम-संग्रह अम की निष्कण्टक गतिशीलता में बाधक होते हैं। (८) बहुत बार रुढ़ियाँ, प्रथाएँ तथा भावनाएँ भी विक्रेताओं और ग्राहकों के स्वतन्त्र चुनाव में बाधा डालती हैं। ग्राहकों की कुछ ऐसी मनोवृत्ति होती है कि वे बहुधा बिना विचारे उन विक्रेताओं की ओर खिंचे चले जाते हैं जिनसे वह पहले से खरीदते आये हैं और दूसरों से कीमत पूछने का कष्ट भी नहीं करते। विक्रेता भी बँधे हुए ग्राहकों के प्रति अधिक उदार होता है।

उपरोक्त सभी कारक पूर्ण प्रतियोगिता की दशा को अवास्तविक बना देते हैं। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता का विचार एक सैद्धान्तिक वास्तविकता मात्र है। यहाँ पर यह बताना भी असंगत न होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता एक आदर्श दशा भी नहीं है। अर्थशास्त्र के अध्ययन में हम पूर्ण प्रतियोगिता की माग्यता को केवल इसलिए स्वीकार करते हैं कि इससे हमारा अध्ययन सरल हो जाता है।

पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य-निर्धारण सम्बन्धी विशेष बातें

अब हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में मूल्य का निर्धारण किस प्रकार होता है। विवेचना को सरल बनाने के उद्देश्य से कुछ जटिल परिस्थितियों को

यथास्विर मान लेना आवश्यक है। साथ ही साथ यह भी निश्चय है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अद्ययन का महत्त्व प्रायः सैद्धान्तिक ही है, व्यावहारिक नहीं, क्योंकि वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता का उदाहरण मिलना कठिन है। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है, इसे समझने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना आवश्यक है :—

(१) कठछेदी प्रतिस्पर्धा से मूल्य में निरन्तर कमी—

पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में खरीदने वालों तथा बेचने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है और विक्रेताओं में कठछेदी स्पर्धा (Cut-throat competition) होता है, जिसका अर्थ यह है कि प्रत्येक विक्रेता कीमत को घटाकर सारे ग्राहकों को अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करता है। अब, चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में प्रत्येक ग्राहक को वस्तु का दाम-सम्बन्धी पूर्ण ज्ञान होता है (अर्थात्, प्रत्येक ग्राहक को प्रत्येक विक्रेता के दाम ज्ञात होते हैं) और स्वभाव से ही प्रत्येक ग्राहक कम से कम दामों पर वस्तु को खरीदना चाहता है, इसलिए जो विक्रेता दूसरों की अपेक्षा थोड़ी कम कीमत पर बेचने को तैयार होना है, उसी पर सारे ग्राहक टूट पड़ते हैं, अन्य विक्रेता अपना माल बेच ही नहीं सकते हैं। ऐसी दशा में किसी भी विक्रेता के पास ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने का एक ही उपाय होता है—दामों को घटा देना। जैसे ही कोई विक्रेता दाम घटाता है, वैसे ही सब ग्राहक इस दाम को जान लेते हैं और उसी विक्रेता से माल खरीदने के लिए दौड़ते हैं। प्रतिवार (Retaliation) के लिए, अथवा, बिना न होने से बाध्य होकर अन्य विक्रेताओं को भी दाम घटाने पड़ने हैं और इस प्रकार दूसरों से कम दामों पर बेचकर अधिक बिनी करने के लोभ के कारण दाम घटाने (Price Cutting) का भय बराबर चलता रहता है। प्रत्येक विक्रेता दूसरे से थोड़े कम दामों पर वस्तु विशेष को बेचने का प्रयत्न करता है। उदाहरणस्वरूप, यदि प्रचलित दाम ४ रुपये प्रति इकाई है, तो कोई विक्रेता ३.६० रुपये प्रति इकाई बेचने का प्रयत्न करेगा। दूसरा ३.८०, तीसरा ३.७० और चौथा ३.६० रुपये इत्यादि। इस प्रकार दाम बराबर घटते चले जायेंगे।

(२) मूल्य घटने का क्रम लाभ लुप्त होने तक जारी करना—

अब प्रश्न यह उत्पन्न है कि इस प्रकार दाम घटाने का क्रम कब तक चलता रहेगा ? यह निश्चय है कि दाम घटत-घटते अन्त तक नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में विक्रेताओं अथवा उत्पादकों को कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा, जबकि उत्पादन-व्यय के रूप में उन्हें उल्टा अपनी गाँठ से ही देना पड़ेगा। अतः, कोई भी विक्रेता दाम तभी तक घटाना रह सकता है, जब तक कि उसे बिना हानि न हो। दूसरे शब्दों में, दामों के बराबर घटने से विक्रेता के लाभ में कमी होती चली जाती है और यदि दाम घटाने का क्रम लम्बे काल तक चलता रहे, तो अन्त में लाभ का अन्त हो जाता है। निश्चय है कि लम्बे समय तक कोई भी विक्रेता हानि नहीं उठा सकता है। यदि दाम इतन नीचे गिर जायें कि उत्पादक अथवा विक्रेता को हानि ही होती रहे, तो वह उस व्यवसाय की छोड़ देगा। किन्तु जब तक थोड़ा भी लाभ शेष रहेगा, दाम घटाकर अधिक बिनी करने की प्रवृत्ति कार्यशील होती रहेगी और इसलिए अन्त में दाम का घटाना केवल वही रहेगा जहाँ लाभ पूर्णतया समाप्त हो जाता है।

(३) दाम घटते रहने का परिणाम—एक मूल्य का प्रचलन

दामों के इस प्रकार घटते रहने का महत्त्वपूर्ण परिणाम यह होता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में कीमत केवल एक ही होती है, अर्थात् सब विक्रेता एक ही दाम पर बेचते हैं और प्रत्येक ग्राहक एक ही दाम पर खरीदना है। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में माँग की प्रवृत्ति बदल जाती है, जिससे वस्तु की थोड़ी और अधिक मायाएँ भी एक ही दाम पर


बिकती है। हाँ, अल्पकाल में यह सम्भव हो सकता है कि एक विक्रेता दूसरे से कम दामों पर बेचे, परन्तु दीर्घकाल में तो सभी को एक ही दाम पर बेचना होता है।

यदि कोई विक्रेता (या कुछ विक्रेता) इससे थोड़े कम दामों पर बेचते हैं, तो सारे ग्राहक उन्हीं से खरीदने के लिए आते हैं। अब यदि उस विक्रेता (या उन विक्रेताओं) का वस्तु की पूर्ति की मात्रा के अधिकतम भाग पर नियन्त्रण है, तो तब भी ऊँचे दाम माँगने वालों की कुछ भी विक्री नहीं हो सकेगी और उनको विवश होकर दामों की घटाकर वहीं लाना पड़ेगा, जहाँ पहले विक्रेता (अथवा विक्रेताओं) ने रखा है। इस प्रकार, अल्प में वही घटी हुई कीमत चालू कीमत बन जायगी। इसके विपरीत, यदि पहले विक्रेता (अथवा विक्रेताओं) का वस्तु की पूर्ति के बहुत ही थोड़े भाग पर अधिकार है, तो कम दामों पर बेचने के कारण शीघ्र ही उसका सारा भण्डार समाप्त हो जायगा और तत्पश्चात् अन्य विक्रेताओं द्वारा माँगी हुई कीमत ही बाजार में एकमात्र रह जायगी। इस प्रकार, दीर्घकाल में केवल एक ही कीमत रहेगी।

इस सम्बन्ध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि अल्पकाल में भी यथार्थ में कीमत एक ही रहती है। यद्यपि विभिन्न विक्रेता अलग-अलग दाम माँगते हैं, तथापि एक समय विशेष में किसी केवल एक ही दाम पर होती है। इस प्रकार, वैसे तो अलग-अलग विक्रेता अलग-अलग दाम माँगते हैं, किन्तु तब केवल उन दामों पर होता है, जो सबसे कम होते हैं, अतः सप्रभाविक्त कीमत केवल एक ही होती है।

(४) माँग-रेखा का गुण—अक्ष रेखा के समानान्तर होना

कीमत की इस प्रवृत्ति से हमें पूर्ण प्रतियोगिता में माँग की रेखा का एक विशेष गुण ज्ञान होता है। इस दशा में माँग की रेखा अक्ष रेखा के समानान्तर होती है अर्थात् माँग पूर्णतया लोचदार होती है और माँग की रेखा एक सरल रेखा होती है। निम्न चित्र इसे दिखाता है :—



इस चित्र में हम देखते हैं कि P में और T में बराबर कीमतों को दिखाते हैं, परन्तु P में दामों से सम्बन्धित माँग की मात्रा केवल M है, जब कि T में से सम्बन्धित माँग की मात्रा N है, जो इससे बहुत अधिक है। इस प्रकार कीमत के शून्य परिवर्तन के फलस्वरूप माँग में असीमित परिवर्तन हो जाते हैं। यहाँ माँग की लोच असीमित है। ऐसी दशा में माँग की रेखा का अक्ष के समानान्तर होना स्वाभाविक है। चित्र में माँग की रेखा का यही रूप दिखाया गया है।


(५) औसत आगम (AR) और सीमान्त आगम (MR) का बराबर होना—

जैसा कि ऊपर बताया गया है, पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिगत विक्रेता के लिए माँग पूर्णतया लोचदार होती है। इस बात का किसी फर्म की औसत और सीमान्त आगम रेखाओं की स्थिति और उनके रूप पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। चूँकि माँग पूर्णतया लोचदार होती है, इसलिए एक विक्रेता एक ही कीमत पर वस्तु की बित्तनी भी मात्रा बेच सकता है। मान लीजिये कि वस्तु की प्रति इकाई कीमत 1 रुपया है, तो ऐसी दशा में विक्रेता विशेष की आगम अनुसूची (Revenue Schedule) इस प्रकार होगी :—

तालिका

वस्तु की इकाइयाँ	कीमत अथवा औसत आगम (रुपयों में)	कुल आगम (रुपयों में)	सीमान्त आगम (रुपयों में)
१	१०	१०	१०
२	१०	२०	१०
३	१०	३०	१०
४	१०	४०	१०
५	१०	५०	१०

चूँकि विक्रेता वस्तु की प्रत्येक इकाई को एक ही कीमत पर बेचता है, इसलिए औसत आगम कीमत के बराबर रहेगी और चूँकि विक्रेता की प्रत्येक मात्रा के लिए कीमत समान ही है, इसलिए औसत आगम समान ही रहेगी, चाहे वितनी ही मात्रा क्यों न बेची जाय। इसके प्रतिरिक्त, विक्रेता की प्रत्येक मात्रा पर औसत आगम सीमान्त आगम के बराबर होगी। गणित की भाषा में इसका अर्थ यह होता है कि औसत और सीमान्त आगम एक ही रेखा द्वारा मूचित होगी और वह रेखा भी एक सरल रेखा होगी, जो कि P के समानान्तर होगी और P के कीमत के बराबर की दूरी पर होगी। निम्न चित्र में आगम रेखाएँ दिखाई गई हैं :—



इस चित्र के अनुसार, जब विक्रेता की मात्रा P है तो औसत और सीमान्त आगम दोनों P के बराबर हैं और जब विक्रेता की मात्रा P है, तो औसत और सीमान्त आगम P के बराबर है। किन्तु P और P के दोनो एव दूसरे के बराबर हैं, इसलिए औसत आगम/सीमान्त आगम की रेखा P के समानान्तर होगी।

एक अन्य रीति से भी इस बात को समझाया जा सकता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, माँग की रेखा के स्थान पर आगम रेखाओं का उपयोग किया जा सकता है और इन रेखाओं के रूप और गुण माँग की रेखा जैसे ही होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में आगम-रेखाएँ भी क्षितिज के समानान्तर (Horizontal) होती हैं। औसत आगम औसत कीमत का ही दूसरा नाम है, इसलिए उसकी रेखा का ठीक वही रूप होगा, जो माँग-रेखा का होगा, परन्तु पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में औसत तथा सीमान्त आगम एक ही रेखा द्वारा मूचित किये जाते हैं अर्थात् दोनों की रेखाएँ अनुकरणीय होती हैं। कारण, दीर्घकाल में प्रत्येक दूकानदार की सीमान्त आगम तथा औसत आगम का समान होना आवश्यक है। यदि अन्तिम इकाई से प्राप्त आगम औसत आगम से कम है, तो यह लाभ दिखाता है और यदि इसके विपरीत है तो हानि को, परन्तु दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में लाभ और हानि दोनों में से किसी का भी रहना असम्भव है, इसलिए इस दशा में औसत सीमान्त आगम बराबर ही रहेंगी।

(६) पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति का लगभग स्थिर रहना—

पूर्ति तथा उत्पादन-व्यय का रूप पूर्ण प्रतियोगिता में भी उनके साधारण अथवा


सामान्य रूप में भिन्न नहीं होता। यदि हम एक प्रवेगिक दशा (Dynamic State) को लें, तो अल्पकाल में किसी भी फर्म के लिए यह सम्भव होता है कि वह या तो लाभ कमाये या हानि उठाये। इसका कारण स्पष्ट है और यह है कि अल्पकाल में माँग का महत्व बहुत होता है, क्योंकि पूर्ति में परिवर्तन कर देना सम्भव नहीं होता। फलतः माँग के घटने-बढ़ने के अनुसार कीमत भी घटती-बढ़ती है। यदि उत्पादक उत्पादन-व्यय से ऊँचे दामों पर बेचे, तो उसे लाभ होता है। परन्तु यदि वह उत्पादन-व्यय से भी नीचे दामों पर बेचने के लिए बाध्य हो तो उसे हानि होगी।

साधारणतया एक विक्रेता के उत्पादन-व्यय में तीन प्रकार के व्यय सम्मिलित होते हैं—(अ) अनुपूर्क उत्पादन व्यय, (ब) प्रधान उत्पादन व्यय, तथा (ग) वस्तुओं को बिनी के लिए प्रस्तुत करने का व्यय (Marketing Cost)। शीघ्र नाशवान वस्तुओं के दाम अल्पकाल में वही-कभी इतने नीचे गिर जाते हैं कि विक्रेता को केवल विक्री व्यय (Marketing Cost) ही प्राप्त हो सके। इसके विपरीत, जो वस्तुएँ शीघ्र खराब नहीं होती हैं उनमें हानि कम होती है। ऐसी वस्तुओं को बेचने के लिए तभी तक प्रस्तुत किया जाता है, जब तक कीमत के रूप में कम से कम विक्री व्यय तथा प्रधान व्यय अथवा धमूल हो जायें। यदि इतनी न्यूनतम लागत धमूल न हो तो विक्रेता वस्तु का सचय कर लेगा और उसे बिनी के लिए प्रस्तुत नहीं करेगा। इस प्रकार, अल्पकाल में लाभ और हानि दोनों की ही सम्भावना हो सकती है। किन्तु हानि बितनी होगी, यह वस्तु विशेष के गुणों पर निर्भर रहता है। शीघ्र नाशवान वस्तुओं में हानि की सम्भावना अधिक रहती है।

(७) दीर्घकालीन उत्पादन व्यय की रेखायें खींचना—

किसी भी वस्तु की अल्पकालीन उत्पादन व्यय की रेखायें सरलता से खींची जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम अल्पकाल की अवधि एक महीने की मानते हैं, तो महीने भर के प्रत्येक दिन के औसत व्यय के बिन्दुओं को ग्राफ कागज पर निश्चिन करके हम प्रत्येक महीने के औसत उत्पादन व्यय की रेखा खींच सकते हैं।


यदि हमारी दीर्घकाल की अवधि एक वर्ष है, तो बारह महीनों के अल्पकालीन औसत उत्पादन व्यय की बक्र रेखायें हमारे सामने होंगी। इन रेखाओं के आधार पर वर्ष भर के औसत उत्पादन व्यय की बक्र रेखा आसानी से खींची जा सकती है। दीर्घकालीन औसत उत्पादन व्यय की रेखा अल्पकालीन उत्पादन व्यय की रेखाओं के रास्ते नीचे बिन्दु के बिन्दुपथ (Locus) द्वारा सूचित की जाती है। यह बात निम्न रेखाचित्र में दिखाई गई है :—



चित्र—औसत उत्पादन व्यय रेखा

इस चित्र में चट रेखा, जो बिन्दुदार (Dotted) रेखा है, दीर्घकालीन औसत उत्पादन व्यय की रेखा है। यह रेखा **अ**, **आ** इत्यादि वक्र रेखाओं के सबसे नीचे बिन्दुओं को मिलती है। ठीक इसी प्रकार हम दीर्घकालीन सीमान्त उत्पादन व्यय की रेखा को भी खींच सकते हैं जिनमें कोई विशेष कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि यह भी अल्पकालीन सीमान्त व्यय की रेखाओं के सबसे नीचे बिन्दुओं को मिलाकर खींची जा सकती है। अन्त में दीर्घकालीन उत्पादन व्यय की रेखाओं का रूप निम्न चित्र में दिखाये गये अनुसार होता है :—

ये रेखाएँ अल्प तथा दीर्घ दोनों ही कालों को दिखाती हैं और उत्पत्ति सम्बन्धी तीनों नियमों—प्रमाणित उत्पत्ति वृद्धि, स्थिरता तथा ह्रास नियमों—को दिखाती हैं। अल्पकाल में अधिकतर वृद्धि नियम लागू होता है और औसत तथा सीमान्त व्यय घटते चले जाते हैं। फिर उत्पत्ति स्थिरता नियम कार्यशील होता है तथा $r = 1$ व्यय यथास्थिर रहता है और अन्त में ह्रास नियम के अनुसार व्यय बढ़ना जाता है। इस चित्र में उत्पादन व्यय की रेखा धारम्भ में नीचे गिरती जाती है, फिर एक के समानान्तर ही जाती है और अन्त में ऊपर की चढ़ती जाती है।




मूल्य का निर्धारण

एक पिछले अध्याय में हमने मूल्य निर्धारण के सामान्य सिद्धान्त का विवेचन किया था। हमने यह देखा था कि मूल्य उस बिन्दु पर निर्धारित होता है, जहाँ सीमान्त आगम तथा सीमान्त उत्पादन व्यय की वक्र रेखाएँ एक-दूसरी को काटती हैं। हमने यह भी देखा था कि दीर्घकाल में केवल यह मूल्य ही स्थायी रह सकता है। यह सामान्य सिद्धान्त पूर्ण प्रतियोगिता पर भी लागू होता है। परन्तु जैसा कि पूर्ण प्रतियोगिता सम्बन्धी माँग और पूर्ति की विवेचना से स्पष्ट होता है, पूर्ण प्रतियोगिता की कुछ अपनी विशेषताएँ भी होती हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दीर्घकाल में लाभ और हानि का विलकुल अन्त हो जाता है। अतः पूर्ण प्रतियोगिता का मूल्य दीर्घकाल में इस प्रकार निर्धारित होगा कि सीमान्त आगम तथा सीमान्त व्यय के समान रहते हुए भी उत्पादक अथवा विक्रेता को न तो लाभ ही हो और न हानि ही, यद्यपि अल्पकाल में लाभ या हानि होना सम्भव है।

(1) अल्पकाल में कीमत का निर्धारण—

एक सामान्य दशा की भाँति पूर्ण प्रतियोगिता में भी अल्पकाल में लाभ अथवा हानि हो सकती है। केवल इतनी विशेषता होती है कि पूर्ण प्रतियोगिता में औसत और सीमान्त आगम बराबर होते हैं। अन्य शब्दों में, जैसा कि सामान्य दशा में मूल्य निर्धारण का सिद्धान्त (या मूल्य का सामान्य सिद्धान्त) बताता है, कीमत का निर्धारण इस प्रकार होता है कि सीमान्त उत्पादन व्यय तथा सीमान्त आगम दोनों बराबर हों। पूर्ण प्रतियोगिता में भी अल्पकालीन दृष्टि से यही स्थिति (सीमान्त उत्पादन व्यय और सीमान्त आगम) होगी, परन्तु क्योंकि औसत और सीमान्त आगम बराबर हैं, इसलिए सीमान्त आगम और औसत आगम दोनों ही समान रहेंगे।

(१) लाभ की स्थिति—अब चित्र में हमने यह दिखाया है कि अल्पकाल में विक्रेता (अथवा उत्पादक) लाभ कमाता है :—




चित्र—पूर्ण प्रतियोगिता के अधीन अल्पकाल में मूल्य (लाभ की दशा)

अधिकतम् होगा। अतः अल्पकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में भी लाभ हो सकता है, जो कण्ठछेदी प्रतियोगिता के कारण दीर्घकाल में समाप्त हो जायेगा।

(२) हानि की स्थिति—परन्तु यह भी सम्भव है कि उसे लाभ के स्थान पर हानि हो। अल्पकाल में हानि होते हुए भी उत्पादक फर्म उद्योग में बनी रह सकती है। इस प्रकार की स्थिति को औसत परिवर्तनशील व्यय (Average Variable Cost) के बिन्दु की सहायता से आसानी से दिखा सकते हैं। अल्पकाल की विशेषता यह है कि स्थिर व्यय तो होगा ही, चाहे उत्पादन शून्य के बराबर हो, किन्तु उत्पादन को बन्द करके परिवर्तनशील व्यय से बचा जा सकता है। अल्प अवधि में, उत्पादक स्थिर साधनों का उपयोग तो प्रत्येक दशा में करेगा परन्तु परिवर्तनशील साधनों का उपयोग करना आवश्यक नहीं है। परिवर्तनशील साधन केवल उस दशा में ही उपयोग किये जायेंगे जब कि कम से कम इन परिवर्तनशील साधनों का व्यय कीमत में से निकल जाये। अर्थात् अल्पकाल में कीमत कुल औसत व्यय (कुल व्यय में स्थिर तथा परिवर्तनशील दोनों प्रकार के व्यय सम्मिलित होते हैं) से नीचे हो सकती है परन्तु जब तक कीमत औसत परिवर्तनशील व्यय से ऊँची होगी, उत्पादक अपनी मात्रा अवश्य उत्पन्न करना रहेगा, जो उसके सीमान्त व्यय को उसकी सीमान्त आगम के बराबर कर दे। इस प्रकार, हानि की दशा में नीचे से नीचे कीमत इतनी हो सकती है कि वह औसत परिवर्तनशील व्यय के बराबर हो। इस कारण कीमत कुल औसत व्यय से तो नीचे हो सकती है, परन्तु औसत परिवर्तनशील व्यय से नीचे नहीं। कारण, यदि कीमत इससे भी नीचे चली जाये, तो उत्पादक उत्पादन करना ही बन्द कर देगा।

इस चित्र में यह स्थिति दिखाई गई है। चित्र में प म न्यूनतम कीमत है। प ऐसा



चित्र—पूर्ण प्रतियोगिता के अधीन अल्पकाल में मूल्य (हानि)

बिन्दु है जिस पर सीमान्त आगम सीमान्त व्यय तथा औसत परिवर्तनशील व्यय की रेखाएँ एक दूसरी को काटती हैं। इस कीमत पर सीमान्त व्यय और सीमान्त आगम तो बराबर हैं ही परन्तु साथ ही साथ कीमत औसत परिवर्तनशील व्यय के भी बराबर है। इस स्थिति में उत्पादक अपना औसत परिवर्तनशील व्यय तो पूरा का पूरा बसूल कर लेता है परन्तु स्थिर व्यय का कोई भी भाग बसूल नहीं हो पाता। वही उसकी अधिकतम हानि होगी।

(II) दीर्घकालीन कीमत का निर्धारण—

दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत कोई भी फर्म लाभ प्राप्त नहीं कर सकती है। प्रत्येक विक्रेता अपनी बिजली बढाने के लिए कीमत को घटाता जायेगा, जिससे धीरे-धीरे श्रोत लाभ घटता जायेगा और अन्त में दीर्घकाल में ऐसी स्थिति आ जायेगी कि लाभ पूर्णतया ममाप्त हो जाय। स्मरण रहे कि लाभ केवल उसी दशा में समाप्त होगा जबकि श्रोत व्यय श्रोत आगम के बराबर हो।

यहाँ पर यह प्रश्न भी उठ सकता है कि नया कीमत इससे और नीचे नहीं गिर सकती है ? यदि श्रोत आगम (अथवा कीमत) श्रोत व्यय से नीचे गिरती है, तो बिजली की प्रत्येक इकाई पर हानि होने लगती है। जहाँ तक अल्पकाल का प्रश्न है, एक विक्रेता इस आशा पर कि आगे चल कर लाभ होगा, कुछ समय तक हानि भी उठा सकता है। परन्तु यह हानि यदि दीर्घकाल में भी बनी रहती है, तो फर्म अपने व्यवसाय को चालू नहीं रख सकेगी। दीर्घकाल में हानि होने का अर्थ व्यवसाय का बन्द होना होता है। अतः दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में हानि नहीं होगी और जैसा कि ऊपर बताया गया है लाभ भी नहीं होगा। कीमत इस प्रकार निश्चित होगी कि कुल आगम कुल व्यय के बराबर हो अथवा श्रोत आगम और व्यय के बराबर हो।

उदाहरण—यदि श्रोत आगम श्रोत व्यय से अधिक है, तो उत्पादक या विक्रेता को लाभ होगा, क्योंकि ऐसी दशा में उत्पत्ति की प्रत्येक इकाई उससे अधिक दामों पर विक्रेणी, जितनी कि उस पर श्रोत लागत पड़ती है। दूसरे शब्दों में, कुल व्यय से कुल आगम की अविक्तता लाभ की सूचक है। उदाहरणस्वरूप, यदि १,००० इकाइयाँ बेची जाती हैं और दाम ११ रुपये प्रति इकाई है, तो कुल आगम ११,००० रुपये होंगे। अब यदि श्रोत उत्पादन व्यय केवल १० रुपये प्रति इकाई है, तो कुल व्यय १०,००० रुपये होगा, जिसके फलस्वरूप १,००० रुपये का लाभ होगा। ठीक इसी प्रकार, यदि श्रोत आगम श्रोत व्यय से कम है, तो हानि होगी। अब क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में लम्बे काल में न तो लाभ होता है और न हानि, इसलिए श्रोत आगम श्रोत व्यय से कम या अधिक नहीं होती है। लाभ और हानि दोनों का अन्त उसी समय हो सकता है जबकि श्रोत आगम तथा श्रोत व्यय बराबर हों। इस प्रकार, पूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता यह है कि इसमें श्रोत आगम और श्रोत व्यय बराबर होते हैं।

दीर्घकालीन मूल्य की विशेषतायें—मार्ग की विवेचना में हम यह पहले ही देख चुके हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में श्रोत और सीमान्त आगम बराबर होने हैं और एक ही रेखा द्वारा दिखाये जाते हैं। यह भी हम देख चुके हैं कि स्थायी साम्य में सीमान्त आगम तथा सीमान्त व्यय का बराबर होना आवश्यक है। इस प्रकार दीर्घकालीन मूल्य में पूर्ण प्रतियोगिता द्वारा निम्न-लिखित विशेषताएँ उपस्थित की जाती हैं—

श्रोत व्यय = श्रोत आगम

श्रोत आगम = सीमान्त आगम

सीमान्त आगम = सीमान्त व्यय


दूसरे शब्दों में, पूर्ण प्रतियोगिता का दीर्घकालीन मूल्य निम्न दशा में सूचित होता है श्रोत आगम = श्रोत व्यय = सीमान्त आगम = सीमान्त व्यय। गणित की भाषा में इस बात को हम इस प्रकार कह सकते हैं कि यह मूल्य उस बिन्दु पर निर्धारित होता है, जहाँ पर श्रोत आगम, सीमान्त आगम और श्रोत व्यय तथा सीमान्त व्यय चारों की वक्र रेखाएँ एक दूसरी को काटती हैं।

स्वैतिक दशा में मूल्य निर्धारण [अनुरूप व्यय रेखायें]

उपरोक्त विवेचन इस मान्यता पर आधारित है कि सभी फर्मों की उत्पादन व्यय की रेखा एक जैसी (Identical) है। परन्तु ऐसा सदा आवश्यक नहीं है, क्योंकि स्वैतिक दशाओं में सभी फर्मों की उत्पादन व्यय रेखायें अनुरूप होती हैं, किन्तु प्रवैगिक दशाओं में ऐसा नहीं होता। स्वैतिक दशाओं में व्यय रेखाओं की अनुरूपता के निम्न कारण हैं :—(i) विभिन्न फर्मों के बीच उत्पत्ति के साधनों का अधिक उपयुक्त वितरण हो जायेगा, क्योंकि दीर्घकाल में प्रत्येक फर्म के लिए साधनों की प्राप्ति का समान अवसर होता है और विभिन्न फर्मों के बीच साधनों की क्रिम के अन्तर समाप्त हो जाते हैं। (ii) चूंकि प्रत्येक फर्म अनुकूलतम् आकार (पर्याप्त न्यूनतम्-व्यय-आकार) प्राप्त करने का प्रयत्न करेगी, इसलिए सभी फर्मों द्वारा समान व्यय की प्रवृत्ति होगी। स्थिति इस प्रकार है कि यदि एक फर्म का औसत उत्पादन व्यय दूसरी से नीचा है तो या तो वह दूसरी फर्म को उद्योग से निकाल देगी या वह अपनी उपज का न्यूनतम् व्यय बिन्दु से आगे विस्तार कर लेगी जिससे कि अन्त में उसका औसत व्यय प्रतिद्वन्द्वी के औसत व्यय के बराबर हो जायेगा।

फर्म के साम्य की दोहरी शर्तें—दीर्घकाल में प्रत्येक फर्म न्यूनतम् औसत व्यय अथवा अनुकूलतम् आकार प्राप्त करने का प्रयत्न करेगी। साम्य की स्थिति में प्रत्येक फर्म उपज की वह मात्रा उत्पन्न करेगी जो उसे अधिकतम् लाभ प्रदान करती है और यह अधिकतम् लाभ सामान्य लाभ के बराबर होता है। इसका अर्थ यह है कि औसत व्यय, जिसमें सामान्य लाभ भी सम्मिलित होता है, औसत आगम अथवा कीमत के बराबर होता है। यदि कीमत इस बिन्दु से थोड़ी कम या अधिक होती है, तो उद्योग में फर्मों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी होगी। इस प्रकार, साम्य की दोहरी शर्तें होती हैं—सीमान्त व्यय = सीमान्त आगम, तथा, औसत व्यय = औसत आगम। यह दोहरी शर्तें उस दशा में पूरी होती हैं जबकि औसत आगम रेखा औसत व्यय रेखा को उसके निम्नतम् बिन्दु पर स्पर्श करे। अन्य किसी दशा में यह सम्भावना नहीं होगी। अगले रेखाचित्र की तीन आकृतियाँ इसे दिखाती हैं।

रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण—चित्र I औसत आगम रेखा अपनी पूरी लम्बाई में औसत व्यय रेखा के नीचे है, जिसका अर्थ यह होता है कि उपज की प्रत्येक मात्रा सामान्य से कम लाभ प्रदान करेगी। उदाहरणार्थ उपज की OM मात्रा के लिए कीमत सामान्य व्यय के ता



चित्र—स्वैतिक दशायें (अनुरूप व्यय रेखायें)


बराबर है परन्तु वह औसत व्यय से नीची है, जिस कारण फर्मों को सामान्य से नीचा लाभ प्राप्त होता है। चित्र II में औसत आगम रेखा (AR) बराबर औसत व्यय रेखा (AC) से ऊपर

रहती है। इस दशा में उपज की प्रत्येक मात्रा के लिए लाभ 'सामान्य से ऊँचा' रहेगा। इसका अर्थ यह है कि यद्यपि फर्म साम्य की स्थिति में नहीं होगी, क्योंकि OM उपज पर $MC =$ कीमत $= MR$ है, किन्तु उद्योग साम्य की स्थिति में नहीं होगा, क्योंकि लाभों के सामान्य से अधिक होने के कारण नई फर्म उद्योग में प्रवेश करने का प्रयत्न करेंगी। चित्र III में औसत व्यय रेखा कुछ दूरी तक औसत घागम रेखा के नीचे रहती है और कुछ दूरी तक उसके ऊपर। यह भी उद्योग की दृष्टि से साम्य की स्थिति नहीं है। इस दशा में प्रत्येक फर्म के लिए उपज की अनुकूलतम मात्रा OM होगी, परन्तु इस उपज पर लाभ सामान्य से नीचा होगा जिन कारण कुछ फर्म उद्योग को छोड़ती हुई दिखाई देगी।

उद्योग के साम्य की तिहरी शर्तें—इस प्रकार, उद्योग का साम्य तभी प्राप्त होता है जबकि $MC = MR$ और $AC = AR$ है। परन्तु पूर्ण प्रतिযোগिता के अन्तर्गत, उपज की सभी मात्राओं के लिए औसत तथा सीमान्त घागम आगम में नदब बराबर होने है। इस प्रकार, हमें तीन समीकरण प्राप्त है :—(१) सीमान्त व्यय = सीमान्त आगम ($MC = MR$), (२) औसत व्यय = औसत आगम ($AC = AR$) और (३) सीमान्त आगम = औसत आगम ($MR = AR$)। इन तीनों समीकरणों की सहायता से हम एक ऐसे समीकरण का निर्माण कर सकते हैं, जो पूर्ण प्रतियोगिता में उद्योग के साम्य की दशा दे सके, अर्थात् औसत व्यय = औसत आगम = सीमान्त व्यय = सीमान्त आगम ($AC = AR = MC = MR$)।

रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण—अब हम उद्योग के साम्य की स्थिति निर्धारित करेंगे।

Y EQUILIBRIUM OF THE INDUSTRY



चित्र—उद्योग का साम्य

AC , MC , MR तथा AR चारों रेखाएँ एक दूरी की AC रेखा के निम्नतम बिन्दु पर काटेगी, और उन्हीं बिन्दु पर AR रेखा AC रेखा की स्पर्श रेखा होगी। उद्योग के साम्य की स्थिति OM उपज पर प्राप्त होती है, जिस पर (जैसा कि चित्र में दिखाया गया है) AC , AR , MC और MR चारों बराबर है। इस प्रकार, यदि सभी फर्मों की व्यय रेखाएँ अनुरूप हैं तो पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में, साम्य उस बिन्दु पर होगा जिन पर औसत तथा सीमान्त व्यय दोनों कीमत के बराबर हैं। इस दशा में प्रत्येक फर्म अनुकूलतम आकार फर्म होगी और न्यूनतम औसत व्यय पर उत्पादन करेगी।

प्रद्वैगिक दशाएँ

[अलग-अलग व्यय रेखाएँ]

अब हम उस दशा को लेते हैं, जिसमें उद्योग की अलग-अलग फर्मों की व्यय रेखाएँ

1 व्यय रेखाएँ दीर्घकाल को दिखाती हैं। वे आरम्भ में वृद्धि और स्थिरता नियम को कार्यशील दिशाते हुए अन्त में उत्पत्ति ह्रास नियम का बोध करती हैं।

अलग-अलग है। इस दशा में कीमत निर्धारण हेतु हम एक महत्वपूर्ण विचार का उपयोग करेंगे अर्थात् सीमान्त फर्म विचार (Concept of Marginal Firm)।

सीमान्त फर्म एवं इसका अर्थ—

सीमान्त फर्म वह फर्म है जो कीमत घटने की दशा में उद्योग छोड़ने वाली सबसे पहली फर्म होती है। यह आवश्यक नहीं है कि यह फर्म सबसे अकुशल फर्म ही हो। यद्यपि इस अर्थ में इसे अकुशलतम फर्म कहा जा सकता है कि इसका औसत व्यय सबसे ऊँचा होता है। यदि ऐसी फर्म सबसे अकुशल फर्म है, तो यह सम्भव है कि इसका व्यय ऊँचा होने के कारण, जैसे ही कीमत घटती है, इसके लाभ सामान्य से नीचे गिर जाये अर्थात् इसे हानि होने लगे और यह उद्योग को छोड़ देने का निर्णय कर ले। परन्तु जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, यह आवश्यक नहीं है कि सीमान्त फर्म सबसे अकुशल फर्म ही हो सकता है कि यह कुशलतम फर्म हो, परन्तु फिर भी कीमत घटने की दशा में यह उद्योग को छोड़ने का निर्णय इस कारण कर सकती है कि किसी अन्य उद्योग में यह और भी अधिक लाभ कमा सकती है। दूसरे शब्दों में, यह 'ऊँचे अवसर व्यय वाली फर्म' हो सकती है जिसके लिए किसी अन्य उद्योग में अधिक लाभ कमाने की सम्भावना हो। कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार यह भी है कि सीमान्त फर्म आवश्यक रूप में 'अधिकतम व्यय फर्म' होती है। यदि हम अवसर व्यय को भी फर्म के निहित व्यय के रूप में सम्मिलित करें, तो फिर सीमान्त फर्म को अधिकतम व्यय फर्म कहने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। फिर भी, उल्लेखित की दूर करने के लिए यही आवश्यक है कि सीमान्त फर्म का अर्थ उसी फर्म से लिया जाये जो कीमत घटने की दशा में उद्योग छोड़ने में पहल करती है।

अन्तर्सीमान्त फर्म—


अलग-अलग व्यय रेखाओं का अर्थ यह होता है कि उपज की एक ही मात्रा के लिए एक फर्म का व्यय दूसरी से नीचा होता है। मान लीजिए कि सीमान्त फर्म को सामान्य लाभ के अतिरिक्त और कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसका अर्थ है कि कुछ अन्य फर्म, जिनका व्यय नीचा है, सामान्य से अधिक लाभ प्राप्त करेंगी। ऐसी फर्मों को हम 'अन्तर्सीमान्त फर्म' (Intra-marginal Firms) कहेंगे।

साम्य की दशा—

अब हम फर्मों की अलग-अलग व्यय रेखाओं की दशा में सम्बन्धित साम्य दशा का अध्ययन करेंगे। साम्य की स्थिति में कीमत सीमान्त फर्म के औसत और सीमान्त व्यय के बराबर होगी। सीमान्त व्यय का कीमत के बराबर होना आवश्यक है, अन्यथा फर्म अपनी उपज के आकार में परिवर्तन करेंगी। औसत व्यय का भी कीमत के बराबर होना आवश्यक है, अन्यथा सीमान्त फर्म या तो साम्य से अधिक लाभ कमायेगी जिस दशा में नई फर्म उद्योग में आने लगेगी या सामान्य से कम लाभ कमायेगी जिस दशा में अन्य फर्म उद्योग को छोड़ने लगेगी। जैसा कि यहाँ स्पष्ट है अब हमारा अध्ययन प्रवैगिक दशाओं का अध्ययन होगा, न कि स्थैतिक दशाओं का जो कि पहले था। साम्य स्थिति में सीमान्त फर्म केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त करेंगी, परन्तु अन्तर्सीमान्त फर्म सामान्य से अधिक लाभ कमायेंगी। यद्यपि सीमान्त तथा अन्तर्सीमान्त दोनों ही फर्मों के लिए सीमान्त व्यय सीमान्त आगम के बराबर होना चाहिए। इस स्थिति को घ्राणे के रेखाचित्र में दिखाया गया है।

अप चित्र से पता चलता है कि साम्य की स्थिति में दोनों दशाओं में कीमत PM है और उपज की मात्रा OM है। दोनों ही में उपज पर सीमान्त व्यय, सीमान्त आगम अथवा कीमत के बराबर है। अन्तर यह है कि सीमान्त फर्म में कीमत औसत व्यय के भी बराबर है किन्तु अन्तर्सीमान्त फर्म में औसत व्यय QM है, जो कीमत से कम है। इस प्रकार, अन्तर्सीमान्त

कर्म लाभ बना रही है, जिमनी औसत प्रति इकाई वर कीमत और औसत व्यय के अन्तर के बरा-



चित्र—फर्मों का साम्य

बर है, अर्थात् $PM - QM = PQ$ है। यह फर्म सामान्य लाभ के ऊपर कुल लाभ $PQ \times OM$ अथवा क्षेत्रफल PQRS के बराबर कमाती है। परन्तु यह स्पष्ट है कि अन्तर्सीमान्त फर्म की उद्योग में बनाये रखने के लिए यह लाभ आवश्यक नहीं है। यदि कीमत घटती है, तो सीमान्त फर्म को हानि होने लगती है और वह उद्योग को छोड़ने को तैयार हो जाती है। किन्तु कीमत घटने में अन्तर्सीमान्त फर्म के केवल वे लाभ घटते हैं जो सीमान्त से ऊपर हैं। अन्तर्सीमान्त फर्म के सामान्य लाभ केवल एक प्रकार का आधिपत्य है, जो प्रकृति में लगान महद्वय है।

परीक्षा प्रश्न :

१. पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ बतलाइये। पूर्ण प्रतियोगिता की परिस्थिति में मूल्य किम प्रकार निर्धारित होता है ?
२. पूर्ण प्रतियोगिता की विभिन्न विशेषताओं का विवेचन कीजिए।
३. स्पष्ट कीजिए कि साम्य की समस्या में सीमान्त लागत, सीमान्त आय के बराबर होती है।
४. पूर्ण प्रतियोगिता को शर्तें क्या हैं ? इनके अन्तर्गत मूल्य और उत्पत्ति की मात्रा किम प्रकार निर्धारित होती है ?
५. निम्न को समझाइये :—एकाधिकार तथा पूर्ण प्रतियोगिता की दोनों परिस्थितियों के लिए कीमत निर्धारित करने का आधार सीमान्त उत्पादन-व्यय तथा सीमान्त आय (Marginal revenue) की समता है।

एकाधिकार के अन्तर्गत मूल्य

(Value Under Monopoly)

एकाधिकार का अर्थ

साधारणतः एकाधिकार से हमारा अभिप्राय उस बाजार स्थिति से होता है जिसमें किसी वस्तु का बाजार में केवल एक ही विक्रेता होता है जिसका वस्तु की पूर्ति पर पर्याप्त नियन्त्रण रहता है। आधुनिक अर्थशास्त्र में अलग-अलग लेखकों ने एकाधिकार की अलग-अलग परिभाषाएँ की हैं। प्रमुख परिभाषायें इस प्रकार हैं :—

(१) लरनर (Lerner) : एक एकाधिकार कोई भी ऐसा विक्रेता है जिसकी उपज के लिए गिरती हुई माँग-रेखा हो। इस प्रकार, बेल्च विक्री-रेखा एकाधिकार की उपस्थिति का चिह्न है।”

(२) ट्रिफिन (Triffin) : जब एक विक्रेता की उपज अन्य सभी उपजों के बीच, जो बाजार में विक्री के लिए प्रस्तुत की जाती है, माँग की प्रतिशत प्रतिस्थापन लोच (Cross elasticity) का अंश शून्य के बराबर हो, तो इससे एकाधिकार की उपस्थिति का ज्ञान होता है। दूसरे शब्दों में, यदि किसी विक्रेता पर अपनी उपज के अतिरिक्त अन्य किसी भी उपज की कीमत के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वह एकाधिकारी होगा।

(३) चैम्बरलिन (Chamberlain) : पूर्ति पर विक्रेता का नियन्त्रण होना ही एक एकाधिकारिक बाजार-स्थिति के निर्माण के लिए पर्याप्त है।

(४) सुमनेर (Sumner) : शुद्ध एकाधिकार वह स्थिति है जिसमें माँग की लोच का अंश शून्य के बराबर हो जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में यह अंश अपरिमित होता है। [प्रो० चैम्बरलिन ने शुद्ध एकाधिकार (Pure Monopoly) तथा स्ट्रैफा (Straffa) ने पूर्ण एकाधिकार (Absolute Monopoly) का यह अर्थ लगाया है कि उसमें एक ही फर्म वस्तु की पूर्ति पर पूर्ण नियन्त्रण रखती है।]

(५) प्रोफेसर मेहता : एकाधिकारी वह है जिसका कीमत पर पूर्ण नियन्त्रण हो।

शायद एक सरल परिभाषा यह होगी कि एकाधिकार एक ऐसी दशा है जिसमें वस्तु के कोई निकट स्थानापन्न नहीं है, पूर्ति पर एक अकेली फर्म का नियन्त्रण है और एकाधिकारी क्षेत्र में अन्य फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रुकावटें हो। ऐसी दशा में पूर्ति को घटाने बढ़ाने से वस्तु की कीमत प्रभावित होगी। उदाहरणार्थ यदि एकाधिकारी पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में वस्तु बेचना चाहता है, तो उसे कीमत घटानी होगी। यही कारण है कि पूर्ण प्रतियोगिता के असमान एकाधिकार में माँग रेखा (अथवा अंशतः आगम रेखा A R) नीचे की गिरती हुई रेखा होती है। जैसा कि हमने एक पिछले अध्याय में बताया था, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता की अपनी कोई मूल्य नीति नहीं होती है, एकाधिकार में एक मात्र विक्रेता अपनी मूल्य नीति रखता है।

एकाधिकारी की मान्यताएँ

एकाधिकारी की आधारभूत मान्यता निम्नांकित हैं :—

(१) एकाधिकारी का उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना—एकाधिकार के अन्तर्गत वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है और इस कारण यहाँ फर्म और उद्योग दोनों का एक ही अर्थ होता है। अतः जब हम उद्योग के साम्य की बात करते हैं; तो हमारा अभिप्राय फर्म के साम्य से होता है। इस प्रकार जबकि एक फर्म साम्य की दशा में उस समय होती है जबकि वह अधिकतम लाभ बना रही है, इसलिए एकाधिकारी उद्योग के साम्य के लिए भी वही दशा है। एकाधिकारी चाहे तो अपनी उपज की कीमत को बढ़ा दे, परन्तु सम्भव है कि नये प्रतियोगी उत्पन्न हो जाने अथवा नये आदिवाहों के उपभोक्ताओं के विरोध अथवा सरकारी हस्तक्षेप के भय के कारण वह ऐसा न करे। अगले पृष्ठों में हम एकाधिकारी कीमत के विवेचन में उपरोक्त कारणों को कार्यहीन मान लेते और इस मान्यता के आधार पर आगे बढ़ते हैं कि एकाधिकारी का उद्देश्य अपने लाभों को अधिकतम करना मात्र है। यह हमारी पहली मान्यता होगी।

(२) एकाधिकारी की उपज के लिए निकट स्थानापन्न न होना—यह एकाधिकार की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और आदर्श दशा तो वह होगी जिसमें एकाधिकार की उपज का कोई स्थानापन्न होगा ही नहीं। वैसे विस्तृत रूप में तो यह मान्यता गलत प्रतीत होती है, क्योंकि एक प्रकार से तो सभी वस्तुएँ एक दूसरे की स्थानापन्न हैं, क्योंकि उनमें से प्रत्येक इस दशा में एक दूसरे से प्रतियोगिता करती है कि उपभोक्ता की आय का अधिक बड़ा भाग अपने ऊपर व्यय करा सके। यदि हम 'स्थानापन्न' का यह अर्थ लगाते हैं तब तो हम एक शुद्ध एकाधिकार की कल्पना केवल उस दशा कर सकते हैं जबकि हम यह मान लें कि उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक निश्चित भाग ही व्यय करता है, भले ही उस वस्तु अथवा अन्य वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन हो जाये। यदि बात ऐसी है, तो एकाधिकारी उपज की न्यूनतम मात्रा उत्पन्न करके ही अधिकतम लाभ बना सकेगा, अर्थात् उसे प्रत्येक उपभोक्ता के लिए वस्तु की एक-एक इकाई उत्पन्न करनी चाहिए ताकि वह प्रत्येक उपभोक्ता से उसकी आय का वह अधिकतम भाग प्राप्त कर सके, जिसे उपभोक्ता ने उस वस्तु पर व्यय के लिए नियत किया हुआ है। ऐसा एकाधिकार, यद्यपि सिद्धान्तिक दृष्टि से सम्भव है, वास्तविक जीवन में नहीं मिलेगा। इस कारण, हमारी मान्यता केवल यही रहेगी कि वस्तु का कोई 'निकट' स्थानापन्न (Close substitute) नहीं है। साथ ही साथ हम यह भी मानकर चलते हैं कि एकाधिकारी एक प्रमाणीकृत वस्तु (Standardised commodity) का उत्पादन करता है जिस कारण सभी इकाइयाँ एक जैसी ही रहती हैं।

(३) क्रेताओं की अधिक संख्या तथा उनमें प्रतियोगिता होना—एकाधिकार में उत्पादक या विक्रेता तो एक ही होता है जिससे विनय-प्रतियोगिता का प्रश्न ही नहीं उठता। किन्तु यह मान लिया जाता है कि क्रेताओं या उपभोक्ताओं में प्रतियोगिता होती है और उनकी संख्या बहुत अधिक होती है, जिस कारण कोई एक क्रेता निजी रूप से वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। एक क्रेता की दृष्टि से वस्तु की कीमत की हुई होती है।

(४) क्रेता या उपभोक्ता का विवेकपूर्ण होना—प्रत्येक क्रेता विवेकपूर्ण ढङ्ग से आचरण करता है। यह वस्तु को अपने अनुसूच्य-क्रम (Scale of preferences) के आधार पर मनी-दत्ता है, जिस कारण विभिन्न कीमतों पर उसके द्वारा माँगी जाने वाली मात्राओं का अनुमान लगाया जा सकता है, अर्थात् उसकी माँग-रेखा खींची जा सकती है और व्यक्तिगत माँग रेखाओं को जोड़कर कुल माँग को ज्ञात किया जा सकता है।

एकाधिकारी तथा पूर्ण प्रतियोगिता के बीच अन्तर

पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार दोनों में उद्देश्य एक ही होता है अर्थात् अधिकतम

लाभ प्राप्त करना। किन्तु पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार के बीच महत्वपूर्ण अन्तर है, जोकि इस प्रकार है :—

(१) कीमत पर प्रभाव—पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी एक विक्रेता वस्तु की कीमत पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं डाल सकता है, अर्थात् उसकी अपनी कोई मूल्य नीति नहीं होती है अर्थात् वह कीमत को एक दिये हुए तथ्य के रूप में स्वीकार कर लेता है और अपनी उपज की मात्रा में इस ही हुई कीमत के अनुसार समायोजन करता है। इसके विपरीत, एकाधिकार में फर्म और उद्योग में कोई अन्तर नहीं होता है और फर्म द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली उपज की मात्रा का प्रत्येक परिवर्तन कीमत को प्रभावित करने की प्रवृत्ति रखता है। अन्य शब्दों में एकाधिकारी की अपनी मूल्य नीति होती है। इस प्रकार प्रतियोगी विक्रेता तथा एकाधिकारी विक्रेता की स्थितियों में महत्वपूर्ण अन्तर है।

(२) सीमान्त प्रायम और कीमत का सम्बन्ध—प्रतियोगिता की दशा में किसी भी एक फर्म की उपज समस्त उद्योग की उपज का एक बट्टन छोटा-सा भाग होती है जिस कारण किसी एक फर्म की उपज की मात्राओं के परिवर्तन का कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और सीमान्त प्रायम कीमत के बराबर होती है, अर्थात् $MR = AR$ । किन्तु एकाधिकारी अपने उद्योग में एक मात्र उत्पादक होता है जिस कारण उसकी उपज की प्रत्येक वृद्धि कीमत को घटा देती है। इस कारण सीमान्त प्रायम कीमत से नीची होती है अर्थात् $MR < AR$ ।

(३) पूर्ण प्रतियोगिता की अपेक्षा एकाधिकार में कीमत ऊँची रहना किन्तु उपज नीची रहना—साधारणतया एकाधिकारी कीमत प्रतियोगी कीमत से ऊँची और एकाधिकारी उपज प्रतियोगी उपज से नीची होती है। इसका एकमात्र अपवाद शायद वह वस्तु होगी, जिसकी व्यवस्था तेजी के साथ नीचे की गिरती है और जिसकी माँग अधिक लोचदार है। ऐसी दशाओं में एकाधिकार के फलस्वरूप उत्पत्ति की वचने (Economies) इतनी विशाल होती है कि एकाधिकारी को नीची कीमतों पर बेचने से लाभ अधिक होता है।

(४) उरज की वृद्धि के साथ आय का सम्बन्ध—जबकि एक प्रतियोगी विक्रेता को आय उसकी उपज के अनुपात में बढ़ती जाती है, तब एकाधिकारी विक्रेता की आय उसकी उपज की मात्रा के बढ़ने पर निरन्तर घटती हुई दर पर बढ़ती है।


(५) माँग की लोच—जबकि एक प्रतियोगी विक्रेता को वस्तु के लिए माँग पूर्णतया लोचदार (Perfectly elastic) होती है, एकाधिकारी विक्रेता की वस्तु के लिए माँग कम या अधिक लोचदार (More or less elastic) तो हो सकती है, किन्तु पूर्णतया लोचदार नहीं। कीमत बढ़ाने की दशा में एक प्रतियोगी विक्रेता अपने सभी ग्राहकों को खो देता है परन्तु ही सकता है कि एकाधिकारी द्वारा कीमत को बढ़ाये जाने पर भी उसका कोई भी ग्राहक न घूटे (और वह अपने सारे ग्राहकों को तो ज़ायद कभी भी नहीं खोयेगा)। कारण एकाधिकारी के ग्राहकों को छीनने वाला दूसरा कोई है ही नहीं।

(६) औसत प्रायम रेखा का पूर्ण प्रतियोगिता में समानान्तर किन्तु एकाधिकार में ढालू होना—पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म की विक्री-रेखा अथवा माँग-रेखा पूर्णतया लोचदार होती है। पूर्ण प्रतियोगिता कोई भी व्यक्तिगत फर्म समस्त उद्योग का एक तुच्छ भाग होती है और उसकी उपज के परिवर्तनों का कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जिस कारण वह फर्म प्रचलित कीमतों पर वस्तु की अधिक अथवा कम मात्रा बेच सकती है। यही कारण है कि पूर्ण प्रतियोगिता में किसी भी व्यक्तिगत फर्म की औसत प्रायम रेखा एक ऐसी सरल रेखा होती है जो X-axis के समानान्तर हो। जहाँ तक एकाधिकारी का प्रश्न है, वह वस्तु का एकमात्र उत्पा-

दक होता है। उसकी उपज की मात्रा का प्रत्येक परिवर्तन कीमत में भी परिवर्तन कर देता है। इस कारण एकाधिकारी की श्रोसत आगम रेखा एक नीचे की ओर गिरती हुई रेखा होती है।

चित्र द्वारा स्पष्टीकरण—

ऊपर पूर्ण प्रतियोगी तथा एकाधिकारी दशाओं का जो अन्तर दिया गया है उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि उपज के प्रत्येक आकार के लिए पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में सीमान्त आगम तथा श्रोसत आगम (कीमत) दोनों बराबर होती हैं और दोनों को एक ही रेखा द्वारा दिखाया जाता है जो X-axis के समानान्तर है।



चित्र—पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार में सीमान्त आगम

किन्तु एकाधिकार के अन्तर्गत सीमान्त आगम श्रोसत आगम (अथवा कीमत) से बहुत नीची होती है। इस कारण एकाधिकार के अन्तर्गत सीमान्त आगम रेखा (MR) श्रोसत आगम रेखा (AR) से नीची रहती है।

एकाधिकार कैसे स्थापित होता है ?

एकाधिकार के स्थापित होने के कई कारण होते हैं और इन कारणों के आधार पर ही एकाधिकारों का वर्गीकरण किया जाता है, जोकि निम्नलिखित हैं :—

(१) कानूनी एकाधिकार—कुछ एकाधिकार कानून द्वारा स्थापित होते हैं, जैसे—आगरा शहर की विजली सप्लाई कम्पनी को कानूनी एकाधिकार प्राप्त है। उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार आगरा शहर में कोई दूसरी विजली कम्पनी नहीं खोली जा सकती है। कारण, यदि इस प्रकार की कई कम्पनियाँ हों, तो विजली के तारों और विजली के तम्बों का इतना जमघट हो जाय कि सड़कों और घरों की दशा विगड़ जायेगी। निम्नदेह आगरा विजली सप्लाई कम्पनी पर राज्य सरकार का नियन्त्रण है, किन्तु इस कम्पनी को एकाधिकारी अधिकार प्राप्त है और प्रतियोगिता केवल विजली के स्थानापन्नो (जैसे—मिट्टी का तेल, तेल शक्ति इत्यादि) द्वारा ही प्रसारित की जाती है। ठीक इसी प्रकार लोक उपयोगी सेवाओं (जैसे—रेल, डाक, मोटर-बस इत्यादि) में भी सरकार को एकाधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार के अधिकार पेटन्ट (Patents) के रूप में नये अधिकार-कर्ताओं को तथा प्रति-लिप्याधिकार (Copyright) के रूप में पुस्तक के लेखकों तथा प्रकाशकों को मिले हुए है।

(२) प्राकृतिक एकाधिकार—कुछ एकाधिकार प्राकृतिक कारणों से स्थापित होते हैं। इन्हें हम "नैसर्गिक एकाधिकार" (Natural Monopolies) भी कहते हैं। कुछ साधन

स्वभाव से ही ऐसे होते हैं कि बहुत कम मात्रा में पाये जाते हैं। कुछ एकाधिकारी प्राकृतिक उपज के कुछ विशेष अङ्गों पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। अमेरिका में कार्ल्सबाड (Carlsbad) कम्पनी का खनिज जल (Mineral Water) के सभी साधनों पर अधिकार है, इसी प्रकार, दक्षिणी अफ्रीका का हीरे और सोने की खानों पर एकाधिकार है। एक प्रसिद्ध अभिनेता या गायक के पास अपनी व्यक्तिगत सेवाओं का पूर्ण एकाधिकार होता है।

(३) व्यवसाय का स्वभाव—कुछ व्यवसाय स्वभाव से ही इस प्रकार के होते हैं कि उनमें आरम्भ में ही बहुत पूँजी लगानी पड़ती है और जैसे-जैसे उत्पात्ति का पैमाना बढ़ता जाता है, प्रोसत लागत घटती जाती है। ऐसी दशा में एक तो व्यवसाय को अपनाते वालों की संख्या ही सीमित होती है और दूसरे नये व्यवसायी आरम्भ में सारी हानियाँ उठाने के डर से व्यवसाय में नहीं आते। यदि किसी वस्तु की कुल माँग बहुत कम है, जोकि वर्तमान फर्म या फर्मों द्वारा आसानी से पूरी की जा सकती है, तो नये उत्पादक इस व्यवसाय में आते हुए डरेंगे, क्योंकि अच्छा लाभ उठाने की आशाएँ कम होंगी, अतः वर्तमान फर्मों को एकाधिकार प्राप्त हो जायगा।

(४) औद्योगिक सङ्घ—बहुत बार एकाधिकारी लाभ (Monopoly Profits) उठाने के प्रलोभन से भी एकाधिकार स्थापित किये जाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण औद्योगिक सङ्घों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रतियोगिता को नष्ट करके अत्यधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उत्पादक अथवा विक्रेता अपने साथ बना लेते हैं। प्रतियोगी गुटबन्दी करके उपभोक्ताओं का बहुधा शोषण किया करते हैं।

एकाधिकार के उद्देश्य

ऊपर की विवेचना के पश्चात् यह समझ लेना कठिन न होगा कि एकाधिकार की स्थापना किस उद्देश्य से की जाती है। प्रत्येक उत्पादक तथा विक्रेता अपने लाभ को अधिकतम बनाने का प्रयत्न करता है और यह स्वाभाविक ही है। प्रतियोगिता की दशा में ग्राहकों से मनमाने दाम नहीं वसूल किये जा सकते, क्योंकि ऊँचे दाम रखने पर बिक्री नहीं होगी। हम देख चुके हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में प्रोसत व्यय प्रोसत भागम के बराबर होता है और वीमत सीमान्त उत्पादन व्यय के बराबर होती है, जिसका अर्थ यह होता है कि सामान्य लाभ (जो कि उत्पादन व्यय में सम्मिलित होता है) को छोड़कर और कुछ भी लाभ नहीं होता। एकाधिकार की स्थापना सामान्य लाभ से कुछ अधिक लाभ कमाने की इच्छा से की जाती है। एकाधिकारी अपनी वीमत को प्रोसत तथा सीमान्त व्यय से ऊपर रखने का प्रयत्न करता है। मूल्य और व्यय का अन्तर जितना ही अधिक समय तक रखा जा सकता है, उतना ही कुल लाभ अधिक होगा। एकाधिकारी वस्तु की वीमत अथवा पूर्ति की मात्रा को अपनी इच्छा से अनुसार इस प्रकार निश्चित करने का प्रयत्न करता है कि उसका कुल लाभ अधिकतम हो जाय। इस सम्बन्ध में मार्शल ने कहा है, "एकाधिकारी का प्रमुख उद्देश्य माँग और पूर्ति के बीच इस प्रकार का समायोजन करना नहीं है कि उस वीमत द्वारा, जिस पर वह वस्तु को बेचता है, उसका उत्पादन व्यय पूरा हो जाय, बल्कि इस प्रकार का समायोजन करना होता है कि उसे अधिक से अधिक शुद्ध भागम प्राप्त हो।"¹

¹ The *Prima facie* interest of owner of a monopoly is clearly to adjust the supply to the demand not in such a way that the price at which he can sell his commodity can just cover its expenses of production but in such a way as to afford him the greatest possible Net Revenue.—Marshall.

एकाधिकार में मूल्य का निर्धारण

एकाधिकार में मूल्य किस प्रकार निर्धारित होते हैं, इसका स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित विशेष बातों पर ध्यान देना आवश्यक है :—

(१) एकाधिकारी का अधिकार केवल मूल्य पर होता है या पूर्ति पर—

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, एकाधिकारी अधिकतम कुल लाभ प्राप्त करना चाहता है, अतः एकाधिकार का मूल्य ऐसा होना चाहिए कि एकाधिकारी का यह उद्देश्य पूरा हो सके। यह तो स्पष्ट है कि एकाधिकारी का मूल्य और पूर्ति दोनों पर एक साथ अधिकार नहीं होता। वह या तो मूल्य को निश्चित कर सकता है (जिम दशा में उस मूल्य पर होने वाली मांग के अनुसार पूर्ति की मात्रा निश्चित हो जायगी) या पूर्ति को निश्चित कर सकता है (जिम दशा में मांग की शक्ति के अनुसार मूल्य का निर्धारण हो जायगा)। चूंकि मांग तथा मांग की लोच पर एकाधिकारी नियन्त्रण नहीं रख सकता, इसलिए मूल्य या पूर्ति में से किसी एक को निश्चित कर देने के बाद दूसरी पर उसका कोई अधिकार नहीं रह सकता।

(२) मूल्य निर्धारित करना एकाधिकारी के लिए अधिक हितकर—

मूल्य और पूर्ति में से मूल्य का निश्चित करना एकाधिकारी के लिए अधिक हितकर होता है, क्योंकि पूर्ति की मात्रा निश्चित करने की दशा में दो भय सदा बने रहते हैं :—(i) एक यह निश्चित नहीं रहता है कि मांग की परिस्थितियों के बदल जाने की दशा में कुल पूर्ति की खपन हो सकेगी या नहीं। (ii) मांग की लोच के दबल जाने के कारण यह सम्भव हो सकता है कि दाम इतन नीचे गिर जायें कि उत्पादन व्यय भी बसू न हो। इस प्रकार, इस दशा में अधिकतम लाभ प्राप्त करना निश्चित नहीं होता। अतः एकाधिकारी बहुधा कीमन को ही निश्चित करता है और फिर उस कीमन पर होने वाली मांग को देखकर वह उत्पत्ति करता है।

(३) सबसे उपयुक्त मूल्य अधिकतम लाभ देने वाला—

अब प्रश्न यह उत्पन्न है कि एकाधिकारी मूल्य को किस प्रकार निश्चित करता है। एकाधिकारी की दृष्टि से ऐसा मूल्य उपयुक्त होगा, जिम पर उसका कुल लाभ अधिकतम हो जाय। कुल लाभ में हमारा अभिप्राय कुल इकाइयों को खर प्राप्ति होने वाले लाभ में होगा है। [उत्पत्ति की एक इकाई पर होने वाले लाभ को अगर हम उत्पत्ति की इकाइयों की मात्रा से गुणा कर दें, तो कुल लाभ ज्ञान हो जायगा।]

(४) बहुत ऊँचे तथा बहुत नीचे दाम लाभदायक नहीं—

इसका अर्थ यह होता है कि ऊँचे दाम निश्चित कर देना ही मदा एकाधिकारी के लिये लाभदायक नहीं होता, क्योंकि ऊँचे दामों पर प्रति इकाई लाभ तो अधिक होता है, परन्तु यह सम्भव है कि ऐसे दामों पर मांग इतनी कम हो कि बहुत ही थोड़ी बिक्री हो सके। ऐसी दशा में प्रति इकाई लाभ के ऊँचे होने हुए भी कुल लाभ का अभाव होता आवश्यक नहीं है। ठीक इसी प्रकार, दामों को बहुत नीचे रखने पर प्रति इकाई लाभ इतना कम हो सकता है कि कुल लाभ भी कम रहे। अतः बहुत ऊँची अथवा बहुत नीची कीमन मदा लाभदायक नहीं होती है।

(५) मांग की लोच पर ध्यान देना जरूरी—

एकाधिकारी का वस्तु विशेष की मांग की लोच का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना पटना है। जिन वस्तुओं की मांग प्रायः बलाच होती है, उनके लिये ऊँचे दाम निश्चित करना एकाधिकारी के लिये हितकर होता है, क्योंकि दामों के ऊँचा हो जाने पर भी ऐसी वस्तुओं की मांग में बहुत कमी नहीं आती। इसके विपरीत, जिन वस्तुओं की मांग की लोच अधिक होती है, उनके दामों में थोड़ी कमी हो जाने से मांग बहुत बढ़ जाती है। ऐसी वस्तुओं के दाम कम करने में

प्रति इकाई लाभ तो अवश्य घट जाता है, परन्तु बिक्री इतनी होती है कि कुल लाभ की मात्रा अधिक हो जाती है। इस प्रकार, मूल्य के निश्चित करते समय एकाधिकारी के लिए माँग की लोच को ध्यानपूर्वक देखना बहुत आवश्यक होता है। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, माँग की लोच पर एकाधिकारी का लेश-मात्र भी अधिकार नहीं होता और इसी कारण उसे अधिक लाभ कमाने के लिये माँग की लोच के अनुसार कार्य करना पड़ता है।

(६) मूल्य निर्धारण की समस्या—पूति का माँग से समायोजन करना

अभी हमने यह देखा कि माँग पर एकाधिकारी का अधिकार नहीं होता, किन्तु पूति पर उसका पूर्ण अधिकार होता है और एकाधिकारी अधिकतम कुल लाभ प्राप्त करना चाहता है। अतः एकाधिकारी से मूल्य निर्धारण की समस्या इस प्रकार है कि वह पूति का, जिस पर उसका पूर्ण अधिकार है, माँग से, जिस पर उसका बिल्कुल अधिकार नहीं है, इस प्रकार समायोजन कर दे कि कुल लाभ अधिकतम हो जाय।

(७) सीमान्त आगम सीमान्त व्यय के बराबर होनी चाहिए—

किस कीमत पर लाभ अधिकतम होगा, यह जानने के लिए हमें सीमान्त आगम तथा सीमान्त व्यय के व्यवहार को देखना पड़ता है। जैसा कि एक पिछले अध्याय में बताया जा चुका है, सीमान्त आगम से हमारा अभिप्राय एक अधिक इकाई को बेचने से प्राप्त होने वाली आय से है। दूसरे शब्दों में, यह बिक्री की अन्तिम इकाई से मिलने वाली आय के बराबर होती है। इसी प्रकार, सीमान्त व्यय उत्पात्ति की अन्तिम इकाई का उत्पादन व्यय होती है। जब तक सीमान्त आगम सीमान्त व्यय से अधिक होती है, तब तक उत्पात्ति की अन्तिम इकाई पर लाभ होता है और एक अधिक इकाई को उपजा कर तथा बेचकर एकाधिकारी अपने कुल लाभ में वृद्धि कर सकता है।

परन्तु ध्यान रहे कि सीमान्त आगम की प्रवृत्ति बराबर घटते रहने की होती है, क्योंकि अधिक इकाइयाँ नीचे दामों पर ही बेची जा सकती हैं। इसके विपरीत, सीमान्त उत्पादन व्यय की दीर्घकालीन प्रवृत्ति बढ़ने की ओर होती है, क्योंकि दीर्घकाल में उत्पात्ति पर ह्रास नियम लागू होता है। फलतः प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली आय तथा उस पर किये हुये व्यय का अन्तर कम होता जाता है और अन्त में यह अन्तर शून्य के बराबर हो सकता है, अर्थात् सीमान्त आगम तथा सीमान्त व्यय बराबर हो जाते हैं। वह बात विशेष रूप से विचारणीय है कि जब तक सीमान्त आगम सीमान्त व्यय से थोड़ी भी अधिक रहती है, तब तक इकाई विशेष की बिक्री करने से कुल लाभ में वृद्धि की जा सकती है, इसलिये अधिक उत्पात्ति करना ही एकाधिकारी के हित में होता है। किन्तु जब सीमान्त आगम सीमान्त व्यय के बराबर हो जाती है, तो कुल लाभ में वृद्धि करने की सम्भावना समाप्त हो जाती है। यही पर कुल एकाधिकारी लाभ अधिकतम होता है, अतः एकाधिकारी मूल्य को इस प्रकार निश्चित करता है कि सीमान्त आगम सीमान्त व्यय के बराबर हो जाय।

यह समझने में बढिनाई न होगी कि इससे नीचे कीमत निश्चित करना एकाधिकारी के लिए हितकर न होगा, क्योंकि उस दशा में सीमान्त आगम सीमान्त उत्पादन व्यय से कम होगी और अन्तिम इकाई पर लाभ के स्थान पर हानि होगी। चूँकि इस इकाई से कुल लाभ बढ़ने के स्थान पर घटेगा, इसलिये दीर्घकाल में इस इकाई का उत्पादन बन्द करना ही लाभदायक होगा। इस प्रकार अल्पकाल में तो सीमान्त आगम सीमान्त व्यय से कम या अधिक हो सकती है, परन्तु दीर्घकालीन एकाधिकारी मूल्य इसी प्रकार निश्चित होगा कि सीमान्त आगम सीमान्त व्यय के बराबर हो, क्योंकि यदि सीमान्त आगम सीमान्त उत्पादन व्यय से अधिक है तो

और अधिक उत्पत्ति करके कुल लाभ में वृद्धि की जा सकती है। नाइट के शब्दों में, "अपने एकाधिकारी लाभ को अधिकतम करने के लिये एकाधिकारी को अपनी उपज और विप्री शून्य इकाई से ऊपर उस समय तक बढ़ाते रहना चाहिए जब तक कि एक और इकाई को बेचने से कुल आगम में होने वाली वृद्धि कुल लागत में होने वाली उस वृद्धि के बराबर न हो जाय जो एक और इकाई का उत्पादन करने से होती है।"¹

तालिका द्वारा स्पष्टीकरण—

निम्न तालिका में भी इसी तथ्य को दिखाया गया है :—

तालिका १
आगम

मूल्य (रुपयों में)	कुल माँग	कुल आगम (रुपयों में)	सीमान्त आगम (रुपयों में)
१३	१००	१,३००	१,३००
१२	२००	२,४००	१,१००
११	३००	३,३००	९००
१०	४००	४,०००	७००
९	५००	४,५००	५००
८	६००	४,८००	३००
७	७००	४,९००	१००
६	८००	४,८००	—१००

तालिका २
उत्पादन व्यय

मूल्य (रुपयों में)	कुल माँग	कुल व्यय (रुपयों में)	सीमान्त व्यय (रुपयों में)
१	१००	१००	१००
२	२००	४००	३००
३	३००	९००	५००
४	४००	१,६००	७००
५	५००	२,५००	९००
६	६००	३,६००	१००
७	७००	४,९००	१,३००
८	८००	६,४००	१,५००


इन तालिकाओं को देखने से पता चलता है कि जब ४०० इकाइयाँ उत्पन्न की जाती हैं, तो सीमान्त आगम सीमान्त उत्पादन व्यय के बराबर होती है। ऐसी दशा में माँग का मूल्य १० रुपया प्रति इकाई होता है, अतः यही कीमत एकाधिकारी के लिए सर्वाधिक लाभदायक

1 "The Monopoly should keep increasing his output and sales beyond zero units, until, the addition to total revenue caused by adding one unit just equals the addition to the total cost caused by adding this unit."—R W Knight : *Economic Principles in Practice*, p 173.

होगी। इस दशा में कुल आगम ४,००० रु० होती है, जबकि कुल व्यय १,६०० रु० होता है। इस प्रकार कुल लाभ ४,००० - १,६०० = २,४०० रुपया होता है। यही अधिकतम लाभ है। १० रुपये से कम या अधिक दाम निश्चित करने से कुल लाभ कम हो जाता है। उदाहरणस्वरूप, यदि दाम ६ रुपया प्रति इकाई रखा जाय, तो कुल आगम ४,५०० रुपया होती है और कुल व्यय २,५०० रु०, जिसके कारण कुल लाभ २,००० रु० का होता है। १२ रुपया प्रति इकाई मूल्य होने पर कुल लाभ २,५०० - ४०० = २,१०० रुपये होगा। इस प्रकार १० रुपया प्रति इकाई मूल्य ही अनुबलतम मूल्य है। निम्न चित्र इसे दिखाता है।


चित्रों द्वारा स्पष्टीकरण—

निम्न चित्र में प म कीमत पर लाभ अधिकतम होगा, क्योंकि जब अ म के बराबर पूर्ति होती है, तो सीमान्त आगम और सीमान्त व्यय बराबर होते हैं। ऐसी दशा में होने वाले लाभ की मात्रा अगले चित्र में दिखाई गई है।



चित्र—एकाधिकार में मूल्य निर्धारण

निम्न चित्र में प फ असत आगम तथा असत व्यय का अन्तर है और इसे प फ से गुणा करके प फ ब भ के बराबर लाभ होता है, जो अधिकतम है।



चित्र—एकाधिकारी लाभ

एकाधिकारी मूल्य पर उत्पत्ति के नियमों और माँग की लोच का प्रभाव

उत्पत्ति पर तीन प्रकार के नियम लागू होते हैं—या तो सीमान्त उत्पादन व्यय क्रमशः घटता चला जाता है या यथास्थिर रहता है और या बढ़ता चला जाता है। पहली दशा में वृद्धि, दूसरी में स्थिरता तथा तीसरी दशा में ह्रास नियम कार्यशील होता है। स्मरण रहे कि वृद्धि तथा स्थिरता नियमों की प्रवृत्ति केवल अल्पकालीन होती है और दीर्घकाल में केवल ह्रास नियम ही दृष्टिगोचर होता है। एकाधिकारी को दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है—प्रथम, तो यह है कि उसके सीमान्त उत्पादन-व्यय का क्या व्यवहार है, अर्थात् कीम-मा उत्पत्ति का नियम लागू हो रहा है और दूसरे, वस्तु विशेष की माँग की लोच को, अर्थात् यह देखना पड़ता है कि माँग की लोच कितनी है ?

(१) यदि उत्पत्ति वृद्धि नियम कार्यशील है, अर्थात् सीमान्त उत्पादन व्यय घटना जाता है, तो उस दशा में बड़ी मात्रा में उत्पत्ति करके नीचे दामों पर बेचना एकाधिकारी के लिए लाभदायक होगा, विशेषकर जबकि वस्तु विशेष की माँग भी अधिक लोचदार है।

(२) यदि उत्पत्ति स्थिरता नियम कार्यशील है, तो उम दशा में कम या अधिक उत्पत्ति करने का फ़ैमला पूर्णतया माँग की लोच पर निर्भर होगा, क्योंकि एक और इकाई उत्पन्न करने से भी पहली इकाई के बराबर लागत पड़ती है। यदि माँग बहुत ही लोचदार है, तो अधिक से अधिक उत्पत्ति करके सस्ते दामों पर बेचने से अधिक लाभ होता है। यदि माँग वेलोच है, तो दामों के घटाने से भी विश्वी में कोई विशेष वृद्धि न होगी और दामों का ऊँचा रखना ही अधिक लाभदायक होगा।

(३) यदि क्रमगत उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, तो उत्पत्ति को सीमित रखना ही लाभदायक होता है। यदि माँग बहुत ही वेलोच है, तो कीमत पर्याप्त ऊपर चली जायगी। किन्तु अधिक लोचदार माँग की दशा में, दामों को थोड़ा नीचे ही रखना अच्छा होगा।

एकाधिकार में अल्पकालीन मूल्य का निर्धारण


एकाधिकार के अल्पकालीन साम्य की समस्या पूर्ण प्रतियोगिता के ही सदृश्य होती है। अल्पकाल में एकाधिकारी अपने प्लाण्ट के आकार को नहीं बदल सकता है। यदि एकाधिकारी उपज की माँग बढ़ती है (जिस कारण उसकी कीमत भी बढ़ती है) तो एकाधिकारी कुछ अथवा तब उपज की मात्रा में वृद्धि कर सकता है, परन्तु प्लाण्ट की क्षमता से अधिक नहीं। ऐसी दशा में एकाधिकारी बहुत ऊँचे लाभ कमा रहा होगा।

इसके विपरीत, यदि वस्तु विशेष की माँग घटती है (जिस कारण उसकी कीमत भी घट जाती है), तो अपने प्लाण्ट की उत्पादन क्षमता के एक भाग को बेकार रखकर एकाधिकारी उत्पादन को घटा सकता है। ऐसी दशा में लाभ बहुत नीचे गिर सकते हैं। यह भी सम्भव है कि उसे लाभ के स्थान पर हानि होने लगे। परन्तु वह उम समय तक अपने उत्पादन को जारी रखेगा जब तक उसे कम से कम न्यूनतम औसत परिवर्तनशील व्यय प्राप्त होते रहें। यदि कीमत इतनी नीची हो जाती है कि न्यूनतम औसत परिवर्तनशील व्यय भी व्युत्पन्न नहीं होता, तो एकाधिकारी उत्पादन को बन्द कर देगा। इस प्रकार, एकाधिकारी जो अधिकतम हानि उठा सकता है वह इतनी ही हो सकती है कि एकाधिकारी स्थिर व्यय का कोई भी भाग बसूल न कर सके। परन्तु एकाधिकार के अन्तर्गत पूर्ण साम्य इस अर्थ में शायद ही कभी स्थापित होगा कि एकाधिकारी अपने प्लाण्ट की उत्पादन क्षमता के उपयोग को न बढ़ाये और न घटाये।

एकाधिकार के अन्तर्गत मूल्य

चित्र द्वारा स्पष्टीकरण—

मिन्न चित्र में अल्पकालीन एकाधिकारी कीमत और उपज का निर्धारण दिखाया गया है। इस चित्र में ल सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु है। साम्य ल बिन्दु के ही सन्दर्भ में प्राप्त होता है, क्योंकि इस बिन्दु पर सीमान्त आगम तथा सीमान्त व्यय की रेखाएँ एक दूसरी को काटती हैं। म ल रेखा को ऊपर की ओर बढ़ाया गया है, जिसे कि वह औसत आगम की रेखा को प बिन्दु पर काटती है। तब कीमत प म होगी और इस कीमत से सम्बन्धित उपज अ म होगी। अ म उपज से सम्बन्धित औसत कुल व्यय र म है और ल म सीमान्त व्यय है। औसत परिवर्तनशील व्यय भी ल म है, जो न्यूनतम औसत परिवर्तनशील व्यय है। औसत लाभ प्रति इकाई प र है, जो अ म उपज से सम्बन्धित औसत आगम तथा औसत कुल व्यय का अन्तर है। कुल लाभ प र य व के बराबर है।



चित्र—अल्पकाल में एकाधिकारी मूल्य

चित्र—अल्पकाल में एकाधिकारी मूल्य और उपज का निर्धारण। औसत परिवर्तनशील व्यय भी ल म है, जो न्यूनतम औसत परिवर्तनशील व्यय है। औसत लाभ प्रति इकाई प र है, जो अ म उपज से सम्बन्धित औसत आगम तथा औसत कुल व्यय का अन्तर है। कुल लाभ प र य व के बराबर है।

यह स्पष्ट है कि इस दशा में एकाधिकारी के लिए प म ही सबसे उपयुक्त कीमत है। इस कीमत पर एकाधिकारी औसत परिवर्तनशील व्यय का न्यूनतम प्राप्त कर लेता है और दी हुई दशाओं में उसका कुल लाभ भी अधिकतम होता है। यह दिखाया जा सकता है कि प म से ऊँची प्रथवा नीची कीमत एकाधिकारी के कुल लाभ को घटा देती है।

ऊपर के विवेचन में अल्पकालीन एकाधिकारी की अधिक सम्भावित दशा दिखाई गई है। किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि अल्पकाल में एकाधिकारी सामान्य से अधिक लाभ प्राप्त करे। अल्पकाल में तो यह भी सम्भावना रहती है कि एकाधिकारी को लाभ के स्थान पर उल्टी हानि हो। यह सम्भव है कि अल्पकालीन एकाधिकारी कीमत कुल औसत व्यय से नीची हो, जिस दशा में हानि होगी। आवश्यक केवल इतना है कि कीमत न्यूनतम औसत परिवर्तनशील व्यय से कम नहीं होनी चाहिए अन्यथा एकाधिकारी उत्पादन को बन्द कर देगा।

एकाधिकार में दीर्घकालीन मूल्य का निर्धारण

दीर्घकाल में एकाधिकारी माँग में एक दीर्घकालीन परिवर्तन के प्रत्युत्तर में अपने प्लाण्ट के प्रकार को बदल सकता है। यह विशेषता एक प्रतियोगी फर्म के साथ भी होती है। किन्तु एकाधिकार को विशुद्ध प्रतियोगिता से मिनन बनाने वाली बात यह है कि चूँकि एकाधिकार में नई फर्मों के प्रवेश की सम्भावना नहीं है इसलिए दीर्घकाल में भी अतिरिक्त लाभ सम्भव होते हैं।

दूसरे, दीर्घकाल तक प्रतियोगी फर्म को अनुकूलतम प्लाण्ट बनाना और अनुकूलतम दर से चलाना पड़ता है, क्योंकि ऐसी दशा में ही उसके अतिरिक्त लाभ समाप्त हो सकते हैं तथा दीर्घकालीन साम्य स्थापित हो सकता है। किन्तु एकाधिकारी अनुकूलतम से अधिक या कम आकार वाला प्लाण्ट बना और अनुकूलतम दर से अधिक या कम पर चला सकता है।

मूल्य विभेद अथवा विवेचनात्मक एकाधिकार

(Price Discrimination or Discriminating Monopoly)

मूल्य विभेद से आशय—

यह तो हमने देख ही लिया कि वस्तु की प्रति पर एकाधिकारी का पूर्ण अधिकार

होता है। इस कारण एकाधिकारी के लिए सभी ग्राहकों तथा सभी बाजारों से एक ही मूल्य लेना आवश्यक नहीं है। बहुत बड़े अलग-अलग ग्राहकों से अथवा अलग-अलग बाजारों से अलग-अलग मूल्य दमन करता है। जब कोई एकाधिकारी एक ही वस्तु के कई मूल्य रखता है, तो इस दशा में "मूल्य विभेद" (Price Discrimination) होता है, और इस प्रकार के एकाधिकार को "विवेचनात्मक" या "भेद-पूर्ण एकाधिकार" कहते हैं। मूल्य-विभेद का अच्छा उदाहरण रेलवे में मिलता है, जहाँ अलग-अलग श्रेणियों के मुसाफिरों तथा अलग-प्रकार के मान पर विभिन्न विगये वमूल किये जाते हैं। ठीक यही बात व्यक्तिगत सेवाओं के विषय में भी सत्य होती है। एक डाक्टर अथवा वकील एक से ही काम के लिए अपने गरीब और अमीर ग्राहकों से अलग-अलग फीस ले सकता है।

मूल्य-विभेद के रूप—

मूल्य-विभेद कई प्रकार का हो सकता है, परन्तु इसके निम्नलिखित रूप विशेष उल्लेखनीय हैं —

(१) **व्यक्तिगत भेद-भाव (Personal Discrimination)**—इस प्रकार के भेद-भाव के अन्तर्गत विभिन्न वर्तमानों के लिए अलग-प्रकार मूल्य रखे जा सकते हैं। ऐसी दशा में ग्राहकों की मांग की तीव्रता के अनुसार कम या अधिक कीमत ली जाती है। जो ग्राहक खरीदने के लिए अधिक उत्सुक होते हैं, वे ऊँचे दाम देते हैं। किन्तु जिनकी आवश्यकता की तीव्रता कम होती है उन्हें कम दामों पर बेचा जाता है। बहुत से विक्रेता अमीर तथा फंशनेबुल ग्राहकों से एक ही वस्तु के गरीबों की अपेक्षा ऊँचे दाम लेते हैं। परन्तु इस प्रकार के भेद-भाव में दो कठिनाइयाँ होती हैं — (i) किसी ग्राहक विशेष की आवश्यकता की तीव्रता का अनुमान लगाना कठिन होता है और (ii) ऐसे भेद-पूर्ण व्यवहार से ग्राहकों में असन्तोष फैलता है। डाक्टर लोग इस प्रकार का भेद-भाव बहुत किया करते हैं।

(२) **स्थानीय भेद-भाव (Local Discrimination)**—इस प्रकार के भेद-भाव में अलग-अलग स्थानों के ग्राहकों से विभिन्न मूल्य लिये जाते हैं। ऐसे भेद-भाव का सबसे अच्छा उदाहरण राशि-पानन (Dumping) में मिलता है, जिसमें एक विदेशी एकाधिकारी अपने देश में मान महंगा देखा है और विदेशी बाजार में प्रतिद्वन्द्वियों की ममापन करने के लिये उसे बहुत कम दाम पर बेचा करता है।

(३) **व्यावसायिक भेद-भाव**—इसमें विभिन्न व्यवसायों अथवा उपयोगों से अलग-अलग मूल्य लिया जाता है।

बीगू का वर्गीकरण—बीगू ने विवेचनात्मक एकाधिकार का तीन अंशों में भेद किया है। उनका वर्गीकरण एकाधिकारी की विवेचनात्मक शक्ति (Discriminating Power) के अनुसार है। पहले अंश में, वस्तु की अलग-अलग इकाइयों के दाम इस प्रकार अलग-अलग रखे जाते हैं कि प्रत्येक इकाई का मूल्य उसकी मांग के मूल्य के बराबर होता है। इस प्रकार उपभोक्ता के पास कुछ भी उपभोक्ता की वचन नहीं मिलती। दूसरे अंश में, एकाधिकारी ग्राहकों को कई वर्गों अथवा श्रेणियों में इस प्रकार बाँटता है कि एक निश्चित मांग के मूल्य से अधिक दाम देने के लिये प्रस्तुत होने वाले सभी ग्राहकों से एक दाम लिये जाते हैं और इसी प्रकार इस मांग के मूल्य तथा दूसरी कम मांग के मूल्य के बीच बाल ग्राहकों से दूसरे दाम। उदाहरणस्वरूप, (१५) प्रति इकाई की मांग के मूल्य से अधिक दाम देने को तैयार होने वाले सभी ग्राहकों से (१५) प्रति इकाई के दाम लिये जायेंगे, और (१५) से अधिक किन्तु (१५) से कम दाम वाले ग्राहकों से (१५)। तीसरे अंश में, एकाधिकारी अपने ग्राहकों की बहुत-सी श्रेणियाँ बनाता है और प्रत्येक

श्रेणी के हर एक सदस्य से एक से दाम वसूल करता है।¹ पीगू का विचार है कि पहले दो प्रकार के मूल्य-विभेद का केवल सैद्धान्तिक महत्त्व है, परन्तु तीसरे प्रकार का भेद-भाव व्यावहारिक जीवन में भी मिलता है।

मूल्य-विभेद कब सम्भव होता है ?

एकाधिकारी के लिये हर दशा में यह सम्भव नहीं होता कि वह मूल्य-भेद कर सके। यदि एक ग्राहक को माल कम दामों पर बेचा जाय, तो यह सम्भव है कि वह थोड़े से लाभ पर उसे अन्य ग्राहकों को बेच दे और इस प्रकार, एकाधिकारी का प्रतिद्वन्द्वी बनकर उसकी मूल्य-विभेद की नीति को असफल कर दे। यही नहीं, यदि दो व्यक्तियों या वर्गों की आवश्यकता की तीव्रता समान है, तो भी उनसे अलग-अलग दाम नहीं लिये जा सकते हैं। वास्तव में मूल्य-विभेद के सफल होने के लिए निम्नलिखित दो बातें आवश्यक हैं :—

(१) सम्पर्क का अभाव—जिन दो व्यक्तियों अथवा वाजारों के बीच भेदभाव रखा जाता है, उनमें परस्पर सम्पर्क नहीं होना चाहिए। अभिप्राय यह है कि एक दूसरे को माल हस्तांतरित करना असम्भव होना चाहिए, या तो कुछ ऐसे कारण हों जिनसे वस्तु को दोबारा विनिमय सम्भव ही न हो, या फिर दोबारा विनिमय न करने का (अर्थात् दूसरे वाजार में भेजने का) कोई समझौता होना चाहिए। उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत सेवाओं का दोबारा विनिमय सम्भव नहीं है, अतएव डाक्टर अथवा वकील मूल्य-विभेद में सफल हो जाता है। भारतवर्ष में रेल द्वारा कोयला ले जाने का भाड़ा कम है और गेहूँ ले जाने का अधिक, किन्तु भाड़े के समझौते के कारण गेहूँ का व्यापारी कोयला नहीं ले जाया, इसलिए रेलवे की विवेचनात्मक नीति सफल हो जाती है।

(२) माँग की लोच में अन्तर—जिन व्यक्तियों, वर्गों अथवा वाजारों के बीच भेद किया जाता है, उनकी माँग की लोच में अन्तर होना चाहिए। यदि माँग की लोच बराबर है, तो मूल्य भी बराबर ही रहेगा। यदि एक वर्ग अथवा वाजार में धनी लोग रहते हैं और दूसरे में गरीब, तो धनी लोगों से गरीबों की अपेक्षा अधिक दाम वसूल कर लेना बहुधा सम्भव होता है। एक डाक्टर यदि गरीब से फीस कम लेता है और अमीर से अधिक, तो फीस के लालच में प्रथम तो अमीर गरीब नहीं बन सक्ता और दूसरे, क्योंकि डाक्टर मरीज को स्वयं देखता है, इसलिए उसकी आर्थिक दशा को जान लेता है।

पीगू के विचार में मूल्य-विभेद के सफल होने के लिए यह आवश्यक है कि किसी एक इकाई का माँग मूल्य (Demand Price) अन्य सभी वस्तुओं के विक्री मूल्य (Sale Price) के प्रभाव से स्वतन्त्र हो, अर्थात्, एक इकाई दूसरी इकाई का स्थान ग्रहण न कर सके।²

भेद-पूर्ण एकाधिकार में मूल्य निर्धारण—


भेद-पूर्ण एकाधिकार साधारण एकाधिकार की ही एक दशा है। सच पूछिये तो कुल एकाधिकारी लाभ को अधिकतम करने में विवेचनात्मक एकाधिकारी ही अधिक सफल हो सकता है। मूल्य का जो सिद्धान्त साधारण एकाधिकार पर लागू होता है, वही भेद-पूर्ण एकाधिकार पर भी लागू होता है। अन्तर केवल इतना है कि विवेचनात्मक एकाधिकार में माँग-रेखाएँ दो एक से अधिक होती हैं, किन्तु व्यय रेखा केवल एक। जितने वाजारों अथवा वर्गों के बीच भेद किया जाता है उतनी ही माँग बक्र और उतने ही मूल्य भी होंगे। साधारणतया अधिकतम लाभ तो तभी प्राप्त होगा, जबकि कुल सीमान्त प्राग्म (अर्थात् कुल विक्री की अन्तिम इकाई से प्राप्त होने वाली प्राग्म) कुल सीमान्त उत्पादन व्यय के बराबर हो, परन्तु इसके साथ ही साथ एकाधिकारी

¹ A. C. Pigou : *Economics of Welfare*, pp. 278-79, 4th edition.

² A. C. Pigou : *Economics of Welfare*, p. 273.

प्रत्येक बाजार अथवा वर्ग से सम्बन्धित सीमान्त आगम को भी सीमान्त उत्पादन व्यय के बराबर रखेगा ।

निम्न रेखा-चित्र में दो बाजारों १ और २ में भेद-पूर्ण एकाधिकारी के व्यवहार को दिखाया गया है :—



चित्र—भेद-पूर्ण एकाधिकार में मूल्य

इस चित्र में बाजार १ और बाजार २ की अलग-अलग आगम-रेखाएँ (Revenue curves) दिखाई गई हैं और साथ में दोनों बाजारों की समुक्त शोसन और सीमान्त आगम की रेखाओं को भी चित्रित किया गया है । सीमान्त व्यय की रेखा कुल सीमान्त आगम की रेखा को x बिन्दु पर काटती है । यही कुल सीमान्त आगम तथा सीमान्त व्यय बराबर है और कुल लाभ को अधिकतम करने के लिए यही दशा अनुकूलतम है । x बिन्दु से a के समाप्तान्तर बिन्दुदार रेखा लीची गई है, जो सीमान्त आगम (१) तथा (२) की वक्र रेखाओं को क्रमशः m और n बिन्दुओं पर काटती है, जिसका अर्थ यह होता है कि बाजार १ में x बिन्दु पर सीमान्त आगम सीमान्त व्यय के बराबर है । इसी प्रकार, बाजार २ में n बिन्दु पर सीमान्त आगम तथा सीमान्त व्यय बराबर है । मूल्य की रेखाओं का दोनों बाजारों में x और n बिन्दुओं से गुजरना आवश्यक है, क्योंकि केवल ऐसी ही दशा में प्रत्येक बाजार से पृथक्-पृथक् अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सकता है । जैसा कि चित्र से स्पष्ट होता है, बाजार १ में मूल्य a के बराबर होगा और बाजार २ में b के बराबर । a में, b से अधिक है, इसलिये दोनों बाजारों में भिन्न-भिन्न मूल्य है । बाजार १ में m के बराबर विक्री होती है और बाजार २ में n के बराबर, जबकि कुल विक्री x के बराबर है । स्पष्ट है कि $a > b$ — $m < n$ । इस प्रकार दोनों बाजारों के अलग-अलग दाम रखकर भी कुल लाभ को अधिकतम किया जा सकता है ।

बाजार १ में मूल्य अधिक है और बाजार २ में कम, इसका भी एक विशेष कारण है—दोनों बाजारों की आगम रेखाओं पर दृष्टि डालने पर पता लगता है कि बाजार २ में माँग की लोच बाजार १ की अपेक्षा अधिक है, क्योंकि बाजार १ में आगम की रेखाएँ अधिक तेजी से नीचे की गिरती हैं । बाजार २ में माँग अधिक लोचदार है । ऐसे बाजार में दाम कम करने से अधिक विक्री हो जाने के कारण थोड़ा कम दाम ही अधिक लाभदायक होता है । अतः हम इस

निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि विवेचनात्मक एकाधिकार में मूल्य निर्धारण का सिद्धान्त इस प्रकार है :—

सीमान्त व्यय = कुल सीमान्त प्रागम = प्रत्येक वाजार का सीमान्त प्रागम

राशिपातन
(Dumping)

‘राशिपातन’ से आशय—

राशिपातन विवेचनात्मक एकाधिकार का ही एक विशेष रूप है। यह स्थानीय भेद-साव का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें एक विदेशी एकाधिकारी, जिसे अपने देश में एकाधिकार प्राप्त होता है, विदेशों में सस्ते दामों पर बेचता है, जबकि अपने देश में दाम ऊँचे रखता है। कभी-कभी तो यहाँ तक भी देखने में आया है कि विदेशों में सीमित उत्पादन व्यय से भी नीचे दामों पर वस्तु को बेचा जाता है। विदेशों में उठाई हुई हानि को देश के भीतर प्रतिरिक्त लाभ द्वारा पूरा किया जाता है। देश और विदेश में मूल्य-भेद का मुख्य आधार माँग की लोच का अन्तर है। यदि स्थानापन्न तथा स्पर्धा के अभाव के कारण माँग की लोच बहुत कम है, तो वस्तु अधिक कीमत पर बेची जा सकती है। किन्तु, यदि विदेश में प्रतिযোগी हैं या स्थानापन्न होने के कारण माँग की लोच अधिक है, तो वस्तु को कम दामों पर बेचना लाभदायक होता है।

राशिपातन के उद्देश्य—

राशिपातन के मुख्यतः चार उद्देश्य होते हैं :—(i) कभी-कभी उत्पत्ति माँग से अधिक हो जाती है और देश में बचे हुए मात्र को विदेशों में सस्ते दामों पर बेच कर हानि को कम किया जा सकता है। (ii) बहुत बड़े विदेश में ग्राहक बनाने या माँग को जन्म अथवा प्रोत्साहन देने हेतु ऐसा किया जाता है। (iii) यदि उत्पत्ति ‘वृद्धि नियम’ के अनुसूल है, तो विदेशों में सस्ते दामों पर बेचकर उत्पत्ति के पैमाने को बढ़ाया जाता है, जिससे उत्पादन व्यय कम हो जाता है। (iv) विदेशों में प्रतियोगी उतरादको तथा नये स्थापित हुए उद्योग-धन्धों को कुचलने के लिए भी राशिपातन किया जाता है।

अन्तिम प्रकार का राशिपातन देश के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि विदेशी व्यवसायी देश में प्रतियोगिता को समाप्त करके और एकाधिकार स्थापित करने मनचाहे दाम वसूल करता है। अतः राशिपातन की दशा में आयात कर लगाना अथवा ऐसे माल के आने पर अन्य प्रतिप्रन्ध लगाना एक सर्वमान्य नियम है।

एकाधिकार¹ और उपभोक्ता

अधिकतर यह विश्वास किया जाता है कि एकाधिकार में उपभोक्ता का शोषण होता है। निम्नलिखित एकाधिकार की स्थापना ही अस्वीकृत मूल्य लाभ कम करने के उद्देश्य से की जाती है। फलतः एकाधिकार में दाम प्रतियोगिता की अपेक्षा ऊँचे होते हैं और इस प्रकार उपभोक्ता की वचन कम प्राप्त होती है, जिससे देश की आर्थिक सम्पन्नता में कमी आ जाती है। एकाधिकार पूँजीवाद का एक भयङ्कर रूप है और पूँजीवाद की सभी बुराइयों यहाँ अपनी चरम सीमा पर मिलती हैं।

परन्तु कुछ दशाओं में एकाधिकार उपभोक्ताओं की दृष्टि से भी लाभदायक होता है।

¹ In connection with monopoly, Cournot uses the terms Duopoly where there are two sellers instead of one and Oligopoly where there are only a few sellers. For detailed analysis see Chamberlain : *The Theory of Monopolistic Competition*

ये दशाद्यै निम्नलिखित हैं—(i) राशिपातन तथा विवेचनात्मक एकाधिकार में बहुत बार गरीब वर्गों अथवा देशों को अपेक्षा सहन दामो पर वस्तुयें मिल जाती हैं। (ii) कुछ उद्योग ऐसे भी हैं, जो एकाधिकार के बिना सकल हो नहीं सकते और जिनका जनता तथा देश के आर्थिक जीवन में बड़ा महत्त्व है। रेलवे तथा दूसरी सार्वजनिक सेवायें इसी प्रकार की होती हैं। परन्तु एकाधिकार के दोषों को दूर करने के लिए इन पर किसी न किसी प्रकार के सार्वजनिक नियन्त्रण का होना आवश्यक होता है।

एकाधिकारी-कीमत आवश्यक रूप में ऊँची कीमत नहीं होती है

ऊपर हमने एकाधिकारी-कीमत का जो विवेचन किया है उससे पता चलता है कि एकाधिकारी-कीमत प्रत्येक दशा में प्रतियोगी कीमत में ऊँची होना आवश्यक नहीं है। किन्तु अधिकांश दशाओं में एकाधिकारी-कीमत प्रतियोगी-कीमत से ऊँची ही होती है, क्योंकि एकाधिकारी 'सामान्य' से अधिक लाभ कमाता है। अनेक ऐसे कारण हैं जो एकाधिकारी को ऊँची कीमत समूल करने से रोक देते हैं। इनमें से कुछ कारण निम्न प्रकार हैं :—

(१) स्थानापन्नता का होना—यदि एकाधिकारी की उपज ऐसी है कि उसके पूर्ण अथवा निकटतम स्थानापन्न मौजूद हैं, तो उस उपज की मांग अधिक लोचदार होगी और ऐसी दशा में यह सम्भावना रहेगी कि वस्तु की कीमत में थोड़ी-सी भी वृद्धि होने में मांग उसके स्थानापन्नता की श्रेय अक्षिप्त हो जाये, यान् ऐसी दशा में एकाधिकारी को वस्तु की नीची कीमत से ही सन्तोष करना पड़ेगा।

(२) सम्भावित प्रतियोगिता का भय—ऊँची कीमत साधारणतया उद्योग में प्रतिद्वन्द्वियों के प्रवेश को प्रोत्साहित करती है। इस अर्थसाय में हम पहले ही देख चुके हैं कि ऐसी दशा में एकाधिकारी के लिये केवल दो मार्ग शेष रहते हैं—प्रथम, कीमत को ऊँची रखना और प्रतिद्वन्द्वियों को निमन्त्रित करना, और दूसरे, कीमत को नीची कर देना और प्रतिद्वन्द्वियों के लिए द्वार खोल कर देना। वह साधारणतया दूसरा मार्ग ही चुनता है।

(३) ग्राहकों का विरोध अथवा विरोधी जनमत—यह सम्भव है कि ऊँची कीमत के कारण जनता नष्ट हो जाये और ग्राहक मिलकर उसके माल का वह वहिष्कार करने लगे। ऐसी दशा में व्यावसायिक प्रतिष्ठा नष्ट हो जायेगी, जिसे कोई भी बुद्धिमान विक्रेता पसन्द नहीं करेगा।

(४) सरकारी हस्तक्षेप का भय—यह सम्भावना भी रहती है कि यदि एकाधिकारी ऊँची कीमत रखे, तो सरकार एकाधिकारी के व्यवसाय को छीन ले। ऐसी दशा में सरकार अधिकार कर लगा सकती है अथवा मूल्य-नियन्त्रण की नीति अपना सकती है। यह निश्चित है कि इन दशाओं में एकाधिकारी की हानि उस लाभ की तुलना में अधिक होगी जो ऊँची कीमत के फलस्वरूप हुआ है। ऐसी दशा में सरकार का विरोध मोल लेने की अपेक्षा एकाधिकारी द्वारा नीची कीमत लेना अधिक अच्छा रहेगा।

(५) उत्पादन व्यय घटने की धारा—एकाधिकारी यह भी सोच सकता है कि नीची कीमत रखने से मांग में वृद्धि होगी और इस प्रकार अधिक उपज नीचे कीमत व्यय पर उत्पादन की जा सकेगी। इस धारा पर कि दीर्घकाल में उत्पादन व्यय में अधिक कमी हो जायेगी, एकाधिकारी कीमत को नीची रख सकता है।

(६) जन-कल्याण का विचार—कुछ प्रकार के एकाधिकारी का सवाल जन-हित की दृष्टि से किया जाता है, जैसे—विजली कम्पनी, रेलवे तथा मोटर यातायात। ऐसे एकाधिकार जन-कल्याण को अधिकतम करने के उद्देश्य से नीची कीमत निश्चित कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति-

गत एकाधिकार भी अधिकतम लाभ तथा अधिकतम सामाजिक कल्याण के बीच समझौता कर सकते हैं। इन सभी दशाओं में कीमत थोड़ी नीची ही रखी जायगी।

(७) अन्य उद्देश्य—कभी-कभी वस्तु के पुराने स्टॉको को समाप्त करने के उद्देश्य से कीमत नीची कर दी जाती है। इसी प्रकार, व्यावसायिक सद्भावना प्राप्त करने तथा विदेशी बाजार पर अधिकार जमाने के लिए भी कीमत घटाई जा सकती है। इसी प्रकार, प्रतिद्वंद्वी को बाजार से निकाल देने के लिए भी कीमत घटाई जा सकती है। किन्तु इन सभी दशाओं में नीची कीमत थोड़े काल तक ही रहेगी।

सामान्य रूप में, एकाधिकारी कीमत प्रतियोगी कीमत से ऊँची ही रहेगी। ऊपर जो प्रतिवन्ध गिनाये गये हैं वे बहुत प्रभावशाली नहीं होंगे और कभी न कभी एकाधिकारी कीमत को ऊपर उठाने में अवश्य सफल हो जायेगा। जैसे ही उसे यह विश्वास हो जायगा कि कीमत बढ़ाने से उसे अपने ग्राहक अधिक मात्रा में खो देने का भय नहीं है, वैसे ही वह कीमत को बढ़ा देगा।

ऋता एकाधिकार (Monopoly)

एकाधिकार विक्रेता की ओर से ही सम्भव नहीं है, वरन् वह ऋता की ओर से भी हो सकता है। यदि बाजार में वस्तु विशेष का केवल एक ही ऋता हो और उसका कोई भी प्रतियोगी न हो, तो ऐसी दशा में ऋता एकाधिकार स्थापित होता है। प्रो० मेहता के अनुसार ऋता-एकाधिकारी वस्तु का एकमात्र खरीदने वाला होता है। रेखागणित की भाषा में ऋता-एकाधिकारी वह व्यक्ति अथवा फर्म होता है जो उस वस्तु के लिए, जिसे वह खरीद रहा है, नीची कीमत दे सकता है, परन्तु इस कारण उसके लिए वस्तु की कम मात्रा खरीदना आवश्यक नहीं होता। उपभोक्ता सङ्गठन द्वारा ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। सरकार आयातों के खरीदने का एकाधिकार प्राप्त करके ऋता-एकाधिकार स्थापित कर सकती है।


साधारण एकाधिकारी की भाँति ऋता-एकाधिकारी का भी कीमत पर पूरा नियन्त्रण रहता है। कीमत घटने की दशा में भी विक्रेता ऐसे एकाधिकारी को वस्तु कम मात्रा में नहीं बेच पाता है, क्योंकि वस्तु विशेष का कोई अन्य ऋता नहीं होता। एक एकाकी ऋता की दृष्टि से बाजार कीमत दी हुई होती है। वह वस्तु की बही मात्रा खरीदता है जो उसकी सीमान्त उपयोगिता को कीमत से बराबर कर दे।

ऋता-एकाधिकारी अपनी खरीद का इस प्रकार नियमन करता है कि सीमान्त व्यय सीमान्त उपयोगिता के बराबर हो जाय, क्योंकि ऐसा ऋता भी वस्तु की पूर्ण कीमत तो अवश्य चुकाता है। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा इससे भिन्न होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत (अथवा अंशतः व्यय) सीमान्त उपयोगिता के बराबर होती है, क्योंकि प्रचलित बाजार कीमत पर कोई भी ऋता अपनी इच्छानुसार कितनी भी मात्रा खरीद सकता है। ऋता-एकाधिकार के अन्तर्गत केवल उस दशा को छोड़कर, जिसमें उत्पादन पर स्थिरता नियम लागू होता है, अन्य सभी दशाओं में ऋता के लिये वस्तु का सीमान्त व्यय सीमान्त इकाई की कीमत से कम या अधिक होता है। यदि उत्पत्ति का स्थिरता नियम कार्यशील है, तो शीघ्रतः व्यय (अथवा कीमत) सीमान्त व्यय के बराबर होता है और इस कारण, ऋता-एकाधिकार के अन्तर्गत भी वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदी जाती है जितनी कि पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में। परन्तु यदि उत्पादन पर उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू है, तो ऋता-एकाधिकारी वस्तु को जितनी ही अधिक मात्रा में खरीदता है उसे उतनी ही कम ऊँची कीमत देनी होती है और इसके विपरीत, यदि उत्पत्ति ह्रास नियम

कार्यशील है, तो क्रेता-एकाधिकारी जितनी ही अधिक ऊँची मात्रा में खरीदेगा उसे उतनी अधिक ऊँची कीमत चुकानी पड़ेगी। इनमें से पहली दशा में क्रेता-एकाधिकारी पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में अधिक और दूसरी दशा में कम मात्रा में खरीदेता है।

क्रेता-एकाधिकार के अन्तर्गत साम्य—

क्रेता-एकाधिकार का विवेचन भी ठीक उसी प्रकार किया जा सकता है जैसा कि एकाधिकार का विवेचन किया जाता है। परन्तु इनमें एक अन्तर है—एकाधिकार में साम्य की दशा वह होती है जिसमें एकाधिकारी का कुल लाभ अधिकतम होता है। किन्तु इसके विपरीत, क्रेता-एकाधिकारी अपनी उपभोक्ता की बचत को अधिकतम करता है। उपभोक्ता की बचत उम दशा में अधिकतम होती है जबकि सीमान्त व्यय सीमान्त उपयोगिता के बराबर होता है। जिस बिन्दु पर सीमान्त व्यय सीमान्त उपयोगिता के बराबर हो जाता है वही अनुकूलतम क्रय (Optimum Purchase) को दिखाता है। यदि क्रेता-एकाधिकारी इससे कम या अधिक मात्रा में खरीदे, तो उपभोक्ता की बचत कम हो जायेगी।



चित्र—क्रेता-एकाधिकार में साम्य

क्रेता-एकाधिकार में मूल्य-विभेद—

एक एकाधिकारी की भाँति क्रेता-एकाधिकारी भी मूल्य-विभेद की नीति अपना सकता है, जिस दशा में वह अलग-अलग विक्रेताओं से अलग-अलग दामों पर खरीदेता है। क्रेता-एकाधिकारी अपने पूर्ति के सूत्रों को इस प्रकार वर्गों में बाँट सकता है कि प्रत्येक सूत्र का उत्पादन व्यय एक-समान हो और साथ ही वह उसकी कुल खरीद से प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिता के भी बराबर हो। जोन रोबिन्सन के शब्दों में, “क्रेता-एकाधिकारी पूर्ति के प्रत्येक सूत्र से इस प्रकार खरीदेगा कि उसके लिए प्रत्येक सूत्र से खरीदी हुई मात्रा का सीमान्त व्यय एक-दूसरे के बराबर हो और कुल खरीदी हुई मात्रा की सीमान्त उपयोगिता के भी बराबर हो। यह ठीक उसी प्रकार होता है जैसे कि एक एकाधिकारी प्रत्येक अलग-अलग बाजार में वस्तु को इतनी-इतनी बेचता है कि प्रत्येक बाजार से सीमान्त आगम समान मात्रा में मिले और यह सीमान्त आगम उसकी कुल उपज के सीमान्त व्यय के बराबर हो। लाभ सहित मूल्य-विभेद की सम्भावना विभिन्न सूत्रों से प्राप्त पूर्ति की लोच के अन्तरी पर अर्थात् प्रत्येक विक्रेता वर्ग की औसत व्यय की रेखाओं की लोच पर निर्भर होगी।”¹

मूल्य-विभेद किस अंश तक किया जा सकेगा यह दो बातों पर निर्भर होता है—(i) विक्रेताओं की संख्या और (ii) विभिन्न विक्रेताओं से सम्बन्धित पूर्ति की दशाएँ। क्रेता-एकाधिकारी उन सूत्रों से अधिक मात्रा में खरीदेगा जिनकी पूर्ति की लोच अधिक है और उन सूत्रों से कम मात्रा में खरीदेगा जिनकी पूर्ति की लोच कम है।

¹ Joan Robinson : *Economics of Imperfect Competition*, p. 222.

यहाँ पर यह बताना अनुपयुक्त न होगा कि “एकाधिकार” में “क्रेता-एकाधिकार” भी निहित होना है। एक एकाधिकारी “उत्पत्ति-साधनों के क्रेता” के रूप में “क्रेता-एकाधिकारी” होता है, और वह इन साधनों के बीच, यदि वे अनुरूप नहीं हैं तथा यदि उनकी पूर्ति पूर्ण सोच-दार नहीं है, मूल्य-विभेद भी कर सकता है।

द्विदिशायी एकाधिकार (Bilateral Monopoly)

द्विदिशायी एकाधिकार वह दशा होती है जिसमें विक्रेता के एकाधिकार के साथ-साथ क्रेता का भी एकाधिकार भी होता है। अग्य शब्दों में यह स्थिति तब होती है जबकि किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है और केवल एक ही क्रेता होता है। वास्तविक जीवन में ऐसी दशा जायद ही कभी देखने को मिलती है। ऐसी दशा में कीमत का निर्धारण एक कठिन समस्या होती है। एक ओर एकाधिकारी तो उत्पादन और मूल्य को इस प्रकार निश्चित करने का प्रयत्न करेगा कि सीमान्त व्यय सीमान्त भागम के बराबर हो जाये, जिससे कि लाभ अधिकतम हो, और दूसरी ओर क्रेता-एकाधिकारी खरीद और मूल्य को इस प्रकार निश्चित करना चाहेगा कि सीमान्त व्यय उसकी सीमान्त उपयोगिता के बराबर हो जाये, जिससे कि उसे अधिकतम उपभोक्ता की बचन प्राप्त हो जाये। वास्तव में कीमत इन दो के बीच कहीं पर निश्चित होगी और इसे निश्चित करने से माँग और व्यय के निपट में पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। कीमत पर अनेक बातों का प्रभाव पड़ेगा। जैसे—क्रेता और विक्रेता की सौदा करने की तुलनात्मक शक्ति, आर्थिक उद्देश्य, राज्य की नीति, इत्यादि। प्रत्येक दशा से सम्बन्धित कीमत पर विशेष परिस्थितियों का प्रभाव पड़ेगा।

परीक्षा प्रश्न :

- एकाधिकार से क्या आशय है ? इसके अन्तर्गत मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है ?
[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम एकाधिकार के अर्थ, एकाधिकारी के उद्देश्य और इस तथ्य को स्पष्ट कीजिए कि एकाधिकारी कीमत और पूर्ति दोनों का एक-साथ नियन्त्रण नहीं कर सकता है। तत्पश्चात् सीमान्त विवेचन की रीति के एकाधिकार के अन्तर्गत मूल्य के निर्धारण पर प्रकाश डालिए और अन्त में पूर्ण प्रतियोगिता से भिन्नताये बताइये।]
- एकाधिकारी साम्य से आपका क्या अभिप्राय है ? एकाधिकारी दीर्घकाल में अपनी कीमते किस प्रकार निर्धारित करता है ?
[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम एकाधिकारी साम्य के अर्थ को बताइये। यह स्थिति वह है जिसमें परिवर्तन अनुपस्थित होते हैं। परिवर्तन अनुपस्थित होने की शर्त यह है कि कुल उत्पादन में परिवर्तन न हो और कुल उत्पादन में परिवर्तन तब नहीं होंगे जबकि एकाधिकारी को अधिकतम लाभ हो रहा होगा। अधिकतम लाभ तब प्राप्त होगा जबकि $MC=MR$ । इस स्थिति को एक चित्र द्वारा दर्शाइये और अन्त में दीर्घकाल में एकाधिकारी मूल्य के निर्धारण की विशेषताओं को चित्र सहित समझाइये।]
- “एकाधिकारी (विक्रेता) बिना ताज का दादागाह होता है।” यह बताते हुये कि एकाधिकारी किस प्रकार अपना अधिकतम एकाधिकारी शुद्ध लाभ प्राप्त करना है, इसके धन की व्याख्या कीजिये ?

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम यह स्पष्ट कीजिये कि जिस प्रकार से एक वादशाह उसी प्रकार से एक एकाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि एकाधिकारी अपने क्षेत्र में अकेला होता है, नये उत्पादकों के प्रवेश पर प्रभावशाली प्रतिबन्ध होते हैं और वस्तु का कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता। इन परिस्थितियों में उसका पूर्ति पर पूर्ण नियन्त्रण होता है। एक वादशाह की भाँति उसके सिर पर ताज तो नहीं होता लेकिन वह वादशाह की भाँति शक्तिशाली होता है। तदुपश्चान् यह बताइये कि उसकी शक्ति की कौन सीमाएँ हैं और अन्त में सीमान्त विवेचन के द्वारा अल्पकाल और दीर्घकाल में रेखाचित्रों की सहायता से मूल्य निर्धारण को स्पष्ट कीजिये।]

४. "अतः कीमती पर एकाधिकारियों का अधिकार वास्तविक अथवा मभावित प्रतिस्थानापन्न की प्रतिस्पर्धा, दूमरे शब्दों में, एकाधिकारी उत्पादन की माँग की शेष से सीमित होता है।" उपरोक्त कथन का तात्पर्य लिखिये और कीमत पर एकाधिकारी के अधिकार को सीमित रखने वाले अन्य कारणों का उल्लेख कीजिये।
५. मूल्य विभेद की परिभाषा दीजिये। मूल्य विभेद कब सम्भव, लाभदायक और सामाजिक दृष्टि से बाछनीय होता है ?
६. एकाधिकार की विभिन्न किस्मों की व्याख्या कीजिये। वे कौन से तत्त्व हैं जो कि मूल्य बढ़ाने की एकाधिकारी शक्ति को सीमित करते हैं ?
७. निम्नलिखित को समझाइयें :—
एकाधिकार में कीमत पूर्ण प्रतियोगिता की कीमत से सदा अधिक नहीं होती।
८. एकाधिकार तथा प्रतियोगिता उत्पादक दोनों का लक्ष्य अपने शुद्ध लाभ को अधिकतम बनाना है। बताइये कि वे किस प्रकार अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं ?
९. एकाधिकार-मन स्थिति में क्या एक ग्राहक बाजार-मूल्य पर अपना प्रभाव डाल सकता है ? यदि नहीं तो एकाधिकार मूल्य-निर्धारण में उसका क्या हाथ होता है ?

अपूर्ण प्रतियोगिता का मूल्य

(Value Under Imperfect Competition)

प्रारम्भिक—

व्यावहारिक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता अथवा एकाधिकार का उदाहरण मिलना कठिन है। न तो विक्रेताओं की संख्या अपरिमित ही होती है और न केवल एक ही। वास्तविक जीवन की स्थिति बहुधा इन दोनों के बीच की ही दृष्टा करती है। यह दशा है अपूर्ण प्रतियोगिता की।

अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएँ

(१) एकाधिकारी परिस्थितियों की विद्यमानता—कुछ लेखकों ने अपूर्ण प्रतियोगिता को “एकाधिकारी प्रतियोगिता” का भी नाम दिया है।¹ एकाधिकार में एक ही विक्रेता होता है अथवा बहुत सारे विक्रेता एक संघ के अधीन काम करते हैं, किन्तु अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा में एक ही वस्तु के बहुत सारे विक्रेता होते हैं। इन अनेक विक्रेताओं के बीच स्पर्धा होती है, पर इसे हम कठछेदी प्रतिस्पर्धा नहीं कह सकते, क्योंकि प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र सीमित होता है। इसका परिणाम यह होता है कि अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा में भी एकाधिकारी परिस्थितियाँ विद्यमान होती हैं, परन्तु यह उतनी विस्तृत नहीं होती, जितनी कि पूर्ण एकाधिकार में।

(२) निश्चित सीमाओं के भीतर स्वतन्त्रता—अपूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक विक्रेता पूर्ण और मूल्य को प्रभावित कर सकता है। यही नहीं, बहुत धार सारे ग्राहक वारसविक अथवा कल्पित कारणों से उसकी उपज को दूसरों की उपज से अच्छा समझते हैं, इसलिए निश्चित सीमाओं के भीतर विक्रेता को अपनी उपज का मूल्य निश्चित कर देने की भी स्वतन्त्रता रहती है। इस प्रकार की स्वतन्त्रता कभी-कभी क्रेताओं को भी प्राप्त हो सकती है। यह तब सम्भव होता है जबकि या तो क्रेताओं की संख्या कम हो या क्रेता किसी विशेष रीति से भुगतान करे। परन्तु वास्तविक जीवन में एक क्रेता का व्यक्तिगत प्रभाव बहुत ही कम होता है और क्रेताओं में समकालीन रीति से मिलकर काम करने की प्रवृत्ति बहुत ही कम होती है। इस कारण अपूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेताओं को ग्राहकों से अधिक स्वतन्त्रता उपलब्ध होती है।

(३) विक्री व्यय (Selling Cost)—चूँकि अपूर्ण प्रतियोगिता में प्रतियोगिता का अभाव भी रहता है और प्रत्येक विक्रेता अपनी विक्री को भी बढ़ाना चाहता है, इसलिए उत्पादन व्यय के साथ-साथ एक दूसरे प्रकार का व्यय भी दृष्टिगोचर होता है, जिसे हम “विक्री व्यय” (Selling Costs) का नाम देते हैं। प्रत्येक विक्रेता को अपनी और आकर्षित करने के लिए तथा उन्हें मनाने द्वारा निश्चित किए हुए दामों पर खरीदने को तैयार करने के लिए अपनी उत्पत्ति तथा उसके गुणों का विज्ञापन करना पड़ता है। उसे बताना होता है कि ग्राहकों को उसकी उत्पन्न की हुई वस्तु ही क्यों खरीदनी चाहिए। यह काम विज्ञापन, मन लुभाने वाले पैकिंग

¹ See Chamberlain : *The Theory of Monopolistic Competition.*

(Attractive packing), एजेण्ट इत्यादि द्वारा किया जाता है। बहुत बार विक्रेता को अपने ग्राहकों को विशेष सुविधाएँ देनी पड़ती हैं। बहुत-सी कम्पनियाँ अपने डिब्बों में इनाम के कूपन रख देती हैं। लिपटन चाय की कम्पनी एक निश्चित मात्रा में चाय के डिब्बों को खरीदने वालों को उपहार देती है। ऐसे समस्त व्यय को बिन्ही व्यय में ही सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार अपूर्ण प्रतियोगिता का कुल व्यय उत्पादन व्यय तथा बिन्ही व्यय का योग होता है। उत्पादन व्यय के समान बिन्ही व्यय में भी बहुधा कुछ स्थिर व्यय होता है, जो प्रत्येक दशा में करना ही होता है।

(४) सम्पूर्ण उद्योग के लिए माँग एवं ध्वय रेखाएँ खींचना कठिन—अपूर्ण प्रतियोगिता में सम्पूर्ण उद्योग की माँग और व्यय रेखाएँ खींचना कठिन होता है। कारण, चूँकि विभिन्न उत्पादकों की उपजों में भ्रंतर होते हैं, इसलिए व्यय की कोई एक रेखा नहीं हो सकती है। फलतः किसी वस्तु की माँग की कुल मात्रा का उल्लेख करने में भी कठिनाई होती है। एक अन्य कठिनाई यह है कि कीमत एक नहीं होती, बल्कि अलग-अलग विक्रेताओं और क्रिमी की अलग-अलग कीमतें होती हैं। यही कारण है कि आगम और व्यय को रेखाएँ केवल व्यक्तिगत फर्मों के लिए ही खींची जा सकती हैं।

(५) व्यक्तिगत फर्म की माँग-रेखा नीचे की ओर ढाल—चूँकि विक्रेताओं की संख्या कम होती है, इसलिए प्रत्येक विक्रेता की उपज की माँग अत्यधिक लोचदार होती है किन्तु पूर्ण प्रतियोगिता की भाँति पूर्णतः लोचदार नहीं। अतः एक विक्रेता अपनी कीमत को घटाकर अन्य विक्रेताओं के बहुत से ग्राहक आकर्षित कर सकता है और कीमत को बढ़ा कर अपने बहुत से ग्राहक खो सकता है। अतः माँग-रेखा अक्ष के समानान्तर नहीं हो सकती, बल्कि उसका ढाल नीचे की ओर होगा। यह रेखा धीरे-धीरे बायीं ओर से दाहिनी ओर नीचे की गिरती हुई रेखा होती है।


पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में अधिक बिन्ही करने के लिए एक विक्रेता को दाम घटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि दीर्घकाल में माँग-रेखा क्षितिज के समानान्तर होती है। परन्तु अपूर्ण प्रतियोगिता में ऐसा नहीं होता। यहाँ प्रत्येक अगली इकाई बेचने के लिए दाम घटाना पड़ता है। यह तो सभी जानते हैं कि जब अन्तिम इकाई के दाम घटते हैं, तो सभी इकाइयों के दाम घटाने पड़ेंगे। अतः, अधिक बिन्ही करने के हेतु दाम घटाने से पहले विक्रेता यह अच्छी प्रकार से देख लेता है कि इस प्रकार दाम घटाने का उसके कुल लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

(६) पूर्ण प्रतियोगिता की भाँति कोई सामान्य मूल्य नहीं—जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति एकाधिकार से मिलती-जुलती है। प्रत्येक विक्रेता अपने निजी बाजार क्षेत्र में लगभग एकाधिकारी ही होता है। उसका उद्देश्य भी अपने कुल लाभ को अधिकतम करना होता है और यह हम देख चुके हैं कि कुल लाभ अधिकतम उसी दशा में होता है, जबकि मूल्य इस प्रकार निश्चित किया जाय कि सीमान्त आगम सीमान्त उत्पादन ध्वय के बराबर हो। प्रत्येक विक्रेता की दीर्घकालीन प्रवृत्ति इसी दशा में होती है, यद्यपि अल्प-काल में वह थोड़े कम दाम भी ले सकता है, जिससे कि ग्राहक केवल उसकी ओर आकर्षित ही न हो, बल्कि उससे सम्बन्धित (Attach) हो जायें। पूर्ण प्रतियोगिता में सीमान्त आगम मूल्य के बराबर रहती है, परन्तु एकाधिकार में वह मूल्य से कम रहती है। बिल्कुल यही दशा अपूर्ण प्रतियोगिता में भी होती है, क्योंकि प्रत्येक विक्रेता यहाँ भी एक बड़ी सीमा तक एकाधिकारी होता है। मूल्य निर्धारण का जो रेखाचित्र हम एकाधिकार में खींचते हैं वही अपूर्ण प्रतियोगिता में खींचा जायगा, परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिए कि अपूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ण

प्रतियोगिता की भांति कोई सामान्य मूल्य नहीं होता। प्रत्येक विक्रेता की अपनी कीमत होती है और विभिन्न विक्रेताओं की अपनी कीमत होती है और विभिन्न विक्रेताओं द्वारा माँगी हुई कीमत में विशाल अन्तर हो सकते हैं।

जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है एकाधिकार की भांति अपूर्ण प्रतियोगिता में भी मूल्य इस प्रकार निर्धारित होता है कि सीमान्त आगम तथा सीमान्त व्यय समान हों क्योंकि उसी दशा में शुद्ध एकाधिकारी आगम अधिकतम होती है। सीमान्त आगम तथा सीमान्त व्यय को रेखाएँ ट बिन्दु पर एक दूसरी को काटती है और प म मूल्य-रेखा ट बिन्दु से गुजरती है। शुद्ध एकाधिकार आगम रेखांकित आयत सूचित करती है।

यह समझ लेने में कठिनाई न होगी कि केवल प म मूल्य पर ही कुल लाभ अधिकतम होगा, क्योंकि (जैसा कि हम एकाधिकारी मूल्य के सम्बन्ध में देख चुके हैं) प म से अधिक मूल्य होने की दशा में अधिक विक्री करके कुल लाभ में वृद्धि कर लेने की सम्भावना रहती है, जिससे उत्पत्ति बढ़ती है और मूल्य नीचे गिरता है। इसके विपरीत प म से नीचे दाम होने की दशा में हानि होती है, उत्पत्ति घटती है और दाम बढ़ते हैं।



चित्र—अपूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य

अपूर्ण अथवा एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्म का सन्तुलन
(Equilibrium of the Firm under Monopolistic Competition)

अपूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत मूल्य—

अपूर्ण प्रतियोगिता में किसी भी व्यक्तिगत फर्म की माँग अथवा औसत आगम की रेखा बायीं ओर से दाहिनी ओर ऊपर से नीचे गिरती हुई रेखा होती है और सीमान्त आगम की रेखा सदैव औसत आगम की रेखा के नीचे होती है। एक उद्योग की विभिन्न फर्मों की उपजों में अन्तर होने के कारण एक फर्म की उपज दूसरी फर्म की उपज का प्रतिस्थापन नहीं कर पाती है। प्रत्येक फर्म की उपज का अपना अलग ही स्थान होता है। यदि कोई फर्म अपनी विक्री को बढ़ाना चाहती है, तो उसे या तो कीमत घटानी होगी या विज्ञापन आदि से अपनी उपज की माँग बढ़ानी होगी।

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, ऐसी फर्म की कुल आगम उस बिन्दु पर अधिकतम होती है जिस पर सीमान्त आगम सीमान्त उत्पादन व्यय के बराबर हो। विक्रेता की दृष्टि से यही सर्वोत्तम उपज है। इस दृष्टि से एकाधिकारी फर्म तथा अपूर्ण प्रतियोगिता की किसी फर्म के बीच अन्तर नहीं होता। इतना अवश्य है कि यहाँ पर भी हम यह मान कर चल रहे हैं कि प्रत्येक फर्म अपनी शुद्ध आगम को अधिकतम करना चाहती है।


अल्पकालीन मूल्य—

अपूर्ण प्रतियोगिता में भी अल्पकालीन दशाएँ एकाधिकार तथा पूर्ण प्रतियोगिता की ही भाँति होती हैं। चूँकि अल्पकाल में उत्पादन क्षमता बढ़ाई नहीं जा सकती है, और न घटाई जा सकती है, इस कारण अल्पकाल में किसी फर्म के लिए तीन अलग-अलग सम्भावनाएँ हो सकती हैं :—

(१) फर्म का लाभ सामान्य लाभ से ऊँचा हो—यदि फर्म की वस्तु के लिए माँग बहुत है और उसके अधिक निकट स्थानापन्न भी है, तो ऊँची कीमत रख कर सामान्य से अधिक लाभ कमाया जा सकता है ।

(२) फर्म का लाभ सामान्य लाभ के बराबर हो—यदि माँग कुछ दुर्बल है, तो फर्म को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त हो सकेगा ।

(३) फर्म का लाभ सामान्य से नीचा हो अर्थात् उसे हानि हो—यह स्थिति तब उदय होती है जबकि माँग बहुत ही कमजोर हो । परन्तु पूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार की भाँति, यहाँ भी फर्म की हानि उसके कुल स्थिर व्यय से अधिक नहीं हो सकती है, अन्यथा वह फर्म उत्पादन बन्द कर देगी ।




चित्र—अपूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकालीन मूल्य

तीनों चित्रों में कीमत p m है और वह उस बिन्दु द्वारा निश्चित होती है जिस पर कीमत आगम और सीमान्त व्यय की रेखाएँ एक दूसरी को काटती हैं । प्रत्येक चित्र में l एक ऐसा ही बिन्दु है । प्रथम चित्र में श्रीसत व्यय f m है, जो श्रीसत आगम (p m) से कम है, इसलिए अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है, जो p f l के बराबर है । दूसरे चित्र में श्रीसत व्यय तथा श्रीसत आगम समान है (अर्थात् p m के बराबर), इसलिए केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होना है । तीसरे चित्र में श्रीसत आगम तो p m है परन्तु श्रीसत व्यय f m है, जो p m से ऊँचा है, इसलिए विक्रेता को प्रति इकाई f m — p m अर्थात् f p के बराबर हानि होती है और कुल हानि p f l है । परन्तु तीसरे चित्र में श्रीसत परिवर्तनशील व्यय भी p m है, जो श्रीसत आगम अथवा कीमत के बराबर है । इस प्रकार कीमत कम से कम श्रीसत परिवर्तनशील व्यय के अवश्य बराबर है ।

दीर्घकालीन मूल्य—

पूर्ण प्रतियोगिता की भाँति अपूर्ण प्रतियोगिता में भी फर्म 'उद्योग' में स्वतन्त्रतापूर्वक प्रवेश कर सकती है और बिना हकाबट उद्योग से बाहर जा सकती हैं । ऐसी दशा में, यदि लाभ सामान्य से ऊपर है, तो नई फर्म उद्योग में प्रवेश करेंगी और यदि हानि है, तो कुछ फर्म उद्योग को छोड़ देंगी, इसका परिणाम यह होगा कि दीर्घकाल में लाभ न तो सामान्य से अधिक होगा और न

कम । इस कारण अपूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकालीन साम्य की दशा बटू होगी, जिसमें एक ओर शोचत आगम=शोचत व्यय, और, दूसरी ओर सीमान्त आगम=सीमान्त व्यय । माघ का चित्र इस स्थिति को दिखता है :—प्रथम शतं स बिन्दु पर पूरी हो जाती है, क्योंकि इस बिन्दु पर सीमान्त आगम और व्यय एक दूसरे के बराबर हैं । आगम शतं प बिन्दु पर पूरी हो जाती है, क्योंकि इस बिन्दु पर शोचत व्यय और शोचत आगम बराबर है । इस कारण दीर्घकालीन साम्य का मूल्य प म होगा ।



चित्र—अपूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकालीन मूल्य

अपूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत दीर्घकालीन साम्य का विश्लेषण करते हुए हमें निम्न दो बातों का ध्यान रखना चाहिए :—

(१) पूर्ण प्रतियोगिता में शोचत आगम रेखा (AR) एक पट्टी हूई रेखा होनी है तथा शोचत व्यय रेखा (AC) को न्यूनतम बिन्दु पर स्पर्श करती है, जिसका अर्थ यह हुआ कि फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है और यह वस्तु का न्यूनतम शोचत लागत पर उत्पादन कर रही है । न्यूनतम शोचत लागत पर की गई उत्पात्ति की मात्रा को 'अनुकूलतम मात्रा' कहते हैं । जबकि फर्म पूर्ण प्रतियोगिता में अनुकूलतम मात्रा की उत्पात्ति करती है, अपूर्ण प्रतियोगिता में 'अनुकूलतम से कम मात्रा' की । कारण, AR इस दशा में AC को न्यूनतम बिन्दु से पहले ही स्पर्श करती है (देखिये उपरोक्त चित्र) । अतः अपूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म के पास उपयुक्त क्षमता होनी है ।

(२) हमने यह मान्यता की थी कि समूह की विभिन्न फर्मों की लागत दशाएँ समान हैं । किन्तु वास्तविक जीवन में इनमें थोड़ा अन्तर होना है । अतः दीर्घकाल में भी कुछ फर्मों को मासूनी अनिश्चित लाभ मिलना सम्भव है ।

पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार में अन्तर

(१) स्पर्धा के आधार पर अन्तर— ध्यानपूर्वक देखने में पता चलता है कि पूर्ण प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार में केवल अंश (degree) का ही अन्तर है । तीनों एक ही दशा के तीन विभिन्न रूप हैं । यदि स्पर्धा का अंश अपरिमित है, तो ऐसी दशा को हम पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं, यदि अपरिमित से कम है, तो अपूर्ण प्रतियोगिता है और यदि शून्य है, तो पूर्ण अथवा शुद्ध एकाधिकार है ।

(२) प्रतियोगिता तथा एकाधिकार में बहुत धार विद्येताओं की संख्या के अनुसार भी भेद किया जाता है । यदि एक ही विक्रेता है, तो एकाधिकार, यदि असंख्य विक्रेता हैं, तो पूर्ण प्रतियोगिता और यदि विक्रेता सीमित संख्या में हैं, तो अपूर्ण प्रतियोगिता है । इन तीनों में भेद करने की यही रीति अधिक प्रचलित है । परन्तु इस सम्बन्ध में कठिनाइयाँ हैं—(i) यह निर्णयपूर्वक कहना कठिन है कि एक विक्रेता से हमारा अभिप्राय क्या है ? अथवा स्वयं में प्रत्येक विक्रेता अनेक ही होता है । (ii) फिर एकाधिकारी का एक देश में अकेले होने का भी कुछ विशेष अर्थ नहीं होता, क्योंकि सम्भव है कि उनके विदेशी प्रतियोगी हों । (iii) तारे सत्तार


में एक ही विक्रेता नहीं हो सकता है, क्योंकि यह भी तो सम्भव है कि कई विक्रेता हो और उनमें से प्रत्येक को एकाधिकारी स्थिति प्राप्त हो। अतः हम यह नहीं कह सकते हैं कि एकाधिकार में एक विक्रेता का एक होना आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार विक्रेताओं की अनेकता से प्रतियोगिता का होना भी सिद्ध नहीं होता।

(३) माँग की रेखा के आधार पर अन्तर—उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रतियोगिता के अंश के आधार पर पूर्ण एवं अपूर्ण प्रतियोगिता तथा एकाधिकार की स्थितियों में भेद करना अधिक उपयुक्त है किन्तु यहाँ प्रश्न यह उठता है कि प्रतियोगिता के अंश का अनुमान कैसे लगाया जाय ? इसका एक ही उपाय है—माँग की रेखा के रूप का अध्ययन करना।

अर्थशास्त्र में पूर्ण प्रतियोगिता की परिभाषा माँग की रेखा की क्षितिज के समानान्तर होने के आधार पर की जाती है। ऐसी रेखा यह सूचित करती है कि यदि कोई विक्रेता थोड़ी अधिक कीमत माँगता है तो उसकी बिक्री होगी ही नहीं, क्योंकि अन्य विक्रेता अपनी नीची कीमत के कारण सारे ग्राहकों को अपनी ओर खींच लेते हैं। अपरिमित प्रतियोगिता का इससे अर्थात् उदाहरण और क्या हो सकता है। इसके विपरीत अपूर्ण प्रतियोगिता में माँग की रेखा एक गिरती हुई रेखा होती है। स्मरण रहे कि पूर्ण एकाधिकार में अर्थात् जबकि प्रतियोगिता का अंश शून्य होता है, माँग की रेखा खड़ी रेखा (Vertical Line) होती है। इस प्रकार की रेखा इस बात को सूचित करती है कि दाम के घटने-बढ़ने से माँग की मात्रा में परिवर्तन नहीं होते हैं। उपरोक्त दोनों दशायें अन्तिम छोर की दशाये होती हैं।


इनके बीच की एक और भी दशा सम्भव हो सकती है, जिसमें प्रतियोगिता का अंश शून्य तथा अपरिमितता के बीच में कहीं होगा, ऐसी दशा में माँग की रेखा ऊपर से नीचे की गिरती हुई होगी। वह न तो क्षितिज के समानान्तर होगी और न खड़ी रेखा ही। वास्तविक जीवन में पहली दो दशाओं का केवल सैद्धान्तिक महत्त्व ही है। व्यावहारिक जीवन में केवल तीसरी दशा ही विद्यमान होती है। शुद्ध एकाधिकार उतना ही दुर्लभ है, जितनी अपूर्ण प्रतियोगिता। प्रतियोगिता बहुधा एकाधिकारी होती है, इसलिए एकाधिकार तथा अपूर्ण प्रतियोगिता में बहुत अधिक अन्तर नहीं होता।


दोनों में केवल इतना ही अन्तर होता है कि एकाधिकार की दशा में, यदि विक्रेता ऊँचे



दाम माँगता है, तो वह अपने ग्राहकों को उसी वस्तु के दूसरे विक्रेताओं के पास नहीं खो देता है, क्योंकि दूसरे विक्रेता होते ही नहीं हैं, किन्तु अपूर्ण प्रतियोगिता में उसके कुछ ग्राहक ऐसी दशा में उसके पास से हटकर उसी वस्तु के दूसरे विक्रेताओं के पास चले जायेंगे। मूल्य घटाने की दशा में

एकाधिकारी नये ग्राहक बना सकता है, क्योंकि कुछ लोग जो ऊँचे दामों पर वस्तु को खरीदने में असमर्थ थे, अब खरीदने लगेंगे। अपूर्ण प्रतियोगिता में पूर्णतया नये ग्राहक बनाने का प्रश्न उही नहीं उठता। दाम घटाकर केवल दूसरे विक्रेताओं के





कुछ ग्राहकों को ही तोड़ा जा सकता है। सच पूछिये तो अपूर्ण प्रतियोगिता में किसी भी विक्रेता के ग्राहकों को हम दो भागों में बाँट सकते हैं—प्रथम, वे जो विभिन्न कारणों से विक्रेता विशेष से लगे (Attached) ब्रह्मवा जुड़े रहते हैं और दूसरे, जो इस प्रकार सम्बन्धित नहीं होते। दूसरे

प्रकार के ग्राहक दाम के घटने-बढ़ने पर एक विक्रेता से दूसरे के पास जाते हैं, पहले प्रकार के नहीं।

उपज-विभेद और फर्म का साम्य
(Product Variation and Equilibrium of the Firm)

अपूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता की विक्री की मात्रा तीन बातों पर निर्भर होती है—कीमत, उपज की प्रकृति (किस्म) और विज्ञापन आदि। पिछले विवेचन में हमने फर्म की साम्य स्थिति का अध्ययन कीमत के आधार पर किया था और यह मान लिया था कि अन्य दो बातें यथास्थिर रहती हैं। अब हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि उपज के परिवर्तनों का फर्म के साम्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

उपज-विभेद से आशय—

एक फर्म के लिए सम्भव है कि वह बाजार में प्रचलित कीमत को स्वीकार कर ले और फिर अपने कुल लाभ को अधिकतम करने के लिए यह निर्णय करे कि वह उपज की कौन-सी किस्म उत्पन्न करेगी। यही उपज विभेद की समस्या है और इस दशा में विक्रेता के निर्णय का माँग और कीमत दोनों पर प्रभाव पड़ता है।

उपज की एक विशेष किस्म से ही अधिकतम लाभ मिलना—

उपज विभेद के कारण एक विशेष स्थिति उत्पन्न होती है। प्रत्येक प्रकार की उपज की अपनी अलग माँग की अनुसूची तथा व्यय अथवा पूर्ति की अनुसूची होती है। उपज की अलग-अलग किस्मों के प्रति ग्राहकों के अलग-अलग गुरुराग होते हैं और प्रत्येक किस्म के लिए प्रति इकाई उत्पादन व्यय भी बहुधा अलग-अलग होगा है। किन्तु स्थिति यह है कि उपज की विभिन्न किस्मों में से साधारणतया एक ही किस्म ऐसी होती है जिससे एक दी हुई फर्म को अधिकतम लाभ मिल सकता है। यह भी विचारणीय है कि कीमत, किस्म तथा कुल उपज एक दूसरे से स्वतन्त्र नहीं होते। किस्म का चुनाव कीमत और कुल उपज को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है किन्तु फिर भी हमारे लिए यह जानना सम्भव है कि कोई फर्म किस प्रकार यह निर्णय करेगी कि उपज की कौन-सी किस्म उसके लिए सबसे उपयुक्त है।

(I) उपज विभेद कीमत को यथास्थिर मानते हुये—


मान लीजिए कि फर्म के सम्मुख उपज की तीन किस्मों में से किसी एक के चुनने की समस्या है और ये तीन किस्मों A, B और C हैं। इनसे सम्बन्धित औसत व्यय रेखाएँ क्रमशः A C₁, A C₂ और A C₃ हैं। मान लीजिए कि कीमत दी हुई है और इस दी हुई कीमत पर प्रत्येक किस्म की कुछ न कुछ मात्रा अवश्य बिक जाती है। अधिष्ठित चित्र में स्थिति को दिखाया गया है :—

चित्र में OP की हुई कीमत है, जो यथा-स्थिर रहती है। $P_1 M_1$, $P_2 M_2$ और $P_3 M_3$ कीमतें भी OP के बराबर हैं। इस कीमत पर AB और C किस्मों की प्रमशः $O M_1$, $O M_2$ तथा $O M_3$ मात्राएँ विकती हैं और इन तीनों मात्राओं की कीमतें प्रमशः $P_1 M_1$, $P_2 M_2$ तथा $P_3 M_3$ है। $P_1 M_1$, $P_2 M_2$ तथा $P_3 M_3$ रेखाएँ $A C_1$, $A C_2$ तथा $A C_3$ को प्रमशः K_1 , K_2 तथा K_3 बिन्दुओं पर काटती है। इस दशा

में किस्म A पर प्रति इकाई लाभ $P_1 K_1$ और कुल लाभ $P_1 K_1 R_1 P$ है, और B किस्म पर प्रति इकाई लाभ $P_2 K_2$ है और कुल लाभ $P_2 K_2 R_2 P$ है और C किस्म पर प्रति इकाई लाभ $P_3 K_3$ है तथा कुल लाभ $P_3 K_3 R_3 P$ है। इस चित्र में $O M_1$ ६ इकाई है, $O M_2$ १२ इकाई है और $O M_3$ २५ इकाई है। मान लीजिए कि $P_1 K_1$ ३.५० रुपये के बराबर है, $P_2 K_2$ ५.०० रुपये के बराबर है और $P_3 K_3$ १.५० रुपये के बराबर है। इस प्रकार, जब बिनेना किस्म A का उत्पादन करता है, तो उसका कुल लाभ $६ \times ३.५० = २१$ रुपये होता है। किस्म B उत्पन्न करने पर उसका कुल लाभ $१२ \times ५ = ६०$ रुपये है और किस्म C उत्पन्न करने पर उसका कुल लाभ $२५ \times १.५० = ३७.५०$ रुपये है। इन प्रकार, किस्म B का उत्पादन उसे सबसे अधिक लाभ देता है और वह इसी किस्म को चुनेगा।


(II) उपज विभेद कीमत को अलग-अलग मानते हुये—

किन्तु उपरोक्त स्थिति भ्रवास्तविक है, क्योंकि कीमत को यथास्थिर माना गया है जबकि वास्तव में कीमत, कुल उपज और उपज की किस्म एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। सही उपाय यह होगा कि प्रत्येक किस्म के लिए अलग-अलग व्यय और आगम की रेखाएँ खींची जायें और फिर यह देखा जाय कि लाभ किस दशा में अधिकतम होता है। इस दशा में प्रत्येक किस्म की कीमत को अलग-अलग माना जायगा (और यही वास्तव में होता है)। निम्न चित्र इस स्थिति को दिखाता है। यहाँ भी किस्म B का उत्पादन ही सर्वाधिक लाभदायक है।



उपज

चित्र—उपज विभेद (यथास्थिर कीमत की दशाएँ)



चित्र—उपज विभेद (अलग-अलग कीमतें)

प्रत्येक चित्र में रेखांकित क्षेत्र उस कुल लाभ को दिखाता है जो सामान्य लाभ से ऊपर है। यहाँ तीनों किस्मों की व्यय और आगम की रेखाएँ अलग-अलग हैं। यहाँ पर भी किस्म B का उत्पादन ही सर्वाधिक लाभ प्रदान करता है और बिनेना उसे ही चुनेगा।

अपूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का आकार

पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में फर्मों की संख्या तो बहुत होती है, किन्तु दीर्घकाल में सामान्य लाभ को छोड़कर और किसी प्रकार के लाभ न होने के कारण साम्य की अवस्था में प्रत्येक फर्म में अनुकूल प्रयत्न कुशलतम् आकार के होने की प्रवृत्ति रहती है। कोई भी फर्म दाम गिरा कर कर और उत्पत्ति की लागत को घटाकर ग्राहकों को अपनी ओर खींच सकती है, अतः धीरे-धीरे अकुशल फर्मों बाजार से निकलती जाती हैं। प्रवैशिक अवस्था में भी प्रतिनिधि फर्म (Representative Firm) उद्योग की दशा की सूचक होती है और उसी का आकार उद्योग का सामान्य आकार होता है।

किन्तु अपूर्ण प्रतियोगिता में कुशल तथा अकुशल फर्मों एक साथ ही बाजार में स्थित हो सकती हैं और बराबर चालू रह सकती हैं। कारण, कुशल फर्मों अकुशल फर्मों के जमे हुए ग्राहकों को नहीं तोड़ पाती है। इसका अर्थ यह होता है कि अपूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म के आकार का अनुकूलतम होना आवश्यक नहीं है। साथ ही यह भी सम्भव है कि फर्मों की कुल संख्या पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में बहुत अधिक हो जाय, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में केवल कुशल फर्मों ही जीवित रह सकती हैं, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में कुशल तथा अकुशल दोनों ही प्रकार की फर्मों एक साथ जीवित रह सकती हैं। चूंकि कुछ कारणों से ग्राहक सभी फर्मों की उपज को समान नहीं समझते, इसलिए अकुशल फर्मों के दाम ऊँचे रहते हुए भी इनकी बिक्री होती रहती है। इस आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि, "अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा में उत्पत्ति की अधिक कुशल अवस्था केवल तब प्राप्त की जा सकती है, जबकि उत्पत्ति की कुल मात्रा कम फर्मों द्वारा ही उत्पन्न की जाय।"¹ दूसरे शब्दों में, "संमित प्रतियोगिता" "अपूर्ण प्रतियोगिता" से अच्छी है।

अपूर्ण प्रतियोगिता में अपव्यय

कुछ लेखकों का मत है कि अपूर्ण प्रतियोगिता में बड़ा अपव्यय (Waste) होता है। मीड ने अपव्यय के निम्नलिखित पाँच कारण बताये हैं :—(i) बिज्ञापन इत्यादि देश के दृष्टिकोण से अपव्यय ही कहा जायेगा। (ii) कभी-कभी श्रम अनुराग विचारयुक्त (Rational) नहीं होता, जिससे व्यर्थ का यातायात होता है। उदाहरणार्थ, आगरे के माल के लिए मद्रास में माँग हो सकती है और ठीक उसी प्रकार के मद्रास में उत्पन्न किये हुए माल की माँग आगरे में। ऐसी दशा में निश्चित है कि माल को आगरे से मद्रास ले जाने तथा मद्रास से लाने का कुल व्यय व्यर्थ ही है। (iii) किसी उद्योग की प्रत्येक फर्म उस वस्तु के उत्पादन पर नहीं, रुक जाती, जिसमें उसे अधिकतम कुशलता प्राप्त होती है। इससे देश के आर्थिक साधनों का व्यर्थ ही अपव्यय होता है। (iv) अकुशल फर्मों द्वारा उत्पत्ति होने पर तथा वस्तु का प्रमाणीकरण न होने से राष्ट्र की हानि होती है। (v) इसमें माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बहुधा अनावश्यक रूप में दुहरा यातायात होता है।

अल्पाधिकार तथा द्वि-अल्पाधिकार (Oligopoly and Duopoly)

अल्पाधिकार एवं द्वि-अल्पाधिकार से आशय—

अल्पाधिकार की स्थिति वह स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु के कुछ थोड़े से ही

1 "Under conditions of imperfect competition, the most efficient conditions of production can be obtained only when the total quantity of output is produced by a small number of firms."—Mehta : *An Introduction to Economic Analysis and Policy*, American edition, p. 164.

विक्रेता होते हैं। एकाधिकार में तो केवल एक ही विक्रेता होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या बहुत बड़ी होती है और अपूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या सीमित होते हुए भी बड़ी होती है, परन्तु अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या बहुत कम होती है। [ठीक इसी प्रकार, फ़ेता अल्पाधिकार (Oligopsony) वह स्थिति होती है जिसमें ग्राहकों की संख्या बहुत थोड़ी-सी होती है।]

द्वि-अल्पाधिकार वह स्थिति होती है जिसमें विक्रेताओं की संख्या दो होती है। एकाधिकार में तो बाजार में वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है, परन्तु द्वि-अल्पाधिकार में एक ही साध बाजार में वस्तु के दो विक्रेता होते हैं। [ठीक इसी प्रकार, द्वि-क्रेता-अल्पाधिकार (Duopsony) में वस्तु के क्रेताओं (अथवा ग्राहकों) की संख्या दो होती है।] अब हमें यह देखना है कि इन विविष्ट दशाओं में कीमत का निर्धारण किस प्रकार होगा।

द्वि-अल्पाधिकार में मूल्य-निर्धारण—

द्वि-अल्पाधिकार में दो अल्पाधिकारी होते हैं, जिनके सम्बन्ध में दो अलग-अलग प्रकार की स्थितियाँ हो सकती हैं :—(१) दोनों विक्रेता विल्कुल एक-सी ही वस्तु को बेचें, तथा (२) दोनों के द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं में अन्तर हो अर्थात् दोनों के बीच उपज विभेद (Product Differentiation) हो। इन दोनों स्थितियों में कीमत का निर्धारण अलग-अलग प्रकार होगा।

(१) उपज-विभेद की अनुपस्थिति में—यदि हम ऐसे द्वि-अल्पाधिकार को लेते हैं जिसमें उपज-विभेद नहीं है, तो दो प्रकार की सम्भावनाएँ हो सकती हैं :—(१) या तो दोनों अल्पाधिकारी मिल कर काम करें, ताकि प्रतियोगिता न होने पावे, या (२) दोनों एक दूसरे से खुल के प्रतियोगिता करें।

जब वे मिलकर काम करते हैं, साधारणतया बाजार को आपस में बाँट लेते हैं तथा कीमत और उत्पादन की मात्रा के सम्बन्ध में कोई समझौता कर लेते हैं। बाजार में बँटवारे के कारण प्रत्येक एकाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में एकाधिकारी बन जाता है। अतः कीमत का निर्धारण एकाधिकारी नियमों पर होता है।

यदि दोनों एक दूसरे से खुली प्रतियोगिता करते हैं, तो यह सम्भव है कि एक दूसरे से कम दामों पर बेचने को प्रयत्न करें। ऐसी दशा में, यदि दोनों के व्यय की रेखा एक जैसी है तो, दीर्घकाल के लामों को अधिकतम करने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों एक ही कीमत रखें जो ऐसी हो जैसी कि उस दशा में होती जबकि बाजार में एक ही अधिकारी होता। परन्तु यदि दोनों एक दूसरे से कम कीमत पर बेचने का प्रयत्न करते हैं, तो दीर्घकाल में कीमत उस बिन्दु पर निश्चित होगी जहाँ प्रत्येक को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त हो (पूर्ण प्रतियोगिता की भाँति)। यदि दोनों फर्मों के उत्पादन व्ययों में अन्तर है, तो कम व्यय वाली फर्म दूसरी को बाजार से निकाल देगी और अन्त में एकाधिकार स्थापित हो जायेगा।

द्वि-अल्पाधिकारियों के लिए अधिक श्रद्धा यही है कि एकाधिकारी कीमत निश्चित करे और बाजार को आपस में बाँट ले। परन्तु साधारणतया द्वि-अल्पाधिकार में दीर्घकालीन कीमत एकाधिकार तथा पूर्ण प्रतियोगिता के बीच कहीं रहनी है।

(२) उपज-विभेद होने पर—यदि दोनों अल्पाधिकारियों की उपजों में अन्तर है, तो प्रत्येक का अपना अलग-अलग बाजार होगा, पारस्परिक प्रतियोगिता का भय नहीं होगा और जिस फर्म की उपज अधिक उत्तम होगी वह अतिरिक्त लाभ कमायेगी।

अल्पाधिकार में मूल्य का निर्धारण—

अल्पाधिकार में भी मूल्य निर्धारण की समस्या द्वि-अल्पाधिकार के सदृश्य होती है।

अन्तर केवल इतना होता है कि फर्मों की संख्या जितनी ही अधिक होगी उतने ही उनके सीमान्त व्यय के अन्तर विशाल होंगे और उतनी ही उनके आपस में मिल जाने की सम्भावना कम होगी।

(१) यदि उपज-विभेद नहीं है, तो कीमत लगभग अनिर्धारणीय होगी, परन्तु सम्भावना यह होती है कि जितनी ही विभेताग्री की सरया होगी उतनी ही साधारणतया कीमत नीची होगी। यहाँ तक कि यदि संख्या बहुत अधिक हो जाये, तो कीमत पूर्ण प्रतियोगिता के स्तर पर पहुँच जायेगी।

(२) यदि विभिन्न फर्मों के बीच उपज-विभेद है, तो उनके बीच एकाधिकारी समझौते की सम्भावना और भी कम होगी। ठीक इसी प्रकार, आपस में प्रतियोगिता का भी कम अवकाश होगा। ऐसी दशा में या तो प्रत्येक विभेता एकाधिकारी होगा या आपसी प्रतिद्वन्द्विता के कारण एकाधिकारी प्रतियोगिता की दशाये उत्पन्न हो जायेगी और इस दशा में कीमत उसी प्रकार निश्चित होगी जिस प्रकार कि अपूर्ण प्रतियोगिता में निश्चित होती है।

अल्पाधिकार में कीमत की कुछ विशेषताये होती है, जिनका उल्लेख असंगत न होगा। ये विशेषताएँ निम्न हैं :—(i) कोई भी अल्पाधिकारी फर्म कीमत को नीची करके ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर सकती है, क्योंकि प्रतियोगिता अपूर्ण होती है। (ii) अल्पाधिकारी कीमत में स्थिरता अधिक होती है। माँग अथवा पूर्ति के परिवर्तनों का कीमत पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। (iii) व्यय के परिवर्तनों का भी कीमत अथवा उपज पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। “इस प्रकार, यह सम्भव है कि माँग तथा व्यय में बार-बार परिवर्तन होते रहें, परन्तु कीमत में या तो कोई परिवर्तन न हो अथवा बहुत ही कम परिवर्तन हो। हमारी अर्थ-व्यवस्था में कीमतों के कड़ेपन का एक कारण अल्पाधिकारों का पाया जाना ही है।”

परीक्षा प्रश्न :

१. 'अपूर्ण प्रतियोगिता' को समझाइये। अपूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत उत्पादित वस्तुओं की कीमत किन-किन बातों से निर्धारित होती है ?
२. अपूर्ण स्पर्धा तथा एकाधिकार का अन्तर समझाइये। एकाधिकार के अन्तर्गत मूल्य कैसे निर्धारित होता है ?

परस्पर सम्बन्धित मूल्यों की समस्या

(Problem of Inter-related Values)

प्रस्तावना—

सरलता के लिये हमने अभी तक यह मानकर मूल्य निर्धारण का अध्ययन किया है कि उत्पादक एक बार एक ही वस्तु उत्पन्न करता है, अथवा एक उपभोक्ता एक बार एक ही वस्तु का उपभोग करता है, अर्थात्, जब वस्तु की माँग अथवा पूर्ति का दूसरी वस्तुओं की माँग और पूर्ति से कोई भी सम्बन्ध नहीं है। किन्तु वास्तविक जीवन में सदा ऐसा ही नहीं होता। बहुधा देखा जाता है कि किसी वस्तु विशेष की माँग हमारे उपयोग की अन्य अनेक वस्तुओं की माँग से सम्बन्धित होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण उत्पत्ति के साधनों में मिलता है। 'श्रम' साधन की माँग अन्य साधनों (जैसे—बूँचा माल, पृथ्वी आदि) की माँग पर आधारित होता है। ठीक इसी प्रकार, कुछ वस्तुओं की पूर्ति भी एनाकी रूप में न होकर समुक्त रूप से होती है, अर्थात् एक वस्तु को उत्पन्न करने में दूसरी का उत्पन्न करना आवश्यक होता है। रई और बिनाला इसी प्रकार की वस्तुएँ हैं।

उक्त परस्पर सम्बन्धित वस्तुओं का मूल्य निर्धारण ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार कि साधारण वस्तुओं का। किन्तु फिर भी इनके मूल्य-निर्धारण में कुछ नई समस्याएँ उपस्थित होती हैं। उपभोक्ता तथा उत्पादक की दृष्टि से वस्तुओं में साधारणतया चार प्रकार के सम्बन्ध हो सकते हैं :—(I) संयुक्त माँग, (II) संयुक्त पूर्ति, (III) सम्मिलित अथवा प्रतिद्वन्द्वी माँग, और (IV) सम्मिलित अथवा प्रतिद्वन्द्वी पूर्ति। प्रस्तुत अध्याय में हम इस प्रकार के परस्पर सम्बन्धित मूल्य-निर्धारण का अलग-अलग तथा विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे।

'संयुक्त माँग' की वस्तुओं का मूल्य-निर्धारण

'संयुक्त माँग' से आशय—

वस्तुओं की 'संयुक्त माँग' (Joint Demand) उस दशा में होती है, जबकि किसी एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए दो या दो से अधिक वस्तुओं की एक ही साथ माँग होती है। उदाहरणस्वरूप, मोटर कार पर चढ़ने की आवश्यकता पूरी करने के लिये कार और पेट्रोल दोनों की ही एक साथ आवश्यकता पड़ती है। ठीक इसी प्रकार, लिखने के लिए कलम, स्पाही और कागज की एक ही साथ माँग होती है। किसी एक वस्तु (जैसे—बपड़े) का उत्पादन करने के लिए बहुत सारी वस्तुओं, (जैसे—रई, मशीन, मजदूर आदि) की एक ही साथ आवश्यकता होती है। जिन वस्तुओं की माँग संयुक्त होती है, उन्हें 'पूरक वस्तुएँ' (Complementary Goods) भी कहते हैं।

संयुक्त माँग एवं व्युत्पन्न माँग—

उत्पत्ति-साधनों के लिये माँग किसी अन्तिम वस्तु के उत्पादन हेतु (जैसे—मदानों के निर्माण के लिए श्रम, ईट, लूना, सीमेंट इत्यादि) एक ही साथ होती है, जिस कारण उनके लिए माँग 'संयुक्त माँग' हुई, किन्तु साथ ही 'व्युत्पन्न माँग' (derived demand) भी होती है, क्योंकि

वह अप्रत्यक्ष रूप में (अर्थात् अन्तिम वस्तु—मकान—की प्रत्यक्ष मांग के कारण) उत्पन्न हुई है। ऐसी मांग को हम 'व्युत्पन्न संयुक्त मांग' (Derived Joint Demand) कहते हैं।

यद्यपि संयुक्त मांग प्रायः व्युत्पन्न मांग (या निकाली हुई मांग) से सम्बन्धित होनी है तथापि इन दोनों में अनुगमन (Succession) और समसामयिकता (Simultaneity) की दृष्टि से अन्तर है। अन्य शब्दों में, जबकि व्युत्पन्न मांग उत्पादन की उत्तरोत्तर प्रवस्थाओं (Successive stages) को बनाती है, संयुक्त मांग किसी एक विशेष प्रवस्था को।

संयुक्त मांग की वस्तुओं के सम्बन्ध में कठिनाई—

संयुक्त मांग वाली वस्तुओं की विशेषता यह है कि जबकि प्रत्येक का उत्पादन व्यय (औसत तथा सीमान्त) पृथक् पृथक् ज्ञात होता है, प्रत्येक की सीमान्त उपयोगिता अलग-अलग ज्ञात नहीं होती है। उदाहरणस्वरूप, यदि फाउण्टेनपैन और स्पाही की संयुक्त मांग है, तो दोनों का अलग-अलग उत्पादन व्यय ज्ञात होने के आघार पर उनकी पूर्ति की रकमाओं को तो अलग-अलग खींचा जा सकता है, परन्तु दोनों की मांग की रकमा एक ही होगी। कितनी उपयोगिता कम से मिलती है और कितनी स्पाही से, इसका निर्णय थोड़ी कठिनाई से होता है।

पृथक् उपयोगिता ज्ञात करने का उपाय—

किन्तु, सीमान्त विवेचना (Marginal analysis) द्वारा यह निर्णय सरल हो जाता है। इसके लिये संयुक्त मांग की वस्तुओं के मयों में परिवर्तन करना पड़ता है। यदि हम पैन और स्पाही के एक मयों को लेते हैं, जिसकी कुल उपयोगिता हमें ज्ञात है, तो बाद में स्पाही की मात्रा को यथास्थिर रखकर और पैन की मात्रा को एक इकाई से बढ़ाकर हम पैन की सीमान्त उपयोगिता का पता लगा सकते हैं। मान लीजिए कि ४ पैन और ६ स्पाही की बातलों की संयुक्त उपयोगिता ५० है, अब यदि ५ पैन ६ स्पाही की बातलों की संयुक्त उपयोगिता ६० है, तो इसका अर्थ यह होता है कि एक पैन के बढ़ाने से कुल उपयोगिता में १० की वृद्धि हुई, अतः पैन की सीमान्त उपयोगिता १० है।

एक अन्य उदाहरण से यह बात और भी स्पष्ट हो जायगी। मान लीजिए कि १०० विषण्टल कच्चे माल, ५० श्रमिक, ४ हजार रुपया पूँजी तथा साहम की एक निश्चिन्त मात्रा के फलस्वरूप जो कुल उत्पत्ति होती है, उसका मूल्य ४ हजार रुपया है। अब, यदि हम और मशीनों की यथास्थिर रखकर श्रमिकों की संख्या को ५१ कर देते हैं और इसके फलस्वरूप कुल उपज बढ़ती है एवं ४,०२० रुपये में बिकती है, तो स्पष्ट है कि २० रुपये के बराबर वृद्धि ५१वें श्रमिक के कारण हुई है। अतः यहाँ पर श्रमिक की सीमान्त उपयोगिता की माप २० रुपये हुई। इस प्रकार संयुक्त मांग की वस्तुओं के अनुपात को बदल कर हम प्रत्येक की सीमान्त उपयोगिता जान सकते हैं।

इसके परवान् मूल्य निर्धारण में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमें प्रत्येक का उत्पादन व्यय (अथवा पूर्ति की वक्र रेखा) ज्ञात है और प्रत्येक की उपयोगिता (अथवा मांग की रेखाओं) भी। साम्य की दृष्टि में मूल्य का निर्धारण वहीं पर होता है जहाँ कि मांग और पूर्ति की रेखाएँ एक दूसरे को काटे।

संयुक्त वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में कठिनाई तब उदय होती है जबकि टेक्निकल कारणों से संयुक्त मांग वाले उत्पादन-साधनों के मयों के अनुपात को बदला न जा सकता हो। ऐसी दृष्टि में साधनों की पृथक्-पृथक् सीमान्त उपयोगिता (अथवा सीमान्त उत्पादना) ज्ञात न की जा सकेगी और इसलिए मांग रेखा को भी न खींचा जा सकेगा।

मार्शल का व्युत्पादित मांग का नियम—

मार्शल का विचार कि यद्यपि उत्पत्ति के साधनों के लिये मांग 'संयुक्त' होती है, तथापि जिस प्रमुख वस्तु के उत्पादन के लिए उत्पत्ति के साधनों की मांग की जाती है, उसकी मांग तो 'प्रत्यक्ष' है किन्तु साधनों की मांग 'परोक्ष' अथवा 'व्युत्पादित' (Derived Demand) होती है, क्योंकि इसे प्रमुख वस्तु की मांग निश्चित करती है।

मार्शल ने व्युत्पादित मांग की विवेचना करने में मकान बनाने के उद्योग का उदाहरण लिया है। मकानों की प्रत्यक्ष मांग के फलस्वरूप सब प्रकार के मकान-उद्योग सम्बन्धी मजदूरी, ईंट, पत्थर, लकड़ी इत्यादि के लिए संयुक्त मांग उत्पन्न होती है। इनमें से किसी एक की मांग (उदाहरणार्थ प्लास्टर करने वालों की मांग) व्युत्पादित होगी। मार्शल ने परोक्ष या व्युत्पादित मांग के नियम को इस प्रकार स्पष्ट किया है—“किसी वस्तु के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली किसी चीज के लिए जो धाम दिये जायेंगे वह (वस्तु की धलतल-धलतल मात्रा के अनुसार) उस मूल्य से, जिस पर कि उत्पादन के लिए आध्यात्मिक अन्य चीजें मिल सकती हैं, उस मूल्य के आधिपत्य द्वारा, जिस पर कि उत्पादित वस्तु बेची जा सकती है, सूचित होते हैं।”¹ दूसरे शब्दों में, अन्य चीजों को यथास्थिर रख कर किसी एक की मात्रा में थोड़ी-सी वृद्धि कर देने से कुल धाय में जो वृद्धि होती है, वही उस चीज के मूल्य को सूचित करती है, जिसमें हमने वृद्धि की थी। मतः मार्शल के नियम तथा ऊपर दी हुई विवेचना में कोई महत्त्वपूर्ण अन्तर नहीं है।

क्या एक साधन की कीमत बहुत ऊँची हो सकती है? इसके पश्चात् मार्शल ने उन दशाओं की विवेचना की है, जिनके अन्तर्गत उत्पत्ति के किसी एक साधन की पूर्ण सीमित हो जाने से उसकी कीमत बहुत ऊँची हो जाती है। ये दशाएँ निम्नलिखित हैं :—(१) ऐसा साधन पूर्णतया या अथवा बेलोच होना चाहिए और उसके अन्धे स्थानापन्न नहीं होने चाहिए। (२) जिस वस्तु की उत्पत्ति के लिए साधन की आवश्यकता है उसकी मांग तीव्र तथा बेलोच होनी चाहिए, अर्थात् उसके भी अन्धे स्थानापन्न नहीं होने चाहिए। (३) उस साधन की कीमत वस्तु विशेष के कुल उत्पादन व्यय का एक बहुत छोटा भाग होनी चाहिए, ताकि उस साधन की कीमत में वृद्धि होने पर भी कुल उत्पादन व्यय में कोई महत्त्वपूर्ण वृद्धि न हो सके। (४) अन्य साधनों की मांग में थोड़ी भी कमी हो जाने से उनकी कीमत में अधिक कमी होनी चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि साधन विशेष को अधिक पारितोषण मिलने की मुविधा तथा सम्भावना बढ़ जायेगी।²

हैंडरसन का मत—

उत्पत्ति के साधनों के विषय में हैंडरसन का कथन है कि, “सीमान्त उपयोगिता तथा मूल्य का सम्बन्ध उत्पत्ति के साधनों में भी उसी प्रकार विद्यमान है जैसे कि अन्य वस्तुओं में।” भूमि का लगान, श्रम की मजदूरी और (हम यह भी जोड़ सकते हैं कि) पूँजी का लाभ उन सबकी प्रवृत्ति अपनी (व्युत्पादित) सीमान्त उपयोगिता अथवा शुद्ध सीमान्त उपज (Marginal

¹ “The price that will be offered for anything used in producing a commodity is, for each separate amount of a commodity, limited by the excess of the price at which that amount of the commodity can find purchasers, over the sum of the price at which the corresponding supplies of other things needed for making it will be ‘forthcoming’”—Marshall · *Principles of Economics*, p 383.

² *Ibid*, pp. 385-86.

Net Product) के बराबर रहने की होती है। आगे चलकर उन्होंने लिखा है—“हम उत्पत्ति-साधनों के विभिन्न संयोग ले सकते हैं और उन दशाओं की तुलना कर सकते हैं, जिनमें एक साधन की भिन्न मात्राएँ उपयोग की जाती हैं, जबकि अन्य साधनों की मात्राएँ बराबर रखी जाती हैं। परिवर्तनशील साधन की अधिक मात्रा उपयोग करने से जो अतिरिक्त उपज प्राप्त होती है, उसे उस साधन की सीमान्त उपयोगिता कहा जा सकता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि इस साधन का उपयोग उस बिन्दु तक बढ़ाया जायेगा, जहाँ पर यह सीमान्त उपज उस कीमत के लगभग बराबर होगी जो कि उस साधन के लिए दी जानी चाहिए।”¹

संयुक्त पूर्ति वाली वस्तु का मूल्य निर्धारण करना

संयुक्त पूर्ति से आशय—

कुछ वस्तुयें ऐसी होती हैं जिनकी उत्पत्ति एक साथ ही हो सकती है, अलग-अलग नहीं। मार्शल के अनुसार, “संयुक्त पूर्ति उन वस्तुओं की होती है, जो सरलतापूर्वक अलग-अलग उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं तथा जिनकी उत्पत्ति का आदि स्रोत एक ही होता है।”² जैसे—भेड़ का गोشت, खाल और ऊन, गेहूँ और भूसा, कोयला और कोयला की गैस, रुई और बिनोला इत्यादि। ऐसी वस्तुओं की प्रमुख विशेषता यह होती है कि दूसरी को उत्पन्न किये बिना एक की उत्पत्ति होनी ही नहीं है और बहुधा यह देखने में आता है कि किसी एक को एक निश्चित मात्रा में उत्पन्न करने से दूसरी भी निश्चित मात्रा में उत्पन्न हो जाती है।

सीमान्त विवेचना के उपयोग की कठिनाई—

संयुक्त माँग तथा संयुक्त पूर्ति की दशाओं में एक बड़े प्रश्न तक समानता है। जिस प्रकार संयुक्त माँग की दशा में उपयोगिता संयुक्त रूप से ज्ञात होती है, उसी प्रकार संयुक्त पूर्ति की दशा में संयुक्त उत्पादन व्यय ज्ञात होता है। सीमान्त विवेचना की सहायता से यहाँ भी हम संयुक्त पूर्ति की प्रत्येक वस्तु का अलग-अलग सीमान्त उत्पादन व्यय निकाल सकते हैं। इस दिशा में एक कठिनाई है—यदि संयुक्त पूर्ति की प्राधिकंश वस्तुओं के उत्पादन सम्बन्धी पारस्परिक अनुपात को बदला जा सकता है, जिस कारण उन पर सीमान्त विवेचना लागू हो सकती है, परन्तु कुछ वस्तुयें ऐसी भी हैं कि जिनका पारस्परिक अनुपात हम उक्त प्रकार बदल नहीं सकते, जिससे उन पर सीमान्त विवेचना का उपयोग सम्भव नहीं होता, अतः संयुक्त पूर्ति के घन्तगत हम दोनों प्रकार की दशाओं का अध्ययन करेंगे।

अनुपात बदले जा सकने की दशा में मूल्य निर्धारण—

संयुक्त पूर्ति वाली प्रत्येक वस्तु के लिए माँग-मूल्य और माँग-रेखाएँ अलग-अलग ज्ञात होनी हैं। किन्तु, यद्यपि संयुक्त उत्पादन व्यय का तो बोध होता है, तथापि प्रत्येक वस्तु का अलग-अलग उत्पादन व्यय ज्ञात नहीं होता। यदि संयुक्त पूर्ति की वस्तुयें (उदाहरणस्वरूप, भेड़ का मांस और ऊन) ऐसी हैं कि उनके अनुपात को बदला जा सकता है, तो प्रत्येक का अलग-अलग सीमान्त उत्पादन व्यय सरलता से ज्ञात हो जायेगा। मान लीजिए कि पहले ‘अ’ नसल की भेड़ों को लिया जाता है, जिसकी १ भेड़ से ८ इकाईं गोश्त और ६ इकाईं ऊन मिलती है। मान लीजिए कि इस भेड़ की कीमत १२ रुपये है। अब हम ‘ब’ नसल की भेड़ को लेते हैं, जिससे ७ इकाईं गोश्त और ६ इकाईं ऊन मिलती है तथा जिसकी कीमत १० रुपये है। अतः

¹ Henderson : *Supply and Demand*, p. 70

² “Commodities are in joint supply when they cannot easily be produced separately and owe their production to the same fundamental source.”

—Marshall : *Principles of Economics*, p. 88.

१ इकाई गोश्त का सीमान्त व्यय २ रुपया होगा। ठीक इसी प्रकार हम एक इकाई ऊन का भी सीमान्त व्यय निकाल सकते हैं। इसके पश्चात् मूल्य निर्धारण की समस्या सरल होगी, क्योंकि दोनों माँग और पूर्ति-रेखाएँ सरलता से खींची जा सकेंगी।

अनुपात बदले न जा सकने की दशा में मूल्य निर्धारण—

यदि अनुपात को नहीं बदला जा सकता है, तो समस्या का रूप दूसरा ही होगा। यहाँ पर सीमान्त विवेचना काम नहीं आ सकेगी। हम पहले ही बता चुके हैं कि लगभग सभी प्रकार की कपास में से रई और बिनीले एक ही अनुपात में निकलते हैं। यह सम्भव नहीं है कि दो अलग-अलग प्रकार की कपास लेकर रई और बिनीले का पृथक्-पृथक् उत्पादन व्यय निकाला जा सके। ऐसी दशा में अलग अलग मूल्य किस प्रकार निश्चित होगा ?

(अ) अल्पकालीन मूल्य—ऐसी वस्तुओं के अल्पकालीन मूल्य के निर्धारण में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती। अल्पकाल में माँग और पूर्ति की सामान्य दशा के द्वारा सयुक्त उपज का मूल्य निर्धारित होता है। अल्पकालीन मूल्य निर्धारण में पूर्ति निष्क्रिय होती है, क्योंकि वह स्थिर होती है। इसके विपरीत, माँग सन्धिय होती है और माँग की तीव्रता के अनुसार ही दाम निश्चित होते हैं—माँग के अधिक होने की दशा में मूल्य अधिक होगा और कम होने की दशा में कम। अल्पकाल में माँग की स्थिति के अनुसार उत्पादक को लाभ भी हो सकता है और हानि भी। विज्ञेता को बहुधा दो प्रकार का व्यय करना होता है—वस्तु के निर्माण का व्यय और वस्तु को विक्री के लिए तैयार करने का व्यय। इसमें वस्तु को बाजार तक लाने का यातायात व्यय, इत्यादि सम्मिलित होते हैं। अल्पकाल में माँग के बहुत गिर जाने के कारण मूल्य इतना घट सकता है कि उत्पादक को उत्पादन या निर्माण व्यय का कोई भी भाग न मिल सके, परन्तु उसे कम से कम विक्री व्यय वसूल होना चाहिए, अन्यथा वह वस्तु को बाजार तक लाने का बर्त नही करेगा। उपज को फेंक देना ही उसके हित में होगा।

(ब) दीर्घकालीन मूल्य—दीर्घकालीन मूल्य-निर्धारण इतना सरल नहीं है। दीर्घकाल में पूर्ति और माँग दोनों का ही समान महत्त्व होता है और मूल्य अन्त में सीमान्त उत्पादन व्यय द्वारा निश्चित होता है। यहाँ मूल्य के निर्धारण में कठिनाई होती है। रई और बिनीले का अलग-अलग सीमान्त व्यय निश्चित नहीं हो सकता। इस सम्बन्ध में कुछ मोटी-मोटी बातें इस प्रकार कही जा सकती हैं¹—(१) रई और बिनीला दोनों का कुल मूल्य दोनों के सयुक्त औसत व्यय के बराबर होना चाहिए। मूल्य इससे कम या अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतियोगिता में मूल्य औसत उत्पादन व्यय के बराबर होता है। रई और बिनीले दोनों को बेचकर प्राप्त होने वाले मूल्य का कपास के उत्पादन व्यय के बराबर होना आवश्यक है। (२) किसी भी एक वस्तु का सामान्य मूल्य सयुक्त उत्पादन व्यय से अधिक नहीं हो सकता। एकैली रई की कीमत कपास उत्पन्न करने और रई निकालने के व्यय से अधिक नहीं होगी, क्योंकि यदि हम यह भी मान लें कि बिनीले का कुछ भी मूल्य नहीं है और उसे फेंक ही दिया जाता है, तब भी केवल रई बेचकर कुल कपास की लागत वसूल की जा सकती है। (३) सयुक्त उपज का कम से कम मूल्य उसे विक्री के लिए तैयार करने के प्रत्यक्ष व्यय (Direct Cost of Processing) से कम नहीं होगा। अन्यथा जिस वस्तु से वह तैयार की जाती है, वह फेंक दी जायेगी। उदाहरणस्वरूप, यदि बिनीले के तेल से उतना भी मूल्य वसूल नहीं होता जितना कि बिनीले से तेल निकालने पर व्यय किया गया है, तो तेल निकाला ही नहीं जायगा।


¹ *Fundamentals of Economics* edited by J. K. Mehta, pp. 397-98, 2nd edition.

इस प्रकार हम देखते हैं कि संयुक्त उपज की कम से कम तथा अधिक से अधिक कीमत पता लगाई जा सकती है और वास्तविक मूल्य इन दोनों के बीच में किसी स्थान पर रहेगा ।

रेखाचित्र द्वारा स्पष्टीकरण—

मार्शल ने संयुक्त उपज की वस्तुओं के मूल्य निर्धारण को रेखाचित्र द्वारा समझाया है, जिसमें उन्होंने गोश्त और चमड़े के उदाहरण को लिया है, जबकि परिस्थिति इस प्रकार है कि गोश्त और चमड़े के अनुपात को बदला नहीं जा सकता । मार्शल की विवेचना को हम रूई और विनोले पर भी लागू कर सकते हैं ।

साप के चित्र में P_1 कपास की कुल उत्पादन ध्यय की रेखा है । D_1 रूई की माँग की रेखा है । हम यह मान लेते हैं कि रूई और विनोले का अनुपात निश्चित है और बदला नहीं जा सकता । प्रक अक्ष पर 'म' कोई एक बिन्दु है, म से म ख रेखा प्र ख के समानान्तर खींची गई है, जो D_1 को घ बिन्दु पर काटती है, फिर म ख रेखा को घ बिन्दु तक बढ़ाया गया है । निश्चित है कि घ म मूल्य पर रूई की प्र म मात्रा की माँग होती है । मान लीजिए कि घ घ विनोले की प्र म इकाइयों की माँग का मूल्य है । D_2 रेखा



घ का बिन्दु-गण (Locus) है । स्वाभाविक है कि घ म कपास की प्र म मात्रा का मूल्य होगा । इस प्रकार D_2 संयुक्त माँग की रेखा है । D_2 रेखा P_2 रेखा को ल बिन्दु पर काटती है । ल से प्र क पर स र सम्बन्ध सीखा गया है, जो D_1 रेखा को ट बिन्दु पर काटता है । इस दिशा में कपास की प्र र इकाइयों उत्पादन की जाती हैं और स र कीमत पर विकती हैं । साम्य की दशा में ट र इस कपास से निकाली हुई रूई की कीमत होगी और ल ट उसी से निकाले हुए विनोले की । इस प्रकार रूई और विनोले की अलग-अलग कीमत निश्चित हो जाती है ।¹

दिना थोड़े से गणित ज्ञान के मार्शल की विवेचना को समझना कठिन है । स S_2 रेखा स्पष्टीकरण के लिए खींची गई है । P_2 और घ म एक दूसरी को घ बिन्दु पर काटती है । घ क, घ म के बराबर है । ऐसी दशा में क बिन्दु रूई की व्युत्पादित पूर्ति-रेखा (Derived Supply Curve) पर होगा । इस प्रकार स S_1 रूई की पूर्ति की रेखा होगी और जहाँ पर रूई की माँग और पूर्ति की रेखाएँ एक दूसरी को काटती हैं, वही पर मूल्य निश्चित होगा । इस प्रकार साम्य में रूई का मूल्य ट र ही होगा ।

संयुक्त पूर्ति में एक वस्तु की माँग बढ़ने का प्रभाव—

संयुक्त उपज की एक वस्तु की माँग के बढ़ने का दूसरी वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है ? उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि रूई की माँग बढ़ जाती है । ऐसी दशा में रूई के दाम बढ़ जायेंगे और यदि यह अवस्था कुछ समय तक बनी रहती है, तो रूई की उत्पत्ति भी

¹ Marshall : Principles of Economics, p. 389. Also Mathematical Note XVIII, p. 854.

बढ़ जायगी, परन्तु स्मरण रहे कि साथ ही साथ विनीले की उत्पत्ति भी बढ़ जायगी। ऐसी दशा में तीन प्रकार की सम्भावनायें हो सकती हैं—(i) या तो विनीले की माँग भी बढ़ जाय, (ii) या विनीले की माँग वही बनी रहे, (iii) या विनीले की माँग पहले से भी कम हो जाय। पहली दशा में सम्भव है कि विनीले की बढ़ी हुई मात्रा की पहली ही कीमत पर खपत हो जाय, दूसरी दशा में पूर्ति के माँग से अधिक हो जाने के कारण विनीले के दाम गिरेंगे, और तीसरी दशा में तो वे और भी तेजी से गिरेंगे।

सम्मिलित माँग की दशा में मूल्य निर्धारण

सम्मिलित माँग से आशय—

यदि किसी वस्तु के अनेक उपयोग हो सकते हैं, अर्थात् यदि उसकी माँग विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए होती है, तो ऐसी वस्तु की माँग को 'सम्मिलित' अथवा "प्रतिद्वन्दी माँग" (Composite or Rival demand) कहते हैं। उदाहरणस्वरूप, लोहा मकान बनाने, औजार बनाने, पुल बनाने आदि अनेक कामों में आ सकता है। इसी प्रकार, कोयला रेल चलाने में, घर की रसोई तथा फ़ैक्टरी की भट्टी में काम आता है। एक मजदूर की माँग विभिन्न उद्देश्यों के लिए हो सकती है। विभिन्न उपयोग प्रतिद्वन्दी होते हैं। कभी-कभी तो सम्मिलित माँग की वस्तुओं को 'प्रतियोगी व्यय की वस्तुओं' (Competing Cost Goods) भी कहा जा सकता है।

मूल्य के निर्धारण की विधि—

ऐसी वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं होती है। प्रतिस्थापना नियम के अनुसार दीर्घकाल में प्रत्येक उपयोग में सीमान्त उपयोगिता बराबर होती है या लगभग बराबर होती है। यदि किसी एक उद्योग के लिए माँग अधिक हो जाती है, तो उस उपयोग में माँग बढ़ने के कारण दाम भी ऊँचे हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप वस्तु की अधिक मात्राएँ इस उपयोग के लिए आने लगती हैं। अन्य उपयोगों में पूर्ति कम हो जाने के कारण दाम बढ़ जाते हैं। इस प्रकार, विभिन्न उपयोगों में वस्तु के वितरण की स्थिति बदल जाती है। अतः पता चलता है कि साम्य में वस्तु का मूल्य उसके प्रत्येक उपयोग की सीमान्त उपयोगिता के बराबर होता है और यह उपयोगिता सभी उपयोगों में समान होती है।

सम्मिलित पूर्ति की दशा में मूल्य निर्धारण

प्रतिद्वन्दी पूर्ति से आशय—

जब किसी वस्तु की माँग विभिन्न साधनों द्वारा पूरी की जा सकती है तो उसकी पूर्ति को हम 'सम्मिलित पूर्ति' (Composite or rival supply) कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब किसी वस्तु के इस प्रकार के स्वानापन होते हैं कि वे वस्तु विशेष के स्थान पर उसकी आवश्यकता को पूरा कर सकें, तो वह वस्तु 'सम्मिलित पूर्ति' में होती है। कहना, चाय के स्थान पर उपयोग में लाया जा सकता है। गेहूँ के स्थान पर चावल अथवा जौ या चने को काम में लाया जाता है। ठीक, इसी प्रकार, विजली के स्थान पर मिट्टी के तैल का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी वस्तुओं में एक विशेष प्रकार का सम्बन्ध होता है। यदि इनमें से किसी एक की पूर्ति बढ़ जाये (जिससे उसकी कीमत गिरे), तो उस वस्तु का उपयोग बढ़ जायेगा और इसके फलस्वरूप सम्मिलित पूर्ति की अन्य वस्तुओं की माँग घट जायगी और उनके भी दाम गिर जायेंगे। ऐसी वस्तुओं को ही हम प्रतियोगी वस्तुएँ कहते हैं।

मूल्य निर्धारण की रीति—

जिन वस्तुओं की परस्पर प्रतिस्थापना हो जाती है, उनकी भी पूर्ति सम्मिलित होती है। यहाँ मूल्य की समस्या सरलतापूर्वक हल हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु की अलग-अलग उपयोगिता ज्ञात की जा सकती है और प्रत्येक का अलग-अलग उत्पादन व्यय भी ज्ञात

होता है। मूल्य वही पर निश्चित होता है जहाँ पर वह सीमान्त उत्पादन व्यय के बराबर हो। कि जो वस्तुयों एक दूसरे का स्थानापन्न हो सकती हैं वे या तो एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न (Perfect Substitutes) हो सकती हैं या अपूर्ण स्थानापन्न। पूर्ण स्थानापन्न होने की दशा में प्रत्येक सम्मिलित पूर्ति की वस्तु की सीमान्त उपयोगिता समान होगी और प्रत्येक का सीमान्त उत्पादन व्यय सीमान्त उपयोगिता के बराबर होगा। किन्तु यदि ये वस्तुयें परस्पर पूर्ण स्थानापन्न नहीं हैं, तो सबकी सीमान्त उपयोगिताएँ समान नहीं होगी। ऐसी दशा में सबके मूल्य समान नहीं होंगे। परन्तु ऐसी सभी वस्तुओं के मूल्यों में एक ही साथ तथा एक ही दिशा के परिवर्तन होने की प्रवृत्ति पाई जावेगी।

रत्ने में संयुक्त व्यय—

रत्ने उद्योग संयुक्त पूति का एक महत्त्वपूर्ण किन्तु विशेष प्रकार का उदाहरण है। हम देखते हैं कि रत्ने यात्रियाँ भी ले जाती हैं और माल को भी। फिर यात्रियों को कई श्रेणियों में बाँटा जाता है। इसी प्रकार, गाड़ियाँ भी कई प्रकार की होती हैं, कुछ तेज और कुछ कम तेज इत्यादि। बहुधा विभिन्न प्रकार की रत्ने सेवाओं की संयुक्त उत्पत्ति होती है, किन्तु प्रत्येक के व्यय का अलग-अलग पता नहीं लगाया जा सकता। कारण, रेलों में अनुपूरक व्यय (जैसे—जमीन खरीदने, पटरी डालने, स्टेशन बनाने इत्यादि का व्यय) बहुत होता है। अब एक बार डाली हुई पटरी पर हम सवारी गाड़ी और मालगाड़ी एक साथ चला सकते हैं, परन्तु यह कहना कठिन होगा कि इस प्रकार के कुल व्यय का कितना हिस्सा सवारियों ले जाने से सम्बन्धित है और कितना माल लेने से ?

साधारणतया रत्नों का किराया निश्चित करने के दो सिद्धान्त होते हैं :—(I) सेवा के व्यय का सिद्धान्त (Cost of Service Principle) और (II) सेवा का मूल्य सिद्धान्त (Value of Service Principle)।

पहले सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक सेवा का मूल्य उतना ही रखा जाता है, जितना कि उस पर व्यय होना है। किन्तु जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, प्रत्येक दशा का अलग व्यय निश्चित करना कठिन होता है, इसलिए कुछ दशाओं को छोड़ कर रेल का किराया इस आधार पर निश्चित नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए, यदि कुछ गाड़ियों में कोई विशेष मुविधा दी जाये (जैसे—तेज रफार की), तो भाड़े में अवश्य ही अनिश्चित सेवा पर किये हुए व्यय के अनुसार अन्तर होता है।

किन्तु रत्ने उद्योग में प्रत्येक सेवा के लिए अलग-अलग व्यय जात न होने के कारण रेल भाड़ा सेवा के मूल्य के सिद्धान्त पर नियत किया जाता है। यहाँ पर नियम यह है कि "यात्रायात कितना सहन कर सकता है" (What the traffic can bear) ? किसी सेवा विशेष या लाइन विशेष से जितना किराया बसूल किया जा सके, उन्ही के अनुसार भाड़ा रखा जाता है।

दुर्लभ वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण

समार में बहुत-सी वस्तुएँ इस प्रकार की हैं कि उनको प्रत्युत्पादन (Reproduce) नहीं किया जा सकता। ऐसी वस्तुएँ विरल अथवा अमूल्य होती हैं। साधारणतया यदि किसी वस्तु की माँग बढ़ेगी है, तो बीपंचाल में अधिक उत्पत्ति हो जाने के कारण पूति भी बढ़ जाती है। परन्तु दुर्लभ वस्तुओं की विशेषता यह है कि उनको पूति कभी नहीं बढ़ती। पुराने चित्रकारों के बनाए हुए चित्र, पुरानी पुस्तकें तथा हस्तलिपियाँ इत्यादि इसी प्रकार की वस्तुएँ हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसी वस्तुओं का मूल्य किस प्रकार निश्चित होता है ? ऐसी वस्तुओं के प्रत्युत्पादन व्यय का तो पता लग नहीं सकता। अतः इन वस्तुओं का मूल्य प्रायः माँग की तीव्रता पर निर्भर होता है। पूति यथास्थिर रहती है और इसलिए मूल्य की दशा अन्वयालीन मूल्य के समान होती है।

परोक्षा प्रश्न :

1. संयुक्त एवं मिश्रित पूति में भेद कीजिये। संयुक्त पूति के अन्तर्गत मूल्य कैसे निर्धारित होता है ?
2. संयुक्त माँग वाली वस्तुओं का मूल्य कैसे निर्धारित होता है ? एक संयुक्त माँग वाली वस्तु अपने साथ की अन्य वस्तुओं की तुलना में ऊँचा मूल्य कब प्राप्त कर सकती है ?

परिकल्पना, सट्टा या फाटका (Speculation)

प्रारम्भिक—सट्टा और जुआ में भेद

साधारण बोल-चाल में सट्टा और जुआ बहुधा एक ही अर्थ में उपयोग किये जाते हैं। एक अर्थ तक दोनों में समानता भी है। जैसे—दोनों में ही अनिश्चितता के आधार पर कार्य किया जाता है और लाभ और हानि दोनों की समान सम्भावना रहती है। जितना ही अनिश्चितता का अनुमान सही होता है, उतनी ही लाभ की सम्भावना अधिक रहती है और यदि इस प्रकार का अनुमान गलत होता है, तो हानि होती है। सम्भावना सिद्धान्त (Theory of Probability) जिस अर्थ तक जुए पर उसी अर्थ तक सट्टे पर भी लागू होता है।

किन्तु दोनों में कुछ महत्वपूर्ण भेद भी हैं—(१) जब कि जुआ किसी भी प्रकार की अनिश्चितता के विषय में हो सकता है, सट्टा केवल भविष्य की आर्थिक अनिश्चितता पर आधारित होता है। (२) जबकि जुआ लगभग मदा ही हानिकारक होता है, सट्टे के कुछ आर्थिक और सामाजिक लाभ भी हैं। लगभग सभी प्रकार का जुआ सामाजिक दृष्टि से अनुचित होता है और इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कुछ प्रकार का सट्टा भी हानिकारक ही है, परन्तु सभी देशों में विशेष प्रकार के सट्टे को उचित तथा वैध बताया है।

सट्टे का अर्थ

सट्टे में वे सभी कार्य सम्मिलित किये जाते हैं, जो मनुष्य भविष्य में होने वाली आर्थिक घटनाओं के विषय में सोच-विचारकर करते हैं। ये घटनायें बहुधा खरीदने और बेचने से सम्बन्धित होती हैं और इसलिये सट्टे का विनिमय से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। यदि भविष्य में किसी वस्तु के दामों के ऊपर चढ़ने की आशा हो, तो कुछ लोग अभी से उस वस्तु को खरीदकर सच्य करने का प्रयत्न करने लगते हैं, जिससे भविष्य में उसे ऊँचे दामों पर बेचकर लाभ कमाया जा सके। ठीक इसी प्रकार, यदि ऐसा अनुमान है कि भविष्य में दाम गिरेगे, तो वे लोग जिनके पास वस्तु विशेष का स्टॉक है अभी से उसे बेचने लगते हैं, चाहे उन्हें दामों को थोड़ा कम ही क्यों न करना पड़े। ऐसा भविष्य में अधिक हानि से बचने के लिए किया जाता है।

स्मरण रहे कि दोनों दशाओं में भविष्य का जो अनुमान लगाया जाता है उसका पूर्णतया या कभी-कभी एक अर्थ तक भी सही होना आवश्यक नहीं है और इस प्रकार उपरोक्त खरीददारी अथवा बिक्री से लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। अतः वे मनुष्य जो किसी वस्तु को इस दृष्टि से खरीदते या बेचते हैं कि इसकी वर्तमान तथा भविष्य की कीमत के अन्तर के फलस्वरूप लाभ उठा सके, उस वस्तु की कीमत में 'सट्टा' करते हैं। सट्टा आर्थिक अर्थ में केवल कीमतों तक ही सीमित रहता है। प्रायः एक सटोरिया न तो वस्तु का आदान-प्रदान करता है और न वह उसकी उत्पत्ति ही करता है। वह तो केवल जोखिम का व्यापारी है। इस प्रकार सट्टे में वस्तु का सौदा वर्तमान में ही किया जाता है, किन्तु उसका निव्वारा भविष्य में पहले से निर्धारित की हुई तिथि पर किया जाता है।

संगार में कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं (जैसे—सोना, चाँदी, गेहूँ, कपास, कच्चे मांस आदि) की कीमतों में सट्टा सदा ही होता रहता है। इसी प्रकार, सट्टा बाजार (Stock Exchange) में बम्पनिशों के अंशों (Shares), ऋण-पत्रों (Securities) तथा राज्यों के सार्वजनिक ऋणों की कीमतों में सट्टा होता रहता है।

सट्टे के रूप

सट्टे को हम दो भागों में बाँट सकते हैं—(१) शुद्ध सट्टा (Pure Speculation) और (२) अशुद्ध सट्टा। दूसरे प्रकार के सट्टे में वस्तु की वास्तव में खरीद और बिक्री होती है अर्थात् गेहूँ की कीमतों में सट्टा करने वाला मनुष्य यथार्थ में ही गेहूँ को खरीदता है या बचना है। किन्तु शुद्ध सट्टे में खरीदारी और बिक्री केवल नाम की होती है और केवल अधिभार (Title) का ही परिवर्तन होता है। प्रेता अथवा विदेशी वस्तु विशेष की शकल भी नहीं देखा। उदाहरणस्वरूप, यदि एक मनुष्य आज सट्टे बाजार में १,००० विण्टल गेहूँ ६० रुपये विण्टल पर खरीदे और ६ महीने के पश्चात् वह इन स्टॉक को ६२ रुपये विण्टल के दाम पर दूबरे के हाथ बेच दे, तो इस दशा में उसका सम्बन्ध केवल २,००० रुपये के लाभ से है, क्योंकि गेहूँ का १,००० विण्टल का कल्पित स्टॉक उसके नाम से किसी अन्य के नाम पर, जिसने उसे खरीदा है, परिवर्तित हो जायगा।

सट्टारियों के प्रकार

हम सट्टा करने वालों को दो वर्गों में बाँट सकते हैं :—

(१) व्यावसायिक सट्टारियों (Professional Speculators)—व्यावसायिक सट्टा करने वाले निपुण तथा अनुभवी व्यवसायी होते हैं, जो सट्टे की अपना एक व्यवसाय बना लेते हैं। इन लोगों को बाजार और उनकी प्रवृत्तियों का ज्ञान होता है। अनुभव के कारण भविष्य के विषय में इनका अनुमान एक बड़े अंश तक सही होता है। वे भाग तथा पूति की परिस्थितियों को भली-भाँति समझते हैं तथा अपनी खरीदारी और बिक्री को अधिक सही अनुमानों के आधार पर निश्चित करते हैं। जितना ही सट्टा करने वाला अधिक दूरदर्शी तथा अनुभवी होगा उतनी ही उसको लाभ की सम्भावना भी अधिक होगी।

(२) अनिपुण सट्टारियों (Amateur Speculators)—ये अधिक्तर साधारण जनता के आदमी होते हैं, जिनका बाजार सम्बन्धी ज्ञान अपूर्ण तथा अशुद्ध होता है। इन लोगों के लाभ और हानि पर भाग्य अथवा मौके (Chance) का ही मुख्य प्रभाव होता है। इनका कार्य जुहारियों का सा है और इनके लाभ भी अनिश्चित होते हैं।

सट्टा बाजार का सङ्गठन

(The Organisation of Speculation Market)

(१) सट्टा बाजार का अलग स्थान—सट्टा करने वाले प्रायः किसी बड़ी इमारत में एकत्रित हो जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज (Stock Exchange) भी एक विशेष प्रकार का सट्टा बाजार होता है, जहाँ पर अंश, ऋण-पत्र आदि में सट्टा किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज की भाँति बुलियन एक्सचेंज (Bullion Exchange) भी होती है, जहाँ सोना-चाँदी की कीमतों में सट्टा होता है। अन्य वस्तुओं (जैसे कपास, गेहूँ आदि) के सट्टे बाजार को हम प्रोड्यूस एक्सचेंज (Produce Exchange) अथवा ग्रेन चैम्बर (Grain Chamber) कहते हैं।

(२) दो प्रकार के व्यवसायी—ऐसे बाजार में दो प्रकार के व्यवसायी होते हैं—प्रथम जिन्हें हम सट्टेवाज या घाड़निया (Jobbers) कहते हैं और दूसरे, जो दलाल (Brokers) होते हैं। सट्टे का नाम घाड़निया द्वारा किया जाता है। दलाल ती बीच का व्यवसायी होता है।

सकता है अथवा भविष्य में। ऐसे प्रसविदे जिनमें वस्तु भविष्य में किसी निश्चित समय पर दी जानी है, वायदे के सौदे (Futures) कहलाते हैं। इसके विपरीत, यदि तत्काल ही वस्तु का देना आवश्यक होना है, तो ऐसे सौदे तत्स्थान (Spot) कहलाते हैं। इन प्रकार, कपास या गेहूँ का सौदा वायदे का भी हो सकता है और तत्स्थान भी।

(६) हलका बिक्री सौदा तथा लम्बा खरीद का सौदा—जब कोई सट्टेबाज यह सोचना है कि निवृत्त भविष्य में वस्तुओं के दाम गिरेंगे, तो वह हलका बिक्री का सौदा (Sell Short) करेगा, जिसका अर्थ यह होता है कि वह भविष्य में उस वस्तु को देने का वायदा करेगा, जो इस समय उसके पास नहीं है। वह इस विश्वास पर लाभ कमाने की प्रार्था रखेगा कि भविष्य में वह वस्तु को उस मूल्य से कम दामों पर प्राप्त कर सकेगा, जिस पर उसने उसे बेचने का वायदा किया है और इस प्रकार अपने वायदे को पूरा कर देगा। बहुत बार ऐसे सट्टेबाज भविष्य में वस्तु की निश्चित मूल्य पर देने के साथ-साथ एक कवरेज ठेका (Covering Contract) अथवा ढँध रक्षण ठेका (Hedging Contract) कर लेता है। ऐसी दशा में यह किसी दूसरे व्यवसायी से भविष्य में माल बेचने का वायदा खरीद लेता है और इस खरीद के मूल्य को बिक्री के मूल्य से कम रखता है, जिससे उसे लाभ हो सके। निश्चित समय पर वह अपना वायदा इस दूसरे व्यवसायी से माल लेकर पूरा कर देता है।

इसके विपरीत, यदि सट्टेबाज की यह धारणा है कि वर्तमान मूल्य नीचा है और भविष्य में मूल्य ऊपर चढ़ेगा, तो वह लम्बा खरीद का सौदा (Buy Long) करेगा। भविष्य के लिये जितने भी माल की आवश्यकता है उसे अभी खरीद लेगा और समय आने पर उसे ऊँचे दामों पर बेचेगा। बहुत बार सट्टेबाज कुछ ऊँचे दामों पर वायदे का माल तत्काल भी दे देता है। क्योंकि इसमें उसे लाभ होना है। इस प्रकार की बिक्री को 'वस्तु की बिक्री' (Realising or Liquidating Sale) कहते हैं।

वायदे के सौदे के खरीदारों में से कुछ तो उत्पादक लोग होते हैं, जो वस्तु को कच्चे माल के रूप में उत्पादन में उपयोग के लिये खरीदते हैं और कुछ लोग केवल सट्टेबाजी ही करते हैं। इनका उद्देश्य वस्तुओं अथवा कम्पनियों के अग्रे अदि की खरीद और बिक्री की क्रियाओं के अन्तर में लाभ उठाना होता है। ऐसे लोगों के कारण सट्टा बाजार में आधुनिक युग में एक ऐसी प्रथा बन गई है, जिसके अन्तर्गत समय-समय पर समझौते होने रहते हैं और मूल्य के अन्तरो (Differences) में व्यवसाय किया जाने लगा है। जब माल के देने का समय आता है, तो माल की माँग नहीं की जाती, केवल मूल्य का अन्तर ही माँगा जाता है।

सट्टे का आर्थिक महत्त्व

सट्टे के लाभ—


आर्थिक जीवन में सट्टे के अनेक लाभ होते हैं, जिनमें से मुख्य-मुख्य निम्न प्रकार हैं—

(१) माँग और पूर्ति के बीच साम्य—सट्टे का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह माँग और पूर्ति के बीच साम्य स्थापित कर देता है, जिस कारण वस्तु के मूल्य में तीव्र परिवर्तन नहीं हो पाते। यदि भविष्य में मूल्य बढ़ने की प्रार्था है, तो सट्टेबाज अभी से माल खरीदने लगते हैं। इस प्रकार माँग अभी से बढ़ जाती है और साथ-साथ मूल्य भी बढ़ने लगता है। मूल्य की वृद्धि, जिसे भविष्य में होना चाहिए था, धीरे-धीरे अभी से होने लगती है। ठीक इसी प्रकार, दाम भविष्य में घटने की सम्भावना पर सट्टेबाज अभी से बेचने लगते हैं। इससे पूर्ति ही माँग बढ़ जाने के कारण अभी से दाम गिरने लगते हैं। इस प्रकार, सट्टेबाज दामों की एतदम तेजी से घटने या बढ़ने से रोक सकते हैं। यही नहीं, भविष्य में वर्तमान मूल्य पर बेचने का कारण।

देकर या इस प्रकार का वायदा किसी व्यवसायी से लेकर भी सट्टेबाज भविष्य में मूल्य को घटने-बढने से रोक्ते है। उनकी फ्रिमाइसो के फलस्वरूप मूल्य-स्तर मे स्थिरता बनी रहती है। निपुण सट्टेबाज भावी मांग, पूर्ति तथा कीमतों के परिवर्तन का अनुमान लगाते हैं और वर्तमान मांग एव पूर्ति को भावी मांग और पूर्ति के परिवर्तनों के अनुसार अभी से बदलने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा करने से समाज को भी सट्टा करने वालों से बहुत लाभ होता है।

कुल मिलाकर सट्टे के कारण कीमतों के उच्चावचनों की सीमाओं वा सकुचन हो जाता है जैसा कि रेखाचित्र मे दिखाया गया है :—

सामान्य दशा मे कीमते a विन्दु तक बढ सकती है, परन्तु सट्टे के कारण, जिसका प्रभाव विन्दुदार रेखा द्वारा दिखाया गया है, वे केवल a' विन्दु तक ही बढ कर रह जाती है। ठीक इसी प्रकार, सट्टे के बिना कीमतें b विन्दु तक गिर सकती हैं, परन्तु सट्टा कार्यवाहियों के कारण वे b' विन्दु से नीचे नहीं गिर पाती हैं। ठीक इसी प्रकार, बाद मे फिर जब कीमतें बढने लगती हैं, तो सट्टे के कारण वे c' विन्दु से ऊपर नहीं जा पाती है, यद्यपि सट्टे के बिना वे c विन्दु तक जा सकती थी। इस प्रकार सट्टे के कारण कीमतों की उच्चावचनों की सीमाएँ सकुचत हो जाती है।



चित्र—सट्टा और कीमत-स्थायित्व

(२) उपभोक्ताओं को लाभ—स्थिर कीमते उपभोक्ताओं की दृष्टि से बहुत अच्छी होती हैं। ऐसी दशा मे मांग और पूर्ति मे साम्य रहना है और उपभोग स अधिकतम सन्तोष प्राप्त होता है। कीमतों के तीव्र परिवर्तन इस बात को सूचित करते है कि मांग और पूर्ति मे साम्य स्थापित नहीं हो रहा है। जब दाम तेजी से बदलते रहते हैं, तो उपभोक्ता को पारिवारिक खर्च बनाने मे कठिनाई होती है। वह व्यय की कार्यवाहक योजना नहीं बना सकता, क्योंकि आय और व्यय का अनुमान पूर्णतया सही नहीं होता।

(३) आर्थिक जीवन में निश्चितता—स्थिर कीमते आर्थिक जीवन मे निश्चितता लाती हैं। अनिश्चितता सदा ही बुरी होती है। यदि कीमतों के जल्दी-जल्दी बदलने की भाशा न रहे, तो उत्पत्ति, रोजगार इत्यादि के विषय मे सही अनुमान लगाये जा सकते हैं।

(४) जनता को मितव्ययिता की चेतावनी—सट्टेबाज अपनी नियायतों के द्वारा जनता वा ध्यान भविष्य मे वस्तु की पूर्ति की कमी की और आकर्षित कर देते हैं और इस प्रकार जनता को पहले से चेतावनी दे देते है। इसका एक परिणाम यह होता है कि वस्तु का अग्रव्यय नहीं होता। जनता ऐसी वस्तु के उपभोग मे अधिक मितव्ययिता स काम लेती है। अथ यदि वह वस्तु ऐसी है कि इसका देश के उपभाग मे महत्त्वपूर्ण स्थान है (जैसे—खाद्य पदार्थ), तो देश को बड़ा भारी लाभ हागा।

(५) उत्पादकों को जोखिम से मुक्ति—सट्टे से उद्योगपतियों तथा उत्पादकों को भी बड़ा लाभ होता है। सट्टेबाज कच्चे मालों की कीमतों के परिवर्तनों को कम कर देते हैं, जिससे उत्पादक के व्यवसाय की अनिश्चितता दूर हो जाती है और हानि का भय कम हो जाता है। उत्पादक बहुधा तैयार माल को निश्चित मूल्य पर भविष्य मे बेचने का वायदा करता है, परन्तु ही सकता है कि सुपूर्दगी का समय घाने पर कच्चे माल के दाम बढ जायें। ऐसी दशा मे उत्पादक को हानि होती है। इससे बचने के लिये उत्पादक किसी सट्टेबाज से भविष्य मे वर्तमान कीमतों

पर बच्चा माल देने का वायदा ले लेता है, अर्थात् वह वायदा करते समय एक ड्रॉप-ग्वाण्टेका (Hedging Contract) कर लेता है। इसका परिणाम यह होता है कि उत्पादक को स्वयं बच्चे मालों की कीमत के परिवर्तन से सम्बन्धित जोखिम नहीं उठानी पड़ती और यह काम उसके लिए सट्टेबाज करता है। इस प्रकार, उत्पादक का भागना लाभ निश्चित रहना है, क्योंकि बच्चे माल की कीमतों के ऊपर चढ़ जाने की जोखिम सट्टेबाज के बन्धों पर पड़ती है। स्मरण रहे कि भविष्य में यह भी सम्भव है कि बच्चे माल की कीमत बढ़ने के स्थान पर घट जाये। ऐसी दशा में उत्पादक और सट्टेबाज दोनों ही लाभ कमाते हैं। तात्पर्य यह है कि सट्टे के कारण उत्पादक को केवल उत्पादन सम्बन्धी जोखिम उठानी पड़ती है वह अन्य जोखिमों से बच जाता है।

(६) भावी उत्पादन के स्वरूप को निश्चित करने में सहायता—सट्टे द्वारा भविष्य के उत्पादन में सट्टामत्ता मिलती है। सट्टा बाजार का एक देतकर ही बहुधा इस बात का निर्णय किया जाता है कि भविष्य के लिए कौन-सी वस्तु का और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाय। एक किसान अथवा औद्योगिक उत्पादक के लिए उसी वस्तु का उत्पादन अधिक लाभदायक होता है, जिसके, दामों के भविष्य में चढ़ जाने की सम्भावना है, अर्थात् जिसकी माँग भविष्य में अधिक होगी। यदि बपास का भावी बाजार ऊपर जा रहा है और चीनी का नीचे, तो किसान के नियंत्रण के स्थान पर बपास उत्पन्न करना ही अधिक हितकारी होगा।

(७) पूँजी के उचित विनियोग की प्रोत्साहन—स्टॉक एक्सचेंज में अच्युत बन्धनियों के हिस्सों के दाम ऊँचे रहते हैं, अर्थात् जिन कंपनियों के भविष्य में लाभ कमाने की सम्भावना होती है, उनके अर्थों के दाम तथा ऋण-पत्रों के वायदों के भाव ऊपर चढ़ जाते हैं। इसके विपरीत, जिन कंपनियों में प्रबन्ध की त्रुटियों अथवा अन्य कारणों से घाटे की सम्भावना है उनके अर्थों के दाम गिर जाते हैं। उद्योगों में रुपया लगाने वाले व्यक्तियों के लिए स्टॉक एक्सचेंज के भावों का रफ बड़ा महत्त्वपूर्ण होता है। रुपया सदा ऐसे उद्योगों में लगाया जाना है, जिनमें लाभ की प्राप्ति अधिक है।

माघ ही, स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा अन्न और ऋण-पत्रों का सरतत्त्वापूर्वक हस्तान्तरण हो जाता है, अर्थात् एक व्यक्ति एक कंपनी के अन्न देव कर दूसरी के अन्न गरीब सकता है या नरद रुपया पा सकता है। इससे कंपनियों पर विश्वास बना रहना है और उन्हें यथेष्ट धन मिलता जाता है।

सट्टे के दोष—

इसमें कोई सन्देह नहीं कि सट्टे के अनेक लाभ होते हैं, किन्तु पक्षार्थ में सट्टा भी एक प्रकार का जुमा ही है। इससे उत्पत्ति की वृद्धि नहीं होती है। यदि किसी एक व्यक्ति को लाभ होता है, तो माघ-माघ दूसरे को हानि होती है। कभी-कभी अनुचित सट्टेबाजी भी की जाती है, जिससे लाभ के स्थान पर उल्टी हानि होती है। अर्थ यह है कि सट्टे का अनुचित उपयोग हो सकता है और बहुधा किया भी जाता है। सट्टे की प्रमुख सुराहणी निम्न प्रकार है :—

(१) कीमतों की अस्थिरता—जब सट्टे द्वारा कीमतों के परिवर्तन कम हो जाते हैं, तो सट्टे से लाभ होता है, परन्तु बहुत बार सट्टोरिये मूल्य परिवर्तन को कम करने के स्थान पर उल्टा बढ़ा देने है। सट्टेबाज नकली तेजी अथवा मन्दी (Artificial bulls or bears) उत्पन्न कर देने हैं और इस प्रकार के लोगों को धागा देकर स्वयं तो लाभ कमा लेते हैं, परन्तु दूसरे सट्टोरियों तथा जनता को भारी हानि पहुँचाने हैं।

(२) कीमतों में अक्षय उन्नावहन—जब अनियुक्त अथवा अनुभवरहित लोग

सट्टा करते हैं, तो उनके सट्टे तथा जुए में कोई अन्तर नहीं होगा और इस प्रकार के सट्टे में जुए की सभी हानियाँ उपस्थित होती हैं। ये लोग भूठी अफवाहों तथा गलत अनुमानों के आधार पर सट्टा लगाते हैं और कीमतों में अकारण ही तीव्र उच्चावचन उत्पन्न कर देते हैं।

(३) घोखेबाजी—जब निपुण और अनुभवी सट्टेबाज ईमानदारी तथा होजियारी के साथ भावी दामों का अनुमान लगाकर काम नहीं करते, बरन् अपनी जेबें भरने का प्रयत्न करते हैं, तो सट्टा समाज के लिए अभिशाप बन जाता है। ऐसी दशा में वस्तु की पूंति को छिपाने (Covering) का प्रयत्न किया जाता है। यह दिखाकर कि पूंति की कमी है, दामों को ऊपर चढ़ा दिया जाता है और फिर इस छिपाई हुई पूंति को ऊँचे दामों पर बेचकर अनुचित लाभ कमाया जाता है। ऐसे लोग समाज का भारी अन्वहित करते हैं।

(४) जुआरी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन—सट्टा जनता में जुआ खेलने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देता है। यह प्रवृत्ति दीर्घकालीन दृष्टि से हानिकारक होती है, किन्तु इसके फलस्वरूप वास्तविक उत्पादकों के स्थान पर ऐसे लोगों की सङ्ख्या बढ़ जाती है, जो जुआ खेलकर (अर्थात् अनाधिक कार्य करके) जीविका चलाते हैं।

इस प्रकार, अनुचित सट्टा हानिकारक होता है। जुआरी सट्टोरियों में भेड़चान होती है। वे जैसा दूसरों को बरते देखते हैं, वैसा ही स्वयं भी बिना अधिक सोचे समझे करने लगते हैं। यहाँ पर सट्टे की प्राथिक उपयोगिता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार जुआरी सट्टा समाज के लिए हानिकारक होता है। इस सम्बन्ध में लार्ड कैम्ब ने ठीक ही लिखा है, "उत्पन्न की नियमित धारा की सतह पर बुलबुलों के रूप में सट्टोरियों सम्भव है कि कोई हानि न पहुँचाये, परन्तु जब सारा उत्पन्न ही सट्टे के भवर का बुलबुला बन जाता है, तो स्थिति बहुत भयंकर हो जाती है। जब देश में पूँजी का विकास | सट्टोरियों की कार्यवाहियों का एक उपोत्पाद मान रह जाना है, तो यह निश्चय है कि विकास समुचित रूप में नहीं हो सकेगा।"¹

सट्टा बाजार के विकास के लिए अनुकूल दशाएँ

भविष्य प्रायः सदा ही अनिश्चिन होता है और अनिश्चितता ही सट्टे को जन्म देती तथा प्रोत्साहित करती है। निश्चय ही जिनकी ही किसी वस्तु की कीमतों में अनिश्चिनता अधिक होगी, उतनी ही उसमें सट्टा करने की प्रवृत्ति भी अधिक बनवान होगी। सट्टे की वृद्धि के लिये वस्तु में निम्न प्रकार के गुण होने आवश्यक हैं—

(१) शीघ्र नाश न होने का गुण—वस्तु शीघ्रनाशी नहीं होनी चाहिए नवार्क ऐसी ही दशा में उसे भविष्य में मूल्य वृद्धि के समय तक उठा कर रखा जा सकता है। दूध, ताज़ फल, सब्जी आदि के मूल्य में भविष्य में घटने-वृद्धि की सम्भावना होने ह्य भी उनमें सट्टा नहीं हो सकता है, क्योंकि इन वस्तुओं का भविष्य के लिये संवय करके नहीं रक्षा जा सकता।

(२) अमान्यित वस्तुएँ—जो वस्तुएँ अमान्यी में पहुँचानी जा सकती हैं, वे सट्टे के लिये अधिक उपयुक्त होती हैं। गेहूँ और कपास इसी प्रकार की वस्तुएँ हैं। रोज की लम्बाई तथा किसिम के अनुसार कपास का सरलता से वर्गीकरण किया जा सकता है। किसी, अमेरिका और

¹ "Speculators may do no harm as bubbles on a steady stream of enterprise. But the position is serious when enterprise becomes a bubble on the whirlpool of speculation. When the capital development of a country becomes the by-product of the activity of a casino, the job is likely to be ill done."—J. M. Keynes *The General Theory of Employment Interest and Money.*

भारतीय छोटे रेको की कपास को अलग-अलग पहचाना जा सकता है। ठीक इसी प्रकार, गेहूँ की भी किस्मबन्दी सम्भव है। ऐसी वस्तुये सट्टे के लिये अधिक ठीक होती हैं। विभिन्न कम्पनियों के प्रश तथा ऋण-पत्र भी इसी कारण सट्टे के लिये उपयुक्त वस्तुये हैं। सोने, चाँदी आदि के विषय में भी यही बात कही जा सकती है।

(३) उत्पत्ति या पूति की अनिश्चितता—कुछ वस्तु ऐसी होती हैं कि उनकी माँग लगभग वर्ष भर सतत अथवा स्थिर रहती है, परन्तु उनकी उत्पत्ति सीसमी होती है। ऐसी वस्तुओं की भिन्न-भिन्न समय की पूति में बड़ा अन्तर होता है। उदाहरणार्थ भारतवर्ष में गेहूँ की फसल मार्च-अप्रैल में तैयार होती है, जबकि गेहूँ के लिये माँग साल भर रहती है। अतः मार्च-अप्रैल में गेहूँ की पूति माँग से बहुत अधिक किन्तु जनवरी-फरवरी में बहुत कम होती है। कपास के विषय में भी यही बात है। यही कारण है कि इन दोनों वस्तुओं की अलग-अलग महीनों की कीमतों में बहुत अन्तर होता है और इनमें अधिक सट्टा होता है।

जब आर्थिक परिस्थितियाँ ही अनिश्चित होती हैं, अर्थात् आर्थिक दशाओं में विशेष कारणों के उच्चत-पुष्पत होती रहती है तो लगभग सभी प्रकार के सट्टे को प्रोत्साहन मिलता है। इस बात का अच्छा उदाहरण हमें द्वितीय महायुद्ध के काल में मिला। लडाई की अनिश्चितता के साथ-साथ भारी आर्थिक अनिश्चितताये भी थी, जिस कारण सट्टे का बाजार गरम हो गया।

सट्टे पर नियन्त्रण (Control of Speculation)

सट्टे की सुराज्यों को दूर करने के लिए यह प्रश्न उठता है कि क्या सट्टे बाजार पर सरकार द्वारा नियन्त्रण लगाया जाना चाहिये ? आधुनिक युग में लगभग सभी देशों की सरकारें इस बात पर सहमत हैं कि अनुचित सट्टे को रोकना चाहिए, परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं—(१) सट्टे को रोकने के लिए जो कानून बनावे जाते हैं अथवा जिन दूबरे तरीकों को अपनाया जाता है वे बट्टा आधुरे होते हैं। इनमें कुछ श्रुतियाँ ऐसी हैं कि जिनके कारण पूर्ण रूप में उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। (२) कानूनों में ढील-पोल (Loopholes) निकाल कर या दूसरे प्रकार से सट्टे की रीतियों को अपनाने पर सट्टे के काम को जारी रखा जाता है। (३) युग के रूप में जो सट्टा होता है, उसका बन्द हो जाना ही देश और समाज के लिए अच्छा है, परन्तु कठिनाई यह है कि उचित और अनुचित सट्टे में भेद करना कठिन होता है, इसलिये नियन्त्रण के सही उपाय कठिन हैं।

प्रो० टॉजिग (Tausig) ने स्टॉक एक्सचेंज के सम्बन्ध में निम्न प्रकार के सुझाव दिये हैं—¹ (i) एक्सचेंज द्वारा बनाये हुये नियमों में उचित परिवर्तन करना, (ii) स्टॉक के व्यवसाय में सम्बन्ध में गूनाताओं का देना, (iii) पूरे उद्योग पर नियन्त्रण लगाना (परन्तु स्मरण रहे कि इससे सट्टा तो अशुभ रह जायेगा, किन्तु प्रौद्योगिक उन्नति में बाधा पड़ जायेगी); और (iv) उद्योग के नैतिक स्तर को ऊँचा उठाने पर सट्टे के विरुद्ध बलशाली जनमत तैयार करना।

कुछ दूसरे उपाय इस प्रकार हो सकते हैं—(प्र) नियमित समय पर तथा नियमित ऋण में उताराने करके कीमतों के परिवर्तनों की कम क्रिया जा सकता है, जिसमें सट्टे का आधार ही समाप्त हो जायेगा। (ब) जैता लि लर्नर (Lerner) ने सुझाव दिया है, अनुचित सट्टे को बन्द करने के लिये उसका प्रतिद्वन्दी सट्टा (Counter Speculation) गटा कर देना चाहिये।² यह कार्य तब हो सकता है, जबकि सरकारी सूत्रों के द्वारा उचित मूल्य की सूची बनाई जाय और जनता को उचित मूल्य का ज्ञान दिया जाय।

¹ Tausig : Principles of Economics

² Lerner : The Economics of Control, p. 96.

पूर्ण सट्टा
(Perfect Speculation)

पूर्ण सट्टे से अभिप्राय सट्टा बाजार की उस स्थिति से है जिसमें सभी सट्टोरिये पूर्ण अनुभवी और बुद्धिमान होते हैं। वे अपने अनुभव और बुद्धि-कौशल के द्वारा मूल्य सम्बन्धी परिवर्तनों का सही-सही अनुमान लगा लेते हैं और तदनुसार कार्यवाही करते हैं। परिणामतः मूल्यों में स्थिरता आ जाती है और परिवर्तनों के लिये मुँजाइश नहीं रहती है। जब मूल्य-परिवर्तन ही न होंगे, तो फिर सट्टे के लिये अवसर वहाँ रह सकता है। इसीलिये कहा जाता है कि पूर्ण सट्टा स्वयं अपना विनाश कर लेता है।

परीक्षा प्रश्न :

१. सट्टे का क्या अर्थ है ? सट्टे के लाभों तथा हानियों की विषय विवेचना कीजिये। इसके दोषों को आप कैसे दूर करेंगे ?
२. 'बैली वाला' (Bulls) तथा 'मन्दीवाला' (Bears) का अन्तर स्पष्ट कीजिए। उनके बावों का समाज के आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या कीजिये।
३. कीमत परिवर्तन पर सट्टे के प्रभावों की व्याख्या कीजिये। क्या सट्टे पर राज्य का नियन्त्रण उचित है ? भारतीय उदाहरणों द्वारा समझादिये।



पाँचवां भाग
वितरण
[DISTRIBUTION]

वितरण और इसकी समस्यायें

(Distribution and its Problem)

वितरण किसे कहते हैं ?

उत्पादन के लिए उत्पात्ति के सभी साधनों का सहयोग आवश्यक होता है। कोई भी साधन अकेले में कुछ भी उत्पादन नहीं कर सकता। साधारण से साधारण वस्तु की भी उत्पात्ति कम से कम दो साधनों के मिल कर कार्य किये बिना नहीं हो सकती है, अतः साधनों के इस सहयोग के फलस्वरूप जो कुछ उपज उत्पन्न होती है। उसमें से प्रत्येक साधन को हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। उदाहरणस्वरूप, यदि एक किसान नेहूँ उत्पन्न करना चाहता है तो उसे पेत, बीज आदि के रूप में भूमि, बल, हल तथा अन्य औजारों के रूप में पूँजी, अपने स्वयं अपना वेतनमोपी श्रमिकों के रूप में श्रम और उत्पात्ति की जोखिम उठाने के लिए साहस की आवश्यकता पड़ती है। स्मरण रहे कि उत्पात्ति का कोई साधन बिना पारितोषण की आशा के उत्पात्ति के कार्य में सहयोग नहीं देता। यदि उसे हिस्सा नहीं मिले, तो वह कार्य भी नहीं करेगा। वितरण में हम इसी बात का अध्ययन करते हैं कि उत्पात्ति के विभिन्न साधनों के हिस्से किस प्रकार निर्धारित होते हैं।

प्रो० सैपमैन के अनुसार "वितरण-अर्थशास्त्र समाज द्वारा उत्पादित धन के उन विभिन्न उत्पत्ति-साधनों अथवा इनके मालिकों के बीच बँटवारे से सम्बन्धित है, जिन्होंने इस उत्पात्ति के निर्माण में हिस्सा लिखा है।" सैलिगमैन का कथन है कि, "वह सभी धन, जिसे किसी समाज में उत्पन्न किया जाता है, अन्त में कुछ रीतियों अथवा आय स्रोतों के द्वारा व्यक्तियों के पास पहुँच जाता है। उत्पादित धन के इस प्रकार व्यक्तियों तक पहुँचाने की क्रिया को ही वितरण कहते हैं।"¹

वितरण की समस्या विनिमय सिद्धान्त का ही एक विशेष रूप

वितरण के नियमों से हमारा अभिप्राय उन नियमों से होता है। जिनके अनुसार कुल उत्पात्ति में से विभिन्न साधनों के हिस्से निर्धारित किये जाते हैं और प्रत्येक साधन को इसलिए हिस्सा देना आवश्यक होता है कि कुल उपज सभी साधनों के सामूहिक प्रयत्न का फल होती है। प्रत्येक साधन का हिस्सा एक प्रकार से उस साधन की कीमत होती है। इस कारण वितरण की समस्या वास्तव में मूल्य के निर्धारण की ही समस्या है। विनिमय और वितरण में केवल इतना अन्तर होता है कि विनिमय में वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निश्चित किया जाता है, परन्तु

¹ "The economics of Distribution accounts for the sharing of the wealth produced by a community among the agents (factors or the owners of the agents) which have been active in its production."—Chapman : *Outlines of Political Economy*, p. 278.

² "All wealth that is created finds its way to final disposition of the individual through certain channels or sources of income. This process is called Distribution."—Seligman : *Principles of Economics*, p. 356.

वितरण में उत्पात्ति-साधनों का । वहाँ पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वस्तुओं और उत्पात्ति के साधनों में कोई आधारभूत अन्तर नहीं होता । जब हम किसी वस्तु का उपयोग के लिए उपयोग करते हैं, तो उसे वस्तु कहा जाता है । परन्तु जब उसी का उपयोग उत्पात्ति करने में किया जाता है, तो वह उत्पात्ति का साधन बन जाती है । उदाहरण के लिए, जब गेहूँ का उपयोग बीज के रूप में किया जाता है, तो वह उत्पात्ति का साधन होता है, यद्यपि वह एक उपयोग की वस्तु भी है । अतएव वितरण की समस्या विनिमय के सिद्धान्त का ही एक विशेष रूप है ।

वितरण की समस्या आर्थिक जीवन के विकास की प्रत्येक अवस्था में किसी न किसी रूप में हमारे सामने रही है । परन्तु, जैसे-जैसे आर्थिक जीवन की जटिलता बढ़ती गई है, इस समस्या का महत्त्व भी बढ़ता गया है । आधुनिक उत्पादन प्रणाली श्रम-विभाजन तथा विविष्टीकरण पर आधारित है, जिसमें हम जाना जाता है कि नुन उत्पात्ति में किसी एक साधन की देन निम्नो है । इस कारण अन्न के संसार में वितरण और उसके सिद्धान्तों का अध्ययन बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । वितरण दो प्रकार का हो सकता है :-

(१) वैयक्तिक वितरण (Personal Distribution)—वैयक्तिक वितरण में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा अथवा उसकी आय कितनी निश्चित होती है । इस अध्ययन में यह पता चल जाता है कि देश के भीतर आय के वितरण का क्या स्वरूप है और विभिन्न व्यक्तियों की आय में कितनी अममानताएँ हैं ।

(२) कार्यात्मक वितरण (Functional Distribution)—कार्यात्मक अथवा वर्गीय वितरण में व्यक्ति के स्थान पर वर्गों की आय का अध्ययन किया जाता है, उदाहरणस्वरूप—भूमिपति, श्रमिक, पूँजीपति अथवा गृहणी वर्गों की आय का अध्ययन । आर्थिक सिद्धान्तों के अध्ययन में हम व्यक्तिगत वितरण के स्थान पर कार्यात्मक वितरण के अध्ययन को ही अधिक महत्त्व देते हैं ।

वितरण के पृथक सिद्धान्त की आवश्यकता

बहुत बार यह कहा जाता है कि एक उत्पात्ति-साधन का पारिन्तोपण उग साधन की कीमत है और चूँकि वस्तु तथा उत्पात्ति-साधन के बीच कोई आधारभूत अन्तर नहीं होगा, इसलिए उत्पात्ति-साधन की कीमत भी ठीक उसी प्रकार निश्चित होगी जिन प्रकार किसी वस्तु की कीमत । ऐसी दशा में वितरण के लिये किसी पृथक सिद्धान्त की आवश्यकता नहीं है । “मूल्य का सामान्य सिद्धान्त” (General Theory of Value) ही वितरण का भी सिद्धान्त होगा ।

मार्शल का विचार—

इसके उत्तर में, मार्शल का कथन है कि स्वतन्त्र मनुष्यों की मजदूरी, छोटे अथवा दास की भाँति उसके काम को ध्यान में रखकर नहीं पाला जाता । अतः मनुष्य की कीमत उसके उत्पादन व्यय, घिसावट आदि के बराबर नहीं हो सकती है । मर्य तो यह है कि दोनों माँग और पूर्ति की दृष्टि से एक वस्तु और एक उत्पात्ति-साधन के बीच अन्तर होते हैं, जो कि निम्नलिखित है :-

(१) जबकि एक वस्तु की माँग प्रत्यक्ष (Direct) होती है, उत्पात्ति-साधन की माँग परोक्ष अथवा व्युत्पादित (Indirect or derived), क्योंकि यह माँग उस वस्तु की माँग से उत्पन्न होती है जिसके उत्पादन के लिए साधन का उपयोग किया जाता है । अतः वस्तु की माँग का विवेचन इसकी सीमान्त उपयोगिता के आधार पर किया जाता है किन्तु साधन की माँग का विवेचन उसकी सीमान्त उत्पादकता (Marginal Productivity) के आधार पर ।

(२) पूर्ति की दशा में तो दोनों के बीच और भी विधान अन्तर होते हैं । एक उत्पात्ति-साधन (जैसे-श्रम) के सीमान्त उत्पादन व्यय का लगभग कुछ भी अर्थ नहीं होता है । अतः ऐसा

कहना सम्भव नहीं है कि साधन की कीमत दीर्घकाल में उसके उत्पादन व्यय के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ तो सीमान्त उत्पादन व्यय ज्ञात ही नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, वस्तु की अपेक्षा साधन की पूर्ति में भाँग के परिवर्तनों के अनुसार कमी अथवा वृद्धि करने में अधिक समय लगता है। इस कारण मूल्य का सिद्धान्त उत्पत्ति-साधन की कीमत-निर्धारण में बहुत उपयोगी नहीं हो सकता है।

बोल्डिंग का विचार—

उसके विपरीत, बोल्डिंग का विचार है कि कार्यात्मक वितरण मूल्य सिद्धान्त का ही एक भाग है, क्योंकि मजदूरी अथवा लगान को सेवा अथवा सम्पत्ति की कीमत ही कहा जा सकता है। उत्पात्ति के साधनों की सेवाओं का ठोस उमा प्रकार विनिमय होता है जैसे कि एक वस्तु का। इस कारण मूल्य के सिद्धान्त तथा वितरण के सिद्धान्त में पूर्णतः समानता है और वितरण का सिद्धान्त अधिक से अधिक मूल्य सिद्धान्त की एक विशेष दशा (A Special Case of The Theory of Value) है।

वितरण किस चीज का होता है ?

(What is Distributed)

यह तो स्पष्ट है कि सभी उत्पत्ति-साधन मिलकर जितनी कुल उत्पत्ति करते हैं उससे अधिक का वितरण नहीं किया जा सकता। अधिक में अधिक कुल उपज की मात्रा को ही सभी साधनों में बाँटा जा सकता है, परन्तु क्या कुल उपज बाँट दी जाती है? इसके लिये हम एक किसान का उदाहरण लेते हैं, जिसकी कुल उपज १०० क्वण्टल गेहूँ है और जिसके मूल्य के रूप में उसे ५,००० रुपये प्राप्त होते हैं। अब यदि किसान को १५० रुपये कर के रूप में देने पड़ते हैं, तो ये १५० रुपये कुल उपज के मूल्य में से निकल जायेंगे। किन्तु कर के अतिरिक्त किसान को कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है—जमीन के औजार, जो किसान के काम में आ रहे हैं, धीरे-धीरे घिसते रहते हैं, जिस कारण कुछ समय बाद उनको बदलने की आवश्यकता पड़ती है। इन औजारों की कार्य में लाने से घिसावट के कारण जो मूल्य नष्ट होता है तथा इनकी मरम्मत पर जो खर्च होता है वह तो भ्रमण रहा। किसान को धीरे-धीरे एक ऐसा भी कोष बनाना पड़ता है जिसमें से वर्तमान औजारों के बेकार हो जाने पर नये औजार खरीदे जा सकें। ठीक इसी प्रकार कुछ वर्षों के बाद बँस भी बूढ़े हो जाते हैं और उन्हें भी बदलना पड़ता है। किसान को हर वर्ष बीजों की आवश्यकता पड़ती है। इस वर्ष जो उपज हुई है उसके लिये उपयोग किया हुआ बीज पहली फसल में से रखा गया था। इस वर्ष की फसल में से भी आगे के लिये बीज रखा जायगा अथवा सेती का कार्य एक जायगा।

एक प्रकार, हम देखते हैं कि किसान उपयोग किये किये उत्पात्ति के विभिन्न साधनों में अपनी कुल उपज नहीं बाँटेगा वरन् पहले इसमें से ऊपर गिनाये हुए चर्चों को निकाल लेगा और शेष को उत्पात्ति के विभिन्न साधनों में बाँट देगा। इस प्रकार शेष रहने वाली आय किसान की "शुद्ध आय" (Net Income) कहलाती है, जबकि समस्त आय को घ-शुद्ध या सकल आय (Gross Income) कहा जाता है। उत्पात्ति के विभिन्न साधनों के हिस्से शुद्ध आय में से ही निर्धारित होने हैं।

वितरण का प्रतिष्ठित सिद्धान्त

(The Classical Theory of Distribution)

वितरण किस प्रकार होता है, अर्थात् वितरण का सामान्य सिद्धान्त क्या है? इस पर प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार रखे हैं। एडम स्मिथ, रिकार्डो, माल्थस तथा अन्य प्राचीन

अर्थशास्त्रियों ने इस सम्बन्ध में जो सिद्धान्त बनाया है उसे हम "प्रतिष्ठित सिद्धान्त" (Classical Theory) कहते हैं।

प्रमुख बातें—

इस सिद्धान्त की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं.—

(१) भूमि का पुष्टकार—इन अर्थशास्त्रियों का विचार है कि जब वस्तु की किसी मात्रा में उत्पत्ति हो जाती है, तो इसमें से सबसे पहले उत्पत्ति के माध्यम भूमि (Land) को इसका हिस्सा मिलता है। भूमिपति का हिस्सा एक प्रकार का आधिक्य है, जो विभिन्न खेतों की उर्वरता में अन्तर होने के फलस्वरूप दृष्टिगोचर होता है। यदि प्रत्येक खेत में समान ही उपज प्राप्त हो, तो आधिक्य का प्रश्न ही नहीं उठेगा और इस दशा में लगान मूल्य के बराबर होगा। रिकार्डों के अनुसार, यह आधिक्य एक खेत को उसकी अधिक उपयुक्त स्थिति के कारण भी प्राप्त हो सकता है। आधिक्य भाषा में इसे "स्थिति लगान" कहा जाता है।

(२) श्रम का पुष्टकार—श्रम का हिस्सा श्रमिक के जीवन-निर्वाह योग्य वेतन के बराबर होगा। दीर्घकाल में श्रम को केवल इतना ही हिस्सा मिलेगा, जोकि श्रमिकों को जीवित रखने के लिए पर्याप्त हो। यदि वेतन इससे अधिक है, तो श्रमिक निश्चित हो जायेंगे और अधिक वच्चे उत्पन्न करेंगे, जिसके फलस्वरूप श्रम की पूर्ति बढ़ जायेगी और मजदूरी कम हो जायेगी। मजदूरी का यह घटने का चप उरा समय तक बराबर चलता रहेगा जब वह घटते हुये जीवन-रक्षा स्तर (Subsistence level) पर न आ जाये। इसके विपरीत, यदि श्रमिक को जीवन-रक्षा से भी कम मजदूरी मिलती है, तो बहुत से श्रमिक मर जायेंगे और इस प्रकार, श्रम की पूर्ति घटने के कारण मजदूरी में वृद्धि होगी, जिससे वह अन्त में फिर जीवन-रक्षा स्तर पर पहुँच जायेगी। सम्भव है कि आरम्भ में उत्पादन को यह अनुमान न हो कि जीवन-रक्षा मजदूरी कितनी है, परन्तु धीरे-धीरे वह इसका पता लगा लेता है।

मजदूरी के सम्बन्ध में रिकार्डों और मिलने एक ओर भी सिद्धान्त का निर्माण किया है, जिसे मजदूरी-कोष सिद्धान्त (Wage-fund Theory) कहा जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक वर्ष कुल उत्पादन में से उत्पादक अपनी इच्छा के अनुसार (यानि किसी आधार के) एक कोष अलग रख देता है, जिसे "मजदूरी कोष" कहा जाता है। समस्त श्रमिकों का कुल हिस्सा मिलकर इस मजदूरी कोष के बराबर होता है, परन्तु कोष के निर्धारण में किसी नियम का पालन नहीं किया जाता और वह पूर्णतया उत्पादन की स्वेच्छा पर निर्भर होता है।

(३) पूँजी एवं साहस का पुष्टकार—अतः जो दोष वच्चे चढ़ उत्पादक को लाभ (Profit) के रूप में प्राप्त होता है। स्मरणीय है कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री व्याज और लाभ में भेद नहीं करते थे। उन्होंने इन दोनों के लिए "लाभ" शब्द का ही उपयोग किया। कारण, उनके समय में पूँजी का उपयोग तथा इसका महत्त्व बहुत ही कम था। कुल उपज में से लगान और मजदूरी निकाल देने के पश्चात् लाभ के निश्चालने में कोई कठिनाई नहीं होती चाहिए, क्योंकि कुल उपज में से लगान और मजदूरी निकाल देने के बाद केवल लाभ ही बच रहता है।

ध्यालोचना—

वितरण का प्रतिष्ठित सिद्धान्त आधुनिक दृष्टि से बड़ा अपूरा तथा अवैज्ञानिक प्रतीत होता है। इस सिद्धान्त के प्रमुख दोष निम्न हैं :—

(१) लगान "सीमान्त भूमि" द्वारा नियत होता है, जबकि मजदूरी "जीवन-स्तर" द्वारा और पूँजीपति को केवल इन दोनों के बाद बचा-बचाया हिस्सा (residual share) ही मिलता

है। इस प्रकार, लगान, मजदूरी और लाभ तीनों के निर्धारण के नियम पूर्णतया भिन्न हैं। यद्यपि में विभिन्न मापनों में कोई मौलिक भेद नहीं होता है और इसीलिए प्रत्येक का हिस्सा एक ही सिद्धान्त के द्वारा निश्चित होना चाहिए। यदि तीन आदमी एक साथ मिलकर किसी काम को करते हैं, तो क्या यह उचित होगा कि एक को काम के घण्टों के आधार पर वेतन दिया जाये, दूसरे को काम की मात्रा और तीसरे को काम की क्रिम के अनुसार ?

(२) लगान यदि आधिक्य है, तो वह सबसे बाद में मिलना चाहिए, न कि सबसे पहले। ठीक इसी प्रकार यह आधार भी ठीक नहीं है कि पहले एक मजदूरी कोप निश्चित किया जाय और बन्धन में प्रत्येक श्रमिक को उसका हिस्सा दिया जाय। सही रीति तो यह होगी कि प्रत्येक श्रमिक का पृथक पृथक हिस्सा पहले निश्चित किया जाय और इन सबका योग मजदूरी कोप को निश्चित करे।

सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त (The Marginal productivity Theory)

'सिद्धान्त की प्रमुख बातें—

इस सिद्धान्त के अनुसार वितरण की प्रणाली यह है कि दीर्घकाल में उत्पत्ति के प्रत्येक साधन को कुल उपज में से जो हिस्सा मिलना है वह उस साधन की सीमान्त उपज के बराबर होता है। जिस प्रकार प्रत्येक द्रव्य की सीमान्त उपमांगिता होती है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक उत्पत्ति-साधन की सीमान्त उत्पादकता का भी पता लगाया जा सकता है। किसी साधन की सीमान्त उत्पादकता से हमारा अभिप्राय कुल उत्पत्ति में की गई उस वृद्धि में है जो उस साधन की अन्तिम या सीमान्त इकाई के उपयोग द्वारा होती है। निरर्थक ही प्रत्येक उत्पादक किसी साधन का उपयोग एक निश्चित सीमा तक ही करता है। सीमान्त इकाई वह इकाई होती है जिसके आगे उत्पादक साधन की और अधिक मात्रा उपयोग करना उचित नहीं सम्भ्रता। अन्तिम दशा में किसी साधन की जो पारितोषण मिलता है वह उस उपज के मूल्य के बराबर होगा, जो इस साधन की सीमान्त इकाई के उपयोग के फलस्वरूप प्राप्त होती है।

किसी भी साधन की सीमान्त उत्पादकता निकालने के लिए हम बहुधा ऐसा करते हैं कि अन्य साधनों की मात्रा को गत्यास्थ रखते हुए साधन विशेष की मात्रा को एक इकाई से बढ़ा-या घटा देते हैं। ऐसा करने से कुल उत्पादन में थोड़ी वृद्धि या कमी हो जाती है, जो साधन विशेष की सीमान्त उत्पादकता को सूचित करती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि हम ५० इकाई भूमि, १०० श्रमिक, १० इकाई पूंजी तथा ५ इकाई साधन का उपयोग करते हैं, जिससे हमें १,००० इकाई कुल उत्पत्ति मिलती है। अब यदि भूमि, पूंजी और साधन की मात्राएँ उन्हीं की रहीं रहें किन्तु श्रम की मात्रा बढ़ाकर १०१ कर दी जाय और यदि हमसे १,००५ इकाई कुल उपज प्राप्त हो, तो निश्चय है कि श्रम की १०१ वीं इकाई के उपयोग के कारण कुल उपज में ५ इकाई की वृद्धि होती है। यही श्रम की 'सीमान्त उपज' होगी। यदि दाम ५ रुपये प्रति इकाई है, तो श्रम की सीमान्त उत्पादकता की मुद्रा में माप २५ रुपये होगी। इसी प्रकार, अन्य उत्पत्ति-साधनों की भी सीमान्त उत्पादकता ज्ञान की जा सकती है। सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त के अनुसार श्रम का दीर्घकालीन पारितोषण २५ रुपये ही होगा, इससे कम या अधिक नहीं।

स्पष्ट है कि यदि श्रमिक को २५ रु० से अधिक देना पड़े, तो उत्पादक को हानि होगी और वह श्रमिकों के उपयोग को कम करने का प्रयत्न करेगा। इससे श्रमिक की माँग कम हो जायगी और मजदूरी भी कम हो जायगी। यह तब उस समय तक चलता रहेगा जब तक कि

मजदूरी घटकर २५ रुपया (अर्थात् थम की सीमान्त उत्पादकता) के बराबर न हो जाये। इसके विपरीत, यदि थम को उसकी सीमान्त उपज के मूल्य से कम मजदूरी मिले, तो थमिक ऐसे व्यवसाय को छोड़ने का प्रयत्न करेगा, जिससे थम की पूर्ति कम हो जायगी, मजदूरी बढ़ेगी तथा उस समय तक बढ़ती रहेगी जब तक कि वह सीमान्त उत्पादकता के बराबर न हो जाय। ठीक इसी प्रकार, जब थमिक को उसकी सीमान्त उपज की कीमत से कम मजदूरी दी जाती है, तो उत्पादक को लाभ होता है। ऐसी दशा में, वह अधिक थमिक रखना चाहेगा, थमिक की माँग बढ़ने से मजदूरी भी बढ़ेगी और लाभ की सम्भावना तभी जाकर समाप्त होगी जबकि मजदूरी सीमान्त उपज की कीमत के बराबर हो जाये।

इस प्रकार, थोड़े समय तक तो थमिक का पारितोषण सीमान्त उत्पादकता से कम या अधिक हो सकता है, पर अन्त में वह सीमान्त उत्पादकता के बराबर ही होगा। थम के अतिरिक्त अन्य साधनों का पारितोषण भी उसी प्रकार निश्चित होगा।

प्रतियोगिता तथा प्रतिस्थापन नियम के अनुसार अन्त में किसी भी साधन की सीमान्त उत्पादकता प्रत्येक उपयोग में बराबर होगी। इसका कारण यह है कि उत्पादक उन साधन के स्थान पर, जिसका पारितोषण इसकी सीमान्त उत्पादकता से अधिक है, ऐसे साधन का उपयोग करने का प्रयत्न करेगा जिसे इससे कम देना पड़े। इसके विपरीत, प्रत्येक साधन में ऐसे उपयोग या व्यवसाय में जाने की प्रवृत्ति होती है जहाँ उसे अधिक पारितोषण प्राप्त होता है। इस प्रकार, व्यक्तिगत उद्योगों में विभिन्न साधनों की माँग और पूर्ति की स्थिति में परिवर्तन होते-होते अन्त में सभी व्यवसायों के साधन की सीमान्त उत्पादकता समान हो जाती है।

सिद्धान्त की मान्यताएँ—

सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त कुछ विशेष दशाओं में ही मही होता है। इस नियम की प्रमुख मान्यताएँ निम्न प्रकार हैं :—(१) साधन की सभी इकाइयाँ सब प्रकार से समान हैं। यदि ऐसा नहीं है वरन् इकाइयों में अन्तर है, तो प्रत्येक इकाई का पारितोषण अलग-अलग होगा। (२) उत्पत्ति के पारिभाषिक गुणक (Technical co-efficients of Production) बदले जा सकते हैं। यदि विभिन्न साधनों के बीच परस्पर प्रतिस्थापन नहीं हो सकता, तो यह सिद्धान्त लागू नहीं होगा। जब भूमि के स्थान पर पूँजी अथवा पूँजों के स्थान पर किसी भी अशुद्ध दूगरे साधन का उपयोग नहीं हो सकता है, तो सीमान्त उपज का पता भी नहीं लगाया जा सकता है। मापारणतया उद्योगों में उत्पत्ति के पारिभाषिक गुणक परिवर्तनीय होते हैं, परन्तु कुछ दशार्प ऐसी भी होती हैं जहाँ ऐसा नहीं होता। वह सीमान्त उत्पादकता विवेचना सम्भव नहीं होती है। (३) उत्पत्ति-साधन को किन्हीं भी अंशों में विभाजित करना सम्भव है। यदि ऐसा सम्भव नहीं है, तो किसी भी साधन के उपयोग को उस बिन्दु तक, जहाँ उसकी मापण उसकी सीमान्त उत्पादकता के बराबर हो जाय, नहीं बढ़ाया जा सकता। (४) उत्पत्ति साधनों में प्रादेशिक तथा व्यावसायिक दोनों प्रकार की गतिशीलता है, क्योंकि तब ही अधिक पारितोषण की सम्भावना पर वे स्थान या व्यवसाय को बदल सकेंगे। (५) व्यवसायों तथा साधनों में परस्पर पूर्ण प्रतियोगिता होनी चाहिए। (६) सेवायोजक प्रत्येक साधन की सीमान्त उत्पादकता को वास्तव में नाप सकता है। (७) श्रम-व्यवस्था में पूर्ण रोजगार है क्योंकि यदि कुछ साधनों को रोजगार प्राप्त नहीं है, तो वे अपनी सेवाएँ किसी भी कीमत पर बेचने को तैयार हो जायेंगे। (८) प्रत्येक सेवायोजक अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है और इसी प्रकार प्रत्येक साधन में भी अपने पारितोषण को अधिकतम करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। दोनों का व्यवहार इस प्रवृत्ति पर आधारित होता है। (९) प्रत्येक साधन में ऐसी समायोजनक्षमता होती है कि वह अपने को किसी भी उपयोग के अनुकूल ढाल सके।

आलोचनाएँ —

इस सिद्धान्त की बहुत आलोचना हुई है। प्रमुख आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं :—

(१) यद्यपि यह सिद्धान्त इस दृष्टि से मनोपवनक है कि सभी सिद्धान्तों का परिचालन एक ही नियम के अनुसार निश्चित होता है, तथापि इसमें केवल माँग की विवेचना द्वारा ही साधन का मुख्य निर्धारित करने का प्रयत्न किया गया है। यद्यपि वे उदात्त-साधनों तथा वस्तुओं में कोई भी भौतिक अन्तर नहीं है और इस कारण मुख्य का सामान्य सिद्धान्त (अर्थात् माँग और पूर्ति का सिद्धान्त) साधनों के मुख्य निर्धारण पर भी लागू होता चाहिए।

(२) प्रोफ़ेसर कारवर (Carver) का कथन है कि प्रत्येक उत्पात्ति विभिन्न साधनों का ऐसा समिश्रण होता है जिसे जलग-जलग नहीं किया जा सकता, किन्तु किसी एक साधन की उत्पादकता कम निकाली जा सकती है। [परन्तु इस आलोचना में सीमान्त उत्पादकता नियम के समझने में थोड़ा भूल की गई है। एक साधन के बड़ा देन में कुल उत्पात्ति में जो वृद्धि होती है उसके विषय में कोई भी यह नहीं कहता है कि वह केवल उस साधन की बड़ी हुई मात्रा के कारण हुई है, वरन् उसे केवल उस साधन के नाम लगा (Impute) दिया जाता है। इस प्रकार इस आधार पर हम सिद्धान्त को गलत नहीं कह सकते हैं।]

(३) बीजर तथा हायसन का मत है कि यदि किसी एक साधन की इकाई को उत्पात्ति में से निकाल लिया जाता है तो समस्त व्यवसाय इस प्रकार अस्त-व्यस्त हो जाता है कि कुल उत्पात्ति में जो हानि होती है वह उस साधन की सीमान्त उत्पादकता से कहीं अधिक होती है। [किन्तु स्मरण रहे कि यदि साधनों को बहुत थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बढ़ाया या घटाया जाय और उत्पात्ति का पैमाना बहुत छोटा न हो, तो यह आलोचना सही नहीं होगी।]

(४) बीजर के अनुसार किना एक साधन की एक इकाई के उत्पात्ति से निकालने पर कुल उत्पात्ति में जो कमी आती है, अर्थात् जो साधन विशेष की सीमान्त उत्पादकता होती है उसे यदि प्रत्येक साधन की इकाईयों की मात्रा में गुणा करके जोड़ा जाय तो यह योग कुल उपज से अधिक होगा। इसके विपरीत, विकसटीड का कथन है कि योग कुल उपज से कम रहेगा, क्योंकि सीमान्त उत्पादकता मरदा घटने हुए अनुपात में बढ़ती है।^१ [परन्तु जैसा कि प्रोफ़ेसर ए० के० दास गुप्ता ने दिखाया है, बीजर और विकसटीड दोनों का मत गलत है और यह योग न तो कुल उपज से कम होता है और न अधिक।]

(५) पाँचवीं वटिनाई सीमान्त उपज की शुद्ध नाप से सम्बन्धित है। इस विषय में थ्रोमनी जेन रोडिंगन, पीगू तथा हिवन सीनो मशहूर हैं। उत्पात्ति के पैमाने के बड़ा-छोटा होने के अनुसार किनो फर्म विशेष में एक साधन की सीमान्त उत्पादकता की माप बड़ी वटिन होती है, क्योंकि उमम भिन्नता रहती है और सब उपयोगों में तथा समस्त उद्योग में सीमान्त उत्पादकता के सामान्य होने का प्रश्न ही नहीं उठता।^२

(६) यह सिद्धान्त सभी देशों में लागू नहीं होता। यदि विभिन्न साधनों का परस्पर प्रतिस्थापन नहीं हो सकता, अर्थात् यदि उत्पात्ति के परिभाषक गुणक अपरिवर्तनीय हैं, तो सीमान्त उपज नहीं निकाली जा सकती है और यह सिद्धान्त अमक्य रहता है। उदाहरणस्वरूप, नीचे की दशा में सीमान्त उपज नहीं माप की जा सकती है—

$$\begin{aligned} & \times \text{ टाइपिस्ट} + \times \text{ टाइपराइटर} + १५० \text{ कामज़} + \text{माहम} = १५० \text{ पत्र} \\ & \times \text{ ,, } + \times \text{ ,, } + १५० \text{ ,, } + \text{ ,, } = १५० \text{ पत्र} \end{aligned}$$

^१ Wicksteed : *Commonsenses of Political Economy*.

^२ Joan Robinson : *Economics of Imperfect Competition*, p. 327, also J. K. Hicks : *Theory of Wages*, the Appendix, and Pigou : *Economics of Welfare*,

इस दशा में पाँचवें टाइमिस्ट के लगे देने से भी टाइम रिबे हूये पत्रों की मात्रा नहीं बढ़ती इसलिए टाइमिस्ट की सीमान्त उत्पादकता का पता नहीं लगाया जा सकता है।

(७) यह सिद्धान्त दीर्घकालीन है। इसमें साधन के अल्पकालीन पारितोषण को निश्चित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अल्पकाल में किसी भी साधन का पारितोषण उनकी सीमान्त उाज की कीमत से कम या अधिक हो सकता है।

सारांश यह है कि सीमान्त उत्पादकता का सिद्धान्त प्रवैगिक संसार में उत्पत्ति के साधनों के हिस्से निर्धारित करने के लिए अनुपयुक्त है। यह सामाजिक (Sociological) चारकों पर (जैसे श्रम-संध, सामाजिक प्रतिष्ठा इत्यादि) विचार नहीं कर पाता है और इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाता कि प्रवैगिक अर्थ-व्यवस्था में मजदूरी, व्याज तथा लाभ का निर्धारण किस प्रकार होता है।

सीमान्त उत्पादकता कटौती का विचार

(The Concept of Discounted Marginal Productivity)

टाज्जिग न एक नया विचार प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि किसी साधन (श्रम) का पारितोषण (अथवा उसकी कीमत) उसकी सीमान्त उपज के पूरे मूल्य के बराबर नहीं हो सकता है वरन् उसे सीमान्त उपज वट्टा (Discount) काट कर मिलती है।

बट्टा क्या है ?

“बट्टा एक अग्रिम की दर्जाना है। उत्पादन में समय लगता है। जिन मशीनों और सामानों का उत्पादन किया म उपयोग होता है वे श्रमिकों द्वारा निर्मित किये जाते हैं, परन्तु उपयोग की वस्तुओं (consumers goods) के, जोकि वास्तविक मजदूरी का निर्माण करते हैं, बाहर आने में समय लगता है। इसके लिए प्रतीक्षा आवश्यक है। आधुनिक युग की निजी-सम्पत्ति-व्यवस्था के अन्तर्गत धन के वितरण में विगल असमानताएँ हैं और श्रमिकों में से अधिकांश के पास इस लम्बी समय अवधि में अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ भी नहीं होता है। कोई अन्य व्यक्ति, जिगने पाम अतिरिक्त साधन है, अपने इस आधिक्य में श्रमिकों का पारितोषण अग्रिम के रूप में दे देता है। पूँजीपातियों का कार्य श्रमिकों को एक के बाद दूसरा अग्रिम देने से सम्बन्धित होता है और उनका लाभ इस कारण होता है कि वे श्रमिकों को उपयोग की वस्तुओं के सन्दर्भ में उनसे कहीं कम देते हैं जितना कि श्रमिक आगे चलकर उत्पन्न करेंगे। इस प्रकार, पूँजीवादी सेवाधीनक श्रम की उपज म स वट्टा काट लेता है।”¹

बट्टा काटना क्यों आवश्यक है ?

अन श्रमिक की मजदूरी ज्ञात करने के लिए श्रम की सीमान्त उपज में से वट्टा अथवा कटौती को काट देना आवश्यक होगा। “उत्पत्ति का वह साधन, जिसका लगभग प्रत्येक रोजगार में श्रम के साथ सहयोग आवश्यक है, चल पूँजी (Circulating Capital) है। इस चल पूँजी की मात्रा, मजदूरी की मात्रा, तथा उस समय अवधि के गुणनफल के बराबर होनी है जो श्रमिक की मजदूरी के भुगतान के समय तथा उाज की वित्तों के समय के बीच में व्यतीत होती है। यदि हम यह मान लें कि यह समय अवधि (उत्पादन की समय अवधि) दी हुई (given) और यथास्थिति (constant) है, परन्तु श्रम का अनुपात चल पूँजी के अतिरिक्त अन्य उत्पत्ति-साधनों से स्वतन्त्र रूप में परिवर्तनशील है तो, भले ही इन अन्य साधनों की मात्रा को भी यथास्थिति मान लिया

¹ F. W. Taussig : *Principles of Economics*, Vol. II, p. 62

जाये (जब की थम की मात्रा में थोड़ा-सा परिवर्तन किया जाता है) चल पूँजी की मात्रा को यथा-स्थिर नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि थम की मात्रा में वृद्धि के साथ-साथ चल पूँजी की मात्रा में भी थोड़ी-सी वृद्धि अवश्य करनी होगी। अतः विक्री कीमत और उत्पादन व्यय की समानता को बनाये रखने के लिए अतिरिक्त चल पूँजी का व्यय सीमान्त उपज में से घटना आवश्यक होगा अर्थात् उस प्रकार से मालूम की गई सीमान्त उपज में से बट्टा काटना आवश्यक होगा।¹

बट्टा काटना आवश्यक नहीं है ?

जब एक बार हम यह मान लेते हैं कि श्रमिक को इसकी सीमान्त उत्पादकता के अनुसार मजदूरी मिलती है और उत्पादन की पूँजीवादी प्रणाली प्रचलित है, तो यह तर्कसङ्गत ही है कि सीमान्त उपज में से बट्टा काटा जाये। किन्तु उत्पादन की समय अवधि भी बदलती रहती है। ह्यस ने ठीक ही कहा है कि 'ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि हम साधारणतया क्यों न यह मानें कि उत्पादन अवधि की लम्बाई घट-बढ़ सकती है; और जब एक बार हम यह मान लेते हैं, तो हमें ऊपर बताई हुई सच्ची सीमान्त उपज प्राप्त हो जाती है। यदि चल पूँजी को एक निश्चित मात्रा के साथ थम का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाये, तो इससे साधारणतया उत्पादन की समय अवधि घट जायेगी; परन्तु ऐसी दशा में थम की अतिरिक्त मात्रा द्वारा उपज की जो अतिरिक्त मात्रा उत्पन्न की जायेगी वह एक सच्ची सीमान्त उपज होगी जो, साथ ही दशा में, बिना किसी प्रकार का बट्टा कटे मजदूरी के बराबर होनी चाहिए।' इससे पता चलता है कि सच्ची सीमान्त उत्पादकता का पता लगाने हेतु बट्टीनी के लिए कोई व्यवस्था करना आवश्यक नहीं है।

वितरण का माँग और पूर्ति का सिद्धान्त

आधुनिक युग में अर्थशास्त्रियों का एक दार्शनिकी विचार-सम्प्रदाय ऐसा भी है जो यह समझता है कि वितरण की समस्या ठीक वही है जो कीमत निर्धारण की समस्या है। विभिन्न उत्पादक सेवाओं का पारितोषण केवल उनकी कीमत है जो उन्हें उत्पादक कार्यों में उपयोग करने के बदले चुकाई जाती है। यह भी बड़ा जाना है कि एक वस्तु तथा एक उत्पादक-सेवा के बीच कोई आंतरभूत भेद नहीं होता। किन्ती भी उत्पात्ति-साधन की सीमान्त वस्तु की कीमत की भाँति उसकी माँग और पूर्ति की दार्शनिकी द्वारा निर्धारित होनी चाहिए। सावधानी केवल इतनी रहेगी कि उत्पात्ति के साधन के सम्बन्ध में उनकी माँग और पूर्ति का विशेष अर्थ लिया जायेगा। एक कठिनाई यह अवश्य है कि अलग-अलग साधनों की माँग और पूर्ति की दशाएँ अलग-अलग होती हैं और शापक मनी कारण है कि लगान, मजदूरी, व्याज तथा लाभ के अलग-अलग सिद्धान्त देवाने को मिलते हैं। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि किन्ती सामान्य एकाकी सिद्धान्त (general single principle) का निर्माण नहीं हो सकता है। अवश्य ही इत सम्बन्ध में कुछ सामान्य नियम बनाये जा सकते हैं।

पूर्ति सम्बन्धी नियम—

एक वस्तु के विषय में हम यह कह सकते हैं कि इसकी पूर्ति इसके उत्पादन व्यय पर निर्भर होती है। उत्पात्ति के साधन के विषय में भी ऐसा ही कहा जा सकता है किन्तु एक अन्तर के साथ। एक उत्पात्ति-साधन के सम्बन्ध में उत्पादन व्यय का अर्थ न तो मौद्रिक व्यय से होता है और न वास्तविक व्यय से। इसका अभिप्राय केवल 'इस्तान्तरण व्यय' (transfer cost) अथवा 'अवसर व्यय' (opportunity cost) से होता है। अवसर व्यय यह कमाई होती है जो कि साधन अन्वय प्राप्त कर सकता है।

¹ J. R. Hicks : *The Theory of Wages*, p. 16 (foot-note).

उत्पत्ति-साधनो के स्वामियो को उत्पात्ति के साधनों के उपयोग की अनुमति देने के लिए मोद्रिक भुगतान करने पडते हैं। एक ठोगे भुगतान को साधन की पूति-कीमत कहा जा सकता है। पारिभाषिक भाषा में किसी साधन की पूति-कीमत वह स्थूलतम् कीमत है, जो साधन को आवश्यक मात्रा में प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। चूंकि उत्पात्ति के प्रत्येक साधन को अनेक उपयोग में लाया जा सकता है, इसलिए उसका स्वामी साधन के विभिन्न उपयोगों से प्राप्त होने वाले पारि-तोपणों को तुलना करता है और साधन को उस उपयोग में लगाना है जिसमें उसे अधिकतम् पारि-तोपण मिलता है। इस प्रकार, साधन की पूति-कीमत रोजगार के उन विभिन्न वैकल्पिक अवसरों पर जिसमें साधन को पूति बिन्दु न भी न करने या विकल्प भी सम्मिलित है) निर्भर होती है, जो साधन विशेष को प्राप्त हैं। किन्तु साम्य की दशा में किसी भी साधन की कीमत उसकी पूति उपलब्ध करने की सीमान्त अनुपयोगिता के बराबर अवश्य होती चाहिए।

माँग सम्बन्धी नियम—

यह पहले बताया जा चुका है कि उत्पात्ति के किसी भी साधन की माँग ध्वरादित (derived) होती है, क्योंकि एक उत्पात्ति-साधन स्वयं अपने लिए नहीं माँगा जाता बल्कि इसलिए माँगा जाता है कि उसकी उत्पात्ता से बस्तुएँ और सेवाएँ उत्पन्न की जा सकती हैं। इस कारण, किसी भी साधन की माँग-कीमत इसकी उत्पादकता (अथवा अधिक निश्चित भाषा में सीमान्त उत्पादकता) पर निर्भर होती है। हम पहले ही देख चुके हैं कि किसी भी साधन की सीमान्त उत्पादकता कुल उपज की यह वृद्धि होती है जो उस साधन की मात्रा में एक इकाई को वृद्धि करने में, जबकि अन्य साधनों की मात्रा स्थानियत रहे, उत्पन्न होती है। कोई भी सेवायोजक किसी भी साधन की और अधिक इकाइयों उस समय तक उपयोग करता है जब तक कि उसके लिए साधन की सीमान्त उत्पादकता साधन के व्यय से भी अधिक रहे। जिस बिन्दु पर सीमान्त उपज साधन की कीमत के बराबर होती है, वही कुल उपज की अधिकतम् मात्रा को निश्चित करता है। किसी भी दशा में सेवायोजक साधन के लिए उसकी सीमान्त उपज को काम में लैवो-धीमत नहीं देगा।

साधन की साम्य कीमत—

वितरण की माँग और पूति सिद्धान्त यह बताता है कि एक उत्पादक सेवा की कीमत (पारितोपण), पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत, एक ओर तो उसकी सीमान्त उत्पादकता पर और दूसरी ओर साधन की पूति उपलब्ध करने के हस्तान्तरण व्यय पर निर्भर होती है। साम्य की दशाओं के अन्तर्गत, साधन की कीमत उस बिन्दु पर निश्चित होती है जिस पर साधन की सीमान्त उत्पादकता उसके हस्तान्तरण व्यय के बराबर होती है।

सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त की भाँति वितरण का माँग और पूति सिद्धान्त भी अनेक मान्यताओं पर आधारित है। तीन प्रमुख मान्यताएँ निम्न प्रकार हैं — (१) उत्पात्ति के साधन की सभी इकाइयों अनुस्यू (homogeneous) और एक इकाई को पूर्ण स्थानापन्न (perfect substitute) होनी चाहिए। (२) उत्पात्ति का प्रत्येक साधन पूर्णतया विभाजीय (divisible) होना चाहिए, ताकि उसकी बहुत छोटी छोटी इकाइयों का उपयोग किया जा सके। (३) परिवर्तनशील अनुपात का नियम (law of variable proportions) सामान्य-रूप से कार्यशील होना चाहिए।

परीक्षा प्रश्न :

- १ "व्यावसायिक बोलचाल में उपभोक्ता का वस्तुओं को थोक और फुटकर वितरण ही वितरण कहलाता है, परन्तु आर्थिक सिद्धान्त के अनुसार वितरण एक दूसरा ही अर्थ रखता है।" विवेचना कीजिए।

२. किंगी माधन का मूल्य एक ओर नो उमकी मोमान्न उतरादरुना और दूनरी ओर माधक के तयाम द्वारा विर्षारित होता है, इन गिद्वान्न की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए ।
३. नोट लिखिए—व्यक्तिगत विनरण और कार्यात्मक वितरण ।
४. मोमान्न उत्पादनता के गिद्वान्न को बतलाइये और समझाइये ।
५. "वितरण", की परिभाषा दीजिए । "राष्ट्रीय आय के न्यायोचित वितरण की समस्या सामाजिक न्याय की समस्या है"—व्याख्या कीजिए तथा बतलाइये कि क्या भारत में योजनाओं के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में हुई वृद्धि का न्यायोचित वितरण हुआ है ? स्थिति के सुधार हेतु उपाय समझाइये ।

— — — — —

लगान और इसके सिद्धान्त

(Rent and Theories of Rent)

प्रारम्भिक—

साधारण बोल-चाल में लगान का लगभग वही अर्थ होता है जो किराये का होता है।¹ किसी दूसरे की वस्तु को उपयोग करने के लिए जो भाड़ा या किराया दिया जाता है उसे ही हम साधारण बोल-चाल में लगान कहते हैं। एक किसान जब जमीनशर में खेती करने के लिए जमीन नेता है, तो उस जमीन के उपयोग के लिए वह जो कुछ दे, उसे जमीन का लगान कहते हैं। इसी प्रकार, हम किराये के मकान में रहते हैं, तो मकान के मालिक को किराये के रूप में जो रकम दी जाती है, उसे भी बहुधा लगान ही कहा जाता है।

'लगान' से प्राश्य

परन्तु अर्थशास्त्र में इस शब्द का अर्थ साधारण बोल-चाल से थोड़ा भिन्न होता है। यहाँ लगान से हमारा अभिप्राय उस परिशिष्टण अथवा बदले में है जो भूमि के स्वामी को उन सेवाओं के बदले में, जो भूमि उत्पादन में उपस्थित करती है, मिलता है। सीनियर के अनुसार, लगान वह "अतिरिक्त उपज है जो किसी प्राकृतिक साधन के उपयोग से उत्पन्न होती है।" ठीक इसी प्रकार, माशेल ने लगान को "प्रकृति के स्वयंसेवक उद्धारों से प्राप्त आय" कहा है।

आधुनिक अर्थशास्त्री लगान के विचार को और आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। उनका कहना है कि प्रत्येक साधन में भूमि-पक्ष (Land-aspect) होता है और उपयुक्त दशाओं में प्रत्येक साधन लगान प्राप्त कर सकता है। कैरनेक्रॉस का विचार है कि भूमि की पूर्ण-कीमत शून्य होती है, क्योंकि भूमि का कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं होता। 'दूसरे प्रकार आर्थिक अर्थ में भूमि की समस्त कमाई, इसकी 'पूर्ति कीमत' पर आधिक्य के रूप में होना है।² इमान्तरंग व्यय अथवा पूर्ति कीमत पर कमाई का जो अर्थ है, वह लगान कहना है।³ बोल्डिंग के अनुसार; "आर्थिक लगान वह भुगतान है जो कि एक साम्यावस्था वाले उद्योग में किसी उचित-साधन को उस भुगतान के अतिरिक्त, जो साधन को इसके वर्तमान उपयोग में रखा जाने के लिए आवश्यक है, मिलता है।"⁴ ठीक ऐसा ही विचार जोन रोबिन्सन का है, "लगान के विचार का गां एक ऐसे आधिक्य

¹ "The entire earnings of land, in the economic sense, therefore, form a surplus above its supply price" "and excess of earnings over transfer cost or supply price is called rent"—Cairncross *Introduction to Economics*, p 296

² "Economic rent may be defined as any payment to a factor of production, in an industry in equilibrium, which is in excess on the minimum amount necessary to keep that factor in its present occupation"—Boulding: *Economic Analysis*, pp 211-12.

की कटवना है जो एक उत्पात्ति-माघन के एक विशेष भाग को उस न्यूनतम भुगतान के अतिरिक्त, जो उसे कार्य करने हेतु प्रेरित करने के लिए देना आवश्यक है, मितता है।¹

सकल और शुद्ध लगान

लगान का यही चरण मापारणतया निम्न प्रकार में किया जाता है—सकल लगान (Gross Rent) और शुद्ध या आर्थिक लगान (Net, Pure or Economic Rent)।

सकल लगान—

सकल लगान का ठीक वही अर्थ है जो कि लगान दान का साधारण बोल-चाल में होता है। एक किसान जो लगान देता है वह सकल लगान ही देता है। इस प्रकार के लगान में निम्न प्रकार के तत्वा सम्मिलित होने हैं—(i) भूमि के उपयोग के लिए दी जाने वाली राशि, (ii) उस राशि का व्यय जो भूमि की उन्नति अथवा सुधार पर व्यय की गई है, (iii) भूमिपति का दल-रेख के लिए पारिश्रमिक, और (iv) भूमिपति को उन स्वतरे या जोखिम के उठाने के कारण, जो भूमि की उन्नति करते समय उत्पन्न होती है, मिलने वाला मुषाविज्ञा।

आर्थिक लगान—

उक्त चारों में से केवल पद्धती राशि ही आर्थिक लगान में सम्मिलित होती है। इस प्रकार, आर्थिक लगान सकल लगान का जो एक भाग होता है अथवा हम यह कह सकते हैं कि सकल लगान में आर्थिक लगान के अतिरिक्त और अन्य तत्व भी सम्मिलित होते हैं। अभिप्राय यह है कि सकल लगान की मात्रा शुद्ध या आर्थिक लगान से अधिक होती है।

ठेका लगान—

ठेका लगान (Contract Rent) और आर्थिक लगान में भी भेद है। ठेके के लगान से हमारा अभिप्राय इस लगान से होता है जो दो पक्षों के बीच वापदे के रूप में निश्चित होता है। जब कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को अपनी कोई वस्तु किराये पर उपयोग के लिए देता है, तो साध में यह भी तय कर लेना है कि वह किराया अथवा लगान किस हिसाब में लेगा। इस प्रकार से तय किया हुआ लगान 'ठेके का लगान' कहलाता है। इसमें निम्न विशेषताएँ होती हैं—प्रथम, दृग्को दूर दोनों पक्षों की मोटा करने की शक्ति पर निर्भर होती है। दूसरे, इसमें निश्चित करने में वस्तु विशेष की माँग और पूति का बड़ी महत्त्व होता है जो किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण में होता है। यदि पूति माँग से अधिक है तो लगान की दर बहुत नीची हो सकती है और विपरीत दशा में, वह बहुत ऊँची होगी। तीसरे, इस प्रकार के लगान का आर्थिक लगान से लगभग कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता। किन्तु मूल्य या कीमत से इसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है।

लगान के सिद्धांत

लगान की विवेचना अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों ने की थी। इनका विचार था कि सब उद्योगों में केवल कृषि ही एक उत्पादक व्यवसाय है। कृषि पर प्रकृति की विशेष कृपा है। निर्माण, व्यापार तथा अन्य उद्योगों में लगे हुए मनुष्य जो उत्पादन करते हैं उनका मूल्य केवल उस व्यय के बराबर होता है जो उत्पादन के अन्तर्गत किया जाता है, अर्थात्, इन उद्योगों में लगे हुए उत्पात्ति-माघन केवल अपने व्यय के बराबर मूल्य का ही निर्माण करते हैं, अधिक नहीं।

¹ "The essence of the conception of rent is the conception of a surplus earned by a particular part of a factor of production over and above the minimum earnings necessary to induce it to do its work."—Joan Robinson: *Economics of Imperfect Competition*, p. 102.

परन्तु वृषि उद्योग में मनुष्य को प्रकृति का भी सहयोग प्राप्त होता है, जिसके फलस्वरूप इसमें उपज का मूल्य उपयोग किये हुए साधनों के मूल्य में अधिक होता है। यह आधिक्य प्रकृति का उपहार स्वरूप होता है। किसी आधिक्य या अतिरिक्त को हम लगान कहते हैं। इस प्रकार उनका मत था कि लगान एक प्रकार का आधिक्य है, जो मनुष्य को प्रकृति की विशेष कृपा या कारण प्राप्त होता है। यह उसी दशा में प्राप्त होता है जब प्रकृति, जो स्वभाव में ही उदार है, मनुष्य के कार्य में सहायक होती है।

सक्षेप में, लगान प्रकृति की विशेष देन है, जो भूमि के उपयोग से प्राप्त होती है। भूमिपति को कुल उपज में जो हिस्सा मिलता है वह इसी आधिक्य के बराबर होता है। इन अर्थ-शास्त्रियों का विचार था कि देश की सरकार को वर लगाने समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वर का बोझ केवल इसी आधिक्य पर पड़े, इसलिए कम सदा भूमिपतियों पर ही लगाने चाहिए, अन्य किसी वर्ग पर नहीं।

रिकाडों का लगान सिद्धान्त

(The Ricardian Theory of Rent)

लगान क्यों उदय होता है ?

रिकाडों प्रकृतिवादों अर्थशास्त्रियों ने इस मत से पूर्णतया सहमत थे कि लगान एक प्रकार का आधिक्य है। परन्तु उनके विचार में लगान का मूल कारण दूसरा ही था। उनका कथन है कि प्रकृति उदार नहीं है। वह वही कृपा है और मनुष्य के साथ सोतेली माँ का-सा व्यवहार करती है। प्रकृति का स्वाभाविक गुण मर्यादितता (Limitedness) है। भूमि, जो रिकाडों के अनुसार प्रकृति का बिना मूल्य का उपहार है, स्वभाव से ही मात्रा और गुणों में सीमित है। लगान की समस्या इसी सीमितता के कारण उत्पन्न होती है। भूमि की उर्वरता तथा अन्य गुणों में भिन्न होता है। अधिक उपजाऊ खेतों की मात्रा के सीमित होने के कारण मनुष्य को कम उपजाऊ भूमि पर खेती करने के लिए बाध्य होता पड़ता है। फलतः अधिक उपजाऊ खेतों पर एक प्रकार का आधिक्य दृष्टिगोचर होता है, जिसे हम उन खेतों का लगान कह सकते हैं। इस प्रकार लगान प्रकृति की उदारता के कारण नहीं, बल्कि उसकी कृपायुता अथवा मर्यादितता के कारण उत्पन्न होता है।

लगान क्या है ?

रिकाडों ने लगान की परिभाषा इस प्रकार की है, 'लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमि की मूल और अविनाशी शक्तियों के उपयोग के लिए भूमि के स्वामी को दिया जाता है।'¹ आगे चलकर वे लिखते हैं—“वह भाग लगान पूँजी के व्यय के अर्थ में समझा जाता है और साधारण भाषा में यह शब्द उन वस्तुओं के अर्थ में उपयोग किया जाता है जो किसान अपनी भूमि के स्वामी को देता है।” आर्थिक लगान उत्पादन व्यय के ऊपर एक आधिक्य है जो इस कारण उत्पन्न होता है कि खेत के एक टुकड़े की सीमान्त देत पर कुछ विशेष लाभ (Differential Advantages) प्राप्त होने हैं। कुल उपज में से खेती करने की लागत (अर्थात् भ्रम, पूँजी और साहस के पारतोपण) को निकाल देने के पश्चात् जो शुद्ध आधिक्य बचे वही लगान होती है।

इस प्रकार, लगान उपज का वह भाग है जो इस प्रकार के मूल और अविनाशी साधन के स्वामी को मिलता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि लगान को हम “पारितोषण” नहीं कह

¹ “Rent is that portion of the produce of earth which is paid to the landlord for the use of the original and indestructible powers of the soil.”—David Ricardo : *Principles of Political Economy and Taxation*

सकते, क्योंकि भूमि के स्वामी को किसी प्रकार का त्याग नहीं करना पड़ता है। यदि भूमि के एक टुकड़े को खेती करने योग्य बनाने में समय और शक्ति का व्यय होना है, तो उसके स्वामी को जो कृषि मिलेगा उनका एक अंश वेतन अथवा मजदूरी होगा और शेष लगान। अतः मच्चे अर्थ में लगान किसी प्रकार के त्याग का पारितोषण नहीं हो सकता।

(अ) लगान कैसे नापा जाता है ? (विस्तृत चेतो)—लगान के निर्धारण तथा उसकी माप के हेतु रिकार्डों एक ऐसे नये उपनिवेश का उदाहरण लेते हैं जिनमें नई आवादी आरम्भ होती है। मान लीजिए कि बसने वालों का पहला जलया इस उपनिवेश में जाकर बसता है और वहाँ खेती का कार्य आरम्भ करता है। स्वभाव से ही प्रत्येक मनुष्य कम से कम कष्ट उठाकर तथा कम से कम परिश्रम करके अधिक में अधिक लाभ उठाने तथा अधिक से अधिक उत्पत्ति करने का प्रयत्न करता है, इसलिए इस जलये के लोग सर्वप्रथम ऐसी भूमि पर खेती आरम्भ करेंगे जो सबसे अधिक उपजाऊ हो, ताकि थोड़े ही परिश्रम से पर्याप्त उपज प्राप्त की जा सके। सुविधा के लिए सबसे अधिक उपजाऊ भूमि को हम प्रथम श्रेणी की भूमि का नाम दे सकते हैं। मान लीजिए कि इस प्रकार की भूमि के एक एकड़ के टुकड़े पर ५० क्विन्टल गेहूँ उपजाया जा सकता है।


अब यदि उपनिवेश की जनसंख्या बढ़े और बाहर से बसने वालों के नये जलये आकर बसने लगे, तो धीरे-धीरे प्रथम श्रेणी की भूमि में शेष टुकड़ों पर भी खेती होने लगेगी। यदि जनसंख्या के बढ़ने का यह क्रम अधिक समय तक चलता रहे, तो जलत में प्रथम श्रेणी की भूमि के सब टुकड़े समाप्त हो जायेंगे क्योंकि इस प्रकार की भूमि की मात्रा प्राकृतिक कारणों से सीमित है। स्मरण रहे कि अभी तक लगान का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि भूमि के जिन टुकड़ों पर खेती की जाती है उन सबका उपजाऊपन समान है और किसी एक टुकड़े की दूसरे पर कोई भी विशेषता प्राप्त नहीं है।

परन्तु यदि जनसंख्या इतनी बढ़ जाती है कि प्रथम श्रेणी की भूमि की उपज उसके लिए पर्याप्त नहीं है, तो अन्न में उससे नीची अथवा उससे कम उपजाऊ भूमि पर भी खेती होने लगेगी। इस प्रकार की भूमि को हम दूसरी श्रेणी की भूमि कह सकते हैं। इस भूमि के एक टुकड़े पर हमारी मांग्यता के अनुसार प्रथम श्रेणी की भूमि के एक एकड़ के टुकड़े से कम उपज होगी। मान लीजिए कि दूसरी श्रेणी की एक एकड़ भूमि से ४० क्विन्टल गेहूँ की उपज प्राप्त होती है। इस दशा में, दो प्रकार के खेतों पर खेती हो रही है, जिनमें से एक को दूसरे पर उर्वरता का विशेषक लाभ प्राप्त है। अतः प्रथम श्रेणी की भूमि के प्रत्येक टुकड़े पर दूसरी श्रेणी की भूमि के टुकड़े की अपेक्षा एक अधिकव्यय या अतिरिक्त दृष्टिगोचर होगा, जिसे हम प्रथम श्रेणी के टुकड़े का लगान कह सकते हैं। हमारे उदाहरण के अनुसार, प्रथम श्रेणी के एक एकड़ टुकड़े का लगान $५० - ४० = १०$ क्विन्टल गेहूँ होगा।

यदि जनसंख्या आगे भी बराबर बढ़ती रहे और बसने वालों के नये जलये उपनिवेश में आकर बसते जायें तो कुछ समय पश्चात् दूसरी श्रेणी की भूमि भी समाप्त हो जायगी। तब यदि उपज की मात्रा कुछ आवादी के लिए पर्याप्त न हो तो उससे भी कम उपजाऊ भूमि पर खेती की जायगी। इस प्रकार की भूमि को हम तीसरी श्रेणी की भूमि कह सकते हैं। मान लीजिये कि हमने एक एकड़ के टुकड़े पर ३० क्विन्टल गेहूँ की उपज होती है। इस दशा में दूसरी श्रेणी की भूमि के प्रत्येक टुकड़े को भी विशेषक लाभ प्राप्त हो जायेंगे और उस पर भी अधिकव्यय दृष्टिगोचर होगा। ऊपर के उदाहरण के अनुसार दूसरी श्रेणी के एक एकड़ के टुकड़े का लगान $५० - ३० = २०$ क्विन्टल होगा। तब ही प्रथम श्रेणी के एक एकड़ का लगान बढ़कर

५०—३०=२० क्विन्टल हो जायगा। स्मरण रहे कि रिकार्डों के अनुसार तीसरी श्रेणी की भूमि पर कोई लगान नहीं होगा। जिस भूमि पर गेहो एक जाती है (अर्थात् खेती की जाने वाली अन्तिम श्रेणी की भूमि), उसे हम सीमान्त भूमि (Marginal Land) कहते हैं और सीमान्त भूमि लगान रहित भूमि (No-rent Land) होती है क्योंकि इस भूमि को विशेषक लाभ प्राप्त नहीं होते।

इसी प्रकार यदि चौथी श्रेणी की भूमि पर भी खेती करने की आवश्यकता पड़े, तो चौथी भूमि सीमान्त भूमि हो जायगी और उस पर लगान नहीं होगा, जब कि तीसरी श्रेणी



की भूमि पर लगान उत्पन्न हो जायगा और पहली और दूसरी श्रेणी की भूमि पर लगान की मात्रा बढ़ जायगी। यदि चौथी श्रेणी की भूमि के एक एकड़ पर १० क्विन्टल गेहूँ पैदा होता है, तो तीसरी श्रेणी के एक एकड़ का लगान $३० - २० = १०$ क्विन्टल होगा दूसरी श्रेणी के एकड़ का लगान $५० - २० = ३०$ क्विन्टल और प्रथम श्रेणी के एक एकड़ का लगान $५० - २० = ३०$ क्विन्टल होगा।

इस प्रकार, किसी भूमि विशेष का लगान उसकी उपज में से सीमान्त भूमि की उपज को घटाकर

जात किया जा सकता है। अग्रिम चित्र से यह बात और भी स्पष्ट हो जायगी। इस चित्र में चारों प्रकार की भूमि के एक-एक एकड़ की उपज दिखाई गई है और प्रत्येक का अलग-अलग लगान भी।

इस चित्र में प्रत्येक प्रकार के खेत का लगान रेखाचित्र क्षेत्रफल द्वारा सूचित होता है। चौथा खेत सीमान्त खेत है और उस पर कुछ भी लगान नहीं है। सीमान्त खेत की उपज में अधिक किसी खेत पर जितनी उपज होती है वही उस खेत का लगान कहलाती है।

लगान को मुद्रा में माप—ऊपर के उदाहरण में हमने लगान की माप उपज में की थी, परन्तु लगान की माप बहुधा मुद्रा में की जाती है। मुद्रा में माप करने समय कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं होती। मुद्रा में लगान की माप खेत में प्राप्त होने वाली उपज के मूल्य तथा उत्पादन व्यय के अन्तर के बराबर होती है। ऊपर के उदाहरण में, मान लीजिए कि एक एकड़ भूमि पर खेती करने की कुल लागत ३०० रुपये है, जिसका अर्थ यह होगा कि किसी भी खेत पर केवल उसी दगा में खेती की जायगी जबकि उसके मिलने वाली उपज के मूल्य ने फलस्वरूप कम से कम ३०० रुपये प्राप्त हो सकें। यदि खेती करने की लागत भी वसूल नहीं होगी, तो खेती की ही नहीं जायगी।

पहली दगा में जब केवल प्रथम श्रेणी की भूमि पर खेती होती है, तो एक एकड़ भूमि की उपज (अर्थात् ५० क्विन्टल गेहूँ) का ३०० रुपये में बिकना आवश्यक है। उस दगा में गेहूँ का दाम ६ रुपये प्रति क्विन्टल होगा। अब यदि जन-संख्या बढ़ती है तो निरवयव ही गेहूँ की माँग भी बढ़ेगी और गेहूँ के दाम ऊपर चढ़ जायेंगे। दूसरी श्रेणी की भूमि पर उस समय तक

मेनी नहीं की जायगी जब तक उसकी उपज के मूल्य के रूप में ३०० रुपये वसूल नहीं होगे। इस प्रकार, दूसरी श्रेणी के क्षेत्र पर तभी खेती होगी जब गेहूँ का दाम $३०० \div ४० = ७.५०$ रु० प्रति क्विन्टल हो जायगा। ऐसी दशा में प्रथम श्रेणी की एक एकड़ भूमि की उपज ३७५ रुपये में बिकेगी और इस प्रकार उस पर $३७५ - ३०० = ७५$ रुपये लगान होगा।

तीसरी श्रेणी के क्षेत्र पर मेनी तभी होगी, जब गेहूँ के दाम इतने बढ़ें जायें कि उसकी उपज (अर्थात् ३० क्विन्टल गेहूँ) ३०० रु० में बिक सकें, क्योंकि एक एकड़ भूमि से खेती करने के व्यय का वसूल होना आवश्यक है। मान लीजिये कि दाम १० रुपये प्रति क्विन्टल हो जाते हैं। ऐसी दशा में दूसरी श्रेणी के क्षेत्र पर लगान उदय हो जायेगा, जिसकी माप $४० \times १० - ३०० = १००$ रुपये होगी। पहले क्षेत्र का लगान बढ़कर $५० \times १० - ३०० = २००$ रुपये हो जायगा। इसी प्रकार, चौथे क्षेत्र पर खेती होने के लिए दामों का $(३०० - २०) = १५$ रुपये प्रति क्विन्टल होना जरूरी है। ऐसी दशा में तीसरी क्षेत्रों पर भी लगान होगा, जिसकी मुद्रा में माप $३० \times १५ - ३०० = १५०$ रुपये होगी। दूसरे क्षेत्र पर $४० \times १५ - ३०० = ३००$ रुपये और पहले क्षेत्र पर $५० \times १५ - ३०० = ४५०$ रुपये लगान होगा। वही लगान की मुद्रा में नापने की रीति है।

(ब) स्थिति और लगान—छुट लोगों ने रिकार्डों के लगान के मिथ्यात्व की इस दृष्टि से आलोचना की है कि रिकार्डों ने उर्वरिषेध में खेती करने का जो क्रम बताया है वह गठी नहीं है। उनका कहना है कि सर्वप्रथम सबसे अधिक उपजाऊ भूमि पर खेती नहीं की जाती, बरन् मनुष्य की आबादी या वस्ती के आस-पास की भूमि पर पहले खेती होती है और जैसे-जैसे कृषि की उपज की माँग बढ़ती जाती है, वस्ती से दूर और अधिक दूर की भूमि पर भी होने लगती है। साधारण यह है कि कृषि का क्रम उर्वरता द्वारा निर्दिष्ट नहीं होता, है। बरन् स्थिति या मानव आबादी की गमीपना द्वारा निर्दिष्ट होता है। इस प्रकार भूमि के किसी टुकड़े को, जो विशेषक लाभ प्राप्त होता है उसका कारण उसकी लाभपूर्ण स्थिति (अर्थात् बाजार की निकटता) है और यही कारण लगान की उत्पत्ति करता है।


इस विषय में रिकार्डों की जो आलोचना की गई है वह एक प्रकार से अज्ञानता पर आधारित है। यद्यपि रिकार्डों ने उपजाऊन पर जोर दिया है, परन्तु वह स्थिति के महत्त्व को समझते थे। रिकार्डों ने लिखा है—“सबसे अधिक उपजाऊ तथा सबसे अधिक लाभपूर्ण स्थिति वाले क्षेत्रों पर ही सबसे पहले खेती होगी। यदि सभी क्षेत्र समान रूप में उपजाऊ हों, तो लगान न होगा, जब तक कि किसी क्षेत्र की स्थिति का लाभ प्राप्त न हो।” इस प्रकार, रिकार्डों के अनुसार विशेषक लाभ उर्वरता तथा स्थिति दोनों ही कारणों से उत्पन्न हो सकता है।

जो क्षेत्र बाजार या मण्डी से अधिक निकट होते हैं उन पर समान उर्वरता वाले ऐसे क्षेत्रों की अपेक्षा जो बाजार से दूर हैं, उत्पादन तथा अन्य व्यय कम होते हैं। कारण, दूर के क्षेत्रों तक हल, बैल, ओजार, श्रमिक आदि लाने और ले जाने का व्यय अधिक होता है। साथ ही, वहाँ से उपज को मण्डी में लाने का यानायात व्यय भी अधिक होता है, अतः निकट के क्षेत्रों को आधिक्य प्राप्त होता है और उन पर लगान होता है। उदाहरणस्वरूप यदि एक एकड़ दूरी की भूमि पर कुल व्यय ३४५ रुपये पड़ता है, जबकि निकट की भूमि पर केवल ३०० रुपये, तो निकट की भूमि का लगान ४५ रुपये होगा, क्योंकि इतना ही इस भूमि को व्यय में विवेकक लाभ (Differential gain) प्राप्त है।

(स) गहन रीति और लगान—रिकार्डों का उपरोक्त उदाहरण विस्तृत खेती (Extensive Cultivation) में सम्बन्धित है। किन्तु, जैसा कि सभी जानते हैं, खेती गहन (Intensive) भी हो सकती है। विस्तृत खेती में तो अधिक उपज उत्पन्न करने के लिए और अधिक भूमि पर खेती

की जाती है, अर्थात् खेती की गोमा को बढ़ाया जाता है। परन्तु गहन खेती में, भूमि के टुकड़े पर और अधिक श्रम और पूँजी को मात्राएँ (Doses) लगाकर अधिक उपज प्राप्त की जाती है। उत्पत्ति ह्यम नियम में हम यह देखा चुके हैं कि दीर्घकाल में श्रम और पूँजी की अगली मात्राओं के फलस्वरूप निरन्तर क्रमशः घटती हुई उपज प्राप्त होती है। इसका अर्थ यह होता है कि श्रम और पूँजी का पहली मात्राओं पर एक प्रकार का आधिक्य दृष्टिगोचर होने लगता है, जिसे हम रिकार्डों के विचार में थोड़ा विस्तार करके "श्रम और पूँजी की पहली मात्राओं का लगान" कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि श्रम और पूँजा की पहली मात्रा से ५० इकाई उपज मिलती है और दूसरी से केवल ४०, तो पहली मात्रा के लगान की मात्रा १० इकाई उपज होगी।

मान लीजिये कि त, व, द, भूमि की तीन धोणियाँ घटती हुई उर्वरता के क्रम में हैं।



श्रम एवं पूँजी की इकाइयों

चित्र—गहरी खेती में लगान

की उपज की तुलना कर सकते हैं। अन्तिम भूमि जहाँ M_3 पर उत्पादन-लागत विक्रय घन के बराबर होती है, यह सीमान्त भूमि है। इस पर श्रम व पूँजा की केवल एक इकाई प्रयोग की गई है। चूँकि इसी इकाई पर लागतें नियम घन के बराबर हो जाती हैं, इसलिए कृषि आगे नहीं बढ़ाई जाती है। किन्तु अन्य दो भूमियाँ खेती हैं और इसलिए श्रम एवं भूमि की समान इकाइयाँ (similar doses) उन पर लगान उत्पन्न करती हैं, जिसे रेखांकित भाग द्वारा सूचित किया गया है।

है। M_1, M_2, M_3 इन भूमियों की श्रम एवं पूँजी की इकाइयों की 'सीमान्त आगत उपज' हैं। M_1, M_2 श्रम और पूँजी की प्रति इकाई कीमत है। उपरोक्त चित्र से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक भूमि पर एक 'सीमान्त इकाई' (marginal dose) है, जहाँ उत्पादन-लागत उपज के विक्री घन के बराबर होती है। इस बिन्दु M_1 और M_2 पर प्रथम, M_1 और M_2 है। मगर पूर्व-इकाइयाँ अर्थात् सीमान्त (Intra-marginal) है तथा लगान पानी है।

अब हम भूमि की विभिन्न धोणियों

ह्यम नियम और लगान—

ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि रिकार्डों का लगान का मिद्वान्त उत्पत्ति के ह्यम नियम पर आधारित है। चाहे हम निम्नत खेती को लें या गहन खेती, प्रत्येक दशा में उत्पत्ति ह्यम नियम अवश्य ही लागू होता है। उगी नियम के कारण आरम्भ में खेती का गई भूमि अथवा आरम्भ में उपयोग की हुई श्रम और पूँजी की मात्राओं पर पर "आधिक्य" (Surplus) दिखाई पड़ता है, जिसे रिकार्डों ने लगान का नाम दिया है।

लगान और मूल्य (Rent and Price)—

अपने लगान के मिद्वान्त के आधार पर रिकार्डों अन्त में हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि लगान कीमत में सम्मिलित नहीं होता, अर्थात् मूल्य के निर्धारण में लगान का कुछ भी हाथ नहीं होता। मूल्य या कीमत जिन कारणों अथवा तथ्यों से नियत होती है वे लगान के प्रभाव से पूर्णतया स्वतन्त्र होते हैं। मूल्य सीमान्त भूमि की उपज तथा उत्पादन व्यय द्वारा निश्चय होता है। यदि उत्पादन व्यय २०० रुपया है और सीमान्त भूमि की उपज २० क्विन्टल है, तो मूल्य १५ रुपया प्रति क्विन्टल होगा। सीमान्त भूमि "लगान रहित भूमि (No Rent land) होती है और

परिभाषाओं के सम्बन्ध में एक और भी कठिनाई है जो यह कि आधुनिक अर्थ-शास्त्री भूमि को उत्पत्ति-साधन मानने को ही तैयार नहीं है ।

योग्यता का लगान (Rent of Ability)—

रिकाइों के अनुसार लगान एक आधिक्य है । परन्तु, यदि लगान आधिक्य है तो क्या हम हर प्रकार के आधिक्य को लगान कह सकते हैं ? रिकाइों ने प्रकृति के बिना मान्य या स्वतन्त्र उपहारों को भूमि कहा है, चाहे वे उपहार किसी भी रूप में विद्यमान हों और इन्हीं उपहारों को लगान मिलता है । प्रकृति के स्वतन्त्र उपहारों में, अर्थ को थोड़ा विस्तृत करके, हम मनुष्य या कम से कम मनुष्य के एक पक्ष (Aspect) को भी सम्मिलित कर सकते हैं । जब वाकर ने योग्यता के लगान का उल्लेख किया तो निम्नलिखित उनके मन में यही विचार था । यह निश्चय है कि यदि हम योग्यता को भूमि नहीं मानते, तो योग्यता के लगान का प्रश्न ही नहीं उठता । इससे शायद हम इसी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रत्येक प्रकार के आधिक्य को लगान कहा जा सकता है ।

[मार्शल ने भूमि के लगान के अतिरिक्त और भी दो प्रकार के लगान का उल्लेख किया है । एक तो, योग्यता लगान और दूसरा आभास लगान (Quasi-rent) । आरम्भ में तो मार्शल ने उपभोक्ता की बचत को भी "उपभोक्ता का लगान" ही कहा था ।]

एक उत्पादक की आय अन्य बातों के अतिरिक्त उसकी कार्य-क्षमता पर भी निर्भर होती है । यह कार्य-क्षमता मार्शल के अनुसार अनक बातों पर आधारित होती है, जैसे—सयोग अवसर, अच्छा आरम्भ, विशेष प्रशिक्षण, बड़ा परिश्रम और दुर्लभ प्राकृतिक गुण । उत्पादक की आय के विभिन्न अंश इनमें से किसी न किसी कारण के साथ सम्बन्धित किये जा सकते हैं, किन्तु कुछ ऐसी भी दशाएँ हो सकती हैं जहाँ इस आय का अधिकांश भाग विशेष योग्यता के कारण उत्पन्न होता हो । मनुष्य की आय का केवल वही भाग जो उस मनुष्य को प्राप्त प्राकृतिक गुणों के कारण उत्पन्न होता है, "योग्यता का लगान" कहलाता है । प्रशिक्षण अथवा ट्रेनिंग के द्वारा जो भी योग्यता प्राप्त की जाती है उसे हम प्रकृति का बिना मूल्य का उपहार नहीं कह सकते, क्योंकि उस पर तो मनुष्य को व्यय करना पड़ता है । इस प्रकार की योग्यता अधिक में अधिक एक प्रकार की पूँजी होती है । अतः मार्शल ने कहा है—"जो आय एक मनुष्य को उसकी दुर्लभ प्राकृतिक योग्यता के कारण प्राप्त होता है, योग्यता का लगान कहा जा सकती है ।" यहाँ पर मार्शल ने दुर्लभता तथा प्राकृतिक दो बातों पर जोर दिया है । लगान सदा दुर्लभता अथवा सीमितता की दशा में होता है । यदि कोई वस्तु अपरिमित मात्रा में उपलब्ध है, तो उन पर लगान नहीं होगा । साथ ही, योग्यता "प्राकृतिक" (Natural or Inborn) जानी चाहिए, क्योंकि योग्यता प्राप्त (Acquired) भी की जा सकती है ।

योग्यता-लगान के दो विशेष महत्त्व हैं—(१) यह विचार हमारा ध्यान इस मूल्य की ओर आकर्षित करता है कि मनुष्य में भी भूमि पक्ष (Land aspect) होता है । इस प्रकार केवल भूमिपति को ही लगान नहीं मिलता, बल्कि एक व्यवसायी, श्रमिक अथवा साहसी को भी आधिक्य प्राप्त हो सकता है । (२) इसी विचार की सहायता में हम हम प्रश्न का उत्तर मिलता है कि कुछ व्यवसायों में ऊँची आय होते हुए भी उत्पत्ति के साधनों का प्रवाह उधर क्यों नहीं होता । उत्तर यह है कि सम्भवतः इन व्यवसायों में ऊँची आय का कारण योग्यता-लगान अधिक होता है और यथार्थ में उत्पत्ति के साधनों का पारितोषण बहुत ही कम होता है ।

रिकाइों के लगान-सिद्धान्त की आलोचनाएँ—

रिकाइों के लगान-सिद्धान्त की बड़ी बड़ी तथा विविध आलोचना हुई है । यथार्थ में अर्थशास्त्र के इतिहास में लगभग किसी भी लेखक और उसके सिद्धान्तों को इतनी कड़ी आलोचनाओं-

सभी ने स्वीकार किया है।¹ रिकार्डों ने लगान को धनोपाजित आय कहा है। यह सिद्धान्त समाज-वादियों के लिए विशेष आकर्षण रखता है। जमींदारी उन्मूलन इसी सिद्धान्त का प्रत्यक्ष फल है। रिकार्डों ने लगान का कारण भूमि की परिमाणवाचक और गुणवाचक मीमांसिता बताया है। आधुनिक अर्थशास्त्री भी लगान को पूंति की लोचनीयता और माधनो की दुर्लभता से संबंधित करते हैं। वास्तव में दोनों में कोई भी अंतर नहीं है।

आधुनिक अर्थशास्त्र और रिकार्डों का सिद्धान्त—

आधुनिक अर्थशास्त्रियों का रिकार्डों की भूमि सम्बन्धी परिभाषा तथा उसके विशेषक गुणों से भारी मतभेद है। उनका विचार है कि भूमि में भी कोई ऐसा गुण विद्यमान नहीं है, जो कि अन्य साधनों में न मिलता हो। अतः भूमि की विशेषता के आधार पर उसके पारितोषण (अर्थात् लगान) के लिए किसी अलग सिद्धान्त का बनाना उचित नहीं है। जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, भूमि के जो विशेष गुण रिकार्डों के अनुसार भूमि में पाये जाते हैं वे सभी साधनों में होते हैं और यदि इन गुणों के कारण भूमि पर लगान उत्पन्न होना है, तो सभी उत्पत्ति के साधनों पर लगान होना चाहिए।

(I) सर्वप्रथम, रिकार्डों की भूमि सम्बन्धी परिभाषा को ही लीजिए—रिकार्डों के अनुसार भूमि प्रकृति का बिना मूल्य का उपहार है, अर्थात् उसके लिये मनुष्य को कुछ भी व्यय नहीं करना पड़ता है। निस्सन्देह प्राकृतिक भ्रमना, जङ्गलों में खड़े हुए पेड़, जङ्गलों जातवर तथा इस प्रकार की दूसरी वस्तुएँ मनुष्य के उद्योग के बिना ही इन संसार में हैं। परन्तु जब मनुष्य उन्हें उपभोग या उत्पत्ति के लिये उपयोग करता है, तो वे उसे बिना मूल्य के नहीं मिलती हैं। भरने तक पहुँचने तथा उसको देखकर तृप्ति पाने में व्यय होता है। यदि और कुछ नहीं तो “अवसर व्यय” तो अवश्य ही होगा। जङ्गल के पेड़ का उपभोग करने अथवा उस उत्पत्ति के माधन के रूप में उपयोग करने में भी व्यय होता है और फिर क्या भूय, वर्षा दरवाबि हर समय तथा हर मनुष्य को बिना व्यय के मिलती है? क्या एक बन्द बंदी अथवा खान में काम करने वाले शमिक को इनके पाने के लिए व्यय नहीं करना पड़ता? क्या पनडुब्बी नाव के यात्रियों को क्षुधा बिना मूल्य ही मिल जाती है? इन उदाहरणों से यह पता चलता है कि प्रकृति के उपहार सदा बिना मूल्य नहीं होते। वास्तविकता यह है कि बिना मूल्य के उपहार हैं ही नहीं और रिकार्डों के बताये दृश्य अर्थ में भूमि नाम की वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है।

(II) अब रिकार्डों द्वारा बताये दृश्य भूमि के विशेष गुणों को लीजिए—रिकार्डों का विचार है कि चूँकि भूमि प्रकृति का उपहार है जबकि अन्य साधन मनुष्यकृत हैं, इसलिए भूमि में कुछ ऐसे विशेष गुण पाये जाते हैं जो अन्य साधनों में विद्यमान नहीं हैं। भूमि के इन्हीं विशेष गुणों के कारण रिकार्डों भूमि के पारितोषण के निर्धारण के लिए एक अलग सिद्धान्त बनाने हैं। रिकार्डों के अनुसार भूमि के भिन्नक गुण (Distinguishing features), निम्नलिखित हैं—

(१) भूमि की मात्रा का परिमाणात्मक दृष्टि से सीमित होना—जिनकी भूमि की मात्रा प्रकृति ने दी है, उसे मनुष्य न तो कम कर सकता है और न बड़ा ही सकता है। इसके विपरीत, उत्पत्ति के अन्य साधनों पर मनुष्य का एकाधिकार होना है, वह उनकी मात्रा को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है।

¹ “The classical theory of rent has by no means lost its vitality and instructiveness. The Ricardo—Marshall doctrine of rent at least brings out clearly certain points which are of great importance from the point of view of policy.”

किन्तु यथायं मे, सीमित होना केवल भूमि का ही गुण नहीं है, वरन् प्रत्येक माधन स्वभाव मे ही सीमित मात्रा मे मिलता है। उदाहरणार्थ, जीव-विज्ञान हमें बताता है कि सब प्रकार के श्रम की मात्रा भी निश्चित है और इसे मनुष्य द्वारा घटाया-बढ़ाया नहीं जा सकता। जैसे-जैसे जन-संख्या बढ़ती रहती है, प्रति मनुष्य कार्य-शक्ति घटती जाती है और इस प्रकार कुल श्रम-शक्ति लगभग समान रहती है। मनुष्य हमसे कभी या वृद्धि नहीं कर सकता। दुगो प्रकार, समय विशेष में माहम और पूँजी की मात्रा भी निश्चित होती है। साथ ही भूमि की मात्रा भी पूर्ण रूप से अपरिवर्तनीय नहीं होती। उदाहरणार्थ, हॉलैण्ड में समुद्र के पानी को निकाल कर भूमि (वृक्षों) की मात्रा में वृद्धि कर ली गई थी। ठीक इसी प्रकार, एटम बम द्वारा एक द्वीप या भूमि के किसी भाग को उड़ाकर उसकी मात्रा में कमी भी की जा सकती है। इससे स्पष्ट होता है कि इस दिशा में भूमि और अन्य माधनों में कोई भी अन्तर नहीं है। जब मजान की कुंगरी मज्जिल बनाई जाती है, तब भी एक प्रकार से भूमि की मात्रा में वृद्धि ही होती है।

(२) गुणात्मक दृष्टि से भूमि का सीमित होना—यदि उत्तम श्रेणी की भूमि पर्याप्त मात्रा में हो, तो लगान का प्रश्न ही नहीं उठेगा।

किन्तु ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि यह गुण भी उत्पत्ति के सभी साधनों में विद्यमान है। निपुण अथवा दक्ष श्रम उतना ही सीमित है जितनी अच्छी भूमि। किसी विशेष प्रकार की पूँजी अथवा साहस भी असीमित मात्रा में नहीं मिलता। फिर भूमि और अन्य माधनों में क्या अन्तर है? यदि इन गुणों के कारण भूमि पर लगान होता है, तो श्रम, पूँजी आदि पर लगान क्यों नहीं होता? वास्तव में गहन खेती में हम देख चुके हैं कि श्रम और पूँजी पर भी लगान होता है तथा आभास-लगान तो श्रम और पूँजी पर उत्पन्न होता ही है।

इस प्रकार रिकार्डों का लगान का सिद्धान्त सही नहीं है। वह वास्तव में लगान की व्याख्या नहीं करता। मिस एम् जोर्डन के शब्दों में, 'सूक्ष्मता रिकार्डों का सिद्धान्त केवल इस मस्य को बताता है कि अच्छी वस्तु के दाम मर्दान अधिक होंगे। अधिक उपजाऊ एक एकर का मूल्य कम उपजाऊ एकड़ से अवश्य ही अधिक होगा, क्योंकि दोनों भिन्न-भिन्न वस्तुएँ हैं। यही बात मजदूरी के विषय में भी सत्य होगी।'¹ विश्वस्त के शब्दों में, 'लगान और मजदूरी की मदा समानान्तर दमाये होती हैं। लगान को एक विशेष श्रेणी में रखने का कोई औचित्य नहीं है; भूमि के प्रत्येक एकड़ को ठीक उसी प्रकार सम्भला चाहिए जैसे कि एक श्रमिक को.....'²

दुर्लभता लगान (Scarcity Rent)

रिकार्डों के सिद्धान्त के अनुसार लगान सीमान्त अथवा लगान रहित भूमि तथा भूमि विशेष की उपज के अन्तर के बराबर होता है। रिकार्डों का विचार है कि लगान रहित भूमि का वास्तविक अस्तित्व है। इस प्रकार का खेत या तो देग में ही विद्यमान होगा या किसी ऐसे विदेश में होगा जिससे देग का व्यापार होता है।

¹ "All that Ricardian theory of rent amounts to is the truism that the better article will always command the higher price. A more fertile acre will be worth more than a less fertile one simply because they are different things. The same truism applies to wages."—Briggs and Jordan: *Text-book of Economics*, p. 65.

² "In this way rent and wages are always parallel cases. There is no justification for placing rent in a special category: every acre of land should be treated at par with a labourer."—Wicksell: *Lectures Political Economy*, p. 132.

किन्तु कुछ लोगों का विचार है कि कभी-कभी ऐसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है जबकि देश में लगान रहित भूमि हो ही नहीं और सभी खेतों पर लगान हो। उदाहरणस्वरूप, हमने देखा था कि एक एकड़ भूमि पर खेती करने का व्यय ३०० २० या और चौथी श्रेणी की भूमि के एक एकड़ के टुकड़े पर २० क्विन्टल उपज थी। यहाँ चौथी श्रेणी की भूमि लगान रहित भूमि थी, क्योंकि कीमत के १५ रुपया प्रति क्विन्टल होने के कारण इस भूमि की उपज को बेचकर केवल उत्पादन व्यय ही वसूल होता था। परन्तु यदि देश में किसी कारण से भूमि की माँग बढ़ती है, जिसके कारण गेहूँ का मूल्य बढ़कर १७ रुपये क्विन्टल हो जाता है, तो चौथी श्रेणी की भूमि पर भी उत्पादन व्यय के ऊपर एक आधिक्य दिखाई पड़ेगा, जिसे रिकार्डों के अनुसार उस भूमि का लगान कहना चाहिए। यदि चौथी श्रेणी में भी कम उपजाऊ भूमि देश में दी गई है, तो उस पर भी खेती होने लगेगी और हो सकता है कि वही भूमि लगान रहित भूमि बन जाय। परन्तु यदि चौथी श्रेणी में कम उपजाऊ और भूमि है हा नही, तो उस देश में कोई भी भूमि लगान रहित नहीं होगी। प्रत्येक प्रकार का भूमि पर महा तक मि. सीमान्त भूमि पर भी लगान होगा। इस प्रकार के लगान को हम 'दुर्लभता-लगान' कहते हैं।

स्मरण रहे कि चौथी श्रेणी का भूमि का कुल लगान इसी प्रकार का होगा। अन्य श्रेणियों की भूमि पर जो कुल लगान होगा उसका एक अंश तो आर्थिक लगान (उम खेत तथा सीमान्त क्षेत्र की उपज के अन्तर के बराबर) होगा और दूसरा अंश दुर्लभता लगान होगा। इस प्रकार का लगान लगान-रहित भूमि पर आधिक्य नहीं होता, क्योंकि लगान-रहित भूमि तो होती ही नहीं है। इसका मूल कारण दुर्लभता होती है। चूंकि भूमि दुर्लभ है और खेती करने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, इसीलिए इस प्रकार का लगान उत्पन्न होता है।

आभास-लगान

(Quasi-rent)

आभास-लगान का विचार अर्थशास्त्र की मान्यता की दृष्टि से है। इस प्रकार का लगान वह आधिक्य होता है जो भूमि के अतिरिक्त अन्य उत्पात्ति माधनों का प्राप्त होता है। संचित अर्थ में, आभास-लगान मजदूरी तथा इस प्रकार के दूसरे यन्त्रों की आय का अंश होता है। जब कुछ उत्पत्ति-साधनों की माँग अचानक बढ़ जाती है, तो जो प्रायः विशेष उन्हें माँग की आकस्मिक वृद्धि के कारण प्राप्त हो उठे ही "आभास-लगान" कहते हैं। चाहे ही समय में माधनों की पूर्ति को एक दम बढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए जो माधन पहले से ही लगे हुए हैं उनकी आय में आकस्मिक वृद्धि हो जाती है। निश्चय है कि इस प्रकार की अतिरिक्त आय छोटे ही काल तक रहती है, क्योंकि लम्बे समय में तो भूमि के अतिरिक्त अन्य माधनों की पूर्ति भी बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार, जबकि लगान भूमि पर होता है, तब आभास-लगान उन दूसरे उत्पत्ति-माधनों का अल्पकाल में प्राप्त होता है, जिनकी पूर्ति केवल दीर्घकाल में बढ़ाई जा सकती है, अल्पकाल में नहीं। प्रो० सिल्वरमैन के अनुसार, "उत्पत्ति के उच्च माधनों की अतिरिक्त आय जिनकी पूर्ति दीर्घकाल में हो बढ़ाई जा सकती है परन्तु अल्पकाल में बर्थास्थित रहती है, आभास अथवा अर्द्ध-लगान कहलाती है।"¹

उदाहरण—मानेन ने इस विचार का चित्रण एक बड़े सुन्दर उदाहरण द्वारा किया है। उन्होंने इस विषय में मछली पकड़ने के उद्योग को लिया है। यदि मछली की माँग में अचानक

¹ "The additional payment for those agents of production the supply of which, though alterable in a long-period, is fixed in a short-period, is technically known as Quasi-rent."—Silverman.

ही वृद्धि हो जाय, तो मछली के दाम एक दम ऊँचे चढ़ जायेंगे । पूर्ति को बढ़ाने के लिए मछलियों अपने कार्य करने के धन्नों को बढ़ा देंगे और माय ही पुरानो नावो और जालों में, जिनका हम कारण उपयोग नहीं हो रहा था कि वे बेकार हो गये थे, मरम्मत आदि करके अधिक मछली पकड़ने का प्रयत्न करेंगे । इनके फलस्वरूप मछलियों को जो अनिरेक आय मिलेंगी वही आभास लगान होगा । निरुचय है कि यदि मछली की माग की वृद्धि शब्दों के समय तक चलती है, तो नई नाव, नये जाल, तथा नये मछलियों आ जायेंगे और अतिरेक आय समाप्त हो जायेंगी । किन्तु थोड़े समय तक यह अतिरेक आय बनी रहेगी । ठीक इसी प्रकार का आधुनिक किमी विशेष प्रकार की योग्यता या निपुणता के अत्याई अभाव के कारण उत्पन्न हो सकता है ।

लगान, आभास लगान और ब्याज—यहाँ पर यह बताना आवश्यक प्रतीत होता है कि लगान, आभास-लगान तथा ब्याज में अन्तर बहुत ही कम है । किमी साधन की कुल आय को हम आभास-लगान नहीं कह सकते बल्कि कुल आय का एक अंश आभास-लगान होता है । मार्शल ने लिखा है—“जिसे हम स्वतन्त्र (free) चल (floating) पूँजी का अथवा पूँजी के नये विनियोग का ब्याज कहते हैं वह यथायथ एक प्रकार का आभास-लगान ही है, जो पुराने विनियोगों पर मिलता है । चल पूँजी तथा उन पूँजी में, जो उत्पत्ति को किमी विशेष साधन में सदा के लिए लगाई जाती है, कोई पूर्णतया स्पष्ट अन्तर नहीं होता । इसी प्रकार, नये और पुराने विनियोगों में भेद करना भी कठिन है, क्योंकि एक-दूसरे में मिल जाता है ।”¹ इन सबको ही पूर्ति समित्त होता है । परन्तु चूँकि भूमि की पूर्ति बड़े अंश तक सीमित होती है, इसलिए उसे अर्थशास्त्रियों ने एक अलग वर्ग में रखा दिया है । यथार्थ में इस प्रकार में भेद करने का कोई मौलिक आधार नहीं है ।

श्रमणात्मक एवं धनणात्मक आभास लगान—किमी साधन की अत्याई दुर्लभता के कारण उसकी आय में जो कुछ वृद्धि होती है उसे साधारणतया आभास अथवा अर्द्ध लगान कहा जाता है । इस सम्बन्ध में श्री फ्लक्स (Flux) का विचार है कि किमी साधन की अत्याई दुर्लभता के कारण उसकी आय में जो वृद्धि हो उस समस्त को आभास-लगान में सम्मिलित नहीं करना चाहिए । हमें देखना यह चाहिए कि सामान्य परिस्थितियों में एक साधन की कितनी आय प्राप्त होती है । केवल साम्य-आय में ऊपर की अतिरिक्त आय को ही आभास-लगान कहना उचित होगा । उनका विचार है कि आभास-लगान धनणात्मक और श्रमणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है । यदि आय औसत (Normal) से कम है, तो आभास-लगान श्रमणात्मक होगा और आय औसत से अधिक है, तो आभास-लगान धनणात्मक होगा ।

उक्त विचार सैद्धान्तिक दृष्टि से अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, परन्तु अधिकांश अर्थशास्त्री आय की गारो की सारी वृद्धि को ही आभास-लगान में सम्मिलित करते हैं और फ्लक्स के विचार को महत्व नहीं देते । उसके विचार में आभास-लगान एक विशेष त्रयवा साधारण मात्रपूरी है । मार्शल ने ठीक ही कहा है कि लगान का अर्थ उत्पत्ति के सभी साधनों के पारितोषण में पाया जाता है । भूमि का लगान तो इसका उदाहरण मात्र है ।

आधुनिक अर्थशास्त्र में भी आभास-लगान का विचार पाया जाता है, परन्तु यहाँ आभास-लगान का अर्थ, जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, उम लगान से होता है जो आभास-दीर्घकाल (Quasi-long period) से सम्बन्धित होता है । आधुनिक लगान विद्वान् रिकार्डों के विद्वान् से तो पूर्णतया भिन्न है । किन्तु मार्शल का विचार आधुनिक विचार में एक बड़े अंश तक मिलता है ।

¹ Marshall : Principles of Economics, p. 412.

लगान का आधुनिक सिद्धान्त

सर्वप्रथम वीज़र (Wieser) ने उत्पत्ति के साधनों को दो भागों में बांटा—परिमाणिक (Specific) तथा अपरिमाणिक (Non-Specific)। पहली प्रकार के साधन वे हैं जिनका उपयोग नहीं बदला जा सकता। ये साधन जहाँ और जिस कार्य में लगे रहने हैं उधे नहीं छोड़ सकते। दूसरी प्रकार के साधनों के उपयोगों को बदला जा सकता है। दूसरे शब्दों में, हम यह कह सकते हैं कि पहली प्रकार के साधनों में लक्ष्यता भी गतिशीलता नहीं होती, जबकि दूसरी प्रकार के साधन पूर्णतया गतिशील होते हैं। वीज़र के इसी वर्गीकरण को लेकर प्रोफेसर मेहता तथा श्रीमती जोन रोबिन्सन ने आधुनिक लगान के सिद्धान्त की नींव डाली है। इन लोगों का मत है कि केवल परिमाणित साधनों को ही लगान प्राप्त होता है और लगान परिमाणिकता के कारण उत्पन्न होता है। अब देखना यह है कि परिमाणिक साधन कौन से हैं।

परिमाणिकता केवल अल्पकाल में सभी साधनों के लिए—

प्रत्येक वस्तु के एक से अधिक उपयोग सम्भव हैं। समार में शायद कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसका उपयोग बदला नहीं जा सकता है। किन्तु यदि हम समय के अनुसार विवेचना करें, तो हमें ज्ञात होगा कि अल्पकाल में उत्पत्ति का प्रत्येक साधन परिमाणिक ही होता है। मूल्य के सिद्धान्त में हम देख चुके हैं कि अल्पकाल में पूर्णता को मानना घटाई-बढ़ाई नहीं जा सकती है। कारण, यह समय इतना कम होता है कि उत्पत्ति के साधनों का उपयोग नहीं बदला जा सकता। यदि माँग बढ़ती है, तो उत्पत्ति के साधनों को तब तक उत्पत्ति करके या दूसरे उपयोगों से हटा कर वस्तु विशेष के उत्पादन में नहीं लगवाया जा सकता। इसी प्रकार, माँग घटने की दशा में भी साधनों को उस वस्तु के उत्पादन में नहीं हटाया जा सकता, जिनकी माँग घट गई है। आभाव-बीधकाल में, कुछ साधनों के उपयोग तो पूर्णतया बंद हो जा सकते हैं और कुछ के केवल एक अंग तक। साथ ही कुछ साधन पूर्णतया अपरिमाणिक होते हैं। यही कारण है कि इस काल में माँग के अनुसार पूर्णता में परिवर्तन तो होते हैं, परन्तु पूर्णरूप में नहीं। बीधकाल में भी साधन अपरिमाणिक होते हैं और इसी कारण पूर्णता में व्येष्ट परिवर्तन सम्भव होते हैं। हममें पता चलना है कि परिमाणिकता केवल अल्पकालीन है और क्योंकि परिमाणिकता ही लगान की जन्म देती है, इसलिए लगान भी केवल अल्पकाल में ही होता है।

परिमाणिकता द्वारा ही लगान का जन्म—

आधुनिक अर्थशास्त्री इस विषय में सहमत हैं कि कोई भी उत्पत्ति का साधन, जिसमें परिमाणिकता का गुण हो, लगान प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि एक मनुष्य को भी लगान मिल सकता है। उदाहरणस्वरूप, मान लीजिए कि हमारे पास एक बूढ़ा नौकर है, जिस हमारे यहाँ नौकरी करने ६० मास हो गए हैं और उसे हम २० मास महीना वेतन देते हैं। यह नौकर इतना बूढ़ा हो गया है कि उसे दूसरा कोई नौकर नहीं रखेगा परन्तु हम उस नहीं हटाते और २० मास महीना वेतन देते रहते हैं। यहाँ पर २० रुपये उसका लगान है, जो हम कारण उत्पन्न होता है कि वह अपना उपयोग नहीं बदलना। उसका वेतन तो शून्य व बराबर है, क्योंकि नौकरी के रूप में उसे दूसरो से कुछ भी नहीं मिलेगा।

ठीक इसी प्रकार, पूँजी पर लगान हो सकता है। मान लीजिए एक दूकान का क्रय १०० रु० महीना इन्में लिया जा रहा है। ठीक वैसे ही दूकान दूसरे मुद्दले में ७० रु० महीना में मिलती है, परन्तु हम क्यात (Goodwill) अथवा अन्य किसी कारण से पहली दूकान को नहीं

¹ Mrs Joan Robinson, *Economics of Imperfect Competition* and J. K. Mehta : *Advanced Economic Theory*

छोड़ने और १०० इ० महीना देते रहते हैं। यहाँ पर ७० रुपया महीना ट्रकान का किराया होगा और ३० रुपया उस पर लगान, अतः श्रम तथा पूँजी पर भी लगान हो सकता है।

लगान की माप

लगान की माप वास्तव में प्राप्त होने वाले 'कृत्रिम पारितोषण' तथा 'अवसर पारितोषण' (Opportunity earning) या 'हस्तांतरण आय' (अर्थात् वह पारितोषण जो अन्य उपयोग में मिल सकता है) के अन्तर के बराबर होती है। सैद्धान्तिक दृष्टि से यह भी सम्भव है कि लगान न्यून अथवा ऋणात्मक (Zero or negative) हो।

श्रीमती जोन रोयिन्सन के अनुसार, "एक उद्योग की दृष्टि से, एक साधन विशेष की किसी एक इकाई की लागत उस पारितोषण द्वारा निर्धारित होती है जो वह किसी अन्य उद्योग में प्राप्त कर सकती है। साधन की इकाई विशेष को किसी उद्योग में बनाए रखने के लिए जो कीमत चुकाई जाती है उसे उसकी "अवसर कमाई" अथवा "अवसर कीमत" कहते हैं।"¹

ठीक इसी प्रकार का विचार बेनहम ने भी प्रस्तुत किया है। उनका बयान है कि कोई उदात्त साधन किसी दूसरे उपयोग में मुद्रा की जितनी मात्रा कमा सकता है वही उसकी अवसर कमाई होती है। आगे चलकर उन्होंने लिखा है, 'किसी साधन को अवसर कमाई के ऊपर जो कुछ भी प्राप्त हो वह माधारणतया लगान के स्वभाव का ही होगा है।'²

इसी में मिसता-जुनना विचार प्रो० बोन्डिंग का भी है। उनके अनुसार, "आर्थिक लगान को परिभाषा उस भुगतान के रूप में दी जा सकती है जो एक साम्य-अवस्था वाले उद्योग में एक उदात्त-साधन की इकाई विशेष को, उस साधन की इसके वर्तमान व्यवसाय में बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम भुगतान राशि पर आधिक्य के रूप में, दिया जाता है।"³

इस प्रकार, उपरोक्त सिद्धान्त के अनुसार लगान बहुधा अल्पकाल में ही होता है। अल्पकाल-दीर्घकाल में होने वाले लगान को अर्ध-लगान (Quasi-rent) कहा जाता है। लागत उपरति के किसी भी साधन को प्राप्त हो सकता है और यह "अवसर पारितोषण" पर एक प्रकार का आधिक्य है।

आधुनिक सिद्धान्त तथा रिकार्डों के सिद्धान्त में समानता—

आधुनिक सिद्धान्त तथा रिकार्डों के सिद्धान्त में बहुत कुछ समानता है—(i) दोनों में ही लगान को एक प्रकार का आधिक्य माना है, यद्यपि दोनों में इस आधिक्य के कारण पूर्णतया भिन्न दिव गये हैं। (ii) आधुनिक अर्थशास्त्री रिकार्डों के दृष्टि में भी सहमत हैं कि लगान मूल्य में सम्मिलित नहीं होता। उनका कहना है कि मूल्य से रिकार्डों का अभिप्राय सामान्य या दीर्घकालीन मूल्य में था, क्योंकि प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने अल्पकाल का तो अध्ययन ही नहीं किया है।

¹ "The cost of any unit of a factor, from the point of view of one industry is, therefore, determined by the reward which the unit can earn in some other industry..... The price that is necessary to retain a given unit of a factor in a certain industry may be called its transfer earning or transfer price."—Mrs. Joan Robinson: *The Economics of Imperfect Competitions*, p. 104.

² "In general, the excess of what any unit gets over its transfer earning is of the nature of rent."—Benham: *Economics*, p. 323.

³ "Economic Rent may be defined as any payment to a unit of a factor of production, in an industry in equilibrium, which is in excess of the minimum amount necessary to keep that factor in its present occupation."—Boulding: *Economic Analysis*, p. 230.

आधुनिक सिद्धान्त के अनुसार दीर्घकाल में लगान होता ही नहीं, इसलिए वास्तव में दीर्घकालीन मूल्य का लगान से कोई सम्बन्ध नहीं होता ।

यहाँ पर एक छोटा-सा प्रश्न और भी उठता है—क्या परम्परा में चलते आये इस विचार को छोड़ दिया जाय कि लगान भूमि का पारितोषण है और केवल उमी की प्राप्त होता है, अथवा क्या भूमि की परिभाषा में वृद्ध परिवर्तन करने से काम चल सकता है ? इस समस्या को हम इस प्रकार सुलझा सकते हैं कि भूमि शब्द की पुरानी परिभाषा को बदल दें । यदि हम भूमि को उत्पात्ति का वह साधन कहे जो परिमाणिक है तो फिर लगान को भूमि का पारितोषण कहने में भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

आधुनिक अर्थशास्त्री लगान की उत्पादक का अतिरिक्त (Producer's Surplus) मानते हैं जो निम्न दो कारणों से प्राप्त हो सकता है—

(अ) पूति की लोचहीनता के कारण—यदि किसी साधन की पूति पूर्णतया लीनदार है अर्थात् वह आवश्यक मात्रा में उपलब्ध है, तो लगान का प्रश्न नहीं उठेगा, क्योंकि ऐसी दशा में उत्पादक का अतिरिक्त नहीं होगा । केवल उमी दशा में साधन की लगान प्राप्त हो सकता है जबकि उसकी पूति बेचोच हो ।

(ब) परिमाणिकता—जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है परिमाणिकता आधिक्य उत्पन्न करती है और लगान को जन्म देती है ।

इस प्रकार, आर्थिक श्रय में लगान एक ऐसा आधिक्य है जो ऐसे परिमाणिक साधन को प्राप्त होता है जिसकी पूति निश्चित है । यह अवसर व्यय अथवा हस्तान्तरण आय पर आधारित होता है और एक उपयोग से दूसरे उपयोग में हस्तान्तरण की सीमा पर उत्पन्न होता है ।

हस्तान्तरण आय

(Transfer Earnings)

आधुनिक अर्थशास्त्री किसी उद्योग साधन द्वारा, किसी उद्योग अथवा उपयोग में प्राप्त किये हुए आधिक्य की, उसकी हस्तान्तरण आय का आधार पर नापते हैं । 'हस्तान्तरण आय' वह आय होती है जो उत्पात्ति का कोई साधन किसी ऐसी अन्य वैकल्पिक उपयोग (Alternate use) से प्राप्त कर सकता है जिसमें पारितोषण सर्वोत्तम है । वास्तव में हस्तान्तरण आय के विचार का लगान के सिद्धान्त में बहुत महत्व है । जोन रोबिन्सन के शब्दों में, हस्तान्तरण आय 'वह कीमत है जो उत्पात्ति के साधन की किसी दी हुई इकाई को किसी विद्योग उद्योग में बनाये रखने के लिए आवश्यक होती है ।' किसी एक उद्योग अथवा उपयोग की दृष्टि से लगान वह भुगतान होता है जो उत्पात्ति के साधन की हस्तान्तरण आय में ऊपर दिया जाना है ।

मान लीजिए कि हम एक एकड़ भूमि को लेते हैं, जिस पर गन्ने की खेती की जा रही है और एक एकड़ से १२५ रुपये आय की प्राप्ति की जाती है । इस एक एकड़ भूमि को चावल, गेहूँ इत्यादि अन्य उपजें उत्पन्न करने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है । मान लीजिए कि गन्ने के पश्चात् इस भूमि का सबसे अधिक लाभदायक उपयोग चावल उपजाने के लिए किया जाता है और चावल की खेती करके इससे १०० रुपये की आय प्राप्ति की जा सकती है । ऐसी दशा में, भूमि के इस एक एकड़ की हस्तान्तरण आय १०० रुपये होगी इसका अर्थ यह होता है कि गन्ने की खेती करने से इस पर भूमि हस्तान्तरण आय के ऊपर $१२५ - १०० = २५$ रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्ति होती है । स्पष्टतः गन्ने की खेती की दृष्टि से इस एक एकड़ भूमि का लगान २५ रुपये होगा ।

इस सम्बन्ध में यह बताना भी आवश्यक है कि यदि उत्पात्ति का कोई साधन ऐसा है कि उसकी हस्तान्तरण आय शून्य है, तो उस साधन की सारी की सारी कीमत अथवा आय लगान

होगी। भूमि के सम्बन्ध में एक विशेषता ध्यान देने योग्य है। चूंकि भूमि के वैकल्पिक उपयोग हो सक्ते हैं, इसलिए किसी एक उद्योग की दृष्टि से भूमि का हस्तांतरण आस हो सकती है। परन्तु समस्त अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से भूमि का कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं होता जिस कारण समस्त अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से भूमि की प्रस्थान्तरण आस घुन्ग होनी है। फलतः समस्त अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से भूमि को कुल कमाई लगान होनी है।

लगान की आर्थिक उन्नति—

रिकार्डों अपनी पुस्तक के अन्तिम भाग में लगान पर कृषि सुधारों के प्रभाव का अध्ययन करने हैं और आर्थिक उन्नति तथा लगान के आपसी सम्बन्ध को बताते हैं। आर्थिक उन्नति या सुधार तीन प्रकार के हो सकते हैं—

(१) कृषि की सीमितियों में सुधार—सेती करने की रीतियों में सुधार कई प्रकार में हो सकता है, जैसे—मशीनों तथा अच्छे औजारों का उपयोग, अच्छे बीजों, वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग इत्यादि। इस प्रकार का सुधार सभी प्रकार को उपजाऊ या कम उपजाऊ भूमियों पर किया जा सकता है। यदि सभी प्रकार की भूमि पर सुधार किया जाता है, तो कुल उपज में अधिक वृद्धि होगी, हम दशा में, यदि माँग यथास्थित रहे तो कीमते नीचे गिर जायेंगे, जिम कारण फिर कम उपजाऊ भूमि पर सेती होना बन्द हो जायगा, क्योंकि अच्छी बिस्म के सेती को उपज में इतनी वृद्धि मिले जाती है कि माँग पूरी हो सके। ऐसी दशा में सेती की सीमा के कम हो जाने के कारण लगान घट जायगा। हाँ, यदि उपज के अनुसार माँग भी बढ़े तो, लगान भी घट जायगा। कारण, समस्त सुधारों के फलस्वरूप अच्छी भूमि पर निम्न श्रेणी की भूमि की अपेक्षा उपज की वृद्धि अधिक तेजी से होगी, जिससे अच्छी तथा भीमान्त भूमि की उपज का अन्तर और भी अधिक हो जायगा तथा लगान बढ़ जायगा। इसके विपरीत, यदि बवल हीन भूमि पर ही सुधार किया जाय, तो सीमान्त भूमि की उपज बढ़ जाने के कारण लगान कम हो जायगा।

(२) यातायात का विकास—यातायात का विकास हो जाने से बाजार से दूर के भेतों का उत्पादन थोड़ा कम हो जायगा। इससे बाजार के निकट के सेती के विशेषक लाभ में कमी आ जायगी और उनका लगान कम हो जायगा। साथ ही, बाजार के देनों में गस्ता माल आने लगेगा, इनमें भी लगान कम हो जायगा, क्योंकि कृषि की सीमा का संकुचन होगा और नीची श्रेणी की भूमि पर सेती बन्द हो जायगी।

(३) जन-संख्या की वृद्धि—जन गणना में वृद्धि हो जाने में कृषि उपज के लिये माँग बढ़ जायगी। हमारे दाम ऊपर चढ़ेंगे और विस्तृत तथा गहन सेती ही प्रकार की सेती की सीमाएँ बढ़ जायेंगी और इसके फलस्वरूप लगान में भी वृद्धि होगी।

परिभाषा प्रश्न :

१. लगान की परिभाषा दीजिये और समझाइये कि कृषि भूमि पर लगान किस प्रकार निर्धारित होता है ?

अथवा

लगान के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिये और यह दिखाइये कि कृषि भूमि का लगान किस प्रकार निर्धारित होता है ?

[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम लगान के अर्थ को रिकार्डों और आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार बताइये। तत्पश्चात् रिकार्डों के लगान सिद्धान्त के अनुसार कृषि भूमि के लगान का निर्धारण गणेश में और रेखा विज्ञान की सहायता में समझाइये। अंत में इस सिद्धान्त की प्रावधान करने लिये आधुनिक दृष्टिकोण की सहायता में इंगित कीजिये।]

२. "लगान विशिष्टता के लिये भुगतान है"—इस कथन का विवेचन कीजिये ।
[सहायक संकेत :—इस प्रश्न के उत्तर में विद्यार्थियों को चाहिए कि लगान के आधुनिक सिद्धान्त की पूर्ण विवेचना दें ।]
३. आर्थिक लगान को समझाइये और यह बताइये कि लगान मूल्य को प्रभावित नहीं करता वरन् स्वयं मूल्य से प्रभावित होता है ।
[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम प्रतिष्ठित और आधुनिक अर्थशास्त्रियों के मतों को देकर आर्थिक लगान के अर्थ को स्पष्ट कीजिये । तत्पश्चात् लगान और कीमत के सम्बन्ध की विवेचना, रिकार्डों के सिद्धान्त और आधुनिक सिद्धान्त दोनों के अनुसार कीजिये ।]
४. रिकार्डों के लगान सिद्धान्त को समझाइये । इसके बारे में आधुनिक अर्थशास्त्रियों का क्या मत है ?
५. 'व्यावसायिक प्रायः तर्क देते हैं कि उनको वस्तुओं का अधिक मूल्य इसलिए लेना पड़ता है कि उनको अधिक लगान देना पड़ता है ।' क्या आप इससे सहमत हैं ? तर्क प्रस्तुत कीजिये ।
६. लगान की प्रकृति का विश्लेषण कीजिए और लगान व आर्थिक प्रगति का सम्बन्ध बताइए ।
७. क्या अधिशेष (Rent) भूमि की उपजाऊ शक्ति के लिए दिया जाता है ?
८. भाटक का आधुनिक सिद्धान्त लिखिए । यह रिकार्डों के सिद्धान्त से किस प्रकार भिन्न है ?
९. 'भूमि' 'और पूँजी' का भेद स्पष्ट कीजिए और यह दिखाइये कि भूमि का पारितोषिक किस प्रकार निर्धारित होता है ।'
१०. "लगान मूल्य में प्रवेश नहीं करता है ।" इस सिद्धान्त का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ।
११. निम्न कथन की समीक्षा कीजिए—"लगान दुर्लभता की कीमत है ।"
१२. उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से अन्तर स्पष्ट कीजिए ।
आर्थिक लगान एवं अनुबन्ध (इकरारी) लगान ।
१३. स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार लगान (अ) उपज के मूल्य में सम्मिलित होता है, (ब) उत्पत्ति ह्रास नियम का परिणाम है, (स) जनसंख्या की वृद्धि के साथ बढ़ता है, एवं (द) उपज के मूल्य को निश्चय नहीं करता है ?
१४. विस्तृत खेती के अन्तर्गत लगान किस प्रकार निर्धारित होता है ? क्या लगान ऐसे देश में उत्पन्न हो सकता है जहाँ सब भूमियाँ समान रूप से उपजाऊ हों ?
[सहायक संकेत :—सर्वप्रथम रिकार्डों के लगान सिद्धान्त के अनुसार विस्तृत खेती में लगान के निर्धारण की विधि और उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए । तत्पश्चात् यह बताइये कि भूमियों के समान रूप से उपजाऊ होने पर भी लगान दो स्थितियों में उदय हो सकता है—
(i) गहरी खेती में, और (ii) भूमि की दुर्लभता होने पर ।]

मजदूरी और मजदूरी के सिद्धान्त

(Wages and the Theories of Wages)

मजदूरी का अर्थशास्त्रीय-अर्थ विस्तृत एवं संकुचित

अर्थशास्त्र में "मजदूरी" शब्द विस्तृत और संकुचित दोनों ही अर्थ में प्रयोग किया गया है।

(१) संकुचित अर्थ—वेनहम और जाइड दोनों ने इसे संकुचित अर्थ में लिया है और वेनल प्रसंविद्धित मौद्रिक भुगतान (Contracted Monetary Payment) का नाम दिया है।¹ यदि हम इस विचारधारा को ग्रहण करते हैं, तो श्रमिकों का वह पारितोषण, जो वस्तुओं और सेवाओं के रूप में दिया जाता है तथा ऐसे स्वतन्त्र श्रमिकों का पारितोषण, जो अपना स्वयं का व्यवसाय करते हैं, मजदूरी में सम्मिलित नहीं किया जायगा।²

(२) विस्तृत अर्थ—आधुनिक अर्थशास्त्र में इस शब्द के अधिक व्यापक अर्थ लगाये जाते हैं और उसमें निम्नो तीनो प्रकार के श्रमिकों की सेवाओं का पारितोषण सम्मिलित किया जाता है—(i) वे श्रमिक जो अपना शारीरिक अथवा मानसिक श्रम देते हैं। (ii) स्वतन्त्र कर्मचारी जैसे—वकील, डाक्टर आदि जो अपनी सेवाओं का मुल्क लेते हैं और (iii) व्यवसायी और प्रबन्धक, जो स्वयं अपने कारोबार को देखभाल करते हैं।

इस सम्बन्ध में स्ट्रेटोफ (P. H. Streightoff) की परिभाषा सबसे उपयुक्त है। उनके अनुसार, "उस श्रम के पारिश्रमिक को, जो उपयोगिता का सृजन करता है, मजदूरी कहते हैं।" यह श्रम शारीरिक अथवा मानसिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। द्रवी प्रकार, मजदूरी मुद्रा के अनिश्चित वस्तुओं और सेवाओं के रूप में भी हो सकती है और प्रति घण्टा, प्रति दिन, प्रति सप्ताह, प्रति मास अथवा प्रति वर्ष के आधार पर हो जा सकती है।

मजदूरी एवं वेतन—

वृद्ध अर्थशास्त्रियों ने मजदूरी (Wages) और वेतन (Salary) में भी भेद किया है, परन्तु इस भेद का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। बहुधा निम्न श्रेणी के श्रमिकों के पारिश्रमिक को, जो प्रति दिन, प्रति सप्ताह अथवा प्रति मास मिलता है, "मजदूरी" कहा जाता है। "वेतन" अधिकतर मकेदोग श्रमिकों या ऊँची श्रेणी के कर्मचारियों का पारिश्रमिक होता है, जैसे किसी सरकारी अधिकारी का वेतन। माघारण-बोलचाल में वेतन शब्द अधिक सम्मान का सूचक होता है। पूर्ण अर्थशास्त्र में मजदूरी शब्द को अधिक व्यापक अर्थ में लिया गया है, इसलिए यह भेद मान्य नहीं है। उसमें वेतन को भी मजदूरी में ही सम्मिलित किया जाता है और सभी प्रकार के कर्मचारियों का पारिश्रमिक मजदूरी कहलाता है।

¹ "A wage may be defined as a sum of money paid under contract by an employer to a worker for services rendered."—Benham

² "The word wages should be applied not to mean the price of every kind of labour, but to the price of labour hired and employed by an entrepreneur."
—Gide.

नकद (मौद्रिक) और असल (वास्तविक) मजदूरी (Nominal and Real Wages)

किसी भी श्रमिक की मजदूरी को दो प्रकार नापा जाता है—प्रथम, मुद्रा में और दूसरे, वस्तुओं तथा सेवाओं में।

नकद मजदूरी—

साधारणतया आधुनिक काल में मुद्रा ही के रूप में मजदूरी दी जाती है। अधिकांश श्रमिक भी इसी रूप में मजदूरी को स्वीकार करना अच्छा समझते हैं। वान यह है कि मुद्रा के बदले में आवश्यकतानुसार कोई भी वस्तु या सेवा खरीदी जा सकती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि श्रमिक को मौद्रिक मजदूरी के अतिरिक्त कुछ वस्तुएँ और सेवाएँ भी उसके पारिश्रमिक के रूप में दी जाती हैं। मुद्रा के रूप में एक श्रमिक की जितनी मजदूरी मिलती है वह उसकी "मौद्रिक", "नकद" अथवा "नाममात्र मजदूरी" कहलाती है।

वास्तविक मजदूरी—

स्मरण रहे कि मुद्रा को प्राप्ति स्वयं अपना उद्देश्य नहीं हो सकती है। मुद्रा तो आवश्यक वस्तुएँ और सेवाएँ खरीदने का एक साधन मात्र है। यही कारण है कि मौद्रिक मजदूरी तब करते समय श्रमिक बहुधा यह देख लिया करता है कि इस मजदूरी के बदले में प्रचलित कीमतों को देखते हुए उसे जितनी मात्रा में वस्तुएँ और सेवाएँ मिल सकेंगी। मुद्रा के रूप में मिलने वाली राशि के बदले में एक श्रमिक को जितनी वस्तुएँ और सेवाएँ प्राप्त होती हैं, वे सब मिलकर उसकी "असली" या "वास्तविक मजदूरी" को सूचित करती हैं। ऐसी मजदूरी में उन वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, जो मौद्रिक मजदूरी के अतिरिक्त मिल जाती हैं, जैसे—बिना किराये का मकान, कम कीमत पर राशन आदि।

वास्तविक मजदूरी

कभी-कभी हमारा उद्देश्य यह जानकारी प्राप्त करना होता है कि मजदूरी की एक निश्चित कमी या वृद्धि का श्रमिकों की आर्थिक स्थिति अथवा आर्थिक सम्पन्नता पर क्या प्रभाव पड़ना है। ऐसी दशा में असल मजदूरी का अध्ययन आवश्यक होता है, क्योंकि केवल असल मजदूरी के परिवर्तनों द्वारा ही आर्थिक स्थिति के परिवर्तनों का पता लगाया जा सकता है। यदि मौद्रिक मजदूरी बढ़ती है तो इसका यह अर्थ नहीं होता कि श्रमिकों की सम्पन्नता भी बढ़ गई है, क्योंकि हो सकता है कि मजदूरी से भी अधिक तेजी के साथ कीमतों के बढ़ जाने के कारण वास्तविक मजदूरी घट गई हो। ठीक इसी प्रकार, मौद्रिक मजदूरी की कमी सदा ही आर्थिक सम्पन्नता की कमी का सूचक नहीं होनी है। श्रमिकों का जीवन-स्तर उनका वास्तविक मजदूरी पर ही निर्भर होता है, इसलिए वास्तविक मजदूरी का अध्ययन श्रम-व्यवस्था तथा श्रम-सन्तुष्टि के अध्ययन के लिए आवश्यक है। जिन दशों में मजदूरी में जीवन-निर्वाह व्यय के आधार पर परिवर्तन करने की प्रथा है, वहाँ तो यह अध्ययन और भी आवश्यक है।

असल मजदूरी की प्रमुख परिभाषाएँ—

जहाँ तक असल मजदूरी की परिभाषा का प्रश्न है, साधारणतया इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि यह वस्तुओं और सेवाओं के उन समूह द्वारा सूचित होती है, जो कुल मौद्रिक आय के बदले में किसी श्रमिक को प्राप्त होता है, परन्तु इसमें उन वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा तथा उन सुविधाओं को भी जोड़ लिया जाता है जो मौद्रिक मजदूरी के अतिरिक्त प्राप्त होते हैं। कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्न प्रकार हैं :—

(१) एडम स्मिथ (Adam Smith) का विचार है कि, "श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी में आवश्यकताओं तथा जीवनोपयोगी सुविधाओं की वह मात्रा सम्मिलित है जो श्रम के बदले में दी जाती है। श्रमिक की नाम-मात्र मजदूरी में केवल मुद्रा की मात्रा सम्मिलित होती है। एक श्रमिक अपनी वास्तविक मजदूरी के ही अनुपात में अमीर अथवा गरीब या अच्छे अथवा कम मजदूरी पाने वाला होना है, न कि नाम-मात्र मजदूरी के अनुपात में।"¹

(२) मार्शल (Marshall) ने एडम स्मिथ की परिभाषा में थोड़े सुधार का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि, "वास्तविक मजदूरी में केवल उन्हीं सुविधाओं को सम्मिलित नहीं करना चाहिए जो सेवायोजक द्वारा प्रत्यक्ष रूप में दी जाती हैं, बल्कि उन लाभों को भी सम्मिलित करना चाहिए कि जो व्यवसाय विशेष से सम्बन्धित होते हैं और जिनके लिए सेवायोजक को कोई अलग व्यय नहीं करना पड़ता।"²

(३) प्रो० टामस (Thomas) के अनुसार, "वास्तविक मजदूरी श्रमिक के कार्य से सम्बन्धित कुछ लाभों का संकेत करती है, अर्थात् उन आवश्यक, आराम और विलास की वस्तुओं की धराती है जोकि श्रमिक को उसकी सेवाओं के बदले में मिलती है।"³

वास्तविक मजदूरी की उपरोक्त तीनों परिभाषाएँ व्यापक हैं, क्योंकि इनमें वास्तविक मजदूरी के विस्तृत अर्थ लगाये गये हैं। कुछ लेखक ऐसे भी हैं जिन्होंने इन शब्दों को सङ्कुचित अर्थ में उपयोग किया है। उदाहरणस्वरूप, प्रो० सीलिंगमैन के अनुसार, "मौद्रिक मजदूरी का अर्थ उन मजदूरी से होता है जो मुद्रा के रूप में दी जाती है, वास्तविक मजदूरी उन वस्तुओं की धराती है जो मौद्रिक मजदूरी के बदले में खरीदी जा सकती हैं।"⁴ इस परिभाषा के अनुसार मौद्रिक मजदूरी के बदले में खरीदी हुई वस्तुओं और सेवाओं को ही वास्तविक मजदूरी में सम्मिलित किया जायेगा, अन्य सुविधाओं को नहीं।

आधुनिक विचारधारा विस्तृत अर्थ के पक्ष में है और इसलिए मार्शल का दृष्टिकोण अधिक मान्य है।

वास्तविक मजदूरी किन बातों पर निर्भर होती है ?

ऐसी मजदूरी मुरपतया निम्न बातों पर निर्भर होती है :—

(१) मौद्रिक मजदूरी की मात्रा—यदि अन्य बातों में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो, तो जितनी ही किसी श्रमिक की मौद्रिक मजदूरी अधिक होगी उतनी ही उसकी असल मजदूरी भी अधिक रहेगी। असल मजदूरी को बढ़ाने या घटाने का एक बड़ा सरल उपाय यही है कि नकद मजदूरी में वृद्धि या कमी कर दी जाय।

1 "The real wages of labour may be said to consist in the quantity of necessaries and conveniences of life that are given for it (labour); its nominal wages in the quantity of money. The labourer is rich or poor; is well or ill-rewarded in proportion to the real, not the nominal wages of his labour."

—Adam Smith

2 "The rewards that are given for it must not be taken to apply only to the necessaries and conveniences that are directly provided by the purchaser of labour or its products; for, account must be taken also of advantages which are attached to the occupation and which require no special outlay on his part"—Marshall

3 "Real wages refer to the net advantage of the worker's occupation, i.e., the amount of the necessaries, comforts, and luxuries of life which the worker can command in return for his services."—Thomas.

4 "Money wages are actual wages paid in money, real wages are actual commodities that money wages can buy."—Seligman.

(२) मुद्रा की क्रय-शक्ति—मुद्रा की क्रय-शक्ति (अर्थात् उसकी वस्तुयें और सेवायें खरीदने की शक्ति) के सम्बन्ध में हमें यह देखना पड़ता है कि सामान्य कीमत-स्तर कितना ऊँचा या नीचा है। जितनी ही कीमतें ऊँची होंगी, उतनी ही मुद्रा की क्रय-शक्ति कम होगी और अन्य बातों के समान रहते हुये असल मजदूरी भी उतनी ही कम होगी। बहुत धार मौद्रिक मजदूरी के बढ़ जाने पर भी असल मजदूरी घट जाती है, क्योंकि कीमतें मजदूरी की अपेक्षा और भी अधिक तेजी के साथ बढ़ती हैं। दूसरे महायुद्ध के काल में भारत में ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

(३) सहायक अथवा गौण कमाई—किसी थमिक की असल मजदूरी इस बात पर भी निर्भर होती है कि नियमित मजदूरी के अतिरिक्त उसे मुद्रा अथवा वस्तुओं और सेवाओं के रूप में दूसरी कितनी आय प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, रेलवे कर्मचारियों को मुफ्त भूकान और सस्ते दामों पर राशन मिलता है, घरेलू नौकरों को वेतन के अतिरिक्त भोजन और कपड़ा मिलता है और इसी प्रकार कॉलेज के प्रोफेसर को नियमित वेतन के अतिरिक्त परोक्षा तथा पुस्तकों से आय प्राप्त होती है। इन सभी दशाओं में असल मजदूरी अधिक होती है। जिन व्यवसायों में इस प्रकार की सम्भावना नहीं होती है वहाँ असल मजदूरी कम रहती है। यही नहीं, असल मजदूरी इस बात पर भी निर्भर होती है कि थमिक के अतिरिक्त उसके परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए कमाई करने का कितना अवसर रहना है।

(४) सहायक सुविधायें—बहुत से व्यवसायों में मजदूरों को कुछ विशेष सुविधायें दी जाती हैं, जैसे—सवेतन ओवर-टाइम (Over-time) का अवसर, छुट्टी, चिकित्सा सुविधायें आदि। ऐसे व्यवसायों में असल मजदूरी ऊँची रहती है।

(५) काम सीखने का समय और लागत—कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि उन्हें करने से पहले सीखने पर अधिक समय और धन का व्यय करना पड़ता है। ऐसे कामों में असल मजदूरी उन कामों की तुलना में कम होती है जिनमें सीखने पर इतना समय और धन व्यय नहीं होता।

(६) व्यापारिक व्यय—वृत्त से व्यवसाय ऐसे होते हैं कि उनमें अधिक व्यापारिक अथवा व्यवसाय सम्बन्धी व्यय करना होता है। उदाहरणार्थ, एक डाक्टर के लिए कम्पाउण्डर रखना, औजार खरीदना आदि आवश्यक होता है। अतः असल मजदूरी निर्धारित करते समय तकद मजदूरी में से इस प्रकार के व्यय को निनाल देना आवश्यक है।

(७) कार्य का स्वभाव—असल मजदूरी का अनुमान लगाते समय यह देखना भी जरूरी है कि काम किस प्रकार का है। वृत्त से काम खतरनाक होते हैं, जैसे—हवाई जहाज के चालक का काम।

(८) कार्य की दशायें—यदि काम करने के घण्टे कम हैं, मालिक का व्यवहार अच्छा है तथा कारखाने के बाहर और भीतर की दशायें अच्छी हैं, तो थमिकों की असल मजदूरी अधिक होगी, अन्यथा कम।

(९) भाषी उन्नति की दशा—जिन व्यवसायों में भविष्य में उन्नति की आशा अधिक होती है, वहाँ थमिकों को मानसिक सन्तोष अधिक मिलता है और उसकी मौद्रिक आय कम होते हुए भी असल मजदूरी अधिक होती है। यदि भविष्य उज्ज्वल नहीं है, तो असल मजदूरी कम रहेगी।

(१०) रोजगार की स्थिरता—यदि थमिक का रोजगार स्थायी है, तो उसकी असल मजदूरी उस थमिक से अधिक होगी जिसका रोजगार अस्थायी है। सामयिक (Seasonal) रोजगारों में अथवा ऐसे कामों में (जैसे—मकान बनाने वाले थमिकों का काम) जहाँ थमिकों को थोड़े काल के लिए रोजगार मिलता है; असल मजदूरी कम रहती है।

(११) कार्य के प्रति समाज का सम्मान—जिन व्यवसायों को (जैसे—मैला ढोने का काम) समाज घृणा की दृष्टि से देखता है उनमें असल मजदूरी कम ही रहती है।

इस प्रकार, असल मजदूरी का पता लगाने समय बड़ी सावधानी की आवश्यकता है और बहुत-सी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। श्रम-सुधार अथवा श्रम-कल्याण की कोई भी योजना उम समय तक सफल नहीं हो सकती है जब तक कि श्रमिकों की असल मजदूरी को बढ़ाकर उनका जीवन-स्तर ऊपर न उठाया जाये।

समयानुसार मजदूरी और कार्यानुसार मजदूरी (Time and Piece Wages)

मजदूरी का वर्गीकरण कभी-कभी समयानुसार मजदूरी और कार्यानुसार मजदूरी में भी किया जाता है। समयानुसार मजदूरी काम की अवधि के अनुसार होती है और एक ही काम करने वाले श्रमिकों को एक ही दर पर मजदूरी दी जाती है, यद्यपि उनकी कुशलता में अन्तर हो सकता है। ऐसी मजदूरी प्रति घण्टा, प्रति सप्ताह अथवा प्रति मास के आधार पर दी जाती है। लगभग सभी वेतनभोगी कर्मचारियों की मजदूरी इसी प्रकार की होती है। इस प्रकार की मजदूरी में श्रमिकों द्वारा की हुई काम की मात्रा से मजदूरी का कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता। हाँ, सेवायोग्य काम का न्यूनतम मान निश्चित कर सकता है। इसके विपरीत, कार्यानुसार मजदूरी में श्रमिक की मजदूरी का उसके द्वारा किये जाने वाली काम की मात्रा से प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। प्रत्येक श्रमिक को उसके द्वारा किये हुए काम की मात्रा के अनुसार मजदूरी दी जाती है। सेवा-योजक केवल गुणात्मक मान ही निर्धारित करता है और इस बात पर अनुरोध करता है कि काम खराब न होने पाये।

समयानुसार मजदूरी प्रणाली के लाभ—

संसार में समयानुसार मजदूरी देने की प्रथा बहुत लोकप्रिय है और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह प्रथा बराबर बढ रही है। श्रम-संघों की ओर से भी बहुधा इस बात पर जोर दिया जाता है कि श्रमिकों को समयानुसार ही मजदूरी दी जाय। इस प्रकार की मजदूरी प्रणाली के प्रमुख गुण निम्न प्रकार हैं—

(१) रोजगार की स्थिरता—यदि किसी कारखाने में मालिक काम को बन्द भी कर देता है, तो भी मजदूर की नौकरी नहीं छूटती है। काम के आरम्भ होते ही वह फिर काम पर लौट आता है। श्रमिक के बीमार हो जाने की दशा में भी उसका रोजगार बना रहता है।

(२) श्रमिक के स्वास्थ्य को रक्षा—मजदूरी के लिए अत्यधिक तेजी से काम करने और बहुत लम्बे समय तक काम करने का प्रलोभन नहीं होता है। वह औसत तेजी के साथ एक निश्चित अवधि तक ही काम करता है। इससे औद्योगिक धकान कम रहती है और श्रमिक के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ता।

(३) स्वयं मालिक की दृष्टि से भी यह प्रणाली बहुत उपयुक्त होती है। कारण, श्रमिक अधिक सावधानी से काम करते हैं, जिससे एक ओर तो काम अच्छा होता है और दूसरी ओर माल का अपभ्रंश और मशीनों तथा औजारों में टूट-फूट कम होती है। मजदूरी बढ़ाने में भी मालिक को कम कठिनाई होती है।

(४) कलापूर्ण और बारीकी का काम—जिन व्यवसायों में अधिक कलापूर्ण और बारीक काम होता है वहाँ यह प्रणाली अधिक उपयुक्त होती है क्योंकि ऐसे कार्यों को जल्दी-जल्दी खींचने से काम अच्छा नहीं हो सकता है।

(५) बहुत से काम (जैसे—डाक्टर का काम) ऐसे होते हैं जहाँ काम को ठीक-ठीक नाप लेना कठिन होता है, क्योंकि काम का प्रमाणीकरण (Standardisation) नहीं हो सकता।

(६) मजदूर और मालिक को निश्चिन्तता—यह प्रणाली सतोंप और निश्चिन्तता को उत्पन्न करती है। श्रमिक रोजगार के बारे में निश्चित हो जाता है। मालिक को भी श्रमिकों को

बार-बार ढूँढने की आवश्यकता नहीं रहनी है और काम एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार बराबर ठीक चलता रहता है।

प्रणाली के दोष—

गुणों के साथ-साथ इस प्रणाली में बहुत से दोष भी हैं। इन दोषों के कारण इस प्रणाली के स्थान पर बहुत बार कार्यानुसार प्रणाली ग्रहण की जाती है और बहुत बार समयानुसार तथा कार्यानुसार मजदूरी प्रणाली दोनों का एक ही साथ उपयोग किया जाता है। प्रमुख अवगुण निम्न प्रकार हैं—

(१) यह प्रणाली कार्यक्षमता के बढ़ाने को प्रोत्साहन नहीं देती है। प्रत्येक श्रमिक जानता है कि चाहे वह काम अत्यधिक तेजी के साथ करे या साधारण गति से, उसे एक पूर्व निश्चित मजदूरी ही मिलेगी। अतः वह अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाने का उतना प्रयत्न नहीं करता, जितना कि कार्यानुसार मजदूरी प्रणाली में किया जाता है। परिणाम यह होता है कि काम में शिथिलता आती है, आविष्कार को प्रोत्साहन कम मिलता है और स्वयं श्रमिक के लिए भी भावी उन्नति की आशा कम हो जाती है।

(२) इस प्रणाली में निरीक्षण की अधिक आवश्यकता पड़ती है। मालिक को बराबर मनकं और मावधान रहना पड़ना है, निम्न मालिक की कठिनाई भी बढ़ जाती है और व्यवसाय के व्यय भी।

(३) इस प्रणाली में मालिक के लिए यह जानना कठिन होता है कि कोई एक श्रमिक दूसरों की तुलना में कितना अधिक कुशल है। सभी को एक ही छाठी से हँका जाता है और कुशल तथा अकुशल श्रमिकों को बराबर की मजदूरी मिलती है।

(४) इस प्रणाली में श्रमिकों और मालिकों के बीच मन-मुटाव की सम्भावना अधिक रहती है। मालिक मदा श्रमिकों के काम की आलोचना करता है और इस आधार पर मजदूरी न बढ़ाने का अनुरोध करता है कि श्रमिकों की कुशलता कम है। इसके विपरीत, श्रमिक मजदूरी बढ़ाने पर बल देते हैं।

कार्यानुसार मजदूरी के गुण—

आधुनिक जगत् में इस प्रणाली का महत्त्व घटता जा रहा है। स्वतन्त्र रूप में इन प्रणाली का उपयोग अब कम ही रह गया है, परन्तु समयानुसार मजदूरी के सहायक के रूप में इसका उपयोग अब भी होता है, विशेषकर उन उद्योगों में जहाँ श्रमिकों की कार्यक्षमता को अधिक महत्त्व दिया जाता है। इस प्रणाली के प्रमुख गुण निम्न प्रकार हैं—

(१) कार्यक्षमता की वृद्धि—इस प्रणाली में श्रमिक के लिए अपनी कार्यक्षमता में वृद्धि करने का प्रोत्साहन बहुत रहता है। श्रमिक काम करने के सजल, वैज्ञानिक और दीर्घगामी उपायों को ढूँढ निकालता है। इससे श्रमिकों और उत्पादकों के साथ ही साथ सारे देश और मानव-समाज का भला होता है।

(२) न्यायशीलता—प्रत्येक श्रमिक को उसकी कार्य-क्षमता और उसके द्वारा किए जाने वाले काम की मात्रा के अनुसार मजदूरी दी जाती है। इससे उन श्रमिकों के प्रति न्याय होता है जिनकी क्षमता अधिक है।

(३) आय की वृद्धि—इस प्रणाली में श्रमिक को अधिक तेजी के साथ तथा लम्बे समय तक काम करके अधिक आय प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

(४) निरीक्षण-व्यय को कमी—इस प्रणाली में निरीक्षण व्यय बहुत कम होता है, जिनके कारण सारे उद्योग का उत्पादन व्यय कम रहता है।

(५) मन-मुटाव की कमी—इस प्रणाली में श्रमिकों और मिल-मालिकों के सम्बन्ध अधिक अच्छे रहते हैं क्योंकि कोई श्रमिक जितना काम करता है उसको तपकर निश्चय दर पर भुगतान कर दिया जाता है। स्वयं श्रमिक भी कार्य की दशाओं और दूपरी सुविधाओं के विषय में कोई विशेष चिन्ता नहीं करता है।

प्रणाली के दोष—

लाभों के साथ इस प्रणाली में कुछ गम्भीर दोष भी हैं, जिनके कारण इसका उपयोग सीमित ही रहा है और आधुनिक युग में बराबर घटता जा रहा है। प्रमुख दोष निम्न प्रकार है :—

(१) प्रणाली में औद्योगिक यत्न बहुत होती है। श्रमिक बहुधा अपनी शक्ति से बाहर काम करता है जिसका उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(२) गुणात्मक दृष्टि से काम घटिया होना है। तेजी के साथ काम करने के लालच में श्रमिक बहुधा इस बात पर कम ध्यान देता है कि काम कितना अच्छा हो रहा है। बारीकी और हुनर का काम तो इस प्रणाली में लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है।

(३) यह प्रणाली श्रमिकों में मेल और सहयोग की भावना के स्थान पर प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या उत्पन्न करती है। इसका श्रमिकों की संगठन शक्ति और सामूहिक सोदा करने (Collective Bargaining) की शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ना है और श्रम-संधों में निर्वलता आती है।

(४) इस प्रणाली में रोजगार में स्थिरता नहीं आ पाती है। श्रमिक को सदा यह भय बना रहता है कि कहीं उसका रोजगार न छूट जाय। इसके अतिरिक्त, श्रमिकों को बीमारी और छुट्टी के काल में कुछ नहीं मिल पाता।

(५) इस प्रणाली में बहुधा यही देखने में आता है कि जैसे-जैसे श्रमिक अधिक परिश्रम करके अपनी आय को बढ़ाता है, वैसे-वैसे मालिक मजदूरी को दर घटाता जाता है। परिणाम यह होता है कि श्रमिक का शोषण होता है।

(६) इस प्रणाली के फलस्वरूप बेरोजगारी बढ़ने का भय रहता है, क्योंकि सन्धे समय तक तथा अधिक तेजी के साथ काम करने के कारण श्रमिकों की शक्ति कम हो जाती है।

(७) इस प्रणाली में आकस्मिक घटनाओं के विरुद्ध मजदूरों की किसी भी प्रकार की रक्षा नहीं होती है।

(८) कुछ लेखकों का तो यहां तक कहना है कि इस प्रणाली का अन्त में राष्ट्रीय लाभों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।

कोन-सी प्रणाली श्रेष्ठ है ?

इन बातों का निर्णय कठिन है कि इन दोनों प्रणालियों में से कोन सी श्रेष्ठ उपयुक्त है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, आधुनिक औद्योगिक संज्ञान में अधिक धन समझानुसार मजदूरी का है। कार्यानुसार मजदूरी का विरोध साधारणतया संगठित श्रम की ओर से किया जाता है। परन्तु प्रो० पीगू ने पता लगाया है कि अब यह न्यति बदलती जा रही है। वास्तविकता यह है कि दोनों प्रकार की मजदूरियाँ अलग-अलग उद्योगों के लिए उपयुक्त हैं। जिन उद्योगों में काम का प्रमाणीकरण नहीं हो पाता, बारीकी और हुनर की आवश्यकता पड़ती है अथवा व्यक्तिगत रुचियों का ध्यान रखा जाता है, वहाँ गमयानुसार मजदूरी अधिक उपयुक्त होती है और अन्य उद्योगों में कार्यानुसार मजदूरी। प्रो० पीगू कार्यानुसार मजदूरी के पक्ष में है। उनका कहना है कि यदि मजदूर मिलकर सामूहिक मजदूरी की दर तय कर लें, तो ऐसी मजदूरी के अधिकार दोष दूर किये जा सकते हैं। उनका विचार है कि दीर्घकालीन दृष्टि से इस प्रणाली का श्रमिकों के स्वास्थ्य

पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि क्रमशः श्रमिक तेजी के साथ काम करने के आदी हो जाते हैं।¹

“आदर्श कार्यानुसार मजदूरी” अधिक उपयुक्त—

अधिक अच्छा यह होगा कि समयानुसार मजदूरी को एक न्यूनतम दर निर्दिष्ट कर दी जाय और फिर इसके बाद कार्यानुसार मजदूरी दी जाय। ऐसी प्रणाली में दोनों ही प्रणालियों के अधिकांश गुण बने रहेंगे। इस काम के लिए ‘प्रमाप’ या ‘आदर्श कार्यानुसार मजदूरी’ अधिक उपयुक्त होगी। ऐसी प्रणाली में यह पता लगाया जाता है कि प्रथम श्रेणी का श्रमिक एक निर्दिष्ट समय में कुछ निर्दिष्ट कार्य-दशाओं में कितना काम करता है। इस काम को प्रमाप या आदर्श कार्य (Standard Task) मान लिया जाता है। मजदूरी की दर उन श्रमिकों के लिए, जो आदर्श या प्रमाप कार्य करते हैं, ऊँची होती है किन्तु शेष के लिए नीची।

कार्यानुसार मजदूरी और कार्यक्षमतानुसार मजदूरी (Task Wages and Efficiency Wages)

मजदूरी को कभी-कभी कार्यानुसार मजदूरी और कार्यक्षमतानुसार मजदूरी में भी विभाजित किया जाता है। प्रथम प्रकार को मजदूरी प्रमाप या आदर्श मजदूरी की भाँति होती है और साधारणतया वैज्ञानिक प्रबंध के अन्तर्गत पाई जाती है। इसमें एक प्रथम श्रेणी के श्रमिक द्वारा एक निर्दिष्ट समय अवधि में किये जाने वाले काम का ध्यान में रख कर कार्यमान निर्धारित किया जाता है और मजदूरी को दृष्टि से श्रमिकों का इस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है कि कितने श्रमिक आदर्श कार्य के बराबर काम करते हैं और कितने इससे कम? आदर्श या प्रमाप कार्य करने वाले श्रमिकों को दूसरे श्रमिकों की तुलना में अधिक मजदूरी मिलती है।

कार्यक्षमतानुसार मजदूरी में प्रत्येक श्रमिक की कार्यक्षमता का पता लगाया जाता है और उन्हीं के अनुसार उसे मजदूरी दी जाती है। वास्तव में इस प्रकार की मजदूरी कार्यानुसार मजदूरी का ही रूप है। प्रो० मार्शल का कहना है कि दीर्घकाल में ऐसी मजदूरी के एक क्षेत्र में समान रहने की ही प्रवृत्ति रहती है।

श्रम की विशेषताएँ और इनका मजदूरी पर प्रभाव

मजदूरी के निर्धारण में मार्शल ने निम्न विशेषताओं की ध्यान में रखने पर बल दिया है—

(१) श्रम को श्रमिक से अलग नहीं किया जा सकता—जो व्यक्ति श्रम का उपयोग करना चाहता है उसे श्रमिक को भी बुलाना पड़ता है। भूमि, पूँजी तथा साहस को उनके स्वामियों से पूर्णतया अलग किया जा सकता है, परन्तु श्रम को नहीं। इसके कई महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं, जैसे—(i) श्रम की गतिशीलता कम होती है अर्थात् श्रमिक के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान अथवा एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाना अन्य साधनों की तुलना में अधिक कठिन होता है। इसी का यह परिणाम है कि विभिन्न स्थानों पर तथा विभिन्न व्यवसायों में मजदूरियों में अन्तर बना रहता है, क्योंकि एक स्थान अथवा व्यवसाय में ऊँची मजदूरी होने हुए भी गतिशीलता के अभाव के कारण श्रमिक नहीं जाते। (ii) श्रम का मूल्य, अर्थात् मजदूरी कम से कम इतनी अवश्य रहनी चाहिए कि श्रमिक जीवित रह सके। श्रमिक के समाप्त होते ही श्रम स्वयं ही समाप्त हो जायगा। यही कारण है कि यद्यपि अन्य साधनों की कीमत की कोई नवीनतम सीमा नहीं होती, किन्तु मजदूरी की एक न्यूनतम सीमा अवश्य रहती है। (iii) श्रम मनुष्य का परिश्रम होता है, इसलिए श्रमिक को एक

¹ Pigou : *Economics of Welfare*, p. 487.

साधारण वस्तु की भाँति उपयोग नहीं किया जा सकता। उत्पादक के लिए धम-कल्याण की योजनाओं की कार्यशील करना बहुधा आवश्यक होता है।

(२) धम एक अति शीघ्र नाशवान वस्तु है—धम की यह विशेषता भी महत्वपूर्ण है। धम का नाश शीघ्र हो जाता है। अन्य उत्पत्ति-साधनों की भाँति धम को जमाकरके रत्न लेना सम्भव नहीं होता। यदि हम एक दिन कार्य नहीं करते हैं, तो दूसरे दिन दूना कार्य नहीं कर सकेंगे। आज कार्य न करने का परिणाम यह होता है कि हमारा आज का धम नष्ट हो गया। इस प्रकार, खोए हुए धम को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि धमिक अपना धम को बेचने के लिए उत्सुक रहता है। उसके लिए प्रतीक्षा करना सम्भव नहीं होता। इसका मजदूरी पर बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे धमिक की सोदा-शक्ति कम हो जाती है।

(३) धमिक धरपना धम बेचता है, परन्तु स्वयं धरपना स्वामी रहता है—जबकि अन्य उत्पत्ति-साधनों का स्वामित्व विषय पर बदला जा सकता है, तब धमिक अपने धम को बेचकर भी स्वयं अपना स्वामी बना रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि धमिक के पालन-पोषण और शिक्षण पर जितना व्यय होता है वह सारा का सारा सदा के लिए उसी में लगकर रह जाता है और केवल धीरे-धीरे ही फल देता है।

(४) धम की पूर्ति में परिवर्तन धीरे-धीरे होते हैं—उत्पत्ति के दूसरे साधनों की तुलना में धम की पूर्ति अधिक बेलोच होती है। धम की माँग के बढ़ जाने की दशा में धम की पूर्ति अकस्मात् नहीं बढ़ाई जा सकती है। इसमें बहुधा लम्बा समय लगता है, क्योंकि धम की पूर्ति जन-संख्या के आकार और धम की कार्य-शुशलता पर निर्भर होती है और इन दोनों को बढ़ाने में बहुत समय लगता है। इसी प्रकार, धम की माँग घट जाने पर धम की पूर्ति को शीघ्र ही घटा देना सम्भव नहीं होता। इसके अतिरिक्त, किसी विशेष प्रकार के धम को तैयार करने के लिए भी प्रशिक्षण आदि पर अधिक समय एवं धन लगाना पड़ता है। परिणामतः धम की माँग की लोच में अनुपात में उसकी पूर्ति की लोच कम रहने के कारण मजदूरी की दरों में अत्यन्त ही परिवर्तन अधिक होते हैं। पूर्ति की लोच का अभाव माँग और पूर्ति का संतुलन नहीं होने देता।

(५) धमिकों की सोदा-शक्ति सेवायोजक की तुलना में कम होती है—इसके कई कारण हैं, जैसे—(i) धमिकों का संस्था मिल-मालिका की संस्था से बहुत अधिक होती है और अधिक व्यक्तियों का आपस में मिलकर सङ्गठन कर लेना कठिन होता है। (ii) धमिक प्रायः निर्धन होते हैं और पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में पूँजीपति पर आश्रित होते हैं। (iii) धमिकों में शिक्षा और अज्ञान अधिक होता है और वे रूढ़िवादी भी अधिक होते हैं। (iv) धमिकों में प्रायः आपसी फूट और डाह बनी रहती है और सेवायोजक इस डाह को बढ़ाकर उनकी सोदा-शक्ति को घटा सकता है। (v) जबकि जन-संख्या में बराबर वृद्धि होती रहती है—जिससे धम की पूर्ति बराबर बढ़ती जाती है, रोजगार का विस्तार पूँजीवादी प्रणाली में उतनी तेजी के साथ नहीं हो पाता। इसी विषमता का परिणाम यह है कि मजदूरी को दरों में गिरने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है।

(६) धम उत्पत्ति का सक्रिय साधन है—वैसे तो उत्पादन के लिए सभी उत्पत्ति-साधनों की आवश्यकता पड़ती है, परन्तु इन सबसे धम सबसे सक्रिय साधन है। धम के बिना उत्पत्ति के अन्य साधन बेकार ही रहते हैं। पुराने अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन क्रिया में भूमि की तुलना माता और धम की पिता के की है। इसका परिणाम यह होता है कि कोई भी सेवायोजक बिना धमिकों के काम नहीं चला सकता है। धमिक जब मजदूरी बढ़ाने के लिए हड़ताल करते हैं, तो बहुधा सफलता का मूल कारण यही होता है कि धमिक के बिना काम नहीं चल सकता है।

(७) धमिकों को कार्य करने पर बाध्य नहीं किया जा सकता है—धमिक द्वारा कार्य करना या न करना उसकी अपनी स्वेच्छा पर निर्भर होता है। उसे कार्य करने पर बाध्य नहीं किया

जा सकता है। पुराने काव की दास-प्रथा में तो कार्य छोड़ने की स्वतन्त्रता न थी, परन्तु अब ऐसी बात नहीं है।

मजदूरी के सिद्धान्त

मजदूरी के सिद्धान्तों का अध्ययन एडम स्मिथ से आरम्भ होता है और एडम स्मिथ के गिद्धों ने इस अध्ययन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। तब से अब तक मजदूरी के अनेक सिद्धान्तों का निर्माण हुआ है। पुगने अर्थशास्त्रियों ने मजदूरी का अध्ययन केवल सिद्धान्तिक दृष्टि से किया था, परन्तु आधुनिक अर्थशास्त्री इसमें व्यावहारिकता लाने का भी प्रयत्न करते हैं। मजदूरी के सिद्धान्तों का हम उनके ऐतिहासिक क्रम में अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे। प्रमुख सिद्धान्त नीचे समझाये गये हैं।

(1) मजदूरी का जीवन रक्षा सिद्धान्त

(The Subsistence Theory of Wages)

इस सिद्धान्त का निर्माण सर्वप्रथम फ्रांस के प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों ने किया था। उन्होंने यह देखा था कि फ्रांस में मजदूरी लम्बे समय से जीवन-रक्षा-स्तर पर ही बनी रही थी, इसलिए वे इन निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि प्रकृति स्वयं मजदूरी को जीवन-रक्षा-स्तर पर ले जाती है। आगे चलकर रिकार्डों ने माल्थस के जन-संख्या के सिद्धान्त के आधार पर इस सिद्धान्त का समर्थन किया। रिकार्डों के पश्चात् समाजवादी अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धान्त के आधार पर पूँजीवाद की कड़ी आलोचना की। लसाले (Lassalle) ने इसे 'लोह सिद्धान्त' (Iron Law of Wages) का नाम दिया और कार्ल मार्क्स ने इसे अपने शोषण सिद्धान्त का आधार बनाया।

मजदूरी के जीवन-रक्षा सिद्धान्त की प्रमुख बातें—

इस सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी श्रमिकों के जीवन-रक्षा-व्यय के बराबर होती है। मजदूरी की दर ऐसी होगी जिससे कि श्रमिक को जीवित रहने के लिए पर्याप्त मिलता रहे। दीर्घकाल में मजदूरी की प्रवृत्ति यह होगी कि वह जीवन-रक्षा व्ययों से न तो अधिक होगी और न कम। जैसा कि माल्थस ने कहा था, यदि श्रमिकों को जीवन-रक्षा-स्तर से ऊँची मजदूरी दी जाती है, तो उनकी आर्थिक सम्पन्नता बढ़ेगी और वे अधिक बच्चे पैदा करेंगे। इससे जन-संख्या के बढ़ने के कारण श्रम की पूर्ति बढ़ जायेगी और मजदूरी घटने लगेगी। यह तब उस समय तक चलता रहेगा जब तक कि मजदूरी गिर कर जीवन-रक्षा के न्यूनतम स्तर पर नहीं आ जायेगी। इसके विपरीत, यदि श्रमिकों को जीवन-रक्षा-स्तर से नीची मजदूरी मिलती है, तो भर-पेट भोजन न मिलने के कारण बहुत से श्रमिक मर जायेंगे। इसके अतिरिक्त आर्थिक कष्टों के बढ़ जाने के कारण श्रमिक सन्तान भी कम पैदा करेंगे। इस प्रकार श्रम की पूर्ति घट जायेगी, जिससे मजदूरी में वृद्धि होगी। वृद्धि का यह क्रम उम समय तक चलता रहेगा जब तक मजदूरी बढ़कर फिर जीवन-रक्षा-स्तर पर नहीं आ जायेगी।

इस प्रकार दीर्घकालीन मजदूरी केवल इतनी होती है कि श्रमिक के शरीर में प्राण बने रहें। वह इससे कम या अधिक नहीं हो सकती है। यह नियम इतनी कठोरता के साथ लागू होता है कि इसे 'लोह नियम' का नाम दे दिया गया है। इस प्रकार जो मजदूरी निश्चित होती है उसी को प्राकृतिक मजदूरी (Natural Wages) कहा जाता है।

मजदूरी के जीवन-रक्षा-सिद्धान्त की आलोचना—

यह स्पष्ट है कि मजदूरी का यह सिद्धान्त माल्थस के जन-संख्या के सिद्धान्त पर आधारित है और इसलिये उसकी सत्यता भी एक बड़े अंश तक उपरोक्त सिद्धान्त पर ही निर्भर है। सिद्धान्त के सबसे बड़े समर्थक रिकार्डों रहे हैं, परन्तु स्वयं रिकार्डों ने स्वीकार किया है कि मजदूरी

जीवन-रक्षा-स्तर से ऊँची उठ सकती है। जैसा कि लमार्श ने बतलाया है, रिकार्डों यह बली-भाँति जानते थे कि मजदूरी की कोई भी प्राकृतिक दर नहीं होती है और मजदूरी स्वामीय दशाओं और प्रबलित रीति-रिवाज आदि द्वारा निर्धारित होती है। यही नहीं, रिकार्डों जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के महत्त्व को भी समझते थे। कुछ भी हो, मजदूरी का जीवन-रक्षा सिद्धान्त सही प्रतीत नहीं होता। इसकी प्रमुख आलोचनाएँ निम्न प्रकार हैं:—

(१) घलत तर्क पर आधारित—यह तर्क घलत है कि मजदूरी बढ़ने के साथ-साथ जन-संख्या भी बढ़ेगी। संसार के लगभग सभी देशों का अनुभव इसके विपरीत ही है। यूरोप के देशों में मजदूरी और आय के बढ़ने के फलस्वरूप जन-संख्या के बढ़ने के स्थान पर जीवन-स्तर ऊँचा उठा है, जिसके कारण जन-संख्या उल्टी घट गई है।

(२) कार्यक्षमता के महत्त्व की उपेक्षा—इस सिद्धान्त में जीवन-स्तर और कार्यक्षमता की रक्षा के महत्त्व को भुना दिया गया है। श्रम की पूर्ति के लिए केवल यही आवश्यक नहीं है कि श्रमिक जीवित रहे, बल्कि यह भी आवश्यक है कि श्रमिक की कार्यक्षमता बनी रहे। अतः इस दृष्टि से मजदूरी न्यूनतम जीवन-रक्षा-व्ययों के स्तर से ऊपर रहनी चाहिए।

(३) विभिन्न व्यवसायों तथा स्थानों में मजदूरी को दरें अलग-अलग होने का स्पष्टीकरण नहीं—मजदूरी का प्राकृतिक नियम यह नहीं बताता है कि संसार भर में विभिन्न श्रमिकों की मजदूरी की दर में अन्तर क्यों होते हैं, जबकि जीवन-रक्षा-व्यय प्रायः सभी स्थानों पर लगभग समान ही रहते हैं। इसी प्रकार, विभिन्न व्यवसायों और कालों में भी मजदूरी की दरों में अन्तर नहीं होने चाहिए किन्तु वास्तविक जीवन में मजदूरी के अन्तर बहुत व्यापक तथा स्पष्ट होते हैं। इससे तो यही पता चलना है कि मजदूरी पर प्राकृतिक नियमों का अपेक्षापरिचितियों का हा प्रभाव अधिक पड़ता है।

(४) माँग-पक्ष की अवहेलना—यह सिद्धान्त अचूरा है, क्योंकि इसमें केवल श्रम की पूर्ति पर विचार किया गया है। निस्सन्देह जीवन-रक्षा-व्यय एक बड़े अंश तक श्रम की पूर्ति को निर्दिष्ट करता है, परन्तु श्रम की माँग पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। श्रम की माँग तो श्रम की उत्पादकता पर निर्भर होगी है, क्योंकि मजदूरी की समस्या श्रम के मूल्य निर्धारण की समस्या है, अतः केवल पूर्ति की विवेचना से काम नहीं चलेगा।

(५) आविष्कार आदि के प्रभावों की समझाने में असमर्थ—यह सिद्धान्त यह समझाने में असमर्थ रहता है कि आविष्कारों, उत्पादन की रीतियों में सुधार और श्रम-संघों की कार्यवाहियों के कारण मजदूरी की दरों में परिवर्तन क्यों हो जाते हैं।

(६) निम्नतम दर को ही वास्तविक दर मान लेना—यह सिद्धान्त मजदूरी की निम्नतम दर को ही उसकी वास्तविक दर मान लेता है। माघद यह कहना अधिक सही होगा कि मजदूरी की निम्नतम दर जीवन-रक्षा-स्तर से नीचे नहीं गिर सकती है, क्योंकि वेंसा होने पर श्रम की पूर्ति घटकर शून्य पर पहुँच जायगी।

(II) मजदूरी का जीवन-स्तर-सिद्धान्त (The Standard of Living Theory of Wages)

ऐतिहासिक दृष्टि से इस सिद्धान्त का निर्माण बहुत बाद में हुआ है। परन्तु क्योंकि यह सिद्धान्त उपरोक्त सिद्धान्त पर सुधार के रूप में प्रतिपादित किया गया है, इसलिए इसका अध्ययन जीवन-रक्षा-सिद्धान्त के साथ ही साथ कर लेना अधिक उपयुक्त है।

जीवन-स्तर सिद्धान्त क्या है ?

कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि मजदूरी जीवन-रक्षा-स्तर के स्थान पर जीवन-स्तर द्वारा निर्धारित होती है। इसका अभिप्राय यह है कि मजदूरी जीवन-रक्षा-स्तर से ऊँची रहती है,

क्योंकि श्रमिक की कार्य-क्षमता की रक्षा भी आवश्यक है, जिससे कि वह वास्तविक अर्थ में उत्पत्ति में अपना सहयोग दे सके। इस सिद्धान्त के अनुसार श्रमिकों की मजदूरी में उस स्थान पर तय होने की प्रवृत्ति रहती है जहाँ पर कि श्रमिकों के लिए अपना जीवन-स्तर बनाये रखना सम्भव हो सके। इस प्रकार, किसी भी श्रमिक वर्ग की मजदूरी उसके रहन-सहन के दर्जे द्वारा निर्धारित होती है। निश्चय है कि इस प्रकार की मजदूरी सभी श्रमिकों के लिए समान नहीं हो सकती है और साथ ही ऐसी मजदूरी का श्रमिकों की कार्यक्षमता से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहता है। इस सिद्धान्त के प्रमुख समर्थक मार्शल हैं।

यहाँ जीवन स्तर का अर्थ समझ लेना आवश्यक है। मार्शल के अनुसार श्रमिक के किमी वर्ग का जीवन-स्तर आवश्यक, आरामदायक और विलास की वस्तुओं के उस समूह द्वारा सूचित होता है, जिसके उपभोग की उस वर्ग की आदत पड़ जाती है अथवा जिसका वह वर्ग अभ्यस्त हो जाता है। चूँकि श्रमिक की कार्यक्षमता एक बड़े अंश तक उसके जीवन-स्तर पर निर्भर होती है, इसलिए जीवन-स्तर को बनाये रखना कार्यक्षमता की रक्षा के लिए आवश्यक है।

जीवन-स्तर-सिद्धान्त की आलोचना—

गुण—निस्सन्देह यह सिद्धान्त मजदूरी के जीवन-रक्षा-सिद्धान्त पर एक भारी सुधार है और मजदूरी की दर पर जीवन-स्तर का प्रभाव कई प्रकार से पड़ता है, जैसे:—(i) यदि श्रमिकों का एक निश्चित जीवन-स्तर है, तो वे दृष्टापूर्वक उसी के अनुसार उपयुक्त मजदूरी की मांग करेंगे। (ii) जीवन-स्तर का प्रत्येक परिवर्तन कार्यक्षमता में भी परिवर्तन कर देता है, जिसका श्रमिक की उत्पादकता पर अवश्य प्रभाव पड़ता है और श्रमिक की उत्पादकता की प्रत्येक वृद्धि अथवा कमी मजदूरी पर भी अपना प्रभाव डालती है। ये दोनों बातें इस सिद्धान्त के गुणों को दिखाती हैं।

दोष—परन्तु सिद्धान्त की आलोचना के रूप में यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि यथार्थ में मजदूरी और जीवन-स्तर में इतना प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है जितना कि इस सिद्धान्त में दर्शाया गया है। सिद्धान्त की प्रमुख आलोचनाएँ निम्न प्रकार हैं—(१) यह निश्चित कठिन करना है कि जीवन-स्तर मजदूरी द्वारा निर्धारित होता है अथवा मजदूरी जीवन-स्तर के द्वारा। अनुभव बताता है कि श्रमिकों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने का सबसे महत्त्वपूर्ण उपाय मजदूरी में वृद्धि करना है। बिना मजदूरी को बढ़ाये ऊँचे जीवन-स्तर की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। (२) जीवन-स्तर मजदूरी को प्रभावित करने वाली अनेक बातों में से केवल एक है। यदि यह मान भी लिया जाय कि ऊँचा जीवन-स्तर श्रमिक की कार्यक्षमता और सोचा-गति को बढा कर मजदूरी में वृद्धि सम्भव बना देता है, तो यह सम्भना भूल होगी कि मजदूरी पर केवल जीवन-स्तर का ही प्रभाव पड़ना है। अन्य अनेक बातें भी मजदूरी की दर को प्रभावित करती हैं। इनका विवेचन इन्हीं अध्याय में आगे किया गया है। (३) जीवन-स्तर का प्रभाव भी साधारणतया श्रम की पूर्ति पर ही पड़ता है, क्योंकि गुणात्मक दृष्टि से श्रम की पूर्ति श्रमिक की कार्य-क्षमता पर निर्भर होता है। (४) श्रम की माँग पर जीवन-स्तर का प्रभाव बड़ा परोक्ष और अस्पष्ट ही होता है, अतः यह सिद्धान्त भी मुख्यतया श्रम की पूर्ति की ही विवेचना करता है। फिर भी इस सिद्धान्त के पक्ष में इनका अवश्य कहा जा सकता है कि इसमें मत्स्यता का कुछ अंश अवश्य है।

(III) मजदूरी-निधि अथवा मजदूरी-कोष सिद्धान्त

(The Wage Fund Theory)

ब्रिटिश अर्थशास्त्री लम्बे काल तक इस सिद्धान्त के पक्षपाती रहे हैं। इसका निर्माण सबसे पहले एडम स्मिथ ने किया था। बाद की माल्यस और रिकार्डों ने भी इसका समर्थन किया।

चूँकि इस सिद्धान्त को अन्तिम रूप मिल ने दिया, इसलिये इसे बहुधा मिल ही के नाम से सम्बन्धित किया जाता है ।

मजदूरी-कोष सिद्धान्त की विशेषताएँ—

मिल का कहना है कि मजदूरी उम कोष अथवा निधि पर निर्भर होती है जो कि एक निधोक्ता अथवा सेवायोजक स्वेच्छा से श्रमिकों को देने के लिए अलग रख देता है । अपनी इच्छा के अनुसार सेवायोजक यह निर्णय कर लेता है कि वह अपनी बचाई हुई पूँजी का, जिसे उसने अपनी भूतकालीन आय में से बचाया है, कौन-सा भाग मजदूरी पर व्यय करेगा । इस प्रकार बचाई हुई पूँजी की जो मात्रा मजदूरी के लिए अलग रख दी जाती है, उसे "मजदूरी कोष" कहते हैं । कुल मजदूरी इसी कोष में से दी जाती है और प्रत्येक श्रमिक को श्रमिकों की सत्ता के अनुपात में मजदूरी मिलती है ।

इस प्रकार, इस सिद्धान्त के अनुसार, मजदूरी की दर दो बातों पर निर्भर होती है—(i) मजदूरी-कोष की मात्रा और (ii) जन-संख्या का आकार । इसमें से प्रथम का निर्धारण पूँजीपति की स्वेच्छा पर निर्भर होता है और दूसरी का प्राकृतिक कारणों पर, जो साधारणतया मनुष्य के अधिकार-क्षेत्र से बाहर होते हैं । अतः मजदूरी बढ़ाने के दो उपाय हो सकते हैं—या तो मजदूरी-कोष की मात्रा बढ़ाई जाय, अर्थात् पूँजीपति अपनी पूँजी का अधिक भाग मजदूरी-कोष में रखे या जन-संख्या को कम किया जाय, जिससे कि मजदूरी-कोष में से हिस्सा पाने वालों की संख्या घट जाय ।

मजदूरी सिद्धान्त की प्रालोचना—

सब तो यह है कि इस सिद्धान्त को एक 'मिद्धान्त' कहना ही गलत है, क्योंकि, (i) इसमें यह नहीं बताया गया है कि मजदूरी-कोष का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है । यदि मजदूरी-कोष सेवायोजक की स्वेच्छा पर निर्भर है, तो फिर उसका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं हो सकता । (ii) ध्यानपूर्वक देखने में पता चलता है कि इस सिद्धान्त में श्रम की माँग को विवेचना बड़े ही मोड़े ढंग से की गई है । मजदूरी-कोष का आकार परीक्षा रूप में श्रम की माँग का सूचक होता है । चालू पूँजी का जो भाग मजदूरी में बाँटने के लिये रख दिया जाता है उसी के अनुसार श्रमिकों की माँग रहती है । इस दृष्टि से यह सिद्धान्त भी अधूरा है । कोई भी सिद्धान्त जो श्रम की माँग और पूँति दोनों ही की विवेचना न करे, मजदूरी का निर्धारण कर ही नहीं सकता । (iii) इन सिद्धान्त में एक उल्टा तरीका अपनाया गया है । मजदूरी-कोष मजदूरी की दर निर्धारण नहीं करता, बल्कि स्वयं मजदूरी-कोष विभिन्न मजदूरियों के योग के बराबर होता है । (iv) यह सिद्धान्त मजदूरी पर प्रतियोगिता के प्रभाव को स्पष्ट नहीं करता । एक निश्चिन्त समय में मजदूरी-कोष और जन-संख्या निश्चित होते हैं, इसलिए मजदूरी की दर में परिवर्तन नहीं होने चाहिए, परन्तु वास्तविक जीवन में इस प्रकार के परिवर्तन बराबर होने रहते हैं । (v) यह सिद्धान्त यह नहीं बताना है कि मजदूरी-कोष का निर्धारण कैसे होता है । (vi) अनुभव बताना है कि बहुधा ऊँची मजदूरियों का कारण मजदूरी-कोष अधिक होना नहीं है बल्कि श्रमिकों की बढ़ी हुई कार्य-शुश्रूषा है । (vii) यह सिद्धान्त श्रम की माँग (मजदूरी-कोष) को यथास्थिर मानकर मजदूरी को केवल श्रम की पूँति पर आधारित बना देता है ।

(IV) अवशिष्ट अधिकारी सिद्धान्त

(Residual Claimant Theory)

इस सिद्धान्त को अमेरिकन अर्थशास्त्री बाकर के नाम से सम्बन्धित किया जाता है ।

अवशिष्ट अधिकारी सिद्धान्त क्या है ?

वाकर का विचार है कि लगान, व्याज और लाभ स्वतन्त्र रूप में निश्चित होते हैं और इनके निर्धारण का उद्योग से कोई सम्बन्ध नहीं होता, परन्तु मजदूरी निर्धारण पर कोई निश्चित नियम लागू नहीं होता। कुल उपज की कीमत में से लगान, व्याज और लाभ को निकाल कर जो शेष रहे वही श्रमिकों को मिलना है। इस प्रकार मजदूरी अवशिष्ट (Residue) में से दी जाती है।¹ इसी कारण, वाकर के सिद्धान्त का नाम मजदूरी के अवशिष्ट अधिकारी सिद्धान्त पड़ा।

वाकर के अनुसार मजदूरी केवल उद्योग में बढ़ सकती है जबकि श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाने के कारण कुल उत्पात्ति बढ़े, परन्तु लगान, व्याज, लाभ और इस प्रकार के दूसरे द्रायित्वों को भाग्य निश्चित रहती है। वाकर ने इस सत्य को स्वीकार किया है कि अधिक परिश्रम करने के फलस्वरूप श्रमिकों की मजदूरी बढ़ सकती है। वाकर से ही गिलता-जुलता मत जेवन्स का भी है, परन्तु दोनों के विचारों में थोड़ा अन्तर है। वाकर के अनुसार, कुल उत्पात्ति की कीमत में से लगान, व्याज और लाभ को देकर जो कुछ बचता है वह सबका सब श्रमिकों को मिलता है।² इसके विपरीत, जेवन्स के अनुसार कुल उपज में से लगान, कर और पूँजी का व्याज निकालने के बाद मजदूरी शेष रह जाती है।³

अवशिष्ट अधिकारी सिद्धान्त की प्रालोचना—

पिछले सिद्धान्तों की भाँति यह सिद्धान्त भी अधूरा है। हम सिद्धान्त की आलोचनाएँ निम्न प्रकार है :—(१) इस सिद्धान्त में श्रम की माँग और पूर्ति के प्रभाव को बिल्कुल भुला दिया गया है। श्रमिकों को तो बचा-खुचा ही मिलेगा, चाहे उनकी माँग और पूर्ति की दशाएँ कौसी भी क्यों न हो। वास्तविकता यह है कि अन्य वस्तुओं के मूल्य की भाँति श्रम का मूल्य (अथवा मजदूरी) भी श्रम की माँग और पूर्ति पर निर्भर होता है। (२) इस सिद्धान्त में श्रम-संघों और सामूहिक सौदा करने के महत्त्व को भी स्वीकार नहीं किया गया है। मजदूरी तो अवशेष है। श्रम-संघ इस अवशेष को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि लगान, व्याज आदि के निर्धारण पर उनका किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता है। इस प्रकार श्रम-संघों का निर्माण बेकार है, परन्तु व्यावहारिक अनुभव इसके विपरीत है। (३) प्रत्येक व्यवसाय में अवशेष का अधिकारी साहसी अथवा उत्पादक होता है, श्रमिक नहीं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने साहसी को ही अवशिष्ट अधिकारी बतलाया है और यह ठीक भी है। (४) इस सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी का कोई निश्चित नियम नहीं है। किन्तु तथ्य यह है कि सभी उत्पात्ति-साधन स्वभाव में एक जैसे होते हैं। अतः भूमि, पूँजी और साहस के मूल्य-निर्धारण के सिद्धान्त श्रम के मूल्य-निर्धारण पर भी लागू होने चाहिए। (५) वाकर का यह कथन भी गलत है कि लगान, व्याज और लाभ उद्योग में स्वतन्त्र रूप से निर्धारित होते हैं। वास्तविक जीवन में इन तीनों का ही उद्योग से गहरा सम्बन्ध है।

¹ "Rent, interest and profits are fixed by economic considerations quite independent of the Industry.... when from the total product we deduct the combined shares of land, capital and entrepreneur, that which is left as a residue, would go to the labourers as wages"—Walker

² "Wages are equal to the whole product minus rent, interest & profits"—Walker.

³ "The wages of working men are ultimately coincident with what he produces, after the deduction of rent, taxes and the interest on capital"—Stanley Jevons.

(V) मजदूरी का सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त (The Marginal Productivity Theory of Wages)

इस सिद्धान्त का थोडा-सा अध्ययन एक पिछले अध्याय में किया जा चुका है। यह सिद्धान्त वितरण का एक ऐसा सिद्धान्त है जो उत्पत्ति के सभी साधनों का मूल्य निर्धारित करता है। इस सिद्धान्त के अनुसार उत्पत्ति के प्रत्येक माध्यम का दीर्घकालीन पारितोषण उसके सीमान्त उपज की कीमत के बराबर होता है यद्यपि अल्पकाल में यह इसके कम या अधिक हो सकता है।

सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त की प्रमुख बातें—

यदि पारितोषण सीमान्त उपज की कीमत से अधिक है, तो सेवामोजक कुछ श्रमिकों को काम से हटाएगा। इससे धम की मांग घटेगी और मजदूरी नीचे गिरेगी। यह धम उम समय तक चलता रहेगा, जब तक मजदूरी घटते-घटते सीमान्त उपज के बराबर न हो जाय। कारण, जब मजदूरी सीमान्त उपज की कीमत से अधिक होती है, तो सीमान्त श्रमिक को उसके द्वारा की गई उत्पत्ति से अधिक मूल्य दिया जाता है, जिससे उत्पादक को हानि होती है और यह हानि श्रमिक को काम से हटाकर दूर की जा सकती है। उत्पादक की ऐसी हानि उस समय तक बनी रहेगी जब तक कि मजदूरी सीमान्त उपज की कीमत से ऊँची रहेगी, इसलिए ऐसे समय तक धम की मांग बराबर घटती रहेगी और इसके कारण मजदूरी भी नीचे गिरती रहेगी।

इसके विपरीत, यदि मजदूरी सीमान्त उपज की कीमत से कम है, तो सीमान्त श्रमिक को काम पर लगाने से उत्पादन को लाभ होगा। वह अधिक श्रमिकों को काम पर लगा कर अपने कुल लाभों को बढ़ा सकता है। इसके फलस्वरूप श्रमिक की मांग में वृद्धि होगी और मजदूरियाँ ऊपर उठेंगी। यह स्थिति उम समय तक बनी रहेगी जब तक कि मजदूरी बढ़कर सीमान्त उपज की कीमत के बराबर न हो जाय, क्योंकि केवल उमी दशा में श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर कुल लाभ में वृद्धि करने की सम्भावना सम्भव होगी।

अतः यद्यपि कुछ काल के लिए मजदूरी सीमान्त उपज की कीमत से कम या अधिक हो सकती है, परन्तु साम्य की दशा में वह उसके बराबर ही होगी। इस सिद्धान्त के अनुसरण हेतु सीमान्त उपज का पता लगाना आवश्यक है। इसमें लिए उत्पत्ति के अन्य साधनों की मात्रा को यथास्थिर रखकर किन्हीं एक साधन की मात्रा को एक इकाई में घटाया-बढ़ाया जाता है। परिणाम-स्वरूप, कुल उपज की मात्रा में जो कमी या वृद्धि हो जाती सीमान्त उपज कहलाती है। बाजार भाव पर सीमान्त उपज की कीमत तय होती जा सकती है। यही कीमत उस साधन के पारितोषण को निर्धारित करती है जिसकी मात्रा में हमने परिवर्तन किया था। उदाहरणस्वरूप, यदि भूमि, पूँजी और साहम की निश्चित मात्राओं के साथ धम की १० इकाइयाँ उपयोग करने पर ५० इकाई उत्पत्ति प्राप्त होती है और ११ इकाइयाँ उपयोग करने पर कुल उपज ५४ इकाई होती है, तो धम की सीमान्त उपज ४ इकाई उत्पत्ति के बराबर होगी और यही दीर्घकालीन मजदूरी की दर को निश्चित करेगी।

सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त के गुण-बोध—

इस सिद्धान्त का सबसे बड़ा गुण यह है कि हमने उत्पत्ति के सभी साधनों के पारितोषण को एक ही रीति से निश्चित करने का प्रयत्न किया गया है। वैसे भी सीमान्त विवेचन आधुनिक आर्थिक विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण आधार है। सिद्धान्त इस कारण भी उपयुक्त प्रतीत होता है कि सेवामोजक को हाँट से धम की मांग अथवा किसी अन्य उत्पत्ति-साधन की मांग साधन-विशेष की उत्पादकता पर निर्भर होती है।

किन्तु यह सिद्धान्त भी निम्न कारणों से अपूर्ण है—(i) सीमान्त उत्पादकता धम की मांग को निश्चित करती है, परन्तु धम की पूर्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः इस

सिद्धान्त में केवल श्रम की माँग की विवेचना करके मजदूरी को निर्धारित करने का प्रयत्न किया गया है। पूँति की विवेचना छोड़ दी गई, जो ठीक नहीं है। (ii) यह सिद्धान्त सभी वस्तुओं में लागू नहीं होता क्योंकि यदि विभिन्न उत्पत्ति साधनों के बीच प्रतिस्थापन नहीं हो सकता है, तो सीमान्त उपज का पता नहीं लगाया जा सकता है। (iii) यदि सीमान्त उत्पादकता ही मजदूरी को निर्धारित करती है तो फिर श्रम-सघ वेकार ही होगे, क्योंकि सीमान्त उत्पादकता को बढ़ाए बिना मजदूरी नहीं बढ़ाई जा सकती है। किन्तु वास्तविक जीवन में हम यह देखते हैं कि श्रम-संघ श्रमिकों को मोदा-सहित को बढ़ा कर मजदूरी में वृद्धि करा देते हैं। (iv) यह सिद्धान्त पूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है, जबकि वास्तविक जीवन में केवल अपूर्ण प्रतियोगिता ही पाई जाती है। (v) यह दीर्घकालीन सिद्धान्त है। (vi) जैसा कि टाउजिग ने कहा है, मजदूरी एक प्रकार का अग्रिम भुगतान होती है। चूँकि उत्पत्ति को बेच कर कीमत प्राप्त करने से पहले ही उत्पादक मजदूरी चुका देता है, इसलिए इनमें से कुछ प्रकार को कटौती हो जाती है।

(VI) मजदूरी का सीमान्त बट्टा उपज सिद्धान्त (Discounted Marginal Product Theory of Wages)

यह सिद्धान्त सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त पर आधारित है, परन्तु टाउजिग ने उपरोक्त सिद्धान्त में कुछ सुधार करने का प्रयत्न किया है।

सीमान्त बट्टा उपज सिद्धान्त की प्रमुख बातें—

उसका कर्त्ता है कि मजदूरी का चुकाना उसी दिन आवश्यक हो जाता है जिस दिन कि उत्पत्ति का कार्य आरम्भ किया जाता है। परन्तु उत्पत्ति में समय लगता है। उपज के तयार हो जाने पर भी उत्पादक को उसकी कीमत तुरन्त नहीं मिल जाती वरन् इसे बेचने में समय लगता है। इस प्रकार सेवायोजक ने जिन श्रमिक की मजदूरी आज चुकाई है उसकी उपज की कीमत उसे कई महीने बाद प्राप्त होती है। फलतः मजदूरी एक प्रकार से अग्रिम के रूप में होती है। स्पष्टतः मजदूरी चुकाने और उपज को बेचकर कीमत प्राप्त कर लेने के बीच के काल के लिए सेवायोजक को उस पूँजी पर, जो उसने मजदूरी के रूप में उपयोग की है, ब्याज की हानि होती है। वह ब्याज की राशि मजदूरी में से काट ली जाती है।

इस प्रकार, मजदूरी सीमान्त उपज की कीमत में से इस काल का ब्याज काट कर दी जाती है। अन्य शब्दों में, श्रमिक को उसकी सीमान्त उपज की कुल कीमत प्राप्त नहीं होनी, वरन् उसमें से बट्टा लिया जाता है। इसी कारण टाउजिग ने मजदूरी को 'सीमान्त बट्टा उपज' कहा है। उनके ही शब्दों में, "मजदूरी के सामान्य सिद्धान्त को सरल और स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि मजदूरी श्रम की बट्टा की हुई सीमान्त उपज द्वारा निर्धारित होती है।"¹ वे यह मानते हैं कि जो कुल उत्पत्ति होनी है वह सम्मिलित उपज होती है, जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों का हिस्सा रहता है। उनका विचार है कि मजदूरी के विषय में बट्टे का लगाना आवश्यक है।

सीमान्त बट्टा उपज सिद्धान्त की प्रालोचना—

इस सिद्धान्त की प्रमुख आलोचनायें निम्न प्रकार हैं:—(i) यदि सीमान्त उत्पादकता का सिद्धान्त गलत है, तो इस सिद्धान्त को भी सही मान लेना सम्भव नहीं है। (ii) यह बात समझ में नहीं आती कि केवल मजदूरी ही बट्टा काटकर क्यों दी जाती है। उत्पत्ति के लगभग सभी साधनों

¹ "The simplest and the clearest mode of stating the theory of general wages is to say that the wages are determined by the Discounted Marginal product of Labour."—Taussig. *Principles of Economics*, p. 24.

को अग्रिम के रूप में भुगतान दिया जाता है। अतः सभी साधनों के पारितोषण में से बड़ा काटना चाहिए न कि केवल मजदूरी में से। (iii) बट्टे के रूप में जो कुछ काट लिया जाता है वह भी किसी न किसी साधन को अदृश्य मिलता होगा, तो क्या टाउजिंग के इस सिद्धान्त के अनुसार स्वाज-दर बढ़ जायेगी? टाउजिंग ऐसा स्वीकार नहीं करते हैं।

(VII) मजदूरी का आधुनिक सिद्धान्त

(The Modern Theory of Wages)


जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि आधुनिक अर्थशास्त्री वितरण की समस्या को मूल्य निर्धारण की ही एक विशेष दशा समझते हैं। उत्पात्ति के साधनों और साधारण वस्तुओं में लगभग कुछ भी अंतर नहीं होता। उत्पात्ति के प्रत्येक साधन का पारिश्रमिक अथवा पारितोषण यथायथ में उसकी कीमत होती है, इसलिए प्रत्येक साधन का पारितोषण भी माँग और पूर्ति के सिद्धान्त द्वारा निश्चित होना चाहिए। साम्य की दशा में मजदूरी उस बिन्दु पर निर्धारित होती है जहाँ श्रम के लिए माँग उसकी पूर्ति के बराबर होगी।

(१) श्रम के लिए माँग (Demand for Labour)—श्रम के लिए माँग एक व्युत्पादित माँग (Derived Demand) होती है। यह उन वस्तुओं की माँग से निकलती है, जिनका उत्पादन करने में वह सहायक बनती है। किसी उत्पाद के लिए माँग जितनी अधिक होगी, उसे बनाने में श्रम के लिए उत्पादक द्वारा उतनी ही अधिक माँग की जायेगी। अतः एक वस्तु के लिए माँग में यदि वृद्धि की सम्भावना हो तो इस वस्तु को बनाने वाले श्रम के लिए माँग बढ़ जायेगी। श्रम के लिए माँग की लोच इगकी उत्पात्ति के लिए माँग की लोच पर निर्भर होती है। यदि श्रमिकों की मजदूरी कुल लागत का एक मामूली अनुपात है तो श्रम के लिए माँग, सामान्यतः बेजोच होगी। इसके विपरीत, जिस वस्तु को श्रम बनाता है यदि उसके लिये माँग लोचदार है या सस्ते स्थानावहण उपलब्ध है तो श्रम के लिये माँग लोचदार होगी।

श्रम के लिए माँग सहयोग देने वाले साधनों की कीमतों पर निर्भर होती है। मान लीजिये भारत में मशीनें महंगी हैं। ऐसी दशा में मशीनों के स्वामि में श्रम की प्रमुखता दी जायेगी। फलतः श्रम के लिए माँग बढ़ेगी।

समस्त गम्बद्ध घटक (जैसे—उत्पादों के लिये माँग, तबनीकी दशाएँ, सहयोग देने वाले साधनों की कीमतें आदि) को विचार में लेते हुए सेवायोजक एक मौलिक घटक (अर्थात् सीमान्त उत्पादकता) से प्रभावित होता है। जिस प्रकार स वस्तुओं के लिये माँग-कीमत (Demand Price) होती है, उसी प्रकार से श्रम के लिये भी माँग-कीमत होती है। एक आधुनिक समाज में जो परिस्थितियाँ प्रायः प्रचलित हैं उनके अन्तर्गत श्रम के लिये माँग सेवायोजक से, जोकि श्रम एवं अन्य उत्पात्ति-साधनों को अपने व्यवस्थापन द्वारा छाड़ उठाने के उद्देश्य से नियुक्त करता है, जाती है, अतः श्रम की माँग-कीमत वह मजदूरी है जोकि एक सेवायोजक उस विशेष प्रकार के श्रम के लिये देने की तत्पर है। मान लीजिये कि वह एक-एक करके श्रमिक नियुक्त करता है। एक सीमा के बाद क्रमागत हास नियम लागू हो जायेगा। तब प्रत्येक अतिरिक्त श्रमिक एक घटती हुई दर से कुल शुद्ध उत्पात्ति में वृद्धि करेगा। स्वभावतः सेवायोजक उस बिन्दु पर अतिरिक्त श्रमिक भरती करना बन्द कर देगा जहाँ एक श्रमिक भी रखने की लागत उसके द्वारा कुल शुद्ध उत्पात्ति में की गई वृद्धि के बराबर (या कुछ कम) हो जाय। इस प्रकार, एक ऐसे श्रमिक को (अर्थात् सीमान्त श्रमिक को) जो मजदूरी दी जायेगी वह इस अतिरिक्त वृद्धि (=सीमान्त उत्पादकता) के मूल्य के बराबर होगी। किन्तु चूँकि सभी श्रमिक एक ही श्रेणी के होते हैं, इसलिए जो मजदूरी सीमान्त श्रमिक को दी जाती है वह सभी श्रमिकों को दी जायेगी।

वास्तव में, एक विशेष सेवायोजक के लिए, पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत, मजदूरों बाजार-शक्तियों द्वारा पहले ही निश्चित कर दी जाती है। वह कम या अधिक श्रम प्रयोग कर मजदूरी को प्रभावित नहीं कर सकता। वह उनसे ही श्रमिक रहेगा जिनकी सीमांत उत्पादकता बाजार में प्रचलित मजदूरी के बराबर रहे।



चित्र—श्रम के लिए माँग¹

हमने यह माना है कि उद्योग में १०० फर्में हैं। OW मजदूरी पर व्यक्तिगत फर्म की माँग ON है, किन्तु इसी मजदूरी पर सम्पूर्ण उद्योग की माँग OM है जो कि $100 ON$ के बराबर है (क्योंकि उद्योग में फर्मों की संख्या १०० है)। इसी प्रकार, OW' पर व्यक्तिगत फर्म की माँग ON' और सम्पूर्ण उद्योग की माँग $OM' = (100 ON')$ तथा OW^2 पर व्यक्तिगत फर्म की माँग ON^2 एवं सम्पूर्ण फर्म की माँग $OM^2 = (100 ON^2)$ है।

उपरोक्त चित्र में यह देखेंगे कि माँग वक्र DD संघे हाथ की ओर नीचे ढालू है। कारण, MRP वक्र (त्रिभुजक) Lateral Summation DD द्वारा व्यक्त किया गया है) भी उसी दिशा में ढालू है। इसका अर्थ है कि श्रम की दृष्टियों में वृद्धि करने पर सीमांत उत्पादकता कम होनी जाती है।

उल्लेखनीय है कि बाजार में मजदूरी का निर्धारण व्यक्तिगत फर्म की माँग द्वारा नहीं होता बल्कि कुल उद्योग की माँग द्वारा होता है। व्यक्तिगत फर्म को बाजार दर स्वीकार करनी पड़नी है और तदनुसार ही अपने कार्यकलाप समायोजित करने पड़ने हैं।

(२) श्रम की पूर्ति—श्रम की पूर्ति से आसपास एक विशेष प्रकार का श्रम देने वाले श्रमिकों की संख्या से है, जो स्वयं को रोजगार के लिये विभिन्न मजदूरी-दरों पर प्रस्तुत करते हैं। श्रम की पूर्ति पर एक फर्म, एक उद्योग एवं सम्पूर्ण समाज की दृष्टि में विचार किया जा सकता है।

एक फर्म के लिये श्रम की पूर्ति पूर्णतः लोचदार होती है, क्योंकि चालू मजदूरी दर पर वह जितने चाहे उतने श्रमिक नियुक्त कर सकती है। उसकी अपनी माँग कुल श्रम-पूर्ति का एक नगण्य अनुपात होती है। किन्तु सम्पूर्ण उद्योग के लिए श्रम की पूर्ति असंमित लोचदार नहीं होती। अतः यदि वह अधिक श्रम चाहता है, तो कुछ ऊँची मजदूरी देकर अन्य उद्योगों से आकर्षित कर सकता है। वह विद्यमान श्रम-शक्ति में ओवर टाइम भी कार्य ले सकता है। इसका अर्थ होगा पूर्ति बढ़ना। उद्योग के लिए श्रम की पूर्ति वास्तव में 'पूर्ति नियम' का अनुसरण करती है—ऊँची मजदूरी अधिक पूर्ति, नीची मजदूरी कम पूर्ति। अतः एक उद्योग के लिये पूर्ति वक्र बायीं

¹ It can be seen that Y-axis in both curves are drawn to the same scale, but X-axis are drawn on different scales. The total demand curve is derived by the lateral summation of the marginal revenue productivity of all the firms.

से दायी ओर ऊपर की दिशा में उठता हुआ होता है। पूर्ण अर्ध-व्यवस्था के लिए श्रम की पूर्ति आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक दशाओं या मन्थान घटकों, जैसे—कार्य के प्रति महिलाओं का दृष्टिकोण, कार्य करने की आयु, स्कूल एवं कानिज आयु एवं विद्यार्थियों के लिये वसतिगृहों की संख्या, जनसंख्या का आकार एवं इसकी रचना, सेष वितरण, विवाह के प्रति दृष्टिकोण, परिवार का आकार, संतति निरोध, निकटता और सफाई के प्रभाव आदि।

पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत श्रम को एक दो हुई पूर्ति विभिन्न रोजगारों में इस तरह से वितरित हो जाती है कि सभी रोजगारों में सीमान्त उत्पादकता समान रहे। किन्तु जब श्रम एक रोजगार से दूसरे रोजगार में जाने के लिए स्वतन्त्र नहीं तो विभिन्न रोजगारों में सीमान्त उत्पादकता विभिन्न होगी तथा एक ही प्रकार के श्रम के लिये मजदूरियाँ भी विभिन्न हो जाएँगी।

श्रम की पूर्ति तब घट सकती है जबकि वे कुछ समय के लिए काम करने से इनकार कर दें। ऐसा तब होता है जबकि वे श्रमिक संघों में संगठित हो जाते हैं। सेवायोजक द्वारा प्रस्तुत की गई मजदूरी को वे अस्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि सम्भव है कि यह मजदूरी उनके जीवन-स्तर की रक्षा के लिये पर्याप्त न हो। किन्तु जैसा कि हम देखेंगे, ऊँची मजदूरियाँ तब ही दी जाती हैं जबकि ऊँची सीमान्त उत्पादकता केवल ऊँची मजदूरी को उचित ठहराये। इस प्रकार, नीचे सीमान्त उत्पादकता वाले श्रमिक केवल अपने जीवन-स्तर के ही आधार पर ऊँची मजदूरी की माँग नहीं कर सकते। किन्तु दीर्घकाल में, सीमान्त उत्पादकता, मजदूरी एवं जीवन-स्तर तीनों एक-दूसरे से समायोजित हो जाते हैं।

कुल पर, यदि सम्भाव्य श्रमिकों की संख्या दो हुई है तो श्रम की पूर्ति को हम मजदूरी की प्रवृत्तियों पर, श्रम-इकाइयों की अनुसूचि के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। यह दो घटकों पर निर्भर है :—(अ) उन श्रमिकों की संख्या पर, जो कि विभिन्न मजदूरियों पर काम करने के लिये इच्छा और सामर्थ्य रखते हैं, तथा (ब) कार्यशील घटकों पर, जो कि प्रत्येक श्रमिक विभिन्न मजदूरियों पर देने को तैयार है।


यदि श्रमिकों में प्रतीक्षा-शक्ति नहीं है और कार्य का एक मात्र विकल्प भूसा रहना है, तो श्रम की पूर्ति सामान्यतः पूर्णतः वेलोच होगी। इसका अर्थ यह है कि मजदूरी गिराई जा सकती है। अल्प अवधि में मजदूरियों को कमी श्रम की पूर्ति में कोई घटल नहीं लावेगी। किन्तु यदि मजदूरियाँ बहुत नीचे गिर गई हैं, तो सेवायोजकों को पारस्परिक प्रतियोगिता इन्हें ऊँचा उठा देगी। दीर्घ अवधि में भी श्रम की पूर्ति बहुत लोचदार नहीं होती है।

जब श्रमिकों का जीवन-स्तर नीचा होता है, तो वे अल्प आय से अपनी आवश्यकताओं को मनुष्यिक करना चाहते हैं और जब उन्होंने ऐसा कर लिया हो, तो वे कार्य के बजाय अवकाश

पसन्द करते हैं। यही कारण है कि कभी-कभी मजदूरियों में वृद्धि श्रम-पूर्ति में सकुचन उत्पन्न कर देती है। यह बात इस चित्र में दिखाई गई है।


यहाँ श्रमिक कुछ समय तक मजदूरी बढ़ने पर लम्बे घण्टों तक कार्य करने को तैयार होता है। किन्तु OW से अधिक मजदूरी मिलने पर वह अपने कार्यशील घण्टे बढ़ाने के बजाय घटा देता है। तब ही तो SS वक्र पीछे की ओर झुका हो जाता है।

(३) माँग एवं पूर्ति का साम्य—वास्तविक मजदूरी का निर्धारण उस बिन्दु पर होता है जहाँ के लिए माँग इसकी पूर्ति के बराबर हो जाय।



पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत मजदूरी निर्धारण—

चित्र (A) में हमने एक उद्योग की दशा ली है। SS उद्योग के लिए ध्रम का पूर्ति वक्र है, DD माँग वक्र है और ये एक दूसरे को E बिन्दु पर काटते हैं, अतः मजदूरी = $OW = (EN)$ ।



चित्र—पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत मजदूरी-निर्धारण

चित्र (B) एक फर्म का उदाहरण प्रस्तुत करता है। फर्म को उद्योग द्वारा नियत बाजार मजदूरी OW स्वीकार करनी पड़ती है। चित्र (A) में OW स्तर से एक सीधी रेखा चित्र (B) की ओर खींची गई है और फर्म की दशा सूचित करती है। यह बड़ाई हुई रेखा WW' फर्म के सीमान्त आगम उत्पादकता वक्र (Marginal Revenue Productivity Curve, MRP) का चित्र (B) में E' पर काटती है। किन्तु इस स्तर पर औसत आगम उत्पादकता (ARP) $> MRP$ है, जो कि OW मजदूरी से अधिक है। अतः सभी फर्म (उदाहरण के लिए चुनी गई फर्म सब फर्मों की प्रतिनिधि है) इस मजदूरी स्तर पर अमाधारण लाभ कमा रही हैं। इससे उद्योग में नई फर्म प्रवेश करेंगी, ध्रम के लिए माँग बढ़ेगी और मजदूरी स्तर ऊँचा हो जायेगा। अन्ततः असाधारण लाभ दीर्घकाल में प्रतियोगिता द्वारा खत्म हो जायेगा। नया माँग वक्र D^2D^1 चित्र (A) में पूर्ति वक्र SS को F पर काटता है। इस स्थिति में मजदूरी स्तर OW^2 होगा, जो मूल मजदूरी स्तर OW से ऊँचा है। यही वह टग है। जिसमें माँग और पूर्ति के मिलन द्वारा मजदूरी का निर्धारण होता है। हम यह देखते हैं कि जब मजदूरी OW है तो फर्म E' पर साम्यावस्था में है और जब मजदूरी बढ़ कर OW^2 हो जाती है, तो साम्य-स्थिति F^2 पर है। इस बिन्दु पर औसत आगम उत्पादकता (ARP) और सीमान्त आगम उत्पादकता (MRP) बराबर हैं और औसत मजदूरी OW^2 इन दोनों के बराबर है।

यह भी हो सकता है कि असाधारण लाभ बहुत-सी फर्मों को आकर्षित कर ले। यदि ऐसा हुआ तो माँग D^2D^1 तक बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में मजदूरी स्तर OW^2 होगा। यहाँ औसत आगम उत्पादकता (ARP) मजदूरी OW^2 से कम है, अर्थात् फर्म नुकसान उठाने लगी है। परिणाम यह होगा कि कुछ फर्म उद्योग को छोड़ देंगे तथा मजदूरी स्तर OW^1 तक लौट आयेगा। जब मजदूरी OW^1 है तो फर्म F^1 पर साम्यावस्था में होगा। यहाँ $MRP = ARP = Wage$ ।

इस प्रकार, हम देखते हैं कि दीर्घकाल में, प्रतियोगी दशाओं में, मजदूरी ध्रम की सीमान्त और औसत दोनों ही उत्पादकताओं के बराबर होती है। यदि सीमान्त उत्पादकता औसत उत्पादकता से अधिक हो, तो श्रमिकों की संख्या को बढ़ाना उस समय तक लाभदायक रहेगा जब तक कि सीमान्त उत्पादकता घटते हुए औसत उत्पादकता के स्तर पर न आ जाय। इसके विपरीत, जब

सोमान्त उत्पादकता औसत उत्पादकता से कम है, तो श्रमिकों की संख्या में तब तक कमी की जानी रहेगी जब तक कि सोमान्त उत्पादकता बढ़ने हुए औसत उत्पादकता के बराबर न आ जाय। इस प्रकार सोमान्त उत्पादकता एवं औसत उत्पादकता के बराबर रहने की प्रवृत्ति होती है। चूंकि मजदूरी सोमान्त उत्पादकता के बराबर होनी है, इसलिए वह औसत उत्पादकता के बराबर भी होती है।


अपूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी का निर्धारण—

वास्तविक जगत में श्रम का बाजार अपूर्ण होता है, क्योंकि अनेक छोटे-बड़े सेवायोजक एक दूसरे से स्वतन्त्र रूप में श्रमिकों को काम पर लगाते हैं। कुछ श्रम बाजार तो ऐसे होते हैं कि सेवायोजक की मौदा करने की शक्ति अधिक होती है। यहाँ मजदूरी के निर्धारण की दशा फ़ैला-एकाधिकार के महसूस होती है। परन्तु अधिकांश आम बाजारों में एक ओर तो श्रम-संघ होते हैं जो श्रम की पूर्ति पर नियन्त्रण रखते हैं और दूसरी ओर, सेवायोजकों के संघ होने हैं, जो श्रम की माँग पर नियन्त्रण रखकर फ़ैला-एकाधिकार की दशाएँ उत्पन्न कर देते हैं। मजदूरी की दर इन दोनों संघों के द्वारा सौदेबाजी करके निश्चित की जाती है। यहाँ मजदूरी एकाधिकारी, फ़ैला-एकाधिकारी अथवा द्विदितायी एकाधिकार के आधार पर निश्चित होती है।

सेवायोजक मजदूरी पर कितना प्रभाव डाल सकता है, यह निम्न दो बातों पर निर्भर होता है—प्रथम, श्रमिकों में गतिशीलता कितनी है और दूसरे, यदि सेवायोजक एक से अधिक हैं, तो उनमें किस अंश तक प्रतियोगिता है। मजदूरी की ऊँची और नीची सीमाएँ निम्न प्रकार होंगी—यदि सेवायोजक एक ही है और श्रम की गतिशीलता शून्य है तो मजदूरी बहुत नीची होगी, इतनी नीची कि श्रमिक केवल भ्रष्टा मरने के स्थान पर रोजगार में लगे रहना ही पसन्द करे। इसके विपरीत, यदि सेवायोजकों में प्रतियोगिता है और श्रम की गतिशीलता का अज ऊँचा है, तो मजदूरी प्रतियोगी स्तर तक पहुँच जायेगी। वास्तव में मजदूरी इन दो सीमाओं के बीच में कहीं निश्चित होगी और उसका स्थान विभिन्न शक्तियों के तुलनात्मक बल पर निर्भर होगा।

यदि श्रम बाजार की अपूर्णता इस कारण है कि सेवायोजक संघ और श्रम-संघ सौदेबाजी करते हैं, तो मजदूरी इस सौदेबाजी के द्वारा ही निश्चित की जायेगी। सेवायोजक माधारणतया नीचे से नीची मजदूरी देने का प्रयत्न करेगा और श्रम-संघ ऊँची से ऊँची मजदूरी प्राप्त करना चाहेगा। मजदूरी का वास्तविक स्तर इस बात पर निर्भर होगा कि इन दोनों की तुलनात्मक सौदा करने की शक्ति किस प्रकार है। यदि सेवायोजक अधिक शक्तिशाली है, तो मजदूरी नीची रहेगी और यदि श्रम-संघ अधिक शक्तिशाली है, तो मजदूरी ऊँची हो जायेगी।

निम्न चित्र में अपूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत मजदूरी का निर्धारण दिखाया गया है। मजदूरी सोमान्त आगम उपज (Marginal Revenue Product) से नीची ही रहती है। इसका कारण यह है कि अपूर्ण प्रतियोगिता में किमी फर्म को श्रम की पूर्ति रेखा ऊपर को उठाना हुई रेखा होती है, जो यह दिखाती है कि फर्म श्रम को अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकती है। यही कारण है कि सोमान्त व्यय और सोमान्त आगम उपज की समानता ऊँचे स्तर पर ही प्राप्त होती है।



चित्र - श्रम का शोषण


चित्र में OQ कार्य में लगाए हुए श्रमिकों की संख्या को दिखाता है और प्रति श्रमिक मजदूरी

की दर WO है। सेवायोजक R बिन्दु पर श्रमिकों की काम पर लगाने से रोक देगा, क्योंकि इन बिन्दु पर श्रमिक पर सीमान्त ध्यय सीमान्त-आगम-उपज के बराबर है। परन्तु यहाँ पर औसत मजदूरी W बिन्दु पर है, जिससे यह पता चलता है कि प्रति श्रमिक-शोषण RW है। यह निश्चित है कि जब मजदूरी सीमान्त आगम उपज से कम होगी, तो श्रमिक का शोषण होगा। [सीमान्त आगम उपज से हमारा अभिप्राय श्रमिक की सीमान्त उत्पादकता की सीमा से है।]

अपूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी के निर्धारण की सही स्थिति मजदूरी की औसत और सीमान्त दरों तथा श्रम की औसत और सीमान्त आगम उपज (ARP and MRP) के सन्दर्भ में दिखाई जा सकती है। वास्तविकता यह है कि जब श्रम का बाजार अपूर्ण होता है, तो औसत और सीमान्त मजदूरी की रेखाएँ एक ही नहीं होती हैं। अतः साम्य की स्थिति वह होती है जिसमें औसत मजदूरी, औसत आगम, उपज तथा सीमान्त मजदूरी सीमान्त आगम उपज के बराबर होती है, जैसा कि आगामी चित्र में दिखाया गया है।

चित्र में AW और MW जमा. औसत और सीमान्त मजदूरी रेखाएँ हैं और ARP तथा MRP औसत और सीमान्त आगम उपज रेखाएँ।

जब श्रमिकों की संख्या MO है, तो औसत मजदूरी और औसत आगम उपज दोनों PM होते हैं और सीमान्त मजदूरी तथा सीमान्त आगम उपज दोनों QM के बराबर होते हैं। साम्य तथा में श्रम की औसत उपज अधिकतम से कम है। इस दशा में PM ही साम्य मजदूरी दर है। यह मजदूरी दर दिखाती है कि यद्यपि सीमान्त श्रमिक की उपज में देन QM है तथापि उसकी मजदूरी केवल PM है। QM तथा PM का अन्तर श्रमिक के शोषण को दिखाते हैं जो अपूर्ण प्रतियोगिता में स्वाभाविक है।



केन्ज का रोजगार-मिद्धान मजदूरी के इस माँग और पूर्ति के मिद्धान्तों को सन्देहपूर्ण बना देता है। केन्ज का सिद्धान्त यह स्पष्ट करता है कि श्रम की माँग एक अज्ञ तक आय के स्तर पर निर्भर होती है और आय-स्तर एक अज्ञ तक रोजगार पर निर्भर है और उपरोक्त सिद्धान्त में भी रोजगार का निर्धारण श्रम की माँग और पूर्ति सिद्धान्त के आधार पर स्वीकार किया गया है। ऐसी दशा में, मजदूरी निर्धारण का उन विभिन्न परिवर्तनशीलताओं से, जो कि रोजगार और आय के स्तर निश्चित करती हैं, प्रयत्न नहीं किया जा सकता है।¹

क्या मजदूरी की कोई सामान्य दर हो सकती है ?

यह प्रश्न भी मद्देनपूर्ण है कि क्या मजदूरी की कोई सामान्य दर सम्भव है ? सैद्धान्तिक दृष्टि से ऐसा सम्भव है। यदि पूर्ण स्वर्था की दशाएँ हैं, सेवायोजक तथा श्रमिकों के बीच पूर्ण प्रतियोगिता है और श्रम की व्यावसायिक एवं प्रादेशिक गतिशीलता भी पूर्ण है, तो सभी स्थानों तथा व्यवस्थाओं के एक ही प्रकार के काम के लिए मजदूरी की दर भी एक-सी होती है। परन्तु वास्तविक जीवन में न तो प्रतियोगिता ही पूर्ण है और न प्रवैशिक और व्यावसायिक गतिशीलता ही। इसका परिणाम यह होता है कि मजदूरी की सामान्य दर का विचार एक सैद्धान्तिक विचार मात्र ही रह जाता है। अपूर्ण प्रतियोगिता का प्रभाव यह होता है कि एक ही स्थान तथा एक ही व्यवसाय में मजदूरी की दरें अलग-अलग बनी रहती हैं और गतिशीलता के अभाव के कारण

¹ Ellis : Survey of Contemporary Economics.

विभिन्न व्यवसायों तथा विभिन्न स्थानों में मजदूरी की दरों के अन्तर बने रहते हैं। वास्तव में मजदूरी के निर्धारण की समस्या अपूर्ण प्रतियोगिता में धर्म के मूल्य निर्धारण की समस्या है।

विभिन्न व्यवसायों में मजदूरी की दरों के अन्तर के कारण—

सभी व्यवसायों में धर्मिक को समान मजदूरी नहीं मिलनी है। कुछ उद्योगों और व्यवसायों में दसों की तुलना में मजदूरी ऊँची रहती है और कुछ में नीची। मजदूरी की ऐसी विभिन्नता के प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं :—

(१) धर्म की उत्पादन-शक्ति का अन्तर—सभी व्यवसायों में धर्म की उत्पादन शक्ति समान नहीं होती है। संगठन की कुशलता, कार्य की दशाएँ आदि अनेक कारणों से विभिन्न व्यवसायों में धर्म की उत्पादन-शक्ति अलग-अलग रहती है। जिन व्यवसायों में धर्म की उत्पादन-शक्ति अधिक होती है वहाँ मजदूरी की दर भी ऊँची रहती है।

(२) प्रशिक्षण व्यय का अन्तर—सभी व्यवसायों में काम सीखने का व्यय समान नहीं होता। स्वभाव से ही कुछ उद्योगों में काम सीखने का व्यय अधिक रहता है। ऐसे व्यवसायों में धर्म की पूर्ण बहुधा सीमित ही रहती है और मजदूरी की दर ऊँची रहती है।

(३) धर्म की गतिशीलता का अभाव—एक व्यवसाय से दूसरे की धर्म की गतिशीलता स्वतन्त्र नहीं होती है। बहुधा एक धर्मिक एक प्रकार के काम को छोड़कर दूसरे में जाना कम ही पसन्द करता है, अतः विभिन्न व्यवसायों में मजदूरी का अलग-अलग दर बनो रहती है।

(४) कार्य की प्रकृति—कार्य स्थायी हो सकता है अथवा अस्थायी। वह सामयिक (Seasonal) भी हो सकता है। यह निश्चिन्त है कि अस्थायी और सामयिक उद्योगों में धर्मिक अधिक मजदूरी पर अनुरोध करेंगे, क्योंकि उन्हें अधिक दिनों तक धैर्य सहना पड़ेगा।

(५) जोखिम का अंश और उत्तरदायित्व—कुछ उद्योग खतरनाक होते हैं। इसी प्रकार, कुछ उद्योगों या कार्यों में उत्तरदायित्व अधिक रहता है। जिन उद्योगों में जोखिम अथवा उत्तरदायित्व अधिक होता है, उनमें मजदूरी की दर भी बहुधा ऊँची ही रहती है।

(६) व्यवसाय की समाज में प्रतिष्ठा—मजदूरी की दर इस बात पर भी निर्भर होती है कि समाज व्यवसाय को किस दृष्टि से देखता है। सम्मानित व्यवसाय में मजदूरी की दर बहुधा ऊँची रहती है।

एक ही व्यवसाय में मजदूरी की भिन्नता के कारण—

मजदूरी में विभिन्न व्यवसायों के बीच तो अन्तर होते ही हैं, परन्तु एक ही व्यवसायों में भी अलग-अलग धर्मिकों की मजदूरी में अन्तर हो सकते हैं। इस भिन्नता के मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं :—(i) कुछ धर्मिक दूसरों की तुलना में अधिक कुशल होते हैं। कुशल धर्मिक को अधिक कुशल धर्मिक से अधिक मजदूरी मिलना स्वाभाविक ही है। (ii) स्थायी और अस्थायी एवं निपुण तथा अनिपुण धर्मिकों के लिये मजदूरी की दरें अलग-अलग होती हैं। (iii) पुराने तथा लम्बे काल से कार्य करने वाले धर्मिकों को साधारणतया ऊँची मजदूरी दी जाती है। (iv) कुछ धर्मिक अधिक समय (Overtime) कार्य करके दूसरों से अधिक मजदूरी पा सकते हैं। (v) कभी-कभी स्वयं सेवायोजक भी विभिन्न धर्मिकों के बीच भेद-भाव कर सकता है। (vi) धर्मिकों की गतिशीलता की कमी के कारण भी मजदूरी की दरों में अन्तर हो सकते हैं।

स्त्रियों की मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम क्यों होती है ?

पूँजीवादी देशों में यह एक सामान्य अनुभव है कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की मजदूरी की दरें नीची रहती हैं। इसके अनेक कारण बताए जाते हैं। प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं :—

(१) कहा जाता है कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की शारीरिक और मानसिक शक्ति तथा कार्यक्षमता कम होती है। इससे उनकी उत्पादन शक्ति कम होती है और उन्हें मजदूरी भी कम प्राप्त होती है। इस तर्क के सम्बन्ध में हम केवल इतना कह सकते हैं कि यह कौरा भ्रम है कि स्त्रियों में काम करने अथवा शारीरिक एवं मानसिक परिश्रम करने की शक्ति कम होती है, क्योंकि वैज्ञानिक अनुभव इस बात की पट्टि नहीं करता।

(२) अधिकांश दशाओं में स्त्रियाँ किसी कार्य को स्थायी रूप में ग्रहण नहीं करती हैं। वे कुछ समय तक ही काम करना पसन्द करती हैं। साथी से भी अधिक स्त्रियाँ विवाह के पश्चात् काम छोड़ देती हैं। अस्थायी भ्रम सदा ही कम मजदूरी पाता है। संवायोजक भी ऐसा अनुभव करता है कि स्त्रियों के प्रतिक्षण आदि पर ध्यान करना लाभदायक नहीं है, क्योंकि कार्य सीखने के बाद भी यह आवश्यक नहीं है कि वे काम करें ही।

(३) स्त्रियों के लिए व्यवसाय भी गिने-चुने होते हैं। ये कार्य साधारणतया अनिपुण होते हैं और इनमें मजदूरी की दर नीची ही रहती है। इसके अतिरिक्त व्यवसायों के सीमित रहने के कारण ऐसे भ्रम की मांग भी सीमित रहनी है।

(४) अधिकांश स्त्रियाँ साधारणतया अपनी नौकरी को आय में कुछ छोटी वृद्धि कर लेने अथवा प्रोत्साहित करने का साधन समझती हैं और इस विषय में बहुत चिन्तित नहीं रहती हैं कि उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है ?

(५) पुरुषों की भाँति स्त्री भ्रम का संगठन कम होता है। स्त्री भ्रम-ग्रस्त बहुत कम हैं, इसलिए मजदूरी नीची रहती है।

(६) स्त्रियों पर अनेक सामाजिक प्रतिबन्ध हैं। बहुत से काम उनके लिए वर्जित होते हैं। रात के काम पर उनको नहीं रखा जाता है। उन्हें अपेक्षित छुट्टी और दूसरी सुविधाएँ भी अधिक दी जाती हैं, इसलिए मजदूरी कम रहती है।

उक्त सभी कारणों से स्त्रियों की मजदूरी कम रहती है परन्तु अब धीरे-धीरे यह स्थिति बदलती जा रही है। पश्चिम के देशों में स्त्री भ्रम संघ शक्तिशाली होने जा रहे हैं। धीरे-धीरे सामाजिक प्रतिबन्ध भी दूर हो रहे हैं। आर्थिक परिस्थितियों में कुछ इस प्रकार के परिवर्तन होते जा रहे हैं कि स्त्रियों की स्थायी रोजगार की आवश्यकता पटने लगी है। परिणाम यह हुआ है कि धीरे-धीरे स्त्रियों की मजदूरी भी बढ़ रही है। समाजवादी देशों में तो स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाता है। इन देशों का यह अनुभव है कि किसी काम में स्त्रियाँ पुरुषों से पीछे नहीं हैं; बस भी यह समझना भूल ही गईं कि सभी उद्योगों और व्यवसायों में स्त्रियों की पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है। कुछ व्यवसाय (जैसे सूनी वस्त्र उद्योग) स्वभाव से ही ऐसे हैं कि स्त्रियों के लिए अधिक उपयुक्त हैं और वहाँ स्त्रियों की पुरुषों से कहीं अधिक मजदूरी मिलती है।

परीक्षा प्रश्न :

१. मजदूरी के सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त का विश्लेषण करिए। क्या यह कहना सही है कि पुरुष प्रतिघण्टा के अन्तर्गत मजदूरी भ्रम की सीमान्त एवं औसत दोनों ही प्रकार की उत्पादकता के बराबर होती है ?
२. असल और नाममात्र मजदूरी के भेद को स्पष्ट कीजिए। वास्तविक मजदूरी को निर्धारित करने वाली बातें कौन-कौन-सी हैं ?
३. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ कीजिए :—
मजदूरी का लोह नियम।
४. निम्नलिखित तथ्य कहाँ तक सही हैं ?
(क) समय मजदूरी, कार्य मात्रा मजदूरी (Piece wages) से अच्छी है।
(ख) न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना बर्तन है।



श्रम समस्याएँ (Labour Problems)

श्रमिक-संघ (Trade Unions)

श्रम-संघों की परिभाषा एवं आवश्यकता—

श्रम-संघों की आवश्यकता मुख्यतः इस कारण पड़ती है कि व्यक्तिगत रूप में किसी भी श्रमिक की सौदा करने की शक्ति बहुत कम होती है। श्रमिक की तुलना में सेवायोजक की सौदा करने की शक्ति बहुत अधिक होती है, क्योंकि एक ओर तो उत्पत्ति के साधनों और रोजगार पर उसका नियन्त्रण रहता है और दूसरी ओर, सेवायोजकों की संख्या सीमित रहने के कारण उनमें पारस्परिक सहयोग अधिक अंश तक हो सकता है। मार्शल ने ठीक ही कहा है कि, "हमें याद रखना चाहिए कि जो व्यक्ति दूसरे एक हजार व्यक्तियों को काम पर लगाता है वह स्वयं ही श्रम-साजगर में सरोदारों की एक हजार इकाइयों का ठोस संघ होता है।"¹ इसके विपरीत, श्रमिक के सामने यह समस्या रहती है कि या तो वह कार्य करे और या भूखा मरे। यही कारण है कि श्रमिक को कम मजदूरी मिलनी है। कम मजदूरी के कारण श्रमिक की कार्यक्षमता घट जाती है और आगे चलकर कार्यक्षमता को कभी सेवायोजक के लिए कम मजदूरी देने का एक महत्वपूर्ण तर्क बन जाती है। अब औद्योगिक विकास की प्रगति के साथ ही साथ श्रमिकों ने यह अनुभव किया कि यदि श्रम-संघों द्वारा वे अपने सौदा करने की शक्ति को नही बढ़ावेंगे, तो उनका शोषण होता रहेगा।

आज के औद्योगिक जगत में श्रम-संघ ऐसी संस्थाएँ हैं जो श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए लड़ने का कार्य करती हैं। उद्देश्य यह होता है कि समुचित मजदूरी, कार्य की अच्छी दशाएँ और उद्योग के नियन्त्रण में हिस्सा प्राप्त किया जाय। इसके अतिरिक्त ये श्रम संघ आपसी चर्चे से ऐसे कोषों का भी निर्माण करते हैं जिनसे मददगारों को बीमारों, दुर्घटना तथा सामाजिक बहमाण हेतु सहायता दी जा सके। श्रम-संघ की एक बड़ी सरल परिभाषा वेब्स (Webbs) ने दी है। उनके अनुसार, "श्रम-संघ श्रमिकों का रोजगार की दशाओं को बनाये रखने तथा सुधारने के लिए एक तमागार संघ है।"²

¹ "For, it must be remembered that a man who employs a thousand others is in himself an absolutely rigid combination to the extent of one thousand units among buyers in the labour market" —Marshall.

² "A trade union is a continuous association of wage-earners for the purpose of maintaining or improving the conditions of their employment" —Sydney and Beatrice Webb : *History of British Trade Union Movement*.

श्रम-संघों के कार्य—

श्रम-संघों के कार्यों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं :—(I) लड़ाई के काम (Fighting or militant functions), (II) प्रतिनिधित्व कार्य (Representative functions) और (III) कल्याण कार्य (Welfare functions) ।

(I) लड़ाई के कार्य—श्रम-संघों के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य श्रमिकों के हितों की रक्षा करना होता है, इसलिए इन संघों को मालिकों से बराबर टकरा लेनी पड़ती है, ताकि श्रमिकों के लिए अच्छी मजदूरी और अच्छी दशाएँ प्राप्त की जा सकें। आधुनिक औद्योगिक जगत में श्रमिकों एवं मिल-मालिकों के बीच बराबर संघर्ष चलता रहता है, जब कभी भी श्रमिकों के साथ किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार किया जाता है, तो श्रम-संघ श्रमिकों की ओर से सड़ता है। संगठित श्रम सामूहिक रूप में मालिक का मुकाबला करता है।

श्रम संघों का निर्माण सामूहिक सौदा करने के आधार पर किया जाता है। श्रम-संघ लड़ने की अनेक रीतियाँ अपनाता है। सामूहिक रूप में मिल-मालिक से अनुचित कार्यवाही के लिए उत्तर माँगा जाता है, वैधानिक कार्यवाही की जाती है और, यदि अन्य उपाय सफल नहीं होते हैं, तो सामूहिक रूप में काम बन्द कर देने की धमकी दी जाती है। श्रम-संघों का सबसे बड़ा हथियार हड़ताल है; जिसमें श्रमिक मिलकर सामूहिक रूप में काम बन्द कर देते हैं। हड़ताल के साथ-साथ बंदूक धारण (Picketing) भी की जाती है, ताकि श्रम-संघ का आदेश न मानने वाले श्रमिकों को कार्य पर जाने से रोक दिया जाय। हड़ताल साधारणतया शान्तिमय रीति से की जाती है, परन्तु कुछ दशाओं में यह हिंसात्मक भी हो सकती है, जिसमें मिल-मालिक और उसके पिट्टुओं पर आक्रमण किया जाता है और कुछ दशाओं में मशीनों की तोड़-फोड़ भी की जाती है। आजकल हड़ताल का एक अति उग्र रूप 'धरान' प्रचलित होता जा रहा है, जिसकी भारतीय नेताओं ने तीव्र निन्दा की है। हड़तालों के भी अनेक रूप हो सकते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में अलग-अलग प्रकार की हड़तालों की जाती हैं।

(II) प्रतिनिधित्व कार्य—श्रम-संघ श्रमिकों के प्रतिनिधि का भी कार्य करते हैं। जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है, श्रमिकों की ओर से मालिक से सभा प्रकार की बात-चीत श्रम-संघ के अधिकारी करते हैं। श्रम-संघ ही श्रमिकों की ओर से उन मुकद्दमों की पंरबी करता है जो औद्योगिक न्यायालयों में चलते हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न समितियों और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संघ सम्मेलन (International Labour Conference) में भी श्रमिकों की ओर से श्रम-संघ ही प्रतिनिधि भेजते हैं।

(III) कल्याणकारी कार्य—इन कार्यों का विकास थोड़े ही काल से हुआ है और भारत जैसे पिछड़े हुए देशों में इनका अभी तक भी कम ही महत्त्व है। इन कार्यों में उन सबको सम्मिलित किया जाता है जो श्रम-संघ श्रमिकों के सामाजिक, जायिक, मानसिक, शारीरिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए करते हैं। इन कार्यों में वृद्धावस्था उत्था-वेतन की व्यवस्था से लेकर श्रमिकों के लिए व्यायाम आदि का प्रबन्ध करना तक सम्मिलित होना है। इन प्रकार के प्रमुख कार्यों का वर्णन निम्न प्रकार किया जा सकता है.—स्कूलों, प्रयोगशालाओं, व्यायामशालाओं, नाटकगृहों, वाचनालयों, पुस्तकालयों आदि का प्रबन्ध करना, श्रमिकों का बीमारी, बेरोजगारी और दुर्घटनाओं के विरुद्ध बीमा करना और सभी प्रकार के कल्याण को उत्थान करना ।

श्रम-संघों का मजदूरी पर प्रभाव—

यह प्रश्न विवादग्रस्त है कि क्या श्रम-संघ स्थायी रूप से मजदूरी में वृद्धि करा सकते हैं। श्रम-संघों के नेताओं का विचार है कि श्रम-संघ ऐसा सदा ही करा सकते हैं और विगत वर्षों में मजदूरियों के बढ़ने का प्रमुख कारण भी यही है।

इसने विपरीत, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का कथन है कि मजदूरी तो श्रम की सीमान्त उत्पादकता द्वारा निर्धारित होती है। यदि श्रम-संघ सीमान्त उपज की कीमत से अधिक मजदूरी श्रमिकों को दिलाने में, तो इससे उत्पादक को घाटा होगा और वह इस घाटे को श्रम की माँग घटाकर पूरा करने का प्रयत्न करेगा। इससे मजदूरियाँ अपने आप नीचे गिरेंगी और बेरोजगारी भी फैलेगी। यदि श्रमिकों की उनकी सीमान्त उपज की कीमत से कम मजदूरी दी जाती है तो यह स्थिति भी लम्बे काल तक बनी न रह सकेगी। उत्पादक के लिए श्रमिकों को अधिक संख्या में काम पर लगाकर कुल लाभ को बढ़ाने की सम्भावना रहेगी। इस प्रकार मजदूरी सीमान्त उपज की कीमत के बराबर रहेगी, उससे न तो कम रह सकती है और न अधिक। इस प्रकार, उनका कहना था कि श्रम-संघ मजदूरी के सम्बन्ध में कोई भी स्थायी सुधार नहीं कर सकते हैं।

उपरोक्त तर्क में सत्यता प्रतीत होती है, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। यह तर्क इस मान्यता पर आधारित है कि पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, जिस कारण श्रमिकों को अपनी सीमान्त उपज की कुल कीमत प्राप्त कर लेने में कठिनाई नहीं होती है। वास्तविक जीवन में तो अपूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है और श्रमिकों को उनकी सीमान्त उपज की पूर्ण कीमत नहीं मिल पाती है। सत्य यह है कि निम्नलिखित तीन कारणों से श्रम-संघ मजदूरी में वृद्धि करा सकते हैं :—

(१) यह सिद्धान्त ही गलत है कि मजदूरी सीमान्त उपज की कीमत के बराबर होती है। मजदूरी श्रमिक और मिल-मालिक को पारस्परिक सौदा करने की शक्ति पर निर्भर होती है और श्रम-संघ श्रमिकों को सौदा करने की शक्ति को बढ़ा कर मजदूरी को बढ़ा सकते हैं। (२) यदि मान भी लिया जाय कि मजदूरी सीमान्त उपज की कीमत के बराबर है, तो भी, अपूर्ण प्रतियोगिता के कारण, श्रमिक सीमान्त उपज की कुल कीमत प्राप्त करने में असमर्थ रहता है। श्रम-संघ श्रमिक को उनकी सीमान्त उपज की कुल कीमत दिलाने का प्रयत्न करते हैं और उसके मिल-मालिक द्वारा किए जाने वाले शोषण को घटा कर मजदूरी को बढ़ा देते हैं। वे मजदूरी को सीमान्त उत्पादकता स्तर तक पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं। (३) यह समझना भी भूल होंगे कि श्रम-संघों का श्रमिकों की सीमान्त उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्रम-संघों के कार्यों में अनेक प्रकार के कल्याणकारी कार्य सम्मिलित हैं। अच्छी मजदूरी, अच्छी कार्य की दशाएँ और कल्याणकारी कार्यों द्वारा श्रम-संघ श्रमिकों की कार्यक्षमता को बढ़ा कर उनकी सीमान्त उत्पादकता को भी बढ़ा देते हैं। इस प्रकार सीमान्त उत्पादकता की वृद्धि स्वयं मजदूरी को बढ़ा देगी। इसके अतिरिक्त, किसी विशेष प्रकार के श्रम की पूर्णता को सीमित करने भी श्रम-संघ उसकी सीमान्त उत्पादकता बढ़ा सकता है।

श्रम-संघों के लाभ और हानियाँ—

निस्सन्देह श्रम-संघों ने श्रमिकों के लिए अनेक हितकारी कार्य किये हैं। श्रम सम्बन्धी मामलों में आधुनिक युग में जो भी प्रगति हुई है उसका भी सबसे महत्वपूर्ण कारण श्रम-संघ आन्दोलन की प्रगति है। श्रम-संघों के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं :—(१) शक्तिशाली श्रम-सङ्गठन औद्योगिक शक्ति में सहायक होता है। सामूहिक रूप में जो शर्तें तय की जाती हैं, उनको श्रमिकों और मिल-मालिकों दोनों ही के द्वारा अधिक ज़ोर तक माना जाता है, जिससे झगड़े की सम्भावना कम होती है। (२) श्रम-सङ्घ मजदूरी के मान निर्दिष्ट करते हैं, जिस कारण अकुशल और शक्तिहीन उत्पादक बाजार से निकल जाते हैं। (३) श्रम-सङ्घ अपने कल्याणकारी कार्यों द्वारा श्रमिकों की कार्य-शुशलता को बढ़ाकर श्रमिक और समाज दोनों को ही लाभ पहुँचाते हैं। (४) श्रम-सङ्घ श्रमिकों में पारस्परिक प्रेम सम्भावना और मिल-जुल कर काम करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करते हैं। (५) श्रम-सङ्घों ने मजदूरी को बढ़ाकर मशीनों के आविष्कार को प्रोत्साहित किया है और इस प्रकार औद्योगिक और शैलिक उन्नति को आगे बढ़ाया है।

इन लाभों के साथ-साथ श्रम-सङ्घ आन्दोलन की कुछ दोषपूर्ण प्रवृत्तियाँ भी दृष्टिगोचर हुई हैं। बहुत बार श्रम-संघ अनुत्तरदायित्व से काम करके श्रमिक और समाज दोनों का अनहित करते हैं। श्रम-संघों के प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं :—(१) मजदूरी की प्रमाणित दरों पर अनुरोध करके इस आन्दोलन में केवल उच्च श्रेणी के श्रमिकों की ही मजदूरी में समानता उत्पन्न की है किन्तु निम्न श्रेणी के श्रमिक घाटे में रहे हैं। (२) श्रम-संघों ने संयुक्तिकरण और वैज्ञानिक प्रबन्ध का विरोध करके सॉलिपक प्रगति में बाधा डाली है। (३) श्रम-संघ बहुत धीरे-धीरे काम करने की गलाह देते हैं। इनका अन्त में स्वयं श्रमिकों पर ही बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे राष्ट्रीय स्थाभास और रोजगार में कमी आ जाती है। (४) बहुत बार श्रम-संघ अपनी शक्ति का प्रभुत्व दिखाने के लिए अकारण हड़तालें कराते हैं। इससे स्वयं श्रमिकों, उत्पादकों और अन्त में सारे समाज को हानि होती है। (५) बहुत बार कुछ प्रकार के श्रम की पूर्ति को सीमित करके संघों द्वारा श्रम की कृत्रिम कमी उत्पन्न करने का भी प्रयत्न किया जाता है।

न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wages)

न्यूनतम मजदूरी की आवश्यकता—

आजकल ससार में यह लगभग सभी स्वीकार करते हैं कि श्रमिकों को उचित मजदूरी साधारणतया नहीं मिल पाती है। कुछ व्यवसायों तथा कुछ क्षेत्रों में श्रम की पूर्ति बहुत अधिक होने के कारण मजदूरी के अधिक नीचे गिर जाने की सम्भावना रहती है। इस नीची मजदूरी के अनेक दुष्परिणाम होते हैं। इससे देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक जीवन की शान्ति भङ्ग हो जाती है और औद्योगिक विवाद बढ जाते हैं। इन कारणों से स्वयं देश की सरकार का जीवन सङ्कट में पड सकता है।

इन सब बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार बहुत बार कुछ व्यवसायों में या देश के भीतर सभी व्यवसायों में न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर देती है। इस प्रकार, निर्धारित मजदूरी का देना कानूनी तौर पर अनिवार्य होता है, परन्तु निश्चित की हुई मजदूरी से अधिक मजदूरी देना पर किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है। उदाहरण के लिए, अधिकांश राज्यों में कॉलियों के अध्यापकों का आरम्भिक वेतन सरकार द्वारा निश्चित है। इसी प्रकार, बहुत बार निजी उद्योगों में भी कम से कम मजदूरी किसी लोक सत्ता द्वारा निश्चित की जा सकती है।

न्यूनतम मजदूरी की समस्या के दो रूप—

न्यूनतम मजदूरी की समस्या के दो अलग-अलग रूप ही मन्ते हैं :—प्रथम, जबकि उस प्रकार की मजदूरी किसी विशेष उद्योग अथवा विशेष उद्योगों के लिए निश्चित की जाती है और दूसरे, जबकि सारे देश के लिए एक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर दी जाती है। इन दोनों नीतियों के अलग-अलग परिणाम होते हैं। स्वयं उस दशा में भी, जबकि केवल उद्योग विशेष में न्यूनतम मजदूरी निश्चित की जाती है, अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग ही परिणाम होते हैं।

(अ) विशेष उद्योगों में ही न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के प्रभाव—न्यूनतम मजदूरी के निश्चित करने का उद्देश्य यह होता है कि मजदूरी की दरें प्रतिযোগी दरों (Competitive Rates) से ऊँची रखी जायें। ऐसी दशा में दो प्रभाव होंगे—या तो ऊँची मजदूरी का सारा भार सेवायोजकों के ऊपर पड़े और या उसका कुछ भार तो सेवायोजक पर पड़े और (यदि उत्पादक वस्तु की कीमत बढाकर बोझ को उपभोक्ताओं पर टाल सके तो) कुछ उपभोक्ताओं पर। यदि भार उत्पादक पर पडता है, तो उत्पादक के लाभ कम हो जायेंगे और वह श्रम की माँग को घटाने का

प्रयत्न करेगा। इसके विपरीत, यदि वस्तु की ऊँची कीमत के रूप में ऊँची मजदूरी का भार उपभोक्ताओं पर पड़ता है, तो वस्तु की माँग घटेगी और अन्त में स्वयं श्रम की भी माँग घटेगी। दोनों ही दशाओं में बेरोजगारी की सम्भावना बढ जायगी और अन्त में श्रमिकों का लाभ के स्थान पर उसटी हानि हो सकती है। उत्पादक के लाभों के घटने का एक परिणाम यह भी हो सकता है कि उद्योग विशेष में पूँजी कम अंश तक आकर्षित हो और इससे उद्योग विशेष की प्रगति में अवश्य बाधा पड़ेगी। साथ ही, ऊँची मजदूरी के फलस्वरूप श्रमिकों के स्थान पर मशीनों का अधिक उपयोग होने की सम्भावना बढ़ेगी और इन दोनों कारणों से भी बेरोजगारी बढ़ेगा। यही कारण है कि न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण बहुधा बेरोजगारी को प्रोत्साहन देता है, किन्तु निम्न दशाओं में न्यूनतम मजदूरी बेरोजगारी को नहीं बढ़ायेगी :—

(१) यदि मजदूरी कुल उत्पादन व्यय का एक छोटा सा ही भाग है, तो उत्पादक कीमतों में थोड़ा सी ही वृद्धि करके अपनी हानि को पूरा कर सकता है। ऐसी दशा में श्रमिकों की माँग में कोई विशेष कमी न होगी।

(२) यदि वस्तु विशेष की माँग लगभग बेलोव है और उत्पादक को एकाधिकार प्राप्त है, तो भी बेरोजगारी के बढ़ने की सम्भावना कम रहेगी।

(३) यदि न्यूनतम मजदूरी प्रतिभोगी स्तर से नीचे है, तो रोजगार को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा तथा मजदूरी के ओर ऊपर उठने की सम्भावना उत्पन्न हो जायगी।

(४) यदि उन उद्योगों में, जहाँ न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई है, असाधारण लाभ थे, तो न्यूनतम मजदूरी निश्चित कर देने से लाभ घटकर सामान्य स्तर पर आ जायेंगे। ऐसी दशा में रोजगार के घटने की सम्भावना बहुत ही कम होगी।

(ब) देश भर के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारण के प्रभाव—अब हम उस स्थिति का अध्ययन करेंगे जिसमें कि देश भर के लिए एक न्यूनतम राष्ट्रीय मजदूरी निश्चित कर दी जाती है। देश के भीतर किसी भी उद्योग में इस प्रकार निर्धारित मजदूरी से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती है। ऐसी न्यूनतम मजदूरी के परिणाम अधिक गम्भीर होते हैं, मुख्यतया उस दशा में जबकि मजदूरी को प्रतिभोगी स्तर के ऊपर निश्चित किया जाय :—

(१) ऐसी दशा में एक उद्योग से श्रमिकों के दूसरे उद्योग में चले जाने का तो प्रश्न ही समाप्त हो जाता है।

(२) सरकार न्यूनतम राष्ट्रीय मजदूरी निश्चित करते समय बहुधा इस बात को भी ध्यान में रखती है कि मजदूरी के फलस्वरूप देश में सामान्य कीमत-स्तर ऊँचा न उठ जाय। इस कारण न्यूनतम मजदूरी की कीमतों की प्रत्येक वृद्धि के साथ बढा दिया जाता है।

(३) ऐसी दशा में, यदि एक श्रमिक को किसी एक उद्योग में हटा दिया जाता है, तो उसे दूसरे उद्योग में रोजगार नहीं मिलता। एक श्रमिक एक बार बेरोजगार होने के पश्चात् उस समय तक बेरोजगार ही बना रहेगा जब तक कि वह अपनी कार्यक्षमता को नहीं बढ़ा लेगा।

(४) हम दशा में उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमतें बढ़ा कर ऊँची मजदूरी के भार को उपभोक्ताओं पर भी टाला जा सकता है, क्योंकि कीमतों की प्रत्येक वृद्धि से मजदूरी भी बढ़ जायगी।

(५) साथ ही लाभों को पुराने स्तर पर बनाये रखना सम्भव न हो सकेगा और श्रमिकों के स्थान पर मशीनों के उपयोग की सम्भावना बढ जायगी। परिणाम यह होगा कि ध्वारसायिक क्रियाओं का संकचन होगा और चारों ओर बेरोजगारी फैलेगी।

(६) इसके अतिरिक्त, पूँजी का संचय और विनियोग भी हतोत्साहित होगा।

(७) साथ ही, बेरोजगार लोगों को सरकारी कोषों में से सहायता दी जायगी। इससे करारोपण में वृद्धि होगी तथा उद्योग और व्यवसायों पर करो का भार अधिक हो जायगा। इसके कारण बेरोजगारी और भी बढ़ेगी।

उपरोक्त कारणों से ऐसी नीति समुचित विचार के पश्चात् ही अपनाई जाती है। न्यूनतम् राष्ट्रीय मजदूरी के दोषों को देखकर ऐसा समझ लेना भूल होगी कि यह नीति सदा ही बुरी होती है। कुछ दशाओं में यह बहुत लाभदायक हो सकती है, विशेषतया निम्न दशाओं में:— (i) जिन उद्योगों में बहुत अधिक पूँजा लगी है और विशिष्ट यन्त्रों का उपयोग होता है, वहाँ उत्पादक लाचार होता है और ऊँची मजदूरी अपने लाभ कम करके चुकाता है। ऐसे उद्योगों में न्यूनतम् मजदूरी निर्धारण के फलस्वरूप बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी। (ii) यह सम्भावना सदा ही रहती है कि श्रमिक अपनी बड़ी हुई मजदूरी को इस प्रकार व्यय करें कि उनकी कार्यक्षमता बढ़ जाय। इससे उनकी सीमान्त उत्पादनता बढ़ेगी और वे स्वयं ही ऊँची मजदूरी के अधिकारी हो जायेंगे। ऐसी दशा में न तो उत्पादक के लाभ ही कम होंगे और न बेरोजगारी ही बढ़ेगी। (iii) यह सम्भव है कि उत्पादक श्रमिकों को अनुचित रूप में कम मजदूरी दे रहा हो। ऐसी दशा में न्यूनतम् मजदूरी न्यायशील होगी। (iv) जिन देशों में सरकार वृत्तिहीनता के निवारण की व्यवस्था करती है वहाँ श्रमिकों के कष्ट उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता। वहाँ तो ऐसी मजदूरी केवल सामाजिक और आर्थिक न्याय का साधन होती है।

न्यूनतम् मजदूरी के निश्चय का औचित्य—

न्यूनतम् मजदूरी का निश्चय करना कई दृष्टिकोणों से उपयुक्त होता है:—(i) इससे श्रमिकों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाकर उनकी कार्य-क्षमता बढ़ाई जा सकती है। (ii) इससे मिल-मालिकों द्वारा श्रमिकों का अनुचित और अन्यायपूर्ण शोषण रोका जा सकता है। (iii) यह नीति अकुशल उत्पादकों को, जो न्यूनतम् मजदूरी नहीं दे सकते हैं, बाजार से निकाल देगी। (iv) इससे औद्योगिक प्रवन्ध का मान ऊँचा उठेगा।

न्यूनतम् मजदूरी के लाभ—

आधुनिक युग में न्यूनतम् मजदूरी निश्चित करने की प्रथा बहुत बढ गई है। आर्थिक न्यायशीलता के आधार पर इसे अच्छा बनाया जाता है। इस अवस्था के प्रमुख लाभ निम्न प्रकार हैं:—(१) श्रमिकों का जीवन-स्तर निश्चित हो जाता है। मजदूरी की नीची से नीची सीमा के निर्धारित हो जाने के कारण जीवन-स्तर की भी न्यूनतम् सीमा निश्चित हो जाती है। (२) साधारणतया मजदूरी बढ जाती है, जिसके कारण कार्यकुशलता अपने आप ही बढ जाती है। (३) अकुशल उत्पादक, जो केवल श्रमिकों के शोषण पर ही जीवित रहते हैं, धीरे-धीरे बाजार से लुप्त हो जाते हैं। (४) राष्ट्र की आर्थिक कुशलता की दृष्टि से यह अच्छा ही होता है। (५) मजदूर सम्बुद्ध रहता है, जिससे औद्योगिक विवाद कम हो जाते हैं और काम भी अधिक अच्छा होता है।

न्यूनतम् मजदूरी की हानियाँ—

न्यूनतम् मजदूरी निश्चित करने से निम्न हानियाँ भी हैं:—(१) जब कुछ ही व्यवसायों में न्यूनतम् मजदूरी निश्चित की जाती है तो उत्पत्ति के साधनों का दूसरे व्यवसायों से उन व्यवसायों को हस्तान्तरण होने लगता है और बेरोजगारी के बढ़ने का भी भय उत्पन्न हो जाता है, इसलिए केवल ऐसे ही उद्योगों में न्यूनतम् मजदूरी ठीक रहेगी, जिनमें वर्तमान मजदूरी बहुत नीची है। (२) न्यूनतम् मजदूरी अधिकतम् मजदूरी बनने की प्रवृत्ति रखती है। सेवायोजक निश्चित से कम मजदूरी तो दे ही नहीं सकता, परन्तु वह इससे अधिक भी यथासम्भव नहीं देगा। इसका अन्त में

श्रमिकों की कार्यकुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। (३) व्यावहारिक जीवन में न्यूनतम मजदूरी को दर को निश्चित करना भी कठिन होता है। यदि प्रतियोगी दरी से ऊँची दर रखी जाती है, तो बेरोजगारी फैलने का भय रहता है और यदि दर कम रखी जाती है, तो वह व्यर्थ होती है। (४) न्यूनतम मजदूरी को दर को लामू करना कठिन होता है। जिन क्षेत्रों और व्यवसायों में श्रम की पूर्ति अधिक होती है वहाँ मालिक के लिए न्यूनतम मजदूरी केवल कागज पर ही रहती है। वार्षिक जीवन में इससे बचने के लिए मिल-मालिक कम वेतन देकर अधिक पर हस्ताक्षर करा लेते हैं।

ऊँची मजदूरी की मितव्ययिता (The Economy of High Wages)

बहुत बार मिल-मालिकों की ओर से यह तर्क रखा जाता है कि ऊँची मजदूरी से उद्योग को हानि होती है और मजदूरों में शिथिलता आ जाती है। कुछ दशाओं में इच्छे श्रमिकों में मंद-हाज़िर होने की भी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। किन्तु इन आधारों पर श्रमिकों को कम मजदूरी देना उचित नहीं हो सकता है। हम ध्यान रखना चाहिये कि कुछ मजदूर पूँजी की तुलना में अधिक कुशल होते हैं और दृष्टि से अधिक मजदूरी पाते हैं, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं होना कि वे मिल-मालिक को महँगे पड़ते हैं। इस बात का पता लगाने के लिये कि कोई मजदूर महँगा है या सस्ता, हमें श्रमिक की कार्य-कुशलता पर भी ध्यान देना चाहिए। यदि एक मजदूर एक निश्चित समय में दूसरे से दुगुना काम करता है किन्तु केवल उध गुनी मजदूरी पाता है, तो उसकी मजदूरी अधिक होने हुए भी वह सस्ता होता है। इसके विपरीत, यदि आधा मजदूरी पाने वाला श्रमिक केवल एक-तिहाई काम करता है, तो नीची मजदूरी होने हुए भी वह महँगा रहना है। यही कारण है कि बहुधा यह कहा जाता है कि भारतीय श्रमिक कम मजदूरी पाते हुए भी महँगे हैं। साधारणतया अधिक मजदूरी पाने वाले श्रमिक कम मजदूरी पाने वाले श्रमिक से सस्ता पड़ता है।

इसके साथ-साथ, ऊँची मजदूरी की समस्या पर एक अन्य दृष्टि से भी विचार हो सकता है। ऊँची मजदूरी पाने वाले श्रमिक का जीवन-स्तर भी ऊँचा रहता है, जिससे उसकी कार्यकुशलता अधिक होती है और वह अधिक काम करने लगता है। श्रमिक की काम करने की शक्ति, उसका स्वास्थ्य और उसका मानसिक विकास, ये सब भी बढ़े अतः तक श्रमिक की मजदूरी पर निर्भर होते हैं। यही नहीं, बल्कि यह भी देखने में आता है कि अधिक मजदूरी पाने वाला श्रमिक अधिक सन्तुष्ट रहता है, अधिक लगन के साथ काम करता है और अपने उत्तरदायित्व को अधिक अच्छी भाँति समझता है। ऊँची मजदूरी की दशा में मालिक और श्रमिक के बीच आपसी मन-मुटाव की भी कम सम्भावना रहती है। इसी सब कारणों से यह कहा जाता है कि ऊँची मजदूरी पाने वाला श्रमिक साधारणतया महँगा नहीं होता।

औद्योगिक विवाद

(Industrial Disputes)

समाज में पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली का विकास औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात् हुआ। इस प्रणाली के विकास ने समाज को दो ऐसे वर्गों में विभाजित कर दिया जिनमें से प्रत्येक के हित एक-दूसरे के प्रतिविरोधी बने हुए हैं। समाज में एक ओर तो पूँजीपति रहे, जिनका उत्पत्ति के साधनों और पूँजी द्वारा रोजगार पर पूरा-पूरा अधिकार स्थापित हुआ। दूसरी ओर, श्रमिक है, जिनके पास पूँजी के अभाव के कारण उत्पत्ति के साधन नहीं हैं और जिन्हें अपनी जीविका चलाने के लिए अपने श्रम को बेचना पड़ता है। पूँजीपतियों का हित इसी में है कि श्रमिकों को कम से कम मजदूरी दें और अधिक से अधिक लाभ कमायें। इसके विपरीत, श्रमिकों का हित इस बात में

यह कहावन ठीक ही है कि रोक-थाम उपाय से अच्छी है। इसी आधार पर कुछ उपाय ऐसे किए जाते हैं कि भगड़े न होने पाएँ। ये उपाय निम्नलिखित हैं :—

(१) कार्य-समितियाँ (Works Committees)—इस प्रकार की समितियों के निर्माण का महत्त्व सर्वप्रथम इंग्लैण्ड में अनुभव किया गया था। इनकी सहायता से व्यवसाय के निबन्धन में श्रमिकों का सहयोग प्राप्त किया जाता है। इंग्लैण्ड में ऐसी समितियों का निर्माण सन् १९८७ को व्हीटले समिति (Whitley Committee) की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। ऐसी समितियाँ प्रत्येक फर्म में अलग-अलग बनाई जाती हैं तथा इनमें श्रमिकों और सेवकों के समान प्रतिनिधि रहते हैं। कभी-कभी कार्य-समितियों में केवल श्रमिकों के प्रतिनिधि रहते हैं। यद्यपि उन्हें प्रबन्ध के साथ बातचीत कराने का अधिकार होता है। मण्डल आधार पर भी ऐसी समितियाँ बनाई जाती हैं, जिनमें मिल-मालिकों और श्रम-समूहों के प्रतिनिधि रहते हैं।

ऐसी समितियाँ उद्योग में शान्ति और सहयोग स्थापित करने का प्रयत्न करती हैं। जैसा ही कोई तिकायत उत्पन्न होती है, वैसे ही कार्य-समिति श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के दृष्टिकोणों को सुनती है और तुरन्त ही मामले को निबटाने का प्रयत्न करती है। पारस्परिक बातचीत से ही अधिकांश मामले सुलभ जाते हैं। इसके अनिश्चित, श्रमिकों और प्रबन्धकों का सम्पर्क बना रहने के कारण भी मन-मुटाव की सम्भावना घट जाती है।

(२) लाभ-बाँट योजना (Profit-sharing Scheme)—औद्योगिक विवादों को रोकने के लिए यह उपाय भी बहुधा किया जाता है। इसमें श्रमिकों को उद्योग के लाभों में से हिस्सा दिया जाता है। भारत में इस योजना के अन्तर्गत कुछ उद्योगों में अतिरिक्त लाभों का ५०% कुछ निश्चित नियमों के आधार पर श्रमिकों में बाँट दिया जाता है। इस योजना के द्वारा श्रमिक उद्योगों की सम्पन्नता में रुचि लेने लगते हैं। वे जानते हैं कि यदि लाभ बढ़ता है, तो उनके हिस्से में भी वृद्धि होगी। फलतः कितने ही आवश्यक भण्डों पैदा ही नहीं हो पाते हैं।

(३) श्रमिकों की साझेदारी (Labour Co-partnership)—यह प्रणाली लाभ-बाँट योजना का ही एक विस्तृत रूप है। लाभ-बाँट योजना में श्रमिकों को व्यवसाय के प्रबन्ध में हिस्सा नहीं दिया जाता है, परन्तु इस प्रणाली में श्रमिकों के प्रबन्ध में भी कुछ अंश तक हिस्सा लेते हैं। इसके लिए या तो श्रमिकों को फर्म के अंश खरीदने का प्रोत्साहन दिया जाता है अथवा उन्हें प्रबन्ध-मण्डल में संलग्न करने का अधिकार दिया जाता है। आधार यह है कि श्रमिकों ऐसा अनुभव करने लगे कि व्यवसाय उनका अपना ही है। इससे औद्योगिक विवादों के लिए कम ही अवकाश रह जाता है।

औद्योगिक भगड़ों को निबटाने की रीतियाँ—

उपरोक्त अध्ययन में हमने उन उपायों को देखा था जिनके द्वारा भगड़ों को रोक जा सकता है, परन्तु कोई भी उपाय पूर्णतया सफल नहीं होता है। भगड़े तो होते रहते हैं। भगड़ा हो जाने की दशा में उसके निबटाने की आवश्यकता पड़ती है। साधारणतया इसके लिए चार संस्थाएँ होती हैं :—

(1) समझौता समितियाँ—यह एक प्रकार की ऐसी औद्योगिक रीति है, जिसमें एक तीसरा पक्ष किसी दवाव का उपयोग बिना श्रमिकों और मिल-मालिकों को समझाकर आपसी समझौता कराने का प्रयत्न करता है। समझौता कराने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि उसे दोनों ही पक्षों का विश्वास प्राप्त हो। ऐसे व्यक्ति का प्रमुख कार्य दोनों पक्षों के दृष्टिकोणों के अन्तर को कम करना होता है। वह केवल गलाह देना है, निर्णय नहीं देता। परन्तु उसको गलाह बहुधा ऐसी होती है कि उसे न मानने वाला पक्ष अन्त में परजिताव करता है। इस प्रणाली का

सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि दोनों पक्ष स्वयं ही भागड़े के कारणों और पारस्परिक मन-मुटाब को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। समझौता कराने वाला अधिकारी भागड़े की सूचना मिलते ही तुरन्त पहुँचता है और दोनों को समझा-बुझा कर मामले को निबटाने की चेष्टा करता है।

(II) मध्यस्थ-कार्य—समझौता और मध्यस्थ कार्य में थोड़ा-सा अन्तर होता है। दोनों में एक तीसरा व्यक्ति भागड़े को आपसी बातचीत द्वारा निबटाने का प्रयत्न करता है। मध्यस्थ को हम एक त्रिस्वयंसेवक सलाहकार कह सकते हैं। उसका उद्देश्य यह होता है कि अपने प्रयत्न से दोनों दलों को मिलाये और आपसी बातों में मामले को तय करे। परन्तु एक मध्यस्थ अपनी ओर से सुझाव रख सकता है और इस दिशा में वह समझौता कराने वाले से थोड़ा भिन्न होता है यद्यपि उनके सुझावों को मानना अनिवार्य नहीं होता है।

(III) पक्ष-निर्णय—पक्ष-निर्णय एक प्रकार की कानूनी कार्यवाही है। इसमें दोनों दल मामले को पक्ष-निर्णय पर छोड़ देते हैं और बहुधा पंचों के फैसले के अनुसार काम करते हैं। पक्ष-निर्णय के कई रूप हो सकते हैं। कुछ दशाओं में भागड़े को पक्ष-निर्णय के लिए छोड़ना आवश्यक होता है और कुछ में नहीं। इसी प्रकार, कभी-कभी तो निर्णय का स्वीकार करना अनिवार्य होता है और कभी-कभी ऐच्छिक। जब मामले को पक्ष-निर्णय के लिए देना तथा फैसले का मानना दोनों अनिवार्य होते हैं, तो पक्ष-निर्णय “अनिवार्य-पक्ष निर्णय” (Compulsory Arbitration) कहलाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पक्ष-निर्णय में सदा ही निर्णय दिया जाता है।

(IV) औद्योगिक न्यायालय—आधुनिक युग में औद्योगिक भागड़ों के निबटारे के लिए लगभग सभी देशों में औद्योगिक न्यायालय खोले जाते हैं। इन न्यायालयों के फैसलों को मानना अनिवार्य होता है और ये बहुधा साधारण न्यायालयों की भाँति कार्य करते हैं।

परीक्षा प्रश्न :

१. सरकार कुछ चुने हुए उद्योगों में अथवा राष्ट्रीय आधार पर, न्यूनतम वेतन तथा महंगाई भत्ता किन सिद्धान्तों के आधार पर निर्धारित कर सकती है? सिद्धान्तों तथा उनके दोषों की व्याख्या कीजिए।
२. श्रम-संघों के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। श्रम-संघ किन दशाओं में भूति में वृद्धि करा सकते हैं?
३. “श्रम के सम्बन्ध में माँग और पूर्ति की सामान्य शक्तियाँ सदैव स्वतन्त्रतापूर्वक काम नहीं कर पाती”—स्पष्ट तथा समझाइये तथा मजदूरी निर्धारित करने में श्रम-संघ आन्दोलन के प्रभाव को विवेचना कीजिए।

व्याज और इसके सिद्धान्त

(Interest and the Theories of Interest)

प्रारम्भिक—

उत्पत्ति का तीसरा साधन पूँजी है। इस अध्याय में हम साधन के पारिपोषण तथा उसके सम्बन्धित समस्याओं और सिद्धान्तों का अध्ययन करेंगे।

व्याज की परिभाषा

साधारणतः कुल उत्पत्ति में से उत्पत्ति के साधन “पूँजी” को जो हिस्सा मिलता है उसे हम अर्थशास्त्र में “व्याज” कहते हैं। परन्तु व्याज शब्द का अर्थ यथार्थ में इतना सरल नहीं है जितना कि प्रतीत होता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इस शब्द को कई अर्थों में उपयोग किया है, यद्यपि इन सब अर्थों में, जैसा कि इनके अध्ययन के पश्चात् स्पष्ट हो जाएगा, बार्द मौलिक भेद नहीं है। कुछ विद्वान इस शब्द को थोड़े विस्तृत अर्थ में उपयोग करते हैं और कुछ मकुचित अर्थ में। आसय लगभग एक सा ही रहता है। ठीक यही बात हम व्याज के विभिन्न सिद्धान्तों के विषय में भी कह सकते हैं। इन सब में विभिन्नता के साथ-साथ एक प्रकार की समानता है और व्याज का आधुनिक सिद्धान्त इतना व्यापक है कि पुराने सभी सिद्धान्त उसके भीतर समा जाते हैं।

व्याज का अर्थशास्त्रीय अर्थ—

अर्थशास्त्र में व्याज उस धन या कीमत को कहते हैं, जो पूँजी का उपयोग करने के लिए दी जाती है, स्मरण रहे कि पूँजी का उपयोग उत्पादक होता है, अर्थात् जब हम पूँजी को उत्पादन के कार्य में उपयोग करने हैं, तो प्राप्त होने वाली कुल उपज उस दया की अपेक्षा अधिक होती है, जबकि बिना पूँजी की सहायता के ही उत्पत्ति की जाती है। इस प्रकार पूँजी का उपयोग उत्पत्ति को बढ़ाता है। पूँजी की सेवाओं के उपयोग के लिए, जो पारितोषण मिलता है वही व्याज कहलाना है।

(१) प्रो० मेयरस के अनुसार, “व्याज उस कीमत को कहते हैं, जो उधार देने योग्य योषो के प्रयोग के लिए दी जाती है।”¹ इस प्रकार का कोष या तो उपभोग की वस्तुयें खरीदने के लिए प्रयोग किया जा सकता है या उत्पादन-कार्य के लिए पूँजी के रूप में। यहाँ हमारा सम्बन्ध दूसरी श्रेणियों के प्रयोग से ही है, यद्यपि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि पहले प्रयोग का दूसरे पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

द्वय के रूप में पूँजी की भाँव इस कारण की जाती है कि वह अपने स्वामी को उत्पत्ति के साधनों को खरीदने की शक्ति प्रदान करती है। इस शक्ति को या तो हम लगान और मजदूरी देने के लिए उपयोग करके उत्पत्ति के मूल साधन भूमि और श्रम को खरीदने के नाम में ला सकते हैं

¹ “Interest is the price paid for the use of the loanable funds.”

—Albert L. Meyers : *Elements of Modern Economics*, p 199

या इसके द्वारा माध्यम वस्तुओं (Inter-mediate goods), जैसे—बच्चा माल, आधा तैयार माल, मकान और मशीन जिनमें भूमि और श्रम की भूतकालीन सेवाएँ समाविष्ट हैं, खरीद सकते हैं। इनो प्रकार की वस्तुओं को हम पूँजी की वस्तुएँ कहते हैं।

(२) विक्सल का विचार है कि पूँजी में प्राकृतिक शक्तियों (भूमि) और प्रत्यक्ष मानव श्रम के अतिरिक्त उत्पत्ति के सभी सहायक (साधन) सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार, पूँजी में बीमार, मशीनें, मवेशी, बच्चा तथा आधा तैयार माल तथा वे नव वस्तुएँ और सेवाएँ सम्मिलित होंगी हैं, जो काम के अन्तर्गत श्रमिकों का पोषण करने के लिए आवश्यक होती हैं।¹ ऐसी सभी प्रकार की पूँजी की सेवाओं के उपयोग के लिए जो पारितोषण अथवा पारिश्रमिक दिया जाता है यह व्याज कहलाता है।

(३) प्रो० सैलिंगमैन के अनुसार 'व्याज पूँजी कोप वा पारितोषण है।'²

(४) प्रो० कारवर के अनुसार, "व्याज वह आय है जो पूँजी के स्वामी को प्राप्त होती है।"³

(५) केरनशाम के अनुसार, "व्याज पूँजी को किराये पर लेने की कीमत है। अधिक्त संक्षेप में, यह ऋण की कीमत है। यह कीमत साधारणतया ऋण के मूलधन पर गणना की गई एक वार्षिक दर के रूप में व्यक्त की जाती है।"⁴

सकल और शुद्ध व्याज (Gross and Net Interest)

जब कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य से रुपया उधार लेता है, तो वह धा यह तय किया जाता है कि मूलधन के अतिरिक्त उधार लेने वाला उधार देने वाले को कुछ और अधिक राशि देगा। उदाहरणस्वरूप, यदि हम डाकघराने से एक सौ रुपये के राष्ट्रीय बचत पत्र (National Saving Certificate) खरीदते हैं, तो १० वर्ष के पश्चात् हम १७५ रुपये मिलने हैं अर्थात् ७५ रुपये अधिक मिलने हैं। यही ७५ रुपये व्याज कहलाते हैं। साधारण बोल-चाल में व्याज का यही अर्थ होता है, परन्तु इस प्रकार व्याज की विवेचना करने में पता चलेगा कि यह व्याज आर्थिक अर्थ में व्याज नहीं हो सकता। इस प्रकार के व्याज को हम अर्थशास्त्र में "सकल" या "कुल" (Gross) व्याज कहते हैं, जबकि वास्तविक व्याज "शुद्ध" अथवा 'आर्थिक (Net, Pure of Economic) व्याज कहलाता है।

सकल व्याज के अङ्ग—

शुद्ध व्याज सकल व्याज का ही एक अङ्ग होता है, परन्तु सकल व्याज में और भी वृद्धि से तथ्य (मुख्यतया निम्न) सम्मिलित होते हैं जो कि निम्न प्रकार हैं—

(१) पूँजी की सेवाओं के उपयोग का पारितोषण या प्रतिकूल (अर्थात् शुद्ध व्याज)—जैसा कि पहले बताया जा चुका है, पूँजी का उपयोग करने से उत्पत्ति में वृद्धि होती है और इस वृद्धि हुई उत्पत्ति में से पूँजी के स्वामी को हिस्सा मिलता है।

¹ Knut Wicksell *Lectures on Political Economy*, p 144-145.

² "Interest is the return from the fund of Capital."—Seligman

³ "Interest is the income which goes to the owner of Capital"

—Cerver *Principles of Political Economy*, p. 418.

⁴ "Interest is the price paid for the hire of loan. More briefly, it is the price of loan. This price is usually expressed as an annual rate calculated on the principal of the loan"—Cairncross : *Introduction to Economics*, p. 338.

(२) जोखिम का प्रतिफल (Insurance against risk)—जो मनुष्य रुपया उधार देता है उसे थोड़ा डर अवश्य रहता है । सम्भव है कि उधार लेने वाला दिवालिया हो जाये अथवा अन्य किसी कारण से रुपया डूब जाये । यह भी सम्भव है कि उधार लेने वाले व्यवसायी को बाटा हो और वह समय पर पूरा रुपया न दे सके । हो सकता है कि ऋणदाता अपना मूलधन भी खो वंटे । अतः जोखिम के अनुसार कुछ रुपया क्षति-पूर्ति के रूप में लिया जाता है, जो सकल व्याज में सम्मिलित हो जाता है । यही कारण है कि जब सरकार अथवा किसी अच्छे व्यवसायी को रुपया उधार दिया जाता है, तो व्याज कम लिया जाता है, परन्तु जब सटोरियों को उधार दिया जाता है, तो जोखिम के अधिक होने के कारण व्याज की दर भी ऊँची होती है । ऋण के बदले में जेवर, मकान, इत्यादि रखने की प्रथा भी इसी कारण है ।

(३) ऋण प्राप्ति की अनुविधा—ऋण का रुपया वापस मिलने में अनेक अनुविधाएँ होती हैं । ऋणी समय पर रुपया नहीं देता, बार-बार तमाशा करता पटता है थोड़ा-थोड़ा रुपया मिलता है, कभी-कभी कचहरी में मुकद्दमा चलाकर रुपया चमूत किया जाता है । इन कठिनाइयों के उठाने के बदले में भी ऋणदाताओं को कुछ न कुछ अवश्य मिलना चाहिए ।

(४) ऋणदाता की मजदूरी तथा ऋण की व्यवस्था का व्यय—ऋण का हिसाब रखा जाता है, ऋण पत्र लिखा जाता है, व्याज तथा ऋणी द्वारा जमा की हुई राशियों का हिसाब-किताब किया जाता है । नोटिस आदि देने पड़ते हैं, रसीदें दी जाती हैं तथा कचहरियों में जाना पड़ता है । ये काम या तो ऋणदाता स्वयं करता है या इसके लिए वह वेतन भोगी मुनीम रखता है । दोनों ही दशाओं में मजदूरी के रूप में ऋणदाता को कुछ मिलना आवश्यक है और यह सारा व्यय ऋणी से व्याज के रूप में लिया जाता है ।

सकल और शुद्ध व्याज में अन्तर—

सकल और शुद्ध व्याज के अन्तर को स्पष्ट करने के लिए नीचे हम कुछ अर्थशास्त्रियों के मत प्रस्तुत करते हैं :—

(१) चैपमैन के अनुसार, सरल व्याज में निम्न को सम्मिलित किया जाता है :— “पूँजी के ऋण के लिए भुगतान ... , हानि की जोखिम के लिए भुगतान, जो कि (क) व्यक्तिगत जोखिम अथवा (ख) व्यावसायिक जोखिम हो सकती है विनियोग को अनुविधाओं के लिए भुगतान और विनियोग को देख-भाल करने के कामों और चिन्ता के लिए भुगतान ।” इसके विपरीत “शुद्ध व्याज वह भुगतान है जो पूँजी के ऋण के लिए दिया जाता है, जबकि न तो कोई जोखिम होती है, बचत करने का अनुविधा के अतिरिक्त कोई अन्य अनुविधा उठानी पड़ती है तथा ऋणदाता को कोई परिश्रम भी नहीं करना पड़ता । इस प्रकार के भुगतान को शुद्ध अथवा आरिथ्मिक व्याज कहते हैं ।”¹

(२) मार्शल ने कहा है कि अर्थशास्त्र में हम निम्न व्याज का अध्ययन करते हैं अथवा जब हम यह कहते हैं कि व्याज केवल पूँजी का पारिस्थिक अथवा प्रतीक्षा का पारिस्थिक है तो वह

1 “.....payment for the loan of capital payment to cover risks of loss, which may be : (a) personal risks or (b) business risks, payment for the work and worry involved in watching the investment.”—Chapman : *Outline of Political Economy*, p. 279.

2 “Net Interest is a payment for the loan of Capital, when no risk, no inconvenience (apart from that involved in saving) and no work is entailed on the lender.”—*Ibid*, pp. 289-290.

सुद्ध व्याज होता है। परन्तु साधारणतया जिसे व्याज कहा जाता है उसमें ऐसे व्याज के अतिरिक्त और बहुत से तत्त्व सम्मिलित होने हैं। इसे हम सकल व्याज कह सकते हैं।¹

व्याज लेने का औचित्य (The Justification for Interest)

व्याज लेने की निन्दा—

यह विषय आरम्भ में ही विवादग्रस्त रहा है कि क्या व्याज का लेना उचित है। लगभग सभी धर्मों में व्याज की निन्दा की गई है। इस्लाम धर्म में शरियत के अनुसार व्याज लेना एक धार्मिक पाप है। यहूदी या ईसाई धर्म भी इसके पक्ष में नहीं हैं। हिन्दू धर्म यद्यपि व्याज लेना पाप तो नहीं बताता, परन्तु मनुस्मृति के अनुसार यह वाछनीय नहीं है और व्याज का न लेना ही अधिक अच्छा है।

पुराने यूनानी लेखकों में अफलातून और अरस्तु दोनों ने ही बड़े शब्दों में इसकी निन्दा की है। अरस्तु का कहना है कि द्रव्य पूणतया अनुत्पादक है और इसलिए वह द्रव्य को उत्पन्न नहीं कर सकता। अतः जो लोग व्याज लेते हैं वे दूसरों की कमाई को छीनकर उनका शोषण करते हैं। व्याज लेने को अनुचित समझने का विचार एक अशक्य अभी भी प्रचलित है। परन्तु वर्तमान युग में इसका विरोध करने वालों की संख्या कम रह गई है और मानव समाज ने व्याज लेने की प्रथा को लगभग स्वीकार ही कर लिया है। वैज्ञानिक प्रथा तथा औद्योगिक विरासत के साथ-साथ व्याज की वाछनीयता बढ़ती गई है।

व्याज के औचित्य का सम्बन्ध ऋण-उद्देश्य से—

अब हमें यह देखना है कि प्राचीन लेखकों ने व्याज की निन्दा क्यों की है? इसे ठीक प्रकार से समझने के लिए दो प्रकार के ऋणों में भेद करना आवश्यक है—एक तो उपभोक्ता द्वारा लिया हुआ ऋण और दूसरा उत्पादक द्वारा लिया हुआ ऋण। पहले की हम उपभोक्ता ऋण और दूसरे को 'उत्पादन ऋण' कह सकते हैं। अन्य शब्दों में, उधार लेने के दो उद्देश्य ही सकते हैं—प्रथम, वह मनुष्य, जिसके पास अपनी और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय नहीं है या जिसे अचानक कुछ ऐसी आवश्यकताएँ आ पड़नी हैं जिनके लिए उसने पहले ही प्रवृत्ति नहीं कर रखा है, उधार ले सकता है। स्पष्ट है कि यह उधार उपयोग के लिये लिया जायगा। दूसरे, यह भी सम्भव है कि ऋण की रकम किसी व्यापार अथवा व्यवसाय में लगा दी जाय, जिससे अधिक उत्पत्ति होकर आय में वृद्धि हो। निश्चय ही यहाँ पर ऋण की राशि पूँजी के रूप में उपयोग की जा रही है और इस उपयोग द्वारा आय में वृद्धि हो जायेगी।

प्राचीन काल में ऋण बहुधा उपभोग के लिए उपयोग किया जाता था और ऐसी आवश्यकता के समय लिया जाता था जबकि किसी कारणवश उधार लेने वाला अपनी स्वयं की कमाई से अपना काम नहीं चला सकता था। उदाहरणस्वरूप यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था या किसी देवी आपत्ति के कारण अकस्मात् ही निधन हो जाता था, तो वह अपने पत्नीसियों अथवा सम्बन्धियों से सहायता के रूप में ऋण लेता था और धीरे-धीरे इसे अपनी भविष्य की कमाई में गे चुकाने का प्रयत्न करता था। निश्चय ही ऐसी दशा में व्याज का माँगना अन्याय था और एक प्रकार से एक

¹ "The interest of which we speak (in Economics) when we say that interest is the earning of capital simply, or the reward of waiting simply is 'Net Interest', but what commonly passes by the name of interest includes elements beside this and may be called Gross Interest."

दुली भाई की विवशता में लाभ उठाना था। यही कारण है कि ब्याज लेने वालों की निन्दा की जाती थी। थम और भूमि ही प्राचीन काल में उत्पत्ति के मुख्य साधन थे। पूँजी के उपयोग की प्रथा नहीं के बराबर थी और ऋण की राशि को उत्पादन कार्य में लगाकर लाभ उठाने का प्रयत्न ही नहीं उठता था।

परन्तु धीरे-धीरे उत्पादन में पूँजी का महत्त्व बढ़ता गया और ऋण का उत्पादक उपयोग होने लगा। औद्योगिक क्रान्ति ने तो मसार की काया पलट ही कर दी। मशीनों का उपयोग पूँजी के बिना सम्भव नहीं है। ऋण को पूँजी के रूप में उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जाने लगी और ऋण के उपयोग से ऋण लेने वाले को लाभ होने लगा। वास्तव में आधुनिक युग में अधिकतर ऋण उत्पादन के हेतु लिए जाते हैं। उनके उपयोग के फलस्वरूप उत्पत्ति और लाभ में वृद्धि होती है। ये ऋण एक दुर्गी भाई की सहायता के रूप में नहीं होते, बरन् आय का साधन होते हैं। अतः ब्याज के विरुद्ध पुराने आशेष वर्तमान युग में सराहनीय हो जाने है। यदि ऋणदाता उस बड़ी हुई उत्पत्ति में से, जो ऋणी को ऋण के उपयोग के फलस्वरूप प्राप्त हुई है, हिस्सा मगि, तो इसे अनुचित नहीं कहा जा सकता है। यही कारण है कि आजकल ब्याज लेना न केवल उचित ही समझा जाता है, बरन् आधुनिक आर्थिक प्रणाली का एक अनिवार्य तथा आवश्यक अङ्ग माना जाता है।

ब्याज की बाढ़नीयता ऋण के उत्पादक उपयोग से ही सम्बन्धित है। दूसरों के हथको को उत्पादन कार्य में लगाकर लाभ उठाना आधुनिक व्यवसाय की प्रतीक शाखा में पाया जाता है। उन्मोग सम्बन्धी ऋणों का विशेष महत्त्व नहीं रह गया है और दोनों प्रकार के ऋणों में भेद करना भी बहुधा सम्भव नहीं होता है।

ब्याज के सिद्धान्त (The Theories of Interest)

ब्याज का विचार बहुत पुराने समय से चला आता है, परन्तु ब्याज के सिद्धान्तों का इतिहास अधिक पुराना नहीं है। एडम स्मिथ तथा रिकार्डों के समय तक भी ब्याज का कोई निश्चय सिद्धान्त नहीं बन पाया था। उपरोक्त दोनों विद्वानों ने ब्याज और लाभ में कोई भेद नहीं किया और दोनों की सामूहिक रूप में विवेचना (जो अधूरी ही थी) करने का प्रयत्न किया। पुराने लेखकों ने ब्याज और उसके सिद्धान्तों के अध्ययन को एक तुच्छ तथा घृणित विषय समझ कर छोड़ दिया था।

(I) सीनियर का ब्याज का त्याग-सिद्धान्त

ऐतिहासिक दृष्टि से सीनियर (Senior) का ब्याज का सिद्धान्त सबसे पुराना है। यह सिद्धान्त ब्याज के निग्रह अथवा त्याग सिद्धान्त (Abstinence Theory of Interest) के नाम से प्रसिद्ध है। सीनियर का कथन है कि ब्याज पूँजी का पारितोषण है, परन्तु देखना है कि पूँजी किस प्रकार उपलब्ध होती है।

पूँजी का सचय बचत द्वारा होता है। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, पूँजी बचत का वह भाग है जो भविष्य में उत्पादन कार्य में लगाया जाता है। बिना बचत के पूँजी नहीं मिल सकती और बचत करना कोई सरल कार्य नहीं है। किसी मनुष्य को जो आय प्राप्त होती है उससे वह अपनी आवश्यकताएँ पूरी करना चाहता है। किन्तु बचत करने के लिए यह आवश्यक है कि आय के भाग को आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यय न किया जाय। इस प्रकार, बचत करने वाले को अपनी आवश्यकताओं पर व्यय को रम करने के लिए बाध्य होता पड़ता है। अन्य शब्दों में, बचत करने के लिए उन्मोग का त्याग करना पड़ता है, जो दुःखदायी होता है। यही कारण है कि प्रत्येक बचत करने वाला बचत करने के लिए उसी समय तैयार होता है जबकि उसे किसी न किसी लाभ की आशा हो।

इस प्रकार, ब्याज वह पारितोषण है जो बचत करने वाले को उस त्याग के बदले के रूप में मिलता है जो उसने अपनी आय का उपभोग न करके किया है।

आलोचना—

सीनियर के सिद्धान्त की अनेक आलोचनाएँ की गई हैं :—(i) कहा जाता है कि बचत करना सदा दुःखदायी नहीं होता। इममें ता कोई सन्देह नहीं है कि निर्धन वर्ग को बचत करने में असुविधा होती है, पर इमें त्याग' कहना उचित न होगा। (ii) इसके विपरीत, बहुत से धनी लोग बिना किसी असुविधा का बचत कर सकते हैं। (iii) कुछ लोगों की आय तो इतनी अधिक हो सकती है कि वे बिना बचत किय रह ही नहीं सकते हैं। उनको बचत करने की अपेक्षा उपभोग करना अधिक दुःखदायी प्रतीत होता है।

(II) मार्शल का प्रतीक्षा सिद्धान्त

ब्याज क्या है ?

मार्शल का विचार है कि 'त्याग' शब्द का उपयोग ठीक नहीं है। उन्होंने प्रतीक्षा शब्द का उपयोग करने की सिफारिश की है। बचत करने में त्याग करना आवश्यक नहीं है, परन्तु प्रतीक्षा करना आवश्यक है। आय के जिस भाग की बचत की जाती है उसके विषय में यह कहना भूल होमी कि उसका उपभोग नहीं किया जाता। वास्तव में पूँजी का भी उपभोग होता है, परन्तु कुछ समय पश्चात्। इस प्रकार, बचत में हम वर्तमान उपभोग के स्थान में भविष्य में उपभोग करना स्वीकार करना पड़ता है। हमारे शब्दों में, आय के जिस भाग की बचत की जाती है उसके उपभोग की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। प्रतीक्षा करना भी कोई सरल कार्य नहीं है। अधिकतर मनुष्य प्रतीक्षा करना नहीं चाहते हैं। उनमें ऐसा करने के लिए किसी प्रलोभन की आवश्यकता पड़ती है और ब्याज ही वह प्रलोभन है।¹ इस प्रकार, ब्याज प्रतीक्षा (Waiting) का पारितोषण है और ब्याज को दर का इतना होना आवश्यक है कि जिससे यथेष्ट पूँजी प्राप्त होने योग्य बचत हो सके।

ब्याज क्यों दिया जाता है ?

मार्शल का विचार है कि प्रतीक्षा को उत्पत्ति का एक पृथक् माध्यम कहा जा सकता है। आधुनिक उत्पत्ति प्रणाली में सभी ओर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। एक निम्न खेत का जोतना है, बीज और खाद इत्यादि का उपयोग करना है, परन्तु फल के लिए फसल के तैयार होने के समय तक प्रतीक्षा करता है। ठीक इसी प्रकार, एक निर्माणकर्ता भी उद्योग को चालू करने ही लाभ नहीं उठा सकता, क्योंकि उपज के तैयार होने तथा विक्रय में समय लगता है। जितनी ही उत्पत्ति की रीति अधिक परोक्ष होती है उतनी ही प्रतीक्षा की समस्या अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें सन्देह नहीं है कि कुछ लोग प्रलोभन के बिना भी बचत कर सकते हैं और माय ही कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो बचत करने के लिए उठ्टा अपनी गाँठ स देने के लिए तैयार हो जायें। परन्तु इस प्रकार की बचत में पूँजी का समस्त माग पूर्ण नहीं हो सकती, इसलिए, ब्याज का प्रलोभन साधारणतया आवश्यक होता है।

इस सम्बन्ध में डा० रिचार्ड्स ने भी मार्शल का समर्थन किया है। डा० रिचार्ड्स का

¹ "The sacrifice of present for the sake of future has been called abstinence by economists.... Since, however, the term is liable to be misunderstood we may with advantage avoid its use, and say that the accumulation of wealth is generally the result of postponement of enjoyment or of a waiting for it."—Marshall *Principles of Economics*, pp. 232-233.

विचार है कि यद्यपि लोग बचत अनेक कारणों से करते हैं, परन्तु व्याज का मुख्य कारण यही है कि बचत करने वाले को उपभोग के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। व्याज मुख्यतया प्रतीक्षा का ही पारितोषण है।¹

व्याज का निर्धारण कैसे ?

यहाँ प्रश्न उठता है कि यदि प्रतीक्षा को उत्पत्ति का साधन मान लिया जाय और इसी के पारितोषण को व्याज कहा जाय, जो फिर पारितोषण किस प्रकार निर्धारित होगा। स्पष्ट है कि व्याज उस पुरुष्कार अथवा पारितोषण के बराबर होगा जो बचत की सीमान्त वृद्धि (Marginal increment of saving) के लिए आवश्यक हो। पूँजी की आवश्यक पूर्ति के लिए कुछ व्यक्तियों को व्याज का लालच देना आवश्यक होता है। व्याज की दर ऐसी होनी चाहिए कि सीमान्त बचत करने वाला व्यक्ति बचत करने को तैयार हो जाय। पूँजी की एक निश्चित मात्रा प्राप्त करने के लिए सीमान्त बचत करने वाले को जितना प्रलोभन देना आवश्यक है वही व्याज की दर निर्धारित करता है।

आलोचनाएँ—

व्याज का यह सिद्धान्त अपुरा है, क्योंकि (i) अन्य वस्तुओं की भाँति पूँजी भी एक वस्तु है और व्याज इसका मूल्य है। किसी भी वस्तु का मूल्य माँग और पूर्ति द्वारा निर्दिष्ट होता है। 'व्याज' अथवा 'प्रतीक्षा' द्वारा केवल पूर्ति की ही विवेचना होती है, माँग की नहीं। बचत द्वारा पूँजी प्राप्त होती है और बचत त्याग तथा प्रतीक्षा द्वारा निर्धारित होती है। परन्तु पूँजी की माँग तथा इसके कारणों की विवेचना मार्शल अथवा सीनियर द्वारा नहीं की गई है। इसी कारण व्याज के ये सिद्धान्त अपूर्ण हैं। (ii) जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, इन सिद्धान्तों में पूर्ति की भी सम्पूर्ण विवेचना नहीं की जाती है। त्याग और प्रतीक्षा के अनिश्चित और भी बहुत से कारण हैं जो पूर्ति को प्रभावित करते हैं। (iii) मार्शल ने तो प्रतीक्षा को उत्पत्ति का साधन मान कर एक नई कठिनाई उत्पन्न कर दी है।

(III) व्याज का उत्पादकता सिद्धान्त (The productivity Theory)

व्याज क्यों दिया जाता है ?

इस सिद्धान्त के अनुसार पूँजी उत्पत्ति के अन्य साधनों की भाँति एक उत्पादक साधन है। जब पूँजी की सहायता के बिना उत्पत्ति की जाती है, तो उत्पादन बहुत ही कम होता है, परन्तु पूँजी का उपयोग करने में हमें बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। उदाहरणस्वरूप, एक शिकारी बन्दूक तथा अन्य साधनों की सहायता से जितना शिकार कर सकता है उतना बिना उनकी सहायता के नहीं। जान द्वारा हाथ की अपेक्षा अधिक मछलियाँ पकड़ी जा सकती हैं और जाल तथा नाल दोनों के उपयोग में और भी अधिक। इस प्रकार पूँजी का उपयोग उत्पादन है और इसलिए इसे उधार देने वाले व्याज देने को तैयार हो जाते हैं। व्याज-दर का पूँजी की उत्पादकता से घनिष्ठ तथा प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है।

व्याज का निर्धारण कैसे ?

अब यह प्रश्न उठता है कि इस सिद्धान्त के अनुसार व्याज-दर कैसे निर्दिष्ट होती है। पूँजी की कौन-सी उत्पादकता द्वारा व्याज का निर्धारण होगा ? इस सिद्धान्त के समर्थकों का मत है कि अन्य साधनों की भाँति पूँजी की भी सीमान्त उत्पादकता का पता लगाया जा सकता है। अन्य

¹ "Interest is, however, primarily a reward for waiting."

साधनों की मात्राएँ यथास्थिर रखकर यदि हम पूँजी की मात्रा एक इकाई से बढ़ा दें, तो कुल उत्पात में पूँजी की सीमान्त उपज के बराबर ही वृद्धि होगी। इसी सीमान्त उपज का मूल्य व्याज की दर को निश्चित करता है। लम्बे काल में, जैसा कि हम सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त में देख चुके हैं, पूँजी का पारितोषण इस मूल्य से कम या अधिक नहीं हो सकता है।

आलोचनाएँ—

परन्तु सीनियर तथा मार्शल के सिद्धान्तों की भाँति व्याज का यह सिद्धान्त भी अधूरा तथा अपूर्ण है :—

(१) यद्यपि यह सिद्धान्त व्याज के कारण तथा व्याज-दर के निर्धारण दोनों की विवेचना करता है, परन्तु यह विवेचना एक-विशायी है। यदि ऋणी व्याज इसलिए देता है कि ऋण उत्पादक होता है, तो उन ऋणों पर व्याज क्यों दिया जाता है, जो उत्पादन के विपरीत उपभोग हेतु लिए जाते हैं ? ऐसे ऋणों पर तो व्याज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे तो उत्पादक नहीं होते।

(२) यदि सीमान्त उपज के मूल्य द्वारा व्याज-दर निश्चित होता है, तो सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त की वे सारी आलोचनाएँ, जिनका अध्ययन एक पहले अध्याय में किया जा चुका है, यहाँ पर भी लागू होती हैं।

(३) यह सिद्धान्त व्याज की दर का केवल पूँजी की माँग की दृष्टि से अध्ययन करता है। पूँजी की माँग उगकी उत्पादन-शक्ति पर निर्भर होती है। यदि उत्पादकता अधिक है, तो माँग भी अधिक होगी, और यदि उत्पादकता कम है, तो माँग भी कम ही होगी। अन्तिम विवेचना, में माँग पूँजी की सीमान्त उत्पादकता द्वारा निश्चित होती है। पूँजी की पूर्ति की विवेचना इस सिद्धान्त में नहीं की जाती है।

(४) पूँजी की उत्पादकता स्वयं भी व्याज-दर पर निर्भर रहती है। यदि व्याज-दर ऊँची होती है, तो साधारणतया पूँजी की माँग कम होती है, जिसके फलस्वरूप पूँजी की सीमान्त उत्पादकता में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार इस बात का निर्णय कठिन है कि व्याज-दर सीमान्त उत्पादकता पर निर्भर है या सीमान्त उत्पादकता व्याज दर पर।

(५) इस सिद्धान्त में एक चक्राकार तर्क (Circular Reasoning) भी विद्यमान है। पूँजी के सभी साधनों तथा औजारों और मशीनों का मूल्य व्याज की दर मान कर ही निश्चित किया जाता है। मान लीजिए कि हम एक १०,००० रुपये की मशीन का उपयोग करते हैं, जिसके कारण हमें १,००० रुपये की वार्षिक आय होती है। इस आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि व्याज-दर १० रुपये सैकड़ा होगी। हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि यदि व्याज की वार्षिक दर १० रुपये सैकड़ा हो, तो इस मशीन का मूल्य १०,००० रुपये होना चाहिए। दूसरे शब्दों में मशीन का मूल्य व्याज-दर के ज्ञान बिना नहीं निकाला जा सकता। अतः पूँजी का मूल्य निकालने से पहले ही व्याज की दर ज्ञात होनी चाहिए, जबकि यह सिद्धान्त ऐसा समझता है कि पहले पूँजी की कीमत ज्ञात की जाती है और बाद में व्याज की दर।

(IV) व्याज का पारितोषिक सिद्धान्त (The Aagio Theory of Interest)

इस सिद्धान्त का निर्माण सर्वप्रथम जॉन रेई (John Rae) नामक अर्थशास्त्री ने किया था। बाद में प्रसिद्ध ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री प्रोफेसर बोम बावर्क (Bohm Bawerk) ने इस सिद्धान्त को अपनाया और आजकल यह उन्हीं के नाम से अधिक प्रसिद्ध है।

व्याज देने का कारण—

बोम बावर्क का कथन है कि व्याज का मुख्य कारण यह है कि मनुष्य के लिए वर्तमान और भविष्य का महत्त्व समान नहीं होता। वह वर्तमान आवश्यकता पूर्ति में भविष्य की आवश्यकता

पूँति की अपेक्षा अधिक मूल्य का अनुभव करता है। इसी कारण, वर्तमान वस्तुओं के मूल्य में, भविष्य की उस जैसी ही वस्तुओं की अपेक्षा, एक परिचोपण या प्रध्याजि (Agio or Premium) रहता है, जो व्याज-दर को निर्दिष्ट करता है।¹ उनका कहना है कि वर्तमान वस्तुओं की कीमत भविष्य की उसी माना, गुण और कीमत वाली वस्तुओं की अपेक्षा थोड़ी अधिक रहती है, क्योंकि लोग कुछ कारणों से भविष्य के उपभोग की अपेक्षा वर्तमान उपभोग को अधिक पसन्द करते हैं। ये कारण निम्नलिखित हैं :—

(१) भविष्य धुँपता दिलाई पड़ता है और अनिश्चित जान पड़ता है, जिसके कारण मनुष्य भविष्य के मूल्य को वर्तमान मूल्य की अपेक्षा कम समझता है।

(२) भविष्य की आवश्यकताओं की अपेक्षा वर्तमान आवश्यकताएँ अधिक तीव्रतापूर्वक अनुभव की जाती हैं। यही कारण है कि वर्तमान आवश्यकताएँ पूरी करने वाली वस्तुओं की माँग भविष्य की आवश्यकताएँ पूरी करने वाली वस्तुओं की अपेक्षा अधिक आग्रहपूर्वक होती है। अतः वर्तमान वस्तुओं की माँग अधिक होती है और उनका अभाव अधिक तेजी के साथ अनुभव होता है।

(३) वर्तमान वस्तुओं को भावी वस्तुओं पर एक विशेष तकनीकी श्रेष्ठता (Technical Superiority) प्राप्त होती है। कारण, जैसे-जैसे उद्योग में अधिक समय लगता है और उत्पादन रीति भी और अधिक सुमात्रदार होती चली जाती है, भविष्य की वस्तुओं पर वर्तमान वस्तुओं की श्रेष्ठता भी बढ़ती जाती है, क्योंकि इस प्रकार की रीतियों के उपयोग में अधिक मात्रा में उत्पादित होने लगती है।

उपरोक्त कारणों से एक मनुष्य वर्तमान के १००) का मूल्य भविष्य के १००) रुपये के मूल्य में अधिक समझता है। यदि इस समय की १००) रुपये वाणिज्य आय भविष्य की ११०) रुपये वाणिज्य आय के बराबर है तो इस समय १००) रुपये वाणिज्य आय देकर भविष्य की दर ११०) रुपये वाणिज्य की आशा की जायगी। मन्ने वा अभिप्राय यह है कि व्याज की दर १०) रुपये मँरता होगी, क्योंकि इसी अंश तक वर्तमान की भविष्य पर अनुराग अथवा वरीयता (Preference) प्राप्त है।

(V) फिशर का समय वरीयता सिद्धान्त (Time preference Theory of Interest)

फिशर (Fisher) ने बीम दावक की विवेचना में थोड़ा सुधार करने का प्रयत्न किया है। उनका कहना है कि बीम दावक ने वर्तमान को पसन्द करने के जो तीन कारण बताये हैं उनमें से पहले दो तो ठीक हैं, परन्तु तीसरा गलत है, क्योंकि इसे मान लेने से हमें परोक्ष-रूप से व्याज के उत्पादकता सिद्धान्त को मान लेना पड़ता है। माय ही, उन्होंने यह भी बताया है कि भविष्य की अनिश्चिता के कारण वर्तमान को पसन्द नहीं किया जाता है। वास्तव में समान रूप में निर्दिष्ट भावी संनोप की अपेक्षा लोग फिर भी वर्तमान संनोप को ही पसन्द करने हैं।

व्याज का कारण—

मुख्य बात यह है कि लोगो में समय वरीयता (Time Preference) होती है। वे अपनी आय को तुरन्त व्यय करने के लिए अधिक दृच्छुक या आनुर (Impatient) होते हैं। यह आनुरता कितनी अधिक होगी, यह निम्न बातों पर निर्भर है :—(i) आय की मात्रा, (ii) आय का समय-वितरण (Time Distribution) अर्थात् इन बात पर कि आय की प्राप्ति कितने समय पर कँती

¹ Bohm Bawerk : *The Positive Theory of Interest*.

हुई है, (iii) आम विस प्ररार प्राप्त होती है, (iv) आय को भविष्य म उपयोग करने की निश्चितता और (v) व्यक्ति विस की मनोवृत्ति। जिन व्यक्तियों की आय अधिन होती है उनके लिए वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने की सुविधा अधिक होती है। इसके विपरीत, निर्धन लोग भविष्य को वर्तमान की अपेक्षा बहुत कम महत्व देते हैं। अमीरों में गरीबों की अपेक्षा समय बरीयता कम होती है।

फिशर का विचार है कि व्याज का कारण समय बरीयता द्वारा ही प्ररतुत किया जाता है। व्याज इसलिए दिया जाता है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी आय को तुरन्त व्यय करने के लिए तैयार न हो सके और न ही पूँजी एकत्रित हो सके। अतः तुरन्त व्यय करने की आनुरता को रोकना पड़ता है और इस आनुरता का रोकने के लिए ही व्याज का प्रलोभन दिया जाता है। समय विशेष में व्याज-दर इतनी होनी चाहिए कि पर्याप्त मात्रा में बचत की जा सके, अर्थात्, व्यय-आनुरता इस जस तक रोगी जा सके कि पूँजी की माँग के अनुमार बचत हो सके।

व्याज का निर्धारण कैसे ?

जबकि बोम वावर्क के अनुसार व्याज-दर पारितोषिक अथवा व्याज-दर (Premium Rate) द्वारा निश्चित होती है, तब फिशर के अनुसार यह समय बरीयता के असा पर निर्भर होती है और एक प्रकार की बड़ा दर होती है। उदाहरणस्वरूप, यदि एक मनुष्य १०० रुपये से प्राप्त होने वाले वर्तमान गुण को एक साल बाद केवल ६२ रुपये के बराबर समझता है, तो वह वर्तमान को भविष्य में ८ रुपया अधिक आंकता है, अथवा, भविष्य को वर्तमान में ८ रुपया कम आंकता है। ऐसी दशा में वह १०० रुपये एक साल तक के लिए उधार देने की तभी तैयार होगा, जबकि माल भर पीछे उगे बढने में १०८ रुपये मिलने की आशा होगी। यदि ऐसा नहीं किया जाय, तो उसे उधार देने में हानि होगी और वह बचत करने के स्थान पर वर्तमान उपभोग को ही अधिक पसन्द करेगा। अतः रुपया अधिक मिल जाने में वर्तमान और भावी सन्तोष में समानता आ जाती है। अतः व्याज-दर मनुष्य की व्यय करने की आनुरता पर निर्भर होती है। समय-अनुराग की माप यह आनुरता ही है। व्यय-आनुरता जितनी अधिन होगी उतना ही समय-अनुराग भी अधिन होगा और उतनी ही व्याज-दर भी ऊँची होगी, और, जितना ही समय अनुराग कम होगा उतनी ही व्याज दर भी नीची होगी।

इस प्रकार, व्याज-दर वह दर है जो वर्तमान सन्तोष की भविष्य के लिए स्थगित करा देती है। अन्तिम दशा में वह समय-अनुराग-दर के बराबर होती है। यदि बाजार में व्याज-दर किसी व्यक्ति की समय-अनुराग-दर से ऊँची है, तो वह व्यक्ति बचत करेगा और रुपया उधार देकर लाभ कमावेगा। इसके विपरीत, यदि बाजार में व्याज-दर किसी व्यक्ति की समय-अनुराग-दर में नीची है, तो वह व्यक्ति रुपया उधार लेकर अपनी वर्तमान की आग्रहपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करेगा, क्योंकि यही उसके लिए लाभदायक होगा। कोई व्यक्ति उसी समय तक रुपया उधार देता है या उधार लेता है जब तक व्याज-दर उसकी समय-अनुराग-दर के बराबर न हो जाय। इस प्रकार, साम्य की अवस्था में व्याज की दर समय अनुराग की दर के बराबर होती है।

समय बरीयता सिद्धान्त की मान्यताएँ—

फिशर के अनुसार यह सिद्धान्त कई मान्यताओं पर आधारित है :—(i) द्रव्य की त्रय-शक्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि भविष्य में द्रव्य की त्रय-शक्ति बढ़ जाय तो एक व्यक्ति भविष्य में ८० रुपये की भी वर्तमान के १०० रुपये में अधिक समझ सकता है। इस दशा में यह सिद्धान्त लागू न होगा। (ii) पूँजी के स्वामी की परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि एक व्यक्ति भविष्य में सादा और गंभीर जीवन व्यतीत करना चाहता है,

तो हो सकता है कि वर्तमान के १०० रुपये वा महत्त्व उसके लिए भविष्य में सौ रुपये में भी अधिक हो जाय ।

यद्यपि फिशर ने बोम बावरक के सिद्धान्त को सुधारने का प्रयत्न किया है तथापि बोम बावरक के सिद्धान्त का महत्त्व कम नहीं हुआ है और वह निम्न दो कारणों से महत्त्वपूर्ण है :—(i) ब्याज के उत्पादनता सिद्धान्त में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि उपभोग हेतु लिए हुए ऋणों पर ब्याज क्यों दिया जाता है, परन्तु यह सिद्धान्त सभी प्रकार के ऋणों पर दिये जाने वाले ब्याज की व्याख्या करता है । उपभोग के लिए जो ऋण लिए जाते हैं उन पर इसलिए ब्याज दिया जाता है कि वर्तमान उपभोग भविष्य की तुलना में अधिक महत्त्व रखता है । (ii) यह सिद्धान्त इस बात को भी समझता है कि जब कोई व्यवसायी अपनी बचत को अपने कारोबार में लगाता है तब भी उसे ब्याज मिलना चाहिए, क्योंकि वह भी बचत के वर्तमान उपभोग को भविष्य के लिए स्थगित करता है ।

आलोचनाएँ -

अन्य सिद्धान्तों की भांति प्रत्याजि और समय बरीयता-सिद्धान्त भी अपूर्ण है :—(i) यह सिद्धान्त भी ब्याज-दर का पूँजी की पूर्ति से सम्बन्ध स्थापित करता है, क्योंकि समय-बरीयता तथा भविष्य निरादर की तीव्रता के अनुसार ही बचत (अर्थात् पूँजी) की पूर्ति निश्चित होती है । (ii) पूँजी की पुनः समय बरीयता पर ही पूर्णतया निर्भर नहीं होती, वरन् त्याग, प्रतीक्षा और राग-बरीयता के अतिरिक्त पूँजी की पूर्ति में बहुत-सी बातों पर निर्भर होती है । (iii) बोम बावरक का सिद्धान्त उत्पादनता सिद्धान्त के बहुत समीप पहुँच जाता है । ब्याज की समस्या इसलिए उत्पन्न होती है कि भविष्य में अधिक उत्पादनता प्राप्त की जा सकती है । 'मूलतया बोम बावरक का ब्याज का सिद्धान्त एक सीमान्त उत्पादनता सिद्धान्त ही था, यद्यपि यह बात बहुधा भुला दी जाती है ...' (iv) फिशर का सिद्धान्त दो ऐसी मान्यताओं पर आधारित है जो स्वभाव से ही अवास्तविक हैं । एक ओर तो, फिशर यह मान लेते हैं कि वर्तमान तथा भविष्य के बीच मुद्रा की न्य-शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, और, दूसरी ओर, ऐसा मान लेते हैं कि कालान्तर में बचत करने वालों की स्थिति तथा चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं होना । (v) यह सिद्धान्त ऐसा समझता है कि ब्याज-दर किसी व्यक्ति को उसके समय-अनुराग की दर के अनुपात में बचत करने को प्रोत्साहित करती है परन्तु विभिन्न व्यक्तियों का समय-अनुराग अलग-अलग होता है और विभिन्न कालों में एक व्यक्ति के समय-अनुराग में भी अन्तर हो सकते हैं ।

(VI) ब्याज का प्रतिष्ठित या वास्तविक सिद्धान्त (Classical or Real Theory of Interest)

ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धान्त 'वास्तविक सिद्धान्त' भी कहलाता है क्योंकि यह ब्याज-दर के निर्धारण को वास्तविक घटनाओं, जैसे—उत्पादनता एवं मितप्रयिता (अर्थात् पूँजी वस्तुओं की उत्पादनता एवं वस्तुओं की बचत) के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयत्न करता है । इस सिद्धान्त के अनुसार, ब्याज-दर प्रतीक्षा, त्याग या समय-बरीयता (time preference) के लिए एक भुगतान है । प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में यह मतभेद तो है कि बचत प्रतीक्षा के कारण है या त्याग के

1 "Fundamentally, Bohm Bawerk's theory of interest was a marginal productivity theory, though this fact is usually been neglected because at different times he places different emphasis on the various stands of his thought."—Briggs and Joardan : *Text-Book of Economics*, pp. 462-466.

कारण अथवा समय-वरीपना के कारण, किन्तु वे सभी यह मानते हैं कि 'व्याज-दर' बचत के लिए भुगतान है। इस सिद्धान्त के अनुसार, व्याज-दर पूँजी-वस्तुओं (capital goods) में विनियोग करने के लिए बचतों का मांग एवं बचतों की पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। नीचे हमने इन माँग एवं पूर्ति पक्षों पर अलग अलग प्रकाश डाला है।

(१) माँग पक्ष—


पूँजी वस्तुओं के लिए माँग उन फर्मों द्वारा प्रस्तुत की जाती है जो कि विनियोग करने की इच्छुक हैं अर्थात् नई पूँजी-वस्तुएँ खरीदना या बनाना चाहती हैं। पूँजी-वस्तुओं के लिए माँग इस कारण की जाती है कि इनका प्रयोग उपभोक्ता-वस्तुएँ उत्पन्न करने में किया जा सकता है, अथवा उत्पत्ति के अन्य साधनों की भाँति उनमें भी एक आगम-उत्पादनता (revenue productivity) होती है। अतः, एक ही हुई श्रेणी की पूँजी सम्पत्ति (उदाहरणार्थ मशीन) के लिए एक सीमान्त आगम उत्पादनता वक्र (MRP curve) खींचा जा सकता है कि उस मशीन के स्टॉक में विभिन्न स्तरों पर की गई एक अतिरिक्त मशीन की वृद्धि के फलस्वरूप कुछ आगम में होना वाली वृद्धि को दिखायेगा।

अथवा अन्य उत्पत्ति साधनों की भाँति पूँजी की भी सीमान्त आगम उत्पादनता होती है, यह अन्य साधनों की सीमान्त आगम उत्पादनता की ओर अधिक जटिल होती है। कारण, पूँजी का जीवन बहुत वर्षों का होता है, अर्थात् एक पूँजी-सम्पत्ति अनेक वर्षों तक आय देती रहती है। अतः उपभोगियों को भविष्य की अनिश्चितताओं को विचार में लेना पड़ता है तथा मेण्टीनेन्स और परिचालन व्ययों के लिए अलाउन्स देना पड़ता है। अन्य शब्दों में, उन्हें पूँजी की सीमान्त इकाई की शुद्ध सम्भाव्य आय (net expected return) मातूम करनी पड़ती है। यह आय पूँजी सम्पत्ति की लागत के प्रतिशत के रूप में दिखाई जाती है। एक विशेष प्रकार की पूँजी-सम्पत्ति जितनी अधिक होगी, उतना ही कम द्रव्य उपनमी उस प्रकार की एक अतिरिक्त सम्पत्ति (मशीन) के द्रव्य द्वारा कमाने की आशा करेगा अतः पूँजी का सीमान्त-आगम-उत्पादनता-वक्र (MRP) नीचे की ओर ढालू होता है।

पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के लिए यह लाभदायक होना है कि वह किसी साधन को उस बिन्दु तक खरीदे जहाँ उसकी कीमत उसकी सीमान्त आगम उत्पादनता के बराबर हो जाये। व्याज दर स्पष्टतः उस बचत की कीमत होती है, जिसकी आवश्यकता पूँजी वस्तुएँ खरीदने के लिए है। अतः उपनमी पूँजी-वस्तुओं के लिए माँग (अथवा मो कहे कि पूँजी-वस्तुएँ खरीदने के लिए बचत की माँग) उस बिन्दु तक ऋरेगा जहाँ पर पूँजी वस्तुओं की शुद्ध-सम्भाव्य-आय-दर 'व्याज-दर' के बराबर हो जाये। चूँकि सीमान्त-आगम-उत्पादनता वक्र नीचे की ओर ढालू होता है इसलिए व्याज-दर गिरने पर अधिक पूँजी वस्तुएँ माँगी जायेंगी और इसलिए इनकी खरीद के लिए अधिक द्रव्य की आवश्यकता होगी। पूँजी वस्तुओं के लिए माँग व्याज दर में उतरोत्तर कमी के साथ जिस प्रकार से बढ़ती है उसे चित्र अ में दिखाया गया है।

जब व्याज-दर Or है, तब माँगी हुई पूँजी की मात्रा OM है। इसका कारण यह है कि

केवल इसी मात्रा पर पूँजी की घटती हुई शुद्ध आय दर प्रचलित व्याज-दर Or के बराबर होती है। अब यदि व्याज-दर Or से घटकर Or_1 रह आय, तो मांगी हुई पूँजी की मात्रा OM में बढ़ कर OM_1 हो जायेगी, क्योंकि इस मात्रा पर घटती हुई शुद्ध आय दर नई व्याज दर (Or_1) के बराबर होती है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि पूँजी का सीमान्त-आगम-उत्पादकता-चक्र पूँजी के लिए मांग दिखाता है। वह यह भी दिखाता है कि पूँजी के लिए मांग (अथवा बौ कहे कि पूँजी वस्तुओं खरीदने के लिए दक्षता की मांग) दाहिनी ओर नोचे की दिशा में ढालू है। यही दशा व्यक्तिगत फर्मों, व्यक्तिगत उद्योगों एवं सम्पूर्ण समाज के लिए भी सत्य है। इस प्रकार, हमारा यह निष्कर्ष है कि व्याज-दर कम होने पर पूर्व-वृथक पूँजी वस्तुओं के लिए (एव सामान्य रूप में सभी पूँजी-वस्तुओं के लिए) मांग में वृद्धि हो जायेगी।




चित्र—(अ) सीमान्त आगम उत्पादकता वक्र

(२) पूँति पक्ष—

प्रतिष्ठित सिद्धान्त के अनुसार पूँजी-वस्तुओं खरीदने हेतु जो मुद्रा प्रयोग की जाती है वह उन लोगों द्वारा उपलब्ध की जाती है जो कि अपनी बचत आय से बचत करते हैं। वे अपनी आय के एक भाग के उपभोग को स्थगित करके, उत्पत्ति के लिए आवश्यक प्रसाधन सुलभ (release) करते हैं। बचत में भागी उपभोग के लिए प्रतीक्षा करने का तत्त्व निहित होता है। किन्तु लोग वर्तमान उपभोग की भावी उपभोग पर प्राथमिकता देते हैं। अतः यदि उन्हें द्रव्य बचाने हेतु तथा बचाये हुए धन की उपरमियों को ऋण देने हेतु प्रेरित करना है, तो पुरस्कार स्वरूप कुछ व्याज देना होगा। अन्य शब्दों में, उनकी समय-वरीयता पर विजय पाने के लिए उन्हें व्याज के रूप में प्रेरणा देनी आवश्यक है। अधिक बचत के लिए, अधिक उपभोग का स्थगन करना पड़ेगा और इसलिए इसकी क्षतिपूर्ति के लिए वे अधिक व्याज-दर चाहेंगे। अतः लोगों को अधिक बचत करने की प्रेरणा देने हेतु ऊँची व्याज-दर देनी होगी। यही नहीं, ऊँची व्याज दर इस कारण से भी देनी होगी कि जिन लोगों की समय-वरीयता-दरें ऊँची हैं, वे वर्तमान उपभोग के पक्ष में अधिक होते हैं जिसे बचत करने के लिए उन्हें अधिक प्रेरणा (ऊँची व्याज-दर के रूप में) की आवश्यकता पड़ती है, अतः पूँजी का पूँति वक्र दाहिनी दिशा में ऊपर की ओर ढालू होता है।

(३) मांग एवं पूँति का साम्य—

व्याज-दर पूँजी के लिये मांग (अर्थात् विनियोग) एवं पूँजी की पूँति (अर्थात् बचत) के कटन-विन्दु पर निर्धारित होती है। जिस व्याज-दर पर पूँजी के लिए मांग (अथवा पूँजी वस्तुओं में विनियोग करने हेतु बचतों के लिए मांग) और बचतों की पूँति साम्यावस्था में होगी वही बाजार में प्रचलित हो जाती है। व्याज दर विनियोग के लिए मांग एवं बचतों की पूँति द्वारा जिस तरीके से निर्धारित होती है वह (चित्र ब) में दिखाई गई है।



चित्र—(घ) व्याज दर का निर्धारण परिवर्तन होता है तो वक्रतनुसार त्रिसक जायेंगे तथा साम्य दर भी बदल जावेगी।

आलोचनार्थ—

व्याज के प्रतिष्ठित सिद्धान्त की कटु आलोचना हुई है। प्रमुख आलोचनार्थ निम्न लिखित हैं—

(१) प्रतिष्ठित सिद्धान्त इस मान्यता पर आधारित है कि प्रसाधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त है। ऐसी दशा में यदि हम एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहते तो हम किसी अन्य वस्तु के उत्पादन में से कुछ प्रसाधन हटाने पड़े गे। उदाहरणार्थ, यदि विनियोग बढ़ाने हों, तो उपभोग-वस्तुओं के उत्पादन में से प्रसाधन हटाने पड़े गे। अतः यही कारण है कि लोगों को अपना उपभोग स्थगित करने हेतु (अथवा अपनी बचतों के भावी उपभाग की प्रतीक्षा करने हेतु) प्रेरित करने के लिए व्याज के रूप में प्रलोभन देना पड़ता है। इसका मतलब तो यह हुआ कि यदि किसी देश में किसी समय पर एक व्यापक पैमाने पर निष्क्रिय साधन पड़े हों, तो लोगों को उपभोग से विरति (abstain) रहने के लिए कोई पुरस्कार देने की आवश्यकता नहीं होगी। जब ऐसा है, तो फिर व्याज क्यों दिया जाता है ? इसके स्पष्टीकरण के लिये (प्रतीक्षा या समय-बरीयता के अलावा) किसी नये सिद्धान्त की रचना करनी पड़ेगी।

(२) प्रतिष्ठित सिद्धान्त के अनुसार अधिक विनियोग (अर्थात् पूँजी वस्तुओं या उत्पादन) तब ही हो सकता है जबकि उपभोग में कटौती की जाये, अर्थात्—उपभोग में अधिक कटौती → अधिक बचतें → अधिक विनियोग। किन्तु यह सब जानते हैं कि उपभोक्ता वस्तुओं के लिए माँग में कमी आने से पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रेरणा घटने की सम्भावना है, और यदि ऐसा हुआ, तो विनियोग भी प्रतिकूल रूप में (Adversely) प्रभावित होगा।

(३) प्रतिष्ठित सिद्धान्त ने पूर्ण रोजगार की रूपना ग्रहण करके आय-स्तर के परिवर्तनों की उपेक्षा कर दी है। चूँकि उन्होंने आय-स्तर के परिवर्तना की उदा की थी, इसलिए वे व्याज-दर को ही एक ऐसा घटक समझने की भूलकर बैठे जो कि विनियोग और बचत में समानता स्थापित करती है। किन्तु जैसा कि कीन्स ने बताया है बचत और विनियोग में समानता आय-स्तर के परिवर्तनों द्वारा स्थापित होती है, न कि व्याज दर के परिवर्तनों द्वारा।

(४) प्रतिष्ठित सिद्धान्त के अनुसार बचत-वक्र में कोई निश्चि हूए बिना ही विनियोग माँग वक्र में परिवर्तन हो सकता है। किन्तु, जैसा कि कीन्स ने बताया है विनियोग में कमी आय की घटाती है और घटी हुई आय में से कम बचत की जाती है तथा इस प्रकार बचत वक्र भी परिवर्तित हो जाता है, अतः प्रतिष्ठित सिद्धान्त ने बचतों पर विनियोग के परिवर्तनों के प्रभावों की उपेक्षा कर दी है।

इस चित्र में SS वक्रों का पूँति-वक्र और II पूँजी वस्तुओं में विनियोग हेतु वक्रों का माँग वक्र है। (II को 'विनियोग के लिए माँग वक्र' या केवल विनियोग-माँग-वक्र भी कह सकते हैं।) विनियोग के लिए माँग और वक्रों की पूँति दोनों ही Or व्याज दर पर, जहाँ कि वक्र एक दूसरे को काटते हैं, साम्यावस्था में हैं। अतः Or व्याज की साम्य दर है जो कि बाजार में प्रचलित हो जायगी। इस साम्यावस्था में द्रव्य की OM मात्रा बचाई, उधार व विनियोग की जावेगी। यदि माँग और पूँति सम्बन्धी दशाओं में कोई

(५) जैसा कि कीन्म में बताया है, प्रतिष्ठित सिद्धान्त अनिर्धारित (indeterminate) है। वचत-वक्र की स्थिति आय-स्तर पर निर्भर है (अर्थात् वचत-वक्र की स्थिति आय-स्तर के साथ बदलती) अतः विभिन्न आय-स्तरों पर विभिन्न-वचत वक्र होंगे। किन्तु जब तक आय-स्तर का पता न हो तब तक हम यह नहीं कह सकते कि व्याज-दर क्या होगी और आय-स्तर क्या होगा। यह हम व्याज-दर को जाने बिना मानूँ नहीं कर सकते (क्योंकि नीची व्याज-दर का मतलब है अधिक विनियोग और इसलिए ऊँची वास्तविक आय) इस प्रकार प्रतिष्ठित सिद्धान्त कोई समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाता है।


(VII) उधारयोग्य कोष-सिद्धान्त अथवा नव-प्रतिष्ठित सिद्धान्त (Loanable Funds Theory or Neo-classical Theory)

इस सिद्धान्त के अनुसार व्याज उधारयोग्य कोषों के प्रयोग के लिए दी गई कीमत है। इसके निर्माता विल्सेले है। प्रतिष्ठित एवं कीन्म के व्याज सिद्धान्तों की भाँति यह भी एक माँग-पूर्ति सिद्धान्त है और इस बात पर ध्यान देता है कि व्याज-दर बाजार-में उधार योग्य कोषों की माँग और पूर्ति के मध्य साम्य द्वारा निर्धारित होती है।

(१) माँग पक्ष—

ऋण योग्य कोषों के लिए माँग तीन क्षेत्रों से आती है :—(अ) विनियोग, (ब) उपभोग, एवं (स) संचय।

(अ) विनियोग—उधार योग्य कोषों के लिए अधिकांश माँग व्यावसायिक फर्मा से आती है। व्यवसायोंग उस बिन्दु तक उधार-योग्य कोषों के लिए माँग करेगा, जहाँ पर पूँजीवस्तु की शुद्ध सम्भाव्य आय-दर व्याज-दर के बराबर हो जाय। व्याज-दर के परिवर्तन विनियोग-माँग को प्रभावित करते हैं। अन्य शब्दों में, विनियोग सम्बन्धी माँग व्याज-लच वाली (interest-elastic) होती है। ऊँची व्याज-दर पर विनियोग-माँग कम और नीची व्याज-दर पर विनियोग-माँग अधिक होगी। यही कारण है कि विनियोग-माँग-वक्र (I) दाहिनी ओर नीचे की दिशा में ढालू होता है।



(ब) उपभोग—उपभोग के लिए उधार योग्य कोष की माँग व्यक्तियों या गृहस्थियों द्वारा प्रस्तुत की जाती है। वे ऐसी माँग कर रहे हैं जब वे अपनी चाछ आयु और नगद प्रसाधनों से अधिक खरीद करना चाहते हैं। नीची व्याज-दर उपभोग ऋणों में कुछ वृद्धि प्रोत्साहित करेगी। उपभोग-माँग-वक्र (C) व्याज लोचदार है तथा नीचे की दिशा में दाहिनी ओर ढालू होता है।

(स) संचय—संचय से अभिप्राय यह है कि लोग अपनी वचत को निष्क्रिय नगदी कोष के रूप में अपने पास रखना चाहते हैं। यह उल्लेखनीय है कि ऐसे ही लोग उधार-योग्य कोष की सप्लाई भी करते हैं। संचय माँग-वक्र (II) भी व्याज-लोचदार है तथा नीचे की दिशा में दाहिनी ओर ढालू होता है।

I, C, H वक्रों के lateral summation द्वारा उधार योग्य कोषों का कुल माँग-वक्र (LD) प्राप्त हो जाता है जोकि नीचे की दिशा में दाहिनी ओर ढालू होता होता है। यह 'व्याज-लोचदार' है।

(२) पूति पक्ष—

उधार योग्य कोषों की पूति निम्न क्षेत्रों से होती है :—(अ) बचत, (ब) वि-संचय, (स) बैंक-साख, एवं (द) अ-विनियोग ।

(अ) बचत (Savings)—व्यक्तियों एवं परिवारों की बचत उधार योग्य कोषों का एक महत्वपूर्ण स्रोत होती है । बचत पर दो तरह से विचार किया जा सकता है :—(i) Ex-ante savings एवं (ii) Post-ante savings । दोनों ही दशाओं में बचवाई हुई राशि व्याज दर के साथ घटती-बढ़ती है । व्यक्तियों की भांति व्यावसायिक फर्मों भी बचत करती हैं । उनकी बचत अतिरिक्त लाभ के रूप में होती है । ऐसी बचतें एक अंश तक व्याज की चालू दर से प्रभावित होती हैं । चूंकि ऐसी बचतें प्रायः सध्या में ही विनियोग कर ली जाती हैं, इसलिए उनमें से अधिकांश साख बाजार में प्रवेश नहीं करती हैं । बचत वक्र (S) ऊपर की दिशा में दाहिनी ओर टाडू होता है ।

(ब) वि-संचय (Disboardings)—पिछली अवधि में व्यक्तियों द्वारा जोड़ा हुआ कुछ द्रव्य चालू अवधि में उधार योग्य-कोष के रूप में उपलब्ध हो सकता है । यदि व्याज दर ऊंची है तो पिछले संचय में से अधिक राशि उधार देने को बाहर निकाली जायेगी और यदि वह नीची है, तो कम राशि निकाली जायेगी । वि-संचय-वक्र (DH) को चित्र में ऊपर की दिशा में दाहिनी ओर टाडू दिखाया गया है ।

(स) बैंक साख (Bank Credit)—साख मुद्रा का सृजन करके बैंक व्यवसायियों को ऋण देते हैं । वे ऋण देने में कमी करके मुद्रा-राशि को घटा भी सकते हैं । एक अवधि में बैंक द्वारा सृजन की गई साख-मुद्रा उधार योग्य कोषों की पूति को बहुत बढ़ा देती है । बैंक साख का पूति वक्र (BM) कुछ अंश तक व्याज-लोचदार होता है । यदि अन्य बातें समान रहे, तो बैंक की नीची व्याज-दर की अपेक्षा ऊंची व्याज दर पर अधिक ऋण होंगे ।

(द) अ-विनियोग (Disinvestment)—अ-विनियोग विनियोग का उल्टा है । जब सरचनात्मक परिवर्तनों के कारण विद्यमान मशीनों के स्टॉक को चिसने दिया जाता है और उन्हें प्रतिस्थापित नहीं किया जाता, तो उत्पाद की विभी सं प्राप्त आगम का एक भाग पूंजी प्रतिस्थापन में लगाने के बजाय बाजार में उधार योग्य कोषों के रूप में प्रवेश कर लेता है । ऊंची व्याज-दर अ-विनियोग को प्रोत्साहित करती है । जब व्याज-दर उंची हो, तो यह सम्भव है कि चालू पूंजी का कुछ भाग इस व्याज-दर के अनुरूप सीमान्त-आगम-उत्पाद उत्पन्न न कर सके । ऐसी दशा में फर्म इस पूंजी को चिस जाने देगी तथा पिलाई कोष का प्रयोग इसका प्रतिस्थापन करने के बजाय साख बाजार में ऋण देने में करेगी । इस प्रकार, अ-विनियोग उधार योग्य कोषों की पूति में वृद्धि करते हैं । इन्हें चित्र में DI वक्र द्वारा दिखाया गया है ।

उपरोक्त चारों वक्रों (D, DM, DI और BM) के lateral summation द्वारा कुल पूति वक्र (LS) प्राप्त हो जायेगा, जो ऊपर की दिशा में दाहिनी ओर टाडू होता है । ऊंची व्याज दरों पर कुल 'उधार योग्य-कोष-पूति' अधिक और नीची व्याज दरों पर यह कम होगी ।

(३) ऋण योग्य कोषों के कुल मांग एवं कुल पूति में साम्य—

व्याज-दर ऋण योग्य कोषों के लिए कुल मांग एवं इनकी कुल पूति में साम्य द्वारा निर्धारित होगी । (देखिये पिछला चित्र) । इस चित्र में LS कुल पूति वक्र और LD कुल मांग वक्र एक दूसरे को Or (=NE) व्याज दर पर काटते हैं । इस दर पर कुल पूति कुल मांग के बराबर है । अतः यही साम्य दर बाजार में स्थापित हो जायेगी ।

आलोचनात्मक समीक्षा—

यह सिद्धान्त प्रतिष्ठित सिद्धान्त की तुलना में अधिक व्यापक है क्योंकि इनमें लोगों की

वचनों के अतिरिक्त उनके आसंचन तथा बैंको द्वारा निमित्त मुद्रा पर भी ध्यान दिया गया है जिन्हें प्रतिष्ठित सिद्धान्त में कोई स्थान प्राप्त न था। फिर भी इस सिद्धान्त को निम्नलिखित आलोचनाएँ महत्वपूर्ण हैं:—

(१) इस सिद्धान्त में साम्य क्रिया में बचतों पर ब्याज-दर का प्रभाव बहुत बड़ा-चढ़ा कर दिया गया है। कुछ बचतें ऐसी भी हैं जो अनिच्छा से ही हो जाती हैं और जिन पर ब्याज दर का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है।

(२) यह सिद्धान्त भी प्रतिष्ठित सिद्धान्त की भाँति मान लेता है कि समाज की ऋण मबासिधर रहती है और उस पर विनियोगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सत्य यह है कि ब्याज की ऊँची दरें विनियोगों को हतोत्साहित करती हैं जिसमें आगे चलकर स्वयं आय भी घट जाती है।

(३) हेन्सन (Hansen) का विचार है कि यहाँ भी ब्याज अनिर्धारणीय (Indeterminate) ही है। "उधारयोग्य कोष सिद्धान्त के अनुसार ब्याज-दर उधार-योग्य कोषों की माँग और पूर्ति की रेखाओं द्वारा उस बिन्दु पर निश्चित होती है जहाँ कि ये रेखाएँ एक दूसरे को काटती हैं। किन्तु उधारयोग्य कोषों की पूर्ति में बचत तथा उधारयोग्य कोषों की वह शुद्ध वृद्धि सम्मिलित होती है जो नई मुद्रा के सृजन में तो तथा क्रियाहीन (Passive) कोषों के आसंचन को तोड़ने से हुई है। अब, क्योंकि बचतें 'व्यय-योग्य-आय' के अनुसार घटती-बढ़ती रहती हैं; इसलिए 'उधार-योग्य-कोषों की कुछ पूर्ति' में भी आय के परिवर्तनों के अनुसार परिवर्तन होते हैं। अतः यह सिद्धान्त भी अनिर्धारणीय है।"¹

(VIII) केन्ज का द्रवता अनुराग सिद्धान्त (The Liquidity Preference Theory of Keynes)

व्याज क्या है ?

लॉर्ड केन्ज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक *The General Theory of Employment, Interest and Money* में व्याज के एक नये सिद्धान्त का निर्माण किया है। उनका कथन है कि जब एक उपयोग वस्तु को पूँजी-वस्तु के रूप में उपयोग किया जाता है अथवा जब किसी उपभोग-वस्तु को काम में लाने के अधिार को एक पूँजी-वस्तु प्राप्त करने के अधिकार में बदल लिया जाता है, तो ऐसी दशा में केवल होता है कि वर्तमान वृत्ति को भावी वृत्ति में परिवर्तित कर लिया जाता है। किन्तु जब हम मुद्रा को लेते हैं, तो इसके वर्तमान और भावी उपयोग आसंचन (Hoarding) तथा उधार देने (Lending) का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार व्याज को आसंचन न करने के पारितोषिक के रूप में समझा जा सकता है। अन्य शब्दों में, केन्ज के अनुसार, व्याज द्रवता (Liquidity) के परित्याग करने का पारितोषिक मात्र है।

व्याज क्यों दी जाती है ?

केन्ज का विचार है कि स्वभाव से प्रत्येक मनुष्य अपनी आय को नगद रकम (Cash or

¹ "According to Loanable funds analysis the rate of interest is determined by the intersection of the demand schedule for loanable funds with the supply schedule. Now the supply schedule of loanable funds is compounded of savings plus net additions of loanable funds from new money and the dishoarding of idle balances. But, since the saving portion of the schedule varies with the level of disposable income, it follows that the total supply schedule of loanable funds also varies with income. This theory is also indeterminate."—Hansen : *A Guide to Keynes*, p. 143.

Liquid Money) के रूप में रखना पसन्द करना है। कारण, आय का यह उपयोग होता है कि उससे आवश्यकता के अनुसार तुरन्त ही वस्तुएँ और सेवाएँ खरीदी जा सकें। इस काम के लिए द्रवता (अर्थात् नगद राशि) अत्यन्त सुविधाजनक तथा उपयुक्त है, क्योंकि नगद द्रव्य तुरन्त ही वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करता है। इस प्रकार, जो द्रव्य रखा जाता है वह आमचन है। परन्तु जब हम अपना दूसरा जो उधार देने हैं, तो द्रवता हमारे पास से चली जाती है। इसमें सन्देह नहीं है कि उधार दी हुई राशि का स्वामित्व अभी भी हमारे ही पास रहता है, परन्तु वह राशि हमारे पास इस रूप अर्थात् नगद में नहीं रहती है कि उसे तुरन्त वस्तुएँ और सेवाएँ खरीदने के लिये उपयोग किया जा सके। जो रकम अ-द्रव (Non-liquid) रूप में हमारे पास रहती है वह नगदी की भाँति सुविधाजनक नहीं है। यही कारण है कि जब तक कि किसी लाभ अथवा लाभ की आशा न हो कोई भी द्रवता का परित्याग नहीं करना चाहता। यह लाभ ध्याज के रूप में उपस्थित किया जाता है, अतः ध्याज का मूल कारण "द्रवता अनुराग" है। "ध्याज एक निश्चित काल के लिए द्रवता का परित्याग करने का परिचालन है।" साम्य ही, ध्याज-दर इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि लोग द्रवता का उम घटा तब परित्याग कर दें कि उधार की माँग के अनुसार द्रव्य पर्याप्त मात्रा में मिल सके।

ध्याज-दर का निर्धारण—

केज के सिद्धान्त के अनुसार ध्याज-दर बचन की पूर्ति और माँग द्वारा निर्दिष्ट नहीं की जाती है। समस्त द्रव्य, जो आय के धाम प्राप्त होता है, उधार नहीं दिया जाता। वास्तव में बचत का एक भाग ही ऋण के रूप में दिया जाता है, शेष केवल आमचित कर लिया जाता है। इस प्रकार, ध्याज-दर द्रव्य की उम पूर्ति के द्वारा निर्दिष्ट होती है जो आमचित करके नहीं गयी जाती है। अतः यह उपयोग न करने की अपेक्षा आसंचन न करने का मुख्य है। जितना द्रव्य आमचित कर लिया जाता है उममें तो केवल आमचन या द्रवता अनुराग की सम्पुष्टि होती है। अब, क्योंकि उधार देने योग्य द्रव्य की मात्रा या पूर्ति द्रवता-अनुराग द्वारा निर्दिष्ट होती है, इसलिये यह कहना अनुचित न होगा कि द्रवता अनुराग ही ध्याज-दर को निर्धारित करता है।

द्रवता अनुराग के कारण—

इस प्रश्न का उत्तर ही आवश्यक है कि लोग अपनी आय को नगदी के रूप में रखना क्यों पसन्द करते हैं, जबकि वे उधार देकर ध्याज का लाभ उठा सकते हैं? ध्यानपूर्वक देखने में पता चलता है कि द्रवता-अनुराग के निम्न कारण होने हैं— (१) नगद द्रव्य तुरन्त वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त कर लेने के उद्देश्य में रखा जाता है। अल्प-एक निश्चित समय पर होती है, जबकि व्यय प्रतिदिन ही होता रहता है। केज के शब्दों में, "नगदी को आवश्यकता प्राप्त होने तथा व्यय करने के बीच के समय को पार करने के लिये पड़ती है।" (२) प्रत्येक व्यवसायी को कुछ न कुछ नगदी हर समय इसलिये रखनी पड़ती है कि नगदी की बहुधा माँग होती है। (३) हर मनुष्य को अस्मिन् घटनाओं से पूरा करने के लिये भी नगद द्रव्य रखना पड़ता है। (४) विनियोग के लिये पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त करने के लिये लोग थोड़ा-थोड़ा धन जोड़ते रहते हैं। इसी प्रकार, एक विनियोग की बिनी में प्राप्त धन का उम समय तक आमचन होता है जब तक इस धन को दूसरे विनियोग में नहीं लगाया जाता) (५) कुछ लोग स्ट्रेटवाजी के लिये भी रकम रखते हैं।

ध्यान रहे कि पहले चार कारणों के लिये जो नगदी की व्यवस्था की जाती है उस पर

1 "Interest is the reward for parting with liquidity for specified period."—
J. M. Keynes *General Theory of Employment, Interest and Money*, p. 167.


व्याज-दर का लगभग कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, परन्तु पाँचवें प्रकार के नकदी के मंचय पर इसका प्रभाव बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि जब व्याज-दर ऊँची होती है, तो द्रवता अनुराग कम हो जाता है। व्याज की दर ऐसी होगी कि वह नकदी की माँग को उसी पूँति के बराबर कर दे।

द्रवता अनुराग के ये पांच उद्देश्य प्रथम आय उद्देश्य, उपवसाय उद्देश्य, आकस्मिक उद्देश्य, वित्तीय उद्देश्य तथा सट्टा उद्देश्य हैं। केन्ज का विचार है कि प्रथम चार उद्देश्यों के लिये नकदी की माँग के आय स्तर पर निर्भर होती है परन्तु सट्टा उद्देश्य के लिये नकदी की माँग व्याज-दर पर निर्भर होती है। यदि मुद्रा की कुल माँग M है, प्रथम चार उद्देश्यों के लिये मुद्रा की माँग को M_1 कहा जाता है तथा सट्टा उद्देश्य के लिये मुद्रा की माँग M_2 है, तो $M = M_1 + M_2$ । केन्ज के अनुसार M_1 पर व्याज-दर का प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि वह आय स्तर पर निर्भर होता है किन्तु M_2 सीधे-सीधे व्याज-दर पर निर्भर होता है।

केन्ज की उपरोक्त मान्यताएँ लगभग सही हैं। साधारणतया, यदि लोग सावधानी में काम लें और प्रथम चार उद्देश्यों के लिये ठीक उतनी ही मुद्रा का आभयन करे जितनी की नि उन्हें आवश्यकता पड़ने की सम्भावना हो, तो ये व्याज-दरों के घटने-बढ़ने के कारण अधिक या कम आभयन नहीं करेंगे। इस कारण यह कहना उचित ही होगा कि इन उद्देश्यों के लिये जमा की गई नकदी की मात्रा व्याज-दरों के प्रभाव से मुक्त या व्याज-वैलोन (interest inelastic) होती है। अतः सट्टा उद्देश्य से उत्पन्न द्रवता अनुराग ही विभिन्न व्याज-दरों पर मुद्रा की माँग और पूँति के परिवर्तन निश्चित करता है।


निम्न रेखा-चित्र में मुद्रा की पूँति MM' रेखा द्वारा दिखाई गई है और सरलता के लिए हमने यह मान लिया है कि मुद्रा की मात्रा यथास्थिर रहे। यद्यपि इसका यथास्थिर रहना आवश्यक नहीं है क्योंकि बैंकों की कार्यवाही और व्याज-दरों के परिवर्तन इनके घटने बढ़ने की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। मुद्रा की कुल मात्रा M में से (मान लीजिये कि वह २,००० करोड़ रुपया है) जो बैंक प्रणाली द्वारा उत्पन्न की गई है, M_1 (अर्थात् १,४०० करोड़ रुपया) प्रथम चार उद्देश्यों की पूँति के लिये रखी गई है। ऐसी दशा में सट्टा उद्देश्य के लिये मुद्रा की पूँति अर्थात् M_2 (६०० करोड़ रुपया) होगी। चित्र में MM' रेखा मुद्रा की इसी पूँति को दिखाती है। सट्टा उद्देश्य को संतुष्ट करने के लिये मुद्रा की माँग LP रेखा द्वारा दी जाती है जो द्रवता अनुराग की वक्र रेखा है। LP रेखा यह दिखाती है कि यदि सट्टा उद्देश्य से लोगों की नकदी का मंचय करने की आवश्यकता होती है, तो व्याज-दर को प्रत्येक वृद्धि द्रवता अनुराग को घटाती है और व्याज-दर की प्रत्येक कमी द्रवता अनुराग को बढ़ाती है (क्योंकि LP रेखा बायी ओर से दाहिनी ओर नीचे की गिरती हुई रेखा है)। रेखाचित्र में दर्शायी स्थिति के अनुसार व्याज-दर KM है, क्योंकि इसी पर व्याज-दर नकदी की पूँति तथा द्रवता-अनुराग (अर्थात् नकदी की माँग) में समानता लाती है। यदि मुद्रा की मात्रा यथास्थिर रहे, परन्तु ममाज का द्रवता-अनुराग बढ़ जाये, तो द्रवता अनुराग रेखा LP' का रूप धारण कर लेगा और इस दशा में व्याज-दर TM होगी जिस पर नकदी की पूँति (OM) उसकी माँग के बराबर है। इस प्रकार, द्रवता-अनुराग का परिवर्तन व्याज-दर में परिवर्तन कर देता है।

यह सिद्ध करना भी कठिन नहीं है कि यदि द्रवता-अनुराग यथास्थिर रहे, परन्तु मुद्रा की



सट्टा उद्देश्य के लिये मुद्रा की मात्रा

माना में परिवर्तन हो जायें, तब भी व्याज-दर में परिवर्तन हो जायेंगे। यह स्थिति निम्न रेखाचित्र में दिखाई गई है। चित्र में LP द्रवता अनुराग वक्र है जो यथास्थित है। सट्टा उद्देश्य के लिये मुद्रा की मात्रा आरम्भ में OM है जिसके आधार पर व्याज-दर KM है। यदि मुद्रा-मात्रा बढ़कर K'M' हो जाती है और द्रवता-अनुराग रेखा LP ही है, तो व्याज-दर घट कर K'M' हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जब मुद्रा की मात्रा घटकर OM' हो जाती है, तो व्याज-दर बढ़कर K'M' हो जाती है। अतः मुद्रा की मात्रा के परिवर्तन भी व्याज-दरों में परिवर्तन कर सकते हैं।



सट्टा उद्देश्य के लिये मुद्रा की मात्रा

यही स्थिति या पता लगाने के लिये हमें एक साथ द्रवता-अनुराग तथा मुद्रा-मात्रा दोनों के परिवर्तनों पर एक ही साथ विचार करना होगा। वास्तव में, केन्ज का द्रवता-अनुराग सिद्धान्त अत्यधिक जटिल है क्योंकि उपरोक्त सारा विवेचन इस मान्यता पर आधारित है कि आय यथास्थिर रहती है। परन्तु व्यवहार में उभयों में परिवर्तन सम्भव होने हैं। इन परिवर्तनों पर विचार करने से सिद्धान्त और भी जटिल हो जाता है। परन्तु इन सब परिवर्तनों का सिद्धान्त की आधार-भूत सत्यता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। मूलतया केन्ज के सिद्धान्त का आधार यही है कि व्याज-दर द्रवता-अनुराग से सम्बन्धित है। व्याज-दर द्रवता-अनुराग तथा मुद्रा-मात्रा पर आधारित होती है और, यदि हम आय में यथास्थिर मान लेते हैं तो, मुद्रा की माँग सट्टा उद्देश्य में "मुद्रा की माँग" होगी। इस मान्यता के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जितना ही द्रवता-अनुराग अधिक होगा व्याज-दर उतनी ही ऊँची होगी, और जितना ही द्रवता-अनुराग कम होगा व्याज-दर उतनी ही नीची होगी।

आलोचनाएँ—

इस सिद्धान्त की श्रेष्ठता दिखाने के लिए केन्ज ने व्याज के अन्य सिद्धान्तों की आलोचना की है। उनके विचार में, उनका सिद्धान्त व्याज की व्याख्या केवल द्रव्यिक दृष्टि में करता है, जबकि हमसे तो उसकी व्याख्या मनोवैज्ञानिक अथवा उत्पादन की दृष्टि में की है, जो ठीक नहीं है। निश्चय ही केन्ज का व्याज का सिद्धान्त उनके द्रव्य के मूल्य के सिद्धान्त पर आधारित है। साथ ही, केन्ज के अनुसार व्याज बचत का पारितोषक नहीं है, क्योंकि बचत तो आमचित भी नहीं जा सकती है, जिस दशा में व्याज नहीं मिलती है। इसी प्रकार, व्याज-दर पूँजी की माँग और बचत में समानता लाने का काम भी नहीं करती है। इसके विपरीत, बहुधा ऐसा होता है कि अधिक बचत से विनियोगों को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे अन्त में लोगों की आय बढ़ती है और उनकी बचत करने की शक्ति में भी वृद्धि होती है अन्त बचत पर व्याज दर की अपेक्षा आय के परिवर्तनों का प्रभाव अधिक पड़ता है।

परन्तु केन्ज के सिद्धान्त में भी कई महत्वपूर्ण दोष हैं —

(१) सब कुछ होते हुए भी यह सिद्धान्त अधूरा है। यहाँ भी केवल पूँजी की दिशा से व्याज दर का अध्ययन किया गया है। केन्ज का यह कहना तो ठीक है कि पूँजी का मूल्य केवल बचत पर निर्भर नहीं होता, परन्तु फिर भी बचत तथा द्रवता अनुराग दोनों मिल कर केवल पूँजी की पूँति को ही निश्चय करते हैं, उनका पूँजी की माँग पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसके अतिरिक्त, पूँजी पर केवल द्रवता-अनुराग का ही प्रभाव नहीं पड़ता, वरन् त्याग, प्रतीक्षा तथा समय-वरीयता का भी प्रभाव पड़ता है। व्याज-दर पर पूँजी की माँग के प्रभाव का समुचित अध्ययन न करके केन्ज ने वास्तव में बड़ी भूल की है।

(२) ऐसी प्रतीति होगी है कि केन्ज ने पुराने अर्थशास्त्रियों के बचत शब्द की भत्ती-भांति नहीं समझा है। आधुनिक धन की तो पूँजी कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि वह तो केवल उपयोग-वस्तु है। उसको-तो प्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता पूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसे धन में वर्तमान सन्तोष के त्याग का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार, वयार्थ में बचत के मूल्य तथा आसंचन न करने के मूल्य के अर्थ में कुछ भी अन्तर नहीं है।

(३) केन्ज के अनुसार व्याज का भुगतान केवल उसी दशा में किया जाता है जबकि कृषी तथा ऋणदाता दोनों पृथक्-पृथक् व्यक्ति होते हैं, यह भी सम्भव है कि एक ही व्यक्ति एक ही साथ दोनों ही हो। ऐसी दशा में व्याज पूँजी की कमाई (Earning) के रूप में प्रकट होता है। आसंचित हुआ धन ठीक उन्ही प्रकार व्याज कमाता है जिस प्रकार से उधार दिया हुआ धन।¹

प्रतिष्ठित सिद्धान्त से भिन्नता—

केन्ज ने अपने सिद्धान्त और प्रतिष्ठित सिद्धान्त के बीच भेद बताया है :—(१) प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार व्याज-दर (साल की माँग और पूँति द्वारा निर्धारित होती है। किन्तु केन्ज के अनुसार यह द्रव्य की माँग और पूँति के द्वारा निर्धारित होती है। इस सम्बन्ध में राबर्टसन और ओह्लेन्सिन, दोनों का विचार है (और यह सही भी है) कि दोनों सिद्धान्त यथार्थ में एक ही हैं। द्रव्य की माँग द्रव्यता की माँग पर निर्भर होती है, जबकि साख की माँग कर्म-शक्ति पर और इन दोनों में कोई आधारभूत अन्तर नहीं है। (२) प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुख्य बात पूँजी की सीमान्त उत्पादकता है और इसी के साथ व्याज-दर का समायोजन होता है। केन्ज के अनुसार मुख्य बात पूँजी की सीमान्त मुशकलता है और इसी से व्याज-दरों का समायोजन होगा है। यह भेद भी कृत्रिम है, क्योंकि यहाँ केवल शब्दों का ही हेर-फेर है।

केन्ज के सिद्धान्त की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि अन्य सिद्धान्तों की भाँति यह भी अनिर्धारणीय है। इस सिद्धान्त के अनुसार व्याज-दर ज्ञात करने के लिए हमें सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की उपलब्ध माना का पता लगाना चाहिये। परन्तु, यदि पहले से ही व्याज-दर ज्ञात नहीं है, तो इस मात्रा का पता नहीं लगाया जा सकता। अतः सिद्धान्त अनिर्धारणीय होता है। अच्छी बात यह है कि केन्ज के सिद्धान्त में वे सब तत्त्व विद्यमान हैं जिनके आधार पर व्याज का निर्धारणीय सिद्धान्त बनाया जा सकता है हिक्स और हेन्सन ने ऐसा किया भी है।

आधुनिक या समन्वित व्याज सिद्धान्त

अभी तक के समस्त अध्ययन से यहाँ ज्ञात होता है कि कोई भी एक सिद्धान्त व्याज-दर की व्याख्या के लिए पर्याप्त नहीं है। परन्तु, यदि ऐसा है, तो क्या हम किसी प्रकार भी व्याज दर का निर्धारण नहीं कर सकते हैं? आधुनिक अर्थशास्त्रियों (हिक्स, हेन्सन इत्यादि) के अनुसार व्याज-दर के निर्धारण की व्याख्या हेतु प्रतिष्ठित या नव प्रतिष्ठित सिद्धान्त और केन्ज के सिद्धान्त का समन्वय करना आवश्यक है। हेन्सन के शब्दों में "व्याज का एक निर्धारणीय सिद्धान्त निम्न पर आधारित होगा :—(१) विनियोग-माँग-वक्र, (२) बचत-वक्र (अथवा दशाका विलोम उपभोग वक्र), (३) द्रव्यता-अनुपात-वक्र और (४) मुद्रा का परिमाण। यदि हम केन्ज के सिद्धान्त को व्यापक रूप में लेते हैं, तो उसमें वे सभी सम्मिलित हैं। इस अर्थ में, नव-प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के विपरीत, केन्ज के पास एक निर्धारणीय सिद्धान्त था। परन्तु केन्ज ने इन सभी तथ्यों को व्यापक रूप में कभी एक साथ प्रस्तुत नहीं किया और इस आधार पर उन्होंने व्याज के एकीकृत

¹ "The amount of hoarded money that is meant to satisfy the preference of the person for liquidity earns interest as much as the amount that is actually lent."—J. K. Mehta : *Advanced Economic Theory*, p. 224.

सिद्धान्त का निर्माण नहीं किया। वे विशेष रूप से यह नहीं बता पाये कि द्रवता-अनुराग तथा मुद्रा की मात्रा दोनों मिलकर हमारे लिए व्याज दर का तो नहीं, परन्तु LM रेखा का (LM रेखा बड़े रेखा है जो हमें यह बताती है कि यदि मुद्रा का परिमाण ज्ञात और निश्चित है तथा आय के विभिन्न स्तरों से सम्बंधित द्रवता का अनुराग बंध दिये हुए हैं, तो व्याज की विभिन्न दरें क्या होंगी) पता अवश्य लगा लेते हैं। यह कार्य आगे चलकर (Hicks) ने किया। उन्होंने बैंक की विधियों का उपयोग करके एक ऐसा तरीका प्रस्तुत किया है जिससे सम्पूर्ण बिज पर ही ध्यान रहता है, अर्थात् उन्होंने यह दिखाया कि उत्साहकता, बचत (Thrift) द्रवता-अनुराग तथा मुद्रा की वृद्धि से सभी व्याज के एक व्यापक तथा निर्धारणीय सिद्धान्त के आवश्यक तत्व हैं।

व्याज दर में परिवर्तन

व्याज-दर में होने वाले परिवर्तनों के कारणों को सुगमतापूर्वक समझाया जा सकता है। ये परिवर्तन पूँजी की माँग और पूर्ति के परिवर्तनों द्वारा उपस्थित किये जाते हैं। यदि पूँजी की माँग बढ़ती है, तो व्याज की दर साधारणतया ऊपर उठ जाती है और यदि पूँजी की माँग घटती है, तो व्याज की सामान्य दर कम हो जाती है। पूर्ति के सोमित हो जाने से व्याज बढ़ती है, और यदि कुछ कारणों से पूर्ति बढ़ती है, तो व्याज-दर कम हो जाती है।

अल्पकाल—अल्पकाल में पूँजी की पूर्ति प्रायः यथास्थित होती है। अतः व्याज-दर पर पूँजी की माँग के परिवर्तनों का ही प्रभाव प्रधान रहता है। यदि नए आविष्कारों के कारण पूँजी के उपयोग की नई सम्भावनाएँ उत्पन्न हो जाती हैं अथवा भविष्य में अधिक अच्छे व्यापार या व्यवसाय की आशा भी जाती है, तो व्याज-दर ऊपर चली जाती है। ठीक इसी प्रकार, यदि आर्थिक भविष्य का अनुमान निराशाजनक है, तो व्याज-दर गिर जायगी।

अल्पकाल में पूँजी की पूर्ति का भी व्याज-दर पर प्रभाव पड़ सकता है। दंबी प्रकोपों, आर्थिक सङ्कटों अथवा अन्य कारणों से बचत और पूँजी की पूर्ति में कमी आ सकती है और इस प्रकार व्याज-दर बढ़ सकती है। इसी प्रकार, अच्छी कसबों व्याज दर को गिरा सकती है।

अल्पकालीन व्याज-दर पर राजनैतिक कारणों का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। अनिश्चितता अथवा रक्षाहीनता व्याज-दर को बढ़ा देती है।

दीर्घकाल—दीर्घकाल में भी अल्पकालीन कारणों का प्रभाव शेष रहता है, क्योंकि अल्पकालीन कोष दीर्घकालीन कोषों में परिवर्तित होने रहते हैं। परन्तु दीर्घकालीन व्याज की दर पर दीर्घकालीन कारणों का ही अधिक प्रभाव पड़ता है। ऐसे कारण जन-संख्या तथा बचत करने की आदतों के परिवर्तनों द्वारा उपस्थित किये जाते हैं। साधारणतया जन-संख्या के बढ़ने से उत्पन्न तथा पूँजी की माँग बढ़ जाने के कारण व्याज की दर भी बढ़ जाती है। यदि लोग बालान्तर में पहले की अपेक्षा अधिक दूरदर्शी हो जाते हैं, तो बचत तथा पूँजी की पूर्ति की वृद्धि के कारण व्याज-दर में कमी हो जाती है। ठीक इसी प्रकार, भविष्य की अनिश्चितता का भी व्याज-दर पर प्रभाव पड़ता है। यह अनिश्चितता पूँजी की पूर्ति को घटाकर व्याज-दर को बढ़ा देती है।

दीर्घकालीन दर से अल्पकालीन दर का सम्बन्ध—साधारणतया दीर्घकालीन व्याज-दर अल्पकालीन व्याज दर से ऊँची रहती है। दीर्घकाल में जोखिम का अंश अधिक होता है और व्याज का एक भाग इस जोखिम के बदले के रूप में होता है। परन्तु कुछ देशों में दीर्घकाल की व्याज दर अल्पकालीन दर से भी कम हो सकती है, विशेषकर यदि जनता की भावी स्थिरता पर विश्वास हो। जिस प्रकार अल्पकालीन मूल्य में दीर्घकालीन मूल्य की अपेक्षा उतार-चढ़ाव अधिक होते हैं ठीक उसी प्रकार अल्पकालीन व्याज-दर दीर्घकालीन दर की अपेक्षा अधिक तेजी तथा ॥ से बदलती रहती है।

व्याज-दर सम्बन्धी अन्तरों के प्रमुख कारण—

(१) विभिन्न स्थानों, देशों और उद्योगों के बीच पूँजी की गतिशीलता अपूर्ण होती है। कुछ स्थानों अथवा उद्योगों में व्याज-दर अधिक होते हुए भी पूँजी दूसरे स्थानों अथवा उद्योगों से हटाकर वहाँ नहीं ले जाई जाती है।

(२) साहूकार या ऋणदाता को उधार देने में कुछ न कुछ जोखिम अवश्य उठानी पड़ती है, अतः उधार लेने वाले से जमानत ली जाती है। जो लोग अच्छी जमानत नहीं दे सकते या जिनकी राय अथवा आर्थिक स्थिति विश्वसनीय नहीं होती है, उनसे अधिक व्याज लिया जाता है। इसके विपरीत, प्रसिद्ध फर्म और व्यवसायी वम व्याज पर ऋण पा जाते हैं।

(३) ऋण अलग-अलग समयावधियों के लिए लिए जाते हैं— कुछ लम्बे समय के लिए होते हैं और कुछ थोड़े समय के लिए। लम्बे समय के ऋणों पर व्याज-दर अधिकतर ऊँची होती है, क्योंकि प्रतीक्षा और समय बरीयता तथा द्रवता-पसन्दगी के त्याग की अवधि लम्बी होती है।

(४) अधिकांश लोग अपनी पूँजी से दूर के स्थान की निरीक्षा निकट के स्थानों में लगाना अधिक अन्ध्रा समझते हैं। इस कारण दूर के स्थानों पर, जहाँ पूँजी का अपेक्षित अभाव है, व्याज-दर ऊँची रह सकती है।

(५) पूँजी की उत्पादकता भी सभी उद्योगों में समान नहीं होती है। यदि उत्पादन पूँजी के उपयोग द्वारा अधिक लाभ उठाना है, तो यह ऊँची व्याज देने को तैयार हो जाता है। निरस्तान्देह पूर्ण प्रतियोगिता के अन्तर्गत अन्त में पूँजी की सीमान्त उत्पादनता सभी उद्योगों और स्थानों पर समान हो जायगी और व्याज दर के अन्तर समाप्त हो जायेंगे, परन्तु वास्तविक जीवन में पूर्ण प्रतियोगिता का अभाव इस स्थिति को आने ही नहीं देता है।

व्याज की दर की भिन्नता के कारणों की व्याख्या से एक बात यह स्पष्ट हो जाती है कि व्याज-दरों में अन्तरों के कारण अधिकतर उधार देने से सम्बन्धित जोखिम तथा असुविधाओं से उत्पन्न होते हैं और पूँजी के बाजार का अपूर्ण होना ही उनका मुख्य कारण है। बाजार विशेष में शुद्ध व्याज-दर तदा एक ही रहती है।

आर्थिक उन्नति और व्याज-दर

अब हम यह देखन का प्रयत्न करेंगे कि व्याज-दर और आर्थिक उन्नति में क्या सम्बन्ध है ?

(१) माँग—भविष्य के विषय में यह आशा की जा सकती है कि शिल्प, वैज्ञानिक उन्नति, उत्पत्ति की मात्रा तथा उसके रूप, आय, जीवन-स्तर, उपभोग-स्तर इत्यादि में उन्नति तथा सुधार होंगे। इन सबके फलस्वरूप उत्पत्ति की माँग में वृद्धि होगी, जिसके लिए उत्पादन का बढाना आवश्यक हो जायगा। उत्पत्ति ही वृद्धि निरन्तर ही पूँजी की माँग को बढावेगी, जिस कारण व्याज-दर में ऊँचा जाना चाहिए। अतः माँग की वृद्धि की दृष्टि से व्याज-दरों की भविष्य में ऊपर जाने की आशा की जा सकती है।

(२) पूर्ति—परन्तु ध्यान रहे कि व्याज-दर पर पूँजी की माँग के अतिरिक्त पूँजी की पूर्ति का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। आय के बढ़ने के साथ-साथ भविष्य में समाज को बचत करने की क्षमता भी बढ़ जायगी। उत्पत्ति अथवा आय और उपभोग का अन्तर बढ़ जायगा, जिससे अधिक पूँजी के संकषे की सम्भावना उत्पन्न हो जायेगी। साथ ही शिक्षा, सुरक्षा तथा सम्पन्नता के कारण बचत करने की प्रवृत्ति का प्रोत्साहन मिलेगा और वैज्ञानिक, योमा कम्पनियों तथा उद्योग-धर्मों के विकास के कारण बचत करने की सुविधायें बढ़ जायेंगी। इन सब कारणों का सामूहिक परिणाम यह होगा कि पूँजी की पूर्ति में अत्यधिक वृद्धि होगी।

(३) सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्य—एक दृष्टि से यह स्पष्ट है कि यदि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भविष्य में कुछ ऐसी रक्षा भी उन्नति होने की सम्भावना है, जो बचत का हतोत्साहित

करे। बुझाने की पेशान, बेरोजगारी का बीमा, सरकारी नि.मुक्त चिकित्सा, नि.मुक्त शिक्षा की व्यवस्था आदि कारण बचन करने का प्रयत्न न करे। फिर भी इन कारणों के होने होने भी भविष्य में पूँजी की वृद्धि की अत्यधिक आशा की जा सकती है और इन कारण व्याज-दर के गिरने की आशा है।

(४) आविष्कारों का प्रभाव—भाग्य से आधुनिक उत्पादन प्रणाली में एक ऐसी प्रवृत्ति कार्यशील है, जो भविष्य में पूँजी की माँग को बहुत कम कर सकती है। आधुनिक आविष्कार केवल धन की बचत ही नहीं करते हैं, बल्कि पूँजी की भी बचत करते हैं। प्रतिदिन ही ऐसी नई-नई मशीनों का आविष्कार होता रहता है, जो द्रव्य-पूँजी की माँग को कम कर देती हैं। उदाहरण-स्वरूप, यदि कल एक ऐसी मशीन बनी थी, जो १०,००० रुपये की कीमत की है और २०० इंचाई प्रतिदिन उत्पादन करती है, तो आज एक ऐसी बनेगी जो १५,००० रुपये की हो परन्तु ४०० इंचाई प्रतिदिन उत्पादन करे। निश्चय है कि इस दशा में प्रति इंचाई उत्पादन के पीछे पूँजी की माँग घटती जाती है।

(५) जन-संख्या—पश्चिमी देशों में जन-संख्या या तो गिरने या स्थिर रहने की प्रवृत्ति रखती है जो भविष्य में उत्पत्ति वृद्धि (एव इसलिए पूँजी की माँग) का रोकने का सूचक है।

अतः शायद यह कहना अनुचित न होगा कि भविष्य में पूँजी की पूर्ति, माँग को अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ने की सम्भावना है और यही कारण है कि भविष्य में व्याज की दर के गिरने की आशा की जाती है।

क्या व्याज-दर शून्य के बराबर हो सकती है ?

अब यह देखना है कि इस प्रकार गिरते-गिरते क्या भविष्य में व्याज की दर शून्य के बराबर हो सकती है ? इस प्रश्न का अध्ययन सर्वप्रथम मिल ने किया था। उनका विचार था कि भविष्य में व्याज की दर अवश्य गिरेगी, परन्तु वह शून्य के बराबर कभी भी नहीं होगी। इसके विपरीत, कुछ अर्थशास्त्री ऐसे भी हैं, जिनके विचार में व्याज दर शून्य के बराबर हो सकती है। इस सम्बन्ध में शुम्पेटर (Schumpeter) का विचार है कि स्थैतिक अवस्था (Static state) अथवा प्रगति-हीन समाज में व्याज-दर शून्य पर आ जायगी, क्योंकि यहाँ लाभ का पूर्णतया लोप हो जाता है।¹

ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि उक्त विचार सही नहीं है। माँग को दृष्टि से इस अवस्था का अर्थ यह होता है कि पूँजी की सीमान्त उपज शून्य के बराबर हो जाय अर्थात् अधिक पूँजी लगाकर भी उत्पत्ति की बढ़ाने की सम्भावना न रहे और मानव समाज की उत्पादन शक्ति अपनी परमसीमा पर पहुँच जाय। यह तभी सम्भव है जबकि मनुष्य की मारी आवश्यकताएँ पूरी हो जायें, जो असम्भव हैं, क्योंकि यदि वर्तमान आवश्यकताएँ सन्तुष्ट भी हो जाती हैं, तो प्रति-दिन ही और नई आवश्यकताएँ उत्पन्न होती रहती हैं। साथ ही शिल्प-वैज्ञानिक उन्नति के साथ-साथ उत्पत्ति प्रणाली अधिक घुमावदार (Round-about) होती जाती है जिससे पूँजी का महत्त्व तथा इसकी सीमान्त उत्पादकता घटने के स्थान पर बढ़ती ही जाती है। अतः पूँजी की सीमान्त उपज शून्य से ऊपर ही रहेगी।

इसी प्रकार, पूँजी की पूर्ति की दृष्टि से भी व्याज-दर शून्य नहीं हो सकती। ऐसी व्याज-दर का अभिप्राय यह होगा कि हम बिना व्याज की आशा या प्रतीक्षण के भी बचत करते रहेंगे और ऋण देते जायेंगे। दूसरे शब्दों में, बचत सम्बन्धी त्याग प्रतीक्षा, समझ-बूझीयता तथा द्रवता अनुराग समाप्त हो जायेंगी। ये सब बातें मनुष्य की मनोवृत्ति तथा कार्यवाह्यता में इतना

¹ Robbins : *On Some Ambiguity in the Conception of Stationary Equilibrium*, *Economic Journal* of June, 1930.

महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं कि इनका अन्त सम्भव नहीं है। सच तो यह है कि व्याज-दर गिरने से ये प्रवृत्ति अधिक बलवान होने लगती हैं। रोबिन्सन ने ठीक ही कहा है कि "मस्याओं तथा मनोविज्ञान से सम्बन्धित कुछ ऐसे प्रभाव सदा ही विद्यमान रहते हैं, जो व्याज-दर को मूल्य में बहुत ऊपर ही रोक देने हैं।"¹ इस प्रकार व्याज-दर के मूल्य पर आ जाने की सम्भावना नहीं है।

समाजवाद और व्याज

कार्ल मार्क्स तथा अन्य समाजवादी लेखक व्याज के औचित्य पर आरोप करते हैं। वे यथार्थ में मूल्य के श्रम सिद्धान्त के समर्थक हैं। मूल्य का निर्धारण उत्पादन में लगी हुई श्रम की मात्रा से होता है। उनका कहना है कि कुल उत्पत्ति श्रम के फलस्वरूप ही होती है और इसी का उस पर अधिकार होना चाहिए। परन्तु पूँजीवाद में पूँजीपति श्रमिक को केवल उसकी जीवन-रक्षा योग्य ही मजदूरी देता है और शेष आय का स्वयं हड़प कर जाता है। इस प्रकार, व्याज श्रमिकों का शोषण है और एक प्रकार की चोरी या उन्नी है। स्मरण रहे कि व्याज व्यक्तिगत सम्पत्ति (Private property) व्यवस्था का ही एक अंग है और समाजवाद में ऐसी सम्पत्ति के न रहने के कारण व्याज का अस्तित्व ही मिट जाता है।

समाजवाद में व्याज को आय की दृष्टि में नहीं देखा जाता, बरन् केवल हिसाब-किताब रखने की दृष्टि में देखा जाता है। समाजवादी सरकार विभिन्न उद्योगों में पूँजी लगाने से पूर्व लाभ का मान निर्दिष्ट कर लेती है। सभी उद्योगों में समान लाभ नहीं होता। यदि सरकार यह निश्चय कर लेती है कि जिन उद्योगों में १०% से कम लाभ होगा, उनमें पूँजी नहीं लगाई जायगी तो ऐसे आदर्श लाभ की दर से एक प्रकार से उद्योगों में लगाई हुई पूँजी की व्याज-दर ही कहा जा सकता है। समाजवादी देशों में व्याज-दर एक प्रकार की "छतनी" है, जिसमें से उत्पत्ति की योजनाएँ छानी जाती हैं और केवल ऊँची को ग्रहण किया जाता है, जिनमें अधिक लाभ की आशा की जाती है।"² इसी प्रकार, उत्पादन और उपभोग की वस्तुओं का अनुपात निर्दिष्ट करते समय भी समाजवादी सरकार को व्याज-दर की धारण लेनी पड़ती है। जो मजदूर उत्पादक वस्तुओं के निर्माण में लगाये जाते हैं उनका पालन-पोषण उस समय तक, जब तक कि वे उत्पादक-वस्तुएँ उपभोग की वस्तुएँ नहीं बनाने लगती हैं, अन्य मजदूरों की उपभोग-वस्तुओं में से प्रति मकड़ा कटौती काटकर ही किया जाता है।

व्याज और लगान में अन्तर

आधुनिक अर्थशास्त्र में, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भूमि को उत्पत्ति का एक साधन नहीं माना गया है। भूमि की आधुनिक तथा प्राचीन परिभाषाओं के अन्तर को हम देख चुके हैं। अनेक वस्तुएँ (जैसे—नहरें, मैती योग्य भूमि इत्यादि) जिन्हें प्राचीन अर्थशास्त्री भूमि कहते थे, आजकल पूँजी ही समझी जाती हैं। लगान उत्पत्ति के किसी भी साधन से प्राप्त हो सकता है, यहाँ उसमें विशिष्टता अथवा पारिभाषिकता का गुण हो। व्याज पूँजी का पारितोषण है, जबकि पूँजी का लगान इन पारितोषण अथवा व्याज के ऊपर एक आधिक्य है। व्याज के निर्धारण तथा परिवर्तनों पर जिन कारणों का प्रभाव पड़ता है वे उनमें पूर्णतया भिन्न हैं, जिनमें लगान प्रभावित होता है। लगान कीमत में सम्मिलित नहीं होता, जबकि व्याज कीमत अथवा उत्पादन व्यय का एक अनिवार्य अङ्ग है। अन्त में, व्याज उत्पादन में भी हो सकता है और दीर्घकाल में भी, जबकि लगान केवल उत्पादन तथा आभाव-दीर्घकाल में ही होता है। व्याज लगान की भाँति एक आधिक्य नहीं है और केवल पूँजी को ही प्राप्त होता है।

¹ Ibid.

² Handerson : Supply and Demand, p. 130.

परीक्षा प्रश्न :

१ व्याज का क्या अभिप्राय है और यह कैसे निर्धारित होता है ?

[सहायक संकेत—सर्वप्रथम व्याज का अर्थ बताइये । तत्पश्चात् व्याज के निर्धारण के दो प्रमुख सिद्धान्तों उधार-योग्य कोष सिद्धान्त एवं द्रवता पसन्दगी सिद्धान्त को संक्षेप में निम्नलिखिते और उनकी आलोचना कीजिये । अन्त में यह निष्कर्ष निकालिये कि आधुनिक अर्थशास्त्री व्याज दर के निर्धारण की सन्तोषजनक व्याख्या करने के लिये इन दोनों सिद्धान्तों के समन्वय पर बल देते हैं ।]

२. व्याज के तरलता पसन्दगी सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिये ।

अथवा

“व्याज की दर द्रव्य की कीमत है और द्रव्य की माँग पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है।” विवेचन कीजिये ।

[सहायक संकेत—केन्ज के अनुसार, व्याज द्रव्य की (अर्थात् द्रव्य के उस भाग की जिसे तरल रूप में रखा जाता है) माँग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है । उनके अनुसार व्याज एक मौद्रिक घटना है । अतः केन्ज अपने व्याज के सिद्धान्त को व्याज वा मौद्रिक सिद्धान्त कहना पसन्द करते हैं । उनका व्याज सिद्धान्त द्रवता पसन्दगी सिद्धान्त के नाम से विख्यात है । यहाँ इस सिद्धान्त की पूर्णरूपेण आलोचनात्मक विवेचना कीजिये ।]

३. “व्याज पुढ प्रतीक्षा का पुरस्कार है । यह एक निश्चित समयावधि के लिये पूँजी के प्रयोग की कीमत है और इसलिये व्याज-दर पूँजी की माँग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है ।” बताइये कि व्याज-दर कैसे निर्धारित होगी ?

[सहायक संकेत—व्याज के प्रतिष्ठित सिद्धान्त की आलोचना सहित पूर्ण विवेचन कीजिये और निष्कर्ष के रूप में आधुनिक मत दीजिये ।]

४. व्याज का निर्धारण दत्तों की माँग-पूर्ति के द्वारा होता है या द्रव्य की माँग-पूर्ति के द्वारा ? अपने उत्तर को चित्रों द्वारा स्पष्ट कीजिये ।

५. व्याज पर आर्थिक प्रगति का प्रभाव बताइए । क्या व्याज-दर अभी शून्य हो सकती है ? समाजवादी राज्य में व्याज का क्या स्थान होगा ?

लाभ और उसके सिद्धान्त

(Profit and The Theories of Profit)

लाभ किसे कहते हैं ?

जोखिम उठाना कोई अनिश्चित कार्य नहीं होता है। कोई भी मनुष्य अनिश्चितता नहीं चाहता, अतः साहसी बिना किसी प्रलोभन के जोखिम नहीं उठायेगा। लाभ जोखिम उठाने का पारितोषिक है। प्रो० मेहता के अनुसार, "अनिश्चितता के कारण इस प्रवर्गिक समार ग उत्पादन कार्यों में एक नौथी श्रेणी का न्याय उत्पन्न हो जाता है। यह श्रेणी जोखिम उठाना अथवा अनिश्चितता सहन करना है। लाभ इसी का पुरस्कार होता है।"¹

प्रतिदिन की बोन-चाल में लाभ शब्द बड़े विस्तृत तथा अनिश्चित अर्थ में उपयोग होता है। जन साधारण का 'लाभ' से अभिप्राय कुल उत्पत्ति के मूल्य तथा इसके कुल उत्पादन व्यय के अन्तर में होता है। जितनी राशि कुल उपज को बेचकर प्राप्त होती है तथा उत्पत्ति करने में जितनी कुल लागत होती है इन दोनों के अन्तर को ही लाभ का नाम दिया जाता है। परन्तु आर्थिक भाषा में इस प्रकार के लाभ को सकल लाभ कहा जाता है, जबकि "शुद्ध" या "आर्थिक लाभ" इसका केवल एक भाग ही होता है जो कि साहसी को जोखिम उठाने के बदले में मिलता है।

लाभ के अध्ययन में विशेष कठिनाई

लगान, मजदूरी और व्याज की अपेक्षा लाभ का अध्ययन अधिक कठिन है। यह कठिनाई दो कारणों से उत्पन्न होती है—(i) साहस तथा अन्य मापनों में एक मौखिक भेद है। प्रत्येक मापन का स्वामी एक विक्रेता होता है, जबकि साहसी इन सबका क्रेता। तब फिर साहसी की सेवाओं को गौन गरीबता है ? इस प्रश्न का उत्तर दायद यह हो सकता है कि कभी मापनों की सेवाएँ अन्त में समाज द्वारा खरीदी जाती हैं। अन्तर केवल इतना है कि अन्य सभी मापनों की सेवाओं का मूल्य साहसी द्वारा निश्चित होता है, जबकि साहसी की सेवाओं का मूल्य विभिन्न साहसियों की आपसी प्रतियोगिता के द्वारा। (ii) साहसी को जो कुल पारितोषिक प्राप्त होता है, उन सबको हम साहस की सेवाओं का मूल्य नहीं कह सकते क्योंकि उसमें साहस के मूल्य के अतिरिक्त साहसी के श्रम का मूल्य भी सम्मिलित रहता है।

सकल लाभ तथा शुद्ध लाभ

(Gross Profit and Net Profit)

समस्त उत्पत्ति के कुल मूल्य में से कुल उत्पादन-व्यय को निम्नान देने पर जो शुद्ध रूप

1 "This element of uncertainty introduces a fourth category of sacrifice in the productive activities of men in a dynamic world. This category is risk-taking or uncertainty-bearing. It is remunerated by profits."
—J. K. Mehta : *Advanced Economic Theory*, p. 282.

रहे, उसे हम सकल लाभ कहते हैं। साधारण बोल-चाल में लोग लाभ शब्द को इसी अर्थ में उपयोग करते हैं। ऐसा लाभ साहसी की कुल कमाई को सूचित करता है। यह केवल जोखिम उठाने का ही बदला नहीं है किन्तु शुद्ध लाभ भाट्मी की केवल जोखिम उठाने सम्बन्धी मेवाओं का ही मूल्य होता है। इन प्रकार सकल लाभ में निम्न प्रकार के पारितोषिक सम्मिलित होते हैं :—

(१) शुद्ध लाभ—जोखिम उठाने का बदला होता है।

(२) साहसी को अपनी निजी भूमि का लगान—प्रायः साहसी अपनी निजी भूमि को भी उत्पादन में लगाने देता है। अब क्योंकि स्वयं ही उस भूमि का स्वामी होता है, इसलिए ऐसी भूमि का लगान अलग से नहीं लेता है।

(३) व्यवसाय में लगाई हुई साहसी की अपनी पूँजी का ब्याज—जब साहसी अपनी निजी पूँजी को अपने व्यवसाय में लगाता है तो वह इसका ब्याज भी अलग से नहीं लेता, यद्यपि इसी पूँजी को उधार देने की दशा में उसे ब्याज अवश्य मिलता है। यह ब्याज भी सकल लाभ में सम्मिलित होता है।

(४) प्रबन्धक अथवा निरीक्षक के रूप में साहसी की मजदूरी—साहसी व्यवसाय का प्रबन्ध तथा उसकी देखभाल का भी काम करता है और इस कार्य के लिए उसे मजदूरी मिलनी आवश्यक है।

(५) साहसी की योग्यता का लगान (Rent of Ability)—फोर्ड-वॉर्ड साहसी विशेष योग्यता रखता है और भूमिपतियो, श्रमियों, पूँजीपतियो कच्चे माल के उत्पादकों तथा मालवाहत कम्पनियों से लाभ पूर्ण सौदे करके विशेष वचन कर लेता है।

(६) एकाधिकारीलाभ—साहसी बाजार की अपूर्णता में लगन उठाकर विशेष कमाई कर सकता है।

(७) आकस्मिक लाभ—ये लाभ विशेष परिस्थितियों, अवसर तथा भाग्य पर निर्भर होने हैं। उदाहरणस्वरूप, अस्मान् ही लडाई के आरम्भ होने अथवा बाढ़ या ज्वाने के कारण बिना आज्ञा ही लाभ प्राप्त हो सकता है, जो केवल संयोग से ही उत्पन्न हो जाता है।

लाभ के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने लाभ में विभिन्न वस्तुओं को सम्मिलित किया है। मॉन्टेल तथा अन्य अर्थशास्त्री अतिरिक्त लेखक लाभ में जोखिम उठाने के पारितोषिक के अतिरिक्त व्यवसायी की अपनी पूँजी के ब्याज और प्रबन्ध के पारितोषिक को भी सम्मिलित करते हैं। परन्तु वाकर (Walker) तथा अन्य बहुत से विद्वान साहसी की शुद्ध कमाई को ही लाभ कहते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र में भी यही मत अपनाया गया है कि लाभ केवल साहसी द्वारा जोखिम उठाने का ही प्रतिफल है। जैसे—टामस के अनुसार, 'शुद्ध लाभ केवल जोखिम उठाने का ही पारितोषिक है। भाट्मी का आवश्यक कार्य (जोखिम उठाना) ऐसा है जो केवल वही कर सकता है।' उक्त उक्त होने वाली वस्तु की भावी मूल्य का अनुमान लगाना पड़ता है जो सरल नहीं है।

लाभ का वर्गीकरण (Classification of Profits)

लाभ को अर्थशास्त्र में कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, परन्तु निम्न वर्गीकरण अधिक महत्वपूर्ण है—

1 "Pure profits are only the remuneration for risk taking. The essential function of the entrepreneur (risk-taking) is such that he alone can perform it."—Thomas · *Elements of Economics*, p. 293.

(I) सामान्य लाभ और अतिरिक्त लाभ—

इन दोनों प्रकार के लाभों के बीच अलग-अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग-अलग प्रकार से भेद किया है।

(१) नाइट का दृष्टिकोण—प्रो० नाइट के अनुसार जोखिम दो प्रकार की होती है—
(i) ज्ञात अथवा निश्चित जोखिम और (ii) अज्ञात अथवा अनिश्चित जोखिम। प्रथम प्रकार की जोखिम ऐसी होती है कि उसके सम्बन्ध में बड़े अंश तक पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में ऐसी जोखिम वह है, जिसके विन्दु बीमा कराया जा सकता है। इसके विपरीत, अज्ञात अथवा अनिश्चित जोखिम वह है, जिसके विषय में पहले से कुछ भी नहीं जाना जा सकता। उदाहरणस्वरूप, एक माली, जो जुलाई के महीने में बाग लगाता है, यह जानता है कि दिसम्बर और जनवरी के महीनों में कोहरा (Frost) पड़ेगा, जो छोटे-छोटे पौधों को मला देगा। इस जोखिम के विन्दु वह पहले से ही उपचार करता है। साधारणतया जाड़ा आरम्भ होते ही छोटे-छोटे पौधों को ऊपर से ढक दिया जाता है। इस प्रकार के जोखिम के विन्दु पहले से ही व्यवस्था कर दी जाती है और इस प्रकार जो लागत पड़ती है, उसे उत्पादन-व्यय में सम्मिलित कर लिया जाता है। ऐसी जोखिम के पारितोषण को हम "सामान्य लाभ" कह सकते हैं।

इसके विपरीत, बाग लगाने वाले व्यक्ति के लिए यह अनुमान लगाना कठिन होता है कि ओला अथवा बाढ़ से उसका सारा बाग नष्ट हो सकता है। इस प्रकार की जोखिम भी प्रत्येक व्यवसाय में रहती है। परी अज्ञात अथवा अनिश्चित जोखिम है। ऐसी जोखिम के पारितोषण को "अतिरिक्त लाभ" कहा जाता है। इस आधार पर इन दोनों प्रकार के लाभों में निम्न प्रकार भेद किया जा सकता है :—(i) सामान्य लाभ ज्ञात या निश्चित उत्तरो के उठाने का प्रतिफल है जबकि अतिरिक्त लाभ अज्ञात और अनिश्चित उत्तरो के उठाने का प्रतिफल होता है। (ii) सामान्य लाभ उत्पादन व्यय में सम्मिलित होता है, जबकि अतिरिक्त लाभ व्यय में सम्मिलित नहीं होता। (iii) सामान्य लाभ में निश्चय रहती है और उसकी पहले से ही माप की जा सकती है। अतिरिक्त लाभ में तैजी के साथ परिवर्तन होते रहते हैं और उसकी काई भी सामान्य दर नहीं होती है। (iv) सामान्य लाभ सदा ही घनात्मक होता है, किन्तु अतिरिक्त लाभ घनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है।

पूर्ण प्रतियोगिता की दृष्टि में, जबकि बीमत इस प्रकार निर्धारित होती है कि लाभ समाप्त हो जाते हैं और बीमत उत्पादन व्यय के बराबर होती है, तो भी सामान्य लाभ अवश्य रहते हैं, क्योंकि सामान्य लाभों को पहले से ही औसत उत्पादन व्यय में जोड़ दिया जाता है।

(२) मार्शल का दृष्टिकोण—यह निश्चय है कि प्रत्येक व्यवसायी लाभ की ही आशा पर व्यवसाय करता है, परन्तु अन्तःकाल में कोई व्यक्ति धोड़े से लाभ, बिना लाभ अथवा घाटे पर भी व्यवसाय कर सकता है। शीर्षकाल में लाभों का होना आवश्यक है, अन्यथा व्यवसाय बन्द कर दिया जायेगा। सामान्य लाभ वह लाभ है जिसकी आशा पर व्यवसायी अपने व्यवसाय में बन्ना रहता है। यह शीर्षकालीन लाभ होता है। ऐसा लाभ सीमान्त व्यवसायी (Marginal producer) को भी प्राप्त होता है। मार्शल का विचार है कि किसी वस्तु का शीर्षकालीन मूल्य बाजार में प्रतिनिधि फर्म के उत्पादन व्यय द्वारा निर्धारित होता है और इस उत्पादन व्यय में सामान्य लाभ भी सम्मिलित होता है।

(३) जॉन रोडिनसन का दृष्टिकोण—जॉन रोडिनसन के अनुसार सामान्य लाभ उस लाभ को कहते हैं, जिसके प्राप्त होने पर कोई नई फर्म व्यवसाय में आकर्षित नहीं होती है और पुरानी फर्म व्यवसाय को बन्द नहीं करती है। यदि बाष्पकृत लाभ दोगुने अधिक है, तो नई फर्म

विपरीत, 'अतिरिक्त लाभ' लगान की भाँति एक प्रकार का आधित्य है, जो सीमान्त साहसी के उत्पादन व्यय में ऊपर होता है। सीमत से सीमान्त उत्पादन के उत्पादन व्यय द्वारा निश्चित होती है। अतिरिक्त लाभ सीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। नई फर्मों का व्यवसाय में आकर्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि सामान्य लाभ के साथ-साथ अतिरिक्त लाभ भी हो।

(II) प्रतिवर्ष लाभ और क्रय-राशि पर लाभ—

'प्रति वर्ष लाभ' में हमारा अभिप्राय कुल लगाई हुई पूँजी की वार्षिक लाभ-दर में होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यवसाय में १०,००० रुपये की कुल पूँजी लगाई गई है और एक साल में इस पूँजी पर मात्र प्रकार का लाभ काटकर १,००० रुपये का शुद्ध लाभ होना है, तो लाभ की वार्षिक दर १०% होगी।

'त्रय-राशि पर लाभ' में हमारा अभिप्राय उस लाभ से होता है जो पूँजी के प्रत्येक फेर (Turnover) पर प्राप्त होता है। यह निश्चय है कि बहुत-सी दशाओं में व्यवसाय में लगाई हुई पूँजी एक साल में कई बार फिर सकती है। रुपये उधार देने के व्यवसाय में तो बहुधा होता ही रहता है कि रुपये लौट-लौटकर आता रहता है और फिर आगे उधार दे दिया जाता है। यदि रुपये का इस प्रकार फेर न बंधे, तो व्यवसायी के लिए व्यवसाय चलाना ही बठिन हो जाय। छोटे-छोटे फुटकर व्यापारी, जिनके पास पूँजी की बगी टाती है, कम लाभ पर भी वस्तुएँ बेच देते हैं। इसमें उनका उद्देश्य यह होता है कि रुपये का फेर बना रहे। इस प्रकार फेर बने रहने में पूँजी की एक निश्चित मात्रा पर बार-बार लाभ प्राप्त होता है, जिसे हम 'त्रय राशि पर लाभ' (Profit on the Turnover) कहते हैं। यद्यपि इस लाभ की दर बहुत नीची होती है, परन्तु पूँजी का फेर दन्ती जल्दी-जल्दी होता रहता है कि लाभ की वार्षिक दर ऊँची हो जाती है।

उदाहरणस्वरूप, यदि १,००० रुपये की पूँजी लगाई गई है, जिसकी एक वर्ष में १५ बार फेर होती है और प्रत्येक फेर पर लाभ २% होता है, तो ऐसी दशा में त्रय-राशि पर २% लाभ होगा, यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक फेर पर लाभ की दर समान ही रहे। ऐसी दशा में साल भर में १,००० रुपये की कुल पूँजी पर $2 \times 10 \times 15 = 300$ रुपये का लाभ होगा और लाभ की वार्षिक दर ३०% होगी।

साधारणतया छोटे व्यवसायों और फुटकर व्यापारों में पूँजी का फेर जल्दी-जल्दी होता है। जो बड़े व्यापार और बड़े व्यवसायों में पूँजी का फेर इतनी जल्दी-जल्दी नहीं होता है।

(III) एकाधिकार लाभ और आकस्मिक लाभ—

एकाधिकारी लाभ से हमारा अभिप्राय एक लाभ में होता है, जो एक व्यवसाय को उसकी विशेष स्थिति के कारण उत्पन्न होता है। हाँ सकता है कि कुछ प्राकृतिक अथवा अन्य कारणों से व्यवसायी का बाजार में कोई दूसरा प्रतियोगी न हो। ऐसी दशा में व्यवसायी के लिए अपने माल को ऊँची सीमत पर बेचकर विशेष लाभ कमाने की सम्भावना रहती है। इस प्रकार का अतिरिक्त लाभ उत्पादन की एकाधिकारी स्थिति के कारण उत्पन्न होता है। यह उम लाभ के अतिरिक्त होता है जो कि उत्पादक को प्रतियोगिता की दशा में प्राप्त होता है। ऐसे लाभ को हम 'एकाधिकारी लाभ' कहते हैं।

'आकस्मिक लाभ' (Windfall Profit) वह है जो संयोग से अथवा सुअवसर के कारण उत्पन्न होता है और इसके निर्धारण पर किसी भी प्रकार के आर्थिक नियम लागू नहीं होते। उदाहरण के लिए, अव्यक्त ही लगेट्टि डिप्ट जानने के कारण अथवा किसी देवी प्रयोग के कारण माल के रोजे ग्याइ टटॉक की सीमत में वृद्धि हो जाने में आकस्मिक लाभ प्राप्त हो सकता है।

लाभ के सिद्धान्त (The Theories of Profits)

लगान, मजदूरी अथवा व्याज की ओंश लाभ का विषय अधिार विवादपरत है। अभी तक भी अर्थशास्त्री लाभ के सिद्धान्त के विषय में एक मत नहीं है। कोई लाभ को एक विशेष प्रकार का लगान बताता है और कोई मजदूरी। जोतिम उठाने के महत्त्व की तो आधुनिक युग में सभी स्वीकार करते हैं, परन्तु जोतिम और लाभ के सम्बन्ध को बहुधा ठीक-ठीक नहीं समझा जाता है। लाभ के मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों को नीचे समझाया गया है।

(I) लाभ का लगान सिद्धान्त (The Rent Theory of Profits)

लाभ का यह सिद्धान्त सर्वप्रथम अमेरिकन अर्थशास्त्री वाकर ने प्रतिपादित किया था। उन्होंने ही सबसे पहले पूँजीपति तथा साहसी के बीच भेद किया। वाकर का मत है कि पूँजीपति का कार्य पूँजी की पूर्ति करना है किन्तु साहसी के लिए पूँजीपति होना आवश्यक नहीं है। वह अपनी कुछ भी पूँजी लगाये बिना ही व्यवसाय को आरम्भ कर सकता है।

लाभ क्या है?—वाकर के विचार में "लाभ" योग्यता का लगान है। जिस प्रकार विभिन्न प्रकार की भूमि का उपजाऊपन अलग-अलग होता है, उसी प्रकार विभिन्न साहसियों की व्यवसायिक योग्यता में भी अन्तर होते हैं। बहुत से साहसी अधिार अनुदान होने हैं और व्यवसाय में केवल इसलिए बने रहते हैं कि उनके उत्पादन की माँग होती है, अन्यथा वे कुछ भी लाभ नहीं उमाते, केवल उत्पादन व्यय को ही प्राप्त कर पाते हैं। परन्तु कुछ साहसी इनसे कुछान होने हैं और कुछ और भी मुदान। जिस प्रकार भूमि के कुछ टुकड़ों को अधिार उपजाऊपन अथवा अच्छी स्थिति के कारण दूसरे टुकड़ों पर कुछ विन्धेप लाभ प्राप्त होने हैं, उसी प्रकार अधिार योग्यता के कारण कुछ साहसियों को भी दूसरों की ओंश विशेषक लाभ प्राप्त होते हैं। लगान की भाँति लाभ भी यह पारितोषिक है, जो उत्तम साहसियों को हीन साहसियों के पारितोषिक से ऊपर इनकी विन्धेप योग्यता के कारण मिलता है।¹ जिस प्रकार लगान-रहित भूमि होती है, ठीक उसी प्रकार लाभ-रहित साहसी (no-profit entrepreneur) भी होते हैं जा (सीमान्त साहसी) दामों के घोडा-सा कम होते ही व्यवसाय छोड़ देते हैं। इन प्रकार लाभ को हम 'योग्यता का लगान' कह सकते हैं।

वाकर के अनुसार लगान की भाँति लाभ भी उत्पादन व्यय में सम्मिलित नहीं होता। स्मरण रहे कि लाभ-रहित साहसी को भी कुछ न कुछ आय होती है, जो उगाको उसको प्रबन्ध के रूप में प्रस्तुत की हुई सेवाओं के फलस्वरूप मिलती है, परन्तु यह प्रबन्ध की मजदूरी होती है, लाभ नहीं। ऐसी मजदूरी को उत्पादन व्यय में सम्मिलित किया जाता है।

आलोचनाएँ—लाभ का यह सिद्धान्त सही नहीं है। इसके निम्न प्रमुग दोष हैं:—(१) जैसा कि स्पष्ट है, यह रिकार्डों के लगान सिद्धान्त पर आधारित है, जो सत्य ठीक नहीं है। साथ ही, जिस प्रकार की नमाई का वाकर ने लाभ कहा है, उसे हम मार्गण के सन्धों में योग्यता का

¹ "Profit is the Rent of Ability. Just as there is no-rent land whose produce just covers the price so there is no-profit firm or entrepreneur whose income just covers the cost of production, and just as rent of a price of land is a surplus above the no rent land and does not enter into price so profit of a firm is a surplus above the no-profit firm"—Francis L. Walker.

लगान कह सकते हैं जो एफ प्रवार या लगान ही दाता है और केवल साहमी को ही नहीं बरद विशेष योग्यता रखने वाले उत्पत्ति के किसी भी साधन को प्राप्त हो सकता है ।

(२) लाभ का यह सिद्धान्त कुछ मौलिक प्रदनों पर प्रकाश नहीं डालता । ऐसा प्रतीत होता है कि वाकर ने लाभ की प्रकृति की ही नहीं समझा है लाभ को जोखिम उठाने का पारितोषिक कहा जाता है, जबकि साहमी की विशेष योग्यता जोखिम उठाने से सम्बन्धित नहीं होती, बरद जोखिम को दूर करने से सम्बन्धित होती है । इस प्रकार लाभ को जोखिम को हटाने की योग्यता के विपरीत जोखिम उठाने की योग्यता का पुरस्कार माना गया है, जो ठीक नहीं है ।

(३) व्यवसाय में कुछ लोगों को लाभ होते हैं तो कुछ को हानियाँ भी होती हैं, जो विभिन्न कारणों से उपस्थित होती हैं । यदि हम कुछ लाभ में से कुछ हानि की मात्रा को निकाल दें तो शायद कुछ भी शेष न रहे, परन्तु वाकर ऐसा नहीं समझते ।

(४) सम्मिलित पूँजी वाली कम्पनियों के साधारण श्रमधारी बिना किसी विशेष योग्यता के लाभ कमाते हैं, जो इस सिद्धान्त के अनुसार नहीं होना चाहिए ।

(५) इस सिद्धान्त के द्वारा लाभ के आकार की भी विवेचना नहीं होती है । वाकर के अनुसार अन्धे साहसियों की गलियाँ का सीमित हाना ही लाभ का कारण है, परन्तु यह सीमितता क्यों और किस प्रकार उत्पन्न होती है, इस पर इस सिद्धान्त में विचार नहीं रखा गया है ।

(६) यह कहना भूल है कि लाभ उत्पादन-व्यय से सम्मिलित नहीं होता अल्पकाल में तो यह सम्भव है कि उत्पादन व्यय (एव इसलिए कीमत) में सम्मिलित नहीं हो । किन्तु दीर्घकाल में यह उत्पादन व्यय (एव इसलिए कीमत) में सम्मिलित होता है । फिर सामान्य लाभ तो उत्पादन व्यय का एक आवश्यक अङ्ग ही है । अतः, वाकर का सिद्धान्त ठीक नहीं है ।

(II) लाभ का मजदूरी सिद्धान्त (The Wage Theory of Profit)

कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि लाभ को मजदूरी के रूप में समझना ही सबसे अधिक उपयुक्त है । टॉजिंग के अनुसार लाभ एक "विशेष प्रकार की मजदूरी" है । व्यवसाय की आय घट्टत अनिश्चित और अनिश्चित होती है, क्योंकि वह उत्पादन की कुल लागत देने के पश्चात् बचती है परन्तु यह आय संयोगवश प्राप्त नहीं होती है । इसका कारण कुछ विशेष प्रकार के गुणों (जैसे—कुशलता, संगठन की योग्यता, दूरदर्शिता इत्यादि) का उपयोग होना है और इन गुणों का उपयोग एक प्रकार का 'श्रम' है, जिसे हम अधिक से अधिक मानसिक श्रम कह सकते हैं । टॉजिंग के अनुसार लाभ इसी विशेष प्रकार के मानसिक श्रम की मजदूरी है । यह श्रम लघुभय उसी प्रकार का होता है जैसा कि एक वकील, डाक्टर या अध्यापक का श्रम ।¹

आलोचनाएँ—इस सिद्धान्त में अच्छाई यह है कि यह लाभ की प्रकृति को समझता है और लाभ को उचित सिद्ध करता है । परन्तु टॉजिंग ने लाभ और मजदूरी के माध्यम भेद को भुला दिया है । अनेक कारणों से मजदूरी अनिश्चित, अनिश्चित तथा सूत्र से कम नहीं हो सकती है, जबकि लाभ में ये तीनों गुण मिलते हैं । इसके अतिरिक्त इस सिद्धान्त की प्रमुख आलोचनाएँ निम्न प्रकार हैं —

(१) उत्पादक अथवा साहसी का प्रमुख कार्य जोखिम या अनिश्चितता उठाना है और

¹ "Profit are not due to mere chance, they are the outcome of the exercise of special ability; a sort of mental labour not much different from the labour of lawyer and judges."

लाभ इसी का पारितोषिक है। एक श्रमिक, चाहे वह मानसिक कार्य करे या शारीरिक, जोखिम उठाने के लिए मजदूरी नहीं पाता। इसमें तो सन्देह नहीं है कि श्रमिक को भी अपना रोजगार खो देने और आय के कम हो जाने का भी भय रहता है, परन्तु श्रमिक का पारितोषिक इस भय का फल नहीं होता, वरन् उसके परिश्रम का फल होता है।

(२) मजदूरी की अपेक्षा लाभ में मजदूरी या अच्छे भाव्य से प्राप्त होने वाला अस अधिक प्रधान होता है। वास्तविक अर्थ में मजदूरी को बर्माई हुई आय कहा जा सकता है परन्तु लाभ सदा ऐसा नहीं होता।

(३) अपूर्ण प्रतियोगिता की दशा में लाभ के बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि एकाधिकारी लाभ भी उसमें सम्मिलित हो जाने हैं। परन्तु, यदि श्रम बाजार में स्पर्धा का अभाव है, तो मजदूरी कम हो जाती है।

(४) सम्मिलित पूँजी वाली कम्पनियों की आय की विवेचना से तो लाभ और मजदूरी का भेद और भी स्पष्ट हो जाता है। ऐसी कम्पनियों में प्रबन्ध की आय, जो मजदूरी होती है, और साधारण अशधारियों के पारितोषण भिन्न-भिन्न होते हैं। साधारण अशधारियों व्यवसाय की जोखिम उठाने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्य नहीं करते।

(III) लाभ का जोखिम-सहन सिद्धान्त (The Risk-bearing Theory of Profit)

साधारणतया अधिकांश लोग खतरों को उठाना पसन्द नहीं करते। जोखिम उठाना अरुचिकर होता है, इसीलिए साहसी व्यवसाय को आरम्भ करने में हिचकिचाता है। प्रत्येक व्यवसाय में एक प्रकार का सट्टा या जुआ होता है, और, जब तक साहसी को लाभ की आशा नहीं होती, वह व्यवसाय आरम्भ नहीं करता। लाभ का प्रलोभन व्यवसाय आरम्भ करने के लिए अति आवश्यक है। जितनी अधिक जोखिम होती है, उतना ही अधिक लाभ का प्रलोभन भी होना चाहिए। जो लोग जोखिम उठाते हैं वे साधारणतया पूँजी के व्याज के अतिरिक्त और भी पारितोषण की आशा करते हैं। इस प्रकार लाभ को जोखिम उठाने की अरुचि का पुरस्कार सम्भवता चाहिए। लाभ का यह सिद्धान्त हॉले (Hawley) द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उनका यह भी कहना है कि लाभ की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि व्यवसाय आरम्भ करने की आवश्यकता के अनुसार पूरे अंश तक जोखिम उठाने की अरुचि का समाधान हो सके।

आलोचनाएँ—(१) इस बात से तो लगभग कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि लाभ जोखिम उठाने के कारण प्राप्त होता है, यद्यपि इस सम्बन्ध में कार्वर (Carver) का यह मत कि लाभ खतरा उठाने में उत्पन्न नहीं होता, वरन् मुख्य व्यवसायी खतरा कम करके लाभ उठाने हैं,¹ सारहीन नहीं है। परन्तु यह सम्भवता भूल होगी कि लाभ खतरों के अनुपात में होता है। यद्यपि में लाभ और खतरों के अंश के बीच कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष सम्बन्ध स्थापित करना सम्भव नहीं है। हम इतना फिर भी कह सकते हैं कि शुद्ध लाभ एक प्रकार में ऐसे खतरों के उठाने से सम्बन्धित है, जो व्यवसायी उत्पत्ति के माध्यमों के नये संयोग (Combination) बनाने तथा भावी माँग का अनुमान लगाने में सफल करता है। (२) इस सम्बन्ध में नाइट (F. H. Knight) की यह विवेचना महत्वपूर्ण है कि खतरों दो प्रकार के होते हैं और लाभ केवल एक प्रकार के खतरों अर्थात् अनिश्चित खतरों उठाने में ही मिलता है।

¹ Carver - *Distribution of Wealth*, p. 274

(IV) अनिश्चितता-सहन सिद्धान्त
(The Theory of Uncertainty-bearing)

दो प्रकार के खतरे—प्रोफेसर नाइट के अनुसार, अनिश्चितता-सहन (Uncertainty bearing) और जोखिम उठाने (Risk-taking) में भेद किया जा सकता है। उत्पात्ति तथा व्यवसाय से सम्बन्ध रखने वाले खतरे दो प्रकार के होते हैं —

(१) निश्चित अथवा जाने हुए खतरे— इनका पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता है और इनके लिए आरम्भ में ही व्यवस्था की जा सकती है। ऐसे खतरो की संख्या तथा गहनता नापी जा सकती है। उदाहरण के लिए, किसी मजदूर में दुघटनाओं के द्वारा मृत्यु दर का पता लगाया जा सकता है और तदनुसार प्रीमियम की दर बाँधी जा सकती है। एक किसान जब वर्षा ऋतु में बाग में छोटे-छोटे पौधे लगाता है, तो इस बात को भभी-भाँति जानता है कि सर्दियों के मौसम में कोहरा और पाना पड़ेगा और वह पहले से जाहो में इन पौधों की सुरक्षा का प्रबन्ध कर लेता है। इस प्रकार के सभी खतरे ज्ञात होते हैं और इसके लिए जो व्यवस्था की जाती है, वह भी पहले से ही जान होती है। प्रत्येक उत्पादक इस व्यवस्था को अपने उत्पादन व्यय का एक आवश्यक अङ्ग समझता है, इसलिए उसकी लागत उत्पादन-व्यय में सम्मिलित होती है।

(२) अनिश्चित तथा अज्ञात खतरे— परन्तु अनिश्चितता हमसे भिन्न है। नाइट के अनुसार अनिश्चितता 'अनियमित आय की आशा' है। इनका तात्पर्य ऐसे खतरो में है जिनकी व्यापकता नापी नहीं जा सकती है और उनके लिए पहले से व्यवस्था नहीं की जा सकती है। बाग लगाते समय किसान ने यह तो सोच लिया है कि जाटों में पाना पड़ेगा, परन्तु यह भी सम्भव है कि अचानक में बाढ़ आ जाने के कारण बाग नष्ट हो जाय। इस खतरे को अज्ञात खतरा ही कहा जा सकता है।

लाभ क्या है ? अनिश्चितता या अज्ञान खतरो में उठाने के लिए मिलने वाला पारितोषण ही है। इन अज्ञान खतरो को नाइट ने अनिश्चितता का नाम दिया है, जबकि ज्ञात खतरे को खतरा या जोखिम कहा जा सकता है।¹

लाभ का निर्धारण कैसे ? नाइट का विचार है कि अनिश्चितता उठाना भी उत्पात्ति का एक साधन है और साथ ही, अन्य साधनों की भाँति इसकी माँग कीमत भी होती है। माँग का कारण यह है कि अनिश्चितता उठाना एक उत्पादक-कार्य है। इसी प्रकार अनिश्चितता-सहन का पूँति-मूल्य भी होता है। जब तर लाभ की आशा नहीं होगी, कोई भी अनिश्चितता सहने को तैयार न होगा। यह पूँति-मूल्य निम्नांकित कई बातों पर निर्भर होता है —

(१) साहसी का चरित्र और मनोवृत्ति— कुछ लोग स्वभाव में ही सुरक्षा के पक्षपाती होते हैं और कुछ लोग जुआरी प्रकृति के, जो नि थोड़ी-सी ही आशा पर खिचे चले आते हैं।

(२) पूँजी लगाने वालों के कुल साधनों की मात्रा— साधारणतया एक व्यक्ति, जिसने व्यवसाय का चलाने का पक्का निश्चय कर लिया है, अधिक अनिश्चितता उठा सकता है।

(३) अनिश्चितता की पूँति का मूल्य इस बात पर निर्भर होगा है कि साहसी अपने कुल साधनों का कौन-सा भाग खतरे में डालने को तैयार हो जाता है। यदि पूँजी के बड़े भाग के लगाने का प्रश्न उठता है, तो अधिक लाभ की आशा की जायगी। यदि कुल पूँजी का छोटा सा भाग ही लगाना है, तो साहसी थोड़े लाभ पर ही तैयार हो जायगा।

साम्य में लाभ इतना हाना चाहिए कि अनिश्चितता-सहन की पूँति इसकी माँग के बराबर हो जाय। इस सम्बन्ध में याद रखना चाहिए कि अनिश्चितता सहन और पूँजी दोनों सामूहिक

¹ F. H. Knight : *Uncertainty and profit.*

म्य में परिचोषण पाते हैं। बिना अनिश्चितता उठाये कोई भी साहसी केवल पूँजी के द्वारा लाभ नहीं बना सकता। इसी प्रकार पूँजी के बिना अनिश्चितता उठाने का भी कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि सतरा, पूँजी के सम्बन्ध में तथा पूँजी के ऊपर ही उठाया जाता है।

आलोचनाएँ—माइट के इस सिद्धान्त की निम्नान्वित आलोचनाएँ की जा सकती हैं :—

(१) अनिश्चितता उठाने को उत्पत्ति या एक अल्प साधन नहीं माना जा सकता। यदि कुछ श्रमिक हीन परिस्थितियों में काम करके अधिक मजदूरी पाते हैं, तो इसका यह अर्थ नहीं हो जाता कि हीन परिस्थितियाँ ही ऊँची मजदूरी का कारण हैं और इसी प्रकार, यदि एक उत्पादक अनिश्चित परिस्थितियों में काम करके लाभ बनाता है, तो लाभ का अनिश्चितता में सम्बन्धित नहीं किया जा सकता है। अनिश्चितता तो उत्पादक के लिये ही विशेषता मान है, जिसका प्रभाव यह होता है कि पूँजी का मूल्य बढ़ जाता है। अनिश्चितता को उत्पत्ति या साधन नहीं कहा जा सकता है, जबकि हम वास्तविक उत्पादन-व्यय (Real Cost of production) के सिद्धान्त को अपनाते, जिसके अन्तर्गत हर प्रकार की लागत को मूल्य अथवा अनुप-योगिता में नापा जाता है, परन्तु अपनी अधिक विशेषता में इस प्रत्येक लागत को मूल्य के स्थान पर द्रव्य में ही नापते हैं।

(२) केवल अनिश्चितता द्वारा ही साहसी वर्ग की पूँति प्रभावित नहीं होती है। प्रतिभूत सामाजिक वातावरण, राज्य के कठोर नियम, रक्षा का अभाव, ज्ञान का अभाव, अस्मरहीनता आदि अनेक कारण हैं, जो साहसी वर्ग की पूँति को सीमित कर देते हैं।

(३) केवल अनिश्चितता को सहन करना साहसी का कार्य नहीं है। उमे और भी बहुत से काम करने होते हैं, जैसे—सौदा करना, साधनों के कार्य को सम्बद्ध करना इत्यादि। लाभ इन सब कार्यों के फलस्वरूप प्राप्त होता है।

(४) माइट के सिद्धान्त के अनुसार, लाभ एक प्रकार की आकस्मिक वसाई (Windfall Gain) है, जो बहुत अनिश्चित तथा पूर्णतया अज्ञात है। यह बहुत दूर भविष्य में ही आता है और द्रव्य में भी नीचे घट सकता है।

(V) लाभ का प्रवैगिक या गतिशीलता का सिद्धान्त (The Dynamic Theory of Profits)

लाभ क्या है ? प्रसिद्ध अमेरिकन अर्थशास्त्री क्लार्क (J. B. Clark) का मत है कि लाभ का सम्बन्ध केवल प्रवैगिक दशा (Dynamic State) में ही है। स्थिति अथवा (Static economy) में जनसंख्या, पूँजी की मात्रा, मानव आशयनायक और उनके गुण, उत्पादन प्रणालियाँ, व्यापारिक संयोजन, व्यापारिक प्रथाएँ इत्यादि वसाईपर रहते हैं और दृगन्विष्ट, प्रतियोगिता के कारण अन्त में लाभ का अन्त हो जाता है। क्लार्क के अनुसार, लाभ बिचो के मूल्य और ध्यय के अन्तर के बराबर होता है। यह बराबरी में व्यय पर आधिपत्य होता है। परन्तु जब कम्पैरेटिव प्रतियोगिता बिना किसी प्रतिस्पर्धा के होती रहती है, तो प्रवैगिक बिचोता काम घटा कर और अधिक बिचो करके लाभ बनाने का प्रयत्न करता है। अब क्योंकि इस अवस्था में घाटों को क्षीणता के परिवर्तनों का पूर्ण ज्ञान होता है, दृगन्विष्ट पूर्ण प्रतियोगिता की दशा उत्पन्न हो जाती है और लाभ का अन्त हो जाता है। साथ ही गतिशील दशा में न कोई जोड़ियाँ होती हैं और न कोई अनिश्चितता दृगन्विष्ट लाभ का प्रदत्त करती उठता।

लाभ क्यों होता है ? परन्तु हम स्थिति अथवा में नहीं हैं। हमारा समय प्रवैगिक है। दिन प्रतिदिन ही हम समाज में परिवर्तन होते रहते हैं। हम गतिशील समाज में साहसी का कार्य प्रबन्ध अथवा जोड़ियाँ उठाने में सम्बन्धित नहीं होता है। उतारा कार्य वष प्रदत्त का होता है तथा वह नई-नई उत्पादन रीतियों को प्रदत्त करके आर्थिक और औद्योगिक सम्यजन के रूप

बदलता रहता है। एक चतुर और अनुभवी साहसी नये आविष्कारों को अपनाकर अथवा विनी या विज्ञान की नई रीतियों द्वारा अपनी लागत कम करता है या विनी को बढ़ाता है और इस प्रकार लाभ कमाता है। इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि कुछ समय पश्चात् दूसरे उत्पादक भी इन नई रीतियों को अपना लेते हैं और प्रतिযোগी बन जाते हैं, जिसके फलस्वरूप लाभ फिर लुप्त होने लगता है। परन्तु इस परिवर्तनशील मत्तार में एक चतुर साहसी के लिये मुधार करने के असीमित अवसर रहते हैं। उत्पादन और विनी-विधि में नये परिवर्तनों की सम्भावना सदा ही बनी रहती है और इसलिए लाभ कमाने का अवसर भी बना रहता है। स्पष्ट है कि यह अवसर केवल इसलिए रहता है कि मत्तार प्रवर्तित अवस्था में है। यदि स्थिति दशा हो, तो साहसी को केवल प्रवन्धक की मजदूरी मिल सकेगी। उसे लाभ नहीं होगा।¹

आलोचनाएँ—नाइट और टॉजिंग ने इस सिद्धान्त की आलोचना की है जो कि निम्न प्रकार है —

(१) नाइट का कहना है कि आर्थिक मण्डल के परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं—एक तो वे जो नियमित, ज्ञात अथवा निश्चित होते हैं। इनके लिए ज्ञान यत्तरो की भाँति पहले से ही व्यवस्था कर ली जाती है और इसलिये वे लाभ उत्पन्न नहीं करते हैं। परन्तु दूसरे परिवर्तन वे हैं जो कि अनिश्चित होते हैं और जिनके लिये कोई प्रवन्ध नहीं हो पाता। ये दूसरे प्रकार के परिवर्तन ही लाभ का कारण होते हैं। इस प्रकार लाभ अनिश्चितता के द्वारा ही उत्पन्न होता है।²

(२) टॉजिंग का विचार है कि बलाक ने लाभ और प्रवन्धक को धाय के बीच जो भेद किया है वह बनाबटो है और वास्तविक नहीं कहा जा सकता। 'पुराने स्थायी व्यवसायों में भी प्रवन्ध सम्बन्धी दैनिक समस्याओं के मुद्दामें निर्णय शक्ति और कुशलता की आवश्यकता होती है। आधुनिक प्रगतिशील तथा सौत्र-परिवर्तनीय काल में भी इन गुणों में लाभपूर्ण उपयोग की सम्भावना बनी रहती है।'³ अन्य शब्दों में, स्थितिक स्थिति में भी कुछ खतरे, जिन्हें व्यक्तिगत खतरे (Personal Risks) कहते हैं (जैसे—उत्पादक की अभावधानी, मजदूरों की काम टालने की प्रवृत्ति, इत्यादि), अवश्य रहते हैं, जिसमें लाभ पूर्णतया समाप्त नहीं हो सकता है।

✓ (VI) सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त (The Marginal Productivity Theory)

इस सिद्धान्त का विस्तारपूर्वक अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। इसके अनुसार उत्पत्ति के साधन (साहस) का पारितोषण, इसकी सीमांत-उत्पादकता के द्वारा नियत होता है और दीर्घकाल में उसकी सीमान्त उपज के मूल्य के बराबर रहता है। लाभ का मुख्य कारण साहस की उत्पादकता (अथवा उत्पादन शक्ति) है।

इस प्रकार, जितनी ही साहस की सीमान्त उत्पादकता अधिक होगी, उतना ही लाभ अधिक होगा। साधारणतया आधुनिक उत्पादन प्रणालियों में विभिन्न प्रकार की योष्यता के साहसियों की कमी रहती है, इसलिए लाभ ऊँचे रहते हैं। अनिश्चितता की मात्रा जितनी अधिक होती है उतना

1 J. B. Clark : *Essentials of Economic Theory*

2 "It is not dynamic change, nor change as such which causes profits but the divergence of actual conditions from these which have been expected and on the basis of which business arrangements have been made."—
F. H. Knight.

3 Taussig : *Principles of Economics*, Vol. II, p 120.

ही उसके लिये साहित्यों की कमी होती है और उतना ही उसमें लाभ भी अधिक रहता है। इस सिद्धान्त को साहस और अन्य उत्पत्ति साधनों पर लागू करने में केवल एक ही अन्तर रहता है—प्रतिभोगिता शक्ति दूसरे साधनों पर परोक्ष रूप में सेवायोजक के द्वारा लागू होती है, किन्तु साहस स्वयं सेवायोजक प्रस्तुत करता है।

आलोचनाएँ—सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त की आलोचनाओं का हमने पहले भी अध्ययन किया है। प्रमुख आलोचनाएँ निम्न प्रकार हैं—(i) प्रत्येक दशा में सीमान्त उपज की कीमत का पता लगा लेना सम्भव नहीं होता। (ii) सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त केवल साहस की माँग की दृष्टि से ही लाभ की विवेचना करता है, साहस की पूर्ति पर विचार नहीं करता। (iii) साहस की सीमान्त उत्पादकता का पता लगा लेना विशेष कठिन होता है। साहस की एक इकाई को उत्पादन कार्य में से निष्काट देने का परिणाम यह होता है कि सारा का सारा उत्पादन-कार्य अस्त-व्यस्त हो जाता है और इस प्रकार निकाली हुई सीमान्त उपज साहस की वास्तविक देने की सूचित नहीं करेगी।

(VII) लाभ का समाजवादी सिद्धान्त (The Socialist Theory of Profits)

लाभ के सिद्धान्त को महान समाजवादी लेखक कार्ल मार्क्स के नाम से सम्बन्धित किया जा सकता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार मूल्य का एक मात्र कारण श्रम है, इसलिए जितनी भी कुल उत्पत्ति होती है वह सारी ही सारी श्रमिक को मिलनी चाहिए। पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में कुल कीमत (श्रम की कुल कमाई) का केवल एक भाग ही श्रमिक को प्राप्त होता है, शेष पूँजीपति को 'लाभ' के रूप में मिलता है। इस प्रकार, श्रमिक कुछ समय तो अपनी मजदूरी उत्पन्न करने के लिए काम करता है परन्तु अधिकांश समय तक वह ऐसे मूल्य का उत्पादन करता है जिसे पूँजीपति हड़प लेगा। ऐसे मूल्य को मार्क्स ने 'अतिरिक्त मूल्य' (Surplus Value) कहा है। लाभ इसी अतिरिक्त मूल्य में ही उत्पन्न होता है। इस प्रकार, लाभ एक प्रकार की हड़प या कानूनी डाका है। यह पूँजीपति द्वारा श्रमिक के शोषण के अंश को दिखाता है। जो कुछ भी उत्पादन को लाभ के रूप में मिलता है वह शोषण है। पूँजीपति का हित इसी में होता है कि अतिरिक्त मूल्य की मात्रा को बढ़ा कर श्रमिकों का और अधिक शोषण करे तथा लाभों को और बढ़ाये।

आलोचनाएँ—यह सिद्धान्त मूल्य के श्रम सिद्धान्त पर आधारित है, जिसके अनुसार केवल श्रम ही मूल्य का मूलन करता है। वास्तव में यह सिद्धान्त ठीक नहीं है क्योंकि—(i) लाभ को सूट कहने का अर्थ है साहसी के महत्त्व को स्वीकार न करना। (ii) इस सिद्धान्त का अर्थ यह होगा कि योग्य साहसी ऊँचे लाभ नहीं कमा सकता। ऊँचे लाभ तो तभी कमाये जा सकते हैं जबकि श्रम का और अधिक शोषण किया जाय। (iii) आधुनिक समाजवादी देशों में भी लाभ रहता है। कम से कम हिमाचल रखने और विभिन्न उद्योगों की तुलनात्मक स्थिति का पता लगाने के लिए लाभ की दर अवश्य निकाली जाती है।

(VIII) लाभ का माँग और पूर्ति का सिद्धान्त (The Demand and Supply Theory of Profit)

लाभ निर्धारण का यह सिद्धान्त सबसे नया है। अन्य वस्तुओं का मूल्य जिस सिद्धान्त द्वारा निर्दिष्ट होता है वही साहस का मूल्य-निर्धारण भी करता है। उत्पत्ति के साधनों तथा साधारण वस्तुओं में भेद न करने की प्रवृत्ति आधुनिक अर्थशास्त्र का एक सर्वमान्य नियम है। अतः मूल्य का सामान्य सिद्धान्त, अर्थात् माँग और पूर्ति का सिद्धान्त, साहस के मूल्य अथवा लाभ निर्धारण के लिए भी उपयोग किया जाता है।


अन्य वस्तुओं की भाँति साहस के लिये भी माँग होती है, जो उत्पत्ति के प्रकार तथा

साहस की सीमान्त उत्पादकता पर निर्भर होती है। इसी प्रकार, साहस की पूर्ति भी होती है, जो जन-संख्या के चरित्र, उसकी मनोकृति, व्यवसाय की अनिश्चितता आदि अनेक कारणों पर निर्भर होती है। जिन स्थान पर साहस की माँग और पूर्ति बराबर होने हैं, साम्य में, चाहे वह स्थायी हो या प्रवर्गिक, वही पर लाभ की दर निश्चिन्त होती है। इस सिद्धान्त को भली-भाँति समझने के लिये साहस की माँग और पूर्ति को भली-भाँति समझ लेना आवश्यक होगा।

(१) साहस की माँग मुख्यतया माहम की सीमान्त उत्पादकता पर निर्भर होती है। जितना ही साहस अधिक उत्पादक होगा उतनी ही उसकी माँग भी अधिक होगी। इसके अतिरिक्त देश में साहस की माँग निम्न बातों पर निर्भर होती है—(i) देश में औद्योगिक विकास की स्थिति, (ii) देश में उत्पत्ति के पैमाने का विस्तार और (iii) देश में उद्योगों की प्रकृति। औद्योगिक विकास जितना आगे बढ़ता है, और उत्पत्ति के पैमाने का जितना ही विस्तार होता है उतनी ही साहस की माँग अधिक होती है। इसी प्रकार, कुछ उद्योगों में दूसरों की तुलना में जोखिम का अंश अधिक रहता है।

(२) साहस की पूर्ति भी अनेक बातों पर निर्भर होती है। प्रमुख बातें निम्न प्रकार हैं—(i) देश में औद्योगिक विकास की स्थिति—जितना ही किसी देश के निवासियों का औद्योगिक क्षेत्र में लम्बा अनुभव होगा उतनी ही साहस की पूर्ति भी अधिक होगी। (ii) जन-संख्या का आकार—यदि किसी देश में जन-संख्या अधिक है तो साहस की पूर्ति भी अधिक होगी। (iii) एक धनी देश में साहस की पूर्ति अधिक होती है क्योंकि धनवान् व्यक्ति में जोखिम उठाने की क्षमता अधिक होती है। (iv) देश के आय के वितरण की दशा—जिस देश में कुछ व्यक्ति बहुत अमीर होते हैं और अधिकांश व्यक्ति गरीब होते हैं, अर्थात् जिस देश में आय के वितरण की असमानताएँ अधिक होती हैं वहाँ साहस की पूर्ति अधिक होती है। (v) जन-संख्या का चरित्र भी साहस की पूर्ति को निश्चिन्त करता है। कुछ देशों के लोग स्वभाव में ही अधिक साहसी होते हैं। (vi) व्यवसाय में जोखिम का अंश—साधारणतया जिन व्यवसायों में जोखिम का अंश कम होता है वहाँ साहस की पूर्ति अधिक होती है।

साहस की माँग और पूर्ति को विवेचना के पश्चात् लाभ के निर्धारण की समस्या सरल होती है। साम्य की दशा में लाभ की दर उस बिन्दु पर निश्चित होती है। जहाँ साहस की माँग और पूर्ति बराबर होते हैं। यह बात आगे के रेखा-चित्र से स्पष्ट है।



आलोचना—उस सिद्धान्त का मूल्य बढ़ा गुण यह है कि साहस को एक माध्यम वस्तु या सेवा की भाँति समझा गया है जिसकी कीमत (लाभ) एक ही पैमाने पर निर्धारित होती है। इसे किसी

दूसरी वस्तु अपना सेवा की कीमत। किन्तु इस सम्बन्ध में यह जानना आवश्यक है कि साहस और साधारण सेवा में अन्तर होता है—साहस किसी शारीरिक या मानसिक कार्य को सूचित नहीं करता है, यह तो खतरे या अनिश्चितता को सहन करने की क्षमता को दिखाता है।

लाभ के विभिन्न सिद्धान्तों पर एक दृष्टि

लाभ के जिन अनेक सिद्धान्तों का हमने अध्ययन किया है उनके आधार पर हम एक ही निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि लाभ का कोई भी सिद्धान्त लाभ का स्पष्टीकरण नहीं कर पाता है। सभी सिद्धान्त एक दूसरे से इस प्रकार सम्बन्धित हैं कि उन्हें मिलाकर उपयोग किया जा सकता है। लाभ का, नई विधियों, प्रवर्गिक परिवर्तनों, अनिश्चितता तथा जोखिम उठाना सभी के साथ निकटतम सम्बन्ध है। नई विधियाँ ही प्रवर्गिक परिवर्तनों को उत्पन्न करती हैं और आर्थिक उन्नति को सम्पन्न करती हैं। आर्थिक उन्नति का प्रमुख कारण यही है कि कुछ लोगो ने जोखिम उठाई है और नई विधियों को खोज की है। यह निश्चित है कि नई विधियों के आविष्कार के पीछे केवल एक ही उद्देश्य रहा है जो है लाभ प्राप्त करना। इस प्रकार नये आविष्कारों की प्रेरणा साग है।

यहाँ यह बताना भी उपयुक्त होगा कि सभी प्रवर्गिक परिवर्तनों तथा सभी नई विधियों में अनिश्चितता अवश्य रहती है। इस कारण अनिश्चितता, जोखिम, प्रवर्गिक परिवर्तन तथा आविष्कार इन सबका पारस्परिक सम्बन्ध बहुत घना है। प्रत्येक आविष्कार अनिश्चित होता है और अनिश्चितता जोखिम की समस्या उत्पन्न करती है। उपरोक्त विवेचन से लाभ की प्रकृति के विषय में यदि कौनो बात का पता चलता है, तो वह यही है कि लाभ तथा अनिश्चित होता है और उसका कोई सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यद्यपि यह तो हो सकता है कि कुछ फर्म अपना मुख्य उद्योग कभी-कभी लाभ का कोई अनुमान लगा लें परन्तु सामान्य रूप में लाभ का लगभग कोई भी पूर्व-अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अनेक बार यह देखने को मिलता है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी कोई ऐसा अकस्मात् कारण उत्पन्न हो जाता है कि लाभ हानि में बदल जाता है। यही कारण है कि अनिश्चितता लाभ का एक आवश्यक लक्षण है।

क्या लाभ की कोई सामान्य दर होती है ?

इस सम्बन्ध में यह बताना आवश्यक प्रतीत होता है कि व्याज और मजदूरी की भाँति लाभ की सामान्य दर नहीं हो सकती है, यद्यपि लाभ-दर समान होने की सम्भावना है। वास्तव में लाभ की दर समान होना या न होना प्रचलित दशाओं पर निर्भर होता है। उदाहरणार्थ, यह सम्भव है कि साम्य की दशाओं में देख-रेख करने की मजदूरी (wages of superintendence) के रूप में लाभ सभी स्थानों पर तथा सभी उद्योगों में समान हो जायें, और विमुक्त लाभों का लोप हो जाय। एव ऐसे समाज में, जिसमें परिवर्तन तो उपस्थित है किन्तु अनिश्चितता का अभाव है, भावों में सामान्य स्तर के तुल्य होने की प्रवृत्ति देखी जायेगी। परन्तु इस दशा में भी योग्यता के लगान के रूप में मिलने वाले लाभ की दरों में अन्तर रहेगा। कुल पर हम यह कह सकते हैं कि यदि उद्योग का स्वभाव नैतिक हो तथा प्रतियोगिता असीमित हो तो दीर्घकाल में लाभों की प्रवृत्ति समान स्तर पर रहने की होगी। अल्पकाल में तो इसकी दरों में भारी असमानता का होना आवश्यक है।

परन्तु वास्तव में हम गतिशील संसार में रहते हैं, जिसमें सभी कुछ बदलता रहता है और अनिश्चितता सदा ही बनी रहती है। ऐसी दशा में लाभ की दरों में समानता की प्रवृत्ति दीर्घकाल में भी नहीं होती है। इसमें भी लाभ की दरों में विशाल अन्तर बने रहेंगे, क्योंकि अनिश्चित वातावरण में साहसी वर्ग की पूर्ति सीमित ही रहती है।

लाभ की वांछनीयता का औचित्य

सभी समाजवादी लेखकों ने लाभ की बड़ी आलोचना की है। मार्क्स के अनुसार लाभ एक चोरी है, क्योंकि यह वह अतिरिक्त मूल्य है जो मजदूरों से छाना गया है। अधिक लाभ मजदूरों के अधिन क्षोषण के अतिरिक्त और कुछ भी सूचित नहीं करता है। बात यह है कि कुल मूल्य श्रमिकों द्वारा उत्पन्न किया जाता है परन्तु यह सध श्रमिकों को नहीं मिल पाता है, वरन् पूँजीपति उसमें से बहुत-सा भाग स्वयं दृश्य जाता है, जिसे हम लाभ कहते हैं। ऐसी दशा में लाभ को उचित नहीं कहा जा सकता है।

जन-साधारण भी लाभ का घृणा तथा शत्रुता की दृष्टि में देखता है क्योंकि लाभ में ऐसी आय भी समाविष्ट होती है जिसे नैतिकता के किसी भी आदर्श से उचित नहीं कहा जा सकता। कुछ व्यवसायी एकधरार स्थापित करके तथा श्रौशोभिण मण बनानर जनता का क्षोषण करते हैं और लाभ कमाते हैं। स्टाक एक्सचेंज से लाभ कमाना एक प्रकार का जुआ खेलना ही होता है। मज रों की निधनता, अमहाय अवस्था तथा उनके सङ्गठन की कमजोरी से लाभ उठाकर उनका क्षोषण करन स कोई भी पूँजीपति नहीं चूकता। अनेक अनुमूचित उपायों तथा वेईमानियों में लाभ में वृद्धि करने का प्रयत्न किया जाता है। धाया देना और भूठ बोचना आज कल के व्यवसाय में व्यावसायिक नीति समझा जाता है।

परन्तु स्मरण रहे कि उपरोक्त दोष दो कारणों से उत्पन्न होते हैं—(१) प्रतियोगिता का अभाव और (ii) व्यावसायिक चरित्र-हीनता। इन दोनों दिशाओं में सुधार करके इन दोषों को एव अक्षतर अवश्य दूर किया जा सकता है। व्यक्तिगत सम्पत्ति अर्थ-व्यवस्था में लाभ का होना आवश्यक है क्योंकि पूँजीवाद लाभ के उद्देश्य पर ही आधारित है। जिस प्रकार प्रतियोगिता करने के लिए व्याज का मिलना आवश्यक है उसी प्रकार अनिश्चितता सहन के लिये भी लाभ मिलना चाहिये। साहसी की सेवायें उपयोगी और उत्पादक होती हैं और इन्हें प्राप्त किये बिना समाज का काम नहीं चल सकता (परन्तु, यदि निजी सम्पत्ति का ही अन्त हो जाय तो फिर लाभ का अन्त स्वयं हो जायगा)। आधुनिक औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिये बार महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न करता है।

(१) लाभ एक फर्म को भविष्य में व्यवसाय में बने रहने के व्यय से, जो बदली, पुनर्निर्माण, मुख्य जीविम तथा अनिश्चितता सम्बन्धी जीविमों में उदय होते हैं, अवगत करा देता है।

(२) यह व्यक्तिगत उत्पादक को इस दिशा में प्रेरित करता है कि अपन चालू व्यय को पूरा करता रहे।

(३) सामाजिक दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि जीवित रहने वाली फर्म असफल फर्मों की हानि को समाज के लिए पूरा करे। ड्रुकर (Drucker) के शब्दों में "जिस प्रकार उन कुओं से, जिनमें तेल निकलता है उन नल तथा श्रम का व्यय भी वमूल होना चाहिए, जो उन कुओं पर लगाया गया है जिनमें त्रि तेल नहीं निकला, इसी प्रकार जीवित रहने वाली कम्पनी को उस कम्पनी की आर्थिक हानि का पूरा करना चाहिए जो उसकी प्रतियोगिता में मिट गई है।" पूरे समाज की दृष्टि से अन्य कोई भी दृष्टिकोण नहीं हो सकता है।

(४) लाभ की सामाजिक भार सहन करने का कार्य भी करना चाहिए। सफल औद्योगिक उपक्रमों को इस योग्य होना चाहिये कि वे समाज सेवाओं तथा सामाजिक सुरक्षा का भार सहन कर सकें।

इस प्रकार, जैसा कि ड्रुकर ने कहा है, लाभ का महत्त्वपूर्ण कार्य यह है कि उन आर्थिक साधनों का संरक्षण करे जो आर्थिक प्रणाली के पास हैं। इन साधनों का संरक्षण करना किसी भी

उपभोग का अपने तथा समाज के लिए प्रथम उत्तरदायित्व है। यदि इसमें असफल रहे, तो वह न केवल अपने जीवित रहने की शक्ति का निर्वल करता है बल्कि सारे समाज को भी वहीन बना देता है। परन्तु, इसके अतिरिक्त, लाभ का कार्य यह भी है कि वह अर्थ-व्यवस्था की प्रगति सम्भव बनाये अन्त में, हम यही कह सकते हैं कि लाभ की दर केवल इस बात का सूचक है कि समाज के साधनों को किन दशाओं में विद्यमान होना चाहिये, जिससे कि समाज के साधनों का विभिन्न उपयोगों में सर्वोत्तम वितरण हो सके। चूँकि आवश्यकता की तुलना में साधनों की कमी की समस्या जैसी पूँजीवाद में है वैसे ही समाजवाद में भी पाई जाती है। इसलिए दोनों ही में लाभ के इस कार्य में कोई अन्तर नहीं होगा।

लाभ और ब्याज

अब हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि लाभ और ब्याज में क्या सम्बन्ध है। पुराने अर्थ-शास्त्रियों ने, जिनमें एडम स्मिथ और रिकार्डो भी सम्मिलित हैं, लाभ और ब्याज में भेद नहीं किया है और दोनों को पूँजी का ही पारितोषक माना है। अब भी ब्याज तथा लाभ दोनों की दरें पूँजी के अनुपात में ही निश्चित होती हैं, इसलिए दोनों में समानता इष्टिगोचर होती है। परन्तु अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के लिये दोनों का अन्तर स्पष्ट होना चाहिए। पूँजी और साधन दोनों उत्पत्ति के अलग-अलग साधन हैं और इसलिये दोनों के पारितोषक भिन्न-भिन्न होते हैं। प्राचीन काल में जोखिम उठाने के कार्य को बहुत महत्वपूर्ण नहीं समझा गया था, क्योंकि उत्पत्ति छोटे पैमाने पर होती थी तथा प्रतियोगिता की सीमाएँ इतनी विस्तृत नहीं थी जितनी आधुनिक और यातायात के विकास ने आधुनिक युग में कर दी है।

परीक्षा प्रश्न :

1. लाभ के मुख्य सिद्धान्तों का विवेचन करिये।
2. लाभ क्या है? सामान्य अर्थ अतिरिक्त लाभ में भेद कीजिये, क्या लाभ मूल्य के निर्धारण में शामिल होता है?
3. मिश्रित लाभ के भेदों की व्याख्या कीजिये तथा समझाइये कि मिश्रित लाभ उद्योग के उत्पादन का शेष भाग होता है।
4. 'सामान्य' तथा 'अधिक' लाभ का अन्तर समझाइये। क्या आप इससे सहमत हैं कि "लाभ मजदूरी घटने के साथ बढ़ता है तथा मजदूरी अधिक होने से कम हो जाता है?" सकारण उत्तर दीजिये।
5. लाभ क्या होता है? लाभ के कार्यों का उल्लेख कीजिये। क्या लाभ में समानता की ओर प्रवृत्ति होती है?
6. लाभ की परिभाषा दीजिये तथा उसकी प्रकृति समझाइये। कीमत के एक अंग के रूप में लाभ का अर्थ आप कैसे ठहरावेंगे? आप अपने तर्क भारत में निजी व सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के सन्दर्भ में प्रस्तुत करें।
7. साहसोद्योगी की परिभाषा दीजिये और बतलाइये कि किस प्रकार उठा जा सकता है कि लाभ साहसोद्योगी की सीमान्त उत्पादकता द्वारा निर्धारित होता है?

८. लाभ के संघटक अंगों का विश्लेषण करके समझाइये कि प्रत्येक अंग का निर्धारण कैसे होता है ?
९. लाभ कबो उत्पन्न होते हैं ? स्थिर तथा गतिशील दशाओं के अन्तर्गत लाभ की धारणा की विवेचना कीजिये ।
१०. लाभ की प्रकृति की विवेचना कीजिये और बताइये कि लाभ का कैसे निर्धारण होता है ?
११. नाइट (Night) के लाभ सिद्धान्त की आलोचनात्मक विवेचना कीजिये ।
१२. निम्नलिखित तथ्य नहीं तक सही है ?— सामान्य लाभ शून्य नहीं हो सकता ।
१३. निम्नलिखित पर यक्षिप्त टिप्पणी दीजिये — अतिरिक्त लाभ ।



राष्ट्रीय लाभांश (National Dividend)

प्रारम्भिक—राष्ट्रीय लाभांश के अध्ययन का महत्त्व—

वितरण के क्षेत्र में राष्ट्रीय आय के विचार का बहुत महत्त्व है। इस महत्त्व के दो मुख्य कारण हैं :—प्रथम, वितरण की किसी भी समस्या का अध्ययन करने में पढ़ने यह जानना आवश्यक होता है कि वितरण होता किसना है, अतः अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय लाभांश का अध्ययन अनिवार्य हो जाता है। दूसरे, किसी भी देश के सामाजिक तथा आर्थिक कल्याण पर राष्ट्रीय लाभांश का प्रभाव इतना अधिक पड़ता है कि इसके अध्ययन को छोड़ देना अनुचित होगा। जैसा कि पीगू ने कहा है : “साधारणतया आर्थिक कारण देश के आर्थिक कल्याण पर प्रत्यक्ष रूप में प्रभाव नहीं डालते हैं, जिसे अर्थशास्त्रियों ने ‘राष्ट्रीय लाभांश’ अथवा ‘राष्ट्रीय आय’ का नाम दिया है।”¹ आगे के पृष्ठों से यह स्पष्ट हो जायेगा कि राष्ट्रीय लाभांश के आकार (size), उसकी रचना (Composition) तथा उसके वितरण की विधि (mode of distribution) सभी का समाज के कल्याण और इसकी सम्पन्नता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है।

राष्ट्रीय लाभांश की परिभाषा

मार्शल द्वारा दी गई राष्ट्रीय लाभांश की परिभाषा—

मार्शल ने अपनी पुस्तक *Principles of Economics* में राष्ट्रीय लाभांश की एक विस्तृत परिभाषा प्रस्तुत की है जो इस प्रकार है : “किसी देश का धन और पूँजी उसके प्राकृतिक साधनों के साथ मिलकर, प्रतिवर्ष वस्तुओं का एक शुद्ध योग (Net Aggregate) उत्पन्न करते हैं, जिसमें भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार की वस्तुएँ तथा सभी प्रकार की सेवाएँ सम्मिलित होती हैं। ‘शुद्ध’ शब्द का उपयोग यह गकेत देने के लिए आवश्यक है कि कच्चे मालों तथा अर्ध-निर्मित वस्तुओं के उपयोग के लिए तथा उस प्लान्ट की विहायत तथा क्षरण के लिए भी, जिसका उत्पादन में उपयोग होता है, व्यवस्था करनी चाहिये। अर्थात् शुद्ध अथवा सच्ची राष्ट्रीय आय निकालने से पहले ऐसे सभी प्रकार के व्ययों को कुल उपज में से घटाना आवश्यक होगा और इनमें विदेशी विनियोगों में प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ना होगा। यही देश की सच्ची शुद्ध वार्षिक आय अथवा जागम अथवा राष्ट्रीय लाभांश है।”²

राष्ट्रीय आय की गणना के सम्बन्ध में मार्शल ने आगे लिखा है : “जिन्हु वहाँ पर यही

¹ “Generally speaking economic causes act upon the economic welfare of any country, not directly, but through the making and using of that objective counter-part of economic welfare which economists call the national dividend or national income.”

—A. C. Pigou : *Economics of Welfare*, p. 31.

² Marshall : *Principles of Economics* p. 434.

अच्छा है कि गणना की साधारण विधि का उपयोग किया जाये और रिमी भी ऐसी वस्तु को राष्ट्रीय लाभाश में न गिने जिस व्यक्ति की आय में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, जब तक हम कुछ और नहीं कहते हैं, एक व्यक्ति जो सेवाएँ अपने लिए अपने परिवार के सदस्यों अथवा मित्रों के लिए निशुल्क उपलब्ध करता है और व्यक्तिगत सामानों के उपयोग से अथवा ऐसी सार्वजनिक सम्पत्ति के उपयोग से, जिस पर कोई शुल्क नहीं है जो लाभ उठाता है, इन सबको राष्ट्रीय लाभाश में सम्मिलित नहीं किया जायेगा...¹

आलोचना—मार्शल की राष्ट्रीय लाभाश की परिभाषा पर्याप्त अथवा तब व्यापक तथा तर्कपूर्ण प्रतीत होती है। मार्शल का विचार है कि राष्ट्रीय लाभाश में उन सभी वस्तुओं की कीमत सम्मिलित की जाती है जिनका एक निश्चित काल (सामान्यतया एक वर्ष) में उत्पादन हुआ है। कीमतों के इस योग में से कुछ कीमतों को घटाना अथवा जोड़ना आवश्यक है। जिसमें कि पूँजी यथास्थिर (intact) बनी रहें। सिद्धान्त की दृष्टि से, मार्शल का विचार पूर्णतया उपयुक्त प्रतीत होता है परन्तु जब हम इस सिद्धान्त को व्यवहार में लाना चाहते हैं तो कुछ कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं। प्रमुख कठिनाइयाँ निम्न प्रकार हैं—

(१) गणना सम्बन्धी कठिनाई—पहली कठिनाई तो गणना की कठिनाई है जो निम्न कारणों से उदय होती है—(i) देश में वस्तुओं और सेवाओं की मर्यादतनी विशाल होती है कि उनकी कीमतों का योग ज्ञात करना एक कठिन कार्य होता है। (ii) एक ही वस्तु की भी अनेक विस्मै ह्रांती है और सही गणना के लिए प्रत्येक विस्मै को अलग-अलग लेना आवश्यक होता है। (iii) अनेक वस्तुएँ और सेवाएँ ऐसी होती हैं जिनका उनके आरम्भिक उत्पादकों द्वारा ही प्रत्यक्ष उपभोग कर लिया जाता है उनका न तो विनिमय होता है और न उनकी कीमत ही निश्चित की जाती है। (iv) कुछ सेवाएँ ऐसी भी होती हैं जिनकी कोई भी भौतिक माप असम्भव होती है जैसे—एक देश-प्रेमी द्वारा देश के लिए किया गया त्याग सम्भव है कि एक समाजवादी देश में जहाँ सभी उत्पत्ति साधनों पर सरकार का अधिकार होता है, हम सभी वस्तुओं और सेवाओं की कोई सही सूची बना सकें, परन्तु अनुभव बताता है कि समाजवादी देशों की सरकार के पास भी सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें ज्ञात करने के आवश्यक साधन नहीं होते। स्वतन्त्र तथा प्रजातन्त्रीय शासन व्यवस्था वाले देश में तो यह समस्या और भी कठिन होती है।

(२) दोहरी गणना की सम्भावना—दूसरी कठिनाई एक ही कीमत को दो बार गिन लेने की सम्भावना है, जिससे बचना कठिन-सा है। उदाहरणार्थ, कृषि उद्योग कच्चे मालों को उत्पन्न करता है और हम इनकी कीमत की गणना करके उसे राष्ट्रीय लाभाश में सम्मिलित कर लेते हैं। परन्तु इन कच्चे मालों का उपयोग निर्माण उद्योगों द्वारा किया जाता है और जब हम निर्माण उद्योगों के तैयार मालों की कीमत को राष्ट्रीय लाभाश में सम्मिलित करते हैं तो (क्योंकि निर्माण उद्योग के तैयार माल की कीमत में कच्चे माल की कीमत भी सम्मिलित है) इस प्रकार हम वास्तव में कच्चे माल की कीमत को दो बार गिन लेते हैं। कठिनाई इस कारण और भी बढ़ जाती है कि एक उद्योग का तैयार माल भी किसी अन्य उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अनुभव बताता है कि अत्यधिक सावधानी रखने से कठिनाई को बहुत अथवा दूर किया जा सकता है, परन्तु इसे पूर्णतया दूर कर देना सम्भव नहीं होता क्योंकि यह तो सारी अर्थ-व्यवस्था पर छाई रहती है।

पीयू द्वारा दी गई परिभाषा—

पीयू का कहना है कि सौभाग्यवश अर्थशास्त्र को मुद्रा का मापदण्ड प्राप्त है, जिसका

उपयोग राष्ट्रीय लाभों की माप के लिए किया जा सकता है। तदनुसार उन्होंने लिखा कि, "जिस प्रकार आर्थिक कल्याण कुल कल्याण का वह भाग है जिसे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रीति-से-मुद्रा के माप से सम्बन्धित किया जा सकता है, उसी प्रकार राष्ट्रीय लाभों समाज की भौतिक आय का जिसमें विदेशों में प्राप्त आय भी सम्मिलित है, वह भाग है जो मुद्रा में मापा जा सकता है।"¹

अपने विचार की व्याख्या करते हुए पीगू ने आगे लिखा है कि, "यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अन्तिम रूप में राष्ट्रीय लाभों बहुत सारी भौतिक सेवाओं का, जिनमें से कुछ तो वस्तुओं में निहित होती हैं और कुछ प्रत्यक्ष रूप में प्रस्तुत की जाती हैं, समूह होता है। इन सभी चीजों का सुविधापूर्वक वस्तुएँ (goods)—चाहे वे तुरन्त नाशवान हो अथवा टिकाऊ हो—सेवाएँ कहा जा सकता है। किन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि एक सेवा गी, जैसे प्यानो (Piano) अथवा गेटो के टुकड़े के रूप में, जिसके निर्माण में वह सहायक हुई थी, पहले गिना जा चुका है, दोबारा फिर सेवा के रूप में न गिना जाये।"²

किन्तु पीगू स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय लाभों की जो परिभाषा दी है उसमें यह ज्ञात नहीं होता कि वास्तव में वस्तुओं और सेवाओं के किस प्रवाह को राष्ट्रीय लाभों में सम्मिलित करना चाहिए। इस समस्या के निवारण के लिए पीगू ने सुझाव दिया है कि, "केवल वही वस्तुएँ और सेवाएँ (दोबारा गिनती को छोड़ने हुए) राष्ट्रीय लाभों में सम्मिलित की जानी चाहिए जो वास्तव में मुद्रा में बेची जाती हैं। ऐसा करने से हम मुद्रा के माप-दण्ड को उपयोग करने की सर्वोत्तम स्थिति में रहेगे।"³

आलोचना—(१) मार्शल की तुलना में अधिक संकुचित—यदि हम पीगू के राष्ट्रीय लाभों के विचार को ध्यानपूर्वक देखें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका राष्ट्रीय लाभों का विचार मार्शल की तुलना में अधिक संकुचित है। पीगू किसी वर्ग के राष्ट्रीय लाभों में न केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित करते हैं जिनका वर्ग विशेष में न केवल उत्पादन ही हुआ है बल्कि जिनकी मुद्रा में भी माप हो सकती है। पीगू का विचार निश्चित भी है और व्यावहारिक भी। यद्यपि मार्शल की परिभाषा के आधार पर राष्ट्रीय लाभों की माप असम्भव हो सकती है, परन्तु पीगू की परिभाषा के आधार पर उसे निश्चित रूप में मापा जा सकता है। किन्तु प्रश्न फिर भी यह अवश्य रहता है कि क्या यह उचित है कि राष्ट्रीय लाभों में केवल उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित किया जाय जिन्हें मुद्रा के बदले बेचा जाता है? वस्तुओं और सेवाओं का एक विशाल समूह ऐसा होता है जिसका विनिमय नहीं होता। क्या यह उचित है कि इस समूह को हम राष्ट्रीय लाभों में सम्मिलित न करें जबकि इसका समाज के कल्याण तथा उसकी सम्पन्नता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है?

(२) दृष्टिकोण में अन्तरिक विरोध—पीगू स्वयं यह मानते हैं कि उनके दृष्टिकोण में अन्तरिक विरोध है। यथा—".....इस प्रकार, कुछ वे सेवाएँ जो राष्ट्रीय लाभों में सम्मिलित नहीं की जा रही हैं उनसे जो सम्मिलित की गई है निकटतम सम्बन्ध रखती है। बेची गई वस्तुएँ

1 "Just as economic welfare is that part of total welfare which can be brought directly or indirectly into relation with a money measure, so the national dividend is that part of the objective income of the community, including, of course, income derived from abroad, which can be measured in money."—A C Pigou : *Economics of Welfare*, p. 31.

2 *Ibid.*, p. 31.

3 *Ibid.*, p. 32.

तथा सेवाएँ उनसे किसी आधारभूत रूप से भिन्न नहीं हैं जो बेची नहीं गई है और बहुधा एक बेची जाने वाली सेवा बिना बेची जाने वाली तथा बिना बेची जाने वाली सेवा बेची जाने वाली सेवा बनती रहती है।”¹

(३) राष्ट्रीय लाभांश में संचानक घट-बढ़ होना—इस दृष्टिकोण से सम्बन्धित सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि यदि हम राष्ट्रीय लाभांश में केवल उन वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित करते हैं जिनकी मुद्रा में माप होनी है, तो यह सम्भव है कि किसी वर्ष विदेप में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हो जाने पर भी उस वर्ष का राष्ट्रीय लाभांश या तो यथास्थिर रहे या घट जाये। कारण, उत्पादन की वृद्धि उन वस्तुओं और सेवाओं में ही सञ्चालित है जिनका विनिमय नहीं किया जाता और यदि, साथ ही साथ, कुछ ऐसी वस्तुएँ और सेवाएँ जो पहले बेची जा रही थी अब उन वस्तुओं और सेवाओं की सूची में हस्तांतरित हो जाती हैं जो बेची नहीं जाती हैं, तो राष्ट्रीय लाभांश की मात्रा घट भी सकती है। पीगू ने स्वयं अपने दृष्टिकोण की असंगति (inconsistency) के उदाहरण इस प्रकार दिये हैं :—

(i) “.... .. यदि किसान अपने खेत की उपज को बेचता है और अपने परिवार के लिए बाजार से भोजन खरीदता है, तो उपज की एक विशाल मात्रा राष्ट्रीय लाभांश में सम्मिलित हो जाती है जो उस दशा में इस प्रकार सम्मिलित नहीं होगी जबकि किसान अपने गोस्त तथा सब्जी का एक भाग अपने ही पास रख ले और उसका स्वयं उपभोग करे।”

(ii) “ अर्थात् निम्न समूहों के गिरजाघर के कर्मचारियों एवं रविवासीय पाठशालाओं में पढ़ाने वाले अध्यापकों द्वारा किया हुआ परोपकारी कार्य, निस्वार्थ वैज्ञानिकों का अनुसन्धान, निःशुल्क धर्मों में अनेक लोगों का राजनैतिक कार्य, जो अभी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होगा (अथवा, जब इन सेवाओं के लिए नाम मात्र का भुगतान मिलता है तब राष्ट्रीय लाभांश में नाम मात्र मूल्य सम्मिलित होगा) जिनके लिये यदि ये लोग वेतन लेना स्वीकार कर लें; तो ये (सेवाएँ) राष्ट्रीय लाभांश में सम्मिलित की जायेंगी।”

(iii) “ . . . स्त्रियों द्वारा सम्पत्त की गई सेवाएँ राष्ट्रीय लाभांश में केवल तभी सम्मिलित होती हैं जब उनके बदले में मजदूरी ली जाती है चाहे ये सेवाएँ फँकट्री में की गई हैं चाहे घर पर। परन्तु वे उस समय राष्ट्रीय लाभांश में सम्मिलित नहीं होती हैं जबकि उन्हें माताओं अथवा पत्नियों द्वारा अपने परिवार के लिए निःशुल्क उपलब्ध किया जाता है। इस प्रकार, यदि एक आदमी अपना घर देखने वाली अथवा अपना खाना बनाने वाली स्त्री से विवाह कर लेता है, तो उसके इस कार्य से राष्ट्रीय लाभांश घटता है।”

(४) वस्तु विनिमय वाले देशों के सम्बन्ध में कठिनाई—पीगू के दृष्टिकोण को प्रहण करने में उन देशों में तो और भी अधिक कठिनाई होती है जहाँ वस्तु-विनिमय प्रणाली का अधिक प्रचलन है तथा अधिकांश मजदूरियाँ वस्तुओं और सेवाओं में चुलाई जाती हैं। यदि किसी देश में मुद्रा का चलन नहीं है, तो पीगू की परिभाषा के आधार पर राष्ट्रीय लाभांश की माप शून्य के बराबर होगी। पीगू की परिभाषा का लाभपूर्ण उपयोग अत्यधिक विकसित देशों के लिए ही है जहाँ उत्पादन और उपभोग दोनों विनिमय के माध्यम से होते हैं। पीगू ने मौद्रिक माप पर अनुरोध करके इस विचार के ध्यान को बहूत सकुचित कर दिया है। यद्यपि यह तो सही है कि यदि पीगू का

दृष्टिकोण ग्रहण किया जाता है तो राष्ट्रीय लाभांश की माप निश्चित रहेगी, परन्तु क्या इस प्रकार की माप यथार्थिक होगी, विशेषतया उन देशों में जहाँ वस्तु-विनिमय का प्रचलन अधिक है ? पीगू का दृष्टिकोण सुविधानजनक तो हो सकता है, परन्तु यह न तो तर्क पूर्ण है और न यथार्थवादी ।

फिशर द्वारा दी गई परिभाषा—

यह स्पष्ट है कि मार्शल और पीगू दोनों ने राष्ट्रीय लाभांश पर उत्पादन की दृष्टि से विचार किया है । इसके विपरीत फिशर (Fisher) ने राष्ट्रीय लाभांश का एक नया ही दृष्टिकोण ग्रहण किया है । उन्होंने राष्ट्रीय लाभांश को उपभोग की दृष्टि से देखा है । फिशर का विचार है कि राष्ट्रीय लाभांश अथवा आय में केवल वे सेवाएँ सम्मिलित होती हैं जो अन्तिम उपभोक्ताओं को प्राप्त होती हैं चाहे वे उन्हें उनके भौतिक वातावरण से प्राप्त हो चाहे मानवीय वातावरण से । वह टिकाऊ वस्तुओं के, जो कई वर्ष तक निरन्तर उपयोग में बनी रहती हैं, केवल उस भाग को वर्ष के लाभांश में शामिल करते हैं जिसका वर्ष विशेष में उपभोग होता है । अतः सच्चा राष्ट्रीय लाभांश वार्षिक शुद्ध उपज का वह भाग है जिसका वर्ष विशेष में प्रत्यक्ष उपभोग होता है । उनके अपने ही शब्दों में, "इस प्रकार, इस वर्ष में मेरे लिए जो प्यानी अथवा ओवरकोट (Overcoat) बनाया गया है वह इस वर्ष की आय का एक भाग नहीं है वरन् पूँजी में एक वृद्धि है । केवल वे सेवाएँ आय हैं जो इन वस्तुओं ने मुझे इस वर्ष में प्रदान की हैं ।"¹

मार्शल, फिशर और पीगू के दृष्टिकोणों का अन्तर—मार्शल, पीगू तथा फिशर के दृष्टिकोणों का अन्तर एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है । मान लीजिए कि सन् १९६६ के वर्ष में एक २५,००० रुपये की कीमत की मशीन का उत्पादन हुआ है । मार्शल और पीगू दोनों के अनुसार यह सारी कीमत सन् १९६६ के राष्ट्रीय लाभांश में सम्मिलित होगी और सन् १९७० के लाभांश में इसका कोई भी भाग सम्मिलित नहीं होगा । इसी प्रकार सन् १९६८ अथवा इससे पूर्व के वर्षों में जिस मूल्य का उत्पादन हुआ है उसका कोई भी भाग सन् १९६६ के राष्ट्रीय लाभांश में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । किन्तु यह सम्भव है कि जो मशीन सन् १९६६ में बनाई गई है वह २० वर्ष चले और यह सम्भव है कि यद्यपि इस मशीन का उत्पादन सन् १९६६ में होता है, परन्तु उस वर्ष में उसका विल्कुल उपयोग न हो या केवल ६ महीने ही उपयोग हो । इसके विपरीत यह भी सम्भव है कि जो मशीन सन् १९६८ अथवा और पहले के वर्षों में बनाई गई थी उसका सन् १९६६ में ठीक उसी प्रकार उपयोग किया गया हो जैसे सन् १९६६ में उत्पन्न की गई मशीन का सन् १९७० में होगा । फिशर के अनुसार, मशीन की कीमत का केवल नतीजा भाग सन् १९६६ के राष्ट्रीय लाभांश में सम्मिलित होगा जिसका उस वर्ष में उपयोग किया गया है । यदि मशीन का सन् १९६६ में विल्कुल उपयोग नहीं होता है, तो उसकी कीमत का कोई भी भाग सन् १९६६ के लाभांश में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । यदि मशीन २० वर्ष चलेगी और सन् १९६६ में केवल ६ महीने उपयोग की गई है, तो उसकी कीमत का केवल १/४ भाग सन् १९६६ के लाभांश में सम्मिलित किया जायेगा । साथ ही साथ, पहले उत्पन्न की हुई मशीनों की कीमत का वह भाग, जो सन् १९६६ में उपयोग किया गया है, इस वर्ष के लाभांश में सम्मिलित होगा और सन् १९६६ में निर्मित मशीन

¹ "National Dividend, or Income consists solely of services as received by ultimate consumers, whether from their material or from their human environment. Thus a piano or an overcoat made for me this year is not a part of this year's income, but an addition to capital. Only the services rendered to me during this year by these things are income."—Fisher : *The Nature of Capital and Income*, p. 104.

की कीमत का वह भाग, जिसका उस वर्ष में उपयोग किया जायेगा, सन् १९७० के साभास में सम्मिलित होगा।

फिशर के दृष्टिकोण का मूल्यांकन—इस दृष्टिकोण के पक्ष में बहुत कुछ कहा जा सकता है।

(१) **आर्थिक कल्याण प्रभाव की दृष्टि से उपयोग**—यदि हम राष्ट्रीय साभास का अध्ययन मुख्यतया इस दृष्टि से करते हैं कि उसका आर्थिक कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, तो निश्चय ही फिशर का दृष्टिकोण अधिक उचित है, कारण, किसी व्यक्ति अथवा समाज के कल्याण पर प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोग का होता है उत्पत्ति का नहीं। उत्पत्ति तो उपभोग के माध्यम से कल्याण पर केवल परोक्ष प्रभाव डाल सकती है। वैसे भी, यद्यपि दीर्घकालीन दृष्टि से किसी देश का उपभोग उत्पत्ति के बराबर होता है परन्तु अल्पकाल में उपभोग और उत्पत्ति के बीच विद्याल अन्तर हो सकते हैं।

(२) इस गलत धारणा का निवारण कि उत्पादन-वृद्धि आवश्यक रूप से कल्याण वृद्धि की सूचक—फिशर का दृष्टिकोण इन गलत धारणा को, जो कि मार्शल और पीगू की देन हैं, दूर कर देता है कि उत्पादन की वृद्धि आवश्यक रूप में कल्याण-वृद्धि की ओर उत्पादन की वही आवश्यक रूप में कल्याण घटने की सूचक होती है। गणित की दृष्टि से भी फिशर का विचार आकर्षण रखता है।

(३) स्पष्टता होते हुए भी बहुत लाभदायक नहीं—परन्तु फिशर ने राष्ट्रीय साभास वाक्य का उपयोग उससे भिन्न अर्थ में किया है जिसमें उसे साधारणतया समझा जाता है, जिस कारण तात्किक स्पष्टता के होते हुए भी विचार बहुत लाभदायक नहीं रह जाता है।

(४) **व्यावहारिक कठिनाइयाँ**—व्यावहारिक दृष्टि से फिशर का दृष्टिकोण ग्रहण करने में कई कठिनाइयाँ हैं, जैसे —(i) सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि यद्यपि वर्ष भर के कुल उत्पादन की कीमत ज्ञात करना कठिन है परन्तु वर्ष भर के कुल उपयोग की कीमत ज्ञात करना और भी कठिन है। कारण, उत्पादन की तुलना में उपभोग अधिक बिखरा हुआ होता है। उदाहरणार्थ, एक छोटे से किसान की थोड़ी-सी उपज का उपभोग भी हजारों व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है। यही कारण है कि उपभोग की गणना उत्पत्ति की गणना से भी कई गुनी अधिक कठिन होती है। (ii) यहाँ पर एक ही आय को एक से अधिक बार गिन लेने का भय इतना अधिक है कि यह सम्भावना दूर नहीं की जा सकती है। (iii) इसके अतिरिक्त, वर्ष विशेष के राष्ट्रीय साभास का पता लगाने के लिए पिछले वर्षों में उत्पादित विभिन्न वस्तुओं के उन भागों की कीमत ज्ञात करनी होती है जिनका वर्ष विशेष में उपभोग हुआ है, जिससे कठिनाई और भी बढ़ जाती है। (iv) टिकाऊ वस्तुओं का इस प्रकार निरन्तर हस्तान्तरण हो सकता है कि अन्त में अन्तिम स्वामी का आरम्भिक स्वामी से कोई सम्बन्ध शेष न रहे। बहुत-सी दशाओं में शायद यह ज्ञात भी न किया जा सके कि निर्माण कब हुआ था। इसके अतिरिक्त, कालान्तर में टिकाऊ वस्तुओं की कीमत में भी परिवर्तन हो सकते हैं, जिस दशा में वर्ष विशेष में उपयोग किये हुए भाग की सही कीमत ज्ञात करना और भी कठिन होगा। निस्सन्देह कठिनाइयाँ इतनी विशाल हैं कि फिशर का दृष्टिकोण व्यावहारिक हो जाता है।

विभिन्न परिभाषाओं की तुलनात्मक उपयुक्तता—

राष्ट्रीय साभास की नौन-सी परिभाषा सबसे अच्छी है इस प्रश्न का उत्तर केवल इस सन्दर्भ में ही दिया जा सकता है कि राष्ट्रीय साभास के विचार का उपयोग हम किस उद्देश्य की पूर्ति लिए कर रहे हैं।

फिशर की परिभाषा का अर्थव्यक्ति—यदि हमारा उद्देश्य यह है कि विभिन्न वर्षों से संचित समाज के आर्थिक कल्याण की तुलना करें और इसके लिए हम एक भौतिक सूचक (object)

index) को डूँडना चाहते हैं, तो मय व्यावहारिक कठिनाइयों के रहते हुए भी फिशर का दृष्टिकोण सर्वोत्तम रहेगा। ठीक, इसी प्रकार, यदि हम यह जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि एक समय अवधि में कोई देश युद्ध के मंचालन के लिए कितनी व्यवस्था कर सकता है, तो भी फिशर का दृष्टिकोण ही अधिक लाभदायक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम यह जानना चाहते हैं कि यह कितनी मात्रा है जो, इस बात की चिन्ता किये बिना कि पूँजी के स्टॉक की वृद्धि होती है अथवा उसका ह्रास, भीच (squeeze) कर निकाली जा सकती है तथा उपभोग की जा सकती है।¹

पीगू और मार्शल की परिभाषाओं की उपयुक्तता—चिन्तु यदि हम माघारण शान्तिकालीन स्थिति को लेते हैं और इस काल से सम्बन्धित आर्थिक कल्याण को प्रभावित करने वाले कारणों पर विचार करते हैं, तो राष्ट्रीय लाभार्थ के बारे में मार्शल और पीगू के दृष्टिकोण को ग्रहण करना अधिक उपयुक्त होगा। ऐसी दशाओं में हमें उद्योग की उत्पादन-क्षमता पर पड़ने वाले पूँजी-क्षरण (capital depletion) के दीर्घकालीन प्रभाव का भी अध्ययन करना पड़ेगा और यह भी देखना पड़ेगा कि इस क्षरण द्वारा हमारी आवश्यकता तृप्ति किस अंश तक प्रोत्साहित अथवा हतोत्साहित होती है। पीगू ने ठीक ही कहा है कि “..... आर्थिक कारणों तथा आर्थिक कल्याण का सम्बन्ध कुल उपभोग द्वारा स्थापित किया जाता है, न कि तुरन्त उपभोग द्वारा। इसलिए मार्शल द्वारा दी गई राष्ट्रीय लाभार्थ की परिभाषा फिशर की तुलना में कुल मिलाकर अधिक लाभदायक है।”² यदि पूँजी की मात्रा बढ़ती है, तो इससे भविष्य में अधिक उपभोग सम्भव हो जाता है, और, इसके विपरीत, यदि पूँजी की मात्रा घटती है, तो इससे भविष्य में उपभोग के घटने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है। जिस चीज को फिशर ने ‘राष्ट्रीय आय’ (National Income) कहा है उसे पीगू के अनुसार ‘उपभोग-वस्तुओं की राष्ट्रीय आय’ अथवा संक्षेप में ‘उपभोग आय’ (Consumption Income) कहना अधिक उपयुक्त होगा।

आधुनिक अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय का विचार

किसी देश की कुल उत्पत्ति का मूल्यांकन करने तथा उसे मूचित करने की अनेक रीतियाँ हैं। इस कारण आर्थिक साहित्य में राष्ट्रीय आय के अनेक विचार प्रचलित हैं। इनमें से दो प्रमुख विचारों—सकल राष्ट्रीय उपज और विद्युद्ध राष्ट्रीय उत्पादन की हम व्याख्या करने का प्रयत्न करेंगे।

(1) सकल राष्ट्रीय उपज (The Gross National Product or GNP)—

एक वर्ष में कितनी वस्तुओं और सेवाओं का किसी देश में उत्पादन होता है उनके कुल मौद्रिक मूल्य को ‘सकल राष्ट्रीय उपज’ (GNP) कहा जाता है। इसे हम गणितीय चिन्हों द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी देश में गेहूँ की X, चावल की Y, कोयले की Z ... इत्यादि उत्पन्न की जाती हैं और उस एक वर्ष में उनकी कीमतें क्रमशः A, B, C,.... प्रति इकाई हैं। ऐसी दशा में वर्ष विशेष की शुद्ध सकल उपज (GNP) = AX + BY + CZ + इत्यादि (इस श्रेणी में देश में वर्ष विशेष में उत्पन्न सभी वस्तुयें और सेवायें सम्मिलित होती)। मान लीजिए कि उपज की मात्राओं और उनकी कीमतों का अध्ययन सन् १९६६ से सम्बन्धित है, तो उपरोक्त मात्राओं का जोड़ ‘सन् १९६६ की बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उपज’

¹ Gilbert and Jassi : *Readings in the Theory of Income Distribution* pp. 47-48.

² “... ..it is through total consumption and not through immediate consumption, that economic welfare and economic causes are linked together. Consequently, Marshall's definition of the national dividend, is likely, on the whole, to prove more useful than in the other (Fisher's definition)”—A. C. Pigou : *Economics of Welfare*, p. 30.

कहलायेगा। टीक इसी प्रकार, हम मन् १९६० की मूल्य राष्ट्रीय उपज मन् १९६० की बाजार कीमतों पर ज्ञान कर सकते हैं। यही तर्क कि हम मन् १९६० की बाजार कीमतों पर मन् १९६१ की सकल राष्ट्रीय उपज भी ज्ञान कर सकते हैं और इसी प्रकार किसी भी वर्ष की बाजार-कीमतों पर किसी भी वर्ष की सकल राष्ट्रीय उपज ज्ञान की जा सकती है। तुलना के उद्देश्य से हम किसी एक दिने हुए वर्ष की बाजार कीमतों के आधार पर बहुत से वर्षों की सकल राष्ट्रीय उपज का पता लगा सकते हैं। निर्देशांकों (Index Numbers) की सहायता से हम एक वर्ष विदेप की बाजार कीमतों पर ज्ञान की गई किसी भी वर्ष की सकल राष्ट्रीय उपज की किसी अन्य वर्ष की बाजार कीमतों पर मूल्य राष्ट्रीय उपज में बदल सकते हैं।

बाजार कीमतों के अतिरिक्त सकल राष्ट्रीय उपज साधन कीमतों (Factor prices) पर भी ज्ञान की जा सकती है। उपज के बाजार मूल्य में मरकार का चुकाये हुए परोक्ष कर भी सम्मिलित होने है। उदाहरणस्वरूप यदि एक किलोग्राम चाय का उत्पादन व्यय ८ रुपये है और उस पर ३ रुपये प्रति किलोग्राम उत्पादन कर है तो चाय की बाजार कीमत ११ रुपये प्रति किलोग्राम होगी। इससे हमें निम्न लाभदायक समीकरण प्राप्त होता है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उपज = कुल उत्पादन व्यय + परोक्ष कर। सकल राष्ट्रीय उपज का कुल उत्पादन व्यय ज्ञान करने के लिए हमें बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उपज में न परोक्ष करों को घटाना होगा। इससे एक दूसरा समीकरण प्राप्त होता है कुल उत्पादन व्यय = बाजार की कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उपज - परोक्ष कर। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उपज तथा परोक्ष करों का अन्तर 'साधन कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उपज' कहलाता है। यह कुल उत्पादन व्यय यथा मूल्य राष्ट्रीय उपज को उपज करने वाले साधनों को दिए हुए पारितोषण के बराबर होती है।

(II) शुद्ध राष्ट्रीय उपज (The Net National Product or NNP) —

उत्पादन कार्य में हम प्रयोज्यत माल का भी उपयोग करते हैं जिसमें घिसावट और टूट-पूट होती रहती है और जो धीरे-धीरे पुराना पड़ता जाता है। दोनों ही दशाओं में इन सामानों को बदलने की आवश्यकता पड़ती है। स्पष्ट है कि सकल राष्ट्रीय उपज के एक भाग का उपयोग इन सामानों को बदलने के लिए किया जायेगा और यह भाग न तो उपभोग के लिए उपलब्ध होगा और न विनियोग के लिए। यदि हम सकल राष्ट्रीय उपज में से इस बदले के व्यय को निकाल दें, तो शेष शुद्ध राष्ट्रीय उपज (NNP) कहलायेगी। बदली के लिए की गई कटौती को क्षरण (Depreciation) कहा जाता है और इस प्रकार शुद्ध राष्ट्रीय उपज = सकल राष्ट्रीय उपज - क्षरण (NNP = GNP - Depreciation)। सकल राष्ट्रीय उपज की भांति शुद्ध राष्ट्रीय उपज की गणना भी या तो बाजार कीमतों पर की जा सकती है या साधन कीमतों पर। बहुधा ऐसा कहा जाता है कि सकल राष्ट्रीय उपज की तुलना में शुद्ध राष्ट्रीय उपज का विचार अधिक लाभदायक है। बहुत से लेखकों ने शुद्ध राष्ट्रीय उपज को राष्ट्रीय आय का ही पर्यायवाची कहा है। किन्तु शुद्ध राष्ट्रीय उपज की गणना में भावदायकी की आवश्यकता है। विदेप रूप में निम्न दो बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है :—

(१) देश का अन्तरराष्ट्रीय व्यापार—जहाँ तक देश के निर्यातों का प्रश्न है, वे देश की आय का ही एक भाग होने हैं, क्योंकि उनकी कीमत विदेशी चुकाते हैं। किन्तु देश के आयातों की कीमत देशवासी चुकाने है, जिस कारण देश की आय में वे उनकी कीमत घटाना आवश्यक होगा। अच्छा यह होगा कि देश के निर्यातों की कीमत में से आयातों की कीमत घटा दी जाये और शेष को, यदि वह धनात्मक है, तो राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया जाये और यदि वह ऋणात्मक है, तो राष्ट्रीय आय में से घटा दिया जाये। निर्यात-आयात (अदृश्य आयात-निर्यात) के सम्बन्ध में भी ऐसा ही किया जाना चाहिए और यही नीति विदेशी ऋणों के ब्याज तथा विदेशी विनियोगों के

तामो के विषय में अपनाई जानी चाहिए। इस प्रकार, देश की शुद्ध राष्ट्रीय आय की गणना के लिए देश के अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की शुद्ध शेष (Net Balance) को गिनना चाहिए।

(२) देश की सरकार द्वारा करारोपण तथा ध्वय—सरकारी उपक्रमों द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुएँ और सेवाएँ (यदि वे वस्तुएँ हैं और तुरन्त उपयोग के लिए उपलब्ध हैं) सकल तथा शुद्ध राष्ट्रीय उपज में जोड़ी जानी चाहिए। यदि वे वस्तुएँ कच्चे मालो या प्रथम निर्मित मालो के रूप में हैं, तो इन्हें सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि उनकी कीमत अपने आप ही तैयार मालो की कीमत में जुड़ जायेगी। किन्तु सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन पर जो शुद्ध ध्वय करती है उसे राखल तथा शुद्ध दोनों प्रकार की राष्ट्रीय उपज में सम्मिलित किया जावेगा, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन उन सेवाओं का ही एक भाग होते हैं जो वर्ष भर में देश में उत्पन्न की गई हैं।

अधिकांश सरकारी गणनाओं में शुद्ध राष्ट्रीय उपज (NNP) को ही राष्ट्रीय आय के समान मान लिया जाता है, किन्तु बहुत से देश तथा बहुत से अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय को सकल राष्ट्रीय उपज (GNP) के अर्थ में लेते हैं।

कुन्जेट्स (Kuznets) के अनुसार, राष्ट्रीय 'आय देश का सारास तथा मूल्यांकन है, यह कोई विवेचनात्मक तथ्य नहीं है।' उन्होंने आगे कहा है कि "राष्ट्रीय आय देश की आर्थिक क्रिया की अन्तिम उपज है जो आर्थिक शक्तियों के सामूहिक कार्यवाहन को दिवानी है और जिसके द्वारा प्रयत्न आर्थिक गठन या उसके प्रतिफल के रूप में मूल्यांकन किया जाता है।"¹

अपनी प्रथम रिपोर्ट में भारतीय राष्ट्रीय आय समिति (National Income Committee of India) ने राष्ट्रीय आय की निम्न परिभाषा की है : "एक राष्ट्रीय-आय-अनुमान वस्तुओं और सेवाओं को उस मात्रा का माप है जिसे एक निश्चित काल में उत्पन्न की जाती है जबकि हम किसी भी वस्तु अथवा सेवा को एक से अधिक बार न गिनें।" एक अन्य स्थान पर इसी समिति ने कहा है कि "राष्ट्रीय-आय-अनुमान अथवा लेगे देश की अर्थ-व्यवस्था की कुल शुद्ध उपज की माप है। यद्यपि अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अन्तर हो सकते हैं, परन्तु परिमाणानुसार माप के लिए सभी आर्थिक क्रियाओं का मूल्यांकन एक आधारपर आधारित किया जाता है। यह माप हमें बताता है कि विभिन्न राष्ट्रों ने कितना उत्पादन, कितना वितरण और कितना उपभोग किया है, और वे सम्पूर्ण अर्थ-व्यवस्था से सम्बन्धित होने के जिनमें न कुछ छोड़ा जाता है और न कुछ दोबारा गिना जाता है।"²

संयुक्त राष्ट्रीय संघ द्वारा प्रकाशित पुस्तक "National Income Statistics of Various countries" में राष्ट्रीय आय के सम्बन्ध में कई बातें बताई गई हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित रूपों में की जा सकती है :—

(१) शुद्ध राष्ट्रीय उपज (NNP) अर्थात् आर्थिक क्रिया की सभी धारणाओं में एक विशेष अवधि के भीतर उत्पन्न की गई वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध उत्पादन की कीमत तथा उगी अवधि में विदेशों में प्राप्त शुद्ध आय के जोड़ के रूप में।

(२) वितरक हिस्सों के योग, अर्थात् एक निश्चित काल में उत्पादित के मापनों में प्राप्त होने वाले भुगतानों अर्थात् मजदूरी, वेतन, लाभ, व्याज, लगान आदि के जोड़ के रूप में होने हैं, और

¹ Kuznets : *Readings in the Theory of Income Distribution*, p. 3.

² National Income Committee of India : *First Report* (April 1959), p. 9.

(३) शुद्ध राष्ट्रीय व्यय अर्थात् वस्तुओं और सेवाओं के अन्तिम उपभोग पर किये गये व्ययों तथा शुद्ध देशी और विदेशी विनियोगों के जोड़ के रूप में ।¹

भारतीय राष्ट्रीय आय समिति ने राष्ट्रीय आय के निम्न चार अङ्ग बनाये हैं :—(अ) कृषि जिसमें पशुपालन वन उद्योग तथा मत्स्य उद्योग भी सम्मिलित हैं । (ब) खनिज, निर्माण तथा हस्तकला उद्योग, जिनमें खनिज और फॅक्ट्री कार्यालय तथा छोटे उद्योग सम्मिलित हैं । (स) वाणिज्य मन्धार एवं परिवहन जिसमें मन्धार (डार तार तथा टेलीफोन) रेलें, मण्डित बैंकिंग और बीमा तथा अन्य वाणिज्य और परिवहन भी सम्मिलित हैं (देशी बैंकरो की सेवाओं को जोड़ते हुए) । (द) अन्य सेवायें, जिनमें व्यवसाय, उदार कलायें सरकारी नौकरी, घरेलू नौकरी तथा शूद्र सम्पत्ति भी सम्मिलित हैं ।

राष्ट्रीय आय की गणना (The Calculation of National Income)

राष्ट्रीय आय को मापने की तीन विधियाँ हैं —

(1) वस्तु सेवा प्रणाली—

इस प्रणाली में देश में एक वर्ष में उत्पन्न वस्तुओं और सेवाओं का शुद्ध मूल्य ज्ञात किया जाता है और फिर उसे जोड़ लिया जाता है । इस प्रकार का योग प्राप्त होता है उन अन्तिम उपज योग (Final Products Total) कहा जाता है । इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार के मूल्यों को प्राप्त करने के लिए इस देश के उत्पादन और ध्यापार के आँकड़ों को ले सकने हैं आधुनिक युग में इस प्रकार के आँकड़े लगभग सभी देश एकत्रित करते हैं । किन्तु अन्तिम उपज योग की गणना करने समय निम्न सावधानियाँ आवश्यक होती हैं —

(१) हमें केवल उस अन्तिम उपज को लेना चाहिए जो उपभोग के लिए तुरन्त उपलब्ध है । इसमें कच्चे मालों, अर्ध-निर्मित वस्तुओं तथा बीच के सामानों (Intermediate goods) का मूल्य नहीं जोड़ना चाहिये, क्योंकि यह मूल्य तो अन्तिम उपजों की कीमत में सम्मिलित होता है । ऐसा करने में एक ही मूल्य को दो बार गिन लेने की सम्भावना नहीं रहेगी । एक उदाहरण से यह बात भली-भाँति स्पष्ट हो जायेगी । मान लीजिए कि एक ऐसी फर्म है, जो वर्ष में ५०,००० रुपये की कीमत का फर्नीचर तैयार करती है । मान लीजिए कि वह इसके लिए ४०,००० रुपये की कीमत की लकड़ी तथा अन्य कच्चे माल उपयोग करती है । ऐसी दशा में फर्म की उपज का शुद्ध मूल्य $५०,००० - ४०,००० = १०,०००$ रुपये होगा और इसी मूल्य को राष्ट्रीय आय के आँकड़ों में जोड़ा जायगा । जहाँ तक कच्चे मालों के मूल्य का प्रश्न है उनमें से प्रत्येक किमी न किसी उद्योग की अन्तिम उपज होगा और उसका मूल्य उन उद्योगों की अन्तिम उपज के मूल्य के रूप में राष्ट्रीय आय में सम्मिलित हो जायेगा । इस प्रकार, राष्ट्रीय आय की गणना में प्रत्येक उद्योग की अन्तिम उपज का केवल शुद्ध मूल्य ही लेना चाहिए, क्योंकि, यदि हम मूल्य को लेने हैं, तो एक ही कच्चे माल का मूल्य दो बार गिन लिया जायेगा । किमी फर्म की उपज का शुद्ध मूल्य = उस फर्म की उपज का कुल-मूल्य - फर्म द्वारा उपयोग किये हुए सामानों का मूल्य । इसे हम 'फर्म द्वारा जोड़ा हुआ मूल्य' (value added by the firm) भी कह सकते हैं ।

(२) इस प्रणाली से राष्ट्रीय आय की गणना करने में उन नये पूँजी आदेयों का मूल्य भी सम्मिलित होगा जो बाल विरोध में उत्पन्न हुए हैं । यद्यपि इन आदेयों (Assets) का उपयोग

¹ United Nations : National Income Statistics of Various Countries (1938—48), p. 8.

आगे के वर्षों में भी होगा, तथापि, क्योंकि ये आदेश बिना साध्य है इसलिए इनके मूल्य को सम्मिलित करना आवश्यक है।

(३) अन्तरिक उपज को कीमत में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का शुद्ध शेष भी जोड़ा जाना चाहिए। इस प्रकार की शेष धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकती है, जो इस पर निर्भर है कि आयातों का मूल्य अधिक है अथवा निर्यातों का।

(४) घिसावट तथा व्यय प्लॉट और मशीनों को बदलने का व्यय घटाया जाना चाहिए।

(II) प्राप्त आय गणना प्रणाली—

इस प्रणाली द्वारा राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए हम व्यक्तियों तथा व्यावसायिक फर्मों को वर्ष भर में प्राप्त आय का योग ज्ञात करते हैं। यहाँ पर भी एक ही आय को दो बार नहीं गिना जायें। इस प्रकार प्राप्त शुद्ध आयों का योग साधन भुगतान योग (Factor Payments Total) कहलाता है। इसके लिए दो प्रकार के आँकड़े प्राप्त किये जाते हैं :—(अ) ऊँची आय-वर्ग के लोगों की आय के आँकड़े, जो आय-कर विभाग से प्राप्त हो जाते हैं और (ब) निम्न आय वर्गों की आय के आँकड़े, जो जन-गणना रिपोर्टों तथा व्यावसायिक वर्गों की आय के अध्ययन की विशेष रिपोर्टों से प्राप्त किये जाते हैं।

यदि हम प्राप्त आय के योग (अर्थात् साधन भुगतान योग) में केवल उन आयों को सम्मिलित करें जो कि उपज का उत्पादन करके प्राप्त की जाती है, तो यह योग शुद्ध उपज के मौद्रिक मूल्य (अन्तिम उपज योग) के बराबर होगा, कारण स्पष्ट ही है। चूँकि किसी उपज का कुल मूल्य=कुल लगान+कुल मजदूरी+कुल व्याज+कुल लाभ=उत्पत्ति के साधनों को कुल भुगतान, इसलिये हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्रीय उपज का कुल मूल्य=उत्पत्ति के साधनों का कुल आय।

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, साधन-भुगतान-योग ज्ञात करने के लिये आवश्यक आँकड़े सरकारी रिपोर्टों, जनगणना रिपोर्टों, आय-कर-विवरणों तथा फर्मों और व्यवसायों की रिपोर्टों से प्राप्त किये जा सकते हैं। ये सूचनाएँ निम्न से सम्बन्धित होती हैं :—(क) सभी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मजदूरियों और भत्तों तथा ऐसे व्यक्तियों की कमाई जो स्वयं अपने ही व्यवसाय में कार्य करते हैं, (ख) सभी व्यवसायों, उद्योगों और उपक्रमों को शुद्ध आय, (ग) सभी प्रकार के ऋणों पर शुद्ध व्याज तथा (घ) शुद्ध लगान और अधिकार शुल्क (Royalties)।

सावधानियाँ—सही योग निकालने तथा एक ही तथ्य को दो बार गिनने की सम्भावना रोकने के लिये व्यवहार में कुछ प्रकार की सावधानियाँ आवश्यक होती हैं जिनमें से मुख्य-मुख्य निम्न प्रकार हैं :—

(१) किसी दशा में हस्तांतरण भुगतानों की आय में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए जब कोई व्यक्ति अपनी कार अथवा अपने मकान को बेचता है तो उसके द्वारा प्राप्त आय केवल हस्तांतरण भुगतान है जिससे राष्ट्रीय आय में कोई भी वृद्धि नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार वह आय भी, जो किसी प्रकार का उत्पादन किए बिना प्राप्त की गई है (जैसे भौख अथवा दान से आय निवारण भुगतान वृत्तिहीनता निवारण भुगतान, वृद्धावस्था उत्तर-वेतन आदि) राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ी जानी चाहिए। राष्ट्रीय आय में केवल उसी भुगतान को सम्मिलित करना चाहिए जो किसी वस्तु अथवा सेवा के उत्पादन में सम्बन्धित हो। इसका स्वरूप उत्पत्ति के साधन द्वारा उत्पादन में योग देने के लिए व्यय-भुगतान' होना चाहिये।

(२) जो उत्पत्ति साधन सेवायोजक द्वारा अपने पास ही लगाये जाते हैं, उनको कीमत ऐसे साधनों की बाजार कीमत पर निकाल कर राष्ट्रीय आय में जोड़नी चाहिए, क्योंकि यह

निश्चय है कि ये साधन किसी वस्तु के उत्पादन व्यय में सम्मिलित होने हैं, इसलिए इनकी कीमत भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं होनी चाहिए।

(३) चूँकि ऐसे साधनों की जिनके लिए मौद्रिक भुगतान नहीं किये जाते हैं, कीमत मुद्रा में ज्ञात नहीं की जा सकती है उन्हें सुविधा तथा माप की निश्चितता दोनों को ही दृष्टि से राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ना चाहिए।

(४) अवितरित तथा लाभशों की कीमत भी राष्ट्रीय आय में जोड़ी जानी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के भुगतान भी माल विरोध में उत्पादित आय का ही एक अंग होने हैं।

(III) उपभोग वचत प्रणाली—

इस प्रणाली को कभी-कभी 'उपभोग विनियोग प्रणाली' भी कहा जाता है। इस प्रणाली की मान्यता यह है कि कुल आय या तो उपभोग पर व्यय होनी है या वचत पर, और इधरिधे समाज की कुल आय = समाज का कुल उपभोग व्यय + समाज की कुल वचत। किसी वस्तु विशेष में कुल उपभोग की कीमत तथा कुल वचत कीमत दोनों मिलकर समाज की उस वस्तु की कुल आय के बराबर होते हैं। इस प्रणाली को उपभोग-विनियोग प्रणाली इस कारण कहा जाता है कि अन्तिम दशा में वचत = विनियोग।

तीनों प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन—

विभिन्न प्रणालियों की पूरकता—उपभोग-वचत-प्रणाली के प्रयोग में कुछ ध्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं क्योंकि उपभोग-व्यय के आँकड़े कठिनार्थ से प्राप्त होते हैं किन्तु अन्य दो प्रणालियों से सम्बन्धित आँकड़े अधिक आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इसी कारण इन प्रणालियों का उपभोग अधिक प्रचलित है। किन्तु चाहे हम किसी भी प्रणाली का उपभोग क्यों न करें, यदि हम उसका उपयोग सावधानीपूर्वक करते हैं तो परिणाम एक-सा ही रहता है। सच तो यह है कि एक प्रणाली द्वारा प्राप्त अनुमानों की जाँच दूसरी प्रणाली की सहायता से की जा सकती है। उदाहरणार्थ, जब हमें उपभोग व्यय तथा वचत अथवा विनियोग व्यय आँकड़े भी स्वतन्त्र रूप में प्राप्त हों, तो उनमें हम अन्य दो प्रणालियों के निष्कर्षों की जाँच कर सकते हैं। किन्तु आँकड़े साधारणतया इस प्रकार उपलब्ध नहीं होते हैं और अधिकांश दशाओं में हमें ऐसे आँकड़े उत्पादन तथा आय के आँकड़ों से ही प्राप्त (deduce) करने पड़ते हैं।

वास्तव में राष्ट्रीय आय पर विचार करने की दो रीतियाँ हैं। राष्ट्रीय आय की गणना किसी देश में, किसी काल में (अ) या तो वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह के रूप में की जा सकती है या (ब) आय अथवा उत्पत्ति के साधनों के भुगतानों के प्रवाह के रूप में प्रथम दृष्टिकोण के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना को कभी-कभी उत्पादन गणना प्रणाली (Census of Production Method) कहा जाता है, जबकि दूसरे दृष्टिकोण से सम्बन्धित प्रणाली आय गणना प्रणाली (Census of Incomes Method) कहलाती है। दोनों ही प्रणालियों से, यदि उपयोग में सावधानी रखी जाती है, समान निष्कर्ष ही प्राप्त होना है। आजकल प्रचलित व्यवहार यह है कि दोनों ही प्रणालियों से, एक ही साथ उपयोग किया जाता है। अर्थ-व्यवस्था के कुछ अंगों (जैसे एग्रीकल्चर तथा कृषि) में, जहाँ उपज का मूल्य ज्ञात करना सरल किन्तु उत्पत्ति के साधनों की आय का अनुमान लगाना कठिन होता है राष्ट्रीय आय की उत्पादन गणना प्रणाली सहायता से ली जाती है। किन्तु अर्थ-व्यवस्था के उन अंगों (जैसे व्यवसाय) में, जिनके साधनों की आय की गणना अधिक सरल होती है, उपज की कीमत साधनों की आय के आधार पर ज्ञात की जाती है।

राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाइयाँ—

उपरोक्त विवेचन से यह तो स्पष्ट ही होता है कि राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना कठिन होता है। इन कठिनाइयों को निम्न दो बड़े वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—(I) वैचारिक

प्रत्येक का अलग-अलग अध्ययन अधिक उपयुक्त होगा। इस दृष्टि से हम निम्न प्रकार का अध्ययन करेंगे—

(I) राष्ट्रीय लाभांश के आकार के परिवर्तन और आर्थिक कल्याण—

समस्या यह है कि यदि राष्ट्रीय लाभांश की मात्रा में परिवर्तन होता है, तो इसका आर्थिक कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? आर्थिक कल्याण की कमी अथवा वृद्धि लाभांश की मात्रा की कमी अथवा वृद्धि द्वारा ही होती है और इसी कारण दोनों के पारस्परिक अध्ययन का महत्त्व अधिक है।

राष्ट्रीय लाभांशों की वृद्धि से आर्थिक कल्याण में वृद्धि किस प्रकार ? पीगू के अनुसार, यदि गरीबों को प्राप्त होने वाले लाभांश में कोई कमी नहीं आती है, तो राष्ट्रीय लाभांश की वृद्धि, यदि ऐसी वृद्धि अकेले में बिना किसी अन्य प्रकार का परिवर्तन घटित होती है आर्थिक कल्याण को भी अवश्य बढ़ावेगी।¹ यहाँ पर पीगू का विचार है कि साधारणतया राष्ट्रीय लाभांश की वृद्धि आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि कर देती है बशर्ते एक ओर तो लाभांश में से गरीबों को मिलने वाले भाग में कमी न हो और दूसरी ओर अन्य बातों (जैसे—रुचियों, उपभोग, वितरण आदि की स्थिति) में परिवर्तन न हो। यदि राष्ट्रीय लाभांश की वृद्धि इस प्रकार होती है कि धनिकों के प्रयोग में आने वाली वस्तुओं की मात्रा तो बढ़ जाती है किन्तु गरीबों के उपयोग में आने वाली वस्तुओं की मात्रा घट जाती है, तो इस वृद्धि का आर्थिक कल्याण पर शुद्ध प्रभाव हानिकारक ही पड़ेगा। इस प्रकार, आर्थिक कल्याण की वृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय लाभांश में से गरीबों को मिलने वाले भाग में कमी न आवे। किन्तु निम्नलिखित दशाओं में गरीबों का भाग कम न होने पर भी आर्थिक कल्याण में वृद्धि न होगी :—

(१) यह सम्भव है कि राष्ट्रीय लाभांश की वृद्धि ऐसे कारणों से हो, जो आर्थिक कल्याण में कमी उत्पन्न करते हों। उदाहरणस्वरूप, यह सम्भव है कि लाभांश की वृद्धि कार्य के घटे बढ़ा कर की गई हो, जिससे आर्थिक कल्याण स्वयं ही घट जायेगा।

(२) लाभांश की वृद्धि के फलस्वरूप उपभोग में (और इस प्रकार रुचियों में) परिवर्तन अनुकूल दिशा में होना चाहिए, तब ही आर्थिक कल्याण बढ़ेगा अन्यथा नहीं। रुचियों के परिवर्तन लाभांश की मात्रा के साथ-साथ ही सम्पन्न हो जाते हैं। किन्तु किसी वस्तु के प्रति रुचि बढ़ने का सामान्य प्रभाव यह होता है कि किसी अन्य वस्तु के प्रति रुचि कम हो जाय। उदाहरणस्वरूप, ऊती कपड़ों के लिए रुचि बढ़ने का परिणाम यह हो सकता है कि सूती कपड़ों के लिए रुचि घट जाय। नई रुचियों के लिए जो व्यवस्था की जाती है उसमें यदि पुराने रुचियों की व्यवस्था की तुलना में अधिक संतोष मिलता है, तो लाभांश में नई मर्दों के सम्मिलित हो जाने का परिणाम अधिक कल्याण में वृद्धि होगी।

(३) दीर्घकाल में यह सम्भव है कि जब नई रुचियों में स्थिरता आ जाये, तो उनसे प्राप्त होने वाला अतिरिक्त संतोष भी समाप्त हो जाये। दशाओं के बदलने ही लोगों की रुचियों, आदतों और आशाओं में भी परिवर्तन हो जायेंगे।

(४) जब आर्थिक कल्याण का स्तर पहले से ही बहुत ऊँचा है, तो राष्ट्रीय लाभांश में हुई वृद्धि से आर्थिक कल्याण में कुछ भी वृद्धि न होगी। परन्तु यह वास्तव में केवल सैद्धांतिक संभावना

¹ "It is evident that provided the dividend accruing to the poor is not diminished increases in the size of the national dividend, if they occur in isolation without anything else whatever happening, must involve increases in economic welfare."—A. C. Pigou : *Economics of Welfare*, p. 82.

है। व्यावहारिक स्थिति यह है कि अधिकांश देशों में राष्ट्रीय आय दूनी ऊँची नहीं है, जिस कारण इसके घटने में आर्थिक कल्याण में कुछ न कुछ वृद्धि अवश्य ही जाती है।

(५) यह सम्भव है कि लाभांश की वृद्धि लोगों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक कार्य करने के फलस्वरूप हुई हो और इस प्रकार लाभांश को उत्पन्न करने में सम्बन्धित अमन्तोष उसके उपयोग में प्राप्त सन्तोष में अधिभूत हो। परन्तु प्रत्यक्ष दृष्टि में अधिक कार्य करने का यह अर्थ सन्तोष की अपेक्षा असन्तोष अधिक होता नहीं है। उदाहरणार्थ, यदि वह अतिरिक्त कार्य नये आविष्कारों में किया जाता है (जिसमें राजगार की अधिक लाभदायक मुविधारणें सम्मिलित होती हैं) अथवा यदि अतिरिक्त कार्य के लिए अतिरिक्त पुरस्कार दिया जाता है अथवा यदि अतिरिक्त कार्य इस कारण में सम्भव हुआ है कि सेवायोजकों और श्रमिकों के मध्य गलत समझ हो गई है, तो अमन्तोष के अधिक होने की सम्भावना नहीं रहती है। किन्तु यह सम्भव है कि अतिरिक्त कार्य इनके अतिरिक्त अन्य प्रकार किया जाय। उदाहरणार्थ, यदि निगम द्वारा काम के घण्टे बढ़ा दिये जाते हैं, तो इनमें राष्ट्रीय लाभांश का जाहार तो बढ़ जायेगा परन्तु माय ही आर्थिक कल्याण घट जायेगा।

ये ऐसे अर्थवाद हैं कि वास्तविक जीवन में इनका महत्त्व बहुत ही कम होता है। माघारण-तया जो कारण राष्ट्रीय लाभांश में वृद्धि करने में न माय ही माय आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि करते हैं।

(II) राष्ट्रीय लाभांश के वितरण में परिवर्तन और आर्थिक कल्याण—

राष्ट्रीय लाभांश के वितरण के परिवर्तन का अर्थ यह होता है कि धनिकों तथा गरीबों की तुलनात्मक आय में परिवर्तन हो जाय। यदि आय का धनिकों में गरीबों को हस्तांतरण हो जाय, तो उस अनुपात में भी, जिसमें विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति की जाती है, परिवर्तन हो जायेगा। उदाहरणस्वरूप, मदिरा के स्थान पर अधिक रोटी का उपभोग होने लगेगा। इस प्रकार, जब आय का वितरण गरीबों के पक्ष में होता है तो इसका अर्थ यह होता है कि गरीबों को अपनी आवश्यक वस्तुएँ अधिक मात्रा में प्राप्त होने लगी हैं और इनके विपरीत, धनिकों को उनकी आवश्यकता की वस्तुएँ कम मात्रा में मिलने लगी हैं।

निर्धनों के पक्ष में वितरण होने की रीतियाँ—राष्ट्रीय लाभांश का वितरण निर्धनों के पक्ष में निम्न प्रकार में हो सकता है—(१) धनिकों में गरीबों को श्रम-शक्ति का हस्तांतरण हो सकता है। (२) ऐसा तब भी हो सकता है जबकि उन वस्तुओं के उत्पादन की विधियों में जिनका उपभोग माघारणतया गरीबों द्वारा किया जाता है, सुधार हो जाय तथा ऐसी वस्तुओं की उत्पादन विधियों में, जिनका उपभोग माघारणतया धनी लोग करते हैं, बिगाड़ हो जाय। (३) यह भी हो सकता है कि राजस्व द्वारा धनिकों को उन वस्तुओं के लिए अपनी माँग घटाने पर बाध्य किया जाय जो गरीबों के लिए अधिक महत्त्वपूर्ण हैं और इस प्रकार माँग के घटने में इन वस्तुओं की कीमत में कमी आ जाय।

किन्तु राष्ट्रीय लाभांश में गरीबों का हिस्सा बढ़ाने का सबसे महत्त्वपूर्ण उपाय यह है कि कर्म-शक्ति अथवा उत्पादन साधनों का धनिकों में गरीबों को हस्तांतरण कर दिया जाय।

राष्ट्रीय लाभांश के वितरण में परिवर्तन होने का प्रभाव—किसी निश्चित काल में एक व्यक्ति का आर्थिक कल्याण आय की उस मात्रा पर निर्भर होता है जिसका वह उपभोग करता है, न कि उस मात्रा पर जो उसे प्राप्त होती है। कोई व्यक्ति जितना ही अधिक धनी होता है उतना ही वह अपनी आय के कम प्रतिशत का उपभोग करता है। यदि एक धनी व्यक्ति की कुल आय निर्धन व्यक्ति की कुल आय का २० गुना है तो शायद उसकी उपभोग की हुई आय निर्धन व्यक्ति की उपभोग की हुई आय का ५-१० गुनी ही होगी।

किन्तु जैसा कि पीपू ने कहा है, “यह निश्चय है कि अपेक्षित धनी व्यक्ति में अपेक्षित

निर्धन व्यक्ति को आय का हस्तान्तरण, यदि दोनों का स्वभाव एक-सा है, कुल आर्थिक कल्याण को बढ़ा देगा, क्योंकि इनके कारण कम आवश्यकताओं के स्थान पर अधिक आवश्यकता आवश्यकतायें सन्तुष्ट होने लगती हैं। ... कोई भी कारण जो निर्धन व्यक्तियों को प्राप्त होने वाले वास्तविक आय के निरपेक्ष भाग को बढ़ा देता है, बशर्तें कुल राष्ट्रीय लाभांश की मात्रा में किसी भी दृष्टि में कमी न आवे, वह साधारणतया आर्थिक कल्याण में वृद्धि करेगा।¹ धनियों से निर्धनों को साधनों के हस्तान्तरण के फलस्वरूप धनियों को आर्थिक कल्याण की जो हानि होती है वह आर्थिक कल्याण के उच्च लाभ में कम रहती है जो कि निर्धनों को प्राप्त होता है। वमगत उपयोगिता द्वारा नियम की सहायता से यह बात गली-भांति समझाई जा सकती है।

साधारणतया तो उपरोक्त कथन सही है, परन्तु निम्न वशाओं में यह सही नहीं है—(१) यदि धनी और निर्धन दोनों अलग-अलग जातियों के लोग हैं जिस कारण धनी एक निश्चित आय से सदा ही निर्धनों की तुलना में अधिक सन्तोष प्राप्त कर सकते हैं। () यदि अपने प्रशिक्षण तथा पालन-पोषण के कारण धनी एक निश्चित आय से निर्धनों की तुलना में अधिक सन्तोष प्राप्त कर सकता है।

(III) राष्ट्रीय लाभांश की रचना के परिवर्तन और आर्थिक कल्याण—

उपभोग अथवा उपयोग की दृष्टि से राष्ट्रीय लाभांश की विभिन्न मद्दों को दो बड़े भागों में बाँटा जा सकता है—(१) वे मद्दें, जिनकी उपभोग के लिये सीधी आवश्यकता होती है, जैसे—(क) आवश्यक, आरामदायक अथवा विलास की वस्तुयें (ख) निजी रूप से प्रदान की गई सेवायें और (ग) सरकार द्वारा उम्भोक्ताओं को प्रदान की गई सेवायें, तथा (२) वे वस्तुएँ, जिनकी आवश्यकता परोक्ष उपभोग के लिए होती है। इन दूसरे प्रकार की वस्तुओं में पूँजीगत माल, उद्योगों और व्यवसायों द्वारा प्रतिरहित सेवायें, कच्चे माल, सामान आदि सम्मिलित होते हैं। ऐसी वस्तुएँ और सेवायें या तो उत्पादन में सहायक होती हैं या राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की रक्षा करती हैं।

रचना के परिवर्तन से आशय—राष्ट्रीय लाभांश की रचना के परिवर्तन के तीन प्रकार के अर्थ होने हैं—(अ) राष्ट्रीय लाभांश में सम्मिलित होने वाले शीर्षक बदल सकते हैं, अर्थात् लाभांश में कुछ नये शीर्षक जोड़े जा सकते हैं और उनमें से कुछ पुराने शीर्षक निकल सकते हैं; (ब) विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के बीच का अनुपात बदल सकता है, अर्थात् कुछ मद्दों की अपेक्षा कुछ अन्य मद्दों की मात्रा में कमा या वृद्धि हो सकती है और (स) उपरोक्त दोनों सम्भावनायें एक ही साथ घटित हो सकती हैं।

परिवर्तन लाने वाले कारण—इस सम्बन्ध में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि दीर्घकालीन दृष्टि से राष्ट्रीय लाभांशों की रचना सदा एक-सी नहीं रहती है। वास्तव में, इस प्रवर्गिक जगत् में, अल्पकाल में भी लाभांश-रचना अपरिवर्तित नहीं रह पाती है। इसके कई कारण हैं, यथा (१) व्यावसायिक जगत् में तेजी और मन्दी के बाल निरन्तर आते रहते हैं। जैसे-जैसे हम तेजी की अवस्था से मन्दी की ओर जाते हैं, अर्थ-व्यवस्था में पूँजीगत माल और उपभोग की वस्तुओं के बीच

1 "Nevertheless, it is evident that any transference of income from a relatively rich man to a relatively poor man of similar temperament, since it enables more intense wants to be satisfied at the expense of less intense wants must increase the aggregate satisfaction. Any cause which increase the absolute share of real income in the hands of the poor, provided it does not lead to a contraction in the size of the national dividend from any point of view, will, in general increase economic welfare."
—*Ibid*, p. 89.

के अनुपात में तेजी से परिवर्तन होते जाते हैं। तेजी के काल में पूँजीगत माल उत्पादन करने वाले उद्योगों का बहुत अधिक विस्तार होता है जबकि मन्दी के काल में इनका उत्पादन तेजी से घटता है। (२) रुचियों और आदतों के परिवर्तन के कारण भी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन का अनुपात बदलता रहता है। (३) ठीक इसी प्रकार आर्थिक आकार के परिवर्तन भी राष्ट्रीय लाभांश की रचना में परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं। (४) उस काल में, जबकि देश रक्षा की तैयारी करता है अथवा युद्ध में व्यस्त होता है, इस रचना में और भी बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। (५) इसी प्रकार देश की सरकार आर्थिक नियोजन द्वारा भी इस रचना में परिवर्तन कर देती है।

आर्थिक कल्याण पर प्रभाव— आरम्भ में ही हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक कल्याण इस बात पर निर्भर नहीं होता कि कुल उपभोग कितना हुआ है बल्कि इस बात पर निर्भर है कि प्रत्यक्ष उपभोग कितना हुआ है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि यदि कुछ कारण ऐसे हैं जो लाभांश की रचना को इस प्रकार प्रभावित करते हैं कि अ-उपभोग वस्तुओं (non-consumption goods) की तुलना में उपभोग की वस्तुओं (consumption goods) की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, तो वे कारण इसी अनुपात में आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि कर देंगे। यही बात उस काल में भी होती है जबकि युद्धकालीन अर्थ-व्यवस्था को शान्तकालीन अर्थ-व्यवस्था में बदलते समय सैनिक सामानों के अनुपात में नागरिक भोग की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता है। इसके विपरीत, जिन कालों में पूँजीगत माल अथवा सैनिक सामानों का अनुपात बढ़ता है उनमें आर्थिक कल्याण घट जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि देश में आवश्यक और आरामदायक वस्तुओं के स्थान पर विलास की वस्तुओं का अनुपात बढ़े, तो आर्थिक कल्याण को हानि होती है क्योंकि एक औसत व्यक्ति का आर्थिक कल्याण घट जाता है। इसके विपरीत, यदि अन्य बातें यथास्थिर रहती हैं परन्तु देश में आवश्यक वस्तुएँ विलास और आराम की वस्तुओं की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती हैं, तो आर्थिक कल्याण को उन्नति होती है।

किन्तु यहाँ पर हमें अल्पकालीन और दीर्घकालीन परिणामों के बीच भेद करना चाहिए। यद्यपि यह सही है जब सैनिक सामानों के स्थान पर नागरिक उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो आर्थिक कल्याण बढ़ता है, परन्तु यह भी सम्भव है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को हानि हो, देश दास बन जाय और अन्त में आर्थिक कल्याण को भारी धक्का लगे। ऐसी दशा में आर्थिक कल्याण का अल्पकालीन लाभ इसकी दीर्घकालीन हानि द्वारा नष्ट कर दिया जायगा। ठीक इसी प्रकार उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन का अनुपात बढ़ने से अल्पकाल में तो आर्थिक कल्याण उन्नत होता है, परन्तु दीर्घकाल में यह उल्टा उसकी हानि का कारण बनता है, क्योंकि दीर्घकाल में पूँजीगत माल का अधिक उत्पादन देश का सम्पन्नता का कारण बनता है। वास्तव में बहुत-सी दशाओं में वर्तमान की हानि भविष्य के अत्यधिक लाभ का कारण बन सकती है।

आकार, स्वभाव एवं रचना के परिवर्तनों के बारे में महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष—

ऊपर हमने जिन तीन बातों का अध्ययन किया है उन्हें संक्षेप में निम्न प्रकार रखा जा सकता है—(१) राष्ट्रीय लाभांश के आकार की प्रत्यक्ष वृद्धि (यदि वह शक्तियों पर अधिक दबाव डाल कर प्राप्त नहीं की गई है) आर्थिक कल्याण और इनके द्वारा कुल कल्याण में वृद्धि करती है। (२) राष्ट्रीय लाभांश की रचना का प्रत्यक्ष परिवर्तन, जिसके द्वारा आराम तथा विलास की वस्तुओं के स्थान पर आवश्यक वस्तुओं की मात्रा तथा पूँजीगत माल की तुलना में उपभोग की मात्रा बढ़ती है आर्थिक कल्याण और कुल कल्याण को बढ़ाता है बशर्ते देश की सुरक्षा तथा आगे की पीढ़ियों के कल्याण पर कोई बुरा प्रभाव पड़े। (३) राष्ट्रीय लाभांश के वितरण में कोई भी ऐसा परिवर्तन, जिसमें वितरण में से धनियों की तुलना में निर्धनों को मिलने वाला भाग बढ़ता है

(Conceptual) कठिनाइयाँ तथा (II) सांख्यिक (Statistical) कठिनाइयाँ (अथवा सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक कठिनाइयाँ) ।

(I) वंचारिक कठिनाइयाँ—वंचारिक कठिनाइयाँ कुजनेट (Kuznets) के अनुसार निम्न प्रकार हैं :—(१) राष्ट्रीय आय के सन्दर्भ में 'राष्ट्र' की परिभाषा की कठिनाई, (२) गणना की उचित विधि चुनाव की कठिनाई, (३) आर्थिक क्रिया की उस चरण को निर्धारण करने की कठिनाई, जिस पर राष्ट्रीय आय की गणना की जायेगी, और (४) राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं के चुनाव में कठिनाई ।

राष्ट्रीय आय की विभिन्न गणना के प्रणालियों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि इनमें से प्रथम कठिनाई तो पूर्णतया दूर हो चुकी है । राष्ट्रीय आय में हम देश में उत्पादित आय के अतिरिक्त वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात द्वारा विदेशों से प्राप्त आय को सम्मिलित करते हैं । इस सम्बन्ध में 'राष्ट्र' के विचार की अधिक व्यापक बर्त में लिया जाता है और इसे किसी देश की भौगोलिक सीमाओं तक ही सीमित नहीं रखा जाता । गणना विधि की समस्या का भी लगभग निवारण हो चुका है, क्योंकि आधुनिक अनुभव यह है कि सभी गणना प्रणालियों को एक ही साथ सामूहिक रूप में उपयोग किया जा सकता है और यदि किसी एक प्रणाली के लिए आवश्यक आंकड़े स्वतन्त्र रूप में उपलब्ध नहीं होते हैं तो वे दूसरी प्रणाली की सहायता से प्राप्त किये जा सकते हैं । जहाँ तब आर्थिक क्रिया के चरण का प्रश्न है अब हमारे लिए यह सम्भव है कि हम किसी भी उत्पात्ति, वितरण तथा उपभोग तीनों में से किसी भी चरण का उपयोग कर सकते हैं । चरण का चुनाव इस बात पर निर्भर होगा कि राष्ट्रीय आय सम्बन्धी आंकड़े किस उद्देश्य के लिए उपयोग किये जायेंगे । देश की उत्पादन क्षमता सम्भावना ज्ञात करने के लिए उत्पादन-चरण सर्वोत्तम होगा, आयों का रूप निश्चित करने के लिए वितरण-चरण उपयुक्त रहेगा और कल्याण स्तरों को निर्धारित करने के लिए उपभोग-चरण सबसे श्रेष्ठ रहेगा ।

फिर भी अभी हम वस्तुओं और सेवाओं के चुनाव से सम्बन्धित सैद्धान्तिक कठिनाई का निवारण नहीं कर पाये हैं । साधारणतया मुद्रा को सामूहिक माप की इकाई के रूप में उपयोग किया जा सकता है । परन्तु फिर उन वस्तुओं और सेवाओं का क्या होगा जिनकी कीमत मुद्रा में नहीं नापी जाती है । पांगू के अनुसार तो ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को राष्ट्रीय लाभांश में नहीं जोड़ा जायेगा, परन्तु यह निश्चय है कि ऐसा करने से कम से कम एक पिछड़े हुए देश के राष्ट्रीय लाभांश की मात्रा में तो बहुत अन्तर बढ़ जायेगा ।

(II) व्यावहारिक कठिनाइयाँ—प्रमुख व्यावहारिक कठिनाइयाँ तीन हैं—(१) साधारणतया सांख्यिक आंकड़ों का अभाव रहता है । यह कठिनाई पिछड़े तथा कम उन्नत देशों में तो बहुत अधिक है यद्यपि ये देश भी धीरे-धीरे इस कमी को दूर कर रहे हैं । (२) व्यवहार में दोबारा गिनने की सम्भावना को दूर कर देना कठिन होता है चाहे यह गणना आयों की हो अथवा व्ययों के मूल्यों की । (३) हस्तान्तरित भुगतानों की समस्या एक और व्यावहारिक कठिनाई उपस्थित करती है । बहुत बार प्राप्त आय तथा हस्तान्तरित आय के बीच भेद करना सम्भव होता है ।

राष्ट्रीय-आय-विवेचना की उपयोगिता

राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को "प्रबंधव्यवस्था का लेखा" (Account of Economy) और "सामाजिक लेखा" (Social Accounts) भी कहा जा सकता है । "ये लेख एक प्रकार से आर्थिक व्यवहारों का द्विगुण-विताव रखने की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली (double entry system of book-keeping) का कार्य करते हैं जिनकी सहायता से राष्ट्र की व्यवस्था का, जो

विभिन्न भागों में बनी होती है, सम्पूर्ण अध्ययन किया जा सकता है।¹ रामाजिन लेख बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि य हम यह समझन में सहायता देते हैं कि जटिल विचारों (जैसे—राष्ट्रीय योग आय, उपज तथा व्यय) का निर्माण सरल भागों (जैसे—विशेष वर्गों की आय, विशेष उद्योगों की उपज तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय) की सहायता से कैसे कर लिया जाता है। विभिन्न सघटक भाग (constituent elements) सुनिश्चित तरीकों में सम्बन्धित होने हैं और प्रत्येक विशेष 'योग की अन्व विनाय' भागों की एक 'राष्ट्रीय' योग की भी शुद्धता की जाँच के लिए प्रयोग किया जा सकता है। नीचे वे प्रमुख दशाएँ दर्शायी गई हैं जिनमें राष्ट्रीय आय के आँकड़े समाज के आर्थिक जीवन के लिए लाभदायक होते हैं —

(१) राष्ट्रीय आय के अनुमान हमारे सम्मुख राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के एक सही और व्यापक चित्र प्रस्तुत करते हैं। यह भी बताते हैं कि देश में विभिन्न क्षेत्रों, वर्गों तथा व्यक्तियों के बीच आय का वितरण किस प्रकार होता है। लेवन्टीफ (Leontief) ने जिस इनपुट-आउटपुट विवेचन प्रणाली (Input-Output Analysis) द्वारा उद्योगों का विवेचन किया है वह राष्ट्रीय आय के ही आँकड़ों पर आधारित होती है।

(२) देश में मुद्रा-प्रसार तथा मुद्रा-संकुचन के दबाव को नापने के लिए भी राष्ट्रीय आय के आँकड़े लाभदायक होते हैं। वट्टाया ऐसा कहा जाता है कि इन दबावों का कारण यह होता है कि उपलब्ध उत्पादन तथा सम्भावित व्यय के बीच अन्तर रहता है। स्फीतिक तथा विस्फीतिक दबाव केवल राष्ट्रीय-आय के अनुमानों में सम्मिलित वृद्ध उपयोगों (sub-totals) की असंगतियों (Inconsistencies) के कारण उत्पन्न होने हैं।

(३) ये अनुमान राज्य की आर्थिक नीति के निर्माण में सहायता देते हैं। मुख्यतया इनके आधार पर ऐसे प्रचुल्क उपाय निश्चित किए जा सकते हैं कि अर्थ-व्यवस्था की परिमाण-वाचक त्रुटियाँ (quantitative absurdities) दूर की जा सकें। अनुमानों में उपयोग अर्थ-व्यवस्था की निहित असंगतियों (inconsistencies) का पता लगाने के लिए भी किया जा सकता है।

(४) राष्ट्रीय आय अनुमानों की सहायता से वर्गों और महीनों पहले से ही व्यावसायिक क्रियाओं की प्रवृत्तियों के विषय में भविष्यवाणी की जा सकती है, क्योंकि इन अनुमानों की सहायता से आय, उपज, व्यय आदि के परिवर्तनों का विवेचन तथा उनकी तुलना की जा सकती है और उनकी दीर्घकालीन प्रवृत्तियाँ ज्ञात की जा सकती हैं। व्यवसायों को भी इस कारण महामता मिलती है कि वे इनके आधार पर अपनी भावी नीति निश्चित करते हैं। इन अनुमानों को ध्यान में रख कर व्यवसायों अपनी उत्पादन तथा कीमत नीतियों में पचासमय तथा आवश्यक परिवर्तन करने रहते हैं। इन आँकड़ों का महत्त्व व्यवसायों के दीर्घकालीन नियोजन, विनियोग नीति तथा प्णाण्ट के विस्तार की दृष्टि से तो और भी अधिक होता है।

(५) युद्धकाल में तो राष्ट्रीय आय के उपज अंगों का अध्ययन बहुत ही लाभदायक होता है। इस अध्ययन में देश की उत्पादन क्षमता उसकी युद्ध का-कार सैन्य बल लेने की क्षमता भी ज्ञात हो जाती है।

(६) बहुत बारीक समस्या यह होती है कि संघ सरकार की विभिन्न इकाइयों (राज्यों) के बीच वित्तीय तापनों का बँटवारा किस प्रकार किया जाये, अथवा देश के विभिन्न राजनैतिक क्षेत्रों के बीच उनका किस प्रकार वितरण हो। यहाँ पर भी राष्ट्रीय आय सम्बन्धी अनुमान ही

¹ "These accounts form a double entry system of recording economic transactions in terms of which the economy of a nation can be studied as a whole made up of parts"—Burdett *Economic Journal*, 154.

मार्ग दर्शन का कार्य करते हैं। ये अनुमान स्पष्ट कर देते हैं कि कमियाँ वहाँ-वहाँ हैं और विभिन्न क्षेत्रों को अधिक आगम प्रदान कर देने से उत्पादन तथा जीवन-स्तर के सुधार की सम्भावना अधिक रहेगी।

(७) राष्ट्रीय आय के अनुमान देश के कर-आधार का आभास प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय आय दश की करदान क्षमता को निर्धारित करती है और यह बताती है कि सरकार विभिन्न प्रकार के करों से कितनी अधिकतम आय प्राप्त कर सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय भार वा विभिन्न देशों के बीच बाँटने के लिए भी राष्ट्रीय आय का अनुमान ही पथ-प्रदर्शक हो सकता है।

(८) आर्थिक नियोजन के लिए तो राष्ट्रीय आय का अनुमान अनिवार्य है। किसी भी देश की आर्थिक योजनाओं के लिए यह आवश्यक है कि देश के वर्तमान साधनों का सही अनुमान ज्ञात हो और यह भी ज्ञान हो कि कमियाँ किन दिशाओं में हैं। साथ ही इन्हें आँकड़ों द्वारा यह जाना जा सकता है कि नियोजन की प्रगति-दर कितनी है। देश में पूँजी निर्माण तथा विनियोग की प्रगति का अनुमान भी इन्हीं की सहायता से लगाया जा सकता है।

(९) कम विकसित देशों की समस्याओं के अध्ययन में भी राष्ट्रीय आय के आँकड़ों का अध्ययन लाभदायक है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में कुल राष्ट्रीय आय के आँकड़ों के साथ साथ अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों और भागों से उत्पन्न होने वाली आय के अनुमान भी रहते हैं। इन अनुमानों के आधार पर कम उन्नत देशों के विकास के लिए उपयुक्त वित्तीय तथा मौद्रिक मुद्दाव दिये जा सकते हैं।

(१०) इन आँकड़ों के द्वारा हम विभिन्न देशों की आर्थिक प्रगति तथा उनके आर्थिक कल्याण स्तरों को तुलना कर सकते हैं और यह भी जान सकते हैं कि एक देश में विभिन्न कालों में प्रगति और कल्याण की क्या-क्या स्थिति रही है। मध्युक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों, मुद्रा कोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ इन अनुमानों के आधार पर ही अपनी-अपनी नीतियाँ निश्चित करते हैं और यह निश्चित करते हैं कि विभिन्न सदस्य देशों के बीच सहायता का वेटवारा कैसे किया जायेगा।

राष्ट्रीय आय विवेचन की परिसीमाएँ—

राष्ट्रीय आय के अनुमानों के आधार पर निम्नलिखित समय निम्न अन्य बातों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है :—

(१) वैज्ञानिक दृष्टि से विभिन्न देशों की राष्ट्रीय आय के आँकड़ों की एक दूसरे से तुलना करना ठीक न हो—विभिन्न देशों के आर्थिक अक्षर एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न हो सकते हैं। विभिन्न देशों में उद्योगिताओं की आवश्यकताएँ और उनके अनुराग भी अलग-अलग होते हैं। इसके अतिरिक्त अलग-अलग देशों में जीवन-स्तर तथा राष्ट्रीय भागीश की वनावट भी अलग-अलग होते हैं। एक बड़ी कठिनाई यह भी है कि अलग-अलग देश अपनी-अपनी राष्ट्रीय आय की गणना अलग-अलग ढंगों में करते हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटिश और अमेरिकन सरकारें, सरकारी व्यय के प्रति अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाती हैं।

(२) उत्पादन के वास्तविक व्ययों की सूचना देने में समर्थ नहीं—राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा में की जाती है किन्तु ऐसे अनुमान उत्पादन हेतु किये जाने वाले विभिन्न प्रयत्नों, त्यागों एवं अवकाशों (अथवा वास्तविक व्ययों) को नहीं दिखा सकते हैं। राष्ट्रीय आय प्राकृतिक मुविधाओं में प्राप्त लाभ भी नहीं दर्शाती है और इस लाभ की मात्रा में एक में दूसरे देश में अन्तर होने है।

(३) केवल तुलनात्मक महत्त्व—जहाँ तक राष्ट्रीय आय के योगों का प्रश्न है, उनका स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता है। इन योगों की उपयोगिता केवल उस दना में होती है जबकि हमें

श्रीमत्-तर, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की प्रकृति तथा लोगों की आवश्यकताओं का भी ज्ञान हो। विभिन्न योगों का उपयोग केवल तुलना की ही दृष्टि से लिया जा सकता है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय के योगों का केवल तुलनात्मक महत्त्व है।

राष्ट्रीय लाभांश का आकार

विभिन्न देशों के राष्ट्रीय लाभांश की मात्राओं में विज्ञान अन्तर होते हैं। यथार्थ में, किसी देश का राष्ट्रीय लाभांश जितने बातों पर निर्भर होता है। अधि मत्स्यपूर्ण कारण निम्न प्रकार हैं :—

(१) देश के प्राकृतिक साधन—किसी भी देश के राष्ट्रीय लाभांश के आरम्भिक तथा आवश्यक तन्त्र देश की प्रकृति द्वारा दिये जाते हैं। इन्हें हम देश के 'प्राकृतिक साधन' कह सकते हैं। जिन देशों का अच्छी और उपजाऊ भूमि, अच्छी कोयले, लोहे और अन्य धातुओं की खानें, प्राकृतिक जल और शक्ति साधन इत्यादि प्रचुर मात्रा में प्राप्त हैं, उनकी राष्ट्रीय आय के ऊँची होने की सम्भावना भी अधिक होती है। उन देशों के राष्ट्रीय लाभांश की मात्रा कम रहती है जिनके पास प्राकृतिक साधन कम होते हैं, किन्तु प्राकृतिक साधन केवल उत्पादन की सम्भावना को ही निश्चित करते हैं, वास्तविक उत्पादन हम बात पर निर्भर होता है कि साधनों का किस अंश तक उपयोग लिया जा रहा है।

(२) देश के लोगों की संख्या और उनके गुण—उत्पत्ति का मूल्य आवश्यक और सबसे अधिक साधन श्रम है। किसी देश में श्रम की पूर्ति मात्रा की दृष्टि में वहाँ की जन-संख्या के आकार पर और गुण की दृष्टि से श्रम की कार्यकुशलता पर निर्भर होती है। जन-संख्या के सिद्धान्तों का अध्ययन करने समय हम यह पढ़ते ही देख चुके हैं कि प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से किसी देश में न्यून-जन-संख्या (Under-Population) उतनी ही बुरी है जितनी कि अति-जन-संख्या (Over-Population)। समुचित श्रम-शक्ति का अभाव में देश के प्राकृतिक साधन भी बेकार पड़े रह सकते हैं। इसके विपरीत, यदि जन संख्या विशाल है, तो राष्ट्रीय लाभांश में भी वृद्धि आने वाली है। इसका विपरीत, यदि जन संख्या विशाल है, तो राष्ट्रीय लाभांश में भी वृद्धि आने वाली है। इसका विपरीत, यदि जन संख्या विशाल है, तो राष्ट्रीय लाभांश में भी वृद्धि आने वाली है।

(३) पूँजी का संचय और उपयोग—उत्पादन की कुशलता तथा इसके अत्यधिक विस्तार के लिये नवीनतम मशीनों, प्लांटों तथा साधनों का उपयोग आवश्यक है। यदि किसी देश में पूँजी के निर्माण की गति ऊँची है तो वहाँ अधिक विकास की दर भी ऊँची होगी। अधिकांश कम उन्नत देशों के अधिक साधन तो विशाल हैं, परन्तु पूँजी की कमी के कारण वे अपने उन साधनों को भली भाँति उपयोग करने में असमर्थ हैं।

(४) संगठन की कुशलता—आधुनिक युग में उत्पादन तथा उसका संगठन और प्रबंध टेकनीकल समस्या बन गये हैं। यदि प्रबंध कुशल है, तो इसमें न केवल अधिक संगठन बिना विरोध तथा बाधा के चलाया जा सकेगा तथा सभी साधनों का भी सर्वोत्तम उपयोग हो सकेगा।

(५) देश का सामाजिक और राजनैतिक संगठन—किसी समाज का सामाजिक संगठन (जैसे भारत की जाति-प्रथा) अधिक प्रगति को माँ तो प्रोत्साहित कर सकता है या उसके मार्ग में बाधक बन सकता है। देश में उत्पादन की कुशलता बढ़े अथवा कम देश के राजनैतिक क्लेश पर भी निर्भर होती है।

राष्ट्रीय लाभांश के परिवर्तन और अधिक कटपाए

राष्ट्रीय लाभांश तथा जायिक बन्धन के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध है। राष्ट्रीय लाभांश में गुण अथवा मात्रा की दृष्टि में जो भी परिवर्तन होता है उसके फलस्वरूप अधिक कटपाए में भी परिवर्तन हो जाते हैं। किन्तु राष्ट्रीय लाभांश के परिवर्तन कई प्रकार के होते हैं और इनमें से

(यदि लाभों के आकार तथा उसकी रचना पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है) लोगों के आर्थिक कल्याण और इसके द्वारा कुल कल्याण में वृद्धि करने की सम्भावना रहता है।

राष्ट्रीय लाभों का स्थायित्व और आर्थिक कल्याण

राष्ट्रीय लाभों उत्पादकों, उपभोक्त्यों, व्यक्तिगत उद्योगपतियों, ध्वंसकारियों तथा सार्वजनिक अधिकारियों के जटिल आर्थिक निर्णयों का परिणाम होता है। वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह तथा मानवीय आवश्यकताओं के सन्तोष के लिए मौद्रिक आय उत्पादकों के निर्णयों पर निर्भर होती है। इस प्रकार के निर्णय लाभ-उद्देश्य (Profit Motive) पर निर्भर होते हैं। माधारणतया जितनी ही लाभ की सम्भावना अधिक होती है, उत्पादन तथा विनियोग के लिए प्रेरणा भी उतनी ही अधिक होती है। किन्तु स्वयं उत्पादकों का निर्णय एक अंश तक लोगों द्वारा उपभोग और बचत करने के निर्णय पर निर्भर होता है।

राष्ट्रीय लाभों में उचल-पुचल क्यों :— (१) जब लोगों की बचत निजी उद्योग के विनियोग के बराबर होती है, तो आर्थिक प्रणाली निर्बाध चलती रहती है। परन्तु जब बचत निजी उत्पादकों के विनियोग से अधिक हो जाती है, तो अति-उत्पादन दृष्टिगोचर होता है, जिस कारण कीमती, उत्पादन, तथा रोजगार का पतन होता है। आर्थिक प्रणाली में यह मन्दी की अवस्था कहलाती है। इसके विपरीत, जब समाज उपभोग अधिक करता है और बचत कम होती है, तो विनियोग उत्पादन और रोजगार बढ़ते हैं और तेजी की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार, पूँजीवादी समाज में अप-व्यवस्था में तेजी और मन्दी की अवस्थाएँ आती रहती हैं और व्यापार चक्र (Business Cycles) उपस्थित होते रहते हैं।

(२) युद्धकाल तथा युद्धोत्तर काल में भी उत्पादन, विनियोग, रोजगार आदि के स्तर में विशाल उचल-पुचल होती रहती है। युद्धकाल में आर्थिक क्रिया का अत्यधिक विस्तार होता है किन्तु युद्धोत्तर काल में अत्यधिक संकुचन।

(३) करों, उत्पादन व्यय तथा बचत सम्बन्धी सरकारी निर्णय भी राष्ट्रीय लाभों के स्थायित्व को प्रभावित करते हैं। जब सरकार अपने व्यय को घटाने का निर्णय करती है, तो सरकारी कर्मचारियों की आय घटती है, माँग घटती है और फलस्वरूप पूँति भी घटती है। इसके विपरीत, जब सरकार अधिक व्यय करने का फैसला करती है, तो रोजगार और आय तथा फल-स्वरूप माँग और पूँति बढ़ते हैं।

(४) सरकारी व्यय का कितना प्रभाव पड़ता है यह इस बात पर निर्भर होता है कि कुल राष्ट्रीय व्यय में सरकारी व्यय का कितना महत्त्व है। बहुत बार निजी व्यय के घटने से उत्पन्न होने वाली मन्दी सरकारी व्यय की वृद्धि से उत्पन्न होने वाली तेजी से दूर हो जाती है। मन्दी के दूर प्रभाव को दूर करने के लिए सरकार राहत (relief) तथा लोक कार्यों पर अधिक व्यय करने पाती है जिस काल में निजी उद्योग अधिक विनियोग करते हैं, सरकार अपने व्यय को घटाने भविष्य के लिए बचत करने लगती है। इस प्रकार, सरकार यह प्रयत्न करती है कि विभिन्न वर्गों में उत्पादकों, उपभोक्त्यों तथा सरकारी व्यय का सामूहिक योग समान ही रहे।

राष्ट्रीय लाभों के परिवर्तनों के परिणाम—

इस प्रकार जब विभिन्न वर्गों में कुल व्यय लगभग बराबर रहता है, तो राष्ट्रीय लाभों में स्थायित्व आ जाता है। इसके विपरीत, जब कुल व्यय में परिवर्तन होते रहते हैं, तो राष्ट्रीय लाभों भी बदलता रहता है। राष्ट्रीय लाभों का स्थायित्व आर्थिक कल्याण की उन्नति करता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों के पास दीर्घकालीन दृष्टि से व्यय के लिए प्रत्येक वर्ष में समान ही आय रहती है। इसके विपरीत, जब लाभों की मात्रा में अधिक परिवर्तन होते रहते हैं, तो आर्थिक कल्याण घटता है क्योंकि जिन वर्गों में आय अधिक होती है लोग अपव्यय करते हैं और जिन

वालों में आय कम होती है तथा बेकारी बढ़ी हुई होती है लोग कम व्यय करते हैं। इसी कारण पीगू ने कहा है कि "जो भी कारण सम्पूर्ण समाज के कुल उपभोग को कम परिवर्तनीय (variable) बनाता है वह साधारणतया, आर्थिक कल्याण को बढ़ाता है वरन् राष्ट्रीय लाभांश की मात्रा न घटे तथा लाभांश का वितरण निर्धनों के प्रतिकूल न हो।"

यहाँ पर एक बात और उल्लेखनीय है। राष्ट्रीय लाभांश के सभी अंगों में समान परिवर्तनशीलता का होना आवश्यक नहीं है। यदि लाभांश के उस भाग की परिवर्तनशीलता अधिक है जो निर्धनों को प्राप्त होता है, और उस भाग की परिवर्तनशीलता कम है जो धनियों को प्राप्त होता है, तो इससे आर्थिक कल्याण को अधिक हानि होती है। इसके विपरीत प्रकार की परिवर्तनशीलता की दशा में हानि कम होती है क्योंकि उपयोगिता ह्रास नियम की कार्यशीलता के कारण परिवर्तन का प्रभाव धनियों पर निर्धनों की तुलना में कम पड़ता है।

परीक्षा प्रश्न :

१. राष्ट्रीय आय की परिभाषा कीजिये और इसे मापने के किसी एक तरीके का वर्णन करें।
२. "किसी देश के धर्म और पूँजी द्वारा देश में प्राकृतिक साधनों की सहायता से वर्ष भर की वस्तुओं का एक शुद्ध समूह उत्पन्न होता है, जिसमें भूत और अमृत वस्तुएँ तथा सब प्रकार की सेवाएँ शामिल होती हैं।" इस कथन की व्याख्या में राष्ट्रीय लाभांश के विचार को समझाइये। इसका माप किस प्रकार करते हैं ?
३. राष्ट्रीय आय के आकार और वितरण के परिवर्तन आर्थिक कल्याण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं ?
४. राष्ट्रीय लाभांश के विचार की व्याख्या कीजिए और अर्थशास्त्र में इसके महत्त्व को बताइये।
५. किसी देश की राष्ट्रीय आय को मापने की कौन-कौन-सी रीतियाँ हैं ? राष्ट्रीय आय की गणना की प्रक्रिया में कठिनाइयों को बताइये।

आर्थिक क्षेत्र में राज्य की भूमिका

(Role of State In Economic Life)

प्रारम्भिक—

राज्य एक राजनैतिक संयुक्त है और इसका अन्तिम लक्ष्य है मानवीय कल्याण में वृद्धि करना। अतः यह आवश्यक है कि वह अपने नागरिकों के आर्थिक क्रियाकलापों की निगरानी करे, क्योंकि ये क्रियाएँ मानवीय कल्याण के लिये सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। कोई भी राज्य आर्थिक क्रियाओं की उपेक्षा करते हुये अपने अन्तिम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। परन्तु कुछ लोगों का यह कथन ठीक नहीं है कि प्रथमशास्त्र 'राजनीति की दासी' है। सत्य तो यह है कि राजनीति स्वयं ही 'प्रथमशास्त्र की दासी' है। राजनीति का स्वरूप इस प्रकार से मढ़ा जाना चाहिए कि आर्थिक उद्देश्य—लोगों का कल्याण—पूरा होता चले। अब यह सब ही स्वीकार करते हैं कि सामान्य कल्याण की सवृद्धि के लिए आर्थिक क्षेत्र में राज्य के नियन्त्रण और हस्तक्षेप की निरन्तर आवश्यकता है। राज्य को चाहिए कि आर्थिक क्रियाकलापों को नियंत्रित करे ताकि उनका व्यवस्थित विकास हो। उसे समाज के सहायकों का अनुकूलतम विकास भी सुनिश्चित करना चाहिए। अब राज्य को एक 'पुलिस राज्य' नहीं समझा जाता, बरद सामान्य कल्याण को बढ़ाने वाली एजेंसी माना जाता है।

प्रराजकतावादियों और साम्यवादियों का विचार-भेद

प्रराजकतावादी (Anarchists) सरकार में विश्वास नहीं करते। उनकी तो यह धारणा है कि एक अवस्था ऐसी आयेगी जब सरकार समाप्त हो जायेगी और समाज अपना नियमन स्वयं ही करने लगेगा। इसके दूसरे छोर पर साम्यवादी लोग (Communists) हैं जो यह विश्वास करते हैं कि सरकार समाप्त होना तो दूर वह आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति का एक सजीव और शक्तिशाली साधन बनेगी। ये लोग चाहते हैं कि राज्य का व्यक्ति की छोटी-छोटी बातों पर भी नियन्त्रण रहे। किन्तु व्यक्तिवादी राज्य को एक 'बुराई' मानते हैं। उनकी धारणा है कि यदि आर्थिक क्रियाकलाप निर्वाप चलने दिये जायें, तो मानवीय कल्याण की अधिक सिद्धि हो सकती है। एगर्वुड में एडम स्मिथ ने आर्थिक उदारतावाद का सिद्धान्त सामने रखा। इस सम्प्रदाय के अनुसार राज्य के कार्य न्यूनताविभूत होने चाहिए। किन्तु अब व्यक्तिवाद को दोनो प्रकार से— एक राजनैतिक सिद्धान्त एवं एक राज्य-क्रिया के मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तोत किया जा चुका है। इसके आधार तो बहुत पहले ही खण्डित किये जा चुके थे। अब कोई भी यह विश्वास नहीं करता कि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्व-हित को समझता है अथवा इसे प्राप्त करने की क्षमता रखता है। निर्यातवाद के चट्टर समर्थन जे० एम० मिल को भी राज्य के हस्तक्षेप के लिये कुछ शक्ति नियत करने पड़े थे।

समूहवादी एवं समाजवादी (Collectivists and Socialists) विस्तृत विपरीत छोर पर हैं। यह व्यक्ति के बजाय समाज के हितों पर बल देते हैं। सरकार को एक आवश्यक बुराई समझना तो दूर वह तो इसे एक शक्ति उपयोगी और राष्ट्रकीय संस्था मानते हैं तथा इसे लगभग

असीमित अधिकार देने के पक्ष में है। यदि सरकार का हस्तक्षेप सामाजिक कल्याण को बढ़ाने में सहायक बनता है तो वे उसे उचित ठहराते हैं।

आधुनिक युग में जन-साधारण वा श्रुकाव समाजवाद या समूहवाद की दिशा में बढ़ रहा है। आज के राजनैतिक नेता सरकार द्वारा आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के अधिकार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाते। सरकार की क्रिया का औचित्य इस बात से देखते हैं कि क्या वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में समाज के हित को बढ़ाने वाली है। लियोन दुगिट (Leon Duguit) ने अपनी पुस्तक *Law in the Modern State* में लिखा है कि "समाज के सृष्टि संचालन के लिये जो भी आवश्यक हो वही एक लोक-सेवा है।" (Whatever is essential to the smooth running of society is a public service.)

कालान्तर में सरकारें, घटनाओं के दबाव से अधिकाधिक कार्य ग्रहण करने पर विवश हो गई हैं। अतः राज्य के कार्यों का क्षेत्र निरन्तर बढ़ता और विविधीकृत होता गया है। प्रथम विश्व युद्ध ने निर्वाधावादी सिद्धान्त पर प्रबल प्रहार किया। तत्पश्चात् तीसा की महात्त मन्त्री ने सभी देशों में सरकारी की आर्थिक नीतियाँ निश्चित करने के लिये प्रेरित किया। नव अमेरिकी सरकार ने जो नई नीति (New Deal) घोषित की, वह आर्थिक जीवन के प्रत्येक पहलू को स्पर्श करती थी। द्वितीय महायुद्ध के बाद राज्य विश्व में आर्थिक जीवन के एक महात्त नियमनकर्ता के रूप में सामने आया। राज्य का नियन्त्रण एक नियमन आर्थिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विस्तृत हो गया है। वह हमें एक नागरिक के रूप में ही नहीं बल्कि उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में भी प्रभावित करता है। चेज़ (Chase) के अनुसार, "समूहवाद हमारे तिर पर सवार हो गया है।" ७०% यूरोपवासी राज्य-नियन्त्रित उपभोग की छाया में रह रहे हैं तथा केवल यह प्रश्न शेष रहा है कि व्यवसायी लोग शासन बनेंगे वा शासन करने वाले व्यवसायी?

आधुनिक अर्थशास्त्री को अब राज्य-क्रिया की सीमाओं के बारे में समस्या नहीं रह गई है। अब सरकारी तन्त्र का समाज के ससाधनों के अनुकूलतम वितरण तथा सम्पत्ति के विद्यमान वितरण के सुधार में स्वतन्त्रतापूर्वक उपयोग किया जाना लगा है।

राज्य के हस्तक्षेप का क्षेत्र

अब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि सेना, जहाजी बेड़ा और पुलिस की व्यवस्था करने के अतिरिक्त राज्य के कुछ अन्य कार्य भी हैं तथा अब जिस सुरक्षा की आवश्यकता है वह पहले की अपेक्षा बिल्कुल भिन्न प्रकार की है। माना जाने लगा है कि सारे समाज की एक-जुट होकर बलवान के शासन के बजाय न्याय के शासन को लागू करना चाहिये। जो लोग आर्थिक रूप से दुर्बल हैं उन्हें आर्थिक रूप से शक्तिशाली लोगों से बचाना चाहिये, धनियों द्वारा निधनों का शोषण रोकना चाहिये तथा निधनता और बीमारी की बुराइयों तथा सामाजिक एवं राजनैतिक व्यवस्था पर इनके जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं उनसे लड़ना चाहिये।¹ आर्थिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप निम्नांकित मामलों में उचित ठहराया जाता है :—

¹ "It came to be recognised that the State has duties other than the provision of an army, a navy and police and that defence of quite a different kind was necessary. The community as a whole must unite to enforce right against might, to protect the economically weak against the economically strong, to prevent the exploitation of the poor by the rich and to fight the evils of poverty and disease with their destructive effects upon the social and political order."—Thomas, W. E. : *Elements of Economics*, p. 599.

(१) एकाधिकारी स्वभाव का व्यवसाय—जब व्यवसाय एकाधिकारी स्वभाव का है, तो एकाधिकारी द्वारा उपभोक्ताओं के शोषण की बड़ी आशंका रहनी है। अतः सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि इस शोषण एवं एकाधिकारिक शक्ति के दुरुपयोग को रोके। इस हेतु उसे एकाधिकारी के क्रियाकलापों पर गहरी निगाह रखनी होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर एकाधिकृत उत्पाद का मूल्य तब निर्धारित करना पड़ेगा।

(२) प्राइवेट उपभोग के लिये आकर्षण न रखने वाले व्यवसाय—स्कूल, अस्पताल, सड़क आदि पर विनियोग करने में किसी लाभ की आशा नहीं है, जिस कारण प्राइवेट उपभोगी उनमें दिलचस्पी नहीं लेते। अतः समाज को चाहिये कि इन्हें अपने सामूहिक हाथों में ले ले।

(३) प्राथमिक रूप से दुर्बल व्यक्तियों की सुरक्षण—कारखाना-श्रमिक प्राथमिक रूप से बहुत दुर्बल होते हैं तथा सर्वशक्तिमान सेवायोजकों द्वारा उनका बहुत शोषण किया जाता है। अतः इनको उपयुक्त सनियम बना कर सुरक्षण देना बहुत जरूरी है।

(४) सामाजिक एकाधिकार या लोकोपयोगी सेवाएँ—इन सेवाओं में रेलवे, डाक व तार सेवा, जल-आपूर्ति और विद्युत व गैस सप्लाई की गिनती की जाती है। इनमें प्रति-स्पर्धा होना अमिन्नव्यपितापूर्ण एवं अवांछनीय है। अतः सरकार अथवा स्थानीय सरकारें इन पर अपना नियन्त्रण रखती हैं।

(५) उपभोक्ताओं की रक्षा—एक औसत उपभोक्ता में इतना विवेक नहीं होता कि सप्लाई की जाने वाली वस्तु के गुण के बारे में सही राय बना सके। अतः वह अपने हितों की रक्षा करने में असमर्थ रहता है। फलतः सरकार को चाहिए कि 'मिलावट विरोधी कानून' बना कर उसकी सहायता करे।

(६) राजनैतिक एवं प्राथमिक कारण—कभी-कभी राजनैतिक एवं सामाजिक कारण यह आवश्यक करते हैं कि सरकार नियन्त्रण और नियमन करे। उदाहरणार्थ, यदि करंसी नोटों के निर्गमन का अधिकार प्राइवेट एजेंसियों को दिया गया, तो बड़ी अशुभवस्था फैलने का खतरा है। अतः प्राथमिक तन्त्र को सुव्यवस्थित रखने के लिये सभी देशों में सरकारें करंसी का नियमन करती हैं। अस्त्र-शस्त्रों के निर्माण के बारे में भी ऐसा ही है। यदि इसे प्राइवेट उपक्रमियों पर छोड़ दिया जाय, तो देश की शान्ति व सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

(७) देश में छाई हुई बेकारी और मुद्रा प्रसार—अब यह व्यापक रूप से माना जाने लगा है कि प्राइवेट-उपभोग-व्यवस्था प्रसाधनों के पूर्ण नियोजन के लिये अपने आप ही प्रावधान नहीं कर देगी तथा प्राथमिक क्रिया का स्तर घटता बढ़ता रहता है। कभी तो संप्रभाषिक माँग की कमी के कारण बेकारी उत्पन्न हो जाती है और कभी संप्रभाषिक माँग इतनी अधिक हो जाती है कि मुद्रा प्रसार जोर पकड़ लेता है। अतः सरकार को ऐसे उतार-चढ़ावों पर नियन्त्रण रखना चाहिये। मन्दी के बाल में वह उपयुक्त राजकोषीय, मोद्रिक एवं अन्य नीतियाँ अपना कर संप्रभाषिक माँग के स्तर को ऊँचा उठाने में सहायक होती है और मुद्रा-प्रसार की अबाधि में इसे घटाने का यत्न करती है।

आधुनिक राज्य के कार्य—

एक आधुनिक राज्य के विभिन्न कार्यकलापों को निम्न प्रकार वर्गित किया जा सकता है :—

(१) रक्षा-कार्य (Protective Functions)—ये कार्य आन्तरिक रक्षा तथा देश को विदेशी आक्रमणों से बनाने से सम्बन्धित होने हैं। इनके लिये सेना, पुलिस, न्यायालय, जेलों इत्यादि पर व्यय किया जाता है। इन सबको हम सरकार के मुख्य या अनिवार्य कार्य (Primary or compulsory functions) कह सकते हैं। कुछ लोग इन्हें 'अनुत्पादक कार्य'

(Unproductive functions) कहते हैं, जो सही नहीं है। निःसदेह इस प्रकार के कार्य सकीर्ण आर्थिक भाव में कोई भौतिक या भूत लाभ प्रदान नहीं करते, किन्तु एक व्यापक भाव में रक्षा-कार्यों को उत्पादक मान सकते हैं, क्योंकि इनके सम्पन्न होने पर ही आर्थिक व सामाजिक जीवन समृद्ध और नियमित रूप में चल सकता है।

(२) प्रशासनिक कार्य (Administrative functions)—प्रत्येक सरकार प्रशासनिक अधिकारियों और एजेन्सियों का दल रखती है, जिनका कर्तव्य विभिन्न विभागों का प्रशासन चलाना है। प्रशासनिक कार्य सरकार के नैतिक कार्य के संचालन से सम्बन्धित है।

(३) सामाजिक कार्य—इस शीर्षक के अधीन निधन, रोगी और बेकार लोगों को राहत देने जैसे कार्य सम्मिलित किये जाते हैं। अब सामाजिक बीमा (स्वास्थ्य एवं रोजगार बीमा सहित) और वृद्धावस्था पेंशन देना सभी सम्म सरकारों का बटन ही आवश्यक कार्य बन गया है। इसके अतिरिक्त, आधुनिक सरकारें अजयवधर, सार्वजनिक पार्क, पुस्तकालय, शिक्षा, डाक्टरों सहायता, अच्छी आवास सुविधाएँ आदि भी प्रदान करती हैं। ये कार्य ऐसे हैं जो लाभ के सकीर्ण अर्थ में 'लाभप्रद' नहीं हैं किन्तु व्यापक अर्थ में बहुत ही लाभदायक और उत्पादक माने जाते हैं क्योंकि यह राष्ट्र के प्राकृतिक और मानवीय प्रसाधनों का विकास करने में सहायक है।

(४) आर्थिक एवं वाणिज्यिक कार्य—अर्थशास्त्र में हम राज्य के इन्हीं कार्यों से विशेष रूप में सम्बन्धित हैं। ये कार्य उद्योग व व्यापार में राज्य के त्रियाकलापों से सरोकार रखते हैं। इनमें व्यवसाय को सुविधाएँ देना, उसे प्रोत्साहित, नियमित एवं नियन्त्रित करना शामिल है। आर्थिक क्षेत्र में राज्य के आधुनिक कार्य निम्न प्रकार हैं —

(अ) राष्ट्रीय प्रसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना—सरकार जनता के आर्थिक कल्याण की संरक्षिका है। इस नाते उसे यह देखना पड़ता है कि राष्ट्र के मानवीय एवं प्राकृतिक प्रसाधनों का सर्वोत्तम ढंग में उपयोग किया जाय। आर्थिक प्रयत्न में कोई बर्बादी, कोई रिसाव या कोई दिशा-भ्रम नहीं होना चाहिये। नियोजित अर्थ-व्यवस्थाओं में यह कार्य नियोजन सत्ता द्वारा सम्पन्न किया जाता है।

(ब) आर्थिक समानता की स्थापना—सभी पूँजीवादी देशों में अर्थ और सम्पत्ति सम्बन्धी भारी असमानताएँ विद्यमान हैं एवं आर्थिक शक्ति गिने-बुने हाथों में केन्द्रित हो गई है। परिणामस्वरूप जनता दुखी और निराश है। अतः अब सभी विवेकशील सरकारें इन असमानताओं को दूर करने के लिये प्रयत्नशील हैं, जिससे आर्थिक कल्याण का आधार विस्तृत हो जाय और सभी को प्रगति के लिये समान अवसर मिलें। केवल राजनैतिक समानता से लोग सतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि आर्थिक समानता के अभाव में वह एक उपहास मात्र है।

(स) सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था—प्रायः सभी आधुनिक सरकारों ने भय और आवश्यकता को लोगों में से मार भगाने के लिये दूरगामी और मरुत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा स्कोमों में प्रचलित की हैं। प्रत्येक नागरिक को जीवन की विभिन्न आकस्मिकताओं पर विजय पाने में पूर्ण वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया जाता है। एक नागरिक का जन्म होने भर की देर है, राज्य उसकी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी धरने सबल बन्धों पर उठा लेता है।

(द) आर्थिक प्रगति में तेजी लाना—यह कार्य सरकारों के लिये अपेक्षाकृत नया है। अब यह अनुभव किया जाने लगा है कि देश का आर्थिक विवास व्यक्तिगत नागरिकों पर, जोकि राष्ट्र के बजाय अपने निज के लाभ के लिये अधिक चिन्तित रहते हैं, नहीं छोड़ा

जा सकता। आज जो देश आर्थिक रूप से पिछड़ गये हैं वे प्रायः वह देश हैं जिनमें सरकारों ने निष्क्रियता का मार्ग पकड़ा था। हाल के वर्षों में वहाँ भी सरकारों ने आर्थिक विकास के कार्य पर ध्यान देना शुरू कर दिया है।

परीक्षा प्रश्न :

१. "जो बुद्ध समाज के सहज संचालन के लिये आवश्यक है, वह एक लोक सेवा है," इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? आर्थिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप किन दशाओं में उचित है?
२. एक आधुनिक राज्य के कार्यों पर संक्षेप में प्रकाश डालिये। आजकल आर्थिक क्षेत्र में कौन-कौन से नये कार्य सरकारें सम्पन्न करने लगी हैं?



राजस्व की परिभाषा एवं इसका महत्त्व

(Definition and Importance of Public Finance)

प्रारम्भिक—

विभिन्न विद्वानों ने राजस्व का अर्थ विभिन्न प्रकार से लगाया है। उनकी परिभाषाओं के शब्द तो भिन्न-भिन्न हैं, परन्तु उन सबका आधार एक ही है। सभी ने राजस्व को सरकार की आन के विभिन्न साधनों एवं इस आय के व्यय का अध्ययन बताया है। 'सरकार' का अर्थ केंद्रीय, प्रांतीय एवं स्वायत्तीय सरकारों से है।

राजस्व की परिभाषा (Definition of Public Finance)

राजस्व की प्रमुख परिभाषायें निम्न प्रकार हैं :—

(१) बाल्डन—“राजस्व लोक अधिकारियों की आय एवं व्यय का अध्ययन करता है और बताया है कि इनमें से एक का दूसरे के साथ किस प्रकार सम्बन्ध होता है।”¹

(२) शिरास—राजस्व में “उन विद्वानों का अध्ययन किया जाता है जिनके अनुसार लोक-अधिकारी आय को एकत्र और व्यय करते हैं।”²

(३) बैस्टेबल—“सरकार द्वारा माघनों की प्राप्ति और उनका व्यय एक ऐसे अध्ययन का विषय है जिसे अर्थ-शास्त्र में पब्लिक फाइनेंस (राजस्व) कहा जाता है।”³

(४) हार्ले लेस्ट लुट्ज—“राजस्व में उन माघनों की प्राप्ति, संरक्षण और व्यय का अर्थ किया गया है, जिनकी सार्वजनिक सरकारी कार्यों के चढ़ाने के लिए आवश्यकता पड़ती है।”⁴

(५) श्रीमती हिक्स—“राजस्व का मुख्य अर्थ उन तरीकों की जांच से है जिनके द्वारा सरकार जनता को अधिक मन्गीय प्रदान करती है और उसकी भलाई के लिए आवश्यक धन एकत्रित करती है।”⁵

¹ “Public Finance deals with the income and expenditure of public authorities and with the manner in which the one is adjusted with the other.”

—Dalton

² “The study of the principles underlying the spending and raising of funds by Public Authorities.”—Shirras

³ “The supply and the application of state resources constitute the subject-matter of a study which is best entitled Public Finance.”—Bastable

⁴ “Public Finance deals with the provision, custody and disbursement of the resources needed for the conduct of public or government functions.”—Harley Leist Lutz

⁵ “The main content of Public Finance consists of the examination and appraisal of the methods by which Government bodies provide for the collective satisfaction of wants and secure the necessary funds to carry on their purposes.”—Mrs. Hicks.

(६) ग्रामिटेज स्मिथ—“राजकीय व्यय और राजकीय आय के स्वभाव और सिद्धान्तों के अन्वेषण को राजस्व कहा जाता है।”¹

(७) प्लेहन—“राजस्व में ऐसे भौतिक साधनों की प्राप्ति और प्रयोग से सम्बन्धित राजनीतियों के कर्तव्यों का वर्णन है जो कि राज्य द्वारा समुचित कर्तव्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है।”²

(८) प्रो० आदम्स—“राजस्व विज्ञान राजकीय व्यय और आय सम्बन्धी अनुसन्धान है।”³

उपर्युक्त परिभाषाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने से पता चलता है कि राजस्व सरकार की आय और व्यय का अध्ययन है। कुछ लेखकों ने राजस्व को लोक सत्ताओं (Public authorities) की आय और व्यय का अध्ययन बताया है और कुछ ने इसे केवल सरकार के आय और व्यय का ही अध्ययन माना है। प्रथम विचारधारा वाले लेखकों ने राजस्व की परिभाषा विस्तृत रूप में की है, क्योंकि लोक सत्ताओं के अन्तर्गत केन्द्रीय, प्रांतीय व स्थानीय सरकारों के अनिश्चित अर्द्ध-सरकारी संस्थाएँ, स्कूल एवं सार्वजनिक सम्पनियाँ आदि भी सम्मिलित हैं। किन्तु वर्तमान काल में राजस्व का अर्थ इतना विस्तृत नहीं लगाया जाता है। आजकल राजस्व के अन्तर्गत केवल केन्द्रीय, प्रांतीय व स्थानीय सरकारों के आय व व्यय से सम्बन्धित कार्यों का अध्ययन किया जाता है। साथ ही, सरकार के आय और व्यय से सम्बन्धित राज-प्रशासन का भी इसके अन्तर्गत अध्ययन किया जाता है।

राजस्व के अङ्ग

सुविधा की दृष्टि से राजस्व को निम्नलिखित चार विभागों में विभाजित किया गया है, परन्तु वास्तव में इन चारों में घनिष्ट सम्बन्ध है।

(१) सरकारी व्यय (Public Expenditure)—प्रत्येक सरकार अपने शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए एव प्रजा की भलाई के लिये कई प्रकार के व्यय करती है। उसे प्रत्येक वर्ष यह तय करना पड़ता है कि किन-किन मसों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की जाय और इन व्ययों के क्या रूप होने चाहिए। उन सब बातों का अध्ययन सरकारी व्यय के अन्तर्गत आता है।

(२) सरकारी आय (Public Revenue)—प्रत्येक सरकार विभिन्न व्ययों की राशि को निश्चित करने के पश्चात् इन व्ययों के लिए आय के साधन ढूँढती है। अतः राजस्व के इस खण्ड में यह अध्ययन किया जाता है कि किस साधन से कितनी राशि प्राप्त की जाय व किस प्रकार की जाय और इसका भार वास्तव में किसे उठाना चाहिए आदि। आय-प्राप्ति के कई साधन हो सकते हैं, परन्तु इनमें मुख्य करारोपण है।

(३) लोक ऋण (Public Debt)—बहुधा सरकार को अपने कर्तव्यों के निष्पादन के लिए देशवासियों एवं विदेशियों से भी ऋण लेने पड़ते हैं। इन ऋणों की समस्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक सरकार को यह निश्चित करना पड़ता है कि कितना ऋण लिया जाय, कित

- 1 “The investigation into the nature and principles of state expenditure and state revenue is called Public Finance.”—Armitage Smith.
- 2 “The science which deals with the activities of the statesmen in obtaining and applying the material means necessary for fulfilling the proper functions of the state.”—Plehn.
- 3 “The science of Public Finance is an investigation of public expenditure and public revenue.”—Prof. Adams.

प्रकार लिया जाय, भुगतान की शर्तें क्या रखी जायें और व्याज-दर क्या हो, आदि । लोक ऋण के अध्ययन के अन्तर्गत उपरोक्त सभी समस्याओं का समावेश होता है ।

(४) वित्तीय शासन (Financial Administration)—प्रत्येक सरकार आय, व्यय एवं लोक-ऋणों का प्रबन्ध करने के लिए एक अलग विभाग रखती है । इस विभाग का कार्य प्रति वर्ष बजट बनाना एवं आय, व्यय और ऋणों के लेखों का अकैक्षण करना है ।

लोक और निजी अर्थ-प्रबन्धन का भेद

(Distinction between Public and Private Finance)

जिस प्रकार सरकार अपनी आय और व्यय का हिसाब रखती है उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय और व्यय का हिसाब रखता है । सरकार के आय और व्यय के प्रबन्धन को 'राजस्व' और व्यक्तियों के आय और व्यय के प्रबन्धन को 'व्यक्तिगत वित्त प्रबन्ध' कहते हैं । इन दोनों के प्रमुख अन्तरो को इस प्रकार समझाया गया है :—

(१) आय-व्यय का समापोजन—प्रत्येक सरकार पहले अपने व्यय का हिसाब लगाती है और व्यय की राशि मालूम हो जाने के पश्चात् इसके लिए आय प्राप्त करने का प्रयत्न करती है, परन्तु व्यक्ति ठीक इसका उल्टा करता है । वह अपना व्यय अपनी आय के अनुसार ही करता है । व्यक्ति के बारे में यह कहावत चरितार्थ होती है कि 'तेरे पाँव पसारिये जेती लांबी सोर' (Cut your coat according to your cloth) । इस अन्तर की मूढम में इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है—सरकार पहले व्यय का ध्यान करती है और आय का बाद में, जबकि व्यक्ति पहले आय के बारे में सोचना है और व्यय का ध्यान बाद में करता है ।

[यदि ध्यानपूर्वक गहराई से देखा जाय तो प्रकट हो जायगा कि सरकार की तरह व्यक्ति भी पहले व्यय के बारे में सोचना है । शादी और अग्न्य उत्सवों पर होने वाले व्ययों का हिसाब पहले बनाया जाता है और उसी के अनुसार आय एकत्रित की जाती है । इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति नौकरी स्वीकार करने से पहले यह भली-भाँति देख लेता है कि उसके परिवार पर होने वाला व्यय उसको मिलने वाले वेतन से पूरा होगा, या नहीं । इससे प्रकट होता है कि व्यक्तिगत वित्तीय प्रबन्ध और राजस्व में कोई अन्तर नहीं है ।]

(२) उद्देश्यों में अन्तर—बहुधा प्रत्येक व्यक्ति व्यय करते समय यह ध्यान में रखता है कि उसका व्यय उसकी आय से कम हो, परन्तु सरकार लगभग सदैव आय से अधिक व्यय करती है, क्योंकि उसका उद्देश्य प्रजा की भलाई करना है ।

[ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि व्यक्ति भी आवश्यकता के अनुसार खर्च करते हैं और जब उनकी आमदनी उनके व्ययों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होती है तो वे इसका प्रबन्ध इधर-उधर से करने का प्रयत्न करते हैं । उनका भी मुख्य उद्देश्य अपनी भलाई करना है ।]

(३) गोपनीयता—सरकार अपने आय-व्यय के आँकड़ों को प्रति वर्ष प्रकाशित करती है और इस बात का प्रयत्न करती है कि इसकी सूचना अधिक से अधिक व्यक्तियों को मिल सके । इसके विपरीत, प्रत्येक व्यक्ति इस बात का प्रयत्न करता है कि उसके आय और व्यय की सूचना अन्य व्यक्तियों को न मिले, क्योंकि ऐसा होने पर चोर और डाकूओं का डर बढ़ जायगा । इसके अतिरिक्त वह अपनी साख बनाये रखने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना चाहता है, क्योंकि 'भरम भारी पिटारा खाली' वाली कहावत ठीक है ।

[सरकार अपने व्यय की प्रजा की सूचना के लिए छपवाती है, परन्तु वास्तव में प्रजा के ही द्वारा सरकार बनती है, अतः प्रजा और सरकार को एक ही मानना चाहिये । इस तर्क से यह स्पष्ट है कि सरकार अपने बजट को अपने ही घर वालों को दिखाती है । इसी प्रकार

व्यक्ति की आर्थिक स्थिति से उसके घर वाले परिचिन होते ही हैं। अतः दृष्टिकोण से दोनों में कोई अन्तर नहीं है।]

(४) अवधि में अन्तर—सरकार अपने आय व्यय का बजट एक वर्ष के लिए बनाती है, परन्तु व्यक्ति के आय-व्यय के हिसाब की कोई अवधि निश्चित नहीं है।

[जिस प्रकार सरकार एक वर्ष के लिए अपने आय-व्यय का बजट तैयार करती है उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपनी आर्थिक दशा के अनुसार एक दिन या एक सप्ताह या एक माह का आय-व्यय का हिसाब लिखित न सही पर मौखिक तौर भी रखता है। इस दृष्टिकोण से अवधि का अन्तर भी न के बराबर है।]

(५) ऋण लेने में अन्तर—सरकार आवश्यकता पड़ने पर देश और विदेश दोनों से ऋण ले सकती है, परन्तु व्यक्ति केवल अपने मित्रों एवं परिचिन व्यक्तियों से ही ऋण लेता है। इसे 'आन्तरिक ऋण' कहा जाता है। वह 'बाह्य ऋण' नहीं ले सकता।

[यह अन्तर भी बहुत प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार व्यक्ति बाहरी लोगों से उस समय तक ऋण नहीं ले सकता जब तक कि बाहरी लोगों में उसकी आर्थिक दशा के प्रति विश्वास न हो, उसी प्रकार एक सरकार भी अन्य देशों से तब तक ऋण प्राप्त नहीं कर सकती जब तक कि उसकी आर्थिक स्थिति में उन देशों को विश्वास न हो। सरकार का अपने देशवासियों से ऋण लेना अपने कुटुम्बियों और स्वजनों से ऋण लेने के बराबर है।]

(६) ऋण के भुगतान में अन्तर—कभी-कभी सरकार ऋण भुगतान करने से इनकार कर देती है और ऐसा करने पर उसके ऊपर कोई उचित आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा सकती। यद्यपि ऐसा बहुत ही कम होता है (जैसे—एक सरकार हटने के बाद यदि दूसरी सरकार आये तो दूसरी सरकार पहली सरकार के लिए हुए ऋणों का भुगतान करने से मना कर सकती है) तथापि एक व्यक्ति दूसरों के लिए हुए ऋणों का भुगतान करने से मना नहीं कर सकता। यदि ऐसा वह करे, तो उस पर आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

[यह अन्तर भी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि एक सरकार देशवासियों के ऋण को भुगतान करने से मना भी कर सकती है, क्योंकि वे सब व्यक्ति एक ही कुटुम्ब के हैं, परन्तु एक सरकार दूसरे देश के ऋण को देने से मना नहीं कर सकती और यदि ऐसा करे तो उस पर उचित कार्यवाही की जाती है। इस दृष्टिकोण से व्यक्तिगत वित्तीय प्रबन्ध और राजस्व में कोई अन्तर नहीं है।]

(७) सङ्कट काल में—सङ्कट काल में जब आवश्यकतानुसार सरकार को कहीं से भी आय प्राप्त नहीं होती है तो वह स्वयं नोट छापकर अपने व्यय का प्रबन्ध कर सकती है, परन्तु एक व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर अपने 'I. O. Us.' को विधि ग्राह्य मुद्रा (Legal Tender) नहीं बना सकता।

[सरकार द्वारा छापे हुए नोट केवल देश में ही चलते हैं, अर्थात् उन्हीं लोगों में चलेंगे जो सरकार के क्षेत्र में हैं और जिन्होंने सरकार को बनाया है, परन्तु ये नोट पड़ोसी देशों में नहीं चल सकते। इस दृष्टिकोण से राजस्व व्यक्तिगत वित्तीय प्रबन्ध के ही समान है, क्योंकि उसमें किसी व्यक्ति द्वारा निर्गमित किया हुआ I. O. U. उसके घर वालों द्वारा तो स्वीकार किया जा सकता है, परन्तु पड़ोसियों द्वारा नहीं।]

(८) लोचदार—राजस्व अधिक लोचदार होता है, किन्तु व्यक्तिगत वित्तीय प्रबन्ध इनका लोचदार नहीं होता।

[वास्तव में यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो यह प्रकट होगा कि जितनी लोच सरकारी

प्राय-व्यय में है उसी अनुपात में लोच व्यक्तिगत वित्तीय प्रबन्ध में भी होती है। निस्सन्देह दोनों की राशि भिन्न-भिन्न होती हैं, किन्तु जहाँ तक प्रतिशत का प्रश्न है, दोनों समान हैं।]

(६) बलात् ऋण प्राप्त करना—सरकार प्रजा से आवश्यकता पड़ने पर बलात् ऋण ले सकती है, परन्तु एक व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर बलात् ऋण नहीं ले सकता है।

[जिस प्रकार एक व्यक्ति बलात् ऋण नहीं ले सकता, ठीक उसी प्रकार सरकार भी दूसरे देशों से बलात् ऋण नहीं ले सकती है। सरकार का अपने देशवासियों से ऋण लेना अपने घर वालों से ऋण लेना है और इस प्रकार एक व्यक्ति भी अपने घर वालों से बलात् ऋण ले सकता है। अतः ये दोनों समान हैं।]

(१०) सुरक्षा पर व्यय करना—सरकार अपने व्यय की एक बड़ी राशि सुरक्षा पर व्यय करती है, परन्तु एक व्यक्ति अपने व्यय का जो भाग सुरक्षा पर खर्च करता है, वह न के बराबर है।

[वास्तव में यदि सरकार व व्यक्तियों द्वारा सुरक्षा पर किये गये व्ययों का अनुपात कुल व्ययों से निकाला जाय, तो शायद इतना अन्तर नहीं निकलेगा।]

(११) सम-सीमान्त उपयोगिता का सिद्धान्त—प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यय इस प्रकार करता है जिससे कि भिन्न-भिन्न वस्तुओं से मिलने वाली सीमान्त उपयोगिता बराबर हो। सरकार के लिए इस प्रकार की सम-सीमान्त उपयोगिता प्राप्त करना वस्तुतः सम्भव नहीं है।

[वास्तव में जिस प्रकार मनुष्य भिन्न-भिन्न वस्तुओं पर होने वाले व्ययों से सम-सीमान्त उपयोगिता प्राप्त करने का यत्न करता है। ठीक उसी प्रकार वित्त मन्त्री भी बजट बनाते समय इस बात का प्रयत्न करते हैं कि प्रत्येक व्यय से मिलने वाली सम-सीमान्त उपयोगिता बराबर हो।]

(१२) भविष्य के लिये व्यवस्था—प्रत्येक सरकार ऐसी योजनाओं पर व्यय करने पर सकोच नहीं करती है, जिनके फल दस-बीस वर्षों के बाद प्राप्त होंगे, क्योंकि सरकार अमर होती है; परन्तु व्यक्ति मरणशील है, इसलिए वह दीर्घकालीन योजनाओं पर व्यय नहीं करता है।

[सामर्थ्य के अनुसार यदि सरकार व व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले व्ययों की तुलना की जाय तो यह अन्तर भी कुछ सीमा तक समाप्त हो जाता है।]

(१३) बजट का पास होना—सरकार द्वारा व्यय का बजट निश्चित करने की परिपाटी से तथा व्यक्तियों द्वारा व्यय के बजट को निश्चित करने की परिपाटी में बहुत अन्तर है। सरकारी बजट दोनों सदनों में बहुत बहस करने पर ही निश्चित किया जाता है, परन्तु व्यक्तिगत बजट पर इस प्रकार की कोई बहस नहीं होती है। व्यक्तिगत बजट तो व्यक्ति की ही योग्यतानुसार निश्चित होता है।

[जिस प्रकार सरकारी बजट दोनों सदनों में बहस होने के पश्चात् ही तय किया जाता है उसी प्रकार व्यक्तिगत बजट भी व्यक्ति के घर वालों के बीच पर्याप्त बहस और सलाह-मशविरा करने के पश्चात् तय किया जाता है। अतः इन दोनों में भी कोई विशेष महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है।]

ऊपर दिए हुए विवरण से स्पष्ट है कि राजस्व और व्यक्तिगत वित्तीय प्रबन्ध में बहुत अन्तर नहीं है।

अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त (Theory of Maximum Social Advantage)

सरकार का कर्तव्य है प्रजा की अधिक से अधिक भलाई करना, अधिक कर लगा कर प्रजा को लूटना नहीं। यही कारण है कि प्रत्येक सरकार अपनी आय प्राप्त करे

समय और भिन्न-भिन्न मर्दों पर व्यय करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखनी है कि उसके कार्यकलापों से प्रजा को अधिक लाभ प्राप्त हो।

प्रत्येक मनुष्य अपना धन व्यय करते समय इस बात पर विशेष ध्यान देता है कि विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय किया जाय कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय किए जाने वाले धन की अन्तिम इकाई से प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिता बराबर हो। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति सम-सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त के अनुसार ही कार्य करता है, क्योंकि ऐसा करने से ही उसे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक मरकर को भी चाहिए कि वह सम-सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त के अनुसार ही काम करे, जिससे कि प्रजा को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।

सरकार करों द्वारा या श्रद्धा लेकर प्रजा से धन प्राप्त करती है। इन करों के देने में प्रजा को त्याग करना पड़ता है या दुःख उठाना पड़ता है। सरकार इस प्रकार प्राप्त की हुई राशि को ऐसे विभिन्न कार्यों पर व्यय करती है, जिनसे प्रजा को लाभ हो। यदि वह लाभ कर देने में प्रजा द्वारा किये गये त्याग से अधिक होता है, तो ऐसे कार्यों को 'कल्याणकारी कार्य' कहा जाता है।

उपयोगिता और अनुपयोगिता—

प्रत्येक सरकार जब कभी किसी पुराने कर के सम्बन्ध में कुछ परिवर्तन करती है या नया कर लगाती है तब उसके लिए यह विचार करना आवश्यक है कि इन करों को लगाने से प्रजा को कितनी उपयोगिता प्राप्त होगी और करों से प्राप्त धन को व्यय करने से कितनी उपयोगिता मिलेगी। सरकार उस बिन्दु तक कर में वृद्धि करती रह सकती है जब तक कि प्रजा द्वारा सहन की जाने वाली अनुपयोगिता सरकार के व्ययों से प्राप्त उपयोगिता के बराबर न हो जाय। 'अधिकतम सामाजिक कल्याण' का सिद्धान्त इन्हीं उपयोगिताओं पर आधारित है।

प्रत्येक सरकार को इस प्रकार कर लगाने चाहिए कि समाज पर इसका कम से कम भार पड़े और उसे अपने व्यय इस प्रकार करने चाहिए कि समाज को उनसे अधिक से अधिक लाभ मिले। कम से कम त्याग के बदले में अधिक से अधिक लाभ मिलना ही 'अधिकतम सामाजिक कल्याण' का सिद्धान्त है। जो सरकार इस सिद्धान्त का पालन नहीं करती वह सरकार प्रजा की दृष्टि में गिर जाती है। इसके विपरीत जो सरकार इस सिद्धान्त का पालन करती है, उसे प्रजा का पूर्ण सहयोग सदैव मिलना है।

सीमान्त त्याग और सीमान्त लाभ—

जैसे-जैसे सरकार कर बढ़ाती जाती है, प्रजा का त्याग भी बढ़ता जाता है, और, जैसे-जैसे सरकार अपने व्यय को बढ़ाती जाती है, प्रजा का लाभ बढ़ता जाता है। परन्तु यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार प्रत्येक बढ़ी हुई व्यय की इकाई से विद्यती इकाई की तुलना में कम उपयोगिता प्राप्त होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कर बढ़ाने से त्याग बढ़ता है। परन्तु व्यय करने से लाभ घटता है, इसीलिए प्रत्येक सरकार इस बात का प्रयत्न करती है कि सीमान्त त्याग और लाभ बराबर हों, जिससे समाज को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।

सिद्धान्त की कठिनाइयाँ—

डाक्टर शाल्टन का विचार है कि यह सिद्धान्त बहुत ही स्पष्ट और साधारण है, परन्तु इसका व्यावहारिक प्रयोग बहुधा बहून् ही कठिन है।¹ वास्तव में इन सिद्धान्त में कुछ

¹ The principle is obvious, simple and far reaching though its practical application is often very difficult."—Dalton

ऐसी बातों का समावेश किया गया है जिनके कारण इसकी व्यावहारिकता बहुत ही कम हो गई है। इसकी निम्न मुख्य कठिनाइयाँ हैं—(१) कर देने से जो अनुपयोगिता प्रजा को प्राप्त होती है उसे नापना कठिन है। (२) सरकारी व्ययों से प्रजा को जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे भी ठीक प्रकार से नहीं नापा जा सकता। (३) सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कर लगाये जाते हैं। इनमें से प्रत्येक कर का भार कितना पड़ता है, यह आसानी से ज्ञात नहीं किया जा सकता है।

जब ऊपर दी हुई तीनों बातों का ज्ञान ही प्राप्त नहीं हो सकता है तो इस सिद्धान्त का कोई महत्त्व नहीं रहता। यह सिद्धान्त वास्तव में सीमान्त उपयोगिता और स्त्रीमान्त अनुपयोगिता पर ही आधारित है और जब इनका नापना कठिन है तो यह कैसे पता लगाया जा सकता है कि जनता को अधिक लाभ होता है ?

कठिनाइयों में समाधान—

श्री डाल्टन ने कठिनाइयों को दूर करने के लिये कुछ ऐसे संकेत बताये हैं जिनके द्वारा यह ज्ञात किया जा सकता है कि सरकार की आय-व्यय की नीति अधिकतम सामाजिक कल्याण का पालन कर रही है या नहीं। ये उपाय निम्न प्रकार हैं—(१) यदि सरकारी आय-व्यय नीति से देश का उत्पादन बढ़ता है और अधिक से अधिक पैदावार कम से कम व्यय के द्वारा प्राप्त होती है, तो स्पष्ट है कि सरकार की इस नीति से प्रजा को लाभ हो रहा है। (२) यदि सरकार की अधिक नीति देश में बेकारी की समस्या को हल करने में सहायक हुई है तो उसे प्रजा के लिए हितकारी माना जायगा। (३) यदि सरकारी आय-नीति से देश में सुरक्षा एवं शान्ति रखने में सहायता मिलती है और विदेशों के आक्रमणों से देश को बचाने का पूरा प्रबन्ध किया जाता हो, तो इस नीति को हितकारी नीति कहा जायगा। (४) यदि सरकार प्रजा से कर इस प्रकार घट्टल करती है कि प्रजा पर कर का भार न्यूनतम पड़ता है, तो यह नीति अच्छी मानी जायगी। (५) यदि सरकार अपने आय-व्यय नीति के द्वारा जनताओं और गरीबों के बीच धन की असमानताओं को कम करती है तो यह नीति कल्याणकारी मानी जायगी।

संक्षेप में, सरकार को अपनी आय-व्यय नीति इस प्रकार बनानी चाहिए जिससे समाज को लाभ हो, प्रजा सुखी हो, उत्पादन बढ़े, बेकारी कम हो एवं अन्य विभिन्न प्रकार की देश में उन्नति हो। ऐसी नीति को 'अधिकतम सामाजिक कल्याणकारी नीति' कहा जायगा।

राजस्व का महत्त्व

(१) अधिक प्रियाओं का सुचारु रूप से संचालन—प्रत्येक सरकार की आय और व्यय नीति पर ही उस देश का उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण बहुत बड़ी सीमा तक निर्भर रहता है। इससे राजस्व का महत्त्व प्रकट होता है।

(२) धन के वितरण में सहायता—भारत सरकार का उद्देश्य देश को समाजवाद की ओर ले जाना है, अर्थात् अन्य भागों के साथ-साथ देश के धन के वितरण की असमानताओं को दूर करना है। राजस्व नीति इन असमानताओं को दूर करने में बहुत सहायक होती है। सरकार ने धन-कर, व्यय-कर और सम्पदा-कर आदि लगाये हैं। इन सभी करों के निम्न-निम्न उद्देश्य होते हुए भी समाज के धन वितरण की असमानताओं को दूर करना उनका मुख्य उद्देश्य है।

(३) सरकार को अपने कर्तव्यों के निष्पादन में सहायता—सरकार अपने कर्तव्यों को सभी भली-भाँति पूरा कर सकती है जबकि उसकी आय और व्यय की नीति उचित हो। जनता उसी सरकार में अविश्वास करती है जो अपने कर्तव्यों को भली-भाँति निभाती रहे। विल्सन ने राजस्व के महत्त्व पर निम्न प्रकार प्रकाश डाला है—“अच्छे राजस्व के बिना मुट्ठ शासन नहीं चलाया जा सकता……” आजकल सरकारों के कर्तव्य बढ़ते जा रहे हैं।

सरकार का काम केवल देश की रक्षा ही नहीं है, बरस देश की तर प्रचार की उन्नति करना है और यह सभी सम्भव हो सकता है जबकि सरकार की आय और व्यय की नीति ठम प्रकार की हो जिसमें सरकार अपना शासन प्रबन्ध उचित रीति में चला सके तथा साथ ही साथ प्रजा को कम से कम धनुविधियों का सामना करना पड़े। वास्तव में सरकार की सफलता व देश में सुख व शान्ति का रहना सबमें अधिक राजस्व पर निर्भर है।

(४) निवोजन में सुविधा—संसार के लगभग सभी पिछड़े देश अपनी आर्थिक उन्नति कर रहे हैं। भारत अपनी चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना की तैयारी कर रहा है। इन सब योजनाओं की सफलता बनाने के लिये राजस्व एक बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रचता है।

(५) विदेशों से ऋण—प्राचीन काल में राजस्व का इतना महत्त्व नहीं था जितना कि वर्तमान काल में है। आजकल हमारा देश बहुत-सी मशीनें एवं अन्य प्रकार का सामान मँगाने के लिए विदेशों से प्रमविदे कर रहा है। भारत सरकार ने अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए विदेशों से ऋण ले रहे हैं और नये ऋण लेने के प्रयत्न जारी हैं। ऐसी दशा में, जबकि देश आर्थिक मामलों में विदेशों से सम्बन्धित हो गया है, राजस्व की जरा-सी भूल देश के लिए बहुत बड़ा प्रहित कर सकती है।

ऊपर दिये हुए विवरण से यह स्पष्ट है कि देश का उत्पादन, उपभोग, सुख, शान्ति व रहन-सहन आदि सब राजस्व पर निर्भर हैं।

राजस्व का क्षेत्र

प्राचीन काल में राजस्व अर्थशास्त्र का एक भाग माना जाता था। परन्तु आजकल इसका इतना महत्त्व बढ़ गया है कि यह स्वयं एक विज्ञान एवं कला दोनों ही माना जाता है। इस विषय के अन्तर्गत हम सरकार की उन्नी प्रियाओं को पढ़ते हैं जो कि सरकारी आय और व्यय से सम्बन्धित होती हैं। वे प्रियाये, जो कि सरकारी आय-व्यय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित नहीं हैं, इसके क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आती हैं। राजस्व के निम्न अङ्ग इसके क्षेत्र में आते हैं :— (१) लोक व्यय—इसमें उन विभिन्न प्रियाओं का वर्णन किया जाता है कि जिन पर सरकार धन व्यय करती है अर्थात् इस विभाग में व्यय से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं, नीतियों तथा अन्य प्रियाओं का वर्णन किया जाता है। (२) लोक आय—इसके अन्तर्गत सरकार के विभिन्न आय-मापनों का वर्णन किया जाता है, अर्थात् निग साधन से कितनी आय प्राप्त की जाय तथा किम प्रकार प्राप्त की जाय, इसके क्षेत्र में आता है। इसमें मुख्यतः करारोपण एवं इसमें सम्बन्धित बातों का ही ध्यान रखा जाता है। (३) लोक ऋण—सरकार अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए देनवागियों तथा विदेशियों से ऋण लेती है। इन ऋणों को लेने तथा भुगतान करने से सम्बन्धित मामले इसके अन्तर्गत आते हैं। (४) वित्तीय प्रशासन—इस विभाग का कार्य सरकार की आय, व्यय एवं लोक ऋणों का प्रबन्ध करना है। सूक्ष्म में, राजस्व के क्षेत्र में आय का प्राप्त करना, विभिन्न शीर्षकों पर इसे व्यय करना तथा समय-समय पर ऋण आदि की व्यवस्था करना सम्मिलित है।

राजस्व का अन्य विभागों से सम्बन्ध

स्वयं टाल्टन ने इस बात को माना है कि राजस्व अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र की सीमा पर स्थित है। वर्तमान काल में राजस्व केवल अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में ही नहीं बल्कि अन्य शास्त्रों से भी सम्बन्धित है। इसका भिन्न-भिन्न शास्त्रों से सम्बन्ध नीचे दिखाया गया है—

(१) राजस्व और अर्थशास्त्र—दोनों ही विज्ञान और कला हैं। पहले राजस्व अर्थ-शास्त्र का घन माना जाता था, परन्तु आजकल इसका अर्धघन अन्तः किया जाता है। इसका

यह अर्थ नहीं है कि पहले इन दोनों में से एक दूसरे से सम्बन्ध या श्रौर अर्थ नहीं है। यथार्थ में, दोनों ही शास्त्र लगभग समान सिद्धान्तों पर आधारित हैं। बिना अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों को समझे हुए राजस्व के सिद्धान्तों को नहीं समझा जा सकता है और राजस्व की सहायता के बिना अर्थशास्त्र का अध्ययन अधूरा है। बेस्टेयित ने भी कहा है कि अर्थशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करना राजस्व के विद्यार्थी के लिए अत्यन्त ही आवश्यक है।

(२) राजस्व और राजनीति शास्त्र—जैसा कि पीछे बताया जा चुका है, स्वयं हास्टन ने राजस्व का सम्बन्ध राजनीति शास्त्र के साथ बताया है। सरकार को प्रत्येक कर लगाने से पहले यह भली-भाँति विचार करना पड़ता है कि इसका राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी प्रकार प्रत्येक व्यय करने के पहले भी सरकार सोचती है। राजनीति का विद्वान राजनीति में तब तक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि सरकार की भाव और व्यय की क्रियाओं का उसे अच्छा ज्ञान न हो। जिस प्रकार राजस्व का ज्ञान राजनीति के लिए आवश्यक है उसी प्रकार राजनीति का ज्ञान राजस्व के लिए आवश्यक है।

(३) राजस्व और इतिहास—इतिहास के द्वारा प्राचीन काल की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। राजस्व का विद्यार्थी इन प्राचीन घटनाओं के आधार पर अपनी भविष्य की योजनाएँ बना सकता है। वह यह ज्ञान कर सकता है कि कुछ समय पहले सरकार की भाव व व्यय की क्रियाओं का जनता पर क्या प्रभाव पड़ा था ? इसी आधार पर भावों की योजनाएँ बनाई जा सकती हैं।

भिन्न-भिन्न देशों के इतिहासों को पढ़ने से वहाँ के राजस्व का ज्ञान प्राप्त होता है, जो कि वर्तमान राजस्व नीति निर्धारण करने में बहुत सहायता पहुँचाता है। इससे प्रकट होता है कि राजस्व का इतिहास से घनिष्ठ सम्बन्ध है। ठीक इसी प्रकार इतिहास भी राजस्व से सम्बन्धित है, क्योंकि इतिहास में हम जिन घटनाओं को पढ़ते हैं वे लगभग सभी राजस्व से अप्रत्यक्ष रूप में सम्बन्धित हैं।

(४) राजस्व और सांख्यिकी—सांख्यिकी के अन्तर्गत उन संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, जो किसी मूचना से सम्बन्ध रखती हैं। प्रत्येक सरकार अपनी भाव और व्यय के झाँकड़े एकत्रित करके वजट सम्पन्न करती है। यदि अक हटा लिये जायें तो सरकार की अपनी भाव और व्यय नीति लाने में किननी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, यह सोचा ही नहीं जा सकता है। प्रत्येक सरकार को कर भार एवं व्यय से मिलने वाली उपयोगिता आदि के अर्थों की आवश्यकता पड़ती है। ये अर्थ सांख्यिकी विभाग द्वारा दिये जाते हैं। इसलिये यह स्पष्ट है कि राजस्व और सांख्यिकी का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है।

परीक्षा प्रश्न :

१. "लोक वित्त और व्यक्तिगत वित्त एक दूसरे से भाव और व्यय दोनों ही दृष्टियों से निम्नता रखते हैं।" इस कथन का विवेचन करिये।
२. "राजस्व को अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त पर आधारित होना चाहिए।" विवेचन करिये।
३. राजस्व का क्षेत्र संक्षेप में बताइये और अर्थशास्त्र एवं राजस्व के मध्य सम्बन्ध का भी विवेचन करिये।

लोक व्यय

(Public Expenditure)

प्रारम्भिक—राज्य के कार्य

सभी प्राधुनिक आर्थिक विद्वानों ने आजकल यह स्वीकार कर लिया है कि सामाजिक कल्याण हेतु राज्य को देश के आर्थिक और सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप करने की पूरी स्वतन्त्रता तथा पूर्ण अधिकार होना चाहिए। सन् १९२६ के महान् भ्रवसाद के पश्चात् वो इस विचार-धारा को अन्तर्राष्ट्रीय लोकप्रियता मिली है। इस लोकप्रियता पर पूँजीवाद के घोर सचपाँ तथा समाज-वाद के सकल प्रयोगों का भारी प्रभाव पड़ा है। प्राधुनिक अर्थशास्त्री राज्य के कार्यक्षेत्र में विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा करने तथा आन्तरिक शान्ति बनाये रखने तक ही सीमित नहीं रखते, वरन् उत्पादन का बढ़ाना, आय के वितरण में समानता लाना और सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक कल्याण सम्पन्न करना राज्य के आवश्यक कार्य मने जाते हैं। इन सब कार्यों के लिए भारी मात्रा में व्यय किया जाता है। प्राधुनिक युग में किसी भी सरकार की कुशलता और उपयुक्तता मुख्यतः इसी प्रकार के कार्यों की प्रचुरता पर निर्भर होनी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक मनोरंजन, वृत्तिहीनता का निवारण, सामाजिक सुरक्षा आदि कार्य इसी में सम्मिलित हैं।

लोक व्यय सम्बन्धी सिद्धान्त

(Principles of Public Expenditure)

सरकार को अपना व्यय निर्धारित करते समय कुछ निश्चित नियमों को ध्यान में रखना पड़ता है। कुछ महत्वपूर्ण नियमों का वर्णन नीचे किया गया है :—

(१) अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त (Principle of Maximum Social Advantage)—सरकारी व्यय किसी एक व्यक्ति या जाति विशेष के लाभ के लिए नहीं होना चाहिए, वरन् उसे जन-साधारण का अधिकतम कल्याण करना चाहिए। प्रत्येक व्यय करते समय यह भली-भाँति सोचना चाहिए कि इस व्यय से जनता को अधिक से अधिक उपयोगिता प्राप्त हो। ऐसा करने से प्रजा का सरकार में विश्वास बढ़ता है और वह सदैव सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार रहती है। यही कारण है कि जब कभी सरकारों द्वारा कोई ऐसा व्यय हो जाता है कि सर्व-साधारण की भलाई न करके कुछ निश्चित लोगों को ही लाभ पहुँचता है तब प्रजा द्वारा सरकार का विरोध किया जाता है। अतः प्रत्येक सरकारी व्यय का उद्देश्य प्रजा को अत्यधिक लाभ पहुँचाना होना चाहिए।

(२) मितव्ययिता का सिद्धान्त (Principle of Economy)—जहाँ व्यय करते समय सरकार का ध्यान प्रजा को अधिकतम लाभ पहुँचाने का होता है वहाँ उसे वह भी ध्यान करना पड़ता है कि उसके व्यय में किञ्चलखर्ची न हो वह जानते के लिए कि यह व्यय प्रजा के लिए हानिकारक न हो और प्रजा को उत्पादन क्रियाओं पर बचत करने की इच्छाओं पर उल्टा प्रभाव न डाले सरकार प्रत्येक व्यय को नापती है। यदि प्रत्येक व्यय पूर्णतया सोच-समझ कर इस प्रकार

से किया जाय कि इसमें अपव्ययिता की तनिक भी भूलक न हो और व्यय प्रजा के हित के लिए पूर्णतया आवश्यक हो, तो यह कहा जायेगा कि सरकार के इस व्यय में मितव्ययिता के सिद्धान्त का पालन किया गया है।

(३) स्वीकृति का सिद्धान्त (Principle of Sanction)—कोई भी राजकीय व्यय, बिना उचित आज्ञा व अधिकार प्राप्त किये, नहीं करना चाहिए। केवल वे ही व्यय 'मान्य' व्यय माने जाते हैं जो पूर्णतया अधिकृत होते हैं। अनाधिकृत व्यय करने से राजस्व में अनेक गड़बड़ियाँ पैदा हो जाती हैं और सरकार अपने कर्तव्यों का मुचार रूप से पालन नहीं कर सकती है। यही कारण है कि व्यय का यह सिद्धान्त बनाया गया है कि कोई भी व्यय बिना पूर्ण स्वीकृति के नहीं करना चाहिए। व्यय की स्वीकृति देने के साथ-साथ यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि व्यय उन्हीं वस्तुओं पर किया जाय जिनके लिये कि स्वीकृति दी गई है और जिग छफतार को जितनी राशि व्यय करने का साधारणतया अधिकार दिया जाता है, वही उससे अधिक करने की स्वीकृति तो नहीं दे दी गई है। अकेशक (Auditor) का यह कर्तव्य है कि व्ययों की जाँच करते समय यह अवश्य देखें कि प्रत्येक व्यय स्वीकृति के बाए ही किया गया है और जहाँ नहीं इस सिद्धान्त का उल्लंघन हुआ हो वहाँ इसकी विशेष जाँच करे।

(४) लोच का सिद्धान्त (Principle of Elasticity)—यदि सरकारी व्यय विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है तो कहा जायेगा कि इसमें लोच है। प्रत्येक सरकार अपने व्यय को लोचदार बनाने का प्रयत्न करती है, क्योंकि यदि आवश्यकतानुसार व्यय कम नहीं किया जा सकेगा तो यह व्यय अपव्यय कहलायेगा। व्यय को बढ़ाने एवं घटाने का कार्य धीरे-धीरे और सावधानीपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि इससे सम्बन्धित बहुत-सी जटिल समस्याएँ रहती हैं।

(५) अधिव्यय का सिद्धान्त (Principle of Surplus)—व्यय करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वह इतना अधिक न हो जाय कि सरकार की आय व्यय की अपेक्षा कम रहे। बहुत-सी सरकारें घाटे का बजट बनाने का प्रयत्न करती हैं अर्थात् उनके बजटों में व्यय अधिक और आय कम दिखाई जाती है। ऐसा करना सदैव उचित नहीं है। प्रत्येक सरकार को यह प्रयत्न करना चाहिए कि उसके बजट में आय और व्यय लगभग बराबर हो, अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति की भाँति सरकार को भी सन्तुलित बजट के सिद्धान्त को अपनाना चाहिए।

(६) उत्पादन का सिद्धान्त (Principle of Production)—प्रत्येक सरकार को व्यय करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके व्यय से देश के उत्पादन में वृद्धि हो एव लोगों की उत्पादन की और रुचि बढ़े। ऐसा होने से देश समृद्धिवादी बनेगा। इसके विपरीत यदि सरकारी व्यय लोगों की उत्पादन शक्तियों को घटका पहुँचाये, तो वह अच्छा नहीं कहा जायेगा।

(७) समान वितरण का सिद्धान्त (Principle of Equitable Distribution)—देश में धन का वितरण समान न होने के कारण धनवान एव निर्धनों में बहुत बड़ा अन्तर पैदा हो गया है। आजकल, जबकि देश समाजवाद की ओर जा रहा है, सरकार अपनी प्रत्येक क्रिया में इस बात का प्रयत्न करती है कि जनता में धन की सममानताएँ कम हों। यही कारण है कि सरकार अपना प्रत्येक व्यय इस प्रकार सोच-समझकर कर सकती है कि वह वितरण की विषमता को दूर करे।

(८) व्यय की निश्चितता (Principle of Certainty)—यदि एक विशेष शीर्षक पर व्यय सरकार किसी वर्ष करती है और किसी वर्ष नहीं करती, तो इससे जनता में सरकारी

व्यय के बारे में अनिश्चितता रहती है। यह अनिश्चितता देश की उन्नति के लिए घातक है। अतः प्रत्येक सरकार को चाहिए कि वह अपने व्यय के सम्बन्ध में निश्चित कदम उठाये।

प्राइवेट और पब्लिक व्यय में अन्तर

(१) प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय के अनुसार ही व्यय करता है, परन्तु सरकार अपनी आय का ध्यान न रख के देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अपना व्यय करती है। (२) प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यय केवल अपनी और अपने कुटुम्ब की भलाई के लिए ही करता है, परन्तु सरकार अपना व्यय अपनी प्रजा की भलाई के लिए ही करती है। (३) प्रत्येक व्यक्ति के व्यय का प्रभाव उस पर या उसके परिवार पर पड़ता है, परन्तु सरकारी व्यय का प्रभाव सारे समाज पर पड़ता है। (४) व्यक्ति जब चाहे अपने व्यय को कम कर सकता है या बन्द कर सकता है, परन्तु सरकार के लिए ऐसा करना आसान नहीं है, क्योंकि सरकारी व्यय का सम्बन्ध देश की सामान्य समस्याओं से होता है। (५) अपने व्यय से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का अनुमान प्रत्येक व्यक्ति आसानी से लगा सकता है, परन्तु सरकारी व्यय से प्रजा को मिलने वाली उपयोगिता का अनुमान उतनी आसानी से नहीं लगाया जा सकता। (६) मनुष्य अपना व्यय करने के लिए स्वतन्त्र है। उस पर व्यय करने के लिए कोई दबाव नहीं डाल सकता, परन्तु सरकार पर व्यय करने के लिए दबाव डाला जा सकता है। जनतन्त्र में प्रजा सरकार पर बुद्धि निश्चित व्यय करने के लिए दबाव डाल सकती है। (७) प्रत्येक व्यक्ति व्यय करते समय मितव्ययिता का पूरा ध्यान रखता है, परन्तु सरकार मितव्ययिता का इतना ध्यान नहीं रखती। (८) सरकार दीर्घकालीन योजनाओं पर स्वतन्त्रतापूर्वक व्यय करती है, क्योंकि वह प्रभर है, परन्तु व्यक्ति मरणाधीन होने के कारण ऐसी योजनाओं पर बहुत कम व्यय करते हैं जो कि दीर्घकालीन हो।

लोक-व्यय का वर्गीकरण

विभिन्न प्रयोगशास्त्रियों ने लोक-व्ययों के विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण किये हैं, जो इस प्रकार हैं :—

(I) राज्य की आय के आधार पर—निकलसन ने सरकारी व्यय का वर्गीकरण इस आधार पर किया है कि राज्य को इस व्यय से कितनी आय प्राप्त होती है। यह वर्गीकरण इस प्रकार है :—(अ) वे सरकारी व्यय, जिनसे प्रत्यक्ष रूप से सरकार को कोई आय प्राप्त नहीं होती, जैसे—देश को शिक्षित बनाने के लिए किया हुआ व्यय। इस व्यय से सरकार को यद्यपि प्रत्यक्ष रूप में कोई आय प्राप्त नहीं होती है, परन्तु परोक्ष रूप में हो सकती है। (ब) वे सरकारी व्यय, जिनके बदले में सरकार को कोई आय प्राप्त नहीं होती, जैसे—बेकारों, अर्थात् गरीबों की सहायता के लिए एवं युद्ध में किये गये व्यय। (स) वे सरकारी व्यय, जिनसे सरकार को सहायता प्राप्त होती है, जैसे—रेल, सड़क तथा डाकखानों पर किये गये व्यय। (द) वे व्यय, जिनसे सरकार को छोड़ी आय प्राप्त होती है, जैसे—मिचार्ड की सुविधा देने पर प्रजा से मिलने वाली मिचार्ड की राशि।

आलोचना—वास्तव में सरकार का ऐसा कोई भी व्यय नहीं है जिससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में अल्पकाल में या दीर्घकाल में आय प्राप्त न हो। अतः निकलसन का यह वर्गीकरण अस्वच्छ है।

(II) समाज की होने वाले लाभ के आधार पर—समाज को प्राप्त होने वाले लाभ के आधार पर सरकार द्वारा किये जाने वाले व्ययों का वर्गीकरण करने वाले प्रयोगशास्त्रियों में कोहन (Cohn) तथा प्लेहन (Plehan) नामक प्रयोगशास्त्री प्रमुख हैं। इनके द्वारा दिया गया वर्गीकरण

इस प्रकार है—(अ) ऐसे व्यय, जिनसे समाज के कुछ व्यक्तियों या वर्गों को विशेष लाभ प्राप्त हो, जैसे—वृद्धावस्था के लिये दी हुई पेन्शन, बेरोजगारों को दी हुई आर्थिक सहायता आदि। (ब) ऐसे व्यय, जो कि पुलिस, फौज आदि पर किये जाते हैं, समाज के लगभग सभी व्यक्तियों को समान लाभ पहुँचाते हैं, अतः इन्हें समाज को समान लाभ पहुँचाने वाले व्यय कहा जायगा। (स) ऐसे व्यय, जिनसे समाज के सभी व्यक्तियों को लाभ मिलता है, परन्तु साथ ही, कुछ व्यक्तियों को विशेष लाभ प्राप्त होता है, जैसे—वे व्यय जो श्यालालयो पर किये जाते हैं। (द) सरकार के कुछ व्यय ऐसे भी हैं जो केवल उन्हीं व्यक्तियों को लाभ पहुँचावेगे, जोकि उसका भूत्व दें, जैसे—रेल, डाक एव तार पर किये हुए व्यय।

आलोचना—व्ययों का यह वर्गीकरण भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके विभिन्न विभाग आपस में एक-दूसरे से मिलते-जुलते (Overlap) हैं।

(III) राज्य के आधार पर—एडमस् ने सरकार के कार्यों के आधार पर व्ययों को इस प्रकार बाँटा है :—(अ) वे व्यय जो देश के व्यापार और व्यवसाय की उन्नति के लिए किये जाते हैं। जैसे—यातायात, बिजली आदि पर किये हुए व्यय। (ब) ऐसे व्यय, जिनसे देश की रक्षा होती है एव देश में शान्ति का वातावरण रहता है, जैसे—फौज और पुलिस पर किया हुआ व्यय। (स) ऐसे व्यय, जिनसे देश की विभिन्न दशाओं में उन्नति होती है, जैसे—मनोरंजन, शिक्षा आदि पर किया जाने वाला व्यय। इन व्ययों से देश का विकास करने में बड़ी सहायता मिलती है।

आलोचना—एडमस् के इस वर्गीकरण की बहुत आलोचना की गई है, क्योंकि इनका वर्गीकरण भी आपस में एक-दूसरे से मिलता है। किस व्यय को “संरक्षण व्यय” कहा जाय और किसको “विकास व्यय” यह बड़ा कठिन है, क्योंकि वास्तव में एक ही प्रकार का व्यय संरक्षण एव विकास दोनों के ही लिए प्रयोग किया जा सकता है।

(IV) उत्पादकता के आधार पर—प्रो० रोबिन्सन ने सरकारी व्यय का वर्गीकरण इस प्रकार किया है :—(अ) उत्पादक व्यय, जो देश का उत्पादन बढ़ाने में सहायता करते हैं। (ब) अनुत्पादक व्यय, जिनसे देश के उत्पादन को प्रत्यक्ष रूप से कोई लाभ नहीं है, जैसे—युद्ध सम्बन्धी व्यय।

आलोचना—यह वर्गीकरण भी उचित नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा सरकारी व्यय नहीं, जो किसी न किसी रूप में उत्पादन में मदद न करे। इसके अतिरिक्त, यह जानना बहुत कठिन है कि कौन-सा व्यय उत्पादक है और कौन-सा अनुत्पादक। यही कारण है कि रोबिन्सन के इस वर्गीकरण की आलोचना की गई है।

(V) स्वरूप के आधार पर—यह वर्गीकरण इस प्रकार है :—(अ) केन्द्रीय व्यय, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा किये जाते हैं। (ब) प्रांतीय व्यय, जो कि प्रांतीय सरकारों द्वारा किये जाते हैं। (स) स्थानीय सरकार के व्यय, जो स्थानीय सरकारों (जैसे—म्युनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि) द्वारा किये जाते हैं।

आलोचना—बहुत से कार्य ऐसे हैं जिनमें यह ज्ञात करना कठिन हो जाता है कि इनमें कौन-सा भाग केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाय, कौन-सा प्रांतीय सरकार अथवा स्थानीय सरकार द्वारा। जैसे—सड़कों का निर्माण एव शिक्षा-प्रसार।

(VI) सुरक्षा तथा उन्नति के आधार पर—डा० डाल्टन का वर्गीकरण इस प्रकार है :—(अ) सामाजिक सुरक्षा—प्रत्येक सरकार बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करने के लिये एव देश के अन्दर सुख और शान्ति स्थापित करने के लिए फौज और पुलिस पर जो व्यय करती

हे वे सामाजिक सुरक्षा, के व्यय कहे जाते हैं। (ब) सामाजिक उन्नति—वे व्यय, जो शिक्षा, सिन्हाई, चिकित्सा, यातायात आदि पर किये जाते हैं, सामाजिक उन्नति के व्यय कहे जाते हैं।

आलोचना—यह वर्गीकरण भी सर्वगान्य वर्गीकरण नहीं है, क्योंकि सरकार के बहुत से व्ययों को इन दोनों में से किसी के भी अन्तर्गत ले जाया जा सकता है।

(VII) हस्तान्तरण के आधार पर—प्रो० पीगू (Pigou) का यह वर्गीकरण इस प्रकार है :—(अ) हस्तान्तरित होने वाला व्यय—सरकार के वे व्यय, जो उत्पत्ति-साधनों पर इस प्रकार किये जाते हैं कि इन साधनों का प्रयोग सरकार एवं प्रजा दोनों ही के द्वारा किया जा सके, 'हस्तान्तरित होने वाले व्यय' कहलाते हैं। (ब) हस्तान्तरित न होने वाले व्यय—सरकार के ऐसे व्यय, जिनके द्वारा उत्पत्ति-साधन सरकार के काम आ सकने हैं और समाज इन साधनों को प्रयोग न कर सके, 'हस्तान्तरित न होने वाले व्यय' कहे जायेंगे।

आलोचना—यह वर्गीकरण भी उचित नहीं है, क्योंकि बहुत से व्यय ऐसे हैं जिनमें यह ज्ञान करना कठिन है कि हस्तान्तरित होने वाले एवं हस्तान्तरित न होने वाले व्यय कौन से हैं।

(VIII) अनिवार्यता के आधार पर—प्रो० मिल का वर्गीकरण इस प्रकार है :—(अ) अनिवार्य व्यय, जो ऐसे कार्यों पर किये जायें जिनका करना सरकार के लिए अत्यन्त आवश्यक है। (ब) ऐच्छिक व्यय, जो ऐसे कार्यों पर किये जाते हैं, जिन्हें करना या न करना सरकार की इच्छा पर निर्भर है।

आलोचना—यह वर्गीकरण भी सन्तोषजनक नहीं है, क्योंकि सरकार के अनिवार्य और ऐच्छिक कार्यों में भेद करना अत्यन्त कठिन है।

(IX) प्रायमिकता के आधार पर—प्रो० शिराज का यह वर्गीकरण इस प्रकार है :—(अ) मुख्य व्यय, जो सुरक्षा और शान्ति-स्थापना के लिए किये जाते हैं। इनका करना सरकार का मुख्य कर्तव्य है। (ब) सहायक व्यय, जो समाज की उन्नति हेतु सरकार द्वारा किये जाते हैं।

आलोचना—इस वर्गीकरण को भी उचित नहीं माना गया है, क्योंकि इसमें व्ययों का बेटवारा व्यावहारिक नहीं है।

(X) स्थिरता के आधार पर—प्रो० जे० के० मेहता का वर्गीकरण इस प्रकार है :—(अ) स्थिर व्यय, जनता द्वारा व्यय से सम्बन्धित कार्यों का चाहे जितना प्रयोग किया जाय, परन्तु व्ययों की लागत बढ़ती नहीं है, ऐसे व्ययों को स्थिर व्यय कहते हैं, जैसे—सुरक्षा पर किये जाने वाले व्यय। (ब) अस्थिर व्यय—कुछ लोक-सेवायें इस प्रकार की भी हैं कि जिनका प्रयोग बढ़ाने से उन पर सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय भी बढ़ता है, ऐसी सेवाओं पर किया जाने वाला व्यय अस्थिर व्यय कहलाता है, जैसे—शिक्षा पर व्यय। यह भी कह सकते हैं कि सरकार द्वारा किये जाने वाले वे व्यय, जो कि जनता को सरकारी कार्यों से मिलने वाली उपयोगिता के साथ बढ़ते रहते हैं, अस्थिर व्यय कहलाते हैं।

आलोचना—इनका वर्गीकरण सन्तोषजनक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि स्थिर और अस्थिर व्ययों का अन्तर साधारणतः समझ में नहीं आता।

(XI) आवश्यकता के आधार पर—रोशर का यह वर्गीकरण इस प्रकार है :—(अ) आवश्यक व्यय, जिन्हें प्रत्येक सरकार को हर दशा में करना पड़ता है। (ब) लाभदायक व्यय, जिनसे जनता को लाभ तो होता है, परन्तु जिनका करना सरकार की इच्छा पर निर्भर है (परन्तु बहुधा सरकार इन्हें करती है)। (स) अनावश्यक व्यय, जिन्हें करना और न करना सरकार के लिये बराबर है, क्योंकि जनता को व्ययों से मिलने वाली उपयोगिता पर ये व्यय कोई प्रभाव नहीं डालते।

आलोचना—इस वर्गीकरण के अनुसार यह जानता कठिन है कि किस व्यय को प्राव-
प्यक माना जाय और किसको लाभदायक अथवा किसको अनावश्यक ।

लगभग प्रत्येक वर्गीकरण में 'दोबारगी' (Duplication) का दोष है । इससे यह
प्रतीत होता है कि इन व्ययों का कोई निश्चित तथा पूर्णतया पृथक् करने वाला वर्गीकरण नहीं
किया जा सकता ।

लोक-व्यय का समाज पर प्रभाव (Social Effect of Public Expenditure)

लोक-व्यय का समाज की आर्थिक क्रियाओं पर बहुत प्रभाव पड़ता है । कुछ लोगों की
धारणा है कि सरकार द्वारा युद्ध पर किया गया व्यय अनुत्पादक है और इसका देश की आर्थिक
क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता किन्तु ऐसी बात नहीं है । सरकार युद्ध शोक पूरा करने के
लिए नहीं लड़ती है, वरन् देश की गुलामी से बचाने एवं देश के अन्दर होने वाली आर्थिक
क्रियाओं पर बुरे बाहरी प्रभाव को रोकन हेतु युद्ध किया जाता है । यदि युद्ध न किया जाय और
विदेशी सत्ता के हस्तक्षेप को न रोका जाये, तो देश की आर्थिक क्रियाओं का सुचारु रूप से चलना
कठिन ही नहीं वरन् असम्भव हो जायगा । इससे स्पष्ट है कि युद्ध पर किया गया व्यय अनुत्पादक
या अपव्यय नहीं, बल्कि एक आवश्यक व्यय है ।

आर्थिक क्रियाओं का आशय मुख्यतः देश की उत्पादन एवं वितरण क्रियाओं से है,
क्योंकि एक देश की आर्थिक उन्नति वास्तव में उस देश के उत्पादन एवं वितरण पर मुख्यतः
निर्भर होती है । अतः नीचे लोक-व्यय का प्रभाव उत्पादन एवं वितरण दोनों पर ही
दिखाया गया है ।

(I) लोक-व्यय का उत्पादन पर प्रभाव—

प्रायः लोक-व्यय का उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव को निम्नलिखित तीन दृष्टियों से
ग्रांका जा सकता है :—

(१) कार्यक्षमता और उसकी बचत करने की शक्ति पर प्रभाव—जनता की कार्य-
क्षमता तब ही बढ़ती है, जबकि उसे कार्य करने की प्रावश्यक सुविधाएँ प्रदान की जायें । शिक्षा,
चिकित्सालय, आदि पर सरकार द्वारा किये गये व्यय ऐसे हैं जिनसे लोगों को अपने कार्य में
नापी सहायता मिलती है । अतः ये सभी व्यय लोगों की कार्यक्षमता बढ़ाते हैं । कार्यक्षमता बढ़ने
से उनके आय-अर्जन की शक्ति बढ़ती है, और, जब आय अधिक होगी, तो बचत करने की शक्ति
स्वतः बढ़ जायेगी ।

(२) कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव—जनता में कार्य करने की
चाहें जितनी शक्ति हो, परन्तु जब तक कार्य करने की इच्छा न होगी तब तक उसका कार्य
करने में मन नहीं लगेगा । सरकार को इस प्रकार व्यय करना चाहिए कि जनता के कार्य करने की
इच्छा पर बुरा प्रभाव न पड़े । यदि सरकार वृद्धावस्था के लिये पेन्शन, बेकारी के समय में भत्ता
आदि देने का आश्वासन देती है, तो इस प्रकार के व्यय से जनता के काम करने की इच्छा पर
बुरा प्रभाव पड़ता है । अतः सरकार को इस प्रकार व्यय करना चाहिए जिससे लोगों में कार्य
करने की इच्छा बढ़े । यदि ऐसा होगा, तो देश का उत्पादन बढ़ेगा ।

(३) उत्पत्ति-साधनों के स्थानान्तरण पर प्रभाव—देश का उत्पादन बढ़ाने के लिये
आवश्यक है कि उत्पादन के विभिन्न साधनों का भिन्न-भिन्न उद्योगों में स्वतन्त्रतापूर्वक स्था-
नान्तरण हो सके । यदि सरकारी व्यय इस प्रकार का है जो इन साधनों की गतिशीलता को
प्रोत्साहित करता है, तो ऐसा व्यय उत्पादन को बढ़ाने वाला बहा जायगा ।

यदि सरकार उद्योगों की उन्नति के लिए नई-नई योजनाएँ बनाती है, तो ये व्यय भी उत्पादक-व्यय माने जाते हैं।

(II) लोक-व्यय का वितरण पर प्रभाव—

समाज की उन्नति करने के लिये आजकल यह आवश्यक समझा जाता है कि देश को समाजवाद की धोर श्रमसर किया जाय। समाजवाद में धनवान और निर्धन में अन्तर कम करने का प्रयत्न किया जाता है, अर्थात्, धन की असमानताओं को कम किया जाता है। ऐसा करने के लिए सरकार अमीरों पर कर लगाती है और अमीरों से प्राप्त हुई आय को इस प्रकार व्यय करती है कि गरीबों को अधिक लाभ प्राप्त हो। इस विधि के द्वारा देश में धन के समान वितरण की व्यवस्था की जाती है।

जो सरकारी व्यय धन के वितरण की असमानताओं को दूर करते हैं वे ऐच्छिक कहे जाते हैं और प्रजा दूनका स्वागत करती है।

(III) लोक-व्यय के अन्य प्रभाव—

लोक-व्यय का 'श्रम' पर भी प्रभाव पड़ता है। जिस समय निजी उद्योगों एवं व्यापारों में मन्दी के कारण काम कम होता है और बहुत से श्रमिक बेकार हो जाते हैं (श्रमिकों के बेकार होने का अर्थ है कि देश की राष्ट्रीय आय का कम होना और आर्थिक क्रियाओं का डीला होना) तो ऐसे समय पर यदि सरकार सड़कें बनाने व रेल बनाने का कार्य शुरू करे, तो श्रमिकों को काम भी मिलेगा और देश की उन्नति भी होगी। सरकार द्वारा ऐसा व्यय वास्तव में उस व्यय से अच्छा है, जो बेरोजगारों को कोरी आर्थिक मदद के रूप में दिया जाता है।

सरकारी व्यय पर ही वास्तव में देश का उत्पादन, वितरण व श्रम-समस्या निर्भर है। जितना ही इन्हें सुचारु रूप से चलाने का प्रयत्न किया जायेगा, उतना ही देश की आर्थिक दशा को लाभ होगा।

विगत वर्षों में लोक-व्यय की वृद्धि के कारण

वर्तमान युग में लोक-व्यय में भारी वृद्धि हुई है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह व्यय ससार के सभी देशों में बराबर बढ़ रहा है। निम्नन्वेह, यदि किसी देश के अद्य से ६० वर्ष पूर्व के लोक-व्यय की वर्तमान व्यय से तुलना की जाय तो उसमें आश्चर्यजनक वृद्धि दृष्टिगोचर होगी। लोक-व्यय की इस विशाल वृद्धि के प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं :—

(१) राज्यों के क्षेत्रफल तथा जन-संख्या का विस्तार—जगभग सभी राज्यों का क्षेत्रफल बढ़ा है, जिसका फल यह हुआ है कि अधिक बड़े प्रदेशों के लिए अधिक व्यय की व्यवस्था आवश्यक हो गई है। भूतकालीन राज्य आधुनिक राज्यों की तुलना में साधारणतया बहुत छोटे-छोटे होते थे। क्षेत्रफल बढ़ने के साथ-साथ जन-संख्या की वृद्धि तो और भी अधिक तेजी के साथ हुई है। प्रत्येक देश को करोड़ों मनुष्यों के लिए राजकीय सेवाएँ उपलब्ध करनी पड़ती हैं, जिससे सरकारी व्यय बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त, यह भी कहा जाता है कि जैसे-जैसे किसी देश की जन-संख्या बढ़ती जाती है प्रति व्यक्ति व्यय की मात्रा बढ़ती है।

(२) कीमत-स्तर का निरन्तर ऊपर उठना—विगत वर्षों में ससार भर में कीमतें बराबर ऊपर बढ़ती गई हैं। ऊँची कीमतों के कारण उन सेवाओं के व्यय में भी, जो राज्य द्वारा सम्पन्न की जाती हैं, वृद्धि हुई है।

(३) राष्ट्रीय आय और जीवन-स्तर की उन्नति—विगत वर्षों में ससार के सभी देशों में कृषि तथा उद्योग-धन्धों की उन्नति हुई है, प्राकृतिक और मानव-साधनों का विदोहन अधिक अण तक किया गया है और सभी देशों ने आर्थिक विकास की किसी विचारयुक्त नीति को अपनाया

है। इस आर्थिक उत्पादन के साथ-साथ राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हुई है और मानव-समाज का जीवन-स्तर ऊँचा उठता गया है। समाज की करदान क्षमता बढ़ी है और लोक आगम में भी उसी के अनुसार वृद्धि हुई है। लोक आगम के बढ़ने से राज्य के पास अधिक धन आ गया है और उसकी व्ययक्षमता बढ़ गई है। पूँजी-व्यय की मात्रा सभी देशों में बराबर बढ़ रही है।

(४) युद्ध और युद्ध की रोकथाम—आधुनिक युग में विश्वव्यापी युद्ध बराबर होते आये हैं। कुछ देशों ने देशों का जीतने के लिये भारी सैनिक तैयारी की है। अन्य देशों ने अपनी रक्षा के लिए भारी व्यय किया है। जिन देशों ने तटस्थ नीति अपनाई है उन्हें भी अपनी सैनिक-शक्ति बढ़ रखने के लिए भारी व्यय करना पड़ा है, ताकि कोई उन पर आक्रमण न कर दे। वैसे भी आधुनिक युद्ध बहुत महँगे होते हैं। हाल के वर्षों में शीत युद्ध के कारण लोक-व्यय में भारी वृद्धि हुई है।

(५) दोषपूर्ण नागरिक एवं वित्तीय शासन—कहा जाता है कि विगत वर्षों में सत्तार के लगभग सभी देशों में लोक-व्यय पर नियंत्रण ढीला रहा है, संवाधों की दोवारगी (Duplication) और अप्रत्यक्ष को प्रोत्साहन मिला है, शासन सम्बन्धी जटिलता बढ़नी गई है, नागरिक शासन का बराबर विस्तार होता गया है, और वेतन और कर्मचारियों की संख्या दोनों में वृद्धि हुई है। इन सब बातों के फलस्वरूप लोक-व्यय में भी बराबर वृद्धि होती गई है।

(६) प्रजातन्त्रवाद का विकास—अन्य शासन-प्रणालियों की तुलना में प्रजातन्त्रीय राज्य में व्यय अधिक होता है। इसमें अनेक राजनीतिक दल होते हैं, जिनमें से प्रत्येक सार्वजनिक व्यय के द्वारा मतदानार्थी को लाभ पहुँचाने तथा प्रमत्त करने का प्रयत्न करता है। प्रजातन्त्रीय राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य-सेवाएँ और सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता बढ़ जाती है और सरकार को अपना व्यय बढ़ाने पर बाध्य होना पड़ता है।

(७) राज्य को आर्थिक और सामाजिक बत्त्याण का साधन मानना—भूतकाल में राज्य का कार्य-क्षेत्र बहुत ही सीमित रखा जाता था। तब सत्तार "निर्वाधावादी नीति" का पुजारी था, परन्तु अब राज्य को आर्थिक और सामाजिक बत्त्याण का साधन माना जाता है। सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है और आर्थिक तथा सामाजिक गृष्टियों लोक-व्यय द्वारा पूर की जा सकती हैं। इस कारण अब यह विचार बल पकड़ रहा है कि जन-साधारण के सरदाक के रूप में राज्य के पास वित्तीय साधन विस्तृत होने चाहिए और लोक-व्यय इतना अधिक होना चाहिए कि राष्ट्रीय जीवन के धन में उसका प्रभाव दिखाई पड़े।

लोक-व्ययों की सीमा

लोक-व्यय की सीमा क्या होनी चाहिए, अर्थात्, राष्ट्रीय आय का अधिक से अधिक वित्तना प्रतिशत लोक-व्यय के रूप में व्यय होना चाहिए ? इस प्रश्न का उत्तर कठिन है। बात यह है कि इस प्रकार की सीमा समाज की आवश्यकता और दृष्ट्य पर निर्भर होती है। यह इस बात पर भी निर्भर होती है कि देश के आर्थिक विकास की क्या अवस्था है, जन-सहया वैसे और विनयी है, राज्य के प्रति जनता का कितना विश्वास है और समाज की करदान क्षमता कितनी है ? द्विचलर का कथन है कि "बुद्ध व्यक्तियों के दृष्टिकोण से लोक-व्यय की प्रत्येक तुलनात्मक वृद्धि एक अभिशाप है, बुद्ध के दृष्टिकोण से यह प्रसन्नता की बात है और कुछ इसके प्रति उदासीन हैं। सरकारी व्यय की समुचित सीमा के रूप में राष्ट्रीय आय के किसी निश्चित प्रतिशत का नाम लेना सम्भव नहीं है, क्योंकि ऐसी सीमा तुलनात्मक परिस्थितियों पर निर्भर होती है।"

परीक्षा प्रश्न :

१. सार्वजनिक व्यय के प्रमुख सिद्धान्तों को समझाइये। किस तरह सार्वजनिक व्यय किसी देश के आर्थिक जीवन को प्रभावित करता है ?
 २. एक आधुनिक राज्य में सार्वजनिक या लोक-व्यय के क्या उद्देश्य होते हैं ? भारत में सन् १९४७ से सार्वजनिक व्यय में जो भारी वृद्धि हुई है उसके कारणों पर प्रकाश डालिये।
 ३. (अ) भाप सार्वजनिक व्ययों का वर्गीकरण किस प्रकार करेंगे ? (ब) "नागरिक प्रशासन पर व्यय मुख्यतः प्राइवेट सम्पत्ति की संस्था की विद्यमानता का परिणाम है।" समीक्षा करिये।
 ४. सार्वजनिक और व्यक्तिगत व्यय में क्या अन्तर है तथा सार्वजनिक व्यय सम्बन्धी सिद्धान्तों का वर्णन कीजिये ?
-



लोक आगम (Public Revenue)

प्रारम्भिक — लोक आगम का अर्थ

“आगम” का अभिप्राय सरकार को प्राप्त होने वाली आय से होता है। आधुनिक युग में इसकी माप मुद्रा में की जाती है। आगम एक प्रकार के प्रवाह की धीरे सकेत करती है, जिसमें निरन्तरता हो। यद्यपि बहुत बार सरकार को आकस्मिक आय भी प्राप्त हो सकती है, परन्तु करारोपण के दृष्टिकोण से उसे आगम में सम्मिलित नहीं किया जाता। केवल निश्चित तथा नियमित आय ही ‘आगम’ में सम्मिलित की जाती है।

लोक आगम का वर्गीकरण (Classification of Public Revenue)

लोक आगम के वर्गीकरण की निम्नलिखित रीतियाँ प्रचलित हैं :—

(I) सैलिगमैन द्वारा दिया गया वर्गीकरण—

सैलिगमैन (Seligmen) के अनुसार लोक आगम को तीन बड़े-बड़े शीर्षकों में बाँटा जाता है :—निःशुल्क, प्रसविदक और अनिवायं।

(१) निःशुल्क आगम (Gratuitous Revenue)—निःशुल्क आगम में वे सब उपहार तथा बन्दे शामिल होते हैं जो सरकार को जनता से बिना मगि तथा बिना जोर डाले ही प्राप्त हो जाते हैं। देना या न देना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होता है। ऐसे आगम का महत्व आधुनिक युग में नाममात्र ही रह गया है।

(२) प्रसविदक आगम (Contractual Revenue)—आधुनिक युग में सभी सरकारें अनेक वाणिज्यिक सेवाएँ सम्पन्न करती हैं, जैसे—रेल, डाक-तार विभाग एवं विभिन्न प्रकार के उद्योग। इन व्यवसायों में प्राप्त आय प्रसविदक आगम कहलाती है। सैलिगमैन ने इसे ‘कीमत’ (Price) का नाम दिया है। यह आगम केवल उन्हीं व्यक्तियों से वसूल की जाती है जो सम्बन्धित सेवाओं का उपभोग करते हैं।

(३) अनिवायं आगम (Compulsory Revenue)—अन्तिम प्रकार की आगम सरकारी सम्पत्ति, जुर्माने तथा करों से प्राप्त होती है। एक लोक सत्ता होने के नाते राज्य नागरिकों से कोई भी सम्पत्ति, बरतु भ्रमण सेवा माँग सकता है और उसके बदले में मुसाबजा (Compensation) देना भी आवश्यक नहीं होता। यह अनिवायं आगम है।

(II) बेस्टेबिल द्वारा दिया गया वर्गीकरण—

एक अन्य अर्थशास्त्री बेस्टेबिल (Bastable) ने लोक आगम को निम्न दो प्रकार का बताया है—(१) वह आगम, जो राज्य को एक महान् प्रमण्डल (Corporation) की भाँति वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध करने के कारण प्राप्त होती है एवं (२) वह आगम, जो राज्य अपनी सत्ता के कारण समाज की आय में से ले लेता है।

(III) डाल्टन द्वारा दिया गया वर्गीकरण—

डाल्टन ने लोक आगम का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है :—

(१) कर (Taxes)—यह एक अनिवार्य देन होती है, जिसके दाता को इससे प्राप्त होने वाले लाभ से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। उदाहरणस्वरूप, यदि किसी क्षेत्र में छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए कर लगाया जाता है, तो उस कर से कोई व्यक्ति इस प्राधार पर नहीं बच सकता है कि उसके पास शिक्षा प्राप्त करने योग्य बच्चे नहीं है।

(२) उपहार (Tribute) तथा क्षतिपूर्ति (Indemnity) जो युद्ध अथवा अन्य कारणों से हर्जानों के रूप में उत्पन्न होते हैं।

(३) बलात् ऋण (Forced Loans)—पुराने काल में राजा लोग ऐसी ऋण बहूधा लिया करते थे। अब भी ये विशेष परिस्थितियों में लिये जाते हैं। दूसरे महायुद्ध के काल में भारत ने भी ऐसे ऋण लिये थे। भारत में अनिवार्य जमा योजना इसका एक अच्छा ताजा उदाहरण है।

(४) न्यायालय द्वारा अपराधों पर लगाये गए द्रविक जुर्माने।

(५) सार्वजनिक सम्पत्ति अथवा सरकारी व्यवसायों आदि से प्राप्त आय।

(६) उन सरकारी उपक्रमों से प्राप्त आय, जिनमें सरकार अपनी एकाधिकारी शक्ति के कारण कीमतें ऊँची करके विशेष लाभ प्राप्त करती हैं।

(७) शुल्क (Fees), जो सरकार को उबकी अनिवार्य सेवाओं के बदले में प्राप्त होते हैं। ऐसी सेवाएँ सम्पन्न करना शासक के लिये अनिवार्य होता है, व्यवसाय के दृष्टिकोण से नहीं। कोर्ट फीस (Court Fee), पंजीयन शुल्क आदि इसके अच्छे उदाहरण हैं।

(८) स्वैच्छ से दिये हुए लोक ऋणों से प्राप्त आय।

(९) ऐसे उपक्रमों से प्राप्त आय जो साधारण व्यावसायिक दृष्टिकोण से चलाये जाते हैं और जिनमें सरकार अपनी एकाधिकारी शक्ति का उपयोग नहीं करती है। कभी-कभी इस प्रकार की आगम को कीमत अथवा दर भी कहा जाता है। भारत में रेल का भाड़ा, सरकारी कारियों का भाड़ा इसके अच्छे उदाहरण हैं।

(१०) विशेष अभिनिर्धारण (Special Assessment) से प्राप्त आय—ऐसी आय में कर, शुल्क तथा कीमत तीनों ही के गुण पाये जाते हैं। किसी क्षेत्र के लिये विशेष सुविधायें उपलब्ध करने के लिये सरकार विशेष दायित्व लगा सकती है, जिनका देना क्षेत्र विशेष के न्यासियों के लिए अनिवार्य होता है, जैसे—किसी सार्वजनिक बगीचे के निर्माण हेतु कर।

(११) छापेखानों के उपयोग से प्राप्त लाभ, जबकि सरकार इन छापेखानों को आय-प्राप्ति हेतु कागज के नोट छापने के लिये काम में लाती है।

(१२) स्वैच्छ से दिये हुए उपहार (Voluntary Gifts)।

इस प्रकार लोक-आगम का अनेक रीतियों से वर्गीकरण किया जाता है, परन्तु सरकारी आगम के विभिन्न साधनों के बीच कोई पूर्णतया स्पष्ट और निश्चित भेद नहीं है। विभिन्न साधनों के बीच निश्चित सीमाओं के अभाव की चर्चा करते हुए डाल्टन ने अन्त में लिखा है—
“इसमें सन्देह नहीं कि लोक-आय के साधनों का वर्गीकरण किया जा सकता है, परन्तु अधिकतर दशाओं में उनके बीच का भेद स्पष्ट नहीं होता और इसलिये दूसरे वर्गीकरण की भाँति यहाँ भी वर्गीकरण की अपेक्षा वर्गीकरण की खोज अधिक ज्ञानदायक है।”¹

¹ Dalton : Principles of Public Finance, p 31.

लोक-आगम का महत्त्व (Importance of Public Revenue)

जिस प्रकार उत्पत्ति का अन्तिम उद्देश्य उपभोग होता है, उसी प्रकार लोक-आगम भी लोक-व्यय को सम्पन्न करने का एक साधन मात्र है। अन्य शब्दों में, सरकार के लिये आगम प्राप्त करना इसलिए आवश्यक है कि वह अपने व्यय को पूरा कर सके। आगम प्राप्त करने के लिये जनता से त्याग वसूल किया जाता है, जो जनता के लिये अरिचिकर होता है। जनता को त्याग करना पड़ता है और यह त्याग जनता केवल इसी कारण बिना विरोध चुपचाप सहन कर लेती है कि उसे विश्वास होता है कि सरकार लोक-व्यय द्वारा उसे लाभ पहुँचायेगी। वास्तव में लोक-आगम के बिना भी काम नहीं चल सकता। कारण, सब लोग सज्जित होकर राज्य का निर्माण करते हैं और जब कुछ सेवायें व्यक्तियों की ओर से राज्य द्वारा सम्पन्न की जाती हैं, तो लोक-आगम और इससे सम्बन्धित त्याग आवश्यक ही होता है। इससे व्यक्तियों के व्यय का एक अंश बच जाता है और उन्हें और अधिक आय उत्पन्न करने का भी अवसर मिलता है।

परीक्षा प्रश्न :

१. सरकारी आगम के प्रमुख स्रोत बताइये। वह सीमा भी अंकित कीजिये, जिससे अधिक अपनी आय को बढ़ाने के लिए सरकार तत्पर न होगी।
२. राष्ट्रीय आगम के प्रमुख स्रोत क्या हैं? किसी समाज में उत्पादन और वितरण पर कर-रोपण (Taxation) और ऋण-याचना (Borrowing) के जो प्रभाव पड़ते हैं उनका तुलना करिये।

करारोपण

(Taxation)

प्रारम्भिक—

प्राधुनिक जगत में राज्यों की आय का सबसे बड़ा साधन करारोपण ही है। करो का महत्त्व आर्थिक एवं सामाजिक जीवन के विकास के साथ-साथ बराबर बढ़ रहा है। अविनाश पुराने अर्थशास्त्री केवल एक ही प्रकार का कर (जो केवल भूमिपतियों पर लगाया जाय) लगाना उचित समझते थे। उस काल में राज्य के कार्य-क्षेत्र को सीमित रखने का प्रयत्न किया जाता था और इस प्रकार सरकारी आय की आवश्यकता एक ही कर से पूरी हो जाती थी। किन्तु प्राधुनिक काल में राज्यों द्वारा आय की माँग इतनी बढ़ गई है कि वे कर लगाने के लिये निरन्तर नई-नई मर्दों की खोज में रहते हैं। साथ ही साथ, कुशलता और उत्पादन के दृष्टिकोण से भी करों को वैज्ञानिक रीति से लगाया जाता है और करारोपण के लिए कुछ समुचित सिद्धान्त ढूँढ लिये जाते हैं। विभिन्न प्रकार के करों को इस प्रकार मिश्रित किया जाता है कि आर्थिक और सामाजिक उत्थान की उपयुक्त दशाएँ उत्पन्न हो जायँ और करारोपण से उत्पन्न हानि कम से कम रहे।

करारोपण के सिद्धान्त (The Principles of Taxation)

करारोपण का सबसे महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त 'ग्यूनतम् सामूहिक त्याग सिद्धान्त' (Principle of Least Aggregate Sacrifice) है। सभी जानते हैं कि कर देते समय जनता को त्याग करना पड़ता है। कर देने से घाव घटती है, जिस कारण उपभोग में कमी आ सकती है। इस प्रकार करदाता को त्याग करना पड़ता है। व्यक्तिगत त्याग के आधार पर हम सामूहिक सामाजिक त्याग की मात्रा का भी पता लगा सकते हैं। सरकार के लिये सबसे अच्छा यही होगा कि वह विभिन्न व्यक्तियों की करदान योग्यता ध्यान में रखते हुए सामूहिक सामाजिक त्याग का इस प्रकार वितरण करे कि सामूहिक त्याग कम से कम रहे। इस सिद्धान्त की सन्तुष्टि के लिये बहुधा सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक उपाय ढूँढे जाते हैं। प्रगामी कर प्रणाली एक ऐसी ही युक्ति है।

एडम स्मिथ के करारोपण के सिद्धान्त—

प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने करों की प्रकृति तथा उनके प्रभाव का अध्ययन किया था तथा करारोपण के चार सिद्धान्त बताये, जो प्रागे चलकर एडम स्मिथ के करारोपण के सिद्धान्त के नाम से प्रसिद्ध हुये। ये सिद्धान्त निम्न प्रकार हैं :—

(१) समानता अथवा स्यावशीलता का सिद्धान्त (The Principle of Equality of Equity)—इस सिद्धान्त को कभी-कभी "शोधन-क्षमता सिद्धान्त" (Ability to pay Principle) भी कहा जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार करारोपण इस प्रकार होता चाहिये कि सभी कर-

दाताओं पर कर का भार एक समान रूप में पड़े। ऐसा तभी सम्भव होगा जबकि प्रत्येक करदाता से उसकी शोधनक्षमता के अनुसार कर लिया जाय। इस दृष्टिकोण से एक प्रगामी कर-प्रणाली, जिसके अन्तर्गत धनी व्यक्तियों पर ऊँची दर से कर लगाया जाता है, अधिक उपयुक्त होगी। शोधन-क्षमता की कोई निश्चित माप तो सम्भव नहीं है, परन्तु यह क्षमता साधारणतया धन की अनुपाती (Proportional) होती है।

(२) निश्चितता का सिद्धान्त (The Principle of Certainty)—निश्चितता का अभिप्राय स्पष्टता से है। एडम स्मिथ इस बात पर जोर देते हैं कि करों के सम्बन्ध में प्रत्येक बात स्पष्ट होनी चाहिए। करदाता के दृष्टिकोण से यह वाञ्छनीय है कि कर की मात्रा, उसके चुकाने का समय, चुकाने की विधि तथा चुकाने का स्थान पूर्णतया स्पष्ट रहे और इनका कर-दाता को पूरा-पूरा ज्ञान कराया जाय। इससे करदाता को भारी सुविधा होगी, उसके कष्ट में कमी होगी और उसे कर के सम्बन्ध में आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनावश्यक व्यय नहीं करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त पारिवारिक बजट बनाने में भी उसे सुविधा रहेगी। इसके विपरीत, अनिश्चितता की दशा में करदाता कर से बचने का प्रयत्न करेगा, जिससे कर-शासन में अष्टाचार फैलने की सम्भावना उत्पन्न हो जायगी। सरकार के दृष्टिकोण से भी निश्चितता बहुत लाभप्रद होगी, क्योंकि इससे उसे वास्तविक तथा व्यावहारिक बजट बनाने में सुविधा मिलेगी और वह आय-व्यय में समुचित समायोजन (Adjustment) रख सकेंगे। यही नहीं, निश्चितता का गुण करारोपण से उत्पन्न असन्तुष्टि को भी कम कर देता है।

(३) सुविधा का सिद्धान्त (The Principle of Convenience)—यह सिद्धान्त हमारा ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता है कि करों के सम्बन्ध में करदाता को कर देने के अतिरिक्त अन्य सभी कष्टों से बचाने का प्रयत्न किया जाय। करों की वसूली में करदाता की सुविधा का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाय। कर देने का समय तथा कर चुकाने की रीति इन प्रकार निर्धारित की जाय कि उनके सम्बन्ध में करदाता को कोई कष्ट न हो। एक किसान से उपज के रूप में फसल के तैयार हो जाने पर कर वसूल करना इस सिद्धान्त के अनुसार उपयुक्त होगा। इसी प्रकार, एक वेतनभोगी व्यक्ति से उस समय कर वसूल करना उचित होगा, जबकि उसे वेतन मिलता है। बहुत बार किराये (Installments) में कर वसूल करना करदाता के दृष्टिकोण से अधिक सुविधाजनक होता है।

(४) मितव्ययिता का सिद्धान्त (The Principle of Economy)—एडम स्मिथ ने इस बात पर भी विशेष जोर दिया है कि करा का एकत्रण-व्यय कम से कम होना चाहिये। मितव्ययिता का एक दूसरा अर्थ यह भी होता है कि कर की मात्रा को निर्धारित करने तथा उसके भुगतान की तैयारी पर करदाता को कम से कम व्यय करना पड़े। यदि करदाता को विस्तृत लेख रखने पड़ते हैं और कर सम्बन्धी अधिकारियों से सौदा करने के लिये विशेषज्ञों की सलाह की आवश्यकता पड़ती है, तो इससे करारोपण का भार बढ़ जायगा।

स्मिथ के सिद्धान्तों की आलोचना—

एडम स्मिथ के करारोपण के चारों सिद्धान्तों को ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता है कि प्रथम सिद्धान्त को छोड़ कर अन्य सभी व्यावहारिक नियम मात्र हैं। वे हमें यही बताते हैं कि सरकार को कर लगाने में किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन्तु न्यायशीलता का सिद्धान्त सबसे महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह कर नीति का आधार निश्चित करता है। अतः यही अर्थ में इसी को कर नीति का सिद्धान्त कहा जा सकता है।

परन्तु यह सिद्धान्त भी दोषरहित नहीं है, क्योंकि (i) यह नैतिकता पर आधारित है और समुचित आर्थिक आधार पर अवलम्बित नहीं है। इसमें कर-नीति की न्यायशीलता अथवा

इसके श्रेष्ठत्व का तो पूरा विचार किया गया है, परन्तु आर्थिक परिस्थितियों का नहीं। (ii) यह करदान-क्षमता की कोई निश्चित मांग नहीं बताता, जिससे व्यावहारिक जीवन में बड़ी कठिनाई होती है। निस्तन्देह समान आय तथा समान कुटुम्ब वाले दो व्यक्तियों की करदान-क्षमता सदा समान नहीं होती है और आय की एकसी मात्रा का परित्याग करने में व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक भिन्नता के कारण अलग-अलग व्यक्तियों को अलग-अलग त्याग करना पड़ता है।

करारोपण के अन्य सिद्धान्त—

एडम स्मिथ के वाद के लेखकों ने इस बात पर जोर दिया है कि एडम स्मिथ के करारोपण के सिद्धान्त अपूरे हैं। एक अच्छी कर-प्रणाली इन सिद्धान्तों के अतिरिक्त कुछ अन्य सिद्धान्तों पर आधारित होनी चाहिए। ये सिद्धान्त इस प्रकार हैं :—

(१) उत्पादकता का सिद्धान्त (Principle of Productivity)—सकुचित अर्थ में इसका आशय यह है कि कर प्रणाली ऐसी होनी चाहिये जिससे कि राज्य को पर्याप्त आय हो। विस्तृत अर्थ में अभिप्राय यह होता है कि राजकीय आगम का वर्तमान के अतिरिक्त भविष्य के लिये भी प्रवाह बना रहे। प्रत्येक कर करदाता और समाज को आय को कम करता है, जिससे व्यक्तियों का जीवन-स्तर नीचे गिरता है और कार्य-शुशलता अथवा उत्पादन-शक्ति घटती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति की वचत शक्ति कम हो जाती है, पूँजी-निर्माण में शिथिलता आती है और उत्पादन के घटने की सम्भावना पैदा हो जाती है। इसका अन्तिम परिणाम यह होता है कि भविष्य में करों की उत्पादकता भी घट जाती है। अतएव यह आवश्यक है कि कर-प्रणाली का उत्पादन की कुशलता और पूँजी के संचय पर कोई हानिकारिक प्रभाव न पड़े।

(२) लोच का सिद्धान्त (Principle of Elasticity)—कर-प्रणाली में लोच का भारी महत्त्व है। दूसरे शब्दों में, आवश्यकता पड़ने पर करों की उपज (Yield) को घटाना-बढ़ाना सम्भव होना चाहिये और यह कमी अथवा वृद्धि बिना किसी विशेष कष्ट के हो। भारत में आय-कर लोचदार करों का अच्छा उदाहरण है।

(३) लचीलेपन का सिद्धान्त (Principle of Flexibility)—‘लोच’ और ‘लचीलेपन’ में अन्तर होता है। जबकि ‘लोच’ विस्तार और सकुचन के गुण को सूचित करती है, ‘लचीलापन’ परिवर्तन की सम्भावना को। इसका अर्थ यह होता है कि एक अच्छी कर-प्रणाली वही है जिसमें बिना किसी विशेष कष्ट अथवा उथल-पुथल के आवश्यक परिवर्तन किये जा सकें अर्थात् परिवर्तन सरलतापूर्वक हो जायें और किसी प्रकार का असन्तोष पैदा न करे। करों की दरों के घटाने और बढ़ाने के परिणाम कम से कम कष्टदायक होने चाहिये।

(४) विविधता का सिद्धान्त (Principle of Diversity)—कर-प्रणाली में विविधता से अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति, जिसे राज्य से कुछ भी आय प्राप्त होती है, अपनी सन्तान के अनुसार राज्य को कुछ न कुछ दे। इसके लिये देश में बहु सख्या में अनेक प्रकार के कर होने चाहिये, जिससे कि देश के प्रत्येक निवासी से, चाहे वह धनवान हो अथवा निर्धन, किसी न किसी प्रकार का कर लिया जा सके। परन्तु विविधता का अर्थ यह नहीं होता कि अनावश्यक ही करों की सख्या को बढ़ाया जाय। ऐसा करने से तो अपव्यय का भय रहता है।

(५) सरलता का सिद्धान्त (Principle of Simplicity)—सरलता का होना भी एक अच्छी कर-प्रणाली की विशेषता है। कर-प्रणाली के सरल होने पर एक साधारण नागरिक भी उसे समझने में समर्थ होगा। इसके विपरीत, यदि कर-प्रणाली जटिल है, तो उसे समझना कठिन होगा, जिससे एक ओर तो करदाता असन्तुष्ट रहेंगे, और दूसरी ओर, कर-अपवचन (Tax Evasion) की सम्भावना अधिक रहेगी।

(६) वांछनीयता का सिद्धान्त (Principle of Expediency or Desirability)—

इस सिद्धान्त का अभिप्राय यह होता है कि प्रत्येक कर किसी न किसी आधार पर लगाया जाय, जिससे कि करदाताओं के लिये उसकी वांछनीयता सिद्ध की जा सके। नवीन करों का जनता बहुधा विरोध करती है, इसलिये पुराना कर थोड़े-बहुत परिवर्तनों के साथ लगाना बहुत अच्छा होता है। इससे करदाताओं को मानसिक बचट नहीं होता और उनमें व्यर्थ की उत्तेजना भी नहीं फैलती।

(७) पर्याप्तता का सिद्धान्त (Principle of Sufficiency)—इस सिद्धान्त का आशय यह है कि जो भी कर लगाया जाय वह उपज के दृष्टिकोण से पर्याप्त होना चाहिये। इस दृष्टिकोण से कुछ बड़े-बड़े उत्पादन-करो का लगाना बहुसंख्या में छोटे-छोटे अनुत्पादक करों की अपेक्षा अधिक उपयुक्त होता है क्योंकि इससे एकत्रण-व्यय तथा अपवचन दोनों ही कम होंगे।

यह निश्चय है कि किसी भी एक कर-प्रणाली में पूर्ववर्णित सभी गुण नहीं पाये जाते हैं। प्रायः कोई भी कर ऐसा नहीं होता जिस पर उर्रोक्त सभी सिद्धान्त लागू हो सकें। यदि एक कर में विभिन्न सिद्धान्तों के बीच विरोध पाया जाय, तो ऐसी दशा में कम महत्वपूर्ण सिद्धान्तों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण सिद्धान्तों पर जोर देने की नीति अपनानी चाहिये।

करों का वर्गीकरण

(Classification of Taxes)

करों के भार तथा इनके महत्व को स्पष्ट करने के लिए करों का वर्गीकरण करना आवश्यक है। प्रमुख वर्गीकरण निम्न प्रकार हैं —

(I) धैयत्तिक तथा अधैयत्तिक कर—

जब किसी व्यक्ति पर, उसके व्यवसाय, कारोबार, धार्मिक स्थिति अथवा सम्पत्ति को ध्यान में रखे बिना ही कर लगा दिया जाता है, तो ऐसा कर धैयत्तिक कर (Personal Tax) कहलाता है। इसके विपरीत, जब किसी वस्तु पर, बिना यह सांचे कि उसका स्वामी कौन है, कर लगाया जाता है, तो उसे अधैयत्तिक कर (Impersonal Tax) कहते हैं।

एक अन्य दृष्टिकोण से, धैयत्तिक कर वह कर है जो एक व्यक्ति के गुणों के आधार पर लगाया जाता है, जैसे—“व्यक्ति-कर” (Poll Tax)। ऐसा कर केवल व्यक्तियों पर लगाया जाता है और इसकी दर में व्यक्तियों की लम्बाई, मोटाई आदि गुणों के अनुसार अन्तर होता है। इसके विपरीत, जब कोई कर व्यक्ति की धार्मिक स्थिति के आधार पर लगाया जाता है और करदाता के व्यक्तिगत गुणों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं होता, तो उसे अधैयत्तिक कर कहा जाता है।

(II) 'आय पर कर' और 'सम्पत्ति पर कर'—

कर या तो सम्पत्ति की कीमत के अनुसार लगाया जा सकता है अथवा उससे प्राप्त होने वाली आय के अनुसार। प्रथम दशा में वह सम्पत्ति के मूल्य के प्रतिशत के रूप में होता और दूसरी दशा में सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय के प्रतिशत के रूप में। यदि सम्पत्ति पर लगाया जाता है तो उसकी दर नीची रहनी है, परन्तु जब आय पर कर लगाया है तो उसकी दर ऊँची होती है। अलग-अलग परिस्थितियों में करदाता पर दोनों प्रकार के करों का अलग-अलग प्रभाव पड़ता है, परन्तु साधारणतया यह समझा जाता है कि सम्पत्ति पर लगाया गया कर वचन और पूँजी के निर्माण को हतोत्साहित करता है। हमारे देश में 'मृत्यु कर' इसी प्रकार का कर है। आय पर लगाया जाने वाला कर (जैसे—भारत में पूँजी लाभ कर) इसलिये उपयुक्त समझा जाता है कि वह उस लाभ में से दिया जाता है जो सम्पत्ति के उपयोग द्वारा उत्पन्न होता है।

(III) अनुपाती, प्रगामी, प्रतिगामी और अधोगामी कर—

(१) अनुपाती-कर (Proportional Tax)—अनुपाती कर वह होता है जो प्रत्येक आय पर एक ही अनुपात या प्रतिशत में लगाया जाता है। उदाहरणस्वरूप, यदि सभी करदाता अपनी आय का दो प्रतिशत कर के रूप में दे दें अथवा यदि प्रत्येक करदाता को आय पर प्रति रुपया १ पैसा कर के रूप में देना पड़े, तो ऐसा कर 'अनुपाती' कहलायेगा।

आरम्भ में अर्थशास्त्रियों ने इस प्रकार के कर को बहुत उचित बताया था, क्योंकि यह आय के वितरण की दशा में परिवर्तन नहीं करता है। विभिन्न व्यक्तियों और वर्गों की आय का पारस्परिक अनुपात कर देने के पश्चात् भी उषो वा त्यो बना रहता है। आधुनिक युग में इस प्रकार का कर अच्छा नहीं समझा जाता है। यथार्थ में यह कर इस गलत विचार पर आधारित है कि आय के समान प्रतिशत की उपयोगिता सभी व्यक्तियों के लिए समान होती है। परन्तु यह विचार सही नहीं है, क्योंकि आय की मात्रा के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों के लिये द्रव्य की सीमान्त उपयोगिता कम या अधिक होती है। जैसे—एक धनी व्यक्ति के लिए उसकी आय के १०% भाग की सीमान्त उपयोगिता एक निर्धन व्यक्ति के लिये उसकी आय के १०% भाग की सीमान्त उपयोगिता से कम होती है। यही कारण है कि अनुपाती कर निर्धन व्यक्तियों के लिए अधिक कष्टदायक होता है।

(२) प्रगामी कर (Progressive Tax)—यदि कर की दर आय की मात्रा के अनुसार बढ़े, तो उसे प्रगामी कर कहेंगे। इसका सिद्धान्त यह है कि "अधिक आय अधिक कर की दर"। हमारे देश में आय-कर इसी प्रकार का है और आधुनिक युग में सबसे अधिक लोकप्रिय है। कारण, यह समानता या न्यायनीलता के अनुकूल है।

(३) प्रतिगामी-कर (Regressive Tax)—जिस कर का भार धनी वर्ग की अपेक्षा गरीबों पर अधिक पड़े, उसे प्रतिगामी-कर कहते हैं। वह प्रगामी-कर से बिल्कुल विपरीत होता है। उदाहरणस्वरूप, यदि आय-कर इस प्रकार लगाया जाय कि अधिक आय के साथ कर की दर घटती जाय, तो कर प्रतिगामी हो जायगा। कोई भी सम्य सरकार आय पर इस प्रकार का कर नहीं लगाती, क्योंकि यह पूर्णतया न्याय-विरुद्ध है। भारत में नमक-कर इसी श्रेणी में समझा जाता था, क्योंकि गरीबों को इसका भार बहुत प्रतीत होता है, जबकि धनीरों को इसका लगभग कुछ भी भार नहीं मालूम देता।

(४) अधोगामी-कर (Degressive Tax)—जिस कर के फलस्वरूप अधिक आय वाले वर्गों को उसका त्याग नहीं करना पड़ता जितना कि उनको करना चाहिए अथवा जबकि उन पर डाला हुआ कर-भार अपेक्षित कम है, उसे अधोगामी कर कहते हैं।

(IV) प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर—

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में वर्गीकरण करने के दो आधार निम्नलिखित हैं :—

(अ) कराघात और करापात की दृष्टि से—कर का आरम्भिक भार जिस व्यक्ति पर पड़ता है वह "कराघात" सहन करता है। परन्तु बहुत बार जो व्यक्ति आरम्भ में कर देता है वह इसके भार को दूसरों के कंधों पर डाल सकता है। इस प्रकार, अन्तिम दशा में, कर किसी दूसरे व्यक्ति अथवा दूसरे व्यक्तियों द्वारा चुकाया जाता है। कर के अन्तिम भार को हम "करापात" कहते हैं। जो व्यक्ति आरम्भ में कर देता है वह यदि इसके भार का विवर्तन (Shifting) न कर सके, तो ऐसी दशा में "कराघात" और "करापात" दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़ते हैं।

ऐसे करों को, जिनके भार का विवर्तन सम्भव नहीं होता, "प्रत्यक्ष-कर" कहा जाता है। इसके विपरीत, यदि कर का विवर्तन सम्भव है, तो कराघात एक व्यक्ति पर पड़ता है और

करापात दूसरे व्यक्ति पर। ऐसे कर को, जिसका भार दूसरे के कंधों पर टाला जा सकता है अथवा जिसे प्रारम्भिक करदाता दूसरों से वसूल कर सकता है "परोक्ष-कर" कहा जाता है। साधारणतया आय-कर, मूल्य-कर, आदि प्रत्यक्ष कर होते हैं और विनी कर, मनोरजन कर, उत्पादन-कर आदि परोक्ष कर होते हैं।

कर विवर्तन पर दो दृष्टिकोणों से विचार किया जा सकता है। बहुत बार शासक जान-बूझकर ऐसा कर लगाते हैं कि उसका अन्तिम भार भी उसी व्यक्ति पर पड़े जो प्रारम्भ में उमका भुगतान करता है, परन्तु वास्तव में और समाज की परिस्थितियों के कारण वह व्यक्ति कर का विवर्तन करने में सफल हो सकता है। ऐसी दशा में शासकों के दृष्टिकोण से तो वह कर प्रत्यक्ष होता है, परन्तु करदाता के दृष्टिकोण से परोक्ष। ठीक इसी प्रकार, कुछ कर इसलिये लगाये जाते हैं कि उनका विवर्तन हो जाय, परन्तु परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं कि करदाता ऐसा करने में असफल रहे। ऐसी दशा में शासकों के दृष्टिकोण से तो यह कर परोक्ष होगा, परन्तु करदाता के दृष्टिकोण से प्रत्यक्ष। अतः विभिन्न दृष्टिकोणों से एक ही कर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष हो सकता है।

(ब) अवस्था की दृष्टि से—इस वर्गीकरण में यह देखा जाता है कि वस्तु विशेष पर, इसके उत्पादन में लेकर अन्तिम उपभोग तक, किस अवस्था में कर लगाया जाता है? इस दृष्टिकोण से कर निम्न प्रकार के होते हैं :—(१) उत्पादन कर—यह कर उत्पादित वस्तुओं की मात्रा अथवा कीमत पर लगाया जाता है और इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि माल की वास्तव में विनी होती है या नहीं। उपभोक्त्यां तक पहुँचने से पहले ही माल नष्ट हो सकता है, परन्तु ऐसे माल पर तो कर पहले ही ले लिया जाता है। (२) विनी कर (Sales Tax)—यह कर उस अवस्था में लगाया जाता है जिसमें कि वस्तुएँ व्यापारियों अथवा मध्यजनों के हाथ में होती हैं। व्यापारी साधारणतया कर की रकम उपभोक्त्यां से वसूल कर लेते हैं, यद्यपि यह भी सम्भव है कि कुछ दशाओं में वे ऐसा न कर सकें। (३) उपभोग कर (Consumption Tax)—यह कर उस समय लगाया जाता है जबकि वस्तुएँ उपभोक्त्यां के पास पहुँच चुकी हो (जैसे—हमारे देश में विजली)। कहा जाता है कि इस कर का बचन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यह कर प्रकृति में प्रतिगामी (Regressive) होता है, क्योंकि धनी और निर्धन सभी से समान दर में कर वसूल किया जाता है।

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों की तुलना

इन दोनों प्रकार के करों में से कौनसा अधिक अच्छा है इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है।

प्रत्यक्ष करों के गुण-दोष—

गुण—प्रत्यक्ष कर के कई लाभ होते हैं, यथा—(i) इस कर को देते समय करदाता उसके भार का अनुभव करता है, जिस कारण उसे करारोपण के नष्ट का पूरा-पूरा अनुभव होता है। अतः वह इस बात में बड़ी दिलचस्पी लेता है कि सरकार कर से प्राप्त राशि को किस प्रकार से व्यय करती है और सरकार की राजस्व नीति की विवेचनात्मक आलोचना करता है। प्रजातन्त्रीय शासन-व्यवस्था में इस प्रकार की आलोचना से राजस्व की कुशलता बढ़ती है। (ii) प्रत्यक्ष करों में प्रगामी (Progressive) दरों को लागू करके करारोपण नीति में न्यायशीलता उत्पन्न की जा सकती है। उदाहरणस्वरूप, आय-कर की छोटी दरें छोटी आय वाले व्यक्तियों के लिए नीची तथा बड़ी आय वाले व्यक्तियों के लिए ऊँची रखी जा सकती है। (iii) प्रत्यक्ष करों का एकत्रण व्यय कम होता है और इनके भवजन की सम्भावना कम रहती है। इस प्रकार ये कर मित-

व्ययिता के सिद्धान्त के अधिन अनुपूल होते हैं। (iv) इन करों में सरलता, लोच तथा उत्पादकता के गुण भी पाये जाते हैं।

दोष—प्रत्यक्ष करों के निम्न दोष भी हैं :—(i) इन करों की दरों को बढ़ाना बहुधा उत्तेजना व असन्तोष उत्पन्न करता है और करदाता इन्हें अधिक पसन्द नहीं करते। इसी दोष का परिणाम यह होता है कि सङ्घटकात्मक में ऐसे कर सरकारी आय को बेलोक बना देते हैं और लोच की कमी के कारण सरकार तथा राष्ट्रीय हितों को भारी हानि पहुँच सकती है। (ii) ऐसे कर विविधता के सिद्धान्त के विरुद्ध होते हैं, क्योंकि उनकी सख्या सीमित होगी है तथा देश की उत्पादक-शक्ति पर इनका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। (iii) इन करों द्वारा समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से कम आय वाले वर्गों से कर वसूल करना सम्भव नहीं होता। (iv) व्यावहारिक अनुभव बताता है कि किसी भी सरकार के लिए केवल प्रत्यक्ष करों द्वारा आवश्यक आय प्राप्त करना सम्भव नहीं है।

परोक्ष करों के गुण-दोष—

गुण—परोक्ष करों में भी कुछ महत्वपूर्ण गुण होते हैं, जैसे—(1) परोक्ष करारोपण बहुत बार करदाता को ज्ञात भी नहीं हो पाता है। दिन प्रति दिन हम कपड़ा, चीनी, दियासलाई आदि खरीदने में सरकार को कर देते हैं, परन्तु हममें से नितने व्यक्ति इस बात का अनुभव करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि ऐसे करों के कारण, चाहे इनकी दरों में वृद्धि ही क्यों न कर दी जाये, उत्तेजना कम फैलती है। (ii) व्यावहारिक अनुभव यही बताता है कि किसी भी देश की सरकार अपने व्यय को पूरा करने के लिए केवल प्रत्यक्ष करों पर निर्भर नहीं रह सकती है, वरन् उसे अपनी आय बढ़ाने के लिये परोक्ष करों की भी सहायता लेनी पड़ती है। (iii) ऐसे करों के द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग तथा प्रत्येक वर्ग के हर व्यक्ति से किसी न किसी रूप में कर वसूल किया जा सकता है।

दोष—उपर्युक्त लाभों के साथ ही साथ परोक्ष करों के निम्न दोष भी होते हैं—

(i) साधारणतया ऐसे कर न्यायशीलता के विरुद्ध होते हैं, क्योंकि इनका भार निर्धन और धनवान सभी व्यक्तियों पर समान रूप से पड़ता है और कभी-कभी तो निर्धन वर्गों को अधिक भार सहन करना पड़ता है। (ii) इन करों के अपवंचन का भय अधिक रहता है, जो अन्य कारणों के साथ मिलकर एकत्रण व्यय को बढ़ा देता है। (iii) सरकार बहुधा अपेक्ष्यी नीति बिना विरोध के अपना सकती है। (iv) ऐसे कर सरकार को राजस्व नीति के प्रति जनता में समुचित रुचि उत्पन्न नहीं कर पाते हैं ऊपर ऐसी स्थिति प्रजातन्त्रीय शासन प्रणाली की कुशलता के लिये अक्षरी नहीं है।

निष्कर्ष—दोनों परस्पर पूरक हैं

दोनों प्रकार के करों के गुण-दोषों को देखने के पश्चात् निष्कर्ष यही निकलता है कि इनमें से कोई भी कर पूर्णतया सन्तोषजनक नहीं है। किंचित् इसी कारण सत्तार के सभी देशों में दोनों प्रकार के कर लगाने की प्रथा है।

एक तथा अनेक कर प्रणाली

(Single Versus Multiple Tax System)

आरम्भ से ही कर प्रणाली को सरल बनाने का प्रयत्न किया गया है और इसी उद्देश्य से एक-कर प्रणाली पर जोर दिया गया है। निर्वाधावादी अर्थशास्त्रियों का विचार था कि सरकार को न्याय-सिद्धान्त के साधारण पर केवल एक ही वस्तु पर कर लगाना चाहिए।

एक-कर प्रणाली के विभिन्न रूप एवं इनके गुण-दोष—

(१) केवल लगान पर कर—एक-कर प्रणाली के समर्थकों का विचार है कि ऐसी नीति से मसार में सम्पत्ति का अधिक उचित विवरण किया जा सकता है । परन्तु, इस विषय में यह कहा जा सकता है कि यदि केवल लगान पर कर लगाया जाय, तो (i) एक आधुनिक सरकार के व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय प्राप्त नहीं होगी, (ii) इसे न्यायपूर्ण भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस कर-प्रणाली के अन्तर्गत एक प्रकार की सम्पत्ति वाले को ही कर देने के लिए बाध्य किया जाता है, दूसरों पर कुछ भी कर नहीं लगाया जाता, जिसका परिणाम यह होता है कि भूमिपति भूमि के स्थान पर कोई अन्य सम्पत्ति खरीद कर 'कर' से बचने का प्रयत्न करते हैं । (iii) भूमि से प्राप्त आय के बारे में यह निर्णय करना कठिन है कि इसमें से कितनी आय अनुत्पादित है और कितनी आय भूमिपति की दूरदृष्टि, योग्यता अथवा विशेष परिश्रम के कारण उत्पन्न हुई है । फलतः ऐसा कर कुछ दशाओं में सुधार तथा योग्यता के उपयोग को हतोत्साहित कर सकता है । (iv) इस प्रणाली में बहुत-सी शासन सम्बन्धी कठिनाइयाँ पैदा हो जाती हैं और राज्य की आय पर भूमि की कीमतों का परिवर्तनों का भी भारी प्रभाव पड़ता है ।

(२) केवल आय पर कर—वर्तमान काल के बहुत से समाजवादी लेखकों ने केवल आय पर कर लगाने का सुझाव दिया है । उनका विचार है कि यदि केवल आय को ही करारोपण का आधार माना जाय, तो एक-कर प्रणाली के दोष उसमें नहीं रहेंगे । सभी प्रकार की आय पर कर लगा कर तथा प्रगामी रीति को अपना कर करारोपण में न्यायशीलता उत्पन्न की जा सकती है और कर से भार का समुचित वितरण किया जा सकता है । यह रीति अच्छी तो है, परन्तु ऐसी कर प्रणाली पर भी निम्नलिखित आक्षेप किये जा सकते हैं :—(i) इस कर के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अनुविधा होगी क्योंकि सभी को कर देना पड़ेगा । (ii) ऐसे कर की एकत्रित करने पर बहुत व्यय करना पड़ेगा, क्योंकि अनेक छोटी-छोटी आयों से कर वसूल किया जायगा । (iii) एक ही प्रकार का कर होने के कारण कर से बच जाने की सम्भावना बढ जायगी और इसे रोकने के लिए जो नियम बनाये जायेंगे वे कर की अनुविधा को बढा देंगे । (iv) ऐसे करों से शासन सम्बन्धी अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी । (v) यदि केवल आय को ही कर-नीति का आधार बनाया जाता है, तो उत्तराधिकारी के रूप में मिली हुई सम्पत्ति कर से बच जाती है, जो किसी दृष्टिकोण से भी न्यायपूर्ण नहीं है । (vi) ऐसी कर-प्रणाली आय की मात्रा को कम करके बचत को हतोत्साहित करेगी, जिसका व्यापार तथा उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

इस प्रकार, पूर्ण आयवा सम्पत्ति को आधार बनाकर भी एक-कर प्रणाली को सफल नहीं बनाया जा सकता है ।

बहु-कर प्रणाली के गुण-दोष—

व्यावहारिक जीवन में बहु-कर प्रणाली ही अधिक सफल हो सकती है, क्योंकि (i) उसमें कर-प्रपञ्चन (Tax-evasion) को बड़े अंश तक रोका जा सकता है । (ii) कर-नीति भेद-रहित बनाई जा सकती है । (iii) राज्य की आवश्यकता के अनुसार आय प्राप्त हो सकती है, और (iv) यह भी सम्भव है कि इस प्रकार का कर दूसरे प्रकार के करके उत्पन्न होने वाले दोषों को नष्ट करके कर-नीति के अक्षित्य को बढा दे । यही कारण है कि एक-कर प्रणाली को ही कल्पना ही रही है, उसका केवल सैद्धान्तिक महत्व ही है और ससार के प्रत्येक देश में बहु-कर प्रणाली ही प्रचलित है ।

करारोपण के उद्देश्य (Objectives of Taxation)

करारोपण के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार गिनवाये जा सकते हैं :—

(१) सरकार द्वारा आय प्राप्त करना—लम्बे काल से यही धारणा चली आ रही है कि करारोपण का प्रमुख उद्देश्य सरकार द्वारा आय प्राप्त करना होता है। इसका अर्थ यह तो नहीं होना कि सरकार की कर-नीति पर अन्य बातों का प्रभाव नहीं पड़ना। अभिप्राय केवल इतना है कि करों की वृद्धि तथा करारोपण का सबसे महत्वपूर्ण साधन आय प्राप्ति की आवश्यकता है।

(२) प्राथमिक जीवन का नियन्त्रण—करारोपण का दूसरा उद्देश्य नियन्त्रण हो सकता है। उदाहरणस्वरूप, आयान करों का, यद्यपि वे बहुत बार पर्येष्ठ आय प्रदान करते हैं, प्रमुख उद्देश्य आयान-नियन्त्रण होता है।

(३) आय का समुचित वितरण—करारोपण का तीसरा उद्देश्य देश में आय के वितरण का नियन्त्रण करना भी है। करारोपण के द्वारा कुछ व्यक्तियों अथवा वर्गों की आय में दूसरे व्यक्तियों अथवा वर्गों की आय की अपेक्षा वृद्धि या कमी की जा सकती है और इस प्रकार देश के आय-वितरण की अस्तमानताये दूर की जा सकती हैं।

इस सम्बन्ध में सरनर (Lerner) का विचार महत्वपूर्ण है। उसके अनुसार करारोपण किसी भी उद्देश्य से किया जाय, परन्तु इसका परिणाम यही होना चाहिए कि राष्ट्रीय आय का एक पर्याप्त स्तर बना रहे। सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि जनता के हितों को हानि न पहुँचे, चाहे इसके लिए सरकार को अपने हितों की अवहेलना ही क्यों न करनी पड़े। कर केवल इमोलिए नहीं लगाये जाने चाहिए कि सरकार को अधिक धन की आवश्यकता है। यद्यार्थ में किसी भी प्राथमिक व्यवस्था पर केवल उभी दशा में कर लगाना चाहिए, जबकि उसे हनोत्साहित करना उचित समझा जाय। व्यक्तिगत करदानाओं पर केवल उसी अंश तक कर लगाना चाहिए जिस अंश तक उन्हें निर्धन बनाना आवश्यक अथवा उचित हो। आवश्यकता के बिना कर लगाना किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता।

एक अच्छी कर प्रणाली के गुण
(Characteristics of a good Tax System)

एक अच्छी प्रणाली के प्रमुख गुण निम्न प्रकार हैं :—

(१) कम भार—करों का भार समाज पर कम से कम पड़ना चाहिए। ऐसा तभी सम्भव हो सकता है, जबकि समाज के विभिन्न वर्गों पर कर-भार का उचित वितरण किया जाय और प्रत्येक व्यक्ति से उसकी करदान क्षमता के अनुसार ही कर लिया जाय। एक अच्छी कर प्रणाली में त्याग के ग्यानपूर्ण वितरण हेतु अनेक प्रकार के करों का होना आवश्यक है।

(२) उत्पादकता—जैसा कि विदित है, करारोपण का प्रमुख उद्देश्य आय प्राप्त करना होता है। जो प्रणाली इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है उसकी वाछनीयता सन्देहपूर्ण ही होगी। पर्याप्तता एक आवश्यक गुण है, परन्तु साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि नवित्य के लिए भी आय का प्रवाह बना रहे। अतः एक ऐसी कर प्रणाली, जो राष्ट्रीय साधनों के बिनाश अथवा उत्पादन शक्ति के ह्रास द्वारा भावी आय प्राप्ति की सम्भावना को कम करती है, उपयुक्त नहीं हो सकती है।

(३) लोच—एक अच्छी कर प्रणाली वह होगी, जिसमें आवश्यकतानुसार करों की उपज अथवा उनसे प्राप्त आय को सरलतापूर्वक घटाया-बढाया जा सके। विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए ऐसी ही प्रणाली उपयुक्त होती है। यदि सकट-काल में

ऐसा नहीं हो सकता है, तो देश के लिए घोर कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। उदाहरणस्वरूप, युद्धकाल में सरकार के लिए आय की आवश्यकता अत्यधिक होती है। लोच उत्पन्न करने के लिए दो बातें आवश्यक हैं—प्रथम, कर प्रणाली में आय के शीर्षक विस्तृत हों, और, दूसरे, साधारण परिस्थितियों में इन साधनों का पूर्ण अंश तक विदोहन न किया जाय, जिससे कि सङ्कट-काल के लिए आय वृद्धि की सम्भावना शेष रह सके।

(४) सुविधा—करदाताओं की सुविधाओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है। करदाताओं की अकारण अथवा बिना समुचित आवश्यकता के कोई कष्ट न दिया जाय। इस हेतु कर प्रणाली का निश्चितता तथा मितव्ययिता के सिद्धान्तों के अनुकूल होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, कर प्रणाली सरल हो और कर अपवचन की सम्भावना कम से कम रहे।

(५) सामाजिक लाभ—डाल्टन का विचार है कि वह कर प्रणाली सर्वोत्तम है जो अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धान्त के अनुसार हो और देश की आर्थिक स्थिति पर कोई हानिकारक प्रभाव न डाले। उनके शब्दों में—“करारोपण की मध्यम अच्छी प्रणाली यही है, जिसके घुरे आर्थिक प्रभाव कम से कम शयवा सर्वोत्तम होने हैं।”

उपरोक्त सभी बातों को देखने से पता चलता है कि एक अच्छी कर-प्रणाली वह है जो करारोपण के विभिन्न सिद्धान्तों के अनुकूल हो। किन्तु सम्भव है कि कोई कर किसी एक सिद्धान्त के तो अनुकूल हो, परन्तु दूसरे सिद्धान्त का विरोधी। ऐसी दशा में जो प्रणाली अधिक सध्या में महत्वपूर्ण सिद्धान्तों को संतुष्ट करे, वही सबसे उपयुक्त है।

परीक्षा प्रश्न :

१. करारोपण के सिद्धान्तों को पुरी तरह से समझाइये और यह भी बनाइए कि इन सिद्धान्तों के अनुसार कौन-कौन से महत्वपूर्ण कर लगाये गये हैं ? भारतीय उदाहरण दीजिये।
२. करारोपण में न्याय सिद्धान्त की जिन विभिन्न दृष्टियों से व्याख्या की गई है उनकी समीक्षा कीजिए और गुणों की दृष्टि से तुलना करिये।
३. प्रगतिशील एवं आनुपातिक करारोपण में आप किसे पसन्द करेंगे और क्यों ?
४. प्रत्यक्ष और परोक्ष करों में क्या अन्तर है ? उनके लाभों तथा हानियों का उल्लेख कीजिए। इनमें से कौन-सा आपके विचार में अच्छा है और क्यों ?

करदान क्षमता तथा कर-भार

(Taxable Capacity & Incidence of Taxes)

करदान क्षमता (Taxable Capacity)

करदान क्षमता की परिभाषा—

अर्थशास्त्रियों ने करदेय क्षमता की परिभाषा विभिन्न प्रकार से की है।

(१) फिन्ले शिराज के अनुसार, “करदेय क्षमता का अर्थ उस प्राधिक्य से है जो कुल उत्पादन में से न्यूनतम उपभोग को बचाने के बाद बचे।

(२) डाक्टर डास्टन ने इस परिभाषा की ब्याख्यान करते हुए इसे बेकार बताया है और करदेय क्षमता के दो भाग किये हैं :—(i) सापेक्ष करदेय क्षमता (Relative Taxable Capacity)—इसका अर्थ किन्हीं दो समुदायों की करदेय क्षमता के पारस्परिक अनुपात से है। यदि एक देश के अन्दर एक समुदाय में कर देने की क्षमता दूसरे के मुकाबले में अधिक हो, तो इन दोनों समुदायों में करदेय क्षमता का अनुपात निकाला जायेगा। यही अनुपात ‘सापेक्ष करदेय क्षमता’ कहा जाता है। (ii) पूर्ण करदेय क्षमता (Absolute Taxable Capacity)—जब किसी समुदाय के व्यक्ति बिना किसी दुख का अनुभव किए और बिना किसी अनुचित दबाव के एक निश्चित कर देते हैं, तो यह उनकी पूर्ण करदेय क्षमता कही जायेगी।

(३) सर जोशियो स्टाम्प ने करदेय क्षमता की परिभाषा इस प्रकार की है—“यह ऐसी अधिक से अधिक राशि है जिसे समाज के व्यक्ति राज्य के व्ययों को पूरा करने के लिए जीवन को बिना दुखी किए हुए और बिना प्राथमिक सङ्कटन में गटबडी किए हुए दे सकते हैं।

करदान क्षमता के अध्ययन का महत्त्व—

कर के सम्बन्ध में करदान क्षमता का अध्ययन अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। करदान क्षमता का वास्तविक अर्थ मनुष्य की कर देने की शक्ति से है। एक व्यक्ति कितना अधिक से अधिक कर दे सकता है, वही उसकी करदेय क्षमता कही जायेगी। परन्तु यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस सीमा को निर्धारित करते समय कर देने से जनता को मिलने वाले कष्टों का प्रमुख ध्यान रखना चाहिये। एक व्यक्ति की अपनी आवश्यक आवश्यकताओं के पूरा होने के बाद जो कुछ उसके पास बचे वह सब कर के रूप में लिया जा सकता है। यह उसकी अत्यधिक करदेय क्षमता कही जायेगी यदि इससे अधिक कर लिया गया तो जनता में भुखमरी फैल जायेगी। अतः सरकार सदैव इस बात का ध्यान रखती है कि कर उसी हद तक लगाया जाय जिससे जनता कष्टों का अनुभव न करे।

करदान क्षमता को प्रभावित करने वाली बातें—

जो सरकारें करदेय क्षमता का जितना अधिक अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेती हैं उनकी कर-निर्धारण नीति उतनी ही सतोपजनक होती है। करदेय क्षमता प्रायः अग्रिम बातों पर निर्भर होती है :—

(१) देश में धन का वितरण—किसी देश में जितनी अधिक समानता के साथ धन का वितरण किया जायगा, उस देश की करदेय क्षमता भी उतनी ही कम होगी। इसके विपरीत, देश में धन का जितना अधिक असमान वितरण होगा, उसकी करदेय क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी।

(२) आय की स्थिरता—जिस देश के लोगों की आय निरन्तर घटती जाती है, वहाँ के लोगों की करदेय क्षमता कम होनी है और यदि किसी वर्ष आय में वृद्धि भी हो जाय, तो लोग पूरा कर देने में सकोच करेंगे, क्योंकि एक बार अधिक कर देने पर उनकी राशि की (आय घटने पर) कम कराना कठिन होता है। इसके विपरीत जिस देश में लोगों की आय स्थिर होती है उनकी करदेय क्षमता अधिक होती है।

(३) मुद्रा-प्रसार—जिस देश में मुद्रा-प्रसार होना है वहाँ के उत्पादकों एवं व्यवसायियों की करदेय क्षमता बढ़नी है, परन्तु उपभोक्ताओं की करदेय क्षमता घटनी है, क्योंकि मुद्रा का त्रय मूल्य गिर जाने से उन्हें अपने जीवन-निर्वाह पर अधिक व्यय करना पड़ता है और उनके मनाने की शक्ति कम हो जाती है।

(४) देश की औद्योगिक उन्नति—जिस देश में उद्योग उन्नति पर है वहाँ की करदेय क्षमता अधिक होगी।

(५) जन-संख्या—यह एक मोटा सिद्धान्त है कि किसी देश की जन-संख्या जितनी अधिक होगी उसकी करदेय क्षमता उतनी ही अधिक होगी। परन्तु यह भी आवश्यक है कि जन-संख्या की वृद्धि के साथ उस देश की वार्षिक उन्नति भी हो।

(६) करदाता की मनोवृत्ति—एक देश के देशवासियों में जितना ही अधिक देश-प्रेम होगा उतनी ही अधिक करदेय क्षमता होगी।

(७) लोक व्यय का उद्देश्य—यदि प्रजा को यह मालूम हो जाये कि सरकार कर के धन को शिक्षा, उत्पादन व देश की उन्नति करने वाले अन्य साधनों पर व्यय करेगी, तो उसकी करदेय क्षमता बढ़ जायगी। इसके विपरीत, यदि कर युद्ध करने के लिये लिया जा रहा है, तो करदेय क्षमता कम होगी।

(८) कर पद्धति—जो सरकारें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों कर लगाती हैं उन्हे अधिक आय प्राप्त होती है और उस देश के देशवासियों की करदेय क्षमता भी अधिक होती है।

(९) जनता का जीवन-स्तर—जिस देश में जनता का जीवन-स्तर ऊँचा होना है वहाँ की करदेय क्षमता अधिक होगी।

(१०) विदेशी हमला—जब देश पर कोई बाहरी शक्ति हमला करती है उस समय देशवासी सब भेदभाव छोड़कर सरकार की सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे समय उनकी करदेय क्षमता बढ़ जाती है।

करदान-क्षमता की माप—

साधारणतया ऐसा समझा जाता है कि करदान क्षमता राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय लाभांश पर निर्भर होती है, इसलिए राष्ट्रीय लाभांश को माप कर ही करदान क्षमता का पता लगाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में किण्डले शिराज ने कहा है—“हम वर्ष विशेष में उत्पन्न की गई कुल वस्तुओं और सेवाओं को उनके बाजार मूल्य पर लेते हैं और इस प्रकार जो योग प्राप्त होता है, उसमें से देश की वस्तुओं (कच्चे मालों तथा पूँजी की वस्तुओं) के उस भाग के मूल्य को घटा देते हैं, जिसका कुल उत्पादन के अन्तर्गत व्यय हो चुका है। जो शेष रहे वही उस वर्ष की राष्ट्रीय आय है।”¹

¹ Fiodlay Sbirras : *The Science of Public Finance*, p. 237.

इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय आय को नापने की दो रीतियाँ प्रचलित हैं—प्रथम, आय योगकरण प्रणाली (Aggregating of Income Method) और दूसरे, उत्पत्ति-गणना-प्रणाली (Census of Production Method)। इङ्ग्लैण्ड ने इन दोनों प्रणालियों का एक साथ उपयोग किया है और दोनों ही से एक से परिणाम प्राप्त हुये हैं। भारत में राष्ट्रीय आय समिति (National Income Committee) ने राष्ट्रीय आय का पता लगाया है।

कर-भार (Burden of Taxes)

यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कर लगाने के पश्चात् क्या होता है ? इस सम्बन्ध में कर-भार (Incidence of Taxes) तथा करों के प्रभाव का अध्ययन महत्वपूर्ण है। 'कर-भार' से हमारा अभिप्राय यह जानने से होता है कि कर का भार किसके ऊपर पड़ता है ? करों के प्रभाव के सम्बन्ध में हम यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि कर के कारण अन्त में वैसे आर्थिक दशाएँ उत्पन्न होती हैं। यह पता लगाने के लिए कि कर का भुगतान कौन करता है, तीन बातों का अध्ययन किया जाता है :—कराघात (Impact), कर विवर्तन (Shifting of a Tax) तथा कराघात (Incidence of the Tax)।

कराघात की समस्या—

इनमें से कराघात की समस्या तो सरल है, क्योंकि कराघात अथवा कर का प्रारम्भिक भार उस व्यक्ति पर पड़ता है जिस पर नियमानुसार आरम्भ में कर लगाया जाता है। उदाहरणस्वरूप, व्यक्तिगत आय-कर का कराघात उस व्यक्ति पर पड़ता है जो व्यक्ति इसे चुकाता है। इसी प्रकार, उत्पादन कर का कराघात उत्पादक पर होता है, यद्यपि बाद में वह बहुधा कर की राशि को दूसरों से वसूल कर लेता है।

कर-विवर्तन की समस्या—

कर-विवर्तन से हमारा अभिप्राय किसी अन्य व्यक्ति को कर चुकाने के लिये बाध्य करने की क्रिया से होता है। एक कर्मचारी, जो आय-कर देता है, वेतन बढ़वा कर इसका बोझ सेवायोजक पर डाल सकता है और सेवायोजक स्वयं भी उसे ऊँची कीमतों के रूप में इसे उपभोक्ताओं से वसूल कर सकता है। इस प्रकार अन्तिम करदाता तक पहुँचने में एक कर का कई बार विवर्तन हो सकता है। साथ ही, यह सम्भव है कि किसी कर का पूरा-पूरा विवर्तन हो जाय, आंशिक विवर्तन हो अथवा कुछ भी विवर्तन न हो सके।

कभी तो विवर्तन अग्रगामी (Forward) होता है और कभी प्रतिगामी (Backward) यदि एक निर्माता अपनी उपज के दामों को बढ़ाना है, ताकि कर की राशि उसके ग्राहकों से वसूल हो जाय, तो वह कर का आगे की ओर विवर्तन करता है (केवल एक विक्रेता ही ऐसा कर सकता है)। इसके विपरीत, यदि एक निर्माता कर का विवर्तन इस प्रकार करे कि मजदूरियों तथा कच्चे मालों की कीमत में कमी हो जाती है, तो यह 'पीछे की ओर विवर्तन' है (केवल एक ग्राहक ही ऐसा कर सकता है)। इस दशा में कर भार उन व्यक्तियों पर पड़ता है जो कि करारोपित वस्तु के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल अथवा सेवाएँ उपलब्ध करते हैं।

कर विवर्तन के लिए कीमतों की वृद्धि सदा आवश्यक नहीं होती है। कीमतों को समान ही रखते हुए डिब्बे अथवा बोतल के भीतर वस्तु की मात्रा में, अथवा करारोपित वस्तु के गुण में अथवा गुण और मात्रा दोनों में ही कमी की जा सकती है। कर विवर्तन अनेक बातों पर निर्भर होता है। प्रमुख बातें निम्न प्रकार हैं :—

(१) वस्तु की कीमत से कर का अनुपात—यदि वस्तु की कीमत के अनुपात में कर की मात्रा बहुत कम है, तो उसका उपभोक्ताओं पर विवर्तन करना सुविधाजनक न होगा और करा-

पात स्वयं उत्पादन सहन न करेगा। जैसे—यदि दियासलाई पर चौथाई पैसा की डिब्बा की दर पर कर लगा दिया जाता है, तो उसका ग्राहको पर विवर्तन करना व्यापारी के लिए अधिक सुविधाजनक न होगा जिस कारण इसे स्वयं ही अपने लाभ में से चुकाना अधिक पसन्द करेगा।

(२) कर का रूप—यथा-मूल्य कर तथा परिमाण-कर के प्रभाव अलग-अलग पड़ते हैं। यथा-मूल्य कर की अपेक्षा परिमाण-कर का अधिक सरलता के साथ और अधिक अंश तक विवर्तन किया जा सकता है। विवर्तन तो दोनों ही प्रकार के करों में सम्भव होता है, परन्तु यथा-मूल्य कर में कठिनाई यह होती है कि यदि उसके कारण कीमत बढ़ती है, तो कर की दर भी बढ़ जाती है और इस प्रकार माँग के गिरने की भारी सम्भावना पैदा हो जाती है। ऐसी दशा में विक्रेता अथवा निर्माण-कर्त्ता विक्री कम करके लाभ घटाने की अपेक्षा कर स्वयं चुकाना अधिक पसन्द कर सकता है।

(३) स्थानापन्न वस्तु—जिस वस्तु के स्थानापन्न होते हैं उस पर लगाये गये करों का सरलतापूर्वक विवर्तन नहीं हो सकता है, क्योंकि करारोपित वस्तु के दाम बढ़ने अथवा उसमें गुणात्मक कमी होने से स्थानापन्न की लोकप्रियता बढ़ जाती है। परिणाम यह होगा कि करारोपित वस्तु की माँग बड़ी तेजी के साथ घटने लगती है, जिसका विक्रेता के लाभों पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(४) कर शासकों के उद्देश्य—कर शासक बहुत से कर इस उद्देश्य से तथा इसी प्रकार लगाते हैं कि उनका विवर्तन न हो सके, जैसे—आय-कर।

(५) माँग और पूर्ति की लोच—जिन वस्तुओं की माँग बहुत लोचदार होती है, उन पर कर लगाने से कीमत में जो वृद्धि होती है, उसके कारण माँग तेजी के साथ घट सकती है। ऐसी दशा में विक्री की कमी को रोकने के लिए विक्रेता दाम बढ़ाकर विवर्तन करना अनुप-युक्त समझते हैं। इसके विपरीत, जिन वस्तुओं की पूर्ति बहुधा लोचदार होती है, उनके लिए कर-विवर्तन की सम्भावना अधिक रहती है। उत्पादक पूर्ति को कम करके कीमत बढ़ा सकता है और इस प्रकार कर विवर्तन हो सकता है। इसके विपरीत, जिन वस्तुओं की माँग बेलोन है उनकी कीमत के बढ़ने से माँग में विशेष कमी नहीं आती, इसलिए कर विवर्तन सरल होता है। ठीक इसी प्रकार, जिन वस्तुओं की पूर्ति बेलोच होती है उनकी कीमत के बढ़ने की सम्भावना कम रहती है। ऐसी वस्तुओं पर लगाये हुए करों का विवर्तन कठिन होता है।

करापात की समस्या—

करापात का अभिप्राय करों के अन्तिम भार से होता है। कर-विवर्तन द्वारा किसी कर का भार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर टाला जा सकता है, परन्तु अन्त में यह भार किसी ऐसे व्यक्ति पर जा सकता है, जो इसे आगे नहीं टाल सकता है। करापात उसी व्यक्ति पर पड़ता है, जो कर का और आगे विवर्तन नहीं कर सकता है। यहाँ विवर्तन प्रिया का अन्त हो जाता है। इसी कारण करापात का अध्ययन महत्वपूर्ण है। इससे हमें पता चल जाता है कि अन्तिम दशा में कर किसके द्वारा चुकाया जाता है। प्रमुख करों की करापात समस्या निम्न प्रकार है—

(१) आय-कर (Income Tax)—आगम के दृष्टिकोण से लगभग सभी देशों की कर प्रणाली में आय-कर का बहुत अधिक महत्व होता है। यह साधारणतः एक प्रत्यक्ष कर होता है और इसके भार का विवर्तन सम्भव नहीं होता। आय की सर्वमान्य परिभाषा तो नहीं की जा सकती है, परन्तु व्यावहारिक जीवन में वेतन, उत्तर-वेतन, मजदूरी, व्यावसायिक आय आदि सभी पर लगाया हुआ कर आय-कर कहलाता है। भारतवर्ष में आय-कर कई रूपों में लगाया जाता है, जैसे—आय-कर, अति-कर (Super Tax), अतिरिक्त लाभ-कर (Excess Profits

Tax), पूँजी लाभ-कर (Capital Gains Tax), कृषि आय-कर (Agricultural Income Tax) तथा प्रमण्डल-कर (Corporation Tax) ।

वेतन तथा मजदूरी पर जो कर लगाया जाता है, उसका विवर्तन साधारणतया विल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि मजदूरी सीमान्त उत्पादकता के अनुसार दी जाती है। यदि कर सेवायोजक द्वारा दिया जाना है, तो इससे सीमान्त उत्पादकता नहीं बढ़ सकती है। केवल उसी दशा में, जबकि मजदूरी सीमान्त उत्पादकता से कम है, अधिक कर-भार का सेवायोजक पर विवर्तन कर सकता है।

ठीक इसी प्रकार व्यावसायिक आय-कर का भी हस्तान्तरण सम्भव नहीं होना। व्यवसायी बहुधा ऐसा समझते हैं कि इस कर को वे वस्तुओं की कीमत बढ़ाकर वसूल कर सकते हैं, परन्तु यह विचार सही नहीं है। व्यावसायिक वर्ग अपनी इच्छा के अनुसार कीमतों में वृद्धि नहीं कर सकता, क्योंकि कीमत तो माँग और पूर्ति द्वारा निश्चित की जाती है और उस पर माँग की लोच का भारी प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त कोमतें बढ़ने से व्यवसायी की आय भी बढ़ती है और इस प्रकार कर भी बढ़ना जाना है। अतः केवल उसी दशा में, जबकि माँग बेचोच है, कुछ प्रश्न तक विवर्तन सम्भव हो सकता है। इसी प्रकार, ग्रन्थ रूपों में लगाये हुए आय-कर का भी विवर्तन कठिन होता है।

(२) निर्यात-कर (Customs Duties)—ऐसे कर आयात और निर्यात पर लगाये जाते हैं। ये परोक्ष कर होते हैं, क्योंकि वस्तुओं पर लगाये जाते हैं। इन करों का विवर्तन अधिकांश दशाओं में सम्भव होता है। आयात करों द्वारा कीमतें बढ़ती हैं, जिसके कारण कर की राशि दूसरों से वसूल कर लेने की सम्भावना रहती है। परन्तु इन सम्भव में कारखाने के दृष्टिकोण से करारोपित वस्तु की माँग की लोच का भारी महत्त्व है। यदि माँग बहुत लोचदार है, तो कीमतें बढ़ाना लाभदायक नहीं होता, क्योंकि इससे माँग बहुत घट सकती है। ऐसी दशा में विदेशी निर्यातकर्ता अथवा देशी आयातकर्ता कर-भार को स्वयं ही सहन करता है। यदि माँग बेलोच है, तो कर-भार उपभोक्ता पर पड़ता है। निर्यात-कर के सम्बन्ध में भी ऐसी ही बात है। यदि विदेशों में करारोपित वस्तु की माँग लोचदार है, तो कर-भार निर्यात व्यापारी पर पड़ेगा, जो उसे कुछ दशाओं में उत्पादकों पर हस्तान्तरित कर सकता है। यदि विदेशी माँग बेलोच है, तो विदेशी उपभोक्ता इसका ऊँची कीमतों के रूप में भुगतान करेगा। बहुत बार यह भी सम्भव है कि आशिक्र भार उपभोक्ताओं पर पड़े और आशिक्र भार उत्पादकों द्वारा व्यापारियों पर। ऐसा उसी दशा में सम्भव होता है जबकि माँग-लोच इन प्रकार हो कि कीमत में कर की मात्रा के बराबर वृद्धि करना तो सम्भव न हो, परन्तु कुछ प्रश्न तक ऐसी वृद्धि की जा सकती है।

(३) बिक्री-कर (Sales-tax)—यह भी एक परोक्ष कर है और इसी कारण इसका भी विवर्तन सम्भव होता है। इस कर का प्रारम्भिक भार तो व्यापारी पर पड़ता है, परन्तु वह कीमत बढ़ा कर उसे उपभोक्ताओं से वसूल कर सकता है। हाँ, यदि वस्तु की कीमत को देखते हुए कर की राशि इतनी कम है कि उसे मुविधा के साथ वसूल नहीं किया जा सकता, तो व्यापारी टाम बढ़ाने के स्थान पर कर को स्वयं ही चुकाना अधिक पसन्द करेगा। इसी प्रकार, यदि माँग की लोच बहुत है, जिसके कारण कीमत बढ़ाने से बिक्री बहुत कम हो जाने का भय है, तो व्यापारी स्वयं ही कर देना अधिक लाभदायक समझ सकता है। ग्रन्थ दशाओं में उपभोक्ताओं से कर वसूल किया जा सकता है। कुछ दशाओं में कर को पीछे की ओर हस्तान्तरित करना भी सम्भव होता है। व्यापारी कीमत को यथापिपर रख कर (यदि उसके लिए ऐसा

सम्भव है) धोक व्यापारी अथवा उत्पादक को कम कीमत पर बेचने के लिए बाध्य कर सकता है। ऐसी दशा में पीछे की ओर विवर्तन हो जायगा। कुछ विशेष दशाओं को छोड़कर विप्री-कर का विवर्तन असम्भव होता है और साधारणतया करापात उपभोक्ताओं पर पड़ता है।

(४) मृत्यु-कर (Death Duties)—यह कर मृत व्यक्तियों द्वारा छोड़े हुई सम्पत्ति पर या तो उसके उत्तराधिकारियों में बँटने से पहले लगाया जाता है, जिस दशा में इसे जायदाद कर (Estate Duty) कहा जाता है अथवा उत्तराधिकारियों को प्राप्त होने वाली सम्पत्ति की कीमत पर लगाया जा सकता है, जिस दशा में वह रिक्थ-कर (Inheritance Tax) कहलाता है। १५ अक्टूबर सन् १९५३ से भारत में यह कर प्रथम रूप में लगाया गया है। यह भी एक प्रत्यक्ष कर है और इसे चाहे जिस रूप में भी लगाया जाय, इसका भार उत्तराधिकारियों पर ही पड़ता है। इसका कर के विवर्तन से लगभग कुछ भी सम्बन्ध नहीं होता है।

(५) भूमि-कर (Taxes on Land)—लगभग सभी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, निर्वाधा-वादी अर्थशास्त्रियों की भाँति भूमि के आर्थिक लगान पर कर लगाने के समर्थक हैं। उनका विचार था कि ऐसा कर प्राकृतिक लाभ पर निर्भर होता है और उम आधिक्य अथवा वचत में से दिया जाता है जो भूमि के मालिक को भूमि के विशेषक गुणों के कारण प्राप्त होती है। ऐसा कर केवल भूमिपति पर पड़ता है। आर्थिक लगान बौध्द का निर्धारण नहीं करता, वह तो स्वयं कीमत द्वारा निर्धारित होता है। इस कारण लगान पर कर लग जाने अथवा कर की दर बढ़ जाने से कीमत के बढ़ने की सम्भावना उत्पन्न नहीं होती है, अतः कर का विवर्तन नहीं हो पाता है।

परन्तु भूमि पर और भी रीतियों से कर लगाया जाता है। जैसे, भूमि में लगाई हुई पूँजी पर कर तथा भूमि की उपज पर कर। भूमि में लगाई हुई पूँजी पर जो कर लगाया जाता है, उसका सरलतापूर्वक विवर्तन हो जाता है। यदि भूमिपति सुधार हेतु पूँजी नहीं लगाता है, तो भूमि की उत्पादन शक्ति गिर जाती है और किसान को हानि होती है। मन भूमिपति जोतने वालों को बढ़ कर देने के लिए बाध्य कर सकता है। जब भूमि की उपज के अनुसार कर लगाया जाता है, तो विवर्तन पर उपज की माँग-लोच का भारी प्रभाव पड़ता है। कर लग जाने से वस्तु की कीमत बढ़ती है। अतः, यदि उसकी माँग-लोच बड़ाने है, तो उत्पादन घटेगा, और इसलिए कर का भार भूमिपतियों पर पड़ेगा। यदि माँग बेलोच है, तो कीमत के बढ़ने पर भी माँग तथा उत्पादन में विशेष कमी नहीं होगी, जिस कारण कर का भार उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। इस प्रकार, करापात प्रथम दशा में भूमिपतियों अथवा किसानों पर पड़ता है परन्तु दूसरी दशा में उपभोक्ताओं पर।

(६) गृह-कर (House tax)—गृह-कर लगान की दो विधियाँ हैं। वह या तो गृह सम्पत्ति की कीमत के अनुसार लगाया जाता है अथवा इस सम्पत्ति से प्राप्त आय (किराये) के अनुसार। इस कर का भार साधारणतः गृह-स्वामी (House Owner) पर पड़ता है, परन्तु गृह-स्वामी सदा ही इसे किराया बढ़ाकर किरायेदारों पर टालना चाहता है। मकानों के लिए माँग की लोच बहुत ही कम होती है। मकानों की पूर्ति के घटते ही मकान मालिक किराये को ऊपर चढ़ा सकते हैं और इस प्रकार इस कर को किरायेदारों पर डाल सकते हैं। परन्तु, यदि मकानों की कमी नहीं है, अथवा, किराये पर सरकारी नियन्त्रण है, तो विवर्तन सम्भव न हो सकेगा। प्रायः ऊँचे गृह-करों का मकान-निर्माण पर नुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे मकानों की पूर्ति में कमी पड़ती है और इनके किराये इतने चढ़ सकते हैं कि सारा या सारा कर किरायेदार ही हैं। कुछ दशाओं में कर का भार गृह-स्वामी तथा किरायेदार दोनों पर ही पड़ सकता है। यह उस दशा

मे सम्भव होता है जबकि मालिक किराये को बढ़ा तो सकता है, परन्तु कर की पूरी मात्रा के अनुसार नहीं।

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि कराधान उस व्यक्ति पर पड़ता है जो प्रारम्भ में कर को देता है, परन्तु वह इसका विवर्तन कर सकता है। विवर्तन का अन्तिम परिणाम करापात होता है, अर्थात् जो व्यक्ति विवर्तन नहीं कर सकता, वह स्वयं ही करापात को सहन करता है। कर विवर्तन बहुधा कीमत की वृद्धि के रूप में प्रकट होता है, परन्तु कीमत की वृद्धि सदा ही कर विवर्तन अथवा करापात का सूचक नहीं होती क्योंकि कीमत में कुछ ऐसे कारकों द्वारा भी वृद्धि हो सकती है, जिनका कर विवर्तन तथा करापात से कोई सम्बन्ध न हो। करापात अनेक बातों पर निर्भर होता है, जिनमें से प्रमुख बातें इस प्रकार हैं :—(i) कर की प्रकृति, मात्रा, रूप, गुण, अकेलापन। (ii) वस्तु अथवा व्यक्ति, जिस पर कर लगाया जाता है। (iii) करारोपित वस्तु की माँग और पूर्ति की लोच तथा उत्पत्ति के नियम जिनके अन्तर्गत उत्पादन हो रहा है। (iv) उत्पत्ति की दशाएँ—प्रतियोगी अथवा एकाधिकारी। (v) वह अवस्था जिस पर कर लगाया जाता है—अर्थात् उत्पत्ति पर, मूल्य पर अथवा लाभ पर।

उपरोक्त बातें यह निश्चित करती हैं कि कर का विवर्तन हो सकेगा या नहीं अथवा उसका कराधान और करापात एक ही स्थान पर पड़ेगा अथवा अलग-अलग।

परीक्षा प्रश्न :

१. किसी कर के प्रभावों (Effect) और करापात (Incidence) में स्पष्ट रूप से भेद कीजिये। संक्षेप में उन घटकों को बताइये जो कि करापात को शासित करते हैं।
२. करापात से क्या आशय है? आयत-कर, निर्वात-कर, उत्पादन-कर एवं आय-कर के करापात का विवेचन कीजिए।
३. करापात और कर विवर्तन में भेद समझाइये।
४. करदान क्षमता की धारणा का पूर्ण विवेचन कीजिए। इस सम्बन्ध में उन घटकों को समझाइये जो किसी राष्ट्र की करदान क्षमता को निर्धारित करते हैं।

करारोपण का उत्पत्ति और वितरण पर प्रभाव

(Effect of Taxation on Production and Distribution)

प्रारम्भिक—

करारोपण के अतिरिक्त कर के और भी बहुत से आर्थिक परिणाम होते हैं। डाक्टर के अनुसार, इन परिणामों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है¹ :—उत्पत्ति पर प्रभाव, वितरण पर प्रभाव, और अन्य परिणाम।

उत्पत्ति पर करारोपण का प्रभाव

उत्पत्ति पर होने वाले प्रभाव का भी निम्न तीन शीर्षकों में विचार किया जा सकता है—

(१) कार्य-शक्ति तथा वचन-शक्ति पर प्रभाव—

(१) यदि कम आय वाले आय वर्ग पर कर लगाया जाता है, तो उनकी शुद्ध आय कम हो जाती है और इस कारण उसका विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग घट जाता है, जीवन-स्तर नीचा हो जाता है और अन्त में कार्य-क्षमता अथवा कार्य-शक्ति भी कम हो जाती है। कार्य-कुशलता का ह्रास कार्य-क्षमता को भी कम कर देता है।

(२) यदि जीवन-रक्षण, कुशलता-रक्षक अथवा रुद्ध आवश्यकता की वस्तुओं पर कर लगाया जाता है, तो इसका भी यही प्रभाव होगा कि कार्य करने वाले की कार्य-कुशलता कम होकर उसकी कार्य-शक्ति घट जायगी। यही कारण है कि कम आय वाले वर्गों को बहुराश कर से मुक्त कर दिया जाता है।

(३) यदि किसी ऐसी वस्तु पर कर लगाया जाता है, जिसके उपभोग से शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्य को हानि होती है (जैसे—शराब, भाँग आदि पर), तो ऐसी दशा में कार्य-कुशलता तथा कार्य-क्षमता के बढ जाने की आशा रहती है।

(४) लोगों की कार्य-क्षमता पर बुरा प्रभाव डालने से वचन के लिए ऐसी वस्तुओं पर कर लगाने का सुभाव दिया जा सकता है, जिनके उपभोग से कार्य-कुशलता में वृद्धि नहीं होती तथा जिनके लिए श्रमिकों की माँग लोचदार है, क्योंकि ऐसा करने से करारोपित वस्तु के स्थान पर अन्य वस्तुओं का उपभोग बढ़ेगा और कार्य-कुशलता में वृद्धि होगी। परन्तु ऐसा कर स्वयं अथवा उद्देश्य को समाप्त कर देगा, क्योंकि इनमें राज्य को अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकेगी। वास्तविकता यह है कि ऐसे मोटे से ही श्रमिक होंगे जिनकी कार्य-कुशलता पर कर का बुरा प्रभाव न पड़ता हो।

(५) लगभग सभी प्रकार के करों का वचन-क्षमता पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। कर देने के पश्चात् आय की मात्रा घट जाती है और आय का वह भाग जिसकी वचन की जाती थी, सरकार कर के रूप में ले लेती है, जिससे वचन-क्षमता कम हो जाती है। परन्तु जब कर

¹ Daltor : Principles of Public Finance, p 81

बहुत ही निर्धन लोगों पर, जिनके पास बचत करने योग्य शेष ही नहीं रहता, लगाया जाता है, तो वह चाहे भ्राय पर हो या उपभोग पर, उसका बचत-शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ लोगों में बचत-क्षमता होती ही नहीं।

(II) कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव—

यदि हम यह जानना चाहते हैं कि किसी वर्ग की कार्य करने तथा बचत करने की इच्छा पर कर का अर्थ प्रभाव पड़ा है या चुरा, तो सर्वप्रथम तो हमें वर्ग-विशेष के लिये भ्राय की माँग की लोच का अध्ययन करना होगा।

(१) यदि भ्राय की माँग बेलोच है, तो कर के भुगतान द्वारा भ्राय की प्रत्येक कमी उस वर्ग को अधिक परिश्रम तथा उद्योग करने के लिए उत्साहित करेगी, क्योंकि वर्ग-विशेष के लोग किसी न किसी भाँति अपने उपभोग में हो जाने वाली कमी को पूरा करने का प्रयत्न करेंगे।

(२) यदि भ्राय की माँग बहुत ही लोचदार है, तो वह अधिक परिश्रम करने से पहले अनेक बार सोचेगा। यह भी सम्भव है कि उसका अधिक परिश्रम करने का उत्साह कर द्वारा समाप्त कर दिया जाय।

(३) यदि कर अकस्मात् ही लगाया जाता है, जबकि देने वाले को उसकी तनिक भी आशा न थी अथवा भविष्य में कर के बने रहने की आशा नहीं है, तो करदाताओं की काम करने की इच्छा पर उसका कोई विशेष चुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(४) प्रायः लोग भविष्य की कम महत्त्व देते हैं। अतः वह इस बात पर कम ध्यान देते हैं कि कर के रूप में चुकाये गये धन से भविष्य में उन्हें लाभ होगा और इसलिये किसी भी नये कर का साधारणतया यही प्रभाव पड़ता है कि लोगों की बचत करने की इच्छा शिथिल हो जाती है। यह प्रभाव दो प्रकार से पड़ता है :—प्रथम, लोग यह सोचते हैं कि कर के द्वारा उनकी वर्तमान भ्राय घट जायगी और इस प्रकार वे पहले की भाँति बचा नहीं सकेगे। दूसरे, वे यह भी सोचते हैं कि यदि वे बचाये हुए धन को किसी विनियोग में लगायें तो उतने जो भ्राय प्राप्त होगी उस पर फिर दोबारा कर देना पड़ेगा। दोनों ही दशाओं में बचत की इच्छा मुस्त पड़ जाती है।

(५) यदि भविष्य के लिए धन की आवश्यकता बहुत ही अप्रहृष्ट है, तो कर लगने से बचत की इच्छा में कमी नहीं पड़ेगी, और भ्राय की कमी को पूरा करने के लिए, लोग अधिक उत्साह के साथ कार्य करने लगेंगे।

(III) साधनों का पुनर्वितरण—

करारोपण बहुत दूर उद्योगों तथा व्यवसायों के बीच साधनों का नवीन वितरण अथवा पुनर्वितरण कर देता है। यदि किसी उपज पर कर लगाया जाता है, तो वस्तु विशेष के प्रति इकाई उत्पादन व्यय में वृद्धि हो जाती है और वस्तु का बाजार मूल्य बढ़ जाता है। इस दशा में (यदि अन्य बातें यथास्थिर रहे, तो) वस्तु की माँग कम हो जायगी, जिस कारण उसका उत्पादन भी घटेगा और उत्पादन में लगे हुए कुछ साधन बेकार हो जायेंगे, जिनको फिर अन्य उत्पादन-शाखाओं में जाना पड़ेगा। कुछ दशाओं में, जबकि उत्पादक लोग कर का भार स्वयं उठाते हैं और उसे उपभोक्ताओं पर नहीं डालते, किसी न किसी कारण सीमांत उत्पादकों को हानि होने लगती है, उन्हें व्यवसाय छोड़ने पर बाध्य होना पड़ता है और वे अपने साधन किसी अन्य उत्पादन-कार्य में लगाने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु एतद्व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में साधनों की गतिशीलता इतनी सरल तथा बिना रोक नहीं होती है। बहुत सारी पूँजी इस प्रकार के मकानों तथा मशीनों में लगी रहती है कि जिनकी किसी दूसरे उपयोग में नहीं लगाया जा सकता है।

इसी प्रकार, यदि किसी एक स्थान अथवा क्षेत्र में उत्पादन कर लगाया जाता है, जबकि दूसरे स्थानों तथा क्षेत्रों में उत्पादन कर-मुक्त है, तो उत्पादकों में करारोपित क्षेत्रों से हटकर कर-मुक्त क्षेत्रों में चले जाने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जायगी, विशेष रूप से यदि बहुत से स्वतन्त्र प्रदेश पार-पास ही स्थित हैं। परन्तु, यदि दशायाँ विपरीत है और यदि जिस प्रदेश में कर लगाया जाता है वह या तो बहुत बड़ा है या दूसरे प्रदेशों की तुलना में उसे बहुत से लाभ प्राप्त हैं, तो उत्पादकों में कर से बचने हेतु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में जाने की प्रवृत्ति नहीं होगी।

वितरण पर करारोपण का प्रभाव

जिस प्रकार एक अच्छी कर-प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि उसमें उत्पादन न घटे तथा बचत के सचय में कमी न पड़े, उसी प्रकार यह भी आवश्यक है कि कर-नीति का घन अथवा आय के वितरण पर बुरा प्रभाव न पड़े।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, पुरानी विचारधारा के कुछ अर्थशास्त्रियों के विश्वास के अनुसार राजस्व का उद्देश्य केवल यह है कि राज्य के लिए आय के साधन प्राप्त किये जायें। अतः उन दिनों वही कर-प्रणाली सबसे अच्छी समझी जाती थी, जिसके अन्तर्गत कर देने के पश्चात् भी विभिन्न करदाताओं की तुलनात्मक आयिक अवस्था वैसे ही रहे जैसी कि कर देने से पहले थी।

परन्तु, बाद के अर्थशास्त्रियों ने, जिनमें प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री वेगनर (Wagner) का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, यह बताया कि राजस्व का कार्य केवल राज्य के लिए साधन एकत्रित करने तक सीमित नहीं है, राज्य को चाहिये कि यह अपनी राजकोपीय नीति अथवा सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाये, जिससे देश में घन का वितरण यथासम्भव समान रहे और समाज में बेकारी (Unemployment) का या तो अन्त हो जाय या वह न्यूनतम सीमा तक घटे जाय। घन का अधिक समान वितरण निश्चय ही देश के लोगों के सामूहिक कल्याण में वृद्धि करता है। अतः यदि किसी देश में कर-प्रणाली इस प्रकार की है कि उसके अन्तर्गत घन के वितरण की असमानताएँ बढ़ती हैं, तो यह निश्चित रूप से हानिकारक होगी। पीगू (Pigou) का मत है कि "यदि राष्ट्रीय लाभांश की मात्रा में कमी न आये, तो घन के वितरण में प्रत्येक ऐसा सुधार, जिससे इस लाभांश में से गरीब वर्गों को मिलने वाले भाग में वृद्धि होती है, सामूहिक सामाजिक कल्याण को बढ़ा देगा।"

प्रतिगामी-कर प्रणाली निस्सन्देह आय के वितरण की असमानता को बढ़ा देती है, इसलिए उसे सामाजिक कल्याण की दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार, एक अनुपाती कर, अथवा, ऐसा कर जो कुछ ही अंश तक प्रगामी है, अधिकतर दशाओं में सामूहिक सामाजिक कल्याण में कमी कर देगा। केवल वही कर-प्रणाली, जो बड़े अंश तक प्रगामी होती है, घन के वितरण में समानता ला सकती है। केवल इसी दशा में सामाजिक सामूहिक कल्याण न्यूनतम होता है। यही कारण है कि ऐसे करों का लगाना कल्याण के दृष्टिकोण से सबसे उचित समझा जाता है।

किसी भी देश की कर-प्रणाली में बहुत सारे कर सम्मिलित होने हैं, जिनमें से कुछ तो सभी व्यक्तियों पर एक ही दर में लगाये जाते हैं, कुछ अनुपाती होते हैं परन्तु उनमें से कुछ का बड़े अंश तक प्रगामी होना आवश्यक है, जिससे कि सम्पूर्ण कर-प्रणाली की प्रवृत्ति प्रगामिता की ओर हो। उदाहरण के लिए उत्तर-प्रदेश राज्य की सरकार एक तो छुट्टि-आय कर लगाती है जो एक प्रगामी कर है, दूसरे, वह बिजली-कर, उत्पादन कर इत्यादि लगाती है, जो अनुपाती कर हैं, और तीसरे, इसी राज्य में विजली कर, विजली के उपभोग की प्रत्येक इकाई पर एक

ही मात्रा में लिया जाता है। इस प्रकार, प्रत्येक राज्य सब प्रकार के करों का समुचित तथा लाभपूर्ण मिश्रण करने का प्रयत्न करता है।

[स्मरण रहे कि केवल प्रत्यक्ष कर ही, जैसे—आय-कर, प्रमण्डल कर (Corporation Tax) इत्यादि, साधारणतया बड़े अंश तक प्रगामी बनाये जा सकते हैं। किन्तु निरन्तरीय-कर तथा उत्पादन-कर जैसे परोक्ष करों को प्रगामी बनाना सरल नहीं है। उपभोग पर लगाए हुए लगभग सभी कर साधारणतया अनुपाती होते हैं, क्योंकि वे उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों में भेद नहीं करते। अतः यह सम्भव नहीं है कि एक ही वस्तु पर एक धनी उपभोक्ता से तो कर अधिक लिया जाय किन्तु गरीब से कम।]

सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से, कभी-कभी संरक्षण प्रयुक्त (Protective Tariff) भी धन के वितरण को समुचित बनाने में सहायक हो सकता है। यह निम्न दो रीतियों में सम्भव है —

(१) उन वस्तुओं पर आयात कर लगाकर आय के वितरण में समानता लाई जा सकती है, जो ऐसे देशी उद्योगों की उपज से, जिनमें मजदूरियों की दर दूसरे उद्योगों की अपेक्षा ऊँची है, प्रतियोगिता करती है। इन करों का परिणाम यह होता है कि वे ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहित करते हैं जिनमें मजदूरियाँ अधिक हैं और इस प्रकार श्रम तथा अन्य उत्पत्ति साधनों को कम मजदूरी वाले उद्योगों से अधिक मजदूरी वाले उद्योगों में गतिशील कर देते हैं।

(२) ऐसी वस्तुओं पर आयात कर लगा कर भी, जिनका उपभोग प्रायः धनी वर्गों में ही किया जाता है, इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है। कर लग जाने पर इन वस्तुओं के स्थानापन्न अधिक लोकप्रिय हो जाते हैं, जो समाज के अधिकांश लोगों के लिए अधिक लाभदायक होते हैं।

परन्तु, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इस नीति का केवल सैद्धान्तिक महत्त्व है। व्यावहारिक जीवन में इससे अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। कारण, करारोपण का प्रभाव अनेक दिशाओं में पड़ता है और इसके फलस्वरूप बहुत-सी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, जो कभी-कभी एक-दूसरे की विरोधी भी होती हैं। यही कारण है कि यह नीति व्यावहारिक जीवन में बहुधा सफल नहीं हो पाई है।

करारोपण के अन्य प्रभाव (Other Effects of Taxation)

(I) एकत्रण व्यवस्था—

करारोपण के अन्य प्रभावों के सम्बन्ध में कर एकत्रित करने के व्यय का अध्ययन भी आवश्यक प्रतीत होता है। वही कर-प्रणाली अच्छी समझी जाती है जो मितव्ययी हो, अर्थात् जो करदाताओं द्वारा दिये हुये धन का अधिकतम भाग राजकीय कोष में पहुँचाने में सफल होती है। सरकार के दृष्टिकोण से, जबकि उसका उद्देश्य करों के द्वारा एक निश्चित आय प्राप्त करना है, वह कर प्रणाली, जिसमें भारी सख्या में ऐसे कर सम्मिलित हों जिनमें कि कर-दाताओं को धन की छोटी-छोटी मात्राएँ देनी पड़ें, अधिक महँगी पड़ती है। इसके विपरीत, ऐसी कर-प्रणाली में एकत्रित करने का व्यय कम होगा, जिसमें करों की मात्रा तो थोड़ी हो, परन्तु उनमें से प्रत्येक राज्य को बहु-मात्रा में आय प्रदान करता हो। इसी प्रकार, यदि एक कर बहुत सारे व्यक्तियों पर लगाया जाता है, यद्यपि उसकी प्रति व्यक्ति दर बहुत कम है, शासन के दृष्टिकोण से ऐसे कर की अपेक्षा अधिक महँगा होगा जो ऊँची दर पर थोड़े से ही व्यक्तियों पर कर लगाया जाता है और राज्य को बराबर ही आय प्रदान करता है। सारांश यह है कि मितव्ययिता के दृष्टिकोण से ऐसी कर-प्रणाली अधिक अच्छी है, जिसमें करों की सख्या सीमित हो।

(II) कर-प्रणाली की सरलता—

यदि कर-प्रणाली जटिल है और यदि आय की विस्तृत सूची बनाने के लिए नियमों

के विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है अथवा लेखों की सत्यता सिद्ध करने के लिए बहुत से पत्रों को भेजना पड़ता है, तो इसके करदाताओं को केवल परेशानी ही नहीं होती बल्कि उनको विशेषज्ञों की सम्मति प्राप्त करने तथा कर-अधिकारियों के सामने अपने दृष्टिकोण रखने पर भी बहुत व्यय करना पड़ता है। ऐसी दशा में एकत्रित करने का व्यय परोक्ष रूप में बढ़ जाता है। अतः यह आवश्यक है कि कर-प्रणाली इतनी सरल तथा स्पष्ट हो कि करदाता बिना किसी विशेष परेशानी तथा व्यय के अपने दायित्व का भुगतान कर सके।

(III) रोजगार—

बहुत लोगों का विश्वास है कि करारोपण अथवा ही बेकारी को बढ़ाता है अथवा रोजगार में कमी करता है। उनका तर्क है कि यदि कर न दिये गये होते, तो उस धन की बचत होती जो जनता कर के रूप में देती है और इस बचत को या तो वर्तमान उद्योगों तथा व्यवसायों में लगाया जाता या इसमें नये उपक्रम खोले जाते। दोनों ही दशाओं में लोगों को अधिक रोजगार मिलता।

किन्तु उपर्युक्त धारणा सही नहीं है। निस्सन्देह ऐसे करों के फलस्वरूप, जिनकी मात्रा बहुत अधिक होनी है अथवा जो आक्रामक होते हैं, कभी कभी बेकारी बढ़ जाती है, क्योंकि इससे अक्सर भारी सत्या में अमिच्छा का रोजगार छूटने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है। किन्तु इस सम्बन्ध में निम्न बातें उल्लेखनीय हैं :—

(१) राज्य भी अपने प्राप्त आय को खर्च करता है और जो प्रय-शक्ति कर के रूप में लोगों से ले ली जाती है वह राजकीय व्यय के रूप में फिर लोगों को लौटा दी जाती है और इसके फलस्वरूप रोजगार में उसी प्रकार वृद्धि होनी है जैसी कि उम दशा में जबकि यह प्रय-शक्ति व्यक्तिगत हाथों में बनी रहती।

(२) सम्भव है कि व्यक्तिगत व्यवसायी बचत तो करते, परन्तु इस बचत का आस-पहन (Hoarding) करके रोजगार में कमी कर देते।

(३) व्यक्तिगत व्यवसायी ऐसे उद्योगों में भी रूपा नहीं लगाते जो कम लाभ देते हैं या जिनमें जोखिम अधिक है या जो बहुत लम्बी अवधि के बाद फलदायक होते हैं या जिनमें इतनी अधिक पूँजी की आवश्यकता हो कि व्यक्तिगत साहस उसे उपलब्ध न कर सके। राज्य ऐसे उपक्रमों की स्थापना करके नये और बिरतून रोजगार के मार्ग खोल सकता है।

उत्तम कर-प्रणाली वह है जिसमें विभिन्न प्रभावों का सन्तुलन हो जाय

यदि हम किसी कर-प्रणाली के विषय में यह निर्णय देना है कि वह अच्छी है या बुरी अथवा दो कर-प्रणालियों की तुलना करनी है, तो हमें उपरोक्त प्रभावों के बीच 'सन्तुलन' करना होता है और अधिकतम सामाजिक लाभ अथवा गूनातम सामूहिक त्याग की दृष्टि से पड़ता है। साथ ही, यह कहना भी असंभव न होना कि राज्य की मार्ग विभिन्न करदाताओं के प्रति यथामुम्भव न्यायपूर्ण होनी चाहिए। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त के अनुसार कर-प्रणाली मितव्ययी भी होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा देखने में आता है कि न्यायशीलता तथा मितव्ययिता दोनों एक ही साथ प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। ऐसी दशा में हम इतना ही कह सकते हैं कि यदि लम्बे काल तक दोनों को साथ-साथ न चलाया जा सके और इस बात की आवश्यकता पड़े कि दोनों में से किसी एक को चुना जाय तो उस दशा में मितव्ययिता को न्याय-शीलता की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। किन्तु इसका यह अर्थ लगाया भूल होना कि न्यायशीलता आवश्यक नहीं है। तात्पर्य केवल इतना है कि दोनों के बीच विरोध की दशा में मितव्ययिता को न्यायशीलता से ऊँचा स्थान मिलना चाहिए।

मृत्यु-कर (Death Duties)

प्रारम्भिक—

सरल शब्दी में, मृत्यु-कर वह है जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् उसकी छोड़ी हुई सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर लगाया जाता है। इस प्रकार, यह कर मरने वाले के उत्तराधिकारियों से वसूल किया जाता है। वर्तमान युग में मृत्यु-कर में एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है।

मृत्यु-कर के दो भेद (Two Types of Death Duties)

इस कर के बहुधा निम्न दो रूप होते हैं और व्यावहारिक जीवन में इन दोनों रूपों का अलग-अलग प्रभाव पड़ता है :—(अ) भू-सम्पत्ति कर (Estate Duty) के रूप में, जिस दशा में दान पर ध्यान नहीं दिया जाता कि मृत व्यक्ति का उत्तराधिकारी कौन है, उसका मृत व्यक्ति से क्या सम्बन्ध है और उसकी वरदान सम्बन्धी स्थिति किम प्रकार है। यह कर मृत व्यक्ति द्वारा छोड़ी हुई कुल सम्पत्ति, चाहे वह चल हो या अचल, पर उत्तराधिकारियों में बाँटने से पहले ही, वसूल कर लिया जाता है। (ब) रिक्थ-कर (Inheritance Tax) के रूप में, जिस दशा में कर जब मृत व्यक्ति की कुल सम्पत्ति उसके उत्तराधिकारियों में बँट जाती है तो उत्तराधिकारियों से वसूल किया जाता है।

भू-सम्पत्ति-कर बनाम रिक्थ-कर—

इस प्रकार, भू-सम्पत्ति कर मृत व्यक्ति की सम्पत्ति पर एक साथ लगाया जाता है, परन्तु रिक्थ-कर विभिन्न उत्तराधिकारियों को प्राप्त होने वाले हिस्सों पर अलग-अलग लगाया जाता है। इंग्लैण्ड में ये दोनों ही प्रकार के मृत्यु-कर एक ही साथ लगाये जाते हैं। जर्मनी में उत्तराधिकारियों पर कर लगाने समय उसी निजी सम्पत्ति को भी ध्यान में रखा जाता है। भारत में मृत्यु-कर भू-सम्पत्ति कर के रूप में लगाया गया है।

शासन के दृष्टिकोण से भू-सम्पत्ति कर रिक्थ-कर की अपेक्षा अधिक सरल तथा मितव्ययितापूर्ण होता है। यह बहुधा अधिक उत्पादक भी होता है क्योंकि इस कर में हिस्सों का मूल्य निर्धारण करने तथा उत्तराधिकारियों के सम्बन्ध में अन्वेषणों की गोज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और कर की दरें भी सुगमता से निश्चय की जा सकती हैं। इसके विपरीत, रिक्थ-करों में वरदानों की वरदान-क्षमता को भारी महत्व दिया जाता है, जिसका निर्धारण एक जटिल समस्या है। परन्तु अर्थशास्त्रियों का विचार है कि रिक्थ-कर भू-सम्पत्ति कर पर एक सुधार है, क्योंकि यह व्यापकतया के दृष्टिकोण से अधिक अच्छा होता है और उसका भार प्रत्येक व्यक्ति पर उसकी वरदान-क्षमता के अनुसार पड़ता है।

मृत्यु-कर के पक्ष में तर्क

मृत्यु-करों के पक्ष में प्रायः निम्न तर्क रखे जाते हैं :—

(१) रिक्थ सम्पत्ति अनुत्पादित आय है—उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति से उत्पन्न होने वाली आय उत्तराधिकारी के दृष्टिकोण से 'अनुत्पादित आय' है। क्योंकि उत्तराधिकारी ने समाज के प्रति अथवा मृत व्यक्ति के प्रति उस सम्पत्ति के निमित्त कुछ भी सेवा प्रस्तुत नहीं की है। अतः मृत्यु-कर को उचित कहा जा सकता है। वह उत्तराधिकारी के लिए कुछ भी कष्ट उपस्थित नहीं करता।

(२) आय का पुनर्वितरण—पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था का एक भारी दोष यह है कि उसमें आय का विभिन्न व्यक्तियों और वर्गों के बीच बड़ा असमान वितरण होता है। इस असमानता का एक बड़ा कारण पूँजीवादी देशों की रिक्थ-प्रथा ही है। जो लोग साम्यवादी अथवा समाजवादी विचारधारा के पक्ष में हैं वे तो समाज की इस त्रुटि को दूर करने के लिए व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा रिक्थ-प्रणाली को भङ्ग कर देने का सुभाव रखते हैं। परन्तु, जो लोग पूँजीवादी संस्था में सुधार करने के पक्ष में हैं वे मृत्यु-करों को इस प्रकार के सुधार का एक महत्त्वपूर्ण साधन समझते हैं। सचित व्यक्तिगत सम्पत्ति का एक भाग इन करों के द्वारा सरकार प्राप्त कर लेनी है और प्राप्त धन का उपयोग समाज के निर्धन वर्गों को लाभ पहुँचाने में करती है।

(३) पूँजीवाद में व्यापार-चक्र पर रोक—पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था का भारी दोष यह है कि इस व्यवस्था में व्यापार-चक्र जागू होते हैं। व्यापार-चक्रों का प्रमुख कारण यह है कि धन के वितरण की असमानता के कारण गरीब वर्गों के उपभोग में कमी आ जाती है। अतः धन के वितरण की असमानता जितनी ही कम होगी व्यापार-चक्र द्वारा उत्पन्न पीड़ा भी उतनी ही कम होगी और मृत्यु-कर इस प्रकार की असमानता काफी अंश तक कम कर सकते हैं, अर्थात् उन्हें एक बड़े अंश तक प्रगामी रखा जाय।

(४) अर्द्ध कर—मृत्यु-कर लगाना तथा उनकी दरें निश्चित करना सरल होता है और एक बार लग जाने के पश्चात् उनका अपबचन भी नहीं है। ऐसे नए नए प्रतिभूतियों तथा वेतनों से प्राप्त आय पर भी, जो साधारणतया कर-मुक्त हैं, लगाये जा सकते हैं। मही नहीं, वह सम्पत्ति अथवा आय भी कर से नहीं बच सकती, जिसे मृत व्यक्ति ने छिपा कर रखा था।

मृत्यु-कर के विरोध में तर्क

मृत्यु-कर के विरुद्ध प्रमुख तर्क निम्न प्रकार हैं :—

(१) वे कर देश में पूँजी के संचय को हतोत्साहित करते हैं। परिणाम यह होता है कि आगे चल कर देश की उत्पादन-शक्ति कम हो जाती है और उसके आर्थिक विकास तथा सम्पन्नता के वेग में क्षिप्रता आ जाती है। एरु ग्रालोविक ने यहाँ तक कहा है—“हम अपने बीज के अनाज को बेच रहे हैं और जब बोने का मौसम आया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा।”¹ [इस सम्बन्ध में यह कह देना असंगत न होगा कि जहाँ तक मृत व्यक्ति का सम्बन्ध है, उसकी सम्पत्ति पर लगाये गये करों का उसकी इच्छा-शक्ति पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, जो आय उत्तराधिकारियों को मृत्यु-कर के न होने की दशा में मिलती उसमें कमी अवश्य आ जाती है। किन्तु यह निरर्थक कठिन है कि ऐसी कमी का उसकी इच्छा-शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा।]

(२) मृत्यु-कर पूँजी को समाप्त कर देते हैं। यह तर्क विशेष रूप से बड़े-बड़े उद्योग-पतियों की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। मृत्यु-कर देने के पश्चात् उद्योग में लगाई हुई पूँजी

¹ Henry Higgs : *Death Duties or Life Duties*, Quarterly Review, Vol. CCLV, 1920, p. 108.

में कमी आ जाती है। [इसके विरुद्ध हम यह कह सकते हैं कि कर के फलस्वरूप सरकार को जो शायद प्राप्त होती है उसे वह पूँजी के रूप में उपयोग कर सकती है। इङ्गलैंड के अनुभव से तो यही सिद्ध होता है कि इन करों में पूँजी के निर्माण में बाधा नहीं डाली है।]

(३) मृत्यु-कर स्वयं अपने आधार को समाप्त कर देते हैं। कहा जाता है कि मृत्यु-करों की उत्पादकता विशालकाय सम्पत्तियों पर निर्भर होती है, जबकि ये कर स्वयं बड़ी सम्पत्ति को नष्ट कर देते हैं। [परन्तु अनुभव बताता है कि ज़िंटेन में, जहाँ ये कर बड़े लम्बे काल से लगते चले आ रहे हैं, ऐसा कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है।]

(४) मृत्यु-कर बड़ी बड़ी उत्पादन इकाइयों को तोड़ देते हैं। उनके द्वारा पूँजी की मात्रा में तो कमी आती ही है। साथ ही, उत्तराधिकारी उत्पादन-व्यवस्था के आधार को कम करने के लिए भी बाध्य हो जाते हैं। [अनुभव इस तर्क की भी पुष्टि नहीं करता।]

(५) मृत्यु-कर परोपकार को हतोत्साहित करते हैं। [इसमें सन्देह नहीं कि व्यक्तिगत परोपकार पूँजीवाद के अन्तर्गत एक मानपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करता है, परन्तु देखा यह है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति का कौन-सा भाग परोपकार पर व्यय किया जाता है। बँभे भी हज़ार प्रकार के परोपकार को हर दशा में उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत बार वह सामाजिक वर्गों की आर्थिक तथा राजनैतिक स्वतन्त्रता को समाप्त करके निहित हित (Vested interest) उत्पन्न कर देता है।]

मृत्यु-करों के प्रभाव

हम मृत्यु-करों के प्रभाव का निम्न चार शीर्षकों में अध्ययन करते हैं :—

(१) वचन पर प्रभाव—बहुधा ऐसा कहा जा सकता है कि मृत्यु-कर व्यय-प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देकर वचन को कम कर देते हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में निम्न बातें ध्यान देने योग्य हैं :—(i) लगभग सभी देशों में एक ग्यूनतम सीमा तक सम्पत्ति को कर-मुक्त रखा जाता है। उसके पश्चात् नीची दरों पर कर लगाया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि प्रथम तो निम्न वर्गों तथा मध्यम वर्गों की दबन-शक्ति पर कर का प्रभाव पड़ता ही नहीं और यदि पड़ता है तो बहुत कम। (ii) अधिकांश वचन धनी वर्गों द्वारा की जाती है और मृत्यु-कर इस वर्ग की वचन शक्ति को निःसन्देह कम कर देता है। (iii) मृत्यु-कर पूँजी में से चुनाया जाता है और इस प्रकार यह पूँजी को कम कर देता है। परन्तु, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सरकार भी कर से प्राप्त आय को पूँजी के रूप में उपयोग कर सकती है और फिर इस बात की कोई गारण्टी नहीं है कि उत्तराधिकारी प्राप्त सम्पत्ति का पूँजी के ही रूप में उपयोग करेंगे।

(२) बचाने की इच्छा पर प्रभाव—कहा जाता है कि मृत्यु-कर का वचन करने वाले की मनोवृत्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इस कारण उसकी वचन करने की इच्छा में कमी हो जाती है। यदि हम ध्यानपूर्वक देखें, तो पता चलता है कि धार-कर या मृत्यु-कर की अपेक्षा वचन करने की इच्छा पर अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। कारण, धार-कर तुरन्त देना पड़ता है, जबकि मृत्यु-कर दूर भविष्य में और वह भी स्वयं सम्पत्ति उपार्जन करने वाले से द्वारा नहीं। बचाने वाला अपने जीवन-काल में सम्पत्ति का अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है, इसलिए उनकी बचाने की इच्छा पर भारी प्रभाव नहीं पड़ता। कर तो बचाने वाले के उत्तराधिकारी चुनाते हैं, इसलिए उनका बचाने वाले की इच्छा पर बुरा प्रभाव पड़ना आवश्यक नहीं है।

साथ ही, इस बात की सम्भावना है कि मृत्यु-कर देने की आकांक्षा में व्यक्ति विशेष पहले से अधिक परिश्रम करने के लिए उत्साहित हो और उत्तराधिकारी भी अधिक लग्न्यता के साथ वचन करे। दोनों ही दशाओं में वचन की इच्छा उत्साहित ही होगी। इस सम्बन्ध में हमें

यह भी जानना चाहिए कि रिक्त सम्पत्ति बहुत बार अप्रत्याशित (Windfall) आय के रूप में मिलती है। जब तक यह नहीं मिल जाती है, उत्तराधिकारी उसके विषय में निश्चित नहीं रहता और इस कारण यह समझ लेना भूल होगी कि उसकी आशा में वह पहले से ही काम छोड़ देगा और हाथ पर हाथ रख कर बैठ जायगा।

(३) उत्पादकता पर प्रभाव—जो बात वचन के सम्बन्ध में कही गई है वह यहाँ भी लागू होती है। इंग्लैंड आदि देशों का अनुभव है कि इस कर के होते हुए भी उत्पादकता निरन्तर बढ़ती ही गई है और देश का आर्थिक विकास आगे बढ़ा है। साधारणतया आय की कमी का उत्पादकता पर बुरा प्रभाव पड़ता है, परन्तु मृत्यु-कर उत्तराधिकारी को पहले से प्राप्त होने वाली आय में कोई कमी नहीं करता है।

(४) उत्पादन की इच्छा पर प्रभाव—मृत्यु-करों का उत्पादन की इच्छा पर भी कोई बुरा प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर नहीं होता। बात यह है कि मृत्यु-कर उस अतिरिक्त आय में से दिया जाता है जो उत्तराधिकारियों को अवस्थात् मिल गई है।

भारतीय भू-सम्पत्ति कर एक्ट (Indian Estate Duties Act)

एक्ट की प्रमुख बातें—

भारत में यह एक्ट १५ अक्टूबर सन् १९५३ से लागू किया गया और इसे भू-सम्पत्ति एक्ट सन् १९५३ (Estate Duties Act, 1953) का नाम दिया गया। एक्ट की प्रमुख व्यवस्थाएँ निम्न प्रकार हैं :—

(१) भू-सम्पत्ति कर मृत व्यक्ति द्वारा छोड़ी हुई कुल सम्पत्ति की मूल कीमत पर लगाया जायगा। मृत व्यक्ति की सम्पत्ति में चल और अचल, हफ्त और अट्टपक, आदेय और अधिकार सभी प्रकार की सम्पत्ति को सम्मिलित किया गया है।

(२) कर सम्पत्ति की शुद्ध कीमत पर लगाया जायगा। मृत व्यक्ति के कुछ प्रकार के ऋणों, दायित्वों तथा दाह-सस्कार सम्बन्धी खर्चों की सम्पत्ति की कीमत से निकाल दिया जाता है। सम्पत्ति का मूल्य आकस्मिक समय बाजार-भाव पर ही कीमते निर्धारित की जायेगी।

(३) यह कर उन सभी व्यक्तियों द्वारा छोड़ी हुई सम्पत्ति पर लगाया जाता है, जिनकी मृत्यु १५ अक्टूबर सन् १९५३ के पश्चात् होती है। ऐसे व्यक्तियों में पुरुष, स्त्री, नाबालिग, वयस्क और पागलों को भी सम्मिलित किया गया है। इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि यह कर केवल मनुष्य द्वारा छोड़ी हुई सम्पत्ति पर लगाया जाता है, कम्पनी, फर्म अथवा प्रमण्डल द्वारा छोड़ी हुई सम्पत्ति पर नहीं। सम्मिलित परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु पर केवल उस सदस्य के हिस्से की सम्पत्ति पर कर लगाया जायगा। एक्ट में इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि मृत व्यक्ति की सम्पत्ति का कितने उत्तराधिकारियों में विभाजन होता है।

(४) कर के चुकाने का उत्तरदायित्व मृत व्यक्ति के सभी उत्तराधिकारियों पर है।

(५) छूट के लिये कुछ न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई है एवं कर की दरें प्रगामी हैं अर्थात्, आय की वृद्धि के साथ कर ऊँचे प्रतिशत से लगाया जाता है।

(६) एक्ट में 'सम्पत्ति' शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थ में ही किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मृत व्यक्ति की छोटी हुई सारी सम्पत्ति को 'सम्पत्ति' के क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है।

(७) सम्पत्ति की शुद्ध कीमत निर्वाचने के लिए मृत व्यक्ति की सम्पत्ति में से कुछ प्रकार के खर्चों को निकाल दिया जाता है, परन्तु इस प्रकार के खर्चों की अधिकतम सीमाएँ निश्चिन कर दी गई हैं।

(८) कुछ राशियों में स्थित कृषि-भूमि कर से विमुक्त होगी, परन्तु वरारोपण के उद्देश्य से ऐसी सम्पत्ति को भी कुल सम्पत्ति में सम्मिलित कर लिया जाता है ।

(९) निम्न प्रकार की सम्पत्ति को कर से पूर्णतया विमुक्त किया गया है —(i) वह समस्त अचल पूँजी जो विदेशी अथवा जम्पू प्रौर वाश्मोर राज्य में स्थित है । (ii) सभी प्रकार की ऐसी चल पूँजी जो विदेशों में लगाई गई है । (iii) वह सम्पत्ति जिस पर मृत व्यक्तिका प्रवि-वार केवल ट्रस्टी (Trustee) के रूप में था । (iv) ऐसी पुस्तकें जिन्हें मृत व्यक्ति ने देवने के उद्देश्य से संग्रह नहीं किया था । (v) घरेलू मामल तथा औजार, एन अधिनतम कीमल तक । (vi) पहनने के लपडे और उनसे सम्बन्धित गहने और हौरें । (vii) निध, हस्तलिपि तथा ग्रन्थ प्रकार के व्यक्तिगत लघु । (viii) कोई भी ऐसा लघु जो शोक के उद्देश्य में किया गया है । (ix) ऐसी सम्पत्ति जिस पर तीन महीने के भीतर पहले ही मृत्यु-कर दिया जा चुका है, परन्तु दूसरी मृत्यु के कारण फिर कर याजिब हो जाता है । (x) वह सम्पत्ति जिस पर हिन्दू विधवा वा सीमित अधिनार है । (xi) निश्चिन राशि तक समस्त दान तथा उपहार जो मृत-व्यक्ति द्वारा दिये गये हैं । (xii) ऐसी सम्पत्ति जिस पर उपहार कर (Gift Tax) के अन्तगत पहले ही कर दिया जा चुका है ।

एषट पर आलोचनात्मक दृष्टि—

भारत का भू-सम्पत्ति का विधान ब्रिटिश नियमों के आधार पर बनाया गया है । अनुभव द्वारा ब्रिटिश सरकार ने समय-समय पर अपने नियमों में बराबर संशोधन किये हैं, जिसका फल यह हुआ कि ब्रिटेन का वर्तमान विधान बहुत जटिल एव पेचीदा है । भारत सरकार ने भी ब्रिटिश सरकार के अनुभव से लाभ उठाने के लिए एषट में अपवचन के बिन्दु समुचित व्यवस्थाये की है और इस कारण भारतीय भू-सम्पत्ति कर एषट में भी काफी जटिलता आ गई है । एषट को न तो भावा ही सरल है और न उसकी व्यवस्थाओं को साधारण व्यक्ति सरलतापूर्वक समझ ही सकता है । शायद इनकी जटिलता की आवश्यकता न थी । ब्रिटिश नियमों का अनुसरण करके हमने एषट में अनेक अनावश्यक वस्तुएँ सम्मिलित कर ली हैं ।

बहुत-सी व्यवस्थाएँ तो ऐसी हैं कि उनका बेश के व्यावहारिक जीवन में लगभग कुछ भी महत्व नहीं है । इन व्यवस्थाओं में की गई व्यवस्थाओं को देखने से तो बसल यही गता चचना है कि भविष्य में मुक्त-समाजों को रोकने के विषय में भारत सरकार आवश्यकता से अधिक सावधान रही है ।

एषट में कोई आधारभूत दोष दृष्टिगोचर नहीं होता । इसमें निम्न अन्वयादयाँ हैं — (i) छुट की सीमा काफी ऊँची रखी गई है और बचत के प्रोत्साहन के लिए भी समुचित व्यवस्था की गई है । (ii) कम आय वर्ग पर इस कर का लगभग कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा । (iii) अमिको पर तथा प्रगामी दर पर कर लगाकर व्यापकीकता के सिद्धान्त की सन्तुष्टि की गई है । (iv) दूसरे देशों के अनुभव से ऐसा प्रतीत होता है कि यह कर पूँजी के निर्माण पर भी कोई बुरा प्रभाव नहीं डालेगा । बेशे भी सरकार ने यह नियम किया है कि इस कर से प्राप्त राशि का उपयोग पूँजी के रूप में किया जायगा । (v) कर अयवन्त के बिन्दु समुचित व्यवस्थाये की गई है और (vi) कर के एकत्रित करने पर भी व्यय बहुत नहीं होगा ।

व्यावहारिक जीवन में कर के प्रमासन में कुछ न कुछ कठिनाइयाँ अवश्य रहेंगी । सबसे बड़ी कठिनाई सम्पत्ति के मूल्य-निर्धारण में सम्बन्ध में है ।

परीक्षा प्रश्न :

1. भारत में मृत्यु-करों के गुण-दोषों का निवेदन करिये । भारत में जापदाद-कर किस सीमा तक एक अच्छा मृत्यु-कर कहा जा सकता है ?

लोक ऋण

(Public Debt)

प्रारम्भिक—लोक ऋण का अर्थ

राज्य द्वारा धन प्राप्त करने की रीतियों में ऋण प्राप्त करना भी एक उपाय है। उधार लेना कभी-कभी "असाधारण अर्थ-प्रबंध" (Extra-ordinary Finance) कहा जाता है। यह आन-साधन अन्य साधनों से कुछ भिन्न होता है। लोक ऋण पर बहुत काल तक व्याज दिया जाता है और मूलधन को लौटाने के लिए शोधन-व्यवस्था करना पड़ती है। अतः राजस्व के विद्वानों का मत है कि साधारण परिस्थितियों में सरकार को अपने व्ययों की पूर्ति साधारण धागम के साधनों द्वारा ही करनी चाहिये।

लोक ऋण का महत्त्व

(१) व्यवहार में सरकारें साधारण तथा असाधारण दोनों ही परिस्थितियों के लिए ऋण लेती हैं। आर्थिक नियोजन हेतु ऋणों का लेना सभी सरकारें उचित समझती हैं।

(२) करारोपण की सीमा होती है, जिसके परे उसे ले जाने से जन-विश्वास खो देने का भारी भय रहता है। एक विदेशी सरकार तो इस विषय में और भी सतर्क रहती है। ऐसी दशा में लोक ऋण आवश्यक होते हैं।

(३) सरकार के व्यय की बहुत-सी मदें ऐसी होती हैं जिनका लाभ वर्तमान पीढ़ियों की अपेक्षा आगे की पीढ़ियों को ही अधिक होता है। जबकि करारोपण का समस्त भार वर्तमान पीढ़ी पर पड़ता है, लोक ऋणों के भार का कुछ अंश भावी पीढ़ियों पर भी डाला जा सकता है, क्योंकि ऋणों का शोधन भावी लोक धागम से किया जाता है।

(४) यह सम्भव है कि ऋणों से प्राप्त रकम को उत्पादन कार्यों में लगाकर शोधन हेतु पर्याप्त धन प्राप्त की जा सके। ऐसी दशा में ऋण स्वयं अपने शोधन की व्यवस्था कर देगा है।

(५) जब किसी ऐसे उद्देश्य के लिये धन की आवश्यकता हो जिससे किसी विशेष सामाजिक वर्ग को ही लाभ पहुँचे, तो करारोपण की अपेक्षा लोक ऋण के द्वारा धन प्राप्त करना ही अधिक अर्थात्, विशेषकर यदि व्यय उत्पादक है और लाभ पाने वाले इसका बदला दे सकते हैं।

(६) प्राकृतिक आपत्तियों के संकट को दूर करने अथवा उनकी भावी सम्भावना को रोकने के लिए भी ऋण लेना उपयुक्त हो सकता है।

(७) वर्तमान जगत में समाजवादी विचारधारा का जोर है, जिसके अन्तर्गत देश में बेकार पड़े हुए आर्थिक साधनों का शोधन, उद्योग-धन्धों के राष्ट्रीयकरण अथवा सरकारी उपक्रम के अन्तर्गत नये उद्योगों का निर्माण करने के लिए लोक ऋणों की वाछनीयता स्वीकार की जाती है।

व्यक्तिगत ऋण और लोक ऋण

जिस प्रकार राजकीय धर्म-प्रबन्ध तथा व्यक्तिगत धर्म-प्रबन्ध में भारी अन्तर है, ठीक उसी प्रकार लोक-ऋण तथा व्यक्तिगत ऋण में भी भेद होता है। प्रमुख भेद निम्न प्रकार हैं :—

(१) माध्यता—सरकार एक ऐसी ऋणी होती है जो ऋण-दाताओं को ऋण देने के लिए बाध्य भी कर सकती है, परन्तु व्यक्तिगत ऋणी के लिये ऐसा करना सम्भव नहीं होता।

(२) समय-सीमा—सरकार सदा जीवित रहने वाली ऋणी होती है, इसलिये वह स्थायी ऋण ले सकती है और ऋण को चुकाने का स्थायी सोदा कर सकती है। सरकारी ऋणी पर समय-सीमा लगाना आवश्यक नहीं है। किन्तु व्यक्तिगत ऋणी का जीवन स्थायी नहीं होता, जिस कारण व्यक्तिगत ऋणी पर साधारणतया ३ से लेकर १२ साल तक की समय-सीमा लागू होती है।

(३) क्षेत्र—लोक ऋण देश के भीतर से भी लिये जा सकते हैं और विदेशों से भी। परन्तु व्यक्तिगत ऋण साधारणतया देश के भीतर से ही लिये जाते हैं, क्योंकि सरकार की सुलना में व्यक्तियों की साख विदेशों में बहुत कम होती है।

(४) वैयक्तिक ऋण—सरकार बाहरी व्यक्तियों से ऋण लेने के प्रतिरिक्त स्वयं अपने धाप से अपने प्रतिज्ञा-पत्र (I. O. U's) निकाल कर भी ऋण ले सकती है। एक व्यक्ति स्वयं अपने धापसे ऋण नहीं ले सकता, क्योंकि वह सरकार की भाँति नोट नहीं धाप सकता है।

(५) उपयोग—लोक ऋणों का उपयोग जन-साधारण (जिसमें ऋणदाता भी सम्मिलित होते हैं) के लाभार्थ किया जाता है, परन्तु कोई भी व्यक्तिगत ऋणी ऋण-राशि का उपयोग ऋणदाता के लाभार्थ नहीं करता है।

(६) शोधन—लोक ऋण के शोधन के लिए करारोपण का उपाय किया जाता है और इस प्रकार ऋणदाता को भी करदाता के रूप में ऋण का एक भाग चुकाना पड़ता है। किन्तु व्यक्तिगत ऋण में ऐसा नहीं होता।

(७) शर्तें—सरकार की साख अधिक होने के कारण लोक ऋणों के व्याज की दरे और शोधन सम्बन्धी शर्तें व्यक्तिगत ऋणों की अपेक्षा अधिक सरल होती हैं।

(८) मात्रा एवं प्रतिभूति—व्यक्तिगत ऋण छोटी मात्रा में होता है और ऋणी कोई पक्की प्रतिभूति देता है। लोक ऋणों के सम्बन्ध में ऐसी बात नहीं है। वह विशाल राशियों में होते हैं तथा उनकी प्रतिभूति प्रायः सरकार का वचन मात्र होती है।

(९) उद्देश्य—अधिकतर लोक ऋण उत्पादक कार्यों के लिये ही लिये जाते हैं, किन्तु व्यक्तिगत ऋण उत्पादक और अनुत्पादक दोनों ही उद्देश्यों के लिए।

लोक ऋण तथा करारोपण में भेद

लोक ऋण और करारोपण में कई मौलिक भेद हैं, जो निम्न प्रकार हैं :—

(१) दायित्व—लोक ऋणों के सम्बन्ध में सरकार का यह दायित्व होता है कि भविष्य में मूलधन और व्याज का भुगतान करे, परन्तु करो के सम्बन्ध में ऐसा दायित्व नहीं होता।

(२) उद्देश्य—लोक ऋण साधारणतया प्रसाधारण धर्म-प्रबन्ध से सम्बन्धित होते हैं, परन्तु करो द्वारा सरकार अपने दिन-प्रतिदिन के व्यय के लिये धन प्राप्त करती है।

(३) नियमितता—कर सरकारी धाप का नियमित साधन है, परन्तु ऋण अनियमित साधन।

(४) भार—लोक ऋणों द्वारा भावी पीढ़ियों को जो लाभ पहुँचाया जाता है उसका बदला भावी पीढ़ियों से भी वसूल किया जा सकता है। करारोपण में यह बात नहीं होती, क्योंकि उसका भार केवल वर्तमान पीढ़ियों पर ही पड़ता है।

लोक ऋण का वर्गीकरण

लोक ऋणों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जाता है :—

(I) अवधि के अनुसार वर्गीकरण—ये ऋण दो प्रकार के होते हैं :—(१) दीर्घ-कालीन ऋण (Funded Debts) जिनका भुगतान या तो सरकार करती नहीं है और यदि करती भी है तो बहुत समय के बाद। ऐसे ऋण अधिकतर अकाल या अन्य इसी प्रकार की सामाजिक प्राप्तियों का सामना करने के हेतु लिए जाते हैं। (२) अल्पकालीन ऋण (Unfunded Debts), जो बहुत छोटे समय हेतु लिए जाते हैं और सरकार इनका भुगतान वर्ष के अन्तर ही कर देती है। इन ऋणों पर सरकार की ग्याति बहुत हद तक निर्भर रहती है।

(II) उत्पात्ति के अनुसार वर्गीकरण—ये ऋण दो प्रकार के होते हैं :—(१) उत्पादक ऋण (Productive Debts)—जब सरकार कोई ऋण किसी उद्योग की उत्पत्ति के लिए या किसी योजना में लगाने के लिए लेती है तो ऐसे ऋण को उत्पादक ऋण कहा जाता है। (२) अनुत्पादक ऋण (Unproductive Debts)—वे ऋण, जिन्हें सरकार युद्ध में व्यय करने या अन्य अनुत्पादक कार्यों को सम्पन्न करने हेतु लेती है, अनुत्पादक ऋण कहे जाते हैं। [यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो सरकार द्वारा लिया हुआ कोई ऋण अनुत्पादक नहीं होता, क्योंकि युद्ध-व्यय भी एक आवश्यक व्यय है, जिसके द्वारा देश के उत्पादन के माधनों को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। सरकार का प्रत्येक व्यय देश के लिए प्रत्यक्ष व परोक्ष किसी भी रूप में हितकर ही होता है।]

(III) स्थान के अनुसार वर्गीकरण—ये ऋण दो प्रकार के होते हैं :—(१) आन्तरिक ऋण (Internal Debts)—जब सरकार अपने ही देशवासियों से कोई ऋण लेती है तो इस ऋण को आन्तरिक ऋण कहा जाता है। (२) बाह्य ऋण (External Debts)—जब एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार से या दूसरे देश के निवासियों से ऋण लेती है तो ऐसे ऋण को बाह्य ऋण कहते हैं।

(IV) सम्पत्ति के अनुसार वर्गीकरण—ये ऋण दो प्रकार के होते हैं :—(१) ऐसे ऋण जिनके भुगतान के लिए सरकार एक निश्चिन सम्पत्ति रख लेती है, और इसके व्याज से ऋण का भुगतान करने का विचार होता है। (२) ऐसे ऋण जिनके भुगतान के लिए सरकार अलग से कोई प्रवन्ध नहीं करती है और न कोई सम्पत्ति ही रखी जाती है। ऐसे ऋणों का भुगतान प्रायः सरकार अपनी कर-आप में से देती है।

(V) भुगतान के अनुसार वर्गीकरण—इस वर्गीकरण के अनुसार ऋण निम्न दो प्रकार के हो सकते हैं :—(१) भुगतान वाले ऋण (Redeemable Debts)—इन ऋणों का भुगतान सरकार अवश्य करती है और ऐसा करने के लिए उचित प्रवन्ध भी करती है। (२) भुगतान करने वाले ऋण (Irredeemable Debts)—इन ऋणों का भुगतान करना या न करना सरकार की इच्छा पर ही निर्भर है। परन्तु वह इनका व्याज धरावर देती रहती है।

(VI) लोक स्वीकृति के अनुसार वर्गीकरण—ये ऋण भी दो प्रकार के होते हैं :—(१) अपनी इच्छा से दिया हुआ ऋण (Voluntary Debts)—जब सरकार को ऋण प्रजा स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी इच्छा से देती है तो ऐसे ऋण को 'इच्छा से दिया हुआ ऋण' कहते हैं। (२) अनिवार्य ऋण (Compulsory Debts)—जो ऋण सरकार जनता से जोर या दबाव डालकर लेती है उन्हें 'अनिवार्य ऋण' कहा जाता है। आजकल जनतन्त्रवाद का समय है, अतः इस प्रकार ऋण प्रायः नहीं लिये जाते हैं।

लोक ऋण के प्रभाव (Effects of Public Debts)

किसी भी ऋण का प्रभाव उसके स्वभाव पर निर्भर होता है और इस प्रकार है :—

(१) उत्पादक एवं धनुरपादक श्रद्धों के प्रभाव—(अ) उत्पादक श्रद्धा के प्रभाव दोनों ही दिशाओं में होते हैं—एक ओर तो वह उत्पादकता में वृद्धि कर सत्वता है अथवा वितरण में सुधार कर सत्वता है, (विशेष रूप से उस समय जब श्रद्धा के धन को राज्य द्वारा व्यय किया जाय) तथा, दूसरी ओर, जब श्रद्धा का स्वाज किया जाता है, अथवा, मूलधन चुकाया जाता है, तो इसका समाज पर भार पड़ता है। (ब) रक्षा-श्रद्धा का वैसे तो भार पड़ता है, परन्तु परोक्ष रीति से वह समाज के आर्थिक जीवन की स्थिरता तथा कल्याण में वृद्धि करता है; (ग) धनुरपादक अथवा मृत-भार श्रद्धा, कुछ विशेष दशाओं को छोड़ कर, लगभग सदा ही समाज के ऊपर एक भार होता है।

(२) आन्तरिक एवं बाह्य श्रद्धों के प्रभाव—(अ) आन्तरिक श्रद्धा के प्रभाव अधिकतर बहुत धुरे नहीं होते, क्योंकि इनका द्वारा प्रय-शक्ति का व्यक्तियों से राज्य की हस्तान्तरण होता है और प्रायः प्रय-शक्ति को राज्य फिर लोक उद्देश्यों पर व्यय कर देता है। इस प्रकार प्रय-शक्ति का परोक्ष रूप में व्यक्तियों में हस्तान्तरण ही होता है। इसी प्रकार, जब ऐसे श्रद्धा को चुकाया जाता है, तो इसमें भी केवल प्रय-शक्ति का करदाताओं से श्रद्धादाताओं को हस्तान्तरण होना है और कुछ दशाओं में तो करदाता तथा श्रद्धादाता एक ही व्यक्ति होता है, इसलिए इस हस्तान्तरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। (ब) इसके विपरीत, बाह्य श्रद्धा का प्रभाव भिन्न होता है। जब श्रद्धा लिया जाता है तो श्रद्धा की रकम या वस्तुओं और सेवाओं के रूप में उनका मूल्य देश में घाना है, जो स्थायी रूप से देश की उत्पादकता अथवा सामाजिक कल्याण को बढ़ा सकते हैं। जब ये श्रद्धा चुकाये जाते हैं, तो श्रद्धा की मात्रा के बराबर साधन जनता से एकत्रित करके सदा के लिए देश से बाहर भेज दिये जाते हैं। जिस अंश तक लोगों की प्रय-शक्ति इन श्रद्धों के देने में कम होती है, उनका आर्थिक कल्याण कम होना है।

(३) कार्य करने और बचत करने की दृष्टि पर प्रभाव—यदि देश का आर्थिक विन्यास उत्पादक यन्त्रों तथा औद्योगिक ज्ञान की कमी के कारण आवश्यकतेशी से नहीं हो रहा है और इस कमी को पूरा करने के लिए विदेशों से श्रद्धा लिया जाता है तो इससे लोगों की काम करने तथा बचत करने की क्षमता तथा दृष्टि दोनों की ही वृद्धि होगी। यदि लोगों की आय-माँग मोचदार है, तो जब राज्य श्रद्धों के स्वाज अथवा मूलधन को चुकाने के लिए लोगों पर कर लगाता है, तो इससे लोगों की काम करने तथा बचत करने की शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कारण, उनकी आय की माँग पूर्णतः बेमोच नहीं है। यदि लोगों की आय-माँग बेमोच है, तो वरारोपण के पक्षरूप लोगों की काम करने तथा बचत करने की दृष्टि घटने के स्थान पर बढ़ सकती है।

(४) मृत-भार-श्रद्धा—मृत-भार-श्रद्धा लोगों पर आर्थिक भार डालते हैं, क्योंकि उनके बदले में कोई लाभ प्राप्त नहीं होना। ऐसे श्रद्धा साधारणतया विशेष परिस्थितियों में लिये जाते हैं, जैसे—युद्धकाल में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतेँ ऊँची होती हैं और श्रद्धा आर्कषित करने के लिए राज्य की अधिा व्याज देना पड़ना है, जिससे इन करों का भार और भी अधिा बढ़ जाता है। युद्ध समाप्त होने पर कीमतेँ गिर जाती हैं और साधारणतया व्याज-दर भी गिर जाती है, परन्तु युद्धकाल में लिए गये श्रद्धों पर अत्र भी पड़ते जितना ही स्वाज देना पड़ना है। इस कारण इन श्रद्धों का भार और भी अधिा प्रतीत होने लगता है।

लोक-श्रद्धाओं का शोधन

लोक-श्रद्धा की वापसी की बहुत-सी विधियाँ हैं, जिन्हे नीचे समझाया गया है :—

(१) आधिषय से भुगतान—जब सरकार के व्यय कम और उसकी आय अधिा होती है, तो जितनी आय व्यय से अधिा हो, उसे आधिषय (Surplus) कहते हैं। इसी आधिषय

की सहायता से सरकार बाजार में अपने ऋण-पत्रों को बिक्री करती है। ऋणों के भुगतान की यह विधि आजकल प्रचलित नहीं है, क्योंकि अब सरकारों के बजट प्रायः घाटे के होते हैं।

(२) सिंकिंग फण्ड की सहायता से भुगतान करने की विधि—सरकार ऋण का भुगतान करने के लिए प्रति वर्ष कुछ रकम एक कोष (Sinking Fund) में डालती रहती है। यह राशि चतुर्वृद्धि व्याज पर बढ़ायी जाती है। जब ऋण-भुगतान का समय आता है तब इसी कोष से ऋण का भुगतान कर दिया जाता है।

(३) ऋण का परिवर्तन—कभी-कभी सरकार ऐसे ऋणों को भी नहीं चुका पाती है जिन्हें चुकाना उसके लिए आवश्यक होता है। ऐसी परिस्थिति में सरकार प्रजा से नया ऋण लेती है और इस प्रकार ऋण ली हुई राशि से पहले ऋण का भुगतान कर देती है। अथवा, कभी-कभी एक ऋण के भुगतान की अवधि आने पर सरकार उम ऋण को अधिक व्याज का लालच देकर दूसरे ऋण में परिवर्तित कर देती है। जैसे—४% १०-वर्षीय बॉण्ड को भुगतान का समय आने पर ५% ५-वर्षीय बॉण्ड में बदल देना।

(४) एक विशेष कर द्वारा ऋण का भुगतान—कभी-कभी सरकार धनवान् व्यक्तियों पर एक विशेष प्रकार का कर (Special levy) केवल इसलिये लगाती है कि उससे प्राप्त हुई रकम से ऋण का भुगतान किया जाय।

(५) विश्वो द्वारा ऋणों का भुगतान—कभी-कभी सरकार अपने ऋणों को कुछ निश्चित समयान्तर से मूलधन एवं व्याज दोनों का विश्वो में भुगतान करती है। इस प्रकार का भुगतान सरकार को खलता नहीं है। इस विधि के अनुसार बड़े-बड़े ऋण सुगमता से भुगता दिए जाते हैं।

(६) नकद राशि देकर ऋण का भुगतान—कभी-कभी सरकार ऋण की अवधि पूरी होने पर ऋण की कुल रकम का एकदम नकद भुगतान कर देती है।

कभी-कभी सरकार ऋण-भुगतान का समय आने पर ऋण चुकाने से इन्कार कर देती है। किन्तु इस प्रकार ऋण के भुगतान का इन्कार करने से प्रजा में भारी असन्तोष फैलता है।

परीक्षा प्रश्न :

१. सार्वजनिक ऋण क्या हैं ? ये किस प्रकार प्राप्त किये और चुकाये जाते हैं ?
२. सार्वजनिक ऋण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। किसी देश के आर्थिक जीवन पर सार्वजनिक ऋण के प्रभावों का विवेचन करिये।
३. सार्वजनिक ऋण के विभिन्न स्वरूप क्या हैं ? विदेशों से ऋण लेने के क्या परिणाम होते हैं ?

वित्तीय शासन

(Financial Administration)

प्रारम्भिक—वित्तीय शासन का अभिप्राय और क्षेत्र

कर वसूल करना तथा वसूल हुई राशि का प्रदग्ध एवं वितरण करना 'वित्तीय शासन' के अन्तर्गत आता है। वित्तीय शासन-व्यवस्था को भली-भांति समझने के लिए निम्न कार्यों का अध्ययन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी कार्य राजस्व के हैं :—(१) बजट बनाना एवं पास करवाना, (२) कर लगाने एवं वसूल करने से सम्बन्धित प्रवन्ध, (३) वसूल की हुई राशि का प्रवन्ध, (४) व्यय सम्बन्धी प्रवन्ध, (५) लोक-कर्मियों के लेने एवं भुगतान करने से सम्बन्धित प्रवन्ध, (६) सरकार की अन्य आर्थिक समस्याओं का प्रवन्ध, (७) आय, व्यय एवं ऋणों से सम्बन्धित लेम्बो का प्रवेक्षण आदि।

वित्तीय शासन के सिद्धान्त

वित्तीय शासन के वित्तीय अध्ययन से पूर्व यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उन सामान्य नियमों का अध्ययन कर लिया जाय जिन पर समुचित वित्तीय शासन निर्भर होता है। इन नियमों को 'वित्तीय शासन का सिद्धान्त' कहा जा सकता है। ये निम्न प्रकार हैं :—

(१) सङ्गठन की एकरता का सिद्धान्त—इस सिद्धान्त का अभिप्राय यह है कि वित्तीय शासन पर केंद्रीकृत नियन्त्रण रहना चाहिए। परन्तु शासन के केंद्रीकरण का अर्थ यह नहीं होता कि प्रत्येक कार्य उच्चतम अधिकारी द्वारा किया जाय। इसका अभिप्राय केवल यह है कि विभिन्न अधिकारियों के कार्यों के बीच समन्वय (Co-ordination) रहे और प्रत्येक अधिकारी पर नियन्त्रण रहे।

(२) धारा-सभा की इच्छानुसार कार्य-संचालन का सिद्धान्त—प्रजातन्त्रीय शासन की सरलता के लिए यह आवश्यक है कि सभी वित्तीय मामलों में धारा-सभा की इच्छानुसार कार्य किया जाय। कार्यकारिणों की अपना कार्य-क्षेत्र धारा-सभा द्वारा निर्धारित धन के एकत्रण तथा उसके आवेगानुसार धन के व्यय तक ही सीमित रखना चाहिए।

(३) सरलता और नियमितता का सिद्धान्त—वित्तीय शासन में सरलता, सीधता तथा नियमितता के गुण होने चाहिए। सरलता की आवश्यकता अध्ययन को रोकने तथा जन-साधारण को वित्तीय शासन का कार्यवाहन समझाने के लिए है। किसी भी सरकारी विभाग में सीधता के महत्त्व को नहीं भुनाया जा सकता। कुशलता के लिए नियमितता आवश्यक है।

(४) सप्रभाषिक नियन्त्रण का सिद्धान्त—यह अर्थ आवश्यक है कि वित्तीय शासन की प्रत्येक प्रवृत्ति पर सप्रभाषिक नियन्त्रण रहे। इस प्रकार का नियन्त्रण कार्यकारिणों तथा धारा-सभा दोनों की ही ओर से होना चाहिए। इन सम्बन्ध में यह ध्यान देने योग्य है कि नियन्त्रण से जटिलता नहीं होनी चाहिए, अन्यथा यह अक्षुण्ण रहेगा। फ्रान्स तथा अमेरिका में नियन्त्रण से डीता होने के कारण अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होनी हैं।

बजट की परिभाषा

यद्यपि बजट शब्द का उपयोग काफी लम्बे काल से होता चला आ रहा है, परन्तु इसकी परिभाषा के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों का एक मत नहीं है। सबसे अच्छी परिभाषा बिलोह्यूबो ने दी है। उनके अनुसार—“बजट एक ही साथ एक रिपोर्ट, एक अनुमान तथा एक प्रस्ताव होता है। यह वह साधन है जिसके द्वारा वित्तीय शासन की सभी शाखाओं के बीच सम्बन्ध स्थापित किया जाता है, एक की दूसरी से तुलना की जाती है और सबके बीच समन्वय स्थापित किया जाता है।” व्यावहारिक जीवन के लिए रिचिन् हम ऐसा कह सकते हैं कि बजट लोक-धन्य और लोक-व्यय का सभी दृष्टिकोणों से समुचित विवरण होता है, जिसका सम्बन्ध एक निश्चित समय-अवधि (साधारणतया एक वर्ष) से होता है।

बजट-निर्माण

(१) प्रारम्भिक अनुमान—बजट का तैयार करना मुख्यतया कार्यकारिणी सरकार का कर्तव्य होता है। विभिन्न विभागों के अध्यक्षों को पहले से ही सूचित कर दिया जाता है कि वे अपने वाले वार्षिक वर्ष के लिए अपने विभाग से सम्बन्धित धन्य और व्यय के अनुमान बनाएं। देश के शासन को बहुत से राज्यों में बाँटा जाता है और फिर प्रत्येक को खण्डों एवं जिलों में विभाजित किया जाता है। जिले का अध्यक्ष एक कन्वन्टर ग्रन्थवा मजिस्ट्रेट होता है, जो राज्य की ओर से आगम को एकत्रित करता और अपने जिले में राजकीय व्यय का प्रतिपादन करता है। अगस्त या सितम्बर के महीने में उससे उसके जिले के धन्य और व्यय के अनुमान बनाने के लिए कहा जाता है। ये अनुमान अलग-अलग शीर्षकों में एक निश्चित रीति से तैयार किए जाते हैं और विभिन्न विभागों के अध्यक्षों को भेज दिए जाते हैं।

(२) विभाग का सामूहिक अनुमान—प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष इन अनुमानों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करता है तथा पूरे विभाग के लिए एक सामूहिक अनुमान बनाना है। यदि कोई अध्यक्ष देखता है कि व्यय स्वीकृत मात्रा से बढ़ गया है या बढ़ने वाला है तो वह विशेष विवरण (Remark) के खाने में स्पष्टीकरण देता है और अधिक अनुदान के लिए प्रार्थना करता है। यदि कुछ बचत है तो वह अपने विवरण के साथ इसे सरकार को सौंप देता है। इन अनुमानों की तीन प्रतियाँ तैयार की जाती हैं। इनमें से एक प्रति वित्त विभाग को और दूसरी प्रति महा-नियन्त्रक तथा सङ्केषक (Controller and Auditor General) को भेजी जाती है एवं तीसरी प्रति सन्दर्भ (Reference) के लिए रख ली जाती है।

(३) अनुमानों की जाँच एवं महा-अनुमान—अर्थ-सचिव (Finance Secretary) विभिन्न विभागों के अनुमानों के आधार पर अपना वार्षिक बजट बनाता है। इसी बीच में महा-सङ्केषक (Auditor General) विभागों से प्राप्त विभिन्न अनुमानों की जाँच करता है और उनको अपने विवरण तथा आलोचनाओं के साथ वित्त-सचिव के पास भेज देता है। महा-सङ्केषक (Auditor General) के विवरणों को ध्यान में रखते हुए वित्त-सचिव अपने प्रलेख में आवश्यक परिवर्तन करता है। तत्पश्चात् वह प्रलेख कार्यकारिणी के सम्मुख रखा जाता है और वहाँ स्वीकार हो जाने के पश्चात् इसे स्वीकृति के लिए धारा-सभा के सामने प्रस्तुत किया जाता है।

(४) बजट-भाषण—बजट को प्रस्तुत करते समय वित्त-मन्त्री अपना भाषण देता है, जिसे बजट-भाषण कहा जाता है। वित्त-मन्त्री के भाषण का बड़ा महत्त्व होता है। अपने भाषण में वित्त-मन्त्री सामान्य रूप से ससार की आर्थिक, वित्तीय तथा राजनैतिक घटनाओं का विवेचन करता है।

(५) बजट पर विचार-विमर्श—बजट पर सामान्य विचार के उपरान्त जैसे-जैसे

विभिन्न विभागों के मन्त्री अपने विभागों के लिए अनुदान की माँग रखते हैं, व्यय की प्रत्येक मद पर पृथक्-पृथक् विचार किया जाता है। अपनी माँग रखते समय प्रत्येक विभाग का मन्त्री एक भाषण देना है, जिसकी प्रकृति साधारणतया राजनैतिक होती है। यह चानू वर्ष में उसके विभाग द्वारा किये गये कार्य की विवेचना करता है और अगले वर्ष के लिए अपनी कार्य-योजना प्रस्तुत करता है। सभा के सदस्य, जिनका इस विषय से सम्बन्ध होता है या जो उनमें रुचि रखते हैं, एक-एक करके खड़े होते हैं और सराहना अथवा भालीचना की दृष्टि से अपने भाषण देते हैं। वे बताते हैं कि इन योजनाओं के प्रति उन्हें क्या अप्रतिष्ठा है और साथ ही वे विभाग के कार्यों में परिवर्तन तथा सुधार के सुझाव भी देते हैं। कभी-कभी माँगों के सम्बन्ध में 'छेद प्रस्ताव' (Cut Proposals) रखे जाते हैं। छेद प्रस्ताव कई दृष्टिकोणों से रखे जाते हैं :—प्रथम, मितव्ययिता प्राप्त करने के लिए, दूसरे, अनुमानों से सम्बन्धित किसी विशेष बात के सम्बन्ध में संतोष प्राप्त करने के लिए, और तीसरे, सरकार से सूचना प्राप्त करने के लिए।

(६) मतदान—अनुदानों पर मतदान के लिए निश्चित सख्या में दिन रये जाते हैं। किसी एक माँग के तर्क-वितर्क के लिए एक अधिकतम समय निश्चित किया जाता है और जैसे ही यह अवधि समाप्त होती है, सभा का प्रवक्ता प्रागे के तर्क-वितर्क को समाप्त कर देता है और माँग पर मत माँगा जाता है। इसी प्रकार, जब सभी अनुदानों के लिए निश्चित की हुई कुल अवधि समाप्त हो जाती है, तो प्रवक्ता प्रागे के कुल तर्क-वितर्क को रोक सकता है और शेष सभी माँगें तब बिना तर्क-वितर्क के ही स्वीकार अथवा अस्वीकार कर दी जायेगी।

(७) राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति—जब माँगों पर मतदान समाप्त हो जाता है तो सविधान के अनुसार, बजट पर राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल (राज्यों में) की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है। राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल बजट पर हस्ताक्षर करके स्वीकृति देता है। उन्हें यह भी अधिकार होता है कि कुछ ऐसी मदों को, जिनको धारा-सभा ने अस्वीकार कर दिया है, पुनः अस्वीकृति दे दें, यद्यत् वे ऐसा समझें कि विशेष परिस्थितियों के कारण उन मदों पर व्यय आवश्यक है। कुछ दशाओं में राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल बजट को फिर से विचार करने के लिए धारा-सभा को लौटा सकता है। ऐसी दशा में बजट पर पुनः विचार आवश्यक होता है।

(८) कार्यन्वयन—स्वीकृति के पश्चात् इस विधेयक के लागू करने की समस्या उठती है, प्रागम बगूल की जाती है तथा व्यय किया जाता है। 'केन्द्रीय प्रागम परिषद्' (Central Board of Revenue) प्रागम के एकत्रित करने का कार्य करती है। यह कार्य विभिन्न प्रागम एकत्रित करने वाले विभागों के द्वारा सम्पन्न किया जाता है।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों तथा विभिन्न सूत्रों द्वारा एकत्रित की हुई कर तथा अन्य दातव्य राशि बिना किसी काट के सरकारी कोषागार में अथवा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में जमा की जाती है। इन अधिकारियों को प्राप्त प्रागम में से एकत्रण-व्यय काट लेने का अधिकार नहीं है। एकत्रण व्यय के लिए बजट में पृथक् माँग की जाती है और उसे 'प्रागम पर प्रत्यक्ष माँग' (Direct Demands on Revenue) के रूप में दिखाया जाता है।

वित्तीय नियन्त्रण

वित्तीय नियन्त्रण (Financial Control) निम्न सूत्रों द्वारा उपलब्ध किया जाता है :—

(१) स्थायी वित्त समिति—लोकसभा प्रतिषेध सभा के कुछ ऐसे सदस्यों को पुनःकर, जिन्हें प्राथिक विषयों में विशेष दक्षता है, एक समिति बनाती है, जिसे 'स्थायी वित्त समिति' कहा जाता है। वित्तमन्त्री इस समिति का सभापति होता है। जब वित्त विभाग-प्राथिक

आर्थिक विवरण तैयार कर लेता है तो उसे इस समिति के सामने विचार के लिए रखा जाता है। समिति नये व्यय तथा करो से सम्बन्धित नये प्रस्तावों की जाँच करती है और मितव्ययिता तथा राष्ट्रीय अर्थ-प्रबन्धन की कुशलता के हेतु सुधार के सुझाव देती है। समिति को यह अधिकार होता है कि वह बजट प्रस्तावों के सम्बन्ध में वित्त विभाग तथा अन्य किसी भी विभाग से और सूचनाएँ प्राप्त करे। वैसे तो यह समिति केवल मत ही दे सकती है, निर्णय नहीं, परन्तु इसके सुझाव साधारणतया वित्तमन्त्री स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार धारासभा बजट की तैयारी पर भी विस्तृत नियन्त्रण रखती है।

(२) अंकेक्षण विभाग (The Audit Department)—लेखों का अंकेक्षण वही उत्तरदायित्व का काम है, इसलिए यह काम योग्य तथा विश्वसनीय अधिकारियों के जिम्मे करना चाहिए, जो कि कार्यकारिणी सरकार के अधीन न हों और न इनका उन पर किसी प्रकार का नियन्त्रण ही हो। लेखा कार्यकारिणी द्वारा तैयार किया जाता है, इसलिए उसके अंकेक्षण कार्य-कारिणी के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त होने चाहिए। अंकेक्षक के द्वारा जो अशुद्धियाँ तथा नियम-विरोधी बातें अंकेक्षण में मिलती हैं उनकी सूची बनाई जाती है और जो आक्षेप किये जाते हैं उनके लिये सम्बद्ध विभागों के अधिकारियों को उत्तर और स्पष्टीकरण देना होता है। अन्त में, अंकेक्षक आर्टिड रिपोर्टें तैयार करते हैं और उसे महा अंकेक्षक (Auditor General) के पास भेज देते हैं। अंकेक्षण रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है, ताकि जन-साधारण उसे जान सके।

(३) लोक लेखा समिति (The Public Accounts Committee)—लोकसभा की प्रत्येक बैठक के आरम्भ में ही एक लोक लेखा समिति बना दी जाती है, जिसका कार्य महा अंकेक्षक की रिपोर्टों की जाँच करना है। यह समिति लेखा विनियोग (Appropriation of Accounts) तथा उन अन्य विषयों की, जो वित्त-विभाग जाँच के लिए भेजता है, जाँच करती है। राज्यों में भी इसी प्रकार की समितियाँ बनाई जाती हैं। इनमें १० के लगभग सदस्य होते हैं और वित्तमन्त्री साधारणतया इसका अध्यक्ष होता है। सहायता तथा सलाह देने के लिए भारतीय सभ में महा अंकेक्षक तथा राज्यों में महा लेखापाल इन समितियों की बैठकों में भाग लेते हैं। समितियों का कर्तव्य यह देखना होता है कि खर्च अनुदानों से अधिक न हो और ऐसे कार्यों पर धन व्यय न किया जाए जिनकी लोकसभा ने अनुमति नहीं दी है। साथ ही, प्रत्येक व्यय समुचित सत्ता की अनुमति से किया जाये। ऐसी समितियों का कार्य-क्षेत्र व्यय की उन मदों तक ही सीमित होता है जिन पर मन (Vote) लिया जाता है। परन्तु अलिखित नियमों (Conventions) के अनुसार वे व्यय की 'मत' न लिए जाने वाली मदों की जाँच करती हैं। समितियों को वित्त-विभाग तथा अन्य विभागों के अधिकारियों को बुलाने तथा उनसे पूछ-ताछ करने का भी अधिकार होता है। समिति का प्रमुख उद्देश्य अंकेक्षण-रिपोर्टों की जाँच करना तथा यह देखना होता है कि इस रिपोर्ट में बताई हुई अशुद्धियों तथा कमियों को भली प्रकार दूर किया गया है या नहीं।

जब लेखों की जाँच समाप्त हो जाती है तो इस समिति के सुझाव एक रिपोर्ट के रूप में धारा-सभा के सम्मुख रख दिये जाते हैं। धारा-सभा उस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए साधारणतया एक दिन नियुक्त करती है। रिपोर्ट के सम्बन्ध में जो तर्क-वितर्क होते हैं उनको काफी महत्त्व दिया जाता है और जनता भी उनमें काफी रुचि रखती है। वास्तविकता यह है कि सरकारी व्यय की समुचित जाँच का यही उपयुक्त उपाय है।

इस प्रकार, लोक लेखा समितियाँ एक लाभपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति करती हैं, क्योंकि वे सार्वजनिक लेखों पर नियन्त्रण रखती हैं तथा इस बात का प्रयत्न करती हैं कि लोक धन के व्यय में यथासम्भव मितव्ययिता बरती जाये। भारत में लोक लेखा समितियों के कार्य का एक

महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुआ है कि एक ओर तो व्यय में मितव्ययिता आ गई है और दूसरी ओर अनुमानित और वास्तविक धाय अथवा व्यय के बीच का अन्तर बहुत कम रह गया है।

भारतीय वित्तीय व्यवस्था के मूल दोष

(१) बची हुई राशि को खर्च करने की जल्दबाजी—प्रत्येक विभाग को वर्ष में व्यय करने के लिए एक निश्चित राशि दी जाती है, और, यदि वे विभाग इस राशि को वर्ष में व्यय नहीं कर पाते, तो उस बची हुई राशि पर उस विभाग का कोई अधिकार नहीं रहता। यदि वर्ष समाप्त होने तक कोई राशि बच जाती है तो प्रत्येक विभाग इसे उल्टा-सीधा व्यय करने लगता है और इसे वर्ष के अन्त तक समाप्त कर देता है। यदि बची हुई राशि के खर्चने का उर हटा दिया जाय तो यह जल्दबाजी से किया हुआ अनावश्यक व्यय कम हो जाय।

(२) सख्त नियन्त्रण का अभाव—विभिन्न विभागों पर कोई ऐसा मख्त नियन्त्रण नहीं है जिसके अनुसार यह विभाग बजट के अनुसार उसे मिली हुई धाय से अधिक व्यय न करे। वास्तव में इस पर छाडीटर जनरल का पूर्ण नियन्त्रण होना चाहिए।

(३) बहस के साथ मतदान आवश्यक—संगठित कोष (Consolidated Fund) के कुछ व्ययों पर लोकसभा में केवल बहस हो सकती है, परन्तु मतदान नहीं हो सकता। यह प्रथा बहुत अधिक न्यायपूर्ण प्रतीत नहीं होती है। या तो इस पर बहस भी नहीं होनी चाहिए या यदि बहस हो, तो मतदान भी होना चाहिए।

(४) हिसाब तथा अकेक्षण कार्यों का पृथक्करण—गम्बूलेर जनरल के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के हिसाब के लेखे एव इन लेखों का अकेक्षण दोनों ही कार्य आते हैं, परन्तु वास्तव में अकेक्षण का कार्य करने वाले अफसर के अन्तर्गत हिसाब के लेखे नहीं रखे जाने चाहिए।

(५) आडिट-रिपोर्टों का प्रकाशन—सरकारी लेखों के अकेक्षण की रिपोर्ट लोकसभा में पेश होनी है और राष्ट्रपति के सामने भी रखी जाती है परन्तु जनता में इसका प्रकाशन नहीं होता है। यूँकि जनता सरकार को करो द्वारा एव ऋणों के रूप में आय-प्रदान करती है; अतः वह जानना चाहती है कि सरकार के धाय एव व्यय के लेखे कहाँ तक सत्य हैं। इसलिए इस रिपोर्ट को जनता की सूचना के लिए अखबारों में छापना चाहिए।

(६) बजट पर मतदान—बजट पर राज्य सभा में केवल बहस होती है, परन्तु मतदान नहीं होता। यह प्रथा भी उचित नहीं है। वहाँ भी मतदान होना चाहिए और तभी इसके बाद ही बजट को पास हुआ मानना चाहिए।

परीक्षा प्रश्न :

१. बजट से धाय क्या समझने हैं ? वित्तीय प्रशासन में इसके महत्त्व पर प्रकाश डालिए।
२. टिप्पणी लिखिए—भारत में एकाउण्टेंट जनरल।

भारतीय अर्थ-प्रबन्ध की वर्तमान स्थिति

(The Present Position of Indian Finance)

प्रारम्भिक—

भारत को स्वतन्त्रता मिल जाने तथा देश के विभाजन का भी भारत सरकार की वित्त नीति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा और पुरानी व्यवस्था लगभग ज्यों की त्यों बनी रही। स्वतन्त्रता के पश्चात् देश की विधान सभा (Constituent Assembly) ने श्री एन० आर० सरकार की अध्यक्षता में यह जाँच करने के लिए कि क्या सन् १९३५ के नियम में किसी प्रकार के सुधार करने की आवश्यकता थी, एक विशेषज्ञ समिति बनाई। इस समिति ने भारत में संघीय वित्त की समस्या तथा नीति का बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया, जो प्राये दिया गया है।

“भारत में संघीय सरकार की स्थापना धीरे-धीरे अधिकारों के प्राप्त होने से हुई है। अन्य संघों की भाँति भारतीय संघ स्वतन्त्र राज्यों के पारस्परिक समझौते द्वारा स्थापित नहीं हुआ है, इसलिए हमारे लिए यही ठीक है कि हम सभी प्राप्त साधनों को केन्द्र तथा राज्यों के बीच उनके कार्यों के अनुसार विभाजित करें, जिससे कि केवल न्यायपूर्ण व्यवस्था को नहीं, बल्कि शासन की भी सुविधाओं को प्राप्त किया जा सके। हमें यह भी देखना है कि वर्तमान स्थिति में बहुत अधिक परिवर्तन न होने पाये और यद्यपि हमें सङ्घ की सभी इकाइयों के प्रति एक जैसा ही व्यवहार करना चाहिये, तथापि कमजोर इकाइयों को इतनी वित्तीय सहायता दे देनी चाहिए कि वे सेवाओं का कम से कम एक न्यूनतम मान स्थापित कर सकें, परन्तु साधारणतया युद्ध अथवा आन्तरिक उपद्रवों के काल को छोड़कर केन्द्रीय सरकार का व्यय बड़े अंश तक स्थिर ही रहना चाहिए। इसके विपरीत, प्रान्तों की आवश्यकतायें असीमित हैं, विशेषतः मानव-बलयाण सेवाओं तथा सामान्य विकास के सम्बन्ध में। यदि वे सेवायें, जिन पर मानव-बलयाण तथा देश की उत्पादन शक्ति इतनी अधिक निर्भर है, समुचित रूप में आयोजित तथा कार्यवाहित की जानी है, तो यह आवश्यक है कि प्रान्तों को पर्याप्त साधन प्रदान किये जायें, जिससे कि उन्हें केन्द्र की दया अथवा उसकी सुविधा पर न निर्भर रहना पड़े। इस कारण प्रान्तों की यथासम्भव अधिकतम स्वतन्त्र आर्थिक साधन मिलने चाहिए। परन्तु, केन्द्रीय अर्थ-प्रबन्ध के साम्य को भंग किये बिना प्रान्तों को कुछ विषय प्रदान करके, प्रान्तीय आगम को बढ़ा सकना व्यावहारिक नहीं है। इस कारण हम विभाजित शीर्षको (Divided Heads) को नहीं हटा सकते हैं। किन्तु हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि केवल थोड़े से ही विभाजित शीर्षक रमे जायें, जो समुचित रूप में सन्तुलित हों और अधिक आय प्रदान कर सकें तथा ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि इन शीर्षकों में से केन्द्र तथा प्रान्तों के हिस्से बिना किसी संधर्ष तथा पारस्परिक हस्तक्षेप के स्वयं ही एक दूसरे से समायोजित (Adjust) किये जा सकें।”

विशेषज्ञ समिति का सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दा यह था कि निरक्राम्य करो की शुद्ध उपज का कुल भाग केन्द्र के ही पास रहना चाहिये। इन करो के अतिरिक्त निर्यात करो, आदियों की पूंजी, मूल्य के करो, कम्पनियों की पूंजी पर लगाये हुए करो तथा रेलवे यातायात पर लगाये

हुए करों की कुल उपज भी केन्द्र के पास रहनी चाहिये। छूट निर्यात करों के विषय में समिति ने सिफारिश की थी कि दस साल के लिये अथवा उस समय तक के लिये, जब तक कि छूट निर्यात कर समाप्त नहीं किया जाता है, पश्चिमी बङ्गाल, असम, बिहार तथा उड़ीसा राज्यों को मुभावजे के रूप में केन्द्र द्वारा क्रमशः १०० लाख, १५ लाख, १७ लाख तथा ३ लाख रुपये के अनुदान दिये जाने चाहिये। विभाजित शीपों में से तम्बाकू के उत्पादन कर का ५० प्रतिशत राज्य सरकारों में बाँटने का सुझाव दिया गया। आय-कर में से समिति ने ६० प्रतिशत शुद्ध उपज को बाँटने का सुझाव दिया, जिनमें से २५ प्रतिशत को जनसंख्या, ३० प्रतिशत को एकत्रण के स्थान तथा ५ प्रतिशत को विशेष कठिनाइयों के आधार पर बाँटने का सुझाव दिया गया। मृत्यु-करों के सम्बन्ध में यह प्रस्ताव रखा गया कि कर से प्राप्त रकम का एक भाग वास्तविक सम्पत्ति के आधार पर बँटना चाहिए, शेष का ७५ प्रतिशत मृत व्यक्ति में निवास स्थान के आधार पर तथा २५ प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर।

विधान सभा ने विशेषज्ञ समिति को सिफारिशों स्वीकार नहीं की और समस्त प्रश्न की जाँच करने के लिये वित्त आयोग (Finance Commission) की व्यवस्था की गई।

प्रथम वित्त आयोग

भारत के विधान की धारा २८० (१) में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है, जिसके अनुसार २२ नवम्बर सन् १९५१ को राष्ट्रपति ने श्री के० सी० विद्योगी की अध्यक्षता में सबसे पहला वित्त आयोग नियुक्त किया।

नियत किये गये सिद्धान्त—

आयोग ने सिफारिश की थी कि आय-कर को प्राप्त होने वाली शुद्ध आय में से राज्य सरकारों का हिस्सा बढ़ा देना चाहिए और साथ ही केन्द्रीय सरकार द्वारा वसूल किये हुये कुल उत्पादन करों में से भी राज्य सरकारों को हिस्सा मिलना चाहिए। राज्य सरकारों को सहायता देने के विषय में आयोग ने अपनी सिफारिशें निम्न तीन सिद्धान्तों पर आधारित की थी :—(i) केन्द्र तथा राज्यों के बीच साधनों का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि केन्द्रीय सरकार अपने रक्षा, आर्थिक उन्नति तथा अन्य कार्यों की सफलतापूर्वक चला सके, (ii) साधनों के वितरण तथा अनुदानों के निर्धारण में सभी राज्यों के विषय में एक से ही सिद्धान्तों को अपनाना चाहिए, और (iii) वितरण की योजना का उद्देश्य यह होना चाहिए कि विभिन्न राज्यों के बीच वर्तमान असमानताएँ दूर हो जायें।

प्रथम वित्त आयोग के सुझाव—

सभी बातों को मूर्त-भाति जाँच करने के पश्चात् वित्त आयोग ने निम्न सुझाव दिए :—

(१) आय-कर का विभाजन—आयोग ने सिफारिश की थी कि आय-कर से प्राप्त शुद्ध उपज का राज्यों में बाँटा जाने वाला भाग ५० प्रतिशत से बढ़ाकर ५५ प्रतिशत कर देना चाहिए। आयोग ने कुछ राज्यों की ओर से दिए गये इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया कि राज्य सरकारों का हिस्सा और अधिक रहना चाहिए, क्योंकि आयोग का विचार था कि राज्यों के आर्थिक विलय के पश्चात् भाग पाने वाले राज्यों की सहायता बढ़ गई है। शब्द 'क' राज्यों के लिए आयोग ने सिफारिश की थी कि उनका हिस्सा १ प्रतिशत से बढ़ाकर २½ प्रतिशत कर दिया जाय। सभी राज्यों के सम्बन्ध में एक ही नीति का पालन करने के लिए आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि बम्बई, बिहार, मध्य-प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल को जो अतिरिक्त सहायक अनुदान पहले से मिलते रहे हैं, उन्हें १ अप्रैल सन् १९५२ से वन्द कर दिया जाय।

(२) उत्पादन करों की आय में से हिस्सा—प्रायोग ने राज्य सरकारों की इस माँग को स्वीकार किया कि उत्पादन करों से केन्द्रीय सरकार को जो आय प्राप्त होती है उसका एक भाग राज्य सरकारों में बाँट दिया जाय। बात यह थी कि पिछले कुछ वर्षों में इन करों से प्राप्त आय में काफी वृद्धि हो गई। सन् १९१७-१८ में इन करों से केवल ७६६ करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, परन्तु सन् १९५१-५२ में ८४ करोड़ रुपये प्राप्त हुए। वित्त प्रायोग ने सिफारिश की कि तम्बाकू, दियासलाई, वनस्पति उपज आदि वस्तुओं से प्राप्त होने वाली उत्पादन कर की शुद्ध आय ४० प्रतिशत राज्यों में बाँटी जानी चाहिए। इस बँटवारे का आधार प्रत्येक राज्य की जन-संख्या रखी गई।

(३) जूट निर्यात कर के सम्बन्ध में मुआवजा—देशमुख निर्णय के आधार पर राज्यों के लिये जूट निर्यात कर के मुआवजे के रूप में जो रकम दी जाती थी, कुछ राज्य उससे सन्तुष्ट न थे। उन्होंने इस रकम की बढ़ाने की माँग रखी। वित्त प्रायोग ने बताया कि मुआवजे की रकम का जूट निर्यात कर से प्राप्त होने वाली रकम से मविधान के अनुसार कोई सम्बन्ध नहीं था। मुआवजे की रकम केवल अनुदान के रूप में थी। प्रायोग ने मुआवजा दिया इन चारों राज्यों को सहायक योगदान निम्न प्रकार मिलने चाहिये—पश्चिमी बङ्गाल १.५० करोड़ ६०, बिहार ७५ लाख २०, असम ७५ लाख ६० एवं उड़ीसा १५ लाख ६०।

(४) संघनित निधि में से अनुदान—भारत के संविधान की धारा २८० में यह व्यवस्था की गई है कि भारत सरकार की संघनित निधि (Consolidated Fund) में से राज्यों को सहायक अनुदान (Grants-in-aid) दिये जायेंगे। ऐसे अनुदान सघीय अर्थ-व्यवस्था में साधारणतया आवश्यक होते हैं, क्योंकि इनका एक महान् उद्देश्य यह है कि विभिन्न राज्यों में समाज सेवा कार्यों का एक न्यूनतम स्तर अवश्य स्थापित हो सके और विकसित तथा अ विकसित राज्यों के बीच के भेद को एक अग्र तक समाप्त कर दिया जाय। वित्त प्रायोग ने बताया कि कुछ राज्यों को अनुदानों की आवश्यकता नहीं है। किन्तु कुछ कारणों से कुछ राज्यों के लिए अनुदानों की सिफारिश की गई। वित्त प्रायोग का विचार था कि विभाजन के कारण पंजाब तथा पश्चिमी बंगाल के लिए भारी अनुदानों की आवश्यकता है। असम को भी इसी आधार पर अनुदान प्रदान करने की सिफारिश की गई। उड़ीसा को पिछड़ा हुआ राज्य होने के कारण सहायता दी गई और सौराष्ट्र के विस्तार में कम आय होने के कारण। अन्य दो राज्यों को इस आधार पर सहायता देने की सिफारिश की गई कि आर्थिक वित्त के पश्चात् उनकी आय के महत्वपूर्ण स्रोत समाप्त हो गये थे।

(५) प्रारम्भिक शिक्षा के लिए अनुदान—वित्त प्रायोग ने प्रारम्भिक शिक्षा के विकास को भारी महत्त्व दिया और प्राशा की थी कि संविधान के आदेश के अनुसार प्रत्येक राज्य से ६ से ११ वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इसके लिए चार वर्ष के लिए कुछ कम उन्नत राज्यों को शिक्षा सम्बन्धी अनुदान देने की सिफारिश की गई।

(६) अन्य मुआवजा—वित्त प्रायोग ने दो छोटे-छोटे मुआवजे और भी दिये। एक मुआवजा एक ऐसी संस्था के निर्माण के सम्बन्ध में था जो राज्यों की अर्थ-व्यवस्था का अध्ययन करेगी और राष्ट्रपति के कार्यालय का ही एक अंग होगी। इसका उद्देश्य यह था कि भावी वित्त प्रायोगों को राज्यों के अर्थ प्रबन्ध के विषय में प्रारम्भ में ही काफी सूचना प्राप्त हो सके। दूसरा मुआवजा आय-कर सम्बन्धी आँकड़ों में सुधार करने के सम्बन्ध में था।

प्रथम वित्त आयोग की सिफारिशों का मूल्यांकन—

वित्त आयोग की सिफारिशों का राज्यों की वित्त स्थिति पर जो प्रभाव पड़ा उसका विवेचन नीचे किया गया है :—

(१) केन्द्रीय अनुदानों तथा राज्यों की आय में वृद्धि हुई। पिछले वर्षों की तुलना में केन्द्रीय सरकार से राज्यों को प्राप्त होने वाली रकम लगभग ६६ करोड़ से बढ़कर ८६ करोड़ रुपये हो गई। (२) केन्द्रीय उत्पादन करों से प्राप्त होने वाली शुद्ध आय में से राज्यों में हिस्से बाँटे गये जिसका परिणाम यह हुआ कि राज्यों की आय पहले की अपेक्षा अत्र कुछ बढ़ गई और अधिक सन्तुलित हो गई। (३) जहाँ तक अलग-अलग राज्यों की स्थिति का सम्बन्ध है, बम्बई सरकार को केन्द्र से प्राप्त होने वाली रकम में लगभग ३ प्रतिशत की कमी हो गई। सबसे अधिक वृद्धि असम ५६% तथा उड़ीसा ८६% के हिस्सों में हुई। खण्ड 'ख' के राज्यों में से भी सभी के हिस्सों में वृद्धि हुई, पन्तु राजस्थान, पटियाला सम और मध्य-भारत के हिस्सों में वृद्धि बहुत अधिक थी। मैसूर तथा त्रिवाकुर कोचीन के हिस्सों की वृद्धि अपेक्षित कम रही।

सभी राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों से मन्तुष्ट नहीं हुए, क्योंकि आयोग ने राज्य सरकारों की कुछ माँगें स्वीकार नहीं की थी। अधिकांश राज्य उत्पादन करों में से अधिक हिस्सा चाहते थे। बम्बई और पश्चिमी बंगाल राज्यों का विचार था कि उनके माध्य धन्याय हुआ है, क्योंकि आयोग ने वितरण की योजना में इस बात का बहुत महत्त्व नहीं दिया कि विभाजकीय कर से प्राप्त राजस्व का कौन-सा भाग राज्य विशेष से प्राप्त होता है।

कुछ प्रालोचकों का कहना था कि आयोग ने वितरण का आधार ही गलत बनाया। अच्छा यह था कि विभिन्न राज्यों की बजट स्थिति के रवान प उनकी वित्तीय आवश्यकताओं पर ध्यान देकर वितरण प्रणाली बनाई जाती।

फिर भी सब कुछ देखने के पश्चात् यही कहा जा सकता है कि तत्कालीन स्थिति के दृष्टिकोण से आयोग की सिफारिशें उपयुक्त थी।

द्वितीय वित्त के आयोग

द्वितीय वित्त आयोग ने, जिसके अध्यक्ष श्री के० सतयानम थे, १४ नवम्बर सन् १९५७ को अपनी रिपोर्ट लोक सभा के सम्मुख प्रस्तुत की। सरकार ने आयोग की सिफारिशों को मान लिया और इस सम्बन्ध में आवश्यक निबन्ध भी बनाये। आयोग ने निम्न सुझाव रखे थे :—

(१) आय-कर की शुद्ध-उपज में से राज्यों का हिस्सा ५५% से बढ़ाकर ६०% कर दिया जाय। अलग-अलग राज्यों का हिस्सा ६०% राज्य की जन-संख्या पर और १०% राज्य से एकत्रित कर की मात्रा पर निर्भर रहे। (स्मरण रहे कि प्रथम आयोग ने आय कर की शुद्ध उपज के ५५% को ८०% जन-संख्या और २०% एकत्रण के आधार पर विभाजित करने का सुझाव दिया था)।

(२) पहले की भाँति दिवासलाई, बगस्पति उपज तथा तम्बाकू के उत्पादन करों की शुद्ध आय का ४०% राज्यों में प्रत्येक जन-संख्या के आधार पर बाँटना चाहिए। इसके अतिरिक्त आयोग ने ८ और वस्तुओं से प्राप्त उत्पादन कर की शुद्ध उपज के २५% को राज्यों में जन-संख्या के आधार पर बाँटने का सुझाव दिया। ये ८ वस्तुएँ कच्चा (Coffee), चाय, चीनी, कागज, आवश्यक बनस्पति तेल आदि थी।

(३) जूट कर अनुदान के सम्बन्ध में आयोग की सिफारिश यह थी कि ३१ मार्च सन् १९६० तक असम को ७५ लाख रुपये और उड़ीसा को १५ लाख प्रति वर्ष पहले की सीमा मिलना चाहिए। बिहार के कुछ भाग के पश्चिमी बंगाल में चले जाने के कारण आयोग ने बिहार के हिस्से में २८६ लाख रुपये की कमी और पश्चिमी बंगाल के हिस्से में इतनी ही वृद्धि

की थी। इस प्रकार बिहार को ७२.३१ लाख रुपये तथा पश्चिमी बंगाल को १५१.६६ लाख रुपया देने का सुझाव दिया गया।

(४) दूसरे आयोग ने पहले आयोग की भाँति किसी विशेष उद्देश्य के लिए अनुदानों की सिफारिश नहीं की। परन्तु उसने १४ राज्यों में से ११ के लिए सामान्य उद्देश्य वाले अनुदानों की सिफारिश की थी।

(५) सम्पदा कर की सम्पूर्ण आय (जिस आय को छोड़कर जो कि केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों से प्राप्त होती है) राज्यों में बाँट दी जाय। केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों के हिस्से के रूप में केन्द्रीय सरकार १% आय अपने पास रखे और शेष में से राज्यों को, प्रत्येक राज्य की जनसंख्या तथा उससे प्राप्त आय के आधार पर, हिस्से दिये जायें।

(६) रेल के भाड़ों के कर में से केन्द्रीय सरकार ३% केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों के निमित्त अपने पास रखे और शेष को राज्यों में बाँटे। प्रत्येक राज्य का हिस्सा उस राज्य में स्थित रेल की लाइनों की लम्बाई पर निर्भर होना चाहिए।

(७) मिल के कपडे, चीनी तथा तम्बाकू के बिक्री करों से राज्यों को प्राप्त होने वाली आय का अनुमान आयोग ने ३२.५० करोड़ रुपया प्रतिवर्ष रखा था। आयोग ने सिफारिश की थी कि इन करों के स्थान पर जो उत्पादन-कर लगाया जाय उसका १% तो केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय-प्रशासित क्षेत्रों के हिस्से के रूप में रख लेना चाहिए, १.३% जम्मू और काश्मीर राज्य को मिलना चाहिए और शेष अन्य राज्यों में बाँट देना चाहिए। प्रत्येक राज्य का हिस्सा आंशिक रूप से उसकी जन-संख्या और आंशिक रूप में उसके इन वस्तुओं के उपभोग पर निर्भर होना चाहिए।

(८) केन्द्रीय राज्यों को दिये गये ऋणों के बारे में आयोग ने सिफारिश की थी कि बिना व्याज के ऋणों के सम्बन्ध में किसी सशोधन की आवश्यकता नहीं है। देण्ड के लोगों को फिर से बसाने के लिए दिये गये ऋणों के बारे में राज्यों का भुगतान उस राशि के बराबर रहे जो उन्हें बमूल हो। अन्य प्रकार के ऋणों का दो वर्गों में सघनन (Consolidation) कर दिया गया। पहले वर्ग पर व्याज की दर ३% और दूसरे वर्ग पर २.५% रखी गई।

आयोग का विचार था कि उपरोक्त सिफारिशों के फलस्वरूप केन्द्रीय आगम में से प्रत्येक वर्ष राज्यों को लगभग १४० करोड़ रुपये का हस्तान्तरण होगा, जबकि पहले ५ वर्षों में ऐसे हस्तान्तरण की आंशिक दर ६३ करोड़ रुपये रही थी। आयोग ने आगम के हस्तान्तरण बढ़ाने का यह सुझाव इसलिए दिया था कि राज्यों को पंचवर्षीय योजना से सम्बन्धित लक्ष्यों को पूरा करने में कठिनाई न हो। आयोग का विचार था कि यदि राज्य, आगम का आवश्यक विस्तार कर लें और केन्द्र से भी निर्धारित सहायता मिलती रहे तो राज्यों को उन कार्यक्रमों की पूर्ति करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए जिनकी वित्तीय-व्यवस्था राज्य आगम में से की गई है। ऋण सघनन के फलस्वरूप भी राज्यों को लगभग ५ करोड़ रुपये का निवारण मिला।

दूसरे आयोग के सुझावों का मूल्यांकन—

(१) राज्यों को केन्द्र से धन देने की एकीकृत योजना—दूसरे वित्त आयोग के राज्यों को केन्द्र की ओर से धन देने की एक एकीकृत (Integrated) योजना का प्रस्ताव रखा था। इसमें निम्न दो उद्देश्यों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया था—प्रथम, राज्य सरकारों की वित्तीय आवश्यकताओं को भली-भाँति ध्यान में रखा जाय और उनके सन्तुलित विकास के मार्ग में कठिनाइयाँ न आने दी जायें, और दूसरे, केन्द्रीय सरकार के विशाल उत्तरदायित्वों को भी दृष्टिगत रखा जाय, विशेषतया प्रतिरक्षा और विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं को। आयोग ने इस बात का प्रयत्न किया था कि केन्द्रीय सरकारों की वित्तीय स्थिति में विशेष कपजोरी लाये बिना राज्यों की

वित्त-व्यवस्था दृढ़ भी जाय। आयोग ने यह पता लगाने का प्रयत्न भी किया था कि सङ्घ द्वारा राज्यों को धन हस्तान्तरित करने की क्षमता कितनी है। आयोग की सिफारिशों के अनुसार सघ सरकार द्वारा राज्यों को हस्तान्तरण की जाने वाली धनराशि १४० करोड़ रुपया प्रतिवर्ष हो गई थी, जबकि प्रथम वित्त-आयोग की सिफारिशों के अनुसार यह राशि केवल ६३ करोड़ रुपया थी। आयोग के एक सुझाव को छोड़कर, जो केन्द्र से राज्यों को ऋण के सम्बन्ध में था, शेष सभी सुझाव सरकार ने स्वीकार कर लिए। भारत सरकार इस बात से सहमत नहीं हुई कि राज्यों द्वारा ऋण को चुकाने की अवधि स्थगित कर दी जाय। भारत सरकार का विचार था कि ऐसा करने से सभी ऋणों की (गहाँ तक कि उन ऋणों की भी जो १५ वर्ष की अवधि में चुकाये जाने थे) परिपक्वता अवधि बढ़ जायगी।

(२) राज्यवित्त के सिद्धान्तों पर अधिक ध्यान—दो दिशाओं में दूसरे आयोग ने प्रथम आयोग की तुलना में राज्य-वित्त के सिद्धान्तों पर अधिक ध्यान दिया—(अ) इसने आय के वितरण के सम्बन्ध में आय प्राप्ति के उद्गम (Origin) की तुलना में राज्यों की वित्तीय आवश्यकता को अधिक महत्त्व दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि किसी भी राज्य को प्राप्त होने वाला हिस्सा इस बात से अधिक प्रभावित हुआ कि उस राज्य की वित्तीय माँग कितनी है और इस बात से कम प्रभावित हुआ कि उस राज्य से वितरण की जाने वाली आय का कौन-सा भाग प्राप्त हुआ है। समुचित राजस्व नीति ऐसी ही होनी भी चाहिये थी। (ब) दूसरे आयोग ने करों की राशि के वितरण में प्रथम आयोग की तुलना में राज्य विशेष की जन-संख्या पर अधिक बल दिया। इसका उद्देश्य यह रहा कि केन्द्रीय आय के हस्तान्तरण द्वारा सभी राज्यों में जन-साधारण के जीवन-स्तरों तथा सुविधा-स्तरों में समानता लाई जाय। सन्तुलित विकास, राष्ट्रीय न्याय तथा पिछड़ेपन दूर करने की दृष्टि से ऐसा उचित ही था। केन्द्रीय ऋणों का एकीकरण करके भी आयोग ने जटिलता को दूर किया।

(३) सभी राज्य आयोग के सुझावों से सन्तुष्टि नहीं—अधिकांश राज्य सघ प्रागम्य से अधिक हिस्सा चाहते थे। बम्बई और पश्चिमी बङ्गाल राज्यों ने सुझावों के सम्बन्ध में घोर असन्तोष व्यक्त किया। ये दोनों राज्य श्रौद्योगिक दृष्टि से अधिक विकसित राज्य हैं। इनका विचार था कि इनको अनुपात में अधिक सहायता मिलनी चाहिए, क्योंकि ये केन्द्रीय सरकार को अधिक कर देते हैं। इन राज्यों का विचार था कि बँटवारे में वित्तीय आवश्यकता, जन-संख्या का प्राकार तथा क्षेत्रफल पर अधिक बल देकर आयोग ने इनके साथ अन्याय किया है।

(४) योजना आयोग और वित्त आयोग के मध्य समन्वय न होना—आयोग के सम्मुख एक कठिनाई यह भी रही कि योजना आयोग के कार्यों के साथ वित्त आयोग का समन्वय नहीं हुआ था। योजना आयोग ने राज्यों को जो सहायता देने का वचन दिया उसमें वित्त आयोग किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता था। वित्त आयोग कुल सहायता का छोटा-सा भाग ही निश्चित कर सकता था जिससे केन्द्र और राज्य सरकारों के पारस्परिक द्वितीय सम्बन्धों में विशेष अन्तर पड़ने की सम्भावना नहीं थी। वास्तव में दोनों आयोगों को सामूहिक आधार पर काम करना चाहिए था।

तृतीय वित्त आयोग (The Third Finance Commission)

तीसरे वित्त आयोग की नियुक्ति एवं इसके सन्दर्भ-विषय—

तीसरे वित्त आयोग का निर्माण राष्ट्रपति ने २ दिसम्बर सन् १९६० को किया था। आयोग की निम्न विषयों में सुझाव देने का आदेश दिया गया था :—(१) सङ्घ सरकार तथा राज्यों के बीच करों से प्राप्त शुद्ध आय का वितरण किस प्रकार किया जाय ? (२) किन सिद्धान्तों

के आधार पर केन्द्रीय सरकार राज्यों को अनुदान (Grants-in-aid) दे ? (३) तीसरी पंच-वर्षीय योजना सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ राज्यों को सविधान की धारा २७५ के अनुसार कितनी तथा किस प्रकार सहायता दी जाय तथा राज्य अपनी आय के वर्तमान साधनों से अधिक आय प्राप्त करने के लिए क्या करे ? (४) सविधान की धारा २६६ के अन्तर्गत भू-सम्पदा की आय का राज्यों में जो बँटवारा होता है उसके वितरण के सम्बन्ध में (यदि आवश्यक हो) परिवर्तन का सुझाव देना । (५) सविधान की धारा २६६ के अन्तर्गत रेल भाटा वर से प्राप्त आय का राज्यों के बीच जो वितरण किया जाता है, उससे सम्बन्धित सिद्धान्तों में परिवर्तन के सुझाव देना । (६) निम्न वस्तुओं पर जो अतिरिक्त उत्पादन कर लगाये गये हैं, उनकी शुद्ध उपज को राज्यों में किस प्रकार बाँटा जाय : (क) सूती कपड़े, (ख) रेशम कपड़ा नकली रेशम कपड़े, (ग) ऊनी कपड़े, चीनी तथा (घ) तम्बाकू । [स्मरण रहे कि ये अतिरिक्त उत्पादन कर उन विक्री करों के स्थान पर लगाये गये हैं जो पहले राज्यों द्वारा लगाये जाते थे ।]

कमीशन की सिफारिशें एवं उन पर किया गया कार्य—

केन्द्रीय सरकार ने तृतीय वित्त आयोग की समस्त एकमत सिफारिशों को स्वीकार कर लिया । फलतः राज्यों को १ अप्रैल सन् १९६२ से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष में ३५ करोड़ अतिरिक्त धन मिला, क्योंकि आय-कर में उनका भाग ६०% से बढ़ाकर ६६.३३% कर दिया गया था । उत्पादन करों में राज्यों का भाग २५% से घटाकर २०% कर दिया गया । पहले, आय-कर का ६०% राज्यों में जन-संख्या के आधार पर बाँटा जाता था और केवल १०% सग्रह के आधार पर विभाजित होना था । अब कमीशन की सिफारिशों के अनुसार जन-संख्या के आधार पर ८०% तथा सग्रह के आधार पर २०% बाँटा जाने लगा ।

राज्यों को अभी तक निम्न वस्तुओं पर सघीय उत्पादन करों का २५% मिलता था— दियासलाई, तम्बाकू, चीनी, वनस्पति उत्पादन, कहुवा, चाय, कागज और वनस्पति आवश्यक तेल । कमीशन ने उत्पादन करों में राज्य का भाग २५% से घटाकर २०% करने के साथ साथ वस्तुओं की संख्या ८ से बढ़ाकर ३५ कर दी । प्रत्येक राज्य का भाग निश्चित करते समय कमीशन ने जन-संख्या को वितरण का एक प्रमुख घटक माना तथा राज्यों की सापेक्षिक वित्त क्षमता को विकास के स्तर अनुसूचित जातियों के प्रतिशत को भी विचार में लिया । संक्षेप में, आयोग की सिफारिशों का सार निम्न प्रकार था :—

(१) निगम कर के अतिरिक्त आय कर की प्राप्ति में से राज्यों का हिस्सा बढ़ाकर ६०% से ६६% कर दिया गया । विभिन्न राज्यों के हिस्से निश्चित करते समय ८०% भाग सन् १९६१ की जनगणना के आधार पर राज्य की जन-संख्या और शेष २०% विभिन्न राज्यों द्वारा आय कर के सापेक्षिक सग्रहों के आधार पर वितरित करने की सिफारिश की गई ।

(२) संप उत्पादन करों की प्राप्ति में से राज्यों का हिस्सा २५% से घटाकर २०% कर दिया गया । जिन वस्तुओं के उत्पादन करों से प्राप्त राशि को राज्यों में बाँटा जाता था उनमें पहले की तुलना में २७ नई वस्तुओं की वृद्धि कर दी गई । विभिन्न राज्यों के हिस्से निश्चित करने के सम्बन्ध में आयोग ने राज्यों की सापेक्षिक जन-संख्या, वित्तीय कमजोरियों तथा राज्यों में बसने वाली पिछड़ी, परिगणित तथा अछूत जातियों की संख्या को ध्यान में रखा ।

(३) सन् १९५७ से भारत सरकार ने मिलों के बने कपड़े, चीनी और तम्बाकू पर राज्य विक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन कर लगाया था । द्वितीय वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि इन उत्पादन करों का १/३% जम्मू और कश्मीर राज्य को दिया जाय । १०% केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों के लिये रखा जाय और शेष सापेक्षिक उपयोग और जन-संख्या (Relative

Consumption and Population) के आधार पर अन्य राज्यों के बीच बाँट दिया जाय। कुछ छोटे से समायोजनों के साथ यही सुझाव तीसरे आयोजन में भी किया। इस काल में रेकमी कपड़े पर भी अतिरिक्त उत्पादन कर लगा दिया गया। जम्मू और कश्मीर का हिस्सा बढ़ाकर १३% कर दिया गया। इस प्रकार वितरित की जाने वाली कुल राशि का अनुमान ३२-५४ करोड़ रुपये था।

इस राशि के पश्चात् जो भाग शेष रहे उसे अगलतः सापेक्षिक जनसंख्या और अग्रतः १६५७-५८ में विभू कर से प्राप्त होने वाली भाग के आधार पर विभिन्न राज्यों में बाँटना तय हुआ।

(४) सम्पदा कर के बँटवारे के आधार में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, किन्तु सन् १९६१ की जनसंख्या के आधार पर वितरण योजना में कुछ संशोधन किये गये। इस कर से प्राप्त समस्त भाग सापेक्षिक जनसंख्या के आधार पर वितरित की गई।

सुभावों का प्रभाव—

उक्त सिफारिश के आधार पर विभिन्न राज्यों में केन्द्र द्वारा प्राप्त भाग का विभाजन निम्न प्रकार किया गया था :—

राज्य	आय कर का भाग (६६.३%)	उत्पादन कर		संचार साधनों के लिए विशेष अनुदान (लाख रु०)		रेल भाड़े पर कर के बदले अनुदान (लाख रु०)		अतिरिक्त उत्पादन कर (लाख रु०)	शेष अतिरिक्त उत्पादन कर (लाख रु०)
		का भाग (२२%)	अनुदान (लाख रु०)	अनुदान (लाख रु०)	अतिरिक्त उत्पादन कर (लाख रु०)				
आन्ध्र	७.७१	८.२३	—	५०	१.११	२३५.२४	७.७५	—	
असम	२.४४	४.७३	६००	७५	०.३४	८५.०८	२.५०	—	
बिहार	६.३३	११.५६	५२५	७५	०.१७	१३०.१६	१०.००	—	
गुजरात	४.७८	६.४५	—	१००	४.७८	३२३.४५	५.४०	—	
जम्मू और कश्मीर	०.७०	२.०२	४२५	५०	—	६५.०८	४.२५	—	
केरल	३.५५	५.४६	१५०	७५	३.६२	१५५.१७	७.००	—	
म० प्र०	६.४१	८.४६	५५०	१७५	७.५१	२८५.३४	९.००	—	
मद्रास	८.१३	६.०८	१२५	—	७.८०	६३७.७७	६.००	—	
महाराष्ट्र	१३.४१	५.७३	३००	—	६.१६	१००.१०	५.२५	—	
मैसूर	५.१३	५.८२	६२५	५०	५.४६	८५.१०	४.५०	—	
उड़ीसा	३.४४	७.०७	१,१५०	१७५	४.०८	१७५.१६	४.२५	—	
पंजाब	४.४६	६.७१	—	—	४.७१	६०.१०	४.००	—	
राजस्थान	३.६७	५.६३	४५०	७५	०.६७	५७५.८१	१५.४०	—	
उ० प्र०	१४.४२	१०.६८	—	—	१७.१०	२३४	६.००	—	
प० सञ्जाल	१२.०६	५.०७	—	—	८.११	—	—	—	
			१,२००	६००		१२.५०	३,२५४.००		

(५) १ अप्रैल सन् १९६१ से रेल भाड़ा कर हटा लेने से राज्यों को होने वाली कुल हानि का अनुमान १२.५० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष था। यह सुझाव दिया गया कि संघ सरकार सभी राज्यों को इतनी राशि की सहायता दे। १४ राज्य इसके अधिकारी थे।

(६) सहायक अनुदानों के सम्बन्ध में स्थिति यह थी कि संघ सरकार अब तक ११ राज्यों को ३६.५ करोड़ रुपये के वार्षिक अनुदान देती थी जिनमें असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी बङ्गाल और महाराष्ट्र हिस्से पाते थे। तीसरे आयोग ने इनमें से महाराष्ट्र को छोड़ कर अन्य १० राज्यों को हिस्से देने का सुझाव दिया। विभिन्न राज्यों के हिस्से निम्न प्रकार रहे गये:—आन्ध्र ८ करोड़ रुपये, असम ५.०५ करोड़ रुपये, गुजरात ४.२५ करोड़ रुपये, जम्मू और कश्मीर १.५० करोड़ रुपये, केरल ५.५० करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश १.२५ करोड़ रुपये, मद्रास ३ करोड़ रुपये, मैसूर ६.२५ करोड़ रुपये, उड़ीसा ११.५० करोड़ रुपये और राजस्थान ४.५० करोड़ रुपये। इसके अतिरिक्त, ५८.२५ करोड़ रुपये राज्यों की योजनाओं को पूरा करने हेतु देने का सुझाव रखा गया।

(७) सड़क परिवहन के विकास के लिए राज्य सरकारों को विशेष अनुदान की सिफारिश की गई। तीसरी योजना काल में सड़क विकास के लिए ३१४ करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था थी। ऐसा अनुभव किया गया कि केन्द्रीय सहायता के बिना कुछ राज्य इस दिशा में पर्याप्त प्रगति नहीं कर सकेंगे। अतः आयोग ने इसके लिए आन्ध्र, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा और राजस्थान इन दस राज्यों के लिए कुल मिलाकर ६ करोड़ ६० वार्षिक अनुदानों का सुझाव दिया।

तृतीय वित्त आयोग की सिफारिशों का महत्त्व—

दूसरे वित्त आयोग की भांति तीसरे वित्त आयोग के सम्मुख भी समस्या यह थी कि एक ओर तो राज्य सरकारों के बढ़ते हुए व्यय के लिए उनके वित्तीय साधनों को हड़ किया जाय और दूसरी ओर केन्द्रीय सरकार के लिए भी समुचित आय की व्यवस्था होनी चाहिये। राज्यों को आय का हस्तान्तरण ऐसा होना चाहिए था कि ये दोनों उद्देश्य एक ही साथ पूरे हो सकें। आयोग की सिफारिशों से स्पष्ट है कि सन् १९६२-६३ में राज्यों को पूर्वनिर्दिष्ट ३५ करोड़ रुपये अधिक प्राप्त हुआ एवं अगले वर्षों में तो और भी अधिक प्राप्ति हुई।

आयोग ने राज्यों की बढ़ती हुई वित्तीय आवश्यकताओं को अनेक रीतियों से पूरा करने का प्रयत्न किया। मुख्यतया आयोग ने रेल-भाड़ा कर की समाप्ति के कारण राज्यों को होने वाली हानि को पूरा करने के लिये केन्द्र द्वारा समतोलन करने, अचल सम्पत्ति पर सम्पदा कर से प्राप्त समस्त राशि को सन् १९६१ की जन-गणना के आधार पर विभिन्न राज्यों के बीच बाँटने और आय-कर के विभाज्य भाग को ६० प्रतिशत से बढ़ाकर ६६½ प्रतिशत करने का सुझाव दिया।

राज्य की आय में वृद्धि करते समय आयोग ने लोकतन्त्रीय सिद्धान्तों को व्यावहारिक महत्त्व देने का भी प्रयत्न किया। आयोग ने इस बात का भी प्रयत्न किया है कि विभिन्न राज्यों की शिकायतें दूर हो जायें और प्रत्येक राज्य को आर्थिक जीवन में आवश्यक योगदान देने का अवसर मिले। दूसरे आयोग की तुलना में तीसरे आयोग ने विभिन्न राज्यों के सापेक्षिक संग्रहों (Relative Collections) को कुछ अधिक महत्त्व देकर महाराष्ट्र और पश्चिमी बङ्गाल की इस माँग को भी पूरा करने का प्रयत्न किया कि व्यापार और उद्योग की वर्तमान स्थिति को बनाये रखने के लिए उन्हें अधिक बड़ा हिस्सा दिया जाये। आय-कर की प्राप्ति में से राज्यों का हिस्सा बढ जाने का परिणाम यह हुआ कि राज्यों को सन् १९६२-६३ में ही इस मद से लगभग ८ करोड़ रुपये अधिक प्राप्त हो गया था। कुल मिलाकर आयोग के सुझावों के फलस्वरूप

राज्यों की आय में पर्याप्त वृद्धि हुई परन्तु फलस्वरूप संघ सरकार की वित्तीय स्थिति बिगड़ी नहीं जो एक अच्छा लक्षण था ।

संघ उत्पादन-करों से प्राप्त आय में से आयोग ने राज्यों का हिस्सा २५ प्रतिशत से घटाकर २०% कर देने का सुझाव दिया, परन्तु इसके कारण राज्यों को प्राप्त होने वाली आय घटने के स्थान पर उल्टी पर्याप्त मात्रा में बढ़ी, क्योंकि तीसरे प्रायोग ने ८ वस्तुओं के स्थान पर ३५ वस्तुओं के संघ उत्पादन करों की प्राप्ति को राज्य सरकारों में बाँटने का प्रस्ताव रखा था । वैसे भी इस शीर्षक से भारत सरकार की आय में इतनी तेजी के साथ वृद्धि हो रही थी कि राज्यों को प्राप्त होने वाले हिस्से का बढ़ना आवश्यक ही था ।

आयोग की सिफारिशों का एक महत्वपूर्ण भाग सहायक अनुदानों से सम्बन्धित था । ऐसे अनुदानों से सम्बन्धित सिद्धान्तों में आयोग ने विभिन्न राज्यों की विषमताओं तथा उनकी जन-संख्या में पिछड़े हुए व्यक्तियों के अनुपात को विशेष महत्व दिया जिसके कारण उत्तर-प्रदेश, महाराष्ट्र, मद्रास और पश्चिमी बंगाल की अपेक्षाकृत कम अनुदान मिले और उड़ीसा राज्य को अधिक सहायता मिली । सड़क परिवहन के विकास के लिए अनुदान का सुझाव देकर आयोग ने समस्या के भासिक स्थल पर प्राधान्य देने का प्रयत्न किया ।

आयोग का विचार यह था कि आय की कमी के कारण राज्य सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों से भू-आगम, सिंचाई-कर, विकास-कर उन्नति-कर आदि के रूप में अधिक धन प्राप्त करने की चेष्टा करती थी, किन्तु केन्द्रीय सहायता द्वारा यह प्रवृत्ति रोकੀ जा सकती थी, क्योंकि ऐसी आवश्यकता ही समाप्त हो जायेगी । आयोग का यह भी अनुमान था कि विगत वर्षों में राज्यों के अनुत्पादक व्यय में वृद्धि हुई, जिस कारण सरकारी व्यय के नियन्त्रण की आवश्यकता बढ़ गई । आयोग का विचार था कि राज्यों के अनुत्पादक व्यय को समाप्त करके स्वाभाविक रूप में उनकी आय में पहले की अपेक्षा वृद्धि की जा सकती है ।

कर आगम का राज्यों को हस्तान्तरण—

निम्न तालिका केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न वर्षों में राज्यों को हस्तान्तरित कर-आगम दिखाती है :—

(करोड़ रु० में)

शीर्षक	दाय-कर	संघीय उत्पादन	बिक्री कर के बदले में अतिरिक्त उत्पादन कर	रेलों के यात्री भाड़े पर कर	भू-सम्पदा कर	कुल
प्रथम योजनावधि	२७८२	४६१	—	—	२४	३२६७
द्वितीय योजनावधि	३४७७	१५२६	१२८३	४२६ ^१	१२७	७१११
तृतीय योजनावधि						
१९६१-६२	६३६	४११	३६५	—	३६	१७८५
१९६२-६३	६५३	७६०	४५६	—	३६	२२४१
१९६३-६४	११६३	६२४	४३६	—	४२	२५६५
१९६४-६५	१२३८	८६२	४११	—	६८	२५७६
१९६५-६६	१२२६	६४६	४६०	—	७२	२८१०
बजट						

^१ १ अप्रैल सन् १९६० से रेल भाड़ा क समाप्त कर दिया गया है और इसे भाड़े में मिला दिया गया है ।

चतुर्थ वित्त आयोग
(The Fourth Finance Commission)

आयोग की सिफारिशें—

चतुर्थ वित्त आयोग की रिपोर्ट १० सितम्बर १९६५ को प्रकाशित हुई थी। नीचे इसकी प्रमुख बातों पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया है :—

(१) धाय-कर में राज्यों का हिस्सा—अभी तक राज्यों को धाय कर से प्राप्त होने वाले राजस्व का (निसर्ग निगम कर शामिल नहीं है) ६६ $\frac{३}{४}$ % भाग वांटा जा रहा था और राज्य के हिस्से का हिसाब लगाते हुए ८०% भाग उम राज्य की आवादी के हिमाब से और २०% उसकी धाय-कर की उगाही के हिमाब से निकाला जाता था। किन्तु अब नये वित्त आयोग ने यह हिस्सा तो ६६ $\frac{३}{४}$ % से बढ़ाकर ७५% कर दिया है, किन्तु उमका हिमाब लगाने का तरीका वही रखा है। इसके अलावा नागालैंड को इन बर्गों में होने वाली धाय का १% भाग दिया जाता है।

(२) केन्द्रीय उत्पादन-कर में हिस्सा—नागालैंड के अतिरिक्त अन्य राज्यों को अभी तक ३५ जिन्सों के उत्पादन कर से प्राप्त आमदनी का २०% भाग दिया जाता था और इन कुल आमदनी का १% नागालैंड को दिया जाता रहा था। उत्पादन-करों की धाय के इस बँटवारे में हर राज्य के हिस्से का हिमाब मुख्यतः उनकी आवादी के हिमाब से लगाया जाता था और वित्तीय दृष्टि से उनके पिछड़ेपन को भी ध्यान में रखा जाता था। परन्तु अब चौथे वित्त आयोग ने उन सभी वस्तुओं के उत्पादन-कर की धाय के २०% भाग के बँटवारे की सिफारिश की है। जिन पर उत्पादन-कर लगता है, उनके हिस्से का हिमाब लगाने की विधि भी आयोग ने बदल दी है। अब उसके ८०% का हिमाब आवादी के हिमाब से और २०% का हिमाब उनके सापेक्ष पिछड़ेपन के हिसाब से लगाया जायगा।

(३) सहायतानुदान—आयोग ने राज्यों को दी जाने वाली सहायता-अनुदान की राशि भी ६४ करोड़ ८० से बढ़ाकर १४० करोड़ ८० कर दी है। अभी तक १२ राज्यों को ६३ ७५ करोड़ ८० के वार्षिक सहायतानुदान मिलते रहे हैं जिनका विवरण इस प्रकार है—

आन्ध्र-प्रदेश ६५ करोड़, असम ६ करोड़, बिहार ७५ लाख, गुजरात ४.२५ करोड़, जम्मू-कश्मीर १ करोड़, केरल ६.२५ करोड़, मध्य-प्रदेश ३ करोड़, मद्रास ३ करोड़, मैसूर ६.७५ करोड़, नागालैंड २.७५ करोड़, उड़ीसा १३.२५ करोड़ और राजस्थान ५.२५ करोड़ ८०।

चौथे वित्त आयोग ने अपनी सिफारिश में इस राज्यों को १२१.८६ करोड़ रुपये के सहायतानुदान देने की सिफारिश की, जो इस प्रकार है : आन्ध्र ७.२२ करोड़, असम १६.५२ करोड़, जम्मू-कश्मीर ६.५७ करोड़, केरल २०.८२ करोड़, मध्य-प्रदेश २.७० करोड़, मद्रास ६.८४ करोड़, मैसूर १८.२४ करोड़ ८०, नागालैंड ७.०७ करोड़ ८०, उड़ीसा २६.१८ करोड़ ८०, राजस्थान ६.७३ करोड़ ८०। इसके अलावा आन्ध्र को ६.२६ करोड़, मैसूर की २.५८ करोड़ और उत्तर प्रदेश को ६.८५ करोड़ रुपये (इन राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के भत्ते में वृद्धि के लिए) अतिरिक्त सहायतानुदान के रूप में और भी दिया जायगा।

विभिन्न केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा

राज्य का नाम	प्राय-कर का हिस्सा	केन्द्रीय उत्पादन-कर का हिस्सा	अनुसूचित २७५ (५) के अन्तर्गत सहायता-अनुदान (वार्षिक प्राय)	सम्पत्ति-कर का भाग	रेल-वाड़े के स्थान पर अनुदान	प्रतिरिक्त उत्पादन कर	
						आवश्यक प्राय	शेष रकम का वितरण
कुल में राज्यों का हिस्सा	७५%	२०%		६०%			६७.५४ प्रतिशत
वितरण	प्र० श०	प्र० श०	रकम लाखों में	प्र० श०	प्र० श०	रकम लाखों में	प्र० श०
मा.ध्र प्रदेश	७.३७	७.७७	१३५१	८.३४	६.०५	२३१.२४	७.४२
असम	२.४४	३.३२	१६५२	२.७५	२.७६	८५.०८	१.६८
विहार	६.०४	१०.०३		१०.७६	६.६६	१३०.१६	६.१७
गुजरात	५.२६	४.८०		४.७८	७.११	३२३.५१	७.४३
जम्मू-काश्मीर	०.७३	२.२६	६५७	०.८३	—	—	—
केरल	३.५६	४.१६	२०८२	३.६९	१.८५	६१.०८	५.६५
मध्य-प्रदेश	६.४७	७.४०	२७०	७.५०	६.०५	१५५.१७	४.६२
मद्रास	८.३४	७.१८	६८४	७.८०	५.८१	२८५.३४	११.१३
महाराष्ट्र	१४.२८	८.२३	—	६.१६	८.६८	६३७.७७	१६.८७
मैसूर	५.१५	५.५१	२०८२	५.५६	३.६८	१००.१०	५.२१
नागालैंड	०.०७	२.२१	७०७	०.०६	०.०१	—	—
उड़ीसा	३.४०	४.८२	२६१८	४.०७	२.१२	८५.१०	२.५८
पंजाब	४.३६	४.८६	—	४.७०	७.४३	१७५.१६	५.०१
राजस्थान	३.६७	५.०६	६७३	४.६७	६.४०	६०.१०	३.१७
उत्तर-प्रदेश	१४.६०	१४.६८	६८५	१७.०८	१८.२३	१७१.८१	७.८३
पश्चिमी बंगाल	१०.६१	७.५१	—	८.०६	६.००	२८०.४०	११.६३
			१४०६१			३२५४.००	

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि माध, मैसूर और उत्तर-प्रदेश ने अपने राज्य कर्मचारियों के वेतन व मरहौगई भत्तों में वृद्धि की घोषणा जुलाई, १९६५ में की, इसलिए इस विलम्बित घोषणा के परिणामों को आयोग के सहायतानुदान के भूत अनुमानों में शामिल करना सम्भव नहीं था। अतः उसने अपने एक सदस्य प्रो० डी० जी० कर्वे को इन राज्यों के इन प्रतिरिक्त व्ययों का आयोग की अपनी कसौटी के अनुसार हिसाब लगाने का काम सौंपा और इन्होंने इन प्रतिरिक्त सहायता अनुदानों का अनुमान लगाया। उत्तर-प्रदेश के प्रतिरिक्त सहायतानुदान का हिसाब इन बातों के दृष्टि में रख कर लगाया गया था कि राज्य की चौथी योजना में अन्य प्रकार से १७०२ करोड़ रुपये बचत होगी।

(५) सम्पत्ति-कर का भाग—दृष्टि-भूमि को छोड़ कर शेष सम्पत्ति पर सम्पदा-शुल्क (मृत्यु-कर) के रूप में होने वाली नुन आमदनी का (केन्द्रशासित क्षेत्रों में होने वाली आमदनी को

छोड़कर) राज्यों में बाँटा जाने वाला हिस्सा १ प्रतिशत से बढ़ाकर २ प्रतिशत कर दिया गया है, परन्तु इसके बँटवारे के सिद्धान्त में कोई परिवर्तन नहीं सुझाया गया ।

(५) रेल-भाड़े के स्थान पर अनुदान—राज्यों को रेल विराये के टैक्स में से उनके हिस्से के बदले में दिया जाने वाला अनुदान अब भी क्षति-पूर्ति के सिद्धान्त पर उसी तरह आधारित रहेगा, जैसे इस टैक्स के हटाये जाने से पहले था । बँटवारे के प्रतिशत हिस्सों की सिफारिश कर दी गई है ।

(६) अतिरिक्त उत्पादन-करों में राज्यों का हिस्सा—राज्यों के विप्री-कर हटाकर इनके स्थान पर उत्पादन-शुल्क में जो वृद्धि की गई है, उससे प्राप्त अतिरिक्त आमदनी राज्यों को ही दी जायगी । राज्यों को यह भी गारण्टी दी गई है कि १९५६-५७ में इन जिन्तों (कपड़ा, तम्बाकू और चीनी) पर विप्री-कर से जो आमदनी उन्हें होती थी, वह उन्हें अवश्य मिलेगी । प्रायोग ने इसमें से १% केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए, १३% जम्मू-कश्मीर के लिए और ५ प्रतिशत नागालैण्ड के लिए रखा है । यह गारण्टीशुदा रकम ३८.५४ करोड़ रु० है । इस रकम से ज्यादा जो भी अतिरिक्त आमदनी इन वस्तुओं के उत्पादन वर से होगी, उसे जम्मू-कश्मीर व नागालैण्ड को छोड़ कर शेष राज्यों में उनकी विप्री-कर वसूली के अनुपात से बाँट दिया जायगा ।

(७) ग्रन्थ—प्रायोग ने राज्यों के सार्वजनिक ऋणों तथा राज्यों के केन्द्र के प्रति ऋणों के सम्बन्ध में भी आम सिफारिशों की हैं । बहुमत से स्वीकृत रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि राज्यों द्वारा जनता से जो ऋण लिया जाता है, इसके भुजाये जाने सम्बन्धी योजना के सिद्धान्तों का निर्धारण करने के लिए एक प्रतिनिधि विशेषज्ञ दल द्वारा शीघ्र ही जाँच कराई जाय ।

प्रायोग ने विभिन्न राज्यों के राजस्व आय और योजना-मित्र राजस्व-व्यय का विवरण दिया है । यह विवरण सन् १९६६-६७ से १९७०-७१ तक के ५ वर्षों के लिए है । इस विवरण में मूल-योजना-भिन्न राजस्व का अन्तर २४९२६ ६९ करोड़ रुपये पर कूना है । २१९०-६९ करोड़ रुपये तक की रकम केन्द्रीय करों तथा शुल्कों से पूर्ण कर ली जाएगी । इसमें वह अनुदान भी शामिल होगा जो रेलवे किराये पर टैक्सों के बढ़ने में राज्यों को दिया जाता है । यह टैक्स ६२.५० करोड़ रुपये हैं । इसके अतिरिक्त १० राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदानों की रकम ६०.९४५ करोड़ रुपये शामिल है । इसके फलस्वरूप ६ राज्यों में ३७३ ७३ करोड़ रुपये का अधिशेष रहेगा । इसका व्यौरा इस प्रकार है — बिहार ८९.२५ करोड़, गुजरात ८ करोड़, महाराष्ट्र २१५.६६ करोड़, पंजाब २९ ८३ करोड़, उत्तर-प्रदेश १७.०२ करोड़ और पश्चिमी बंगाल १३.९७ करोड़ ।

प्रायोग की सिफारिशों के, जो सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं, अनुसार केन्द्र से राज्यों को जो राशि दी जाएगी, वह चौथी योजना के दौरान में अतिरिक्त ७८० करोड़ रुपये तक होगी ।

प्रायोग ने सिफारिश की थी कि सचिवालय के अनुच्छेद २७५ के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा इस बँटवारे के बारे में अन्तिम आदेश जारी किए जाने से पूर्व यदि कोई राज्य अपनी कोई अतिरिक्त आवश्यकता बताये तो उस पर भी उक्त अनुच्छेद के अन्तर्गत विचार कर लिया जाए, परन्तु सरकार ने यह स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह इस आदेश को देर तक लटकाये नहीं रखना चाहती, इसलिए इन अतिरिक्त आवश्यकताओं को बाद में योजना के माध्यमों और केन्द्रीय सहायता का हिसाब लगाते हुए ध्यान में रख लिया जाएगा ।

अध्यक्ष तथा सदस्यों में से एक ने केन्द्र एवं राज्यों तथा वित्त आयोग और प्रायोजन प्रायोग के मध्य के सम्बन्ध में आम प्रश्नों की भी चर्चा की थी । इस सम्बन्ध में सरकार ने ऐसा

महसूस किया था कि इन प्रश्नों के मामले में तत्काल निर्णय लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और उन पर अभी विचार किया जाए जबकि आयोग की रिपोर्ट के मामले में आवश्यक कार्य-वाही सम्पन्न हो जाय। अध्यक्ष ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि "मेरे खाल में वह यत्न आ गया है, जबकि केन्द्र व राज्य के बीच के वित्तीय सम्बन्धों की समीक्षा की जानी चाहिए—लास-तौर से आयोजन आयोग की स्थापना को दृष्टि में रखते हुए। यह समीक्षा एक ऐसे विशेष आयोग द्वारा की जानी चाहिए, जो विगत में उठी अनेक समस्याओं तथा भविष्य में उठने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी रखता हो।" उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि आयोजन-आयोग सरकार से स्वतन्त्र एक कानूनी सस्था बना दी जानी चाहिए। इसके अलावा सविधान में सघ-कर वित्त-आयोग तथा आयोजन-आयोग के कार्यों के बारे में स्पष्ट रूप से व्याख्या कर देनी चाहिए।

पाँचवाँ वित्त-आयोग

सगातार विकास योजना के क्रियान्वयन के बाद भी आज प्रत्येक राज्य आत्मनिर्भर एवं स्वावलम्बी होने के बजाय ऋणग्रस्तता एवं परावलम्बन में जकड़ा हुआ है। १९६१ में राज्यों पर कुल ऋण २,७३७ करोड़ रु० था जो १९६६ में ७,०३२ करोड़ रु० हो जायेगा। आन्तरिक साधनों के दोहन के मामले में भी राज्य लगभग चरम सीमा पर पहुँच गये हैं। उनकी आय १९६१ में १,०७३.५ करोड़ रु० से बढ़कर १९६६ में २,६०४.६ करोड़ रु० तक पहुँच गई। इस पर भी राज्यों के बजट में गम्भीर असंतुलन की स्थिति है। १९६५-६६ की तुलना से १९६६-६७ में प्रथमतीय सुधार हुआ किन्तु १९६७-६८ और १९६८-६९ में स्थिति उसी अनुपात में विघटन हुई। लगातार असंतुलन और घाटे की वित्त-व्यवस्था की खाई को पाटने के लिये राज्य अभी तक रिजर्व बैंक से भोवर-ड्राफ्ट लेते रहे हैं। पाँचवें वित्त आयोग की, जिसकी नियुक्ति श्री महावीर त्यागी की अध्यक्षता में हुई है, इस समस्या के समाधान का भार सौंप गया। आयोग ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट (१९६८) में निम्न सुझाव दिये हैं :—

(१) राज्यों द्वारा रिजर्व बैंक से अपनी निर्धारित रकम से अधिक रकम भोवर-ड्राफ्ट द्वारा निवाले की प्रथा चलि निन्दनीय और अनुचित है तथा इस पर प्रतिबन्ध लगाय जाने चाहिये।

(२) राज्यों की अनुशासन में रहना चाहिये और अपने साधना के अनुसार ही खर्च करना चाहिये, तथा घाटे की वित्त-व्यवस्था नहीं अपनानी चाहिये।

(३) राज्यों की अपनी योजनायें अपने आन्तरिक साधनों और केन्द्रीय सहायता के अनुरूप बनानी चाहिये।

(४) अनुत्पादक व्यय और प्रशासकीय व्यय में कमी करके राज्यों को अपने बजट को संतुलित बनाना चाहिये।

(५) सविधान के परिच्छेद २७५ के अन्तर्गत राज्यों को केन्द्र ने १९६८-६९ में ५८१.३५ करोड़ रु० की सहायता दी थी, जिसे वित्त आयोग ने १९६६-७० के लिये बढ़ाकर ६७२.२८ करोड़ रु० कर दिया है।

(६) सम्पदा-शुल्क, आय-कर तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क के वितरण की व्यवस्था अपरिवर्तित रखी गई है।

(७) यात्री भाडे के बढ़ते में जो अनुदान दिया जाता है। उसके सिद्धान्त में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है किन्तु राज्य में रेलवे लाइन की लम्बाई के आधार पर प्राप्त आय में राज्य के हिस्से में थोड़ा हेर-फेर किया गया है एवं इसके लिये १९६६-६७ की आयदनी की आधार माना गया है।

(८) अधिकतर पिछड़े हुए राज्य आय-कर के बँटवारे की साझी राशि बढ़ाने के पक्ष

मे नहीं हैं क्योंकि इससे पिछड़े राज्यों के वजाय समृद्ध राज्यों को अधिक लाभ होना है। अन्त-
 चीथे वित्त आयोग का '८०% जन-संख्या के आधार पर और २०% कुल राशि के एकत्रीकरण
 के आधार पर वितरण' का सिद्धान्त इस आयोग को भी मान्य है।

आयोग ने राज्यों के करो एवं शुल्कों की रकमों के हिस्से बढ़ा दिये हैं तथा १९६६-७०
 के लिये राज्यों को कुल १७६.८१ करोड़ ६० के अनुदान देना निश्चित किया है।

इस प्रकार पाँचवें वित्त आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्यों को अब तक जो
 राशि दी जाती रही थी कम थी तथा उन्हें अधिक राशि देना अनिवार्य है। स.स. १९६६-७० के लिये दी
 गई राशि गत वर्ष की अपेक्षा अधिक है। यद्यपि वे राज्यों को अधिक मकड़ से मुक्ति दिलाने के
 लिए अधिक-अधिक धन दिया जाना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और उन्हें शोषण-द्रोह
 आदि लेने की विवश न होना पड़े। इस दृष्टि से कुछ सुझाव निम्न प्रकार दिये जा सकते हैं :—

(i) राज्यों को दिये जाने वाले करो के अंश में वृद्धि की जाय; (ii) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क के
 वर्तमान अंशदान २०% को बढ़ाकर ७५% किया जाय, (iii) राज्यों की निगम-व.र और तट-व.र
 में से भी हिस्सा दिया जाय, (iv) राज्यों को अनुदान अभी तक परले वित्त आयोग की सिफारिशों
 के अनुसार ही दिया जा रहा है, जिसमें यथोचित वृद्धि करनी चाहिये, एवं (v) राज्यों को अपने
 प्रशासकीय और अनुसंधान व्ययों को घटाने पर बाध्य किया जाय।

उपसंहार—चौथे आम चुनाव के पश्चात् दश ब बड़े राज्या म विराधी दलों ने सर-
 कारें बनाई हैं और उनके राजनैतिक व आर्थिक वायधम केन्द्र में सत्ताहृद दल में भिन्न है। अन्त
 राज्यों और केन्द्र के मध्य विशेष सौहार्द बनाये रखने के लिये विशेष प्रयत्न करने होंगे। आशा
 है कि पाँचवाँ वित्त आयोग अपनी अन्तिम रिपोर्ट में इस दशा में स्थायी समाधान प्रस्तुत कर सकेगा।

करारोपण जाँच आयोग

इस आयोग की नियुक्ति सन् १९५३ में ३१० ज्ञान सभाई व अष्टाधना मे की गई थी।
 आयोग की रिपोर्ट सन् १९५५ में प्रकाशित हुई थी। उसमें पता लगाया कि हमारी राष्ट्रीय शासन-
 प्रणाली में राज्य सरकारों का वित्तीय दृष्टिकोण से भारी महत्त्व है। उनका विचार था कि
 पिछले २०-३० वर्षों में कर-आगम में कोई विशेष वास्तविक वृद्धि नहीं हुई है, यद्यपि करारोपण
 द्वारा आय के वितरण की स्थिति में परिवर्तन अवश्य हुआ है। राष्ट्रीय सरकार की तुलना में राज्य
 और स्थानीय सरकारों की आय कम तेजी से साथ बढ़ी है। दूसरे महायुद्ध के पश्चात् राज्य सर-
 कारों की आय में लोच की प्रवृत्ति अधिक बलशाली हो गई है। आयोग ने यह भी पता लगाया
 कि इस समय केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच का पुराना वित्तीय द्वेष समाप्त हो चुका है और
 दोनों एक-दूसरे के अनुपूरक के रूप में कार्य करने लगे हैं। आयोग की प्रमुख सिफारिशें निम्न
 प्रकार की हैं—(i) प्रत्यक्ष करो को अधिक प्रगामी तथा विस्तृत बनाया जाय जिससे उनका आधार
 अधिक ग्यायपूर्ण हो सके। (ii) अच्यो कर प्रणाली वह होगी जिसमें विनियोग के स्थान पर
 उपयोग में लाने की प्रवृत्ति हो, परन्तु उपयोग की यह सभी निर्धन वर्गों की अपेक्षा धनी
 वर्गों में अधिक होनी चाहिए। (iii) वर्तमान दशा में आवश्यक वस्तुओं पर से कर हटाना उपयुक्त
 न होगा। (iv) करदान-क्षमता इस बात पर निर्भर होती है कि अनिश्चित करो से प्राप्त उपज
 का किस प्रकार व्यय किया जाता है। (v) वर्तमान कर प्रणाली देश के करारोपण साधनों का
 पूर्ण उपयोग नहीं कर पाई है। (vi) वर्गों की उपज को बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष करो में परीक्ष
 करो की अपेक्षा अधिक वृद्धि करने की आवश्यकता पड़ेगी। (vii) एक अखिल भारतीय कर-
 रोपण परिषद् (Taxation Council) की स्थापना होनी चाहिए, जिससे कि विभिन्न राज्यों और
 सघ के बीच कर-नीति और कर-शासन का समन्वय (Co-ordination) स्थापित हो सके। (viii)
 भारतीय लोक-व्यय की हितकारी प्रवृत्तियों बढ़ रही हैं, परन्तु इसमें मितव्ययिता तथा कुशलता की

वृद्धि इतनी स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है। (ix) विकास योजनाओं के अर्थ-प्रबन्ध के लिए तथा हीनार्थ प्रबन्धन की आवश्यकता को कम करने के लिए करारोपण तथा लोक-श्रृणो का विस्तार अति आवश्यक है। (x) भारत में गभरव नीति के फलस्वरूप आय के वितरण की प्रगमानताओं को उम समय तक कम करना सम्भव नहीं है जब तक लोक-प्राप्त और लोक-व्यय वा राष्ट्रीय आय में अनुपात इतना कम रहेगा जितना कि इस समय है।

उपसंहार--केन्द्र और राज्यों में सार्वजनिक व्यय तथा कर ढाँचे का अध्ययन करने के लिये एक जाँच आयोग की नियुक्ति का सुझाव दिया गया है। यह सुझाव चार्टर्ड ब्राउण्टेट संस्थान परिषद् ने सरकार के समक्ष रखा है। सुझाव दिया गया है कि इस आयोग में विशेषज्ञ ग्ये जायें और इसे पर्याप्त अधिकार दिये जायें, आयोग को सरकार के माधनो तथा देश की अर्थ-व्यवस्था का भी अध्ययन करना चाहिए। साथ ही उसे आवश्यक सुझाव भी देने चाहिए, जो प्राणामी वर्षों में त्रियान्वित हो सकें। ये सुझाव परिषद् द्वारा हाल में वित्त मन्त्रालय को भेजे गये एक स्मरण-पत्र में दिये गये हैं।

परिषद् के अनुसार सार्वजनिक व्यय वा ढाँचा ऐसा बन गया है कि उसका सही तथा आलोचनात्मक सर्वेक्षण जरूरी हो गया है। परिषद् के अनुसार देश की योजनाओं को देखते हुए इनके लिये माधनो की व्यवस्था करने के साथ ही यह भी जरूरी है कि सार्वजनिक व्यय तथा कर-व्यवस्था के सारे ढाँचे पर पुनर्विचार किया जाय।

स्मरण रहे कि इससे पहले देश की कर-व्यवस्था की विस्तृत जाँच-पड़ताल जाँच आयोग द्वारा १९५४ में की गई थी, तब से अर्थ-व्यवस्था में सुधार के लिए उल्लेखनीय प्रयास किये जा चुके हैं, कई कर लागू किये गये और १९२२ के आय-कर कानून की जगह १९६१ का आय-कर कानून लागू हुआ। परिषद् के अनुसार कर जाँच आयोग की रिपोर्ट के बाद कई विभिन्न कदम उठाये जाने के बाद भी कार्यभर और कार्य में समन्वय नहीं रहा। केन्द्रीय सरकार के कर गैर-व्यय क्षेत्र पर ही लागू हुए और राज्यों ने अपने क्षेत्र में कर निर्धारण के सम्बन्ध में कर जाँच आयोग द्वारा दिये गये सुझावों को पूरी तरह क्रियान्वित नहीं किया। राज्य सरकारें विभिन्न माधनो के लिए केन्द्र पर ही आश्रित रही और केन्द्र की बकाया धनराशि को वापस करने के बजाय हर मौके पर अधिक धनराशि की माँग करती रही।

परिषद् ने सरकार से कहा है कि वह कर तथा अर्थव्यवस्था के सर्वेक्षण के लिए अपनी सेवायें प्रस्तुत करने को तैयार है।

परीक्षा प्रश्न :

1. हमारे देश में राजकीय आय के माधन केन्द्रीय व राज्य सरकारों के बीच किस प्रकार विभाजित है? क्या यह विभाजन सन्तोषप्रद है?
2. आधुनिक वर्षों में भारतीय कर-प्रणाली में जो प्रमुख परिवर्तन किये गये हैं उनका सक्षिप्त विवेचन करिये।
3. चतुर्थ वित्त आयोगों की सिफारिशों पर प्रकाश डालिये।
4. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच वर्तमान वित्तीय सम्बन्धों वा उल्लेख कीजिये।

भारत में संघीय अर्थ-प्रवन्ध की मुख्य प्रवृत्तियाँ

(The Main Trends of Federal Finance in India)

प्रारम्भिक—

अध्ययन की सुविधा के लिए भाग्य सरकार के अर्थ-प्रवन्ध को दो भागों में बाँटा जा सकता है— लोक-व्यय और लोक-प्राप्त्य।

भारत में लोक-व्यय

भारत में लोक-व्यय का अध्ययन स्पष्ट रूप में यह दिवाता है कि २०वीं शताब्दी में यह निरन्तर बढ़ता जा रहा है। दूसरे महायुद्ध के काल में तो व्यय का बढ़ना स्वाभाविक ही था, परन्तु युद्धोत्तर काल में भी इसमें बराबर वृद्धि हुई है। व्यय के इस प्रकार बढ़ते रहने के प्रत्येक कारण हैं। प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं—(i) भारत और चीन व पाकिस्तान के बीच खिचाव बराबर बना हुआ है। इसके अतिरिक्त, समार की राजनीतिक स्थिति की अनिश्चितता ने भारत सरकार को रक्षा आदि पर अधिक व्यय के लिए बाध्य किया है। (ii) मुद्रा-स्थिति के कारण बढ़ती हुई कीमतों ने व्यय को बढ़ाया है। (iii) आन्तरिक उपद्रवों (जैसे—काश्मीर तथा हैदराबाद की पुलिस कार्यवाहियों) के कारण भी व्यय बढ़ा। (iv) देश की स्वतन्त्रता के पश्चात् दूतावासों तथा विदेशों के वाणिज्यिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करने पर काफी व्यय होने लगा है। (v) पाकिस्तान से आने वाले लोगों के पुनर्वास ने व्यय में वृद्धि की है। (vi) छायाप्र को मत्ते दामों पर बेचने के लिए भाग्य सरकार ने जो आर्थिक सहायता (Subsidy) दी है; उसके कारण भी व्यय बढ़ा है। (vii) देश में सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय निर्माण सेवाओं का विकास बराबर उन्नति करना गया है। (viii) देश में पंच-वर्षीय योजनाएँ लागू की गई हैं। आर्थिक नियोजन की नीति ने विकास व्यय में भारी वृद्धि की है। (ix) सन् १९६२ में चीन के और १९६५ में पाकिस्तान के आक्रमण ने हमारे लिए यह आवश्यक बना दिया है कि रक्षा-व्यय में अत्यधिक वृद्धि की जाय।

(१) रक्षा-व्यय—

भारत के लोक-व्यय में रक्षा-व्यय का आरम्भ से ही ऊँचा स्थान रहा है। २०वीं शताब्दी में इस व्यय की मात्रा तथा इसका कुल व्यय से प्रतिशत दोनों निरन्तर बढ़ते गये हैं। १९०० में रक्षा पर केवल २४६ करोड़ रुपये का व्यय किया जाता था। दूसरे महायुद्ध के काल में यह एक बार ३९५४९ करोड़ रुपये तक पहुँच गया था। सन् १९६२-६३ के बजट में आरम्भ में रक्षा पर २८२९२ करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई थी। यह व्यय ऊँचा ही था और पाकिस्तान की विरोधी नीति के कारण सरकार इस व्यय में और अधिक नगी नहीं कर पा रही थी, किन्तु प्रकटकर सन् १९६२ में चीनी आक्रमण के कारण व्यय में वृद्धि आवश्यक हो गई। हाल में पाकिस्तान के आक्रमण के पश्चात् रक्षा-व्यय में वृद्धि करना और भी आवश्यक हो गया है।

अनुभव से पता चला है कि हमारी सैनिक तैयारी बहुत पीछे है और हमें तेजी के साथ

भाग्य बढ़ना है। इसमें तो सन्देह नहीं है कि इस बुरे काल में अनेक मित्र देशों ने हमारी सहायता की है, परन्तु स्वयं देशवासियों के लिए रक्षा-व्यय में भारी योग देने की भावप्रवृत्ति है और उन्होंने दिया भी है। साथ ही यह भी स्मरणीय है कि पाकिस्तान पुनः अपनी लोई हुई सैनिक शक्ति को सुदृढ़ करने में व्यस्त है। ऊँचे रक्षा व्यय का परिणाम यह होता है कि राष्ट्रीय निर्माण सेवाओं तथा सामाजिक सुरक्षा सेवाओं के लिए धन कम बचता है, किन्तु जब तक ससार की राजनीतिक दशा अनिश्चित रहेगी और पाकिस्तान व चीन के साथ लिबाह बना रहेगा, हम अपने रक्षा-व्यय को कम नहीं कर सकते हैं।

महँगाई भत्ता और सामान बदलने में अधिक व्यय के कारण १९६६-७० के वज्र अनुमानों के अनुसार रक्षा-व्यय ६८५.७८ करोड़ रु० रखा गया। इस तरह १९६७-६८ के मुकाबिले ६० करोड़ और १९६८-६९ के मुकाबले में ४२ करोड़ रु० की वृद्धि हुई है। इन अनुमानों में पेशन तथा पूँजी की मद में वृद्धि भी सम्मिलित है। सीमावर्ती सड़कों के लिए व्यवस्था रखी गयी है। हमारे रक्षा-निर्व्यय की लागत के अनुसूच परिणाम पाने में काफी सुधार हुआ है और अन्य उपायों पर विचार किया जा रहा है। हाल में कीमतों की अत्यधिक वृद्धि होने के कारण रक्षा-व्यय में भी कुछ वृद्धि होना अनिवार्य था। किन्तु सम्पूर्ण राष्ट्रीय उत्पादन के प्रतिशत अनुपात में रक्षा-व्यय पहले ही, १९६३-६४ के ४.४ प्रतिशत से घटकर १९६७-६८ के अनुमान के अनुसार ३.२ प्रतिशत पर आ गया है।

(२) आगम पर प्रत्यक्ष माँग—

आगम पर प्रत्यक्ष माँग का अभिप्राय उस व्यय से होता है जो विभिन्न प्रकार के करों के एकत्रण पर किया जाता है। सन् १९५३-५४ में इस प्रकार का व्यय कुल कर आगम का ७% हुआ और १९६६-७० में लगभग १.७ प्रतिशत रह गया। किन्तु कुल राशि के रूप में इस व्यय में निरन्तर वृद्धि हो रही है। १९६४-६५ में यह २६३० करोड़ रु० से बढ़ कर १९६५-६६ में २९.६४ करोड़ रु०, १९६६-६७ में ३२.२० करोड़ रु०, १९६७-६८ में ३५.२० करोड़ रु०, १९६८-६९ (संशोधित) में ४०.११ करोड़ रु० और १९६९-७० (वज्र अनुमान) ४४.५६ करोड़ रु० हो गया। इस वृद्धि के दो मुख्य कारण हैं :—एक और तो खय कर-आगम में वृद्धि हुई है और दूसरी और बहुत से नये कर लगाये गये हैं, जिन पर आरम्भ में एकत्रण व्यय का प्रतिशत ऊँचा रहता है। विशुद्ध राजस्व की दृष्टि से इस व्यय का बढ़ना अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि इससे राजस्व प्रणाली की मितव्ययिता समाप्त हो जाती है। भ.रा सरकार की राजस्व नीति की एक महत्वपूर्ण घासोचना इस व्यय की वृद्धि है, परन्तु इन सम्बन्ध में यह कहना असंगत न होगा कि वृद्धि अधिक नहीं है विशेषतया जबकि भारत सरकार ने अनेक नये कर लगाये हैं। सत्य यह है कि करारोपण आय के विस्तार के साथ प्रतिशत रूप में इस व्यय का घटना स्वाभाविक ही था। फिर भी भारत सरकार के लिये हमें बर्मी करना ही एक उपयुक्त नीति होगी।

(३) ऋण-सेवाओं पर व्यय—

ऋण-सेवाओं पर व्यय काफी होता है। सरकार की साधारण लोक ऋण, निश्चित-कालीन ऋण तथा अन्य ऋणों पर व्याज देना पड़ता है और ऋण को कम करने तथा ऋण से बचने पर भी व्यय करना पड़ता है। १९४२-४३ में इस शीर्षक का शुद्ध व्यय केवल ६६७ करोड़ रुपया था। १९५०-५१ में ३७३६ करोड़ रुपये से ऋण-सेवा-व्यय बढ़कर १९५५-५६ में ४३.१४ करोड़ रुपये, १९६०-६१ में ७७.०६ करोड़ रु०, १९६८-६९ में ५२७.६६ करोड़ रु० हो गये। १९६६-७० के वज्र में इनके लिये ५६८.८२ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई थी।

विगत वर्षों में व्यय निरन्तर बढ़ रहा है। इस व्यय के बढ़ने का प्रमुख कारण दूसरे महायुद्ध के काल में लिये हुए लोक-ऋण हैं। राष्ट्रीय सरकार आर्थिक विनाम योजनाओं को सफल बनाने के लिये और भी अधिक मात्रा में ऋण ले रही है। भविष्य में इस व्यय के और भी बढ़ने की आशा है। इस व्यय के बढ़ने को बुरा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह तो एक प्रकार से वह कीमत है जो भारत सरकार और कर्नाट देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए चुका रहे हैं।

(४) नागरिक शासन—

व्यय का एक महत्वपूर्ण शीर्षक नागरिक शासन है। इस प्रकार का व्यय १९४२-४३ में केवल १६ ७६ करोड़ रुपया था। देश की स्वतन्त्रता के पश्चात् इसमें भारी वृद्धि हुई है। भारत में नागरिक शासन पर व्यय अधिक ऊँचा है और ऐसा प्रतीत होता है कि स्वतन्त्रता के पश्चात् इस प्रकार के व्यय की वृद्धि को रोकने का कोई प्रयत्न भी नहीं किया गया है। सेवाओं की दोषारगी और अनावश्यक व्यय पर किसी भी प्रकार का नियन्त्रण नहीं है। कंगरोपण जब आयोग के मतानुसार इस दिशा में मितव्ययिता तथा अनावश्यक को मिटाने की भारी आवश्यकता है। १९५०-५१ में यह व्यय २१ २६ करोड़ ₹०, १९५५-५६ में ३३ ३७ करोड़ ₹०, १९६०-६१ में ५० ६६ करोड़ ₹० और १९६५-६६ में ६२ ०१ करोड़ ₹० हुआ। १९६६ ७० में १६४ ८३ करोड़ ₹० (बजट) था।

उपरोक्त आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में यह व्यय क्रमशः बढ़ रहा है। साधारण अनुभव भी यही बताता है कि वैज्ञानिक सेवाओं का विस्तार अधिक तेजी से किया जा रहा है, परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि इस व्यय के बढ़ने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि भारत सरकार के कर्मचारियों के वेतनों और भत्तों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके दो प्रमुख कारण हैं—प्रथम, सरकार सभी स्तर के कर्मचारियों के वेतन-क्रम में वृद्धि करती जा रही है और दूसरे, बढती हुई महँगाई के कारण वेतन और भत्तों में वृद्धि आवश्यक हो गई है। आलोचना केवल यह है कि प्रशासकीय सेवाओं की कुशलता में वृद्धि नहीं हुई है और सरकार इन सेवाओं के अनावश्यक विकास तथा उनकी दोषारगी को रोकने में असमर्थ रही है। प्रशासकीय सुधार आयोग ने इस दिशा में मितव्ययिता पर विशेष बल दिया है।

(५) सामाजिक एवं विकास सेवाएँ—

इस शीर्षक में निम्न का समावेश है—सिंचाई एक बहुमुखी नदी योजनाएँ, बन्दरगाह प्रवाणशुद्ध, विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, पशु सम्पत्ति, सहकारिता, उद्योग, हवाई सेवा प्रसारण, नागरिक निर्माण, विद्युत्, सामुदायिक विकास, श्रम एवं नियोजन आदि। स्वतन्त्रता के पश्चात् इस व्यय में निरन्तर वृद्धि होती गई है, जो सामाजिक और कल्याणकारी प्रगति की सूचक है। १९५०-५१ में इस शीर्षक पर व्यय केवल ३६ ५० करोड़ ₹० था, किन्तु १९६६-७० के बजट में २७२ ३३ करोड़ ₹० की व्यवस्था थी (बहुमुखी नदी योजनाओं के लिए व्यय ३७ ६३ करोड़ ₹० अलग से है)।

(६) मुद्रा और टफसाल का व्यय—

मुद्रा और टफसाल का व्यय भी महत्वपूर्ण नहीं है। बात यह है कि यह सरकार की आय का शीर्षक भी है, परन्तु आय को सकल (Gross) रूप में दिखाया जाता है, अर्थात्, आय और व्यय दोनों की कुल मात्राएँ अलग-अलग दिखाई जाती हैं। १९६३-६४ के बजट में इस मद पर कुल आय ५७ ३७ करोड़ रुपया और इस पर किये गये व्यय की मात्रा १६ ७६ करोड़ रुपया थी। इस प्रकार, १९६४-६५ के बजट में इस मद से कुल ५२ ११ करोड़ ₹० की प्राप्ति का और १५ ६३ करोड़ ₹० के सर्वे का अनुमान था। इससे यह स्पष्ट हो जायगा कि सामान्यतया इस

घोर कर-भ्रम-आगम । दोनों प्रकार की आगम के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि आगम के दृष्टिकोण से कर आगम का महत्त्व बराबर बढ़ रहा है ।

(I) कर-आगम—

विभिन्न वर्षों में कर-आगम कुल-आगम का ८०% से लेकर ६२% तक रही है, यद्यपि इसमें कभी-कभी परिवर्तन होते रहे हैं ।

(१) निरक्राम्य कर (Customs)—ये कर देश में आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाये जाते हैं । स्पष्टतः इनसे प्राप्त आय देश के आयात-निर्यात व्यापार के परिमाण, मूल्य एवं सरक्षण की आवश्यकतानुसार परिवर्तित होती रहती है । भूतकाल में ये कर केन्द्रीय सरकार की कर-आगम (Tax Revenue) के प्रमुख साधन रहे हैं । इनसे प्राप्त आय १९४२-४३ में २५ करोड़ से बढ़कर १९५०-५१ में १५७ १५ करोड़, १९६०-६१ में १७००३ करोड़ रु० और १९६५-६६ में ५३८ ६७ करोड़ रु० हो गई । इसकी वृद्धि का सबसे पहला कारण तो यह है कि विदेशी व्यापार पर अनेक प्रतिबन्ध लगाये गये । दूसरे, लड़ाई के उपरान्त व्यापार की मात्रा में भी काफी वृद्धि हुई । तीसरे, औद्योगिक विकास के लिए व्यापार प्रतिबन्ध की सामान्य नीति अपनाई गई । १९६८-६९ में निरक्राम्य करों से आय प्राप्त ४४५ करोड़ रु० हो गई और १९६९-७० के लिए बजट-अनुमान ४३५ करोड़ रु० का है ।

(२) आय-कर (Income-Tax)—इस समय भारत सरकार की आय के महत्त्वपूर्ण साधनों में आय-कर भी एक है । कालान्तर में इस सूत्र से प्राप्त आय बराबर बढ़ती गई है । १९४२-४३ में इससे केवल ७५ करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई थी, जो १९५०-५१ में ३३३ करोड़ रुपये, १९६०-६१ में १६७ ३८ करोड़ रु०, १९६८-६९ में ३३८ करोड़ रु० तक पहुँच गई । १९६८-६९ में वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों को दिया गया आय-कर का भाग १९४५१ करोड़ रु० था । १९६९ ७० के लिए आय-कर से केन्द्रीय सरकार को ३६२.३० करोड़ रु० प्राप्त होने का अनुमान है । १९६३-६४, १९६७-६८, १९६८-६९ और अब १९७०-७१ के बजट में आय-कर सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गये ।

उत्पादकता के दृष्टिकोण से निरक्राम्य और उत्पादन बरों के पश्चात् इसी का नम्बर आता है, यद्यपि यदि प्रमण्डल कर को भी सम्मिलित कर दिया जाय तो इसका स्थान सबसे ऊँचा रहता है । अभी हाल में सभी आय-सूत्रों के लिए कर की दरों में कमी कर दी गई है । व्यक्तियों के लिए छूट की सीमा १९७०-७१ के बजट में ५,००० रु० रखी गई है । अनिवार्य बचत प्रणाली में भी परिवर्तन किया गया है । स्मरण रहे कि इस कर से प्राप्त शुद्ध आय का ७५% सहाय सरकार राज्य सरकारों में बाँट देनी है ।

भारतीय आय-कर की प्रमुख विशेषतायें निम्न प्रकार हैं :—(i) यह कर केवल शुद्ध आय पर लगाया जाता है, अर्थात् भ्रम में से उसके उत्पन्न करने का व्यय घटा दिया जाता है । (ii) कर केवल आय के नियमित प्रवाह पर ही लगाया जाता है । आकस्मिक तथा अनियमित आय को आय में नहीं जोड़ा जाता है । (iii) कर आरतवासियों को ही देना पड़ता है । विदेशी अपनी आय के केवल उस भाग पर कर देते हैं जो भारत में उत्पन्न की गई है । (iv) कर के लिये छूट की सीमा (१९७०-७१ के बजट में) ५,००० रुपया रखी गई है ।¹ इससे कम वार्षिक आय कर-मुक्त होती है । कर एक मुक्त प्रणाली कर है, जिनकी दर आय की प्रत्येक वृद्धि के साथ बढ़ती जाती है । दरों के निर्धारण में परत प्रणाली (Slab System) को अपनाया गया है ।

¹ विभिन्न परिस्थितियों में, जैसे—एकाकी व्यक्ति, विवाहित, समुक्त परिवार, वध्वों की सख्या आदि पर भी यह निर्भर करनी है या इसमें अन्तर हो सकता है ।

उत्पादन करो के लगाने के दो प्रमुख उद्देश्य होते हैं—प्रथम, सरकार के लिए धन प्राप्त करना और दूसरे, देश में उत्पादन के नियन्त्रण द्वारा उपभोग पर नियन्त्रण रखना। भारत में इस कर का इन दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपभोग किया जाता है, परन्तु आय प्राप्त करने का उद्देश्य अधिक महत्त्वपूर्ण रहता है। यही कारण है कि इस कर के परोक्ष और कुछ अंश तक अन्वयपूर्ण होते हुए भी सच्च उत्पादन करो का निरन्तर विस्तार होता जा रहा है। लगभग प्रत्येक अगले वजट में कुछ नई वस्तुओं पर उत्पादन कर लगा दिये जाते हैं। इन करो के पक्ष में अनेक तर्क दिये जाते हैं—(i) ये कर परोक्ष कर हैं इसलिए अधिक असन्तोष उत्पन्न नहीं करते। (ii) ये कर वरारोपित वस्तुओं की कीमतों की वृद्धि के रूप में छोटी छोटी किस्तों में चुकाये जाते हैं इसलिए सुविधाजनक होते हैं। (iii) इन करो को विलास की वस्तुओं तथा कम महत्त्वपूर्ण वस्तुओं पर लगाकर अथवा ऐसे करो की दरें ऊँची रख कर कुछ अंश तक न्यायशीलता भी प्राप्त की जा सकती है। (iv) इनसे हानिकारक वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग को रोका जा सकता है। अन्त में ये कर उत्पादक हैं क्योंकि इनसे भारत सरकार की आय का विशाल भाग प्राप्त होता है।

किन्तु, इन करो के विरुद्ध बहुत कुछ कहा जा सकता है —(i) ये कर अन्वयपूर्ण हैं क्योंकि इनका समाज के निर्धन वर्गों पर अधिक भार पड़ता है। इन करो में प्रगामी दरें भी लागू नहीं की जा सकती हैं। (ii) ये कर देश में उत्पादन को हतोत्साहित करते हैं, इसलिए इनका उत्पादन और रोजगार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार ये आर्थिक विकास में बाधाक होते हैं। (iii) ये कर मुद्रा-प्रसार की प्रवृत्ति रखते हैं क्योंकि इनसे वरारोपित वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। (iv) इन करो में लालच और लचक दानों का अभाव होता है। दरों की वृद्धि से वरारोपित वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं और उनकी माँग घटती है जिससे कर से प्राप्त आय के बढ़ने के स्थान पर उल्टी घटने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है। (v) इस प्रकार के कर जनता में प्रजातन्त्रीय भावना और जागरूकता उत्पन्न नहीं करते हैं।

(४) निगम कर (Corporation Tax)—यह कर इनके वर्तमान रूप में सन् १९३६ से लागू है। सभी भारतीय कम्पनियों को व्यक्तियों की भाँति अपनी आय पर निर्धारित दरों में कर देना पड़ता है। प्रमण्डल कर कम्पनी के सञ्चालकों को कुल शुद्ध लाभ में से किसी प्रकार का लाभाना काटे बिना नवप्रथम देना होता है। यह आय १९६६-६६ में ३२२ करोड़ ६० थी। सन् १९६६-७० के वजट में इस शोधक से आय का अनुमान ३२६२० करोड़ रूपाया था।

(५) धन पर कर (The Wealth Tax)—इस कर का प्रस्ताव प्रथम बार सन् १९५७-५८ के वजट में रखा गया था और यह कर अप्रैल सन् १९५७ से लागू है। इस कर को व्यक्तियों, सम्मिलित परिवारों तथा कम्पनियों सभी की पूँजी पर लगाया गया है। उपरोक्त तीनों वर्गों के लिए छूट की अलग अलग सीमाएँ रखी गई हैं। प्रत्येक वजट में इन कर सम्बन्धी छूट की मात्रा में प्रायः परिवर्तन ही जाता है।

निम्न प्रकार की सम्पत्ति को कर-मुक्त रखा गया है —(i) कुपि सम्पत्ति, (ii) धन अथवा दान देने वाले ट्रस्टों की सम्पत्ति, (iii) कला की वस्तुएँ, (iv) प्राचीन संग्रह, यदि वे बेचने के लिए जमा नहीं किए हैं, (v) बीमा पॉलिसी तथा स्वीडन प्रावधान कोष (Provident Fund) में जमा धन, (vi) व्यक्तिगत फर्निचर, कार, यदि उनकी कीमत २५,००० रुपये से ऊपर नहीं है, (vii) पुस्तकें, हस्तलिखित आदि, यदि वे बेचने के उद्देश्य से जमा नहीं की गई हैं, (viii) भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों का वह धन जो विदेशों में स्थित है, इत्यादि।

इस कर को वित्तमन्त्री ने अनेक कारणों से उचित बताया था :—(i) यह कर आय

के छिपाने की सम्भावना धराकर अपवचन को कम करेगा, (ii) धाय के नियंत्रण की असमानताओं को कम करेगा, और (iii) देश को गमागवाद को घोर से जाएगा, किन्तु व्यवहार में कर ने सरकार को थोड़ी-सी धाय प्रदान करने के अनिश्चित कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं किया है। १९६९-७० में इस शीर्षक में धाय १२ करोड़ ६० होने का अनुमान है।

(६) व्यय पर कर (Expenditure Tax)—इस पर का प्रस्ताव १९५७-५८ के बजट में रखा गया था, परन्तु इसे अप्रैल सन् १९५८ में लागू किया गया। यह कर समार के किसी दूसरे देश में नहीं है और हमारे देश में इसे प्रो० कालडोर (Nicholas Kaldor) की सिफारिश पर लगाया गया था। वित्तमन्त्री ने यह स्वीकार किया था कि यदि कर समुचित रीति से लगाया गया तो यह विप्लववर्धकों को गैरकर्म बचत को प्रोत्साहन देगा। यह कर केवल उन व्यक्तियों तथा सम्मिलित परिवारों पर (कम्पनियों का व्यय कर-मुक्त रहेगा) लगाया गया जिनकी धाय आय-कर के लिए ६०,००० रु० से कम नहीं है। व्यक्ति केवल उसी दशा में कर देने के योग्य समझा जाता था जबकि गत वर्ष की उसकी धाय सभी प्रकार के आय-कर को निकाल कर ३६,००० रुपये से ऊपर हो। अनुमान था कि देश में लगभग ४,५०० व्यक्ति और १,५०० सम्मिलित हिन्दू परिवार इसकी सीमा में आयेंगे। छूट की सीमा परिवार के आकार पर निर्भर रही गई थी। व्यक्ति तथा पत्नी के २४,००० रुपये तक प्रत्येक बच्चे के लिए ५,००० रुपये के व्यय पर कर की छूट दी गई थी। व्यय पर प्रणामी दरों में कर लगाया गया और व्यय की प्रत्येक वृद्धि के साथ कर की दर बढ़ाई गई।

इस कर का उद्देश्य कर-पद्धति में समानता लाना और हर प्रकार के कर अपवचन को पकड़ना था। जो लोग आय-कर नहीं देते हैं वे भी धन का व्यय तो करते ही हैं। यदि धन व्यापार में लगाया जाता है, तो धन पर कर दिया जायगा और यदि व्यय किया जाता है तो व्यय पर कर दिया जायगा। इस प्रकार कर से बचने की सम्भावना कम रहेगी। इस कर से धाय १९६०-६१ में ६० लाख रुपये, किन्तु १९६३-६४ में केवल १२ लाख रुपया हुई। १९६५-६६ में यह ७५ लाख रुपया थी। १९६६-६७ के बजट में इस कर को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इससे धाय तो थोड़ी होती थी, किन्तु अनुविधा बहुत होती थी। १९६९-७० में इस शीर्षक से केवल १ लाख रु० की धाय बकाया है।

(७) उपहार-कर (The Tax on Gifts)—इस कर का सुझाव १९५८-५९ के बजट में दिया गया था और यह १ अप्रैल सन् १९५८ से लागू हुआ है। यह कर भी प्रो० कालडोर की सिफारिशों के आधार पर लगाया गया है, यद्यपि उनसे पहले करारोपण आँच आयोग ने भी इसकी सिफारिश की थी। उपहार-कर करारोपण वर्ष से पहले वर्ष में दिये गये उपहार की कीमत पर लगाया जाता है। यह कर केवल उसी दशा में लागू होता है जबकि उपहार की कीमत ५,००० रुपये से ऊपर है और ५,००० रुपये से ऊपर की पहली परत (Slab) पर कर की दर ४ प्रतिशत रखी गई है। दर के निर्धारण के लिए उपहार की वाजार कीमत को लिया जाता है। कर के चुकाने का प्रथम उत्तरदायित्व उपहार देने वाले पर है, किन्तु प्राप्त करने वाला भी चुकाने के लिए उत्तरदायी रखा गया है।

कर का प्रमुख उद्देश्य अन्य प्रवचनों से सम्बन्धित अपवचन को रोकना है। कर व्यक्तियों, हिन्दू सम्मिलित परिवारों, कम्पनियों, फर्मों तथा सघों सभी को देना होगा, परन्तु सरकारी कम्पनियाँ और प्रमण्डल इस कर से विमुक्त होंगे। कुछ प्रकार के उपहारों के सम्बन्ध में कर से छूट दी गई है। निम्न प्रकार के उपहारों पर कर नहीं लगेगा :—(i) विदेशों में प्रचल सम्पत्ति, यदि उपहारदाता भारत का नागरिक नहीं है, (ii) बचत प्रमाण-पत्रों के उपहार, (iii) सरकार को दिये हुये उपहार, (iv) परोपकारी गन्नाओं का दान, (v) दान हेतु दिया हुआ उपहार,

यदि उसकी कीमत १,००० रुपये से ऊपर नहीं है, (vi) स्त्री आश्रितों को उपहार (१०,००० रुपये तक), (vii) पत्नी, सन्तान तथा आश्रितों को वीमा पॉलिसी तथा बापिकी का उपहार (१०,००० रुपये तक), (viii) रिक्थ-वश (Will) द्वारा उपहार, (ix) पत्नी को उपहार, यदि ऐसे उपहारों की कीमत १ लाख से ऊपर नहीं है। १९६४-६५ में इस मद से आय ३१० लाख रुपये हुई, किन्तु १९६५-६६ में केवल ३०० लाख रुपया रह गई।

१९६६-६७ के बजट में दान-कर की दर परिवर्तित कर दी गई। छूट की सीमा को ५,००० ₹ से बढ़ाकर १०,००० ₹ कर दिया गया है। १९७०-७१ के बजट में छूट की सीमा ५००० ₹ कर दी गई है। १९६६-७० में १७० करोड़ ₹ ही आय होने की आशा है।

मृत्यु-कर और अफ्रीम-कर आय के छोटे-छोटे साधन हैं। मृत्यु-कर १९५३ से लगाया जा रहा है। अफ्रीम-कर भूतकाल में बाफ्री आय प्रदान करता था, परन्तु इधर भारत सरकार की नीति अफ्रीम उत्पादन को घटाने की रही है।

(II) अ-कर आय (Non-tax Revenue)—

अ-कर आय भारत सरकार के वाणिज्य उपक्रमों तथा विविध कार्यों द्वारा उत्पन्न होती है। इस आय के प्रमुख शीर्षक निम्न प्रकार हैं:—व्याज, नागरिक शासन, मुद्रा और टकसाल, नागरिक कार्य, डाक-तार विभाग, रेलों तथा आय के अन्य साधन।

(१) व्याज से आय (Debt Services)—व्याज से हमारा अभिप्राय उस आय से होता है जो सरकार द्वारा व्यक्तियों, कम्पनियों तथा मस्याओं को दिये ऋणों से प्राप्त होती है। इस प्रकार के ऋण आर्थिक सहायता के दृष्टिकोण से बहुधा आवश्यक समझे जाते हैं। १९६६-७० में ५४० करोड़ ₹ की आय होने का अनुमान है। यह १९६७-६८ में ४७५-३८ करोड़ ₹ हुई थी।

(२) प्रशासनिक सेवायें—कुछ प्रकार की प्रशासनिक सेवाओं के लिए केन्द्रीय सरकार पारितोषण प्राप्त करती है, जिसे प्रस्तुत शीर्षक के अंतर्गत आय के रूप में दिखाया जाता है। इस शीर्षक का व्यय अलहदा दिखाया जाता है। इसी से यहाँ यह आय के रूप में दृष्टिगोचर होती है। १९६६-७० में इससे ६७६ करोड़ ₹ की आय होने की आशा है।

(३) सामाजिक एवं विकास सेवायें—पिछले कुछ वर्षों से प्रशासनिक सेवाओं तथा सामाजिक व विकास सेवाओं से प्राप्त हुई आय पृथक्-पृथक् दिखाई जाने लगी है। १९६८-६९ में इस शीर्षक से आय ३०.४७ करोड़ ₹ थी और १९६६-७० में ३०.१७ करोड़ ₹ की आय अनुमानित है। प्रशासनिक सेवाओं की भाँति इस शीर्षक का व्यय भी पृथक् से दिखाया जाता है, जो आय की अपेक्षा वही अधिक होता है।

(४) मुद्रा और टकसाल—मुद्रा और टकसाल आय का एक निश्चित तथा महत्वपूर्ण शीर्षक है। इस शीर्षक में उस आय को दिखाया जाता है जो मुद्रण (Coinage) तथा बाणजी नोट को छापने से उत्पन्न होती है। इस शीर्षक के व्यय को पृथक् से दिखाया जाता है।

(५) सार्वजनिक निर्माण (Public Works)—इस शीर्षक के अंतर्गत वह आय होती है, जो सरकार को केन्द्रीय लोक कार्य विभाग (Central P. W. D.) से प्राप्त होती है, यह वास्तव में एक व्यय का शीर्षक है। इसमें आय नाम-मात्र ही ही प्राप्त होती है। १९६६-७० में इससे ७५१ करोड़ ₹ की आय होने का अनुमान है।

(६) डाक तथा तार—डाक-तार विभाग से प्राप्त केवल शुद्ध आय की ही बजट में दिखाया जाता है। यह विभाग अपने व्यय को उस आय में से पूरा करता है जो इसे जनता से प्राप्त होती है। जो कुछ आधिक्य बच रहता है और यह बहुधा कम ही होता है, वह सामान्य आय में दे दिया जाता है। विगत वर्षों में विभाग के विस्तार के कारण व्यय बहुत बढ़ गया है।

१९६७-६८ के लिये विभाग के बजट में २२ करोड़ रु० के घाटे का अनुमान था। परिणामतः यह विभाग न केवल सामान्य राजस्व में दिये जाने वाले अपने लाभों की अदायगी नहीं कर सका, बल्कि इस वर्ष अपने कार्य-चालन व्यय की पूर्ति भी नहीं कर सका। अतः पिछले वर्षों की भाँति १९७०-७१ के बजट में भी ढाक-दरों में वृद्धि की गई है।

(७) रेलें—रेलो की ऋण को भी शुद्ध (Net) रूप में दिखाया जाता है। रेलवे-बजट पृथक् तैयार किया जाता है। रेलों की सकल ऋण में से सभी प्रकार के व्यय को काटकर जो आधिव्यय बच रहना है उसे सामान्य प्रागम में सम्मिलित कर दिया जाता है। रेलों के विस्तार के साथ ही साथ यह बढ़ती गई है।

(८) प्रागम के अन्य शीर्षकों में सरकारी भूमि और मकानों का लगान, जंगलों से ऋण, पत्तियों का अनुज्ञापन शुल्क, मोटर गाड़ियों के अनुज्ञापन शुल्क आदि सम्मिलित हैं।

भारत सरकार का सार्वजनिक ऋण एवं कुल दायित्व (Public Debt and Total Liabilities)

सार्वजनिक ऋण—

भारत सरकार का बकाया सार्वजनिक ऋण १९५०-५१ के अन्त में २,०५४ करोड़ रु०, १९६५-६६ के अन्त में ८,००९ करोड़ रु० और १९६८-६९ के अन्त में १२७३० करोड़ रु० था। १९६९-७० के लिये बजट-अनुमान १३८२३.६२ करोड़ रु० का था। सार्वजनिक ऋण को दो शीर्षकों में विभक्त किया जा सकता है :—(अ) भारत में लिया गया ऋण, और (ब) विदेशों में लिया गया ऋण।

(१) भारत में लिया गया ऋण (Debt raised in India)—इस शीर्षक के ऋण को दो उपशीर्षकों—स्थायी एवं परिवर्तनशील ऋणों में विभक्त किया जा सकता है।

स्थायी ऋणों (Permanent Debts) में निम्न का समावेश है—चालू ऋण, इनामी बाँड, १५ वर्षीय एन्च्युरिटी सर्टिफिकेट्स एवं भुगतान होने की प्रगति में ऋण। कुल स्थायी ऋण १९५०-५१ में १,४४४.९५ करोड़ रु० से बढ़कर १९६५-६६ में ३४६६.१३ करोड़ रु० हो गया। १९६९-७० के लिये बजट अनुमान ४०३०.३८ करोड़ रु० है, जिसमें चालू ऋण (Current Loans) ३९८५.२२ करोड़ रु०, प्राइज बाँड १.७१ करोड़ रु०, १५ वर्ष-एन्च्युरिटी सर्टिफिकेट्स २.८१ करोड़ रु० तथा भुगतान की प्रगति में ऋण ४०.६४ करोड़ रु० थे।

प्रस्थाई या परिवर्तनशील ऋण (Floating Debts) में निम्न का समावेश है—ट्रेजरी बिल्स, विशिष्ट प्रस्थायी ऋण, ट्रेजरी डिपॉजिट रिमोट आदि। कुल प्रस्थायी ऋण १९५०-५१ में ५७७.३५ करोड़ रु० था, किन्तु १९६०-६१ में १,३८०.४७ करोड़ रु० और १९६५-६६ में १९५२.५२ करोड़ रु० हो गया। १९६९-७० के लिये बजट-अनुमान ३२२३.७४ करोड़ रु० था जिसमें ट्रेजरी बिल्स २५३४.४१ करोड़ रु० और विशेष प्रस्थायी ऋण ६८९.३३ करोड़ रु० है।

भारत में लिया गया कुल (स्थायी+प्रस्थायी) ऋण १९५०-५१ में २,०२२.३० करोड़ रु० से बढ़कर १९६०-६१ में ३,९७०.०० करोड़ रु० और १९६५-६६ में ५,४१८.६५ करोड़ रु० हो गया। १९६९-७० के लिये (बजट) अनुमान ७२५४.१२ करोड़ रु० था।

(२) विदेशों से ऋण (Debt raised outside India)—विकास कार्यों के लिए, खाद्यान्न एवं रक्षा प्रसाधनों के लिए भारत को विदेशों से भी पर्याप्त ऋण लेने पड़े हैं, जिनकी मात्रा निरन्तर बढ़ती गई है। यह ऋण विदेशी सरकारों से और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाओं से प्राप्त हुआ है। १९५०-५१ के अन्त में विदेशी ऋण ३२०.३ करोड़ रु० मात्र था, जो १९५५-

५६ के अन्त में ११३.६४ करोड़ रु०, १९६०-६१ के अन्त में ७६०.६९ करोड़ रु०, १९६५-६६ के अन्त में २५६०.६२ करोड़ रु० हो गये। १९६९-७० के लिए वजट अनुमान ६५६९.५० करोड़ रु० था।

सन् १९६९-७० में विदेशी ऋण विभिन्न स्रोतों से (Budgeted) इस प्रकार अनुमानित था :—

		(करोड़ रु०)
सुरक्षा सर्टिफिकेट्स		०.०९
इज्जलैंड		६२०.८१
अमेरिका :		
अमेरिका से ऋण	१९१५.३८	
अमेरिकी आयात-निर्यात बैंक	१०३.११	
P. L. 480	१४९२.१७	
करंसी क्रेडिट	<u>१७५.००</u>	३६८५.६६
रूस		३७२.३४
कनाडा		८५.८०
फंडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी		३७७.४७
जापान		२१३.९४
स्विटजरलैंड		१८.२४
जैकोस्लाविकिया		५१.८४
यूगोस्लाविया		१२.५५
पोलैण्ड		१०.७१
आस्ट्रिया		१२.५५
नोदर्लैण्ड्स		२८.८४
डेन्मार्क		७.६५
रोडेसिया		०.०६
न्यूजीलैंड		०.०३
स्वीडन		७.७६
कुवैत		१७.८९
इटली		१.४७
बहरीन		५.२९
फ्रान्स		३१.५१
बेल्जियम		२.७३
कातार		८.४३
ब्रिटेन		०.०४
बल्गेरिया		०.०४
विश्व बैंक		२६५.३९
अन्तर्राष्ट्रीय निगमों में से		६३८.८५
अन्य ऋण		८१.८२
		<u>६५६९.५०</u>

कुल दायित्व—

इस शीर्षक में हम सार्वजनिक ऋणों के साथ ही साथ लघु बचत योजनाओं के अधीन प्राप्त धन, अन्य अनिधिबद्ध ऋण, रिजर्व फण्ड एवं डिपॉजिट्स सम्मिलित करते हैं।

(१) सार्वजनिक ऋण—इसका विवेचन ऊपर किया जा चुका है। यह कुल (देश + विदेश) १३८२३.६२ करोड़ रु० है।

(२) लघु बचत योजनाएँ (Small Savings Schemes)—इसमें डाकखाने के बचत बैंकों के डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस सर्टिफिकेट्स, संचयी सावधि जमाएँ, ट्रेजरी बचत जमाएँ और डिफेंस डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स तथा अन्य लघु बचत सर्टिफिकेट्स सम्मिलित हैं। इनकी राशि १९५०-५१ में ३३६.८७ करोड़ रु० थी किन्तु १९५५-५६, ६९६०-६१ और १९६५-६६ के अन्त में क्रमशः ५७६.०८ करोड़ रु०, ९६९.९९ करोड़ रु० और १५३८.२१ करोड़ रु० हो गई। १९६६-७० के लिए बजट अनुमान २०३९.३५ करोड़ रु० था।

(३) अनिधिबद्ध ऋण (Other Unfunded Debt)—इसमें प्रॉवीडेन्ट फण्ड्स, अमेरिकी सरकार के सम्यक् डिपॉजिटों का विनियोग (Investment of deposits of U. S. Govt. counterpart funds), अनिवायं जमा योजना के डिपॉजिट्स, घाय कर एन्व्यूटी डिपॉजिट्स एवं अन्य मदें सम्मिलित हैं। इनकी कुल राशि १९५०-५१ के अन्त में १११.१५ करोड़ रु० से बढ़कर १९५५-५६, १९६०-६१ और १९६५-६६ के अन्त में क्रमशः १८२.९८ करोड़ रु०, ५५१.३७ करोड़ रु० और १२२४.५९ करोड़ रु० हो गई तथा १९६६-७० के लिए बजट अनुमान १५४८.५३ करोड़ रु० का था।

(४) सुरक्षित कोष एवं जमाएँ (Reserve Funds and Deposits)—इसमें निम्न मदों का समावेश है—रिजर्व फण्ड्स एवं अन्य जमा खाते जिन पर व्याज दिया जाता है तथा बिना व्याज वाले स्थानीय कोषों की जमा, नागरिक डिपॉजिट्स, ग्रन्थ डिपॉजिट्स, संकटकालीन जोखिम बीमा फण्ड (माल एवं कारखाने) तथा अन्य खाते। इस शीर्षक के अधीन दायित्वों की राशि १९५०-५१ में ३६३.०५ करोड़ रु० थी, किन्तु १९५५-५६, १९६०-६१ और १९६५-६६ के अन्त में क्रमशः ३०९.९३ करोड़ रु०, २८३.९२ करोड़ रु० और ५६०.०५ करोड़ रु० हो गई। १९६६-७० के लिए बजट अनुमान ७५३.२८ करोड़ रु० था।

१९६६-७० (बजट अनुमान) में दायित्वों की राशि १८१६४.७८ करोड़ रु० थी, जबकि १९५०-५१ में यह केवल २,८६५.४० करोड़ रु० ही थी, अर्थात् भारत का सार्वजनिक दायित्व १८ वर्षों में लगभग ७ गुना हो गया है। पाकिस्तान की ओर हमारे ३०० करोड़ रु० निकलते चले आ रहे हैं, जो उसने अभी तक नहीं दिये हैं। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार का शुद्ध दायित्व १९६६-७० में १७८६४.७८ करोड़ रु० रहता है। इसमें अधिब्यय पूंजी व्यय (Excess of capital outlay and loans over liabilities) जोड़ दिया जाय, जोकि १९६६-७० में ३११.९३ करोड़ रु० है तां भारत सरकार पर १८१७६.७१ करोड़ रु० का पूर्ण और अन्तिम दायित्व है।

कराधान व्यवस्था को युक्त संगत बनाने की आवश्यकता कर आमदनी का अनुपात—

हर विपक्षी राजनीतिक दल किसी भी प्रकार का कर बढ़ाने का विरोध कर रहा है लेकिन सत्ताधारी दल का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह हर प्रतिरिक्त कर वृद्धि का औचित्य सिद्ध करे, विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जब कि अब तक जुटाए गए ससाधनों का उत्तम ढंग से उपयोग नहीं किया गया है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को १९६८-६९ में कुल मिला कर ३७०१ करोड़ रुपये की कर आमदनी हुई थी जो बढकर १९६६-७० में ३९९० करोड़

रूपसे तक हो गई है। राष्ट्रीय आय की तुलना में कर आयदनी का अनुपात १९६५-६६ में १४.२ प्रतिशत था जो घटकर १९६७-६८ में १२.४ प्रतिशत हो गया था लेकिन अब १९६८-६९ में बढ़ कर १२.८ प्रतिशत हो गया है और १९६९-७० में लगभग १३ प्रतिशत तक बढ़ जाने की आशा है। विकासशील देशों में कर देय क्षमता के बारे में प्रकाशित विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में सांड न्युलिन के १८६३ में लिखे गये लेखों से एक उद्धरण दिया गया है कि 'कुशल प्रशासन वाले देश में नागरिकों की कुल आय के अनुपात में कर ५ प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए, तो भी कुल आय के ५ से ७ प्रतिशत भाग तक कर आसानी से लगाए जा सकते हैं और उन्हें सरलता से सम्बन्ध भी मिल सकता है। परन्तु १० प्रतिशत से ज्यादा लगाए गए कर भारी बोझ बन जाते हैं और दुष्ट दायी तथा मनमाने उपायों का सहारा लिए बिना इस सीमा से अधिक कर लगाना सम्भव नहीं है। इसके बाद अगर करों को १५ या १६ प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाए तो उसके समाज को निश्चय ही भारी क्षति पहुँचती है, पूँजी तथा श्रमिकों की पकड़ से बाहर भागने लगते हैं और करो व बमूल करना लगभग असम्भव-सा हो जाता है। यदि कर सम्बन्धी नीति का उद्देश्य उत्पादनशील शक्तियों को लेजी से बढ़ावा देना हो, तो उनके लिए करारोपण एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

प्रायः होता यह है कि आर्थिक आघारों के बजाय राजनीतिक आघारों को प्राथमिकता दे दी जाती है। जहाँ तक कर देय क्षमता की सीमा निर्धारण करने का सम्बन्ध है, यह निश्चित है कि एक बार भी इस सीमा से अधिक कर लगाने से देश की आर्थिक व्यवस्था को वास्तविक अर्थों में हानि पहुँचती है। जब समाज टांग कर रूप में दिए गए अन्तिम रूप की सामाजिक उपयोगिता की तुलना में कर राजस्व से खर्च किए गये अन्तिम रूप की सीमान्त सामाजिक उपयोगिता बहुत कम हो जाती है तो कर नीति अर्थ-व्यवस्था के विकास में बाधक बन जाती है।

आय-कर की वसूली में कमजोरियाँ—

दुनियाँ में भारत एक ऐसा देश है जहाँ आयकर की वसूली में सबसे अधिक कठिनाइयाँ आती हैं और शायद वसूली भी सबसे कम होने वाली है। इस कमजोरी को दूर करने के लिए गत एक-दो वर्षों में अनेक प्रयत्न किए गए लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। क्यों सफलता नहीं मिलती है, इस पर सम्भारता के साथ विचार किया जाना चाहिए, ऐसा करते समय साधारण आय के व्यक्तियों को भी बुलाया जाना चाहिए और अंग्रेजी नहीं जानने वाले दो-चार व्यक्तियों को बुलाना चाहिए। तब मालूम होगा कि आय-कर वसूली की व्यवस्था में क्या कमियाँ हैं। चूँकि आय-कर भरने के फार्म बहुत पेचीदे होते हैं, इसलिए आय-कर देने की क्षमता रखने वाले भी फार्म नहीं भरते हैं और सरकार छोटे दूकानदारों व अन्य धन्धा करने वालों के आयकर से वंचित रहती है। दो-तीन वर्ष पहले आय-कर के फार्म ७-८ पृष्ठ के होते थे जो अब ४-५ पृष्ठ के बन दिए गए हैं लेकिन फिर भी वे फार्म इतने पेचीदे हैं कि उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिए भी उन्हें भरना लगभग असम्भव है। आय अमरीका, जापान, फ्रांस, और चीनिया तक के आय-कर के फार्म को देखिए वे कितने सरल और स्पष्ट होते हैं। अमरीका का फार्म केवल एक ही पृष्ठ का होता है और उसे भरने में न तो कोई कठिनाई है और न ही समय लगता है।

दूसरी कमजोरी यह है कि वे फार्म जब तक केवल अंग्रेजी में ही छपते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि अंग्रेजी नहीं जानने वाले छोटे दूकानदार जैसे मोस्त बेचने वाले, पान बेचने वाले, परचून वाले, हलवाई आदि लोग फार्म भरने का बन्ध ही नहीं करते और जब कोई आय-कर अधिकारी ऐसे दूकानदारों के पास पहुँच जाता है तब वह आय कर अधिकारी को किसी तरह खुश कर भेज देते हैं और सरकार को आय-कर नहीं मिलता। इसलिए आवश्यकता इस

वान को है कि मविधान में स्वीकृत सभी चीज़ें भागाघातों में प्रायः कर फार्म छावाए जाएँ और उसकी भाषा सरल और स्पष्ट हो। यदि ऐसा हो जाय तो प्रायः कर देने वालों की मस्या बहुत कम परिश्रम के बहुत बढ़ जायगी। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की प्राय में एक-दो सौ रुपए का फर्क भी हो तो करदाता को बच नहीं दिया जाना चाहिए।

सामग्री पर ऐसा समझा जाता है कि सरकार प्रायः कर की बहुत कम वसूली कर पाती है। इसमें कमजोरी को दूर करने के लिए कानूनी विधेयनों के अनिश्चित व्यापारियों, उत्पादकों तथा माधारण लोगों से भी अवश्य सहायता ली जानी चाहिए। ऐसा अनुमान है कि यदि वसूली-व्यवस्था को सरल बनाया गया तो प्रायः कर की वसूली में प्रति वर्ष कम से कम पचास करोड़ रुपए की वृद्धि हो सकती है।

प्राय बढ़ाने का सबसे बड़ा साधन—

प्राय में वृद्धि करने के लिए अंग्रेजी शासन के जमाने में धार रहे वगैरे में वृद्धि के विभिन्न विधेयनों को हमारी सरकार जितनी जल्दी बदल गयी उतना अच्छा होगा। स्वतन्त्र भारत ऐसा कुशल व व्यावहारिक वित्तमंत्री देखना चाहता है जो घाटे का पूरा करने के लिए करोड़ों में वृद्धि का प्रस्ताव न ले बल्कि प्रायुक्तिक उपाय ढूँढ निकाले। देश में छोटे, मध्यम व बड़े उद्योगों के विकास के लिए हर तरह का प्रोत्साहन दे और उनके नाजायज तरीकों को रोकने के लिए कड़ा से कड़ा कदम उठाए। हर उत्पादक को वैश्वीय गमभङ्ग कोई भी कार्य करना न तो सरकार के लिए उचित है और न ही देश के लिए। जब तक कोई उत्पादक वैश्वीय प्रमाणित न हो जाय तब तक ईमानदार समझ कर ही उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। उद्योगों के विकास पर ही देश का विकास निर्भर करता है और साथ ही बढ़ती हुई बेरोजगारी में कमी की जा सकती है।

गत १५ वर्षों में मार्केजिनिक क्षेत्र में तेजीय अर्थ रुपए लगाए जा चुके हैं और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सम्भवतः यह रकम और भी बहुत बढ़ जाएगी। सभी मार्केजिनिक क्षेत्रों से एक प्रतिशत भी शुद्ध लाभ नहीं हो रहा है जबकि व्यावसायिक आधार पर इनके संचालन करने में कम से कम दस प्रतिशत शुद्ध लाभ मिलना चाहिए। उस तरह से इन सरकारी कारखानों व कम्पनियों में दस प्रतिशत के हिसाब में तीन अर्थ लोग कटौत रुपए का लाभ होना चाहिए। यह मान भी लिया जाए कि हर कारखाना या हर कम्पनी से हमेशा उतना लाभ नहीं हो सकता तथा कुछ बुनियादी कारखानों में उतना लाभ नहीं हो सकता तो भी दो या दार्द करोड़ रुपए तक का लाभ प्रति वर्ष होना चाहिए। यदि इतना ऐसा वातावरण पैदा होगा कि मार्केजिनिक क्षेत्र में तेजी के साथ अर्थ कारखाने व कम्पनियाँ खोली जाएँ जिनमें देश में उत्पादन में वृद्धि होगी और सरकारी प्राय में भी वृद्धि होगी और जनता हर साल नए वगैरे के बोझ से मुक्त हो जायगी या जनता पर हर साल वगैरे का बोझ कम लगेगा।

मार्केजिनिक क्षेत्र के कारखानों व कम्पनियों में जितनी खोखली होती है उतने रोकने में ही कई करोड़ की सरकारी प्राय में वृद्धि हो जाएगी। इसी तरह इनमें आवश्यकता में मीन या चार गुना कर्मचारी भर्ती किए जाते हैं। फिर सामग्री में उच्च अधिकारियों पर अनावश्यक खर्च बहुत होता है। इस तरह से इन कम्पनियों व कारखानों की कई अन्य कमजोरियाँ हैं जिन्हें दूर कर करने के लिए विधेय प्रयत्न किया जाना चाहिए।

चौथी योजना में कहा गया है कि इस काल में केन्द्रीय सरकार को अपनी प्राय में १,८०० करोड़ रुपए की वृद्धि चौथी योजना के लिए करनी चाहिए। गत वर्ष लगाए गए नये वगैरे में पाँच वर्षों में केन्द्रीय सरकार की प्राय में ७५० करोड़ रुपए की वृद्धि होगी।

भूतलिंगम रिपोर्ट के सुझाव—

कर-व्यवस्था को युक्ति-संगत और सरल बनाने के सम्बन्ध में वित्त-मंत्रालय के भूतपूर्व सचिव श्री एस० भूतलिंगम ने अपनी रिपोर्ट (१९६८) में निम्नांकित प्रमुख सुझाव दिये थे :—

(१) कराधान सरल बनाने की कोई भी प्रक्रिया तभी लागू की जा सकेगी जब नीति में कुछ विशिष्ट परिवर्तन किया जाय। अन्वयार्थ ढग में परिवर्तन से लाभ के बदले हानि होगी। राष्ट्रीय आय का आधा हिस्सा विमान पैदा करते हैं किन्तु सविमान में सशोधन किये बिना वे कर-व्यवस्था में शामिल नहीं किये जा सकते।

(२) उन्होंने ममस्त देशी कम्पनियों के लिए (चाहे कम्पनी अधि-नियन्त्रित हो या न हो किन्तु प्रशासनिक कार्यों से देशी और विदेशी कम्पनियों में फर्क रखना आवश्यक है) लाभ-कर की समान दर अर्पनाने तथा लाभांश कर और प्रतिकर समाप्त करने की सिफारिश की है। लाभांश-कर बजट में स्वयं किया जा चुका है। उन्होंने विकास छूट की समाप्ति की भी सिफारिश की है। लाभांश कर उन उद्योगों पर लागू करने में क्या लाभ है, जिनके विस्तार से कोई विशेष लाभ नहीं होता। इस कर से विकास के लिए अधिक धन मिलता है, यह साबित नहीं होता, इसे हटा देना चाहिए। अति-कर की समाप्ति की भी सिफारिश की गयी है। कर के आभार को जहाँ तक सम्भव हो सके दीर्घकाल तक स्थिति रखना जरूरी है। हिमाय लगाने की प्रक्रिया को भी और अधिक सरल बनाना जरूरी है। गैर-वाजिव तथा फालतु खर्च को मञ्चूर नहीं किया जाना चाहिए। लाभ का हिसाब लगाने समय सभी लागतों के लिए छूट दी जानी चाहिए, चाहे वे तत्काल की हो अथवा नहीं।

(३) रिपोर्ट में पूँजी ध्वय की परिशोधन-व्यवस्था की सिफारिश के अलावा कहा गया है कि कम्पनियों के लिए कर के आधार के रूप में पूँजी पर कर लगाना चाहिए तथा उनके लाभों पर कर की दर कम की जानी चाहिये। साथ ही लाभों का वितरण नहीं करने पर कम्पनियों पर अतिरिक्त कर लगाया जाना उचित होगा। सहकारी समितियों पर कराधान के विषय में रिपोर्ट में मानक-दर के अनुसार २५ हजार रुपये से अधिक लाभ पर कर लगाने की सिफारिश की गई।

(४) उत्पादन-शुल्कों की वर्तमान व्यवस्था चाय, कहवा, अनिमित तम्बाकू, चीनी, खनिज तेल व उसके उत्पादन, सूती कपड़ा, रेयन, सिगरेट, दियासलाई, लोहा और इस्पात, मोटर गाड़ियाँ, टायर व ट्यूब, सीमेंट तथा वागज पर लागू खर्च की सिफारिश की गई। बाकी सब वर्तमान उत्पादन शुल्कों को कम से कम पाँच साल के दौरान खत्मकर उमकी जगह सभी उत्पादनो पर ग्राम उत्पादन शुल्क (१०%) लागू किया जाना चाहिए। जिन वस्तुओं पर अभी भी कोई उत्पादन शुल्क नहीं लगा उन पर तुरन्त ग्राम उत्पादन शुल्क लागू कर देना चाहिए। ग्राम उत्पादन शुल्क से एकदम शुरू से ही ११५ करोड़ रुपये का राजस्व मिलने लगेगा। इसका आधार उत्पादन का मूल्य होगा।

(५) कर विकास के लिए साधा जुटाने का मुख्य जरिया है, किन्तु उसका अनुचित विस्तार उचित नहीं है। साथ ही वचत की वृद्धि का भी प्रयास किया जाना चाहिए। कर-नीति हर क्षेत्र में आर्थिक नीति से मिली-जुली होनी चाहिए। बहुत छोटे वा खानों पर कर लगाना सम्भव नहीं होगा।

(६) रिपोर्ट के अनुसार सीमा-शुल्क के क्षेत्र में घड़ियाँ, जवाहरात, पेंस शराबों और मुगन्धित द्रव्यों जैसी विलासिता की कुछ वस्तुओं को छोड़ कर बाकी वस्तुओं के लिए शुल्क की केवल तीन या चार ही दरें जरूरी हैं। सीमा शुल्कों की दरें भी तय कर देनी चाहिए। इसके भगडे सीमित हो जायेंगे। अब औद्योगिक उत्पादनो पर सामान्य उत्पादन शुल्क की एक जैसी दर

संगी। इसलिये उसी विरम की वस्तुओं के आयात के सम्बन्ध में आयात शुल्को की सामान्य सूची तय कर देनी चाहिए। सीमा शुल्क की प्रति घटावगी के प्रशासन से काफी अधिक घसन्तोप फल रहा है। इसे सरल तथा सुविधाजनक बनाना होगा।

(७) व्यक्तिगत आय पर छूट की सीमा धार हजार से बढ़ा कर साढ़े सात हजार की जाय तथा हिन्दू अविभाजित परिवार की छूट की सीमा दस हजार से १०० हजार रुपया हो। इससे सान-घाठ करोड रुपये की हानि होगी। साढ़े सात हजार रुपये से दस हजार रुपये तक की आय पर साढ़े मान प्रतिशत की दर की विफारिश की गई। दस हजार से अधिक तथा १५ हजार रुपये तक की आय पर ७५० रुपया और उसके साथ १० हजार से अधिक रकम पर १० प्रतिशत के हिसाब से कर देना होगा।

(८) कम्पनियों की सभी तरह की पूंजी पर चाहे मुनाफा हो या न हो एक प्रतिशत की दर से कर लगाया जाय। निगमों के लाभ पर कर में १० प्रतिशत की कमी की जाय। उनके लाभ पर ४५ प्रतिशत की दर से कर वसूल किया जाय।

(९) गमाति-कर स्थायी तोर पर जारी रखने की सिफारिश की और सुझाव दिया कि किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसके परिवार के लोगों को जो कुछ मिलता है, उस पर कर लिया जाय जो कुछ मृत व्यक्ति छोड़ जाना है, उस कर का आधार न बनाया जाय। दान-कर के क्षेत्र में कर उस व्यक्ति से वसूल किया जाय, जिसे दान मिलता है।

परीक्षा प्रश्न :

१. भारत में सार्वजनिक व्यय की वर्तमान प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिये। भारतीय सार्वजनिक व्यय के धारे में साधारणतया कौन से आरोप लगाये जाते हैं ?
२. भारतीय सङ्घ सरकार की आय का सक्षिप्त वर्णन कीजिए। इनमें कुछ विद्यने वर्षों में हुए मुख्य परिवर्तन बताइये।
३. Analyse the main sources of revenue and heads of expenditure of the Central Government in India.
४. भारत सरकार की आय के प्रमुख साधनों को बताइये। क्या आप इसमें महत्तम हैं कि परोक्ष करों पर अधिकतम बल नहीं देना चाहिए ? कारण सहित उत्तर दीजिए।

केन्द्रीय सरकार का वजट (१९७०-७१)

(Budget of the Central Government, 1970-71)

भूमिका—

प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने २८ फरवरी को सत्र में १९७०-७१ का जो वजट पेश किया उसने उन्होंने विकास कार्यों पर अधिक ध्यान करने, समृद्ध वर्ग पर कर-भार बढ़ाने तथा कमजोर वर्गों को राहत देने का प्रस्ताव करके उसे समाजवादी रंग दे दिया है।

नये वजट की पृष्ठ-भूमि

प्रधानमंत्री ने अपने वजट भाषण में कहा कि —

(१) “यह सर्वमान्य है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि उत्पादन-शक्ति का विकास न हो और राष्ट्रीय आय न बढ़े। यह भी सच है कि इस विकास और आय की वृद्धि को सदा बनाये नहीं रखा जा सकता जब तक कि समाज के कमजोर वर्गों की भलाई का उचित ध्यान न रखा जाये। प्रथम. इस प्रकार की नीतियाँ निर्धारित करना आवश्यक है, जिनमें विकास की आवश्यकता के साथ-साथ जहरतमर्दों और गरीबों की भलाई का भी ध्यान रखा गया हो। ऐसे उपाय करने होंगे जो जन-कल्याण के साथ-साथ उत्पादन शक्तियों को भी तीव्र गति दें। जब-जब विकास और समभाव की आवश्यकताओं के बीच परस्पर जीवन्त मध्य-य टूटेगा तब तब गतिहीनता और अस्थिरता उत्पन्न होगी। इस गतिहीनता और अस्थिरता दोनों से बचने की आवश्यकता है। बेरोजगारों के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसरों की व्यवस्था करना विकास कार्यक्रम का एक अभिन्न अङ्ग है, क्योंकि उपलब्ध साधनों का पूरा उपयोग न होने में हमारा काम नहीं चल सकता। बागानों खेतों के इलाकों के विकास की और अधिक ध्यान देने से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में विपन्नताएँ दूर होगी, अपितु यह कृषि के उत्पादन में लगातार वृद्धि करने का कार्यक्रम का एक अन्याय्यक अंग है। प्रायः उद्यमों और नये उद्यमकर्त्ताओं को प्रोत्साहन देने से प्रतिभावान उद्यमकर्त्ता और प्रबन्धक उत्पन्न होंगे। शहरी सम्पत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व और शहरी जमीन की कीमतों पर कुछ रोक लगाये बिना आवास और अन्य सुविधाओं का पर्याप्त विकास नहीं कर सकते।”

(२) “इस समय देश की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि उसमें विकास को तेज करने के लिए पहले से अधिक जोरदार कोशिश करने की गुंजाइश और आवश्यकता है। चौथी योजना के पहले वर्ष १९६६-७० में कुल मिलाकर ५ से ५½ प्रतिशत की दर से विकास होने की पूर्ण सम्भावना है। भारतीय कृषि का प्राधुनिकीकरण करने का कार्यक्रम भली-भाँति चल रहा है और इससे औद्योगिक उत्पादन में भी काफी प्रगति हुई है। हमारी विदेशी मुद्रा की राशि में भी वाञ्छित वृद्धि हुई है और पिछले दो वर्षों में मूल्यों का सामान्य स्तर अपेक्षाकृत स्थिर रहा है। कृषि, छोटे उद्योगों और निर्माण कार्यों में पिछले कुछ समय से काफी गैर-सन्तुष्टिपूर्ण प्रगति लगी जा रही है।”

(३) “आयोजना के लिए काफी आर्थिक परिस्थिति की व्यवस्था करने के प्रयास

१९७०-७१ के बजट में अनेक ऐसी योजनाओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिनका उद्देश्य सामाजिक कल्याण के साथ-साथ भावी विकास की सम्भाव्यता को भी बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि "सामाजिक न्याय और स्थिरता के साथ विकास की समस्याओं के प्रति इस ठोस एवं रचनात्मक दृष्टिकोण से ही हमने अभी हाल के महीनों में अपनी आर्थिक नीति को एक नया बल और प्राथमिकता सहित महत्व प्रदान किया है। वंको के जिस राष्ट्रीयकरण को इस सभा में और देश भर में प्रचल समर्थन मिला है, उसकी बुनियाद जल्दी ही मजबूत हो जायेगी। आशा है, एकधिकार अधिनियम और औद्योगिक लाइसेन्स नीति जाँच समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय आर्थिक शक्ति को चन्द हाथों में इकट्ठी होने से रोकेंगे और छोटे तथा नये उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहन देगे। इसके साथ ही प्रतिष्ठित औद्योगिक कम्पनियों मूल (कठोर) क्षेत्र में अपना काम कर सकेंगे और ऐसे उद्योग चलायेंगे जो निर्यात करने वाली वस्तुएँ तैयार करते हैं। यह भी निर्णय किया गया है कि सरकार और वित्तीय संस्थाओं को चाहिए कि वे चुने हुए और पिछड़े इलाकों में औद्योगिक विकास के कार्य करने की जिम्मेवारी अपने ऊपर लें। चौथी योजना में अब कुछ परिवर्तन किया जा रहा है जिससे सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से अत्यावश्यक ज़रूरतों को पूरा करने का विशेष ध्यान रखा जायेगा। इनमें से कुछ ज़रूरतें हैं— वातानी खेती के लिए उपयुक्त तकनीकें विनाशना, भूमिहीन मजदूर के लिए रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना, पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था करना और हमारे घने वने हुए अनेक महानगरीय क्षेत्रों के वातावरण में सुधार करना।"

(४) "संशोधित अनुमानों के अनुसार, अब १९६९-७० में केन्द्र स्तर पर २६० करोड़ रुपये का घाटा रहने का अनुमान है जो कि बजट अनुमानों में २५४ करोड़ रुपये प्राक्य गया था। केन्द्रीय करो और शुल्कों में राज्य सरकारों के हिस्से के रूप में दी जाने वाली रकम में बजट अनुमानों की तुलना में १०४ करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई है। यह वृद्धि अधिवतर वित्त आयोग के फैसले के परिणामस्वरूप हुई है। राज्यों को उनके आयोजनागत कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए सहायता देने के उद्देश्य से, आयोजना-भिन्न सहायता के रूप में २७५ करोड़ रुपये की काफ़ी बड़ी व्यवस्था करनी पड़ी। आयात में लगातार गिरावट आने के फलस्वरूप, आयात शुल्क की वसूली और विदेशी सहायता की प्राप्ति, बजट अनुमानों के अनुसार होने की सम्भावना नहीं है। दूसरे मोर, आय-कर और कर-भिन्न राजस्व तथा बाजार-भरण के रूप में जो कमे प्राप्त होंगी वे अनुमानित रकम से अधिक होगी।"

(५) "कई राज्यों के पास अब भी पर्याप्त साधन नहीं हैं और इससे उनको आयोजनागत लाभप्रद कार्यक्रम चालू करने में कठिनाई हो रही है, इसलिए इन राज्यों की विशेष सहायता के लिए पहले से ही व्यवस्था कर देना सपभ्रदारी होगी। अतः कुछ राज्यों के साधनों की कमी को पूरा करने के लिए अगले वर्ष के बजट में १७५ करोड़ रुपए की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। राज्यों को दी जाने वाली आयोजनागत सहायता के रूप में इस वर्ष ६१५ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। अगले वर्ष के लिए इस व्यवस्था को बढ़ाकर ६३५ करोड़ रुपए किया जा रहा है। यदि राज्य सरकारें अनिश्चित साधन जुटा सकेगी और आयोजना-भिन्न सचें वर पूरी निगरानी रर सकेंगे तो सम्भव है इन वर्ष के लगभग ६५० करोड़ रुपए के अपने आयोजना-परिचय को अगले वर्ष लगभग ११५० करोड़ रुपये तक बढ़ाने-उसमें २० प्रतिशत की वृद्धि कर सकेंगे।"

केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं के सचें सहित केन्द्रीय आयोजना-परिचय की जो इस वर्ष १,२२१ करोड़ रुपए था, अगले वर्ष १,४११ करोड़ रुपये तक बढ़ाने का विचार है। इस प्रकार इसमें

१५ प्रतिशत वृद्धि हो जायेगी। अगले वर्ष केन्द्र की आयोजना में कृषि और तत्सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिए ३६ करोड़ रुपये अधिक, परिवहन और संचार के लिए ८४ करोड़ रुपये अधिक, बिजली के लिए ३१ करोड़ रुपये अधिक और परिवार नियोजन सहित सामाजिक सेवाओं के लिए २८ करोड़ रुपये अधिक की व्यवस्था की गई है। सघीय राज्य क्षेत्रों के आयोजना परिव्यय को भी ६६ करोड़ रुपये से बढ़ाकर ७६ करोड़ रुपये किया जा रहा है।”

(६) “केन्द्र राज्यों और सघीय राज्य-क्षेत्रों के आयोजना-परिव्यय को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो पता चलेगा कि उमने १९७०-७१ में, १९६९-७० के २२३९ करोड़ रुपये के मुकाबले, २,६३७ करोड़ रुपये का अनुमान किया गया है। अर्थात् उसमें ४०० करोड़ रुपये की वृद्धि हो जाएगी। यह वृद्धि विकास की गति को बढ़ाने के अब जोरदार प्रयत्न करने के लिए की जा रही है। बजट में आयोजना परिव्यय के लिए की गई व्यवस्था के अलावा, उद्योग और कृषि-क्षेत्रों को सहायता देने के लिए, अगले वर्ष वित्तीय सहायता में भी पहले से अधिक माधन जुटाये जायेंगे। आशा है, आयोजना परिव्यय में पयाप्त वृद्धि हो जाने से और सस्थागत वित्त की पहले से अधिक व्यवस्था किए जाने से आगामी वर्ष में रोजगार के अवसर भी पहले से अधिक बढ़ जायेंगे।

आयोजनागत व्यवस्था और सस्थागत वित्त की सहायता के ग्रामीण विकास के जिन कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा उनको संक्षेप में एक ज्ञापन में प्रस्तुत किया गया है। इस ज्ञापन में कुछ ऐसी नई योजनाओं की भी रूपरेखा दी गई है जिनमें विकास के साथ साथ समाज के सबसे अधिक जरूरतमन्द वर्गों के कल्याण का भी पहले से अधिक ध्यान रखा गया है। संक्षेप में — (i) छाटे किसानों को भलाई के लिए विशेष योजनायें ४५ जिलों में चालू की जा रही हैं और वारानी नदी की तकनीकों पर चल रहे अनुसन्धान कार्य में तेजी लाई जा रही है। (ii) कुछ चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर प्रायः अफाल-पीडित रहने वाले क्षेत्रों में निर्माण कार्यक्रमों के लिए अगले वर्ष के बजट में २५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। यह रकम आयोजना से बाहर होगी और वर्ष के दौरान सूखे से राहत देने के लिए निर्धारित रकम का एक हिस्सा होगी। (iii) एक नगर विकास निगम स्थापित किया जा रहा है जिसकी अपेक्षित शेष-पूर्जी १० करोड़ रुपये होगी। निगम अपनी शेष-पूर्जी की अनुपूर्ति के लिए बाजार से भी ऋण लेगा और गन्दी वस्तियों को हटाने, आवास-व्यवस्था करने तथा शहरी जमीन के विकास आदि के कार्यों के लिए वित्त की व्यवस्था करने के वास्ते एक आवर्तक निधि (रिवोल्विंग फण्ड) स्थापित करेगा। (iv) पीने के पानी की व्यवस्था के लिए चौथी आयोजना में काफी बड़ी राशि रखी गई है। मैंने मुख्यमंत्रियों को लिखा है कि इस रकम का अधिकांश भाग, बड़े नगरों में पहले से मौजूद सुविधाओं को सुधारने की बजाय, उन क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था करने पर खर्च किया जाए जहाँ यह सख्त आवश्यकता आसानी से पूरी नहीं होती। (v) जो औद्योगिक कर्मचारी, अपने वेतन के ८ प्रतिशत की दर से कर्मचारी भविष्य निधि में अशदान करते हैं उनको अधिक व्यापक रूप से लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव किया गया है कि नियोजकों (एम्प्लॉयर्स) और कर्मचारियों के अशदान के एक भाग के साथ सरकार का अशदान मिलाकर एक चलन निधि स्थापित की जाए जिसमें से कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की भूत में, परिवार-पेंशन और एकमुश्त रकम की भी प्रायगी की जाएगी। (vi) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की पेंशन और परिवार-पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाकर ४० रुपये प्रति मास करने का प्रस्ताव है। यह निगाय उन दोनों प्रकार के व्यक्तियों के मामले में लागू होगा जो इस समय पेंशन ले रहे हैं और जो भविष्य में पेंशन पाने के हकदार होंगे। औद्योगिक कर्मचारियों की जिन योजना का पुत्र ऊपर उल्लेख किया गया है उसमें भी प्रति मास ४० रुपये की न्यूनतम परिवार पेंशन की व्यवस्था की गई है।

(vii) बच्चों को स्कूलों में भोजन देने आदि की जो योजनाएँ इस समय चल रही हैं उनकी अनु-पूति करने की दिशा में एक विशेष कार्यक्रम के माध्यम प्रारम्भिक कदम उठाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत ३ वर्ष तक की आयु के बच्चों की पोषण-सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। प्राथमिक जातीय विकास केंद्रों और ग्रहण केन्द्रों में रहने वाले बच्चों के लिए बजट में ४ करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। इस प्रयोजन के लिए प्रतिरिक्त साधन जुटाने के लिए विशेष रूप से बनाई गई योजनाओं की सहायता से इस कार्यक्रम को समय-समय पर बढ़ाया जाएगा।

(७) "करो की वर्तमान दरों के अनुसार राजस्व की राशि जो इस वर्ष ३५०० करोड़ रुपये थी, बढ़कर अगले वर्ष ३०६७ करोड़ रुपये हो जाने की सम्भावना है। राज्या की मन्दिषि रशिगों का अन्तरण स्ट्रेच्युटरी ट्रान्सफर) करने के बाद केन्द्र लिए उपलब्ध राजस्व की प्राप्ति २६६५ करोड़ रुपये से बढ़कर ३१६७ करोड़ रुपये हो जाएगी। राजस्व-व्यय में भी अगले वर्ष १७६ करोड़ रुपये की वृद्धि होने का अनुमान है। इसमें से ६४ करोड़ रुपये का अन्तः प्रायोजनागत योजनाओं पर और १०० करोड़ रुपये का अन्तः प्रायोजना-मित्र मदों पर होगा। प्रायोजना मित्रकुल व्यय को कम से कम करने का प्रयत्न किया गया है फिर भी उसमें ४ प्रतिशत की वृद्धि होगी।"

"सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के विकास के लिए उपलब्ध आ-न्विक साधन जो इस वर्ष १६० करोड़ रुपये के थे, अगले वर्ष बढ़कर २०२ करोड़ रुपये के हो जायेंगे। अनुमान है कि अगले वर्ष १६२ करोड़ रुपये के बाजार ऋण मिल जायेंगे, इस वर्ष इन ऋणों की राशि १४१ करोड़ ४० थी। पी० एन० ४८० और अन्य सहायता के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली रकम, जिनमें राजस्व अन्तः की कुछ प्राप्ति भी शामिल है। इस वर्ष की २२६ करोड़ ४० की राशि के मुका-बले, १९७०-७१ में घट कर १६१ करोड़ ४० हो जाने की सम्भावना है। अन्य मदों के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली सहायता की रकम बहुत कुछ इस वर्ष जितनी हो रहेगी। प्रायोजना के लिए और प्रायोजना के बाहर राज्यों को विशेष सहायता देने के लिए ही कई व्यवस्था समेत अन्य मदों की हिसाब में लेने के बाद पूंजी-व्यय में ३६५ करोड़ रुपये का घाटा रहेगा। राजस्व अन्तः में १५ करोड़ रुपये का मामूली अधिशेष रहने की आशा है।"

(८) ग्रामीण क्षेत्रों में खुशहाली बढ़ रही है, इसलिए और आगे विकास करने के लिए ग्रामीण बचतों को जुटा कर काम में लाना बहुत जरूरी हो गया है। बचत जुटाने की ऐसी योजनाएँ अधिक आवश्यक होंगी जो किसी विशेष प्रयोजन के लिए हों। अन्तः राज्य-प्रायोजित संस्थाओं द्वारा जारी किये जाने वाले ऋण-पत्रों (डिबन्चर्स) की एक आदर्श योजना तैयार की गई है और आशा है कि इस योजना के अनुसार जारी किये गये ग्रामीण ऋण-पत्र ग्रामीण बचतों को व्यवस्थित रूप से जुटाने के लिए एक अनिरीकृत माध्यम बन सकेंगे। बैंकों की आग्राओं को गाँवों में गोलने से भी यही प्रयोजन सिद्ध होगा। आज भी हमारे डाकघर ऐसे बहुत से स्थानों में चल रहे हैं जहाँ निरकृत भविष्य में बैंक खुलने की सम्भावना नहीं है। अतः डाकघरों को भी अधिक बचत जुटाने के काम में लगाने की जरूरत है। इस समय हमारी छोटी बचत योजनाएँ जिनमें डाकघर बचत बैंक आते भी शामिल हैं, करोड़ों में कई प्रकार की रिषायतों के साथ चलने की सुविधाएँ प्रदान करती हैं। किन्तु, अन्तः गन्तव्यी इन रिषायतों में ग्रामीण जनता का कम अन्तः वाले वर्गों के लोगों को कोई साक्ष्य दिलचस्पी नहीं है क्योंकि इन लोगों को अधिकतर आय-कर नहीं देना पड़ता। इन वर्गों के लिए तो अन्तः अन्तः रिषायतों के साथ व्याज की नीची दर की अन्तः व्याज की ऊँची दरें अधिक आवश्यक होंगी। इसलिए बचत-पत्रों, प्रावर्तों जमा और सावधि जमा की ऐसी नई योजना आन्तः करने का विचार है जिन पर अन्तः की विशेष रिषायतें न होकर व्याज की दरें पहले से कुछ ऊँची होंगी। अन्तः मुक्ति की वर्तमान रिषायतें भी व्याज की छोटी-सी ऊँची दरों के साथ आन्तः होंगी। सामान्य भविष्य निधि और सावधि-निक भविष्य निधि के अन्तःदानों पर व्याज की दर में भी कुछ वृद्धि की जायेगी। हमारे अन्तः सम्बन्धी अन्तः में कुछ परिवर्तनों का अन्तः करने के लिए अन्तः अन्तः में मोक्ष मिलेगा। ये परिवर्तन अधिक बचतों को अन्तः देन के अन्तः से किये जा रहे हैं।

१९७०-७१ के बजट के कर-प्रस्ताव

नये वर्ष के बजट में अतिरिक्त कराधान के प्रस्तावित उपायों से कुल मिलाकर लगभग १७० करोड़ ₹० का राजस्व प्राप्त होगा, जिसमें से १२५ करोड़ ₹० केन्द्र के लिए और ४५ करोड़ ₹० राज्यों के लिए होंगे। अगले वर्ष केन्द्र के बजट में २२५ करोड़ ₹० का घाटा रहेगा जबकि वित्त वर्ष १९६९-७० में (संगोपित अनुमानानुसार) २६० करोड़ ₹० का घाटा रहा है। श्रीमती गांधी ने कहा कि यदि विकास के प्रबन्धों का लाभ उठाना है, तो इस प्रयोजन के लिये साधन जुटाने में कोई कसर नहीं रखनी होगी अन्यथा आगामी वर्षों में और भारी बोझ उठाना पड़ेगा। नये कर-प्रस्तावों का सारांश नीचे प्रस्तुत किया गया है।—

(1) प्रत्यक्ष कर—

(१) ४० हजार ₹० से अधिक की निजी आय पर आय-कर की दर में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और २ लाख ₹० से अधिक आय के उच्चतम स्तर पर वह ८५ प्र० श० रहेगी। इस समय यह दर २३ लाख ₹० तक ७० प्रतिशत और २३ लाख ₹० से अधिक पर ७५ प्र० श० है। मूल आय-कर पर १० प्र० श० प्रतिशत जोड़कर २ लाख ₹० से अधिक के आय-स्तर पर अधिकतम दर ६३.५ प्रतिशत हो जायेगी जो इस समय २३ लाख ₹० से अधिक के स्तर पर ८२.५ प्रतिशत है। इन समय आय-कर पर छूट की सीमा आर्थिकों की संख्या के अनुसार ४,००० ₹० से ४,८०० ₹० तक है। अब आर्थिकों की संख्या से सम्बद्ध छूट-सीमा समाप्त की जा रही है। इसके बजाय सभी व्यक्तियों को, चाहे वे विवाहित हो या वच्चे वाले हों, ५,००० ₹० की समान छूट-सीमा मिलेगी। इससे हिंसाध-क्रिया में भी सरलता होगी। साइकिलों और मोटर-साइकिलों तथा सार्वजनिक सवारी आदि से काम पर जाने वाले कर्मचारियों की आय-कर के लिए ५ ₹० मासिक के स्थान पर २० ₹० मासिक की छूट मिलने लगेगी। इसी प्रकार मोटर-कारों से दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों की २०० ₹० मासिक की छूट मिलेगी, चाहे इनका वेतन कितना ही हो।

(२) साधारण सम्पत्ति की वर्तमान दरें (न्यूनतम ०.५% और अधिकतम ३%) बढ़ाकर १ से ५% तक कर दी जायेंगी। एक लाख रुपये तक के मूल्य के एक रिहायशी मकान पर सम्पत्ति कर नहीं लिया जायगा चाहे ऐसा मकान किसी भी शहर में क्यों न हो। ५ लाख रुपये से ऊपर के मूल्य की शहरी जमीनों और इमारतों पर ५ प्रतिशत की दर से, १० लाख ₹० से ऊपर के मूल्य की शहरी सम्पत्ति पर ७ प्रतिशत की दर से एक कर लगाने का प्रस्ताव है और इसमें शहर की आबादी के आधार पर कोई भेद-भाव नहीं किया जाएगा। इसके लिए शहरी क्षेत्र की परिभाषा की सीमा भी बढाई जा रही है।

(३) शहरी क्षेत्रों में स्थित टिप्पि भूमि के हस्तान्तरण या विक्री होने वाले पूँजीगत लाभों पर कर लगाया जायगा, जिससे कम्पनियाँ आदि कर्षों की चोरी न कर सकें। निजी न्यास (ट्रस्ट) बनाकर बरों की जो चोरी की जाती है, उसे भी रोकने के उपाय बजट में किए गए हैं।

(४) दान-कर (डिपट टैक्स) की दरों में परिवर्तन किया जा रहा है और अब दान के लिए छूट की रकम १० हजार ₹० वार्षिक से घटाकर ५ हजार ₹० हो जायेगी।

(५) यूनिट ट्रस्ट, भारतीय कम्पनियों अल्प वचन योजनाओं, डाक-घर जमा खाता तथा वचत खातों, केन्द्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिसूत्रियों (सिक्यूरिटीज), ग्रामीण ऋण-पत्रों, बैंकों, सहकारी बैंकों, भूमि-व्ययक या भूमि-विकास बैंकों और नई अल्प वचन योजनाओं से प्राप्त ३ हजार ₹० तक की आय पर आय-कर नहीं लगेगा। इसके अलावा अल्प वचन योजनाओं और डाकघर वचत खातों के सम्बन्ध में प्राप्त कर सम्बन्धी विशेष रियायतें जारी रहेंगी।

(II) अप्रत्यक्ष कर—

(१) चाय पर से निर्यात शुल्क पूरी तरह हटा दिया जायगा । छूट का निर्यात शुल्क ५०० रु० प्रति मीट्रिक टन किया जा रहा है ।

(२) टाइपराइटर, मशीनों, कम्प्यूटर आदि कार्यालय की मशीनों, धातु के पात्र, स्पाकिय प्लग, स्टेनलेस स्टील के ब्लेड, स्पाटेड एंगल, लोहे की निजोरियो ग्रीर सेफ डिपॉजिट बालो पर १० प्रतिशत मूल्यानुसार उत्पादन शुल्क लगाने का प्रस्ताव है । बिक्री के लिए बस्तुएँ रखने के काम में प्राने वाले धातु पात्रों (मेटल कण्टेनर) पर भी उत्पादन शुल्क लगाने का प्रस्ताव है ।

(३) दिहस्की, शांडी, जिन ग्रीर अगूरी शराब (वाइन) पर शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

(४) आयात प्रतिस्थापन (इम्पोर्ट सबस्टीट्यूशन) को बढ़ावा देने के लिए मशीनरी पर आयात शुल्क २७^१ प्रतिशत मूल्यानुसार से बढ़ाकर ३५ प्रतिशत मूल्यानुसार किया जा रहा है । मोटर-गाड़ियों के पुर्जों, भौषधीय रसायनों और बिना बिजली के यन्त्रों, उपकरणों और औजारों पर लगे आयात शुल्क में १० प्रतिशत मूल्यानुसार वृद्धि होगी । कुछ प्रकार के प्लास्टिक सामान और नाइक्रोम तथा अन्य प्रकार के बिजली के प्रतिरोधी (रेजिस्टेंस) तारों पर शुल्क ६० प्रतिशत बढ़ाकर १०० प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया जायगा ।

(५) वनस्पति रसों, कृत्रिम सिरपों और शर्बतों, निजेलित मटरे माल्टेड खाद्य पदार्थों, नुरत (इस्टेप्ट) काफ़ी, नुरत चाय, जैली क्रिस्टल, बरटलं और आइस्क्रीम पाउडरों, विस्कुटों, कोको पाउडर, पेय चास्लेट, पास्चुरीकृत मक्खन, चीस, एथोटेड जलो, प्लुकोज और डेक्ट्रीज पर भी अब १० प्रतिशत मूल्यानुसार शुल्क लगाया जाएगा । तैयार और परिरक्षित (प्रीजर्वेड) खाद्य पदार्थों में से बस्तुओं में चाय पदार्थ (बैबी फुड्स) और ब्राड वाला देशी घी पूरी तरह से कर-मुक्त रहेंगे ।

(६) चमकदार टाइलो और सेनीटरी सामान पर लगे शुल्क को क्रमशः १० प्रतिशत और १५ प्रतिशत से बढ़ा कर २५ प्रतिशत कर दिया जाएगा । कमरा वातानुकूलको (रूम एअरकण्डिशनर) पर लगे शुल्क को ४० प्रतिशत से बढ़ाकर ५३^३/_४ प्रतिशत कर दिया जाएगा और १६५ लिटर से अधिक की क्षमता वाले बड़े रेफ्रिजरेटर के सम्बन्ध में भी ऐसी ही वृद्धि की जा रही है । रेफ्रिजरेटर, वातानुकूल सयन्त्रों और मशीनों के पुर्जों पर लगने वाला शुल्क भी ५३^३/_४ प्रतिशत से बढ़ाकर ६६^३/_४ प्रतिशत किया जा रहा है ।

(७) टैलीविजन सैटों को दी गई छूट वापस ली जा रही है और उन पर मूल्यानुसार २० प्रतिशत शुल्क लगाने का प्रस्ताव है । इन उपार्यों से राजस्व में २२४ करोड़ रु० का लाभ होगा ।

एल्युमिनियम के मामले में इस समय मात्रानुसार शुल्क (स्पेसिफिक् इण्टी) लगते हैं, उनके बदले अब मूल्यानुसार शुल्क लगाए जा रहे हैं । इस परिवर्तन से ४१० करोड़ रु० का प्रतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा ।

(८) दो डेनियर या उससे कम के पोलिएस्टर धागे पर लगे बुनिवादी उत्पादन-शुल्क को २१ रु० प्रति किलोग्राम से बढ़ा कर २५ रु० प्रति किलोग्राम करने का और विशेष उत्पादन-शुल्क में भी तदनुसार वृद्धि करने का प्रस्ताव है । तकनी रेशम के कपडों, जिनमें रेयन, नायलोन, टेरीलोन, टेरीकोट और टेरीवूल के कपडे शामिल हैं, पर इस समय ७ न पैसे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बाकेतिक (नोमिनल) शुल्क लगता है । उसके स्थान पर ३ प्रतिशत से १० प्रतिशत तक मूल्यानुसार शुल्क लगाया जा रहा है ।

(९) मोटर स्प्रिंट पर लगे शुल्क में १० पैसे प्रति लिटर, बढ़िया क्रिरोसीन पर

लगे शुल्क में २ पैसे प्रति लिटर और मिट्टी के तेल पर लगे शुल्क में २ पैसे प्रति लिटर की वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

(१०) सिगरेटों पर, मूल्य राण्डो (वैल्यू स्लैब) के आधार पर ३ प्रतिशत से २२ प्रतिशत तक मूल्यानुसार शुल्क वृद्धि की जा रही है। सस्ती किस्म की सिगरेटों का मूल्य १० सिगरेट के प्रत्येक पैकेट पर केवल एक या दो पैसे बढ़ेगा। इस उपाय से १३५० करोड़ रु० का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

(११) निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चाय पर उत्पादन शुल्क बढ़ाया जा रहा है। प्रथम क्षेत्र (जोन) में उत्पन्न खुली चाय पर लगे शुल्क में कोई वृद्धि नहीं होगी और द्वितीय क्षेत्र में उत्पन्न चाय पर केवल १० पैसे प्रति किलो की वृद्धि होगी। अन्य क्षेत्रों में यह वृद्धि प्रति किलो ४५ पैसे से १ रु० तक की भिन्न-भिन्न दरों से होगी। निर्यात पर रिवेट देने के बाद ७८७ करोड़ रु० का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।

(१२) खुले बाजार की चीनी पर इस समय लग रहे २३ प्रतिशत मूल्यानुसार शुल्क को बढ़ा कर ३७½ प्रतिशत मूल्यानुसार करने का प्रस्ताव है। कन्ट्रोल की चीनी के मामले में, जिसकी मात्रा कुल चीनी की मात्रा का ७० प्रतिशत होती है, २३ प्रतिशत की वर्तमान शुल्क दर को थोड़ा सा बढ़ा कर २५ प्रतिशत कर दिया जाएगा। खाइसारी के शुल्क की दरों को १२½ प्रतिशत से बढ़ा कर १७½ प्रतिशत किया जा रहा है। अनुमान है कि चीनी से लगभग २८५० करोड़ रु० का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

(१३) टोन की स्पेटों पर लगे शुल्क को सांविधिक (स्टेट्यूटरी) दर ३७५ रु० प्रति मीटर टन से बढ़ा कर ४०० रुपए प्रति मीटर टन की जा रही है।

(१४) पासल, रजिस्ट्री फीस, बी० पी० वस्तुओं के प्रेषण, मनीग्रार्डर शुल्क, तार-मनी-ग्रार्डरों के अनुपूरक शुल्क और पुरतक पेटर्न और नमूना पैकटों के सम्बन्ध में डाक-शुल्क की दरें कुछ बढ़ाई जा रही हैं। फोनोग्राम और धर्पाई-तार भेजने का शुल्क भी कुछ बढ़ रहा है।

एक तिमाही में पहली ७५० टेलीफोन-कालों से ऊपर की कालों पर शुल्क १५ पैसे प्रति काल की बजाय २० पैसे प्रति काल किया जा रहा है। पोस्टकार्डों और अन्तर्देशीय पत्र-कार्डों जैसी चीजों की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। मनीग्रार्डरों के मामले में भी १०० रु० तक कोई वृद्धि नहीं की जा रही है।

वजट प्रतिक्रियायें

घजट पर जन साधारण की प्रतिक्रिया—

मध्यम वर्गों को प्रधानमंत्री द्वारा दी गई रियायतों की अपेक्षा घजट प्रस्तावों के सम्भावित प्रभावों की चिन्ता अधिक सता रही है। चीनी, मिट्टी के तेल और सिगरेट पर जो कर बढ़ाया गया है उसका लोग विरोध कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार के एक कर्मचारी ने जल्दी में अनुमान लगाकर कहा कि उसे प्रति मास २५ से ५० रु० तक अधिक व्यय करना होगा। उसने कहा कि यह साधारण घादमियों का बजट नहीं है। एक युवक ने कहा कि टेरैलीन के कपड़े अधिक महँगे हो जाएँगे जबकि टेरैलीन ऐश-आराम की चीज नहीं है। कुछ लोग खर्च बढ़ने की चिन्ता कर रहे हैं। एक महिला ने इस बात पर सन्तोष प्रकट किया कि महिला प्रधानमंत्री ने श्रुमार की वस्तुओं को छोड़ दिया है। एक व्यक्ति ने कहा कि चाय का दाम बढ़ जायगा तो एक चाय के छोटे दूकानदार ने कहा कि कौन इतनी महँगी चाय मियेगा मुझे तो किसी और भन्धे में लगना होगा।

राजनैतिक नेताओं की प्रतिक्रियायें—

“पहली बार समाजवादी दिशा में प्रगति का वजट बनाया गया है।” इन शब्दों में

धनेक नेताओं ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट की। किन्तु धनेक नेताओं ने आलोचना भी की। इनका सार नीचे दिया गया है :—

सत्तारूढ़ कांग्रेस—(१) नई कांग्रेस के अध्यक्ष श्री जगजीवन राम ने कहा कि केन्द्रीय सरकार ने जो बजट पेश किया है, वह इस बात का सबूत है कि सरकार समाजवाद की दिशा में आगे बढ़ रही है। (२) श्री प्रजुंन अरोड़ा : एक सही दिशा में कदम है हालांकि कर-आय वालों को राहत देने के लिए और भी कदम उठाए जा सकते थे। (३) श्री के० थार० गणेश : आज की स्थिति में बोक उन पर डालने का साहसपूर्वक कदम है जो उसे उठा सकते हैं। (४) श्री चन्द्रशेखर : बजट बदलते समय के साथ आगे बढ़ने के हमारे संकल्प की अभिव्यक्ति है। और प्रधानमंत्री हमारी सहाई की पात्र है और इस राहत के लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। (५) चौधरी रणधीरसिंह : सही अर्थों में पहली बार समाजवादी बजट माया है। शराब और सिगरेट पीने वालों पर कर बढ़ाने में प्रसन्न हूँ। (६) श्री मोहन धारिया : देश के आर्थिक इतिहास का समाजवादी अध्याय शुरू हुआ है।

विपक्ष कांग्रेस पुरानी—(१) विपक्ष के उपनेता श्री गुरुपद स्वामी ने बहस शुरू करते हुए बताया कि सूखी खेती और बच्चों के लिए पोष्टिक आहार जैसे तथ्यांकित समाजवादी कार्यक्रम नए नहीं हैं, बल्कि वर्तमान कार्यक्रमों के तारतम्य है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने चीर दरवाजे से अपने बजट में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के कंधों पर भार डाला है। श्री स्वामी ने कहा कि यह प्रचम्भे की बात है कि प्रधानमंत्री जो पिछले कुछ महीनों से बार-बार समाजवाद की बातें कर रही हैं, ने देश में बढ़ती हुई असमानताओं को रोकने के लिए प्रत्यक्ष करो का इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए इस बजट को एक प्रगतिशील बजट कहना भ्रूट बोलना है और उसे समाजवादी बजट बताना एक बड़ा भ्रूट है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार साधनों को कुम्ब्यवस्था और गलत ढंग से उपयोग कर रही है। कर्ज की स्थिति हर वर्ष बिगड़ती जा रही है और उन्हें मूल्य तो यह भी मिली है कि कर्ज देने वाले कुछ देशों से भारत ने कुछ समय के लिए कर्ज की प्रदायगी से मुक्ति के लिए अनुरोध किया है।

(२) श्री आर० टी० पार्षसारथी (विपक्ष कांग्रेस) ने बजट को कड़वा बताया और कहा कि यह बजट समाजवादी गोलियों को पूँजीवादी पानी में घोल कर मिश्रण बनाने की तरह है। उन्होंने पूछा कि बजट में समाजवाद कहाँ है ? इसमें आम जनता पर प्रहार किया गया है। कम्पनी-कर के ढाँचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्होंने सम्पत्ति-कर में वृद्धि का स्वागत तो किया लेकिन कहा कि चाय, किरासिन, चीनी, खादसारी और अन्य आवश्यक सामानों पर नया शुल्क लगाने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि आय-कर में छूट की सीमा ६,००० रुपए तक कम से कम होनी चाहिए। श्री पार्षसारथी ने चेतावनी दी कि इस बजट से निकट भविष्य में रुपए का पुनः अवमूल्यन करना पड़ सकता है और मूल्यों में १५ प्र० श० तक वृद्धि हो जाएगी।

(३) श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने कहा कि जब हम लोगों ने श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रधानमंत्री चुना तब हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि वह हमारे देश को रूस और साम्यवादियों के सुपुर्द कर देगी। विरोधी दलों में प्रधानमंत्री के समर्थक उनके शासक कांग्रेस के वक्ताओं से भी अधिक वफादार हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सरकार का घाटा २२५ करोड़ रुपए से अधिक होगा। राज्यों का तीन सौ करोड़ ६० का घाटा है। इनके कारण वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होना स्वाभाविक है।

स्वतंत्र पार्टी—श्री महतानी ने कर-प्रस्तावों को आर्थिक विकास के लिए न केवल हानि-

कर बताया बल्कि दुनिया के कुछ देशों का उदाहरण देकर बताया कि कम कर रहने से करों की बसूली अधिक होती है जबकि अधिक कर होने से बसूली बहुत कम रह जाती है। उन्होंने कहा कि दो लाख रु० से अधिक आय वालों को अभी ईमानदारी के साथ एक रुपया पैंतीस पैसे वर के रूप में देना पड़ता है जबकि नये कर प्रस्तावों के अनुसार एक रुपया कमाने के लिये उन्हें सरकार को पन्द्रह रुपये देने होंगे। इसका परिणाम यह होगा कि लोग और भी कम कर देगे और काला धन बढ़ेगा। स्वतन्त्र दल के सदस्य ने कहा कि नये वर प्रस्तावों के अनुसार चालीस हजार रुपये तक की वार्षिक आय वालों को कम कर देना होगा। यह सीमा निर्धारित करने का कारण यह है कि केन्द्रीय मन्त्रियों का वेतन लगभग इतना ही होता है (चालीस हजार रुप० से कम होता है)। अपने मन्त्रियों से कम कर लेने के लिए केन्द्रीय सरकार ने यह सीमा निर्धारित की है। उन्होंने कहा कि अर्थ-विशेषज्ञ श्री पालकीवाला ने अनुमान लगाया है कि हर मन्त्री को सभी सुविधायें देने के लिए सरकार का साढ़े सत्तरह हजार रुपया मासिक खर्च होता है। यदि इस पर भी मन्त्रियों को कर देना पड़े तो उन्हें दो लाख रुप० से अधिक वार्षिक आय पर कर देना पड़ेगा। तब एक रुपया कमाने के लिए पन्द्रह रुपया कर देना होगा। श्री मसानी ने कहा कि नये कर लगाये बिना भी खर्च पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि करो की वर्तमान दरें कम कर दी जायें तो १७० करोड़ से, जितना कि नया कर लगाया गया है, अधिक धन वरों की बसूली से एकत्र हो जायेगा। केन्द्र और राज्य सरकारें कुल मिलाकर अभी करो के रूप में ८,००० करोड़ रुपये एकत्र करती हैं, यदि करो की दरों में कमी कर दी जाय तो केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों को कर की बसूली से बहुत अधिक धन मिलेगा, तब सब लोग खुशी से कर देगे। उन्होंने दूसरा सुझाव यह दिया कि सार्वजनिक क्षेत्रों के कारखानों व कम्पनियों के संचालन में सुधार कर सरकार अपनी आय में बहुत वृद्धि कर सकती है। उन्होंने कहा कि निजी कम्पनियाँ अपनी पूँजी में अभी ग्यारह प्रतिशत का शुद्ध लाभ कमाती हैं, यदि सरकारी कम्पनियाँ व कारखाने पाँच प्रतिशत भी लाभ कमाने लगे तो इनसे ही एक अरब पचहत्तर करोड़ रुपये की आय में वृद्धि हो सकती है, तब १७० करोड़ रुपये का नया वर नहीं लगाना होगा।

जनसङ्घ—जनसङ्घ के मुख्य सचेतक श्री श्रीचन्द गोयल : वजट व्यावहारिक नहीं है और ग्राम नागरिक की आशाओं के अनुरूप भी नहीं है। *

प्रसोपा—श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : भारी करो से बचा जा सकता था। ग्राम नागरिक की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयत्न किया गया है।

कम्प्यूनिस्ट—श्री हीरेन मुलर्जी : बुरी शुरुआत नहीं है। चाय, चीनी और सिगरेट पर कर से बचा जा सकता था।

भाक्राद—श्री प्रकाशवीर शास्त्री : बढ़ते हुए मूल्य की समस्या का समाधान नहीं है।

सलोपा—श्री गौड़ मुराहरि : वजट मीठा नहीं है। शहरी संपत्ति के बारे में प्रस्तावों का स्वागत है।

दुमुक्त—श्री अम्बडगन : प्रत्यक्ष करो में तो समाजवादी लक्ष्य की ओर कदम है। अप्रत्यक्ष करो, विशेष रूप से चीनी और मिट्टी के तेल पर करो से ग्राम जनता पर भार पड़ेगा।

वजट पर व्यापारियों की प्रतिक्रियायें—

प्रधानमन्त्री द्वारा देश के औद्योगिक व व्यापारिक क्षेत्रों में मिश्रित प्रतिनिधता हुई है। मालोचना के साथ-साथ स्वागत भी हुआ है। प्रमुख प्रतिक्रियायें निम्नांकित हैं :—

(१) भारतीय व्यापार-मण्डल के अध्यक्ष ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि बजट की एक उल्लेखनीय विशेषता देश में पूँजी बाजार बढाने का यत्न करना है। शेयरों, जिनमें यूनिट ट्रस्ट भी हैं, के लाभांश से प्राप्त आय व आय-कर सीमा में दी गई छूटें प्रसन्नता बढ़ाती हैं। उन्होंने आगामी वर्ष अर्थ-व्यवस्था के लिए शुभ बताया, क्योंकि चाय व मूट वी दी गई सुविधाओं से विदेशी व्यापार बढेगा, जिसका स्वस्थ प्रभाव आन्तरिक व्यापार पर पड़ेगा।

(२) कलकत्ता शेयर बाजार के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री भुंभनूवाला ने कहा कि इस बजट से हमारी अर्थ-व्यवस्था के ३ बड़े उद्योगों—पूँजी बाजार का पुनर्निर्माण, आयात का स्वदेशी विकल्प व निर्यात में वृद्धि की पूर्ति हो जायेगी। प्रधानमंत्री ने लाभांश की आय व आय-कर सीमा में छूट देकर बड़ा ही व्यावहारिक दृष्टि का परिचय दिया है। १७० करोड़ के अनिश्चित ऊपरी तौर पर ज्यादा लगने हैं, पर सरकार को किसी तरह चौथी योजना के नियामकत्व के लिए सहायन तो जुटाने ही होंगे। कुल मिलाकर मेरी धारणा है कि प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने इस बजट में बहुत माहुर व सावधानी का परिचय दिया है। इसका शुभ प्रभाव हमारी अर्थ-व्यवस्था के पुनर्निर्माण पर निश्चय ही पड़ेगा।

(३) मर्चेन्ट्स चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री कोठारी ने कहा कि इच्छित आर्थिक विकास के लिए यह सहायक नहीं लगता।

(४) बम्बई शेयर बाजार के अध्यक्ष श्री धीरजलाल मगनलाल ने कम आय वालों की हालत सुधारने के लिए रखे गये प्रस्तावों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस बजट से बचत व निवेश को काफी उत्साह मिलेगा।

(५) अखिल भारतीय निर्माता सङ्घ के अध्यक्ष श्री प्राणलाल पटेल ने चाय पर निर्यात कर समाप्त करने और छूट का निर्यात-वर्ष घटाने का स्वागत किया। पर वे सोडा एण, कार्बोनेट सोडा व कुछ अन्य कच्चे माल पर लगे अतिरिक्त कर के विरुद्ध थे।

(६) रेशम व कृत्रिम रेशे मिल सङ्घ के प्रधान श्री सुरेन्द्र मेहता ने सिंथेटिक रेशे और फ़ैब्रिक्स करो में वृद्धि करने की आलोचना की।

(७) भारतीय व्यापार-मण्डल बम्बई ने कहा कि इससे ऊँची आय वालों के लिए बचत व निवेश की सम्भावनाएँ बहुत घट गई हैं। मण्डल ने आय-कर में ५ हजार के बजाय ७½ हजार १० तक छूट देने की माँग की। मण्डल ने सामान्य व्यक्तियों के लिए प्रस्तावित समाज-कल्याण योजनाओं का स्वागत किया।

(८) मैसूर बालिग्य-उद्योग-मण्डल के अध्यक्ष ने कहा कि केन्द्रीय बजट-प्रस्ताव अर्थ-व्यवस्था में सहायक होने के बजाय विकास में बाधक बनेंगे और बेरोजगारी की समस्या बढ़ेगी। प्रस्तावों से कीमतें बढ़ेंगी। सामान्य जन के पास कुछ नहीं बचेगा।

(९) कलकत्ता में भारतीय चीनी मिल सङ्घ के अध्यक्ष श्री बी० एच० डालमिया ने चीनी पर उत्पादन कर बढ़ाने पर असन्तोष प्रकट किया।

(१०) बंगाल राष्ट्रीय बालिग्य उद्योग-मण्डल के उपाध्यक्ष श्री बी० एन० घोष ने कहा कि निजी क्षेत्र को कोई राहत नहीं दी गई।

(११) ओरियण्टल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री ताहिर ने बजट का यथार्थवादी बताते हुए उसका स्वागत किया।

(१२) अ० भा० बालिग्य उद्योग-मण्डल महासङ्घ के अध्यक्ष श्री रामनाथ पोद्दार ने कहा कि निजी करो, सम्पत्ति-कर तथा विभिन्न चीजों पर उत्पादन-करो में वृद्धि का समाज के हर वर्ग पर प्रभाव पड़ेगा। दफ्तरी सामान व रेफीनरेटो पर कर से कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

(१३) उत्तर भारत शेपर-होल्डर सङ्घ के अध्यक्ष श्री प्रेम राय ने सम्भवतः वजट की सन्तोषजनक व सहायक बताया और कहा कि कम्पनियों को प्रत्यक्ष अनिश्चित कर से मुक्त रखा गया है।

(१४) ग्र० भा० उद्योग सङ्घ के अध्यक्ष श्री हरीश महेन्द्रा ने अधिक सामाजिक न्याय की दिशा में तथा समाज के कमजोर वर्गों की कल्याण-वृद्धि के प्रधानमन्त्री के प्रयास की सराहना की।

(१५) द० भारत वाणिज्य-मण्डल के अध्यक्ष ने आय-कर छूट सीमा बढ़ाने का स्वागत किया और कहा कि निजी क्षेत्र को अनिश्चित करों से मुक्त रखा गया है। किन्तु चीनी की कीमतें बढ़ाने में सामान्य जन को बहुत बुरा होगा।

(१६) हिन्दुस्तान चम्बर ऑफ़ बॉम्बे के उपाध्यक्ष श्री के० पी० शाह ने कहा कि दिनों-दिन आवश्यकता की चीजों पर कर से रहन-महन का खर्च बढ़ जायेगा और सामान्य जन का बुरा बड़ेगा।

(१७) मद्रास स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष श्री गोपालन ने कहा कि ४०,००० रु० से ऊपर की आय पर भारी कर का उच्च आय वर्ग को बचनों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

(१८) आंध्र वाणिज्य-मण्डल के अध्यक्ष श्री रसिकलाल मेहता ने कहा कि सम्पत्ति-कर और शहरी सम्पत्ति पर कर से लोगों की कठिनाइयाँ बढ़ जायेगी। लोगों को कर देने के लिए सम्पत्ति देखनी पड़ सकती है।

(१९) ग्र० भा० निर्माता सङ्घ व आंध्र प्रदेश राजकीय बोर्ड के अवेतनिक सचिव श्री मांगीलाल गुराणा ने वजट को बुद्धिमत्तापूर्ण बताया।

(२०) उत्तर वाणिज्य-मण्डल के अध्यक्ष श्री सुकुमार सेन ने शहरी सम्पत्ति व निर्माण पर कर को जल्दबाजी बताया और कहा कि उसकी सीमा और ऊँची रखी जानी चाहिए थी। उन्होंने निर्वाण-कर समाप्त करने का स्वागत किया।

(२१) गुजरात वाणिज्य-उद्योग-मण्डल ने वजट की कुछ बातों का स्वागत किया तथा कुछ को जन सामान्य पर अनिश्चित बोझ बताया। यूनिट ट्रस्ट तथा कम्पनियों के लाभांश की छूट की सीमा बढ़ाने का स्वागत किया गया। छूट व आय पर नियमित कर समाप्त करने की सराहना की गई। चीनी, चाय आदि पर कर-वृद्धि की आलोचना की गई है।

(२२) बम्बई से ग्र० भा० आयातकर्ता सङ्घ के अध्यक्ष ने वजट-प्रस्तावों को निराशाजनक बताया।

(२३) नेशनल अलाइंस ऑफ़ एन्ट्रेप्रनोर्स के अध्यक्ष श्री चन्द्रकांत देसाई ने इसे सन्तुलित वजट बताया। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील और उत्पादन वृद्धि का लक्ष्य रखने वाला वजट रखने के लिए प्रधानमन्त्री को बधाई दी जानी चाहिए। इससे देश की अर्थ व्यवस्था मजबूत होगी। विविध आय व आय-कर छूट की सीमाएँ बढ़ाने में मध्यम वर्ग के लोग बचत करेंगे। इनमें उन्हीं लोगों पर कर-भार बढ़ेगा जो दे सकते हैं। फिर भी कुछ वस्तुओं पर उत्पादन-कर घटाना चाहिए।

वजट का मूल्यांकन—सन्तुलित एवं शुभकल्पी

पहले यह सम्भावना प्रकट की जा रही थी कि नई कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में जो उग्र समाजवादी नीतियाँ निर्धारित की गई थी, वे इस बार के वजट में प्रतिबिम्बित होंगी, परन्तु श्रीमती गांधी के नये कर प्रस्तावों को देखने हुए वह शक निरमूल हो गई प्रतीत होती है। पिछले एक वर्ष में देश की मानसिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन की प्रकृति में सरकार की आर्थिक नीतियों और आर्थिक कार्य-

क्रमो में परिवर्तन होना स्वाभाविक था। श्रीमती गांधी के बजट में इन परिवर्तनों के तकाजो और आवश्यकताओं को किस हद तक ध्यान में रखा गया है, यही सबसे बड़ी देखने की बात है। प्रधानमंत्री ने अपने बजट-भाषण में अधिक वृद्धि और जरूरतमन्द तथा गरीब वर्ग का बल्याण—दोनों की प्रतिवार्य आवश्यकताओं को दृष्टि में रख कर नीतियों के निर्धारण पर बल दिया है। इसीलिए उन्होंने उग्र या चरमवादी मार्ग न प्रपना कर मध्य मार्ग प्रपनाया है।

प्रधानमंत्री ने अगले वर्ष के बजट में योजना-व्यय में ४०० करोड़ रु० की वृद्धि की है और रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ-साथ विकास और जन-बर्तनाएँ की दिशा में कुछ नये बंदम उठाने का सकल्प व्यक्त किया है। ४५ जिलों में छोटे किसानों के लिए विशेष योजनाएँ और खारानी खेती की टोनीको के लिए अनुसन्धान में त्वरित गति, ग्राम तौर पर दुर्भिक्षग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों में २५ करोड़ रुपये के ग्रामीण ऋणों की योजना, गन्दी बस्त्रियों के खाते और गृह-निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए १० करोड़ रु० की पूँजी से शहरी विकास निगम की स्थापना, गाँवों में पेयजल की उपलब्धि के कार्यक्रम, औद्योगिक श्रमियों के लिए पारिवारिक पेशा की व्यवस्था, चर्चों के पोषण में वृद्धि के लिए उन्हें पोषक आहार देने और आदिवासी विकास-खण्डों में बाल-बल्याण की योजनाएँ आदि इस बात के प्रमाण हैं कि प्रधानमंत्री का जन-बल्याण की ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित करने का सकल्प है, जो साधारण जन के हित को स्पष्ट करती है। यों, ऐसी योजनाएँ और सकल्प पहले भी प्रस्तुत किये जाते रहे हैं, परन्तु उपयुक्त उपक्रम और कार्यक्रमों के अभाव में वे बजर धरती पर डाले गये बीज की तरह निरर्थक साबित हुए। इसलिए यह अभी देखना है कि प्रधानमंत्री के सकल्प शासन की कमचतना और कमस्फूर्ति से किस हद तक मूर्तरूप धारण करते हैं। प्रधानमंत्री के हाथों में आधिक योजनाएँ बनाने और आधिक सकल्प करने का ही कर्तृत्व नहीं है, उन्हे कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व भी प्रशासन के कर्तृधार की हैसियत से उनका ही है।

जहाँ तक नये करों का सम्बन्ध है, प्रधानमंत्री कोशल के साथ समुलन करते हुए चली हैं। प्रत्यक्ष करों में उन्होंने मूल्य आय समूह को राहत दी है और मध्यम तथा उच्च आय-वर्गों के करों में भी वृद्धि नहीं की है। इस राहत का सभी वर्गों में स्वागत करेगे। औद्योगिक क्षेत्र में पूँजी-निवेश के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करने की जो माँग एक अर्थ से की जाती रही है उसकी ओर भी रचनात्मक दृष्टि से प्रधानमंत्री ने ध्यान दिया है। यूनिट ट्रस्ट, भारतीय कम्पनियों और मूल्य वचत योजनाओं आदि से होने वाली आय की कर-मुक्त सीमा बढ़ाने और कम्पनी कर में कोई नई वृद्धि न की जाने से निश्चय ही पूँजी-निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होगा।

परन्तु अप्रत्यक्ष करों का असर निश्चय ही उच्च आय वर्ग को ही नहीं, समाज के हरेक तबके को प्रभावित करेगा। जिन वस्तुओं पर कर-भूटि के परभाव हैं उनमें गरीब व्यक्ति के उपभोग की वस्तुएँ भी हैं और मध्य वर्ग तथा उच्च वर्ग के उपभोग की भी। इस तरह कोई भी वर्ग इस कर-वृद्धि से उत्पन्न महँगाई के भार से बच नहीं सकेगा। जिन कच्ची सामग्रियों पर उत्पादन शुल्क बढ़ाया गया है, उनके महँगी होने से ही उत्पादन-व्यय नहीं बढ़ेगा बल्कि महँगाई के कारण वेतनों और मजदूरियों में वृद्धि की माँग भी उसे बढ़ाने में निमित्त बनेगी। इस तरह महँगाई के दुष्परिणाम का सामना हमारी अर्थ-व्यवस्था और समाज को करना पड़ेगा।

बजट में चाय और पटसन के सामान पर निर्यात शुल्क हटा कर निर्यात को बढ़ावा देने और कुछ वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाकर देश के भीतर ही उनके निर्माण को प्रोत्साहन देने की दिशा में प्रयत्न किया गया है। किन्तु इस प्रयोजन के लिए उतना ही अभीष्ट और पर्याप्त नहीं है। आवश्यकता इस बात की थी कि निर्यात सम्बन्धी सभी शुल्क हटा लिए जाते और

उत्पादन शुल्को में कुछ और राहत देकर तथा उसके द्वारा वस्तुओं का उत्पादन व्यय घटा कर निर्यात वृद्धि के लिए और अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा की जाती, क्योंकि आज उत्पादन व्यय की अधिकता और महँगी होने के कारण ही भारत की कितनी ही वस्तुयें विश्व के बाजारों में प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाती और हमारे निर्यात को बाह्यनीय प्रोत्साहन नहीं मिलता। इसलिए इन बाधाओं का निवारण अत्यावश्यक है।

उद्योगों को कम्पनी करो में वृद्धि से मुक्ति देकर जहाँ प्रधानमंत्री ने औद्योगिक विकास के लिए एक स्तुत्य प्रयास किया है, वहाँ सरकार को उत्पादन वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में भी ठोस कदम उठाना चाहिए। आज कितने ही उद्योगों में श्रमिक प्रशान्ति के कारण उत्पादन वृद्धि में बाधा पड़ रही है। दूसरी ओर रेयन, टेरीलीन, नायलोन जैसे उद्योगों का, जो न केवल रुई के आयात पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं, बल्कि देश को अपने क्षेत्र में आत्म-निर्भर भी बना सकते हैं, औद्योगिक विकास मन्त्रालय की अदूरदर्शिता-पूर्ण नीतियों के कारण, विकास और विस्तार अवरुद्ध होता है। इसलिए यह जरूरी है कि सरकार अपनी श्रम और अर्थ सम्बन्धी सभी नीतियों पर पुनर्विचार कर उन्हें उत्पादन-वृद्धि प्रेरक बनाये। प्रधानमंत्री से इस सम्बन्ध में सबल रचनात्मक नेतृत्व की अपेक्षा करना उचित ही होगा।

विद्युत्तन्त्री के रूप में प्रधानमंत्री के सामने और भी कितनी ही चुनौतियाँ हैं। राज्यों के साथ अच्छे सम्बन्ध बनाये रखना, उन्हें वित्तीय सयम और अनुशासन में रखना, सरकारी क्षेत्र के व्यावसायिक संस्थाओं को प्रबन्ध और वित्तीय दृष्टि से कुशल और लाभकारी बनाकर जनता का मूलग्रह बनने से रोकना, योजना-भिन्न और अनुत्पादक व्यय को बन्द करना—ये सभी ऐसी दिशाएँ हैं जिनकी ओर यदि प्रधानमंत्री सक्रिय ध्यान दें तो उनका वज्र में मध्यम मार्ग अपनाने का अभिनन्दनीय प्रयास और भी निरन्तर जायेगा।



भारत में राज्य वित्त-प्रबन्ध

(State Finances in India)

प्रारम्भिक—

सुविधा के लिए राज्य अर्थ-प्रबन्ध का अध्ययन दो मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत किया गया है—राज्यों का व्यय और राज्यों की आय।

राज्यों का व्यय

व्ययों का वर्गीकरण—

राज्यों के व्ययों को दो भागों में बांटा जा सकता है :—(अ) प्रारम्भिक कार्यों पर व्यय,—इसमें राज्य के नागरिक शासन का व्यय, पुलिस व्यय, स्वायासथों और कारावासी का व्यय और श्रमों से सम्बन्धित व्यय सम्मिलित है। इन कार्यों के व्यय का 'आयम पर प्रत्यक्ष मांग,' 'सुरक्षा सेवाएँ' तथा 'ऋण दायित्वों' में विभाजन किया जा सकता है।

(ब) गोल्ल कार्यों पर व्यय—इसमें शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सिंचाई इत्यादि सम्मिलित है। इस प्रकार की सेवाओं को 'राष्ट्रीय निर्माण सेवाओं' का सामूहिक नाम दिया जा सकता है। सन् १९१६ के सुधार नियमों के फलस्वरूप आगम खाते पर राज्यों का सामूहिक व्यय बढ़ता ही गया है। सन् १९५०-५१ से यह व्यय बहुत ही तेजी से बढ़ा है। नये संविधान के लागू होने तथा वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप राज्य अर्थ-प्रबन्ध में भारी लोच उत्पन्न हो गई है।

राज्यों के व्यय की नवीन प्रवृत्तियाँ—

भारतीय राज्यों के व्यय में हुई अभूतपूर्व वृद्धि का सबसे प्रधान कारण पब्लिक सेक्टर का विस्तार होना है। नीचे राज्यों के सार्वजनिक व्यय की नवीनतम प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला गया है :—

(१) राज्यों में सार्वजनिक व्यय की अपार वृद्धि—राज्यों के सार्वजनिक व्यय में स्वतन्त्रता के पश्चात् अपार वृद्धि हुई है। वर्ष १९५१-५२ में समस्त राज्यों का सार्वजनिक व्यय कुल मिलाकर ३६२-६३ करोड़ रु० था जो १९६०-६१ में ६८७-३७ करोड़ रु० और १९६५-६६ के अन्त में १८६२ करोड़ रु० हो गया। १९६६-७० के लिये बजट अनुमान २६६३-०२ करोड़ रु० था। इस प्रकार सार्वजनिक व्यय में लगभग ७½ गुनी वृद्धि हो गई।

अलग-अलग राज्यों की दृष्टि से, यह देखते कि, अधिक पिछड़े हुए राज्यों (उड़ीसा, राजस्थान, जम्मू व कश्मीर और मेसूर) के व्यय में वृद्धि सर्वाधिक हुई है। सार्वजनिक व्यय की वृद्धि और आकार का अनुमान प्रति व्यक्ति व्यय सम्बन्धी बाँकड़ों से भी लगाया जा सकता है। काश्मीर को छोड़कर (जिस पर कि विशेष ध्यान दिया जा रहा है) सब राज्यों में पञ्जाब का प्रति व्यक्ति व्यय सर्वाधिक है। इसके बाद आसाम और मेसूर का नम्बर है। विहार व उत्तर प्रदेश इस क्रम में सबसे नीचे हैं।

(२) राज्यों के व्यय की तुलना में इनकी आय—१९५१-५२ में समस्त राज्यों की आय ३९६४ करोड़ २० बी जो १९६०-६१ में १०११.८१ करोड़ २० और १९६५-६६ में १,८५० करोड़ २० हो गई। १९६६-७० में आय २,७०० करोड़ २० होने का अनुमान था। इस प्रकार व्यय के साथ-साथ आय में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है।

राज्यों के प्रति व्यक्ति व्यय पर इनकी प्रति व्यक्ति आय की तुलना में, विचार करने से यह पता चलता है कि राज्य अपनी क्षमता के अनुसार व्यय कर रहे हैं या नहीं। १९५७-५८ की अपेक्षा १९६४-६५ में राज्यों के प्रति व्यक्ति व्यय में हुई तीव्र वृद्धि (७६.४१%) की तुलना में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि (५२.४८%) बहुत कम है। प्रति व्यक्ति आय के प्रतिशत के रूप में प्रति व्यक्ति व्यय १९५७-५८ में ८.४६ से बढ़कर १९६०-६१ में ९.२६ और १९६४-६५ में ११.९६ हो गया।

(३) व्यय तथा आय दोनों ही प्रगतिशील देशों की तुलना में पिछड़े हुये—विश्व के समृद्ध औद्योगिक राष्ट्रों में प्रति व्यक्ति व्यय २५० २० से ३५० २० तक है। भारत में सार्वजनिक व्यय की प्रति व्यक्ति निरपेक्ष मात्रा इसकी तुलना में स्पष्टतः बहुत ही कम है। उदाहरणार्थ १९६२-६३ में जापान की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय १,५०० २० थी जबकि उसने सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं में प्रति व्यक्ति व्यय ३५० २० किया। दूसरी ओर, भारत की राष्ट्रीय आय १९६२-६३ में ३३९ ४० २० थी और सरकारी (राज्यो एव केन्द्र) ने प्रति व्यक्ति ८५ २० व्यय किये।

(४) विकास व्यय में सबसे अधिक वृद्धि—राज्यों का विनाम-व्यय (पूर्वोक्त + रेवेन्यू) १९५१-५२ में २९६.५० करोड़ २० से बढ़कर १९६६-७० में २०८७ करोड़ २० हुआ, अर्थात् छः गुने से अधिक हो गया। इसके विपरीत, विकास व्यय (पूर्वोक्त + रेवेन्यू) इन्हीं वर्षों में नमस्तः २२३.७० और १.३७६ करोड़ २० था, अर्थात् छह गुना बढ़ा। कुल व्यय के अनुपात में विकास व्यय १९५१-५२ में ५७% और १९६६-७० में ६०% थे किन्तु विकास व्यय ४३% और ४०%। इस प्रकार विकास व्ययों का अनुपात निरन्तर बढ़ रहा है। कुल व्यय की भांति ही विकास व्यय सबसे अधिक राजस्थान, उड़ीसा, मिसूर, केरल एवं जम्मू-काश्मीर में किया गया है। पंजाब, हरियाणा और बिहार विकास-व्यय में पिछड़े हुए हैं।

(५) प्रशासन व्यय में वृद्धि कुल व्यय एवं विकास व्यय की अपेक्षा कम दर से—प्रशासन व्यय कुल व्यय व विकास व्यय की अपेक्षा प्राचीन दर से कुछ कम पर ही बढ़े। कुछ राज्यों (जैसे पंजाब व केरल) में प्रशासन व्ययों की वृद्धि दर तेज रही है। आसाम, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा भी इस दिशा में तेजी से बढ़े। अन्य राज्यों के प्रशासन व्यय की वृद्धि दर ५०% से अधिक नहीं है।

प्रति व्यक्ति प्रशासन व्ययों में भी वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है। किन्तु यह वृद्धि कुल व्यय व विकास व्यय की वृद्धि की तुलना में कम है। केरल का प्रति व्यक्ति प्रशासन व्यय सब राज्यों में सबसे कम है।

लगभग सभी राज्यों में प्रशासन व्ययों की प्रवृत्ति घटने की दिशा में है। इसका कारण राज्यों द्वारा यह सामान्य नीति धरना है कि गैर-विकास व्ययों को, राष्ट्रीय आपात-कालीन स्थिति के सन्दर्भ में, कम से कम किया जाय। प्रमुख कारण विकास व्ययों में वृद्धि होना भी है। इसमें गैर-विकास व्ययों के लिये उपलब्ध राशि स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है।

(६) ऋण सेवा व्ययों का बढ़ता हुआ अनुपात—ऋण सेवा व्ययों के उल्लेख विना राज्यों के व्यय का विवेचन अपूर्ण रहेगा। दर शीर्षक पर सब राज्यों द्वारा व्यय १९५१-५२ में ८.४६ करोड़ २० से बढ़कर १९६६-७० में ३७०.६६ करोड़ २० हो जाने का अनुमान है अर्थात्,

१८ वर्षीय अवधि में ४४ गुना बढ़ गया। उड़ीसा व राजस्थान में वृद्धि सर्वाधिक, मद्रास व उत्तर-प्रदेश में कम तथा अन्य सब राज्यों में कुल राज्यों के सामान्य प्रतिशत की अपेक्षा भी कम हुई। ऋण-व्ययों का कुल व्यय से अनुपात भी १९५१-५२ में २१% से बढ़कर १९६९-७० में १०% हो गया।

(७) सरकारी सेवाओं की आय लोच—भारतीय राज्यों के सार्वजनिक व्ययों में जो वृद्धि १९५१-५२ से १९६९-७० तक १८ वर्षीय अवधि में हुई है वह न केवल राज्य सरकारों के परम्परागत कार्यों में वृद्धि का परिणाम है वरन् पब्लिक सेक्टर के विस्तार के फलस्वरूप नये दायित्व ग्रहण करने के कारण भी है। जर्मनी के एक प्रसिद्ध प्रशुल्क-विशेषज्ञ श्री एडोल्फ वेगनर (Adolf Wagner) ने बताया है कि सरकारें अनिवार्य रूप से विशाल आकार धारण करती जाती हैं, अतः अर्थ-व्यवस्था में सामूहिक सेक्टर भी आकार और महत्त्व में बढ़ता जाता है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि सरकारी सेवाएँ आय लोच (Income Elasticity) रखती हैं, अर्थात्, जैसे-जैसे वास्तविक आय बढ़ती है, लोच अधिकाधिक निरपेक्ष मात्रा में सरकारी सेवाओं की माँग करते हैं। जब वास्तविक आय अनिवार्य आवश्यकताओं (भोजन व वस्त्र) के स्तर से अधिक बढ़ जाती है तब सरकारी सेवाएँ (शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सुरक्षा, कल्याण सेवाएँ) अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती हैं और फलस्वरूप सार्वजनिक व्यय आय की अपेक्षा अधिक अनुपात से बढ़ने लगता है। भारत में आजकल यही स्थिति देखने में आ रही है।

प्रादेशिक सरकारों की आय और व्यय की मुख्य मद्दे

प्रादेशिक सरकारों के द्वारा भी शासन सम्बन्धी तथा अन्य प्रकार के खर्चों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों से आमदनी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। वास्तव में देश के विभिन्न प्रकार के कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए वित्तीय प्रणालियों को तीन हिस्सों में बाँटा गया है—केन्द्रीय वित्त, प्रादेशिक वित्त, और स्थानीय वित्त। यह तीनों एक-दूसरे से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सम्बन्धित हैं। केन्द्रीय वित्त के बारे में विशद रूप से अध्ययन करने के पश्चात् यह आवश्यक हो जाता है कि प्रान्तीय सरकार की आय और व्यय की मद्दे तथा अन्य विशेषताओं के बारे में पूरी तरह से तथा विश्लेषणात्मक रूप में अध्ययन किया जाये।

प्रादेशिक सरकार के आय के स्रोत—

प्रादेशिक सरकारों के जो मुख्य आय के स्रोत हैं, उन्हें निम्नलिखित पाँच भागों में विभाजित किया जा सकता है :—(i) प्रादेशिक सरकारों द्वारा लगाये गये कर और शुल्क। (ii) नागरिक प्रशासन तथा अन्य विविध कार्यों से उपलब्ध किया गया धन। (iii) प्रान्त में जो सरकारी उद्योग, व्यवसाय आदि हैं उनसे प्राप्त आमदनी। (iv) राज्य सरकारों की आयों का प्रायः केन्द्र सरकार द्वारा प्रान्तों से एकत्रित करों का भाग या हिस्सा (जैसे—विभिन्न राज्यों को दिये गये आय-कर का प्रतिशत भाग आदि)। (v) केन्द्रीय सरकार की ओर से प्रादेशिक सरकारों को दिये गये अनुदान। इसकी विशेषता यह होती है कि यह मात्रा प्रति वर्ष बदलती रहती है और वर्ष के किसी भी भाग में एकाएक आवश्यकता पड़ने पर भी इस शीर्षक के अन्तर्गत राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार से अनुदान या सहायता प्राप्त हो सकती है। राज्य सरकारों की आय के मुख्य साधनों का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है :—

(१) मालगुजारी और कृषि-प्राय पर कर—राज्य सरकारों की आमदनी के मुख्य साधनों के रूप में मालगुजारी के और कृषि की आय पर लगाये जाने वाले कर मुख्य समझे जाते हैं। जब तक देश में जमींदारी प्रथा विद्यमान थी तब तक यह मालगुजारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों को जमींदारों के माध्यम से प्राप्त होती थी और उस समय यह रकम अपनी

अधिक नहीं थी जितनी अब है। अब किसानों से मालगुजारी तथा कृषि सम्बन्धी अन्य आय के कर प्रत्यक्ष रूप से प्रान्तीय सरकारों द्वारा एकत्रित किये जाते हैं।

(२) बिन्नी-कर से प्राप्त आमदनी—राज्य सरकारों की आमदनी का एक मुख्य स्रोत बिन्नी-कर है। सभी राज्यों में विभिन्न वस्तुओं पर सामान्यतया यह बिन्नी-कर एकसूत्रीय (Single Point) तथा बहुसूत्रीय (Multiple Point) होता है। जो कुछ भी हो बिन्नी-कर से प्राप्त आमदनी प्रान्तीय सरकार की आमदनी समझी जाती है। इस कर की प्रमुखता यह है कि इसका स्वरूप परोक्ष होता है और सरकार को जब कभी भी अधिक आमदनी की आवश्यकता का अनुभव होता है तो वह इस स्रोत से पूरा करती है।

(३) मनोरजन कर—मनोरजन कर, जैसा कि इसके नाम से विदित है, उन क्षेत्रों एवं परिस्थितियों पर लागू होता है जहाँ मनोरजन के द्वारा धन प्राप्त किया जाता है। जैसे, सिनेमाघरों, थियेट्रो आदि से। इसके अन्तर्गत एक प्रगतिशील पद्धति अपनाई जाती है, जिसका उद्देश्य राज्य के लिये अधिकतम आमदनी प्राप्त करने का हाता है—किन्तु इस रूप में कि विभिन्न व्यक्तियों और समुदायों पर इसका अत्यधिक कुप्रभाव न पड़े। सामान्यतः, जैसे-जैसे टिकट की दरों में वृद्धि होती जाती है, मनोरजन कर की दरों में भी वैसे ही वृद्धि होती है।

(४) वनों से प्राप्त आमदनी—प्रायः सभी प्रान्तों में विभिन्न प्रकार और प्रकार के वन विद्यमान हैं। इन वनों से जो कुछ भी आमदनी प्राप्त होती है विभिन्न मनों के अन्तर्गत वह सभी प्रान्तीय सरकार की आय समझी जाती है। वन सम्बन्धी नीति, वनों का प्रसारण और वनों का संरक्षण प्रायः इस उद्देश्य से किया जाता है कि इनके द्वारा राज्य सरकारों को अधिक आमदनी प्राप्त हो सके।

(५) राज्य वितरण व्यवस्था से प्राप्त आय—कुछ राज्यों में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के वितरण की व्यवस्था प्रान्तीय सरकार द्वारा होती है। साधारणतया यह कार्य सरकार द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं किया जाता है बल्कि वितरण की कठिनाइयों से उत्पन्न परिस्थिति को दूर करने के लिये तथा नागरिकों को अधिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए ही इस नीति को अपनाया जाता है। फिर भी, यदि इससे धाय प्राप्त हो जाती है, तो वह प्रान्तीय सरकार की आय समझी जाती है।

(६) आबकारी सम्बन्धी आय—प्रान्तीय सरकार की आबकारी सम्बन्धी आमदनी भी प्राप्त होती है। आबकारी विभाग के अन्तर्गत कुछ विषय केन्द्रीय सरकार के होते हैं और बाकी कुछ प्रान्तीय सरकारों के। जैसे, शराब पर जो कर लगता है या उसकी वितरण-व्यवस्था से भी जो आय प्राप्त होती है वह राज्य सरकार की होगी। इसी प्रकार, अन्य बहुत-सी वस्तुओं और सेवाओं पर जो कर लगता है वह प्रान्तीय सरकार की आय समझी जाती है। राज्य सरकारों को इस मद के अन्तर्गत काफी आमदनी प्राप्त हो जाती है।

(७) केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये तथा उगाहे जाने वाले कर—इसके अतिरिक्त कुछ कर ऐसे होते हैं जिनसे प्राप्त आमदनी राज्य सरकार की होती है, किन्तु उन करों के बारे में निर्धारण, उनका लगाना और उन्हें उगाहने का पूरा कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा होता है। जैसे, कृषि-भूमि को छोड़ कर अन्य कर, सम्पत्तिके सम्बन्ध में 'प्राप्ति कर', रेल मार्ग, समुद्र मार्ग अथवा वायु मार्ग द्वारा लाई-से जाने वाली वस्तुओं और यात्रियों पर 'सोमान कर' आदि।

(८) केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये गये किन्तु राज्य सरकारों द्वारा एकत्र किये गये कर—इस प्रकार, कुछ कर ऐसे हैं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये जाते हैं, परन्तु उनका एकत्रीकरण राज्य सरकारों द्वारा ही होता है तथा उनसे जो आय प्राप्त होती है वह भी राज्य सर-

कार की ही भाव समझी जाती है, जैसे, स्टाम्प शुल्क, श्रौषधि तथा श्रृंगार सम्बन्धी सामग्रियों पर उत्पादन कर आदि ।

प्रान्तीय सरकारों के मुख्य व्यय—

प्रान्तीय सरकार को अपने सभी कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में काफी खर्चा करना पड़ता है । इन खर्चों में से निम्नलिखित मुख्य रूप से उल्लेखनीय हैं :—

(१) प्रशासन सम्बन्धी व्यय—प्रान्तीय सरकारों की जो सबसे बड़ी खर्च की मद है वह प्रशासन सम्बन्धी है । विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न प्रकार के शासन सम्बन्धी कार्यों को ठीक ढङ्ग में चलाने के लिए अफसर और अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति करनी पड़ती है, ऑफिस आदि का प्रबन्ध करना पड़ता है और इसी प्रकार अन्य आवश्यकताओं की सन्तुष्टि करनी पड़ती है । परिणामस्वरूप राज्य सरकारों को एक बड़ी रकम राज्य के शासन और प्रशासन के ऊपर खर्च करनी पड़ती है । पिछली दशाब्दी में इस मद के ऊपर किये गये खर्चों के विषय में यदि विशेष रूप से अध्ययन करे तो हमें यह ज्ञात होगा कि इस खर्चों की मात्रा में दिन-प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है । नये नये विभागों की स्थापना और पुराने विभाग के विकास के सम्बन्ध में जिसकी आवश्यकता दिनो-दिन बढ़ रही है, अधिक खर्च करना निःशक्य है । इसके फलस्वरूप इस मद में खर्चों की रकम बढ़ती ही जा रही है ।

(२) शिक्षा तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी व्यय—राज्य सरकारों को अपने राज्यों में शिक्षा और प्रशिक्षण की बहुत-सी सुविधाएँ प्रदान करनी होती हैं । इन कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए और शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए यह अनिवार्य समझा जाता है कि इस खाते में पर्याप्त धन खर्च किया जाये । जनसंख्या में वृद्धि, ११ वर्षों तक के बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा का प्रबन्ध, शिक्षा का विकास और उच्च शिक्षा तथा प्रशिक्षण की आवश्यकताओं ने इस मद पर अधिक खर्च करना अनिवार्य कर दिया है ।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि पिछले १८ वर्षों में इस मद पर किये गये व्यय की समस्त मात्रा पर दृष्टि डालें तो यह ज्ञात हो जायेगा कि इस दिशा में समस्त व्यय की मात्रा में आवश्यक वृद्धि हुई है । किन्तु वास्तविक आवश्यकता या खर्चों की जरूरत के सम्बन्ध में विप्लेय-शास्त्रक रूप में अध्ययन किया जाये, तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि आवश्यकता की तुलना में यह अत्यन्त कम है । उन्नत तथा अन्य विकासशील देशों में शिक्षा पर जिस अनुपात में खर्च किया जाता है उसकी तुलना में हमारे देश में—विशेषकर राज्यों में खर्च का परिमाण अत्यन्त कम है ।

(३) कृषि-सुधार तथा तरसम्बन्धी नदों पर व्यय—कृषि विकास, कृषि को उन्नत बनाना और कृषि कार्य से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सम्बन्धित विषयों में सुधार लाने के लिये यह आवश्यक हो गया है कि इस मद पर अधिकता से खर्च किया जाये । भारतीय अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ कृषि है । इस कारण सभी को यह स्पष्ट रूप से ज्ञात है कि जब तक कृषि और कृषि से सम्बन्धित अन्य तथ्यों का विकास और प्रसारण सन्तुलित रूप से न होगा तब तक प्रति व्यक्ति आय में या राष्ट्रीय आय में वृद्धि प्राप्त करना प्रायः असम्भव है । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक समझा गया है कि सभी राज्यों द्वारा इस बात का भरसक प्रयास किया जाये कि कृषि के क्षेत्र में सभी प्रकार की सुविधाएँ तथा उन्नति के पथ अपनाये जायें ।

(४) विभिन्न प्रकार के करों को उगाहने सम्बन्धी व्यय—किसी भी सरकार की ओर से जो कर लगाये जाते हैं उनसे आमदनी स्वतः ही प्राप्त नहीं हो जाती । वास्तव में उन्हें प्राप्त करने के लिये प्रयास और खर्चा किया जाना जरूरी होता है । क्षेत्र और करों के विषय में यह आवश्यक हो जाता है कि इसे उगाहने का प्रबन्ध पूरी तरह से किया जाये । इस प्रयास को शक्ति-शाली बनाने के लिये राज्य सरकारों को पर्याप्त मात्रा में धन व्यय करना पड़ता है जिसका सहज

परिणाम यह होता है कि अत्यधिक सन्तुलित रूप से इस मद पर खर्च किया जाये तो भी इनसे प्राप्त आमदनी की शुद्ध मात्रा में अत्यन्त कमी घा जाती है।

(५) स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यय—सामान्यतः राज्य के नागरिकों के स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रयासों को तीव्र और प्रगतिशील बनाने के लिये यह आवश्यक समझा जाता है कि सुविधाओं का विकास द्रुतगति तथा सन्तुलित रूप से हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अस्पताल खोलना, चिकित्साशास्त्र सम्बन्धी अध्ययन संस्थाओं का खोला जाना और उनका विकास परमावश्यक समझा जाना है। इसी प्रकार, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दवाघरों का खोला जाना, दवाई और डाक्टरों की व्यवस्था करना, प्रसूति व्यवस्था, बच्चों के स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा विभिन्न प्रकार के रोगों की रोक-थाम और उमकी मात्रा में कमी करने के उद्देश्य से प्रयास आदि सभी प्रान्तीय सरकारों के व्यय के साधन समझे जाते हैं।

(६) राज्य के अन्तर्गत कल्याणमूलक कार्यों पर व्यय—सभी राज्य सरकारों का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य कल्याणमूलक कार्यों को सुचारु रूप में चलाना और उनमें विस्तार करना है। विशेषकर, आजकल जबकि नागरिक इस और बहुत ही अधिक जानकार हो गये हैं, इसलिए इस मद पर किये जाने वाले खर्चों की मात्रा में दिन-प्रतिदिन वृद्धि ही होती जा रही है। कोई भी लोकतन्त्रीय सरकार इन कार्यों की उपेक्षा नहीं कर सकती।

(७) आवास सम्बन्धी व्यय—राज्य सरकारों को अपने प्रान्त में विभिन्न वर्ग के मनुष्यों के लिये आवास की व्यवस्था करनी होती है। विशेष रूप से दरिद्र वर्ग के लिये आवास की व्यवस्था करना आवश्यक समझा जाता है। जैसे-जैसे राज्यों का औद्योगीकरण बढ़ता जा रहा है और जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे आवास सम्बन्धी खर्चों की मात्रा में वृद्धि होती जा रही है। इसी प्रकार, गन्दी वस्त्रियों को समाप्त कर देना भी आवश्यक समझा जाता है। इन सभी कारणों से अब सभी राज्य सरकारें इस समस्या को दूर करने के लिये प्रयासशील हैं।

इस प्रकार, हम यह पाते हैं कि राज्य सरकारों की आय और व्यय की मदों में वृद्धि होती जा रही है। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अब इतने अधिक कर लगाये जाते हैं, जिनके बारे में पहले किसी को कल्पना भी नहीं हो सकती थी। किन्तु उसी अनुपात में राज्य सरकारों के व्यय में भी वृद्धि हो गई है। राज्य सरकारों को अब बहुत से कार्य भी करने पड़ते हैं, जो पहले उन्हें नहीं करने पड़ते थे। सड़कों का निर्माण, नहरों की व्यवस्था, वनों का प्रबन्ध, आवास और अन्य कल्याण-मूलक कार्य ऐसे हैं जिन पर पहले इतना अधिक व्यय नहीं करना पड़ता था।

राज्य सरकारों को अब स्थानीय अधिकारियों को भी अधिक सहायता प्रदान करनी पड़ती है। इसका मुख्य कारण यह है कि इन संस्थाओं को जितना अधिक खर्च करना पड़ता है, उसकी तुलना में उनकी आमदनी काफी कम है। उसे पूरा करने के लिए राज्य सरकारों से सहायता प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है।

इसी प्रकार, अब ग्रामीणों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिये एव उनकी स्थिति में उन्नति लाने के लिये उन क्षेत्रों में अधिक धन व्यय करने की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए भी यह आवश्यक समझा जाता है कि राज्य सरकारों की आमदनी में वृद्धि हो।

द्वितीय आयोग ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि देश के आर्थिक उत्थान और सन्तुलित विकास के लिये सभी राज्यों के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपने साधनों में वृद्धि कर सकें और केन्द्रीय सरकार पर कम आश्रित रहें। अर्थात्, आर्थिक उत्थान और राजस्व सम्बन्धी सभी क्षेत्रों में पूर्ण सन्तुलन सम्भव नहीं होगा। केन्द्रीय सरकार की ओर से अब जो अनुदान और

अन्य मदों के अन्तर्गत हिस्सा राज्य सरकारों को प्रदान किया जाता है, वह भी अब प्रतिशत के रूप में तथा अध्यक्षकृतानुसार राज्य को दिया जाता है।

इन सभी बातों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य-वित्त-व्यवस्था में अब अभूतपूर्व सुधार हो गये हैं।

निम्न तालिका राज्यों की आगम की सामूहिक स्थिति दिखाती है :—

शीघर	राज्यों की आगम				(करोड़ रु० में)
	१९५१-५२	१९६०-६१	१९६५-६६	१९६६-७०	
१. कर आगम	२८१	६२५	१११७.७५	१६६७.८१	
२. अ-कर आगम	११५	३८७	७३२.४६	१००२.०४	
३. कुल आगम	३९६	१,०१२	१८५०.२१	२६६९.८५	

यह तालिका इस बात को स्पष्ट करती है कि इन १८ वर्षों में राज्यों की सामूहिक आय ६ गुने से भी अधिक हो गई है, साधारणतया 'अ-कर-आगम' 'कर-आगम' की तुलना में अधिक बढ़ी है। अ-कर आगम की वृद्धि ८ गुनी है, जबकि कर आगम की वृद्धि ७ गुनी से कुछ कम ही है।

उक्त तालिका स्पष्ट करती है कि लगभग सभी राज्यों की आय का आधे से अधिक करो से प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार, कुल व्यय का आधे से अधिक विकास-व्यय है।

राज्य-वजटों की प्रमुख बातें

(१) घाटे का बजट—राज्यों के बजटों का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि आय में वृद्धि होने पर भी प्रायः राज्य सरकारों को काफी बड़े आकार के घाटे उठाने पड़ेगे। इस विषय प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी प्रमुख घटक व्यय में वृद्धि होना है और व्यय वृद्धि योजना-परिधियों की वृद्धि एवं सरकारी कर्मचारियों व श्रध्यापकों को दी गई सुविधाओं (Reliefs) के कारण है।

(२) प्रसाधनों की गतिशील बनाने की दिशा में ग्युन प्राप्ति—कीमते निरन्तर बढ़ते रहने और अर्ध-व्यवस्था में मुद्रा प्रसारिक बनाव बढने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को अतिरिक्त कर लगाकर, जनमत को दृष्ट करने की चिन्ता को समझना सहज है। किन्तु इस आधार पर राज्य सरकारें अपने उन उत्तरदायित्वों से नहीं बच सकती हैं जिनके लिए वे बचनबद्ध हैं। अनेक राज्यों में प्रसाधनों की गतिशील बनाने में बहुत सकोच दिखाया है। उनका विचार था कि यदि वे अपने बजटों में गम्भीर घाटे न दिखायेंगे तो वे विभाजन योग्य-आय में से अतिरिक्त हिस्सा पाने के अपने दावे को चतुर्थ वित्त आयोग के समक्ष बल प्रदान नहीं कर सकेंगे।

(३) केन्द्र पर राज्यों की बढ़ती हुई निर्भरता—हाल के वर्षों में एक महत्त्वपूर्ण विकास यह है कि योजना एवं गैर-योजना व्ययों की पूर्ति के लिए केन्द्र पर राज्य सरकारों की निर्भरता बढ़ती जा रही है। केन्द्र द्वारा राज्यों को हस्तान्तरित कुल प्रसाधन औसतन प्रति वर्ष पहली योजना में २८२ करोड़ रु०, द्वितीय योजनाकाल में ५७३ करोड़ रु० और तीसरी योजना-वधि में ११३२ करोड़ रु० थे। १९६६-६७ में १७०८२ करोड़ रु० और १९६६-७० में १६२७ करोड़ रु० हस्तान्तरित किये जाने का अनुमान था। इस वृद्धि का मुख्य कारण करो की विभाजन-योग्य राशि में से तृतीय, चौथे, पाँचवें वित्त आयोगों की सिफारिश पर राज्यों को अधिक हिस्सा मिलना है। साथ ही, केन्द्र की कर-प्राप्तियाँ बढ़ जाने से भी हस्तान्तरित धन की राशि बढ़ गई है। केन्द्र द्वारा राज्यों को, इनके कुल व्यय के अनुपात के रूप में, दिये जाने वाले ऋणों में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

(४) ऋण-सेवा-व्ययों में वृद्धि—केन्द्रीय सहायता में वृद्धि होने तथा कर-प्राप्तियाँ बढ़ने के बावजूद राज्यों को एक कठिन प्राय-व्यय स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। गैर-विकास व्यय (Non-development expenditure) बढ़ने का एक कारण ऋणों पर अधिक व्याज देना है। ऋण-सेवा व्यय (Debt Service charges) १९६०-६१ में ८४ करोड़ रुपये से बढ़कर १९६९-७० में २७१ करोड़ रुपये हो गये। राजामन्नार आयोग (Rajamannar Commission) ने इस व्यय की समस्या पर विचार किया था। इन व्ययों में कमी लाने हेतु उनका एक प्रस्ताव यह था कि केन्द्र को विशाल मिर्चाई परियोजनायें अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। योजना आयोग ने इस प्रस्ताव को केवल विशेष दशाग्रो (जैसे राजस्थान नहर परियोजना) के लिए स्वीकार किया है। यह आलोचना की जाती है कि केन्द्र द्वारा यह नीति अनानासे विभिन्न राज्यों के प्रति नमानता का वर्तान न हो सकेगा, क्योंकि जिन राज्यों में ऐसी परियोजनायें नहीं हैं वे केन्द्र की विशेष नुविधा का लाभ न उठा सकेंगे।

(५) योजना के लिए वित्तीय साधनों के मूल्यांकन में कठिनाई—जैसा कि हमने पहले भी बताया है, राज्यों के बजट की एक प्रमुख विशेषता यह है कि रेवेन्यू में घटेष्ट वृद्धि होने पर भी विशाल घाटे उदय हुए हैं क्योंकि व्यय में निरन्तर वृद्धि होती गई है। अधिकांश व्यय-वृद्धि सरकारी कर्मचारियों व अध्यापकों के महंगाई भत्ता बढ़ाये जाने के कारण थी। किन्तु वादनीय तो यह है कि हम मजदूरी कीमन-वृद्धि-धक को खुली छूट देने के बजाय कीमतों को स्थायी रखने के लिए आवश्यक उपाय करें।

जिस सीमा तक आवश्यक था उस सीमा तक प्रसाधनों को गतिशील बनाने में राज्यों की असफलता ने आयोजकों के सम्मुख, चतुर्थ योजना (Fourth Plan) के लिए प्रसाधनों का मूल्यांकन करने में बड़ी कठिनाई उत्पन्न की। यह कहना तो ठीक न होगा कि सभी राज्य अपने लक्ष्य पूरे करने में असमर्थ रहे, क्योंकि कुछ राज्य (जैसे मद्रास, उड़ीसा) लक्ष्य में भी आगे बढ़ गये किन्तु कई राज्य नये कर लगने से उत्पन्न होने वाले जनरोप का सामना करने के लिए पर्याप्त साहस नहीं दिखा सके।

(६) ग्रामीण क्षेत्रों से वचन काकपित करने में सकोच—अनेक बार यह बताया जा चुका है कि ग्रामीण क्षेत्रों की वचन काकपित करने के लिए आवश्यक उपायों के अर्पनाने में राज्यों ने जो सकोच प्रदर्शित किया है उसके लिए कोई समुचित आधार नहीं है। योजना आयोग ने भी बारम्बार इस बात पर जोर दिया है कि मालगुजारी और खुगहाली करों में तीव्र वृद्धि करनी चाहिए। ग्रामीण करारोपण के विस्तृत क्षेत्र का अनुमान निम्न आंकड़ों से लगाया जा सकता है—१९६४-६५ में, कुल कर-आय २,३९९ करोड़ रुपये में से ग्रामीण करारोपण में प्राय केवल ६८ करोड़ रु० ही थी। इसका अर्थ यह है कि देश की ८०% जनसंख्या वाले क्षेत्र में केवल २९% आय-दान दिया। इसे एक अन्य दृष्टिकोण से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कर-भार का राष्ट्रीय औसत ५२ रुपये है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह केवल १८ रुपये है तब शहरी क्षेत्रों में २०५ रु० तक है। इससे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की कर-सरचनाओं के मध्य गम्भीर असमानताओं का पता चलता है। कोई भी व्यक्ति यह तर्क नहीं करेगा कि समस्त ग्रामीण वर्गों में कर-भार एक समान होना चाहिए। किन्तु प्रगतिशील करारोपण द्वारा ऊँची ग्रामीण आयों पर अधिक कर-भार डालना सम्भव हो सकता है। यदि केन्द्र ही अत्यधिक भार टोता रहा तथा राज्य सरकारें अपने दायित्वों को न निवाहें, तो चौथी योजना की वित्त-व्यवस्था सम्बन्धी समस्या बहुत जटिल रूप धारण कर लेगी।

राज्य सरकारों के राजस्व में नई प्रवृत्तियाँ
[वित्त-आयोगों की सिफारिशों के आधार पर]

(१) भारत में जो 'वित्त आयोग' (Finance Commission) गठित किये गये हैं, उनकी रिपोर्टों में इस बात पर बल दिया जाता रहा कि देश के प्राथमिक-उत्पादन के लिए केन्द्रीय, प्रान्तीय और स्थानीय राजस्व में पूर्ण समन्वय होना चाहिये। कारण, समन्वय के अभाव में प्रायः असन्तुलित राजस्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे देश के विकास और सन्तुलन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

(२) इसके अतिरिक्त वह सब राज्य, जिनका औद्योगिकरण उन्नत दशा में पहुँच पाया है, उनकी आमदनी अन्य राज्यों के मुकाबिले अधिक होती है, किन्तु केन्द्रीय राजस्व की कमियों के कारण उन्हें उतना अधिक प्राप्त नहीं हो रहा था, जितना कि होना चाहिये या उनकी आशाएँ हैं। इस सङ्घर्ष को समाप्त करने के लिए तथा राजस्व में समानता और सन्तुलन लाने के लिये एक 'आप-हस्तांतरण योजना' (Devolution Scheme) का निर्माण किया गया। इसके अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा एकत्रित धन में से विभिन्न राज्यों को कई तरह से अनुमान लगाने के उपरान्त हिस्सा बाँटना आवश्यक समझा गया।

(३) वित्तीय आयोगों की सिफारिशों के फलस्वरूप देश की राजस्व-वृद्धि और स्वरूप में एक तीव्र परिवर्तन सम्भव हो सका है। वास्तव में, इन सिफारिशों को अत्यधिक सराहना की गई। तृतीय वित्तीय आयोग ने एक सुझाव यह भी दिया था कि समय-समय पर तथा आवश्यकतानुसार देश के राजस्व सम्बन्धी तथ्यों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वित्तीय आयोगों की स्थापना होनी चाहिए। उनकी जो सिफारिशें प्राप्त हो, उन्हीं के आधार पर जहाँ तक सम्भव हो, देश में राजस्व-व्यवस्था का प्रबन्ध होना चाहिए। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन वित्तीय आयोगों की रिपोर्टें देश के लिए अत्यधिक लाभपूर्ण और व्यावहारिक सिद्ध हुईं।

(४) इस प्रकार, पिछले १८ वर्षों का राज्यों की वित्तीय परिस्थिति के बारे में यदि हम एक विश्लेषणात्मक अध्ययन करें तो हमें निम्नलिखित बातें मुख्य रूप में दिखाई देंगी :— (i) इस अवधि में प्रायः सभी राज्यों की आय और व्यय की मात्रा में अधिक वृद्धि हुई है। (ii) उन स्रोतों से भी अब धन प्राप्त किया जाता है, जिनसे पहले नहीं किया जाता था। दूसरे शब्दों में, अब राज्यों में करो वी मात्रा और आकार में अत्यधिक वृद्धि हुई है। (iii) अब तक चार वित्तीय आयोगों ने राज्य के वित्तीय मामलों के बारे में विस्तृत रिपोर्टें दाखिल की हैं और उन्हीं के अनुसार काम हो रहा है। (iv) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के राजस्व के क्षेत्र में अब पहले से अधिक समन्वय हो गया है। (v) केन्द्रीय सरकार वी और ये राज्य सरकारों की विभिन्न करो के हिस्से और अनुदानों के बारे में विस्तृत और विश्लेषणात्मक तरीके प्रपनाये जाने लगे हैं, जिनका आधार वित्तीय आयोग की सिफारिशें हैं।

राजस्थान का १९६६-७० का बजट

वित्तमंत्री श्री मधुगदास भापुर ने ६ मार्च १९७० को राज्य विधान सभा में २६.६८ करोड़ २० के पाठे का बजट पेश किया। बजट में चावल की शराब, शीतल पेयों, सिलेसिलाए कपडों, सीमेंट, मोटर के पुर्जों, कार्बन प्लेक्स (खाद्यान्न से बने पदार्थों) और लिखने के कागज पर भारी करो की घोषणा की गई है। उन्होंने उन छात्रों पर शिक्षा-शुल्क बढ़ाने की भी घोषणा की जिनके माँ-बाप आय-कर देते हैं। वित्तमंत्री ने विभिन्न मदों में हेर-फेर और नये कर लगाकर ३ करोड़ ८७ लाख रुपये की अतिरिक्त आय के अनुमान की घोषणा की।

१९७०-७१ के बजट में राजस्व एवं पूँजी खातों में ३५ करोड़ ४२ लाख रुपये का

घाटा बताया गया जो केन्द्रीय करो के २ करोड़ ४५ लाख रुपये की प्राप्ति से घटकर ३२ करोड़ ६७ लाख रुपये हो जायेगा। यह घाटा योजनाओं में ३८ लाख रुपये की रद्दीबदल कर देने से और ३ करोड़ ६२ लाख की प्रतिरिक्त अनुमानित आय के कारण घटकर २६ करोड़ ६८ लाख रुपये रह जायेगा। वित्तमन्त्री ने आशा व्यक्त की कि यह घाटा भारत सरकार से मिलने वाली विशेष सहायता से पूरा हो जायेगा। अतः उन्होंने इसे सन्तुलित बजट माना है।

वित्तमन्त्री ने व्यापारिक फसलो पर शुल्क की समाप्ति की घोषणा की जिससे राजस्व आय में २५ लाख रुपये की हानि होगी। श्री मायुर ने कहा कि पाँच एकड़ तक की जोतो पर कोई खुशहाली कर न लेने का प्रस्ताव है। ५ एकड़ से १६ एकड़ से कम तक की जोतो पर खुशहाली कर की वसूली की अवधि निर्धारित अवधि से दुगुनी तक बढ़ा दी जायेगी।

शहरी भूमि कर, जो १९६४ में लगाया गया था और जिस पर राज्य सरकार ने अब तक लागू करने पर पावदी लगा दी थी, अब उसे लागू करने का निर्णय लिया गया है। इससे ५ लाख रु० की आय होगी।

अनिवार्य बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों द्वारा दिये जाने वाले प्रीमियम में मामूली वढोत्तरी करने की घोषणा की गई है।

उत्तर प्रदेश का १९७०-७१ का वजट

उत्तर प्रदेश के वित्तमन्त्री श्री बलवीरसिंह ने १९७०-७१ का अट्टाइस करोड़ इक्कीस लाख रुपये घाटे का वजट पेश किया। वजट में उन्होंने घाटे के द्वावजूद किसी तरह के नए कर का प्रस्ताव नहीं रखा है। राजस्व आय ४५५ २५ करोड़ रुपये और पूँजीगत ४३-१५ करोड़ रु० दिखाई गई है जब कि दोनो मदो में क्रमशः व्यय ४१३-८० और १०८-८६ करोड़ रुपये हैं।

वित्तमन्त्री ने अप्रैल, मई और जून के लिए १५३ करोड़ ६ लाख रुपये के अन्तरिम वजट (लेखानुदान) को भी पेश किया।

वजट पेश करते हुए मन्त्री महोदय ने कहा कि छोटी जोतो पर लगान माफी से सरकार को ५-८ करोड़ रु० का घाटा होगा। इसके साथ ही रासायनिक खाद पर विभी कर खत्म करने से भी सरकार को ३ करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ेगी।

राजस्व खाते में जहाँ ४१-४५ करोड़ रु० की बचत है वहाँ पूँजीगत खाते में ६५-७१ करोड़ रुपये का घाटा होगा।

मध्य प्रदेश का वजट

२५ जून १९६९ को विधान सभा में मध्य प्रदेश का १९६९-७० का वजट पेश किया गया। वजट में २६ ६४ करोड़ रु० का घाटा दिखाया गया। इसमें राजस्व खाते का २४-४६ करोड़ रु० का गैर-परियोजना घाटा भी शामिल है। वजट पेश करते हुए वित्तमन्त्री श्री के० एल० दुवे ने कहा कि गैर-परियोजना राजस्व के घाटे का कारण महंगाई भत्ते में वृद्धि, अकाल सहायता कोष में दिये धन में वृद्धि आदि हैं।

इस वजट द्वारा कुछ प्रतिरिक्त साधन जुटाने के प्रयास किये गये हैं। इनमें अफीम, गन्ना, और तम्बाकू उगाने वाली भूमि पर कर की वर्तमान दर, जिसे बाणिज्य फसल कर कहा जाता है, २ रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर ४ रु० प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही इसी दर से यह कर सन, रमेटा, राईबीज, सरसो, तिल और गुलाबी चना उगाने वाली भूमि पर भी लगाया जायेगा। कपास और मूँगफली पर कर की वर्तमान दर, जो २ रु० प्रति एकड़ है, कायम रहेगी, किन्तु जिन खेतों का आकार साढ़े सात एकड़ से अधिक नहीं है या जिनका भू-राजस्व पाँच रुपये से अधिक नहीं है उन पर यह कर नहीं लगेगा।

वाटर वर्क्स से दिये जाने वाले जल की दरों में अगस्त से कुछ वृद्धि की गई है।

वाणिज्य फसल कर में वृद्धि से ६६-७० में ५० लाख रु० की अतिरिक्त आय की और जल की दर वृद्धि से ३० लाख रु० की अतिरिक्त आय होने की आशा है ।

मोटर गाड़ी अधिनियम १९६२ के अधीन निजी वाहनो से ली जाने वाली फीस को लोक वाहनो से ली जाने वाली समझौता फीस के बराबर कर दिया जायेगा, जिससे १० लाख रु० की अतिरिक्त आय की सम्भावना है । कपास पर विशेष कर दर २ प्रतिशत से बढ़ाकर ३ प्रतिशत करने का प्रभाव है, जिससे १० लाख रुपये की अतिरिक्त आय होने की सम्भावना है ।

प्रस्तुत किये गये बजट पर राजनैतिक क्षेत्रों में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई है । विपक्षी नेताओं ने वाणिज्य फसल कर का विरोध किया है और नये कर प्रस्तावों को जन विरोधी बताया है । अधिकांश विरोधी नेताओं के मत में सविद शासन काल में प्रस्तुत किये गये बजट से जिन करों का कांग्रेस विरोध करती रही, उन्हीं को उसने अब जनता पर लाद दिया है । एक जनसघी नेता ने उसमें बेरोजगारी का उल्लेख न होने पर खेद प्रकट करते हुए कहा कि जल कर में की गई वृद्धि से मुख्यतः गरीब वर्ग प्रभावित होगा ।

वित्त मंत्री ने आशा प्रकट की कि २४-४६ करोड़ रु० का सारा पैर-योजना घाटा पाँचवाँ वित्त-आयोग राज्य की जहूरतो को ध्यान में रखकर के केन्द्रीय अनुदान में पूरा करेगा । केन्द्र द्वारा लगाये गये करों से होने वाली अतिरिक्त प्राप्तियाँ व लॉटरी से होने वाली ४० लाख रु० की आय से अन्य स्रोतों में घाटा घटकर केवल ३-७३ करोड़ रु० रह जाने की आशा व्यक्त की गई । नये करो से १-१० करोड़ रु० प्राप्त होंगे, अतः वास्तव में २-६३ करोड़ रु० का घाटा होगा । इसे पूरा करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

परीक्षा प्रश्न :

१. उत्तर प्रदेश या किसी अन्य भारतीय राज्य के आय-व्यय का संक्षिप्त विवरण दीजिये । आँकड़े अधिकतम होने चाहिये ।
२. भारत में स्वतन्त्रता के पश्चात् राज्यों के वित्त-प्रबन्ध की मुख्य विशेषताओं पर विचार कीजिये ।
३. भारत में राज्य सरकारों की आय के प्रमुख साधन कौन-कौन से हैं ? क्या आप यह समझते हैं कि ये साधन उनके लिए पर्याप्त हैं ? राज्य सरकारों की आय को बढ़ाने के लिए अपने सुझाव दीजिए ।

भारत में स्थानीय वित्त

(Local Finance in India)

स्थानीय संस्थाओं का अर्थ

स्थानीय संस्थाओं का आशय नगर निगम (Corporation), नगरपालिका, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और पंचायत आदि से है। उत्तर प्रदेश के पाँच बड़े प्रान्तों—कानपुर, आगरा, बनारस, इलाहाबाद और लखनऊ में, जिन्हें सर्वप्रथम 'KABAL' Towns कहते हैं, नगरपालिका के स्थान पर नगर निगम (Corporations) बना दिये गये हैं। प्रान्त के अन्य शहरों में नगरपालिकाएँ ही कार्य कर रही हैं। पहले प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की देख-भाल के लिए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बने हुए थे। अब प्रत्येक गाँव का प्रबन्ध पंचायतों के हाथ में दे दिया गया है।

विगत वर्षों में स्थानीय शासन के रूप में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। अधिकांश राज्यों ने शासन के विकेन्द्रीयकरण की नीति अपनाई है, जिनके अन्तर्गत पंचायती राज की नयी प्रणाली का उद्घाटन हुआ है। पंचायती राज के अन्तर्गत सबसे नीचे तो ग्राम पंचायत होती है, उसके ऊपर विकास खण्ड और इसके भी ऊपर पंचायत समिति, जो एक पूरे जिले से सम्बन्धित होती है। पंचायती राज-संस्थाओं को विकास तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार दिये गये हैं। आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, मद्रास, मैसूर, असम, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ने पंचायती राज-व्यवस्था कार्यशील कर दी है। केच राज्यों में तो इसे कार्यशील किया जा रहा है या इस सम्बन्ध में आवश्यक नियम बनाये जा रहे हैं। संविधान की धारा ४० के अन्तर्गत समस्त देश में ग्राम-पंचायतें स्थापित की गयीं। इन पंचायतों का निर्वाचन ग्राम-सभाओं द्वारा किया जाता है, जिन्हें ग्रामों की समस्त वयस्क जन-संख्या चुनती है। कृषि-उत्पादन, ग्रामीण-उद्योग, चिकित्सा निवारण, प्रसूत और शिशु-कल्याण, चरागाहों की देख-भाल, ग्रामीण सड़कों, तालाबों आदि की देख-भाल, सफाई इत्यादि कार्य ग्राम-पंचायतों का सौंपे गये हैं। वही-वही पर आरम्भिक शिक्षा, ग्रामीण खातों का रखना और भू-प्राप्त का एकत्रण भी ग्राम-पंचायतों को सौंप दिये गये हैं। इन पंचायतों को मकानों, जमीन, मेची, दवाइयों, माल की बिजली आदि पर कर लगाने का अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त ये चुन्नी वसूल करती हैं और स्थानीय सम्पत्ति से आय प्राप्त करती हैं।

(1) नगरपालिकाएँ एवं नगर निगम

आय-साधन—

भारत में नगरपालिकाएँ निम्नलिखित साधनों से आय प्राप्त करती हैं :—(१) प्रत्यक्ष कर—स्थानीय सरकार द्वारा लगाये गये प्रत्यक्ष करों में स्थान, सम्पत्ति तथा मकान का प्रमुख स्थान है। ये कर मालिकों पर लगाए जाते हैं जिनका आधार मकानों के वार्षिक किराए को बनाया जाता है। इसके अलावा व्यापार तथा पेशों पर भी कर लगाकर आय प्राप्त की जाती है। कुछ प्रान्तों में व्यक्ति पर भी कर लगाया जाता है। नगरपालिकाएँ, पशुओं, यात्रियों, बाजारों

तथा मनोरंजन पर कर लगाती हैं। (२) अप्रत्यक्ष कर—नगरपालिकायें कुछ अप्रत्यक्ष कर भी लगाकर आय प्राप्त करती हैं। इन करों में प्रमुख कर चुङ्गी कर है। यह कर अन्य स्थानों से नगरपालिका के क्षेत्र में आने वाले सामान पर लगाया जाता है। यह कर वस्तु के मूल्य के आधार पर लगाया जाता है। जिन वस्तुओं पर सीमा कर व्यवस्था उत्पादन कर लगा दिया जाता है उन पर यह कर नहीं लगाया जाता, जैसे—नमक, शराब, घरेलू सामान आदि। इस कर के कई दोष हैं :—(i) एकन करने में असुविधा, (ii) व्यापार की उन्नति में बाधा, (iii) कर से बचाव, (iv) असुविधा तथा अनिश्चितता, (v) रिक्वतखोरी को बढ़ावा। (३) व्यापारिक कार्यों से प्राप्त आय—नगरपालिकाएँ कुछ व्यापार भी करती हैं जिनमें उनको काफी आय प्राप्त होती है, जैसे—जल-वितरण, बिजली वितरण तथा आवागमन के माधन। जल-कर दो प्रकार से लिया जाता है—एक तो सामान्य रेट से तथा दूसरा उपभोग के अनुसार। (४) राज्यों द्वारा प्राप्त अनुदान—नगरपालिकाओं को उपर्युक्त साधनों से पर्याप्त आय प्राप्त नहीं हो पाती, अतः इनको राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अनुदान तीन प्रकार से मिलता है :—(i) किसी विशेष मद पर जितना व्यय करे उसका निश्चित प्रतिशत, (ii) किसी मद पर व्यय करने के लिए निश्चित मात्रा और (iii) प्रति इकाई के हिसाब से अनुदान। भारत-वर्ष में नगरपालिकाओं को दो प्रकार के अनुदान दिये जाते हैं—आवृत्ति अनुदान जो प्रति वर्ष दिये जाते हैं तथा समावृद्ध अनुदान विशेष कार्यों के लिए विशेष अवसरों पर दिये जाते हैं।

नगरपालिकाओं के व्यय की मदें—

नगरपालिकाओं के व्यय की मदें निम्नलिखित हैं :—(१) साधारण प्रबन्ध और कर-प्राप्ति का व्यय—यह व्यय नगरपालिका के दफ्तरो पर और कर प्राप्ति के लिए रखे जाने वाले कर्मचारियों के वेतन, पेन्शन, वार्षिक वृत्ति आदि पर होता है। (२) जन शिक्षा—इसमें निम्नलिखित मदें हैं—यह व्यय सड़कों और गलियों में रोशनी, पुलिस या चौकीदारी या आम बुझाने की मोटर, जंगली जानवरों तथा साँपों को मारने का इनाम आदि पर होता है। (३) जन-स्वास्थ्य और सुविधा—इसमें निम्नलिखित मदें हैं :—(अ) जल प्रबन्ध, गन्दे पानी का बहाव, मैला-सफाई, सड़कों पर पानी, मवेशी या मशीनों, (आ) हेल्वी ग्रॉफ़ीसर, सेनिट्री इन्स्पेक्टर, अस्पताल, डिस्पेंसरियाँ और चेचक, प्लेग, हैजा आदि का टीका, (इ) बाजार, उद्यान, कसाईखाने, सराय, डारु-बगले और सफाई, पशु-चिकित्सा, जन्म-मृत्यु का ब्योरा। (४) नागरिक-निर्माण कार्य—इस मद में सड़कें और इमारतें बनवाने और मरम्मत कराने का व्यय सम्मिलित है। (५) शिक्षा—इस मद में प्राथमिक पाठशालाओं, स्कूलों, रात्रि-पाठशालाओं, पुस्तकालयों और पाठन-भवनों आदि को दी जाने वाली सहायता सम्मिलित है। (६) ऋण या व्याज—इस मद में पुराने ऋण को लौटाने और व्याज का व्यय सम्मिलित है।

(II) जिला बोर्डों की आय-व्यय के साधन

आय-साधन—बोर्डों की आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत प्रांतीय महसूल होता है, जो भूमि पर लगाया जाता है। प्रांतीय सरकार वार्षिक लगान वसूल करते समय प्रायः एक आना की रकम और वसूल करते हैं जो इन बोर्डों को दे दिया जाता है। यह कर समान दर पर लगाया जाता है और इसलिये धनिकों की अपेक्षा निर्धनों को अधिक वलिदान करना पड़ता है। किन्तु, क्योंकि इसकी आय गाँव वालों के लाभ के लिए ही व्यय की जाती है, इसलिए इसमें बड़ा दोष नहीं। आय के दूसरे स्रोत नागरिक निर्माण होते हैं जो तालाब, घाट, सड़क आदि पर कर वसूल किये जाते हैं। इनकी आय की सम्पूर्ण सूची निम्नलिखित है :—(i) प्रांतीय सरकार से सहायता, (ii) मालगुजारी के अतिरिक्त भूमि पर लगाया गया स्थानीय कर, (iii) हेतियत कर, (iv) पशुओं के पानी पीने के स्थानों का महसूल, (v) घाट और पुन का महसूल, (vi) शिक्षा

से धाय, (vii) चिकित्सा सम्बन्धी धाय, (viii) बाजार, दुकान, मेले और प्रदर्शनियों से धाय, (ix) सम्पत्ति से धाय, एव (x) खेती, धीज और धीजारी की विन्नी से धाय ।

घोटों के व्यय की सबसे बड़ी मद शिक्षा है जिसका महत्त्व पिछले दस वर्षों में बहुत हो गया है । व्यय का प्रमथः दूसरा महत्त्वपूर्ण मद नागरिक निर्माण, जैसे—सड़क और पुल है । चिकित्सा पर भी काफी व्यय किया जाता है । व्यय के प्रमुख मद निम्नलिखित हैं :—(i) सामान्य शासन और कर-वसूली का व्यय, (ii) इमारतें, पशुओं की चरही आदि का बनवाना, रक्षा करना और मरम्मत करना, (iii) स्कूल और शिक्षा पर व्यय, (iv) अस्पताल तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य, (v) पशु-चिकित्सा, (vi) मेले, प्रदर्शनी आदि, (vii) खेती और बागवानी, (viii) सार्वजनिक निर्माण कार्य, और (ix) भूमि की खेती योग्य बनाना ।

(III) ग्राम पचायतों के धाय-व्यय

धाय के साधन—ग्राम-पचायतों की धाय के साधनों को दो भागों में बाँटा जा सकता है :—कर तथा अन्य साधन । पचायत गाँवों में भूमि पर उप-कर लगाकर, गाँव में होने वाले व्यापार पर व्यापार कर लगाकर हैसियत कर तथा मकान-कर लगाकर धाय वसूल करती है । इन करों के अलावा पचायत सार्वजनिक स्थानों का किराया लेकर, धारा की विन्नी करके, झण्डों के फर्मले में दण्ड द्वारा धाय प्राप्त करती है । इनकी राज्य से सहायता भी प्राप्त होती है ।

ग्राम पचायत के धय—ग्राम-पचायतें अनिवार्य ऐच्छक कार्यों पर व्यय करती हैं । मार्ग तथा नालियाँ बनवाना, शुद्ध जल की व्यवस्था करना, तालाब व कुओं की सफाई कराना, मरम्मत तथा रक्षा करना, रोशनी का प्रबन्ध करना, ह्राद आदि लगाना, पाठशाला चलाना, चिकित्सा का प्रबन्ध करना तथा रोगों को रोकना आदि आवश्यक कार्य हैं । बाग लगाना, सड़कों पर वृक्ष लगाना, खेल के मैदानों की व्यवस्था करना, व्यायामशालायें बनाना, पुस्तकालय खोलना, गरीबों की सहायता करना, प्राण बुझाने की व्यवस्था करना, उद्योग-मन्धे विकसित करना आदि ऐच्छक कार्य हैं ।

भारत में स्थानीय वित्त के साधनों की अपर्याप्तता

प्रजातन्त्रीय देशों में स्थानीय स्वशासन को एक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाता है । क्योंकि इसके द्वारा ही जनता को पहले पहल प्रजातन्त्र के नियमों और मिद्धान्तों का परिचय मिलता है । श्री नेहरू के शब्दों में, “स्थानीय स्वशासन वास्तविक प्रजातन्त्र का आधार है और हाना भी चाहिए । हम उच्च-स्तर पर तो प्रजातन्त्र के विषय में साक्षर हैं लेकिन निम्न स्तर पर प्रजातन्त्र की उपक्षा कर देते हैं । वास्तव में यदि निम्न स्तर पर प्रजातन्त्र ठीक प्रकार से स्थापित नहीं है, तो उच्च स्तर पर भा प्रजातन्त्र सफल नहीं हो सकता है ।”

स्थानीय निकायों का इतना महत्त्व होता हुए भी आज उनके वित्तीय साधन उनके कार्यों के अनुपात में बहुत कम हैं । वर्तमान समय में उनके कार्यक्षेत्र को बहुत बड़ा दिया गया है जबकि धाय के साधनों में कोई विस्तार नहीं किया गया है । वास्तविकता तो यह है कि धाय के साधनों के सम्बन्ध में स्थानीय निकायों पर अधिक प्रतिबन्ध लगे हुए हैं । नये करों को लगाने के प्रस्ताव पारित करने के लिए स्थानीय सत्थाओं को पहले राज्य-सरकार की अनुमति लेना पड़ती है । यदि भारत की स्थानीय सत्थाओं के वित्तीय साधनों पर विदेशों के सन्दर्भ में ध्यान दिया जाय, तो वित्तीय साधनों की अपर्याप्तता और भी गम्भीर ज़रूरी ।

वित्तीय साधनों की अत्यधिक अपर्याप्तता के कारण—

भारत में स्वायत्त सत्थाओं के वित्तीय साधनों के अपर्याप्त होने के निम्नलिखित कारण हैं :—(1) उनका कार्य-क्षेत्र इतना विस्तृत है कि वे करदाताओं के निकट सम्पर्क में

नहीं आने पाती। यदि उनका कार्य-क्षेत्र उचित होगा, तो सुगमता से कर लगाने में समर्थ होंगे। (ii) लोगों की कर-दान क्षमता बहुत कम है, क्योंकि जबकि आय अल्प है तब परिवारों का प्रकार बड़ा होता है। (iii) आय के कुछ महत्वपूर्ण साधनों (जैसे—भूमि-कर) पर राज्य सरकारों ने अधिकार कर रखा है जबकि पश्चिमी देशों में इन पर स्थानीय सरकार का अधिकार होता है। (iv) स्थानीय स्वायत्त संस्थाएँ नीचे संस्थानों नीचे से उदय न होकर ऊपर से बलपूर्वक पैदा की गई हैं इसलिये व्यक्तियों में इनका समर्थन करने के लिए पर्याप्त उत्साह का अभाव होता है। (v) स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के सदस्यों में साहस की कमी भी आय के साधनों की अपर्याप्तता का मुख्य कारण है। वे लोग इस बात से डरते हैं कि यदि उन्होंने कोई कड़ा कदम उठाया, तो जनता उन्हें अगले चुनाव में नहीं चुनेगी। अतः वे कर लगाने की शक्ति का पूरा प्रयोग नहीं करते। (vi) प्रबन्ध की कमी और अकुशल प्रशासन के कारण भी पुराने करों के धन का भुगतान नहीं होने पाता। (vii) केंद्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकार एवं स्वायत्त सरकारों के बीच आय के साधनों का उचित विभाजन नहीं है। (viii) जिला बोर्डों के प्रशासन का तरीका भी उत्तम नहीं है। सदस्य अशिक्षित होते हैं, उन्हें साम्प्रदायिक आचार पर चुन लिया जाता है, चाहे वे अकुशल क्यों न हों। ऐसे लोग प्रशासन-कार्य कुशलता से नहीं चला सकते। (ix) कर इस ढङ्ग से लगाए जाते हैं कि उनका भार गरीब जनता पर अधिक पड़ता है और धनी लोग बच जाते हैं।

अतः यह कहना सत्य है कि धनकी कमी के कारण म्यूनििसिपल प्रगति में बाधा पड़ रही है और धन की यह कमी मुख्यतः कर बढ़ाने के दायित्व से बचने के प्रयास, करों की वसूली में ढील एवं वित्त-व्यवस्था के सिद्धान्तों का उल्लंघन होने के कारण है।

वित्तीय साधनों की वृद्धि के लिए सुझाव—

भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई इस जांच कमेटी ने स्थानीय निकायों को आय के साधनों में सुधार करने के लिए निम्न सुझाव दिये:—(i) रेलवे, समुद्र और वायु मार्ग से आने वाली वस्तुओं पर केंद्रीय सरकार सीमा-कर लगाये तथा इससे प्राप्त आय स्थानीय निकायों को दे, (ii) बिजली, मोटर गाड़ियों के अतिरिक्त अन्य गाड़ियों, भूमि, इमारतों, अचल सम्पत्ति और मनोरंजन कर पूर्णतः स्थानीय निकायों को दे दिये जायें, (iii) स्थानीय निकायों को अधिक से अधिक कर लगाने के लिए प्रेरित किया जाय, (iv) प्रत्येक राज्य में वसूल की जाने वाली चुँगी की एक स्पष्ट सूची बनाई जाय, (v) एक हजार रुपये प्रति वर्ष में अधिक आय वाले व्यक्तियों पर व्यवसाय-कर लगा दिया जाय, (vi) होटलों में जाने वाले व्यक्तियों पर कर लगा देना चाहिए, (vii) स्थानीय निकायों को मोटर गाड़ियों पर कर लगाना चाहिए। इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने से स्थानीय निकायों की आय में ४० करोड़ रुपया वार्षिक की वृद्धि सम्भव बताई गई थी।

निष्कर्ष—

वास्तव में, स्थानीय राजस्व की समस्याओं को हल करने के लिए एक व्यापक दृष्टि-कोण अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब स्थानीय स्वशासन का पूर्ण विकास हो जायेगा, तब स्थानीय सेवाओं का भी पूर्ण विकास करना होगा और इस कार्य के लिए स्थानीय राजस्व के साधनों का पूर्ण विकास करना तथा वित्तीय कुशलता का उच्च स्तर स्थापित करना जरूरी है।

परीक्षा प्रश्न :

- भारत में स्थानीय सरकारों के आय-व्यय के खेत्तों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिये।
- What are the shortcomings of the local finance in India? Suggest remedies.

परिशिष्ट

पाँचवे वित्त आयोग की सिफारिशें

(Recommendations of the Fifth Finance Commission)

पाँचवे वित्त आयोग की नियुक्ति थी महावीर त्यागी की अध्यक्षता में फरवरी १९६८ में की गई थी। आयोग ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट अक्टूबर १९६८ में और अन्तिम रिपोर्ट जुलाई १९६९ में दी।

अन्तरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशें—(i) आय कर, संघीय उत्पादन-कर और सम्पदा-कर के वितरण के वर्तमान स्वरूप को बनाये रखा जाय। किन्तु वृषि-भूमि के प्रतिरिक्त अन्य सम्पत्तियों पर कर की शुद्ध राशि का ३% (गहले यह २% था) केन्द्र शासित भागों को हस्तांतरित करने की सिफारिश की गई। (ii) अभी तक ११ राज्यों को वार्षिक अनुदान दिये जा रहे थे पाँचवे आयोग ने विहार व प० वंगाल को भी अनुदान देने एव आंध्र, असम, जम्मू-काश्मीर, म० प्र०, नागालैंड व राजस्थान के अनुदानों में वृद्धि करने की सिफारिश की। (iii) कुल कर-वसूली में से सभी राज्यों के भाग की राशियाँ बढ़ाई गईं। (iv) रेल यात्री कर को समाप्त कर दिया गया और इसके बदले में धाति पूरक अनुदान देने की सिफारिश की गई। (v) कुछ राज्यों द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इन्डिया से अनाधिकृत और ड्राफ्ट्स लेने के सम्बन्ध में भी सिफारिश की गई, किन्तु सरकार ने अभी इन्हें स्वीकृति नहीं दी है।

अन्तिम रिपोर्ट—अन्तिम रिपोर्ट में उक्त सिफारिशों का सखिल उल्लेख है और अन्य प्रश्नों पर दी गई सिफारिशों पर हमने नीचे सखिल प्रकाश डाला है। कमिशन की सिफारिशों का शुद्ध परिणाम यह होगा कि राज्यों को भविष्य में केन्द्रीय सरकार से अधिक रकम हस्तांतरित हो सकेगी। इस प्रकार आयोग ने राज्यों की अधिक प्रसाधन सम्बन्धी माँग को यथाशक्ति पूरा किया है।

(I) करों एवं चुगियों में हिस्सा—

अभी तक अग्रिम आय कर (Advance Income-tax) की वसूलियाँ जिस वर्ष में की जाये उस वर्ष के विभाजन योग्य आय-कर के कोष (Divisible Pool of Income-tax) में सम्मिलित न होकर उस वर्ष के विभाजन योग्य आय कर के कोष में सम्मिलित की जाती थी जिसमें कि वह समायोजित (Adjust) की जायें। राज्यों के अनुरोध पर पाँचवें वित्त आयोग ने अग्रिम आय-कर की वसूलियों को वसूली वाले वर्ष के विभाजन योग्य आय-कर-कोष में ही सम्मिलित करने की सिफारिश की।

(१) आय-कर में हिस्सा—१९६९-७० से १९७३-७४ की अवधि के लिये कमिशन ने संघीय क्षेत्रों का शुद्ध आय-कर-प्राप्तियों में हिस्सा २५% (चतुर्थ आयोग) से बढ़ाकर २६% कर दिया है। राज्यों का हिस्सा पहिले आयोग ने ५०%, दूसरे ने ६०%, तीसरे ने ६६ $\frac{2}{3}$ % और चौथे आयोग ने ७५% रखा था, जिसे राज्यों ने दबाकर ८० से १००% तक करने का अनुरोध किया। किन्तु पाँचवे आयोग ने उनका हिस्सा ७५% ही बनाये रखा है।

हैं, प्राप्ति कर की वसूली को शामिल कर लेने से आय-कर के वितरण योग्य कोष का आकार बढ़ जायेगा ।

राज्यों के मध्य वितरण का सिद्धान्त कौन-सा अपनाया जाय, इस बारे में धायोग के सामने विभिन्न सुझाव आये । सब बातों पर विचार करते हुए कमीशन ने प्रत्येक राज्य का हिस्सा निर्धारित करने में जनसंख्या को ६०% और १०% कर-निर्धारण (Assessments) को भार दिया । पहले आयोग ने जनसंख्या को ८०% और कर-संग्रह को २०% भार दिया था । दूसरे आयोग ने इन्हें ६०% और १०% रखा । तीसरे आयोग ने पुनः ८०% और २०% कर दिया । चौथे आयोग ने इन्हीं को बनाये रखा किन्तु पाँचवे आयोग ने पुनः ६०% और १०% कर दिया है । द्वितीय आयोग की भाँति उसने भी जन-संख्या को राज्य की आवश्यकता का सामान्य मापक स्वीकार किया । (प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ आयोगों ने जन-संख्या के साथ-साथ कर-वसूली (Collections) को भार दिया था किन्तु पाँचवे आयोग ने जन-संख्या के साथ-साथ कर निर्धारण (Assessments) को ।) 'कर-संग्रह' के बजाय 'कर निर्धारण' को महत्त्व देने का कारण यह था कि उसमें उन राज्यों को अधिक लाभ हो जाता था, जिनमें भौगोलिक केन्द्र है ।

(२) संघीय उत्पादन-कर—सविधान के अनुच्छेद २७२ के अधीन संघीय (दुनियादी) उत्पादन करों से, जोकि केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाये और वसूल किये जाते हैं, प्राप्त धन में से राज्य सरकारें हिस्सा पाती हैं; किन्तु विशेष उत्पादन करों एवं नियमनकारी व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में, जो कि विशेष अधिनियमों के अधीन लगाई जायें, विभाजित के लिये प्रावधान नहीं है । इस समय राज्य सरकारों को २०% हिस्सा मिल रहा था जिसे उन्होंने बढ़ाकर ३० से ५०% करने का प्रयत्न किया । कुछ राज्यों ने विशेष उत्पादन करों के प्राप्त धन में से भी हिस्सा देने की माँग की । सब व राज्य सरकारों के भावी आय-व्ययों को विचार में लेते हुये कमीशन ने दुनियादी उत्पादन करों में राज्यों का हिस्सा २०% ही बनाये रखा है । किन्तु साथ ही १९७२-७३ और १९७३-७४ के वर्षों के लिये वितरण योग्य कोष में विशेष करों (नियमनकारी करों को नहीं) शामिल करके 'बड़ा' बना दिया है । स्मरणीय है कि चौथे वित्त आयोग ने विशेष करों आदि को वृक्ष रखा था, क्योंकि इन्हे वितरण योग्य कोष में शामिल करने से व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं और साथ ही उसकी राय में ऐसे कर सभ सरकार द्वारा अपवाद भूत (Exception) होने चाहिये । पाँचवे वित्त आयोग ने इन्हे पहले तीन वर्षों के लिये तो मूल्य रखा है किन्तु बाद के दो वर्षों के लिये शामिल कर लिया है (यद्यपि तब तक ये कर लगाये जाते रहे) ।

जहाँ तक राज्यों के मध्य वितरण का प्रश्न है; कमीशन इस बात से प्रभावित हुआ कि राज्यों को हिस्सा देने का मुख्य उद्देश्य उनके प्रसाधनों को ग्यामोचित रूप से बढ़ाना है, ताकि वह अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताएँ पूरी कर सकें । उसकी राय में राज्यों की आवश्यकताएँ मुख्यतः उसकी जनसंख्या के आकार, उनकी सापेक्षिक आय, प्रसाधनों एवं आर्थिक विकास के स्तरों पर निर्भर होती है । कमीशन योगदान (Contribution) सम्बन्धी घटक को भार देने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि इच्छानुगत आधार पर षट्टि जाने वाले करों के वितरण में वह उसकी राय में कोई 'उपयुक्त' घटक नहीं था । उपभोग सम्बन्धी घटक को भी अनुपयुक्त समझा गया, क्योंकि यह भी कम शहरी-राज्यों (Less urbanised states) के लिये अ-लाभप्रद रहता है । कमीशन की राय में वितरण का आधार मुख्यतः जन-संख्या को बनाना चाहिये । साथ में कोई अन्य घटक भी लिया जा सकता है, जैसे—प्रसाधन जुटाने के लिये नीची क्षमता (Low Potential) और आर्थिक एवं सामाजिक विकास के सम्बन्ध में पिछड़ापन । जिन राज्यों में प्रति व्यक्ति आय का स्तर नीचा है वहाँ प्रसाधनों को जुटाने की क्षमता भी नीची होती है और इसलिये ऐसे राज्य ऊँची प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों की अपेक्षा अलाभप्रद स्थिति में होते हैं । अतः कमीशन ने

यह न्यायोचित समझा कि शीतल स्तर से नीची प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को अधिक हिस्सा दिया जाय ।

राज्य-क्रम से वितरण की स्कीम में आयोग ने जन-संख्या घटक को चतुर्थ आयोग के समान ही भार दिया (अर्थात् ८०%) । शेष २०% के सम्बन्ध में आयोग ने कहा कि इसका दो-तिहाई उन राज्यों में वितरित किया जाय जिनकी प्रति व्यक्ति आय शीतल स्तर से नीची है (प्रत्येक राज्य का हिस्सा आय-न्यूनता और जनसंख्या के गुणन-फल के अनुपात में निर्धारित किया जायगा) शेष (२०% बाँटने) को सभी राज्यों में पिछड़ेपन के सूचकांक के आधार पर बाँटा गया है । पिछड़ेपन के सूचकांक (Index of backwardness) बनाते समय आयोग ने निर्मा-कृत छह घटकों को विचार में लिया है :—(i) अनुसूचित कबीलो की जनसंख्या, (ii) प्रति-लाख वारखाना-श्रमिकों की संख्या, (iii) प्रतिशतक शुद्ध सींचित क्षेत्रफल, (iv) प्रति १०० वर्ग किलोमीटर रेलों व पक्की सड़कों की लम्बाई, (v) स्कूल जाने की आयु वाले बालकों की तुलना में वास्तव में स्कूल जाने वाले बालकों की संख्या एवं (vi) प्रति हजार जन-संख्या पीछे अस्पताली शैवाग्रों की संख्या । कमीशन ने पिछड़ेपन के सूचकांक की तालिका प्रकाशित नहीं की है किन्तु इन छहों घटकों के सन्दर्भ में प्रत्येक राज्य की सापेक्षिक स्थिति को दर्शाया है ।

(३) विन्नी-कर के बदले में अतिरिक्त उत्पादन कर—ऐसे अतिरिक्त कर केन्द्र द्वारा इस समय चीनी, वस्त्र और तम्बाकू पर लगाये जा रहे हैं और राज्यों को इनके प्राप्त धन में भी हिस्सा दिया जाता है । विद्यमान वितरण-स्कीम के प्रति राज्यों ने कमीशन के सामने निम्न आपत्तियाँ उठाईं :—(i) इनकी दरें नहीं बढ़ाई गई हैं, यद्यपि बुनियादी उत्पादन कर की दरें काफी बढ़ गई हैं, एवं कुछ वस्तुओं पर विशेष उत्पादन कर लगाये गये हैं; (ii) विद्यमान स्कीम ने राज्यों को अपनी आय के एक महत्वपूर्ण स्रोत से वंचित कर दिया है । किन्तु कुछ राज्य विद्यमान स्कीम को जारी रखने के लिये सहमत थे वगैरें आय को पर्याप्त रूप से बढ़ाने के लिये स्कीम में कुछ संशोधन कर दिये जायें । अन्य राज्य संशोधन के वावजूद स्कीम को जारी रखने के पक्ष में न थे । व्यापारियों के प्रतिनिधि मण्डल विद्यमान स्कीम से सामान्यतः सन्तुष्ट थे । कुछ ने राज्यों की आपत्तियों के निवारण के लिये यह सुझाव दिया कि जहाँ-जहाँ सम्भव हो अतिरिक्त करों की विद्यमान विशिष्ट दरों (Specific rates) को मूल्यानुसार दरों (Ad valorem rates) में बदल दिया जाय तथा अन्य दशाग्रों में दरों की समय-समय पर संशोधित किया जाय । आयोग ने राज्यों की आपत्ति को सही पाया । १९५७-५८ से १९६७-६८ की मध्यावधि में बुनियादी उत्पादन करों से आय में ७०% वृद्धि हो गई थी किन्तु अतिरिक्त करों से आय ४५% बढ़ सकी थी । इन मदों पर यदि राज्यों की विन्नी कर लगाने की स्वतन्त्रता होती, तो वह उससे कहीं अधिक आय प्राप्त कर सकते थे जो कि उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाई गई अतिरिक्त उत्पादन करों की आय के हिस्से के रूप में प्राप्त होती है । कमीशन ने स्कीम को जारी रखने का न रखने का फैसला भारत सरकार पर छोड़ दिया, किन्तु विद्यमान स्कीम को जारी रखने की दशा में उसने इसमें कुछ संशोधनों की सिफारिशें की ।

कमीशन की सिफारिश थी कि ड्यूटीज की दरें यथासम्भव मूल्यानुसार (Ad valorem) होनी चाहिये और उन्हें प्रचलित कीमतों तथा मिलती-जुलती मूल्यों पर राज्यों द्वारा लगाये गये विन्नी कर के सामान्य स्तर के सन्दर्भ में समय-समय पुनर्निरीक्षित किया जाता रहे । राज्यों के मध्य अतिरिक्त उत्पादन करों की आय के वंटवारे का सिद्धान्त इस प्रकार निश्चित किया गया—आय का एक भाग सघीय क्षेत्रों, जम्मू-काश्मीर और नागालैण्ड के लिये सुरक्षित रखा गया । शेष आय में से एक नियत राशि (जो गारण्टीड राशि कहलायेगी) और मोटे रूप में राज्यों को १९५६-५७ में, जबसे कि विन्नी-कर के बदले अतिरिक्त उत्पादन कर लगाया जाना

शुरू हुआ, इन मर्तों पर विनी-कर से हुई आय के बग़वर् होगी) राज्यों को दी जाती है। नियत राशि देने के बाद यदि कोई आधिक्य आय बचे हो वह उनमें आयोग द्वारा सिफ़ारिश किये गये प्रतिशतों के अनुसार बाँटी जायेगी। पाँचवे वित्त आयोग ने मधीय क्षेत्रों ग्रौ-नागालैण्ड के हिस्से को १% और ०.०५% से बढ़ा कर क्रमशः २.०५% और ०.०६%, किन्तु जम्मू-काश्मीर का भाग १.५% में घटाकर ०.०३% कर दिया है। समोचन प्रतिशन उनकी क्रमिक जन-संख्या-अह्दों के आधार पर नियत किये गये हैं जबकि पिछले प्रतिशन (कमीशन की राय में) तदर्थ आधार (Ad hoc basis) पर नियत थे। कमीशन गारण्टीड राशि के प्रश्न को दुबारा उठाने के पक्ष में न था किन्तु उसने जिन गारण्टीड राशि (=३२.४० करोड़ रु०) की सिफ़ारिश की है वह पिछले दो आयोगों द्वारा निर्धारित राशि (=३२.५४ करोड़ रु०) से कम है। (यह कमी पञ्जाब व हरयाणा के विभाजनस्वरूप चण्डीगढ़ को सङ्घीय क्षेत्र बनाने का परिणाम है।)

गारण्टीड राशि से ऊपर अतिरिक्त आय (Surplus) के बँटवारे के सम्बन्ध में चौथे आयोग ने विनी-कर के सग्रह (१९६१-६२ से १९६३-६४ की अवधि) को आधार बनाया था। किन्तु पाँचवे आयोग ने विनी-कर सग्रह के घटक की आधार बनाने में कई दुर्बलताये अनुभव की, जैसे—दूरे राज्य प्रति-राज्य अलग-प्रलग हैं, बिलास एव अर्द्ध-बिलास वस्तुओं के अधिक उपभोग के कारण धनी राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक समूली होती है। कमीशन की राय में उपभोग घटक सर्वोत्तम आधार है किन्तु इस सम्बन्ध में आँकड़े पर्याप्त उपलब्ध न थे। सब बातों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने सुझाव दिया कि आधिक्य का वितरण अश्व. जन-संख्या के आधार पर और अश्व. विनी-कर सग्रह (अन्तर्राज्यीय विनी-कर को शामिल न करते हुये) के आधार पर किया जाय। उसने इन दोनों घटकों को बराबर-बराबर भार दिया।

(४) सम्पदा-कर (Estate Duty)—सम्पदा-कर की कुछ प्राप्तियो में सधीय क्षेत्रों का हिस्सा २% से बढ़ाकर ३% कर दिया गया है। यह समोचन इन क्षेत्रों में चण्डीगढ़ को सधीय क्षेत्रों में शामिल किये जाने के फलस्वरूप जनसंख्या में हुई वृद्धि के कारण किया गया है। अचल सम्पत्ति के प्राँस मूल्य में हुई वृद्धि को भी विचार में लिया गया है। शेष राशि के राज्यों में वितरण के सम्बन्ध में सिद्धान्त वही रखे गये हैं जो कि पिछले आयोगों ने नियत किये थे। इस प्रकार विभिन्न राज्यों को प्रत्येक राज्य में 'स्थित' और 'कराधीन' अचल सम्पत्ति के प्राँस मूल्य के अनुपात में हिस्सा मिलेगा। अचल सम्पत्ति के अनावा अन्य सम्पत्ति के लिए नियत राशि राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में बाँटी जायेगी। दोनों (चौथे और पाँचवे) आयोगों ने १९६१ की जनसंख्या के आँकों को आधार बनाया है तथापि पाँचवे आयोग ने प्रत्येक राज्य के चिये जो प्रतिशत हिस्से निर्धारित किये हैं वह चौथे आयोग द्वारा नियत प्रतिशतों की अपेक्षा हरयाणा व पञ्जाब के लिए नीचे हैं किन्तु अन्य राज्यों के लिये ऊँचे।

(५) रेल-यात्री भाड़ों पर कर के बदले में अनुदान (Grant in lieu of Tax on Railway Passenger Fares)—इसके वितरण के सिद्धान्त वही रखे गये हैं जो कि चौथे आयोग ने नियत किये थे। प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिशत हिस्से वही स्थित रेल-मार्ग की लम्बाई के अनुसार, प्रत्येक रेल-क्षेत्र की यात्री भाड़े की १९६४-१९६७ की अवधि की औसत आय के आँकड़ों के आधार पर निर्धारित किये गये हैं। विद्यमान व्यवस्था के अनुसार १९७०-७१ तक राज्यों में वितरित की जाने वाली अनुदान राशि १६.२५ करोड़ रु० प्रति वर्ष है।

(II) संविधान के अनुच्छेद २७५ के अधीन सहायता-अनुदान—

इस प्रकार के अनुदान उन राज्यों को दिये जाते हैं जिन्हें पक्कयॉय योजनाओं के अतिरिक्त अन्य आयों के लिए सहायता की आवश्यकता है। कमीशन ने अनुदान लगाया है कि

१९६६-७४ की पाँच-वर्षीय अवधि के लिये राज्य सरकारों के कुल बजट-घाटे ७,३६८ करोड़ रु० होंगे। कमीशन ने इस बात पर बल दिया कि अनुदानों के प्रश्न पर विचार करते समय व्यापक प्रशुल्क-आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखा जाय, साथ बजट-आवश्यकताओं का नहीं। राज्यों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाते समय कमीशन ने विभागीय व्यापारिक स्वीमों के परिचालन व्ययों और प्राप्ति, व्याज व लाभांश की प्राप्ति और व्याज सम्बन्धी भुगतान व ऋण-व्यय आदि पर पुनः से विचार किया। प्राप्ति और भुगतानों में सम्बन्धित प्रमुख मदों के बारे में कमीशन ने पिछली प्रवृत्तियों, भविष्य की सम्भावनाओं और राज्यों की विशेष समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए उपयुक्त वृद्धि-दरें प्रस्तावित कीं। अनुमान लगाया गया कि बिहार, गुजरात, हरियाणा, म० प्र०, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब और उ० प्र० को १९६६-७४ की अवधि में प्राधिक्य (Budget surplus) रहेगा। अतः मैसूर को छोड़कर शेष सात राज्यों को अनुदान नहीं दिये गये हैं। मैसूर को घटती हुई दर से अनुदान दिया गया है क्योंकि पाँच-वर्षीय अवधि में करो में दूरी की औसत राशि चौथे वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर जो औसत राशि उसे मिलती है उसमें कम रहेगी। मैसूर और अन्य नौ राज्यों को कमीशन ने पाँच-वर्षीय अवधि के लिए कुल ६३७ ८५ करोड़ रु० का सहायक अनुदान देने की सिफारिश की है। यह राशि चतुर्थ योजना आयोग द्वारा १९६६-७१ की पाँच-वर्षीय अवधि के लिए सिफारिश की गई राशि (=७०३०५ करोड़ रु० ११ राज्यों के लिये) से कम है। पिछले आयोगों के असमान पाँचके आयोग ने घटती हुई दर से वार्षिक राशियाँ निश्चित की हैं। यह पहिले वर्ष में १५२ ७३ करोड़ रु० और पाँचवें वर्ष में १०२ ४१ करोड़ रु० होगी।

(III) अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिये उपलब्ध क्षेत्र—

कमीशन ने अनुच्छेद २६६ में उल्लिखित प्रत्येक मद (अ-कृषि सम्पत्ति पर सम्पदा-कर और अन्तर्राष्ट्रीय विप्री-कर को छोड़ते हुये) से आय बढ़ाने की सम्भावना पर विचार किया। कमीशन की राय में समाचारपत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों पर कर के लिये क्षेत्र था। आकड़ों के अभाव में वह इस बात का निश्चय नहीं कर सका कि ऐसे कर से कितनी आय हो सकेगी। अतः कर की मात्रा, दर, सरचना, अपवाद आदि की विस्तृत बातें भारत सरकार के निश्चय के लिये छोड़ दी गईं। किन्तु कमीशन ने समाचार-पत्रों के विक्रय या श्रय पर कर लगाने का समर्थन नहीं किया, क्योंकि इससे उनके पढ़ने वालों की मरुया में कमी आने का डर था, जो पहिले ही अन्य देशों के मुकाबले भारत में बहुत कम है। उसने विभिन्न आधाराओं पर (जैसे—न्यून-आय प्राप्ति, प्रशासनिक कठिनाइयाँ, अर्थ-व्यवस्था पर कुप्रभाव आदि) अनुच्छेद २६६ के शेष करो (यथा—अ-कृषि सम्पत्ति पर उत्तराधिकार कर, रेलों द्वारा ले जाये गये माल पर टर्मिनल टैक्स, समुद्र द्वारा जाने वाले यात्रियों पर कर, वायुयान से जाने वाले यात्रियों पर कर, हवाई माल परिवहन पर कर, रेल यात्री भाड़ों पर कर, रेल माल-भाड़ों पर कर, स्टाम्प ड्यूटी के अलावा स्टाक विपणन और वायदा बाजारों में होने वाले व्यवहारों पर कर) के लगाने का भी समर्थन नहीं किया।

सर्वशुल्क आयोग ने सविधान की सातवीं अनुसूची की द्वितीय सूची में राज्य सरकारों के लिये सुरक्षित रखे गये करो से अतिरिक्त आय जुटाने की सम्भावनाओं पर विचार किया। राज्यों ने कमीशन को पर्याप्त आँकड़े प्रदान नहीं किये और उनके पास समय भी थोड़ा था। अतः कमीशन ने केवल कुछ सामान्य सुझाव ही दिये और विस्तृत विचार का काम एक कर जाँच आयोग के लिये छोड़ दिया। प्रत्येक राज्य की प्रति व्यक्ति आय के साथ उस राज्य की प्रति व्यक्ति देवभू के अनुपात पर विचार करते हुये कमीशन ने यह पाया कि राज्यों के कर-प्रयासों (Tax-efforts) में बहुत विभिन्नता (Disparity) है। समस्त राज्य औसत से नीची प्रति